

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016—17

वार्षिक प्रतिवेदन 2016—2017

विषय सूची

प्राक्कथन

अध्याय—1

प्रस्तावना

क्र० सं०	विवरण	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
1	इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	5
2	लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा	1.2	5
3	लेखा परीक्षा का प्राधिकार	1.3	5
4	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ० प्र० के कार्यालय के संगठन की संरचना	1.4	6
5	लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	6
6	लेखा परीक्षा आपत्तियों के प्रति विभाग का रुझान	1.6	6
7	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही	1.7	7

अध्याय—2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, आय/प्राप्ति के स्रोत, क्रियाकलापों के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण

1	सामान्य विवरण	2.1	6—7
2	जिला पंचायत	2.2	7—9
3	क्षेत्र पंचायत	2.3	9—10
4	ग्राम पंचायत	2.4	10—13

अध्याय—3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

1	जिला पंचायत	3.1	13
2	क्षेत्र पंचायत	3.2	13
3	ग्राम पंचायत	3.3	13

अध्याय-4

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियां

क्र० सं०	जिला पंचायत	4.1	पृष्ठ संख्या
1	आगरा मण्डल		14-21
2	अलीगढ़ मण्डल		21-33
3	अयोध्या मण्डल		33-48
4	आजमगढ़ मण्डल		48-70
5	बरेली मण्डल		70-73
6	बस्ती मण्डल		73-80
7	चित्रकूटधाम मण्डल		80-91
8	देवीपाटन मण्डल		91-106
9	गोरखपुर मण्डल		106-139
10	झाँसी मण्डल		139-151
11	कानपुर मण्डल		152-178
12	लखनऊ मण्डल		179-188
13	मेरठ मण्डल		188-196
14	मुरादाबाद मण्डल		196-201
15	प्रयागराज मण्डल		202-217
16	वाराणसी मण्डल		217-229
17	विन्ध्याचल मण्डल		229-241

क्र० सं०	क्षेत्र पंचायत	4.2	पृष्ठसंख्या
1	आगरा मण्डल		242-304
2	अलीगढ़ मण्डल		304-357
3	अयोध्या मण्डल		357-417
4	आजमगढ़ मण्डल		417-433
5	बरेली		433-498
6	बस्ती		498-517
7	चित्रकूट मण्डल		517-538
8	देवी पाटन		539-562
9	गोरखपुर मण्डल		562-679
10	झाँसी मण्डल		679-707
11	कानपुर मण्डल		708-739
12	लखनऊ		739-830
13	मेरठ मण्डल		830-841
14	मुरादाबाद		841-868
15	प्रयागराज मण्डल		868-936
16	सहारनपुर		936-952
17	वाराणसी मण्डल		953-1194
18	विन्ध्याचल धाम		1194-1212

क्र० सं०	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठसंख्या
1	आगरा मण्डल		1212—1295
2	अलीगढ़ मण्डल		1295—1342
3	अयोध्या मण्डल		1342—1496
4	आजमगढ़ मण्डल		1496—1630
5	बरेली मण्डल		1630—1754
6	बस्ती मण्डल		1755—1826
7	चित्रकूट धाम मण्डल		1826—1859
8	देवीपाटन मण्डल		1859—1980
9	गोरखपुर मण्डल		1981—2131
10	झाँसी मण्डल		2131—2159
11	कानपुर मण्डल		2159—2265
12	लखनऊ मण्डल		2265—2452
13	मेरठ मण्डल		2453—2504
14	मुरादाबाद मण्डल		2504—2738
15	प्रयागराज मण्डल		2738—2820
16	सहारनपुर मण्डल		2820—2832
17	वाराणसी मण्डल		2832—3009
18	विन्ध्योच्चल मण्डल		3009—3077

अध्याय—5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/अधिभार प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नास्ति संग्रह का विवरण

1	जिला पंचायत	5.1	3078
2	क्षेत्र पंचायत	5.2	3078
3	ग्राम पंचायत	5.3	3078

अध्याय—6

निष्कर्ष व संस्तुतियाँ

1	निष्कर्ष	6.1	3079
2	संस्तुतियाँ	6.2	3080

पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था

जिला पंचायत



क्षेत्र पंचायत



ग्राम पंचायत

पंचायती राज संस्थागत ढांचा

केन्द्र सरकार



राज्य सरकार



पंचायती संस्थाएं



जिला पंचायत



अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य



क्षेत्र पंचायत समिति



प्रमुख उप प्रमुख सदस्य



ग्राम पंचायत



प्रधान उप प्रधान वार्ड सदस्य

प्राक्कथन

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा— जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के लेखों की लेखा परीक्षा राज्य सरकार के अधीन निदेशक, सहकारी समितियों एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पन्न कराते हुए इन संस्थाओं की लेखा परीक्षा के आधार पर अनिस्तारित प्रस्तारों को सम्मिलित करते हुए वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने की व्यवस्था है।

सहकारी और पंचायती लेखा परीक्षा विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सम्पादित लेखा परीक्षा के आधार पर वर्तमान प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2017-18 की अवधि में वित्तीय वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में आये प्रकरणों के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्षों के प्रकरण, जिनकी लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में सम्पादित की गयी है, को भी सम्मिलित किया गया है।

यह वार्षिक प्रतिवेदन अध्याय में प्रस्तावना से प्रारम्भ होता है जिसमें प्रतिवेदन सम्बन्धी रूप रेखा, लेखा-परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, लेखा परीक्षा का प्राधिकार, लेखा परीक्षा विभाग का प्रशासनिक ढाँचा व लेखा परीक्षा की योजना एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कार्यवाही सम्मिलित है। अध्याय 2 में लेखा परीक्षित संस्थाओं के कार्यों, आय स्रोत एवं क्रिया कलापों के वर्ष में सामान्य विवरण है। अध्याय 3 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा की प्रगति की स्थिति, अध्याय-4 में लेखा परीक्षा के उपरान्त प्रकाश में आयी महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण, अध्याय 5 में निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/अधिभार प्रतिवेदन आपत्तियों का अनुपालन, समीक्षा एवं नस्ति संग्रहीत की स्थिति तथा अध्याय-6 में निष्कर्ष एवं सुझाव को आच्छादित किया गया है।

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1-इस प्रतिवेदन के संबंध में रूपरेखा-

1. निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश का यह प्रतिवेदन राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए गये अनुदान, योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में हुए व्यय, इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त आय की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित है।

2. इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखा परीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। यह अपेक्षा की जाती है कि लेखा परीक्षा परिणाम, कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही, संस्थाओं हेतु नीति निर्धारण व भविष्य की नीति निर्माण में सहायक होगा तथा एक जन उपयोगी शासन व्यवस्था के निर्माण में सहयोगी होगा।

3. लेखा परीक्षा के अंतर्गत संस्था की प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पत्तियों और दायित्वों की जांच की जाती है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि संस्था केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों व योजनाओं में अनुदानित धन का उपयोग किस प्रकार कर रही है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों, दिशा निर्देशों का पालन किस प्रकार किया गया है। व्ययों, योजना के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुयी है। किस सीमा तक मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता के साथ संस्था द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन तथा संचालन किया गया है।

4. इस अध्याय में लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, लेखा परीक्षा का प्राधिकार, लेखा परीक्षा संगठन की संरचना, लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन का उल्लेख किया गया है।

5. इस प्रतिवेदन में वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षित इन संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखों की लेखा परीक्षा में, संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ-साथ संस्थाओं के विगत वर्षों के प्रकरणों, जिनके लेखों की लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 की अवधि में संपादित की गयी, को भी लिया गया है।

1.2-लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा-

लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर कुल 75 जिला पंचायतें थीं। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

विकास खंड स्तर पर राज्य में कुल 821 क्षेत्र पंचायतें थीं। जो ब्लॉक प्रमुख के नियंत्रणाधीन है। खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य में कुल 58478 ग्राम पंचायतें थीं। जो ग्राम प्रधान के नियंत्रणाधीन है। ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायतों का कार्यकारी अधिकारी होता है।

इस प्रकार तत्समय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश की लेखा परीक्षा की परिधि में उपरोक्त तीनों स्तर के कुल 59374 पंचायती राज संस्थाएँ थीं।

1.3-लेखा परीक्षा का प्राधिकार-

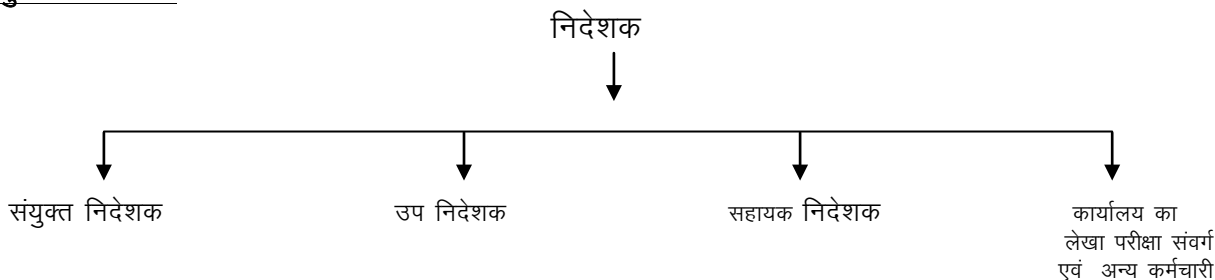
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 एवं उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) 1965 के नियम- 2 व नियम- 174 से 180 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 एवं उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 186 के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ०प्र० में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्राधिकार निहित है।

1.4— निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के संगठन की संरचना

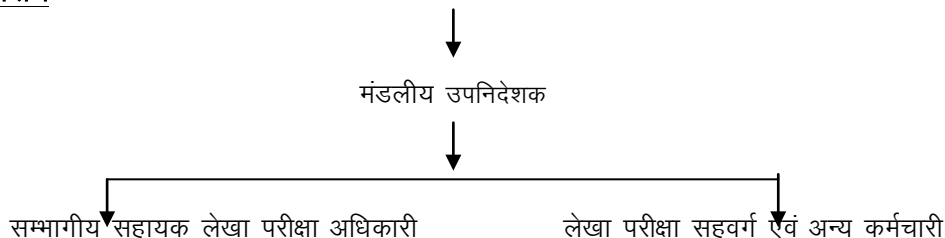
उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादित कराया जाता है।

जनपद स्तर पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षा कार्मिकों (यथा—लेखा परीक्षक, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी) की नियुक्ति रहती है। जिनके द्वारा जनपद स्तर पर समस्त पंचायती राज संस्थाओं यथा— जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा सम्पादित/निष्पादित की जाती है। मंडल स्तर पर उप निदेशक की नियुक्ति रहती है। जिसके द्वारा जनपद स्तर पर होने वाले लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण, लेखा परीक्षा कार्य का नियोजन एवं प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। विभाग का ढाँचा निम्न प्रकार है—

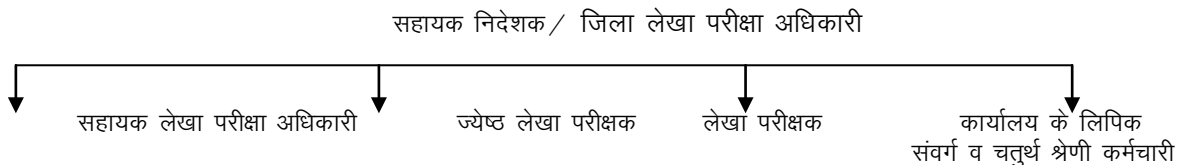
(अ) मुख्यालय स्तरीय



(ब) मंडल स्तरीय



(स) जनपद स्तरीय



1.5—लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन—

लेखा परीक्षा की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जनपद स्तर पर लेखा परीक्षा कार्मिकों को पूरे वर्ष के लिए लेखा परीक्षा कार्य के आवंटन से होती है। तत्पश्चात सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्मित विभागीय नीति के तहत तदनुसार वर्ष पर्यन्त लेखा परीक्षा कार्य का संचालन किया जाता है।

प्रशासनिक विभागों के अधिनियम व नियमावली में निर्धारित सीमा, प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित परिक्षेत्र के तहत संस्था के क्रिया कलाप, उनके द्वारा किये गये व्यय, वित्तीय अधिकारों की सीमा आदि का परीक्षण कर लेखा परीक्षा परिणाम निर्धारित किये जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखा परीक्षा की समाप्ति पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संस्था के प्रमुख व अन्य संबंधित पक्षों को इस आग्रह के साथ प्रेषित किया जाता है कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात अधिनियम एवं नियमावली में निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित करें।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निहित मुख्य बिंदु जो अपहरण, दुर्विनियोग एवं गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित रहते हैं। उन्हें अधिभार प्रतिवेदन में सम्मिलित करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है तथा अधिभार की कार्यवाही निर्धारित की जाती है।

1.6—निष्पादित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति विभाग का रुझान

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा आपत्तियाँ संबंधित संस्थाओं के प्रमुखों एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों को इस आशय से अग्रसारित किया जाता है कि निर्धारित अवधि (एक माह) के अंदर अनुपालन आख्या प्रशासनिक विभाग के माध्यम से लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया जाए। जैसा कि प्रशासनिक विभाग में संगत अधिनियमों/नियमावली में प्रख्यापित है।

प्रशासनिक विभागों के माध्यम से अनुपालन आख्या मॉगे जाने का औचित्य यह है, कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का समुचित अनुपालन नियमानुसार हुआ है अथवा नहीं ? इसका सम्पूर्ण संज्ञान प्रशासनिक विभाग को रहे तथा संस्था की लेखा परीक्षा में इंगित कमियों का निराकरण प्रभावी रूप से करा कर योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। इसके साथ ही संगत अधिनियम एवं नियमावली में निहित अधिकारों के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित पक्षों पर प्रशासनिक कार्यवाही, ब्याज सहित वसूली आदि करायी जा सके एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों में निहित सुधारात्मक पक्ष के साथ-साथ दण्डात्मक पक्ष का भी प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके। जिससे संस्था में वित्तीय अनुशासन बनाये रखा जा सके एवं लोक धन पर प्रभावी नियंत्रण द्वारा विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

1.7—लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही—

वर्ष 2010—11 (पूर्ववर्ती वर्षों को सम्मिलित करते हुए) वर्ष 2011—12, 2012—2013, 2014—15 एवं 2015—16 के वार्षिक प्रतिवेदन को चर्चा हेतु सदन के पटल पर रखा जा चुका है। जिस पर विधान मण्डल की उच्च स्तरीय पंचायती राज समिति के समक्ष लेखा परीक्षा आपत्तियों, विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं अधिभार की कार्यवाही चर्चा के अन्तर्गत हैं।

अध्याय—2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों आय/प्राप्ति के स्रोत, व क्रियाकलापो के संदर्भ में

2.1— सामान्य विवरण—

वैदिक काल से ही भारत वर्ष में किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं विद्यमान रही हैं। मगर अंग्रेजों के शासनकाल में ये संस्थाएं लुप्त हो गयीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायत के विकास को प्रोत्साहित किया तथा आजादी के बाद संविधान के अन्तर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 40 के प्राविधान से इनकी गतिविधियों को अधिक बल मिला। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं स्वतंत्रता के पूर्व से ही कार्यरत रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दिनांक 24.04.1993 से लागू हो जाने पर राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि राज्यों के पंचायती राज कानूनों को भी एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 23 अप्रैल 1994 तक संविधान संशोधन के अनुरूप संशोधित कर दिया जाये। तत्समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र परिषद समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 अस्तित्व में थे, अतः इन दोनों अधिनियमों में संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुरूप संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 पारित किया गया, जो संपूर्ण प्रदेश में दिनांक—22 अप्रैल 1994 से लागू हो गया।

उत्तर प्रदेश विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 में मुख्यतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के उन्ही प्रावधानों को संशोधित किया गया, जो संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम 1992 से प्रभावित थे, किन्तु कुछ ऐसे प्रावधानों को भी संशोधित किया गया, जिसे लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। संशोधन के पूर्व ग्राम स्तर की संस्थाओं को गाँव सभा तथा गाँव पंचायत कहा जाता था। जो कि अब ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत कहलायेगा। इसी प्रकार पूर्व में क्षेत्र समिति के नाम से पहचानी जाने वाली मध्य स्तर की संस्था संशोधन के पश्चात् क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर की संस्था जिला परिषद संशोधन के बाद जिला पंचायत कहलाती है तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 हो गया।

भारतीय संविधान के तिहत्तरवे संशोधन में ग्राम पंचायत को न सिर्फ संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है, अपितु विकास का केन्द्र भी बना दिया है। मनरेगा, बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त आयोग, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके द्वारा गाँव स्तर पर आधारभूत सुविधाओं के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित कराने, छात्रवृत्ति एवं पौष्टिक भोजन द्वारा बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति एवं क्षमता विकसित करने, उनमें अच्छी समझ एवं भाईचारे के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 58478 ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों में अरबों रुपये की धनराशि वित्तीय वर्ष 2016—17 में उपलब्ध करायी गई। जिसमें से कुल 46591 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2017—18 में सम्पन्न करायी गयी।

2.2—जिला पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिला पंचायत शीर्षस्थ संस्था है। प्रत्येक जिला में एक जिला पंचायत स्थापित है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित है। तत्समय उत्तर प्रदेश में कुल 74 जिला पंचायतों का गठन हुआ था। जिला पंचायत के कार्यों का सुचारु रूप से संपादन के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष,

तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव पाँच वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है। जिला पंचायत के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती की जाती है। जिसकी सहायता के लिए वित्तीय परामर्शदाता, कार्याधिकारी, स्टोर इंचार्ज, लेखाकार, अवर अभियन्ता/अभियंता टैक्स आफिसर, लिपिक आदि की नियुक्ति की जाती है।

(क) जिला पंचायत के अधिकार एवं कृत्य—

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में जिला पंचायत जनपद की शीर्ष संस्था है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली, लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित है। अधिनियम के धारा 33 के अनुसार जिला पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य निम्नवत् होंगे।

- 1 जिन मेलों तथा उत्सवों का प्रबंध राज्य सरकार करती है या आगे करें, उससे भिन्न मेलों तथा उत्सवों का ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण करना।
- 2 ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध के प्रयोजनों के लिए सड़कों का क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तर्ग्रामित सड़कों तथा जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण।
- 3 जिले की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के कार्यकलापों का तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार सामान्य रूप से पर्यवेक्षण।
- 4 तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच पत्र व्यवहार के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना।
- 5 ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास।
- 6 ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो नियत किये जाये।

जिला पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्रोत —

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जिला पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार जिला पंचायत की अनेकों मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा ब्याज सहित वसूली का अधिकार है। जिला पंचायतों को अपनी सम्पत्ति से भी किराये आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी जिला पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्रोत से आय—

1—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 119—145 में जिला पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

1. लाइसेंस शुल्क
2. दुकानों एवं हाट बाजारों में कर लगाना
3. नौका हाउस पर कर
4. कॉजी हाउस पर कर
5. सिनेमा प्रदर्शनियों आदि पर कर

जिला पंचायतों में सामान्त्याः निम्न मदों से आय प्राप्त होती है।

- 1 सम्पत्ति व विभव कर
- 2 लाइसेंस शुल्क
- 3 मृत पशु शव निस्तारण
- 4 सम्पत्तियों आदि (दुकान, भवन किराया)
- 5 नौका घाट
- 6 मेला प्रदर्शनी
- 7 हाट बाजार एवं तहबाजारी
- 8 कॉजी हाउस
- 9 कृषि एवं पशुपालन
- 10 जिला निधि में उपलब्ध धनराशि पर अर्जित ब्याज
- 11 अन्य मदों से प्राप्तियाँ

(2) वाह्य स्रोतों से आय—जिला पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। जिला पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।

- 1 भू-राजस्व अनुदान
- 2 राज्य वित्त आयोग
- 3 केन्द्रीय वित्त आयोग
- 4 डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त अनुदान
- 5 मनरेगा
- 6 सांसद निधि
- 7 विधायक निधि
- 8 आंचलिक निधि
- 9 अन्य विभिन्न मदों से

मनरेगा के संदर्भ में जिला पंचायत की भूमिका—

- 1 जिला योजना एवं श्रमिक बजट (लेबर बजट) को अन्तिम रूप देना तथा जनपद के अंदर मनरेगा के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग करना जिला पंचायत की जिम्मेदारी है।
- 2 जिला पंचायत खण्ड विकास वार मनरेगा के अर्न्तगत आगामी वर्षों में कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन 31 दिसम्बर तक करेगी।

2.3—क्षेत्र पंचायत

विकास कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों के निमित्त राज्य सरकार द्वारा जनपद को खण्डों में विभक्त किया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 की विभिन्न धाराओं के तहत एक निगमित निकाय के रूप में लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान 821 क्षेत्र पंचायत गठित थी। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगा। क्षेत्र पंचायत हेतु निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना हुआ व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होगा। कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में कम से कम एक बैठक किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी को क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अधिनियम की धारा-99 से 101 के तहत प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी। जिसे क्षेत्र पंचायत निधि कहा जायेगा। क्षेत्र पंचायत निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत की बैठक एवं कृत्य—

अधिनियम की धारा-84 के अनुसार प्रत्येक दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बैठक होगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख जब कभी भी उचित समझे क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला सकता है तथा प्रमुख निर्वाचित सदस्यों के 1/5 के लिखित अध्याचन पर अध्याचन की तारीख या प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर बैठक अवश्य बुलायेगा। क्षेत्र पंचायत निम्नलिखित धारा-86 मामलों पर विचार करेगी तथा योजना तैयार करेगी।

- 1 क्षेत्र पंचायत विकास खंड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् विकास खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।
- 2 यह योजना खण्ड विकास अधिकारी, कार्यसमिति, वित्त एवं विकास समिति और समता समिति की सहायता से नियत तिथि से तैयार की जाएगी।
- 3 विकास खण्ड के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सामुदायिक कल्याण आदि से संबंधित कार्यक्रम।
- 4 ऐसे अन्य कार्य जो नियमों में उल्लिखित है।

क्षेत्र पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्रोत —

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्र पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार क्षेत्र पंचायत की कुछ मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा ब्याज सहित वसूली का अधिकार है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी क्षेत्र पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्रोत से आय—

1—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 131—क में क्षेत्र पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

1. लाइसेंस शुल्क
2. दुकानों एवं हाट बाजारों में कर लगाना
3. सम्पत्ति व विभव कर
4. कॉजी हाउस पर कर
5. अन्य मदों से प्राप्तियाँ

(2) वाह्य स्रोतों से आय—

क्षेत्र पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। क्षेत्र पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।

1. भू-राजस्व अनुदान
2. राज्य वित्त आयोग
3. केन्द्रीय वित्त आयोग
4. डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त अनुदान
5. मनरेगा
6. सांसद निधि
7. विधायक निधि
8. आंचलिक निधि
9. अन्य विभिन्न मदों से

क्षेत्र पंचायत के अधिकार एवं कृत्य—

अधिनियम की धारा-35 एवं 79 तथा संलग्न अनुसूची-3 व 6 में क्षेत्र पंचायत के अधिकार तथा कृत्य निर्धारित किये गये हैं।

अधिनियम की धारा-32 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय - समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

2.4 ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सबसे छोटी इकाई है। एक या अधिक राजस्व गांव को मिलाकर ग्राम का गठन होता है। एक ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था यथासंभव एक हजार या उससे अधिक की जनसंख्या पर की गयी है। लेखा परीक्षा काल में उ0प्र0 में कुल 58478 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों का सुचारु रूप से संचालन के लिये प्रत्येक ग्राम सभा हेतु प्रधान व सदस्यों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्षों के अन्तराल पर किया जाता है। उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होनी चाहिए किन्तु दो लगातार बैठकों के मध्य दो मास से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। ग्राम प्रधान की प्रति दिन के कार्यों के सुचारु रूप से चलाने हेतु ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी की तैनाती शासन द्वारा की गयी है। ग्राम पंचायत के समस्त खातों का संचालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन किया जाता है।

ग्राम सभा की बैठक तथा कृत्य

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रतिवर्ष ग्राम सभा की दो सामान्य बैठक होगी, (खरीफ की बैठक तथा रबी की बैठक), इसके अतिरिक्त विहित अधिकारी की लिखित मांग अथवा सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 1/5 की मांग पर मांग की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रधान ग्राम सभा की असाधारण सामान्य बैठक अवश्य बुलाएगा। प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है, किन्तु ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी तथा ग्राम पंचायत की सिफारिश व सुझाव दे सकती है।

- 1— ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन को रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उन पर दिये गये उत्तर यदि कोई हो।
- 2— पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिये प्रस्तावित विकास कार्यों की रिपोर्ट।
- 3— ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि।
- 4— ग्राम के भीतर प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम।
- 5— ऐसे अन्य कार्य जो नियत किये जायें।

ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी:—

- क— सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक जन और अंशदान जुटाना।
- ख— ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये हितकारी की पहचान।
- ग— ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना।

ग्राम पंचायतों के अधिकार व कर्तव्य कृत्य

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिये एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत की ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाये, प्रेषित करेगी तथा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या सभी कृत्यों की ग्राम पंचायत को समानुद्देशित कर सकती है।

1— पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था तथा अनुरक्षण।

2— पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था।

3— किसी कर या भू राजस्व का संग्रह और संबन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

कर तथा शुल्क का आरोपण:-

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत निम्नांकित कर लगायेगी

क— उन क्षेत्रों में जहां उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जौनसार वाबर जमींदारी— विनाश तथा भूमि—व्यवस्था अधिनियम 1956 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हो, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझे जाने वाली भू—राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) का कर लगा सकती है।

ख— उक्त खण्ड क में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू—राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) कर लगा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत निम्नवत् सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है।

ग— प्रेक्षागृह, चलचित्र अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन कार्य, जो अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आया हुआ है।

घ— ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रखे हुए और किराये पर चलाने जाने वाले यन्त्र चलित वाहनो से भिन्न वाहनो तथा पशुओं पर उसके स्वामियों द्वारा देय कर लगा सकती है।

ङ— उन व्यक्तियों से जिन पर खण्ड—ग के अधीन कोई कर लगाया गया हो, भिन्न व्यक्तियों पर लगा सकती है। जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिये सामान प्रदर्शित करें। जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो।

च— उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क सभा लगा सकती है, जो ऐसे बाजार अथवा भूमि पर बेचे गये हो, जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व में या उसके नियन्त्रण में हो।

छ— वधशालाओ और पडाव की भूमि के लिये शुल्क लगा सकती है।

ज— जल शुल्क— जहां ग्राम सभा द्वारा घर के उपयोग के लिये जल सम्भारित किया जाता है।

झ— यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती हो, तो निजी शौचालयों और नालियों को साफ करने के लिये कर लगा सकती है, जो उन मकानों के जिनमें वे निजी शौचालय या नालियां संलग्न हो, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा।

ञ— सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी की व्यवस्था के लिये कर।

ट— जहां ग्राम पंचायत द्वारा सिंचाई के प्रयोजनार्थ छोटी सिंचाई की परियोजनाओं जल सम्भरण हेतु बनायी गयी या अनुरक्षित की गयी हो, की कोई सिंचाई दर।

ठ— कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उनके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुये, हो और जिनका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा अनेक योजनाओं / परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। विकास के कार्यों के क्रियान्वयन के लिये उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार कर लगाने व वसूलने का अधिकार है तथा राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा विकास के कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा मूलतः चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं / कार्यों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1 —महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम-2005 (मनरेगा)

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले प्रत्येक परिवार को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गयी, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते हैं। इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अन्यून के लिये ऐसा कार्य उपलब्ध करायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसने ऐसा कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिये निर्धारित मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसी मजदूरी का भुगतान कार्य करने के पन्द्रह दिन के अन्दर किया जायेगा, अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार यदि स्कीम के अन्तर्गत नियोजन चाहने वाले आवेदक को निर्धारित समय (आवेदन के पन्द्रह दिन) के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होता है।

1-मनरेगा का उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के लिये उत्सुक है, को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर, जीवन सुरक्षा को बढ़ाना है।

2-मनरेगा का लक्ष्य:-

1- जहां अन्य रोजगार की सुविधा कम है। ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर लोगों को रोजगार मुहैया कराकर मजबूत सामाजिक सुरक्षा तन्त्र का निर्माण करना है।

2- ऐसे क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराकर, (जो गरीबी के मूल कारण हैं) जैसे बाढ़, सूखा, जंगलों का कटान, भूमि कटान, कृषि प्रधान आर्थिक संरचना के विकास के लिये सुविधा प्रदान करना।

3- अधिनियम, ग्रामीण, जीविकोपार्जन, हेतु राष्ट्रीय रिसोर्स आधार को मजबूत करता है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत व टिकाऊ सम्पत्ति का निर्माण करता है, मनरेगा में गरीबी के कारणों को पूर्णरूप से बदलने की क्षमता है।

4- ग्रामीण गरीबों को कानूनी अधिकार के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराना।

5- सबसे निचले स्तर पर अपने क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये स्वयं कार्य का निर्धारण करना तथा पारदर्शिता के साथ इसे पूर्ण करना।

मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य

1- जल संचयन व जल प्रबन्धन।

2- वानिकी व वृक्षारोपण।

3-सिंचाई हेतु नहरें, जिसमें छोटे व अति छोटे सिंचाई की व्यवस्था सम्मिलित हो।

4- सिंचाई के साधन की व्यवस्था, वृक्षारोपण, हार्टीकल्चर।

5- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, भूमि सुधार के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवार, इन्दिरा आवास योजना/गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के भूमि का भूमि विकास।

6- परम्परागत जल सुविधाओं का जीर्णोद्धार, जिसमें टैंकों की सफाई भी सम्मिलित है।

7- भूमि सुधार/विकास।

8- बाढ़ नियन्त्रण जिसमें जल भराव क्षेत्रों को संरक्षित करना भी सम्मिलित है।

9- ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना, सड़क का निर्माण, आवश्यकतानुसार ग्राम क्षेत्र में नाली का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाले सड़कों पर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य नहीं कराया जाना चाहिये, मनरेगा के अन्तर्गत सीमेन्ट सड़क का निर्माण प्रतिबन्धित है तथा ऐसी सड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास से जोड़ती है।

10- कोई अन्य कार्य जो भारत सरकार, राज्य सरकार से विचार विमर्श कर अधिसूचित करे।

11-अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सम्पत्ति का रख रखाव का कार्य मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य है।

12- मनरेगा के अन्तर्गत भूमि क्रय अनुमन्य नहीं है।

2-छात्रवृत्ति योजना :-

समाज के सभी वर्गों के बच्चों की पढाई के लिये प्रेरित करने तथा उन्हें आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिये अलग- अलग विभागों से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। जैसे विकलांग बच्चों के लिये विकलांग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्रों के लिये अल्पसंख्यक विकास विभाग आदि से धनराशि ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है। जिससे ग्राम पंचायत द्वारा संबन्धित वर्ग के छात्रों को प्राप्त कराया जाता है।

3- राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान:-

ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्धित विकास के लिये राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के अनुसार ग्राम पंचायतें कर आरोपित कर सकती हैं उक्त समस्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास के कार्यों, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जलाशयों/नलकूपों का निर्माण, पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार, भूमि संरक्षण आदि कार्यों का निर्धारण ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। समिति द्वारा कार्य एवं क्रय की आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी की गयी है।

4-मध्याह्न भोजन योजना

प्रदेश के राजकीय परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में शासन द्वारा निर्धारित भोज्य पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शासनादेशों द्वारा निर्धारित दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न में भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गयी है। परिवर्तन लागत में सब्जी, तेल, मसाले एवं गैस अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। शासनादेशों द्वारा निर्धारित

परिवर्तन लागत विद्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात् भोजन निर्माण कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों की देख-रेख में किया जाता है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है। जो अपने देख-रेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार कराते हैं। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है। इस हेतु उन्हें परिवर्तन लागत उपलब्ध कराया जाता है।

विद्यालयों में पके पकाए भोजन की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मंडलीय सहायक निदेशक (बेसिक शिक्षा) को दायित्व सौंपा गया है तथा विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी है। जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए निम्नवत् व्यवस्था की गयी है।

1. मेनू को विद्यालयों की दीवारों पर 6' / 8' साइज में चस्पा कराया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे एवं परोसा जा रहा भोजन मेनू के अनुरूप है कि नहीं, यह सर्वविदित रह सके।

2. भोजन वितरण के माह से पूर्व माह में खाद्यान्न को विद्यालय तक पहुँचाये जाने की व्यवस्था की गयी है।

ख-संगठनात्मक ढाँचा- विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव/ग्राम्य विकास अधिकारी उत्तरदायी है। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी व जिलाधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, ग्राम्य विकास व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, तेरहवों वित्त आयोग के क्रियान्वयन के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, पंचायती राज व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव पंचायती राज, मध्याह्न भोजन योजना के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप विद्यालय निरीक्षक, जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, बेसिक शिक्षा व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को उत्तरदायी बनाया गया है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के लिए संबंधित विभागों के विभिन्न स्तरों के अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अध्याय-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

3.1-जिला पंचायतें वर्ष 2017-18 में राज्य की कुल 75 जिला पंचायतों में से 45 जिला पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2016-2017 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित जिला पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। लेखा उपलब्धता अपेक्षित सहयोग न मिलने पर लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

3.2-क्षेत्र पंचायतें

वर्ष 2017-18 में राज्य की कुल 821 क्षेत्र पंचायतों में से 222 क्षेत्र पंचायतों वित्तीय वर्ष 2016-2017 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। क्षेत्र पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (मुख्य विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

3.3-ग्राम पंचायतें

वर्ष 2017-18 में राज्य की कुल 58478 ग्राम पंचायतों में से 46591 ग्राम पंचायतों के वित्तीय वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (जिला पंचायती राज अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

अध्याय-4

लेखा परीक्षा में उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण

लेखा परीक्षा के उद्देश्य- निष्पादित लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह देखना था कि क्या-

1 संस्था द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत नहीं है।

2 किये गये व्यय में नियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

3 न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का क्रय किया गया है तथा न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया है।

4 संस्था द्वारा प्रभावी ढंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूरा कर लिया गया है।

5 बैंक खातों का मिलान कर लिया गया है।

6 सृजित परिसम्पत्तियों का लेखांकन किया गया है।

7 निर्धारित समस्त अभिलेखों का लेखांकन, रख रखाव एवं प्रस्तुतिकरण समुचित रूप से किया गया है।

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की अवधि की लेखा परीक्षा अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के मध्य की गयी। जिसमें राज्य के सभी जनपदों के 59374 में से 46858 पंचायती राज संस्थाओं के उपलब्ध अभिलेखों की जाँच की गयी। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित किये गए उद्देश्यों, लेखा नियमों, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जनपद के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा जनपद में तैनात लेखा परीक्षा कर्मियों के माध्यम से लेखा परीक्षा कार्य संपादित कराया गया।

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षणोपरान्त लेखा परीक्षक की टिप्पणियों लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित पक्षों को निर्गत की गयी।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

जिला पंचायत

जनपद फिरोजाबाद

मंडल आगरा

संस्था का नाम – जिला पंचायत फिरोजाबाद

प्रस्तर-1— ईट भट्टों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न किया जाना – संस्था कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के 44 ईट भट्टों से राजस्व की वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को ₹0 4.84 लाख की हानि हुई। उक्त धनराशि सम्बन्धित ईट भट्टों से न बसूल होने की स्थिति/इंगित कार्यवाही न करने पर संस्था को हुयी हानि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से **अपर मुख्य अधिकारी श्री रामबाबू मिश्रा, कर निरीक्षक श्री हरिओम तथा पटल लिपिक श्री मुकेश भारद्वाज** से उ0प्र0क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या-179 (2) डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 4.84 लाख

प्रस्तर-2— औद्योगिक संस्थानों से लाइसेंस शुल्क की वसूली न किया जाना – संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा औद्योगिक संस्थानों से राजस्व की ससमय वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को ₹0 7.89 लाख की हानि हुई। इंगित 44 व्यावसायिक/औद्योगिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों/मैरिज होम/मैडीकल स्टोर इत्यादि से लाइसेंस शुल्क की वसूली न कर जिला पंचायत को रूपया 7.89 लाख की आर्थिक क्षति पहुचायी गयी है। उक्त सम्बन्धित प्रतिष्ठानों से वसूल न होने/इंगित कार्यवाही न करने पर संस्था को हुयी हानि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन **अपर मुख्य अधिकारी श्री रामबाबू मिश्रा, कर निरीक्षक श्री हरिओम तथा पटल लिपिक श्री मुकेश भारद्वाज** से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या 179(2)-डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 7.89 लाख

प्रस्तर-3— वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना नवीन खाता खोलकर संचालित करना – शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 तथा शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार निर्धारित नियमों की अनदेखी कर जिला पंचायत फिरोजाबाद द्वारा एक नवीन खाता संख्या 034410400127285 आई0डी0बी0आई0 बैंक मुख्य शाखा फिरोजाबाद में 02.04.2016 को खोला गया जिसमें **₹0 29,50,08,800.00** जिला निधि (राज्य वित्त आयोग खाते से) खाता संख्या 0692 (यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया फिरोजाबाद) से ट्रान्सफर की गयीं हैं। जिला पंचायत फिरोजाबाद द्वारा जानबूझकर बिना वित्त विभाग की अनुमति के खाता खोलकर संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त खाता बिना वित्त विभाग की अनुमति के इस उद्देश्य से खोला गया ताकि इस खाते से आदर्श आचार संहिता के समय मनमानीपूर्वक भुगतान किये जा सकें। अतः उपरोक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्श दाता एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4— नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना— जिला पंचायत का प्राथमिक कार्य ग्राम सभाओं को जिला मुख्यालय से सड़कों द्वारा जोड़ना एवं उनका अनुरक्षण व अनुच्छेद 2 में वर्णित शक्तियों एवं कार्यों का कराना हैं, जिला पंचायतें जिला सड़कों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। कार्य कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव प्राप्त किये जाने चाहिए तथा कार्य दो क्षेत्र पंचायतों के मध्य ही किया जाना चाहिए। ₹0 24,24,58,241.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत फिरोजाबाद द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय ₹0 24,24,58,241.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5- आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर क्षेत्र विशेष की जनता को लुभाने के उद्देश्य से नियम विरुद्ध कार्य कराना - मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार के पत्र संख्या-464/आइएनएसटी/2007-पीएलएन-1 दिनांक 07 जनवरी 2017 जो राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को सम्बोधित है, के निर्देश संख्या-05 विषय- **कोड आफ कंडक्ट - डूज एंड डोन्टस - आन वेलफेयर स्कीमस एंड गवर्मेंटल वर्क्स** में इंगित दिशा निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता के समय किसी भी तरह की नयी योजना घोषणा व वित्तीय सहायता, चाहे वह किसी भी रूप में हो जिससे उस क्षेत्र के बोटों को किसी सत्तापार्टी के पक्ष में लुभाया जा सके, पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध रहेगा। यह प्रतिबन्ध एक समान रूप से नयी योजना व चल रहे कार्यों पर भी लागू रहेगा। बिन्दु संख्या-1 व 2 के अनुसार ऐसा करने पर यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

जिला पंचायत द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर लगभग 50 प्रतिशत कार्य निर्वाचन से ठीक पहले एक विशेष विधानसभा क्षेत्र में जानबूझकर कराये गये हैं जो अध्यक्ष श्री विजय प्रताप सिंह यादव द्वारा नियम विरुद्ध तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री रामबाबू मिश्रा (आर0बी0मिश्रा) द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर कराये गये हैं इसलिए शासनादेश संख्या-7990-बी/33-2-700(261)/86 पंचायती राज अनुभाग-2 लखनउ दिनांक 05 जनवरी 1987 के अधीन निर्धारित मानको की व्यवस्थानुसार **श्री आर0बी0मिश्रा अपर मुख्य अधिकारी** द्वारा पद का दुरुपयोग कर निर्माण कार्यों में बरती गयी शिथिलता एवं निस्प्रभावी नियन्त्रण का समस्त प्रकरण उच्चाधिकारियों/उ0प्र0शासन के संज्ञान में लाया जाता है। अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासनिक व्यवस्था तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर **रु0 8,13,72,957.00** के निर्माण कार्यों पर अनियमित व्यय सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला पंचायत जनपद मथुरा वर्ष 2016-17

प्रस्तर.1- दिनांक 31.03.2017 की त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका त्रैमास चतुर्थ में दि0 31.03 17 को अंत्योदय/स्थानीय विकास व स्पेशल कम्पोनेंट योजना अंतर्गत वितरण बकाया ऋणों की धनराशि का विवरण निम्न है।

1.अंत्योदय ऋण की धनराशि	1002345.00	रु0
2.स्थानीय विकास	516300.00	रु0
3.स्पेशल कंपोनेंट	640703.00	रु0

उक्त बकाए की धनराशि विगत कई वर्षों से चली आ रही है जिसकी वसूली हेतु संस्था स्तर पर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं साथ ही लेखा परीक्षा के समय सदस्यवाईज, बकाया रजिस्टर जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे बकाया की पुष्टि भी नहीं होती है। उक्त पर प्रतिवर्ष ब्याज का डिमांड नहीं लगाई जा रही है जो साल दर साल लगाकर ऋण का अवशेष एवं ब्याज अवशेष अलग-अलग दर्शाकर रखा जाना चाहिए। इस ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों श्री नईम अख्तर अपर मुख्य अधिकारी, श्री शिवनाथ सिंह वित्तीय परामर्श दाता, श्री रमेश चन्द्र यादव वित्तीय परामर्श दाता एवं बृजेन्द्र सिंह राघव लेखाकार के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 16)

प्रस्तर.2- वित्तीय वर्ष 2016- 17 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से जिला पंचायत मथुरा द्वारा अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर कुल रुपया 23207800 के निर्माण कार्यों को संपन्न कराया गया है। जिससे अंकन रु0 4777518.00 टी0डी0एस0 रु0 8667182.00 वैट रु0 1839743.00 लेबर सेंस रु0 3675769.00 साधारण मिट्टी पर रॉयल्टी कुल कटौतियों अंकन रु0 18960212.00 को काटकर शेष रुपए 23018000 का शुद्ध भुगतान ठेकेदारों को देना दर्शित है। जिसमें निम्न आपत्तियां प्रकाश में आई हैं-

अ. जिला पंचायत का प्राथमिक कार्य ग्राम सभाओं को जिला मुख्यालय से सड़कों द्वारा जोड़ना एवं उनका अनुरक्षण व अनुच्छेद 2 में वर्णित शक्तियों एवं कार्यों कराना है न कि गांव में अंबेडकर पार्को की बाउंड्रीवाल, बारातघर, नाली खड़जा, सीसी कार्यों, कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल आदि का निर्माण कराना। ये सभी कार्य ग्राम पंचायतों की शक्तियों एवं कार्यों के अंतर्गत आते हैं। जिसका स्पष्ट उल्लेख क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 सेक्शन- 33(2) में किया गया है। साथ ही शासनादेश संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 द्वारा भी कार्यों को कराने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है न कि जिला पंचायत को।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 के धारा 33 के अधीन जिला पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं अधिनियम वर्णित अधिकारों के अधीन-जिला पंचायत जिला सड़कों पर ही कराने हेतु अधिकृत हैं ग्राम सड़क को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदान किया गया है। शा0 संख्या -8307/33-2-2014-93 जी/2004 दिनांक 12 जनवरी 2005 तथा शा0 संख्या-5/866/33-2-20174-93जी/2004 दिनांक 24 जून 2014 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार - तीनों स्तर की पंचायतें ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सब्सिडियरी के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करें, अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर ढंग से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाए।

इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश में निहित मार्गदर्शी प्रस्तर 3 व 4 के अनुसार:-

जिला पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाएं। निर्माण कार्य शुरू कराने से पूर्व नियमानुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत

तथा जिला पंचायत अपनी-अपनी बैठकों में प्रस्ताव पारित कराकर ही कार्यों का चयन करेगी तथा मात्र अध्यक्ष या चंद सदस्यों विवेक पर मामला नहीं छोड़ा जाएगा।

जिला पंचायत मथुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कराए हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराए गए हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितता, भ्रष्टाचार डुप्लीकेसी की प्रबल संभावना है। जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाए जिससे कार्य प्रारंभ होने के पश्चात किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता ना पड़े। कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए स्पष्ट हो सके कि कराए गए कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर वे कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिए जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

ब-जनपद की अन्य कार्यदाई संस्थाओं पीडब्ल्यूडी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, आर0ई0 एस0 गन्ना संघ, मंडी परिषद आदि से इस आशय से अनापत्ति प्राप्त की जानी चाहिए थी कि जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य उनके द्वारा तो नहीं करा लिया गया है या कराया जाना प्रस्तावित है इस प्रकार बिना आपत्ति प्राप्त किए दर्शन निर्माण कार्यों में डुप्लीकेसी की प्रबल संभावना है।

स- जिला पंचायत द्वारा किसी भी निर्माण के संबंध में अभियंता से पी0सी0आर0 (प्रोजेक्ट कम्पहलेशन रिपोर्ट) प्राप्त नहीं की गई है। निर्माण कार्यों के एस्टीमेट(प्रॉकलन) तकनीकी भाषा में है एवं उसमें केवल धनराशि का ऑकलन किया गया है। उसमें उप-खनिज कितना-कितना प्रयुक्त होना है उसका कोई ऑकलन नहीं किया गया है जबकि तकनीकी भाषा में प्राक्कलन के साथ उप-खनिज व लेबर का ऑकलन भी तैयार कर सरल भाषा में संलग्न करना उचित है ताकि नॉन टेक्निकल अधिकारी/कर्मचारी भी प्राक्कलन को समझ सकें।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर जिला पंचायत मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि- "जिला पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर कार्य कराए जाते हैं तथा कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य कराए जाने के संबंध में भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।"

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण- पत्र व प्रस्ताव प्राप्त किए जाने चाहिए तथा कार्य दो क्षेत्र पंचायतों के मध्य ही किया जाना चाहिए। प्रकरण समीक्षा में ऐसा कोई भी प्रस्ताव ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रतिबंध कमेटी द्वारा पारित नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त अधिनियम 1961 की धारा 34 (1) में प्रदत्त अधिकारों के अधीन ग्राम पंचायतों द्वारा उपरोक्त कार्य कराने हेतु जिला पंचायत को अधिकृत किया जाता हो। उत्तरदायी व्यक्तियों श्री नईम अख्तर अपर मुख्य अधिकारी, श्री शिवनाथ सिंह वित्तीय परामर्श दाता, श्री रमेश चन्द्र यादव वित्तीय परामर्श दाता एवं बृजेन्द्र सिंह राघव लेखाकार के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 41)

प्रस्तर 3-लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में संपत्ति से आय, दुकान एवं भवन किराया मद में कुल मांग रु0 109.43 लाख दर्शित है, जिसमें से वर्ष में मात्र 24.05 लाख की वसूली दर्शित है तथा दिनांक 31.03.2017 को कुल बकाया रु0 85.38 लाख दर्शित है, जिस में से 10 वर्ष से अधिक का बकाया रु0 1.18 लाख है, वर्ष की कुल वसूली कुल मांग की मात्र 21.98 प्रतिशत है। जो बहुत कम है। अतः बकाया वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों श्री नईम अख्तर अपर मुख्य अधिकारी, श्री शिवनाथ सिंह वित्तीय परामर्श दाता, श्री रमेश चन्द्र यादव वित्तीय परामर्श दाता एवं बृजेन्द्र सिंह राघव लेखाकार के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 19)

प्रस्तर 4- आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग का अनुदान 803.13 लाख अवशेष रह गया, जिसका उपयोग आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया तथा विभाग द्वारा उक्त धनराशि उपभोग न करने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों श्री नईम अख्तर अपर मुख्य अधिकारी, श्री शिवनाथ सिंह वित्तीय परामर्श दाता, श्री रमेश चन्द्र यादव वित्तीय परामर्श दाता एवं बृजेन्द्र सिंह राघव लेखाकार के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 24)

प्रस्तर.5- निजी स्त्रोतों से आय में वर्ष 2016-17 की मांग रु0 167.80 लाख एवं गत वर्ष का बकाया रु0 94.74 लाख कुल मांग की धनराशि रु0 262.54 लाख के सापेक्ष रु0 146.10 लाख की वसूली की गयी। जिसमें 2.31 लाख बकाया एवं 143.79 लाख आलोच्य वर्ष की वसूली हुई। इस प्रकार गत वर्षों का बकाया 92.43 लाख एवं चालू वित्त वर्ष बकाया 24.01 लाख कुल बकाया 116.44 लाख 31.03.17 को शेष रह गया। जिससे जिला पंचायत, मथुरा को आर्थिक क्षति हो रही है। वसूली हेतु सम्यक प्रयास अपेक्षित हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों श्री नईम अख्तर अपर मुख्य अधिकारी, श्री शिवनाथ सिंह वित्तीय परामर्श दाता, श्री रमेश चन्द्र यादव वित्तीय परामर्श दाता एवं बृजेन्द्र सिंह राघव लेखाकार के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 36)

प्रस्तर.6- जिला पंचायत मथुरा द्वारा वर्ष 2016-17 में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष की गई आयकर, व्यापार कर, लेबर सेस एवं रायल्टी की कटौती का विवरण निम्न है-

क्र.सं.	कटौतियां	धनराशि
1.	आयकर	4777518.00
2.	व्यापार कर	8667182.00
3.	लेबर सेस	1839743.00
4.	रायल्टी	3675769.00
	योग-	18960212.00

उल्लेखनीय है कि इन कटौतियों की पुष्टि हेतु संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे उक्त कटौतियों की जमा की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों श्री नईम अख्तर अपर मुख्य अधिकारी, श्री शिवनाथ सिंह वित्तीय परामर्श दाता, श्री रमेश चन्द्र यादव वित्तीय परामर्श दाता एवं बृजेन्द्र सिंह राघव लेखाकार के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मू0आ0सं0 37)

जनपद आगरा

मंडल आगरा

संस्था का नाम – जिला पंचायत आगरा

वर्ष 2016-17

प्रस्तर 1— कोषबही में अधिक व्यय खारिज करते हुये अन्तर की धनराशि का अपहरण— दिनांक 21.03.2017 को प्रमाणक सं0 26 द्वारा रू0 74800.00 दैनिक श्रमिकों को भुगतान कोषबही 2016-17 में दर्शित है। गार्ड फाइल में चस्पा भुगतान प्रमाणक मस्टरोल में कार्य दिनांक 28.10.16 से 18.11.16 तक 22 दिन दर 100.00 प्रतिदिन कुल 2200.00 प्रत्येक श्रमिक को दिया गया दर्शित है। संलग्न मस्टरोल के प्रथक प्रष्ठ पर 21 श्रमिक एवं द्वितीय पृष्ठ पर 12 कुल 33 श्रमिकों का भुगतान 33 X 2200 कुल 72600 किया गया, इस प्रकार रू0 2200 अधिक कोष में खारिज किया गया। मस्टरोल पर अंकित श्रमिकों/भुगतान प्राप्त कर्ताओं के निशानी अगूँठा प्रमाणित नहीं किये गये तथा मस्टरोल पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं पाये गये। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 23)

प्रस्तर 2— निर्माण कार्य के बिलों में बिल की धनराशि का 1 प्रतिशत अनियमित जोड़कर बिल का भुगतान कर संस्था को क्षति पहुंचाना

उ0प्र0शासन के पत्रांक 1312/33-2-11/30आ0/211 दि0 4.8.11 के क्रम में जिला पंचायत स्तर से कराये जाने वाले विभिन्न कार्यों के बिलों के एक प्रतिशत कर्मकार सन्निर्माण उपकार (लेबर सेस) की कटौती करके उसे शासन को उपलब्ध कराया जायेगा उक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों के समस्त बिलों में प्रथमतः एक प्रतिशत धनराशि बिल की धनराशि में जोड़ने के उपरांत 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती की गई है। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों के बिलों में बिल की धनराशि का 1 प्रतिशत धनराशि से अनियमित रूप में जोड़ने के कारण रू0 3424777.97 की क्षति हुई। जिसकी ब्याज सहित वसूली उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण भुगतान/अधिक भुगतान करने के उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, वी पी डी, अभियंता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।
(मू0आ0सं0 34)

प्रस्तर-3 सार्वजनिक निर्माण में प्रयुक्त उपखनिजों के वैध अभिवहन पत्र के अभाव में निर्माण कार्य बिलों से खनिज मूल्यों की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुंचाना

वर्ष 2016-17 में सार्वजनिक निर्माण कार्यों के बिलों एवं निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों में उपखनिजों का प्रयोग बिना वैध अभिवहन पत्र (एम एम-11) से किया गया है। जिला पंचायत स्तर से निर्माण कार्यों के बिलों में प्रयुक्त उपखनिजों की रायल्टी काट ली जाती है। शा0देश सं0 3385/86-2015-292/ दि0 15 अक्टू0 2015 के प्रस्तर 3 के बिन्दु 3 में निहित व्यवस्था के अनुसार— यदि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था से संबंधित ठेकेदारों द्वारा किसी भी उपखनिजों का प्रयोग बिना वैध अभिवहन पत्र (एमएम 11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुये निर्धारित लेखा शीर्षक 0853-अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग 102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाये तथा कोषागार चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाये।

वर्ष 2016-17 में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों की रायल्टी निर्माण कार्य बिलों से कटौती करके कुल रू0 7495841.00 राजकीय कोषागार में जमा किया गया। परंतु एमएम 11 वैध अभिवहन पत्र न होने के कारण खनिज मूल्य रायल्टी का पांच गुना रू0 37479205.00 की कटौती निर्माण कार्य बिलों से न करके उक्त धनराशि से राजस्व क्षति पहुंचाई गई है। राजस्व क्षति रू0 37479205.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण भुगतान/अधिक भुगतान करने के उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, वी पी डी, अभियंता एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।
(मू0आ0सं0 42)

प्रस्तर.4— नियमों की अनदेखी की अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्माण कार्य कराकर अनियमित रूप से धन व्यय— वित्तीय वर्ष 2016-17 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से जिला पंचायत आगरा द्वारा अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर कुल रुपया 339398370 के निर्माण कार्यों को संपन्न कराया गया है। जिससे अंकन रू0 7602925 टी0डी0एस0, रू0 13575967.00 वैट, रू0 3394016 लेबर सेस, रू0 7449693.00 रायल्टी कुल कटौतियों

अंकन रु0 32022601.00 को काटकर शेष रुपए 307375769.00 का भुगतान ठेकेदारों को देना दर्शित है। जिसमें निम्न आपत्तियां प्रकाश में आई हैं—

अ. जिला पंचायत का प्राथमिक कार्य ग्राम सभाओं को जिला मुख्यालय से सड़कों द्वारा जोड़ना एवं उनका अनुरक्षण व अनुच्छेद 2 में वर्णित शक्तियों एवं कार्यों कराना है न कि गांव में अंबेडकर पार्को की बाउंड्रीवाल, बारातघर, नाली खड़जा, सी0सी0 कार्यों आदि का निर्माण कराना। ये सभी कार्य ग्राम पंचायतों की शक्तियों एवं कार्यों के अंतर्गत आते हैं जिसका स्पष्ट उल्लेख क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 सेक्शन-33 (02) में किया गया है साथ ही शा0 संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 द्वारा भी कार्यों को कराने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। न कि जिला पंचायत को।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 33(02) के अधीन जिला पंचायत को प्राप्त शक्तियों एवं कार्य कलापों वर्णित अधिकारों के अधीन—जिला पंचायत जिला सड़कों पर ही कराने हेतु अधिकृत हैं। ग्राम सड़क को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है।

शा0 संख्या -8307/33-2-2014-93 जी/2004 दिनांक 12 जनवरी 2005 तथा शा0 संख्या-5/866/33-2-2014-93जी/2004 दिनांक 24 जून 2014 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार — तीनों स्तर की पंचायतें ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सब्सिडियरी के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करें, अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर ढंग से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाए।

इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश में निहित मार्गदर्शी प्रस्तर 3 व 4 के अनुसार—

जिला पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाएं। निर्माण कार्य शुरू कराने से पूर्व नियमानुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अपनी-अपनी बैठकों में प्रस्ताव पारित कराकर ही कार्यों का चयन करेगी तथा मात्र अध्यक्ष या चंद सदस्यों विवेक पर मामला नहीं छोड़ा जाएगा।

जिला पंचायत आगरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कराए हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराए गए हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितता, भ्रष्टाचार डुप्लीकेसी की प्रबल संभावना है। जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाए जिससे कार्य प्रारंभ होने के पश्चात किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता ना पड़े। कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए स्पष्ट हो सके कि कराए गए कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर वे कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिए जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

ब—जनपद की अन्य कार्यदाई संस्थाओं पीडब्ल्यूडी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, आर0ई0 एस0 गन्ना संघ, मंडी परिषद आदि से इस आशय से अनापत्ति प्राप्त की जानी चाहिए थी कि जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य उनके द्वारा तो नहीं करा लिया गया है या कराया जाना प्रस्तावित है इस प्रकार बिना आपत्ति प्राप्त किए दर्शन निर्माण कार्यों में डुप्लीकेसी की प्रबल संभावना है।

स— जिला पंचायत द्वारा किसी भी निर्माण के संबंध में अभियंता से पी0सी0आर0 (प्रोजेक्ट कम्पहलेशन रिपोर्ट) प्राप्त नहीं की गई है। निर्माण कार्यों के एस्टीमेट (प्रॉकलन) तकनीकी भाषा में है एवं उसमें केवल धनराशि का ऑकलन किया गया है। उसमें उप—खनिज कितना—कितना प्रयुक्त होना है उसका कोई ऑकलन नहीं किया गया है जबकि तकनीकी भाषा में प्राक्कलन के साथ उप—खनिज व लेबर का ऑकलन भी तैयार कर सरल भाषा में संलग्न करना उचित है ताकि नॉन टेक्निकल अधिकारी/कर्मचारी भी प्राक्कलन को समझ सकें। उक्त की ओर इंगित किए जाने पर जिला पंचायत आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि— “जिला पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर कार्य कराए जाते हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण— पत्र व प्रस्ताव प्राप्त किए जाने चाहिए। प्रकरण समीक्षा में ऐसा कोई भी प्रस्ताव ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रतिबंध कमेटी द्वारा पारित नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त अधिनियम 1961 की धारा 34(1) में प्रदत्त अधिकारों के अधीन ग्राम पंचायतों के द्वारा उपरोक्त कार्य कराने हेतु जिला पंचायत को अधिकृत किया गया है उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रु0 339398370 के निर्माण कार्यों जानबूझ कर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत आगरा द्वारा निर्माण कार्यों पर रु0 339398370 अनुदान दुरुपयोग का प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है। विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों पर की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 49)

प्रस्तर.5— वर्षान्त में अनुदान की अवशेष धनराशि रु0 43405815.00 नियमानुसार प्रत्यावर्तित न कर बैंक खातों में अवरुद्ध करके रखना— ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है अवमुक्त धनराशियों का उपयोग नियमतः उसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित कर लेना चाहिए जिससे क्षेत्रीय जनता को विकास कार्यों का यथासम्भव त्वरित लाभ हो सकें। जिला पंचायत आगरा की रोकड वही बैंक खातों एवं अनुदान पंजी की लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि वर्षान्त अर्थात् 31.3.2017 को राज्य वित्तीय आयोग से प्राप्त अनुदान रु0

43405815-00 अवशेष था जिसका उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक सुनिश्चित नहीं किया गया था जिससे उक्त धनराशि का लाभ जनता को नहीं मिला। क्योंकि किसी योजना हेतु प्राप्त वर्ष की धनराशि उसी वर्ष में उपयोग कर लेनी चाहिए थी जिससे उसका लाभ क्षेत्रीय जनता को उसी वर्ष प्राप्त हो सके अतः रु0 43405815-00 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि व्यय न करके बैंक खातों में अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 50)

प्रस्तर.6— निजी श्रोत से प्राप्त आय मदवार मूल अभिलेखों से मांग व वसूली एवं बकाया कर पुष्टि न कराने के कारण— संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आय व्यय पत्रक तैयार नहीं किया गया है और न ही आय व्यय का विवरण उपलब्ध कराया गया है। ऑडिट में संस्था की कैशबुक जमा के दृष्टिगत निजी श्रोत से आय का विवरण तैयार किया गया है निर्धारित मूल अभिलेखों से पुष्टि नहीं करायी गयी निजी श्रोत की आय रु0 124.05 लाख रही। जिसकी पुष्टि में बैंक खाते व कैश बुक से कर ली गयी है। परन्तु सम्बन्धित शीर्षों के मूल रजिस्टर नियमानुसार मांग वसूली एवं वर्षान्त में शेष अंकित करतें हुए तैयार न करने के कारण मांग/वसूली एवं बकाया की स्थिति अज्ञात रही। नियमानुसार प्रत्येक रजिस्टर में मदवार/यूनिट वार वर्ष की मांग/ वर्ष की वसूली एवं बकाया का उल्लेख करते हुए वार्षिक लेखा बन्दी/योग अंकित किया जाना चाहिए और बकायेदारों की सूची वर्ष वार तैयार कर वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए किन्तु योजनाबद्ध तरीके से ऐसा न करके मनमाने ढंग से आकड़े प्रस्तुत किए गये हैं। अतएव समस्त मूल रजिस्टर/ अभिलेखों को पूर्ण करके लेखाबन्दी करते हुए मांग/ वसूली एवं बकाया की पुष्टि करायी जाए। बकाया की वर्षवार सूची प्रस्तुत कर वसूली की ठोस कार्यवाही की जानी अपेक्षित है संस्था का बकाया अभिलेखों को पूर्ण न रखने हेतु अपर मुख्य अधिकारी/कर अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 51)

प्रस्तर.7— राजस्व कटौतियों की जमा की पुष्टि न कराना— वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत आगरा द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि से कि गयी कटौतियों रु0 7674850 टी0डी0एस0 आयकर रु0 13637615-00 वैट रु0 3417204 शेष तथा रु0 749584 रायल्टी कुल कटौतियों रु0 25479253 की जमा की पुष्टि दाखिल रिटर्न/सम्बन्धित विभागों का मिलान प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा कटौतिया तो कर ली गयी है किन्तु उन्हें संगत लेखा शीर्षकों/विभागों में जमा किया गया अथवा नहीं उसकी पुष्टि दाखिल रिटर्न/सम्बन्धित विभागों से मिलान प्रमाण पत्रों से करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा स्थिति में इसे अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली अपर मु0 अधिकारी/वित्तीय परामर्श दाता/ लेखाकार अध्यक्ष से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 52)

जिला पंचायत मैनपुरी

प्रस्तर 01. आलोच्य वर्ष 2016-17 में निजी श्रोत से वर्ष में प्राप्त आय 55.22 लाख दर्षित है। जिसकी पुष्टि कैश बुक से कर ली गयी है। किन्तु संस्था द्वारा वर्ष की मांग वसूली व बकाया तथा गत वर्षों का बकाया सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। दर्षित वसूली की धनराशि 55.22 लाख किन किन बैंक खातों में किस-किस तिथिओं में जमा हुआ हैं, इसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से नहीं करायी गयी। इस हेतु श्री एकरामुल्लाह अंसारी, श्री आ0पी0यादव (अ0मु0अधि0) व श्री कमलेश कुमार (कर निरीक्षक) उत्तरदायी है अतः कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0 02)

प्रस्तर 02 वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान दि0 31.03.2017 को समाचार पत्रों में वधाई विज्ञापनों पर निम्न विवरणानुसार अनियमित व्यय दर्शाया गया है।

01. वा0न078 दि0 31.03.17 को जागरण प्रकाशन को गणतंत्र दिवस वधाई विज्ञापन हेतु	रु0 17170.00
02. वा0न080 दि0 31.03.17 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र को हाली वधाई विज्ञापन हेतु	रु0 24332.00
03. वा0न081 दि031.03.17 को हिन्दुस्तान समाचारपत्र को गणतंत्र दिवस वधाई विज्ञापन हेतु	रु0 14599.00
04. वा0न084 दि031.03.17को अमरउजाला समाचारपत्र को गणतंत्रदिवस वधाई विज्ञापन हेतु	रु0 25613.00

इस प्रकार दर्षित कुल व्यय रु 81714.00 को राज्य वित्त से समाचार पत्रों में वधाई विज्ञापनों पर अनियमित व्यय दर्शाया गया है। इस हेतु श्रीमती सन्ध्या यादव (अध्यक्ष), श्री आर0पी0यादव (अ0मु0अधि0) उत्तरदायी है अतः कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0 09)

प्रस्तर 3 वित्तीयवर्ष 2016-17 में जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा 158 निर्माण कार्य पर हुए व्यय से की गयी कटौतिया यथा रु 1629789.00 आयकर, रु 3637990.00 वैट /व्यापार कर, रु 377149.00 रायल्टी, रु 727238.00 लेवर सैस एवं रु 25000.00 जुर्माना की कटौती कर सम्बन्धित विभागों में जमा कराया जाना दर्शाया गया। लेकिन लेखा परीक्षा दौरान आयकर, व्यापार कर एवं रायल्टी कटौती की सम्बन्धित विभागों में जमा की पुष्टि हेतु ट्रेजरी चालान/दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये गये। ट्रेजरी चालान/दाखिल रिटर्ननही दिखाये जाने से उक्त मदों में भुगतान की गयी धनराशि अपुष्ट रही। अतः उक्त कटौतियों की पुष्टि जमा ट्रेजरी चालान/दाखिल रिटर्न से कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में अध्यक्ष, अ0मु0अ0, जे.ई.से वसूली /विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इस हेतु श्रीमती सन्ध्या यादव (अध्यक्ष), श्री एकरामुल्लाह अंसारी, श्री आर0पी0यादव (अ0मु0अधि0) व श्री दीपक कुमार अवर अभियन्ता एवं श्री शीलेन्द्र कुमार व श्री राजकुमार यादव (वि0प0दाता) उत्तरदायी है। अतः कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0 20)

प्रस्तर 04—वित्तीय वर्ष 2016.17 में जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा विभिन्न स्थानों पर मृत पशुशव निस्तारण के ठेको की नीलामी में रु 172500.00 की आय हुयी। उ0प्र0 सरकार के शा0सं0 1054 मरु33-03-61/76 दि0 21.02.1976 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा मृत पशुशव निस्तारण से प्राप्त आय का आधा भाग ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से

दिया जाना है। इसके अतिरिक्त शा0सं0 2937(01)/ 33-02-2002 -15बी(04)/02 दि0 09.10.2002के अनुसार अब तक देय बकाया का भुगतान भी जिला पंचायत द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु श्री मती सन्ध्या यादव (अध्यक्ष), श्री एकरामुल्लाह अंसारी, श्री आर0पी0यादव (अ0मु0अधि0) एवं प्रस्ताव के पक्ष में मत प्रदान करने वाले सदस्य उत्तरदायी है। अतः कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0 24)

प्रस्तर 05 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत मैनपुरी का जिला निधि का खाता कोषागार के अतिरिक्त 05 राष्ट्रीयकृत बैंको एवं एक अनुसूचित बैंक सहित 06 बैंकों में राज्य सरकार की वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना रखा गया है। जो उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 101(01) के विपरीत है। राज्य सरकार की अनुमति के बिना खाता खोला जाना गम्भीर वित्तीय अनिमितता है। साथ ही आलोच्य वर्ष में उक्त खातो मे जमा सरकारी अनुदानो से व्याज के रुप में रु 23.59 लाख की आय अर्जित हुई है। अर्जित व्याज को जिला पंचायत ने राजकीय कोष मे जमा न करके अनियमित रुप से अपने व्यवसाय मे शामिल कर रखा है। जोकि शा0संख्या- 10/2015/ए-1-502/ दस-2015-10(33)/2010 दि0 29 मई 2015 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस हेतु श्री एकरामुल्लाह अंसारी, श्री आर0पी0यादव (अ0मु0अधि0) व श्री शीलेन्द्र कुमार व श्री राजकुमार यादव (वि0प0दाता) उत्तरदायी है। अतः कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0 25)

प्रस्तर 06 वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पंचायतो के प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किया गया। जिस कारण 31.03.17 को दर्शित अनुदान में विगत वर्षों से प्राप्त अनुदानों का शेष धन भी सम्मिलित है। प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किए जाने के फलस्वरूप जनता को मिलने वाले लाभों से वांछित होना पड़ता है। आगामी वर्ष में सम्बन्धित कार्यों की लागत भी बढ़ जाती है जिस कारण बड़ी लागत की राशि से संस्था को क्षति उठानी पड़ती है। अतः समय से अनुदान का उपयोग किए जाने हेतु प्रबन्ध का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न है:

क्र0सं0	अनुदान का विवरण	धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
01	बारहवां वित्त	13.19	कोषागार में फ्रीज गत वर्षों से (आ.सं.26)
02	तेरहवां वित्त	42.06	दि0 31.03.17 को अनुपयुक्त अनुदान वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है।
03	राज्य वित्त	971.57	दि0 31.03.17 को अनुपयुक्त अनुदान वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है।

इस हेतु श्री मती सन्ध्या यादव (अध्यक्ष), श्री एकरामुल्लाह अंसारी, श्री आर0पी0यादव (अ0मु0अधि0) उत्तरदायी है। अतः कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0 27)

प्रस्तर 07—उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 के सेक्शन 33(02) के अधीन जिला पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अर्न्तगत जिला पंचायत जिला सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्रामीण मार्गों को बनाने का अधिकार उक्त धारा के अर्न्तगत ग्राम पंचायत को प्रदत्त किया गया। प्रकरण की समीक्षा दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबन्ध कमेटी द्वारा भी इस हेतु किसी प्रकार का प्रस्तावपारित नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 के सेक्शन 34(01) के अधीन जिला पंचायत को अधिकृत किया गया हो। इस प्रकार वर्ष आलोच्य दौरान जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकारो का अतिक्रमण कर रु0 149.00 लाख का निम्न विवरणी के अनुसार कराया गया निर्माण कार्य आपत्तिजनक है।

क्रम	मद	विकास खण्ड	कार्यस्थल	धनराशि लाख रु0 में
01	राज्य वित्त आयोग	घिरोर	ग्राम भूमिराजपुर मौजा विक्रमपुर में राज कुमार के घर से सुनहरीलाल के घर की ओर स0मा0	9.95
02	राज्य वित्त आयोग	घिरोर	ग्राम कुतुरुपा में देवेन्द्र के घर से मोहर सिंह के घर की ओर स0मा0	10.09
03	राज्य वित्त आयोग	बेवर	तिगवां पूर्वी में नहर से जनवेद के घर की ओर स0मा0	9.90
04	राज्य वित्त आयोग	सुल्तानगंज	ग्राम अहिरवा में दयाराम शाक्य की चक्की वाले मकान से भारत सिंह के मकान की ओर स0मा0	10.10
05	राज्य वित्त आयोग	बरनाहल शाहजहांपुर (दिहुली)	श्री रघुनाथ सिंह के घर होते हुये श्री सूवेदार सिंह के घर की ओर स0मा0	9.95
06	राज्य वित्त आयोग	जागीर	ग्राम वधिरूआ में श्री त्रिशभान सिंह के घर से छोटे कुम्हार के घर की ओर स0मा0	9.89

07	राज्य वित्त आयोग	कुरावली	ग्राम हटऊ में कश्मीर सिंह के मकान से रामसेवक के मकान की ओर स0मा0	9.89
08	राज्य वित्त आयोग	कुरावली	नगला भारा में रामेश्वर दयाल उर्फ पण्डा के मकान से अन्तराम यादव के मकान की ओर स0मा0	9.95
09	राज्य वित्त आयोग	कुरावली	ग्राम बरखेडा में राजेश यादव की चक्की से कठेरिया मोहल्ला की ओर स0मा0	9.87
10	राज्य वित्त आयोग	करहल	ग्राम घुसूपुर में श्री कुँवरपाल के घर से अमरपाल तथा जोर सिंह के घर से विद्याशरन के घर के पीछे की ओर स0मा0	10.09
11	राज्य वित्त आयोग	करहल	ग्राम सहन में सुभाष वाल्मीकि के घर से कुलदीप पुत्र श्री जगदीश के घर की ओर स0मा0	9.88
12	राज्य वित्त आयोग	करहल	ग्राम बोंसक में अजबसिंह वाल्मीकि के मकान से राधेयाम के मकान तक स0मा0	9.90
13	राज्य वित्त आयोग	धिरौर	कैरावली शिवमन्दिर से प्रा0वि0 कैरावली की ओर स0मा0	9.69
14	राज्य वित्त आयोग	धिरौर	ग्राम चापरी में राजेन्द्र सिंह के घर से मिलाप सिंह के घर की ओर स0मा0	9.90
15	राज्य वित्त आयोग	धिरौर	ग्राम चापरी में सुभाषचन्द्र फिल्लेराम के घर से श्री सतेन्द्र सिंह मास्टर के घर की ओर स0मा0	9.95
योग				लाख रु0 में 149-00

लेखा परीक्षा दौरान शा0सं0-4/-866/33-2-14-93जी/2004 टी0सी0 ,दि024.06.2014 का संदर्भ ग्रहण कराने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सदस्यों के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कार्ययोजना स्वीकृति की गयी एवं उक्त के सन्दर्भ में शासन से भी अनुमति ली गयी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इनके द्वारा कोई भी स्वीकृति विषयक शासनादेश उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः उक्त समस्त निर्माण कार्य गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के अन्तर्गत आता है। उ0प्र0क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली 1961 के नियम संख्या 179(02) के अनुसार उक्त निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि अधिभार की कार्यवाही के अन्तर्गत आती है जिसकी वसूली अधिभार के प्रावधानों के अनुसार बैठक में उपस्थित श्री मती सन्ध्या यादव (अध्यक्ष), श्री एकरामुल्लाह अंसारी, श्री आर0पी0यादव (अ0मु0अधि0) एवं प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन करने वाले सदस्यों से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 29)

प्रस्तर 08- देय रायल्टी नियमानुसार न काट कर राजस्व की क्षति की गयी :- जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में निर्माण बिलों से रायल्टी गणना नहीं दर्शाते हुये क्षति पहुंचायी गयी , जिस कारण पंचायत की आय में कमी हुयी है। शा0संख्या -594/77-5-2001-200/77-टीसी.1 दिनांक 02.02.2001 एवं शा0संख्या -389/77-5-2002-1(216)/93 दिनांक 05.08.2002 एवं अन्य शासनादेशों द्वारा उपखनिजों तथा मिट्टी पटिया , साधरण बालू , मौरंग एवं मिट्टी आदि की आपूर्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर निर्धारित दर से रायल्टी का भुगतान कर वैध रमन्ना एम.एम. -11 के आधार पर ही परिवहन किये जाने चाहिये तथा रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आपूर्ति कर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अवष्य प्राप्त कर ली जाये। संस्था में वैध रमन्ना एम.एम.-11 आदि उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट है रायल्टी की कटौती न कर शासन को रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। अतः रायल्टी का आगणन संस्था के अभियंता से कराकर रायल्टी के मूल्य के 5 गुना की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार एवं श्री मती सन्ध्या यादव (अध्यक्ष), श्री एकरामुल्लाह अंसारी, श्री आर0पी0यादव (अ0मु0अधि0) एवं जे.ई. से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 31)

वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

जनपद -अलीगढ़

मण्डल- अलीगढ़

जिला पंचायत अलीगढ़

1-मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर वर्ष 15-16 की जांच में पाया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष 15-16 में मृत पशु शव निस्तारण के ठेका कम धनराशि में छोड़े गये हैं या फिर अनेक न्याय पंचायत/विकास खण्ड के ठेकों की नीलामी नहीं की गई। जबकि गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक धनराशि में ठेके छोड़े जाने चाहिए थे। नियमों का पालन न कर जिला पंचायत को क्षति पहुंचाई गई है। विकास खण्ड वाइज विवरण निम्न प्रकार है :-

विकास खण्ड अतरौली

वित्तीय वर्ष	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	वर्ष का शेष	पिछला बकाया	बकाया वसूली	कुल शेष
2014-15	142800.00	142800.00	—	238350.00	—	238350.00

2015-16 102580.00 65200.00 37380.00 238350.00 — 275730.00

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में उक्त विकास खण्ड का मृत पशु शव निस्तारण का ठेका/नीलामी रु 142800.00 की हुई थी जिसके अनुसार वर्ष 2015-16 का ठेका न्यूनतम 10% वृद्धि पर रु 157080.00 का होना चाहिए था जबकि ठेका रु 102580.00 का ही छोड़ा गया है। इस प्रकार रु 54500.00 से जिला पंचायत को क्षति पहुँचाई गई। जिसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर दायित्व निर्धारित कर ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ख) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 15-16 में गत वर्ष की तुलना में ठेका कम धनराशि का छोड़ा गया है। इसके बावजूद ठेके की निर्धारित धनराशि रु 102580.00 के सापेक्ष रु 65200.00 मात्र ही जमा कराया गया है। इस प्रकार रु 37380.00 कम जमा कराकर बकाया दर्शाया गया है जिसकी वसूली दिनांक 31-03-2016 तक निश्चित रूप से की जानी चाहिए थी। अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त करने की कार्यवाही होनी चाहिए थी। परन्तु न ही ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की गई और न ही वसूली की कोई प्रभावी कार्यवाही की गई। उक्त बकाया राशि की वसूली दिनांक 31-03-17 तक भी नहीं की जा सकी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही में शिथिलता कर रु 37380.00 से जिला पंचायत को हानि पहुँचाई गई। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा उत्तरदायी हैं। अतः रु 37380.00 की वसूली मय सूद के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री मिश्रा से कराई जानी अपेक्षित है।

विकास खण्ड गंगीरी

वित्तीय वर्ष	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	वर्ष का शेष	पिछला बकाया	बकाया वसूली	कुल शेष
2014-15	267700.00	267700.00	—	20520.00	—	20520.00
2015-16	301500.00	266500.00	35000.00	20520.00	5950.00	49570.00

(ख) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 15-16 में ठेके की निर्धारित धनराशि रु 301500.00 के सापेक्ष रु 266500.00 मात्र ही जमा कराया गया है। इस प्रकार रु 35000.00 कम जमा कराकर बकाया दर्शाया गया है जिसकी वसूली दिनांक 31-03-2016 तक निश्चित रूप से की जानी चाहिए थी। अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त करने की कार्यवाही होनी चाहिए थी। परन्तु न ही ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की गई और न ही वसूली की कोई प्रभावी कार्यवाही की गई। उक्त बकाया राशि की वसूली दिनांक 31-03-17 तक भी नहीं की जा सकी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही में शिथिलता कर रु 35000.00 से जिला पंचायत को हानि पहुँचाई गई। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा उत्तरदायी हैं। अतः रु 35000.00 की ब्याज वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री मिश्रा से कराई जानी अपेक्षित है।

विकास खण्ड बिजौली

वित्तीय वर्ष	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	वर्ष का शेष	पिछला बकाया	बकाया वसूली	कुल शेष
2014-15	150300.00	150300.00	—	104092.00	—	104092.00
2015-16	124650.00	46400.00	78250.00	104092.00	1000.00	181342.00

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में उक्त विकास खण्ड का मृत पशु शव निस्तारण का ठेका/नीलामी रु 150300.00 की हुई थी जिसके अनुसार वर्ष 2015-16 का ठेका न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि पर रु 165330.00 का होना चाहिए था जबकि ठेका रु 124650.00 का ही छोड़ा गया है। इस प्रकार रु 40680.00 से जिला पंचायत को क्षति पहुँचाई गई। जिसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर दायित्व निर्धारित कर ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ख) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 15-16 में गत वर्ष की तुलना में ठेका कम धनराशि का छोड़ा गया है। इसके बावजूद ठेके की निर्धारित धनराशि रु 124650.00 के सापेक्ष रु 46400.00 मात्र ही जमा कराया गया है। इस प्रकार रु 78250.00 कम जमा कराकर बकाया दर्शाया गया है जिसकी वसूली दिनांक 31-03-2016 तक निश्चित रूप से की जानी चाहिए थी। अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त करने की कार्यवाही होनी चाहिए थी। परन्तु न ही ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की गई और न ही वसूली की कोई प्रभावी कार्यवाही की गई। उक्त बकाया राशि की वसूली दिनांक 31-03-17 तक भी नहीं की जा सकी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही में शिथिलता कर रु 78250.00 से जिला पंचायत को हानि पहुँचाई गई। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा उत्तरदायी हैं। अतः रु 78250.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री मिश्रा से कराई जानी अपेक्षित है।

विकास खण्ड गोण्डा-

वित्तीय वर्ष	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	वर्ष का शेष	पिछला बकाया	बकाया वसूली	कुल शेष
2014-15	312200.00	312200.00	—	31500.00	5000.00	26500.00
2015-16	338550.00	338550.00	—	26500.00	—	26500.00

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में उक्त विकास खण्ड का मृत पशु शव निस्तारण का ठेका/नीलामी रु 312200.00 की हुई थी जिसके अनुसार वर्ष 2015-16 का ठेका न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि पर रु 343420.00 का होना चाहिए था जबकि ठेका रु 338550.00 का ही छोड़ा गया है। इस प्रकार रु 4870.00 से जिला

पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। जिसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर दायित्व निर्धारित कर ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

विकास खण्ड इगलास—

वित्तीय वर्ष	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	वर्ष का शेष	पिछला बकाया	बकाया वसूली	कुल शेष
2014-15	237600.00	237600.00	—	71500.00	—	71500.00
2015-16	252900.00	252900.00	—	71500.00	—	71500.00

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में उक्त विकास खण्ड का मृत पशु शव निस्तारण का ठेका/नीलामी रु 237600.00 की हुई थी जिसके अनुसार वर्ष 2015-16 का ठेका न्यूनतम 10 प्रतिशत बृद्धि पर रु 261360.00 का होना चाहिए था जबकि ठेका रु 252900.00 का ही छोड़ा गया है। इस प्रकार रु 8460.00 से जिला पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। जिसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर दायित्व निर्धारित कर ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

विकास खण्ड लोधा—

वित्तीय वर्ष	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	वर्ष का शेष	पिछला बकाया	बकाया वसूली	कुल शेष
2014-15	632900.00	632900.00	—	592400.00	2600.00	589800.00
2015-16	599400.00	583400.00	16000.00	589800.00	—	605800.00

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में उक्त विकास खण्ड का मृत पशु शव निस्तारण का ठेका/नीलामी रु 632900.00 की हुई थी जिसके अनुसार वर्ष 2015-16 का ठेका न्यूनतम 10 प्रतिशत बृद्धि पर रु 696200.00 का होना चाहिए था जबकि ठेका रु 599400.00 का ही छोड़ा गया है। इस प्रकार रु 96800.00 से जिला पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। जिसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर दायित्व निर्धारित कर मय ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ख) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 15-16 में गत वर्ष की तुलना में ठेका कम धनराशि का छोड़ा गया है। इसके बावजूद ठेके की निर्धारित धनराशि रु 599400.00 के सापेक्ष रु 583400.00 मात्र ही जमा कराया गया है। इस प्रकार रु 16000.00 कम जमा कराकर बकाया दर्शाया गया है जिसकी वसूली दिनांक 30-04-2016 को हुई है। ठेके की निर्धारित धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में जमा कराये जाने के प्रयास अपेक्षित हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड अकराबाद—

वित्तीय वर्ष	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	वर्ष का शेष	पिछला बकाया	बकाया वसूली	कुल शेष
2014-15	123000.00	123000.00	—	405308.00	—	405308.00
2015-16	140000.00	140000.00	—	405308.00	23333.00	381975.00

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त विकास खण्ड में मृत पशु शव निस्तारण के ठेका/नीलामी का रु 381975.00 पिछला बकाया अवशेष है। इतनी धनराशि से जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति हो रही है। जिसकी ब्याज सहित वसूली के वैधानिक व सार्थक प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं।

विकास खण्ड जवां—

वित्तीय वर्ष	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	वर्ष का शेष	पिछला बकाया	बकाया वसूली	कुल शेष
2014-15	116250.00	116250.00	—	73462.00	—	73462.00
2015-16	127300.00	127300.00	—	73462.00	—	73462.00

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त विकास खण्ड में मृत पशु शव निस्तारण के ठेका/नीलामी का रु 73462.00 पिछला बकाया अवशेष है। इतनी धनराशि से जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति हो रही है। जिसकी ब्याज सहित वसूली के वैधानिक व सार्थक प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं।

विकास खण्ड धनीपुर—

वित्तीय वर्ष	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	वर्ष का शेष	पिछला बकाया	बकाया वसूली	कुल शेष
2014-15	261300.00	261300.00	—	148933.00	—	148933.00
2015-16	266550.00	266550.00	—	148933.00	—	148933.00

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में उक्त विकास खण्ड का मृत पशु शव निस्तारण का ठेका/नीलामी रु 261300.00 की हुई थी जिसके अनुसार वर्ष 2015-16 का ठेका न्यूनतम 10 प्रतिशत बृद्धि पर रु 287400.00 का होना चाहिए था जबकि ठेका रु 266550.00 का ही छोड़ा गया है। इस प्रकार रु 20850.00 से जिला पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। जिसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर दायित्व निर्धारित कर ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ख) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त विकास खण्ड में मृत पशु शव निस्तारण के ठेका/नीलामी का रु 148933.00 पिछला बकाया अवशेष है। इतनी धनराशि से जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति हो रही है। जिसकी ब्याज सहित वसूली के वैधानिक व सार्थक प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं।

विकास खण्ड टप्पल—

वित्तीय वर्ष	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	वर्ष का शेष	पिछला बकाया	बकाया वसूली	कुल शेष
2014-15	433000.00	433000.00	—	678060.00	53000.00	625060.00
2015-16	474000.00	414000.00	60000.00	625060.00	—	685060.00

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में उक्त विकास खण्ड का मृत पशु शव निस्तारण का ठेका/नीलामी रु 433000.00 की हुई थी जिसके अनुसार वर्ष 2015-16 का ठेका न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि पर रु 476300.00 का होना चाहिए था जबकि ठेका रु 474000.00 का ही छोड़ा गया है। इस प्रकार रु 2300.00 से जिला पंचायत को क्षति पहुँचाई गई। जिसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर दायित्व निर्धारित कर मय ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ख) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 15-16 में गत वर्ष की तुलना में ठेका कम धनराशि का छोड़ा गया है। इसके बावजूद ठेके की निर्धारित धनराशि रु 474000.00 के सापेक्ष रु 414000.00 मात्र ही जमा कराया गया है। इस प्रकार रु 60000.00 कम जमा कराकर बकाया दर्शाया गया है जिसकी वसूली दिनांक 31-03-2016 तक निश्चित रूप से की जानी चाहिए थी। अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त करने की कार्यवाही होनी चाहिए थी। परन्तु न ही ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की गई और न ही वसूली की कोई प्रभावी कार्यवाही की गई। उक्त बकाया राशि रु 60000.00 में से मात्र रु 20000.00 की वसूली वर्ष 2016-17 में की गई है शेष राशि रु 40000.00 की मय ब्याज सहित वसूली दिनांक 31-03-17 तक भी नहीं की जा सकी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही में शिथिलता कर रु 40000.00 से जिला पंचायत को हानि पहुँचाई गई। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा उत्तरदायी हैं। अतः रु 40000.00 की वसूली मय सूद के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री मिश्रा से कराई जानी अपेक्षित है।

(ग) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त विकास खण्ड में मृत पशु शव निस्तारण के ठेका/नीलामी का रु 665060.00 पिछला बकाया अवशेष है। इतनी धनराशि से जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति हो रही है। जिसकी मय ब्याज सहित वसूली के वैधानिक व सार्थक प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं।

विकास खण्ड चन्डौस—

वित्तीय वर्ष	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	वर्ष का शेष	पिछला बकाया	बकाया वसूली	कुल शेष
2014-15	582400.00	550400.00	32000.00	461369.00	—	493369.00
2015-16	632240.00	501740.00	130500.00	493369.00	—	623869.00

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में उक्त विकास खण्ड का मृत पशु शव निस्तारण का ठेका/नीलामी रु 582400.00 की हुई थी जिसके अनुसार वर्ष 2015-16 का ठेका न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि पर रु 640640.00 का होना चाहिए था जबकि ठेका रु 632240.00 का ही छोड़ा गया है। इस प्रकार रु 8400.00 से जिला पंचायत को क्षति पहुँचाई गई। जिसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर दायित्व निर्धारित कर मय ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ख) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 15-16 में गत वर्ष की तुलना में ठेका कम धनराशि का छोड़ा गया है। इसके बावजूद ठेके की निर्धारित धनराशि रु 632240.00 के सापेक्ष रु 501740.00 मात्र ही जमा कराया गया है। इस प्रकार रु 130500.00 कम जमा कराकर बकाया दर्शाया गया है जिसकी वसूली दिनांक 31-03-2016 तक निश्चित रूप से की जानी चाहिए थी। अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त करने की कार्यवाही होनी चाहिए थी। परन्तु न ही ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की गई और न ही वसूली की कोई प्रभावी कार्यवाही की गई। उक्त बकाया राशि की वसूली दिनांक 31-03-17 तक भी नहीं की जा सकी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही में शिथिलता कर रु 130500.00 से जिला पंचायत को हानि पहुँचाई गई। इसके अलावा यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि जो व्यक्ति वर्ष 14-15 में रु 32000.00 से बकायेदार था। उसी व्यक्ति को वर्ष 15-16 में बकाया धनराशि जमा कराये बिना ही पुनः ठेका दिया गया है जबकि नियमानुसार बकायेदार को ठेका देने का कोई प्राविधान नहीं है। इसके बावजूद वर्ष 15-16 में निर्धारित ठेके की धनराशि रु 230000.00 के सापेक्ष मात्र रु 99500.00 ही जमा कराये गये तथा शेष रु 130500.00 को पुनः बकाया दर्शाया गया है। जिसकी वसूली दि0 31-03-17 तक भी नहीं हो सकी है। इस प्रकार कुल रु 162500.00 से संस्था का हानि हुई है। जिसके लिए सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों पर दायित्व निर्धारित कर मय ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त विकास खण्ड में मृत पशु शव निस्तारण के ठेका/नीलामी का रु 623869.00 पिछला बकाया अवशेष है। इतनी धनराशि से जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति हो रही है। जिसकी मय ब्याज सहित वसूली के वैधानिक व सार्थक प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं।

विकास खण्ड खैर—

वित्तीय वर्ष	वर्ष की मांग	वर्ष की वसूली	वर्ष का शेष	पिछला बकाया	बकाया वसूली	कुल शेष
2014-15	247350.00	247350.00	—	233483.00	—	233483.00
2015-16	272750.00	272750.00	—	233483.00	—	233483.00

(क) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त विकास खण्ड में मृत पशु शव निस्तारण के ठेका/नीलामी का रु 233483.00 पिछला बकाया अवशेष है। इतनी धनराशि से जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति हो रही है। जिसकी मय ब्याज सहित वसूली के वैधानिक व सार्थक प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं। **आपत्ति संख्या-02**

2-मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर वर्ष 14-15 से 15-16 तक की जांच व समीक्षा में पाया गया कि जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में बकायेदारों की लिस्ट दर्शायी जा रही है। बकाया धनराशि की वसूली न के बराबर हुई है। पूरे जनपद के 12 विकास खण्डों में कुल 132 बकायेदारों/ठेकेदारों पर दिनांक 31-03-16 को कुल रु 3357224.00 दर्शाया जा रहा है। बकाया वसूली के अपेक्षित प्रयास नहीं किये गये हैं। जिला पंचायत के सक्षम अधिकारियों द्वारा बकाया वसूली की, न ही कोई समीक्षा की गई है और न ही वसूली की कोई नीति निर्धारित की गई है। वसूली का कोई लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया गया है। वर्ष 1981-82 से अबतक का बकाया यथावत दर्शाया जा रहा है। सबसे महत्व पूर्ण बात यह है कि जिला पंचायत के अधिकारियों को अच्छी तरह से ज्ञात है कि जो धनराशि बकाया पड़ जाती है वह वसूल नहीं होती है इसके बावजूद प्रत्येक वर्ष, ठेका देने में अनेक ठेकेदारों को ठेके की पूरी धनराशि जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। और उनके नाम बकाया धनराशि दर्शा दी जाती है, जो बाद में कभी वसूली नहीं होती है। छोटी धनराशियों की एक-दो वसूली आर. सी. द्वारा होनी दर्शायी गयी हैं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आर. सी. द्वारा हमेशा छोटी धनराशियों की ही वसूली क्यों होती है ? एक भी बड़े बकायेदार से आर. सी. द्वारा वसूली क्यों नहीं होती है ? रजिस्टर की जांच व समीक्षा से स्पष्ट है कि जिला पंचायत अपनी बकाया धनराशि वसूल पाने में पूरी तरह से नाकाम/असफल रहा है। जो कि चिन्ता जनक है। जिला पंचायत की बकाया धनराशि लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2015-16 की लेखा बन्दी के अनुसार दिनांक 31-03-2016 को मृत पशु शव निस्तारण की रॉयल्टी की बकाया धनराशि कुल 132 बकायेदारों पर कुल रु 3357224.00 है। बड़े बकायेदारों की वसूली के प्रभावी प्रयास किये जाने हेतु संस्था के संचालक मंडल व उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। रु 20000.00 से अधिक के बकायेदारों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	नाम समिति/ठेकेदार	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष	बकाया की धनराशि
01	श्री शरीफ पुत्र अब्दुल शकूर	अतरौली	90-91	107050.00
02	“ यूनूस कुरेशी पुत्र श्री अजीज कुरेशी	“	94-95	25000.00
03	“ मोहनलाल सभापति समिति	“	15-16	37380.00
04	“ बनवारीलाल सभापति समिति	पट्टी शेरसिंह गंगीरी गंगीरी	15-16	35000.00
05	“ इकबाल पुत्र श्री अफलातून	बिजौली	08-09	30000.00
06	“ फैयाज खॉ सभापति समिति दादौ	“	15-16	55700.00
07	“ रमेश चन्द्र पुत्र श्री चरन सिंह	इगलास	90-91	63500.00
08	“ जोधपाल पुत्र श्री भलनलाल	लोधा	90-91	26000.00
09	“ बृजमोहन पुत्र श्री सामंती	“	90-91	71750.00
10	“ रेशमपाल पुत्र श्री चन्द्रपाल	“	92-93	39500.00
11	“ गम्भीर सिंह पुत्र श्री करन सिंह	“	92-93	38100.00
12	“ अनिल कुमार पुत्र श्री ज्वाला सिंह	“	92-93	28000.00
13	“ मोहनलाल पुत्र श्री रामस्वरूप	“	95-96	45000.00
14	“ ज्वाला प्रसाद पुत्र श्री रामचन्द्र	“	95-96	66000.00
15	“ राकेश कुमार पुत्र श्री गोपाल	“	01-02	28000.00
16	“ विमलेश कुमार पुत्र श्री शंकरलाल	“	02-03	25000.00
17	“ वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद	“	06-07	51500.00
18	“ लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री चन्नी लाल	“	06-07	54000.00
19	“ सत्यप्रकाश पुत्र श्री नन्मूल	“	08-09	46000.00
20	“ मलिखान सिंह पुत्र श्री श्यामलाल जवॉ	“	89-90	41896.00
21	“ धनपाल पुत्र श्री श्यामलाल	धनीपुर	91-92	44000.00
22	“ मुन्शी सभापति समिति टप्पल	टप्पल	98-99	36250.00
23	“ अशोक कुमार अध्यक्ष अशोका ग्रामोद्योग संस्थान	टप्पल	06-07	229100.00
25	“ “ “ “ “ “	“	07-08	49200.00
26	“ “ “ “ “ “	“	07-08	120000.00
27	“ बाबूलाल पुत्र श्री पंचाराम	टप्पल	92-93	150000.00

28	“ आबिद अली सभापति समिति काजीपाडा	टप्पल	15-16	40000.00
29	“ लाला खॉ पुत्र श्री लीला खॉ शाहपुर	चन्डौस	98-99	97600.00
30	“ रफीक पुत्र श्री अब्दुल गनी	“	92-93	159134.00
31	“ भोलाराम सभापति समिति सोमना	“	05-06	45000.00
32	“ उमेश चन्द्र सभापति समिति मढकी	“	07-08	78400.00
33	“ डबलू सिंह पुत्र श्री रामसिंह	“	07-08	30500.00
34	“ यासीन सभापति समिति चन्डौस	“	14-15	32000.00
35	“ “ “ “ “ “	“	15-16	130500.00
36	“ राकेश मौर्या सचिव, समिति नायल, खैर खैर		92-93	70233.00
37	“ हबीब पुत्र श्री नवजअली शिकरवार खैर खैर		99.2000	28500.00
38	“हरीराम सभापति समिति अहरौला खैर खैर		00-01	112000.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला पंचायत अलीगढ़ में मृत पशु शव निस्तारण की रॉयल्टी बकाया राशि अनेक ठेकेदारों के नाम पिछले अनेक वर्षों से बकाया दर्शायी जा रही है जिसमें अनेक ब्यक्तियों के नाम लाखों से भी अधिक का बकाया पडा है लेकिन जिला पंचायत द्वारा वसूली नहीं की गई है। समस्त बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीति निर्धारित कर योजना के तरह लक्ष्य तैयार कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही करने हेतु संचालक मंडल व उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

03-जिला पंचायत के सम्पत्ति व किराया रजिस्टर वर्ष 15-16 की जांच व समीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा अपने श्रोतों से होने वाली आय को प्राप्त करने में अत्यधिक लापरवाही व उदासीनता बरती जा रही है। जिला पंचायत अपनी निजी सम्पत्तियों (कार्यालय भवन, दुकाने व आवासीय भवनों) का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं पा रही है। किरायेदार मन मर्जी से किराया देता है। कोई भी ठोस नीति लागू नहीं है। किराया न देने वालों पर कोई किसी तरह के जुर्माना व दंड का कोई प्राविधान नहीं है। जिसका लाभ प्रत्येक किरायेदार ले रहा है। अनेक बड़े किरायेदारों का विगत कई-कई वर्षों से कोई किराया प्राप्त नहीं हुआ है। ज्यादातर जिला पंचायत के किरायेदार, बकायेदार बन कर रह गये हैं। किरायेदारों के समक्ष जिला पंचायत बेबस व लाचार दिखाई दे रहा है। किरायेदारों पर लाखों से भी अधिक का किराया बकाया होने के बावजूद जिला पंचायत उनसे कोई वसूली नहीं कर पा रहा है। बकाया किरायेदारों का विस्तृत विवरण/सूची नीचे अंकित है :—

किरायेदार का नाम	सम्पत्ति का नाम	पिछला बकाया	वर्ष की मांग	वसूली	कुल शेष
लेखाधिकारी बेसिक					
शिक्षा विभाग	परिसर स्थित कार्यालय	211071.00	73248.00	शून्य	284319.00
“ “	का ग्रहकर एवं जलकर	49268.00	25637.00	शून्य	74905.00
उप श्रमायुक्त कार्यालय	किराया	258053.00	8095.00	शून्य	266148.00
“ “ “	का ग्रहकर एवं जलकर	103341.00	—	शून्य	103341.00
सहायक निदेशक कारखाना	किराया	51108.00	79128.00	शून्य	130236.00
“ “ “	का ग्रहकर एवं जलकर	90229.00	—	शून्य	90229.00
परियोजना निदेशक बाल					
श्रम कल्याण	किराया	77077.00	56820.00	45456.00	88441.00
“ “	ग्रहकर एवं जलकर	217926.00	19887.00	शून्य	237813.00
शाखा प्रबन्धक सिंडीकेट बैंक	किराया	319532.00	116028.00	185610.00	249950.00
“ “ “	ग्रहकर एवं जलकर	153667.00	18734.00	शून्य	172401.00
एटीएम सिंडीकेट बैंक	किराया	249939.00	150000.00	240000.00	159939.00
“ “ “	ग्रहकर एवं जलकर	168840.00	52500.00	शून्य	231340.00
जिला प्रोबेशन अधिकारी	किराया	95000.00	66250.00	142500.00	18750.00
जिला प्रोबेशन अधि०					
किशोर न्याय बोर्ड	किराया	55000.00	60000.00	100000.00	15000.00
जिला प्रोबेशन अधि०					
बाल संरक्षण	किराया	30000.00	90000.00	75000.00	45000.00
उक्त के अलावा निम्न कार्यालय भवनों पर पुराना बकाया किराया					
जिला बेसिक शिक्षा किराया+ग्रहकर आदि		1059700.00 + 304668.00 =		1364368.00	
अधिकारी (बी.एस.ए.)					

उप विद्यालय निरीक्षक किराया + ग्रहकर आदि (बी.एस.ए.)	549000.00 + 49140.00 =	598140.00
अभियोजन लोक किराया		21288.00
निर्माण विभाग		
क्षे० प्रचार निदेशालय सूचना		98710.00
एवं प्रसारण किराया		
सहायक निबन्धक सह० किराया		3600.00
समितियों उ०प्र०		

कुल पुराना बकाया किराया— 2086106.00

जवाहर भवन स्थित आवासों के बकाया किराया की स्थिति :—

किरायेदार का नाम	सम्पत्ति का नाम	पिछला बकाया	वर्ष की मांग	वसूली	कुल शेष
सर्व श्री					
अशोक कुमार चौहान					
पुत्र राजेन्द्र कुमार	आवास नं० 02	206672.00	14640.00	शून्य	221312.00
शयोदान सिंह पाण्डेय					
पूर्व कार्य अधि०	आवास नं० 03	188447.00	14640.00	शून्य	203087.00
महिपाल सिंह पूर्व अध्यक्ष					
जि०पं० अली०	आवास नं० 04	163871.00	14640.00	शून्य	178511.00
अग्रवाल सिंह पूर्व लिपिक					
उप विद्या०नि०	आवास नं० 06	197522.00	14640.00	शून्य	212162.00

जिला पंचायत परिसर स्थित दुकानें :—

मधुरेश हरि पुत्र	—फोटोस्टेट एवं एसटीडी	13365.00	32076.00	शून्य	45441.00
श्री कमलेश हरि					
सैयद साजिद हुसैन पुत्र					
श्री बजीर हुसैन—	दुकान नं० 4	46124.00	11736.00	11736.00	46124.00
बकाया ग्रहकर आदि	दुकान नं० 4	27351.00	—	शून्य	27351.00
सैयद जाजिद हुसैन पुत्र					
श्री बजीर हुसैन—	दुकान नं० 10	33600.00	17850.00	16800.00	34650.00
राजवीर सिंह पुत्र					
श्री कन्हैया लाल —	दुकान नं० 15	3660.00	14640.00	शून्य	18300.00

घन्टाघर स्थित दुकानें :—

श्रीमती शाकिंग बेगम					
पत्नी स्व० अब्दुल रसीद	“ ” 06	27425.00	—	शून्य	27425.00
मो० अली पुत्र श्री महफूज अली	“ ” 07	22700.00	—	शून्य	22700.00
कस्तूरी देवी पत्नी स्व० देवकीनन्दन	“ ” 08	37600.00	—	शून्य	37600.00
स्व० रामचन्द्र पुत्र नत्थीमल खोखा		24280.00	—	शून्य	24280.00
प्रबन्धक, जू० हा० स्कूल लोधा		6000.00	6000.00	शून्य	12000.00
चिकित्सालय जलाली		27991.00	—	शून्य	27991.00

मदारगेट स्थित दुकानें :—

ब्रजमोहन महेश्वरी					
पुत्र श्री रामप्रसाद महेश्वरी	दुकान नं० 4	40683.00	10860.00	17923.00	33620.00
अनिल कुमार					
पुत्र श्री खैरातीलाल	“ 5	23620.00	—	—	23620.00
दर्शनलाल पुत्र श्री मूलचन्द	14	—	—	—	17123.00

अनूप कुमार पुत्र श्री गोबर्धनलाल	“15	—	—	—	20990.00
“ “ “ “ ग्रहकर शेष	“ 15	—	—	—	29678.00
शतीश कुमार पुत्र श्री ईश्वरदास	“ 18	—	—	—	19910.00
ईश्वर दास पुत्र श्री भीरुमल	“19	—	—	—	68877.00
“ “ “ “ ग्रहकर शेष	“ 19	—	—	—	33578.00
लालाराम पुत्र श्री भीरुमल	“20	—	—	—	69755.00
“ “ “ “ ग्रहकर शेष	“ 20	—	—	—	33578.00

प्रेमचन्द्र पुत्र श्री देवीशरन	दुकान नं० 01	14994.00	5856.00	2000.00	18850.00
महेश चन्द्र गुप्ता					
पुत्र श्री विशम्भर दयाल	दुकान नं० 02	3184.00	5856.00	1000.00	8040.00
गोविन्द राम					
पुत्र श्री मुंशीलाल	दुकान नं० 03	26096.00	5856.00	शून्य	31952.00
श्रीमती प्रवेश कुमारी					
पत्नी प्रेमप्रताप शर्मा	दुकान नं० 04	42822.00	10248.00	शून्य	53070.00
अध्यक्ष कनिष्ठ कृषि					
रक्षा इकार्ड जर्वो	दुकान नं० 05,06,07	98946.00	—	शून्य	98946.00

सचिव क्षेत्रसहस्रमिति

लि० जवाँ	दुकान नं० ०१	५१३८.००	८८०८.००	६६०६.००	७३४०.००
नवनीत कुमार					
पुत्र श्री प्रेमचन्द गुप्ता	दुकान नं० ०२	३६६०.००	८८०८.००	५०००.००	७४६८.००
श्रीमती पुष्पा शर्मा					
पत्नी चन्द्रपाल	दुकान नं० ०५	२७३२.००	८८०८.००	३०००.००	८५४०.००
राजवीर गुप्ता					
पुत्र श्री मूलचन्द्र	दुकान नं० ०६	१८३२.००	८८०८.००	३३००.००	७३४०.००
महाराज सिंह					
पुत्र श्री भजनलाल	दुकान नं० ०७	२२०२.००	८८८०८.००	शून्य	११०१०.००
धनीपुर स्थित दुकानें :—					
अशोक कुमार					
पुत्र श्री शिशुपाल सिंह	दुकान नं० ०१	२७३७८.००	१६११६.००	१५६२२.००	२७८७२.००
अजीतपाल सिंह					
पुत्र श्री सोबरन सिंह	दुकान नं० ०२	४७७८.००	१६११६.००	१२०००.००	८८९४.००
अनिलकुमार पाठक					
पुत्र श्री ब्रम्हानन्द	दुकान नं० ०६	३२८५२.००	१४६४०.००	१८०००.००	२९४९२.००
अजयकुमार सिंह					
पुत्र श्री हरपाल सिंह	दुकान नं० ०८	२२५९९.००	१६११६.००	१००००.००	२८७१५.००
राजेश कुमार सिंह					
पुत्र श्री राजपाल सिंह	दुकान नं० ०९	३१८३५.००	१६११६.००	शून्य	४७९५१.००
श्रीमती उमेश देवी पत्नी					
श्री अर्जुन सिंह	दुकान नं० १०	३१३५६.००	१६११६.००	११०००.००	३६४७२.००

कूल योग—

किराया वसूलने में अधिकारियों द्वारा लगातार की जा रही लापरवाही व उदासीनता देखने को मिली है। जिसके लिए सम्बन्धित वर्षों में कार्यरत अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-06

04-कृषि फार्म रजिस्टर व उसकी लेखा बन्दी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि विगत वर्षों की कुल बकाया धनराशि रु 365541.00 के सापेक्ष कुल 11 लोगों से कुल रु 36625.00 की वसूली दर्शायी गयी है। जांच में पाया गया कि छोटी धनराशि के बकायेदारों से ही वसूली हो सकी है किसी बड़े बकायेदार से वसूली क्यों नहीं की जा सकी। रु 10000.00 से अधिक के बकायेदारों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	बकायेदार का नाम	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष	बकाया धनराशि
01	श्री खरग सिंह पुत्र श्री हरी सिंह	गोण्डा	97-98	12500.00
02	“ फौरन सिंह पुत्र श्री कीथम सिंह “		02-03	16500.00
03	“ देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री सूरजपाल	इगलास	08-09	12500.00
04	“ मकसूर खॉ पुत्र श्री मौ० अली	खैर	08-09	9900.00
05	“ हरवंश सिंह पुत्र श्री रतन सिंह टप्पल		02-03	31000.00
06	“ फिरोज खॉ पुत्र श्री साबिर अलीचन्दौस		08-09	10200.00
07	“ “ “ “ “ “ “ “		08-09	13700.00
08	“ कप्तान सिंह पुत्र श्री जोधपाल सिंह	अकराबाद	04-05	26100.00
09	“ रमजानी पुत्र श्री नूर मोहम्मद	गंगीरी	02-03	11000.00
10	“ राजेश पुत्र श्री लाला सिंह	“	05-06	11000.00

उक्त बड़े बकायेदारों की सूची से स्पष्ट है कि जिला पंचायत प्रशासन द्वारा बड़े बकायेदारों से बकाया राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। बड़े बकायेदारों के विरुद्ध आर०सी० आदि जारी नहीं की गई है। जिला पंचायत में बकाया वसूली की कोई स्पष्ट व प्रभावी नीति नहीं है। अपेक्षित वसूली न हो पाने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों को ही दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध दायित्व का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-08

05-मृत पशु शव निस्तारण के ठेकों की नीलामी से सम्बन्धित रजिस्टर वर्ष 15-16 की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत ने उक्त मद में पूरे वर्ष में कुल रु 3275290.00 वसूल किया है। इस वसूली गई धनराशि का कोई भी अंशदान ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया है जबकि पंचायती राज अनुभाग-2, शासनादेश सं० 2203/33-2-97-43 बी (8), दिनांक-30 मई-1997 के अनुसार मृत पशु शव निस्तारण के ठेकों की नीलामी से प्राप्त हुई आय का आधा भाग ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए था। आलोच्य वर्ष 15-16 में उक्त मद में वसूली गई धनराशि रु 3275290.00 का आधा भाग रु 1637645.00 होता है, जिसे ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए था लेकिन जिला पंचायत द्वारा अंशदान नहीं दिया गया है। अतः उक्त के प्रति विभागीय नियमानुसार ग्राम पंचायतों को अंशदान किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-09

06-वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से जो निर्माण कार्य कराये गये हैं उनकी जांच व समीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत अलीगढ़ द्वारा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर व शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004, दिनांक 12-01-2005 एवं पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/ 866 / 33-2-14-93 जी/2004 दिनांक 24 जून, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये हैं। जबकि अधिनियम की धारा 33 (2) व शासनादेशों में दिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायत का कार्य क्षेत्र क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तर्ग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण है। वित्तीय नियमानुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आबन्धित धनराशि का प्रयोग उन्ही उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य हेतु उन्हें प्रदान किया गया हो, इसी क्रम में शासनादेश संख्या 1838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31-07-2015 में जिला पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये थे, जिसमें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से जिला पंचायतों को ऐसे कार्य कराना था जिससे एक से अधिक क्षेत्र पंचायतें लाभान्वित हों। तथा शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि “ पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में निर्धारित किये गये मार्गदर्शक सिद्धांत का अतिक्रमण किया जा रहा है जिस कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की सम्भावना बनी रहती है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए” यह भी उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जिला पंचायत को कार्य समिति की सहायता से वार्षिक विकास योजना तैयार की जानी चाहिए थी और क्षेत्र पंचायतों की विकास योजना को शामिल करते हुए एकीकृत विकास योजना बनाई जानी चाहिए थी और तदनुसार विकास कार्यों को सम्पादित किया जाना चाहिए था।

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि जिला पंचायत अलीगढ़ में वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण अनुसार कार्यो पर स्वीकृति प्राप्त हुई थी और उन्ही कार्यो पर व्यय किया गया है।

क्र०सं०	योजना का नाम	स्वीकृत कार्यो की संख्या	स्वीकृत धनराशि (लाखों में)	कृत कार्यो की संख्या	व्यय की गई धनराशि (लाखों में)
01	राज्य वित्त आयोग	265	1992.450	262	1926.404
02	13वें वित्त आयोग	110	1043.584	109	1010.481
	योग—	375	3036.034	371	2936.88

उक्त से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा न ही कार्ययोजना बनाई गई और न ही एकीकृत विकास योजना बनाई गई थी, जिसमें एक से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित किये जाने वाले कार्यो को सम्मिलित किया गया हो। परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष कमशः **राज्य वित्त आयोग** की धनराशि से कराये गये कुल 262 कार्यो में से दो कार्य पूर्ण एवं दो कार्य प्रगति पर हैं जो कि जिला पंचायत परिसर के अन्दर मरम्मत कार्य से सम्बन्धित हैं जिन पर कुल रु 14.301 लाख व्यय किया जा चुका है, एक कार्य अस्पताल भवन मरम्मत का है जिस पर रु 4.994 लाख व्यय हुआ है तथा 20 कार्य सम्पर्क मार्गों के निर्माण से सम्बन्धित हैं जिन पर रु 192.702 लाख व्यय हुए हैं तथा शेष 237 कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये हैं जिन पर रु 1714.60 लाख व्यय हुआ है। **व तेरहवें वित्त आयोग** की धनराशि से कराये गये कुल 109 कार्यो में 11 कार्य सम्पर्क मार्गों से सम्बन्धित हैं जिन पर रु 119.107 लाख व्यय दर्शित है शेष 98 कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये हैं जिन पर रु 891.374 लाख व्यय किये गये हैं।

अर्थात् वित्तीय वर्ष 15-16 में कुल कराये गये 371 कार्यो में से 335 ऐसे विकास कार्य थे जो ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये थे, जिनका कुल व्यय रु 2605.974 लाख था। अग्रेतर यह भी पाया गया कि न ही कार्य योजना और न ही कार्यो की पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न था कि स्वीकृत कार्य एक से ज्यादा क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य योजना का प्रस्ताव और उस पर प्राप्त प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति त्रुटिपूर्ण थी। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन सम्पन्न बैठकों में लिए गये प्रस्तावों में उपस्थित सदन के समस्त सम्मानित सदस्य गण व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा दोषी व उत्तरदायी हैं। उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये कार्यो का विवरण/सूची जिला पंचायत में उपलब्ध है।

आपत्ति संख्या-11

07-वित्तीय वर्ष 2015-16 के कराये निर्माण कार्यो की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कराये गये कार्यो के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के नियम संख्या 39 में दी गई व्यवस्था में स्पष्ट है कि 5,00,000 रुपए से अधिक किन्तु 10 लाख रुपए से कम की लागत के सभी निर्माण कार्यो का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। तथा 10,00,000 रुपए से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यो का अन्तिम रूप से भुगतान किए जाने के पूर्व, उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने कि अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली, 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है जो निर्धारित व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कुल 109 कार्यो में 5 लाख से अधिक किन्तु दस लाख से कम लागत के कुल 89 कार्य कराये गये हैं जिनकी कुल लागत रु 8,63,20,160 है। तथा 10 लाख से अधिक लागत के कुल 08 कार्य हैं जिनकी कुल लागत रु 1,09,81,160 है। इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कुल 262 कार्यो में 5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख से कम लागत के कुल 202 कार्य कराये गये हैं जिनकी कुल लागत रु 17,17,20,710 है। तथा 10 लाख से अधिक लागत का केवल एक कार्य है जिसकी लागत रु 18,20,000 है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015-16 में दोनों योजनाओं में 5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख से कम की लागत के कुल 291 कार्य कराये गये हैं जिनकी कुल लागत रु 25,80,41,320 है। तथा 10 लाख से अधिक लागत के कुल 09 कार्य कराये गये हैं जिनकी कुल लागत रु 1,28,01,160 है। उक्त आंकड़ों के अनुसार कुल 300 कार्यो का भुगतान नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन कर किया गया है जिसकी कुल लागत रु 27,08,42,480 है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है जिसके लिए तत्कालीन समस्त अपर अभियन्ता, अभियन्ता, लेखाकार व अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-12

08-वित्तीय वर्ष 2015-16 के निर्माण कार्यो की पत्रावलियों की जांच में पाया गया है कि प्रत्येक निर्माण कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत लेवर सेस को कार्य की अनुमानित लागत निकालते समय पहले अनुमानित लागत में जोड़ा गया है और कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदार को भुगतान करते समय उनके बिलों से एक प्रतिशत लेवर सेस को काट कर सम्बन्धित विभाग को भेजा गया है। उक्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि लेवर सेस के भुगतान का भार जिला पंचायत द्वारा वहन किया गया है जो कि गलत है। किसी भी निर्माण कार्य के लिए लेवर की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाती है।

और बिड डाक्यूमेन्ट्स के अनुसार लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पंचायत अलीगढ़ द्वारा कुल रु 3000306.00 का लेबर सेस का भुगतान किया गया है। यह भुगतान, कार्य की लागत न बढ़ाकर ठेकेदारों के बिलों से कटौती कर कराया जाना चाहिए था ऐसा न कर जिला पंचायत को क्षति पहुंचाई गई है। इसके लिए तत्कालीन समस्त अवर अभियन्ता, अभियन्ता, लेखाकार व अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-13**

9-वित्तीय वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ग्राम गोरई में गोण्डा मोड से मुन्ना के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया है। इस कार्य में पहले कार्य की लम्बाई 167 मी0 तथा लागत रु 8.00 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया था। इसी कार्य की उक्त लागत पर ही निविदा डाली गयी और प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिला पंचायत कार्यालय अलीगढ़ द्वारा कार्य आदेश पत्रांक 1398/सा0नि0वि0/2015-16 दिनांक 17-9-15 द्वारा श्री चिरंजीलाल गोला, परखम जनपद मथुरा को आदेशित किया गया कि रु 8.00 लाख में उक्त कार्य दि0 16-01-16 तक पूर्ण कर लिया जाय। उक्त समस्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत अलीगढ़ द्वारा बिना तिथि का एक पत्र अपर मुख्य अधिकारी को लिखा गया कि स्वीकृत धनराशि रु 8.00 लाख में पूर्ण नहीं हो सकता है तथा 10.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत कार्य बढ़ाकर कार्य करना सुनिश्चित करें। इसके बाद कार्य की लम्बाई 208 मी0 कर संशोधित प्राक्कलन रु 9.98 लाख का तैयार किया गया और कार्य कराया गया। कार्य पूर्ण होने के बाद कुल रु 996300.00 का भुगतान किया गया है। कार्य की लम्बाई व लागत बढ़ाये जाने की स्वीकृति, बाद में भी बोर्ड से नहीं ली गई है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि शुरुआती माप 167 मी0 पर कार्य की लोकेशन गोण्डा मोड से मुन्ना के घर तक थी तथा बाद में 41 मी0 कार्य बढ़ाये जाने के बाद भी कार्य की लोकेशन गोण्डा मोड से मुन्ना के घर तक ही रही है जो वास्तविक नहीं हो सकती है। इस प्रकार उक्त बड़े हुए कार्य का अतिरिक्त भुगतान रु 196300.00 अनियमित भुगतान है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व माननीय अध्यक्ष महोदय दोषी व उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-14**

10-वित्तीय वर्ष 15-16 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ग्राम सुनामई में शिव मन्दिर से पिलौना मार्ग तक एवं रामवीर के घर से रमेश चन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य की पत्रावली में पाया गया कि उक्त कार्य का प्राक्कलन 9.97 लाख का तैयार किया गया था जिसकी निविदा 9.96 स्वीकृत कर कार्य कराया गया, कार्य पूर्ण होने के बाद सम्बन्धित ठेकेदार को 9.96 लाख का भुगतान भी कर दिया गया था। इसके बाद इसी पत्रावली में एक नया कार्य-सुनामई में राजेन्द्र के घर से सराफत खों के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु बिना प्राक्कलन व निविदा सूचना के कुटेशन/टेण्डर देना दर्शाकर रु 90000.00 में स्वीकृत किया गया है। उक्त नये कार्य का कोई प्रस्ताव व कार्य योजना भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियम विरुद्ध कार्य करना दर्शाकर रु 90000.00 का भुगतान किया गया है, जो कि अनियमित है। इस कार्य का बिल अवर अभियन्ता श्री बलराम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तथा अभियन्ता श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा पास किया गया है। अतः उक्त अनियमित कार्य व उसके भुगतान के लिए अवर अभियन्ता, अभियन्ता व अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा दोषी व उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-15**

11-वित्तीय वर्ष 15-16 के निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि सी0सी0 रोड निर्माण कार्यों में रोड की चौड़ाई तीन मीटर से अधिक कराकर कार्य की लागत बढ़ाई गई है। जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी0 डब्लू0 डी0) के दिशा निर्देश व शासनादेश के अनुसार सी0सी0 रोड के निर्माण में रोड की चौड़ाई तीन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद सी0सी0 रोड के अनेक निर्माण कार्यों में रोड की चौड़ाई तीन मीटर से अधिक का कार्य कराया गया है जिससे कार्य की लागत में वृद्धि हुई है। तीन मीटर से अधिक चौड़ाई के निर्माण कार्य में बढ़ी हुई लागत का भुगतान अनियमित है। तीन मीटर से अधिक चौड़ाई वाले सी0सी0 रोड निर्माण कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

ए-भदियार में स्कूल से नहर के पुल तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य:---

माप- रोड की लम्बाई 225 मी0, चौड़ाई 4 मी0	निर्माण कार्य की लागत-694400.00
यदि यही कार्य 3 मी0 चौड़ाई का होता तो	निर्माण कार्य की लागत-520800.00
बढ़ी हुई लागत / लागत अन्तर	रु 173600.00

उक्त निर्माण कार्य कराने वाले अवर अभियन्ता का नाम श्री पाण्डेय जी

बी-ग्राम उटवारा में मालव मार्ग से जज साहब के घर की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य :---

माप- रोड की लम्बाई 255 मी0, चौड़ाई 3.5 मी0	निर्माण कार्य की लागत-929100.00
यदि यही कार्य 3 मी0 चौड़ाई का होता तो	निर्माण कार्य की लागत-796400.00
बढ़ी हुई लागत / लागत अन्तर	रु 132700.00

उक्त निर्माण कार्य कराने वाले अवर अभियन्ता का नाम श्री पाण्डेय जी

सी-ग्राम सलेमपुर शाहनगर टप्पल में मेन रोड मन्दिर से लाखन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य :---

माप-रोड की लम्बाई 260 मी0, चौड़ाई 3.6 मी0	निर्माण कार्य की लागत-972960.00
यदि यही कार्य 3 मी0 चौड़ाई का होता तो	निर्माण कार्य की लागत-810800.00
बढ़ी हुई लागत / लागत अन्तर	रु 162160.00

उक्त निर्माण कार्य कराने वाले अवर अभियन्ता का नाम श्री पाण्डेय जी		
डी-छज्जपुर में रमन के मकान से गुलवीर सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य :—		
माप— रोड की लम्बाई 250 मी0, चौड़ाई 3.75 मी0	निर्माण कार्य की लागत—972000.00	
यदि यही कार्य 3 मी0 चौड़ाई का होता तो	निर्माण कार्य की लागत—777600.00	
बढ़ी हुई लागत / लागत अन्तर	रु 194400.00	
उक्त निर्माण कार्य कराने वाले अवर अभियन्ता का नाम श्री पाण्डेय जी		
ई—प्रेमपुर में तालेवर सिंह के घर से बाबू सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य :—		
माप— रोड की लम्बाई 208 मी0, चौड़ाई 4.10 मी0	निर्माण कार्य की लागत—885200.00	
यदि यही कार्य 3 मी0 चौड़ाई का होता तो	निर्माण कार्य की लागत—647700.00	
बढ़ी हुई लागत / लागत अन्तर	रु 237500.00	
उक्त निर्माण कार्य कराने वाले अवर अभियन्ता का नाम श्री पाण्डेय जी		
एफ—ग्राम राजीपुर में विनोद शर्मा के घर से बम्बे की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य :—		
माप— रोड की लम्बाई 224 मी0, चौड़ाई 3.31 मी0	निर्माण कार्य की लागत—887000.00	
यदि यही कार्य 3 मी0 चौड़ाई का होता तो	निर्माण कार्य की लागत—804000.00	
बढ़ी हुई लागत / लागत अन्तर	रु 83000.00	
उक्त निर्माण कार्य कराने वाले अवर अभियन्ता का नाम श्री बलराम जी		
जी—बैष्णोधाम कालोनी में जय प्रकाश गुप्ता जी के मकान से देवेन्द्र सिंह वकील के मकान तक :—		
माप— रोड की लम्बाई 86 मी0, चौड़ाई 4.75 मी0	निर्माण कार्य की लागत—499600.00	
यदि यही कार्य 3 मी0 चौड़ाई का होता तो	निर्माण कार्य की लागत—315500.00	
बढ़ी हुई लागत / लागत अन्तर	रु 184100.00	
उक्त निर्माण कार्य कराने वाले अवर अभियन्ता का नाम श्री बलराम जी		
एच—हामिदपुर गांव में ग्यानेन्द्र सुबेदार के घर से जेवर मुख्य मार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य :—		
माप— रोड की लम्बाई 250 मी0, चौड़ाई 3.75 मी0	निर्माण कार्य की लागत—980000.00	
यदि यही कार्य 3 मी0 चौड़ाई का होता तो	निर्माण कार्य की लागत—784000.00	
बढ़ी हुई लागत / लागत अन्तर	रु 196000.00	
उक्त निर्माण कार्य कराने वाले अवर अभियन्ता का नाम श्री बलराम जी		
आई—मेवगढी में राजवीर प्रजापति के घर से गुल होते हुए दलबीर के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य :—		
माप— रोड की लम्बाई 220 मी0, चौड़ाई 4 मी0	निर्माण कार्य की लागत—974500.00	
यदि यही कार्य 3 मी0 चौड़ाई का होता तो	निर्माण कार्य की लागत—730900.00	
बढ़ी हुई लागत / लागत अन्तर	रु 173600.00	

अवर अभियन्ता

श्री बलराम जी

उक्त विवरण व आंकड़ों से स्पष्ट है कि सी0सी0 रोड निर्माण कार्यों में निर्धारित मानक को ध्यान में रख कर कार्य नहीं कराये गये हैं। सी0सी0 रोड निर्माण कार्य की चौड़ाई 3 मी0 से अधिक करने का कोई तर्क संगत कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अर्थात् अवर अभियन्ताओं द्वारा मनमानी ढंग से प्राक्कलन तैयार कर कार्य की लागत बढ़ाना विभागीय नियमों एवं दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन है। नियमों के विपरीत बढ़ाई गई कार्यों की लागत व उनके भुगतानों के लिए के लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता, स्वीकृत कर्ता अभियन्ता व अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति विभागीय नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—16**

12—संस्था के कर निर्धारण रजिस्टर/लेजरो की जांच व समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा के दौरान केवल वर्ष 2013—14 तक का ही कर निर्धारण रजिस्टर पूर्ण पाया गया। वर्ष 13—14 के कर निर्धारण रजिस्टर की जांच में पाया गया कि रजिस्टर विकास खण्ड वाइज तैयार किये गये हैं। रजिस्ट्रों में कटिंग व अपलेखन बहुत अधिक पाया गया है। इसके अलावा पाया गया कि दर्शित विभिन्न प्रकार की फर्मों की संख्या वास्तविक नहीं लगी। जैसे गोण्डा विकास खण्ड में केवल 2 प्रेटौल पम्प ही दर्शाये गये। इसी प्रकार कोल्ड स्टोर, ईट भट्टे, कारखाना, फैक्ट्री, गैस एजेन्सी, आरा मशीन, आटा चक्की, हास्पिटल, टेन्ट हाउस, अंग्रेजी शराब की दुकानें, धर्मकाटा व अन्य फर्मों की स्थिति वास्तविक नहीं लगी। दर्शित फर्मों के मिलान हेतु संस्था के पास कोई अभिलेख व प्रपत्र उपलब्ध नहीं था। इससे स्पष्ट है कि अत्यधिक लापरवाही बरती जा रही है। जांच में यह भी पाया गया कि अधिकांशतः फर्मों की केवल मांग दर्शित की गई है समय रहते वसूली नहीं की गई। और इसके परिणाम स्वरूप कर बकाया लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि संस्था में जो धनराशि बकाया में पड़ जाती है फिर उसकी वसूली होती ही नहीं है और बकाया लगातार बढ़ता रहता है। उपलब्ध रजिस्ट्रों के अनुसार वर्ष के अन्त में दिनांक 31—03—14 को संस्था का विभव व सम्पत्ति कर कुल रु 2,20,63,266.00 बकाया था। जिसकी वसूली का न ही कोई सार्थक प्रयास किया गया और न ही कोई प्रभावी नीति तैयार की गई है। खाना पूर्ति के नाम पर कुछ फर्मों के नाम आर0 सी0 जारी की गई है, जो कि नाकाफी है। इसके लिए कर अधिकारी, कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी हैं। सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या—18**

13—वित्तीय नियमों एवं बजट मैनुअल तथा शासनादेशों में निर्गत दिशा—निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि का उपयोग नियमतः उसी वित्तीय वर्ष में किया जाए तथा उसका उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाना चाहिए था। लेकिन जिला पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्त में कुल अनुदान रु 1328.47 लाख की धनराशि राज्य वित्त योजना एवं तेरहवें वित्त योजना के अन्तर्गत अप्रयुक्त पड़ी थी।

अप्रयुक्त पड़ी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र०सं०	योजना का नाम	01-04-2015 को अवशेष	31-03-16 को अवशेष
01	राज्य वित्त आयोग	913.860 लाख	1 290.03 लाख
02	तेरहवाँ वित्त आयोग	571.450 लाख	38.44 लाख
		1485.71 लाख	1328.47 लाख

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व वर्ष में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत रु 913.860 लाख की धनराशि अवशेष थी जो कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्त में बढ़ कर रु 1290.03 लाख हो गयी थी इसी तरह तेरहवाँ वित्त योजना की समाप्ति के बावजूद भी रु 38.44 लाख की धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका। अप्रयुक्त/अवशेष धनराशि को शासन को वापस नहीं किया गया है तथा आगामी वित्त वर्ष में उक्त धन के व्यय की अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि अनावश्यक रूप से धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था। जबकि नियमानुसार जिस वित्तीय वर्ष में धनराशि प्राप्त हो, उसका उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए था। नियमों के विरुद्ध धनराशि को रोक कर रखा गया है। अतः उक्त के प्रति नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-19**

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

जनपद—अम्बेडकरनगर

मण्डल — अयोध्या

संस्था — जिला पंचायत

संस्था का नाम — जिला पंचायत अम्बेडकरनगर

प्रस्तर — 1 निम्नलिखित कार्यों में रायल्टी कटौती कम/न करके राजस्व क्षति पहुंचाई गई है—

क्र. सं.	दिनांक	वा.सं.	कार्य का नाम	दर्शित मिट्टी कटौती घन मी. में	रायल्टी की कटौती घन मी.पर की गई	दर से की गई 14/मी. ³	रायल्टी की कटौती कम की गई (30-14=16)	रायल्टी की कटौती अवशेष घन मी.30/मी. ³	कुल कम कटौती
1	11.04.16	01	नराय नपुर के मजरे गोपा लपुर में लेपन कार्य(बी0आर0 जी0एफ0)	304.77	141.75	1984.50	2268.00	4890.60	7158.60
2	10.06.16	41	वेरास पुर में इंटर लाकिंग कार्य	20.95	1.92	26.88	30.72(1.92X16)	570.90(19.03X30)	601.62
3	24.06.16	43	रायपुर से के. के. सिंह के घर तक कार्य लेपन	914.37	327.69	4587.66	5243.04(327.69 X16)	17600.40(586.68 X30)	22843.44
4	25.07.16	80	नैपुरा के माहूपुर में इ0ला0 कार्य	65.95	—	—	—	1978.50(65.95X 30)	1978.50
5	25.07.16	81	जियपुर में अली हैदर के घर से इ0ला0 कार्य	9.68	—	—	—	290.40(9.68 X 30)	290.40
6	25.07.16	82	अकबपुर टाण्डा मार्ग से खली फतपुर तक इ0ला0 कार्य	366.40	—	—	—	10992.00(366.40 X 30)	10992.00
			योग—	1682.11	471.36	6599.04	7541.76	36322.80	43864.56

रायल्टी की धनराशि रु. 14 प्रति घन मी. की दर से वसूल की गई है। जबकि शासनादेश सं. 243/86-2016-200-177 टी.सी. II लखनऊ 19 जनवरी 2016 के अनुसार रायल्टी की दर 30 रु. प्रति घन मी. है। इस प्रकार अन्तर की धनराशि को अपहरण की श्रेणी में रखते हुए वसूली अपेक्षित है। इस प्रकार उपरोक्त कार्यों में कटौती कम/न कर रु. 43864.56 की राजस्व की हानि पहुंचाई गई। उक्त धन को अपहरण की श्रेणी में रखते हुए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति, जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 143 के साथ गठित धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला पंचायत अम्बेडकरनगर में ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्टों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से 23.06.2012 को उपविधि बनाई गई। इस उपविधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाएं आदि जनपद अम्बेडकरनगर के ग्रामीण क्षेत्र में ईट भट्टा, जिला पंचायत अम्बेडकरनगर से लाइसेंस प्राप्त किए बिना संचालित नहीं करेगा। उपविधि के अनुसार रु. 10,000.00 की दर से लाइसेंस शुल्क लेकर ईट भट्टों के संचालन के लिए लाइसेंस निर्गत किए जाने थे। लाइसेंस न लेने पर भट्टा मालिकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जानी थी। वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में जिला पंचायत अम्बेडकरनगर के क्षेत्राधिकार में संचालित ईट भट्टों की संख्या, अनुज्ञप्ति शुल्क, सी.पी. टैक्स आदि वसूल किए जाने का विवरण निम्नलिखित है—

क्र.सं.	विकास खण्ड	2015-16		2016-17	
		ईट भट्टों की सं.	वसूली गई धनराशि	ईट भट्टों की सं.	वसूली गई धनराशि
1	अकबरपुर	54	7,85,135.00	56	7,00,910.00
2	भीटी	14	2,15,765.00	16	2,33,870.00
3	जहाँगीरगंज	27	4,51,035.00	23	3,84,215.00
4	रामनगर	31	4,34,530.00	31	4,16,930.00
5	कटेहरी	20	2,50,575.00	20	1,65,650.00
6	जलालपुर	44	7,32,220.00	37	6,14,590.00
7	भियांव	20	2,99,290.00	20	3,32,700.00
8	टाण्डा	76	12,36,170.00	83	12,69,580.00
9	बसखारी	24	3,11,920.00	28	4,14,130.00
योग—		310	47,16,640.00	314	45,32,575.00

जिला पंचायत अम्बेडकरनगर द्वारा दस हजार प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क रु. 6000.00 प्रति वर्ष सी.पी. टैक्स तथा रु. 700.00 प्रति वर्ष विलम्ब शुल्क लेकर ईट भट्टों के संचालन के लिए लाइसेंस निर्गत किए जाने थे, किन्तु वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में किसी भी ईट भट्टे को लाइसेंस निर्गत नहीं किए गए और बिना लाइसेंस निर्गत किए ही दोनों वर्षों में कुल रु. 92,49,215.00 अवैध रूप से वसूली की गई। इस प्रकार उपरोक्त वर्षों में अवैध रूप से भट्टे संचालित होते रहे और उनसे अवैध रूप से वसूली की जाती रही, जबकि उपविधि में यह स्पष्ट है कि जिला पंचायत से लाइसेंस प्राप्त किए बिना ईट भट्टों का संचालन नहीं किया जाएगा।

अतः बिना लाइसेंस निर्गत किए अवैध रूप से ईट भट्टे चलवाने एवं बिना लाइसेंस दिए अवैध रूप से वसूली करने हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। लाइसेंस निर्गत न होने की स्थिति में उपरोक्त दर्शित धनराशि रु0 9249215.00 अनियमित है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से अपेक्षित है।

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

जनपद का नाम — अमेठी

मण्डल का नाम — अयोध्या

जिला पंचायत— अमेठी

प्रस्तर संख्या— 01 लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में मृत पशुशव निस्तारण की नीलामी रु. 5-13 लाख हुई, गत वर्ष की बकाया रु. 1-89 लाख थी। इस प्रकार मृत पशुशव निस्तारण की कुल माँग की धनराशि रु. 7-02 लाख हुई, जिसके सापेक्ष ब्याज सहित वसूली रु. 4-17 लाख की हुई। लेखा परीक्षा तिथि तक मृत पशुशव निस्तारण नीलामी की बकाया शेष धनराशि रु. 2-85 लाख है। मृत पशुशव की निस्तारण की नीलामी की धनराशि की ब्याज सहित वसूली न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। राजकीय राजस्व की ब्याज सहित वसूली हेतु कठोर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु श्री जगप्रसाद मौर्य अपर मुख्य अधिकारी, श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी तथा श्री अजय शंकर शर्मा लेखाकार, श्री कृष्णकान्त त्रिवेदी लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 02 आलोच्य वर्ष 2016-17 में टैक्सी स्टैण्ड मांग व ब्याज सहित वसूली पंजिका में पड़ा अड़डा/टैक्सी स्टैण्ड नीलामी की कुल धनराशि रु. 5-73 लाख दर्शित है, जिसके सापेक्ष वसूल रु. 5-73 लाख की हुयी। जिला पंचायत में दिये गये पुराने बकाये के विवरण के अनुसार गत वर्षों की बकाया रु. 4-61 लाख दर्शित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। ब्याज सहित वसूली के लिये ठोस कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। बकाया धनराशि की ब्याज सहित वसूली न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। इस हेतु श्री जग प्रसाद मौर्य अपर मुख्य अधिकारी, श्री अजय शंकर शर्मा लेखाकार तथा श्री कृष्णकान्त त्रिवेदी लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 03 लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 तक तहबाजारी नीलामी की कुल बकाया की धनराशि रु. 2262705.00 है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार अप्रैल 2013 से तहबाजारी को निरस्त कर दिया गया है। लेखा परीक्षा वर्ष

2016-17 में गत वर्षों की तहबाजारी की बकाया धनराशि रु. 2262705.00 की ब्याज सहित वसूली शून्य रही। गत वर्षों के बकाये की धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों को ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। ब्याज सहित वसूली के लिये ठोस कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। बकाया धनराशि की ब्याज सहित वसूली न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। इस हेतु श्री जग प्रसाद मौर्य अपर मुख्य अधिकारी तथा श्री अजय शंकर शर्मा लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 04 दिनांक 03.12.2016 को वाउचर संख्या 20 से रु. 379000.00 का भुगतान किया गया, जिसमें कुमार ट्रेडर्स ने कोरारीलक्ष्मणशाह में सनहा मार्ग पर उदय राज शर्मा के घर से सत्य नारायण सोनी के घर तक इण्टरलॉकिंग कराया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है। जमानत राशि — 19000.00, रायल्टी— 2760.00 आयकर—8490.00, व्यापार कर — 15160.00 तथा लेबर सेस — 3755.00 ठेकेदार — 329835.00 जिसका योग 379000.00 होता है परन्तु सामान्य कोष बही (प्रपत्र संख्या—1) में रु. 402000.00 रुपये अंकित किया गया है। इस प्रकार वाउचर नम्बर 20 तथा प्रपत्र संख्या 1 (सामान्य कोष नहीं) में अंकित धनराशि में रु. 23000.00 का अन्तर है। कोषबही में आय पक्ष को प्रभावित किया गया है। सम्भावना यह भी है कि बढ़ाई गयी उपरोक्त धनराशि को गलत ढंग से व्यय दर्शाकर इसका प्रभाव शून्य किया गया होगा, यह गम्भीर अनियमितता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। इस हेतु श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी तथा श्री कृष्ण कान्त त्रिवेदी लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 05 जिला पंचायत अमेठी में कुल 13 नौकाघाट है जिसमें आलोच्य वर्ष 2016-17 में मात्र 04 नौका घाटों की नीलामी हुयी जिसका विवरण निम्नप्रकार से है—

क्रमांक	वर्ष	घाट	नीलामी होनी चाहिए	नीलामी हुई
1	2016-17	नांदी घाटी	7402.00	7450.00
2	2016-17	चन्दी कैलाशपुरघाट	38847.00	20000.00
3	2016-17	रंगवा घाट	11136.00	4500.00
4	2016-17	किशनी घाट	16897.00	8000.00

इस प्रकार नौकाघाटों की नीलामी निर्धारित धनराशि से कम धनराशि पर हुई है। जिसमें रंगवा घाट की नीलामी का रु. 2500.00 बकाया है। इस प्रकार नौकाघाटों की नीलामी औसत धनराशि से कम धनराशि पर करने के कारण गम्भीर अनियमितता की गयी है। इस हेतु श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी तथा श्री कृष्णकान्त त्रिवेदी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 06 आलोच्य वर्ष 2016-17 में दुकान व भवन किराया पंजिका की जांच में पाया गया है कि दुकान व भवन किराया मांग व ब्याज सहित वसूली रजिस्टर (प्रपत्र संख्या— 27) अपूर्ण है। उक्त रजिस्टर में उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार दुकान व भवन किराया की कुल मांग रु. 47-25 लाख है। जिसके सापेक्ष ब्याज सहित वसूली 5-79 लाख की हुई। वर्षान्त में दुकान व भवन किराये का बकाया रु. 41-45 लाख शेष रहा। इस प्रकार रु. 41-45 लाख की ब्याज सहित वसूली न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। इस हेतु श्री जग प्रसाद मौर्य अपर मुख्य अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी तथा श्री कृष्ण कान्त त्रिवेदी लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 07 दिनांक 03.12.2016 को प्रकीर्ण खाता में वाउचर नं05 स्टेशनरी खरीद रु. 5052.00 दिखाया गया है जबकि सामान्य कोष बही में वाउचर नं0 5 में रु. 7205.00 दिखाया गया है। इस प्रकार सामान्य कोष बही में रु. 2153.00 अधिक खारिज कर धन का अपहरण किया गया है। इस हेतु श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी तथा श्री कृष्ण कान्त त्रिवेदी लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। रु0 2153.00 की धनराशि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 08 दिनांक 06.03.2017 में वाउचर नं0 2 आकस्मिक बिल जिसमें शुक्ला बैट्री सर्विस गौरीगंज कैशमेमो दिनांक 16.09.2016 तथा 17.09.2017 सं0 8 तथा 9 में रु. 12800.00 एवं 12800.00 का भुगतान रु. 25600.00 किया गया है। वाउचर में रु. 25600.00 अंकित है तथा सामान्य कोष बही में यह धनराशि 26600.00 अंकित किया गया है इस प्रकार 1000.00 का अन्तर है। अन्तर की धनराशि रु. 1000.00 का अपहरण किया गया है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। जिस हेतु श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी तथा श्री कृष्ण कान्त त्रिवेदी लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—09 आलोच्य वर्ष में नौकाघाट मांग व वसूली पंजिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 की नीलामी की बकाया रु. 2500.00 है। लेखा परीक्षा तिथि तक गत वर्षों की नीलामी की बकाया धनराशि रु. 4-10 लाख है। गत वर्षों की बकाया धनराशि ठेकेदारों द्वारा जमा नहीं किया गया है। उक्त सभी बकाये की धनराशि की ब्याज सहित वसूली न होने से गम्भीर अनियमितता की गयी इस हेतु श्री जग प्रसाद मौर्य अपर मुख्य अधिकारी, श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी तथा अजय शंकर शर्मा लेखाकार, श्री कृष्ण कान्त त्रिवेदी लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-2
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

सम्भाग : फैजाबाद

जिला : फैजाबाद

जिला पंचायत-वर्ष-2014-15 व 2015-16

प्रस्तर 01—उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत(बजट व सामान्य लेखा)नियमावली 1965 के नियम 127 का उल्लंघन कर वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में पुराने असमायोजित अग्रिम का समायोजन व वसूली न कर धनराशि रुपये 95251.25 का अपहरण किया गया जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) तथा श्रीमती श्वेता सिंह(अध्यक्ष जिला पंचायत) से ब्याज सहित बराबर हिस्सो में वसूली की जानी अपेक्षित है। इसी प्रकार धनराशि रुपये 117150.00 अग्रिम एवं ब्याज की वसूली न कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिये उत्तरदायी श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी)के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(आ०सं 3(अ))

प्रस्तर 02—उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत(बजट व सामान्य लेखा)नियमावली 1965 के नियम 127 का उल्लंघन कर वर्ष 2014-15 में अग्रिम की वसूली न कर धनराशि रुपये 16128000.00 लाख का अपहरण किया गया जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) तथा श्रीमती श्वेता सिंह(अध्यक्ष जिला पंचायत) से ब्याज सहित बराबर हिस्सो में वसूली की जानी अपेक्षित है।(आ०सं 3(ब))

प्रस्तर 03— उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत(बजट व सामान्य लेखा)नियमावली 1965के नियम 127 का उल्लंघन कर अपरमुख्य अधिकारी जिला पंचायत फैजाबाद को दिये गये अग्रिम रुपये 4677102.00 के वसूली न कर दुर्विनियोग किया गया जिसके लिये उत्तरदायी श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी)के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(आ०सं 3(स))

प्रस्तर 04—अध्यक्ष हेतु गाडी किराया रुपये 108600.00(जनवरी 2014से जून 2014)का दो बार भुगतान कर धनराशि रुपये 108600.00 का अपहरण किया गया जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री आलोक सिंह (अपर मुख्य अधिकारी) व कोषाध्यक्ष से बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।(आ०सं०4(3))

प्रस्तर 05—अध्यक्ष प्रयोगार्थ गाडी किराया रुपया 52800.00 व डीजल 35103.00का व्यय माह मई,जून, जुलाई हेतु किया गया किन्तु उन्ही माहों का डीजल व्यय पुनः रुपये 46000.00 दर्शित कर धनराशि रुपये 46000.00 का अपहरण किया गया। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री आलोक सिंह (अपर मुख्य अधिकारी) व कोषाध्यक्ष से बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।(आ०सं०4(4))

प्रस्तर 06— अध्यक्ष प्रयोगार्थ डीजल क्रय के बिना गाडी का किराया दर्शित कर धनराशि रुपये 53400.00 का अपहरण किया गया जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) व कोषाध्यक्ष से बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।(आ०सं०4(5))

प्रस्तर 07—अपर मुख्य अधिकारी हेतु गाडी का किराया 28 दिन के स्थान पर 31 दिन का किराया भुगतान दर्शित कर रुपये 1437.00 का अपहरण किया गया जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) व कोषाध्यक्ष से बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।(आ०सं०4(6))

प्रस्तर 08—गाडी का किराया दो माह के स्थान पर तीन माह का किराया दर्शित कर रुपये 14851.00 का अपहरण किया गया जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजेन्द्र प्रसाद (अपर मुख्य अधिकारी) व कोषाध्यक्ष से बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।(आ०सं०4(7))

प्रस्तर 09— मे०पूर्वाचल बिटुमिन कैरियर्स गाजीपुर को 347 एम०टी०इमल्शन हेतु दिये गये अग्रिम के सापेक्ष मात्र 322.014 एम०टी० सामग्री मंगाकर अन्तर की धनराशि रुपये 904614.00 का अपहरण किया गया जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजेन्द्र प्रसाद (अपर मुख्य अधिकारी) व अध्यक्ष से बराबर हिस्सो में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।(आ०सं०5(अ,ब,स))

प्रस्तर 10— दिनांक 31-03-2015 को दिये गये अग्रिम के सापेक्ष दिनांक 31-12-2015 को 143.078 एम०टी०बिटुमिन मूल्य 5139879.00 प्राप्त हुआ इस प्रकार नौ माह तक रुपये 5139879.00 फंसा रहा जिसपर 10प्रतिशत की दर से रुपये 385490.00 की संस्था को हानि पहुँचाकर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिये श्री राजेन्द्र प्रसाद(अपर मुख्य अधिकारी) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(आ०सं०5(द))

प्रस्तर 11—वित्तीय वर्ष 2012-13 की बकाया तहबाजारी रुपये 22.71 लाख की वसूली न कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों पूर्व अपरमुख्य अधिकारी व श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(आ०सं-7))

प्रस्तर 12—दिनांक 31-03-2016 को बकाया सम्पत्ति व विभव कर रुपये 73.04 लाख की वसूली न कर संस्था को हानि पहुँचाई गयी जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) तथा श्रीमती श्वेता सिंह(अध्यक्ष जिला पंचायत) पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।(आ०सं 12)

प्रस्तर 13 जिला पंचायत द्वारा 2014-15 व 2015-16 में ईट भट्टो से लाइसेन्स शुल्क की वसूल न कर संस्था को रुपये 597400.00 की हानि पहुँचाई गयी जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) तथा श्रीमती श्वेता सिंह(अध्यक्ष जिला पंचायत) पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ०सं८(ब))**

प्रस्तर 14—मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31-03-2016 को रुपये 80000.00 की बकाया वसूली न कर संस्था को हानि पहुँचाई गयी जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ०सं९(स))**

प्रस्तर 15— दिनांक 31-03-2016 को नौका घाट की व्याज सहित बकाया(वर्ष 1999-2000से 2006-07) रुपये 691375.83 की वसूली न कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीनअपर मुख्य अधिकारी तथा उगाही कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आ०सं१०(स))**

प्रस्तर 16— नौका घाट रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2010-11, 2011-12, 2013-14 में घाटों की नीलामी धनराशि की वसूली न कर धनराशि रुपये 809640.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आ०सं१०(द))**

प्रस्तर 17— वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कम संख्या में मत्स्य आखेट स्थलों की नीलामी कर संस्था द्वारा रुपये 682400.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आ०सं११(ख))**

प्रस्तर 18— वर्ष 2011-12 व 2012-13 में मत्स्य आखेट की बकाया वसूली रुपये 106000.00 श्री रामदेव सचिव मत्स्यजीवी सहकारी समिति मंगलसी से न कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आ०सं११(ग))**

प्रस्तर 19—दुकान आवंटियों से नियमानुसार किराये की मांग न कर तथा तदनुसार कम किराया वसूल कर धनराशि रुपये 1485668.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आ०सं१२(ब))**

प्रस्तर 20—जिला पंचायत द्वारा वर्ष 1996-97 में निर्मित 26 दुकानों पर अवैध कब्जाकर कब्जेदारों द्वारा की किराया अदा नहीं किया गया। फलतः संस्था को 18.06 लाख की हानि हुई। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारियों सहित श्री के०जी०गुप्ता(अपरमुख्य अधिकारी)उत्तरदायी है।जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आ०सं०१२(स))**

प्रस्तर 21—जिला पंचायत फैजाबाद के स्वामित्व में 157 दुकानें हैं जिनपर दिनांक 31-03-2016 को रुपये 28.76 लाख किराया बकाया है। किराया वसूली ठोस कार्यवाही न कर गम्भीर अनियमितता की गयी। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन अपरमुख्य अधिकारियों सहित श्री के०जी०गुप्ता(अपरमुख्य अधिकारी)उत्तरदायी है।जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आ०सं०१२(द))**

प्रस्तर 22—मत्स्य आखेट रजिस्टर के अनुसार फरवरी 2007 तक मत्स्य आखेट की वसूली रुपये 7600.00 न कर संस्था को हानि पहुँचाई गयी जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) तथा श्रीमती श्वेता सिंह(अध्यक्ष जिला पंचायत) से ब्याज सहित बराबर हिस्से में वसूली की जानी अपेक्षित है।उक्त बकाया पर ब्याज रुपये 7600.00 की वसूली न कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आ०सं 13)**

प्रस्तर 23— दिनांक07/05/2015 को रुपये 15350.00 श्री नफीस अहमद के बिल के काटी गयी सिक्कोरिटी कैशबुक में दर्शित है किन्तु इस बैंक में जमा न कर उक्त धनराशि रुपये 15350.00 का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कैशियर के की जानी अपेक्षित है। **(आ०सं१४(१०))**

प्रस्तर 24— दिनांक29/03/2016 को विज्ञापन बिल पर कुल 275560.00 का भुगतान दर्शित कर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री के०जी०गुप्ता (अपर मुख्य अधिकारी) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आ०सं 15(१))**

प्रस्तर 25— दिनांक 12/02/2015 को 15 अगस्त 2014 के बधाई संदेश का आठ समाचार पत्रों में मनमाने ढंग से विज्ञापन देकरकुल रुपये 29480.00 का दुरुपयोग किया गया। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री राजेन्द्र प्रसाद (अपर मुख्य अधिकारी) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आ०सं 15(३))**

प्रस्तर 26— बड़ौदा यूपी०ग्रामीण बैंक रौनाही(खातासं० 56640100000108) से प्रतिमाह निश्चित सीमा से अधिक निकासी होने के कारण कुल 8939.00की बैंक कटौती की गयी जिससे संस्था को हानि पहुँची उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन अपरमुख्य अधिकारियों श्री आलोक सिंह(रुपये 1377.00), श्री राजेन्द्र प्रसाद (रुपया 4114.00), श्री के०जी०गुप्ता (रुपया 3448.00) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(आ०सं 18)**

प्रस्तर 27—बैंक खाता सं० (खातासं० 56640100004896)बड़ौदा यूपी०ग्रामीण बैंक रौनाही में रुपये 362432.00 अवशेष था। वर्ष 2014-15 व 2015-16 में लेनदेन न होने के कारण 31-03-2016 को भी अवशेष 362432.00 ही दिखाया गया जबकि स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट के अनुसार 2014-15 में 14239.00 तथा 2015-16 में 14816.00 ब्याज प्राप्ति के कारण 31-03-2016 को अवशेष रुपये 381547.00 है। इस प्रकार रुपये 29055.00 की आय छिपाकर अभिलेखों में

दर्शित न कर गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके लिये लेखाकार श्री रामानन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(आ०,सं०19(1))

प्रस्तर 28— (खातासं० 56640100000108) में दिनांक 01/01/2016 को रुपये 2216437.00 व खाता सं० 3030 में दिनांक 05/03/2016 को रुपये 133941.00 कुल रुपये 2350378.00 ब्याज प्राप्त हुआ जिसका लेखा सम्बन्धित वर्ष 2015-16 में न करके 2016-17 में किया गया इस कारण संस्था 2015-16 में रुपये 2350378.00 के लाभ से वंचित रही। उक्त अनियमितता हेतु लेखाकार श्री रामानन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ०,सं०19(2,3))

प्रस्तर 29— दिनांक 31-03-2016 को नक्शे में ब्याज पाना 119.42 लाख दिखाया गया जबकि बैंक स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट के अनुसार रुपये 12623293.00 ब्याज प्राप्त हुआ जिसमें से रुपये 2350378.00 अभिलेखों में वर्ष 2015-16 में नहीं दिखाया गया तथा रुपये 29055.00 भी नहीं दिखाया गया। यदि यह अभिलेखों में दिखाया गया होता तो कुल ब्याज 143.31 लाख हो जाता जो सम्भव ही नहीं था इस कारण रुपये 119.42 लाख मनगणन्त ब्याज दिखाकर तथा संस्था की आय 6.81 लाख से छिपाकर गम्भीर अनियमितता की गयी। उक्त अनियमितता हेतु लेखाकार श्री रामानन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ०,सं०19(4))

प्रस्तर 30— बैंक खाता सं० 50289179417 इलाहाबाद बैंक पलकी थाना मोतीबाग के समाधान विवरण पत्र में बैंक अवशेष रुपये 209575965.00 दिखाया गया था जबकि स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट के अनुसार शेष 224903863.00 था अतः रुपये 15327898.00 से बैंक बैलेन्स अधिक था इस प्रकार बैंक समाधान विवरण पत्र गलत बनाकर गम्भीर अनियमितता की गयी। उक्त अनियमितता हेतु लेखाकार श्री रामानन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ०,सं०20(1))

प्रस्तर 31— खाता सं० 50289180172 इलाहाबाद बैंक पलकी थाना मोतीबाग फैजाबाद में बैंक शेष समाधान विवरण पत्र में रुपये 39076193.00 दिखाया गया जबकि स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट के अनुसार रुपये 38583591.00 ही था अन्तर रुपये 492602.00 का था जो गलत था यदि सही बैलेन्स समाधान विवरण पत्र में दिखाया जाता तो अन्तर मात्र रुपये 148710.00 ही था। उक्त अनियमितता हेतु लेखाकार श्री रामानन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ०,सं०20(ए०बी०))

प्रस्तर 32— बड़ौदा यूपी०ग्रामीण बैंक रौनाही(खातासं० 56640100000108) इसके बैंक समाधान विवरण पत्र के अनुसार अन्तिम अवशेष 107839270.34 था जबकि स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट के अनुसार अवशेष 88262640.00 था इस प्रकार रुपये 19576630.34 से बैंक अवशेष कम था इससे स्पष्ट है कि बैंक से निकाला गया रुपया समय से कैश बुक में नहीं दिखाया जाता। उक्त अनियमितता हेतु लेखाकार श्री रामानन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ०,सं०20(3))

प्रस्तर 33— खाता सं० 4152010100553030 पंजाब नेशनल बैंक विकास भवन फैजाबाद के समाधान विवरण पत्र के अनुसार अवशेष 6104643.05 था जबकि स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट के अनुसार अवशेष 6849357.00 था। इस प्रकार बैंक बैलेन्स रुपये 744713.95 से अधिक था जिसका कोई विवरण नहीं दिया गया। उक्त अनियमितता हेतु लेखाकार श्री रामानन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ०,सं०20(4))

प्रस्तर 34— वर्ष 2014-15 में जनवरी 2015 में टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स रुपये 10000.00 आय को उच्चत खते में डाला गया जिससे 31-03-2016 तक खोजकर हिसाब सही नहीं किया गया। उक्त अनियमितता हेतु लेखाकार श्री रामानन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ०,सं०21)

प्रस्तर 35— वर्ष 2014-15 व 2015-16 में विभिन्न योजनाओं(अंत्योदय, स्थानीय विकास, स्पेशन कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत रुपये 135.74 लाख की वसूली शेष थी। उक्त वसूली न कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिये उत्तरदायी तत्कालीन अपरमुख्य अधिकारियों एवं श्री के०जी०गुप्ता(अपरमुख्य अधिकारी) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ०,सं०22(2))

प्रस्तर-36 (क) शासन द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि से वेतन व पेंशन का भुगतान करके राजकीय धनराशि का दुर्विनियोग किया गया। दुर्विनियोग की धनराशि रू०-16411000.00 है जिसकी वसूली श्रीमती मीना देवी, अध्यक्ष श्री नीरज रस्तोगी से सम्बन्धित व्यय की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या -24(घ))

(ख) दिनांक-31-03-2016 को रू०-3012.17 लाख शासन द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि का विकास कार्यों में उपयोग न करके बैंक में अवशेष रखते हुये धनराशि का दुर्विनियोग किया गया। श्रीमती श्वेता सिंह अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी श्री के० जी० गुप्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या -24(च))

प्रस्तर-37 राज्य वित्त से सम्बन्धित कार्य विलम्ब से होने के कारण अर्थ दण्ड 1 प्रतिशत रू० 34162.00 हानि के जिम्मेदार श्री के० जी० गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी से वसूली की जानी अपेक्षित है किन्तु एक मुस्त रू० 500.00 वसूल करके राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया। जबकि अर्थ दण्ड रू०-34162.00 का अपहरण किया गया जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या -25)

प्रस्तर-38 तेरहवाँ वित्त योजना अन्तर्गत कृत कार्यों हेतु टेंडर में निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों से प्राक्कलन की धनराशि का एक प्रतिशत अर्थ दण्ड वसूल न करके एक मुस्त रू० 200.00 वसूल किया

गया। जब कि अर्थ दण्ड रु0-64783.00 का अपहरण किया गया जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी से व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या -26)

प्रस्तर-39 लेखा परीक्षा में दो पत्रावलिया ऐसी पायी गयी जिन्होंने निर्धारित अवधि से विलम्ब से कार्य कराया गया परन्तु कोई अर्थ दण्ड नहीं लिया गया जिससे संस्था को एक प्रतिशत रु0-15560 की हानि की गयी जिसके जिम्मेदार अपर मुख्य अधिकारी से व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या -27)

प्रस्तर-40 राज्य वित्त योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो हेतु टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करके प्रस्तावित कार्य न कराकर रु0-4472000.00 की राजकीय धनराशि का दुर्विनियोग किया गया जिसके जिम्मेदार अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी व अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या -29)

प्रस्तर-41 राज्य वित्त योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो हेतु पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया का पालन न करके रु0-74.802 लाख का गलत प्रक्रिया द्वारा कार्य कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके जिम्मेदार अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या -32)

प्रस्तर-42 राज्य वित्त/तेरहवा वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत मानक के विपरीत ठेकेदारों द्वारा रु0-2703598.00 का कराये गये कार्यो का पूर्ण भुगतान करके गम्भीर अनियमितता किया गया। जिसके जिम्मेदार अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी है जिसकी वसूली से व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या -33)

प्रस्तर-43 तेरहवा वित्त की गाइड लाइन्स एवं शासनादेश के विपरीत कार्य कराकर नियम विरुद्ध धनराशि रु0-9606373.00 का भुगतान करते हुये राजकीय धनराशि का दुर्विनियोग किया गया। जिसके जिम्मेदार अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी है जिसकी वसूली व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या -34)

प्रस्तर-44 उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व ग्राम पंचायत आय-व्यय अभियाजन नियमावली 1984 के विन्दु संख्या-2 में किये गये प्राविधान के विपरीत एवं नियम विरुद्ध कार्य दिखाकर राजकीय धनराशि रु0-8518617.00 का दुर्विनियोग किया गया। जिसके जिम्मेदार अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी है जिसकी वसूली व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-35)

प्रस्तर-45 जिला पंचायत क्षेत्र में संचालित ईट भट्टो से विभव एवं सम्पत्ति कर वसूल न करके राजकीय धनराशि रु0-48000.00 का अपहरण किया गया। जिसके जिम्मेदार अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी व अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद है जिसकी वसूली व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्य-41)

प्रस्तर-46 वर्षा ऋतु में मिट्टी पटाई व सोलिंग निर्माण कार्य नियम विरुद्ध रु0-1973325.00 व्यय दिखाकर गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके जिम्मेदार अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी है जिसकी वसूली व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-42)

प्रस्तर-47 बैंको में जमा अनुदान धनराशि रु0-147.63 लाख पर प्राप्त व्याज को शासन को वापस न करते हुये राजकीय धनराशि का दुर्विनियोग किया गया। जिसके जिम्मेदार अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-46)

प्रस्तर-48 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संस्था द्वारा कराये गये कार्यो से सम्बन्धित कार्य पत्रावली एवं मापन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, फोटो, तीन श्रमिकों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र ठेकेदारों का जमानत रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके रु0-25506071.00 की गम्भीर अनियमितता किया गया। जिसके जिम्मेदार अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी है अविलम्ब जाँच कराकर स्थिति स्पष्ट की जाय। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-36)

जिला पंचायत-: बाराबंकी वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015

आपत्ति संख्या 01-: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014-2015 में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा रु0 1890 प्रति माह की दर से 12 माह का कुल रु0 12680.00 आवासीय भत्ता के रूप में प्राप्त किया गया है। जबकि संस्था पर आवासीय व्यवस्था है। नियमानुसार संस्था पर आवासीय व्यवस्था होने के बावजूद आवास भत्ता अनुमन्य नहीं है। अतः रु0 12680.00 की व्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 01)

आपत्ति संख्या 02-: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014-2015 में यू0पी0 41ई0-1000 की लाग बुक जाँच में पाया गया कि दि0 28.02.2015 को मीटर रीडिंग 66220 थी फिर मार्च 01.03.2015 को गाडी की मीटर रीडिंग 62220 कैसे हो सकती है। पुनः मीटर रीडिंग 62220 से 64181 अंकित कर फर्जी मीटर रीडिंग इन्ट्री की पुष्टि होती है। उक्त मीटर रीडिंग के अनुसार कुल 220 लीटर डीजल एवं 01 लीटर मोबिल जो कि कम दर्शाया गया है। जिसका मूल्य रु0 11815.00 है। अतः रु0 11815.00 की आर्थिक क्षति संस्था को पहुँचायी गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता श्री कमलेश बाबू उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी कर्मचारियों से रु0 11815.00 की व्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 02)

आपत्ति संख्या 03-: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014-2015 में माह अप्रैल 2014 में 146 किमी0 मई 2014 में 239 किमी0 जून 2014 में 305 किमी0 तथा जुलाई 2014 में 112 किमी0 कुल 802 किमी0 की मात्रा नियमों के विपरीत

तथा बिना किसी कारण के की गयी है। जिसके औचित्य की पुष्टि में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। लाग बुक में दर्शित 10 की औसत से उक्त दूरी पर व्यय डीजल व मोबिल का तत्कालीन दर से कुल धनराशि रु0 4405.00 की क्षति संस्था को पहुंचायी गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं अभिन्ता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0 4405.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 03 घ)

आपत्ति संख्या 04--: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014-2015 में लागबुक में अंकित की गयी कुल दूरी 25145 किमी0 की पुष्टि में कोई प्रमाणक व साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया फलतः उक्त दूरी पर कुल व्यय मोबिल व डीजल का लगभग 118560.00 का व्यय फर्जी ढंग से दर्शाकर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व अभिन्ता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0 118560.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 03)

आपत्ति संख्या 05--: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014-2015 में मत्स्य आखेट की पत्रावली की जांच में पाया गया कि विभिन्न समितियों से कुल रु0 2610.00 मूल्य के स्टाम्प पेपर कम लगाकर राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए पटल सहायक राम विजय त्रिपाठी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0 2610.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 05)

आपत्ति संख्या 06--: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014-2015 में नौकाघाट की समितियों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निर्धारित मूल्य से कम कानान जुडीशियल स्टाम्प पेपर लगाये गये हैं। जिनका कुल मूल्य रु0 9560.00 है। उक्त स्टाम्प पेपर कम लगाकर राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए पटल सहायक, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0 9560.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 06)

आपत्ति संख्या 07--: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014-2015 में नौकाघाट के व्यक्तिगत ठेकों की पत्रावली जाँच में पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा नान जुडीशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित मूल्य से कम लगाये गये हैं। अतः रु0 1320.00 मूल्य के स्टाम्प पेपर कम लगाकर राजस्व की क्षति पहुंचायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0 1320.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 07)

आपत्ति संख्या 08--: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014-2015 में नौकाघाट की समितियों से 31.03.2015 तक कुल बकाया धनराशि रु0 305077.00 अवशेष चला आ रहा है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित पक्षों से करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। बकाया ब्याज सहित वसूली न किये जाने से रु0 305077.00 की क्षति संस्था को हुई है। जिसके लिए पटल सहायक एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 11)

आपत्ति संख्या 09--: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014-2015 में मृत पशु शव निस्तारण रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि विगत वर्षों से समितियों से कुल रु0 438470.00 की ब्याज सहित वसूली अवशेष है। जिसके लिए संस्था द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी बकाया ब्याज सहित वसूली न होने से संस्था को रु0 438470.00 की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। उक्त क्षति के लिए पटल सहायक एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 14)

आपत्ति संख्या 10--: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014-2015 में महादेवा मेला हेतु अपर मुख्य अधिकारी द्वारा पत्र सं0 1248/जिला पंचायत 2014-2015 दिनांक 20.11.2014 के अनुसार मण्डलायुक्त फैजाबाद से मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु रु0 6 लाख की स्वीकृति मांगी गयी और बिना स्वीकृति के 5 लाख की चेक दिनांक 20.11.2015 को राम नगर के उपजिलाधिकारी को जारी कर दिया गया उक्त धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक पत्रावली में संलग्नक नहीं है। जब कि जिला पंचायत के संचालक मण्डल द्वारा सर्व सम्मत से दिनांक 20.04.2013 को प्रस्ताव सं0 4 (2) के अनुसार महादेवा मेला की व्यवस्था पर्यटन या जिला प्रशासन द्वारा अलग से कराये जाने का निर्णय लिया गया क्योंकि जिला पंचायत की आर्थिक स्थिति दयनीय होने की बात की गयी है। उक्त 5 लाख की धनराशि को जिला पंचायत द्वारा दिया जाना नियमों के विपरीत है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता एवं पटल सहायक उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 16 क)

आपत्ति संख्या 11--: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014-2015 में महादेवा मेला हेतु श्री संतोष सिंह ठेकेदार को अगहनी व फाल्गुनी का ठेका दिया गया था भुगतानित धनराशि के सापेक्ष निर्धारित स्टाम्प पेपर शुल्क रु0 25666.00 कम लगाकर राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, व पटल सहायक उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 16 ख,ग)

आपत्ति संख्या 12--: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014-2015 में गाडी नं0 यू0पी0 41 एस0 1000 से दिनांक 18.04.2013 को फर्जी मीटर रीडिंग भरकर जो कि पहले उपयोगित हो चुकी थी उससे 121 किलोमीटर की दूरी तय

करके रु0 847 की क्षति पहुंचायी गयी है। उक्त क्षति के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरदायी हैं। रु0 847.00 की ब्याज सहित वसूली जिला पंचायत अध्यक्ष से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 16 17)

आपत्ति संख्या 13—: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014–2015 में कर निर्धारण नोटिस का 46 नग का अवशेष स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया है। और न तो किसी को जारी किया गया है। माह जनवरी 2015 में कर निर्धारण नोटिस कुल 310 नग क़य करके मात्र 4 नग ही जारी किया गया है। इस प्रकार 260 नग और क़य करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। उक्त कुल नग का मूल्य 30141.00 है। उक्त क्षति के लिए पटल सहायक नाजिर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्ति से रु0 30141.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 18)

आपत्ति संख्या 14—: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014–2015 में सी0पी0 कवर एवं फाइल कवर क़य दर्शाया गया है। जिसमें से 201 कवर न तो किसी को जारी किया गया और न ही अवशेष स्टॉक के रूप में दर्शाया गया 201 कवर का मूल्य 1557.00 है। अतः रु0 1557.00 का गबन पटल सहायक द्वारा किया गया है। जिसके लिए पटल सहायक नाजिर उत्तरदायी हैं। रु0 1557.00 की ब्याज सहित वसूली नाजिर से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 23)

आपत्ति संख्या 15—: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014–2015 में सकल इलेक्ट्रिकल्स बाराबंकी से रु0 4960.00 का स्टेबलाइजर दिनांक 28.09.2014 बिल नं0 1/37 से क़य किया गया है। पुनः 30.09.2014 को उक्त बिल सं0 से रु0 4900.00 का एक और स्टेबलाइजर क़य कर फर्जी क़य किया गया है। जिसके लिए पटल सहायक (नाजिर) उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से रु0 4900.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 26)

आपत्ति संख्या 16—: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014–2015 में दिनांक 04.08.2014 को बिल सं0 5/227 संलग्न कर कम्प्यूटर सामग्री क़य की गयी है। फिर 20.09.2014 को बिल सं0 5/204 संलग्न कर कम्प्यूटर सामग्री क़य दर्शित है। जबकि 04.08.2014 को जब बिल सं0 5/227 था तब 20.09.2014 को बिल सं0 5/204 कैसे सम्भव है। तथा उक्त सामग्री क़य हेतु किसी पटल द्वारा कोई मांग पत्र भी नहीं दिया गया है। बिना मांग के दुबारा उक्त सामग्री क़य रु0 7850.00 क़य किया जाना एवं उपयोग में न लाना और न ही अवशेष स्टॉक में दर्शाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिए पटल सहायक नाजिर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से रु0 7850.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 27)

आपत्ति संख्या 17—: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014–2015 में संस्था के जनरेटर की लॉग बुक की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014–2015 में अवकाशों के दिन भी लॉगबुक भरकर जनरेटर चलवाया गया है। जबकि अभिलेखीय साक्ष्य से इसकी पुष्टि संस्था के हित में नहीं की जा सकी अतः विभिन्न तिथियों में कुल 7 दिन लगभग 4.30 घण्टे की औसत से 30 घण्टे जनरेटर चलाया गया जिसमें कुल 150 ली0 डीजल लगा जिसकी कीमत तत्कालीन दर से 7950.00 है। अतः रु0 7950.00 की आर्थिक क्षति संस्था को पहुंचायी गयी है। जिसके लिए पटल सहायक अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली तथा प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 32)

आपत्ति संख्या 18—: जिला पंचायत बाराबंकी का वर्ष 2014–2015 में शासनादेश सं0 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.2010 द्वारा अनुमन्य कार्यों पर 13 वां वित्त का धन रु0 376.25 (37625000.00) लाख कम न करके मनमाने ढंग से सी0सी0 रोड पर व्यय कर अनियमितता के लिए अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, पटल सहायक, लेखाकार एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 35)

प्रारूप-2

वर्ष 2016-17

नाम संस्था – जिला पंचायत जनपद – सुलतानपुर सम्भाग – अयोध्या
प्रस्तर – 1

व्यय प्रमाणक 82 दिनांक 22.02.2017 द्वारा श्री बृजेन्द्र कुमार लिपिक को बकाया बोनस वर्ष 2008–09 व 2009–10 का रु0 6908.00 का भुगतान किया गया दर्शित है। किसी कारण वश रोका गया बोनस बकाया नियमानुसार देय नहीं होता है। बकाया बोनस भुगतान सम्बन्धी विभागीय/राजकीय आदेश/ निर्देश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर भुगतान के औचित्य की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उक्त दुरुपयोग के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द तथा लेखाकार श्याम कृष्ण उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 12)

प्रस्तर – 2

उ0प्र0 जिला पंचायत व ग्राम पंचायत अभिभाजन नियमावली के बिन्दु संख्या (2) में स्पष्ट प्राविधान है कि जिला पंचायत ऐसे किसी गाँव के अन्दर एक घर से दूसरे घर तक सड़कों का निर्माण नहीं करा सकती है। यह कार्य ग्राम पंचायतों का है तथा उन्हीं के द्वारा भुगतान भी किया जायेगा। जिला पंचायत के वर्क रजिस्टर की जाँच में पाया

गया कि उक्त प्राविधान का उल्लंघन कर जिला पंचायत सुलतानपुर द्वारा निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है कि उन्होंने उक्त कार्यों को नहीं कराया है। विवरण निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्ष	व्यय धनराशि
1	अनुरखा में लल्लन प्रधान के घर से चन्द्रशेखर के घर तक इ0ला0	2016-17	299829.00
2	लम्मुआ में मुस्लिम बस्ती में बगड के घर से इम्तियाज के घर तक इ0ला0	2016-17	299951.00
3	ग्राम सभा करोमी में मो0 अयूब के घर के पास इ0ला0	2016-17	659000.00
4	पलटीपुर में फूलचन्द्र गुप्ता के घर से डा0 काशी के घर तक सम्पर्क मार्ग	2016-17	299836.00
5	ग्रा0पं0सौरमऊ देहात में रामरवन यादव बधराजपुर से लाल बहादुर भाई के घर तक लेपन मरम्मत	2016-17	1480069.00
6	देवनरायन दूबे के घर से सिप्तापुर राजेश कुमार दूबे के घर तक इ0ला0	2016-17	397281.00
7	अभियाकला जीतू तिवारी के घर से भार्गव के घर तक इ0ला0	2016-17	488832.00
8	रतनपुर में अयोध्या प्रसाद के घर श्यामलाल के घर तक इ0ला0	2016-17	299846.00
9	बनी राजेन्द्र पाण्डेय के घर से गुलाब पाण्डेय के घर तक इ0ला0	2016-17	298320.00
10	ग्राम इनायतपुर में सोनारबस्ती होते हुए मस्जिद तक इ0ला0	2016-17	599345.00
11	ग्राम लहुरेपुर में इ0ला0 कार्य	2016-17	499690.00
12	रोहनी का पुरवा में इ0ला0 कार्य	2016-17	399000.00
13	कनौरा राम लाल वर्मा के घर से बृजेश सिंह के घर तक इ0ला0	2016-17	299300.00
14	वरुआ उत्तरी हंसराज निषाद के घर से राजकिशोर निषाद के घर तक इ0ला0	2016-17	298500.00
15	मझुई लाल का पूरा में यादव बस्ती से नहर तक इ0ला0	2016-17	507059.00
16	ग्राम सभा कटका खानपुर में शहीद अनवर मार्ग से हंसराज के चक की ओर इ0ला0	2016-17	1049895.00
17	ग्राम जरई पूरे बासू में श्यामलाल के घर से झाबर की मशीन की ओर इ0ला0	2016-17	1048527.00
18	ग्राम सभा सहिनवा दलित बस्ती रामनाथ चमार के घर से मोती चमार के घर की ओर इ0ला0	2016-17	399606.00
19	दिनेश मिश्र के घर से भरत मिश्र के घर की ओर इ0ला0	2016-17	799000.00
20	ग्राम सभा पटखौली में खडंजा से जय प्रकाश के घर की ओर इ0ला0	2016-17	1048111.00
21	ग्राम खुदौली में बृजेश पूर्व प्रधान के घर से नन्हकूराम के घर की ओर इ0ला0	2016-17	1048991.00
22	ग्राम नन्दौली में मस्जिद से रियासत के घर की ओर इ0ला0	2016-17	697246.00
23	धनुहवा कपिल पाण्डेय के घर से मनीष पाण्डेय के घर तक इ0ला0	2016-17	299440.00
24	वरासिन में रामदास निषाद के घर से रामलोचन यादव के घर तक इ0ला0	2016-17	499057.00
25	ग्राम भण्डारा परसुरामपुर में राम नेवल दूबे के घर से सूर्यमणि दूबे के घर तक इ0ला0	2016-17	499782.00
26	उसकामऊ में पिचरोड से गोविन्द सिंह के घर की ओर इ0ला0	2016-17	915000.00
27	राजन के घर से धर्मराज मौर्या की दुकान की ओर इ0ला0/नाली	2016-17	1050000.00
28	ग्राम मकसूदन में रफी के घर से राम आश्रम के घर की ओर इ0ला0	2016-17	296814.00
29	ग्राम विरधौरा में मस्जिद से पक्की सड़क की ओर इ0ला0	2016-17	650000.00
30	मसेतवा लाला का पुरवा प्रा0पा0 से सतीश श्रीवास्तव के घर की ओर इ0ला0	2016-17	699550.00
31	ग्राम डोभियारा में इ0ला0/नाली निर्माण	2016-17	1043733.00
32	ग्राम भगवानपुर में सच्चिदानन्द शर्मा के मकान से विनोद कुमार अग्रहरि के मकान की ओर इ0ला0	2016-17	476025.00
33	वहरावां पूरे पृथ्वी पाल मिश्र में कृपाशंकर पंडा के घर से द्वारिका सिंह के घर की ओर इ0ला0	2016-17	1046702.00
34	ग्राम दरियापुर में श्रीराम कोरी के घर से कमलेश मौर्या के घर की ओर इ0ला0	2016-17	490000.00
35	सरैया माफी में शिवराम हरिजन के घर की ओर इ0ला0	2016-17	480000.00
36	ग्राम बड़नपुर में रामवरन मिश्र के घर से हीरालाल कोरी के घर की ओर इ0ला0	2016-17	510000.00
37	ग्राम सभा विझूरी में इ0ला0	2016-17	435000.00
38	मडहा सम्पर्क मार्ग इ0ला0	2016-17	499700.00
39	ग्राम पारा गनापुर में डॉ0 लईक के दरवाजे से मो0 शब्बीर अहमद के दरवाजे तक इ0ला0	2016-17	1048825.00
40	ग्राम लोलेपुर में शहीद किदवई के घर से मुस्ताक हुसैन के घर की ओर इ0ला0	2016-17	499000.00
41	मंगरावा तीर्थराज की ट्यूबवेल से राजमणि वर्मा के घर की ओर इ0ला0	2016-17	1047426.00
42	ग्राम सभा कौपा में हौसिला पासी के दरवाजे से छोटेलाल के घर की ओर	2016-17	1040360.00

	इ0ला0		
43	ग्राम बनरहा में संतोष सिंह के घर से साधू सिंह के घर की ओर इ0ला0	2016-17	1049750.00
44	पलिया देवापुर बाजार के उत्तर हृदयराम निषाद के घर से ब्राह्मण बस्ती की ओर इ0ला0	2016-17	894000.00
45	ग्राम पंचायत गोविन्दपुर सिंहनी मोड़ से विन्देश्वरी के घर की ओर इ0ला0	2016-17	1048828.00
46	ग्राम सरैया पूरे विषेन में विजय बहादुर के घर से हीरालाल के दरवाजे की ओर इ0ला0	2016-17	491952.00
47	खुदौली में पूर्व प्रधान के घर से नन्हकू राम के घर की ओर इ0ला0	2016-17	298000.00
48	तारंगपुर में रामसजीवन मिश्र के घर से दुर्गा प्रसाद पाण्डेय के घर तक इ0ला0	2016-17	670000.00
49	ग्राम सभा मझवारा में संगम बलिया के घर से मथुरा पासी के घर तक इ0ला0	2016-17	565000.00
	योग		38141178.00

जिला पंचायत द्वारा उक्त अंकित ग्राम पंचायतों में कार्य कराना शासनादेश सं0 8307/33-02-2004- 93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 का भी उल्लंघन है। उक्त शासनादेश द्वारा भी ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराना ग्राम पंचायतों का क्षेत्राधिकार माना गया है। इस प्रकार जिला पंचायत सुलतानपुर द्वारा क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर कार्य कराया जाना गंभीर अनियमितता है। शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 के बिन्दु सं0 3 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से जिला पंचायत एक से अधिक ग्राम पंचायतों के लाभान्वित होने वाले कार्यों को सम्पादित करायेंगी किन्तु जिला पंचायत सुलतानपुर द्वारा ग्राम पंचायतों की सीमा के अन्दर कार्य कराकर इस शासनादेश का उल्लंघन कर अनियमितता की है। उक्त अनियमितता के लिए श्री अरविन्द कुमार मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सुलतानपुर उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 20)

प्रस्तर - 3

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं0 39 के अनुसार रू0 10.00 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किए जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। जिला पंचायत द्वारा अन्तिम रूप से भुगतान के पूर्व उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर निर्माण कार्य का निरीक्षण नहीं कराया गया है। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	चक्कारी भीट पक्की सड़क से हसमत अली के घर की ओर इ0ला0	1047693.00
2	जमादार मिश्र के पुरवा से सहन की ओर सोलिंग	1046703.00
3	वाग सराय गाँव में मुख्य सड़क से मस्जिद की ओर इ0ला0	1049790.00
4	पीरोसरैया में हलियापुर रोड से प्रदीप सिंह के घर की ओर इ0ला0	1048767.00
5	ग्राम सभा छतौना में पखरौली सम्पर्क मार्ग से कल्लू के घर की ओर इ0ला0	1048744.00
6	गनापुर गाँव में पक्की सड़क से प्रा0पा0 गनापुर की ओर इ0ला0	1041283.00
	योग	6282980.00

इस प्रकार अन्तिम भुगतान से पूर्व नियमानुसार निरीक्षण न कराकर अनियमितता की गई है। उक्त निर्माण कार्य पत्रावलियों में उच्चाधिकारियों के द्वारा किए गये निरीक्षण की प्रति संलग्न नहीं है। उक्त अनियमितता के लिए अध्यक्ष श्रीमती ऊषा सिंह तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द कुमार आनन्द उत्तरदायी है। उक्त सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 21)

प्रस्तर - 4

जिला पंचायत सुलतानपुर द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि से दुकानों/मकानों का निर्माण तथा मरम्मत कराया गया है जबकि इन कार्यों के लिए अपने निजी स्रोत से प्राप्त आय का उपयोग किया जाना चाहिए था। जिला पंचायत की मासिक प्रगति रिपोर्ट मार्च 2017 के प्रारूप 2 में निजी स्रोत से निर्माण हेतु बजट में रू0 10.00 लाख का प्राविधान किया गया था परन्तु वर्ष में इस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि अनुदान की धनराशि का अनियमित व्यय किया गया है। राजकीय अनुदान से निजी भवनों का निर्माण/मरम्मत से सम्बन्धित कोई गाइड लाइन्स, राजकीय आदेश/निर्देश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके लिए भी अरविन्द कुमार आनन्द, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	डिहवा स्थित जिला पंचायत की भूमि पर पूर्व की ओर 5 दुकानों का निर्माण	177700.00
2	डिहवा स्थित जिला पंचायत की भूमि पर पूर्व की ओर 5 दुकानों का निर्माण	176800.00
3	जिला पंचायत कार्यालय कैम्पस स्थित शहीद भगत सिंह पार्क मरम्मत	199800.00
4	जिला पंचायत गेट स्थित गन्ना कार्यालय एवं उसके बगल खाली भवन के मरम्मत का कार्य (मुख्यालय)	998744.00
5	कर्मचारी आवास डी-2 का निर्माण	734000.00
6	जिला पंचायत कार्यालय परिसर में अ0मु0अ0 आवास के दक्षिण कर्मचारी के लिए आवास	1086000.00

7	जिला पंचायत कार्यालय परिसर में स्थित मा0 अध्यक्ष जी के आवास की चहारदीवारी की मरम्मत	765000.00
8	जिला पंचायत कार्यालय के पश्चिम तक चहारदीवारी का निर्माण कार्य	1099362.00
9	जिला पंचायत परिसर स्थित बी0एस0एन0एल0 कार्यालय एवं कर्मचारियों का आवास मरम्मत एवं गेट निर्माण कार्य (मुख्यालय)	506000.00
10	जिला पंचायत कार्यालय कैम्पस स्थित दिनेश सिंह के आवास में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	160000.00
11	ग्राम पंचायत सरवन्द में घाट पर शवदाह गृह निर्माण कार्य	299677.00
12	जिला पंचायत परिसर में टेलीफोन कार्यालय का मरम्मत कार्य	763600.00
13	कर्मचारी आवास डी-2 का निर्माण	992797.00
14	जिला पंचायत कैम्पस स्थित सोनकर के आवास का विस्तार	364883.00
	योग	8324363.00

(सा0आ0सं0 22)

प्रस्तर - 5

जिला पंचायत के व्यय प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि निर्माण के भुगतान हेतु प्रस्तुत अवर अभियन्ताओं के बिलों में पुअर वर्क लिखकर कुछ धनराशियाँ काट ली गई है। पुअर वर्क का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदारों द्वारा मानक के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कराया गया है तथा अवर अभियन्ताओं द्वारा उचित पर्यवेक्षण भी नहीं किया गया है। इस प्रकार ठेकेदार तथा अवर अभियन्ता की मिलीभगत से अधोमानक निर्माण कार्य करारकर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। इस दुरुपयोग के लिए अभियन्ता जिला पंचायत, अ0मु0अ0 तथा लेखाकार भी समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। कुछ विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	संख्या तिथि	कार्य का नाम	पुअर वर्क लिखकर कटौती	बिल की धनराशि
1	1/04.01.2017	रामदासपुर पूरब दलित बस्ती से विश्वनाथ श्रीवास्तव के घर होते हुए पश्चिम दलित बस्ती तक इ0ला0	500.00	395162.57
2	16/17.01.2017	हलियापुर में पुराने ट्रांसफार्मर से चन्द्र देव पाण्डेय के घर तक सम्पर्क मार्ग/पुलिया	4000.00	686402.57
3	117/18.01.2017	सुरजीपुर में राकेश यादव की दुकान से मस्जिद की ओर इ0ला0	23.49	495072.77
4	38/10.02.2017	शहाबुद्दीन पिच रोड से दयाशंकर के घर से सुरेश सिंह के घर की ओर इ0ला0	500.00	149558.98
5	61/15.02.2017	विनोवापुरी में रामसूरत सिंह, ओमप्रकाश पाण्डेय के मकान से होते हुए रामरेख मिश्रा के चौराहे से अन्दर गली में नाली निर्माण	500.00	871029.38
6	85/17.02.2017	अखण्ड नगर रोड पर केवटाही मोड़ से वभनौती तक लेपन मरम्मत	500.00	1483187.71
7	86/17.02.2017	ग्राम इनायतपुर में पश्चिम मस्जिद से बाबा की मजार तक इ0ला0	500.00	592808.65
8	3/01.02.2017	मगरावां तीर्थराज की ट्यूबवेल से राजमणि वर्मा के घर तक इ0ला0	500.00	1038782.99
9	52/08.03.2017	गोपालपुर में बाबूलाल गुप्ता की ट्यूबवेल से अशोक यादव के घर की ओर इ0ला0	500.00	396042.62
10	53/08.03.2017	वरवारी बीच बाजार से शिव मन्दिर जाने वाली सड़क से देवी प्रसाद तिवारी के घर की ओर इ0ला0	500.00	395988.60
11	56/14.03.2017	परसुरामपुर चौराहे से उत्तर इ0ला0 से लैधां बार्डर तक इ0ला0	500.00	595653.00
12	57/14.03.2017	पिलकिछा पक्की सड़क से अभिराजी देवी महिला महाविद्यालय से रवनिया दरबार पारा पिच रोड की ओर इ0ला0	1000.00	1039533.00
13	79/16.03.2017	कटका अकबरपुर मार्ग पर तिवारीपुर मोड़ से नन्हे सिंह के घर की ओर इ0ला0	500.00	1035638.00
14	89/20.12.2016	ग्राम छमौना में परखरौली सम्पर्क मार्ग से कल्लू के घर की ओर इ0ला0	2000.00	1040361.00
15	78/16.02.2016	लोहरामऊ में सरकारी नाली पुलिया से समरबहादुर मोर्या के घर तक इ0ला0	1000.00	1088475.00

16	45 / 16.12.2016	गौतमपुर नहर से राम सकल के घर तक इ0ला0	1500.00	496502.00
17	58 / 13.12.2016	प्रा0पा0 थहेली से वचई निषाद के घर तक सोलिंग	1500.00	496145.00
18	43 / 14.12.2016	ग्राम ढेलहा में जी0बी0एस0 इण्टर कालेज से दुखहरन के घर तक इ0ला0	500.00	593860.00
19	34 / 08.11.2016	ग्राम सभा गोथुआ में रामराज के घर से पक्की सड़क तक इ0ला0	500.00	1038749.00
योग				13728952.00

(सा0आ0सं0 24)

प्रस्तर – 6

जिला पंचायत के निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि विनोवापुरी में रामसूरत सिंह के मकान से होते हुए राम रेख मिश्र के चौराहे से अन्दर गली में इ0ला0/नाली निर्माण पर पहले स्टीमेट रू0 800000.00 का बनाया गया तथा कार्य भी करा दिया गया। जिससे संबंधित दो बिल भुगतान हेतु रू0 345700.00 तथा रू0 308800.00 प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जे0ई0 द्वारा अ0मु0अ0 को लिखे एक पत्र में ठेकेदार द्वारा बीच में एक गड़ढा खोदकर छोड़ देने तथा उससे आवागमन में परेशानी का हवाला देकर पुनः स्टीमेट बढ़ाने का अनुरोध किया गया। जे0ई0 द्वारा प्रस्तुत स्टीमेट इ0ला0 तथा नाली निर्माण में वृद्धि का संशोधित स्टीमेट रू0 880000.00 का प्रस्तुत किया गया जबकि अ0मु0अ0 द्वारा जे0ई0 को लिखे पत्र संख्या 534/जि0पं0/2016-17 दिनांक 23.11.2016 में ठेकेदार द्वारा खोदे गये गड़ढे को बन्द करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार जे0ई0 के पूर्व में समुचित रूप से सर्वे न करने तथा निर्माण के उचित पर्यवेक्षण न करने के कारण जिला पंचायत को रू0 79683.00 का अधिक व्यय करना पड़ा। इस सम्बन्ध में जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। (सा0आ0सं0-28)

प्रारूप-02

जिला का नाम-आजमगढ़

मण्डल का नाम-आजमगढ़

जिला पंचायत-आजमगढ़ वर्ष 2015-2016

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर संख्या-1

आलोच्य वर्ष 2015-16 में निम्न विवरण के अनुसार तेरहवां वित्तीय आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत कुल 143 परियोजनाओं का कार्य टेण्डर व स्टीमेट से प्रारम्भ किया गया तथा उस पर कुल रू0 782.79 लाख व्यय करने के बाद परियोजना पूर्ण न करके अपूर्ण रखा गया है। जबकि कार्य पूर्ण करने की अधिकतम सीमा 3 माह है। अपूर्ण कार्य दो वर्ष बाद जब भी पुनः शुरू किया जाता है तो उसकी लगभग आधी गड़ढे व नाली टूटकर पहले जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार परियोजना का कार्य प्रारम्भ करके तथा उसमें स्टीमेट की अधिकतम धनराशि व्यय करके कार्य को अपूर्ण छोड़ देना वित्तीय अनियमितता है तथा शासन से प्राप्त अनुदान धनराशि को दुरुपयोग करने का असफल प्रयोग है जिसका विवरण निम्न है:-

क्र0सं0	मद का नाम	परियोजना की संख्या	व्यय की गयी धनराशि
1	तेरहवां वित्त आयोग	33	250.82 लाख
2	राज्य वित्त आयोग	100	484.93 लाख
3	बी0आर0जी0एफ0	10	47.04 लाख
योग-		143	782.79 लाख

इसके लिए श्री अखिलेश्वर मल्ल अभियन्ता तथा श्री विनोद कुमार सिंह, अ0 मु0 अधिकारी, संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0-2)

प्रस्तर संख्या-2

वर्ष 2015-16 में सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टर की जांच में पाया गया कि संस्था स्तर पर सम्पूर्ण जिले (22 विकास खण्डों) का विकास खण्डवार रजिस्टर रखा गया है जिसमें वर्ष की मांग, प्रारम्भिक शेष, योग, वसूली तथा वर्षान्त में शेष का लेखा किया गया है, परन्तु उसका संतुलन पत्र तैयार नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में जो संकलन पत्र तैयार किया गया उसके अनुसार दिनांक 31.03.2016 को सम्पत्ति व विभवकर की कुल बकाया धनराशि रू0 1,20,43,338.00 वसूली हेतु शेष है। तैयार की गयी संकलन पत्र के अनुसार वर्ष का कुल योग रू0 56,18,550.00 के सापेक्ष मात्र रू0 49,23,902.00 की ही वसूली हो सकी है। इस प्रकार पिछला बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार कुल बकाया रू0 1,20,43,338.00 की वसूली न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। बकाया की वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही शीघ्र किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए श्री विनोद कुमार सिंह अ0मु0 अधिकारी, एकरामुल्लाह अंसारी कर अधिकारी, कर समाहकर्ता व कर निरीक्षक संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0 आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर संख्या-3

वर्ष 2015-16 में वित्तीय विवरण पत्र-3 के अनुसार सम्पत्ति व विभवकर शीर्ष में वर्ष की मांग रू0 48,00,000.00 कुल वसूली रू0 49,28,017.00 एवं वर्षान्त में शेष रू0 33,23,203.00 दर्शित है जबकि संस्था में रखे सम्पत्ति एवं

विभवकर रजिस्टर की संकलित सूची के अनुसार क्रमशः ₹0 56,18,550.00 ₹0 49,23,902.00 तथा ₹0 1,20,47,838.00 है। इस प्रकार रजिस्टर के सापेक्ष वर्ष की मांग ₹0 8,18,550.00 से कम वसूली ₹0 4,115.00 से अधिक तथा अवशेष ₹0 87,24,635.00 से कम दर्शाकर तथा शासन को भेजकर गम्भीर अनियमितता की गयी है इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री चन्द्रेश्वर यादव जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर संख्या-4

वर्ष 2015-16 में तेरहवां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत शासन से प्राप्त अनुदान को बैंक खातों में जमा किया गया है। जिस पर निम्न विवरण के अनुसार कुल ₹0 231.52 लाख अर्जित ब्याज प्राप्त हुआ। शासनादेश संख्या-ए0-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के प्रस्तर-3 के अनुसार अर्जित ब्याज राज्य सरकार की आय होती है, संस्था की नहीं। अर्जित ब्याज को राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है:-

क्र0सं0	मद का नाम	प्राप्त ब्याज	बैंक खाता संख्या
1	तेरहवां वित्त आयोग	57,83,517.00	2023 बैंक ऑफ इण्डिया
2	राज्य वित्त आयोग	1,04,23,140.00	88912 इलाहाबाद बैंक
3	बी0आर0जी0एफ0	32,43,171.00	1148 यू0बी0आई0
4	बी0आर0जी0एफ0 की क्षमता	2,09,949.00	469 यू0बी0आई0
5	बी0आर0जी0एफ0 विकास अनु0	34,92,799.00	74640 पंजाब ने0 बैंक
	योग-	2,31,52,576.00	

इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री चन्द्रेश्वर यादव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर संख्या-5

वर्ष 2015-16 में नौकाघाट रजिस्टर की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 को कुल ₹0 89,422.00 नौकाघाट का बकाया विगत वर्षों से चला आ रहा है जिसकी वसूली शून्य है। वसूली न होने के कारण संस्था को ₹0 89,422.00 धनराशि की क्षति उठानी पड़ रही है। सम्बन्धित व्यक्तियों पर आर0सी0 की कार्यवाही कर सम्पूर्ण धन की वसूली शीघ्र की जानी अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रपत्र-3 में नौकाघाट का बकाया शून्य दर्शित है। जबकि नौकाघाट का बकाया नौकाघाट रजिस्टर के अनुसार ₹0 89,422.00 है। संस्था के पावना को अभिलेखों में न दर्शाया जाना गम्भीर प्रकरण है, जिसे निमित्त उत्तरदायी पटल प्रभारी के विरुद्ध आवश्यक विधिक/प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है:-

क्र0सं0	नाम नौकाघाट	नाम ठेकेदार सर्वश्री	बकाया धनराशि	वर्ष जब से बकाया है
1	चन्दाभारी	अशोक कुमार	3,153.00	1998-1999 से
2	दुर्बासा	जियाराम	6,152.00	1998-1999 से
3	मरदह गाजीपुर	दिलीप कुमार	4,950.00	1999-2000 से
4	गोड़िया मरदहां	दिलीप कुमार	5,840.00	2000-2001 से
5	दुर्बासा	शम्भूनाथ	2,750.00	2004-2005 से
6	सोढ़री	रामदास केवट	600.00	2005-2006 से
7	पाही जमीन पाही	मंगरू कहार	7,382.00	2005-2006 से
8	दुर्बासा	राधेश्याम निषाद	36,595.00	2009-2010 से
9	दुर्बासा	विकास कुमार	22,000.00	2010-2011 से
		योग-	89,422.00	

इसके लिए श्री विंध्याचल सिंह कुशवाहा एवं श्री विनोद कुमार सिंह, अ0 मु0 अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर संख्या-6

मृतक पशु एवं शव निस्तारण में वर्ष 2012-13 से ₹0 5,000.00 रजिस्टर के अनुसार बकाया दर्शाया जा रहा है, परन्तु प्रपत्र-3 में मृत पशु एवं शव निस्तारण का बकाया शून्य दर्शित है। उक्त धनराशि की वसूली हेतु श्री विनोद कुमार सिंह, अ0 मु0 अधिकारी जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या-8)

प्रस्तर संख्या-7

वर्ष 2015-16 में प्रपत्र-3 में मेलामद में कोई भी धनराशि बकाया दर्शित नहीं है। जबकि मेला रजिस्टर की जांच में पाया गया कि दुर्बासा मेला मद में दिनांक 31.03.2016 को ₹0 41,052.00 बकाया विगत वर्षों से चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त धनराशि की वसूली न कर संस्था को क्षति पहुँचायी जा रही है। सम्बन्धित व्यक्तियों पर एफ0आई0आर0 तथा आर0सी0 की कार्यवाही कर बकाया धन की वसूली शीघ्र की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

क्र०सं०	नाम ठेकेदार	धनराशि	वर्ष जब से बकाया है
1	अनिल राय	34,551.00	2008-09 से
2	अजीत राय	6,501.00	2009-10 से
	योग-	41,052.00	

उक्त की वसूली न होने के कारण रु० 41,052.00 की अनियमितता हो रही है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं विन्ध्यांचल सिंह कुशवाहा अ०मु०अधि० उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या-9)

प्रस्तर संख्या-8

वित्तीय विवरणी वर्ष 2010-11 के प्रपत्र-3 में पड़ाव अड़्डा ही धनराशि रु० 4,91,995.00 पावना शेष दर्शाया जा रहा है परन्तु वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के प्रपत्र-3 में पड़ाव अड़्डा का बकाया धनराशि शून्य दर्शाया जा रही है जो कि गम्भीर अनियमितता है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्यांचल सिंह कुशवाहा एवं श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या-10)

प्रस्तर संख्या-9

वर्ष 2015-16 में वित्तीय विवरण पत्र-3 के अनुसार तहबजारी बकाया रु० 18,73,701.00 दर्शित है जबकि तहबजारी रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2011-12 तक की कुल बकाया धनराशि रु० 41,34,702.80 है। वर्ष 2012-13 का रजिस्टर अपूर्ण है तथा दिनांक 01.04.2013 से तहबजारी बन्द कर दी गयी है। विवरण निम्नांकित है:-

क्र०सं०	बकाया वर्ष	धनराशि
1	1996-1997	13,000.00
2	1997-1998	1,35,638.00
3	1998-1999	1,14,075.25
4	1999-2000	2,04,577.00
5	2000-2001	5,60,094.74
6	2001-2002	14,750.00
7	2002-2003	7,10,439.74
8	2003-2004	5,75,695.80
9	2004-2005	5,44,025.99
10	2005-2006	7,44,124.45
11	2006-2007	1,84,817.15
12	2007-2008	36,354.00
13	2008-2009	1,36,724.00
14	2009-2010	10,250.00
15	2010-2011	2,080.00
16	2011-2012	1,48,056.68
	योग-	41,34,702.80

उक्त विवरण के अनुसार समस्त वर्ष 1996-97 से 2011-12 तक कुल तहबजारी बकाया धनराशि रु० 41,34,702.80 वसूली हेतु दर्शित है जबकि वित्तीय विवरण के प्रपत्र-3 में तहबजारी बकाया रु० 18,73,701.00 दर्शाया जा रहा है इस प्रकार प्रपत्र-3 में तहबजारी बकाया रु० 22,61,001.80 कम दिखाया जा रहा है जबकि तहबजारी वर्ष 2012-13 का रजिस्टर अपूर्ण है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह श्री एकरामुल्लाह अंसारी, कर अधिकारी एवं लेखाकार चन्द्रेश्वर यादव जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा० आपत्ति संख्या-11)

प्रस्तर संख्या-10

वर्ष 2015-16 में भवन किराया रजिस्टर के अनुसार कुल रु० 85,27,053.00 किराया विभिन्न पक्षों पर दिनांक 31.03.2016 को बकाया अवशेष है जिसकी वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। सम्बन्धित पक्षों को नोटिस देकर तथा आर०सी० के माध्यम से उक्त धनराशि की वसूली शीघ्र की जानी अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 के वित्तीय विवरणी प्रपत्र-3 में उक्त मद में बकाया रु० 44,80,338.00 दर्शित है। इस प्रकार प्रपत्र-3 में भवन किराया मद में रु० 40,46,715.00 से बकाया कम दर्शाया जा रहा है इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह, श्री बिन्दू यादव लिपिक एवं श्री चन्द्रेश्वर यादव लेखाकार उत्तरदायी है।

भवन किराया रजिस्टर में वसूली हेतु बकाया धनराशि रु० 85,27,053.00 जो विभिन्न पक्षों से पाना है, इसमें बड़ी धनराशि रु० 33,28,667.00 शासकीय/विभागों/कार्यालयों से जो जिला पंचायत भवन में किराये पर संचालित है से वसूली होनी है। उक्त के क्रम में सम्बन्धित पत्रावली में शासकीय कार्यालय से नियमानुसार शासनादेश संख्या: ए-2-1012/10-2011-24(7)95 दिनांक: 25 नवम्बर, 2011 के तहत दिये गये अनुबन्ध पत्र नहीं प्राप्त हुए, जबकि जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र प्राप्त करके नियमानुसार अनुबन्ध किया जाना चाहिए था। उदाहरणार्थ:-जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय से आखिरी अनुबन्ध वर्ष: मार्च 1994 से रु० 2,328.00 ही मासिक

किराये की दर पर दिया गया जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। किन्तु कार्यालय पर बकाया 31.03.2016 को रू0 4,62,856.00 दर्शाया जा रहा है। जिसे जिला पंचायत के पंचायती राज उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-8, 6336/33/3/92 दिनांक: 27 दिसम्बर 1997 के प्राविधानों के तहत जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट (शासकीय कार्यालय) एवं जिलाधिकारी के द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र के तहत किया जाना चाहिए था। अतः जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय सहित अन्य समस्त बकायेदारों के बकाया धनराशि/विवरण की पुनः सम्यक परीक्षण कर तत्सम्बन्धी शासनादेश के आलोक में यथा आवश्यक संशोधन/पुनः निर्धारण करते हुए नवीन अनुबन्ध करके बकाया वसूली (यदि कोई हो) एवं वर्तमान वसूली कराया जाना चाहिए। सम्बन्धित पत्रावली की जांच से जानकारी हुई है कि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय पर 31 मार्च 2016 को बकाया दर्शायी जा रही किराया धनराशि रू0 4,62,856.00 प्रति तीन वर्ष पर 25 प्रतिशत की दर से एक तरफा बिना अनुबन्ध बढ़ोत्तरी से हुई है। अतः उक्त अनियमित वृद्धि की यथाशीघ्र जांच करने एवं आवश्यक सुधार करने की अपेक्षा की जाती है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आपत्ति संख्या-12)

जिला का नाम-आजमगढ़

मण्डल का नाम-आजमगढ़

जिला पंचायत-आजमगढ़ वर्ष 2016-2017

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर संख्या-1

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि अधिकांश निर्माण कार्यों में आइटम वाइज विचलन रहा अर्थात् विभिन्न आइटम में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया गया है। यद्यपि इसकी पूर्ति अन्य आइटमों के बचत धनराशि से होती है। किन्तु उ0प्र0 वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 06 के नियम संख्या 38 में दिये गये नियम का पालन करते हुए कार्य समाप्ति के पूर्व, जब ऐसी स्थिति का आभास हो तो संशोधित प्राक्कलन तैयार कर सक्षम अधिकारी से/शासन से इसकी स्वीकृति लेनी चाहिए थी। किन्तु सक्षम अधिकारी से इसकी स्वीकृत नहीं ली गयी है।

वित्तीय नियमों में कार्योत्तर स्वीकृति का प्रावधान भी नहीं है। इस प्रकार विचलन के सम्बन्ध में उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या 15, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 06 के नियम संख्या 379(ए) एवं नियम संख्या 318 के विरुद्ध कार्य किया गया है। इस प्रकार बिना उचित ढंग से अनुमोदन के भुगतान के लिए मुख्य रूप से अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह एवं सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री लोकेश श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे हैं। अतः निम्न विवरणानुसार रू0 851529.00 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता एवं वित्तीय परामर्शदाता से की जानी अपेक्षित रही।

(राज्य वित्त से सम्बन्धित)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आइटम	स्वीकृत प्राक्कलन	एम0बी0 दर्ज कार्य	एम0बी0 से अधिक दर्ज कार्य	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	खर्चाट में त्रिवेणी राय के घर से अनिल पाठक के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	1-सी.सी. 1:6:12	44.85 घन मी.	51.84 घन मी.	6.99 घन मी.	3230/ घन मी.	22578-00
		2-					
		3-पी/एल इंटरलाकिंग	520 वर्ग मी.	586.76 वर्ग मी.	66.75 घन मी.	786 रु वर्ग मी.	52466-00
							75044-00
02	ग्राम पंचायत बाकीपुर में पूर्व में निर्मित इण्टर लाकिंग से लालता के ट्यूबेल तक इण्टर लाकिंग कार्य	1-पी.सी. सी. 1:2:3	109.48 घन मी.	124.20 वर्ग मी.	14.72 वर्ग मी.	252 रु./ वर्ग मी.	3709-00
		2- पी/एल इंटरलाकिंग	595.00 वर्ग मी.	639.40 वर्ग मी.	44.40 वर्ग मी.	786 रु./ वर्ग मी.	34898-00
							38607-00

03	ग्राम सभा टेकनपुर में अच्छे लाल के खेत से श्रीनिवास के घर के आगे तक इण्टर लाकिंग कार्य	1-ब्रिक वर्क 1:4	49.25 घन मी.	51.91 घन मी.	2.66 घन मी.	5070 रु./ घन मी.	13486-00
		2- पी/एल इंटरलाकिंग	650 वर्ग मी.	657.81 वर्ग मी.	7.81 घन मी.	786 रु./ घन मी.	6139-00
							19625-00
04	रौनापार हाजीपुर मार्ग से बघावर चौहान बस्ती तक इण्टर लाकिंग कार्य	1- पी/एल इंटरलाकिंग	936 वर्ग मी.	1065.43 वर्ग मी.	129.43 वर्ग मी.	786 रु./ वर्ग मी.	101732-00
05	ग्राम सभा चौदपार में मस्जिद से सुफियान व मुस्लिम के दरवाजे तक सी0सी0 कार्य	1- ई/डब्लू	17-00घन मी.	31.50घन मी.	14.50घन मी.	99 रु	1436-00
		2- कंस्ट्रक्शन आफ अनरेन फोर्सड	51 घन मी.	54.07घन मी.	3.07 घन मी.	7528.71 रु./ घन मी.	23113-00
							24549-00
06	ग्राम सभा दाउदपुर में लौटू के घर से प्रकाश के घर के पास पुलिया तक नाली निर्माण	1-ई/डब्लू इन फाउंडेशन	207-00घन मी.	213.21घन मी.	6.21घन मी.	99 रु	615-00
		2- कांकीट 4 सेमी गाज ब्रिक बलास्ट 1:6:12	34.50घन मी.	35.53घन मी.	1.03घन मी.	3230 रु.	3227-00
		3- ब्रिक वर्क 1:4	130.27घन मी.	134.16M3	3.89घन मी.	5070 रु.	19722-00
		4-12 एम.एम. थिक प्लास्टर विद कांकीट	498 वर्ग मी.	512.94 वर्ग मी.	14.94घन मी.		2107-00
		5-2.5 सेमी. थिक पी.सी.सी. (1:2:4)	135 वर्ग मी.	139.05 वर्ग मी.	4.05 वर्ग मी.	252 रु	1021-00
							26792-00
07	ग्राम सभा चौदपार में जियाऊ के घर से अब्दुर्रहमान के घर तक सी0सी0 कार्य	लोगिंग सी.सी. रोड (1:2:4)	40घन मी.	62.5/घन मी.	22.51घन मी.	7528.71/घन मी.	169471-00
08	ग्राम हैबतपुर डुभांव में सीता यादव के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	1- सी.सी. 1:6:12	44.85घन मी.	46.35घन मी.	1.54घन मी.	3230/आर	4974-00
		2- पी/एल इंटरलाकिंग	520 वर्ग मी.	538.65 वर्ग मी.	18.05 वर्ग मी.	786/ वर्ग मी.	14187-00
							19161-00
09	ग्राम सभा छपरा सुल्तानपुर में इण्टर लाकिंग कार्य	1- ई/डब्लू इन फाउंडेशन	71.80घन मी.	79.80घन मी.	8-00घन मी.	99/घन मी.	792-00
		2-कांकीट विद 4 सेमी. गेज 1:6:12	21.54घन मी.	23.94घन मी.	2.40घन मी.	3230/घन मी.	7752-00
		3-विक वर्क 1:4	70.71घन मी.	81.04घन मी.	10.33घन मी.	5070/घन मी.	52373-00

		4-2.5 सेमी. थिक पी.सी.सी. (1:2:4)	165.14घन मी.	183.54 वर्ग मी.	18.40घन मी.	252/ वर्ग मी.	4637-00
							65554-00
10	दुर्वासा धाम स्थित महलिया पिचरोड से मौनी बाबा के कुटी तक इण्टर लाकिंग कार्य	पी/एल इंटरलाकिंग	260 वर्ग मी.	301.23 वर्ग मी.	41.23 वर्ग मी.	786/ वर्ग मी.	32407-00
11	ग्राम सभा पासीपुर में गंगा निषाद के घर से पिचरोड तक इण्टर लाकिंग कार्य	1- पी.सी.सी. 1:6:12 आन रोड	44.85घन मी.	52.06घन मी.	7.21घन मी.	3230/घन मी.	23288-00
		2- पी/एल इंटरलाकिंग ब्रिक	520 वर्ग मी.	604.62 वर्ग मी.	84.62 वर्ग मी.	786/ वर्ग मी.	66511-00
							89799-00
12	ग्राम भदुली में राम अधार के घर के पास सी0सी0 रोड से किशुन के घर होते हुए मुन्नू के बाग तक सी0सी0 रोड	1- बी/डब्लू 1:4	56.07घन मी.	59.61घन मी.	3.54घन मी.	5070/घन मी.	17948-00
		2- कांकीट विथ 4 सेमी. ब्रिक बलास्टर 1:6:12	78.40घन मी.	81.62घन मी.	3.22घन मी.	3230/घन मी.	10401-00
							28349-00
13	रानी की सराय में ग्राम खलीलाबाद में अखिलेश राय के घर से आगनबाड़ी केन्द्र होते हुए दुर्गा चिल्ड्रेन स्कूल मार्ग पर इण्टर लाकिंग कार्य	1- ब्रिक वर्क 1:4	46.45घन मी.	54.66घन मी.	8.21घन मी.	5070/घन मी.	41625-00
14	ग्राम सभा बुढावे हिसामुद्दीन पुर में इण्टर लाकिंग कार्य	1- पी/एल इंटरलाकिंग	644.80 वर्ग मी.	671.72 वर्ग मी.	26.92 वर्ग मी.	786/ वर्ग मी.	21159-00
15	ग्राम सभा असरफपुर में दलित बस्ती में बृजभान मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग	1- ई/डब्लू इन फाउंडेशन	60-00घन मी.	62.64घन मी.	2.64घन मी.	99/घन मी.	261-00
		2- ब्रिक वर्क 1:4	49.25घन मी.	51.413घन मी.	2.163घन मी.	5070/घन मी.	10966-00
		3-2.5 सेमी. थिक 1:2:4	115 वर्ग मी.	120.06 वर्ग मी.	5.06 वर्ग मी.	252/ वर्ग मी.	1275-00
		4- पी.सी.सी. 1:6:12 आन रोड	48.75घन मी.	53.88घन मी.	5.13घन मी.	3230/घन मी.	16570-00
							29072-00
16	ग्राम सभा मैगापुर में पिचरोड से सनोज के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	बी/डब्लू 1:4	60.75घन मी.	71.615घन मी.	10.865घन मी.	5070/घन मी.	55086-00

17	जहानागंज आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग पर राम विजय सिंह के मकान से यादव बस्ती रामपुर सठियांव मार्ग तक इण्टर लाकिंग कार्य	1- ई/डब्लू इन फाउंडेशन	34.72घन मी.	37.84घन मी.	3.12घन मी.	99/घन मी.	309-00
		2- सी.सी. इन फाउंडेशन	13.02घन मी.	14.19घन मी.	1.17घन मी.	3230/घन मी.	3779-00
		3-ब्रिक वर्क्स 1:4	42.74घन मी.	44.15घन मी.	1.41घन मी.	5070/घन मी.	7149-00
		4-25 सेमी थिक पी.सी.सी. 1:2:4	99.82 वर्ग मी.	108.79 वर्ग मी.	8.97 वर्ग मी.	252/ वर्ग मी.	2260-00
							13497-00
							851529-00

(सा0आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर संख्या-2

चतुर्थ राज्य वित्त निर्माण पत्रावलियों की जाँच में निम्न कमियां पाई गई, जिसका विवरण निम्नवत् है।

- (1) 158-हैबतपुर डुभाव में सीता यादव के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य।

माप पुस्तिका में इण्टर लाकिंग के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र० सं०	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	सी.सी. 1:6:12 विध ब्रिक बलास्ट	11.32 घन मी.
2	बी/डब्लू 1:4	37.15घन मी.
3	सी.सी. 1:6:12 विध 4 सेमी ब्रिक बलास्ट	46.39घन मी.
4	2.5 सेमी थिक पी.सी.सी. 1:2:4	86.78 वर्ग मी.

उपर्युक्त कराये गये कार्य में बालू एवं गिट्टी (स्टोन बलास्ट) की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

मानक के अनुसार मात्रा

क्र० सं०	आइटम	बालू की मात्रा	गिट्टी की मात्रा
1	1:6:12	5.66 घन मी.	-
2	1:4	18.03 घन मी.	-
3	1:6:12	23.20 घन मी.	-
4	1:2:4	39.05 घन मी.	78.10 घन मी.
		77.94 घन मी.	78.10 घन मी.

पत्रावली में संलग्न एम0एम0-11 रसीद का विवरण

- (1) एम0एम0-11 बालू के लिए— रसीद नं० 952568 मात्रा 500 घन फुट (14.29 घन मी०)
18.11.16

- (2) एम0एम0-11 गिट्टी के लिए— —

अतः स्पष्ट है कि इण्टर लाकिंग कार्य में 500 घन फुट (14.29 घन मी०) बालू प्रयुक्त की गई तथा भुगतान 78.10 घन मी० का दिया गया तथा इण्टर लाकिंग कार्य में गिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया तथा भुगतान 78.10 घन मी० का किया गया।

- (1) बालू मूल्य $(77.54 - 14.29) = 63 - 65 \times 600 = 38190.00$

- (2) गिट्टी मूल्य $(20 \text{ घन मी०}) = 78 - 10 \times 1250 = 97625.00$

135815.00

अतः रू० 135815.00 निर्माण सामग्री का प्रयोग इण्टर लाकिंग कार्य में नहीं किया गया। रू० 135815.00 की सामग्री बिना प्रयोग किये ही भुगतान कर दिया गया।

अतः रू० 135815.00 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री लोकेश श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित रहा।

राजकीय राजस्व की क्षति (रायल्टी के रूप में)

- (1) गिट्टी $78.10 \times 160 = 12496.00$

- (2) बालू $63.65 \times 110 = 7002.00$

19498.00

19498.00 रु0 रायल्टी का भुगतान न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। अतः 135815.00+19498.00=155313.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

(2) रानी की सराय में ग्राम खलीलाबाद में अखिलेश राय के घर से आंगनबाड़ी केन्द्र होते हुए दुर्गा चिल्ड्रेन स्कूल मार्ग पर इण्टर लाकिंग कार्य—

माप पुस्तिका में इण्टर लाकिंग कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र0	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	सी.सी. 1:6:12	12.74 घन मी.
2	ब्रिक वर्क 1:4	54.56 घन मी.
3	सी.सी. 1:6:12 विध 4 सेमी ब्रिक बलास्ट	80.75 घन मी.
4	2.5 सेमी थिक पी.सी.सी. 1:2:4	156.17 वर्ग मी.

उपर्युक्त कराये गये कार्य में बालू एवं गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

मानक के अनुसार मात्रा

क्र0 सं0	आइटम	बालू	गिट्टी
1	1:6:12	6.37 घन मी.	-
2	1:4	14.76 घन मी.	-
3	1:6:12	40.38 घन मी.	-
4	1:2:4	70.28 घन मी.	140.55 घन मी.
		131.79 घन मी.	140.55 घन मी.

पत्रावली में संलग्न एम0एम0-11 रसीद का विवरण—

(1) एम0एम0-11 बालू के लिए

क्र0सं0	रसीद नं0/दिनांक	मात्रा
(1)	1121336 / 19.01.17	600 घन फुट
(2)	0806174 / 14.01.17	600 घन फुट
(3)	806774 / 16.01.17	600 घन फुट
(4)	1123187 / 21.01.17	600 घन फुट
		2400 घन फुट
		2400 घन = 68.57 घन मी0

एम0एम-11 गिट्टी संलग्न नहीं

अतः स्पष्ट है कि इण्टर लाकिंग कार्य में 2400 घन फुट (68.57 घन मी0) बालू प्रयुक्त की गई तथा भुगतान 131.79 घन मी0 का किया गया तथा इण्टर लाकिंग कार्य में गिट्टी का प्रयुक्त नहीं की गई तथा भुगतान 140.55 घन मी0 का किया गया।

(1) बालू मूल्य $(131.79 - 68.57) = 63.22 \times 600 = 37932.00$

(2) गिट्टी मूल्य $140.55 \text{ घन मी0} \times 1250 = 175688.00$

213620.00

अतः 213620.00 रु0 निर्माण सामग्री का प्रयोग इण्टर लाकिंग कार्य में नहीं किया गया। रु0 213620.00 की सामग्री बिना प्रयोग किये ही भुगतान कर दिया गया। अतः रु0 213620.00 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव एवं परामर्शदाता श्री लोकेश श्रीवास्तव से अपेक्षित रही।

एम0एम0-11 की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति (रायल्टी के रूप में)

(1) गिट्टी $140.55 \text{ घन मी0} \times 160 = 22488.00$

(2) बालू $63.22 \text{ घन मी0} \times 110 = 6954.00$

29442.00

29442.00 रु0 रायल्टी का भुगतान न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। अतः $213620 + 29442 = 243062.00$ रु0 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

(3) 16- ग्राम सभा बुढ़ावे हिसामुद्दीनपुर (बुढ़ावर) में इण्टर लाकिंग कार्य:—

माप पुस्तिका में इण्टर लाकिंग कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र0 सं0	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	1:6:12	14.82 घन मी.
2	ब्रिक वर्क 1:4	45.74 घन मी.

3	सी.सी. 1:6:12	53.33 घन मी.
4	2.5 सेमी थिक पी.सी.सी (1:2:4)	113.62 वर्ग मी0

उपर्युक्त कराये गये कार्य में बालू एवं गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

मानक के अनुसार मात्रा

क्र0 सं0	आइटम	बालू	गिट्टी
1	1:6:12	7.41 घन मी.	-
2	1:4	12.35 घन मी.	-
3	1:6:12	26.67 घन मी.	-
4	1 :2:4	51.13 घन मी.	102.26 घन मी.
		97.56 घन मी.	102.26 घन मी.

पत्रावली में संलग्न एम0एम0-11 रसीद का विवरण-

(1) एम0एम0-11 बालू के लिए

क्र0सं0	रसीद नं0/दिनांक	बालू की मात्रा
(1)	027633 / 29-11-16	500 घन फुट
(2)	0560724 / 24-11-16	500 घन फुट
(3)	0273940 / 16-11-16	500 घन फुट
		1500 घन फुट

गिट्टी के लिए, एम0एम0-11, पत्रावली में कोई रसीद संलग्न नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि इण्टर लाकिंग कार्य में 1500 घन फुट (42.86 घन मी0) बालू प्रयुक्त की गई तथा भुगतान 97.56 घन मी0 का प्राप्त किया गया तथा इण्टर लाकिंग कार्य में गिट्टी का प्रयुक्त नहीं की गई तथा भुगतान 113.62 घन मी0 का किया गया।

- (1) बालू मूल्य $97.56 - 42.86 = 54.70$ घन मी0 $\times 600 = 32820.00$
 (2) गिट्टी मूल्य 113.62 घन मी0 $\times 1250 = 142025.00$

174845.00

अतः रू0 174845.00 की निर्माण सामग्री का प्रयोग इण्टर लाकिंग कार्य में नहीं किया गया। रू0 174845.00 की सामग्री बिना प्रयोग किये ही भुगतान कर दिया गया। अतः रू0 174845.00 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह एवं सहायक अभियन्ता श्री शाशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री लोकेश श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित रही।

एम0एम0-11 की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में।

- (1) गिट्टी 113.62 घन मी0 $\times 160 = 18179.00$
 (2) बालू 54.70 घन मी0 $\times 110 = 6017.00$

24196.00

अतः 24196.00 रू0 रायल्टी का भुगतान न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। अतः $174845 + 24196 = 199041.00$ रू0 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

- (4) 16- बिलरियागंज में ग्रामसभा असरफपुर में दलित बस्ती में बृजभान के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य- माप पुस्तिका में इण्टर लाकिंग कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र0	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	सी.सी. 1:6:12 इन फाउंडेशन	15.66 घन मी.
2	बी/डब्लू 1:4	51.413 घन मी.
3	पी.सी.सी. 1:6:17 आन रोड	53.88 घन मी.
4	2.5 सेमी थिक 1:2:4	120.06 वर्ग मी.

उपर्युक्त कराये गये कार्य में बालू एवं गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

मानक के अनुसार मात्रा-

क्र0 सं0	आइटम	बालू	गिट्टी
1	1:6:12	7.83 घन मी.	-
2	बी/डब्लू 1:4	13.88 घन मी.	-
3	पी.सी.सी. 1:6:12	26.94 घन मी.	-
4	1 :2:4	54.03 घन मी.	108.05 घन मी.
		102.68 घन मी.	108.05 घन मी.

पत्रावली में संलग्न एम0एम0-11 रसीद का विवरण-

(1) एम0एम0-11 बालू के लिए

क्र0सं0	रसीद नं0/दिनांक	बालू की मात्रा
(1)	0718600 / 26-12-16	500 घन फुट
(2)	0800088 / 03-01-17	500 घन फुट
(3)	0718366 / 24-12-16	400 घन फुट
(4)	0558237 / 19-12-16	400 घन फुट
(5)	0562580 / 16-11-16	400 घन फुट
(6)	0522249 / 30-12-16	400 घन फुट
		2600 घन फुट

गिट्टी के लिए एम0एम0-11 की कोई रसीद संलग्न नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि इण्टर लाकिंग कार्य में 2600 वर्ग फुट (74.29 घन मी0) बालू प्रयुक्त की गई तथा भुगतान 102.68 घन मी0 का प्राप्त किया गया तथा इण्टर लाकिंग कार्य में गिट्टी प्रयुक्त नहीं की गई तथा भुगतान 108.05 घन मी0 का किया गया।

- (1) बालू मूल्य $102.68 - 74.29 = 28.39$ घन मी0 $\times 600 = 17034.00$
 (2) गिट्टी मूल्य 108.05 घन मी0 $\times 1250 = 135063.00$

152079.00

अतः रू0 152079.00 की निर्माण सामग्री का प्रयोग इण्टर लाकिंग कार्य में नहीं किया गया। रू0 152079.00 की सामग्री बिना प्रयोग किये ही भुगतान कर दिया गया। अतः रू0 152079.00 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह एवं सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री लोकेश श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित रही।

एम0एम0-11 की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में।

- (1) गिट्टी 108.05 घन मी0 $\times 160 = 17288.00$
 (2) बालू 28.39 घन मी0 $\times 110 = 3122.00$

20410.00

अतः 20410.00 रू0 रायल्टी का भुगतान न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। अतः $152079 + 20410 = 172489.00$ रू0 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

(5) 126 ग्राम सभा मैगापुर में पिचरोड से सनोज के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य-

माप पुस्तिका में इण्टर लाकिंग कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र0	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	सी.सी. 1:6:12 इन फाउंडेशन	12.90 घन मी.
2	ब्रिक वर्क 1:4	71.615 घन मी.
3	पी. सी.सी. आन रोड (1:6:12)	41.135 घन मी.
4	2.5 सेमी थिक 1:2:4	81.42 वर्ग मी.

उपर्युक्त कराये गये कार्य में बालू एवं गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

मानक के अनुसार मात्रा

क्र0 सं0	आइटम	बालू	गिट्टी
1	1:6:12	6.45 घन मी.	-
2	बी/डब्लू 1:4	19.34 घन मी.	-
3	1:6:12	20.57 घन मी.	-
4	1:2:4	36.64 घन मी.	73.28 घन मी.
		83-00	73.28 घन मी.

पत्रावली में संलग्न एम0एम0-11 रसीद का विवरण-

(1) एम0एम0-11 बालू के लिए

क्र0सं0	रसीद नं0/दिनांक	बालू की मात्रा
(1)	0106749 / 27-10-16	400 घन फुट
(2)	0561768 / 09-11-16	400 घन फुट
(3)	055007 / 19-11-16	400 घन फुट
		1200 घन फुट

गिट्टी के लिए एम0एम0-11 की कोई रसीद संलग्न नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि इण्टर लाकिंग कार्य में 1200 वर्ग फुट (34.29 घन मी0) बालू प्रयुक्त की गई तथा भुगतान 83 घन मी0 का किया गया तथा इण्टर लाकिंग कार्य में गिट्टी प्रयुक्त नहीं की गई तथा भुगतान 73.28 घन मी0 का किया गया।

$$(1) \text{ बालू मूल्य } 83.34.29=48.71 \text{ घन मी0} \times 600 = 29226.00$$

$$(2) \text{ गिट्टी मूल्य } 73.28 \text{ घन मी0} \times 1250 = 91600.00$$

120826.00

अतः रू0 120826.00 की निर्माण सामग्री का प्रयोग इण्टर लाकिंग कार्य में नहीं किया गया। रू0 120826.00 की सामग्री बिना प्रयोग किये ही भुगतान कर दिया गया। अतः रू0 120826.00 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह एवं सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री लोकेश श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित रही।

एम0एम0-11 की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में।

$$(1) \text{ गिट्टी } 73.28 \text{ घन मी0} \times 160 = 11725.00$$

$$(2) \text{ बालू } 48.71 \text{ घन मी0} \times 110 = 5358.00$$

17083.00

अतः रू0 17083.00 रायल्टी का भुगतान न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। अतः 120826+17083=137909.00 रू0 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

(6) 109 जहानागंज आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग पर रामविजय सिंह के मकान से यादव बस्ती रामपुर सठियांव मार्ग तक इण्टर लाकिंग कार्य:-

माप पुस्तिका में इण्टर लाकिंग कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र0	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	सी.सी. 1:6:12 इन फाउंडेशन	14.19 घन मी.
2	ब्रिक वर्क 1:4	44.15 घन मी.
3	सी.सी. आन रोड 1:6:12	56.03 घन मी.
4	2.5 सेमी थिक पी.सी.सी. 1:2:4	108.79 वर्ग मी.

उपर्युक्त कराये गये कार्य में बालू एवं गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

मानक के अनुसार मात्रा-

क्र0 सं0	आइटम	बालू	गिट्टी
1	1:6:12	7.10 घन मी.	-
2	1:4	11.92 घन मी.	-
3	1:6:12	28.02 घन मी.	-
4	1:2:4	48.96 घन मी.	97.71 घन मी.
		96.00 घन मी.	97.91 घन मी.

पत्रावली में संलग्न एम0एम0-11 रसीद का विवरण-

एम0एम0-11 बालू के लिए

क्र0 सं0

रसीद नं0/दिनांक

बालू की मात्रा

(1) 0564685 / 14-12-16

400 घन फुट

(2) 0721872 / 28-12-16

400 घन फुट

(3) 0723683 / 01-01-17

400 घन फुट

(4) 0277363 / 24-10-16

400 घन फुट

(5) 558560 / 24-12-16

400 घन फुट

2000 घन फुट

गिट्टी के लिए, एम0एम0-11 की कोई रसीद संलग्न नहीं।

अतः स्पष्ट है कि इण्टर लाकिंग कार्य में 2000 वर्ग फुट (57.14 घन मी0) बालू प्रयुक्त की गई तथा भुगतान 96.00 घन मी0 का किया गया तथा इण्टर लाकिंग कार्य में गिट्टी प्रयुक्त नहीं की गई तथा भुगतान 97.91 घन मी0 का किया गया।

$$(1) \text{ बालू मूल्य } 96.57.14=38.86 \text{ घन मी0} \times 600 = 23316.00$$

$$(2) \text{ गिट्टी मूल्य } 97.91 \text{ घन मी0} \times 1250 = 122388.00$$

145704.00

अतः रू0 145704.00 की निर्माण सामग्री का प्रयोग इण्टर लाकिंग कार्य में नहीं किया गया। अतः रू0 145704.00 की निर्माण सामग्री बिना प्रयोग किये ही भुगतान कर दिया गया। अतः रू0 145704.00 की वसूली ब्याज

सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री लोकेश श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित रही।

एम0एम0-11 की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में।

$$(1) \text{ गिट्टी } 97.91 \text{ घन मी} \times 160 = 15666.00$$

$$(2) \text{ बालू } 38.86 \text{ घन मी} \times 110 = 4275.00$$

19941.00

अतः 19941.00 रु0 रायल्टी का भुगतान न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। अतः 145704+19941=165645.00 रु0 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

(7) 166— दुर्वासा धाम स्थिति महलिया पिचरोड से मौनी बाबा की कुटी तक इण्टर लाकिंग कार्य:—

माप पुस्तिका में इण्टर लाकिंग कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र0	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप	बालू	गिट्टी
1	क्र0 सं0	आइटम		
2	1	1:6:12	2.70 घन मी.	-
3	2	1:4	4.78 घन मी.	-
4	3	1:6:12	13.32 घन मी.	-
	4	1:2:4	18.63 घन मी.	37.26 घन मी.
			39.43 घन मी.	37.26 घन मी.

उपर्युक्त कराये गये कार्य में बालू एवं गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

मानक के अनुसार मात्रा—

पत्रावली में संलग्न एम0एम0-11 रसीद का विवरण—

(1) एम0एम0-11 बालू के लिए

क्र0 सं0

रसीद नं0/दिनांक

बालू की मात्रा

(1) 0718504 / 05-01-17

500 घन फुट

(2) 5584410 / 15-12-16

500 घन फुट

1000 घन फुट

गिट्टी के लिए एम0एम0-11 की कोई रसीद संलग्न नहीं।

अतः स्पष्ट है कि इण्टर लाकिंग कार्य में 1000 घन फुट (28.57 घन मी0) बालू प्रयुक्त की गई तथा भुगतान 39.43 घन मी0 का किया गया तथा इण्टर लाकिंग कार्य में गिट्टी प्रयुक्त नहीं की गई तथा भुगतान 37.26 घन मी0 का किया गया।

$$(1) \text{ बालू मूल्य } 39.43 - 28.57 = 10.86 \times 600 = 6516.00$$

$$(2) \text{ गिट्टी मूल्य } 37.26 \times 1250 = 46575.00$$

53091.00

अतः रु0 53091.00 की निर्माण सामग्री का प्रयोग इण्टर लाकिंग कार्य में नहीं किया गया। अतः रु0 53091.00 की निर्माण सामग्री बिना प्रयोग किये ही भुगतान कर दिया गया। अतः रु0 53091.00 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री लोकेश श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित रही।

एम0एम0-11 की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में।

$$(1) \text{ गिट्टी } 37.26 \times 160 = 5962.00$$

$$(2) \text{ बालू } 10.86 \times 110 = 1195.00$$

7157.00

अतः रु0 7157.00 रायल्टी का भुगतान न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। अतः 53091+7157=60248.00 रु0 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

(8) 162— ग्राम पंचायत बाकीपुर में पूर्व में निर्मित इण्टर लाकिंग से लालता के ट्यूबेल तक इण्टर लाकिंग कार्य :-

माप पुस्तिका में इण्टर लाकिंग कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र0	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	सी.सी. 1:6:12 इन फाउंडेशन	9.32 घन मी.
2	बी/डब्लू 1:4	46.69 घन मी.
3	सी.सी. रोड 1:6:12	54.35 घन मी.
4	2.5 सेमी थिक पी.सी.सी. 1:2:4	124.20 घन मी.

उपर्युक्त कराये गये कार्य में बालू एवं गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

मानक के अनुसार मात्रा—

क्र० सं०	आइटम	बालू	गिट्टी
1	1:6:12	4.66घन मी.	-
2	1:4	12.61घन मी.	-
3	1:6:12	27.18घन मी.	-
4	1:2:4	55.89घन मी.	111.78घन मी.
		100.34घन मी.	111.78घन मी.

पत्रावली में संलग्न एम०एम०-11 रसीद का विवरण—

() एम०एम०-11 बालू के लिए

क्र०सं०	रसीद नं०/दिनांक	बालू की मात्रा
(1)	0559757 / 24-11-16	500 घन फुट
(2)	0106532 / 27-10-16	500 घन फुट
(3)	080396 / 31-10-16	800 घन फुट
		1800 घन फुट

एम०एम०-11 गिट्टी के लिए

क्र०सं०	रसीद नं०/दिनांक	गिट्टी की मात्रा
(1)	0539517 / 13-11-16	20 घन मी०

अतः स्पष्ट है कि इण्टर लाकिंग कार्य में 1800 घन फुट (51.43घन मी०) बालू प्रयुक्त की गई तथा भुगतान 100.34 घन मी० का किया गया। इण्टर लाकिंग कार्य में 20 घन मी० गिट्टी प्रयुक्त की गई तथा भुगतान 111.78 घन मी० का किया गया।

- (1) बालू मूल्य $100.34 - 51.43 = 48.91$ घन मी० $\times 600 = 29346.00$
 (2) गिट्टी मूल्य $111.78 - 20 = 91.78$ घन मी० $\times 1250 = 114725.00$

144071.00

अतः 144071.00 रु० की निर्माण सामग्री का प्रयोग इण्टर लाकिंग कार्य में नहीं किया गया। अतः रु० 144071.00 की निर्माण सामग्री का बिना प्रयोग भुगतान कर दिया गया।

अतः रु० 144071.00 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री लोकेश श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित रही।

एम०एम०-11 की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में।

- (1) गिट्टी 91.78 घन मी० $\times 160 = 14685.00$
 (2) बालू 48.91 घन मी० $\times 110 = 5380.00$

20065.00

अतः 20065.00 रु० की रायल्टी का भुगतान न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। अतः $144071 + 20065 = 164136.00$ की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

- (9) 257 ग्राम पंचायत खर्नाट में त्रिवेणी राय के घर से अनिल पाठक के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य :—
 माप पुस्तिका में इण्टर लाकिंग कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र०	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	1:6:12	11.24घन मी.
2	1:4	26.81घन मी.
3	1:6:12	51.84घन मी.
4	1:2:4	89.33 वर्ग मी.

उपर्युक्त कराये गये कार्य में बालू एवं गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

मानक के अनुसार मात्रा

क्र० सं०	आइटम	बालू	गिट्टी
1	1:6:12	5.62घन मी.	-
2	1:4	7.24घन मी.	-
3	1:6:12	25.92घन मी.	-
4	1:2:4	40.20घन मी.	80.40घन मी.
		78.98घन मी.	80.40घन मी.

पत्रावली में संलग्न एम0एम0-11 रसीद का विवरण-

एम0एम0-11 क्र0सं0	बालू के लिए रसीद नं0/दिनांक	बालू की मात्रा
(1)	0556297 / 29-11-16	500 घन फुट
(2)	0279408 / 21-11-16	500 घन फुट
(3)	0558361 / 20-12-16	500 घन फुट
(4)	0718698 / 25-11-16	500 घन फुट
		2000 घन फुट

एम0एम0-11 गिट्टी के लिए

क्र0सं0	रसीद नं0	गिट्टी की मात्रा
(1)	0060803	3 घन मी0

अतः स्पष्ट है कि इण्टर लाकिंग कार्य में 2000 घन फुट (57.14घन मी0) बालू प्रयुक्त की गई तथा भुगतान 78.98 घन मी0 का किया गया। इण्टर लाकिंग कार्य में 03 घन मी0 गिट्टी प्रयुक्त की गई तथा भुगतान 80.40घन मी0 का किया गया।

- (1) बालू मूल्य $78.98 - 57.14 = 21.84$ घन मी0 $\times 600 = 13104.00$
 (2) गिट्टी मूल्य $80.40 - 3 = 77.40$ घन मी0 $\times 1250 = 96750.00$

109854.00

अतः 109854.00 रु0 की निर्माण सामग्री का प्रयोग इण्टर लाकिंग कार्य में नहीं किया गया। अतः रु0 109854.00 की निर्माण सामग्री का बिना प्रयोग किये भुगतान कर दिया गया।

अतः रु0 109854.00 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री लोकेश श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित रही।

एम0एम0-11 की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में।

- (1) गिट्टी 77.40 घन मी0 $\times 160 = 12384.00$
 (2) बालू 21.84 घन मी0 $\times 110 = 2402.00$

14786.00

अतः रु0 14786.00 की रायल्टी का भुगतान न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। अतः $109854 + 14786 = 124640.00$ की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

- (10) 242 ग्राम सभा पासीपुर में गंगा निषाद के घर से पिचरोड तक इण्टर लाकिंग कार्य:-

माप पुस्तिका में इण्टर लाकिंग कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र0	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	1:6:12	12.12 घन मी.
2	बी / डब्लू 1:4	47.90 घन मी.
3	पी.सी.सी. 1:6:12	52.06 घन मी.
4	2.5सेमी थिक 1:2:4	92.92 वर्ग मी.

उपर्युक्त कराये गये कार्य में बालू एवं गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

मानक के अनुसार मात्रा-

क्र0 सं0	आइटम	बालू की मात्रा	गिट्टी की मात्रा
1	1:6:12	6.06 घन मी.	-
2	1:4	12.93 घन मी.	-
3	1:6:12	26.03 घन मी.	-
4	1:2:4	41.81 घन मी.	83.63 घन मी.
		86.83 घन मी.	83.63 घन मी.

पत्रावली में संलग्न एम0एम0-11 रसीद का विवरण-

एम0एम0-11 क्र0सं0	बालू के लिए रसीद नं0/दिनांक	बालू की मात्रा
(1)	0555232 / 28-11-16	500 घन फुट
(2)	0109079 / 04-11-16	500 घन फुट
(3)	0560236 / 13-11-16	500 घन फुट
(4)	0560696 / 24-11-16	500 घन फुट
		2000 घन फुट

अतः स्पष्ट है कि इण्टर लाकिंग कार्य में 2000 घन फुट (57.14घन मी0) बालू प्रयुक्त की गई तथा भुगतान 98.98 घन मी0 का किया गया। इण्टर लाकिंग कार्य में गिट्टी प्रयुक्त नहीं की गई तथा भुगतान 8.63घन मी0 का किया गया।

(1) बालू मूल्य $86.83 - 57.14 = 29.69$ घन मी0 $\times 600 = 17814.00$

(2) गिट्टी मूल्य $83.63 \times 1250 = 104538.00$

122352.00

अतः 122352.00 रु0 की निर्माण सामग्री का प्रयोग इण्टर लाकिंग कार्य में नहीं किया गया। अतः रु0 122352.00 की निर्माण सामग्री का बिना प्रयोग किये भुगतान कर दिया गया।

अतः रु0 122352.00 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री लोकेश श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित रही।

एम0एम0-11 की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में।

(1) गिट्टी 83.63 घन मी0 $\times 160 = 13381.00$

(2) बालू 29.69 घन मी0 $\times 110 = 3266.00$

16647.00

अतः 16647.00 रु0 की रायल्टी का भुगतान न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। अतः $122352 + 16647 = 138999.00$ की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही। (सा0 आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर संख्या-3

चतुर्थ राज्य वित्त से लेपन कार्य कराये गये पत्रावलियों की जाँच में निम्न कमियाँ पाई गई, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- (1) 208 ककरहटा पिचमार्ग से अजीज के भट्टे से होते हुए देउडाढ़ ग्राम पंचायत तक लेपन कार्य। माप पुस्तिका में लेपन कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र0	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	डब्लू बी एम 2 /जी 2	240.56 घन मी.
2	डब्लू बी एम जी 3	157.50 घन मी.
3	प्रेमिक्स कार्पेट	2100 वर्ग मी.
4	सील कूल	2100 वर्ग मी.

उपर्युक्त कराये गये कार्य में गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

क्र0	आइटम	मानक के अनुसार गिट्टी की मात्रा
01	जी II	1-63एम एम-45एम एम
	2- टइप बी -11.2एम एम	
		355.07
02	जी III	1-53एम एम -22.4एम एम
	2-टइप बी-11.2एम एम	
		228.38
03	प्रेमिक्स कार्पेट	1- कस्ड स्टोन चिपिंग 13.2 एम एम
		2- कस्ड स्टोन चिपिंग 11.2एम एम
		56.70
04	सील कोट	1- कस्ड स्टोन चिपिंग 6.7एम एम
		18.90

- (1) जी II में गिट्टी की मात्रा - 355.07 घन मी0
 (2) जी III में गिट्टी की मात्रा - 228.38 घन मी0
 (3) प्रेमिक्स कार्पेट में - 56.70 घन मी0
 (4) सील कोट में - 18.90 घन मी0

659.05 घन मी0

पत्रावली में संलग्न गिट्टी के लिए एम0एम0-11 रसीद का विवरण-

क्र0 सं0	रसीद नं0/दिनांक	गिट्टी की मात्रा (घन मी0 में)
01	0735035 / 09.05.17	9.00
02	0403743 / 15.11.16	9.75
03	166183 / 10.11.16	9.75

04	0166184 / 10.11.16	9.75
05	080860 / 12.11.16	9.75
06	008087 / 12.11.16	9.75
07	008020 / 12.11.16	3.00
08	0403744 / 15.11.16	9.75
09	113089 / 15.11.16	3.00
10	036901 / 18.12.16	27.00
11	0355137 / 15.12.16	27.00
12	0856932 / 27.05.17	10.00
13	0072567 / 27.05.17	13.00
14	0830041 / 17.02.17	27.00
15	737418 / 05.02.17	27.00
16	0424824 / 24.01.17	27.00
17	0355111 / 10.12.16	27.00
18	0219531 / 02.01.17	27.00
19	0219532 / 02.01.17	27.00
20	0363902 / 18.12.16	27.00
21	072754 / 17.05.17	13.00
22	27953 / 21.02.17	30.00
23	27953 / 18.12.17	30.00
24	0366282 / 10.11.16	3.00
		415.50 घन मी.

पत्रावली में गिट्टी के लिए एम0एम0-11 की दो रसीद संलग्न पाई गई, जो मान्य नहीं है। जिला पंचायत द्वारा ठेकेदार को दिनांक पत्रांक 782/21-10-2017 को कार्यादेश जारी किया गया है। जबकि रसीदें एम0एम0-11) का आमद

(1) 20-05-2016 - 0566460 - 27 घन मी0

(2) 09-06-2016 - 0034384 - 27 घन मी0

योग - 54 घन मी0

20-05-16/09-06-16 दर्शित है।

कार्यादेश के 5 माह पहले गिट्टी आमद का कोई औचित्य नहीं है। ये रसीदें पुरानी पत्रावलियों से निकाल कर संलग्न की हुई प्रतीत होती हैं। अतः रसीदें मान्य नहीं हैं।

अतः स्पष्ट है कि मानक के अनुसार लेपन कार्य में 659.05 घन मी0 विभिन्न प्रकार की गिट्टी का प्रयोग होना चाहिए। पत्रावली में एम0एम0-11 की मात्रा 415.50 घन मी0 संलग्न है। अतः स्पष्ट है कि लेपन कार्य में 415.50 घन मी0 गिट्टी का प्रयोग किया गया तथा भुगतान 659.05 घन मी0 का किया गया।

अतः $659.05 - 415.50 = 243.55$ घन मी0 गिट्टी बिना प्रयोग किये ही भुगतान कर दिया गया। एम0एम0-11 की रसीदों पर गिट्टी का प्रकार एवं मूल्य अंकित नहीं है।

गिट्टी मूल्य 243.55 घन मी0 (न्यूनतम मूल्य) $\times 1525.64 = 371569.62 = 371570.00$ रु0 निर्माण का बिना प्रयोग किये ही भुगतान किया गया।

अतः 371570.00 रु0 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता शशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री लोकेश सिंह से अपेक्षित रही।

एम0एम0-11 की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में -243.55 घन मी0 $\times 160 = 38968.00$

अतः $371570 + 38968 = 410538.00$ की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

(2) 228 बैठौली बाईपास से हाफिजपुर (गल्ला) होते हुए गोरियाना तक लेपन कार्य।

माप पुस्तिका में लेपन कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र0	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	डब्लू बी एम जी II	230.90 घन मी.
2	डब्लू बी एम जी III	152.13 घन मी.
3	प्रेमिक्स कार्पेट	2029.74 वर्ग मी.
4	सील कोट	2029.74 वर्ग मी.

उपर्युक्त कराये गये कार्य में गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

क्र0	आइटम	मानक के अनुसार गिट्टी की मात्रा
01	जी II	1-63एम एम -55एम एम 279.39 घन मी.

		2- टइप बी -11.2एम एम	61.42घन मी.
02	जी III	1-53एम एम -22.4एम एम	184.08घन मी.
		2-टइप बी-11.2एम एम	36.51घन मी.
03	प्रेमिक्स कार्पेट	1- कस्ट स्टोन चिपिंग 13.2एम एम	36.54 वर्ग मी.
		2- कस्ट स्टोन चिपिंग 11.2एम एम	18.27घन मी.
04	सील कोट	1- कस्ट स्टोन चिपिंग 6.7एम एम	18.27घन मी.

- (1) जी II में गिट्टी की मात्रा — 340.81घन मी0
(2) जी III में गिट्टी की मात्रा — 220.59घन मी0
(3) प्रेमिक्स कार्पेट में — 54.81घन मी0
(4) सील कोट में — 18.27घन मी0

634.48घन मी0

पत्रावली में संलग्न गिट्टी के लिए एम0एम0-11 रसीद का विवरण—

क्र0	रसीद नं0	दिनांक	गिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)
01	0839911	14.04.17	12
02	0497520	29.04.17	12
03	0400692	12.05.17	12
04	1204366	17.05.17	12
05	1204378	18.05.17	12
06	0210590	20.04.17	12
07	2100705	14.05.17	12
08	0430068	20.05.17	12
09	1204365	17.05.17	12
10	0430071	22.05.17	12
11	0615433	19.05.17	9
12	0274644	26.04.17	12
13	0274645	26.04.17	12
14	0210609	22.04.17	12
15	049500	27.04.17	12
16	0231236	14.04.17	12
17	647941	21.04.17	9
18	0266157	28.04.17	9
19	0266140	27.04.17	9
20	0274643	26.04.17	12
21	0274642	26.04.17	12
22	0497514	28.04.17	12
23	0497511	28.04.17	12
24	0497518	28.04.17	12
25	0274677	05.05.17	12
26	0274706	09.05.17	12
27	0843353	10.03.17	मात्रा अंकित नहीं 24 घन मी0 मान लिया गया है।
28	0657212	25.03.17	27 घन मी0
			351 घन मी0

अतः स्पष्ट है कि मानक के अनुसार लेपन कार्य में 634.48 घन मी0 विभिन्न प्रकार की गिट्टी का प्रयोग होना चाहिए। पत्रावली में संलग्न गिट्टी के लिए एम0एम0-11 की मात्रा 351 घन मी0 संलग्न है। अतः स्पष्ट है कि लेपन कार्य में 351 एम 3 गिट्टी का प्रयोग किया गया तथा भुगतान 634.48 घन मी0 का किया गया।

अतः 634.48-351= 283.48 घन मी0 गिट्टी बिना प्रयोग किये ही भुगतान कर दिया गया। एम0एम0-11 की रसीदों पर गिट्टी का प्रकार एवं मूल्य अंकित नहीं है।

गिट्टी मूल्य — 283.48 घन मी0 (न्यूनतम)

मूल्य 1490.73 की दर से — 422592.00

422592.00 रु0 निर्माण सामग्री का बिना प्रयोग किये भुगतान किया गया। अतः 422592.00 रु0 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री लोकेश श्रीवास्तव से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

एम0एम0-11 की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में $283.48 \times 160 = 45356.00$ अतः $422592 + 45356 = 467948.00$ की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

(III) 156- तहबरपुर मुख्य मार्ग से तरौधी डिहवा सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य- माप पुस्तिका में लेपन कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है :-

क्रम सं०	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	डब्लू बी एम जी II	267-06 घन मी.
2	डब्लू बी एम जी III	186-675 घन मी.
3	प्रेमिक्सकार्पेट	3062-00 वर्ग मी.
4	सील कोट	3062-00 वर्ग मी.

उपर्युक्त कराये गये कार्य में गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

क्र०	आइटम	मानक के अनुसार गिट्टी की मात्रा
01	जी II	1-63 एम एम-55 एम एम
		2-टइप बी-11.2 एम एम
02	जी III	1-53 एम एम -22.4 एम एम
		2- टइप बी -11.2 एम एम
03	प्रेमिक्सकार्पेट	1- कस्ट स्टोन 13.2 एम एम
		2- कस्ट स्टोन चिपिंग 11.2 एम एम
04	सील कोट	1- कस्ट स्टोन चिपिंग 6.7 एम एम

- (1) जी II में गिट्टी की मात्रा — 394.18 घन मी0
 (2) जी III में गिट्टी की मात्रा — 270.68 घन मी0
 (3) प्रेमिक्सकार्पेट — 82.72 घन मी0
 (4) सील कोट में — 27.56 घन मी0
775.14 घन मी0

पत्रावली में संलग्न गिट्टी के लिए एम0एम0-11 रसीद का विवरण-

क्र० सं०	रसीद नम्बर	दिनांक	गिट्टी की मात्रा
01	0493273	02.11.16	9.75 घ0मी0
02	0493274	02.11.16	9.75 घ0मी0
03	0787667	02.11.16	3-00 घ0मी0
04	0893659	17.02.17	9.75 घ0मी0
05	0893660	17.02.17	9-75 घ0मी0
06	0829938	17.02.17	3-00 घ0मी0
07	744710	21.09.16	27-00 घ0मी0
08	6308571	20.01.17	26 घ0मी0
09	308482	30.01.17	26 घ0मी0
10	0489165	01.01.17	27 घ0मी0
11	025704	07.01.17	27 घ0मी0
12	025705	07.01.17	27 घ0मी0
13	0725848	06.01.17	27 घ0मी0
14	0725847	06.01.17	27 घ0मी0
15	0489178	02.01.17	27 घ0मी0
16	0662539	28.01.17	26 घ0मी0
17	308570	20.01.17	26 घ0मी0
18	0662469	24.01.17	26 घ0मी0
19	0581824	22.01.17	26 घ0मी0
20	0662500	26.01.17	26 घ0मी0
21	0662495	26.01.17	26 घ0मी0
22	0662468	24.01.17	26 घ0मी0

23	0907591	12.01.17	26 घ0मी0
24	0581794	15.01.17	26 घ0मी0
25	0850233	03.01.17	26 घ0मी0
26	0907592	12.01.17	26 घ0मी0
27	0836763	15.01.17	26 घ0मी0
28	0662538	28.01.17	26 घ0मी0
29	0581823	27.01.17	26 घ0मी0
			650 घन मी0

अतः स्पष्ट है कि मानक के अनुसार लेपन कार्य में 775.14 घन मी0 विभिन्न प्रकार की गिट्टी का प्रयोग होना चाहिए। पत्रावली में संलग्न गिट्टी के लिए एम0एम0-11 की मात्रा 650 घ0मी0 संलग्न है। अतः स्पष्ट है कि लेपन कार्य में 650 घन मी0 गिट्टी का प्रयोग किया गया तथा भुगतान 775.14 घन मी0 का किया गया।

अतः 775.14 घन मी0-650 घन मी0= 175.14 घन मी0 गिट्टी बिना प्रयोग किये गये ही भुगतान कर दिया गया। एम0एम0-11 की रसीदों पर गिट्टी प्रकार एवं मूल्य अंकित नहीं है।

गिट्टी मूल्य 125.14 घन मी0 न्यूनतम

मूल्य 1468.91 की दर से= 183819.00

183819.00 रु0 निर्माण सामग्री का बिना प्रयोग किये ही भुगतान किया गया। अतः 183819.00 रु0 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री लोकेश श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित रही।

एम0एम0-11 की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में - 125.14घन मी0×160=20022.00

अतः 183819+20022=203841.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही। (सा0 आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर संख्या-4

चतुर्थ राज्य वित्त से सी0सी0 रोड कराये गये पत्रावलियों की जांच में निम्न कमियाँ पाई गयी जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(1)- 45-मार्टिनगंज बरदह जमुहाई मार्ग पर ग्राम सभा बर्रे में लालचन्द्र राजभर के घर से गांव के अन्दर का मार्ग सी0सी0 रोड”

माप पुस्तिका में सी0सी0 रोड के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र.	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	सीमेन्ट कंक्रीट एण्ट सैन्ड (1:6:12)	12.32 घन मी.
2	बी/डब्लू 1:4	44.32 घन मी.
3	सीमेंट कांकीट (1:6:12)	86.67 घन मी.
4	सीमेंट कांकीट (1:2:4)	123.52 वर्ग मी.

उपर्युक्त कराये गये कार्य में बालू एवं गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

क्र.	आइटम	मानक के अनुसार बालू एवं गिट्टी की मात्रा	
		बालू की मात्रा	गिट्टी की मात्रा
1	1:6:12	6-16 घन मी.	-
2	1:4	1197 घन मी.	-
3	1:6:12	43-34 घन मी.	-
4	1:2:4	55-58 घन मी.	111-17 घन मी.
		117-05 घन मी.	111-17 घन मी.

पत्रावली में संलग्न गिट्टी के लिए एम.एम-II रसीद का विवरण-

क्र.सं.	रसीद नं0	दिनांक	गिट्टी की मात्रा
01	0556871	10.02.17	9.75 घन मी.
02	0556872	10.02.17	9.75 घन मी.
03	1128576	11.01.17	9.75 घन मी.
04	0556711	10.02.17	3.00 घन मी.
05	1128577	11.01.17	9.75 घन मी.
06	1210991	11.01.17	3.00 घन मी.
07	0024373	22.02.17	3.00 घन मी.
08	0120433	22.02.17	9.75 घन मी.
09	0120434	22.02.17	9.75 घन मी.

10	0045591	24.02.17	9.75 घन मी.
11	0045592	24.02.17	9.75 घन मी.
12	0328621	24.02.17	3.00 घन मी.
13	918380	28.02.17	9.75 घन मी.
			99.75 घन मी.

पत्रावली में बालू के लिए एम0एम0-11 की रसीद मानक के अनुसार 117.05 घन मी0 संलग्न पायी गई।

अतः स्पष्ट है कि मानक के अनुसार सी0सी0 रोड में 111.17 घन मी0 गिट्टी का प्रयोग होना चाहिए। पत्रावली में संलग्न गिट्टी के लिए एम0एम0-11 रसीद गिट्टी की मात्रा 99.75 घन मी0 है। अतः स्पष्ट है कि लेपन कार्य में 99.75 घन मी0 गिट्टी का प्रयोग किया गया तथा भुगतान 111.17 घन मी0 का किया गया।

अतः 111.17 घन मी0 - 99.75 घन मी0 = 11.42 घन मी0 गिट्टी बिना प्रयोग किये ही भुगतान कर दिया गया।

गिट्टी मूल्य 11.42 घन मी0 × 2532.98 घन मी0 = 28927.00

28927.00 रु0 निर्माण सामग्री का बिना प्रयोग किये ही भुगतान किया गया।

अतः रु0 28927.00 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव वित्तीय परामर्शदाता, लोकेश श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित रही।

एम0एम0-11 की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में।

11.42 घन मी0 × 160 = 1827.00

अतः 28927 + 1827 = 30754.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही।

(2) 125 ग्राम भदुली में रामअधार के घर के पास सी0सी0 रोड से किशुन के घर होते हुए मुन्नू के बाग तक सी0सी0रोड।

माप पुस्तिका में सी0सी0रोड के अन्तर्गत निम्न कार्य करना दर्शित कर भुगतान किया गया है।

क्र.	आइटम	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य की माप
1	कांस्ट्रेक्ट विथ ब्रिक बैलास्ट 1:6:12	18-70 घन मी.
2	बी/डब्लू 1:4	59-61 घन मी.
3	कांस्ट्रेक्ट विथ 4 सेमी ब्रिक बैलास्ट 1:6:12	81-62 घन मी.
4	कंस्ट्रक्शन आफ 44 रेन फोर्स्ड (1:2:4)	104-87 वर्ग मी.

उपरोक्त कराये गये कार्य में बालू एवं गिट्टी की मात्रा जो मानक के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए।

क्र. सं.	आइटम	मानक के अनुसार बालू एवं गिट्टी की मात्रा	
		बालू की मात्रा	गिट्टी की मात्रा
1	1:6:12	9-35 घन मी.	—
2	1:4	16-09 घन मी.	—
3	1:6:12	40-81 घन मी.	—
4	1:2:4	47-19 घन मी.	94-38 घन मी.
		113-44 घन मी.	94-38 घन मी.

पत्रावली में संलग्न बालू के लिए एम0एम0-11 रसीद का विवरण—

क्र.सं.	रसीद नं0	दिनांक	बालू की मात्रा
1	0113931	04.11.16	400 घन फुट
2	0111191	02.11.16	400 घन फुट
3	1214646	31.01.17	400 घन फुट
4	1096920	27.01.17	500 घन फुट
5	1214644	31.01.17	400 घन फुट
6	1212921	03.02.17	400 घन फुट
7	0559042	12.11.16	400 घन फुट
			2900 घन फुट

पत्रावली में गिट्टी के लिए एम0एम0-11 की रसीद मानक के अनुसार 94.38 घन मी0 संलग्न पायी गई।

अतः स्पष्ट है कि मानक के अनुसार सी0सी0 रोड में 113.44 घन मी0 बालू का प्रयोग होना चाहिए। पत्रावली में संलग्न बालू के लिए एम0एम0-11 रसीद की में बालू की मात्रा 2900 घन फुट (82.86 घन मी0) है। अतः स्पष्ट है कि सी0सी0 रोड में 82.86 घन मी0 का प्रयोग किया गया तथा भुगतान 113.44 घन मी0 का किया गया।

अतः 113.44 घन मी0 - 82.86 घन मी0 = 30.58 घन मी0

बालू मूल्य 30.58 घन मी0 × 1380.88 = 42227.00

42227.00 रु० निर्माण सामग्री का बिना प्रयोग किये ही भुगतान कर दिया गया। अतः रु० 42227.00 की वसूली ब्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह सहायक अभियन्ता श्री शशिचन्द्र यादव एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री लोकेश श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित रही।

एम०एम०-11की रसीद प्रस्तुत न करने से राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में $30.58 \text{ घन मी०} \times 110 = 3364.00$
अतः $42227 + 3364 = 45591.00$ की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित रही। (सा० आपत्ति संख्या-5)

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2016-17
जनपद-बलिया मण्डल-आजमगढ़
जिला पंचायत बलिया

प्रस्तर-1 दिनांक 06.08.2016 को रसीद सं०-1522/2009 द्वारा अमरेश शर्मा पुत्र शिवजी शर्मा से रु० 6000.00 की ब्याज सहित वसूली की गयी है जबकि किराया मांग ब्याज सहित वसूली रजिस्टर पर उक्त ब्याज सहित वसूली का कोई विवरण अंकित नहीं है। इस प्रकार रु० 6000.00 का सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा रजिस्टर पर अंकन न करके सीधे अपहरण कर लिया गया है। श्री अजय कुमार यादव अ०मु०अधि० श्री बृजेश सिंह विधि परामर्शदाता से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (आ० सं०-3)

प्रस्तर-2 दिनांक 17.06.2016 को वा०सं०-52 द्वारा 16 व्यक्तियों के रु० 10138.00 की दर से रु० 162206.00 का भुगतान तहबाजारी की ब्याज सहित वसूली हेतु जनता शिक्षण संस्थान को माह अप्रैल 2016 का किया गया है। संस्था में इस कार्य हेतु कर अनुभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति होने के पश्चात् भी अतिरिक्त व्यक्तियों के नियुक्ति का औचित्य अस्पष्ट है। यह संस्था के धन का दुरुपयोग है। इसके प्रति श्री अजय कुमार यादव अपर मुख्य अधिकारी एवं बृजेश सिंह वि०प०दा० के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ० सं०-6)

प्रस्तर-3 दिनांक 20.08.2016 को वा०सं०-71 द्वारा रु० 121656.00 का भुगतान जनता शिक्षण संस्थान को माह अप्रैल एवं मई 2016 में 6 कर्मचारियों को रु० 10138.00 प्रति माह की दर से दो माह का किया गया है। उक्त कर्मचारी संस्था में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत रहे। आठ स्थायी कर्मचारियों के इस पद पर कार्यरत रहते हुए अतिरिक्त कर्मचारियों से काम लेने का औचित्य अस्पष्ट है। इस प्रकार के भुगतान से संस्था के धन का दुरुपयोग होता है। इसके प्रति श्री अजय कुमार यादव अपर मुख्य अधिकारी एवं बृजेश सिंह वि०प०दा० के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ० सं०-9)

प्रस्तर-4 दिनांक 24.10.2016 को वा०सं०-29 द्वारा जिलाधिकारी के निर्देश पर बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध करवाने पर रु० 998750.00 का व्यय किया गया है। जिसमें रु० 768200.00 की खाद्य सामग्री का क्रय पप्पू जनरल स्टोर, सिविल लाइन, बलिया द्वारा बिना कोटेशन/टेण्डर के ही क्रय किया गया है। रु० 97000.00 का भुगतान टेन्ट हाउस जापलिनगंज, बलिया एवं रु० 97000.00 का भुगतान विश्वनाथ कैटर्स तहसीली स्कूल, बलिया को रु० 16,000.00 का भुगतान सामान दुलाई का इरसाद अली को एवं रु० 19800.00 का भुगतान गैस सिलिण्डर हेतु तथा 750.00 का भुगतान बैनर बनवाई आदि पर किया गया है। उपरोक्त सारे भुगतान/क्रय हेतु कार्यालय का कोई आदेश नहीं उपलब्ध रहा। इस प्रकार अनियमित क्रय/भुगतान हेतु श्री अजय कुमार यादव अ०मु०अधि०/ बृजेश सिंह विधि परामर्शदाता एवं लेखाकार उत्तरदायी है, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ० सं०-12)

प्रस्तर-5 आलोच्य वर्ष 2016-17 के किराया ब्याज सहित वसूली रजिस्टर के अवलोकन से यह प्रकाश में आया कि संस्था का 31.03.2014 को दुकानों पर बकाया किराया रु० 4767357.00 एवं वर्ष 2016-17 में दुकानों का कुल किराया रु० 3397614.00 ब्याज सहित वसूल करना था। इस प्रकार दिनांक 31.03.2017 को कुल किराया मद की ब्याज सहित वसूली बकाया सहित रु० 8146865.00 हो गया। इसके सापेक्ष वर्ष 2016-17 में मात्र रु० 4048415.00 किराया मद में ब्याज सहित वसूल किया गया है। दिनांक 31.03.2017 को कुल किराया शेष रु० 4098450.00 की ब्याज सहित वसूली शेष है। इसकी ब्याज सहित वसूली के प्रति श्री अजय कुमार यादव अ०मु०अधि० बृजेश सिंह विधि परामर्शदाता का ध्यान आकृष्ट है कि ब्याज सहित वसूली की ठोस सार्थक कार्यवाही अपेक्षित है अन्यथा उक्त बकाया के अशोध्य होने की सम्भावना है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ०सं०-16)

प्रस्तर -6 आलोच्य वर्ष में संस्था में कुल 24 कृषि योग्यत भूमि में से 12 भूमि की ही नीलामी वर्ष 2016-17 में रु० 101300.00 में की गयी है। जिसका विवरण लेखापरीक्षा में उपलब्ध रहा। इसके सापेक्ष वार्षिक प्रपत्र में उक्त मद में केवल रु० 68800.00 का ही आय अंकित है। उक्त कृषि योग्य भूमि की नीलामी का रु० 32500.00 की ब्याज सहित वसूली करना शेष रहा। इसकी ब्याज सहित वसूली करके संस्था को आर्थिक क्षति से बचाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ० सं०-20)

प्रस्तर- 7 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 के बालू मोरंग की नीलामी पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि वर्ष हेतु उक्त नीलामी हेतु गत तीन वर्षों में किये गये नीलामी के औसत से 15 प्रतिशत अधिक मूल्य पर नीलामी की धनराशि सुनिश्चित की जानी थी, जो कि वर्ष 2016-17 में यह धन रु० 19808395.00 रहा। किन्तु आलोच्य वर्ष में की गयी नीलामी का मूल्य रु० 130000.00 ही रहा। जो कि न्यूनतम नीलामी की राशि से रु०

6708395.00 कम रहा। बिना शासन/मण्डलायुक्त की पूर्व स्वीकृति के ही कम मूल्य पर नीलामी किया जाना अनियमित रहा। इसके प्रति अ0मु0अधि0 एवं अभियन्ता उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-22)

प्रस्तर-8 आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्यवित्त के अन्तर्गत चचया ग्राम सभा में रामबड़ाई के ट्यूबवेल के सामने नहर पर पुलिया निर्माण हेतु रु0 14.35 लाख के कार्य की स्वीकृति शासन से ली गयी है एवं टेण्डर श्री राजाराम सिंह द्वारा रु0 14,34,282.00 का स्वीकृत किया गया है, जबकि निर्माण पत्रावली एवं उक्त कार्य का स्टीमेट अवर अभियन्ता सुशील सिंह यादव एवं अभियन्ता रामजी यादव द्वारा कुल रु0 14.08 लाख का बनाया गया है। किन्तु इस स्टीमेट से कार्य कराने पर ठेकेदार को कुल रु0 14,15,500.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार स्टीमेट से रु0 7500.00 का अधिक भुगतान किस आधार पर किया गया है। इसके प्रति अभियन्ता एवं अ0मु0अधि0 श्री अजय यादव उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। कार्य की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0वी0 की प्रति एवं कार्यस्थल का पूर्व एवं कार्य के पश्चात् का फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(आ0सं0-35)

प्रारूप - 2

वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत मऊ में उद्घाटित अपहरण/दुरुपयोग/अनियमितता की आपत्तियों का विवरण -

जनपद - मऊ

सम्भाग - आजमगढ़

प्रस्तर 1-जिला पंचायत की वर्ष 2016-17 की निर्माण पत्रावलियों की जांच करते समय देखा गया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये निर्माण कार्यों पर रु0 8.71 करोड़ व्यय किया गया जबकि शासनादेश संख्या-4/866 /33-2-14 जी/204 टी सी दिनांक 24 जून 2014 में स्पष्ट निर्देश है कि जिला पंचायतें प्राप्त अनुदान से दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित कराने वाले कार्य सम्पादित करायेगी। उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि शासनादेश के विपरीत कार्य कराया गया है। अतः रु0 6.10 करोड़ के अनुदान राशि के उपयोग में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। इसके लिए सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर तथा अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नलिखित है-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि (लाख रुपये में)
1	मधुबन बाजार में हनुमान मंदिर से शाह के घर तक इण्टरलाकिंग	1.53
2	ग्राम पंचायत सरायमेवा में गिरी बस्ती से उपेन्द्र कुमार के घर तक इण्टरलाकिंग	6.05
3	ग्राम पंचायत जैजापुर बृजमोहन नेता के घर से गणपति हरि० के घर तक इण्टरलाकिंग	9.98
4	रतनपुरा में भीमहर मुख्य माग्र बाके सिंह के घर तक सी०सी०रोड	8.42
5	रतनपुरा में खिल्ला राम बचन के घर से जवाहिर के घर जी०एस० नाली निर्माण	8.19
6	पिपरसाथ में श्रीराम यादव के घर से कृष्ण यादवके घर तक सी०सी०रोड	5.21
7	घोसी में रोड से कल्याणपुर हरि० बस्ती इण्टरलाकिंग	8.75
8	साई बस्ती से बापू क०प्रा० स्कूल नाला एवं इण्टरलाकिंग	2.41
9	रामसरीखके घर से सुरेश के घर तक सी०सी० रोड	5.73
10	कसारा नन्दू के घर से गांधी पार्क तक इ०लाकिंग	2.12
11	अनुपार में प्रा० विद्यालय से मुस्लिम बस्ती तक सी०सी०रोड	5.05
12	अनुपार में चन्द्रबली के घर से रामनाथ के घर तक इ०लाकिंग	7.85
13	कोउरा में फतहपुरमार्ग से राजीर के घर तक इण्टरलाकिंग	3.55
14	फजुल्लाहपुर में चौहान बस्ती में इण्टरलाकिंग	4.59
15	धवरियासाथ में हरिन्दर केखेत से प्रहलाद के बगीचा तक इ०लाकिंग	6.23
16	मीरपुर अमीला मेंदरगाहसे बदू यादव के घर तक इण्टरलाकिंग	9.73
17	जमनीपुर में विश्वनाथ के दुकान से रामवृक्ष के घर तक लेपनकार्य	9.73
18	कटिहारी में सरोज केखेत गरीब के घर तक लेपन कार्य	8.38
19	सिंहपुर पिडउथ में लेपन कार्य	8.42
20	सिंहपुर पिडउथ में लेपन कार्य	8.37
21	सलाहाबाद जेल मार्ग लोकई हरपुर में कैलाश के घर तक 30 लांकिंग	4.45
22	मिश्रौली में पेम चन्द के घर से तिघरा तक 30 लांकिंग	7.81
23	ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में सभाजीत प्रधान के घर से जनार्दन के खेत तक लांकिंग	4.05
24	ग्रा०पं० औसतपुर आजमगढ़ मुख्य मार्ग से राशिद वर्तन वाले के घर तक 30 लांकिंग	3.00
25	ग्रा० सभा जमालपुर में फूलबदन के घर के आगे मि०सी०	9.63
26	नगरा खण्ड से प्रेम के घर तक सी०सी० कार्य	2.26

27	कुड़सर मार्ग से कन्सो गाँव तक पिच मरम्मत	3.17
28	उसरी में राम चबूतरा का सुन्दरीकरण	6.57
29	गजियापुर में बैंक पंजाब से गजियापुर तक सुन्दीकरण	7.92
30	वीवीपुर में राम शरीख के खेत से हरिनरासयन के घर तक सोलिंग कार्य	4.85
31	मधुबन पिच मार्ग से अमर ज्योति विकलांग वि० तक सी०सी०	6.87
32	हरपुर माइनर से अहिरानी तक लेपन कार्य	3.94
33	नौसेमर में साधू के घर तक सी.सी० रोड	9.50
34	सोड़सर में चौहान बस्ती से श्री निवास राय के ट्यूबवेल तक लेपन कार्य	8.12
35	मेर हाईवे सड़क से प्रटोलपम्प के बगल से चालिसवा गांव लेपन मरम्मत कार्य	8.42
36	कोइरियापार में पीच रोड से प्रमोद सिंह के घर तक सी.सी.रोड	4.28
37	कसारा में रामवृक्ष के घर से लालचन्द के घर तक 30 लाँकिंग	8.39
38	पलिया में मेन रोड से सुवाष के घर तक 30 लाँकिंग	4.34
39	बापू आयुर्वेदिक में डिकलकाले खेत पिच रोड तक नाला व 30 लाँकिंग	2.69
40	सोनिसा में पि०च रोड से बिहारी के घर तक 30 लाँकिंग	10.02
41	कसारा में पिच रोड से करमू यादव के घर तक 30 लाँकिंग	5.07
42	ग्रा० पं० गुलौरी में चक विलायत मार्ग पिच मार्ग से सुरेन्द्र यादव के घर तक 30 लाँकिंग	3.04
43	ग्रा०पं० मनाजीत में पप्पू कुमार के घर से फणीन्द्र के घर तक 30 लाँकिंग	2.38
44	मनाजीत में जीव पड़ोड़ में सौचम मास्टर के घर से सकीतेन के घर तक 30 लाँकिंग	2.97
45	सोहरावपुर में मरियद से सदरेआजम के घर तक 30 लाँकिंग	4.54

46	ग्रा०पं० वारहगावा ग्राम उसरी से मधुबन बाजार सम्पर्क मार्ग तक 30 लाँकिंग	9.39
47	ग्रा०सभा मुस्तफाबाद सत्यदेव मौर्या के दरवाजे से अहमद के घर तक 30 लाँकिंग	4.74
48	अमारी बैजापुर पिच रोड से अमरनाथ के खेत से उमाशंकर के घर तक मि०सी०	6.29
49	सुल्तानपुर में धनकू के घर से परदेशीके घर तक 30 लाँकिंग	9.94
50	मुख्य मार्ग आजमगढ़ दमटौली हंसनाथ चौहान के मकान तक 30 लाँकिंग	4.08
51	कमालसेनपुर में नन्दू के खेत से अम्बेडकर पार्क तक सोलिंग कार्य	2.56
52	भटौली जमालपुर पिच मार्ग से जयराम गोड़ के घर से जय प्रकाश व अवशोक रा के घर तक मि०सी०	9.87
53	पलिया में इश्तेयाक के घर से शब्बीर के घर तक 30 लाँकिंग	3.23
54	अमारी में राजेश्वर के घर से आलोक राय के घर तक 30 लाँकिंग	5.24
55	उतरैजपुर में पीच रोड से शहाबुद्दीनपुर तक 30 लाँकिंग	7.63
56	रामपुर बखरिया में हरिनाथ के घर से विनोद के घर तक 30लाँकिंग	9.96
57	सोनिसा में साधू के घर से रामहक मके घर तक 30 लाँकिंग	9.38
58	नौसेमर में साधू के घर तक सी.सी० रोड	9.97
59	अमारी में सीदता राम के घर से दिनेश यादव के घर तक 30 लाकिंग	4.80
60	मुस्लिम वडार से सहादत अली के घर तक 30 लाकिंग	3.51
61	वडार मुस्लिम वस्ती सहादत अली के घर तक 30 लाकिंग	9.94
62	खुरहट में सुवाष के घर से भोलनाथ के घर तक सोलिंग मिट्टी कार्य	8.73
63	खुरहट में भोला यादवके घर से विश्व बैंक तक सोलिंग मिट्टी कार्य	2.35
64	खुरहट में भोला के घर से वाहा तक नाला निर्माण कार्य	3.31
65	खुरहट में मेनरोड से पोखरी तक नाला निर्माण कार्य	5.32
66	अमरहट से सतीश के घर से टौंस नदी के घाट तक 30 लाकिंग मेनरोड से पोखरी तक नाला निर्मा	8.34
67	ग्राम सभा खुरहट मुख्य मार्ग आजमगढ़-मऊ सिरपत शर्मा के घर से देवीचरण के घर तक लेपन कार्य	11.20
68	महासो पीच रोड से पूर्वी महासो गांव तक 30 लाकिंग	9.60
69	ग्राम सभा भैरोपुर में मेनरोड से आजमगढ़-मऊ मार्ग रामाश्रय के घर से गर्जन के घर तक 30 लाकिंग	2.60
70	एकौना में पा० वि० से मस्जिद तक 30 लाकिंग	7.28

71	ग्राम सभा भैरोपुर मेर रोड से आजमगढ़/मऊ मार्ग रामाश्रय के घर तक 30 लाकिंग	5.62
72	करियारी में सरोजके घर से सुरेश के घर तक मिट्टी सोलिंग कार्य	6.07
73	फतेहपुर में लालमन के घर से शमशेर के घर तक 30 लाकिंग	5.67
74	बरवा में हरिवंश के घर से कहार वस्ती तक 30 लाकिंग	7.38
75	चिरैयाकोट में भीम के खेतसे मकवरा तक 30 लाकिंग	3.32

76	खुरहट आजमगढ़ मेन रोड से महाविद्यालय खुरहट पूर्वी छोर वाला निर्माण ढक्कन सहित	5.25
77	काश्मीरपुर में सुदर्शन के घर से जामा मस्जिद तक 30 लाकिंग	6.80
78	खण्डरायपुर में जयबहादुर के घर से मुसाफिर के घर तक 30 लाकिंग	6.78
79	खण्डरायपुर में काली मंदिर से सुनिल सिंह के घर तक 30 लाकिंग	6.07
80	कुडसर मार्ग से अमरपुर श्यामरती डा0 अम्बेडकर उ0प्रा0वि0 तक लेपन कार्य मरम्मत	9.23
81	सहरोज में राजभर बस्ती में लेपन कार्य	6.99
82	चकरामजी से मुसाफिर यादवके घर से मानपुर तक मिट्टी सो0कार्य	4.17
83	जि0पं0 कैम्पस में 30 लाकिंग व सी.सी.	2.95
84	काझा मार्ग पर बबुआपुर से मनसड़ी लेपन कार्य	9.50
85	हथिनी पीच मार्ग से अजय राजभर घर तक 30 लाकिंग	6.66
86	जि0पं0 कालोनी मुन्शीपुरा आवास मरम्मत एवं सी0सी0 कार्य	5.41
87	कमालपुर पुलिया से नसीरपुर तक विशेष लेपन मरम्मत कार्य	2.96
88	ग्राम भरुखा थलईपुर रोड से लालघर के मकान भरुखा गांव तक 30 लाकिंग	9.52
89	चोरपा टेलीफोन एक्सचेंज से मठिया तक लेपन कार्य	8.94
90	सूरजपुर मेडवाईफ सेन्टर से मऊ का द्वार तक सी.सी. रोड पर मरम्मत कार्य	6.59
91	छिछोर में हरदेव के घर से नरेन्द्र सिंह के घर तक 30 लाकिंग	4.27
92	रामलाल मल्लाह के घर से जोगापुर सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	8.20
93	गाढ़ा पुल से गाँव होते हुए मुस्तफाबाद रोड तक सी0सी0रो0	7.41
94	राघोपट्टी में पीचरोड से कल्पनाथ के घर तक 30 लाकिंग	6.25
95	ग्राम सभा मिश्रौली में राजकुमार मौर्य के घर से सरजू पुल तक लेपन कार्य	8.26
96	वीवीपुर से मखना तक पिच मरम्मत	9.36
97	मुउसुरी हरिजन बस्ती में नाला एवं 30 लाकिंग कार्य	2.97
योग		रु0 610.30 लाख

प्रस्तर 2—जिला पंचायत को वर्ष 2016-17 में विभिन्न शासकीय अनुदानों पर ब्याज प्राप्त हुआ है। विवरण इस प्रकार है —

क्र0सं0	अनुदान का विवरण	प्राप्त ब्याज (रु0)
1	राज्य वित्त अनुदान	28,94,027.00
2	13वा वित्त अनुदान	1,71,384.00
3	सांसद निधि अनुदान	48,334.00
4	मनरेगा अनुदान	1,965.00
योग		रु0 31,15,710.00

गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में भी विभिन्न अनुदानों पर रु0 69,77,324.00 ब्याज प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार पूर्व के वर्षों में भी ब्याज प्राप्त होता रहा है। वर्ष 2016-17 का समस्त संकलित ब्याज दिनांक 31.03.2017 को अवशेष विभिन्न अनुदानों की धनराशि में सम्मिलित है, जिसका पृथक-पृथक कोई लेखा उपलब्ध नहीं है। शासनादेश सं0-ए-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 31 मार्च 2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार "यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी और इस अर्जित आय को राजकीय कोष में जमा कराया जायेगा।" परन्तु जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में अर्जित ब्याज रु0 31,15,710.00 राजकीय कोष में जमा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसके लिए लेखाकार श्री मुन्ना यादव एवम् श्री जय प्रकाश मिश्र तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री अरविन्द राय एवम् श्री राजेन्द्र प्रसाद जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 3—श्री अमरेन्द्र राय टी0 आई0 द्वारा रसीद संख्या-1502/13 से 1502/24 तक टैक्स व किराया वसूली से रु020,340.00 कुल आय हुई। श्री राय द्वारा जि0नं0 बैंक खाता नं0 858 काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक शाखा-विकास भवन में दिनांक 30-11-2016 को मात्र रु0 11,675.00 जमा किया गया। शेष धनराशि को रु0 8,665.00 बैंक खाता में जमा न करके अपहरण कर लिया गया। 'हालांकि' अन्तरिम आपत्ति वर्ष 2016-17 के अनुपालन में श्री अमरेन्द्र राय द्वारा दिनांक.....2018 को रु0 8,665.00 जमा किया गया (वित्तीय वर्ष 2017-18) फिर भी इस तरह के प्रकरणों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इस हेतु जि0नं0 के कर अधिकारी/कार्य अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 4—आलोच्य वर्ष में निम्नांकित कराये गये कार्य की लागत रु0 10.00 लाख से अधिक हैं:—

क्रम सं0	फाइल क्रमांक	कार्य का नाम	लागत
1	1.8	खुरहट-मऊ मार्ग से सिरपत शर्मा के घर होते हुए मुख्य मार्ग तक लेपन मरम्मत कार्य	रु0 11,27,000.00
2	03	मधुबन बेलथरा मुख्य मार्ग से नरेनापुर सम्पर्क मार्ग का लेपन	रु0 18,25,000.00

	मरम्मत कार्य	
	योग	रु0 29,52,000.00

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या-16 के अनुसार रु0 10,00,000.00 से अधिक मूल्य के निर्माण कार्य पत्रावलियों के प्राविधिक स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी उ0प्र0 शासन (राज्य सरकार) है। किन्तु उपरोक्त पत्रावलियों में शासन द्वारा स्वीकृत का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है। इस प्रकार रु0 29,52,000.00 की गम्भीर वित्तीय अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 5—वर्ष 2016-17 में कर अनुभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन भत्ता रूप में कुल रु0 81,21,891.00 भुगतान किया गया है। इसके सापेक्ष विभव एवं सम्पत्ति कर की कुल वसूली रु0 21,83,656.00 मात्र है। अर्थात् कुल कर वसूली से कुल वेतन भत्ता भुगतान रु0 59,38,235.00 अधिक है। यह स्थिति संस्था हित में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि कर अनुभाग के कर्मचारी/अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन संस्था हित में नहीं कर रहे हैं। इस प्रति तत्कालीन कर/ कार्य अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी एवं समस्त कर निरीक्षक व कर समाहर्तागण उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 6— निम्नांकित विवरणानुसार निजी स्रोतों से आय गत वर्ष की तुलना में रु0 1,63,461.00 कम है।

क्रम सं०	शीर्ष	2015-16	2016-17
1	हड्डी एवं चमड़ा लाईसेन्स	3,000.00	रु0 1,650.00
2	लाइसेन्स शुल्क	12,63,527.00	रु0 11,56,116.00
3	कॉजी हाउस	2,200.00	रु0 1,000.00
4	तहबाजारी	59,000.00	रु0 5,500.00
	योग	13,27,727.00	रु0 11,64,266.00

विगत वर्ष से भी कम वसूली कर रु0 1,63,461.00 की गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। इसके लिए तत्कालीन समस्त टी0 सी0 एवं टी0 आई0 तथा कर/कार्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 7— विभव तथा सम्पत्ति कर की चालू माँग 21.77 लाख बकाया माँग रु0 34.68 लाख इस प्रकार कुल माँग रु0 56.45 लाख है। इसके सापेक्ष चालू की वसूली रु0 13.10 लाख बकाया की वसूली रु0 8.73 लाख कुल वसूली रु0 21.83 है। जो कुल माँग का मा0 रु0 38.67 प्रतिशत है। वर्षान्त में रु0 34,62,000.00 की वसूली न कर जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुँचाते हुए गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन कर/ कार्य अधिकारी समस्त टी0 सी0 एवं टी0 आई0 गण उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 8— वर्ष 2016-17 के लेपन मरम्मत निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में विटुमिन से रिफाइनरी का बिल संलग्न नहीं किया गया है। संस्था द्वारा 23511 वर्ग मीटर लेपन कार्य कराया गया है प्राकलन प्रति वर्ग मीटर 3.20 किग्रा की दर से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार 23511X3.20= 75235.20 किग्रा विटुमिन का प्रयोग हुआ है। जिसका मूल्य 75235.20X54.5= रु0 41,00,318.00 होता है। जो अनियमित है। विवरण निम्नवत् है—

क्रम	परियोजना का नाम	लम्बाई किमी०	भुगतान की गयी धनराशि (लाख में)
1.	गहना गौव से गहना बार्डर तक लेपन कार्य	0.400	8.11
2	मऊ बलिया मार्ग से पहसा में जितेन्द्र के भट्टे से जगदीशपुर तक लेपन मरम्मत कार्य	0.550	16.65
3	कटिहारी में मुन्ना गुप्ता के घर से विरेन्द्र के खेत तक लेपन कार्य	0.290	8.42
4	खनिगह से सिंहपुर पिड़ुथ अवशेष मार्ग लेपन कार्य	0.585	8.42
5	ग्राम सभा सिंहपुर पिड़ुथ से चेनई के घर तक लेपन कार्य	0.607	8.37
6	मधुबन बेलथरा मुख्य मार्ग से परशुरामपुर मार्ग लेपन कार्य	0.300	5.04
7	गजियापुर पंजाब नेशनल बैंक से गजियापु तक लेपन कार्य	0.750	7.92
8	सोड़सर चौहान बस्ती से श्री निवास राय के ट्यूबेल तक लेपन मरम्मत कार्य	0.685	8.12
9	घोसी चीनी मिल के उत्तर से बनगाँवा बनियापार पिचरोड पीच मरम्मत	0.250	8.32
10	खुरहट मुख्य मार्ग से मऊ आजमगढ़ मार्ग से सिरपत शर्मा के घर से वीरेन्द्र यादव के घर एवं रामसुख के घर होते हुए चरन के घर तक लेपन कार्य	0.190	11.20
क्रम	परियोजना का नाम	लम्बाई किमी०	भुगतान की गयी धनराशि (लाख में)
11	सहरोज से राजभर बस्ती तक लेपन मरम्मत कार्य	0.295	6.99

12	चोरपा टेलीफोन एक्सचेंज से म0मु0मठिपाल लेपन कार्य	0.295	8.94
13	रामलाल मल्लाह के घर से जोगापुर तक सम्पर्क मार्ग लेपन	0.400	8.20
14	मिश्रौली में राजकुमार के घर से सरजू नदी पुल तक लेपन कार्य	0.520	8.26
15	बीबीपुर पिण्डोहरी मार्ग से मखना तक पीच मरम्मत	1.000	9.36
16	रकौली से चौरा होते हुए खिल्ला सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	0.450	8.90
17	भीमपुरा मार्ग से इटळौरा रोड पर लेपन कार्य	0.270	7.62
	योग	7.837	148.84

* 7837X 3 मी0 चौड़ाई = 23511 वर्ग मी0

* 23511X 3.20 किग्रा0 = 75235.2 किग्रा0

* 75235.2X 54-50 = 41,00,318.00

इस अनियमितता के लिए तत्कालीन कर/ कार्य अधिकारी समस्त टी0 सी0 एवं टी0 आई0 गण उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-02

जनपद का नाम – पीलीभीत, मण्डल का नाम – बरेली
जिला पंचायत – पीलीभीत(उ0प्र0)

प्रस्तर संख्या-01

संस्था के आय व्यय प्रपत्र 01 एवं चल अचल विवरण पत्र के अनुसार निजी श्रोत से आय का विवरण वर्ष (2016-17) निम्न प्रकार है-आकड़े लाख रु0 में।

क्र0 सं0	मद का नाम	गत वर्षों का बकाया अपुष्टित	वर्ष की मांग (2016-17 अपुष्टित)	वर्ष 2016-17 की बसूली	वर्ष का बकाया अपुष्टित	कुल बकाया अपुष्टित
1	सम्पत्ति एवं विभव	प्रपत्र 03 में जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उससे सम्बन्धित अभिलेख में अप्रस्तुत रहें।	प्रपत्र 03 में जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उसे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहें।	12.95	प्रपत्र 03 में जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।	प्रपत्र 03 में जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
2	लाइसेंस			56.43		
3	मृत पशु शव निस्तारण			1.94		
4	सम्पत्ति से आय दुकान (348) भवन किराया			21.50		
5	मेला/प्रदर्शनी			निल		
6	हाट बाजार/तहबाजारी			7.55		
7	कृषि एवं तरुपालन			1.69		
8	बारात घर			निल		
9	डाक बंगला			निल		
10	कृषि योग्य भूमि (45 ए0)			निल		
11	कार्यालय भवन (3)			निल		
12	आवासीय भवन (11)			निल		
13	स्कूल भवन (02)			निल		
	योग			102.06		

आपत्ति-

नियमानुसार प्रत्येक मद को पत्रावली/रजिस्टर तैयार कर उसमें वर्ष की मांग/ब्याज सहित वसूली और बकाया की प्रविष्टि दर्ज करते हुए, किन्तु संस्था द्वारा जानबूझकर कोई रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है और यदि तैयार भी है तो उसे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस बावत दिसम्बर-2016 में अपर मुख्य अधिकारी को पत्र भी लिखा गया था। बकाया अपुष्टित होने से निजी श्रोतों से कुल आय योग धनराशि संस्था द्वारा छिपा ली गयी प्रतीत होती है। जबकि इसी कार्य हेतु संस्था पर विकास खण्डवार कर संग्राहक एवं एक कर अधिकारी तैनात है। इस प्रकार निजी श्रोतों से आय की वर्षवार मांग एवं वर्ष में ब्याज सहित वसूली उपरान्त गतवर्षों की बकाया सहित वर्षान्त (31.03.2017) में कुल बकाया निजी श्रोतों की आय का अंकलन लेखा परीक्षा में बिना रजिस्टर/पत्रावली के लेखा परीक्षा में संभव नहीं हो पा रहा है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं कर अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि अविलम्ब मदवार रजिस्टर पूर्ण करवाकर लेखाबंदी करते हुए यह स्थिति प्रकाश में लाए कि कितनी धनराशि ब्याज सहित वसूली हेतु बकाया पड़ी हुई है। तत्पश्चात् उसकी ब्याज सहित वसूली के ठोस प्रयास किए जाए। प्रपत्र 03 में दर्शित बकाया/मांग अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित है।

संस्था के चल-अचल सम्पत्ति के विवरण पत्र के अनुसार कार्यालय भवन 03, आवासीय भवन 11, स्कूल भवन 02, दुकानें 348, डाक बंगला 01, वृक्ष 4819, कृषि योग्य भूमि 45 ए0 दर्शित है किन्तु इन मदों से लेखा परीक्षा में किस दर से कितनी आय हुई उसकी सूची और

रजिस्टर एवं पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी है। यहां तक कि उपरोक्तानुसार वास्तविक आय को छिपाते हुए विविध अन्य में एक मुस्त ब्याज सहित वसूली दर्शायी गयी है। इस विविध अन्य आय का भी विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि वास्तविक आय कितनी हुई ? कितनी होनी चाहिए? एवं कितनी दिखाई गयी है? आदि स्थिति अज्ञात रही। अविलम्ब उपरोक्तानुसार अभिलेख/पत्रावली पूर्ण कराकर लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है। संस्था पर उपलब्ध वर्गीकृत सार पत्र में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूली को ही अलग अलग शीर्षकों में रेखांकित किया गया। इस अभिलेख से भी बकाया की स्थिति एवं वर्षवार मांग की स्थिति अज्ञात रही।

निजी श्रोत की आय जो संस्था स्तर पर ब्याज सहित वसूली वर्ष 2016-17 में की गयी उसमें कैशियर की कैशबुक (प्रपत्र-11) में आय दर्शित कर बैंक में जमा की रशीद चरपा पाई गयी परंतु पासबुक के अभाव में आहरण की स्थिति अज्ञात रही एवं प्रपत्र 11 से अलग निजी श्रोतों की आय जो सीधे जिला पंचायत में जमा की गयी उस धनराशि की बैंक जमा/आहरण अपुष्टित रहीं और दोनों ही स्थितियां वर्ष में निजी श्रोतों से सम्पूर्ण आय बैंक पासबुक में जमा की स्थिति लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक अप्रस्तुत रहने से अज्ञात रही। इस प्रकार लेखा परीक्षा में दर्शित ब्याज सहित वसूली बैंक खाते के ले0प0 में अप्रस्तुत रहने के कारण अपुष्टित रही।

नोट:- 2016-17 में निजी श्रोतों से आय रु 102.06 लाख जिला निधि पर ब्याज एवं जमानत राशि छोड़कर।

उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में अपेक्षित है कि यथा शीघ्र समस्त अपेक्षित अभिलेख/पत्रावलियाँ तैयार करवाकर लेखाबंदी करवाते हुए, ब्याज सहित वसूली हेतु बकाया धनराशि संबंधित अभिलेख में प्रकाश में लाई जाए एवं लेखा परीक्षा में पुष्टि कराई जाए, ब्याज सहित वसूली के ठोस प्रयास किए जाए। दर्शित ब्याज सहित वसूली (अर्जित ब्याज और जमानत छोड़कर) अंकन रुपये 102.06 लाख की पुष्टि में संबंधित जिलानिधि खाता प्रस्तुत किया जाए एवं चल-अचल सम्पत्ति के विवरण पत्र में दर्शित मदों के रजिस्टर पत्रावलियां पूर्ण करवाकर किरायेदारों के नाम सहित/दर/ब्याज सहित वसूली/बकाया आदि विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए। मनमाने तरीके से बरती गयी न्यूनताओं के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं कर अधिकारी, कर संग्रहकर्ता उत्तरदाई है।

यदि गत वर्ष 2015-16 की दो मदों की ही ब्याज सहित वसूली को आधार बनाया जाए और वर्ष 2016-17 के लिए गत वर्ष की ब्याज सहित वसूली में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2016-17 की मांग मान ली जाए तो निम्न विवरणानुसार दो मदों में ही 5.30 लाख की क्षति आ रही है। संस्था स्तर पर बनाए गए प्रपत्र 03 में वर्ष की मांग और वर्षान्त में बकाया को इस आधार पर पुष्टित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रपत्र 03 की पुष्टि में संस्था स्तर पर कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्र0सं0	मद	गत वर्ष-2015-16 की वसूली	10 प्रतिशत वृद्धि	वर्ष में वसूली	क्षति
1	सम्पत्ति एवं विभव कर	15.01	16.51	12.95	3.56
2	सम्पत्ति से आय	21.13	23.24	21.50	1.74
	योग				5.30

इस हेतु तत्कालीन 1. जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रुकइया 2. अपर मुख्य अधिकारी श्री जागन सिंह (01.08.2015 से 31.03.2016 तक) 3. वित्तीय सलाहकार एवं 4. श्री कृपानन्द शुक्ल (लेखाधिकारी) (28.07.2015 से 30.05.2016 तक) उत्तरदाई है।

प्रस्तर संख्या-02 आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त अनुदान अन्तर्गत कुल व्यय रु 230518808.00 हुए जिसमें निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया।

2016-17 में राज्य वित्त अन्तर्गत

1. निर्माण कार्यों पर व्यय-	रु0	220531114.00
2. वेतन आदि पर व्यय-	रु0	9986694.00
	रु0	230518808.00

आपत्ति-

(क) आलोच्य वर्ष 2016-17 में कुल रु0 220531114.00 के कार्य कराए गए। इसमें रु0 16126299.00 के विभिन्न टैक्स जमा दर्शित हैं। इसमें अधिकांश कार्य सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण के थे। निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं पाई गयी क्योंकि निर्माण कार्य पत्रावलियों में वैध्य रवन्ना एम0एम0-11 नहीं पाया गया। शासनादेश सं0- 3891/77-5-2002 दि0 05.08.2002 एवं 4951-(11)/ 77-5-06-506/88/05.08.2002

(ख) राज्य वित्त अनुदान द्वारा कराये गये कुल कार्य रु0 204405814.00 शासनादेश का उल्लंघन कर ग्रामों के अंदर कराये गए हैं। जबकि यह कार्य उन प्रस्तावों के आधार पर होने चाहिए जहां दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों के

नाम प्राप्त हों। उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं०-8307/33-2-2004-93जी०/2004/12.01.2005 जिसका अवलोकन न कर प्रमुख सचिव उ०प्र० के शासन के पत्र सं० 4/866/33-2-14-93जी०/2004 टी०सी०, जिसे उ०प्र० के समस्त जिला पंचायत अध्यक्षों एवं समस्त अपर मुख्य अधिकारियों के नाम दिनांक- 24.06.2014 को लिखा गया था।

(ग) दर्शित निर्माण कार्यों पर पी०डब्ल्यू०डी/आर०ई०एस०/मण्डी परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किए गए कि उन मार्गों के किसी भाग पर उनके द्वारा पूर्व में कोई कार्य तो नहीं किया गया? अथवा कराया जाना प्रस्तावित था।

(घ) ग्राम पंचायतों में दर्शित सी०सी०मार्ग/नाली कार्य के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा लगाये गये खडंजा निर्माण और नाली निर्माण का क्या हुआ स्पष्ट नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायतों से सहमति/अनापत्ति भी प्राप्त नहीं की गयी है। जिससे यह भी अस्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा दर्शित निर्माण कार्य संबंधित ग्राम पंचायत के है भी या नहीं।

(य) उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव शासनादेश सं०- 3385/86-2015-2092-2015 दि० 05.10.2015 में स्पष्ट निर्देश है कि यदि कार्यवाही संस्था द्वारा किसी भी उपखनिज का प्रयोग बिना वैध्य अभिवाहन प्रपत्र एम०एम०-11-सी० के किया जाता है तो प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यता) रायल्टी का पांच गुना की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक- "0853-अलौह" खनन तथा धातु कर्म उद्योग-102, खनिज रियायत शुल्क किराया और सत्व शुल्क में जमा किया जाएगा तथा इसकी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी महोदय को भेज दी जाएगी।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों में रु० 220532114.00 व्यय के सापेक्ष निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति संदिग्ध है। बिन्दुवार आपत्तियों का परिपालन साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करते हुए पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। इन उपरोक्त सूचना के लिए संबंधित अपर मुख्य अधिकारी/इंजीनियर/जूनियर इंजीनियर/उत्तरदायी है। अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित वसूली एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। कराए गए कार्यों की सूची संलग्न है।

प्रस्तर संख्या-03 संस्था स्तर पर उपलब्ध व्यय प्रमाणक/गार्डफाइल तथा कैशबुक से तैयार सुची के अनुसार आलोच्य वर्षों में निम्न प्रकार ठेकेदारों के बिलों से करों की कटौती की गयी। करो की कटौती की सुची संलग्न है।

वर्ष 2016-17

1. आयकर कटौती-	रु० 2584122.00
2. आयकर कर कटौती-	रु० 8611023.00
3. रायल्टी कटौती-	रु० 2785840.00
4. सेस-	रु० 2145314.00
	रु० 16126299.00

आयकर उपायुक्त (टी०डी०एस०) बरेली, पत्रांक आ०उप०आ० (टी०डी०एस०/बरेली/सत्यापन/2015-16/411/दिनांक 11.09.2015 द्वारा अधिशासी अभियंता जिला पंचायत पीलीभीत को लिखे पत्र में आयकर एक्ट 1961 की धारा 194 सी० टी०डी०एस० कटौती, 206 सी० टी०डी०एस० संग्रह नियमानुसार किए जाने हेतु पत्र लिखा गया। टी०डी०एस० संग्रह नियमानुसार किए जाने हेतु पत्र लिखा गया। टी०डी०एस० जमा के चालान लेखा परीक्षा में अवलोकित कराए गए परंतु 24क्यू, 26क्यू एवं 27 क्यू टी०डी०एस० रिटर्न के साक्ष्य लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। टी०डी०एस० व्यापार कर, सेस एवं रायल्टी आदि किस खाते में कब कब जमा की गयी। जमा की पुष्टि में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए लेखा परीक्षा में दाक्षिल रिटर्न प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04 जिला पंचायत पीलीभीत द्वारा लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये 2016-17 के आय-व्यय पत्रक (प्रपत्र-04) के अनुसार राजकीय अनुदान की आय-व्यय एवं अवशेष की स्थिति निम्नवत् दर्शित रही।

क्र०सं०	अनुदान पत्र मद	वर्ष-2015-16 का दि०- 01.04.2015 को अवशेष अनुदान	वर्ष-2016-17 में प्राप्त	वर्ष-2016-17 में उपभोग	दि०-31.03.2017 को अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग	925.39	1911.36	2305.18	531.56
	योग				531.56

वर्ष 2016-17 (31.03.2017) में अवशेष अनुदान रु० 531.56 लाख नियमानुसार संबंधित विभागों को वापस किया जाना चाहिए चूंकि अनुदान वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त होता है अर्थात् वर्षान्त में अवशेष अनुदान संबंधित विभागों को वापिस किया जाना चाहिए था, जो संबंधित विभागों को वापिस न कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है।

प्रस्तर संख्या-05 मृत पशुशव निस्तारण से पूर्व 2016-17 में जिला पंचायत पीलीभीत को रु 1.94 लाख की आय हुई जिसमें 50 प्रतिशत आय रु 0.97 लाख ग्राम पंचायतों को देय होती है। ग्राम पंचायतों को रु 0.97 लाख नहीं दिया गया। उ०प्र० शासनादेश सं० 2967/11/32-02-2000-02/15-बी 4/102 दिनांक- 07.10.2002। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06 संस्था स्तर पर आलोच्य वर्ष 2016-17 में तीन खाते संचालित किए चूंकि वर्ष 2016-17 में तेरहवें वित्त का अनुदान ना तो प्राप्त हुआ और न ही गत वर्षों का अवशेष था। इस प्रकार संस्था स्तर पर वर्ष दौरान राज्य वित्त का अनुदान एवं जिला निधि की धनराशि ही मौजूद रही प्रपत्र 01 और 02 की तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट

होता है कि जिलानिधि मद में वर्ष दौरान जितनी आय हुई उतना ही उस मद से जिला पंचायत स्तर पर व्यय कर दिया गया। प्रपत्र 03 में दर्शित जिलानिधि की बकाया राशि अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित रही। इस प्रकार वर्ष दौरान संस्था स्तर पर कमाया गया ब्याज ₹0 2888910.00 राज्य वित्त अनुदान से प्राप्त है। चूंकि अनुदान से प्राप्त ब्याज संस्था उपयोग नहीं कर सकती। यह ब्याज संस्था को राज्य सरकार को वापस करना था, जो संस्था द्वारा नहीं किया गया। यह संस्था स्तर पर गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-2
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17
(जिला पंचायतो से संबंधित आपत्तियां)

जनपद-बस्ती

संभाग-बस्ती

प्रस्तर-01—जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2015-2016 की जांच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व ग्राम पंचायत अभिभाजन नियमावली के बिन्दु संख्या दो में स्पष्ट प्राविधान है कि जिला पंचायत ऐसे किसी गांव के अन्दर एक घर से दूसरे घर तक सड़को का निर्माण नहीं करा सकती है। यह काम ग्राम पंचायतों को है तथा उन्ही के द्वारा भुगतान भी किया जाएगा। निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त प्राविधान का उल्लंघन कर जिला पंचायत बस्ती में 24 निर्माण कार्य कराया गया हैं इसके अतिरिक्त कराये गये कार्य के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है कि उन्होंने उक्त कार्य को नहीं कराया है। उपरोक्त कार्य में कुल ₹0 150.235 लाख का व्यय दर्शित हैं। जिला पंचायत द्वारा ऐसे कार्य कराना शासनादेश संख्या 8307/33-02/2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.05 का भी उल्लंघन है। उक्त शासनादेशो द्वारा भी ग्राम पंचायतो के अन्दर कार्य कराना ग्राम पंचायतों को क्षेत्राधिकार माना गया है। इस प्रमार जिला पंचायत बस्ती द्वारा क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर कार्य कराया जाना गंभीर अनियमितता है। उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 के अनुसार 500000.00 ₹0 से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व अधिशासी अभियन्ता द्वारा एवं दस लाख ₹0 से अधिक की लागत से सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी (अल्प सिंचाई) निरीक्षण किया जाएगा किन्तु निर्माण कार्यों के अन्तिम रूप से कार्यों के भुगतान के पूर्व उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर निरीक्षण नहीं कराया गया है। शासनादेश संख्या 1838/33-03-2015-03/2015 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार जिला पंचायतो द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित होने वाले कार्यों को संपादित कराएगी। किन्तु जिला पंचायत बस्ती में ग्राम पंचायतों के सीमा के अन्दर कार्य कराकर उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर अनियमितता की है। उक्त अनियमितता के लिए श्री उदयशंकर सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जि0प0 बस्ती उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	150.235 लाख	150.235 लाख

प्रस्तर-02—जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2015-2016 के नौकाघाट संवंधी जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2015-16 में नौकाघाट की नीलामी न होने के कारण जिला पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा वसूली की कार्यवाही की गयी है। वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-

नाम नौकाघाट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 में जो आय हुई	2015-16 तीन वर्षों की औसत पर 15 प्रतिशत वृद्धि जोड़कर
नौरहनी	266268	282814	37476	7690	224847
फूलपुर	88200	101583	11350	11350	77101
मुबारकपुर	59700	68806	7200	4500	52021
योग	414168	453203	56026	23540	353969

इस प्रकार उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 में यदि 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ जो आय होनी थी तथा जो आय वास्तव में हुई 353969-23540, ₹0 330429 की हानि संस्था को हुई एवं 13-14 की तुलना में वर्ष 14-15 बिना नीलामी के जिला पंचायत कर्मचारी द्वारा वसूली कराने पर 453205-330429, ₹0 397179 की हानि हुई। इस प्रकार कुल हानि 397179+330429 ₹0 727608 की संस्था को हुआ। इस हानि का उत्तरदायित्व श्री उदय शंकर सिंह अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बस्ती का है। नौकाघाट की पत्रावली से ज्ञात हुआ कि नौकाघाट की नीलामी के लिये दिनांक 28.8.15 को प्रकाशन के लिये दैनिक जागरण व राष्ट्रीय स्वरूप में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था। नीलामी के लिये किसी के न आने के कारण पुनः 16.10.15 को नीलामी का प्रकाशन दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान में प्रकाशित किया गया जिसमें दिनांक 09.11.15, 16.11.15, 20.11.15 को नीलामी की तिथि निर्धारित की गयी। जब कोई नीलामी के दिन प्रस्तुत नहीं हुआ तो विभागीय कर्मचारी श्री महेश प्रताप यादव को वसूली के लिये

लगाया गया। लेखापरीक्षा में यह भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि नौकाघाटों के समीप पक्का पुल बन जाने के कारण नीलामी सम्पन्न नहीं हो सकी, उक्त के संबंध में निम्न आपत्तियां हैं:-

1 पंचायतीराज अनुभाग 3 संख्या 4501/ग/33-3-32सी(17)77 दिनांक 21.08.1981 के शासनादेश के अनुसार सार्वजनिक घाटों का पट्टा बिना नीलामी के भी शासन की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। किन्तु प्रस्तुत मामले में जिला पंचायत कर्मचारी द्वारा वसूली कराने पर और नौकाघाट की आय में कमी आने पर भी शासन की पूर्व अनुमति नहीं ली गयी जो अनियमितता है।

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 21 में टेण्डर के संबंध में सार्वजनिक नोटिस और प्रक्रिया का उल्लेख है उक्त नियम 21 के अनुसार टेण्डर देने वालों को युक्ति युक्त समय जो नोटिस के प्रकाशन से तीन सप्ताह से कम न होगा दिया जाएगा जिससे कि वे नियत दिनांक के भीतर अपना टेण्डर प्रस्तुत कर सकें। उपरोक्त विवरण को देखने से स्पष्ट होता है कि उक्त नियम का पालन नहीं किया गया। इस प्रकार नीलामी प्रक्रिया अनियमित रही।

3. जिला पंचायत को नीलामी न हो पाने के कारण तथा जिला पंचायत की आय में ₹0 727608.00 कमी के लिए श्री उदयशंकर सिंह, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	727608.00	727608.00

प्रस्तर-03—जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2015-2016 की लेखा परीक्षा में ईट भट्टा पंजिका की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में 30 भट्टे (सूची अधिभार प्रतिवेदन में दर्शित हैं) बन्द दिखाये गये। संस्था के अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी एवं कर अधिकारी ने निरीक्षण करके कोई रिपोर्ट नहीं लगायी है कि ईट भट्टे किस कारण से बन्द थे एवं इन 30 भट्टों को बन्द दिखाने से संस्था को निम्न विवरणानुसार हानि हुयी—

1 लाईसेन्स शुक्ल	— 5005.00X30=150150.00
2 सम्पत्ति व विभव कर	— 6000.00X30=180000.00
3 विलम्ब शुल्क	— 3600.00X30=108000.00
योग	— 438150.00

विलम्ब शुल्क 10/दिन अधिकतम 300 ₹0 प्रतिमाह की दर से वसूली की तिथि तक जांचोपरान्त 30 भट्टों के मालिक से वसूल किया जाए। व्यापार कर कार्यालय से भी पुष्टि करायी जाए कि इन भट्टों ने वर्ष 2015-16 में कोई व्यापार नहीं किया है। उक्त अंकित धनराशि की वसूली ईट भट्टों के मालिक से की जाए, विपरीत अवस्था में दायित्व अपर मुख्य अधिकारी का होगा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	438150.00	438150.00

प्रस्तर-04—जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2015-2016 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सम्पत्ति वर्ष 2015-16 का त्रैमासिक विवरण पत्र में दिनांक 31.03.16 को सम्पत्ति व विभव कर की बकाया की धनराशि 11.03 लाख वसूल होना अंकित है जबकि वर्ष 2015-16 के जमा सम्पत्ति एवं विभव कर के विवरण जो अधिभार प्रतिवेदन में दर्शाया गया है, से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.16 को संपत्ति एवं विभव कर वसूली हेतु अवशेष धनराशि ₹0 1280405.00 बकाया है उक्त की वसूली का दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री उदय शंकर सिंह का है। त्रैमासिक विवरण पत्र व विवरण पत्र दिनांक 31.03.16 को बकाया धनराशियों में अन्तर होने की तरफ विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है उक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि एक बड़ी धनराशि की वसूली न हो पाने से संस्था को आर्थिक क्षति हो रही है। वसूली हेतु ठोस कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1280405.00	1280405.00

प्रस्तर-05—जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2015-2016 की लेखा परीक्षा में प्रकाश मे आया कि 31.03.16 को दुकान किराया पंजिका की वार्षिक लेखा बन्दी निम्नप्रकार है:-

1. बस्ती सदर की दुकानों की किराये का बकाया	—	₹0 1286117.00
2. हरैया तहसील की किराये का बकाया	—	₹0 339386.00
3. आवास कार्यालय का 31.03.16 का बकाया	—	₹0 3667273.00
योग	—	₹0 5292776.00

उक्त बकायेदारों में बड़ी संख्या में पुराने बकायेदार हैं जिससे संबंधित किराये की बड़े बकायादारों की सूची अधिभार प्रतिवेदन में संलग्न है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण पत्र के अनुसार 52.53 लाख बकाया दर्शाया गया है। वार्षिक लेखा बन्दी के अवलोकन से त्रैमासिक विवरण पत्र में अंकित बकाया की धनराशि कम है

जिसकी तरफ विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है उक्त 5292776.00 बकाया की धनराशि वसूली न हो पाने का उत्तरदायित्व श्री उदयशंकर सिंह, अपर मुख्य अधिकारी का है। लेखा परीक्षा में किराया संबंधित कुछ पत्रावली प्रस्तुत की गयी जिनपर तीन वर्ष पर 25 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। लेखा परीक्षा में किराया संबंधित समस्त पत्रावलियों को प्रस्तुत कर जांच कराना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	5292776.00	5292776.00

प्रस्तर-06—जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2015-2016 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 के अनुसार दस लाख रु० से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधिक्षण अभियन्ता अल्प सिंचाई द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा कि निर्माण कार्यों के अन्तिम रूप से भुगतान के पूर्व उप प्रावधान का उल्लंघन कर निर्माण कार्य का निरीक्षण नहीं कराया गया है। उदाहरणार्थ दस निर्माण कार्यों की सूची अधिभार प्रतिवेदन में दर्शित है जिस पर कुल व्यय 118.17 लाख दर्शित है। इस प्रकार अन्तिम भुगतान से पूर्व नियमानुसार निरीक्षण न कराकर अनियमितता की गयी है उक्त निर्माण कार्य शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 का भी उल्लंघन है। शासनादेश के द्वारा ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराना ग्राम पंचायतों का क्षेत्राधिकार माना गया है। इस प्रकार 10 लाख से अधिक व्यय धनराशि के निर्माण कार्य भी जिला पंचायत बस्ती ने ग्राम पंचायतों के अन्दर कराकर शासनादेशों का उल्लंघन किया है। उक्त निर्माण पत्रावलियों में उच्चाधिकारियों के द्वारा किये गये निरीक्षण की प्रति भी संलग्न नहीं है। शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-3/2015 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित होने वाले कार्यों को संपादित करायेंगी किन्तु जिला पंचायत बस्ती ने ग्राम पंचायतों की सीमा के अन्दर ही कार्य कराकर उक्त प्रावधान का उल्लंघन किया है। उक्त अनियमितता के लिए श्री उदयशंकर सिंह अपर मुख्य अधिकारी, जि०प० उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	118.17 लाख	118.17 लाख

प्रस्तर-07—जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2015-2016 के सी.पी. टैक्स रजिस्टर की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्नलिखित विकास खण्डों में गत वर्षों की तुलना में चालू मांग कम लगाया गया है। जिससे जिला पंचायत की आय में कमी आने से हानि हुई है:—

क्र०सं०	विकास खण्ड	2013-14	2014-15	2015-16	मांग जो कम लगाया गया है
1.	सदर	330675	301949	184970	145705
2.	साउघाट	274270	179735	187262	87008
3.	कुदरहा	96360	114920	44140	70780
4.	कप्तानगंज	103120	121320	97730	23590
5.	परसरामपुर	66000	262490	128000	134490
6.	विक्रमजोत	52230	115450	64300	51150
7.	रुधौली	93680	199590	90480	109110
8.	बहादुरपुर	76370	99005	37910	61185
	योग				683018.00

उक्त विकास खण्डों के मांग के तुलनात्मक अध्ययन से निम्न तथ्य ज्ञात हुए:—

1. विकास खण्ड—सदर एवं साउघाट में वर्ष-15-16 की मांग वर्ष 13-14 की चालू मांग की अपेक्षा क्रमशः 145705 एवं 87008 कम रहा।

2. विकास खण्ड—कुदरहा, कप्तानगंज, परसरामपुर, विक्रमजोत, रुधौली, बहादुरपुर के वर्ष-15-16 की चालू मांग गत वर्ष 14-15 की तुलना में क्रमशः 70780, 23590, 134490, 51150, 109110, 61185 कम रहा, इस प्रकार वर्ष 15-16 में चालू मांग कम लगाने से 683018 की हानि संस्था को हुई है। इसके लिये कर अधिकारी श्री अरविन्द कुमार एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री उदयशंकर सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	683018.00	683018.00

प्रस्तर-08—जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2015-2016 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि त्रैमासिक विवरण पत्र में हाट बाजार तहबाजारी का 01.04.15 को बकाया की धनराशि 1.28 लाख दर्शायी जा रही है। वर्ष 2015-16 में कोई वसूली विवरण पत्र में अंकित नहीं है। इस प्रकार 1.28 लाख की वसूली न होने से संस्था को हानि हो रही है। उक्त वसूली न होने के लिए श्री उदयशंकर सिंह अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1.28 लाख	1.28 लाख

प्रस्तर-09—जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2015–2016 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि त्रैमासिक विवरण पत्र में नौकाघाट को 01.04.15 को गत वर्ष का बकाया 5.15 लाख दर्शित है। नौकाघाट पत्रावली में भी लगभग 5.15 लाख गत वर्ष का बकाया पाया गया जिसमें ठेकेदार आदि का नाम उल्लिखित नहीं है। उक्त गत वर्ष का बकाया 5.15 लाख की वसूली न होने के लिए श्री उदयशंकर सिंह, अपर मुख्य अधिकारी जि०प० बस्ती उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	5.15 लाख	5.15 लाख

प्रारूप-2
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17
जनपद—संत कबीर नगर
(जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ)

प्रस्तर 01— जिला पंचायत संतकबीरनगर की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बी०आर०जी०एफ० योजना अर्न्तगत कुल रु 5342880.00 दिनांक 31.03.2016 को अवशेष रहा। यह खाता गत कई वर्षों से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। यह योजना भी बंद हो चुकी है। नियमानुसार इसे अनुदाता अभिकरण को वापस किया जाना चाहिये। किन्तु इसे वापस न कर रोककर रखा गया है। जिसके लिये अशोक कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। तत्काल जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	5342880.00	5342880.00

प्रस्तर 02— जिला पंचायत संतकबीरनगर की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक—01.04.2015 को बी०आर०जी०एफ० योजना अर्न्तगत कुल रु 147.70 लाख अनुदान अवशेष था। आलोच्य वर्ष में मात्र 40.62 लाख का ही उपयोग किया गया। शेष रु 107.08 लाख का उपभोग दिनांक—31.03.2016 तक नहीं किया गया। उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यह धनराशि विगत कई वर्षों से अप्रयुक्त है एवं शासन को वापस भी नहीं की गयी है। अप्रयोज्य की स्थिति में शासन को वापस न कर अनियमित रूप से रोककर रखा गया है। जिसके लिये अशोक कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। तत्काल जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	107.08 लाख	107.08 लाख

प्रस्तर 03— शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्तरों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में स्पष्ट मार्गदर्शन सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। जिसके अनुसार—

1. ग्राम पंचायतें अपने पंचायत के अन्दर के अन्दर कार्य करवाएंगी।
2. क्षेत्र पंचायतें दो राजस्व गांव को जोड़ने का कार्य करेंगी।
3. जिला पंचायत एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं पर कार्य करेंगी।

किन्तु इसके विपरीत राज्य वित्त आयोग के अनुदान से जिला पंचायत संतकबीरनगर द्वारा निम्नलिखित कार्य एक ही ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम के अन्दर ही कराया गया है। विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	प्रस्ताव सं०	दिनांक	ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम	कार्य की प्रकृति	व्यय की गयी धनराशि लाख रु में
1	9	07.09.2015	केरमुआ माफी	इण्टरलाकिंग	5.00
2	13	07.09.2015	हरिवंशपुर	आर०सी०सी० पुलिया	6.00
3	15	07.09.2015	तेनुआ राजा	इण्टरलाकिंग	10.02
4	16	07.09.2015	बनकसिया	पिचकार्य	7.00
5	19	07.09.2015	जिगिना	इण्टरलाकिंग	4.00
6	21	07.09.2015	लहुरा देवा	इण्टरलाकिंग	4.00
7	22	07.09.2015	धुसुरा	इण्टरलाकिंग	3.50
8	23	07.09.2015	मदारपुर	इण्टरलाकिंग	3.50
9	25	07.09.2015	जयराम पट्टी	इण्टरलाकिंग	10.02
10	26	07.09.2015	पैकवलिया	इण्टरलाकिंग	10.02
11	27	07.09.2015	धन्नजवल	इण्टरलाकिंग	3.00

12	28	07.09.2015	जसोवर	इण्टरलाकिंग	4.00
13	34	07.09.2015	नावनखुर्द	लेपन कार्य	10.02
14	36	07.09.2015	गजौली	इण्टरलाकिंग	6.00
15	43	07.09.2015	चवरिया	इण्टरलाकिंग	10.02
16	53	07.09.2015	तेनुआराय	इण्टरलाकिंग	10.00
17	63	07.09.2015	हकीमपुर	इण्टरलाकिंग	3.00
18	65	07.09.2015	बन्हैता	पिच मरम्मत	10.02
19	66	07.09.2015	देवरिया विजयी	इण्टरलाकिंग	8.00
20	64	07.09.2015	चमरसन	इण्टरलाकिंग	5.00
21	83	09.09.2015	चंद्रौटी	इण्टरलाकिंग	8.00
				योग	141.02 लाख

शासनादेश के विपरीत उपरोक्त कार्य जिलापंचायत द्वारा करवाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कार्य के बारे में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों द्वारा उक्त कार्यों को न कराये जाने का प्रमाणपत्र भी नहीं दिया गया है तथा उपरोक्त कार्यों में अधिकांशतः इण्टरलाकिंग का कार्य है इण्टरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता जांच का कोई प्रमाणपत्र भी पत्रावलियों में उपलब्ध नहीं रहा शासनादेश के विपरीत अनियमित रूप से काम को करवाने के लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी है। इसके प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	141.02 लाख	141.02 लाख

प्रस्तर 04— जिला पंचायत संतकबीरनगर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रस्तुत क्लासीफाइड विवरण के प्रपत्र-3 के अनुसार सम्पत्ति एवं विभव कर दिनांक 31.03.2016 तक का कुल बकाया रु 505.396 लाख रहा। वर्ष 1995-96 से 2015-16 तक विकास खण्डवार बनाये गये सर्वे रजिस्टर के अनुसार उक्त बकाया 517.153 लाख रहा। राजस्व निरीक्षकों एवं कर समाहर्ताओं द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने के कारण उक्त बकाया उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। कर की वसूली न करने से जिला पंचायत को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है। कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा समय समय पर उपरोक्त की समीक्षा कर वसूली सुनिश्चित करने हेतु ठोस कदम उठाये जाने चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं किया गया। जिससे जिला पंचायत की सी0पी0 टैक्स के बकाया की धनराशि रु 505.396 लाख की आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी इस प्रकार वर्ष 1995-96 से 2015-16 तक सम्बन्धित अधिकारियों (कर समाहर्ताओं, राजस्व निरीक्षकों, अपर मुख्य अधिकारियों) द्वारा रु 505.396 लाख की वसूली न कर अनियमितता करते हुये जिला पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	505.396 लाख	505.396 लाख

प्रस्तर 05— जिला पंचायत संतकबीरनगर की 2015-16 की लेखा परीक्षा में नौकाघाट की पत्रावलियों के अवलोकन करने से निम्न तथ्य प्रकाश में आया—

नौकाघाट मयन्दी एवं नौकाघाट थरौली की नीलामी हेतु विज्ञापन के बाद भी निविदा प्राप्त नहीं हुई ऐसे में जिलापंचायत द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा उक्त घाटों के राजस्व की वसूली कराई गई जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्ति है—

पूर्व के तीन वर्षों की औसत वसूली 5.07 लाख रही है जबकि आलोच्य वर्ष की वसूली मात्र रु 1.52 लाख रही है। जो मात्र 30 प्रतिशत ही है। इसकी समीक्षा अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नहीं की गई। जिससे लगभग रु 3.55 लाख जिला पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचाने सम्बन्धी अनियमितता की गयी जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह उत्तरदायी है। इसके प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	3.55 लाख	3.55 लाख

प्रस्तर-06— जिला पंचायत संतकबीरनगर की वर्ष-2015-16 की लेखा परीक्षा में भवन पत्रावलियों की जांच से स्पष्ट हुआ कि संस्था का किराएदारों पर बकाया निरन्तर बढ़ता जा रहा है जो अत्यन्त सोचनीय है। दिनांक-31.03.2016 तक किराए के 24 बड़े बकाएदारों पर रु0-1317029.00 बकाया है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत के भवनों व दुकानों का किराया सामान्य बाजार दर से काफी कम है। इसके बावजूद भी किराया न वसूल कर रु0-1317029.00 की आर्थिक क्षति जिला पंचायत को पहुंचाकर अनियमितता की गयी है जिसके लिए कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। इसकी वसूली हेतु समुचित पैरवी करते हुए वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	1317029.00	1312970.00

प्रारूप-02

जिला पंचायत से संबंधित आपत्तियां

प्रस्तर-01 -जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के कार्य क्षेत्र में खनिज परिवहन हेतु परिवहन करने वाली गाड़ी मालिक से गजट में निर्धारित दर से शुल्क वसूल करने के लिए जिला पंचायत प्रशासन द्वारा कुल 15 सेंटर निम्न विवरणानुसार निर्धारित किये गये हैं। वर्ष 16-17 में उक्त की नीलामी में मात्र 11 सेंटर ही नीलाम किये गये हैं। शेष के न नीलाम होने हेतु जिला पंचायत प्रशासन द्वारा वैधानिक कारणों की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी । 4 सेंटरों का ठेका का प्रयास करके न कराने से जिला पंचायत को कम से कम

रु0 250000.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी व पटल सहायक संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। विवरण निम्नवत् है-

कुल सेंटर- 01- लोटन 02-सोहास 03-लखनापार 04-टीसम 05-गुलरी

06-शोहरतगढ़ 07-सोनहटी 08-इटवा 09-चौखड़ा 10-भवानी गंज 11-खेसरहा

12-लक्ष्मनपुर 13-तिलौली 14-मलगटिया 15-बेवा।

उक्त के सापेक्ष न नीलाम सेंटर- 01-शोहरतगढ़ 02-सोनहटी 03-चौखड़ा 04-टीसम ।

(सामान्य आपत्ति संख्या-18)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	250000.00	250000.00

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-02- जिला पंचायत सिद्धार्थनगर में लाइसेंस शुल्क की मांग व वसूली वर्ष 1998 की दरों पर तत्समय जिला पंचायत में पंजीकृत प्रतिष्ठानों से ही किया जा रहा है जो लाइसेंस रूपी राजस्व वसूली के रूप में संस्था हितों के प्रतिकूल है। नियमतःप्रत्येक 5 वर्ष में उपविधि संशोधन कर नये उपविधि को तैयार कर गजट में प्रकाशित करते हुए उसी के अनुरूप लाइसेंस शुल्क का अवधारण, मांग व वसूली की व्यवस्था की जानी चाहिए परन्तु संदर्भित संस्था द्वारा 20 वर्ष पुरानी दरों पर लाइसेंस रूपी राजस्व की वसूली की जा रही है।

जिससे संस्था को बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति हो रही हैं। अतः संस्था हितों को देखते हुए नया लाइसेंस शुल्क अवधारण उपविधि को तैयार कर शासन में वर्णित व्यवस्था अन्तर्गत गजट नोटीफिकेशन कराने हेतु जिला पंचायत प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिससे राजस्व रूपी क्षति से बचा जा सके। उपविधि को तैयार करने का उत्तरदायित्व कर एवं कार्य अधिकारी का है। अतः स्पष्ट है कि इन अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किये जाने से शासन में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जिला पंचायत को लाइसेंस रूपी राजस्व के रूप में रु0 1237500.00 की क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिये तत्कालीन कर अधिकारी श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव एवं अनुभागीय लिपिक तथा पटल सहायक उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-25)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
-	-	1237500.00	1237500.00

प्रस्तर-03 - निम्न विवरणानुसार वर्ष 16-17 में लाइसेंस शुल्क/सी0पी0टैक्स के लिए फार्म 5 निर्गत किया गया है परन्तु उक्त धन की प्रविष्टि संबंधित पंजी में नहीं की गयी है जो संबंधित कर अधिकारी एवं पटल सहायक के अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का द्योतक है-

क्र0सं0	रसीद बुक/ क्रमांक	वसूल धनराशि	फर्म/व्यक्ति/ संस्था का नाम
01	10989/76/12.07.16	600.00	श्री परवेज खॉ/श्री अदालत सरिया, सीमेंट व गिट्टी
02	10989/26/12.07.16	1500.00	.. अब्दुल बहाव/.. सिराजुल
03	10989/38/12.07.16	3600.00	.. काशी प्रसाद पोद्दार आर0के0बी0के0चारपहिया वाहन
04	10989/40/12.07.16	1800.00	.. इनामुल्ला/श्री अल्लारख खॉ कपड़े की दुकान
05	10989/41/12.07.16	900.00	.. मती उल्लाह/..
06	10989/47/12.07.16	1500.00	.. भानु प्रताप,सोनभद्र हार्डवेयर व पेंट की दुकान
07	10989/49/12.07.16	1500.000	.. वासुदेव/श्री लक्ष्मी प्रसाद हार्डवेयर व पेंट की दुकान
08	10989/52/12.07.16	900.00	.. राजेश जायसवाल/श्री सम्पत जायसवाल
09	10989/57/12.07.16	600.00	..सादिक मो0/श्री अब्दुल मोईन किराना की दुकान
10	10989/71/12.07.16	900.00	.. भदई/राम प्यारे वेल्डिंग वर्क्स
11	10989/75/12.07.16	900.00	.. रामलखन/जोखू सेलर चक्की

12	10989 / 77 / 12.07.16	1800.00	श्री परवेज खॉ / श्री अदालत सरिया, सीमेंट व गिट्टी
13	10989 / 79 / 12.07.16	750.00	श्रीमती सोनमती / श्री जगदीश किराना स्टोर
14	10989 / 81 / 12.07.16	600.00	श्री अमीर उल्लाह / श्री मो0 अमीन जनरल स्टोर
15	10989 / 83 / 12.07.16	900.00	„ रामनिवास / रामप्यारे यादव जनरल स्टोर
16	10989 / 84 / 12.07.16	900.00	„ रामप्रसाद विश्वकर्मा / विसई विश्वकर्मा वर्क्स
17	10989 / 86 / 12.07.16	900.00	„ बालेश्वरी / भगौती सीमेंट सरिया
18	10989 / 87 / 12.07.16	900.00	„ घनश्याम / बालेश्वरी सीमेंट सरिया
19	10989 / 88 / 12.07.16	2305.00	श्री ओमप्रकाश राय / विश्वनाथ राय ईट उद्योग
20	10989 / 89 / 12.07.16	2305.00	„ जमेद आलम / याकूब खॉ ईट उद्योग
योग		26060.00	

(सामान्य आपत्ति संख्या-26)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	26060.00	26060.00

प्रस्तर-04 रसीद बुक सं0 10956 के क्रम सं0 06 से 100 तक कुल 95 नग रसीदों से कुल रु0 2355000.00 विभिन्न तिथियों में टेंडर दाता ठीकेदारों से बयाने (अर्नेस्ट मनी) की धनराशि वसूल की गयी है। जबकि बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली एव शासनादेश सं0 622/23. 01.2012.02 ऑडिट / 08 टी0सी0 दिनांक 06.02.12 में दिये गये निर्देशों के अनुसार बयाने की धनराशि नकद किसी भी दशा में नहीं जमा करवाना चाहिए फिर भी संदर्भित संस्था द्वारा उक्त शासनादेश का अतिक्रमण करते हुए अर्नेस्ट मनी की धनराशि नकद जमा कराते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी समयानुसार श्री रमेश सिंह व श्री रजवन्त है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0-27)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	2355000.00	2355000.00

प्रस्तर-05 बैंक पासबुक में दिनांक 31.03.17 को शेष के विवरण को देखने से संज्ञान में आया कि जिला निधि का धन जिला सहकारी बैंक के शाखा नौगढ़ के खाता सं08916 में रु0 637464.00 विगत कई वर्षों से जमा है। खातों में विगत कई वर्षों से लेन-देन पर रोक लगाया गया है। अतः जिला पंचायत प्रशासन का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि तत्काल बैंक खातों को अद्यावधि पूर्ण कराकर समस्त धन वर्तमान में संचालित जिला निधि खातों में स्थानांतरित किया जाना संस्था हित में होगा, अन्यथा की स्थिति में बिना वित्त विभाग के अनुमति के सहकारी बैंक में खाता खोलकर धन जमा किया जाना किया एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-30)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	637464.00	637464.00

प्रस्तर-06 वर्ष 16-17 में कुल रु0 1352279.00 का भुगतान विज्ञापन व्यय के रूप में किया गया अभिलेखों में दर्शित है जो विज्ञापन हेतु वर्ष की निर्धारित सकमा शासनादेश सं0 11554 ग/33-3-3 सी0 (16) / 75 दिनांक 13.04.1976 के अनुसार जहां एक ओर बहुत अधिक है वहीं दूसरी ओर कोई भी बिल जिला सूचना अधिकारी एवं नियोजन समिति के संज्ञान में भी नहीं है जबकि कोई भी विज्ञापन जिला सूचना अधिकारी की सहमति पर ही विज्ञापित होता है। स्पष्ट है कि विज्ञापन व्यय के नाम संस्था धन के भुगतान में गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश सिंह एवं श्री रजवन्त उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-31)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	1352279.00	1352279.00

प्रस्तर-07 अधिष्ठान अनुभाग से संबंधित अभिलेखों की जाँच करने पर स्पष्ट हुआ कि वर्ष 16-17 में देशी चिकित्सा पद्धति से संबंधित कर्मचारी, कम्पाउन्डर पर कुल रु0 1868330.00 का व्यय वेतन व भत्तों के रूप में किया गया है। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जिला पंचायत के कार्य क्षेत्र में दो औषधालय क्रमशः मटियरिया व गौरा बाजार में स्थित है। संबंधित औषधालयों पर डाक्टर तैनात थे परन्तु वे बहुत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। डाक्टर के अभाव में औषधालयों का उपयोग नहीं है अतः इससे संबंधित कर्मचारियों पर किया जा रहा व्यय आधारहीन है तथा संस्था के राजस्व की क्षति है। अतः इन्हे संबंधित औषधालयों से हटाकर कर अनुभाग में समायोजित कर इनसे कर अवधारण व कर वसूली का कार्य लिया जाना संस्था हित में होगा। अन्यथा कि स्थिति में इनके वेतन व भत्ते पर किया गया भुगतान गंभीर अनियमितता की परिधि में होगा। जिसके लिए संबंधित अपर मुख्य अधिकारी रमेश सिंह एवं श्री रजवन्त तथा जिला पंचायत प्रबंध तंत्र उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-32)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	1868330.00	1868330.00

प्रस्तर-8—वर्ष 16—17 में बिजली किराया एवं विद्युत बिल संबंधी व्यय प्रमाणकों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष में कुल रु0 107378.00 बिजली के उपयोग पर व्यय किया गया है जिसमें कार्यालय एवं परिसर के आवासीय भवनों का एक ही मीटर है जिसका समस्त भार जिला पंचायत द्वारा वहन किया जाता है जबकि नियमों के अन्तर्गत कार्यालय का बिद्युत मीटर अलग तथा आवासीय भवनों के लिए प्रत्येक आवासीय भवनों के लिए अलग-अलग मीटर होना चाहिए तथा आवास विशेष का उपयोग कर रहे अधिकारी/कर्मचारी को संबंधित उपयोगित बिजली के बिल का भुगतान करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में बड़े पैमाने पर राजकीय राजस्व की क्षति होगी। अपर मुख्य अधिकारी कृपया वर्ष 16—17 के लिए उक्त का आकलन कर समस्त भुगतान का आधा कार्यालय के नाम तथा आधा आवासीय भवनों का ब्रेकअप तैयार कर भवन उपयोग करने वाले कर्मचारियों से ब्याज सहित वसूल की कार्यवाही करें।

(सामान्य आपत्ति संख्या-35)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	107378.00	107378.00

प्रस्तर-9—अधिष्ठान अनुभाग से संबंधित वर्ष 16—17 में वेतन बिल का अनुभागवार जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न विवरणानुसार कुल रु0 9630952.00 की पुष्टि में संस्था के पास न तो तिथिवार उपस्थिति पंजी है और न ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दैनिक तिथिवार सम्पादित कार्यों की पुष्टि में मासिक दैनंदिनी ही पक्षवार सम्पादित कार्यों की पुष्टि में मासिक दैनंदिनी ही पक्षवार समय से सक्षम अधिकारी द्वारा सतयापित माहवार, अनुभागवार भुगतान वेतन की पुष्टि में व्यक्तिवार पत्रावली संरक्षित किया गया है जो अधिष्ठान नियमों के अन्तर्गत वेतन भुगतान में उपस्थिति की पुष्टि नहीं करता है। स्पष्ट है कि बिना साक्ष्य के वेतन का आहरण कर संबंधित अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश सिंह एवं श्री रजवंत तथा प्रबंध तंत्र द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री रमेश सिंह एवं श्री रजवंत तथा अनुभागीय लिपिक व स्थापना लिपिक संयुक्त रूप से उत्तरदायी है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। अनुभागवार भुगतान वेतन धन का विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	अनुभाग का नाम वर्ष	भुगतान वेतन का धन	अन्य विवरण
01	कर अनुभाग के कर्मचारियों के वेतन व अन्य भत्तों पर व्यय	6849669.00	पुष्टि में उपस्थिति से संबंधित साक्ष्य सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित कर प्रमाणक के रूप संरक्षित नहीं है।
02	काजी हाउस के कर्मचारियों के वेतन व अन्य भत्तों पर व्यय	712939.00	
03	यांत्रिक अनुभाग के कर्मचारियों के वेतन व अन्य भत्तों पर व्यय	2068344.00	
		योग	9630952.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-03)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	9630952.00	9630952.00

प्रारूप — 2

जनपद का नाम — बाँदा

मण्डल का नाम — चित्रकूट धाम मण्डल

जिला पंचायत का नाम — जिला पंचायत बाँदा।

प्रस्तर संख्या-1 शासनादेश सं०-2203/33-297-43बी./95 टीसी दिनांक 30 मई 1997 के अनुसार जिला पंचायत में मृत पशु शव निस्तारण से प्राप्त आय रु0 943265.00 आय का 50 प्रतिशत आधा भाग यानि रु. 471632.50 ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण नहीं किया गया जो किया जाना अपेक्षित है। उक्त अनियमितताओं के लिए पटल प्रभारी श्री राजा भइया यादव व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री रणमत सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या 02**

प्रस्तर संख्या-2 शासनादेश संख्या-1838-33-3-2015-03-2016 के बिन्दु 7 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि आवन्तित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में रु. 10.00 लाख की लागत से अधिक की परियोजना ही अधिकांश रूप से अपनी कार्य योजनाओं में सम्मिलित करेगी। उक्त शासनादेश के बिन्दु 03 के तहत जिला पंचायत प्राप्त विभिन्न अनुदानों से ग्राम पंचायत के बाहर का कार्य अन्दर का कार्य नहीं किया जा सकता है जो शासनादेश का उल्लंघन कर रु. 144280000.00 लाख की योजनाओं को सम्पादन कराया गया है। जो अनियमित है उक्त अनियमितता के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी परामर्शदाता श्री बी के तिवारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या — 04**

प्रस्तर संख्या-3 शासनादेश संख्या-1838-33-3-2015-03-2015 दिनांक 31.07.2015 का उल्लंघन कर 10 लाख से कम परियोजना अपनी कार्य योजना में सम्मिलित की गयी। जिला निधि से 794.56 लाख रुपये — (सात करोड़

चौरानबे लाख छप्पन हजार के कार्य कराये गये है। जिसके लिए श्री रणमत सिंह अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या – 7**

प्रस्तर संख्या-4 शासनादेश संख्या-38911-775-200-1212 दिनांक 26.07.1992 1 व 2 एफ डी के सम्बन्ध में एफ डी तुडवाना नियमों का शासनादेश का उल्लंघन किया जिसमें लाखों के ब्याज की क्षति हो रही है। जिसके लिए तुडवाने वाले अपर मुख्य अधिकारी श्री रणमत सिंह उत्तरदायी है। जबकि एफ डी की 50 प्रतिशत धनराशि संस्था में निजी सम्पत्ति रखना चाहिए जो नहीं रखी गयी विवरण निम्नानुसार है :-

आपत्ति संख्या – 3

विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	बैंक का नाम	एफ डी आर	दिनांक	धनराशि
1	2	3	4	5
1	बैंक आफ बड़ौदा बांदा	105927	18.01.2015	1266186.00
	इलाहाबाद बैंक बांदा	042290	20.01.2015	1668986.00
	इलाहाबाद बैंक बांदा	042291	20.01.2015	503448.00
	इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक बांदा	084435	09.09.2014	20914499.00
	इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक बांदा	118956	09.09.2014	4173260.00
	इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक बांदा	087023	03.04.2014	5628274.00
	इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक बांदा	087024	03.04.2014	9000000.00
	इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक बांदा	140692	30.03.2016	10000000.00
	इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक बांदा	089685	31.03.2016	10000000.00
योग –				63154653.00

जिसके लिए श्री रणमत सिंह अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5 शासनादेश संख्या-6336-33-3-97-1856 जी 97 पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 27.02.1997 के अनुसार तीन वर्ष के पश्चात् 25 प्रतिशत किराया की बड़ोत्तरी की जानी चाहिए थी जो नहीं की गयी उक्त शासनादेश को मैं 76 माह का किराया रु. 34572.00 होता है जबकि रसीद सं .631732 द्वारा रु०-30552.00 वसूल कर संस्था को रु०-4020.00 की क्षति पहुँचाई गयी है। श्री ललित किशोर कर समाहर्ता पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 5

प्रस्तर संख्या-6 शासनादेश संख्या-337/33-2-2002/28 जनवरी, 2002 के पैरा-2 के अंतर्गत दैनिक कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है शासनादेश का उल्लंघन कर श्री हेमराज सिंह को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया इसी प्रकार शासनादेश सं०-337-23-2-2002 की अवहेलना कर पी आर डी जवानों की नियुक्ति एवं वेतन दिया जाना

विवरण निम्नवत् है –

भुगतान की तिथि	अवधि	भुगतान की धनराशि
07.04.2016	12/2015 से 3/2016 तक	27972.00
27.02.2016	04/2016 से 05/2016	12993.00
21.09.2016	06/2016 से 08/2016	20126.00
19.11.2016	09/2016	7297.00
25.11.2016	10/2016	6081.00
28.12.2016	11/2016	6993.00
16.01.2017	02/2017	7904.00
18.03.2017	01/2017	7601.00

योग – 96967.00

+ 58875.00

योग- 155842.00

पी०आर०डी जवानों की नियुक्ति व वेतन में

इस अनियमितता हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्श दाता श्री बी के तिवारी एवं श्री रणमत सिंह अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही उपरान्त ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6

प्रस्तर संख्या-7 शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1502/दस-2015-10(33) 2010 दिनांक 29 मई, 2015 वित्त लेखा अनुभाग-1 के पैरा-3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय रूपया 14891610.00 होगी और अर्जित ब्याज की आय को राजकोष में जमा करा दिया जाय अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री रणमत

सिंह, लेखाकार श्री आत्माराम व वित्तीय परामर्शदाता श्री वी०के० तिवारी उत्तरदायी होंगे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या – 21**

क्र०सं०	बैंक का नाम	खाता सं०	वर्ष 2016-17 में प्राप्त ब्याज
1	बैंक आफ बड़ौदा बांदा	2008	13365340.00
2	बैंक आफ बड़ौदा बांदा	2441	643414.00
3	युनि०बैं०आ०इण्डिया बांदा	03713	4444.00
4	कोआ०बैंक जिला पंचायत बांदा	0.3	878412.00

कुल योग— 14891610.00

प्रस्तर संख्या-8 वर्ष 2016-17 जिला पंचायत बांदा दुकान, भवन किराया, मांग वसूली, बकाया रजिस्टर की जांच करते समय पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 को भवन, दुकान किराया बकाया रूपया 6030773.00 बकाया था, जिसकी वसूली हेतु ठोस एवं कार्यरत प्रयास नहीं किये गये, जिसके लिये तत्कालीन पटल प्रभारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 8

जनपद— चित्रकूट

मण्डल— चित्रकूटधाम मण्डल बांदा

जिला पंचायत, चित्रकूट

प्रस्तर 1— पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या सी-2203/ 33-2/ 97-43 बी (8)/95 टी०सी० लखनऊ दिनांक 30 मई 1997 के अनुसार पशु शव निस्तारण में होने वाली आय का आधा भाग (50प्रतिशत) नियमित रूप से ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना है। वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत चित्रकूट में पशु शव निस्तारण मद में रु० 1322000.00 की आय हुयी है, जिसका आधा भाग रु० 661000.00 ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की जानी थी परन्तु कोई भी धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं की गयी, जो शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के प्रतिकूल है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी एवं श्री पुनीत वर्मा तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री वी०के० तिवारी उत्तरदायी है। शासनादेश की व्यवस्थानुसार रु० 661000.00 की धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति क्रमांक-2)–**

प्रस्तर 2— आलोच्य वर्ष 2016-17 में शासन द्वारा अवमुक्त अनुदानित धनराशियों को संस्था द्वारा बैंक में रखकर निम्न विवरणानुसार ब्याज अर्जित किया गया था।

क्र०	मद का नाम	खाता संख्या	31.03.16 को अवशेष	वर्ष में प्राप्त अनुदान	वर्ष में अर्जित ब्याज	31.03.2017 को अवशेष
1	13वां वित्त	इलाहाबाद बैंक कर्वी 20540319953	12987481.00	—	377533.00	7305598.00
2	राज्य वित्त	पी०एन०बी० कर्वी 4592000100011692	95247607.47	141385962.00	2556125.00	112286110.54
	राज्य वित्त	आडिट अनुशासन से प्राप्त अनुदान	—	27005000.00	—	—
3	राज्य वित्त	एच०डी०एफ०सी० 50100152144763	—	—	319209.00	20319209.00
4	राज्य वित्त	सेन्ट्रल बैंक कर्वी	2950962.00	—	—	2950962.00
योग—			111186050.47	168390962.00	3252867.00	142861879.54

संस्था द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान को शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय न कर बैंक में खुले हुये खातों अधीन रखकर वर्ष 2016-17 में रु० 3252867.00 ब्याज अर्जित किया गया। अर्जित ब्याज संस्था द्वारा अलग से अभिलेखों में नहीं दर्शाया गया है जिससे पूर्व वर्षों में अनुदान पर अर्जित ब्याज की वास्तविक जानकारी न हो सकी।

शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502(1)/दस-2013-10(3)/2010 दिनांक 29 मई 2015 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के शासनादेश में यह व्यवस्था भी है कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जायें।

अतः वर्ष 2016-17 में उपरोक्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज रु० 3252867.00 एवं पूर्व वर्षों में अर्जित समस्त ब्याज संदर्भित शासनादेश के अनुसार राज्य सरकार की आय मानते हुए राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। ब्याज की धनराशि शासन को वापस न किये जाने से भविष्य में राजकीय राजस्व के दुरुपयोग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। दुरुपयोग की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्त परामर्शदाता उत्तरदायी होंगे, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति क्रमांक-3)

प्रस्तर 3— शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शन सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं,

जिसके प्रस्तर 2(3) के अनुसार जिला पंचायत प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेगी। उक्त शासनादेश के क्रमांक 7 में वर्णित है कि जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में ₹0 10 लाख की लागत से अधिक की परियोजनायें अधिकांश रूप में अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करेगी। किन्तु उक्त शासनादेश का पालन संस्था द्वारा नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत चित्रकूट द्वारा ₹0 10 लाख से कम लागत वाली परियोजनायें जो ग्राम पंचायत के अन्दर सी0सी0 रोड निर्माण/नाली निर्माण आदि कार्य कराये गये हैं किन्तु उन ग्राम पंचायतों से एवं अन्य निर्माण कार्यदायी संस्थाओं से यह प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है कि यह कार्य उनके द्वारा तो नहीं कराया गया है और न ही संस्थाद्वारा कराये गये कार्य ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अभिलेखों में नहीं लगाया गया है। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में ₹0 16916800 अनियमित व्यय के लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्त परामर्शदाता उत्तरदायी है। ₹0 10 लाख से कम लागत वाले परियोजनाओं का विवरण/सूची संलग्न है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति क्रमांक 7 (क))

₹0 10 लाख से कम लागत वाली परियोजनाओं का विवरण

क्र०सं०	निर्माण कार्य का नाम स्थान सहित	स्वीकृत राशि या अनुमानित व्यय (लाख में)	वर्ष 2016-17 में व्यय की गयी धनराशि
1	ग्राम पंचायत छीबों में जिला पंचायत रोड से गुरु मिश्रा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	7.10	706500.00
2	ग्राम पंचायत छीबों में रामसजीवन पाण्डेय के दरबाजे से नदी की तरफ शंकर जी तक सी0सी0 रोड निर्माण	5.47	546500.00
3	ग्राम पंचायत चर कमतू के घर से मुन्ना तिवारी के घर तक सी0सी0 रोड/नाली निर्माण	7.72	770000.00
4	ग्राम पंचायत गनीवा प्रसिद्धपुर में धर्मराज के घर से प्रताप नारायण के घर तक सी0सी0 रोड/नाली निर्माण कार्य	4.47	446000.00
5	ग्राम पंचायत बरेठी सी0सी0रोड से सुमेर सिंह के घर होते हुये प्राइमरी स्कूल तक सी0सी0रोड निर्माण	8.84	868000.00
6	ग्राम पंचायत रामपुर कल्याणगढ में पक्की सडक से आनन्द सिंह पटेल के घर होते हुये मदन के घर तक सी0सी0रोड निर्माण लम्बाई 115 मी०	5.62	555000.00
7	ग्राम पंचायत रूखमाबुजुर्ग के मजीा खांच में पक्की सडक से रामबहोरी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	6.02	600000.00
8	ग्राम पंचायत कोठिलिहाई में अवधेश के दरबाजे से दुर्गा प्रसाद के दरबाजे तक सी0सी0 रोड निर्माण	6.37	636000.00
9	ग्राम पंचायत पहडिया में होरीलाल सिंह के घर से रामफल भुजवां के घर तक सी0सी0रोड निर्माण	3.78	376000.00
10	बांदा कर्षी रोड शिवरामपुर पशुबाजार के पास अकबर खां के बगल से श्रीमती रन्तो देवी के दरबाजे तक सी0सी0 रोड निर्माण	7.85	784000.00
11	ग्राम पंचायत रसिन के तमरार में वीरगढ माता के मन्दिर से नहर के पुलिया तक सी0सी0रोड निर्माण	4.45	442800.00
12	ग्राम पंचायत परसौजा में मजरा छोटा के पुरवा में पुरानी सी0सी0रोड से दिनेश यादव पुत्र श्री रघुराज यादव के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	5.42	536000.00
13	ग्राम पंचायत बारामाफी में शिवमंगल यादव के घर से रामलखन यादव के पास तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण बरमबाबा तक	7.07	705000.00
14	ग्राम पंचायत पटिया में मेन रोड से पुरानी बनी सी0सी0 रोड का अवशेष भाग सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	7.12	408000.00
15	ग्राम पंचायत कसहाई में निशा सिंह पत्नी नारायण सिंह के मकान से सांप बिच्छू वाली दाई के स्थान के आगे तक सी0सी0 रोड निर्माण	5.88	425000.00
16	ग्राम पंचायत सीतापुर में रतनावली मार्ग से पश्चिम की ओर गया महाविद्यालय में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	5.88	350000.00
17	ग्राम पंचायत पहाडी में शिवशंकर द्विवेदी के पुरवा से कालेज मोड तरफ सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	8.93	890000.00
18	ग्राम पंचायत रसिन के मजरा तमरार की पेटिंग रोड के आगे सी0सी0 रोड निर्माण	7.27	726000.00

19	ग्राम पंचायत रौली में मेन रोड से बचौली केवट के दरवाजे तक सी0सी0 रोड निर्माण	4.30	426000.00
20	ग्राम पंचायत महुवा में गोरेलाल रैकवार के दरवाजे से होते हुये गडरियन पुरवा बस्ती तक सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण कार्य	3.89	382000.00
21	ग्राम पंचायत सरधुवा में प्राथमिक स्कूल से कल्लू खटिक के दरवाजे तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य	3.62	359000.00
22	ग्राम पंचायत कल्याणपुर में हनुमान जी गेट से भुटानी बाबा आश्रम तक सी0सी0 रोड निर्माण	4.29	300000.00
23	ग्राम पंचायत खोह में रामानुज के घर से गोरेलाल के घर होते हुये राजन चमार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	8.94	339000.00
24	ग्राम पंचायत बराछी में मुख्य मार्ग से भूण्डा चमार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	9.09	708000.00
25	ग्राम पंचायत चौरा में देवराज यादव के पुरवा में सी0सी0रोड निर्माण	4.45	443000.00
26	ग्राम पंचायत अर्जुनपुर में मेडिया के घर से नरेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य	6.94	683000.00
27	ग्राम पंचायत भैसौंधा में चतुरेश के घर के पास से महर्षि विद्यालय के सामने नाला निर्माण	9.04	764000.00
28	ग्राम पंचायत सोनेपुर में सिद्धपुर बनाडी रोड से कार्यालय तक सीसी रोड निर्माण कार्य पर व्यय रुपये 523000.00	7.54	523000.00
29	ग्राम पंचायत भौरी में गेटा पुरवा में नहर से लक्ष्मी देवी के डेरा तक एवं शंकर जी मन्दिर तक सी0सी0 रोड निर्माण	7.00	694000.00
30	ग्राम पंचायत कर्वी माफी में मूल चन्द्र पटेल के घर से देवकुमार कोटेदार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	7.00	525000.00
	योग—	191.36	16916800.00

प्रारूप-02

जनपद—हमीरपुर

मण्डल का नाम — चित्रकूट धाम, बांदा।

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ वर्ष 2016-17

प्रस्तर सं0-1 :- शासनादेश सं0- 858/33-2-96-57 डब्ल्यू/91 दिनांक-30.03.1996 पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 लखनऊ के पैरा-2 के अनुसार जिन विकास खण्डों में मृत पशु शव निस्तारण हेतु खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पेजीकृत औद्योगिक सह0समि0 विद्यमान हो वहाँ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस कार्य की लाइसेन्स रायल्टी पर उन समितियाँ को ही दिया जाये तथा रायल्टी की धनराशि एक मुस्त जमा करने के स्थान पर मासिक किस्तों में जमा करने की व्यवस्था कर दी जाये। परन्तु लाइसेन्स धारक मासिक किस्तों की धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

मृत पशु शव निस्तारण/हड्डी चमड़ा की नीलामी निम्न विवरणानुसार वर्ष 2016-17 में खण्डवार नीलामी में लगायी गयी बोली के विरुद्ध आंशिक धनराशि जमा करायी है अवशेष धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार/समिति से आज की तिथि तक जमा नहीं करायी गया है।

क्र0सं0	समिति/ठेकेदार का नाम	विकास खण्ड	अवशेष धनराशि
1	श्री रामप्रकाश सभापति, पशु शव विच्छेदन औ0उ0सह0स0 भैसमरी	मौदहा	1,25,000.00
2	श्री बलराम सभापति, पशु शव विच्छेदन औ0उ0सह0स0 भैसमरी	सुमेरपुर	95,000.00
3	श्री परमेश्वरीदीन पुत्र सिद्धा निवासी ग्राम भेड़ी डांडा	सरीला	37,000.00
4	श्रीमती जमुनिया पत्नी माधव निवासी लोदीपुर निवादा	मुस्करा	38,100.00
5	श्री मइयादीन अहिरवार सचिव पशु शव विच्छेदन औ0उ0सह0स0 मुगलपुरा	राठ	14,000.00
6	श्री मइयादीन अहिरवार सचिव पशु शव विच्छेदन औ0उ0सह0स0	गोहाण्ड	31,000.00
योग —			3,40,100.00

उक्त शासनादेश के अनुसार रू0- 3,40,100.00 अवशेष धनराशि की वसूली न करने पर पटल सहायक आशा व श्री जगप्रसाद मोर्य अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-2 :- जिला पंचायत हमीरपुर में डी०आई०जी० स्टाम्प रेकी रेकनर आदेश सं०- 14782-852/स्टाम्प दिनांक- 26.11.2009 के अनुसार 01 साल का पट्टा या इकरारनामा के लिये देय रकम का 02 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगेगी।

आलोच्य वर्ष 2016-17 में निम्न लोगो को नौका घाट के पट्टा/ठेका दिया गया जिनसे स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध नहीं लिया गया जिससे राजस्व की हानि हुयी है। क्षतिपूर्ति हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	घाट का नाम	पट्टा धारक का नाम	धनराशि देय रकम
1	सुरौली बुजुर्ग	श्री कालीचरन निषाद	25,000.00
2	पत्योरा	श्री उमाशंकर	36,000.00
3	सिकरोड़ी	श्री सन्तराम	17,000.00
4	भटपुरा जलाला	श्री मुन्ना	70,000.00
योग -			1,48,000.00

प्रस्तर सं०-3 :- जिला पंचायत हमीरपुर में डी०आई०जी० स्टाम्प रेकी रेकनर आदेश सं०- 14782-852/स्टाम्प दिनांक- 26.11.2009 के अनुसार 01 साल का पट्टा या इकरारनामा के लिये देय रकम का 02 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी।

आलोच्य वर्ष 2016-17 में हड्डी चमड़ा/पशु शव निस्तारण हेतु विकास खण्डवार शर्तों के अनुरूप निम्न विवरणानुसार ठेका दिया गया था।

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	ठेके की धनराशि	ठेकेदार का नाम
1	मौदहा	1,65,000.00	श्री रामप्रकाश सभापति, पशु शव विच्छेदन औ०उ०सह०स० भैसमरी
2	सुमेरपुर	1,00,000.00	श्री सिद्धगोपाल सभापति पशु शव विच्छेदन औ०उ०सह०स० पन्धरी
3	सुमेरपुर	1,60,000.00	श्री बलराम सभापति, पशु शव विच्छेदन औ०उ०सह०स० भैसमरी
4	सरीला	87,000.00	श्री परमेश्वरीदीन पुत्र सिद्धा निवासी ग्राम भेड़ी डांडा
5	मुस्कुरा	78,100.00	श्रीमती जमुनिया पत्नी माधव निवासी लोदीपुर निवादा
6	राठ	56,000.00	श्री मइयादीन अहिरवार सचिव पशु शव विच्छेदन औ०उ०सह०स०
7	गोहाण्ड	39,000.00	श्री मइयादीन अहिरवार सचिव पशु शव विच्छेदन औ०उ०सह०स०
8	कुरारा	15,500.00	श्री आशिफ इकबाल
9	कुरारा	70,000.00	श्री परमलाल प०श० चर्म औ०सह०स० भेड़ी डांडा
योग -		7,70,600.00	

अस्तु क्रमांक 04 को छोड़कर किसी से स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध नहीं कराया गया जिससे राजस्व की हानि हुई है। इस प्रकार रू०- (7,70,600-8,700) 6,83,600 का 02 प्रतिशत रू०- 13,672.00 की हानि हुई है। जिसके लिये पटल सहायक आशा व श्री जगप्रसाद मौर्य अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-4 :- शासनादेश सं०-1415/दस-02/वित्त/2-200 दिनांक- 08.09.2002 के अनुसार जिस अधिकारी को वाहन आवंटित होता है उससे 400.00 रुपये प्रति माह वेतन से प्रतिमाह वाहन कटौती की धनराशि सम्बन्धित मद में जिससे किराया दिया जाता है, जमा किया जायेगा। आलोच्य वर्ष में यू०पी० 77 ज्ञ/7059 बुलैरो गाड़ी किराये में लगी थी यह गाड़ी अपर मुख्य अधिकारी के नाम आवंटित थी जिनसे 400.00 रुपये प्रतिमाह कटौती न करके सम्बन्धित मद में जमा नहीं किया गया है। अस्तु 4,800.00 रुपये की वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस प्रकार 400.00 रू० श्री भीखम सिंह अपर मुख अधिकारी व 4,400.00 रू० श्री जग प्रसाद मौर्य अपर मुख्य अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-5 :- जिला पंचायत हमीरपुर के पंचायती राज अनुभाग उ०प्र० लखनऊ के शासनादेश सं०-4501/1/ग/33-3-32 सी०/17/7 दिनांक- 21.03.1982 के अनुसार जिला परिषदों के प्रबन्धाधीन नौका घाटों के पट्टे केवल मल्लाहों के पंजीकृत समितियों को ही दिया जाये। शासनादेश के पैरा- 2 के अनुसार मल्लाहों की पंजीकृत समितियों की नौका घाटों को ठेके से सम्बन्धित घाट की पिछले तीन वर्षों की औसत आय की धनराशि एवं उस पर 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी लेकर ही एक वर्ष का पट्टा दिया जा सकता है। नौका घाट नीलामी पत्रावली एवं पंजिका की जाँच में पाया गया कि संस्था द्वारा पिछले वर्षों में आठ नौका घाटों की नीलामी जाती रही है। जिसमें वर्ष 2015-16 में कुल रुपये 5,05,000.00 का आय प्राप्त हुयी थी। जबकि वर्ष 2016-17 में चार घाटों की नीलामी की गयी जिसमें रू०- 1,48,000.00 की आय प्राप्त हुयी है। संस्था द्वारा शेष घाटों की नीलामी के लिये ठोस प्रयास नहीं किये गये जिससे जिला पंचायत को गतवर्ष के सापेक्ष 3,57,000. रुपये की शुद्ध हानि हुयी है। इस गम्भीर अनियमितता के

लिये जिला पंचायत समिति एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री जगप्रसाद मौर्य जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-6 :- जिला पंचायत हमीरपुर में उ०प्र० क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अधिनियम 1961 के उद्देश्य के अनुसार जिला परिषद/पंचायत की सीमा के अन्तर्गत आबादी वाले क्षेत्रों/लोक स्थानों का जनकल्याण हेतु समुचित विकास करना।

जिला निधि के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्राम इंगोहटा के मुमुक्ष आश्रम में टीन शेड रु०- 9,91,000.00 व टीनशेड चबूतरा 3,29,300.00 का निर्माण कराया गया था। इसी स्थान पर थोड़ी दूर पर इसी निधि से 2016-17 में दुबारा टीनशेड व टीनशेड चबूतरा का निर्माण कराया गया। एक साल के अन्तर्गत दुबारा कार्य कराना जनहित के विरुद्ध रहा। यदि उपरोक्त कार्य अन्य धार्मिक स्थान पर बनवाया गया होता तो वहाँ की जनता लाभान्वित होती। एक ही स्थान की विकास न्याय संगत नहीं है। लेखा परीक्षा दृष्टि से वर्ष 2016-17 का निर्माण व्यय लोकहित के लिये अलाभकारी रहा। यह एक प्रकार की वित्तीय अनियमितता की गयी है। अस्तु रु०- 13,20,300.00 कर अनियमितता के लिये जिला पंचायत समिति, अपर मुख अधिकारी श्री जगप्रसाद मौर्य तत्कालीन जिला अभियन्ता/अवर अभियन्ता जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर के पत्रांक- 1229/आर०डी०/जि०पं०ह० दिनांक- 10.04.2015 के क्रमांक 10 में ग्राम इंगोहटा के मुमुक्ष आश्रम रामलीला के पास टन्नशेड चबूतरे का निर्माण व क्रमांक 21 में टीनशेड का निर्माण क्रमशः लागत - 1 :- 9,91,000.00 2 :- 3,29,300.00 योग :- 13,20,300.00	कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर के पत्रांक- 2538/आर०डी०/जि०पं०ह० दिनांक- 04.04. 2016 के क्रमांक 10 में ग्राम इंगोहटा के मुमुक्ष आश्रम रामलीला के पास टन्नशेड चबूतरे का निर्माण व क्रमांक 20 में टीनशेड का निर्माण क्रमशः लागत - 1 :- 9,91,000.00 2 :- 3,29,300.00 योग :- 13,20,300.00

प्रस्तर सं०-7 :- कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक- 192 एम०टी०/60 एम०टी०/2007 दिनांक- 10.01.2008 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण मार्गों पर आबादी वाले भाग में सी०सी० रोड बनाये जाने को प्राविधानित किया गया था। जिसमें सबसेस में डब्ल्यू०बी०एम० ग्रेड-1/जी०एस०बी० की न्यूनतम मोटाई 7.50 सेमी० उसके ऊपर 125 माइक्रान्स मोटाई प्लास्टिक शीट डाले जाने का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात उसके ऊपर एम-30 (1:1:5:3) न्यूनतम मोटाई 15 सेमी० का प्लेन सीमेन्ट कंक्रीट स्लैब डाले जाने का प्रावधान किया गया था।

संस्था को फाइलों की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कराये गये निम्न कुल 15 सी०सी० निर्माण कार्यों में उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप जी०एस०बी० तथा एम-30 ग्रेड (1:1:5:3) का सी०सी० डाले जाने के अतिरिक्त संस्था द्वारा ब्लैकट कोट विथ स्टोन डस्ट भी डाला गया है। लोक निर्माण विभाग के सी०सी० रोड निर्माण किसी भी प्राविधानों में जी०एस०बी० डाले जाने के पूर्व ब्लैक कोट विथ स्टोन डस्ट डाले जाने का प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया। संस्था के कई सी०सी०कार्यों में ब्लैकट कोट नहीं डाला गया। एक ही प्रकार की मिट्टी के लिये ब्लैक कोट की दोहरी व्यवस्था अनियमितता दर्शाती है। इस प्रकार कुल 15 निर्माण कार्यों पर ब्लैक कोट का कार्य कराकर धनराशि रु०- 29,23,379.00 अधिक व्यय दर्शाकर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन जिला अभियन्ता व सम्बतन्धित अवर अभियन्ता श्री संजय सिंह, राकेश कुमार श्रीवास्तव जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	ब्लैकट कोट विथ स्टोन डस्ट	भुगतानित धनराशि
1	ग्राम ममना में वाछुआर बाबा के स्थान से सीताराम तिवारी मुख्य सड़क तक सी०सी०	113.67 सेमी	2,01,307.00
2	ग्राम सुलार मेनरोड से राघेश्याम व रामनारायन यादव की ओर सी०सी० रोड	97.50 सेमी	1,72,670.00
3	ग्राम बन्डवा गगरौली रोड से नही के पुल की ओर बाईपास सड़क सी०सी०	46.30 सेमी	81,996.00
4	ग्राम कैमोखर टीहर मार्ग से जयहिन्द यादव के घर तक सी०सी०	190 सेमी	3,36,486.00
5	ग्राम सिकरोटी में राजा पाण्डेय के घर से वासुदेव बाबा तक सी०सी०	197.04 सेमी	2,42,371.00
6	ग्राम हरसुण्डी में गुरुदयाल के घर से जयहिन्द के घर तक सी०सी०	92.50 सेमी	1,63,815.00
7	ग्राम सायर में भरसवा रोड से प्रजापति डेरा में सुखदेव प्रजापति के दरवाजे तक सी०सी०	76.00 सेमी	1,29,006.00

8	ग्राम कुपरा में जगरूप के घर से पप्पू यादव के घर तक सी0सी0	78.00 सेमी	1,38,136.00
9	ग्राम जल्ला में आँगनवाड़ी केन्द्र से शमशान घाट की ओर सी0सी0 से निर्माण	165.10 सेमी	2,62,870.00
10	ग्राम अतरैया डेरा में रामसेवक केवट के घर से प्रा0वि0 की ओर सी0सी0 रोड	118.90 सेमी	1,89,311.00
11	ग्राम बन्डवा कसिया यादव के घर से रारतन पाल के घर तक सी0सी0	70.00 सेमी	1,21,178.00
12	ग्राम कन्धौली देवीजी के मन्दिर से बड़े तालाब की ओर सी0सी0	114.00 सेमी	2,01,891.00
13	ग्राम मिहुँना में रामेश्वर यादव से अनिल मास्टर तक सी0सी0	92.16 सेमी	1,46,736.00
14	ग्राम भेड़ी में क्योटरा रोड से पुकाया की ओर सी0सी0	191.90 सेमी	2,69,012.00
15	ग्राम चन्दपुरवा में झण्डू श्रीवास्तव के मकान से सखन कुमार यादव तक सी0सी0	180.00 सेमी	2,66,594.00
योग –			29,23,379.00

प्रस्तर सं0-8:- शासनादेश सं0- 682बी/33-3-14(2) 184 दिनांक-10.03.1987 एवं 2203/3-2-787/43बी/8-95 टी0सी0 दिनांक- 30.05.1997 के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत को मृत पशु शव निस्तारण मद के अन्तर्गत प्राप्त आय का 50 प्रति0 भाग ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्यों हेतु हस्तान्तरित किया जाना प्राविधानित है। निम्न दो वर्षों से मृत पशु शव निस्तारण की आय का विवरण पूर्व विवरण अप्राप्त।

वित्तीय वर्ष	ठेके की धनराशि	प्राप्त आय
2015-16	5.80 लाख	5.10 लाख
2016-17	7.95 लाख	3.85 लाख
योग – 8.95 लाख का 50 प्रति0		4,47,500.00

अस्तु शासनादेश के अनुपालन में रू0- 4,47,500.00 ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण नहीं किया गया जिसके लिये पटल सहायक आशा व ए0एम0ए0 श्री भीखम सिंह (2015-16), श्री जगप्रसाद मौर्य (2016-17) जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-9 :- जिला पंचायत हमीरपुर आयकर अधिनियम की धारा- यू/एस/206 सी0 के प्रावधानों के अनुरूप खनन/टोल प्लाजा/उत्खनन आदि लीज/लाईसेन्स पर 02 प्रति0 की दर से टी0सी0एस0 लिये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम की धारा- यू/एस 44ए0बी0 में प्रावधान किया गया है कि 01 करोड़ से अधिक टर्न ओवर की कम्पनी/फर्म को ऑडिटेड लेखा/ सन्तुलन पत्र रखना होगा।

वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा बालू, मौरम, बजरा, गिट्टी के तहबजारी/परिवहन शुल्क का ठेका देकर निम्नवत् धनराशि प्राप्त की गयी।

वित्तीय वर्ष	ठेकेदार का नाम	ठेके की धनराशि	प्राप्त आय
2015-16	मे0 अखिलेश कुमार बोंदा	1,65,65,000.00	1,48,85,875.00
2016-17	मे0 बसन्त कुमार चतुर्वेदी झाँसी	1,84,00,000.00	1,84,00,000.00
योग – 33285875 का 02 प्रति0			6,65,717.00

संस्था द्वारा यू/एस 2016 के प्रावधानों के अनुरूप 02 प्रति0 की दर से कुल धनराशि रू0- 6,65,717.00 टी0सी0एस0 प्राप्त नहीं किया गया। यू/एस 44ए0बी0 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त फर्मों लेखा परीक्षित बैलेन्स शीट भी नहीं प्राप्त की गयी। टी0सी0एस0 जमा न कराने से भारत सरकार के राजस्व की हानि हुयी है। जिसके लिये पटल सहायक व अपर मुख्य अधिकारी श्री भीखम सिंह (2015-16), श्री जगप्रसाद मौर्य (2016-17) व तत्कालीन लेखाकार जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-10 :- जिला पंचायत हमीरपुर में दिनांक- 23.03.2017 को जिला पंचायत हमीरपुर का विद्युत बिल बकाया 1/2007 से 2/2017 तक का रू0- 8,57,717.00 अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड हमीरपुर को भुगतान किया गया है। जिला पंचायत के नियन्त्रणाधीन कार्यालय भवन/दुकान विभिन्न लोगों को किराये में दिये हैं। जो कि वह किरायेदार की हैसियत से भवन का उपयोग कर रहे हैं। किरायेदार जितनी बिजली उपयोग करेगा उसका भुगतान स्वयं करेगा।

यहाँ पर भवन/दुकानों का सभी बिजली का बिल का भुगतान जिला पंचायत द्वारा किया गया है। बकाया बिल में एकमुश्त समाधान योजना का लाभ नहीं लिया गया है। जिससे संस्था को रू0- 8,57,717.00 की शुद्ध हानि हुई है। जिसकी वसूली जिला पंचायत कार्यालय का विद्युत कर छोड़कर सम्बन्धित किरायेदार से की जाये अन्यथा की स्थिति में पटल प्रभारी श्री कालीदीन व अपर मुख्य अधिकारी जगप्रसाद मौर्य से की जानी अपेक्षित है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-11 :- जिला पंचायत हमीरपुर में दिनांक- 23.03.2017 को जिला पंचायत हमीरपुर का अवशेष जलकर रुपया- 14,10,531.00 अधिशाषी अभियन्ता जल संस्थान चित्रकूट धाम को भुगतान किया गया है। जिला पंचायत कार्यालय में समरसेबिल लगा हुआ है, जिससे कार्यालय को उस जल से पूर्ति होती है। जिला पंचायत द्वारा किराये के

रूप में दिये गये कार्यालयों/दुकानों में लगे नलों में प्रयुक्त जल बाबत वर्ष 2010-11 से फरवरी 2017 तक जलकर का भुगतान किया गया है।

विगत दो दसकों (12/1997) से सम्बन्धित कार्यालयों/दुकानों के किराये में वृद्धि नहीं की गयी है। जिससे जिला पंचायत के आय में वृद्धि नहीं हो सकी है। जबकि सम्बन्धित दुकानों व अन्य उक्त बकाया जलकर का भुगतान कर किरायेदारों को अतिरिक्त लाभ पहुँचाया है, उ0प्र0 किराया अधिनियम में जलकर की जिम्मेदारी किरायेदार की होती है। अस्तु रुपये- 14,10,531.00 का भुगतान कर देने से संस्था को शुद्ध हानि हुई है। अस्तु सम्बन्धित लोगों से अवशेष जलकर की वसूली की जाये, अन्यथा की स्थिति में कर पटल प्रभारी श्री कालीदीन व अपर मुख्य अधिकारी श्री जगप्रसाद मौर्य से की जानी अपेक्षित है। यह एक गम्भीर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-12 :- जिला पंचायत हमीरपुर में उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 की धारा-15 के अनुसार स्वीकृत नक्शे या अनुमान या निर्माण कार्य में कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि नक्शे में ऐसे किसी छोटे परिवर्तन की स्वीकृति जिसके परिणाम स्वरूप मूल अनुमान के 10 प्रति0 अनाधिक या 500 रुपये जो भी कम हो सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है।

कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर के पत्रांक- 199/आर0-डी0/जि0पं0ह0 दिनांक- 03.06.2016 के टेण्डर नोटिस के क्रमांक 7 में ग्राम ममना में सियर माता मन्दिर के पास टीनशेड चबूतरा निर्माण रू0- 3,29,300.00 का ठेका श्री बजरंग बली कान्सट्रक्शन हमीरपुर को दिया गया था।

उक्त स्थान के निर्माण को संशोधित प्राक्कलन द्वारा रू0- 7,50,700.00 कर दिया गया था। इस प्रकार मूल रूप से स्वीकृत ठेके से 4,12,700.00 बढ़ाकर भुगतान दिया गया। इसका स्टीमेट (सं0) संजय सिंह जे0ई0 द्वारा बनाया गया है। मूल स्टीमेट में 131 प्रति0 की बढ़ोत्तरी की गयी है। सभी टीनशेड चबूतरा 40X80 के वर्ष 2016-17 में 3,29,300.00 में बनवाये गये हैं। इस कार्य का अन्तिम भुगतान दिनांक- 28.12.2016 को रू0- 5,01,600.00 का किया गया है जिसमें वित्तीय परामर्शदाता के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। इस प्रकार निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 की अवहेलना कर मनमाने तरीके से रू0- 4,21,700.00 का फर्जी व्यय बढ़ाकर अनियमितता की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संजय सिंह जे0ई0 अभियन्ता व अपर मुख्य अधिकारी जगप्रसाद मौर्य से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-13 :- जिला पंचायत हमीरपुर के पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के पैरा-1 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से विकास कार्य सम्पादित किये जाये, जिसके व्यय के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। जिसका सार निम्न है :-

(1) सिद्धान्त के क्रमांक- 3 के अनुसार जिला पंचायत विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य सम्पादित करायेंगी।

(2) सिद्धान्त के क्रमांक- 7 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में रू0-10 लाख के लागत से अधिक की परियोजनाये ही अधिकांश रूप से अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित करेगी।

संस्था द्वारा वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत एक ही ग्राम पंचायत के अन्दर रू0- 10 लाख से नीचे के निम्न कार्यों पर व्यय किया गया है जो कि सन्दर्भित शासनादेश के विरुद्ध कार्य कर रू0-66,79,920.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये श्री भीकम सिंह अपर मुख्य अधिकारी श्री जगप्रसाद मौर्य अपर मुख्य अधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्रा वित्तीय परामर्श दाता व तत्कालीन जिला अभियन्ता जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0	ग्राम पंचायत में कार्य का नाम	अनु0 लागत (लाख रू0 में)	व्यय धनराशि	अभ्युक्ति
1	ग्राम पंचायत छेड़ी में घूरामन मास्टर के घर से मुन्नालाल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	9.88	3,31,700.00	हस्तगत
2	ग्राम पंचायत पुरैनी में उमेश के घर से देवेन्द्र के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	7.85	7,84,000.00	—
3	ग्राम पंचायत टेढ़ा में जोकर अरख के घर से सज्जन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	7.20	7,20,000.00	—
4	ग्राम पंचायत सायर में बोधी प्रजापति के घर से बहादुर शाह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	5.36	2,08,000.00	हस्तगत
5	ग्राम पंचायत छानी में मेन रोड से तालाब तक सी0सी0 रोड निर्माण	7.825	7,82,500.00	—
6	ग्राम पंचायत शंकरपुर में ओमप्रकाश के घर से	9.60	9,58,500.00	—

	जगराम बसोर के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण			
7	ग्राम पंचायत सिसोलर में पंचमदास के घर से विजयबहादुर के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	5.00	5,00,000.00	—
8	ग्राम पंचायत मसीदन में मेनरोड से भवानी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	3.34	3,34,000.00	—
9	ग्राम पंचायत मसीदन में मेनरोड से बबलू चमार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	3.11	3,11,000.00	—
10	ग्राम पंचायत बरखेरा में राम के घर से तालाब के किनारे तक सी0सी0 रोड निर्माण	2.88	2,87,300.00	—
11	ग्राम पंचायत सायर में रामदास साहू के घर से शिवरतन वर्मा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	8.16	7,99,300.00	—
12	ग्राम पंचायत खड़ेही लोधन में चन्द्रभवन के घर से तारापति के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	7.55	6,62,900.00	—
योग —			66,79,200.00	

प्रारूप -2

जनपद का नाम — महोबा

मण्डल का नाम —चित्रकूट धाम मण्डल बौदा ।

जिला पंचायत का नाम — महोबा वर्ष 2016-17

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर संख्या -1 वर्ष 2016-17 में अवशेष दुकान किराया मु0 399813.00 रु0 था जिसका विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष की मांग	वर्ष में वसूल	वर्षान्त में अवशेष
759249.00	359436.00	399813.00

दिनांक 31.03.2017 को मु0 399813.00 रु0 किराया वसूल न किया जाना संस्था के कर्मचारियों/अधिकारियों की वसूली के प्रति उदासीनता व लापरवाही का द्योतक है। जिसके प्रति कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों को ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उक्त के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2 वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत द्वारा तेरहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग व निजी श्रोत से आय से कराये गये निर्माण कार्यों पर निर्धारित अवधि तक कार्य को न करने वाले ठेकेदारों से मु0 301700.00 रुपये अर्थदण्ड की वसूली कम की गयी है। ठेकेदारों के बिलों में अर्थदण्ड की कटौती मनमाने ढंग से की गयी है जबकि अर्थदण्ड कम से कम 01 प्रतिशत तथा अधिकतम 10 प्रतिशत वसूली का प्रविधान है। इस प्रकार मनमाने ढंग से अर्थदण्ड की वसूली करके मु0 301700.00 रुपये से ठेकेदारों को लाभ तथा जिला पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी वित्त परामर्श दाता, अभियन्ता व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -3 शासनादेश संख्या-1415/10-02/वित्त/2-200/दिनांक 28.09.2002 के अन्तर्गत जिन अधिकारियों को वाहन आवंटित होता है उन्हें मु0 400.00 रुपये प्रति माह वेतन से वाहन कटौती की धनराशि सम्बन्धित मद में जिससे किराया दिया जाता है जमा किया जायेगा। किन्तु जिला पंचायत में कोई भी वाहन कटौती जमा नहीं की गयी। अतः दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक 12 माह में कुल 4800 रुपये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारियों से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -4 जिला पंचायत महोबा के कार्यालय पत्राक -23ए/जि0पं0म0/2014-15 दिनांक 22.04.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 में मृत पशु शव विच्छेदन का ठेका विकास खण्ड जैतपुर की न्याय पंचायतें लालपुर, जैतपुर, कुडई एवं अजनर का ठेका श्री हामिद सभापति पशु शव विच्छेदन एवं चूरा औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति लि0 कठवरिया, कुलपहाड़ जिला महोबा को मु0 96000.00 रुपये में व विकास खण्ड कबरई की न्याय पंचायत सुरहा का ठेका श्री भूरा सभापति पशु शव विच्छेदन एवं चूरा औद्योगिक उ0सह0समिति लि0 सुरहा को मु0 29700.00 रुपये में दिया गया था। जिनमें से श्री हामिद सभापति द्वारा 96000 रुपये में से मु0 76000 रुपये जमा किया गया है तथा मु0 29700.00 में से मु0 23760.00 रुपये जमा किया गया है तथा मु0 5940.00 रुपये अद्यावधि जमा करना शेष है। जबकि नीलामी समिति द्वारा उक्त धनराशियाँ एक मुश्त जमा कराया जाना चाहिए था। जो नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप मु0 200000.00 रुपये मु0 5940.00 रुपये अद्यावधि जमा नहीं हो सका है। जिसके लिए नीलामी समिति के सदस्य

तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्श दाता एवं अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या —5 वर्ष 2016—17 में जिला पंचायत महोबा द्वारा विभिन्न अनुदानों से प्राप्त धनराशियों से मु० 1000000.00 रुपये से कम अनुमानित लागत के निर्माण कार्य एक ही ग्राम पंचायत के लाभान्वित करने वाले निर्माण कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये हैं। जबकि उ०प्र० पंचायती राज अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या 1838/33—3—2015—03/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं, जो क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप हो, कराया जाना चाहिए था जिसका उल्लंघन एक ही ग्राम पंचायत को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये गये हैं, जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी वित्तीय परामर्शदाता अभियन्ता तथा लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

संस्था का नाम — जिला पंचायत महोबा वर्ष 2016—17 मु० 10 लाख से कम के निर्माण कार्यों की सूची

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख में)	योजना का नाम
1.	ग्राम मकरबई चमार खेडा की गलियों में सी०सी० रोड	4.00	रा०वि०
2.	ग्राम चिचारा में मवई खुर्द से कमलेश श्रीवास के दरवाजे तक सी०सी०	4.00	रा०वि०
3.	ग्राम मवई खुर्द में मइयादीन के दरवाजे से इन्द्रजीत के दरवाजे से मेन रोड सी०सी० रोड	5.00	रा०वि०
4.	ग्राम सिरमौर में कालीचरन अहिरवार के मकान से पूरन यादव के मकान तक सी०सी०	7.00	रा०वि०
5.	ग्राम पचारा में नन्दराम राजपूत के मकान से बृजरानी अनुरागी के मकान तक सी०सी० कार्य	6.00	रा०वि०
6.	ग्राम भैसाई में अमान सिंह यादव मकान से जयहिन्द यादव के मकान तक सी०सी० कार्य	6.00	रा०वि०
7.	ग्राम मवई खुर्द में गनपत सिंह के कुआँ से होकर बाबा किशन साहू और इन्द्रजीत यादव के मकान से मेन सी०सी० रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	5.00	रा०वि०
8.	ग्राम चिचारा में यादव खेडा में अवशेष सी०सी० कार्य	7.00	रा०वि०
9.	विकास खण्ड कबरई के ग्राम अतरार में पुलिया से तालाब तक नाला निर्माण	6.00	रा०वि०
10.	ग्राम श्रीनगर में खूब चन्द्र खटीक के घर से लक्ष्मन साहू के मकान होकर हरिजन व बस्ती तक सी०सी० कार्य	6.00	रा०वि०
11.	ग्राम किडारी में छोटा दाई के स्थान से अर्जुन सिंह के मकान होते हुये रोड तक इण्टरलाकिंग	5.50	रा०वि०
12.	ग्राम ढडइया में मेन रोड से विध्यवासिनी मन्दिर तक व रामदास के मकान से स्वामीदीन के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	रा०वि०
13.	ग्राम बीला दक्षिण में बजरंग बली मन्दिर से पंचायत भवन तक इण्टरलाकिंग कार्य	5.00	रा०वि०
14.	ग्राम पुरा में सन्तराम यादव के मकान से शंकर जी के मन्दिर के आगे तक इण्टरलाकिंग	6.00	रा०वि०
15.	ग्राम मकरबई खेडा के पाल खेडा में इण्टरलाकिंग का कार्य	6.00	रा०वि०
16.	ग्राम कुम्हारौडा में शिवदयाल के मकान से मेन रोड तक सी०सी०	5.50	रा०वि०
17.	ग्राम पाठा में जंगी मास्टर के दरवाजे से भगत जी मकान के आगे तक इण्टरलाकिंग	8.00	रा०वि०
18.	ग्राम बुधवारा में नत्थू विश्वकर्मा के मकान से चाली राजपूत के मकान तक सी०सी० व नाली का निर्माण	8.00	रा०वि०
19.	विकास खण्ड पनवाड़ी के ग्राम धरवार में सिद्धबाबा से गांव तक सी०सी० कार्य	9.00	रा०वि०
20.	ग्राम पनवाड़ी ढेडुरी मेहता से मनोज अहिरवार के घर से भेरालाल के मकान से होकर फदना रोड तक सी०सी० कार्य	5.50	रा०वि०
21.	ग्राम पनवाड़ी में भजनपुर मोहन से रामेश्वर के मकान से नारायण कुशवाहा के मकान तक सी०सी० कार्य	5.00	रा०वि०
22.	ग्राम बम्हौरी खुर्द में राठ महोबा रोड से दरयांव सिंह के खुडे तक अवशेष अनुरक्षण कार्य	7.00	रा०वि०

23.	ग्राम बछेछर कलां मे पुलिया निर्माण कार्य	2.50	रा0वि0
24.	ग्राम पंचायत महोबा के हनुमान जी के मन्दिर से अमर सिंह यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य	6.00	रा0वि0
	योग :-	140.00	

प्रारूप-2
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

जनपद — बहराइच

मण्डल— देवीपाटन

जिला पंचायत बहराइच
वर्ष 2016-17

प्रस्तर सं0 1 जिला पंचायत बहराइच में विगत कई वर्षों से नौकाघाट की नीलामी की धनराशि की वसूली नहीं की जा रही है जिससे निम्न विवरणानुसार बकाया दर्शित है नीलामी की धनराशि समयान्तर्गत वसूल न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

नौकाघाट का नाम धनराशि जो विगत वर्षों से चली आ रही है।

चन्दौली घाट	197937.00
फरहा फरुही घाट	1047703.00
कठाई घाट	698894.00
जालिमनगर घाट	5100.00
भौरी घाट	370956.00
चहलारी घाट	155251.00
गनापुर ठठुआ घाट	92350.00
केवड़ा घाट	535518.00
श्री रामघाट औराही	45750.00
योग—	3149459.00

उक्त की वसूली प्राथमिकता के आधार पर की जानी अपेक्षित है, वसूली न होने के स्थिति में इसका दायित्व सम्बन्धित अधिकारियों/पटल प्रभारी श्री प्रदीप कुमार सिंह एवं रवि कुमार से की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0 2 से10)

प्रस्तर सं0 2 हड़डी चमड़ा लाइसेन्स पंजी की जांच में पाया गया कि लाइसेन्स की पूरी अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी लाइसेन्स फीस की धनराशि जमा नहीं की जाती है। तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी द्वारा लाइसेन्स जारी कर दिये जाते हैं जिससे जिला पंचायत को राजस्व की क्षति होती है। दिनांक 31.03.2017 को रुपये 590409.00 विभिन्न ब्लाकों के लाइसेन्स धारकों से धन वसूल करना बकाया है। वसूली न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसका दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री ए0के0 सिंह का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0 11 से 12)

प्रस्तर सं0 3 किराया भवन पंजी की जांच में पाया गया कि 31.03.2017 को विभिन्न तहसीलों में स्थित भवनों के किराया की वसूली नहीं हो पा रही है। विवरण निम्न प्रकार है:—

तहसील	बकाया धनराशि	किराया भवन की स्थिति
बहराइच	39793.00	सहायक सर्जन आवास के सामने निर्मित भवन एवं दुकान।
"	49999.00	सहायक सर्जन आवास के सामने निर्मित भवन एवं दुकान।
"	290784.00	नार्मल स्कूल के समक्ष स्थित दुकान
"	64398.00	नार्मल स्कूल के समक्ष स्थित नवनिर्मित दुकान।
"	104613.00	सदर डाक बंगाल के सामने स्थित दुकान
"	42836.00	जिला पंचायत स्टोर परिसर स्थित दुकान
"	707562.00	आवास, गृह सदर डाक बंगला के सामने स्थित दुकान।
"	572957.00	जिला पंचायत कार्यालय भवन, स्टोर एवं विद्यालय भवन।

"	30976.00	शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय
"	408983.00	जिला पंचायत डाक बंगला के सामने ऊपर नवनिर्मित दुकान।
"	43086.00	जिला पंचायत डाक बंगला परिसर में आवास।
"	72336.00	जूनियर हाईस्कूल धनुही के प्रांगण में बनी दुकान।
"	232700.00	सुन्दरपुरवा पौण्ड परिसर स्थित दुकानें कैसरगंज
	45500.00	चिक मण्डी के पास स्थित जिला पंचायत की पुरानी दुकान। नानपारा
	29738.00	प्रा०पा० नानपारा के सामने दुकान।
"	71386.00	प्रा०पा० नानपारा के बगल दुकान।
"	12988.00	एलोपैथिक चिकित्सालय के सामने दुकान
"	10472.00	एलोपैथिक चिकित्सालय के पश्चिम दुकान
"	5865.00	नवाबगंज पौण्ड के समक्ष नवनिर्मित दुकान
"	98246.00	इमामगंज पौण्ड परिसर स्थित दुकान।

इस प्रकार तहसील बहराइच का रू०. 3454280.00 नानपारा का रू०. 299701.00 तथा कैसरगंज का रू०. 45500.00 की वसूली न कर वित्तीय अनियमितता की जा रही है जिसके लिए पटल प्रभारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ०सं० 31)

प्रस्तर सं० 4 तहबाजारी सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 1955-56 से 31.03.2017 तक तह बाजारी का पुराना बकाया रू०. 1564495.00 है। यद्यपि उ०प्र० शासन के आदेश सं० 463/33-02-13-25 जी०/13 दिनांक 12 मार्च, 2013 से तहबाजारी को समाप्त कर दिया गया है। परन्तु पिछला बकाया की वसूली न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। प्राथमिकता के आधार पर वसूली की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में कर अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ० सं० 32)

प्रस्तर सं० 5 जिला पंचायत के ठेका/पट्टा मस्त्य आखेट की स्वीकृति आदेश धन जमा कराने के पश्चात ही ठेका दिया जाना चाहिये परन्तु बिना सम्पूर्ण धनराशि जमा कराये ही मस्त्य आखेट का ठेका दे दिया गया है। दिनांक 31.03.2017 को इस मद में रू०. 1041084.00 वसूल करना शेष था। जिसकी वसूली न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है तथा अनियमित रूप से ठेका स्वीकृत किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली तत्काल की जानी अपेक्षित है। (आ०सं० 33)

प्रस्तर सं० 6 दिनांक 31.03.2017 को ठेका पौण्ड के बकायेदारों से रू०. 891713.00 वसूल किया जाना दर्शित है जिसकी वसूली न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसकी वसूली सम्बन्धित बकायेदारों से की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन पटल प्रभारी/अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ० सं० 34)

प्रस्तर सं० 7 दिनांक 31.03.2017 को सम्पत्ति एवं विभव कर के रूप में रू०. 3074346.00 बकाया दर्शित है जिसकी वसूली का दायित्व कार्य अधिकारी का है, परन्तु वसूली न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 8 की धारा 147 से 155 के अधीन नियत रीति से या अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित रीति से बकाया सम्पत्ति एवं विभव कर की वसूली की जानी अपेक्षित है। वसूली न होने की दशा में तत्कालीन कार्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ०सं० 35)

प्रस्तर सं० 8 दिनांक 31.03.2017 को लाइसेन्स मृत पशु शव निस्तारण मद का रू०.1156674.00 बकाया दर्शित है, जिसकी वसूली उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 158, 159, 237 तथा उ०प्र० जिला

पंचायत (रिकवरी आफ एरियाज आफ टैक्स एण्ड रेंट आन लैण्ड) नियमावली 1975 के अधीन नियम सं0 4 व 5 के तहत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। वसूली न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0सं036)

प्रारूप-2

जिला पंचायत- बलरामपुर, वर्ष 2015-16 व 2016-17

विकास खण्ड-बलरामपुर सदर

प्रस्तर सं0 1 शासनादेश संख्या 1-315/10-2(9) दिनांक 19.03.1997 के द्वारा सरकारी/स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में ऐसे अधिकारी जिन्हें राजकीय वाहन आवंटित है, के वेतन से 400 कटौती करके राजकीय कोष/जिला कोष में जमा करने का प्राविधान है। वर्ष 2015-16 में रु0 4800.00 वार्षिक कटौती जमा करके राजकोष में जमा नहीं किया गया। इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदारी अपर मुख्य अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं0 2 आलोच्य वर्ष 2015-16 जनपद में देशी, विदेशी और बीयर की 225 दुकानों में रु0 225000.00 की लाइसेंस फीस वसूल न करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई। इसके प्रति जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। दिनांक 07 जून 2014 को गजट सं0-2018/एल0टी0ए0/उप विधि 2014 के द्वारा जमा शुल्क में संशोधित किया गया। जिसमें उक्त शुल्क की ब्याज सहित वसूली हेतु प्रतिवर्ष रु0 1000.00 प्रति कुल रु0 225000.00 लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाना था, जो कि वर्ष 2015-16 में वसूल नहीं किया। अतः यह गम्भीर प्रकरण है इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से उक्त की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-52)

प्रस्तर सं0 3 आलोच्य वर्ष 2015-16 में तालाब नीलामी से विगत वर्ष की तुलना में रु0 220225.00 की आय कम वसूल करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। इसके प्रति जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष 2015-16 में तालाब नीलामी से रु0 772500.00 की आय हुई जबकि विगत वर्ष 2014-15 में रु0 992725.00 की आय हुई इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2015-16 में रु0 220225.00 की आय कम हुई है, जो गम्भीर विषय है। इसके प्रति जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-39)

प्रस्तर सं0 4 बा0सं0 54 दिनांक 17.12.2015 कृष्णा आफसेट प्रिन्टर्स बलरामपुर बिल सं0 16/18.11.2015 रु0 9450.00 का बाउचर लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला। इसके प्रति जिम्मेदार व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। प्रमाणक के अभाव में भुगतान अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से की जाये।
(मूल आपत्ति सं0-38)

प्रस्तर सं0 5 बा0सं0-65 दिनांक 07.01.2016 द्वारा मृदुल फिन्टेक्स गोण्डा को रु0 25323.00 का भुगतान किया गया है परन्तु इसका प्रमाणक लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला। जिम्मेदार व्यक्तियों से इसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर सं0 6 वर्ष 2015-16 में विज्ञापन एवं मीटिंग पर व्यय रु0 241163.00 दर्शाया गया है इसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/बैठक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिम्मेदार व्यक्तियों से इसकी ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2015-16 में विज्ञापन एवं मीटिंग पर रु0 241163.00 का व्यय दर्शाया गया है परन्तु इनकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/बैठक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही साथ विज्ञापन के संबंध में जिला सूचना अधिकारी को भी अवगत नहीं कराया गया है जबकि संस्था के समस्त विज्ञापन सूचना अधिकारी के माध्यम से कराया जाना था।
(मूल आपत्ति सं0-15)

प्रस्तर सं0 7 बा0सं0 25 दिनांक 04.11.2015 बिल सं0 303 द्वारा श्री अतुल कुमार सिंह परिषदीय अधिवक्ता को भुगतान रु0 10500.0 का भुगतान किया गया है लेकिन बाउचर का योग करने पर रु0 1500.00 आता है। इस प्रकार रु0 9000.00 का भुगतान ज्यादा किया गया है। इसके प्रति जिम्मेदार व्यक्तियों से इसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। अधिवक्ता की नियुक्ति आदेश शर्त फीस तथा अनुबन्ध भी जांच में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं0-21)

प्रस्तर सं0 8 उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 33(11) के अधीन जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य संस्था को रु0 24758643.00 की हानि पहुँचाई गयी है। इसके प्रति जिम्मेदार अपर मुख्य अधिकारी लेखाकार, वित्तीय परामर्शदाता से इसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

उ0प्र0 पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 33 (11) के अधीन जिला पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं वर्णित अधिकारियों के अधीन जिला पंचायत जिला सड़कों पर ही कार्य करने हेतु अधिकृत है। ग्रामीण मार्गों के बनाने एवं जोड़ने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा उक्त प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन कर रु0 24758643.00 धनराशि व्यय की गयी। प्रकरण समीक्षा में

ऐसा कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबंधक कमेटी द्वारा पारित नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त अधिनियम 1961 की धनराशि 34(1) में प्रदत्त अधिकारों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त कार्य कराने हेतु जिला पंचायत द्वारा उपरोक्त कार्य कराने हेतु जिला पंचायत को अधिकृत भी नहीं किया गया है। अतः उक्त भुगतान धनराशि गम्भीर वित्तीय अनियमितता के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार उक्त धनराशि ₹0 24758643.00 की ब्याज सहित वसूली उ0प्र0 पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम एवं नियमावली के नियम सं0 70(2)(9) में निहित अधिकार के अन्तर्गत अध्यक्ष ए0एम0ए0, वित्तीय परामर्शदाता तथा लेखाकार उत्तरदायी है। (मूल आपत्ति सं0-51)

प्रस्तर सं0 9 वर्ष 2015-16 में भवन मरम्मत एवं साइकिल अग्रिम पर बजट से ₹0 500000.00 अधिक व्यय दर्शाया गया है। जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16 में भवन मरम्मत एवं साइकिल अग्रिम पर बजट से ₹0 1000000.00 का व्यय दर्शित है, जबकि संस्था द्वारा इस मद में ₹0 500000.0 का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार बजट से ₹0 500000.00 ज्यादा का अधिक व्यय दर्शाया गया है। इस हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, साथ ही साथ उक्त धन से संस्था सम्पत्ति के मूल्य को भी नहीं बढ़ाया है। (मूल आपत्ति संख्या-14)

जिला पंचायत- बलरामपुर, वर्ष 2016-17

प्रस्तर सं0 10 वर्ष 2016-17 में संस्था द्वारा सामान क्रय किये गये हैं, उसमें निम्न आपत्तियाँ हैं। विवरण निम्न प्रकार है-

बा0सं0	दिनांक	भुगतान	क्रय किया गया सामान	फर्म का नाम
11	28.07.2016	5200.00	टुल्लू पम्प, सीलिंग फैन	केसरवानी इले0 बलरामपुर
12	28.07.2016	7020.00	बिजली का सामान	केसरवानी इले0 बलरामपुर
13	26.07.2019	9850.00	स्टील अलमारी	शाह स्टील ट्रेडर्स बलरामपुर

इनमें यह आपत्ति है कि यह सामान रजिस्टर्ड फर्म से नहीं खरीदा है बाउचर सादे कागज पर बना है जो कि गम्भीर आपत्ति का विषय है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर सं0 11 वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत कार्यालय बलरामपुर में बा0सं0 28 दिनांक 03.08.2016 द्वारा ₹0 21000.00 का भुगतान इनवर्टर फिटिंग सहित गांधी इण्टरप्राइजेज को दिया गया है। बाउचर देखने को नहीं मिला। बाउचर न होने की स्थिति में जिम्मेदार व्यक्तियों से ₹0 21000.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर सं0 12 वर्ष 2016-17 में विभिन्न मस्टर रोल में कुल ₹0 237765.00 भुगतान किया गया है। उसमें आपत्तियाँ विवरण निम्न प्रकार हैं-

बा0सं0	दिनांक	भुगतान
88	01.04.2016 से 30.04.2016	58950.00
14	31.05.2016	60915.00
29	03.08.2016	58950.00
9	03.09.2016	58950.00

इनमें निम्न आपत्तियाँ हैं-

(क) बा0सं0-88 द्वारा ₹0 58950.00 का भुगतान 30 दिन का कार्य का भुगतान किया गया है जबकि मस्टर रोल की जाँच करने पर पाया गया है। इस प्रकार ₹0 9825.00 का भुगतान अधिक करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। जबकि कार्य 25 दिन ही किया गया है। इस प्रकार 5 दिन का अधिक भुगतान किया गया।

(ख) बा0सं0-14 द्वारा भी भुगतान 31 दिन का किया गया है जबकि मस्टर रोल की जाँच कराने का कार्य 25 दिन का किया है इस प्रकार ₹0 9825.00 का भुगतान अधिक किया गया है।

(ग) इसी प्रकार बा0सं0-29 में 26 दिन के स्थान पर 30 दिन का भुगतान कर दिया है इस प्रकार ₹0 7860.00 का अधिक भुगतान किया है।

(घ) इसी प्रकार बा0सं0-9 में 29 दिन के स्थान पर 30 दिन का भुगतान कर 1 दिन का ₹0 1965.00 का ज्यादा भुगतान किया गया है।

अतः इस प्रकार ₹0 9825.00+9825.00+7860.00+1965.00 29475.00 ₹0 अधिक भुगतान कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। अतः जाँच कर जिम्मेदार व्यक्तियों से इसकी ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर सं0 13 बा0सं0-12 दिनांक 03.09.2016 द्वारा जिला पंचायत बलरामपुर के परिसर हेतु ₹0 53815.00 जनरेटर का क्रय किया गया है। इसमें तीन प्रतियोगी संस्थाओं के कोटेशन तथा सम्बन्धित सप्लायर/प्रदाता फर्म से दर न लेकर मनमाने ढंग से क्रय किया गया है, जो आपत्तिजनक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर सं0 14 शासनादेश संख्या प-1-122/दस-2012-10(330)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 में यह व्यवस्था है कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न

होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाये। इन नियम का संस्था द्वारा पालन नहीं किया गया है तथा संस्था द्वारा वर्ष 2016-17 में अर्जित ब्याज ₹0 9668039.00 को राजकीय कोषागार में जमा नहीं कराया गया है स्पष्ट है कि शासनादेश का उल्लंघन करते हुए गम्भीर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए ए०एम०एम० तथा लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। **(मूल आपत्ति संख्या-29)**

प्रस्तर सं० 15 जनपद बलरामपुर में देशी विदेशी और बियर बार की लगभग 225 दुकानें हैं परन्तु लेखा परीक्षा में ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रतीत हो कि लाइसेंस शुल्क की ब्याज सहित वसूली की गयी हो। दिनांक 07 जून 2014 को गजट सं० 2810/एल०बी०ए०/उप विविध 2014 के द्वारा जमा शुल्क में संशोधन किया जिसमें उक्त शुल्क की ब्याज सहित वसूली हेतु प्रतिवर्ष ₹0 1000.00 प्रति दुकान से वसूल किया जाना था। अतः कुल दुकानों से कुल ₹0 225000.00 लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाना था जो कि वर्ष 2016-17 में वसूल नहीं किया गया। अतः यह गम्भीर प्रकरण है इसके लिए जिम्मेदार अपर मुख्य अधिकारी लेखाकार एवं कार्यकारी अधिकारी उक्त क्षति के लिए उत्तरदायी है। अतः नियमानुसार दायित्व का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-30)

प्रस्तर सं० 16 वर्ष 2016-17 में विज्ञापन एवं मीटिंग पर ₹0 607722.00 दर्शाया गया है जो बजट में प्रा०वि०राशि से 307722.00 अधिक है। इसके अतिरिक्त इनकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/ बैठक रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-36)

प्रस्तर सं० 17 दिनांक 01 फरवरी 2017 से 28 फरवरी 2017 तक मस्टर रोल का भुगतान 1 मेट दर 250 प्रति दिन तथा बेलदार ₹0 24500 प्रति प्रतिदिन के हिसाब से किया गया है। मस्टर रोल पर कहीं भी यह अंकित नहीं है कि किस कार्य का भुगतान है इसके अतिरिक्त मेट और मजदूरों द्वारा 26 दिन कार्य किया है जबकि भुगतान 27 दिन का किया गया है। इस प्रकार ₹0 53055.00 का भुगतान गलत है। इसकी ब्याज सहित वसूली हेतु ए०एम०एम० तथा सम्बन्धित जे०ई० जिम्मेदार है भुगतान किये गये मस्टर रोल पर किसी भी बेलदार के अंगूठा निशानी अंकित नहीं पाये गये। अतः भुगतान फर्जी प्रतीत होता है इसकी ब्याज सहित वसूली भुगतान कर्ता जिम्मेदार व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-42)

प्रस्तर सं० 18 शासनादेश संख्या 315/10-2(9) दिनांक 19.03.2017 के द्वारा सरकारी/स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अधिकारियों जिन्हें राजकीय वाहन आवंटित है, के वेतन से प्रतिमाह ₹0 400.00 कटौती करके राजकीय कोष/जिला निधि कोष में जमा करने का प्राविधान है लेकिन वर्ष 2016-17 में कटौती न करके ₹0 4800.00 से संस्था को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाई गई है। इसके लिए ए०एम०एम० पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। अतः इनके वेतन से ₹0 4800.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं० 19 वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा उ०प्र० जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 सेक्शन 33 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत देकर 61 कार्यों को सम्पन्न कराया है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय की धारा 33 (11) के अधीन जिला पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं वर्णित अधिकारों के अधीन जिला पंचायत जिला सड़कों पर ही कार्य करने हेतु अधिकृत है। ग्रामीण मार्गों को बनाने एवं जोड़ने का कार्य ग्राम पंचायत को कराने का अधिकार उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन कर ₹0 27883001.00 (दो करोड़ अठहत्तर लाख तैरासी हजार एक रुपये मात्र) धनराशि व्यय की गयी। प्रकरण समीक्षा में ऐसा कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबन्धन कमेटी द्वारा पारित नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त अधिनियम 1961 की धारा 34 (1) में प्रदत्त अधिकारों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य कराने हेतु जिला पंचायत को अधिकृत नहीं किया गया है। अतः उक्त भुगतान गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार उक्त धन ₹0 27883001.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु उ०प्र० पंचायत तथा जिला पंचायत अधिव एवं नियमावली के नियम सं० 179 (2) (9) के अधिकार के अन्तर्गत अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता तथा लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सम्बन्धित के हिस्सों का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-44)

प्रस्तर सं० 20 ₹0 1249552.00 की धनराशि कैशबुक में दिनांक 31.03.2016 को दर्शित थी यह धनराशि विगत वर्ष की भांति दिनांक 31.03.2017 को भी दर्शित रही। अतः यह धनराशि विगत वर्षों से यथावत चली आ रही है। यह राशि बिना भुनाये चेंको के अन्तर की धनराशि है। एक वर्ष बीत जाने के बाद चेक कालातीत हो चुके हैं स्पष्ट है कि भुगतान अस्पष्ट रहा। इसके लिए ए०एम०एम० तथा लेखाकार पूर्णरूप से उत्तरदायी है। अतः उनसे उक्त धन की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-45)

प्रस्तर सं० 21 अपर मुख्य अधिकारी बलरामपुर द्वारा वर्ष 2016-17 में जो यात्रायें की गयी है। उनकी लॉगबुक से जांच में पाया गया कि ए०एम०एम० द्वारा सैकड़ों किमी० की यात्रायें जिला पंचायत हित में दर्शायी गयी है। किन्तु उनके द्वारा जिला पंचायत हित में की गयी कार्यवाही का कोई निरीक्षण पत्र नहीं पाया गया जिससे उनके द्वारा की गई यात्रायें जिला पंचायत हित में न होकर जिला पंचायत के वाहन का दुरुपयोग कर ₹0 246122.00 की क्षति ईंधन मूल्य

के रुप में पहुंचाई गई है। अतः उक्त धन की ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री अशरफ अली से जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-47)

प्रस्तर सं0 22 लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में कार्यालय प्रयोग हेतु टेलीफोन सं0 05263-232325 का विभिन्न तिथियों में भुगतान किया है उनका विवरण निम्न प्रकार है

बा०सं०	दिनांक	भुगतान की गयी धनराशि	अवधि
16	28.05.2016	1246.00	01.04.2016 से 31.04.2016
17	20.06.2016	1252.00	01.05.2016 से 31.05.2016
54	21.07.2016	1258.00	01.06.2016 से 31.06.2016

इन भुगतान से सम्बन्धित कोई भी बिल/प्रमाणक संलग्न नहीं पाया गया। इसके लिए पूर्ण रुप से जिम्मेदार श्री अशरफ अली ए०एम०ए० तथा श्री हनुमान यादव लेखाकार पूर्ण से जिम्मेदार हैं। अतः इनसे उक्त धन की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-22)

प्रारूप-2

जनपद का नाम – गोण्डा

मण्डल का नाम – देवीपाटन

नाम संस्था – जिला पंचायत गोण्डा

वर्ष 2016-17

प्रस्तर- 1

जिला पंचायत गोण्डा द्वारा वर्ष 2016-17 में डीजल क्रय मद में निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है।

क्र०सं०	डीजल क्रय की अवधि	डीजल क्रय की मात्रा	धनराशि
1.	02.12.15 से 31.12.15	460 लीटर	23729.00
2.	01.01.16 से 30.01.16	500 लीटर	24437.00
3.	01.02.16 से 27.02.16	480 लीटर	23294.00
4.	29.05.16 से 30.03.16	420 लीटर	20946.00
5.	31.03.16 से 30.04.16	420 लीटर	22066.00
6.	30.06.16 से 30.07.16	440 लीटर	24561.00
7.	01.08.16 से 29.08.16	400 लीटर	21226.00
8.	01.09.16 से 30.09.16	340 लीटर	18481.00
9.	02.11.16 से 30.11.16	260 लीटर	14711.00
10.	03.10.16 से 27.10.16	240 लीटर	13242.00
11.	02.12.16 से 31.12.16	320 लीटर	18137.00
12.	02.01.17 से 30.01.17	300 लीटर	17764.00

योग

242594.00

उक्त क्रय जिला पंचायत में जनरेटर हेतु किया गया है। लेखा परीक्षा में जनरेटर से सम्बन्धित लागबुक अप्राप्त रहा। जिससे डीजल क्रय एवं उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रु० 242594.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०पी० यादव एवं लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं० 20)

प्रस्तर- 2

जिला पंचायत गोण्डा द्वारा वर्ष 2016-17 में वाहनों हेतु डीजल क्रय मद में निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है।

क्र०सं०	वाहन सं०	डीजल क्रय की अवधि	डीजल क्रय की मात्रा	धनराशि
1.	यू०पी० 43 आर० 6565	06.03.16 से 29.03.16	125 लीटर डीजल व मोबिल	6476.00
2.	यू०पी० 43 पी० 6565	08.04.16 से 13.04.16	65 लीटर डीजल व 5 लीटर मोबिल	4397.00
3.	यू०पी० 43 जी० 0245	13.04.16 से 28.04.16	150 लीटर	7560.00
4.	यू०पी० 43 जी० 0245	01.05.16 से 12.05.16	235 लीटर	12413.00
5.	यू०पी० 43 जी० 0245	मई 2016 से जून 2016	वाहन मरम्मत	7395.00
6.	यू०पी० 43 जी० 0245	06.07.16 से 30.07.16	235 लीटर	13106.00
7.	यू०पी० 43 जी० 0245	01.09.16 से 30.09.16	275 लीटर	14944.00
8.	यू०पी० 43 जी० 0245	03.08.16 से 28.08.16	170 लीटर	9030.00
9.	यू०पी० 43 जी० 0245	04.06.16 से 17.06.16	180 लीटर	10040.00
10.	यू०पी० 43 जी० 0245	01.10.16 से 28.10.16	220 लीटर	12170.00
11.	यू०पी० 43 जी० 0245	03.11.16 से 26.11.16	230 लीटर	13002.00
12.	यू०पी० 43 जी० 0245	16.01.17 से 28.01.17	90 लीटर	5337.00

योग**133130.00**

उक्त कय जिला पंचायत में वाहन हेतु किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त वाहनों से सम्बंधित लागबुक अप्राप्त रहा। जिससे वास्तविक डीजल कय की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रू0 **133130.00** का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0पी0 यादव, श्री सत्यपाल एवं लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 21)**प्रस्तर- 3**

जिला पंचायत गोण्डा द्वारा वर्ष 2016-17 में विज्ञापन पर निम्नविवरणानुसार व्यय को कैशबुक में दर्शाकर कय किया गया है।

क्र0सं0	किस अखबार में विज्ञापन हुआ	भुगतान की गयी धनराशि	विज्ञापन की तिथि
1.	दैनिक मदर	16153.00	23.03.16 तथा 24.06.16
2.	हिन्दुस्तान	8590.00	25.03.16
3.	हिन्दुस्तान	43422.00	17.03.16
4.	हिन्दुस्तान	19327.00	17.05.16
5.	हिन्दुस्तान	16106.00	01.04.16
6.	दैनिक जागरण	11702.00	25.03.16
7.	दैनिक जागरण	16383.00	17.05.16
8.	अमर उजाला	17214.00	09.04.16
9.	अमर उजाला	15242.00	19.05.16
10.	अमर उजाला	40885.00	19.05.16 तथा 27.05.16
11.	अमर उजाला	8607.00	25.03.16
12.	अमर उजाला	100463.00	19.03.16
13.	हिन्दुस्तान	42950.40	19.05.16
14.	हिन्दुस्तान	3579.20	27.05.16
15.	दैनिक जागरण	11460.00	29.07.15
16.	दैनिक जागरण	6876.00	12.08.15
17.	हिन्दुस्तान	21475.00	26.12.16
18.	हिन्दुस्तान	12225.00	"
19.	हिन्दुस्तान	11273.00	"
20.	हिन्दुस्तान	4584.00	"
21.	हिन्दुस्तान	7640.00	"
22.	हिन्दुस्तान	6241.00	"
23.	हिन्दुस्तान	28650.00	"
24.	हिन्दुस्तान	12911.00	"
25.	हिन्दुस्तान	6455.00	"
26.	हिन्दुस्तान	86114.00	12.03.17
27.	स्टांग न्यूज	30184.00	"
28.	दैनिक जागरण	47785.00	"
29.	हिन्दुस्तान	12526.00	22.03.17
30.	स्टांग न्यूज	14487.00	"
31.	दैनिक जागरण	65752.00	31.03.17

योग**7479220.00****उक्त के कय पर निम्न आपत्तियाँ:-**

उक्त दरें जिला सूचना कार्यालय, गोण्डा द्वारा प्रमाणित नहीं है।

उक्त भुगतान की स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

क्रम सं0 15,16 पर विज्ञापन का भुगतान 01 वर्ष के पूर्व का है। लगभग 01 साल बाद भुगतान का औचित्य लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा।

अतः उपरोक्तानुसार क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रू0 **7479220.00** का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0पी0 यादव, श्री सत्यपाल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सा0आ0सं0 22)

प्रस्तर- 4

जिला पंचायत गोण्डा द्वारा वर्ष 2016-17 में निम्नविवरणानुसार कय किया गया है।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	भुगतान की गयी धनराशि
1.	कार्यालय में लगे कम्प्यूटर	20.06.16	3300.00
2.	कार्यालय में प्रयोग की गयी सामग्री	20.06.16	11865.00
3.	जिला पंचायत परिसर में पीने का पानी, हैण्डपम्प बोरिंग, मोटर मरम्मत।	20.06.16	19775.00
4.	अध्यक्षा महोदय के प्रयोगार्थ स्टेशनरी कय पर।	02.07.17	9250.00
5.	कार्यालय के प्रयोगार्थ सामग्री कय	02.07.16	8283.00
6.	जिला पंचायत गोण्डा के सभागार में दो फायर इक्व्यूमेन्ट	06.08.16	10200.00
7.	व्हील चेयर मरम्मत का भुगतान	08.08.16	2000.00
8.	कार्यालय में लगे 20 के०डब्ल्यू०	10.08.16	3291.00
9.	कार्यालय में प्रयोगार्थ सामग्री	16.08.16	7885.00
10.	कार्यालय में प्रयोगार्थ सामग्री	04.10.16	8700.00
11.	कार्यालय में प्रयोगार्थ सामग्री	24.10.16	8160.00
12.	कार्यालय में प्रयोगार्थ सामग्री	04.10.16	14779.00
13.	कार्यालय में प्रयोगार्थ सामग्री	25.11.16	12691.00
14.	कार्यालय में प्रयोगार्थ सामग्री	25.11.16	11728.00
15.	कार्यालय में प्रयोगार्थ सामग्री	25.11.16	14150.00
16.	कार्यालय में प्रयोगार्थ सामग्री	25.11.16	11400.00
17.	कार्यालय में प्रयोगार्थ सामग्री	30.01.17	3535.00
18.	कार्यालय में प्रयोगार्थ सामग्री	16.03.17	6885.00
19.	कार्यालय में प्रयोगार्थ सामग्री	16.03.17	12724.00
20.	कार्यालय में प्रयोगार्थ सामग्री	31.03.17	15195.00
21.	जनरेटर हेतु नई बैट्री कय पर	30.01.17	5920.00
22.	वाहन सं० यू०पी० 43 जी० 0245 के फूटे ग्लास कय पर	30.01.17	5185.00
23.	वाहन सं० यू०पी० 43 जी० 0245 मरम्मत पर के सर्विसिंग कय पर	30.01.17	3392.00
24.	वाहन सं० यू०पी० 43 जी० 0245	28.01.17	14910.00
25.	कार्यालय में प्रयोग की गयी सामग्री पर कय।	28.01.17	6460.00
26.	समर सेबुल पम्प मरम्मत पर	31.03.17	12400.00
27.	पम्प कय पर	31.03.17	2700.00
योग			246762.00

उक्त के कय पर निम्न आपत्तियाँ:-

उक्त सामग्री कय/मरम्मत व्यय पर व्यय के पूर्व कोई भी स्वीकृति माननीय अध्यक्ष महोदय/अपर मुख्य अधिकारी से नहीं ली गई है।

सामग्री कय/मरम्मत व्यय के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी से स्वीकृति की औपचारिकता पूरी की गयी है। जिसका कोई भी औचित्य नहीं है।

उक्त सामग्री कय के सापेक्ष डेड स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रहा। जिसके कय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सभी सामग्री कय/मरम्मत व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अवलोकित नहीं है। जिससे कय की स्थिति संदिग्ध रही।

समस्त भुगतान रजिस्टर के माध्यम से किये गये हैं। कय हेतु टेण्डर, निविदा की कोई भी औपचारिकता पूरी नहीं की गयी है। सीधे स्थानीय स्तर पर नाजिर द्वारा समस्त सामग्री कय की गयी है। जो कि आपत्ति जनक रहा।

अतः उपरोक्तानुसार क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रू० **246762.00** का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०पी० यादव, श्री सत्यपाल एवं लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव के साथ-साथ नाजिर भी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 23)

प्रस्तर- 5 जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों के भुगतान से सम्बन्धित (गैंग बेलदारों) के मस्टररोलों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर (पुष्टि प्रमाण पत्र) नहीं है। जिसके द्वारा वर्ष 2016-17 में निम्नविवरणानुसार भुगतान किया गया है।

माह	कार्यरत कर्मचारियों के नाम	धनराशि
माह नवम्बर 2016 का वेतन	(1) श्री बच्चाराम	195399.00
	(2) श्री सालिकराम	20174.00
	(3) श्री राम करन	19574.00
माह जनवरी 2017 का वेतन	(1) श्री बच्चाराम	20449.00
	(2) श्री चन्द्रिका प्रसाद	19484.00

	(3) श्री सालिकराम	21384.00
	(4) श्री ठाकुर	22484.00
	(5) श्री शिवमंगल	20784.00
माह फरवरी 2017 का वेतन	(1) श्री चन्द्रभान वर्मा	22684.00
	(2) श्री बच्चाराम	20449.00
	(3) श्री चन्द्रिका प्रसाद	19484.00
	(4) श्री सालिकराम	21384.00
	(5) श्री ठाकुर	22484.00
	(6) श्री शिवमंगल	20784.00
	योग	292441.00

उक्त कार्यरत कर्मचारियों को बिना भुगतान किये समस्त धनराशि की कैशबुक में व्यय के रूप में दर्शाया गया है। जो क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रू0 **292441.00** का भुगतान अपहरण है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल एवं लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 24)

प्रस्तर- 6

जिला पंचायत वर्ष 2016-17 में वाहन सं0 यू0पी0 43 जी0 0245 के बीमा नवीनीकरण में रू0 17351.00 के व्यय की कैशबुक में दर्शाया गया है। प्रमाणक के साथ उक्त जमा की रसीद संलग्न नहीं पायी गयी। उक्त नवीनीकरण से सम्बन्धित पत्रावली भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। अतः क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रू0 **17351.00** का भुगतान अपहरण है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल एवं लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 25)

प्रस्तर- 7

जिला पंचायत वर्ष 2016-17 में दिनांक 28.01.17 को जिला पंचायत द्वारा रू0 40035.00 का भुगतान यश एलायड सर्विसेज अलीगंज लखनऊ को किया गया है। उक्त भुगतान दिनांक 01.03.2016 से दिनांक 31.03.2016 तक की अवधि में कुल चली गयी दूरी 2289 कि0मी0 के भुगतान के एवज में किया गया है। उक्त सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं।

- (1) उक्त भुगतान से सम्बन्धित शासकीय निर्देश से सम्बन्धित पत्रावली प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं पाई गयी।
- (2) उक्त 2289 कि0मी0 की यात्रा से सम्बन्धित लागबुक की प्रति भी प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं पायी गयी।
- (3) उक्त भुगतान में माननीय अध्यक्षा महोदय की कोई स्वीकृति अगर ली गयी है, तो उससे सम्बन्धित पत्रावली भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रू0 40035.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल एवं लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 26)

प्रस्तर- 8

जिला पंचायत वर्ष 2016-17 में ग्राम सभा सचिवालय निर्माण दानापुर अहिरौरा विकास खण्ड करनैलगंज, जनपद गोण्डा में बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत उक्त निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया।

कुल बिल	1467736.526
(+)1% (लेबर टैक्स)	14677.365
योग	1482414.00
(भुगतान की गयी धनराशि) भुगतान	1482414.00

अतः उक्त भुगतान करते समय 1% लेबर टैक्स की कटौती ठेकेदार के बिल से न करके रू0 14677.00 की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी। अर्थात् ठेकेदार का रू0 1482414.00 में से रू0 14677.00 की कटौती के उपरान्त रू0 1467736.00 के स्थान पर समस्त धनराशि रू0 1482414.00 का भुगतान किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रू0 14677.00 की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल एवं लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव तत्कालीन अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 27)

प्रस्तर- 9

ग्राम सभा सचिवालय निर्माण केशवनगर ग्रन्ट विकास खण्ड बभनजोत, जनपद गोण्डा में बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत उक्त निर्माण पर गत वर्ष तक रू0 1126500.00 का व्यय किया जा चुका था। वर्ष 2016-17 में भी

उक्त प्रोजेक्ट पर अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जिस पर रु0 127500.00 का व्यय दर्शाया गया। जबकि कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जो क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु0 127500.00 का व्यय अलाभकारी मद में किया गया। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल एवं लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव तत्कालीन अपर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 28)

प्रस्तर— 10

विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण का कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं को लाभ उपलब्ध कराने हेतु " उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 (जो लागत का 1%) नियोक्ता के द्वारा ठेकेदार से कटौती की जायेगी।

किन्तु उक्त "लेबरसेस की कटौती ठेकेदारों से न करके जिला पंचायत द्वारा स्वयं की गई है। जिला पंचायत में अभियन्ताओं द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कुल इस्टीमेट पर अलग से 1% की धनराशि जोड़कर प्राक्कलन बनाया गया है फिर भुगतान करते समय उक्त धनराशि कटौती कर श्रमकर विभाग को भेज दी जाती है। इस प्रकार समस्त ठेकेदारों के बिलों में लेबरसेस मद में श्रमकर की वसूली संस्था द्वारा स्वयं वहन की गई। जिससे संस्था का रु0 1837411.00 की आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी। जो क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु0 1837411.00 की आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल, श्री आर0पी0 यादव एवं लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 29)

प्रस्तर— 11

वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 16.05.2016 को रु0 10870.00 का भुगतान तथा दिनांक 22.03.2016 को श्री सतीश चन्द कौशिक वकील रु0 10870.00 का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ को किया गया है। उन्हें यह भुगतान रिट सं0 7359/2014 के एजेण्डे में अधिवक्ता फीस - 8800.00, क्लर्क चार्ज - 1320.00 अन्य - 650.00 कुल रु0 10770.00 तथा रिट सं0 3216/2017 के एवेज में अधिवक्ता फीस - 8800.00 क्लर्क चार्ज - 1320.00 अन्य - 750.00 कुल रु0 10870.00 का भुगतान किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

(1) उक्त वाद सं0 7359/2014 से सम्बन्धित पत्रावली को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सम्बन्धित वाद की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(2) उक्त भुगतान के लिए माननीय अध्यक्ष महोदया की स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश पत्रावली को भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः सम्बन्धित पत्रावली/स्वीकृति आदेश को प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। विपरीत परिस्थितियों में इसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल, श्री आर0पी0 यादव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 30)

प्रस्तर— 12

श्री सलाउद्दीन खान चार्टर्ड एकाउन्टेड को वाणिज्य कर कटौती वर्ष 2015-16 में तैयार की गयी। त्रैमासिक विवरण पत्र हेतु रु0 11430.00 का भुगतान किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

(1) जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेड को जारी किया गया वर्क आर्डर को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(2) उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली को भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु0 11430.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0पी0 यादव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 31)

प्रस्तर— 13

वर्ष 2016-17 जिला पंचायत द्वारा मानचित्र व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु प्रथम तल में विकास शुक्ल जमा मद में रु0 65790.00 का भुगतान किया गया है। प्रमाणक के साथ विकास शुक्ल जमा की रसीद संलग्न नहीं है।

बिना रसीद के आधार पर कुल रु0 65790.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए श्री आर0पी0 यादव अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 35)

प्रस्तर— 14

दिनांक 13.05.16 को कार्यालय में प्रयोग हेतु बिजली सामग्री व कार्यालय सामग्री पर व्यय रु0 5200.00 कैशबुक में दर्शाया गया है।

उक्त व्यय की स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। उक्त क्रय से सम्बन्धित स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। उल्लेखनीय है कि समस्त क्रय वर्ष 2015-16 के माह जुलाई 15, अगस्त 15, सितम्बर 15, अक्टूबर 15 से सम्बन्धित है। लगभग एक साल बाद भुगतान किये जाने का औचित्य लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। लेखा परीक्षा की दृष्टिकोण में समस्त व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए श्री आर0पी0 यादव अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 36)

प्रस्तर— 15

शासनादेश सं0 710/दस-स0वि0समि0-2-97 दिनांक 29 मई 1999 के द्वारा सरकारी स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अधिकारी जिन्हें राजकीय वाहन आवंटित है के वेतन से रु0 400.00 प्रति माह कटौती कर राजकीय कोष/जिला निधि कोष में जमा करने का प्राविधान है। किन्तु जिस वाहन को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। श्री आर0पी0 यादव दिनांक 14.08.2012 से दिनांक 15.07.2016 तक जिला पंचायत गोण्डा में अपर मुख्य अधिकारी के पद पर कार्यरत जिनसे दिनांक 14.08.2012 से लेकर दिनांक 15.06.2016 तक कुल रु0 18832.00 की कटौती न करके राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है। अतः रु0 18832.00 की वसूली श्री आर0पी0 यादव अपर मुख्य अधिकारी से अपेक्षित है। दिनांक 16.06.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक श्री सतपाल अपर मुख्य अधिकारी पद पर कार्यरत थे जिनसे रु0 3800.00 की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। अतः रु0 3800.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सतपाल अपर मुख्य अधिकारी से अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 37)

प्रस्तर— 16

वर्ष 2016-17 में कृष्णा प्रिन्टर्स ए-4 साइज 10 नग रिम x 275.00 रु0 2750.00 का भुगतान किया गया है। उक्त क्रय के सापेक्ष स्टेशनरी स्टॉक पंजिका अप्राप्त रहा। लेखा परीक्षा की दृष्टिकोण में 275/रिम की दर बहुत ज्यादा है। स्टॉक पंजिका के अभाव में उक्त क्रय अनियमित रहा। जिसके लिए श्री आर0पी0 यादव अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री लालबहादुर यादव जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 39)

प्रस्तर— 17

दिनांक 20.06.2016 की ए0जी0एम0 (सामान्य वार्षिक बैठक) हेतु आये सभी सम्बन्धित 60 सदस्यों को रु0 1000/सदस्य की दर से 60,000.00 का भुगतान अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0पी0 यादव एवं श्री लालबहादुर यादव लेखाकार द्वारा किया गया है। प्रमाणक सूची साथ संलग्न है किन्तु सभी सम्मानित सदस्यों का पुष्टि प्रमाण पत्र (हस्ताक्षर) नहीं है। जिससे इस बात की पुष्टि हो सके सभी सत्यापित सदस्यों को 1000 रु0 का भुगतान जिला पंचायत द्वारा किया गया है।

अतः पुष्टि प्रमाण-पत्र के अभाव में रु0 60,000.00 का व्यय अपहरण रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0पी0 यादव तथा श्री लालबहादुर यादव लेखाकार जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 40)

प्रस्तर— 18

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत गोण्डा द्वारा उ0प्र0 जिला पंचायत के अधिनियम 1961 के अध्याय-3 सेक्शन-33 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर सर्व सम्मति प्रस्ताव देकर कार्यों को सम्पन्न कराया गया है।

उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा -33(11) के अधीन जिला पंचायत को प्रदत्त शक्तियाँ एवं वर्णित अधिकारों के अधीन जिला पंचायत जिला सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्रामीण मार्गों को बनाने एवं जोड़ने का कार्य ग्राम पंचायत को कराने का अधिकार उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन कर रु0 82945275.00 की धनराशि की व्यय की गई। प्रकरण समीक्षा में ऐसा कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत अन्यथा यूपी0 प्रबन्ध कमेटी द्वारा पारित नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अधिनियम 1961 की धारा 34(1) में प्रदत्त अधिकारों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त कार्य कराने हेतु जिला पंचायत को अधिकृत किया गया है। परिसम्पत्ति पंजिका के अभाव में परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण का भी कोई प्रकरण समीक्षा में नहीं पाया गया।

अतः उक्त धनराशि रु0 82945275.00 गम्भीर अनियमितता के अन्तर्गत आती है। उक्त धनराशि की वसूली उ0प्र0 पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम एवं नियमावली के नियम सं0 179 (2) (9) अधिकार के प्राविधानों का स्वीकृत करने वाले से उक्त धनराशि समान रूप से रु0 1626377.94 की ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0पी0 यादव एवं श्री लालबहादुर यादव लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 41)

प्रस्तर- 19

जिला पंचायत में कार्यरत बेलदारों के भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोलों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर न कराकर रु0 128148.00 गैंग बेलदारों को बिना भुगतान किये समस्त धनराशि कैशबुक में व्यय दर्शाया गया है।

अतः क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु0 128148.00 का अपहरण रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0पी0 यादव, श्री सत्यपाल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 42)

प्रस्तर- 20

जिला पंचायत की लेपन परियोजन हेतु बिटामिन बी0जी0-10 के कैशबुक में रु0 24065114.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त के सापेक्ष स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। उक्त के सापेक्ष ठेकेदार के बिलों से कितना बिटामिन बी0जी0-10 की आपूर्ति की गयी। कितनी धनराशि की वसूली की गई। इससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

अतः रु0 24065114.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री सत्यपाल एवं लेखाकार श्री लाल बहादुर यादव तत्कालीन अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 43)

प्रारूप-2**जनपद-श्रावस्ती****मण्डल का नाम -देवीपाटन गोण्डा****जिला पंचायत-श्रावस्ती 2016-17**

प्रस्तर-1. जिला पंचायत द्वारा विगत वर्षों में नौकाघाट नीलामी की गयी, जिसकी नीलामी की धनराशि रु0 579492.00 विगत वर्षों से ही बकाया चली आ रही है। जिसकी वसूली न कर संस्था को आर्थिक हानि पहुंचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली के लिये कर-निरीक्षक श्री पंकज सिंह तथा श्री बाबूराम पाण्डेय तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीकान्त दूबे उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	घाट	नाम ठेकेदार	वर्ष	धनराशि
1	ककरदरी घाट	श्री सल्लू खान पुत्र श्री मोती	1978-79	10115.00
2	ककरदरी घाट	श्री सल्लू खान पुत्र श्री मोती	1979-80	8800.00
3	ककरदरी घाट	श्री शिव कुमार पुत्र श्री मोती	1981-82	9800.00
4	ककरदरी घाट	श्री शिव कुमार पुत्र श्री मोती	1982-83	11220.00
5	ककरदरी घाट	श्री हरिनाथ वर्मा, पुत्र श्री राजबली	1985-86	16500.00
6	ककरदरी घाट	श्री हरिनाथ वर्मा, पुत्र श्री राजबली	1984-85	16300.00
7	ककरदरी घाट	श्री मो0 इदरीस पुत्र श्री गौहर	1986-87	13100.00
8	ककरदरी घाट	श्री जनदिन पुत्र श्री हरिनाम	1988-89	11100.00
9	ककरदरी घाट	श्री मुन्ने खान पुत्र श्री लाल मुहम्मद	1989-90	8300.00
10	ककरदरी घाट	श्री राधे श्याम सचिव, मत्स्यजीवी सह0सं0लि0	1990-91	8500.00
11	तिलंगपुरवा घाट	श्री आदित्य प्रसाद मिश्रा पुत्र श्री त्रिलोक नाथ	1983-84	14750.00
12	तिलंगपुरवा घाट	श्री आदित्य प्रसाद मिश्रा पुत्र श्री त्रिलोक नाथ	1984-85	21650.00
13	तिलंगपुरवा घाट	श्री आदित्य प्रसाद मिश्रा पुत्र श्री त्रिलोक नाथ	1985-86	25000.00
14	तिलंगपुरवा घाट	श्री सहजराम पुत्र श्री बच्चू लाल	1990-91	28250.00
15	तिलंगपुरवा घाट	श्री बुद्धराम पुत्र श्री हीरा लाल	1998-99	6000.00
16	तिलंगपुरवा घाट	श्री पुचुरु पुत्र श्री सुमरिन	2010-11	20000.00
17	ककरहा घाट	श्री रामसागर पुत्र श्री राजितराम	1970-71	13400.00
18	ककरहा घाट	श्री नागेश्वर पुत्र श्री गंगाराम	1973-74	15730.00
19	ककरहा घाट	श्री पुत्तिलाल पाण्डे पुत्र श्री रामहेतु	1980-81	7500.00
20	ककरहा घाट	श्री पुत्तिलाल पाण्डे पुत्र श्री रामहेतु	1982-83	46500.00
21	ककरहा घाट	श्री पुत्तिलाल पाण्डे पुत्र श्री रामहेतु	1981-82	20150.00
22	ककरहा घाट	श्री पुत्तिलाल पाण्डे पुत्र श्री रामहेतु	1986-87	35350.00
23	ककरहा घाट	श्री रक्षाराम पुत्र श्रीरामप्रकाश	1990-91	18000.00
24	ककरहा घाट	श्री बुद्धिलाल पुत्र श्री बिकाउ लाल	---	150000.00
		योग		579492.00

प्रस्तर-2. हडडी चमड़ा लाइसेंस पंजिका की जांच में पाया गया कि लाइसेंसदारों से लाइसेंस की पूरी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी फीस जमा नहीं की गयी। किन्तु दिनांक 31.03.2017 को कुल बकाया रु0 405235.00 की वसूली न कर संस्था को आर्थिक हानि पहुंचायी गयी। जिसकी वसूली के लिये कर-निरीक्षक श्री पंकज सिंह तथा श्री बाबूराम पाण्डेय तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीकान्त दूबे उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	विकास खण्ड	नाम बकायेदार	वर्ष	धनराशि
1	सिरसिया	श्री राम पल्टन पुत्र श्री ओरी लालल	1998-99	7400.00
2	सिरसिया	श्री बच्चा लाल पुत्र श्री सवामी दयाल	1998-99	9000.00
3	सिरसिया	श्री राम सरन पुत्र श्री पंचम	1999-2000	10000.00
4	सिरसिया	श्री मोतीदीन पुत्र श्री धना	1999-2000	7000.00
5	सिरसिया	श्री मूने पुत्र श्री बहादुर	1999-2000	22300.00
6	सिरसिया	श्री संजय कुमार सभापति समिति लालपुर अयोध्या, पूरे प्रसाद	2015-16	60900.00
7	सिरसिया	श्री सुकई राम सभापति समिति क्षेत्र दुर्गापुर, शाहपुर, वरगदवा-चौलाही	2015-16	68700.00
8	जुमनहा	श्री रामरूप सचिव पशुशव, उत्पा० औद्य० सहकारी समिति	1999-2000	7500.00
9	जुमनहा	श्री रामरूप सचिव पशुशव, उत्पा० औद्य० सहकारी समिति	2000-2001	6500.00
10	इकौना	श्री आज्ञाराम पुत्र श्री बेच यादव	2000-2001	11000.00
11	इकौना	मेसर्स पशु शव उत्पादन औद्य० सह सं० लि० प्र०-राज कुमार	2016-17	59200.00
12	इकौना	मेसर्स पशु शव उत्पादन औद्य० सह सं० लि० रघुनाथपुर	2016-17	13800.00
13	गिलौला	श्री राम खेलावन पुत्र श्री कन्धई लाल	1994-95	14500.00
14	गिलौला	श्री राम चन्दर पुत्र श्री गुरुदीन	1998-99	5875.00
15	गिलौला	श्री मुस्तफा पुत्र श्री समद	2000-2001	9000.00
16	गिलौला	श्री उगई पुत्र खिखीराम	2016-17	13000.00
17	हरिहरपुर रानी	श्री छोटे लाल पुत्र उल्लू	1997-98	10000.00
18	हरिहरपुर रानी	श्रीर सुखराम पुत्र श्री मेढ़ई	1998-99	7500.00
19	हरिहरपुर रानी	श्री राम लौटन पुत्र गुरु प्रसाद	1997-98	12500.00
20	हरिहरपुर रानी	श्री शमीउल्ला पुत्र श्री भोला	1998-99	6000.00
21	हरिहरपुर रानी	श्री सकटू राम पुत्र श्री दशरथ	2014-15	7200.00
22	हरिहरपुर रानी	रु० 5000.00 से कम		36360.00
		योग-		405235.00

प्रस्तर-3. जिला पंचायत द्वारा किराये पर उठाई गई सम्पत्तियों के किराये की वसूली पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिनांक 31.03.2017 को किराया पंजिका के अनुसार कुल रु०-1189817.00 बकाया रहा। आवंटियों से प्रतिमाह/वार्षिक किराये की वसूली न होने पर उन्हें बेदखल करने का अधिकार जिला पंचायत को है। परन्तु जिला पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विगत वर्षों से किराया न अदा करने वाले किरायेदारों को न तो बेदखल किया जा रहा है और न ही वसूली की जा रही है। अतः बकाये की वसूली भू-राजस्व की वसूली की तरह की जानी चाहिए। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(क) विकास खण्ड सिरसिया में स्थित दुकान :-

क्र० सं०	विकास खण्ड	नाम बकायेदार	धनराशि
1	सिरसिया	श्री जमालुद्दीन पुत्र श्री मो० अब्बास	9500.00
2		श्री रामराज त्रिपाठी पुत्र श्री राम किशुन दुकान नं०-2	5400.00
3		श्रीमती माया देवी पत्नी श्री शिव शंकर दुकान नं०-3	6588.00
4		श्री मो० हनीफ पुत्र श्री कदम दुकान नं०-4	6600.00
5		श्री अली अहमद पुत्र श्री पंचायती दुकान नं०-5	31065.00
6		कु० पदमा सिंह पत्नी श्री बंगाली सिंह, दुकान नं०-10/हस्तान्तरण	10873.00
7		श्री मो० हनीफ पुत्र इमाम अली दुकान नं०-10	11459.00

8	श्री राजेश्वरी प्रसाद पुत्र श्री रामेश्वरी प्रसाद दुकान नं०-11/हस्तान्तरण	10823.00
9	श्री राम निवास पुत्र श्री राम समुझ दुकान नं०-11	10792.00
10	श्री तम्बकेश्वर त्रिपाठी पुत्र श्री नरेश बहादुर दुकान नं०-14	8926.00
11	श्री राकेश कुमार व चन्द्रभानु दुकान नं०-15	10000.00
12	श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री दलबहादुर सिंह दुकान नं०-16	6400.00
13	कृषि रक्षा इकाई, सिरसिया दुकान नं०-17/18	33281.00
14	श्री मुस्ताक पुत्र श्री इब्राहीम दुकान नं०-19	11147.00
15	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री राम प्रताप वर्मा रिक्त भूमि दुकान नं०-12 एवं 13 के बीच	38076.00
	योग	210930.00

(ख) विकास खण्ड गिलौला के गिलौला बाजार में स्थित दुकानें :-

क्र०सं०	नाम बकायेदार	धनराशि
1	श्री स्वतन्त्र कुमार पुत्र श्री श्याम सुन्दर दुकान नं०-2	7950.00
2	श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद दुकान नं०-5	38600.00
3	श्रीमती पूनम द्विवेदी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी दुकान नं०-6	6280.00
4	श्री बाबूराम पाण्डेय पुत्र श्री नन्हकऊ प्रसाद दुकान नं०-8/हस्तान्तरण	60,000.00
5	श्री कल्लू राम पुत्र श्री ठोठेराम त्रिपाठी दुकान नं०-9/हस्तान्तरण	53364.00
6	श्री अमित कुमार जायसवाल पुत्र श्री सुन्दर लाल जायसवाल, दुकान नं०78 एवं 9	16512.00
7	डा० एम०एम० खान पुत्र अब्दुल गनी दुकान नं०-10	25100.00
8	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री विजय कुमार दुकान नं०-11	14900.00
9	श्री बैजनाथ सिंह पुत्र श्री हमेन्द्र सिंह दुकान नं०-12	36800.00
	योग	259506.00

(ग) नव निर्मित दुकान गिलौला :-

क्र०सं०	नाम बकायेदार	धनराशि
1	श्री रामरूप यादव पुत्र श्री मंगल प्रसाद दुकान नं०-1	24300.00
2	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रामरूप यादव दुकान नं०-2	70450.00
3	श्रीमती किश्वरजवी पत्नी श्री ख्वाजा शरीफुद्दीन दुकान नं०-3	75400.00
4	श्री नन्द कुमार पुत्र श्री राम खेलावन दुकान नं०-4	68400.00
5	श्री हारून खान पुत्र श्री मजहर हुसैन दुकान नं०-5	78000.00
	योग	266550.00

(घ) जमुनहां बाजार में स्थित दुकानें :-

क्र०सं०	नाम बकायेदार	धनराशि
1	शाखा प्रबन्धक गांधी आश्रम जमुनहां दुकान नं०-1/हस्तान्तरण	4100.00
2	श्री चेताराम वर्मा पुत्र श्री बच्चू लाल दुकान नं०-1	13200.00
3	श्री मुहम्मद युनुस पुत्र श्री नजीर दुकान नं०-7	5400.00
4	श्री अली हुसैन पुत्र श्री शद्दीक दुकान नं०-8	7450.00
5	श्री नईमुल्ला पुत्र श्री शफी खान दुकान नं०-10	5700.00
6	श्री रमजान अली पुत्र श्री लतीफ अहमद दुकान नं०-11	12953.00
7	श्री नन्द किशोर पुत्र श्री राजाराम दुकान नं०-12/हस्तान्तरण	24986.00
8	श्री मो० अमीन पुत्र श्री नजीर हसन दुकान नं०-13	6500.00
	योग	80289.00

(च) इकौना बाजार में स्थित दुकानें :-

क्र०सं०	नाम बकायेदार	धनराशि
1	श्री शकील अहमद पुत्र श्री मो० इदरीस दुकान नं०-4	8424.00
2	श्री बच्चू लाल सोनी पुत्र श्री बाल गोविन्द दुकान नं०-5	5900.00
3	श्री विश्वनाथ सोनी पुत्र श्री राधे श्याम सोनी दुकान नं०-8	8300.00
	योग	22624.00

(छ) विकास खण्ड जमुनहां के नासिरगंज बाजार में स्थित दुकानें :-

क्र०सं०	नाम बकायेदार	धनराशि
1	श्री उत्तम पुत्र श्री छेदा	9000.00
2	श्री साबिर हुसैन पुत्र श्री शाकिर हुसैन	7800.00
	योग	16800.00

(ज) विकास खण्ड जमुनहां के हस्ताक्षर गिरण्ट बाजार में स्थित दुकानें :-

क्र०सं०	नाम बकायेदार	धनराशि
1	श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री राम मनोरथ	14700.00
2	श्री उत्तम पुत्र श्री नकछेद, दुकान नं०-2	50100.00
3	श्री मोहम्मद अली पुत्र श्री समद अली दुकान नं०-3	54000.00
4	श्री ताज मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल बारी दुकान नं०-4	18400.00
5	श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री अब्दुल खलील दुकान नं०-5	13750.00
6	श्री मो० अनीस पुत्र श्री लड्डन दुकान नं०-6	39400.00
7	श्री चांद बाबू पुत्र श्री लड्डन दुकान नं०-7	95700.00
8	श्री अली बहादुर पुत्र श्री मूसा दुकान नं०-9	23600.00
9	श्री नफीस अहमद पुत्र श्री हनीफ अलीदुकान नं०-10	8100.00
	योग वर्तमान एवं तत्कालीन	247750.00

उक्त की वसूली की पूर्ण जबाबदेही अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार की है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4. उ०प्र० शासन के आदेश सं०-463/33-2-13-25जी/13 दिनांक 12 मार्च 2013 द्वारा प्रदेश के जिला पंचायतों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली साप्ताहिक बाजारों से तहबाजारी को समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है। तहबाजारी अभिलेखों की जाँच करने पर देखा गया कि 31.03.2017 को पुराना बकाया रु० 224600.00 की वसूली लम्बित है। जिसे वसूल न कर संस्था को आर्थिक हानि पहुँचायी गयी। जिसकी वसूली के लिये कर-निरीक्षक श्री पंकज सिंह तथा श्री बाबूराम पाण्डेय तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीकान्त दूबे उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

रु०-10000.00 से ऊपर के बकायेदारों की सूची निम्न विवरण अनुसार है:-

क्र०सं०	नाम ठेका	नाम ठेकदार	वर्ष	धनराशि
1	कटरा	श्री चन्द्रभूषण पुत्र श्री सुरेश चन्द्र	1999-2000	10000.00
2	कटरा	श्री जगदम्बा प्रसाद पुत्र श्री मुनेश्वर	2000-2001	30000.00
3	सिरसिया	श्री पिन्टू सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह	2000-2001	22000.00
4	लक्ष्मनपुर बाजार	श्री शिव प्रताप सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह	2010-11	25000.00
5	कटरा बाजार	श्री स्वामीनाथ द्विवेदी पुत्र श्री शीतला	2010-11	41000.00
6	गलौला	श्री अशोक सिंह पुत्र श्री विनायक सिंह	2012-13	12500.00
7	सिरसिया	श्री विकास सिंह पुत्र श्री सुधीर सिंह	2012-13	12500.00
8	कटरा	श्री आनन्द कुमार शुक्ला पुत्र श्री जगताराम	2012-13	40000.00
9		रु० 10000.00 से कम		31600.00
	योग			224600.00

प्रस्तर-5. जिला पंचायत के ठेका/पट्टा मत्स्य आखेट शर्तों के अनुसार स्वीकृत आदेश निर्गत करने के पूर्व समस्त धन जमा किया जाना चाहिए। धन जमा न करने पर ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। किन्तु जिला पंचायत के हितों की अवहेलना की गयी। फलस्वरूप 2016-17 में कुल रु० 246700.00 की वसूली नहीं की गयी तथा संस्था को आर्थिक हानि पहुँचायी गयी। जिसकी वसूली के लिये कर-निरीक्षक श्री पंकज सिंह तथा श्री बाबूराम पाण्डेय तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीकान्त दूबे उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

रु०-5000.00 एवं उसके ऊपर के बकायादार निम्नवत् है :-

क्र०सं०	नाम बकायदार	वर्ष	धनराशि
1	श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री सूरज प्रसाद	2000-2001	27500.00
2	श्री बसन्त पुत्र श्री मैकू	2002-2003	42000.00
3	श्री दयालू उर्फ दयाराम पुत्र श्री सुरजन	2003-2004	8500.00
4	श्री राम सूरत पुत्र श्री नागेश्वर	2004-2005	5000.00
5	श्री उमेश कुमार पुत्र श्री मन्सीराम	2005-2006	15300.00
6	श्री मातिवर पुत्र श्री लोषी	2005-2006	34200.00
7	श्री कैलाश नाथ पुत्र श्री राम आधार	2011-12	5000.00
8	श्री सहजराम पुत्र श्री सूर्य लाल	2013-14	42000.00

9	श्री राम चन्दर पुत्र श्री सम्पत्ति	2015-16	15500.00
10	श्री श्याम लाल निषाद, अध्यक्ष मत्स्यजीव सहस्रसाली सिसवारा इकौना	2016-17	29200.00
11	रु० 5000.00 से कम		22500.00
	योग		246700.00

प्रस्तर-6. दिनांक 31.03.2017 को ठेका पौण्ड के बकायादारों का रु० 446270.00 बकाया दर्शित है। जिसकी वसूली सम्बन्धित बकायादारों से की जानी अपेक्षित है। जिसकी वसूली के लिये कर-निरीक्षक श्री पंकज सिंह तथा श्री बाबूराम पाण्डेय तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीकान्त दूबे उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7. उ०प्र० जिला पंचायत (विभव एवं सम्पत्ति कर का आरोपण निर्धारण और वसूली) नियमावली 199 4 के नियम सं० 5 के अनुसार करदाताओं से सम्पत्ति व विभव कर वसूली कराने के लिये कार्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतएव उक्त नियमावली के नियम सं० 15 (क)(ख) तथा नियम संख्या 17 एवं उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-8 की धारा 147 से 155 के अधीन नियत रीति से या अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित रीति से बकाया सम्पत्ति एवं विभव कर रु० 1155967.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि के लिये लेखाकार श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, कर-निरीक्षक श्री पंकज सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीकान्त दूबे उत्तरदायी होंगे।

प्रस्तर-8. मालीगण के वेतन माह मई-2016 (01.05.2016 से 31.05.2016) के मस्टर रोल में क्र०सं०-3 पर दर्शित श्री कृपाराम पुत्र श्री रामलाल का 26 दिनों हेतु रु०-230 प्रतिदिन की दर से कुल भुगतान रु०-5980.00 पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है और भुगतान किया जाना दर्शित है। इस प्रकार रु०-5980 का बिना हस्ताक्षर फर्जी भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित लेखाकार श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9. जनपद में शराब की दुकानों पर लाइसेंस शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाना। शराब के लाइसेंस शुल्क से सम्बन्धित उपविधि का दिनांक 07.06.2014 को गजट सं०- 2810/ एल०बी०ए०/उपविधि 2014 के द्वारा संशोधन किया गया जिसमें उक्त शुल्क की वसूली हेतु रु० 1000.00 प्रति वर्ष का प्राविधान किया गया। लाइसेंस शुल्क की वसूली गजट प्रकाशन की तिथि दिनांक 07.06.2014 से प्रभावी है। जनपद श्रावस्ती में वर्ष 2014-15 से 2016-17 के बीच देशी शराब, विदेशी शराब एवं बीयर की कुल 316 दुकानों से लाइसेंस शुल्क की जिला पंचायत द्वारा न तो कभी मांग की गयी और न ही वसूली की कोई कार्यवाही की गयी। जबकि गजट प्रकाशन की तिथि से निम्न विवरणानुसार वसूली की जानी चाहिए थी।

क्र० सं०	वर्ष	दुकानों का प्रकार एवं संख्या			कुल दुकानों की संख्या	लाइसेंस शुल्क की दर (रु० प्रति वर्ष)	कुल आगणित लाइसेंस शुल्क (रु०)
1	2014-15 (10 माह)	60	22	20	102	1000.00	85000.00
2	2015-16	60	22	20	102	1000.00	102000.00
3	2016-17	62	25	25	112	1000.00	112000.00
	कुल योग-						299000.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा लाइसेंस शुल्क की कोई मांग नहीं किये जाने से उक्त अवधि हेतु आगणित धनराशि रु०-299000.00 की राजस्व क्षति हुई है, रु० 299000.00 की क्षतिपूर्ति कर पटल सहायक श्री योगेन्द्र यादव, कर-निरीक्षक श्री बाबूराम पाण्डेय, श्री पंकज सिंह तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीकान्त दूबे से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10. प्रिया साफ्ट से प्राप्त आय-व्यय विवरण के अनुसार वर्ष 2016-17 में पी०एफ० पर रु० 9116.00 का भुगतान किया गया। जबकि अधिकारियों/कर्मचारियों का पी०एफ० उनके बचत खाते में रखा जाता है। जिस पर बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है। अतः किसी भी कर्मचारी को पी०एफ० पर किया गया ब्याज भुगतान रु० 9116.00 पूर्णतः अनियमित रहा। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री श्रीकान्त दूबे एवं लेखाकार श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह पूर्णरूपेण उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप - 2

वर्ष 2016-17 वार्षिक प्रतिवेदन

जनपद का नाम-देवरिया

मण्डल का नाम-गोरखपुर

जिला पंचायत अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण-

प्रस्तर संख्या 1-

लेखा परीक्षा अनुसार वर्ष 2016-17 के प्राक्कलन में लेवर सेस व लेवर रजिस्ट्रेशन की धनराशि जोड़ कर ठेकेदार को भुगतान किया गया है विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	बाउचर संख्या	तिथि	लेवर सेस	लेवर रजिस्ट्रेशन
1	2	3	4	5
1	48	27-04-2016	9897-00	1000
2	24	11-05-2016	898-00	1000
3	26	„	8948-00	1000
4	50	16-05-2016	3977-00	1000
5	68	„	5085-00	1000
6	88	„	4930-00	1000
7	90	„	5040-00	1000
8	115	30-05-2016	6859-00	1000
9	116	„	2980-00	1000
10	33	13-06-2016	4931-00	1000
11	35	„	4941-00	1000
12	40	„	4940-00	1000
13	41	„	4976-00	1000
14	42	„	4940-00	1000
15	43	„	4941-00	1000
16	45	„	4937-00	1000
17	47	„	4954-00	1000
18	48	„	5031-00	1000
19	49	„	4946-00	1000
20	50	„	5007-00	1000
21	51	„	4940-00	1000
22	52	„	4988-00	1000
23	57	„	4939-00	1000
24	58	„	4940-00	1000
25	60	„	6964-00	1000
26	61	„	2983-00	1000
27	62	„	4945-00	1000
28	63	„	9984-00	1000
29	64	„	2962-00	1000
30	65	„	8905-00	1000
31	67	„	1709-00	1000
32	70	16-06-2016	1477-00	1000
33	73		5071-00	1000
34	74		4941-00	1000
35	75		9898-00	1000
36	78		4544-00	1000
37	84		4940-00	1000
38	85		4936-00	1000
39	86		4939-00	1000
40	87		4937-00	1000
41	91		9879-00	1000
42	92		10059-00	1000
43	93		9887-00	1000
44	94		9222-00	1000
45	95		4935-00	1000

46	96		2964-00	1000
47	97		4376-00	1000
48	98		6921-00	1000
49	109	17-06-2016	9914-00	1000
50	110	„	4940-00	1000
51	112	„	4940-00	1000
52	113	„	2459-00	1000
53	114	„	2495-00	1000
54	115	„	5935-00	1000
55	116	„	4940-00	1000
56	118	„	4935-00	1000
57	72	05-07-2016	5917-00	1000
58	74	„	6426-00	1000
59	75	„	5069-00	1000
60	76	„	4970-00	1000
61	77	„	3955-00	1000
62	78	„	2983-00	1000
63	79	„	5027-00	1000
64	81	„	5085-00	1000
65	85	„	4986-00	1000
66	86	„	4931-00	1000
67	87	„	5930-00	1000
68	88	„	4943-00	1000
69	89	„	3001-00	1000
70	90	„	5933-00	1000
71	91	„	5986-00	1000
72	92	„	2074-00	1000
73	94	„	5930-00	1000
74	98	„	5930-00	1000
75	99	„	5930-00	1000
76	100	„	4940-00	1000
77	101	„	4940-00	1000
78	103	„	2530-00	1000
79	105	„	4944-00	1000
80	106	„	5420-00	1000
81	107	„	4940-00	1000
82	108	„	4940-00	1000
83	109	„	4948-00	1000
84	110	„	4998-00	1000
85	112	„	2977-00	1000
86	113	„	4940-00	1000
87	114	„	4939-00	1000
88	115	„	2983-00	1000
89	117	„	4936-00	1000
90	119	„	7904-00	1000
91	120	„	5017-00	1000
92	121	„	4937-00	1000
93	125	„	4945-00	1000

94	126	„	4981-00	1000
95	127	11-07-2016	4947-00	1000
96	128	„	4934-00	1000
97	129	„	4956-00	1000
98	130	„	4959-00	1000
99	131	„	4959-00	1000
100	132	„	7879-00	1000
101	133	„	6909-00	1000
102	134	„	8387-00	1000
103	135	„	9810-00	1000
104	136	„	9890-00	1000
105	143	15-07-2016	5040-00	1000
106	144	„	4966-00	1000
107	145	„	4936-00	1000
108	147	„	9890-00	1000
109	159	„	2584-00	1000
110	21	02-08-2016	7415-00	1000
111	22	„	9880-00	1000
112	23	„	15176-00	1000
113	24	„	11884-00	1000
114	25	„	4940-00	1000
115	27	„	4940-00	1000
116	28	„	4939-00	1000
117	29	„	2960-00	1000
118	30	„	4941-00	1000
119	31	„	4938-00	1000
120	32	„	9830-00	1000
121	33	„	9898-00	1000
122	34	„	9742-00	1000
123	35	„	3949-00	1000
124	36	„	4996-00	1000
125	41	„	4939-00	1000
126	42	„	8931-00	1000
127	43	„	4972-00	1000
128	44	„	9950-00	1000
129	46	„	3950-00	1000
130	47	„	10864-00	1000
131	49	„	10899-00	1000
132	50	„	10376-00	1000
133	51	„	10900-00	1000
134	52	„	17815-00	1000
135	53	05-08-2016	10863-00	1000
136	54	„	13988-00	1000
137	55	„	17798-00	1000
138	56	„	9851-00	1000
139	57	„	10385-00	1000
140	58	„	5930-00	1000
141	59	„	5510-00	1000

142	60	„	8380-00	1000
143	61	„	7969-00	1000
144	69	„	4984-00	1000
145	70	„	10379-00	1000
146	71	„	10855-00	1000
147	101	29-08-2016	22748-00	1000
148	102	„	22523-00	1000
149	103	„	3958-00	1000
150	107	31-08-2016	4940-00	1000
151	108	„	4940-00	1000
152	109	„	4940-00	1000
153	110	„	4940-00	1000
154	112	„	4916-00	1000
155	114	„	5930-00	1000
156	17	01-09-2016	9848-00	1000
157	23	„	3946-00	1000
158	27	„	9862-00	1000
159	28	20-09-2016	9771-00	1000
160	29	„	7409-00	1000
161	24	05-10-2016	2470-00	1000
162	25	„	6430-00	1000
163	26	„	5938-00	1000
164	27	„	5949-00	1000
165	28	„	5974-00	1000
166	29	„	2945-00	1000
167	30	„	2950-00	1000
168	32	„	9877-00	1000
169	72	25-10-2016	6921-00	1000
170	73	„	10390-00	1000
171	88	„	16828-00	1000
172	111	26-10-2016	3008-00	1000
173	114	„	10877-00	1000
174	2	08-11-2016	6920-00	1000
175	3	„	7912-00	1000
176	6	„	2965-00	1000
177	8	„	3462-00	1000
178	9	„	5256-00	1000
179	25	18-11-2016	4941-00	1000
180	27	„	5016-00	1000
181	28	„	4950-00	1000
182	30	„	5943-00	1000
183	55	30-11-2016	4946-00	1000
184	58	„	975-00	1000
185	66	„	4457-00	1000
186	67	„	5007-00	1000
187	68	„	5201-00	1000
188	69	„	5039-00	1000
189	70	„	4942-00	1000

190	49	14-12-2016	5000-00	1000
191	84	31-12-2016	6786-00	1000
192	86	„	4933-00	1000
193	87	„	1970-00	1000
194	89	„	5930-00	1000
195	92	„	4942-00	1000
196	93	„	3008-00	1000
197	98	„	4957-00	1000
198	29	09-01-2017	4930-00	1000
199	81	„	3511-00	1000
200	85	„	4940-00	1000
201	86	„	2965-00	1000
202	93	25-01-2017	4940-00	1000
203	105	„	4940-00	1000
204	116	„	4940-00	1000
205	117	„	9974-00	1000
206	152	27-01-2017	9848-00	1000
207	65	08-02-2017	9935-00	1000
208	66	„	9924-00	1000
209	142	27-02-2017	22828-00	1000
210	156	„	2960-00	1000
211	161	28-02-2017	9910-00	1000
212	162	„	4940-00	1000
213	163	„	3455-00	1000
214	164	„	3440-00	1000
215	14	09-03-2017	4940-00	1000
216	16	„	3950-00	1000
217	17	„	9901-00	1000
218	24	„	9910-00	1000
219	34	„	3455-00	1000
220	37	„	9848-00	1000
221	39	„	3455-00	1000
222	40	„	9960-00	1000
223	41	„	4940-00	1000
224	45	„	12018-00	1000
225	48	„	10413-00	1000
226	52	„	3712-00	1000
227	53	„	3455-00	1000
228	55	„	4939-00	1000
229	56	„	6430-00	1000
230	57	„	10390-00	1000
231	58	„	12848-00	1000
232	59	„	12845-00	1000
233	60	„	10880-00	1000
234	61	„	10879-00	1000
235	62	„	10880-00	1000
236	63	„	10385-00	1000
237	64	„	14840-00	1000

238	65	„	9904-00	1000
239	66	„	6931-00	1000
240	67	„	4926-00	1000
241	68	„	4934-00	1000
242	69	„	4940-00	1000
243	70	„	9907-00	1000
244	71	„	9931-00	1000
245	149	16-03-2017	9907-00	1000
246	150	„	4955-00	1000
247	153	„	4940-00	1000
248	154	„	4940-00	1000
249	155	„	9925-00	1000
250	156	„	9923-00	1000
251	158	„	10385-00	1000
252	161	„	4939-00	1000
			1659692-00	252000-00

अतः रु0-1659692.00 लेवर सेस व रु0- 252000.00 लेवर रजिस्ट्रेशन कुल रु0 1911692.00 से जिला पंचायत की क्षति किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायन चन्द पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-2.

प्रस्तर संख्या 2- लेखा परीक्षा में पाया गया कि अधिकांश निर्माण कार्यों में आईटम वार्डज विचलन रहा अर्थात् विभिन्न आईटम में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया गया है यद्यपि उसकी पूर्ति अन्य आईटमों के बचत धनराशि से होती है। किन्तु उ0प्र0 वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के नियम संख्या-38 में दिये गये नियम का पालन करते हुए कार्य समाप्ति से पूर्व जब ऐसी स्थिति का आभास हो तो संशोधित स्टीमेट तैयार कर शासन से उसकी स्वीकृति लेनी चाहिए थी जो नहीं लिया गया है विवरण निम्न प्रकार रहा-

(क) कार्य- ग्राम पंचायत बांकी में भेलापार का अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य-

क्र0	आईटम/विवरण	स्वीकृत स्टीमेटेड मात्रा	एम0बी0 में दर्ज मात्रा	एम0बी0में अधिक दर्ज मात्रा	दर	धनराशि
i	पी/ एल 40 मि0मी0 गेज	65.06	70.04	4.98	2493	12415
ii	इंटरलाकिंग	728.98	787.2	58.22	760	44247
	योग					56662

(ख) ग्राम पंचायत खोरा राम में सवारी देवी इण्टर कालेज का इण्टरलाकिंग कार्य।-

i	सीसी 1:6:12	4.80	10.94	6.14	3300	20262
ii	बी/डब्लू 1:4	12.88	38.80	25.92	4570	118454
iii	स्ट्राक 1:2	46-00	104.88	58.88	160	9421
iv	पी/एल 80 मि0मी0 इन्ट	254-00	603-00	349.63	760	265719
						413856

(ग) मालवीय रोड स्थित क्षेत्रीय गांधी आश्रम देवरिया भवन का अनुरक्षण कार्य-

i	डिस्मीटिंग सी सी फ्लोर	255.05	368.01	112.96	3700	417952
ii	सीसी 1:2:4	10.20	13.92	3.72	6300	23436
iii	2 सेमटनिक 1:2:4	40.50	51.66	11.16	500	5580
iv	बी/डब्लू सक्सट्रिक	8.28	10.52	2.24	5245	11749
						458717

(घ) ग्राम बसन्तपुर में मन्दिर के पास 3 मी0 आर0स0सी0 पुलिया निर्माण कार्य-

i	सीसी 1:4:8	30.17	31.01	0.84	3700	3108
ii	बी/डब्लू 1:4	49.84	70.40	20.30	4825	97948
iii	बी ओ ई सोलिंग वर्क	120-00	306.95	189.87	415	78796
						179852

(ड) ग्राम करमजीतपुर में पूजन यादव के ट्यूबेल से हीरामणि यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य—

i	सीसी 1:6:12	13.78	15.63	1.85	3300	6105
ii	बी/डब्लू 1:4	36.97	47.45	10.48	4570	47894
iii	स्ट्राक सेम 1:2	132.02	149.76	17.74	160	2838
						56837

(च) ग्राम देवरिया खास में जमुना पासवान के दुकान से प्रभु कुशवाहा के घर की ओर इण्टरलाकिंग कार्य—

i	ई/डब्लू	708.75	1192.90	484.15	105	50836
ii	ब्रिक	81-00	90.86	9.86	415	4092
						54928

(छ) बलुआ अफगान पंडित टोला में रामईश्वर काजू के घर से छोटक साहनी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य—

i	सीसी 1:6:12	5.45	7.04	1.59	3300	5247
ii	ई/डब्लू 1:4	19.48	25.68	6.20	4570	28334
iii	पी/एल 40 मिमी 1:6:12	27.83	33.20	5.37	2493.6	13391
iv	पी/एल इंटर्लॉकिंग	278.30	332.02	53.72	760	40827
						87799

(ज) ग्राम जमुआ हंसनाथ तिवारी के मकान से कम्हरिया पड़री पिच सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य—

i	सीसी 1:6:12	10.80	12.22	1.42	3300	4686
ii	पी/एल 40 मिमी 0 गेज	60-00	82.65	22.65	2493.6	56480
iii	पी/एल इंटर्लॉकिंग	600-00	730.67	130.67	760	99309
						160475

(झ) ग्राम गाढा में सत्येन्द्र पटेल के घर से जंगबहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य—

i	बीओई सोलिंग	35-00	45.75	10.75	415	4461
ii	पी/एल 40 मिमी 0 गेज	63.96	70.99	7.03	2493.6	17530
iii	पी/एल इंटर्लॉकिंग	710.70	747.43	36.73	760	27915
						49906

(ञ) ग्राम ठाकुरपुर पिच रोड से गांव के अन्दर तक इण्टरलाकिंग कार्य—

i	बी/डब्लू 1:4	36.97	44.20	7.23	4570	33041
ii	बीओई सोलिंग	39-00	56.50	17.50	415	7263
iii	पी/एल 40 मिमी 0 गेज	65.06	65.89	0.83	2493.6	2070
						42374

(ट) ग्राम जमुआ में हरपुर मार्ग पर आरसीसी पुलिया निर्माण—

i	सी/डब्लू विथ बीबी 1:4:8	10.27	19.04	8.77	3700	32449
ii	बी/डब्लू 1:4	35.50	40.90	5.40	4825	26055
iii	बी/डब्लू 1:4 सब.	39.79	47.81	8.02	5045	40965
iv	आरसीसी 1:2:4	7.50	9.26	1.76	7600	13376
						112845

(ठ) भलुअनी पकड़ी फतेहपुर मार्ग से हीरामन परसिया होते पकड़ी बराव पिच मार्ग तक लेपन मरम्मत कार्य—

i	डब्लूबीएम जी-3	113.63	116.40	2.77	3741.9	10365
ii	ट्रैक सीए	1515.05	1772.05	257.05	15.9	4087
iii	प्रीम	1515.05	1772.05	257.05	166.5	42799
iv	सील कोट	1515.05	1772.05	257.05	57.8	14857
						72108

(ड) ग्राम भैदवा में बाबू लाल भर के घर से सुबाष के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य—

i	पी/एल 40 मिमी 0 गेज	32.46	35.24	2.78	2493.6	6932
ii	पी/एल इंटर्लॉकिंग	360.68	413.40	52.72	760	40067
						46999

(ढ) ग्राम असनहर सी0सी0 रोड मुन्ना केवट के धर से भाट तक इण्टरलाकिंग कार्य-

i	बी/डब्लू इन 1:4:	23.96	32.58	8.62	4570	39393
ii	पी/एल 40 मिमी0	41.81	42.27	0.46	2493.6	1147
iii	पी/एल इंटरलॉकिंग	472.44	477.47	5.03	760	3800
						44340

इस प्रकार विचलन के सम्बन्ध में जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सं0-15, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड vi के नियम सं0-379(ए) एवं नियम संख्या-318 के विपरीत कार्य किया गया है। इस प्रकार बिना उचित ढग से अनुमोदन के भुगतान के लिये मुख्य रूप से अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं। अतएव उपरोक्त क्रमांक क से ढ तक के विचलन की कुल धनराशि रू0-1837698.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हरिओम नारायन चन्द अपर मुख्य अधिकारी तथा अभियन्ता श्री राम जी यादव से किया जाना अपेक्षित रहा। **मूल आपत्ति संख्या-4.**

प्रस्तर संख्या 3- लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त से निम्न प्रकार लेपन व मरम्मत कार्य करा कर बी0जी0-10 की मात्रा का प्रयोग किया गया है लेकिन शासनादेश सं0- 1408/23/3-9-62/जनरल/08 लोक निर्माण अनुभाग-3 दिनांक-8 मई 2009 के अनुसार विटुमिन आपूर्ति का भुगतान तभी किया जायेगा जब मूल इनवाईस ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाय। इस प्रकार बिना इनवाईस प्राप्त किये ही बिटुमिन मूल्य का भुगतान किया गया है जो अनियमित रहा - विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्र0	कार्य का नाम	प्रयुक्त वी0जी010 एम0टी	कार्य पर भुगतानित धनराशि
1	देवरिया सदर पकड़ी मल्ल सड़क से बैकुण्ठपुर सड़क का अवशेष लेपन मरम्मत कार्य	6.835	11.980
2	तरकुलवां में बंजरिया मुख्य मार्ग से भीमपुर चौराहा बसन्तपुर धुसी मार्ग का लेपन मरम्मत कार्य।	5.888	10.490
3	मईल मुसैला पिच मार्ग से सोनबरसा होते हुए रामजानकी मार्ग तक लेपन मरम्मत कार्य।	5.209	10.490
4	सिरजम से लखनचन्द का अवशेष लेपन मरम्मत कार्य।	5.771	11.985
5	गौरी बाजार चरियांब बुजुर्ग से विशुनपुरा ढाला तक पिच मरम्मत कार्य।	2.765	11.995
6	देसही देवरिया खोराराम पेट्रोल पम्प से बौरी की ओर लेपन कार्य।	6.544	10.990
7	देसही देवरिया ग्राम देवरिया खास बसडीला मार्ग से मरुयन यादव मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	3.342	14.990
8	हरैया से बहोरवा होते सरौरा तक लेपन	4.175	10.990
9	पिपरहिया मार्ग से कुहुनिया कोठी की ओर ले0 म0 कार्य	12.422	
	मईल बरहज पिच मार्ग से बढौना देववारी तक लेपन मरम्मत कार्य।	10.294	5.690
10	घुडी कुण्ड खुर्द से घुडी कुण्ड कला होते नहर पटरी तक लेपन मरम्मत कार्य।	6.272	12.980
11	भिंंगारी भवानी छापर मार्ग से विरमा पट्टी होते सदलगंज मोड़ तक लेपन मरम्मत कार्य।	15.857	9.980
12	मुरारपुर छापर से घुडी कुण्ड तक लेपन मरम्मत कार्य।	6.272	12.980
13	लार में पिण्डी मार्ग का अवशेष भाग लेपन मरम्मत कार्य।	6.780	10.990
14	भागलपुर जिरासो से धर्मेन्द्र तक अवशेष लेपन मरम्मत कार्य।	6.308	10.987
	योग-	104.734	157.517

इस प्रकार बिटुमिन आपूर्ति का इनवाईस प्राप्त करके जिला पंचायत द्वारा रू0-1,57,51,700.00 रुपये का कार्य कराकर व ठेकेदारों को भुगतान कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायन चन्द व अभियन्ता श्री रामजी यादव उत्तरदायी रहे। **मूल आपत्ति संख्या-5.**

प्रस्तर संख्या 4— जिला पंचायत देवरिया के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासन से प्राप्त अनुदान पर व्याज की धनराशि दिनांक— 31.03.2017 को ₹0 3850280.00 जमा नहीं जिसमें से ₹0 2597813.45 राज्य वित्त योजना की ₹0-1181607.00 तेरहवां वित्त योजना की तथा ₹0— 70860.00 विधायक निधि का जमा रहा। जबकि शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस- 2012-10(33)/2010 दिनांक-21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रख कर व्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित व्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी और राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए लेकिन जिला पंचायत देवरिया द्वारा प्राप्त अनुदानों पर अर्जित व्याज को राजकीय कोष में जमा न करके संस्था हित में रखा गया है जो अनियमित रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चन्द, वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-6.

प्रस्तर संख्या 5— वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग से कराये गये इण्टरलाकिंग कार्यों के पत्रावली की जांच में पाया गया कि किसी भी पत्रावली में मि0मी0 11 (रवन्ना) संलग्न नहीं है जबकि एमबी में निम्न प्रकार कार्य कराकर तथा मानकनुसार बालू का प्रयोग न करके बालू मूल्य का भुगतान किया गया है विवरण निम्न प्रकार रहा—

(क) बसडीला में पुजारी यादव के घर से शेषनाथ यादव के घर होते हुए प्रमोद मद्धेशिया के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।

क्र0	आईटम	एम0बी0 में आंकित कार्य का माप एम 3	मानकनुसार प्रयुक्त बालू मात्रा एम 3	बालू मूल्य	रायल्टी
I	सीसी 1:6:12	4.77	2.39		
ii	बी/डब्लू 1:4	12.82	3.46		
iii	पीएल 40 मि0मी0 गेज	23.10	11.55		
योग—			17.40	13920-00	1914-00

(ख) ग्राम सभा बढया हरदो में पिच सड़क से रामनगीना के घर होते हुए रामवअवध के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य—

क्र0	आईटम	एम0बी0 में आंकित कार्य का माप एम 3	मानकनुसार प्रयुक्त बालू मात्रा एम 3	बालू मूल्य	रायल्टी
I	सीसी 1:6:12	22.51	11.25		
ii	बी/डब्लू 1:4	43.70	11.79		
iii	पीएल 40 मि0मी0 गेज 1:6:12	61.13	30.56		
योग—			53.60	42880-00	5896-00

(ग) ग्राम परसौनी सी0सी0 रोड से रामनरेश यादव के घर होते प्रभुनाथ यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।

क्र0	आईटम	एम0बी0 में आंकित कार्य का माप एम 3	मानकनुसार प्रयुक्त बालू मात्रा एम 3	बालू मूल्य	रायल्टी
i	सीसी 1:6:12	1.57	5.78		
ii	बी/डब्लू 1:4	38.43	10.37		
iii	पीएल 40 मि0मी0 गेज 1:6:12	65.14	32.57		
योग—			48.72	38976-00	5359-00

(घ) ग्राम सभा पडियापार में दीपचन्द के दरवाजे से जोगीन्दर पटेल के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य।

क्र0	आईटम	एम0बी0 में आंकित कार्य का माप एम 3	मानकनुसार प्रयुक्त बालू मात्रा एम 3	बालू मूल्य	रायल्टी
i	सीसी 1:6:12	13.78	6.89		

ii	बी / डब्लू 1:4	36.97	9.98		
iii	पीएल 40 मिमी गेज 1:6:12	65.61	32.81		
योग-		49.68	39744-00	5465-00	

(ड) बंजरिया पिच रोड से बंजरिया सम्पर्क मार्ग का इण्टरलाकिंग कार्य।

क्र०	आईटम	एम०बी० में आंकित कार्य का माप एम 3	मानकनुसार प्रयुक्त बालू मात्रा एम 3	बालू मूल्य	रायल्टी
i	सीसी 1:6:12	6.82	3.41		
ii	बी / डब्लू 1:4	18.29	4.93		
iii	पीएल 40 मिमी गेज 1:6:12	32.46	16.23		
योग-		24.57	19656-00	2703-00	

(च) ग्राम पंचायत मोहनी देई में नौका टोला में इण्टरलाकिंग कार्य।

क्र०	आईटम	एम०बी० में आंकित कार्य का माप एम 3	मानकनुसार प्रयुक्त बालू मात्रा एम 3	बालू मूल्य	रायल्टी
i	सीसी 1:6:12	11.31	5.66		
ii	बी / डब्लू 1:4	33.71	9.10		
iii	पीएल 40 मिमी गेज 1:6:12	69.92	34.96		
योग-		49.72	39776-00	5469-00	

(छ) ग्राम पंचायत खोराराम में संवारी देवी इण्टर कालेज तक इण्टरलाकिंग कार्य।

क्र०	आईटम	एम०बी० में आंकित कार्य का माप एम 3	मानकनुसार प्रयुक्त बालू मात्रा एम 3	बालू मूल्य	रायल्टी
i	सीसी 1:6:12	10.94	5.47		
ii	बी / डब्लू 1:4	38.80	10.48		
iii	पीएल 40 मिमी गेज 1:6:12	49.07	24.53		
योग-		40.48	32384-00	4453-00	

(ज) ग्राम सभा बांकी में भेलावार का अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य।

क्र०	आईटम	एम०बी० में आंकित कार्य का माप एम 3	मानकनुसार प्रयुक्त बालू मात्रा एम 3	बालू मूल्य	रायल्टी
i	सीसी 1:6:12	12.24	6.12		
ii	बी / डब्लू 1:4	32.84	8.87		
iii	पीएल 40 मिमी गेज 1:6:12	70.04	35.02		
योग-		50.01	40008-00	5501-00	

(झ) ग्राम सभा बैकुण्ठपुर सूरज चाय दुकान से राजकुमार गुप्ता के दुकान होते हुए मछली हट्टा चूड़ा मशीन तक व राम सनेही दुकान से पिच तक व बनारसी डोम से पश्चिम कोदई प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।

क्र०	आईटम	एम०बी० में आंकित कार्य का माप एम 3	मानकनुसार प्रयुक्त बालू मात्रा एम 3	बालू मूल्य	रायल्टी
i	सीसी 1:6:12	13.36	6.68		
ii	बी / डब्लू 1:4	40.31	10.88		

iii	पीएल 40 मिमी0 गेज 1:6:12	63.20	31.60		
	योग-		49.16	39328-00	5408-00

योग- 383.34

इस प्रकार रू0- 306672.00 का निर्माण सामग्री बिना प्रयोग किये ही बालू मूल्य रू0-306672.00 तथा प्रयुक्त कुल बालू 383.34 घन मीटर पर रायल्टी दर रू0-65 का शासनादेश संख्या 3385/86-15-292/2015 बिन्दु संख्या-3(3) के अनुसार रायल्टी की धनराशि कटौती न होने की दशा में पांच गुना राजकीय राजस्व रू0- 124585.00 कुल धनराशि रू0-431257.00 का आपहरण किया गया है जिसके लिये उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चन्द अभियन्ता श्री राम जी यादव तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष श्रीवास्तव रहे। ब्याज सहित वूसली किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-9.

प्रस्तर संख्या 6- लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकांश कार्य कराया गया है जबकि शासनादेश सं0- 2796/33-3-2015-03/2015 पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक-9 अक्टूबर 2015 के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार कई ग्राम सभा व कुनवो को जोड़ने वाली परियोजना ही जिला पंचायत अपने कार्यों में सम्मिलित करेगी। विवरण निम्न प्रकार रहा-

क0	कार्य का नाम	भुगतानित धनराशि (लाख में)
1	ग्राम रैश्री में सड़क मरम्मत कार्य।	5-00
2	ग्राम पहाड़पुर में इण्टरलाकिंग कार्य।	4.49
3	ग्राम कन्चनपुर में नाले का निर्माण कार्य।	4.99
4	ग्राम बड़हरा में देदीया घर से रामअधार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	2.99
5	ग्राम खिरहा में इण्टरलाकिंग कार्य।	2.60
6	ग्राम देवकुआं में अवशेष भाग का इण्टरलाकिंग कार्य।	4.99
7	ग्राम बहोरवा में इण्टरलाकिंग कार्य।	4.99
8	ग्राम भैया फुलवरिया में (खेरिया) इण्टरलाकिंग कार्य।	4.99
9	ग्राम उदयपुरा फननू मिश्र के दरवाजे से गांव तक इण्टरलाकिंग कार्य।	3.49
10	ग्राम सभा नरायनपुर जदूमाली घर से हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य।	1.99
11	ग्राम एकलास डुमरी में विरभद्र के घर से हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य।	4.99
12	ग्राम गौर कोठी सिगहा टोले छेदी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	3.99
13	ग्राम जैतपुरा खूबलाल के घर से इम्तियाज के घर होते हुए हरिश्चन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	4.90
14	ग्राम बेलावर दुबाबर रमाशंकर के घर से डा0 संतोष के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	3.49
15	ग्राम मढौना बाबू लाल के घर से सुबाष के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	5-00
16	ग्राम साडा में इण्टरलाकिंग कार्य।	3.50
17	ग्राम ठाकुरदेवा में धमेन्द्र पाण्डेय के घर से पोखरी तक नाली निर्माण	4.33
18	ग्राम बढया फुलवरिया मरूकहां टोले पर इण्टरलाकिंग कार्य।	3.49
19	पिच सड़क से ग्राम सभा बगरौली में इण्टरलाकिंग कार्य।	4.99
20	ग्राम पिपराडाड में समय माता के सीन पर इण्टरलाकिंग कार्य।	3.48
21	ग्राम पंचायत उच्चापार में राजेन्द्र यादव के घर से रामेश्वर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	4.99

22	ग्राम पंचायत जोगम रघुबीर निषाद के से गोधन सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	3.99
23	ग्राम खड़ाईच में अर्जुन यादव के घर से ब्रम्ह स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	3.98
24	ग्राम पंचायत देवतहा में गयाशंकर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	5.87
25	ग्राम पंचायत गडेर अमीन से बसंत के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	3.99
		105.49

इस प्रकार शासन के गाईड लाइन के विपरीत कार्य कराकर ₹0-1,05,56,500 रुपये की अनियमितता किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नरायन चन्द अभियन्ता श्री रामजी यादव तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष श्रीवास्तव उत्तरदायी है। यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-10.

प्रस्तर संख्या 7- . लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों में कहा से कहा तक कार्य हुआ है पी0डब्लू0आर0 व्यय प्रमाणको में उल्लेख पूर्ण रूप से नहीं किया गया है विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्र0	कार्य का नाम	भुगतानित धनराशि (लाख में)
1	ग्राम सभा मेहियवा नवापार में इण्टरलाकिंग कार्य।	10.00
2	ग्राम सभा भैया फुलवरिया खेरिया में इण्टरलाकिंग कार्य।	4.99
3	ग्राम सभा फुलवरिया में इण्टरलाकिंग कार्य।	2.99
4	ग्राम सभा इन्दवा में इण्टरलाकिंग कार्य।	4.99
5	ग्राम सभा भदवार में इण्टरलाकिंग कार्य।	4.99
6	ग्राम सभा बैदौली में इण्टरलाकिंग कार्य।	10.00
7	ग्राम सभा ओईना में दुर्गा मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	20.98
8	देवरिया खास कुर्मी टोला में इण्टरलाकिंग कार्य।	10.00
9	ग्राम सभा मोईनी देवी नौका टोला में इण्टरलाकिंग कार्य।	10.03
10	ग्राम सभा विशुनपुरा में इण्टरलाकिंग कार्य।	10.00
11	ग्राम सभा जोगउर ओझा टोला में इण्टरलाकिंग कार्य।	10.00
12	ग्राम ठाकुरपुर पिच रोड से गांव के अन्दर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	10.01
13	ग्राम सभा फरेन्दहवा पटखौली में इण्टरलाकिंग कार्य।	3.99
14	ग्राम सभा खिरहा में इण्टरलाकिंग कार्य।	2.60
		115.565

इस प्रकार निर्माण कार्य का स्पष्ट उल्लेख न करके ₹0- 1,15,56,500 रुपये का भुगतान किया गया है जो शासनादेश सं0- 1838/33-2015-3/2015 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक-31 जुलाई 2015 का स्पष्ट उलंघन है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नरायन चन्द, वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष श्रीवास्तव उत्तरदायी है।

मूल आपत्ति संख्या-12

प्रस्तर संख्या 8- . वर्ष 2016-17 के व्यय प्रमाणको की जांच में पाया गया कि रायल्टी की धनराशि कम काटी गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्र0	बाउचर संख्या व तिथि	मिट्टी कार्य घन मी0	रायल्टी धनराशि काटा गया	रायल्टी धनराशि काटा जाना चाहिए
i	26/05-10-2016	99.75 मी03	1397-00	2992-00
ii	27/05-10-2016	183.36 मी03		5501-00
iii	28/05-10-2016	189.85 मी03	2659-00	5695
	योग-		4056-00	14188-00

इस प्रकार अन्तर की धनराशि ₹0- 10133.00 से रायल्टी कम काट कर राजकीय राजस्व का क्षति किया गया है जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नरायन चन्द वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-13

प्रस्तर संख्या 09-वर्ष 2016-17 के लेपन/मरम्मत कार्यों के पत्रावली के जांच में पाया गया कि पत्रावली में एमएम 11 (खन्ना) संलग्न नहीं किया गया है जबकि मानक अनुसार गिट्टी प्रयुक्त कर भुगतान किया गया है विवरण निम्न प्रकार रहा-

(क) देवरिया सदर पड़री मल्ल सड़क से बैकुण्ठपुर सड़क का अवशेष भाग लेपन मरम्मत कार्य-

क्र०	विवरण	एमबी० में माप	गिट्टी साईज	प्रयुक्त गिट्टी (मी०३)	न्यूनतम दर पर धनराशि
i	पी/एल जी३	106.08 एम 3	53 एमएम to 22.4 एमएम टाईप 11.2 एमएम	128.36 25.46	
ii	प्रिमिक्स कोट	2778.75 एम 2	13.2 एमएम 11.2 एमएम	50.02 25.01	
iii	सील कोट	2778.75 एम 2	6.70	25.01 मी०३	540899-00
योग—			रायल्टी		40618-00

(ख) तरकुलवां में बंजरिया मुख्य मार्ग से भीमपुर चौराहा बसन्तपुर धुसी मार्ग का लेपन कार्य।

क्र०	विवरण	एमबी में माप	गिट्टी साईज	प्रयुक्त गिट्टी (एम 3)	न्यूनतम दर पर धनराशि
i	पी/एल जी३	76.22 एम 3	53 एमएम to 22.4 एमएम टाईप 11.2 एमएम	92.22 18.29	
ii	प्रिमिक्स कोट	2394 एम 2	13.2 एमएम 11.2 एमएम	43.09 21.54	
iii	सील कोट	2394 एम 2	6.70	21.54 एम 3	
योग—				196.68	442097-00
			रायल्टी		31469

इस प्रकार निर्माण कार्य में बिना गिट्टी प्रयोग किये ही न्यूनतम गिट्टी दर से रू०— 540899.00 व रू०— 442097.00 कुल धनराशि रू०— 982996.00 का अपहरण तथा उक्त गिट्टी पर रायल्टी रू०— 40816.00+31469.00 कुल धनराशि रू०—72285.00 का पांच गुना रू०— 361425.00 के राजकीय राजस्व का क्षति किया गया है। अतएव कुल धनराशि 982996+361425=1344421.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित रहा जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायण चन्द, वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष श्रीवास्तव, अभियन्ता श्री रामजी यादव तथा लेखाकार श्री परमात्मा सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रह। **मूल आपत्ति संख्या—14.**

प्रस्तर संख्या 10— निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य में मानक अनुसार लगे गिट्टी से एमएम 11 (खन्ना) कम लगाकर गिट्टी मूल्य का अपहरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार रहा—

(क) सिरजम से लखनचन्द का अवशेष लेपन मरम्मत कार्य।

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी३	121.45	53 एमएम टू 22.2 एमएम 11.2 एमएम	146.95 29.15		
ii	प्रिमिक्स कोट	2346.36	13.2 एमएम 11.2 एमएम	42.23 21.11		
iii	सील कोट	2346.36	6.70	21.17		
योग—				260.61 एम 3	48.50 एम 3	212.11 एम 3

(ख) मईल मुसैला पिच मार्ग से सोनबरसा होते रामजीनकी मार्ग तक लेपन मरम्मत कार्य।

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी एम 3	फाइनल में लगा एमएम11	कम एमएम 11
i	जी३	101.62	53 एमएम टू 22.2 एमएम 11.2 एमएम	122.96 24.38		
ii	प्रिमिक्स कोट	2117.81	13.2 एमएम 11.20	38.12 19.06		
iii	सील कोट	2117.81	6.70	19.06		
योग—				223.58	98 घनमीटर	125.58 घनमीटर

(ग) गौरी बाजार में चरियाव बुजुर्ग से विशुनपुरा ढाला तक पिच मरम्मत कार्य।

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी एम 3	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी 2	122.85	63 एमएम टू 45 एमएम 11.2 एमएम	148.64 33.17		
ii	जी 3	84.38	53 एमएम - 22.2 एमएम 11.2 एमएम	102.09 20.25		
iii	प्रिमिक्स कोट	1125-00	13.2 एमएम 11.20	20.25 10.12		
IV	एस कोट	1125-00	6.7 एमएम	10.12		
योग—				344.64 एम3	187.50 एम3	157.14 एम 3

(घ) देवरिया सदर खोराराम पेट्रोल पम्प से बौरी की ओर लेपन मरम्मत कार्य।

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी 3	108.75	53 एमएम टू 22.2 एमएम 11.2 एमएम	131.58 26.10		
ii	प्रिमिक्स कोट	2660.61	13.2 एमएम 11.20	47.89 23.94		
iii	सील कोट	2660.61	6.7 एमएम	23.94		
योग—				253.45 एम 3	105 एम 3	148.45 एम 3

(ङ) देवरिया सदर ग्राम पंचायत देवरिया खास से बसडीला से स्व० जगत मरुयन यादव मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य—

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जीएसबीजीआई	31.19	53 एमएम टू 9.5 एमएम	39.92		
ii	जी-2	118.70	63-45 एमएम 11.20	143.62 32.04		
iii	जी-3	87.66	53 एम-22.2 एमएम 11.20	106.06 21.03		
IV	प्रिमिक्स कोट	1168.80	13.02 11.20	21.03 10.51		
v	सील कोट	1168.80	6.70	10.51 एम 3		
योग—				384.72 एम 3	198 एम 3	186.72 एम 3

(च) हरैया से बहोरवा होते सरौरा तक लेपन मरम्मत कार्य—

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी-2	38.82	63-45 एमएम 11.20	46.91 10.48		
ii	जी-3	116.90	53 एम-22.2 एमएम 11.20	141.44 28.05		
ii	प्रिमिक्स कोट	1585.60	13.02 11.20	28.54 14.27		
iv	सील कोट	1585.60	6.70	14.27		
योग—				284.02 एम 3	130 एम 3	154.02 एम 3

(छ) पिपरहिया मार्ग से केहुनिया कोटी की ओर लेपन मरम्मत कार्य—

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी3	118.79	53 एमएम टू 22.2 एमएम 11.2 एमएम	143.73 28.51		
ii	प्रिमिक्स कोट	5050-00	13.2 एमएम 11.20	90.90 45.45		
iii	सील कोट	5050-00	6.7 एमएम	45.45		
	योग—			354.04 एम 3	104 एम 3	250.04 एम 3

(ज) गौरी बाजार देवगांव पोखरा से सेमरहवां लखनचन्द होते हुए सिरजम तक लेपन मरम्मत कार्य।

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी 3	81.77	53 एमएम टू 22.2 एमएम 11.2 एमएम	98.94 19.62		
ii	प्रिमिक्स कोट	2400-00	13.2 एमएम 11.20	43.20 21.60		
iii	सील कोट	2400-00	6.7 एमएम	21.60		
	योग—			204.96 एम 3	39 एम 3	165.96 एम 3

(झ) भागलपुर मेंम इल बरहज पिच मार्ग से बढौना देववारी तक लेपन मरम्मत कार्य।

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी 3	110.62	53 एमएम टू 22.2 एमएम 11.2 एमएम	133.85 26.55		
ii	प्रिमिक्स कोट	4185.23	13.2 एमएम 11.20	75.33 37.67		
iii	सील कोट	4185.23	6.7 एमएम	37.67		
	योग—			311.07 एम 3	117 एम 3	194.07 एम 3

(ञ) भटनी बुजुर्ग से हरैया तक लेपन मरम्मत कार्य।

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी 3	75.41	53 एमएम टू 22.2 एमएम 11.2 एमएम	91.25 18.10		
ii	प्रिमिक्स कोट	3675-00	13.2 एमएम 11.20	66.15 33.07		
iii	सील कोट	3675-00	6.7 एमएम	33.07		
	योग—		रायल्टी	241.64 एम 3	108 एम 3	133.64 एम 3

(ट) पथरदेवा घुड़ी कुण्ड खुर्द से घुड़ी कला होते हुए नहर पटरी तक लेपन मरम्मत कार्य।

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी 2	39.32	63-45 एमएम	47.57		
ii	जी 3	85.70z	53एम -22.2 एमएम 11.20	103.70 20.57		

ii	प्रिमिक्स कोट	2550-00	13.02 11.20	45.90 22.95		
iv	सील कोट	2550-00	6.70	22.95		
योग-				263.64 एम 3	108 एम 3	155.64 M3

(ठ) रूद्रपुर तिघरा मराछी मार्ग से भेड़ी से नारायनपुर मार्ग का लेपन मरम्मत कार्य।

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी 3	85.29	53 एमएम टू 22.2 एमएम 11.2 एमएम	103.20 20.47		
ii	प्रिमिक्स कोट	4500-00	13.2 एमएम 11.20	81-00 40.50		
iii	सील कोट	4500-00	6.7 एमएम	40.50		
योग-				285.67 एम 3	105 एम 3	180.67 एम 3

(ड) भाटपार रानी भिंगारी भवानी छापर मार्ग से बिरमा पट्टी टड़वां होते सदलगंज मोड तक लेपन मरम्मत कार्य।

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी 3	140.04	53 एमएम टू 22.2 एमएम 11.2 एमएम	169.45 33.61		
ii	प्रिमिक्स कोट	6446-00	13.2 एमएम 11.20	116.03 58.09		
iii	सील कोट	6446-00	6.7 एमएम	58.09		
योग-				435.27 एम 3	203 एम 3	232.27 एम 3

(ढ) पचरुखा बैदा मार्ग से जगरनाथ होते काझानरायन बंधा तक मरम्मत कार्य।

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी 2	81.59	63-45 एमएम	98.72 22.03		
ii	जी 3	118.62	53 एम-22.4 एमएम 11.20	143.53 28.47		
ii	प्रिमिक्स कोट	1581.55	13.02 11.20	28.47 14.23		
iv	सील कोट	1581.55	6.70	14.23		
योग-				349.68 एम 3	124 एम 3	225.68 एम 3

(ण) पथरदेवा मुरारपुर छापर घुड़ीकुण्ट तक लेपन मरम्मत कार्य।

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी 2	37.86	63-45 एमएम	45.81		
ii	जी 3	94.50	53 एम-22.4 एमएम 11.20	114.35 22.68		
ii	प्रिमिक्स कोट	2550-00	13.02 11.20	45.90 22.95		

iv	सील कोट	2550-00	6.70	22.95		
योग—				274.64 एम 3	70-00 एम 3	204.64 एम 3

(त) लार में पिण्डी मार्ग का अवशेष भाग का लेपन मरम्मत—

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी 3	189.18	53 एमएम टू 22.4 एमएम 11.2 एमएम	228.90 45.40		
ii	प्रिमिक्स कोट	2756.25	13.2 एमएम 11.20	49.61 24.81		
iii	सील कोट	2756.25	6.7 एमएम	24.81		
योग—				373.53 एम3	130 एम 3	243.53 एम 3

(थ) भागलपुर जिरासो से धमेर तक अवशेष लेपन मरम्मत कार्य।

क्र०	विवरण	माप	गिट्टी साईज	मानक अनुसार प्रयुक्त गिट्टी	फाइनल में लगा एमएम 11	कम एमएम 11
i	जी 3	88.26	53 एमएम टू 22.4 एमएम 11.2 एमएम	106.79 21.18		
ii	प्रिमिक्स कोट	2568-00	13.2 एमएम 11.20	46.22 23.11		
iii	सील कोट	2568-00	6.7 एमएम	23.11		
योग—				220.41 एम3	91 एम3	129.41 एम3

इस प्रकार क्रमांक क से थ तक के कार्यों के पत्रावली में एमएम 11 (रवान्ना) लगा है। जबकि मानक अनुसार क्रमांक क से थ तक के कार्यों में कुल 5065.57 घ०मी० गिट्टी प्रयोग में लायी गयी है उसके सापेक्ष कुल 1966 घ०मी० का एमएम 11 (रवान्ना) लगा है। अन्तर 3099.57 घ० मी० गिट्टी बिना प्रयोग किये ही गिट्टी के न्यूनतम दर रू०—1937.50X3099.57 घ०मी० से रू० 6005417.00 गिट्टी मूल्य का अपहरण किया गया है तथा 3099.57 घ०मी० गिट्टी का रायल्टी दर 160 के पांच गुना रू०—2479656.00 का राजकीय राजस्व की क्षति किया गया है अतएव गिट्टी मूल्य रू०—6005417.00 तथा रायल्टी रू०— 2479656.00 कुल धनराशि रू०—8485073.00 की वसूली अपेक्षित है, जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायन चन्द, अभियन्ता श्री रामजी यादव तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष श्रीवास्तव जिम्मेदार रहे। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रहा। **मूल आपत्ति संख्या—15**

प्रस्तर संख्या 11—लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 के दौरान निम्न प्रकार स्टेशनरी कय व छपाई का भुगतान किया गया है लेकिन स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर वार—वार मांग करने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया विवरण निम्न प्रकार रहा—

क्र०	प्रमाणक संख्या व तिथि	धनराशि
1	46/17-04-2016	16900-00
2	108/16-06-2016	19235-00
3	100/26-08-2016	45310-00
4	64/18-10-2016	40115-00
5	52/ 30-12-16	9750-00
6	53/ 30-12-16	2375-00
7	127/ 25-01-17	49950-00
8	128/ 25-01-17	66600-00
योग—		250235-00

इस प्रकार स्टॉक रजिस्टर के अभाव में अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी प्रमाणक के साथ पटल से डिमाण्ड व आयुक्त महोदय की स्वीकृति भी संलग्न नहीं रही। अतएव उक्त स्टेशनरी पर व्यय धनराशि रू०—250235.00 दुरुपयोगित रही जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायन चन्द तथा श्री राजकिशोर यादव आभुलिपिक जिम्मेदार है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या—20**

प्रस्तर संख्या 12— व्यय प्रमाणको की जांच में पाया गया कि विज्ञापन पर व्यय जिला निधि से न करके राज्य वित्त अनुदान से किया गया है। विवरण निम्न प्रकार रहा—

क्र0	बाउचर संख्या	दिनांक	धनराशि	समाचार पत्र
i	113	29-08-16	80080-00	राष्ट्रीय सहारा
ii	185	28-10-16	207506-00	दैनिक जागरण
iii	186	28-10-16	62626-00	स्वतंत्र चेतना
iv	187	28-10-16	94705-00	यूनाईटेड
v	188	28-10-16	86376-00	हिन्दुस्तान
vi	189	28-10-16	87767-00	राष्ट्रीय सहारा
vii	61	30-12-16	200549-00	अमर उजाला
योग-			819609-00	

इस प्रकार जिला पंचायत जिला निधि से प्रचार प्रसार का कार्य न कर अनुदान की धनराशि से विज्ञापन पर व्यय कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायन चन्द उत्तरदायी है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-26.

प्रस्तर संख्या 13- प्रमाणक संख्या-66 व 67 दिनांक-30.12.2016 से क्रमशः रु0-525000.00 व 525000.00 कुल 1050000.00 सीमा सूचक द्वार पर फोटो व नाम परिवर्तित करने का भुगतान क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर को किया गया है जिस पर निम्न आपत्तियाँ रहीं

(i) वाह्य संस्था से कार्य कराने का औचित्य अस्पष्ट रहा।

(ii) शासनादेश सं0- 6482 बी/33-3-91 दिनांक-09.12.91 के अनुसार जिला पंचायत वाह्य संस्था से कराये जाने वाले कार्य पर कुल लागत का 15 प्रतिशत सेटेंज चार्ज काटेगी, लेकिन जिला पंचायत द्वारा सेटेंज चार्ज रु0- 157500.00 न काटकर जिला पंचायत की क्षति किया गया है ब्याज सहित जो वसूल किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायन चन्द व अभियन्ता श्री रामजी यादव उत्तरदायी रहे।

मूल आपत्ति संख्या-27.

प्रस्तर संख्या 14-रोकड़ वही वर्ष 2016-17 में अध्यक्ष द्वारा किराये की गाड़ी यू0पी0 65 बीएस 3802 से यात्रा करने का किराया रु0-1360.00 प्रतिदिन के हिसाब से रोकड़वही से खारिज है जबकि शासनादेश संख्या-450/33-2-98-34 जी/94 दिनांक-29 जनवरी 1998 के अनुसार रु0-698.00 से अधिक का किराया वाहन अनुमन्य नहीं है। इस प्रकार शासनादेश का उलंघन कर 297 दिन का किराया दर रु0-662.00 से रु0-196614.00 से जिला पंचायत की क्षति किया गया है जो ब्याज सहित वसूली योग्य रहा उक्त के लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिओम नारायन चन्द उत्तरदायी है।

मूल आपत्ति संख्या-28

प्रस्तर संख्या 15. रोकड़ वही 2016-17 में निम्न प्रकार कार्य कराकर भुगतान किया गया है-

क्र0	बाउचर संख्या	दिनांक	धनराशि	कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्त कर्ता
i	65	05-08-16	37310-00	सी0सी0 कैमरा	हर्ष टेक्नोलाजी
ii	66	05-08-16	9400-00	"	"
iii	42	09-03-17	100000-00	दीमक रोधी पेस्ट	सिद्धार्थ पेस्ट कंट्रोल
iv	43	"	80000-00	"	"
v	44	"	84000-00	"	"
योग-			310710-00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ रहीं-

(i) सी0सी0 कैमरा व दीमक रोधी पेस्ट का औचित्य अस्पष्ट रहा।

(ii) उक्त व्यय की स्वीकृति आयुक्त महोदय से नहीं लिया गया है।

लेखा परीक्षा अनुसार दीमक का प्रकोप नगब्य है अतएव उक्त धनराशि रु0- 310710.00 दुरुपयोगित रहा जिससे जिला पंचायत की क्षति हुई जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री ज्ञानधन सिंह उत्तरदायी रहें जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

- मूल आपत्ति संख्या-29

प्रारूप – 2
वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

जनपद का नाम – गोरखपुर

मण्डल का नाम – गोरखपुर

2.1 – जिला पंचायत के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर संख्या – 01

लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित विवरण अनुसार श्रम उपकर की कटौती की गयी है :-

माह	धनराशि
अप्रैल 2016	34747.00
मई 2016	333351.00
जून 2016	902300.00
जुलाई 2016	610255.00
अगस्त 2016	212288.00
सितम्बर 2016	301903.00
अक्टूबर 2016	408374.00
नवम्बर 2016	335820.00
दिसम्बर 2016	343639.00
जनवरी 2017	400409.00
फरवरी 2017	112612.00
मार्च 2017	411186.00
योग	4406854.00

उक्त धनराशि का भुगतान उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड गोरखपुर को किया गया दर्शित है। भारत सरकार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनिमय) अधिनियम 1996 अधिनियमित किया गया। उक्त अधिनियम के अनुरूप उ० प्र० सरकार ने उ० प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनिमय) नियम 2009 बनाया। उक्त नियम के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में काटी जाएगी, जबकि नियोक्ता द्वारा 1 प्रतिशत की धनराशि ठेकेदार के बिल से कटौती न कर परियोजना के प्रकलन धनराशि के बराबर श्रम उपकर का प्रवधान कर दिया गया है। इस प्रकार श्रम उपकर की कटौती ठेकेदार के बिल से न काटकर शासन से प्राप्त अनुदान से ही रु० 4406854.00 का भुगतान उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड गोरखपुर को किया गया है। अतः शासन से प्राप्त अनुदान रु० 4406854.00 का दुरुपयोग जिला पंचायत गोरखपुर द्वारा किया गया है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुनील कुमार यादव उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	4406854.00	4406854.00

प्रस्तर सं०-02

शासनादेश संख्या 520 ए०पी० /6-2000, दिनांक 29.04.2005 तथा शासनादेश संख्या 1408/23.03.2007-62(जनरल)/08 दिनांक 08.05.2009 के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बिटुमिन का सीधा क्रय रिफाइनरी से प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा स्वयं बिटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से प्राप्त की जाती है तो कार्यदायी संस्था द्वारा रिफाइनरी से प्राप्त किए गये बिटुमिन का प्रमाणपत्र यथा रिफाइनरी को दिए गये आपूर्ति आदेश, बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गये भुगतान की रसीद ठेकेदार से प्राप्त किया जाना चाहिए तथा कार्यदायी संस्था द्वारा बिटुमिन का भुगतान तभी किया जाना चाहिए जब बिटुमिन की मूल इनवायस ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाए और इनवायस को क्रास करके बिल के साथ लगा दिया जाना चाहिए। परन्तु निम्नलिखित फाइलों की जांच में पाया गया कि न तो विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश जारी किया गया है न ही ठेकेदार से उपरोक्त प्रमाणपत्रों को प्राप्त किया गया है। अतः रु० 3674277.77 का बिटुमिन क्रय कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुनील कुमार यादव उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्रम	कार्य का नाम	पी कोट			टैक कोट 20मिमी0 मोटा कोट एवं सील कोट			योग
		मात्रा टन में	दर/मिट्रिक टन	धनराशि	मात्रा टन में	दर/मिट्रिक टन	धनराशि	
1	कठैचा विन्दन तितिल यादव के घर होते हुए कठैचा टोला होते हुए हरिशचन्द्र के घर तक लेपन कार्य। तेरहवां वित्त 1150 मी0 ~~X~~ 3मी0 = 3450 मी0 ²	2.5875	32691	84597.96	8.6595	45540	394353.63	478941.59
2	कुई बरसाइत बन्धा सम्पर्क मार्ग से तरकुलही मार्ग का लेपन मरम्मत कार्य 1800 मी0 ~~X~~ 3मी0 = 5400 मी0 ²	4.05	31691	128348.55	13.554	33853	458843.56	587192.11
3	मुरदेवा बदरा पिच मार्ग नहर की पटरी होते हुए प्रा0पा0 सोपरा तक लेपन कार्य 650 मी0 ~~X~~ 3मी0 = 1950 मी0 ²	1.4625	3108	45455.96	4.8945	33853	165693.50	211149.46
4	राम मोहन शाही के घर से चन्द्र के घर तक लेपन कार्य 350 मी0 ~~X~~ 3मी0 = 1050 मी0 ²	0.7875	32691	25744.16	2.6355	45540	120020.67	145764.83
5	कुई बरसाइत सम्पर्क मार्ग से छपरा एवं मोहनापुर मार्ग का लेपन मरम्मत कार्य 1300 मी0 ~~X~~ 3मी0 = 3900 मी0 ²	1.755	31691	55617.70	9.789	33853	331387.01	387004.71
	योग			339764.33			1470198.37	1809962.70

क्रम	कार्य का नाम	पी कोट	टैक कोट	20 मिमी0 मोटा कोट	सील कोट	योग
6	नीबी दूवे से मिश्रपुरा तक लेपन मरम्मत कार्य	37431.78	40378.80	446215.00	152737.20	639331.00
7	मेतीराम कुसम्ही पिच रोड से मोतीराम गांव के अन्दर लेपन मरम्मत कार्य	47608.78	34627.50	420660.00	140305.50	643201.00
8	हरदिया पिच से तालनवर मुर्गी फार्म तक लेपन कार्य	19466.22	11230.51	134100.66	44755.68	1990086.85
9	अगहर बाजार से अगहर गांव होते हुए मलौनी बन्धे तक लेपन कार्य	30638.55	17676.09	214862.69	71620.89	304159.67
योग						1864315.07
महायोग						3674277.77

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	3674277.77	3674277.77

प्रस्तर सं0-03

शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03-2015 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2015 की व्यवस्था के अनुसार जिला पंचायत शासन से प्राप्त अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराएगी जबकि निम्नलिखित कार्य बिना कार्यस्थल का विवरण दिए विभिन्न ग्रामों के अन्दर ही कराया गया है।

क्रम	कार्य का नाम	प्राक्कलित धनराशि	भुगतान की गयी धनराशि	भुगतान की तिथि
1	ग्रामसभा रउताकर में इण्टरलाकिंग कार्य	310000.00	309000.00	10.11.2016
2	ग्रामसभा बरईपार में इण्टरलाकिंग कार्य	800000.00	650000.00	13.10.2016
3	ग्रामसभा बसडिला में इण्टरलाकिंग कार्य	1010000.00	500000.00	27.01.2017
4	ग्रामसभा अमवा में इण्टरलाकिंग कार्य	700000.00	698000.00	29.09.2016
5	ग्रामसभा बुढाडीह रोहनियां में सी0सी0 रोड निर्माण	510000.00	496200.00	30.01.2017
6	ग्रामसभा सिक्टौर में इण्टरलाकिंग कार्य	310000.00	303660.00	22.10.2016
7	ग्रामसभा हरसेवकपुर नं0 2 में इण्टरलाकिंग कार्य एवं नाली निर्माण	800000.00	798000.00	15.10.2016
8	ग्रामसभा एकमा में सिंगहा टोला में इण्टरलाकिंग कार्य	1010000.00	600000.00	27.03.2017
9	ग्रामसभा भौरामल टोला कोना में इण्टरलाकिंग कार्य	500000.00	500000.00	28.11.2016
10	ग्रामसभा भण्डारों में इण्टरलाकिंग कार्य	500000.00	499000.00	28.11.2016
11	ग्रामसभा रामनगर केवटलिया में इण्टरलाकिंग कार्य	1010000.00	1008000.00	26.12.2016 / 08.02.2017
12	ग्राम पंचायत राजपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	1010000.00	695000.00	30.01.2017
13	ग्रामसभा अलीगढ में इण्टरलाकिंग कार्य	600000.00	598000.00	22.10.2016 / 10.11.2016
14	ग्रामसभा ठाकुर नगर में हटवा टोला पर इण्टरलाकिंग कार्य	510000.00	508000.00	08.02.2017
15	ग्रामसभा लोहरपुरवा में इण्टरलाकिंग कार्य	500000.00	499000.00	28.11.2016
16	ग्राम पंचायत सरपतहां में इण्टरलाकिंग कार्य	600000.00	598000.00	10.11.2016
17	ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर प्रथम में इण्टरलाकिंग कार्य	1000000.00	997000.00	22.10.2016
18	ग्राम पंचायत नारंग पट्टी में इण्टरलाकिंग कार्य	520000.00	518000.00	28.11.2016
19	ग्राम पंचायत मोहनाग में इण्टरलाकिंग कार्य	490000.00	488700.00	15.12.2016
20	ग्राम पंचायत चांदवारी में इण्टरलाकिंग कार्य	510000.00	508000.00	15.10.2016
21	ग्राम पंचायत जगदीशपुर माही में इण्टरलाकिंग कार्य	500000.00	498900.00	05.10.2016
22	ग्राम पंचायत पट्टी धर्मदास में इण्टरलाकिंग कार्य	1010000.00	1008000.00	22.10.2016
23	ग्राम पंचायत मरपट्टी में इण्टरलाकिंग कार्य	500000.00	499000.00	11.11.2016
24	ग्राम पंचायत भुजौली में हरिजन बस्ती में इण्टरलाकिंग कार्य	1000000.00	600000.00	16.01.2017
25	ग्राम पंचायत पिपरी में खडंजा कार्य	200000.00	199000.00	13.01.2017
26	ग्राम पंचायत पिपरी में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	600000.00	599000.00	23.10.2016
27	ग्राम पंचायत सेवई में इण्टरलाकिंग कार्य	1100000.00	1097000.00	11.11.2016 / 09.01.2017

28	ग्राम पंचायत कुंअरपार में इण्टरलाकिंग कार्य	1010000.00	700000.00	07.03.2017
29	ग्राम पंचायत मुसरद में इण्टरलाकिंग कार्य	1010000.00	750000.00	30.01.2017
30	ग्राम पंचायत इस्लामपुर में भीटी टोला पर इण्टरलाकिंग कार्य	700000.00	700000.00	22.10.2016
31	ग्राम पंचायत नराइचपार में इण्टरलाकिंग कार्य	500000.00	500000.00	14.12.2016
32	ग्राम पंचायत बरहज में इण्टरलाकिंग कार्य	1010000.00	450000.00	27.03.2017
33	ग्राम पंचायत अतरौल में इण्टरलाकिंग कार्य	600000.00	598000.00	22.10.2016 / 10.01.2017
34	ग्राम पंचायत रकहट में इण्टरलाकिंग कार्य	700000.00	698000.00	22.10.2016 / 10.11.2016
35	ग्राम पंचायत गडही में इण्टरलाकिंग कार्य	310000.00	308400.00	26.12.2016
36	ग्राम पंचायत लेडुआबारी में इण्टरलाकिंग कार्य	1200000.00	600000.00	07.03.2017
37	ग्राम पंचायत कस्बा संग्रामपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	1400000.00	1000000.00	22.10.2016
38	ग्राम पंचायत धनौडा हरिजन बस्ती में इण्टरलाकिंग कार्य	1010000.00	400000.00	07.03.2017
39	ग्राम पंचायत भउरहा में इण्टरलाकिंग कार्य	700000.00	698000.00	26.09.2016 / 27.10.2016
40	ग्राम पंचायत दीवा में इण्टरलाकिंग कार्य	700000.00	699000.00	27.10.2016
41	ग्राम पंचायत झगने में इण्टरलाकिंग कार्य	500000.00	497700.00	27.10.2016 / 27.01.2017
42	राजधानी गांव में नाली निर्माण	300000.00	300000.00	28.09.2016
43	सी0सी0 रोड से उत्तर राजधानी गांव में इण्टरलाकिंग कार्य	400000.00	397500.00	28.09.2016 / 22.01.2017
44	ग्रामसभा रामलखना में इण्टरलाकिंग कार्य	1010000.00	1006000.00	27.10.2016 / 10.11.2016
45	ग्रामसभा रानी बाडी बडगों में नाली निर्माण कार्य	3000000.00	1800000.00	16.01.2017 / 27.03.2017
46	ग्रामसभा बसडीला में इण्टरलाकिंग कार्य	1010000.00	500000.00	22.01.2017
योग			29024980.00	

उक्त व्यय धनराशि रु0 29024980.00 शासनादेश संख्या 1838/33-3- 2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2015 के प्रस्तर तीन के विपरित है जो अनियमित है। उक्त अनियमित व्यय धनराशि के लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुनील कुमार यादव उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	29024980.00	29024980.00

प्रस्तर सं0-04

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 41965/2016 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2016 के क्रम में 14 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अपर मुख्य अधिकारी के आदेश दिनांक 13.10.2016 द्वारा दिनांक 24.02.2016 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में विनियमित किया गया तथा लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में दिनांक 17.10.2016 से 28.02.2017 तक कुल 135 दिन का वेतन विनियमित कर्मचारी के रूप में भुगतान किया गया। विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम	नाम कर्मचारी	पद	विनियमित के पूर्व पारिश्रमिक	विनियमितीकरण के बाद वेतन	अन्तर
1	श्री रामपाल	मेठ	320*135=43200.00	77875.00	34675.00
2	श्री राजमन	बेलदार	305*135=41175.00	77875.00	36700.00
3	श्री घुरहु यादव	बेलदार	305*135=41175.00	71599.00	30424.00

4	श्री रामदरश	बेलदार	305*135=41175.00	77875.00	36700.00
5	श्री हरिलाल	बेलदार	305*135=41175.00	77875.00	36700.00
6	श्री राधेश्याम	बेलदार	305*135=41175.00	77875.00	36700.00
7	श्री हरि प्रसाद	बेलदार	305*135=41175.00	77875.00	36700.00
8	श्री प्रभु	बेलदार	305*135=41175.00	77875.00	36700.00
9	श्री रामाज्ञा	बेलदार	305*135=41175.00	77875.00	36700.00
10	श्री ओम प्रकाश	बेलदार	305*135=41175.00	77875.00	36700.00
11	श्री सीताराम	बेलदार	305*135=41175.00	77875.00	36700.00
12	श्री पारस	बेलदार	305*135=41175.00	77875.00	36700.00
13	श्री प्रदीप	माली	230*135=31050.00	71599.00	40549.00
14	श्री दशरथ	माली	230*135=31050.00	71599.00	40549.00
योग				1071422.00	513197.00

उक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रमुख सचिव वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 44/2015/वे0आ0-2-795/दस-54 (एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 13 अगस्त 2015 एवं शासनादेश संख्या 9/2016/ वे0आ0-2-201/ दस-2016-08 (मु0स0स0)/2011 टी0सी0 वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 दिनांक 24 फरवरी 2016 के क्रम में विनियमित किया गया।

स्टाफिंग पैटर्न शासनादेश संख्या 1754/33-2-97-4जी0/97 पंचायत राज अनुभाग 2 दिनांक 08.06.1997 के अनुसार जिला पंचायत में चतुर्थ श्रेणी के 11 पद स्वीकृत थे तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोई पद रिक्त नहीं था। शासनादेश के अनुसार अधिसंख्य पदों का सृजन वित्त विभाग की सहमति से कराते हुए उक्त 14 कर्मचारियों को विनियमित किया जाना चाहिए था।

अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.09.2016 के क्रम में वित्त विभाग से अधिसंख्य पदों की स्वीकृत लिए बिना ही उक्त 14 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित कर रु0 513197.00 का अधिक भुगतान कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सुनील कुमार यादव उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	513197.00	513197.00

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

प्रारूप : 2

जनपद का नाम : कुशीनगर

मण्डल का नाम : गोरखपुर

जिला पंचायत : कुशीनगर

लेखा परीक्षा वर्ष : 2016-17

प्रस्तर संख्या : 1. शासनादेश संख्या-1408/23.03.2009-62(जनरल)/08 दिनांक 08.05.2009 के अनुसार कार्यदायी सं० द्वारा बिटुमिन का सीधे क्रय रिफाइनरी से प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा स्वयं बिटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से की जाती है तो कार्यदायी संस्था द्वारा बिटुमिन आपूर्ति का भुगतान तभी किया जायेगा जब बिटुमिन की मूल इनवायस ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाये। परन्तु पिच व लेपन कार्य की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि ठेकेदार को बिना मूल इनवायस प्राप्त किये भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में रु० 3595585.00 का अनियमित बिटुमिन क्रय के सापेक्ष भुगतान किया गया है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी, श्री उमेश चन्द पटेल व अभियन्ता जिला पंचायत, श्री के० एन० गुप्ता उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

कार्य का नाम	पी0कोट		टैक कोट		20एम0एम0 टैक		सील कोट		योग एम0टी0	योग रु0
	एम0टी0	रु0	एम0टी0	रु0	एम0टी0	रु0	एम0टी0	रु0		
रामकोला पिच से इन्द्रसेनवा से पकड़ी जाने वाले मार्ग का पिच	2.331	67844	1.088	40193	4.538	167663	2.020	74644	9.977	350344

मरम्मत कार्य										
इन्द्रपुर भडसर मार्ग से गलगहिया टोला तक पिच मरम्मत कार्य	2.278	66141	1.061	39184	4.424	163455	1.970	72771	9726	341552
ग्राम सभा कुसुम्हा चौराहे से भोकरिया होते हुए कतरेन नहर पुल तक पिच मरम्मत कार्य	2.329	67778	1.087	40154	4.533	167501	2.018	74572	9.967	350006
कप्तानगंज मिषन स्कूल से पिपरा जाने वाले पिच मार्ग का मरम्मत कार्य	2.302	66992	1.074	39689	4.481	165559	1.995	73708	9.851	345948
भुजडीहा चौराहे से महाराजगंज बार्डर पिच मार्ग का मरम्मत कार्य	2.250	65486	1.050	38796	4.380	161837	1.950	72051	9.630	338170
ग्राम सभा सुधियानी में गांव के बाहर पिच कार्य	2.958	86082	1.380	50998	5.758	212734	2.563	94710	12.668	444524
नौरगया में एन.एच. 28बी. से गोइती जाने वाले पिच का मरम्मत कार्य	2.250	65486	1.050	38796	4.380	161837	1.950	72051	9.630	338170

अहिरौली दान कचहरी टोला में पिच सड़क मरम्मत कार्य	1.125	32743	0.525	19398	2.190	80918	0.975	36025	4.815	169084
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सिसवा नहर सकिरी पुल तक	1.606	46757	0.749	27700	3.127	115551	1.392	51444	6.874	241452
कप्तानगंज बोरदरवार में सड़क से साखेपार जानेवाली पिच	2.225	65486	1.050	38796	4.380	161836	1.95	72050	9.63	338168
पकड़ी चौराहे से सोहरौना तक पिच मरम्मत	2.225	65486	1.050	38796	4.380	161836	1.95	72050	9.63	338168
									102.389	3595585

(मूल आपत्ति सं० : 16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	--	3595585.00	3595585.00

प्रस्तर संख्या : 2. आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय योजनाओं की दिनांक 31.03.2017 की शेष धनराशि रु० 4076812.70 का उपभोग निम्न वर्षों में न तो विकास कार्यों में किया जा रहा है और न ही मूल विभाग को वापस किया जा रहा है। जिससे उक्त धनराशियों के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा में बार-बार आपत्ति करने के बाद भी उक्त धन को वापस नहीं किया जा रहा है। अतः उक्त राजकीय अनुदान की धनराशि को अनियमित रूप से रोक रखने हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत श्री उमेश चन्द पटेल व वित्तीय परामर्शदाता श्री दुर्गेश तिवारी जिम्मेदार हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :-

क्र.स.	मद का नाम	धनराशि
	विधायक निधि	326890.75
	पूर्वांचल विकास निधि	1025927.80
	दस लाख कूप योजना	246270.85
	जि० प्रा० पा० ज० रो० यो०	66893.55
	मनरेगा	587344-00
	रा० श्र० वि० यो०	882433-00
	बारहवां वित्त	541052.75
	योग	4076812.70

(मूल आपत्ति सं० : 17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	--	4076812.70	4076812.70

(मूल आपत्ति सं० : 18)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	--	10057851-00	10057851-00

प्रस्तर संख्या : 3. जिला पंचायत कुशीनगर के वर्ष 2016-17 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि कतिपय कार्यों में स्थान विशेष (कहां से कहां तक) का बिना उल्लेख किये निविदायें आमन्त्रित की गयी हैं। पत्रावली में संलग्न स्टीमेट (प्राक्कलन) में भी कार्य कराये जाने वाले स्थान विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है। ठेकेदारों को निर्गत कार्यादेश में भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कार्य किस स्थान पर कराया जाना है। ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र में भी कराये जाने वाले कार्यों के स्थान विशेष का उल्लेख नहीं है। सम्पूर्ण पत्रावली में मात्र ग्राम पंचायत का नाम तथा कार्य के प्रकार (खड़जा, इण्टरलाकिंग आदि) का ही उल्लेख है। स्थान विशेष का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। स्थान विशेष का उल्लेख न होने से ठेकेदारों को कैसे ज्ञात हुआ कि कहां से कहां तक कार्य कराना है। स्थान विशेष का उल्लेख किये बिना निविदा आमन्त्रित करने से लेकर कार्य कराने तथा उसका भुगतान करना पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-866/33-2-14-93 जी/2004 टी.सी. दिनांक 24 जून 2014 में दिये गये निर्देशों के विपरीत रहा। पंचायती राज विभाग के शासनादेशों का उल्लंघन किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए अभियन्ता से लेकर सम्पूर्ण अभियन्त्रण विभाग उत्तरदायी है। इस प्रकार के समस्त कार्यों के स्थान का पता कर यह भी जांच किया जाना आवश्यक है कि कहीं उक्त कार्य किसी अन्य दूसरे कार्यदायी संस्था द्वारा तो नहीं किया गया है। इस प्रकार अनियमित रूप से बिना स्थान विशेष का उल्लेख किये निविदा आमन्त्रित करने, प्राक्कलन तैयार करने, कार्य कराने तथा उन कार्यों पर भुगतान कर रु० 51285616.00 की गम्भीर अनियमितता किया गया है, जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी, श्री उमेश चन्द पटेल व अभियन्ता जिला पंचायत श्री के० एन० गुप्ता का दायित्व निर्धारण (उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या-176 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :-

फा० सं०	विकास खण्ड	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि	शेष धनराशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
105	पडरौना	ग्राम पंचायत मटिहनिया बुजुर्ग में इण्टरलाकिंग कार्य	350000	349726	274	पूर्ण
95	पडरौना	ग्राम सभा भरवलिया में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	393792	6208	पूर्ण
185	सुकरौली	ग्राम सभा पिपराहुमेल में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	383600	16400	पूर्ण
204	फाजिलनगर	ग्राम सभा मधुरिमा में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399294	706	पूर्ण
205	फाजिलनगर	ग्राम सभा कोटवा करजही में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399519	481	पूर्ण
290	हाटा	ग्राम सभा जुड़वनिया में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399500	500	पूर्ण
291	हाटा	ग्राम सभा लौगापुर में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	400000	00	पूर्ण
292	हाटा	ग्राम सभा बघौली में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	398300	1700	पूर्ण
293	हाटा	ग्राम सभा सोहसा में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	400000	00	पूर्ण
294	हाटा	ग्राम सभा गठिया में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	400000	00	पूर्ण
295	हाटा	ग्राम सभा घुसी में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399300	700	पूर्ण
296	हाटा	ग्राम सभा चिउटहा में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399800	200	पूर्ण
297	हाटा	ग्राम सभा रामपुरपट्टी में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	400000	00	पूर्ण
298	हाटा	ग्राम सभा तुर्कवलिया दरियाव सिंह में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	400000	00	पूर्ण
299	हाटा	ग्राम सभा मुनई छपरा में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	400000	00	पूर्ण
300	हाटा	ग्राम सभा रामनगर में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	400000	00	पूर्ण
301	हाटा	ग्राम सभा मंझरिया में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	400000	00	पूर्ण
302	कसया	ग्राम सभा रामवलिया में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399630	370	पूर्ण
303	पडरौना	ग्राम सभा साडी बुजुर्ग में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399940	60	पूर्ण
304	पडरौना	ग्राम सभा कोहड़ा में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399681	319	पूर्ण
305	पडरौना	ग्राम सभा बड़वलिया बुजुर्ग में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399318	682	पूर्ण
306	पडरौना	ग्राम सभा बड़वलिया खुर्द में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399550	450	पूर्ण
307	पडरौना	ग्राम सभा कसिया में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	398610	1390	पूर्ण
308	पडरौना	ग्राम सभा पिपरा सुजान में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399955	45	पूर्ण
309	पडरौना	ग्राम सभा बतरौली में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399747	253	पूर्ण
310	पडरौना	ग्राम सभा नगौली में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	384540	15460	पूर्ण
311	पडरौना	ग्राम सभा शिवपुर बुजुर्ग में इण्टरलाकिंग	400000	399273	727	पूर्ण

		कार्य				
313	पडरौना	ग्राम सभा जिगना में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399767	233	पूर्ण
314	पडरौना	ग्राम सभा कल्याण छापर में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399774	226	पूर्ण
315	पडरौना	ग्राम सभा अन्हारी बारी में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	398825	1175	पूर्ण
316	पडरौना	ग्राम सभा सहजवलिया में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399881	119	पूर्ण
319	पडरौना	ग्राम सभा पिपरा तिवारी में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399599	401	पूर्ण
320	पडरौना	ग्राम सभा बहौरापुर में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	385220	14780	पूर्ण
321	पडरौना	ग्राम सभा नरसर में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399780	220	पूर्ण
325	कसया	ग्राम सभा मुण्डेरा रतनपट्टी में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399475	525	पूर्ण
326	कसया	ग्राम सभा मंगलपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399275	725	पूर्ण
327	कसया	ग्राम सभा पकवा इनार डुमरी में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399683	317	पूर्ण
328	कसया	ग्राम सभा छुगवा में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399156	844	पूर्ण
329	कसया	ग्राम सभा बटेसरा में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399583	417	पूर्ण
330	कसया	ग्राम सभा गोपालगंज में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399675	325	पूर्ण
331	कसया	ग्राम सभा बड़वा जंगल में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399411	589	पूर्ण
332	कसया	ग्राम सभा अन्हया में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399648	352	पूर्ण
334	कसया	ग्राम सभा भरौली में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399840	160	पूर्ण
335	कसया	ग्राम सभा मथौली में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399335	665	पूर्ण
336	कसया	ग्राम सभा अराजी परसौनी में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399768	232	पूर्ण
337	कसया	ग्राम सभा बैरिया में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399342	658	पूर्ण
338	कसया	ग्राम सभा बेलवां रामजस में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399313	687	पूर्ण
339	कसया	ग्राम सभा शाहपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399648	352	पूर्ण
341	कसया	ग्राम सभा नरकटिया खुर्द में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399801	199	पूर्ण
342	कसया	ग्राम सभा सिधुआ खुर्द में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	393824	6176	पूर्ण
343	कसया	ग्राम सभा मिश्रौली में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399878	122	पूर्ण
344	कसया	ग्राम सभा खोराबर में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399559	441	पूर्ण
345	कसया	ग्राम सभा पोखरभिण्डा में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	394082	5918	पूर्ण
346	कसया	ग्राम सभा माधोपुर गठिया में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399212	788	पूर्ण
347	कसया	ग्राम सभा बरवा बाजार में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399195	805	पूर्ण
348	कसया	ग्राम सभा नरकटिया बुजुर्ग में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399625	375	पूर्ण
349	कसया	ग्राम सभा सपहा नई बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	400000	399457	543	पूर्ण
423	हाटा	ग्राम सभा नरकटिया बाजार में इण्टरलाकिंग कार्य	400000	400000	00	पूर्ण
121	ने० नौरगिया	ग्राम सभा महुआवा में इण्टरलाकिंग कार्य	500000	472000	28000	पूर्ण
173	मोतीचक	ग्राम सभा हरपुर बरवा में इण्टरलाकिंग कार्य	500000	499800	200	पूर्ण
199	फाजिलनगर	ग्राम सभा पटखौली में इण्टरलाकिंग कार्य	500000	499717	283	पूर्ण
264	कप्तानगंज	ग्राम सभा रघुनाथपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	500000	499000	1000	पूर्ण
418	कसया	ग्राम सभा धनहा उर्फ मल्लूडीह में इण्टरलाकिंग कार्य	500000	499885	115	पूर्ण
419	कसया	ग्राम सभा अन्ह्या में इण्टरलाकिंग कार्य	500000	499685	315	पूर्ण
420	कसया	कुड़वा दिलीपनगर (खलवापट्टी) में इण्टरलाकिंग कार्य	500000	499394	606	पूर्ण
177	सुकरौली	ग्राम सभा धनहा में इण्टरलाकिंग कार्य	550000	549700	300	पूर्ण
285	मोतीचक	ग्राम सभा फरदहां में इण्टरलाकिंग कार्य	599400	598903	497	पूर्ण
430	कप्तानगंज	ग्राम सभा मलुकही में इण्टरलाकिंग कार्य	599400	599000	400	पूर्ण

110	पडरौना	ग्राम सभा परसौना में इण्टरलाकिंग कार्य	600000	598700	1300	पूर्ण
221	कप्तानगंज	ग्राम सभा धौघरा में इण्टरलाकिंग कार्य	600000	599000	1000	पूर्ण
103	पडरौना	ग्राम सभा बलुचहां में इण्टरलाकिंग कार्य	650000	648300	1700	पूर्ण
104	पडरौना	ग्राम सभा काँटी में इण्टरलाकिंग कार्य	700000	699600	400	पूर्ण
193	हाटा	ग्राम सभा महुआवा में इण्टरलाकिंग कार्य	700000	700000	00	पूर्ण
438	कसया	ग्राम सभा पिपराझाम में इण्टरलाकिंग कार्य	700000	170000	530000	प्रगतिपर
415	फाजिलनगर	ग्राम सभा बहुरौव में इण्टरलाकिंग कार्य	750000	747027	2973	पूर्ण
231	मोतीचक	ग्राम सभा बरवा में इण्टरलाकिंग कार्य	799920	799734	186	पूर्ण
206	फाजिलनगर	ग्राम सभा फुर्सतपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	800000	799867	133	पूर्ण
214	मोतीचक	ग्राम सभा राजपुर सेमरा में इण्टरलाकिंग कार्य	800000	799062	938	पूर्ण
220	कप्तानगंज	ग्राम सभा सुधियानी में इण्टरलाकिंग कार्य	800000	775300	24700	पूर्ण
365	सेवरही	ग्राम सभा पकड़ियार में इण्टरलाकिंग कार्य	800000	799538	462	पूर्ण
396	मोतीचक	ग्राम सभा देवकली में इण्टरलाकिंग कार्य	800000	799000	1000	पूर्ण
401	पडरौना	ग्राम सभा सिसवा मठिया में इण्टरलाकिंग कार्य	800000	799594	406	पूर्ण
404	पडरौना	ग्राम सभा जंगल बकुलहा में इण्टरलाकिंग कार्य	800000	798600	1400	पूर्ण
443	विशुनपुरा	ग्राम सभा खेसिया में इण्टरलाकिंग कार्य	800000	00	800000	प्रगतिपर
444	कसया	ग्राम सभा अनिरुद्धवा में इण्टरलाकिंग कार्य	800000	602000	198000	प्रगतिपर
94	पडरौना	ग्राम सभा भटवलिया में इण्टरलाकिंग कार्य	900000	899855	145	पूर्ण
179	सुकरौली	ग्राम सभा महुआवा में इण्टरलाकिंग कार्य	900000	899000	1000	पूर्ण
57	विशुनपुरा	ग्राम सभा धौरहरा में इण्टरलाकिंग कार्य	1005000	1004971	29	पूर्ण
102	पडरौना	ग्राम सभा मिसवा लाला में इण्टरलाकिंग कार्य	1005000	1004686	314	पूर्ण
107	पडरौना	ग्राम सभा अहिरौली में इण्टरलाकिंग कार्य	1005000	1004885	115	पूर्ण
120	ने० नौरंगिया	ग्राम सभा चक्रचिंतामणि में इण्टरलाकिंग कार्य	1005000	999900	5100	पूर्ण
130	खड्डा	ग्राम सभा मलहिया में इण्टरलाकिंग कार्य	1005000	1004000	1000	पूर्ण
412	पडरौना	ग्राम सभा बेलवा जंगल में इण्टरलाकिंग कार्य	1005000	1003500	1500	पूर्ण
384	रामकोला	ग्राम सभा दिउलिहा मनियाछापर में इण्टरलाकिंग कार्य	1050000	1049000	1000	पूर्ण
70	पडरौना	ग्राम सभा पचरुखिया में खड्डनजा कार्य	3000000	2999702	298	पूर्ण
				51285616		

(मूल आपत्ति सं० : 20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	--	51285616-00	51285616-00

प्रस्तर संख्या : 4. संस्था की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सर्किट हाउस में मिट्टी भराई तथा रंगाई-पुताई पर रु० 1004270.00 व्यय किया गया है। उक्त कार्य पर हुए व्यय के सम्बंध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं :-

भूमि जिस पर अतिथिगृह का निर्माण हुआ है, वह जिला पंचायत की नहीं है। शासन को यह बताया गया कि परियोजना विवादित नहीं है, जबकि भूमि का राजस्व विभाग का होना विवाद ही है। यदि राजस्व विभाग उस गेस्ट हाउस को अपना कहता है तथा अपने आधिपत्य में ले लेता है तो उस निर्माण पर व्यय समस्त धनराशि बेकार होगी तथा जिला पंचायत के हाथ कुछ भी नहीं आयेगा। बार-बार मांग करने के बाद भी जिला पंचायत द्वारा गेस्ट हाउस की मूल पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसके अभाव में गेस्ट हाउस निर्माण की शर्तों आदि का ज्ञान लेखा परीक्षा दल को नहीं हो पा रहा है और गेस्ट हाउस पर प्रतिवर्ष व्यय किया जा रहा है।

इस प्रकार सर्किट हाउस में मिट्टी भराई तथा रंगाई पुताई कार्य पर रु० 1004270.00 का व्यय कर संस्था द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी, श्री उमेश चन्द पटेल व अभियन्ता जिला पंचायत, श्री के० एन० गुप्ता का दायित्व निर्धारण (उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या-176 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 21)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	--	1004270.00	1004270.00

प्रस्तर संख्या : 5. वर्ष 2016-17 में कार्य कराये गये राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत सिंहपुर में नहर की पट्टी से काली स्थान तक इण्टरलॉकिंग कार्य की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदार में अंकित इण्टरप्राइजेज से 1000.00 अर्थदण्ड की वसूली की गयी है। जबकि विलम्ब शुल्क 1 प्रतिशत रु० 9895.00 होना चाहिए। इस प्रकार रु० 8895.00 का कम अर्थ दण्ड वसूल कर संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली वित्तीय परामर्शदाता तथा अपर मुख्य अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 6. वर्ष 2016-17 में कार्य कराये गये राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नोनिया पट्टी में इण्टरलाकिंग कार्य की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदार में अंकित इण्टरप्राइजेज से 1000.00 अर्थदण्ड की वसूली की गयी है। जबकि विलम्ब शुल्क 1 प्रतिशत रु० 8973.00 होना चाहिए। इस प्रकार रु० 7973.00 का कम अर्थ दण्ड वसूल कर संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली वित्तीय परामर्शदाता तथा अपर मुख्य अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 7. वर्ष 2016-17 में कार्य कराये गये राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कोल्हुआ में इण्टरलाकिंग कार्य की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदार में श्रीमती बेबी लोहिया से 500.00 अर्थदण्ड की वसूली की गयी है। जबकि विलम्ब शुल्क 1 प्रतिशत रु० 5976.00 होना चाहिए। इस प्रकार रु० 5476.00 का कम अर्थ दण्ड वसूल कर संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली वित्तीय परामर्शदाता श्री दुर्गेश त्रिपाठी तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द पटेल से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 22)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	--	22344.00	22344.00

प्रस्तर संख्या : 8. लेखा परीक्षा में पिच मरम्मत कार्यों पर गिट्टी आदि का प्रयोग ठेकेदार द्वारा किया गया है। पत्रावली में एम.एम.11 संलग्न नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा के अनुसार पिच मरम्मत कार्य में प्रयुक्त खनिज की मात्रा पर रायल्टी की धनराशि रु०635805.00 की कटौती न कर राजकीय धनराशि की क्षति पहुंचाई गयी है। शासनादेश संख्या-3385/86-15-292/2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 बिन्दु संख्या 3(3) के अनुसार कटौती न होने की दशा में 5 गुना धनराशि रु०3179025.00 की ब्याज सहित वसूली वित्तीय परामर्शदाता श्री दुर्गेश तिवारी तथा अपर मुख्य अधिकारी, श्री उमेश चन्द पटेल से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का क्षेत्रफल	प्रयुक्त 45. 63 एम.एम. की अनुमानित मात्रा घन मीटर में	रायल्टी की दर प्रति घन मीटर में	प्रयुक्त 11. 20 एम. एम. की अनुमानित मात्रा घन मीटर में	रायल्टी की दर प्रति घन मीटर में	प्रयुक्त 22. 53 एम.एम. की अनुमानित मात्रा घन मीटर में	रायल्टी की दर प्रति घन मीटर में	न काटी गयी रायल्टी की कुल धनराशि
1	जे०पी०एस० स्कूल से बलुचहा गांव तक पिच कार्य	1947-00	15.91	100-00	38.55	145.45	176.69	100-00	24867
2	रामकोला पिच से इन्द्रसेनवा से पकड़ी जाने वाले मार्ग पर पिच मरम्मत	3108-00	25.39	100-00	61.54	145.45	282.05	100-00	39695
3	नादह से मठिया जाने वाले मार्ग पर पिच मरम्मत	3138-00	25.64	100-00	62.13	145.45	284.77	100-00	40078
4	गुलरिहा चौराहा से महाराजगंज बार्डर जाने वाले पिच मार्ग मरम्मत	3000-00	24.51	100-00	59.40	145.45	272.25	100-00	38316
5	ग्रा० पं० मथौली चकिया दुबौली ब्रह्मपुर तक पिच मरम्मत	1035-00	8.46	100-00	20.49	145.45	93.93	100-00	13219
6	इन्दरपुर भड़सर मार्ग से	3030-00	24.76	100-00	59.99	145.45	274.97	100-00	38699

	मलगहिया टोला तक पिच मरम्मत								
7	ग्रा० पं० कुसुम्हा चौराहा से भोकरिया होते हुए कतरैन नहर पुल तक पिच मरम्मत	3105-00	25.37	100-00	61.48	145.45	281.78	100-00	39657
8	कप्तानगंज मिशन स्कूल से पिपरा जाने वाले मार्ग का मरम्मत	3069-00	25.07	100-00	60.77	145.45	278.51	100-00	39197
9	ग्रा० पं० परोहरा पिच से सपहा गुलेलहा से लक्ष्मीपुर सम्पर्क पिच मरम्मत	1091-00	8.91	100-00	21.60	145.45	99.01	100-00	13934
10	सुधियानी में गांव के बाहर बाईपास पिच कार्य	3943.50	32.22	100-00	78.08	145.45	357.87	100-00	50366
11	नौरंगिया में एन. एच.28बी. मोड़ती जाने वाली पिच मरम्मत	3000-00	24.51	100-00	59.40	145.45	272.25	100-00	38316
12	साड़ी बुजुर्ग से आबादी क्षेत्र में पिच मरम्मत	3063-00	25.02	100-00	60.65	145.45	277.97	100-00	39120
13	भठही खुर्द से दुलदुलिया पिच सड़क तक पिच मरम्मत	4011-00	32.77	100-00	79.42	145.45	364-00	100-00	51228
14	अहिरौली दान कचहरी टोला मे पिच सड़क मरम्मत	1500-00	12.26	100-00	29.70	145.45	136.13	100-00	19158
15	पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सिसवा नहर सरकारी पुल तक	2142-00	17.50	100-00	42.41	145.45	194.39	100-00	27357
16	कप्तानगंज बोरदरवार मेन सड़क से साखेपार जाने वाली पिच	3000-00	24.51	100-00	59.40	145.45	272.25	100-00	38316
17	पकड़ी चौराहे से सोहरौना तक पिच मरम्मत	3000-00	24.51	100-00	59.40	145.45	272.25	100-00	38316
18	रगड़गंज पिच भोकरिया बरियारपुर	3099-00	25.32	100-00	61.36	145.45	281.23	100-00	39580

	होकर लक्ष्मीगंज पिच मार्ग								
19	ग्रा० स० कुसुम्हा टोला चकिया में भानु प्रताप सिंह के घर से कुसुम्हा उमर टोला राम नरेश के घर तक	500-00	4.09	100-00	9.90	145.45	45.38	100-00	6386
									635805

(मूल आपत्ति सं० : 24)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	--	3179025-00	3179025-00

प्रस्तर संख्या : 9. संस्था द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम) 1996, कर्मकार उपकर नियमावली 1998 तथा उ० प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम) नियमावली 2009 के अनुपालन में लेबर सेस की कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था लेबर सेस 1 प्रतिशत जोड़कर आगणन तैयार किया गया है। इस प्रकार कर्मकार उपकर की 1 प्रतिशत धनराशि ठेकेदार को कुल भुगतान की जाने वाली धनराशि में प्रथमतया जोड़ी गयी एवं तदोपरान्त उसके बराबर या कम धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में बिलों से काटी गयी। अतः इन प्रकरणों में कर्मकार उपकर की धनराशि लेबर सेस ठेकेदार से कटौती न कर संस्था के अनुदान से करके जमा किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में लेबर सेस की धनराशि रु० 3045016.00 का व्यय कर राजकीय अनुदान की क्षति की गयी है। जिस हेतु उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 177 के अन्तर्गत अपर मुख्य अधिकारी, श्री उमेश चन्द पटेल व अभियन्ता, जिला पंचायत श्री के० एन० गुप्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 25)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	--	3045016-00	3045016-00

प्रस्तर संख्या : 10. लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पंचायत द्वारा कराये गये इण्टरलाकिंग कार्य की पत्रावली की जांच में प्रायः देखने में आया कि प्राक्कलन में दोनों तरफ की पटरियों में मिट्टी भराई कार्य (कार्टेज) कराये जाने का प्राविधान था परन्तु ठेकेदार द्वारा प्राक्कलन में वर्णित उक्त कार्य को नहीं कराया गया है। उक्त कार्य को नहीं कराये जाने से इण्टरलाकिंग सड़क के दोनों तरफ चुनाई की गयी ईंटों को सपोर्ट नहीं मिलेगा और वे क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। जिसका प्रभाव सड़क पर भी पड़ेगा। इण्टरलाकिंग कार्य में मिट्टी का कार्य न कराकर दूसरे कार्य में वृद्धि दिखाकर भुगतान किया जाना अनियमित रहा, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, श्री उमेश चन्द पटेल व अभियन्ता, जिला पंचायत श्री के० एन० गुप्ता उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र.सं.	फाइल सं.	स्वीकृत धन लाख में	कुल भुगतान लाख में	मिट्टी कार्य हेतु प्रा० धन	जे.इ. का नाम
1	418	10.50	10.49	8258.25	श्री राजेश मालवीय
2	386	8-00	8-00	6294-00	श्री कपिलदेव सिंह
3	395	6-00	6-00	4100-00	श्री कपिलदेव सिंह
4	426	12-00	11.99	9442.13	श्री राजेश मालवीय
5	321	4-00	3.99	3130-00	श्री सुनील प्रताप सिंह
6	319	4-00	4-00	3130-00	श्री सुनील प्रताप सिंह
				30224.38	

(मूल आपत्ति सं० : 27)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	--	30224.38	30224.38

प्रस्तर संख्या : 11. आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणकों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 20.04.2016 को रु० 11850.00 एवं दिनांक 20.01.2017 को रु० 14100.00 लेखन सामग्री का व्यय किया गया है। उक्त व्यय प्रमाणक के साथ आयुक्त महोदय, गोरखपुर की संस्तुति/अनुमोदन संलग्न नहीं रहा। जबकि उ० प्र० (जिला पंचायत) तथा (क्षेत्र पंचायत) आकस्मिक व्यय नियमावली 1972 के अनुसार आयुक्त महोदय, गोरखपुर की संस्तुति/अनुमोदन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की जानी थी। इस प्रकार उ० प्र० (जिला पंचायत) तथा (क्षेत्र पंचायत) आकस्मिक व्यय नियमावली 1972 के प्रावधानों के विपरीत कार्य कर संस्था को रु० 25950.00 की क्षति पहुंचायी गयी है। जिस हेतु उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या

177 के अन्तर्गत अपर मुख्य अधिकारी, श्री उमेश चन्द पटेल व वित्तीय परामर्शदाता श्री दुर्गेश तिवारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं। (मूल आपत्ति सं० : 30)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	--	25950-00	25950-00

प्रारूप-2
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17
(जिला पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ)

जनपद- महाराजगंज

मंडल- गोरखपुर

प्रस्तर सं०

आपत्ति का विवरण

1. आलोच्य वर्ष 16-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय योजनाओं की दिनांक 31.03.17 की शेष धनराशि रु० 6670241.10 का उपभोग विगत वर्षों से न तो विकास कार्यों में किया जा रहा है और न ही मूल विभाग को वापस किया गया है स जिससे उक्त धनराशियों के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है लेखा परीक्षा में बार-बार आपत्ति करने के बाद भी उक्त धन को वापस नहीं किया जा रहा है अतः उक्त राजकीय अनुदान की धनराशि को अनियमित रूप से रोक रखने हेतु जिला पंचायत जिम्मेदार है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री जी० के० सिंह तथा लेखाकार श्री पुरुषोत्तम सिंह उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:-

(मूल आपत्ति सं० 2ख14)

क्र०सं०	नाम मद	31.03.16 का शेष	31.03.17 का शेष
1.	क्षमता विकास	1746231.00	1734731.00
2.	11वाँ वित्त आयोग	1374731.00	1374731.00
3.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	860200.00	860200.00
4.	12वाँ वित्त आयोग	2700579.10	2700579.10

योग 6681741.10

6670241.10

2. आलोच्य वर्ष 16-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम जंगल फरजंद अली के भुजाई टोला पर जाने वाले मार्ग पर चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अंतर्गत पुलिया निर्माण हेतु वर्ष 16-17 में रु० 850000.00 स्वीकृत किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा अवधि तक उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया गया जबकि उक्त परियोजना पर रु० 733000.00 भुगतान किया जा चुका है इस प्रकार अधूरा कार्य करा कर अलाभकारी व्यय के ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही संबंधित से किया जाना अपेक्षित है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री जी० के० सिंह तथा लेखाकार श्री पुरुषोत्तम सिंह उत्तरदायी हैं।

(मूल आपत्ति सं० 2ख06)

3. निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि विलम्ब से पूरे कराये गए कार्यों के अंतिम भुगतान में नियमानुसार अनुमानित लागत के 1 प्रतिशत विलम्ब शुल्क की कटौती न कर मात्र रु० 1000.00 की कटौती ही की गई है जो संस्था हित में नहीं है उदाहरणार्थ:-

क्र०सं०	नाम	कार्य लागत	वि० शु० कटौती	19 के अनुसार	अंतर
1.	रामपुर बुजुर्ग में मेन रोड से मस्जिद तक इंटरलॉकिंग कार्य	288000.00	1000.00	2880.00	1880.00
2.	बसूली में नाहर पटरी से कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण	1176000.00	1000.00	11760.00	10760.00
3.	पचमा में विद्या चौधरी के घर से सिन्दु प्रधान के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	498950.00	1000.00	4990.00	3990.00
4.	बरोहिया पचमा रोड से प० राम प्रसाद बिस्मिल कन्या विद्यालय तक खडंजा कार्य	998500.00	1000.00	9985.00	8985.00
5.	खजुरिया में माताजी के स्थान तक इंटरलॉकिंग कार्य	899000.00	1000.00	8990.00	7990.00

योग

33605.00

जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री जी० के० सिंह तथा लेखाकार श्री पुरुषोत्तम सिंह उत्तरदायी हैं जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 2ख18)

4. शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जिला पंचायतों को अपनी कार्य योजना में 10 लाख से ऊपर की परियोजनाएं तथा एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को कार्ययोजना में सम्मिलित कर निर्माण कार्य सम्पादित करनी चाहिए लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त शासनादेश के विपरीत अधिकांश कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर 10 लाख रु० से भी कम की योजनाएं स्वीकृत कर निर्माण कराया गया है लेखा परीक्षा वर्ष 16-17 में पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों में (कहाँ से कहाँ तक कार्य हुआ है का) उल्लेख नहीं किया गया है और बिना उल्लेख के ही निविदाएं आमंत्रित की गई हैं पत्रावली में संलग्न एस्टीमेट में भी कार्य कराये जाने वाले स्थान विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है, ठेकेदारों को

निर्गत कार्यादेशों में भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कार्य किस स्थान पर कराया जाना है सम्पूर्ण पत्रावली में मात्र ग्राम पंचायत का नाम तथा कार्य का प्रकार (खडंजा, इंटरलॉकिंग आदि) का ही उल्लेख है स्थान विशेष का उल्लेख किए बिना निविदा आमंत्रित करने से ले कर कार्य संपन्न होने तक तथा उसका भुगतान करना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता तथा कार्य के प्रति लापरवाही का सूचक है जिसके लिए अभियंता से ले कर सम्पूर्ण अभियंत्रण विभाग उत्तरदायी है इस प्रकार के समस्त कार्यों के स्थान का पता कर यह भी जांच किया जाना आवश्यक है कि उक्त कार्य कहीं किसी दूसरी कार्यदायी संस्था द्वारा तो नहीं कराया गया है इस प्रकार अनियमित रूप से बिना स्थान विशेष का उल्लेख किए निविदा आमंत्रित करने, एस्टीमेट तैयार करने, कार्य कराने तथा उन कार्यों पर भुगतान कर रु० 5655500.00 की अनियमितता की गई है, जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी व अवर अभियंता का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाता है विवरण निम्नवत है:—

(मूल आपत्ति सं० 2ख19)

क्र०सं० कार्य का नाम	31/03/17 तक व्यय धनराशि
1.ग्राम सभा रामपुर बुजुर्ग में रोड से मस्जिद के आगे तक इंटरलॉकिंग कार्य	328300.00
2.ग्राम सभा कमहरिय में इंटरलॉकिंग एवं रिटेनिंग वाल	248000.00
3.ग्राम सभा झींगटी में अरविन्द चौधरी के घर के आगे इंटरलॉकिंग कार्य	893000.00
4.ग्राम सभा सरोतरपुर में प्रा० पा० का रिटेनिंग वाल कार्य	499000.00
5.ग्राम सभा सोनरा में पीडब्लूडी रोड से गाँव के अन्दर इंटरलॉकिंग कार्य	898000.00
6.ग्राम सभा चौपरिया में कांतागिरी पोखरे पर छठ घाट निर्माण	497900.00
7.ग्राम सभा कुवारीसती में छठ घाट निर्माण	799000.00
8.ग्राम सभा कवलदह में पोखरे के एक तरफ सीढ़ी निर्माण	897000.00
9.ग्राम सभा करमहा में छोटकी जुनरबी झू० हा० स्कूल से बड़की जुनरबी तक खडंजा	595300.00

योग

5655500.00

5. शासनादेश सं० ए-1-122/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.12 व शासनादेश सं० 10/201/ए-1502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार समस्त विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन विभागों के द्वारा बैंकों में शासकीय धनराशि चालू खाते में रखी गई है उन्हें बचत खाते में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जाए इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए हैं कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों/अनुदानों की जमा पर बैंक से प्राप्त ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी और उक्त प्राप्त/अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखा शीर्षक के अंतर्गत राजकीय कोषागार में जमा कराया जाए आलोच्य वर्ष 16-17 में विभिन्न अनुदानों की जमा धनराशि पर कुल रु० 4720130.00 ब्याज अर्जित किया गया है, जिसे राजकीय कोषागार में जमा नहीं कराया गया है वर्ष 16-17 में अर्जित ब्याज रु० 4720130.00 को विगत वर्षों में अनुदान पर अर्जित ब्याजों सहित (यदि कोई शेष हो) शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार राजकीय कोषागार में जमा किया जाए अन्यथा उक्त धनराशि के दुरुपयोगित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री जी० के० सिंह तथा लेखाकार श्री पुरुषोत्तम सिंह उत्तरदायी हैं इस प्रकरण की ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति सं० 2ख15)

6.आलोच्य वर्ष 16-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पंचायत महाराजगंज द्वारा सार्वजनिक बैंकों के साथ-साथ नगर सहकारी बैंक में भी शासनादेशों में वर्णित निर्देशों के विपरीत खाते खोले गए हैं वर्ष 16-17 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रु० 1927.06 लाख को ओरिएंटल बैंक से नगर सहकारी बैंक में स्थानांतरित किया गया है दिनांक 31.03.17 को नगर सहकारी बैंक में जमा शेष का विवरण निम्न है:—

नगर सहकारी बैंक लि० महाराजगंज-17974432.00

नगर सहकारी बैंक लि० महाराजगंज-48136109.00

योग-66110541.00

इस प्रकार जिला पंचायत महाराजगंज द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में धनराशि न रख कर अनियमितता बरती गई है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री जी० के० सिंह तथा लेखाकार श्री पुरुषोत्तम सिंह उत्तरदायी हैं जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं० 2ख17)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

जिला पंचायत जालौन स्थान उरई।

प्रस्तर-1— पंचायत राज अनुभाग 2 के शासनादेश सं० 2203/33-2-97-43बी(8)/95 टी0सी0 लखनऊ दि० 30 मई 1997 के अनुसार पशु शव निस्तारण में होने वाली आय का आधा भाग नियमित रूप से ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना है। वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत जालौन में पशु शव निस्तारण मद में रु० 92020.00 की आय हुयी है। जिसका आधा भाग रु० 46010.00 ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की जानी थी परन्तु कोई भी धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं की गयी जो शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के प्रतिकूल है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति

विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। अतः शासन की व्यवस्था अनुरूप रु0 46010.00 की धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-29

प्रस्तर-2—चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जिला/क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 1639/33-03-2015-03/2015 दि0 19 जून 2015 एवं शासनादेश सं0 1838/33-03-2015-03/2015 दि0 31.07.2015 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं किन्तु उक्त का परिपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है। शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 के बिन्दु 7 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में रु0 10.00 लाख की लागत से अधिक की परियोजनायें ही अधिकांश रूप से अपनी कार्य योजना में सम्मिलित की जायेगी। उक्त शासनादेश के बिन्दु 03 के तहत जिल पंचायत को प्राप्त विभिन्न अनुदानों से ग्राम पंचायत के बाहर का कार्य किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के अन्दर का कार्य नहीं किया जा सकता है जो किया गया है। शासनादेश का उल्लंघन कर निम्न विवरणानुसार रु0 663.55 लाख की स्वीकृत कार्य योजनाओं के आधार पर कार्य का सम्पादन कराया गया है। जो अनियमित है। उक्त अनियमित कार्य योजना के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0एस0 यादव एवं श्री अरुण कुमार सिंह एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण संलग्न है।

वर्ष 2016-17 की स्वीकृत कार्य योजना

क्र0 सं0	परियोजना/कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1	ग्राम अण्डा में बुद्धलाल मास्टर के घर से राजेन्द्र धोबी के घर होतु हुये राजाराम तिवारी के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	9.00
2	ग्राम अण्डा में मरघट की पुलिया से वीरेन्द्र जाटव के घर की ओर इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	7.50
3	ग्राम विरगुवां बुजुर्ग में अयोध्या अहिरवार के घर से कारसदेव होते हुये तालाब तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण	7.00
4	ग्राम धमसेनी में श्री राम पांचाल के घर से बाबू जी के घर की ओर (पुलिया तक) सी0सी0रोड निर्माण	9.30
5	ग्राम कहटा में जितेन्द्र के मकान से मैन रोड की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	9.00
6	ग्राम पनेहरा में गणेश प्रसाद करौलिया के मकान से संतोषी माता मन्दिर तक सी0सी0रोड निर्माण	5.60
7	ग्राम हीरापुर में राजाराम दोहरे के मकान से राम बाबू पाल के मकान से होते हुये ज्ञान सिंह पाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	8.50
8	ग्राम कुदारी में सुरेन्द्र सिंह के मकान से शिववहादुर के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	7.50
9	ग्राम जैसारी कलां में मनमोहन यादव के मकान के पास पुलिया से गुरुचौधरी के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण	8.10
10	ग्राम मगहांपुर मडईया में भगवानदीन पाल के दरवाजे से राजेन्द्र बाबू के दरवाजे की ओर इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	8.15
11	ग्राम चुर्खी में राम सिंह पहलवान के दरवाजे से केशव सिंह के मकान की ओर इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	9.00
12	ग्राम वावई में मोनू वैध के मन्दिर (शक्ति पीठ) के सामने से बाबू राम तिवारी के घर की ओर एवं महेन्द्र विक्रम के मकान से कैलाश के मकान से होते हुये सुरेश तिवारी के मकान की ओर एवं आदि शक्ति देवी मन्दिर के पास इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	8.00
13	ग्राम कोरीपुरा में रामू गुर्जर के मकान से हेमू गुर्जर के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	5.10
14	ग्राम कैथ में हुल्कीमाता के मन्दिर से बुद्ध के मकान की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	6.10
15	ग्राम दमा में देवी जी के मन्दिर से वीर सिंह परिहार के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	8.30
16	ग्राम गोवर्धनपुरा में अरविन्द्र जाटव के दरवाजे से राम खिलौने के दरवाजे की ओर इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	6.30
17	ग्राम कुदारी में मैन रोड से राजा भईया जाटव के दरवाजे ओर इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	8.30
18	ग्राम हिडोखरा में गौरी नाई के मकान से विजय सिंह के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	9.00
19	ग्राम कासिमपुर में राधेश्याम के घर से राजा भईया के मकान होते हुये प्राथमिक विद्यालय की ओर सी0सी0रोड निर्माण	9.45

20	ग्राम इटुवां कनार में पक्की सडक से परशुराम कोटेदार की और एवं रधुवर दयाल के मकान से संजय कठेरिया के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण	9.90
21	ग्राम नाहिली में मैन रोड से सीताराम याज्ञिक के घर की और इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	8.40
22	ग्राम ऐंको में बजरंगवली के मन्दिर से पप्पू पाठक के मकान होते हुये शिवकुमार तिवारी के मकान की और सी0सी0 रोड निर्माण	7.95
23	ग्राम एवरा में देवी जी के मन्दिर से गवल्ले पाल के मकान की और सी0सी0रोड निर्माण	7.10
24	ग्राम करतलापुर में मंशा देवी मन्दिर से दशरथ पाल के दरवाजे से होते हुये प्राईमरी स्कूल की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	9.00
25	ग्राम नवासी में श्यामजी के दरवाजे से नीरज के दरवाजे से होते हुये बुधू के दरवाजे की और सी0सी0रोड निर्माण	5.00
26	ग्राम लोहई में सियाराम प्रजापति के मकान के सामने से गोसाई मन्दिर की और सी0सी0 रोड निर्माण	9.50
27	ग्राम वस्तेपुर में शिववीर सि के मकान से वादशाह सिंह के दरवाजे की और सी0सी0रोड निर्माण	4.50
28	ग्राम पीपरी अठगईयां में जयहिन्द सेंगर के दरवाजे से रामशंकर गुप्ता के दरवाजे की और सी0सी0रोड निर्माण	9.00
29	ग्राम पंचायत हरदोई राजा के मजरा गोकुलपुरा में श्याम बाबू एडवोकेट के मकान की और सी0सी0रोड निर्माण	5.55
30	ग्राम पंचायत हरदोई राजा के मजरा गूढा न्यामतपुर में शिव वहादुर सिंह के मकान से रामजानकी मन्दिर तक सी0सी0रोड निर्माण	5.20
31	ग्राम पंचायत दहगुवां में रामजानकी मन्दिर अतुल मिश्रा के मकान से वलवीर के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	4.25
32	ग्राम पंचायत हरकौती में अरुण कुमार द्विवेदी के मकान से बजरंग वली मन्दिर की और सी0सी0रोड निर्माण	6.50
33	ग्राम औंता में प्रभू वर्मा के मकान से राजेश सिंह के मकान तक तथा रामेश्वर नाई के मकान से अनिल ठाकुर के मकान की और सी0सी0रोड निर्माण	7.60
34	ग्राम मोखरी में अरविन्द यादव के मकान से शंकर जी के मन्दिर की और सी0सी0रोड निर्माण	6.70
35	ग्राम खरका में शंकर जी के मन्दिर से बढीपाल व राजू के मकान से गोपाल राठौर की और सी0सी0रोड निर्माण	9.65
36	ग्राम अटरिया में वाल्मिकि वस्ती में प्रेम नारायण के दरवाजे से वीरेन्द्र वाल्मिकि व मुलू वाल्मिकि से चतुर्भुज वसोर के दरवाजे की और सी0सी0रोड निर्माण	7.00
37	ग्राम जलालपुर में शीतल यादव के मकान से भगत यादव के मकान की और सी0सी0रोड निर्माण	2.50
38	ग्राम वैनीपुरा में ग्राम सभा मिहौनी का मजरा मन्दिर लक्ष्मीराम दोहरे के मकान होते हुये मुन्ना लाल दोहरे के मकान व मेवालाल के चवूतरा की ओर सी0सी0रोड निर्माण	9.00
39	ग्राम कैलोर में विनय के मकान दरयाव सिंह के मकान की और सी0सी0 रोड निर्माण	4.00
40	ग्राम पंचायत अटरौली के ग्राम छुटका की और मानपुरा मार्ग से रामसेवक पाल मकान से होते हुये प्रभूदयाल के मकान की और सी0सी0 रोड निर्माण	8.00
41	ग्राम चरसौनी में जगदीश परिहार के घर से शंकर सिंह के घर की और एवं लल्ला भईया के कुआं से विशाल के घर की और एवं रामसनेही के घर से लाला सिंह के घर की और सी0सी0 एवं नाली निर्माण	9.75
42	ग्राम वोहदपुरा में वृजभूषण शर्मा के घर से राजू एल0आई0सी0 वाले के मकान की और इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	8.50
43	ग्राम हरदोई में संतोष दूरवार के मकान से प्रताप राठौर के मकान की और इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	8.55
44	ग्राम मलूपुरा में लालता पाल के कुआं से कल्लूजैन के मकान और केदार याज्ञिक व रमेश नगाईच की और इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	8.00
45	ग्राम इमिलिया में बृजकिशोर के मकान से रमेश के मकान की और सी0सी0रोड निर्माण	1.50
46	ग्राम मिनोरा में पप्पू बाबा (कुरहना वाले) के मकान से सेवा राम गुप्ता के मकान होते हुये वडे तालाव तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	6.80
47	ग्राम शाहजहांपुर में पक्की सडक से हाकिम सिंह के मकान की और सी0सी0रोड निर्माण	8.80

48	ग्राम कुकहनू में शिवनारायण पाल के दरवाजे से नन्दराम पाल के दरवाजे की ओर सी0सी0रोड निर्माण	5.80
49	ग्राम हर्राहपुर में मदारीरपुर जोल्हूपुर मैन रोड से रामजीपाल के घर की ओर सी0सी0रोड निर्माण	6.50
50	ग्राम हिम्मतपुर में कामता राठौर के मकान से मन्दिर की ओर सी0सी0रोड निर्माण	6.40
51	ग्राम परा में पंचायत घर से उमा शंकर के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	8.00
52	ग्राम मुसमरिया में रामसिंह के घर से तुलाराम वसोर के घर की ओर सी0सी0रोड निर्माण	5.50
53	ग्राम मानपुरा में शिव सिंह पाल के मकान से होते हुये अकल कुशवाहा के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	7.50
54	ग्राम मढेपुरा में वाला केवट के मकान से होते हुये सियाराम के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	6.20
55	ग्राम वावूपुरा में जसराम फौजी के मकान से रामदास परीशुराम के मकान होते हुये चतुर सिंह एवं महावीर के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	5.56
56	ग्राम ईटों में मां सारदा देवी शिक्षण संस्थान से मैनरोड की ओर सी0सी0रोड निर्माण	9.00
57	ग्राम लाडपुरा में रामसिंह के मकान से अवधेश के मकान होते हुये राजेन्द्र के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	9.65
58	ग्राम कुटुवपुर में मैन रोड से मसहर के मकान होते हुये दरगाह की ओर सी0सी0रोड निर्माण	9.65
59	ग्राम पारेन में रामदास के मकान से रामस्वरूप के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	7.25
60	ग्राम शेखपुर अहीर में नाथूराम दोहरे के मकान से लक्ष्मी प्रसाद दोहरे के मकान होते हुये जयचन्द्र के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	5.90
61	ग्राम दिरावटी में कैलाश के घर से रामस्वरूप कुशवाहा के मकान की ओर इन्टरलॉकिंग रोड निर्माण	8.50
62	ग्राम वोहरा में लालाराम के दरवाजे से सोभाराम के मकान की ओर इन्टरलॉकिंग रोड निर्माण	9.60
63	ग्राम किशनपुरा में गंगाप्रसाद अहिरवार के मकान से अम्बेडकर प्रतिमा की ओर इन्टरलॉकिंग रोड निर्माण	8.75
64	ग्राम करनपुर में चरन चौधरी के मकान से दशरथ कुशवाहा के मकान की ओर इन्टरलॉकिंग रोड निर्माण	6.80
65	ग्राम चमरसेना में सुरेश धीमर के मकान से छत्तर सिंह मास्टर के मकान की ओर इन्टरलॉकिंग रोड निर्माण	8.30
66	ग्राम तोरना में महेन्द्र कोटेदार के दरवाजे से वंश वहादुर के दरवाजे की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	5.30
67	ग्राम रूप पुरा में देव सिंह के दरवाजे से मंशाराम पाल के दरवाजे तक इन्टरलॉकिंग रोड निर्माण	8.00
68	ग्राम कटकरी में कौशल तिवारीके घर से ट्रांसफार्मर की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	7.00
69	ग्राम नावली में मुलू पाल के दरवाजे से जानकी मन्दिर की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	6.15
70	ग्राम अकवरपुर ईटौरा गुरु में शंकर जी के मन्दिर से कौशल पाल के मकान की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	7.25
71	ग्राम कुशेपुरा में नदी की तरफ सी0सी0 रोड निर्माण	7.50
72	ग्राम नरौल में सडक से शंकर जी के चबूतरा की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	6.50
73	ग्राम महुटा में वृजेन्द्र पोस्टमैन के दरवाजे से नहर की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	4.50
74	ग्राम मजीद में धीरेन्द्र के मकान से निरंजन के मकान होते हुये रामसिया की मकान की ओर सी0सी0 एवं इन्टरलॉकिंग रोड निर्माण	7.00
75	ग्राम धुरट में सरवनपाल के मकान से मैन रोड तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण	9.95
76	ग्राम एट में पी0डब्लू0डी मन्दिर के सामने शिव कुमार धोबी के मकान से बृजेश अग्रवाल के मकान की ओर इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण	2.20
77	ग्राम एट में नरेन्द्र चौधरी के मकान से नहर की ओर सी0सी0रोड व नाली निर्माण	7.50
78	ग्राम एट में धगुवां रोड से मरघट तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	5.00
79	ग्राम भितारा में मुस्तकीम के दरवाजे से देवी जी के मन्दिर की ओर व प्राथमिक स्कूल की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	9.80
80	ग्राम चिल्ली में वृजेश श्रीवास के मकान से काशी प्रसाद वर्मा की पुलिया की ओर सी0सी0 रोड	6.80

मूल आपत्ति सं०- 36

प्रस्तर-3 निम्नांकित कार्यों में खनिज सम्पदा का उपयोग किया जाना दर्शित है। किन्तु इनमें खनिज सम्पदा के वैध परिवहन के लिये एम एम -11 एवं पत्रावलियां पर भुगतान के समय रायल्टी का विवरण अंकित नहीं है तथा रायल्टी और उस पर कटौती की जाने वाली 5 गुना पेनाल्टी ठेकेदारों से काटे बगैर भुगतान किया गया है। जो उ0प्र0 खनिज उप नियमावली के प्राविधानों के आधीन कार्यवाही न कर रु0 14770500.00 की सरकार को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित ए0एम0ए0, इंजीनियर, वित्तीय परामर्शदाता से की जानी अपेक्षित है। विवरण सूची संलग्न है।

सी0सी0 रोड निर्माण कार्य की सूची।

क्र० सं०	निर्माण कार्य का नाम व स्थल का नाम	स्टीमेट	वर्ष में व्यय (लाख रुपये में)	प्रयुक्त खनिज सम्पदा में रायल्टी एवं पेनाल्टी की राशि (लाख रुपये में)
1	ग्राम पीपरी अठगईया में वीरेन्द्र कुमार देवे के मकान से ओमप्रकाश दुवे (लाल महाराज) के मकान की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	2.350	1.851	0.555
2	ग्राम नौरैजपुर में प्रभू प्रजापति के दरवाजे से शिवदास के दरवाजे की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	3.900	3.896	1.168
3	ग्राम कुन्दनपुरा में वीरेन्द्र पाल के मकान से तुलाराम के मकान की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	5.600	5.404	1.621
4	ग्राम अटरिया में जूनियर स्कूल से हनुमान जी के मन्दिर की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	5.740	5.540	1.662
5	ग्राम ईटौरा में काली जी के मन्दिर से सूरेंद्र पालीवाल के दरवाजे तक एवं महेशचन्द्र से प्रेम नारायण के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण	7.650	7.650	2.295
6	ग्राम इमिलिया में राम नरेश से तालाब उहोतते हुये राम खिलावन के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण	4.650	4.647	1.394
7	ग्राम एट में वार्ड नं०-11 रिपू गुप्ता के मकान से संतगारडगे स्कूल की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	5.870	5.829	1.748
8	ग्राम वागी में मोहन कुशवाहा से राम आसरे अनुरागी के मकान तक पण्डित जी मकान के पास एवं इसरत अली से दिलवरी की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	9.800	9.800	2.940
9	ग्राम लमसर में जागे अहिरवार के मकान से शिवकुमार के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण	8.150	8.142	2.442
10	ग्राम अकवरपुर में सुरेश पण्डित के मकान से धर्मेन्द्र के मकान की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	8.710	8.710	2.613
11	ग्राम जगम्नपुर में कमल के मकान से काली मईया होते हुये कल्लू के मकान की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	7.640	7.638	2.291
12	ग्राम धनौराकला में विशम्भर सिंह परिहार से राम पाल सिंह परिहार के धर की ओर सी0सी0रोड निर्माण	9.995	9.920	2.976
13	ग्राम रुद्र पुरा में वडे सिंह के मकान से पर्वत सिंह के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	1.700	1.643	0.492
14	ग्राम सलैयाखुर्द में मबतन के मन्दिर से जोरसिंह सेठ के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	6.400	6.397	1.919
15	ग्राम शेखपुर में रूपेन्द्र सेंगर के मकान से उदय के मकान से होते हुये खोलेजाटव के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	9.950	9.937	2.981
16	ग्राम सिकरी राजा में संजू कठैरिया के मकान से राजकुमार दोहरे के मकान से धर्मशाला की ओर सी0सी0रोड निर्माण	6.800	6.797	2.039
17	ग्राम वधौली में महेश्वरी राजपूत के वाडा से मुकुट तालाबा की ओर सी0सी0रोड निर्माण	9.700	9.700	2.910
18	ग्राम सुनेहटा में मोहर सिंह नाना के धर से हुकुम खंगार के धर तक सी0सी0रोड निर्माण	6.080	6.068	1.820
19	ग्राम महेवा में गयादीन प्रजापति के दरवाजे से महावीर के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	6.250	6.250	1.875
20	ग्राम नावली में संतराम राठौर के मकान से मुलूपाल के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	9.750	9.726	2.917
21	ग्राम अण्डा में धनन्तर मास्टर के मकान से मजबूत सिंह व अशोक के धर होते हुये गुलई के वाग तक सी0सी0रोड निर्माण	9.050	9.049	2.714

22	ग्राम गोरा सुरावली में मुन्ना सिंह के मकान से छिददू सिंह के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	5.250	5.247	1.574
23	ग्राम किशुनपुरा में दददू निरंजन के मकान से राजेन्द्र के फाटक होते हुये धीरेन्द्र बाबू मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	9.950	9.254	2.776
24	ग्राम मई में सडक से श्री गणेश मन्दिर की ओर सी0सी0रोड निर्माण	9.186	9.186	2.755
25	ग्राम बदनपुरामौजा में विकास खण्ड कोंच में नहर के पास अनूप गुर्जर के मकान से सडक की ओर सी0सी0रोड निर्माण	3.800	0.256	0.076
26	ग्राम इटुवां कनार में राम लखन कुशवाहा के मकान से सत्यनारायण के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	10.000	9.824	2.947
27	ग्राम जगनेवा में अवधनारायण दुवे के मकान से लालाराम धोबी के मकान होते हुये मदन वसोर के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	10.450	10.439	3.131
28	ग्राम विरगुवां बुजुर्ग विकास खण्ड कोंच में जूनियर हाईस्कूल से गांव की ओर सी0सी0रोड निर्माण	11.120	11.113	3.333
29	ग्राम लोहारी में रतीराम वर्मा के मकान से संतराम के मकान से होते हुये गोविन्द बाबू कोटेदार के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	10.346	10.346	3.103
30	ग्राम खुटैला में नरसिंह मन्दिर से परमाल सिंह गुर्जर के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	14.000	13.993	4.197
31	ग्राम देवरी में लालाराम के मकान से गुरुदयाल परिहार व रामप्रकाश वर्मा के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	14.400	10.396	3.118
32	ग्राम विरगुवां बुजुर्ग में सुखलाल अहिरवार के घर से रामशंकर पाल के घर होते हुये तालाव तक नाली एवं सी0सी0निर्माण	11.850	11.847	3.554
33	ग्राम विरगुवां बुजुर्ग विकास खण्ड कोंच में जूनियर हाईस्कूल से गांव की ओर सी0सी0रोड निर्माण	15.870	15.870	4.761
34	ग्राम पमा में डा0 अरुण पटेल के मकान से रमेश ठेकेदार के मकान की ओर मैन रोड तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण	10.100	10.089	3.026
35	ग्राम विरगुवां बुजुर्ग विकास खण्ड कोंच में जूनियर हाईस्कूल से गांव की ओर सी0सी0रोड निर्माण	15.060	15.060	4.518
36	ग्राम वंगरा में उमेश दीक्षित के मकान से गोपीचरन के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	10.650	10.650	3.195
37	ग्राम कुशमरा वावनी के मजरा डिगुवां डेरा में राजेन्द्र कालौनी से कुआं एवं जगदेव के घर होते हुये मदन यादव के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	11.907	11.907	3.572
38	ग्राम खक्सीस में मरघट से आश्रम की ओर सी0सी0रोड निर्माण	20.550	20.544	6.163
39	ग्राम गुलौली मजरा बगिया में मदीर खां के मकान से अकबर वेग के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	12.650	12.292	3.687
40	ग्राम चाकी में पंचम साहू के दरवाजे से बडी माता मन्दिर की ओर सी0सी0रोड निर्माण	10.400	7.312	2.193
41	ग्राम कुठौन्द में भाटिया मेडिकल स्टोर से थाना परिसर आवास की ओर सी0सी0रोड निर्माण	15.400	13.411	4.023
42	ग्राम धमनी में मैनरोड से अशोक तिवारी के मकान होते हुये मरदान सिंह गुर्जर के मकान एवं जीतू के मकान से गुलाब/पप्पू दोहरे के घर की ओर सी0सी0रोड निर्माण	20.560	7.772	2.331
43	ग्राम पतराहीं में पक्की सडक से गांव की ओर सी0सी0रोड निर्माण	12.880	8.110	2.433
44	ग्राम मुसमरिया में उमाकान्त अग्निहोत्री के वाडा के पास पुलिया से अस्विनी तिवारी के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	15.000	4.260	1.278
45	ग्राम मडोरा में मान सिंह के मकान से मंगल सिंह के मकान होते हुये नत्थू महाराज के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	10.600	10.600	3.180
46	ग्राम अकोडी में (आत्मा राम निरंजन के खेत से) बर्द की ओर (दामर रोड तक) सी0सी0रोड निर्माण	16.030	16.015	4.804
47	ग्राम अजीतापुर में रसूलपुर मार्ग से इरफान खां पुत्र मिक्के खां बेटे के ताले मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	20.500	20.465	6.139
48	ग्राम इटौरा में रोपण गुरु मन्दिर से इण्टर कालेज की ओर सी0सी0रोड निर्माण	13.000	12.297	3.689
49	ग्राम एट में हरिशंकर कुशवाहा के मकान से एट वैरागढ मार्ग तक	14.920	14.911	4.473

	सी0सी0रोड निर्माण			
50	ग्राम भीमनगर में रामप्रसाद दोहरे के मकान से रघुनाथ के मकान की ओर सी0सी0रोड निर्माण	11.900	11.900	3.570
51	ग्राम टीहर में मुन्ना कुशवाहा से बड़ी माता मन्दिर तक सी0सी0रोड निर्माण	14.900	11.879	3.563
52	ग्राम कैथी में हनुमान मन्दिर से कारसदेव मन्दिर की ओर सी0सी0रोड निर्माण	10.600	10.570	3.171

मूल आपत्ति सं0-35

प्रारूप- 2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

जनपद का नाम- ललितपुर

मण्डल का नाम- झाँसी

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

जिला पंचायत ललितपुर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा करने पर निम्न अनियमितता प्रकाश में आयी हैं जिनकी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-1

दिनांक 01.09.2016 को श्री जमील खाँ की पत्नी श्रीमती असगरी बेगम का इलाज अपूर्व जैन बंसल हॉस्पिटल भोपाल में दिनांक 07.05.2016 से 13.05.2016 तक हृदय रोग का इलाज कराया गया था। जिसका भुगतान 182900.00 क्षतिपूर्ति का क्लेम लिया गया सीधे अपूर्व बंसल अस्पताल भोपाल में भर्ती कराया गया जबकि ललितपुर के हॉस्पिटल से रिफर नहीं कराया गया।

चिकित्सा अनुभाग-8 शासनादेश संख्या 2275/05.06.2011 के अनुसार चिकित्सा क्षतिपूर्ति हेतु मात्र दवाईयाँ एवं जांच का बिल अनुमान्य है। क्लेम विवरणानुसार बैड का चार्ज एवं डॉक्टर देखभाल का चार्ज देय नहीं है। निम्न विवरण के अनुसार अधिक भुगतान लिया गया।

- 1- डॉक्टर विजिट - 5900.00
- 2- बैड चार्ज - 4500.00
- 3- बैड चार्ज एवं डॉक्टर चार्ज - 20000.00

योग - 30400.00

अतः रु0 30400.00 अधिक लिया गया। स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

(1) 1.50 लाख से ऊपर का सी0एम0ओ0 द्वारा काउण्टर साइन किया गया। जबकि झाँसी बोर्ड से पास किया जाना चाहिये।

(2) देय बिल में 97500.00 एवं 13500.00 = 111000.00 ऑपरेशन फीस दर्शित है। इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

(3) दिनांक 23.09.2016 को पुनः 07.05.2016 से 13.05.2016 तक क्षतिपूर्ति व्यय रु0 90400.00 दिया गया जबकि इसे 182900.00 में सम्मिलित किया जाना चाहिये। माह सितम्बर में दो बार क्लेम लिया गया। जबकि पूरा क्लेम 182900 + 90400 = 273300.00 एक साथ लिया जाना चाहिये था स्थिति स्पष्ट करें, जबकि उक्त क्लेम को अपर मुख्य अधिकारी महोदय द्वारा दो लाख से अधिक का पास करने का अधिकार नहीं है गलत पास किया गया है। जो कि वित्तीय गम्भीर अनियमितता की गयी इसके लिये पूर्ण उत्तरदायी श्री एस कुमार, अपर मुख्य अधिकारी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर- 2

दिनांक 27.10.2016 को वी 135 से ऑफिस हेतु सामान श्री अभय कुमार जैन 400 रावरपुरा, ललितपुर से क्रय किया गया। विवरण निम्न है -

क्र०	सामान का विवरण	धनराशि
1-	कूलर 3 नग दर 10500.00	31500.00
2-	ऑफिस टेबिल 6'3 1 नग	16000.00
3-	अलमारी 78 ' 34 ' 19 10 नग	90000.00
4-	ऑफिस टेबिल 5 ' 3 8 नग	64000.00
5-	कुर्सी सुप्रीम गददी वाली 3 नग	75000.00
6-	डबल बैड 6' 6 गददा के 1 नग	40000.00
7-	डायनिंग टेबिल - 1 नग	10000.00
8-	इण्टरकॉम 16 पैकिट 1 नग	50000.00
9-	माइक सैट 16 पैकिट 1 नग	158100.00

योग -

548000.00

इस प्रकार यह सामान रजिस्टर्ड फर्म से नहीं खरीदा गया था एवं इसके मूल्य (न्यूनतम) से सम्बन्धित कुटेशन नहीं लिये गये थे इतनी धनराशि से क्रय से सम्बन्धित का टेण्टर लिया जाना चाहिये था। इस प्रकार उक्त सामान क्रय

कर वित्तीय अनियमितता की गयी इसके लिये पूर्ण उत्तरदायी श्री के0जी0 गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी, पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या – 9)

प्रस्तर- 3

खनिज तहबाजारी का ठेका वर्ष 2015-16 श्री सगीरउददीन धौरा को 692684.00 का दिया गया। जिनकी नीलामी पत्रावली में स्टाम्प नहीं लगे हुए हैं। जो आवश्यक है। उक्त नीलामी की धनराशि 692684.00 रु0 पर 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रु0 13853.68 शुल्क न लगाये जाने का कारण संस्था को क्षति हुई जोकि वित्तीय अनियमितता की गयी इसके लिये श्री के0जी0 गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री के0जी0 गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी, से की जानी चाहिये। (मूल आपत्ति संख्या 10)

प्रस्तर- 4

दिनांक 01.02.2017 का बाउचर नं0 22 से 2 बैटरी रु0 20500.00 में क्रय की गयी थी। जिसे डैड स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था एवं न्यूनतम मूल्य के 3 कुटेशन नहीं लिये गये थे। वित्तीय औपचारिकतायें पूर्ण न करके उक्त सामग्री कय कर वित्तीय अनियमितता की गई जिसके लिये श्री डोंगरा शक्ति वित्तीय परामर्श दाता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर- 5

दुकानों का किराया रजिस्टर की जांच करने पर पाया कि रु0 781834.35 किराया वसूल नहीं किया गया विवरण निम्न है।

1- ललितपुर -	347494.00
2- तालबेहट -	47222.00
3- महरौनी	94747.75
4- नारहट -	113258.00
5- मडावरा -	137938.00
6- जखौरा -	41175.00

योग - 781834.75

इस प्रकार निम्न विवरण अनुसार -

वर्ष 2015-16 की अवशेष -	551818.00
वर्ष 2016-17 की मांग -	1708669.75

योग - 2260487.75

वर्ष में जमा किराया - 1398475.00

वर्ष 2016-17 में अधिक जमा- 6222.00

वर्ष में अवशेष - 781834.75

रु0 781834.75 दुकानों का किराया बकाया रहा जो वसूल नहीं किया गया। जिससे बकाया किराया वसूल न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी जिसके लिये श्री के0जी0 गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर- 6

मृत पशु शव निस्तारण की पत्रावली की नीलामी की जांच पर पाया गया कि पत्रांक सं0 4009/ 03.02. 2016,/ 13 दिनांक 11 जनवरी का 15% अधिक कार्य की अधिकृत नीलामी पर नीलामी देना चाहिये। जबकि यहाँ पर उल्लेखनीय है। कि नीलामी कम पर की गयी जो एक गम्भीर आपत्ति का विषय है। विवरण निम्न है -

विकास खण्ड	2013-14	2014-15	2015-16	3 वर्ष औसत योग	अधिकतम नीलामी का औसत	15% अधिक	
बार	252000	3000000	360000	304000	360000	414000	20
तालबेहट	226600	250000	276000	250900	27600	317400	80
बिरधा	230000	332000	332000	276000	332000	381800	1500
महरौनी	121000	260000	316000	282000	316000	363400	125
मडावरा	137000	155000	51000	167670	211000	242650	100
जखौरा	550000	685000	551000	595340	595340	688650	250

इस प्रकार निम्न विवरण अनुसार -

विकासखण्ड	15% नीलामी धनराशि	नीलामी धनराशि	व्यय धनराशि
बार	414000	200000	214000
तालबेहट	317400	80000	237400
बिरधा	381800	150000	231800
महरौनी	363400	125000	238400

मडावरा	242650	10000	142650
जखौरा	684650	250000	434650
योग –			1498900

इस प्रकार प्रमुख अधिक के शासनादेशानुसार कम नीलामी कराने पर मु0 1498900.00 की संस्था को क्षति पहुंची है । जिसके लिये श्री के0जी0 गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी, पूर्ण रूप से जिम्मेदार है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या – 20)

प्रस्तर– 7

जिला पंचायत ललितपुर की वर्ष 2016–17 को निर्माण कार्यों में काटा गया आयकर 2% से कम काटा गया। जो एक गम्भीर आपत्ति का विषय है । जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री के0जी0 गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी से की जानी चाहिये । विवरण निम्न है –

क्र० सं०	कार्य का नाम	निर्माण कार्य की लागत	भुगतान की तिथि	लिया गया आयकर	लेखा परीक्षा अनुसार	अन्तर
1	खटिवारी बार से डुलावन सम्पर्क मार्ग अनु०	112821.00	01.04.2016	1355.00	2527.00	1172.00
2	ऐवनी नहर की पुलिया प्रकाशपाल खेत से मन्दिर की ओर सम्पर्क मार्ग	1020776.00	01.04.2016	12250.00	22865.00	10615.00
3	हीरापुर में पेवर ब्रिक्स	409269.00	01.04.2016	4095.00	9168.00	5073.00
4	ग्राम दूज में नाबई उ०प्र० सीमा विशेष मरम्मत	269390.00	01.04.2016	3235.00	6034.00	2799.00
5	ग्राम पंचमपुर में देवसिंह के खेत तक सम्पर्क मार्ग	364097.00	01.04.2016	4370.00	8156.00	3786.00
6	ग्राम तरावली में सी०सी० रोड	61000.00	01.04.2016	610.00	1366.00	756.00
7	ग्राम तरावली में सी०सी० रोड	194800.00	01.04.2016	2340.00	4364.00	2024.00
8	ग्राम विरारी में माहल मुहल्ले सी०सी०	532092.00	28.04.2016	6385.00	11919.00	5334.00
9	ऐवनी में नहर की पुलिया में प्रकाश पाल से मन्दिर सम्पर्क मार्ग	174813.00	28.04.2016	2100.00	3915.00	1815.00
10	बनौनी से कारस देव मन्दिर से पीरबाबा मन्दिर पेवर ब्रिक्स	4707522.00	28.04.2016	8490.00	15848.00	7358.00
11	बनौनी से कारस देव मन्दिर से पीरबाबा मन्दिर पेवर ब्रिक्स	335414.00	28.04.2016	4025.00	7513.00	3488.00
12	ग्राम पिपरई में जाउन वरि मजरे रामजी यादव के मकान सम्पर्क मार्ग	780976.00	28.04.2016	9375.00	17494.00	8119.00
13	ग्राम ऊमरी में साख से नाले तक सम्पर्क मार्ग	150128.00	28.04.2016	1505.00	3363.00	1858.00
14	राख पंचमपुर में सम्पर्क मार्ग निर्माण	620857.00	28.04.2016	7450.00	13907.00	6457.00
15	ग्राम हीरापुर में पेवर ब्रिक्स	143772.00	28.04.2016	1438.00	3224.00	1786.00
16	धवा में रखवारा रोड पर पेवर ब्रिक्स	459499.00	28.04.2016	5515.00	10292.00	4777.00
17	हीरापुर में पेवर ब्रिक्स निर्माण	119313.00	05.06.2016	1195.00	2613.00	1478.00
18	बानौनी में कारसदेव मन्दिर तक पेवर ब्रिक्स	270405.00	05.06.2016	3245.00	6057.00	2812.00
19	ग्राम बॉसी में खिरमन मजरे से अथाई तक सी.सी.	315600.00	05.06.2016	6315.00	7069.00	754.00
20	ग्राम धवा में रखवारा रोड पर पं० भवन में हल्के के मकान तक पेवर ब्रिक्स	134600.00	05.06.2016	1615.00	3015.00	1400.00
21	अधियारी में यादव मुहल्ले में पेवर ब्रिक्स	65274.00	05.06.2016	785.00	1462.00	677.00
22	राखपंचमपुर में सम्पर्क मार्ग	376856.00	05.06.2016	4525.00	8442.00	3817.00
23	विजयपुरा में वटपुरा सम्पर्क मार्ग	904369.00	05.06.2016	10855.00	20258.00	9403.00
24	ग्राम सीरोन में जगत यादव के मकान से दुर्गा मन्दिर की ओर पेवर ब्रिक्स	471525.00	05.06.2016	5660.00	10562.00	4902.00
25	सीरोन में जगत यादव के मकान से दुर्गा मन्दिर की ओर पेवर ब्रिक्स	123194.00	05.06.2016	1480.00	2760.00	1280.00
26	ग्राम मिर्चवारा में मेन रोड से स्कूल के	661948.00	05.06.2016	7945.00	14828.00	6883.00

	मध्य नाले के किराने पेवर ब्रिक्स					
27	विजयपुरा से वटपुरा मार्ग पर अवशेष कार्य	226729.00	05.06.2016	2725.00	5079.00	2354.00
28	विजयपुरा से वटपुरा मार्ग पर अवशेष कार्य	492131.00	05.06.2016	5910.00	11024.00	5114.00
29	बॉसी में नदीपुरा मुहल्ले में सी0सी0/पेवर ब्रिक्स	784200.00	05.06.2016	9415.00	17568.00	8153.00
30	बॉसी में बस स्टैण्ड पर यात्री प्रतीक्षालय निर्माण	232664.00	01.06.2016	2795.00	5212.00	2417.00
31	ग्राम ठगारी में पेवर ब्रिक्स	930057.00	01.06.2016	11165.00	20833.00	9668.00
32	ग्राम मरौली में पेवर ब्रिक्स	275294.00	01.06.2016	3305.00	6165.00	2860.00
33	जिला प0 इ0का0 पाली में महिला शौचालय नि0	251178.00	15.07.2016	3015.00	5626.00	2611.00
34	बम्होरी में सौजना रोड पर पेवर ब्रिक्स	576965.00	15.07.2016	6922.00	12924.00	6002.00
35	जि0पं0इ0 पाली में पुरुष शौचालय	183051.00	15.07.2016	1831.00	4100.00	2269.00
36	ग्राम बम्होरीकला में मैलवारा ग्राम की ओर सम्पर्क मार्ग	599742.00	15.07.2016	13195.00	13434.00	239.00
37	ग्राम मैलवारा में देशा मु0 नहर की ओर सम्पर्क मार्ग	133653.00	15.07.2016	1605.00	2974.00	1369.00
38	ग्राम अजान में हरदास के मकान से मिदरवाहा बस्ती की ओर सम्पर्क मार्ग	354323.00	15.07.2016	7940.00	9237.00	1297.00
39	ग्राम जखौरा में तालबेहट रोड पर खैबर नदी पर घाट निर्माण	1029531.00	21.07.2016	12355.00	23061.00	10706.00
40	ग्राम जखौरा में बंशी अहिरवार के खेत से पुल पट्टियों तक सम्पर्क मार्ग	859625.00	21.07.2016	10320.00	19256.00	8936.00
41	ग्राम बनगुवाकला में पेवर ब्रिक्स	280411.00	05.08.2016	3365.00	6281.00	2916.00
42	ग्राम एवनी में जिला पं0 सडक सम्पर्क मार्ग	865679.00	05.08.2016	10390.00	19391.00	9001.00
43	ग्राम रसौदी में मैरावन माता मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग	960930.00	05.08.2016	11175.00	20853.00	9668.00
44	जि0पं0इ0 कालेज पाली में महिला शौचालय	50025.00	05.08.2016	600.00	1120.00	520.00
45	सीरोन में यादव के खेर से दुर्गा माता मन्दिर तक पेवर ब्रिक्स	247429.00	05.08.2016	2070.00	5542.00	3472.00
46	जि0पं0इ0कालेज पाली पुरुष शौचालय	100019.00	05.08.2016	1200.00	2240.00	1040.00
47	हर्षपुर में बडडेवार से पटौरा की ओर नाली नि0	727093.00	05.08.2016	8125.00	16287.00	7562.00
48	दिदौरा में प्रा0वि0 में जगदीश के मकान तकपे.ब्रि.	549648.00	05.08.2016	6600.00	12312.00	5762.00
49	सुनवाहा में राजाराम साहू के मकान सम्पर्क मार्ग	436710.00	05.08.2016	5245.00	9782.00	4537.00
50	बिरारी में श्री लाल बरार के मकान से गोरालाल की ओर सम्पर्क मार्ग	1129874.00	05.08.2016	13560.00	25309.00	11749.00
51	सुनवाहा से राजाराम के मकान मिलन लोधी पेवर ब्रिक्स	60071.00	05.08.2016	725.00	1345.00	620.00
52	दिदौरा में प्रा0वि0 से जगदीश सिंह के मकान तक पेवर ब्रिक्स	447778.00	05.08.2016	5375.00	10030.00	4655.00
53	हंसरा नगर से चढरइ की ओर सम्पर्क मार्ग	335164.00	05.08.2016	4025.00	7508.00	3483.00
54	कंसरा नगर से चढरइ की ओर सम्पर्क मार्ग	847982.00	05.08.2016	10180.00	18995.00	8815.00
			योग	250128.00		

(मूल आपत्ति संख्या- 25)

प्रस्तर- 8

वर्ष 2016-17 में 180 नोटिस में 36 पर कार्यवाही की गयी । जिसके दौरान 11 नोटिस वापस आये। 25 ठेकेदारों पर कार्यवाही नहीं की गयी। लाइसेन्स रजिस्टर ठेकेदार के पटल प्रभासी श्री भरत सिंह बुन्देला द्वारा अवगत

कराया है कि मात्र कार्यवाही है । 25 ही नोटिस कोर्ट के लिये गये जबकि 144 शेष और पर कार्यवाही की जानी थी जिससे उनकी फीस प्राप्त होती है । इस प्रकार 144 ठेकेदारों की धनराशि को संस्था की क्षति हुई । जिसके लिये पटल प्रभारी श्री भरत सिंह बुन्देला जिम्मेदार है । अतः विभागीय आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या – 27)

प्रस्तर— 9

31.03.2017 की बैंक पासबुकों की जांच करने पर पी0एन0बी0 एवं एस0बी0आई0 एवं सी0बी0आई0 की अधूरी है । जिससे उक्त खाता की आहरण वितरण की स्थिति अज्ञात है । जिसे बैंक से 01.04.2016 से 31.03.2017 तक कम्पलीट कराकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की जाये बैंक या बैंक स्टेटमेन्ट लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिये श्री रूपेश तिवारी लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है ।

(मूल आपत्ति संख्या— 30)

प्रस्तर— 10

कतिपय विकासखण्ड में सी0पी0 टैक्स की वसूली बहुत ही कम की गयी । विवरण निम्न है —

क्र०	विकास खण्ड का नाम	वर्ष में मांग	वर्ष में जमा	अवशेष
1	तालबेहट	635000.00	38200.00	596800.00
2	जखौरा	431100.00	58800.00	372300.00
3	बार	468500.00	35100.00	433400.00
4	महरौनी	301000.00	19600.00	281400.00
5	बिरधा	477500.00	53000.00	424500.00
6	मडावरा	145750.00	56700.00	840500.00
		2458850.00	261400.00	2197450.00

इस प्रकार विकासखण्डों में रू० 2458850.00 मांग थी । जिससे वसूली 261400.00 वसूली की गयी । मु० 2197450.00 शेष रही । जो लाभांश जमा कराया गया । इस प्रकार 11% होता है जो नगण्य है । इस प्रकार 2197450.00 की वसूली नहीं की गयी । जिसके लिये श्री संजय कुमार जैन कैशियर एवं श्री के०जी० गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी से रू० 2197450.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये । (मूल आपत्ति संख्या – 34)

प्रस्तर— 11

सी०पी० टैक्स के अन्तर्गत कुल शराब ठेकेदारों की कुल दुकानों सं० 109 थी । जिसका रजिस्टर में आदेश के अनुसार 6000.00 था । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 3500.00 किया गया । इस प्रकार 6000.00 रू० 3500.00 किया जाना किस मानक से किया गया । जिसका कोई मानक नहीं बताया गया न ही इसका कोई आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार 212500.00 की हानि की गयी । जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री के०जी० गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी, से की जानी चाहिये ।

(मूल आपत्ति संख्या – 35)

प्रस्तर— 12

सी०पी० टैक्स के अन्तर्गत शराब दुकानों से वर्ष 2016—17 मांग 624000.00 थी । जिसमें कुल 137500.00 वसूल किया गया । जिसका प्रतिशत 22.04% होता है । इस प्रकार शराब ठेकेदारों से 486500.00 की वसूली नहीं की गयी । जिसके लिये श्री के०जी० गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये ।

(मूल आपत्ति संख्या – 36)

प्रस्तर— 13

वर्ष 2016—17 की निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच करने पर पाया गया कि कार्य समय से नहीं कराये गये थे । कार्य निर्धारित समय पर न होने की दशा में निर्माण की धनराशि पर 2.5% दण्ड नहीं लिया गया था । रू० 553240.00 अवशेष विलम्ब दण्ड की ब्याज सहित वसूली श्री के०जी० गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी से की जानी चाहिये ।

क्र०	कार्य का नाम	कार्य प्रारम्भ तिथि	समाप्ति तिथि	अनुमानित लागत लाख रू० में	विलम्ब दिनों की सं०	काटा गया अर्थ दण्ड	विलम्ब दण्ड	अवशेष विलम्ब दण्ड
1	बॉसी बस स्टैण्ड से भटरिया मुहल्ला में सन्तोष प्रजापति के मकान तक पेवर ब्रिक्स	23.05.2016	19.07.2017	6 लाख	422	—	—	17343
2	ग्राम कलरव में प्रधानमंत्री सड़क से पिपरिया के मध्य प्रतीक्षालय निर्माण	31.03.2016	31.05.2017	3 लाख	426	—	—	8753
3	कलोथरा मेन रोड प्रतीक्षालय निर्माण	23.05.2016	22.07.2017	3 लाख	425	1000	8733	7833
4	सिंगैपुर में मेन रोड पर प्रतीक्षालय	05.05.2016	12.12.2017	3 लाख	612	1000	13808	12808

5	पटसेमरा में प्रतीक्षालय निर्माण	03.08.2016	29.11.2017	3 लाख	483	1000	9925	8925
6	खिरियाछतारा में प्रतीक्षालय	06.08.2016	13.08.2017	3 लाख	280	1000	5753	4753
7	टपरियन में प्रतीक्षालय	06.08.2016	17.05.2017	3 लाख	284	1000	5836	4836
8	भोरदा प्रतीक्षालय	29.09.2016	22.07.2017	3 लाख	328	1000	6740	5740
9	असउपुरा में एन0एच0 26 ग्राम हंसारी में इन्द्रपाल के मकान की ओर सं0म0	23.07.2016	12.07.2017	14.150 लाख	356	7000	34503	27503
10	सैदपुर में खुलसाई के मकान से पठा की ओर सम्पर्क मार्ग	06.09.2016	20.04.2017	9.998	195	3000	13353	10353
11	रामपुर के बडेहार में पेवर ब्रिक्स	21.12.2016	04.05.2017	12 लाख	134	2000	11014	9014
12	लडवारी चौराहा से बंसीपुरा होते हुए गोविन्दनगर तक सम्पर्क मार्ग	23.03.2017	20.06.2017	20 लाख	89	—	12192	12192
13	लडवारी कैलगुवाँ रोड से बम्होरी की ओर सम्पर्क मार्ग	15.03.2017	20.06.2017	30 लाख	89	—	18288	18288
14	ग्राम खादी में मैहर माता टीनशेड के नीचे चबुतरा निर्माण	15.03.2017	02.06.2017	3.64 लाख	71	—	—	1770
15	ग्राम बस्तगुवाँ में प्रा0वि0 चबुतरा निर्माण	15.03.2017	20.06.2017	9.910	89	—	6041	6041
16	ग्राम सरखडी में प्रा0वि0 के पास चबुतरा निर्माण	15.03.2017	20.06.2017	9.910	89	—	6041	6041
17	ग्राम सरखडी में प्रा0वि0 के पास टीन शेड निर्माण	15.03.2017	20.06.2017	9.910	89	—	6041	6041
18	ग्राम बजर्रा में तिगैला पर मेन रोड पर प्रतीक्षालय निर्माण	21.07.2016	04.08.2017	3.00	380	1000	7808	6808
19	वनगुवाँ में टीन शेड निर्माण	15.03.2017	20.06.2017	9.910	62	—	—	4204
20	वनगुवाँ में टीनशेड के नीचे चबुतरा निर्माण	13.03.2017	20.06.2017	3,64	62	—	—	1545
21	मनकापुर में टेकरी धाम तक सम्पर्क मा0	15.03.2017	20.06.2017	3 लाख	62	—	—	1545
22	ग्राम जखौरा के मजरा झरावन में सुजान सिंह से दुर्ग सिंह के मकान तक पेवर ब्रिक्स	15.03.2017	20.06.2017	7 लाख	62	—	—	2972
23	तालबेहट माताटीला रोड पर सम्पर्क मार्ग	29.09.2016	15.04.2017	8,63	225	—	—	13301
24	दुधई रोड में इमला खैरा सम्पर्क मार्ग	21.09.2016	15.04.2017	10 लाख	225	—	—	15410
25	ग्राम गुगरवारा में बानपुर रोड पर दयाली लोधी से अमन के खेत सं0मार्ग	31.11.2016	19.07.2017	10 लाख	182	—	—	11301
26	जाखलौन में भइयन माते के खेत से आशीषरजक के खेत तक सम्पर्क मार्ग	21.09.2016	15.04.2017	10 लाख	225	—	—	15410
27	ग्राम घिसौली में घुरवारा मार्ग तालाब सम्पर्क मार्ग	24.07.2016	17.07.2017	14.99	359	—	—	36859
28	ग्राम अमउखेरा में पेवर ब्रिक्स	21.07.2016	04.08.2017	13,99	379	—	—	36317
29	ग्राम गुढा बुर्ज भुमि पेवर ब्रिक्स	29.09.2016	20.04.2017	10 लाख	203	—	—	13904
30	ग्राम बरखिरिया में सहारिया बस्ती पेवर ब्रिक्स एवं चबुतरा निर्माण	15.12.2016	16.10.2017	15 लाख	303	—	—	31130
31	ग्राम इकलगुवाँ में वृषमान के खेत सं0मार्ग	21.07.2016	19.04.2017	20 लाख	268	3000	36712	33712
32	ग्राम सरखडी में धननू लाल के मकान खेत तक सम्पर्क मार्ग	21.07.2016	19.07.2017	14.9	358	—	—	27500
33	ग्राम सिन्दवाहा में लल्लू प्रजात	21.07.2016	05.05.2017	8.99	290	5000	17857	12857

	के खेत से संजय मडो तक सम्पर्क मार्ग							
34	ग्राम बम्होरीखुर्द में श्री पूरन सिंह के मकान से ग्राम गिदवाहा की ओर मलखान के खेत तक सम्पर्क मार्ग	21.07.2016	15.06.2017	13.916	330	3000	31454	28454
35	मसौराकलां में सरदार सिंह के मकान से देहरे मन्दिर के मकान से पेवर ब्रिक्स	23.09.2016	24.05.2017	7 लाख	243	3000	11650	8650
36	कोकटा में प्रतीक्षालय निर्माण	22.09.2016	25.02.2017	3.00	156	—	3205	3205
37	बारई गाँव से नाले की ओर सम्पर्क मार्ग	21.12.2016	24.05.2017	5.00	154	—	5214	5214
38	ग्राम भौटी में पुलिया निर्माण	30.11.2016	23.05.2017	4.00	174	—	4167	4167
39	ग्राम डोंगराकलां से मन्दिर सम्पर्क मार्ग पर अवशेष कार्य	30.11.2016	19.07.2017	3.00	231	2000	4747	2747
40	जाखलौन में भैयर माते के घर से आशीष रजक के खेत तक सम्पर्क मार्ग	21.09.2016	20.04.2017	10.00	211	—	14452	—
41	तालबेहट माताटीला रोड पर आथी गैस एजेन्सी से एन0एच0 26 तक सम्पर्क मार्ग	23.09.2016	13.05.2017	8.631	373	4000	22050	18050
42	ललितपुर राजघाट रोड से थनवारा की ओर सम्पर्क मार्ग	25.10.2016	04.05.2017	21 लाख	191	—	27472	27472
43	देवगढ रोड से पटौरा की ओर नाली निर्माण का अवशेष कार्य	15.02.2016	22.04.2017	9 लाख	128	—	7890	7890
योग —							553240.00	

(मूल आपत्ति संख्या — 37)

प्रस्तर— 14

शासनादेश सं0 8307/33-2-2004-93 जी/2014 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश सं0 4866/33-2-2014-93 जी/2014 दिनांक 24.06.2014 के अनुसार जिला पंचायतों के कार्यों विभिन्न अनुदानों में दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकृत किया गया है। शासन के विपरीत कार्य करने की स्थिति में संस्था द्वारा क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कराये गये निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत/खण्ड विकास अधिकारी इस आशय में प्रमाण पत्र दिया जायेगा। उक्त निर्माण कार्य उनके द्वारा नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत ललितपुर द्वारा वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवों वित्त आयोग एवं बुन्देलखण्ड निधि एवं आंगनबाड़ी, एवं क्रिस्टल योजना 2105.70 लाख का कार्य कराया गया। जिसमें अधिकांश कार्य ग्राम पंचायत की सीमा में आते हैं। परन्तु इन कार्यों के लिये ग्राम प्रधान/खण्ड विकास अधिकारी से इस आशय से प्रमाण पत्र नहीं लिये गये हैं कि यह कार्य उनके द्वारा नहीं कराया गया। जो एक गम्भीर अनियमितता एवं शासनादेशों का उल्लंघन है। क्या इस बात की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि बिना कार्य के निर्माण कार्य सम्मिलित सम्पूर्ण धनराशि आहरित कर ली गयी हो, सम्पूर्ण प्रकरण पर जाँच उपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या — 1719/33-3-2-10-48/2007 पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 01.09.2016 के प्रस्तर 2(10) के अनुसार पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजना या समाहित किये जा रहे भौतिक क्रिया कलापों के सत्यापन हेतु वृहत कार्ययोजना नहीं बनायी गयी, जिससे निर्माण कार्यों के परियोजना की धनराशि के सदुपयोगित एवं निर्माण कार्य की उपयोगिता की संदिग्ध प्रतीत होती है। जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिये श्री के0जी0 गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या — 38)

प्रस्तर— 15

31.03.2017 के समाधान विवरण पत्र सब कैशबुक में दर्शित विवरण में कैशबुक में धनराशि रु0 938257.00 दर्ज है। किन्तु बैंक पासबुक में 31.03.2017 के बाद जमा किया गया कैशियर के पास रोकड़ जमा नहीं। जो एक गम्भीर अनियमितता है। जबकि कैश इन सेफ एवं वेथ इन ट्रांजिस्ट का बीमा नहीं है। इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता के लिये श्री रुपेश तिवारी, लेखाकार एवं श्री के0जी0 गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या — 41)

प्रारूप-2
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2016-17

जनपद का नाम	:	औरैया
मण्डल	:	कानपुर
संस्था का नाम	:	जिला पंचायत औरैया
ले.प.वर्ष	:	2016-17
प्रस्तर 1-दिनांक 01.04.2016 को जिला पंचायत औरैया के निम्न कर्मचारियों पर भवन ऋण शेष था		
क्र०	कर्मचारी का नाम	दिनांक 01.04.2016 को बकाया ऋण
1-	श्री अशोक कुमार	49437.00
2-	श्री ताहिर अली	139468.00
3-	श्री राजबहादुर	60000.00
	योग	- 248905.00

उक्त कर्मचारियों से वर्ष 2016-17 में ऋण व ब्याज की किस्तें जमा नहीं कराई गयी है। फलस्वरूप उन पर लगा भवन ऋण यथावत लगा रहा। उक्त तीनों कर्मचारी जिला पंचायत से सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः उनको सेवानिवृत्ति पर देय लाभ से उक्त ऋण एवं ब्याज की कटौती कर शेष धनराशि का ही भुगतान किया जाना चाहिये।

उक्त ऋण व ब्याज की समय से वसूली न करने के लिए तत्कालीन लेखाकार श्री अनिल कुमार दीक्षित एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह उत्तरदायी है। जिस हेतु लेखाकार श्री अनिल कुमार दीक्षित एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०स० 08)

प्रस्तर 2-जिला पंचायत औरैया में कार्यरत रहे अवर अभियन्ता श्रीरणधीर सिंह राजपूत को वर्ष 2015-16 में वेतन व भत्तों के रूप में रु० 805372.00 भुगतान किया गया जिस पर वर्ष 2016-17 हेतु आयकर विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निम्न आकार बनता है-

वर्ष की कुल आय	805370.00
घटाया, जीपीएफ व जीआईएस में योगदान -	47597.00
कर योग्य आय -	757775.00
कर योग्य आय पर आयकर का आगणन -	
रु० 250000.00 तक आयकर -	शून्य
रु० 250001.00 से 500000.00 तक आयकर का 10% -	25000.00
रु० 500001.00 से 757575.00 तक आयकर का 20% -	51555.00
योग - रु०	76555.00
जोडिए शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा उपकार का 3% -	2297.00
शुद्ध देय आयकर -	78852.00

उक्त अवधारित आयकर के सापेक्ष श्री रणधीर सिंह राजपूत से फरवरी 2016 के उनके वेतन से रु० 60360.00 आयकर की एकमुश्त कटौती एवं सम्बन्धित मद में जमा कराया गया तथा शेष आयकर रु० 18492.00 उनसे जमा नहीं कराया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री अनिल कुमार दीक्षित एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह उत्तरदायी है। अतः शेष आयकर रु० 18492.00 दण्डात्मक शुल्क सुसंगत ब्याज सहित श्री राजपूत से वसूल कर सम्बन्धित मद में जमा कराया जाये। श्री राजपूत से उक्त कर की वसूली न हो पाने की दशा में यह धनराशि तत्कालीन लेखाकार श्री अनिल कुमार दीक्षित एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से व्याज सहित वसूल कर संदर्भित मद में जमा कराई जाये।

(मूल आ०स० 09)

प्रस्तर 3- दिनांक 03.03.2011 को महालेखाकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रिया साफ्ट में निम्न 8 प्रारूपों पर जिला पंचायत की सूचनायें फीड कराई जानी थी।

प्रारूप-1	वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान पंजिका
प्रारूप-2	समेकित सार रजिस्टर
प्रारूप-3	समाशोधन विवरण
प्रारूप-4	प्राप्य एवं देय बिल
प्रारूप-5	अचल सम्पत्ति पंजिका
प्रारूप-6	चल सम्पत्ति पंजिका
प्रारूप-7	भण्डार सूची पंजिका
प्रारूप-8	मांग समाहरण एवं अवशेष पंजिका

किन्तु आलोच्य वर्ष में जिला पंचायत औरैया द्वारा मात्र फार्मे - I,II,III की सूचनायें ही प्रिया साफ्ट में फीड कराई गयी है। फार्मे IV से VIII की सूचनायें जिला पंचायत द्वारा प्रिया साफ्ट में फीड नहीं कराई गयी है जो महालेखाकार के निर्देशों के विपरीत रहा। जिला पंचायत औरैया की आलोच्य वर्ष की फार्मे IV से VIII की सूचनायें प्रिया साफ्ट में फीड कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आ०स० 14)

प्रस्तर 4— जिला पंचायत औरैया द्वारा वर्ष 2016-17 में मृत पशु शव निस्तारण हेतु लाइसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में अपन पत्र संख्या 1019/मृ0पं0श0नि0/2016-17 दिनांक 25.05.2016 द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी तथा नीलामी की तिथि दिनांक 30.05.2016 निर्धारित की गयी। दिनांक 30.05.2016 को जिन विकास खण्डों की नीलामी सम्पन्न नहीं हो सकेगी उनकी नीलामी हेतु प्रत्येक बुधवार को जिला पंचायत औरैया कार्यालय में नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी, यह भी उक्त पत्र से उल्लिखित किया गया। उक्त के क्रम में दिनांक 30.05.2016 को विकास खण्ड औरैया, एरवाकटरा व विधूना के मृ0पं0श0नि0 ठेकों की नीलामी सम्पन्न की गयी तथा शेष विकास खण्डों की नीलामी सम्पन्न नहीं की गयी और यह कहा गया कि शेष विकास खण्डों की नीलामी लेने हेतु कोई सहकारी समिति अथवा अन्य ठेकेदार उपस्थित नहीं हुआ। जबकि इन विकासखण्डों को ठेके लेने हेतु इन विकास खण्डों में गठित चर्म शोधन सहकारी समितियाँ ठेका लेने हेतु जनपद के खाते एवं ग्रामोद्योग विभाग से पत्र अग्रसारित कराकर जिला पंचायत को प्रस्तुत किया गया था। शासनादेश संख्या-1320/बी/33-2-91 (पंचायतीराज अनुभाग-2) दिनांक 9 मार्च 1992 के अनुसार मृ0पं0श0नि0 ठेकों की नीलामी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा जो आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया। फलस्वरूप निम्न विकासखण्डों के ठेके नीलाम नहीं हो सके अथवा नीलाम नहीं किए गए। जिससे जिला पंचायत को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी— गत वर्षों का तुलनात्मक विवरण —

क्र०	विकास खण्ड का नाम	2013-14	2014-15	2015-16	कॉलम 3,4,5 का योग	3 वर्ष का औसत	औसत/ गत वर्ष की आय का 10%	निर्धारित बोली की राशि
1	अजीतमल	200000.00	80000.00	100000.00	380000.00	126667.00	12700.00	112700.00
2	भाग्यनगर	15000.00	17000.00	19000.00	51000.00	17000.00	1900.00	20900.00
3	अछल्दा	36300.00	40800.00	47000.00	124100.00	41367.00	4700.00	51700.00
4	सहार	44000.00	49000.00	55400.00	148400.00	49467.00	5540.00	60940.00
योग —								246240.00

इस प्रकार जिला पंचायत एवं उसके कार्मिकों की शिथिलता एवं दायित्वों के प्रति उदासीनता के कारण जिला पंचायत को वर्ष 2016-17 में इस मद में रू० 246240.00 की हानि हुई है, जिसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। अतः तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजबीर सिंह से रू० 123120.00 एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह से रू० 123120.00 व्याज सहित जमा कराकर जिला पंचायत को हुई आर्थिक क्षति की क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०स० 15)

प्रस्तर 5— कार्यालय जिला पंचायत औरैया के पत्रांक 51/सम्पत्ति/2016-17 दिनांक 26.04.2016 द्वारा जिला पंचायत औरैया के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रा०पा०/जूनियर हाईस्कूल से सम्बद्ध कृषि भूमि की वर्ष 2016-17 की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित की गयी जिसमें निम्न स्कूलों से सम्बद्ध कृषि भूमि की दिनांक 06.05.2016 को नीलामी किया जाना सूचित किया गया।

1— प्रा०पा०भैदपुर 2— प्रा०पा० कुदरकोट 3— प्रा०पा०रठा 4— प्रा०पा० भदसान 5— प्रा०पा०रोशगपुर 6— कृषि फार्म मुरादगंज 7— माध्यमिक विद्यालय सहार 8— प्रा०पा० बमुरीपुर।

सूचना में यह भी उल्लिखित किया गया कि जिन कृषि भूमि की नीलामी दिनांक 06.05.2016 को नहीं हो पाएगी उनकी नीलामी पुनः दिनांक 13.05.2016 को पूर्व नियत समय व स्थान पर की जाएगी।

उक्त नीलामी पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि निम्न भूमि की नीलामी दिनांक 06.05.2016 को सम्पन्न नहीं हो सकी फिर भी इस भूमि की नीलामी का आगे कोई प्रयास नहीं किया गया फलस्वरूप यह कृषि भूमि वर्ष 2016-17 में बिना नीलाम के बंजर ही पड़ी रही और जिला पंचायत को उससे कोई आर्थिक लाभ वित्तीय वर्ष में नहीं प्राप्त हुआ।

क्र०	कृषि भूमि का नाम	2013-14 की नीलामी की राशि	2014-15 की नीलामी की राशि	2015-16 की नीलामी की राशि	2016-17 हेतु नीलामी की मानक राशि
1	प्रा०पा० रैतियापुर	—	—	—	7950.00 (वर्ष 2007-08 की नीलामी रू० 2250.00 के आधार पर)
2	प्रा०पा० भैदपुर	7000.00	8150.00	10000.00	11500.00
3	प्रा०पा० कुदरकोट	8750.00	16000.00	—	21200.00
4	प्रा०पा० रठा	5800.00	6500.00	7300.00	8400.00
योग —					49050.00

उल्लेखनीय है कि प्रा०पा० रैतियापुर से सम्बद्ध कृषि भूमि 0.45 डेसिमल की नीलामी हेतु निविदा ही नहीं आमंत्रित की गयी थी। क्रमांक 2,3 व 4 भूमियों की नीलामी दिनांक 06.05.2016 को न होने के बावजूद इनकी नीलामी हेतु आगे कोई प्रयास नहीं किया गया। विगत वर्षों में इन भूमियों को नीलामी द्वारा लेने वाले व्यक्तियों से भी सम्पर्क नहीं किया गया। स्पष्ट है कि जिला पंचायत एवं उसके कार्मिकों की शिथिलता के कारण जिला पंचायत को वित्तीय वर्ष में रू० 49050.00 की आर्थिक क्षति हुई है। अतः जिला पंचायत को हुई आर्थिक क्षति की क्षतिपूर्ति रू० 24525.00 तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजबीर सिंह से एवं रू० 24525.00 तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह से सुसंगत ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आ०स० 16)

प्रस्तर 6—जिला पंचायत औरैया के वर्ष 016—17 के लाइसेंस शुल्क मांग वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित पावर मिलों को वर्ष में लाइसेंस जारी ही नहीं किया गया और न ही उनसे लाइसेंस शुल्क की वसूली ही की गयी। इस प्रकार दिनांक 31.03.2017 को इन पावन मिलों से निम्न विवरण के अनुसार लाइसेंस शुल्क वसूल होना शेष रहा।

क्र०	मिल मालिक का नाम व पता	लाइसेंस शुल्क की धनराशि
1	श्री गोपाल नारायण पुत्र सुरेन्द्र नाथ, सेंगनपुर औरैया	500.00
2	श्रीमती विमला देवी पत्नी बालकराम, बरमपुर औरैया	500.00
3	श्रीराम नारायण पुत्र श्री श्याम लाल, भरसेन औरैया	500.00
4	श्री हाकिम सिंह पुत्र साहिब सिंह सहवदिया औरैया	500.00
5	श्री राजेश कुमार पुत्र गया प्रसाद, सहवदिया औरैया	500.00
6	श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री हरीराम, मनसुखपुर औरैया	500.00
7	श्री बृजेश कुमार पुत्र राम सनेही, मिहोली औरैया	500.00
8	श्री अवधेश कुमार पुत्र छोटेलाल, आयाना औरैया	800.00
9	श्री राजीव चतुर्वेदी पुत्र राम मनोहर, मिहोली औरैया	800.00
10	श्री धर्म नारायण पुत्र बनारसी दास, औरैया	800.00
11	श्री कबीर सिंह पुत्र राम सनेही बिरिया औरैया	800.00
12	श्री दुर्गेश पाठक पुत्र राज नारायण, बखरिया औरैया	800.00
13	श्री वीरेंद्र बाबू पुत्र सीताराम, बखरिया औरैया	800.00
14	श्री सर्वेश कुमार पुत्र मन्नीलाल, सेंगनपुर औरैया	800.00
15	श्री महेन्द्र सिंह, नसीराबाद औरैया	800.00
16	श्री रामस्वरूप पुत्र टीकाराम नसीराबाद औरैया	800.00
17	श्री राजकुमार, जनेतपुर औरैया	800.00
18	श्री एबरन सिंह पुत्र चंद्रभान सिंह, जनेतपुर औरैया	800.00
19	श्री जगत सिंह पुत्र छक्कीलाल, गाजीपुर	500.00
20	श्री राहुल पुत्र अनिल कुमार, करमपुर	500.00
21	श्री विजय कुमार पुत्र राममूरत, जरहौलिया	500.00
22	श्रीमती तेजस्वरी देवी पत्नी दयाराम, नंदगॉंव	500.00
23	श्री सुधीर बाबू पुत्र कृष्ण बाबू, बढपुरा	500.00
24	श्री खुसनू खाँ पुत्र शरीफ खाँ, बंदरियापुर बिधूना	500.00
25	श्री सुभाष चन्द्र पुत्र बालकराम, सूखाताल बिधूना	500.00
26	श्री यतीन्द्र कुमार पुत्र राधाचरण, भिखरा बिधूना	500.00
27	श्री रामशंकर पुत्र होरीलाल, धान्धू निवादा बिधूना	800.00
28	श्री अरविन्द कुमार पुत्र ब्रज किशोर, जुआ भाग्यनगर	500.00
29	श्री कल्लू पुत्र मुंशीलाल, नगलापाठक भाग्यनगर	500.00
30	श्री जगनायक सिंह पुत्र माखन सिंह, सल्हापुर भाग्यनगर	800.00
31	श्री सुनील पुत्र गया प्रसाद, अरियारी सहार	500.00
32	श्री अशोक कुमार पुत्र जगदीश, शिवगंज सहार	500.00
33	श्री वर्मादीन पुत्र सुमेर, बढिन एरवाकटरा	800.00
34	श्री रियासत अली पुत्र वान अली कटरा एरवा कटरा	800.00
35	श्री ध्रुव चन्द्र पुत्र छेदालाल, बघईपुर अछल्दा	500.00
योग —		22000.00

इस प्रकार जिला पंचायत कार्मिकों की शिथिलता एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण वर्ष 2016—17 में उक्त पावर मिले बिना लाइसेंस के ही अवैध रूप से संचालित रही साथ ही लाइसेंस शुल्क न वसूले जाने से जिला पंचायत को ₹0 22000.00 की आर्थिक हानि भी हुई, जिसके लिए तत्कालीन वसूली कर्मी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह उत्तरदायी रहे। अतः रु 11000.00 की वसूली ततारीख ब्याज सहित तत्कालीन वसूली कर्मी से एवं रु 11000.00 की वसूली व्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ0स0 17)

प्रस्तर 7—जिला पंचायत उपविधि संशोधन विज्ञप्ति संख्या 412/23—70—73 दिनांक 30.07.1974 के द्वारा प्रस्ताव पारित कर यह व्यवस्था दी गयी थी कि जिला पंचायत क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शराब व भांग की दुकानों को जिला पंचायत को लाइसेंस शुल्क अदा करके लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा लाइसेंस शुल्क की दर निम्नवत होगी—

क्र०	दुकान का प्रकार	लाइसेंस शुल्क की दर
1	देशी शराब का ठेका	2000.00
2	अंग्रेजी शराब का ठेका	2000.00
3	भांग की दुकान	200.00

जिला पंचायत की ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत जिला आबकारी अधिकारी औरैया द्वारा विगत पाँच वर्षों में देशी शराब, विदेशी शराब व भांग की दुकानों का निम्न विवरण के अनुसार लाइसेंस प्रदान किया गया था—

क्र०	दुकान का प्रकार	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	योग
1	देशी शराब दुकान	56	58	58	58	58	288
2	अंग्रेजी शराब दुकान	15	19	21	21	21	97
3	भांग की दुकान	12	14	18	19	19	82

जिला पंचायत के लाइसेंस शुल्क वसूली रजिस्टर की जांच में पाया गया कि विगत पांच वर्षों में उक्त दुकानों से लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं किया गया है और न ही दुकानों को जिला पंचायत द्वारा लाइसेंस ही निर्गत किया गया इस प्रकार विगत पांच वर्षों से उक्त दुकानें जनपद में अवैध रूप से संचालित होती रही एवं लाइसेंस शुल्क न वसूल किए जाने से जिला पंचायत को आर्थिक क्षति भी होती रही। जिला पंचायत की उपविधियों में दी गयी लाइसेंस शुल्क दरों के अनुसार उक्त दुकानों पर निम्न विवरण के अनुसार लाइसेंस शुल्क की धनराशि आगणित की जाती है।

देशी शराब की दुकान — $288 \times 2000 = 576000.00$

अंग्रेजी शराब की दुकान — $97 \times 2000 = 194000.00$

भांग की दुकान — $82 \times 200 = 16400.00$

योग — 786400.00

उक्त लाइसेंस शुल्क वसूल न किये जाने से जिला पंचायत को रु० 786400.00 की हानि हुई है जिसके लिए तत्कालीन वसूली कर्मी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा एवं श्री राणा प्रताप सिंह उत्तरदायी है। उक्त शुल्क सुसंगत ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से सयुक्त रूप से वसूलकर जिला पंचायत निधि में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आ०सं० 18)

प्रस्तर 8—जिला पंचायत औरैया की लाइसेंस शुल्क मांग वसूली रजिस्ट्रों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित ईट, भट्टों व पेट्रोल पंप को लाइसेंस जारी नहीं किए गए और न ही उनसे लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया इस प्रकार इन संस्थाओं पर दिनांक 31.03.2017 को निम्नवत लाइसेंस शुल्क बकाया रहा—

क्र०	विकास खण्ड	संस्था का नाम व पता	31.03.2017 को बकाया शुल्क
1	बिधूना	माँ गायत्री ईट उद्योग, बेला	2000.00
2	भाग्यनगर	मेसर्स लार्ड गणपति बाबा एण्ड कम्पनी, नगला पाठक	2000.00
3	भाग्यनगर	श्याम बिक्र फील्ड, दसरौरा	2000.00
4	सहार	शिव ईट उद्योग, मुगरिहा	2500.00
5	सहार	ए०आर०बिक फील्ड मुगरिहा	2500.00
6	अछल्दा	शंकर ईट उद्योग, रावतपुर	2500.00
7	एरवाकटरा	जयबाबा ईट उद्योग, किरकिचियापुर	2500.00
8	एरवाकटरा	सिद्धार्थ आर्यन ईट उद्योग, भौंकरा ऐरवा	2000.00
9	एरवाकटरा	बी०के०ईट उद्योग, मुर्चा ऐरवा	2500.00
10	एरवाकटरा	ओम साई राम ईट उद्योग, किरकिचियापुर	2500.00
11	एरवाकटरा	श्री देवी फिलिंग स्टेशन, ऐरवा	2000.00
		योग —	25000.00

इस प्रकार जिला पंचायत एवं उसके कार्मिकों की शिथिलता एवं अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण लाइसेंस शुल्क का रु० 25000.00 वसूल होना शेष रहा। उक्त वसूली समय से न करने के लिए जिला पंचायत के वसूली कर्मी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह उत्तरदायी रहे। अतः रु 12500.00 की वसूली व्याज सहित तत्कालीन वसूली कर्मी से एवं रु 12500.00 की वसूली व्याज सहित अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०सं० 19)

प्रस्तर 9—जिला पंचायत औरैया के वर्ष 2016-17 के लाइसेंस शुल्क वसूली रजिस्ट्रों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में अधिकांश सामान्य दुकानों को लाइसेंस नहीं जारी किए गए और न ही उनसे लाइसेंस शुल्क ही वसूल किया गया। इस प्रकार जनपद में निम्न दुकानें बिना लाइसेंस के ही अनधिकृत रूप से संचालित रही।

क्र०	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	कुल दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिनके लाइसेंस जारी किए गए	दुकानों की संख्या जिनके लाइसेंस जारी नहीं किए गए
1	औरैया	खानपुर	16	—	16
		करमपुर	27	10	17
		बुरीपुर	8	2	6
		कखावतू	4	—	4
		मिहौली	21	—	21
		गठियाबक्सी रामा	1	—	1
		लुहियापुर	3	—	3
		पुरवाउम्मेद	2	—	2
		सैगनपुर	24	12	12
		अयाना	54	12	42
		श्रोसंगपुर	7	—	7
		भरसेन	12	—	12
		पंहर	8	—	8
		सुरान	2	—	2
		सुंदरीपुर	2	—	2
		तुर्कीपुर	5	—	5
		मढापुर	9	—	9
		मनसुखपुर	2	—	2
		बनारस	2	—	2
		कसबाजाना	3	—	3
		कुंवा गाँव	3	—	3
		जुहीखा	1	—	1
		थतवरलालपुर	3	—	3
		महारतपुर	3	—	3
		श्राहतपुर	8	—	8
		तलेपुर	3	—	3
		थचरहुली	12	—	12
		पढीन	9	—	9
		चिचौली	5	—	5
		निगडा	4	—	4
		बिरिया	1	—	1
		सहवदिया	1	—	1
		इकौरापुर	7	—	7
		सेनपुर	2	—	2
		कसबाजाना	1	—	1
		नवादाज्वाला प्रसाद	4	—	4
		सेरगढ घाट	4	—	4
		योग —	283	36	247
2	विधूना	मल्हौसी	45	40	5
		रूरुगंज	36	26	10
		बेला	73	63	10
		बांधमऊ	9	6	3
		कैथावा	4	3	1
		पटनाबेला	1	—	1
		नुनारी	2	—	2
		बरूकुलापुर	2	—	2
		योग —	172	138	34
3	स्हार	शिवगंज	38	10	28
		कंचौसीबाजार	100	63	37
		सहायल	93	53	40

		अरियारी बाजार	30	11	19
		लहरापुर	88	48	40
		नवी मोहन	7	—	7
		याकूबपुर	157	61	96
		स्हार	135	48	87
		श्रामनगर	7	—	—
		गपचरियापुर	5	—	5
		लखुनों	4	—	4
		बरू फफूंद	25	13	12
		पूर्वा बगिया	13	—	13
		टसू	6	1	5
		टसेनी	17	15	2
		योग—	725	323	402
4	ऐरवा कटरा	उमरेन	125	100	25
		ऐरवा	120	104	16
		कटरा	53	33	20
		कुदरकोट	105	74	31
		बैवाह	23	20	3
		बरौनाकलां	22	20	2
		लज्जानगर	10	9	1
		समायन	10	9	1
		सरायशीश ग्रान	5	2	3
		योग —	473	371	102
5	अछल्दा	पता	8	5	3
		थचमकुनी	5	1	4
		छछुद	1	—	1
		बघईपुर	6	—	6
		रामगढ	26	22	4
		हरचंद्रपुर	11	5	6
		मकरंदपुर	1	—	1
		छलीपपुर	1	—	1
		शंकरपुर	1	—	1
		घसारा	3	—	3
		ममरेजपुर	2	—	2
		सलेमपुर	2	—	2
		रजुआमऊ	1	—	1
		भैसोल	3	2	1
		योग —	71	35	36
		कुल योग —	1724	903	821

जिला पंचायत औरैया की उपविधियों के अनुसार उक्त दुकानों की किस्म के अनुसार ₹0 90.00 से ₹0 150.00 लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाना चाहिए। इस प्रकार औसत शुल्क यदि ₹0120.00 प्रति दुकान मान लिया जाये तो 821 दुकानों पर ₹0 98520.00 शुल्क बनता है। इस प्रकार जिला पंचायत के कार्मिकों की शिथिलता एवं अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण जिला पंचायत को वर्ष में ₹0 98520.00 की क्षति हुई है। जिसके लिए जिला पंचायत के तत्कालीन वसूली कर्मी एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह उत्तरदायी है। उक्त दुकानों से दुकानों की किस्म के अनुसार बकाया लाइसेंस शुल्क ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आ0स0 20)

प्रस्तर 10—दिनांक 31.03.2017 को जिला पंचायत में निम्न विवरण के अनुसार 90 दिनों से पूर्व व प्राप्त अनुदान उपभोग किया जाना शेष रहा—

क्रं	मद का विवरण	अनुदान की धनराशि
1	राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान (5 वी व छठी किस्त को छोड़कर)	47127149.50
2	12 वी वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	333693.13
3	13 वी वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	791504.00
	योग —	48252346.63

उल्लेखनीय है कि वित्त आयोगों द्वारा जिला पंचायत को अनुदान का आवण्टन इस निर्देश के साथ दिया गया था कि समुचित कार्य योजना तैयार कर प्राप्त अनुदान का 90 दिन का अन्दर जिला पंचायत परिक्षेत्र में विकास कार्य कराने,

जिला पंचायत की सम्पत्तियों का सृजन करने व राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने में उपभोग कर लिया जाये। किन्तु जिला पंचायत व उसके कार्मिकों की शिथिलता एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण रु० 48252346.63 का अनुदान उपभोग हेतु शेष रहा। जिसके लिए तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०सं० 21)

प्रस्तर-11—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिला पंचायत औरैया के ग्रामीण क्षेत्रों में बालू, मोरंग व गिटटी लाने व ले जाने वाले वाहनों (बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक आदि) से परिवहन शुल्क वसूले जाने का नियम बनाया गया था। इसी क्रम में जिला पंचायत औरैया कार्यालय के पत्रांक - 1005/बालू, मोरम, गिटटी/2016-17 दिनांक 22.04.2016 द्वारा जारी निविदा विज्ञापित के क्रम में दिनांक 30.04.2016 को प्रातः 11 बजे जनपद मुख्यालय ककोर में औरैया जालौन चौराहा से शेरगढ घाट मार्ग पर मंगलाकाली मन्दिर के आगे जनपद के बाहर व जनपद के अन्दर बालू, गिटटी, मोरम, बजरा को लाने अथवा ले जाने वाले वाहनों से शुल्क वसूली की नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न की गयी जिससे निम्न बोली दाताओं ने भाग लिया—

क्र०	बोली दाता का नाम व पता	बोली की धनराशि
1	श्री सुभाष सिंह यादव पुत्र श्री शादीलाल यादव निवासी लोहिया नगर बिधूना, औरैया	2000000.00
2	श्री विजय सिंह पुत्र श्री राजाराम निवासी चकसत्तारपुर अजीतमल, औरैया	4910000.00
3	श्री अमर सिंह परिहार पुत्र श्री रामकिशोर निवासी प्रकाश नगर महेरा चुंगी, इटावा।	20011000.00
4	श्री अरुण कुमार दुबे पुत्र श्री शिव कुमार दुबे निवासी गुनौली बिधूना, औरैया	—
5	श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री मुंशीलाल यादव निवासी नवीन बस्ती भर्थना रोड बिधूना, औरैया	—
6	श्री आफताब अहमद पुत्र श्री अब्दुल मजीद निवासी सत्तेश्वर, औरैया	—
7	श्री अब्दुल सत्तार पुत्र श्री जमीर अहमद निवासी कस्बा खानपुर, औरैया	—

श्री अमर सिंह की अधिकतम बोली होने के कारण निविदा स्वीकार की गयी किन्तु बाद में निर्धारित समय से धन जमा न करने के कारण उनकी बोली निरस्त करते हुए उनकी जमानत राशि रु० 500000.00 जब्त कर ली गयी।

दिनांक 17.05.2016 को नोटशीट संख्या-8 के आधार पर द्वितीय बोली बोलने वाले श्री विजय सिंह को उक्त शुल्क वसूली का रु० 4910000.00 में ठेका देकर आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल से अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी तथा श्री विजय सिंह को उक्त शुल्क वसूली की अनुमति जिला पंचायत स्तर से दे दी गयी। आयुक्त कानपुर मण्डल के पत्रांक 1235/23-13-2012-13 दिनांक 29.11.2016 द्वारा उक्त नीलामी को अनुमोदन भी प्राप्त हो गया। जिला पंचायत औरैया द्वारा पत्र संख्या 1132/गिटटी, मोरम, बालू/2016-17 11.12.2016 द्वारा श्री विजय सिंह को उक्त शुल्क वसूली का विधिक कार्यदेश भी जारी कर दिया गया।

श्री विजय सिंह द्वारा उक्त नीलामी के सापेक्ष निम्न धनराशि जिला पंचायत औरैया में जमा की गयी—

दिनांक	रसीद संख्या	धनराशि
20.05.2016	डी डी नं० 078892/28.03.2016 सीबीआई खानपुर औरैया	500000.00
31.05.2016	478152	750000.00
	योग —	1250000.00

श्री विजय सिंह द्वारा नीलामी का शेष धन रु० 3660000.00 जिला पंचायत में जमा नहीं किया गया। दिनांक 31.05.2016 के बाद श्री विजय सिंह द्वारा उक्त शुल्क वसूली का अवशेष धन जमा न करने के बावजूद उन्हें शुल्क वसूली का कार्यदेश जारी करना, कार्यदेश जारी करने के बाद भी वसूली हेतु ठोस कार्यवाही न करना जिला पंचायत के कर्मियों की जिला पंचायत को रु० 3660000.00 की क्षति पहुंचाने में श्री विजय सिंह के साथ संलिप्तता का स्पष्ट प्रमाण है। इस प्रकार ठेकेदार श्री विजय सिंह के साथ मिलकर जिला पंचायत एवं उसके कार्मिकों द्वारा जिला पंचायत को रु० 3660000.00 की आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है जिसके लिए तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह, अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह एवं पटल प्रभारी श्री प्रीतम सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त नीलामी का शेष धन सुसंगत ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से सयुक्त रूप से वसूलकर जिला पंचायत निधि में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 23)

प्रस्तर 12 — वर्ष 2016-17 में रु० 1105.30 लाख के रु० 10 लाख अथवा इससे कम की धनराशि के निर्माण कार्य कराये गए हैं (सूची अलग से संलग्न है) इन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं—

1— कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र संख्या 7399 एम०टी०/सामान्य वर्ग/60 एम०टी०/2008 दिनांक 16.09.2008 के बिन्दु 1 के अनुसार प्रारम्भिक आगणन तैयार करने से पूर्व निर्माण कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्य स्थल का नजरी नक्शा व लाइन डाइग्राम तैयार किया जाएगा एवं तदनुसार प्रारम्भिक आगणन तैयार किया जाएगा। किन्तु उक्त कार्यों की किसी भी पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट व लाइन डाइग्राम संलग्न नहीं है।

2- शासनादेश संख्या 1838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा जिला पंचायतों को निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से जिला पंचायतों को ऐसे कार्य कराना था जिससे एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हो सकें। किन्तु संलग्न सूची से स्पष्ट है कि सभी कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर ही कराए गए हैं जो उक्त शासनादेश की भावना के विपरीत रहा (संलग्नक-1)।

3- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में दिये गए मार्ग दर्शक सिद्धान्त के अनुसार जो कार्य पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा बेहतर तरीके से कराया जा सकता है उसी स्तर पर कराया जाय उससे ऊपर के स्तर पर नहीं। किन्तु जिला पंचायत द्वारा इस भावना के विपरीत उक्त सभी निर्माण कार्य कराये गये हैं।

4- शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-3/2015 दिनांक 31.07.2015 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा रु 10लाख से अधिक की परियोजनाएं ही अपने निर्माण कार्यों में शामिल की जाएंगी किन्तु उक्त कार्यों में इस निर्देश के विपरीत रु 10 लाख से कम की धनराशि व्यय की गयी है।

5- जिला पंचायत अधिनियम के अंतर्गत जिला पंचायत को कार्य समिति की सहायता से वार्षिक विकास योजना तैयार करनी चाहिए और क्षेत्र पंचायतों की विकास योजना को शामिल करते हुए स्वीकृत विकास योजना तैयार कर कार्यों को संपादित कराया जाना चाहिए किन्तु उक्त निर्माण कार्यों में इसका पालन नहीं किया गया।

6- चूंकि उक्त समस्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर ही कराये गए हैं। अतः इन कार्यों में अनियमितता, भ्रष्टाचार व दुप्लिकेसी की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

7- माह जून 2016 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ में नियोजित रिट याचिका के सापेक्ष बालू व मोरम के सम्पूर्ण खनन कार्य बंद करा दिये गए थे एवं पीसी पट्टा धारकों के पट्टे भी निरस्त कर दिये गए थे। इस प्रकार सी0सी0/इंटरलाकिंग कार्य बिना बालू व मोरम के बिना कराया जाना संभव नहीं था। स्पष्ट है कि निर्माण कार्यों में यदि बालू व मोरम का समुचित इस्तेमान नहीं किया गया तो निर्माण कार्य अधोमानक एवं निम्न स्तर के रहे। यदि निर्माण कार्यों में समुचित बालू व मोरम का स्तेमाल किया गया तो जिला पंचायत द्वारा इसकी आपूर्ति अवैध श्रोतों से ली गयी। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा अवैध खनन को प्रोत्साहन दिया गया एवं उप खनिजों पर रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई गयी।

8- उक्त निर्माण कार्यों में 4714.00 घन मीटर मोरम एवं 2424.00 घन मीटर बालू अर्थात् 7138.00 घन मीटर उप खनिजों का उपभोग किया गया जिस पर रु 135.00 प्रति घन मीटर की दर से रु 963630.00 रायल्टी की कटौती ठेकेदारों के बिलों से नहीं की गयी जबकि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 3891/77-5-2002-1(216) 93 दिनांक 05/08/2002 एवं शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292 दिनांक 15/10/2015 के अनुसार संस्था द्वारा उप खनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उप खनिजों पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में रायल्टी का भुगतान नहीं हुआ है। अतः उक्त शासनादेशों के बिन्दु 3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी की धनराशि रु 963630.00 एवं इसका 5 गुना रु 4818150.00 दण्ड शुल्क ठेकेदारों के बिलों से काटकर लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क" में जमा कराया जाना चाहिए जो नहीं कराया गया।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिला पंचायत औरैया में वर्ष 2016-17 में रु 1105.30 लाख अनियमित निर्माण कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है जिसके लिए तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह, अपर मुख्य अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह एवं समस्त निर्माण कार्य अनुभाग उत्तरदाई है। उक्त धन सुसंगत ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों से सयुक्त रूप से वसूलकर जिला पंचायत निधि में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 24)

प्रस्तर- 13 जिला पंचायत औरैया की अयाना रोड मुरदगंज स्थित दुकान संख्या 7 श्री राम किशोर पुत्र श्री राम सेवक को रु 200.00 प्रति माह की दर पर किराए पर दी गयी है। उन पर अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक रु 4800.00 किराया वसूल होना शेष है। किराया मांग वसूली रजिस्टर में दिनांक 31.03.2017 को रु 2400.00 किराया पाना दर्शाया गया है जो रु 2400.00 कम है। अतः मांग वसूली रजिस्टर में दिनांक 31.03.2017 को किराए की मांग रु 4800.00 अंकित करते हुए श्री राम किशोर से बकाया किराया रु 4800.00 ब्याज सहित अविलंब जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 25)

प्रस्तर- 14 दिनांक 31.03.2017 को जिला पंचायत औरैया की निम्न दुकानों पर किराया शेष रहा-

क्र०सं	बजार का नाम	दुकान संख्या	दुकानदार का नाम	धनराशि	बकाया की अवधि
1	अयाना रोड, कस्बा मुरादगंज औरैया	02	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री नारायण दत्त	3000.00	अंकित नहीं है
		03	श्री राम किशोर पुत्र श्री तुलसी राम	3800.00	अगस्त 2015 से मार्च 2017
		अंकित नहीं	श्री आशुतोष कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र	1200.00	दिसम्बर 2016 से मार्च 2017
		06	श्री बलराम सिंह पुत्र श्री जगदीश	2200.00	मई 2016 से मार्च 2017

			सिंह		
		07	श्री राम किशोर सिंह पुत्र श्री राम सेवक	4800.00	अप्रैल 2015 से मार्च 2017
		09	श्री राम बिहारी पुत्र श्री पंचम लाल	1330.00	जून 2016 से मार्च 2017
		10	श्री पुत्तू सिंह पुत्र श्री बलराम सिंह	1995.00	जनवरी 2016 से मार्च 2017
		12	श्री राम लखन पुत्र श्री राम शंकल	1065.00	अगस्त 2016 से मार्च 2017
		14	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रघुनंदन लाल	665.00	नवम्बर 2016 से मार्च 2017
		15	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री वेद प्रकाश	1596.00	अप्रैल 2016 से मार्च 2017
		16	श्री राधे श्याम पुत्र श्री रामनाथ	1596.00	अप्रैल 2016 से मार्च 2017
		17	श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री रामनाथ	1995.00	जनवरी 2016 से मार्च 2017
2	आयुर्वेद चिकित्सालय के सामने (मुरादगंज) औरैया	02	श्री सत्यवीर सिंह पुत्र श्री शिवराम सिंह	1862.00	सितम्बर 2016 से मार्च 2017
		03	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री हाकिम सिंह	399.00	जनवरी 2017 से मार्च 2017
		04	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री हाकिम सिंह	399.00	जनवरी 2017 से मार्च 2017
3	इटावा-कानपुर रोड (मुरादगंज) औरैया	01	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामबू पोरवाल	1800.00	जुलाई 2016 से मार्च 2017
		02	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामबू पोरवाल	1800.00	जुलाई 2016 से मार्च 2017
		03	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री देवी दयाल	7919.00	अंकित नहीं है
		04	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री सूरज प्रसाद	3504.00	अंकित नहीं है
		07	श्री राम नरेश पुत्र श्री बनवारी लाल	546.00	जनवरी 2017 से मार्च 2017
		08	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री राम नरेश	546.00	जनवरी 2017 से मार्च 2017
		09	श्री मुन्ना बाबू पुत्र श्री जगदीशचन्द्र	3720.00	अप्रैल 2016 से मार्च 2017
		11	श्री भगवान दास पुत्र श्री रघुनन्दन लाल	2150.00	अंकित नहीं है
4	फफूंद रोड, मुरादगंज औरैया	01	श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल पुत्र श्री गोपी नाथ	1500.00	अक्टूबर 2016 से मार्च 2017
		02	श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री तिलक सिंह	1500.00	अक्टूबर 2016 से मार्च 2017
		03	श्री शोभाराम पुत्र श्री श्रीराम	1250.00	नवम्बर 2016 से मार्च 2017
		04	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार	3500.00	अंकित नहीं है
		05	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री रामशंकर	3000.00	अप्रैल 2016 से मार्च 2017
		08	श्री रामविलन पुत्र श्री बलदेव प्रसाद	1000.00	दिसम्बर 2016 से मार्च 2017
		09	श्री रामविलन पुत्र श्री बलदेव प्रसाद	1000.00	दिसम्बर 2016 से मार्च 2017
		10	श्री मुन्ना खॉ पुत्र श्री उष्मान खॉ	750.00	जनवरी 2017 से मार्च 2017
		11	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री पंचम लाल	1750.00	सितम्बर 2016 से मार्च 2017

		12	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री मुन्नी लाल	750.00	जनवरी 2017 से मार्च 2017
		13	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री जगदीश नारायण	1500.00	अक्टूबर 2016 से मार्च 2017
		14	श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री शिव नारायण	7750.00	अंकित नहीं है
		16	श्री अवरार पुत्र श्री नन्हे खों	1000.00	दिसम्बर 2016 से मार्च 2017
		17	श्री सागर कुमार पुत्र श्री राम सागर	1200.00	दिसम्बर 2016 से मार्च 2017
		18	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री जगत नारायण	11350.00	अंकित नहीं है
5	जिला पंचायत इण्टर कालेज के सामने (मुरादगंज) औरैया	03	श्री सच्चिदानन्द पुत्र श्री कृष्ण गोपाल	3000.00	अगस्त 2016 से मार्च 2017
		04	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री नित्यानन्द	3000.00	अगस्त 2016 से मार्च 2017
		05	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सुखवासीलाल	5625.00	जनवरी 2016 से मार्च 2017
		06	श्री राशिद पुत्र श्री रियाजुद्दीन	1125.00	जनवरी 2016 से मार्च 2017
		07	श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री सुरेश चन्द्र	750.00	फरवरी 2017 से मार्च 2017
		09	श्री वृजेश बाबू पुत्र श्री राम बाबू	1500.00	दिसम्बर 2016 से मार्च 2017
		10	श्री शनिउल्ला पुत्र श्री सलीम खों	1125.00	जनवरी 2017 से मार्च 2017
		11	श्री आरिफ खों पुत्र श्री सलीम खों	1125.00	जनवरी 2017 से मार्च 2017
		12	श्री मु० शकील पुत्र श्री बकरीद खों	1875.00	नवम्बर 2016 से मार्च 2017
		13	श्री हँप्पी पोरवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र पोरवाल	6000.00	अंकित नहीं है
		14	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री राधे लाल	7125.00	अंकित नहीं है
			योग	120937.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला पंचायत की दुकानों से किराए की नियमित वसूली नहीं की जाती है। यह स्थिति संस्था के आर्थिक हितों के अनुकूल नहीं है। उक्त बकाया किराए की तत्परता पूर्वक ब्याज सहित वसूली कर संस्था की दुकानों से किराए की नियमित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या— 26)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

प्रारूप -2

जनपद— कन्नौज

मण्डल — कानपुर

जिला पंचायत — कन्नौज में अधिभार योग्य पायी गयी आपत्तियों का विवरण।

लेखा परीक्षा वर्ष 2012 -13

प्रस्तर सं० -1 सौरिख परौर मार्ग से रामपुर तक पी०सी० कार्य में रु० 508465.48 की खनिज सम्पदा गिट्टी की आपूर्ति की गयी। इस खनिज सम्पदा की पुष्टि में पत्रावली में खनिज विभाग द्वारा जारी एम.एम.-11 नहीं लगा। खनिज सम्पदा की तिथिवार आपूर्ति मात्रा परिमाण पुस्तिका में अंकित कर प्रमाणित नहीं किया गया। इस अनियमितता के लिये जे.ई. श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री प्रकाश मिश्रा उत्तरदायी है। अपने दायित्वों का निर्वाहन न करने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ०सं०-1)

प्रस्तर सं० -2 मलिकपुर सिंहपुर मार्ग से बल्लापुर तक पी०सी० कार्य में रु० 515440.33 की खनिज सम्पदा की गिट्टी की आपूर्ति की गयी। इस खनिज सम्पदा की पुष्टि में पत्रावली में खनिज विभाग द्वारा जारी एम.एम.-11 नहीं लगा एवं खनिज सम्पदा की तिथिवार आपूर्ति मात्रा परिमाण पुस्तिका में अंकित कर प्रमाणित नहीं किया गया। इस अनियमितता के लिये जे.ई. श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री प्रकाश मिश्रा उत्तरदायी है। अपने दायित्वों का निर्वाहन न करने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ०सं० -2)

प्रस्तर सं० -3 तिर्वा खैरनगर मार्ग से हंसापुर कमलेपुरा, पतरियनपुरा, पूर्वा कोडियन तक पी०सी० कार्य में रु० 164181.50 की खनिज सम्पदा गिट्टी की आपूर्ति की गयी। इस खनिज सम्पदा की पुष्टि में पत्रावली में खनिज

(आ०सं० -3)

अपेक्षित है। (आ०सं०-४)

(आ०सं० -5)

(आ०सं० -6)

(आ०सं० -7)

(आ०सं० -8)

(आ०सं० -९)

(आ०सं० –10)

(आ०सं० -11)

162

अनियमितता के लिये जे.ई. श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री प्रकाश मिश्रा उत्तरदायी है। अपने दायित्वों का निर्वाहन न करने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 -12)

प्रस्तर सं0-13 मोहनपुर से इन्दुयागंज घाट मार्ग पर पी0सी0 कार्य पर रू0 125706.83 की खनिज सम्पदा गिट्टी की आपूर्ति की गयी। इस खनिज सम्पदा की पुष्टि में पत्रावली में खनिज विभाग द्वारा जारी एम.एम. -11 नहीं लगा एवं खनिज सम्पदा की तिथिवार आपूर्ति मात्रा परिमाण पुस्तिका में अंकित कर प्रमाणित नहीं किया गया। इस अनियमितता के लिये जे.ई. श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री प्रकाश मिश्रा उत्तरदायी हैं। अपने दायित्वों का निर्वाहन न करने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 -13)

प्रस्तर सं0 -14 ग्राम कलसान से नई बस्ती तक पी0सी0 कार्य पर रू0 315215.90 की खनिज सम्पदा गिट्टी की आपूर्ति की गयी। इस खनिज सम्पदा की पुष्टि में पत्रावली में खनिज विभाग द्वारा जारी एम.एम. -11 नहीं लगा एवं खनिज सम्पदा की तिथिवार आपूर्ति मात्रा परिमाण पुस्तिका में अंकित कर प्रमाणित नहीं किया गया। इस अनियमितता के लिये जे.ई. श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री प्रकाश मिश्रा उत्तरदायी है। अपने दायित्वों का निर्वाहन न करने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-14)

प्रस्तर सं0 -15 छिबरामऊ तालग्राम रोड़ से मुसाफिर तलैया लम्बुइया होते हुए अयूबपुर तक पी0सी0 कार्य पर रू0 129224.00 की खनिज सम्पदा गिट्टी की आपूर्ति की गई। इस खनिज सम्पदा की पुष्टि में पत्रावली में खनिज विभाग द्वारा जारी एम.एम.-11 नहीं लगा है एवं खनिज सम्पदा की तिथिवार आपूर्ति मात्रा परिमाण पुस्तिका में अंकित कर प्रमाणित नहीं किया गया। इस अनियमितता के लिये जे.ई. श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री प्रकाश मिश्रा उत्तरदायी है। अपने दायित्वों का निर्वाहन न करने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-15)

प्रस्तर सं0 -16 उर्मदा मझिला रोड़ से निकारीपुरा मार्ग पर पी0सी0 कार्य पर रू0 90978.00 की खनिज सम्पदा गिट्टी की आपूर्ति की गयी। इस खनिज सम्पदा की पुष्टि में पत्रावली में खनिज विभाग द्वारा जारी एम.एम.-11 नहीं लगा एवं खनिज सम्पदा की तिथिवार आपूर्ति मात्रा परिमाण पुस्तिका में अंकित कर प्रमाणित नहीं किया गया। इस अनियमितता के लिये जे.ई. श्रीमती सोमलता एवं तत्कालीन लेखाकार श्री प्रकाश मिश्रा उत्तरदायी है। अपने दायित्वों का निर्वाहन न करने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 -16)

प्रस्तर सं0 -17 छिबरामऊ सौरिख मार्ग से रसूलपुर मार्ग पर पी0सी0 कार्य पर रू0 346672.98 की खनिज सम्पदा गिट्टी की आपूर्ति की गयी। इस खनिज सम्पदा की पुष्टि में पत्रावली में खनिज विभाग द्वारा जारी एम.एम. -11 नहीं लगा एवं खनिज सम्पदा की तिथिवार आपूर्ति मात्रा परिमाण पुस्तिका में अंकित कर प्रमाणित नहीं किया गया। इस अनियमितता के लिये जे.ई. श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री प्रकाश मिश्रा उत्तरदायी है। अपने दायित्वों का निर्वाहन न करने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 -17)

प्रस्तर सं0 -18 कसौली टीका नगला मार्ग से मुइया नगला मार्ग पर पी0सी0 कार्य पर रू0 77246.40 की खनिज सम्पदा गिट्टी की आपूर्ति की गयी। इस खनिज सम्पदा की पुष्टि में पत्रावली में खनिज विभाग द्वारा जारी एम.एम. -11 नहीं लगा एवं खनिज सम्पदा की तिथिवार आपूर्ति मात्रा परिमाण पुस्तिका में अंकित कर प्रमाणित नहीं किया गया। इस अनियमितता के लिये जे.ई. श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री प्रकाश मिश्रा उत्तरदायी है। अपने दायित्वों का निर्वाहन न करने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-18)

प्रस्तर सं0 -19 सौरिख परौर मार्ग से रामपुर तक पी0सी0 कार्य की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है, कि इस कार्य स्थल पर पूर्व में खडंजा लगा हुआ था, जिसमें अंकित माप के अनुसार 90270 ईटें प्रयुक्त थी, इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

जे.ई. की प्राथमिक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि मार्ग में पूर्व में क्षतिग्रस्त खडंजा लगा है। यह खडंजा किस संस्था की सम्पत्ति है, जे.ई. की रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है।

उक्त प्राचीन खडंजा जिस कार्यदायी संस्था की सम्पत्ति थी उससे सम्पत्ति का हस्तांतरण जिला पंचायत को कराकर हस्तांतरण प्रमाण पत्र पत्रावली में सुरक्षित नहीं किया गया।

इसके मूल्य का समायोजन स्टीमेट में नहीं किया गया है।

इस प्रकार खडंजा में लगे ईट का इस्तेमाल जिला पंचायत द्वारा कर लिया गया। किन्तु उसके मूल्य रू0 550647.00 का समायोजन निर्माण कार्य की लागत से नहीं किया गया जिसके लिये तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी उत्तरदायी है। अतः उनसे रू0 550647.00 सुसंगत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0 -19)

प्रस्तर सं0 -20 मलिकपुर सिंहपुर मार्ग से बल्लापुर तक पी0सी0 कार्य की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस कार्य स्थल पर पूर्व में खडंजा लगा हुआ था, जिसमें अंकित माप के अनुसार 54870 ईटें प्रयुक्त थी इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

जे.ई. की प्राथमिक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है, कि मार्ग में पूर्व में क्षतिग्रस्त खडंजा लगा है। यह खडंजा किस संस्था की सम्पत्ति थी, जे.ई. की रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है।

उक्त प्राचीन खडंजा जिस कार्यदायी संस्था की सम्पत्ति थी उससे सम्पत्ति का हस्तारण जिला पंचायत को कराकर हस्तारण प्रमाण पत्र पत्रावली में सुरक्षित नहीं किया गया।

इसके मूल्य का समायोजन स्टीमेट में नहीं किया गया।

इस प्रकार खडंजा में लगे ईट का इस्तेमाल जिला पंचायत द्वारा कर लिया गया। किन्तु उसके मूल्य रु0 334707.00 का समायोजन निर्माण कार्य की लागत से नहीं किया गया। जिसके लिये तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी उत्तरदायी है। अतः उनसे रु0 334707.00 सुसंगत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0 -20)

प्रस्तर सं0 -21 सी0एस0बी0 रोड सकतपुर मार्ग पर नगला पचू से उदैतापुर मार्ग पर पी0सी0 कार्य की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस कार्य स्थल पर पूर्व में खडंजा लगा हुआ था जिसमें अंकित माप के अनुसार 92925 ईटे प्रयुक्त थी, इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

जे.ई. की प्राथमिक रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मार्ग में पूर्व में क्षतिग्रस्त खडंजा लगा है। यह खडंजा किस संस्था की सम्पत्ति थी, जे.ई. की रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है।

उक्त प्राचीन खडंजा जिस कार्यदायी संस्था की सम्पत्ति थी उसमें सम्पत्ति का हस्तारण जिला पंचायत को कराकर हस्तारण प्रमाण पत्र पत्रावली में सुरक्षित नहीं किया गया।

इसके मूल्य का समायोजन इस्टीमेट में नहीं किया गया।

इस प्रकार खडंजे में लगे ईट का इस्तेमाल जिला पंचायत द्वारा कर लिया गया किन्तु उसके मूल्य रु0 566843.00 का समायोजन निर्माण कार्य की लागत से नहीं किया गया। जिसके लिये तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी उत्तरदायी है। अतः उनसे रु0 566843.00 सुसंगत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0 -21)

प्रस्तर सं0 -22 ग्राम कलसान से नई बस्ती तक पी0सी0 कार्य की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। कि इस कार्य स्थल पर पूर्व में खडंजा लगा हुआ था जिसमें अंकित माप के अनुसार 70800 ईटे प्रयुक्त थी, इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

जे.ई. की प्राथमिक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है, कि मार्ग में पूर्व में क्षतिग्रस्त खडंजा लगा है। यह खडंजा किस संस्था की सम्पत्ति थी, जे.ई. की रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है।

उक्त प्राचीन खडंजा जिस कार्यदायी संस्था की सम्पत्ति थी उससे सम्पत्ति का हस्तारण जिला पंचायत को कराकर हस्तारण प्रमाण पत्र पत्रावली में सुरक्षित नहीं किया गया।

इसके मूल्य का समायोजन इस्टीमेट में नहीं किया गया।

इस प्रकार खडंजे में लगे ईट का इस्तेमाल जिला पंचायत द्वारा करा लिया गया किन्तु उसके मूल्य रु0 431880.00 का समायोजन निर्माण कार्य की लागत से नहीं किया गया। इस अनियमितता के लिये तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी उत्तरदायी है। अतः उनसे रु0 431880.00 सुसंगत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0 -22)

प्रस्तर सं0 -23 सौरिख परौर मार्ग से रामपुर तक पी0सी0 मार्ग पर प्रतिवेदन में पूर्व में क्षत विक्षत खडंजा का उल्लेख है, इस निर्माण कार्य में कच्चे कार्य पर रु0 67220.65 का व्यय किया गया। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

निर्माण कार्य के प्रस्ताव में कच्चे कार्य की कोई माँग नहीं की गयी केवल पेंटिंग वर्क की माँग की गयी।

कार्य से पूर्व जे.ई. की प्राथमिक रिपोर्ट में कच्चे कार्य की आवश्यकता का स्पष्ट उल्लेख करते हुए नजरी नक्शा एवं कच्चे कार्य की नाप अंकित नहीं की गयी जिससे कच्चे कार्य पर व्यय संदिग्ध रहा।

कार्य स्थल किस ग्राम पंचायत में स्थित है, इसका उल्लेख पत्रावली के किसी भी अभिलेख में नहीं है, उक्त मार्ग किस कार्यदायी संस्था की सम्पत्ति थी उससे सम्पत्ति का हस्तांतरण कराकर पत्रावली में सुरक्षित नहीं किया गया।

इस प्रकार इस कच्चे मार्ग पर हुआ व्यय रु0 67220.65 औचित्यहीन रहा। जिसके लिये तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी उत्तरदायी है। अतः उनसे रु0 67220.65 सुसंगत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0 - 23)

प्रस्तर सं0 -24 मलिकपुर सिंहपुर मार्ग से बल्लापुर तक पी0सी0 कार्य में प्रतिवेदन पूर्व में उक्त मार्ग पर क्षत विक्षत खडंजा का उल्लेख है इस निर्माण कार्य में कच्चे कार्य पर रु0 99133.34 व्यय किया गया जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

निर्माण कार्य के प्रस्ताव में कच्चे कार्य की कोई माँग नहीं की गयी केवल पेंटिंग वर्क की माँग की गयी।

कार्य से पूर्व जे.ई. की प्राथमिक रिपोर्ट में कच्चे कार्य की आवश्यकता का स्पष्ट उल्लेख करते हुए नजरी नक्शा एवं कच्चे कार्य की नाप अंकित नहीं की गयी जिससे कच्चे कार्य पर व्यय संदिग्ध रहा।

कार्यस्थल किस ग्राम पंचायत में स्थित है इसका उल्लेख पत्रावली के किसी भी अभिलेख में नहीं है, उक्त मार्ग किस कार्यदायी संस्था की सम्पत्ति थी, उससे सम्पत्ति का हस्तांतरण कराकर पत्रावली में सुरक्षित नहीं किया गया। इस प्रकार इस कच्चे कार्य पर व्यय रु0 99133.34 औचित्यहीन रहा। जिसके लिये तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी उत्तरदायी है। अतः उनसे रु0 99133.34 सुसंगत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0 -24)

इस प्रकार इस कच्चे कार्य पर हुआ व्यय रु० 59939.25 औचित्यहीन रहा। जिसके लिये तत्कालीन अवर अभियंता श्रीमती सोमलता एवं अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी उत्तरदायी हैं। अतः उनसे रु० 59939.25 सुसंगत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं० -29)

प्रस्तर सं०-30 जी०टी० रोड हरदोई तिराहा क्रासिंग से उदैतापुर मार्ग पर पी०सी० कार्य में उक्त मार्ग पर प्रतिवेदन में पूर्व निर्मित क्षत विक्षत डामर रोड का उल्लेख है, इस निर्माण कार्य में कच्चे कार्य पर रू० 98108.00 व्यय किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

प्रस्तर सं०-31 सौरिख में मलिकपुर से नहरपुल मार्ग पर पी०सी० कार्य में उक्त मार्ग पर प्रतिवेदन में पूर्व निर्मित क्षत विक्षत डामर रोड का उल्लेख है, इस निर्माण कार्य में कच्चे कार्य पर रु० 34298.04 व्यय किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-

प्रस्तर सं० -32 सौरिख में खड़नी राजपुर मार्ग से ब्राहिमपुर मार्ग पर पी०सी० कार्य पर उक्त मार्ग में प्रतिवेदन में पूर्व निर्मित क्षत विक्षत डामर रोड का उल्लेख है, इस निर्माण कार्य में कच्चे कार्य पर रु० 29240.75 व्यय किया गया, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-

प्रस्तर सं० —33 तालग्राम इन्दरगढ़ रोड सकरावा मोड से किस्तियापुर होते हुए पी०सी० कार्य में उक्त मार्ग में पूर्व निर्मित क्षत विक्षत डामर रोड का उल्लेख है, इस निर्माण कार्य में कच्चे कार्य पर रु० 54558.07 व्यय किया गया जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

प्रस्तर सं० -39 छिबरामऊ सौरिख मार्ग से रसूलपुर मार्ग पर पी०सी० कार्य पर उक्त मार्ग पर प्रतिवेदन में पूर्व निर्मित क्षत विक्षत डामर रोड का उल्लेख है, इस निर्माण कार्य पर कच्चे पर रू० 83611.64 व्यय किया गया। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

निर्माण कार्य के प्रस्ताव में कच्चे कार्य की कोई मांग नहीं की गयी केवल पेंटिंग वर्क की मांग की गयी। कार्य से पूर्व जे.ई. की प्राथमिक रिपोर्ट में कच्चे कार्य की आवश्यकता का स्पष्ट उल्लेख करते हुए नजरी नक्शा एवं कच्चे कार्य की माप अंकित नहीं की गयी। जिससे कच्चे कार्य पर व्यय संदिग्ध रहा।

कार्यस्थल किस ग्राम पंचायत में स्थित है, इसका उल्लेख पत्रावली के किसी भी अभिलेख में नहीं है उक्त मार्ग किस कार्यदायी संस्था की सम्पत्ति थी उससे सम्पत्ति का हस्तांतरण कराकर पत्रावली में सुरक्षित नहीं किया गया।

इस प्रकार इस कच्चे कार्य पर हुआ व्यय रू० 83611.64 औचित्यहीन रहा। जिसके लिये तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी उत्तरदायी है। अतः उनसे रू० 83611.64 सुसंगत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं० -39)

प्रस्तर सं०-40 कसौली टीका नगला मार्ग से गुड़यानगला मार्ग पर पी०सी० कार्य में उक्त मार्ग पर प्रतिवेदन में पूर्व निर्मित क्षत विक्षत डामर रोड का उल्लेख है, इस निर्माण कार्य पर कच्चे कार्य पर रू० 31899.00 व्यय किया गया। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

निर्माण कार्य के प्रस्ताव में कच्चे कार्य की कोई मांग नहीं की गयी केवल पेंटिंग वर्क की मांग की गयी। कार्य से पूर्व जे.ई. की प्राथमिक रिपोर्ट में कच्चे कार्य की आवश्यकता का स्पष्ट उल्लेख करते हुए नजरी नक्शा एवं कच्चे कार्य की माप अंकित नहीं की गयी। जिससे कच्चे कार्य पर व्यय संदिग्ध रहा।

कार्यस्थल किस ग्राम पंचायत में स्थित है, इसका उल्लेख पत्रावली के किसी भी अभिलेख में नहीं है, उक्त मार्ग किस कार्यदायी संस्था की सम्पत्ति थी उससे सम्पत्ति का हस्तांतरण कराकर पत्रावली में सुरक्षित नहीं किया गया।

इस प्रकार कच्चे कार्य पर हुआ व्यय रू० 31899.00 औचित्यहीन रहा। जिसके लिये तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी उत्तरदायी है। अतः उनसे रू० 31899.00 सुसंगत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं० -40)

प्रस्तर सं० -41 जिला पंचायत कन्नौज वर्ष 12-13 की निर्माण कार्य पत्रावलियाँ देखने से स्पष्ट होता है, कि निर्माण कार्यों में मिट्टी का कार्य (ई/डब्ल्यू) अभियन्ता द्वारा स्वीकृत इस्टीमेट से भिन्न मिट्टी का कार्य कराया गया है एवं भुगतान में रायल्टी हेतु उस समय की लागू दर 14@मी३से कम 9@मी३ की दर से रायल्टी काटी गयी है, इस प्रकार सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। इस क्षति के लिये तत्कालीन लेखाकार श्री प्रकाश मिश्रा एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री डी.डी. गौतम उत्तरदायी हैं—

क्र० सं०	कार्य का नाम	इस्टीमेट में स्वीकृति ई/डब्ल्यू	कराया गया मिट्टी का कार्य	काटी गयी रायल्टी	काटी जानी चाहिए रायल्टी	अन्तर
1.	इन्द्रगढ़ रोड से सकरावा मोड से किस्तियापुर होते हुए बगुलाई सम्पर्क मार्ग	900मी ³	1113.43	10021	15588	5567-00
2.	छिबरामऊ मिट्टी ढुलाई तालग्राम मार्ग से अतिराजपुर मार्ग	1100मी ³	966.01	8694-00	13524-00	4830-00
3.	करनौली टीका नगला से भुईया ताला तक कार्य	560 मी ³	651 मी ³	5859-00	9114-00	3255-00
4.	छिबरामऊ सौरिख मार्ग से रसूलपुर मार्ग पर पी०सी० कार्य	1428 मी ³	1706.36	15357-00	23889-00	8532-00
5.	उर्मदा मझिला रोड से निकारी पुर्वा मार्ग पर पी०सी० कार्य	752.50 मी ³	718.24 मी ³	6469-00	10055-00	3591-00
6.	सोहनपुर से इन्दुयागंज घाट मार्ग पर पी०सी० कार्य	2090 मी ³	2334.07	21007-00	32677-00	11670-00
7.	जी०टी० रोड हरदोई तिराहा क्रासिंग से उदैतापुर मार्ग पर पी०सी० कार्य	2420 मी ³	2002.21	18020-00	28031-00	10011-00
8.	सौरिख परौर मार्ग से रामपुर तक पी०सी० कार्य	1363 मी ³	1371.85	12347-00	19206-00	6859-00
9.	छिबरामऊ तालग्राम से मुसाफिर तलैया लम्बुइया होते हुए अयूबपुर पी०सी० कार्य	1092 मी ³	1624.88	14624-00	22748-00	8124-00
10.	बहादुरपुर मझिगां हरभानू पुर मार्ग पर पुलिया कार्य	1215 मी ³	2257.92	20321-00	31611-00	11290-00
11.	सौरिख मलिकपुर से नहरपुल	806 मी ³	699 मी ³	6300-00	9786-00	3486-00

	तक कार्य					
12.	सौरिख मलिकपुर मार्ग से नगला गुड़ा मार्ग पर पी0सी0 कार्य	525 मी ³	510.36 मी ³	4593-00	7145-00	2552-00
13.	नगला खेमकरन मार्ग से ढिलावरपुर पेंटिंग मार्ग तक मिट्टी ढुलाई	2670 मी ³	3296 मी ³	29669-00	46144-00	16475-00
14.	उदैतापुर से जसौली मार्ग पर पी0सी0 कार्य	1680 मी ³	1709.23 मी ³	11009-00	23929-00	12920-00
15.	सौरिख में खडनी राजपुर मार्ग से ब्राह्मपुर मार्ग पर पी0सी0 कार्य	954 मी ³	596.75	5371-00	8355-00	2984-00
16.	खैरनगर गौरनपुरा मार्ग से तक मिट्टी/खडंजा	810 मी ³	954.85 मी ³	8594-00	13368-00	4774-00
17.	ग्राम फूलनपुर से नगला समधन तक निर्माण कार्य	889.87 मी ³	997.01	8973-00	13958-00	4985-00
18.	तिर्वा खैरनगर मार्ग से हैसापुर कमलेपुरा पतरियनपुरा डिंडियन तक पी0सी0 कार्य	2162-00 मी ³	1974.65	17772-00	27645-00	9873-00
19.	लालूपुर राजपुर मार्ग से सरायमारुफ तक पी0सी0 कार्य	375-00 मी ³	456.10	4105-00	6385-00	2280-00
20.	ग्राम कलसान से नई बस्ती तक पी0सी0 कार्य	536.66 मी ³	622.13	5599-00	8710-00	3111-00
21.	लोकपुर संकटपुर रोड से नगला डोडी तक मिट्टी खडंजा पुलिया कार्य	1706.25 मी ³	2070.70	18636-00	28990-00	10354-00
22.	मलिकपुर सिंहपुर मार्ग से बल्लापुर तक पी0सी0 कार्य	1607 मी ³	1462.04	13158-00	20469-00	7311-00
23.	सी0एस0बी0 सकटपुर मार्ग पर नगला पचू से उदैतापुर मार्ग पर पी0सी0 कार्य	992.25 मी ³	952.11	8569-00	13330-00	4761-00
24.	गुरसहायगंज रसूलपुर मार्ग से सुभाषनगर के सामने लाडपुर मार्ग पर पी0सी0 कार्य	1539 मी ³	1502.47	13522-00	21035-00	7513-00
				288584-00	455692-00	167108-00

अतः राजकीय राजस्व को पहुँचायी गई क्षति रू0 167108.00 की लेखाकार श्री श्रीप्रकाश मिश्रा एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री डी0डी0 गौतम से वसूली कर क्षति पूर्ति की जानी चाहिये। (आ0सं0 -41)

प्रस्तर सं0-42 मृत पशु शव निस्तारण की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि केवल विकास खण्ड छिबरामऊ का ठेका जो 29000.00 में उठा था, उसमें गोपे पुत्र बन्ने से अनुबन्ध करा कर स्टाम्प पेपर रू0 2320.00 के लिये गये। अन्य पत्रावलियों में अनुबन्ध कार्यवाही नहीं की गयी जिससे सरकारी राजस्व रू0 33720.00 की क्षति हुई जिसके लिए पटल प्रभारी श्री सुधीर पाण्डेय एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री डी0डी0 गौतम जिम्मेदार हैं।

नाम विकास खण्ड	ठेके की धनराशि
1 विकास खण्ड उर्मदा	रू0 93500.00
2 विकास खण्ड जलालाबाद	रू0 110000.00
3 विकास खण्ड तालग्राम	रू0 77000.00
4 विकास खण्ड कन्नौज	रू0 44000.00
5 विकास खण्ड हसेरन की चार न्याय पंचायतें पूराराय, नादेमऊ, खडगपुर, बिलन्दपुर व मोहददी नगर	रू0 44000.00
6 विकास खण्ड सौरिख	रू0 28000.00
7 विकास खण्ड हसेरन की शेष चार न्याय पंचायतें	रू0 25000.00

रू0 421500.00 (दर रू0 12.50 से रू0 33720.00)

इसके अतिरिक्त मृत पशु शव निस्तारण रजि0 में अपर मुख्य अधिकारी की केवल मोहर लगी थी हस्ताक्षर नहीं थे।

अतः उक्त स्टाम्प शुल्क रु0 33720.00 की क्षति पूर्ति श्री सुधीर पाण्डेय पटल प्रभारी एवं श्री डी.डी. गौतम अपर मुख्य अधिकारी से दण्डात्मक शुल्क सहित जमा कराकर की जानी चाहिये। (आ0सं0 - 42)

प्रस्तर सं0 -43 नौका घाट वर्ष 2012-13 की पत्रावलियाँ लिखित रूप से माँगने के पश्चात भी प्राप्त नहीं हुई, केवल नौका घाट का रजि0 देखने को मिला जिसमें वर्ष में चियासर घाट श्री छवि सिंह पुत्र स्व0 श्री रामविलास को रु0 90,000.00 में ठेका उठाया गया। जिसमें मात्र रुपये 20,000.00 की वसूली हुई एवं रुपये 70000.00 आतिथि तक बकाया है। दायीपुर घाट शाकिर उर्फ कल्लन पुत्र रज्जाक खाँ को रु0 13000.00 में उठाया गया, जिसमें केवल रु0 10500.00 की वसूली हुई एवं रुपये 2500.00 आतिथि तक बकाया है। इस बकाया रुपये 72500.00 (70000+2500) की वसूली न करने के लिये पटल प्रभारी श्री बेचेलाल वर्मा एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री डी0डी0 गौतम उत्तरदायी है। उक्त उत्तरदायी कार्मिकों से उक्त धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित रही। (आ0सं0 -43)

प्रस्तर सं0 -44 आलोच्य वर्ष 2012-13 में मोटरगाड़ी के पेट्रोल, डीजल एवं अनुरक्षण पर रु0 185892.00 व्यय किया गया परन्तु गाडियों से सम्बन्धित लॉग बुक नहीं उपलब्ध करायी गयी। लॉग बुक के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः दर्शित व्यय हेतु पटल प्रभारी श्री बेचे लाल वर्मा एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री डी.डी. गौतम उत्तरदायी है। जिनसे उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। (आ0सं0-44)

प्रस्तर सं0 -45 नगला खेमकरन मार्ग से ढिलावरपुर पेंटिंग मार्ग तक खडंजा पुलिया मार्ग में प्रतिवेदन में पूर्व में कच्चा मार्ग दर्शित है। इस कच्चे कार्य पर रु0 161396.00 व्यय हुआ। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं— निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर कच्चे कार्य की मांग नहीं की गयी केवल खडंजा/पुलिया कार्य की मांग की गयी। कार्य से पूर्व जे.ई. की प्राथमिक रिपोर्ट में कच्चे कार्य की आवश्यकता का स्पष्ट उल्लेख करते हुए नजरी नक्शा एवं कच्चे कार्य की माप अंकित नहीं की गयी जिससे कच्चे कार्य पर व्यय संदिग्ध रहा।

कार्यस्थल किस ग्राम पंचायत में स्थित है, इसका उल्लेख पत्रावली के किसी भी अभिलेख में नहीं है, उक्त मार्ग किस कार्यदायी संस्था की सम्पत्ति थी उससे सम्पत्ति का हस्तांतरण कराकर पत्रावली में सुरक्षित नहीं किया गया। इस प्रकार कच्चे कार्य पर व्यय रु0 161396.00 औचित्यहीन रहा। जिसके लिये तत्कालीन अवर अभियंता श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी उत्तरदायी है। अतः उनसे रु0 161396.00 सुसंगत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0 -49)

प्रस्तर सं0 -46 ग्राम फूलनपुर से नगला समाधान तक खडंजा निर्माण कार्य के प्रतिवेदन में पूर्व में कच्चा मार्ग था ऐसा अंकित है। इस पर कच्चे कार्य पर रु0 48853.00 व्यय हुआ जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं— निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर कच्चे कार्य की माँग नहीं की गयी केवल खडंजा कार्य की माँग की गयी। कार्य से पूर्व जे.ई. की प्राथमिक रिपोर्ट में कच्चे कार्य की आवश्यकता का स्पष्ट उल्लेख करते हुए नजरी नक्शा एवं कच्चे कार्य की माप अंकित नहीं की गयी जिससे कच्चे कार्य पर व्यय संदिग्ध रहा। कार्यस्थल किस ग्राम पंचायत में स्थित है, इसका उल्लेख पत्रावली के किसी भी अभिलेख में नहीं है, उक्त मार्ग किस कार्यदायी संस्था की सम्पत्ति थी उससे सम्पत्ति का हस्तांतरण कराकर पत्रावली में सुरक्षित नहीं किया गया। इस प्रकार कच्चे कार्य पर रु0 48853.00 हुआ व्यय औचित्यहीन रहा जिसके लिये तत्कालीन अवर अभियंता श्री सुरेश चन्द्र यादव एवं अभियन्ता श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी उत्तरदायी है। अतः उनसे रु0 48853.00 सुसंगत ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-50)

प्रस्तर सं0 -47 जिला पंचायत कन्नौज में वर्ष 2012-13 में जिला पंचायत कन्नौज के क्षेत्रान्तर्गत मत्स्य आखेट ठेकों की नीलामी श्री गुड्डू पुत्र जब्बीर निवासी-बिलन्दपुर, को कन्नौज से इन्दुइयागंज, काली नदी का गत वर्ष ठेका रु0 25000.00 में उठा था को आलोच्य वर्ष में मात्र 20,000/-में उठा दिया गया। जबकि आलोच्य वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि कर न्यूनतम रु0 27500.00 में उक्त ठेका उठाया जाना चाहिये था। इस प्रकार जिला पंचायत कर्मचारियों ने ठेकेदार से मिलीभगत कर कम मूल्य पर ठेका उठाकर जिला पंचायत को रु0 7500.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गई है। इस क्षति के लिए उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी श्री डी0डी0 गौतम से रु0 7500.00 जमा कराया जाना चाहिये।

श्री गुड्डू को दिये गये ठेके का एग्रीमेण्ट रु0 80 प्रति हजार की दर से रु0 1600.00 के स्टाम्प पेपर पर किया जाना चाहिये था। जो नहीं किया गया। अतः इसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार गुड्डू पुत्र जब्बीर बिलन्दपुर जनपद कन्नौज से दण्डात्मक शुल्क सहित की जानी अपेक्षित है। श्री गुड्डू से वसूली न होने पाने की दशा में इस राजस्व क्षति का उत्तरदायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री डी0डी0 गौतम पर निर्धारित कर उक्तानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये। (आ0सं0 -51)

प्रस्तर सं0 -48 जिला पंचायत कन्नौज के वर्ष 2012-13 में मत्स्य आखेट ठेका खलील खाँ पुत्र हफीज खाँ सफीपुर कन्नौज को गौरी बांगर से जलेसर गंगा नदी तक के लिये ठेका रु0 50,000.00 में दिया गया किन्तु रु0 80/- प्रति हजार की दर से रु0 4000.00 का स्टाम्प पेपर लगाना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार रु0 4000.00 की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। अतः इसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार मो0 खलील खाँ पुत्र हफीज खाँ सफीपुर जनपद कन्नौज से दण्डात्मक शुल्क सहित की जानी अपेक्षित है। मो0 खलील खाँ से वसूली न होने पाने की दशा में इस राजस्व क्षति का उत्तरदायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री डी0डी0 गौतम पर निर्धारित कर उक्तानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये। (आ0सं0 -52)

प्रस्तर सं0-49 जिला पंचायत कन्नौज के वर्ष 2012 – 13 में मत्स्य आखेट ठेका इशत्याक पुत्र मुख्तार कुसुमखोर कन्नौज को रू0 1,50,000.00 का ठेका कूल्हापुर से चुरैया (काली नदी) तक का दिया गया। जिस पर रू0 80/- प्रति हजार की दर से रू0 12,000.00 का स्टाम्प पेपर लगाना चाहिए था। किन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार रू0 12000.00 की राजस्व क्षति की गयी। अतः इसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार इशत्याक पुत्र मुख्तार कुसुमखोर जनपद कन्नौज से दण्डात्मक शुल्क सहित की जानी अपेक्षित है। ठेकेदार इशत्याक से वसूली न होने पाने की दशा में इस राजस्व क्षति का उत्तरदायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री डी0डी0 गौतम पर निर्धारित कर उक्तानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।
(आ0सं0 –53)

प्रस्तर सं0-50 जिला पंचायत कन्नौज में वर्ष 2012 –13 में जिला पंचायत कन्नौज के क्षेत्रान्तर्गत मत्स्य आखेट ठेकों की नीलामी से जिला पंचायत क्षेत्र के मुस्ताक पुत्र मासूम खॉ द्वारा जो हडहापुरा, कन्नौज के निवासी हैं, नें जुनैदपुर से हडहापुरा (काली नदी) का नया ठेका रू0 6000.00 में किया था, किन्तु नियमानुसार उस ठेके पर रू0 80/- प्रति हजार की दर से रू0 480.00 का स्टाम्प पेपर पर लगाना चाहिए था, किन्तु ऐसा न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। अतः इसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार मुस्ताक पुत्र मासूम खॉ जनपद कन्नौज से दण्डात्मक शुल्क सहित की जानी अपेक्षित है। ठेकेदार मुस्ताक से वसूली न होने पाने की दशा में इस राजस्व क्षति का उत्तरदायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री डी0डी0 गौतम पर निर्धारित कर उक्तानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।
(आ0सं0 –54)

प्रस्तर सं0 –51 वर्ष 2012 –13 में कुल हड्डी चमड़ा में रू0 438500.00 की वसूली हुई। अतः इसका आधा रू0 219250.00 सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को वापस न करने के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी है। (शासनादेश सं0 2203/33-02-97-43 (बी)/81/95 टी0सी0 दिनांक 30.05.97) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0सं0-57)

प्रस्तर सं0 –52 सम्पत्ति एवं विभवकर की बजटीय बसूली का लक्ष्य 24.50 लाख था विभिन्न पटल प्रभारियों के पास मौजूद रजि0 के मांग का योग करने पर वर्ष की मांग रू0 2989300.00 के विपरीत लेखा विभाग के अनुसार 1300625.00 की वसूली की गयी जबकि लाइसेन्स में बजटीय वसूली के लक्ष्य 27 लाख के विपरीत लेखा विभागानुसार रू0 1679120.00 की बसूली हुई। अतः बजट लक्ष्य से कम वसूली के लिये सम्पत्ति एवं विभवकर रू0 1149375.00 लाइसेन्स में रू0 1020880 कुल रू0 2170255.00 न वसूल करने के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह एवं कर अधिकारी श्री अरूण कुमार वर्मा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0सं0-58)

प्रारूप-2

जनपद-कानपुर देहात

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-1-उत्तर प्रदेश राज्य वित्त शासनादेश संख्या- 2967/11/32-2002-15- 16/4/2 दिनांक- 07.10.2002 का अनुपालन न कर मृत पशु शव निस्तारण वर्ष- 2015-16 से प्राप्त आय व इस मद में कुल वसूली रू0- 280705.00 का 50 प्रतिशत जनपद की ग्राम पंचायतों को रू0- 140352.50 हस्तान्तरित न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी डॉ0 भीकम सिंह व श्री मणीन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री राजकुमार सिंह उत्तरदायी है। अतः उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये सन्दर्भित धनराशि ग्राम पंचायतों को अवमुक्त की जानी चाहिए।

प्रस्तर-2 - वर्ष 2015-16 विकासखण्ड अमरौधा ग्राम पंचायत गौसगंज में बृजकिशोर के घर से बाबूलाल प्रजापति के मकान तक सी0सी0 कार्य 100 मीटर 13वां वित्त के अन्तर्गत कार्य की अनुमानित लागत रूपया 300000.00 के सापेक्ष रूपया 317985.00 के सापेक्ष जमानत व स्टाम्प शुल्क जमा न करना साथ ही उक्त धनराशि किस मद में कितनी बढ़ायी गयी। यह स्पष्ट नहीं। इस निर्माण कार्य में चौड़ाई वृद्ध पत्र में वित्तीय परामर्शदाता की सहमति स्वरूप मुहर, हस्ताक्षर या लिखित स्वीकृत का कोई प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही कार्य की चौड़ाई बढ़ने का कारण ही स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार अनुमानित लागत से अधिक व्यय रूपया 17985.00 व्यय दर्शाकर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी डॉ. भीकम सिंह व मणीन्द्र सिंह व लेखाकार श्री राजकुमार सिंह उत्तरदायी है।

प्रस्तर-3- वर्ष 2015-16 में 13वां वित्त से अनुदानित कार्य विकासखण्ड मलासा में ग्राम जाफराबाद में दुर्गा मन्दिर से सुमेत सिंह के मकान तक सी0सी0 कार्य 80 मीटर की प्राकलित लागत रूपया 239952.00 के सापेक्ष कार्य की लागत 275860.00 हो गयी। बढ़ी हुई लागत के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क रूपया 3500 दाखिल न करना साथ ही विचलन चार्ट तैयार न करने से उक्त धनराशि किस मद में बढ़ाई गयी यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार रूपया 35908.00 अधिक व्यय की ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी डा. भीकम सिंह/मणीन्द्र सिंह व लेखाकार राजकुमार सिंह/पटल प्रभारी श्री संजय शुक्ला से की जाये।

प्रस्तर-4 - वर्ष 2015-16 में 13वां वित्त आयोग के अन्तर्गत विकासखण्ड रसूलाबाद में पलिया बांसखेड़ा (बहेलियन) में सुखलाल के घर से रामऔतार बहेलिया के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 120 मीटर की स्वीकृत लागत रूपया- 372157.00 के सापेक्ष बढ़ कर रूपया-382933.00 हो जाने से बढ़ी हुई लागत के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क रूपया-

3500.00 दाखिल न करना तथा विचलन चार्ट उपलब्ध न कराया जाना और न ही कार्य की लम्बाई बढ़ने का कोई कारण या प्रस्ताव पत्रावली में नहीं पाया गया। इस प्रकार रुपया— 10746.00 अधिक व्यय की ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह/लेखाकार श्री राजकुमार सिंह व पटल प्रभारी श्री संजय शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 — वर्ष 2015-16 में राज्यवित्त आयोग से विकास खण्ड डेरापुर में उधमपुर गांव में रामनाथ के घर से ट्यूबवेल तक सी0सी0 कार्य निर्धारित तिथि से 52 दिन विलम्ब से पूरा करने पर जिला पंचायत कानपुर देहात के अनुबन्ध की धारा-3 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही न करते हुए तावानी न वसूल कर अनियमितता की गयी है। रुपया— 43888.00 अपर मुख्य अधिकारी डॉ० भीकम सिंह, मणीन्द्र सिंह व लेखाकार श्री राजकुमार व पटल सहायक संजय शुक्ला उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 — 21.01.2016 के व्यय प्रमाणक— 37 में राज्य वित्त के अन्तर्गत एक जनरेटर रुपया— 352000.00 तथा दो इन्वर्टर रुपया— 44000.00 के क्रय की पुष्टि में स्टॉल (स्थापित) करने का स्थान का कोई प्रमाण नहीं है तथा उक्त स्टॉक का डेड स्टॉक पंजीका में अंकन भी नहीं किया गया। इस प्रकार रुपया— 396000.00 अनियमित व्यय की वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी व लेखाकार व पटल सहायक से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7— उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 2967/11/32(2)— 2002-15 की दिनांक 07 अक्टूबर 2002 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में मृत पशु शव निस्तारण से प्राप्त आय रुपया 875590.00 की 50 प्रतिशत धनराशि रुपया—437795.00 जनपद की ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह, लेखाकार श्री लाल बहादुर उत्तरदायी है। अतः उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये सन्दर्भित धनराशि ग्राम पंचायतों को अवमुक्त की जानी चाहिए।

प्रारूप-2 वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2016-17

जनपद का नाम	:	कानपुर नगर
मण्डल	:	कानपुर
संस्था का नाम	:	जिला पंचायत कानपुर नगर

प्रस्तर 1— जिला पंचायत कानपुर नगर के सम्पत्ति व किराया सम्बन्धी अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि 2016-17 के अन्त में किराये के रूप में रु० 8,82,277.00 बकाया था, जिसकी ब्याज सहित वसूली नहीं हो सकी। विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम सं०	सम्पत्ति/भवन	किरायेदार का नाम	लम्बित धनराशि
1	353.37 मीटर रोड	उप जिला विद्यमान निरीक्षक	4,32,100.00
2	बिटूर स्थित भवन	चेयरमैन टाउन एरिया बिटूर	57,118.00
3	जिला पंच० में 2 कमरे	संस्थागत वित्त विभाग	20,475.00
4	जिला पंच० प्रांगण की दुकानें	दुकानदार स्वामी	1,77,829.00
5	मवेशीखाना बिल्हौर	मलिक मवेशीखाना बिल्हौर विजय कुमार व अन्य	1,37,149.00
6	घाटमपुर	राजेश कुमार व अन्य	57,606.00
		योग	8,82,277.00

क्रमांक 1 पर की ब्याज सहित वसूली गत कई वर्षों से नहीं हो रही है। क्रमांक 2 पर की ब्याज सहित वसूली विगत कई वर्षों से शून्य है। बिटूर स्थित भवन का किराया वर्ष का रु० 1800 है। नाम मात्र का किराया होने के बावजूद ब्याज सहित वसूली शून्य है। क्रमांक 3 पर जिला पंच० में 2 कमरों की व क्रमांक 4 पर जिला प्रांगण की दुकानों से वर्ष की ब्याज सहित वसूली शून्य है। उपरोक्त पर कई वर्षों से प्रस्तावित 3 वर्षों में 25% किराये की वृद्धि करते हुए रजिस्टर में लेखा नहीं दर्ज किया गया है। रु० 8,82,277 के बकाये के लिए तत्कालीन कार्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक, राजस्व निरीक्षक, कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है। अतः धनराशि रु० 882277.00 की ब्याज सहित वसूली उक्त किरायेदारों से की जानी अपेक्षित है। सम्बन्धित किरायेदारों से वसूल न हो पाने की दशा में तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त 25 प्रतिशत किराये का लेखांकन कर अभिलेखों में अंकन कर सम्बन्धित धनराशि की भी उक्त किरायेदारों से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०1]

प्रस्तर 2 — सम्पत्ति रजिस्टर में पुराने लेखों की जांच में पाया गया कि विगत 10-12 वर्षों से शिवराजपुर की 2 दुकानों का विवरण दर्ज नहीं है। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षक व कर अधिकारी द्वारा अपर मुख्य अधिकारी को पत्र लिखे गये परन्तु पटल प्रभारी द्वारा अद्यतन उनका लेखा न करने से लगभग 1 लाख की हानि मार्च 17 तक हो चुकी है। लेखा दर्ज कराकर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। नुकसान के ब्याज की भरपाई पटल प्रभारी श्री विंध्यचल त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०2]

प्रस्तर 3— कृषि भूमि का 31-3-17 को कुल बकाया रु० 119050 है। वर्ष 2015-16 से पूर्व का बकाया 121550 था, जिससे कर अधिकारी के प्रयासों से रु० 2500 की ब्याज सहित वसूली हुई। रु० 119050 पुराने बकाये की ब्याज

सहित वसूली के लिए तत्कालीन कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी की जिम्मेदारी ठहराते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

[मूल आपति सं०3]

प्रस्तर 4—मृत पशु शव निस्तारण में 31-3-17 को बकाया रु 1890667 था, जो विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। बकाया धन की ब्याज सहित वसूली के लिए गम्भीर प्रयास अपेक्षित हैं। बकाया के लिए तत्कालीन कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है। अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है।

[मूल आपति सं०4]

प्रस्तर 5—मृत पशु शव निस्तारण से वर्ष 2016-17 में 5,26,460 की शत प्रतिशत ब्याज सहित वसूली हुई। उ०प्र० के शासनादेश सं० 682बी/33-3-14(2)/84 दिनांक 10-03-87 एवं पंचायतों को आय का 50 प्रतिशत अंश अर्थात् रु 2,63,230 सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्यों हेतु देय है। उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायतों को धन आवंटित नहीं किया गया है। इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार की है। अतः धन सम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्रेषित न कर वित्तीय अनियमितता की गई है। उक्त धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही तत्कालीन सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

[मूल आपति सं०5]

प्रस्तर 6—नदी नीलामी का अप्रैल 16 को प्रारम्भिक पावना 3,98,850 थी। वर्ष 2016-17 में इससे 1 लाख रुपया प्राप्त हुआ, वर्ष की मांग की शत प्रतिशत ब्याज सहित वसूली के पश्चात् 298850 पुराना बकाया अवशेष रहा। पुराने बकाये की शत प्रतिशत ब्याज सहित वसूली न करने हेतु अपर अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार है। अतः नदी उक्त धनराशि की सम्बन्धित पक्ष से ब्याज सहित वसूली करवाने के प्रयास किया जाना अपेक्षित है तथा सम्बन्धित अपर अधिकारी एवं लेखाकार के विरुद्ध कार्य में लापरवाही बरतने हेतु विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

[मूल आपति सं०6]

प्रस्तर 7—जिला पं० के वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित बजट में पेंशन एवं आनुतोषिक पर व्यय की मद में रु50,00,000 स्वीकृत थे, जबकि 64,32,906 व्यय किये गये। इस प्रकार रु0 14,32,906 अधिक व्यय किये गये। इसी प्रकार प्रकीर्ण मद में रु 12,75,000 स्वीकृत थे जबकि 39,094 अधिक कुल 13,14,094 व्यय किये गये। इस प्रकार अधिक किये गये व्यय रु 14,32,906 एवं रु 39,094 कुल 14,72,000 स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करने के लिए श्री संतोष त्रिपाठी लेखाकार व श्री हरिपाल सिंह यादव अपर अधिकारी जिम्मेदार हैं। अतः रु0 1472000.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए उक्त सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक / विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

[मूल आपति सं०7]

प्रस्तर 8—दिनांक 31-3-17 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 31-3-17 को 23,54,67,276.82 अवशेष था जबकि कैशबुक के अनुसार 21,27,38,778.00 अवशेष था जबकि कैश बुक में 2,27,28,498.82 कम था। अंतर रु 2,27,28,498.82 का बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया। जिसके लिए श्रीमती रेखा देवी सहायक लेखाकार जिम्मेदार है। कैशबुक में बैंकवार विवरण व चेक पेण्डिंग रजिस्टर नहीं बनाया गया। बैंक समाधान विवरण एवं चेक पेडिंग रजिस्टर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

[मूल आपति सं०8]

प्रस्तर 9—वर्ष 2016-17 में खनन का ठेका रु0 18,50,000 में श्री बन्ने खां को दिया गया। उस पर 31-3-17 को रु0 1,77,000 बकाया है। जिसकी आर सी जारी की गई, ब्याज सहित वसूली अद्यतन नहीं हो सकी है। इस सम्बन्ध में बताया गया कि ठेके के पश्चात् बन्ने खां के अनुसार उसे आदेश देर से मिला जिसके कारण यह धनराशि उस पर नहीं बनती है। इस सम्बन्ध में उसने कमिश्नर के यहां वाद चला रखा है। इस प्रकरण में कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी श्री रणमत सिंह की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः उक्त धनराशि के राजकीय हानि के लिए जिम्मेदार उक्त दोनों अधिकारी है। अतः धनराशि रु0 177000 के हानि की भरपाई उक्त दोनों अधिकारियों से ब्याज सहित वसूली करके किया जाना अपेक्षित है।

[मूल आपति सं०9]

प्रस्तर 10—विभव एवं सम्पत्ति कर के विकास खण्ड वार अभिलेखों की जांच से बकाया व ब्याज सहित वसूली की स्थिति इस प्रकार रही।

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	01-04-16 को बकाया	वर्ष की मांग	वर्ष की मांग से ब्याज सहित वसूली	बकाया से ब्याज सहित वसूली	31-3-17 को अवशेष
1	बिल्हौर	32,20,511	5,35,390	—	66,000	36,89,901
2	कल्यानपुर	38,85,772	6,81,860	—	3,45,740	42,21,892
3	सरसौल	35,38,449	3,43,125	—	2,40,600	36,40,974
4	शिवराजपुर	16,34,055	2,13,910	—	42,450	18,05,515
5	घाटमपुर	46,80,410	3,75,120	—	1,62,000	48,93,530
6	भीतरगांव	42,39,295	4,39,180	—	10,600	46,67,875
7	ककवन	13,91,450	90,220	—	3000	14,78,670
8	पतारा	23,69,769	1,49,380	—	44,650	24,74,499
9	बिधनू	19,69,458	6,08,770	—	3,01,530	22,76,698

10	चौबेपुर	85,44,990	8,62,320	—	1,14,540	9292770
		3,54,74,159	42,99,275	—	13,31,110	384442324

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 2016-17 से पूर्व का बकाया 3,54,74,159 था जिससे वर्ष की मांग के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली शून्य रहने के कारण ब्याज सहित वसूली बकाये से 13,31,110 होने के पश्चात् पूर्व बकाया रु 3,41,43,049 रहा जिसके लिए कर अधिकारी, कार्य अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। विकास खण्ड भीतरगांव की ब्याज सहित वसूली मात्र 10600 रही जिसके लिए राजस्व निरीक्षक श्री संतोष कुमार व सहायक राजस्व निरीक्षक श्री कैलाश दुबे जिम्मेदार हैं। विकास खण्ड ककवन की ब्याज सहित वसूली न के बराबर मात्र रु 3000 रही जिसके लिए राजस्व निरीक्षक श्री राजीव ढाका व अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक श्री गोरेलाल प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की शतप्रतिशत ब्याज सहित वसूली करवाये जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। तथा सम्बन्धित राजस्व निरीक्षकों द्वारा अपने पद का पूर्ण रूप से निर्वहन न करने हेतु विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०10]

प्रस्तर 11—विभव एवं सम्पत्ति कर में वर्ष की मांग से ब्याज सहित वसूली शून्य होने का प्रमुख कारण कार्य अधिकारी श्री आशुतोष कुमार रहे, जिन्होंने मांग लगाई ही नहीं, मांग अगले वर्ष लगाई गई। मांग रु 42,99,275 का समय से निर्धारण न होने के कारण मांग के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली शून्य होने के कारण श्री आशुतोष कुमार अपर मुख्य अधिकारी से हानि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०11]

प्रस्तर 12—नक्शा स्वीकृति में (1)श्रीमती माया मिश्रा आवेदक बगदौदी कछार में व्यवसायिक एवं आवासीय (2)दीपू चौहान ग्राण्ड हाइवे होटल एण्ड रेस्टोरेण्ट प्रतापपुर (3) तात्या प्राइवेट आई०टी०आई०तितियागंज बिल्हौर औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान (4)छेदी लाल त्रिपाठी व्यवसायिक (5)सुन्दर टेण्ट हाउस व्यवसायिक (6)शिवसोम धाम आवासीय एवं व्यवसायिक (7)रीतेश राजानी व्यवसायिक (8) रवीन्द्र प्रकाश रजानी व्यवसायिक की फाइलों की जांच की गई। जिन पर निम्न प्रकार है—

क्रमांक 4 पर छेदीलाल त्रिपाठी से छेदी लाल मेमोरियल समिति पर कुल जमा राशि (24200+1353=25553) से 25500+4750=30250 जमा कराया गया जबकि 25550+4840=30390 होना चाहिये था रु140 कम जमा कराये गये। क्रमांक 8 पर रवीन्द्र प्रकाश रजानी से 30120 आकलित करने के बावजूद 30,021 का नोटिस जारी करके रु99 कम जमा कराये गये।

क्रमांक 2 पर दीपू चौहान की फाइल में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा पत्रांक 472/मानचित्र/2016-17 दिनांक 26-11-16 को अग्निशमन अधिकारी को पत्र लिखा अग्निशमन अधिकारी द्वारा पत्रांक 2016/25430/के०एन०सी०/का०नं०/632/डी०डी० 28-10-16 द्वारा आपत्ति लगा कर प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। क्रमांक 7 पर रीतेश राजानी सुजानपुर व्यवसायिक द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु 23¹/₁₈ को रसीद सं०331532 द्वारा धन जमा किया गया उसी दिन प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया इसी प्रकार क्रमांक 8 पर रसीद सं०331531 से नगद धन जमा करने पर उसी दिन प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वर्ष 2016-17 के नक्शा फाइलों से गम्भीर तथ्य प्रकाश में आये।

(1)जि०पं० कानपुर नगर में 3 अवर अभियंता कार्यरत है परन्तु परिसीमन (क्षेत्रीयता) का उल्लंघन करते हुये समस्त नक्शे श्री अशोक कुमार जे०ई० द्वारा निरीक्षित कराये गये हैं।

(2)किसी भी नक्शे में अग्निशमन का प्रमाण पत्र नहीं लगा पाया गया और अवर अभियंता द्वारा बिना जांच आख्या के क्रमांक 9,10, एवं 11 पर नाट अप्लीकेबिल लिखा गया। इस सम्बन्ध में मौखिक रूप से बताया गया कि सरकारी गजट उत्तर प्रदेश सरकार 30-3-15 द्वारा यह आवश्यक नहीं है। जबकि आवेदन फार्म में आवेदन के साथ 11 प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें क्रमांक 5 पर अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है। बिना अग्निशमन प्रमाण पत्र के नक्शा जारी किये जाने पर किसी घटना के लिए सम्बन्धित अधिकारी अभियंता व अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

(3)जांच आख्या में क्रमांक 15 पर टिप्पणी के अंतर्गत लिखा जाना चाहिये कि मेरे द्वारा उक्त स्थल की जांच की गई परन्तु बिना जांच आख्या के नक्शे के आधार पर क्षेत्रफल से आकलित करके धनराशि जमा करा दी गई।

(4)खसरा खतौनी का तहसील से सत्यापन नहीं कराया गया।

(5)अधिकतर स्वीकृत नक्शे कानपुर नगर की सीमा के अंतर्गत हैं। सम्बन्धित विभागों प्रमुखतया कानपुर विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग इत्यादि से एन०ओ०सी० नहीं ली गई है।

स्पष्ट है कि नियमों को ताक पर रखकर बिना जांच आख्या के वर्ष 2016-17 में नक्शे पारित किये गये। चूंकि सभी नक्शों की जांच अवर अभियंता श्री अशोक कुमार को दी गई, जिन्होंने बिना जांच के संस्तुति की और उनकी संस्तुति पर अभियंता श्री विनोद कुमार सिंह व अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे पारित किये गये। स्पष्ट है अधिकारियों की मिली भगत से अवैध रूप से नक्शा स्वीकृत किये जा रहे हैं। उपरोक्त कारणों के आधार पर वर्ष 2016-17 में स्वीकृत समस्त नक्शों को यह लेखा परीक्षा नियम विरुद्ध व अनियमित मानती है एवं इसके लिए सभी अभियंता एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। विभागीय उच्चाधिकारियों एवं शासन द्वारा उक्त अभियन्ताओं एवं अपर मुख्य अधिकारी के विरुद्ध विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। तथा आपत्ति में दर्शित क्रमांक 4

पर रु0 140 तथा क्रमांक 8 पर दर्शित रु0 99 को कुल धनराशि रु0 239.00 की उक्त अधिकारियों से ब्याज सहित वसूली करके जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०12]

प्रस्तर 13—चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से दिनांक $09\frac{9}{16}$ को स्वीकृत 11.20 लाख में ग्राम सभा रसूलपुर मुरलीपुर सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० कार्य कराया जाना था। दिनांक $31\frac{3}{17}$ को 7,21,000 व $24\frac{2}{17}$ को 3,98,000 कुल 11,19,000 का भुगतान किया गया। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा जारी परिपत्र सं० एम०टी०/60एम०टी०/2007 दिनांक 10 जनवरी 2008 द्वारा आबादी वाले भाग में आई०आर०एस०:एस०पी० : 62-2004 के प्रस्तर 3.5 में दी व्यवस्था के अनुसार सब वेस में डब्लू०बी०एम० (ग्रेड-1)जी०एस०बी० डालकर उसके अपर 125 माइकान पालीथीन शीट डालते हुये सी०सी०रोड स्लैब डाला जायेगा। लेखा परीक्षा में पाया गया कि सी०सी० सडक के निर्माण के समय सब बेस का कार्य कराकर बिना पॉलीथीन शीट डाले सी०सी० रोड स्लैब डाला गया। पॉलीथीन शीट के अभाव में वर्षाकाल में सी०सी०स्लैब का सीमेण्ट सबबेस में रिसने की सम्भावना होती है। निर्माण नियमों के प्रतिकूल किया गया। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता जिम्मेदार है। अतः गुणवत्ता से खिलवाड़ कर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही एवं व्यय धनराशि रु0 1119000 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०13]

प्रस्तर 14—निर्माण कार्य की फाइलों की जांच से ज्ञात हुआ कि टेण्डर से पूर्व प्रमुख विभागों पी०डब्लू०डी० आर०ई०एस०, मण्डी परिषद सिंचाई विभाग से एन०ओ०सी० नहीं ली गई जिससे कार्य की डुप्लीकेसी सम्भावित है। कार्य शुरू करने से पूर्ण कार्य स्थल पर टिप्पणी व कार्य प्रारम्भ किये जाने की टिप्पणी अंकित नहीं है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के क्रमांक 39 के अनुसार 5 लाख से अधिक व 10 लाख रुपये से कम लागत के सभी निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियंता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण व 10 लाख से ऊपर के कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियंता के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। नियम का पालन नहीं किया गया। निर्माण कार्यों में एम०एम० -11/रॉयल्टी धनराशि न जमाकर राजस्व की क्षति की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्रमांक	कार्य का नाम	उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी का नाम	कुल व्यय धनराशि	जमा धनराशि	एम०एम०-11 रॉयल्टी की पेनाल्टी सहित धनराशि
1	13वां वित्त आयोग से ग्राम ईशेपुर पो० शिवराजपुर ब्लॉक सी०सी०.कार्य	पटल प्रभारी श्री महेश तिवारी श्रीमती मंजू सिंह ए०ई० कु०ज्योत्सना जे०ई० श्री आर०एस०यादव ए०एम०ए०	13,83,200	—	3,45,800
2	13वां वित्त आयोग से ग्राम सभा पूरा में जी०टी०रोड से बाजार की तरफ सी०सी०.कार्य	उपरोक्त	08,04,400	—	2,02,200
3	13वां वित्त आयोग से ग्राम बकोठी में रेलवे स्टेशन से पीपल की तरफ सी०सी०.कार्य	उपरोक्त	08,95,900	—	02,24,000
4	13वां वित्त आयोग से तेजपुर कुंअरपुर सम्पर्क मार्ग	उपरोक्त	21,68,200	—	05,42,000
5	13वां वित्त आयोग से गोपालपुर में गोपालपुर रोड से प्रा० सी०सी०रोड	उपरोक्त	09,32,500	—	02,33,000
6	13वां वित्त आयोग से रामनगर राजीव अवस्थी के दरवाजे सं अशोक शुक्ला की तरफ	उपरोक्त	06,60,600	—	03,20,200
7	राज्य वित्त आयोग से ग्राम नौरंगाबाद में महावीर द्विवेदी के घर से	श्री स्वतंत्र कुमार जे०ई० श्रीमती मंजू सिंह ए०ई० श्री रणमत सिंह ए०एम०ए०	1,27,000	—	32,000

	राजीव तिवारी के घर तक सी०सी० कार्य				
8	13वां वित्त आयोग से ग्राम परगही में गुड्डू पाण्डेय के घर से शैलेश शुक्ला के घर तक सी०सी० कार्य	उपरोक्त	10,17,000	—	2,54,000
9	राज्य वित्त आयोग ग्राम सभा देवीपुर सराय सम्पर्क मार्ग	कु०ज्योत्सना जे०ई० श्रीमती मंजू सिंह ए०ई० श्री रणमत सिंह ए०एम०ए०	9,91,000	—	2,48,000
10	राज्य वित्त आयोग से गोपालपुर नर्वल-राजकुमार सविता के दरवाजे से प्रेम कुमार पाण्डेय के घर तक सी०सी० कार्य	उपरोक्त	1,00,800	—	25,000
11	राज्य वित्त आयोग से नौरंगाबाद में बदलू के घर से सुरेश मिश्रा के घर तक सी०सी० कार्य	श्री स्वतंत्र कुमार जे०ई० कु०ज्योत्सना जे०ई० श्री रणमत सिंह ए०एम०ए०	4,55,600	—	1,14,000
12	राज्य वित्त आयोग से ग्राम सभा औरावती में रमेश शर्मा से राम किशन कठेरिया तक इण्टरलॉकिंग कार्य	उपरोक्त	3,50,000	—	90,000
13	राज्य वित्त आयोग से भैसऊ में मुल्ला वाल्मिकी से जगदीशपुर रोड तक इण्टरलॉकिंग	श्री अशोक कुमार जे०ई० श्री विनोद सिंह ए०ई० श्री अशोक यादव ए०एम०ए०	3,57,000	—	90,000
14	13वें वित्त आयोग से ग्राम बरीम में मुख्य मार्ग से शिव मंदिर होते हुए दीक्षित मोहल्ले तक सी०सी० कार्य	कु०ज्योत्सना जे०ई० श्रीमती मंजू सिंह ए०ई० श्री रणमत सिंह ए०एम०ए०	9,04,900	—	2,27,000
15	राज्य वित्त आयोग से घमना दुबे के घर से मेंहदी हसन के घर होते नसेनिया रोड तक सी०सी० कार्य	उपरोक्त	10,13,400	—	02,56,000
16	राज्य वित्त आयोग से राम नगर में जी०टी० रोड से गोरेलाल बाजपेयी के घर तक सी०सी० कार्य	उपरोक्त	6,12,700	—	1,54,000
17	13वां वित्त आयोग से ग्राम निवादा भरथुआ में श्यामबाबू पाल के घर से प्रा०स्कूल होते हुये संजय शुक्ला के घर तक सी०सी० कार्य	उपरोक्त	9,08,000	—	2,27,000
18	राज्य वित्त आयोग से गोगूमऊ से कुर्मी खेडा का अवशेष भाग	उपरोक्त	11,05,900	—	8,75,000
19	राज्य वित्त से परगही में सूर्यभान सिंह के घर से राधे लाल के घर तक	श्रीमती मंजू सिंह ए०ई० श्री स्वतंत्र कुमार जे०ई० श्री अशोक यादव ए०एम०ए०	10,00,000	—	2,50,000

	सी०सी० कार्य				
20	राज्य वित्त आयोग से ग्राम भीतरगांव में जहानपुर-राम अवस्थी के घर से मनोज पासी के घर से मुन्ना दुबे के घर तक सी०सी० कार्य	कु०ज्योत्सना जे०ई० श्रीमती मंजू सिंह ए०ई० श्री रणमत सिंह ए०एम०ए०	6,46,600		1,60,000
21	13वां वित्त से पुरा मे जी०टी०रोड से मण्डी की तरफ सी०सी०.कार्य	श्री स्वतंत्र कुमार जे०ई० श्रीमती मंजू सिंह ए०ई०	9,47,100	—	2,37,000
22	राज्य वित्त से ग्राम सभा रूपनगर मजरा घुहावा में मुगल रोड से अनिल नायक के घर तक सी०सी० कार्य	कु०ज्योत्सना जे०ई० श्री विनोद सिंह ए०ई० श्री हरपाल सिंह ए०एम०ए०	7,15,600		1,80,000
			योग	—	52,86,200

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अधिकारियों द्वारा शासनादेशों के विपरीत फाइलों की जांच किये बिना भुगतान किया गया है। उपरोक्त आगणन के अनुसार रु 52,86,200 की खनन राजस्व की धनराशि क्षतिपूर्ति सहित जमा की जानी अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०14]

प्रस्तर 15—13वें वित्त आयोग से क्रमांक 206 पर दिनांक 09/09/16 को विकास खण्ड चौबेपुर में मकानपुरवा में रामचन्द्र मास्टर के घर से मेवालाल के घर तक सी०सी० कार्य 8.75 लाख में निखिल ट्रेडर्स को दिया गया जिसका प्रथम भुगतान 26/10/16 को रु 7,18,000 एवं 30/12/16 को 1,40,400 कुल रु 8,58,400 का भुगतान किया गया। श्री अशोक यादव द्वारा रनिंग व अंतिम बिल लगाये ही नहीं गये। वित्तीय परामर्शदाता द्वारा अपने हस्ताक्षर के नीचे 30/12/15 तिथि अंकित की गई। एम०एम०-11 तर्क संगत नहीं लगे। समस्त कार्य इस्टीमेट व बिल के अभाव में संदिग्ध है। रु 8,58,400 का भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए श्री विनोद सिंह ए०ई०, श्री अशोक यादव जे०ई०, व अशोक यादव ए०एम०ए० जिम्मेदार हैं।

[मूल आपत्ति सं०15]

प्रस्तर 16—राज्य वित्त आयोग से क्रमांक 40 पर दिनांक 22/3/16 को विकास खण्ड भीतर गांव में हाजीपुर कदीम में राकश यादव के घर दरवाजे से कल्लू यादव के कारखाने होते हुए बैजूपुर मोड तक सी०सी०.कार्य स्वीकृत कर ठेकेदार श्री अरविन्द कुमार को रु 11.10 लाख स्वीकृत कर दिया गया। दिनांक 16/7/16 को 9,30,000 एवं 11/8/16 को 1,75,300 का कुल रु 11,05,300 भुगतान किया गया। समस्त एम०एम०-11 पुराने पाये गये। श्री अशोक कुमार जे०ई० द्वारा रनिंग व अंतिम बिल नहीं लगाये गये।

उ०प्र०क्षेत्र प०तथा जिला प० निर्माण कार्य नियमावली 1984 के क्रमांक 39 के अनुसार 10 लाख से ऊपर के कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अभियंता के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता (अल्प सिंचाई) से निरीक्षण नहीं कराया गया। स्पष्ट है समस्त कार्य संदिग्ध है। जिसके लिए श्री अशोक यादव जे०ई० विनोद सिंह ए०ई० व श्री अशोक यादव ए०एम०ए० जिम्मेदार है।

[मूल आपत्ति सं०16]

प्रस्तर 17—राज्य वित्त आयोग फाइल नं० 6 ग्राम बगदौली में राजेश सिंह के मकान से मनीष श्रीवास्तव के घर तक कार्य 19/8/16 को स्वीकृत कर ठेकेदार यू०पी० डेवलपर्स को दिया गया। कार्य प्रारम्भ किये जाने पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं थी। स्वीकृत के अनुसार 24/6/16 से 19/8/16 तक किया जाना था। दिनांक 22/7/16 को 95,700-00 एवं 30/6/16 को 3,40,000 कुल 4,35,700 का भुगतान कर दिया गया। कार्य प्रारम्भ की टिप्पणी अंकित नहीं थी फिर भी 24/6/16 से 6 दिन बाद ही प्रथम रनिंग भुगतान कर दिया गया। जो कार्य 19/8/16 को समाप्त होना था उसका अंतिम भुगतान 1 माह पूर्व 22/7/16 को कर दिया गया। समस्त कार्य व भुगतान संदेहास्पद है जिसके लिए श्री स्वतंत्र कुमार जे०ई०, श्री विनोद सिंह ए०ई०, श्री अशोक यादव ए०एम०ए० जिम्मेदार रहे। सम्बन्धित जे०ई० और ए०एम०ए० के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०17]

प्रस्तर 18—विकास खण्ड बिधनू के ग्राम सभा कार्यालय से मेहरवानपुरवा में कुसुमा के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली कार्य क्रमांक 204 पर 3/9/16 को 3.50 लाख स्वीकृत करके में जान्हवी इण्टर प्राइजेज को 3,49,895 में सौपा गया। दिनांक 30/01/17 को 349,600 का फर्म को भुगतान कर दिया गया। कार्य तिथि 08/12/16 से समाप्त तिथि 07/02/17 थी। भुगतान पर कु०ज्योत्सना जे०ई०, निर्माण लिपिक, अभियंता के हस्ताक्षर है कि कार्य 07/02/16 को पूरा हुआ। आश्चर्य का विषय है कि उस समय टेण्डर भी नहीं हुए थे और कार्य 08/12/16 से प्रारम्भ होना था। यह गम्भीर विषय है। अभिलेखों की वी०पी०डी० व ए०एम०ए० द्वारा भी जांच न करके भुगतान किया गया। समस्त कार्य व भुगतान अनियमित है जिसके लिए वी०पी०डी०, श्री अनिल मिश्रा, अपर मुख्य अधिकारी श्री हरपाल सिंह यादव, श्री विनोद

सिंह ए0ई0,श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जे0ई0जिम्मेदार है। अनियमितता हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक / विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०18]

प्रस्तर 19—दिनांक 20/3/15 को 13वां वित्त से फाइल नं० 3 पतारा तिलसडा में धरमंगतपुर सम्पर्क मार्ग विशेष मरम्मत लेपन 16,89,400 में स्वीकृत कर श्री शिवा कंस्ट्रक्शन को दिया गया। कार्य प्रारम्भ होने की तिथि अंकित नहीं थी। बिलों के अनुसार कार्य तिथि 8/3/16 से 7/5/16 तक थी। बिलों के अनुसार कार्य तिथि 8/3/16 से 7/5/16 तक थी। समस्त एम0एम0-11 कार्य समाप्त के बाद के लगे। समस्त कार्य का भुगतान 18/3/16 को 04,51,000,01/6/16 को 07,79,800,22/07/16 को 03,63,400,16/8/17 को 85,000 कुल 16,79,200 का भुगतान किया गया। श्री गंगा सिंह ने जन शिकायत 8/7/16 को एवं 20/8/16 को घटिया निर्माण की शिकायत जिलाधिकारी महोदय से की। जिस पर नोटिस सी0डी0ओ0.की लगकर एवं इस पर प्रान्तीय खण्ड अभियंता पी0डब्लू0डी0.ने अपर मुख्य अधिकारी को कार्यवाही हेतु पत्रांक 1937/175 दिनांक 29/8/16 को लिखा। दिनांक 3/5/16 को अभियंता जि०पं० द्वारा ठेकेदार को पत्र लिखा गया कि अवर अभियंता की जांच में कमियां पाई गई। एक बिना तारीख का ठेकेदार का पत्र संलग्न पाया गया जिसमें कार्य तिथि 07/05/16 की जगह 30/06/16 तक बढ़ाने को लिखा गया। संलग्न इस्टीमेट में कांटछाट की गई। रु 3,63,400 का 22/07/16 को जिस पेपर से भुगतान किया गया उसी के पीछे बिल से काटी गई धनराशि का आकस्मिक बिल बनाकर 85,000 का भुगतान कर दिया गया। स्पष्ट है कि समस्त कार्य संदेहास्पद है। उ०प्र०क्षेत्र पं०तथा जिला पं० निर्माण कार्य नियमावली 1984 के क्रमांक 39 के अनुसार 10 लाख से ऊपर के कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अभियंता के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता (अल्प सिंचाई) से निरीक्षण नहीं कराया गया। रु 16,79,200 की अनियमितता के लिए कु०ज्योत्सना जे0ई0, श्रीमती मंजू सिंह ए0ई0 अपर मुख्य अधिकारी श्री रणमत सिंह एवं श्री अशोक यादव जे0ई0 जिम्मेदार है। उक्त धन की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०19]

प्रस्तर 20—दिनांक 07/09/15 को 13वां वित्त से स्वीकृत क्रमांक 20 पर ग्राम सभा पडहारा में नदिया रोड से गांव की तरफ सी. सी. कार्य 9 लाख में स्वीकृत विमला कंस्ट्रक्शन को दिया गया। दि०18/5/16 को 8,93,300-00 का भुगतान कर दिया गया। अधिकांश एम0एम0-11 पुराने लगे पाये गये। कार्य तिथि 31/3/16 से 30/4/16 थी। दिनांक 8/3/16 को पत्र द्वारा ठेकेदार से कार्य पूरा करने के लिए 2 माह का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे 1 माह का स्वीकृत किया गया। श्रम विभाग का पंजीयन संलग्न नहीं पाया गया। यहीं नहीं बिलों से विलम्ब शुल्क की कटौती भी नहीं की गई। यह कार्य अनियमित प्रतीत होता है जिसके लिए कु०ज्योत्सना सिंह जे0ई0., अभियंता श्रीमती मंजू सिंह ए0ई0 व श्री आर०एस०यादव अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है। वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०20]

प्रस्तर 21—प्रमाणक सं०31 24⁵/₁₆ डीजल व्यय रु 23252 की पुष्टि प्रमाणक व लॉग बुक के अभाव में सम्भव न हो सकी। अतः अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०22]

प्रस्तर 22—प्रमाणक सं०32 दिनांक 24⁵/₁₆ में०आचार्य प्रकाशन सहकारी समिति को रु9100 का भुगतान किया गया जबकि प्रमाणक रु4800 का ही संलग्न था। अतः अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार से रु0 4300 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०23]

प्रस्तर 23—प्रमाणक सं०31 दिनांक 19-7-16 द्वारा जनरेटर सर्विस के लिए रु4049 का भुगतान किसे किया गया है। संलग्नक के अभाव में पुष्टि सम्भव न हो सकी। अतः अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०26]

प्रस्तर 24—प्रमाणक सं०29 दिनांक 19-7-16 द्वारा अपर मुख्य अधिकारी के प्रयोगार्थ वाहन सं० यू0पी0 78 बी0जी0 0510 की मरम्मत में नगद रु 7800 का भुगतान मारुति मोटर्स वर्क्स को किया जाना दर्शित है। व्यय की पुष्टि संलग्नक प्रमाणक व लॉग बुक प्रस्तुत न किये जाने के कारण सम्भव न हो सकी। अतः अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार से रु0 7800 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०27]

प्रस्तर 25—प्रमाणक सं०38 30-9-16 अपर मुख्य अधिकारी की गाडी में आकस्मिक डीजल बिल रु11950 की पुष्टि लॉग बुक व प्रमाणक के अभाव में सम्भव न हो सकी। अतः अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार से रु0 11950 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०28]

प्रस्तर 26—प्रमाणक सं०32 19-7-16 अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से कार्यालय हेतु रु 1280000 की डीजल व्यय किया गया। जिसका प्रमाणक संलग्न न किये जाने से व्यय की पुष्टि नहीं होती। अतः अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार से रु0 1280000 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

[मूल आपत्ति सं०29]

वार्षिक प्रतिवेदन त्रिस्तरीय पंचायती राज वर्ष 2016-17

जिला पंचायत हरदोई

प्रस्तर सं0-1 वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बहुत से निर्माण कार्यों पर ठेकेदार को अन्तिम भुगतान करते समय जमानत की धनराशि काटी गयी है। पूछने पर अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा जमानत की धनराशि कम जमा की गयी थी तथा नियत धनराशि से जितना जमानत कम था। उसे अन्तिम भुगतान के समय कटौती की गयी। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि टे.डर स्वीकार किये जाने के 14 दिन के अन्दर ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य की लागत का 10 प्रतिशत धनराशि के बराबर प्रतिभूति जमा किये जाने की व्यवस्था है, जो नकद/एफडी0 या डाकघर में जमा रसीद जो संस्था के पक्ष में बन्धक हो, के रूप में होगा। कोई भी ठेका तब तक वैध नहीं होगा तथा कोई भी निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। जब तक उस पर नियत की गयी अपेक्षित प्रतिभूति जमा न कर दी जाये। किन्तु निम्न कार्यों पर ठेका देते समय निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया तथा नियमित रूप से निर्माण कार्य का ठेका दिया गया है। विवरण इस प्रकार है-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	कार्य की लागत	भुगतान का माह	जमानत की रोकी गयी धनराशि (रु० में)	ठेकेदार का नाम
1	गुजरई से झण्डीपुरवा मार्ग पर ईट सोलिंग	880000.00	4 / 2016	50000.00	राजीव कुमार सिंह यादव
2	प्रा०पा० से हन्नखुदा तक ईट सोलिंग	997912.00	4 / 2016	40000.00	मे० कृष्ण चन्द्र गुप्ता
3	मजरा पाठकुआँ में नाला निर्माण	680490.00	5 / 2016	32200.00	श्रवण कुमार गुप्ता
4	बिबिया खेडा मार्ग से संजीव प्रधान के घर तक ईट सोलिंग	996231.00	5 / 2016	40000.00	मे० इंजी० मुकेश
5	प्रा० पा० से बिजियापुर मार्ग पर ईट सोलिंग	996531.00	5 / 2016	40000.00	राकेश कुमार
6	गौसगंज चौराहा से बहादुरपुर मार्ग पर पुलिया तक सोलिंग	390000.00	6 / 2016	10500.00	प्रमोद गुप्ता
7	जलालाबाद से सागर मिया के दरवाजे से मथुरा तक सी०सी०कार्य	1000000.00	6 / 2016	74500.00	राजीव कुमार मिश्रा
8	दहिगवाँ मार्ग पर अनुरक्षण कार्य	350000.00	7 / 2016	4000.00	राजीव कुमार मिश्रा
9	पाकुर से जनकपुर मार्ग पर पुलिया तक सोलिंग	998000.00	6 / 2016	40000.00	राजीव कुमार सिंह यादव
10	गौसगंज मार्ग से सोलिंग (सम्पर्क मार्ग पर)	1002000.00	8 / 2016	5100.00	राजीव कुमार यादव
11	पुल से बदरुद्दीन मार्ग पर सोलिंग कार्य	1058662.00	9 / 2016	6000.00	मनु विशाल
12	ग्राम मझिया से गोपामऊ पिहानी मार्ग पर ब्लाक 1 में पांच दुकानों का निर्माण	359000.00	10 / 2016	31300.00	राकेश कुमार
13	उक्त स्थल पर ब्लाक-2 में 5 दुकानों का निर्माण	358000.00	10 / 2016	31300.00	राकेश कुमार
14	ग्राम नटपुरवा से गंगा प्रसाद के खेत तक ईट सोलिंग	802300.00	3 / 2017	100000.00	राजीव कुमार सिंह यादव
15	रामनगर से सूडा मार्ग के शेष भाग पर ईट सोलिंग	212404.00	3 / 2017	1800.00	राजीव कुमार सिंह यादव
16	मजरा कोरिया में नाला निर्माण (गांव से तालाब तक)	1357514.00	3 / 2017	200000.00	मे० कृष्ण चन्द्र गुप्ता
17	सवल खेडा से निरंजन खेडा मार्ग पर ईट सोलिंग	1027000.00	12 / 2017	8000.00	मनु विशाल
	कुल योग	13466044.00			

उक्त पत्रावलियां लेखा परीक्षा में जांच हेतु अप्राप्त रही। तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री एस0के0 कुसुमवाल एवं श्री प्रदीप कुमार गुप्ता उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 2— तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग शासनादेश संख्या-2566/33-3/2010-142/2010 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 23 दिसम्बर 2010 की संस्तुतियों के प्रस्तर 10.41 से 10.167 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जाना था। जिसमें मूलभूत सुविधाओं जैसे-पेयजल सुविधा, सीवेज व्यवस्था, सालिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट, स्ट्रीट लाइट, मार्ग एवं नागरिक सुविधाओं के रख रखाव/अनुरक्षण पर उपभोग की जानी थी। साथ ही सभी के लिये पेयजल आपूर्ति, पुरानी जलापूर्ति योजनाओं का पुनर्वास एवं नवीन योजनाओं का क्रियान्वन किया जाना था। लेखा परीक्षा वर्ष में उक्त मद में रु0 7424092.00 व्यय किया गया। जिसमें से रु0 10076.00 तेरहवें वित्त आयोग से कराये गये कार्यों के प्रकाशन पर तथा रु0 7414016.00 निर्माण कार्यों पर (सम्पर्क मार्ग, लेपन, ईट सोलिंग) ही व्यय किया गया है। इस प्रकार योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(8) के अनुसार कार्य योजना बनाने एवं धन का समुचित उपभोग सुनिश्चित न करने के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री एस0के0 कुसुमवाल उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

लखीमपुर-खीरी

पंचायत – जिला पंचायत

जनपद – लखीमपुर

वर्ष 2016-17

प्रस्तर-1—विकास खण्ड धौरहरा के सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर के आडिट के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी :-

- 1—सिसैया चौराहे पर स्थित 10 सम्पत्तियों पर टैक्स बकाया रु0 16401/- है। बकाया टैक्स की वसूली न करके एवं वर्ष की मांग न लगाने से टैक्स की हानि पहुँचायी गयी।
- 2— कलुआपुर में अन्सारी मेडिकल स्टोर पर कर बकाया रु0 725/- है। वर्ष की मांग नहीं लगायी गयी है।
- 3— बबुरी में बर्तन स्टोर पर कर बकाया रु0 1500/- एवं वर्ष की मांग नहीं लगायी गयी है।
- 4— जय बजरंग खाद स्टोर बकाया टैक्स रु0 2083/- वर्ष की मांग नहीं लगायी गयी है।
- 5— ईट भट्टा प्रोपराइटर श्री वेद प्रकाश पुत्र मुरलीधर बकाया टैक्स रु0 4000/- एवं वर्ष की मांग नहीं लगायी गयी है।

उपरोक्त संस्थाओं के समापन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के अभाव में वर्ष की मांग छोड़कर संस्था को राजस्व की हानि पहुँचायी जा रही है। नियमानुसार निर्धारण करते हुए वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये।

प्रारूप-2

जनपद-लखनऊ

जिला पंचायत-लखनऊ

मण्डल-लखनऊ

वर्ष 2016-17

प्रस्तर संख्या-1

संस्था द्वारा अपने अधिकारियों के आवास हेतु टाइप-4 के भवनों का निर्माण कराया गया है। तथा इसका उद्घाटन तत्कालिक लोक निर्माण मंत्री उ0प्र0 द्वारा दिनांक 07.09.2005 को किया गया था। किन्तु निम्न अधिकारियों हेतु भवन बनने के पश्चात भी संस्था द्वारा उन्हें भवन किराया भत्ता का भुगतान वेतन के साथ अनियमित ढंग से किया जा रहा है।

क)-	श्रीमती माया यादव	अध्यक्ष	9600.00
ख)-	श्री आर.एन. सिंह	अपर मु0अधि0	3789.00
ग)-	श्री नरेन्द्र बहादुर	अपर मु0अधि0	11423.00
घ)-	श्री जमाल मिर्जा	अभियन्ता	60060.00
च)-	श्री पुनीत वर्मा	अपर मु0अधि0	33674.00
	योग-		118546.00

रु0 118546.00 से संस्था को क्षति पहुँचाई गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2

प्रमाणकों के साथ संलग्न वेतन बिलों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी भविष्य निधि रु. 2559826.00 भारत सरकार द्वारा निर्धारित बचत योजना में न जमा कर अधिकारियों/कर्मचारियों के बचत खाते में ही जमा किया जाता है। इससे एक ओर तो उन्हें ब्याज की क्षति होती है तो दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बचत योजनाओं में जमा न होने के कारण आयकर

की 80सी से ली गयी छूट भी अधिनिमित रही। इस अनियमितता हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3

हड्डी चमड़ा से सम्बन्धित लेजर व पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पायी गयी— आलोच्य वर्ष में पशु शव निस्तारण मद में प्राप्त धनराशि रु 2644716.00 को नियमानुसार निश्चित अनुपात में जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में वितरित नहीं की गयी है। इसे जिला पंचायत की आय के अन्तर्गत दर्शित किया जा रहा है। इस ओर अपर मु0 अधिकारी श्री पुनीत वर्मा व नरेन्द्र बहादुर तथा पटल सहायक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी हैं। इस धनराशि को ग्राम पंचायतों में वितरित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4

हड्डी चमड़ा के लेजर के अनुसार वर्ष 2016-17 का प्रारम्भिक शेष रु. 4887482.66 व वर्ष की मांग रु. 3352883.00 तथा वर्ष की वसूली रु. 2644716.00 के पश्चात वर्ष का अन्तिम शेष रु. 5595649.66 दर्शित है। जो प्रारम्भिक अवशेष से अधिक है। इस तरह जिला पंचायत द्वारा वसूली ढंग से नहीं किया गया, जिसकी वसूली बहुत ही कम है जिससे संस्था की धनराशि बकाया के रूप में दूसरों के पास है। जिससे संस्था को क्षति पहुंच रही है। अतः इस गम्भीर अनियमितता हेतु अपर मु0 अधिकारी तथा पटल सहायक उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5

वर्ष 2016-17 में निविदा से आय रु. 283164.00 कैशबुक में दर्शित है। सम्बन्धित लेजर के अभाव में आय की पुष्टि नहीं की जा सकी। निविदा से प्राप्त धनराशि संस्था के आय का भाग नहीं है। अतः इसे राज्य के राजस्व मद में जमा कर दिया जाना चाहिए। इस ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। साथ ही आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6

सम्पत्ति व विभव कर पंजिका की लेखा बन्दी वीरेन्द्र कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत विवरण निम्नवत है:-

क्रम	विकास खण्ड	वर्तमान कर	बकाया कर	योग	वसूली	अवशेष	अधिक
1	काकोरी	394790.00	3511013.00	3905803	219640	3690577	4414
2	सरोजनी नगर	1219280	8190842	9410122	497980	8920832	8690
3	मोहनलालगंज	894020	5210417	6104437	184223	5941459	21245
4	बक्शी का तालाब	954100	6664213	7618313	377940	7240373	—
5	चिनहट	845595	6146451	6992046	380920	6669386	58260
6	मलिहाबाद	377840	1630459	2008299	192040	1823524	7265
7	मल	—	—	—	—	—	—
8	गोसाईगंज	रजिस्टर अपूर्ण	—	—	—	—	—
	योग	4685625	31353395	36039020	1852743	34286151	99874

उपरोक्त में निम्न कमियां पायी गयी—

II कुल अवशेष रु. 34286151.00 दर्शित है। संस्था के कर अधिकारी, कार्य अधिकारी, अपर मु0 अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी की उदासीनता के कारण उक्त धनराशि की वसूली शेष रही। इस वसूली के न होने से संस्था को क्षति पहुंच रही है। अतः इस अनियमितता हेतु श्री रामपाल वर्मा व श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी है। इसके उत्तरदायी वसूली कर निरीक्षक, कार्य अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी पूर्ण रूपेण है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7

भवन अग्रिम रजिस्टर की जांच में निम्न कमियां पायी गयी—

क्रम	धनराशि	ऋण समाप्त तिथि	ब्याज	नाम
1	1.00 लाख	अप्रैल 16	25926.00	श्री सलमान
2	3.15 लाख	जुलाई 16	81900.00	श्री सत्य प्रकाश दुबे
3	1.50	जुलाई 16	34599.00	श्रीमती गायत्री पाण्डेय
	योग		142425.00	

संस्था द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन अग्रिम स्वीकृति कर भुगतान किया जाता है। भवन अग्रिम स्वीकृति आदेश पर स्पष्ट अंकित है कि फार्म 22(ख) पर सम्पत्ति का बन्धक जिला पंचायत के पक्ष में कराया जाय किन्तु संस्था में बन्धक नहीं कराया गया है जो संस्था के हितों के विरुद्ध है। इस ओर का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। तथा अनियमितता के लिये उत्तरदायी भी लाल सिंह पटल सहायक है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8

निम्न कर्मचारियों के भवन अग्रिम ऋण मृत्यु के पश्चात वसूली नहीं की गयी जबकि उनके देय दिये जा चुके हैं।

क्रम	नाम	दिया गया भवन अग्रिम	मृत्यु	अवशेष मूल धन	ब्याज	कुल योग
1	स्व० श्रीराम	2.00 लाख	02.07.2016	45000	30516	75516
2	स्व० श्रीकृष्ण कुमार	2.00 लाख	24.04.2016	85000	16891	101891
			योग	130000	47407	177407

इस प्रकार रु. 177407.00 समय से न जमा होने के कारण संस्था को क्षति हुई इसके उत्तरदायी श्री लाल सिंह पटल सहायक व अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा व श्री नरेन्द्र बहादुर है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9

भवन अग्रिम निम्न कर्मचारियों को दिया गया किन्तु कटौती विलम्ब से किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम	नम	स्वीकृत तिथि	धनराशि	कटौती की तिथि	उक्त पर लगा ब्याज
1	श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी	अप्रैल 2015	435000.00	अप्रैल 2017	32625.00
2	श्री मनोज कुमार सोनकर	अप्रैल 2015	250000.00	अप्रैल 2017	18750.00
3	श्री सुशील सिंह	अप्रैल 2016	180000.00	अप्रैल 2017	10125.00
		योग			61500.00

विलम्ब से कटौती के कारण रु. 61500.00 की संस्था को क्षति पहुंचायी जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10

प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि श्री शिव सुन्दर दुबे चिकित्सा अधिकारी के सेवा निवृत्त पर अवकाश नकदीकरण की धनराशि से आयकर की कटौती नहीं की गयी जबकि सेक्सन 10 (ए०ए०) के आधार पर अवकाश नकदीकरण पर रु. 3.00 लाख तक आयकर शून्य रहेगा। श्री दुबे जी को अवकाश नकदीकरण रु. 795850.00 का भुगतान दिनांक 04.04.2016 प्रमाणक सं. 12 द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है-

कुल आय	रु. 527115.00
अवकाश नकदीकरण	795850.00
योग	1322965.00
घटाया नकदीकरण सेक्सन 10 ए०ए०-	300000.00
शेष	1022965.00
घटाया 80 सी के अन्तर्गत	106423.00
आयकर योग्य धनराशि	916542.00
शून्य से 300000.00 तक	शून्य
300001.00 से 500000.00 तक 10 प्रतिशत	20000.00
500001.00 से 916542 तक 20 प्रतिशत	83308.00
योग	103308.00
शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत	3099.00
आयकर जमा	13316.00
अवशेष	93091.00

इस तरह रु. 93091.00 आयकर जमा न करने से राजकीय राजस्व की क्षति हुयी जिस हेतु श्री बृजेश कुमार वर्मा लेखाकार व श्री पुनीत वर्मा अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11

नौकाघाट से सम्बन्धित लेजर की जांच में पाया गयाकि सदस्यों की वसूली दिसम्बर 2016 तक नहीं हुयी। जिला पंचायत द्वारा कर किराया का अवधारण किया जाता है तथा इसकी वसूली का दायित्व भी संस्था का है संस्था के कर व कार्य अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी व पटल सहायक की उदासीनता के कारण रु. 73599.39 की वसूली अवशेष है विवरण निम्नवत है-

क्रम	नाम सदस्य	धनराशि
1	श्री जगेश्वर पुत्र रघुनाथ	1006.50
2	श्री दन्ना सिंह बहरोरा मलिहाबाद	4642.00
3	श्री भगवानदीन लोधमऊ	1060.00

4	श्री मल्वर डिगुरिया चिनहट	700.00
5	श्री राम प्रसाद सरोय	2518.50
6	श्री जगदेव सिंह धोवेला	6948.50
7	श्री बाबू लाल गऊघाट	4800.00
8	श्री रामफेर सुरियामऊ	1793.04
9	श्री मेडीलाल ठड्डामहमूद नगर	2414.85
10	श्री वृन्दा प्रसाद दऊदमऊ	1318.00
11	श्री रामसागर धरोहरा बाराबंकी	24588.00
12	श्री शिवबालक सिंह सुरियामऊ	2760.00
13	श्री सूठन राम निसाद मुशाफिर नगर डालीगंज	8950.00
14	श्री भगवती प्रसाद सुरियामऊ	3021.00 28.02.2017 को जमा
15	श्री खुनखुन सुरियामऊ	5600.00
16	श्री रामगोपाल सलेमपुर	755.00 28.12.2017 को जमा
17	श्री प्रताप नरायन द्विवेदी सुरियामऊ	2000.00
18	श्री महंगू पुत्र रामफेर सुरियामऊ	2500.00
19	श्री इन्द्राज सिंह बाघामऊ	275.00 28.12.2017 को जमा
20	श्री कालिका प्रसाद नेवदा	1800.00 28.12.2017 को जमा
21	श्री रामशंकर धावेला	1200.00 28.12.2017 को जमा
	योग	80650.39-7051=73599.39

जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12

कैशबुक में जमा धनराशि की जांच में नक्शा पारण शुल्क निम्नवत प्राप्त हुयी-

क्रम	माह	धनराशि
1	अप्रैल 2016	102649.00
2	मई 2016	926717.00
3	जून 2016	260695.00
4	जुलाई 2016	304902.00
5	अगस्त 2016	1186253.00
6	सितम्बर 2016	815078.00
7	अक्टूबर 2016	2643522.00
8	नवम्बर 2016 व दिसम्बर 2016	433570.00
9	जनवरी 2017	221430.00
10	फरवरी 2017	1260784.00
11	मार्च 2017	2955392.00
	योग	11110992.00

बार-बार लिखित व मौखिक मांगे जाने पर भी सम्बन्धित पटल सहायक श्री शम्मी टण्डन द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः जांच नहीं की जा सकी। इस हेतु पटल सहायक श्री शम्मी टण्डन व अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13

दुकान किराये से सम्बन्धित पंजिका में कुल जमा अवशेष निम्नवत है-

क्रम	नम	दुकान का विवरण	जमा धनराशि	अवशेष धनराशि
1	चिनहट	1 से 28	77384.00	298908.00
2	गोसाईगंज	1 से 5	2000.00	105813.00
3	गंगागंज चिकित्सालय	1 से 6	0	84140.00
4	गंगागंज	1 से 5	0	136250.00
5	हैवतमऊ मवैया	1 से 6	0	83160.00
6	मलिहाबाद	1 से 13 व ए 1 से ए 6	17045.00	142234.00
7	मलिहाबाद चिकित्सालय	1 से 9	0	137973.00
8	मोहनलालगंज हास्टल	1 से 6	0	457165.00
9	बिजनौर	1 से 6	0	120730.00
10	अर्जुनगंज	1 से 5	9000.00	192754.00
11	बन्धरा चिकित्सालय	1 से 4	0	57151.00
12	काकोरी	1 से 6	0	49445.00
13	काकोरी चिकित्सालय	1 से 3	10000.00	52566.00

14	सिसेण्डी	1 से 4	0	67900.00
15	निगोहा	1 से 5	0	81600.00
			115428.00	2067789.00

सम्बन्धित लेजर में वसूली अत्यधिक कम है जिसके उत्तरदायी कार्य अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी तथा पटल सहायक हैं। इस ओर उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उपरोक्तानुसार रु. 2067789.00 दुकान किराये के रूप में अवशेष दर्शित है। स्पष्ट है कि पूर्ण किराये की वसूली नहीं की गयी है। सम्बन्धित किराये का पूर्ण रूपेण वसूली न होने से संस्था को आर्थिक क्षति पहुंच रही है जिसके लिए कार्य अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी तथा सम्बन्धित पटल सहायक उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14

ईट भट्ठा से सम्बन्धित रजिस्टर की जांच में पाया गया कि निम्नांकित भट्ठों की वसूली नहीं हो रही है। विवरण निम्नवत है-

क्रम	नाम	पृष्ठ	धनराशि
1	मे0 शान्ती ब्रिक फील्ड	05	16000.00
2	मे0 मानश ब्रिक फील्ड	05	4000.00
3	मे0 रमेश ब्रिक फील्ड	08	8000.00
4	मे0 न्यू साई ब्रिक फील्ड	08	4000.00
5	मे0 मुस्कान ब्रिक फील्ड	11	8000.00
6	मे0 नरेन्द्र ब्रिक फील्ड	11	4000.00
7	मे0 बजरंगी ब्रिक फील्ड	14	8000.00
8	मे0 बाबा श्री दयाल ब्रिक फील्ड	14	12000.00
9	मे0 साई ब्रिक फील्ड	17	4000.00
10	मे0 दुलारी ब्रिक फील्ड	20	4000.00
11	मे0 एस0 एस0 ब्रिक फील्ड	20	4000.00
12	मे0 तिवारी दउवा ब्रिक फील्ड	20	4000.00
13	मे0 वी0के0टी0 ब्रिक फील्ड	20	4000.00
14	मे0 त्रिवेदी सहाय ब्रिक फील्ड	23	4000.00
15	मे0 राम दुलारे ब्रिक फील्ड	23	12000.00
16	मे0 बाबूजी ब्रिक फील्ड	26	4000.00
17	मे0 वर्चस्व ब्रिक फील्ड	26	4000.00
18	मे0 वर्मा ब्रिक फील्ड	29	4000.00
19	मे0 एकता ब्रिक फील्ड	38	4000.00
20	मे0 सिद्धार्थ ब्रिक फील्ड	41	4000.00
21	मे0 सिद्धार्थ ब्रिक फील्ड	41	4000.00
22	मे0 शिवानी ब्रिक फील्ड	44	4000.00
23	मे0 न्यू बजरंग ब्रिक फील्ड	44	4000.00
24	मे0 मां काली जी ब्रिक फील्ड	47	8000.00
25	मे0 जगन्नाथ ब्रिक फील्ड	47	8000.00
26	मे0 रमेश कमल ब्रिक फील्ड	47	8000.00
27	मे0 कुंवर ब्रिक फील्ड	50	8000.00
28	मे0 दुर्गा ब्रिक फील्ड	50	8000.00
29	मे0 जर्नादन ब्रिक फील्ड	53	8000.00
30	मे0 मिलन ब्रिक फील्ड	56	8000.00
31	मे0 मां वैष्णव ब्रिक फील्ड	56	8000.00
32	मे0 यश ब्रिक फील्ड	59	4000.00
33	मे0 नवीन ब्रिक फील्ड	68	4000.00
34	मे0 सीताराम ब्रिक फील्ड	68	4000.00
35	मे0 सियाराम ब्रिक फील्ड	71	4000.00
36	मे0 राज उद्योग	74	4000.00
37	मे0 प्रधान ब्रिक फील्ड	83	4000.00
38	मे0 शिवशंकर ब्रिक फील्ड	83	4000.00
39	मे0 रामेश्वर ब्रिक फील्ड	89	12000.00
40	मे0 हनी ब्रिक फील्ड इंडस्ट्रीज	98	4000.00
41	मे0 जय मां ब्रिक फील्ड	101	4000.00

42	मे0 शिवा ब्रिक फील्ड	101	16000.00
43	मे0 बाबा भागेन्दर ब्रिक फील्ड	101	12000.00
	योग		272000.00

इस प्रकार ईट भट्ठा का बकाया 31.03.2017 को रु. 272000.00 है। संस्था के कार्य अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी तथा पटल सहायक की उदासीनता के कारण धनराशि की वसूली शेष रही। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15

कार्यालय में अतिथि तक किराये में बढ़ोत्तरी नहीं की गयी जबकि जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कई बार किराये की दरों में संशोधन किया गया। प्रस्तुत की गयी अन्य पत्रावली के आधार पर किराया निर्धारण निम्नवत है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है।

- क) आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय
आडिट के अनुसार
क्षे0 × दर × समय
117.73×170×22 = 440310.20 निदेशक हथकरघा वस्त्रोद्योग
117.73×185×13 = 283140.65 अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व परिषद
117.73×2.05×28 = 675770.20 बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
कुल 1399221.05
वसूल किया गया— 15805×63 995715.00 अन्तर 403506.05
- ख) निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
आडिट के अनुसार— क्षे0 × दर × समय
145.2×170×22 = 543048.00 पत्रावली के अनुसार
145.2×185×13 = 349206.00 अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व परिषद
145.2×205×28 = 833448.00 बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
योग 1725702.00
वसूल किया गया— 23232×63 1463616.00 अन्तर 262086.00
- ग) विकलांग कार्यालय
आडिट के अनुसार— क्षे0 × दर × समय
83.72×130×28=304740.80 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय
83.72×170×22=313112.80 निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
83.72×185×13=201346.60 अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व परिषद
83.72×205×28=480552.80
योग— 1299751.60
वसूल किया गया— 83.72×100×91 761852.00 अन्तर 537899.60
- घ) अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व परिषद
आडिट के अनुसार— क्षे0 × दर × समय
105×20×28=58800.00

वसूल किया गया— 19402×28 543256.00 अन्तर 454456

	नाम	कुल बकाया
1	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	रु. पत्रावली अप्राप्त
2	आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय	रु. 403506.05
3	निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	रु. 26286.00
4	विकलांग कार्यालय	रु. 537899.60
5	अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व परिषद	रु. 484456.00
	योग	रु. 1452147.65

इस प्रकार किराये की बकाया धनराशि रु. 1452147.65 है इस वसूली का दायित्व पटल सहायक श्री विचित्र तथा कार्य अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार व अपर मुख्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा व नरेन्द्र बहादुर है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16

प्रस्तुत की गयी लेबर सेस की चेकों का मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि निम्नांकित चेके लेबर सेस में जमा नहीं की गयी, विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	प्रमाणक सं०	दिनांक	धनराशि
1	11	08.06.2016	4639.00
2	12	08.06.2016	48992.00
3	24	24.06.2016	6297.00
4	25	24.06.2016	6296.00
	योग		66224.00

माह मई 2016 व जून 2016 की धनराशि 26.09.2016 को जमा किया जाना दर्शित है किन्तु रु. 66224.00 नहीं जमा किया गया जिसे राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए था। इस तरह इस अनियमितता हेतु श्री बृजेश कुमार वर्मा लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17

प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि श्रीमती रामलली पत्नी श्री विजय वर्मा को अवकाश नकदीकरण की धनराशि से आयकर की कटौती नहीं की गयी जबकि सेक्शन 10 (10ए ए) के आधार पर 3.00 लाख तक आयकर शून्य रहेगा। जबकि अवकाश नकदीकरण रु० 310540.00 का भुगतान दिनांक 03.10.2016 का प्रमाणक सं. 11 द्वारा किया गया इस प्रकार रु. 1090.00 आयकर जमा कराया जाय। जिसके उत्तरदायी श्री बृजेश कुमार वर्मा लेखाकार व श्री पुनीत वर्मा अपर मुख्य अधिकारी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति कराई जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18

प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि मा० अध्यक्ष महोदय के प्रयोगार्थ इनोवा कार (यू०पी०32 ईएन 2645) के किराये का भुगतान वी०आई०वी० टूवेल्स लखनऊ को निम्न विवरणानुसार देय दर्शित है-

क्रम	प्रमाण सं.	दिनांक	बिल नं. व दिनांक	मीटर रीडिंग	धनराशि	अन्य विवरण
1	27	28.5.2016	0268 / 20.05.2016	अंकित नहीं 13.04.16 से 30.04.2016	36274.00	मीटर रीडिंग अंकित नहीं थी
2	11	06.7.2016	0279 / 14.6.2016	18500 से 187400 01.5.2016 से 31.5.2016	48206.00	प्रमाणक पर धनराशि 52800.00 दर्शित है
3	15	28.7.2016	0283 / 04.7.2016	187500 से 189800 01.6.2016 से 30.6.2016 तक	52800.00	-
4	66	26.8.2016	0289 / 11.8.2016	189801 से 192001 01.7.2016 से 31.07.2016 तक	52800.00	-
5	27	14.9.2016	0293 / 08.9.2016	192011 से 193991 01.8.2016 से 31.8.2016	52800.00	52800.00
6	42	22.10.2016	134 /	193991 से 196397 01.9.2016 से 30.9.16	52800.00	बिल पर दिनांक अंकित नहीं था
			योग		295680.00	

उपरोक्त से सम्बन्धित आदेश दिनांक 01.07.2017 को मांग की गयी किन्तु आतिथि तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि किया गया भुगतान अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली अध्यक्ष महोदय से की जानी अपेक्षित है। जबकि संस्था द्वारा वाहन सं. यू०पी० 32बी जी 5990 दिनांक 29.04.2013 को मा० अध्यक्ष के प्रयोगार्थ क्रय किया गया था। अतः किया गया भुगतान अनियमित है इसके उत्तरदायी श्री पुनीत वर्मा अपर मु० अधिकारी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19

निम्नांकित प्रमाणकों द्वारा मे० आदित्य इण्टर प्राइजेज को भुगतान किया गया विवरण निम्न है-

क्रम	प्रमाणक सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	80	31.08.2016	614600 - 00	कार्यालय रंगाई पुताई एवं मरम्मत
2	82	28.03.2016	906100.00	कार्यालय रंगाई पुताई एवं मरम्मत
3	19	07.10.2016	977500.00	कार्यालय रंगाई पुताई एवं मरम्मत तथा विद्युत मरम्मत
4	25	15.12.2016	738700.00	कार्यालय रंगाई पुताई एवं मरम्मत
		योग	3236900.00	

प्रमाणक सं. 80, 82, 19, 25 द्वारा क्रय की गयी सामग्री तथा कार्यालय रंगाई-पुताई मरम्मत आदि पर व्यय कुल रु. 3236900.00 का भुगतान मे० आदित्य इण्टरप्राइजेज को किया गया है जबकि कोटेशन/टेण्डर से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रमाणक सं. 82 दिनांक 29.03.2017 पर अभियन्ता व लेखाकार के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। इससे उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली व प्रमाणक भी अप्राप्त रहे। अतः इस किये गये अनियमित व्यय रु. 3236900.00 हेतु श्री जमाल मिर्जा अभियन्ता, श्री पुनीत वर्मा अपर मु० अधिकारी व श्री नारेन्द्र बहादुर, लेखाकार श्री

बृजेश कुमार वर्मा व पी0डी0 श्री दिलीप कुमार गुप्ता उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20

श्री कृष्ण पाल दिनांक 31.07.2016 को सेवा निवृत्त के पश्चात भी जिला पंचायत आवास आवंटित हैं। कृष्ण पाल द्वारा नवम्बर 2017 तक कुल बकाया रु. 66125.00 जिसमें से रु. 50000.00 दिनांक 15.12.2017 को जमा किया जाना दर्शित है। शेष बकाया धनराशि रु. 16125.00 अतिथि तक किराया व बिजली से सम्बन्धित बिल जमा कराया जाना अपेक्षित है। इसके उत्तरदायी श्री नारेन्द्र बहादुर अ0मु0 अधिकारी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21

प्रस्तुत की आवास पत्रावली के अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि टाइप 4(1) मा0 अध्यक्ष महोदया (2)अपर मुख्य अधिकारी, (3)कार्य अधिकारी, (4)अभियन्ता के नाम आवास का निर्माण 2005 को किया गया था। जिसमें से कार्य अधिकारी के आवास में श्री रमेश चन्द्र कम्प्यूटर आपरेटर दिनांक 25.09.2009 से रह रहे हैं। सम्बन्धित आदेश दिनांक 31.01.2016 को मांग की गयी थी किन्तु आतिथि तक प्रस्तुत न किये जाने के कारण वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। जिला पंचायत के अभिलेखों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रु. 4800.00 प्रतिमाह वसूल किया जा रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में भी रमेश चन्द्र से टाइप 3 का किराया निर्धारित करते हुये किराये की वसूली अपेक्षित है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22

स्व0 कृष्ण कुमार कर निरीक्षक दिनांक 28.02.1993 को सेवा से पृथक कर दिये गये थे। श्री कृष्ण कुमार ने वाद सं. 2734 वर्ष 1993 द्वारा मा0 न्यायालय में इस टर्मिनल (सेवा समाप्त) के खिलाफ याचिका दायर की। जिसके समक्ष कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ तथा मुकदमा 05.04.2012 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा खत्म कर दिया गया। किन्तु कर्मचारी जिला पंचायत में अधिकारियों/कर्मचारियों के मिलीभगत से दिनांक 01.03.1993 से मृत्यु तिथि 24.04.2016 तक अपने पद पर कार्य करता रहा। मृत्यु उपरान्त कर्मचारी को सभी देय भत्तों (मृत्यु ग्रेच्युटी सहित) का भुगतान रु0 2629462.00 कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर जिला पंचायत के धन का दुरुपयोग किया गया जिसके अधिभार की कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी, अध्यक्ष, व पी0डी0 उत्तरदायी कर्मचारी पर अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में अनाधिकृत रूप से वेतन आदि का भुगतान की गणना कराकर तथा उत्तरदायित्व निर्धारित कर अधिभार की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। श्री कृष्ण कुमार कर निरीक्षक की मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र श्री विचित्र को दिनांक 09.06.2016 को द्वितीय श्रेणी कर्मचारी मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत प्रदान की गयी। कर्मचारी दिनांक 28.02.2016 से ही सेवा से पृथक था ऐसी दशा में उसके पुत्र को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं था। जिला पंचायत के अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर नियुक्ति दी गयी जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा वेतन आदि के रूप में भुगतान की गयी समस्त धनराशि अधिभार के रूप में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23

I) जिला पंचायत की समस्त कृषि योग्य भूमि एवं अचल सम्पत्तियों की सूची स्थल व क्षेत्रफल सहित किस व्यक्ति का कितनी अवधि के लिए कितनी कीमत पर नीलम अथवा किराये पर दी गयी है। अज्ञात रही। उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। साथ ही सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

II) प्रस्तुत अचल सम्पत्ति विवरण भौतिक सत्यापन दिनांक 31.03.2004 का किया गया था। गत आपत्तियों के उपरान्त भी संस्था की सम्पत्ति का अद्यावधि सत्यापन नहीं कराया गया है। सत्यापन अतिथि तक नहीं कराया जाना उदासीनता व लापरवाही का द्योतक है। शासन के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। साथ ही सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन, त्रिस्तरीय पंचायती राज
जनपद – सीतापुर मण्डल-लखनऊ
संस्था का नाम – जिला पंचायत सीतापुर
लेखा परीक्षा वर्ष – 2016-17

प्रस्तर-1 उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1312/33-2-11/30 आ0/2011 दिनांक 04/08/2011 के क्रम में जिला पंचायत स्तर से कराये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों में सेस का 01 प्रतिशत कटौती करके उसे शासन को उपलब्ध कराय जायेगा जबकि उक्त के परिपेक्ष्य में तेरहवां वित्त/राज्य वित्त आदि द्वारा कराये गये कार्यों से त्रुटि पूर्ण कटौती कर (सर्वप्रथम दर्शित कार्यों के बिलों में सेस का एक प्रतिशत जोड़ कर पुनः उसे घटाकर निकालते हुये उसे जमा करना दर्शाया गया है। इस प्रकार इसका भार शासन द्वारा वहन कराया गया है। इस दर्शित बिलों में त्रुटिपूर्ण कटौती कर राज्य सरकार को अंकन रु0 19899/- की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अभियन्ता तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिस प्रति प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उदाहरणार्थ

बाउचर नम्बर	दिनांक	विवरण	बिल की धनराशि	सेस जो बिल में अतिरिक्त जोड़ा गया	सेस जो बिल से काटा गया जिससे इसका प्रभाव ठेकेदारों पर न पड़कर शासन द्वारा वहन किया गया
105	20/03/2017	श्री अविनाश कुमार सिंह, ठेकेदार द्वारा इटदहा पुरवा में नहर से गॉव तक इण्टर लॉकिंग कार्य	991000-00	9910-00	9910-00
78	04/03/2017	श्री संजय सिंह ठेकेदार द्वारा ग्राम राजापुरकलां के मजरा वारिसपुरवा से मजरा मुरारअलीपुरवा तक निर्माण कार्य	998800-00	9988-00	9988-00

प्रारूप-2

जनपद – उन्नाव

जिला पंचायत उन्नाव सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर सं0 1

विनियोजन रजिस्टर के अनुसार रु. 20,000.00 विगत वर्ष से उ.प्र. पंचायत राज निगम में 200 अंशों के रूप में विनियोजित है यह संस्था परिसमाप्त हो चुकी है निवेश करके धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जाय।

प्रस्तर सं0 2

कोलतार (विटुमिन एण्ड इमर्शन) स्टाक रजिस्टर के अनुसार 01.04.2016 से 31.03.2017 तक क्रमशः 282.651 एम.टी. व 70.6235 एम.टी. इमर्शन कुल कोलतार 353.2745 एम.टी. विभिन्न लेपन कार्यों में निर्गत किया गया है कोलतार के साथ 2164 ड्रमों में प्रेषण/निर्गत किया गया है जिनको (खाली ड्रमों) वापिस जिला पंचायत में नहीं लाया गया और न ही सम्बन्धित बिलों से ड्रमों के कीमत की कटौती की गयी है इस प्रकार 2164 ड्रमों की क्षति हुई है प्राप्त निर्देशों के अनुरूप प्रति ड्रम रु. 180.00 की दर से 2164 ड्रमों का मूल्य रु. 389520.00 की क्षतिपूर्ति स्टोर प्रभारी अवर अभियन्ता श्री नफीस अहमद व अपर मुख्य अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

प्रारूप-02

जनपद का नाम— बागपत

मण्डल का नाम—मेरठ।

जिला पंचायत बागपत की वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-01 दिनांक 29-11-09 को गाड़ी संख्या यू0पी0-17 जी 0030 क्षतिग्रस्त हो गई थी। दिनांक 03-12-09 पत्रांक 422/जिला पंचायत बागपत के द्वारा नेशनल इन्शोरेन्स कम्पनी को अवगत कराया तथा 04-12-09 को सिंह मोर्टर बागपत से अनुमानित व्यय के लिये मॉग की गई। दिनांक 19-01-10 पत्रांक 533/जिला पंचायत बागपत के द्वारा सिंह मोर्टर को नेशनल इन्शोरेन्स कम्पनी के सर्वेयर से कराकर एस्टीमेन्ट बिल भेजने को कहा गया। दिनांक 07-09-10 को नेशनल इन्शोरेन्स कम्पनी ने अपर मुख्य अधिकारी बागपत को लिखा रेफ. क्लेम न0 361202/31/09/61/90000271-3 सीरियल न0 1 की हमें जरूरी पेपर नहीं मिलें हैं तथा 15 दिन का समय दिया परन्तु जिला पंचायत द्वारा 15 दिन के भीतर भी बिल बीमा कम्पनी को नहीं भेजे गये जिससे जिला पंचायत को रुपये 45,760.00 गाड़ी ठीक कराने हेतु पेयमेन्ट करने पड़े तथा उसे बीमा कम्पनी से मात्र 14150.00 प्राप्त हुआ। इस प्रकार रुपये 31610.00 की हानि हुई इस प्रकार की लापरवाही का कोई औचित्य नहीं है। श्री अजय कुमार व श्री सुभाष तोमर से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

प्रस्तर संख्या-02 प्रा0 पाठशाला जू0 हाईस्कूल बदरखा कृषि फार्म खसरा नं0 574 दिनांक 26-03-10 से 25-03-13 तक रुपये 30000.00 ठेके की राशि डिमाण्ड की थी दिनांक 26-03-10 में रु. 15000.00 रशीद संख्या 837892 के द्वारा जमा कराये गये दिनांक 17-02-11 में ठेका अध्यक्ष महोदय द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा अन्य किसी को नहीं दिया गया। कारण अज्ञात रहा। वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-13)

प्रस्तर संख्या-03 प्रा0 पाठशाला जू0 हाईस्कूल जौनमाना कृषि फार्म खसरा नं0 151 पर दिनांक 18-06-07 से 17-06-10 तक रु. 11500.00 की धनराशि डिमाण्ड की तथा वसूल की परन्तु दिनांक 17-06-10 से 18-05-13 तक का ठेका जारी नहीं किया गया। इस प्रकार जिला पंचायत को हानि हुई है। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर संख्या-04 प्रा0 पाठशाला जू0 हाईस्कूल सोंठी कृषि फार्म खसरा नं0 50 पर वर्ष 16-10-03 से 15-10-06 तक रु. 27000.00 नीलामी की धनराशि के निर्धारण व वसूली की गई दिनांक 06-12-06 से 05-12-09 तक रु. 12500.00 निर्धारण व वसूली की गई। दिनांक 05-12-09 से 01-02-10 तक कोई नीलामी नहीं की गई तथा 01-02-10 से 31-01-13 तक रु. 6100.00 निर्धारण व वसूली की गई है इस प्रकार जो धनराशि वर्ष 2003 में निर्धारण की गई थी उसकी 25 प्रतिशत भी 8 वर्ष बाद नहीं रही इसका कारण स्पष्ट नहीं है, न ही कोई औचित्य है। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-15)

प्रस्तर संख्या-05 प्रा0 पाठशाला जू0हाईस्कूल मौ0 नांगल (भाग-1) कृषि फार्म खसरा नं0 329 पर दिनांक 01-12-05 से 01-11-08 तक रु. 32000.00 नीलामी की धनराशि थी। दिनांक 01-12-08 से 30-01-11 तक रु. 60100.00 नीलामी की गई। 30-01-11 के बाद समय नहीं दिया गया। रु. 15000.00 की वसूली 18-05-13 को की गई। यह धनराशि कम होने का कारण स्पष्ट नहीं है। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-16)

प्रस्तर संख्या-06 प्रा0 पाठशाला जू0हाईस्कूल भडल कृषि फार्म खसरा नं0 825, 837 दिनांक 02-01-10 से 01-01-13 तक रु. 68000.00 की धनराशि निर्धारित हुई। कुल रु. 22500.00 दिनांक 07-09-12 में वसूली की गई तब से अब तक कोई वसूली नहीं की गई है। वसूली हेतु क्या प्रयास किये गये लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाये अन्यथा की दशा में ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-17)

प्रस्तर संख्या-07 प्रा0 पाठशाला जू0हाईस्कूल चन्दन हेंडी कृषि फार्म खसरा नं0 170 पर दिनांक 17-12-03 से 16-12-06 तक रु. 28000.00 का ठेका निर्धारण व वसूली हुई इसके बाद 16-12-06 से 29-11-12 तक ठेके नहीं छोड़ा गया तथा 29-11-12 से 28-11-15 तक रु. 33000.00 निर्धारण व वसूली की गई। इस प्रकार 06 वर्ष ठेका न छोड़कर जिला पंचायत को नुकसान पहुँचाया गया है ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-18)

प्रस्तर संख्या-08 प्रा0 पाठशाला जू0हाईस्कूल तमेल गढ़ी कृषि फार्म पर दिनांक 09-06-07 से 08-06-10 तक रु. 127000.00 की धनराशि निर्धारण व वसूली हुई परन्तु उसके बाद उसका कोई भी ठेका नहीं छोड़ा गया। इस प्रकार ठेका न छोड़ने का कारण अज्ञात रहा। इतनी अच्छी वसूली वाले फार्म का ठेका न छोड़ा जाना संदिग्ध स्थिति की ओर इशारा करता है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-19)

प्रस्तर संख्या-09 प्रा0 पाठशाला जू0हाईस्कूल रुस्तमपुर बावली कृषि फार्म दिनांक 29-04-11 से 28-04-14 तक रु. 25500.00 निर्धारण हुआ है जिसमें से दिनांक 28-02-13 में रु. 13000.00 व दिनांक 22-07-14 में रु. 5000.00 कुल रु. 18,000.00 वसूली हुई उसके बाद अभी तक कोई वसूली नहीं की गई है। कारण अस्पष्ट रहा। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-21)

प्रस्तर संख्या-10 जिला पंचायत द्वारा अपनी दुकानों से वर्ष की माँग की गई धनराशि की वसूली भी नहीं की है। विवरण निम्न प्रकार है:-

	पिछला किराया	वर्ष की माँग	वसूली	वर्षान्त में अवशेष
बागपत	248738.00	141996.00	102531.00	288202.00
खेकड़ा	91829.00	201600.00	200538.00	92891.00
बड़ौत	22422.00	171480.00	180996.00	12906.00
अमीनगर सराय	128254.00	71520.00	120257.00	79517.00
योग	491243.00	586596.00	604322.00	473517.00

उक्त में निम्न कमियाँ पाई गई:-

1. पंचायत द्वारा बागपत व खेकड़ा की अपनी दुकानों से भी वर्ष की माँग की वसूली की नहीं है जबकि गत बकाया भी है, उसकी वसूली भी की जानी थी। अपनी दुकानों पर बकाया वर्षान्त में रु. 473517.00 रहा है जिसकी वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है जबकि अपनी दुकानों का किराया शत प्रतिशत वसूल किया जाना चाहिये। सम्बन्धित अधिकारियों से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-25)

प्रस्तर संख्या-11 वर्ष 2010-11 में मिस0 दुकानों/कार्यालयों की बकाया व माँग/वसूली का विवरण निम्न था:-

गत बकाया	वर्ष की माँग	वसूली	वर्षान्त में बकाया
27300.00	7200.00	निल	34500.00

उक्त बकाया के आलोच्य वर्ष के बकाया में नहीं जोड़ा गया न ही वसूली के लिये प्रयास किये गये हैं, सम्बन्धित अधिकारी से ब्याज सहित वसूली किये जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-28)

प्रस्तर संख्या-12 जिला पंचायत द्वारा सरूरपुर कलां की तह बाजारी की पहले 16-03-11 में बोली लगवायी गई सरकारी बोली की धनराशि रु. 62500.00 2 ठेकेदारों श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह व श्री सुनील कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह ने जमानत के रूप में जमा करायी दर्शायी, इनमें से प्रवीण को ठेका दिया उसकी जमानत की धनराशि रु. 62500.00 को समायोजित दर्शाया है जबकि सुनील को वापस किया दर्शाया गया है। कैशबुक में दोनों की प्रविष्टि नहीं की गई है। बोली रु. 75000.00 में छोड़ी गई। बोली की धनराशि तुरन्त बोली के बाद जमा करनी थी जो नहीं की गई तथा रु. 75000.00 दिनांक 25-04-11 में रशीद संख्या 278311 के द्वारा जमा कराये गये हैं, इससे स्पष्ट है कि रु. 62500.00 की जमानत की धनराशि कैशबुक में न पकड़ कर जिसे समायोजित दर्शाया था अपहरण किया गया है। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-31)

प्रस्तर संख्या-13 जिला पंचायत द्वारा फैक्ट्रियों पर वर्ष में रु. 629945.00 का कर लगाया गया तथा वसूली मात्र रु. 153150.00 की गई है इससे स्पष्ट है कि वर्ष की माँग भी वसूली जिला पंचायत के कर निरीक्षकों द्वारा नहीं की जा रही है। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-32)

प्रस्तर संख्या-14 बड़ौत में ऐसी दुकानें हैं जिनसे गत 10 वर्षों से कोई वसूली नहीं की गई है तथा वसूली के प्रयास भी नहीं किये जा रहे हैं, विवरण निम्न प्रकार है:-

1. बावली

	कुल बकाया	प्रतिवर्ष अवधारण
धनपाल पुत्र जगजीत	13125.00	900.00
अरिदमन पुत्र जयपाल	9090.00	750.00
ओमवीर पुत्र फिरता	14830.00	1200.00
मनोज पुत्र श्रीनिवास	7545.00	600.00
जनता मेडिकल स्टोर	8730.00	900.00
इकबाल पुत्र आशाराम	17660.00	1500.00
योग-	70980.00	

2. बिजरौल

शकील पुत्र हकीम	9300.00	900.00
बन्टी पुत्र आनन्द	8490.00	810.00
भूषण शर्मा	10560.00	990.00
योग-	28350.00	

3. किशनपुर बराल

किसान बैलिंग	13070.00	1200.00
जितेन्द्र पुत्र ज्ञानप्रकाश	16070.00	1200.00
महावीर पुत्र मांगेराम	13110.00	700.00
जयपाल सिंह पुत्र ज्ञानसिंह	13410.00	1500.00
योग-	55660.00	

उक्त की सम्बन्धित अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-34)

प्रस्तर संख्या-15 जिला पंचायत द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर पता चला कि जिला पंचायत की डाक बंगलें के रूप में सम्पत्ति है जिसमें वर्तमान में एक पुलिस अधिकारी रह रहे हैं परन्तु सम्पत्ति को सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है न ही उसका किराया अधिकारी से लिया जा रहा है जबकि वर्तमान वर्ष 2011-12 में डाक बंगलें में इन्टरलाकिंग टाईल लगाने पर रु. 285409.00 का व्यय बिल संख्या-23 दिनांक 19-10-11 के द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-47)

प्रस्तर संख्या-16 वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा अपनी जिला पंचायत बागपत की स्वयं की सम्पत्तियों का किराया भी काफी समय से बकाया चला आ रहा है जिसकी वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	सम्पत्तियों का विवरण	व्यक्ति का नाम	बकाया धनराशि
1.	दुकान संख्या-2 बड़ौत	श्री हुकुम सिंह	3861.00
2.	सिविल डिस्पेन्सरी छपरौली	वीरेन्द्र पुत्र छत्तर सिंह	210.00
3.	दुकान जू0हाई स्कूल बड़ौत	जीवन दास पुत्र केवलचन्द	4944.86
4.	डाक बंगला कमरा	बनवारीलाल शर्मा कानूनगों	401.00
5.	डाक बंगला कमरा	सहायक परियोजना अधिकारी बागपत	116.00
6.	दुकान संख्या-2बी अमीनगर सराय	जगबीर सिंह पुत्र धनसिंह	6880.00
7.	दुकान संख्या-03बी	दिनेश कुमार पुत्र चेताराम	1920.00
8.	दुकान संख्या-10बी	सैन्सर पाल सिंह पुत्र चरण सिंह	1920.00
9.	दुकान संख्या 01ए बड़ौत	सत्यप्रकाश पुत्र पूरन चन्द	1200.00
योग			21452.86

उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-55)

प्रस्तर संख्या-17 लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यों की जांच में पाया गया कि कार्य अनुबन्ध में जो समय कार्य पूर्ण करने हेतु दिया गया था उस समय पर कार्य पूर्ण नहीं किये गये फिर भी अनुबन्ध के अनुसार पेनल्टी ठेकेदार से नहीं काटी गई है कार्य निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्य	पूर्ण करने का दिनांक	पूर्ण किया गया दिनांक
1.	विजय वाड़ा में फजलपुर मार्ग पर नाले की पटरी पर खडण्जा	07-12-11	06-02-12
2.	पौँची में शौकत के मकान से शेर सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड	07-12-11	31-01-12
3.	सरूरपुर कलों के अन्दर सी0सी0 रोड	07-12-11	06-02-12
4.	रन्छाड़ में सतपाल के मकान से ब्रह्म सिंह के मकान तक	04-11-11	11-01-12

उक्त के अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्य हैं जिन्हें समय पर पूर्ण नहीं किया गया उसका कारण स्पष्ट किया जाये तथा आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-57)

प्रस्तर संख्या-18 मुर्दा मवेशी रजिस्टर में ठेके की बकाया धनराशि मार्च 11 में रु. 2258011.00 थी जिसमें से वर्ष 2011-12 के दौरान मात्र रु. 387028.00 की ही वसूली की गई है शेष रु. 1870983.00 वसूली हेतु बाकी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-67)

प्रस्तर संख्या-19 जिला पंचायत के सभी ब्लॉकों से बकाया कर भारी मात्रा में वसूली हेतु पड़ा है जिसकी वसूली नहीं हो पा रही है विवरण निम्न प्रकार है:-

ब्लॉक	वर्ष की मांग	गत बकाया	वर्ष में वसूली	अवशेष
पिलाना	671790.00	3482017.05	436295.00	3741512.15
बिनौली	281920.00	5253503.25	399680.00	5735743.25
छपरौली	569370.00	3423791.41	376970.00	3616191.41
बागपत	1220240.00	3651133.26	1041873.75	3829499.51
बड़ौत	1041950.00	6280938.85	484380.00	6838508.85
खेकड़ा	535825.00	1824907.02	557761.00	1802971.02
योग	4921095.00	23916290.94	3296959.75	25564426.19

इस प्रकार वर्ष की मांग रु. 4921095.00 के सापेक्ष रु. 3296959.75 की वसूली की गई यानि वर्ष की मांग की वसूली भी शत प्रतिशत न करके रु. 1624135.25 कम की गई है जबकि बकाया रु. 25564426.19 पड़ा हुआ है। जिसकी वसूली हेतु किये गये प्रयासों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया है। ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-71)

प्रस्तर संख्या-20 बड़ौत नई गुड़ मण्डी में कुल 53 दुकानें दर्शायी गयी है जिन पर रु. 1005/प्रति दुकान कर अवधारित किया गया है वसूली एक भी दुकान से नहीं की गई है, कारण स्पष्ट नहीं है। ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-72)

प्रस्तर संख्या-21 जिला पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों पर एक प्रतिशत सैस काटकर लैबर सैस के रूप में उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में भुगतान किये जाने की व्यवस्था भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0 61011/9/95 आर0डब्ल्यू0 दिनांक 12-10-1996 के अनुसार की गई है। वह 1 प्रतिशत सैस ठेकेदार के बिल से न काटकर जिला पंचायत द्वारा ठेकेदार के बिल में अलग से जोड़ा गया है तथा उसी जोड़ी गई धनराशि को काटकर 1 प्रतिशत सैस के रूप में जमा कराया गया है, इस प्रकार सैस की वर्ष 2011-12 में कुल धनराशि रुपये 268590.00 जमा करायी गयी है। इस प्रकार यह राज्य वित्त/12वें वित्त की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है तथा ठेकेदार के पक्ष में इतनी ही धनराशि का अपहरण किया है, जबकि यह धनराशि ठेकेदार के बिल से काटकर भेजी जानी थी। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-84)

प्रस्तर संख्या-22 जिला पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में जो मिट्टी कार्य कराये गये हैं उन पर रॉयल्टी ठेकेदार से काट कर सम्बन्धित विभाग को दी जाती है। वर्ष 2011-12 में यह धनराशि रु. 242142.00 ठेकेदार के बिलों से न काट कर बिलों में अलग से जोड़ी गई है तथा उसी जोड़ी गई धनराशि की कटौती दर्शाकर उसे सम्बन्धित विभाग को भेजा गया है। इस प्रकार जो धनराशि ठेकेदार से प्राप्त कर भेजी जानी थी उसका ठेकेदार के पक्ष में अपहरण किया गया है तथा राज्य वित्त/12वें वित्त की धनराशि से बिलों में जोड़कर पेयमेन्ट किया गया है। इस प्रकार राज्य वित्त/12वें वित्त की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। समस्त धनराशि की सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-85)

प्रारूप-2

जनपद का नाम-मेरठ

मण्डल का नाम-मेरठ।

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों- वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16

वर्ष 2013-14

प्रस्तर-01 जिला पंचायत मेरठ में आय वर्ग में कर वसूली का सर्वाधिक महत्व है। वर्ष 2013-14 में कर वसूली का लक्ष्य रु0 40.00 लाख रखा गया था। साथ ही विगत वर्षों का बकाया रु0 261.65 लाख था। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में कुल डिमांड 301.65 लाख रखी गयी। जबकि नियमानुसार विगत वर्षों के बकायों पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कर वसूली की जानी चाहिए। यानी विगत वर्षों का बकाया कम से कम रु0 287.81 लाख डिमांड होनी चाहिए थी। ऐसा न करके जिला पंचायत की सिर्फ एक वर्ष 2013-14 के दौरान रु0 26.17 लाख की हानि

पहुंचायी गयी है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री सतेन्द्र शर्मा, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री रमेश कुमार, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-3)

प्रस्तर-02 जिला पंचायत मेरठ के वर्ष 2013-14 के कुल कर वसूली लक्ष्य रु० 301.65 लाख की वसूली ही की जा सकी। अर्थात् बकाया कुल रु० 251.12 लाख रह गया है। इस प्रकार कुल अवशेष का केवल 16.08 प्रतिशत ही वसूली की जा सकी। उक्त कुल डिमांड में से रु० 50.00 लाख की धनराशि 10 वर्षों से अधिक समय से काया है जबकि अब तक केवल रु० 4.00 लाख की वसूली प्रकरण के सापेक्ष ही आर०सी० की कार्यवाही की गयी है। यह सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र की गंभीर लापरवाही एवं अकर्मण्यता का प्रतीक है, जिस हेतु श्रीमती नूतन शर्मा अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। इस प्रति गंभीरता से ध्यान देने एवं कड़ी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-4)

प्रस्तर-03 आलोच्य वर्ष के दौरान मृत पशु शव निस्तारण मद में जो कि जिला पंचायत की सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति वसूली की डिमांड रु० 82.00 लाख में से रु० 32.00 लाख गत वर्षों की बकाया राशि रही। इस बकाये राशि में से कुल वसूली रु० 8.30 लाख थी यानी रु० 20.70 लाख की पिछली बकाया राशि वसूल न की जा सकी। जबकि प्रतिवर्ष सहकारी समितियों को पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि कर ठेके देने की व्यवस्था शासनादेशों में अग्रिम जमा राशि के विरु० ही निर्धारित है। तब विगत वर्षों की बकाया धनराशि कैसे संभव है। इस ओर गंभीर प्रकरण मानते हुए रु० 22.70 लाख की ब्याज सहित वसूली श्रीमती नूतन शर्मा अपर मुख्य अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-7)

प्रस्तर-04 आलोच्य वर्ष जिला पंचायत के भवन संपत्ति अंतर्गत दुकान/मकान किराये के रूप में गत वर्षों की बकाया राशि रु० 45.61 लाख है जबकि कुल सापेक्ष वसूली रु० 9.07 लाख यानी 20 प्रतिशत से भी कम पायी गयी, जिस हेतु श्री इरशाद अहमद अंसारी, अभियन्ता उत्तरदायी है। उक्त की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, जिसका दायित्व ए०एम०ए० का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-9)

प्रस्तर-05 जिला पंचायत मेरठ में हाट बाजार एवं तहबाजारी/पशु पैठ के लिए ठेकेदारी की व्यवस्था है। इसके बावजूद इस मद में प्राक्कलित आय रु० 64.44 लाख के विरुद्ध केवल रु० 37.51 लाख अर्थात् 60.07 प्रतिशत धनराशि की वसूल को सकी है। यह जानबूझकर राजस्व को हानि पहुंचाने वाला कार्य है। ठेकेदारों से मिली भगत कर सम्पूर्ण राशि ठेके से पूर्व जमा नहीं करायी जाती है, जिस हेतु श्री इरशाद अहमद अंसारी, अभियन्ता उत्तरदायी है। यह अत्यन्त गंभीर प्रकरण है। दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना वांछित है।

(मूल आपत्ति सं०-10)

प्रस्तर-06 जिला पंचायत मेरठ के अंतर्गत आलोच्य वर्ष में कृषि तरु फार्म क्षेत्रों को ठेके पर विभिन्न व्यक्तियों/फार्मों को निश्चित वार्षिक दर पर उपभोग हेतु दिया जाता है। इस मद में उपभोग से पूर्व निश्चित धनराशि को जिला कोष में जमा कराये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। ऐसा नहीं किये जाने के प्रकरणों में संबंधित का कवर रद कर दूसरे व्यक्ति/संस्था को नया ठेका आवंटन किया जाना है। तथ्य यह है कि उपरोक्त मद में भी वित्तीय वर्ष 2013-14 की मांग रु० 11.50 लाख में से केवल रु० 7.19 लाख की वसूली दर्शायी गयी है। साथ ही गत वर्षों की बकाया धनराशि रु० 6.67 लाख के विरुद्ध रु० 3.03 लाख वसूली अर्थात् कुल मांग का 56.25 प्रति ही है। अतः अंतर की धनराशि रु० 7.95 लाख की वसूली श्री इरशाद अहमद अंसारी, अभियन्ता से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज को जोड़कर समयबद्ध एवं तत्काल की जानी चाहिए। अन्यथा की दशा में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-11)

प्रस्तर-07 स्थानीय वसिक्त कार्यों का संपादन हेतु जिला पंचायत द्वारा स्वयं के कोष की अभिवृद्धि के लिए किये जा रहे प्रयास शिथिल है। इस तथ्य को इस तरफ से देखा जाना चाहिए कि जिला पंचायत के रु० 333.16 लाख की बकाया धनराशि विभिन्न मदों में विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं से वसूली अवशेष के रूप में अनिस्तारित पड़ी हुई है। उपरोक्त धनराशि आलोच्य वर्ष के कुल संस्थागत बजट रु० 267.18 लाख से 125 प्रतिशत अधिक है। वसूली न करने का दायित्व अपर मुख्य अधिकारियों/कर्मचारियों का है, जिस हेतु श्रीमती नूतन शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-16)

प्रस्तर-08 आलोच्य वर्ष में निर्माण सं० की पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया है कि ठेकों के आवंटन में प्रशासनिक हस्तक्षेप की छाया रही है। 90 प्रतिशत सके अधिक मामलों में न्यूनतम तीन टेण्डर फार्म ही डाले गये हैं। यह ठेकों में पारदर्शिता के स्थान पर ठेकेदारों द्वारा मैच फिक्सिंग का परिचायक है। वित्तीय परामर्शदाता जो कि संस्था के सभी वित्तीय मामलों में विचारक है, द्वारा ऐसे तथ्य की अनदेखी करना क्षोभ जनक है, जिस हेतु श्रीमती नूतन शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त के संबंध में नीतिगत बदलाव किये जाने की आवश्यकता एवं प्रशासनिक दूरदर्शिता वांछित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-17)

प्रस्तर-09 आलोच्य वर्ष में निर्माण टेण्डरों में पी०डब्ल्यू०डी के शिडयूल के मुताबिक ठेके की कुल राशि का 10 प्रतिशत एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० या रसीद जमा के माध्यम से ठेकेदारों से अग्रिम प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। परन्तु सभी मामलों में यह 5 प्रतिशत पाया गया। वित्तीय परामर्शदाता श्री मनिन्दर पाल सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी,

श्रीमती नूतन शर्मा इसके लिए पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-18)

प्रस्तर-10 आलोच्य वर्ष 2013-14 के दौरान रेत खनन के शुल्क वसूली के लिए दिनांक 15.09.2012 से 14.09.2015 तक का ठेका मै० जगदीश कौर, मेरठ को तीन वर्षों के लिए जमानत राशि रु० 50000.00 के विरुद्ध देना दर्शाया गया है। किन्तु जमानत राशि प्राप्त किये बिना ही ठेका उक्त फर्म को दे दिया गया। फर्म ने इसका लाभ उठाकर प्रथम दो किश्ते ही चुकायी है जबकि तीसरी किस्त जो कि रु० 342000.00 की है, को जमा नहीं किया। साथ ही ठेकेदारों को जिला पंचायत द्वारा वसूली की रसीद बहियों भी ठेकेदार से वापस नहीं ली गयी। इसके लिए श्रीमती नूतन शर्मा पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-21)

प्रस्तर-11 संस्था के पास 31.03.2015 त एफ०डी०आर० के रु० में रु० 4.5 करोड़ की धनराशि बैंकों में जमा है। परन्तु उक्त एफ०डी०आर० पर प्राप्त त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक ब्याज की धनराशि को कैशबुक या बैंक जमा पत्रावली/पंजिका में आय के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है। यह धन अपहरण के दरवाजे खुले रखने जैसा है एवं गम्भीर अनियमितता है। विगत वर्षों के भी सभी प्राप्त ब्याज विवरण तैयार कर इसको लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस बाबत लेखाकार श्री रमेश कुमार से स्पष्टीकरण वांछित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-23)

प्रस्तर-12 जिला पंचायत को वर्ष 2013-14 में किराये के रूप में 39.22 लाख रु० की प्राप्ति दर्शायी गयी है। किन्तु किराया संबंधी पत्रावलियों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पूर्ण समीक्षा संभव नहीं हो सकी। इन्हे लेखा परीक्षित कराया जाना अपेक्षित है, जिस हेतु श्री देवेन्द्र कुमार, पटल प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-24)

प्रस्तर-13 आलोच्य वर्ष में दौराना ब्लॉक में वी०आई०पी० ब्रिक फिल्डस से एक ही वर्ष में दो रसीदे अलग-अलग अमीनों द्वारा रसीद सं० 039772 तथा 023457 द्वारा काटी गयी है। इसे डिमांड वसूली रु० 500.00 के विरुद्ध रु० 1000.00 काटा गया। साथ ही इस प्रकरण को अगले वर्ष अग्रिम मांग में समायोजित भी नहीं किया गया है। अतः वसूली कर्मचारी श्री अनिल कुमार रस्तौगी से उक्त की वसूली रु० 500.00 कर जिला निधि में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-25)

प्रस्तर-14 शासनादेश सं० 682पी/33-3-14(2)/84 दिनांक 10.03.1987 तथा 3/38/2004-3/85 दिनांक 13.02.2004 द्वारा समस्त जिला पंचायतों को स्पष्ट आदेश है कि मृत पशु शव निस्तारण हेतु लाईसेंस धारकों से प्राप्त समस्त वार्षिक आय के आधे 1/2 भाग की धनराशि को जनपद की सभी ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से हस्तांतरित किया जाये। परन्तु अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि उक्त मद में जिला पंचायत, मेरठ को वर्ष 2013-14 के दौरान कुल प्राप्ति रु० 60.03 लाख की आय का आधा भाग यानी रु० 30.015 लाख को ग्राम पंचायतों में विभाजित कर बांट दिया जाना चाहिए। यह शासनादेश का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है। यह गंभीर अनियमितता है क्योंकि विगत वर्षों में भी यह अंतरण नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण को शासन के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाने की अपेक्षा की जाती है, जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा इसके लिए पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-29)

वर्ष 2014-15

प्रस्तर-15 तहसील मेरठ मुख्यालय आवास रजिस्टर अद्यतन वर्षान्त 2015-16 की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि किरायेदारों से दिनांक 286349.00 किराये पाना बकाया दर्शित है। आलोच्य वर्ष की अवधि में इस बकाया धनराशि में कोई वसूली नहीं की गयी। इस धनराशि की वसूली नहीं होने के कारण संस्था को आर्थिक क्षति हो रही है, जिस हेतु श्री रमेश कुमार, लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-3)

प्रस्तर-16 कांजी हाउस खरखौदा के दुकान किराया रजिस्टर 31.03.2015 की जांच पर ज्ञात हुआ है कि किरायेदारों से अद्यतन 2015-16 बकाया की सूची अनुसार धनराशि रु० 360477.00 की पाना बाकी है, जिस हेतु श्रीमती नूतन शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-6)

प्रस्तर-17 जिला पंचायत की तहसील मेरठ के दुकानों के किराया रजिस्टर वर्ष आलोच्य की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि किरायेदारों से दिनांक 31.03.2016 को 10 दुकानदारों से किराये की धनराशि रु० 67551.00 पाना बाकी दर्शित है, जिसकी शीघ्र वसूली की जानी अपेक्षित है, जिस हेतु श्रीमती नूतन शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-7)

प्रस्तर-18 जिला पंचायत की तहसील मेरठ किराया दुकानात वर्ष 2014-15 की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि नौचन्दी मेरठ के दुकानात किरायेदारों से दिनांक 31.03.2016 को 13 दुकानदारों से किराये की धनराशि रु० 237495.00 पाना शेष है, जिससे संस्था को आर्थिक क्षति हो रही है। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जिस हेतु श्री इरशाद अहमद अंसारी अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-8)

प्रस्तर-19 जिला पंचायत की कांजी हाउस सरधना स्थित दुकान किराया रजिस्टर के बकाये अवलोकन में ज्ञात हुआ है कि उक्त के किराया वसूली दयनीय रही है। विगत कई वर्षों से किराया वसूली नहीं हो पा रही है। कर संग्रह अमीनों एवं कराधिकारियों द्वारा लगातार लापरवाही का द्योतक है। इस प्रति शीघ्र धनराशि रु0 75493.00 की वसूली श्रीमती नूतन शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी से कर जिला कोष में जमा कराये जाने को उच्चाधिकारियों से अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-9)

प्रस्तर-20 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में सकौती टाण्डा स्थित पुरानी दुकानों का किराया कुल 24 व्यक्तियों पर अद्यतन 31.03.2016 की बकाया सूची के अनुसार कुल अंकन रु0 648394.00 बकाया था। बकाया वसूली के प्रावधानानुसार अगर दण्डात्मक ब्याज की व्यवस्था हो तो उसके अनुसार बकाया सूची को प्रति वर्ष संशोधित करते हुए मांग वसूली निर्धारित की जानी अपेक्षित है, जिस हेतु श्री इरशाद अहमद अंसारी अभियन्ता उत्तरदायी है। साथ ही उक्त भारी भरकम धनराशि की कड़ाई से वसूली हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-11)

प्रस्तर-21 जिला पंचायत मेरठ के अंतर्गत प्रति दो वर्षों में एक बार प्रसिद्ध नौचन्दी मेले का आयोजन किया जाता है। आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा के अंतर्गत उक्त पत्रावलियों में पूर्व वर्षों की भारी भरकम धनराशि की बकायेदारी सामने आयी है। उक्त प्रकरण के अवलोकन में सामने आया है कि अपर मुख्य अधिकारी तथा पटल प्रभारियों की मिलीभगत से संस्था को जबरदस्त आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है। उक्त दृष्टान्त निम्नांकित है:-

वर्ष 2007 में श्री कर्मवीर सिंह को मेले में तहबाजारी का ठेका दिया गया था। इस संबंध में ठेकेदार से कुल रु0 990000.00 अग्रिम जमा किया जाना था जिसके बाद ही ठेकेदार मेले की दुकानों से शुल्क वसूली अधिकारी था। लेकिन ठेकेदार ने अग्रिम के रूप में एक-एक लाख के दो चैक जिला पंचायत को भुगतान किया, जिसमें से केवल एक लाख का चैक ही भुनाया जा सका तथा दूसरा चैक सं0 407847 सिंडिकेट बैंक बाउंस हो गया। फिर भी ठेकेदार को वसूली का अधिकार दिया गया। अपर मुख्य अधिकारी श्री के0के0 कनौजिया द्वारा एफ0आई0आर नहीं करायी गयी। साथ ही ठेकेदार से पूर्ण वसूली नहीं कर दूसरे ठेकेदार की मनमानी से सिर्फ 200000.00 में ठेका अंतिम कुछ दिनों के लिए दे दिया गया। इस प्रकार जिला पंचायत को जानबूझकर भारी क्षति पहुंचाई गयी।

ज्ञातव्य है कि उक्त कार्य को आचार संहिता की आड में बिना टेण्डर आमंत्रण के कराया गया। जबकि चुनाव आयोग से आवश्यक कार्य हेतु पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाती है। स्पष्ट है कि अपर मुख्य अधिकारी के साथ ही पटल प्रभारी की भी मिलीभगत से ठेकेदार को अवैध ढंग से लाभ पहुंचाया गया। अतः बकाया धनराशि रु0 880000.00 को दंडात्मक ब्याज 18 प्रतिशत की दर से अद्यतन रु0 1683600.00 की वसूली दोषी अधिकारी/कर्मचारी से कर जिला कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

बिना टेडर के ही 2007 के नौचन्दी मेले में साईकिल स्टैंड के ठेके को दिल्ली निवासी बताकर किसी श्री संजय कुमार को दिया गया जिसका कोई पहचान पत्र नहीं था। इस प्रकरण में भी उक्त तहबाजारी प्रकरण की पुनरावृत्ति है।

श्री संजय कुमार पर तत्कालीन रु0 468500.00 बकाया है। उक्त दोनों प्रकरणों में ठेकेदारों की हैसियत प्राप्त नहीं थी। उक्त दोनों प्रकरणों में विभागीय जांच भी अपेक्षित है। ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सके। जिस हेतु श्रीमती नूतन शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर-22 जिला पंचायत के नौचन्दी मेले की ठेकेदारी में 07 बकायेदारों से रु0 92320.00 की वसूली जिला पंचायत द्वारा की जानी अपेक्षित है। जिस हेतु श्रीमती नूतन शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर-23 आलोच्य वर्ष में कार्यालय व्यय मद में बजट प्रावधान रु0 13.50 लाख के विरुद्ध वास्तविक व्यय रु0 23.65 लाख रहा है जो कि बजटीय अनुमान से 175.18 प्रतिशत अधिक है और पिछले वित्त वर्ष के कुल व्यय रु0 11.65 लाख से 200 प्रतिशत से भी अधिक है। इसके क्या कारण रहे यह नहीं बताया गया है, जिस हेतु श्रीमती नूतन शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। अतः इस प्रति स्पष्टीकरण करना वांछित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-22)

प्रस्तर-24 आलोच्य वर्ष में स्पेशल कम्पोनेन्ट के मद में वितरित करने हेतु कुल रु0 24.48 लाख की ऋण योग्य धनराशि शासन द्वारा जिला पंचायत को उपलब्ध करायी गयी है। इसके सापेक्ष जिला पंचायत द्वारा रु0 21.14 लाख ही वितरित किये जा सके हैं। किन्तु इसके सापेक्ष लाभार्थियों की संख्या या फिर अवशेष रु0 3.07 लाख की धनराशि कहा समायोजित या लौटाई गयी इसका विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस हेतु श्रीमती नूतन शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। इस प्रति स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-24)

वर्ष 2015-16

प्रस्तर-25 जिला पंचायत मेरठ की आलोच्य वर्ष में सकौती टांडा स्थित जिला पंचायत की 26 पुरानी दुकानों का अंकन रु0 604518.00 एवं 36 नई दुकानों का अंकन रु0 633807.00 कुल रु0 1235325.00 किराया बकाया रह जाने के फलस्वरूप वसूल नहीं किया गया। जिस प्रति विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी,

श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 जिला पंचायत मेरठ की आलौच्य वर्ष में प्राइमरी पाठशाला/कांजी हाउस स्थित दुकानों के किराये प्रति तीन वर्ष पश्चात 25 प्रतिश किराया बढ़ोत्तरी के बजाये प्रति पांच/तीन वर्ष पश्चात यात्रा 10 प्रतिशत किराया बढ़ोत्तरी करके विभागीय अदेशों का उल्लघन करने के संस्था को आर्थिक क्षति पहुचाना एवं प्राइमरी पाठशाला/कांजी हाउस खरखौदा में स्थित सम्पत्ति का रू0 356819.00 किराया बढ़ जाने के कारण वसूल नहीं किया गया जिस प्रति विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 जिला पंचायत मेरठ तहसील मेरठ मुख्यालय पर स्थित आवास गृहों में से जिला पंचायत विभाग के कार्मिकों से रू0 214699.00 एवं अन्य शासकीय सेवा के कार्मिकों से रू0 165636.00 कुल रू0 380335.00 आवास गृह किराया ना पावना प्रमाण पत्र जारी करते समय न वसूल करके संस्था को क्षति पहुचाई गई है। जिस प्रति विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 जिला पंचायत मेरठ तहसील सरधना मुख्यालय स्थित दुकानों का बकाया रू0 99607.00 किराया वसूल न करके संस्था को क्षति पहुचाई है, जिस प्रति विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 जिला पंचायत मेरठ तहसील मेरठ में जूनियर हाई स्कूल केसरगंज स्थित आवास गृहों में से जिला पंचायत विभाग एवं अन्य शासकीय विभाग के कार्मिकों/किरायेदारों से रू0 737391.00 बकाया किराया वसूल न करके संस्था को क्षति पहुचाई है, जिस प्रति विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 जिला पंचायत मेरठ तहसील मेरठ के नौचन्दी मेरठ ग्राउण्ड के दुकानों के किरायेदारों से रू0 161489.00 बकाया किराया वसूल न करके संस्था को क्षति पहुचाई है, जिस प्रति विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 जिला पंचायत काजी हाउस सरधना स्थित दुकानों के किरायेदारों से बकाया किराया रू0 71737.00 वसूल न करके संस्था को क्षति पहुचाई है, जिस प्रति विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 जिला पंचायत मेरठ की दौराला पडाव स्थित दुकानों के किरायेदारों से बकाया किराया रू0 41292.00 वसूल न करके संस्था को क्षति पहुचाई है, जिस प्रति विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 जिला पंचायत मेरठ की नौचन्दी बाग मेरठ स्थित दुकानों के किरायेदारों से बकाया किराया रू0 116390.00 वसूल न करके संस्था को क्षति पहुचाई है, जिस प्रति विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 जिला पंचायत काजी हाउस खरखौदा स्थित दुकानों के किरायेदारों से बकाया किराया रू0 349861.00 वसूल न करके संस्था को क्षति पहुचाई है, जिस प्रति विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 शासनादेशानुसार जिला पंचायत की जीपकार/एम्बेसडर कार को कैम्प कार्यालय से ऑफिस आने जाने के फलस्वरूप उपयोग करने के सापेक्ष प्रतिमाह रू0 400.00 पंचायत कोष में जमा न कराये जाने से संस्था में ड्यूटी अवधि (11मास) का परिचालन व्यय की प्रतिपूर्ति स्वरूप राशि जमा न करके संस्था को क्षति पहुचाई है, जिस प्रति श्रीमती (डा0) नूतन शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 राज्य वित्त आयोग मद में से नौचन्दी मेरठ स्थित आवास निर्माण हेतु नक्शा बनाने का पारिश्रमिक भुगतान की राशि अंकन रू0 55132.00 आयकर अधिनियम के प्राविधानों के अधीन आयकर व सेस इत्यादि की 20 प्रतिशत राशि रू0 11026.00 सम्बन्धित से वसूल न करके एवं राजकोष में जमा न करके संस्था को क्षति पहुचाई है, जिसके लिए विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश

चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 नाट्य कला प्रशिक्षण केन्द्र मेरठ के आरकिटेक्चर कार्य हेतु रु0 55500.00 भुगतान पर रु0 11100.00 आयकर अधिनियम के प्राविधानों के अधीन आयकर व सेस इत्यादि की 20 प्रतिशत राशि सम्बन्धित फर्म से वसूल न करके एवं राजकोष में जमा न करके संस्था को क्षति पहुचाई है, जिसके लिए विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 समय समय पर जनपद मेरठ से प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन इत्यादि के बिल भुगतान के समय आयकर अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत 20 प्रतिशत आयकर व सेस सम्बन्धित से वसूल न करके संस्था को क्षति पहुचाई है, जिसके लिए विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 जिला पंचायत द्वारा विभिन्न वादों की पैरवी हेतु एडवोकेट की फीस इत्यादि का भुगतान करते समय उनके बिलों से आयकर अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत 10 (दस) प्रतिशत आयकर व सेस रु0 75520.00 की राशि वसूल न करके राजकोष में जमा न करके संस्था को क्षति पहुचाई है, जिसके लिए विगत वर्षों में कार्यरत अध्यक्ष श्री मनीन्द्रपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, श्रीमती नूतन शर्मा लेखाकार श्री रमेश चन्द, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, श्री मनोज शर्मा एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम :- मुरादाबाद मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

जिला पंचायत:- मुरादाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष -2016-17

जिला पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर संख्या-1 बकाया सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि ज्यादातर दुकानों/व्यक्तियों से कोई वसूली नहीं हो रही है। सूट संख्या 5 का पुराना बकाया रु0 1,75,890.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए श्री ई0 अली वारिस, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2 नौका घाट वसूली रु0 2,14,455.00 वकाया है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसके लिए श्री ई0 अली वारिस, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3 तहबाजारी वसूली रु0 1,22,500.00 बकाया है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसके लिए श्री ई0 अली वारिस, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4 कृषि भूमि निलामी वसूली रु0 1,000.00 वकाया है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसके लिए श्री ई0 अली वारिस, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5 हडडी चमड़ा के पिछले बकाये की वसूली रु0 14,91,529.00 वकाया है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसके लिए श्री ई0 अली वारिस, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6 अन्त्योदय, स्थानीय विकास व स्पेशल कम्पोजेन्ट ऋण योजना की बकाये की वसूली रु0 73,56,000.00 वकाया है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसके लिए श्री ई0 अली वारिस, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7 अनुबन्ध पर स्टैम्प ड्यूटी रु0 7200 नहीं लगाना अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिए श्री ई0 अली वारिस, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री ई0 अली वारिस अ0मु0 अधि0 से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8 सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टर की विकास खण्डवार वसूली का योग एवं लेखा बन्दी में वसूली का अन्तर रु0 329329.00 है जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिए तत्कालीन कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9 टैलीफोन बिल जमा रसीद रु0 22,771.00 अप्राप्त रहना अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 विद्युत बिल जमा रसीद रु0 278672.00 अप्राप्त रहना अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11 निम्न निर्माण पत्रावलियों की जांच में पायी गयी अनियमिततायें।

1. निर्माण फाइल संख्या 3, कार्य ग्राम मिलक नवाब मंदरसे से बघा सम्पर्क पर कब्रिस्तान होते हुए खडंजा अनुरक्षण कार्य हेतु सी0सी0 कार्य लागत रु0 1458000.00 सदस्यों की बैठक में प्रस्ताव पारित अप्राप्त रहा। टेण्डर में सिर्फ 03 ठेकेदारों से ही टेण्डर प्राप्त है। बन्द लिफाफा केवल एे ही ठेकेदार श्री इरसाद अली का है। जबकि कार्य श्री नबाब जान द्वारा कराया गया है। टेण्डर का विज्ञापन किस समाचार पत्र में किस दिन किया गया है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। कार्य की अवधि 03 माह की है परन्तु कार्य कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ इसकी सूचना अप्राप्त रही। कार्य पूर्ति अप्राप्त रहा।

2. निर्माण फाइल 15, कार्य— अली गंज दलपतपुर मार्ग से सकतपुरा सम्पर्क मार्ग सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य, लागत रु0 1198800.00 के लिए 04 ठेकेदारों का टेण्डर प्राप्त दर्शित है जबकि सील बन्द लिफाफा केवल एक ही ठेकेदार श्री अली हसन ठेकेदार है। और कार्य श्री अशोक कुमार द्वारा कराया गया है।

3. फाइल संख्या 17 कार्य— विकास खण्ड भगतपुर में ग्राम टाहमदन में डामर रोड से सीतापुर की ओर मिटटी नाली सी0सी0 कार्य, लागत रु0 1999800.00 के लिए केवल तीन ठेकेदारों का टेण्डर दर्शित जबकि सील बन्द लिफाफा एक का भी नहीं है।

4. फाइल संख्या 40, ग्राम शाहपुर मुबारकपुर में पुरानी मस्जिद से नई मजिस्द तक सी0सी0 टादल्स कार्य, लागत रु0 1171998.95 के लिए केवल तीन ठेकेदारों के ज्ञापन पत्र दर्शित है। जिसका केवल एक ही लिफाफा है वो भी बिना सील के।

इस प्रकार उक्त कुल धनराशि रु0 58,28,598.95 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए श्री ई0 अली वारिस, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 राज्य वित्त से वेतन/पेंशन पर रु0 13527000.00 अनियमित रूप से व्यय किया जाना गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए श्री ई0 अली वारिस, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13 प्रा0पा0 हिरावली की नीलामी रु0 35000.00 में की गयी वाद में भूमि पर कब्जा न होने के कारण रु0 26338.00 वापस किया गया। अनुबन्ध भी नहीं किया गया और वांछित स्टाम्प ड्यूटी रु0 1400.00 भी नहीं लगाया गया है। भूमि पर कब्जा किस कारणों से नहीं हुआ। जमीन किसके द्वारा अधिकृत की गयी स्पष्ट किया जाये। तथा वांछित स्टाम्प न लगाने से रु0 1400.00 की क्षति हुई जो अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए श्री ई0 अली वारिस, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 प्रा0पा0 मंगूपुरा विकास खण्ड बिलारी की नीलामी का अनुबन्ध नहीं किया गया। जिसकी वांछित स्टाम्प ड्यूटी रु0 3600.00 नहीं लगाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए सम्बन्धित कर्मचारी एवं श्री ई0 अली वारिस, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-2

जनपद का नाम – रामपुर

मण्डल का नाम – मुरादाबाद

जिला पंचायत – रामपुर लेखा परीक्षा वर्ष – 2016-17

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर-1 पंचायत राज संस्थाओं को प्रतिवर्ष विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि समय से उसका उपभोग करके क्षेत्र का विकास और लोगों को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके।

क्र० सं०	मद का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम अवशेष
					बैंक में
1	मनरेगा	0	0	0	0
2	राज्य वित्त आयोग	993.54	2186.89	2034.74	1145.69
3	बारहवां/तेरहवां वित्त आयोग	27.78	1.78	9.28	20.28
4	योग	1021.32	2188.67	2044.02	1165.97

जिला पंचायत रामपुर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016-17 में प्राप्त धनराशि रु0 2188.67 लाख गत वर्ष का अवशेष रु0 1021.32 लाख और वर्ष में व्यय रु0 2044.02 लाख थी। इस प्रकार दिनांक 31.03.2017 को संप्रेक्षा अवधि के अन्त में रु0 1165.97 लाख की बड़ी धनराशि का न तो उपभोग किया गया और न ही सरकार को वापस की गयी। संप्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि आलोच्य वर्ष में कतिपय कारणों से धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका। जिससे वर्तमान में व्यय करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर संप्रेक्षा में मान्य नहीं है। क्योंकि धनराशि अवरुद्ध रहने से एक ओर जहां क्षेत्र का विकास अवरुद्ध रहा वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार से वंचित रहना पड़ा।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0 12)

प्रस्तर-2 शासनादेश संख्या 682बी/33-3-14(2)/84 दिनांक 10.03.1987 एवं 2203/3-2-797-43बी(8)95 टी0सी0 दिनांक 30.03.1997 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा प्राप्त मृत पशु-शव- निस्तारण की आय का 50 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों हेतु हस्तान्तरित की जानी चाहिए।

जिला पंचायत को वर्ष 2016-17 में ₹0 7.46 लाख की धनराशि की आय प्राप्त हुई किन्तु इस आय में से नियमानुसार पचास प्रतिशत ₹0 3.73 लाख धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं की गयी जो कि अनियमित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0 15(11))

प्रस्तर 3- 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पदत धनराशि का व्यय गैर अनुमन्य कार्यों। पर व्यय किया जाना ₹0 9028 लाख- उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23 दिसम्बर द्वारा 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को निर्धारण किया गया है। जिसके अन्तर्गत आवंटित धनराशि का प्रथम उपयोग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा मूल भूत सुविधाओं जैसे पेयजल सुविधाओं, सीवेज व्यवस्था, सालिडि लिक्विड, बेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट, मार्ग व अन्य नागरिक सुविधाओं आदि के रख-रखाव व अनुसंरक्षण पर किया जाना था। परन्तु अभिलेखों की जांच में देखा गया है कि 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से सीसी रोड, निर्माण कार्यों में उपरोक्त किसी भी शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। जिसमें से कतिपय निम्न हैं।

क्रमांक	प्रमाणक सं0 व दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
1	45/ 16.05.2016	कसिया कुंडा की आन्तरिक गलियों में सीसी रोड व डेन रोड का निर्माण	283275.00
2	43/ 19.08.2016	ग्राम नवाब गंज में कुलदीप के मकान से त्रिलोचन के घर तक सीसी रोड और नाली निर्माण	4450000.00
3	86/25.10.2016	ग्राम नवाब गंज में कुलदीप के मकान से त्रिलोचन के घर तक सीसी रोड और नाली निर्माण	199926.00
		योग	928256.00

लेखा परीक्षा में उक्त अंगित करने पर बताया गया कि शासन की स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया गया। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश का अनुपालन न कर गैर अनुमन्य कार्यों पर उक्त धनराशि का व्यय किया गया था। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं018)

प्रस्तर-4 शासनादेश सं0 866/33-2-14-93 जी/2004 दिनांक 24.06.2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला पंचायत द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा निर्देश स्पष्ट किये गये हैं जिसमें जिला पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक क्षेत्र पंचायत को जोड़ने वाले मार्गों का कार्य संपादित करेगी। परन्तु जिला पंचायत द्वारा गांव की सड़कों का वर्गीकरण नहीं किया गया था फलस्वरूप जिला पंचायत द्वारा गांव के अन्दर की सड़कों का निर्माण (क्षेत्र पंचायत अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्माण किया जाना चाहिए था) किया जा रहा था। जिला पंचायत द्वारा निर्माण सूची के अनुसार 97 कार्य (जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 कराये गये पूर्ण निर्माण कार्यों की सूची) +85 कार्य (राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 के आवशेष कार्यों की सूची) = 182मार्ग का निर्माण नियम विरुद्धकराया गया दर्शित है, जिसमें से कतिपय निम्न है।

क्र0 सं0	निर्माण सूची का क्रमांक	कार्य का नाम	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)
1	1	ग्राम अल्लाहपुर की पुलिया से ग्राम अल्लाहपुर सम्पर्क मार्ग पर 90मी0 सी सी निर्माण	4.05
2	2	ग्राम चौखण्डी से कबिस्तान की ओर सम्पर्क मार्ग पर 100मी0 सीसी व नाली निर्माण	5.00
3	4	ग्राम लाम्बा खेड़ा की पुलिया से ग्राम लाम्बा खेड़ा की ओर 170मी0 सी0सी0 निर्माण	8.90
4	5	ग्राम मिलक काजी से इमाम बाड़ा की ओर 155मी0 सी0सी0 सी0सी0 निर्माण	9.20
5	6	ग्राम अलीनगरउत्तरी से जामीनगंज सम्पर्क मार्ग पर खडंजा अनुरक्षण कार्य 210मी0 सीसी	7.29
6	9	ग्राम पीपली नायक नई बस्ती से सरदार के डेरे की ओर सम्पर्क मार्ग पर 150मी0 सीसी व नाली निर्माण	7.40
7	12	ग्राम काशीपुर से अन्धेरियाबाद कब्रिस्तान से जंजीरपीर की मजार की तरफ 150मी0 सी0सी0 निर्माण	8.50
8	14	ग्राम मौहब्बतनगर से पर्वत पुर सम्पर्क मार्ग पर 150मी0 सीसी व नाली निर्माण	7.59
9	16	ग्राम नवीगंज डामर रोड से मंदिन की ओर 50मी0 सीसी व नाली निर्माण	4.22
10	17	ग्राम समोदिया खरदिया मौहब्बतनगर से पर्वतपुर सम्पर्क मार्ग पर 150मी0 सीसी व नाली निर्माण	9.44
11	18	ग्राम गिजपुरा से हस्सन का मझरा सम्पर्क मार्ग पर 160मी0 सी सी व नाली	7.25

		निर्माण	
12	19	ग्राम वंशीपुर लोधीपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम बकनोरी सम्पर्क मार्ग पर 150मी0 सी सी	6.70
13	23	ग्राम रेवडी कला के प्राथमिक विद्यालय से किरा ग्राम की ओर 90 मी0 नाला	3.68
14	25	चकिया से पाती की मण्डैया की ओर 130 मी0 सी सी	
6.20	30	ग्राम भैसोडी धर्मपुरा मार्ग से प्राथमिक विद्यालय द्वितीय की ओर 170मी0 सी सी निर्माण	8.49
16	31	ग्राम सिरा वेहटा मार्ग से देवी स्थान मन्दिर की ओर 150 मी0 सी0 सी0 निर्माण	6.98
17	32	ग्राम मंसूर पुरु पीपलवाला डामर रोड से गांव की ओर 125 मी0 सी0 सी0 रोड निर्माण	6.80
18	33	निस्वी सम्पर्क मार्ग से जूनियर हाई स्कूल की तरफ 140 मी0 सी0 सी0 निर्माण	6.98
19	39	ग्राम पुरैनिया देवी स्थान से श्मशान घाट की ओर 320 मी0 खडंजा निर्माण	4.79
20	42	ग्राम मझरा ऐनी से ऐनी की ओर 5600 मी0 खडंजा निर्माण	8.00
21	43	भोला नगला के मझरे से भोला नगला की ओर सम्पर्क मार्ग पर 210 मी0 सी0सी0 निर्माण	11.37
22	44	ग्राम रैंका नगला से कब्रिस्तान की ओर सम्पर्क मार्ग पर 240 मी0 सी0सी0	13.22
23	45	ग्राम पशुपुरा सम्पर्क मार्ग पर 300 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण	14.09
24	48	ग्राम मझरा लाडपुर से लाडपुर की ओर अवशेष भाग पर 300 मी0 खडंजा निर्माण	4.48
25	49	ग्राम नंद गांव से बेसिक स्कूल मार्ग पर 185 मी0 सी0सी0 निर्माण	8.12
26	52	ग्राम कैमगंज से हरभजन के खेत की ओर सम्पर्क मार्ग पर 190 मी0 सी0सी0 व नाली निर्माण	8.51
27	54	ग्राम चमरौआ से कुरैशिया वाले कब्रिस्तान की ओर 195 मी0 सी0सी0	9.92
28	58	ग्राम पनवडिया अहरो सम्पर्क मार्ग पर 180 मी0 सी0सी0 निर्माण	8.85
29	59	ग्राम फेजनगर में रफी के घर से अकबाल के घर तक 200 मी0 सी0सी0 व नाली निर्माण	9.73
30	55	ग्राम नादर गंज प्राथमिक स्कूल से भवती पुरु की ओर 470 मी0 खडंजा निर्माण	7.05
31	64	ग्राम खुशहालपुर में पनिया तालाब की ओर 120 मी0 नाला निर्माण	4.76
32	66	ग्राम खेड़ा गजरौला से श्मशान की ओर 150 मी0 सी0सी0 व नाली निर्माण	6.80
33	67	ग्राम तुमडिया में नईम खां के मकान से नन्हें खां के मकान तक 90मी0 सी0सी0 निर्माण	8.91
34	75	भुडासी शाहपुर देव रोड से सम्पर्क मार्ग पर 220 मी0 सी0सी0 निर्माण	10.34
35	81	ग्राम पशुपुरा मैनी मार्ग पर पाइप पुलिया निर्माण	1.90
36	85	ग्राम टाह कला सम्पर्क मार्ग पर 100 मी0 सी0सी0 निर्माण	5.35
37	89	ग्राम नंद गांव सम्पर्क मार्ग पर 125 मी0 सी0सी0 निर्माण	6.00
38	96	ग्राम नवाब गंज में कुलदीप के मकान से त्रिलोचन के घर की ओर 205 मी0 सी0सी0 निर्माण	14.45
39	97	ग्राम धर्मपुरा सम्पर्क मार्ग पर तालाब की दीवार का निर्माण	3.80
40		योग	295.11

चूंकि एक ही क्षेत्र में तीनो संस्थाएं बिना कार्य क्षेत्र के बटवारे के कार्य निर्माण कर रही थी, अतः मार्ग निर्माण के कार्य में दोहरापन होने तथा अन्य अनियमितताएं होने की पूरी सम्भावना सदैव बरकरार रहती है। तथा यह निर्माण शासनादेश के विरुद्ध भी है। संप्रेक्षा में इंगित करने पर बताया गया कि बोर्ड से प्रस्ताव के अनुरूप कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा शासनादेशों का पालन नहीं किया गया। प्रकरण शासन तथा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निर्माण पत्रावलियों के रैंडम परीक्षण से प्रमाणित होता है कि अधिकांश कार्यों में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व व्योरेवार नक्शे का अनुमान नहीं तैयार किया गया, स्वीकृत नक्शों व अनुमान में परिवर्तन व विस्तार 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक हुआ, टेण्डर के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं किया गया। निर्माण, कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक अंकित नहीं किया गया, निर्माण कार्य व सामग्री की मांप समयक रीति से नहीं की गयी, माप पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश का पालन नहीं किया गया। तथा एम0बी0 गलत रीति से की गयी। इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्रपंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित न करते हुए अनियमित भुगतान किया गया। जिसके लिए अध्यक्ष जिला पंचायत एवं अपर मुख्य अधिकारी, सहायक अभियंता, एवं अवर अभियंता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0 19 (I) (II))

प्रस्तर-5 विशिष्टियों के विपरीत रु० 219.50 लाख का व्यय अनियमित व अधोमानक कार्य- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण कार्य द्वारा निर्गत परिपत्र सं० 3583एम०टी०/60एम०टी०/2007 दिनांक 13.06.2007 के अनुसार ग्रेनुलर वेस के ऊपर पी०सी०/एस०डी०वी०सी०/वी०एम० का कार्य कराये जाने से पूर्व मॉर्थ स्पेसीफिकेशन के क्लॉज 502 एवं 503 के अनुसार प्राइम कोट एवं टैंक कोट अवश्य कराया जाना चाहिए जिससे गुणवत्ता वनी रहे। परन्तु जिला पंचायत के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा में यह संज्ञान में आया कि जिला पंचायत द्वारा वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से वर्ष 2016-17 में निम्न कार्य कराये गये है।

क्र०सं०	निर्माण सूची का क्रमांक सं०	कार्य का नाम	लम्बाई मीटर में	विकास खण्ड	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय
1	61	ग्राम खजुरिया में स्कूल से पुरैना व राजा रामपुर रोड तक सम्पर्क मार्ग पर डामर कार्य	1280	चमरौआ	46.53	46.21
2	62	ग्राम खजुरिया से शमशान व लक्ष्मण सिंह के डेरे तक 790मी० डामर मार्ग का निर्माण	790	चमरौआ	28.33	28.30
3	63	ग्राम लादौरा नारायणपुर से चिकटी रामनगर तक सम्पर्क मार्ग पर डामर रोड निर्माण कार्य	1780	चमरौआ	56.76	56.74
4	73	ग्राम बगी से मिलक खानम गदर पुर मैन रोड की ओर डामर रोड निर्माण	450	स्वार	9.96	9.92
5	80	ग्राम आगापुर रोड (चांदमारी) से विजैया तक बन्दा रोड पर डामर दीवार पुलिया निर्माण कार्य	1860	चमरौआ	78.33	78.33
योग					219.91	219.50

उक्त पांच कार्यों के आगणन एवं माप पुस्तिका के अवलोकन में यह तथ्य संज्ञान में आया कि माप पुस्तिका के अनुसार सीधे 20 एम०एम० पी०सी० कार्य कराया गया था। जबकि नियमानुसार सब बेस बनाये जाने के पश्चात प्राइम कोट एवं अँक कोट का प्राविधान किया जाना चाहिए। जिससे कि नान-बिटुमिनस परत बिटुमिनस परत से अच्छी तरह चिपक जाये। डब्ल्यू०वी०एम० के पश्चात प्राइम कोट एवं टैंक कार्ट नहीं डालने से रोड पर प्रयुक्त ग्रेट के उखड़ने का एवं रोड के अधोमानक होने की सम्भावना रहती है। संप्रेक्षा में पूछे जाने पर कि किस कारण से डब्ल्यू०वी०एम० के पश्चात प्राइम कोट एवं टैंक कोट का प्राविधान डब्ल्यू०वी०एम० के पश्चात नहीं किया गया, इकाई द्वारा उत्तर में बताया कि वर्तमान में जो भी आगणन तैयार किये जा रहे हैं उनमें प्राइम कोट एवं अँक कोट का प्राविधान किया जा रहा है एवं उसी के अनुसार कार्य कराकर मानन किया जा रहा है। इकाई के उत्तर में स्वतः स्पष्ट है कि इकाई द्वारा अनियमित तरीके से डामर रोड निर्माण कराया गया। उक्त कार्य निर्माण फाईल के अवलोकन करने पर निम्न कमियां पाई गईं।

(i) प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए केवल तीन ही टेण्डर प्राप्त हुए, तीन से अधिक क्यों नहीं। तीनों टेण्डरों में पते व रेटों का क्रम व अधिक अंकित किया जाना, एकी हस्तलिपि में होना तथा टेण्डर के लिए प्राप्त लिफाफे व टेण्डर पत्र मुड़ा न होना, ऐसा प्रतीत होता है। तीनों टेण्डर एक ही व्यक्ति द्वारा भरा गया है और मनोवांछित कार्य जिला पंचायत से ले लिया गया, जो संदेह पैदा करता है।

(ii) उक्त सम्पूर्ण कार्य तीन सौ मीटर से अधिक लम्बे हैं फिर भी प्राक्कलन में लम्बाई चौड़ाई और ऊंचाई/ गहराई को एक साथ लिया गया है जबकि प्राक्कलन में चैनेजवार बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का आंकलन करना सम्भव नहीं है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नहीं हैं। प्राक्कलन के साथ आवश्यक कार्य का एल सेक्शन व कास सेक्शन तथा साइड प्लान भी संलग्न नहीं हैं। इस प्रकार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियावली 1984 के नियम-6 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध हैं।

(iii) मिट्टी के कार्य में जो दोनों तरफ पटरी ली गयी है उसमें बाटम व टाप की चौड़ाई एक समान एस्सीमेट में दिखाया गया है जोकि सर्वथा असम्भव है। तथा संदिग्ध है।

(iv) पुरानी रोडो पर मिट्टी खडंजा या सी०सी० या डामर रोड बनायी गयी है। उसके नीचे लेवल का खुदान नहीं लिया गया है क्योंकि पुरानी रोड सेट होने के बाद उसका लेवल अप-डाउन हो सकता है इसका लेवल समान करने का प्रोसीजर नहीं दिखाया गया जो कि असत्य है।

(v) मिट्टी के कार्य में स्लोप नहीं लाया गया है। उक्त प्रक्रिया का पालन न करने के कारण कार्य की सत्यता संदिग्ध प्रतीत होती है।

इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6,28,34,36 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0 20)

प्रस्तर-6 निम्न विवरणानुसार कथित जिला निधि खातों में वर्षात धनराशियां उपलब्ध रहने के बावजूद राज्य वित्त से वेतन आदि व्यय के लिए धनराशियां संस्था द्वारा उपभोग दर्शाई गयी हैं।

क्रम सं0	वर्ष	जिला निधि में वर्षात में अवशेष धनराशि	राज्य वित्त से वेतन आदि पर व्यय	अंतर
1	2016-17	11170315.92	12616069.50	1445753.50

जिला निधि खाते में धनराशियां उपलब्ध रहने पर वेतन आदि के लिए राज्य वित्त से धनराशि लेने का औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि वेतन भत्तों आदि पर व्यय करने हेतु निजी स्रोत की आय (जिलानिधि) में धनराशि कम पड़ने पर ही राज्य वित्त से 25 प्रतिशत तक की धनराशि लिये जाने की व्यवस्था है। परन्तु संस्था द्वारा व्यवस्था के विपरीत कार्य किया गया है। इसलिए अंकन रू0 12616069.50-11170315.9 =1445753.50 वापसी राज्य वित्त को करने योग्य है।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0 24 (v))

प्रस्तर-7 राज्य वित्त आयेग एवं 13वें वित्त आयोग की प्राप्त व्याज की धनराशि को शासकीय राजकोष में न जमा किया जाना, धनराशि रू0 6107267.00। शासनादेश सं0 ए-1-122/10-2012-10(33) 2010 वित्त (लेखा अनुभाग-1) लखनऊ दिनांक 21.03.2012 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 बी-1-564/10-7/97 दिनांक 02.03.1998 के अनुसार विभिन्न सरकारी उपक्रमों एवं निगमों को शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियां राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाती है। तो उन जमा राशियों पर अर्जित व्याज की धनराशि संस्था/निकाय की आय न होकर राज्य सरकार की आय मानी जाती है। एवं अर्जित व्याज को राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए।

जिला पंचायत को वर्ष 2016-17 में निम्न विवरणानुसार व्याज प्राप्त हुआ था-

क्र0 सं0	योजना का नाम	बैंक खाता सं0	बैंक शाखा का नाम	प्राप्त व्याज
1	राज्य वित्त आयोग	6151055567	इण्डियन बैंक रामपुर	9522.00
	राज्य वित्त आयोग	1448010023418	यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया	5919412.00
2	तेरहवां वित्त आयोग	6150079713	इण्डियन बैंक रामपुर	52971.00
	तेरहवां वित्त आयोग	1448010023427	यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया	8687.00
	तेरहवां वित्त आयोग	9304	बैंक ऑफ इण्डिया	116675.00
3	योग			6107267.00

उक्त व्याज की धनराशि को राजकोष में जमा नहीं किया गया। जो कि शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। इस ओर इंगित करने पर बताया गया है कि जमा करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि शासनादेश का पालन नहीं किया गया है।

उक्तानुसार विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग का दो व तेरहवे वित्त आयोग के तीन खाता खोला जाना नियम विरुद्ध है। अतः प्रत्येक योजना का अलग-अलग एक खाता खोला जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0 24 (v i))

प्रस्तर-8 निम्न प्रकार से अपर मुख्य अधिकारियों द्वारा वाहन का प्रयोग किया गया है परन्तु वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश सं0-710/दस-सं0वि0-वित्त-2/97 दिनांक 29.5.1999 के अनुसार मोटर कार के लिए रू0 500.00 प्रति माह लेखा शीर्षक 00700 अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 60 अन्य सेवाएं, 800 अन्य प्राप्तियां के अन्तर्गत जमा किया जाना चाहिए था, परन्तु निम्न अधिकारियों द्वारा जमा नहीं किया गया, जो गंभीर आपत्ति हैं कि राजकीय सेवक होने के बावजूद भी राजस्व की हानि पहुंचाई गई है।

क्र0 सं0	नाम अपर मुख्य अधिकारी	कार्यकाल (रामपुर में)	माह लगभग	धनराशि
1	श्री सी0पी0सिंह राघव	01.04.2015 से 25.10.2016	01 वर्ष 07 माह	9500.00
2	श्री धन्वजय सोम	26.10.2016 से 30.06.2017	08 माह	4000.00
3	श्री सुशील कुमार	30.06.2017 से 01.04.2018	09 माह	4500.00

उक्तानुसार अधिकारियों से व्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त अधिकारियों से इस बावजूद जहां भी रहें हैं। या हों वाहन का प्रयोग कर रहें हैं। तो राजकीय हित में राजस्व की वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0 25)

प्रारूप-2

जनपद का नाम — कौशाम्बी
जिला पंचायत — कौशाम्बी

सम्भाग — प्रयागराज
क्षेत्र पंचायत — (1) सिराथू

प्रस्तर-1. योजना — चतुर्थ राज्य वित्त आयोग वर्ष : 2015-16

प्रस्तर संख्या-01

परियोजना	— दारानगर इण्टर कालेज से सुशील माहेश्वरी की दुकान तक इण्टरलॉकिंग विकास खण्ड — कड़ा
अनुमानित लागत	— 10 लाख, प्रस्तावित लम्बाई—0.294 किमी०
अवर अभियन्ता	— श्री मनीष कुमार
अभियन्ता	— श्री अभय सिंह
अपर मुख्य अधिकारी	— श्री एल०एन० खरे
अध्यक्ष	— श्री राजेश कुमार कुशवाहा

(ए) उपरोक्त परियोजना की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त मार्ग पर पूर्व में ग्राम सभा द्वारा ईट का खड़ण्जा लगाया गया था जिसका वर्णन क्षेत्रीय अवर अभियन्ता ने अपने प्रतिवेदन में किया भी है। पत्रावली में संलग्न कार्य प्रारम्भ के पूर्व के फोटोग्राफ देखने से स्पष्ट होता है कि खड़ण्जा पूर्णतः सही है। खड़ण्जा क्षतिग्रस्त नहीं है, फिर भी खड़ण्जे के ऊपर इण्टरलॉकिंग का प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृत कराया गया है। निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार यदि मार्ग में पूर्व में खड़ण्जा लगाया गया है तो उक्त खड़ण्जे की माप करके उसे एम०बी० बुक में दर्ज किया जायेगा जो कि नहीं किया गया है।

(बी) पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ से साफ स्पष्ट होता है कि उपरोक्त मार्ग पूर्णरूप से बस्ती (आबादी) के अन्दर है। मार्ग के दोनों तरफ मकान बने हैं। खड़ण्जे के अतिरिक्त जगह खाली नहीं है। फिर भी प्राक्कलन में ई/डब्ल्यू मेकिंग बाथ साइड पटरी हेतु 3ण्28 घन मी मिट्टी कार्य दर्शित किया गया है, जो कि संभव नहीं है।

(सी) प्राक्कलन में एक्सीवेसन फार रोडवे इन स्वायल यूजिंग मैनुवल के द्वारा 11ण्91घन मी मिट्टी कार्य दर्शित है जो पूरी तरह से काल्पनिक प्रतीत होता है। क्योंकि खड़ण्जे के साथ बनी नाली पूर्ण रूप से फोटोग्राफ में सुरक्षित दिखायी देती है।

(डी) उपरोक्त परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी+गिट्टी+ बालू की पूरी रायल्टी नहीं जमा करायी गयी है जिसके कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।

परियोजना में प्रयुक्त एम बी के अनुसार 33.98घन मी कम्पैक्टेड लूज गिट्टी की मात्रा — 33.98×1.54=52.33 घन मीए रायल्टी 52.33गदर 110/घन मी = 5756.30 खनिज का रवन्ना (एम एम -11) प्रस्तुत न करने पर रायल्टी का 6 गुना = 5756.30 X 6 = 34537.80, बालू प्रयुक्त प्लास्टर में 129घन मी पीसीसी में 5घन मी बी/डब्ल्यू में 18.17घन मी, कुल प्रयुक्त बालू 152.17घन मीए रायल्टी दर 33घन मी की दर से 152.17×33=5021.61 खनिज का रवन्ना (एम एम-11) प्रस्तुत न करने पर रायल्टी धनराशि का 6 गुना 5021.61×06=30129.66 कुल धनराशि रू० 34537.80+30129.66 (बालू रायल्टी) = रू० 64667.46 जमा न कराकर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार से स्पष्ट है कि निर्माण नियमावली 1984 व वित्तीय नियमों का पालन न करते हुए प्राक्कलन तैयार कर प्रयुक्त परियोजना पर व्यय धनराशि रू० 998431/— अनियमित रूप से व्यय की श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने योग्य है। इस अनियमितता के लिए पूर्णरूप से अवर अभियन्ता श्री मनीष कुमार अभियन्ता श्री अभय सिंह तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कौशाम्बी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।।

प्र०सं०2— जिला पंचायत कौशाम्बी नीलामी विज्ञापन हड़डी चमड़ा, ठेका दिनांक 05 मार्च 2015 के अनुसार नीलामी में भाग लेने वाली पशु शव विच्छेदन औधानिक उत्पाद सहकारी समितियों को गतवर्ष का आडिटेड संतुलन पत्र पत्रावली के साथ संलग्न करना अनिवार्य किया गया था किन्तु किसी भी समिति ने लेखा परीक्षित संतुलन पत्र संलग्न नहीं किया। फिर भी उक्त सभी भाग लेने वाली समितियों को स्टाम्प शुल्क में छूट दी गयी जिससे रू० 2970.00 की व्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी कौशाम्बी तथा अभियन्ता जिला पंचायत से किया जाना अपेक्षित है।

क्र० सं०	विवरण	समिति/ संस्था का नाम	नीलामी राशि	प्रदत्त स्टाम्प	ले०प० अनुसार	कमी
1.	सरसवां की तीन न्याय पंचायत शाहपुर, अन्धावा, अलवारा	पशु शव विच्छेदन औ० उ०सह० समि० कल्लू सभापति	44500	100	890	790

2.	वि०ख० कौशाम्बी की तीन न्याय पंचायत विरौचा, कनेली, ढेकवा	पशु शव विच्छेदन औ०उ०सह० समि० विरौचा	30500	100	610	510
3.	वि०ख० मंझनपुर की तीन न्याय पं० टेवा, टेनशाह आलमाबाद असाढ़ा	पशु शव विच्छेदन औ०उ०सह० समि० टेवा	18000	100	360	260
4.	वि०ख० मंझनपुर की तीन न्याय पं० तियरा, पवारा, तैयबपुर	पशु शव विच्छेदन औ०उ०सह० समि० पिण्डरा	20000	100	400	300
5.	वि०ख० कड़ा की तीन न्याय पं० सौरई बुजुर्ग, सैनी, शहजादपुर	पशु शव विच्छेदन औ०उ०सह० समि० मलावलपुर	34500	100	690	590
6.	वि०ख० कड़ा की तीन न्याय पंचायतें कड़ा, दारानगर, सिपाह	पशु शव विच्छेदन औ०उ०सह० समि० कड़ा	21000	छवण	420	420
7.	वि०ख० मूरतगंज	मो० सादिक पुत्र अब्दुल खटिक	140000	2700	2800	100
		योग	308500	3200	6170	2970

प्र०सं०3—अनुदान रजिस्टर वर्ष 2015-16 के अनुसार शासनादेश सं० 14/2015-973/33-3-2014-100(13) 2010 पंचायती राज अनुभाग लखनऊ दिनांक 07.05.2015 से तेरहवें वित्त आयोग की प्रथम किश्त रु० 10292812.00 प्राप्त हुई। जिसका उपभोग शासनादेश सं० 2566/33-3-2010-42/2010 दिनांक 23/12/2010 के अनुसार मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल सुविधा सीवेज व्यवस्था, सालिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट और स्ट्रीट वाईट, मार्ग एवं अन्य नागरिक सुविधाओं आदि के रख रखाव/अनुरक्षण पर व्यय किया जाना चाहिए, किन्तु जिला पंचायत कौशाम्बी द्वारा शासनादेश के विपरीत सम्पूर्ण धनराशि मात्र सड़क मरम्मत/निर्माण पर व्यय करके गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए मुख्य रूप से अपर मुख्य अधिकारी श्री एल०एन० खरे तथा अभियन्ता भी अभय सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्र०सं० 4 :- योजना – चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

परियोजना	—	ग्राम सभा बरई बधवा में पक्की सड़क के अवशेष भाग पर इण्टरलॉकिंग, लम्बाई—0.097 किमी०
अनुमानित लागत	—	5 लाख
अवर अभियन्ता	—	श्री हिमांशु सिंह यादव
अभियन्ता	—	श्री अभय सिंह
अपर मुख्य अधिकारी	—	श्री एल०एन० खरे
अध्यक्ष	—	श्री राजेश कुमार कुशवाहा
ठेकेदार	—	श्री मंगल सिंह

उपरोक्त परियोजना की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी—

(ए) उपरोक्त परियोजना के निविदा विज्ञापन की पुष्टि में दैनिक समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न न होने के कारण विज्ञापन की पुष्टि न की जा सकी।

(बी) डाले गये निविदाओं के ऊपर नियमानुसार परियोजना का नाम और परियोजना का क्रमांक अंकित नहीं रहा। जबकि नियमानुसार निविदा के लिफाफे के ऊपर परियोजना का नाम व क्रमांक लिखा जाना चाहिए।

(सी) निविदादाता श्री रमाकान्त त्रिपाठी का हैसियत प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। फिर भी उक्त निविदा को टेण्डर में शामिल किया गया। जबकि टेण्डर की शर्तों के अनुसार निविदादाता का दो वर्ष के भीतर का जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाणपत्र तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

(डी) पत्रावली में संलग्न बिल प्रथम पर अंकित अवर अभियन्ता के मापांकन को अभियन्ता द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है जिससे उपरोक्त प्रथम बिल मू० रु० 38100.00 की पुष्टि संदिग्ध रही।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त परियोजना पर व्यय की गयी धनराशि रु० 5.00 लाख अनियमित श्रेणी का रहा। जिसके लिए मुख्य रूप से अपर मुख्य अधिकारी श्री एल०एन० खरे तथा अभियन्ता भी

अभय सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्र0सं05 :- जिला पंचायत कौशाम्बी की किराये पर दी जाने वाली दुकान जो कि क्षेत्र के भरवारी बाजार में श्री जगन्नाथ पुत्र भुसई लाल को किराये पर दी गयी थी, किन्तु उक्त श्री जगन्नाथ द्वारा कई वर्षों से दुकान का किराया नहीं दिया जा रहा था। वर्ष 2015-16 में दिनांक 31.03.1990 से दिनांक 31.03.2015 कुल 25 वर्षों का दुकान किराया ₹0 366306.00 कटवाकर कुल 58070.00 जिला पंचायत कौशाम्बी को दिया गया, पूरा प्रकरण गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। लगभग 300 महीनों का किराया अब तक बकाया रखा गया और जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह भी सम्बन्धित पर अंकित नहीं है कि प्रतिमाह किस दर से किराया लिया गया। वर्तमान में अथवा विगत दस वर्षों से किसी भी दुकान का किराया भरवारी जैसी स्थापित बाजार में ₹0 1000/- प्रतिमाह से कम नहीं होना चाहिए फिर 25 वर्षों के व्याज 10% की दर से लगायी जाय तो 10 वर्षों का ही किराया 120000.00 व व्याज 120000.00 कुल 240000.00 होता है शेष 15 वर्षों का औसत किराया यदि 300/- भी माना जाय तो भी 1990 से वर्ष 2005 तक का किराया 54000/- होता है और व्याज भी जोड़ दी जाय तो व्याज 81000.00 होता है, इस प्रकार कुल वर्ष 2005 से 2015 तक का किराया व्याज सहित 240000.00 + वर्ष 1990 से वर्ष 2015 तक व्याज सहित किराया 81000.00 कुल योग ₹0 321000.00 की वसूली सम्बन्धित किरायेदार से की जानी अपेक्षित रही। किन्तु वसूली मात्र 58070.00 की हुई जिसे घटाने पर शेष 262930.00 की किरायेदार से वसूली व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्र0सं0 6 :- जिला पंचायत कौशाम्बी के बालू बैरियर से पार (क्रास) होने वाली गाड़ियों की टैक्स वसूली हेतु वर्ष 2015-16 में श्री धर्मेन्द्र कुमार आर0आई0 द्वारा जो जुलाई 16 व अगस्त 16 में वसूली की गयी उसमें (51050.00 + 400.00 + 19350) = 25400.00 स्वयं के लिए रोक लिया गया, जो बाद में जाँच के बाद लगभग एक वर्ष बाद वापस जमा किया गया। इस प्रकार एक वर्ष के व्याज की हानि हुई। अतः 25400.00 की दण्डात्मक व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य अधिकारी श्री एल0एन0 खरे द्वारा श्री धर्मेन्द्र कुमार के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्यवाही न किया जाना भी श्री खरे के कार्य व्यवहार को संदिग्ध करता है, अन्यथा किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा लगभग एक वर्ष तक धनराशि छिपाये रखना कर्मचारी आचार संहिता के विरुद्ध है।

प्रारूप - 2

जिला पंचायत - प्रयागराज

संस्था द्वारा वर्ष 2013-14

प्रस्तर - 1 संस्था द्वारा बारा क्षेत्र में वसूली कार्य हेतु संस्था के कर्मचारी श्रीरामबली व श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया था। संयुक्त रूप से दोनों कर्मचारियों द्वारा वसूली गई धनराशि के सापेक्ष मात्र ₹0 1094900.00 संस्था में जमा किया गया, जबकि मानक के अनुसार ₹0 4735808.00 जमा किया जाना चाहिए था, किन्तु उक्त दोनों कर्मचारियों द्वारा मानक अनुरूप धनराशि जमा न कर ₹0 3640908.00 कम जमा किया है। जिसकी वसूली श्री रामबली से ₹0 1820454.00 तथा श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से व्याज सहित ₹0 1820454.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 2 मेजा प्रथम में गिट्टी वोल्डर के पथ मार्ग से वाहनों की वसूली हेतु संस्था के कर्मचारी श्री अजय सिंह को नियुक्त किया गया था। श्री अजय सिंह द्वारा वसूली गई धनराशि के सापेक्ष संस्था में ₹0 937000.00 मात्र जमा किया गया जबकि मानक अनुसार ₹0- 3102965.00 जमा किया जाना अपेक्षित था, अस्तु अवशेष धनराशि ₹0 2165965.00 श्री अजय सिंह से व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 3 कोरांव पथ मार्ग पर वसूली कार्य हेतु श्री इन्द्रमणि मिश्र एवं श्री आलोक को नियुक्त किया गया था। उक्त कर्मचारियों द्वारा मानक के अनुरूप वसूली की गई धनराशि के सापेक्ष संस्था में ₹0 21400.00 जमा किया, जबकि मानक अनुसार ₹0 51450.00 जमा किया जाना चाहिए था। अस्तु अवशेष धनराशि श्री इन्द्रमणि मिश्र से ₹0 15025.00 तथा श्री आलोक से ₹0 15025.00 कुल ₹0 30050.00 व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 4 मजेश द्वितीय मार्ग पर वसूली कार्य हेतु श्री राजेश तिवारी एवं श्री ओम प्रकाश यादव को नियुक्त किया गया था। उक्त मार्ग पर मानक अनुरूप वसूली गई धनराशि के सापेक्ष मात्र ₹0 88600 संस्था में जमा किया गया। जो मानक अनुरूप धनराशि ₹0 158220.00 के सापेक्ष ₹0 69620.00 कम जमा है। अतएव अवशेष वसूली योग्य धनराशि में श्री राजेश तिवारी से ₹0 34810.00 एवं श्री ओम प्रकाश यादव से ₹0 34810.00 व्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 5 संस्था के कर्मचारी श्री विद्याकान्त मिश्र को बारा पथ मार्ग की वसूली के हेतु नियुक्त किया गया था। उपरोक्त तालिका अनुसार नियुक्ति अवधि में कुल वसूली ₹0 1322720.00 निर्धारित मानक के अनुसार किए गये वसूली के सापेक्ष मात्र ₹0 317800.00 संस्था में जमा किया गया। जो मानक की धनराशि से ₹0 1014920.00 कम है। इस धनराशि की वसूली श्री विद्याकान्त मिश्र से किया जाना अपेक्षित है। श्री मिश्र द्वारा वसूली में प्रयुक्त परची की द्वितीय प्रति संस्था में जमा नहीं किया गया है। इसकी व्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 6 संस्था के कर्मचारी श्री दिनेश चन्द्र एवं श्री लालजी केशरवानी की नियुक्ति करछना मार्ग पर बालू मोरंग के वाहनों से वसूली कार्य हेतु नियुक्ति किया गया था। उक्त मार्ग पर मानक के अनुसार ₹0- 1355840.00 की वसूली की

जानी थी। मानक अनुसार की गई वसूली के सापेक्ष सम्बन्धित नियुक्त कर्मचारी द्वारा मात्र रु0 292100.00 संस्था में जमा किया गया। अवशेष धनराशि जो जमा नहीं किया गया रु0 1063740.00 की वसूली श्री दिनेश चन्द्र से रु0 531870.00 एवं श्री लाल जी केशरवानी से धनराशि रु0 531870.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। वसूली में तथ्यों को छुपाने के उद्देश्य से वसूली परची की द्वितीय प्रति संस्था में जमा नहीं कराई गई है। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। ब्याज सहित वसूली (धनराशि एवं परची) कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 7 चायल पथ मार्ग पर वसूली कार्य हेतु संस्था के कर्मचारी श्री लवकुश सरोज एवं श्री विमल चौधरी को नियुक्त किया गया था। नियुक्ति में निर्धारित मानक के अनुसार वसूली की धनराशि य0 501030 निर्धारित किया गया था, किन्तु कर्मचारी द्वारा वसूली की गई धनराशि एवं वसूली परची पूर्णतः संस्था में जमा न कर आंशिक धनराशि संस्था में मात्र रु0 167700.00 ही जमा किया गया। अस्तु अवशेष धनराशि जो मानक अनुसार जमा कराना शेष है से श्री लवकुश सरोज से रु0 166665.00 एवं श्री विमल चौधरी से रु0 166665.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 8 मजेश क्षेत्र की बालू मोरंग वाहनों से वसूली हेतु संस्था के कर्मचारी श्री शिवाकान्त शुक्ल व श्री रामधनी को नियुक्त किया गया था। उक्त मार्ग पर निर्धारित मानक अनुसार वसूली की धनराशि रु0 510300.00 वसूल कर संस्था में जमा किया जाना था, किन्तु निर्धारित मानक की धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों द्वारा मात्र रु0 131600.00 ही जमा किया गया। अवशेष धनराशि रु0 378700.00 की वसूली श्री शिवाकान्त शुक्ल से रु0 189350.00 एवं श्री रामधनी से रु0 189350.00 की वसूली। वेतन से कटौती करके संस्था में ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के साथ सम्बन्धित मार्ग की वाहन टिकट/परची की द्वितीय प्रति/प्रतिपण भी संस्था में जमा नहीं किया गया है। जिसे जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 9 बालू मोरंग वसूली क्षेत्र हण्डिया में वसूली का दायित्व श्री सुरेश चन्द्र मिश्र एवं श्री सतीश उपाध्याय को दिया गया था। उक्त मार्ग पर मानक के अनुरूप रु0 122580.00 की वसूली कर संस्था में जमा किया जाना निर्धारित किया गया था, किन्तु नियुक्त कर्मचारियों द्वारा मानक अनुरूप वसूलीकर धनराशि एवं वसूली हेतु प्राप्त की गई परची/पुस्तिका की द्वितीय प्रति संस्था में नहीं जमा की जा सकी। मानक वसूली के सापेक्ष मात्र रु0 34400.00 जमा कर अवशेष धनराशि य0 88180.00 जमा नहीं किया गया। इसकी वसूली श्री सुरेश चन्द्र मिश्र से रु0 44090.00 एवं श्री सतीश उपाध्याय से रु0 44090.00 की वसूली/वेतन से कटौती ब्याज सहित कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 10 कारोव से बालू मोरंग की वाहन वसूली हेतु श्री सकं ठा प्रसाद पाण्डेय को निर्धारित मानक रु0 44100.00 निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष श्री पाण्डेय द्वारा मात्र रु0 24300.00 जमा किया गया। शेष धनराशि रु0 19800.00 जो जमा नहीं किया गया की ब्याज सहित वसूली श्री संकठा प्रसाद पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है। संस्था द्वारा वर्ष 2013-14 में गिट्टी/बोल्डर/ बालू/ मोरंग के परिवहन पर शुल्क वसूली हेतु समय पर नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न न कराए जाने से प्रारम्भ में विभागीय कर्मचारियों से वसूली की कार्यवाही की गई तत्पश्चात लगभग छः माह पश्चात नीलामी द्वारा मार्ग को ठेकेदारी पर दिया गया। नीलामी पत्रावली की जाँच में गम्भीर आडिट आपत्तियाँ लेखा परीक्षा के सञ्ज्ञान में आयी, जिससे संस्था को भारी नुकसान/आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। जिसमें संस्था के कर्मचारी एवं अधिकारी संलिप्त पाये गये। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर 11 वर्ष 2013-14 में बारा मार्ग पर गिट्टी/बोल्डर ढुलाई पर जिला पंचायत द्वारा ढुलाई शुल्क हेतु नीलामी कार्यवाही लगभग सात माह पश्चात सम्पन्न कराई गई। गत वर्ष उक्त मार्ग की नीलामी धनराशि रु0 6927000.00 थी वर्ष 2013-14 के नीलामी में 15 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर रु0 7966050.00 के सापेक्ष 5 माह की नीलामी के लिए रु0 3319187.00 न्यूनतम बोली निर्धारित की जानी चाहिए थी, किन्तु संस्था की पत्रावली के जाँच में पाया गया कि संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कूट रचनाकर न्यूनतम बोली रुपये— 1329722.00 निर्धारित कर ठेकेदार को रु0 1991187.00, 1328000.00 में नीलामी स्वीकृत कर दिया। जिससे संस्था को रु0 1991187.00 के राजस्व की हानि हुई। इस हानि के लिए संस्था के अधिकारीगण एवं कर्मचारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 12 वर्ष 2013-14 में कारोव मार्ग पर गिट्टी बोल्डर के परिवहन पर जिला पंचायत द्वारा शुल्क की वसूली हेतु नीलामी की कार्यवाही लगभग सात माह बाद सम्पन्न की गई। सात माह तक वसूली की कार्यवाही विभागीय कर्मचारियों से कराया गया था। गत वर्ष में यह नीलामी पूरे वर्ष के लिए रु0 78000.00 में की गई थी। वर्ष 2013-14 में मानक अनुसार 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मानक रु0 89700.00 न्यूनतम बोली निर्धारित की जानी अपेक्षित थी। औसत अनुसार 7 माह समय व्यतीत हो जाने पर 5माह के लिए नीलामी की न्यूनतम बोली रु0 37375.00 निर्धारित की जानी चाहिए थी। किन्तु विभागीय अधिकारियों ने ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के लिए कूट रचना कर न्यूनतम बोली रु0 21333.00 निर्धारित किया एवं ठेकेदार को रु0 28000.00 में नीलामी की स्वीकृति प्रदान कर दी जिससे संस्था को रु0 9175.00 के राजस्व की क्षति हुई है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता पूर्णरूप से उत्तरदायी है— उच्चाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित पर कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 13 वर्ष 2013-14 के बालू मोरंग की ढुलाई करने पर परिवहन शुल्क हेतु करछना क्षेत्र की नीलामी समय पर नहीं की गई। छः माह तक विभागीय कर्मचारियों द्वारा वसूली की कार्यवाही की गई। वर्ष 2012-13 में इस मार्ग की नीलामी रु0 2265000.00 में सम्पन्न की गई थी मानक अनुसार गत वर्ष में सापेक्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष

2013-14 हेतु रू0 2604750.00 में नीलामी बोली निर्धारित कर छः माह हेतु रू0 1302375.00 न्यूनतम बोली निर्धारित की जानी चाहिए थी। किन्तु विभागीय अधिकारियों की साठ-गांठ मिलीभगत से कूटरचना कर न्यूनतम बोली रू0 475000.00 निर्धारित कर मार्ग की नीलामी रू0 520000.00 में ठेकेदार को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। फलतः जिला पंचायत को रू0 782375.00 के राजस्व की क्षति हुई। इस क्षति हेतु संस्था के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 14 वर्ष 2013-14 में चायल मार्ग पर बालू मोरंग के परिवहन से होने वाली आय में जिला पंचायत को लगभग रू0 281275.00 के राजस्व की क्षति हुई है। गत वर्ष में इस मार्ग की नीलामी रू0 837000.00 में सम्पन्न हुई थी। मानक अनुरूप 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2013-14 में नीलामी हेतु न्यूनतम बोली रू0 962550.00 लगाई जानी चाहिए थी। किन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए 6 माह की बोली रू0 481275.00 के सापेक्ष मात्र रू0 251000.00 निर्धारित कर नीलामी की कार्यवाही मात्र रू0 200000.00 में सम्पन्न कर स्वीकृति प्रदान कर दी। जिससे संस्था को रू0 281275.00 के राजस्व की क्षति हुई है। इस हेतु संस्था के अधिकारी/वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 15 वर्ष 2013-14 में मजे 1 मार्ग पर बालू मोरंग के परिवहन शुल्क में नीलामी से आय में जिला पंचायत को रू0 278250.00 के राजस्व की क्षति हुई है। जिस हेतु संस्था के अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। गत वर्ष मेजा मार्ग की नीलामी रू0 900000.00 में सम्पन्न की गई थी। वर्ष 2013-14 में लगभग 7 (सात) माह तक वसूली की कार्यवाही विभागीय कर्मचारी द्वारा सम्पन्न की गई। 5 माह के लिए नीलामी प्रक्रिया विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष की न्यूनतम बोली का मानक गत वर्ष के रू0 900000.00 के सापेक्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रू0 1035000.00 निर्धारित कर 5 माह हेतु रू0 431250.00 निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। किन्तु ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु न्यूनतम बोल रू0 431250.00 के सापेक्ष रू0 187916.00 निर्धारित कर रू0 153000.00 में नीलामी ठेकेदार के पक्ष में स्वीकृत कर दी गयी। जिससे जिला पंचायत को रुपये- 278250.00 के राजस्व की क्षति हुई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 16 हण्डिया मार्ग पर बालू मोरंग के परिवहन पत्रावली की जांच में पाया गया कि गत वर्ष में इस मार्ग की नीलामी रू0 211000.00 में सम्पन्न की गई थी। मानक अनुसार वर्ष 2013-14 हेतु 15 प्रतिशत के वृद्धि के पश्चात रू0 242650.00 निर्धारित कर न्यूनतम बोली निर्धारित की जानी चाहिए थी, किन्तु नीलामी में संलग्न कर्मचारी/ अधिकारी द्वारा कूट रचना कर न्यूनतम बोली रू0 121325.00 निर्धारित कर 6 माह के हेतु रू0 21333.00 निर्धारित कर रू0 107000.00 में नीलामी सम्पन्न कर स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जिससे जिला पंचायत को रू0 14325.00 के राजस्व की क्षति हुई है। इस हेतु संस्था के अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता एवं पटल प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 17 कोरांव मार्ग के परिवहन शुल्क बालू मोरंग की गत वर्ष 2012-13 की नीलामी रू0- 69000.00 में सम्पन्न हुई थी। वर्ष 2013-14 में गत वर्ष के सापेक्ष 15 प्रतिशत वृद्धि करके रू0 79350.00 न्यूनतम बोली निर्धारित की जानी चाहिए थी। किन्तु त्रुटिपूर्ण कूट रचित गणना करके वर्ष 2013-14 हेतु न्यूनतम बोली रू0 39675.00 निर्धारित कर 6 माह के लिए रू0 21000.00 निर्धारित कर ठेकेदार को रू0 36000.00 में नीलामी स्वीकृति प्रदान कर दी गई जिससे संस्था को रू0 3675.00 के राजस्व की क्षति हुई है। इस हेतु संस्था के अधिकारी एवं परामर्शदाता तथा पटल प्रभारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 18 संस्था द्वारा निम्न तिथियों में कुमार इन्टरप्राइजेज 1132 कटरा इलाहाबाद से ब्लोवर क्रय किया गया है जिसका खरीद मूल्य बाजार दर सेदूना लगाकर भुगतान किया गया है। बाजार में ब्रांडेड कम्पनियों के ब्लोवर की कीमत रू0 1500 से रू0 2000.00 के मध्य है। जिस पते से क्रय किया गया है। वहाँ कोई दुकान नहीं है। वाउचर में किस कम्पनी का ब्लोवर है नाम नहीं अंकित है। संस्था में ब्लोवर सत्यापन में नहीं पाया गया। अनेकों बार सत्यापन कराये जाने के लिए कहे जाने पर भी उक्त की पुष्टि में सत्यापन नहीं कराया गया। अतएव खरीद संदिग्ध है। अस्तु इसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

वा0 सं0 दिनांक मद नाम धनराशि कम्पनी/ ब्राण्ड सत्यापन

115	10.01.2013	ब्लोवर (15)	4850	अज्ञात	अप्राप्त
116	09.01.2013	"	4850	अज्ञात	अप्राप्त
117	08.01.2013	"	4850	अज्ञात	अप्राप्त
118	07.01.2013	"	4850	अज्ञात	अप्राप्त
119	05.01.2013	"	4850	अज्ञात	अप्राप्त
120	04.01.2013	"	4850	अज्ञात	अप्राप्त

योग 29100

प्रस्तर 19 गाड़ी संख्या यूपी 32 टी0सी0 1538। के साज-सज्जा पर रू0 15808.00 का व्यय वैट 12.5 प्रतिशत व सैट 1.5 प्रतिशत को सम्मिलित करते हुए दिनांक 21.11.2013 को वा0सं0 21 द्वारा बिना अनुमति के किया गया है। जो भुगतान मनोरा आटोसेल्स लालबाग लखनऊ दिनांक 05.06.2013 को किया जाना दर्शित है। अपर मुख्य

अधिकारी/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा किस आधार पर इसकी स्वीकृति प्रदान किए बिना साज सज्जा कराने की अनुमति एवं भुगतान का आदेश दिया गया, स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। साज सज्जा में किए गये इस व्यय की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 20 संस्था कार्यालय में इण्टरकाम लगाने पर निम्न दिनांक 03.05. 2013 से 05.05.2013 तक रु0 27950.00 का भुगतान किया गया है। जबकि कार्यालय में कहीं भी इण्टर का एवं इण्टर काम की वायरिंग नहीं पायी गई। अस्तु यह भुगतान सम्बन्धित को अनियमित ढंग से की जानी दर्शायी गई है। अस्तु इसकी वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। सम्बन्धित से वसूली न होने की दशा में अपर मुख्य अधि० से इसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना चाहिए।

प्रस्तर 21 संस्था के वर्ष 2012-13 के निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 12-13 में कार्य योजना के कतिपय कार्यों को वास्तव में कार्य कराये बिना अवर अभियन्ता की मदद से प्रथम किस्त का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात अभी तक कार्य पूर्ण कराया नहीं गया। अतएव भुगतान की धनराशि को सम्बन्धित अवरअभियन्ता/अभियन्ता/अपर मु० अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्र०	विकास खण्ड	वर्ष	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धनराशि
1.	बहरिया	12-13	मनसैता पुल से जीसी पक्की सड़क तक लेपन कार्य	9.60	513000
2.	बहादुरपुर	12-13	सुबाष यादव के घर से परिमोला यादव के घर तक लेपन कार्य।	9.80	361000
योग					874000

प्रस्तर 21 अ संस्था के वर्ष 2012-13 के निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 12-13 में कार्ययोजना के कतिपय कार्यों को वास्तव में कार्य कराए बिना अवर अभियन्ता की मदद से प्रथम किस्त का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात अभी तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। अतएव भुगतान की धनराशि को सम्बन्धित अवर अभियन्ता/अभियन्ता/अ०मु० अधि० से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्र०	विकास खण्ड	वर्ष	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धनराशि
1.	सैदाबाद	12-13	मनीपुर पक्की सड़क से सैदाबाद जलालपुर धर्मराज यादव के घर से वाया वउआ पुर तक लेपन कार्य।	9.80	530000
2.	प्रतापपुर	12-13	बतौना गोदी का पुरवा नहर से छतौना लेपन कार्य	9.50	497000
योग					1027000

प्रस्तर 21ब संस्था के निर्माण कार्य पत्रावलियों के जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2013-14 में कार्ययोजना के कतिपय कार्यों को वास्तव में कार्य कराए बिना अवर अभियन्ता की मदद से प्रथम किस्त का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात अभी तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। अतएव भुगतान की धनराशि को सम्बन्धित अवर अभियन्ता/अभियन्ता/अ०मु०अ० से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्र०	वि० ख०	वर्ष	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धनराशि
1	सोरांव	13-14	शान्तीपुरम में मातादीन का पुरवा में अशोक सिंह के घर से कमल तिवारी के घर तक सी०सी० कार्य	5.00	235000
2	मउआइमा	"	ग्राम सभाझी नेमउ काजीपुर अर्जुन पासी के घर से शारदा सहायक नहर के पुल तक पेन्टिंग कार्य	9.95	507000
3.	बहरिया	"	नहर के पक्की सड़क घनीराम के मशीन से सुरेन्द्र चौधरी के दली का पुरा घर से वाया भोलाचमार के घर तक पेन्टिंग कार्य	9.97	339000
4.	बहरिया	"	ग्राम सभा मेंकाली रोड पुलिया से शोभनाथ शुक्ल मंसूरपुर होते हुए मुबारकपुर का अवशेष भाग।	9.94	505000
5.	मउआइमा	"	ग्राम महरौड़ा सोरांव कल्याणपुर मार्ग हरखपुर चौराहा से सालिकराम यादव के घर से सुरेश पासी के घरतक सी०सी० कार्य	9.95	336000
योग					1922000

प्रस्तर 21 स संस्था के निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2013-14 में कार्ययोजना के कतिपय कार्यों को वास्तव में कार्य कराए बिना अवर अभियन्ता की मदद से प्रथम किस्त का भुगतानप्राप्त करने के पश्चात अभी तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। अतएव भुगतान की धनराशि को सम्बन्धित अवर अभियन्ता/अभियन्ता/अ०मु०अ०से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्र०	वि०ख०	वर्ष	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धनराशि
1	होलागढ़	13-14	ग्राम पंचायत		

पुरुषोत्तमपुर पुल से मलकिया नहर की
पटरी होते हुए मैरी रैया सायफन तक
लेपन कार्य।

9.96 394000

योग 394000

प्रस्तर 21स संस्था के निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2013-14 में कार्य योजना के कतिपय कार्यों को वास्तव में कार्य कराए बिना अवर अभियन्ता के सहयोग से प्रथम किस्त का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात अभी तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। अतएव भुगतान की धनराशि को सम्बन्धित अवर अभियन्ता/अभियन्ता/अ0मु0अ0 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्र0	वि0ख0	वर्ष	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धनराशि
1	प्रतापपुर	13- 14	ग्राम सोइराई मौजा वरेस्ताखुर्द में इण्टरलाकिंग रोड से लालजी यादव के घर होते हुए सी0सी0 रोड	9.96	201000
2.	हण्डिया "		हण्डिया " सीकी चकनेन्दू मार्ग से अजीत के घर होते हुए सरीफपुर सम्पर्क मार्ग के पेन्टिंग कार्य	9.97	372000
3.	"	"	ग्राम सभा इरिहा में रामबाबू के घर से सलीम के घर होते हुए इरिहा-इब्राहिम पुर सम्पर्क मार्ग पेन्टिंग कार्य।	9.97	303000
4.	धन्नूपुर	"	नीमी घरैया मुन्ना लाल पटेल की दुकान से लगे श्याम पटेल के घर तक पेन्टिंग कार्य	9.90	327000
5.	फूलपुर	"	ग्राम सभा अगरापट्टी मे शंकर मिश्र के घर से इलाहाबाद जौनपुर मार्गपेन्टिंग कार्य	9.95	323000
6.	" "		इलाहाबाद- फूलपुर हनुमानगंज मार्ग से नहर की पुलिया के पास पूर्व मुस्लिम बस्ती से यादव बस्ती तक पेन्टिंग कार्य।	9.90	242000
			योग		1768000

जिला पंचायत :- जिला पंचायत प्रयागराज जनपद - प्रयागराज लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15

प्रस्तर 01—संस्था द्वारा कार्यालय परिसर में 2 दूकानों का बकाया किराया रू0— 226884.00 है, की वसूली की कार्यवाही नहीं की जा रही है। दूकान संख्या- 01 श्री मनोज कुमार वर्मा से संलग्न सूची के अनुसार रू0 132192.00 एवं 2 श्री अजय प्रकाश पाण्डेय से संलग्न सूची के अनुसार रू0 94692.00 बकाया 31.03.2016 तक लेखा परीक्षा द्वारा निर्धारित किया गया है। यह बकाया कमशः 171 माह एवं 99 माह का बकाया है। इतने अधिक समय से किराये की वसूली न किये जाने का कारण संस्था प्रशासन की उदासीनता का प्रतीक है।

1— श्री मनोज कुमार वर्मा को माह अक्टूबर 2002 में रू0 500.00 की दर से (मासिक किराया) दुकान शासनादेशसंख्या-6336/33-3-1997-1850919 दिनांक 27.12.1997 पंचायती राज अनुभाग-3 के अधीन दी गयी थी। कब्जे की तिथि से श्री वर्मा द्वारा कोई किराया नहीं दिया जा रहा है। जबकि उपरोक्त शासनादेश अनुसार प्रत्येक 3 वर्षों के पश्चात 25 प्रतिशत किराये की वृद्धि कर वसूली की जानी अपेक्षित थी। संस्था के किराया रजिस्टर को पूर्ण कर मांग कर वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी। जिसका मूल कारण संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों का सम्बन्धित किरायेदारों से व्यक्तिगत सम्बन्ध पाया गया। अधिकारी कर्मचारी किसी भी दशा में सम्बन्धित किरायेदार का किराया शासनादेश अनुसार निर्धारित कर वसूली की कार्यवाही नहीं करना चाहते, जो अति गम्भीर प्रकरण है। अवएव संलग्न सूची के अनुसार वसूली की कार्यवाही एवं दुकानों का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही अपेक्षित है। दुकानदारों/किरायेदारों द्वारा आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

02— श्री अजय प्रकाश पाण्डेय का बकाया किराया 2008 से अवशेष है (माह अप्रैल, मई) से बकाया है। जिन्होंने आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया है। अस्तु बकाया धनराशि की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही के साथ आवंटन निरस्त किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 02— जिला पंचायत द्वारा मऊआइमा बाजार में क्रमांक 1 से 5 तक की दूकानों के आवंटन माह फरवरी 2009 से किया गया है जिसमें दूकान संख्या 01 का कोई विवरण ज्ञात नहीं हो सका कि दूकान किसी को आवंटित है अथवा नहीं। अस्तु टिप्पणी नहीं की जा सकी।

दूकान संख्या 02 एवं 03 श्री अब्दुल जब्बार को आवंटित है जिस पर वर्ष 2011 में माह जनवरी का किराया जमा है। शेष किराया की वृद्धि शासनादेशों के अन्तर्गत रु0— 23832.00 व 23832.00 योग रु0— 47664.00 बकाया है। जिसकी वसूली हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए।

दूकान संख्या 04 श्री शबीउद्दीन के नाम आवंटित है जिन पर दिनांक 31.03.2016 तक संलग्न सूची के अनुसार किराया वृद्धि शासनादेश के अनुरूप रु0— 23832.00 बकाया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

दूकान संख्या—05 श्री मो0 वसीम पर उपरोक्त किराया वृद्धि शासनादेश के अनुसार कुल रु0— 31032.00 बकाया है, जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

स्पष्ट है कि संस्था द्वारा किराया वसूली का प्रयास नहीं किया जा रहा है, सम्बन्धित आवंटियों को किराया वृद्धि के बिना किराया जमा कराने का प्रयास किया जा रहा है। आवंटियों द्वारा किराये जमा करने की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। अस्तु आवंटन निरस्त करने, बकाया किराये की वसूली किये जाने एवं पुर्नआवंटन की कार्यवाही की जानी चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 03— मऊआइमा स्थित संस्था की दूकानों से सम्बन्धित आवंटियों द्वारा नियमानुसार स्टैम्प पेपर नहीं लगाया गया है, जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है। निम्नवत् विवरण के अनुसार स्टैम्प पेपर लगाया जाना अपेक्षित है।

दुकान नं0— 02— श्री अब्दुल जब्बार रु0 2960.00 के स्टैम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबन्ध नहीं, राजकीय राजस्व हानि।

दुकान नं0— 03— श्री अब्दुल जब्बार रु0 2960.00 के स्टैम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबन्ध नहीं, राजकीय राजस्व हानि।

दुकान नं0— 04— श्री शबीउद्दीन रु0 3200.00 के स्टैम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबन्ध नहीं, राजकीय राजस्व हानि।

दुकान नं0— 05— श्री मो0 वसीम रु0 4000.00 के फर्जी स्टैम्प पेपर लगाकर अनुबन्ध कराया, राजकीय राजस्व हानि।

दिनांक 17.03.2009 को कय दर्शित स्टैम्प पेपर पर क्रमांक नहीं है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 04—जिला पंचायत परिसर में स्थित दूकान संख्या— 01 जो श्री मनोज कुमार वर्मा के नाम आवंटित हैं। आवंटन के समय रु0— 40000.00 प्रीमिअम की धनराशि एवं किराया की धनराशि तथा रु0 10600.00 के स्थान पर मात्र रु0— 500.00 का स्टाम्प पेपर (जो फर्जी है पर) अनुबन्ध पत्र लगाया गया है। अस्तु रु0— 10600 की राजस्व हानि हुयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 05— जिला पंचायत की दुकान संख्या 02 श्री अजय प्रकाश पाण्डेय द्वारा अनुबन्ध पत्र में संलग्न स्टैम्प पेपर 5X100=500.00 दिनांक— 08.11.2002 फर्जी है। जिस पर कोई क्रमांक नहीं है। राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 06—सिरसा में जिला पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों का अवशेष बकाया किराया जो वसूल किया जाना अपेक्षित है। क्रमांक 01 से 25 तक (जिसकी सूची संलग्न है) का लेखा परीक्षा द्वारा अभिलेखों का परीक्षण जमा किराया शासनादेशों के अनुरूप 25 प्रतिशत प्रति तीन वर्षों के बाद वृद्धि की गणना कर तैयार सूची अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक का बकाया रु0— 1958496.00 बकाया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अविलम्ब किया जाना अपेक्षित है। अतः इस ओर संस्था के अपर मुख्य अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदया का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर 07—हण्डिया स्थित जिला पंचायत की क्रमांक 01 से 30 तक की दूकानों का किराया लेखा परीक्षा द्वारा संस्था के अभिलेखों के परीक्षण संस्था में विगत वर्षों में जमा किराये का समायोजन शासनादेश संख्या— 6336/33-3-1997-1850919 दिनांक 27.12.1997 पंचायती राज अनुभाग 3 के अनुसार बकाया धनराशि रु0— 2999395.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही यथाशीघ्र किया जाना अपेक्षित है। संस्था के अपर मुख्य अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदया का ध्यान वसूली एवं अपेक्षित कार्यवाही किये जाने की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर 08—संस्था के कैम्पस में निर्मित आवासों में आवंटित कर्मचारियों द्वारा जलकर, सीवरकर, एवं आवास मेन्टीनेन्स का किराया का भुगतान संस्था को नहीं किया जा रहा है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की ओर अपर मुख्य अधिकारी महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्रांक— 260(2)ई0जी0/23-5-13-50 (71)ई0जी0/04 दिनांक—18.03.2013 प्रमुख अभियन्ता उत्तर प्रदेश लो0नि0वि0 लखनऊ बजट (ख) वर्ग का पृष्ठांकन पत्र संख्या— 459 बी0जी0बी0जी0/120 बी0जी0/रा0प्रा0/2012-13 दिनांक 23.03.2013 के अनुपालन में पूल्ड आवासों एवं विभागीय आवासों का प्रचलित मासिक किराया का निर्धारण तीन गुणा किया जाता है। इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक—09.10.1998 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। अन्य शर्तें पूर्ववत् लागू है—

जलकर एवं सीवर कर

क्रम	आवंटित कर्मचारी का नाम	टाइप आवास	आवास की अवधि	जलकर	सीवर कर वसूली	योग्य धनराशि
	वर्ष	माह	मासिक दर	धनराशि	मासिक दर	धनराशि
01	श्री हीरामणि मिश्र	वन	15वर्ष	180	5	900
						1800.00

02	श्री त्रिभुवन सिंह वन	15वर्ष	180	5	900	5	900	1800.00
03	श्री बच्चन लाल वन	15वर्ष	180	5	900	5	900	1800.00
04	श्री हरि प्रसाद मौर्यवन	15वर्ष	180	5	900	5	900	1800.00
05	श्री कामता प्रसाद वन	15वर्ष	180	5	900	5	900	1800.00
06	श्रीमती मुधना देवीवन	15वर्ष	180	5	900	5	900	1800.00
07	श्री गंगा रामवन	15वर्ष	180	5	900	5	900	1800.00
08	श्रीमती प्रियंका सिंहवन	4 वर्ष	50	5	250	5	250	500.00
09	श्रीमती कमला देवीवन	10वर्ष	120	5	600	5	600	1200.00
10	श्री अनिल कुमार वन	15वर्ष	180	5	900	5	900	1800.00
11	श्री गिरजा शंकर टाइप टू	17.10 वर्ष	214	8	1712	10	2140	3852.00
12	श्रीमती उर्मिला कुशवाहाटाइप टू	5 वर्ष	60	8	480	10	600	1080.00
13	श्री सुमित्रों दत्ता टाइप टू	2 वर्ष	20	8	160	10	200	360.00
14	श्री लाल जी सिंह टाइपटू	17.10 वर्ष	214	8	1712	10	2140	3852.00
15	श्री अभय राज सिंहटाइप टू	17.10 वर्ष	214	8	1712	10	2140	3852.00
16	श्री रमाकान्त दुबे टाइप टू	17.10 वर्ष	214	8	1712	10	2140	3852.00
17	श्री लल्ला सिंह टाइप टू	17.10 वर्ष	214	8	1712	10	2140	3852.00
18	श्री मणि प्रताप सिंहटाइप टू	01 वर्ष	10	8	80	10	100	180.00
वसूली योग्य धनराशि—								35180.00

प्रस्तर 09— संस्था के आवासों में आवासित कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित दर पर आवास मेन्टीनेन्स की कटौती नहीं की जा रही है, जो किया जाना अपेक्षित है—

आवास मेन्टीनेन्स किराया			08—1998 से			04—2013 से		
क्रम	आवासित कर्मचारी का नामटाइप आवास	आवास की अवधि फलैट मेन्टीनेन्स	रेन्ट	प्रचलित फलैट रेन्ट X 3गुणा	वसूली योग्य धनराशि	वसूली योग्य धनराशि	वसूली योग्य धनराशि	वसूली योग्य धनराशि
		वर्ष	माह	माह मासिक दर	धनराशि माह	मासिक दर	धनराशि	धनराशि
01	श्री हीरामणि मिश्र वन	15वर्ष	180	138	70	9660	42	210 8820 18480
02	श्री त्रिभुवन सिंह वन	15वर्ष	180	138	70	9660	42	210 8820 18480
03	श्री बच्चन लाल वन	15वर्ष	180	138	70	9660	42	210 8820 18480
04	श्री हरि प्रसाद मौर्य वन	15वर्ष	180	138	70	9660	42	210 8820 18480
05	श्री कामता प्रसाद वन	15वर्ष	180	138	70	9660	42	210 8820 18480
06	श्रीमती मुधना देवी वन	15वर्ष	180	138	70	9660	42	210 8820 18480
07	श्री गंगा राम(मृतक) वन	15वर्ष	180	138	70	9660	42	210 8820 18480
08	श्री अनिल कुमार वन	15वर्ष	180	138	70	9660	42	210 8820 18480
09	श्रीमती प्रियंका सिंह वन	4वर्ष	50	8	70	560	42	210 8820 9380
10	श्रीमती कमला देवी वन	10वर्ष	120	78	70	5460	42	210 8820 14280
11	श्री गिरजा शंकर टाइप टू	17.10 वर्ष	214	172	150	25800	42	450 18900 44700
12	श्री लाल जी सिंह टाइप टू	17.10 वर्ष	214	172	150	25800	42	450 18900 44700
13	श्री अभय राज सिंह टाइप टू	17.10 वर्ष	214	172	150	25800	42	450 18900 44700
14	श्री रमाकान्त दुबे टाइप टू	17.10 वर्ष	214	172	150	25800	42	450 18900 44700
15	श्री लल्ला सिंह टाइप टू	17.10 वर्ष	214	172	150	25800	42	450 18900 44700
16	श्रीमती उर्मिला कुशवाहाटाइप टू	5.00 वर्ष	60	18	150	2700	42	450 18900 21600
17	श्री सुमित्रों दत्ता टाइप टू	2.00 वर्ष	20	—	—	—	20	450 9000 9000
18	श्री मणि प्रताप सिंह टाइप टू	01.00 वर्ष	10	—	—	—	10	450 4500 4500
वसूली किये जाने योग्य धनराशि—								430100.00

अतः उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन से उपरोक्तानुसार धनराशि कटौती कर संस्था में जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस ओर अपर मुख्य अधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर 10—संस्था के कार्यालय परिसर में स्थित आवासों की जाँच में (भौतिक सत्यापन) में पाया गया कि किसी कर्मचारी आवास में विद्युत कनेक्शन नहीं लिया/कराया गया है। सभी आवासों में बिजली की आपूर्ति कार्यालय के कनेक्शन से दिया गया है, जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। सम्बन्धित आवासित कर्मचारियों से उपभोग की गयी विद्युत मूल्य की (समस्त करों सहित) वसूली आवासित कर्मचारी से नहीं की जा रही है। अधिभार सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

ज्ञातव्य हो कि ज्ञातव्य हो कि एल0एम0वी0—1 डोमेस्टिक लाइट फैन एण्ड पावर के विद्युत मूल्य के सापेक्ष एल0एम0वी0—3 लाइट फैन एण्ड पावर फॉर पब्लिक एण्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का विद्युत मूल्य दर अधिक होता है। अर्थात् संस्था को प्रति उपयोगित यूनिट दर 4.40 के सापेक्ष दर 7.75 प्रति यूनिट का अधिक भुगतान करना पड़ रहा है, जिसके लिये संस्था के वित्तीय परामर्शदाता एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। वसूली की एवं कनेक्शन न लगवाने की कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

संस्था के अधिकांश कर्मचारियों के आवासों में ए0सी0 लगाया गया है, जिसमें कुछ की पुष्टि भौतिक सत्यापन में आडिट द्वारा की गयी। जिनसे पिछले वर्षों 01.04.2010 से 31.03.2016 तक की गणना कर वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आवास में आवासित अवधि का विद्युत उपयोग की औसत गणना कर वसूली की कार्यवाही

अपेक्षित है। संलग्न तालिका के अनुसार 01.04.2010. से 31.03.2016 तक की विद्युत वसूली योग्य धनराशि निम्नवत् है—

नाम कर्मचारी	आवास में ए0सी0 लगी है	वसूली योग्य धनराशि
1 श्री लाल जी सिंह	आवास में ए0सी0 लगी है	182390.46
2 श्री लल्ला सिंह	आवास में ए0सी0 लगी है	182390.46
3 श्री रमाकान्त दुबे	आवास में ए0सी0 लगी है	182390.46
4 श्री सुमित्रों दत्ता	आवास में ए0सी0 लगी है	58153.48
5 श्रीमती उर्मिला कुशवाहा	आवास में ए0सी0 लगी है	158600.40
6 श्री गिरजा शंकर	आवास में ए0सी0 नहीं लगी है	150680.82
7 श्री अभयराज सिंह	आवास में ए0सी0 नहीं लगी है	150680.82
8 श्री मणिप्रताप सिंह	आवास में ए0सी0 नहीं लगी है	21837.80
9 श्री हीरामणि सिंह	आवास में ए0सी0 नहीं लगी है	150680.82
10 श्री त्रिभुवन सिंह	आवास में ए0सी0 नहीं लगी है	150680.82
11 श्री बच्चन लाल	आवास में ए0सी0 नहीं लगी है	150680.82
12 श्री हरि प्रसाद	आवास में ए0सी0 नहीं लगी है	150680.82
13 श्री कामता प्रसाद	आवास में ए0सी0 नहीं लगी है	150680.82
14 श्रीमती बुधना देवी	आवास में ए0सी0 नहीं लगी है	150680.82
15 श्रीमती प्रियंका सिंह	आवास में ए0सी0 नहीं लगी है	109189
16 श्रीमती कमला देवी	आवास में ए0सी0 नहीं लगी है	150680.82
17 श्री अनिल कुमार	आवास में ए0सी0 नहीं लगी है	150680.82

वसूली योग्य धनराशि— 2401760.26

अतः उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन से उपरोक्तानुसार धनराशि कटौती कर संस्था में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

जिला पंचायत— प्रयागराज

जनपद— प्रयागराज

(लेखा परीक्षा वर्ष— 2016—17)

प्रस्तर 1—दिनांक 27—05—2016 को कैशबुक के पृष्ठ संख्या 21 पर प्रमाणक संख्या 31 द्वारा रूपया 199000.00 जिला पंचायत कार्यालय के इनवर्टर लगाने पर व्यय किया गया अंकित है, जिसके साथ इनवर्टर क्रय की रसीद/ कैसमेमों एवं जिला पंचायत सदन का प्रस्ताव/ स्वीकृति नहीं प्रस्तुत किया गया है। बिल पर प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 15—06—2014 अंकित है। बिल पास करने की तिथि 28—05—2015 अंकित है। वित्तीय परामर्शदाता द्वारा (वीणपीण्डी) इस शर्त के साथ बिल प्रतिहस्ताक्षरित है कि मण्डलायुक्त की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये परन्तु मण्डलायुक्त की स्वीकृति या अन्य कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। मृत स्कन्द पंजिका में अंकन कर भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया गया है। लेखा परीक्षा समय इनवर्टर लगाये जाने की पुष्टि कार्यालय के अवलोकन से भी नहीं पुष्ट हो सकी। इस प्रकार 04 वर्ष पूर्व का व्यय दर्शाकर रूपया 19900.00 का दुरुपयोग संस्था के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता अवर अभियन्ता (मुख्यालय) एवं लेखाकार द्वारा किया गया है, जिस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों एवं जिला पंचायत सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर (2) दिनांक 03—06—2016 को कैश बुक के पृष्ठ संख्या 26 पर वाऊचर नम्बर 2—6 तक की धनराशि दर्शाकर रूपया 19000.00 कार्यालय के वाहन ईंधन पर व्यय खारिज किया गया है, जबकि प्रस्तुत प्रमाणक नम्बर 2—5 तक की धनराशि रूपया 17000.00 होती है इस प्रकार रूपया 2000.00 से अधिक रोकड खारिज कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है, जिस प्रति संस्था के अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः रूपया 2000.00 की ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी से हर स्वरूप सिंह वर्मा एवं लेखाकार श्री हनुमान प्रसाद यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर (3) दिनांक 04—07—2016 को कैश बुक पृष्ठ संख्या 47 पर श्रीमती नमिता दत्ता स्व0 दीपक कान्त दत्ता का नकदीकरण अवशेष बिल अनुसार रूपया 20380.00 (रूपया बीस हजार तीन सौ अस्सी) है, परन्तु कैश बुक से रूपया 23080.00 (रूपया तेईस हजार अस्सी) खारिज है। इस प्रकार रूपया 2700.00 अधिक रोकड खारिज कर संस्था को क्षति पहुँचायी गयी है, जिस प्रति संस्था के लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। अतः रूपया 2700.00 की ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी से हर स्वरूप सिंह वर्मा एवं लेखाकार श्री हनुमान प्रसाद यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर (4) लेखा परीक्षा में उपलब्ध कर सूची एवं सम्बन्धित पटल सहायकों से प्राप्त सूचना के आधार पर वसूली की धनराशियों के आधार पर लेखा परीक्षानुसार मात्र दो वर्षों 2014—15 व 2015—16 की माँग के सापेक्ष वर्ष 2015—16 व 2016—17 की वसूली एवं बकाया के धनराशि की गणना के आधार पर संस्था को क्षति पहुँचायी गयी। आर्थिक क्षति का विवरण निम्नवत् है:—

विकास खण्ड मेजा के वर्ष 2014-15 की कर सूची के अनुसार कुल करदाताओं की संख्या 397 प्रस्तावित कुल कर की धनराशि रुपये 4,39,860.00 जिसके सापेक्ष वसूली वर्ष 2015-16 में मात्र रुपये 1,26,340.00 वर्षान्त में अवशेष रुपये 3,13,520.00 वित्तीय वर्ष 2015-16 में कर सूची के अनुसार कुल कर दाताओं की संख्या 324 प्रस्तावित कुल कर की धनराशि रुपये 4,09,410.00 + 3,13,520.00 (पिछला अवशेष)= 7,22,930.00 के सापेक्ष वर्ष 2016-17 में वसूली रुपये 1,26,400.00 घटाने पर 31-03-2017 को अवशेष रुपये 5,96,530.00 की वसूली न होने से संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है, जिस प्रति मेजा विकास खण्ड के राजस्व निरीक्षक श्री विपिन बिहारी गुप्ता एवं कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी उत्तरदायी है, जिनसे वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 में कर दाताओं की संख्या 397 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में कर दाताओं की संख्या मात्र 324 है, जिससे उपरोक्त द्वय द्वारा निज हित में संस्था हित की उपेक्षा की गयी, प्रतीत होता है इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर (5) विकास खण्ड माण्डा से प्रस्तावित की सूची एवं मांग उगाही की वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के जाँच में संस्था को रुपये 1078700.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है, विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष 2014-15 में कुल करदाता संख्या 486 एवं प्रस्तावित सम्पत्ति एवं विभव कर की धनराशि रुपये 696225.00 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में वसूली रुपये 169300.00 वर्षान्त में अवशेष रुपये 52692.00 वर्ष 2015-16 में कुल करदाता संख्या 442 प्रस्तावित कर रुपये 721850+526925 पिछला अवशेष 1248775.00 के सापेक्ष वर्ष 2016-17 में वसूली 170075.00 है। दिनांक 31/3/2017 को बकाया अवशेष रुपये 1078700.00 की वसूली न करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है, जिस हेतु माण्डा के राजस्व निरीक्षक श्री विपिन बिहारी गुप्ता एवं कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी है।

प्रस्तर (6) आपत्ति संख्या 07 के क्रम में विकास खण्ड हण्डिया से सम्पत्ति एवं विभव कर की वसूली न होने के कारण रुपये 17,97,320.00 की आर्थिक क्षति हुई है, विवरण निम्नवत् है-

वर्ष 2014-15 में कुल कर दाता संख्या 439 प्रस्तावित कर-	11,19,230.00
वर्ष 2015-16 में वसूली	(-) 1,92,390.00

दिनांक 31-03-2016 को अवशेष	9,26,840.00
वर्ष 2015-16 में कुल कर दाता 890 प्रस्तावित कर-	(+) 10,57,780.00

योग:-	19,84,620.00
वर्ष 2016-17 में वसूल	(-) 1,87,300.00

दिनांक 31-03-2017 को बकाया अवशेष	17,97,320.00

वर्ष 2014-15 में कुल कर दाता संख्या 486 एवं प्रस्तावित सम्पत्ति एवं विभव कर की धनराशि रुपये 696225.00 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में वसूली रुपये 169300.00 वर्षान्त में अवशेष रुपये 52692.00 वर्ष 2015-16 में कुल कर दाता संख्या 442 प्रस्तावित कर रुपये 721850 + 526925 (पिछला अवशेष 1248775.00 के सापेक्ष वर्ष 2016-17 में वसूली 170075.00 है। दिनांक 31-03-2017 को बकाया अवशेष रुपये 1078700.00 की वसूली न करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है, जिस हेतु माण्डा के राजस्व निरीक्षक श्री विपिन बिहारी गुप्ता एवं कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी है।

उपरोक्तानुसार रुपये 17,97,320.00 से संस्था को आर्थिक क्षति हेतु विकास खण्ड- हण्डिया के राजस्व निरीक्षक श्री सुरेश चन्द्र मिश्र एवं संस्था के कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी उत्तरदायी है।

प्रस्तर (07) विकास खण्ड चाका से सम्पत्ति एवं विभव कर की वसूली न होने के कारण रुपये 22,28,020.00 की आर्थिक क्षति हुई है, विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष 2014-15 में कुल कर दाता संख्या 1335 प्रस्तावित कर-	18,38,350.00
वर्ष 2015-16 में वसूली	(-) 8,31,880.00

दिनांक 31-03-2016 को अवशेष	10,06,970.00
वर्ष 2015-16 में कुल कर दाता 1374 प्रस्तावित कर-	(+) 20,84,850.00

योग:-	30,91,820.00
वर्ष 2016-17 में वसूल	(-) 8,63,800.00

दिनांक 31-03-2017 को बकाया अवशेष	22,28,020.00

उपरोक्तानुसार रुपये 22,28,020.00 की सम्पत्ति एवं विभव कर (सी0पी0कर) वसूल न होने के कारण संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है, जिस हेतु विकास खण्ड चाका के राजस्व निरीक्षक श्री प्रभात शुक्ला एवं संस्था के कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर (08) विकास खण्डवार ईट भट्टों का लाइसेंस रजिस्टर से सम्बन्धित विकास खण्ड के कर सूची का मिलान करने पर पाया गया है कि लाइसेंस शुल्क जमा है, परन्तु कर सूची में अमुक भट्टे का नाम नहीं सम्मिलित है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा निज हित में जान बूझकर कर सूची में सम्मिलित न करके संस्था को प्राप्य कर से आर्थिक क्षति पहुँचायी जा रही है। इस प्रति संस्था के कर अधिकारी भी उत्तरदायी है। इस क्रम में विकास हण्डिया के ईट भट्टे जिनका लाइसेंस शुल्क जमा है, परन्तु कर सूची में नाम नहीं अंकित है। संस्था के उपविधि के अनुसार ईट भट्टे का वार्षिक सी0पी0कर रूपया 6000.00 निर्धारित है, विवरण निम्नवत् है:-

क्र0स0	फर्म का नाम	प्रो नाम/पता	कब से वर्ष	निर्धारित कर की धनराशि
01	मे0 तिरंगा ब्रिक्स	फील्डस विजय कुमार चाका	2010-11से 15-16	6000X6=36000.00
02	जनता ब्रिक्स फील्डस	प्रभुनाथ गुप्ता सियाडीह	2010-11से 15-16	6000X6=36000.00
03	आर0के0वी0ईट उद्योग	शिव कुमार जायसवाल कटहरा	2010-11से 15-16	6000X6=36000.00
04	जय गणेश ईट उद्योग	अशोक कुमार सिंह कसौधन	2010-11से 15-16	6000X6=36000.00
05	मैं0 प्रकाश ईट उद्योग	ओम प्रकाश मिश्र सदुबहा	2014-15से 15-16	6000X2=12000.00
06	भट्ट लाईट उद्योग रमापति पायल सदुबहा		2014-15से 15-16	6000X2=12000.00
			योग	168000.00

इस प्रकार हण्डिया विकास खण्ड से सम्बन्धित उपरोक्त 06 ईट भट्टे लाइसेंस रजिस्टर के अनुसार चल रहे हैं, परन्तु कर सूची में सम्मिलित न करके संस्था के प्राप्य कर रूपया 1,68,000.00 से आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली विकास खण्ड हण्डिया के राजस्व निरीक्षक श्री सुरेश चन्द्र मिश्र से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर (09) विकास खण्ड जसरा के ईट भट्टे के लाइसेंस रजिस्टर के कर सूची से मिलान करने पर पाया गया कि निम्नांकित ईट भट्टों का लाइसेंस नवीनीकरण के बावजूद भी कर सूची में नहीं सम्मिलित किया गया है:-

क्र0स0	फर्म का नाम	प्रो0 का नाम व पता	संचालन अवधि	निर्धारित कर
01	मैं0 बाबा ईट उद्योग	सत्य नारायण सिंह, चौकठा, खगवना	2012-13 से 16-17	6000X5=30,000.00
02	जय सिया राम ईट उद्योग	महावीर प्रसाद केशरवानी इरादतगंज	2012-13 से 16-17	6000X5=30,000.00
03	श्री गणेश ईट उद्योग	अमर सिंह, बिगहिया	16-17	6000X1=6,000.00
			योग	66000.00

उपरोक्त विवरणानुसार विकास खण्ड जसरा से संस्था को प्राप्य सी0पी0कर रूपया 66000.00 से राजस्व निरीक्षक श्री प्रवीण प्रकाश द्वारा क्षति पहुँचायी गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर (10) विकास खण्ड माण्डा ईट भट्टों के लाइसेंस रजिस्टर एवं प्रस्तावित सी0पी0कर सूची की जाँच में पाया गया कि निम्नांकित ईट भट्टों का लाइसेंस शुल्क जमा है, परन्तु कर सूची में सम्मिलित न करके प्राप्य कर से संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है, विवरण निम्नवत् है:-

क्र0स0	फर्म का नाम	प्रो0 का नाम व पता	संचालन अवधि	निर्धारित कर
01	दादा ईट उद्योग	श्री अविलेख कुमार, चिलबिला	2012-13 से 16-17	6000X5=30,000.00
02	ओम साई ईट उद्योग	सन्तोष कुमार दिधिया	2012-13 से 16-17	6000X5=30,000.00
03	शिव शक्ति ईट उद्योग	अरुण कुमार सिंह नहवाई माण्डा	2012-13 से 16-17	6000X5=30,000.00
04	नारायण ईट उद्योग	अखिलेश कुमार सिंह जलैया नहवाई	2012-13 से 16-17	6000X5=30,000.00
05	मैं0 लक्ष्मी ईट उद्योग	श्रीमती सीमा केशरी कनेवरा	2013-14 से 16-17	6000X4=24,000.00
06	साईनाथ ईट उद्योग	शेषमणि तिवारी वमनी हेठार	2013-14 से 16-17	6000X4=24,000.00
			योग	1,68,000.00

उपरोक्त के क्रम में विकास खण्ड मेजा में लेखा परीक्षण समय आकस्मिक निरीक्षण में संज्ञान में आय कि निम्नांकित ट्रेक्टर/फोर हवीलर ऐजेन्सी कई वर्षों से संचालित हो रही है, जिनका जिला पंचायत इलाहाबाद के सी0पी0कर सूची/ रजिस्टर एवं लाइसेंस शुल्क पंजी में न तो दर्ज है न ही कर एवं लाइसेंस शुल्क की वसूली की गयी है, विवरण निम्नवत् है:-

क्र0स0	ग्राम	फर्म का नाम	लाइसेंस शुल्क	सी0पी0कर योग
01	मेजा रोड पॉती इलाहाबाद	मिरजापुर कमल ऑटो मोबाईल प्रो0-निर्मल मिश्रा पुत्र- धनीशंकर	2020	6000 8020
02	मेजा रोड पॉती इलाहाबाद	मिरजापुर प्रो0-अभिषेख मिश्रा पुत्र- कमल मिश्रा, ट्रेक्टर ऐजेन्सी	2020	6000 8020
03	मेजा रोड पॉती इलाहाबाद	मिरजापुर इण्डोफार्म ट्रेक्टर ऐजेन्सी प्रो0- बाबू लाल पटेल	2020	6000 8020
04	मेजा रोड पॉती इलाहाबाद	मिरजापुर धर्मपुरा ब्रदर्स ट्रेक्टर ऐजेन्सी प्रो0-दिनेश कुमार मिश्रा	2020	6000 8020
05	मेजा रोड पॉती इलाहाबाद	मिरजापुर ग्रीन लैण्ड मोटर्स मारुती शोरूम प्रो0-शादीक अहमद	2020	6000 8020
06	मेजा रोड पॉती इलाहाबाद	मिरजापुरबालाजी ऑटो सेल्स विश्वास टैक्टर ऐजेन्सी	2020	6000 8020
07	मेजा रोड पॉती इलाहाबाद	मिरजापुरसरस्वती ऑटो मोबाईल प्रो0- राकेश कुमार तिवारी	2020	6000 8020
08	मेजा रोड पॉती इलाहाबाद	मिरजापुरजे0पी0इण्टरप्राइजेज प्रो0- जय प्रकाश तिवारी		
			इम्पलीमेंट एण्ड वल्टीवॉटर पार्ट्स	2020 6000 8020

वर्ष 2015-16 व 2016-17 दो वर्ष का X 2 =1,44,360.00

इससे पूर्व वर्षों की अभिलेखीय जांचकर दायित्व निर्धारण हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त विवरणानुसार विकास खण्ड माण्डा से ईट भट्टों विकास खण्ड मेजा में संचालित ऑटो ऐजेन्सीज को अभिलेख में अंकित न करके एवं लाइसेन्स शुल्क रूपया 3,12,360.00 से राजस्व निरीक्षक श्री विपिन बिहारी गुप्ता द्वारा संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर (11) विकास खण्ड चाका के वर्ष 2015-16 व 2016-17 के कर सूची रजिस्टर से लाइसेन्स रजिस्टर के मिलान करने पर पाया गया कि निम्नांकित डीजल + पेट्रोल पम्प के लाइसेन्स शुल्क जमा है, परन्तु कर सूची में नाम नहीं अंकित है न ही कर निर्धारण किया गया है। इस संस्था को प्राप्य रूपया 36000.00 सी0पी0कर से क्षति पहुँचायी गयी है, जिस हेतु कर अधिकारी श्री प्रभात शुक्ल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	फर्म का नाम/ स्थान	प्रो0 का नाम	वर्ष	प्राप्य कर
01	मे0 हाइवे सर्विस स्टेशन डांडी महेवा	एस0मुसरत हुसैन	2015-16 से 2016-17	6000X2=12,000.00
02	मे0 सजीवन फ्यूल्स धनुहा	श्री सजीवन	2015-16 से 2016-17	6000 X 2=12,000.00
03	काशी विश्वनाथ फ्यूल्स इरादतगंज	प्रो0 विश्वनाथ गुप्ता	2015-16 से 2016-17	6000 X 2=12,000.00
योग				36,000.00

प्रस्तर (12) विकास खण्ड माण्डा के डीजल + पेट्रोल पम्प लाइसेंस शुल्क जमा रजिस्टर से सी0पी0 कर सूची के मिलान करने पर पाया गया कि निम्नांकित डीजल + पेट्रोल पम्प लाइसेंस शुल्क जमा है, परन्तु सी0पी0कर सूची में नाम नहीं है इस प्रकार प्राप्य कर प्रस्तावित/निर्धारण न किए जाने से संस्था को रूपया 10,800.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है, जिस प्रति राजस्व निरीक्षण श्री विपिन बिहारी गुप्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	फर्म का नाम/स्थान	प्रो0 का नाम	वर्ष	प्राप्य सी0पी0 कर
01	मे0 किसान सेवा के0 राजापुर	श्रीमती मीना पत्नी- विनय कुमार	2010-11 से 2016-17	6000X7=42,000.00
02	श्री कृष्ण फीलिंग स्टेशन टिकरी	श्री अर्चित अग्रवाल	2009-10 से 2016-17	6000X8=48,000.00
03	हीरावती/ब्रह्म नारायण ऑटो मोबाईल गिरधरपुरबाल कृष्ण तिवारी		2014-15 से 2016-17	6000X3=18,000.00
योग				1,08,000.00

प्रस्तर 13) विकास खण्ड जसरा के पेट्रोल + डीजल पम्प लाइसेंस शुल्क जमा रजिस्टर से सी0पी0 कर सूची के मिलान करने पर पाया गया कि लाइसेंस रजिस्टर अनुसार निम्नांकित पेट्रोल पम्पों के लाइसेंस शुल्क जमा है, परन्तु सी0पी0कर सूची रजिस्टर में नाम नहीं है, जिससे सी0पी0कर का निर्धारण नहीं किया गया है, जिससे संस्था को उपरोक्त मद में प्राप्य सी0पी0कर रूपया 54,000.00 से संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है, जिस प्रति राजस्व निरीक्षक श्री प्रवीण प्रकाश उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत् है :-

क्रस	फर्म का नाम/स्थान	प्रो0 का नाम	वर्ष	प्राप्य सी0पी0 कर
01	शहीद अजय पेट्रोलियम गौहनिया श्रीमती आभा सिंह	पत्नी-अजय सिंह	2012-13से 2016-17	6000X5=30,000.00
02	श्री हरी कृष्ण एस0पी0 जम्नन कौंटी श्री शुभम् माहेश्वरी पुत्र-श्री राजीव माहेश्वरी		2015-1से 2016-17	6000X2=12,000.00
03	श्री सौई मानस आटों फ्लीट्स कौंटी श्रीमती साधना पाण्डेयपत्नी-अरविन्द पाण्डेय		2015-16 से 2016-17	6000X2=12,000.00
योग				54000.00

प्रस्तर (14) विकास खण्ड जसरा के प्रस्तावित कर सूची/रजिस्टर की जांच में पाया गा कि व्यवसाय के अनुमानित सम्पत्ति मूल्य वास्तविक से कम दर्शाकर प्रस्तावित कर कम निर्धारण कर संस्था रूपया 17,500.00 से आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है, जिस प्रति राजस्व निरीक्षक श्री प्रवीण प्रकाश एवं कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी उत्तरदायी है। निम्नांकित व्यवसाय मोटर सायकिल ऐजेन्सी की है, जिनकी सम्पत्ति का बाजार मूल्य 02 लाख से अधिक होना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तावित सी0पी0कर रूपया 6000.00 से कम नहीं होना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	नाम विकास खण्ड	फर्म का नाम/ प्रो0 का नाम	अनुमानित लागत	प्रस्तावित करकर	होना चाहिए	आडिट अनुरूप
101	जसरा	बालाजी मोटर्स मो0सा0 ऐजेन्सी	श्री अमित कुमार अग्रवाल, धूरपुर	33300	1000	6000
102	जसरा	इलाहाबाद मोटर्स मो0सा0 ऐजेन्सी	श्री गिरधारी लाल जायसवाल धूरपुर	33300	1000	6000
203	जसरा	अनन्त होण्डा मो0सा0 ऐजेन्सी	श्री अनिल कुमार पाण्डेय			
		पुत्र- राम विशाल पाण्डेय, गोहनिया		500000	1500	6000 यू 53जसरा
		प्रज्ञा मोटर्स बजाज मो0सा0 ऐजेन्सी	अज्ञात	100000	3000	6000
योग				6500	24000	
अन्तर- 17500 की आर्थिक क्षति						

प्रारूप-2
नाम संस्था-जिला पंचायत फतेहपुर
जनपद-फतेहपुर

वर्ष 2016-17
मण्डल-प्रयागराज

प्रस्तर-1

दिनांक 01-04-2016 को नौकाघाट मद में पुराना बकाया का पावना रू0 1255681.78 दर्शित पाया गया। जिसमें वर्ष 2016-17 में मात्र रू0 38000/- की वसूली दर्शित पायी गयी। इस प्रकार दिनांक 31-03-2017 को बकाये का पावना रू0 1217681.78 शेष रहा। नौकाघाट के कुल 118 ठेकेदार बकायेदार हैं। जिनमें मात्र 24 बकायेदारों के विरुद्ध आर0सी0जारी कर बकाये की वसूली हेतु कलेक्टर महोदय को लिखा गया है। शेष बकायेदारों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं कर अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः बकाये की धनराशि रू0 1217681.78 की वसूली हेतु बकायेदारों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूल किया जाए। अन्यथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपिनचन्द्र पन्त एवं कर अधिकारी श्री कमलेश कुमार उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 दिनांक 01-04-2016 को तहबाजारी शीर्ष के अन्तर्गत वसूली हेतु रू0 2017807.00 का पावना शेष रहा। जिसमें वर्ष 2016-17 में रू0 28450/- की वसूली दर्शित रहा। इस प्रकार दिनांक 31-03-2017 को 139 बकायेदारों पर रू0 1989357/- का पावना शेष रहा। जिसकी वसूली हेतु पूर्व वर्षों में आर0सी0 द्वारा कलेक्टर महोदय फतेहपुर को पत्र लिखा गया था किन्तु अभी तक उपरोक्त धनराशि रू0 1989357/- की वसूली नहीं हो पायी है। अतः बकाये की धनराशि रू0 1989357/- की वसूली हेतु बकायेदारों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूल किया जाए। अन्यथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपिनचन्द्र पन्त एवं कर अधिकारी श्री कमलेश कुमार उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 दिनांक 01-04-2016 को प्रपत्र संख्या-29 के अनुसार बालू मोरम का वसूली हेतु बकाये 3638810/- दर्शित रहा। जिसमें वर्ष 2016-17 में मात्र रू0 5000/- की वसूली दर्शित रहा। इस प्रकार दिनांक 31-03-2017 को रू0 3638810/- का पावना शेष रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं कर अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली हेतु संस्था द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गयी। अतः बकायेदारों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए रू0 3638810/- की वसूली की जाए अन्यथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपिनचन्द्र पन्त एवं कर अधिकारी श्री कमलेश कुमार से उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 दिनांक 31-03-2017 को प्रपत्र संख्या-29 के अनुसार निम्नलिखित मदों में पुराना बकाया निम्नवत चला आ रहा है। जैसे:-

क्र0सं0	नाम- मद	बकाया वसूली योग्य धनराशि
01	कांजी हाउस	रू0 108023.00
02	मृत पशु शव निस्तारण	रू0 791020.00
03	दुकानों का किराया	रू0 638972.00
04	मत्स्य आखेट	रू0 419101.00
	योग	रू0 1957116.00

उपरोक्त दर्शित बकाये की धनराशियों की वसूली हेतु कोई ठोस वैधानिक कार्यवाही संस्था द्वारा नहीं की जा रही है। जिससे संस्था को निजी स्रोतों से होने वाली आय की क्षति हो रही है। अतः उपरोक्त दर्शित समस्त धनराशि रू0 1957116/- की सम्बन्धित ठेकेदारों से ब्याज सहित वसूली की जाए अन्यथा अपर मुख्य अधिकारी श्री विपिनचन्द्र पन्त एवं कर अधिकारी श्री कमलेश कुमार उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 आलोच्य वर्ष में यह गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यों में विभिन्न आइटम में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया गया है। यद्यपि उसकी पूर्ति अन्य आइटमों के बचत धनराशि से होती है किन्तु उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड ट के नियम संख्या-397;एड में दिये नियम का पालन करते हुए कार्य समाप्ति के पूर्व, जब ऐसी स्थिति का आभास हो तो संशोधित स्टीमेट तैयार कर सक्षम अधिकारी से शासन से उसकी स्वीकृति लेनी चाहिए थी, किन्तु सक्षम अधिकारी से उसकी स्वीकृति नहीं ली गयी। कार्य समाप्ति के पश्चात् विचलन के सम्बन्ध में नोटशीट लिखकर अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत द्वारा " यथा प्रस्तावित" लिखकर हस्ताक्षर किये गये हैं जिससे नियम का पालन नहीं होता है। वित्तीय नियमों में कार्योत्तर स्वीकृति का कोई प्राविधान भी नहीं है। इस प्रकार विचलन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम संख्या-15 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड- ट के नियम संख्या-397;एड एवं नियम संख्या-318 के विरुद्ध कार्य किया गया है। इस प्रकार बिना उचित ढंग से अनुमोदन के भुगतान के लिए मुख्य रूप से अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं। अतएव निम्न विवरणानुसार रू0 38884.24 श्री विपिनचन्द्र पन्त अपर मुख्य अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है:-

कार्य का नाम- ग्राम चक इटैली में सी0सी0रोड व नाली निर्माण।

आइटम	स्वीकृत स्टीमेटेड	एम0बी0 में दर्ज कार्य	एम0बी0 में अधिक दर्ज कार्य	दर	धनराशि
1-जीएसबी	59.74	61.743	2.003	2401	4808.80
2-प्रोवाडिंग एन्ड लेइंग	67.50	72.54	5.04	6761	34075.44
योग					38884.24

प्रस्तर-6 मोल्लनपुर से मोतीलाल का पुरवा मोड़ तक लेपन स्तर तक मनरेगा कन्वर्जन मद से कार्य कराने हेतु श्री जहीर अहमद ठेकेदार को दिनांक 25-11-2011 को प्रथम किश्त (रनिंग बिल) रू0 380600/- का भुगतान किया गया, किन्तु कार्य न कराये जाने के कारण रू0 310540/- रसीद संख्या-199866 द्वारा दिनांक 17-07-2016 को जिला पंचायत फतेहपुर में जमा कर दिया गया है। इस प्रकार श्री जहीर अहमद ठेकेदार द्वारा 4 वर्ष 8 माह 6 दिन तक उक्त धनराशि का अपने निजी हित में उपभोग किया गया तथा शेष धनराशि रू0 70060/- जमा नहीं किया गया। जिससे सामग्री कय हेतु भुगतान दिखाया गया है। जिसका कोई उपयोग संस्था हित में नहीं हुआ है। अतः रू0 70060/- श्री जहीर अहमद ठेकेदार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 दिनांक 01-09-2016 को कार्यालय जिला पंचायत में लगे समर्सेबल खराब हो जाने के कारण उसके मरम्मत हेतु निम्नवत भुगतान किया जाना दर्शित रहा:-

बा0सं0	धनराशि	विवरण
1	रू0 4850.00	251 पाण्डेय पाईप एण्ड मशीनरी स्टोर
2	रू0 4680.00	252 पाण्डेय पाईप एण्ड मशीनरी स्टोर
योग-	रू0 9530.00	

किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त बिल/बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः 4850+4680 कुल रू0 9530/- श्री विपिनचन्द्र पन्त अपर मुख्य अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-2

जिला पंचायत -2016-17

जनपद-प्रतापगढ़

सम्भाग-प्रयागराज

प्रस्तर-1

भवन और सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ हेतु ठेकेदारों के बिलों से कटौती की गई है। जिला पंचायत प्रतापगढ़ लेखा परीक्षा में जिला पंचायत द्वारा इस तथ्य कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया कि जो ठेकेदार जिला पंचायत में पंजीकृत है एवं उनको विभिन्न कार्य सौंपे गये हैं। उनके द्वारा लगाये गये श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग में कराया गया है। लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में सचिव उ0प्र0 भवन एवं सं0क0क0 बोर्ड में रू0 3432704.00 जमा किया गया है जबकि शासनादेश संख्या-741/छत्तीस-2-2013 दिनांक 30 अगस्त 2013 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 26 सितम्बर 2016 के द्वारा यह संग्रहीत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाना था। जो जिला पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत द्वारा एक प्रतिशत धनराशि ठेकेदार को कुल भुगतान की जाने वाली धनराशि में प्रथमतया जोड़ी गयी एवं तदोपरान्त उसके बराबर धनराशि कर्मवार उपकर के रूप में बिलों से काटी गई इस प्रकार कर्मकार उपकर की धनराशि ठेकेदार के बजाए शासन द्वारा (अनुदान) भुगतानित की गई यह अनियमित है जबकि इस धनराशि को ठेकेदार द्वारा वहन करना था। इस प्रति कार्यवाही हेतु संचालक मंडल/विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस संबंध में नियमों का सही परिपालन न कर गलत ढंग से राजकीय धनराशि का क्षति पहुँचने हेतु अभियंता श्री अमीर चन्द्र दुबे एवं अवर अभियंता श्री राजबली यादव, श्री राम अनुज सिंह एवं श्री दिवाकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे क्योंकि इनके द्वारा ही ऐसे समस्त देयकों के भुगतान की संस्तुति की गयी है एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री अनिल कुमार सिंह श्री राजीव वर्मा अपर मुख्य अधिकारी श्री अनिल कुमार शर्मा उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 के बिन्दु 7 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में रू0 10.00 लाख की लागत से अधिक की परियोजना ही अधिकांश रूप से अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करेगी। उक्त शासनादेश के बिन्दु 3 जिला पंचायत को प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों का सम्पादित करायेंगी। उपरोक्त शासनादेश का पालन न कर अनियमितता है। शासनादेश का उल्लंघन कर निम्न विवरणानुसार कुल रू0 95,77,400.00 की योजनाओं का सम्पादन कराया गया है जो अनियमित रहा। उक्त अनियमितता के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री अनिल कुमार शर्मा, वित्तीय परामर्शदाता श्री अनिल कुमार सिंह, श्री राजीव वर्मा एवं अभियंता श्री अमीरचन्द्र दुबे उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	वि० क्षेत्र	कार्य का नाम	धनराशि लाख रु० में प्राक्लन	व्यय रु०
1	कालाकांकर बिहार	ग्राम सभा हिनाहूँ में प्राइमरी स्कूल से तीरथ पटेल के घर तक इं०ला० कार्य	7.18	7,17,000
2	बिहार	गोगौर में अभय पाण्डेय के घर से प्रमोद तिवारी के घर तक इं०ला० कार्य	8.00	7,99,000
3	रामपुर संग्रामगढ़	ग्रामसभा हिसामपुर में रामखेलावन सरोज के घर से रत्नाकर सिंह तक सी०सी०	8.00	7,98,000
4	रामपुर संग्रामगढ़	ग्रामसभा लोहिया में इं०ला० कार्य	8.00	7,98,000
5	सण्डवा चन्द्रिका	ग्रामसभा नरी में इं०ला० कार्य	8.00	7,98,000
6	सांगीपुर	ग्रामसभा पंडरिया (पूरे आधार) में मेडई ओझा के घर से हरि प्रसाद के घर तक इं०ला० कार्य	8.00	7,98,000
7	सांगीपुर	खानीपुर में मंदिर से होते हुए सूबेदार सिंह के घर तक इं०ला० पुलिया निर्माण कार्य	8.00	7,98,000
8	गौरा	ग्राम पूरे गोसाई पटेल बस्ती पुनवासी पटेल के घर तक इं०ला० कार्य	8.00	7,96,000
9	बाबागंज	ग्रामसभा पटन सम्पर्क मार्ग से पटना देवी धाम तक मरम्मत पी०सी कार्य	7.00	7,98,000
10	मान्धाता	ग्रामसभा रामपुर मुतरका मोहबददीन में पिन्च रोड से ललन सिंह के घर तक इं०ला० कार्य	6.00	5,96,000
11	मान्धाता	सराय नाहर पिच रोड से चंचल सिंह प्रधान के घर तक इं०ला० कार्य	4.00	3,99,000
12	मान्धाता	ग्रामसभा लिलौली वैशपुर मार्ग से गुलाब सिंह प्रधान के घर तक इं०ला० कार्य	3.00	2,89,000
13	मान्धाता	ग्राम सभा धरमपुर में महमूद समदल जूनियर हाईस्कूल तक इं०ला० कार्य	5.00	4,99,000
14	मान्धाता	ग्रामसभा बासूपुर में मेन सड़क मोहसीन के घर के बगल से मस्जिद तक इंटरालिंक कार्य	8.00	7,98,000
योग				95,77,400

प्रस्तर-3 रैयापुर पक्की सड़क से वखत का पुरवा तक पी०सी० कार्य में ओम कान्सट्रक्शन कम्पनी की प्रमाणक संख्या 59 दिनांक 15.10.2016 द्वारा रु० 5,77,000.00 का भुगतान किया गया है जिसके कम संख्या 6 ब्रिक एजिंग बोथ साइड 0.33 मी० दर रु० 79,890.63 से रु० 26347.00 भुगतान दिखाया गया है। जबकि पी डब्लू डी सेड्यूल ऑफ रोड वर्क चैप्टर 20 के क्रमांक 9 पर दर रु० 68000.00/- किमी० स्वीकृत है जिसके आधान रु० 22440.00/- का भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अवर अभियन्ता श्री राजबली यादव द्वारा सेड्यूल रेट से रु० 3907.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली अवर अभियन्ता श्री राजबली यादव से अपेक्षित है।

प्रारूप-2

जिला पंचायत वर्ष 2016-17

जनपद- चन्दौली

मण्डल- वाराणसी

प्रस्तर-1

जिला पंचायत चन्दौली जनपद-चन्दौली की लेखा परीक्षा वर्ष 16-17 में निम्नांकित गम्भीर प्रकरण उद्घाटित किये गये जिनके प्रति उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

दिनांक 31.03.17 को कैशबुक के अनुसार रोकड़ शेष रु० 116073664.93 दर्शित है। बैंक पासबुक के अनुसार बैंक जमा रु० 121836555.93 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु० 5762891.00 का अन्तर रहा। अन्तर के समाधान हेतु निम्न तथ्य दिये गये हैं :-

चेक जो कैश नहीं हुए - 6903400.00

(-) बैंक चार्ज व अन्य - (-) 1140509.00

अन्तर 5762891.00

जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं :-

क- संस्था द्वारा बैंक समाधान विवरण पत्र नहीं तैयार किया गया है। मात्र अन्तर का विवरण अंकित करते हुए प्रपत्र संलग्न किया गया है।

ख- बैंक जमा शेष की पुष्टि बैंक प्रमाण पत्र द्वारा नहीं कराई गई।

ग- रु० 6903400.00 के दर्शित अनकैश चेक का विवरण अप्राप्त रहा।

घ- बैंक चार्ज व अन्य के मद में रु0 1140509.00 की धनराशि जिसकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गयी दर्शित है की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट/पासबुक से नहीं कराई गई।

ङ- बैंक चार्ज की प्रविष्टि कैशबुक में न किये जाने का कारण भी अस्पष्ट रहा। बैंक चार्ज के धनराशि की पुष्टि के साथ कैशबुक में सुधार प्रविष्टि पारित किया जाना अपेक्षित है। नियमानुसार बैंक समाधान विवरण तैयार कर असमाधानित धनराशियों का विवरण अंकित करते हुए समाधान की तिथियां का उल्लेख करते हुए समाधान की पुष्टि करायी जानी चाहिए। किन्तु संस्था द्वारा समाधान विवरण पत्र प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं करायी गयी। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, श्री अशोक कुमार मद्देशिया एवं लेखाकार, श्री अजय शंकर शर्मा जिम्मेदार रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 मांग तथा उगाही रजिस्टर तथा कर निर्धारण रजिस्टर बकाया मांग का विवरण अंकित नहीं पाया गया। लेखा परीक्षा में उक्त रजिस्ट्रों से तैयार की गयी सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 16-17 में विभवकर/सम्पत्ति कर की दर्शित मांग व वसूली की स्थिति निम्नवत् पायी गयी-

क्र० सं०	नाम विकास खण्ड	दि० 01.04.16 को मांग	वर्ष में वसूली	दि० 31.03.17 को बकाया
1	बरहनी	547740	84900	462840
2	चहनियां	818540	102545	715995
3	नौगढ़	107820	34930	72890
4	चकिया	245190	69725	175465
5	सकलडीहा	886440	156930	729510
6	शहाबगंज	430020	15250	414770
7	नियमताबाद	667080	136560	530520
8	नियमताबाद	724095	61875	662220
9	चन्दौली	298558	94980	203578
10	धानापुर	469040	43080	425960
	योग	5194523	800775	4393748

(प्रत्येक विकास खण्ड की ग्रामपंचायत वार सूची संलग्न है।)

उपरोक्त सूची के अनुसार दि० 31.03.17 को वर्ष की मांग के सापेक्ष अवशेष रु0 4393748.00 है जिसकी वसूली लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं हुई है। जिसके प्रति सम्बन्धित कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली उत्तरदायी है। पूर्व वर्षों के बकाये कर की मांग का विवरण सम्बन्धित रजिस्टर पर अंकित न करने के कारण बकाया वसूली की समीक्षा न हो सकी जो घोर आपत्तिजनक है और संस्था को भारी वित्तीय क्षति पहुंचाये जाने की सम्भावना है। इसके प्रति भी सम्बन्धित कर अधिकारी, लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-2

नाम संस्था-जिला पंचायत जनपद-गाजीपुर सम्भाग-वाराणसी
प्रस्तर-1 जिला पंचायत गाजीपुर के वर्ष 2016-17 के खातों की स्थिति-

क्र०	बैंक का नाम	खाता सं०	31.03.2017 को अवशेष
1	यू०बी०आई०	392702011001799	266503509.65
2	यू०बी०आई०	392702010327210	2088446.00
3	बी०ओ०आई०	691710110000017	1355970.00
4	ट्रेजरी	गाजीपुर	554797.36
	योग		270502723.01

संस्था के अभिलेख के अनुसार शेष - 6598270579154.12

रोकड़ बही पर अन्तर का दर्शित सामाधान विवरण- 76431.11 उपरोक्त बैंक खातो व संबंधित अन्तिम अवशेष के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक अनुदानों का पृथक खाता नहीं खोला गया है एक अनुदान एक से अधिक खातों में रखा गया है। यह लेखापरीक्षा की दृष्टि से अत्यन्त आपत्तिजनक है। प्रत्येक मद का अलग-अलग बैंक खाता रखे जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट है।

रोकड़ बही का अन्तिम अवशेष दिनांक 31.03.2017 को रु0 270579154.12 दर्शित है। (दिनांक 31.03.2017)

रोकड़ बही पर अंकित विवरण के अनुसार इस में 25000 विवरण हीन चेको के रूप में अन कैश चेको 13542.00 बैंक ऑफ इंडिया का ब्याज एवं 16.02.2017 में 50 कम् अंकन की धनराशि कुल 38592 को जोड़कर एवं कुल 259969 घटाकर (जिसमें 27 बैंक चार्ज 68 रुपये बैंक चार्ज एवं 259969 कैश बुक में अंकित धनराशि जो पासबुक में नहीं आयी) से संबंधित है। इसलिए कैशबुक की धनराशि 270357777.12 हो रही है जो बैंक के अनुसार दर्शित अवशेष रु0 270502723.01 से 144945.89 कम है।

इस अंतर की धनराशि का समाधान विवरण प्रस्तुत कर अंतर समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंक सामाधान करने की मात्र औपचारिकता की गयी है जो किसी अभिलेख से पुष्टित नहीं है अर्थात् बैंक एवं संस्था के बीच रु0 76431. 11 विद्यमान है जो अवास्तविक है अन्तर सामाधान विवरण तैयार कर अंकित करते हुए सामाधान पुष्टित कराया जाना आवश्यक है। जिसका दायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी व लेखाकार का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर-2 आलोच्य वर्ष में जिला पंचायत द्वारा अपने निजी स्रोतों यथा सम्पत्तिकर व विभवकर, लाइसेंस, मेला प्रदर्शनी आदि से प्राप्त आय को दर्शित किया गया है -

क्र0	शीर्ष	गत वर्ष में प्राप्त	आलोच्य वर्ष में प्राप्त
1	विभव सम्पत्तिकर	3596753.00	2502858.00
2	लाइसेंस शुल्क	2001955.00	4662000.00
3	पशुशवनिस्तारण	79100.00	38000.00
4	सार्वजनिक नौका घाट	789550.00	833500.00
5	मेला प्रदर्शनी	57189.00	61050.00
6	दुकान किराया	347081.00	505332.00
7	ब्याज	5538449.00	9554975.00
8	प्रकीर्ण	6409298.00	1983206.00
9	बालवाहन शुल्क	4500.00	-
10	तहबाजारी	26500.00	-
11	अग्रिम	6574.00	76594.00

गत वर्ष 2015-16 से वर्ष आलोच्य में प्राप्त आय के तुलनात्मक अध्ययन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा विभव व सम्पत्तिकर के मद में गत वर्ष की अपेक्षा कम वसूली की गयी है जो कि संस्था हित में नहीं है। जिला पंचायत द्वारा अपने स्रोतों में 10 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर कमी लाकर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है।

क्र0	मद	गत वर्ष की आय	वास्तविक आय	गत वर्ष के सापेक्ष कमी
1	सम्पत्ति व विभवकर से आय	3596753.00	2502858.00	1093895.00

जिसका दायित्व तत्कालीन कर अधिकारी एवं कर समाहर्तागण का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-5क)

प्रस्तर-3 आलोच्य वर्ष में अनुदान सम्बन्धी विभिन्न मदों में प्राप्ति व्यय तथा अवशेष की स्थिति। इस प्रकार हैं-(आंकड़े लाख में)

क्र0	मद	प्रा0 शेष	प्राप्त अनुदान	व्यय / प्रतिशत	अवशेष
1	शासकीय अनुदान	1798.16	3277.85	2744.13 / 54.06	2331.88

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा अनुदान का उपयोग यथोचित समयान्तर्गत नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति निर्माण कार्य के प्रतिउदासीनता का घोटक है। अवशेष अनुदान-233187768.00 के यथाशीघ्र उपयोग हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अनुदान की धनराशि रोक रखे जाने की दशा में जहां एक तरफ विकास कार्य बाधित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों को श्रम सेवंचित भी होना पड़ता है। अनुदान की शेष पड़ी धनराशि या तो तुरन्त शासन को वापस कर देनी चाहिए अथवा आगामी वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु महालेखा कार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वर्षान्त में शासकीय अनुदान 233187768.00 अवशेष है जिसे बैंक खातों में रोककर रखा गया है। प्रमुख सचिव शासन के शासनादेश सं0-बी-1-1197 / दस-1999 दिनांक 30.03.1999 का अनुपालन नहीं किया गया है। जिसका दायित्व तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-6)

प्रस्तर-4 सम्पत्ति/दुकान/भवन किराया रजिस्टर के अवलोकन में यह पाया गया कि कतिपय। सदस्यों से कोई वसूली वर्ष के दौरान नहीं की गयी है। इन का विगत वर्ष का किराया अवशेष भी चला आ रहा है- यथा-

क्र0	नाम	विवरण	चालू मांग	बकाया मांग	योग	वसूली
1	श्रीमती नम्रता बर्नवाल	सैदपुर स्थित काली मन्दिर दुकान नं0-07	4500	10650	15150	
2	श्री अविनाश जायवाल	सैदपुर स्थित काली मन्दिर दुकान नं0-08	4500	18675	23175	
3	श्रीमती स्वाति पोद्दार	सैदपुर स्थित काली मन्दिर दुकान नं0-11	4500	30575	35075	

4	श्री शशिकान्त	सैदपुर स्थित काली मन्दिर दुकान नं०-15	4500	9000	9000	
5	श्रीमती नूरजहाँ	प्रा०पा० जंगीपुर दुकान नं०-02	500	9000	9500	
6	श्री सूरज बहादुर	प्रा०पा० जंगीपुर दुकान नं०-04	500	12759	13259	
		कुल योग -			86159	

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि उक्त रु०-86159.00 किराये की नियमित वसूली नहीं हो पा रही है। जिसका दायित्व तत्कालीन कर अधिकारी एवं समाहर्तागण का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-13)

प्रस्तर-5 शासकीय अनुदानों से प्राप्त ब्याज की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला निधि खाते से प्राप्त ब्याज एवं शासकीय अनुदानों से प्राप्त ब्याज को मासिक लेखा में पृथक-पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया है। सम्मिलित ब्याज के रूप में वर्ष 2016-17 में कुल ब्याज रु०-9554975.00 की प्राप्ति दर्शित की गयी है। विगत वर्ष का शेष ब्याज-5538449.00 रुपये के साथ ही दिनांक 31.03.2017 को कुल ब्याज रु०-15093424.00 अंकित है। प्राप्त ब्याज को पृथक-पृथक जिलानिधि, राज्य वित्त व तेरहवें वित्त के रूप में मदवार अंकित किया जाना चाहिए।

शासनादेश सं०-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2012 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार अनुदानों के सापेक्ष प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय मानी गयी है तथा इसे राजकोष में तुरन्त जमा करने के निर्देश के बाद भी रु०-15093424.00 ब्याज की धनराशि संस्था स्तर पर रोक रखकर राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिसका दायित्व अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-18)

प्रस्तर-6 वर्ष 2015-16 में दिनांक 15.10.2015 को राज्यवित्त के खाते से 172,00,000.00 रुपये 13वें वित्त के खाते में हस्तान्तरित किया गया दशासन के जिस पत्र को हस्तान्तरण का आधार बनाया गया है उसमें यह कहा गया है कि “तेरहवें वित्त के अवशेष कार्य को जिला पंचायत स्तर पर उपलब्ध अन्य स्त्रों की धनराशि से पूरा कराया जायेगा।” उक्त पत्र में जिला पंचायत स्तर पर उपलब्ध अन्य स्त्रों की धनराशि का उल्लेख है न कि राज्य वित्त आयोग के धन का। लेखा परीक्षा की दृष्टि में इस प्रकार का किया गया हस्तान्तरण अनियमित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-2

जनपद का नाम- जौनपुर

मण्डल का नाम-वाराणसी

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-1 वर्ष 2016-17 में माननीय कांशीराम अतिथि गृह/डाक बंगला हेतु जिला निधि से निम्नविवरणानुसार साज सज्जा हेतु सामानों की खरीद की गई है।

क्र० सं०	दिनांक	समाग्री का नाम	धनराशि	विवरण
1	08.07.16	टेबुल, मैट्रेस, शीशा, बेडशीट इत्यादि	83765	व्यय प्रमाणक नहीं
2	08.07.16	आर०ओ०, बर्तन, काकरी	33110	व्यय प्रमाणक नहीं
3	10.08.16	पर्दा	11700	बिल लेटर पैड पर
4	26.10.16	आर०ओ०	10500	बिल लेटर पैड पर
5	26.10.16	फर्नीचर	18000	-
6	26.10.16	फर्नीचर	15500	-
7	28.06.16	फैन एवं एकजास्टफैन	29250	स्टीमेट पर
8	28.10.16	ए०सी० रिपेयर	16800	लेटर पैड पर
9	28.10.16	चौकी, स्टेपलाइजर	13900	स्टीमेट पर

योग- 232525

क्र०सं० 01 से 02 पर बिना किसी बिल के क्रय की गयी है तथा उक्त समस्त क्रय हेतु उचित प्रमाणक नहीं प्राप्त किया गया साथ ही क्रय नियमों पालन भी नहीं किया गया है।

समस्त क्रय की पूर्णता में डेड स्टॉक रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया और न ही डाक बंगला हेतु पूर्व वर्षों में क्रय स्टॉक का भी कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

डाक बंगले की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इसके निर्माण के उद्देश्य सम्बन्धी मूल्य एवं परिसम्पत्तियों रजिस्टर तथा अन्य शर्तों की जानकारी नहीं हो सकी।

डाक बंगला में निवास करने वाले तथा आरक्षित कराकर रहने वाले अधिकारी/कर्मचारी/व्यक्तियों के लिए क्या शर्त निर्धारित है कि समीक्षा पत्रावली/पंजिका के अभाव में न की जा सकी।

उक्त अनियमित की गयी क्रय एवं यथोचित अभिलेख न रखे जाने हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन०सिंह, खरीद प्रभारी श्री धनन्जय सिंह एवं लेखाकार श्री राधेरमण यादव पूर्णरूप से जिम्मेदार हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 वर्ष-2016-17 में अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 के बीच बैंग वेतन के रूप में रु० 110240 प्रतिमाह की दर से कुल रु० 1106280 भुगतान हुआ है। मस्टर रोल पर प्रत्येक गैंगमैन की 26 दिन की हाजिरी दिखाकर भुगतान

किया गया है। मस्टर रोल पर सड़को के किनारे मिट्टी कार्य दिखाया गया है। लेकिन इसकी कोई फाइल, कार्ययोजना, स्वीकृति इत्यादि नहीं है, गैंगमैन के कार्यों की देख-रेख एवं उपस्थिति किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रत्येक गैंगमैन प्रतिमाह 26 दिन कार्य किया है। क्या राजकीय अवकाश एवं अन्य कोई अवकाश देय नहीं है। गैंगमैनों का केवल पटरी मरम्मत का ही कार्य है या अन्य कोई इसकी सकमीक्षा में शासनादेश एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत आदेश से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही इसकी कोई जानकारी नहीं दी गयी। साथ ही जिला पंचायत की ही सड़के हैं या दूसरे विभाग की इसका प्रमाण पत्र अंकित नहीं है। इस भुगतान में मनमाने ढंग से एवं अनियमित रूप से किया गया भुगतान परिलक्षित होता है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन० सिंह एवं लेखाकार श्री राधेरमण उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन० सिंह द्वारा वर्ष 2016-17 में अम्बेडस्टर कार एवं किराये की बोलोरो का उपयोग करके निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	13.05.2016	बोलोरो किराया	18850
2	13.05.2016	डीजल	14745
3	17.06.2016	किराया	18200
4	22.07.2016	डीजल	15719
5	05.10.2016	डीजल	18143
6	14.10.2016	अम्बेडस्टर कार, डीजल	10609
7	14.10.2016	बोलोरो किराया	18850
8	26.11.2016	डीजल	32142
9	20.01.2017	अम्बेडस्टर, डीजल	47964
			195222

जिसकी समीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

(क) गाड़ियों की लागबुक लेखा परीक्षा में बार-बार मांग करने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यात्रा की दूरी, डीजल खपत की जांच एवं यात्रा उद्देश्य का पता नहीं लग सका।

(ख) डीजल खरीद के बिल प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं है जिससे खरीद डीजल की पुष्टि नहीं होती है।

(ग) अम्बेडस्टर की खरीद सम्बन्धी परिसम्पत्ति रजि० जांच हेतु नहीं प्रस्तुत किया गया।

(घ) डीजल प्रभा फिलिंग पम्प से भराया जाना दर्शित है लेकिन डीजल भराये जाने की पद्धति किसके आदेश से भराया जाता है तथा उसकी काउन्टर पर्ची भी जांच हेतु नहीं प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार भुगतानित धनराशि रु० 195222.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन० सिंह एवं लेखाकार श्री राधेरमण उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 वर्ष-2016-17 में जनरेटर डीजल खरीद पर कुल व्यय रु० 141892 निम्न विवरणानुसार किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि
1	13.05.2016	26888
2	13.05.2016	9890
3	10.08.2016	63367
4	30.09.2016	15292
5	19.10.2016	26455
योग-		141892

जिसकी समीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

(क) जनरेटर की लॉग बुक एवं जिसकी ब्रेक डाउन की सूचना जांच हेतु नहीं प्रस्तुत की गयी।

(ख) डीजल खरीद का बिल एवं निर्गत पर्ची का काउन्टर फाईल जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) जुलाई 2016 के बाद डीजल खरीद नहीं दर्शित है। क्या इस अवधि में जनरेटर नहीं चलाया गया।

(घ) जनरेटर सम्बन्धी परिसम्पत्ति रजि० पर अंकन की जांच नहीं करायी गयी। अतः भुगतानित धनराशि रु० 141892.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन० सिंह एवं लेखाकार श्री राधेरमण उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 दिनांक 29.07.2016 को स्टेशनरी प्रपत्र छपाई हेतु रु० 19000.00 का भुगतान किया गया लेकिन प्रमाणक के साथ स्वीकृति आदेश मांग तथा स्टॉक लेखा एवं उसकी स्थिति का विवरण दर्ज नहीं है। अनियमित खरीद के लिए श्री आर०एन० सिंह अपर मुख्य अधिकारी श्री राधेरमण लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 वर्ष 2016-17 में हड़डी चमड़ा हेतु कुल 9 न्याय पंचायतों का अभिलेख के अनुसार ठेका होना चाहिए। किन्तु वर्ष के दौरान कुल 6 न्याय पंचायतों का ही ठेका हुआ निम्न तीन न्याय पंचायतों का ठेका न होने से जिला पंचायत को रु0 11385.00 की हानि उठानी पड़ी।

क्र०सं०	न्याय पंचायत	धनराशि
1	बड़ागांव	3910
2	बरंगी	3680
3	जमदहा	3795
	योग	11385

जिन न्याय पंचायतों के ठेके हुए हैं उनकी फाईलो के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर सादे ही लगे हुए हैं। जिनका दुरुपयोग हो सकता है। उन पर विवरण अंकित किया जाय तथा उक्त हानि के लिए लिपिक श्री समशेर सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन०सिंह उत्तरदायी रहें। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 वर्ष 2016-17 का लाईसेन्स फीस सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में मात्र वसूली रजि० एवं तीन विकास खण्डों के प्रपत्र 26 के रजि० भी प्रस्तुत किये गये जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी।

(क) वसूली रजिस्टर में कुल 21 वसूली कर्मी के नाम अंकित हैं। लेकिन बैठक में किसी भी वसूली कर्मी अधिकारी/कर अधिकारी के दस्तखत नहीं है। जिससे दर्शित अकड़ें वास्तविक हैं या नहीं की पुष्टि नहीं होती है।

(ख) रजिस्टर में निर्धारित कालम भी खाली रखे गये हैं जैसे अक्टूबर 2016 के द्वितीय पक्ष में लक्ष्य के सापेक्ष अन्तर का कालम इत्यादि

(ग) वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट नहीं बनायी गयी है। तथा वार्षिक वसूली सार पत्र भी नहीं बनाया गया है।

(घ) दर्ज वसूली की धनराशि कहाँ से लि गयी है कि पुष्टि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ङ) प्रत्येक विकास खण्डवार बाजार वार लाईसेन्स धारक की सूची नहीं बनायी गई है।

(च) अवधारित लाईसेन्स फीस का आधार क्या रहा स्पष्ट नहीं किया गया।

(छ) वसूली न होने की स्थिति में क्या कार्यवाही हुई इसका कोई अभिलेख/पत्रावली नहीं है।

(ज) प्रपत्र 26 दुकानवार बाजारवार रजिस्टर वर्ष 2016-17 हेतु नहीं बनाया गया है। मात्र तीन विकास खण्डों का अधूरा अभिलेख बनाया गया है। जबकि यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। प्रपत्र 26 तैयार करके एवं योग करके सार पत्र (वार्षिक विवरणी) से मिलान कराया जाय

(झ) वसूली रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2016-17 का लक्ष्य रु0 6000038.00 निर्धारित किया गया था। जिसके सापेक्ष वसूली मात्र रु0 4722449.00 की हुई। रु0 1277589.00 की वसूली न कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन०सिंह० एवं कर अधिकारी उत्तरदायी हैं। वर्ष 2016-17 में कुल 9 घाटों की नीलामी हुई जिसकी नीलामी धनराशि रु0 194700.00 थी। जिसे दिनांक 20.07.2017 को संशोधित करते हुए रु0 157286.00 शासनादेश के अनुरूप घाटों की नीलामी समाप्त होने के कारण निर्धारित की गयी। जिसके सापेक्ष वसूली मात्र रु0 59500.00 की ही हुई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 वर्ष 2016-17 हेतु बकाया धनराशि रु0 97786.00 रह गयी। जिसकी वसूली आज तक नहीं हुई। जो स्पष्ट करता हैं कि वसूली हेतु कोई प्रयास भी नहीं किया गया। जिसके लिए पटल कर्मचारी श्री शमशेर सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन०सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 प्रदत्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2016-17 में जनपद जौनपुर में समस्त नौका घाटों की नीलामी न हो पाने के कारण प्रबन्ध संचालन द्वारा जिला पंचायत में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से पिछले वर्षों की नीलामी को आधार मानते हुए दिनांक 20.07.2017 के शासनादेश के क्रम में धनराशि निर्धारित की गयी जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	नौकाघाटों का नाम	वसूली हेतु निर्धारित धनराशि	वसूल की गयी धनराशि	बकाया धनराशि	नाम राजस्व निरीक्षक
1	सुतौली	1172	350	822	श्री संजय कुमार
2	जमैका	1253	258	995	श्री रामसेवक
3	पसेवां	9700	9613	87	श्री जीतू कुमार
4	गुलरा	4130	2030	2100	श्री प्रमोद कुमार
5	कलिचाबाद	12285	4000	8285	श्री शिवशंकर
6	बेलवां	40000	40000	0	श्री पवन यादव
7	नरौली	36000	0	36000	श्री शिवशंकर
8	सारेपुर ककरहवां	3031	1508	1523	श्री प्रमोद कुमार
9	नैपुरा	8458	4000	4458	श्री जीतू कुमार
10	जगदीशपुर	1950	1950	0	श्री रामसेवक
11	गजेन्द्रपुर1212	1000	212		श्री रामसेवक
12	राजेपुर	10790	6799	3991	श्री रामसेवक

13	बीबीपुर	5500	5500	0	श्री रामसेवक
14	पंचहटीयां	2990	2000	990	श्री महेन्द्र प्रताप
15	मई	12200	0	12200	श्री बहुगुण पाल

योग 150671 79008 71663

उक्त वसूली जनवरी 2017 तक ही की गयी। जबकि दिनांक 18.07.2017 तक वसूली होनी चाहिए थी। वसूली रोका जाना दर्शाता है जानबूझकर वसूल धनराशि को जमा न करके अपहरण किया गया है। इसलिए उक्त बकाया धनराशियों को सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 वर्ष 2016-17 में कुल नौ धाटों की नीलामी/टेका रु0 194700.00 में किया गया है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क के रूप में रु0 7781.00 का स्टाम्प पेपर लगाया जाना चाहिए था। जो फाइलों की जांच में लगा हुआ नहीं पाया गया। अर्थात् रु 7781.00 से राजस्व की क्षति हुई जिसकी वसूली सम्बन्धित पटल कर्मचारी श्री शमशेर सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी से करतें हुए राजस्व क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में दुकान किराया रजि0 की जांच में पाया गया कि आवण्टियों के अनुबन्ध के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष में 20 प्रतिशत की किराये में वृद्धि की जानी है। दिनांक 01.01.2011 के बाद कोई किराया वृद्धि नहीं की गयी। जबकि 01.1.2016 में यह किराया वृद्धि प्रस्तावित थी। रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2016-17 में किराये की मांग रु0 221180.00 दर्शित है। यदि समय से किराया वृद्धि की गयी होती तो वर्ष 2016-17 की मांग रु0 265416.00 होती। इस प्रकार लापरवाही एवं जान बूझकर की गयी क्षति रु0 44236.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित कर्मचारी तत्कालीन एवं अपर मुख्या अधिकारी श्री आर0एन0 सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 भवन दुकान किराया रजिस्टर के अनुसार निम्नलिखित दुकानों एवं भवनों पर किराये की मांग अवधारित की गयी लेकिन वर्ष के दौरान इनसे कोई वसूली नहीं हुयी और न तो वसूली हेतु कोई पत्राचार एवं न ही प्रयास ही किया गया जो सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही अपने कार्यों के प्रति उदासीनता का परिचायक है विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	दुकान का नाम	प्रा० अवशेष	वर्ष की मांग	योग	आवणी का नाम	
1	दुकान न० 1	सभाभवन13689	6063	19752	श्री रामचरन	
2	दुकान न० 6	सभाभवन23595	6063	29658	श्री छबिराज यादव	
3	दुकान न० 7	सभाभवन4063	6063	10126	मंत्री स०उप०भ०	
4	दुकान न० 8	सभाभवन	72890	6063	78953	श्री भरत सिंह
5	कोठरी दुकान 2 एवं 3 के बीच		5160	1200	6360	श्री रमेश चन्द्र
6	पलैट न० 3 दुकानों के ऊपर		20115	4922	25037	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह
7	पलैट न० 4 दुकानों के ऊपर		12688	4922	17610	सुभाष चन्द्र यादव
8	पलैट न० 2 एवं 3 के बीच		32075	1488	33563	कृष्ण चन्द्र शुक्ला
9	बदलापुर दुकान ए/5		12232	7200	19432	श्री जितेन्द्र नाथ उपाध्याय
10	बदलापुर दुकान ए/2		42964	7200	50164	श्री ईश्वर चन्द्र निगम
11	बदलापुर दुकान ए/6		117680	9600	127280	श्री महेन्द्र कुमार
12	बदलापुर दुकान बी/4		56260	5400	61660	श्री आशीष कुमार शुक्ला
13	बदलापुर दुकान बी/5		97320	9600	106920	श्री आनन्द कुमार
14	बदलापुर दुकान बी/8		15800	5400	21200	श्रीमती सावित्री देवी
15	बदलापुर दुकान बी/9		15800	5400	21200	श्री बसन्त कुमार
16	बदलापुर दुकान सी/6		87920	9600	97520	श्री सूर्यभान शुक्ला
17	बदलापुर दुकान बी/3		35010	5400	40410	श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता
18	बदलापुर दुकान बी/1		18540	5400	23940	श्री रामजीत मौर्य
19	बदलापुर दुकान सी/1		14960	5400	20360	श्री रामनाथ प्रजापति
20	बदलापुर दुकान सी/3		40100	5400	45500	श्री सोहन लाल गुप्ता
21	बदलापुर दुकान सी/2		23270	5400	28670	श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा
22	बदलापुर दुकान बी/7		48060	5400	53460	श्री आलोक दुबे

योग- 810191 128584 938775

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रा0 अवशेष रु 810191.00 एवं वर्ष की मांग रु 128584.00 रही जिसमें से कोई वसूली न होकर वर्षान्त बकाया रु0 938775.00 हो गया। तत्काल वसूली हेतु सार्थक प्रयास करतें हुए कर निरीक्षको का दायित्व निर्धारण करके ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 भवन किराया रजिस्टर वर्ष 16 -17 के अनुसार निम्न विवरणानुसार दर्शित दुकानों एवं भवनों पर वर्ष की मांग एवं बकाया की कुछ वसूली की गयी लेकिन पर्याप्त वसूली न होने का कोई कारण एवं वसूली हेतु कृत कार्यवाही का कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध कराया गया। जिसमें प्रतीत होता है कि कुछ दुकानदारों द्वारा स्वयं जो धन

लाकर जमा कर दिया जाता है। केवल वही वसूली होती है। जिला पंचायत द्वारा कोई प्रयास एवं कार्यवाही न किया जाना घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परियाचक है।

तत्काल सम्बन्धित कर निरीक्षकों एवं कर्मचारियों पर दायित्व निर्धारण करके ब्याज सहित वसूली हेतु ठोस कार्यवाही की जाय।

क्र०सं०	दुकान का नाम	वर्षान्त बकाया	दुकानदार का नाम
1	दुकान नं० 2 सभा भवन	12955	श्रीमती उर्मिला देवी
2	दुकान नं० 3 सभा भवन	500	श्री सभाजीत तिवारी
3	दुकान नं० 5 सभा भवन	6423	श्री रमाकांत शुक्ला
4	फ्लैट नं० सभा भवन	23302	श्रीमती रीता सिंह
5	बदलापुर दुकान नं० ए/3	14636	मो०शाह मोहम्मद
6	बदलापुर दुकान नं० बी/10	43700	श्री सूर्यनारायण शर्मा
7	बदलापुर दुकान नं० सी/5	3600	श्री ओमप्रकाश जायसवाल
8	बदलापुर दुकान नं० सी/4	33760	श्री रामआसरे सरोज
9	बदलापुर दुकान नं० बी/2	33150	श्री इंद्रजीत यादव
10	बदलापुर दुकान नं० ए/1	32444	श्री राजेश कुमार मौर्य
11	जलालपुर बाजार में पंचायत भवन	21450	मो० आरिफ

225920

प्रस्तर-14 वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रदत्त जानकारी के अनुसार तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री आर० एन० सिंह एवं मुख्य अभियन्ता श्री अखिलेश यादव जिला पंचायत के अतिथि गृह में ही अपना आवास बनाकर रहते थे तथा उपलब्ध समस्त संसाधनों का उपयोग भी कर रहे थे। लेकिन इसके एवज में उक्त अधिकारियों द्वारा जिला पंचायत को कोई भुगतान नहीं दे रहे थे। साथ ही जिला पंचायत से मकान किराये भत्ता भी प्राप्त कर रहे थे। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	नाम अधिकारी	मकान किराया	भत्ता प्रतिमाह	कुल प्राप्त मकान किराया भत्ता
1	श्री आर०एन० सिंह, अपर मुख्य अधिकारी		3455	41460
2	श्री अखिलेश यादव		1575	18900
योग-				60360

उक्त धनराशि के साथ मेंटीनेन्स अतिथि गृह निर्धारण करते हुए ब्याज सहित वसूली की जाय।

प्रस्तर-15 वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन० सिंह द्वारा वाहन का उपयोग किया गया है। लेकिन नियमानुसार श्री सिंह से वाहन का निजी प्रयोग हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्क रु 800,00 प्रतिमाह की दर से जमा नहीं किया गया है इस लिए श्री सिंह से वर्ष 2016-17 हेतु रु 9600.00 कि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 वर्ष 2016 -17 के अनुदान रजिस्टर के मद बी०आर०जी०एफ० मद में प्राप्त धनराशि का योग करने पर प्राप्त धनराशि रु० 31375000.00 होता है। जब कि समरी में प्राप्त धनराशि रु० 32580000.00 दर्ज है। अन्तर धनराशि रु 1205000.00 विद्यमान है। अन्तर का कारण लेखाकार श्री राधेरमण से पूछे जाने पर बिना कोई मिलान एवं साक्ष्य के बिना दिनांक अंकित किये आय पक्ष में रु 1205000.00 बढ़ा दिया गया। बैंक खाते के अवलोकन करने पर भी यह धनराशि कहीं भी वर्ष दौरान अंकित नहीं पायी गयी। जिससे प्रतीत होता है कि लेखाकार द्वारा बिना जाने समझे मनमाने ढंग से संस्था के अभिलेखों में अपनी सुविधानुसार फेरबदल कर दिया जाता है जो कदापि उचित नहीं है। आवश्यक कार्यवाही एवं मिलान आवश्यक है।

प्रस्तर-17 वर्ष 2016-17 के अनुदान रजिस्टर में बी०आर०जी०एफ० मद में आमदनी कालम में रु० 18320000.00 आय के रूप में दिखाया गया है। इस लेखे की जांच में पाया गया कि उक्त धनराशि की आय वर्ष दौरान हुयी ही नहीं है, इसका लेखा न तो कैशबुक में कहीं दर्ज है और न तो बैंक खाते में ही इस धनराशि की आय/जमा दर्शित है जिससे प्रतीत होता है कि लेखाकार श्री राधेरमण जी द्वारा यह लेखा जानबूझकर बिना किसी साक्ष्य/प्रमाण के गलत मंशा से किया गया है। जिसके लिए पूर्ण रूप से अपर मुख्य अधिकारी आर०एन०सिंह एवं लेखाकार श्री राधेरमण जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 बी०आर०जी०एफ० की कैशबुक वर्ष 2015-16 में दिनांक 31.03.2016 के अनुसार अन्तिम अवशेष रु० 56968707.00 दर्ज है। जिसको वर्ष 2016-17 की कैशबुक में प्रारम्भिक अवशेष के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन वर्ष 2016-17 का प्रारम्भिक अवशेष ब्याज सहित भी मात्र रु० 54542414.00 ही दर्शाया गया। अन्तर रु० 2426293.00 मौजूद है। नियमतः पिछले वर्ष का अन्तिम अवशेष ही अगले वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष होता है। अवशेष में हेरा फेरी करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए लेखाकार श्री राधेरमण पर दायित्व निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 अनुदान रजि० बी०आर०जी०एफ० के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को ब्याज सहित अनुदान अवशेष रु० 66730015.00 दर्शाया गया है। जबकि बैंक खाते/कैशबुक के अनुसार अवशेष रु० 61716787.00 विद्यमान हैं। अनुदान रजि० एवं बैंक खाते के अनुसार रु० 5013227.01 का अन्तर पाया गया जिसका स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य सहित

समाधान विवरण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी आर०एन०सिंह एवं लेखाकार श्री राधेरमण उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 अनुदान रजि० वर्ष 2016-17 में दर्शित मदों में दिनांक 31.03.2017 के अवशेषों तथा बैंक खातों/कैशबुक में सम्बन्धित मदों के अवशेषों में निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गया।

क्र०सं० मद का नाम अनुदान रजि० के अनुसार अनुदान + ब्याज सहित अवशेष कैशबुक/बैंक खाते के अनुसार अवशेष अन्तर धनराशि

1	तेरहवां वित्त आयोग	10496159	11000334	504175
2	राज्यवित्त आयोग	345311980	387346028.59	42034048.59
3	विधायक निधि	7169586	10038724	2869138

योग— 362977725 408385086.59 45407361.59

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 में अनुदान रजि० एवं कैशबुक/बैंक पासबुक में दिनांक 31.03.2017 को बहुत बड़ी धनराशि रू० 45407361.59 का अन्तर विद्यमान है। जो किसी गम्भीर अनियमितता की ओर इंगित करता है। तत्काल इस धनराशि की विधिवत वर्षवार मिलान कराया जाना तथा समाधान कारण सहित तैयार करते हुए पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अनुदान रजि० एवं बैंक अवशेषों में इतना अधिक अन्तर पाया जाना लेखा अनुभाग की लापरवाही एवं जान बूझकर की गयी गम्भीर अनियमितता का परिचायक है। जिसके लिए लेखाकार श्री राधेरमण पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 वर्ष 2016-17 में तेरहवां वित्त आयोग, विधायक निधि एवं बी०आर०जी०एफ० निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की धनराशि को बैंको में जमा किया गया है। जिस पर अनुदान रजि० के अनुसार निम्न विवरणानुसार अर्जित ब्याज रू० 3197971.00 तथा कुल प्राप्त ब्याज दिनांक 31.03.2017 को रू० 7666550.00 दर्शाया गया है। शासनादेश संख्या - 1.1.122/दस 2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार अर्जित ब्याज (राज्य वित्त आयोग की धनराशि पर ब्याज की धनराशि छोड़कर) की जमा राज्य सरकार की आय होती है। संस्था की नही अर्जित ब्याज राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	योजना का नाम प्रारम्भिक	अवशेष	वर्ष में अर्जित ब्याज	वर्षान्त अवशेष
1	तेरहवां वित्त आयोग	1735283	519514	2254797
2	बी०आर०जी०एफ०	2509134	243541	4944675
3	विधायक निधि	224162	242916	467078
		446857	3197971	7666550

अनुदान रजिस्टर में पंचायत सशक्तीकरण एवं पूर्वाञ्चन विकास निधि मद में अनुदान अवशेष तो दर्शाया गया है। लेकिन इस मदों से अर्जित ब्याज नही दर्शाया गया है। वर्षवार योजना प्रारम्भ से लेकर वर्ष 2016-17 तक बैंक खातों में उक्त योजना से प्राप्त ब्याज को अंकित करने की कार्यवाही किया जाये। तथा संस्था लेखाकार श्री राधेरमण यादव पर दायित्व निर्धारण किया जाय। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 कैशबुक के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को स्टेट बैंक, केनरा बैंक एवं जिला सहकारी बैंको में भी खाते खुले हैं। लेकिन इनमें से कोई लेन देन नही हो रहा है। यह खाते किस मद हेतु खोले गये थे। पुष्टि कराते हुए अवशेष धन को सम्बन्धित बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	बैंक का नाम	जमा धनराशि
1	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	20159.00
2	केनरा बैंक	6568.30
3	डी०सी०बी०	2879516.12
		2906243.42

उत्तरदायी अपर मुख्या अधिकारी आर०एन०सिंह व लेखाकार श्री राधेरमण का है।

प्रस्तर-23 त्रैमासिक सूचना वर्ष 2016-17 माह मार्च 2017 के अनुसार प्रपत्र संख्या-5 में अन्त्योदय स्थानी विकास एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट मद में कुल वितरित धनराशि रू० 13284000.00 दर्शायी गयी है। इस प्रपत्र के सभी कालम पूर्ण रूपेण नही भरे गये हैं। तथा इसमें दर्शित धनराशियों में कोई तालमेल नही है। संस्था पर इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख भी नही रखे गये हैं। जो बहुत ही आपत्तिजनक है। योजना में इतना धन लाभार्थियों को वितरित किया गया। लेकिन इसका कोई अभिलेख न होना वसूली न होना तथा कोई सूची उपलब्ध न होना गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण किया जाना दर्शाता है। जिसका दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री आर०एन० सिंह व लेखाकार श्री राधेरमण का रहा। अतः उक्त योजनाओं से सम्बन्धित अभिलेख तलाश करके वितरित ऋण, वसूली, ब्याज एवं अवशेष की स्थिति स्पष्ट की जाय तथा सूची तैयार करके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 वर्ष 2016-17 में संस्था द्वारा विभिन्न मदों (तेरहवां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग विधायक निधि एवं अन्य) में निर्माण कार्यों पर कुल रू० 264711749.00 का व्यय दर्शाया गया है। दर्शित विभिन्न कार्यों एवं इन पर व्यय

की सभी धनराशि निम्नांकित गम्भीर अनियमितता से आच्छादित है। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी अभियन्ता एवं लेखाकार की है।

(क)–अधिकांश निर्माण पत्रावलियों में एक ही हस्तलिपि में भरे गये तीन टेण्डर फार्म लगा दिये गये हैं। टेण्डर लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता अंकित नहीं है। टेण्डर फार्मों पर भी ठेकेदार के नाम पते एवं हस्ताक्षर पूर्ण विवरण सहित दर्ज नहीं है। निविदा प्रपत्र बिना मोड़े ही रखे गये हैं। जबकि लिफाफे छोटे हैं जिसमें बिना मोड़े निविदा प्रपत्र रखे ही नहीं जा सकते हैं। तुलनात्मक विवरण में भी किसको टेण्डर दिया गया अधिकांश में नाम एवं पता तक दर्ज नहीं हैं जिससे स्पष्ट होता है कि टेण्डर प्रक्रिया मात्र एक औपचारिका रही जिसको कौन सा कार्य दिया जाना है। यह पूर्व ही निर्धारित होना प्रतीत होता है। जो एक गम्भीर अनियमितता है।

(ख)–किसी भी कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पी0सी0आर0, उपभोग प्रमाणपत्र, प्रारूप-4 पर उपलब्ध नहीं है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की कौन सा कार्य पूर्ण हैं और कौन सा कार्य अपूर्ण है।

(ग)–संस्था पर सृजित परिसम्पत्तियों का रजि0 तैयार नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि कौन-कौन सा कार्य किस वर्ष में कराया गया तथा किस कार्य की पुनरावृत्ति की जा रही है।

(घ)– शासनादेश संख्या 3891/77-5-2020 दिनांक 05.08.2002 एवं 4951-(11)77-5-06-506/6 दिनांक 05.10.2006 एवं तत्सम्बन्धि अन्य शासनादेशों में यह व्यवस्था निर्धारित है कि निर्माण कार्यों में प्राप्त होने वाले उप खनिजों जैसे मिट्टी, मोरंग आदि की अपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी में जमा किये जाने के परिणाम स्वरूप ट्रेजरी चालन की प्रमाणि प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु बैध रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्त कर लिया जाय। तत्पश्चात ही भुगतान दिया जाय। किन्तु पत्रावली में न तो ट्रेजरी चालन और न ही वैध रवन्ना पाया गया।

(ङ)– प्रायः टेण्डर प्रपत्र संख्या-3 में अंकित क्रमांक-5 के अनुसार टेण्डरों के लिफाफे के बाहर/ऊपर उस निर्माण कार्य का नाम अंकित नहीं है। जिसके लिए टेण्डर डाला गया है।

(च)– किसी टेण्डर पर प्रति साक्षी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

(छ)–प्रस्तुत कार्ययोजना/टेण्डर सूचना में कम संख्या 28 से 117 तक के समस्त प्रकार के कार्यों नाली निर्माण-इण्टरलाकिंग नाली व इण्टर लाकिंग, लेपन कार्य, नविनी करण, इत्यादि के लिए एक ही धनराशि रु0 6.50 लाख निर्धारित की गयी। यह कैसे सम्भव हुआ। जबकि सभी कार्य एवं उनकी नाप अलग-अलग है।

वर्ष 2016-17 में निर्माण पर कुल व्यय	रु0	289546005.00
घटाया वर्ष 2016-17 में रायल्टी एवं लेबर शेष	रु0	9086421.00
घटाया वर्ष 2016-17 में आयकर एवं व्यापार कर	रु0 15747835.00	24834256.00
		264711749.00

इस प्रकार वर्ष 2016-17 में निर्माण हेतु व्यय रु0 264711749.00 में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसके अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0एन0 सिंह, एवं अभियन्ता श्री अखिलेश यादव जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-2

नाम संस्था – जिला पंचायत

जनपद – वाराणसी

सम्भाग – वाराणसी

प्रस्तर – 1

संस्था द्वारा निजी श्रोत से आय से सम्बन्धित रजिस्टर (विभव कर) विकास खण्डवार मांग वसूली रजिस्टर तैयार किया गया है। किन्तु यह रजिस्टर केवल तीन-तीन वर्षों हेतु अलग-अलग तैयार किये गये हैं। किन्तु किसी भी वर्ष के पिछला बकाया की धनराशि को वर्ष की मांग के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही बकाया के सापेक्ष वसूली दर्शित है। अर्थात् संस्था द्वारा मात्र वर्ष की मांग के सापेक्ष वसूली की धनराशि को ही संस्था को आय की धनराशि में सम्मिलित किया जा रहा है तथा बकाया की धनराशि को विलुप्त कर वर्ष-प्रतिवर्ष संस्था की व्यापक क्षति पहुंचायी जा रही है। उक्त पंजिका में मदवार योग भी अंकित नहीं है। अर्थात् वर्ष आलोच्य में कुल कितनी मांग लगायी गयी व उसके सापेक्ष की गयी कुल वसूली की धनराशि मांग के अभाव में स्पष्ट नहीं है। इससे पूर्णतया स्पष्ट है कि संस्था द्वारा निजी श्रोत को आय के सापेक्ष वसूली एवं अवशेष की स्थिति भ्रमक एवं अधूरी रखकर व्यापक अनियमितता की जा रही है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मदवार कितनी इकाइयां स्थित है और समस्त इकाइयों के सापेक्ष मांग लगायी गयी अथवा नहीं। उपरोक्त की समीक्षा से (विभव कर मांग-वसूली रजिस्टर के अवलोकन से) यह भी स्पष्ट हुआ कि मात्र 30 प्रतिशत इकाइयों से वसूली आयी है। अर्थात् 70 प्रतिशत इकाइयों से मांग की धनराशि वसूल न कर और न ही बकाये में दर्शित कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि संस्था के अधिकारी/कर्मचारी वसूली के प्रति सम्यक् सचेष्ट नहीं है तथा न ही बकाया की वसूली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही लेखा परीक्षा में परिलक्षित हुई। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए विगत वर्षों से मांग वसूली एवं बकाया की स्थिति अंकित कराकर बकाया को वास्तविक धनराशि प्रदर्शित करते हुए उनकी वसूली के प्रति सम्यक् कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।

लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा गणनानुसार कतिपय विकास खण्डों के वर्ष 2016-17 की कुल विभव कर की मांग तथा उसके सापेक्ष वसूली तथा दिनांक 31.03.2017 को बकाया का विवरण निम्नवत् रहा :-

क्र. सं.	नाम विकास खण्ड	लेखा परीक्षा गणनानुसार वर्ष 2016-17 की कुल मांग	लेखा परीक्षा गणनानुसार वर्ष 2016-17 की कुल वसूली	दिनांक 31.03.17 को बकाया
1	आराजी लाइन	2321240	575040	1746200
2	का0वि0 (पश्चिमी)	2222840	861410	1361430
3	चोलापुर	1790630	408640	1381990
4	पिण्डरा	2478540	704130	1774410
5	हरहुआ	2875260	950710	1924550
6	बड़ागाँव	1437350	256050	1181300
	योग	13125860	3755980	9369880

इस प्रकार उपरोक्त विकास खण्डों से वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत कुल मांग ₹0 13125860.00 के सापेक्ष मात्र ₹0 3755980.00 की वसूली हुई है तथा दिनांक 31.03.17 की कुल बकाया ₹0 9369880.00 रहा गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड— चिरईगाँव, विकास खण्ड— सेवापुरी और विकास खण्ड— का0वि0 (पूर्वी) के विभव कर की माँग वसूली रजिस्टर अपूर्ण होने के कारण लेखा परीक्षा में वर्ष की कुल माँग, वर्ष की वसूली तथा दिनांक 31.03.17 को बकाया की गणना न हो सकी। उपरोक्त विवरणानुसार ₹0 9369880.00 की वसूली न करने के कारण संस्था की व्यापक आर्थिक क्षति हुई है। इसके लिए श्री अरविन्द राय, अपर मुख्य अधिकारी, श्री ओमप्रकाश, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री वेद प्रकाश, लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 2

लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरणानुसार मेला प्रदर्शनी पर व्यय कुल धनराशि ₹0 1537657.00 रहा विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	दिनांक	प्रमाणक संख्या	व्यय हुई धनराशि	व्यय का विवरण
1	05.05.16	35	297534	मारकण्डेय महादेव मन्दिर पर महाशिवरात्री पर लाईट, सफाई, बैरेकेटिंग आदि पर
2	25.06.16	36	148500	मारकण्डेय महादेव मन्दिर पर महाशिवरात्री पर लाईट, सफाई, बैरेकेटिंग आदि पर
3	15.07.16	28	275000	मारकण्डेय महादेव, शूलकण्ठेश्वर महादेव, रामेश्वर के घर व मन्दिर पर मेला व्यवस्था हेतु
4	28.11.16	74	384911	मारकण्डेय महादेव, शूलकण्ठेश्वर महादेव, रामेश्वर के घर व मन्दिर पर मेला व्यवस्था हेतु
5	04.02.17	77	72812	छठ पूजा पर गंगा किनारे सफाई पर
6	25.02.17	150	358900	कैथी मारकण्डेय महादेव मन्दिर पर शिवरात्रि पर व्यवस्था हेतु
		योग	1537657-00	

अतः मेला प्रदर्शनी पर कुल व्यय ₹0 1537657.00 के सम्बन्ध में टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है। तथा उक्त व्यय के सम्बन्ध में संबंधित आदेश (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत) की प्रति/संबंधित पत्रावली की लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जिससे किया गया भुगतान अनियमित रहा। साथ ही मेला क्षेत्र में लगाने वाले दुकानों से किराया के रूप में आय न करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मेला प्रदर्शनी पर व्यय हेतु बजट में मात्र 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। अतः इस प्रकार प्राविधानित बजट से डेढ़ गुना व्यय होने पर क्या सक्षम अधिकारी द्वारा व्यय करने से पूर्व अनुमति ली गयी थी अथवा पूरक बजट से इसका प्रावधान किया गया था। इससे सम्बन्धित कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता का परिचायक है। इसके लिए श्री अरविन्द राय, अपर मुख्य अधिकारी, श्री ओमप्रकाश, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री वेद प्रकाश, लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 3

आलोच्य वर्ष 2016-17 में संस्था द्वारा किराये की गाड़ी एवं ईंधन पर किये गये व्ययों का विवरण निम्नवत् रहा:-

क्र. सं.	दिनांक	वी.एन	गाड़ी नं0	माह	डीजल/ पेट्रोल पर व्यय	किराया	कुल व्यय
1	04.04.16	17	यूपी 65 बीएम 7374 (ए.एम.ए)	02/16, 03/16, 04/16	—	51000	51000
2	15.07.16	2	यूपी 65 बीएम 7374	05/16 06/16	—	36000	36000

			(ए.एम.ए)				
3	15.07.16	6	यूपी 65 डीटी 1411 (अध्यक्ष)	15.01.16 से 15. 06.16	62817	90000	152817
4	22.07.16	29	(ए.एम.ए) (उपरोक्त)	02 / 16, 03 / 16	40646	—	40646
5	15.07.16	42/416	(ए.एम.ए)(7374)	12 / 15, 01 / 16	41579	—	41579
6	15.07.16	43/416	(ए.एम.ए)(7374)	10 / 15, 11 / 15	35562	—	35562
7	03.09.16	67	अध्यक्ष (1411)	06 / 16 से 08 / 16	31882	45000	76882
8	07.09.16	83	(ए.एम.ए)(7374)	07 / 16, 08 / 16	—	36000	36000
9	30.12.16	55	अध्यक्ष (1411)	09 / 16 से 21. 11.16	—	48600	48600
10	30.12.16	56	(ए.एम.ए)(7374)	07 / 16, 08 / 16, 09 / 16	25076	—	25076
11	25.02.17	151	(ए.एम.ए)(7374)	10 / 16 से 01 / 17	51068	—	51068
12	23.07.17	71	अनुश्रवण कोष्ठक द्वारा	—	—	43912	43912
13	04.02.17	76	(ए.एम.ए)(7374)	04 / 16 से 07 / 16	76000	—	76000
				योग	364630	350512	715142

उपरोक्त विवरणानुसार वाहन किराया मद में ₹0 3505120.00 तथा ईंधन मद में ₹0 364630.00 कुल ₹0 715142.00 व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित रहा। उक्त व्यय की पुष्टि में वाहन करारनामा, लागबुक, मूवमेन्ट रजिस्टर तथा सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता का परिचायक है। इसके लिए श्री अरविन्द राय, अपर मुख्य अधिकारी, श्री ओमप्रकाश, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री वेद प्रकाश, लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 4

जिला पंचायत परिसर में निर्मित 10(दस) दुकानों में से आवंटित 9(9) दुकानों में से (एक दुकान का आवंटन निरस्त है) आवंटित 8 दुकानों का किराया मांग व वसूली का विवरण संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रावली व किराया रजिस्टर के अनुसार निम्नवत् है :-

क.सं.	दुकान न0	वर्ष 2016-17 का किराया	वि0शुल्क	वर्ष 2016-17 की वसूली	दिनांक 31.03.17 का बकाया
1	01	3000	750	—	3750
2	02	12000	3000	—	15000
3	04	7308	1827	—	9135
4	05	7308	1827	—	9135
5	06	7308	1827	—	9135
6	07	12000	3000	—	15000
7	08	7308	1827	—	9135
8	09	निरस्त			
9	10	7308	1827	—	9135
	योग	63540	15885		79425

उपरोक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में दुकानों से किराया के रूप में कोई वसूली नहीं हुई है। इस प्रकार वर्ष 2016-17 का कुल किराया बकाया ₹0 79425.00 से संस्था की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। इसके लिए श्री अरविन्द राय, अपर मुख्य अधिकारी, श्री ओमप्रकाश, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री वेद प्रकाश, लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर – 5

जिला पंचायत वाराणसी की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में शासकीय अनुदानों का उपभोग ₹0 322439848.00 निर्माण कार्य पर दर्शित है। जिसमें अंकन ₹0 7226969.00 आयकर ₹0 12876116.00 व्यापार कर ₹0 3223141.00 सेस तथा ₹0 1574941.00 रायल्टी की कटौती करते हुए ₹0 297538681.00 ठेकेदारों को भुगतान किया गया है। दर्शित निर्माण कार्य एवं उस पर व्यय की गयी धनराशि पर निम्न गम्भीर तथ्य प्रकाश में लाये जाते हैं:-

(1) निर्माण कार्यों की स्वीकृति/अनुमोदन जिला स्तरीय कमेटी की सूची एवं संस्था को निर्माण कार्य कराने हेतु आवंटित कार्य की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि जो कार्य संस्था द्वारा दर्शाये गये हैं उन कार्यों को कराये जाने हेतु जिला कमेटी द्वारा जिला पंचायत को आवंटित किया है अथवा नहीं।

(2) अधिकांश निर्माण कार्य पत्रावलियों में एक ही तरह के तीन-तीन टेण्डर फार्म भरा दिये गये हैं और उनमें से एक को स्वीकृत किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था पर टेण्डर प्रक्रिया मात्र एक कागजी कोरम पूर्ण करने के रूप में की गयी है। कार्य किसको दिया जाना है यह पूर्व निर्धारित होता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि संलग्न प्राक्लन पत्र नियमानुसार निर्धारित रीति से प्रारूप पर नहीं तैयार किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि निर्माण कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले प्रत्येक पदार्थ की गुणवत्ता, मात्रा, दर एवं मूल्य क्या है। इसी प्रकार स्वीकृति मानचित्र भी नियमानुसार निर्धारित रीति से प्रारूप पर नहीं तैयार किये गये हैं। जिसे पूर्व एवं पश्चात की दशा एवं दिशा का बोध नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार प्राक्लन में निर्धारित अनुमानित लागत की पुष्टि नहीं की जा सकी है।

(3) जो भी निर्माण कार्य दर्शित है उसके लोकेशन/अवस्थान जानबूझकर भ्रामक बनाये गये हैं अर्थात् कौन कार्य किस विकास खण्ड में किस ग्राम पंचायत में कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार की भूमि पर (गाटा/प्लाट संख्या सहित) पर कराया गया स्पष्ट विवरण भी अंकित नहीं किया गया है।

(4) संस्था स्तर पर सृजित परिसम्पत्ति रजि0 तैयार ही नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कितने और कौन-कौन से पूर्ण अथवा अपूर्ण कार्य किस वर्ष में कराये गये और उनका स्वामित्व सक्षम अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से जिला पंचायत में सन्निहित कर दिया गया अथवा नहीं।

(5) किसी भी कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध नहीं है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कौन सा कार्य पूर्ण हो गया है और कौन सा कार्य अपूर्ण है।

(6) शासनादेश सं0 3891/77-5-2002, दिनांक 05.08.2002 एवं 4951-(11)/77-5 -06-506/06 दिनांक 05.10.2006 एवं तत्सम्बन्धी शासनादेशों में यह व्यवस्था निर्धारित है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों यथा गिट्टी, मोरंग आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित कराने हेतु वैध रवन्ना (एम एम -11) प्राप्त कर लिया जाय तत्पश्चात् ही भुगतान अपेक्षित है। किन्तु पत्रावलियों में न तो रायल्टी जमाकर ट्रेजरी चालान और न ही वैध रवन्ना पाया गया। इस प्रकार निर्धारित व्यवस्था के प्रतिकूल मनमाने एवं सुनियोजित ढंग से भुगतान किया गया है। यह सुनिश्चित ही नहीं किया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले खनिज की आपूर्ति कहाँ से हुयी, हुयी भी अथवा नहीं और उसपर देय रायल्टी जमा हुई या नहीं। ऐसे में अपेक्षित है कि ठेकेदारों से यह स्पष्ट कराया जाये और प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये कि उनके द्वारा खनिज सामग्री की आपूर्ति किन फर्मों से और कहाँ से (प्रत्येक निर्माण कार्य पर अलग-अलग) की गयी और देय रायल्टी जमा की गयी अथवा नहीं। यदि जमा की गयी है तो प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रति प्राप्त किया जाये अन्यथा की स्थिति में खान/खनिज आपूर्ति ही अस्पष्ट है और जब सामग्री आपूर्ति ही अस्पष्ट है तो दर्शित निर्माण कार्य भी अस्पष्ट हो जाता है। उक्त की स्थिति में दर्शित निर्माण कार्य पर रु0 297538681.00 व्यय कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। इसके लिए श्री अरविन्द राय, अपर मुख्य अधिकारी, श्री ओमप्रकाश, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री वेद प्रकाश, लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 6

लेखा परीक्षा वर्ष में निर्माण कार्यों के सापेक्ष राजकीय राजस्व के रूप में सेस के लिए काटी गयी धनराशि रु0 3223141.00 के जमा के सम्बन्ध में कोई पत्रावली/प्रपत्र पुष्टि स्वरूप उपलब्ध नहीं रहा। जिससे उक्त जमा राजकीय राजस्व की पुष्टि न हो सकी। जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, लेखाकार एवं वित्तीय परामर्शदाता संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

जनपद -भदोही

मण्डल का नाम विन्ध्याचल

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

जिला पंचायत का नाम भदोही वर्ष 2016-17

प्रस्तर 01- दिनांक 07.04.2016 को अर्नेस्ट मनी। जमानत के रूप में रु0 1216900.00 कैशबुक में प्राप्त किया गया है जबकि चालान से जमा धन दि0 13.4.2016 के अनुसार क्रमशः रु0 990900+211500+100+13500 कुल रु0 1216000.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु0 900 बैंक में कम जमा किया गया है। जिसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र भारतीय का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0 18**

प्रस्तर 02-बाउचर न0 127 के अनुसार मकनपुर सी0सी0रोड से ब्राह्मण बस्ती तक 420 मीटर लेपन कार्य किया गया है। इस सन्दर्भ में जमानत बाई बाउचर 49300 काटा गया है किन्तु कैशबुक में ठेकेदार श्री कृष्ण मोहन तिवारी के नाम जमानत जमा रु0 49100.00 का ही अंकन पाया गया इस प्रकार रु0 200 का कम अंकन कैशबुक में किया गया

है। जिसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र भारतीय का रहा। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं 24

प्रस्तर 03— आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग मद में प्रारम्भिक मद में अवशेष रू0 31224918.00 पाया गया। वर्ष में प्राप्त अनुदान रू0 152780292.00 है तथा वर्ष के दौरान रू0 157188900.00 व्यय दर्शित है। दि0 31.03.2017 को इस मद में अन्तिम अवशेष रू0 26816310.00 पाया गया जबकि वर्ष में उपलब्ध अनुदान को वर्ष के दौरान विकास कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए इस प्रकार रू0 26816310.00 को अनुमन्य विकास कार्यों पर व्यय न करके तथा उक्त अवशेष धन वर्षान्त में सम्बन्धित पक्ष को वापस न कर रोक रखा जाना आपत्तिजनक है। जिसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी सुभाष चन्द्र भारतीय का रहा। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं 25

प्रस्तर 04—आलोच्य वर्ष में तेरहवें वित्त आयोग मद में प्रारम्भिक मद में अवशेष रू0 8692755.00 पाया गया इस दौरान साल आय—व्यय शून्य है दि0 31.03.2017 को उक्त मद में रू0 8692755.00 शेष दर्शित रहा। दौरान साल उक्त धनराशि को विकास कार्यों पर व्यय न करके तथा उक्त अवशेष धन वर्षान्त में सम्बन्धित पक्ष को वापस न कर रोक रखा जाना आपत्तिजनक है। जिसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी सुभाष चन्द्र भारतीय का रहा। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं 26

प्रस्तर 05—आलोच्य वर्ष में विधायक निधि मद में दि0 1.04.2016 प्रारम्भिक मद में अवशेष रू0 127628.00 अंकित है। वर्ष के दौरान रू0 15236150.00 अनुदान प्राप्त हुआ दौरान साल रू0 15363778.00 विकास कार्यों पर व्यय किया गया दर्शित है दिनांक 31.03.2017 को उक्त मद में रू0 168628.00 अवशेष जिसे साल विकास कार्यों पर व्यय न किया जाना तथा उक्त अवशेष धन वर्षान्त में सम्बन्धित पक्ष को वापस न कर रोक रखा जाना आपत्तिजनक है। जिसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी सुभाष चन्द्र भारतीय का रहा। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं 27

प्रस्तर 06—आलोच्य वर्ष में पूर्वाञ्चल निधि में प्रारम्भिक अवशेष रू0 8677750.00 दर्शित है। वर्ष में रू0 6232500.00 अनुदान प्राप्त हुआ। दौरान साल इस मद में रू0 13285930.00 विकास कार्यों पर व्यय दर्शित किया गया दिनांक 31.03.2017 को उक्त मद में रू0 1624320.00 अवशेष पाया गया अनुदान की इस धनराशि रू0 1624320.00 को वर्ष के दौरान विकास कार्यों पर व्यय न करके तथा उक्त अवशेष धन वर्षान्त में सम्बन्धित पक्ष को वापस न कर रोक रखा जाना आपत्तिजनक है। जिसका उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी सुभाष चन्द्र भारतीय का रहा। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं 28

प्रस्तर 07— संस्था की कैशबुक में दिनांक 31.03.2017 के अन्तिम अवशेष रोकड शेष रू0 32796543.09 पाया गया जबकि सम्बन्धित बैंक पास बुको के अनुसार उक्त रोकड शेष रू0 37125996.96 है इस प्रकार रू0 4329453.87 का अन्तर पाया गया इस सन्दर्भ में संस्था द्वारा बैंक समाधान विवरण पत्र मार्च 2017 बनाया गया अप्राप्त चालानों के विवरण का योग रू0 617735.00 है। किन्तु कैश बुक एवं पासबुक के दि0 31.03.2017 के रोकड शेष को मिलान कराने कम में अप्राप्त चालान की राशि रू0 641542.96 दर्शाया गया है इस प्रकार रू0 23807.96 की अधिक धनराशि का उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र भारतीय का रहा। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं 29

प्रस्तर 08—आलोच्य वर्ष 2016-17 संस्था के निजी आय के स्रोतों के अवधारण प्राप्ति एवं अवधारण के सापेक्ष वर्ष के बकाया की स्थिति निम्नांकित क्रम में है।

क्रमांक	विवरण	अवधारण	वसूली	वर्ष के अवधन के सापेक्ष बकाया
1	सम्पत्ति एवं विभवकर	6000000	2344193	3655807
2	लइसेंस	4000000	1850254	2149746
3	सम्पत्ति से आय दुकान भवन किरया	2000000	470658	1529342
4	नौका घाट	595000	1600	593400
5	कृषि एवं तरुपालन	5000	2900	2100
6	वालू मोरंग	500000	158400	341600
7	भवन नक्शा	2000000	0	2000000
	योग	15100000	4828005	10271995

उक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष में अवधारण के सापेक्ष बकाया धनराशि रू0 10271995.00 है उक्त स्थिति गंभीर अपात्तिजनक है। संस्था के आर्थिक हित में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। अवधारण के सापेक्ष बकाया धनराशि रू0 10271995.00 उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र भारतीय का रहा। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं 30

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 **प्रारूप- 2**
जनपद- मीरजापुर **मण्डल का नाम- विन्ध्याचल**
जिला पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

1. नाम-जिला पंचायत मीरजापुर

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15

प्रस्तर-01 दिनांक 24.02.2015 को 672 ड्रम तारकोल की दुलाई हेतु पूर्वांचल विटुमिन कैरियर मोहम्मदाबाद गाजीपुर को रु0 411000.00 का दुलाई भाड़ा का भुगतान चेक संख्या 865726 (वाउचर सं0-55) द्वारा किया गया है। उक्त भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल पर रजिस्ट्रेशन नं0 व दिनांक अंकित नहीं है। नियमानुसार भुगतान हेतु कैश मेमो जिस पर रजि0 नं0 अंकित हो का होना आवश्यक है। उक्त बिल के आधार पर संस्था द्वारा किया गया भुगतान अनियमित व नियम विरुद्ध है। जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा व वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-02

प्रस्तर-02 दिनांक 14.11.2014 को वाउचर नं0-39 द्वारा स्वतंत्रता दिवस अगस्त 2014 के अवसर पर शुभ कामना संदेश प्रकाशन हेतु जनपद मीरजापुर से प्रकाशित कुल 32 समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु रु0 68667.00 का भुगतान किया गया है। इतने अधिक समाचार पत्रों में शुभकामना संदेश प्रकाशित करने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इतने अधिक व कम महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में शुभकामना संदेश प्रकाशित करके संस्था के धन का दुरुपयोग किया गया है जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा व वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-03

प्रस्तर-03 आलोच्य वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित व्यय प्रमाणकों पर टिन नम्बर अंकित नहीं रहा जिससे किया गया भुगतान अनियमित व नियम विरुद्ध रहा। जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा व वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	दिनांक	वाउचर सं0	विवरण	धनराशि
01	05.08.14	12	रिपेयरिंग हेतु बिजली सामग्री न्यू कृष्णा इलेक्ट्रिक्स एण्ड रिपेयरिंग सेन्टर वासली गंज मीरजापुर से क्रय	14950.00
02	05.08.14	11	रैन बसेरा चील्ह में हाई मास्ट लाइट लगाने हेतु न्यू कृष्णा इलेक्ट्रिक्स वासलीगंज मीरजापुर से क्रय	31880.00
03	10.02.15	34	जिला पंचायत की गाड़ी यूपी63जी0135 हेतु बी0आर0डी0 बैट्री वर्क्स पीली कोठी से बैट्री क्रय	5500.00
योग				52330.00

सा0 आ0 संख्या-04

प्रस्तर-04 दिनांक 16.10.2014 को वाउचर नं0-18 द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदया के आवास पर बिजली कार्य हेतु न्यू कृष्णा इलेक्ट्रिक्स वासलीगंज मीरजापुर को रु0 50000.00 का भुगतान किया गया है। भुगतान हेतु प्रस्तुत प्रमाणक पर टिन नम्बर अंकित नहीं रहा जिससे किया गया भुगतान अनियमित व नियम विरुद्ध रहा जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा व वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-05

प्रस्तर-05 दि0-20.10.2014 को जिला पंचायत मीरजापुर में समर सेबुल, जनरेटर आदि के हेतु रु0 40729.00 का भुगतान न्यू कृष्णा इलेक्ट्रिक्स वासलीगंज मीरजापुर को वाउचर नं0-26 द्वारा किया गया है प्रस्तुत प्रमाणक पर टिन नं0 अंकित नहीं रहा जिससे किया गया भुगतान अनियमित व नियम विरुद्ध रहा। जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा व वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0 संख्या-06

प्रस्तर-06 दि0-16.10.2014 को ए0सी0 कम्प्रेसर व ए0सी0 मरम्मत हेतु रु0 15000.00 का भुगतान भारत रेफ्रीजरेटर राम बाग रायदानी मार्केट मीरजापुर को किया गया है। प्रस्तुत व्यय प्रमाणक पर टिन नं0 अंकित नहीं रहा। बिना टिन अंकित प्रमाणक पर किया गया भुगतान अनियमित व नियम विरुद्ध है जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा व वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-07

प्रस्तर-07 दि0-04.02.15 को वाउचर नं0-16 द्वारा शारदीय नवरात्र मेला 2014 हेतु रु0 33040.00 का भुगतान किया गया है । उक्त भुगतान लगाए गए गोताखोर, नाविक नाव सहित व बैनर आदि के भुगतान हेतु किया गया है । उक्त भुगतान के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

- 1) भुगतान प्रमाणक पर ओवरराइटिंग की गई है ।
- 2) रु0 2800.00 का बैनर का प्रमाणक अनुपलब्ध रहा फलस्वरूप व्यय अपुष्टित रहा ।
- 3) नाविकों व गोताखोरों द्वारा भुगतान हेतु किये गये आवेदन पत्र पर कार्य दिवस अंकित नहीं रहा जिससे किये गये भुगतान रु0 30240.00 की पुष्टि नहीं होती ।

अतः नवरात्र मेले हेतु किया गया उक्त भुगतान अनियमित प्रतीत होता है । जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा व वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय का है । ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-08

प्रस्तर-08 दि0-04.02.2015 को समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु रु0 47893.00 का भुगतान किया गया है । यह विज्ञापन किस हेतु किया गया है का विवरण अंकित नहीं रहा। संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग प्रति अनुपलब्ध रही । भुगतान का विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	समाचार पत्र	चेक संख्या	धनराशि
01	दैनिक जागरण	907443	5246.00
02	अमर उजाला	907444	22795.00
03	स्पष्ट आवाज	907445	19852.00
योग	47893.00		

उक्त धनराशि रु0 47893.00 में से रु0 28041.00 विज्ञापन का उद्देश्य व पेपर कटिंग न होने का कारण अनियमित रहा व शेष धनराशि रु0 19852.00 कम महत्वपूर्ण समाचार पत्र स्पष्ट आवाज में विज्ञापन देकर धन का दुरुपयोग किया गया है । जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा व वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय का है । इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-09

प्रस्तर-09 दि0-24.03.2015 को संस्था द्वारा 645 नग रजिस्टर दर रु0 60.00 प्रति रजिस्टर की छपाई एवं आपूर्ति हेतु रु0 40635.00 का भुगतान शिवम ट्रेडिंग कम्पनी वासलीगंज मीरजापुर को वाउचर सं0-55 द्वारा किया गया है । लेखा परीक्षा गणना के अनुसार 645 नग रजिस्टर का मूल्य रु0 60.00 प्रति रजि0 की दर से रु0 38700.00 आता है । इस प्रकार अंतर रु0 1935.00 का अधिक भुगतान करके संस्था के धन का दुरुपयोग किया गया है । जिसका उत्तरदायित्व संस्था के लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा व वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय का है । इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अन्तर की धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-10

प्रस्तर-10 दि0-30.12.2014 को टेण्डर हेतु समाचार पत्र चेतना मे प्रकाशन हेतु चेतना प्रकाशन प्राइवेट लि0 को रु0 4302.00 का भुगतान वाउचर नं-58 द्वारा किया गया है भुगतान हेतु प्रस्तुत प्रमाणक पर दिनांक 25.09.2013 अंकित है । पन्द्रह माह बाद भुगतान का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया । पेपर कटिंग भी अनुपलब्ध रही । कम महत्वपूर्ण समाचार पत्र में विज्ञापन कराकर संस्था की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है । जिसका उत्तरदायित्व संस्था के लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा व वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय का है । इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-11

प्रस्तर-11 दि0-05.09.2014 को विराज प्रकाशन प्रा0लि0 को विज्ञापन हेतु रु0 1000.00 का भुगतान किया गया है भुगतान से संबंधित प्रमाणक / बिल लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा पेपर कटिंग भी अनुपलब्ध रहा । इसी प्रकार दि0-18.09.2014 को अमर उजाला में विज्ञापन हेतु रु0 25488.00 का भुगतान किया गया है । भुगतान से संबंधित प्रमाणक / बिल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । पेपर कटिंग भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही । इस प्रकार बिना प्रमाणक / बिल के भुगतान करके उक्त धनराशि रु0 26488.00 का अपहरण किया गया है जिसका उत्तरदायित्व संस्था के लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा व वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय का है । उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-12

प्रस्तर-12 सम्प्रेक्ष वर्ष 2014-15 में संस्था की निर्माण पत्रावली की जांच में निम्नलिखित कार्यों के अन्तिम भुगतान पर कम सेस कर काटा गया है। विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	धनराशि	भुगतान तिथि	काटा गया सेस कर	सेस कर जो काटा जाना चाहिये	अंतर
01	मुन्दीपुर कठेरवा मार्ग से मवैया गाँव मार्ग पर अवशेष भाग का लेपन कार्य	961880.00	09.07.15	9200.00	9618.00	418.00
02	भण्डारी माइ पहाड़ से कंचनपुर सम्पर्क मार्ग पर पुलिया से मदरा तक लेपन कार्य	699600.00	24.03.15	6928.00	6996.00	68.00
03	ग्राम सभा गोधना में प्रा0 पाठशाला से वंशू सिंह के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य	801400.00	23.01.15	7936.00	8014.00	78.00
योग						564.00

इस प्रकार रु0 564.00 कम सेस कर काटकर श्रम विभाग को क्षति पहुँचाई गई है। इसके लिए उत्तरदायित्व संस्था के लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा, वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय व श्री मुरलीधर शर्मा निर्माण लिपिक का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0 संख्या-13

प्रस्तर-13 सम्प्रेक्षण वर्ष 2014-15 में विकास कण्ड लालगंज में ग्राम राजापुर बनारसी के घर से विजय शंकर शुक्ल के घर तक लेपन कार्य राज्य वित्त आयोग की धनराशि से ठेकेदार श्री दिलीप कुमार सिंह द्वारा कराई गई है। उक्त कार्य हेतु 6 एम0एम0-11 प्रपत्र प्रयुक्त किया गया है। एम0एम0-11 प्रपत्र के अनुसार कुल 13 घन मी0 x 6=78 घन मी0 सुकृत गिट्टी प्रयुक्त हुई जिसकी रायल्टी रु0 72.00 प्रति घन मी0 की दर से रु0 5616.00 आती है। परंतु उक्त कार्य में रु0 3924.00 की ही रायल्टी काटी गई है। अतः अन्तर रु0 1692.00 की कम खनिज रायल्टी काटकर राजकीय कोष को क्षति पहुँचाई गई है। जिसका उत्तरदायित्व संस्था के लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा, वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय व श्री मुरलीधर शर्मा निर्माण लिपिक का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-14

प्रस्तर-14 सम्प्रेक्षण वर्ष 2014-15 में विकास खण्ड सीखड में खानपुर से विठ्ठलपुर मार्ग पर लेपन कार्य राज्य वित्त आयोग की धनराशि से ठेकेदार मे0 प्रिया कम्पनी कछवा पार्टनर चन्द्रधर सिंह द्वारा कराया गया है। उक्त कार्य हेतु 09 एम0एम0-11 प्रपत्र पत्रावली में संलग्न रहा, प्रत्येक प्रपत्र में मात्रा 24 घन मी0 गिट्टी अंकित है जिसकी कुल रायल्टी 216 घन मी0 गिट्टी की 72.00 प्रति घ0मी0 की दर से रु0 15552.00 आती है परंतु उक्त कार्य में रु0 3225.00 की ही रायल्टी काटी गई है। अतः अन्तर रु0 12327.00 खनिज रायल्टी कम काटी गई है। उक्त का उत्तरदायित्व संस्था के लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा, वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय व श्री मुरलीधर शर्मा निर्माण लिपिक का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-15

प्रस्तर-15 भारत सरकार के त्रैमासिक बजटिंग मेनुअल के अध्याय-06 के प्रस्तर-29 के अनुसार संसाधनों के उपभोग के संबंध में तिमाही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति प्रथम तिमाही 20% द्वितीय तिमाही 20%, तृतीय तिमाही 25% एवं चतुर्थ तिमाही 35% निर्धारित की गई है। शासनादेश संख्या 1568/38-4-1993-42/93 के अनुसार प्राप्त धनराशि का शत प्रतिशत वर्ष में उपभोग किया जाना अनिवार्य है। किसी भी दशा में प्राप्त धनराशि के 15% से अधिक धनराशि अवशेष नहीं बचनी चाहिए। आलोच्य वर्ष में संस्था को विभिन्न मदों में रु0 2489.27 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ व गत वर्ष का अवशेष अनुदान रु0 1679.11 लाख रहा। इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि रु0 4168.38 लाख में से रु0 2304.35 लाख का ही उपभोग किया गया है। शेष धनराशि रु0 1864.03 लाख का उपभोग न करके रु0 1864.03 लाख की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसका उत्तरदायित्व संस्था के लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा, व वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय का है इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-18

प्रस्तर-16 दि0-22.03.2014 को चील्ह रैन बसेरा, अष्ट भुजा रैन बसेरा एवं अष्ट भुजा गेट की रंगाई पुताई कार्य हेतु रु0-100000.00 का ठेका ठेकेदार राजेश कुमार श्रीवास्तव को दिया गया। कर काटने के उपरान्त रु0 92760.00 का भुगतान ठेकेदार श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव को दिनांक 09.10.2014 को चेक सं0-882897 व वाउचर सं0-10 द्वारा किया गया है। पत्रावली में रंगाई पुताई हेतु प्रयुक्त सामग्री का बिल/कैश मेमो संलग्न नहीं रहा। माप-पुस्तिका भी प्रस्तुत नहीं रही जिससे किये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। जिसका उत्तरदायित्व ठेकेदार श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, अभियन्ता श्री राजेश कुमार वर्मा व अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा का है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-19

प्रस्तर-17 अष्ट भुजा डाक बंगला की रंगाई पुताई हेतु रु0 250000.00 का ठेका श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव को दिया गया है। कर काटने के उपरान्त रु0 231900.00 का भुगतान ठेकेदार श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव को दिनांक 09.10.2014 को चेक सं0-882897 व वाउचर सं0-09 द्वारा किया गया है। पत्रावली में रंगाई पुताई हेतु प्रयुक्त सामग्री का बिल / कैश मेमो संलग्न नहीं रहा। माप पुस्तिका भी प्रस्तुत नहीं रही जिससे किये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। जिसका उत्तरदायित्व ठेकेदार राजेश कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, अभियन्ता श्री राजेश कुमार वर्मा, व अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा का है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-20

प्रस्तर-18 आलोच्य वर्ष में लोअर खजुरी में मूर्ति विसर्जन हेतु विसर्जन स्थल पर पहुँच मार्ग, जंगल की सफाई, विद्युत व्यवस्था, दो जनरेटर सहित बैनर, चूना, गोताखोर के साथ व्यवस्था हेतु दि0-30.09.14 को रु0 98000.00 का ठेका श्री रतन कुमार मौर्य को दिया गया कर काटने के उपरान्त दिनांक 20.10.2014 को रु0 90905.00 का भुगतान ठेकेदार श्री रतन कुमार मौर्य को वाउचर नं0-20 द्वारा किया गया पत्रावली में उक्त कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री व मजदूरी आदि से संबंधित बिल/कैश मेमो व मस्टर रोल संलग्न नहीं रहा व माप पुस्तिका भी प्रस्तुत नहीं रही। जिससे उक्त किये गए कार्य की पुष्टि नहीं होती है। जिसका उत्तरदायित्व ठेकेदार श्री रतन कुमार मौर्य अवर अभियन्ता, श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव व अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा का है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-21

प्रस्तर-19 दि०-14.11.2014 को संस्था द्वारा तारकोल हेतु रु० 11120950.00 का भुगतान इंडियन आयल कारपोरेशन लि० इलाहाबाद को आर०टी०जी०एस० द्वारा किया गया है। तारकोल से संबंधित स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा जो अपूर्ण पाया गया। तारकोल का मूल्य स्टाक रजिस्टर पर अंकित नहीं किया गया है। प्राप्त स्टाक का विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। स्टाक रजिस्टर के अनुसार 672 ड्रम तारकोल दि०-05.02.2015 को प्राप्त हुआ है जबकि 865 ड्रम तारकोल भुगतान की तिथि से 2 वर्ष 6 माह बाद दिनांक 27.05.17 को प्राप्त हुआ है। इतने विलंब से तारकोल प्राप्त होने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है। इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा विलम्ब से आपूर्ति करके संस्था को ब्याज की हानि पहुँचाई गई है। विलंब से तारकोल की आपूर्ति किए जाने के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० के तत्कालीन प्रबंधक उत्तरदायी हैं। जिनसे रु० 2816418.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सा० आ० संख्या-22

प्रस्तर-20 सम्प्रेक्षण वर्ष 2014-15 में (दिनांक 01.10.2014 से 30.09.2015 तक) के लिए सिन्धोरा नौका घाट विकास खण्ड पहाड़ी का ठेका / पट्टा श्री गणेश प्रसाद निषाद सचिव एकलव्य श्रम संविदा सहकारी समिति लि० बालू घाट चुनार जनपद मीरजापुर को दिनांक 09.10.2014 को दिया गया ठेके की धनराशि रु० 147775.00 निर्धारित किया गया। ठेकेदार द्वारा दिनांक 22.08.2014 को रु० 5000.00 जमानत की धनराशि व रु० 1350000.00 ठेके की धनराशि नकद जमा की गई। श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय प्रथम श्रेणी लिपिक द्वारा बताया गया कि जमानत की धनराशि को ठेके की धनराशि में समायोजित कर लिया गया है। इस प्रकार ठेके की जमा धनराशि रु० 140000.00 हुई। परंतु रु० 7775.00 की धनराशि ठेकेदार द्वारा जमा नहीं की गई। जिसका उत्तरदायित्व ठेकेदार श्री गणेश प्रसाद निषाद, प्रथम श्रेणी लिपिक श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय व अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा० आ० संख्या-23

प्रस्तर-21 सम्प्रेक्षण वर्ष 2014-15 में (दिनांक 01.10.2014 से 30.09.2015 तक) कठनई नौका घाट का ठेका / पट्टा श्री कन्हैया लाल निषाद सचिव मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि० चण्डिका पहाड़ा कठनई जनपद मीरजापुर को दिया गया। ठेके की धनराशि रु० 69000.00 निर्धारित की गई ठेकेदार द्वारा दिनांक 22.08.14 को रु० 5000.00 जमानत की धनराशि व दिनांक 29.09.2014 को रु० 62000.00 ठेके की धनराशि नकद जमा की गई। लिपिक द्वारा बताया गया कि जमानत की धनराशि रु० 5000.00 को ठेके की धनराशि में समायोजित कर लिया गया है। इस प्रकार कुल ठेके की धनराशि रु० 67000.00 जमा रही। रु० 2000.00 की धनराशि जमा नहीं रही जिसका उत्तरदायित्व लिपिक श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय, ठेकेदार श्री कन्हैया लाल निषाद व अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा० आ० संख्या-24

प्रस्तर-22 संस्था की त्रैमासिक समीक्षा पुस्तिका मार्च 2015 के प्रपत्र-5 के अनुसार अन्तयोदय / स्थानीय निकाय व स्पेशल कम्पेनेन्ट योजनान्तर्गत वितरित ऋणों का रु० 37.95 लाख वसूली हेतु बकाया है। उक्त बकाये से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त बकाये ऋण की वसूली हेतु संस्था द्वारा क्या कार्यवाही की गई का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त धनराशि रु० 37.95 लाख की वसूली हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उक्त वसूली न होने के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी व वर्तमान अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा० आ० संख्या-25

प्रस्तर-23 सम्प्रेक्षण वर्ष में दिनांक 04.02.2015 को इनवर्टर में बैटरी हेतु रु० 18150.00 का भुगतान चेक संख्या-907441 वाउचर सं०-13 द्वारा किया गया है। भुगतान की पुष्टि में भुगतान से संबंधित प्रमाणक, भुगतान आदेश व स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे किए भुगतान रु० 18150.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसका अपहरण किया गया है। जिसका उत्तरदायित्व कैशियर/लिपिक, श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय, लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव, वित्तीय परामर्शदाता श्री अमर नाथ राय व उपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा का है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सा० आ० संख्या-26

प्रस्तर-24 आलोच्य वर्ष 2014-15 में दिनांक 31.03.15 को 152 निर्माण कार्य अपूर्ण रहा जिस पर रु० 108650005.00 व्यय रहा। जबकि उक्त योजनाओं में धन की उपलब्धता के बावजूद कार्य आधा-अधूरा स्थिति में छोड़ दिये जाने के कारण उन्हें जनोपयोगी नहीं बनाया जा सका। एक तरफ कार्य अपूर्ण होने के कारण उसकी गुणवत्ता प्रभावित रही वहीं दूसरी तरफ कार्य अपूर्ण होने के कारण योजना का अपेक्षित उद्देश्य अपूर्ण रहा। उक्त का उत्तरदायित्व श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अवर अभियंता, श्री अनिल कुमार शुक्ला अवर अभियंता, श्री राजेश कुमार वर्मा अभियंता व श्री विन्ध्याचल कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा० आ० संख्या-28

प्रस्तर-25 संस्था द्वारा करों के आरोपण, समाहरण एवं बकाया का संकलित विवरण नहीं तैयार किया गया है। संस्था द्वारा जनपद के समस्त विकास खण्ड का कर माँग, वसूली व बकाया रजिस्टर तैयार किया जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि करों आदि के लेखों की लेखा बन्दी विगत वर्षों से नहीं की गई है। जिससे प्रारंभिक शेष, वर्ष में आरोपित पंचायत कर, वर्ष में वसूल तथा वर्ष के अन्त में शेष का लेखा अनुपलब्ध रहा जिससे स्पष्ट है कि इस मद में अपहरण व गंभीर अनियमिततायें सम्भावित हैं। जिसका उत्तरदायित्व श्री शुभम कुमार, राजस्व निरीक्षक, तत्कालीन कर समाहर्ता व श्री विन्ध्याचल कुशवाहा, अपर मुख्य अधिकारी का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा० आ० संख्या-29

नाम-जिला पंचायत मीरजापुर लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16

जनपद- मीरजापुर

प्रस्तर-01 सम्पत्ति एवं विभव कर संबंधी सम्प्रेक्षण वर्ष 2015-16 की संस्था सुलभ करायी गयी वार्षिक लेखाबन्दी के अनुसार स्थिति निम्नवत् थी-

क्र०	वि० खण्ड का नाम	गत वर्ष का शेष	चालू माँग	कुल योग	वर्ष वसूली में	वर्ष में अवशेष	अधिक वसूली
01	नरायनपुर	12817118.60	2059786	14876904.60	537225	14345879.60	6200
02	जमलापुर	7735917.97	982016	8717933.97	209000	8508933.97	—
03	सीखड़	2726278.83	335865	3062143.83	33500	3028843.83	200
04	राजगढ़	3170618.82	592855	3763473.82	276079	3487794.82	400
05	मड़िहान	1694925.85	239677	1934602.85	67850	1867152.85	400
06	हलिया	7006581.59	757576	7764157.59	113300	7654207.59	3350
07	छानबे	7191217.51	879684	8070901.51	307900	7763001.51	—
08	मझवां	4483972.40	439260	4923232.40	58700	4864532.40	—
09	सिटी	5749550.00	767353	6516903.00	182200	6334703.00	—
10	कोन	4450222.23	303379	4753601.23	22800	4730801.23	—
11	पहाड़ी	4688353.50	416211	5104564.50	77650	5026914.50	—
12	लालगंज	6200914.90	585678	6786592.90	99800	6688292.90	1500
योग		67915672.20	8359340	76275012.20	1986004	74301058.20	12050

इस प्रकार दिनांक 01-04-2015 को बकाया रु 67915672.20 था वर्ष की माँग रु 8359340.00 सहित कुल माँग रु 76275012.20 के सापेक्ष वर्ष की वसूली रु 1986004 दर्शित है जिसमें रु 12050.00 अधिक वसूली (अवशेष व माँग से अधिक वसूली) उपरान्त 31-03-2016 को अवशेष रु 74301058.20 दर्शित है जो गंभीर स्थिति का द्योतक है वर्ष की कैश बुक व वर्गीकृत सारपत्र के अनुसार इस मद में रु 2481674.00 की वसूली हुई है । स्पष्ट है कि सम्पत्ति एवं विभव कर पंजिकाओं में रु 495670.00 की वसूली की पोस्टिंग नहीं की गयी है तदनु रूप 31-03-2016 को अवशेष रु 73805388.00 दर्शाया जाना चाहिये था । स्पष्ट है कि संस्था द्वारा निजी श्रोत की आय विभव एवं सम्पत्ति कर की वसूली के प्रति उदासीन है जो इस बात का द्योतक है कि उगाही कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारु ढंग से नहीं किया जा रहा है । सम्पत्ति एवं विभव कर की कुल माँग के सापेक्ष बहुत कम वसूली होना तथा बकाया में निरंतर वृद्धि होने के प्रति राजस्व निरीक्षक श्री शुभम कुमार श्री अजीत सिंह, श्री अभिलाष सिंह यादव व श्री कमलेश कुमार यादव सीधे उत्तरदायी है । सम्पत्ति एवं विभव कर की बकाया वसूली हेतु ठोस प्रयास एवं सार्थक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

सा० आ० संख्या-02

प्रस्तर-02 सम्प्रेक्षण वर्ष में लाइसेन्स शुल्क मद में रु 2916252.00 की आय हुयी है गत वर्ष आय 23.49 लाख थी । लाइसेन्स रजिस्टर अपूर्ण पाया गया जाँच में फुटकर व्यवसाय जैसे परचून दुकान, आटा चक्की, पेट्रोल पम्प आदि का लाइसेन्स रजिस्टर अपूर्ण पाया गया जिस प्रति श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ लिपिक उत्तरदायी हैं । ईट भट्टे का लाइसेन्स रजिस्टर सुलभ हुआ जिसमें मात्र वर्ष की वसूली दर्शित है । जनपद के 336 ईट भट्टों में मात्र 178 का ही लाइसेन्स शुल्क जमा हुआ है । व्यवसायिक संस्थाओं की सूची सुलभ नहीं कारयी गयी । लाइसेन्स पंजिका में नवीनीकरण तिथि, लाइसेन्स शुल्क पेनाल्टी व सरचार्ज सहित प्रारंभिक शेषवर्ष की माँग, वसूली व वर्षान्त में बकाया दर्शाया जाना चाहिये । इसके अभाव में बकाया पड़ी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । पंजिका पूर्ण कराकर बकाया वसूली हेतु सार्थक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । शेष 158 ईट भट्टों का लाइसेंस शुल्क दर रु 5000.00 से रु 790000.00 मय विलम्ब शुल्क व सरचार्ज बकाया के प्रति राजस्व निरीक्षक श्री अजीत सिंह, श्री अभिलाष सिंह यादव व श्री कमलेश कुमार यादव उत्तरदायी हैं । इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

सा० आ० संख्या-03

प्रस्तर-03 प्रमाणक संख्या 70 दिनांक 19-06-2015 चेक सं०-788932 द्वारा रु 3465.00 कैशियर को भुगतान प्रिन्टर हेतु टोनर हेतु हुआ है । प्रमाणक के साथ रु 500.00 रु 600.00 व रु 265.00 के कैशमेमो / प्राप्ति रसीद संलग्न पायी गयी किन्तु रु 2100.00 के तीन कैश मेमो संलग्न नहीं पाये गये कैश मेमो के अभाव में रु 2100.00 का भुगतान अपुष्ट रहा है इस प्रति श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय वरिष्ठ लिपिक उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

सा० आ० संख्या-10

प्रस्तर-04 प्रमाणक संख्या 74 दिनांक 19-06-2015 द्वारा रु 589730.00 प्र०सं० 75 दि० 19-06-2015 द्वारा रु 150290.00 प्र०सं० 76 दि० 19-06-2015 द्वारा रु 378100.00 आयकर कटौती करते हुए भुगतान दर्शित है । प्र०सं० 74 एल०जी० शोपी राज इन्टरप्राइजेज चौबे टोला मीरजापुर द्वारा दोटी०वी०, दो ए०सी०, फ्रिज व गीजर आदि क्रय दर्शित है । बिल में वैट की धनराशि दर्शित नहीं है । प्र०सं० 75 सरताज आलम गर्वन्मेन्ट कान्स्ट्रैक्टर । सप्लायर विन्ध्याचल मीरजापुर का अनधिकृत बिल संलग्न पाया गया जो मिरर, पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, तकिया आदि क्रय हेतु

दर्शित है। प्र0सं0 76 द्वारा सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, सेन्ट्रल टेबल, फैन आदि में सरजीत सिंह गवर्नमेन्ट कान्स्ट्रक्टर / सप्लायर गणेशगंज मीरजापुर से क्रय दर्शित है का बिल पैड पर बना है जो अनाधिकृत है। उक्त क्रय मा0 लोक निर्माण मन्त्री श्री शिवपाल के आगमन पर अष्टभुजा डाक बंगलेकी आवश्यक व्यवस्था के नाम पर राज्य वित्त आयोग से व्यय हुआ है। व्यय बढ़ा चढ़ाकर अनाधिकृत बिलों से किया जाना आपत्तिजनक पाया गया। इस प्रति वित्तीय परामर्शदाता श्री अमरनाथ राय व अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-11

प्रस्तर-05 प्रमाणक सं0-24 दिनांक 24-11-2015 द्वारा अष्टभुजा डाक बंगले पर 63 के0वी0ए0 किलोस्कर जनरेटर रु0 739860.00 व तत्संबंधी पार्ट संबंधी फिटिंग आदि पर रु0 147449.00 कुल रु0 887309.00 पर आयकर रु0 19876.00 व व्यापार कर रु0 44365.00 की कटौती करते हुए रु0 863050.00 का भुगतान द्वारा चेक मे0 ज्योति मशीनरी स्टोर शुक्लहां मीरजापुर को दर्शित है। को पार्टी के बिल में जनरेटर मूल्य रु0 649000.00 पर 14 प्रतिशत वैट रु0 90860.00 चार्ज करते हुए रु0 739860.00 बिल में दर्शित है, वैट की दर अधिक प्रतीत होती है। उक्त क्रय से संबंधी पत्रावली, टर्म्स एण्ड कन्डीशन, साक्ष्यों से इसकी पुष्टि नहीं कराया गया। इस प्रति वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रभान सिंह उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-13

प्रस्तर-06 प्रमाणक सं0 24 दि0 06-05-2015 द्वारा चेक नं0 983067 से रु0 122206.00 श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अवर अभियन्ता को भुगतान किया गया है जो मेसर्स कान्टीनेन्टल साइन्टीफिक इम्पोरियम लाल बाग लखनऊ से निर्माण कार्य निरीक्षण हेतु पोर्टेबल कम्प्रेसन टेस्टिंग मशीन, ब्रिक टेस्टिंग अटैचमेन्ट, कान्क्रीट टेस्ट हैमर आदि क्रय हेतु दर्शित है। आकस्मिक बिल में उक्त क्रय कर ली गयी है जिसका नगद भुगतान अवर अभियन्ता के नाम होगा। टिप्पणी अंकित करते हुए भुगतान दर्शाया गया, जो नियम विरुद्ध है। क्रय पत्रावली सुलभ नहीं कराया गया। अवर अभियन्ता द्वारा इस हेतु अग्रिम भी नहीं लिया गया है। नियमानुसार क्रय के सापेक्ष फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक से भुगतान होना चाहिये था, डेड स्टॉक रजिस्टर से भी पुष्टि नहीं कराया गया जो आपत्तिजनक है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा सहित अवर अभियन्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव व वित्तीय परामर्शदाता श्री अमरनाथ राय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-14

प्रस्तर-07 प्रमाणक सं0 7 दि0 04-09-2015 द्वारा रु0 53087.00 कार्यालय वाहन में डीजल व चालक का वेतन जिलानिधि से चेक से भुगतान हुआ है प्रमाणक के साथ डीजल व्यय व चालक वेतन के कैश वेतन जिलानिधि से चेक से भुगतान हुआ है प्रमाणक के साथ डीजल व्यय व चालक वेतन के कैश मेमो / प्राप्ति रसीद नहीं लगी है प्रमाणक सं0 20 दि0 13-01-2016 द्वारा माह जून 2015 से दिसम्बर 2015 तक 07 माह का डीजल व्यय रु0 101434.00 व वाहन चालक परमेश्वर यादव का वेतन रु0 6296 X 7=44072.00 कुल रु0 145506.00 द्वारा चेक जिला निधि से श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा अपर मुख्य अधिकारी को हुआ है, पेट्रोल पम्प के कैश मेमो सुलभ नहीं हुए, डीजल व्यय की लाग बुक सेभी पुष्टि नहीं कराया गया। चालक का वेतन कई-कई माह का अपर मुख्य अधिकारी को किया जाना आपत्तिजनक पाया गया। उक्त व्ययों हेतु कोई अग्रिम भी नहीं लिया गया है। नियमानुसार पाक्षिक या मासिक आधार पर पेट्रोल पम्प द्वारा चेक भुगतान व चालक को द्वारा चेक मासिक भुगतान होना चाहिये था। व्ययों की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-15

प्रस्तर-08 प्रमाणक सं0-22 दि0 18-11-2015 द्वारा रु0 51568.00 चेक सं0 789017 से 789019 द्वारा स्पष्ट आवाज को रु0 11997.00 दैनिक जागरण को रु0 13148.00 दी टाइम्स आफ इण्डिया को रु0 4905.00 व अमर उजाला को रु0 21518.00 का भुगतान दर्शित है। तीन चेकों से चार समाचार पत्रों को कैसे भुगतान हुआ, स्पष्ट नहीं किया गया। दी टाइम्स आफ इण्डिया का रु0 4905.00 का भुगतान अभिलेखीय साक्ष्यों से अपुष्ट रहा है। भुगतान नहीं हुआ है इस प्रति लेखाकार श्री जवाहर लाल यादव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-16

प्रस्तर-9 प्रमाणक सं0 15 दि0 13-04-2015 द्वारा गणतन्त्र दिवस (26-01-2015) के अवसर पर 28 चेकों द्वारा 28 समाचार पत्रों को रु0 59713.00 शुभकामना संदेश विज्ञापन का भुगतान हुआ है तथा प्रमाणक सं0 19 दि0 01-01-2016 द्वारा रु0 70045.00 स्वतन्त्रता दिवस (15-08-2015) पर शुभकामना संदेश हेतु 32 समाचार पत्रों को चेक द्वारा भुगतान हुआ है। राष्ट्रीय पर्व पर दो तीन प्रमुख समाचार पत्रों में शुभकामना संदेश विज्ञापन ही उचित प्रतीत होता है। 28 व 32 समाचार पत्रों में विज्ञापन देना व व्यय करना संस्था के धन का दुरुपयोग है। इस प्रति वित्तीय परामर्शदाता श्री अमरनाथ राय व इन्द्रभान सिंह सीधे उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-17

प्रस्तर-10 दि0 24-08-2015 को वर्ष 2014-15 में आपूर्ति हुई स्टेशनरी का प्रमाणक सं0 51 द्वारा रु0 123850.00 व प्रमाणक सं0 52 द्वारा रु0 101249.00 और प्रमाणक सं0 22 दि0 13-01-2016 द्वारा रु0 50750.00 अदेय प्रमाण पत्र की छपाई हेतु द्वारा चेक मे0 कुमार प्रिंटिंग प्रेस वासलीगंज मीरजापुर को भुगतान दर्शित है। आकस्मिक बिल के साथ प्रेस का बिल संलग्न नहीं पाया गया। पत्रावली भी सुलभ नहीं हुई जिससे टेण्डर, निगोसिएशन, क्रय आदेश, बिल की स्थिति अस्पष्ट रही। स्टेशनरी स्टॉक पंजिका भी जाँच में सुलभ नहीं कराया गया जिससे आमद, उपभोग व अवशेष

स्टाक की स्थिति अज्ञात रही है । बिलों व स्टोक पंजिका के अभाव में भुगतान की प्रमाणिकता पुष्टिरहित है । इस प्रति श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय वरिष्ठ लिपिक उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

सा0 आ0 संख्या-18

प्रस्तर-11 राज्य वित्त आयोग से प्रमाणक सं0 71,72 व 73 दि0 09-11-2015 द्वारा क्रमशः रु0 91500.00, रु0 100000.00 व रु0 100000.00 का बिल पास करते हुए कटौती उपरान्त रु0 78499.00, रु0 92760.00 का भुगतान द्वारा चेक ठेकेदार, श्री जवाहर लाल मौर्य को शारदीय नवरात्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हेतु आवश्यक व्यवस्था यथा बैरीकेटिंग, कुर्सी, टेन्ट लाईट आदि हेतु किया गया है जो जिला प्रशासन के आदेशों के अनुपालन में जिला पंचायत द्वारा किया जाना बताया गया भुगतान टेन्ट हाउस व विद्युत व्यवस्था वाले को न कर ठेकेदार के माध्यम से होने के संबंध में बताया गया कि कार्यक्रम लम्बा चलता है व संवेदनशील प्रकरण होने के कारण ठेकेदार को पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है । व्यय बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया प्रतीत होता है जिस प्रति आवश्यक नियन्त्रण संस्था के हित में होगा । अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व वित्तीय परामर्शदाता श्री इन्द्रभान सिंह इस प्रति उत्तरदायी हैं । इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

सा0 आ0 संख्या-20

प्रस्तर-12 प्रमाणक सं0 04 दि0 01-10-2015 को रु0 69000.00 अध्यक्ष आवास पर 15 एल0ई0डी0 रु0 4600.00 लगाने हेतु, प्रमाणक सं0-5 दि0 01-10-2015 द्वारा रु0 38690.00 अध्यक्ष आवास पर बिजली मरम्मत हेतु व्यय, प्रमाणक सं0-06 दि0 01-10-2015 रु0 24954.00 अष्टभुजा डाक बंगले पर बिजली मरम्मत व्यय प्रमाणक सं0 7 दि0 01-10-2015 रु0 27260.00 जिला पंचायत कार्यालय में बिजली मरम्मत व्यय दर्शित है । भुगतान पार्टी को द्वारा चेक से न करके आकस्मिक बिल में श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव को किया गया है जो नियमविरुद्ध है एवं गंभीर अनियमितता है । संलग्न कैश मेंमों पर क्रमांक, बुक नं0, टिन नं0 आदि प्रिन्टेड नहीं है और तिथियों का अंकन बाद में काली पेन से हुआ है जो अनधिकृत है । अधिकृत बिलों के अभाव में तथा भुगतान फर्म को द्वारा चेक न करके समस्त भुगतान अवर अभियन्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव को किया जाना गंभीर अनियमितता है । इस प्रति अवर अभियन्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं । इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

सा0 आ0 संख्या-21

प्रस्तर-13 दि0 15-05-2015 को प्रमाणक सं0 64 द्वारा रु0 26892.00 मु0वि0 अ0/अ0मु0अ0 आवास पर बिजली, प्लंबिंग,सेनेटरी कार्य हेतु प्र0सं0 65 द्वारा रु0 49250.00 जिला पंचायत कार्यालय में विविध कार्य, प्र0सं0 66 द्वारा रु0 64015.00 अध्यक्ष कैम्प कार्यालय / आवास पर विविध कार्य हेतु ठेकेदार श्री राजेश कुमार को और प्रमाणक सं0 67 द्वारा रु0 29118.00 विविध कार्य हेतु अवर अभियन्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव को भुगतान हुआ है । प्रमाणकों के साथ संलग्न न्यू कृष्णा इलेक्ट्रिक वासलीगंज मीरजापुर, साईं हार्डवेयर स्टोर वासलीगंज, दुर्गा हार्डवेयर स्टोर, श्यामा काकरी आदि के अनधिकृत कैश मेंमों बिल पर क्रमांक, बुक नं0, टिन नंबर आदि प्रिन्टेड नहीं है के आधार पर भुगतान होना नियम विरुद्ध एवं गंभीर अनियमितता है । इस प्रति अवर अभियन्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं । इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

सा0 आ0 संख्या-22

प्रस्तर-14 प्रमाणक सं0 11 दि0 01-04-2015 द्वारा दो आलमारी क्रय हेतु मे0 स्टार स्टील कं0 मीरजापुर को चेक द्वारा रु0 16800.00 का भुगतान हुआ है । संलग्न दो बिलों रु0 11800.00 व रु0 5000.00 में बुक संख्या, यू0पी0टी0टी0 नं0, टिन नं0 आदि प्रिन्टेड नहीं है, बिल अनधिकृत पाया गया । रु0 5000.00 से अधिक डेड स्टोक क्रय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति भी नहीं ली गयी है । डेड स्टोक रजिस्टर से भी पुष्टि नहीं करायी गयी । अनधिकृत बिलों, स्वीकृति के अभाव में व अभिलेखीय साक्ष्यों के अभाव में व्यय की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं होती है । इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा उत्तरदायी हैं । उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

सा0 आ0 संख्या-24

क्र0सं0	योजना का नाम	कार्य विवरण	व्यय धनराशि
01	राज्य वित्त आयोग	ग्राम चकईपुर में रामवृक्ष के घर से तियरामाइनर तक लेपन कार्य	857000.00
02	राज्य वित्त आयोग	एन0एच0-07 वाराणसी से सूरज सोनकर व धरमू के घर से होते हुए चन्द्र शेखर के मशीन तक मार्ग लेपन	372000.00
03	राज्य वित्त आयोग	ग्रामपचेगड़ा में राजूपुर पीपल के पेड़ तक मार्ग लेपन	470000.00
04	राज्य वित्त आयोग	मसारी ग्राम में देवी प्रसाद चौधरी के घर तक लेपन	202000.00
05	राज्य वित्त आयोग	ग्राम पचेगड़ा बरीतेरामा के घर से श्रुतिहार पुल तक मार्ग लेपन	579000.00
06	राज्य वित्त आयोग	ग्राम इन्द्रवार नहर पर पुलिया निर्माण	397000.00
07	राज्य वित्त आयोग	ग्राम भरुहना सुमन चौहान के घर से श्यामा चौहान एवं नहर के पुर तक छोटी बारी में इण्टरलाकिंग ।	133000.00
08	राज्य वित्त आयोग	ग्राम भरुहना बैजू यादव के घर से तन्नू गौड़ के घर तक इण्टरलाकिंग	179000.00
09	राज्य वित्त आयोग	ग्राम ममरी में लालता हरिजन से घर से अवधेश पटेल के घर तक लेपन	222000.00
10	राज्य वित्त आयोग	हनुमान मंदिर से छन्नू पाठक व शम्भूनाथ पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग	432000.00

11	राज्य वित्त आयोग	नरायनपुर रसूलपुर से अलिजामिन के घर होते हुए मार्ग लेपन	216000.00
12	ते0वि0आ0	ग्राम बरईपुर में इण्टरलाकिंग कार्य 1	175000.00
13	ते0वि0आ0	ग्राम बरईपुर में इण्टरलाकिंग कार्य 2	236000.00
14	पि0क्षे0अ0	मुख्य सड़क से बच्चन के घर तक ग्राम मदरसा मार्ग लेपन	470000.00
15	पि0क्षे0अ0	ग्राम विशेषरपुर नरायनपुर में ग्राम पं0 सचिवालय भवन निर्माण	982000.00
16	पि0क्षे0अ0	ग्राम कोटार में भैय्यालाल के खेत से रपटा तक सी0सी0 कार्य	208000.00
17	पि0क्षे0अ0	ग्राम मदन पट्टी में कमासिन पिच मार्ग पर सखीचन्द्र सोनकर के घर से पंचायत भवन तक इण्टरलाकिंग	610000.00
18	पि0क्षे0अ0	कलवारी रोड से महाविद्यालय तक मार्ग लेपन व नाली निर्माण	523000.00
19	पि0क्षे0अ0	पचोखरा खुर्द मेन रोड से खन्तरा गाँव तक लेपन	272000.00
योग			7535000.00

प्रस्तर-15 प्रमाणक सं0-13 दि001-01-2016 द्वारा रु0 16260.00 फोटो स्टेट मशीन मरम्मत के बिल का भुगतान द्वारा चेक दर्शित है। वाउचर फाइल में आक्समिक बिल के साथ मशीन मरम्मत का पार्टी का बिल नहीं लगा है और न सुलभ कराया गया। सम्प्रेक्षण वर्ष में नियमित फोटोस्टेट व्यय के भुगतान हुए हैं। बिल के अभाव में भुगतान के प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रति श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय वरिष्ठ लिपिक उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-27

प्रस्तर-16 दि0 31-03-2016 को राज्य वित्त आयोग अनुदान के कुल 70 हस्तगत कार्यों में अद्यावधि 59 कार्य पूर्ण होने के पश्चात शेष 11 हस्तगत कार्यों पर रु0 4059000.00 व्यय हुआ है तथा तेरहवां वित्त आयोग अनुदान के कुल 13 हस्तगत कार्यों में अद्यावधि 11 कार्य पूर्ण होने के पश्चात शेष 2 हस्तगत कार्यों पर रु0 411000.00 व्यय हुआ है और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के कुल 16 हस्तगत कार्यों में अद्यावधि 10 कार्य पूर्ण होने के पश्चात शेष 6 हस्तगत कार्यों पर रु0 3065000.00 व्यय हुआ है। इस प्रकार कुल हस्तगत 99 कार्यों में अद्यावधि 80 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शेष 19 हस्तगत कार्यों में रु0 7535000.00 व्यय हुआ है। अवशेष 19 हस्तगत कार्यों के संबंध में माग के बावजूद इनके पूर्ण होने/निरस्त किये जाने की स्थिति अभिलेखीय साक्ष्यों से नहीं करायी गयी। विवरण निम्न लिखित है-

उक्त योजनाओं में धन की उपलब्धता के बावजूद निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़े जाने के कारण उन्हें जनोपयोगी नहीं बनाया जा सका। एक तरफ कार्य अपूर्ण होने के कारण उसकी गुणवत्ता प्रभावित रही वहीं दूसरी तरफ योजना का अपेक्षित उद्देश्य अपूर्ण रहा। इस प्रति अवर अभियन्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव और श्री अनिल कुमार शुक्ला उत्तरदायी हैं। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0 आ0 संख्या-33

प्रारूप-2

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2016-17

जनपद-सोनभद्र।

मण्डल का नाम-विन्ध्याचल

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर संख्या-01

आलोच्य वर्ष 2016-17 में निम्न विवरण के अनुसार राज्य वित्त, जिला निधि तथा बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत कुल परियोजना कार्य टेन्डर व स्टीमेट से प्रारम्भ किया गया तथा उस पर 2016-17 के वर्षान्त तक में कुल रु0 130490808 व्यय करने के बाद भी परियोजना पूर्ण न करके अपूर्ण रखा गया है जबकि कार्य पूर्ण करने की अधिकतम समय सीमा 03 माह है अपूर्ण कार्य एक वर्ष दो वर्ष जब भी पुनः शुरू किया जाता है तो उसकी लगभग आधी निर्माण गड़दे, नाली टुटकर पहले जैसा हो जाता है तथा ईट इधर-उधर बिखर जाता है। इस प्रकार परियोजना का कार्य प्रारम्भ तथा उसके स्टीमेट की अधिकतम धनराशि व्यय करके कार्य को अपूर्ण छोड़ देना वित्तीय अनियमितता है तथा शासन से प्राप्त धनराशि का (अनुदान प्राप्ति के मामले में) दुरुपयोग है जिसका उत्तरदायित्व श्री अनिल कुमार यादव अध्यक्ष, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह अभियन्ता, श्री आलोक कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी, श्री विनोद कुमार सिंह वित्तीय परामर्शदाता पर रही। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं0	मद का नाम	हस्तगत परियोजना की संख्या	व्यय की धनराशि
1.	राज्य वित्त आयोग	70	124776844.00
2.	बी0आर0जी0एफ0	2	2392838.00
3.	जिला निधि	3	3321126.00
योग:-			130490808.00

सामान्य आपत्ति सं0-2

प्रस्तर संख्या-02

आलोच्य वर्ष 2016-17 में सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि संस्था स्तर पर सम्पूर्ण जिले (08 विकास खण्ड) का विकास खण्डवार रजिस्टर रखा गया है जिसमें वर्ष की मांग, प्रारम्भिक शेष बकाया, योग, वसूली तथा वर्षान्त में शेष का लेखांकन कर संकलन पत्र वर्ष 2015-16 तक किया गया है जिसमें वर्ष 2015-16 में वर्षान्त में बकाया/वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में बकाया रु0 26371644.48 दर्शित है परन्तु जाँच में प्रस्तुत वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में स्टेटमेन्ट में दर्शित बकाया रु0 5185000.00 ही अंकन किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में सम्पत्ति व विभव कर का बकाया रु0 21186644.48 से कम दर्शित किया गया है। इस तरह आलोच्य वर्ष 2016-17 की सम्पत्ति व विभव कर की मांग वसूली व बकाया परिणामी निम्न प्रकार होनी चाहिए।

विवरण	दर्शित	होना चाहिए	अन्तर
वर्ष 2016-17 प्रारम्भिक शेष	5185000.00	26371644.48	21186644.48
वर्ष 2016-17 की मांग	2410100.00	24101000.00	—
वर्ष 2016-17 की वसूली	3154308.00	3154308.00	—
अवशेष बकाया (मार्च 2017)	4440792.00	25627436.48	21186644.48

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में सम्पत्ति व विभव कर का वर्षान्त बकाया कुल रु0 25627436.48 होना चाहिए जिसे रु0 21186644.48 से कम दर्शाकर रु0 4440792.00 दर्शाया गया है जो कुल बकाया रु0 25627436.48 की वसूली न कर गम्भीर अनियमितता/क्षति की गई है। बकाया की वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही शीघ्र किया जाना अपेक्षित रहा वसूली में शिथिलता के कारण जानबूझकर बकाया में छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक सिंह तत्कालीन तैनात समस्त कर समाहर्ता व कर निरीक्षक तथा दिनेश कुमार दूबे अनुभागीय मुख्य लिपिक कर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0-3

प्रस्तर संख्या-03

अनुदान रजि0 के अनुसार डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास की धनराशि दिनांक 31.03.2016 को अन्तिम शेष रु0 42263 थी जिसे 2016-17 में अनुदान रजि0 में प्रा0शेष में दर्शित नहीं है तथा नक्सा आय व्यय में भी प्रा0 शेष तथा अन्तिम शेष में दर्शित नहीं है दिनांक 31.03.2017 में जमा शेष नहीं है परन्तु विगत वर्ष से यह अवशेष ले0प0 प्रतिवेदन में चला आ रहा। अतएव उक्त धनराशि के अवशेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक सिंह तथा लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा उत्तरदायी रहे। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0-5

प्रस्तर संख्या-04

आलोच्य वर्ष 2016-17 में नौकाघाट रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 को कुल रु0 1474273.00 बकाया है अपेक्षा कुल वसूली नहीं होने के कारण संस्था को क्षति उठानी पड़ रही है। सम्बन्धित व्यक्तियों पर आर0सी0 की कार्यवाही कर सम्पूर्ण धन की वसूली शीघ्र की जानी अपेक्षित है जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संयुक्त रूप से अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक सिंह व कर अधिकारी तथा अनुभागीय मुख्य लिपिक श्री दिनेश कुमार दूबे की रही। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0-6

प्रस्तर संख्या-05

आलोच्य वर्ष 2016-17 में तहबाजारी रजि0 की जाँच में पाया गया कि तहबाजारी मद में कुल बकाया धनराशि रु0 4735000.00 विगत वर्षों से चला आ रहा है जबकि तहबाजारी 01.04.2013 से बन्द कर दी गई है। इस मद में बकाया के सापेक्ष कोई वसूली नहीं की जा रही है जिसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक सिंह व कर अधिकारी तथा अनुभागीय मुख्य लिपिक श्री दिनेश कुमार दूबे की रही। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0-7

प्रस्तर संख्या-06

आलोच्य वर्ष में कांजी हाउस मद में कुल बकाया रु0 87000.00 रहा जो विगत वर्ष से चला आ रहा है। कई कांजी हाउस बन्द हो चुके हैं इस स्थिति में बकाया की वसूली न होना गम्भीर अनियमितता बरती जा रही है इसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक सिंह व कर अधिकारी तथा अनुभागीय मुख्य लिपिक श्री दिनेश कुमार दूबे की रही। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0-8

प्रस्तर संख्या-07

शासनादेश सं0 495/(1)/77-5-2006-506/05 दिनांक 05.10.2006 के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय नियमों और बजट मैनुअल तथा शासनादेशों में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि का उपयोग नियमतः उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए जिस वित्तीय वर्ष हेतु उसका आवंटन शासन द्वारा किया जाय तथा उसका उपभोग प्रमाण पत्र भी नियमानुसार निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे प्राप्त धनराशि का उपभोग क्षेत्र पंचायत के विकास कार्य में किया जा सके। जिला पंचायत सोनभद्र की अभिलेखों एवं अनुदान पंजिका की जाँच में पाया गया कि 31.03.2017 के अन्त तक राज्य वित्त आयोग,

13वें वित्तीय आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना तथा अम्बेडकर ग्राम सी0सी0 रोड के अन्तर्गत शासन से प्राप्त अनुदान के निम्न विवरणानुसार अप्रयुक्त कर अनियमितता बरती गई।

क्र०सं०	मद	प्रा०शेष	आवंटन	व्यय	अवशेष
1.	राज्य वित्त	110802044.17	312929667.00	365332414.93	58399296.24
2.	13वें वित्त	471912.17	19843.00	51.68	491703.49
3.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	45576170.00	1370533.00	23256854.21	23689848.79
4.	अम्बेडकर ग्रा०वि० योजना	42263.00	—	—	42263.00
5.	अम्बेडकर ग्राम सी०सी० रोड	24302377.00	582182.00	—	24884559.00

योग— प्रा०शेष समस्त योजनाओं (मद) — 181194766.34
 समस्त योजनाओं में आवंटन — 314902225.00
 व्यय — 388589320.82

31.03.2017 को अवशेष (समस्त योजना) — 107507670.52

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2016—17 के दरम्यान प्राप्त उपरोक्त सभी मदों की धनराशि के सापेक्ष व्यय पूर्ण रूप से नहीं किया गया है जबकि नियमानुसार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्दर प्राप्त धनराशि का उपयोग कर लिया जाना चाहिए। जिससे जिला पंचायत की क्षेत्रीय जनता को विकास कार्यों में अधिक से अधिक लाभ सम्भव हो सके। इस प्रकार मार्च, 2017 के अन्त में रु० 107507670.52 की धनराशि उपरोक्त योजनाओं में अवरुद्ध कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, अभियन्ता श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा तथा अनुभागीय मुख्य लिपिक निर्माण श्री वंशीधर शर्मा उत्तरदायी रहे। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं०—9

प्रस्तर संख्या—8

वर्ष 2016—17 में वित्तीय विवरण पत्र—03 के अनुसार लाइसेंस की कुल वसूली रु० 1174475.00 दर्शित है जिसकी पुष्टि में लाइसेंस रजिस्टर में वसूली का योग अंकित नहीं किया गया जो अनियमित रहा जिससे उक्त वसूली की पुष्टि नहीं होती है। पुष्टि करायी जाना अपेक्षित है। इसके लिए मुख्य रूप से कर अधिकारी (तत्कालीन), कर समाहर्ता गण व अनुभागीय मुख्य लिपिक श्री दिनेश कुमार दूबे उत्तरदायी रहे। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं०—10

प्रस्तर संख्या—9

आलोच्य वर्ष 2016—17 में दुकान भवन किराया मद में कुल बकाया वर्षान्त में रु० 563316.00 अवशेष रहा। इस प्रकार उक्त मद में बकाया की वसूली नहीं करना संस्था को अनियमित रूप से हानि पहुँचाता है। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक सिंह तथा कर अधिकारी व अनुभागीय मुख्य लिपिक श्री दिनेश कुमार दूबे संयुक्त रूप से जिम्मेदार रहे। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं०—14

प्रस्तर संख्या—10

जिला पंचायत सोनभद्र की बालू, मोरंग, गिट्टी, बोल्टर, सुर्खी चुना, भस्सी, कोयला आदि परिवहन शुल्क वसूली रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि विगत वर्षों से इस मद में कुल रूपया 89083413.00 की बकाया निम्न विवरण अनुसार चली आ रही है जिसकी वसूली हेतु प्रयास नहीं किया जा रहा है जिससे संस्था को अत्यधिक क्षति हो रही है।

(क)	वर्ष (2008—09)	—	18850000.00
	वर्ष (2010—11)	—	24358853.00
	वर्ष (2012—13)	—	16219000.00
	योग	—	59427853.00

उक्त धनराशि रु० 59427853.00 की आर०सी० जारी है परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा स्टे है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ख) जबकि वर्ष 2015—16 में उक्त मद का बकाया रु० 29655560.00 ठेकेदार श्री पारसनाथ सिंह से किया जाना है जिसकी वसूली हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया है जिससे संस्था को अत्यधिक क्षति हो रही है। ठेकेदार श्री पारसनाथ सिंह से सम्बन्धित पत्रावली/निलामी सम्बन्धित मूल पत्रावली श्री रामाश्रय प्रसाद तत्कालीन अभियन्ता/प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी सोनभद्र, वर्तमान में संत कबीर नगर में अभियन्ता पद पर कार्यरत है (जैसा कि संस्था के उक्त अनुभाग के कर्मचारी द्वारा बताया गया) लेकर गायब है। अतः उक्त रूपया 29655560.00 की वसूली बाधित है तथा संस्था के अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक सिंह व श्री रामाश्रय प्रसाद तथा श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव वित्तीय परामर्शदाता व अनिल कुमार यादव अध्यक्ष के साथ—साथ ठेकेदार श्री पारसनाथ सिंह को उत्तरदायी माना जाता है। प्रबन्धक द्वारा पत्रावली गायब करने वाले जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अभी तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही

एफ0आई0आर0 इत्यादि दर्ज नहीं कराई गई है। इस ओर प्रबन्ध तंत्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0-15

प्रस्तर संख्या-11

आलोच्य वर्ष में जिला पंचायत के निजी आय से जिला कमेटी तथा जिला पंचायत के वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 2 व 3 दिनांक 31.01.2016 द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर कुल 300 नग हैण्डपम्प को न्यूनतम दर रु0 77500.00 स्वीकृति दी गयी है इस कार्य पर जनपद के 04 ठेकेदार साई कन्सट्रक्शन को 100 नग हैण्डपम्प, मेसर्स रूकमिनी बोरवेल को 60 नग, आदर्श बोरवेल को 50 नग, राणा जी बोरवेल को 60 नग व जी0एस0 कन्सट्रक्शन को 30 नग की स्वीकृति दी गयी जिसकी सूची पत्रावली में उपलब्ध रही। ज्ञात हो कि हैण्डपम्प बोर का कार्य जनपद में प्रतिवर्ष कराया जा रहा है यहाँ कार्य के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को प्राप्त किये बिना समस्त भुगतान रु0 22091678.00 सम्बन्धित ठेकेदारों को कर दी गयी है। इस भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट को छः माह बाद जमानत वापसी प्रार्थना पत्र पर की गयी है। जो मात्र एक कागजी प्रक्रिया अपनायी गयी है तथा इस हैण्डपम्प की सूची को परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज कर परिसम्पत्ति रजिस्टर को लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस अनियमितता के लिए अभियन्ता श्री रामाश्रय प्रसाद व श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, अवर अभियन्ता श्री जसवन्त चौहान व सुभाष प्रसाद तथा अनुभागीय मुख्य लिपिक निर्माण श्री वंशीधर शर्मा के साथ-साथ पटल सहायक भी उत्तरदायी रहे। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति सं0-16**

प्रस्तर संख्या-12

आलोच्य वर्ष में कुल 18 यात्री सेड निर्माण जिला निधि के निजी आय से जिला कमेटी तथा निर्माण समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर जनपद के विभिन्न स्थानों पर कराई गई है। विगत वर्ष के मासिक लेखा सूचना तथा आलोच्य वर्ष की मासिक सूचना के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त निर्माण कार्य प्रतिवर्ष जनपद में विभिन्न स्थानों पर कराया जा रहा है। परन्तु पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में उक्त कार्य के पुनरावृत्ति होने की प्रबल सम्भावना है। अतः इस निर्माण पर व्यय रु0 2373780.00 कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी इसके लिए अभियन्ता श्री रामाश्रय प्रसाद व श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, अवर अभियन्ता श्री जसवन्त चौहान व सुभाष प्रसाद तथा अनुभागीय मुख्य लिपिक निर्माण श्री वंशीधर शर्मा के साथ-साथ पटल सहायक भी उत्तरदायी रहे। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति सं0-17

प्रस्तर संख्या-13

आलोच्य वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा कुल राजकीय अनुदान से निर्माण रु0 388589320.82 तथा जिला निधि से निर्माण पर व्यय रु0 118678431.00 अर्थात् निर्माण पर कुल व्यय रु0 507267751.82 दर्शित है जिस पर अधोलिखित आपत्तियां हैं:-

(क) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदित संस्था को निर्माण कार्य कराने हेतु आवंटित कार्यों की सूची प्राप्त होती है किन्तु आलोच्य वर्ष में बार-बार मांगने पर भी आवंटित कार्यों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गई जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि जिला पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण कार्य जिला कमेटी द्वारा अनुमोदित है।

(ख) लेखा परीक्षा में उपलब्ध पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि सुनियोजित तरीके से एक ही तरह से 3-3 टेण्डर फार्म लगाकर एक को स्वीकृत कर लिया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि जिला पंचायत में टेण्डर प्रक्रिया मात्र कागजी कोरम को पूरा करना भर है तथा सुनियोजित तरीके से मनचाहे व्यक्ति का टेण्डर स्वीकृत कर ठेका दे दिया जाता है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(ग) जिला पंचायत द्वारा सृजित कार्य का परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कितने और कौन-कौन से कार्य किस वर्ष में कराये गये हैं। एक ही कार्य की पुनरावृत्ति करके उस पर लागत की धनराशि का अपहरण तो नहीं कर लिया गया यह पता नहीं चलता है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(घ) किसी भी कार्य का आलोच्य वर्ष में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ प्रोजेक्ट कम्पिलेशन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कौन सा कार्य पूर्ण हो गया अर्थात् कौन सा अपूर्ण है विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जब निर्माण सामग्री की उपलब्धता ही संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में दर्शित सम्पूर्ण निर्माण कार्य ही संदिग्ध की श्रेणी में आती है अर्थात् दर्शित व्यय ही संदिग्ध है। इस प्रकार रु0 507267751.82 का व्यय अनियमित रूप से कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक सिंह, वित्त परामर्शदाता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, अभियन्ता श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, अवर अभियन्तागण, लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे। विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना वांछनीय रहा।

सामान्य आपत्ति सं0-22

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

जनपद फिरोजाबाद

मंडल आगरा

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद आडिट वर्ष 2011-12 से 2013-14 (प्रथम)

प्रस्तर 01— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान – वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 1,96,809.00, वित्तीय वर्ष 2012-13 में अंकन रु0 8,29,219.00 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 1,51,730.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रु0 11,77,758.00 का वर्ष 2011-12 से 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 11,77,758.00

प्रस्तर 02— वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना नवीन खाता खोलकर संचालित करना – शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 तथा शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार निर्धारित नियमों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा एक नवीन खाता संख्या 0344104000051624 आई0डी0बी0आई0 बैंक मुख्य शाखा फिरोजाबाद में 09.01.2013 को खोला गया जिसमें रु0 85,00,000.00 क्षेत्र निधि (राज्य वित्त आयोग खाते से) खाता संख्या 725210100015358 (बैंक ऑफ इण्डिया फिरोजाबाद) से ट्रान्सफर की गयीं हैं। क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा जानबूझकर बिना वित्त विभाग की अनुमति के खाता खोलकर संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त खाता बिना वित्त विभाग की अनुमति के इस उद्देश्य से खोला गया ताकि इस खाते से आदर्श आचार संहिता के समय मनमानीपूर्वक भुगतान किये जा सकें। अतः उपरोक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। अनियमित रूप से खाता खोलने पर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 03— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना – शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद को संचालित बैंक खातों से कुल रु0 7,34,120.00 की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4— कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना – ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल रु0 94,56,596.00 के (वित्तीय वर्ष 2011-12 में रु0 17,37,147.00, वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 52,89,988.00 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 24,29,461.00) निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल रु0 94,566.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी वसूली सूद सहित ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 94,566.00

प्रस्तर-5— टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना – आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण रु0 1,86,581.00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 1,86,581.00

प्रस्तर-6— नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना— क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें

अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। ₹0 94,56,596.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय ₹0 94,56,596.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7- वाणिज्य कर (वैट) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना - किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार वाणिज्य कर (वैट) कटौती न किये जाने के कारण ₹0 3,30,233.00 व्यापार कर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 3,30,233.00

प्रस्तर-8- एक ही स्थान पर एक से अधिक बार कार्य कराकर धन का अपहरण - क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में ग्राम गुदाउ के अन्तर्गत नगला सदासुख में स्कूल से सतीश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण पर कुल ₹0 5,72,208.00 व्यय किये गये हैं इसके उपरान्त पुनः इसी स्थान पर वित्तीय वर्ष 2012-13 में खड्जा व नाली निर्माण दर्शाकर कुल ₹0 5,12,150.00 व्यय किया गया है। दोनों पत्रावलियों में कार्य से पूर्व व बाद का कोई फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है तथा साथ ही दोनों कार्यों में स्थल पर सामग्री आपूर्ति का ठेका एस0पी0एण्ड के0सी0 कन्स्ट्रक्शन फिरोजाबाद को ही दिया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा जानबूझकर एक ही स्थल पर दो बार कार्य दिखाकर व्यय धनराशि का फर्म व कार्य प्रभारी के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्रीमती वर्षा यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्री एम0पी0प्रबल,तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,श्री शिव कुमार मिश्रा, तत्कालीन अवर अभियन्ता ग्रा0अभि0सेवा तथा श्री सुजीव कुमार जैन तत्कालीन ए0डी0ओ0 से सूद सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 5,12,150.00

प्रस्तर-9- निविदा मूल्य की धनराशि को आय में न दर्शाकर धन का अपहरण - वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल 24 निर्माण कार्य किये गये हैं जिसमें प्रत्येक कार्य पर तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुयी हैं। एक निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹0 500.00 निर्धारित था। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद को उक्त वर्षों में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से आय ₹0 36000.00 (24×3×500) होनी चाहिए थी जिसे न दर्शाकर खण्ड विकास अधिकारियों व पटल लिपिक द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है जिसकी वसूली सूद सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 36,000.00

प्रस्तर-10- व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावलियों जानबूझकर उपलब्ध न कराकर धन का अपहरण - क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों के भुगतान की जॉच संस्था के बैंक खातों से करने पर पाया गया कि ₹0 10,70,092.00 से सम्बन्धित कोई साक्ष्य/प्रमाणक/निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों एवं पंचायतें फिरोजाबाद द्वारा भी अपने पत्रांक 199-200 दिनांक 07.07.2018 व अनुस्मारक पत्रांक 220-21 दिनांक 30.07.2018 द्वारा उपरोक्त कृत भुगतानों की पुष्टि में पत्रावलियों की माँग की गयी थी किन्तु खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा कोई पत्रावली/स्पष्टीकरण इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आहरित धनराशि का ब्लॉक प्रमुख व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली सूद सहित सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 10,70,092.00

प्रस्तर-11- व्यय प्रमाणक के सापेक्ष संस्था द्वारा अधिक भुगतान कर धन का अपहरण – दिनांक 02.02.2013 को चैक संख्या 002622 द्वारा ₹0 2,87,127.00 का भुगतान मैसर्स राजेश कुमार को किया गया है जबकि इसकी पुष्टि में निर्माण पत्रावली (नगला सदासुख में लोचन के मकान से मुल्लाबाबू के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग- 2012-13) में व्यय प्रमाणक संख्या 8 दिनांक 28.01.2013 संलग्न है। इंगित व्यय प्रमाणक में कय सामग्री का योग 2,77,889.00 अंकित है। अतः क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा ₹0 9,238.00 प्राप्त बिल से अधिक भुगतान कर सीधा अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली सूद सहित श्री मती वर्षा यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्री एम0पी0प्रबल तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 9,238.00

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद आडिट वर्ष 2014-15 से 2016-17(द्वितीय)

प्रस्तर 12- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान – वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य पर अंकन ₹0 19,33,100.00 तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में अंकन ₹0 22,12,800.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन ₹0 41,45,900.00 का वर्ष 2014-15 से 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 41,45,900.00

प्रस्तर 13- वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना नवीन खाता खोलकर संचालित करना – शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 तथा शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार निर्धारित नियमों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा एक नवीन खाता संख्या 0344104000051624 आई0डी0बी0आई0 बैंक मुख्य शाखा फिरोजाबाद में 09.01.2013 को खोला गया जिसमें ₹0 99,00,000.00 क्षेत्र निधि (राज्य वित्त आयोग खाते से) खाता संख्या 725210100015358 (बैंक ऑफ इण्डिया फिरोजाबाद) से ट्रान्सफर की गयीं हैं। क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा जानबूझकर बिना वित्त विभाग की अनुमति के खाता खोलकर संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त खाता बिना वित्त विभाग की अनुमति के इस उद्देश्य से खोला गया ताकि इस खाते से आदर्श आचार संहिता के समय मनमानीपूर्वक भुगतान किये जा सकें। अतः उपरोक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। अनियमित रूप से खाता खोलने पर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 14- राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना – शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद को संचालित बैंक खातों से कुल ₹0 10,78,154.00 की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-15- कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना – ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कुल ₹0 2,62,11,555.00 के निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु देय उपकर के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹0-10553.00 ही संस्था द्वारा लेबर सैस मद में जमा कराया गया है। जिससे संस्था द्वारा अवशेष लेबर सैस ₹0 2,51,563.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी वसूली सूद सहित ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 2,51,563.00

प्रस्तर-16- टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना – आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण ₹0 4,98,684.00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड

शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 4,98,684.00

प्रस्तर-17- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना- क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें

अर्थात् क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्राहित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएँ भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रु0 2,62,11,555.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रु0 2,62,11,555.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-18- वाणिज्य कर (वैट) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना - किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निर्धारित दर अनुसार वाणिज्य कर (वैट) कटौती न किये जाने के कारण रु0 6,11,865.00 व्यापार कर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 6,11,865.00

प्रस्तर-19- देय रॉयल्टी नियमानुसार न काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना - आगणित रॉयल्टी की धनराशि रु0 6,01,668.60 तथा खनिज के मूल्य के बराबर धनराशि रु0 31,92,163.02 न तो अन्तिम भुगतान के समय कटौती की गयी और न ही वैध अभिवहन प्रपत्र ही प्राप्त किया गया। अतः कुल धनराशि रु0 37,93,831.62 को शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित लेखा-शीर्षक 0853-अलौह खनन में जमा कराया जाना चाहिए था। किन्तु इस व्यवस्था का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व को भारी क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे0ई0 से समान रूप से इंगित विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 37,93,831.62

प्रस्तर-20- निविदा मूल्य की धनराशि को आय में न दर्शाकर धन का अपहरण - वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कुल 33 निर्माण कार्य किये गये हैं जिसमें प्रत्येक कार्य पर तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुयी हैं। एक निविदा प्रपत्र का मूल्य रु0 500.00 निर्धारित था। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद को उक्त वर्षों में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से आय रु0 49,500.00 (33×3×500) होनी चाहिए थी जिसे न दर्शाकर खण्ड विकास अधिकारियों व पटल लिपिक द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है जिसकी वसूली सूद सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 49,500.00

प्रस्तर-21- मानक से अधिक दर पर ईटें कय कर संस्था को जानबूझकर हानि पहुँचाना - क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के मध्य विभिन्न दरों पर एम0-150 क्लास ईटें फर्मों से कय की गयी हैं जिनकी दरों का मूल्यांकन करने पर पाया गया कि भुगतानित दरें मानकों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक हैं। दरें लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 मैनपुरी वृत्त द्वारा अपने पत्र संख्या 2619/22एम0-मैनपुरी वृत्त/13 दिनांक 15.03.2013 तथा पत्र संख्या 1832/22एम0-मैनपुरी एल0वृत्त/15 दिनांक 15.04.2015 द्वारा निर्धारित की गयी थीं। अतः ईट कय के विरुद्ध पी0डब्ल्यू0डी0 मानक से अधिक भुगतान की गयी आगणित धनराशि रु0 3,17,859.00 की ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे0ई0 से समान रूप से की जानी अपेक्षित है क्योंकि मानकों का उल्लंघन कर ठेकेदारों को सीधा लाभ पहुँचाया गया है जिससे उक्त धनराशि के बराबर संस्था को आर्थिक क्षति जानबूझकर पहुँचायी गयी है।

वसूली की धनराशि

रु0 3,17,859.00

प्रस्तर-22— मानकों के विरुद्ध सप्लायरों के बिलों से कटौती न कर संस्था को जानबूझकर हानि पहुँचाना — क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के मध्य लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० मैनपुरी वृत्त के पत्र संख्या 2619/22एम०-मैनपुरी वृत्त/13 दिनांक 15.03.2013 तथा पत्र संख्या 1832/22एम०-मैनपुरी एल०वृत्त/15 दिनांक 15.04.2015 के अनुसार निर्धारित कंडीशन नम्बर 2 तथा 5 के प्रस्तर का पालन नहीं किया गया है। दोनों मानकों के विपरीत भुगतान कर संस्था को कुल ₹0 4,36,334.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे०ई० से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।
वसूली की धनराशि ₹0 4,36,334.00

प्रस्तर-23— मानक से अधिक दर पर कोटेड शीट क़य कर संस्था को जानबूझकर हानि पहुँचाना — क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकास भवन परिसर में साईकिल व मोटर साईकिल तथा कार पार्किंग का निर्माण कार्य कराया गया है। कार्य की एम०बी० जॉच पर पाया गया कि उक्त कार्य में संस्था द्वारा 455.50 वर्ग मीटर पाउडर्ड कोटेड शीट का उपयोग किया गया है जिसका भुगतान दर 1800.00 ₹0 प्रति वर्गमी० से मै०राजेश कुमार को उनके बिल संख्या 15 दिनांक 10.03.2016 के क्रम में किया गया है। जबकि इसी प्रोडक्ट का इण्डिया मार्ट लि० का रिटेल प्राइस या एम० आर० पी ० ₹0 275.00 प्रति वर्ग मी० है। अतः संस्था द्वारा 1525.00 ₹0 प्रति वर्ग मी० की ज्यादा दर से उक्त कोटेड शीट क़य की गयी है इसलिए क़य 455.50 वर्ग मी० शीट की अधिक दर पर भुगतान की गयी धनराशि ₹0 6,94,637.50 की ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे०ई० से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।
वसूली की धनराशि ₹0 6,94,637.50

प्रस्तर-24— राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन को उल्लंघन कर गलत कार्यस्थल पर कार्य का चयन/भुगतान कर संस्था को जानबूझकर हानि पहुँचाना — शासनादेश संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 दिनांक 01 सितम्बर 2010 द्वारा निर्गत तृतीय राज्य वित्त आयोग की जारी गाइडलाइन में इंगित मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार कार्यदायी संस्था संकमित की जाने वाली धनराशि से पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों जैसे- पंचायत भवनों, स्कूल भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों/केन्द्रों, सार्वजनिक मार्गों आदि के रख-रखाव पर ही धनराशि व्यय कर सकेंगी। उक्त प्रस्तर की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में *थाना मटसैना की बाउण्ड्रीवाल मरम्मत नियमविरुद्ध करायी गयी है जो क्षेत्र पंचायत की परिसम्पत्ति नहीं है।* तृतीय राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन में निहित शर्तों व प्रतिबन्धों का उल्लंघन कर उक्त कार्य पर धनराशि ₹0 3,08,968.00 व्यय कर अनुदान की सीधा दुरुपयोग किया गया है। क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा सार्वजनिक हितों की अनदेखी कर इस प्रकार व्यय धनराशि ₹0 3,08,968.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ०प्र०शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-25— सैफई महोत्सव में सम्मिलित होने हेतु नियमविरुद्ध यात्रा भत्ता भुगतान कर संस्था के धन का अपहरण — वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिनांक 03.01.2015 को आई०डी०बी०आई० खाता संख्या 0344104000051624 से ₹0 18,000.00 श्री कप्तान सिंह को भुगतान किया गया है जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सैफई महोत्सव में सम्मिलित करने हेतु व्यय किया गया है जबकि ऐसा कोई शासनादेश शासन द्वारा निर्गत ही नहीं किया गया कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सैफई महोत्सव में सम्मिलित करने हेतु भुगतान क्षेत्र पंचायत राजकीय निधि खाते से किया जायेगा। अतः नियम विरुद्ध भुगतान कर संस्था को आर्थिक क्षति जानबूझकर पहुँचायी गयी है जिसकी वसूली श्री मती वर्षा यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्री पी०एन०यादव तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री कप्तान सिंह तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचा० से सूद सहित की जानी अपेक्षित है।
वसूली की धनराशि ₹0 18,000.00

प्रस्तर-26— बिना व्यय प्रमाणक/साक्ष्य के भुगतान कर संस्था के धन का योजनाबद्ध अपहरण — वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्था ने दिनांक 18.03.2016 को आई०डी०बी०आई० खाता संख्या 0344104000051624 से चैक संख्या 179274 द्वारा ₹0 57,000.00 श्री अरविन्द कुमार को भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि यह भुगतान किससे सम्बन्धित था अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर संस्था के धन का योजनाबद्ध अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्री मती वर्षा यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्री पी०एन०यादव तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री अरविन्द कुमार तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी से सूद सहित की जानी अपेक्षित है।
वसूली की धनराशि ₹0 57,000.00

प्रस्तर-27— बिना व्यय प्रमाणक/साक्ष्य के भुगतान कर संस्था के धन का योजनाबद्ध अपहरण— वित्तीय वर्ष 2015.16 में संस्था ने दिनांक 18.03.2016 को आई०डी०बी०आई० खाता संख्या 0344104000051624 से चैक संख्या 179247 द्वारा ₹0 6,460.00 श्री सुशील प्रताप सिंह को भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि यह भुगतान किससे सम्बन्धित था अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर संस्था के धन का योजनाबद्ध अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्री मती वर्षा यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्री पी०एन०यादव तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुशील प्रताप सिंह

तत्कालीन बी०ओ०पी०आर०डी० से सूद सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु० 6,460.00

प्रस्तर-28— नियमविरुद्ध अनुदान को क्षेत्र निधि खाते में ट्रान्सफर कर धन का दुरुपयोग— वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्था ने दिनांक 05.03.2016 को आई०डी०बी०आई० खाता संख्या 0344104000051624 से चैक संख्या 179236 द्वारा रु० 5,65,000.00 क्षेत्र निधि खाते में आर०टी०जी०एस० द्वारा भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि यह भुगतान किससे सम्बन्धित था तथा ऐसा आर०टी०जी०एस० किन परिस्थितियों में किया गया। कारण स्पष्ट कर स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। धनराशि के व्यय की पुष्टि में यथोचित साक्ष्य/प्रमाणक प्रस्तुत न करने की दशा में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व ब्लाक प्रमुख से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु० 5,65,000.00

प्रस्तर-29—बिना व्यय प्रमाणक/साक्ष्य के भुगतान कर संस्था के धन का योजनाबद्ध अपहरण— वित्तीय वर्ष 2016-17 में संस्था ने दिनांक 23.06.2016 को बी०ओ०आई० खाता संख्या 725210100015358 से चैक संख्या 176620 द्वारा रु० 50,000.00 श्री रामवीर सिंह यादव ए०डी०ओ० पंचायत को भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि यह भुगतान किससे सम्बन्धित था अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर संस्था के धन का योजनाबद्ध अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्री मती वर्मा यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्री पी०एन०यादव तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री रामवीर सिंह यादव तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचा० से सूद सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु० 50,000.00

संस्था का नाम — क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद आडिट वर्ष 2011-12 से 2013-14(प्रथम)

प्रस्तर 30— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान — वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पर अंकन रु० 7,01,470.00, वित्तीय वर्ष 2012-13 में अंकन रु० 12,84,680.00 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य पर अंकन रु० 13,47,886.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रु० 33,34,036.00 का वर्ष 2011-12 से 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए जे०ई०/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु० 33,34,036.00

प्रस्तर 31— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना — शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद को संचालित बैंक खातों से कुल रु० 3,30,670.00 की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-32— कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना — ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल रु० 2,09,08,122.00 के निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल रु० 1,27,867.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी वसूली सूद सहित ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु० 1,27,867.00

प्रस्तर-33— टी०डी०एस० (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना — आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी०डी०एस० (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार टी०डी०एस० कटौती न किये जाने के कारण रु० 3,98,673.00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड

शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 3,98,673.00

प्रस्तर-34- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना- क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें

अर्थात् क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्राहित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रु0 2,09,08,122.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रु0 2,09,08,122.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-35- वाणिज्य कर (वैट) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना - किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार वाणिज्य कर (वैट) कटौती न किये जाने के कारण रु0 27,145.00 व्यापार कर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 27,145.00

प्रस्तर-36- देय रॉयल्टी नियमानुसार न काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना - आगणित रॉयल्टी की धनराशि रु0 1,93,154.40 अन्तिम भुगतान के समय कटौती की गयी और न ही वैध अभिवहन प्रपत्र ही प्राप्त किया गया। अतः कुल धनराशि रु0 1,93,154.40 को शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित लेखा-शीर्षक 0853-अलौह खनन में जमा कराया जाना चाहिए था। किन्तु इस व्यवस्था का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व को भारी क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से समान रूप से इंगित विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 1,93,154.40

प्रस्तर-37- कार्य मापन वास्तविक न दर्शाकर नियम विरुद्ध भुगतान कर अपहरण - वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक संस्था द्वारा कतिपय कार्यों (शिकोहाबाद बटेश्वर मार्ग से छटनपुरा सम्पर्क मार्ग से भूरी सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण, लभौआ नगला बलुआ डाबर मार्ग से ग्राम बलुआ तक नाली एवं इण्टरलाकिंग तथा ग्राम बदनपुर कर्खा में पेण्टिंग रोड से आछेलाल के मकान तक सी0सी0 नाली) में खडंजा होते हुए भी मिट्टी व स्टोन ब्लास्ट तथा ब्रिक ब्लास्ट आदि का भुगतान फर्म को करना दर्शाया गया है। इन खडंजों की पुष्टि क्षेत्र पंचायत की निर्माण पत्रावली/ ग्राम पंचायत निर्माण कार्य रजिस्टर से करने पर ज्ञात हुआ कि जे0ई0 द्वारा यह प्रास्थिति प्राक्कलन व मापन के समय जानबूझकर छिपायी गयी। इस प्रकार निर्माण पटल द्वारा अनावश्यक मापन दर्शाकर उसके अनुरूप भुगतान प्राप्त करने की कूटरचना कर संस्था को हानि पहुँचायी है। आगणित धनराशि रु0 2,63,483.00 की ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे0ई0 से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 2,63,483.00

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद आडिट वर्ष 2014-15 से 2016-17(द्वितीय)

प्रस्तर 38- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान - वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 17,51,630.00, वित्तीय वर्ष 2015-16 में अंकन रु0 5,58,800.00 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 5,30,390.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारिओं को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि

वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन **रु0 28,40,820.00** का वर्ष 2014-15 से 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 28,40,820.00

प्रस्तर-39— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना — शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद को संचालित बैंक खातों से कुल **रु0 2,08,407.00** की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-40— कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना — ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कुल रु0 1,97,33,121.00 के निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल रु0 45,593.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी वसूली सूद सहित ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 45,593.00

प्रस्तर-41— टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना — आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण रु0 3,81,766.00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 3,81,766.00

प्रस्तर-42— नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना— क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्राहित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रु0 1,97,33,121.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय **रु0 1,97,33,121.00** के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-43— वाणिज्य कर (वैट) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना — किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निर्धारित दर अनुसार वाणिज्य कर (वैट) कटौती न किये

जाने के कारण रु0 51,954.00 व्यापार कर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 51,954.00

प्रस्तर-44— देय रॉयल्टी नियमानुसार न काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना — आगणित रॉयल्टी की धनराशि रु0 20,29,957.00 अन्तिम भुगतान के समय कटौती की गयी और न ही वैध अभिवहन प्रपत्र ही प्राप्त किया गया। अतः कुल धनराशि रु0 20,29,957.00 को शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित लेखा-शीर्षक 0853-अलौह खनन में जमा कराया जाना चाहिए था। किन्तु इस व्यवस्था का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व को भारी क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से समान रूप से इंगित विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 20,29,957.00

प्रस्तर-45— कार्य मापन वास्तविक न दर्शाकर नियम विरुद्ध भुगतान कर अपहरण — वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक संस्था द्वारा कतिपय कार्य (गढीदान सहाय में हनुमान मन्दिर से गडरौली सड़क तक खडंजा व मिट्टी कार्य, ग्राम जेबडा में शिवचरन के मकान से कुशलपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य) में खडंजा होते हुए भी मिट्टी व स्टोन ब्लास्ट तथा ब्रिक ब्लास्ट आदि का भुगतान फर्म को करना दर्शाया गया है। इन खडंजों की पुष्टि क्षेत्र पंचायत की निर्माण पत्रावली/ ग्राम पंचायत निर्माण कार्य रजिस्टर से करने पर ज्ञात हुआ कि जे0ई0 द्वारा यह प्रास्थिति प्राक्कलन व मापन के समय जानबूझकर छिपायी गयी। इस प्रकार निर्माण पटल द्वारा अनावश्यक मापन दर्शाकर उसके अनुरूप भुगतान प्राप्त करने की कूटरचना कर संस्था को हानि पहुँचायी है। आगणित धनराशि रु0 2,10,503.00 की ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे0ई0 से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 2,10,503.00

संस्था का नाम — क्षेत्र पंचायत टूण्डला आडिट वर्ष 2011-12 से 2013-14 (प्रथम)

प्रस्तर 46— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान — वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 2,85,045.00, वित्तीय वर्ष 2012-13 में अंकन रु0 15,87,430.00 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 10,34,570.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रु0 29,07,045.00 का वर्ष 2011-12 से 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 29,07,045.00

प्रस्तर 47— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना — शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत टूण्डला को संचालित बैंक खातों से कुल रु0 6,58,745.00 की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-48— कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना — ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल रु0 1,91,33,559.00 के निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल रु0 3,82,672.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी वसूली सूद सहित ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों, जे0ई0 तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 3,82,672.00

प्रस्तर-49— टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना — आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण रु0 23,690.00 आयकर कम जमा

कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 23,690.00

प्रस्तर-50- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना- क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्राहित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों की थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। रु0 2,09,08,122.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय **रु0 1,91,33,559.00** के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-51- वाणिज्य कर (वैट) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना - किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार वाणिज्य कर (वैट) कटौती न किये जाने के कारण रु0 7,65,342.00 व्यापार कर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 7,65,342.00

प्रस्तर-52- देय रॉयल्टी नियमानुसार न काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना - आगणित रॉयल्टी की धनराशि रु0 11,50,986.60 अन्तिम भुगतान के समय कटौती की गयी और न ही वैध अभिवहन प्रपत्र ही प्राप्त किया गया। अतः कुल धनराशि रु0 11,50,986.60 को शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित लेखा-शीर्षक 0853-अलौह खनन में जमा कराया जाना चाहिए था। किन्तु इस व्यवस्था का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व को भारी क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से समान रूप से इंगित विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 11,50,986.60

प्रस्तर-53- मानकों के विरुद्ध सप्लायरों के बिलों से कटौती न कर संस्था को जानबूझकर हानि पहुँचाना - क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 के मध्य लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 मैनपुरी वृत्त के पत्र संख्या 2619/22एम0-मैनपुरी वृत्त/13 दिनांक 15.03.2013 तथा पत्र संख्या 1832/22एम0-मैनपुरी एल0वृत्त/15 दिनांक 15.04.2015 के अनुसार निर्धारित कंडीशन नम्बर 2 तथा 5 के प्रस्तर का पालन नहीं किया गया है। दोनों मानकों के विपरीत भुगतान कर संस्था को कुल रु0 2,59,525.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे0ई0 से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 2,59,525.00

प्रस्तर-54- किसी अन्य संस्था द्वारा कराये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान प्राप्त कर धन का अपहरण - वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा ग्राम धीरपुरा के उपग्राम दारापुर में डाबर रोड से चन्द्रपाल यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया है जिसमें कुल भुगतान रु0 1,23,727.00 किया गया है जबकि यह कार्य वास्तव में जिला पंचायत द्वारा कराया गया है जिसकी पुष्टि जिला पंचायत निर्माण-कार्य रजिस्टर से की जा सकती है। कार्य से पूर्व या बाद का कोई फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है अतः स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा यह कार्य कराया ही नहीं गया है और इसके सापेक्ष कार्य होना अपने अभिलेखों में दर्शाकर भुगतान प्राप्त कर लिया गया जो सीधा अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री हनुमन्त सिंह बघेल पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्री एम0पी0प्रबल0

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री छविनाथ सिंह तत्कालीन अवर अभियन्ता ग्रा0अभि0सेवा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 1,23,727.00

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत टूण्डला आडिट वर्ष 2014-15 से 2016-17 (द्वितीय)

प्रस्तर 55— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान – वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 16,00,605.00, वित्तीय वर्ष 2015-16 में अंकन रु0 13,20,117.00 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 13,60,543.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रु0 42,81,265.00 का वर्ष 2014-15 से 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 42,81,265.00

प्रस्तर 56— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना – शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत टूण्डला को संचालित बैंक खातों से कुल रु0 6,64,588.00 की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-57— कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना – ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कुल रु0 2,61,39,585.00 के निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल रु0 2,61,396.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी वसूली सूद सहित ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों, जे0ई0 तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 2,61,396.00

प्रस्तर-58— टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना – आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण रु0 5,02,594.00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 5,02,594.00

प्रस्तर-59— नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना— क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्राहित सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है

जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। ₹0 2,61,39,585.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय **₹0 2,61,39,585.00** के दुरुपयोग का प्रकरण उ०प्र० शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-60— वाणिज्य कर (वैट) कम काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना — किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निर्धारित दर अनुसार वाणिज्य कर (वैट) कटौती न किये जाने के कारण ₹0 69,112.00 व्यापार कर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 69,112.00

प्रस्तर-61— देय रॉयल्टी नियमानुसार न काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना — आगणित रॉयल्टी की धनराशि ₹0 23,69,210.00 अन्तिम भुगतान के समय कटौती की गयी और न ही वैध अभिवहन प्रपत्र ही प्राप्त किया गया। अतः कुल धनराशि ₹0 23,69,210.00 को शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित लेखा-शीर्षक 0853-अलौह खनन में जमा कराया जाना चाहिए था। किन्तु इस व्यवस्था का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व को भारी क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से समान रूप से इंगित विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 23,69,210.00

प्रस्तर-62— मानक से अधिक दर पर ईटें कय कर संस्था को जानबूझकर हानि पहुंचाना — क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के मध्य विभिन्न दरों पर एम०-150 क्लास ईटें फर्मी से कय की गयी हैं जिनकी दरों का मूल्यांकन करने पर पाया गया कि भुगतानित दरें मानकों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक हैं। दरें लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० मैनपुरी वृत्त द्वारा अपने पत्र संख्या 2619/22एम०-मैनपुरी वृत्त/13 दिनांक 15.03.2013 तथा पत्र संख्या 1832/22एम०-मैनपुरी एल०वृत्त/15 दिनांक 15.04.2015 द्वारा निर्धारित की गयी थीं। अतः ईट कय के विरुद्ध पी०डब्ल्यू०डी० मानक से अधिक भुगतान की गयी आगणित धनराशि ₹0 3,83,163.00 की ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे०ई० से समान रूप से की जानी अपेक्षित है क्योंकि मानकों का उल्लंघन कर ठेकेदारों को सीधा लाभ पहुंचाया गया है जिससे उक्त धनराशि के बराबर संस्था को आर्थिक क्षति जानबूझकर पहुंचायी गयी है।

वसूली की धनराशि

₹0 3,83,163.00

प्रस्तर-63— मानकों के विरुद्ध सप्लायरों के बिलों से कटौती न कर संस्था को जानबूझकर हानि पहुंचाना — क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के मध्य लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० मैनपुरी वृत्त के पत्र संख्या 2619/22एम०-मैनपुरी वृत्त/13 दिनांक 15.03.2013 तथा पत्र संख्या 1832/22एम०-मैनपुरी एल०वृत्त/15 दिनांक 15.04.2015 के अनुसार निर्धारित कंडीशन नम्बर 2 तथा 5 के प्रस्तर का पालन नहीं किया गया है। दोनों मानकों के विपरीत भुगतान कर संस्था को कुल ₹0 4,35,432.00 की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे०ई० से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 4,35,432.00

प्रस्तर-64— निविदा मूल्य की धनराशि को आय में न दर्शाकर धन का अपहरण — वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कुल 72 निर्माण कार्य किये गये हैं जिसमें प्रत्येक कार्य पर तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुयी हैं। एक निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹0 500.00 निर्धारित था। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत टूण्डला को उक्त वर्षों में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से आय ₹0 1,08,000.00 (72×3×500) होनी चाहिए थी जिसे न दर्शाकर खण्ड विकास अधिकारियों व पटल लिपिक द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है जिसकी वसूली सूद सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 1,08,000.00

संस्था का नाम — क्षेत्र पंचायत जसराना आडिट वर्ष 2011-12 से 2013-14 (प्रथम)

प्रस्तर 65— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान — वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 3,10,430.00, वित्तीय वर्ष 2012-13 में अंकन ₹0 61,270.00 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 41,221.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन **₹0 4,12,921.00** का वर्ष 2011-12 से 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए

जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 4,12,921.00

प्रस्तर-66— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना — शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत जसराना को संचालित बैंक खातों से कुल रु0 4,41,538.00 की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-67— कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना — ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल रु0 17,454.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी वसूली सूद सहित ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे0ई0 से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 17,454.00

प्रस्तर-68— टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना — आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत जसराना द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण रु0 4,740.00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 4,740.00

प्रस्तर-69— नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाना— क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्राहित सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत जसराना द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं दुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों की थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे दुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत जसराना द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रु0 17,45,390.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत जसराना द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रु0 17,45,390.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-70— वाणिज्य कर (वैट) कम काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना — किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। क्षेत्र पंचायत जसराना द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार वाणिज्य कर (वैट) कटौती न किये जाने के कारण रु0 13,072.00 व्यापार कर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 13,072.00

संस्था का नाम — क्षेत्र पंचायत हाथवन्त आडिट वर्ष 2011-12 से 2013-14 (प्रथम)

प्रस्तर 71— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान — वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 23,67,579.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रु0 23,67,579.00 का वर्ष 2011-12 से 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 23,67,579.00

प्रस्तर-72— टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना — आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण रु0 13,038.00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 13,038.00

प्रस्तर-73— व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावलियों जानबूझकर उपलब्ध न कराकर धन का अपहरण — क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों के भुगतान की जॉच संस्था के बैंक खातों से करने पर पाया गया कि रु0 15,89,786.00 से सम्बन्धित कोई साक्ष्य/प्रमाणक/निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों एवं पंचायतें फिरोजाबाद द्वारा भी उपरोक्त कृत भुगतानों की पुष्टि में पत्रावलियों की मॉग की गयी थी किन्तु खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा कोई पत्रावली/स्पष्टीकरण इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आहरित धनराशि का ब्लॉक प्रमुख, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों, जे0ई0 व लेखाकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली सूद सहित सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 15,89,786.00

प्रस्तर-74— नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाना— क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। रु0 1,43,31,905.28 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रु0 1,43,31,905.28 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 75— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना — शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र

पंचायत हाथवन्त को संचालित बैंक खातों से कुल **रु0 5,05,140.00** की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत हाथवन्त आडिट वर्ष 2014-15 से 2016-17 (द्वितीय)

प्रस्तर 76— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान – वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 27,15,767.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन **रु0 27,15,767.00** का वर्ष 2014-15 से 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 27,15,767.00

प्रस्तर-77— टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना – आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण रु0 4,188.00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 4,188.00

प्रस्तर-78— व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावलियां जानबूझकर उपलब्ध न कराकर धन का अपहरण – क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों के भुगतान की जाँच संस्था के बैंक खातों से करने पर पाया गया कि रु0 2,70,053.00 से सम्बन्धित कोई साक्ष्य/प्रमाणक/निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी। कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों एवं पंचायतों फिरोजाबाद द्वारा भी उपरोक्त कृत भुगतानों की पुष्टि में पत्रावलियों की माँग की गयी थी किन्तु खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा कोई पत्रावली/स्पष्टीकरण इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आहरित धनराशि का ब्लॉक प्रमुख, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों, जे0ई0 व लेखाकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली सूद सहित सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 2,70,053.00

प्रस्तर-79— नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाना— क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रु0 94,81,472.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय **रु0 94,81,472.00** के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 80— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना – शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त

धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत हाथवन्त को संचालित बैंक खातों से कुल **₹ 1,26,814.00** की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-81- कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना - ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल **₹ 26,487.00** की राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी वसूली सूद सहित ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे0ई0 से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹ 26,487.00

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत अरॉव आडिट वर्ष 2011-12 से 2013-14 (प्रथम)

प्रस्तर 82- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान - वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक में निर्माण कार्य पर अंकन **₹ 22,01,198.00** मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन **₹ 22,01,198.00** का वर्ष 2011-12 से 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹ 22,01,198.00

प्रस्तर-83- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाना- क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्राहित सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत अरॉव द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं दुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे दुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत अरॉव द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। **₹ 95,55,135.00** के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत अरॉव द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय **₹ 95,55,135.00** के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 84- राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना - शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत अरॉव को संचालित बैंक खातों से कुल **₹ 2,96,247.00** की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-85- कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना - ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की

लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल ₹0 54,725.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी वसूली सूद सहित ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे0ई0 से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 54,725.00

प्रस्तर-86- टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना - आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत अरॉव द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण ₹0 1,19,149.00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 1,19,149.00

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत अरॉव आडिट वर्ष 2014-15 से 2016-17 (द्वितीय)

प्रस्तर 87- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान - वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 22,29,819.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन ₹0 22,29,819.00 का वर्ष 2014-15 से 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 22,29,819.00

प्रस्तर-88- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाना- क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्रामित सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत अरॉव द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत अरॉव द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। ₹0 1,16,15,425.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत अरॉव द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय ₹0 1,16,15,425.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 89- राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना - शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत अरॉव को संचालित बैंक खातों से कुल ₹0 1,63,518.00 की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-90- कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना - ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय

वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल ₹0 22,346.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी वसूली सूद सहित ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे0ई0 से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 22,346.00

प्रस्तर-91- निविदा मूल्य की धनराशि को आय में न दर्शाकर धन का अपहरण - वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कुल 31 निर्माण कार्य किये गये हैं जिसमें प्रत्येक कार्य पर तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुयी हैं। एक निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹0 500.00 निर्धारित था। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत अरॉव को उक्त वर्षों में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से आय ₹0 46,500.00 (31×3×500) होनी चाहिए थी जिसे न दर्शाकर खण्ड विकास अधिकारियों व पटल लिपिक द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है जिसकी वसूली सूद सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 46,500.00

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत नारखी आडिट

वर्ष 2011-12 से 2013-14 (प्रथम)

प्रस्तर-92- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाना- क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्राहित सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत नारखी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत नारखी द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। ₹0 92,79,630.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत नारखी द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय **₹0 92,79,630.00** के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 93- राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना - शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत नारखी को संचालित बैंक खातों से कुल **₹0 5,25,466.00** की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-94- कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना - ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल ₹0 1,04,406.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी वसूली सूद सहित ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे0ई0 से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

₹0 1,04,406.00

प्रस्तर-95- टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना - आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत नारखी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण ₹0 4,965.00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को

प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 4,965.00

प्रस्तर-96- समान मजदूरों को समान दिनांक में एक कार्य के लिए दो बार भुगतान कर धन का अपहरण - वित्तीय वर्ष 2011-12 में ग्राम जौधरी में विनोद कुमार की दुकान से संघ होते हुए नाले की पुलिया तक खडंजा कार्य कराया गया है। इस कार्य के लिए मजदूरी के रूप में रु0 1,96,740.00 का भुगतान दिनांक 05.02.2012 को बैंक संख्या 69535 के द्वारा किया गया है। उक्त मस्टररोल में दिनांक 10.12.2011 से 24.12.2011 एवं 25.11.2011 से 09.12.2011 तक दो बार में कार्य करवाया गया है। उक्त समान दिनांकों में समान मजदूरों को दो बार भुगतान मस्टररोल द्वारा किया गया है जिसके कारण उक्त मजदूरी में से रु0 1,00,340.00 का अधिक भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि इंगित धनराशि रु0 1,00,340.00 का ब्लॉक प्रमुख श्री मती उर्मिला देवी, श्री तुलसी राम कबीर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री सूरज सिंह लेखाकार व दिलीप कुमार सिंह ग्रा0पं0अधि0 (कार्य-प्रभारी) द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली सूद सहित सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 1,00,340.00

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत नारखी आडिट वर्ष 2014-15 से 2016-17 (द्वितीय)

प्रस्तर-97- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाना- क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्रामित सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत नारखी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत नारखी द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल बैंक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। रु0 1,47,34,163.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत नारखी द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रु0 1,47,34,163.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 98- राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना - शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत नारखी को संचालित बैंक खातों से कुल रु0 3,56,516.00 की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-99- कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना - ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल रु0 1,28,634.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी वसूली सूद सहित ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा जे0ई0 से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 1,28,634.00

प्रस्तर-100- टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना - आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत नारखी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से

2016-17 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण रू0 72,258.00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रू0 72,258.00

जनपद मैनपुरी

क्षेत्र पंचायत का नाम – जागीर, मैनपुरी

वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक

प्रस्तर 01. वर्ष 2013 में ग्राम चौदा में हाकिम सिंह के इंजन के पास से नेकराम के खेत तक नाली निर्माण कार्य की जांच में पाया गया कि कार्य की अनुमानित लागत रू0 3.66 लाख थी। जिसकी मजदूरी/श्रमांश का भुगतान रू0 67230.00 मजदूरों को न करके जे0ई0 आर0ई0एस0 को भुगतान किया गया, के सापेक्ष में मस्टरौल प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे विदित है कि उक्त धनराशि 67230.00 का गबन किया गया है। इस प्रकार निविदा की समस्त धनराशि 275571.00 का भुगतान अनियमित रहा। इसलिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तर दायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर 02. वर्ष 2012-13 में ग्राम गाडीवार में ताले सिंह के घर से राजवीर के घर से होते हुए सुरेश के दरवाजे तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोट शीट में एम0बी0 का कही उल्लेख नहीं किया गया है, और नही एम0बी0 अलग से संलग्न की गई है। सी0सी0 पत्रावली से किसी भी निविदा सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं कराई गई। सम्बन्धित अल्पकालिन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत 8.31 लाख थी। तदनुसार धरोहर धनराशि रू0 16620.00 की एफ0डी0आर0/एन0सी0आर0 खण्ड विकास अधिकारी जागीर-मैनपुरी के नाम से बंधक की गई निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी, किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं कराई गई। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। खण्ड विकास अधिकारी, जागीर-मैनपुरी के द्वारा किया गया व्यय रू0 572261.00 अनियमित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-13)

प्रस्तर 03. वर्ष 2012-13 में रामनरेश के दरवाजे से रामनाथ के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्य की अनुमानित लागत रू0 1.83 लाख थी। अतः धरोहर राशि रू0 3660.00 होती है जिसे किसी भी निविदाकर्ता से निविदा के साथ जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार धरोहर धनराशि जमा कराये बिना टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा। इसी प्रकार फर्म से 10 प्रतिशत जमानत धनराशि रू0 18300.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, वो भी सम्बन्धित फर्म मनोज कुमार मैनपुरी से जमा नहीं कराया गया। फर्म को किये गये भुगतान से भी जमानत धनराशि समायोजित नहीं की गयी। इस प्रकार निविदा को समस्त प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान रू0 117313.00 अनियमित रहा। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तर दायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-14)

प्रस्तर 04. वर्ष 2013-14 में नगला पोपी में रामसेवक के घर से जयपाल के घर तक सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्य अनुमानित लागत रू0 5.17 लाख थी, जिसकी धरोहर धनराशि रू0 10340.00 होती है, जिसे किसी भी निविदा कर्ता से निविदा के साथ जमा नहीं कराया गया। इसी प्रकार फर्म से 10 प्रतिशत धनराशि रू0 51700.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी, वो भी सम्बन्धित फर्म मनोज कुमार मैनपुरी से जमा नहीं कराया। फर्म द्वारा मजदूरी/श्रमांश का भुगतान रू0 86291.00 मजदूरों को न कर कार्य प्रभारी (जे0ई0आर0ई0एस0) को भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान रू0 258708.00 अनियमित रहा। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाख प्रमुख उत्तर दायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-15)

प्रस्तर 05. वर्ष 2013-14 में गाडीवार में सुरेश के घर से राजवीर के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि जे0ई0आर0ई0डी0 को श्रमिकों के भुगतान हेतु चेक जारी किया गया, किन्तु सम्बन्धित श्रमिकों को कोई भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि मस्टरौल पर किसी भी श्रमिक का निशानी अंगूठा एवं हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार रू0 59210.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित अवर अभियन्ता आर0ई0एस0 से की जानी चाहिये।

(आपत्ति सं0-16)

प्रस्तर 06. वर्ष 2013-14 में लेखराजपुर में संजीव के खोखा से देवेन्द्र सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्य की अनुमानित लागत रू0 1.37 लाख थी। अतः धरोहर धनराशि रू0 2740.00 होती है जिसे किसी निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार धरोहर धनराशि जमा कराये बिना टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा। अतः निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान रू0 115951.00 अनियमित रहा। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-17)

प्रस्तर 07. वर्ष 2013-14 में लुखरिया में रमेश जाटव के घर से देवी दयाल के घर तक नाली निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि जे0ई0आर0ई0डी0 को श्रमिकों के भुगतान हेतु चेक जारी किया गया किन्तु सम्बन्धित श्रमिकों का कोई भुगतान नहीं किया गया क्योंकि मस्टररोल ही पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रू0 81882.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से किया जाना चाहिये।

(आपत्ति सं0-18)

प्रस्तर 08. वर्ष 2014-15 में ग्राम धुवासी में पेंटिंग रोड से नैन सिंह के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्य की अनुमानित लागत रू0 72000.00 थी जिसकी पत्रावली में किसी प्रकार की कोई निविदा/टेण्डर नहीं पाया गया। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान रू0 64276.00 अनियमित रहा। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर 09. वर्ष 2014-15 में नैनपुर में रमेश के घर से महावीर के घर होते हुए कच्ची सड़क तक सी0सी0 रोड निर्माण की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्य की अनुमानित लागत रू0 6.71 लाख थी जिसकी धरोहर धनराशि रू0 12340.00 होती है। जिसे किसी भी निविदा कर्ता से निविदा के साथ जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार धरोहर धनराशि जमा कराये बिना टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा। इस प्रकार जमानत धनराशि रू0 61700.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। वह भी सम्बन्धित फर्म मनोज कुमार मैनपुरी से जमा नहीं कराया गया है। फर्म को किये गये भुगतान से फर्म द्वारा मजदूरी/श्रमांश का भुगतान रू0 238072.00 मजदूरों को न कर कार्य प्रभारी (जे0ई0आर0ई0एस0) को भुगतान कर अपहरण किया गया। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं भुगतान रू0 357108.00 अनियमित रहा। इसके लिये खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर 10. वर्ष 2014-15 में दिलाखर में शहीद जितेन्द्र सिंह के चबूतरे का निर्माण तृतीय राज्य वित्त आयोग से रू0 244846.00 का भुगतान किया गया। कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि रू0 2.74 लाख अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि रू0 5480.00 एवं जमानत धनराशि रू0 27400.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। वह भी सम्बन्धित फर्म मनोज कुमार मैनपुरी के द्वारा जमा नहीं किया गया। फर्म को किये गये भुगतान से भी जमानत धनराशि समायोजित नहीं की गयी। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान रू0 244846.00 अनियमित रहा। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुलवा प्रसाद उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-21)

प्रस्तर 11. ग्राम राजपुर में रामनाथ के घर से गेंदालाल के घर तक नाली निर्माण कार्य की पत्रावली में पाया गया कि सम्बन्धित कार्य का स्टीमेंट रू0 2.41 लाख था जिसकी धरोहर धनराशि रू0 4800.00 निविदा कर्ताओं से निविदा के साथ जमा करायी जानी चाहिये थी। किन्तु किसी भी निविदा कर्ता से धरोहर धनराशि निविदा के साथ जमा ही करायी गयी। इस प्रकार धरोहर धनराशि जमा कराये बिना टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित है। साथ ही कार्य आदेश जारी उपरान्त जमानत धनराशि 10 प्रतिशत रू0 24100.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मनमोहन सिंह मैनपुरी द्वारा जमा नहीं कराया गया। भुगतान से ही जमानत की धनराशि समायोजित की गयी है। नियमानुसार निविदा स्वीकृत होने के बाद ही जमानत की धनराशि सम्बन्धित फर्म से जमा करायी जानी चाहिये थी एवं उसके बाद कार्य आदेश दिया जाना चाहिये था। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं भुगतान रू0 212119.00 अनियमित रहा जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-22)

प्रस्तर 12. ग्राम पंचायत राजपुर में विनोद के घर से सत्यवीर के घर से होते हुए करन सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य का स्टीमेंट रू0 1.8 लाख जिसकी धरोहर धनराशि रू0 3600.00 निविदा कर्ताओं से निविदा के साथ जमा करानी चाहिये थी किन्तु किस भी निविदा कर्ता से धरोहर धनराशि निविदा के साथ जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार धरोहर धनराशि जमा कराये बिना टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित है। साथ ही कार्य आदेश जारी उपरान्त जमानत धनराशि रू0 18000.00 आदि जमा कराये जाने की भी अपेक्षा की गई थी, किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मनमोहन सिंह मैनपुरी द्वारा जमा नहीं कराया गया भुगतान से ही जमानत की धनराशि समायोजित की गयी है। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं भुगतान रू0 158444.00 अनियमित रहा जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व प्रमुख उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-23)

प्रस्तर 13. ग्राम पंचायत राजपुर में रामप्रकाश के घर से रामनिवास के घर तक नाली निर्माण कार्य का स्टीमेंट रू0 1.51 लाख जिसकी धरोहर धनराशि रू0 3020.0 निविदा कर्ताओं ने निविदा के साथ जमा करानी चाहिये थी। किन्तु किसी भी निविदा कर्ता से धरोहर धनराशि निविदा के साथ जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार धरोहर धनराशि जमा कराये बिना टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित है। साथ ही कार्य आदेश जारी उपरान्त जमानत धनराशि रू0 15000.00 आदि जमा कराये जाने की भी अपेक्षा की गई है किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मनमोहन सिंह मैनपुरी द्वारा जमा नहीं कराया गया भुगतान से ही जमानत की धनराशि समायोजित की गयी है। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं भुगतान रू0 140150.00 अनियमित रहा जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व प्रमुख उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-24)

क्षेत्र पंचायत का नाम – जागीर

वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक

प्रस्तर 14. वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत दिलाखर में सूरज सिंह के घर से भोगौव मार्ग एवं रामेश्वर के घर से महाराज सिंह के घर तक सीसी निर्माण कार्य कराया गया। सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि निविदा की अनुमानित लागत 2.0 लाख थी। अतः धरोहर धनराशि ₹0 4000 जमानत धनराशि ₹0 20000.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी वह भी सम्बन्धित फर्म मनोज कुमार मैनपुरी से जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान ₹0 143929.00 अनियमित रहा। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०-11)**

प्रस्तर 15. वर्ष 2015-16 ग्राम द्वारिकापुर में रामस्वरूप से रामप्रकाश शाक्य के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य की अनुमानित लागत ₹0 10.84 लाख थी। अतः धरोहर राशि ₹0 21680.00 होती है। जिसे किसी भी निविदा कर्ता से निविदा के साथ जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार धरोहर धनराशि जमा कराये बिना टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा। इसी प्रकार फर्म से 10 प्रतिशत धनराशि ₹0 108400.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी वो भी सम्बन्धित फर्म मनोज कुमार मैनपुरी से जमा नहीं कराया गया। फर्म को किये गये भुगतान से भी जमानत धनराशि समायोजित नहीं की गयी। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान ₹0 738086.00 अनियमित रहा। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व प्रमुख उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०-12)**

प्रस्तर 16. वर्ष 2015-16 में ग्राम नगला झसी में मुख्य सड़क से डामर रोड तक सी0सी0 रोड का नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य अनुमानित लागत ₹0 7.27 लाख थी जिसकी धरोहर धनराशि ₹0 14540.00 होती है जिसे किसी भी निविदा कर्ता से निविदा के साथ जमा नहीं कराया गया। इसी प्रकार फर्म से 10 प्रतिशत धनराशि ₹0 727.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी वो भी सम्बन्धित फर्म मनोज कुमार मैनपुरी से जमा नहीं कराया। फर्म द्वारा मजदूरी/श्रमांश का भुगतान ₹0 196929.00 मजदूरों को न कर कार्य प्रभारी जे0ई0आर0ई0एस0 को भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान ₹0 196929.00 अनियमित रहा। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०-13)**

प्रस्तर 17. वर्ष 2015-16 में ग्राम संजापुर में भोलेनाथ के घर से सी0सी0 रोड व नाली निर्माण की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य की अनुमानित लागत ₹0 10.10 लाख थी जिसकी धरोहर धनराशि ₹0 20200.00 होती है। जिसे किसी भी निविदा कर्ता से निविदा के साथ जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार धरोहर धनराशि जमा कराये बिना टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा। इस प्रकार जमानत धनराशि ₹0 101000.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। वह भी सम्बन्धित फर्म मनोज कुमार मैनपुरी से जमा नहीं कराया गया है। फर्म को किये गये भुगतान से कर्म द्वारा मजदूरी/श्रमांश का भुगतान ₹0 91362.00 मजदूरों को न कर कार्य प्रभारी जे0ई0आर0ई0एस0 को भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं भुगतान ₹0 822265.00 अनियमित रहा। इसके लिये खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०-14)**

प्रस्तर 18. वर्ष 2016-17 में मैनपुरी से किशनी रोड पर प्रमोद के घर के आगे इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य की अनुमानित लागत ₹0 8.60 लाख थी अतः धरोहर राशि ₹0 16000.00 होती है जिसे किसी भी निविदाकर्ता से निविदा के साथ जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार धरोहर धनराशि जमा कराये बिना टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा। इसी प्रकार फर्म से 10 प्रतिशत जमानत धनराशि ₹0 86000.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी वो भी सम्बन्धित फर्म मनोज कुमार मैनपुरी से जमा नहीं कराया गया। फर्म को किये गये भुगतान से भी जमानत धनराशि समायोजित नहीं की गयी। इस प्रकार निविदा को समस्त प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान ₹0 742643.00 अनियमित रहा। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व प्रमुख उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०-15)**

प्रस्तर 19. वर्ष 2016-17 में ग्राम हविलिया में तालाब की खुदाई का कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि जे0ई0आर0ई0एस0 को श्रमिकों के भुगतान हेतु चेक जारी किया फिर सम्बन्धित श्रमिकों को कोई भुगतान नहीं किया गया क्योंकि मस्टररोल की पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ₹0 145638.00 का अपहरण किया गया। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०-16)**

प्रस्तर 20. वर्ष 2016-17 में कार्यालय परिसर में रंगाई व मरम्मत से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य की अनुमानित लागत ₹0 3.10 लाख थी। अतः धरोहर धनराशि ₹0 6080.00 होती है तथा जमानत राशि ₹0 30980.00 है। जिसे किसी निविदा कर्ता द्वारा निविदा के साथ जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार धरोहर धनराशि जमा कराये बिना टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा। अतः निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान ₹0 200700.00 अनियमित रहा। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(आपत्ति सं०-17)**

प्रस्तर 21. वर्ष 2016-17 में ग्राम हविलिया में रामनरेश की चक्की तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्य की अनुमानित लागत रु0 9.32 लाख की जिसकी धरोहर धनराशि रु0 18000.00 होती है। जिसे किसी भी निविदा कर्ता से निविदा के साथ जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार धरोहर धनराशि जमा करायें बिना टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा। इस प्रकार जमानत धनराशि रु0 53200.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। वह भी सम्बन्धित फर्म मनोज कुमार मैनपुरी से जमा नहीं कराया गया है। फर्म को किये गये भुगतान से फर्म द्वजरा मजदूरी/श्रमांश का भुगतान रु0 257433.00 मजदूरों को न कर कार्य प्रभारी जे0ई0आर0ई0एस0 को भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं भुगतान रु0 600678.00 अनियमित रहा। इसके लिये खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-18)

प्रस्तर 22. वर्ष 2016-17 में ग्राम हविलिया में रामनरेश की चक्की तक सी0सी0 रोड का निर्माण की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्य की अनुमानित लागत रु0 19.08 लाख थी। जिसकी धरोहर धनराशि रु0 38160.00 एवं जमानत धनराशि रु0 190800.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। वह सम्बन्धित फर्म मनोज कुमार मैनपुरी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। फर्म को किये गये भुगतान से भी जमानत धनराशि समायोजित नहीं की गयी। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान रु0 1752844.00 अनियमित रहा। इसके लिये खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-19)

क्षेत्र पंचायत का नाम – बेवर

वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक

प्रस्तर 23. वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत अम्हेरा के मजरा जीमयतगंज में मेन रोड से नेत्रपाल के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया जाना दर्शित किया गया है, जिस पर रु0-422316.00 अनुदान व्यय दर्शित है जो कि उक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है लेखा परीक्षा में प्रगति दौरान यदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये तब यह कार्य नहीं कराया गया समझा जायगा तथा उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना चाहिए।

(आपत्ति सं0-11)

प्रस्तर 24. वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत नसीरपुर में मेन चकरोड से सुरेश कुमार के प्लाट तक सी0सी0 एवं इण्टरलाकिंग कार्य कराया जाना ग्रांट रजिस्टर में दर्शित है, जिस पर रु0-470500.00 अनुदान व्यय दर्शित है जो कि उक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है लेखा परीक्षा में प्रगति दौरान यदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये तब यह कार्य नहीं कराया गया समझा जायगा तथा उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना चाहिए।

(आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर 25. वर्ष 2012-13 में उक्त दोनो कार्यों पर क्रमशः रु0-422316+470500=रु0- 892816.00 व्यय किया गया जिस पर लेवल सेस भी नहीं काटा गया नियम है, कि असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सननिर्माण कार्य करने वालों की कल्याण उपकर नियम-2009 के नियम-4 (3) के अनुसार ठेकेदार की बिल से कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से रु0-8928.00 की कटौती कर श्रम विभाग में जमा की जानी थी जो नहीं की गयी इस हेतु शासकीय हानि की प्रतिपूर्ति हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

(आपत्ति सं0-13)

प्रस्तर 26. वर्ष 2014-15 में ग्राम रायपुर के मजरा नगरिया में पुलिया से कुँअर पाल के प्लाट तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु0-9.47 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रु0-18094.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा करायें निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी अनुसार रु0-94771.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मैसर्स दुर्गा कन्स्ट्रक्शन जी0टी0 रोड बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि रु0-874139.00 अनियमित रहा। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-14)

प्रस्तर 27. वर्ष 2014-15 में ग्राम करपिया में बन्त होटल के बगल में जी0टी0 रोड से गुरुद्वारा तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु0-5.44 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रु0-10874.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर

धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा करायें निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के अनुसार रु०-54372.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै० दुर्गा कन्स्ट्रक्शन जी०टी०रोड बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि रु०-330646.00 अनियमित रहा। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि सम्बन्धित नोटशीट में एम०बी० का कहीं उल्लेख किया गया है न ही एम०बी० अलग से संलग्न की गयी है। निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी डा० सुशील, जे०एन० कुरील, गोपी नाथ पाठक एवं लेखाकार श्री रियाज अहमद उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 28. वर्ष 2014-15 में ग्राम रामपुर में महेन्द्र पाल सिंह के प्लाट से नहर की पुलिया तक इण्टरलाकिंग कार्य नाली सहित से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु0-9.82 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रु0-19645.00 की एफ0डी0आर0 /एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा करायें निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के अनुसार रु0-98223.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 शिवम कन्स्ट्रक्शन कॉजीहार बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि रु0-944579.00 अनियमित रहा। यहां यह भी ध्यातव्य है कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रियाज अहमद उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-16)

प्रस्तर 29. वर्ष 2014—15 में ग्राम धर्मनेर मे राजेश्वर के घर से देवराज सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रू0—7.85 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रू0—15700.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी—बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा करायें निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी—बेवर मैनपुरी के अनुसार रू0—78500.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 शारदा कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स मैनपुरी रोड कुसमरा द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि रू0—778726.00 अनियमित रहा। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रियाज अहमद उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0—17)

प्रस्तर 30. वर्ष 2014-15 में ग्राम रामनगर के मजरा नगला परम मे राजीव के घर से डामर रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रू0-6.82 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रू0-13640.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के अनुसार रू0-68200.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 दीपिका ट्रेडर्स जी0टी0 रोड बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि रू0-635651.00 अनियमित रहा। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रियाज अहमद उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-18)

कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि ₹0-768900.00 अनियमित रहा। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-22)

प्रस्तर 35. ग्राम 2014-15 में ग्राम नगरिया के मझरा रामपुर में कुँअर पाल के प्लाट से नरेश के प्लाट तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत ₹0-9.46 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि ₹0-18920.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के अनुसार ₹0-94600.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 दीपक ट्रेडर्स जी0टी0 रोड बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि ₹0-939183.00 अनियमित रहा। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-23)

प्रस्तर 36. वर्ष 2014-15 में ग्राम परौखा में (लालपुर रोड पर) हाकिम के घर से पुलिया तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत ₹0-9.72 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि ₹0-19440.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के अनुसार ₹0-97200.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 शिवम कन्सट्रक्शन काजीहार बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया तथा फर्म द्वारा मजदूरी एवं श्रमांश का भुगतान ₹0-387340.00 को न कर कार्य प्रभारी (जे0ई0 आर0ई0एस0) को भुगतान कर दिया गया है इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं भुगतान ₹0-581018.00 अनियमित रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-24)

प्रस्तर 37. वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत चिलौसा में प्रेमपाल के दरवाजे से वैजनाथ के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत ₹0-1.76 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि ₹0-17520.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के अनुसार ₹0-87600.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा जमा नहीं कराया गया तथा फर्म द्वारा मजदूरी एवं श्रमांश का भुगतान ₹0-217288.00 को न कर कार्य प्रभारी (जे0ई0 आर0ई0एस0) को भुगतान कर दिया गया है इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं भुगतान ₹0-507008.00 अनियमित रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-25)

प्रस्तर 38. वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत राम नगरिया के मजरा नेकामऊ में डामर रोड से गाँव तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत

रू0—8.29 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रू0—16576.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी—बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी—बेवर मैनपुरी के अनुसार रू0—82879.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 शिवम कन्सल्ट्रक्शन काजीहार बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं भुगतान रू0—758767.00 अनियमित रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0—26)

प्रश्न 39. वर्ष 2014-15 में ग्राम नगला पैठ में संतोष के मकान से रामप्रकाश दीक्षित के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु0-7.12 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रु0-14234.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के अनुसार रु0-71171.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा जमा नहीं कराया गया तथा फर्म द्वारा मजदूरी एवं श्रमाशं का भुगतान रु0-208213.00 को न कर कार्य प्रभारी (जे0ई0 आर0ई0एस0) को भुगतान कर दिया गया है इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं भुगतान रु0-485832.00 अनियमित रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-27)

प्रस्तर 40. वर्ष 14-15 में ग्राम पंचायत अकबरपुर बिकू के मजरा देवी मे डामर रोड से शिवकुमार प्रधान के प्लाट तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु0-6.92 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रु0-13837.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी -बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा करायें निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के अनुसार रु0-69186.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 दीपिका ट्रेडर्स द्वारा जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं भुगतान रु0-682767.00 अनियमित रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-28)

प्रस्तर 41. वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत वीरपुर खास में मैन डामर रोड से सुनील के इन्जन तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रू0-4.66 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रू0-9311.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के अनुसार रू0-46556.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 दीपिका ट्रेडर्स द्वारा जमा नहीं कराया गया तथा फर्म द्वारा मजदूरी एवं श्रमाशं का भुगतान रू0-98693.00 को न कर कार्य प्रभारी (जे0ई0 आर0ई0एस0) को भुगतान कर दिया गया है इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं भुगतान रू0-230283.00 अनियमित रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन

नहीं किया गया। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-29)

प्रस्तर 42. वर्ष 2014-15 में ग्राम किशनपुर गढिया में सडक से दिनेश वाल्मिक के मकान तक तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु०-7.806 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रु०-14160.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा करायें निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के अनुसार रु०-70800.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 दुर्गा कन्सट्रक्शन जी0टी0 रोड बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार निविदा की समस्त प्रक्रिया एवं भुगतान रु०-700940.00 अनियमित रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-30)

क्षेत्र पंचायत का नाम – बेवर

वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक

प्रस्तर 43. वर्ष 2015-16 में ग्राम नगला विन्द्रा बेवर देहात सुरेन्द्र के मकान से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु०-4.68 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रु०-9360.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा करायें निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के पत्रांक-1426 दिनांक 17.03.2016 के अनुसार रु०-46800.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म माँ शारदा कंस्ट्रक्शन व सप्लायर्स द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि रु०-467201.00 अनियमित रहा। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-11)

प्रस्तर 44. वर्ष 2015-16 में ग्राम कुशलपुर (बिल्सडा) में मेन रोड से सुभाष दीक्षित के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु०-5.67 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रु०-11340.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा करायें निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के पत्रांक-1455 दिनांक 19.03.2016 के अनुसार रु०-56700.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 दीपिका ट्रेडर्स जी0टी0रोड बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि रु०-565761.00 अनियमित रहा। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी डा0 सुशील, जे0एन0 कुशील, गोपी नाथ पाठक एवं लेखाकार श्री रियाज अहमद उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-12)

प्रस्तर 45. वर्ष 2015-16 में ग्राम खिरिया (बझेरा) में अशोक के घर से जूनियर हाईस्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु०-5.66 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रु०-11340.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की

गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा करायें निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के पत्रांक-1457 दिनांक 19.03.2016 के अनुसार रु०-56700.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै० दुर्गा कन्स्ट्रक्शन जी०टी० रोड बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि रु०-417710.00 अनियमित रहा। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि सम्बन्धित नोटशीट में एम०बी० का कहीं उल्लेख किया गया है न ही एम०बी० अलग से संलग्न की गयी है। निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रियाज अहमद उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-13)

प्रस्तर 46. वर्ष 2015-16 में ग्राम दौलतपुर (बझेरा) में मैन रोड से धर्मपाल के प्लाट तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रू0-4.61 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रू0-9220.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के पत्रांक-1458 दिनांक 19.03.2016 के अनुसार रू0-46100.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 प्रदीप कुमार मिश्रा गढ़िया लालपूर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि रू0-459500.00 अनियमित रहा। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रियाज अहमद उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-14)

प्रस्तर 47. वर्ष 2015-16 में ग्राम नगला ढाकन (मद्दापुर खास) में मैन रोड से लालू के प्लाट तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु0-5.32 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रु0-10652.00 की एफ0डी0आर0/ एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा करायें निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के पत्रांक-1458 दिनांक 19.03.2016 के अनुसार रु0-53260.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 प्रदीप कुमार मिश्रा गढ़िया लालूपूर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि रु0-531969.00 अनियमित रहा। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रियाज अहमद उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 48. वर्ष 2015-16 में ग्राम महाराजपुर (कौडाटाड़ा) में मैन रोड से लालू के प्लाट तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत ₹0-5.85 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि ₹0-11700.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा करायें निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के पत्रांक-1456 दिनांक 19.03.2016 के अनुसार ₹0-58500.00 जमानत की धनराशि जमा करायें जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म शिवम कन्स्ट्रक्शन काजीहार बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की

धनराशि ₹0-582842.00 अनियमित रहा। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं०-16)

प्रस्तर 49. वर्ष 2015-16 में ग्राम बझेरा में मेन रोड से रामगोपाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत ₹0-4.21 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि ₹0-8432.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेवर मैनपुरी के पत्रांक-1456 दिनांक 19.03.2016 के अनुसार ₹0-42160.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म शिवम कन्स्ट्रक्शन काजीहार बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि ₹0-417710.00 अनियमित रहा। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं०-17)

प्रस्तर 50. वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग खाते में अवशेष ₹0-7930488.00 एवं एस0जी0आर0वाई0 मद से ₹0-245960.00 अवशेष दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान का शत प्रतिशत उपभोग नहीं किया गया है जिससे क्षेत्र पंचायत को विकास कार्य का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका। अनुदान का शत प्रतिशत उपभोग अपेक्षित रहा। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जे0एन0 कुशील एवं गोपी नाथ पाठक उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं०-18)

क्षेत्र पंचायत का नाम – सुल्तानगंज, मैनपुरी वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक

प्रस्तर 51. वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य पर तृतीय राज्य वित्त आयोग से अंकन ₹0 188605 मजदूरी एवं श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार (जे0ई0 आर0ई0एस0) को भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टरोल संलग्न पाये गये उन पी मस्टरोल सं० अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकासखण्ड से निर्गत नहीं हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर आदि का विवरण आदि अंकित नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टरोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में ₹0 186605 का वर्ष 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री प्रेमनाथ यादव, श्री महेशचन्द्र पचौरी खण्ड विकास अधिकारी, श्रीमती कमला देवी ब्लाक प्रमुख एवं श्री विनोद कुमार कार्यप्रभारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये। (आपत्ति सं०-03)

प्रस्तर 52. वर्ष 2013-14 में दिनांक 2.5.2013 को तृतीय राज्य वित्त आयोग से चैक सं० 012949 द्वारा ₹0 24885.00 का भुगतान श्री विनोद कुमार (जे0ई0 आर0ई0एस0) को वास्ते विकासखण्ड मीटिंग हाल की रंगाई पुताई हेतु दर्शित है। व्यय में ₹0 15075.00 डिस्टेंम्पर क्रय तथा ₹0 9810.00 मजदूरी पर व्यय दर्शाये हैं। डिस्टेंम्पर आदि रामा बिल्डिंग मैटेरियल सुल्तानगंज से नकद क्रय किया गया, जो आपत्तिजनक है साथ ही उक्त व्यय के सन्दर्भ में प्रस्तुत एमबी एवं मांगपत्र तिथि रहित व स्वीकृत रहित पाये गये। प्रस्ताव सं० व कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहे। स्पष्ट है कि उक्त व्यय मनमाने ढंग से दर्शाकर ₹0 24885.00 का अपहरण श्री विनोद कुमार (जे0ई0 आर0ई0एस0) द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री विनोद कुमार से की जानी चाहिये। (आपत्ति सं०-06)

प्रस्तर 3. दि० 28.12.2013 को तृतीय राज्य वित्त आयोग से चैक सं० 681 द्वारा श्री आशीष कुमार एनआरईपी को ₹0 18000.00 का भुगतान सैफई गोष्ठी में भाग लेने हेतु मानदेय (सदस्यों का) दर्शित है। व्यय के संदर्भ में भुगतान प्रमाणक व विभागीय स्वीकृति/आदेश अप्राप्त रहे। उक्त के अभाव में ₹0 18000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री आशीष कुमार एनआरईपी से की जानी चाहिये। (आपत्ति सं०-07)

प्रस्तर 53. वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य पर तृतीय राज्य वित्त आयोग से अंकन ₹0 341359 मजदूरी एवं श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार (जे0ई0 आर0ई0एस0) को भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टरोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टरोल सं० अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकासखण्ड से निर्गत नहीं हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर आदि का विवरण आदि अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टरोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में ₹0 341359.00 का वर्ष 13-14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री महेशचन्द्र पचौरी खण्ड विकास अधिकारी, श्रीमती कमला देवी ब्लाक प्रमुख एवं श्री विनोद कुमार कार्यप्रभारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये। (आपत्ति सं०-08)

प्रस्तर 54. दि० 31.12.2014 को तृतीय राज्य वित्त आयोग से चैक सं० 786 द्वारा श्री आर०पी०शर्मा कैशियर को रू० 95500.00 का भुगतान सैफई गोष्ठी में भाग लेने हेतु मानदेय (सदस्यों का) दर्शित है। व्यय के संदर्भ में भुगतान प्रमाणक व विभागीय स्वीकृति/आदेश अप्राप्त रहे। उक्त के अभाव में रू० 95500 की ब्याज सहित वसूली श्री श्री आर पी शर्मा कैशियर से की जानी चाहिये।
(आपत्ति सं०-09)

प्रस्तर 55. वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर तेरहवा वित्त आयोग से दि० 31.12.2014 को चैक सं० 791 द्वारा अंकन रू० 246211.00 मजदूरी एवं श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार (जे०ई० आर०ई०एस०) को भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टरोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टरोल सं० अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकासखण्ड से निर्गत नहीं हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर आदि का विवरण आदि अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टरोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में रू० 246211.00 का वर्ष 14-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री संजय वर्मा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्रीमती कमला देवी ब्लाक प्रमुख एवं श्री विनोद कुमार कार्यप्रभारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।
(आपत्ति सं०-10)

प्रस्तर 56. वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर तृतीय राज्य वित्त आयोग से दि० 04.01.2015 को चैक सं० 794 द्वारा अंकन रू० 436613.00 मजदूरी एवं श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार (जे०ई० आर०ई०एस०) को भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टरोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टरोल सं० अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकासखण्ड से निर्गत नहीं हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर आदि का विवरण आदि अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टरोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में रू० 436613.00 का वर्ष 14-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों श्री संजय वर्मा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्रीमती कमला देवी ब्लाक प्रमुख एवं श्री विनोद कुमार कार्यप्रभारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।
(आपत्ति सं०-11)

प्रस्तर 57. वर्ष 2014-15 में दि० 20.3.2015 को तृतीय राज्य वित्त आयोग से चैक सं० 825 द्वारा रू० 16973 का भुगतान वास्ते कार्यालय की रंगाई पुताई व स्टेशनरी हेतु नकद दर्शित है। व्यय के संदर्भ में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जो अपत्ति जनक है। साथ ही व्यय स्वीकृति रहित पाये गये। प्रस्ताव सं० व कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहे। स्पष्ट है कि उक्त व्यय मनमाने ढंग से दर्शाकर रू० 16973 का अपहरण कैशियर द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री आर सी शर्मा से की जानी चाहिये।
(आपत्ति सं०-12)

प्रस्तर 58. वर्ष 2014-15 में दि० 31.03.2015 को तृतीय राज्य वित्त आयोग से चैक सं० 741 द्वारा रू० 43000 का भुगतान श्री कार्यालय की रंगाई पुताई हेतु दर्शित है। व्यय के संदर्भ में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जो अपत्ति जनक है। साथ ही व्यय स्वीकृति रहित पाये गये। प्रस्ताव सं० व कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहे। स्पष्ट है कि उक्त व्यय मनमाने ढंग से दर्शाकर रू० 43000.00 का अपहरण कैशियर द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री आर सी शर्मा से की जानी चाहिये।
(आपत्ति सं०-13)

प्रस्तर 59. वर्ष 2012-13 से 2014-15 में सरकारी अनुदानों से व्याज के रूप में रू० 10.45 लाख की आय अर्जित हुई है। अर्जित व्याज को क्षेत्र पंचायत ने राजकीय कोष में जमा न करके अनियमित रूप से अपने व्यवसाय में शामिल कर रखा गया है। जो कि शासनादेश सं० 10/2015/ए-1-502/ दस-2015-10(33)/2010 दि० 29. मई 2015 का स्पष्ट उल्लंघन है। धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कराई जानी अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-14)

प्रस्तर 60. उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 के से० 32 अनुसूची (01) व खण्ड (02) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्राहित सड़कों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्रामीण मार्गों को बनाने का अधिकार उक्त धारा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को प्रदत्त किया गया। प्रकरण की समीक्षा दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबंधन कमेटी द्वारा भी इस हेतु किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 के से० 32 अनुसूची (01) व खण्ड (02) के अधीन क्षेत्र पंचायत को अधिकृत किया गया हो। इस प्रकार वर्ष 12-13 से 14-15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकारों का अतिक्रमण कर रू० 27.25 लाख के अनियमित कार्य कराये गये।

लेखा परीक्षा में शा० सं० 5/866/33-2-14-93जी/2004 टीसी दि० 24.6.2014 का संदर्भ ग्रहण कराने पर अवगत कराया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर कार्ययोजना को स्वीकृति की गई। उत्तर अमान्य रहा, कोई भी स्वीकृति विषयक शासनादेश प्रस्तुत नहीं किया गया। निर्माण कार्यों में व्यय धनराशि रू० 27.25 लाख अनियमित रही। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-25)

प्रस्तर 61. उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो फरवरी 2009 से उ०प्र० में लागू है, के नियम सं० 4(03) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस निर्माण कार्यों से काटा जायेगा। आलोच्य वर्ष 2014-15 में ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रू० 9542755.00 का किया

गया है। जिस पर लेबर सेस 1 प्रतिशत की दर रु0 95428 ठेकेदारों के बिल से कटौती की जानी चाहिये थी, जो कि नहीं की गई। उत्तरदायी व्यक्तियों श्री कर्मराज, श्री संजय वर्मा खण्ड विकास अधिकारी, श्री कमला देवी ब्लाक प्रमुख से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।
(आपत्ति सं0-25)

क्षेत्र पंचायत का नाम – सुल्तानगंज, मैनपुरी

वर्ष 2015-16 से 2016-17

प्रस्तर 62. वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त/13वें वित्त से कराये गये कार्या की पत्रावली की जांच में पाया गया कि निम्नांकित कार्यों में उपयोग की गई सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतानों पर निम्नवत वैट कटौती नहीं की गई-

क्र.	कार्य का नाम	धनराशि	विवरण	वैट	प्रमाणक/दिनांक
1	ग्राम हन्नुखेडा में देवकी के घर से इन्द्रपाल के घर तक	87450	ईट क्रय	4372	105 / 13.04.15
2	ग्राम महुवाहार में उमेश के घर से प्रा0पाठशाला तक पक्की गली का निर्माण	67200	ईट क्रय	3135	106 / 13.04.15
3	सतारा में गोरेलाल के घर से मुकेश के दुकान तक पक्की नाली का निर्माण	86009	ईट क्रय	4300	108 / 13.04.15
4	ईमादपुर में गुडडू के घर से तुलाराम के घर तक नाली मरम्मत	96250	ईट क्रय	4812	107 / 13.04.15
5	हन्नुखेडा में मासूक अली के घर से दीनमुश्ताक व गुलाब सिंह के घर से रतीराम के घर तक नाली निर्माण	54450	ईट क्रय	2722	111 / 14.04.15
	योग			19341	

इस प्रकार रु0 19341.00 वैट न काटकर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री संजय वर्मा, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 01)

प्रस्तर 63. वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ वित्त आयोग से अलीपुरखेडा में मुख्य सड़क से सर्वेश के घर से दाताराम कश्यप के घर तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य कराया गया। पत्रावली में स्वीकृत कार्य योजना संलग्न नहीं की गई। बिना कार्ययोजना स्वीकृति के कार्य कराया जाना अनियमित रहा। कार्य हेतु निविदा आमंत्रण पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं कराया गया। निविदा में अंकित धरोहर राशि रु0 7540.00 किसी भी निविदाकर्ता द्वारा जमा नहीं कराई गई। निविदा प्राप्तकर्ता आर एस इण्टरप्राइजेज न0धुरा सुल्तानगंज द्वारा भी कार्य प्रारंभ से पूर्व धरोहर राशि जमा नहीं कराई गई। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार ठेकेदार को ठेके की धनराशि के 10प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा कराये जाने के बाद ही कार्य आदेश दिया जाना चाहिये था किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदार को जमानत की धनराशि जमा कराये बिना ही ठेके का आदेश दे दिया गया। पत्रावली के अनुसार रु0 3326.00 की जमानत राशि कम काटकर भुगतान किया गया। नियमानुसार कार्य न कराये जाने के कारण व्यय की धनराशि 162300 अनियमित व्यय रही। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 12)

प्रस्तर 64. वर्ष 2016-17 की सुल्तानगंज जीटी रोड से बाबा नीम करौरी आश्रम तक फुटपाथ व इंटरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य पत्रावली में निविदा की अनु0 लागत रु0 6.85 लाख थी। निविदा में अंकित धरोहर राशि रु0 13700.00 किसी भी निविदाकर्ता द्वारा जमा नहीं कराई गई। कार्य हेतु निविदा आमंत्रण पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं कराया गया। जो अनियमित रहा। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 23 के अनुसार ठेकेदार को ठेके की धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा कराये जाने के बाद ही कार्य आदेश दिया जाना चाहिये था किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदार को जमानत की धनराशि जमा कराये बिना ही ठेके का आदेश दे दिया गया। पत्रावली के अनुसार रु0 9587.00 की जमानत राशि कम काटकर भुगतान किया गया। नियमानुसार कार्य न कराये जाने के कारण व्यय की धनराशि रु0 474830.00 अनियमित रही। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 12)

प्रस्तर 65. वर्ष 2016-17 में सुल्तानगंज में सोलर लाइटों की अवस्थापना कार्य में रु0 2321900.00 अनुमानित लागत की निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा राशि के 2 प्रतिशत की दर से रु0 46440.00 धरोहर राशि जमा करायी जानी चाहिये थी, किन्तु किसी भी फर्म से धरोहर राशि जमा नहीं करायी गई। बिना धरोहर राशि जमा कराये टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित है। साथ ही फर्म से स्टीमेट का 10 प्रतिशत जमानत राशि रु0 232190.00 भी सम्बन्धित फर्म से जमा कराये बिना ही कार्य आदेश जारी कर दिया गया जो अनियमित है। सम्बन्धित फर्म को किये गये भुगतान से टीडीएस, वैट एवं सेस की कटौती भी नहीं की गई है। टीडीएस रु0 51834.00, वैट 91500.00 व सेस रु0 22876.00 कुल रु0 166210.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिरुद्ध सिंह चौहान से की जानी चाहिये।

(आपत्ति सं0 14)

प्रस्तर 66. वर्ष 2016-17 में विकासखण्ड कार्यालय से पशु चिकित्सालय तक इंटरलाकिंग कार्य पत्रावली में निविदा की अनु0 लागत रु0 7.85 लाख थी। अतः अग्रिम धरोहर राशि रु0 15700.00 निविदा के साथ जमा कराई जानी थी, किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर राशि निविदा के साथ जमा नहीं कराई गई। अतः टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा। कार्यआदेश सं0 602 दि0 8.12.2016 द्वारा रु0 69192.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गई। किन्तु

आर एस इण्टरप्राइजेज द्वारा जमा नहीं कराया गया। नियमानुसार प्रक्रिया का पालन न कराये जाने के कारण व्यय की धनराशि ₹0 615600.00 अनियमित रही। उत्तरदायी व्यक्ति श्री कमलेश कुमार वैश्य, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 15)

प्रस्तर 67. वर्ष 2016-17 में ध्रुव सिंह शाक्य के घर से शेर सिंह के घर तक मुख्य सड़क तक इंटरलाकिंग कार्य पत्रावली में निविदा की अनु0 लागत ₹0 8.05 लाख थी। अतः अग्रिम धरोहर राशि ₹0 16100.00 निविदा के साथ जमा कराई जानी थी, किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर राशि निविदा के साथ जमा नहीं कराई गई। अतः टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा। कार्यआदेश सं0 602 दि0 8.12.2016 द्वारा ₹0 69898.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गई। किन्तु आर एस इण्टरप्राइजेज द्वारा जमा नहीं कराया गया। नियमानुसार प्रक्रिया का पालन न कराये जाने के कारण व्यय की धनराशि ₹0 626365.00 अनियमित रही। उत्तरदायी व्यक्ति श्री कमलेश कुमार वैश्य, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 16)

प्रस्तर 68. वर्ष 2016-17 में नरेशपाल के घर से राजू के घर तक मुख्य सड़क तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य पत्रावली में निविदा की अनु0 लागत ₹0 5.08 लाख थी। अतः अग्रिम धरोहर राशि ₹0 10160 निविदा के साथ जमा कराई जानी थी, किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर राशि निविदा के साथ जमा नहीं कराई गई। अतः टेण्डर स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा। कार्यआदेश सं0 602 दि0 8.12.2016 द्वारा ₹0 44054.00 जमा कराये जाने की अपेक्षा की गई। किन्तु आर एस इण्टरप्राइजेज द्वारा जमा नहीं कराया गया। नियमानुसार प्रक्रिया का पालन न कराये जाने के कारण व्यय की धनराशि ₹0 403930 अनियमित रही। उत्तरदायी व्यक्ति श्री कमलेश कुमार वैश्य, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 17)

प्रस्तर 69. वर्ष 2016-17 में मुख्य सड़क से विकासखण्ड कार्यालय तक इंटरलाकिंग कार्य में दि0 16.05.2016 को चैक सं0 849 द्वारा अंकन ₹0 93594.00 का भुगतान श्री विनोद कुमार (जे0ई0 आर0ई0एस0) को भुगतान चैक जारी किया गया श्रमिकों को काई भुगतान न किया गया। मस्टररोल पर किसी भी श्रमिक के अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इस प्रकार धन का अपहरण किया गया है जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री विनोद कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये। (आपत्ति सं0-18)

प्रस्तर 70. वर्ष 2016-17 में मुख्य सड़क से विकासखण्ड कार्यालय तक इंटरलाकिंग कार्य पत्रावली में दि0 04.05.2016 को चेक सं0 842 द्वारा ₹0 117120 का भुगतान 978 घनमीटर मिटटी भराव हेतु किया गया। जिस पर 30रु0 प्रति घनमीटर की दर से कुल ₹0 29340 रायल्टी काटी जानी चाहिये थी, जबकि मात्र ₹0 5868.00 रायल्टी ही काटी गई, जिससे ₹0 23472.00 के राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। ₹0 23472.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अनिरुद्ध सिंह चौहान तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिये। (आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर 71. वर्ष 2016-17 में अंत में दिनांक 31.3.2017 को राज्य वित्त योजना में ₹0 2219405 एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों की धनराशि ₹0 600000 अवशेष रही। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान का शत प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को विकास कार्यों का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका। अनुदान का शतप्रतिशत उपयोग अपेक्षित रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-20)

क्षेत्र पंचायत किशनी

प्रस्तर 72. लेखा परीक्षा वर्ष में एस0जी0एस0वाई0 समूह मानदेय मद में प्रारम्भिक अवशेष ₹0 शून्य तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ₹0 184417.00 के सापेक्ष ₹0 174417.00 का व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली मौखिक व दिनांक 02.12.19 एवं 12.02.2020 को लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः ₹0 174417.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर 73. लेखा परीक्षा वर्ष में एस0जी0एस0वाई0 समूह मानदेय/गठन मद में प्रारम्भिक अवशेष ₹0 10000.00 तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ₹0 194301.00 के सापेक्ष ₹0 204301.00 का व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली मौखिक व दिनांक 02.12.19 एवं 12.02.2020 को लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः ₹0 204301.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-32)

प्रस्तर 74. लेखा परीक्षा वर्ष में पेयजल प्रशिक्षण मद में प्रारम्भिक अवशेष ₹0 33488.00 तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ₹0 64580.00 के सापेक्ष ₹0 32274.00 का व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली मौखिक व दिनांक 02.12.19 एवं 12.02.2020 को लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः ₹0 32274.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-33)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

जनपद आगरा

मंडल आगरा

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत खंदौली वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर 01- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग एवं 13 वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रू0 8871213.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराकर गम्भीर अनियमितता की गई है जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार जिम्मेदार हैं। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप0सं0 03)

प्रस्तर 02- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग एवं 13 वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रू0 5916904.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराकर गम्भीर अनियमितता की गई है जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार जिम्मेदार हैं। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप0सं0 04)

प्रस्तर 03- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग एवं 13 वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रू0 4298330.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराकर गम्भीर अनियमितता की गई है जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार जिम्मेदार हैं। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप0सं0 05)

प्रस्तर 04-लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में 1,11,56,165.00, 2015-16 में 74,99,770.00 व 2016-17 में 47,79,491.00 सहित कुल आहरित रू0 23435426.00 के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में 88,71,213.00, 2015-16 में 59,16,904.00 व 2016-17 में 42,98,330.00 सहित कुल व्यय रू0 1,90,86,447.00 से सम्बन्धित व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई। से शेष व्यय धनराशि वर्ष 2014-15 में 22,84,952.00, 2015-16 में 15,82,866.00 व 2016-17 में 4,81,161.00 सहित कुल रू0 43,48,979.00 की स्थिति संदिग्ध रही है, क्योंकि उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माणक पत्रावली, बजट रजिस्टर, कार्य रजिस्टर, एम0बी0 बुक, कार्य पूर्ति, चैक इश्यू रजिस्टर, परिसम्पत्ति, मानदेय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेख परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना, उ0 प्र0 जिला पंचायत, तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विरुद्ध रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, जे0ई0, कार्य प्रभारी लेखा कार्य का दायित्व निर्धारित किया जाता है उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन खण्ड वि0 अधि0, ब्लाक प्रमुख, लेखाकार, कार्यप्रभारी, जे0ई0 से स्पष्टीकरण प्राप्त कर एवं अपहरण की धनराशि रू0 43,48,979.00 की सम्बन्धित से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं उचित वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आप0सं0 06)

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत शमसाबाद

वर्ष 2012-13 से 2013-14

प्रस्तर 05- वर्ष 2012-13 में रू0 6348528.00 का व्यय उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य0रजि0, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चैक इश्यू रजि0, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत

निर्धारित किया जाता है। उ०प्र० जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि रु० 5831753.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप०सं० 03)

प्रस्तर 11— वर्ष 2012-13 में रु० 4014200.00 का व्यय उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य०रजि०, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि०, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ०प्र० जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे०ई० व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ०प्र० जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि रु० 4014200.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप०सं० 04)

प्रस्तर 12— वर्ष 2013-14 में रु० 5252380.00 का व्यय उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य०रजि०, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि०, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ०प्र० जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे०ई० व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ०प्र० जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि रु० 5252380.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप०सं० 05)

संस्था का नाम — क्षेत्र पंचायत जगनेर

वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर 13—वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रु० 3974793.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सड़कों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सड़कों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है।

(मूल आप०सं० 14.1)

वित्तीय वर्ष 2014-15 में किये गये व्यय रु० 4113838.00 के विरुद्ध रु० 139045.00 की पत्रावलियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अपहरण की सम्भावना है। उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित से बसूली अपेक्षित है।

(मूल आप०सं० 14.2)

प्रस्तर 14—वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रु० 3929383.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सड़कों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सड़कों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है।

(मूल आप०सं० 15.1)

वित्तीय वर्ष 2015-16 में किये गये व्यय रु० 4304741.00 के विरुद्ध रु० 375358.00 की पत्रावलियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अपहरण की सम्भावना है। उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित से ब्याज सहित बसूली अपेक्षित है।

(मूल आप०सं० 15.2)

प्रस्तर 15—वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रु० 1097105.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सड़कों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सड़कों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है।

(मूल आप०सं० 16.1)

वित्तीय वर्ष 2016-17 में किये गये व्यय रू0 1169060.50 के विरुद्ध रू0 719550.00 की पत्रावलियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अपहरण की सम्भावना है। उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(मूल आप0सं0 16.2)

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत अकोला

वर्ष 2013-14

प्रस्तर 16- लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में कुल व्यय रू0 9962690.00 के सापेक्ष व्यय रू0 5376530.00 से सम्बन्धित व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई शेष व्यय धनराशि रू0 4586160.00 की स्थिति संदिग्ध रही। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य0रजि0, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि0, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि रू0 4586160.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है। (मूल आप0सं0 07)

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत अकोला

वर्ष 2014-15 से 16-17

प्रस्तर 17- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रू0 1674881.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्राहित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 5)

प्रस्तर 18- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रू0 9497341.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्राहित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 6)

प्रस्तर 19- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में रू0 32,86,754.00, 2015-16 में रू0 1,25,92,835.00 व 2016-17 में रू0 65,80,789.00 सहित कुल आहरित रू0 2,24,60,378.00 के सापेक्ष 2014-15 में 16,74,881.00 2015-16 में 94,97,341.00 व 2016-17 में अज्ञात (कारण-अभिलेख अप्रस्तुत) सहित कुल व्यय रू0 1,11,72,222.00 से सम्बन्धित व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई। शेष व्यय धनराशि 2014-15 में 16,11,873.00, 2015-16 में रू0 30,95,494.00 व 2016-17 में रू0 65,80,789.00 सहित कुल रू0 1,12,88,156.00 की संदिग्ध रही। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य0रजि0, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि0, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि रू0 11288156.00 की सम्बन्धित से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं उचित वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आप0सं0 7)

ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल ₹0 614123.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्राहित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 8)

प्रस्तर 26— लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ₹0 5477260.70, 2015—16 में ₹0 6650454.88 व 2016—17 में ₹0 3508810.93 सहित कुल आहरित ₹0 15636526.51 के सापेक्ष 2014—15 में 5477260.70 2015—16 में 4381043.00 व 2016—17 में ₹0 614123.00 सहित कुल व्यय ₹0 10472426.70 से सम्बन्धित व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई। शेष व्यय धनराशि 2014—15 में 00.00, 2015—16 में ₹0 2269411.88 व 2016—17 में ₹0 2894687.93 सहित कुल ₹0 5164099.81 संदिग्ध रही। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य0रजि0, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि0, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि ₹0 5164099.81 की सम्बन्धित से नियमानुसार वसूली एवं उचित वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 9)

संस्था का नाम — क्षेत्र पंचायत फतेहपुर सीकरी

वर्ष 2014—15 से 16—17

प्रस्तर 27— वर्ष 2014—15 में ₹0 7613323.00 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य0रजि0, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि0, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि ₹0 7613323.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 04)

प्रस्तर 28— वर्ष 2015—16 में ₹0 2664216.00 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य0रजि0, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि0, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि ₹0 2664216.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 05)

प्रस्तर 29— वर्ष 2015—16 में ₹0 6620998.00 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य0रजि0, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि0, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि ₹0 6620998.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 06)

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत एत्मादपुर

वर्ष 2014-15 से 16-17

प्रस्तर 30— वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रु0 6890875.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 04)

प्रस्तर 31— वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रु0 3203680.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 05)

प्रस्तर 32— वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रु0 2905373.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है।

(मूल आप0सं0 06)

प्रस्तर 33— लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 16-17 में कुल व्यय रु0 161058396.00 के सापेक्ष रु0 12999928.00 से सम्बन्धित व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई। शेष व्यय धनराशि रु0 3108488 की स्थिति संदिग्ध रही। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य0रजि0, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि0, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि रु0 3108468.00 की सम्बन्धित से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली एवं उचित वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 07)

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत सैंया

वर्ष 2014-15 से 16-17

प्रस्तर 34— वर्ष 2014-15 में रु0 6712466.00 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य0रजि0, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि0, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि रु0 6712466.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 04)

प्रस्तर 35— वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रु0 5049653.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। जो अनियमित है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत

अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियाँ एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है।

(मूल आप0सं0 5.1)

वर्ष 2015-16 में ₹0 4805378.00 का व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि०, कार्य०रजि०, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि०, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि०, स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ०प्र० जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे०ई० व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ०प्र० जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि ₹0 4805378.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आप०सं० 5.2)

प्रस्तर 36— वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रू0 3552879.00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। जो अनियमित है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है।

(मूल आप0सं0 6.1)

वर्ष 2016-16 में रू0 1595011.00 का व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य0रजि0, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि0, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि रू0 1595011.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आप0सं0 6.2)

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत बिचपुरी

प्रस्तर 37— वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रू0 6728261.00 के अनियमित निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियाँ एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। व्यय की गई धनराशि रू0 6728261.00 अनियमित रही है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 12)

प्रस्तर 38— वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रू0 3909133.00 के अनियमित निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। व्यय की गई धनराशि रू0 3909133.00 अनियमित रही है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप0सं0 13)

प्रस्तर 39— वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल रु0 6785347.25 के अनियमित निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम

पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। व्यय की गई धनराशि ₹0 6785347.25 अनियमित रही है।
उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आप0सं0 14)

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत खेरागढ़

वर्ष 2015-16 से 16-17

प्रस्तर 40— वर्ष 2015-16 में ₹0 4604464.00 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य0रजि0, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि0, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि ₹0 46004464.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मूल आप0सं0 04)

प्रस्तर 41— वर्ष 2016-17 में ₹0 5466790.41 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, बजट रजि0, कार्य0रजि0, एमबी बुक, कार्यपूर्ति, चेक इश्यु रजि0, परिसम्पत्ति पंजिका, मानदेय रजि0, स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, कार्य प्रभारी, जे0ई0 व लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उ0प्र0 जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अधीन तत्कालीन समस्त उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं अपहरण की धनराशि ₹0 5466790.41 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मूल आप0सं0 05)

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत फतेहाबाद

वर्ष 2014-15 से 16-17

प्रस्तर 42— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान – वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 634675.00, वित्तीय वर्ष 2015-16 में अंकन ₹0 5174.00 कुल ₹0 639849.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन ₹0 639849.00 का वर्ष 2014-15 से 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अनियमित किया गया है जिसके लिए जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आप0सं0 02)

प्रस्तर 43— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना – शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत फतेहाबाद को संचालित बैंक खातों से कुल ₹0 399967.00 की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आप0सं0 03)

प्रस्तर-44— कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना – ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कुल ₹0 1613754.00 के (वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹0 7440250, वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹0 4436283 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹0 4261001) निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल ₹0 161375.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आप0सं0 04)

प्रस्तर 45— वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 3 अनुसूची 1 व खण्ड 2 में

निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे कर कुल ₹0 10124668.00 (वर्ष 14-15 में ₹0 6420284, वर्ष 15-16 में ₹0 2972155, व वर्ष 16-17 में ₹0 732229) के अनियमित निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 32.1(2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन क्षेत्र पंचायत अर्न्तग्रामित सडकों पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्राम सडकों को बनाने का कार्य ग्राम पंचायत को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। व्यय की गई धनराशि ₹0 10124668.00 अनियमित रही है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 14)

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत बरौली अहीर

वर्ष 2015-16 से 16-17

प्रस्तर 46— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान – वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 870190, वित्तीय वर्ष 2016-17 में अंकन ₹0 342708 कुल ₹0 1212898 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन ₹0 1212898 का वर्ष 2015-16 से 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अनियमित किया गया है जिसके लिए जे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 02)

प्रस्तर 47— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना – शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत बरौलीअहीर को संचालित बैंक खातों से कुल ₹0 274965.00 की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 03)

प्रस्तर-48— कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना – ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक ₹0 6463493.00 निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल ₹0 88672.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 04)

प्रस्तर-49— टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना – आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत बरौलीअहीर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण ₹0 40428.00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर से ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-50— नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना— क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत बरौलीअहीर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत बरौली अहीर द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/

आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रु0 8867184 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत बरौली अहीर द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रु0 8867184.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संस्था का नाम — क्षेत्र पंचायत पिनाहट आडिट वर्ष 2011-12 से 13-14

प्रस्तर 51— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान — वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 103650.00 वित्तीय वर्ष 2012-13 में अंकन रु0 120155.00 व वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 532530.00 कुल रु0 756335.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रु0 756335.00 का वर्ष 2011-12 से 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अनियमित किया गया है जिसके लिए जे0ई0/कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 02)

प्रस्तर 52— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना — शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत पिनाहट को संचालित बैंक खातों से कुल रु0 45556.00 की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 03)

प्रस्तर-53— कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना — ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक रु0 3666133.00 निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल रु0 36661.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 04)

प्रस्तर-54— नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना— क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत पिनाहट द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत पिनाहट द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रु0 3666133.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत पिनाहट द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रु0 3666133.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 05)

प्रस्तर-55— वाणिज्य कर (वैट) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना — किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। क्षेत्र पंचायत पिनाहट द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्धारित दर अनुसार वाणिज्य कर (वैट) कटौती न किये जाने के कारण रु0 146645.00 व्यापार कर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ

पहुँचाया गया है जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 06)

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत पिनाहट

वर्ष 2014-15 से 16-17

प्रस्तर 56— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान – वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 681635.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रु0 681635.00 का वर्ष 2014-15 में योजनाबद्ध तरीके से अनियमित किया गया है जिसके लिए जे0ई0/कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(मूल आप0सं0 02)

प्रस्तर 57— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना – शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत पिनाहट को संचालित बैंक खातों से कुल रु0 237968.00 की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 03)

प्रस्तर-58— कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना – ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक रु0 9109135.00 निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल रु0 91091.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 04)

प्रस्तर-59— टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना – आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत पिनाहट द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 265.00 तथा वर्ष 2016-17 में रु0 23749.00 कम टी0डी0एस0 कटौती किये जाने के कारण रु0 24014.00 का ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 05)

प्रस्तर-60— नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना— क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्राहित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत पिनाहट द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत पिनाहट द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रु0 9109135.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत पिनाहट द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रु0 9109135.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूल आप0सं0 05)

प्रस्तर-61— वाणिज्य कर (वैट) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना – किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। क्षेत्र पंचायत

पिनाहट द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्धारित दर अनुसार वाणिज्य कर (वैट) कटौती न किये जाने के कारण रु0 40645.00 व्यापार कर कम जमा कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आप0सं0 06)

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत जैतपुर कला

वर्ष 2011-12 से 13-14

प्रस्तर-62— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना – शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत जैतपुर कला को संचालित बैंक खातों से कुल रु0 44913.00 की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 04)

प्रस्तर-63— कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना – ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक रु0 6054336.00 निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल रु0 60543.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 05)

प्रस्तर-64— टी0डी0एस0 (आयकर) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना – आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194सी के अनुसार भुगतान की गयी राशि पर टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती दो प्रतिशत के बराबर होगी। जिस पर नियमानुसार अधिभार व अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत जैतपुरकलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 13-14 में रु0 11298.00 कम टी0डी0एस0 कटौती किये जाने के कारण रु0 11298.00 का ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-एफ के अधीन व्यवस्थानुसार ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 06)

प्रस्तर-65— नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना— क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्राहित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत जैतपुरकलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं दुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे दुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत जैतपुरकलों द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रु0 6054336.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्षेत्र पंचायत जैतपुरकलों द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रु0 6054336.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप0सं0 07/10)

प्रस्तर-66— वाणिज्य कर (वैट) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना – किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। क्षेत्र पंचायत जैतपुरकलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 13-14 में निर्धारित दर अनुसार वाणिज्य कर (वैट) कटौती न किये जाने के कारण रु0 165141.00 व्यापार कर जमा न कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 08)

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत जैतपुर कला

वर्ष 2014-15 से 16-17

प्रस्तर 67— राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्रत्यावर्तित न करना – शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत जैतपुर कला को संचालित बैंक खातों से कुल **रु0 168739.00** की ब्याज अर्जित हुयी है जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोषागार में शासन के पक्ष में जमा नहीं कराया गया है जो शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत व गम्भीर आपत्तिजनक है इसे शीघ्र राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 04)

प्रस्तर-68— कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार न किया जाना – ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक **रु0 7699022.00** निर्माण कार्य कराये गये हैं किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है जिससे संस्था द्वारा कुल **रु0 76990.00** की राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 05)

प्रस्तर-69— नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना— क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्राहित सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत जैतपुरकलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताएं भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पड़े। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों की थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत जैतपुरकलों द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। **रु0 7699022.00** के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत जैतपुरकलों द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय **रु0 7699022.00** के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आप0सं0 07/10)

प्रस्तर-70— वाणिज्य कर (वैट) कम काटकर राजस्व को हानि पहुँचाना – किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। क्षेत्र पंचायत जैतपुरकलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 16-17 में निर्धारित दर अनुसार वाणिज्य कर (वैट) कटौती न किये जाने के कारण **रु0 3,07,960.00** व्यापार कर जमा न कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आप0सं0 08)

प्रस्तर 71— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान – वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन **रु0 880300.00** तथा वर्ष 15-16 में **रु0 514250.00** कुल **रु0 1394550.00** मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को किया गया है। श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन **रु0 1394550.00** का वर्ष 2014-15 व 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अनियमित किया गया है जिसके लिए जे0ई0/कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(मूल आप0सं0 02)

जनपद— मथुरा

मंडल— आगरा

क्षेत्र पंचायत मथुरा 2013-14

प्रस्तर -1. आलोच्य वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर कराये गये हैं जिनका विवरण निम्न है:-

कार्य का नाम	व्यय की धनराशि		
	सामग्री	मजदूरी	कुल
ग्रा0 वाकलपुर मायापुरम में श्री सुभाष धीरेन्द्र/शर्मा के मकान से संजय गौतम के मकान तक इ0 कार्य	526707.00	147492.00	674199.00
ग्रा0पं0 अनीता अग्रवाल के मकान तक इ0 राजपुरा के गोधेलुपुरम चामुण्ड कालोनी में श्री नेताराम के मकान से श्रीमती कार्य	212039.00	59609.00	271648.00
ग्रा0पं0 मायापुरी में हनुमान तंतूरा बालाजीपुरम मंदिर से सोनवीर के मकान तक नाली व इ0 कार्य	372019.00	70994.00	443013.00
ग्रा0पं0 राजपुरा के गोधेलुपुरम में श्री सुधीर चौहन के घर से श्री निरंजन शर्मा तक नाली व इ0 कार्य	212039.00	59607.00	271646.00
ग्रा0 सकराया के बाबूग में श्री श्याम लाल मास्टर के घर से श्री हरीराम के घर की ओर इ0 कार्य	376257.00	74010.00	450267.00
योग			2110773.00

पंचायती राज अनुभाग तीन शासनादेश सं0 33/1639-3-2015 2015-03 दिनांक 19 जून 2015 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है। उपरोक्त कार्य क्षेत्र पंचायत के कार्यक्षेत्र से बाहर होने से अनियमित है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -2. ब्याज की धनराशि सं0शा-ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्षों में संस्था के द्वारा निम्न तरीके से ब्याज की धनराशि व्यय की गयी है।

वर्ष	धनराशि व्यय
2013-14	653731.21

जबकि नियमानुसार यह धनराशि शासन को वापस किया जाना चाहिये लेकिन ऐसा न कर अनियमतिता की गयी है। किंतु राजकीय कोषागार में ब्याज धनराशि के जमा की पुष्टि में प्रमाणक अनुपलब्ध रहने से दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

प्रस्तर -3. आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त एस0जी0एस0वाई0 व 13 वॉ वित्त के अंतर्गत कुल 11430335.50 ग्रांट रजिस्टर 3 में व्यय दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा में मात्र 6080642.00 की ही निर्माण पत्रावलियां उपलब्ध हुयी शेष रु0 5349693.50 की निर्माण पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने से व्ययों की पुष्टि नहीं होती अतः रु0 5349693.50 की वसूली ब्याज सहित संबंधित से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत मथुरा 2014-15 से 16-17

प्रस्तर -4. आलोच्य वर्ष 2014-14 से 16-17 में निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर कराये गये हैं जिनका विवरण निम्न है:-

कार्य का नाम	व्यय की धनराशि		
	सामग्री	मजदूरी	कुल
वर्ष 14-15 में कराये गये कार्य	3977930.00	539159.00	4522938.00
वर्ष 15-16 में कराये गये कार्य	2078550.00	53522.00	2132072.00
वर्ष 16-17 में कराये गये कार्य	3896431.00	—	3896431.00
योग			10551441.00

पंचायती राज अनुभाग तीन शासनादेश सं0 33/1639-3-2015 2015-03 दिनांक 19 जून 2015 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है। उपरोक्त कार्य क्षेत्र पंचायत के कार्यक्षेत्र से बाहर होने से अनियमित है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -5. ब्याज की धनराशि सं0शा-ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्षों में संस्था के द्वारा निम्न तरीके से ब्याज की धनराशि व्यय की गयी है।

वर्ष	धनराशि व्यय
2014-15	66982.69
2015-16	294793.53
2016-17	126462.84

जबकि नियमानुसार यह धनराशि शासन को वापस किया जाना चाहिये लेकिन ऐसा न कर अनियमिता की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -6. वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त व 13 वां वित्त के अंतर्गत कुल 12038882.00 ग्रांट रजिस्टर 3 में व्यय दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा में मात्र रु0 10753869.00 की ही निर्माण पत्रावलियों उपलब्ध हुयी शेष रु0 1285013.00 की निर्माण पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने से व्ययों की पुष्टि नहीं होती अतः रु0 1285013.00 की वसूली ब्याज सहित संबंधित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7. वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त व 13 वां वित्त के अंतर्गत कुल रु0 6098476.00 ग्रांट रजिस्टर 3 में व्यय दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा में मात्र रु0 2663950.00 की ही निर्माण पत्रावलियों उपलब्ध हुयी शेष रु0 3434526.00 की निर्माण पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने से व्ययों की पुष्टि नहीं होती अतः रु0 3434526.00 की वसूली ब्याज सहित संबंधित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -8. वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त व 13 वां वित्त के अंतर्गत कुल रु0 9922181.00 ग्रांट रजिस्टर 3 में व्यय दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा में मात्र रु0 6400261.00 की ही निर्माण पत्रावलियों उपलब्ध हुयी शेष रु0 3521920.00 की निर्माण पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने से व्ययों की पुष्टि नहीं होती अतः रु0 3521920.00 की वसूली ब्याज सहित संबंधित से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत गोवर्धन 2013-14

प्रस्तर -9. आलोच्य वर्ष 2013-14 की पत्रावलियों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय मजदूर एक ही तिथि में दो मस्टरोलों पर कार्य करते हुये पाये गये :-

क्र.	नाम	तिथि	कार्य का नाम	व्यय की धनराशि		
				सामग्री	मजदूरी	कुल
1.	विवेक पुत्र श्री प्रमोद	12 जून 13 से 26 जून 13 तक	ग्रा0 अडींग में गोवर्धन मथुरा मार्ग से प्राचीन हनुमान मंदिर तक नाली, मिटटी व खरंजा कार्य	118655	84480	203135
		25 जून 13 से 12 जुलाई 13 तक	ग्रा0 मल्हु में सुरेश सेठ की दुकान से महेन्द्र के मकान तक नाली व पेवर कार्य	363168	69600	432768

उपरोक्त से चूंकि एक ही मजदूर एक से अधिक कार्यों में एक ही समय में कार्य नहीं कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यों में संलग्न मस्टररौल काल्पनिक रूप से तैयार किये गये हैं ऐसी स्थिति में संपूर्ण कार्य काल्पनिक हो जाते हैं अतः सभी कार्यों में व्यय की संपूर्ण धनराशि रु0 635903.00 की वसूली दंडनीय ब्याज सहित संबंधित से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -10. आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर कराये गये हैं:-

कार्य का नाम	व्यय की धनराशि		
	सामग्री	मजदूरी	कुल
वर्ष 13-14 में कराये गये कार्य	2800935.00	1071395.00	3872330.00

पंचायती राज अनुभाग तीन शासनादेश सं0 33/1639-3-2015 2015-03 दिनांक 19 जून 2015 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है। उपरोक्त कार्य क्षेत्र पंचायत के कार्यक्षेत्र से बाहर होने से अनियमित है। अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली संबंधित खण्ड विकास अधिकारी अवर अभियंता व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत गोवर्धन 2014-15 से 16-17

प्रस्तर -11. आलोच्य वर्ष 2014-15 से 16-17 में निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर कराये गये हैं जिनका विवरण निम्न है:-

वर्ष	सामान्य आपत्तियों की क्रम सं0	सन्निहित धनराशि			योग
		अपहरण	दुरुपयोग	गम्भीर अनियमि0	
वर्ष 14-15	2.1,2.2	177500.00	—	3415369.00	3592769.00
वर्ष 15-16	2.3,2.4,2.5	4502568.00	—	2641.00	4505209.00
वर्ष 16-17	2.6,2.7,2.8,2.9	234192.88	—	129255.43	363448.31

क्षेत्र पंचायत गोवर्धन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक में अपहरण दुरुपयोग गंभीर अनियमितता संबंधी निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिसकी वसूली सम्बन्धित से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

प्रस्तर -12 वर्ष 2014-15 में अम्बेडकर विकास रोजगार योजना में माह मई 2014 में ₹0 60000.00 माह अगस्त 2014 में ₹0 7500.00 माह जनवरी में ₹0 55000.00 व माह मार्च 2015 में ₹0 55000.00 व्यय ग्रांट रजिस्टर में दर्शित है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक/व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा। जिसकी वसूली सम्बन्धित से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

प्रस्तर -13. वर्ष 2014-15 में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण मद में माह दिसम्बर 2014 में 1313669.00, माह फरवरी 2015 में ₹0 1050800.00 व माह मार्च 2015 में 1050800.00 व्यय ग्रांट रजिस्टर में दर्शित है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक/व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा। जिसकी वसूली सम्बन्धित से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

प्रस्तर -14. वर्ष 2015-16 में अम्बेडकर विकास रोजगार योजना में माह अप्रैल 2015 में ₹0 20169.00 माह मई 2015 में ₹0 7500.00 व्यय ग्रांट रजिस्टर में दर्शित है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक/व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा। जिसकी वसूली सम्बन्धित से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

प्रस्तर -15. वर्ष 2015-16 में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण मद में माह जून 2015 में 2057830.00 , माह जुलाई 2015 में ₹0 393266.00 व माह सितंबर 2015 में 787449.00 माह अक्टूबर 2015 में ₹0 752340.00 व माह जनवरी 2016 में ₹0 483414.00 व्यय ग्रांट रजिस्टर में दर्शित है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक/व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा। जिसकी वसूली सम्बन्धित से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

प्रस्तर 16. ब्याज की धनराशि सं0शा-ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्षों में संस्था के द्वारा निम्न तरीके से ब्याज की धनराशि व्यय की गयी है।

वर्ष	धनराशि व्यय
2015-16	2641.00

जबकि नियमानुसार यह धनराशि शासन को वापस किया जाना चाहिये लेकिन ऐसा न कर अनियमितता की गयी है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 17. वर्ष 2016-17 में अम्बेडकर विकास रोजगार योजना में माह अप्रैल 2016 में ₹0 32500.00 माह मई 2016 में ₹0 40000.00 माह जून 2016 में ₹0 30000 व्यय ग्रांट रजिस्टर में दर्शित है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक/व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -18. वर्ष 2016-17 में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण मद में माह मई 2016 में 131692.88 व्यय ग्रांट रजिस्टर में दर्शित है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक/व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 19. विकास खण्ड के खातों की जाँच और ग्रांट रजिस्टर से लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ है कि 31.03.2017 को कई मदों में धनराशि कई वर्षों से अप्रायोज्य है इसे या तो उपभोग किया जाना चाहिये था अन्यथा कि दशा में इसे मुल विभाग को वापस सुनिश्चित किया जाना चाहिये। 13 वां विता आयोग मद में 1339.43 ₹0 , सांसद निधि मद में 15577.00 ₹0 वि0 निधि मद में 44674.00 ₹0 रैपिड सर्वे पंचायत मद में 49000.00 ₹0 आदि विभिन्न मद में बची धनराशि निष्प्रायोज्य पड़ी है। इस प्रकार ₹0 110690.43 रोककर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 20. ब्याज की धनराशि सं0शा-ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्षों में संस्था के द्वारा निम्न तरीके से ब्याज की धनराशि व्यय की गयी है।

वर्ष	धनराशि व्यय
2016-17	18565.00

जबकि नियमानुसार यह धनराशि शासन को वापस किया जाना चाहिये लेकिन ऐसा न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये संस्था के तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता तथा लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत बल्देव 2014-15 से 2016-17 तक

वर्ष	सामान्य आपत्तियों की कम सं०	सन्निहित धनराशि			योग
		अपहरण	दुरुपयोग	गम्भीर अनियमितता	
वर्ष 14-15	2.1,2.2	526212.00	—	5719.00	531931.00
वर्ष 15-16	2.1,2.3	537632.00	—	583.00	538215.00
वर्ष 16-17	2.1 व 2.4	—	—	897309.00	897309.00

क्षेत्र पंचायत बल्देव वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक में अपहरण दुरुपयोग गंभीर अनियमितता संबंधी निम्न प्रकरण प्रकाश में आये है। जिस पर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर 21. ब्याज की धनराशि सं०शा-ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्षों में संस्था के द्वारा निम्न तरीके से ब्याज की धनराशि व्यय की गयी है।

वर्ष	धनराशि व्यय
2014-15	5719.00
2015-16	583.00
2016-17	1309.00

जबकि नियमानुसार यह धनराशि शासन को वापस किया जाना चाहिये लेकिन ऐसा न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये संस्था के तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता तथा लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -22. वर्ष 2014-15 में आंगनबाडी केन्द्र निर्माण मद में माह सितंबर में रु० 253.00 माह नवंबर 2014 में रु० 3200.00, माह दिसम्बर 2014 में रु० 244473.00, माह जनवरी 2015 में रु० 277756.00 व माह फरवरी 2015 में रु० 530.00 व्यय ग्रांट रजिस्टर में दर्शित है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक/व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -23. वर्ष 2015-16 में आंगनबाडी केन्द्र निर्माण मद में माह अप्रैल 2015 में रु० 153316.00 माह मई 2015 में रु० 169624.00, माह जुन 2015 में रु० 214692.00, ग्रांट रजिस्टर में दर्शित है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक/व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 24. विकास खण्ड के खातों की जांच और ग्रांट रजिस्टर से लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ है कि 31.03.2017 को आंगनवाडी केन्द्र मद में धनराशि अप्रायोज्य है। इसे या तो उपभोग किया जान चाहिये था अन्यथा की दशा में मूल विभाग को वापस सुनिश्चित किया जाना चाहिये। आंगनबाडी केन्द्र मद में 896000.00 रु० मद में बची धनराशि निष्प्रायोज्य पड़ी है। इस प्रकार रु० 896000.00 रोककर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत मॉट 2013-14

प्रस्तर 25. आलोच्य वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कराये गये है जिनका विवरण निम्न है:-

कार्य का नाम	व्यय की धनराशि		
	सामग्री	मजदूरी	कुल
वर्ष 2013-14 में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार	2557981.00	461120.00	3019101.00

पंचायती राज अनुभाग तीन शासनादेश सं० 33/1639-3-2015 2015-03 दिनांक 19 जून 2015 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है। उपरोक्त कार्य क्षेत्र पंचायत के कार्यक्षेत्र से बाहर होने से अनियमित है। जिसके लिये संबंधित कर्मचारी जिम्मेदार है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-26. आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त एस0जी0एस0वाई0 व 13 वां वित्त के अंतर्गत कुल 6717111.00 ग्रांट रजिस्टर 3 में व्यय दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा में मात्र 5603535.00 की ही निर्माण पत्रावलियाँ उपलब्ध हुयी शेष रु0 1113576.00 की निर्माण पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने से व्ययों की पुष्टि नहीं होती अतः रु0 1113576.00 की वसूली ब्याज सहित संबंधित से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत मॉट 2014-15 से 2016-17 तक

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कराये गये हैं जिनका विवरण निम्न है:-

कार्य का नाम	व्यय की धनराशि		
	सामग्री	मजदूरी	कुल
वर्ष 2014-15 में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार	2450158.00	464930.00	2915088.00
वर्ष 2015-16 में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार	2072580.00	306350.00	1761020.00
वर्ष 2016-17 में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार	897432.00	93090.00	990522.00

प्रस्तर -27 आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त व 13 वॉ वित्त के अंतर्गत कुल 6026145.00 ग्रांट रजिस्टर 3 में व्यय दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा में मात्र 503140.60 की ही निर्माण पत्रावलियाँ उपलब्ध हुयी शेष रु0 994743.40 की निर्माण पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने से व्ययों की पुष्टि नहीं होती अतः रु0 994743.40 की वसूली ब्याज सहित संबंधित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त व 13 वॉ वित्त के अंतर्गत कुल 4445614.00 ग्रांट रजिस्टर 3 में व्यय दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा में मात्र 3487502.28 की ही निर्माण पत्रावलियाँ उपलब्ध हुयी शेष रु0 958111.72 की निर्माण पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने से व्ययों की पुष्टि नहीं होती अतः रु0 958111.72 की वसूली ब्याज सहित संबंधित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त के अंतर्गत कुल 7751400.00 ग्रांट रजिस्टर 3 में व्यय दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा में मात्र 7286377.00 की ही निर्माण पत्रावलियाँ उपलब्ध हुयी शेष रु0 465023.00 की निर्माण पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने से व्ययों की पुष्टि नहीं होती अतः रु0 465023.00 की वसूली ब्याज सहित संबंधित से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत चौमुँहा 2013-14

प्रस्तर 30. कराये गये कार्य से संबंधित मस्टरौलों से स्पष्ट होता है कि जिन मजदूरों को भुगतान किया गया है उनके अंगूठा निशानी एक ही स्थान पर एक अथवा दो लोगों द्वारा लगाया गया है। मस्टरौल में उल्लिखित मजदूरों के अंगूठा निशानी पुनः संकलित कर मिलान कराना आवश्यक है साथ ही किसी भी अंगूठा निशानी के नीचे श्रमिक का नाम नहीं लिखा है इसलिये यह स्पष्ट नहीं होता कि किस श्रमिक ने कौन सा अंगूठा लगाया है इस प्रकार मस्टरौलों के माध्यम के रु0 कुल रु0 489385.00 का दुरुपयोग प्रमाणित है। संपूर्ण धन की वसूली ब्याज सहित संबंधित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 31. वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्रांट रजिस्टर 03 में रु0 3372393.00 तेरहवां वित्त तृतीय राज्य वित्त आयोग से यह दर्शाया जा रहा है। परन्तु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है। उक्त धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली ब्याज सहित संलिप्त व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत चौमुँहा 2014-15 से 2016-17 तक

प्रस्तर 32. कराये गये कार्य से संबंधित मस्टरौलों से स्पष्ट होता है कि जिन मजदूरों को भुगतान किया गया है उनके अंगूठा निशानी एक ही स्थान पर एक अथवा दो लोगों द्वारा लगाया गया है। मस्टरौल में उल्लिखित मजदूरों के अंगूठा निशानी पुनः संकलित कर मिलान कराना आवश्यक है साथ ही किसी भी अंगूठा निशानी के नीचे श्रमिक का नाम नहीं लिखा है इसलिये यह स्पष्ट नहीं होता कि किस श्रमिक ने कौन सा अंगूठा लगाया है इस प्रकार मस्टरौलों के माध्यम के रु0 कुल रु0 542890.00 का दुरुपयोग प्रमाणित है। संपूर्ण धन की वसूली ब्याज सहित संबंधित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 33. वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्रांट रजिस्टर 03 में रु0 3278909.00 तेरहवां वित्त तृतीय राज्य वित्त आयोग से यह दर्शाया जा रहा है। परन्तु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है। उक्त धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली ब्याज सहित संलिप्त व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 34. विकास खण्ड चौमुँहा में पानी की टंकी वाटर कूलर तथा आर0ओ0 की स्थापना का कार्य श्री चन्द्रभान शर्मा राजकीय ठेकेदार द्वारा किया गया प्रस्तुत बिल पर न तो बैट और न ही जी0एस0टी0, बिल सं/बिल दि0 अंकित नहीं है। बिल में 60382.00 का करावचन किया गया है। राजकीय नियमानुसार देय कर के चार गुना की ब्याज सहित वसूली संबंधित से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16

प्रस्तर 35. कराये गये कार्य से संबंधित मस्टरौलों से स्पष्ट होता है कि जिन मजदूरों को भुगतान किया गया है उनके अंगूठा निशानी एक ही स्थान पर एक अथवा दो लोगों द्वारा लगाया गया है। मस्टरौल में उल्लिखित मजदूरों के अंगूठा निशानी पुनः संकलित कर मिलान कराना आवश्यक है साथ ही किसी भी अंगूठा निशानी के नीचे श्रमिक का नाम नहीं

लिखा है इसलिये यह स्पष्ट नहीं होता कि किस श्रमिक ने कौन सा अंगूठा लगाया है इस प्रकार मस्टररौलों के माध्यम के रु० कुल रु० 26180.00 का दुरुपयोग प्रमाणित है। संपूर्ण धन की वसूली ब्याज सहित संबंधित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 36. वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्रांट रजिस्टर 03 में रु० 2035644.00 तेरहवां वित्त तृतीय राज्य वित्त आयोग से यह दर्शाया जा रहा है। परन्तु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है। उक्त धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली ब्याज सहित संलिप्त व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2016-17

प्रस्तर 37. आलोच्य वर्ष में निर्माण कार्यों से संबंधित पत्रावली में निविदा प्राप्त करने वाले ठेकेदार श्री रवीन्द्र पांडे व मैसर्स रामबाबू सिंह के निविदा से संबंधित अभिलेख अपूर्ण रहे। पत्रावलियों में ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाण पत्र गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि अभिलेख नहीं पाये गये तथा साक्षी के निविदा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं थे। निविदा में अभिलेख पूरा न होने के कारण निविदा निरस्त कि जानी चाहिए थी। परन्तु खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव प्रसाद सिंह परमेश व अवर अभियंता मनोज कुमार द्वारा निविदा प्रदान करना किसी दुरभि सन्धि की ओर इशारा करता है। यह विषय अत्यन्त गंभीर है जिसका संज्ञान उच्च अधिकारियों द्वारा लिया जाना चाहिए। इस प्रकार यह निविदा अवैध है। निर्माण कार्यों हेतु दोनो ठेकेदारो श्री रवीन्द्र पांडे व मैसर्स रामबाबू सिंह को कुल रु० 2553646.00 का भुगतान अनियमित तथा अवैध है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समस्त उत्तरदायी व्यक्तियों खण्ड विकास अधिकारी अभियंता ब्लाक प्रमुख लेखाकार व ठेकेदार से कि जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत फरह 2013-14

प्रस्तर -38. क्षेत्र पंचायत व जि०पंच० नियमावली 1961 एवं शा०सं० 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33. 3-2015-03/2015 दि० 19.6.15 के अपुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परन्तु उपरोक्त (क्षे. पंचायत द्वारा 13वां वित्त एवं राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान क्रमशः रु० 1294398 व रु० 1502960 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती है, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

कार्य का नाम (13वां वित्त वर्ष 13-14)	धनराशि
1.ग्राम परखम में मीरपुर में श्री मानसिंह के मकान से परखम तिराहे तक नाली निर्माण कार्य	328107.00
2.गडरेसु में नाली एवं इंटरलाकिंग कार्य	558378.00
3.ग्राम लुहारा में रमन के घर से काशीराम हरिचरण के घर की ओर नाली निर्माण	407913.00
योग	1294398.00
कार्य का नाम (राज्य वित्त वर्ष 13-14)	
1.पिलुआ-सादिकपुर में मोहन/विक्रम सिंह के घर से श्री रघुवीर/नैत्रपाल/चन्द्रपाल के घर की तरफ सी०सी० रोड	156429.00
2.छडगांव में गंगाराम के घर से श्री देवेन्द्र/ बहादुर सिंह के घर तक नाली व सी०सी० इ० ला० कार्य	638961.00
3.पींगरी में रामवती के मकान पप्पू/धम्मो के मकान की ओर नाली व इ० ला० कार्य	651319.00
4. ग्राम-बलरई में शिव सिंह, प्रहलाद सिंह के घर से भुवनेश के घर तक इ० ला० कार्य	56251.00
योग	1502960.00

क्षेत्र पंचायत फरह 2014-15 से 16-17

प्रस्तर -39. क्षेत्र पंचायत व जि०पंच० नियमावली 1961 एवं शा०सं० 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33. 3-2015-03/2015 दि० 19.6.15 के अपुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परन्तु उपरोक्त (क्षे. पंचायत द्वारा 13वां वित्त एवं राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान क्रमशः वर्ष 14-15 में रु० 2075321 व रु० 1229639 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती है, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

कार्य का नाम (13वां वित्त वर्ष 14-15)	धनराशि
1.ग्राम-माल में हरि वर्मा/रमेश/प्रहलाद के मकान से श्री महीपाल के मकान की ओर इ०ला० कार्य	295666.00
2.ग्राम-फतिहा में श्री हरेन्द्र सिंह के मकान से तेजवीर के मकान की ओर नली व इ० ला० कार्य	499195.00

3.ग्राम-खेरिया में श्री किशन लाल के घर से श्री मुकेश/मदनी के घर तक नाली व सी0सी0 इ0 ला0 कार्य	568162.00
4.ग्राम-मलिकपुर में श्री किशोरी जाट के मकान से श्री कृष्णकान्त रावत के मकान की ओर एल-टाइप नाली व इ0 ला0 कार्य	428666.00
5.ग्राम-मेघपुर में श्री झम्न के मकान से श्री वनवारी के मकान तक नाली इ0ला0 कार्य	283632.00
योग	2075321.00
कार्य का नाम (राज्य वित्त वर्ष 14-15)	
1.ग्राम-लुहारा में श्री रमन के घर से हरि किशन/काशीराम के घर तक इ0ला0 कार्य	616874.00
2.ग्राम-कवाईला में श्री लाखन सिंह के घर से जहान सिंह के घर तक इ0ला0 कार्य	612765.00
योग	1229639.00

प्रस्तर-40. क्षे0पं0 व जि0पं0 नियमावली 1961 एवं शा0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33. 3-2015-03/2015 दि0 19.6.15 के अपुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परंतु उपरोक्त (क्षे. पंचायत द्वारा राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान क्रमशः वर्ष 15-16 में रू0 2075321 व रू0 1337664 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये है। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती है, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

कार्य का नाम (राज्य वित्त वर्ष 15-16)	धनराशि
1.ग्राम- शहजादपुर में श्री टुण्डा बघेल के घर से रेलवे चौकी तक इ0 ला0 कार्य	751885
2.ग्राम- बरौदा-मशरकपुर में श्री छोटे के मकान से श्री मुद्धी ठाकुर के मकान परिक्रमा-मार्ग तक नाली व इ0 ला0 कार्य	625779
योग	1377664.00

प्रस्तर -41. क्षे0पं0 व जि0पं0 नियमावली 1961 एवं शा0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33. 3-2015-03/2015 दि0 19.6.15 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परंतु उपरोक्त (क्षे. पंचायत द्वारा राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान क्रमशः वर्ष 16-17 में रू0 4300087 व रू0 1337664 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये है। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती है, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

कार्य का नाम (राज्य वित्त वर्ष 16-17)	धनराशि
1.ग्राम- सेरसा में श्री सोदान सिंह के घर से शमशान तक इ0 ला0 कार्य	713565
2.ग्राम-खेडिया में पं0 संजू के घर से मिठठन के घर तक इ0 ला0 कार्य	580836
3.ग्राम- झुडावई में श्री लच्छी सेठ के मकान से श्री मुरारी के मकान तक इ0 ला0 कार्य	403725
4.ग्राम-किरारई में श्री अशोक जाटव के मकान से श्री हरि चन्द्र जाटव के मकान तक नाली व इ0 ला0 कार्य	266756
5.ग्राम- पींगरी में श्री नवल सिंह के मकान से श्री दीपचन्द्र के मकान तक इ0 ला0 कार्य	858500
6.ग्राम-सरूरपुर में श्री लच्छी के मकान से श्री घर्षा के मकान ओर नाली व इ0 ला0 कार्य	219856
7.ग्राम बलरई में श्री वलवीर के मकान से श्री सहाब सिंह के मकान की ओर नाली इ0 ला0 कार्य	244962
8.ग्राम-बलरई में श्री डोरी भगत के मकान से नई आबादी की ओर नाली व इ0 ला0 कार्य	246839
9.ग्राम- बलरई में श्री हाकिम जाटव के मकान से श्री डोरी भगत के मकान की ओर नाली व इ0 ला0 कार्य	246000
10.ग्राम- धानातेजा में श्री रामदेव की दुकान से श्री चन्द्रमाल पुत्र श्रीमति देवी सिंह के मकान की ओर नाली व इ0 ला0 कार्य	275840
11.ग्राम- न0- हदय में श्री कंचन के मकान से शमशान वाले रास्ते की ओर नाली व इ0 ला0 कार्य	243208
योग	4300087

क्षेत्र पंचायत नंदगाँव 2011-12 से 13-14

प्रस्तर-42. कार्य का नाम अम्बेडकर ग्राम बरसाना देहात के श्रीनगर में सीसीरोड से सामुदायिक विकास केन्द्र तक खंडजा का निर्माण- आलोच्य वर्ष में उक्त कार्य से सम्बन्धित खंडजा निर्माण कार्य से सम्बन्धित मस्टरप्लानों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिन मजदूरों को भुगतान किया गया है उनके भुगतान प्राप्ति के स्थान पर हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं है। इसप्रकार मस्टरप्लान सं0 22व 45 द्वारा कुल 35 मजदूरों को 29 दिनों का भुगतान रू0

65400.00 किया गया है तथा उक्त कार्य हेतु रू0 151987.00 की सामग्री टीडीएस के अतिरिक्त व्यय की गई है। मजदूरी के अभाव में उक्त कार्य में सामग्री की आपूर्ति भी फर्जी दर्शित होती है। इस प्रकार कुल रू0 217387.00 का गबन कर लिया गया है। सम्पूर्ण धनराशि की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-43. वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 55990.00 की टीडीएस कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यु चैक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्बन्धित अभिलेख से जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। गंभीर अनियमितता की धनराशि रू0 55990.00 के लिये सम्बन्धित कर्मचारी जिम्मेदार है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-44. क्षे0पं0 व जि0पं0 नियमावली 1961 एवं शा0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33.3-2015-03/2015 दि0 19.6.15 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परंतु उपरोक्त (क्षे. पंचायत द्वारा वर्ष 11-12 में 13वां वित्त व राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से रू0 1685164.00 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती है, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-45. आपूर्तिकर्ता फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रू0 455103.00 भुगतान पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत	बैंक खाते के अनुसार प्राप्तकर्ता
424339	20.12.2011	200000.00	मै0एक्स सर्विसमैन	मथुरा जिला सहकारी बैंक
42445	01.09.2012	97903.00	मै0एक्स सर्विसमैन	मथुरा जिला सहकारी बैंक
42449	03.10.2012	157200.00	मै0एक्स सर्विसमैन	मथुरा जिला सहकारी बैंक

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 455103.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है। उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ है, जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 455103.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46. कार्य दल प्रभारी को चैक निर्गमन न दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

मजदूरी का भुगतान चैक कुल रू0 348025.00 दलप्रभारी के नाम न कर मथुरा जिला सहकारी बैंक के खाते में जमा किया है तथा मथुरा जिला सहकारी बैंक का स्टेटमेंट अपूर्ण व अस्पष्ट होने के कारण पूर्ण मिलान संभव न हो सका। चैक तो दल प्रभारी के नाम निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत	बैंक खाते के अनुसार प्राप्तकर्ता
42433	2.9.11	69600	श्री विजय कुमार उपाध्याय	मथुरा जिला सहकारी बैंक
42436	19.9.11	165090	श्री विजय कुमार उपाध्याय	मथुरा जिला सहकारी बैंक
42446	1.9.12	61160	श्री विजय कुमार उपाध्याय	मथुरा जिला सहकारी बैंक
424560	3.10.12	52175	श्री विजय कुमार उपाध्याय	मथुरा जिला सहकारी बैंक

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 348025.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है। उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है। जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर मजदूरी के भुगतान में रू0 348025.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2012-13

प्रस्तर-47. रू0 107713.00 टीडीएस जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 107713.00 की टीडीएस कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यु चैक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-48. आपूर्तिकर्ता फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रू0 1664539 भुगतान पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत	बैंक खाते के अनुसार प्राप्तकर्ता
841127	1.11.12	235652	मै0एक्स सर्विसमैन	मथुरा जिला सहकारी बैंक
849129	12.11.12	27493	मै0एक्स सर्विसमैन	मथुरा जिला सहकारी बैंक
365755	21.3.13	401190	मै0एक्स सर्विसमैन	मथुरा जिला सहकारी बैंक

365754	21.3.13	586380	मै0एक्स सर्विसमैन	मथुरा जिला सहकारी बैंक
849128	1.11.12	301502	मै0एक्स सर्विसमैन	मथुरा जिला सहकारी बैंक
849138	2.1.13	112322	मै0एक्स सर्विसमैन	मथुरा जिला सहकारी बैंक

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 1664539.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है। उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 1664539 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है।

प्रस्तर-49. कार्य दल प्रभारी को चैक निर्गमन न दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

मजदूरी का भुगतान चैक कुल रू398700 दलप्रभारी के नाम न कर मथुरा जिला सहकारी बैंक के खाते में जमा किया है तथा मथुरा जिला सहकारी बैंक का स्टेटमेंट अपूर्ण व अस्पष्ट होने के कारण पूर्ण मिलान संभव न हो सका। चैक तो दल प्रभारी के नाम निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत	बैंक खाते के अनुसार प्राप्तकर्ता
849144	6.4.13	62100	श्री विजय कुमार उपाध्याय	मथुरा जिला सहकारी बैंक
849130	12.11.12	245925	श्री विजय कुमार उपाध्याय	मथुरा जिला सहकारी बैंक
849135	2.1.13	45400	श्री विजय कुमार उपाध्याय	मथुरा जिला सहकारी बैंक
849134	2.1.13	45275	श्री विजय कुमार उपाध्याय	मथुरा जिला सहकारी बैंक

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 398700 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है। उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर मजदूरी मद में रू0 3987100 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-50. क्षे0पं0 व जि0पं0 नियमावली 1961 एवं शा0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33. 3-2015-03/2015 दि0 19.6.15 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परंतु उपरोक्त (क्षे. पंचायत द्वारा वर्ष 12-13 में 13वां वित्त व राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से रू0 2963538 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती है, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2013-14

प्रस्तर-51. रू0 140162.00 टीडीएस जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 140162.00 की टीडीएस कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यू चैक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-52. क्षे0पं0 व जि0पं0 नियमावली 1961 एवं शा0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33. 3-2015-03/2015 दि0 19.6.15 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परंतु उपरोक्त (क्षे. पंचायत द्वारा वर्ष 13-14 में 13वां वित्त व राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से रू0 5033840.00 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती है, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत नंदगोंव 2014-15 से 16-17

वर्ष 2014-15

प्रस्तर-53 तेरहवां वित्त तथा तृतीय राज्य वित्त आयोग से किये गये अन्य व्यय के सम्बन्ध में

वित्तीय वर्ष 14-15 में ग्रां0रजि0-3 में रू0 1678247.00 13वां वित्त व राज्य वित्त से व्यय दर्शाया जा रहा है। परंतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है। उक्त धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली व्याज सहित संलिप्त व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, आंकिक द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर-54. रू0 26045.00 टीडीएस जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 26045.00 की टीडीएस कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यू चैक/बैंक

स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16

प्रस्तर-55. क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत नियमावली 1961 एवं शा0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33.3-2015-03/2015 दि0 19.6.15 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परंतु उपरोक्त (क्षे. पंचायत द्वारा वर्ष 15-16 में 13वां वित्त व राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से रु0 2697768.00 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती हैं, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार, उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-56. रु0 103036.00 टीडीएस व वैट जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 103036.00 की टीडीएस व वैट कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यु चैक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्बन्धित अभिलेख से जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2016-17

प्रस्तर-57. रु0 73809.00 टीडीएस व वैट जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 73809.00 की टीडीएस व वैट कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यु चैक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्बन्धित अभिलेख से जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-58. क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत नियमावली 1961 एवं शा0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33.3-2015-03/2015 दि0 19.6.15 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परंतु उपरोक्त (क्षे. पंचायत द्वारा वर्ष 16-17 में 13वां वित्त व राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से रु0 2016393.00 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती हैं, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है, जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत छाता 2011-12 से 13-14

प्रस्तर-59. लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त से रु0 2782747.00, 12वां वित्त से रु0 3096.00 तथा 13वां वित्त से रु0 1420501.00 व्यय की गई है। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक मस्टररौल तथा पत्रावलियां अनुपलब्ध रही। प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-60. लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त से रु0 1641860 तथा 13वां वित्त से रु0 795262.00 व्यय की गई है। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक मस्टररौल तथा पत्रावलियां अनुपलब्ध रही। प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-61. लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त से रु0 2045343 तथा 13वां वित्त से रु0 434479.00 व्यय की गई है। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक मस्टररौल तथा पत्रावलियां अनुपलब्ध रही। प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत छाता 2014-15 से 16-17

प्रस्तर-62. लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से रु0 5519030.00 तथा 13वां वित्त से रु0 2230516.00 व्यय की गई है। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक मस्टररौल तथा पत्रावलियां अनुपलब्ध रही। प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-63. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से रु0 3845934.25 तथा 13वां वित्त से रु0 2492811.00, अन्य व्यय रु0 156199.00 की धनराशि व्यय की गई है। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक मस्टररौल तथा पत्रावलियां अनुपलब्ध रही। प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-64. लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में व्यय की धनराशि की फीडिंग प्रियासाफ्ट पर अनुपलब्ध रही, जो अत्यंत आपत्ति जनक है। प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत नौहड़ील 2011-12 से 13-14

प्रस्तर-65. लेखा परीक्षा में वर्ष 2011-12 में व्यय की गई धनराशि रु0 5316185.86 वर्ष 2012-13 में व्यय की गई धनराशि रु0 3453951.00 तथा वर्ष 2013-14 में व्यय की गई धनराशि रु0 7293087.00 से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टरोल तथा पत्रावलियाँ अनुपलब्ध रही, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है। प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं अवर अभियंता से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत नौहड़ील 2014-15 से 16-17

प्रस्तर-66. लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 में व्यय की गई धनराशि रु0 7356454.00 वर्ष 2015-16 में व्यय की गई धनराशि रु0 6551397.00 तथा वर्ष 2016-17 में व्यय की गई धनराशि रु0 अज्ञात से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टरोल तथा पत्रावलियाँ अनुपलब्ध रही, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है। प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं अवर अभियंता से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत राया 2011-12 से 13-14

प्रस्तर-67. आपूर्तिकर्ता फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

वर्ष 11-12 में सामग्री मद में कुल रु0 389126.00 भुगतान पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत	बैंक खाते के अनुसार प्राप्तकर्ता
305201	3.8.11	243360	श्री विजय कुमार	मथुरा जिला सहकारी बैंक
305208	3.10.11	32473	श्री विजय कुमार	मथुरा जिला सहकारी बैंक
305218	3.10.11	44584	श्री संतोष कुमार गर्ग	मथुरा जिला सहकारी बैंक
305226	12.12.11	68709	श्री संतोष कुमार गर्ग	मथुरा जिला सहकारी बैंक

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 389126.00 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है। उन बैंक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 389126.00 का ब्याज सहित अपहरण किया गया है।

प्रस्तर-68. रु0 65504.00 टीडीएस जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 65504.00 की टीडीएस कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यु बैंक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्बन्धित अभिलेख से जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-69. रु0 10400.00 टीडीएस जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 10400.00 सैस की कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यु बैंक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्बन्धित अभिलेख से जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-70. क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत नियमावली 1961 एवं शा0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33.3-2015-03/2015 दि० 19.6.15 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परंतु उपरोक्त (क्षे. पंचायत द्वारा वर्ष 11-12 में 13वां वित्त व राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से रु0 3450828.00 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती हैं, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है, जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2012-13

प्रस्तर-71. रु0 14252.00 टीडीएस जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 14252.00 की टीडीएस कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यु बैंक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्बन्धित अभिलेख से जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-72. रु0 3824.00 सैस जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 3824.00 सैस की कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यु बैंक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न

उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्बन्धित अभिलेख से जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-73. क्षे0पं0 व जि0पं0 नियमावली 1961 एवं शा0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33. 3-2015-03/2015 दि0 19.6.15 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परंतु उपरोक्त (क्षे. पंचायत द्वारा वर्ष 12-13 में 13वां वित्त व राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से रू0 381893.00 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती हैं, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है, जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-74. वर्ष 2012-13 में सामग्री क्रय के लिये नियमानुसार एक लाख रुपये से अधिक पर निविदा आमंत्रित की जानी चाहिये थी, परंतु सिर्फ कुटेशन के आधार पर निर्माण सामग्री क्रय की गई जो एक गंभीर अनियमितता का विषय है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	कार्य का नाम	धनराशि
1	ग्राम झोपडी इंटरलाकिंग	258574.00
2	ग्राम नुनेरा इंटरलाकिंग	236180.00
3	ग्राम सरौपा इंटरलाकिंग	616617.00
4	ग्राम बाडौन इंटरलाकिंग पेवर्स	483063.00
5	ग्राम बिचपुरी इंटरलाकिंग पेवर्स	229677.00
6	ग्राम गोंगा इंटरलाकिंग पेवर्स	262930.00
	योग	2087041.00

प्रस्तर-75. आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजिस्टर 3 के राज्य वित्त एवं वेतन मद के प्रारम्भिक शेष में क्रमशः रू0 14390.16 तथा रू0 200000.00 कम करके अंकित किया गया है। अतः कुल रू0 214390.16 का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता एवं आंकिक की दुरभि संधि से राज्य सरकार को वित्तीय हानि उठानी पड़ी। अतः उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2013-14

प्रस्तर-76. रू0 57627.00 सैस जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 57627.00 सैस की कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यु चैक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्बन्धित अभिलेख से जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-77. क्षे0पं0 व जि0पं0 नियमावली 1961 एवं शा0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33. 3-2015-03/2015 दि0 19.6.15 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परंतु उपरोक्त (क्षे. पंचायत द्वारा वर्ष 13-14 में 13वां वित्त व राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से रू0 4753362.00 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती हैं, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है, जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-78. रू0 115920.00 टीडीएस जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 115920.00 की टीडीएस कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यु चैक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्बन्धित अभिलेख से जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-79. वर्ष 2013-14 में ग्राम सिहोरा में तारापुर मार्ग से नगला पूर्वा तक मिट्टी व खंडजा कार्य के प्रस्तुत बिल में रू0 124464.32 का मिट्टी कार्य कराया गया परंतु अंतिम बिलों में किसी भी प्रकार के मिट्टी की रायल्टी की कटौती या एमएम 11 प्रपत्र दर्शित नहीं किया गया। अत उक्त पूर्ण व्यय फर्जी है। उक्त समस्त धनराशि की वसूली मय व्याज के किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-80. वर्ष 2013-14 में ग्राम लोहवन में श्री लालाराम के घर से तिराहे तक इंटरलाकिंग पेवर्स कार्य रू0 363066.00 के लिये कुटेशन जारी किया गया है जबकि नियमानुसार एक लाख रुपये से अधिक पर आपूर्ति परनिविदा आमंत्रित की जानी चाहिये थी, परंतु सिर्फ कुटेशन के आधार पर निर्माण सामग्री क्रय की गई जो एक गंभीर अनियमितता का विषय है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत राया 2014-15 से 16-17

प्रस्तर-81. वित्तीय वर्ष 14-15 में ग्रांट रजिस्टर 3 रू0 832299.00 तेरहवां वित्त तथा तृतीय राज्य वित्त आयोग से व्यय दर्शाया जा रहा है। परंतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय फर्जी होता है। उक्त धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली व्याज सहित संलिप्त व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता एवं आंकिक द्वारा सामान्य आशय से रू0 832299.00 का स्वयं को सदोष लाभ एवं राज्य सरकार को संदोष हानि पहुंचा कर लोक सेवक के नाते उक्त धन पर न्यस्त होते हुये न्यास भंग कर राजकीय धन का दुर्विनियोग किया गया है। अतः कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-82. रू0 40565.00 टीडीएस जमा की पुष्टि न होना-वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 40565.00 की टीडीएस कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यु चैक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्बन्धित अभिलेख से जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-83. क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत नियमावली 1961 एवं शा0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33.3-2015-03/2015 दि0 19.6.15 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परंतु उपरोक्त (क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 14-15 में 13वां वित्त व राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से रू0 5799488.00 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती हैं, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है, जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16

प्रस्तर-84. रू0 20010.00 टीडीएस जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 20010.00 की टीडीएस कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यु चैक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्बन्धित अभिलेख से जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-85. क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत नियमावली 1961 एवं शा0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33.3-2015-03/2015 दि0 19.6.15 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परंतु उपरोक्त (क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 15-16 में 13वां वित्त व राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से रू0 1417418.00 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती हैं, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है, जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-86. वित्तीय वर्ष 15-16 में ग्रांट रजिस्टर 3 रू0 503176.00 तेरहवां वित्त तथा तृतीय राज्य वित्त आयोग से व्यय दर्शाया जा रहा है। परंतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय फर्जी होता है। उक्त धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली व्याज सहित संलिप्त व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता एवं आंकिक द्वारा सामान्य आशय से रू0 503176.00 का स्वयं को सदोष लाभ एवं राज्य सरकार को संदोष हानि पहुंचा कर लोक सेवक के नाते उक्त धन पर न्यस्त होते हुये न्यास भंग कर राजकीय धन का दुर्विनियोग किया गया है। अतः कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-87. निर्माण कार्य से सम्बन्धित मस्टरप्लानों के अवलोकन स्पष्ट होता है कि जिन मजदूरों को भुगतान किया गया है। मस्टरप्लान पर उनके अंगूठा निशानी अथवा हस्ताक्षर नहीं पाये गये हैं। रू0 2231185.00 का गबन कर लिया गया है। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। साथ ही यहाँ यह भी ध्यान दिलाया जाना आवश्यक है कि मस्टरप्लान पर मजदूरों के फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शाकर खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियंता, आंकिक एवं ठेकेदार फर्म स्वामी द्वारा सामान्य आशय रू0 38625.00 का स्वयं को सदोष लाभ एवं राज्य सरकार को संदोष हानि पहुंचा कर लोक सेवक के नाते उक्त धन पर न्यस्त होते हुये न्यास भंग कर राजकीय धन का दुर्विनियोग किया गया है। अतः कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2016-17

प्रस्तर-88. रू0 51335.00 टीडीएस जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 51335.00 की टीडीएस कटौती की गई है जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यु चैक/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्बन्धित अभिलेख से जमा की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-89. क्षे0पं0 व जि0पं0 नियमावली 1961 एवं शा0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 तथा 1639/33.3-2015-03/2015 दि0 19.6.15 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाये, परंतु उपरोक्त (क्षे. पंचायत द्वारा वर्ष 16-17 में 13वां वित्त व राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से रू0 5861802.00 के कार्य एक ही राजस्व ग्राम में करना दर्शाये गये हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी इस तरह के छोटे छोटे कार्य कराती हैं, जिससे कार्य की डुप्लीकेसी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्य गंभीर अनियमितता का विषय है, जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - बेबर

प्रस्तर 90- वर्ष 2015-16 में ग्राम नगला बेबर देहात सुरेन्द्र के मकान से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना कार्य की अनुमानित लागत रू0 4.68 लाख थी। तदनुसार धरोहर धनराशि रू0 9360.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0जी0 खण्ड विकास अधिकारी बेबर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना नियमित है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बेबर मैनपुरी के पत्रांक 1426 दिनांक 17.03.2016 के अनुसार रू0- 46800.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे सम्बन्धित फर्म मां शारदा कन्स्ट्रक्शन व सप्लायर्स द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि रू0-467201.00 अनियमित रहा। यहां यह भी ध्यातव्य है कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इस प्रकार समस्त भुगतान नियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 11)

प्रस्तर 91- वर्ष 2015-16 में ग्राम कुशलपुर (बिल्सडा) में मेन रोड से सुभाष दीक्षित के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रू0 5.67 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रू011340.00 की एफडीआर/एन0एस.सी. खण्ड विकास अधिकारी बेबर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेबर मैनपुरी के पत्रांक-1455 दिनांक 19.03.2016 के अनुसार रू0 56700.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि रू0 565761.00 अनियमित रहा। यहां यह भी ध्यातव्य है कि सम्बन्धित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इस प्रकार समस्त भुगतान नियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी डा0 सुशील, जे0एन0 कुरील, गोपी नाथ पाठक एवं लेखाकार श्री रियाज अहमद उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 12)

प्रस्तर 92- वर्ष 2015-16 मकं ग्राम खिरिया (बड़ोरा) में अशोक के घर से जूनियर हाईस्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रू0- 5.66 लाख थी। तदनुसार धरोहर धनराशि रू0- 11340.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 खण्ड विकास अधिकारी- बेबर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी-बेबर मैनपुरी के पत्रांक-1457 दिनांक 19.03.2016 के अनुसार रू0- 56700.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म मै0 दुर्गा कन्स्ट्रक्शन जी0टी0 रोड बेबर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं कराया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रक्रिया एवं सम्बन्धित

भुगतान की धनराशि रु0- 417710.00 अनियमित रहा। यहां यह भी ध्यातव्य है कि सम्बधित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं हैं। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रियाज अहमद उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-13)

प्रस्तर 93—वर्ष 2015-16 में ग्राम दौलतपुर (बझेरा) में मैन रोड से धर्मपाल के प्लाट तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बधित पत्रावली की जांच में पाया गया कि सम्बधित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बधित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु0- 4.61 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रु0- 9220.00 की एफडीआर/एनएससी खण्ड विकास अधिकारी— बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी— बेवर मैनपुरी के पत्रांक 1458 दिनांक— 19.03.2016 के अनुसार रु0- 46100.00 जमानत की धनराशि जमा करये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बधित फर्म में प्रदीप कुमार मिश्रा गढिया लालपुर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय कि सम्बधित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रकिया एवं सम्बधित भुगतान की धनराशि रु0- 459500.00 अनियमित रहा। इस प्रकार भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री रियाज अहमद उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-14)

प्रस्तर 94—वर्ष 2015-16 में ग्राम नगला ढाकन (मददापुर खास) में मैन रोड से लालू के प्लाट तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बधित पत्रावली की जांच में पाया गया कि सम्बधित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बधित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु0- 5.32 लाख थी। तदनुसार धरोहर धनराशि रु0-10652.00 की एफडीआर/एनएससी खण्ड विकास अधिकारी— बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदा कर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बेवर मैनपुरी के पत्रांक 1458 दिनांक 19.03.2016 के अनुसार रु0- 53260.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बधित फर्म में प्रदीप कुमार मिश्रा गढिया लालपुर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय कि सम्बधित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण निविदा की प्रकिया एवं सम्बधित भुगतान की धनराशि रु0- 531969.00 अनियमित रहा। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रियाज अहमद उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं- 15)

प्रस्तर 95—वर्ष 2015-16 में ग्राम महाराजपुर (कौआटाडा) में मैनरोड से लालू के प्लाट तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बधित पत्रावली की जांच में पाया गया कि सम्बधित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करायी गयी। सम्बधित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु0 5.85 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रु0 11700.00 की एफडीआर/एनएससी खण्ड विकास अधिकारी—बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदा कर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बेवर मैनपुरी के पत्रांक 1456 दिनांक 19.03.2016 के अनुसार रु0- 58500.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बधित फर्म शिवम कन्स्ट्रक्शन काजीहार बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया यहां यह भी उल्लेखनीय कि सम्बधित फर्म को किये शेष भुगतान से भी उक्त जमानत का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 16)

प्रस्तर 96— वर्ष 2015-16 में ग्राम बझेरा में मेन रोड से रामगोपाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य से सम्बधित पत्रावली की जांच में पाया गया कि सम्बधित नोटशीट में एम0बी0 का कहीं उल्लेख नहीं किया गया न ही एम0बी0 अलग से संलग्न की गयी है। इण्टरलाकिंग पत्रावली से निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं

करायी गयी। सम्बन्धित अल्पकालीन निविदा सूचना अनुसार कार्य की अनुमानित लागत रु0— 4.21 लाख थी तदनुसार धरोहर धनराशि रु 8432.00 की एफडीआर/एनएससी खण्ड विकास अधिकारी बेवर मैनपुरी के नाम से बंधक की गयी, निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु किसी भी निविदाकर्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि जमा कराये निविदा पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत किया जाना अनियमित है। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी—बेवर मैनपुरी के पत्रांक 1546 दिनांक 19.03.2016 के अनुसार रु0 42160.00 जमानत की धनराशि जमा कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु उसे भी सम्बन्धित फर्म शिवम कन्स्ट्रक्शन काजीहार बेवर द्वारा जमा नहीं कराया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय कि सम्बन्धित निविदा की प्रकिया एवं सम्बन्धित भुगतान की धनराशि रु0— 417710.00 अनियमित रहा। इस प्रकार समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-17)

प्रस्तर 97— वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के खाते में अवशेष रु0— 7930488.00 एवं एसजीआरवाई मद से रु0— 245960.00 अवशेष दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान का शत प्रतिशत उपभोग नहीं किया गया है जिससे क्षेत्र पंचायत को विकास कार्यों का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका। अनुदान का शत प्रतिशत उपभोग अपेक्षित रहा। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जे0एन0कुरील एवं गोपीनाथ पाठक उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-18)

क्षेत्र पंचायत किशनी

प्रस्तर 98 लेखा परीक्षा वर्ष में एस0जी0एस0वाई0 समूह मानदेय मद में प्रारम्भिक अवशेष रु0 शून्य तथा वर्ष के दौरान प्राप्त रु0 184417.00 के सापेक्ष रु0 174417.00 का व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली मौखिक व दिनांक 02.12.19 एवं 12.02.2020 को लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः रु0 174417.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर 99 लेखा परीक्षा वर्ष में एस0जी0एस0वाई0 समूह मानदेय/गठन मद में प्रारम्भिक अवशेष रु0 10000.00 तथा वर्ष के दौरान प्राप्त रु0 194301.00 के सापेक्ष रु0 204301.00 का व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली मौखिक व दिनांक 02.12.19 एवं 12.02.2020 को लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः रु0 204301.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-32)

प्रस्तर 100 लेखा परीक्षा वर्ष में पेयजल प्रशिक्षण मद में प्रारम्भिक अवशेष रु0 33488.00 तथा वर्ष के दौरान प्राप्त रु0 64580.00 के सापेक्ष रु0 32274.00 का व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली मौखिक व दिनांक 02.12.19 एवं 12.02.2020 को लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः रु0 32274.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव तथा लेखाकार श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-33)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016—17

संस्था का नाम — क्षेत्र पंचायत

जनपद एटा

मण्डल — अलीगढ़

क्षेत्र पंचायत — सकीट, जिला एटा।

प्रस्तर 01 :- वर्ष 2012—13 से 2016—17 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापार कर की कटौती प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ के शासनादेश सं0 के0ए0 एन आई-2-1315/एक्स 1-9(10)/08 यू0पी0—एक्ट 2008 आर्डर-(101)-2013 दिनांक 07.10.2013 के अनुसार क्रय सामग्रियों पर 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती टी0डी0एस0 के रूप में होती है। किन्तु कतिपय फर्मों से 4 प्रतिशत से कम दर से कटौती की गयी है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	कार्य का नाम	बिल की कुल धनराशि	व्यापार कर जो काटा जाना चाहिए	कटौती जो की गयी	अन्तर
1	कंगरोल में मैतरो के पास से वाल्मिकी के घर से सी0सी0 निर्माण	592370	23735	—	23735
2	रिजोर में रामवीर शाक्य के घर से सी0सी0 नाली निर्माण	357000	14280	—	14280
3	न0 गंगी में राकेश की चक्की से शिलेटी के घर से सी0सी0 निर्माण	501140	20046	—	20046

4	उदयपुर में अभिलाख के घर से वांकेलाल के घर तक सी0सी0 निर्माण	227680	9107	—	9107
5	शीलमपुरा में महेश यादव वी0डी0सी के घर के दरवाजे से ओमवीर के घर तक सी0सी0 निर्माण	342040	13682	—	13682
6	कुंवरपुर में विजयसिंह के घर से ओमपाल के घर तक सी0सी0 निर्माण	521285	22634	—	22634
7	गढ़ियाशीलम में डामर रोड़ से प्रा0स्कूल तक सी0सी0 निर्माण	421540	16862	—	16862
8	न0 दयाराम में शिवराज के घर से रामसिंह के घर तक सी0सी0 निर्माण	355770	14230	—	14230
9	लोथरा में प्रवीण कुमार के घर से प्रा0 स्कूल तक सी0सी0 निर्माण	381950	15278	—	15278
10	(पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि) कमालपुर मई में रामभरोसे के घर से भारतपुर के घर तक सी0सी0 निर्माण	410616	16425	—	16425
11	(बीआरजीएफ) के अन्तर्गत बराखेड़ा में अवशाल के घर से प्रा0 विद्यालय तक सी0सी0 निर्माण	397685	15907	—	15907
12	(तेरहवां वित्त के अनुसार) रेवाड़ी में कालीचरण के घर तक सी0सी0 निर्माण	281665	11267	—	11267
13	(तेरहवां वित्त के अनुसार) रेवाड़ी में सकतपुर मार्ग से किशनलाल के घर तक सी0सी0 निर्माण	609640	24386	—	24386
14	लोथरा में सोरभ दीक्षित के घर से अनिल की वोरिंग तक सी0सी0 निर्माण	352430	14097	—	14097
15	रेवाड़ी में महिपाल के घर से लालाराम के घर तक सी0सी0 निर्माण	92155	3686	—	3686
16	लोथरा में वालमुकुंद के घर से रमेश के घर तक सी0सी0 निर्माण	253670	10147	—	10147
17	कुंजपुर में रामलडेटे के घर से सुरेन्द्र के घर तक सी0सी0 निर्माण	294760	11790	—	11790
योग		6393396	257559	—	257559

इस प्रकार रु0 257559 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 02 :-वर्ष 2012-13 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापार कर की कटौती प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ के शासनादेश सं0 के0ए0 एन आई-2-1315/एक्स 1-9(10)/08 यू0पी0-एक्ट 2008 आर्डर-(101)-2013 दिनांक 07.10.2013 के अनुसार क्रय सामग्रियों पर 4 प्रतिशत की दर से वेट की कटौती टी0डी0एस0 के रूप में होती है। किन्तु कतिपय फर्मों से 4 प्रतिशत से कम दर से कटौती की गयी है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	कार्य का नाम	व्यापार कर की कटौती			
		बिल की धनराशि	कटौती की गयी	कटौती की जानी चाहिए	अन्तर
1	चांदपुर धरौली रोड से वीरपाल के घर तक सी0सी0 कार्य	348975	—	13959	13959
2	मानिकपुर में सुनहरी लाल के घर से जीतू के घर तक सी0सी0 कार्य	108753	—	4350	4350
3	फफोट में फूलसिंह की दुकान से जगदीश के घर तक सी0सी0 कार्य	269714	—	10789	10789
4	कवार में बबलू के घर से रामवीर के घर तक सी0सी0 कार्य	185158	—	7406	7406
5	रसलपुर में डामर रोड से रघुवर दयाल के घर तक सी0सी0 कार्य	325205	—	13008	13008
6	गढ़ियाशीलम मुख्य सड़क से लालजी के घर से स्कूल तक सी0सी0 कार्य	463095	—	18524	18524
7	सेनाकला भामाशाह के घर से टीकमपुर तिराहा मार्ग तक सी0सी0 कार्य	476987	—	19079	19079
8	गढ़ियाशीलम लालजी के घर से रामकिशन के घर तक सी0सी0 कार्य	151600	—	6064	6064
9	ब्लाक परिसर से बाहर वाउन्ड्री के किनारे इण्टर लॉकिंग कार्य	143425	—	5737	5737
10	सुखपुर में संतोष के घरसे रनवीर के घर तक सी0सी0 कार्य	236100	—	9444	9444
11	कोचीडेरा से शिवरडी के घर से संतराम के घर तक सी0सी0 कार्य	456348	—	18254	18254
12	कालीचरण के घर से नन्द के घर तक सी0सी0 कार्य	145261	—	5810	5810
13	ग्राम जार में सियाराम जाटव के घर से वावूराम के घर तक सी0सी0 कार्य	343468	—	13739	13739
14	नगला तार में रामवीर के घर से पप्पू के घर तक सी0सी0 कार्य	168776	—	6751	6751

15	नगला चूरामन में कालीचरण के घर से राधेश्याम के घर तक सी0सी0 कार्य	442317	—	17693	17693
16	कंगरौल में नेकसू वोहरे के मकान से तेज सिंह मास्टर के घर तक सी0सी0 कार्य	313178	—	12527	12527
17	रामस्वरूप के घर से बम्बा की पुलिया तक सी0सी0 कार्य	314796	—	12591	12591
18	वराखेड़ा में सत्यवीर के घर से प्राथमिक स्कूल तक सी0सी0 निर्माण	150940	—	6038	6038
19	ग्राम धुमरिया में ईसन नदी पर पुल निर्माण कार्य	316955	—	12678	12678
20	वराखेड़ा में अमीर सिंह की कोठी से पप्पू के घर तक सी0सी0 कार्य	201350	—	8054	8054
21	ग्राम वाहिदवीवीपुर श्यामवावू वघेल के घर से लाल सहाय के घर तक सी0सी0 कार्य	44200	—	1768	1768
22	ग्राम वाहिदवीवीपुर श्यामवावू वघेल के घर से लाल सहाय के घर तक सी0सी0 कार्य	507913	—	20317	20317
23	नोरंगावाव सकीट मलखान के घर से महावीर के घर तक सी0सी0 कार्य	250710	—	10028	10028
24	डाडा गांव में कटोरी देवी के घर से ब्रजेश के घर तक सी0सी0 कार्य	324074	—	12863	12963
25	चुन्नीपुर प्रा0विद्यालय से सामन्त के घर तक सी0सी0 कार्य	431045	—	17242	17242
26	चपरई पंचायत घर से गढ़ी तक सी0सी0 कार्य	177972	—	7119	7119
27	गढ़िया कोची में रमेश के घर से केदार एवं पित्थी के घर से केशन लाल के घर तक सी0सी0 कार्य	389847	—	15593	15593
28	रेवाड़ी में विसारथ के घर से घुट्टन के घर तक सी0सी0 कार्य	352030	—	14081	14081
29	रामनगर रिजोर में सुभाष के घर से देवेन्द्र के घर तक सी0सी0 कार्य	97825	—	3913	3913
30	उम्मेदपुर में तारा सिंह चौहान के घर से स्कूल तक सी0सी0 कार्य	682975	—	27319	27319
31	रिजोर में जगदीश के घर से रामदास के घर तक सी0सी0 कार्य	449932	9000	10078	1078
32	विकास खण्ड परिसर में लोन के चारो चरफ लोहे की रेलिंग	217339	—	8693	8693
33	रामस्वरूप के घर से बम्बा के पुलिया तक सी0सी0 कार्य	57776	—	2311	2311
34	मनिकपुर में दाताराम के घर से सरदार के घर तक सी0सी0 कार्य	127700	—	5108	5108
35	पुरांव में पंचायत घर से चन्द्रशेखर के घर तक सी0सी0 कार्य	447110	—	17884	17884
36	सैदपुर में ओमपाल के घर से मन्दिर तक सी0सी0 कार्य	296947	—	11878	11878
37	हाड़ई में सोवरन सिंह के घर से अनार सिंह के घर तक सी0सी0 कार्य	443832	—	17753	17753
38	हिरोदी में सदाराम के घरसे श्याम सिंह के घर तक सी0सी0 कार्य	155421	—	6217	6217
39	रक्षपाल मास्टर के घर तक सी0सी0 कार्य	110385	—	4415	4415
40	न0 ख्याली में रामवीर की बैठक से प्रेमपाल के घर तक अजय के मकान से सूवेदार नट के घर तक	114792	—	4591	4591
	योग				432766

इस प्रकार रू0 **432766** की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 03 :- जिला ग्राम विकास अभिकरण एटा के पत्रांक 3238 दि0 31.03.2011 द्वारा ग्राम विरसिंहपुर में वर्कशेड निर्माण हेतु रू0 3.4 लाख का चेक नं0 576763 दि0 31.03.2011 द्वारा भेजा गया। जिसकी परिपेक्ष्य में खण्ड विकास अधिकारी सकीट के पत्रांक 3289 दि0 25.06.2011 को श्री सुभाष यादव अवर अभियन्ता को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया। तथा तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दि0 12.09.2011 को सामग्री हेतु अभिलाख सिंह बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाय एटा को रू0 153047.00(चेक नं0 264280 दि0 12.09.2011) तथा मस्टररोल रू0 27720.00 का चेक (चेक नं0 264279 दि0 12.05.2011) सुभाष यादव अवर अभियन्ता को जारी किया गया। किन्तु सुभाष यादव का जैथरा स्थानान्तरण होने के कारण श्री प्रहलाद सिंह सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया। श्री प्रह्लाद सिंह द्वारा दि0 15.06.2012 को तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी को अवगत कराया गया कि एम0बी0 के आधार पर मात्र 20 प्रतिशत ही कार्य हुआ है। तथा शेष बची धनराशि में से निर्माण कार्य सम्भव नहीं है। इसके आधार पर परियोजना निदेशक श्री के0के0 वैश्य द्वारा पत्रांक 775 दि0 23.07.2012, 608 दि0 19.07.2012, 740 दिनांक 05.08.2013 व 1812 दि0 09.01.2014 द्वारा कई पत्र खण्ड विकास अधिकारी सकीट को लिखे गये किन्तु कार्यपूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार रू0 183987 की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व अवर अभियन्ता सुभाष यादव से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि वर्कशेड मद में रू0 282746.00 की धनराशि 31.03.2017 तक शेष है। जिसे राज्य सरकार को वापस नहीं किया गया है। अविलम्ब वापस किया जाए, अन्यथा स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी होंगे। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – शीतलपुर, जिला एटा।

प्रस्तर 04 :- वर्ष 2016-17 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापार कर की कटौती 4 प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए किन्तु कतिपय फर्मों से 4 प्रतिशत से कम दर एवं कटौती न करके राजकीय कोष को क्षति पहुंचायी गयी है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	कार्य का नाम	कुल धनराशि	व्यापार कर काटा जाना चाहिए	कटौती	अन्तर
1	ग्राम रुद्रपुर में सहावर मार्ग से मलखान डिग्री कॉलेज तक सी०सी० एवं नाली निर्माण कार्य	548572	21943	19907	2086
2	ग्राम कठौली में पप्पू के घर से अमर सिंह के घर तक सी०सी० एवं नाली निर्माण कार्य	270770	10831	10511	320
3	ग्राम जिरसमी अम्बारी में गोपाल के घर के पास पुलिया निर्माण	169007	6760	5543	1217
4	ग्राम अम्बानी में गोपाल के घर से शमशान की पुलिया तक खड़जा निर्माण	65712	2628	—	2628
5	ग्राम कीलरमउ एटा अलीगंज मार्ग से गंगा सिंह के पास एक पुलिया कार्य निर्माण	160808	6432	4112	2320
6	ग्राम कीलरमउ में भटमई से नाले पर धनीपाल के खेत के पास एक पुलिया कार्य का निर्माण	87465	3498	2623	875
7	ग्राम अम्बारी में एदल सिंह के घर से जगदीश सिंह के घर तक सी०सी० नाले का निर्माण	1) 516098 2) 384710	20644 15388	21067 13645	423 1743
8	कठौली में मोतीलाल के घर से गंज रोड तक सी०सी० निर्माण	677548	27102	21067	6035
9	कोठिला में सीताराम के घर से हरकेशी जाटव के घर तक सी०सी० निर्माण	411095	16444	13198	3246
10	राजेन्द्र के प्लाट से मास्टर के प्लाट तक पुलिया निर्माण (चौचावनगांव)	78462	3138	2204	934
11	सुरेन्द्र सिंह यादव के घर से प्रेम पाल यादव के घर तक सी०सी० निर्माण	60074	2403	1832	571
12	ग्राम अहमदाबाद में महेन्द्र के घर से राजपाल के घर तक सी०सी० निर्माण	200950 598091	8038 23924	6998 18161	1040 5763
	योग				29201

इस प्रकार रु० 29201/- लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 05:- शासनादेश सं० ए-1-122/दस/2012-10(33)/2010 दि० 21.03.2012 के अनुसार शासन द्वारा उपलब्ध धनराशियां यदि बैंक में रखी जाती है तो उन धनराशियों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। किन्तु वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त खाते के अन्तर्गत रु० 34706.00 ब्याज प्राप्त हुआ था। जिसे शासन/राज्य सरकार को वापस न करके संस्था द्वारा व्यय कर लिया गया जो शासनादेश के विपरीत एवं अनियमित है। इस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 06:- वर्ष 2012-13 से 2015-16 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापार कर की कटौती 4 प्रतिशत किया जाना चाहिए किन्तु कतिपय फर्मों से 4 प्रतिशत से कम दर एवं कटौती न करके राजकीय कोष को क्षति पहुंचायी गयी है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	कार्य का नाम	बिल की कुल धनराशि	व्यापार कर काटा जाना चाहिए	कटौती की गयी	अन्तर
1	दुर्गा मन्दिर से अखिलेश के प्लाट तक सी०सी०रोड	61798	2472	1350	1122
2	चौचावनगांव में दुर्गा मन्दिर से विजयपाल के खेत के पास सी०सी० निर्माण	524028.71	20961	19355	1606
3	कसैटी में राजऔतार के घर से अनोखे के खेत तक नाली निर्माण	100721	4028	2242	1785
4	शाहपुर में माधौ की दुकान से प्रेम सिंह की दुकान के मध्य पुलिया निर्माण	76130	3045	1489	1556
5	कठौली में रामऔतार के घर से अनोखे लाल के खेत तक नाले पर पुलिया निर्माण	173803	6952	6212	740
6	शीतलपुर में सुरेन्द्र यादव के घर से प्रेमपाल यादव के घर तक सी०सी०रोड	223203 227017	8928 9080	7800 8600	1128 480
7	दोहाई में ब्लाक प्रमुख की समाधि स्थल पर पुलिया निर्माण	56179.50	2247	—	2247
8	मरु में लिंक रोड से जाटवों की वस्ती तक सी०सी० रोड	302156.55	12086	11660	426
9	कठौली में नाले पर पुलिया निर्माण	117653	4706	2880	1826
10	महेश के घर से विजेन्द्र के घर तक सी०सी०रोड	152854	6114	5511	603

11	शाहपुर में जूनियर हाईस्कूल से नाली व पुलिया निर्माण	143077	5723	3307	2416
12	आगरा रोड से एम0बी0पब्लिक स्कूल तक सी0सी0 निर्माण	279181	6253	5583	670
13	नगला बिहारी (गढ़ी वेदुआ) में नागेन्द्र के घर से श्रीपाल के घर तक सी0सी0 निर्माण	276484	11059	10911	148
14	कठौली में पुलिया निर्माण (नालेपुर)	146212	5848	4862	986
15	शाहपुर में भगवान दास के घर से बेचेलाल के कोने तक सी0सी0 निर्माण	139370	5575	3205	2370
16	अम्बारी में प्राइमरी स्कूल से महेश के घर तक सी0सी0 निर्माण	294691.30	11788	6777	5011
17	अचलपुर से जमालपुर नाले तक पुलिया निर्माण	433393	17336	16587	749
18	सीयपुर में नाले पर ड्रेन का निर्माण	163945	6558	4134	2424
19	असरौली में प्रेमपाल के घर तक सी0सी0 निर्माण	109895	4396 2462	—	4396 2462
20	कीलरमउ में वीरेन्द्र के मकान से पीपल तक नाली निर्माण	94791	3791	2180	1611
21	शीतलपुर में गुरप्रीत के घर से देवी प्रसाद के घर तक सी0सी0 निर्माण	103125 228000	4125 9120	2750 9095	1375 45
22	मिलावली में नेत्रपाल के घर से रमेश धोबी के घर तक सी0सी0 निर्माण	369403	7388 12300	8275 14776	887 2476
23	ग्रा0पं0 जिरसमी (न0खुर्द) की मुख्य गली में पछमी सड़क तक सी0सी0 निर्माण	103933	—	4397	4397
24	कठौली में यादराम की दुकान से तोताराम के प्लाट तक नाली निर्माण	183631	3672 3709	4113 7345	441 3636
25	कठौली में यादराम की दुकान से तोताराम के प्लाट तक नाली निर्माण	118075	2361 2750	2645 4723	284 1973
26	हरनावली बम्बा से खरा तक नाला सफाई व पुलिया निर्माण	452100	9042 112945	10127 18084	1085 5139
27	कठौली में यादराम की दुकान से तोताराम के प्लाट तक नाली निर्माण	74782	1591	2991	1400
28	खड़ुआ में पार्क से रामसेवक के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	281322	1716	3200	1485
29	खड़ुआ में पार्क से रामसेवक के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	267110	6143	10684	4541
30	उदयवीर यादव के घर से वेवरफीडर नहर तक सी0सी0 रोड निर्माण	364988	7350	8176	826
31	करतला में रामलीला चबूतरा से न0 गोला तक दोनों तरफ नाली निर्माण	212190.50	4244 5606	4753 8488	509 2882
32	करतला में रामलीला चबूतरा से न0 गोला तक दोनों तरफ नाली निर्माण	244400	9470	10606	1136
33	चैचावनगांव में राकेश के घर से मरघट तक सी0सी0 व खण्डजा निर्माण	239324	4786 4904	5360 9573	574 4669
34	फकीरचन्द्र के कोल्ड स्टोरेज से नरपरा तक सम्पर्क मार्ग तक पुलिया निर्माण कार्य	189907	5745	7596	1851
35	फकीरचन्द्र के कोल्ड स्टोरेज से नरपरा तक सम्पर्क मार्ग तक पुलिया निर्माण कार्य	13175	—	527	527
36	विकास खण्ड शीतलपुर की वाउन्ड्री वाल का निर्माण	259689	4714	10388	5674
37	चौचावनगांव में राम स्वरूप के घर से नेकराम के कुआ तक सी0सी0 निर्माण	396353	13529	15854	2325
38	बनगांव में हुकुम सिंह के घर से गिरीश के घर तक खड़जा एवं नाली निर्माण	444589	5653	17783	12130
39	असरौली में कासगंज रोड से मंजीत के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	258699	9956	10348	392
40	असरौली में कासगंज रोड से मंजीत के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	397000	14225	15880	1655
	योग				94834

इस प्रकार रु0 94834.00 लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली विधि संगत की जानी चाहिए।

क्षेत्र पंचायत – मारहरा, जिला एटा।

प्रस्तर 07:— वर्ष 2011-12 से 2016-17 की पत्रावली की जांच से पाया गया कि व्यापार कर की कटौती प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ के शासनादेश सं0 के0ए0 एन आई-2-1315/एक्स 1-9(10)/08 यू0पी0-एक्ट 2008 आर्डर-(101)-2013 दिनांक 07.10.2013 के अनुसार क्रय सामग्रियों पर 4 प्रतिशत की दर से वेट की कटौती टी0डी0एस0 के रूप में होती है। किन्तु कतिपय फर्मों से 4 प्रतिशत से कम दर से कटौती की गयी है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	कार्य का नाम	बिल धनराशि	व्यापार कर जो काटा जाना चाहिए	कटौती जो की गयी	अन्तर
1	न0ढक में नाली एवं इण्टरलॉकिंग कार्य	1076463	43058	—	43058
2	न0धनश्याम (गिरौरा) में इण्टर लॉकिंग खडजा एवं नाली निर्माण	770893	30836	—	30836
3	ग्राम मेहनी में सी0सी0 निर्माण कार्य	1265117	50605	40414	10191
4	ग्राम नवीपुर में इण्टरलॉकिंग कार्य एवं नाली निर्माण	669919	26797	—	26797
5	न0हरजू में इण्टरलॉकिंग कार्य एवं नाली निर्माण	251699	10068	—	10068
6	अनिल कुमार के घर से नालों की पुलिया तक निर्माण कार्य घिरामई सवां पांच	457367	18295	—	18295
7	गिरौरामें (न0 धनश्याम) गंगा सिंह के घर से वोरी सिंह के घर तक खडजा निर्माण, वोरी सिंह के घर से मानसिंह के घरतक नाली निर्माण	3366318	14653	—	14653
8	विकास खण्ड परिसर में इण्टरलॉकिंग व खडजा कार्य	260776	10431	—	10431
9	न0 कन्ही में सम्पर्क मार्ग पर खडजा एवं मिट्टी कार्य	321830	12873	—	12873
10	नगरिया हाड में पुरानी पी0एच0सी0 से प्रेमराज के घर तक मिट्टी खडजा कार्य	446290	17852	—	17852
11	रामई से टुडिया तक मिट्टी खडजा नाली निर्माण कार्य	593397	35976	1936	34040
12	यादगारपुर में पानी की टंकी से रामनाथ के खेत तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य	212759	8510	—	8510
13	गहराना में रामवीर के घरसे अजयपाल व महीपाल के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण	91936	3677	—	3677
14	गिरौरा सरनउ मार्ग पर आदर्श महाविद्यालय के सामने नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य	355058	14202	1745	12457
15	नगला कान्हा में मुख्य सड़क तक नाली निर्माण कार्य	185591	7424	3807	3617
16	पी0ए0सी0 मारहरा मार्ग से रतनपुर तक मिट्टी खडजा कार्य	718840	28754	4066	24688
17	सूरतमाफी से उमरपुर तक मिट्टी एवं खडजा निर्माण	645404	25816	—	25816
18	त्रिलोकपुर में सुरेन्द्र के घर से छोटेलाल के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य	178456	7138	1629	5509
19	पीपल के पेड़ से महावीर के खेत तक नाली खडजा कार्य	537950	21518	5168	16350
20	होरीलाल के मकान से मुख्य खडजा तक खडजा कार्य	24947	998	—	998
21	ततारपुर में चरनसिंह की झोपड़ी से अमरसिंह के ट्यूबवेल तक खडजा निर्माण	33706	1348	—	1348
22	पिदौरा में ग्रीश के मकान से सूर्यकान्त के मकान तक एवं प्रेमवती के घर से विजयी सिंह के घर खडजा कार्य	96738	3870	—	3870
23	एटा कासगंज रोड से न0 ख्याली में खडजा निर्माण कार्य	79547	3182	—	3182
24	नेमसिंह के मकान से सुरजीत के मकान तक खडजा निर्माण कार्य	86250	3450	—	3450
25	अजमत गंज में रेलवेलाइन से दलवीर के घरतक खडजा निर्माण	168015	6721	—	6721
26	ग्राम सिरसाबदन ग्राम के न0 भुडिया से पक्की सड़क तक मिट्टी खडजा कार्य	858000	34320	—	34320
27	विकास खण्ड मारहरा के कार्यालय क्षेत्र पंचायत की रंगाई पुताई का कार्य	93847	3754	—	3754
28	लालपुर से खकरई मार्ग पर मिट्टी एवं खडजा कार्य	352000	12480	—	12480

	लालपुर से खकरई मार्ग पर मिट्टी एवं खडजा कार्य	92976	3719		3719
	योग				403560

इस प्रकार रू0 403560.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 8 :- वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कतिपय बिलों की धनराशि पर टी0डी0एस0 की कटौती 2.24 प्रतिशत नहीं की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0	कार्य का नाम	बिल की धनराशि	टीडीएस जो काटा जाना चाहिए	कटौती जो की गयी	अन्तर
1	पीपल के पेड़ से महावीर के खेत तक नाली खडजा कार्य	537950	12050	10921	1129
2	ग्राम मेहनी में सी0सी0 निर्माण कार्य	1265117	28339	27749	890
3	ग्राम नवीपुर से इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	669919	15006	14346	660
4	न0 कन्ही में सम्पर्क मार्ग पर खडजा एव मिट्टी कार्य	321830	7209	4387	2822
5	नगरिया ताड में पुरानी पी0एच0सी0 से प्रेमराज के घर तक मिट्टी खडजा कार्य	446290	9997	6831	3166
6	रामई से टुड़िया तक मिट्टी खडजा व नाली निर्माण कार्य	899387	20164	—	20164
7	यादगारपुर में पानी की टंकी से रामनाथ के खेत तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य	212759	4766	—	4766
8	गहराना में रामबीर के घर से अजयपाल व महीपाल के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	91936	2059	—	2059
9	त्रिलोकपुर में सुरेन्द्र के घर से छोटेलाल के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य	178456	3997	1351	2646
	योग				38302

इस प्रकार कुल रू0 38302.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर 9 :- वर्ष 2015-16 में ब्याज मद के अन्तर्गत माह सितम्बर 2015 में अनुदान रजि0 पार्ट 3 के अनुसार रू0 1697855.24 शेष था जिसमें रू0 891000.00 तेरहवां वित्त के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर व्यय कर लिया गया जिसकी विभागीय स्वीकृति नहीं ली गयी। जबकि सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार को शासनादेश के अनुसार वापस की जानी चाहिए थी। इस प्रकार रू0 891000.00 अनियमित रूप से व्यय कर गम्भीर रूप से वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 10 :- वर्ष 2015-16 मस्टर रोल की धनराशि रू0 245847.00 श्री रघुवीर सिंह, सहायक विकास अधिकारी तथा रू0 1108287.00, श्री दिनेश सिंह कार्य प्रभारी के खाते में स्थानान्तरित किया गया। जो वित्तीय गम्भीर अनियमितता है। सम्पूर्ण धनराशि श्रमिकों के खाते में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए था। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 11 :- वर्ष 2014-15 में मस्टर रोल की धनराशि निम्नलिखित कार्य प्रभारियों के खाते में स्थानान्तरित कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जबकि सम्पूर्ण धनराशि श्रमिकों के खाते में स्थानान्तरित की जानी चाहिए थी। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	वर्ष	नाम कार्य प्रभारी	पदनाम	धनराशि
1	2014-15	श्री दिनेश सिंह	अवर अभियन्ता	890886.00
2	2014-15	श्री रघुवीर सिंह यादव	सहायक विकास अधिकारी	318488.00
3	2014-15	श्री कृष्ण गोपाल	ग्राम विकास अधिकारी	275435.00
4	2014-15	श्री दीपक गुप्ता	ग्राम विकास अधिकारी	165975.00
5	2013-14	श्री रघुवीर सिंह यादव	सहायक विकास अधिकारी	895828.00
6	2012-13	श्री रघुवीर सिंह यादव	सहायक विकास अधिकारी	466993.00
कुल योग				3013605.00

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – अवागढ़, जिला एटा।

प्रस्तर 12 :- वर्ष 2013-14 से 2016-17 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापार कर की कटौती प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ के शासनादेश सं० के०ए एन आई-2-1315/एक्स 1-9(10)/08 यू०पी०-एक्ट 2008 आर्डर-(101)-2013 दिनांक 07.10.2013 के अनुसार क्रय सामग्रियों पर 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती टी०डी०एस० के रूप में होती है। किन्तु कतिपय फर्मों से 4 प्रतिशत से कम दर से कटौती की गयी है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	कार्य का नाम	कुल मानव दिवस	मजदूरी जो दी गयी	निर्धारित दर	अन्तर
1	ग्राम टिकाथर में वहोरनपुर में नाले पर पुलिया निर्माण	596229	23849	—	23849
2	ग्राम टिकाथर में इन्द्रगण के नाले के पास नाली निर्माण	169726	6789	3576	3213
3	ग्राम टिकाथर में इन्द्रगण के नाले के पास नाली निर्माण	170046	6802	3592	3210
4	इण्डिया मार्का हैन्डपम्प की स्थापना	172000	6880	—	6880
5	ग्राम न० वास में बाहर तक नाली निर्माण	958453	38338	—	38338
6	मुकेश के घर से हाकिम सिंह के घर तक नाली निर्माण	514590	20584	18071	2513
7	ग्रा०पं० अब्दुलहईपुर के मजराबंत पुरा में खडंजा एवं नाली निर्माण	232050 80633	9282 3225	—	9282 3225
8	ब्लॉक परिसर में प्रमुख कक्ष व कम्प्यूटर कक्ष की रंगाई पुताई एवं टाइल्स लगवाई	58671	3947	—	3947
9	ग्राम रेजुआ में निधौली मार्ग से सुरेश के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य	1564330.12	62573	20353	42220
10	ब्लॉक परिसर में सी०सी० निर्माण	452393.60	18096	—	18096
11	ब्लॉक परिसर में सी०सी० निर्माण	127500	5100	—	5100
12	शिव मन्दिर में दुर्जन सिंह के घर तक सी०सी० व नालीनिर्माण	973111.90	38813	—	38813
13	ग्राम सभा टिकाथर के मजरा वहोरनपुर से नाली निर्माण कार्य	94212	3768	—	3768
	कुल योग				202454

इस प्रकार रु० 202454.00 से सम्बन्धित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए।

प्रस्तर 13 :- राज वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में मीशाकलां में नगला भक्ति में शीशी व नाली का निर्माण हेतु मैसर्स यादव जनरल सप्लायर एवं कान्स्ट्रक्टर करतला एटा से बिल नं० 14 में क्र० 02 पर बालू जिसकी मात्रा 26.09 घनमीटर दर 1100 प्रति घनमी० की दर से रु० 29667.00 होती है। किन्तु बिल में 40667.00 दर्शाकर 11000.00 का अधिक भुगतान किया गया। इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार से अपेक्षित है।

प्रस्तर 14 :- वर्ष 2015-16 में 16 इण्डिया मार्का हैन्डपम्प कीमत रु० 491040.00 ग्राम पंचायत रेजुआ, रोहिणीमिर्जापुर, टिकाथर में लगाए गए। सम्बन्धित फर्मों से केवल कोटेशन नहीं लिया गया जबकि टेण्डर लिया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत में हैण्डपम्प लगाने का कार्य जलनिगम द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार रु० 491040.00 का अनियमित व्यय किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – निधौली कलां, जिला एटा।

प्रस्तर 15 :- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय निर्धारित 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वैट की कटौती न कर राजस्व की हानि की गई। स्पष्टीकरण अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	पत्रावली सं०	कार्य का नाम	भुगतान की धनराशि/बिल धनराशि	लेखा परीक्षा अनुसार वैट की धनराशि
1	16	ग्राम कपरेता में 10 हैण्डपम्प इण्डिया मार्क-2 की स्थापना	215500	8620
2	21	नगलावंशी एवं मुमिया खेड़ा में 13 इण्डिया मार्क हैण्डपम्प	280150	11206
3	26	सभापुर में श्यामसिंह के घर के पास पुलिया निर्माण	17181	687
4	27	सभापुर में बलवीर के घर के पास पुलिया निर्माण	26541	1062
5	28	सभापुर में मन्दिर के पास पुलिया व खडंजा निर्माण	57472	2299
6	41	ग्राम गटुआ में खडंजा एवं मिट्टी कार्य	386447	15458
7	45	ग्राम गटुआ में जी०टी०रोड के किनारे नाली निर्माण	196892	7876
8	44	ग्राम गहेतु के कैलाश के घर से भल्लू के घरतक एवं	409224	16369

		रमेश के घर से रायदास के घर तक एवं गंगासिंह के घर से पप्पू के घर तक खंडजा निर्माण		
9	18	सैलार में नाला निर्माण	150850	6034
10	23	नगला राजा में राजपाल के घर से वीरेश के घर तक नाली निर्माण	72486	2899
11	24	नगला सेवा में धनपाल के स्कूल से करनपाल के मकान एवं पदमसिंह के मकान से सुरेन्द्र के मकान तक नाली निर्माण	317555	12702
12	25	कपरेता में विपिन के घर से सी0सी0रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण	61765	2470
13	30	सभापुर में प्रा0स्कूल से पुरानी सी0सी0 तक खंडजा निर्माण	235188	9407
14	40	पुलिया में तिराहे से विजय सिंह के मन्दिर तक खंडजा एवं मिट्टी कार्य	218459	8738
15	43	नगला मजा में सौराई के मकान से भूरे के खेत तक खंडजा निर्माण	99297	3972
16	49	पिलुआ में जी0टी0रोड से अखिलेश के मकान तक इण्टरलॉकिंग कार्य	147889	5916
17	48	वसुंधरा पिपरहा मार्ग से नगला कुंवरसेन तक खंडजा/मिट्टी कार्य	446836	17873
18	51	ग्राम गबुआ में चन्द्रपाल के मकान से हरपाल के मकान तक खंडजा/अवशेष कार्य	105315	4212
19	42	किशनपुर में सत्यपाल के घर से रामनिवास के घर तक खंडजा निर्माण	111935	4477
20	50	मोहकमपुर में जयपाल फौजी के मकान से कुंदनपुर मोड़ तक मिट्टी एवं खंडजा निर्माण	377447	15098
		योग		157375

इस प्रकार रू0 157375.00 से सम्बन्धित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए।

प्रस्तर 16 :- वर्ष 2015-16 में राज्यवित्त/तेरहवां वित्त मद की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान के समय निर्धारित 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वैट की कटौती न कर कुल रू0 100297.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0	पत्रावली सं0	कार्य का नाम	भुगतान की धनराशि/ बिल धनराशि	लेखा परीक्षा अनुसार वैट की धनराशि
1	01	मुलसा में प्राय स्कूल से सत्येन्द्र के घर तक खंडजा	195037	7801
2	03	नकटपुर में मौकम के घर से मन्दिर तक नाली निर्माण	535558	21422
3	04	हसनपुर ककराला में रामखिलाड़ी के घर के आगे खंडजा	27081	1083
4	07	सोगरा के गुलाबपुर में ओमवीर सिंह की बैठक से खेत तक खंडजा निर्माण	46020	1841
5	10	बाबसा के नगला भोजराज में ब्रिजेन्द्र के मकान से नाले तक नाली निर्माण	174621	6985
6	09	नगला गलू में रामसिंह के मकान से जयवीर के मकान तक एवं जमुना दास के मकान से सालेवर के मकान तक खंडजा निर्माण	202488	8100
7	11	मुईउद्दीन के कंचनगढ़ी में भारते सिंह के मकान से रघुवीर सिंह के मकान तक नाली निर्माण	276449	11058
8	02	मुमिया खेड़ा में शमशान घाट की वाउन्ड्री वाल निर्माण	451614	18064
9	05	धारिकपुर में उत्तमसिंह के घर से मानपाल के घर तक राधेश्याम के घर से रामजी लाल के घर तक खंडजा एवं नाली निर्माण	208191	8327
10	08	बर्गा में पापू के मकान से भागीरथ के मकान तक खंडजा निर्माण	151840	6073

11	12	कदरैता में रिकू के मकान से चन्द्रपाल के मकान तक सी0सी0निर्माण	86772	3471
12	06	ग्राम सभा कालाबंदी के मजरा रमण्डपुर में दीनदयाल के घर से हरपाल सिंह की झोपड़ी तक खंडजा निर्माण	151810	6072
		योग		100297

इस प्रकार रू0 100297.00 ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 17 :- वर्ष 2016-17 में राज्यवित्त/तेरहवां वित्त मद की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान के समय निर्धारित 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वैट की कटौती न कर कुल रू0 156794.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0	पत्रावली सं0	कार्य का नाम	भुगतान की धनराशि/ बिल धनराशि	लेखा परीक्षा अनुसार वैट की धनराशि
1	03	ग्राम पं0 ओरमी के ग्राम काशीखेड़ा में सुनील के घर से सुकमपाल के घर तक खंडजा निर्माण	160133	6405
2	02	ग्राम कपरेटा में पारसमल के घर से महावीर के घर तक सी0सी0 व नाली कार्य	58114	2324
3	01	विभिन्न ग्रामों में 75 नग सोलर लाइटें लगवाना	1612500	64500
4	05	ग्राम पंचायत वरिगवां के धर्मपुर में ज्ञानसिंह के घर से वीरपाल के घर तक एवं पाठशाला के अन्दर सी0सी0 व नाली निर्माण	206154	8246
5	06	विभिन्न ग्रामों में 78 नग सोलर लाइटें लगवाना	1634100	65364
6	04	खरगपुर में महिपाल के घर से गया प्रसाद के घर तक खंडजा निर्माण	248871	9955
		योग		156794.00

इस प्रकार रू0 156794.00 ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 18 :- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में पत्रावली संख्या-16 की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम कपरेटा में 10 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प की स्थापना पर रू0 285310.00 का व्यय किया गया है जबकि वर्ष 2004 के बाद से ही नये हैण्डपम्प लगवाने हेतु जल कर विभाग को अधिकृत किया गया है फिर किन परिस्थितियों में एवं किसकी अनुमति से क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त हैण्डपम्प लगवाये गये हैं का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 19 :- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में पत्रावली संख्या 17 कार्य का नाम सैलार में छोटे सिंह के घर से नगला तक सम्पर्क मार्ग निर्माण की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य की स्वीकृत लागत रू0 202256.00 थी जिसके सापेक्ष एम0बी0 अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा रू0 154284.00 का व्यय किया गया। स्वीकृत स्टीमेट के अनुसार सम्पर्क मार्ग के दोनो ओर पक्की नाली व साइन बोर्ड भी लगवाया जाना था जो कि नहीं कराया गया। मस्टर रोल दि0 01.01.2014 से 30.06.2014 तक का रू0 154284.00 था इस प्रकार 30.06.2014 को कार्य समाप्त हो गया। किन्तु उस कार्य में मस्टर रोल के भुगतान हेतु कार्य प्रभारी को चेक नं0 678374 दिनांक 24.07.2014 को प्राप्त हुयी। फिर मस्टर रोल के श्रमिकों का भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा किस तरह किया गया। क्या दो माह तक श्रमिकों को भुगतान नहीं दिया गया। स्पष्टीकरण अपेक्षित है। पत्रावली के साथ संलग्न कार्यालय आदेश के अनुसार मस्टर रोल का भुगतान साप्ताहिक होना चाहिए भुगतान एक मुश्त किया जाना दर्शित किया एवं मस्टर रोल पर भुगतान प्राप्ति की तिथि अंकित नहीं पायी गयी। कार्यालय आदेश के अनुसार श्रमिकों को भुगतान बैंक खातो के माध्यम से किया जायेगा किसी भी दशा में नकद नहीं किया जायेगा। किन्तु कार्य प्रभारी द्वारा नगद भुगतान ही दर्शाया गया। पत्रावली में वार्षिक कार्य योजना की प्रस्ताव संख्या का भी अंकन नहीं पाया गया। इस प्रकार कार्यालय आदेश का पालन कार्य प्रभारी द्वारा न कर निर्देशों की अवहेलना की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 20 :- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त मद से सभापुर में प्राथमिक स्कूल से पुरानी सी0सी0 से खंडजा निर्माण एवं नाली निर्माण (फाइल सं0-30) कार्य कराया गया। स्वीकृत प्राक्कलन रू0 327766.00 के सापेक्ष कार्य पर कुल रू0 324758.00 का वास्तविक व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 21 :- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से पुढिया से विजय सिंह के मन्दिर तक खंडजा/मिट्टी कार्य (फाइल नं0-40) कार्य कराया गया है। स्वीकृत व्यय रू0 337794.00 किया गया। उक्त धनराशि के भुगतान के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियां रहीं :-

सामग्री क्रय का रू0 214090.00 का भुगतान श्रद्धा कन्सट्रक्शन को चेक द्वारा किया गया। किन्तु सामग्री खरीद हेतु आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न किये जाने के अभिलेख लेखा परीक्षा से अप्राप्त रहे।

लेबर कास्ट रु0 119335.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री शिवकुमार सिंह जे0ई0 (एम0आई0) को किया गया है। जबकि मजदूरी सीधे श्रमिकों के बैंक खातों के माध्यम से ही दी जानी चाहिए थी।

3 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर लाभार्थी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं।

अभिलेख अनुपलब्धता के दृष्टिगत ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 22:- वर्ष 2014-15 में तेरहवां वित्त मद से नगला सेवा में धनपाल के स्कूल से करनपाल के मकान एवं पदम सिंह के मकान से सुरेन्द्र के मकान तक नाली निर्माण (फाइल सं0 24) कार्य कराया गया। स्वीकृत प्राक्कलन रु0 398000.00 के सापेक्ष कार्य पर वास्तविक व्यय रु0 397900.00 किया गया। उक्त व्यय/भुगतान के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ प्राप्त हुईं।

सामग्री क्रय का रु0 311204.00 का भुगतान श्रद्धा कन्सट्रक्शन को चेक द्वारा किया गया। किन्तु सामग्री क्रय हेतु आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया के अभिलेख पत्रावली की जांच में अप्राप्त रहे।

लेबर कास्ट का रु0 80345.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री ओमप्रकाश सिंह ए0डी0ओ0 (पी0पी0) को किया गया है। जबकि भुगतान मजदूरों को उनके बैंक खातों के माध्यम से ही किया जाना था।

तीनों चरणों (कार्य के पूर्व, मध्य व समाप्ति) के फोटोग्राफ्स पत्रावली में प्राप्त नहीं हुए।

कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र पर लाभार्थी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं।

अभिलेख अनुपलब्धता के दृष्टिगत ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 23:- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से कपरेटा में विपिन के घर से सी0सी0 रोड तक सी0सी0 निर्माण का कार्य कराया गया (फाइल नं0 25) कार्य के स्वीकृत प्राक्कलन रु0 78945.00 के सापेक्ष कुल वास्तविक व्यय रु0 77710.00 किया गया। उक्त भुगतान के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ रही:-

सामग्री क्रय का रु0 60530.00 भुगतान श्रद्धा कन्सट्रक्शन को किया गया है। किन्तु सामग्री क्रय पूर्व आवश्यक कुटेशन प्रक्रिया के अभिलेख पत्रावली की जांच में अप्राप्त रहे।

लेबर कास्ट का रु0 17180.00 भुगतान कार्य प्रभारी श्री ओमप्रकाश सिंह ए0डी0ओ0 (पी0पी0) को किया गया है।

जबकि भुगतान मजदूरों को उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाना था।

कार्य के तीनों चरणों के फोटोग्राफ्स लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

अभिलेख अनुपलब्धता के दृष्टिगत ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 24 :- वर्ष 2014-15 में बादामपुर में वासदेव के घर से विजयवीर के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य राज्य वित्त मद से कराया गया है। कार्य के स्वीकृत प्राक्कलन रु0 208233.00 के सापेक्ष रु0 207812.00 का वास्तविक व्यय किया गया। उक्त व्यय/भुगतान के सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ रही:-

उक्त कार्य हेतु रु0 163809.00 का भुगतान सामग्री क्रय हेतु श्रद्धा कन्सट्रक्शन को किया गया है। किन्तु सामग्री क्रय से हेतु आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया के अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

श्रमांश का रु0 40660.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री ओमप्रकाश सिंह ए0डी0ओ0 (पी0पी0) को किया गया है। जबकि मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

तीनों चरणों (कार्य के पूर्व, मध्य समाप्ति) के फोटो ग्राफ्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर लाभार्थी के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये

अभिलेख अनुपलब्धता के दृष्टिगत ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 25 :- वर्ष 2014-15 में तेरहवां वित्त मद से नगला राजा में राजपाल के घर से वीरेश के घर तक नाली निर्माण (44×30मी) (फाइल नं0 23) का कार्य कराया गया। स्वीकृत प्राक्कलन रु0 91000.00 के सापेक्ष कुल वास्तविक व्यय रु0 90956.00 रहा। उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ रहीं।

उक्त कार्य हेतु रु0 71036.00 का भुगतान सामग्री क्रय हेतु श्रद्धा कन्सट्रक्शन को किया गया है। किन्तु सामग्री क्रय से हेतु आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया के अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

लेबर कास्ट का रु0 18500.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री ओमप्रकाश सिंह ए0डी0ओ0 (पी0पी0) को किया गया है।

जबकि मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

तीनों चरणों के फोटो ग्राफ्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर लाभार्थी के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये

अभिलेख अनुपलब्धता के दृष्टिगत ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 26 :- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से सैलार में नाला निर्माण का कार्य (फाइल नं0 18) कराया गया। कार्य के स्वीकृत प्राक्कलन रु0 243975.00 के सापेक्ष रु0 206856.00 का वास्तविक भुगतान/व्यय किया गया। उक्त भुगतान में निम्न आपत्तियाँ रही :-

श्रमांश रु0 206856.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री ओमप्रकाश सिंह ए0डी0ओ0 (पी0पी0) को किया गया है। जबकि मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

माप पुस्तिका (एम0बी0) में कार्य समाप्ति तिथि 30.06.2014 अंकित है मजदूरी हेतु श्रमांश का भुगतान चेक सं0 678382.00 द्वारा दिनांक 24.07.2014 को कार्य प्रभारी को किया गया। जबकि मजदूरी साप्ताहिक आधार पर दी जानी चाहिए थी।

तीनों चरणों (कार्य के पूर्व, मध्य समाप्ति) के फोटो ग्राफ्स पत्रावली में अप्राप्त रहे।

अभिलेख अनुपलब्धता के दृष्टिगत ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 27 :- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से 07 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्थापना (फाइल नं० 20) का काय कराराया गया। कार्य के स्वीकृत प्राक्कलन रू० 199850.00 के सापेक्ष कुल वास्तविक व्यय रू० 199700.00 रहा। उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्न आपत्तियां रहीं।

रू० 147833.00 का भुगतान सामग्री क्रय हेतु किया गया। सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य है। किन्तु पत्रावलियों में टेण्डर प्रक्रिया के साक्ष्य अप्राप्त रहे।

श्रमांश रू० 48850.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री ओमप्रकाश सिंह ए०डी०ओ० (पी०पी०) को किया गया है। जबकि मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

तीनों चरणों के फोटो ग्राफ्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर लाभार्थी के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये

अभिलेख अनुपलब्धता के दृष्टिगत ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 28 :- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से पिलुआ में जी०टी०रोड से अखिलेश के मकान तक इण्टरलॉकिंग कार्य (फाइल नं० 49) कराराया गया। स्वीकृत प्राक्कलन रू० 185000.00 के सापेक्ष कुल वास्तविक व्यय रू० 184829.00 रहा। उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्न आपत्तियां रहीं।

सामग्री क्रय हेतु रू० 144931.00 का भुगतान हेतु श्रद्धा कन्सट्रक्शन को किया गया है। किन्तु सामग्री क्रय से हेतु आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया के अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

लेवर कॉस्ट का रू० 36940.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री शिवकुमार सिंह जे०ई० (एम०आई०) को किया गया है। जबकि मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर लाभार्थी/निर्माण कार्य समिति के हस्ताक्षर अप्राप्त रहें।

पत्रावली में कार्य के पूर्व का फोटो संलग्न है कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति के फोटो ग्राफ्स अप्राप्त रहे।

अभिलेख अनुपलब्धता के दृष्टिगत ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 29 :- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से वसुंधरा पिपरहा मार्ग से नगला कुंवरसेन तक खंडजा/मिट्टी कार्य (फाइल नं० 48) कराराया गया। स्वीकृत प्राक्कलन रू० 697000.00 के सापेक्ष कुल वास्तविक व्यय रू० 694396.00 रहा। उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्न आपत्तियां रहीं।

सामग्री क्रय हेतु रू० 437899.00 का भुगतान हेतु श्रद्धा कन्सट्रक्शन को किया गया है। किन्तु सामग्री क्रय से हेतु आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया के अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

लेवर कॉस्ट का रू० 247560.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री शिवकुमार सिंह जे०ई० (एम०आई०) को किया गया है। जबकि मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

मस्टर रोल एवं भुगतान मासिक उधार पर किया गया, जबकि मजदूरी साप्ताहिक आधार पर दी जानी चाहिए थी।

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 30:- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से ग्राम गदुआ में चन्द्रपाल के मकान से हरपाल के मकान तक खंडजा अवशेष कार्य (फाइल नं० 51) कराराया गया है। स्वीकृत प्राक्कलन के सापेक्ष कुल वास्तविक व्यय रू० 181405.00 किया गया। उक्त भुगतान पर अधोलिखित आपत्तियां रहीं।

सामग्री क्रय हेतु रू० 103209.00 का भुगतान हेतु श्रद्धा कन्सट्रक्शन को किया गया है। किन्तु सामग्री क्रय से हेतु आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया के अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

लेवर कॉस्ट का रू० 76090.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री शिवकुमार सिंह जे०ई० (एम०आई०) को किया गया है। जबकि मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 31:-वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय निर्धारित 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वैट की कटौती न कर राजस्व की हानि की गई।विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	फाइल सं०	कार्य का नाम	बिल की धनराशि	4 प्रतिशत वैट की धनराशि
1	02	निधौली देहात में मनौरा रोड पर बड़ी नाली निर्माण	335108	13404
2	04	मुहारे में नाली निर्माण	122240	4890
3	05	ओरनी में महेश के घर से मुनीम के घर तक खंडजा	33544	1342
4	07	भोजपुर में रामपाल के मकान से कायम सिंह के मकान तक खंडजा	87831	3513
5	11	गुलाबपुर में रोड से रामसनेही लाल के घर तक खंडजा	124691	4988
6	12	नगरिया सोगरा मार्ग से रमेश चन्द्र के घर तक खंडजा	158700	6348
7	13	रामनगर में डामर रोड से नरेश के मकान तक खंडजा	228390	9136
8	16	मदुआ में खंडजा से वारीलाल के ट्यूबवेल तक खंडजा	76331	3053

9	17	मुहारे से सड़क से अवधेश के मकान तक खंडजा	69000	2760
10	01	शैलेन्द्र सिंह के घर से विजयपाल सिंह के कोठे की तरफ खंडजा, नाली, दीवार का निर्माण	74276	2971
11	03	वी0आई0पी0 के घर से रामेश्वर के घर तक नाली	93559	3742
12	06	(बरई) दखपुर में खंडजा निर्माण	275189	11008
13	08	सैलार में खंडजा निर्माण	107250	4290
14	09	गुलाबपुर में खंडजा/नाली	123628	4945
15	10	मुनियाखेड़ा में खंडजा/नाली	193701	7748
16	14	कुदनपुर रोड से मोहकमपुर तक खंडजा	282128	11285
17	15	ग्राम रोहिला (दखपुर) में खंडजा निर्माण	140760	5630
18	18	रामकेश के घर के पास पुलिया निर्माण (न0 गलू)	72300	2892
19	19	मुखिया में पूर्व प्रधान के घर के पास सी0सी0 निर्माण	164169	6567
20	20	डामर रोड से रामकेश के घर तक खंडजा	290663	11627
21	21	न0 मोती में कामता प्रसाद के घर से ओमकार के घर तक खंडजा	165938	6638
22	22	संजयपाल सिंह के मकान से श्यामप्रकाश के घर तक खंडजा निर्माण	183195	7328
23	23	रामप्रकाश के घर से बलवीर के खेत तक खंडजा	201515	8061
24	24	न0 समन में विभिन्न स्थानों पर खंडजा	268686	10747
25	25	पुठिया में विभिन्न स्थानों पर खंडजा	256473	10259
26	26	न0 समन में खंडजा निर्माण	168794	6752
27	27	रामनगर ग्राम में पुलिया निर्माण	326107	13044
		योग		184968

इस प्रकार रु0 184968.00 से सम्बन्धित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 32 :- वर्ष 2012-13 में मनरेगा मद की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। जो राजकीय राजस्व की क्षति है। उक्त धनराशि रु0 235926.00 जमा करायी जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0	कार्य का नाम	बिल की धनराशि	4 प्रतिशत वैट की धनराशि
1	न0बेल में रघुवीर सिंह प्रधान के घर से चन्द्रपाल के घर तक व प्रदीप के घर से अनोले के मन्दिर तक खंडजा	201774	8071
2	श्यामसिंह के मकान से रामवीर के ठार तक नाली खंडजा	28000	1120
3	सुनहरी लाल के मकान से रनवीर सिंह के घर तक खंडजा	178970	7159
4	रनवीर सिंह के मकान से रामसिंह के घर तक खंडजा	120304	4812
5	सड़क के दुर्वेश के मकान तक एवं संतोष के मकान से भाई दयाल के घर तक खंडजा	164144	6566
6	ढैरपुर में पुलिया निर्माण	52714	2109
7	अशोक के घर से ब्रजलाल के घर तक खंडजा	158524	6341
8	निधौली मार्ग से जयसिंह पाल के खेत तक खंडजा	271346	10854
9	देशराज के ट्यूबवेल से हुकुम सिंह तक खंडजा	211243	8450
10	डामर रोड से अशोक के घर तक खंडजा	157083	6283
11	वीरेश के घर से नाले तक नाली निर्माण (दूसरी तरफ)	252911	10116
12	वीरेश के घर से नाले तक नाली निर्माण (एक तरफ)	237719	9509
13	वीरेश के घर से नाले तक खंडजा निर्माण	310814	12433
14	रामवीर की मड़ैया से देशराज के ट्यूबवेल तक खंडजा निर्माण	239268	9571
15	रुस्तमसिंह के घर से प्यारे लाल के घर तक खंडजा	100710	4028
16	विभिन्न स्थानों पर खंडजा निर्माण	314629	12585
17	बाबसा के ग्राम कमसान एवं न0 समन गेस्ट हाउस तक खंडजा	179650	7186
18	न0 वली से हाईस्कूल तक खंडजा (300मी0) (0-300मी0)	201515	8061
19	न0 वली से हाईस्कूल तक खंडजा (300-500मी0)	167929	6717
20	खगारपुर से मुनिया खेड़ा तक खंडजा (0 से 450 मी0)	302272	12091
21	खगारपुर से मुनिया खेड़ा तक खंडजा (450से 900 मी0)	302972	12091
22	खगारपुर से मुनिया खेड़ा तक खंडजा (900 से 1250 मी0)	303188	12128
23	खगारपुर से मुनिया खेड़ा तक खंडजा (1250 से 1600 मी0)	303188	12128

24	खगारपुर से मुनिया खेड़ा तक खंडजा (1600 से 1900 मी०)	315000	12600
25	शहवाजपुर में प्रा०स्कूल से सम्यप्रकाश के मकान के आगे तक नाला निर्माण	505801	20232
26	शहवाजपुर में प्रा०स्कूल से सम्यप्रकाश के मकान के आगे तक नाला निर्माण (शेष भाग)	238187	9527
27	बावसा के ग्राम कमसान एवं न० समन गेस्ट हाउस तक सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण	78960	3158
	योग		235926.00

इस प्रकार रू० 235926.00 से सम्बन्धित व्यक्त से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 33 :- वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/तेरहवां मद की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। जो राजकीय राजस्व की क्षति है। उक्त धनराशि रू० 473623.00 जमा करायी जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	कार्य का नाम	बिल की धनराशि	4 प्रतिशत वैट की धनराशि
1	सिहोरी में प्यारेलाल के घर से डामर रोड तक खंडजा	343417	13737
2	बड़ा गांव की मुख्य गली में सी०सी० निर्माण	581924	23277
3	न० दली में हाई स्कूल तक खंडजा निर्माण	37966	1519
4	जिरौली में पूर्व प्रधान के पास नाली	26044	1042
5	कपरेटा में रमेश मनोज व सोगरा में नगरिया मोड पर हैण्डपम्प स्थापना (तेरहवां वित्त)	61877	2475
6	न० लक्ष्मी में खंडजा निर्माण	219024	8761
7	कामता प्रसाद पुत्र छेदीलाल बरा रोड नगरिया में हैण्डपम्प	20619	825
8	श्री किशन के घर से श्री निवास के घर तक खंडजा	33540	1342
9	विभिन्न स्थानों पर खंडजा निर्माण	238095	9524
10	सोबरन सिंह के मकान से देवेन्द्र सिंह की आदी तक खंडजा/नाली	463042	18522
11	रुकमपाल के मकान से लोचनसिंह के मकान तक खंडजा	189833	7593
12	भोजपुर से नहर तक खंडजा	329766	13191
13	न० बेल से नहर तक खंडजा निर्माण	386713	15469
14	विकासखण्ड कार्यालय की पुताई	45705	1828
15	खेड़ा में देवी मन्दिर से सम्यभान के घर तक सी०सी०रोड	505145	20206
16	मोहमपुर में बिजेन्द्र के घर से वीरेश के घर तक खंडजा	198220	7929
17	ब्लॉक परिसर में सी०सी० रोड निर्माण	355500	14220
18	ब्लॉक परिसर में शौचालय टैंक निर्माण (प्रमुख जी हेतु)	119690	4788
19	पिचपुरी के पास अरिन्द नदी के पुल निर्माण (बी०आर०जी०एफ०)	1247979	49919
20	राधेश्याम के घर से पीन की टंकी तक सी०सी० निर्माण	318934	12757
21	प्रा० पाठशाला पर पुलिया निर्माण	63132	2525
22	इन्द्रा नगर थाना रोड से इशन नदी से पुराना खंडजा तक खंडजा निर्माण 150 मी०	424591	16983
23	अजानपुर में राजेन्द्र सिंह के घर से पुराना खंडजा तक खंडजा निर्माण 150मी०	116820	4673
24	न० बंदी पालिका मार्ग से मु०खेड़ा में रामसनेही के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण 112 मी०	395322	15813
25	मुनियाखेड़ा से हरि शंकर के मकान तक सी०सी० रोड 100 मी०	407517	16301
26	कंचनगढ़ी बम्बा से हिम्नपुर काकामई तक सी०सी०रोड (135)	397191	15888
27	विकासखण्ड परिसर में सी०सी०कार्य, दीवाल, गेट, खंडजा आदि।	126719	5069
28	बादामपुर में रमेश मास्टर के घर से देवेन्द्र के घर तक नाली निर्माण (415मी०)	407366	16295
29	बहादुरपुर में बिजेन्द्र के मकान से मुख्य सड़क तक खंडजा/नाली	451455	18058
30	बादामपुर में रामेश के घर से देवेन्द्र के घर तक खंडजा	506220	20249
31	किशनपुर में गया प्रसाद के घर से सुखबीर के घर तक खंडजा	155760	6230
32	बहादुरपुर में बालादीन के मकान से अचलसिंह के मकान खंडजा/नाली	322577	12903
33	न० गूलर में कैलाश के घर से भाईराम के खेत तक	295436	11817

	खंडजा/नाली		
34	पुठिया में महेन्द्र के घर से पुराना खंडजा व राजवीर के घर से महावरी के घर तक खंडजा/नाली	306341	12254
35	पुठिया में रामवीर के घर से रामप्रसाद के घर तक खंडजा/नाली	279517	11181
36	न0 भूड व न0 बीज के मध्य पुलिया निर्माण	543244	21730
37	काजीखेड़ा में राजपाल के मकान से नदी किनारे तक खंडजा/नाली	256269	10251
38	काजीखेड़ा में वीरेश के घर से रामदयाल के घर तक खंडजा/नाली	222527	8901
39	काजीखेड़ा में नरसीपाल के घर से सेग्यानसिंह के घर तक मेन खंडजा से सत्यभान के घर तक खंडजा/नाली निर्माण	247566	9903
40	काजीखेड़ा में सुरेश के घर से नदी तक नाली निर्माण	191865	7675
	योग		473623.00

इस प्रकार रु0 **473623.00** से सम्बन्धित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 34 :- वर्ष 2014-15 में आंगनवाड़ी एवं बी0आर0जी0एफ0 पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। जो राजकीय राजस्व की क्षति है। उक्त धनराशि रु0 239210.00 जमा करायी जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0	कार्य का नाम	बिल की धनराशि	4 प्रतिशत वैट की धनराशि
1	आंगनवाड़ी केन्द्र चयनित लोहिया ग्राम मोहारा मोहकमपुर	474965	18999
2	आंगनवाड़ी केन्द्र होर्ची	474728	18990
3	काजीखेड़ा बम्बा से रतनपुर पुल डामर रोड तक सी0सी0	420363	16815
4	रूपसपुर में रमेश के घर से चन्द्रपाल के घर तक सी0सी0 रोड	416385	16655
5	आंगनवाड़ी केन्द्र भोपटपुर	474728	18989
6	आंगनवाड़ी केन्द्र हिम्मतपुर काकामई	478910	19156
7	आंगनवाड़ी केन्द्र कपरेटा	474730	18989
8	आंगनवाड़ी केन्द्र नगला खिल्ली	474728	18989
9	मुमियाखेड़ा में शैलेन्द्र के मकान से नेमसिंह के मकान तक सी0सी0निर्माण (बी0आर0जी0एफ0)	226611	9064
10	मुमियाखेड़ा में रामसिंह खितलीड़ी के मकान से राजेश के मकान तक सी0सी0निर्माण (बी0आर0जी0एफ0)	1054595	42184
11	आंगनवाड़ी केन्द्र मझराउ	474728	18990
12	हसनपुर कमरुआ आंगनवाड़ी केन्द्र	534739	21390
	कुल योग		239210.00

इस प्रकार रु0 **239210.00** से सम्बन्धित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 35:- वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/तेरहवां मद की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। जो राजकीय राजस्व की क्षति है। उक्त धनराशि रु0 349388.00 जमा करायी जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0	कार्य का नाम	बिल की धनराशि	4 प्रतिशत वैट की धनराशि
1	खगारपुर से मुनियाखेड़ा सड़क पर तीन आर0सी0सी0पुलिया	307780	12311
2	खगारपुर से मुनियाखेड़ा सड़क किनारे-किनारे नाली 140मी0	181948	7278
3	हुसैनपुर डामररोड से जफरअली के खेत तक खंडजा	220896	8836
4	मुहारा रोड से अजानपुर तक खंडजा	217445	8698
5	बम्बा से हिम्मतपुर तक काकामई तक खंडजा	288545	11542
6	काजी खेड़ा बम्बा से रतनपुर पुल की डामर रोड तक खंडजा	227799	9112
7	न0बंदी पलिया मार्ग से जगदीश के खेत तक खंडजा	265765	10631
8	लहरा में बम्बा से मुरारी के घर तक खंडजा	220194	8808
9	लहरा में डामर रोड से ज्वाला के घर तक खंडजा	159451	6378
10	न0बंदी पलिया मार्ग से रामसनेही जाटव के घर तक खंडजा	162906	6516
11	न0समन में पूरन सिंह के घर से खववाल के घर तक खंडजा/नाली	270677	10827

12	रूपसपुर में नरेश के घर से चन्द्रपाल सिंह के घरतक खडंजा	310003	12400
13	गोकल पुर सरकारी नल से विमला देवी के खे तक खडंजा	171336	6853
14	गोकलपुर से नहर तक खडंजा	257004	10280
15	काजी खेड़ा में डामर रोड से शौराय के खेत तक खडंजा	128480	5139
16	काजीखेड़ा में रामऔतार के खेत सेपुराना खडंजा तक खडंजा	214170	8567
17	न0 गोदी से करनसिंह के खेत तकखडंजा	171336	6853
18	न0 गोदी में जगदीश के खेत से हीरापुर की पुलिया तक खडंजा	142285	5825
19	किशोरपुर में नेत्रपाल के खेत से पुराना खडंजा तक एवं पुराना खडंजा से मन्दिर तक खडंजा	214170	8567
20	न0 बरी में रामजीत के खेत से खेड़ी के खेत तक खडंजा	257004	10280
21	न0 बरी में भट्टा से रक्षपाल के खेत तक खडंजा	257004	10280
22	कुटुमपुर में रामपाल के खेत से कमलेश के खेत तकखडंजा	231304	9252
23	कुटुमपुर में अहवरन सिंह के मकान से नेकसे के खेत तक खडंजा	218064	8723
24	धनिगा में ओमप्रकाश के खेत से न0 मजो तक खडंजा	214170	8567
25	धनिगा चौराहे से योगेश के खेत तक खडंजा	214170	8567
26	न0सेवा में डामर रोड से दलीप के घर तक खडंजा	218064	8723
27	न0 सेवामें मुख्य मार्ग से जयवीर के घरतक खडंजा	171336	6853
28	निधौली देहात में सूरज सिंह के खेत से ईशन नदी तक खडंजा	207680	8307
29	निधौली देहात में रतना सिंह के खेत में चन्द्रपाल के खेत तक खडंजा	207680	8307
30	एटा निधौली रोड से प्रेमपाल के खेत तक खडंजा	207680	8307
31	नगरिया के जी0टी0रोड से कुमारपाल के मकान तक नाली	303241	12130
32	नगरिया के जी0टी0रोड से कुमारपाल के मकान तक खडंजा	229350	9174
33	न0बबूल में राजेश्वर के मकान से मारहरा रोड तक नाली	307703	12308
34	कपरेटा में अजबसिंह के खेत से पोखपाल के मकान तक खडंजा	239870	9595
35	खुशालीराम के खेत से ग्रीशचन्द्र के खेत तक खडंजा	214170	8567
36	कपरेटा में प्रतापसिंह के खेत से शीलेन्द्र के ट्यूबवेल तक खडंजा	257004	10280
37	सोरखा में वीरपाल के खेत से मन्दिर तक खडंजा	143000	5720
38	सोरखा में अमर रोड से बंगाली के खेत तक खडंजा	201740	8070
39	सैलार में मुरारी के घर से श्यामवीर के घर तक खडंजा	211706	8468
40	सैलार में मुरारी के घर से श्यामवीर के घर तक खडंजा शेषभाग	87226	3489
	योग		349388.00

इस प्रकार रू0 **349388.00** से सम्बन्धित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 36 :- वर्ष 2012-13 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय निर्धारित 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है। जो की जानी अपेक्षित थी। लेखा परीक्षा में वर्षवार/मदवार निम्नलिखित रूप से लेबर सेस आकलित किया गया जो वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। :-

क्र0	वर्ष का नाम	मद का नाम	सामग्री /बिल की धनराशि	लेबर सेस 1 प्रतिशत
1	2012-13	राज्य वित्त/तेरहवां वित्त	4624166	46242
2		मनरेगा	5595843	55958
3		वर्ष का कुल लेबर सेस		102200
4	2013-14	राज्य वित्त/तेरहवां वित्त	11840468	118405
5		मनरेगा	8731356	87314
6		वर्ष का कुल लेबर सेस		205719
7	2014-15	राज्य वित्त/तेरहवां वित्त	3934429	39344
8		मनरेगा	6219565	62196
9		आंगनबाड़ी/बी0आर0जी0एफ0	5980209	59802
10		वर्ष का कुल लेबर सेस		161342
11	2015-16	राज्य वित्त/तेरहवां वित्त	2506481	25065
12		वर्ष का कुल लेबर सेस		25065
13	2016-17	राज्य वित्त/तेरहवां वित्त	3919872	39199
14		वर्ष का कुल लेबर सेस		39199

इस प्रकार रू0 **533525.00** से सम्बन्धित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 37 :- वर्ष 2014-15 में मनरेगा पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री क्रय के बिलों से निर्धारित 2.24 प्रतिशत की दर से या तो कटौती नहीं की गयी या फिर कम कटौती की गई है। जो आपत्तिपूर्ण है लेखा परीक्षानुसार वर्ष 2014-15 के बिलों से कुल ₹0 18546.00 की कम कटौती की गयी जो अविलम्ब जमा करावायी जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	कार्य का नाम	बिल की धनराशि	2% आयकर	आयकर जो काटा गया	अन्तर
1	किशोरपुर में नेत्रपाल के घर से पुराने खंडजा तक एवं पुराने खंडजा से मन्दिर तक खंडजा	17316	388		388
2	मुहारा में गौशाला से बम्बा तक दूसरी तरफ सम्पर्क मार्ग	47424	1062		1062
3	कुतुबपुर में अहवरन सिंह के मकान से नेकसे तक खंडजा	18876	423		423
4	दाबपुर में रामसनेही के घर से हॉस्पिटल एवं रामदास के घर से दिनेश के घर तक खंडजा	272471	6228	5561	667
5	दाबपुर में मारहरा रोड से अश्वनी के घर तक खंडजा	216739	4954	4423	531
6	दाबपुर में प्रेमपाल के मकान से गजराज सिंह के घरतक खंडजा	210630	4718	4213	505
7	पलिया सोगेरा मार्ग से नगला दलीप में नत्थू सिंह के आश्रम तक खंडजा	248243	5561	4965	596
8	हिम्मतपुर में प्रा0पाठशाला से रनवीर के खेत तक खंडजा	218453	4893	4370	523
9	हिम्मतपुर में जितेन्द्र सिंह के खेत से सूरज सिंह के घर तक खंडजा	198594	4449	3972	477
10	खरगपुर डामर रोड से गंगा प्रसाद के मकान तक खंडजा	278032	6228	5561	667
11	खरगपुर डामर रोड से रामवीर के मकान तक खंडजा	268102	6005	5362	643
12	नगला दुबे में साधूसिंह की झोपड़ी से सत्यपाल के मकान तक खंडजा	59508	1557	1390	167
13	बमनई गांव से गिरजा शंकर के खेत तक खंडजा	268102	6005	5362	643
14	बमनई में गिरजा शंकर के खेत से भगवान स्वरूप के खेत तक खंडजा	228383	5116	4568	548
15	पचपेड़ा में मदनलाल के घर से चक रोड तक खंडजा एवं नाली	253428	5678	5069	609
16	पचपेड़ा में तिलक सिंह के घर से नत्थू सिंह के घर तक खंडजा एवं नाली	176179	3947	3524	423
17	नगला खिल्ली मार्ग से मानसिंह के घर तक खंडजा नाली	297402	6662	5949	713
18	मुख्य मार्ग से हरदयाल के घरतक खंडजा नाली	323389	7244	6234	1010
19	नगला बंदी मार्ग से अमृत पाल ठाकुर तक खंडजा	297891	6673	5958	715
20	नगला बंदी में राकेश के खेत से न0 मनी डामर रोड तक खंडजा	297891	6673	5958	715
21	पैसई में महेश के मकान से अशोक के खेत तक खंडजा	268101	6005	5362	643
22	पैसई में महेश के मकान से अशोक के खेत तक खंडजा	258172	5783	6163	620
23	नगला गलू में डामर रोड से रामचन्द्र की चक्की तक खंडजा	278031	6228	5561	667
24	न0गलू में कमलेश के खेत से गिरजाशंकर	198594	4449	3972	477

	के खेत तक खड़जा				
25	न0गलू में मुलायम सिंह के खेत से नासिर पुर मंदिर तक खड़जा	148945	3336	2979	357
26	न0 दली में सत्यपाल सिंह के मकान से सत्यवीर के मकान तक खड़जा	270810	6066	5416	650
27	किशोरपुर में मंदिर से मानपाल के खेत तक खड़जा	153459	3437	3069	368
28	दाबपुर में मारहरा रोड से अश्वनी के घर तक खड़जा व पुलिया	176509	3954	3530	424
29	नगला इमलिया से बाई ग्राम सम्पर्क मार्ग तक पुलिया निर्माण	132331	2964	2647	217
30	गहरसा में आवागठा निधौली मार्ग से मां दुर्गा तक खड़जा	54162	1213	1083	130
31	मुमिया खेड़ा में मानसिंह के खेत से नगला बंडी डामर रोड एवं डामर रोड से नहर तक स0मा0	83398	1868		1868
	कुल योग				18546.00

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 38 :- वर्ष 2014-15 में मनरेगा पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं कर शासकीय राजस्व को हानि पहुंचाई जा रही है जो गम्भीर आपत्ति का बिन्दु है। लेखा परीक्षा अनुसार वर्ष में मनरेगा मद के कार्यों में हुए भुगतानों पर कुल रु0 248826.00 का वैट कटना चाहिए। अतः उक्त धनराशि अविलम्ब जमा करवाई जानी अपेक्षित है।

क्र0	कार्य का नाम	बिल की धनराशि	4 प्रतिशत वैट की धनराशि
1	किशोरपुर में नेत्रपाल के खेत से पुराना खंडजा तक एवं पुराना खंडजा से मन्दिर तक खंडजा निर्माण	17316	693
2	मुहारा में गौशाला से बम्बा तक पूर्वी तरफ सम्पर्क मार्ग	47424	1897
3	दाबपुर में रामसनेही के घर से हॉस्पिटल तक एवं रामदास के घर से वीरेश के घर तक खंडजा	272471	11121
4	दाबपुर में मारहरा रोड से अश्वनी के घर तक खंडजा	221162	8846
5	दाबपुर में प्रेमपाल के मकान से गजराज सिंह के मकान तक खंडजा	210630	8425
6	पलिया सोगेरा मार्ग से न0दलीप में नत्थू सिंह के आश्रम तक खंडजा	248243	9930
7	हिम्मतपुर में प्रा0पाठशाला से रनवीर के खेत तक खंडजा	218453	8738
8	हिम्मतपुर में जितेन्द्र सि हके खेत से सूरज सिंह के घर तक खंडजा	198594	7944
9	खरगपुर डामर रोड से गंगा प्रसाद के मकान तक खंडजा	278032	11121
10	खरगपुर डामर रोड से रामवीर के मकान तक खंडजा	268102	10724
11	नगला दुबे में साधू सिंह की झोपड़ी से सत्यपाल के मकान तक खंडजा	69508	2780
12	बमनई गांव से गिरजा शंकर के खेत तक खंडजा	268102	10724
13	बमनई में गिरजा शंकर के खेत से भगवान स्वरूप के खेत तक खंडजा	228383	9135
14	पचपेड़ा में मदनपाल के घर से चक रोड तक खंडजा/नाली	253428	10137
15	पचपेड़ा में तिलक सिंह के घर से नत्थूसिंह के घर तक खंडजा एवं नाली	176189	7048
16	नगला खिल्ली मार्ग से मानसिंह के घर तक खंडजा/नाली	297408	11896
17	मुख्य मार्ग से हरदयाल के घर तक खंडजा/नाली	323389	12936
18	नगला बंदी मार्ग से अमृत पाल ठाकुर के खेत तक खंडजा	297891	11916
19	नगला बंदी में राकेश के खेत से न0 मनी डामर रोड तक खंडजा	297891	11916
20	पैसई में महेश के मकान से अशोक के खेत तक खंडजा	268101	10724
21	पैसई के रनवीर के खेत से शमशान घाट तक खंडजा	258172	10327
22	न0गलू में डामर रोड से रामचन्द्र की चक्की तक खंडजा	278031	11121
23	न0 गलू में कमलेश के खेत से गिरजा शंकर के खेत तक खंडजा	198594	7944
24	न0 गलू में मुलायम सिंह के खेत से नासिल पुर मंदिर तक खंडजा	148945	5958
25	न0 दली में सत्यपाल सिंह के मकान से सत्यवीर के मकान तक खंडजा	270810	10832
26	किशोरपुर में मंदिर से मानपाल के खेत तक खंडजा	153459	6138
27	दाबपुर में मारहरा रोड से अश्वनी के घर तक खंडजा/पुलिया	176509	7060
28	न0इमलिया से वाईग्राम स0मार्ग परपुलिया	132331	5293
29	गहरसा में अवागढ़ निधौली मार्ग से मां दुर्गा तक खंडजा	54162	2166

30	मुमिया खेड़ा में मानसिंह के खेत से नगला बंदी डामर रोड एवं डामर रोड से नहर तक सम्पर्क मार्ग	83398	3336
	कुल योग		248862.00

इस प्रकार रू0 **248862.00** से सम्बन्धित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 39 :- क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में शासनादेश ए-1-122/दस-2012-10/33/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार किसी संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राज्य कोष में जमा करा देना चाहिए ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है वर्ष 2012-13 से 2016-17 में अनुदान पंजी अनुसार राजकीय अनुदानों पर ब्याज कमाया गया विवरण निम्नवत है:-

क्र0	वर्ष	प्रा0अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1	2012-13	1478528.83	1208963.09	2479164.93	208326.94
		—	523268.93	200000.00	323268.93
		1478528.83	1732232.08	2679164.93	531595.92
2	2013-14	208326.99	52092.02	238327.50	22091.51
		323268.93	47342.00	370610.93	—
		531595.92	99434.02	608938.43	22091.51
3	2014-15	22091.51	40841	3861	59171.51
4	2015-16	59071.51	6514	224	65361.51
5	2016-17	65361.51	42050.90	251	107153.41
			3059.00	232	2827.00
		65361.61	45109.90	491	109980.41

उपरोक्त विवरण अनुसार ब्याज कमाया गया जिसमें 2012-13 में 1732232.02 वर्ष 2013-14 में रू0 99434.02 वर्ष 2014-15 रू0 40841.00 वर्ष 2015-16 में रू0 6514 वर्ष 2016-17 में रू0 45109.90 का ब्याज अर्जित किया गया जिसे नियमानुसार राजकोष में जमा नहीं किया गया यह शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन न हो।

वर्ष 2012-13 अर्जित ब्याज का उपभोग रू0 2679164.93 वर्ष 2013-14 में रू0 608938.43 वर्ष 2014-15 रू0 3861.00 वर्ष 2015-16 में रू0 224.00 वर्ष 2016-17 में रू0 491.00 का उपभोग किया गया उक्त व्यय की पुष्टि में साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ।

वर्षान्त में वर्ष 2012-13 में 531595.92 वर्ष 2013-14 रू0 22091.51 वर्ष 2014-15 में रू0 59071.51 वर्ष 2015-16 में 65361.51 वर्ष 2016-17 में 109980.41 को राजकोष में जमा न करके शासनादेश के विपरीत रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 40 :- वर्ष 2016-17 में चतुर्थ राज्य वित्त मद से विभिन्न ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई गई। जिसमें रू0 20950/नग लाइट की दर से कुल 78 लाइट की खरीद का कुल रू0 1601418.00 व्यय किया गया उक्त के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएँ प्राप्त हुई—

शासकीय निर्देशों के विपरीत नेडा से लाइट क्रय न कर निजी फर्म से क्रय किया गया।

टेण्डर शर्तों में परिवर्तन कर लाइटों पर तीन वर्ष की गारण्टी मांगी गई जबकि नेडा द्वारा पांच वर्षों में गारण्टी दी जाती है।

सभी लाइट्स की फोटोग्राफ्स पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई।

प्रति लाइट स्थापना की अलग-अलग आईडी नहीं बनाई गई।

स्पष्ट है कि शासकीय नियमों/निर्देशों को अनदेखा कर एवं टेण्डर शर्तों में बदलाव कर कार्य में गंभीर अनियमितता वरती गई। अतः उक्त भुगतान संदिग्ध रहा जिसकी वसूली श्री ज्ञान सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्रीमती मिथलेश कुमारी यादव ब्लॉक प्रमुख, श्री रूपेन्द्र सिंह जे ई (आरईडी) एवं श्री राघवेन्द्र सिंह एडीओ(पी) से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – जलेसर, जिला एटा।

प्रस्तर 41:- वर्ष 2012-13 विभिन्न मद से कराये गये निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं कर रू0 209371.00 की राजस्व को हानि पहुंचाई गई जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सचिन खण्ड विकास अधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री मुकेश कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार रहा –

क्र०	कार्य का नाम	फर्म का नाम	चैक सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	लेखा परीक्षा अनुसार 4 प्रतिशत वैट की धनराशि
1	नगला नैनसुख में खंडजा निर्माण प्रथम (मनरेगा)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	—	156780	6271
2	नगला नैनसुख में खंडजा निर्माण प्रथम (शेष कार्य)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	825027 / 19.10.12	156240	6250
3	मुइद्दीनपुर में खंडजा निर्माण (मनरेगा)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	825029 / 19.10.12	178560	7142
4	सिमराउ में मेघसिंह की पठार पर खंडजा (मनरेगा)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	825036 / 26.10.12	188100	7524
5	नगला धनी खंडजा कार्य (मनरेगा)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	825035 / 26.10.12	203040	8122
6	हसनगढ़ माता मन्दिर के लिए खंडजा (मनरेगा)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	825464 / 21.11.12	260190	10408
7	कासिमपुर में खंडजा(मनरेगा)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	825487 / 15.01.13	271872	10875
8	कासिमपुर में नाली (मनरेगा)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	82503 / 25.03.13	463902	1856
9	खेड़ा ग्वारउ में नाली निर्माण (13वां वित्त)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	252 / 25.3.12 218 / 11.05.12	211720	8469
10	मगवाई में पुल मरम्मत कार्य (13वां वित्त)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	215 / 10.05.12	62878	2515
11	ग्यारउ में आरबीएस इटर कालेज से तालाब तक नाली (बीआरजीएफ)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल यशवार बिल्डिंग मैटेरियल	215 / 10.05.12 215 / 10.05.12	216291 216292	8652 8652
12	गजेन्द्र सिंह के घर तक (आगरा रोड से) रा०वि०	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	215 / 10.05.12	577607	23104
13	प्रमुख कक्ष जीर्णोद्धार (13वां वित्त)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	229 / 09.02.13	134298	5372
14	खानपुर में बाईपास तक इण्टरलॉकिंग कार्य (राज्यवित्त)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	205 व 206 / 14.09.12	586484	23459
15	ब्लॉक परिसर समतलीकरण कार्य (13वां वित्त)	—	—	—	—
16	ब्लॉक परिसर में नाली निर्माण (13वां वित्त)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	227 / 08.02.13	151440	6058
17	शेरपुर में नाली निर्माण/इण्टर कार्य (रा०वि०)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	49 / 17.05.12 35 / 19.05.12	1616040	64642
	कुल योग				209371

प्रस्तर 42 :- वर्ष 2012-13 विभिन्न मद से कराये गये निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं कर रु० 209371.00 की राजस्व को हानि पहुंचाई गई जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सचिन खण्ड विकास अधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री मुकेश कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार रहा —

क्र०	कार्य का नाम	फर्म का नाम	चैक सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	लेखा परीक्षा अनुसार 4 प्रतिशत वैट की धनराशि
1	कर्थिनी में पक्की सड़क से वीरपाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग (राज्यवित्त)	अग्रवाल बिल्डिंग मैटेरियल	700844 / 09.05.13	760427	30417
2	सोना में पक्की सड़क से मस्जिद तक इण्टरलॉकिंग (राज्यवित्त)	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	138257 / 27.10.13 700859 / 17.10.13	59200 273167	2368 10927
3	शाहनगर टिमरूआ में तिपरिया से	गणपति बिल्डिंग	138275 / 18.02.14	887831	35513

	भूदेव के मकान तक इण्टरलॉकिंग (राज्यवित्त)	मैटेरियल	138272 / 06.01.14		
4	किसर्रा (सिमराउ) में महेन्द्र सिंह के मकान से रामस्वरूप के मकान तक इण्टरलॉकिंग (राज्यवित्त)	गणपति मैटेरियल बिल्डिंग	29659 / 13.07.14 29653 / 26.02.14	359511	14380
5	नगला बयार (सिमराउ) में बहादुर के मकान से गंगासिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली (राज्यवित्त)	गणपति मैटेरियल बिल्डिंग	29653 / 26.02.14	208448	8338
6	समसपुर में वहोरी सिंह के घर से राधे"याम के घर तक सी0सी0 व नाली (राज्यवित्त)	गणपति मैटेरियल बिल्डिंग	29564 / 26.02.14	86394	3456
7	नगला तिरखा (राजमल टिमरूआ) में रामअवतार के मकान से हरिओम के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली (राज्यवित्त)	गणपति मैटेरियल बिल्डिंग	29655 / 26.02.14	312083	12483
8	ब्लॉक परिसर में वाउण्ट्री वाल का निर्माण नाली (13वां वित्त)	अग्रवाल मैटेरियल बिल्डिंग	700841 / 01.05.13	44990	1800
9	रामकिशन मास्टर के मकान से स्कूल तक नालीनिर्माण	अग्रवाल मैटेरियल बिल्डिंग	700847 / 01.07.13	224091	8964
10	उपेन्द्र के मकान से सी0सी0 तक इण्टर लॉकिंग (13वां वित्त)	अग्रवाल मैटेरियल बिल्डिंग	700484 / 01.07.13	134559	5382
11	मौजमपुर में पृथ्वी सिंह के मकान से स्कूल तक नाली निर्माण (13वां वित्त)	अग्रवाल मैटेरियल बिल्डिंग	700849 / 01.07.13	157414	6257
12	समसपुर पथौली में कालीचरन के मकान से भूदेव के मकान तक इण्टरलॉकिंग (13वां वित्त)	अग्रवाल मैटेरियल बिल्डिंग	700850 / 01.07.13	307358	12294
13	रनौसा में दीवान सिंह के घर से ओमप्रकाश इण्टरलॉकिंग कार्य (13वां वित्त)	गणपति मैटेरियल बिल्डिंग	138251 / 17.10.13	805795	32272
14	नगला बबूल के रमेश पण्डित के मकान से उमेश के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली कार्य (13वां वित्त)	गणपति मैटेरियल बिल्डिंग	138269 / 20.12.13 138265 / 16.12.13	440615	17625
15	सिमराउ पुल के पास (यू टाइप) पक्की नाली निर्माण (मनरेगा)	गणपति मैटेरियल बिल्डिंग	—	139118	5565
16	भुरिका नहर से कमल सिंह के घर तक खंडजा (मनरेगा)	गणपति मैटेरियल बिल्डिंग	—	191708	7668
17	गउशाला रोड से नगला मदारी तक खंडजा (मनरेगा)	गणपति मैटेरियल बिल्डिंग	—	145376	5815
18	कोसमा से नगला बुली तक खंडजा (मनरेगा)	गणपति मैटेरियल बिल्डिंग	—	213092	8524
19	कोसमा में धर्मेन्द्र के खेत तक खंडजा(मनरेगा)	गणपति मैटेरियल बिल्डिंग	—	201737	8069
20	सिमराउ नदी पर पुल निर्माण कार्य (बीआरजीएफ)	अग्रवाल मैटेरियल बिल्डिंग गणपति मैटेरियल बिल्डिंग	03 / 13.05.13 04 / 13.06.13 158 / 21.10.13 121 / 23.11.13	964980	38599
	कुल योग				276676.00

प्रस्तर 43 :- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त मद की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय निर्धारित 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वैट की कटौती न कर राजस्व की हानि की गयी। उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार रहा -

क्र०	पत्रावली सं०	कार्य का नाम	भुगतान किये बिल की धनराशि	लेखा परीक्षा अनुसार वैट की धनराशि
1	02	जलेसर देहात में गडशाला रोड पर नाली निर्माण	591515	23661
2	01	नगला जीवाराम से नगला विजयी तक खंडजा	217899	8716
3	03	नगला भजन में पक्की सड़क से पचौरी के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण	501269	20051
4	—	मिसौली में बम्बी सेजितेन्द्र के मकान तक इण्टर लॉकिंग व नाली निर्माण	342521	13701
5	—	मिसौली में बम्बा से स्कूल तक खंडजा निर्माण	360066	14403
6	—	इसौली जलेसर मार्ग से शैलेश कॉलेज तक इण्टर लॉकिंग कार्य	232641	9306
7	—	सिमराउ में सहदेव की समर तक प्रथम 400 मी० में खंडजा व नाली पार्ट 1	615741	24630
8	—	सिमराउ में सहदेव की समर तक प्रथम 400 मी० में खंडजा व नाली पार्टी 2	792817	31713
9	—	शाहनगर सिमराउ के नगला खीरी में प्राथ०पा० से रेलवे लाइन तक दोनों तरफ नाली निर्माण	430377	17215
		कुल योग		163396.00

प्रस्तर 44 :- वर्ष 2014-15 में विभिन्न मदों की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय निर्धारित 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वैट की कटौती न कर राजस्व की हानि की गयी। उक्त की ब्याज सहित वसूली श्री भगवान सिंह चौहान खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार रहा -

क्र०	पत्रावली सं०	कार्य का नाम	भुगतान किये बिल की धनराशि	लेखा परीक्षा अनुसार वैट की धनराशि
1	4	पलरा में हाथरस रोड से मुकेश गौतम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य (तेरहवां वित्त)	380754	15230
2	1	हसनगढ़ माता के मन्दिर तक खंडजा (तेरहवां वित्त)	225104	9005
3	2	देवकरनपुर में अगरपुर पक्की सड़क से रामेश्वर के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य(तेरहवां वित्त)	624691	24988
4	5	देवकरनपुर में खेड़ा से बिरजू वीर नगर तक खंडजा (तेरहवां वित्त)	545062	21803
5	3	समसपुर में न. बब्लू डामर रोड से चरनसिंह के मकान तक खंडजा	201086	8044
6	2	उचांगावं से नगला पृथ्वी तक मिट्टी/खंडजा (रा०वि०)	693716	27749
7	1	ब्लाक संसाधन केन्द्र में पेन्ट आदि कार्य (रा०वि०)	19420	777
8	3	नगवाई के संतोष के मकान से स्कूल तक मिट्टी व खंडजा कार्य (रा०वि०)	753766	30151
9	7	ब्लॉक संसाधन केन्द्र मरम्मत कार्य(तेरहवां वित्त)	25092	1004
10	—	नगला श्रीकृष्ण में पक्की सड़क से रूपासिंह के द्वारा तक खंडजा व नाली निर्माण (तेरहवां वित्त)	516814	20673
		कुल योग		159424.00

प्रस्तर 45 :- वर्ष 2016-17 में राज्यवित्त/तेहवां वित्त की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय निर्धारित 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वैट की कटौती न कर राजस्व की हानि की गयी। उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार रहा -

क्र०	पत्रावली सं०	कार्य का नाम	पद का नाम	भुगतान किये बिल की धनराशि	लेखा परीक्षा अनुसार वैट की धनराशि
1	8	जलेसर देहात में कुशवाहा लि० मैटेरियल से नाले तक आर०सी०सी० पाइप लाइन निर्माण	रा०वि०	84790	3392
2	5	जलेसर देहात में आगरा चौराहे से कुशवाहा से तालाब तक नाली निर्माण	रा०वि०	961834	38473
3	6	कोसमा में प्रकाशचन्द्र कुशवाहा के मकान से तालाब तक नाली निर्माण	रा०वि०	879537	35181

4	4	राजमलपुर टिमरूआ में नगला तिरवा लिंक मार्ग से प्रा0वि0 तक इण्टरलॉकिंग व नाली	रा0वि0	950339	38014
5	3	काजीपुर बदनपुर के गोविंद गढ़ी से सन्तोष के मन्दिर के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली	रा0वि0	644635	25785
6	1	सालवाहनपुर में हाथरस बस अड्डे से दिनेश फौजी के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली	रा0वि0	1056183	42247
7	10	काजीपुर बदनपुर में दीपचन्द्र के मकान से शंकपाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली	रा0वि0	116101	4644
8	11	सकरौली के मजरा ब्रजपुर में परिक्रमा मार्ग से पथवारी तक इण्टरलॉकिंग व नाली	रा0वि0	1381254	55250
9	7	वि0स0परिसर में रंगाई, पुताई एवं निर्माण कार्य	रा0वि0	68294	2732
10	9	काजीपुर बदनपुर में आर0सी0सी0 से सतेन्द्र के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली	रा0वि0	118344	4734
11	2	न0 मिलन में पिलोरवन में दलवीर प्रधान के घर से प्रा0वि0 तक इण्टरलॉकिंग व नाली	रा0वि0	369671	14787
		कुल योग			265239.00

प्रस्तर 46 :- वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक बी0आर0जी0एफ0 मद की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय निर्धारित 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं कर राजस्व की हानि की गयी। विवरण निम्नानुसार रहा -

क्र0	पत्रावली सं0	वर्ष	कार्य का नाम	बिल की धनराशि	वैट की धनराशि
1		2015-16	कर्थिनी में रामनाथ के घर से जयप्रकाश के घर तक सी0सी0कार्य	569067	22763
2		2015-16	सराय राजनगर में सिकन्दरा रोड से बाईपास माता के मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	803191	32128
			कुल योग		54891.00

उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 47 :- वर्ष 2014-15 से 2016-17 आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय निर्धारित 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वैट की कटौती न कर राजस्व की हानि की गयी। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार रहा -

क्र0	पत्रावली सं0	कार्य का नाम	वर्ष	बिल की धनराशि	वैट की धनराशि
1		आंगनवाड़ी केन्द्र बछैपुरा राम0लो0स0ग्रा0 विकास योजना के अन्तर्गत	2014-15	473836	18954
2		आंगनवाड़ी केन्द्र सोना राम0लो0स0ग्रा0 विकास योजना के अन्तर्गत	2014-15	451119	18045
3		आंगनवाड़ी केन्द्र मई विकास योजना के अन्तर्गत	2014-15	418557	16743
4		आंगनवाड़ी खेड़ागवारड राम0लो0स0ग्रा0 विकास योजना के अन्तर्गत	2014-15	432427	17954
5		आंगनवाड़ी कर्थिनी राम0लो0स0ग्रा0 विकास योजना के अन्तर्गत	2014-15	473835	18954
6		आंगनवाड़ी दौलतपुर मुश्की राम0लो0स0ग्रा0 विकास योजना के अन्तर्गत	2014-15	473835	18954
		कुल योग			109604

प्रस्तर 48 :- वर्ष 2014-15 की मनरेगा मद की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय निर्धारित 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वैट की कटौती न कर राजस्व की हानि की गयी। जो आपत्तिजनक है, उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्डविकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार रहा -

क्र0	पत्रावली सं0	कार्य का नाम	बिल की धनराशि	वैट की धनराशि
1		नगला अन्नी ग्राम से तालाब तक पक्की नाली निर्माण	219685	8787
2		प्राइमरी स्कूल से तालाब तक पक्की नाली निर्माण	124004	4960
3		बिलजुन बम्बा से नं0 श्रीकृष्णा तक खंडजा निर्माण 1	185856	7434
4		बिलजुन बम्बा से नं0 श्रीकृष्णा तक खंडजा निर्माण 2	158752	6350
5		बम्बा से नगला भानुप्रताप के घर तक खंडजा निर्माण	262000	10516

6		नगला सुखदेव में लिंकरोड से सौदान के खेत तक सड़क निर्माण		
		कुल योग		38047.00

प्रस्तर 49 :- वर्ष 2016-17 की मनरेगा मद की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय निर्धारित 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वैट की कटौती न कर राजस्व की हानि की गयी। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार रहा -

क्र०	पत्रावली सं०	कार्य का नाम	बिल की धनराशि	वैट की धनराशि
1	8	सिमराउ में तालाब से रमेश प्रधान की समर तक चक		
2	9	काजीपुर बदनपुर में सी०सी० मार्ग से वौपारी के घर तक खंडजा निर्माण	140550	5622
3	11	जलेसर देहात में बचान सिंह के मकान से वीरेन्द्र के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली	303609	12145
4	12	समसपुर में भूरगडडा से नगला नैनसुख तक खंडजा	253530	10141
5	14	शाहनगर ति० में नगला श्रीकृष्ण रोड से नीलू के घर तक मिट्टी/खंडजा	103800	4152
		कुल योग		32060.00

प्रस्तर 50 :- वर्ष 2016-17 की मनरेगा मद की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान करते समय आपूर्ति कर्ता के बिलों से निर्धारित आयकर 2.24 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती नहीं की गयी है जिससे राजस्व की हानि की गयी। स्पष्टीकरण अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार रहा -

क्र०	पत्रावली सं०	कार्य का नाम	बिल की धनराशि	आयकर कटौती 2.24% की जानी थी	कटौती जो की गयी	राशि अन्तर
1	8	सिमराउ में तालाब से रमेश प्रधान की समर तक चक				
2	9	काजीपुर बदनपुर में सी०सी० मार्ग से वौपारी के घरतक खंडजा निर्माण	140550	3148	3149	1
3	11	जलेसर देहात में बचान सिंह के मकान से वीरेन्द्र सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण	303609	6801		6801
4	12	समसपुर में भूरगडडा से नगला नैनसुख तक खंडजा	253530	5679		5679
5	14	शाहनगर ति०में नगला श्रीकृष्ण रोड से नीलू के घर तक मिट्टी/खंडजा	108800	2325		2325
		कुल योग				14804.00

उपरोक्तानुसार रू० 14804.00 के आयकर की कटौती न कर राजस्व की हानि पहुंचाई गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 51 :- वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत जलेसर द्वारा राज्यवित्त योजनान्तर्गत ग्राम सभा काजीपुर बदनपुर में आर०सी०सी० से सत्येन्द्र के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य का अनुमानित प्राक्कलन लागत रू० 141368.00 की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता ग्रा०अभि०वि० एटा से ली गयी जिसमें सामग्री पर व्यय रू० 122768.00 तथा श्रमांश पर व्यय रू० 18599.00 का आकलन कर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :-

- 1) अनुमानित प्राक्कलन लागत की दरों की स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता ग्रा०अभि०वि० अधिकृत है अतः प्राक्कलन में दर्शित दरों की पुष्टि पीडब्लूडी से करायी जानी अपेक्षित है।
- 2) पत्रावली में अन्य कार्यदायी संस्थाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाये गये जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, मण्डी समिति, पीडब्लूडी आदि।
- 3) स्वीकृति प्राक्कलन में ले आउट प्लान, साइट प्लान, की प्लान संलग्न नहीं पाये गये जिन्होंने पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
- 4) स्वीकृति तकनीकी एवं वित्तीय प्राक्कलन के सापेदन नामित कार्यप्रभारी श्री श्यामसिंह सिसौदिया द्वारा कार्य पर कुल व्यय रू० 136680.00 का व्यय भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया विवरण निम्न प्रकार है :-
(क) सामग्री पर व्यय रू० 109944.00 मिट्टी कार्य ट्रेक्टर द्वारा रू० 8400.00 मजदूरी पर मस्टरोल रू० 18336.00 का किया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

सामग्री पर व्यय का मैटेरियल भोलेबाबा ट्रेडर्स जलेसर अवागढ़ के बिल सं०-7 दिनांक 02.01.2017 रू० 77103.00 को भुगतान हेतु स्वीकृति किया गया जिस पर नियमानुसार आयकर कटौती 2.24 प्रतिशत से रू० 1727.00 करके 75375.00

का भुगतान सप्लायर को किया गया। उक्त बिल पर व्यापार 4 प्रतिशत की दर से ₹0 3085.00 की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गयी कुल ₹0 3085.00 की राजकीय राजस्व की हानि की गयी।

मैटेरियल भोलेबाबा ट्रेडर्स जलेसर अवागढ़ के बिल सं0 53 दिनांक 06.01.2017 से ₹0 32841.00 का स्वीकृति किया गया जिस पर आयकर 2.24 प्रतिशत से कटौती की जानी ₹0 736.00 की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गयी एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से ₹0 1314.00 की कटौती की जानी थी जो नहीं की गयी। कुल ₹0 2050.00 के राजकीय राजस्व की हानि की गयी।

(ख) मस्टररोल से किये गये भुगतान ₹0 18336.00 में मजदूरी का भुगतान किया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

मजदूरों की मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था भुगतान नगद किया गया, स्थिति स्पष्ट की जाये।

मजदूरी के भुगतान में नाम अंकित कर निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं किये गये जो किये जाने अपेक्षित थे।

(ग) ट्रेक्टर से मिट्टी कार्य कराया गया जिस पर ₹0 8400.00 का भुगतान ट्रेक्टर स्वामी को किया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

ट्रेक्टर द्वारा व्यवसायिक कार्य किया गया अतः व्यासायिक कार्य हेतु लाइसेंस पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

मिट्टी कार्य ट्रेक्टर से कराये जाने हेतु फार्म एम0एम0 2 (वैध अभिवहन प्रमाणपत्र) पत्रावली में नहीं पाया गया। इस प्रति स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

स्पष्ट है कि उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता वरती गई अतः उक्त ₹0 672677.00 की ब्याज सहित वसूली श्री भगवान सिंह चौहान, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अनिल कुमार एडीओ (ओ) से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 52 :- वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत जलेसर द्वारा तेरहवां वित्त योजना अन्तर्गत कार्य का नाम-ग्राम पंचायत नगला श्री कृष्ण में सड़क से रूपसिंह के घर तक खंडजा एवं नाली निर्माण की स्वीकृती प्राक्कलन लागत ₹0 07.07 लाख की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0वि0 एटा से ली गयी जिसमें मैटेरियल कास्ट ₹0 538933.00 तथा श्रमांश पर व्यय ₹0 164366.00+ एस0आई0एफ0 ₹0 4000.00 कुल ₹0 707299.00 की तैयार किया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है:-

1) (क) निर्माण कार्य की तकनीकी प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0वि0 अधिकृत नहीं है तकनीकी प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति हेतु एडीओ एवं सिंचाई विभाग ही अधिकृत है। अतः प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति एडीओ विभाग से कराकर माप पुस्तिका में दर्ज कर भुगतान किया जाना अपेक्षित था। माप पुस्तिका की जांच एडीओ से कराकर भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

(ख) स्वीकृति तकनीकी प्राक्कलन पत्रावली में निर्माण कार्य का तो आउट प्लान, साइट प्लान, की प्लान संलग्न नहीं पाये गये जिन्हे संलग्न किया जाये।

(ग) निर्माण कार्य पत्रावली में अन्य कार्यवाही विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र कर रखे जाने अनिवार्य थे यथा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत मण्डी समिति व अन्य कार्यकारी संस्थओं अनापत्ति प्रमाणपत्र कर रखा जाये।

2) स्वीकृति वित्तीय एवं तकनीकी प्राक्कलन में मैटेरियल कास्ट ₹0 538933.00के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार ए0डी0ओ0(ई) द्वारा निम्न सामग्री बिलों के भुगतान की संतुति की गयी विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	फर्म का नाम	बिल सं0/दिनांक	धनराशि	टिप्पणी
1	यशवीर बिल्डिंग मैटेरियल मंगेश्वर रोड जलेसर एटा	02/31.08.2015	361613	स्वीकृति किया गया।
2	यशवीर बिल्डिंग मैटेरियल मंगेश्वर रोड जलेसर एटा	03/05.09.2015	155201	स्वीकृति किया गया।
	कुल योग		516814.00	

उपरोक्त स्वीकृति बिलों में नियमानुसार आयकर 2.24 प्रतिशत व्यापार कर 4 प्रतिशत था। भुगतान किया जाना था। जबकि बिलों से आयकर की ही कटौती कर भुगतान किया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है। :-

(क) उपरोक्त बिलों से नियमानुसार आयकर 2.24 प्रतिशत की कटौती क्रमशः ₹0 8100.00 + ₹0 34700.00 कुल ₹0 11577.00 की जमा की पुष्टि चालान पत्रावली में संलग्न नहीं किये गये आयकर जमा के चालान संलग्न किये जायें।

(ख) उपरोक्त स्वीकृति बिलों से नियमानुसार व्यापार कर 4 प्रतिशत की कटौती श्रोत पर की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गयी।

स्वीकृति बिल की राशि	व्यापार कर 4 प्रतिशत
₹0 361613.00	14465.00
₹0 155201.00	6208.00
योग ₹0 516814 .00	20673.00

₹0 20673.00 के व्यापार कर के राजकीय राजस्व की कटौती कर हानि पहुंचायी गयी स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ग) निर्माण कार्य में ट्रेक्टर द्वारा मिट्टी कार्य कराया गया जिसपर कुल ₹0 52800.00 का भुगतान ट्रेक्टर स्वामियों को किया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(I)ट्रैक्टर स्वामियों द्वारा व्यवसायिक कार्य किया गया। व्यवसायिक कार्य हेतु पंजीकरण/लाइसेन्स पत्रावली में नहीं रखा गया।

(II)ट्रैक्टर स्वामियों को भुगतान करते समय व्यवसायिक कार्यों पर आयकर अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार 20 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती की जानी अपेक्षित थी। जिसे भुगतान करते समय कटौती नहीं की गयी इस प्रकार रु0 10560.00 के आयकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी स्थिति स्पष्ट की जाये।

(III)व्यवसायिक कार्य हेतु प्रयोग किये गये ट्रैक्टर स्वामियों वैध अभिवहन प्रमाणपत्र (फार्म एम0एम0 1) पत्रावली में नहीं पाये गये। स्थिति स्पष्ट की जाये।

3) निर्माण कार्य लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के माध्यम से किये गये कुल रु0 103063.00 का भुगतान स्वीकृत कर चेक कार्य प्रभारी को दिया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(क) मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। राजकीय निर्देशानुसार मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार मजदूरों के बैंक खातों में किया जाना अपेक्षित था। पत्रावली बैंक एडवांस एवं मस्टर रोल के साथ मजदूरों के बैंक खातों का विवरण संलग्न नहीं पाया गया कि मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। जो राजकीय आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ख) मस्टर रोल पर मजदूरों के निशान अंगूठा नाम अंकित कर प्रमाणित किये जाने अपेक्षित थे जो नहीं किये गये।

4) निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जाने अपेक्षित थे जिन्हें नहीं रखा गया।

(क) माप पुस्तिका (एम0बी0) पत्रावली में नहीं रखी गयी जिससे माप पुस्तिका से सम्बन्धित विवरणों की जांच नहीं की जा सकी।

(ख) कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया।

(ग) निर्मित सम्पत्ति को क्षेत्र पंचायत के सम्पत्ति रजि0 में दर्जकिये जाने का प्रमाणपत्र नहीं पाया गया।

(घ) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य को सम्बन्धित ग्राम सभा/सभाओं के अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पंचायत की प्रस्ताव पत्रावली में नहीं पाया गया। अतः लाभार्थी ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त रखे जाने अपेक्षित है। स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 53 :- वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत ब्लाक संसाधन केन्द्र जलेसर में पेंट डिस्टेंपर कार्य की स्वीकृत अनुमानित लागत रु0 33908.00 के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री राजेश्वर सिंह कैशियर/सहायक लेखाकार वि0ख0 जलेसर द्वारा निम्न प्रकार व्यय भुगतान किया गया।मजदूरी पर भुगतान रु0 10200.00, सामग्री पर भुगतान रु0 19420.00 रु0 26620.00 का भुगतान स्वीकृत किया गया।निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :- नियमानुसार क्रय सामग्री रु0 19420.00 पर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर रु0 435.00 की कटौती नहीं की गयी एवं व्यापार कर की कटौती 4 प्रतिशत की दर से रु0 777.00 की जानी अपेक्षित थी। जो नहीं की गयी। इस प्रकार कुल रु0 435.00 रु0 + 777.00 = रु0 1212.00 राजकीय राजस्व की हानि की गयी । ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 54 :- वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत जलेसर द्वारा राज्य वित्त योजना अन्तर्गत कार्य का नाम नागवाई में संतोष के मकान से स्कूल तक मिट्टी कार्य खंडजा कार्य की स्वीकृती अनुमानित लागत रु0 1079327.00 की स्वीकृति जे0ई0आर0ई0एस0 द्वारा की गयी जिसकी स्वीकृति अधि0अभि0ग्रा0अभि0वि0 द्वारा दी गयी। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

1) (क) रेट ऑफ शेडयूल की दरों की स्वीकृति हेतु पीडब्लूडी एवं सिंचाई विभाग ही अधिकृत है। ग्रामीण अभि0वि0 अधिकृत नहीं है। अतः दरों की स्वीकृति पीडब्लूडी विभाग से कराकर पत्रावली में की जानी अपेक्षित है।

(ख) पत्रावली में निर्माण कार्य का तो आउट प्लान , साइट प्लान, की प्लान संलग्न नहीं पाये गये लेआउट साइट प्लान व की प्लान संलग्न किये जाने अपेक्षित है। उक्त तकनीकी अनुमान नियमित नहीं है।

(ग) पत्रावली में अन्य कार्यवाही विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र कर रखे जाने अनिवार्य थे यथा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत मण्डी समिति व अन्य कार्यकारी संस्थओं अनापत्ति प्रमाणपत्र कर रखा जाये। जिन्हें प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

2) (क) उक्त कार्य पर तकनीकी अनुमोदन के सापेक्ष सामग्री निम्न विवरण अनुसार कार्य प्रभारी द्वारा किया गया विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	सप्लायर का नाम	बिल सं0/दिनांक	धनराशि	विवरण
1	यशवीर बिल्डिंग मैटेरियल मंगेश्वर रोड जलेसर एटा	04/12.09.2015	208130	भुगतान स्वीकृति किया गया।
2	यशवीर बिल्डिंग मैटेरियल मंगेश्वर रोड जलेसर एटाअअ	03/20.08.2015	485586	भुगतान स्वीकृति किया गया।
	कुल योग		693716	

निम्न आपत्ति अंकित की जाती है – उपरोक्त किये गये भुगतान पर नियमानुसार आयकर 2.24 प्रतिशत व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से रु0 30150.00 की कटौती की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गयी। इस प्रकार कुल रु0 47035.00 था। राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गयी इस प्रति स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

(ख) उपरोक्त कार्य में ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी कार्य कराया गया जिसपर कुल ₹0 241300.00 का भुगतान ट्रैक्टर स्वामियों को किया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(I) ट्रैक्टर स्वामियों द्वारा व्यवसायिक कार्य किया गया। व्यवसायिक कार्य हेतु पंजीकरण/लाइसेन्स पत्रावली में नहीं रखा गया। जिसे रखा जाना अपेक्षित है। आयकर अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार 20 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती की जानी अपेक्षित थी। जिससे भुगतान करते समय कटौती नहीं की गयी इस प्रकार ₹0 48240.00 के राजकीय राजस्व की हानि की गयी स्थिति स्पष्ट की जाये।

(II) व्यवसायिक कार्य हेतु प्रयोग किये गये ट्रैक्टर स्वामियों वैध अभिवहन प्रमाणपत्र (फार्म एम0एम0 1) पत्रावली में नहीं पाये गये। स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ग) मस्टररोल के माध्यम से किये गये कुल ₹0 153346.00 का भुगतान स्वीकृत कर चेक कार्य प्रभारी को दिया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(I) मजदूरी का भुगतान राजकीय निर्देशानुसार साप्ताहिक रूप से किया जाना अपेक्षित था। जबकि भुगतान साप्ताहिक न करके अवहेलना की गयी।

(II) मजदूरों का भुगतान मजदूरों को बैंक खातों में ना करके नकद किया गया। भुगतान नकद किये जाने की स्थिति स्पष्ट की जाये।

(III) मस्टर रोल पर मजदूरों के निशान अंगूठा नाम अंकित कर प्रमाणित किये जाने अपेक्षित थे जो नहीं किये गये।

(घ) निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख नहीं रखे गये :-

- 1) माप पुस्तिका (एम0बी0) पत्रावली में नहीं रखी गयी जिसे पत्रावली में रखा जाना अनिवार्य है।
- 2) आपूर्ति की गयी निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र एवं स्टाफ स्टॉक रजिस्टर का विवरण संलग्न किया जाना अपेक्षित था। संलग्न किया जाये।
- 3) निर्मित सम्पत्ति को सम्पत्ति रजि0 में दर्जकिये जाने का प्रमाणपत्र नहीं पाया गया।
- 4) क्षेत्र पंचायत द्वारा जिन ग्राम सभाओं में कार्य कराया उन ग्राम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव पत्रावली में नहीं पाया गया जिसे प्राप्त कर रखा जाये।
- 5) कराये गये निर्माण कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र पत्रावली में नहीं पाया गया। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र पत्रावली में संलग्न किया जाये।

स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसका दायित्व निर्धारण करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 55 :- वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत जलेसर द्वारा पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि (सीबी0आर0जी0एफ0) योजना अन्तर्गत कार्य का नाम-ग्राम पंचायत सराय राजनगर से सिकन्दराराउ रोड से बाईपास के मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग कार्य स्वीकृत प्राक्कलन लागत ₹0 9.50.00 की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0वि0 विभाग से प्राप्त की गयी निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :-

1) (क) निर्माण कार्य की तकनीकी प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0वि0 अधिकृत नहीं है तकनीकी प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति हेतु पीडब्लूडी एवं सिंचाई विभाग ही अधिकृत है। अतः प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति पीडब्लूडी विभाग से कराकर माप पुस्तिका में दर्ज कर भुगतान किया जाना अपेक्षित था। जो नहीं किया गया दरों की जांच पीडब्लूडी से पुष्टि करायी जाए।

(ख) स्वीकृति तकनीकी प्राक्कलन पत्रावली में निर्माण कार्य का तो आउट प्लान, साइट प्लान, की प्लान संलग्न नहीं पाये गये जिन्हे संलग्न किया जाये।

(ग) निर्माण कार्य पत्रावली में अन्य कार्यवाही विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र कर रखे जाने अनिवार्य थे यथा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत मण्डी समिति व अन्य कार्यकारी संस्थओं अनापत्ति प्रमाणपत्र कर रखा जाये।

2) स्वीकृति वित्तीय एवं तकनीकी प्राक्कलन में मैटेरियल कास्ट के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार ए0डी0ओ0(ई) द्वारा निम्न सामग्री बिलों के भुगतान की संतुति की गयी विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	फर्म का नाम	बिल सं0/दिनांक	धनराशि	टिप्पणी
1	यशवीर बिल्डिंग मैटेरियल मंगेश्वर रोड जलेसर एटा	22/12.04.2015	240134	स्वीकृति किया गया।
2	यशवीर बिल्डिंग मैटेरियल मंगेश्वर रोड जलेसर एटा	21/08.04.2015	563057	स्वीकृति किया गया।
	कुल योग		803191.00	

उपरोक्त स्वीकृति बिलों में शासकीय नियमानुसार आयकर व्यापार कर तथा लेबर सेस की कटौती कर भुगतान किया जाना अपेक्षित तथा जबकि स्वीकृत बिलों से आयकर 2.24 प्रतिशत की कटौती कर भुगतान किया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है। :-

(क) उपरोक्त बिलों से नियमानुसार नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की कटौती क्रमशः ₹0 5380.00 + ₹0 12612.00 कुल ₹0 17990.00 की गयी। जमा की पुष्टि चालान पत्रावली में संलग्न नहीं किये गये आयकर जमा के चालान संलग्न किये जायें।

(ख) उपरोक्त स्वीकृति बिलों से नियमानुसार व्यापार कर 4 प्रतिशत लेबर सेस 1 प्रतिशत की श्रोत पर कटौती की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गयी।

स्वीकृति बिल की राशि	व्यापार कर 4 प्रतिशत	लेबर सेस 1 प्रतिशत	योग
रु0 240134.00	9605.00	2401.00	12006.00
रु0 563057.00	22522.00	5631.00	28153.00
योग रु0 803191.00	32127.00	8032.00	40159.00

इस प्रकार रु0 32127.00 व्यापार कर एवं लेबर सेस रु0 8032.00 कुल रु0 40159.00 की कटौती कर आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाना अपेक्षित था। उक्त कटौती न करके राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ग) निर्माण कार्य में ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी कार्य कराया गया जिसपर कुल रु0 20400.00 का भुगतान ट्रैक्टर स्वामियों को किया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(I) ट्रैक्टर स्वामियों द्वारा व्यवसायिक कार्य किया गया। व्यवसायिक कार्य हेतु पंजीकरण/वैध अभिवहन प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं रखा गया। अतः जिसे प्राप्त कर पत्रावली में रखा जाये।

(II) ट्रैक्टर स्वामियों को भुगतान करते समय व्यवसायिक कार्यों पर आयकर अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार 20 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती की जानी अपेक्षित थी। जिसे भुगतान करते समय कटौती नहीं की गयी इस प्रकार रु0 4080.00 के आयकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी स्थिति स्पष्ट की जाये।

(III) व्यवसायिक कार्य हेतु प्रयोग किये गये ट्रैक्टर स्वामियों वैध अभिवहन प्रमाणपत्र (फार्म एम0एम0 1) पत्रावली में नहीं पाये गये। स्थिति स्पष्ट की जाये।

3) स्वीकृत प्राक्कलन में लेबर कास्ट के सापेक्ष निर्माण कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरी पर रु0 72208.00 के मस्टर रोल की स्वीकृत कर चेक कार्य प्रभारी को दिया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(क) मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। राजकीय निर्देशानुसार मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार मजदूरों के बैंक खातों में किया जाना अपेक्षित था। पत्रावली में मजदूरों के बैंक खातों का विवरण एवं बैंक एडवांस संलग्न नहीं पायी गयी अतः भुगतान नकद किये जाने की स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ख) मस्टर रोल पर मजदूरों के निशान अंगूठा नाम अंकित कर प्रमाणित किये जाने अपेक्षित थे जो नहीं किये गये।

4) निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जाने अपेक्षित थे जिन्हें नहीं रखा गया।

(क) माप पुस्तिका (एम0बी0) पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(ख) निर्मित सम्पत्ति को क्षेत्र पंचायत के सम्पत्ति रजि0 में दर्जकिये जाने का प्रमाणपत्र नहीं पाया गया।

(ग) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य से लाभान्वित ग्राम सभा/सभाओं के अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पंचायत की प्रस्ताव पत्रावली में रखे जाने अनिवार्य है। जिसे प्राप्त कर रखे जाये। स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसमें दायित्व निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 56 :- वर्ष 2014-15 का नाम तेरहवां वित्त क्षेत्र पंचायत जलेसर द्वारा कार्य का नाम-ग्राम पंचायत जलेसर देहात में गडशाला रोड पर नाली निर्माण की स्वीकृत अनुमानित लागत रु0 7.25 लाख की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0वि0 विभाग द्वारा प्रदान की गयी जिसमें लेबर कास्ट रु0 116031.00 मैटेरियल कास्ट रु0 609467.00 का प्राक्कलन थी। वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :-

1) (क) निर्माण कार्य की तकनीकी प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति पीडब्लूडी एवं सिंचाई विभाग ही अधिकृत है। प्राक्कलन दरे अधि0अभि ग्रा0अभि0वि0 द्वारा की गयी जो वैध नहीं है। अतः प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति पीडब्लूडी विभाग से कराकर पत्रावली में संलग्न की जानी अपेक्षित है।

(ख) स्वीकृति तकनीकी प्राक्कलन पत्रावली में निर्माण कार्य का तो आउट प्लान , साइट प्लान, की प्लान संलग्न नहीं पाये गये जिन्हे संलग्न किया जाये।

(ग) निर्माण कार्य पत्रावली में अन्य कार्यवाही विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र कर रखे जाने अनिवार्य थे यथा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत मण्डी समिति व अन्य कार्यकारी संस्थाओं अनापत्ति प्रमाणपत्र कर रखा जाये।

2) स्वीकृति वित्तीय एवं तकनीकी प्राक्कलन में मैटेरियल कास्ट रु0 609467.00 के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार ए0डी0ओ0(ई) द्वारा निम्न सामग्री बिलों के भुगतान की संस्तुति की गयी विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	फर्म का नाम	बिल सं0/दिनांक	धनराशि	टिप्पणी
1	यशवीर बिल्डिंग मैटेरियल मंगेश्वर रोड जलेसर एटा	07/28.02.2015	414021	स्वीकृति किया गया।
2	यशवीर बिल्डिंग मैटेरियल मंगेश्वर रोड जलेसर एटा	19/30.03.2015	177494	स्वीकृति किया गया।
	कुल योग			

(क) उपरोक्त बिलों से नियमानुसार नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की कटौती क्रमशः रु0 9274.00 + रु0 3976.00 कुल रु0 13250.00 की गयी। जमा की पुष्टि चालान पत्रावली में संलग्न नहीं किये गये आयकर जमा के चालान संलग्न किये जायें।

(ख) उपरोक्त स्वीकृति बिलों से नियमानुसार व्यापार कर 4 प्रतिशत की कटौती की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गयी।

स्वीकृति बिल की राशि	व्यापार कर 4 प्रतिशत	लेबर सेस 1 प्रतिशत	योग
रु0 414021.00	रु0 16560.00	रु0 4140.00	रु0 20700.00
रु0 177474.00	रु0 7099.00	रु0 1775.00	रु0 8874.00
कुल रु0 591495.00	रु0 23659.00	रु0 5915.00	रु0 29574.00

इस प्रकार रु0 23659.00 के व्यापार कर एवं लेबर सेस रु0 5915.00 कुल रु0 29574.00 राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ग) आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता का प्रमाणपत्र व स्टाफ रजि0 का विवरण पत्रावली में रखा जाना अनिवार्य था जो नहीं रखा गया। अतः प्रमाण पत्र व स्टाफ रजि0 पत्रावली में संलग्न किया जाये।

(घ) आपूर्ति की गयी सामग्री के बिलों के साथ चालान डिलीवरी संलग्न नहीं किये गये। डिलीवरी चालान संलग्न किये जाने अपेक्षित है।

3) स्वीकृत प्राक्कलन में लेबर कास्ट रु0 116031.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य प्रभारी मस्टर रोल के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया गया। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	मस्टररोल की अवधि	लेबर का प्रकार	दिवस	दर	धनराशि
1	01.03.2015 से 23.03.2015	मिस्त्री	133	280	37240
		लेबर	360	156	56160
2	23.03.2015 से 27.03.2015	मिस्त्री	31	280	8680
		लेबर	85	156	13260
		योग	609		115340.00

की स्वीकृत कर चेक कार्य प्रभारी को दिया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(क) मस्टर रोल पर मजदूरों के निशान अंगूठा नाम अंकित कर प्रमाणित किये जाने अपेक्षित थे जो नहीं किये गये।

(ख) मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। राजकीय निर्देशानुसार मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बैंक खातों में प्रेषित बैंक एडवांस पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। अतः भुगतान नकद किया गया जो राजकीय आदेशों की अवहेलना है। इस प्रति स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

4) निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख जिन्हें संलग्न नहीं पाये गये।

(क) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

(ख) माप पुस्तिका (एम0बी0) पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(ग) निर्मित सम्पत्ति को क्षेत्र पंचायत के सम्पत्ति रजि0 में दर्जकिये जाने का प्रमाणपत्र नहीं पाया गया।

(घ) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य से लाभान्वित ग्राम सभा/सभाओं के अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पंचायत की प्रस्ताव पत्रावली में रखे जाने अनिवार्य है। जिसे प्राप्त कर रखे जाये। स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसमें दायित्व निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 57 :- वर्ष 2014-15 का नाम तेरहवां वित्त क्षेत्र पंचायत जलेसर द्वारा कार्य का नाम-ग्राम पंचायत शाहनगर टिमरूआ के नगला में प्रा0पा0 से रेलवे लाइन तक दोनों तरफ नाली निर्माण की स्वीकृती प्राक्कलन लागत रु0 5.29 लाख जिसमें लेबर कास्ट रु0 85000.00 मैटेरियल कास्ट रु0 444000.00 कुल रु0 5.29 लाख के व्यय का प्राक्कलन की स्वीकृत अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0वि0 एटा द्वारा प्रदान की गयी। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :-

1) (क) निर्माण कार्य की तकनीकी प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0वि0 अधिकृत नहीं है। तकनीकी प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति हेतु पीडब्लूडी एवं सिंचाई विभाग ही अधिकृत है। अतः प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति पीडब्लूडी विभाग से कराकर माप पुस्तिका में दर्ज कर भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः पीडब्लूडी से जांच कराकर पत्रावली में संलग्न की जानी अपेक्षित है।

(ख) स्वीकृति तकनीकी प्राक्कलन पत्रावली में निर्माण कार्य का तो आउट प्लान , साइट प्लान, की प्लान संलग्न नहीं पाये गये जिन्हे संलग्न किया जाये।

(ग) निर्माण कार्य पत्रावली में अन्य कार्यवाही विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र कर रखे जाने अनिवार्य थे यथा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत मण्डी समिति व अन्य कार्यकारी संस्थओं अनापत्ति प्रमाणपत्र कर रखा जाये।

2) स्वीकृति वित्तीय एवं तकनीकी प्राक्कलन में मैटेरियल कास्ट रु0 444000.00 के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार ए0डी0ओ0(ई) द्वारा निम्न सामग्री बिलों के भुगतान की संतुति की गयी विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	फर्म का नाम	बिल सं0/दिनांक	धनराशि	टिप्पणी
1	यशवीर बिल्डिंग मैटेरियल मंगेश्वर रोड जलेसर एटा	06/28.02.2015	301112	स्वीकृति किया गया।
2	य शवीर बिल्डिंग मैटेरियल मंगेश्वर रोड जलेसर एटा	31/08.06.2015	129265	स्वीकृति किया गया।
	कुल योग		430377	

(क) उपरोक्त बिलों से नियमानुसार नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की कटौती क्रमशः ₹0 6745.00 + ₹0 2896.00 कुल ₹0 9641.00 की गयी। जमा की पुष्टि चालान पत्रावली में संलग्न नहीं किये गये आयकर जमा के चालान संलग्न किये जायें।

(ख) उपरोक्त स्वीकृति बिलों से नियमानुसार व्यापार कर 4 प्रतिशत की कटौती की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गयी।

स्वीकृति बिल की राशि	व्यापार कर 4 प्रतिशत	लेबर सेस 1 प्रतिशत	योग
₹0 301112	₹0 12044	₹0 3011	₹0 15055
₹0 129265	₹0 5171	₹0 1293	₹0 6464
कुल ₹0 430377	₹0 17215	₹0 4304	₹0 21519

इस प्रकार ₹0 17215.00 के व्यापार कर एवं लेबर सेस ₹0 4304.00 कुल ₹0 21519.00 राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी

(ग) आपूर्ति कर्ता की स्वीकृत बिलों से 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस कटौती कर श्रमिक कल्याण कोष में जमा की जानी अपेक्षित थी। जो नहीं की गयी इस प्रकार ₹0 4304.00 की लेबर सेस राशि की कटौती न कर के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी

(घ) आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता का प्रमाणपत्र व स्टाफ रजि० का विवरण पत्रावली में रखा जाना अनिवार्य था जो नहीं रखा गया। अतः प्रमाण पत्र व स्टाफ रजि० पत्रावली में संलग्न किया जाये।

(ङ) आपूर्ति की गयी सामग्री के बिलों के साथ चालान डिलीवरी संलग्न नहीं किये गये। डिलीवरी चालान संलग्न किये जाने अपेक्षित है।

3) स्वीकृत प्राक्कलन में लेबर कास्ट ₹0 85000.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य प्रभारी मस्टर रोल ₹0 84937.00 के प्रस्तुत किया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(क) मस्टर रोल पर मजदूरों के निशान अंगूठा नाम अंकित कर प्रमाणित किये जाने अपेक्षित थे जो नहीं किये गये।

(ख) मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। राजकीय निर्देशानुसार मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बैंक खातों में प्रेषित बैंक एडवांस पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। अतः भुगतान नकद किया गया जो राजकीय आदेशों की अवहेलना है।

4) निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जाने अपेक्षित थे। जिन्हें नहीं रखा गया।

(क) माप पुस्तिका (एम०बी०) पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(ख) निर्मित सम्पत्ति को क्षेत्र पंचायत के सम्पत्ति रजि० में दर्जकिये जाने का प्रमाणपत्र नहीं पाया गया।

(ग) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य से लाभान्वित ग्राम सभा/सभाओं के अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पंचायत की प्रस्ताव पत्रावली में रखे जाने अनिवार्य है। जिसे प्राप्त कर रखे जाये। स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसमें दायित्व निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 58 :- वर्ष 2012-13 का नाम तेरहवां वित्त क्षेत्र पंचायत जलेश्वर द्वारा कार्य का नाम-ग्राम पंचायत खेडाग्वारड में नाली निर्माण की स्वीकृति प्राक्कलन लागत ₹0 273000.00 की स्वीकृति अधि०/आसी अभियन्ता ग्रा०अभि० विभाग द्वारा प्रदान की गयी। जिसमें लेबर कास्ट ₹0 53931.00 मैटेरियल कास्ट ₹0 216490.00 कुल ₹0 273000.00 स्वीकृति प्रदान की गयी। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :-

1) (क) निर्माण कार्य की तकनीकी प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता ग्रा०अभि० वि० अधिकृत नहीं है। तकनीकी प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति हेतु पीडब्लूडी एवं सिंचाई विभाग ही अधिकृत है। अतः प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति पीडब्लूडी विभाग से कराई जानी अपेक्षित है।

(ख) स्वीकृति तकनीकी प्राक्कलन पत्रावली में निर्माण कार्य का तो आउट प्लान , साइट प्लान, की प्लान संलग्न नहीं पाये गये जिन्हे संलग्न किया जाये।

(ग) निर्माण कार्य पत्रावली में अन्य कार्यवाही विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र कर रखे जाने अनिवार्य थे यथा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत मण्डी समिति व अन्य कार्यकारी संस्थओं अनापत्ति प्रमाणपत्र कर रखा जाये।

2) निर्माण कार्य वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति में मैटेरियल कास्ट ₹0 216490.00 के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार यादव जे०ई०आर०ई०एस० द्वारा निम्न विवरणानुसार सामग्री बिलों के भुगतान की संतुति की गयी विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक	धनराशि	टिप्पणी
1	यशवीर बिल्डिंग मैटेरियल मंगेश्वर रोड जलेश्वर एटा	252 / 25.03.2012	175800	स्वीकृति किया गया।
2	यशवीर बिल्डिंग मैटेरियल मंगेश्वर रोड जलेश्वर एटा	218 / 11.05.2012	35920	स्वीकृति किया गया।
	कुल योग		211720	

उपरोक्त स्वीकृति विलों में शासकीय नियमानुसार आयकर 2.24% व्यापार कर 4% तथा लेबर सेस 1% की कटौती कर फर्म को भुगतान किया जाना अपेक्षित था। निम्न आपत्ति अंकित की जानी है। :-

(क) उपरोक्त बिलों से बिल नं० 252 दि० 05.03.2012 आयकर 2.24 प्रतिशत के स्थान पर 2.06 की कटौती की गयी। इस प्रकार ₹ 3938.00—₹ 3621.00 = ₹ 317.00 से कम आयकर कटौती कर राजकीय राजस्व की हानि की गयी।

बिल नं० 218/दिनांक 11.05.2012 से 2.24 प्रतिशत की कटौती ₹ 805.00 की गयी। उपरोक्त बिलों से की गयी आयकर कटौती क्रमशः 3621 + 805 = कुल 4426.00 की जमा की पुष्टि में चालान पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये। स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ख) उपरोक्त स्वीकृति बिलों से नियमानुसार व्यापार कर 4 प्रतिशत लेबर सेस 1 प्रतिशत की श्रोत पर कटौती की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गयी।

स्वीकृति बिल की राशि	व्यापार कर 4 प्रतिशत	लेबर सेस 1 प्रतिशत	योग
₹ 175800	₹ 7032	₹ 1758	₹ 8790
₹ 35290	₹ 1437	₹ 359	₹ 1796
कुल ₹ 211720	₹ 8469	₹ 2117	₹ 10586

उपरोक्त विवरणानुसार ₹ 8469.00 के व्यापार कर एवं लेबर सेस ₹ 2117.00 कुल ₹ 10286.00 राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी स्थिति स्पष्ट की जाये।

3) तकनीकी एवं वित्तीय प्राक्कलन में लेबर कास्ट के सापेक्ष मजदूरी पर ₹ 51900.00 मूल्य के मस्टर रोल स्वीकृति कर भुगतान कार्य प्रभारी की चेक निर्गत किया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(क) मस्टर रोल पर मजदूरों के निशान अंगूठा नाम अंकित कर प्रमाणित किये जाने अपेक्षित थे जो नहीं किये गये।

(ख) भुगतान की गयी मजदूरी बैंक एडवांस पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। अतः भुगतान नकद किया गया। शासकीय आदेशों के अनुरूप बैंक से ही किया जाना अपेक्षित था।

4) निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जाने अपेक्षित थे। जिन्हें नहीं रखा गया।

(क) माप पुस्तिका (एम०बी०) पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(ख) निर्मित सम्पत्ति को क्षेत्र पंचायत के सम्पत्ति रजि० में दर्जकिये जाने का प्रमाणपत्र नहीं पाया गया।

(ग) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य से लाभान्वित ग्राम सभा/सभाओं के अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पंचायत की प्रस्ताव पत्रावली में रखे जाने अनिवार्य है। जिसे प्राप्त कर रखे जाये। स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसमें दायित्व निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 59 :- वर्ष 2013-14 व 2014-15 योजना का नाम मनरेगा क्षेत्र जलेसर जनपद एटा कार्य का नाम हसन अलीपुर बसई सीमा से नगला सुखदेव तक सम्पर्क मार्ग की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत ₹ 235944.00 की गयी के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री एम०एम० राघव ए०डी०ओ० (आई०एस०डी०) वर्ष 2013-14 में मजदूरी पर भुगतान ₹ 131208.00 तथा वर्ष 2014-15 में मजदूरी पर भुगतान ₹ 54444.00 कुल ₹ 185652.00 का भुगतान किया गया सामग्री पर भुगतान ₹ 3300.00 का किया गया। इस प्रकार कुल ₹ 188952.00 का किया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :-

1) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया।

2) पत्रावली में मेजरमेंट बुक (माप पुस्तिका) संलग्न नहीं पायी गयी माप पुस्तिका संलग्न की जाये।

3) कार्य कराये जाने का स्वामित्व का प्रमाणपत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।

4) सम्बन्धित ग्राम सभा का प्रस्ताव सं०/अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया, जिसे प्राप्त कर रखे जाने अपेक्षित है।

5) कराये कार्य अन्य कार्यदायी संस्थाओं के अनापत्ति प्रमाणपत्र भी नहीं पाये गये। जो प्राप्त कर रखेजाने अपेक्षित है।

6) कार्य के पूर्व कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण के पश्चात के फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाये गये।

7) मजदूरों संयुक्त मांग पत्र पर मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान नहीं पाये गये।

8) इस्टीमेट पर खण्ड विकास अधिकारी एवं जे०ई०आर०ई०एस० के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। स्थिति स्पष्ट की जाये।

9) प्रेषित बैंक एडवांस पत्रावली में नहीं पायी गयी। बैंक एडवांस पत्रावली में रखी जाये।

स्पष्ट है कि उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसका दायित्व निर्धार कर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 60 :- परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की निर्माण कार्य पत्रावलियों एवं वर्क रजिस्टर की जांच में पाया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अन्तर्ग्रामीण निर्माण कार्य के साथ-साथ ग्राम के अन्दर के कार्य भी कराये गये हैं। जो कि शासकीय निर्देशों के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र के बाहर हैं एवं अनियमित हैं। शासकीय निर्देशों के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा केवल गांवों के बाहर एवं दो गांवों के बीच ही निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। उक्त शासकीय निर्देशों के अवहेलना क्षेत्र पंचायत द्वारा की गयी है एवं लाभार्थी गांव के प्रधान/सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर भी पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया। उक्त प्रकार के कार्यों की जांच शासन स्तर पर करायी जानी अपेक्षित है। उदाहरणार्थ विवरण निम्नवत है :-

- 1) वर्ष 2016-17 काजीपुर बदनपुर में दीपचन्द्र के मकान से शंकर पाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग कार्य (राज्य वित्त)
- 2) वर्ष 2014-15 कर्थनी में रामनाथ के घर से जय प्रकाश के घर तक सी0सी0 कार्य।
उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 61:- वर्ष 2012-13 व 2013-14 के.पं0 जलेसर एटा द्वारा बी0आर0जी0एफ0 योजना अन्तर्गत सिमराउ नहीं पर पुल निर्माण का कार्य की स्वीकृति नकनीकी लागत रु0 15.95 लाख तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार ए0डी0ओ0 कुल व्यय रु0 1488396.00 के भुगतान प्रमाण पत्र स्वीकृत हेतु पत्रावली में संलग्न किये गये। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :-

- 1) कार्य स्थल पर सामग्री हेतु रखे गये स्टॉक रजि0 का विवरण पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।
- 2) स्वीकृति प्राक्कलन में मैटेरियल कास्ट के सापेक्ष रु0 964980.00 सामग्री बिल के भुगतान की संस्तुति की गयी विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं०/दिनांक	स्वीकृती राशि	कटौती दर 2.24 प्रतिशत	भुगतान राशि
1	अग्रवाल बिल्डिंग मैटेरियल जलेसर एटा	03 / 13.05.2013	406880	9114	397766
2	अग्रवाल बिल्डिंग मैटेरियल जलेसर एटा	04 / 13.06.2013	406200	9099	397101
3	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	158 / 21.10.2013	50700	1136	49564
4	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल	121 / 23.11.2013	101200	2267	98931
	कुल योग		964980	21616	943364.00

उपरोक्त स्वीकृति विलों की राशि का भुगतान किया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :- उपरोक्त स्वीकृत बिलों से नियमानुसार व्यापार 4% तथा लेबर सेस 1% की कटौती कर भुगतान किया जाना अपेक्षित था। जो नहीं किया गया इस प्रकार रु0 38599.00 व्यापार कर एवं 9450.00 व लेबरसेस कुल रु0 48049.00 के राजकीय राजस्व की हानि की गयी।

3) कार्य स्थल पर मिट्टी की आपूर्ति ट्रैक्टर से की गयी जिस पर कुल रु0 380510.00 के भुगतान रसीदे स्वीकृत कर भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया, निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(I) ट्रैक्टर स्वामियों द्वारा व्यवसायिक कार्य किया गया। व्यवसायिक कार्य हेतु पंजीकरण/वैध अभिवहन प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं रखा गया। अतः जिसे प्राप्त कर पत्रावली में रखा जाये।

(II) व्यवसायिक कार्यों पर आयकर अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार 20 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती की जानी अपेक्षित थी। जिसे भुगतान करते समय आयकर रु0 76102.00 की कटौती न करके राजकीय राजस्व की हानि की गयी।

(III) मिट्टी कार्य हेतु प्रयोग किये गये ट्रैक्टर स्वामियों वैध अभिवहन प्रमाणपत्र (फार्म एम0एम0 1) पत्रावली में नहीं पाये गये। स्थिति स्पष्ट की जाये।

(IV) मिट्टी कार्य हेतु टेंडर/अनुबन्ध भी नहीं किये गये। स्थिति स्पष्ट की जाये।

4) स्वीकृत प्राक्कलन में लेबर कास्ट के सापेक्ष निर्माण कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरी पर रु0 142906.00 के मस्टर रोल की स्वीकृत कर चेक कार्य प्रभारी को दिया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(क) मस्टर रोल पर मजदूरों के निशान अंगूठा नाम अंकित कर प्रमाणित किये जाने अपेक्षित थे जो नहीं किये गये।

(ख) मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। राजकीय निर्देशानुसार मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार मजदूरों के बैंक खातों में किया जाना अपेक्षित था। पत्रावली में मजदूरों के बैंक खातों का विवरण एवं बैंक एडवांस संलग्न नहीं पायी गयी अतः भुगतान नकद किये जाने की स्थिति स्पष्ट की जाये।

5) पत्रावली में निम्न अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जाने अपेक्षित थे जिन्हें नहीं रखा गया।

(क) माप पुस्तिका (एम0बी0) पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(ख) निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का प्रमाण पत्रावली में नहीं रखा गया।

(ग) निर्मित सम्पत्ति को क्षेत्र पंचायत के सम्पत्ति रजि0 में दर्जकिये जाने का प्रमाणपत्र नहीं पाया गया।

(घ) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य से लाभान्वित ग्राम सभा/सभाओं के अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पंचायत की प्रस्ताव पत्रावली में रखे जाने अनिवार्य है। जिसे प्राप्त कर रखे जाये। स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसमें दायित्व निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 62 :- वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पं0 जलेसर द्वारा तेरहवां वित्त योजनान्तर्गत कार्य का नाम-ग्राम संगवाई में पुल रिपेयरिंग (मरम्मत कार्य) कार्य की नकनीकी प्राक्कलन लागत रु0 72350.00 की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0 विभाग द्वारा प्रदान की गयी। जिसमें लेबर कास्ट रु0 8238.00 मैटेरियल कास्ट रु0 69115.00 के व्यय के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार यादव जे0ई0आर0ई0एस0 को कार्यादेश दिया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :-

1) (क) प्राक्कलन पत्रावली में पीडब्लूडी एवं सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर रखा जाना अनिवार्य था। जिसे प्राप्त किया जाये।

(ख) मरम्मत कार्य का प्राक्कलन पीडब्लूडी एवं सिंचाई विभाग से स्वीकृति कराया जाना अपेक्षित था पत्रावली में नहीं पाया गया।

(ग) कार्य के पूर्व का फोटोग्राफ मध्य व कार्य पूर्ण का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया जो संलग्न किया जाये।

(घ) प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु अधिकृत पीडब्लूडी एवं सिंचाई विभाग से कराया जाना अपेक्षित था। अधि०अभि० ग्रामीण अभि०वि० अधिकृत नहीं है। अतः प्राक्कलन के अनुसार एम०बी० की जांच पीडब्लूडी एवं सिंचाई विभाग से करायी जाये।

2) प्राक्कलन में स्वीकृति मैटेरियल कास्ट के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार यादव जे०ई०आर०ई०एस० द्वारा निम्न विवरणानुसार सामग्री बिलों के भुगतान की संतुति की गयी विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक	धनराशि	आयकर
1	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल मंगेश्वर रोड जलेसर एटा	21/10.05.2012	62878	1295.00

की गयी कटौती कुल रू० 1295.00 कर रू० 61583 का भुगतान किया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(क)

स्वीकृति बिल की राशि	आयकर 2.24 प्रतिशत	व्यापार कर 4 प्रतिशत	लेबर सेस 1 प्रतिशत	योग
62878	1408	2515	629	4552

इस प्रकार बिल की राशि 62878-4552=रू० 58326 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। जबकि भुगतान 61583.00 किया गया। इस प्रकार रू० 3257.00 के राजकीय राजस्व की हानि की गयी। स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ख) स्वीकृत बिल के साथ सामग्री के डिलीवरी चालान संलग्न नहीं पाये गये जो अपेक्षित थे।

(ग) प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं पाया गया।

3) प्राक्कलन की स्वीकृत लेबर कास्ट के सापेक्ष कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरी के मस्टर रोल रू० 7790.00 के स्वीकृत कियेगये निम्न आपत्ति अंकित जाती है :-

(क) मजदूरी रू० 7790 भुगतान की पुष्टि में बैंक एडवांस व मजदूरों की खाता सं० मस्टर रोल के साथ संलग्न नहीं की गयी। जो अपेक्षित है। स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। जो शासकीय दिशा निर्देशों के विपरीत है। स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ख) मस्टर रोल पर मजदूरों के निशान अंगूठा नाम अंकित कर प्रमाणित नहीं किये गये। जो अपेक्षित थे।

4) निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जाने अपेक्षित थे। जिन्हें नहीं रखा गया।

(क) माप पुस्तिका (एम०बी०) पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(ख) निर्मित सम्पत्ति को क्षेत्र पंचायत के सम्पत्ति रजि० में दर्जकिये जाने का प्रमाणपत्र नहीं पाया गया।

(ग) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य से लाभान्वित ग्राम सभा/सभाओं के अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पंचायत की प्रस्ताव पत्रावली में रखे जाने अनिवार्य है। साथ सिंचाई विभाग व पी०डब्लू०डी० विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखे जाये। स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसमें दायित्व निर्धारित करते हुए वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 63 :- वर्ष 2012-13 में वि०ख० जलेसर द्वारा बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत ग्याउ में आर०बी०एस० इण्टर के सामने से स्कूल से तालाब तक नाली निर्माण कार्य की अनुमानित लागत रू० 547960.00 की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की गयी। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :-

1) (क) तकनीकी स्वीकृति पत्रावली में साइट प्लान एवं ले-आउट प्लान संलग्न नहीं पाये गये।

(ख) अन्य कार्यदायी संस्थाओं के अनापत्ति प्रमाणपत्र पत्रावली में नहीं रखे गये। जिन्हे प्राप्त कर रखा जाये।

2) प्राक्कलन में स्वीकृति मैटेरियल कास्ट के सापेक्ष कार्य प्रभारी द्वारा निम्न सामग्री बिलों के भुगतान की संस्तुति की गयी विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक	स्वीकृति धनराशि	आयकर	भुगतान राशि
1	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल स्टेशन रोड जलेसर एटा	140/21.02.2014	216291	4845	211446
2	यशवार बिल्डिंग मैटेरियल योगेश्वर रोड जलेसर एटा	17	216292	4845	211445
			432583	9690	422891

उपरोक्त विवरण अनुसार भुगतान किया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(क) उपरोक्त स्वीकृत बिलों से नियमानुसार 4 प्रतिशत व्यापार कर 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती की जानी थी। जो नहीं की गयी इस प्रकार क्रमशः 17303+4326=कुल रू० 21629.00 के राजकीय राजस्व की हानि की गयी।

3) प्राक्कलन की लागत में लेबर कास्ट के सापेक्ष मजदूरी पर रू० 64916.00 के मस्टर रोल स्वीकृत कर भुगतान हेतु कार्य प्रभारी को दिया गया। निम्न आपत्ति अंकित जाती है :-

(क) मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। जबकि भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। भुगतान पत्रावली में एम0आर0 के साथ बैंक से भुगतान की पुष्टि में बैंक एडवांस व श्रमिकों की खाता संख्या अंकित नहीं पायी गयी।

(ख) नकद भुगतान की पुष्टि में लिये गये निशान अंगूठा नाम अंकित कर प्रमाणित नहीं किये गये। जो अपेक्षित थे।

4) निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख नहीं रखे गये।

(क) माप पुस्तिका (एम0बी0) निर्माण सामग्री की गुणवत्ता प्रमाण पत्र सम्पत्ति रजि0 में वर्ष का प्रमाण पत्र व अन्य कार्यदायी संस्थाओं में अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर रखे जाये।

स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसमें दायित्व निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 64 :- वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत जलेसर द्वारा राज्य वित्त योजना अन्तर्गत आगरा रोड से गजेन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य नगला छोकर शाहपुर टिमरूआ में कार्य की स्वीकृति अनुमानित लागत रु0 636800.00 की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0 विभाग द्वारा प्रदान की गयी। जिसमें लेबर कास्ट रु0 58736.00 मैटेरियल कास्ट रु0 578115.00 के अन्तर्गत कार्य की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :-

1) (क) कार्य की अनुमानित प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0वि0 अधिकृत नहीं है। अतः प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति पीडब्लूडी विभाग से कराई जानी अपेक्षित है।

(ख) प्राक्कलन पत्रावली में ले आउट प्लान , साइट प्लान, की प्लान संलग्न नहीं पाये गये।

(ग) निर्माण कार्य पत्रावली में अन्य कार्यवाही विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र कर रखे जाने अनिवार्य थे यथा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत मण्डी समिति व अन्य कार्यकारी संस्थओं अनापत्ति प्रमाणपत्र कर रखा जाये।

2) निर्माण कार्य वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति में मैटेरियल कास्ट के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री एम0एस0राघव द्वारा निम्न विवरणानुसार सामग्री बिलों के भुगतान की संतुति की गयी विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं0/दिनांक	धनराशि स्वीकृति	आयकर	भुगतान राशि
1	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल स्टेशन रोड वाईपास जलेसर एटा	208 / 10.01.2013	128254	2873	125381
2	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल स्टेशन रोड वाईपास जलेसर एटा	209 / 10.01.2013	276507	6194	270313
3	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल स्टेशन रोड वाईपास जलेसर एटा	226 / 01.02.13	172846	3872	168974
	कुल योग		577607	12938	524668

उपरोक्त आयकर कटौती कर भुगतान किया गया निम्न आपत्ति अंकित की जानी है। :-

(क) उपरोक्त बिलों से श्रोत पर व्यापार कर 4 प्रतिशत लेवर सेस 1 प्रतिशत कटौती कर भुगतान किया जाना अपेक्षित था जो नहीं की गयी।

इस प्रकार रु0 23104.00 के व्यापार कर व लेवर सेस रु0 5776 कुल रु0 2880.00 की राजस्व की हानि पहुंचायी गई।

(ख) उपरोक्त स्वीकृति बिलों के साथ डिलीवरी चालान संलग्न नहीं पाये गये। जो अपेक्षित थे।

(ग) उपरोक्त सामग्री की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया जो संलग्न किया जाये।

3) कार्य के स्वीकृति प्राक्कलन में लेबर कास्ट के सापेक्ष मजदूरी पर रु0 55325.00 के मस्टर रोल की स्वीकृति कर भुगतान कार्य प्रभारी की चेक निर्गत किया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(क) मस्टर रोल पर मजदूरों के निशान अंगूठा नाम अंकित कर प्रमाणित किये जाने अपेक्षित थे जो नहीं किये गये।

(ख) मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। शासकीय आदेशों के अनुरूप बैंक से ही किया जाना अपेक्षित था। स्थिति स्पष्ट की जाये।

4) निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जाने अपेक्षित थे। जिन्हें नहीं रखा गया।

(क) माप पुस्तिका (एम0बी0) पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(ख) निर्माण सामग्री की गुणवत्ता प्रमाण पत्र नहीं रखा गया।

(ग) कार्य से निर्मित सम्पत्ति को क्षेत्र पंचायत के सम्पत्ति रजि0 में दर्जकिये जाने का प्रमाणपत्र नहीं पाया गया।

(घ) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य से लाभान्वित ग्राम सभा/सभाओं के अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पंचायत की प्रस्ताव पत्रावली में रखे जाने अनिवार्य है। जिसे प्राप्त कर रखे जाये।

(ङ) पत्रावली के कार्य योजना का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

(च) पत्रावली में कार्य स्थल के तीनों ग्राफ नहीं रखे गये।

उपरोक्त अभिलेख पत्रावली में संलग्न किये जाये। स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसमें दायित्व निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 65 :- वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत जलेसर द्वारा तेरहवां वित्त योजना अन्तर्गत विकास खण्ड परिसर में प्रमुख कक्ष का जीर्णोद्धार कराये जाने की तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन राशि रु0 136594 लेबर कास्ट रु0 35652.00

एस/एफ बोर्ड रु0 3000.00 के सापेक्ष कार्य प्रभारी द्वारा कुल व्यय में मैटेरियल पर रु0 134298.00 तथा मजदूरी पर व्यय 3535.00 किये जाने के प्रमाण प्रस्तुत कर भुगतान किया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :-

1) (क) स्वीकृति प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति हेतु अधिकृत पीडब्लूडी विभाग से कराई जानी अपेक्षित है। ग्रा0अभि0वि0 से करायी गयी जो अधिकृत नहीं है।

(ख) स्वीकृति प्राक्कलन की प्लान संलग्न नहीं पाया गया जो अपेक्षित थी। स्थिति स्पष्ट की जाये।

2) स्वीकृति प्राक्कलन में मैटेरियल कास्ट के सापेक्ष कार्य प्रभारी द्वारा निम्न विवरणानुसार सामग्री बिलों के भुगतान की संतुति की गयी विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं0/दिनांक	धनराशि स्वीकृति	आयकर
1	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल स्टेशन रोड वाईपास जलेसर एटा	229 / 09.02.2013	134298	3008

आयकर कटौती कर रु0 130290.00 का भुगतान किया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है। :-

(क) स्वीकृत बिल से नियमानुसार व्यापार कर व लेबर सेस की भी कटौती कर भुगतान किया जाना अपेक्षित था जो नहीं की गयी। इस प्रकार 4 प्रतिशत व्यापार कर रु0 5372लेबर सेस 1 प्रतिशत रु0 1343.00 कुल रु0 6715.00 के राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गई। स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ख) कार्य पत्रावली में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया जो संलग्न किया जाये।

3) कार्य के स्वीकृति प्राक्कलन में लेबर कास्ट के सापेक्ष मजदूरी पर रु0 35535.00 के मस्टर रोल की स्वीकृति कर भुगतान कार्य प्रभारी की चेक निर्गत किया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(क) मस्टर रोल पर मजदूरों के निशान अंगूठा नाम अंकित कर प्रमाणित किये जाने अपेक्षित थे जो नहीं किये गये।

(ख) मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। शासकीय आदेशों के अनुरूप बैंक से ही किया जाना अपेक्षित था। स्थिति स्पष्ट की जाये।

4) निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख नहीं पाये गये। यथा-कार्ययोजना प्रस्ताव सं0, माप पुस्तिका, स्टॉक रजि0 सामग्री सम्पत्ति रजि0 में पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि। स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसमें दायित्व निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 66:- वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत जलेसर द्वारा राज्य वित्त योजना अन्तर्गत खानपुर में वाईपास तक इण्टरलॉकिंग का कार्य की तकनीकी प्राक्कलन लागत रु0 662600.00 की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0 विभाग द्वारा प्रदान की गयी। जिसमें लेबर कास्ट रु0 69485.00 मैटेरियल कास्ट रु0 590120.00 तथा एस0एफ0बोर्ड रु0 3020.00 कुल रु0 6.62 लाख प्रदान की गयी। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :-

1) (क) कार्य की अनुमानित प्राक्कलन की दरों की स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0वि0 अधिकृत नहीं है। अतः प्राक्कलन कीदरों की स्वीकृति पीडब्लूडी विभाग से कराई जानी अपेक्षित है।

(ख) प्राक्कलन पत्रावली में ले आउट प्लान , साइट प्लान, की प्लान संलग्न नहीं पाये गये।

(ग) निर्माण कार्य पत्रावली में अन्य कार्यवाही विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र कर रखे जाने अनिवार्य थे यथा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत मण्डी समिति व अन्य कार्यकारी संस्थाओं अनापत्ति प्रमाणपत्र कर रखा जाये।

2) निर्माण कार्य वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति में मैटेरियल कास्ट के सापेक्ष कार्य प्रभारी एम0एम0 अन्सारी जे0ई0आर0ई0एस0 द्वारा निम्न विवरणानुसार सामग्री बिलों के भुगतान की संतुति की गयी विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं0/दिनांक	धनराशि स्वीकृति	टिप्पणी
1	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल स्टेशन रोड वाईपास जलेसर एटा	205 / 14.09.2012	437250	स्वीकृत की गयी।
2	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल स्टेशन रोड वाईपास जलेसर एटा	206 / 14.09.2012	149234	स्वीकृत की गयी।
	कुल योग		586484	

उपरोक्त स्वीकृत बिल से श्रोत पर आयकर 2.24 % की दर व्यापार कर 4% की लेबर सेस 1% की दर से कटौती कर भुगतान किया जाना अपेक्षित था निम्न आपत्ति अंकित की जाती है। :-

(क) उपरोक्त बिलों पर 2.24 प्रतिशत आयकर कटौती रु0 13137 की गयी जिसकी जमा की पुष्टि में चालान पत्रावली में संलग्न किये जाये।

(ख) उपरोक्त स्वीकृति बिलों से नियमानुसार 4% व्यापार कर रु0 23560.00 1% लेबरसेस 5865.00 कुल रु0 29425.00 के राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी।

(ग) उपरोक्त सामग्री की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया जो संलग्न किया जाये।

(घ) निर्माण सामग्री बिलों के साथ डिलीवरी चालान संलग्न नहीं पाये गये। स्थिति स्पष्ट की जाये।

3) निर्माण कार्य के तकनीकी प्राक्कलन में लेबर कास्ट के सापेक्ष मजदूरी पर रु0 69435.00 के मस्टर रोल की स्वीकृति कर भुगतान कार्य प्रभारी की चेक निर्गत किया गया निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(क) मस्टर रोल पर मजदूरों के निशान अंगूठा नाम अंकित कर प्रमाणित किये जाने अपेक्षित थे जो नहीं किये गये।

(ख) मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। शासकीय आदेशों के अनुरूप बैंक से ही किया जाना अपेक्षित था। स्थिति स्पष्ट की जाये।

4) निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जाने अपेक्षित थे। जिन्हें नहीं रखा गया।

(क) माप पुस्तिका (एम0बी0) पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(ख) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य से लाभान्वित ग्राम सभा/सभाओं के अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पंचायत की प्रस्ताव पत्रावली में रखे जाने अनिवार्य है। जो नहीं रखा गया। प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखे जाये।

(ग) क्षेत्र पंचायत के सम्पत्ति रजि0 में दर्जकिये जाने का प्रमाणपत्र नहीं पाया गया।

स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसमें दायित्व निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 67 :- वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत जलेसर द्वारा तेरहवां वित्त योजना अन्तर्गत कार्य का नाम ब्लॉक परिसर में मिट्टी भराव समतलीकरण कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति रु0 94300.00 के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार ए0डीओ0 द्वारा रु0 82475.00 के भुगतान प्रमाणपत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर रु0 82475.00 का भुगतान प्राप्त किया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है :-

1) मिट्टी कार्य ट्रेक्टर से कराये गये मिट्टी कार्य पर कुल व्यय रु0 47600.00 का भुगतान ट्रेक्टर मालिकों को किया गया। ट्रेक्टर मालिकों को भुगतान करते आयकर अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत व्यवसायिक कार्यों पर 20 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती की जानी अपेक्षित थी। आयकर कटौती न कर रु0 9520.00 की राजकीय राजस्व की हानि की गयी। स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

2) कार्य पर मजदूरी पर किये व्यय रु0 34875.00 के मस्टर रोल भुगतान स्वीकृत कर मजदूरी का भुगतान किया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(क) मस्टर रोल पर मजदूरों के निशान अंगूठा नाम अंकित कर प्रमाणित किये जाने अपेक्षित थे जो नहीं किये गये।

(ख) मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। शासकीय आदेशों के अनुरूप बैंक से ही किया जाना अपेक्षित था। स्थिति स्पष्ट की जाये।

3) कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जाने अपेक्षित थे। जिन्हें नहीं रखा गया।

(क) कार्य योजना की प्रस्ताव सं0 संलग्न नहीं पायी गयी।

(ख) माप पुस्तिका (एम0बी0) पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी।

(ख) कार्यपूति प्रमाण पत्र पर क्षेत्र प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

(ग) कराये गये कार्य का सम्पत्ति रजि0 में अंकन का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

उपरोक्त अभिलेख पत्रावली में रखे जाने अपेक्षित थे। स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसमें दायित्व निर्धारित करते हुए ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 68 :- वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत जलेसर वि०ख० जलेसर जनपद एटा द्वारा तेरहवां वित्त योजना अन्तर्गत विकास खण्ड जलेसर में नाली निर्माण का कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन लागत रु0 1,98,000.00 की स्वीकृति जे.ई.आर. ई.एस. द्वारा प्रदान की गयी अनुमति लागत में लेबर कम्पोनेन्ट रु0 39,405.00 मैटेरियल कम्पोनेन्ट रु0 1,58,256.00 के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार (ए०डी०ओ०) (ई) द्वारा कुल व्यय रु0 1,90,415.00 के व्यय प्रमाण पत्र भुगतान किये गये। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

1) (क) निर्माण कार्य की अनुमानित प्राक्कलन दरों की स्वीकृत हेतु अधिकृत पी0डब्लू०डी० विभाग से करायी जानी अपेक्षित थी। जबकि अनुमानित दरों की स्वीकृति ग्रा०अभि०वि० से करायी गयी। जो अधिकृत नहीं है। स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ख) प्राक्कलन लागत में मैटेरियल ले-आउट प्लान, साइट प्लान संलग्न नहीं पाये गये।

2) नक्कलन लागत में मैटेरियल कास्ट के सापेक्ष कार्य प्रभारी द्वारा निम्न सामग्री बिलों के भुगतान की संस्तुति की गयी।

क्र०	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	स्वीकृति राशि	भुगतान राशि	अन्तर
1	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल स्टेशन रोड बाईपास, जलेसर एटा	227/08.02.2013	1,51,440.00	1,13,440.00	1,51,440.00	2000.00

आपत्ति अंकित की जाती है।

क) दिनांक 18.02.2013 में उपरोक्त बिल सं० 227 दिनांक 08/02/2013 की राशि को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा रु0 1,31,440.00 का भुगतान स्वीकृत किया जिसकी चेक सं०- 697994 दिनांक 18/02/2013 में रु0 1,48,048.00 की गणपति बिल्डिंग मैटेरियल के निर्गत की गयी। आयकर कटौती 2,24% से सं०- 3,392.00 की गयी। इस प्रकार रु0 20,000.00 से अधिक भुगतान किया। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

ख) उपरोक्त बिलों से नियमानुसार व्यापार कर 4 लेबर सेस 1 की कटौती की जानी अपेक्षित थी। जो नहीं की गयी। इस प्रकार व्यापार कर रु0 6,058.00 लेबर सेस 1,514.00 कुल रु0 7,572.63 के राजकीय राजस्व हानि पहुंचाई गयी।

3) कार्य की स्वीकृति प्राक्कलन में लेबर कास्ट के सापेक्ष मजदूरी का भुगतान प्रमाणक मस्टर रोल रु० 38,875.00 स्वीकृत कार्य प्रभारी को भुगतान हेतु दिया गया। निम्न आपत्ति अंकित जाती है।
क) मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नगद किया गया। राजकीय निर्देशानुसार भुगतान मजदूरों के बैंक खातों में किया जाना अपेक्षित पत्रावली में बैंक एडवांस संलग्न नहीं पायी गयी स्पष्ट है कि भुगतान नकद किया गया। इस प्रति स्थिति स्पष्ट की जाये।

ख) मस्टर रोल पर मजदूरों के अंगूठा निशान नामंकित कर प्रमाणित नहीं किये गये जो किये जाने अपेक्षित थे।

4) निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख रखे जाने अनिवार्य थे यथा:-कार्य के तीनों फोटोग्राफ माप मुस्तिका, सामग्री स्टॉक रजि० सम्पत्ति रजि० में दर्ज किये जाने का प्रमाण पत्र आदि। इस प्रति स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। स्पष्ट है उक्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई जिसका निर्धारण करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 69 :- वर्ष 212-13 में क्षेत्र पंचायत जलेसर जनपद एटा द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत कार्य का नाम- शेरपुर में नाली निर्माण / इण्टर लाकिंग कार्य तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन लागत 20,34,000.00 की स्वीकृति अधि०अभि० ग्रा०अभि०वि० द्वारा प्रदान की गयी निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

1) (क) निर्माण कार्य की प्राक्कलन लागत दरों की स्वीकृति हेतु अधि०अभि० ग्रा०अभि०वि० अधिकृत नहीं है। प्राक्कलन लागत दरों को पी०डब्लू०डी० विभाग व सिंचाई विभाग ही अधिकृत है अतः प्राक्कलन लागत दरों की पुष्टि पी०डब्लू०डी० विभाग से कराकर पत्रावली में संलग्न की जाये।

(ख) निर्माण कार्य पत्रावली में ले आउट प्लान, साइट प्लान तथा की प्लान संलग्न नहीं पाये गये। स्थिति स्पष्ट की जाती अपेक्षित हैं।

(ग) निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यदायी संस्थाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र कर रखे जाने अनिवार्य थे। यथा:- ग्राम पंचायत जिला पंचायत मण्डी समिति तथा अन्य विभागों से प्राप्त कर नहीं रखे गये। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखे जाये।

2) निर्माण कार्य की वित्तीय व तकनीकी आंकलन में मैटेरियल कास्ट के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार यादव जे. ई.आर.ई.एस. द्वारा निम्न सामग्री बिलों के भुगतान की संस्तुति की गयी। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	आपूर्ति गणपति कर्ता का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	स्वीकृति राशि
1	गणपति बिल्डिंग स्टेशन जलेसर एटा	49 / 17.05.2012	1616040.00	1399950.00
2	गणपति बिल्डिंग स्टेशन जलेसर एटा	35 / 19.05.2012	216090.00	216090.00

उपरोक्त स्वीकृत बिलों पर नियमानुसार आयकर 2.24 व्यापार कर 4 लेबर सेस 1 की दर से स्रोत पर काटकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(क) उपरोक्त स्वीकृत बिलों पर 2.24 की दर से आयकर कटौती की गयी जो क्रमशः 31.359 + 4,840 = योग 36,159 के आयकर जमा की पुष्टि चालान पत्रावली में नहीं पाये गये। चालान रखे जाये।

(ख) उपरोक्त स्वीकृत बिलों से नियमानुसार व्यापार कर 4 लेबर सेस 1 की कटौती स्रोत पर की जानी अपेक्षित थी। जो नहीं की गयी।

स्वीकृत बिल की राशि	व्यापार कर 4 %	लेबर सेस 1%	योग
रु० 1399950.00	रु० 55998.00	रु० 14000.00	रु० 69998.00
रु० 216090.00	रु० 8644.00	रु० 2161.00	रु० 10804.00
रु० 1616040.00	रु० 64642.00	रु० 16161.00	रु० 80802.00

उपरोक्त विवरण अनुसार रु० 64,642.00 के व्यापार कर एवं लेबर सेस रु० 16,161.00 कुल रु० 80,802.00 के राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गयी।

(ग) निर्माण कार्य के ट्रैक्टर से मिट्टी कार्य किया जिस पर कुल व्यय रु० 15,000.00 का भुगतान किया गया। निम्न आपत्ति अंकित की जाती है।

(1.) ट्रैक्टर स्वामी द्वारा व्यवसायिक कार्य किया गया ट्रैक्टर का व्यवसायिक कार्य का प्रयोग का पंजीकरण/लाइसेंस पत्रावली में नहीं रखा गया जो अपेक्षित है।

(2.) ट्रैक्टर स्वामियों को भुगतान करते समय व्यवसायिक कार्यों पर आयकर अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत भुगतान राशि पर 20% की दर से आयकर कटौती की जानी अपेक्षित थी। जो नहीं की गयी इस प्रकार रु० 3,000.00 के राजकीय राजस्व की हानि की गयी।

(3.) मिट्टी कार्य ट्रैक्टर स्वामी के वैध अभिवहन प्रमाण पत्र भी पत्रावली में नहीं पाया गया। स्थिति स्पष्ट की जाये।

3) स्वीकृति प्राक्कलन लागत में लेबर कास्ट के सापेक्ष कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरी पर रु० 3,05,625.00 के मस्टर रोल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये। मजदूरों का भुगतान स्वीकृत कर चेक कार्य प्रभारी को निर्गत किया गया। निम्न आपत्ति अंकित जाती है:

(क) मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। जबकि शासकीय निर्देशानुसार बैंक के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ख) मस्टर रोल पर मजदूरों के अंगूठा निशान नामंकित कर प्रमाणित नहीं किये गये।

4) निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जाने अपेक्षित थे। जो नहीं रखे गये।

(क) माप पुस्तिका (एम.बी.) पत्रावली में नहीं पायी गयी।

(ख) निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का प्रमाण पत्रावली में नहीं पाया गया।

(ग) निर्मित सम्पत्ति का क्षेत्र पंचायत के सम्पत्ति रजि० में दर्ज किये जाने का प्रमाण पत्र रखे जाये।

(घ) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य से लाभान्वित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा जाना अनिवार्य था। जिसे प्राप्त कर रखा जाये। स्पष्ट है, उक्त समस्त भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई, जिसका दामिग निर्धारण करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 70 :- लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 16-17 की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि स्वीकृति प्राक्कलन लागत में साइन बोर्ड एवं फोटो ग्राफ हेतु रु० 3,000.00 के व्यय का प्राविधान किया गया किन्तु निर्माण कार्य पत्रावलियों में उक्त भुगतान प्रमाणक भुगतान हेतु स्वीकृत करा कर पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये। जबकि अधिकांश पत्रावलियों में फोटोग्राफ संलग्न पाये गये उक्त मद में भुगतान किसे किया गया एवं कैसे किया गया की स्थिति स्पष्ट की जाये। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 71:- वर्ष 2013-14 में 13 वां वित्त मद से लोक परिसर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य श्री अनिल कुमार ए०डी०ओ० (सी) द्वारा कराया गया, जिस पर कुल व्यय रु 5130620 निम्नानुसार किया गया। किन्तु लेखा परीक्षा में माप पत्रिका एवं तीनों चरणों के फोटोग्राफ्स अप्राप्त रहे। बिना एम बी एवं फोटोग्राफ लिये भुगतान कर देना गम्भीर अनियमितता रही। अतः उक्त भुगतान रु० 51306. 00 की वसूली श्री के०के० आजाद खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अनिल कुमार ए०डी०ओ० से की जानी अपेक्षित रही।

क्र०	धनराशि	चेक/दिनांक	विवरण
1	43982	700841/01.05.13	अग्रवाल बिल्डिंग मैटेरियल
2	6316	700842/01.01.13	कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार
	51306		

प्रस्तर 72 :- वर्ष 2013-14 में 13वां वित्त मद से रामकिशन मास्टर के मकान से स्कूल तक नाली निर्माण कराया गया है। उक्त कार्य पर कुल रु० 281955.00 का भुगतान किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका एवं फोटोग्राफ्स अप्राप्त रहे जिससे स्पष्ट है कि भुगतान से पूर्व फोटोग्राफ्स एवं एम०बी० न प्राप्त करना गम्भीर अनियमितता रही। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री के०के० आजाद वी०डी०ओ० एवं कार्य प्रभारी श्री एम०एम० अंसारी जे०ई० से आधी-आधी ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र०	धनराशि	चेक/दिनांक	विवरण
1	219071	700847/01.07.2013	अग्रवाल बिल्डिंग मैटेरियल
2	57864	-	श्री एम०एस० अंसारी जे०ई०
	281955.00		

प्रस्तर 73 :- वर्ष 2013-14 में 13वां वित्त मद से उपेन्द्र के मकान से सी०सी०रोड तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर निम्नानुसार कुल रु० 148529.00 व्यय किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका एवं फोटोग्राफ्स अप्राप्त रहे बिना फोटोग्राफ्स एवं एम०बी० न प्राप्त करना गम्भीर अनियमितता रही। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री के०के० आजाद वी०डी०ओ० एवं कार्य प्रभारी श्री एम०एम० अंसारी जे०ई० से आधी-आधी ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र०	धनराशि	चेक/दिनांक	विवरण
1	16984	700852/01.08.13	कार्यानुसार श्री अनिल कुमार
2	131545	700848/01.07.13	अग्रवाल बिल्डिंग मैटेरियल
	148529		

प्रस्तर 74 :- वर्ष 2013-14 में 13वां वित्त मद से मैजमपुर में पृथ्वी सिंह के मकान से स्कूल तक नाली निर्माण कार्य पर कुल रु० 199156.00 व्यय किया गया। किन्तु लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका एवं फोटोग्राफ्स अप्राप्त रहे बिना फोटोग्राफ्स एवं एम०बी० न प्राप्त करना गम्भीर अनियमितता रही। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री के०के० आजाद वी०डी०ओ० एवं कार्य प्रभारी श्री एम०एम० अंसारी जे०ई० से आधी-आधी ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र०	धनराशि	चेक/दिनांक	विवरण
1	153888	700849/01.07.13	अग्रवाल बिल्डिंग मैटेरियल
2	45268	700858/07.10.13	अग्रवाल बिल्डिंग मैटेरियल
	199156		

प्रस्तर 75 :- वर्ष 2013-14 में 13वां वित्त मद से सोंसा में दीवानसिंह के घर से ओमप्रकाश तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर निम्नानुसार कुल रु० 916461.00 का व्यय किया गया, किन्तु लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका एवं फोटोग्राफ्स अप्राप्त रहे तथा मजदूरी भुगतान बैंक खातों में करने के स्थान पर नकद किया गया। बिना माप पुस्तिका एवं फोटोग्राफ्स प्राप्त किये भुगतान एवं भुगतान कार्य प्रभारी को कर गम्भीर अनियमितता वरती गई। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री के०के० आजाद वी०डी०ओ० एवं कार्य प्रभारी श्री एम०एम० अंसारी जे०ई० से आधी-आधी ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र०	धनराशि	चेक/दिनांक	विवरण
1	131716	138263/08.11.13	कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार

2	787745	138251 / 17.10.13	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल
	916461		

प्रस्तर 76:- वर्ष 2013-14 में 13वां वित्त मद से समसपुर में रमेश पंडित के मकान से उमेश के मकान तक इण्टरलॉकिंग/नाली कार्य पर निम्नानुसार कुल रु0 492305.00 का भुगतान किया गया, किन्तु लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका एवं फोटोग्राफ्स अप्राप्त रहे तथा मजदूरी भुगतान बैंक खातों में करने के स्थान पर कार्यप्रभारी को किया गया। बिना माप पुस्तिका एवं फोटोग्राफ्स प्राप्त किये भुगतान एवं भुगतान कार्य प्रभारी को कर गम्भीर अनियमितता वरती गई। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री के0के0 आजाद वी0डी0ओ0 एवं कार्य प्रभारी श्री एम0एम0 अंसारी जे0ई0 से आधी-आधी ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र0	धनराशि	चेक/दिनांक	विवरण
1	61560	138268 / 20.12.13	एम0एस0 अंसारी जे0ई0
2	172962	138269 / 20.12.13	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल
3	257783	138265 / 16.12.13	गणपति बिल्डिंग मैटेरियल
	492305.00		

प्रस्तर 77 :- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से नगला भजन से पडी सड़क से पचौरी के मकान तक इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य पर कुल रु0 586712.00 व्यय किया गया, किन्तु लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, माप पुस्तिका एवं एवं कार्य के मध्य एवं पूर्ण का फोटो संलग्न नहीं किया गया, तथा मजदूरी भुगतान सीधे मजदूरों के खातों में नकद कार्यप्रभारी को किया गया। बिना कार्य पूर्ति एवं माप पुस्तिका/फोटोग्राफ्स प्राप्त किये भुगतान एवं भुगतान कार्य प्रभारी को कर गम्भीर अनियमितता वरती गई। अतः उक्त धनराशि की वसूली श्री के0के0 आजाद वी0डी0ओ0 एवं कार्य प्रभारी श्री एम0एम0 अंसारी जे0ई0 से आधी-आधी ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र0	धनराशि	चेक/दिनांक	विवरण
1	147555	154282 / 30.01.2015	यशवार बिल्डिंग मैटेरियल
2	342485	154267 / 11.11.2014	यशवार बिल्डिंग मैटेरियल
3	96672	154283 / 30.11.2015	अनिल कुमार ए0डी0ओ0 (सी)
	586712		

प्रस्तर 78 :- वर्ष 2014-15 में आंगनवाड़ी केन्द्र बछेपुरा का निर्माण कार्य राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कराया गया जिस निम्नानुसार कुल रु0 508690.00 व्यय दर्शाया गया है के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां रही -

- 1) निम्नानुसार रु0 1 लाख से अधिक की सामग्री खरीद हेतु टेण्डर आमंत्रित करना आवश्यक है किन्तु उक्त कार्य हेतु टेण्डर न लेकर कुटेशन लिए गये है।
- 2) तुलनात्मक विवरण चार्ट में अपरलेखन किया गया है, तथा रु0 व पैसे अलग-अलग शब्दों में नहीं लिखे गये।
- 3) तीनों चरणों के फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।
- 4) मापपुस्तिका अप्राप्त रही।
- 5) लेवर कास्ट (मिस्त्री का) भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया जो मजदूरों के खातों में होना था।

क्रमांक 1 से 5 द्वारा स्पष्ट है उक्त में भुगतान मनमाने तरीके से बिना उचित प्रक्रिया का पालन किये गये अतः उक्त भुगतान रु0 508690.00 की वसूली ब्याज सहित आधी-आधी श्री मत्स्यनाथ त्रिवेदी वी0डी0ओ0 श्री भगवान सिंह चौहान वी0डी0ओ0 एवं श्री ऐबरन सिंह ग्रा0पं0अधि0 (कार्यप्रभारी) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 79 :- वर्ष 2015-16 में आंगनवाड़ी केन्द्र मई निर्माण कार्य श्री सुनील कुमार ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कराया गया है जिसमें रु0 32375.00 सामग्री क्रय के वाउचर्स प्राप्त नहीं हुये किन्तु भुगतान चेक संख्या 012187 दिनांक 14.06.2017 को कार्यप्रभारी छात्र प्राप्त कर लिया गया। बिना प्रमाणक भुगतान प्राप्त कर लेना गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित श्री सुनील कुमार ग्रा0वि0अधिकारी को की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - अलीगंज, जनपद - एटा।

प्रस्तर 80 :- निविदादाता फर्मों के नाम क्षेत्र पंचायत स्तर पर इस कार्य हेतु रक्षित अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर में दर्ज होने चाहिए इस नियम की भी अवहेलना की गयी हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर "अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर" जैसा महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं रखा गया है। इसमें नाम दर्ज कराने के निर्धारित शुल्क से क्षेत्र पंचायत कोष की क्षति कारित की गयी हैं, जो कि उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 18 का उल्लंघन हैं, क्योंकि न्यूनतम 3 निविदादाताओं से प्रति पक्ष रु0 100/- बतौर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराये उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किये बगैर उनके निविदा प्रपत्र स्वीकार किये गये। अतः न्यूनतम रु० 300/- की क्षेत्र पंचायत कोष को प्रति वर्ष क्षति कारित की गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति - तत्कालीन बी०डी०ओ०, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट।

प्रस्तर 81 :- मै० पूर्णागिरी कन्सट्रक्शन, सोहन नगर, अलीगंज ज्छ छव. 09125807385 को वर्ष 2015-16 हेतु निर्माण सामग्री आपूर्ति का ठेका दिया गया, इस हेतु "द सी एक्सप्रेस अखबार में दि० 0.3.09.16 / 06.09.16 का सन्दर्भ देकर विज्ञापन प्रकाशन उपरान्त 15.09.2016 को अन्तिम तिथि तय करते हुए सफल निविदादाता घोषित किया गया और उसे निम्न तिथियों में निम्न सामग्री आपूर्ति का भुगतान भी किया गया है (जबकि उसका कॉमर्शियल टैक्स वैबसाईट

अनुसार) दिनांक 26.05.15 को पंजीकरण ही रद्द हो चुका था पंजीकरण गँवा चुकी (रजिस्ट्रेशन कौंसिल) फर्म से डील करना (डीलिंग) गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैं। कॉमर्शियल टैक्स चोरी कार्य में सहयोग है, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ०, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट, तत्कालीन वित्तीय अधिकारी (वी०पी०डी०)।

तिथि	चैक सं०	भुगतान राशि
02.06.2016	802136	63891
02.06.2016	802142	63891
02.06.2016	593120	83891
02.06.2016	802147	147870
10.06.2016	802172	62456
10.06.2016	802179	62456
10.06.2016	802156	62456
10.06.2016	802164	62456
10.06.2016	802153	83718
10.06.2016	802168	83718
10.06.2016	802175	83718
10.06.2016	802161	83718
01.09.2015	416307	241020
08.06.2016	510482	60190
योग		12454491 दर 4% टीडीएस वैट रु० 49818/-

प्रस्तर 82 :-विकास योजनाओं पर भुगतान हेतु खण्ड विकास कार्यालय से निम्न विवरणानुसार प्राप्त चैक्स से सम्बन्धित बैंक से उसी दिन तत्काल नकद भुगतान प्राप्त कर चैक्स धनराशि को श्रमिकों को वितरित करने के बजाए निर्माण कार्य प्रभारी / चैक्स धारक ने सम्बन्धित धनराशि को अपने व्यक्तिगत/निजी बैंक खाते में ट्रांसफर कराया है, निज /व्यक्तिगत बैंक खाते में ट्रांसफर्ड उक्त फण्ड की निकासी कब हुई? यह जानने का कोई भी साक्ष्य ऑडिट दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया। व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर्ड उक्त धनराशि से सम्बन्धित बतायी गयी पत्रावलियों पर जिन काल्पनिक मजदूरों के नाम दर्शित है, उनका कोई भी पता मस्टर रोल्स पर दर्ज नहीं हैं। किसी भी मस्टर रोल्स पर किसी भी अधिकारी यथा बी०डी०ओ० क्षेत्र पंचायत एकाउन्टेन्ट तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख के हस्ताक्षरों के साथ तिथि अंकित नहीं हैं, साथ ही किसी भी मजदूर के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी के साथ भी तिथि अंकित नहीं की गयी हैं और उन्हें नकद ही भुगतान दर्शाया गया है, जबकि सभी श्रमिकों की मनरेगा की तर्ज पर उनके बैंक एकाउन्ट्स में उनकी मजदूरी प्रेषित की जानी चाहिये थी जो कि नहीं की गयी। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्य नजर यह सम्पूर्ण धनराशि रु० 75,26,530/- के अपहरण का प्रकरण प्रतीत होता है,

दिनांक	चैक सं०	धनराशि जिसे निज खाते में जमा कराया गया (रु०)	निर्माण कार्य प्रभारी/ब्लॉक कार्मिक का नाम जिसके व्यक्तिगत खाते में फण्ड ट्रांसफर हुआ।
08.06.2016	510486	50218	ओमपाल सिंह
08.06.2016	510485	11550	ओमपाल सिंह
08.06.2016	510487	384540	ओमपाल सिंह
08.06.2016	510481	367836	ओमपाल सिंह
08.06.2016	510488	325380	ओमपाल सिंह
08.06.2016	510489	309024	ओमपाल सिंह
08.06.2016	510490	283620	ओमपाल सिंह
21.06.2016	510491	473976	ओमपाल सिंह
21.06.2016	510493	341388	ओमपाल सिंह
21.06.2016	510492	426822	ओमपाल सिंह
15.07.2016	510494	312504	ओमपाल सिंह
08.08.2016	510499	248820	ओमपाल सिंह
08.08.2016	510495	352524	ओमपाल सिंह
08.08.2016	510496	25230	ओमपाल सिंह
08.08.2016	510497	393414	ओमपाल सिंह
08.08.2016	510498	249516	ओमपाल सिंह
17.08.2016	510500	360180	ओमपाल सिंह
16.11.2016	510501	201318	ओमपाल सिंह
08.08.2016	510595	352524	ओमपाल सिंह
08.08.2016	510596	25230	ओमपाल सिंह

08.08.2016	510597	393414	ओमपाल सिंह
08.08.2016	510598	249516	ओमपाल सिंह
17.08.2016	510500	360180	ओमपाल सिंह
16.11.2016	510501	201318	ओमपाल सिंह
16.11.2016	510518	47706	ओमपाल सिंह
16.11.2016	510514	267948	ओमपाल सिंह
16.11.2016	510513	22320	ओमपाल सिंह
28.04.2014	323410	268866	ओमपाल सिंह
02.06.2016	802141	5600	ओमपाल सिंह
02.06.2016	802140	5600	ओमपाल सिंह
15.07.2016	802197	46564	ओमपाल सिंह
15.07.2016	802187	7000	ओमपाल सिंह
15.07.2016	802188	1750	ओमपाल सिंह
15.07.2016	802189	8750	ओमपाल सिंह
15.07.2016	802194	48128	ओमपाल सिंह
15.07.2016	802196	48128	ओमपाल सिंह
15.07.2016	802191	48128	ओमपाल सिंह
योग रू०		7526530.00	ओमपाल सिंह

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति :- तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री शिखर श्रीवास्तव एवं राकेश कुमार शुक्ला, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट श्री सुनी यादव, निर्माण कार्य प्रभारी ओमपाल सिंह यादव, सम्बन्धित जे०ई०, तत्कालीन वी०पी०डी०

प्रस्तर 83 :- क्षेत्र पंचायत कार्मिक ने विकास कार्यों की धनराशि को अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कराया है, उक्त धनराशियां क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त अपनी किन सेवाओं/वस्तुओं की आपूर्ति के बदले उक्त कार्मिक ने प्राप्त की, इसके सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य क्षेत्र पंचायत स्तर पर उपलब्ध नहीं है। अतः यह प्रकरण क्षेत्र पंचायत कोष की क्षति का प्रतीत होता है, ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं०	धनराशि जिसे निज खाते में जमा कराया गया (रू०)	निर्माण कार्य प्रभारी/ब्लॉक कार्मिक का नाम जिसके व्यक्तिगत खाते में फण्ड ट्रांसफर हुआ।
03.03.2017	510521	37737	ओमप्रकाश, जे०ई०, एम०आई
03.03.2017	510526	69230	
03.03.2017	510527	46510	
योग		153477	

उत्तरदायी व्यक्ति :-तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री राकेश कुमार शुक्ला, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट श्री सुनील, सम्बन्धित कार्मिक ओमप्रकाश, जे०ई०।

प्रस्तर 84 :- वाणिज्यिक वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के बिलो का बिना 2% टी०डी०एस० फोर इन्कम टैक्स तथा 4% टी०डी०एस० फोर वैट कटौती किये ही भुगतान कर राजकोष की क्षति कारित करने के प्रकरणों में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति :- तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री शिखर श्रीवास्तव , तत्कालीन एकाउन्टेन्ट श्री सुनील यादव

बिल भुगतान तिथि	चैक सं०	बिल भुगतान राशि	फर्म का नाम	टी०डी०एस० फोर वैट दर 4% जिसकी कटौती अपेक्षित थी	टी०डी०एस० फोर इन्कम टैक्स दर 2% जिसकी कटौती अपेक्षित थी
27.07.2016	850256	115424	एम/एस एसपीएस कृषक पेट्रोलियम	4617	2308
02.03.2017	70240	85014	एम/एस एसपीएस कृषक पेट्रोलियम	3400	1700
22.08.2016	850260	17110	एम/एस उमेश पुस्तक भंडार	684	342
11.01.2017	850271	24650	एम/एस राकेश प्लास्टर	986	493
01.03.2017	850279	8000		320	160
	योग	250198		10007	5003

प्रस्तर 85 :- आपत्ति सं०-12 निविदादाता फर्मों के नाम, क्षेत्र पंचायत स्तर पर इस कार्य हेतु रक्षित "अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर" में दर्ज होने चाहिए. इस नियम की भी अवहेलना की गयी हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर "अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर" जैसा महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं रखा गया है। इसमें नाम दर्ज कराने के निर्धारित शुल्क से क्षेत्र पंचायत कोष की क्षति कारित की गयी हैं, जो कि उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 18 का उल्लंघन हैं, क्योंकि न्यूनतम 3 निविदादाताओं से प्रति पक्ष रू० 100/- बतौर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराये उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किये बगैर उनके निविदा प्रपत्र स्वीकार किये गये। अतः न्यूनतम रू० 300/- की क्षेत्र पंचायत कोष को प्रति वर्ष क्षति कारित की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति -तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री के०के० वैश्य, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट श्री सुनील यादव।

प्रस्तर 86 :- मै० पूर्णागिरी कन्सट्रक्शन, सोहन नगर, अलीगंज टिन नं०: 09125807385 को वर्ष 2015-16 हेतु निर्माण सामग्री आपूर्ति का ठेका दिया गया, इस हेतु "द सी एक्सप्रेस" अखबार में दि० 0.3.09.16 / 06.09.16 का सन्दर्भ देकर विज्ञापन प्रकाशन उपरान्त 15.09.2016 को अन्तिम तिथि तय करते हुए सफल निविदादाता घोषित किया गया और उसे निम्न तिथियों में निम्न सामग्री आपूर्ति का भुगतान भी किया गया है (जबकि उसका कॉमर्शियल टैक्स वैबसाइट अनुसार) दिनांक 26.05.15 को पंजीकरण ही रद्द हो चुका था। पंजीकरण गँवा चुकी (रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड) फर्म से डील करना (डीलिंग) गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैं। कॉमर्शियल टैक्स चोरी कार्य में सहयोग है, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति -तत्कालीन बी०डी०ओ०, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट, तत्कालीन वित्तीय अधिकारी (वी०पी०डी०)

तिथि	चैक सं०	भुगतान राशि
09.02.2016	593111	84621
09.02.2016	593108	84621
23.02.2016	593114	84621
योग		253863.00

उत्तरदायी व्यक्ति-तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री शिखर श्रीवास्तव, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट श्री सुनील यादव।

प्रस्तर 87:- निविदादाता फर्मों के नाम, क्षेत्र पंचायत स्तर पर इस कार्य हेतु रक्षित "अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर" में दर्ज होने चाहिए, इस नियम की भी अवहेलना की गयी हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर "अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर" जैसा महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं रखा गया। इसमें नाम दर्ज कराने के निर्धारित शुल्क से क्षेत्र पंचायत कोष की क्षति कारित की गयी हैं, जो कि उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 18 का उल्लंघन हैं, क्योंकि न्यूनतम 3 निविदादाताओं से प्रति पक्ष रू० 100/- बतौर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराये उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किये बगैर उनके निविदा प्रपत्र स्वीकार किये गये। अतः न्यूनतम रू० 300/- की क्षेत्र पंचायत कोष को प्रति वर्ष क्षति कारित की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति -तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री तुलाराम सुमन, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट साबिर अली खां।

प्रस्तर 88 :- क्षेत्र पंचायत कार्मिक श्री मोहिद आलम खान ने 01.01.2015 को चैक सं०- 416274 द्वारा रू० 70.700 /- अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर कराकर क्षेत्र पंचायत कोष की क्षति कारित की है, उक्त राशि को किस प्रयोजन से सम्बन्धित कार्मिक ने प्राप्त किया। इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य क्षेत्र पंचायत स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति -तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री ज्ञानेन्द्र, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट साबिर अली खां, सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत कार्मिक मोहिद आलम खान

प्रस्तर 89 :- निविदादाता फर्मों के नाम, क्षेत्र पंचायत स्तर पर इस कार्य हेतु रक्षित "अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर" में दर्ज होने चाहिए, इस नियम की भी अवहेलना की गयी हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर "अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर" जैसा महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं रखा गया है। इसमें नाम दर्ज कराने के निर्धारित शुल्क से क्षेत्र पंचायत कोष की क्षति कारित की गयी हैं, जो कि उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 18 का उल्लंघन हैं, क्योंकि न्यूनतम 3 निविदादाताओं से प्रति पक्ष रू० 100/- बतौर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराये उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किये बगैर उनके निविदा प्रपत्र स्वीकार किये गये। अतः न्यूनतम रू० 300 /- की क्षेत्र पंचायत कोष को प्रति वर्ष क्षति कारित की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति -तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री ब्रह्मलाल, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट सुरेश चन्द्र शर्मा, तत्कालीन वित्तीय अधिकारी (वी०पी०डी०)

प्रस्तर 90 :- उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम 70 के उप नियम (1) एवं (2) के प्रावधानों के अनुसार "उप खनिज का "पारेषण" (कंसाइनमेंट) करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एम. -एम. -11, उ०प्र० खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 के अन्तर्गत निर्गत प्रपत्र "सी" या इसी तरह के वैध अभिवहन प्रपत्र जो अन्य राज्यों द्वारा निर्गत किया गया हो, में जारी पास के बिना नहीं ले जायेगा।" उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम 3 एवं 21 के क्रम में शासनादेश सं० 594/77-5-2001/200/77 टी०सी०-औद्योगिक विकास अनुभाग-लखनऊ दि० 21.02.2001 एवं शासनादेश सं०-399 / 77 / 2002-1 (216)

93 औद्योगिक विकास अनुभाग- 5, लखनऊ दि० 05.08.2002 का उल्लंघन करते हुए निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से बिना एम. एन. - 11 की उपलब्धता सुनिश्चित कराए ही सप्लायर के निम्न बिलों से अति आवश्यक सामग्री राशि कटौती किये बिना ही निम्न प्रकार सप्लायर के बिलों का भुगतान राजकोष को गंभीर क्षति कारित किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आये है जो कि अवैध खनन और पर्यावरण क्षति का ब्लॉक कर्मियों द्वारा बढ़ावा दिये जाने की ओर संकेत है। इसके विषय में स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्यों न पर्यावरणीय क्षति एवं रायल्टी क्षति हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से उपर्युक्त शासनादेशों की अपेक्षानुसार पूर्णतया अनियमितता बरत कर / बिना रायल्टी कटौती किये भुगतान कर फर्म को उप खनिजों की आपूर्ति बाबत किये गये व्यय की वसूली की अपेक्षा की जाए। विवरण अग्रांकित -

तिथि	सप्लायर का नाम जिसने क्षेत्र पंचायत में बिना एम. -एम. -11/फार्म सी के माल आपूर्ति की।	बिल क्रमांक	बुक नं०	बिल की कुल धनराशि (रु०)	नाम उप खनिज	मात्रा	मूल्य (रु०)	चैक जिसके सप्लायर ने धनराशि प्राप्त की।	सं० द्वारा प्राप्त
05.09.13	मां पूर्णागिरी कन्सट्रक्शन कं०	005	—	766196	फाइन सैंड	1.08	86400	717594	दिव० 27.09.13
					कोर्स सैंड	2.19	3504		
					स्टोन ग्रेट	4.39	7989		
30.05.13	मां पूर्णागिरी कन्सट्रक्शन कं०	001	—	973567	फाइन सैंड	21.32	17048		
					स्टोन ग्रेट	43.26	48401		
					मॉरंग	64.11	102576		
					स्टोन ग्रेट	31	56420		
22.11.13	मां पूर्णागिरी कन्सट्रक्शन कं०	014	—	923475	फाइन सैंड	33	31350		
					कोर्स सैंड	67	123950		
					स्टोन ग्रेट	10	20300		
							497938.00		

क्षेत्र पंचायत क्षति राशि की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति -तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री ब्रह्मलाल एवं श्री तुलाराम सुमन,तत्कालीन एकाउन्टेन्ट सुरेश चन्द्र शर्मा।
प्रस्तर 91:- ग्रांट रजिस्टर में बैंक की चैक-बुक खत्म होने की हास्यास्पद दलील दर्ज कर रिफण्ड बाउचर जैसे "काल्पनिक शीर्षक ढंग से बड़ी धनराशि अपने निजी बैंक खाते में निर्माण कार्य प्रभारी द्वारा ट्रांसफर कराने का प्रकरण लेखा परीक्षा दौरान संज्ञान में आया जबकि रिफण्ड बाउचर जैसी किसी चीज के आधार पर बैंक द्वारा इतनी बड़ी धनराशि भुगतान करना "विस्मयकारी है और अपराधिक भी है।

भुगतान तिथि	"रिफण्ड बाउचर" द्वारा धनराशि निजी बैंक खाते में ट्रांसफर कराई गयी।	धनराशि रु०	निर्माण कार्य प्रभारी का नाम ओमपाल सिंह
05.12.2013		16,88,522.00	

निजी बैंक खाते में निर्माण कार्य प्रभारी द्वारा क्षेत्र पंचायती राशि/राजकीय अनुदान राशि को अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर कराकर उसके गबन/दुरुपयोग की सम्भावना निम्न तथ्यों के आधार पर और अधिक बलवती प्रतीत होती है

1) सम्बन्धित सभी मस्टर रोल्स पर दर्ज किसी भी श्रमिक की पहचान करना सम्भव नहीं है क्योंकि मस्टर रोल्स पर श्रमिकों के केवल नाम व पिता का नाम दर्ज है, निवास स्थान / ग्राम / पता का कोई विवरण दर्ज नहीं है, यह राब अमिकों की पहचान गुप्त रखने की मंशा से किया गया प्रतीत होता है। जो कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं०-49 (प्रपत्र सं०-12) का खुला उल्लंघन है।

2) मस्टर रोल पर दर्ज सभी श्रमिकों के भुगतान प्राप्ति के साक्ष्य स्वरूप केवल अंगूठा निशानी लगे है, जो कि विधिवत संख्या अंकित एवं प्रमाणीकरण नहीं किये गये हैं। प्रथम दृष्टतया: सभी अंगूठा निशानी एक जैसे प्रतीत होते हैं।

3) मस्टर रोल्स पर दर्ज किसी भी अधिकारी / पदाधिकारी जैसे बी०डी०ओ०, एकाउन्टेन्ट, जे०ई० एवं ब्लॉक प्रमुख तथा निर्माण कार्य प्रभारी के हस्ताक्षरों के साथ तिथि अंकित नहीं की गयी है। यह निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 49 (प्रपत्र सं० 12) का गम्भीर उल्लंघन है।

उपर्युक्त तथ्यों के चलते सम्बन्धित राशि का गबन किया गया प्रतीत होता है, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही के साथ-साथ विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति - तत्कालीन बी०डी०ओ० तुलाराम सुमन , तत्कालीन एकाउन्टेन्ट

सुरेश चन्द्र शर्मा, निर्माण कार्य प्रभारी, ओमपाल सिंह, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता (वी०पी०डी०) ,तत्कालीन जे०ई०

प्रस्तर 92 :- क्षेत्र पंचायत कार्मिक श्री मोहिद आलम खान ने 28.06.2013 को चैक सं०-593086 द्वारा रु० 12.423/- एवं दिनांक 26.08.2013 को चैक सं०-593081 द्वारा श्री अनुपम मिश्रा ने रु० 5,000/- को अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर कराकर क्षेत्र पंचायत कोष की क्षति कारित की है, उक्त राशियों को किस प्रयोजन से सम्बन्धित कार्मिकों ने प्राप्त की। इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य क्षेत्र पंचायत स्तर पर उपलब्ध नहीं है।

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ० ब्रह्मलाल एवं तुलाराम सुमन , तत्कालीन एकाउन्टेन्ट सुरेश चन्द्र शर्मा, क्षेत्र पंचायत कार्मिक मोहिद आलम एवं अनुपम मिश्रा।

प्रस्तर 93 :- राजस्व ग्राम साडरपुर, ग्राम पंचायत पुराहार में नरेश के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण हेतु दि० 05.09.2013 मै० पूर्णागिरी से कुल रू० 7,66,193.00 की निर्माण सामग्री क्रय की गयी, जिसमें रू० 2,19,600.00 की मूल्य राशि की सीमेन्ट जैसी जल्द खराब होने वाली सामग्री भी शामिल थी, फर्म का भुगतान चैक सं० 717594 दि० 27.09.13 को कार्य प्रभारी ओमपाल सिंह की सामग्री स्थल पर प्राप्ति की सिफारिश बाद कर दिया गया, परन्तु इस कार्य पर दर्शित मस्टर रोल्स (जिन पर किसी भी श्रमिक का पता या निवास स्थान दर्ज नहीं है) पर कार्य 16 से 31 जनवरी, 2015 को कराना दर्शित है, यानि दो वर्षा ऋतु बाद की अवधि में, जो कि "आपराधिक लापरवाही" है, जबकि उक्त कार्य हेतु क्षेत्र पंचायत कोष में शासन द्वारा राशि प्रेषित की जा चुकी थी। उक्त सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है, क्योंकि यह फर्जी मस्टर रोल्स के जरिये सम्पूर्ण योजना राशि रू० 7,66,196/- + 1,88,404 / (सामग्री एवं श्रमांश) की बरबादी का प्रकरण है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ० तुलाराम सुमन , तत्कालीन एकाउन्टेन्ट सुरेश चन्द्र शर्मा, कार्य प्रभारी श्री ओमपाल यादव, तत्कालीन जे०ई०।

प्रस्तर 94 :- निम्न प्रकरणों में आपूर्तिकर्ता के बिलो से टी०डी०एस० फोर वैट की कटौती किये बगैर ही सप्लायर को भुगतान कर दिया गया है जो कि यू पी वैट एक्ट , 2008 की धारा-34 का गम्भीर उल्लंघन है, दर 4% की कटौती उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था, अधिनियम में कटौती न करने पर डी०डी०ओ से कटौती योग्य राशि के दोगुने की वसूली कराए जाने के प्रावधान हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ श्री ओ०पी० आर्या, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट श्री सुरेश चन्द्र शर्मा

बिल भुगतान तिथि	चैक क्रमांक	बिल भुगतान राशि	फर्म का नाम	कटौती योग्य राशि
12.06.2011	530748	462133	बालाजी सीमेंट एजेन्सी	18920
08.12.2010	530756	467706	बालाजी सीमेंट एजेन्सी	19148
योग				38068.00

प्रस्तर 95 :- मै० आर०के० ईट उद्योग, नंगली मथुरी, अलीगंज, एटा को निम्न प्रकार भुगतान किया –

चैक सं०	दिनांक	भुगतान धनराशि
323403	02.07.2011	211387
348753	07.04.2011	182806
348754	07.04.2011	182806
348755	07.04.2011	182806
220060	27.06.2011	238670
220061	27.06.2011	238670
220062	29.06.2011	41840
220064	06.07.2011	116509
220068	06.07.2011	238454
220067	06.07.2011	200934
220070	06.07.2011	158975
220066	06.07.2011	236048
220074	12.07.2011	165334
220072	12.07.2011	247993
220084	11.08.2011	6426
220092	12.08.2011	190515
220093	12.08.2011	127010
220094	13.09.2011	19173
321352	14.10.2011	88323
321360	24.10.2011	42320
321362	24.10.2011	36650
321368	11.11.2011	19381
321388	20.12.2011	74073
योग		3247103.00

उक्त भुगतान से निम्न सम्बन्धित निम्न आपत्तियां है :- यह भुगतान जिन बिलों के सापेक्ष किया गया है उन बिलों पर यू०पी०वैट एक्ट, 2008 की धारा 34 के विरुद्ध कोई टी०डी०एस० फार वैट नहीं काटा गया है जबकि दर 4% की दर

से कुल भुगतान राशि 32,47,103 = पर रु0 1,29,884/= की कटौती की जानी चाहिये थी। उक्त फर्म के बिलों पर अंकित टीन नं०-9725804425 संदिग्ध प्रतीत होता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ श्री ओ०पी० आर्या एवं उमा रानी कुलश्रेष्ठ, तत्कालीन एकाउन्टेंट श्री सुरेश चन्द्र शर्मा।

प्रस्तर 96 :- उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1063 के नियम 3 एवं 21 के क्रम में शासनादेश संव 594/77-5-2001 / 200 / 77 टी०सी०-औद्योगिक विकास अनुभाग-लखनऊ दि० 21.02.2001 एवं शासनादेश सं०-390/77 / 2002-1 (216) 93 औद्योगिक विकास अनुभाग-5, लखनऊ दि० 05.08.2002 का उल्लंघन करते हुए निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से बिना एम. एम.-11 की उपलब्धता सुनिश्चित कराए ही सप्लायर के निम्न बिलों से अति आवश्यक सामग्री राशि कटौती किये बिना ही निम्न प्रकार सप्लायर के बिलों का भुगतान राजकोष को गंभीर क्षति कारित किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आये है जो कि अवैध खनन और पर्यावरण क्षति को ब्लॉक कर्मियों द्वारा बढ़ावा दिये जाने की ओर संकेत है। इसके विषय में स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्यों न पर्यावरणीय क्षति एवं रायल्टी क्षति हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से उपर्युक्त शासनादेशों की अपेक्षानुसार पूर्णतया अनियमितता बरत कर / बिना रायल्टी कटौती किये भुगतान कर फर्म को उप खनिजों की आपूर्ति बाबत किये गये व्यय की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण अग्रांकित –

दिनांक	फर्म का नाम	बिल की धनराशि (रु०)	नाम उप खनिज	मात्रा	मूल्य (रु०)	चैक सं० जिसके द्वारा सप्लायर धन प्राप्त की	अपेक्षित रायल्टी कटौती जो नहीं की गयी
04.12.2010	श्री बालाजी सीमेंट एजेंसी अलीगंज	2242524	फाइन सैंड	276	124200	052023 दि० 07.12.2010	15180
			कोर्स सैंड	200.4	170388		13026
			स्टोन ग्रेट	400.8	649296		44088
							72294

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ श्री ओ०पी० आर्या, तत्कालीन एकाउन्टेंट श्री सुरेश चन्द्र शर्मा तत्कालीन वी०पी०डी०।

प्रस्तर 97 :- निम्न प्रकरणों में आपूर्तिकर्ता के बिलों से टी०डी०एस० फोर वैट की कटौती किये बगैर ही सप्लायर को भुगतान कर दिया गया है जो कि यू०पी०वैट एक्ट 2008 की धारा-34 का गम्भीर उल्लंघन है। दर 4% की कटौती उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था अधिनियम में कटौती न करने पर डी०डी०ओ से कटौती योग्य राशि के दोगुने की वसूली कराए जाने के प्रावधान हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ श्री ओ०पी० आर्या, तत्कालीन एकाउन्टेंट श्री सुरेश चन्द्र शर्मा तत्कालीन वी०पी०डी०।

बिल भुगतान तिथि	चैक क्रमांक	बिल भुगतान राशि	फर्म का नाम	कटौती योग्य राशि
07.12.10 / 13.12.10	052023	2190948	बालाजी सीमेंट एजेंसी	89700
19.02.2011	323338	202532	बालाजी सीमेंट एजेंसी	8291
19.02.2011	323386	365158	बालाजी सीमेंट एजेंसी	14949
14.03.2011	323391	235457	बालाजी सीमेंट एजेंसी	9639
12.07.2011	323404	96454	बालाजी सीमेंट एजेंसी	3948
21.01.2011	530760	776049	बालाजी सीमेंट एजेंसी	31772
योग				158299.00

प्रस्तर 98 :- चैक सं० 52024 दिनांक 07.12.2010 द्वारा रु० 4,47,618/- का भुगतान आर०के ईट उद्योग, अलीगंज, एटा को किया गया, जिसका उक्त फर्म ने दिनांक 13.12.2010 को बैंक से भुगतान भी प्राप्त कर लिया। उक्त भुगतान फर्म द्वारा प्रस्तुत 6 बिलों प्रति बिल रु० 76,359/- कुल रु० 4,58,154.00 के सामान आपूर्ति के दावे के विपरीत कुल रु० 10,536. 00 की टी०डी०एस० फोर इन्कम टैक्स कटौती उपरान्त करना दर्शित है। उक्त भुगतान के विषय में निम्न आपत्तियां है –

क) उक्त बिल पर कोई टी०डी०एस० फोर वैट की कटौती नहीं की गयी है, जबकि दर 4% रु० 17,904/- की कटौती की जानी चाहिये थी।

ख) उक्त फर्म के बिलों पर अंकित टीन नं० 9725804452 संदिग्ध प्रतीत होता है।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ श्री ओ०पी० आर्या, तत्कालीन एकाउन्टेंट श्री सुरेश चन्द्र शर्मा तत्कालीन वी०पी०डी०।

प्रस्तर 99:- दिनांक 08.09.2010 को चैक सं० 530750 द्वारा रु० 30,000/- का भुगतान पुलिस अधीक्षक, एटा को किया गया है। यह भुगतान किस उद्देश्य के लिये किया गया। समर्थन में कोई भी पुष्टि-पत्र ऑडिट दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ श्री ओ०पी० आर्या, तत्कालीन एकाउन्टेंट श्री सुरेश चन्द्र शर्मा तत्कालीन वी०पी०डी०।

प्रस्तर 100 :- क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न प्रकार धनराशि कतिपय ग्राम पंचायतों को भुगतान किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आये।

तिथि	चैक सं०	धनराशि	नाम ग्राम पंचायत
23.04.2010	530743	485600	सिकन्दरपुर
26.04.2010	530744	557800	सिकन्दरपुर
23.08.2010	530753	500000	ग्राम पंचायत कैला
01.01.2020	530754	286000	ग्राम पंचायत कैला

क्षेत्र पंचायत बजट से बिना स्वीकृत प्रस्तावों से, किन प्रयोजनों से फण्ड ट्रांसफर किया गया और क्षेत्र पंचायत कैसे संतुष्ट हुई कि उक्त फण्ड का सदुपयोग हो गया? इस सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य/दस्तावेज क्षेत्र पंचायत स्तर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण यह क्षेत्र पंचायत कोष सम्बन्धी गम्भीर वित्तीय अनियमितता तो है ही, यह सम्बन्धित राशि के गबन का भी प्रकरण प्रतीत होता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ श्री ओ०पी० आर्या, तत्कालीन एकाउन्टेंट श्री सुरेश चन्द्र शर्मा तत्कालीन वी०पी०डी०।

प्रस्तर 101 :- मैसर्स आर०के०ईट उद्योग, नंगली मथुरी, अलीगंज, एटा को निम्न प्रकार भुगतान किया गया।

चैक सं०	दिनांक	भुगतान धनराशि
323380	19.02.2011	45332
323387	19.02.2011	74603
323390	14.03.2011	317525
530751	18.08.2010	28605
530765	08.12.2010	99525
530759	21.01.2011	174165
348747	29.01.2011	99525
58637	29.07.2010	243742
58635	09.07.2020	243742
57644	18.08.2010	276280
65643	18.08.2010	221584
58649	19.10.2010	226800
58648	19.10.2010	332375
58650	26.10.2010	152349
220006	30.11.2010	243742
220007	30.11.2010	182806
220008	30.11.2010	147623

उक्त भुगतान से निम्न सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ हैं :-

यह भुगतान जिन बिलों के सापेक्ष किया गया है उन बिलों पर यू०पी०वैट एक्ट, 2008 की धारा 34 के विरुद्ध कोई टी०डी०एस० फार वैट नहीं काटा गया है जबकि दर 4% की दर से कुल भुगतान राशि 31,10,500/- पर रू० 1,24,420 /- की कटौती की जानी चाहिये थी।

उक्त फर्म के बिलों पर अंकित टीन नं०-9725804425 संदिग्ध प्रतीत होता है।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ श्री ओ०पी० आर्या, तत्कालीन एकाउन्टेंट श्री सुरेश चन्द्र शर्मा तत्कालीन वी०पी०डी०।

क्षेत्र पंचायत – जैथरा, जनपद – एटा।

प्रस्तर 102 :- उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम 3 एवं 21 के क्रम में सनादेश सं० 594 / 77-5-2001 / 200 / 77 टी०सी०-औद्योगिक विकास अनुभाग-लखनऊ दि० 21.02.2001 एवं शासनादेश सं०-399 / 77 / 2002-1(216) 93 औद्योगिक विकास अनुभाग-5, लखनऊ दि० 05.08.2002 का उल्लंघन करते हुए निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै० डी०के०बिल्डर्स से बिना एम. एम.-11 की उपलब्धता सुनिश्चित कराए ही सप्लायर के निम्न बिलों से अति आवश्यक सामग्री राशि कटौती किये बिना ही निम्न प्रकार सप्लायर के बिलों का भुगतान राजकोष को गंभीर क्षति कारित किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आये है जो कि अवैध खनन और पर्यावरण क्षति का ब्लॉक कर्मियों द्वारा बढ़ावा दिये जाने की ओर संकेत है। इसके विषय में स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्यों न पर्यावरणीय क्षति एवं रायल्टी क्षति हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से उपर्युक्त शासनादेशों की अपेक्षानुसार पूर्णतया अनियमितता बरत कर / बिना रायल्टी कटौती किये भुगतान कर फर्म को उप खनिजों की आपूर्ति बाबत किये गये व्यय की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण अग्रांकित-

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ० वी शिखर श्रीवास्तव, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट ब्रज कुमार, तत्कालीन वी०पी०डी०

क्र०	नाम फर्म	बिल क्र०	बुक सं०	बिल की कुल राशि	टी०डी०एस० कटौती के बाद फर्म को भुगतान धनराशि	चैक सं० जिसके द्वारा फर्म ने भुगतान प्राप्त किया	बैंक द्वारा भुगतान तिथि	नाम उप खनिज	मात्रा (घनमी०)	उप खनिज कीमत जो फर्म ने प्राप्त रू०	अपेक्षित रायल्टी कटौती जो फर्म के बिल की जानी चाहिए थी, परन्तु नहीं की गयी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	तदैव	64	002	120615	113327	450609	27.06.16	बालू मोरम स्टोन ग्रेट	6.34 7.23 12	9510 18075 24600	412 1084 1320
										52185.00	2816.00

प्रस्तर 103 :- विकास योजनाओं पर भुगतान हेतु खण्ड विकास कार्यालय से निम्न विवरणानुसार प्राप्त चैक्स से सम्बन्धित बैंक से उसी दिन तत्काल नकद भुगतान प्राप्त कर चैक्स धनराशि को श्रमिकों को वितरित करने के बजाए निर्माण कार्य प्रभारी/चैक्स पारक ने सम्बन्धित धनराशि को अपने व्यक्तिगत/निजी बैंक खाते में ट्रांसफर कराया है, निज/व्यक्तिगत बैंक खाते में ट्रांसफर्ड उक्त फण्ड की निकासी कब हुई? किस प्रयोजन के लिये हुई? यह जानने का कोई साक्ष्य ऑडिट दौरान अप्राप्त रहा. साथ ही सम्बन्धित धनराशि को ऐसे फर्जी मस्टर रोल्स पर व्यय दर्शाया गया है जिन पर श्रमिकों के पते एवं निवास स्थान भी दर्ज नहीं है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं०	धनराशि जिसे निज खाते में जमा कराया गया (रू०)	निर्माण कार्य प्रभारी/ब्लॉक कार्मिक का नाम जिसके व्यक्तिगत खाते में फण्ड ट्रांसफर हुआ।
22.06.2016	950620	207368	विश्राम सिंह यादव
22.06.2016	950617	375291	विश्राम सिंह यादव
22.06.2016	950611	264201	विश्राम सिंह यादव
22.06.2016	950608	5386	विश्राम सिंह यादव
22.06.2016	950614	439530	विश्राम सिंह यादव
22.06.2016		3000	विश्राम सिंह यादव
03.03.2017	952561	30156	विश्राम सिंह यादव
22.03.2017	952566	13251	मुकेश ग्राम पंचायत अधिकारी
योग		1338183.00	

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री शिखर श्रीवास्तव, रामसिंह अहिरवार एवं एस०एन० कुशवाहा ,तत्कालीन एकाउन्टेन्ट ब्रज कुमार, तत्कालीन वी०पी०डी०

प्रस्तर 104 :- निविदादाता फर्मों के नाम, क्षेत्र पंचायत स्तर पर इस कार्य हेतु रक्षित "अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर में दर्ज होने चाहिए. इस नियम की भी अवहेलना की गयी है। क्षेत्र पंचायत स्तर पर "अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर" जैसा महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं रखा गया है। इसमें नाम दर्ज कराने के निर्धारित शुल्क से क्षेत्र पंचायत कोष की क्षति कारित की गयी है, जो कि उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 18 का उल्लंघन है, क्योंकि न्यूनतम 3 निविदादाताओं से प्रति पक्ष रू० 100/- बतौर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराये उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किये बगैर उनके निविदा प्रपत्र स्वीकार किये गये। अतः न्यूनतम रू० 300/- की क्षेत्र पंचायत कोष को प्रति वर्ष क्षति कारित की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति— बी डी ओ० श्री रामसिंह अहिरवार, एकाउन्टेन्ट श्री ब्रज कुमार

प्रस्तर 105 :- निविदादाता फर्मों के नाम क्षेत्र पंचायत स्तर पर इस कार्य हेतु रक्षित "अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर" में दर्ज होने चाहिए, इस नियम की भी अवहेलना की गयी है। क्षेत्र पंचायत स्तर पर "अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर" जैसा महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं रखा गया है। इसमें नाम दर्ज कराने के निर्धारित शुल्क से क्षेत्र पंचायत कोष की क्षति कारित की गयी है, जो कि उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 18 का उल्लंघन है, क्योंकि न्यूनतम 3 निविदादाताओं से प्रति पक्ष रू० 100/- बतौर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराये उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किये बगैर उनके निविदा प्रपत्र स्वीकार किये गये। अतः न्यूनतम रू० 300/- की क्षेत्र पंचायत कोष को प्रति वर्ष क्षति कारित की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – बीडीओ के०के० वैश्य, एकाउन्टेन्ट ब्रज कुमार, तत्कालीन वी०पी०डी०

प्रस्तर 106 :- उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम 3 एवं 21 के क्रम में शासनादेश सं० 594 / 77-5-2001 / 200 / 77 टी०सी०-औद्योगिक विकास अनुभाग-लखनऊ दि० 21.02.2001 एवं शासनादेश सं०-399 / 77 / 2002-1 (216) 93 औद्योगिक विकास अनुभाग-5, लखनऊ दि० 05.08.2002 का उल्लंघन करते हुए निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै० डी०के०बिल्डर्स से बिना एम. एम.-11 की उपलब्धता सुनिश्चित कराए ही सप्लायर के निम्न बिलों से अति आवश्यक सामग्री राशि कटौती किये बिना ही निम्न प्रकार सप्लायर के बिलों का भुगतान राजकोष को गंभीर क्षति कारित किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आये है जो कि अवैध खनन और पर्यावरण क्षति का ब्लॉक कर्मियों द्वारा बढ़ावा दिये जाने की ओर संकेत है। इसके विषय में स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्यों न पर्यावरणीय क्षति एवं रायल्टी क्षति हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से उपर्युक्त शासनादेशों की अपेक्षानुसार पूर्णतया अनियमितता बरत कर / बिना रायल्टी कटौती किये भुगतान कर फर्म को उप खनिजों की आपूर्ति बाबत किये गये व्यय की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण अग्रांकित-

उत्तरदायी व्यक्ति - बीडीओ के०के० वैश्य, एकाउन्टेंट ब्रज कुमार, तत्कालीन वी०पी०डी०

वर्ष 2015-16

क्र०	नाम फर्म	बिल क्रमांक	बुक सं०	बिल की कुल राशि (रु०)	टी०डी०एस ० कटौती के बाद फर्म ने भुगतान प्राप्त किया	चैक सं० जिसके द्वारा फर्म ने भुगतान किया	बैंक द्वारा भुगतान तिथि	नाम उप खनिज	मात्रा (घनमी०)	उप खनिज कीमत जो फर्म ने प्राप्त की रु०	अपेक्षित रायल्टी कटौती जो फर्म के बिल से की जानी चाहिए थी, परन्तु नहीं की गयी।
1	तदैव	34	001	195885	184132	945474	10.06.15	पतला बालू मोरम स्टोन ग्रेट	8.75 10.2 6.35	9625 20400 12700	568 1530 698
2	तदैव	35	001	365825	343874	945476	10.06.15	पतला बालू मोरम स्टोन ग्रेट	21.25 24.25 40.5	23375 48500 81000	1381 3637 4455
3	तदैव	-	-	245540	230808	945478	10.06.15	पतला बालू मोरम स्टोन ग्रेट	6.7 17.85 8.0	7370 35700 16000	435 2677 880
4	तदैव	56	002	289700	272018	945484	04.08.15	पतला बालू मोरम स्टोन ग्रेट	14.4 18.3 27	21600 43920 55350	936 2745 2970
5	तदैव	55	002	551260				पतला बालू मोरम स्टोन ग्रेट	28.5 34 54	43350 81600 110700	1852 5100 5940
										733990	418291

प्रस्तर 107 :- विकास योजनाओं पर भुगतान हेतु खण्ड विकास कार्यालय से निम्न विवरणानुसार प्राप्त चैक्स से सम्बन्धित बैंक से उसी दिन तत्काल नकद भुगतान प्राप्त कर चैकस धनराशि को श्रमिकों को वितरित करने के बजाए निर्माण कार्य प्रभारी / चैक्स धारक ने सम्बन्धित धनराशि को अपने व्यक्तिगत / निजी बैंक खाते में ट्रांसफर कराया है, निज / व्यक्तिगत बैंक खाते में ट्रांसफर्ड उक्त फण्ड की निकासी कब हुई? किस प्रयोजन के लिये हुई? यह जानने का कोई साक्ष्य ऑडिट दौरान अप्राप्त रहा, साथ ही सम्बन्धित धनराशि को ऐसे फर्जी मस्टर रोल्स पर व्यय दर्शाया गया है जिन पर श्रमिकों के पते एवं निवास स्थान भी दर्ज नहीं है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चैक सं०	धनराशि जिसे निज खाते में जमा कराया गया रु०	निर्माण कार्य प्रभारी/ब्लॉक कार्मिक का नाम जिसके व्यक्तिगत खाते में फण्ड ट्रांसफर हुआ।
22.04.2015	945440	185826	विश्राम सिंह यादव
22.04.2015	945463	11550	विश्राम सिंह यादव
22.04.2015	945464	31234	विश्राम सिंह यादव
22.04.2015	945465	13330	विश्राम सिंह यादव
22.04.2015	945466	36364	विश्राम सिंह यादव
22.04.2015	945467	13330	विश्राम सिंह यादव
22.04.2015	945468	37364	विश्राम सिंह यादव
22.04.2015	945469	67200	विश्राम सिंह यादव
09.03.2016	950604	116844	विश्राम सिंह यादव
09.03.2016	950605	153827	विश्राम सिंह यादव
09.03.2016	950606	421960	विश्राम सिंह यादव

09.03.2016	950607	88478	विश्राम सिंह यादव
योग		1177307.00	

प्रस्तर 108 :- उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1003 के नियम 3 एवं 21 के क्रम में शासनादेश सं० 594/77-5-2001 / 200 / 77 टी०सी०-औद्योगिक विकास अनुभाग-लखनऊ दि० 21.02.2001 एवं शासनादेश सं०-399 / 77 / 2002-1(216) 93 औद्योगिक विकास अनुभाग-5, लखनऊ दि० 05.08.2002 का उल्लंघन करते हुए निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै० डी०के० बिल्डर्स से बिना एम.एम.-11 की उपलब्धता सुनिश्चित कराए ही सप्लायर के निम्न बिलो से के बिलों का भुगतान कर आवश्यक सामग्री राशि कटौती किये बिना ही निम्न प्रकार सप्लायर को गंभीर क्षति कारित किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आये है जो कि अवैध खनन और पर्यावरण क्षति को ब्लॉक कर्मियों द्वारा बढ़ावा दिये जाने की ओर संकेत है। इसके विषय में स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्यों न पर्यावरणीय क्षति एवं रायल्टी क्षति हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से उपर्युक्त शासनादेशों की अपेक्षानुसार पूर्णतया अनियमितता बरत कर / बिना रायल्टी कटौती किये भुगतान कर फर्म को उप खनिजों की आपूर्ति बाबत किये गये व्यय की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण अग्रांकित-

उत्तरदायी व्यक्ति - तत्कालीन बी०डी०ओ० ज्ञानेन्द्र सिंह, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट ब्रज कुमार, तत्कालीन वी०पी०डी० वर्ष 2014-15

क्र०	नाम फर्म	बिल क्रमांक	बुक सं०	बिल की कुल राशि (रु०)	टी०डी०एस० कटौती के बाद फर्म ने भुगतान प्राप्त किया	चैक सं० जिसके द्वारा फर्म ने भुगतान किया	बैंक द्वारा भुगतान तिथि	नाम उप खनिज	मात्रा (घनमी०)	उप खनिज कीमत जो फर्म ने प्राप्त की रु०	अपेक्षित रायल्टी कटौती जो फर्म के बिल से की जानी चाहिए थी, परन्तु नहीं की गयी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	डी०के० बिल्डर्स एटा			702060	659642	944125	22.09.14	मोरम पतला बालू	1.2 5.4	2220 5130	180 351
2	तदैव			830570	780387	941079	04.08.14	पतला बालू मोटा बालू	76.9 45.6	73055 84360	4998 2964
3	तदैव			948830	891502	944137	09.10.14	पतला बालू मोटा बालू स्टोन ग्रेट	5 1 2	5500 2000 4000	325 65 220
4	तदैव			829540	779413	943479	03.09.14	पतला बालू मोरम स्टोन ग्रेट	46.5 45.5 91.0	72675 84175 177450	4972 6825 10010
5	तदैव			238650	224231	944135	9.10.14	पतला बालू मोरम स्टोन ग्रेट	12.7 15.6 3.1	13970 31200 6200	825 1015 341
6	तदैव			186415	175152	944139	20.10.14	मोटा बालू	5.7	11400	370
7	तदैव			753080	707579	944133	09.10.14	पतला बालू मोटा बालू	31.7 54.8	34870 109600	2069 3562
8	तदैव			247485	232744	945461	22.01.15	पतला बालू मोरम स्टोन ग्रेट	10.8 17.5 31.0	11880 35000 62000	702 2625 3410
9	तदैव			1333485	1253476	945459	22.01.15	पतला बालू मोरम स्टोन ग्रेट	72.75 87.5 155.5	80025 175100 311000	4728 13125 17105
10	तदैव			247600	232744	945456	22.01.15	पतला बालू	10.8 17.5	11880 35000	702 2625

								मोरम			
11	तदैव			212210	199478	945454	22.01.15	स्टोन ग्रिट पतला बालू मोरम	26.7 9.3 15.0	53400 10230 30000	2937 604 2250
12	तदैव			118235	111091	945443	05.12.14	पतला बालू मोरम	3.6 9.1	3960 18300	234 1365
13	तदैव			414968	389895	943476		पतला बालू मोरम स्टोन ग्रिट	38.4 22.78 45.5	36480 42143 88725	2496 3417 5005
										1722928	1024413

प्रस्तर 109 :- निविदादाता फर्मों के नाम, क्षेत्र पंचायत स्तर पर इस कार्य हेतु रक्षित "अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर" में दर्ज होने चाहिए. इस नियम की भी अवहेलना की गयी है। क्षेत्र पंचायत स्तर पर "अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर" जैसा महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं रखा गया है। इसमें नाम दर्ज कराने के निर्धारित शुल्क से क्षेत्र पंचायत कोष की क्षति कारित की गयी है, जो कि उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 18 का उल्लंघन है, क्योंकि न्यूनतम 3 निविदादाताओं से प्रति पक्ष रू० 100/- बतौर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराये उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किये बगैर उनके निविदा प्रपत्र स्वीकार किये गये। अतः न्यूनतम रू० 300/- की क्षेत्र पंचायत कोष को प्रति वर्ष क्षति कारित की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति - बी०डी०ओ० ज्ञानेन्द्र सिंह, एकाउंटेंट ब्रज कुमार।

प्रस्तर 110 :- उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम 3 एवं 21 के क्रम में शासनादेश सं० 594/77-5-2001/200/77 टी०सी०-औद्योगिक विकास अनुभाग-लखनऊ दि० 21.02.2001 एवं शासनादेश सं०-399/77 / 2002-1 (216) 93 औद्योगिक विकास अनुभाग-5, लखनऊ दि० 05.08.2002 का उल्लंघन करते हुए निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै० डी०के० बिल्डर्स से बिना एम.एम.-11 की उपलब्धता सुनिश्चित कराए ही सप्लायर के निम्न बिलो से अति आवश्यक सामग्री राशि कटौती किये बिना ही निम्न प्रकार सप्लायर के बिलों का भुगतान राजकोष को गंभीर क्षति कारित किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आये है जो कि अवैध खनन और पर्यावरण क्षति का ब्लॉक कर्मियों द्वारा बढ़ावा दिये जाने की ओर संकेत है। इसके विषय में स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्यों न पर्यावरणीय क्षति एवं रायल्टी क्षति हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से उपर्युक्त शासनादेशों की अपेक्षानुसार पूर्णतया अनियमितता बरत कर / बिना रायल्टी कटौती किये भुगतान कर फर्म को उप खनिजों की आपूर्ति बाबत किये गये व्यय की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण अग्रांकित-

उत्तरदायी व्यक्ति- तत्कालीन बी०डी०ओ० ब्रह्मकाल, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट ब्रज कुमार, तत्कालीन वी०पी०डी०।

वर्ष 2013-14

क्र०	नाम फर्म	बिल क्रमांक	बुक सं०	बिल की कुल राशि (रू०)	टी०डी०एस० कटौती के बाद फर्म ने भुगतान प्राप्त किया	चैक जिसके द्वारा फर्म ने भुगतान किया	नाम उप खनिज	मात्रा (घनमी०)	उप खनिज कीमत जो फर्म ने प्राप्त की रू०	अपेक्षित रायल्टी कटौती जो फर्म के बिल से की जानी चाहिए थी, परन्तु नहीं की गयी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डी०के० बिल्डर्स एटा			440645	414021	659577	पतला बालू	16.3	13850	1059
2	तदैव			101030	98967	589317	पतला बालू	4.0	3200	260
3	तदैव			177044	166347	659307	मोटा बालू मोरम स्टोन ग्रिट	14.8 8.78 39.2	14147 16243 52709	962 1317 4317
4	तदैव			332297	688052	65930	पतला बालू मोरम स्टोन ग्रिट	49.64 43.2 158.9	47158 79920 230105	3226 6480 17479
5	तदैव			517436	486184		बालू मोरम स्टोन ग्रिट	8.02 43.4 50.53	7618 80291 70100	521 6500 5558
6	तदैव			440645	414031		बालू	16.3	13855	1059
									629196	48738

प्रस्तर 111 :- निविदादाता फर्मों के नाम, क्षेत्र पंचायत स्तर पर इस कार्य हेतु रक्षित "अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर" में दर्ज होने चाहिए, इस नियम की भी अवहेलना की गयी है। क्षेत्र पंचायत स्तर पर "अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर" जैसा महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं रखा गया है। इसमें नाम दर्ज कराने के निर्धारित शुल्क से क्षेत्र पंचायत कोष की क्षति कारित की गयी है, जो कि उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 18

का उल्लंघन हैं, क्योंकि न्यूनतम 3 निविदादाताओं से प्रति पक्ष रु० 100/- बतौर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराये उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किये बगैर उनके निविदा प्रपत्र स्वीकार किये गये। अतः न्यूनतम रु० 300/- की क्षेत्र पंचायत कोष को प्रति वर्ष क्षति कारित की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 112 :- दिनांक 27.08.2013 को मैसर्स डी०के० बिल्डर्स / सीमेन्ट डीलर्स को चैक सं०-589315 द्वारा रु० 12,01,563.00 का भुगतान बाबत ईट आपूर्ति के किया गया है, कुल बिल राशि रु० 12,26,610.00 थी, रु० 25,047.00. टी०डी०एस० फोर इन्कम टैक्स कटौती दर्शित की है, परन्तु किसी प्रकार के टी०डी०एस० फोर वैट की कटौती नहीं की गयी है, जबकि रु० 49,064 /- की कटौती अपेक्षित थी। उक्त फर्म के सम्बन्धित बिल पर कोई बिल क्रमांक / सेल इन्चोयस / टैक्स इन्चोयस पर प्रिन्टिड नहीं है और न ही कोई बुक नं० अंकित किया गया है।

उक्त फर्म से ईट आपूर्ति बाबत टेन्डर आमंत्रण सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र ऑडिट दौरान न मिलने से प्रतीत होता है कि फर्म का चयन पूर्णतया: मनमाना / स्वैच्छिक और अनियमित रहा।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति - तत्कालीन बी०डी०ओ० ब्रह्मलाल, तत्कालीन वित्तीय अधिकारी (वी०पी०डी०), एकाउंटेंट राजकुमार।

प्रस्तर 113 :- वर्ष 2012-13 की बी०आर०जी०एफ० योजना अन्तर्गत निम्न योजनाओं पर वर्ष 2013-14 में सम्पन्न निम्न कार्यों में कतिपय श्रमिकों को एक ही अवधि में दो भिन्न कार्यों पर कार्यरत दर्शाकर निम्न प्रकार भुगतान किया गया है -

क्र०	नाम श्रमिक	प्रथम कार्य योजना का विवरण			दूसरे कार्य का जिस पर ठीक उसी श्रमिक को कार्यरत दर्शाकर भुगतान दर्शाया है।		
		कार्य/फाइल का विवरण एवं क्रमांक जिस पर श्रमिक का नाम दर्ज है।	अवधि	भुगतान राशि	कार्य/फाइल का विवरण एवं क्रमांक जिस पर श्रमिक का नाम दर्ज है।	अवधि	भुगतान राशि
1	रुकमपाल पुत्र लटूरी	क्र० 21 सहवाजपुर में सी०सी०रोड (फाइल नं०-4)	01.04.13 से 30.04.13	30×125=3750	क्र०-1 नगला विजयी माजरा तरीगवा में सी०सी०रोड (फाइल नं०-6)	01.04.13 से 30.04.13	30×800=24000
2	अशोक पुत्र लालता प्रसाद	क्र० 6 हाजीपुर में सी०सी०रोड (फाइल नं०-4)	01.04.13 से 30.04.13	30×125=3750	क्र०-29 नगला विजयी माजरा तरीगवा में सी०सी०रोड (फाइल नं०-6)	01.04.13 से 30.04.13	30×125=3750
3	मुकेश पुत्र बाबूराम	क्र० 23 सहवाजपुर में सी०सी०रोड (फाइल नं०-1)	01.04.13 से 30.04.13	30×125=3750	क्र०-41 नगला मोहन में सी०सी०रोड (फाइल नं०-3)	01.04.13 से 30.04.13	30×125=3750
	योग						31500.00

दोनों मस्टर रोल्स पर सम्बन्धित श्रमिकों के भुगतान प्राप्ति बाबत हस्ताक्षर अंकित न होकर, मात्र अंगूठा निशानी दर्ज हैं। ट्रेक्टर चालक फकमपाल के हस्ताक्षरों के स्थान पर अंगूठा निशानी से भुगतान प्राप्त करना, विस्मयकारी हैं। किसी भी मस्टर रोल्स पर श्रमिकों के निवास / ग्राम एवं पते अंकित नहीं किये गये हैं जो कि उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं०-49 का (प्रपत्र का) खुला उल्लंघन है, इस सम्बन्ध में उत्तरदायी व्यक्तियों से स्पष्टीकरण अपेक्षित है, जिसके अभाव में उत्तरदायी व्यक्तियों से सम्बन्धित राशि की ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि रु० 31,500 /-

उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री वी०एस० यादव, तत्कालीन बी०डी०ओ० बबाल, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट ब्रजकुमार, तत्सम्बन्धित जे०ई०।

प्रस्तर 114 :- वर्ष 2012-13 दौरान गडन नगरिया रोड, हिंदु डाबर रोड तक 500 मी०. कच्चा / पक्का खडन्जा निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय कार्य विषयक निम्न गम्भीर आपत्तियां हैं -

1) ईट क्रय हेतु कोई कुटेशन / निविदा आमंत्रण कार्य हेतु विज्ञापन किसी भी अखबार में प्रकाशित नहीं कराया गया।
2) मै० धूपकली ईट भट्टा, सरौठ नामक जिस फर्म से ईट क्रय की गयी उसके बिल / सेल इनवाइस में निम्न गम्भीर त्रुटियां थी

क) बिल पर कोई भी प्रिन्टेड क्रमांक नहीं हैं।

ख) बिल पर कोई टिन अंकित नहीं हैं। यह यू०पी०वैट रूल्स 2008, रूल नं०-44 के सबरूल नं०-6 का गंभीर अतिक्रमण हैं।

3) बिल रु० 3,65,062/- दि० 09.10.2012 का भुगतान करते समय मात्र टी.डी.एस. फोर आयकर 7,455.00 की कटौती की गयी, जबकि दर 4% रु० 14,602 /- की टी.डी.एस. फोर वैट की भी कटौती की जानी चाहिये थी,

जिसकी अवहेलना कर राजकोष की क्षति कारित की गयी है, जिसके अभाव में उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

सम्बन्धित राशि – 14,602/-

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ० आजाद, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट (बजकुमार)

प्रस्तर 115 :- एकाउन्टेन्ट श्री ब्रज कुमार यादव ने क्षेत्र पंचायत मनरेगा फण्ड से विभिन्न कार्यों के भुगतान हेतु चैक्स स्वयं के नाम निर्गत किये परन्तु चैक्स धनराशि को तत्काल बैंक से भुगतान प्राप्त कर सम्बन्धित कार्य मद पर सम्बन्धित पार्टी को भुगतान न कर उस चैक्स धनराशि को अपने व्यक्तिगत निजी खातों में निम्न प्रकार ट्रांसफर कराया है:

दिनांक	चैक सं०	धनराशि
09.11.2012	581745	13,507.00
01.10.2012	581745	10,995.00
योग		24,502.00

श्री यादव के निजी खाते में पहुँची इस धनराशि की निकासी कब और किस प्रयोजन से की गयी उसे जानने का कोई साक्ष्य ऑडिट दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः सम्बन्धित राशि के प्रयोग बाबत उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ० आजाद, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट (बजकुमार)

प्रस्तर 116 :- निम्न प्रकरणों में आपूर्तिकर्ता के बिल से टी.डी.एस. फोर वैट की कटौती किये बगैर ही सप्लायर को भुगतान कर दिया गया है जो कि यू०पी० बैट एक्ट, 2008 की धारा-34 का गम्भीर उल्लंघन है और सम्बन्धित अधिनियम में कटौती योग्य राशि की अधिकतम दोगुनी राशि की डी०डी०ओ० / भुगतानकर्ता से वसूली के प्राविधान है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ० अजयवीर सिंह यादव, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट ब्रजकुमार

चैक क्रमांक	बिल भुगतान तिथि	बिल की सकल राशि	फर्म का नाम एवं कटौती योग्य राशि जिसके बिल से टी०डी०एस० फोर वैट की कटौती की जानी चाहिए थी परन्तु नहीं की गयी।	धनराशि
575774	26.02.2013	992520	डी०के० बिल्डर्स प्रेमनगर एटा	39700
575776	26.02.2013	992520	डी०के० बिल्डर्स प्रेमनगर एटा	39700
575778	26.02.2013	992520	डी०के० बिल्डर्स प्रेमनगर एटा	39700
575780	26.02.2013	1487280	डी०के० बिल्डर्स प्रेमनगर एटा	59491
581965	27.02.2013	744990	डी०के० बिल्डर्स प्रेमनगर एटा	29799
581963	27.02.2013	744990	डी०के० बिल्डर्स प्रेमनगर एटा	29799
				238189.00

प्रस्तर 117 :- उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम 3 एवं 21 के क्रम में शासनादेश सं० 594/77-5-2001 / 200 / 77 टी०सी०-औद्योगिक विकास अनुभाग-लखनऊ दि० 21.02.2001 एवं शासनादेश सं०-399 / 77 / 2002-1(216) 93 औद्योगिक विकास अनुभाग-5. लखनऊ दि० 05.08.2002 का उल्लंघन करते हुए निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मै० डी०के०बिल्डर्स से बिना एम. एम.-11 की उपलब्धता सुनिश्चित कराए ही सप्लायर के निम्न बिलों से अति आवश्यक रायल्टी राशि कटौती किये बिना ही निम्न प्रकार सप्लायर के बिलों का भुगतान राजकोष को गंभीर क्षति कारित किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आये है जो कि अवैध खनन और पर्यावरण क्षति को ब्लॉक कर्मियों द्वारा बढ़ावा दिये जाने की ओर संकेत है। इसके बिषय में स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्यों न पर्यावरणीय क्षति एवं रायल्टी क्षति हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से उपर्युक्त शासनादेशों की अपेक्षानुसार पूर्णतया अनियमितता बरत कर/बिना रायल्टी कटौती किये भुगतान कर फर्म को उप खनिजों की आपूर्ति बाबत किये गये कुल धनराशि रु० 2207484.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति/वसूली अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति- तत्कालीन वी०डी०ओ० अजयवीर सिंह यादव, तत्कालीन एकाउंटेंट ब्रज कुमार, तत्कालीन वी०पी०डी०।

तिथि	सप्लायर का नाम जिसने क्षेत्र पंचायत में बिना एम. एम.-11 / फार्म सी के माल आपूर्ति की।	बिल की कुल धनराशि (रु०)	नाम उप खनिज	मात्रा	मूल्य (रु०)	चैक सं० जिसके द्वारा सप्लायर ने धनराशि प्राप्त की।	रायल्टी राशि जिसकी कटौती सप्लायर के बिल से की जानी चाहिए थी परन्तु नहीं की गयी।
23.02.13	मै० डी०के० बिल्डर्स	1487280	फाइन सैंड	86.4	69120	575780	47552
			कोर्स सैंड	121.5	194400		7897
			स्टोन ग्रेट	243	442260		26730

23.02.13	मै० डी०के० बिल्डर्स	744990	फाइन सैंड	43.2	34500	591965	2376
			कोर्स सैंड	60.75	97200		3945
			स्टोन ग्रेट	121.5	221130		13365
23.02.13	मै० डी०के० बिल्डर्स	744990	फाइन सैंड	43.2	34500	591963	2376
			कोर्स सैंड	60.75	97200		3948
			स्टोन ग्रेट	121.5	221130		13365
23.02.13	मै० डी०के० बिल्डर्स	992520	फाइन सैंड	57.6	46000	575774	3168
			कोर्स सैंड	81.04	12960		5267
			स्टोन ग्रेट	162	294840		17820
23.02.13	मै० डी०के० बिल्डर्स	992520	फाइन सैंड	57.6	46000	575776	3168
			कोर्स सैंड	81.04	12960		5267
			स्टोन ग्रेट	162	29484		17820
23.02.13	मै० डी०के० बिल्डर्स	992520	फाइन सैंड	57.6	46000	575778	3168
			कोर्स सैंड	81.04	12960		5267
			स्टोन ग्रेट	162	294840		17820
					2207484.00		157519.00

प्रस्तर 118 :- निविदादाता फर्मों के नाम, क्षेत्र पंचायत स्तर पर इस कार्य हेतु रक्षित "अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर" में दर्ज होने चाहिए, इस नियम की भी अवहेलना की गयी है। क्षेत्र पंचायत स्तर पर "अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर" जैसा महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं रखा गया है। इसमें नाम दर्ज कराने के निर्धारित शुल्क से क्षेत्र पंचायत कोष की क्षति कारित की गयी है, जो कि उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 18 का उल्लंघन है, क्योंकि न्यूनतम 3 निविदादाताओं से प्रति पक्ष रू० 100 /- बतौर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराये उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किये बगैर उनके निविदा प्रपत्र स्वीकार किये गये। अतः न्यूनतम रू० 300 /- की क्षेत्र पंचायत कोष को प्रति वर्ष क्षति कारित की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ० अजयवीर सिंह यादव, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट ब्रजकुमार

प्रस्तर 119 :- निम्न प्रकरणों में आपूर्तिकर्ता के बिल से टी०डी०एस० फोर वैट की कटौती किये बगैर ही सप्लायर को भुगतान कर दिया गया है जो कि यू०पी०वैट एक्ट 2008 की धारा 34 का गम्भीर उल्लंघन है और सम्बन्धित अधिनियम में कटौती योग्य राशि की अधिकतम दोगुनी राशि की डी०डी०ओ/ भुगतानकर्ता से वसूली के प्राविधान है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति – तत्कालीन बी०डी०ओ०, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट

चैक क्रमांक	बिल भुगतान तिथि	बिल की सकल राशि	फर्म का नाम	कटौती योग्य राशि जिसके बिल से टी०डी०एस० फोर वैट की कटौती की जानी चाहिए थी परन्तु नहीं की गयी।
829476	10.03.11 / 18.03.11	422229.70	मै० डी०के० बिल्डर्स	16889
829474	10.03.11 / 18.03.11	422229.70	मै० डी०के० बिल्डर्स	16889
829472	10.03.11 / 18.03.11	422229.70	मै० डी०के० बिल्डर्स	16889
829470	10.03.11 / 18.03.11	422229.70	मै० डी०के० बिल्डर्स	16889
829478	10.03.11 / 18.03.11	422229.70	मै० डी०के० बिल्डर्स	16889
				84445.00

प्रस्तर 120 :- निविदादाता फर्मों के नाम, क्षेत्र पंचायत स्तर पर इस कार्य हेतु रक्षित "अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर" में दर्ज होने चाहिए, इस नियम की भी अवहेलना की गयी है। क्षेत्र पंचायत स्तर पर "अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर" जैसा महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं रखा गया है। इसमें नाम दर्ज कराने के निर्धारित शुल्क से क्षेत्र पंचायत कोष की क्षति कारित की गयी है, जो कि उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं० 18 का उल्लंघन है, क्योंकि न्यूनतम 3 निविदादाताओं से प्रति पक्ष रू० 100 /- बतौर रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किये बगैर उनके निविदा प्रपत्र स्वीकार किये गये। अतः न्यूनतम रू० 300 /- की क्षेत्र पंचायत कोष को प्रति वर्ष दक्षति कारित की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 121 :- जिला पंचायत राज अधिकारी, एटा के पत्र दिनांक 16.03.2011 के क्रम में राज्य वित्त / 12वां / 13वां वित्त राशि से ग्राम पंचायत जैथरा माजराजात कसौलिया में 5 सी०सी० कार्य हेतु दिनांक 10.03.2011 को निम्न प्रकार सीमेन्ट एवं अन्य सामग्री क्रय कर भुगतान किया गया जबकि इस सीमेन्ट, जैसी जल्द खराब होने वाली सामग्री का उपभोग, खरीद तिथि के 2 वर्षा ऋतु बाद ही किया गया और इस बाबत फर्जी मस्टर रोल्स बनाये गये जिन पर श्रमिकों के निवास स्थान / पते का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उक्त मद हेतु रू० 26,00,000 /- की बजट राशि दिनांक 16.03.2011 से पूर्व ही शासन द्वारा निर्गत की जा चुकी थी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। –

सीमेंट एवं अन्य सामग्री खरीद की तिथि	फर्म/आपूर्तिकर्ता	बिल की धनराशि	वह तिथि जब उक्त सामग्री के प्रयोग हेतु श्रमिकों को कार्य पर लगाया	मस्टर रोल पर दर्शित श्रमिकों को भुगतान राशि एवं तिथि
10.03.2011	डी0के0बिल्डर्स	422229	16 से 31 मई 2021	रु0 79620 दि0 28.07.12
10.03.2011	डी0के0बिल्डर्स	422229	16 से 31 मई 2021	रु0 79620 दि0 28.07.12
10.03.2011	डी0के0बिल्डर्स	422229	16 से 15 मई 2021	रु0 79620 दि0 28.07.12
10.03.2011	डी0के0बिल्डर्स	422229	मई 2012	रु0 79620 दि0 28.07.12
10.03.2011	डी0के0बिल्डर्स	422229	मई 2012	रु0 79620 दि0 28.07.12
		2111145.00		रु0 398100.00

उक्त आपराधिक लापरवाही बाबत ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति—तत्कालीन कार्य प्रभारी वी०एस० यादव, तत्कालीन बी०डी०ओ०, तत्कालीन एकाउन्टेन्ट ब्रज कुमार, तत्सम्बन्धित जे०ई०।

प्रारूप-3
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

जनपद—अम्बेडकरनगर

मण्डल — अयोध्या

संस्था — क्षेत्र पंचायत

1—संस्था का नाम— क्षेत्र पंचायत बसखारी

प्रस्तर — 1

निम्न विवरणानुसार टी0डी0एस0 / वैट की कटौती परियोजना पर की गयी है, परन्तु आडिट तिथि तक जमा नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रकार है :-

बाउचर/दिनांक	सामग्री क्रय धनराशि	टी0डी0एस0 / आई0टी0 2.266 %	वैट 4 %	योग	कटौती	वैट	कम	अधिक
142 / 15.04.2015	191833	4347	7673	12020	1479	—	10541	—
22.07.2015	15000	3399	6000	9399	—	—	9399	—
153 / 30.08.2017	438777	9943	14551	27494	9916	—	17578	—
143 / 20.03.2015	139762	3167	5590	8757	3158	—	5599	—
159 / 09.09.2015	25600	580	1024	1604	579	—	1025	—
148 / 11.05.2015	5266	1192	2104	3296	1188	—	2108	—
144	17992	408	720	1128	407	—	721	—
145	28251	640	1130	1770	638	—	1132	—
146 / 08.05.2015	23670	536	947	1783	535	—	948	—
151 / 14.04.2015	114565	2596	4583	7179	2590	—	4589	—
161 / 12.09.2015	24820	562	993	1555	560	—	995	—
388 / 19.04.2015	130400	2954	5216	8170	2914	5216	40	—
387 / 13.04.2015	326000	7387	13040	20427	7367	13040	20	—
393 / 12.04.2015	326000	7387	13040	20427	7368	13040	19	—
386 / 11.04.2015	326000	7387	13040	20427	7381	13040	06	—
385 / 10.04.2015	326000	7387	13040	20427	781	13040	6606	—
63 / 20.08.2015	3087000	6995	12348	19343	6977	—	12366	—
151 / 01.09.2015	211173	4785	8447	13232	1792	—	11439	—
140 / 20.02.2015	143320	3248	5733	8981	3240	—	5741	—
164 / 03.09.2015	62208	1410	2488	3898	1456	—	2442	—
3 / 12.09.2015	59850	1358	2394	3750	1353	—	2397	—
55 / 15.09.2015	59850	1358	2394	3750	1353	—	2397	—
102 / 20.02.2015	104000	2357	4160	6517	4384	—	2133	—
10 / 20.09.2015	60439	1370	2418	3788	1366	—	2422	—
160 / 20.09.2015	36397	825	1456	2281	821	800	660	—
165 / 25.09.2015	18877	428	155	1183	428	400	355	—
योग—	3714416	83201	146870	230071	69233	58576	102262	

इस प्रकार फर्म से ₹0 3714416.00 सामान क्रय किया गया है जिसकी कटौती वैट 58576 व टी0डी0एस0 कटौती 69233 किया गया है जिसे जमा नहीं किया गया। इस प्रकार कुल ₹0 2300714 की कम कटौती जमा न करके क्षति/हानि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी है। उ0प्र0 वाणिज्य कर के विज्ञप्ति सं0-1315 दिनांक-07 अक्टूबर 2013 द्वारा सामान क्रय पर 4 प्रतिशत वैट की कटौती की जानी थी परन्तु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2015-16, 2016-17 में ₹0-102262 कटौती कम की गयी है तथा आई0टी0/राजकीय राजस्व ₹0 230071 की क्षति/हानि पहुंचाया गया जो आडिट तिथि तक जमा नहीं किया गया। अपहरण/अनियमितता है जो अधिभार योग्य है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री कुन्जूराम व श्री राजीव कुमार खण्ड विकास अधिकारी व श्री हरिमोहन श्रीवास्तव लेखाकार से अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

आलोच्य वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में वित्तीय प्रदर्शन मनरेगा अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा/ग्राम प्रधान एफ0टी0ओ0 के माध्यम से ग्राम पंचायतों को भुगतान किया गया है जिसमें केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व के कटौती न करके घोर गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-61, दिनांक-19.04.2018 को ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी को पत्र लिखा गया। केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व की कटौती न करके जमा नहीं किया गया। जिसके उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा है जिनसे वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

क्र. सं.	वर्ष	सामग्री की कुल धनराशि (₹0 लाख में)	राजकीय राजस्व (वैट 04 %) (₹0 लाख में)	केन्द्रीय राजस्व (आयकर 2. 266 %) (₹0 लाख में)	क्षति/हानि की कुल धनराशि (₹0 लाख में)
1	2015-16	116.65	4.666	2.65	7.316
2	2016-17	66.52	2.66	1.51	4.17
	योग-	183.17	7.326	4.16	11.486

इस प्रकार फर्म से ₹0-11.486 कटौती न करके जमा नहीं की गयी उ0प्र0 वाणिज्य कर के विज्ञप्ति सं0-1315 दिनांक-07 अक्टूबर 2013 द्वारा सामान क्रय पर 4 प्रतिशत वैट की कटौती की जानी थी, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में ₹0-14.486 लाख की कटौती न करके आडिट तिथि तक जमा नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी/कर्मचारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर - 3

सोलर लाइट/मरकरी लाइट पर व्यय ₹0-2685731.00

वर्ष 2015-16 व 2016-17 में सोलर लाइट/मरकरी लाइट पर व्यय ₹0-2685731.00 का किया गया है, जिसमें कार्य प्रभारी श्री के0बी0 सिंह जे0ई0 आई0ई0एस0 को बनाया गया है। आडिट के समय पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कोई भी टेण्डर नहीं कराया गया, मा0 कोटेशन लेकर ही चावला इण्टर प्राइजेज गोण्डा/मिस्ट्री इण्टर प्राइजेज मरकरी लाइट फर्म से सोलर/मरकरी लाइट लगायी गयी है। जबकि विभागीय/शासन के निदेश के क्रम में नेडा से लगाया जाना चाहिए था। इस प्रकार शासनादेश की अनदेखी करके प्रमुख श्री विजय वर्मा माथुर व खण्ड विकास अधिकारी श्री कुन्जूराम व श्री राजीव कुमार/कार्य प्रभारी श्री के0बी0 सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। मनमाने तरीके से कार्य किया गया जो नियमों के विरुद्ध रहा। ऑडिट के दौरान यह गम्भीर मामला प्रकाश में आया कि तत्कालीन प्रमुख श्री विजय वर्मा माथुर द्वारा/तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कुन्जूराम व श्री राजीव कुमार द्वारा बी0डी0सी0 सदस्यों के घर पर लाइट लगाया गया है। जबकि सार्वजनिक स्थानों पर लाइट लगाया जाना चाहिए था। सोलर/मरकरी का विवरण निम्नलिखित है-

दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि	अभ्युक्ति
24.04.2015	चावला इलेक्ट्रिक हाउस गोण्डा	1039042.00	शासनादेश की अनदेखी करके अनुदान की धनराशि अपहरित साक्ष्य/व्यय प्रमाणन आडिट दल को अप्राप्त
23.07.2015	चावला इलेक्ट्रिक हाउस गोण्डा	769981.00	-
02.02.2016	चावला इलेक्ट्रिक हाउस गोण्डा	397270.00	-
08.03.2016	चावला इलेक्ट्रिक हाउस गोण्डा	458388.00	-
19.11.2016	मिस्ट्री इण्टरप्राइजेज मरकरी लाइट	10500.00	-
19.11.2016	मिस्ट्री इण्टरप्राइजेज मरकरी लाइट	10500.00	-
	योग-	2685731.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सोलर/मरकरी लाइट उपरोक्त तत्कालीन प्रमुख व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीगण/कार्य प्रभारी श्री के0बी0 सिंह जे0ई0 आर0ई0एस0 द्वारा मनमाने तरीके से शासकीय अनुदान को ग्रांट से आहरित कर व्यय किया गया है। जिस पर ब्याज सहित वसूली कर शासकीय हेड में जमा किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में सक्षम उच्च अधिकारी महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है। जिस पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। जिसके लिए अधिकारी/कर्मचारी रूपया 2685731.00 के संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं।

बार-बार आडिट दल द्वारा मांगोपरान्त आडिट तिथि तक साक्ष्य/व्यय प्रमाणन अनुपलब्ध रहने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिस पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

2-संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत जहाँगीरगंज

प्रस्तर - 4

आलोच्य वर्ष 2016-17 में वित्तीय प्रदर्शन मनरेगा अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान द्वारा एफ0टी0ओ0 के माध्यम से ग्राम पंचायतों को भुगतान किया गया है, जिसमें केन्द्रीय राजस्व/राजकीय राजस्व की कटौती न कर घोर गंभीर अनियमितता किया गया है, जिसके उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा से वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

क्र.	वर्ष	सामग्री की कुल धनराशि (वित्तीय प्रदर्शन मनरेगा अनुसार)	राजकीय राजस्व (वैट 4 प्रति0)	केन्द्रीय राजस्व (आयकर 2.26 प्रति0)	क्षति/हानि की कुल धनराशि
1	2016-17	6142000.00	245680.00	139423.00	385103.00
	योग-	6142000.00	245680.00	139423.00	385103.00

इस प्रकार फर्म से रु0 385103.00 कटौती नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर के विज्ञप्ति संख्या 1315 दिनांक 07 अक्टूबर 2013 द्वारा सामान क्रय पर 4 प्रतिशत वैट जानी थी, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आलोच्य वर्ष में रु0 385103.00 की कटौती कर आडिट तिथि तक जमा नहीं किया गया। अपहरण/अनियमितता है, जो अधिभार योग्य है, जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 5

संलग्न सूची के अनुसार रु0 500230.00 सामग्री क्रय एवं रु0 736722.00 मस्टर रोल द्वारा कुल रु0 1236952.00 विकास खंड परिसर में मिट्टी पटाई, आवास की मरम्मत एवं रंगाई पोताई पर व्यय दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- (क) उपरोक्त से सम्बंधित मस्टर रोल, व्यय बाउचर एवं सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं रही।
 - (ख) कराए गए कार्यों की स्वीकृति, कार्य योजना, कोटेशन, एम.बी. उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।
 - (ग) क्रय सामग्री के सापेक्ष फर्म को भुगतान न कर सीधे कार्य प्रभारी को किया गया है, जो नियमों के विपरीत है।
- अतः उपरोक्त आपत्तियों के क्रम में व्यय की गई धनराशि अपहृत है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अकसीर अली अंसारी खण्ड विकास अधिकारी, श्री दिनेश कुमार शुक्ल लेखाकार एवं सम्बंधित कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

जनपद अयोध्या

1. क्षेत्र पंचायत मवाई-2015-16

प्रस्तर-1 लेखा परीक्षा प्रस्तुत पत्रावली नूरपुर (बाबा के पुरवा) में समुझ आवादी से गुलहरिया तालाब तक नाली निर्माण जो तेरहवा वित्त योजना से सम्बन्धित है कि जाँच में पाया गया कि व्यय प्रमाणकों के आधार पर निम्न व्यय किया जाना दर्शित है-

सामाग्री क्रय आपूर्ति के मद में रु० 263920.00
लेवर व्यय (मस्टर रोल) रु० 49570.00
योग रु० 313490.00

इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं

प्रस्तुत मस्टररोल पर लेवर कार्य अवधि 05.04.2015 से 19.04.2015 अंकित की गयी है जब कि इससे सम्बन्धित एम०बी० पर कार्यावधि 16-05-2015 से 30-05-2015 अंकित है। मस्टररोल पर अंकित तिथि इसलिए भी त्रुटि पूर्ण है क्योंकि इससे सम्बन्धित क्रय आपूर्ति दि०09-05-2015 तक की गयी है।

अतः सामाग्री आपूर्ति से पूर्व निर्माण कार्य का लेवर कैसे किया जा सकता है प्रस्तुत मस्टररोल इस लिए भी आवास्तविक ज्ञात होता है क्योंकि मस्टररोल में अंकित मिस्त्री व लेवर के नाम उनके पिता के नाम सहित की डबलिंग सामान्य तिथियों में परियोजना मखदूमपुर से कटलू के घर से बड़े तालाब तक नाली निर्माण तथा नूरपुर में कृपाल के खेत से लालता की बोरिंग तक खडजा निर्माण कार्य के मस्टररोल में तिथियाँ सामान्य है (तीनों कार्यों के मस्टर रोल की छाया प्रतियाँ संलग्न है)

स्पष्ट है कि कृत कार्य का मस्टररोल फर्जी है। मस्टर रोल फर्जी होने के कारण कृत कार्य शून्य रहा तथा सामाग्री स्टॉक भी अपहरित रहा। इस प्रकार सामाग्री व लेवर मद में किया गया व्यय भुगतान क्रमशः-263920.00 तथा 49570.00 कुल रुपया 313490.00 के अपहरण किये जाने की पुष्टि होती है।

अतः अपहरित धनराशि रु०313490.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री भगवानदीन एवं स्थान अभियन्ता श्री एन०डी०सिंह से विभागीय मानकों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार द्वारा पत्रावली की जाँच किए विना भुगतान करने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-15)

प्रस्तर-2 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली मखदूमपुर में कल्लू के घर से बड़े तालाब तक नाली निर्माण जो तेरहवाँ वित्त योजना से सम्बन्धित है कि जाँच में पाया गया कि व्यय प्रमाणकों के आधार पर निम्न व्यय किया जाना दर्शित है—

सामाग्री क्रय आपूर्ति के मद में रु० 189259.00

लेवर व्यय (मस्टर रोल) रु० 33185.00

योग रु० 222444.00

इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं

प्रस्तुत मस्टररोल आवास्तविक ज्ञात होता है क्योंकि कि मस्टररोल में अंकित मिस्त्री व लेवर के नाम उनके पिता के नाम सहित की डबलिंग सामान्य तिथियों में परियोजना नूरपुर (बाबा के पुरवा) में समुझ आवादी से गुलहरिया तालाब तक नाली निर्माण तथा नूरपुर में कृपाल के खेत से लालता की बोरिंग तक खडंजा निर्माण कार्य के मस्टररोल में तिथियाँ सामान्य हैं (तीनों कार्यों के मस्टर रोल की छाया प्रतियाँ संलग्न हैं)

स्पष्ट है कि कृत कार्य का मस्टररोल फर्जी है। मस्टर रोल फर्जी होने के कारण कृत कार्य शून्य रहा तथा सामाग्री स्टॉक भी अपहरित रहा। इस प्रकार सामाग्री व लेवर मद में किया गया व्यय भुगतान क्रमशः—189259.00 तथा 33185.00 कुल रुपया 222444.00 के अपहरण किये जाने की पुष्टि होती है।

अतः अपहरित धनराशि रु०222444.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री भगवानदीन एवं स्थान अभियन्ता श्री एन०डी०सिंह से विभागीय मानकों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार द्वारा पत्रावली की जाँच किए बिना भुगतान करने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर-3 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली नूरपुर में कृपाल के खेत से ललिता की बोरिंग तक खडंजा निर्माण जो राज्य वित्त योजना से सम्बन्धित है कि जाँच में पाया गया कि व्यय प्रमाणकों के आधार पर निम्न व्यय किया जाना दर्शित है—

सामाग्री क्रय आपूर्ति के मद में रु०198400.00

रु०142600.00

रु०341000.00

लेवर व्यय (मस्टर रोल) रु० 57200.00 (05.03.15 से 18.03.15 तक)

रु०52475.00 (01.04.15 से 11.04.15 तक)

रु०109675.00

योग रु०450675.00

इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं

प्रस्तुत मस्टररोल आवास्तविक ज्ञात होता है क्योंकि कि मस्टररोल में अंकित मिस्त्री व लेवर के नाम उनके पिता के नाम सहित की डबलिंग सामान्य तिथियों में अन्य परियोजना नूरपुर (बाबा के पुरवा) में समुझ आवादी से गुलहरिया तालाब तक नाली निर्माण तथा मखदूमपुर में कल्लू के घर से बड़े तालाब तक नाली निर्माण तथा मवई चौराहे पर रामलखन के मकान से राकेश के मकान तक नाली निर्माण तथा अमीरपुर में पाचू के मकान से राकेश के मकान तक नाली निर्माण कार्य के मस्टररोल में तिथियाँ सामान्य हैं (पाँचों कार्यों के मस्टर रोल की छाया प्रतियाँ संलग्न हैं)

स्पष्ट है कि कृत कार्य का मस्टररोल फर्जी है। मस्टर रोल फर्जी होने के कारण कृत कार्य शून्य रहा तथा सामाग्री स्टॉक भी अपहरित रहा। इस प्रकार सामाग्री व लेवर मद में किया गया व्यय भुगतान क्रमशः—341000.00 तथा 109675.00 कुल रुपया 450675.00 के अपहरण किये जाने की पुष्टि होती है।

अतः अपहरित धनराशि रु०450675.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री भगवानदीन एवं स्थान अभियन्ता श्री एन०डी०सिंह से विभागीय मानकों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार द्वारा पत्रावली की जाँच किए बिना भुगतान करने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर-4 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली अमीरपुर में पाचू के मकान से महेश के मकान तक नाली निर्माण जो तेरहवाँ वित्त योजना से सम्बन्धित है कि जाँच में पाया गया कि व्यय प्रमाणकों के आधार पर निम्न व्यय किया जाना दर्शित है—

सामाग्री क्रय आपूर्ति के मद में रु०147604.00

लेवर व्यय (मस्टर रोल) रु० 29548.00

योग रु०177152.00

इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं

प्रस्तुत मस्टररोल आवास्तविक ज्ञात होता है क्योंकि कि मस्टर रोल में अंकित मिस्त्री व लेवर के नाम उनके पिता के नाम सहित की डबलिंग सामान्य तिथियों में अन्य परियोजना नूरपुर में कृपाल के खेत से लालता की बोरिंग तक खडंजा निर्माण तथा मवई चौराहे पर राम लखन के मकान से राकेश के मकान तक नाली निर्माण कार्य के मस्टर रोल में तिथियाँ सामान्य हैं (तीनों कार्यों के मस्टर रोल की छाया प्रतियाँ संलग्न हैं)

स्पष्ट है कि कृत कार्य का मस्टर रोल फर्जी है। मस्टर रोल फर्जी होने के कारण कृत कार्य शून्य रहा तथा सामग्री स्टॉक भी अपहरित रहा। इस प्रकार सामग्री व लेवर मद में किया गया व्यय भुगतान क्रमशः-147604.00 तथा 29548.00 कुल रुपया 177152.00 के अपहरण किये जाने की पुष्टि होती है।

अतः अपहरित धनराशि रु०177152.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री लाल जी चौरसिया एवं स्थल अभियन्ता श्री एन०डी०सिंह से विभागीय मानकों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार द्वारा पत्रावली की जाँच किए बिना भुगतान करने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-18)

प्रस्तर-5 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली मवई चौराहे पर रामलखन के मकान से राकेश के मकान तक नाली निर्माण जो तेरहवा वित्त योजना से सम्बन्धित है कि जाँच में पाया गया कि व्यय प्रमाणकों के आधार पर निम्न व्यय किया जाना दर्शित है-

सामग्री क्रय आपूर्ति के मद में रु०317811.00
लेवर व्यय (मस्टर रोल) रु० 44450.00
योग रु०362261.00

इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं

प्रस्तुत मस्टररोल आवास्तविक ज्ञात होता है क्यों कि मस्टर रोल में अंकित मिस्त्री व लेवर के नाम उनके पिता के नाम सहित की डबलिंग सामान्य तिथियों में अन्य परियोजना नूरपुर में कृपाल के खेत से लालता की बॉरिंग तक खडंजा निर्माण तथा अमीरपुर में पांचू के मकान से महेश के मकान तक नाली निर्माण कार्य के मस्टर रोल में तिथियाँ सामान्य हैं (तीनों कार्यों के मस्टर रोल की छाया प्रतियाँ संलग्न हैं)

स्वीकृत स्टीमेट व एम०बी० के अनुसार 130 मी० लम्बाई में नाली का कार्य सम्पन्न किया गया। जब कि इसी एम०बी० में इसको कवर करने हेतु आर०सी०सी०कार्य 145 मीटर लम्बाई में किया जाना दर्शाया गया है। इस प्रकार एम०बी०पर मापित कार्यों में असमानता एवं विरोधाभास है इसी के अनुसार मस्टर रोल पर कार्य की मात्रा अंकित कर सम्पन्न कराया गया कार्य भी आपुष्टित हो जाता है।

स्पष्ट है कि कृत कार्य का मस्टर रोल फर्जी है। मस्टर रोल फर्जी होने के कारण कृत कार्य शून्य रहा तथा सामग्री स्टॉक भी अपहरित रहा। इस प्रकार सामग्री व लेवर मद में किया गया व्यय भुगतान क्रमशः-317811.00 तथा 44450.00 कुल रुपया 362261.00 के अपहरण किये जाने की पुष्टि होती है।

अतः अपहरित धनराशि रु०362261.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री लाल जी चौरसिया एवं स्थल अभियन्ता श्री एन०डी०सिंह से विभागीय मानकों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार द्वारा पत्रावली की जाँच किए बिना भुगतान करने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर-6 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली कोटवा सिपहिया में प्रकाश के दरवाजे से रामदीन के दरवाजे तक नाली निर्माण जो तेरहवा वित्त योजना से सम्बन्धित है कि जाँच में पाया गया कि व्यय प्रमाणकों के आधार पर निम्न व्यय किया जाना दर्शित है-

सामग्री क्रय आपूर्ति के मद में रु०631400.00
लेवर व्यय (मस्टर रोल) रु० 107390.00
योग रु०738790.00

इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं

मस्टररोल एवं एम०बी० पर अंकित लेवर कार्य तकनीकी मानकों पर पूरा नहीं उतारा क्योंकि दर्शित निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सीमेंट की मात्रा, कोरसेन्ट की मात्रा, ब्रिक गिट्टी की मात्रा कम है। स्पष्ट है कि कृत कार्य में उक्त तीनों सामग्री मद की आपूर्ति मात्रा प्रयुक्त मात्रा से कम है यह कैसे संभव है इसी प्रकार सी०सी०(1:2:4) कृत कार्य 3.26 घन मीटर में प्रयुक्त सरिया की मात्रा क्रय ही नहीं की गयी है।

अतः विना सरिया की क्रय आपूर्ति के तथा उसको उपयोगित किए विना आर०सी०सी० कार्य कैसे हो सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल रु० 107390.00 आवास्तविक एवं फर्जी है। प्रस्तुत मस्टर रोल एवं सम्बन्धित एम०बी०पर निर्माण कार्य की मात्रा तथा मजदूरी लागत राशि आवास्तविक है यह कृत कार्य व उनकी मात्रा निम्न कारणों से तकनीकी मानकों पर पूरी नहीं उतरती तथा आवास्तविक एवं फर्जी ज्ञात होता है।

1. कृत कार्य में तकनीकी मानक के अनुसार 487 बैग सीमेंट प्रयुक्त होनी चाहिए जब कि कार्य स्थल पर 415 बैग सीमेंट की क्रय की गयी है।

2. कृत कार्य में तकनीकी मानक के अनुसार पूर्व सैन्ड, ब्रिक गिट्टी तथा सरिया की मात्रा क्रमशः 10.50एम3, 25.20एम3 व 3.20 कुन्तल सरिया प्रयुक्त होनी चाहिए जबकि कार्य स्थल पर उक्त के सापेक्ष अत्यधिक कम मात्रा में उक्त सामग्री क्रय की गयी है। सरिया/स्टील की मात्रा को क्रय ही नहीं की गयी है अतः सामग्री स्टॉक कम होने अथवा आवश्यक मात्रा में न होने की दशा में मस्टर रोल एवं एम०बी० पर मापित एवं अंकित कार्य कैसे सम्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रस्तुत मस्टररोल एवं उसपर अंकित कृत कार्य फर्जी और आवास्तविक है।

अतः मस्टर रोल के आवास्तविक एवं फर्जी होने की दशा में समस्त सामाग्री स्टोक अप्रयुक्त रहा। जिसको कार्य प्रभार एवं स्थल अभियन्ता द्वारा आहरित किया गया है

अतः कार्य स्थल पर व्यय की गयी कुल धनराशि (631400.00+107390.00) कुल रु०738790.00 अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री लाल जी चौरसिया एवं स्थल अभियन्ता श्री एन०डी०सिंह से विभागीय मानकों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार द्वारा पत्रावली की जाँच किए बिना भुगतान करने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर-7 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली बरौली मार्ग से हाई वकील के घर तक सी०सी०रोड निर्माण जो राज्य वित्त योजना से सम्बन्धित है कि जाँच में पाया गया कि-

1. कोटेशन/टेण्डर हेतु कार्यालय स्तर पर ही जारी किये गये पत्रावली अनुसार पत्रांक में दि०18.02.2015 समान ईट मोरंग, सीमेन्ट गिट्टी की आवश्यकता है।

2. कार्य प्रभारी श्री भगवानदीन ग्राम विकास अधिकारी आदेश संख्या में दि०18.02.2015

3. कृत कार्य में तकनीकी मानक के अनुसार 400 बैग सीमेन्ट प्रयुक्त होनी चाहिए जबकि कार्य स्थल पर 332 बैग सीमेन्ट ही क्रय की गयी है। तथा कार्य प्रभारी श्री भगवानदीन द्वारा दि०17.03.2015 को कार्य पूर्ण हो चुका है लिखकर भुगतान की सस्तुति की गयी है। तदुपरान्त श्री भगवानदीन द्वारा निम्न सामाग्री क्रय की गयी-

1. जय हनुमान ब्रिक फील्ड्स बाऊचर क्रमांक-399 दि०18.03.2015 को

4700 ईट रु०30080.00

ईट गिट्टी रु०4560.00

2. खान ट्रेडर्स मवई चौराहा फैंजाबाद के बाउचर्स क्रमांक-24 दि०18.03.2015 द्वारा बालू मोरंग तथा 32 बोरी सीमेन्ट क्रय की रु०18004.00

3. मस्टर रोल दि०19.01.2015 से 23.03.2015

तक 05 दिन भुगतान भगवानदीन को रु०7650.00

कुल रु०60294.00

पुनः कार्य प्रभारी श्री भगवानदीन द्वारा कार्य पूर्ण हो चुका है दिनांक रहित लिखकर पत्रावली में पत्र लगाकर रु०52644.00 का भुगतान सामाग्री का तथा 7650.00 मस्टर रोल अवर अभियन्ता के साथ मिलकर कार्यालय से करा दिया गया।

इसी प्रकार श्री भगवानदीन कार्य प्रभारी द्वारा स्वीकृत कोटेशन में जो वस्तुएं सामिल नहीं थी उनका भी क्रय खान ट्रेडर्स से दिखाकर भुगतान करा दिया जो निम्न है:

1. पालीथन 360 मीटर 22.00 प्रति मीटर की दर से रु०7920.00

2. ज्वाइन्ट फील्ड 101 मीटर 25.00 प्रति मीटर की

दर से रु०3535.00

कुल योग रु० 11455.00

कृत कार्य में तकनीकी मानक के अनुसार पूर्व सैन्ड, ब्रिक गिट्टी तथा ईट, सीमेन्ट, फाइन सैन्ड कार्य स्थल पर उक्त के सापेक्ष अत्यधिक कम मात्रा में उक्त सामाग्री क्रय की गयी है

उक्त कार्य हेतु एम०बी०सं०76 पेज संख्या 03 एवं पेज सं० 17 के अनुसार 96700 व 18004.00 धनराशि भुगतानित कर कार्य निर्माण सामाग्री क्रय की गयी है एम०बी० एवं प्रमाणक के अनुसार उक्त दोनों धनराशियों के विरुद्ध 14.90 घन मीटर बालू व 23.90 घन मीटर मोरंग की क्रय की आपूर्ति की जानी दर्शायी गयी है संदर्भित एम०बी० में बालू व मोरंग का मापन करते समय बलकेज/सीटेलामेन्ट 12.50 प्रतिशत की दर से कम प्राप्त होने के बावजूद पूर्ण भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार क्षति हुई-

1-बालू $14.90 \times 12.5p = 1.86$ घन मी० $1.86 \times 1000 = 1860.00$

2-मोरंग $23.90 \times 12.5p = 3.22$ घन मी० $3.22 \times 1800.00 = 5796.00$

योग-रु० 7656.00

पत्रावली में कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं समाप्ति की फोटो भी नहीं लगी है जो कार्य को संदिग्ध बनाते हो।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तथा सामाग्री स्टोक कम होने अथवा आवश्यक मात्रा में न होने की दशा में मस्टर रोल एम०बी० पर मापित एवं अंकित कार्य कैसे सम्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल एवं उसपर अंकित कृत कार्य फरजी एवं आवास्तविक है। अतः मस्टर रोल के आवास्तविक एवं फर्जी होने की दशा में समस्त सामाग्री स्टोक अप्रयुक्त रहा जिसको कार्य प्रभारी एवं स्थल अभियन्ता द्वारा अपहरित किया गया है अतः कार्य स्थल पर व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 421193.00 अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री भगवानदीन एवं स्थल अभियन्ता एजाज हुसेन से विभागीय मानकों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार द्वारा पत्रावली की जाँच किए बिना भुगतान करने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर-8 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली ग्राम पंचायत भटमऊ नरायनपुर में मनियारपुर सम्पर्क मार्ग से नरायनपुर स्कूल तक खडंजा कार्य जो राज वित्त योजना से सम्बन्धित है। स्वीकृत 350 मीटर लम्बाई में खडंजा कार्य से

सम्बन्धित कार्य पत्रावली, सम्बन्धित निर्माण सामाग्री के व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल की जाँच में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी।

1. पत्रावली के साथ संदर्भित निर्माण कार्य की एम०बी० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी अतः कार्य का मापन प्रमाणन की पुष्टि नहीं की जा सकती। पुष्टि हेतु सम्बन्धित एम०बी० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
2. स्वीकृत स्टीमेट के अनुसार 350 मीटर लम्बाई में खडंजा कार्य का क्षेत्रफल 1155 मीटर अंकित किया गया, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल में भी खडंजा कार्य की मजदूरी रु०66990.00 भुगतान की गयी है। तथा खडंजा कार्य के साथ मिट्टी कार्य का भुगतान रु०72733.00 मस्टर रोल के अन्तर्गत किया जाना अंकित है। उक्त मजदूरी व्यय प्रथम दृष्टया आवास्तविक ज्ञात होता है। इसका मुख्य कारण खडंजा कार्य हेतु आवश्यक ईटों की मात्रा का क्रय न किया जाना है इस कार्य हेतु आवश्यक ईटों की मात्रा 68400 के विरुद्ध मात्र 47600 ईटों ही क्रय किया जाना दर्शाया गया है। अतः 20800 ईट की कम उपलब्धता होने पर उक्त दर्शित कुल खडंजा कार्य 1155 वर्ग मीटर कराया जाना कैसे संभव है। 20800 ईट की कम उपलब्धता के आलोक में प्रस्तुत पत्रावली में प्रस्तुत किया गया मस्टर रोल तथा मजदूरों को भुगतानित राशि रु०139500.00 भी आपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। पुष्टि के अभाव में एवं विरोधाभासी कार्य प्रणाली के आधार पर उक्त मस्टर रोल से सम्बन्धित समस्त मजदूरी भुगतान रु०139500.00 की वसूली सम्बन्धित कार्य प्रभारी श्री भगवानदीन ग्राम विकास अधिकारी से एवं स्थल अभियन्ता श्री एजाज हुसैन से विभागीय मानकों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
3. मस्टर रोल में कृत कार्य की अवधि 10.06.2015 से 04.07.2015 तक अंकित की गयी है। जब कि मिस्त्री एवं मजदूरों की कार्य उपस्थिति तिथि 01 से 25 तक अंकित की गयी है। इस प्रकार मस्टर रोल में विरोधाभासी तिथियाँ मस्टर रोल की प्रामाणिकता व वास्तविकता पर प्रश्न चिह्न लगता है (मस्टर रोल की छाया प्रति संलग्न है। संदर्भित कार्य हेतु ईट की क्रय आपूर्ति फर्जी ब्रिक फील्ड से निम्न विवरणुसार किया जाना दर्शाया गया है।

बाऊचर नम्बर/ दिनांक	मात्रा ईट	दर	मूल्य	अन्य
261/ 08.06.2015	15800	6200/हजार	97960.00	
271/ 12.06.2015	15800	6200/हजार	97960.00	
53/ 14.06.2015	16000	6200/हजार	99200.00	
योग—	47600		295120.00	

उक्त क्रय आपूर्ति में क्रमांक 03 पर अंकित प्रमाणक/कैश मेमो आवास्तविक है। क्योंकि कैश मेमों का क्रमांक 03 प्रथम 02 कैश मेमो क्रमांक की तुलना में अवरोही क्रम में है जो संभव नहीं है। तीसरा कैश मेमो (क्रमांक 53) इसविषय भी आवास्तविक एवं कल्पित हैक्यों की इसपर न तो टिन नम्बर दिया गया है और न ही क्रमांक छहा है इसलिए क्रमांक 03 अंकित 1600 ईट की क्रय आपूर्ति आवास्तविक सिद्ध होती है। तथा किया गया भुगतान रु०99200.00 भी प्रथम दृष्टया अनियमित एवं अपुष्टित हा।

स्पष्ट हा कि कुल कार्य का मस्टर रोल फर्जी है। मस्टर रोल फर्जी होने के कारण कृत कार्य शून्य रहा तथा सामाग्री स्टॉक भी अपहरित रहा। इस प्रकार सामाग्री व लेवर मद में किया गया व्यय भुगतान क्रमशः 295120.00 तथा 139500.00 कुल रु०434620.00 के अपहरण किये जाने की पुष्टि होती है।

अतः अपहरित धनराशि रु०434620.00 की ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी श्री भगवानदीन एवं स्थल अभियन्ता एजाज हुसेन से विभागीय मानकों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार द्वारा पत्रावली की जाँच किए विना भुगतान करने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तर-9 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली जैसुखपुर में पक्की सड़क से दरगाह तक इमण्टर लाकिंग कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावली सम्बन्धित निर्माण सामाग्री के व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल तथा एम०बी० की जाँच में निम्न आपत्तियाँ जाँच में आयी है।

1. 967 एम2 सी०सी०पेवर ब्लॉक कार्य हेतु पेवर ब्लॉक की क्रय आपूर्ति पर स्वीकृत स्टीमेट के अनुसार 669164.00 व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है। जब कि इस मद की क्रय आपूर्ति पर रु०759687.00 (40625 नग 18.70) का भुगतान किया गया। अधिक भुगतानित राशि रु०90523.00 की वसूली कार्य प्रभारी श्री भगवानदीन एवं स्थल अभियन्ता एजाज हुसेन से विभागीय मानकों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है
2. स्वीकृत स्टीमेट के अनुसार 300 मीटर लम्बाई में 967 मी2 क्षेत्रफल में सी सी पेवर ब्लॉक (80एम०एम०+ब्रिक) बिछाया जाना था जिस हेतु एम०बी० एवं व्यय प्रमाणक के अनुसार 40625 नग संख्या में पेवर ब्लॉक की क्रय आपूर्ति की गयी है। लेवर एन०बी०73-बी पेज नम्बर 05 व 13 तथा मस्टर रोल के अनुसार 162 मीटर लम्बाई में 402.90 एम2 क्षेत्रफल में कार्य किया जाना अंकित किया गया है।

अतः अनुपातिक गणनानुसार प्रयुक्त/ उपयोगित पेवर ब्लॉक की मात्रा/संख्या निम्न विवरणानुसार 16927 नग होगी।

$$402.90 \times 40625 \text{ नग} = 16927 \text{ नग} \\ 967.00$$

इस प्रकार 564.10 ड2 क्षेत्रफल में सी०सी०पेवर ब्लॉक का कार्य न किये जाने के कारण 23698नग संख्या में सी०सी० पेवर ब्लॉक अप्रयुक्त रहा जिसका स्टॉक साइट पर न होने के कारण स्पष्ट है कि इस सामाग्री का अपहरण कर लिया गया है

564.10 •40625 नग=23698नग सी०सी० पेवर ब्लॉक
967.00

अतः अपहरित सामाग्री स्टॉक पेवर ब्लॉक 23698 नग के भुगतानित मूल्य रु० 443152.00 की वसूली कार्य प्रभारी श्री भगवानदीन एवं स्थल अभियन्ता श्री एजाज हुसेन से विभागीय मानकों के अनुसार किया जाना अपेक्षित

3. परियोजना स्थल कार्य पत्रावली, स्वीकृत स्टीमेट, एम०बी० एवं व्यय प्रमाणकों की जाँच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि ब्रिक बैलास्ट 40एम०एम०क्रय की गयी है लेवर से सम्बन्धित एम०बी० व मस्टर रोल के अनुसार एल/सी(1:6:12:) कार्य 96.98 एम३ सम्पन्न किया जाना अंकित है।

तकनीकी मानक के अनुसार 69.98 सी०सी०(1:6:12)कृत कार्य में ब्रिक बैलास्ट 40उउ 69.98उउ प्रयुक्त/उपयोगताहोगी। नस प्रकार 20.02उउ अप्रयुक्त स्टॉक कार्य स्थल पर अवशेष होना चाहिए जबकि कार्य स्थल पर अवशेष मात्रा शून्य है। अतः स्पष्ट है कि इस अप्रयुक्त मात्रा का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित ब्रिक बैलास्ट की स्टॉक मात्रा 20.02 उउ मूल्य भुगतान रु०24024.00 की वसूली कार्य प्रभारी श्री भगवानदीन एवं स्थल अभियन्ता एजाज हुसेन से विभागीय मानकों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है

4. सी०सी० पेवर ब्लॉक में असरफ कन्स्ट्रक्शन के बीकापुर से क्रय किये गये हैं उक्त सभी बाउचरों में सभी बाउचर नम्बर पेन से मबमाने ढंग से लीखे गये हैं उदाहरणार्थ—

बिल नम्बर / दिनांक	मात्रा	धनराशि
110 / 09.02.2015	5350	100045.00
176 / 22.02.2015	5300	99110.00
170 / 28.02.2015	5300	99110.00

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सामाग्री का क्रय कागजी ही रहा है और समस्त सामाग्री व मस्टर रोल में अंकित राशि का अपहरण कार्य प्रभारी व स्थल अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है पत्रावली में कार्य प्रारम्भ, मध्य व समाप्ति की फोटो भी नहीं लगी है। जो कार्य को संदिग्ध बनाते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तथा सामाग्री स्टॉक कम होने अथवा आवश्यक मात्रा में न होने की दशा में मस्टर रोल एवं एम०बी० पर मापित एवं अंकित कार्य कैसे सम्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल एवं उसपर अंकित कृत कार्य फर्जी एवं अवास्तविक है। अतः मस्टर रोल के अवास्तविक एवं फर्जी होने की दशा में समस्त सामाग्री स्टॉक अप्रयुक्त रहा जिसको कार्य प्रभारी एवं स्थल अभियन्ता द्वारा अपहरित किया गया है।

अतः कार्य स्थल पर व्यय की गयी कुल धनराशि रु०1199527.00 अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली कार्य श्री भगवानदीन एवं स्थल अभियन्ता एजाज हुसेन से विभागीय मानकों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार द्वारा पत्रावली की जाँच किए बिना भुगतान करने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आपत्ति संख्या-23)

प्रस्तर-10 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान तेरहवे वित्त योजना में व्यय की गयी धनराशि कुल रु० 296525.00 के सम्बन्ध में कोई व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किये गये जिससे उक्त धनराशि की जाँच लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकती। क्षेत्र पंचायत में हुई अनियमितताओं / राजकीय धन के अपहरण को देखते हुए रु०296525.00 के दुरुविनियोग/अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के नियम संख्या 179 के क्रम में लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना दी जायेगी और माँग किए जाने पर अध्यक्ष / प्रमुख उसे तुरन्त सभी सम्बद्ध पत्रादि तथा अभिलेख दिखाएगा का अनुपालन न करके तेरहवे वित्त योजना में व्यय की गयी राशि रु०296525.00 के सम्बन्ध में कोई व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किये गये जिसमें किसी गम्भीर वित्तीय अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव प्रसाद एवं बी०डी०ओ० श्री शिवप्रसाद व सै०मोहम्मद मेहदी सहायक लेखाकार से रु०296525.00 की ब्याज सहित वसूली करते हुए लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं०24)

प्रस्तर-11 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान राज वित्त योजना में व्यय की गयी धनराशि रु०176828.00 के सम्बन्ध में कोई व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किए गये जिससे उक्त धनराशि की जाँच लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकती। क्षेत्र पंचायत में हुई अनियमितताओं / राजकीय धन के अपहरण को देखते हुए रु०176828.00 के दुरुविनियोग / अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के नियम संख्या 179 के क्रम में लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना दी जायेगी और माँग किए जाने पर अध्यक्ष / प्रमुख उसे तुरन्त सभी सम्बद्ध पत्रादि तथा अभिलेख दिखाएगा का अनुपालन न करके रज वित्त योजना में व्यय की गयी राशि रु०176828.00 के सम्बन्ध में कोई

व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किये गये जिसमें किसी गम्भीर वित्तीय अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव प्रसाद एवं बी०डी०ओ० श्री शिवप्रसाद व सै०मोहम्मद मेहदी सहायक लेखाकार से जाँच परान्त रु०176828.00 की ब्याज सहित वसूली करते हुए लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं०25)

प्रस्तर-12 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान रा०ग्राम रो०गारंटी योजना (प्रशासनिक मद) योजना में व्यय की गयी धनराशि रु०2765746.00 के सम्बन्ध में कोई व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किए गये जिससे उक्त धनराशि की जाँच लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकती। क्षेत्र पंचायत में हुई अनियमितताओं / राजकीय धन के अपहरण को देखते हुए रु०2765746.00 के दुरुविनियोग / अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के नियम संख्या 179 के क्रम में लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना दी जायेगी और माँग किए जाने पर अध्यक्ष / प्रमुख उसे तुरन्त सभी सम्बद्ध पत्रादि तथा अभिलेख दिखाएगा का अनुपालन न करके रा०ग्राम रो०गारंटी योजना (प्रशासनिक मद) योजना में व्यय की गयी राशि रु० 2765746.00 के सम्बन्ध में कोई व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किये गये जिसमें किसी गम्भीर वित्तीय अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव प्रसाद एवं बी०डी०ओ० श्री शिवप्रसाद व राम सागर तिवारी तथा सै०मोहम्मद मेहदी सहायक लेखाकार से रु०2765746.00 की ब्याज सहित वसूली करते हुए लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं०26)

प्रस्तर-13 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान इन्दिरा आवास प्रशासनिक व्यय योजना में व्यय की गयी धनराशि रु० 586741.00 के सम्बन्ध में कोई व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किए गये जिससे उक्त धनराशि की जाँच लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकती। क्षेत्र पंचायत में हुई अनियमितताओं / राजकीय धन के अपहरण को देखते हुए रु०586741.00 के दुरुविनियोग / अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के नियम संख्या 179 के क्रम में लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना दी जायेगी और माँग किए जाने पर अध्यक्ष / प्रमुख उसे तुरन्त सभी सम्बद्ध पत्रादि तथा अभिलेख दिखाएगा का अनुपालन न करके इन्दिरा आवास प्रशासनिक व्यय योजना में व्यय की गयी राशि रु० 586741.00 के सम्बन्ध में कोई व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किये गये जिसमें किसी गम्भीर वित्तीय अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव प्रसाद एवं बी०डी०ओ० श्री राम सागर तिवारी तथा सै०मोहम्मद मेहदी सहायक लेखाकार से रु०586741.00 की ब्याज सहित वसूली करते हुए लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ०सं०28)

2- क्षेत्र पंचायत पूराबाजार-2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-14 माझा तिहुरा उलाही मुख्य मार्ग से रामजी यादव के घर तक सोलिंग निर्माण कार्य जिसपर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है-

1. दिनांक-16.06.2015 ईट क्रय गौरव ब्रिक फील्ड से	रु०90594.00
2. दिनांक-30.05.2015 को बोर्ड क्रय	रु०4000.00
3. मस्टर रोल दि०01.06.2015 से 28.06.2015 तक	रु०47985.00

योग- रु०142579.00

उपरोक्त पत्रावली में टेण्डर से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तुलनात्मक चार्ट नहीं संलग्न है ईटों की डिलवरी चालान बिल नहीं संलग्न है मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा सेदिग्ध है फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है कर दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री राकेश यादव से किया जाना अपेक्षित है (आ०सं०18)

प्रस्तर-15 तिहुरा वैसू के पुरवा से शिवनाथ के घर तक सोलिंग निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है-

1. दिनांक-30.05.2015 को ईट क्रय गौरव ब्रिक फील्ड से	रु०217430.00
2. दिनांक-30.05.2015 को बोर्ड क्रय ताज कान्स्ट्रक्शन	रु०4000.00
3. मस्टर रोल दि०01.06.2015 से 28.06.2015 तक	रु०113204.00

योग- रु०330634.00

उपरोक्त पत्रावली में टेण्डर से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तुलनात्मक चार्ट नहीं संलग्न है ईटों की डिलवरी चालान बिल नहीं संलग्न है मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा सेदिग्ध है फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2)

के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री राकेश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०19)

प्रस्तर-16 शहनेवाज पुर परिक्रमा मार्ग से भाष्कर यादव के घर तक सोलिंग निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है—

1.	दिनांक-30.05.2015 को ईट क्रय	रु०668727.00
2.	दिनांक-30.05.2015 को बोर्ड क्रय	रु०4000.00
3.	मस्टर रोल दि०01.06.2015 से 28.06.2015 तक	रु०35910.00
	योग—	रु०108637.00

उपरोक्त पत्रावली में टेण्डर से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तुलनात्मक चार्ट नहीं संलग्न है ईटों की डिलवरी चालान बिल नहीं संलग्न है मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा संदिग्ध है फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री राकेश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०20)

प्रस्तर-17 मूडाडीह रामपाल यादव के घर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है—

1.	दिनांक-07.09.2015 को ईट क्रय गोल्ड ब्रिक फील्ड	रु०28800.00
2.	दिनांक-08.09.2015 को सामाग्री आदि क्रय	रु०54855.00
3.	मस्टर रोल दि०16.08.2015 से 31.08.2015 तक	रु०20914.00
	योग —	रु०104569.00

उपरोक्त पत्रावली में टेण्डर से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तुलनात्मक चार्ट नहीं संलग्न है ईटों की डिलवरी चालान बिल नहीं संलग्न है मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा संदिग्ध है मस्टर रोल में एक मिस्त्री राम सूरत पुत्र सूर्यभान को 15 दिन का भुगतान किया गया है जब कि उक्त मजदूर ने 14 दिनों का कार्य किया है इसी प्रकार मिस्त्री रतीभान पुत्र सूर्यभान द्वारा 13 दिन कार्य किया गया है जब कि भुगतान 15 दिन का किया गया है जिससे किया गया भुगतान पूर्णतयः अपहरित है जो कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री राकेश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०21)

प्रस्तर-18 सरेठी चमनलाल के घर के पास सार्वजनिक शुलभ शौचालय निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है—

1.	दिनांक-07.09.2015 को ईट क्रय गोल्ड ब्रिक फील्ड	रु० 28800.00
2.	दिनांक-08.09.2015 को सामाग्री आदि क्रय गिरजा प्रसाद कन	रु० 54855.00
3.	मस्टर रोल दि०16.08.2015 से 31.08.2015 तक	रु० 20914.00
	योग —	रु०104569.00

उपरोक्त पत्रावली में टेण्डर से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तुलनात्मक चार्ट नहीं संलग्न है ईटों की डिलवरी चालान बिल नहीं संलग्न है मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा संदिग्ध है जिससे किया गया भुगतान पूर्णतयःअपहरित है जो कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक जाँच कर दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री राकेश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०22)

प्रस्तर-19 मडना पप्पू यादव के घर के पास सार्वजनिक शुलभ शौचालय निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है—

1.	दिनांक-07.09.2015 को ईट क्रय गोल्ड ब्रिक फील्ड	रु०28800.00
2.	दिनांक-08.09.2015 को सामाग्री आदि क्रय गिरजा प्रसाद कन	रु०54855.00
3.	मस्टर रोल दि०16.08.2015 से 31.08.2015 तक	रु०20914.00
	योग —	रु०104569.00

उपरोक्त पत्रावली में टेण्डर से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तुलनात्मक चार्ट नहीं संलग्न है ईटों की डिलवरी चालान बिल नहीं संलग्न है मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा संदिग्ध है जिससे किया गया भुगतान पूर्णतयःअपहरित है जो कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक जाँच कर

दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री राकेश यादव से किया जाना अपेक्षित है (आ०सं०23)

प्रस्तर-20 सरैया मुख्य मार्ग से शोभा राम के घर तक शोलिंग निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है—

1. दिनांक-03.09.2015 को ईट क्रय गौरव ब्रिक फील्ड रु०243200.00
2. मस्टर रोल दि०16.08.2015 से 31.08.2015 तक रु०134950.00

योग - रु०378150.00

उपरोक्त पत्रावली में टेण्डर से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तुलनात्मक चार्ट नहीं संलग्न है ईटों की डिलवरी चालान बिल नहीं संलग्न है मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा सेदिग्ध है मास्टर रोल के कुलधनराशि से रु०17150.00 रायल्टी की कटौती की गयी है जब कि रायल्टी कटौती वास्तवित भुगतान से अलग किया जाना चाहिए क्यों कि मजदूरों को रु० 161/दिवस भुगतान किया गया है। जिससे किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक जाँच कर दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री राकेश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०24)

प्रस्तर-21 परिक्रमा मार्ग अचारी का पुरवा में तिवारी के पुरवा से दर्शन नगर अयोध्या मार्ग तक शोलिंग निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है—

1. दिनांक-28.03.2017 को ईट क्रय ताज कान्ट्रेक्शन रु०160799.00
2. मस्टर रोल दि०17.03.2017 से 27.03.2017 तक रु०129690.00

योग - रु०290489.00

उपरोक्त पत्रावली में टेण्डर से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तुलनात्मक चार्ट नहीं संलग्न है ईटों की डिलवरी चालान बिल नहीं संलग्न है मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा सेदिग्ध है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत एम०बी० के अनुसार कार्य दिवस 15.03.2017 से 25.03.2017 तक दर्शित है तथा माप पुस्तिका में दिनांक 26.03.2017को एम०बी० करना दर्शित है जबकि कार्य 27.03.2017 तक चला है कार्य पूर्ण होने के पहले ही एम०बी० की गयी है जो कि संदिग्ध है फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक जाँच कर दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री जनार्दन एवं लेखाकार श्री ओमप्रकाश सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री राकेश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०25)

प्रस्तर-22 कुसमाहा कोटोदार के घरसे तकपुरा फैजाबाद मार्ग तक शोलिंग निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है—

1. दिनांक-25.03.2017 को ईट क्रय ताज कन्ट्रक्शन रु०427720.00
2. मस्टर रोल दि०17.03.2017 से 27.03.2017 तक रु०329406.00

योग - रु०757126.00

उपरोक्त पत्रावली में टेण्डर से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तुलनात्मक चार्ट नहीं संलग्न है ईटों की डिलवरी चालान बिल नहीं संलग्न है मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा सेदिग्ध है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत एम०बी० के अनुसार कार्य दिवस 17.03.2017 से 20.03.2017 तक दर्शित है तथा माप पुस्तिका में दि०20.03.2017 को एम०बी० करना दर्शित है जब कि कार्य 27.03.2017 तक चला है कार्य पूरा होने से पहले ही एम०बी० की गयी है जो कि संदिग्ध है फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक जाँच कर दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री जनार्दन एवं लेखाकार श्री ओमप्रकाश सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री राकेश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०26)

प्रस्तर-23 ग्राम कुसमाहा में अचारी के पुरवा में शोलिंग मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है—

1. दिनांक-20.03.2017 को ईट क्रय ताज कन्ट्रक्शन रु०181427.00
2. मस्टर रोल दि०17.03.2017 से 27.03.2017 तक रु०139260.00

योग - रु०320687.00

उपरोक्त पत्रावली में टेण्डर से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तुलनात्मक चार्ट नहीं संलग्न है ईटों की डिलवरी चालान बिल नहीं संलग्न है मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा सेदिग्ध है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत एम०बी० के अनुसार कार्य दिवस 15.03.2017 से 25.03.2017 तक कार्य दर्शित है तथा माप पुस्तिका में दि० 25.03.2017 को एम०बी० करना दर्शित है जब कि कार्य 27.03.2017 तक चला है कार्य पूरा होने से पहले ही एम०बी० की गयी है जो कि संदिग्ध है फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है

आवश्यक दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री जनारदन एवं लेखाकार श्री ओमप्रकाश सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री राकेश यादव से किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०27)

प्रस्तर-24 ग्राम देवकाली में पेवर ब्लॉक इन्टरलाकिंग कार्य पत्रावली में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है—

1. दिनांक-20.03.2017 को ईट क्रय ताज कन्ट्रक्शन रु०733737.00
2. मस्टर रोल दि०17.03.2017 से 27.03.2017 तक रु०89892.00

योग —रु०823629.00

उपरोक्त पत्रावली में टेण्डर से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तुलनात्मक चार्ट नहीं संलग्न है ईटों की डिलवरी चालान बिल नहीं संलग्न है मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा सेदिग्ध है मस्टर रोल के अनुसार द्वितीय मस्टर रोल में एक मजदूर का अधिक भुगतान रु० 1924 किया गया है स्टीमेट में मजदूरी पर व्यय रु०88572.00 दर्शित है जबकि भुगतान रु० 89892.00 किया गया है इस प्रकार स्टीमेट से अधिक भुगतान किया गया है जो कि पूर्णतः अपहरित है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री जनारदन एवं लेखाकार श्री ओमप्रकाश सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री राकेश यादव से किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०28)

प्रस्तर-25 कृष्णानगर काली मन्दिर से रानोपाली कालोनी तक पेवर ब्लॉक इन्टरलाकिंग कार्य पत्रावली में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है—

1. दिनांक-20.03.2017 को ईट क्रय ताज कन्ट्रक्शन रु० 734146.00
2. मस्टर रोल दि०17.03.2017 से 27.03.2017 तक रु० 89892.00

योग — रु० 824038.00

उपरोक्त पत्रावली में टेण्डर से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तुलनात्मक चार्ट नहीं संलग्न है ईटों की डिलवरी चालान बिल नहीं संलग्न है मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा सेदिग्ध है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत एम०बी० के अनुसार कार्य दिवस 15.03.2017 से 25.03.2017 तक दर्शित है तथा माप पुस्तिका में दिनांक 25.03.2017 को एम०बी० किया गया है वास्तव में मस्टर रोल के अनुसार कार्य 17.03.2017 से 27.03.2017 तक चला कार्य समाप्ति के पूर्व ही एम०बी० किया जाना पूर्णतः संदिग्ध है फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री जनारदन एवं लेखाकार श्री ओमप्रकाश सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री राकेश यादव से किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०29)

प्रस्तर-26 दि०14.10.2015 को रु०27120.00 का भुगतान विभिन्न कर्मचारियों को बी०डी०सी० सतस्यों चुनाव हेतु बूथ निर्माण के लिए किया गयी है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान की पुष्टि में क्रमचारियों के द्वारा प्राप्ति रसीद नहीं लिया गया है। फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०32)

प्रस्तर-27 दि० 07.12.2015 को रु०35120.00 का भुगतान विभिन्न कर्मचारियों को बूथ निर्माण हेतु किया गयी है इसमें खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपति द्वारा रु०8000.00 स्वयं भुगतान प्राप्त किया गया है लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान की पुष्टि में क्रमचारियों के द्वारा प्राप्ति रसीद नहीं लिया गया है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बूथ निर्माण हेतु भुगतान प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०33)

प्रस्तर-28 दि०04.02.2016 को रु० 56500.00 का भुगतान बी०डी०सी० सतस्यों एवं प्रधानों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग लेने हेतु रु० 500.00 की दर से रु०56000.00 दर्शित है जह कि प्रस्तुत प्रमाणक पर 68 बी०डी०सी० सदस्य एवं 44 ग्राम प्रधानों को भुगतान रु०56500.00 दिया गया है जोकि रु०500.00 से अधिक है भुगतानित धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (आ०सं०34)

प्रस्तर-29 दि०16.05.2016 को रु०16000.00 का भुगतान विभिन्न कर्मचारियों को चुनाव कार्य हेतु मानदेय का भुगतान किया गया है विवरण निम्न प्रकार है

1. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव ए०डी०ओ०(पंचायत) को रु०3000.00
2. श्री सियाराम सहायक लेखाकार को रु०3000.00

3.	श्री रामन्म पाण्डे को	रु०3000.00
4.	श्री पियूष कनिष्ठ लिपिक को	रु०3000.00
5.	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा सफाई कर्मी	रु०2000.00
6.	श्री राकेश कुमार पाण्डेय सफाई कर्मी को	रु०2000.00

योग -रु०16000.00

उपरोक्तानुसार किए गए भुगतान की पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी प्रमाणक एवं विभागीय निर्देशानुसार भुगतान किए जाने का पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया। फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के अनुसार अनियमित भुगतान रु 16000.00 वसूली योग्य है आवश्यक दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०35)

प्रस्तर-30 दि० 20.10.2014 को रु० 70000.00 चेक सं० 0036 बी०डी०सी० सदस्यों एवं मानदेय भुगतान हेतु स्वयं कैशियर एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आहरित किया गया है इसी प्रकार दिनांक 08/12/14 को भी रु० 70000.00 चेक सं० 0037 बी०डी०सी० सदस्यों को मानदेय भुगतान हेतु स्वयं कैशियर एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आहरित किया गया है उपरोक्त धनराशि 140000.00की पुष्टि में कार्यवाही बैठक एवं सदस्यों को भुगतानित की गयी धनराशि की प्राप्ति रसीद नहीं प्रस्तुत की गयी। जिससे भुगतान संदिग्ध रहा। फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कर्ताराम यादव एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०36)

प्रस्तर-31 दि० 09.10.2015 को रु० 33450.00 का भुगतान उमा डी. इन्टरप्राइजेज को फोटो मशीन मरम्मत हेतु किया गया है लेखा परीक्षा के दौरान उक्त भुगतान की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे भुगतान संदिग्ध रहा। फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है (आ०सं०37)

प्रस्तर-19 दि०09.10.2015 को रु०59976.00 का भुगतान विभिन्न कर्मचारियों को इन्दिरा आवास लाभार्थी चयन हेतु बीडियो ग्राफी कराने हेतु रु०1000.00 के दर से किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है

1.	श्री महेन्द्र सिंह को	6X1000.00=6000.00
2.	श्री नरेश शुक्ला को	6X1000.00=6000.00
3.	श्री गंगा प्रसाद श्रीवास्तव	5X1000.00=5000.00
4.	श्री दयाशेकर वर्मा को	1X1000.00=1000.00
5.	श्री अनिल कुमार सिंह को	6X1000.00=6000.00
6.	श्री हौसिला प्रसाद वर्मा को	4X1000.00=4000.00
7.	श्री विशाल गौतम को	5X1000.00=5000.00
8.	श्री अम्बिका गुप्ता को	=4976.00
9.	श्री अजय कुमार सिंह को	5X1000.00=5000.00
10.	श्री न्यु संभू डिजिटल स्टूडियो सहनियावा चौराहा को रु०	15000.00

योग-रु० 59976.00

उपरोक्तानुसार किए गए भुगतान की पुष्टि में विभिन्न ग्राम पंचायतों में किए गये बैठकों एवं इन्दिरा आवास लाभार्थी चयन प्रक्रिया की विडियो ग्राफी का प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया कर्मचारियों को दिए गये भुगतान की प्राप्ति रसीद भी नहीं प्रस्तुत की गयी जिससे भुगतान संदिग्ध रहा फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है (आ०सं०38)

प्रस्तर-32 दि०16.06.2015 को रु०12000.00 का भुगतान सान्ती मोर्चा प्रकाशन को निविदा सूचना प्रकाशन हेतु किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान की पुष्टि में प्रकाशन की प्रति एवं भुगतानित धनराशि का बिल एवं कैश मेमो नहीं प्रस्तुत कि. गया है जिससे किया गया भुगतान संदिग्ध रहा फलतः किया गया भुगतान उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड के अन्तर्गत अनियमित भुगतान वसूली योग्य है आवश्यक दोषी पाए जाने पर इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपती देवी एवं लेखाकार ओमप्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०39)

3- क्षेत्र पंचायत मयाबाजार- 2016-17

प्रस्तर-33 (मू0ओ0 भाग 2(ब)-27. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न निर्माण कार्य पत्रावलियों में ग्रांट रजिस्टर में दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक सहित अन्य पुष्टि परक अभिलेख अप्राप्त रहे हैं, इसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0	कार्य का नाम	चेक संख्या एवं दिनांक	भुगतान की गयी धनराशि	व्यय प्रमाणक एवं अन्य पुष्टि परक अभिलेखों की स्थिति
1.	क्षेत्र पंचायत मया बाजार में खण्ड विकास अधिकारी महोदय के आवास में रंगायी पुताई कार्य	000065 / 28.10.16 000068 / 28.10.16	79000.00 44000.00	व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल सहित अन्य पुष्टिपरक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2.	क्षेत्र पंचायत मया बाजार के परिसर में गेट के पास बने आवास में मरम्मत व रंगाई पुताई कार्य	000064 / 28.10.16	54500.00	
3.	क्षेत्र पंचायत मया बाजार में टाइप तीन के बने आवास में रंगायी व पुतायी कार्य	000067 / 28.10.16	90000.00	
4.	क्षेत्र पंचायत मया बाजार में खण्ड विकास अधिकारी आवास के मरम्मत कार्य	000069 / 28.10.16	86300.00	
5.	क्षेत्र पंचायत मया बाजार में परिसर बने आवासों की बाहरी भाग व परिसर के बाउंड्री वाल की रंगायी पुतायी कार्य	000062 / 28.10.16	85700.00	
6.	क्षेत्र पंचायत मया बाजार में परिसर में टाइप दो के आवासों की रंगायी पुतायी कार्य	000066 / 28.10.16	86900.00	
7.	विकास खण्ड का सौन्दर्यीकरण	000088 / 13.06.16	71600.00	
8.	पत्रावली अप्राप्त रही एवं ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में कार्य का नाम अंकित नहीं है	000087 / 04.06.16	20300.00	
कुल योग			618300.00	

उपयुक्त विवरण के अनुसार निम्न अपत्तियां पायी गयीं-

लेखा परीक्षा में उक्त कराये गये कार्य के सही भुगतान की पुष्टि स्टीमेट, कार्ययोजना, वित्तीय स्वीकृत, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, साइनबोर्ड, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो, कार्य का भौतिक सत्यापन निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि के अभाव में नहीं हो पायी।

लेखा परीक्षा के दौरान वर्क रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि पंजिका अप्राप्त होने के कारण कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। यह भी पता नहीं चल सका है इसके पहले कब मरम्मत कार्य, रंगायी पुतायी एवं सौन्दर्यीकरण कराया गया है। बार-बार कार्य कराये जाने की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता।

लेखा परीक्षा के दौरान सामग्री आपूर्ति के सम्बन्ध में चालान बिल पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया। साथ सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत भुगतान बिल के साथ ही डिलीवरी चालान बिल की कापी संलग्न नहीं की गयी। आपूर्ति की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकित करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सामग्री आपूर्ति की पुष्टि नहीं हो पायी है।

लेखा परीक्षा के दौरान कार्ययोजना की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः कराया गया कार्य के बारे में पता नहीं चल पाया कि उक्त कार्य की स्वीकृत कार्ययोजना के माध्यम से हुई है। अतः कराया गया कार्य अनियमित है।

क्रमांक 8 पर अंकित कार्य का उल्लेख ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में और न ही इससे सम्बन्धित कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी।

लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों के प्रभारी की नियुक्ति आदेश अप्राप्त रहा। जिससे उक्त कार्यों के कार्य प्रभारी श्री अनुपम कुमार सिंह ए0डी0ओ0 एस0टी0 के नियुक्ति की तिथि के बारे में जानकारी नहीं हो सकी।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अधिकांश कार्यों का भुगतान दिनांक 28.10.2016 को किया गया। एक ही तिथि में उक्त भुगतान कराये गये कार्य का आवास्तविक एवं कागजी योजनाबद्ध तरीके से धन का अपहरण करने की पुष्टि होती है। कार्यप्रभारी द्वारा एक ही समय में समस्त कार्यों का संचालन करके गुणवत्तापूर्ण एवं कुशलतापूर्वक कार्य कराया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त अपत्तियों से स्पष्ट है कि कार्यप्रभारी द्वारा आवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजनाबद्ध तरीके से धन का अपहरण कर लिया गया, जिसका वसूली उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी मयाबाजार रु0 206100.00, श्री आशीष सिंहजे0ई0आर0ई0डी0 रु0 206100.00 एवं श्री अनुपम कुमार सिंह कार्य प्रभारी ए0डी0ओ0 एस0टी0 206100.00 से समान रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-34 (मू0अ0 भाग 2(ब)-28. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारी पद्धति से कराये गये कार्य हेतु निविदा फार्म बिक्री से प्राप्त धनराशि रु0 1800.00 (36X50=1800) कोषबही, अनुदान पंजिका में अंकित न करके एवं क्षेत्र पंचायत के किसी बैंक खाते में न जमा कर धन का अपहरण कर लिया गया, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रु0 1800.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-35 मू0अ0 भाग 2(ब)-29 क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016-17 में ठेकेदारी पद्धति से कराये गये निम्न कार्यो से उत्तर प्रदेश सरकार की शासनादेश के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों जिसमें साधारण मिट्टी पर रु0 23.00 प्रति घनमीटर की दर से रॉयल्टी निर्धारण के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी द्वारा वसूली नहीं की गयी जो इस प्रकार है।

क्र0	कार्य का नाम	प्रयुक्त साधारण मिट्टी प्रतिघन मीटर	रॉयल्टी रु0 23.00 प्रति घनमीटर
1.	मया भीखी में दलपतपुर सम्पर्क मार्ग से अनिल सिंह के घर तक अवशेष सी0सी0 कार्य	52.15 घनमीटर	1199.45
2.	ग्राम सभा अलनाभारी में रोशन नगर माइनर से बेरासपुर नाले की पुलिया तक मिट्टी सोलिंग कार्य	2697.4 घनमीटर	62040.2
3.	ग्राम सभा बोधीपुर नहर की पटरी पर अमसिन रोड से बोधीपुर तक मिट्टी सोलिंग कार्य	2046.92 घनमीटर	47079.16
4.	मया भीखी में करुणेश सिंह के घर से श्रवण सिंह के घर होकर उसमान अली के घर तक सी0सी0 रोड कार्य	232.54 घनमीटर	5348.42
5.	ग्राम सभा शेरवाघाट में डॉ0 उमाशंकर के घर से शेरवाघाट तक मिट्टी सोलिंग कार्य	866.1 घनमीटर	19920.3
6.	अंकारीपुर में राजबहादुर के घर से अनिल सिंह के घर होते हुए रमशंकर सिंह के बाग तक मिट्टी सोलिंग पुलिया निर्माण कार्य	7130.54 घनमीटर	164002.42
7.	ग्रामसभा भितौरा घेरवा से रेवरी गोदमवा तक मिट्टी सोलिंग कार्य	2546.19	58562.37
कुल योग		15571.84	358152.32

उपर्युक्त विवरण के अनुसार उक्त कार्यो में प्रयुक्त साधारण मिट्टी 15571.84 घनमीटर की रॉयल्टी रु0 358152.32 शासनादेश निर्देश के क्रम में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कटौती न करके सरकारी राजस्व को हानि पहुँचायी गयी है, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी मयाबाजार से रु0 358152.32 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-36 (मू0अ0 भाग 2(ब)-30. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान वैट की कटौती एवं जमा में गम्भीर विसंगति पायी गयी। जो निम्न प्रकार है—

ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार 01.04.2016 को वैट का प्रा0 अवशेष	वर्ष 2016-17 में भुगतान के सापेक्ष वैट की कटौती	ग्रांट रजिस्टर तृतीय में वर्ष 2016-17 में अंकित वैट कटौती	अन्तर	वर्ष 2016-17 में ग्रांट रजिस्टर तृतीय में वैट जमा की स्थिति	वर्ष 2016-17 में चालान के अनुसार वैट जमा की स्थिति	अन्तर	ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार 31.03.2017 को वैट का अंतिम अवशेष	अभ्युक्ति
रु0 400952.00	रु0 251044.00	रु0 244812.00	रु0 6232.00	रु0 629648.00	616770.00	12878.00	16116.00	चेक संख्या 000096 दिनांक 08.03.2017 से नगद आहरण धनराशि रु0 22537.00 में से रु0 12878.00 वैट जमा हेतु ग्रांट रजिस्टर तृतीय में अंकित किया गया

								परंतु क्षेत्र पंचायत कार्यालय द्वारा ऑडिट सम्पन्न किये जाने तक वैट शुल्क रु0 12878.00 जमा नहीं किया गया और बिना कोषबही में अंकित किये नगद धनराशि अनियमित रूप से रोके रखा गया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 में कराये गये कार्य हेतु भुगतान से वैट कटौती रु0 251044.00 के सापेक्ष ग्रांट रजिस्टर तृतीय में वैट कटौती रु0 244812.00 अंकित करके रु0 6232.00 का अपहरण कर लिया गया, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रु0 6232.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-37 (मू0अ0 भाग 2(ब)-31. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान आयकर की कटौती एवं जमा में गम्भीर विसंगति पायी गयी। जो निम्न प्रकार है-

ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार 01.04. 2016 को आयकर प्रा0 अवशेष	वर्ष 2016-17 में भुगतान के सापेक्ष आयकर कटौती	ग्रांट रजिस्टर तृतीय में वर्ष 2016-17 में अंकित आयकर कटौती	अन्तर	वर्ष 2016-17 में ग्रांट रजिस्टर तृतीय में आयकर जमा की स्थिति	वर्ष 2016-17 में चालान के अनुसार आयकर जमा की स्थिति	अन्तर	ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार 31.03. 2017 को आयकर का अंतिम अवशेष	अभ्युक्ति
00.00	रु0 125521.00	रु0 122207.00	रु0 3314.00	रु0 114149.00	107710.00	6439.00	8058.00	चेक संख्या 000096 दिनांक 08.03.2017 से नगद आहरण धनराशि रु0 22537.00 में से रु0 6439.00 आयकर जमा हेतु ग्रांट रजिस्टर तृतीय में अंकित किया गया परंतु क्षेत्र पंचायत कार्यालय द्वारा ऑडिट सम्पन्न किये जाने तक आयकर शुल्क रु0 6439.00 जमा नहीं किया गया और बिना कोषबही में अंकित किये नगद धनराशि अनियमित रूप से रोके रखा गया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 में कराये गये कार्य हेतु भुगतान से आयकर कटौती रु0 125521.00 के सापेक्ष ग्रांट रजिस्टर तृतीय में आयकर कटौती रु0 122207.00 अंकित करके रु0 3314.00 का अपहरण कर लिया गया, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रु0 3314.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-38 (मू0अ0 भाग 2(ब)-32. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान सेस की कटौती एवं जमा में गम्भीर विसंगति पायी गयी। जो निम्न प्रकार है-

ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार 31.03.2016 को सेस का अंतिम अवशेष	ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार 01.04.2016 को सेस का प्रा0 अवशेष	वर्ष 2016-17 में भुगतान के सापेक्ष सेस कटौती	ग्रांट रजिस्टर तृतीय में वर्ष 2016-17 में अंकित सेस कटौती	अन्तर	वर्ष 2016-17 में ग्रांट रजिस्टर तृतीय में सेस जमा की स्थिति	चालान वर्ष 2016-17 में चालान अनुसार सेस जमा की स्थिति	अन्तर	ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार 31.03.2017 को सेस का अंतिम अवशेष	अभ्युक्ति
100237.00	00.00	62752.00	377259.00	314507.00	219038.00	174495.00	44543.00	158221.00	

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 में कराये गये कार्य हेतु भुगतान से सेस कटौती रू0 62752.00 के सापेक्ष ग्रांट रजिस्टर तृतीय में सेस कटौती रू0 377259.00 अंकित करके रू0 314507.00 का क्षेत्र पंचायत को हानि पहुँचायी गयी। ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार वर्ष 2015-16 में दिनांक 31.03.2016 को अंतिम अवशेष सेस मद का रू0 100237.00 के सापेक्ष वर्ष 2016-17 का दिनांक 01.04.2016 को प्रारम्भिक अवशेष सेस मद का शून्य अंकित कर धन का अपहरण कर लिया गया। वर्ष 2016-17 में सेस मद से जमा धनराशि रू0 219038.00 से सम्बन्धित कोई पुष्टिपरक अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सेस मद से जमा धनराशि के स्वहित में खाता से ट्रांसफर कर दुरुपयोगित होने की पुष्टि होती है। धनराशि रू0 319275.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-39 (मू0अ0 भाग 2(ब)-33. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि मयाभीखी में दलपतपुर सम्पर्क मार्ग से अनिल से घर तक अवशेष सी0सी0 रोड कार्य पर रू0 910169.00 व्यय दर्शित है, जिसमें शुल्क/कर कटौती रू0 63712.00 एवं ठेकेदार को शुद्ध (नेट) भुगतान रू0 846457.00 है। जिस पर निम्नलिखित अपत्तियां हैं-

(क) 20 प्रतिशत नई ईंट हेतु प्राक्कलन में प्रस्तावित भुगतान - 29198.00

20 प्रतिशत नई ईंट हेतु एम0बी0 के आधार पर वास्तविक भुगतान - 32222.00

अंतर- 3034.00

अतः काल्पनिक प्राक्कलन के आधार पर रू0 3034.00 व्यय अनुमन्य नहीं है।

(ख) 20 एमएम अधिक प्लास्टर हेतु प्राक्कलन में प्रस्तावित भुगतान - 9273.00

20 एमएम अधिक प्लास्टर हेतु एम0बी0 के आधार पर वास्तविक भुगतान - 17388.00

अंतर- 8115.00

(ग) आर0सी0सी0 वर्क 1 : 2 : 4 (सीमेंट) हेतु प्राक्कलन में प्रस्तावित भुगतान - 389966.00

आर0सी0सी0 वर्क 1 : 2 : 4 (सीमेंट) हेतु एम0बी0 के आधार पर वास्तविक भुगतान - 419089.95

अंतर - 29123.00

(घ) सी0सी0 लेइंग (1 : 6 : 12) हेतु प्राक्कलन में प्रस्तावित - 171008.00

सी0सी0 लेइंग (1 : 6 : 12) हेतु एम0बी0 के आधार पर वास्तविक भुगतान - 183733.00

अंतर- 12725.00

इस प्रकार काल्पनिक प्राक्कलन के आधार पर रू0 52987.00 अनियमित अधिक भुगतान किया गया जो अनुमन्य नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त कार्य पत्रावलियों पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क) कार्यवाही रजिस्टर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सदस्य एवं समितियों के सदस्यों का हस्ताक्षर/अंगूठा नहीं था।

ख) वित्तीय स्वीकृत पर नम्बर, दिनांक एवं धनराशि अंकित नहीं है।

ग) प्रति टेण्डर विक्री शुल्क रू0 50.00 धनराशि को क्षेत्र पंचायत के किसी बैंक खाते में जमा नहीं किया गया।

घ) एम0बी0 बुक पर एम0बी0 पेज पर दिनांक, कार्य का नाम अंकित नहीं है।

ड0) धरोहर/जमानत धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली एवं पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।

च) अनुबन्ध के समय जमानत के रूप में एफ0डी0आर0 या राष्ट्रीय बचत पत्र अप्राप्त रहा।

छ) दो ग्राम पंचायतों के जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

ज) पत्रावली में साइनबोर्ड, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो से सम्बन्धित पुष्टिपरक अभिलेख अप्राप्त रहा।

झ) लेखा परीक्षा में कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष निविदाकर्ता से व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल अप्राप्त रहा परिणाम स्वरूप गुणतापूर्ण कार्य की तथा श्रमांस एवं सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रत्येक कार्य में सामग्री क्रय का व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी पर व्यय मस्टर रोल कार्य पत्रावली के साथ अनिवार्यतः व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु आवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजनाबद्ध रूप से अनियमित भुगतान रु० 846457.00, ठेकेदार श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री श्यामलाल निवासी भगवती नगर खोजनपुर फैजाबाद को किया गया है, जिसका उत्तरदायी श्री मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी रु० 423228.85 एवं श्रीरुद्र देव जे०इ० आर०इ०डी० से रु० 423228.85 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 (मू०अ० भाग 2(ब)-34. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ग्राम सभा बोधीपुर में नहर की पट्टी पर अमसिन रोड से बोधीपुर तक मिट्टी सोलिंग कार्य पर रु० 973359.00 व्यय दर्शित है। जिसमें शुल्क/कर कटौती रु० 68125.00 एवं ठेकेदार को शुद्ध (नेट) भुगतान रु० 905224.00 है। जिस पर निम्नलिखित अपत्तियां हैं—

(क) रेसिंग आफ रोड हेतु प्राक्कलन में प्रस्तावित भुगतान — 156046.00

रेसिंग आफ रोड हेतु एम०बी० के आधार पर वास्तविक भुगतान — 159237.00

अंतर— 3191.00

अतः काल्पनिक प्राक्कलन के आधार पर व्यय अनुमन्य नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त कार्य पत्रावलियों पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

क) कार्यवाही रजिस्टर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सदस्य एवं समितियों के सदस्यों का हस्ताक्षर/अंगूठा नहीं था।

ख) वित्तीय स्वीकृत पर नम्बर, दिनांक एवं धनराशि अंकित नहीं है।

ग) प्रति टेण्डर विक्री शुल्क रु० 50.00 धनराशि को क्षेत्र पंचायत के किसी बैंक खाते में जमा नहीं किया गया।

घ) एम०बी० बुक पर एम०बी० पेज पर दिनांक, कार्य का नाम अंकित नहीं है।

ड०) धरोहर/जमानत धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली एवं पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।

च) अनुबन्ध के समय जमानत के रूप में एफ०डी०आर० या राष्ट्रीय बचत पत्र अप्राप्त रहा।

छ) दो ग्राम पंचायतों के जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

ज) पत्रावली में साइनबोर्ड, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो से सम्बन्धित पुष्टिपरक अभिलेख अप्राप्त रहा।

झ) लेखा परीक्षा में कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष निविदाकर्ता से व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल अप्राप्त रहा परिणाम स्वरूप गुणतापूर्ण कार्य की तथा श्रमांस एवं सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रत्येक कार्य में सामग्री क्रय का व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी पर व्यय मस्टर रोल कार्य पत्रावली के साथ अनिवार्यतः व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु आवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजनाबद्ध रूप से अनियमित भुगतान रु० 905224.00, ठेकेदार श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री श्यामलाल निवासी भगवती नगर खोजनपुर फैजाबाद को किया गया है, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रु० 452612.00 एवं श्री रुद्र देव जे०इ० आर०इ०डी०से रु० 452612.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 (मू०अ० भाग 2(ब)-35. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ग्राम सभा अलनाभारी में रोशन नगर माइनर से बेरासपुर नाली की पुलिया तक मिट्टी सोलिंग कार्य पर रु० 956349.00 व्यय दर्शित है। जिसमें शुल्क/कर कटौती रु० 66944.00 एवं ठेकेदार अश्वनी कुमार पुत्र श्री श्यामलाल निवासी भगवती नगर खोजनपुर फैजाबाद को शुद्ध (नेट) भुगतान रु० 889405.00 है। जिस पर निम्नलिखित अपत्तियां हैं—

(क) रेसिंग आफ रोड हेतु प्राक्कलन में प्रस्तावित भुगतान — 211459.00

रेसिंग आफ रोड हेतु एम०बी० के आधार पर वास्तविक भुगतान —215424.00

अंतर— 3965.00

अतः काल्पनिक प्राक्कलन के आधार पर व्यय अनुमन्य नहीं है।

(ख) बी०ओ०ई० सोलिंग/खड़जा निर्माण हेतु प्राक्कलन में प्रस्तावित भुगतान —732600.00

बी०ओ०ई० सोलिंग/खड़जा निर्माण हेतु एम०बी० के आधार पर वास्तविक भुगतान —734376.00

अंतर—1776.00

अतः काल्पनिक प्राक्कलन के आधार पर व्यय अनुमन्य नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त कार्य पत्रावलियों पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

क) कार्यवाही रजिस्टर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सदस्य एवं समितियों के सदस्यों का हस्ताक्षर/अंगूठा नहीं था।

ख) वित्तीय स्वीकृत पर नम्बर, दिनांक एवं धनराशि अंकित नहीं है।

ग) प्रति टेण्डर विक्री शुल्क रु० 50.00 धनराशि को क्षेत्र पंचायत के किसी बैंक खाते में जमा नहीं किया गया।

घ) एम०बी० बुक पर एम०बी० पेज पर दिनांक, कार्य का नाम अंकित नहीं है।

ड0) धरोहर/जमानत धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली एवं पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।

च) अनुबन्ध के समय जमानत के रूप में एफ0डी0आर0 या राष्ट्रीय बचत पत्र अप्राप्त रहा।

छ) दो ग्राम पंचायतों के जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

ज) पत्रावली में साइनबोर्ड, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो से सम्बन्धित पुष्टिपरक अभिलेख अप्राप्त रहा।

झ) लेखा परीक्षा में कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष निविदाकर्ता से व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल अप्राप्त रहा परिणाम स्वरूप गुणतापूर्ण कार्य की तथा श्रमांस एवं सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रत्येक कार्य में सामग्री क्रय का व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी पर व्यय मस्टर रोल कार्य पत्रावली के साथ अनिवार्यतः व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु आवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजनाबद्ध रूप से अनियमित भुगतान रु0 889405.00, ठेकेदार श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री श्यामलाल निवासी भगवती नगर खोजनपुर फैजाबाद को किया गया है, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रु0 444702.5 एवं श्री रुद्र देव जे0इ0 आर0इ0डी0 रु0 444702.5 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 (मू0अ0 भाग 2(ब)-36. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ग्राम सभा मया भीखीके करुणेश सिंह के घर से श्रवण सिंह के घर होकर उस्मान अली के घर तक सी0सी0 रोड कार्य पर रु0 851641.00 व्यय दर्शित है। जिसमें शुल्क/कर कटौती रु0 59615.00 एवं ठेकेदार अश्वनी कुमार पुत्र श्री श्यामलाल निवासी भगवती नगर खोजनपुर फैजाबाद को शुद्ध (नेट) भुगतान रु0 792026.00 है। जिस पर निम्नलिखित अपत्तियां हैं-

(क) 20 प्रतिशत न्यू ब्रिक क्रय हेतु प्राक्कलन में प्रस्तावित भुगतान -रु0 27937.00

रेसिंग आफ रोड हेतु एम0बी0 के आधार पर वास्तविक भुगतान -रु0 45200.00

अंतर-रु0 17263.00

अतः काल्पनिक प्राक्कलन के आधार पर व्यय अनुमन्य नहीं है।

(ख) अर्थ वर्क हेतु प्राक्कलन में प्रस्तावित भुगतान -रु0 1682.00

अर्थ वर्क हेत एम0बी0के आधार पर वास्तविक भुगतान -रु0 6622.00

अंतर-रु0 4940.00

अतः काल्पनिक प्राक्कलन के आधार पर व्यय अनुमन्य नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त कार्य पत्रावलियों पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क) कार्यवाही रजिस्टर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सदस्य एवं समितियों के सदस्यों का हस्ताक्षर/अंगूठा नहीं था।

ख) वित्तीय स्वीकृत पर नम्बर, दिनांक एवं धनराशि अंकित नहीं है।

ग) प्रति टेण्डर विक्री शुल्क रु0 50.00 धनराशि को क्षेत्र पंचायत के किसी बैंक खाते में जमा नहीं किया गया।

घ) एम0बी0 बुक पर एम0बी0 पेज पर दिनांक, कार्य का नाम अंकित नहीं है।

ड0) धरोहर/जमानत धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली एवं पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।

च) अनुबन्ध के समय जमानत के रूप में एफ0डी0आर0 या राष्ट्रीय बचत पत्र अप्राप्त रहा।

छ) दो ग्राम पंचायतों के जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

ज) पत्रावली में साइनबोर्ड, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो से सम्बन्धित पुष्टिपरक अभिलेख अप्राप्त रहा।

झ) लेखा परीक्षा में कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष निविदाकर्ता से व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल अप्राप्त रहा परिणाम स्वरूप गुणतापूर्ण कार्य की तथा श्रमांस एवं सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रत्येक कार्य में सामग्री क्रय का व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी पर व्यय मस्टर रोल कार्य पत्रावली के साथ अनिवार्यतः व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु आवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजनाबद्ध रूप से अनियमित भुगतान रु0 792026.00, ठेकेदार श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री श्यामलाल निवासी भगवती नगर खोजनपुर फैजाबाद को किया गया है, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रु0 396013.00 एवं श्री रुद्र देव जे0इ0 आर0इ0डी0 रु0 396013.00 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 (मू0अ0 भाग 2(ब)-37. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ग्राम सभा अंकारीपुर में राजबहादुर के घर से अनिल सिंह के घर होते हुए रमाशंकर सिंह के बाग तक मिट्टी सोलिंग पुलिया निर्माण कार्य पर रु0 299857.00 व्यय दर्शित है। जिसमें शुल्क/कर कटौती रु0 20990.00 एवं ठेकेदार मेस0 जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम नंदीग्राम भरतकुण्ड फैजाबाद को शुद्ध (नेट) भुगतान रु0 278867.00 है। जिस पर निम्नलिखित अपत्तियां हैं-

(क) अर्थ वर्क हेतु प्राक्कलन में प्रस्तावित भुगतान - रु0 67643.00

अर्थ वर्क हेत एम0बी0 के आधार पर वास्तविक भुगतान - रु0 68778.00

अंतर- रु0 1135.00

अतः काल्पनिक प्राक्कलन के आधार पर व्यय अनुमन्य नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त कार्य पत्रावलियों पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

- क) कार्यवाही रजिस्टर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सदस्य एवं समितियों के सदस्यों का हस्ताक्षर/अंगूठा नहीं था।
ख) वित्तीय स्वीकृत पर नम्बर, दिनांक एवं धनराशि अंकित नहीं है।
ग) प्रति टेण्डर विक्री शुल्क रु0 50.00 धनराशि को क्षेत्र पंचायत के किसी बैंक खाते में जमा नहीं किया गया।
घ) एम0बी0 बुक पर एम0बी0 पेज पर दिनांक, कार्य का नाम अंकित नहीं है।
ड0) धरोहर/जमानत धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली एवं पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।
च) अनुबन्ध के समय जमानत के रूप में एफ0डी0आर0 या राष्ट्रीय बचत पत्र अप्राप्त रहा।
छ) दो ग्राम पंचायतों के जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

ज) पत्रावली में साइनबोर्ड, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो से सम्बन्धित पुष्टिपरक अभिलेख अप्राप्त रहा।

झ) लेखा परीक्षा में कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष निविदाकर्ता से व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल अप्राप्त रहा परिणाम स्वरूप गुणतापूर्ण कार्य की तथा श्रमांस एवं सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रत्येक कार्य में सामग्री क्रय का व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी पर व्यय मस्टर रोल कार्य पत्रावली के साथ अनिवार्यतः व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु आवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजनाबद्ध रूप से अनियमित भुगतान रु0 278867.00, ठेकेदार मेस0 जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम नंदीग्राम भरतकुण्ड फैजाबाद को किया गया है, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रु0 139433.5 एवं श्री रुद्र देव जे0इ0 आर0इ0डी0 रु0 139433.5 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 (मू0अ0 भाग 2(ब))-38 क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ग्राम सभा शेरवाघाट में डॉ0 उमाशंकर के घर से शेरवाघाट तक मिट्टी सोलिंग कार्य पर रु0 919662.00 व्यय दर्शित है। जिसमें शुल्क/कर कटौती रु0 64376.00 एवं ठेकेदार मेस0 एहरार खां मकान नं0-22 बसंत हाता फैजाबाद को शुद्ध (नेट) भुगतान रु0 855286.00 है। जिस पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

(क) बी0ओ0ई0 सोलिंग निर्माण हेतु प्राक्कलन में प्रस्तावित भुगतान —	रु0 263736.00
बी0ओ0ई0 सोलिंग निर्माण हेतु एम0बी0 के आधार पर वास्तवित भुगतान —	रु0 329670.00
अंतर—	रु0 65934.00

अतः काल्पनिक प्राक्कलन के आधार पर व्यय अनुमन्य नहीं है।

(ख) दोनों तरफ पटरी निर्माण हेतु प्राक्कलन में प्रस्तावित भुगतान —	रु0 4482.00
दोनों तरफ पटरी निर्माण हेतु एम0बी0 के आधार पर वास्तवित भुगतान —	रु0 4930.00
अंतर—	रु0 448.00

अतः काल्पनिक प्राक्कलन के आधार पर व्यय अनुमन्य नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त कार्य पत्रावलियों पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

- क) कार्यवाही रजिस्टर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सदस्य एवं समितियों के सदस्यों का हस्ताक्षर/अंगूठा नहीं था।
ख) वित्तीय स्वीकृत पर नम्बर, दिनांक एवं धनराशि अंकित नहीं है।
ग) प्रति टेण्डर विक्री शुल्क रु0 50.00 धनराशि को क्षेत्र पंचायत के किसी बैंक खाते में जमा नहीं किया गया।
घ) एम0बी0 बुक पर एम0बी0 पेज पर दिनांक, कार्य का नाम अंकित नहीं है।
ड0) धरोहर/जमानत धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली एवं पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।
च) अनुबन्ध के समय जमानत के रूप में एफ0डी0आर0 या राष्ट्रीय बचत पत्र अप्राप्त रहा।
छ) दो ग्राम पंचायतों के जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

ज) पत्रावली में साइनबोर्ड, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो से सम्बन्धित पुष्टिपरक अभिलेख अप्राप्त रहा।

झ) लेखा परीक्षा में कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष निविदाकर्ता से व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल अप्राप्त रहा परिणाम स्वरूप गुणतापूर्ण कार्य की तथा श्रमांस एवं सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रत्येक कार्य में सामग्री क्रय का व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी पर व्यय मस्टर रोल कार्य पत्रावली के साथ अनिवार्यतः व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु आवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजनाबद्ध रूप से अनियमित भुगतान रु0 855286.00, ठेकेदार मेस0 एहरार खां मकान नं0-22 बसंत हाता फैजाबाद को किया गया है, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रु0 427643.00 एवं श्री रुद्र देव जे0इ0 आर0इ0डी0 रु0 427643.00 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-45 (मू0अ0 भाग 2(ब))-39 क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ग्राम सभा भिटौरा में घेरवा से गोदमवा तक मिट्टी सोलिंग कार्य पर रु0 402901.00 व्यय दर्शित है, जिसमें शुल्क/कर कटौती रु0 28203.00 एवं ठेकेदार मेस0 जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम नंदीग्राम भरतकुण्ड फैजाबाद को शुद्ध (नेट) भुगतान रु0 374698.00 है। जिस पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

(क) रेसिंग ऑफ रोड निर्माण हेतु प्राक्कलन में प्रस्तावित भुगतान —	रु0 187916.00

अतः काल्पनिक प्राक्कलन के आधार पर व्यय अनुमन्य नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त कार्य पत्रावलियों पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

क) कार्यवाही रजिस्टर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सदस्य एवं समितियों के सदस्यों का हस्ताक्षर/अगूठा नहीं था।

ख) वित्तीय स्वीकृत पर नम्बर, दिनांक एवं धनराशि अंकित नहीं है।

ग) प्रति टेण्डर विक्री शुल्क रू0 50.00 धनराशि को क्षेत्र पंचायत के किसी बैंक खाते में जमा नहीं किया गया।

घ) एम0बी0 बुक पर एम0बी0 पेज पर दिनांक, कार्य का नाम अंकित नहीं है।

ड0) धरोहर/जमानत धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली एवं पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।

च) अनुबन्ध के समय जमानत के रूप में एफ0डी0आर0 या राष्ट्रीय बचत पत्र अप्राप्त रहा।

छ) दो ग्राम पंचायतों के जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

ज) पत्रावली में साइनबोर्ड, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो से सम्बन्धित पुष्टिपरक अभिलेख अप्राप्त रहा।

झ) लेखा परीक्षा में कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष निविदाकर्ता से व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल अप्राप्त रहा परिणाम स्वरूप गुणतापूर्ण कार्य की तथा श्रमांस एवं सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रत्येक कार्य में सामग्री क्रय का व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी पर व्यय मस्टर रोल कार्य पत्रावली के साथ अनिवार्यतः व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु आवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजनाबद्ध रूप से अनियमित भुगतान रू0 374698.00, ठेकेदार मेस0 जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम नंदीग्राम भरतकुण्ड फैजाबाद को किया गया है, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रू0 187349.00 एवं श्री रुद्र देव जे0इ0 आर0इ0डी0 रू0 187349.00 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 (मू0अ0 भाग 2(ब)-40. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि क्षेत्र पंचायत मया बाजार के कार्यालय का मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य पर रू0 57689.00 व्यय दर्शित है, जिसमें शुल्क/कर कटौती रू0 4039.00 एवं ठेकेदार मेस0 जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम नंदीग्राम भरतकुण्ड फैजाबाद को शुद्ध (नेट) भुगतान रू0 53650.00 है। जिस पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

उक्तकार्य की पत्रावलियों पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

क) कार्यवाही रजिस्टर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सदस्य एवं समितियों के सदस्यों का हस्ताक्षर/अगूठा नहीं था।

ख) वित्तीय स्वीकृत पर नम्बर, दिनांक एवं धनराशि अंकित नहीं है।

ग) प्रति टेण्डर विक्री शुल्क रू0 50.00 धनराशि को क्षेत्र पंचायत के किसी बैंक खाते में जमा नहीं किया गया।

घ) एम0बी0 बुक पर एम0बी0 पेज पर दिनांक, कार्य का नाम अंकित नहीं है।

ड0) धरोहर/जमानत धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली एवं पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।

च) अनुबन्ध के समय जमानत के रूप में एफ0डी0आर0 या राष्ट्रीय बचत पत्र अप्राप्त रहा।

छ) दो ग्राम पंचायतों के जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

ज) पत्रावली में साइनबोर्ड, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो से सम्बन्धित पुष्टिपरक अभिलेख अप्राप्त रहा।

झ) लेखा परीक्षा में कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष निविदाकर्ता से व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल अप्राप्त रहा परिणाम स्वरूप गुणतापूर्ण कार्य की तथा श्रमांस एवं सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रत्येक कार्य में सामग्री क्रय का व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी पर व्यय मस्टर रोल कार्य पत्रावली के साथ अनिवार्यतः व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु आवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजनाबद्ध रूप से अनियमित भुगतान रू0 53650.00, ठेकेदार मेस0 जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम नंदीग्राम भरतकुण्ड फैजाबाद को किया गया है, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रू0 26825.00 एवं श्री रुद्र देव जे0इ0 आर0इ0डी0 रू0 26825.00 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-47 (मू0अ0 भाग 2(ब)-41. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि क्षेत्र पंचायत मया बाजार मेंस्थित सामुदायिक केन्द्र का विद्युतीकरण कार्य पर रू0 62984.00 व्यय दर्शित है, जिसमें शुल्क/कर कटौती रू0 4410.00 एवं ठेकेदार मेस0 जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम नंदीग्राम भरतकुण्ड फैजाबाद को शुद्ध (नेट) भुगतान रू0 58574.00 है। जिस पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

उक्त कार्य की पत्रावलियों पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

क) कार्यवाही रजिस्टर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सदस्य एवं समितियों के सदस्यों का हस्ताक्षर/अगूठा नहीं था।

घ) एम0बी0 बुक पर एम0बी0 पेज पर दिनांक, कार्य का नाम अंकित नहीं है।

ड0) धरोहर/जमानत धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली एवं पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।

किया गया।

घ) एम0बी0 बुक पर एम0बी0 पेज दिनांक अंकित नहीं है।

ड0) धरोहर/जमानत धनराशि के सम्बन्धि पत्रावली एवं पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।

च) अनुबन्ध के समय जमानत के रूप में एफ0डी0आर0 या राष्ट्रीय बचत पत्र अप्राप्त रहा।

छ) दो ग्राम पंचायतों के जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

ज) पत्रावली में साइनबोर्ड, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो से सम्बन्धित पुष्टिपरक अभिलेख अप्राप्त रहा।

झ) लेखा परीक्षा में कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष निविदाकर्ता से व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल अप्राप्त रहा परिणाम स्वरूप गुणतापूर्ण कार्य की तथा श्रमांस एवं सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रत्येक कार्य में सामग्री क्रय का व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी पर व्यय मस्टर रोल कार्य पत्रावली के साथ अनिवार्यतः व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु आवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजनाबद्ध रूप से अनियमित भुगतान रु0 58574.00, ठेकेदार मेस0 जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम नंदीग्राम भरतकुण्ड फैजाबाद को किया गया है, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रु0 29287.00 एवं श्री रुद्र देव जे0इ0 आर0इ0डी0 रु0 29287.00 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 (मू0अ0 भाग 2(ब)-42. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि क्षेत्र पंचायत मया बाजार में स्थित चबूतरा निर्माण व मुख्य गेट की दीवार व मुख्य गेट की रंगाई पुताई कार्य पर रु0 75854.00 व्यय दर्शित है, जिसमें शुल्क/कर कटौती रु0 5310.00 एवं ठेकेदार मेस0 जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम नंदीग्राम भरतकुण्ड फैजाबाद को शुद्ध (नेट) भुगतान रु0 70544.00 है। जिस पर निम्नलिखित अपत्तियां हैं—

उक्त कार्य की पत्रावलियों पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

क) कार्यवाही रजिस्टर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सदस्य एवं समितियों के सदस्यों का हस्ताक्षर/अंगूठा नहीं था।

घ) एम0बी0 बुक पर एम0बी0 पेज पर दिनांक, कार्य का नाम अंकित नहीं है।

ड0) धरोहर/जमानत धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली एवं पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।

किया गया।

घ) एम0बी0 बुक पर एम0बी0 पेज दिनांक अंकित नहीं है।

ड0) धरोहर/जमानत धनराशि के सम्बन्धित पत्रावली एवं पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।

च) अनुबन्ध के समय जमानत के रूप में एफ0डी0आर0 या राष्ट्रीय बचत पत्र अप्राप्त रहा।

छ) दो ग्राम पंचायतों के जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

ज) पत्रावली में साइनबोर्ड, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो से सम्बन्धित पुष्टिपरक अभिलेख अप्राप्त रहा।

झ) लेखा परीक्षा में कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष निविदाकर्ता से व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल अप्राप्त रहा परिणाम स्वरूप गुणतापूर्ण कार्य की तथा श्रमांस एवं सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रत्येक कार्य में सामग्री क्रय का व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी पर व्यय मस्टर रोल कार्य पत्रावली के साथ अनिवार्यतः व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु आवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजनाबद्ध रूप से अनियमित भुगतान रु0 70544.00, ठेकेदार मेस0 जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम नंदीग्राम भरतकुण्ड फैजाबाद को किया गया है, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रु0 35272.00 एवं श्री रुद्र देव जे0इ0 आर0इ0डी0 रु0 35272.00 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-49(मू0अ0 भाग 2(ब)-43. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि क्षेत्र पंचायत मया बाजार में खण्ड विकास अधिकारी महोदय के आवास का पुनः विद्युतीकरण कार्य पर रु0 46778.00 व्यय दर्शित है, जिसमें शुल्क/कर कटौती रु0 3276.00 एवं ठेकेदार मेस0 जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम नंदीग्राम भरतकुण्ड फैजाबाद को शुद्ध (नेट) भुगतान रु0 43502.00 है। जिस पर निम्नलिखित अपत्तियां हैं—

उक्त कार्य की पत्रावलियों पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

क) कार्यवाही रजिस्टर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सदस्य एवं समितियों के सदस्यों का हस्ताक्षर/अंगूठा नहीं था।

ख) वित्तीय स्वीकृत पर नम्बर, दिनांक एवं धनराशि अंकित नहीं है।

ग) प्रति टेण्डर विक्री शुल्क रु0 50.00 धनराशि को क्षेत्र पंचायत के किसी बैंक खाते में जमा नहीं किया गया।

घ) एम0बी0 बुक पर एम0बी0 पेज पर दिनांक, कार्य का नाम अंकित नहीं है।

ड0) धरोहर/जमानत धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली एवं पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है।

च) अनुबन्ध के समय जमानत के रूप में एफ0डी0आर0 या राष्ट्रीय बचत पत्र अप्राप्त रहा।

छ) दो ग्राम पंचायतों के जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

ज) पत्रावली में साइनबोर्ड, कार्य का त्रिस्तरीय फोटो से सम्बन्धित पुष्टिपरक अभिलेख अप्राप्त रहा।

झ) लेखा परीक्षा में कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष निविदाकर्ता से व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल अप्राप्त रहा परिणाम स्वरूप गुणतापूर्ण कार्य की तथा श्रमांस एवं सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रत्येक कार्य में सामग्री क्रय का व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी पर व्यय मस्टर रोल कार्य पत्रावली के साथ अनिवार्यतः व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु आवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजनाबद्ध रूप से अनियमित भुगतान रु0 43502.00, ठेकेदार मेस0 जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय ग्राम नंदीग्राम भरतकुण्ड फैजाबाद को किया

गया है, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रु0 21751.00 एवं श्री रुद्र देव जे0इ0 आर0इ0डी0 रु0 21751.00 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-50 (मू0अ0 भाग 2(ब)-44. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मनरेगा कंटीजेंसी एवं अन्य मदों से ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में दर्शित विभिन्न कार्य हेतु सामग्री क्रय, मरम्मत एवं मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0	भुगतान प्राप्तकर्ता व्यक्ति का नाम	मद का नाम	चेक संख्या एवं तिथि	भुगतान की गयी धनराशि रुपये में	व्यय प्रमाणक एवं अन्य पुष्टिपरक अभिलेखों की स्थिति
1.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	जनरेटर मरम्मत	000138 / 10.06.16	4740.00	व्यय प्रमाणक एवं अन्य पुष्टिपरक अभिलेख विहीन
2.	श्री रामतोष शर्मा	दो स्टोर बाक्स	000140 / 10.05.16	6486.00	"
3.	श्री संतोष मौर्या	गाड़ी की बैटरी	000147 / 08.07.16	6400.00	"
4.	श्री संदीप कुमार यादव	कार्टेज एचपी	000149 / 20.07.16	2370.00	"
5.	पी0के0 टेडर्स पंतनगर गोण्डा	फोटो स्टेट मशीन की मरम्मत	000151 / 21.07.16	11850.00	"
6.	पी0के0 टेडर्स पंतनगर गोण्डा	कार्टेज	000152 / 21.07.16	11250.00	"
7.	पी0के0 टेडर्स पंतनगर गोण्डा	स्टपलाइजर	000153 / 22.07.16	5650.00	"
8.	पी0के0 टेडर्स पंतनगर गोण्डा	प्रिंटर टोनर 3	000154 / 23.07.16	7500.00	"
9.	पी0के0 टेडर्स पंतनगर गोण्डा	यूपीएस बैटरी 6	000161 / 01.08.16	7350.00	"
10.	पी0के0 टेडर्स पंतनगर गोण्डा	एचपी प्रिंटर टोनर एवं मरम्मत	000162 / 01.08.16	5525.00	"
11.	पी0के0 टेडर्स पंतनगर गोण्डा	दो स्टेपलाइजर	000163 / 01.08.16	15600.00	"
12.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	आई0पी0यू0 मरम्मत	000164 / 01.08.16	10565.00	"
13.	रामा बैटरी सर्विस नहरबाग फैजाबाद	इनवर्टर बैट्री 2	000169 / 09.08.16	40135.00	"
14.	पी0के0 टेडर्स पंतनगर गोण्डा	सीपीयू मरम्मत	000171 / 22.08.16	10180.00	"
15.	श्री सुरेश विश्वकर्मा रमन पट्टी	वी0डी0ओ0 आवास हेतु	000173 / 22.08.16	16274.00	"
16.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	जनरेटर मरम्मत	000174 / 22.08.16	1370.00	"
17.	रामा बैटरी सर्विस नहरबाग फैजाबाद	इनवर्टर बैट्री 2	000175 / 27.08.16	40135.00	"
18.	श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा	ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में मद का उल्लेख नहीं	000176 / 02.09.16	8766.00	"
19.	श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा	पीओएल	000177 / 02.09.16	6428.00	"
20.	घनश्याम एसोसिएट ख्वासपुरा फैजाबाद	परिसम्पत्ति रजिस्टर	000178 / 15.09.16	10790.00	"
21.	श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा	पी0ओ0एल0	000180 / 23.09.16	9144.00	"
22.	श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा	कार्यालय व्यय	000181 / 13.10.16	16984.00	"
23.	पी0के0 टेडर्स पंतनगर गोण्डा	कार्टेज	000183 / 19.10.16	4520.00	"

24.	मे0 साकेत स्टेशनरी मार्ट चौक फैजाबाद	स्टेशनरी क्रय	000184 / 19.10.16	17328.00	..
25.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यालय व्यय	000185 / 19.10.16	6725.00	..
26.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	पीओएल जनरेटर	000216 / 26.12.16	14000.00	..
27.	श्री पवन कुमार गुप्ता	टेंट फर्नीचर	000220 / 19.01.17	1000.00	..
28.	पी0के0 टेडर्स पंतनगर गोण्डा	कार्टेज	000221 / 01.02.17	6150.00	..
29.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यालय व्यय	000222 / 01.02.17	10700.00	..
30.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यालय व्यय	000223 / 08.02.17	6640.00	..
31.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	केबिल एवं कुर्सी	000227 / 09.03.17	5000.00	..
		कुल योग		327555.00	

उपर्युक्त विवरण के अनुसार उक्त व्यय से सम्बन्धित लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक एवं अन्य पुष्टिपरक अभिलेख प्रस्तुत न करके धन के अपहरण करने की पुष्टि होती है, जिसका उत्तरदायी श्री सरयू प्रसाद सिंह खण्ड विकास अधिकारी से रु0 8419.5, श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रु0 237246.75 एवं श्री विजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार/पटल प्रभारी रु0 81888.75 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-51(मू0अ0 भाग 2(ब)-45. क्षेत्र पंचायत मयाबाजार वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मनरेगा कंटीजेंसी एवं अन्य मदों से ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में दर्शित विभिन्न मदों हेतु डीजल क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0	भुगतान प्राप्तकर्ता व्यक्ति का नाम	मद का नाम	चेक संख्या एवं तिथि	भुगतान की गयी धनराशि (रूपये) में	व्यय प्रमाणक एवं अन्य पुष्टिपरक अभिलेखों की स्थिति
1.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	डीजल क्रय	000141 / 18.05.16	10000.00	व्यय प्रमाणक एवं अन्य पुष्टिपरक अभिलेख विहीन
2.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	डीजल क्रय	000142 / 15.06.16	10000.00	..
3.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	डीजल क्रय	000146 / 04.07.16	11400.00	..
4.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	डीजल क्रय	000148 / 18.07.16	11400.00	..
5.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	डीजल क्रय	000155 / 01.08.16	11000.00	..
6.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	डीजल क्रय	000213 / 03.12.16	10000.00	..
7.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	डीजल क्रय	000216 / 26.12.16	14000.00	..
8.	श्री के0पी0 सिंह	डीजल क्रय	000224 / 19.02.17	10000.00	
		कुल योग		87800.00	

उपर्युक्त विवरण के अनुसार उक्त व्यय से सम्बन्धित लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक एवं अन्य पुष्टिपरक अभिलेख प्रस्तुत न करके धन के अपहरण करने की पुष्टि होती है, जिसका उत्तरदायी श्री पीयूष मोहन श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से रु0 65850.00 एवं श्री विजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार/पटल प्रभारी से रु0 21950.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

4- क्षेत्र पंचायत अमानीगंज-2016-17

प्रस्तर-52 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016-17 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना अंतर्गत विकास खंड परिसर में स्थित ब्लाक प्रमुख कक्ष का मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराया जाना दर्शित है। दर्शित

कार्य पर चेक संख्या 000233 दिनांक 27/01/2017 को रुपया 208863.00 नवजीवन इंटर प्राइजेज को भुगतान किया गया है ।

दिखाये गए व्यय पर निम्न लिखित आपत्तियां हैं ।

(क) मापन पुस्तिका (एमबी) अवलोकन में यह तथ्य पाया गया कि सीमेंट , मोरंग, बालू एवं टाइल्स क्रय पर कुल रुपया 97778/- व्यय किया गया है परंतु उपरोक्त सामग्री के सापेक्ष मजदूरी व्यय शून्य है । कार्य प्रभारी श्री प्रेमनाथ सिंह द्वारा कुशल एवं अकुशल मजदूरों से संबंधित कोई मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(ख) मजदूरी भुगतान हेतु पी. डबल्यू . डी. के ओवर आल दर का भी प्रयोग नहीं किया गया है

(ग) मजदूरी भुगतान हेतु कार्य प्रभारी श्री प्रेमनाथ सिंह द्वारा किसी अग्रिम भुगतान कि भी डिमाण्ड नहीं किया गया है ,और न ही मस्टर रोल जारी कराया गया है ।

(घ) सामग्री आपूर्ति हेतु विकास इंटर प्राइजेज , हरिओम ट्रेडर्स ,नवजीवन इंटर प्राइजेज द्वारा भरे गए तीनों टेंडर फार्म समान हस्तलेखन में पाये गए । अतः स्पष्ट है कि टेण्डर फार्म फर्जी तैयार कराये गए हैं ।

(ङ.) निविदा दाता फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र ,धरोहर/जमानत धनराशि की रशीद भी पत्रावली में नहीं पाया गया । अतः सामग्री क्रय हेतु सरकारी क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है ।

(च) सीमेंट,मोरंग ,बालू में सीमेंट कुछ दिनों में ही खराब हो जाती है और इसका उपभोग कुशल अकुशल मजदूरों द्वारा ही किया जा सकता था । परंतु दर्शित कार्य पर मापन पुस्तिका में वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में मजदूरी भुगतान शून्य है । जबकि सामग्री आपूर्ति का भुगतान 27/01/2017 को ही कर दिया गया है । अतः इससे सिद्ध हो जाता है कि सामग्री आपूर्ति की काल्पनिक एम0 बी0 करके फर्जी भुगतान प्राप्त कर लिया गया है ।

(छ) कराये गए कार्य की फोटोग्राफी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः उपरोक्त कार्य पर सामग्री क्रय हेतु काल्पनिक भुगतान रु0 97778/- को अपहरण आकलित किया जाता है । इसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रेमनाथ सिंह (कार्य प्रभारी), श्री संतराम यादव जेई (आरईडी), श्री अबू बकर खाँ (बी0 डी0 ओ0), श्री सैयद मोहम्मद मेहदी (लेखाकार) श्री राम प्रताप यादव (ब्लाक प्रमुख)से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर-53 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016-17 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना अंतर्गत विकास खंड परिसर में स्थित आवासीय भवनो की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य कराया जाना दर्शित है ,जिसकी प्राक्लन धनराशि रुपया 7.71 है। दर्शित कार्य पर विभिन्न चेको द्वारा विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय पर व्यय दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	व्यय धनराशि	फर्म का नाम
1	27/01/2017	000231	112521/-	खिड़की ,डिस्टेम्पर,दरवाजा,पेंट,स्टील,दरवाजा,स्टील इंडोर लैटररीन सीट आपूर्ति हेतु नवजीवन इंटर प्राइजेज को भुगतान ।
2	27/01/2017	000230	141846/-	सीमेंट, मोरंग ,गिट्टी ,बालू आपूर्ति हेतु आदित्यट्रेडर्स को भुगतान ।
3	27/01/2017	000232	72333/-	ईट आपूर्ति हेतु जनता ब्रिक फील्ड को भुगतान ।

योग 326700/-

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क)कार्य की कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(ख)पूर्व में स्वीकृत लागत 6.09 को कटिंग करके 7.71 लाख में संशोधित कर दिया गया । किए गए संशोधन को प्रमाणित भी नहीं किया गया है ।

(ग) स्वीकृत प्राक्लन में व्यय भुगतान पी. डबल्यू . डी. के ओवर आल दर के आधार पर किया गया था । परंतु कार्य प्रभारी प्रेमनाथ सिंह द्वारा फर्मों से सामग्री आपूर्ति करके मात्र सामग्री का अलग से भुगतान कर दिया गया ।

(घ) खिड़की ,डिस्टेम्पर,दरवाजा,पेंट,स्टील,दरवाजा,स्टील इंडोर लैटररीन सीट आपूर्ति हेतु नवजीवन इंटर प्राइजेज को ,हरिओम ट्रेडर्स ,विकास इंटर प्राइजेज द्वारा टेण्डर भरा गया । परंतु किसी भी निविदा दाता फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र ,धरोहर/जमानत धनराशि की रशीद पत्रावली में नहीं पाया गया । अतः सामग्री क्रय हेतु सरकारी क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है ।

(ङ) सीमेंट, मोरंग ,गिट्टी ,बालू आपूर्ति हेतु आदित्यट्रेडर्स ,राज ट्रेडर्स ,यादव सीमेंट एजेंसी द्वारा निविदा भरा गया परंतु समस्त निविदा फार्म समान हस्तलेखन में पाये गए । निविदा दाता फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र ,धरोहर/जमानत धनराशि की रशीद पत्रावली में नहीं पाया गया । अतः सामग्री क्रय हेतु सरकारी क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है ।

(च) ईट आपूर्ति हेतु निविदा फार्म जनता ब्रिक फील्ड देवगाव, किसान ब्रिक फील्ड ,धमेन्द्र ईट भट्टा चौबेपुर रसूलपुर लिलहा द्वारा भरा गया परंतु समस्त निविदा फार्म समान हस्तलेखन में पाये गए । निविदा दाता फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र ,धरोहर/जमानत धनराशि की रशीद पत्रावली में नहीं पाया गया । अतः सामग्री क्रय हेतु सरकारी क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है ।

(छ) निर्माण कार्य में लगे कुशल /अकुशल मजदूरों के मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष के अंत तक कार्य प्रभारी श्री प्रेमनाथ सिंह द्वारा न तो अग्रिम भुगतान हेतु कोई डिमांड किया गया, न ही मस्टर रोल जारी कराया गया।

(ज) कराये गए कार्य की फोटोग्राफी, कार्यपूर्तिप्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(झ) सीमेंट, मोरंग, बालू में सीमेंट कुछ दिनों में ही खराब हो जाती है और इसका उपभोग कुशल अकुशल मजदूरों द्वारा ही किया जा सकता था। परंतु दर्शित कार्य पर मापन पुस्तिका में वित्तीय वर्ष 2016-17 में मजदूरी भुगतान शून्य है। जबकि सामाग्री आपूर्ति का भुगतान 27/01/2017 को ही कर दिया गया है। अतः इससे सिद्ध हो जाता है कि सामाग्री आपूर्ति की काल्पनिक एम. बी. करके फर्जी भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

(ट) सामाग्री आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान एवं स्टॉक पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त कार्य पर रु.326700/—के अनियमित एवं प्रमाणक विहीन भुगतान को अपहरण आकलित किया जाता है। इसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रेमनाथ सिंह (कार्य प्रभारी), श्री संतराम यादव जेई (आरईडी), श्री अबू बकर खाँ (बी0 डी0 ओ0), श्री सैयद मोहम्मद मेहदी (लेखाकार) श्री राम प्रताप यादव (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 03)

प्रस्तर-54 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016-17 विकास खण्ड कार्यालय भवन की मरम्मत कार्य एवं फर्नीचर, रंगाई पोताई कार्य कराया गया है।

दर्शित कार्य पर विभिन्न चेको द्वारा विभिन्न तिथियों में सामाग्री क्रय पर व्यय दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है—

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	व्यय धनराशि	फर्म का नाम
1	27/01/2017	000236	93968/—	टाइल्स, गिट्टी डिस्टेंपर, व्हाइट सीमेंट, वाटर कूलर आपूर्ति हेतु नवजीवन इंटर प्राइजेज को भुगतान।
2	27/01/2017	000235	40766/—	सीमेंट, मोरंग, बालू आपूर्ति हेतु आदित्य ट्रेडर्स नागीपुर खंडासा को भुगतान।
3	27/01/2017	000234	42175/—	ईट गिट्टी, ईट आपूर्ति हेतु जनता ब्रिक फील्ड देवगाव को भुगतान।

योग 176909 /—

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं —

(क) कार्य की कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) टाइल्स, गिट्टी डिस्टेंपर, व्हाइट सीमेंट, वाटर कूलर आपूर्ति हेतु नवजीवन इंटर प्राइजेज सहित तीनों फर्मों द्वारा टेंडर भरा गया, परंतु किसी भी निविदा दाता फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी वैधता प्रमाणपत्र, धरोहर/जमानत धनराशि की रशीद पत्रावली में नहीं पाया गया। अतः सामाग्री क्रय हेतु सरकारी क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

(ग) सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, बालू आपूर्ति हेतु आदित्य ट्रेडर्स सहित तीनों फर्मों द्वारा टेंडर भरा गया, परंतु समस्त निविदा फार्म समान हस्तलेखन में पाये गए। निविदा दाता फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी वैधता प्रमाणपत्र, धरोहर/जमानत धनराशि की रशीद पत्रावली में नहीं पाया गया। अतः सामाग्री क्रय हेतु सरकारी क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

(घ) ईट आपूर्ति हेतु निविदा दाता फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी वैधता प्रमाणपत्र, धरोहर/जमानत धनराशि की रशीद पत्रावली में नहीं पाया गया। अतः सामाग्री क्रय हेतु सरकारी क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

(ङ) निर्माण कार्य में लगे कुशल /अकुशल मजदूरों के मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष के अंत तक कार्य प्रभारी श्री प्रेमनाथ सिंह द्वारा न तो अग्रिम भुगतान हेतु कोई डिमांड किया गया, न ही मस्टर रोल जारी कराया गया।

(च) सीमेंट, मोरंग, बालू में सीमेंट कुछ दिनों में ही खराब हो जाती है और इसका उपभोग कुशल अकुशल मजदूरों द्वारा ही किया जा सकता था। परंतु दर्शित कार्य पर मापन पुस्तिका में वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में मजदूरी भुगतान शून्य है। जबकि सामाग्री आपूर्ति का भुगतान 27/01/2017 को ही कर दिया गया है। अतः इससे सिद्ध हो जाता है कि सामाग्री आपूर्ति की काल्पनिक एम. बी. करके फर्जी भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

(छ) कराये गए कार्य की फोटोग्राफी, कार्यपूर्तिप्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ज) सामाग्री आपूर्ति से संबंधित डिलवरी चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(झ) सामाग्री आपूर्ति से संबंधित स्टॉक पंजी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त कार्य पर रु.176909/—के अनियमित एवं प्रमाणक विहीन भुगतान को अपहरण आकलित किया जाता है। इसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रेमनाथ सिंह (कार्य प्रभारी), श्री संतराम यादव जेई (आरईडी), श्री अबू बकर खाँ (बी0 डी0 ओ0), श्री सैयद मोहम्मद मेहदी (लेखाकार) श्री राम प्रताप यादव (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 04)

प्रस्तर-55 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016-17 विकास खण्ड परिसर में स्थिति सभाकक्ष भवन की मरम्मत, रंगाई पोताई कार्य कराया गया है पत्रांक -1780/रा. वि. आ./ते. वि. आ/निर्माण वर्ष 2014 -15 दिनांक 19 -12-14 द्वारा श्री विनोद सिंह(ग्राम विकास अधिकारी) को कार्य प्रभारी बनाया गया। मेसर्स नवजीवन इंटर प्राइजेज को सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, बालू, पेंट, डिस्टेंपर, स्टील गेट, ईटगिट्टी, टाइल्स आदि सामाग्री आपूर्ति हेतु चेक संख्या 000229 दिनांक 27/01/2017 द्वारा रुपया 279727/- का भुगतान किया गया। किए गए भुगतान पर निम्न लिखित आपत्तियां हैं।

(क) कार्य की कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, बालू, पेंट, डिस्टेंपर, स्टील गेट, ईटगिट्टी, टाइल्स आदि सामाग्री आपूर्ति हेतु नवजीवन इंटर प्राइजेज सहित तीन फर्मों द्वारा टेंडर भरा गया, परंतु किसी भी निविदा दाता फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी वैधता प्रमाणपत्र, धरोहर/जमानत धनराशि की रशीद पत्रावली में नहीं पाया गया। अतः सामाग्री क्रय हेतु सरकारी क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

(ग) निर्माण कार्य में लगे कुशल/अकुशल मजदूरों के मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष के अंत तक कार्य प्रभारी श्री प्रेमनाथ सिंह द्वारा न तो अग्रिम भुगतान हेतु कोई डिमांड किया गया, न ही मस्टर रोल जारी कराया गया।

(घ) सीमेंट, मोरंग, बालू में सीमेंट कुछ दिनों में ही खराब हो जाती है और इसका उपभोग कुशल अकुशल मजदूरों द्वारा ही किया जा सकता था। परंतु दर्शित कार्य पर मापन पुस्तिका में वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में मजदूरी भुगतान शून्य है। जबकि सामाग्री आपूर्ति का भुगतान 27/01/2017 को ही कर दिया गया है। अतः इससे सिद्ध हो जाता है कि सामाग्री आपूर्ति की काल्पनिक एम. बी. करके फर्जी भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

(ङ) कराये गए कार्य की फोटोग्राफी, कार्यपूर्तिप्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(च) सामाग्री आपूर्ति से संबन्धित डिलवरी चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(छ) सामाग्री आपूर्ति से संबन्धित स्टॉक पंजी भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त कार्य पर रु. 279727/- के अनियमित एवं प्रमाणक विहीन भुगतान को अपहरण आकलित किया जाता है। इसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रेमनाथ सिंह (कार्य प्रभारी), श्री संतराम यादव जेई(आरईडी), श्री अबू बकर खाँ (बी0 डी0 ओ0), श्री सैयद मोहम्मद मेहदी

(लेखाकार) श्री राम प्रताप यादव (ब्लाक प्रमुख) से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

5- क्षेत्र पंचायत हैरिंग्टनगंज वर्ष -2015-16 एवं 2016-17

प्रस्तर-56 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना मद में ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार विभिन्न तिथियों में विभिन्न चेक संख्या से धन आहरित किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं.	धनराशि
1-	09-06-2015	65620	62500.00
2-	09-06-2015	65621	27500.00
3-	01-08-2015	65626	30000.00
योग		120000.00	

उपर्युक्त आहरित धनराशि से सम्बन्धित लाभार्थियों के विवरण एवं प्रात्रता से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। जिससे स्पष्ट है कि वित्तीय औचित्य का ध्यान दिये बिना उक्त अनुदान की धनराशि वितरित की गयी। इसके अलावा यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि जिन उद्देश्यों हेतु अनुदान प्रदान किये गये थे उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वितरित अनुदान की धनराशि व्यय की गयी है। अतः वितरित धनराशि दुरुपयोगित होती है। जिसके लिये श्री इन्द्रजीत सिंह बी.डी.ओ. एवं लेखाकार श्री रामराज पाठक उत्तरदायी हैं इन उत्तरदायी व्यक्तियों से दुरुपयोगित धनराशि रुपया 120000.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। (आपत्ति सं 16)

प्रस्तर 57-क्षे.पं. की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि पुराने ग्रांट रजिस्टर भाग-2 के पृष्ठ संख्या 23 बायोगैस 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति मद में अंतिम शेष रुपया 217.00 था जिसे दिनांक 27-05-2017 को लेखाकार श्री सूर्यप्रकाश दूबे ने ग्रांट रजिस्टर की पृष्ठ सं. 21 पर अंकित करते हुए स्थानान्तरित दिखाया है जबकि नये ग्रांट रजिस्टर के भाग के पृष्ठ संख्या 21 पर उक्त धनराशि अंकित नहीं करते हुए गबन कर लिया है जिसके लिए ज्येष्ठ लेखाकार श्री सूर्यप्रकाश दूबे उत्तर दायी हैं। अतः अपहरित धनराशि रुपया 217 की ब्याज सहित वसूली श्री सूर्य प्रकाश दूबे से किया जाना अपेक्षित है। (आ.सं. 17)

प्रस्तर 58-दिनांक 16-07-2015 को लेखाकार श्री रामराज पाठक द्वारा अपने नाम से चेक संख्या 517638 दिनांक 16-05-2015 को धनराशि रुपया 64500.00 आहरित किया है उक्त धनराशि के सापेक्ष कोई विवरण एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। आहरित धनराशि के सापेक्ष विवरण एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के अन्तर्गत वसूली योग्य है अतः अपहरित धनराशि रुपया 64500.00 की ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. श्री इन्द्रजीत सिंह तथा लेखाकार रामराज पाठक से सामान्य हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। (आ.सं.18)

प्रस्तर 59—विभिन्न तिथियों में आहरित धनराशि का विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं.	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	विवरण
1	15-04-15	65615	5770.00	रामराज पाठक	जीप मरम्मत
2-	26-08-15	65627	55000.00	रामराज पाठक	इन्द्रा आवास बैठक हेतु
3-	05-10-15	65629	67105.00	किसान सेवा केन्द्र	पी.ओ.एल.भुगतान
4-	26-10-15	65633	10000.00	रामराज पाठक	प्रिन्टर हेतु
5-	09-11-15	65635	16330.00	सी.के. इन्टर प्राइजेज	फोटोस्टेट मशीन मरम्मत हेतु
6-	13-12-15	65640	36338.00	किसान सेवा केन्द्र	पी.ओ.एल.भुगतान
7-	31-12-15	65642	11683.00	रामराज पाठक	जीप मरम्मत हेतु
8-	01-01-16	65645	13560.00	आर.एन.ट्रेडर्स	बैट्री क्रय
9-	01-01-16	65646	7400.00	सी.के. इन्टर प्राइजेज	टोनर क्रय
10	01-03-16	65652	8000.00	दुर्गेश शर्मा	विवरण हीन
11	10-03-16	65654	15538.00	रामराज पाठक	फोटोस्टेट मशीन मरम्मत हेतु
12	25-03-16	65655	54453.00	किसान सेवा केन्द्र	पी.ओ.एल.भुगतान
		योग	301177.00		

उक्त समस्त आहरित धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। पी.ओ.एल. भुगतान के समर्थन में लॉग बुक प्रस्तुत नहीं रही। फोटो स्टेट मशीन के नाम पर टोनर क्रय सहित धनराशि आहरित किया गया है। परन्तु व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। जीप मरम्मत एवं बैट्री क्रय से सम्बन्धित भी व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। क्रमांक 10 पर अंकित व्यय के सम्बन्ध में कोई विवरण अंकित नहीं है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय है जो नियमों का उल्लंघन करके किया गया है। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1665 के नियम 179(2) के अंतर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसे निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित है।

(क) श्री इन्द्रजीत सिंह बी.डी.ओ. रामराज पाठक लेखाकार रुपया 5770.00(सामान्य हिस्सों में)

(ख) श्री विजयशंकर बी.डी.ओ. एवं रामराज पाठक लेखाकार रुपया 217416.00(सामान्य हिस्सों में)

(ग) श्री सुनील कुमार कौशल बी.डी.ओ. एवं रामराज पाठक लेखाकार रुपया 77991.00(सामान्य हिस्सों में)

(आ.सं.19)

प्रस्तर 60—लेखा परीक्षा के दौरान सौलर लाइट स्थापना कार्य की पत्रावली में पाया गया कि 40 स्थानों पर सौलर लाइट स्थापना कार्य जिसकी कुल अनुमानित लाग रुपया 1092400.00 है उक्त कार्य पर अनिल ट्रेडर्स की सप्लाई बिल बुक नं. 05 क्रमांक 236 एवं 237 दिनांक 20-04-2015 पत्रावली में संलग्न पाया गया जिसकी कुल धनराशि 983160.00 है उक्त कार्य पर निम्न आपत्ति है

1-पत्रावली में अनुमोदित कार्ययोजना एवं कार्ययोजना क्रमांक अप्राप्त रहा।

2-पत्रावली की जाँच में पाया गया है कि उक्त कार्य उत्तर प्रदेश क्षे.पं. तथा जि.पं. निर्माण कार्य नियमावली 1984 अध्याय 2 के नियम 19 से 23 में अंकित प्रावधानों एवं शासनादेश संख्या दृए-1-1864/10-08-2015(1)/86 दिनांक 23-09-2018 का उल्लंघन करते हुए टेन्डर के बजाय कोटेशन लेकर किया गया है। उक्त कार्य पर 3 कोटेशन अमिल ट्रेडर्स, अरुण कांस्ट्रक्शन एवं अनिल ट्रेडर्स के लिए गये हैं। जिसमें 2 अरुण कांस्ट्रक्शन एवं अनिल ट्रेडर्स के कोटेशन एक ही हस्त लेखन में है अमिल ट्रेडर्स के पैड पर प्रोपराइटर के हस्ताक्षर भी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि संस्था को हानि पहुंचाते हुए अनिल ट्रेडर्स से मिलीभगत कर लाभ पाने एवं पहुँचाने की दृष्टि से ऐसा किया गया है तथा अनिल ट्रेडर्स का स्वीकृत किया गया है।

3-दिनांक 13-02-2015 को ही कोटेशन लिया जाना 13-02-2015 को तुलनात्मक विवरत तैयार कर सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया जाना तथा पत्रांक रहित आदेश दिनांक 13-02-2015 द्वारा कार्य कराये जाने का आदेश दिया जाना सारे कार्य को मैनेज्ड बनाता है।

4-एम.बी. के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 01-04-15 तथा पूर्णतः की तिथि 20-04-2015 है जबकि अनिल ट्रेडर्स के सप्लाई बिल बुक नं.05 236 एवं 237 से सामग्री आपूर्ति की तिथि 20.04.2015 की पुष्टि होती है। जिससे स्पष्ट है कि बिना सामग्री आपूर्ति के कार्य कराया जाना दर्शित कर काल्पनिक एम.बी की गयी है। जबकि इस सम्बन्ध में डिलीवरी चालानध्वी.आर.एन. अप्राप्त रहा।

5-आपूर्ति कर्ता को आपूर्ति हेतु निर्धारित समयावधि दिनांक 13-02-15 को दी गयी जिसमें एक सप्ताह का समय दिया गया था परन्तु अपूर्ति 20-04-2015 को की गयी जिसपर बी.डी.ओ द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

6-पत्रावली में 40 के बजाय मात्र 18 स्थानों की सूची संलग्न है कार्य स्थल की फोटो संलग्न नहीं थी उक्त सूची से स्पष्ट है कि सार्वजनिक मार्गों के बजाय व्यक्तिगत रूप से किसी के घर या दरवाजे पर लगायी गयी है इससे स्पष्ट है कि शासनादेश एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए अनियमित भुगतान किया गया है। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1665 के नियम 179(2) के कि जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो के विपरीत एवं वसूली योग्य है

अतः बिल की समस्त धनराशि 983160.00 अनियमित व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति बी.डी.ओ. श्री इन्द्रजीत सिंह, जेई श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री रामराज पाठक से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (आ.सं.-20)

प्रस्तर-61 बनैकापुर वंशराज के घर से तिवारी का पुरवा में ऋषिकेश के घर तक खण्डजा मरम्मत कार्य स्टीमेट के अनुसार लम्बाई 800 मी. तथा अनुमानित लागत 7.44 लाख है। उक्त परियोजना स्थल पर अभिलेखों के अनुसार निम्न व्यय किया जाना दर्शित है।

ईट क्रय-रुपया 30000.00 दर रुपया-6200.00= रुपया 186000.00

ह्यूम पाइप क्रय रुपया 9165.00

एम.आर रुपया 81080.00 93300.00=174380.00

मिट्टी पट्टाई भाड़ा 10800.00

योग-3080345.00

इस सम्बन्ध निम्न आपत्तियाँ हैं।

1-शासनादेश संख्या 1719६33-3-10-48६2007 पंचायती राज अनु-3 दिनांक 01-09-10 के प्रस्तर 2.4 के अंतर्गत यह प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा कि उक्त खण्डजा कब और किस मद से बना था तथा कब क्षेत्र पंचायत को स्थानान्तरित किया गया था इसके आलावा इस आशय से सम्बन्धित कोई भी उल्लेख नहीं है कि उक्त खण्डजा का 2 ग्राम पंचायत को आच्छादित कर रहा है

2-स्टीमेट में कार्य की लम्बाई के सापेक्ष एम.बी. में मात्र 157 मी. खण्डजा लगवाना दर्शित है स्टीमेट में 350 मीटर पुरानी ईट से तथा 450 मी.नई ईट के प्रयुक्त किये जाने का प्रावधान था जबकि एम.बी. में कही खण्डजा उखडवाई दर्शित नहीं है। जिससे समस्त कार्य काल्पनिक सिद्ध होता है।

3-एम.बी में मिट्टी पट्टाई का भाग रुपया 10800.00 कार्टेज भुगतानित है जबकि खण्डजा उखाड़ा ही नहीं गया है तो मिट्टी पट्टाई कैसे संभव हुई इस प्रकार उक्त क्रय काल्पनिक सिद्ध होता है जोकि आपहरण की श्रेणी में आता है।

4-पत्रावली में अनमोदित कार्ययोजना अप्राप्त रही।

5-उक्त कार्य हेतु प्रकाशित निविदा दिनांक 29.04.2015 को समाचार पत्र राष्ट्रीय स्वरूप (सीमित बिक्री वाले) विज्ञापित की गयी। जो कि लोकप्रिय समाचार पत्र में आमंत्रित न कर अपने को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है।

6-समस्त निविदा मैनेज्ड थी। क्योंकि जो निविदा डाली गयी है वह निविदा प्रपत्र ने होकर पैड पर है। नियम के विपरीत क्षेत्र पंचायत में रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति हेतु निविदा डाली गयी है। क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं मिला। संगम बिक्र फील्ड का रू० 6200.00 प्रति हजार की दर से स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त तीनों फर्म क्षे.पं. में रजिस्टर्ड नहीं थी तो टेण्डर हेतु पात्रता भी नहीं रखती है।

7- उक्त कार्य की एम.बी नं.108 व 109 पर 63×3.30 मी.=208 मी³ लेयिंग ब्रेक 57.69 ईट/मी² की दर से किया गया। जिस पर कुल लेबर $208 \times 58 = 12064.00$ जबकि एम.बी. रू. 81080.00 की गयी है अतः अंतर की धनराशि -69017.00 कपट पूर्ण एवं काल्पनिक एम.बी. कर अपहरित किया गया है।

8-रुपया 9165.00 ह्यूम पाइप हेतु भुगतानित है। जबकि स्टीमेट में कही भी ह्यूम पाइप का प्रावधान नहीं है। अतः रुपया 9165.00 अपहरण की श्रेणी में आता है।

9-एम.बी क पेज नं.-112-113 पर 94×3.30 की एम.बी.की गयी है। उक्त कार्य पर खण्डजा लगवाई कुल $308 \times 58 =$ रुपया 17864.00 होगा जबकि श्रमांश पर रुपया 93300.00 भुगतान किया गया है। अतः अंतर की धनराशि रुपया 75536.00 काल्पनिक एम.बी. भुगतानित है। जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है।

10- 800 मी. के सापेक्ष मात्र 157 मी. कार्य कराया जाना समस्त व्यय धनराशि को दुरुपयोग सिद्ध करता है। क्योंकि इससे खण्डजा अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। बिना खण्डजा उखडवाये मात्र नई की आपूर्ति से यह भी प्रमाणित होता है कि व्यक्तिगत लाभ पाने एवं पहुंचाने की दृष्टि से आपूर्तिकर्ता से मिली भगद करते हुए उक्त व्यय किया गया है। जो उ.प्र.जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179(2) के कि जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है। के विपरीत एवं वसूली योग्य है।

अतः व्यय कुल धनराशि रुपया 380345.00 में से रुपया 164418.00 अपहरण $(10800.00 + 69017.00 + 9165.00 + 75436.00)$ एवं 215927 (रुपया 380345-रुपया 164418.00) दुरुपयोगित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर जे.ई. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री रामराज पाठक से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा.आ. संख्या -21)

प्रस्तर -62 आनंद नगर मिल्कीपुर मार्ग से राम चरित्र मिश्रा के राइस मिल से गिरधर मऊ तक सोलिंग मरम्मत।

टेण्डर आमंत्रित तिथि 29.04.15 राष्ट्रीय स्वरूप समाचार पत्र।

लम्बाई -500 मी. अनुमानित लागत -4.49 लाख

ईट क्रय रुपया -8000.00 / रुपया 6200.00=रुपया 49600.00

रुपया 12000.00 / रुपया 6200.00=रुपया 74400.00

एम.आर.- रुपया 74640.00 67170.00=141810.00

मिट्टी पटाई भाड़ा- रुपया 9600.00

ह्यूम पाइप क्रय दृ रुपया 6110.00

योग-281520.00

उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- उक्त कार्य की एम.बी. बुक नं.-3 पृष्ठसंख्या 106 व 107 पर 42 मी.×3.30 मी माप की नई ईट सोलिंग दर्शित है। जिस पर कुल उपभोग ईट 8000.00 है। जिसकी आपूर्ति नेताजी ब्रिक फील्ड बिल सं०- 55 दिनांक 05-06-2015 मूल्य रुपया 49600.00 से हुई है। एम.बी. पृष्ठ सं०- 114 व 115 पर 12000 ईट आपूर्ति रुपया 74400.00 की स्टाक एम.बी. की गयी है। परन्तु उक्त 12000.00 ईट के कन्सेप्शन की एम.बी. नहीं हुई एवं बिना कार्य 67478 लेबर पर व्यय एम.बी. बुक में अंकित किया गया है। जिससे यह सिद्ध होता है कि 12000 ईट का स्टाक अभी क्षे. पं. के शेष है। परन्तु स्टाक बुक के अभाव में उक्त ईच का मूल्य अपहरित कर लिया गया है। अतः यह 500 मी. के सापेक्ष मात्र 42 मी. लम्बाई में कार्य किया जाना प्रमाणित होता है। जो पूरे कार्य को दुरुपयोगित सिद्ध करता है। स्टीमेट के विपरीत बिना पुरानी पुरानी ईच उखड़वाये ही कार्टेज से मिट्टी डलवाने के मद में रुपया 9600.00 का काल्पनिक भुगतान किया गया है। उक्त कार्य पर एम.आर. रुपया 74640.00 भुगतानित है। जबकि 42×3.30 मी.=138.6 मी² की खण्डजा लगवायी कुल रुपया 8039.00 होगी। शेष अंतर की धनराशि 66601.00 बिना कार्य के काल्पनिक भुगतान कर अपहरित कर लिया गया है। उक्त कार्य पर रुपया 6110.00 ह्यूम पाइप हेतु बिना एम.बी. के भुगतान किया गया है। जो अपहरित धनराशि है।

2- उक्त कार्य के काल्पनिक होने की पुष्टि पत्रावली में संलग्न नेताजी ब्रिक फील्ड के बिल नं. 55 दिनांक 05-06-2015 मूल्य रुपया 49600.00 तथा बिल नं.-50 दिनांक 18-07-2015 मू० रुपया 74400.00 अंकित है। अतः बिना ईट के खंडजा लगवाया ही नहीं जा सकता। तथा ईट की आपूर्ति से सम्बन्धित डिलिवरी चालान/जी०आ० एन० प्राप्त न होने से स्पष्ट है कि आपूर्ति बिलों के अनुसार कार्य समाप्ति के बाद हुआ। कार्यारम्भ की तिथि 08-05-2015 के बाद 05-06-2015 एवं 18-07-2015 को हुई है जो कार्य को काल्पनिक बनाता है।

3- उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्ययोजना पत्रावली में अप्राप्त रही।

4- शासनादेश संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 पं०रा० अनुबन्ध दिनांक 1 सितम्बर 2010 के प्रस्तर 2.4 के अनुसार यह प्रमाणक पत्र नहीं लिया गया है। कि कराया जाने वाला कार्य एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित कर रहा है। जिसके कारण डबलिंग से इन्कार नहीं किया जा सकता।

5- उक्त शासनादेश के उक्त प्रस्तर के अनुसार यह भी ज्ञात नहीं हो सका उक्त खंडजा कब और किस मद से बना था तथा कब क्षेत्र पंचायत को हस्तान्तरित हुआ था। इसी प्रस्तर के अनुसार क्षेत्र पंचायत आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्य प्राक्कलन एवं कार्ययोजना जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगी। का पालन नहीं किया गया है।

6- उक्त कार्य पर अपनायी गयी निविदा प्रक्रिया पूरी तरह से मैनेज्ड थी। क्योंकि निविदा किसी लोकप्रिय समाचार पत्र में न आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्वरूप पैसे कम बिक्री वाले पं. में आमंत्रित की गयी है। जो निविदा डाली गयी है। वह निविदा प्रपत्र न होकर फर्मों के पैड पर डाली गयी है। रजिस्टर्ड फर्म ही निविदा डालने की पात्रता रखती है का ध्यान नहीं रखा गया। टेण्डर का एक हिस्सा होता है अनुबन्ध जो कि नहीं किया गया। अतः पूरी निविदा प्रक्रिया अनियमित ढंग से अपनाते हुए नेताजी ब्रिक फील्ड से मिली भगत कर सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं निविदा समिति का गठन, टेण्डर खुलने का दिनांक आपूर्ति आदेश तथा कार्यारम्भ तिथि सभी एक तिथि 08-05-15 को सम्पादित किये गये हैं। जो कि पूरे कार्य को अनियमित बनाता है।

7- भुगतान से पूर्व विकास एवं नियोजन समिति से सहमति एवं अनुमति नहीं ली गयी है।

8- इस प्रकार उक्त कार्य की व्यय समस्त धनराशि रुपया 281520.00 में उपरोक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत (7440096006660611067170)= रुपया 223881.00 अपहरण एवं शेष धनराशि रुपया 57639.00 अनियमित व्यय की श्रेणी में आता है। जो उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षे० पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1665 के अध्याय 18 के नियम 179(2) के कि "जहां अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों की उल्लंघन करके व्यय किया गया है।" के अनुसार वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर जे.ई.श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री रामराज पाठक से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (सा.आ. संख्या -22)

प्रस्तर-63 कदनपुर पक्की सड़क से सदा पाण्डेय के पुरवा तक सोलिंग कार्य। उक्त कार्य की लम्बाई 300 मी. अनुमानित लागत 6.51 लाख है। जबकि भुगतानित धनराशि रुपया 483887.00 है उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- शासनादेश संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 पं०रा० अनुबन्ध-3 दिनांक 1 सितम्बर 2010 के प्रस्तर 2.4 के संदर्भ में इस आशय को कोई प्रमाण नहीं रहा कि उक्त खंडजा दो ग्राम पंचायतों को आच्छादित कर रहा है। इसके अलावा इसी प्रस्तर के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुमोदित प्राक्कलन एवं कार्य योजना आप्राप्त रही।

2- पत्रावली से स्पष्ट हुआ कि टेण्डर प्रक्रिया का उचित रीति से पालन नहीं किया गया है। ईट आपूर्ति हेतु पूर्व के कार्यों की तरह तीन फर्म राधा ब्रिक फील्ड, संगम ब्रिक फील्ड तथा नेता जी ब्रिक फील्ड के टेण्डर, टेण्डर फार्म पर

न होकर फर्मों के पैड पर थे। समस्त फर्मों के पैड पर समान हस्तलेखन प्रयुक्त हुआ है। टेण्डर समिति का गठन भी नहीं किया गया है। टेण्डर आमंत्रण किसी लोकप्रिय समाचार पत्र के बजाय कम बिक्री वाले राष्ट्रीय स्वरूप नामक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया था। इस प्रकार समस्त टेण्डर प्रक्रिया पूर्व नियोजित सिद्ध होती है। जिससे संस्था को होने वाले प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित किया गया है।

3— पत्रावली में ईट आपूर्ति से सम्बन्धित बिल पैड पर बना हुआ है। जिसे व्यय प्रमाणक रूप में नहीं माना जा सकता है।

4— ईट आपूर्ति के सम्बन्ध में डिलीवरी चालान/जी.आर.एन.(गुड रिसीट नोट्स) प्राप्त नहीं हुआ जिससे स्पष्ट है कि ईट आपूर्ति बिल की तिथि के अनुसार 21-06-15 को हुई है। जबकि कार्यारम्भ 05-05-2015 को कार्य पूर्ण तिथि 06-06-2015 को है। अतः बिना ईट आपूर्ति के खंडजा निर्माण सम्भव नहीं है इस प्रकार उक्त कार्य के काल्पनिक होने की पुष्टि होती है।

5— एम.बी. के अनुसार उक्त कार्य पर 300 मी० लम्बाई, 5 मी० चौड़ाई तथा 40 सेमी० मिट्टी डालकर खंडजा लगाया जाना दर्शित है। 40 सेमी. मिट्टी डालकर तुरन्त खंडजा लगाया जाना कार्यको गुणवत्ता हीन बनाता है क्योंकि बिना काम्पैक्शन के 40 सेमी. मिट्टी डालकर खंडजा लगवाये जाने पर वह बैठ जायेगा।

6— एम.बी के अनुसार खंडजा लगवाते समय 5 मी. चौड़ाई में मिट्टी पटाई की गयी। जिस पर 3 मीटर चौड़ाई पर खंडजा लगाया गया। खंडजा लगाने के दोनो तरफ 1 मीटर पटरी छूटेगी। इसके बाबजूद काल्पनिक ढंग से एम.बी करते हुए पटरी निर्माण नाम पर दोनो तरफ ढाई मीटर चौड़ी तथा 7 सेमी ऊंचाई में पटरी निर्माण की एम.बी की गयी है। जिसका कुल क्षेत्रफल $(300 \times 2.5 \times 2.6) = 900$ घनमीटर—12.5 प्रतिशत= 787.5 घनमीटर/ 81 की दर से कुल रूपया 63787.50 की काल्पनिक एम०बी० कर भुगतान किया गया है। जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है।

इस प्रकार कुल भुगतानित राशि रूपया 483887.00 में से रूपया 63787.50 अपहरण एवं शेष रूपया 420099.50 (रूपया 483887.00—63787.50) अनियमित व्यय की श्रेणी में आता है। जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1665 के अध्याय 18 के नियम 179(2) के कि "जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों विनियमों एवं उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है" के अन्तर्गत वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर जे.ई अनिल कुमार श्रीवास्तव से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा.आ. संख्या-23)

प्रस्तर-64 विकास खण्ड कार्यालय, बी.डी.ओ.कक्ष प्रमुख कक्ष आवासीय भवन एवं बाउण्ड्रीवाल रंगाई-पुताई कार्य। अनुमानित लागत रूपया 4.10 लाख भुगतानित धनराशि रूपया 384046.00 है। उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियों है।

1— उक्त कार्य के सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित डिलिवरी चालान/जी०आर०एन०(गुड रिसीट नोट्स) अप्राप्त रहा। जबकि पत्रावली में प्राप्त बिलों के अनुसार सामग्री आपूर्ति की तिथि निम्न बिलों के अनुसार कार्य के बाद की गई है। जबकि एम.आर. के अनुसार कार्य 01-04-2015 से प्रारम्भ होकर 18-05-2015 तक चला। इस प्रकार बिना सामग्री आपूर्ति के काल्पनिक ढंग से कार्य कराया जाना दर्शित है।

बिल न. दिनांक फर्म सामग्री

378	30.05.15 पवन अंजनी हार्डवेयर स्टोर	पेंट समोसम, चूना आदि
381	04.06.15 पवन अंजनी हार्डवेयर स्टोर	पेंट समोसम, चूना आदि
377	25.05.15 पवन अंजनी हार्डवेयर स्टोर	पेंट समोसम, चूना आदि
375	18.05.15 पवन अंजनी हार्डवेयर स्टोर	पेंट समोसम, चूना आदि
358	10.06.15 पवन अंजनी हार्डवेयर स्टोर	पेंट समोसम, चूना आदि

अनिल ट्रेडर्स से सीमेन्ट, बालू, सोरंग, दरवाजा मूल्य रूपया 27200.00 बिल बुक नं.-1 क्रं.-3 दिनांक 20.06.2015 तथा रामसूरत जनरल आर्डर सप्लायर से बालू, सीमेन्ट आदि क्रय क्रमांक रहित एवं दिनांक रहित बिल से किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि काल्पनिक रूप से बिना कार्य कराये पत्रावली तैयार करके भुगतान किया गया है।

2— पत्रावली में उक्त कार्य से पूर्व टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, कार्यादेश पत्रांक रहित, दिनांक रहित है। अतः स्पष्ट है कि बी.डी.ओ. जे.ई एवं लेखाकार द्वारा काल्पनिक रूप से पत्रावली तैयार कर काल्पनिक व्यय दर्शाकर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी। उक्त कार्य से सम्बन्धित एम.बी. अप्राप्त रही।

3— पूर्वाक्त शासनादेश के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्य योजना एवं प्राक्कलन अप्राप्त रहा।

4— कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं भुगतान से पूर्व क्षेत्र पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति से संस्तुति/अनुमोदन नहीं लिया गया है। इस प्रकार उक्त कार्य अधिनियमों नियमों एवं विनियमों के विपरीत कराये गये हैं।

5— स्वीकृत स्टीमेट के अनुसार प्लास्टर वर्क, रिपेयरिंग मद में रूपया 34585.00 $(300.74 \text{ मी}^2 \times 115)$ प्राविधानित किया गया है। इसके विरुद्ध स्थल के कार्य अभिलेखों के अनुसार सामग्री क्रय आपूर्ति पर निम्नानुसार रूपया 110380.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जो निम्नवत है—

क्र.	फर्म	सामग्री विवरण	मूल्य	दिनांक
1—	अनिल ट्रेडर्स	बालू, सीमेन्ट, मोरंग एवं दरवाजा	27200.00	20.06.2015
2—	अनिल ट्रेडर्स	बालू, सीमेन्ट, मोरंग	16200.00	—

3—	रामसूरत जनरल आर्डर सप्लायर सीमेन्ट मोरंग बालू	31810.00	—
4—	रामसूरत जनरल आर्डर सप्लायर सीमेन्ट सीमेन्ट	35170.00	—
	योग	110380.00	

उक्त के अनुसार सन्दर्भित कार्य मद में केवल सामग्री आपूर्ति पर रूपया 75795.00(रूपया 110380.00—34585.00) अधिक दर्शाकर रूपया 75795.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली बी.डी.ओ. श्री विजय शंकर जेई श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार रामराज पाठक से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उक्त बिन्दु 1 से 4 तक वर्णित अनियमितताओं के आलोक में शेष भुगतानित राशि (रूपया 384346.00—75795.00)=308251.00 के अनियमित भुगतान की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त कार्य उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 (2) के अन्तर्गत वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. श्री विजय शंकर जेई श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार रामराज पाठक से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (सा.आ. सं-24)

प्रस्तर-65 वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्नलिखित कार्यों पर भुगतान किया गया है। जिसकी निविदा दिनांक 29.12.16 को आमत्रित की गयी थी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत निविदा के अनुसार	भुगतान जेई बिल के अनुसार	निविदा प्राप्त कर्ता
1—	डेमा शिवबक्श सराय पक्की सड़क से पूरे बलिदीन तक मिट्टी खंडजा	3.56 लाख	353500.00	जनक दुलारी
2—	ग्राम पंचायत देवकली माफी ईट सोलिंग से कौंधिया तक मिट्टी खंडजा	3.56 लाख	357445.00	जनक दुलारी
3—	रामनाथ चौहान के घर से हौसिला के घर तक मिट्टी एवं खंडजा	3.56 लाख	359290.00	रामदीन यादव
4—	हल्ले द्वारिका पक्की सड़क से समय माता के स्थान तक मिट्टी खंडजा	3.56 लाख	328785.00	रामदीन यादव
5—	परुवा पूरे लादी पक्की सड़क से समय माता के स्थान तक मिट्टी खंडजा	3.56 लाख	359532.00	रामदीन यादव
6—	परमानन्दपुर से परवरपारा तक मिट्टी एवं खंडजा	3.56 लाख	355691.00	रामदीन यादव
7—	चन्दीपुर नगहरा हनुमान के पुरवा से नन्दपुर प्रधानमंत्री सड़क मिट्टी एवं सोलिंग कार्य	5.32 लाख	536750.00	रामचन्दर यादव
8—	विकास खण्ड कार्यालय मरम्मत एवं फर्नीचर आलमारी, इनवर्टर बैट्री क्रय	8.31 लाख	565075.00	रामचन्दर यादव
9—	विकास खण्ड परिसर में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	14.11 लाख	1350735.00	रामचन्दर यादव
10—	खडभड़िया बहुरवा पक्की सड़क से कल्याणपुर गेट से मित्रसेन यादव की समाधि तक इंटरलाकिंग कार्य	9.38 लाख	992478.00	रामचन्दर यादव

उपरोक्त कार्यों की टेंडर प्रक्रिया में उचित रीति का पालन नहीं किया गया है। जिस पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।
1—तालिका में अंकित क्रय संख्या-8 और-9 के कार्यों को छोड़कर शेष 8 कार्यों पर खंडजा निर्माण एवं इंटरलाकिंग का कार्य कराया गया है। जिसमें शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03/2015 पंचायती राज्य अनुभाग-3 दिनांक 16.09.15 के प्रस्तर 2.4 के विपरीत कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा कि उपरोक्त कार्य दो ग्राम पंचायतों को संयोजित कर रहा है।

2—टेंडर प्रक्रिया के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त निविदाएं पूर्व नियोजित थी। यथा क्रम संख्या-1 व 2 के कार्य जनक दुलारी को तो 3 से 6 तक रामदीन यादव को एवं 7 से 10 तक के कार्य रामचन्दर यादव को दिये गये। उपरोक्त सभी कार्यों पर इन्ही तीन लोगों के टेंडर भी पड़े हैं। सभी टेंडरों पर समान हस्तलेखन का प्रयोग हुआ है। सभी टेंडर 0.30 प्रतिशत निम्न दर पर स्वीकृत हुए हैं। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तीनों ठेकेदारों ने सभी 10 कार्यों पर टेंडर डाला। जिन कार्यों को प्राप्त किया गया वे 0.30 प्रतिशत निम्न दर पर डाले गये तथा अन्य के टेंडर उससे उच्च दर पर डाले गये। सभी ठेकेदारों ने एक ही तिथि में टेंडर फार्म खरीदा एवं एक ही तिथि 02.12.16 को टेंडर डाला। क्रम संख्या-4 के कार्य टेंडर फार्म पर ठेकेदारों के हस्ताक्षर नहीं हैं। टेंडर से पूर्व ठेकेदारों की तकनीकी बिड से सम्बन्धित कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। निविदा खुलने की तिथि 02-12-2016 के पूर्व ही 29.11.2016 को ठेकेदारों द्वारा अनुबन्ध स्टाम्प पत्र क्रय किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आलोक में टेंडर प्रक्रिया के पूरी तरह से पूर्व नियोजित होने की पुष्टि होती है।

कार्यवार अनुबन्ध स्टाम्प पत्र क्रय विवरण

क्र.सं.	कार्य संख्या	स्टाम्प नं.	दिनांक
1—	1	98एसी879678 डीबी 927212	29.11.16 29.11.16
2—	2	—	
3—	3	98एसी875652 डीबी920778	29.11.16 29.11.16
4—	4	98एसी875651 डीबी920779	29.11.16 29.11.16
5—	5	98एसी875653 डीबी920777	29.11.16 29.11.16
6—	6	98एसी875650 डीबी920780	29.11.16 29.11.16

7	7	98एसी879662	29.11.16
		डीबी920789	29.11.16
8—	8	98एसी879662	29.11.16
		डीबी920789	29.11.16
9—	9	98एसी879661	29.11.16
		डीबी920788	29.11.16
10	10	98एसी879660	29.11.16
		डीबी920787	29.11.16

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ठेकेदारों से मिलीभगत कर पूर्व नियोजित टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न कर क्षेत्र पंचायत को होने वाली प्रतिस्पर्धी दर के लाभ से वंचित किया गया जिससे संस्था को हानि हुई। टेण्डर प्रक्रिया का एक हिस्सा है अनुबन्ध करना। ठेकेदारों से अनुबन्ध करते समय जमानत की पूर्ण धनराशि बिना जमा कराये ही अनुबन्ध सम्पन्न कर कार्य कराने का आदेश दे दिया गया है।

जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं	ठेकेदार का नाम	कुल स्वीकृत कार्यों की लागत	वांछित जमानत की धनराशि	जमा जमानत की धनराशि	अवशेष
1—	रामदीन यादव	1420148.00	142016.00	126000.00	16016.00
2—	राम चन्दर यादव	3747306.00	374732.00	126000.00	248732.00

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आलोक में टेण्डर प्रक्रिया पूर्व नियोजित एवं अनियमित होने की पुष्टि होती है।

3—कार्य पत्रावली में संलग्न फोटो को देखने से पता चलता है कि खंडजा कार्यों में पर दिये गये मिट्टी कार्टेज की की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि संलग्न फोटो से ज्ञात होता कि समस्त कार्य आबादी के बाहर है इस प्रकार प्रकरण में औचित्यहीन कार्टेज का प्रावधान करके एवं उस पर भुगतान करके कार्य की लागत को बढ़ाकर संस्था को क्षति पहुँचाई गई।

(सा.आ.सं.25)

प्रस्तर—66 आपत्ति संख्या 10 में अंकित कार्य तालिका के कार्य संख्या 1 पर अंकित कार्य की अनुमानित लागत 3.56 लाख एवं व्यय धनराशि 353500.00 है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्ति है।

1— कार्य पत्रावली में संलग्न जेई बिल के आधार पर स्टीमेट में ई/डब्ल्यू बाई कार्टेज 350मी³ के सापेक्ष 345.33मी³ का कार्य एवं भुगतान दर्शित है। जिससे सड़क पट्टाई 200×5×0.30 की माप में एवं पट्टरी निर्माण 200×50×.50 के माप में दोनों तरफ कराया जाना दर्शित है।

उपरोक्त कार्य में पट्टरी निर्माण पूरी तरह काल्पनिक है। क्योंकि फोटोग्राफ से कही भी पट्टरी निर्माण की पुष्टि नहीं होती है। इसके आलावा एक तथ्य यह भी है कि सड़क की पट्टाई 5 मी. चौड़ाई में हुआ है। जबकि खंडजा निर्माण 3 मी. चौड़ाई में किया गया है। जिससे खंडजा निर्माण के बाद स्वतः एक मीटर दोनों तरफ पट्टरी छुटेगी। अतः पुनः पट्टरी निर्माण के नाम पर एम.बी एवं भुगतान औचित्यहीन एवं काल्पनिक है। जो अपहरण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार पट्टरी निर्माण पर भुगतानित धनराशि $200 \times 50 \times .50 \times 2 = 100 \text{ मी}^3 - 12.5$ प्रतिशत = $87.5 / 244.30 = 21376.25$ अरहरित है। अतः रुपया 21346.00 की वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2— पूरे कार्य पर एक समान मात्रा 30 सेमी मिट्टी डालकर बिना काम्पैक्शन के तुरंत खंडजा लगवाया जाना कार्य को अनियमित एवं दुरुपयोगित बनता है।

3— आपत्ति संख्या—10 के बिन्दु—1,2 एवं 3 के आलोक में टेण्डर प्रक्रिया उचित रीति से न होने के कारण समस्त कार्य अनियमितता की श्रेणी में आता है।

4— उपरोक्त कार्य की पत्रावली में व्यय प्रमाणकों के बजाय मात्र जेई बिल के आधार पर भुगतान किया गया है। जबकि जेई ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एवं एम.बी. के लिए अधिकृत है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त भुगतान उ.प्र.जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1665 के नियम 64 कि "कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किय जाय, जो स्वयं दावेदार का बिल होगा।" एवं नियम 82 कि बिलों को उनके भुगतान के प्रतीक स्वरूप रसीदों के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा। के विपरीत अनियमित एवं वसूली योग्य है।

5— उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 3 के नियम 38 के अनुपालन में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।

6— क्षेत्र पंचायत की निर्माण समिति/नियोजन विकास समिति से भुगतान के पूर्व सहमति भी नहीं ली गयी है। और न ही कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।

7— इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुवार टिप्पणियों 2 से 6 के आलोक में कार्य पर किया गया कुल भुगतान अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसमें से बिन्दु 1 के अनुसार रुपया 21376.00 अपहरण एवं शेष रुपया 332124.00 (रुपया 353500.00—21376.00) अनियमितता भुगतान की श्रेणी में आता है। जो उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड—2 के कि जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है। के अन्तर्गत वसूली योग्य है।

अनियमित धनराशि रुपया 332124.00 की ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा.आ.सं.26(1 से 7))

प्रस्तर-67 आपत्ति संख्या-10 में अंकित कार्य 02 की अनुमानित लागत रुपया 356105.00 है एवं भुगतानित धनराशि रुपया 357445.00 है। अतः अनुमानित लागत से रुपया 1340.00 अधिक भुगतान किया जाता है। जो अपहरण की श्रेणी में आता है।

1- कार्य पत्रावली में संलग्न जेई बिल के आधार पर स्टीमेट में ई/डब्लू वाई कार्टेज 350 मी3 के सापेक्ष 342.30 मी3 का कार्य एवं भुगतान दर्शित है। जिससे सड़क पटाई 200×5×0.30 की साप में एवं पटरी निर्माण 200×50×0.50 की माप में दोनों तरफ कराया जाना दर्शित है। उपरोक्त कार्य में पटरी निर्माण पूरी तरह काल्पनिक है। क्योंकि फोटोग्राफ से कही भी पटरी निर्माण की पुष्टि नहीं होता है। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि सड़क की पटाई 5 मी. चौड़ाई में हुआ है। जबकि खड़जा निर्माण 3 मी. चौड़ाई में किया गया है। जिससे खड़जा निर्माण के बाद स्वतः एक मीटर दोनों तरफ पटरी छूटेगी। अतः पुनः पटरी निर्माण के नाम पर एम.बी0 एवं भुगतान औचित्यहीन एवं काल्पनिक है। जो अपहरण की श्रेणी आता है। इस प्रकार पटरी निर्माण पर भुगतानित धनराशि $200 \times 50 \times 0.50 \times 2 = 100 \text{ मी}^3 - 12.5 \text{ प्रतिशत} = 87.5 / 244.30 =$ रुपया 21376.25 अपहरित है। अतः रुपया 21376.00 एवं रुपया 1340.00 (स्टीमेट से अधिक) = 22716.00 की वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- पूरे कार्य पर एक सामान मात्रा 30 सेमी. मिट्टी डालकर बिना काम्पैक्शन के तुरन्त खड़जा लगवाया जाना कार्य को अनियमित एवं दुरुपयोगित बनाता है।

3- आपत्ति संख्या-10 के बिन्दु-1,2 एवं 3 के आलोक में टेण्डर प्रक्रिया उचित रीति से न होने के कारण समस्त कार्य अनियमितता की श्रेणी में आता है।

4- उपरोक्त कार्य की पत्रावली में व्यय प्रमाणकों के बजाय मात्र जेई बिल के आधार पर भुगतान किया गया है। जबकि जेई ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एवं एम.बी. के लिए अधिकृत है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त भुगतान उ.प्र. जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 कि "कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय, जो स्वयं दावेदार का बिल होगा" एवं नियम 82 कि बिलों को उनके भुगतान के प्रतीक स्वरूप रसीदों के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा के बिपरीत अनियमित एवं वसूली योग्य है।

5- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 3 के नियम 38 के अनुपालन में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।

6- क्षेत्र पंचायत की निर्माण समिति/नियोजन विकास समिति के भुगतान के पूर्व सहमति भी नहीं ली गयी है। और न ही कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र लिया गया है।

7- इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुवार टिप्पणियों 2 से 6 के आलोक में कार्य पर किया गया कुल भुगतान अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसमें से बिन्दु 1 के अनुसार रुपया 22716.00 अपहरण एवं शेष रुपया 334729.00 (रुपया 357445.00-22716.00) अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है। जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड-2 के कि "जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत वसूली योग्य है। अनियमित धनराशि रुपया 334729.00 की ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सामान्य आपत्ति सं 27(1से 7))

प्रस्तर-68 आपत्ति संख्या-10 में अंकित कार्य तालिका के कार्य संख्या-3 पर अंकित कार्य की अनुमानित लागत रुपया 356105.00 है एवं भुगतानित धनराशि रुपया 359290.00 दर्शित है। अतः अनुमानित लागत से रुपया 3185.00 अधिक भुगतान किया गया है। जो अपहरण की श्रेणी में आता है।

1- कार्य पत्रावली में संलग्न जेई बिल के आधार पर स्टीमेट में ई/डब्लू वाई कार्टेज 350 मी3 के सापेक्ष 348348 मी3 का कार्य एवं भुगतान दर्शित है। जिससे सड़क पटाई 200×5×0.30 की माप में एवं पटरी निर्माण 200×50×0.50 की माप में दोनों तरफ कराया जाना दर्शित है। उपरोक्त कार्य में पटरी निर्माण पूरी तरह काल्पनिक है। क्योंकि फोटोग्राफ से कही भी पटरी निर्माण की पुष्टि नहीं होती है। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि सड़क की पटाई 5 मी. चौड़ाई में हुआ है। जबकि खड़जा निर्माण 3 मी. चौड़ाई में किया गया है। जिससे खड़जा निर्माण के बाद स्वतः एक मीटर दोनों तरफ पटरी छूटेगी। अतः पुनः पटरी निर्माण के नाम पर एम.बी. एवं भुगतान औचित्यहीन एवं काल्पनिक है। जो अपहरण की श्रेणी आता है। इस प्रकार पटरी निर्माण पर भुगतानित धनराशि $200 \times 50 \times 0.50 \times 2 = 100 \text{ मी}^3 - 12.5 \text{ प्रतिशत} = 87.5 / 244.30 =$ रुपया 21376.25 अपहरित है। अतः रुपया 21376.00 एवं रुपया 3185.00 (स्टीमेट से अधिक) = 24561.00 की वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्यप्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

- 2— पूरे कार्य पर एक समान मात्रा 30 सेमी मिट्टी डालकर बिना काम्पैक्शन के तुरंत खडंजा लगवाया जाना कार्य को अनियमित एवं दुरुपयोगित बनाता है।
- 3— आपत्ति संख्या-10 के बिन्दु-1,2 एवं 3 के आलोक में टेण्डर प्रक्रिया उचित रीति से न होने के कारण समस्त कार्य अनियमितता की श्रेणी में आता है।
- 4— उपरोक्त कार्य की पत्रावली में व्यय प्रमाणकों के बजाय मात्र जेई बिल के आधार पर भुगतान किया गया है। जबकि जेई ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एवं एम.बी. के लिए अधिकृत है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त भुगतान उ.प्र.जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 कि "कोई पंचायत तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिलों को उनके भुगतान के प्रतीक स्वरूप रसीदों के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा के विपरीत अनियमित एवं वसूली योग्य है।
- 5— उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 3 के नियम 38 के अनुपालन में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।
- 6— क्षेत्र पंचायत की निर्माण समिति/नियोजन विकास समिति से भुगतान के पूर्व सहमति भी नहीं ली गयी है और न ही कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र लिया गया है।
- 7— इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुवार टिप्पणियों 2 से 6 के आलोक में कार्य पर किया गया कुल भुगतान अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसमें से बिन्दु 1 के अनुसार रुपया 24561.00 अपहरण एवं शेष रुपया 334729.00 (रुपया 359290.00-24561.00) अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है। जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड-2 के "जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है।" के अन्तर्गत वसूली योग्य है। अनियमित धनराशि रुपया 334729.00 की ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
- प्रस्तर-69** आपत्ति संख्या-10 में अंकित कार्य तालिका के कार्य संख्या-4 पर अंकित कार्य की अनुमानित लागत रुपया 356105.00 है एवं भुगतानित धनराशि रुपया 328785.00 दर्शित है। उक्त कार्य पर निम्न आपत्ति है।
- 1— कार्य पत्रावली में संलग्न जेई बिल के आधार पर स्टीमेट में ई/डब्लू वाई कार्टेज 350 मी3 के सापेक्ष 345.87 मी3 का कार्य एवं भुगतान दर्शित है। जिससे सड़क पटाई 200×5×0.30 की माप में एवं पटरी निर्माण 200×50×0.50 की माप में दोनों तरफ कराया जाना दर्शित है। उपरोक्त कार्य में पटरी निर्माण पूरी तरह काल्पनिक है। क्योंकि फोटोग्राफ से कही भी पटरी निर्माण की पुष्टि नहीं होती है। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि सड़क की पटाई 5 मी. चौड़ाई में हुआ है। जबकि खडंजा निर्माण 3 मी. चौड़ाई में किया गया है। जिससे खडंजा निर्माण के बाद स्वतः एक मीटर दोनों तरफ पटरी छूटेगी। अतः पुनः पटरी निर्माण के नाम पर एम.बी. एवं भुगतान औचित्यहीन एवं काल्पनिक है। जो अपहरण की श्रेणी आता है। इस प्रकार पटरी निर्माण पर भुगतानित धनराशि $200 \times 50 \times 0.50 \times 2 = 100$ मी3-12.5 प्रतिशत = $87.5 / 244.30 =$ रुपया 21376.25 अपहरित है। अतः 21376.00 एवं रुपया 21376.00 की वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्यप्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
- 2— पूरे कार्य पर एक समान मात्रा 30 सेमी मिट्टी डालकर बिना काम्पैक्शन के तुरंत खडंजा लगवाया जाना कार्य को अनियमित एवं दुरुपयोगित बनाता है।
- 3— आपत्ति संख्या-10 के बिन्दु-1,2 एवं 3 के आलोक में टेण्डर प्रक्रिया उचित रीति से न होने के कारण समस्त कार्य अनियमितता की श्रेणी में आता है।
- 4— उपरोक्त कार्य की पत्रावली में व्यय प्रमाणकों के बजाय मात्र जेई बिल के आधार पर भुगतान किया गया है। जबकि जेई ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एवं एम.बी. के लिए अधिकृत है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त भुगतान उ.प्र.जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 कि "कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय, जो स्वयं दावे दार का बिल होगा" एवं नियम 81 कि बिलों को उनके भुगतान के प्रतीक स्वरूप रसीदों के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा के विपरीत अनियमित एवं वसूली योग्य है।
- 5— उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 3 के नियम 38 के अनुपालन में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।
- 6— क्षेत्र पंचायत की निर्माण समिति/नियोजन विकास समिति से भुगतान के पूर्व सहमति भी नहीं ली गयी है और न ही कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र लिया गया है।
- 7— इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुवार टिप्पणियों 2 से 6 के आलोक में कार्य पर किया गया कुल भुगतान अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसमें से बिन्दु 1 के अनुसार रुपया 21376.00 अपहरण एवं शेष रुपया 307409.00 (रुपया 328785.00-21376.00) अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है। जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड-2 के "जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है।" के अन्तर्गत वसूली योग्य है।

अनियमित धनराशि रूपया 307409.00 की ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-70 आपत्ति संख्या-10 में अंकित कार्य तालिका के कार्य संख्या-5 पर अंकित कार्य की अनुमानित लागत रूपया 356105.00 है एवं भुगतानित धनराशि रूपया 359532.00 दर्शित है। जो अनुमानित लागत से रूपया 3427.00 अधिक है एवं अपहरण की कोटि में आता है। उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- कार्य पत्रावली में संलग्न जेई बिल के आधार पर स्टीमेट में ई/डब्लू वाई कार्टेज 350 मी3 के सापेक्ष 349.93 मी3 का कार्य एवं भुगतान दर्शित है। जिससे सड़क पटाई 200×5×0.30 की माप में एवं पटरी निर्माण 200×50×0.50 की माप में दोनों तरफ कराया जाना दर्शित है। उपरोक्त कार्य में पटरी निर्माण पूरी तरह काल्पनिक है। क्योंकि फोटोग्राफ से कही भी पटरी निर्माण की पुष्टि नहीं होती है। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि सड़क की पटाई 5 मी. चौड़ाई में हुआ है। जबकि खड्जा निर्माण 3 मी. चौड़ाई में किया गया है। जिससे खड्जा निर्माण के बाद स्वतः एक मीटर दोनों तरफ पटरी छूटेगी। अतः पुनः पटरी निर्माण के नाम पर एम.बी. एवं भुगतान औचित्यहीन एवं काल्पनिक है। जो अपहरण की श्रेणी आता है। इस प्रकार पटरी निर्माण पर भुगतानित धनराशि $200 \times 50 \times 0.50 \times 2 = 100$ मी3-12.5 प्रतिशत = $87.5 / 244.30 =$ रूपया 21376.25 अपहरित है। अतः 21376.00 एवं रूपया 3427.00 (जो कि स्टीमेट से अधिक है) = रूपया 24803.00 की वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्यप्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- पूरे कार्य पर एक समान मात्रा 30 सेमी मिट्टी डालकर बिना काम्पैक्शन के तुरंत खड्जा लगवाया जाना कार्य को अनियमित एवं दुरुपयोगित बनाता है।

3- आपत्ति संख्या-10 के बिन्दु-1,2 एवं 3 के आलोक में टेण्डर प्रक्रिया उचित रीति से न होने के कारण समस्त कार्य अनियमितता की श्रेणी में आता है।

4- उपरोक्त कार्य की पत्रावली में व्यय प्रमाणकों के बजाय मात्र जेई बिल के आधार पर भुगतान किया गया है। जबकि जेई ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एवं एम.बी. के लिए अधिकृत है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त भुगतान उ.प्र.जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 कि "कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय, जो स्वयं दावे दार का बिल होगा" एवं नियम 82 कि बिलों को उनके भुगतान के प्रतीक स्वरूप रसीदों के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा के विपरीत अनियमित एवं वसूली योग्य है।

5- उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 3 के नियम 38 के अनुपालन में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।

6- क्षेत्र पंचायत की निर्माण समिति/नियोजन विकास समिति से भुगतान के पूर्व सहमति भी नहीं ली गयी है और न ही कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र लिया गया है।

7- इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुवार टिप्पणियों 2 से 6 के आलोक में कार्य पर किया गया कुल भुगतान अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसमें से बिन्दु 1 के अनुसार रूपया 24803.00 अपहरण एवं शेष रूपया 334729.00 (रूपया 359532.00-24803.00) अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है। जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड-2 के "जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है।" के अन्तर्गत वसूली योग्य है। अनियमित धनराशि रूपया 334729.00 की वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। **(सा.आ. सं.-30(1से 7))**

प्रस्तर-71 आपत्ति संख्या-10 में अंकित कार्य तालिका के कार्य संख्या-6 पर अंकित कार्य की अनुमानित लागत रूपये 356105.00 है एवं भुगतानित धनराशि रूपया 355691.00 दर्शित है। उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- कार्य पत्रावली में संलग्न जेई बिल के आधार पर स्टीमेट में ई/डब्लू वाई कार्टेज 350 मी3 के सापेक्ष 324.54 मी3 का कार्य एवं भुगतान दर्शित है। जिससे सड़क पटाई 200×5×0.30 की माप में एवं पटरी निर्माण 200×50×0.50 की माप में दोनों तरफ कराया जाना दर्शित है। उपरोक्त कार्य में पटरी निर्माण पूरी तरह काल्पनिक है। क्योंकि फोटोग्राफ से कही भी पटरी निर्माण की पुष्टि नहीं होती है। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि सड़क की पटाई 5 मी. चौड़ाई में हुआ है। जबकि खड्जा निर्माण 3 मी. चौड़ाई में किया गया है। जिससे खड्जा निर्माण के बाद स्वतः एक मीटर दोनों तरफ पटरी छूटेगी। अतः पुनः पटरी निर्माण के नाम पर एम.बी. एवं भुगतान औचित्यहीन एवं काल्पनिक है। जो अपहरण की श्रेणी आता है। इस प्रकार पटरी निर्माण पर भुगतानित धनराशि $200 \times 50 \times 0.50 \times 2 = 100$ मी3-12.5 प्रतिशत = $87.5 / 244.30 =$ रूपया 21376.25 अपहरित है। इसके अलावा खड्जा हेतु स्टीमेट में प्राविधानित कुल क्षेत्रफल 600 मी2 के सापेक्ष 607.53 मी2 का भुगतान किया गया है। जो 7.52 मी2 अधिक है। जिस पर किया गया अधिक भुगतान $7.53 / 444 = 3343.32$ है अपहरण की क्षेणी में आता है। अतः रूपया 21376.00 एवं कुल 3343.00 = 24719.00 की वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्यप्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- पूरे कार्य पर एक समान मात्रा 30 सेमी मिट्टी डालकर बिना काम्पैक्शन के तुरंत खड्जा लगवाया जाना कार्य को अनियमित एवं दुरुपयोगित बनाता है।

- 3— आपत्ति संख्या-10 के बिन्दु-1,2 एवं 3 के आलोक में टेण्डर प्रक्रिया उचित रीति से न होने के कारण समस्त कार्य अनियमितता की श्रेणी में आता है।
- 4— उपरोक्त कार्य की पत्रावली में व्यय प्रमाणकों के बजाय मात्र जेई बिल के आधार पर भुगतान किया गया है। जबकि जेई ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एवं एम.बी. के लिए अधिकृत है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त भुगतान उ.प्र.जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 कि "कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय, जो स्वयं: दावे दार का बिल होगा" एवं नियम 82 कि बिलों को उनके भुगतान के प्रतीक स्वरूप रसीदों के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा के विपरीत अनियमित एवं वसूली योग्य है।
- 5— उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 3 के नियम 38 के अनुपालन में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।
- 6— क्षेत्र पंचायत की निर्माण समिति/नियोजन विकास समिति से भुगतान के पूर्व सहमति भी नहीं ली गयी है और न ही कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र लिया गया है।
- 7— इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुवार टिप्पणियों 2 से 6 के आलोक में कार्य पर किया गया कुल भुगतान अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसमें से बिन्दु 1 के अनुसार रूपया 24719.00 अपहरण एवं शेष रूपया 330972.00(रूपया 355691.00-24719.00) अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है। जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड-2 के "जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है।" के अन्तर्गत वसूली योग्य है। अनियमित धनराशि रूपया 330972.00 की ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।(सा.आ. सं. -31(1से 7)
- प्रस्तर-72** आपत्ति संख्या-10 में अंकित कार्य तालिका के कार्य संख्या-7 पर अंकित कार्य की अनुमानित लागत रूपया 532058.00 है एवं भुगतानित धनराशि रूपया 536750.00 दर्शित है। जो कि अनुमानित लागत रूपया 4692.00 अधिक एवं अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियाँ हैं।-
- 1— उक्त कार्य पर ई/डब्लू के प्राविधानित क्षेत्रफल 525 मी³ के सापेक्ष 528.51 मी³ पर भुगतान किया गया है। जो 3.51 मी³ अधिक है। अतः अधिक भुगतानित धनराशि $3.51 \times 244.30 = 857.49$ अपहरित है। उक्त कार्य पर सड़क पट्टाई 300×0.30 की माप हुआ है। जिसमें 3 मीटर चौड़ाई में खड़जा लगाया जाना दर्शित है। 3 मीटर चौड़ाई में खड़जा लगाये जाने के बाद दोनों तरफ 1 मीटर पट्टरी स्वतः छूटेगी। इसके बावजूद अनावश्यक रूप से पट्टरी निर्माण बावजूद के नाम पर $300 \times 0.50 \times 0.50 \times 2$ की माप के कुल क्षेत्रफल 150 मी²-12.5 प्रतिशत= 131.25 मी³ की काल्पनिक एम.बी. का भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। पट्टरी निर्माण पर अपहरित धनराशि= $131.25 \times 244.30 = 32064.37$ है। अतः कुल अपहरण की धनराशि= $4692.32064857 = 37613.00$ की वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
- 2— आपत्ति संख्या-10 के बिन्दु-1,2 एवं 3 के आलोक में टेण्डर प्रक्रिया उचित रीति से न होने के कारण समस्त कार्य अनियमितता की श्रेणी में आता है।
- 3— उपरोक्त कार्य की पत्रावली में व्यय प्रमाणकों के बजाय मात्र जेई बिल के आधार पर भुगतान किया गया है। जबकि जेई ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एवं एम.बी. के लिए अधिकृत है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त भुगतान उ.प्र.जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 कि "कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय, जो स्वयं: दावे दार का बिल होगा" एवं नियम 82 कि बिलों को उनके भुगतान के प्रतीक स्वं रसीदों के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा के विपरीत अनियमित एवं वसूली योग्य है।
- 4— उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 3 के नियम 38 के अनुपालन में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।
- 5— क्षेत्र पंचायत की निर्माण समिति/नियोजन विकास समिति से भुगतान के पूर्व सहमति भी नहीं ली गयी है और न ही कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र लिया गया है।
- 6— इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुवार टिप्पणियों 2 से 6 के आलोक में कार्य पर किया गया कुल भुगतान अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसमें से बिन्दु 1 के अनुसार रूपया 37613.00 अपहरण एवं शेष रूपया 499137.00(रूपया 536750.00-37613.00) अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है। जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड-2 के "जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है।" के अन्तर्गत वसूली योग्य है। अनियमित धनराशि रूपया 499137.00 की ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा.आ. सं.-32(1से 7)

प्रस्तर-73 आपत्ति संख्या-10 में अंकित कार्य तालिका के कार्य संख्या-8 पर अंकित कार्य की अनुमानित लागत रूपया 8.40 लाख तथा भुगतानित धनराशि रूपया 565075.00 दर्शित है। उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

1-प्राक्कलन में निर्धारित प्राविधानों से विचलन कर एवं बिना प्रावधान किये कार्य दर्शित एवं भुगतान कर निम्न प्रकार से धन का अपहरण किया गया है। जो निम्नवत है।

1.डिस्मेन्टल ऑफ प्लास्टर वॉल की जगह डिस्मेन्टल ऑफ प्लास्टर रुफ $277.65\text{मी}^2 / 26.10 = 7246.66$ (स्टीमेट के प्रावधान से विचलन)

2. $9.39\text{मी}^2\text{आर.सी.सी } 1\text{रू}2\text{रू}4 / 7370 = 69204$ (बिना स्टीमेट में प्राविधान किये एम.बी. एवं भुगतान)।

3. $8.13\text{ मी}^2\text{ एस/एफ फलस } / 1460 = 11625.90$ (बिना स्टीमेट में प्रावधान किये एम.बी. एवं भुगतान)।

4. एम/एस ग्राउन्ड फ्लोर $362\text{ के जी } / 68 = 24616$ (बिना स्टीमेट में प्राविधान किये एम.बी. एवं भुगतान)

योग-रूपया 112692.56

इस प्रकार रूपया 112693.00 की धनराशि स्टीमेट से बिचलन एवं बिना प्रावधान किये दर्शित कर अरहरित की गयी है। जिसकी वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2-आपत्ति संख्या-10 के बिन्दु-1,2 एवं 3 के आलोक में टेण्डर प्रक्रिया उचित रीति से न होने के कारण समस्त कार्य अनियमितता की श्रेणी में आता है।

3- उपरोक्त कार्य की पत्रावली में व्यय प्रमाणकों के बजाय मात्र जेई बिल के आधार पर भुगतान किया गया है। जबकि जेई ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एवं एम.बी. के लिए अधिकृत है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त भुगतान उ.प्र.जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 कि "कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय, जो स्वयं दावे दार का बिल होगा" एवं नियम 82 कि बिलों को उनके भुगतान के प्रतीक स्वंप रसीदों के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा के विपरीत अनियमित एवं वसूली योग्य है।

4- उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 3 के नियम 38 के अनुपालन में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।

5- क्षेत्र पंचायत की निर्माण समिति/नियोजन विकास समिति से भुगतान के पूर्व सहमति भी नहीं ली गयी है और न ही कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र लिया गया है।

6- इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुवार टिप्पणियों 2 से 6 के आलोक में कार्य पर किया गया कुल भुगतान अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसमें से बिन्दु 1 के अनुसार रूपया 112693.00 अपहरण एवं शेष रूपया 453282.00 (रूपया 565075.00-112693.00) अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है। जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड-2 के "जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है।" के अन्तर्गत वसूली योग्य है। अनियमित धनराशि रूपया 452382.00 की ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा.आ. सं.-33(1से 7)

प्रस्तर-74 आपत्ति संख्या-10 में अंकित कार्य तालिका के कार्य संख्या-9 पर अंकित कार्य की अनुमानित लागत रूपया 14.11 लाख तथा भुगतानित धनराशि रूपया 1350835.00 दर्शित है। उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- बिना स्टीमेट में प्रावधान किये निम्नानुसार व्यय दर्शित है।

(क)डिस्मेन्टेलिंग एण्ड डॉगवेलिंग $141.51\text{ मी}^3 / 8.10 = 1146.23$ ।

(ख)ब्रिक वर्क सोलिंग $66\text{मी}^2 / 444 = 29304.00$ ।

(ग)ब्रिक वर्क सोलिंग $75.15\text{ मी}^2 / 55.30 = 4175.70$ ।

योग-रूपया 3425.93 से 34626.00

इसी तरह कुछ मदों पर स्टीमेट से अधिक एम.बी. कर भुगतान किया गया है। जो निम्न प्रकार है।

क्र.सं	मद	स्टीमेट के अनुसार क्षेत्रफल एम.बी. के अनुसार क्षेत्रफल	अंतर	दर	धनराशि
1-	इ/डब्लू	414.48मी ³	479.96 मी ³	65.48मी ³	244.30 15996.76
2-	पॉलिथीन	330मी ²	1007.93 मी ²	677.93मी ²	22.00 14914.46
3-	पी.सी.सी	1रू2रू4 99 मी ³	101.62 मी ³	2.62 मी ³	6885.00 18038.70

योग 48949.92 से 48950.00

इस प्रकार कुल अपहरण की धनराशि $3462648950 = 83676.00$ की वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- आपत्ति संख्या-10 के बिन्दु-1,2 एवं 3 के आलोक में टेण्डर प्रक्रिया उचित रीति से न होने के कारण समस्त कार्य अनियमितता की श्रेणी में आता है।

3— उपरोक्त कार्य की पत्रावली में व्यय प्रमाणकों के बजाय मात्र जेई बिल के आधार पर भुगतान किया गया है। जबकि जेई ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एवं एम.बी. के लिए अधिकृत है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त भुगतान उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 कि "कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय, जो स्वरु दावे दार का बिल होगा" एवं नियम 82 कि बिलों को उनके भुगतान के प्रतीक स्वरुप रसीदों के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा के विपरीत अनियमित वसूली योग्य है।

4— उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 3 के नियम 38 के अनुपालन में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।

5— क्षेत्र पंचायत की निर्माण समिति/नियोजन विकास समिति से भुगतान के पूर्व सहमति भी नहीं ली गयी है और न ही कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र लिया गया है।

6— इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुवार टिप्पणियों 2 से 6 के आलोक में कार्य पर किया गया कुल भुगतान अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसमें से बिन्दु 1 के अनुसार रुपया 83676.00 अपहरण एवं शेष रुपया 1267059.00 (रुपया 1350735.00-83676.00) अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है। जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड-2 के "जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है।" के अन्तर्गत वसूली योग्य है। अनियमित धनराशि रुपया 1267059.00 की ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा.आ. सं.-34(1से 7))

प्रस्तर-75 आपत्ति संख्या-10 में अंकित कार्य तालिका के कार्य संख्या-10 पर अंकित कार्य की अनुमानित लागत रुपया 9.83 लाख तथा भुगतानित धनराशि रुपया 992478.00 दर्शित है। जो स्टीमेट की कुल राशि से रुपया 9478.00 अधिक भुगतानित है। जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त कार्य पर निम्न आपत्तियाँ हैं।-

1— स्टीमेट में 80 मिमी. थिक पाँवर ब्लॉक इन्टरलकिंग 626 मी2 के सापेक्ष 728.52 मी2 की एम.बी कर भुगतान किया गया है। जो स्टीमेट से $92.52 \text{ मी}^2 / 760 = 70315.20$ से 70315.00 का अधिक भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार कुल अपहरण की धनराशि $70315.00 \times 9478.00 = 79793.00$ की वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

इस प्रकार कुल अपहरण की धनराशि $3462648950 = 83676.00$ की वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2— **आपत्ति संख्या-10** के बिन्दु-1,2 एवं 3 के आलोक में टेण्डर प्रक्रिया उचित रीति से न होने के कारण समस्त कार्य अनियमितता की श्रेणी में आता है।

3— उपरोक्त कार्य की पत्रावली में व्यय प्रमाणकों के बजाय मात्र जेई बिल के आधार पर भुगतान किया गया है। जबकि जेई ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एवं एम.बी. के लिए अधिकृत है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया समस्त भुगतान उ.प्र. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 कि "कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाय, जो स्वरु दावे दार का बिल होगा" एवं नियम 82 कि बिलों को उनके भुगतान के प्रतीक स्वरुप रसीदों के साथ 6 वर्षों तक रखा जायेगा के विपरीत अनियमित वसूली योग्य है।

4— उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 3 के नियम 38 के अनुपालन में कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया।

5— क्षेत्र पंचायत की निर्माण समिति/नियोजन विकास समिति से भुगतान के पूर्व सहमति भी नहीं ली गयी है और न ही कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र लिया गया है।

6— इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुवार टिप्पणियों 2 से 6 के आलोक में कार्य पर किया गया कुल भुगतान अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसमें से बिन्दु 1 के अनुसार रुपया 79793.00 अपहरण एवं शेष रुपया 912685.00 (रुपया 992478.00-79793.00) अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है। जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड-2 के "जहां अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके व्यय किया गया है।" के अन्तर्गत वसूली योग्य है। अनियमित धनराशि रुपया 912685.00 की ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. श्री सुनील कुमार कौशल, जेई वशिष्ठ मिश्रा तथा लेखाकार सूर्य प्रकाश दूबे से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा.आ. सं.-35(1से 6))

6-क्षेत्र पंचायत, सोहावल वर्ष 2013-14 से 2015-16

प्रस्तर-76 जिलाविकास अधिकारी फैजाबाद द्वारा जिला पेय जल एवं स्वच्छता समिति फैजाबाद के पत्रांक 1212 दिनांक 17-04-2013 से चेक सं० 00822 दिनांक 16-04-2013 रुपया 31800-00 प्राप्त हुआ जिसका आहरण क्षेत्र

पंचायत सोहावल द्वारा चेक संख्या 187241 दिनांक 10-05-2013 रूपया 31800-00 श्री राजकरन तिवारी के नाम से किया गया जिसके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। उत्तरदायी कर्मचारी श्री राजकरन तिवारी से रूपया 31800-00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 क्षेत्र पंचायत सोहावल के कार्यालय परिसर की बाउंड्री निर्माण हेतु प्राक्कलन की स्वीकृति प्राप्त की गई, परन्तु कार्य दो चरणों में पूर्ण किया गया। निर्माण पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ की वाउंड्री निर्माण हेतु द्वितीय चरण में ईट क्रय ही नहीं की गई। मात्र रूपया 38600-00 की निर्माण सामग्री तथा रूपया 68400-00 की मजदूरी कुल रूपया 107000-00 व्यय दर्शाया गया। बिना ईट बिना पुररीक्षित प्राक्कलन के कार्य कराकर धन का अपहरण किया गया जिसके लिए लेखाकार श्री जगजीवन प्रसाद, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह तथा जेईआरईडी ए०के० श्रीवास्तव/मुन्नर सिंह यादव प्रत्येक से बराबर-बराबर ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली रूपया 354667-00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 के०आर०कौशल एंड सन्स द्वारा 2013-14 में 16 नग सोलर लाइट दर 27310-00 प्रतिनग की दर से क्रय किया गया। इस पर निविदा आमंत्रित करना चाहिए। परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा मात्र कोटेशन लेकर ही आपूर्ति का आदेश दे दिया गया, जो कि वितीय नियमों के विपरीत है। बाउचर के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुल 13 नग सोलर लाइट ही क्रय किये गये जिस पर नियमानुसार 2-24% आयकर तथा 10% वाणिज्यकर कुल रूपया 43471-00 कटौती सहित कुल धनराशि रूपया 311509-00 का भुगतान होना दर्शाया गया। इस प्रकार कुल नग 16 के स्थान पर मात्र 13 नग ही सोलर लाइट क्रय किये गये तथा बिल पृथक-पृथक 8-8 नग के क्रमशः रूपया 218480-00 के प्राप्त किये गये, जोकि नियमानुसार सही नहीं है तथा एम.बी. भी 13 नग की ही की गई है। 03 नग सोलर लिट की खरीद के बाउचर कैश नं. 338/28-7-8 12 नग कुल रूपया 218400-00 में से मात्र 05 नग का रूपया 136500-00 भुगतान किया गया। 03 नग का भुगतान क्यों नहीं किया गया।

कोई भी दुकानदार कैश में 8 नग देकर 5 नग के दाम प्राप्त नहीं करेगा। इससे सिद्ध होता है कि दर्शायी गई 16 नग सोलर लाइट की खरीद की प्रक्रिया अनियमित के साथ-साथ फर्जी प्रतीत होती है। अतः कुल रूपया 354980-00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री जगजीवन प्रसाद, कार्य प्रभारी श्री धर्मराज सिंह तथा जेई श्री ए०के० श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी द्वारा समान रूप से की जानी चाहिए। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भई उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रस्तर-79 -श्री सुरेन्द्र सिंह के घर से सी.सी रोड का कार्य ग्राम पंचायत कुंदुर्खा खुर्द में वर्ष 2013-14 मंड कराया गया जिसमें मस्टर रोल की जाँच में पाया गया कि कार्य 01-07-2013 से 30-07-2013 तक कराया गया तथा मजदूरी पर व्यय रूपया 89678-00 अंकित करते हुए एम.बी भी की गई जबकि एम.आर को योग 89536-00 हैं। इस प्रकार रूपया 142-00 अधिक की एम.बी जेई श्री ए०के० श्रीवास्तव द्वारा की गई। कार्य प्रभारी श्री अनिल दुबे, ग्राम विकास अधिकारी है परन्तु ग्रांट रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या 43 पर भुगतान श्री धर्मराज सिंह, ग्राम विकास अधिकारी को किया जाना दर्शित है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं पाया दर्शित है। इस्टीमेट 515000-00 का था और वास्तविक व्यय 299678-00 हुआ। इस प्रकार 215332-00 का अधिक इस्टीमेट (कुल इस्टीमेट का 42 प्रतिशत) बनाया गया जोकि कार्य की सत्यनिष्ठा को संदिग्ध करता है। कार्य प्रारम्भ होने के पहले, कार्य के मध्य तथा कार्य पूर्ण होने के समय के फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार कराया गया कार्य फर्जी प्रतीत होता है। अतः खर्च की गई कुल धनराशि रूपया 299678-00 की ब्याज सहित वसूली जेई ए०के० श्रीवास्तव, कार्य प्रभारी श्री अनिल के स्थान पर श्री धर्मराज सिंह एवं लेखाकार श्री जगजीवन प्रसाद तथा खण्ड विकास अधिकारी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-80-वीरभानपुर में बच्चूलाल के घर से सी.सी रोड तक सी.सी रोड निर्माण की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। ग्रांट रजिस्टर-2 अनुसार इस परियोजना पर कुल व्यय रूपया 90104-00 हुआ। मूल पत्रावली के अभाव में व्यय की पुष्टि न हो सकी। अतः बाउचर विहीन व्यय लेखा परीक्षा नियमावली के अनुसार गबन है तथा इसकी वसूली सम्बन्धित लेखाकार श्री जगजीवन प्रसाद, कार्य प्रभारी श्री धर्मराज सिंह और जेई आर०ई०डी० ए०के० श्रीवास्तव तथा खण्ड विकास अधिकारी से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-81-जगनपुर में तौआब खों के घर से मंजूर के घर तक खडंजा कार्य वर्ष 2013-14 में दर्शित है। लंबाई 100 मी, चौड़ाई 2-5 मी०। प्राक्कलन रूपया 159000-00 कार्य प्रभारी-श्री धर्मराज सिंह, ग्राम विकास अधिकारी वास्तविक व्यय- रूपया 82446-00।

इस कार्य हेतु प्रकाश ब्रिक फील्ड से कैश में के स्थान पर लेटर पैड पर ईट क्रय 11000 नग दर 5000 प्रति हजार कुल रूपया 55000-00 तथा आयकर कटौती 2-246 प्रतिशत रूपया 1235-00 करते हुए 53765-00 का भुगतान किया गया। मस्टर रोल के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुल सृजित मानव दिवस 151 है परंतु एम. आर० तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर 161 अंकित है। वांछित ईट 14500 के स्थान पर मात्र 11000 ही क्रयकी गई तथा मिट्टी का उपयोग किया जाना भी नहीं दर्शित पाया गया। कार्य गाँव के अंदर कराया जाना दर्शाया गया है। जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो ग्रामों को जोड़ने वाले कार्यही कराये जाने चाहिए। कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। इस्टीमेट व एम.बी.

दोनों की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। तथा कार्य भी फर्जी है। इस प्रकार इस पर व्यय रुपया 82446-00 के अपहरण से इंकार नहीं किया जा सकता। इसका ब्याज सहित वसूली लेखाकार, कार्य प्रभारी, जेई व खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-82—शेखपुर से इबरा सिद्दीकी के ट्युबवेल से कब्रिस्तान तक खंडजा कार्य।

इस्टीमेट-459000-00] लं०-300 मी. चौ० 3-00 मी

कार्य प्रभारी—श्री धर्मराज सिंह

एम०बी बुक संख्या-2 के पृष्ठ 174 पर कुल लम्बाई 170 मी० दर्ज की गई। जिस पर कुल ईटे 19720-00 नग ही लगनी चाहिए, परन्तु प्रकाश फील्ड ब्रिक से 21000-00 नग ईट रुपया 5 प्रति नग की दर से क्रय की गई।

इस प्रकार 21000-19720-00=1280 नग अधिक क्रय की गई तथा रुपया 5 प्रति नग की दर से रुपया 6400-00 अधिक दर्शाकर धन का गबन किया गया।

जेई द्वारा अधूरे कार्य को भी मानक के अनुरूप लिखकर अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं किया गया। तथा रुपया 45334-00 की मजदूरी दर्शाकर कुल वास्तविक व्यय रुपया 150334-00 ही खर्च हो पाया। जे०ई द्वारा 66 प्रतिशत अधिक का इस्टीमेट बनाया गया जोकि उनकी राजकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही को घोटक है। अतः रुपया 6400-00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री राम अवतार, जेई श्री ए० के श्रीवास्तव तथा कार्य प्रभारी श्री धर्मराज सिंह तथा लेखाकार श्री जगजीवन प्रसाद से रुपया 1600-00 की दर कुल रुपया 6400-00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-83—पिरखौली में रानीदेवी के घर से बलराम के घर तक ही सी०सी० रोड कार्य वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त से कराया गया। इस हेतु में रजनीश ब्रिक फील्ड से कैश में संख्या 59 दिनांक 26-11-2013 द्वारा ईट गिट्टी रुपया 40079-00 का क्रय किया जाना पत्रावली में दर्शित है, तथा मुस्कान ट्रेडर्स से निर्माण सामग्री का क्रय किया जाना कैश में संख्या 501 दिनांक 25-11-2013 द्वारा पत्रावली में दर्शित है—

दिनांक 01-11-2013 से 23-11-2015 तक के मस्टर रोल पत्रावली में रक्षित है। उपरोक्त में रजनीश ब्रिक फील्ड को चेक संख्या 00077 दिनांक 26-11-2013 रुपया 40079-00 तथा में मुस्कान ट्रेडर्स को सामग्री क्रय का भुगतान चेक संख्या 00078 दिनांक 25-11-2013 तथा मजदूरी का भुगतान चेक संख्या 00079 दिनांक 28-03-2014 रुपया 49158-00 का भुगतान किया गया है। सामग्री क्रय के पूर्व ही कार्य का पूर्ण हो जाना तथा चेक की निरंतरता 00077 दिनांक 26-11-2013] 00078 दिनांक 25-11-2013 तथा 00079 दिनांक 28-03-2014 से सिद्ध होता है कि कार्य बिना सामग्री को कैसे पूर्ण किया गया तथा सामग्री क्रय की चेक संख्या 00077] 00078 के तुरंत बाद चेक संख्या 00079 दिनांक 28-03-2014 को मजदूरी का भुगतान दर्शाये जाने से सिद्ध होता है कि लगभग 04 महीने तक कोई भुगतान नहीं किया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य फर्जी है तथा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपया 166903-00 का अपहरण किया गया जिसकी वसूली बी.डी.ओ. लेखाकार, कार्य प्रभारी तथा जेई से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 के०आर० कौशल एंड संस द्वारा सोलर लाइट सी०एफ०एल० सिस्टम फर्म के लेटर पैड पर बने बिल दिनांक 28-08-2013 को 71871-00 का भुगतान करके 03 नग खरीदे गये जिसके लिए कोटेशन की कार्यवाही नहीं की गई और न ही इसका कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। ग्रांट रजिस्टर-2 से भी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः दर्शित व्यय रुपया 71871-00 काल्पनिक एवं फर्जी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. लेखाकार जे०ई० और कार्य प्रभारी से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-85 माँ ज्वाला मार्टन पब्लिक स्कूल खिरौनी में खंडजा कार्य लंबाई-75 मी. चौड़ाई-3 मी. कार्य प्रभारी श्री धर्मराज सिंह। उक्त कार्य हेतु रजनीश ब्रिक फील्ड को 14500 नग ईट क्रय हेतु रुपया 70872-00 का भुगतान किया गया। रजनीश ब्रिक फील्ड द्वारा 14500 नग ईट बिल कैश में पर न होकर लेटर पैड पर प्रस्तुत किया गया जिस पर तिथि 15-07-2013 अंकित है। मस्टर रोल के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कार्य 01-07-2013 से प्रारंभ होकर 20-07-2013 को समाप्त हुआ। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा जिससे प्रमाणित हो सके कि खंडजा निर्माण में मिट्टी का कार्य हुआ है। स्पष्ट है कि 01-07-2013 से 15-07-2013 तक ईट के अभाव में खंडजा निर्माण का कार्य किस प्रकार संभव है? उक्त तथ्यों के आलोक में सिद्ध होता है कि उक्त कार्य फर्जी है। तथा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपया 72500-00 आलोक में सिद्ध होता है कि उक्त कार्य फर्जी है। तथा काल्पनिक व्यय दर्शाकर रुपया 72500.00 रुपया 28596(मजदूरी व्यय)=कुल रुपया 101096-00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. लेखाकार, कार्य प्रभारी, जेई से समान रूप से अपेक्षित है।

प्रस्तर-86 वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायतव मनरेगा से वर्ष 2014-15 में कराये जाने वाले कार्यों की निविदाका प्रकाशन राष्ट्रीय स्वरूप समाचार पत्र के लखनऊ संस्करण के कराया गया जबकि इसकी पहुंच फैजाबाद जनपद में नहीं है। इसे जनपद में प्रचलित किसी समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाना चाहिए था। अतः अमन्त्रित टेण्डर/कोटेशन का आदेश अनियमित रहा तथा इस पर कुल व्यय रुपया 39178-00 अनियमित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-87 अम्बरपुर में सहकारी समिति से शंकर दयाल शुक्ला के घर तक एवं अमरजीत के घर तक सी०सी०रोड का कार्य।

लं०= 200 मी. चौ० 0-3 मी.

कार्य प्रभारी— रामदेव भारती

मे० भवानी ट्रेडर्स की निविदा स्वीकृत की गई। स्टीमेट के विरुद्ध निम्न विवरण के अनुसार खरीद की गई।

क्रमांक स्टीमेट के अनुसार खरीद वास्तविक खरीद अंतर की मात्रा धनराशि

1— प्रथम श्रेणी ईट—8887 नग दर 6-4 नग 13000नग 4113 नग 26323-00

एम०आर० के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि 15-08-2014 को स्वतंत्रता दिवस के दिन भी कार्य दिखाया गया जो उचित नहीं है। 15 अगस्त पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तथा इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि रुपया 26323-00 की अधिक ईट क्रय दर्शाकर गबन किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर—88 सौरी प्रा०वि० से मस्जिद तक सी०सी० रोड कार्य

लं० 70 मी. प्राक्कलन—2-17 लाख

]ण्ड विकास अधिकारी—श्री संजय कुमार

जेई आर०ई०डी० श्री बी०पी० दूबे

कार्य प्रभारी— श्री रामदेव भारती ए०डी०ओ०आई०एस०बी० लेखाकार जगजीवन प्रसाद

निर्माण पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्राक्कलन के अनुसार लेबर कास्ट रुपया 23546-00 होनी चाहिए जबकि मजदूरी पर रुपया 45960-00 व्यय किया गया इस प्रकार रुपया 22414-00 का अधिक व्यय दर्शाया गया। उल्लेखनीय यह भी है एक ही मस्टर रोल पर दिनांक 01-10-2014 से 10-10-2014 तक तथा 01-12-2014 तक कुल 20 दिनों का एम० आ० बनाया गया तथा इसका भुगतान रु० 45960-00 एकमुश्त कार्य प्रभारी श्री रामदेव भारती को दिया गया जोकि नियमानुसार नहीं है। अलग-अलग 02 मस्टर रोल प्रस्तुत करके समय से श्रमिकों का भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार रुपया 22414-00 का अपहरण खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, कार्य प्रभारी तथा जेई आर०ई०डी० की दुरभिसंधि से कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर रुपया 5603-00 प्रत्येक से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—89 टीकाराम पुरवा में मिट्टी व सोलिंग का कार्य—

लम्बाई—400 मी० चौ० 2-3मी०

प्राक्कलन—5-63 लाख कार्य प्रभारी— रामदेव भारती ए०डी०ओ० आई एस०बी०

आलोच्य वर्ष 2014-15 में कराये गये उक्त कार्य की अल्पकालीन निविदा राष्ट्रीय स्वरूप समाचार पत्र में दिनांक 20-08-2014 के अंक में क्रमांक—5 पर अनुमानित लागत 4-35 लाख दर्शायी गई है। जोकि वास्तविक प्रयुक्त ईटे 54464 नग होनी चाहिए परन्तु प्रकाश ब्रिक फील्ड ले 55000 नग ईट क्रय करके 356 ईटे अधिक क्रय की गई जिसका मूल्य 6-4 प्रति ईट की दर से कुल रुपया 3430-00 होता है। इसी क्रम में स्टीमेट में जिसका मूल्य 6-4 प्रति ईच की दर से कुल रुपया 3430-00 होता है। इसी क्रम में स्टीमेट में लेबर कम्पोनेंट पर रुपया 60968-00 का व्यय ही दर्शाया गया है, परन्तु कार्य प्रभारी द्वारा 110808-00 की मजदूरी आहरित की गई। इस प्रकार रुपया 110808-00—रुपया 60968-00=रुपया 49840-00 अधिक आहरण करके अपहरण किया गया। एम.बी संख्या—03 के पृष्ठ 52 पर भी ईट हेतु एम.बी गलत है। यह 935 वर्ग मी. होना चाहिये परन्तु यह 945 वर्ग मी. अंकित है। सुधार अपेक्षित है। मिट्टी ढुलाई का की साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि स्टीमेट में 1925/घन मी. मिट्टी की ढुलाई 72 रुपया प्रतिघन मी. की दर से कुल 138600 प्रावधान किया गया है। परन्तु मिट्टी ढुलाई का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार बिना मिट्टी का उपयोग किये खडंजा का निर्माण करा देना वास्तविकता के विपरीत है तथा इस कार्य पर खर्च की धनराशि में से रुपया 3430-00+99840-00=कुल रुपया 53270-00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर—90 गौरा ब्रह्मनान में ब्रदी पासी के घर से राम गोपाल के घर तक सी.सी.रोड कार्य—निर्माण पत्रावली के अवलोकन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई—

(क) आमंत्रित निविदा में कार्य की धनराशि 2-58 लाख, परन्तु इस्टीमेट बनाया गया 4-23 लाख का।

(ख) सामग्री आपूर्ति विकास ट्रेडर्स से प्राप्त की गयी जिसमें कुल 370 बोरी सीमेन्ट की सप्लाई रुपया 355-00 की दर से किया जाना था परन्तु

1— दिनांक 25-08-2014 को 100 बोरी सीमेन्ट क्रय की गयी रुपया 355-00 प्रति बोरी की दर से, कुल धनराशि रुपया 35500-00

2— दिनांक 30-08-2014 को 270 बोरी सीमेन्ट क्रय की गयी रुपया 312-00 की दर से।

कुल धनराशि 84240-00

एक ही कार्य पर एक ही फर्म द्वारा 5 दिन के अन्तर में ही 43 रुपया प्रतिबोरी का अन्तर दर्शित है। कोई भी आपूर्ति कर्ता तय दर से कम दर पर सीमेन्ट की आपूर्ति करके रुपया 11610-00 का नुकसान क्यों उठायेगा? इससे स्पष्ट है कि क्रय की गयी सामग्री फर्जी है। तथा पूरा कार्य फर्जी प्रतीत होता है।

उपरोक्त कार्य पर रुपया 72060-00 मजदूरी पर व्यय किये गये तथा 115230.00 रुपया की ईट क्रय की गयी एवं विकास ट्रेडर्स को सामग्री क्रय का भुगतान रुपया 105450-00 कुल रुपया 292740-00 की भुगतान फर्जी दर्शाकर काल्पनिक कार्य पर व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। इस प्रकार इस कार्य पर व्यय कुल धनराशि रुपया 292740-00 की ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. लेखाकार कार्य प्रभारी व जेई से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-91 ब्लॉक सोहावल मुख्यालय पर पेवर ब्लॉक का कार्य- स्टीमेट 2-85 लाख कार्य प्रभारी- रामदेव भारती

निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि अखबार में प्रकाशित निविदा दिनांक 02-08-2014 के अनुसार अनुमानित लागत रु० 6-15 लाख दर्शाई गयी जो कि स्टीमेट से 3-30 लाख अधिक दर्शित पाया गया। खण्ड विकास अधिकारी, सोहावल के पत्रांक मेमो/दिनांक 07-08-2014 द्वारा प्रकाश ब्रिक फील्ड से ईट सहित निर्माण सामग्री का क्रय किये का आदेश किया गया जिसमें निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईं-

(क) प्रकाश ब्रिक फील्ड ईट निर्माता भट्टा है, न कि सामग्री का सप्लायर।

(ख) क्रयादेश में सीमेन्ट 80 बैग रुपया 312-00 प्रतिबैग की दर से कुल रुपया 18720-00 लिखा गया है। जबकि यह रुपया 24960-00 होना चाहिए। इस प्रकार रुपया 6240-00 कम अंकित किया गया।

(ग) पेपर ब्लॉक की खरीद 6500 नग रुपया 18 प्रतिनग रुपया 117140-00 अंकित है। जबकि यह रुपया 117000-00 होना चाहिए। इसमें भी रुपया 140-00 अधिक अंकित है।

(घ) कराये गये कार्य पर मजदूरी के मस्टर रोल का योग रुपया 78816-00 होना चाहिए परन्तु कार्य प्रभारी द्वारा रुपया 78776-00 का ही भुगतान किया गया। इस प्रकार किसी मजदूर को 40 रुपया कम भुगतान किया गया।

(ङ) एम.बी संख्या 03 के पृष्ठ 125] 126 पर भी उपरोक्त कमियाँ यथावत दर्शित पाई गयी। इस प्रकार एम०बी० कर्ता जेई की लापरवाही भी प्रदर्शित होती है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दर्शित कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। अस्तु इस कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रुपया 277876-00 अनियमित है। तथा वसूली योग्य है। इसकी वसूली बी.डी.ओ. लेखाकार कार्यप्रभारी तथा जेई से समान रूप से अपेक्षित है।

18-ग्राम सभा गौरा कुर्मियान रौनाही ड्योढी मार्ग से कपिल देवके घर तक मिट्टी एवं सोलिंग कार्य-

निर्माण पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि एम.आर का योग रुपया 58896-00 है परन्तु भुगतान रुपया 59196-00 का किया गया। इस प्रकार 300.00 रुपया का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. लेखाकार कार्य प्रभारी से अपेक्षित है।

एम०बी-03 के पृष्ठ 28 व 48 पर भी उपरोक्त त्रुटि की पुष्टि होती है।

प्रस्तर-92 मोड़िया में नंदलाल के घर से रामबचन के घर तक सी.सी.रोड लम्बाई-170 मी. स्टीमेट-5-64 लाख कार्य प्रभारी-रामदेव भारती स्वीकृत निविदा- मे० विकास ट्रेडर्स। निर्माण पत्रावली के अवलोकन में ज्ञात हुआ कि मे० विकास ट्रेडर्स स रुपया 34977-00 का बिल प्राप्त करके उस पर 2-246 प्रतिशत आयकर 8756-00 रुपया कटौती करते हुए रुपया 341914-00 के बिल से रुपया 61000-00 कम करके (कारण स्पष्ट नह) रुपया 281914-00 का भुगतान किया जाना अंकित है। तथा यही धनराशि एम.बी. में भी अंकित है, जबकि यह धनराशि रुपया 280914-00 होती है। इस प्रकार रुपया 1000-00 का अधिक भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसकी वसूली बी.डी.ओ. कार्यप्रभारी व जेई से कराया जाना अपेक्षित है।

इसी क्रम में रोकी गई धनराशि रुपया 61000-00 का भुगतान चेक संख्या-000180 दिनांक 18-12-2014 को ही विकास ट्रेडर्स को किया गया। एक ही दिन में रुपया 61000-00 रोक लेना तथा उसी दिन उसका भुगतान कर देना संदेह उत्पन्न करता है। अस्तु किया गया व्यय रुपया 61000-00 अनियमित है।

प्रस्तर-93 दिगम्बर पुर में वसन्त पाल के घर तक सी.सी. रोड (2014-15)

लम्बाई-100 मी स्टीमेट-3-11 लाख

कार्यप्रभारी-श्री रामदेव भारती बी.डी.ओ. श्री संजय शर्मा

जे०ई० श्री बी.पी. दूबे

उक्त कार्य की निर्माण पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं-

(क) प्रस्तुत किये गये टेण्डर में भवानी ट्रेडर्स, लखनऊ रोड सोहावल का टेण्डर स्वीकृत हुआ, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी, सोहावल के पत्रांक मेमो/2013-14 दिनांक 23-05-2014 को सप्लाय आर्डर पर फ्लूड लगाकर अमित ट्रेडर्स 1536] देहली, दरवाजा फ़ैजाबाद को सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया। जबकि अमित ट्रेडर्स ने निविदा डाली ही नहीं थी। इस प्रकार निविदा प्रक्रिया पूर्णतया गलत है।

(ख) स्टीमेट में प्रथम श्रेणी ईट की खरीद 4445 नग दर्शित है। परन्तु वास्तव में 14000 नग ईट क्रय किया गया। इस प्रकार 14000-4445=9555 नग अधिक ईट का क्रय करके प्रस्तावित दर रुपया 5-59 प्रति ईच के आधार पर

9555×5-59 =रुपया 5342 का अपहरण किया गया जिसकी वसूली बी.डी.ओ. लेखाकार कार्यप्रभारी व जेई से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-94 सोखावा में ललकीपुरवा के बरहिया सम्पर्क मार्ग से हौसला पाण्डे के घर तक सी.सी. का निर्माण-
लम्बाई-150 मी. स्टीमेट 4- 99

कार्यप्रभारी-रामदेव भारती जेई अनिल श्रीवास्तव

निर्माण पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि स्टीमेट में 6665 ईट का प्रावधान किया गया है। परन्तु विकास ट्रेडर्स के बिल संख्या 1 दिनांक 10-10-2014 द्वारा 6200 नग बिल संख्या -2 दिनांक 09-12-2014 द्वारा 800 नग तथा बिल संख्या 3 दिनांक 16-12-2014 द्वारा 8700 नग ईट क्रय कुल 16700 नग ईट क्रय किया जाना दर्शित है। इस प्रकार 16700-6665= 10035 नग ईट अधिक क्रय कर 10035×6- 2:पया 62217-00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. कार्य प्रभारी लेखाकार तथा जेई से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

पुनः यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम व द्वितीय बिल में ईट की दर रुपया 6400 प्रति हजार अंकित है, जबकि तृतीय बिल में इसकी दर 6200 प्रति हजार अंकित है। एम. बी. 3 के पृष्ठ संख्या 150 पर भी इसी आधार पर भुगतान किया जाना दर्शित है। ईट की दर में विरोधाभास क्यों? स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

प्रस्तर-95 लखौरी मार्ग से बिजली भवानी तक सी.सी.रोड का कार्य (2014-15)

लम्बाई-170 मी. स्टीमेट-4-74 लाख

स्टीमेट के अनुसार 7554 ईटे लगना चाहिए तता दर 6-4 प्रतिनग होनी चाहिए। सीमेन्ट 414 बोरी दर रु० 360 प्रति बोरी।

कार्यप्रभारी रामदेव भारती। टेण्डर स्वीकृत हुआ प्रकाश ब्रिक फील्ड का

पत्रावली क जांच में पाया गया कि प्रकाश ब्रिक फील्ड के लेटर पैड पर बिल बनाकर दिनांक 24-08-2014 को प्रस्तुत किया गया जिसका योग्य रुपया 295050-00 का भुगतान किया गया। परन्तु बिल 322950-00 का भुगतान किया गया।

इस प्रकार रुपया 322950-00 का अधिक भुगतान दर्शाकर धन का गबन किया गया। एम.बी.-3 के अनुसार पृष्ठ संख्या 78 पर भी सब की संख्या 5000 अंकित है। जबकि बिल में 500 नग अंकित है। एम.बी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। अथवा गलत बिल का भुगतान किया गया है। जबकि स्टीमेट में सब ब्रिक का की जिक्र तक नहीं है। अतः गबन की गई धनराशि का 27900-00 की ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ. लेखाकार, कार्य प्रभारी व जेई से अपेक्षित है।

प्रस्तर-96 मीरपुर में बाबूलाल रावत के घर से कनक बाबू सिंह के घर तक सी.सी. प्रस्तुत किये गये एम.आर का योग 71988-00 है जबकि 71832-00 होना चाहिए। इस प्रकार रुपया 156-00 का अधिक भुगतान दर्शाकर गबन किया गया है। जिसकी वसूली कार्य प्रभारी, बी.डी.ओ., लेखाकार व जेई से की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय यह भी है कि स्टीमेट में कुल 360 बोरी सीमेन्ट का प्रावधान किया गया था, परन्तु 205 बोरी सीमेन्ट ही क्रय की गई। इस प्रकार 155 बोरी सीमेन्ट कम क्रय करके कार्य पूर्ण किया जाना दर्शित है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कार्य भी गुणवत्ता निम्नकोटि की रही। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-97 मसौधा मार्ग से भुलईपुरवा में सी.सी. रोड का निर्माण-

स्टीमेट-5-50 जेई श्री बी.पी.दूबे

बी.डी.ओ. श्री संजय शर्मा, कार्य प्रभारी श्री रामदेव भारती

माँ ज्वावा देवी ब्रिक फील्ड की निविदा स्वीकृति की गई। निर्माण पत्रावली की जाँचमें पाया गया कि स्टीमेट में कुल ईट 11684 नग वांछित है, परन्तु माँ ज्वाला ब्रिक फील्ड से 15000 नग ईट क्रय की गई। इस प्रकार 3316 नग ईट अधिक क्रय करके रुपया 5-595 प्रति ईट की दर से रुपया 18553-00 का अपहरण किया गया। सप्लाय आर्डर में भी मात्र 11684 ईट की सप्लाय का आदेश दिया गया था। परन्तु सप्लायर द्वारा 15000 नग की आपूर्ति दर्शायी गई जोकि अनियमित होने के साथ-साथ फर्जी प्रतीत होता है। अस्तु गबन की गई धनराशि रुपया 18553-00 की ब्याज सहित वसूली बी.डी.ओ., जेई कार्यप्रभारी व लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-98 आलोच्य वर्ष 2015-16 मे पंचायत निर्वाचन बूथ निर्माण कार्य।

मानदेय मद में रुपया 83435-00 प्राप्त हेआ जिसे चेक संख्या-302743 दिनांक 28-10-2015 द्वारा रुपया 29880-00 तथा चेक संख्या-302748 दिनांक 10-12-2015 द्वारा रुपया 37350-00 कुल रुपया 67230-00 का आहरण कैशियर श्री राजकरन तिवारी द्वारा किया गया परन्तु इसका भुगतान किसे किया गया, साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। बिना साक्ष्य के आहरित किया गया धन लेखा नियमों के अन्तर्गत अपहरण है। अतः रुपया 67230-00 की ब्याज सहित वसूली श्री राजकरन तिवारी, कैशियर से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-99 आलोच्य वर्ष 2015-16 में गोपीनाथपुर मे सी.सी.रोड निर्माण।

स्टीमेट-3-31] लंबाई-120 मी.

कार्य प्रभारी- श्रीराम देव भारती, जेई श्री ए०के श्रीवास्तव

तकनीकी स्वीकृति की तिथि-07-05-2015

कोटेशन आमंत्रित माने की तिथि-07-05-2015

कोटेशन खोले जाने की तिथि-07-05-2015

न्यूनतम दर पर कोटेशन प्रस्तुत किये जाने के कारण सिंह बिल्डिंग मैटेरियल का कोटेशन स्वीकृति किया गया।

दिनांक 07-05-2015 को ही कार्यालय के आदेश पत्रांक में/दिनांक 07-05-2015 को सामग्री आपूर्ति का आदेश सिंह बिल्डिंग मैटेरियल को किया गया तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि 10-05-2015 मस्टर रोल में अंकित पाई गई एवं दिनांक 23-07-2015 को कार्य समाप्त किया मस्टर रोल में दर्शित है, जिसका भुगतान दिनांक 28-07-2015 को कर दिया गया। सामग्री की आपूर्ति सिंह बिल्डिंग मैटेरियल के कैश में नं.-1950 दिनांक 20-08-2015 रूपया 155922-00 प्रस्तुत किया गया, जिस पर 2-24 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती रूपया 3378-00 की कटौती के बाद रूपया 152544-00 का भुगतान किया गया, जबकि उक्त धनराशि पर आयकर कटौती 3568-00 रूपया होती है इस प्रकार रूपया 190-00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। इसी क्रम में दूसरा मस्टर रोल दिनांक 01-08-2015 से 22-08-2015 रूपया 53760-00 प्रस्तुत किया गया। एम.बी. के पृष्ठ 07 पर भी अंतिम भुगतान की तिथि 28-07-2015 अंकित पाई गई। एक ओर सिंह बिल्डिंग मैटेरियल द्वारा सामग्री की आपूर्ति 20-08-2015 को दर्शाया जा रहा है, एम.बी. द्वारा कार्य की पूर्णता की तिथि 28-07-2015 है, दूसरा एम.आर दिनांक 01-08-2015 से दिनांक 22-08-2015 तक दर्शित है। इस प्रकार उपरोक्त विरोधाभासी तथ्यों के आधार पर दिनांक (07-05-2015 को ही तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना, इसी तिथि को कोटेशन आमंत्रित करना, कोटेशन खोलना तथा पत्रांक में से इसी तिथि को सामग्री आपूर्ति का आदेश देना, बिना सामग्री आपूर्तिके ही कार्य को पूर्ण करा देना।) कराया गया कार्य फर्जी प्रतीत होता है तथा दर्शित व्यय का अपहरण किया गया है। तथा इस कार्य पर दर्शित व्यय रूपया 296384-00 की ब्याज सहित वसूली संबंधित बी.डी.ओ. लेखाकार, कार्य प्रभारी एवं जेई से अपेक्षित है।

प्रस्तर-100 भुलई का पुरवा, सुरवारी में शिवपूजन एवं सत्यनारायन के घर तक नलकूप तथा खडंजा कार्य।

स्टीमेट-1-29 लाख, कार्य प्रभारी-मनोज कुमार वर्मा ए.डी.ओ.एस.टी

लंबाई-60 मी० चौड़ाई-3-3 मी०

प्रकाश ब्रिक फील्ड का कोटेशन स्वीकृत किया गया और 07-05-2015 को ही ईट आपूर्ति का आदेश प्रकाश ब्रिक फील्ड को किया गया, परंतु आदेश में न तो मात्रा और न ही धनराशि का विवरण अंकित पाया गया। अतः आपूर्ति आदेश फर्जी है। फर्म द्वारा कैश में क्रमांक-27 बुक संख्या-1 दिनांक 06-08-2015 द्वारा 8000 नग रूपया 6-2 प्रति नग की दर से कुल रूपया 49600-00 में से रूपया 1114-00 की आयकर कटौती के पश्चात रूपया 48486-00 का भुगतान किया गया, जबकि माप के अनुसार अधिकतम 11721 नग ईट की ही आवश्यकता पड़ती, परन्तु मात्र 8000 ईट का प्रयोग करके पूर्ण कर दिया गया। एम.आर. पर कुल व्यय रूपया 43830-00 होना चाहिए, परन्तु व्यय हुआ रूपया 26600-00। इस प्रकार स्टीमेट में दर्शित सम्पूर्ण कार्य नहीं कराया जा सका। एम.बी-4 के पृष्ठ संख्या-32 पर पाया गया कि कुल 41×3-3 मी० ही खडंजा लगाया है जिस पर खडंजा लगवाई रूपया 47442-00 तथा मिट्टी पट्टाई पर रूपया 9741-00 कुल रूपया 17183-00 का ही व्यय इस कार्य पर किया जाना चाहिए। परन्तु कार्य प्रभारी द्वारा रूपया 26600-00 का एम.आर. प्रस्तुत किया गया तथा जेई द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इस प्रकार रूपया 9417-00 का अधिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रूपया 9417-00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी जेई, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार द्वारा की जानी अपेक्षित है। 60 मी०×3-3 मी० खडंजा के स्थान पर 41 मी०×3-3 मी० में ही खडंजा लगाया गया जिससे कराया गया कार्य अपने उद्देश्य की पूर्ति में विफल रहा।

प्रस्तर-101 मंगलसी (अहिरन पुरवा) में खडंजा) में खडंजा कार्य-

स्टीमेट-4-94 लाख, लम्बाई×चौड़ाई=225मी०×3-3 मी०

कार्य प्रभारी-श्री मनोज कुमार वर्मा ए.डी.ओ.एस.टी

नियुक्ति-पत्रांक में दिनांक 07-05-2015

प्रकाश ब्रिक फील्ड का कोटेशन स्वीकृत हुआ तथा आपूर्ति आदेश दिनांक 07-05-2015 को किया गया जिसमें आपूर्ति की जाने वाली सामग्री (ईट) की मात्रा व धनराशि अंकित नहीं पाई गई, दोनों कालम रिक्त पाये गये। अतः आपूर्ति आदेश फर्जी प्रतीत होता है। ईट क्रय के बिल का भुगतान कैश में पर न होकर लेटर पैड पर ही दर्शित विवरण के अनुसार 42500 नग रूपया 6-2 की दर से चेक संख्या 208 दिनांक 08-07-2015 द्वारा रूपया 263500-00-5918-00 (टी.डी.एस.) रूपया 257582-00 कर दिया गया। इस प्रकार 1462 ईट कम प्रस्तुत हुई। मस्टर रोल की जाँच में पाया गया कि कार्य दिनांक 01-06-2015 से 30-06-2015 तक कराया गया जिसमें 03 राजमिस्त्री रूपया 77140-00 का एम.आर. प्रस्तुत किया गया, जबकि एम.आर. में दर्शित मजदूरी की मजदूरी का योग 86478-00 होना चाहिए। इस प्रकार रूपया 9338-00 कम दिखाया गया। इससे सिद्ध होता कि प्रस्तुत एम.आर. फर्जी है। एम. बी-3 के पृष्ठ 180 पर भी एम.आर. के भुगतान की धनराशि रूपया 77140-00 अंकित है। दूसरा एम.आर. 23856-00 रूपया का है। जिसका अंकन एम.बी-3 के पृष्ठ संख्या-180 पर है। इस प्रकार परियोजना पर कुल व्यय रूपया 373828-00 के स्थान पर रूपया 364496-00 ही दर्शित पाया गया। नियमों के विपरीत क्षेत्र पंचायत द्वारा गाँव के

अन्दर कार्य कराया गया। तथा मिट्टी के प्रयोग होने का कोई साक्ष्य भी लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया इस प्रकार दर्शित कार्य के फर्जी होने की पूर्ण संभावना है कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार परियोजना पर दर्शित व्यय रूपया 373828-00 के अहरण से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री मनोज कुमार वर्मा, जेई आर.ई.डी.लेखाकार बी.डी.ओ. से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-102 खिरौनी में पश्चिम तरफ सड़क से हनुमान मंदिर तक सी.सी. रोड का कार्य ।

लम्बाई-40 मी, चौड़ाई 3-00 मी.

स्टीमेट 1-30 लाख, कार्य प्रभारी -श्री रामदेव भारती ए.डी.ओ . आई एस बी

नियुक्ति-मेमोंधदिनांक 07-05-2015 कोटेशन स्वीकृत-श्री भवानी ट्रेडर्स

सामग्री आपूर्ति कौशमेमों पर न होकर लैटरपैड पर दिनांक 20-07-2015 की गई जिसका योग्य रूपया 83000-00 अंकित है, जबकि वास्तव में इसका योग रूपया 93000-00 होना चाहिए। इस प्रकार रूपया 10000-00 कम अंकित है। एम.बी-4 के पृष्ठ-03 पर भी जेई द्वारा सामग्री की एम.बी 83000-00 की ही अंकित की गयी है तथा रूपया 83000-00 को ही आधार मानकर टी.डी.एस रूपया 1864-00 काटा गया है जबकि यह रूपया 93000-00 के आधार पर रूपया 2088-00 होना चाहिए। इस प्रकार रूपया 225-00 के सरकारी राजस्व की भी क्षति हुई। इस्टीमेट में कुल ईट 1946 नग क्रय किया जाना प्रस्तावित है जबकि वास्तव में 3500 ईटे ही प्रयोग कि गयी। इस प्रकार 3500-1946= 1554नग अधिक अंकित ईटे प्रयुक्त होना दर्शाया गया है। रुपये 6-4 प्रति ईट की दर से रूपया 9945-00 का अपहरण किया गया। इस प्रकार वास्तविक व्यय रूपया 138774-00 होना चाहिए परन्तु निर्माण पत्रावली में रूपया 128774-00 अंकित है जो कि गलत है इस प्रकार अनुमानित लागत 1-30 लाख से रूपया 8784-00 अधिक व्यय हुआ। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत बिल, जेई की एम.बी इत्यादि एक ही व्यक्ति द्वारा बनाये गये है तथा धरातल पर कोई कार्य नहीं कराया गया है, सम्पूर्ण कार्य पर व्यय धनराशिरूपया 138474-00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी, बी.डी.ओ, लेखाकार व जेई से अपेक्षित है।

प्रस्तर-103 क) वित्तीय वर्ष 2014-15 में कराये गये निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रही।

क्रमांक	कार्यसन्निहित	धनराशि रुपये में
1-	32 सोलर साइट क्रय	851476-00
2-	धौरहरा में जोखू पासी के घर तक सी.सी.	44234-00
3-	मुस्तकाबाद में रामप्रकाश गुप्त के घर तक सी.सी.	245127-00
4-	सारंगपुर में सुभाष इंटर कालेज में सी.सी	218919-00
5-	पशु चिकित्सालय सोहावल में मरम्मत	468492-00
6-	ढेमवाघाट पर यात्री विश्रामालय निर्माणधमरमत	486503-00
7-	ब्लॉक परिसर में मरम्मत, रंगाई व पुताई	455795-00
8-	32 सोलर लाइट क्रय	850850-00
9-	गोपीनाथ पुर में मंदिर तक सी.सी.	324516-00
10	बी.डी.सी. बैठक यात्रा व्यय	60000-00
11-	रामशंकर सिंह सं वि अ(पं) कम्प्यूटर	4250-00
12-	आयकर जमा पत्रावली	587863-00
	योग	4598025-00

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-104 (ख) इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत कराये गये निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

क्रमांक	कार्यसन्निहित	धनराशि रूपया में
1-	कुंदुर्खा खुर्द में बरियारीपरी बाबा तक सी.सी.	316594-00
2-	यादवपुरवा बुधौसी में पलिया निर्माण	156331-00
3-	पंचायत उद्योग दर्शननगर से 3 अलमारी क्रय	26920-00
4-	जिला पंचायत उद्योग फ़ैजाबाद से कुर्सी मेज क्रय	25683-00
5-	बी.डी.सी बैठक मानदेय विवरण	60000-00
6-	गोपीनाथपुर में सी.सी. कार्य	209682-00
7-	जयहिंद फास्ट बिजनेस सेंटर से स्टीमेट बनवाई	16000-00
8-	लखौरी में हनुमान मंदिर से मोटरू के घर तक सेलिंग कार्य	610372-00
9-	भवानी ट्रेडर्स लखौरी साइन बोर्ड क्रय	7000-00

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

7 क्षेत्र पंचायत रुदौली वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-105 ऑडिट टीम बार बार मौखिक एवं लिखित रूप से मांग करने के बावजूद विकास खण्ड कार्यालय द्वारा निविदा फार्म ब्रिक्री पंजिका लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्षों में कम से कम 50 कार्य कराये गये हैं। और प्रत्येक कार्य के लिए न्यूनतम तीन-तीन निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म कि ब्रिक्री हुई जिससे संस्था को रु० 75000.00 की आय हुई। उक्त आय को संस्थी की आय न दर्शाकर खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया। जिनकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री नागेन्द्र मोहन त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री संजय नारायण आचारी से बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है। (सा.आ. सं.09)

प्रस्तर-106 आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा के दौरान ऑडिट टीम बार-बार मौखिक एवं लिखित मांग करने के बावजूद निम्नलिखित भुगतानित धनराशियों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

क्र.सं	दिनांक	चेक नं.	धनराशि	सम्बन्धित फर्म	व्यक्ति का नाम
1-	24.09.2014	725707	869543.00		श्री देवेन्द्र सिंह
2-	07.04.2016	273488	103100.00		श्री देवेन्द्र सिंह
3-	12.04.2016	273493	42955.00		श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या
4	02.01.2017	001936	25010.00		श्री सुशीम कुमार जयंत
5-	28.01.2017	001937	170513.00		श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
6-	28.01.2017	001941	308256.00		श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
7-	28.01.2017	001943	285940.00		श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
8-	28.01.2017	001947	329034.00		श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
9-	28.01.2017	—	302026.00		श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
10	28.01.2017	273520.00	40000.00		श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
योग- 2476377.00					श्री देवेन्द्र कुमार सिंह

इस प्रकार कुल धनराशि रुपया 2476377.00 के भुगतान बाउचर प्रस्तुत न कर धन का अपहरण कर लिया गया अतः जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169(2) के खण्ड के से ड तक के अन्तर्गत अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री नागेन्द्र मोहन त्रिपाठी, लेखाकार श्री संजय नारायण से किया जाना अपेक्षित है। (सा.आ.सं.-10)

प्रस्तर-107 क्षेत्र पंचायत रुदौली की वित्तीय वर्ष 2014-15 में करीमपुर डाभर सड़क से पुलिया नाला तक खंडजा कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि इस कार्यमें कुल रुपया 313086.00 (श्रमांश 56836.00 सामग्री 256250.00) व्यय दर्शित है जिनपर निम्न आपत्तियाँ पायी गयी।

1- पत्रावली में संलग्न तीनों निविदा फार्म के साथ पैन नं टिन न. एवं जमानत जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाणक अप्राप्त रहा।

2- जिला पंचायत-क्षेत्र पंचायत नियमावली-1965 के नियम 120 अध्याय 11 के अनुसार मिट्टी पटाई के छः माह बाद सॉलिंग कार्य किया जाना चाहिए किन्तु यहां नियम के विरुद्ध तुरन्त कराया गया है।

3- मजदूरी का भुगतान सप्ताहिक न करके कार्य समाप्ति के बाद किया गया साथ ही मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। हस्ताक्षर अंगूठा निशानधनाम सभी एक ही हस्तलेख में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर-156 की जगह 212 की दर से किया गया है।

4- पत्रावली में साइन बोर्ड, फोटोग्राफी से सम्बन्धित कोई प्रमाणक संलग्न नहीं रहा।-

5- पत्रावली के साथ एम.बी.लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजनाबद्ध तरीके से रुपया 313086.00 का भुगतान कर लिया गया जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री शंभू लाल, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण, कार्यप्रभारी श्री मनीश कुमार एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं.-11)

प्रस्तर-108 वित्तीय वर्ष 2014-15 में बरावाँ में सोमई के खेत से दीवाने के खेत तक सोलिंग कार्य पर रुपया 358379.00 (श्रमांश-117272 एवं सामग्री पर 241107) व्यय दर्शित है। जिसके पत्रावली की जांच में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी।

1- निविदा कर्ता द्वारा निविदा फार्म के साथ पैन नं टिन न. एवं जमानत जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाणक संलग्न नहीं किया गया जिसके अभाव में टेण्डर स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

2— इस योजना पर विगत तीन वर्षों में किसी अन्य योजना से कार्य न कराये जाने का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

3— उ०प्र० क्षेत्र पंचायत-जिला पंचायत नियमावली-1965 के नियम 120 अध्याय 11 के अनुसार मिट्टी पटाई के छः माह बाद खंडजा लगवाया जाना चाहिए किन्तु यहां नियम के विरुद्ध तुरन्त कराया गया है।

4— मस्टर रोल पर कार्य अवधि 17.10.2014 से 05.11.2014 तक अंकित है जबकि मजदूरी भुगतान प्रभारी को 17.11.2014 को किया गया। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरी का भुगतान कब किया गया इसका उल्लेख नहीं है।

5— मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। हस्ताक्षर अंगूठा निशानधनाम सभी एक ही हस्तलेख में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर-156 की जगह 212 की दर से किया गया है। जो सामान्य से बहुत अधिक है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि सौलिंग कार्य पर व्यय रूपया 358379.00 अवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर भुगतान कर लिया गया जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भूलाल जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी मनीष कुमार एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-12)

प्रस्तर-109 वित्तीय वर्ष 2014-15 में बारी में पूरेसरमऊ जगबरन के खेत से जगजीवन के दरवाजे तक खण्डजा कार्य पर रूपया 1105593.00 (श्रमांश-196640, सामग्री-908953.00) व्यय किया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयीं।

1— पत्रावली में स्वीकृत कार्ययोजना संलग्न नहीं रही। कराया गया कार्य क्षेत्र पंचायत के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वही कार्य कराये जायेगे जो एक राजस्व गांव दूसरे राजस्व गांव को जोड़ते है। अतः कराये गये कार्य पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2— किसी भी निविदा कर्ता द्वारा पै न. टिन नं. एवं सिक्वोरिटी मनी फार्म के साथ जमा नहीं किया गया है। इसके बावजूद टेण्डर स्वीकृत कर दिया गया है। जो नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन है अतः स्वीकृत फार्म को किया गया भुगतान नियम विरुद्ध है।

3— प्राक्कलन के अनुसार ई/डब्ल्यू-(1×18)50×3.30×.30

एम.बी के अनुसार ई/डब्ल्यू-(1×25)30×3.30×.30

इससे स्पष्ट है कि प्राक्कलन के ही एम.बी में उतार दिया गया है यह कैसे सम्भव है कि 750 मी. सम्पर्क मार्ग पहले से समतल था तो उस पर मिट्टी डालने की क्या आवश्यकता थी? अतः प्राक्कलन एवं एम.बी दोनों केवल कागजों पर बनाये गये हैं। धरातल पर वास्तविकता में कार्य कराया नहीं गया है पुनः एम.बी में 31.5 मी खंडजा 5.15 मी की चौड़ाई में लगाया गया दर्शित है जब मिट्टी समान रूप से 3.30 मी. की चौड़ाई में डाली गयी है तो खण्डजा 5.15 मी चौड़ा कैसे लगवाया जा सकता है। प्राक्कलन में भी समान रूप से 3.30 मी. चौड़ा खंडजा अंकित है। अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

4— ईट की आपूर्ति सम्बन्धित चालान बिल कार्य प्रभारी द्वारा रीसिव कर पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी है। साथ ही आपूर्ति कर्ता द्वारा प्रस्तुत भुगतान बिल के साथ चालान काँपी संलग्न नहीं की गयी है। चालान के अभाव में ईट के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

5— मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान/नाम सभी एक ही हस्तलेख में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर-156 की जगह 212 की दर से किया गया है। अधिक दर से भुगतान कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। मस्टर रोल पर कार्यावधि 01.10.2014 से 29.10.2014 अंकित है। जबकि मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को 05.12.2014 को किया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरी का भुगतान कब और कैसे किया गया है। सम्बन्धित प्रमाणक पत्रावली नहीं पाया गया है। अतः मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि खंडजा कार्य पर व्यय रूपया 1105593.00 अवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर भुगतान कर लिया गया जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भूलाल जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी शिवराम एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-13)

प्रस्तर-110 आलोच्य वर्ष 2014-15 में सिपाह भट्ट में शिव मंदिर के पास सम्पर्क मार्ग पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य पर रूपया 679647.00 व्यय दर्शित है। पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं।

1—स्वीकृत कार्ययोजना पत्रावली में संलग्न नहीं रही।

2—पत्रावली की जाँच में प्राक्कलन एम. एम.बी में निम्न प्रकार का अन्तर पाया गया।

क्र.सं मदवार

प्राक्कलन के अनुसार

एम.बी. के अनुसार

अन्तर

1—	ई/डब्ल्यू	182.25 मी3	—	—
2—	बी/डब्ल्यू में 1रू4	13.25 मी3	2.26 मी3	10.99मी3 कम
3	पी.सी.सी 1रू6रू12	60.75मी3	63.59मी3	2.84मी3अधिक
4—	एस/एफ पॉवर ब्लॉक	607.50 मी2	636.10मी2	28.6 मी2 अधिक

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सम्पर्क मार्ग पर न तो मिट्टी डाली गयी और न ही समतली करण कराया गया। 96 मी. लम्बाई में दोनों तरफ 9 इंच की दीवार बनायी गयी थी। जबकि मात्र 32.80 मी. ही दीवार बनाई गयी। साथ ही पेवर ब्लॉक बिना ईट की दीवार बनाये कैसे लगा दिया गया। प्राक्कलित धनराशि—7.44 लाख के सापेक्ष 6.79 लाख व्ययकर लिया गया किन्तु प्राक्कलन एवं एम.बी के तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट नहीं है कि कार्य कराये बिना भुगतान रूपया 699647.00 ले लिया गया। भुगतान कर लिया गया जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भूलाल जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी शिवराम एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं—14)

प्रस्तर—111 वित्तीय वर्ष 2014—15 में हाई-वे रोड से हरिहरपुर बलैया में गिरिजा शंकर पंडित के खेत तक सोलिंग कार्य पर रूपया 672866.00(श्रमांश—126552, सामग्री—546314.00) व्यय किया गया है। पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी।

1 प्राक्कलन के अनुसार ई/डब्ल्यू— $(1 \times 10) 50 \times 3.50 \times .30 = 525.00$ मी3

प्राक्कलन के अनुसार बी/डब्ल्यू— $(1 \times 10) 50 \times 3.50 \times .30 = 1650.00$ मी3

एम.बी के अनुसार ई/डब्ल्यू— $(1 \times 10) 50 \times 3.50 \times .30 = 525.00$ मी3

एम.बी के अनुसार बी/डब्ल्यू— $500 \times 3.12 = 1569.48$ मी3

उपरोक्त तुलनात्मक चार्ट से स्पष्ट है कि प्राक्कलन एवं एम.बी दोनों अवास्तविक एवं काल्पनिक है। यह कैसे सम्भव है कि 500 मी. लम्बा सम्पर्क मार्ग पर कोई चेन बनाये जाने की आवश्यकता नहीं हुई सम्पर्क मार्ग पर कही भी चौड़ा/ऊँचाई में अन्तर नहीं पाया गया। यदि सम्पर्क मार्ग समान रूप से समतल था तो उस पर 300 मिट्टी डालने की क्या आवश्यकता थी 30 सेमी. मिट्टी डालकर तुरन्त खडंजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि प्राक्कलन में एम.बी 12.5 प्रतिशत डिडेक्सन अंकित है। जब 12.5 प्रतिशत मिट्टी बैठेगी तो साथ में खडंजा भी बैठ जायेगा इसलिये उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1965 की नियम 120 अध्याय 11 के अनुसार मिट्टी पटाई के छः माह बाद खडंजा लगवाना चाहिए। इसका उल्लंघन कर संस्था को अधिक क्षति पहुँचाई गयी है।

2— मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर—156 की जगह 212 की दर से किया गया है। अधिक दर से भुगतान कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है।

3— ईट की आपूर्ति सम्बन्धित चालान कार्य प्रभारी द्वारा कार्य स्थल पर रिसीव कर पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी है। जिसके आभाव में ईट के किये गये भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती।

4—सोलिंग निर्माण में किसी भी फेज की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी है।

5—स्वीकृत कार्य योजना छायाप्रति पत्रावली संलग्न नहीं है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि सोलिंग कार्य पर व्यय रूपया 672866.00 अवास्तविक एवं काल्पनिक है जो योजना बद्ध तरीक से पत्रावली तैयार कर धन का भुगतान कर लिया गया जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भूलाल जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी विनोद कुमार एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है। (सा.आ.सं—15)

प्रस्तर—112 वित्तीय वर्ष 2014—15 में लोहती सरैया पुल से बरावां डेहवा पुल तक खण्डजा मरम्मत कार्य पर व्यय रूपया 1116606.00(श्रमांश—420436.00 सामग्री—696170.00) व्यय किया गया है। पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी।

1— प्राक्कलन के अनुसार डिस्टमेन्टेनिंग सोलिंग— $1500 \times 3.40 = 5100.00$ मी2

एम.बी के अनुसार डिस्टमेन्टेनिंग सोलिंग— $1500 \times 3.22 = 4840.00$ मी2

प्राक्कलन के अनुसार ई/डब्ल्यू— $1500 \times 4 \times .30 = 1800$ मी3

एम.बी के अनुसार ई/डब्ल्यू— $1500 \times 3.30 \times .30 = 1336.50$ मी3

प्राक्कलन के अनुसार बी/डब्ल्यू— $1500 \times 3.30 = 4950.00$ मी2

एम.बी के अनुसार बी/डब्ल्यू— $1500 \times 3.25 = 4875.00$ मी2

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्राक्कलन एवं एम.बी कार्यस्थल बिना देखे तैयार किया गया है। प्राक्कलन में पुराने खंडजे के चौड़ाई 3.4 मी. अंकित है और एम.बी उसी खंडजे की उखडवायी में चौड़ाई 3.22 मी. अंकित है। साथ ही पुराने खंडजे से 50 नग ईट प्रति वर्ग मीटर प्राप्त दर्शित है। जबकि किसी भी खंडजे में 58 नग ईट से

कम प्रति वर्ग मी. में नहीं आता। अतः 8 नग ईट वर्ग प्रति वर्ग मी० की क्षति की गई। सबसे आश्चर्यजनक यह है कि 1500 मी. लम्बा खण्डजा में चेन नहीं बनाया गया है। कितने-कितने दूरी पर और कितना खण्डजा डैमेज/क्षतिग्रस्त है। इसकी जानकारी प्राक्कलन एम.बी. से नहीं की जा सकती। साथ ही प्राक्कलन एम.बी. में दोनों में समान रूप से 1500 मी. तक 30 सेमी की ऊँचाई/ मोटाई में मिट्टी डाली गयी है। जिसका तात्पर्य यह है कि पुराना खण्डजा कहीं पर बैठानहीं था यह अप डाउन नहीं था। फिर खंडजा उखड़वाने की क्या आवश्यकता थी अतः 30 सेमी मिट्टी डालकर तुरन्त खण्डजा लगा दिया गया और मिट्टी में 12.5 प्रतिशत डिडेक्शन दर्शित है। अर्थात् मिट्टी बैठेगी तो खण्डजा भी बैठेगा। इसलिये उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिलापंचायत अधिनियम 1965 के नियम 120 अध्याय 11 के अनुसार मिट्टी पटाई के 6 माह बाद खण्डजा लगवाना चाहिए इसका उल्लंघन कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी है।

उपरोक्त तुलनात्मक चार्ट से स्पष्ट है कि प्राक्कलन एवं एम.बी. दोनों अवास्तविक एवं काल्पनिक है। यह कैसे सम्भव है कि 500 मी. लम्बा सम्पर्क मार्ग पर कोई चेन बनाये जाने की आवश्यकता नहीं हुई सम्पर्क मार्ग पर कहीं भी चौड़ा/ऊँचाई में अन्तर नहीं पाया गया। यदि सम्पर्क मार्ग समान रूप से समतल था तो उस पर 300 मिट्टी डालने की क्या आवश्यकता थी 30 सेमी. मिट्टी डालकर तुरन्त खंडजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि प्राक्कलन में एम.बी. 12.5 प्रतिशत डिडेक्शन अंकित है। जब 12.5 प्रतिशत मिट्टी बैठेगी तो साथ में खंडजा भी बैठ जायेगा इसलिये उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1965 की नियम 120 अध्याय 11 के अनुसार मिट्टी पटाई के छः माह बाद खंडजा लगवाना चाहिए। इसका उल्लंघन कर संस्था को अधिक क्षति पहुँचाई गयी है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि खंडजा मरम्मत पर व्यय रूपया 1116606.00 अवास्तविक एवं काल्पनिक है जो योजना बद्ध तरीके से फर्जी पत्रावली तैयार कर धन का भुगतान कर लिया गया जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भूलाल जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी मनीष कुमार एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है। (सा.आ.सं-16)

प्रस्तर-113 वित्तीय वर्ष 2014-15 में बारी में सागर के खेत से सियाराम के खेत तक सोलिंग कार्य पर रूपया 358232.00 (श्रमांश-65304.00 सामग्री-292928.00) व्यय किया गया है। पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी हैं।

प्राक्कलन के अनुसार ई/डब्ल्यू- $(1 \times 5) 50 \times 3.30 \times .30 = 247.50$ मी3

एम.बी. के अनुसार ई/डब्ल्यू- $(1 \times 5) 50 \times 50 \times 3.30 \times .30 = 247.500$ मी3

प्राक्कलन के अनुसार बी/डब्ल्यू- $(1 \times 5) 50 \times 3.30 \times 3.30 = 825.00$ मी2

एम.बी. के अनुसार बी/डब्ल्यू- $10 \times 5.15 = 51.50$ मी2

$210 \times 3.30 = 790.00$ मी2

कुल 843.50

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 250 मी. लम्बाई में 3.30 मी. चौड़ाई में मिट्टी डाल गई है तो फिर 10 मी. लम्बाई में 5.15 चौड़ा खंडजा कैसे लगवा दिया गया अर्थात् बिना मिट्टी पटाई कराये खंडजा लगवा दिया गया। प्राक्कलन से अधिक क्षेत्र में खंडजा लगवाया गया जिससे प्राक्कलन से अधिक मजदूरी पर व्यय किया गया। 30 सेमी समान रूप से मिट्टी पटाई गयी है। और 12.5 प्रतिशत डिडेक्शन अंकित है। सामान्य रूप से जब मिट्टी बैठेगी तो तुरन्त लगवाया गया खण्डजा भी बैठ जायेगा। इसीलिये उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत- जिला पंचायत अधिनियम 1965 की नियम 120 अध्याय-11 के अनुसार मिट्टी पटाई के छः माह बाद सोलिंग लगवाना चाहिए। यहाँ इस नियम का उल्लंघन कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई।

2- मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है। अंगूठा/हस्ताक्षर व नाम पता सब एक ही लिखावट में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर 156 से न करके 242 की दर से करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। साथ ही मस्टररोल पर कार्य अवधि 01-09-2014 से 13-10-2014 तक अंकित है। जबकि एम.बी. दिनांक 29.09.2014 एवं 15.10.2014 को गई। खाते में धन होने के बावजूद दिनांक 18.10.2014 को रूपया 65304.00 कार्य प्रभारी को भुगतान किया गया। जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को भुगतान कब और कैसे किया गया? इसका कोई औचित्य नहीं बनता। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती।

3- ईट की आपूर्ति सम्बन्धी चालान कार्य प्रभारी द्वारा कार्यस्थल पर प्राप्त कर पत्रावली में नहीं लगाया गया है। जिसके अभाव में ईट के किये गये भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती।

4- सोलिंग निर्माण सम्बन्धित साइन बोर्ड, फोटो पत्रावली में नहीं पाया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि खंडजा मरम्मत पर व्यय रूपया 358232.00 अवास्तविक एवं काल्पनिक है जो योजना बद्ध तरीके से फर्जी पत्रावली तैयार कर धन का भुगतान कर लिया गया जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भूलाल जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी श्री शिवराम एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-17)

प्रस्तर-114 वित्तीय वर्ष 2014-15 में बरावाँ में बड़ी नहर से भरी गांव तक खंडजा कार्य पर रुपया 344577.00 (श्रमाश-62997.00 एवं सामग्री पर 281580.00) व्यय दर्शित है। जिसके पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी।

1- स्वीकृत कार्ययोजना पत्रावली में संलग्न नहीं रही। कराया गया कार्य क्षेत्र पंचायत के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत वहीं कार्य कराये जा सकते हैं जो एक राजस्व गाँव दूसरे राजस्व गाँव को जोड़ते हैं। अतः कार्य पर हुए व्यय पुष्टि नहीं की जा सकता।

2- पत्रावली में संलग्न निविदा फार्म के साथ पैर नं टिन नं. एवं जमानत जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाणक संलग्न नहीं किया गया जिसके अभाव में टेण्डर स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

3- ईट की आपूर्ति संबंधित चालान बिल कार्य प्रभारी द्वारा कार्य स्थल से प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही आपूर्ति कर्ता द्वारा प्रस्तुत भुगतान बिल के साथ चालान की प्रति नहीं लगायी गयी। जिसके अभाव में ईट क्रय के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती।

4- प्राक्कलन एव एम.बी. दोनों में सम्पर्क मार्ग पर 30 सेमी ऊँचाई में मिट्टी डालना अंकित है और 12.5 प्रतिशत डिडेक्शन दिखाया गया है। जब सम्पर्क मार्ग पर डाली गयी मिट्टी बैठेगी तो उस पर तुरन्त लगाया गया खंडजा भी बैठ जायेगा। अतः तुरन्त खंडजा लगवाकर राजकीय धन की क्षति की गयी है। और उ०प्र० क्षेत्र पंचायत-जिला पंचायत नियमावली-1965 के नियम 120 अध्याय 11 के अनुसार मिट्टी पटाई के छः माह बाद खंडजा लगवाया जाना चाहिए का स्पष्ट उल्लंघन किया गया।

5- मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान/नाम सभी एक ही हस्तलेख में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर-156 की जगह 212 की दर से करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी है मस्टर रोल पर कार्यावधि 27.11.2014 से 20.12.2014 तक दर्शित है। जबकि मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को चेक संख्या 273353 दिनांक 27.12.2014 रुपया 62997.00 किया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को भुगतान कब और कैसे किया गया इसका प्रमाणक पत्रावली में अप्राप्त रहा। खाते में धन होने एवं समय से एम.बी. होने के बावजूद भुगतान विलम्ब से कार्य प्रभारी को किया जाना धन के अपहरण की संभावना बनती है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि सौलिंग कार्य पर व्यय रुपया 344577.00 अवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर भुगतान कर लिया गया जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भूलाल जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी मनीष कुमार एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-18)

प्रस्तर-115 आलोच्य वर्ष 2014-15 में "बिडहार में दीपचन्द्र के घर से सरकारी ट्यूबेल तक कार्य" पर रुपया 347969.00(श्रमाश-62488.00 एवं सामग्री पर 285481.00) व्यय दर्शित है। जिसके पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी।

1- पत्रावली स्वीकृत कार्य योजना की प्रमाणित छायाप्रति अप्राप्त रही।

2- पत्रावली में संलग्न निविदा फार्म के साथ पैर नं टिन नं. एवं जमानत जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाणक संलग्न नहीं किया गया। अतः टेण्डर स्वीकृत किया जाना नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन है।

3- ईट की आपूर्ति संबंधित चालान बिल कार्य प्रभारी द्वारा कार्य स्थल से प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही आपूर्ति कर्ता द्वारा प्रस्तुत भुगतान बिल के साथ चालान की प्रति नहीं लगायी गयी। जिसके अभाव में ईट क्रय के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती।

4- खण्डजा निर्माण संबंधित फोटो पत्रावली में अप्राप्त रही। जिसके अभाव में कार्य के होने की पुष्टि नहीं की जा सकती।

5- मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान/नाम सभी एक ही हस्तलेख में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर-156 की जगह 212 की दर से करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी है मस्टर रोल पर कार्यावधि 20.09.2014 से 11.10.2014 तक दर्शित है। जबकि मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को चेक संख्या 688929 दिनांक 18.10.2014 रुपया 62488.00 किया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को भुगतान कब और कैसे किया गया इसका प्रमाणक पत्रावली में अप्राप्त रहा।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि सौलिंग कार्य पर व्यय रुपया 347969.00 अवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर भुगतान कर लिया गया जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भूलाल जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी शिवराम एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-19)

प्रस्तर-116 वित्तीय वर्ष 2015-16 में "बारी में तिलई के घर के पास से मनोज के खेत तक खण्डजा मरम्मत कार्य" रूपया 494060.00(श्रमांश-220988, सामग्री-273072) व्यय किया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी।

- 1- पुराना खण्डजा किस वर्ष एवं किस योजना से लगवाया गया था, से संबंधित प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। नियमतः कोई खण्डजा 30 वर्ष बाद ही मरम्मत कराया जा सकता है।
- 2- पुराने खण्डजे में 52 नग ईट प्रतिवर्ग मी. दर्शित है। जबकि नियमतः 58 नग ईट प्रतिवर्ग मीटर आता है।
- 3- पुराना खण्डजा 700 मी उखड़वाया गया मिट्टी 500 मी डाली गयी, और पुनः 700 मी खण्डजा लगवा दिया गया। अर्थात् 200 मी बिना मिट्टी डाले या लेबल किये खण्डजा लगवा दिया गया।
- 4- पत्रावली में पुराने/नये किसी खण्डजे की फोटो तीनो स्तरों पर खीच कर संलग्न नहीं की गयी।
- 5- दिनांक 25-07-2015, 08-08-2015, 18-08-2015 एवं 29-08-2015 को एम.बी. की गयी। किन्तु मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को 14-03-2016 को रूपये 220988.00 किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट नहीं रहा। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को भुगतान कब किया गया? इसका न तो कही उल्लेख है और न ही कोई प्रमाणक लगवाया गया है।
- 6- मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। हस्ताक्षर/ अंगुठा निशान/नाम सभी एक ही हस्तलेख में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर-156 की जगह 212 की दर से किया गया है।
- 7- बिना पैन नं०, टिन नं० एवं जमानत धनराशि लिये निविदा स्वीकृत करना वित्तीय नियम एवं विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि खण्डजा मरम्मत पर व्यय रूपया 494060.00 अवास्तविक एवं कागजी है। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री शम्भूलाल, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी विनोद कुमार एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-20)

प्रस्तर-117 वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिडहार में बारी बिडहार खण्डजा से सराय मंझन खण्डजा तक सॉलिंग कार्य पर रूपया 836934.00(श्रमांश-168244.00, सामग्री-668690.00) व्यय किया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी।

- 1- किसी भी निविदा कर्ता द्वारा पैन न. टिन नं. एवं सिक्योरिटी मनी फार्म के साथ जमा नहीं किया गया है। इसके बावजूद टेण्डर स्वीकृत कर दिया गया है। जो नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन है अतः स्वीकृत फार्म को किया गया भुगतान नियम विरुद्ध है।
- 2- स्वीकृत कार्य योजना पत्रावली में संलग्न नहीं रही।
- 3- साइन बोर्ड कार्य के किसी भी स्तर पर खींची गयी फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं रही।
- 4- ईट की आपूर्ति सम्बन्धित चालान बिल कार्य प्रभारी द्वारा रीसिव कर पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी है।
- 5- मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। हस्ताक्षर/ अंगुठा निशान/नाम सभी एक ही हस्तलेख में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर-156 की जगह 212 की दर से किया गया है। अधिक दर से भुगतान कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। मस्टर रोल पर कार्यावधि 10.02.2015 से 22.06.2015 अंकित है। जबकि मजदूरी का भुगतान चेक संख्या 273429 दिनांक 01-09-2015 रूपया 168244.00 कार्य प्रभारी को किया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों का भुगतान कब और कैसे किया गया है? इससे सम्बन्धित कोई प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि सॉलिंग कार्य पर व्यय रूपया 836934.00 अवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर भुगतान कर लिया गया जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री राम अवतार सिंह, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी मनीष कुमार एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-21)

प्रस्तर-118 वित्तीय वर्ष 2015-16 में " बिडहार में ओंकार के खेत से काली चरन के खेत खण्डजा निर्माण" पर रूपया 543520.00(श्रमांश-106324.00, सामग्री-437196.00) व्यय किया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी।

- 1- मस्टर रोल पर कार्य अवधि 02.07.2015 से 31.07.2015 अंकित है। यह वरसात का मौसम होता है। ऐसे में मिट्टी डालकर तुरन्त खण्डजा लगाना संभव नहीं होता। और उ०प्र० क्षेत्र पंचायत-जिला पंचायत नियमावली-1965 के नियम 120 अध्याय 11 के अनुसार मिट्टी पटाई के छः माह बाद सॉलिंग कार्य किया जाना चाहिए किन्तु यहां नियमों के विपरीत कार्य कराया गया है।

2— कार्यावधि के बीच 02.07.2015 से 31.07.2015 तक मजदूरी का भुगतान न करके दिनांक 07-09-2015 को रूपया 106324.00 कार्य प्रभारी को भुगतानित किया गया। ऐसे में उन मजदूरों को सवा महीने बाद कैसे भुगतान किया गया कोई उल्लेख/प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

3— मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। साथ ही अन्य विवरण सभी एक ही हस्तलेख में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर-156 की जगह 212 की दर से किया गया है। अधिक दर से भुगतान कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है।

4— पत्रावली में कार्य प्रारम्भ के पूर्व, कार्य चालू रहने एवं समाप्त होने पर किसी भी स्टेज की फोटो खींचकर संलग्न नहीं किया गया जो नियमों के विपरीत है।

5— ईट की आपूर्ति सम्बन्धित चालान बिल न तो कार्य प्रभारी द्वारा पत्रावली में लगाया गया है। और न ही आपूर्ति कर्ता द्वारा भुगतान बिल के साथ संलग्न किया गया है। जिसके अभाव में ईट की आपूर्ति की पुष्टि नहीं की जा सकती।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि खंडजा कार्य पर व्यय रूपया 543520.00 अवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर भुगतान कर लिया गया जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री राम अवतार सिंह, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी श्री मनीष कुमार एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-22)

प्रस्तर-119 वित्तीय वर्ष 2014-15 में हसीब के खेत से ऐहार रोड तक बारी में खण्डजा कार्य पर रूपया 833287.00 (श्रमांश-170180 एवं सामग्री पर 663107) व्यय दर्शित है। जिसके पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी।

1— प्राक्कलन में कार्य की माप 1000 मी. लम्बा एवं मी चौड़ा मिट्टी पटाई अंकित है। जबकि एम.बी में केवल 533मी. लम्बा एवं 6 मीटर चौड़ा मिट्टी पटाई की गयी है। इससे स्पष्ट है कि कार्य अधूरा रह गया और प्राक्कलन से अधिक चौड़ाई एम.बी में करके धन का दुरुपयोग किया गया है।

2— मस्टर रोल नं. 62292 पर कार्य अवधि 18.01.2016 से 30.02.2016 अंकित है जिसके अनुसार कुल 17 कार्य दिवस होता है। जबकि मस्टर रोल पर 1 से 20 तक कुल 20 कार्य दिवस की उपस्थिति दर्शाकर भुगतान लिया गया है।

3— प्राक्कलन के अनुसार 533 मी. एवं 330 मी चौड़ा खण्डजा का 1758-90 मी² बनता है जिसमें कुल 10200 ईट की आवश्यकता होती है जिसके सापेक्ष कुल 108250 नग ईट भुगतान किया गया इस प्रकार प्राक्कलन से अधिक भुगतान कर संस्था को क्षति पहुँचाई गयी।

4— कुल 533×3.30 मी खण्डजा लगाने में मजदूरी 102016.00 व्यय होती है। जिसकी सापेक्ष मजदूरी पर रूपया 108064.00 व्यय किया गया अतिरिक्त व्यय कर संस्था को हानि पहुँचाई गयी।

5— मजदूरी भुगतान मनरेगा दर 161 से अधिक 212 की दर से किया गया। जिससे संस्थाको आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी।

6— ईट आपूर्ति सम्बन्धित चालान बिल न तो कार्य प्रभारी द्वारा रिसीव कर पत्रावली में संलग्न किया गया और न ही आपूर्ति कर्ता द्वारा भुगतान बिल के साथ प्रस्तुत किया गया। इसके कार्यस्थल पर ईट की आपूर्ति की पुष्टि नहीं हो सकती।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है वास्तविक रूप से कार्य नहीं कराया गया अवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर योजना बद्ध तरीके से धनराशि रूपया 833287.00 का भुगतान कर लिया गया जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री राम अवतार सिंह, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी श्री विनोद एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-23)

प्रस्तर-120 वित्तीय वर्ष 2015-16 में "कोसेपुर असगर प्रधान के घर से मोबिन के घर तक सोलिंग कार्य" पर रूपया 78139.00 (श्रमांश-16264, सामग्री-61875) व्यय किया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी।

1— बिना पैन नं०, टिन नं० एवं जमानत धनराशि लिये निविदा स्वीकृत करना वित्तीय नियम एवं विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध है।

2— ईट आपूर्ति सम्बन्धित चालान बिल न तो पत्रावली में संलग्न किया गया और न ही आपूर्ति कर्ता द्वारा भुगतान बिल के साथ प्रस्तुत किया गया। चालान बिल के अभाव में किया गया भुगतान अनियमित है।

3— एक घर से दूसरे घर तक कार्य करना ग्राम पंचायत का कार्य है। क्षेत्र पंचायत का कार्य क्षेत्र एक राजस्व ग्राम से दूसरे राजस्व ग्राम तक जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग पर कार्य करना। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्य को क्षेत्र पंचायत द्वारा अपना कार्य दर्शाकर फर्जी तरीके से भुगतान लिया गया है।

4— प्राक्कलन में कार्य की लम्बाई 100 मी. अंकित है। जबकि एम.बी. के अनुसार कार्य केवल 69.5 मी कराया गया इससे स्पष्ट है कि कार्य अधूरा छोड़ दिया गया जिससे आवागमन के उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी। आधे अधूरे कार्य पर व्यय से संस्था को क्षति पहुँचाई गयी है।

5— प्राक्कलन में मिट्टी पटाई की ऊँचाई 30 सेंमी अंकित है। जबकि एम.बी. में 500 सेमी दर्शित है। जिसमें 12.5 प्रतिशत मिट्टी बैठाना अंकित है जब मिट्टी बैठेगी तो उस पर लगाया गया खण्डजा भी बैठ जायेगा इस लिए उ०प्र० क्षेत्र पंचायत-जिला पंचायत नियमावली-1965 के नियम 120 अध्याय 11 के अनुसार मिट्टी पटाई के छः माह बाद खण्डजा कार्य किया जाना चाहिए किन्तु यहां नियमों के उल्लंघन कर संस्था को हानि पहुँचाई गयी है।

6— मस्टर रोलपर कार्यावधि 16.06.2015 से 26.06.2015 तक दर्शित है। मजदूरी भुगतान दिनांक 07.06.2016 चेक नं. 273439 रुपये 16264.00 कार्य प्रभारी को किया गया। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को कब और कैसे भुगतान किया गया, इसका कोई प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। अतः भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती।

6— मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान/नाम सभी एक ही हस्तलेख में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर-161से अधिक 212 की दर से किया गया जिससे संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि सोलिंग कार्य पर व्यय रुपये 78139.00 योजना बद्ध तरीके से फर्जी प्रमाणक प्रस्तुत कर भुगतान कर लिया गया जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री राम अवतार सिंह, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी श्री शिवराम एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-24)

प्रस्तर-121 वित्तीय वर्ष 2015-16 में "जमुनियामऊ प्राथमिक स्कूल से प्रधानमंत्री रोड तक सोलिंग कार्य" पर रुपये 413104.00 (श्रमांश-76156, सामग्री-336948) व्यय किया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी।

1— निविदाकर्ता अमन ब्रिक फील्ड शिवशक्ति ब्रिक फील्ड एवं कीर्ति ब्रिक फील्ड द्वारा निविदा फार्म के साथ पैन नं०, टिन नं०/वैट रजिस्टर नं० एवं सिक्वोरिटी मनी सम्बन्धित प्रमाणक संलग्न नहीं किया गया। अतः टेण्डर स्वीकृत किया जाना नियमों व आदेशों का उल्लंघन है।

2— स्वीकृत कार्ययोजना की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं की गई।

3— प्राक्कलन में कार्य की लम्बाई 300 मी. अंकित है। जबकि एम.बी. के अनुसार कार्य केवल 338 मी कराया गया। अतः 38 मी बिना प्राक्कलन के भुगतान कर संस्था को क्षति पहुँचाई गई है।

4— मस्टर रोलपर कार्यावधि 02.07.2015 से 25.07.2015 तक दर्शित है। मजदूरी भुगतान दिनांक 01.09.2015 चेक नं. 273419 रुपये 76156.00 कार्य प्रभारी को किया गया। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को कब और कैसे भुगतान किया गया, इसका कोई प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। खाते में धन उपलब्ध होने के बावजूद समय से भुगतान न करना, कार्यको संदिग्ध बनाता है।

5— प्राक्कलन में मिट्टी पटाई की ऊँचाई 30 सेंमी अंकित है। जबकि एम.बी. में 40 सेमी दर्शित है। जिसमें 12.5 प्रतिशत मिट्टी बैठाना अंकित है जब मिट्टी बैठेगी तो उस पर लगाया गया खण्डजा भी बैठ जायेगा जिससे राजकीय धन की क्षति की गयी। इसलिए उ०प्र० क्षेत्र पंचायत-जिला पंचायत नियमावली-1965 के नियम 120 अध्याय 11 के अनुसार मिट्टी पटाई के छः माह बाद खण्डजा कार्य किया जाना चाहिए।

6— प्राक्कलन में 300 मी समान ऊँचाई (30 सेमी) में मिट्टी डालना सम्पर्क मार्ग पर अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि सम्पर्क मार्ग कहीं पर टूटा नहीं है। गड्ढा नहीं है फिर मिट्टी डालने का औचित्य क्या है? खण्डजा हमेशा हार्डशीट मिट्टी पर लगाया जाना चाहिए। प्राक्कलन एम.बी. पूर्णतया काल्पनिक है।

7— पत्रावली में खण्डजे की तीनों स्तरों में से किसी भी स्तर पर की फोटो संलग्न नहीं है जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है।

8— मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान/नाम सभी एक ही हस्तलेख में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर-161से अधिक 212 की दर से किया गया जिससे संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्योंको क्षेत्रपंचायत द्वारा कराया जाना दर्शाकर अवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार योजनाबद्ध तरीके से सोलिंग कार्य पर व्यय रुपये 413104.00का भुगतान कर लिया गया उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री राम अवतार सिंह, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी श्री शिवराम एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-25)

प्रस्तर-122 वित्तीय वर्ष 2015-16 में "बारी में कुल्फी राधेश्याम के घर से गयादीन के घर तक सोलिंग कार्य" रूपया 439106.00.00(श्रमांश-80048, सामग्री-359022) व्यय किया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी।

1- पत्रावली में स्वीकृत कार्ययोजना संलग्न नहीं रही।
2- बिना पैन नं०, टिन नं० एवं जमानत धनराशि लिये निविदा स्वीकृत करना वित्तीय नियम एवं विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध है।

3- पत्रांक 56 दिनांक 10.04.2015 द्वारा कार्य प्रभारी की नियुक्ति की गई। पुनः पत्रांक 206 दिनांक 27.05.2015 द्वारा कार्य प्रभारी की नियुक्ति की गई। कार्य अवधि 01.07.2015 से 20.07.2015 तक अंकित है। उपरोक्त तिथियों में इतनी विसंगति है कि इसके कार्य होने की पुष्टि नहीं होती अपितु कार्य को मैनेज कर केवल भुगतान लिया गया है। कार्य प्रभारी मजदूरी का भुगतान आठ माह बाद कैसे किया? सम्बन्धित प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। नियमतः कार्य प्रभारी द्वारा साप्ताहिक मस्टररोल प्रस्तुत कर मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। उक्त भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी द्वारा आपस में बाँटकर अपहरण किया गया।

4- प्राक्कलन में मिट्टी पट्टाई की ऊँचाई 3 मी एवं ऊँचाई 30 सेमी अंकित है। जबकि एम.बी. में चौड़ाई 3.5 मी. एवं ऊँचाई 30 सेमी दर्शित है। जिसमें 12.5 प्रतिशत मिट्टी बैठाना अंकित है जब मिट्टी बैठेगी तो उस पर लगाया गया खण्डजा भी बैठ जायेगा जिससे राजकीय धन की क्षति की गयी। इसलिए उ०प्र० क्षेत्र पंचायत-जिला पंचायत नियमावली-1965 के नियम 120 अध्याय 11 के अनुसार मिट्टी पट्टाई के छः माह बाद खण्डजा कार्य किया जाना चाहिए।

5- ईट आपूर्ति सम्बन्धित चालान बिल न तो कार्य प्रभारी द्वारा रिसीव कर पत्रावली में संलग्न किया गया। साथ ही आपूर्ति कर्ता द्वारा प्रस्तुत भुगतान बिल के साथ ही चालान की कापी संलग्न नहीं की गई। चालान के अभाव में ईट के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6- मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान/नाम सभी एक ही हस्तलेख में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर-156 की जगह 212 की दर से किया गया है। जिससे संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई।

7- प्राक्कलन एवं एम.बी. दोनों में सम्पर्क मार्ग पर 30 सेमी पर 30 सेमी ऊँचाई/मोटाई में समान रूप से मिट्टी पट्टाई अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुराना सम्पर्क मार्ग समान रूप से समतल या उस पर कहीं गड्ढे या अप डाउन नहीं था। ऐसी स्थिति में 30 सेमी. मिट्टी डालने का क्या औचित्य है? खण्डजा हमेशा हार्डशीट/बैठी हुई समतल जमीन पर ही लगाया जाता है। अतः मिट्टी पट्टाई पर हुए व्यय से संस्था को क्षति पहुँचाई गयी है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि सोलिंग कार्य पर व्यय धनराशि रूपया 439106.00 अवास्तविक एवं कागजी है। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री राम अवतार सिंह, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री संजय नारायण अचारी, कार्यप्रभारी श्री मनीष कुमार एवं प्रमुख श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-26)

प्रस्तर-123 फगौली ठाकुरान मार्ग से हसीब के भट्टा से दशरथमऊ तक खण्डजा मरम्मत कार्य पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपया 611182.00(श्रमांश-263476, सामग्री-347706) व्यय किया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी।

1- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कराये गये समस्त कार्यों के लिए निम्नलिखित तीन फर्मों ने टेण्डर डाले थे। टेण्डर खुलने की तिथि 19.11.2016 थी।

(क)में. युवराज ब्रिक फील्ड- एफडीआर नं० 352140 दिनांक 28.11.2016 रूपया 100000.00

(ख)में० न्यू एकता ब्रिक फील्ड -एफडीआर नं० 067555 दिनांक 02-12-2016 रूपया 25000.00

(ग) में. न्यू०जी०डी० उद्योग-एफडीआर नं० दिनांक134875 दिनांक 31.11.2016 रूपया 15000.00

तुलनात्मक विवरण पत्र अभिलेखीय कूट रचना में युवरा ब्रिक फील्ड के एफडीआर तिथि को 08.11.2016में० न्यू एकता ब्रिक फील्ड तिथि को 02.11.2016 एवं में० न्यू जी डी उद्योग के एफडीआर तिथि को 30.10.2016 अंकित किया गया है। वास्तव में टेण्डर खुलने के समय किसी भी निविदा कर्ता ने जमानत के लिए एफडीआर जमा नहीं किया था। यह बाद में क्रय करके टेण्डर कर्ता ने जमानत के लिए एफडीआर जमा नहीं किया था। यह वाद में क्रय करके टेण्डर स्वीकृत कर दिया गया? यह धन अपहरण के उद्देश्य से फर्जी पत्रावली तैयार की गई है। जहां पर किसी नियम व शर्त का पालन नहीं किया जा रहा है।

2-प्राक्कलन एम.बी. के अनुसार कुल 800 मी खण्डजा उखड़वाया गया और उस पर समान रूप से 30 सेमी मिट्टी डाली गयी दर्शित है। इसका तात्पर्य यह है कि पुराना खण्डजा नो क्षतिग्रस्त था और नहीं उसमें कही गड्ढे बने थे क्योंकि 800 मी. तक एक समान मिट्टी डाली गयी है। ऐसे में पुराने खण्डजे के उखड़वाने की क्या आवश्यकता थी? पुनः 30 सेमी डालकर उसमें 12.5 प्रतिशत दिखाया गया है और उसपर नया खण्डजा लगाया गया है। ऐसी स्थिति में जब मिट्टी बैठेगी तो उस पर लगा खण्डजा तुरन्त लगाकर पुनः राजकीय धन की क्षति की गई। साथ ही उ०प्र० क्षेत्र

पंचायत-जिला पंचायत अधिनियम 1965 की नियत-अध्याय-11 के अनुसार मिट्टी पटाई के छः माह बाद खड़जा लगवाया जाना चाहिए।

3-

क्र.स एम.आर.न.

- 1- 61584 24.11.2016 से 06.12.2016 तक रूपया 3396.00
- 2- 61585 07.12.2016 से 18.12.2016 तक रूपया 30152.00
- 3- 61586 19.12.2016 से 31.12.2016 तक रूपया 42696.00
- 4- 61586
- 61566 01.01.2017 से 10.01.2017 तक रूपया 80014.00
- 5- 61535
- 61536 11.01.2017 से 22.01.2017 तक रूपया 68366.00

उपरोक्त मस्टररोलो पर फर्जी नाम अंकित है। उनका कोई पता अंकित नहीं है। कुल 35 मजदूरों द्वारा लगातार काम करना दर्शित है जो संभव नहीं है। अतः उपरोक्त मस्टररोल अवास्तविक एवं काल्पनिक है कार्य प्रारम्भ 24.11.16 व समाप्ति 22.01.2017 को अंकित है और मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को 28.01.2017 को लिया गया। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को कब और कैसे किया गया इसका कोई प्रमाण पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। नियमतः मजदूरी का भुगतान कार्य अवधि में किया जाना चाहिए। कार्य समाप्ति के बाद श्रमिक कहां गये कैसे पता चलता है। श्रमांश पर व्यय धनराशि मजदूरों को भुगतान न कर कार्य प्रभारी द्वारा अपहरण कर लिया गया।

4-पुराने खडंजे में केवल 25 प्रतिशत ईट क्षतिग्रस्त दर्शित है जबकि मरम्मत के लिए कम से कम 40 प्रतिशत क्षतिग्रस्त होना चाहिए। साथ ही पुराना खडंजा किस वर्ष व किस योजना से लगा था का प्रमाणक पत्रावली में अप्राप्त में अप्राप्त रहा। नियमतः कोई भी खडंजा मरम्मत कराया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि खडंजा मरम्मत कराये बिना भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

5-पत्रावली में नये पुराने किसी भी खडंजे की फोटो नहीं लगाई गयी है जिससे कार्य के होने की पुष्टि नहीं होती।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि खण्डजा मरम्मत पर व्यय धनराशि रूपया 611182.00 योजनावद्ध तरीके से अवास्तविक एवं कागजी है। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री नागेन्द्र मोहन त्रिपाठी, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री अकील अहमद, कार्यप्रभारी श्री विनोद कुमार एवं प्रमुख श्रीमती शिल्पी सिंह से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-27)

प्रस्तर-124 वित्तीय वर्ष 2016-17 में "भेलसर हाईवे से मिलेनियम एजुकेशनल अकादमी स्कूल तक खण्डला कार्य पर व्यय रूपया 573621.00 (श्रमांश-12182.00, सामग्री-451801.00) व्यय किया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी।

प्राक्कलन के अनुसार ई/डब्ल्यू- $(1 \times 8)50 \times 5.00 \times .30 = 600 - 75 = 525.00$ मी3

एम.बी के अनुसार ई/डब्ल्यू- $(1 \times 2)50 \times 5.00 \times .30 = 150 - 18.75 = 131.25$ मी2

$(1 \times 6)50 \times 6.00 \times .30 = 540 - 67.50 = 472.50$ मी3

अन्तर की धनराशि- $603.75 \times 78 = 47092.50$

$525.00 \times 78 = 40950.00$

अधिक भुगतान किया गया-6142.5

प्राक्कलन का अनुसार बी/डब्ल्यू- $400 \times 3.30 = 1320.00$ मी2

एम.बी के अनुसार बी/डब्ल्यू-कुल 375 मी. खडंजा लगवाया गया जिसका क्षेत्रफल 1295.66 मी2 अंकित कर भुगतान कराया गया जबकि प्राक्कलन के अनुसार $375 \times 3.3 = 1237.50$ मी2 होता है। इस प्रकार 58.16 मी2 अधिक दर्शाकर मजदूरी मद रूपया 3373.00 एवं ईट क्रय में रु० 21589.00 अधिक भुगतान लेकर धन का अपहरण कर लिया गया।

इसी प्रकार खण्डजा कुल 375 मी० लगवाया गया जबकि मिट्टी पटाई 400 मी. दर्शित है। 25 मी. अतिरिक्त मिट्टी पटाई दर्शाकर रूपया 3510.00 का भुगतान कराकर धनका अपहरण कर लिया गया

इस प्रकार प्राक्कलन से अधिक एम.बी कराकर कुल रु० 34614.50 का अपहरण कर लिया गया।

2-मस्टर रोल पर अंकितकार्य अवधि 19.11.2016 से 28.12.2016 है एम.बी दिनांक 25.11.2016 एवं 12.12.2016 व 29.12.2016 को की गयी किन्तु मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी के दिनांक 28.01.2017 को दिया गया खाते में धन होने एवं समय से एम.बी होने के बावजूद मजदूरी का भुगतान समय से न किया जाना धन के अपहरण की सम्भावना प्रकट करता है। साथ ही कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान प्राप्त करने के बाद कब और कैसे मजदूरी का भुगतान किया? इसका कोई प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

3-ईट आपूर्ति का चालान बिल कार्य प्रभारी द्वारा कार्य स्थल से प्राप्त कर पत्रावली में नहीं लगाया गया है। साथ ही आपूर्ति कर्ता द्वारा भुगतान बिल के साथ चालान के प्रति नहीं लगायी गयी है। इसके आभाव में ईट क्रय का किया गया भुगतान अपुष्ट है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि खण्डजा निर्माण पर व्यय धनराशि रूपया 573621.00 योजनावद्ध तरीके से अवास्तविक एवं कागजी है। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री नागेन्द्र मोहन त्रिपाठी, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री अकील अहमद, कार्यप्रभारी श्री विनोद कुमार एवं प्रमुख श्रीमती शिल्पी सिंह से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।(सा.आ.सं-28)

प्रस्तर-125 आलोच्य वर्ष 2016-17 में "मीनापुर फगौली में सीतादेवी बाग से अहमदाबाद गांव तक खण्डजा निर्माण कार्य पर व्यय रूपया 616459.00(श्रमांश-120344.00, सामग्री-496115.00) व्यय किया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी।

1- मस्टररोल नं० 61568 पर कार्य अवधि दिनांक 29.11.2016 से 06.12.2016 तक अंकित है। जिस पर कुल 09 मजदूरी का नाम अंकित है। 29.11.2016से 06.12.2016 तक कुल 08 कार्य दिवस होता है इस प्रकार $9 \times 8 = 72$ मानव दिवस बनता है जबकि मस्टर रोल पर कुल 142 मानव दिवस का 224.00 की दर से कुल 31808.00 का भुगतान लिया गया इस प्रकार रूपया 15680.00 का अतिरिक्त भुगतान धन अपहरण कर लिया गया।

2- मस्टर रोल पर अंकित अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है। अंगूठा/हस्ताक्षर नाम पता व नाम पता सब एक ही लिखावट में है दूरी भुगतान मनरेगा दर 174 की जगह 224 की दर से करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। मस्टर रोल पर कार्य अवधि 22.11.2016 से 21.11.2016 तक अंकित है किन्तु मजदूरी भुगतान कार्य प्रभारी को भुगतान 28.01.2017को किया गया बिलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं रहा। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरी का भुगतान कब और कैसे किया गया। इसका प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। अतः उक्त भुगतान का अपहरण कर लिया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि खण्डजा निर्माण पर व्यय धनराशि रूपया 616459.00 योजनावद्ध तरीके से अवास्तविक एवं कागजी है। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री नागेन्द्र मोहन त्रिपाठी, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री अकील अहमद, कार्यप्रभारी श्री मनीश कुमार एवं प्रमुख श्रीमती शिल्पी सिंह से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-29)

प्रस्तर-126 वित्तीय वर्ष 2015-16 में "ह्यातनगर मे राम भवन वर्मा के घर से जुगाडी के घर (रसूलपुर नाली एवं खंडजा निर्माण कार्य" रूपया 346466.00(श्रमांश-60526, सामग्री-285940.00) व्यय किया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी।

1-खण्डजा निर्माण पर प्राक्कलन एवं एम.बी से अधिक भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया जिसका विवरण इस प्रकार है।

ई/डब्ल्यू वाई कार्टेज उप टू 5 किमी डिस्टेन्स $225 \times 4.00 \times 0.35 = 275 - 63 \text{मी}3$

दर- $242 \times 275.63 = 66702.00$

बी.ओ.ई.सोलिंग- $225 \times 3.00 = 675 \text{मी}2 \times 444 = 299700.00$

एम.बी.के सोलिंग-ई/डब्ल्यू- $175.80 \times 3.00 \times .30 = 158.22 \text{मी}3 - 19.77 = 138.44 \text{मी}3$

दर- $242 \times 138.44 = 33502.00$

बी.ओ.ई.सोलिंग- $175.80 \times 2.70 = 474.66 \text{मी}2$

दर- $444 \times 474.66 \text{मी}2 = 210749.00$

भुगतान-श्रमांश-चेक नं० 001935/02.01.2017/रु०26432.00

001944/28.01.2017/रूपया 34094.00

भुगतान सामग्री-चेक नं० 001943/28.01.2017/रूपया 285940.00

इस प्रकार श्रमांश में रूपया 27024.00 एवं सामग्री में रूपया 75191.00 कुल रूपया 102215.00 अधिक भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया। साथ ही 225 मी० की जगह केवल 175.80 मी खण्डजा लगवाया गया और नाली नहीं बनवाई गई। इस प्रकार कार्य अधूरा छोड़कर सम्पूर्ण व्यय को निष्प्रोज्य बना दिया गया।

2-स्वीकृत कार्य योजना की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। खण्डजा निर्माण को कोई फोटो पत्रावली में नहीं लगी है। 30 सेमी मिट्टी डालकर तुरन्त खण्डजा लगवाया गया है जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत-जिला पंचायत अधिनियम 1965 की नियम-120 अध्याय-11 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें मिट्टी पटाई के छः माह बाद खण्डजा लगवाने की व्यवस्था है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि खण्डजा निर्माण पर व्यय रूपया 346466.00 योजनाबद्ध तरीके से अवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर धन का अपहरण कर लिया गया। जो उ०प्र० जिला पंचायत

एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री नागेन्द्र मोहन त्रिपाठी, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री अकील अहमद, कार्यप्रभारी श्री मनीश कुमार एवं प्रमुख श्रीमती शिल्पी सिंह से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-30)

प्रस्तर-127 वित्तीय वर्ष 2015-16 में "सरायमूगल में भवानी शंकर के घर के पास से उमादत्त तिवारी के स्कूल होते हुए शहीद बाबा तक खण्डजा निर्माण कार्य" रूपया 1309592.00(श्रमांश-281772.00, सामग्री-1027820.00) व्यय किया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी।

1-प्राक्कलन एवं एम.बी० दोनो में 900मी लम्बा सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी पटाई अंकित है। पुनः एम०बी० में कुल 956.30 मी. खण्डजा लगाकर/दर्शाकर भुगतान किया गया है। इस प्रकार 56.30 मी प्राक्कलन से अधिक बिना मिट्टी डाले खण्डजा दर्शाकर कुल रूपया 79735.00 (श्रमांश-10775,सामग्री-68960.00) फर्जी एम०बी कर धन का भुगतान कराकर अपहरण कर लिया गया। इसी प्रकार दिनांक 20.01.2017 को एम०बी में पटरी निर्माण 1000 मी० लम्बा अंकित है। और उस पर रूपया 6961.00 का मस्टर रोल व्यय दर्शित है। किन्तु पत्रावली की जाँच में न तो इतने धनराशि का मस्टर रोल दर्शित है। तात्पर्य यह है कि बिना किसी आधार/कार्य के एम.बी. करना कार्य के होने को संदिग्ध बनाता है।

2-मस्टर रोल पर अंकित अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है। अंगूठा/हस्ताक्षर व नाम पता सब एक ही लिखावट में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर 174 की जगह 224 की दर से करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। मजदूरी को भुगतान कब और कैसे किया गया? इससे सम्बन्धित कोई प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। अतः उक्त भुगतान मजदूरों को न करके अपहरण कर लिया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि खण्डजा निर्माण पर व्यय रूपया 1309592.00 योजनाबद्ध तरीके से अवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर धन का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री नागेन्द्र मोहन त्रिपाठी, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री अकील अहमद, कार्यप्रभारी श्री विनोद कुमार एवं प्रमुख श्रीमती शिल्पी सिंह से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-31)

प्रस्तर-128 आलोच्य वर्ष 2016-17 में "रौजागांव सम्पर्क मार्ग पुलिया से रौजागांव स्टेशन तक सोलिंग कार्य पर व्यय रूपया 467120.00(श्रमांश-119548.00, सामग्री-347572) व्यय किया गया है। सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी।

1-मस्टर रोल नं० 61592 एवं 61567 पर कार्य अवधि 26.11.2016 से 27.11.2016 अंकित है। और कुल मजदूरी रूपया 89244.00 अंकित है। जिसके सापेक्ष कार्य प्रभारी को चेक संख्या 273510/28.01.2017/रु० 109244.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार रूपया 2000.00 अतिरिक्त भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया।

2-प्राक्कलन के अनुसार कार्य की लम्बाई 400 मी. है एम०बी में कुल 546.50 मी. लम्बाई में मिट्टी डाली गई अंकित है। जबकि खण्डजा कुल 386 मी० लगवाया गया। इस प्रकार 160.50 मी० अतिरिक्त मिट्टी पटाई दर्शाकर रूपया 13104.00 का अपहरण कर लिया गया।

3-एम०बी० में कार्य प्रभारी श्री मनीश श्रीवास्तव अंकित है। जबकि पत्रावली में आदेश श्री विनोद कुमार के नाम है।

4-मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान/नाम सभी एक ही हस्तलेख में है। मजदूरी भुगतान मनरेगा दर-174 से न करके 224 की दर से करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। मस्टर रोल पर कार्य की अवधि 18.11.2016 से 27.12.2016 तक अंकित है। जब कि मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को दिनांक 28.11.2017 को किया गया। विलम्ब से भुगतान का की कारण पत्रावली में संलग्न नहीं है। साथ ही कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरीको भुगतान कब और कैसे किया गया? इसका कोई प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि खण्डजा निर्माण पर व्यय रूपया 467120.00 योजनाबद्ध तरीके से अवास्तविक एवं काल्पनिक पत्रावली तैयार कर धन का अपहरण कर लिया गया। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमावली (बजट एवं सामान्य लेखा) 1965 के नियम 169 (2) के खण्ड क से ड तक के अन्तर्गत यह अनियमित भुगतान है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री नागेन्द्र मोहन त्रिपाठी, जेई श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, लेखाकार श्री अकील अहमद, कार्यप्रभारी श्री विनोद कुमार एवं प्रमुख श्रीमती शिल्पी सिंह से बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(सा.आ.सं-32)

वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

जनपद-बाराबंकी

क्षेत्र पंचायत- निन्दूरा

1. क्षेत्र पंचायत निन्दूरा के वित्तीय वर्ष 2014-15 में तृतीय वित्त योजनान्तर्गत जजियामऊ मार्ग में पैगम्बरपुर गाँव तक रु० 776783.00 का खण्डजा निर्माण कार्य कराया गया जिसके पत्रावली की जांच में प्रकाश में आया कि निविदा विज्ञापन से संबंधित दैनिक समाचार पत्र की मूल प्रति संलग्न नहीं पाई गई निविदा हेतु प्राप्त तीन टेण्डरों फर्मों पर

गवाहों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये, प्राप्त पत्रावली में कार्य प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति से संबंधित फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये, कुल स्वीकृत धनराशि रु0 778500.00 का 10 प्रतिशत 77850.00 का एफ0डी0/बचट पत्र/टी0डी0आर0 से संबंधित प्रमाणक की प्रमाणित छाया प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई, मानक के अनुरूप कार्य समाप्ति का संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मौखिक सत्यापन रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त निर्माण कार्य मनमाने ढंग तथा अनियमित रूप से कराया गया है। अतः उक्त निर्माण कार्य पर भुगताननित धनराशि रु0 776783.00 को प्रशासनिक विभाग द्वारा क्षेत्र प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-02

2. क्षेत्र पंचायत निन्दूरा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में तृतीय राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत चकिया में फूल कुमार के घर से स्कूल तक रु0 130800.00 का खण्डजा निर्माण कार्य कराया गया जिसकी पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि निविदा विज्ञापन से संबंधित दैनिक समाचार पत्र की मूल प्रति संलग्न नहीं पाई गई निविदा हेतु प्राप्त तीन टेण्डरों फर्मों पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये, प्राप्त पत्रावली में कार्य प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति में संबंधित फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये, कुल स्वीकृत धनराशि रु0 131000.00 का 10 प्रतिशत 13110.00 का एफ0डी0/बचट पत्र/टी0डी0आर0 से संबंधित प्रमाणक की प्रमाणित छाया प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई, मानक के अनुरूप कार्य समाप्ति का संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मौखिक सत्यापन रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त निर्माण कार्य मनमाने ढंग तथा अनियमित रूप से कराया गया है। अतः उक्त निर्माण कार्य पर भुगताननित धनराशि रु0 130800.00 को प्रशासनिक विभाग द्वारा क्षेत्र प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-04

4. क्षेत्र पंचायत निन्दूरा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत परवरभारी के मगता में राम नरेश, मनोज के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य पर रु0 254021.00 व्यय किया गया। जिसकी प्रस्तुत पत्रावली की जाँच में यह प्रकाश में आया है कि निविदा विज्ञापन से संबंधित दैनिक समायार पत्र की मूल प्रति संलग्न नहीं पाई गई निविदा हेतु प्राप्त तीन टेण्डरों फर्मों पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये, प्राप्त पत्रावली में कार्य प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति से संबंधित फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये, कुल स्वीकृत धनराशि रु0 258700.00 का 10 प्रतिशत 25870.00 का एफ0डी0/बचट पत्र/टी0डी0आर0 से संबंधित प्रमाणक की प्रमाणित छाया प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई, मानक के अनुरूप कार्य समाप्ति का संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मौखिक सत्यापन रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त निर्माण कार्य मनमाने ढंग तथा अनियमित रूप से कराया गया है। अतः उक्त निर्माण कार्य पर भुगतानित धनराशि रु0 254021.00 को प्रशासनिक विभाग द्वारा क्षेत्र प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-05

5. क्षेत्र पंचायत निन्दूरा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत बट्टापुरवा में ग्राम करौंदा में लक्ष्मण के घर तक नाली निर्माण कार्य पर ₹0 317086.00 व्यय किया गया। जिसकी प्रस्तुत पत्रावली की जाँच में यह प्रकाश में आया है कि निविदा विज्ञापन से संबंधित दैनिक समाचार पत्र की मूल प्रति संलग्न नहीं पाई गई निविदा हेतु प्राप्त तीन टेण्डरों फर्मों पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये, प्राप्त पत्रावली में कार्य प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति से संबंधित फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये, कुल स्वीकृत धनराशि ₹0 332300.00 का 10 प्रतिशत 33230.00 का एफ0डी0/बचत पत्र/टी0डी0आर0 से संबंधित प्रमाणक की प्रमाणित छाया प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई, मानक के अनुरूप कार्य समाप्ति का संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त निर्माण कार्य मनमाने ढंग तथा अनियमित रूप से कराया गया है। अतः उक्त निर्माण कार्य पर भुगतानित धनराशि ₹0 317086.00 को प्रशासनिक विभाग द्वारा क्षेत्र प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

6. क्षेत्र पंचायत निन्दूरा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13वां वित्त आयोग योजनान्तर्गत खटौली में रामेश्वर के घर से मिटहरा तालाब तक नाली निर्माण कार्य पर ₹0 306195.00 व्यय किया गया। जिसकी प्रस्तुत पत्रावली की जाँच में यह प्रकाश में आया है कि निविदा विज्ञापन से संबंधित दैनिक समाचार पत्र की मूल प्रति संलग्न नहीं पाई गई निविदा हेतु प्राप्त तीन टेण्डरों फर्मों पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये, प्राप्त पत्रावली में कार्य प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति में संबंधित फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये, कुल स्वीकृत धनराशि ₹0 311600.00 का 10 प्रतिशत 31160.00 का एफ0डी0/बचत पत्र/टी0डी0आर0 से संबंधित प्रमाणक की प्रमाणित छाया प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई, मानक के अनुरूप कार्य समाप्ति का संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त निर्माण कार्य मनमाने ढंग तथा अनियमित रूप से कराया गया है। अतः उक्त निर्माण कार्य पर भुगतानित धनराशि ₹0 306195.00 को प्रशासनिक विभाग द्वारा क्षेत्र प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-07

7. क्षेत्र पंचायत निन्दूरा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13वां वित्त आयोग योजनान्तर्गत ग्राम आछेपुर से राधेश्याम के घर से कच्चा नाला तक नाली निर्माण कार्य पर ₹0 452000.00 व्यय किया गया। जिसकी प्रस्तुत पत्रावली की जाँच में यह प्रकाश में आया है कि निविदा विज्ञापन से संबंधित दैनिक समाचार पत्र की मूल प्रति संलग्न नहीं पाई गई निविदा हेतु प्राप्त तीन टेण्डरों फर्मों पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये, प्राप्त पत्रावली में कार्य प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति से संबंधित फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये, कुल स्वीकृत धनराशि ₹0 452200.00 का 10 प्रतिशत 45220.00 का एफ0डी0/बचत पत्र/टी0डी0आर0 से संबंधित प्रमाणक की प्रमाणित छाया प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई, मानक के अनुरूप कार्य समाप्ति का संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त निर्माण कार्य मनमाने ढंग तथा अनियमित रूप से कराया गया है। अतः उक्त निर्माण कार्य पर भुगतानित धनराशि ₹0 452000.00 को प्रशासनिक विभाग द्वारा क्षेत्र प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-08

8. क्षेत्र पंचायत निन्दूरा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13वां वित्त आयोग योजनान्तर्गत हुसैनपुर अटहरा के बिन्द्रा के घर के पास से अशफ़ी के खेत तक नाली निर्माण कार्य पर ₹0 88339.00 व्यय किया गया। जिसकी प्रस्तुत पत्रावली की जाँच में यह प्रकाश में आया है कि निविदा विज्ञापन से संबंधित दैनिक समाचार पत्र की मूल प्रति संलग्न नहीं पाई गई निविदा हेतु प्राप्त तीन टेण्डरों फर्मों पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये, प्राप्त पत्रावली में कार्य प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति से संबंधित फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये, कुल स्वीकृत धनराशि ₹0 97300.00 का 10 प्रतिशत 9730.00 का एफ0डी0/बचत पत्र/टी0डी0आर0 से संबंधित प्रमाणक की प्रमाणित छाया प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई, मानक के अनुरूप कार्य समाप्ति का संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त निर्माण कार्य मनमाने ढंग तथा अनियमित रूप से कराया गया है। अतः उक्त निर्माण कार्य पर भुगतानित धनराशि ₹0 88339.00 को प्रशासनिक विभाग द्वारा क्षेत्र प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-09

9. क्षेत्र पंचायत निन्दूरा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में मनरेगा प्रासंगिक मद से विकास खण्ड निन्दूरा में जीप में प्रयुक्त डीजल के लिये ₹0 43000.00 का भुगतान किया गया जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक, जीप का लॉग बुक, डीजल का स्टाक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त ₹0 43000.00 प्रमाणविहिन व्यय की ब्याज सहित वसूली प्रशासनिक विभाग द्वारा क्षेत्र प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही व ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-10

10. क्षेत्र पंचायत निन्दूरा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में मनरेगा प्रासंगिक मद से विकास खण्ड निन्दूरा में जनरेटर में प्रयुक्त डीजल के लिये ₹0 172000.00 का भुगतान किया गया जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक, जनरेटर से सम्बन्धित लॉग बुक, डीजल का स्टाक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त ₹0 172000.00 प्रमाणक विहिन व्यय ₹0 172000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रशासनिक विभाग द्वारा क्षेत्र प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-11

क्षेत्र पंचायत- सिद्धौर

11. क्षेत्र पंचायत सिद्धौर में वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभिन्न योजना पर अर्जित ब्याज ₹0 202106.0 की धनराशि को मनरेगा मद में हस्तान्तरित कर, व्यय कर लिया गया जो नियम विरुद्ध है। शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-501 दस-2015-10(33)2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार शासन द्वारा अतमुख धनराशियों को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संख्या को आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित व्याज को राजकोष में जमा कर दिया जाये। अतः ₹0 202106.00 अर्जित व्याज जो मनरेगा में हस्तान्तरित कर व्यय कर लिया

गया है जो प्रशासनिक विभाग द्वारा क्षेत्र प्रमुख खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-23

12. क्षेत्र पंचायत सिद्धौर में वित्तीय वर्ष 2009-10 में मनरेगा मद से उर्मिला रावत के खेत में तालाब खुदाई पर रु0 103200.00 तथा दीनपनाह में ककरहा तालाब से बरगदही तालाब तक नाली निर्माण पर 62640.00 मजदूरी मद में मस्टर रोलों के अनुसार व्यय किया गया। उक्त मस्टर रोलों पर मजदूरी के निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं पाये गये तथा मस्टर रोलों पर जॉब कार्ड का क्रमांक भी अंकित नहीं पाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि रु0 165840.00 का कूट रचित, काल्पनिक व फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत कर कुल व्यय दर्शित धनराशि रु0 165840.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों क्षेत्र प्रमुख खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-24

13. क्षेत्र पंचायत सिद्धौर में वित्तीय वर्ष 2009-10 में मनरेगा मद से विभिन्न निर्माण कार्य हेतु रु0 487785.00 का विभिन्न तिथियों में विभिन्न फर्मों में ईटों का क्रय किया गया। ईट क्रय हेतु प्रस्तुत बिल/वाउचरों में टिन नं0 अंकित नहीं पाया गया। क्रय ईट हेतु विभिन्न फर्मों से बिना कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया। अतः अपंजीकृत फर्मों से बिना कोटेशन के रु0 487785.00 का ईट क्रय कर अनियमितता की गई जिससे यह सिद्ध होता है कि ईट क्रय के प्रमाणक कूट रचित/काल्पनिक व फर्जी है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र प्रमुख कार्य प्रभारी तथा लेखाकार के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-25

14. क्षेत्र पंचायत सिद्धौर में वित्तीय वर्ष 2007-08 में 12वें वित्त अनुभाग योजनान्तर्गत मनखापुर में जमुना प्रसाद के दरवाजे से तालाब तक नाली निर्माण कार्य हेतु बाराबंकी ईट उद्योग से रु0 64600 का ईट क्रय किया गया। ईट क्रय की पुष्टि में प्रस्तुत बिल/वाउचर में टिन नं0 अंकित नहीं पाया गया जिससे यह सिद्ध है कि फर्म अपंजीकृत है जो अमान्य है। उक्त क्रय हेतु नियमानुसार तीन कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये जो शासनादेश संख्या ए01864/10.08.2015(1)/86 दिनांक 23.09.2008 का उल्लंघन है। अतः उक्त अपंजीकृत फर्म से बिना कोटेशन के रु0 64600.00 का ईट क्रय अनियमित है। जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र प्रमुख, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-26

प्रारूप-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2016-17

जनपद-बलिया

मण्डल- आजमगढ़

क्षेत्र पंचायत-सोहांव

प्रस्तर सं0-1

राज्य वित्त के अन्तर्गत दिनांक 20.05.2015 को ग्रांट रजिस्टर -2 में अज्ञात कार्य मे0 प्रभुनाथ यादव, छप्पन के डेरा नरही बलिया को चेक सं0-68740, दिनांक 20.05.2015 से रु0 543560.00 भुगतान दर्शित है। ग्रांट रजिस्टर- में कार्य का नाम दर्शित नहीं है। उक्त धनराशि में आयकर रु0 12176.00 व्यापार कर रु0 21743.00 की कटौती भी नहीं की गयी है। इस प्रकार कुल रु0 33913.00 की राजस्व की क्षति हुई है। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओं श्री रामजीत प्रसाद एवं लेखाकार अश्वनी कुमार उपाध्याय संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उक्त की पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति कराई जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0-3)

प्रस्तर सं0-2

राज्य वित्त के अन्तर्गत दिनांक ग्राम सभा कुल्हड़िया में छप्पन के डेरा से राजनाथ सिंह के घर से होते हुए परशुराम के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य का प्राक्कलित मूल्य रु0 8.17 लाख है। परन्तु इस कार्य की दो पत्रावली बनायी गयी है। जिसका कोई औचित्य नहीं है। इस कार्य की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति मा0 जिलाधिकारी से प्राप्त नहीं की गयी है। पत्रावली में कार्य का प्रस्ताव संख्या एवं क्षेत्र पंचायत की बैठक का दिनांक इस्टीमेट पर अंकित नहीं है। टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया है। सीधे मे0प्रभुनाथ यादव, छप्पन के डेरा नरही बलिया को दो तिथियों में रु0 954297.00 के चेक निर्गत किये गये हैं। उक्त आपूर्तिकर्ता के कार्यालय आदेश पर पत्रांक दिनांक भी दर्शित नहीं है। कार्यप्रभारी की नियुक्ति तिथि भी अंकित नहीं किया गया है। सामग्री आपूर्ति करने के बाद में प्रभुनाथ यादव ने जो कच्चा बिल प्रस्तुत किया उस पर ख0वि0अधि0 ने आख्या मांगी परन्तु आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी बल्कि सम्पूर्ण धन का भुगतान कर दिया गया। यहां केवल आयकर कटौती की गयी है। जबकि व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से रु0 23772.00 नहीं काट कर राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ख0वि0अधि0 श्री जे0पी0 चौरसिया एवं लेखाकार श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय से की जानी अपेक्षित है। व्यय प्रमाणक पर कार्यस्थल पर लगाने हेतु रु0 4000.00 साईन बोर्ड का दर्शित है। परन्तु पत्रावली में बोर्ड का कोई फोटोग्राफ नहीं लगा है। जबकि कार्य प्रारम्भ के पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटो खींचा जाना आवश्यक है। पत्रावली के समस्त पृष्ठों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कही भी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक सहित दर्शित नहीं है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि पत्रावली व्यय प्रक्रिया के उपरान्त तैयार की गयी है। कार्य

प्रभारी श्री नागेन्द्र सिंह, ए0डी0ओ0 (आई0एस0वी0) को नगद क्रमशः रू0 108911.00 दिनांक 04.11.2015 (चेक नं0074214) तथा रू0 78161.00 दिनांक 24.11.2015 (चेक सं0074215) किया गया है। इस प्रकार रू0 187072.00 का भुगतान है। मस्टररोल की जाँच से स्पष्ट है कि मजदूरों के नाम के समक्ष अंकित पता पूर्ण नहीं है। मजदूरों का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान भी संदिग्ध प्रतीत होता है। लेखा परीक्षा का मत है कि समस्त भुगतान की प्रक्रिया संदिग्ध एवं अनियमित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ0 सं0-4)

प्रस्तर सं0-3

राज्य वित्त के अन्तर्गत दिनांक 16.09.2015 को ग्राम सभा पिपरा कला में अवधेश सिंह के घर से संजय सिंह के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य में बिना टेण्डर/कोटेशन के ही प्रभुनाथ यादव को सामग्री आपूर्ति की अनुमति प्रदान की गयी। कार्यालय द्वारा सभी आपूर्ति आदेश बी0डी0ओ0 द्वारा हस्ताक्षरित है परन्तु आदेश पर पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं है। कार्य प्रभारी की नियुक्ति की तिथि पत्रावली में अंकित नहीं है। पत्रावली के समस्त पेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि कहीं भी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक सहित दर्शित नहीं है। पत्रावली में कार्य का प्रस्ताव संख्या एवं क्षेत्र पंचायत की बैठक का दिनांक इस्तीमेट पर अंकित नहीं है। स्पष्टतः पत्रावली व्यय प्रक्रिया के उपरान्त तैयार की गयी प्रतीत होती है। दिनांक 16.09.2015 को सामग्री रू0 188206.00 का चेक दिया गया परन्तु उस पर व्यापार कर नहीं काटा गया जो 4 प्रतिशत के दर से रू0 7528.00 होता है। इस प्रकार सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ख0वि0अधि0, श्री जे0पी0 चौरसिया एवं लेखाकार श्री अश्वनी कुमार उपध्याय से की जानी अपेक्षित है। पुनः मजदूरी हेतु कार्य प्रभारी श्री नागेन्द्र सिंह को रू0 49827.00 का चेक सं074213 दिनांक 04.11.2015 को दिया गया। मस्टररोल की जाँच से स्पष्ट होता है कि पत्रावली बनाने वाले ने ही मस्टर रोल तैयार किया है। जिस पर मजदूरों का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान संदिग्ध प्रतीत होता है। लेखा परीक्षा का मत है कि समस्त भुगतान की प्रक्रिया संदिग्ध एवं अनियमित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आ0 सं0-5)

प्रस्तर सं0-4

राज्य वित्त के अन्तर्गत दिनांक 07.05.2015 को क्षेत्र पंचायत सोहॉव के ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट लगाने हेतु चेक सं0 68731 द्वारा ने एस0टी0 प्रोजेक्ट बलिया को रू0 467000.00 का चेक दिया गया परन्तु किन-किन ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट लगायी गयी इसकी जानकारी नहीं रखी गयी है न ही सम्बन्धित फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा। जिससे यह प्रमाणित नहीं हो रहा कि उक्त ग्राम पंचायत/स्थान पर सोलर लाईट की स्थापना की गयी है। सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया है न ही उपभोग प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत रहा। स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। सम्बन्धित बैंक खाता सं0 363002010504764 के अनुसार उक्त भुगतान ने एस0टी0 को किया गया है। स्पष्ट नहीं हो सका। उक्त भुगतान अनियमित है। भुगतान प्रक्रिया के उल्लंघन की जाँच की जानी अपेक्षित है। साथ ही भुगतान पर आयकर रू0 10461.00 एवं व्यापार रू0 18680.00 भी नहीं काटा गया है। इस प्रकार कुल रू0 29141.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ख0वि0अधि0, श्री जे0पी0 चौरसिया एवं लेखाकार, श्री अश्वनी कुमार उपध्याय से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0-6)

प्रस्तर सं0-5

13वां वित्त अन्तर्गत दिनांक 07.05.2015 को भरौली में मेन रोड़ से रंजीत पासवान के ट्यूबवेल तक इन्टरलाकिंग तथा महरेव दुखहरन भर के दरवाजे से राजेन्द्र सिंह के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य क्रमशः 130-20 घन मी0 एवं 96 घन मी0 मिट्टी क्रय किया गया है। परन्तु उक्त मिट्टी क्रय पर रायल्टी का भुगतान न कर राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ख0वि0अधि0, श्री जे0पी0 चौरसिया एवं लेखाकार, श्री अश्वनी उपाध्याय से की जानी अपेक्षित है। अतः रायल्टी रू0 30 घन मीटर की दर से कुल रू0 6786.00 सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है। (आ0 सं0-9)

प्रस्तर सं0-6

विधायक निधि के अन्तर्गत कोटिया, सिंदुरिया में शिवभर के दरवाजे से विपिन सिंह के घर तक सतीश राय के घर के पास अनिल राय एडवोकेट के घर से सूरज बाबा के स्थान तक इन्टर लाकिंग कार्य में निम्न आपत्तियां पायी गयी—

प्रस्तुत इस्तीमेट पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं है।

पत्र सं0 141 दिनांक 06.06.2015 द्वारा जारी कार्य आदेश द्वारा कार्य प्रभारी श्री जगनारायण यादव ग्रा0वि0अधि0 तथा उदय शंकर सिंह, अवर अभियन्ता (आई0ई0ओ0) को नियुक्त किया गया है। कार्य आदेश पर इनकी पावती नहीं अंकित है।

टेण्डर प्रकाशन हेतु बी0डी0ओ0 द्वारा जारी पत्र एवं समाचार पत्र में प्रकाशित सम्बन्धित विज्ञापन की पूर्ति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

टेण्डर प्रक्रिया अन्तर्गत तुलनात्मक चार्ट पर आमंत्रण एवं टेण्डर खुलने की तिथि अंकित नहीं है। चार्ट पर अवर अभियन्ता का हस्ताक्षर नहीं है। लेखाकार एवं ख0वि0अधि0 का हस्ताक्षर बिना तिथि अंकित है।

भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	बिल की धनराशि	आयकर	व्यापार कर	शुद्ध भुगतान	चेक सं०/दिनांक
1	547000	12253	—	534747	004000 / 07.09.2015
2	177000	3540	7040	166380	007058 / 12.05.2017

उपरोक्त में क्रम सं० 1 पर अंकित बीजक से व्यापार कर की कटौती 4 प्रतिशत की दर से रू० 21880.00 नहीं की गयी है तथा क्रम सं० 2 पर अंकित बीजक से आयकर की कटौती 2 प्रतिशत की दर से की गयी है। इस प्रकार रू० 425.00 कम कटौती कर राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। इस प्रकार कुल रू० 21520.00 की राजस्व की हानि सिद्ध होती है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, श्री जे०पी० चौरसिया एवं लेखाकार, श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय उत्तरदायी है। धन की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ख०वि०अधि०, श्री जे०पी० चौरसिया एवं लेखाकार, श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय से की जानी चाहिए।

इस कार्य में कुल दो मस्टर रोल पत्रावली में संलग्न है।

दिनांक 15.08.2015 से 13.09.2015 तक रू० 62000.00 एवं

दिनांक 15.09.2015 से 09.10.2015 तक रू० 84000.00 कुल रू० 146000.00 लेखा परीक्षा तिथि तक उक्त मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। स्पष्टतया उपरोक्त भुगतान प्रक्रिया में मजदूरी भुगतान को प्राथमिकता नहीं देना मजदूरी का आर्थिक शोषण सिद्ध होता है। लेखा परीक्षा में बताया गया कि बाकी है। जिले से बजट की माँग की गयी है। स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा को संतोषजनक नहीं लगता। शीघ्र भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ० सं०-10)

2-क्षेत्र पंचायत- बैरिया

प्रस्तर सं०-7

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में महामाया आवास के अन्तर्गत रू० 6250.00 तथा वर्ष 2011-12 में इन्दिरा आवास के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 तथा वर्ष 2007-08 में क्रमशः रू० 100250.00 तथा 4900.00 व्यय दर्शित की गयी है। किन्तु इससे सम्बन्धित अभिलेख तथा बिल/वाउचर चयनित लाभार्थियों की सूची चेक प्रतिपण आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे इन व्ययों की पुष्टि न की जा सकी, सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी चाहिए साथ ही उक्त धनराशि रू० 1114000.00 के सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता बरती गयी। जिसके लिए बी०डी०ओ० एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ० सं०-5)

प्रस्तर सं०-8

आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजिस्टर II के पृष्ठ सं० 43 पर फाइबर कुर्सी के लिए रू० 21600.00 श्री परमदेव मिश्र, बांसडीह, बलिया से खरीद की गई है। उक्त के सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी:-
प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में खरीद की पुष्टि न की जा सकी।

आदेश तथा डिमाण्ड भी संलग्न नहीं पाया गया।

अस्तु उक्त व्यय अपहर्षित प्रतीत होता है। जिसके लिए लेखाकार तथा बी०डी०ओ० संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आ० सं०-8)

प्रस्तर सं०-9

आयकर अधिनियम की धारा 194(सी) के अनुसार निर्माण कार्यों के सापेक्ष/भुगतान के सापेक्ष सम्बन्धित से आयकर की कटौती के उपरान्त ही धनराशियों का भुगतान किया जाना चाहिए तथा काटी गयी धनराशि ससमय नियत शीर्ष में जमा कर देना चाहिए। ऐसा न करके आयकर की धनराशि के बराबर भुगतान कर्ता अधिकारी के ऊपर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

क्षेत्र पंचायत बैरिया की वर्ष 2010-11 व 2011-12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि भुगतानों के सापेक्ष आयकर में काटी गयी धनराशि का कोई विवरण नहीं रखा गया है। राज्य वित्त, बारहवाँ वित्त, तेरहवाँ वित्त, सांसद निधि व विधायक निधि शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में कुल रू० 6506662.00 कुल व्यय किया गया है। इसकी 4 प्रतिशत धनराशि रू० 2602664.00 सामग्री पर व्यय की जानी चाहिए थी, सामग्री क्रय हेतु प्रकल्पित धनराशि रू० 2602664.00 पर 2 प्रतिशत की दर से रू० 52053.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गयी है, साथ ही मनरेगा मद में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में सामग्री पर व्यय रू० 6202202.00 पर 2.00 प्रतिशत की दर से आयकर की धनराशि रू० 124044.00 की आयकर की कटौती नहीं की गयी है। इस तरह कुल रू० 176097.00 की आयकर की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसका दायित्व पदेन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ० सं०-9)

प्रस्तर सं0-10

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 व 2011-12 में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों के सापेक्ष व्यय दर्शित की गई है।

2011-12	2010-11	वर्ष
216000	1678661	राज्य वित्त
12000	1480780	बारहवाँ वित्त
2359600	—	तेरहवाँ वित्त
370880	—	सांसद निधि
388741	—	विधायक निधि
3347221	3159441	योग
—	60%	श्रमांश
2602664	40%	सामग्री
5167037	1035165	मनरेगा क्षेत्र पंचायत सामग्री

वर्ष 2010-11 व 2011-12 का योग 6506662.00 मनरेगा का योग 622202.00

उपरोक्त वर्षवार निर्माण कार्यों के सापेक्ष व्यय की धनराशियों का श्रम एवं सामग्री पर मदवार विवरण नहीं रखा गया है। निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के भुगतान के सापेक्ष सम्बंधित से वैट या सेल टैक्स की कटौती करने के उपरान्त ही धनराशियों का भुगतान किया जाना चाहिए तथा काटी गयी धनराशि ससमय नियत शीर्ष में जमा कर देना चाहिए। लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि भुगतान के सापेक्ष वैट या सेल टैक्स मद में काटी धनराशि का कोई विवरण नहीं रखा गया है तथा न तो वैट या सेल टैक्स मद में की गयी कटौती एवं उसके सापेक्ष जमा है का विवरण अनुदान पंजी ||| पर देखने को मिला एवं न ही आय-व्यय की ही विवरण अर्थात् इस मद का कोई लेखा नहीं है। नाली निर्माण कार्यों में दर्शित व्यय की कुल धनराशि रु0 8804866.00 पर 4 प्रतिशत की दर से आंकलित वैट या सेल टैक्स की धनराशि रु0 352195.00 का भुगतानों के सापेक्ष कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसका दायित्व पदेन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-11ब)

3-क्षेत्र पंचायत-चिलकहर**प्रस्तर सं0-11**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 व 2014-15 में वर्षवार विभिन्न योजनाओं में दर्शित कुल व्यय क्रमशः रु0 3210615.00 एवं 9462942.00 के सापेक्ष वर्ष 2013-14 की राज्य वित्त की चार पत्रावलियों रु0 1375072.00 व विधायक निधि की एक पत्रावली रु0 231668.00 कुल रु0 1606740.00 की ही प्रस्तुत की गयी शेष (3210615.00+ 1606740.00) रु0 1603875.00 व्यय सम्बंधि पत्रावली अनुपलब्ध रही। इस प्रकार वर्ष 2014-15 की राज्य वित्त की चार पत्रावलियों रु0 3821178.00 की ही प्रस्तुत की गयी शेष (9462942.00- 3821178.00) रु0 5641764.00 व्यय सम्बंधित पत्रावली अनुपलब्ध रही। फलतः कार्य हेतु अधिकृत परियोजना स्थान भूस्वामी की विवरण, प्रस्ताव स्वीकृत अनुमानित लागत एवं तकनीकी अनुमोदन स्वीकृति, सामग्री क्रय टेण्डर एवं उनकी स्वीकृति एवं सूचना क्रयादेश सामग्री आपूर्ति स्टाक आमद कार्य प्रभारी की नियुक्ति कार्य की प्रगति रिपोर्ट, कार्यपूर्ण रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति जांच रिपोर्ट, स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट वर्क हैण्ड ओवर आदि बिन्दुओं अभिलेखों के अभाव में कोई ज्ञान नहीं हो सका। अतः दर्शित व्यय की धनराशियों की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावलियों/बिल वाउचर प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। लेखा परीक्षा में रु0 1603875.00 व रु0 541764.0 की व्यय पत्रावली प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा, श्री दयाराम, श्री सेवाराम चौधरी, डा0 कृष्णानन्द उपाध्याय एवं लेखाकार श्री अशोक लाल एवं श्रीनाथ सिंह का संयुक्त रूप से रहा। विवरण निम्नवत् है :-

विवरण	2013-14	2014-15
विविध	—	128450.00
इन्दिरा आवास	12500.00	—
विधायक निधि	847457.00	109338.00
राज्य वित्त	2350591.00	9201746.00
ब्याज	67.00	23408.00
योग	3210615.00	9462942.00
पत्रावली	1606740.00	3821178.00
पत्रावली अप्राप्त	1603875.00	5641764.00
		योग-7245639.00

यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013-14 व 2014-15 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत भी धनराशियां व्यय की गयी है। किन्तु पत्रावली व प्रमाणक के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किस योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशियां अनुमन्य कार्य पर ही व्यय की गयी है। अथवा इससे भिन्न कार्यों पर मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय धनराशियों में कितनी सामग्री पर तथा कितना श्रमांश पर व्यय किया गया है तथा सामग्री व श्रमांश का अनुपात 60.60 का पालन किया गया है या नहीं पत्रावली के अभाव में जाँच व तथ्य सम्बन्धित टिप्पणी सम्भव नहीं हुई। लेखा परीक्षा में स्पष्ट विवरण एवं सम्बन्धित पत्रावली/बिल बाउचर प्रस्तुत कर व्यय के अधिकृत होने की पुष्टि करायी जानी चाहिए। दायित्व खण्ड

विकास अधिकारी व लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ० सं०-3)

प्रस्तर सं०-12

आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194(सी) के अनुसार निर्माण कार्यों के सापेक्ष/भुगतानों के सापेक्ष सम्बन्धित से आयकर की कटौती करने के उपरान्त ही धनराशियों का भुगतान किया जाना चाहिए तथा काटी गयी धनराशि ससमय नियत शीर्ष 0021 में जमा कर देना चाहिए। ऐसा न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ भुगतान कर्ता अधिकारी/आहरण/वितरण अधिकारी के ऊपर अर्धदण्ड भी लगाया जा सकता है।

वर्ष 2013-14 व 2014-15 की लेखा परीक्षा में कतिपय उपलब्ध पत्रावलियों की जाँच में यह पाया गया कि भुगतानों के सापेक्ष आयकर मद में धनराशियां तो काटी गयी है परन्तु उसका विवरण नहीं रख गया है आयकर मद में की गयी कटौती एवं उसके सापेक्ष जमा का विवरण अर्थात् इस मद में कोई लेखा अनुदान पंजी II व III पर नहीं रखा गया है। आयकर मद में काटी गयी धनराशि को राजकीय कोष में नियत शीर्ष में जमा सम्बन्धी चालान व सी०टी०आर० की प्रति लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। फलतः आयकर की वास्तविक स्थिति अज्ञात रही। वर्ष 2013-14 व 2014-15 में विधायक निधि व राज्य वित्त के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर दर्शित कुल व्यय धनराशि रु० 12509132.00 का 40 प्रतिशत रु० 5003653.00 को संज्ञान में लेते हुए पर 2 प्रतिशत की दर से लेखा परीक्षा द्वारा आंकलित आयकर की धनराशि रु० 100073.00 का भुगतानों के सापेक्ष कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा, श्री दयाराम, श्री सेवाराम चौधरी डॉ० कृष्णनन्द उपाध्याय एवं श्री श्रीनाथ सिंह का संयुक्त रूप से रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ० सं०-4)

प्रस्तर सं०-13

(अ)- उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली 2009 के क्रम में मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के पत्र संख्या डी०एल०आर०/डी०एल०आर०सी०दिनांक 16.10.2016 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप खनिजों की आपूर्ति करते समय निम्न व्यवस्था प्रदान की गयी है:-

1- उप खनिजों की आपूर्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि उप खनिज नियमानुसार रायल्टी भुगतान कर वैध रवन्ना (एम.एम.-11) के आधार पर परिवहन किये जायेंगे।

2- आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति प्राप्त किये गये हैं।

3- जिन मामलों में बिना रायल्टी का भुगतान किये उप खनिजों की आपूर्ति हो गयी है। उनके बिलों का भुगतान करने के पूर्व निर्धारित दर पर रायल्टी की धनराशि कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में जमा करा लिया जाये तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी को भेज दी जाये।

4- यदि कार्यदायी विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ठेकेदार से देय रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये बगैर अंतिम भुगतान कर दिया जाता है अथवा इससे ससमय राजकोष में जमा नहीं किया जाता है तो निहित सरकारी राजस्व की क्षति हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी ठहराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत चिलकहर की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निर्माण कार्यों के सापेक्ष दर्शित व्यय की धनराशियों का श्रम एवं सामग्री का मदवार विवरण नहीं रखा गया है। निर्माण सामग्री के खरीद की मदवार मात्रा दर मूल्य का विवरण स्टॉक पंजी न रखे जाने के कारण रायल्टी की गणना न सम्भव हुई। अतः उप खनिजों का मदवार विवरण तैयार कर अपेक्षित रायल्टी की धनराशि आगणित करते हुए राजकीय राजस्व की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है। दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा।

(ब)- वर्षवार निर्माण कार्यों के सापेक्ष दर्शित व्यय धनराशियों का श्रम एवं सामग्री का मदवार विवरण नहीं रखा गया है। निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले सामग्री के भुगतान के सापेक्ष सम्बन्धित से वैट की कटौती करने के उपरान्त ही धनराशियों का भुगतान किया जाना चाहिए तथा काटी गयी धनराशि ससमय नियत शीर्ष में कोषागार में जमा कर देना चाहिए। लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि भुगतानों के सापेक्ष वैट मद में काटी गयी धनराशि का कोई विवरण नहीं रखा गया है तथा न तो वैट मद में की गयी कटौती एवं उसके सापेक्ष जमा का ही विवरण अनुदान पंजी II एवं III पर देखने को मिला एवं न ही आय- व्यय की विवरण अर्थात् इस मद को कोई लेखा नहीं है। अतः वैट मद में कोई धनराशि न तो काटी गयी है एवं न ही जमा की गयी है। वर्ष 2013-14 व 2014-15 में निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय की धनराशि रु० 12509132.00 का 40 प्रतिशत रु० 5003653.00 को संज्ञान में लेते हुए उसपर 4 प्रतिशत की दर से लेखा परीक्षा द्वारा आंकलित वैट की धनराशि रु० 200145.00 की भुगतान के सापेक्ष कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा, श्री दयाराम, श्री सेवाराम चौधरी, डॉ० कृष्णनन्द उपाध्याय एवं लेखाकार श्री अशोक लाल एवं श्री श्रीनाथ सिंह संयुक्त रूप से रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ० सं०-5ब)

4- शासनादेश सं०- ए-1/12/दस/2012(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार राजकीय धनराशियां वित्त विभाग की अनुमति से बैंकों में बचत खाते खोलकर जमा की जानी चाहिए तथा जमा

धनराशियों के सापेक्ष प्राप्त ब्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे राजकीय कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत चिलकहर की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया की संस्था द्वारा उक्त शासनादेश के निर्देशों के विपरीत बिना वित्त विभाग की अनुमति के बैंकों में खाते खोलकर राजकीय अनुदान की धनराशि जमा की गयी है तथा जमाओं के सापेक्ष प्राप्त/अर्जित ब्याज की धनराशियाँ राजकोष में जमा न कर राजकीय धन रोककर गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है।

वर्ष	प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग	वर्षान्त शेष	अभ्युक्ति
2013-14	91418	131639	67	222990	
2014-15	222990	176108	23408	413398	होना चाहिए 375690
योग	314408	307747	23475	636388	होना चाहिए 598680
					अन्तर 37708

ब्याज मद में आय रु0 307747.00 की पुष्टि बैंक पासबुक स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट के अभाव में नहीं किया जा सका। किस योजना के सापेक्ष किस खाते से ब्याज अर्जित है इसका कोई विवरण नहीं रख गया है। विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित धनराशि एक ही बैंक खाते में रखी गयी है। जबकि योजनावार अलग-अलग खाते खोलकर रखे जाने चाहिए। यह भी पुष्टि नहीं है कि समस्त अर्जित ब्याज की धनराशि दर्शित कर ली गयी है अथवा नहीं मात्र ब्याज मद का शीर्ष खोलकर ब्याज का समेकित विवरण रखा जाना अनुचित है।

उक्त वर्षों में अर्जित ब्याज के सापेक्ष रु0 23475.00 शासनादेश के विपरीत अनियमितता रहा। अनधिकृत रूप से व्यय दर्शित कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है तथा वर्षान्त शेष 31.03.2015 को रोक रखी गयी धनराशि रु0 413398.00 वास्तविक है कि नहीं स्थिति भी अस्पष्ट है। लेखा परीक्षा अनुसार रु0 375690.00 होना चाहिए। वास्तविक स्थिति प्रदर्शित करते हुए विद्यमान अन्तर 37708.00 का समाधान किया जाना चाहिए तथा वर्षान्त पर रोक रखी गयी धनराशि राजकीय राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ब्याज की धनराशि रोक रखकर उसका व्यय अन्य मदों में करके राजकीय राजस्व की क्षति के साथ गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी, श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा, श्री दयाराम, श्री सेवाराम चौधरी, डॉ० कृष्णानन्द उपध्याय एवं लेखाकार, श्री अशोक लाल एवं श्री श्रीनाथ सिंह का संयुक्त रूप से रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं०-6)

प्रारूप - 3

वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायतों में उद्घाटित अपहरण/दुरुपयोग/अनियमितता की आपत्तियों का विवरण -

जनपद - मऊ

सम्भाग - आजमगढ़

क्षेत्र पंचायत - कोपागंज

प्रस्तर संख्या - 1 - वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि मनरेगा मानदेय मद से भुगतान करते समय भुगतान की धनराशि पर 4% की दर से बिक्री कर/वाणिज्यकर व 2% की दर से आयकर की कटौती दर्शित है, किन्तु इसे जमा कराये जाने की पुष्टि अभिलेखों से नहीं होती है। इस प्रकार वाणिज्य कर रु0 10141 एवं आयकर रु 5144 अर्थात कुल रु0 15285 की कटौती न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाकर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार / कैशियर श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं। इस धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	फर्म का नाम	वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि	वाणिज्य कर (4%)	आयकर (2%)
1	मे0 बजरंग फर्नीचर को कूलर कय हेतु	15300	467	306
2	श्री नरेन्द्र कुमार गुप्त क0ले0लि0 को कम्प्यूटर प्रिन्टर कय	13400	536	268
3	मेसर्स स्टैंडर्ड गिफ्ट सेंटर भीटी (फाइबर कुर्सी कय)	71563	2863	1432
4	मेसर्स आशुतोष ट्रेडर्स(कम्प्यूटर पार्ट्स व एसेसरीज)	43475	1739	870
5	मेसर्स बाला जी कम्प्यूटरर्स अली बिल्डिंग (कम्प्यूटर व प्रिन्टर कय)	46400	1856	928
	मेसर्स आर0 ए0 इलेक्ट्रिकल्स आजमगढ़(सोलर लाईट)	32600	1304	652
	मेसर्स गौरव बैट्री सर्विस भीटी मऊ	34400	1376	688
6	योग -	257138	10141	5144

प्रस्तर संख्या - 2 -क्षेत्र पंचायत कोपागंज में दिनांक 01.04.16 को ब्याज मद में प्रारम्भिक अवशेष रु 245256 दर्शित था। वर्ष 2016-17 में विभिन्न खातों से कुल रु 255850 ब्याज मद में आय प्राप्त हुआ तथा रु 251 बैंक कटौती मद में

व्यय हुआ। इस प्रकार दिनांक 31.03.17 को ब्याज मद में कुल रु 657955 धनराशि अवशेष रही। जबकि शासनादेश संख्या -1/22/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.12 के प्रस्तर 3 के अनुसार ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में नियमित जमा कराया जाना चाहिये। इस प्रकार रु 657955 ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा न कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार / कैशियर श्री उमेश राय द्वारा अनियमितता बरती गयी है। ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 3 - वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि सांसद निधि से भुगतान करते समय भुगतान की धनराशि पर 4% की दर से बिक्री कर/वाणिज्यकर व 2% की दर से आयकर की कटौती दर्शित है, किन्तु इसे जमा कराये जाने की पुष्टि अभिलेखों से नहीं होती है। इस प्रकार वाणिज्य कर रु 26224 एवं आयकर रु 13471 अर्थात् कुल रु 39695 की कटौती न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाकर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए सम्बन्धित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार / कैशियर श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं। इस धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	फर्म का नाम	वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि	वाणिज्य कर (4%)	आयकर (2%)
1	मेसर्स संकट मोचन टाइल्स एण्ड बिल्डिंग मैटे0	292000	11680	5840
2	मेसर्स संकट मोचन टाइल्स एण्ड बिल्डिंग मैटे0	267000	10680	5340
3	मेसर्स राम प्यारे ईट भट्टा फैजुल्लाहपुर	39441	1578	789
4	मेसर्स प्रभुनाथ सिंह सप्लायर भोंवरकोल	38569	1543	771
5	मेसर्स संकट मोचन टाइल्स एण्ड बिल्डिंग मैटे0	18567	743	731
6	योग -	655577	26224	13471

क्षेत्र पंचायत - बड़रॉव -

प्रस्तर संख्या -4 - निम्न विवरणंकित तिथियों में सामग्री क्रय पर कुल रु0 3874103 का भुगतान चेक द्वारा सम्बन्धित फर्म को किया गया। लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। स्टॉक रजि0 के अभाव में सामग्री का स्टॉक रजि0 में आमद, उपभोग व अवशेष की स्थिति अज्ञात रही। इस प्रकार भुगतान अपुष्ट एवं अनियमित पाया गया। उत्तरदायित्व सम्बन्धित वरिष्ठ लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	फर्म का नाम एवं क्रय सामान	चेक संख्या	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	31.03.08	मे0 सिंह एण्ड संस बिल्डिंग मैटे0 नदवासराय, मऊ	950024	46900	श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखाकार, बाबूलाल राम बी0डी0ओ
2	03.06.08	उपरोक्त	305484	66306	उपरोक्त
3	05.03.09	मे0 अशोक कुमार सिंह ईट भट्टा उधेग घोसी, मऊ	040622	79894	उपरोक्त
4	26.09.09	मे0 कामता यादव ईट भट्टा सबरहद बिरेचा, मऊ	040637	64522	उपरोक्त
5	26.10.09	उपरोक्त	044864	187276	उपरोक्त
6	26.10.09	उपरोक्त	044875	129809	उपरोक्त
7	13.12.09	मे0 जे0पी0 ट्रेडर्स मेन रोड बोझी बाजार, मऊ	044878	95400	श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखाकार, रामदुलार राम बी0डी0ओ
8	03.05.10	मे0 कामता यादव ईट भट्टा सबरहद बिरेचा, मऊ	046103	132082	श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखाकार, छोटेलाल बी0डी0ओ
9	05.10.10	उपरोक्त	055450	69226	उपरोक्त
10	15.11.10	उपरोक्त	056052	242836	उपरोक्त
11	21.01.11	मे0 रामधारी ईट भट्टा सबरहद बिरेचा, बोझी, मऊ	055458	285069	उपरोक्त
12	03.02.11	उपरोक्त	055460	394169	उपरोक्त
13	01.03.11	मे0 रामधारी ईट भट्टा सबरहद बिरेचा, बोझी, मऊ	001428	580694	श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखाकार, छोटेलाल बी0डी0ओ
14	06.05.11	उपरोक्त	001428	348417	उपरोक्त
15	23.07.11	उपरोक्त	005467	387130	उपरोक्त

16	15.04.11	उपरोक्त	001516	304424	उपरोक्त
17	17.04.12	मॉ भवानी ईट उद्योग,सिपाह,मऊ	000758	96783	श्री रामसकल विश्वकर्मा,लेखाकार,श्रीमती मीना गौतम बी0डी0ओ
18	17.04.12	उपरोक्त	000759	96783	उपरोक्त
19	17.04.12	उपरोक्त	000760	96783	उपरोक्त
19	03.11.12	मे0 जे0पी0 ट्रेडर्स मेन रोड बोझी बाजार,मऊ	002135	169600	उपरोक्त
20		योग		3874103	

प्रस्तर संख्या – 5 – ग्राण्ट रजि0-द्वितीय की जाँच में विभिन्न योजनाओं में निम्न कार्य हेतु कर्मचारियों को भुगतान हेतु चेक काटा गया। लेखा परीक्षा में भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रावलियों के अभाव में व्यय अप्रमाणित रहा। जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्य प्रभारी, वरिष्ठ लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी की रही। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	व्यय का प्रयोजन	उत्तरदायी व्यक्ति समान अंशों में
1	13.03.07	013550	35554	ग्राम पंचायत मिश्रौली में पोखरा खुदाई	श्री भलचन्द,ग्राम वि०अधि०,श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखा० श्री दयाशंकर पाण्डेय,ख०वि०अधि०
2	28.12.07	304612	10000	उपरोक्त	श्री भलचन्द,ग्राम वि०अधि०,श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखा० श्री बाबूलाल राम,ख०वि०अधि०
3	08.02.08	304618	18631	उपरोक्त	उपरोक्त
4	06.09.07	030135	45878	ग्राम पंचायत गोधना में पोखरा खुदाई	श्री ओम प्रकाश यादव ,ग्राम वि०अधि०,श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखा० श्री बाबूलाल राम,ख०वि०अधि०
5	03.11.07	304603	29580	ग्राम पंचायत गोधना में पोखरा खुदाई	उपरोक्त
6	12.03.08	825869	25000	उपरोक्त	उपरोक्त
7	02.02.09	305329	24065	उपरोक्त	उपरोक्त
8	06.09.07	030136	33814	ग्राम पंचायत भीरा में(मुल्ला गड़ही)पोखरा खुदाई	श्री रमाशंकर यादव ,ग्राम वि०अधि०,श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखा० श्री बाबूलाल राम,ख०वि०अधि०
9	19.10.07	304602	45472	उपरोक्त	उपरोक्त
10	08.02.08	304617	44077	उपरोक्त	उपरोक्त
11	06.09.07	030137	45820	ग्राम पंचायत भैरोपुरखुर्मा में पोखरा खुदाई	श्री रामदरश यादव ,ग्राम वि०अधि०,श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखा० श्री बाबूलाल राम,ख०वि०अधि०
12	08.11.07	304607	27492	उपरोक्त	उपरोक्त
13	20.09.07	030138	41644	ग्राम पंचायत पकड़ीखुर्द में पोखरा खुदाई	श्री सुबाष चन्द ,ग्राम वि०अधि०,श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखा० श्री बाबूलाल राम,ख०वि०अधि०
14	19.10.07	304601	33060	उपरोक्त	उपरोक्त
15	08.02.08	304616	43220	उपरोक्त	उपरोक्त
16	11.06.10	051777	249000	ग्राम पंचायत अतरसावाँ में गाटा सं० 306 में पोखरा खुदाई	श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखाकार,श्री छोटेलाल खं०वि०अ०
17	26.07.10	054306	253200	ग्राम पंचायत पकड़ीखुर्द में गाटा सं० 1409/327 में पोखरा खुदाई	श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखाकार,श्री छोटेलाल खं०वि०अ०
18	26.09.11	007395	160080	ग्राम पंचायत कन्धेली में गाटा सं० 274 में पोखरा खुदाई	श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखाकार,श्री छोटेलाल खं०वि०अ०
योग			1165587		

प्रस्तर संख्या – 6 – आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में विभिन्न तिथियों में सोलर लाइट क्रय की गयी है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2012-13 के दौरान रु० 2294084 की सोलर लाइटों का क्रय संदिग्ध प्रतीत होता है। सोलर

लाईट क्रय का भुगतान चेक द्वारा सम्बन्धित फर्म को किया गया एवं कुछ सोलर लाइटों को सीधे कन्ट्रैक्टर से क्रय किया गया है, किन्तु तत्सम्बन्धी क्रय रसीद/प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से टिन सं०, निर्माता कम्पनी आदि का विवरण अप्राप्त रहा, साथ ही ग्राम पंचायतों द्वारा जारी मॉग पत्र भी अप्राप्त रहा। अतः तत्सम्बन्धी भुगतान अपुष्ट एवं अनियमित रहा, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	फर्म का नाम	चेक सं०	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
1	11.10.07	में० चावला इले० हाउस चौक बाजार गोण्डा के नाम 15 अदद सेमी हाई मास्ट लाईट क्रय	560421	1539720	श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखा० श्री बाबूलाल राम, खं०वि० अधि०
2	09.12.11	श्री तेज बहादुर यादव गव० कान्स्ट्रैक्टर एवं आर्डर सप्लायर, ग्रा० / पो०—ताजोपुर, मऊ	000119	160929	श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखा०, श्री छोटेलाल खं०वि० अधि०
3	12.12.11	उपरोक्त	000120	156811	उपरोक्त
4	15.12.11	उपरोक्त	000121	137083	उपरोक्त
5	19.12.12	उपरोक्त	000122	121847	श्री रामसकल विश्वकर्मा, लेखा०, श्रीमती मीना गौतम खं०वि० अधि०
6	19.12.12	उपरोक्त	000123	177694	उपरोक्त
		योग		2294084	

प्रस्तर संख्या — 7 — आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में विज्ञापन हेतु निम्नलिखित पत्रकारों को धनराशियां प्रदान की गयी हैं। लेखा परीक्षा में कार्यवाही पुस्तिका के अभाव में क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा उक्त धनराशियों के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है या नहीं की स्थिति अज्ञात रही। अतः रु० 31200.00 के सरकारी धन का अपहरण किया गया। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी की है, जिनसे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्नांकित है—

क्रमांक	दिनांक	नाम पत्रकार / समाचारपत्र	चेक सं०	धनराशि
1	15.02.11	राजमणि शर्मा / अमरउजाला	001452	3200
2	15.02.11	—	001453	3000
3	21.11.11	रंजीत कुमार	013510	5000
4	28.12.11	राजमणि शर्मा / अमरउजाला	000129	10000
5	23.12.11	—	000130	10000
		योग		31200

प्रस्तर संख्या — 8 — संलग्नक "ख" में दर्शित विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत में दिनांक 31.03.13 को ग्राण्ट रजिस्टर पार्ट तृतीय के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल रु० 864283.04 (राज्य वित्त रु० 822248.92 एवं मनरेगा रु० 42034.12) की धनराशि शेष रही जो कि अनियमित है। मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० बी०—1—1197दस—99 दि० 30 मार्च 1999 के अनुसार शेष राजकीय धनराशि को राजकीय कोषागार के वैयक्तिक खाते में रखा जाना चाहिए, लेकिन वरिष्ठ लेखाकार श्री रामशकल विश्वकर्मा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा उक्त धनराशि को राजकीय कोषागार के वैयक्तिक खाते में न जमाकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, अपेक्षित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या — 9 — आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में जीप मरम्मत हेतु रु० 154791.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस फर्म को किया गया है उस फर्म का नाम अप्राप्त रहा। लेखा परीक्षा में जीप मरम्मत से सम्बन्धित आर०आई० रिपोर्ट व व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। साथ ही उक्त व्यय का उल्लेख ग्राण्ट रजि० तृतीय में नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित पाया गया। इस प्रकार तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	व्यय का विवरण
1	12.04.10	518422	9740	पर्दा लगवाई
2	12.04.10	518423	11030	कमानी बनवाई
3	28.04.10	051566	5400	बैट्री क्रय
4	10.06.10	054332	5095	जीप मरम्मत
5	19.06.10	053946	10455	उपरोक्त
6	28.06.10	053976	10455	उपरोक्त
7	06.08.10	054328	3400	उपरोक्त

8	16.12.10	056074	3190	उपरोक्त
9	07.10.11	007418	53510	उपरोक्त
10	26.07.11	005472	40000	उपरोक्त
11	07.04.12	000756	2516	उपरोक्त
		योग	154791	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु नाली निर्माण पर 12 वां वित्त मद से कुल रु० 1071870.00 व्यय किया गया। पुरा कार्य दो तिथियों 26.09.09 एवं 26.10.09 को श्री ओम प्रकाश यादव, ग्रा०वि०अधि० द्वारा कराया गया है। कार्य निर्माण पत्रावली के अभाव में परिमाण इत्यादि का विवरण अज्ञात रहा। कार्यवाही रजि० के अभाव में प्रस्ताव के अनुमोदन व स्वीकृति की जानकारी अप्राप्त रही। दो ही तिथियों में उक्त कार्य को एक व्यक्ति द्वारा सम्पन्न किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए ग्रा०पं०/वि० अधि० श्री ओमप्रकाश यादव, लेखाकार श्री रामशकल विश्वकर्मा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूलाल राम संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित तीनों कर्म०/अधि० से समान अंशों में की जानी चाहिए। धनराशि का विवरण निम्नवत है—

प्रस्तर संख्या — 10 — आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु नाली निर्माण पर 12 वां वित्त मद से कुल रु० 1071870.00 व्यय किया गया। पुरा कार्य दो तिथियों 26.09.09 एवं 26.10.09 को श्री ओम प्रकाश यादव, ग्रा०वि०अधि० द्वारा कराया गया है। कार्य निर्माण पत्रावली के अभाव में परिमाण इत्यादि का विवरण अज्ञात रहा। कार्यवाही रजि० के अभाव में प्रस्ताव के अनुमोदन व स्वीकृति की जानकारी अप्राप्त रही। दो ही तिथियों में उक्त कार्य को एक व्यक्ति द्वारा सम्पन्न किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए ग्रा०पं०/वि० अधि० श्री ओमप्रकाश यादव, लेखाकार श्री रामशकल विश्वकर्मा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूलाल राम संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित तीनों कर्म०/अधि० से समान अंशों में की जानी चाहिए। धनराशि का विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	व्यय का विवरण/कार्य का नाम
1	26.09.09	040637	64522	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
2	26.09.09	044862	83600	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
3	26.09.09	044863	30720	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
4	26.09.09	044864	187276	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
5	26.09.09	044865	149221	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
6	26.09.09	044866	10052	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
7	26.09.09	044867	55100	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
8	26.09.09	044868	22540	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
9	26.09.09	044869	65390	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
10	26.10.09	044870	91904	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
11	26.10.09	044871	7117	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
12	26.10.09	044872	21300	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
13	26.10.09	044873	25900	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
14	26.10.09	044874	22880	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
15	26.10.09	044875	129809	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
16	26.10.09	044876	91137	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
17	26.10.09	044877	13402	करनपुर में नलकूप सं० 90 जी०जी० हेतु द०पू० नाली निर्माण
योग			1071870	

प्रस्तर संख्या — 11— दिनांक 26.08.10 को ग्रा०पं० सबरहद विरेचा में कार्य प्रभारी श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय (ग्रा०पं०/वि०अधि०) द्वारा कुल रु० 292166.00 से पक्की नाली निर्माण का कार्य कराया गया है, उक्त कार्य के सम्बन्ध में आपत्ति है कि एक ही तिथि को विभिन्न चेकों द्वारा कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। ले०प० में मस्टर रोल अप्राप्त रहने से मजदूरों की सं० एवं मानव दिवसों की सं० अज्ञात रही। विभिन्न फर्मों से कथित ईट, सिमेण्ट, बालू आदि सामग्री की क़य रसीद भी अप्राप्त रही। अतः उक्त कराये गए कार्य का भुगतान पूरी तरह काल्पनिक एवं संदिग्ध है। उक्त भुगतान को अपहरण मानते हुए कुल रु० 292166.00 की धनराशि पर ब्याज सहित समान अंशों में श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय (ग्रा०पं०/वि०अधि०), लेखाकार श्री रामशकल विश्वकर्मा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। धनराशि का विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	व्यय का विवरण/कार्य का नाम
1	26.08.10	046117	19281	ग्रा० पं० सबरहद विरेचा में रामबदन के घर से नन्दू के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु मे० कामता प्रसाद ईट भट्टा से ईट क़य
2	26.08.10	046118	32916	उपरोक्त कार्य हेतु जे० पी० ट्रेडर्स मेनरोड बोझीबाजार से सामग्री क़य

3	26.08.10	046119	10480	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान
4	26.08.10	046120	20627	गा० पं० सबरहदविरेचा में रईस के घर से गुड्डू के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु मे० कामता प्रसाद ईट भट्टा से ईट क्रय
5	26.08.10	055441	34218	उपरोक्त कार्य हेतु जे० पी० ट्रेडर्स मेनरोड बोझीबाजार से सामग्री क्रय
6	26.08.10	055442	11280	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान
7	26.08.10	055443	39354	गा० पं० सबरहदविरेचा में रामसुभग के घर से छेदी के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु मे० कामता प्रसाद ईट भट्टा से ईट क्रय
8	26.08.10	055444	64702	उपरोक्त कार्य हेतु जे० पी० ट्रेडर्स मेनरोड बोझीबाजार से सामग्री क्रय
9	26.08.10	055445	22200	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान
10	26.08.10	055446	14400	गा० पं० सबरहदविरेचा में सलाहुद्दीन के घर से सरवर के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु मे० कामता प्रसाद ईट भट्टा से ईट क्रय
11	26.08.10	055447	14308	उपरोक्त कार्य हेतु जे० पी० ट्रेडर्स मेनरोड बोझीबाजार से सामग्री क्रय
12	26.08.10	055448	8400	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान
योग			292166	

प्रस्तर संख्या – 12 – आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में सरकारी जीप एवं जनरेटर हेतु विभिन्न तिथियों एवं चेकों द्वारा मे० राय ब्रदर्स इण्डियन आयल, दोहरीघाट मऊ से कुल रु० 373588.00 का डीजल क्रय किया गया है। लेखा परीक्षा में लाग बुक, निरीक्षण रजि० एवं जनरेटर हेतु प्रयुक्त उपभोग रजि० क अभाव में कथित डीजल के उपभोग की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधि० उत्तरदायी हैं, जिन्होंने ब्याज सहित समान अंशों में उक्त धनराशि की वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। धनराशि का विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	दिनांक	चेक सं०	धनराशि
1	12.04.10	518424	11050
2	07.07.10	053988	11659
3	06.08.10	654329	28626
4	25.08.10	054339	19671
5	16.09.10	013615	16395
6	10.12.10	056073	33683
7	15.12.10	001454	29921
8	25.03.11	003232	23751
9	30.05.11	003220	26719
10	01.06.11	189520	19676
11	08.07.11	005455	23070
12	18.08.11	189522	33188
13	07.10.11	007419	33383
14	22.10.11	013620	24085
15	25.05.12	000798	38711
योग			373588

प्रस्तर संख्या – 13 – आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा अधिकांश कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गए हैं। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अधीन शासनादेश सं० 866/22-02-14 सी०/204 टी०सी०, दि० 24.06.2014 के अनुसार क्षेत्र पंचायत दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत को लाभान्वित करने का कार्य करायेगी। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। अतः क्षेत्र पंचायत द्वारा रु० 3645814.00 की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रामशकल विश्वकर्मा एवं खण्ड विकास अधिकारी क्रमशः श्री बाबूलाल, श्री रामदुलार, श्री मुहम्मद रफी व श्री छोटेला उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। धनराशि का विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	व्यय का विवरण/कार्य का नाम
1	31.03.08	950023	51782	ग्राम पंचा० कुचहरा में बटोही यादव के दरवाजे से पोखरा तक नाली नि०
2	31.03.08	850025	28400	उपरोक्त कार्य
3	08.06.10	051772	302665	ग्राम पंचा० पीवाताल में ब्रह्म बाबा स्थान से श्रीराम चौबे के खेत तक मि०/ख० कार्य

4	11.06.10	051809	21700	भटमिला पाण्डेपार में जंगी सिंह के घर से अनुबस्ती तक मि०/सो० कार्य
5	19.06.10	151818	51180	चकभगवानदास में सतईलाल के घर के पीछे से दुबेर के घर तक मि०/ख० कार्य
6	19.06.10	053960	156000	अमिला में चिरेयाडोंड से प्र०वि० सरायों तक मिट्टी कार्य
7	19.06.10	053961	34300	उपरोक्त कार्य
8	06.07.10	046110	36600	सबरहद बिरैचा में रामसूरत के घरसे राजदेव के घर तक पक्की नाली नि०
9	06.07.10	046111	65264	उपरोक्त कार्य
10	06.07.10	046112	101397	उपरोक्त कार्य
11	05.07.10	053985	351936	टकटेउवारामपुर में अवधेश के खेत से रामकेवल के खेत तक मिट्टी कार्य
12	26.07.10	053998	55500	उपरोक्त कार्य
13	26.07.10	053999	54400	उपरोक्त कार्य
14	26.07.10	054000	311541	उपरोक्त कार्य
15	26.07.10	054281	21427	उपरोक्त कार्य
16	29.07.10	054207	186900	पकड़ीबुजुर्ग में कालीचरन के द्रयूबवेल से तुलसी के घर तक मिट्टी कार्य
17	26.08.10	054341	58100	डोंड़ी में सुदामा के घर से मोलई के घर होते हुए सहदेव के घर तक मिट्टी कार्य
18	26.08.10	054342	56800	उपरोक्त कार्य
19	26.08.10	054343	57200	उपरोक्त कार्य
20	04.09.10	866994	82900	कटिहारी में रामबृक्ष के खेत से रमेश सिंह के खेत तक मिट्टी कार्य
21	04.09.10	866995	11520	उपरोक्त कार्य
22	04.09.10	866996	529488	उपरोक्त कार्य
23	03.11.10	056042	97200	शिशुपाल के घर से पंचम के घर तक सोलिंग कार्य
24	01.03.11	001430	53640	पिडउथ सिंहपुर में श्याम मल्लाह के चक से गुलाब धोबी के घरतक मिट्टी/खडंजा कार्य
25	01.03.11	001431	26880	उपरोक्त कार्य
26	01.03.11	001432	25760	उपरोक्त कार्य
27	01.03.11	001433	22090	उपरोक्त कार्य
28	21.04.11	003201	149400	पिडउथ सिंहपुर में पुनवासी के खेत से बालचन्द के खेत तक मिट्टी/खडंजा कार्य
29	02.05.11	001519	200405	खत्तिया में रामअवध के घर से पड़ोही के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य
30	27.05.11	003217	443439	टकटेउवारामपुर में बहादुर मौर्य के खेत से तुलसी राजभर के मड़ई तक मिट्टी/खडंजा कार्य
		योग	3645814	

क्षेत्र पंचायत – रानीपुर

प्रस्तर संख्या – 14 – वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि राज्य वित्त योजना से ईट उद्योग व बिल्डिंग मैटेरियल्स से सम्बन्धित जिन फर्मों से ईट व अन्य सामग्रियाँ क्रय की गयी हैं, उनसे 4% की दर से वाणिज्य कर/बिक्री कर व 2% की दर से आयकर की कटौती कर राजकोष में जमा नहीं कराया गया है। वर्ष 2016–17 में ईट क्रय व बिल्डिंग मैटेरियल्स व अन्य सामग्री क्रय के रूप में कुल रु 3228315 का व्यय दर्शित है, जिस पर 4% की दर से वाणिज्य कर/बिक्री कर रु 129132 व 2% की दर से आयकर रु 64566 होता है। इस प्रकार कुल रु 193698 की वैधानिक कटौती न कर राजकीय धन की क्षति पहुँचाई गयी है। इस गम्भीर अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुराग राय व लेखाकार / कैशियर श्री पी० एन० सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 15 – वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि मनरेगा मानदेय योजना से ईट उद्योग व बिल्डिंग मैटेरियल्स से सम्बन्धित जिन फर्मों से ईट व अन्य सामग्रियाँ क्रय की गयी हैं, उनसे 4% की दर से वाणिज्य कर/बिक्री कर व 2% की दर से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। वर्ष 2016–17 में ईट क्रय व बिल्डिंग मैटेरियल्स व अन्य सामग्री क्रय के रूप में कुल रु 218982 का व्यय दर्शित है, जिस पर 4% की दर से वाणिज्य कर/बिक्री कर रु 8759 व 2% की दर से आयकर रु 4380 होता है। इस प्रकार कुल रु 13139 की वैधानिक कटौती न कर राजकीय धन की क्षति पहुँचाई गयी है। इस गम्भीर अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुराग राय व लेखाकार / कैशियर श्री पी० एन० सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 16 – लेखा परीक्षा में वर्ष 2016–17 में मनरेगा मानदेय मद से रु 277949 की धनराशि स्वीकृत मद से इतर व्यय किया गया है। मनरेगा मद में मानदेय सम्बन्धी प्राप्त अनुदान को विकास कार्यों में न खर्च करके अन्य

मदों में नियम विरुद्ध ढंग से व्यय कर राजकीय अनुदान को अनियमित ढंग से व्यय करने सम्बन्धी अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुराग राय व लेखाकार / कैशियर श्री पी० एन० सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है –

चेक संख्या व दिनांक	मद परिवर्तन/भुगतान विवरण	धनराशि
041496 / 26.04.16	मेसर्स सिंह ट्रेडर्स	50458
046292 / 17.08.16	मेसर्स सिंह ट्रेडर्स	54700
045294 / 29.08.16	जे पी मार्ट	9308
045295 / 29.08.16	मेसर्स सिंह ट्रेडर्स	52700
045296 / 29.08.16	जागरण प्रकाशन	8967
1666 / 16.03.17	अधिशसी अभियन्ता विद्युत	50000

योग – 277949

प्रस्तर संख्या – 17 –इन्दिरा आवास योजना भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, बन्धुआ मजदूरों(मुक्त कराये गये),अल्पसंख्यकों तथा अन्य गैर अनुसूचित जाति व जनजाति के गामीण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण/उन्नयन के लिए एकमुश्त सहायता प्राप्त करने के लिए वर्ष 1985–86 में प्रारम्भ की गयी थी, किन्तु लेखा परीक्षा वर्ष में प्रकाश में आया कि इन्दिरा आवास योजना की धनराशि को क्षेत्र पंचायत में उपरोक्त उद्देश्यों के विपरीत अन्यत्र मद में व्यय कर न केवल धनराशि का अपहरण किया गया है अपितु इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होने वाले लोगों को इस लाभ से वंचित रखने के साथ साथ अन्याय भी किया गया है।

इन्दिरा आवास मद	मद परिवर्तन विवरण	धनराशि
	डीजल कय इत्यादि	111700
	फोटोस्टेट,टोनर व स्टेशनरी इत्यादि	84076
	कम्प्यूटर सामग्री	31780
	जीप व जनरेटर मरम्मत	24799
	माइक व मेज रिपेयर	8595
	डिजिटल डायरी हेतु भुगतान	40000
	कार्यालय व्यय	7850

योग – 308800

इस प्रकार इन्दिरा आवास के स्वीकृत मद से रु 308800 धनराशि फर्जी व्यय दर्शाकर अन्यत्र मद में व्यय कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिनकी वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुराग राय व लेखाकार / कैशियर श्री पी० एन० सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 18 –क्षेत्र पंचायत में दिनांक 01.04.16 को ब्याज मद में प्रारम्भिक अवशेष रु 455223 दर्शित था। वर्ष 2016–17 में विभिन्न खातों से कुल रु 87368 ब्याज मद में आय प्राप्त हुआ तथा रु 543 बैंक कटौती मद में व्यय हुआ। इस प्रकार दिनांक 31.03.17 को ब्याज मद में कुल रु 542048 धनराशि अवशेष रही। जबकि शासनादेश संख्या –1/22/10–2012–10(33)/2010 दिनांक 21.03.12 के प्रस्तर 3 के अनुसार ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में नियमित: जमा कराया जाना चाहिये। इस प्रकार रु 542048 ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा न कर तत्कालीन श्री अनुराग राय व लेखाकार / कैशियर श्री पी० एन० सिंह द्वारा अनियमितता बरती गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 19 –लेखा परीक्षा में वर्ष 2016–17 में राज्य वित्त मद से रु 205000 की धनराशि स्वीकृत मद से इतर व्यय किया गया है राज्य वित्त मद से विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान को विकास कार्यों में न खर्च करके अन्य मदों में नियम विरुद्ध ढंग से व्यय कर राजकीय अनुदान को अनियमित ढंग से व्यय करने सम्बन्धी अनियमितता की गयी है। मानदेय से सम्बन्धित रजि०/पत्रावली, मानदेय की दर व मानदेय की अवधि इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। साथ ही मानदेय क्षेत्र पंचायत के प्रशासनिक मद से दिया जाना चाहिए। विवरण निम्नवत है –

चेक संख्या व दिनांक	मद परिवर्तन/भुगतान विवरण	धनराशि
5823 / 18.05.16	श्री चन्द्रशेखर श्रीवास्तव स०वि०अधि०सहकारिता	100000
5840 / 08.03.17	श्रीमती शशीबाला पूर्व प्रमुख मानदेय	39065
7941 / 08.03.17	श्रीमती नीती सिंह वर्तमान प्रमुख मानदेय	65935

योग – 205000

इस गम्भीर अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुराग राय व लेखाकार / कैशियर श्री पी० एन० सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 20 –दिनांक 31.03.17 को ग्राण्ट रजि० 2 व 3 की जाँच में (मनरेगा मानदेय व मनरेगा ब्याज खाते सहित) अन्तिम अवशेष रु 6340328 लेखा परीक्षा के अनुसार गणना की गयी, किन्तु क्षेत्र पंचायत के ग्राण्ट रजि० 3 में रु 8140328 (मनरेगा मानदेय व मनरेगा ब्याज खाते सहित) अवशेष दर्शित है। इस प्रकार लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राण्ट रजि० में रु 1800000 अधिक अवशेष दर्शित है। जबकि बैंक पासबुकों में दर्शित अवशेष धनराशि का कुल योग

रु0 8226273 दर्शित है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत के ग्राण्ट रजि0 3 व बैंक पासबुकों में दर्शित अन्तिम अवशेषों का अन्तर मात्र रु 85945 का ही है। जिसका समाधान विवरण पत्र निम्न विवरणानुसार तैयार किया गया है—

क्रमांक	चेक संख्या	दिनांक	अनाहरित चेक की धनराशि
1	1661(मनरेगा)	08.03.17	43260
2	744774	30.03.17	12035
3	744775	30.03.17	22800
2	744776	30.03.17	7850
			योग — 85945

जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राण्ट रजि0 व बैंक पासबुको के अवशेष धनराशि का अन्तर रु0 1885945 हो रहा है। इस प्रकार केवल रु0 85945 का ही समाधान विवरण पत्र तैयार कर व रु 1800000 का समाधान विवरण पत्र तैयार न कर क्षेत्र पंचायत द्वारा अनियमितता की गयी है। इस अनियमिता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुराग राय व लेखाकार / कैशियर श्री पी0 एन0 सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत — दोहरीघाट

प्रस्तर संख्या — 21 — लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर 3 के अनुसार विभिन्न मदों के अनुदान को बैंक में रखने से प्राप्त ब्याज की संकलित धनराशि रु0 905936 जो बैंक खाते में अवशेष रूप में पड़ी है। सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 10/2015@ए-1-502/दस-2015-10(33)2010 दिनांक 29 मई के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर शासकीय आय होगी तथा इसे राजकीय कोष में जमा किया जायेगा। परन्तु आलोच्य वर्ष में इसका अनुपालन नहीं किया गया है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शास्त्री जी दूबे एवं तत्कालीन लेखाकार श्री लल्लन राय उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या — 22 — ग्राण्ट रजिस्टर-तृतीय के निम्नांकित विवरणानुसार रु0 9565353 दिनांक 31.03.2017 को अवशेष बैंक खातों में पड़ा है।

क्रम संख्या	शीर्ष	अवशेष अनुदान
1.	मनरेगा	3187720
2.	राज्य वित्त	3774513
3.	13 वॉ वित्त	234572
4.	बायोगैस	55523
5.	इन्दिरा आवास कन्टिजेंसी	313025
6.	ऑगनबाड़ी	2000000
योग		9565353

उपरोक्त में से क्रमांक 6 पर अंकित धनराशि माह मार्च 2017 में प्राप्त है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 बी-1-1197/दस-99 दिनांक 30.03.1999 के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को अवशेष अनुदान संबन्धित अनुदानदाता संस्था को वापस किया जायेगा। परन्तु ऐसा न कर रु0 9565353 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शास्त्री जी दूबे एवं तत्कालीन लेखाकार श्री लल्लन राय उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या — 23 — आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-सी के अनुसार शासकीय अनुदान से निर्माण कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति के बिलों के स्रोत पर आयकर 2.24 प्रतिशत तथा व्यापार कर 4 प्रतिशत कटौती कर ही भुगतान किया जायेगा। कटौती की धनराशि रु0 58942 व्यापार कर तथा रु0 33004 आयकर तत्काल/वित्तीय वर्ष के अन्दर सम्बन्धित शीर्ष में जमा न करायी जा सकी है। प्रदत्त मौखिक जानकारी के अनुसार ऐसा कार्य की अधिकता में सम्भव नहीं हो सका। इसे आगामी वित्तीय वर्ष में जमा कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत — रतनपुरा

प्रस्तर संख्या — 24 — दिनांक 31.03.2017 को क्षेत्र पंचायत रतनपुरा के ब्याज मद में धनराशि रु0 925111 दर्शित रहा। उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 10/2015ए-1-502/दस-2015-10(33)2016 दिनांक 29 मई के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर शासकीय आय होगी तथा इसे राजकीय कोष में जमा किया जायेगा। परन्तु आलोच्य वर्ष में इसका अनुपालन नहीं कर अनियमित रूप से ब्याज की धनराशि को रोककर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 25 – ग्राण्ट रजि0 3 के अनुसार 31.03.17 को आयकर कटौती की धनराशि रु0 115672 दर्शित रहा । उक्त धनराशि विगत वर्षों से संचित होकर चली आ रही है, जबकि इसे जिस वर्ष में आयकर की कटौती की गयी है उसी वर्ष में भारत सरकार के आयकर विभाग में कटौती कर जमा कर दिया जाना चाहिए था। कटौती की धनराशि रु0 115672 तत्काल/वित्तीय वर्ष के अन्दर सम्बन्धित शीर्ष में जमा न कर संस्था स्तर पर रोककर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 26 – लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 31.03.2017 को ग्राण्ट रजिस्टर-तृतीय के निम्नांकित विवरणानुसार रु0 480740 विगत वर्षों से अवशेष बैंक खातों में पड़ा है।

क्रम संख्या	शीर्ष	अवशेष अनुदान
1.	बायोगैस	31340
2.	युवक मंगल दल प्रोत्साहन	32000
3.	किचेन शेड निर्माण	45000
4.	एस0जे0आर0वाई0 वसूली	100000
5.	सांसद निधि	272400
	योग	480740

नियमानुसार जिस वर्ष हेतु अनुदान की धनराशि प्राप्त हुई हो उसका उपभोग उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक कर लिया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में संबंधित विभागों को वापस कर दिया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में बिना महालेखाकार की अनुमति के अनियमित रूप से व्यय दर्शित कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – मुहम्मदाबाद

प्रस्तर संख्या – 27 – आलोच्य वर्ष (2007-08 से 13-14) में निम्न विवरणानुसार अनुदान के रूप में धनराशि अवशेष एवं अनुपयोगी पड़ी हुई है, वित्तीय वर्षों हेतु प्राप्त अनुदान का उपभोग उन्हीं वित्तीय वर्षों में कर लिया जाना चाहिए था। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से उन वित्तीय वर्षों में अनुदान का समुचित उपभोग न किया जा सके तो आगामी वर्षों के उपभोग हेतु महालेखाकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी, अथवा सम्बन्धित विभागों को वापस कर दी जानी चाहिए थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अनुदान की एक लम्बी धनराशि अप्रयुक्त रहने के कारण क्षेत्र के विकास की गति प्रभावित रही है तथा क्षेत्र की जनता को उससे मिलने वाले लाभों में विलम्ब वाले लाभों में विलम्ब के साथ साथ क्षेत्र के निर्धन/मजदूर वर्ग के लोगों को भी रोजगार के अवसरों को पूरा करने में क्षेत्र पंचायत अनुदान के सामयिक उपभोग में सक्षम नहीं है तो अनुदान की धनराशि सम्बन्धित विभागों को वापस कर दी जानी चाहिए, लेकिन वापस न कर अनियमितता की गयी है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम संख्या	शीर्ष	अवशेष अनुदान
1.	बायोगैस	10178
2.	विधायक निधि	37781
3.	राज्य वित्त	3735436
4.	13 वॉ वित्त	2169617
5.	ब्याज	152290
6.	निःशुल्क बोरिंग मजदूरी	1575
7.	आयकर कटौती	35913
8.	इन्दिरा आवास कन्टिजेंसी	50000
9.	पेयजल गुणवत्ता	10000
	योग	6202790

प्रस्तर संख्या – 28 – आलोच्य वर्षों में संस्था द्वारा अनुदान की धनराशियों पर ब्याज बर्जित किया गया है। सचिव उ0प्र0शासन के शासनादेश सं0 10/2015ए-1-502/दस-2015-10(33)2016 दिनांक 29 मई के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर शासकीय आय होगी तथा इसे राजकीय कोष में जमा किया जायेगा। परन्तु आलोच्य वर्ष में इसका अनुपालन नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत है –

(क) दिनांक 31.03.14 को अवशेष ब्याज की धनराशि रु0 152290 को रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है

(ख) वर्ष 2007-08 में रु0 43437, वर्ष 2009-10 में रु0 72098, वर्ष 2011-12 में रु0 359582 एवं वर्ष 2013-14 में रु0 158254 कुल योग रु0 633301 ब्याज के मद का व्यय कर गंभीर अनियमितता बरतते हुए धन का दुरुपयोग किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रमांक	लेखा परीक्षा वर्ष	कार्य का विवरण	लागत धनराशि
1	2007-08	भदीड़ में दुर्ग विजय सिंह के घर से हरिकेश की मड़ई होकर शेष के घर से सतीश के घर तक मिट्टी व खड़ण्जा कार्य	85126
2	2007-08	अन्नूपार में लालू के घर के बगल से पारसनाथ के घर के आगे तक मिट्टी व खड़ण्जा कार्य	43790
3	2011-12	देवसीपुर में मृत्युजय सिंह के घर से साधना के घर तक मिट्टी कार्य	64833
4	2011-12	बरहदपुर में गुलाम मु0 के मकान से इस्लामिया स्कूल तक नाली व आर0सी0सी0 कवर निर्माण	193302
5	2012-13	बन्दीकला में हाजीबच्चन के घर से जलील के घर तक खड़ण्जा मरमम्त	120298
6	2012-13	तिलसवाँ में पासी बस्ती से हरिजन बस्ती तक खड़ण्जा मरमम्त	362968
7	2012-13	गालिबपुर में प्रेमचन्द के घर से सुखारी के घर तक खड़ण्जा मरमम्त	40890
8	2013-14	औटनी में लक्ष्मी नारायण के घर से घारीराम के घर तक नाला मरमम्त	222236
		योग	1133443

प्रस्तर संख्या - 29 - शासनादेश सं0 41866/33-2-14/2004 सी0सी0 दिनांक 24 जून 2014 के द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि/ अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है इससे दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें इसका स्पष्ट उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराकर अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं किया गया है, इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 30 - ग्राण्ट रजि0 तृतीय के अनुसार दिनांक 31.03.14 को आयकर की कटौती रु0 35913 अन्तिम अवशेष है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-सी के अनुसार शासकीय अनुदान से निर्माण कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति के बिलों के स्रोत पर आयकर 2.24 प्रतिशत तथा व्यापार कर 4 प्रतिशत कटौती की धनराशि लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाता है। परन्तु ऐसा न कर धनराशि रु0 35913 तत्काल/ वित्तीय वर्ष के अन्दर सम्बन्धित शीर्ष में जमा न कर संस्था स्तर पर रोककर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या - 31 - लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में कतिपय निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में देखा गया कि 2 प्रतिशत आयकर की कटौती न कर राजस्व को क्षति पहुँचाकर अनियमितता की गयी है, इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं, अतः रु0 6519 की आयकर की कटौती जमा कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	लागत धनराशि	2% आयकर
1	मालव में पिटोखर में झिनकू चौहान के खेत के बगल में पुलिया मरमम्त	75636	1513
2	मालव में रामबदन के ट्यूबवेल के पास पुलिया मरमम्त	91910	1838
3	मालव में बड़का पोखरा के पास बाँध पर ईट पुलिया मरमम्त कार्य	69061	1381
4	मालव में रामविजय के ट्यूबवेल के पास खड़ण्जा पर ईट पुलिया मरमम्त कार्य	89326	1787
5	योग	325933	6519

प्रस्तर संख्या - 32 - लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर 3 के अनुसार विभिन्न मदों के अनुदान को बैंक में रखने से प्राप्त ब्याज की संकलित धनराशि रु0 270478 जो बैंक खाते में अवशेष रूप में पड़ी है।

खाता सं0 - 143 रु0 943

खाता सं0 15460 रु0 13738

खाता सं0- 925410 रु0 255797

योग - रु0 270478

सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 10/2015ए-1-502/दस-2015-10(33)2016 दिनांक 29 मई के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर शासकीय आय होगी तथा इसे राजकीय कोष में जमा किया जायेगा। परन्तु आलोच्य वर्ष में इसका अनुपालन नहीं किया गया है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री

गुलाब चन्द्र सोनकर एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अच्छेलाल राम उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या – 33 – लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राण्ट रजिस्टर-तृतीय के निम्नांकित विवरणानुसार रु0 4262568 दिनांक 31.03.2015 को अवशेष बैंक खातों में पड़ा है।

क्रम संख्या	शीर्ष	अवशेष अनुदान
1.	बायोगेस	2178
2.	विधायक निधि	37781
3.	राज्य वित्त	240352
4.	13 वॉ वित्त	833146
5.	क्षेत्र निधि ब्याज	46640
6.	राज्य वित्त ब्याज	138744
7.	आयकर कटौती	82828
8.	इन्दिरा आवास कन्टिजेंसी	30899
9.	ऑगनबाड़ी भवन निर्माण	2850000
	योग	4262568

उपरोक्त में से क्रमांक 9 पर अंकित धनराशि माह मार्च 2015 में प्राप्त है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 बी-1-1197/दस-99 दिनांक 30.03.1999 के अनुसार दिनांक 31.03.2015 को अवशेष अनुदान संबंधित अनुदानदाता संस्था को वापस किया जायेगा। परन्तु ऐसा न कर रु0 4262568 बैंक खातों में रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गुलाब चन्द्र सोनकर एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अच्छेलाल राम उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या – 34 – ग्राण्ट रजि0 3 के अनुसार 31.03.15 को आयकर कटौती की धनराशि रु0 82828 अन्तिम अवशेष है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-सी के अनुसार शासकीय अनुदान से निर्माण कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति के बिलों के स्रोत पर आयकर 2 प्रतिशत तथा व्यापार कर 4 प्रतिशत कटौती कर ही भुगतान किया जायेगा। कटौती की धनराशि रु0 82828 तत्काल/वित्तीय वर्ष के अन्दर सम्बन्धित शीर्ष में जमा न कर संस्था स्तर पर रोककर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गुलाब चन्द्र सोनकर एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अच्छेलाल राम उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रारूप- 3

वर्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2016-17

मण्डल का नाम-बरेली (उ0प्र0)जनपद-बदायूँ

क्षेत्र पंचायतों से संबंधित आपत्तियों:- कुल 15 क्षेत्र पंचायतों के सापेक्ष मात्र 10 क्षेत्र पंचायत के ही अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहे। जिसके कारण शेष 05 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में संपन्न नहीं की जा सकी।

आपत्ति वर्ष 2011-12 क्षेत्र पंचायत जगत बदायूँ

प्रस्तर -1. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 381300.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सी0पी0 जौहरी ग्राम पंचायत अधि0 को रु0 381300.00 को भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 381300.00 का वर्ष 2011-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी0डी0ओ0/जे0ई0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-3)

प्रस्तर -2- आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट :-

सामग्री मद में कुल रु0 2023267.00 भुगतान में से रु0 45655.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है :-

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
558530	15.04.2011	3593 4600	नानक इलेक्ट्रीकल्स जवाहर सेल्स	रामपाल

		2000	इकवाल अहमद विल्डिंग मे0स0	
558533	02.01.2012	1249	आशिक अली	सी0पी0जौहरी
029879	17.02.2012	13650	आशिक अली	सी0पी0जौहरी
030383	05.03.2012	20563	आशिक अली	सी0पी0जौहरी
योग		45655		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 45655.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 45655.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -3- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना :-

कुल दर्शित भुगतान रू0 2023267.00 में से रू0 1977612.00 का भुगतान, जो संबंधित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गए हैं, जिससे रू0 1977612.00 का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी हैं जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति सं0-4 ख**

प्रस्तर -4- रू0 40763.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 518.00 की टी0डी0एस0कम काटकर राजस्व की हानि- वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणों के भुगतान के समय अंकन रू0 40763.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 2064030.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रू0 41281.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 5884.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्डी विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 40763.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-5**

प्रस्तर -5- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 2064030.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 82561.00 की आयकर कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 82561.00 कटौती नहीं गयी है। जिससे रू0 82561.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-6**

प्रस्तर -6- वर्ष 2011-12 में 525.36 घन मी0 मिटटी हेतु कुल रू0 35562.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू0 15760.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक/भुगतान तिथि	मात्रा घन मी0 में	दर	धनराशि
02.01.2012	18.50	67.50	1249.00
17.02.12	202.22	67.50	13650.00
05.03.2012	304.64	67.50	20663.00
योग	525.36		35562.00

आपत्ति संख्या-7

आपत्ति वर्ष 2012-13 क्षेत्र पंचायत जगत बदायूँ

प्रस्तर -7. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 479775.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी री सी0पी0 जौहरी ग्राम पंचायत अधि0 को रू0 479775.00 को भुगतान कर दिया गया हैं। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 479775.00 का वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0-3)**

प्रस्तर -8- आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट :-

सामग्री मद में कुल रू0 3661507.00 भुगतान में से रू0 42327.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है :-

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
431206	01.01.13	9355	नाजिम	मनोज कुमार सिंह
431209	19.02.2013	743	धीरेन्द्र	मनोज कुमार सिंह
431266	13.06.13	2891	नरेन्द्र	मनोज कुमार सिंह
431214	20.01.13	8856	सत्येन्द्र	मनोज कुमार सिंह
431229	15.03.13	7504	सत्येन्द्र	मनोज कुमार सिंह
431238	11.04.13	12978	सत्येन्द्र	मनोज कुमार सिंह
योग		42327.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 42327.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 42327.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। आपत्ति सं0-04 क

प्रस्तर -9- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना :-

कुल दर्शित भुगतान रू0 3661507.00 में से रू0 3619180.00 का भुगतान, जो संबंधित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गए हैं, जिससे रू0 3619180.00 का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी हैं जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति सं0-4 ख**

प्रस्तर - 10- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 3736317.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 149453.00 की आयकर कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 82561.00 कटौती नहीं गयी है। जिससे रू0 149453.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6

प्रस्तर -11- वर्ष 2012-13 में 1154.56 घन मी0 मिटटी हेतु कुल रू0 67770.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू0 34636.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक/भुगतान तिथि	मात्रा घन मी0 में	दर	धनराशि
01.01.13	173.021	54	9355
19.02.13	13.76	54	743
18.05.13	105.57	54	5701
18.05.13	75.59	54	4082
13.06.13	49.43	58.50	2891
22.01.13	160	54	8856
15.03.13	139	54	7504
11.04.13	206	63	12978
13.02.14	232	67.50	15660
योग	1154.56		67770.00

आपत्ति संख्या-7

प्रस्तर – वर्ष 2013-14 क्षेत्र पंचायत जगत बदायूँ

प्रस्तर –12. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 542625.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी री सी0पी0 जौहरी ग्राम पंचायत अधि0 को रु0 542625.00 को भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि है तु अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 542625.00 का वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-3)

प्रस्तर –13- आपूर्तिकर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट :-

सामग्री मद में कुल रु0 3849302.00 भुगतान में से रु0 71362.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है :-

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
51519	12.11.13	17187	शमशाद	मनोज कुमार सिंह
515560	20.03.14	4800	शमशाद	मनोज कुमार सिंह
515568	31.03.14	12098	धीरेन्द्र	मनोज कुमार सिंह
431297	24.09.13	12275	आसिफ अली	मनोज कुमार सिंह
515544	13.02.14	15660	नेत्रपाल	मनोज कुमार सिंह
431232	20.03.13	9342	नाजिम	मनोज कुमार सिंह
योग		71362.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 71360.200 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेण्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 71362.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। आपत्ति सं0-04 क

प्रस्तर –14- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना :-

कुल दर्शित भुगतान रु0 3849302.00 में से रु0 3777940.00 का भुगतान, जो संबंधित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि है तु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेण्ट उपलब्ध कराये गए हैं, जिससे रु0 3777940.00 का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी है जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति है तु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। आपत्ति सं0-4 ख

प्रस्तर – 15- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 3975891.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 159035.00 की आयकर कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 28706.00 कटौती नहीं गयी है। जिससे रु0 130329.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6

प्रस्तर –16- वर्ष 2013-14 में 985.13 घन मी0 मिटटी हेतु कुल रु0 66544 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 29554 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक/भुगतान तिथि	मात्रा घन मी0 में	दर	धनराशि
12.11.13	254.66	67.50	17187.00
31.03.14	179.24	67.50	12098.00
24.09.13	181.85	67.50	12275.00
13.02.14	232	67.50	15660.00
20.03.13	137.38	68.00	9324.00
योग	985.13		66544.00

आपत्ति संख्या-7

प्रस्तर पत्र वर्ष- 2014-15 से 2016-17

नाम संस्था- क्षेत्र पंचायत जगत, जनपद- बदायूँ।

प्रस्तर-17- श्रमांश के मद में मजदूरी को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 1569770.00- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मनोज कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 1569770.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. 1569770.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18- आपूर्तिकर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट:-

सामग्री मद में कुल रु. 10396066.00 भुगतान में से रु0 30500.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
525418	4/19/2014	5000	जीत आर्ट स्टूडियो	मै0 राज कं0
525420	9/29/2014	5500	जीत आर्ट स्टूडियो	मै0 राज कं0
515591	7/26/2014	5000	जीत आर्ट स्टूडियो	मै0 राज कं0
525403	8/23/2014	5000	जीत आर्ट स्टूडियो	मै0 राज कं0
238608	10/21/2014	5000	जीत आर्ट स्टूडियो	मै0 राज कं0
238608	11/19/2014	5000	जीत आर्ट स्टूडियो	मै0 राज कं0
योग		30500		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 30500.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 30500.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना:

कुल दर्शित भुगतान रु0 10396066.00 में से रु0 10365566.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराये गये है जिससे रु0 10365566.00 का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी है। जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0- 4ख)

प्रस्तर-20- रु0 212555.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 51929.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 212555.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 11702840.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रु0 द 264484.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 21502.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 212555.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0 बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0-5)

प्रस्तर-21-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 11702840.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 468113.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में रु0 445094.00 की कटौती की गयी इस प्रकार रु0 23019.00 कम कटौती कर राजस्व दो क्षति पहुँचाई गयी। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 445094.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0-6)

प्रस्तर-22-लेखा परीक्षा वर्ष में कुल रु0 12685 की रॉयल्टी काटी गयी है जिसकी पुष्टि में कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी जिससे यह अपुष्ट रहा कि यह धनराशि जमा कहाँ की गयी है अधिकांश बिल वाउचरों से स्पष्ट हुआ है कि फर्म द्वारा की समस्त सामग्री उपलब्ध करायी गयी है जिसमें से मिट्टी की मात्रा प्रथक किया जाना सम्भव नहीं है। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

(साधारण आपत्ति सं0-7)

प्रस्तर-23- वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान समय सिक्कोरिटी मनी के रूप में रु0 614510.00 की कटौती की गई है एवं रु0 275793.00 की वापसी की गयी है। इस प्रकार रु0 338717.00 की सिक्कोरिटी मनी संस्था के पास शेष है। जिससे सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी है जबकि ऐसा किया जाना अपेक्षित था। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0-8)

आपत्ति वर्ष 2016-17

प्रस्तर-24- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:-

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु 610150.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मनोज कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिव को किया गया है। मस्टर रोल की पुष्टि हेतु अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. 610150.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख/समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0-3)

प्रस्तर-25- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना:

कुल दर्शित भुगतान रु0 2076006.00 कार्य प्रभारी को किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेन्ट उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिससे रु0 2076006.00 का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि नहीं हो सकी है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0-4)

प्रस्तर-26-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2741417.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 109656.00 की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में रु0 99359.00 की कटौती की गयी इस काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 99359.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। यहां पर 10298.00 रु0 टी0डी0एस0 के रूप में कटौती की गयी है। जिसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0-5)

प्रस्तर-27-लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में तालिका 1 में निम्न विवरण अनुसार मिट्टी क्रय किया जाना दर्शित है-

दिनांक	मात्रा	दर	धनराशि
4/19/2016	395.18	67.50	26675.00
7/27/2016	174.15	67.50	11755.00
योग	569.33		38430.00

वर्ष 2016-17 में 569.33 धन मीटर मिट्टी 67.50 रु0 प्रति धन मी0 की दर से कुल रु0 38430.00 का मिट्टी क्रय किया गया जिस पर 17079.09 रु0 का रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित कार्मिक से की जानी अपेक्षित रही।

(साधारण आपत्ति सं0-7)

प्रस्तर-28-वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान समय जमानत के रूप में रु0 213002.00 की कटौती की गई है एवं रु0 181502.00 की वापसी की गयी है, इस प्रकार रु0 31500.00 की जमानत राशि संस्था के पास शेष है, जिससे सम्बन्धित कोई भी पत्रावली भी लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी, जबकि ऐसा किया जाना अपेक्षित था। इस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-वर्ष 2011-12 क्षेत्र पंचायत वजीरगंज, बदायूँ

प्रस्तर-29. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 206000.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री पवन कुमार सक्सेना पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 110380.00 श्री अमर सिंह पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी रु0 34020.00 श्री सुरेश पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 61600.00 का भुगतान कर दिया

गया हैं मस्टर रोल पर जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गॉव के है, यह भी उल्लेख नहीं है।
ग्राम पंचायत सुरेसना में मेन रोड से रामदीव पंडित जी के घर तक सी.सी कार्य हेतु मस्टर रोल सं० 74135, 74136, 74655, 74134 का भुगतान कार्य समाप्त होने के 2 माह पश्चात किया गया है जबकि मस्टर रोल का भुगतान साप्ताहिक होने थे। विलम्ब से भुगतान किया जाने की स्थिति यह स्पष्ट करता है कि किया गया भुगतान वास्तविक नहीं है मात्र कागजी खाना-पूर्ति की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 206000 का वर्ष 2011-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-3)

प्रस्तर-30- आपूर्तिकर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट :-

सामग्री मद में कुल रु० 1094284.00 भुगतान में से रु० 29990.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है :-

चैक न०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
094267	01.12.11	14580.00 8910.00	पवन कुमार सक्सेना	तसब्बर हुसैना
094268	09.12.11	6500.00	राकेश सीमेन्ट एजेन्सी	बी०सी० 309/11 बिसौली
	योग	29990.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 29990.00 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 29990.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०-04 क

प्रस्तर -31- रु० 6096.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 15912.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि- वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 6096.00 की टी०डी०एस० कटौती की गयी है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 1100380.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रु० 22008.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 18772 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक००२१ में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस. अंकन रु० 6096 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या -5

प्रस्तर-32- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 1100380.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 44015.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु० शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 44015.00 कटौती कम की गयी है।

इस प्रकार रु० 44015.00 कम कटौती करा राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर/सेल्स टैक्स की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है। लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से तारीख ब्याज सहित जमा कराया जाये।

आपत्ति संख्या -6

प्रस्तर-33- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना :-

कुल दर्शित भुगतान रु० 1094284.00 में से रु० 1064294.00 का भुगतान, जो संबंधित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराये गए हैं, जिससे रु० 3777940.00 का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी हैं जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०-4 ख

प्रस्तर -34-वर्ष 2011-12 में 160 घन मी० मिटटी हेतु कुल रु० 25920.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु० 4800 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व

की क्षति की गयी है। क्षति की ब्याज सहित पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी० में	धनराशि
01.12.11	55	8910.00
01.12.11	90	14580.00
21.12.11	15	2430.00
योग	160	25920.00

आपत्ति संख्या-7

प्रस्तर- 2012-13

प्रस्तर -35. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान- वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु 492875.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री पवन कुमार सक्सेना पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 77875.00 श्री प्रमोद कुमार शर्मा पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु 167375.00 श्री सुदीप कुमार शर्मा पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 34500.00 श्री रघुवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी रु 53250.00 श्री सतीश चन्द्र मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी रु 94500.00 श्री श्याम कश्यप ग्राम विकास अधिकारी रु 65375.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहा कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु 492875.00 का वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या -3

प्रस्तर - 36- भुगतानित धनराशि बैंक स्टेटमेंट/पास बुक के अभाव में तथा मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अस्पष्ट होने पर भी भुगतान कर अपहरण- संलग्न तालिका 2 के अनुसार आपूर्तिकर्ता/फर्म को सामग्री मद में कुल रु 2540928 का भुगतान पत्रावली में उपलब्ध सामग्री की कय प्रमाणकों के आधार पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में बार-बार मांग के उपरान्त भी बैंक खाते का स्टेटमेंट/पास बुक उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह ज्ञात न हो सका कि वास्तव में भुगतान किसे हुआ है। अतः भुगतान की गयी धनराशि रु 2540928.00 की वास्तविक स्थिति बैंक खता/स्टेटमेंट के अभाव में अपुष्ट है। जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-37- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु 2592814.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु 103712.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु 0 शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रु 103712.00 कटौती कम की गयी है। इस प्रकार रु 103712.00 कम कटौती कराकर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर/सेल्स टैक्स की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है। लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से तारीख ब्याज सहित जमा कराया जाये।

आपत्ति संख्या -6

प्रस्तर -38- वर्ष 2012-13 में 306.97 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु 18414.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु 9209.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी० में	धनराशि
—	90.07	4750.00
21.04.13	75.24	4740.00
—	55.56	3500.00
26.02.19.5	86.10	5424.00
योग	306.97	18414.00

आपत्ति संख्या -7

प्रस्तर वर्ष 2013-14 क्षेत्र पंचायत वजीरगंज बदायूँ

प्रस्तर-39. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु 909799.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री पवन कुमार सक्सेना ग्राम विकास अधि० को रु 94270.00 श्री प्रमोद कुमार शर्मा पदनाम ग्राम विकास

अधिकारी रू0 181176.00 श्री सुदीप कुमार शर्मा पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0 239742.00 श्री राज नारायन सिंह ग्राम विकास अधिकारी रू0 93432.00 श्री सतीश चन्द्र मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी रू0 57875.00 श्री श्याम कश्यप ग्राम विकास अधिकारी रू0 170082.00 श्री अमर सिंह ग्राम विकास अधिकारी रू0 73222.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

(क) 13 वां वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम मकरन्दपुर में मोहर सिंह के तालाब से सरकारी नल तक नाला कार्य में निम्न विवरणानुसार मस्टर रोल दर्शाये गये है।

मस्टर रोल क्रमांक	अवधि	मजदूर की संख्या	धनराशि
76151	02.09.13 से 08.09.13	28	24000.00
76152	09.09.13 से 15.09.13	32	27750.00
76153	16.09.13 से 22.09.13	33	28500.00
76154	23.09.1 से 24.09.13	26	8000.00
			योग—88250.00

नोट शीट पर रू 89625.00 का योग लगाकर चेक सं0 005457 दिनांक 28.09.13 द्वारा कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार, ग्रा0वि.0 अधि0 को भुगतान किया गया। इस तरह रू0 1375 का अधिक भुगतान किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 909799.00 का वर्ष 2013-14 में योजना वद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए बी0डी0आओ0/जे0ई0/लेखाकार/ कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 3

प्रस्तर -40- आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के

अभाव में भुगतान अपुष्ट :-संलग्न तालिका 2 के अनुसार आपूर्तिकर्ता/फर्म को सामग्री मद में कुल रू0 9802817.00 का भुगतान पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर दर्शित है। जिसमें से मात्र रू0 1538156.00 की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है तथा रू0 183622.00 का भुगतान पत्रावली अनुसार फाजिल खां ठेकेदार को होना था। बैंक स्टेटमेंट में एस0एफ0 01121077 में भुगतान दर्शित पाया गया जो पूर्ण विवरण के अभाव में अपुष्ट है। शेष धनराशि रू0 8081039.00 का भुगतान की वास्तविक स्थिति बैंक स्टेटमेंट/पास बुक के अभाव में अपुष्ट है लेखा परीक्षा में बार-बार मांग के उपरांत भी बैंक खाते का स्टेटमेंट/पास बुक उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-41- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-

राज्य वित्त एवं 13वां वित्त अंतर्गत दर्शित भुगतान क्रमशः रू0 4074542.00 एवं रू0 1937902.00 जो दर्शित किया गया है के सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैंशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक /कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनावद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत ग्राम जहारपुर में सी.सी. कार्य हेतु श्री फाजिल खां की ठेकेदारी स्वीकृत की गई जिसके द्वारा प्रस्तुत बिल रू0 495485.72 अर्थात् रू0 495486.00 (जिसमें साइन बोर्ड का रू0 3500.00 शामिल है) में से 2 प्रतिशत आयकर रू0 9910.00, 4 प्रतिशत वा0 कर रू0 19819.00 तथा 5 प्रतिशत जमानत रू0 25000.00 घटाने के उपरान्त रू0 440757.00 का भुगतान चेक सं0 0513949.00 दिनांक 05.05.14 द्वारा कर दिया गया। जबकि रू0 3500.00 का भुगतान चेक सं0 0513944 दिनांक 03.03.14 द्वारा कर दिया गया था इस तरह रू0 3500 का भुगतान दो बार किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-42- रू0 209960.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 27815.00 की टी0डी0एस0कम काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणों के भुगतान के समय अंकन रू0 209960.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 10521005.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रू0 210420.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 460.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 209960.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-5**

आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 10521005.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 420840.00 की आयकर कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 230504.00 कटौती कम की गयी है। इस प्रकार रू0 190336.00 के

राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर/सेल्स टैक्स की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ अपहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है। लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये।

यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एन0 कटौती की गई है। फर्म द्वारा बिना टैक्स चाज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2013-14 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एन0 कटौती कुल अंकन रु0 230504.00 की गई है। इस धनराशि को संबंधित विभाग में जमा करने के प्रमाणस्वरूप निर्गत चैक नं0 /बैंक स्टेटमेंट/चालान एवं दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी0डी0एन0मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्ट है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के संबंध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं। लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये। 140

प्रस्तर -43- वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान समय सिक्योरिटी मनी के रूप में अंकन रु0 277704.00 की कटौती की गयी है। जिसकी वापसी संबंधित फर्म को कब-कब कितनी कितनी और किन किन माध्यमों की की गयी या नहीं की गयी। कोई पत्रावली अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसीकी पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली/विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये। लेखा परीक्षा में उपलब्ध अनुदान पंजिका में अंकित विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष में जमानत मद में रु0 268423.00 दर्शित है जबकि प्रमाणक के अनुसार कुल कटौती उक्त मद में रु0 277704.00 की गई है। अतः रु0 9281.00 से अनुदान पंजिका में कम दर्शित है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य योजनाओं के अंतर्गत कराये गये कार्यों से संबंधित जमानत धनराशि प्राप्त की गयी होगी। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 15

प्रस्तर -44- वर्ष 2013-14 में 1290.62 घन मी0 मिटटी हेतु कुल रु0 86854.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 38718.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
08.08.13	74.42	5023.00
28.09.19	318.37	21490.00
08.04.14	156.78	10582.00
07.02.14	207.70	14020.00
24.02.14	266.92	18017.00
17.02.14	208.39	14066.00
04.07.13	58.04	3656.00
योग	1290.62	86854.00

वर्ष- 2014-15 से 2016-17

नाम संस्था- क्षेत्र पंचायत वजीरगंज, जनपद- बदायूँ

प्रस्तर-45- श्रमांश के मद में मजदूरी को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 1211110.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार शर्मा पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु0 448020.00 श्री सतीश चन्द्र मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी रु0 187420.00 श्री श्याम कश्यप ग्राम विकास अधिकारी रु0 575670.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1211110.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46- आपूर्ति कर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में/बैंक स्टेटमेंट न होना एवं अस्पष्ट होनासामग्री मद में कुल रु. 5339610.00 भुगतान में से रु0 3496896.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में/भुगतान अस्पष्ट हैं।

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
94297	10/28/2014	229851.00	गुप्ता आयरन स्टोर	टी0आर0सी0ए0 211285
94300	1/3/2015	169710.00	गुप्ता आयरन स्टोर	टी0आर0सी0ए0 211285

547401	1/3/2015	54764.00	जे.के. ईट वर्क्स	टी0आर0 211364
547415	3/3/2015	717279.00	प्रताप इन्टरप्राइजेज	टी0आर0सी0ए0 211513
547414	3/3/2015	201319.00	प्रताप इन्टरप्राइजेज	टी0आर0सी0ए0 211513
548584	6/16/2015	3500.00	प्रताप इन्टरप्राइजेज	प्रमोद कुमार
897102	10/17/2014	221388.00	मै0 गुप्ता आयरन स्टोर	
897103	10/17/2014	538996.00	जे.के. ईट वर्क्स	
897108	11/14/2014	268683.00	जे.के. ईट वर्क्स	
897104	10/20/2014	7184.00	श्याम कश्यप	
897109	11/14/2014	174531.00	गुप्ता आयरन स्टोर	
897110	11/14/2014	29238.00	श्याम कश्यप	
897105	10/20/2014	497856.00	रिद्धि सिद्धि कन्सट्रक्शन	
897111	11/21/2014	210110.00	रिद्धि सिद्धि कन्सट्रक्शन	
897112	11/21/2014	4800.00	शर्मा सीमेन्ट	
897115	4/9/2015	152611.00	रिद्धि सिद्धि कन्सट्रक्शन	
897116	4/9/2015	4951.00 4725.00 5400.00	सतीश चन्द्र मिश्रा	
योग		3496896.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 3496896.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को हुआ है कि पुष्टि नहीं होती हैं। जो बैंक स्टेटमेन्ट/ खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 3496896.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-47-रू0 116209.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 19610.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू 116209.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 6009690.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रू0 120194.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 3985.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 116209.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-48-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:

कुल दर्शित भुगतान रू0 5339610.00 में से रू0 1842714.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-49-बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत ग्राम कन्जुआ में मेन रोड से माखन बाल्मीकि तक सी.सी. कार्य हेतु श्री धीरज सक्सेना, ठेकेदार द्वारा कुल रू0 393951.00 का बिल प्रस्तुत किया गया जिसमें बी0आर0जी0एफ0 का रू0 220000.00 तथा राज्य वित्त आयोग का रू0 173951.00 हैं।

उक्त के क्रम में अंकित टिप्पणी अनुसार जिला पंचायत द्वारा पत्राक 1310/04.03.15 के साथ संलग्न चेक सं0 719617/25.02. 15 से वर्ष 2014-15 हेतु अधिशासी अभियन्ता

ग्रा0अ0 से द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राकलन के क्रम में जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति उपरान्त प्रथम किश्त अवमुक्त करते हुए निर्देशित किया गया है कि अवशेष धन राज्य वित्त/13 वां वित्त की धनराशि से व्यय की जाये। उक्त पत्र संलग्न नहीं पाई गई। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(1) रा0वि0 आयोग अन्तर्गत ग्राम कन्जुआ में परिक्रमा मार्ग से हिमन्चल तक सी.सी. कार्य में कुल व्यय रू0 690265 का लेखा पारित किया गया है जबकि संलग्न नोट शीट पर कुल व्यय रू0 690388.00 अंकित किया गया है। अन्तर की स्थिति स्पष्ट करें।

(2) उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत श्री धीरज कुमार सक्सेना राजभवन, जवाहरपुरी द्वारा बिल नं0 3/20/14.02.15 से विल्डिंग मैटे0/ईट रू0 546114.00 का क्रय किया गया जिसमें निम्न कटौतियों की गई

टी0डी0एस0 (2 प्रतिशत)

-

10922.00

वैट (4 प्रतिशत)	—	81845.00
जमानत (4 प्रतिशत)	—	27400.00
		120167.00

उक्त कटौतियाँ के उपरान्त रु0 425947.00 का भुगतान चेक सं0 547411 दिनांक 27.02.15 द्वारा किया गया है। वैट की धनराशि रु0 21845.00 के स्थान पर रु0 81845.00 की कटौती किये जाने की स्थिति स्पष्ट करें।

प्रस्तर-50-वर्ष 2014-15 में 2141.43 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु0 144545.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 64243.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक भुगतान	मात्रा घन मी० में	धनराशि
3/3/2015	53.90	3638.00
3/3/2015	53.90	3638.00
3/3/2015	53.90	3638.00
3/3/2015	53.90	3638.00
3/3/2015	53.90	3638.00
3/3/2015	53.94	3641.00
1/3/2015	199.58	13472.00
10/20/2014	106.43	7184.00
11/14/2014	381.31	25738.00
4/9/2015	73.35	4951.00
4/9/2015	70.00	4725.00
4/9/2015	80.00	5400.00
2/27/2015	134.05	9048.00
3/3/2015	203.24	13719.00
2/27/2015	265.70	17935.00
6/25/2015	100.00	6750.00
6/25/2015	75.00	5062.00
8/7/2015	129.33	8730.00
योग	2141.43	144545.00

प्रस्तर-पत्र वर्ष- 2015-16

प्रस्तर-51-श्रमांश के मद में मजदूरी को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु 307975.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राज नारायन सिंह ग्राम विकास अधिकारी का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. 307975.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-52-भुगतानित धनराशि बैंक स्टेटमेन्ट/पास-बुक के अभाव में तथा मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अस्पष्ट होने पर भी भुगतान कर अपहरण-

संलग्न तालिका 2 के अनुसार आपूर्तिकर्ता/फर्म को सामग्री मद में कुल रु0 1117760.00 का भुगतान पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर दर्शित हैं। लेखा परीक्षा में बार-बार मांग के उपरान्त भी बैंक खाते का स्टेटमेन्ट/पास बुक उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह ज्ञात न हो सका कि वास्तव में भुगतान किसे हुआ है। अतः भुगतान की गयी धनराशि रु0 1117760.00 की वास्तविक स्थिति बैंक खाता/स्टेटमेन्ट के अभाव में अपुष्ट हैं।

जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-53—रु0 23917.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न होना पाने एवं रु0 3937.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि। वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 23917.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 1232491.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रु0 24650.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 733.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 23917.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-54—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 1232491.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 49300.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 87814.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 38514.00 कटौती अधिक की जानी की स्थिति स्पष्ट की जाये।

यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी०डी०एन० कटौती की गई हैं। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2015-16 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एन0 कटौती कुल अंकन रु0 87814.00 की गई हैं। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान एवं दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी०डी०एन०मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्ट है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं। लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये।

प्रस्तर-55—वर्ष 2015-16 में 402.13 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 27144.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 12064.00 रॉयल्टी काटी जानी चाहिए। रॉल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक भुगतान	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
1/8/2016	68.53	4626.00
1/8/2016	68.00	4590.00
1/8/2016	68.00	4590.00
1/8/2016	68.00	4590.00
11/6/2015	129.60	8748.00
योग	402.13	27144.00

प्रस्तर-पत्र (2016-17)

प्रस्तर-56— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान—

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु 786125.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राज नारायन सिंह ग्राम विकास अधिकारी को रु0 689300.00 एवं श्री प्रमोद कुमार शर्मा ग्राम विकास अधिकारी को रु0 96825.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

फाईल सं0 2 (कार्य का नाम— सुरेसना में इन्दराज के घर से यादराम धोबी के घर तक सी.सी. काय) में मिट्टी के चार प्रमाणकों के भुगतान का योग रु0 17542.00 (4381 + 4387 + 4387 + 4387) होता है परन्तु धनराशि रु0 26316.00 अंकित कर चेक सं0 897139 दिनांक 06.08.2016 द्वारा कार्य प्रभारी श्री राज नारायन सिंह को रु 8774.00 का अधिक भुगतान किया गया। उल्लेखनीय है कि फाईल सं0 1 से 4 का कार्य प्रभारी एक ही है तथा चारों फाईलों से सम्बन्धित कार्यो का टेण्डर व भुगतान एक ही साथ किया गया है जिसके क्रम में मजदूरी व मिट्टी कार्य का कुल भुगतान कार्य प्रभारी को रु0 689201.00 चेक सं0 897139 दिनांक 06.08. 2016 द्वारा चारो कार्य का एक साथ किया गया हैं।

उपरोक्त कार्यो से सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल परर अंकित राज/मजदूरों के विरण के जाँच में पाया गया कि समान अवधि में एक ही व्यक्ति का विवरण अलग-अलग मस्टर रोल में दर्ज कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। यथा—

फाईल क्र०	मस्टर रोल क्र०	कुल धनराशि	एम0आर0 पर मजदूर का क्र०	कार्य अवधि	राज मजदूर का नाम	पिता का नाम	जाति	निवासी
1.	90	50475	9	29.07.16 से 04.08.16	चन्द्रकेश	वन्शी	पाली	मकरन्दपुर
2.	77	61100	9	29.07.16 से 04.08.16	चन्द्रकेश	वन्शी	पाली	मकरन्दपुर

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. 786125.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये

बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-57- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-

कुल दर्शित भुगतान रू0 2694106.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हैतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

निम्नांकित राज्य वित्त आयोग के कार्यों से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र में विवरण अंकित नहीं पाया गया अर्थात् कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र कोरा हैं

फाइल क्र0	कार्य का नाम
1	ग्राम सुरसेना में रईसुल अन्सारी के घर से मस्जिद होते हुए अहमद हसन के घर तक सी.सी. कार्य 175 मी.
2	ग्राम सुरसेना में इन्द्रराज के घर से यादराम धोबी के घर तक सी.सी. कार्य 314 मी.
3	लहरा लाडपुर में आबिद के घर से मो. अब्दुल हमीद के घर तक तथा बाघसेन के प्लॉट से आरिफ के घर तक सी.सी. कार्य 174 मी.
4	ग्राम सरौरिया में अनिल पंडित के घर से राम औतार पंडित के घर तक सी.सी. कार्य 265 मी.
5	ग्राम ममौरी में हैम सिंह पाली के घर से उदय प्रकाश के घर तक सी.सी. कार्य 200 मी

प्रस्तर-58-रू0 57554.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना पाने एवं रू0 9461.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रू 57554.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 2965254.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रू0 59305.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 1751.00 कमकटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 57554.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 5)

प्रस्तर-59-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 2965254.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 118610.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 100699.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रू0 17911.00 कटौती कम की गयी। यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एन0 कटौती की गई हैं। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2016-17 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एन0 कटौती कुल अंकन रू0 100699.00 की गई हैं। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान एवं दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी0डी0एन0मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्ट है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं। जांचोपरान्त लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये।

प्रस्तर-60-वर्ष 2016-17 में 983.80 घन मी0 मिट्टी हैतु कुल रू0 65645.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू0 29514.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक भुगतान	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
7/22/2016	65-42	4416-00
7/22/2016	65-31	4408-00
7/22/2016	64-90	4381-00
7/22/2016	65-00	4307-00
7/22/2016	65-00	4307-00
7/22/2016	65-00	4307-00
7/22/2016	61-30	4138-00
7/22/2016	61-50	4151-00
9/2/2016	Nov-78	795-00
7/22/2016	63-49	4285-00
7/22/2016	64-50	4354-00
7/22/2016	64-50	4354-00

7/22/2016	64-75	4354-00
1/3/2017	50-40	3276-00
1/3/2017	50-14	3259-00
1/3/2017	50-46	3280-00
1/3/2007	5035	3273-00
योग	983-80	65645-00

आपत्ति वर्ष 2011-12 क्षेत्र पंचायत बिसौली बदायूँ

प्रस्तर-61. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 239020.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार मौर्य पदनाम सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को रु0 45500.00 श्री दिनेश चन्द्र शर्मा पदनाम सहायक विकास अधिकारी (एस0टी0) रु0 193520.00 श्री सतीश चन्द्र मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी रु0 193520.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल पर जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 239020.00 का वर्ष 2011-12 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख्या समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 03)

प्रस्तर-62— मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना :-

कुल दर्शित भुगतान रु0 1243832.00 में से रु0 292901.00 का भुगतान, जो संबंधित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया। शेष 950931.00 भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेण्ट उपलब्ध कराये गए हैं, जिससे रु0 950931.00 का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी है जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-63—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 1270782.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 50831.00 की आयकर कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 50831.00 कटौती कम की गयी है। जिससे रु0 50831.00 के राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर/सेल्स टैक्स की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ अपहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 50831.00 की प्रतिपूर्ति याज के साथ तत्कालीण आहरण/वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6

प्रस्तर-64—वर्ष 2011-12 में 820.26 घन मी0 मिटटी हेतु कुल रु0 48891.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 24608.00 रॉयल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक/भुगतान तिथि	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
29.07.11	120.88 (51 ट्राली)	8160.00
15.10.11	220.67	14895.00
01.10.11	381.22	20586.00
23.07.11	97.49	5250.00
योग	820.26	48891.00

आपत्ति संख्या-7

वर्ष 2012-13 क्षेत्र पंचायत बिसौली बदायूँ

प्रस्तर-65

1. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 433020.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री रुम सिंह पदनाम सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को रु0 78050.00 श्री दिनेश चन्द्र शर्मा पदनाम सहायक विकास अधिकारी (एस0टी0) रु0 354970 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल पर जो अगूठा निशानी

अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 433020.00 का वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख्या समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 03)

प्रस्तर-66. आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट :-सामग्री मद में कुल रु0 2054828.00 भुगतान में से रु0 183170.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है।

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
813728	31.08.12	45855.00	सैदपुर ईट उद्योग	एस0यू0पी0ग्रा0(350300)
813715	21.06.12	6282.00	मिनोचा इले0	गौरी शंकर
813732	31.08.12	21047.00	सैदपुर ईट उद्योग	सर्व यू0पी0ग्रा0बैंक
135452	27.03.12	20562.00	मो0 प्रवीण कुमार	-
135453	27.03.12	22154.00	विमल ईट उद्योग	-
135458	11.05.12	35820.00	मे. प्रवीण कुमार	-
813730	31.08.12	31450.00	सैदपुर ईट उद्योग	सर्व यू0पी0ग्रा0 बैंक
योग		183170.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 183170.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि में विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 183170.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0 4 क

प्रस्तर-67-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2097165.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 83887.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 83887.00 शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 83887.00 कटौती कम की गयी है। जिसके संबंध आवश्यक विविध कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ राजस्व क्षति अंकन रु0 83887.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण/वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 6

प्रस्तर- 68 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना :-

कुल दर्शित भुगतान रु0 2054828.00 में से रु0 1871658.00 का भुगतान, जो संबंधित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

कार्य का नाम	मिटटी आपूर्तिकर्ता का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	चैक नं0/दिनांक	धनराशि
कालूपुर में ओम पाल के घर से अन्तराम के घर तक खड़जा कार्य	श्री गंगा चरन	दिनेश चन्द्र शर्मा	813726/23.07.12	25500.00
अलुआ में रामअवतार के मकान से राजपाल के मकान होते हुए मेन रोड तक सीसी कार्य सी सी कार्य	श्री नेत्र पाल	दिनेश चन्द्र शर्मा	813743/03.10.12	8750.00
खजुरिया में झांझान नाई के घर से वासेदेव के घर होते धनपाल फौजी के घत तक सी सी कार्य	श्री गंगा चरन	दिनेश चन्द्र शर्मा	813724/23.07.12	4500.00

दिनांक 10.06.12 बिल सं0 5 से रु0 135520.00 का ईट में सैदपुर ईट उद्योग द्वारा आपूर्ति की गयी है जिस पर आपूर्तिकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर बिल/कैश मेमों पर अंकित नहीं पाये गये है।

प्रस्तर-69 : वर्ष 2012-13 में 1047.18 घन मी0 मिटटी हेतु कुल रु0 56500.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 31415.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न

काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक/भुगतान तिथि	मात्रा घन मी० में	धनराशि
23.07.12	472.22 (102ट्राली)	25500.00
03.10.12	162.03 (35ट्राली)	8750.00
23.07.12	83.33 (18ट्राली)	4500.00
01.10.12	329.60	17750.00
योग	1047.18	56500.00

आपत्ति संख्या-7

प्रस्तर वर्ष 2013-14 क्षेत्र पंचायत विसोल बदायूँ

प्रस्तर-70. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू० 1424060.00.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री रुम सिंह पदनाम सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) को रू 1244890.00 श्री जगदीश पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी (आई.एस०बी०) रू 76340.00 एवं श्री अशोक कुमार मौर्या सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को रू० 102830.00 का भुगतान किया गया हैं। मस्टर रोल पर जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

फाईल सं० 100 कार्य का नाम-ग्राम पंचायत रानेट में मुनीश यादव के घर से गंगाराम के घर तक निर्माण से संबंधित पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के अवलोकन में पाया गया कि क्रमशः मस्टर रोल क्रमांक 76276 व 76277 में क्रमांक 1 से 21 राज व मजदूरों के नाम व पिता का नाम एक समान है तथा मस्टर रोल में कार्य की अवधि दिनांक 16.01.2013 से 22.12.2013 व मस्टर रोल क्रमांक 76277 में कार्य अवधि दिनांक 17.12.2013 से 23.12.2013 है। इस प्रकार दिनांक 17.12.2013 से 22.12.2013 तक क्र० 01 से 21 तक के राज मजदूरों की उपस्थिति दोनों मस्टर रोल में दर्ज कर राजकीय धन का अपहरण किया गया तथा उक्त से यह स्वतः सिद्ध है कि दानों मस्टर रोल फर्जी तैयार किया गया जिसकी कुल धनराशि क्रमशः मस्टर रोल क्रमांक 76276 रू० 21160 तथा मस्टर रोल क्रमांक 76277 रू० 21160) रू० 42320 का भुगतान चेक सं० 136619 दिनांक 01.01.2014 द्वारा कार्य प्रभारी श्री रुम सिंह यादव (ए०डी०ओ०, आई०एस०बी०) द्वारा प्राप्त किया गया है। अतः उक्त भुगतानित धनराशि रू० 42320 की ब्याज सहित संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

मस्टर रोल भुगतान पत्रावली में कार्य प्रभारी के नाम किया गया। परन्तु संबंधित बैंक का भुगतान किसी अन्य के द्वारा बैंक से प्राप्त किया गया जिससे स्पष्ट है कि भुगतान वास्तविक नहीं है मात्र मागजी कार्यवाही पूरी कर धनराशि का अपहरण किया गया।

बैंक नं०	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
614868	29.02.14	9940.00	रुम सिंह	अशोक कुमार
522596	06.08.15	13860.00	रुम सिंह	अशोक कुमार
616844	15.03.16	14740.00	रुम सिंह	अशोक कुमार
109213	13.03.14	35020.00	अज्ञात	अज्ञात
		73560.00		

13 वां वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत नागपुर में शिव मंदिर से लेकर तालाब तक नाला निर्माण कार्य में प्रस्तुत मस्टर रोल क्रमांक 74767 (दिनांक 29.05.13 से 04.06.13 से 04.06.13 मजदूर सं० 19) तथा 74768 (दिनांक 01.06.13 से 07.06.13 मजदूर सं० 12) में निम्नांकित मजदूर का नाम दोनों मस्टर रोल में उपस्थित पाये गये।

क्रमांक	नाम मजदूर	निवासीय	अवधि
1	नूर मोहम्मद पुत्र श्री गनी	नागपुर	01.06.13 से 04.06.13
2	याद मोहम्मद पुत्र श्री साबिर	"	"
3	हरि शंकर पुत्र श्री गेंदन लाल	"	"
4	अजय पुत्र श्री लेखराज	"	"
5	आसिफ पुत्र श्री जुम्मी	"	"
6	हसमत पुत्र श्री भूरे	"	"
7	राजेश पुत्र श्री परसादी	"	"
8	बाबू पुत्र श्री जुम्मी	"	"
9	जगन्नाथ पुत्र श्री चेताराम	"	"
10	धर्मवीर पुत्र श्री सियाराम	"	"
11	शकील पुत्र श्री गरीब शाह	"	"
12	गुलाम नवी पुत्र श्री भूरे	"	"
13	शकील पुत्र श्री गरीब शाह	"	"

उक्त दोनों मस्टर रोल से रू0 18120 + रू0 11900 कुल रू0 30020 का भुगतान चेक सं0 464632 दिनांक 01.07.2013 द्वारा श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, ग्राम पं0 अधिकारी को किया गया है।

ग्राम पंचायत पनौड़ी में शिवदेवी के घर से शिवराज सिंह के घर तक सी.सी.कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल भुगतान पत्र पर दो निशानी अंगूठा अधिक अंकित पाये गये तथा मस्टर रोल भुगतान बिना पास कराये ही कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि भुगतान की पुष्टि में प्राप्त निशानी अंगूठा मस्टर रोल पर अंकित मजदूरों के वास्तविक नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 1424060.00 का वर्ष 2013-14 में योजना वृद्ध तरीके से अपहरण किया गया। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार /कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -71. आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट :- सामग्री मद में कुल रू0 41463003.00 भुगतान में से रू0 3715036 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है।

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
136608	02.09.13	42618.00	राकेश सीमेन्ट एजेन्सी	टी0आर0211139
614065	22.03.14	7000.00	रुम सिंह यादव	—
613306	22.04.14	17164.00	रुम सिंह यादव	एन0ई0एफ0टी0एस0डी0110
613309	22.04.14	59335.00	श्याम एण्ड सन्स	एन0ई0एफ0टी0एस0डी0110
611953	25.02.14	147519.00	श्याम एण्ड सन्स	—
616600	15.03.16	76637.00	नारायण ईट	टी0आर0 9307
522596	06.08.15	26384.00	रुम सिंह यादव	अशोक कुमार
616850	28.03.16	15592.00	रुम सिंह यादव	अशोक कुमार
132331	28.07.14	108738.00	श्याम बाबू यादव	एन0ई0एफ0टी0एस0डी0110(9307)
132333	22.08.14	66226.00	श्याम बाबू यादव	एन0ई0एफ0टी0एस0डी0110(9307)
615522	05.05.15	114541.00	श्याम बाबू यादव	श्याम एण्ड सन्स
132325	13.06.14	407785.00	श्याम बाबू यादव	टी0आर0213182(9307)
132326	30.06.14	271552.00	श्याम बाबू यादव	एन0ई0एफ0टी0एस0डी0110(9307)
132339	11.02.15	78548.00	श्याम बाबू यादव	एन0ई0एफ0टी0एस0डी0110(9307)
132329	08.07.14	373437.00	श्याम बाबू यादव	टी0आर0213182(9307)
132332	07.08.14	159038.00	श्याम बाबू यादव	श्याम एण्ड सन्स
132338	11.02.15	27033.00	श्याम बाबू यादव	टी0आर0213182(9307)
132340	30.03.15	669598.00	श्याम बाबू यादव	—
615530	20.09.15	83727.00	श्याम बाबू यादव	श्याम एण्ड सन्स
464688	22.01.14	42038.00	मे. नारायण ईट उद्योग	श्याम एण्ड सन्स
464658	16.08.13	166331.00	—	—
464672	30.10.13	80620.00	—	—
464683	08.01.14	125374.00	—	—
464682	08.01.14	288748.00	मे.किसान ईट उद्योग	—
611946	07.02.14	39690.00	मे.किसान ईट उद्योग	—
464616	18.05.13	59131.00	—	टू0 आई0एन0टी0
464620	31.05.13	104208.00	—	टू0 आई0एन0टी0
464629	26.01.13	56424.00	—	टू0 आई0एन0टी0
योग		3115036.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 3715.036.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि में विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 3715036 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 4 क

प्रस्तर -72- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 1216860800 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 486744.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 106865.00 शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रू0 379879.00 कम कटौती की गयी है। जिससे रू0 379879.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके संबंध आवश्यक विविध कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ राजस्व क्षति अंकन रू0 379879.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण/वितरणअधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या 6

प्रस्तर-73—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना :-

कुल दर्शित भुगतान रु0 11463003.00 में से रु0 7747967.00 का भुगतान, जो संबंधित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-74—वर्ष 2013-14 में 3047.00 घन मी0 मिटटी हेतु कुल रु0 204080.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 91435.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक/भुगतान तिथि	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
22.08.14	150.00	15475.00
09.05.14	251.34	16965.00
06.08.15	390.88	26384.00
28.03.16	231.00	15592.00
07.06.15	500.00	33750.00
—	292.00	15768.00
16.07.13	225.18	12160.00
—	104.21	7034.00
30.06.14	157.72	10631.00
—	588.00	39690.00
03.06.14	157.00	10631.00
योग	3047.83	204080.00

(आपत्ति संख्या -7)

प्रस्तर-पत्र वर्ष- 2014-15 से 2016-17

नाम संस्था- क्षेत्र पंचायत बिसौली, जनपद- बदायूँ।

प्रस्तर-75—श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु0 1672944.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार मौर्या सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को रु0 1672944.00 भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. 1672944.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 3)

प्रस्तर-76— आपूर्ति कर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट:

सामग्री मद में कुल रु. 6975097.00 भुगतान में से रु0 722668.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
616594	2/2/2016	5000.00	श्याम एण्ड सन्स	
615222	2/19/2015	272935.00	श्याम एण्ड सन्स	श्याम ईट
615519	5/2/2015	24611.00	श्याम एण्ड सन्स	अशोक कुमार मौर्य
616596	2/2/2016	5000.00	श्याम एण्ड सन्स	
616598	3/15/2016	143777.00	श्याम एण्ड सन्स	
61557	5/2/2015	26514.00	श्याम एण्ड सन्स	अशोक कुमार मौर्य
616593	2/2/2016	5000.00	अशोक कुमार	

614877	1/30/2015	13036.00	श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0 213182
615520	5/6/2015	21366.00	श्याम एण्ड सन्स	अशोक कुमार मौर्य
615676	8/31/2015	10708.00	श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0 (9307)
615518	5/2/2015	20863.00	श्याम एण्ड सन्स	अशोक कुमार मौर्य
616595	2/2/2016	5000.00	अशोक कुमार	
614080	11/22/2014	47992.00	अशोक कुमार	लाला
615675	8/26/2015	60801.00	श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0
615711	9/18/2015	26319.00	श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0
615716	9/20/2015	3577.00	अशोक कुमार	विरेश
616585	11/25/2015	19270.00	श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0
617574	9/2/2016	10899.00	किसान ईट अद्योग	टी0आर0 (9307)
योग		722668.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 722668.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चेक का सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि में विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार श्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 722668.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-77- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 7414580.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 296583.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रू0 296583.00 की कटौती नहीं की गई है। जिससे रू0 296583.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 296583.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण/वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 6)

प्रस्तर-78-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-

कुल दर्शित भुगतान रू0 6975097.00 में से रू0 6252429.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 वर्ष 2014-15 में 3100.48 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रू0 209278.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू0 93014.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक भुगतान	मात्रा घन मी० में	धनराशि
11/22/2014	711-00	47992-00
8/26/2015	507.15	34232-00
9/19/2015	53-00	3577-00
	251.54	16979-00
8/6/2015	236.04	15932-00
3/28/2016	218.75	14765-00
5/2/2015	270.11	18232-00
5/2/2015	48-00	3240-00
5/6/2015	316.54	21366-00
8/31/2015	74-00	4995-00
	210-00	14175-00
8/6/2015	154.75	10445-00
9/3/2016	49.60	3348-00
योग	3100.48	209278-00

वर्ष-(2015-16)

प्रस्तर-80- श्रमांश के मद में मजदूरी को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु 572375.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार मौर्या सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को रु0 282710.00 श्री सुरजभान कश्यप ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 83120.00 एवं श्री लक्ष्मी नारायन शर्मा ग्राम विकास अधिकारी को रु0 206545.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

मस्टर रोल भुगतान पत्रावली में कार्य प्रभारी के नाम किया गया। परन्तु संबंधित चेक का भुगतान किसी अन्य के द्वारा बैंक से प्राप्त किया गया जिससे स्पष्ट है कि भुगतान वास्तविक नहीं है मात्र कागजी कार्यवाही पूरी कर धनराशि का अपहरण किया गया।

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
616587	11/25/2015	14210.00	अशोक कुमार मौर्य	रामनिवास
616589	12/8/2015	14885.00	अशोक कुमार मौर्य	रामनिवास
616843	3/1/2016	6750.00	अशोक कुमार मौर्य	-
617577	9/19/2016	12295.00	अशोक कुमार मौर्य	-
		13305.00		
616583	11/25/2015	8240.00	सूरजभान कश्यप	विरेश
616582	11/25/2015	37020.00	लक्ष्मी नारायन शर्मा	विरेश
		37020.00		
615717	9/20/2015	2030.00	लक्ष्मी नारायन शर्मा	विरेश
616848	3/21/2016	8125.00	लक्ष्मी नारायन शर्मा	विरेश
616843	3/21/2016	8820.00	अशोक कुमार मौर्य	विरेश
615715	9/18/2015	8410.00	अशोक कुमार मौर्य	विरेश
योग		171110.00		

फाईल क्रमांक- 209 कार्य का नाम- कमालपुर में काली सड़क से जीराज के घर तक खड़जा निर्माण सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि इस कार्य से सम्बन्धित पहला भुगतान श्याम एण्ड सन्स इन्टर प्राइजेज, रानेट चौराहा बिसौली को बाबतईट चटका अदद 10 हजार/5300/हजार से (मूल्य रु0 53000- टी०डी०एस कटौती रु0 3180) रु0 49820 का भुगतान चेक सं० 615679 दिनांक 08.09.2015 द्वारा किया गया।

ईट का उक्त भुगतान होने के बावजूद खड़जा लगाये जाने बावत् मजदूरी से संबंधित भुगतान हेतु मस्टर रोल तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री लक्ष्मी नारायन शर्मा, ग्रा०वि० अधिकारी द्वारा कार्यालय में आगामी डेढ़ वर्ष तक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट था कि कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अस्तु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्रांक- 147 दिनांक 25.04.2017 द्वारा श्री लक्ष्मी नारायन शर्मा को तीन दिन में स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र लिखा गया बावजूद इसके श्री शर्मा द्वारा कोई प्रत्युत्तर उपलब्ध नहीं पाया गया न ही कार्य होने की पुष्टि में मस्टर रोल उपलब्ध कराया गया। श्री शर्मा के स्थानान्तरण के उपरान्त श्री अशोक कुमार ग्रा०पं० अधिकारी को कार्य प्रारी बनाया गया जिनके द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने से संबंधित मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 25.05.2017 से 31. 05.2017 तक 2 राज व 7 मजदूर की उपस्थिति दर्ज है तथा कुल भुगतान रु0 13525 चेक सं० 140052 दिनांक 06.06.2017 द्वारा प्राप्त किया गया।

उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि पूर्व कार्य प्रभारी श्री शर्मा द्वारा ईट का भुगतान करवाया गया तथा नये कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार द्वारा मस्टर रोल का फर्जी बिल लगाकर राजकीय धन का गवन किया गया। क्योंकि ईट के भुगतान की तो पुष्टि होती है परन्तु ईट कार्य स्थल पर आने तथा इतने दिनों तक ईट किसके अभिरक्षा में रखा गया का कहीं उल्लेख नहीं है। स्पष्ट है कि मिली भगत कर पूर्व में ईट के मूल्य के फर्जी भुगतान को दबाने हेतु फर्जी मस्टर रोल द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने का खेल खेला गया जिस हेतु कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है जिनसे ब्याज सहित आनुपातिक ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. 572375.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 3)

प्रस्तर-81- आपूर्तिकर्ता फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट:-

सामग्री मद में कुल रू0 5524464.00 भुगतान में से रू0 4909026.00. निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चेक न०	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
615710	9/18/2015	182981-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (9307)
615719	10/15/2015	86460-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0(213182) (9307)
616588	12/18/2015	24777-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (9307)
616842	3/1/2016	51571-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (9307)
616843	3/1/2016	8770-00	अशोक कुमार मोर्य	-
617576	9/19/2016	23187-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	-
615702	9/8/2015	148866-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (9307)
615708	9/18/2001	77217-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0(213182) (9307)
616583	11/25/2015	3800-00	सूरजभान कश्यप	वीरेश (9307)
616584	11/25/2015	34862-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (9307)
615701	9/8/2015	100285-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (9307)
616581	11/25/2015	146928-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (9307)
616582	11/25/2015	91009-00	लक्ष्मी नारायण शर्मा	वीरेश (9307)
615713	9/18/2015	52170-00	मे. किसान ईट उद्योग, चनी	टी0आर0(213182) (9307)
140053	6/9/2017	107113-00	मे. किसान ईट उद्योग, चनी	टी0आर0 (9307)
140058	7/24/2017	13139-00	मे. किसान ईट उद्योग, चनी	-
140059	7/24/2017	2538-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	-
615704	9/18/2015	98756-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (213182)
615712	9/18/2015	6713-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (9307)
616847	3/21/2016	31106-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (9307)
616848	3/21/2016	3014-00	लक्ष्मी नारायण शर्मा	वीरेश
618086	11/29/2016	16307-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (213182)
615680	9/8/2015	124550-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (9307)
615671	7/27/2015	32336-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (213182)
616846	3/21/2016	15319-00	अशोक कुमार मोर्य	वीरेश
615672	7/27/2015	43954-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (213182)
615715	9/18/2015	1087-00	अशोक कुमार मोर्य	वीरेश
615706	9/18/2015	51651-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (213182)
615679	9/8/2015	49820-00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी0आर0 (9307)
615535	9/20/2015	26726-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0 (213182)
615537	10/15/2015	537092-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0 (213182)
616868	3/29/2016	154043-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0
615532	9/20/2015	25978-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0 (213182)
615539	12/21/2015	2295-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0
		249274-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	
616871	4/22/2016	20109-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0
615534	9/20/2015	28346-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0 (213182)
615538	12/3/2015	884931-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0
616873	&&-05-16	35827-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0
616874	5/18/2016	71075-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0
615536	9/20/2015	34258-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0 (213182)
616861	1/25/2016	422113-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	-
616867	2/15/2016	47470-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	-
616869	3/29/2016	47111-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0
615533	9/20/2015	23950-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0 (213182)
615540	12/31/2015	313251-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0
616872	4/22/2016	18182-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0
616870	4/22/2016	374854-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	टी0आर0

140362	5/26/2017	43765-00	मै0 श्याम एण्ड सन्स	-
योग		4909026-00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 4909026.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि में विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार प्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 4909026.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 4-क)

प्रस्तर-82-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 6247187.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 249887.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 156483.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रू0 93404.00 की कम कटौती की गई है। जिससे रू0 93404.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 93404.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण/वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर-83-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-

कुल दर्शित भुगतान रू0 5524464.00 में से रू0 615438.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिलकैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पं0 खजुरिया में रामनिवास प्रधान के घर से चेक तक सी.सी. निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय दर्शित है

1-	बिल्डिंग मैटे0	158368
2-	मिट्टी ट्रेक्टर से	8100
3-	बिल्डिंग मैटे0	82146
4-	कन्स्ट्रक्शन हेतु	3800
5-	बिल्डिंग मैटे0	37087

कुल योग 289501

जबकि संलग्न कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र पर कुल सामग्री क्रय मद में रू0 289376 अंकित है। इस तरह रू0 125 के अन्तर की स्थिति स्पष्ट करें। राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पं0 रायपुर जगमन में मेन सी.सी. से नदी तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु पत्रावली में निम्न आपत्तियाँ पाई गई

(1) ईट एवं बिल्डिंग मैटे0 हेतु में श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज रानेट चौराहा, बिसौली के नाम निविदत्र स्वीकृत है परन्तु दिनांक 24.05.2017 को रू0 113950 तथा दिनांक 28.05.2017 को रू0 13978 का ईट किसान ईट उद्योग, चनी से क्रय किया गया है जिसका न तो टेन्डर कुटेशन प्राप्त है और न ही स्वीकृति आदेश हैं।

(2) दिनांक 28.05.2017 को रू0 13978 का ईट तथा रू0 2700 का बिल्डिंग मैटे0 क्रय किया गया है जिसके भुगतान हेतु स्वीकृति लिये बिना ही चेक जारी कर दिया गया है।

(3) कार्य प्रभारी श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा के रहते हुए दिनांक 18.09.2015 को रु 55500 का ईट क्रय किया गया। तत्समय श्री शर्मा के द्वारा मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा 3 दिन के भीतर मस्टर रोल आदि प्रस्तुत किये जाने को कहै जाने के उपरान्त श्री शर्मा का स्थानान्तरण हो जाने के कारण श्री अशोक कुमार मौर्य को कार्य प्रभारी बनाया गया जिसके द्वारा माह जून, 2017 को मस्टर रोल आदि प्रस्तुत करके भुगतान किया गया।

प्रस्तर-84-वर्ष 2015-16 में 1218.90 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रू0 82274.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू0 36567.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक भुगतान	मात्रा घन मी० में	धनराशि
1/20/2016	44.66	3014-00
9/18/2015	167.20	11286-00
10/15/2016	226.95	15319-00
9/18/2015	16.11	1087-00
3/1/2016	129.94	8770-00
9/18/2015	120.00	8100-00
11/25/2015	86.38	5831-00

6/19/2017	427.66	28867-00
योग	1218.90	82274-00

(आपत्ति सं०-7)

वर्ष—(2016-17)

प्रस्तर-85—श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 1289695.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार मौर्या सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को रु० 1033585.00 श्री अनील कुमार गुप्ता ग्राम पंचायत अधिकारी को रु० 46690.00 एवं श्री श्रवण लाल ग्राम पंचायत अधिकारी को रु० 29435.00 श्री महेश चन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी को रु० 179985.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

मस्टर रोल भुगतान पत्रावली में कार्य प्रभारी के नाम किया गया। परन्तु संबंधित चेक का भुगतान किसी अन्य के द्वारा बैंक से प्राप्त किया गया जिससे स्पष्ट है कि भुगतान वास्तविक नहीं है मात्र कागजी कार्यवाही पूरी कर धनराशि का अपहरण किया गया।

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
617562	7/20/2016	7875.00	अशोक कुमार मौर्या	विरेश
		9130.00		
617569	8/3/2016	2595.00	अशोक कुमार मौर्या	विरेश
617563	7/20/2016	34200.00	अशोक कुमार मौर्या	विरेश
		44430.00		
617572	8/3/2016	5400.00	अशोक कुमार मौर्या	विरेश
619943	1/3/2016	15560.00	अशोक कुमार मौर्या	विरेश
619955	2/20/2017	14885.00	महेश चन्द्र शर्मा	लाला राम
		14885.00		
617561	7/20/2016	46690.00	अशोक कुमार मौर्या	विरेश
617567	8/3/2016	20750.00	अशोक कुमार मौर्या	विरेश
617570	8/3/2016	48720.00	अशोक कुमार मौर्या	विरेश
		25825.00		
619941	1/3/2017	20300.00	अशोक कुमार मौर्या	लाला राम
619953	2/20/2017	32930.00	अशोक कुमार मौर्या	—
योग		344175.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु०. 1289695.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-86—ग्राम नवीगंज अजनावर में इरफान के घर से होते हुए अहसन के घर तक सी.सी. कार्य से संबंधित पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि मस्टर रोल क्रमांक 583602 पर अंकित 11 मजदूरों की उपस्थित दिनांक 06.12.2017 से 12.12.2017 अंकित है जबकि उक्त मस्टर रोल का भुगतान रु० 17140 चेक सं० 619944 दिनांक 03.01.2017 द्वारा कार्य प्रभारी श्री महेश चन्द्र शर्मा, ग्रा०वि० अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया है। स्पष्ट है कि भुगतान पहले प्राप्त किया गया तथा पुष्टि में मस्टर रोल बाद में औपचारिकता वश 2017 में तैयार किया गया जिस पर 06.12.2016 से 12.12.2016 अंकित किया जाना था परन्तु 06.12.2017 से 12.12.2017 अंकित हो गया। अतः भुगतान मस्टर रोल से ही स्वयं फर्जी सिद्ध है जिसकी ब्याज सहित वसूलीसम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

उक्त पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के अवलोकन में पाया गया कि मस्टर रोल चूँकि फर्जी तैयार किया गया है फलतः एक ही मजदूर का कहीं निः अगूठा अंकित किया गया है तथा उसी का कहीं हस्ताक्षर बनाया गया है। उदाहरणार्थ— मजदूर का नाम विकास पुत्र श्री श्याम सिंह का मस्टर रोल क्रमांक 602, 603, 604 व 619 पर हस्ताक्षर अंकित है जबकि मस्टर रोल क्रमांक 629 व 630 पर निः अगूठा बनाया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि राजकीय धन का खुलेआम बन्दरबांट किया गया है तथा उक्त समस्त मस्टर रोल फर्जी तैयार किये गये हैं तथा उक्त मस्टर रोल का समस्त भुगतान फर्जी सिद्ध होता है जिसके द्वारा कुल भुगतान रु० 88865 की ब्याज सहित वसूली समस्त जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित आनुपातिक किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 3)

प्रस्तर-87-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट

सामग्री मद में कुल रु0 4708092.00 भुगतान में से रु0 746686.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
516512	6/28/2016	49820.00	मै० किसान ईट उद्योग	-
516511	6/28/2016	199280.00	मै० किसान ईट उद्योग	-
140045	4/26/2017	11504.00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी०आर० (9307)
140047	4/26/2017	9406.00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी०आर० (9307)
619943	1/3/2017	7546.00	अशोक कुमार मौर्य	वीरेश यादव (9307)
140041	4/26/2017	10850.00	अशोक कुमार मौर्य	टी०आर० (9307)
619955	2/20/2017	4802.00	महेश चन्द्र शर्मा	लालाराम (9307)
140043	4/26/2017	9312.00	महेश चन्द्र शर्मा	टी०आर० (9307)
140056	6/19/2017	17125.00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी०आर० (9307)
616856	6/28/2016	120437.00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी०आर० (9307)
617561	7/20/2016	4156.00	अशोक कुमार मौर्य	वीरेश
616857	6/28/2016	169302.00	मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़	टी०आर० (9307)
618099	12/15/2016	87420.00	मै० किसान ईट उद्योग	टी०आर० (9307)
619953	2/20/2017	10570.00	अशोक कुमार मौर्य	.
516588	2/20/2017	35156.00	मै० किसान ईट उद्योग	-
योग		746686.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 746686.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि में विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेन्ट/ खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार प्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 746686.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 4-क)

प्रस्तर-88-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 5001255.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 200050.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 59202.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 140848.00 की कम कटौती की गई है। जिससे रु0 140848.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 140848.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित के साथ तत्कालीन आहरण/वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर-89- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:

कुल दर्शित भुगतान रु0 4708092.00 में से रु0 3961406.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्रा०प० कालूपुर में मेन रोड से स्कूल सुदामा देवी इन्टर कॉलेज तक इन्टरलाकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली क्रमांक- 256 के अवलोकन में पाया गया कि निविदा स्वीकृत फर्म (1) मै. किसान ईट उद्योग भट्टा-चनी, बदायूँ तथा (2) मै. श्याम एण्ड सन्स इन्टरप्राइजेज़, रानेट चौराहा- बिसौली को भुगतान दिनांक 03.01.2017 को क्रमशः चेक सं० 619946 रु0 34667 एवं चेक सं० 619945 धनराशि रु0 227127 किया गया जिसके सापेक्ष सम्बन्धित फर्म से बिल/कैशमीमो 11 माह बाद प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न किया गया जिस पर दिनांक 25.12.2017 अंकित है तथा सम्बन्धित बिल का क्रमांक- 34 (किसान ईट उद्योग) व 092 (श्याम एण्ड सन्स) हैं। स्पष्ट है कि सम्बन्धित फर्म से मिली भगत कर पूर्व में भुगतान किया गया तथा पत्रावली में 11 माह बाद बिल प्राप्त कर संलग्न किया गया। अतः उक्त भुगतान क्रमशः रु0 34667 एवं रु0 227127 की ब्याज सहित वसूली आनुपातिक आधार पर सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-90-वर्ष 2016-17 में 1019.22 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु0 68421.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 30592.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक भुगतान	मात्रा घन मी० में	धनराशि
7/20/2016	61.58	4156-00
2/20/2017	100.86	6808-00
2/18/2017	162.62	10570-00
2/20/2017	71.14	4802-00
3/22/2017	82.88	5594-00
6/19/2017	31.71	2140-00
2/20/2017	100.10	6756-00
4/26/2017	102.66	6930-00
1/3/2017	111.80	7546-00
12/30/2016	164.97	11135-00
4/26/2017	29.40	1984-00
योग	1019.72	68421-00

क्षेत्र पंचायत अम्बियापुर वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर -91- मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को- सहायक लेखाकार द्वारा निर्माण कार्यों की उपलब्धता करायी गयी फाइलों के अनुसार वर्ष 2011-12 में अंकन रु० 407960/मात्र मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को भुगतान व वर्ष 2012-13 में भी रु० 661310/मात्र का भुगतान भी कार्य प्रभारियों को तथा वर्ष 2013-14 में रु० 1366320/ मात्र का भुगतान कार्य प्रभारियों को कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है तथा उनका जॉब कार्डनंबर क्या है उल्लेख नहीं है? मस्टर रोल क्रमांक 75076 व 75077 में कार्य ग्राम वर्नीघाट मार्ग पर खड्डन्जा कार्य दर्शित है। मस्टर रोल क्रमांक 75076 में दिनांक 13.09.12 से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज है व मस्टर रोल क्रमांक 75077 में 14.09.12 से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज है जिसमें 12 श्रमिकों को दोनों मस्टर रोल में समान दिवस में कार्य दर्शित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 2435550/मात्र योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/सहायक लेखाकार/ब्लॉक प्रमुख/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्र सं०	श्रमांश धनराशि	उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम
1	1337420.00	तत्कालीन.बी.डी.ओ./जे.ई./स.लेखाकार/ब्लॉकप्रमुख/संजीव कुमार ग्रा०वि०अधि०
2	499380.00	तत्कालीन.बी.डी.ओ./जे.ई./स.लेखाकार/ब्लॉकप्रमुख/कर्मवीर सिंह ग्रा०वि०अधि०
3	496030.00	तत्कालीन.बी.डी.ओ./जे.ई./स.लेखाकार/ब्लॉकप्रमुख/प्रमेन्द्र सिंह ए.डी.ओ० ग्रा०वि०अधि०
4	62120.00	तत्कालीन.बी.डी.ओ./जे.ई./स.लेखाकार/ब्लॉकप्रमुख/नरेशपाल सिंहग्रा०वि०अधि०
5	40600.00	तत्कालीन.बी.डी.ओ./जे.ई./स.लेखाकार/ब्लॉकप्रमुख/सुनील कुमार ग्रा०वि०अधि०
योग रु०	2435550	

मूल आपत्ति संख्या-03

प्रस्तर-92-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना :-

कुल दर्शित भुगतान रु० 12493085.00 में से रु० 12211206.00 का भुगतान, जो संबंधित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-93 राजकीय पशु चिकित्सालय की मरम्मत, रगाई पुताई विद्युतिकरण वर्ष 2011-12 में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पत्रांक 226/साह०ले०/निर्माण कार्य/2013-14 दि० 25.09.13 के पत्र में राजकीय पशु चिकित्सालय में कार्य उप मुख्य पशु चिकित्सालय अम्बियापुर बदायूँ के पत्र दिनांक 26.07.13 के संदर्भ में उक्त कार्य के लिए बजट नहीं है उल्लेख किया गया है। किंतु उक्त फाइल में मैं आकाश सीमेंट एजेन्सी से सामग्री रु० 21180.00 कय का भुगतान किया गया। तथा कार्य कराये जाने के संबंध में एम० आर० नहीं लगा है इसके सन्दर्भ में खण्ड विकास अधिकारी का

आदेश पत्रांक 1943/सहा0लेखा/रा0वि0/2011-12 दिनांक 01.03.12 संजीव कुमार कार्य प्रभारी तीन दिवस में कार्य करने वाले श्रमिकों की सूची उपलब्ध कराये अन्यथा की स्थिति में आपसे रु0 21180.00 की ब्याज सहित वसूली के आदेश पारित कर दिये जाएंगे किन्तु उक्त के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी। कार्यालय पशु चिकित्साधिकारी बिल्सी बदायँ के पत्रांक के पत्रांक सं0 130/दि0 19.12.11 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त कार्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा स्वयं रगाई-पुताई एवं मरम्मत का कार्य कराया गया। अतः उक्त धनराशि रु0 11180.00 मात्र सुनील कुमार ग्रा.वि.अधि. से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 04 क**

प्रस्तर -94- ग्रांट रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 590166.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है तथा प्रारम्भिक अवशेष रु0 शून्य था इस प्रकार उक्त वर्षों में कुल प्राप्त टी0डी0एस0 रु0 590166.00 होता है जिसमें से रु0 506877.00 समीक्ष्य वर्षों में जमा किया जाना दर्शित है तथा जमा उपरान्त रु0 83289.00 अवशेष बचता है जिसे अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। रु0 506877 जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित सहायक लेखाकार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या -05

प्रस्तर -95- समीक्ष्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल सामग्री क्रय रु0 12493085.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 499723.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गयी है। जिससे रु0 499723.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 499723.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 06

प्रस्तर -96- वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक मिट्टी कार्य हेतु कुल रु0 452432.00 व्यय किया गया है। नियमानुसार घनमीटर के हिसाब से मिट्टी डाली चानी चाहिए तदनुसार उस पर 30 रु0 प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी काटी जानी चाहिए। नियम का उल्लंघन कर राजकीय कार्य की क्षति की गयी है तथा आपूर्ति कर्ता को एकाउन्टपेयी चेक नहीं देकर स्वयं कार्य प्रभारी द्वारा अपने नाम से चेक बनवाकर भुगतान प्राप्त किया इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चाधिकारियों से साठ गाठ कर राजकीय धन का अपहरण किया। इसकी क्षति पूर्ति ब्याज सहित निम्नानुसार की जानी अपेक्षित है।

क्रम सं0	धनराशि रु0 पै0	उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम
1	289010.00	संजीव कुमार ग्राम0वि0अधि0,तत्कालीन सहा0लेखा0एवंबी0डी0ओ0
2	79754.00	मोहित एवं ,तत्कालीन सहा0लेखा0एवंबी0डी0ओ0
3	48574.00	प्रमोद सिंह ग्राम0वि0अधि0,तत्कालीन सहा0लेखा0एवंबी0डी0ओ0
4	35094.00	कर्मवीर सिंह ग्राम0वि0अधि0,तत्कालीन सहा0लेखा0एवंबी0डी0ओ0
	452432.00	रु0 चार लाख वावन हजार चार सौ बत्तीस मात्र

मूल आपत्ति संख्या- 07

प्रस्तर-97- समीक्ष्य वर्ष में रु0 41471.00 के बोर्ड क्रय किये गये तथा रु0 7000.00 तालाब से पानी निकासी पर व्यय किया गया इस प्रकार रु0 41471.00+7000.00 = 48471.00 व्यय किया गया। जिसे संस्था को भुगतान नहीं करके कार्य प्रभारी श्री संजीव कुमार के द्वारा भुगतान प्राप्त कर धन का अपहरण किया गया। अतः रु0 48471.00 मात्र आहरण वितरण अधिकारी एवं संजीव कुमार ग्रा0वि0अधि0 से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या - 07क

प्रस्तर -98- शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा वर्ष 2011-12 में रु0 113086/मात्र वर्ष 2012-13 में रु0 172957.00 व वर्ष 2013-14 में रु0 294271.85 जमा किये गये। इस प्रकार कुल रु0 580314.85 मात्र राज कोष में जमा किये गये। वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रा0 अवशेष रु0 0.64 मात्र था तथा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक अर्जित ब्याज रु0 733216.15/मात्र प्राप्त हुआ तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्त में रु0 152901.64 राज्य कोष में जमा नहीं किया गया। स्थिति संदिग्ध है शासनादेशों के प्रतिकूल है जिसे अविलम्ब राज कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या - 08

प्रस्तर -99-समीक्ष्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक बैंक पास बुक में कुल भुगतान रु0 23568153.00 अंकित है तथा लेखा परीक्षा में सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी फाइलों के अनुसार कुल व्यय का योग रु0 12993988.00 होता है। इस प्रकार रु0 23568153.00 -12993988 = 10574165.00 का अंतर होता है। अंतर के सापेक्ष वांछित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या - 09

प्रस्तर -100- समीक्ष्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक ग्रांट रजिस्टर के अनुसार टी.डी0एस0 रु0 506877.00 जमा होना पाया गया जिसके जमा किये जाने की पुष्टि में कोई प्रमाणक व पुष्टि पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे पुष्टि

नहीं की जा सकी। पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या – 11

लेखा परीक्षा प्रस्तर वर्ष- 2014-15

क्षेत्र पंचायत- अम्बियापुर जनपद बदायूँ।

प्रस्तर-101. मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी द्वारा फर्जी मस्टर रोल से धन का अपहरण:-

वर्ष 2014:15 में मजदूरी/श्रमांश मस्टर रोल का भुगतान मजदूरों को न करके निम्न विवरणानुसार कार्य प्रभारियों को किया गया। विवरण

क्रम सं०	नाम कार्य प्रभारी सर्व श्री	पदनाम	कृत भुगतान
1	प्रमेन्द्र कुमार	ए०डी०ओ० (आई०एस०डी०)	431564
2	संजीव कुमार	ग्राम विकास अधिकारी	432726
3	योग-	—	864290

उक्त की लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये :

संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरों/श्रमिकों के अंगूठों के निशानों के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुछ मस्टर रोल में एक ही व्यक्ति व कुछ में दो-तीन व्यक्तियों के अंगूठे लगा कर भुगतान किया/प्राप्त किया गया। संलग्न मस्टर रोल में क्रमांक के साथ तिथि अंकित नहीं थी, फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि मस्टर रोल किन तिथियों को जारी किये गये। साथ ही विकास खण्ड में जारी किये गये मस्टर रोल का ऐसा कोई लेखा/अभिलेख उपलब्ध नहीं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संलग्न मस्टर रोल क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड द्वारा जारी किये गये हैं। कार्य सं० 2 के मस्टर रोल नं० 76357 व 76358 व 76363 में कार्य अवधि अंकित नहीं है। उक्त सभी के आलोक में यह स्पष्ट है कि कात्पनिक मस्टर रोल संलग्न करके धनराशि 864290 रु० का अपहरण किया गया। उत्तरदायी तत्कालीन कार्य प्रभारियों/लेखाकार/विकास खण्ड अधिकारी/प्रमुख से ब्याज सहित क्षति पूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आप० सं० (3))

प्रस्तर-102- रु० 107082 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो जाने एवं रु० 1580 की टी०डी०एस० कम काट कर राजस्व की हानि:-

वर्ष 14-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान समय अंकन रु० 107082 टी०डी०एस० कटौती की गई है, और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 5274872 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रु० 108662 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 1580 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आपहरण विवरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 107082 की जमा की पुष्टि में चालान दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आप सं० (4)

प्रस्तर-103- व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काट कर राजस्व की हानि:-

वर्ष 2014-15 की तालिका 2 के कार्य के क्रमांक 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 में दर्शित क्रय सामग्री कुल रु० 2030729 के भुगतान के समय वैट की निर्धारित दर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 81229 की कटौती कर सम्बंधित संस्था में जमा नहीं करके राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु० 81229 की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन आहरण/वितरण अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 5)

प्रस्तर-104-लेखा परीक्षा में टेण्डर/कुटेशन की समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन की प्रतियां उपलब्ध नहीं करायी गई फलतः स्पष्ट नहीं हुआ कि कुटेशन/टेण्डर किन माध्यमों/समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गई तथा उनकी शर्तें क्या थीं।

कुटेशन/निविदा के हेतु स्वीकृति आपर्तिकर्ता से कृत कोई अनुबन्ध/शपथपत्र संलग्न नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है कि आपर्तिकर्ताओं से कोई अनुबन्ध ही नहीं किया गया।

आपूर्तिकर्ताओं के टिन नं० व पैन नं० की प्रतियां उपलब्ध नहीं हुई फलतः बिल/कैश मीमो में दर्शित नं० से उक्त का मिलान नहीं हो सका।

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निविदा/कुटेशन जिन लिफाफों में (यदि) प्रस्तुत किये गये थे, नहीं थे। इससे स्पष्ट है कि कुटेशन/टेण्डर सीलबन्द लिफाफों में प्राप्त नहीं करके बल्कि केवल कार्यवाही/औपचारिकता पूर्ण करने हेतु बाध्य रूप से पत्रावली में संलग्न कर दिये गये।

सामग्री आपूर्ति हेतु कभी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया। सामग्री की आमद उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इससे भी सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध रही।

अतः उक्त बिन्दुओं (1)से (4)तक तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों क्रमांक 2 से 9 तथा के आलोक में ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2014-15 में दर्शित निर्माण कार्यों की सामग्री को वास्तव में क्रय किया ही नहीं गया है, एवं फर्म/आपूर्तिकर्ता की मिली भगत से फर्जीवाड़ा करके धनराशि रु0 4758416 का अपहरण किया गया जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई0/लेखाकार कार्य प्रभारी व प्रमुख उत्तरदायी रहै हैं। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (नोट- इस सामग्री मूल्य में मिट्टी क्रय धनराशि सम्मिलित नहीं है।) (मूल आपत्ति सं0-6)

प्रस्तर-105-वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिट्टी का भुगतान कुल धनराशि रु0 141259 का दर्शित है। जो कि कार्य से सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को मस्टर रोल के भुगतान की धनराशि के साथ किया गया है।

विवरण:-

तालिका में दर्शित कार्य का क्रमांक	पत्रावली में दर्शित मिट्टी मात्र वाउचर के अनुसार (घन मी०)	भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता कार्य प्रभारी
1	904.74 घन मी०	61070	सर्व श्री प्रमेन्द्र कुमार
2	332.48	22443	संजीव कुमार
3	387.12	26131	संजीव कुमार
4	110.99	7492	प्रमेन्द्र कुमार
5	253.67	17123	प्रमेन्द्र कुमार
6	103.70	7000	प्रमेन्द्र कुमार
योग	2092.70	141259	प्रमेन्द्र कुमार - 92685 संजीव कुमार - 48574

उक्त में मिट्टी क्रय की रॉयल्टी भुगतान के प्रमाणक/साक्ष्य अभिलेख नहीं थे, और न ही रॉयल्टी का भुगतान किया जाना पाया गया। अतः मिट्टी क्रय/प्रयुक्त कहां से प्राप्त करके की गई इसकी पुष्टि नहीं होती। साथ ही मिट्टी धनराशि का भुगतान मिट्टी आपूर्तिकर्ता को नहीं किया गया बल्कि कार्य प्रभारी को किया गया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मिट्टी आपूर्ति के काल्पनिक बिल/रसीद लगा कर धनराशि का अपहरण किया गया। जिस हेतु भुगतान के लिए सम्बन्धित कार्य प्रभारी/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख उत्तरदायी रहै हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 - 7)

प्रस्तर-106-वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार रु0 4304370 बैंक खातों से विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों के नाम से आहरित दर्शित है लेकिन भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियां उपलब्ध नहीं कराई गईं, जबकि इस हेतु पत्र भी प्रेशित किया था। फलतः भुगतान के सापेक्ष कृत कार्य की पुष्टि नहीं हुई। अतः या तो भुगतान/आहरित धनराशि के सापेक्ष पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी तत्कालीन आहरण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख लेखाकार से धनराशि की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित नियमानुसार करायी जाना अपेक्षित है।

अ-पी0एन0बी0 खाता नं0- 183900400225921

क्षेत्र निधि

दिनांक	चैक सं०	नाम	आहरित धनराशि
7/7/2014	105161	बदायूँ	4500
9/15/2014	105163	राम श्याम एण्ड सन्स	172000
1/10/2015	105167	राम श्याम एण्ड सन्स	209681
1/10/2015	105169	राम श्याम एण्ड सन्स	173102
1/12/2015	105166	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	62220
1/12/2015	105168	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	70704
1/15/2015	105171	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	36148
1/15/2015	105170	राम श्याम एण्ड सन्स	168013
2/12/2015	105172	राम श्याम एण्ड सन्स	171217
2/12/2015	105173	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	39782
2/26/2015	105175	राम श्याम एण्ड सन्स	63914
2/26/2015	105177	राम श्याम एण्ड सन्स	185715
2/27/2015	105178	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	77281
2/27/2015	105174	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	23198
3/16/2015	105180	राम श्याम एण्ड सन्स	191540
3/17/2015	105182	राम श्याम एण्ड सन्स	174399
3/17/2015	105179	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	69005
3/17/2015	105181	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	17737

3/30/2015	105190	राम श्याम एण्ड सन्स	129332
3/30/2015	105187	राम श्याम एण्ड सन्स	115937
3/30/2015	105186	राम श्याम एण्ड सन्स	109687
3/31/2015	105188	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	36076
3/31/2015	105189	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	36076
योग—			2337264

ब—राज्य वित्त आयोग

पी0एन0बी0 खाता नं0— 11016001700042396

-	225782	राम श्याम एण्ड सन्स	96730
10/1/2014	225779	राम श्याम एण्ड सन्स	66216
10/1/2014	225783	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	41203
10/1/2014	225787	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	49589
10/8/2014	225786	बदायूँ फार 01.07.14	3000
10/10/2014	225785	संजीव कुमार	15946
10/10/2014		संजीव कुमार	99600
11/20/2014	225800	राम श्याम एण्ड सन्स	145684
11/20/2014	225799	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	50241
12/1/2014	225801	प्रमेन्द्र सिंह	42251
12/19/2014	225808	प्रमेन्द्र सिंह	64260
12/19/2014	225807	राम श्याम एण्ड सन्स	108267
12/19/2014	225809	राम श्याम एण्ड सन्स	60750
12/26/2014	225810	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	21071
12/26/2014	225806	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	40960
12/31/2014	225819	राम श्याम एण्ड सन्स	37122
12/31/2014	225821	राम श्याम एण्ड सन्स	36609
12/31/2014	225816	राम श्याम एण्ड सन्स	171293
1/1/2015	225820	प्रमेन्द्र सिंह	14352
1/1/2015	225815	प्रमेन्द्र सिंह	41112
1/1/2015	225822	संजीव कुमार	28000
1/1/2015	225818	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	16150
1/1/2015	225813	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	6897
1/1/2015	225817	मालपाणि ब्रिक्स इन्डस्ट्री	40921
1/15/2015	225823	संजीव कुमार	136268
2/12/2015	225828	कर्मवीर सिंह	121800
2/12/2015	225827	कर्मवीर सिंह	18451
2/26/2015	225829	संजीव कुमार	110956
3/17/2015	225830	संजीव कुमार	148776
3/30/2015	225832	संजीव	50664
3/30/2015	225833	संजीव	81967

योग—

1967106

उक्त में

अ— की धनराशि—2337264

ब— की धनराशि—1967106

(मूल आपत्ति सं0 10)

4304370

प्रस्तर—107—वर्ष 2014—15 में आपत्ति क्रमांक 7 में दर्शित के अनुसार, निर्माण कार्य पत्रावलियों में मिट्टी मात्रा 2092.70 घन मीटर क्रय/प्रयुक्त किया गया जिस हेतु रु0 141259.00 का भुगतान किया गया। प्रयुक्त/क्रय मिट्टी पर रु0 30 प्रति घन मीटर की दर से रु0 62781.00 की रॉयल्टी की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। अतः कटौती नहीं किये गये रॉयल्टी धनराशि रुपये 62781 की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित सम्बन्धित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 (7 क)

क्षेत्र पंचायत म्याँ वर्ष 2011—12 से 2013—14 तक आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर —108— मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का— वर्ष 2011—12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 528845/मात्र मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री नक्षत्र पाल सिंह, पदनाम सहायक विकास अधिकारी पंचायत को व वर्ष 2012—13 में रु0 4370/ मात्र श्री औ0 पी0 राठौर पदनाम ए0डी0ओ0 समाज

कल्याण को तथा वर्ष 2013-14 में ₹0 211625/मात्र श्री महेश पाल सिंह पदनाम सहायक विकास अधिकारी को भुगतान कर दिया गया। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस ग्राम सभा है तथा उनका जॉब कार्ड नंबर क्या है, का उल्लेख नहीं किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 744840.00/मात्र का वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या – 03

प्रस्तर-109-रू0 90248.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 14450.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक सामग्री प्रमाणों के भुगतान के समय अंकन रू0 90248.00.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 5082413.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रू0 101648.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 11400.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकार की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 90248.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-5

प्रस्तर -110- समीक्ष्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक में कुल सामग्री क्रय रू0 5082413.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 203297.00 की कटौती की जानी थी किन्तु वर्ष में कटौती नहीं की गयी जिस कारण रू0 203297.00 के राजस्व की क्षति की गयी जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 203297.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-6

प्रस्तर -111 क-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना- सामग्री मद में कुल रू0 4932959.00 भुगतान में से रू0 1716681.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंकखाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
419401	23.03.12	60057.00	चौधरी ट्रेडर्स बदायूँ	नक्षत्र पाल सिंह
419402	23.03.12	51477.00	चौधरी ट्रेडर्स बदायूँ	नक्षत्र पाल सिंह
010165	30.08.11	37684.00	चौधरी ट्रेडर्स बदायूँ	नक्षत्र पाल सिंह
010162	26.08.11	39875.00	चौधरी ट्रेडर्स बदायूँ	नक्षत्र पाल सिंह
300900	20.08.11	81221.00	चौधरी ट्रेडर्स बदायूँ	नक्षत्र पाल सिंह
300898	02.07.11	135072.00	चौधरी ट्रेडर्स बदायूँ	नक्षत्र पाल सिंह
300893	10.05.11	91592.00	चौधरी ट्रेडर्स बदायूँ	नक्षत्र पाल सिंह
010171	01.02.12	7222.00	नक्षत्र पाल सिंह	नक्षत्र पाल सिंह
010170	16.01.12	9395.00	चौधरी ट्रेडर्स बदाय	नक्षत्र पाल सिंह
300890	10.05.11	19988.00	मै0सिंह इण्टर प्राइजेज	नक्षत्र पाल सिंह
300885	30.08.11	41766.00	मै0सिंह इण्टर प्राइजेज	नक्षत्र पाल सिंह
010166	30.08.11	82477.00	सचदेवा इलेक्ट्रीकल	नक्षत्र पाल सिंह
010163	28.08.11	75208.00	सचदेवा इलेक्ट्रीकल	नक्षत्र पाल सिंह
010161	24.08.11	66121.00	सचदेवा इलेक्ट्रीकल	नक्षत्र पाल सिंह
300894	10.05.11	135708.00	सचदेवा इलेक्ट्रीकल	नक्षत्र पाल सिंह
300896	02.07.11	62455.00	नक्षत्र पाल सिंह	नक्षत्र पाल सिंह
300895	13.05.11	37658.00	मै0सिंह इण्टर प्राइजेज	नक्षत्र पाल सिंह
300888	13.05.11	8618.00	अशर्फी सीमेन्ट	नक्षत्र पाल सिंह
008349	02.07.11	27652.00	नक्षत्र पाल सिंह	नक्षत्र पाल सिंह
300896	13.07.11	62455.00	नक्षत्र पाल सिंह	नक्षत्र पाल सिंह
366377	10.03.11	27742.00	अशर्फी सीमेन्ट	नक्षत्र पाल सिंह
008352	02.07.11	6392.00	नक्षत्र पाल सिंह	नक्षत्र पाल सिंह
010169	27.01.12	9963.00	अशर्फी सीमेन्ट	नक्षत्र पाल सिंह
300881	30.04.11	26002.00	नक्षत्र पाल सिंह	नक्षत्र पाल सिंह
008358	01.08.12	28323.00	राम नरेश	राम नरेश
300880	13.05.11	11500.00	नक्षत्र पाल सिंह	नक्षत्र पाल सिंह
300879	13.05.11	13962.00	नक्षत्र पाल सिंह	नक्षत्र पाल सिंह
008355	27.01.12	29908.00	नक्षत्र पाल सिंह	नक्षत्र पाल सिंह

008349	11.10.12	37752.00	राम नरेश	राम नरेश
419403	11.10.12	20698.00	स्वयं	नक्षत्र पाल सिंह
008355	27.01.12	29908.00	नक्षत्र पाल सिंह	नक्षत्र पाल सिंह
351152	29.09.12	88386.00	नक्षत्र पाल सिंह	नक्षत्र पाल सिंह
350377	15.03.13	27984.00	ओ0 पी0 राठौर	ओ0 पी0 राठौर
350380	27.06.13	220960.00	महेश पाल सिंह	महेश पाल सिंह
350381	27.06.13	3500.00	महेश पाल सिंह	महेश पाल सिंह
	योग	1716681.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 1716681/मात्र का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 1716681/मात्र का अपहरण किया गया है, जिसे निम्नानुसार ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं०	नाम अधिकारी एवं कर्मचारी	ब्याज सहित वसूली रू0	योग्य धनराशि पै0
1.	बी0डी0ओ0,जे0ई0, लेखाकार,कार्यप्रभारी श्रीनक्षत्र पाल सिंह	1398162	00
2.	बी0डी0ओ0,जे0ई0, लेखाकार,कार्यप्रभारी श्री ओ0पी0राठौर	27984	00
3.	बी0डी0ओ0,जे0ई0, लेखाकार,कार्यप्रभारी श्रीमहेश पाल सिंह	224460	00
4.	बी0डी0ओ0,जे0ई0, लेखाकार,रामनरेश	66075	00
		1716681	00

प्रस्तर -112-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना :-

कुल दर्शित भुगतान रू0 4992165.00 में से रू0 3275484.00 का भुगतान, जो संबंधित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -113-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान रू0 4992165.00 में से रू0 3275484.00 का भुगतान संबंधित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 4 ख

प्रस्तर -114-वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक 3014.25 घन मी0 मिटटी हेतु कुल रू0 81620.00 भुगतान किया गया है। जिस पर नियमानुसार रू0 30 प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी काटी जानी थी। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी। क्षति की प्रति पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर वर्ष 2014-15

प्रस्तर-115-श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-

वर्ष 2014-15 में श्रमांश मस्टर रोल का भुगतान मजदूरों को न करके निम्न विवरणानुसार कार्य प्रभारियों को किया गया।

नाम कार्य प्रभारी	पदनाम	कृत भुगतान
सर्वश्री सतीश चन्द्र शर्मा	ए0डी0ओ0 (पी)	862189
सर्वश्री अभय कुमार वर्मा	जे0ई0	13875
सर्वश्री अशोक कुमार गौड़	ए0डी0ओ0 (आई.एस.बी.)	1700223
सर्वश्री महेश पाल सिंह	ए0डी0ओ0 (आई.एस.बी.)	304000
योग-		2880287

उक्त की लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये-

1-सभी मस्टर रोल में मजदूरों के अंगूठे लगे पाये गये। किसी भी मजदूर के हस्ताक्षर नहीं थे। लगाये गये अंगूठों के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुछ मस्टर रोल एक ही व्यक्ति एवं कुछ में दो-तीन व्यक्तियों के अंगूठे लगा कर भुगतान किया/प्राप्त किया गया।

2-संलग्न मस्टर रोल में क्रमांक मुद्रित नहीं थे। क्रमांक हस्तलिखित थे। साथ ही ऐसा कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संलग्न मस्टर रोल क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड द्वारा जारी किये गये हैं। अतः काल्पनिक मस्टर रोल बाजार से क्रय करके प्रतियां पूर्ति कर संलग्न कर दिया गया।

3-कतिपय मस्टर रोल में अलग-अलग कार्यों के लगभग समान तिथियों के मस्टर रोल को एक ही कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को भुगतान दिखाया गया है। यह किस प्रकार सम्भव है कि एक ही कार्य प्रभारी द्वारा समान तिथियों में अलग-अलग स्थानों पर श्रमिकों से कार्य कराया जा सका/विवरण अग्रलिखित है-

कार्य का क्रम	कार्य का नाम	दर्शित मस्टर रोल	मस्टर रोल की अवधि	भुगतान प्राप्त कर्ता कार्य प्रभारी सर्वश्री
1	गिल्टेमा रोड से ब्रजपाल बाबा के घर तक सी0सी0 कार्य	23	25.8.14-4.9.14	सतीश चन्द्र शर्मा
14	नगरिया से योगेश के घर से स्कूल तक मिट्टी/सी0सी0कार्य	24	25.8.14-2.9.14	
12	ग्राम ढका में प्रा0वि0 से तालाब तक नाला निर्माण	22	25.8.14-2.9.14	
8	म्याऊं बिलहरी मार्ग पर नेकसू के कुएं से0मी0 1008 सिमर	26, 27, 28, 29	5.9.14-21.9.14	महेश पाल सिंह
15	बुधुआ नगला में राम सेवक पातीराम के घर तक मिट्टी/सी.सी. कार्य	38	2.9.14-15.9.14	
16	ग्राम बुधुआ नगला में मुन्ने	30	5.9.14-16.9.14	
11	ढका में बाबराम के घर से प्राईमरी स्कूल नगरिया में रामदीन के घर से देवकन	16	16.8.14-22.8.14	सतीश चन्द्र शर्मा
12	घर तक मिट्टी/सी.सी. कार्य	18.19.20	16.8.14-22.8.14	

उक्त सभी के आलोक में स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल संलग्न करके धनराशि रु0 2880287 का अपहरण किया गया। उक्तदायी तत्कालीन कार्य प्रभारियों/लेखाकार/ विकास खण्ड अधिकारी/प्रमुख से क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 3)

प्रस्तर-116- 175667 रु0 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि में आयकर विवरण उपलब्ध नहीं होना, आयकर तथा वैट/टी0डी0एन0 रु0 306500 जमा की धनराशि के चेक सीधे संस्थाओं को जारी ने करके कर्मचारी के नाम जारी करके-सामग्री भुगतान की धनराशि में से टी0डी0एस0 की कुल 175667 रु0 तथा वैट/टी0डी0एन0 मद में 306500 रु0 कटौती की गई जो विभिन्न तिथियों में भुगतान साथ ही कटौती करके उसके चेक श्री महिपाल सिंह, कैशियर को प्रदान किये गये। जिनके द्वारा उक्त धनराशियाँ बैंक से भुगतान प्राप्त कर टी0डी0एस0 तथा वैट/टी0डी0एन0 शुल्क को सम्बन्धित संस्थाओं में जमा करा दिया गया जिसकी पुष्टि हेतु चालान उपलब्ध कराये गये। लेकिन आयकर विवरणी उपलब्ध नहीं हुई। पुष्टि करवाया जाना अपेक्षित शेष रहा।

टी0डी0एस0 तथा वैट/टी0डी0एन0 की कटौती की धनराशियों के चेक सम्बन्धित शासकीय संस्थाओं को जारी नहीं करके विकास खण्ड कर्मचारी को जारी किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं रहा। इस प्रति स्थिति स्पष्ट की जाये। साथ ही आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-117- वर्ष में निर्माण सामग्री की आपूर्ति/प्राप्ति व उपभोग में अनियमितताएं होना-

वर्ष में निर्माण कार्यों में कुल 7603856 रु0 की सामग्री का भुगतान किया गया (इसमें मिट्टी क्रय धनराशि रु0 268019 सम्मिलित नहीं है) सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया। सामग्री आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। केवल सामग्री के बिल/कैश मेमो पर सामग्री स्थल पर प्राप्त की अंकित है। अतः सामग्री की आपूर्ति/प्राप्ति व उपभोग में व्यापक अनियमितताएं बरती गई हैं। इस हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित कार्य प्रभारियों/जे0ई0/विकास खण्ड अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही किये जाने अपेक्षित है।

प्रस्तर-118- कटौती की गई जमानत राशि की सम्बन्धित पदा को भुगतान की पुष्टि नहीं-

वर्ष में निर्माण कार्यों से ठेकेदारों से कटौती की गई जमानत राशि 261567 रु0 के भुगतान का विवरण नहीं मिला और न ही सम्बन्धित पक्ष को नियमानुसार भुगतान के अभिलेख उपलब्ध हुए। पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-119- आलोच्य वर्ष 2014-15 ब्याज मद में (अनुदान रजिस्टर के अनुसार) रु0 489437 को कोषागार में जमा किये जाने हेतु उपभोग व्यय किया जाना दर्शित है किन्तु राजकोष में जमा होने की पुष्टि में अपेक्षित साक्ष्य लेखा

परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुये। पुष्टि करवायी जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित व उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उचित आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-120—वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिट्टी का भुगतान निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि रु0 268019 का दर्शित है जो कि कार्य से सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को मस्टर रोल के भुगतान की राशि के साथ किया गया है। **विवरण:-**

तालिका में दर्शित कार्य का क्रमांक	पत्रावली में दर्शित मिट्टी मात्रा (वाउचर के अनुसार) घर मीटर		भुगतानिक धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता कार्य प्रभारी सर्वश्री
1	79.95	घन मी0	5396	सतीश चन्द्र शर्मा
4	190.14	घन मी0	12834	अशोक कुमार गौड़
5	95.60	घन मी0	6453	अशोक कुमार गौड़
6	275.31	घन मी0	18583	सतीश चन्द्र शर्मा
7	267.42	घन मी0	18050	सतीश चन्द्र शर्मा
8	652.00	घन मी0	43693	महेश पाल सिंह
9	88.88	घन मी0	5999	सतीश चन्द्र शर्मा
10	196.63	घन मी0	13272	सतीश चन्द्र शर्मा
11	288.93	घन मी0	19502	सतीश चन्द्र शर्मा
14	96.47	घन मी0	6511	सतीश चन्द्र शर्मा
15	84.79	घन मी0	5723	सतीश चन्द्र शर्मा
16	120.00	घन मी0	8100	सतीश चन्द्र शर्मा
17	240.62	घन मी0	16241	सतीश चन्द्र शर्मा
18	75.50	घन मी0	4961	महेश पाल सिंह
19	262.15	घन मी0	17695	सतीश चन्द्र शर्मा
13	123.39	घन मी0	8329	सतीश चन्द्र शर्मा
20	196.61	घन मी0	13271	सतीश चन्द्र शर्मा
21	643.05	घन मी0	43406	महेश पाल सिंह
योग	3977.44	घन मी0	268019	156672 रु0 सतीश चन्द्र शर्मा 19287 रु0 अशोक कुमार गौड़ 92060 रु0 महेश पाल सिंह

उक्त में मिट्टी कय की रायल्टी भुगतान के प्रमाणक/साक्ष्य अभिलेख नहीं थे और न रायल्टी का भुगतान किया जाना पाया गया। अतः मिट्टी क्रय/प्रयुक्त कहाँ से प्राप्त करके की गयी इसकी पुष्टि नहीं होती। साथ ही मिट्टी धनराशि का भुगतान मिट्टी आपूर्तिकर्ता को नहीं किया गया। अतः ऐसा स्पष्ट होता है कि मिट्टी आपूर्ति के काल्पनिक बिल/रसीद लगाकर धनराशि का भुगतान करके/प्राप्त करके अपहरण किया गया। जिस हेतु भुगतान के लिये तत्कालीन कार्य प्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी व प्रमुख उत्तरदायी रहै। क्षतिपूर्ति ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार (आपत्ति 9 में दर्शित के अनुसार) वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत म्याऊँ के निर्माण कार्य पत्रावलियों में मिट्टी मात्रा 3977.44 घन मी० प्रयुक्त की गयी, जिस हेतु रु0 268019 का भुगतान किया गया। प्रयुक्त/क्रय मिट्टी पर रु0 30 प्रति घन मी0 दर से रु0 119323 की रायल्टी की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। अतः कटौती नहीं किये गये रायल्टी धनराशि रु0 119323 की क्षतिपूर्ति की ब्याज सहित सम्बन्धित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर पत्र वर्ष- 2015-16 एवं 2016-17

नाम संस्था- क्षेत्र पंचायत म्याऊँ, जनपद- बदायूँ।

प्रस्तर-121—वर्ष 2015-16 व 2016-17 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर अंकन 1949887 एवं 395330 की मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री महेश पाल सिंह ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को 2202609 रु0 एवं श्री सतीश शर्मा सहा0 विकास अधिकारी (पंचायत) को 142608 रु0 का भुगतान किया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है और न ही प्रमाण पत्र रहा तथा जो अंगूठा निशानी अंकित है वह भी प्रमाणित नहीं है जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के हस्ताक्षर में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। मनरेगा के अन्तर्गत जब सभी श्रमिकों एवं राज को जॉब कार्ड जारी रहा तथा भुगतान सम्बन्धित के खातों में होना था तो नकद का क्या आधार रहा स्पष्ट किया नहीं जा सका।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में जो रु० 2345217 वर्ष 2015-16 व 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया है जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0/जे0ई0 लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-122- मात्र कच्चे बिल/कैश मेमो प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना वर्ष 2015-16 व 16-17 में कुल दर्शित भुगतान रु0 8590614 सम्बन्धित को दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है किन्तु जो सामग्री कम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी जाती वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर वह धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट होती है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजना बद्ध तरीके से दुरुपयोग किया गया है। जिस हेतु तत्कालीन लेखाकर, कार्यप्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-123-वर्ष 2015-16 व 16-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय 2 प्रतिशत की दर से 187508 टी0डी0एस0 4 प्रतिशत से वैट रु0 375617 एवं 3 प्रतिशत की दर से रु0 236381 जमानत की कटौती की गयी है। काटे गये टी0डी0एस0/वैट की जमा पुष्टि में इशू चेक नं0- बैंक स्टेटमेंट चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया जिससे काटे गये टी0डी0एस0/वैट की जमा पुष्टि नहीं होती है तथा जमानत की नियमानुसार सम्बन्धित पक्ष को भुगतान की पुष्टि नहीं रही। इस प्रति तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-124-वर्ष 2015-16 व 16-17 में दर्शित सामग्री कय कमशः रु0 7879103 तथा 1511018/- कुल रु0 9390121.00 पर टी0डीएस0 कटौती रु0 187508/- की गई जो कि गणनानुसार 2.00 की दर से रु0 187802 होती है। इस प्रकार रु0 294 की कम कटौती करके राजकीयराजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है, जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करके लेखा शीर्ष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-125-आलोच्य वर्ष 2015-16 व 16-17 में ब्याज मद में (अनुदान रजिस्टर के अनुसार) रु0 634076 को कोषागार में जमा किये जाने हेतु उपभोगध्व्यय किया जाना दर्शित है। किन्तु राजकोष में जमा होने की पुष्टि में अपेक्षित साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुये। पुष्टि करवायी जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित व उत्तरदायी अधिकारीधर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

अधिभार प्रतिवेदन क्षेत्र पंचायत कादर चेक जनपद बदायूं

प्रस्तर- (2011-12-2013-14)

प्रस्तर-126-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का :- 113532.00

वर्ष 2011-2013-14 से 2013-14 में निर्माण कार्य (प्रस्तुत/उपलब्ध निर्माण कार्य पत्रावली) पर अंकन रु0 113532.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री बृज कुमार सक्सेना ए0डी0ओ0 पंचायत, को रु0 90192.00 श्री केदार नाथ ग्राम पं0 अधि0 रु0 3160.00 एवं श्री गुलाब सिंह पदनाम ग्राम पं0 अधिकारी को रु0 20180.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 113532.00 का वर्ष 2011-12 से 13-14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रुप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-127- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:- 417022.00

कुल दर्शित भुगतान रु0 423664.00 में से रु0 417022.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-128- रु0 6642.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 2933.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि वर्ष 2011-12 से 13-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 6642.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय (प्रस्तुत/उपलब्ध निर्माण कार्य पत्रावली) रु0 423664.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रु0 8473.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 1831.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय

पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 1831.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-129 रु0 16947.00 टी0डी0एन0(वैट) की कटौती न कर क्षति पहुंचाना।

आलोच्य वर्षों में कुल सामग्री क्रय (प्रस्तुत/उपलब्ध निर्माण कार्य पत्रावली) रु0 423664.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 16947.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गयी है इस प्रकार रुपये 16947.00 कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु0 16947.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 16947.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर-130- शासकीय अनुदान से कमाये गये ब्याज की राजकीय कोष में जमा न करना - 997603.00

गैर चिन्हांकित बैंक खातों में मनमाने ढंग से शासकीय अनुदान रोककर के वर्ष 2011-12 से 2013-14 कुल तीन वर्षों में ब्याज रु0 997603.00 कमाया गया।

क्र0सं0	वर्ष	कमाया गया ब्याज (ग्रान्ट रजि0 के अनुसार)	मनरेगा
1	2011-12	136670	37486
2	2012-13	303027	28931
3	2013-14	475631	15858
	योग	915328	82275

शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है किन्तु वर्ष 2011-12 से 2013-14 में अनुदान पंजी के अनुसार शासकीय अनुदानों पर रु0 997603.00 ब्याज कमाया गया है। जिसे उपरोक्तानुसार जमा किये जाने की पुष्टि में अपेक्षित साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-वर्ष- 2014-15 से 2016-17

नाम संस्था- क्षेत्र पंचायत कादरचेक, जनपद- बदायूँ।

प्रस्तर-131-मस्टर रोल मजदूरी का और भुगतान कार्य प्रभारियों को 2510675.00

वर्ष 2014-15 से 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन 2510675.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सुनील कुमार, पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 2319705.00 श्री अनिल सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु0 44400.00 एवं श्री शिखर गौड पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 146570.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है समस्त कार्य लगभग एक ही कार्यप्रभारी श्री सुनील कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से पूर्ण कराया गया तथा फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. 2510675.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-132-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अनियमितता-9451600.00 कुल दर्शित भुगतान रु0 9451600.00 सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खातों के अभाव में पुष्ट रहा है। तथा जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हैतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। उल्लेखनीय है कि समस्त कार्य एक ही फर्म मै0 उ0 नमः शिवाय कन्सट्रक्शन ग्राम वेन तहसील बिल्सी जिला बदायँ से पूर्ण कराया गया तथा समस्त पत्रावली में लगभग एक ही प्रकार से निम्नलिखित तीन फर्मों

1.मै0उ0नमः शिवाय कन्स0 ग्राम वैन

2.मै0 विवेक यादव कान्टैक्टर ग्राम बेलाडांडी

3.मै0 राम टेडर्स कृष्णापुरी बदायूँ

का ही कुटेशन संलग्न रहा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अल्पकालीक निविदा सूचना एक लोकल पेपर दैनिक शिखर में प्रकाशित करने का उल्लेख किया गया है जबकि किसी भी पत्रावली के साथ पेपर

कटिंग संलग्न नहीं रहा। निविदा/कुटेशन आमंत्रण एक लोकप्रिय पेंपर में दिया जाना चाहिये था जिससे क्षेत्र पंचायत को एक स्वस्थ प्रतियोगिता के तहत गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने में सहायता मिलती परन्तु जानबुझकर फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-133- रु0 218935.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाना

वर्ष 2014-15 से 2016-17 में सामग्री प्रमाणको (उपलब्ध निर्माण कार्य पत्रावलियों के अनुसार) के भुगतान के समय अंकन रु 218935.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 218935.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार रु0 218935.00 की धनराशि अपुष्ट रही। अपुष्ट धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-134- रु0 424259.00 टी0डी0एन0(वैट) जमा की पुष्टि न हो पाना

आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय(उपलब्ध निर्माण कार्य पत्रावलियों के अनुसार) 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 421135.00 वैट(वाणिज्य कर) की कटौती कटौती की गई है। काटे गये टी0डी0एन0 अंकन रु0 421135.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण जिस कारण उपरोक्तानुसार रु0 421135.00 की धनराशि अपुष्ट रही। अपुष्ट धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत सहसवान जनपद बदायूँ

वर्ष 2011-12 से 2013-14 की आपत्तियां का विवरण

प्रस्तर-135-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का:- 1837863.00

वर्ष 2011-2012 से 2013-14 में निर्माण कार्य (प्रस्तुत/उपलब्ध निर्माण कार्य पत्रावली) पर अंकन रु0 1837863.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राम सिंह, पदनाम सहायक विकास अधिकारी को रु0 265440.00 श्री पी0डी0 गुप्ता पदनाम स0 वि0 अधि0 रु0 105800.00, श्री महेंद्र सिंह पदनाम स0 वि0 अधिकारी को रु0 821921.00 एवं श्री नवीन शर्मा पदनाम ग्राम पं0 अधि0 को रु0 548040.00 तथा श्री सुरेश चन्द्र शर्मा ग्रा0 वि0 अधि0 को रु0 96662.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1837863.00 का वर्ष 2011-12 से 13-14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रुप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-136- आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना 5376016.00

सामग्री मद में कुल रु0 8848184.00 भुगतान में से रु0 5376016.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
72843	29.3.12	141068	माहेश्वरी ब्रिक	खाता नं0 1271 में ट्रांसफर
72842	29.3.12	155784	यादव ट्रेडर्स	बी0ओ0बी0
72844	10.4.12	286509	यादव ट्रेडर्स	बी0ओ0बी0
72845	10.4.12	6141	माहेश्वरी ब्रिक	खाता नं0 211271 में ट्रांसफर
72848	2.5.12	103572	यादव ट्रेडर्स	बी0ओ0बी0
071064	18.8.11	124703	किसान बि0 मै0	खाता नं0 211271 में ट्रांसफर
071065	18.8.11	251114	माहेश्वरी ब्रिक	बी0ओ0बी0 सहसवान
071074	19.9.11	232490	किसान बि0 मै0	राजेन्द्र सिंह
612090	21.5.11	128443	माहेश्वरी ब्रिक	खाता नं0 211271 में ट्रांसफर
612092	6.6.11	17527	माहेश्वरी ब्रिक	खाता नं0 211271 में ट्रांसफर
612091	6.6.11	182335	पंकज सीमेन्ट	1396 में ट्रांसफर
612094	13.6.11	133775	माहेश्वरी ब्रिक	21139 में ट्रांसफर
612094	30.6.11	4000	वीरेन्द्र पेन्टर	प्रभु दयाल
72858	16.4.13	104030	माहेश्वरी ब्रिक	1271 में ट्रांसफर
72859	16.4.13	277602	यादव ट्रेडर्स	बी0ओ0बी0 सहसवान
744557	18.5.13	152552	अज्ञात	ट्रांसफर
754556	18.5.13	68538	अज्ञात	ट्रांसफर

754558	30.5.13	7522	अज्ञात	ट्रांसफर
754559	30.5.13	57342	अज्ञात	ट्रांसफर
754563	19.6.13	210294	अज्ञात	ट्रांसफर
744555	18.5.13	11655	अज्ञात	ट्रांसफर
744554	18.5.13	9379	अज्ञात	ट्रांसफर
754562	30.5.13	106300	अज्ञात	ट्रांसफर
744561	30.5.13	97442	अज्ञात	ट्रांसफर
754567	20.6.13	412721	अज्ञात	ट्रांसफर बी0ओ0बी
754568	20.6.13	26470	अज्ञात	ट्रांसफर 211271
600039	1.02.14	78352	गणेश ब्रिक	ट्रांसफर 02 / 26
000038	1.02.14	241305	यादव ट्रेडर्स	02 / 46
000035	29.1.14	126906	गणेश ब्रिक	02 / 26
000036	29.1.14	257978	यादव ट्रेडर्स	02 / 46
754571	23.7.13	98802	यादव ट्रेडर्स	एल0सी0
754572	23.7.13	48089	माहेश्वरी ब्रिक	211271 में ट्रांसफर
744579	14.8.13	424284	यादव ट्रेडर्स	एल0सी0
754580	14.8.13	99084	माहेश्वरी ब्रिक	ट्रांसफर
754575	24.7.13	88808	माहेश्वरी ब्रिक	211271
754574	24.7.13	209475	यादव ट्रेडर्स	एल0सी0
754582	14.8.13	327393	यादव ट्रेडर्स	एल0सी0
754583	14.8.13	66232	माहेश्वरी ब्रिक	ट्रांसफर
योग		5376016		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 5376016.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को होना स्पष्ट नहीं है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 5376016.00 का अपहरण किया गया है। जिसका सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-137-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-3472168.00

कुल दर्शित भुगतान रु0 3472168.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हैतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-138-आलोच्य वर्षों में कुल सामग्री क्रय (प्रस्तुत/उपलब्ध निर्माण कार्य पत्रावली) रु0 9033449.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 361338.00 वैट (वाणिज्यकर) की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गयी है इस प्रकार रुपये 361338.00 कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु0 361338.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 361338.00 की क्षतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर- 139- वर्ष 2011-12 से 2013-14 में 2574.96 घनमी0 मिट्टी हैतु कुल रु0 162223/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु0/घन मी0 की दर में रु0 77249/- की रायल्टी काटी जानी चाहिये। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, क्षति पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

श्री महेंद्र सिंह ए0डी0ओ0 114481.00
श्री नवीन शर्मा ग्रा0पं0अधि0 33000.00
श्री सुरेश शर्मा, ग्रा0पं0अधि0 14742.00
योग- 162223.00

प्रस्तर-वर्ष- 2014-15 से 2016-17

नाम संस्था- क्षेत्र पंचायत सहसवान, जनपद- बदायूँ।

प्रस्तर-140-मस्टर रोल मजदूरी का और भुगतान कार्य प्रभारियों को 2273178.00

वर्ष 2014-15 से 2016-17 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर अंकन 2273178.00. 10 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री छत्रपाल, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 586606.00 श्री महेंद्र सिंह पदनाम

सहायक विकास अधिकारी रु0 742858.00 श्री भगवान किशोर पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 345381.00 श्री मुनीश बाबु सक्सेना पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 439045.00 एवं श्री अब्दुल मुजीब को रु0 159288.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. 2273178.00 का वर्ष 2014-15 से 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-141- क- आपूर्ति कर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते मे करना

सामग्री मद में कुल रु. 1074899.00 भुगतान में से रु0 1481175.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
643228	5/28/2015	309997.00	यादव ट्रेडर्स	एल0सी0
0050	7/17/2014	116173.00	यादव ट्रेडर्स	एल0सी0 12
0051	7/17/2014	194463.00	माहैश्वरी ब्रिक	2 / 46
0076	2/18/2015	6162.00	मालपाणी ब्रिक	सिर्फ ट्रांसफर
0057	7/17/2014	328575.00	यादव ट्रेडर्स	02 / 46
0054	7/22/2014	358033.00	यादव ट्रेडर्स	02 / 46
0055	7/24/2014	167772.00	माहैश्वरी ब्रिक	एल0सी0
योग		1481175.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 1481175.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/ खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 1481175.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-142- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण 8793774.00

कुल दर्शित भुगतान रु0 8793774.00 सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-143- रु0 437416.00 टी0डी0एन0(वैट) जमा की पुष्टि न हो पाना

वर्ष 2014-15 से 2016-17 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 437945.00 की टी0डी0एन0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय(उपलब्ध पत्रावली के अधार पर) रु0 10943406.00 की दर्शित है। जिसपर 4 प्रति० की दर से रु० 437736.00 टी0डी0एन0 होता है। काटे गये टी0डी0एन0 अंकन रु0 437945.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे उक्त की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-144- वर्ष 2014-15 से 2016-17 में 2446.59(मिटटी के माप का उल्लेख अधिकांश पत्रावलियों में नहीं किया गया है इसलिये लेखा परीक्षा अनुसार कुछ पत्रावलियों में उल्लिखित माप व दर के अधार पर आंकलित) घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु0 165145.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से 73397.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए थी। परन्तु रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

नोट:-67.50 रु0 / घन मी० उल्लिखित

अधिभार प्रतिवेदन क्षेत्र पंचायत - उझानी जनपद बढ़ाये

वर्ष 2011-12 की आपत्तियाँ का विवरण

प्रस्तर-145- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु 383250.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री यशपाल सिंह सा0वि0अधि0 को रु 244670.00 एवं श्री के0 पी0 वर्मा सहा0वि0अधि0 को रु 87720.00 तथा श्री शिखर गुप्ता ग्रा0 वि0 अधि0 को रु 50860/- का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत है। पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु 383250/- का वर्ष 2011-12 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-146- रु 22517/- टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु 37273/- की टी0डी0एस0 कम काटकर एवं रु 117010/- का व्यापार कर टी0डी0एन0 न काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 22517/- की टी0डी0एस0 कटौती की गई है। काटे गये टी0डी0एस0 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-147-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु 2902436.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 प्रतिशत की दर से रु 58049/- टी0डी0एस0 की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में रु 22517/- कटौती की गई है, जिससे रु 35532 की राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-148-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु 2902436.00 की दर्शित है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से रु 116097/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गई है, जिससे रु 116097/- की राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति पूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-149- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2011-12 में कुल रु 2902436/- की सामग्री क्रय की गयी है तथा कुल भुगतान मय मिट्टी रु 3033563/- का रहा। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-150- वर्ष 2011-12 में 1942 घनमी0 मिट्टी हेतु कुल रु 131127/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु0/घन मी0 की दर में रु 58260/- की रायल्टी काटी जानी चाहिये। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, ब्याज सहित क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2012-13 की आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर-151- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु 481855.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री के0 पी0 वर्मा ए0 डी0 ओ0 पदनाम सा0वि0अधि0 को रु 316515.00 एवं श्री शिखर गुप्ता ग्रा0 वि0 अधि0 को रु 165340.00 का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत है। पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु 481855/- का वर्ष 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-152 रु 58703/- टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु 114580/- का व्यापार कर टी0डी0एन0 कम काटकर राजस्व की हानि वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 58703/- की टी0डी0एस0 कटौती की गई है। काटे गये टी0डी0एस0 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-153-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2864500.00 की दर्शित है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 114580/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गई है, जिससे रु0 114580/- की राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति पूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-154- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2012-13 में कुल रु0 2864500/- की सामग्री क्रय की गयी है तथा कुल भुगतान मय मिट्टी रु0 2933415/- का रहा। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संधिगृही रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-155- वर्ष 2012-14 में 1020 घनमी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 68915/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु0/घन मी0 की दर में रु0 30600/- की रायल्टी काटी जानी चाहिये। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, ब्याज सहित क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2013-14 की आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर-156- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 1375867/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा ग्रा0वि0अधि0 को रु0 791329/- एवं श्री शिखर गुप्ता ग्रा0 वि0 अधि0 को रु0 584538/- का भुगतान कर दिया गया हैं। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत है। पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1375867/- का वर्ष 2013-14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-157- रु0 205822/-टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 354173/-का व्यापार कर टी0डी0एन0 कम काटकर राजस्व की हानि की गई है। वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु0 205822/- की टी0डी0एस0 कटौती की गई है। काटे गये टी0डी0एस0 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-158-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 9008235.00 की दर्शित है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 360329/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में 9194/- कटौती की गई है, जिससे रु0 351135/- की राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की ब्याज सहित प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-159- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2013-14 में कुल रु0 9084174/- की सामग्री क्रय की गयी है तथा कुल भुगतान मय मिट्टी रु0 9375129/- का रहा। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संधिगृही रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-160- वर्ष 2013-14 में 4299 घनमी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 290955/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु0/घन मी0 की दर में रु0 128970/- की रायल्टी काटी जानी चाहिये। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2014-15 क्षेत्र पंचायत उझानी के प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-161- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 12,18,323/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भानु प्रताप सिंह पदनाम

सहायक विकास अधिकारी को 11,20,193/—रु०, तथा श्री शिखर गुप्ता ग्र० वि० अधि० को 98,130/—रु० को कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 12,18,323/— रु० का वर्ष 2014-15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-162- रु० 1,17,260/— रु० टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 1,27,421 एवं टी० डी० एन० कम काटकर व्यापार कर न काटकर राजस्व की हानि—

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 1,17,260/—रु० की टी० डी० एस० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 55,46,825/— पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 2,21,873/— की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में 94,452/— रु० की कटौती की गई है, जिससे रु० 1,27,421/— की राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-163- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

वर्ष 2014-15 में कुल रु० 55,46,825/— की सामग्री क्रय की गयी है, तथा मय मिट्टी 56,42,238/— की सामग्री क्रय की गई है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री क आमद/ उपभोग विशेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-164- वर्ष 2014-15 में 1413 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु० 95,413/—रु० का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु०/घन मी० की दर में रु० 42,390/—रु० की रॉयल्टी काटी जानी चाहिये। रॉयल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16 के प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-165- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 8,73,890/— मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भानु प्रताप सिंह ए० डी० ओ० पदनाम सहायक विकास अधिकारी को 7,15,040/— रु०, श्री शिखर गुप्ता ग्र० वि० अधि० को 1,58,850 रु०, भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 8,73,890/— का वर्ष 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-166- रु० 72,644/— टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 1,45,367/— का व्यापार कर टी० डी० एन० जमा की पुष्टि न हो पाने की अनियमितता—

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 72,644/— की टी० डी० एस० कटौती की गई है, तथा रु० 1,45,367/— की व्यापार कर या टी० डी० एन० की जमा की पुष्टि में काटे गये जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-167- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

वर्ष 2015-16 में कुल रु० 32,79,455/—रु० की सामग्री क्रय की गयी है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री क आमद/ उपभोग व शेष का

स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-168- वर्ष 2015-16 में 1932 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु० 1,30,441/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु०/घन मी० की दर में रु० 57,960/- की रॉयल्टी काटी जानी चाहिये। रॉयल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2016-17 के प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-169- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 5,33,025/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री खुशी राम वर्मा ए० डी० ओ० पदनाम सहायक विकास अधिकारी को 70,905/- रु०, श्री शिखर गुप्ता ग० वि० अधि० को 4,62,120/- रु०, भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 5,33,025/- का वर्ष 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-170- रु० 67,654/- टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 1,35,304/- का व्यापार कर टी० डी० एन० जमा की पुष्टि न हो पाने की अनियमितता-

वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 67,654/- की टी० डी० एस० कटौती की गई है, तथा रु० 1,35,304/- की व्यापार कर या टी० डी० एन० की जमा की पुष्टि में काटे गये जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-171- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

वर्ष 2016-17 में कुल रु० 34,08,947/- रु० की सामग्री क्रय की गयी है, तथा मय मिट्टी 35,68,824/- की सामग्री क्रय की गई है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री का आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-172- वर्ष 2016-17 में 2368 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु० 1,59,877/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु०/घन मी० की दर में रु० 71,056/- की रॉयल्टी काटी जानी चाहिये। रॉयल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

सलारपुर, जनपद बदायूं

प्रस्तर- (2011-12)

प्रस्तर-173- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 1192265.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री शहजाद हसन खां सा० वि० अधि० को रु० 807765.00 एवं श्री जानकी प्रसाद शर्मा सहा० वि० अधि० को रु० 384500 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1192265 का वर्ष 2011-12 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं०-3)

प्रस्तर-174- आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट:-

सामग्री मद में कुल रु0 5999703.00 भुगतान में से रु0 63700.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में हैं:-

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
503496	04.11.11	22400	पानी निकासी नन्हें पुत्र अबरार	श्री शहजाद हसन खां कार्य प्रभारी
516319	29.03.2012	13300	पानी निकासी नन्हें पुत्र अबरार	श्री शहजाद हसन खां कार्य प्रभारी
514521	14.06.11	14000	मैसर्स टाटा किसान खाद्य भण्डार	श्री जानकी प्रसाद शर्मा कार्य प्रभारी
706448	01.12.2011	14000	संदीप कुमार	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
योग		63700		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 63700.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 63700.00 की अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(साधारण आपत्ति सं0-4क)**

प्रस्तर-175- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना :-

कुल दर्शित भुगतान रु0 5926259.00 में से रु0 5862559.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराये गये हैं जिससे रु0 5862559.00 का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी है। जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि रु0 5862559.00 को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0-4ख)

प्रस्तर-176- रु0 73444.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 62149.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु0 73444.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 5999703.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रु0 119994.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 46550.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 46550.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0 - 5)

प्रस्तर-177- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 5999703.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 239988.00 की कटौती की जानी चाहिए जो नहीं की गयी जिससे रु0 239988.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 239988.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति सं0 - 6)

प्रस्तर-178- वर्ष 2011-12 में 5627.05 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 379825.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 168811.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक/भुगतान तिथि	चैक सं0	मात्रा घन मी0 में	दर	धनराशि
04.11.2014	503495	476.26	67.50	32148
23.12.11.	516307	293.95	67.50	19842
09.04.2012	842861	603.75	67.50	40753
23.12.11	516303	725.70	67.50	48985
08.09.11	503488	296.88	67.50	20040
14.06.11	514251	141.39	67.50	9544
23.04.11	522699	49.22	67.50	3323
23.04.11	502644	79.51	67.50	5367
23.04.11	502697	91.50	67.50	6151
14.06.11	504943	99.08	67.50	6688

24.05.11	207859	152.45	67.50	10291
04.06.2011	504938	142.06	67.50	9589
23.12.11	516008	1447.04	67.50	97675
20.07.11	514263	44.44	67.50	3000
14.09.2011	514258	234.66	67.50	15840
29.03.12	516029	64.16	67.50	4331
01.11.11.	514296	24.38	67.50	1646
28.05.11	501049	243.08	67.50	16408
28.05.11	503478	417.90	67.50	28208
	योग	5627.03		379825.00

(साधारण आपत्ति सं० -7)

प्रस्तर- (2012-13)

प्रस्तर-179- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु० 1088360.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री जानकी प्रसाद शर्मा सा०वि०अधि० को रु० 927250.00 एवं शहजाद हसन खां (ए०डी०ओ०पी०) को मजदूरी/श्रमांश का भुगतान रु० 161110.00 का भुगतान कर कुल रु० 1088360.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1088360.00 का वर्ष 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रुप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-3)

प्रस्तर-180- आपूर्ति कर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट:-

सामग्री मद में कुल रु० 6292477.00 भुगतान में से रु० 136075.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में हैं:-

बैंक नं०	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
530688	16.09.13	15000	शिराजुद्दीन ठेकेदार	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
530678	16.09.13	24511	मो० अब्दुल्ला	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
530682	16.09.13	3500	साई डिजिटल फोटो स्टूडियो	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
516327	17.08.13	22298	कौसर अली	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
516329	17.08.13	25166	शिराजुद्दीन ठेकेदार	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
530696	16.09.13	16200	शिराजुद्दीन ठेकेदार	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
530654	30.08.13	29400	गुप्ता एण्ड कम्पनी	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
	योग	136075		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 136075.00 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 136075.00 की अपहरण की गई है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-4क)

प्रस्तर-181- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना :-

कुल दर्शित भुगतान रु० 6292485.00 में से रु० 6156410.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराये गये है जिससे रु० 6156410.00 का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी है। जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-4ख)

प्रस्तर-182- रु० 124522.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 21522.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु० 124522.00 की टी०डी०एस०

कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 6462157.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रु0 129243.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 4721.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 124522.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-5)

प्रस्तर-183- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 6462157.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 258486.00 की कटौती की जानी चाहिए जिसके सापेक्ष रुपये 45150.00 की कटौती की गयी है इस प्रकार रुपये 213336.00 की कम कटौती कर राजस्व की हानि की गयी। ऐसे में न काटे गये राजकीय क्रय की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 45150.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-6)

प्रस्तर-184- वर्ष 2012-13 में 2520.24 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 206234.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 170119.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक/भुगतान तिथि	चेक सं0	मात्रा घन मी0 में	दर	धनराशि
16.09.2013	530678	363.12	67.50	24511
17.08.2013	516327	330.34	67.50	22298
16.09.2013	530657	207.70	67.50	14020
16.09.2013	530667	227.49	67.50	15356
16.09.2013	530689	195.34	67.50	13186
30.0.2013	516347	412.81	67.50	27865
27.08.2013	424128	473.91	67.50	31989
12.07.2013	424102	282.47	67.50	19067
27.08.2012	519602	27.06	67.50	1827
		2520.24		170119

(आपत्ति सं0-7)

प्रस्तर- (2013-14)

प्रस्तर-185- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 903875.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री जानकी प्रसाद शर्मा सा0वि0अधि0 को रु0 903875.00 भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 903875.00 का वर्ष 2013-14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-3)

प्रस्तर-186- आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट:-

सामग्री मद में कुल रु0 6957515.00 भुगतान में से रु0 27625.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में हैं:-

चेक नं0	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
531064	24.03.2014	5500	साई डिजिटल फोटो स्टूडियो	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
530664	31.08.2013	5250	विमल जनरल स्टोर	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
530657	31.08.2013	7875	साई डिजिटल फोटो स्टूडियो	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
531064	24.03.2013	4000	मनोज पेंटर	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
017963	24.09.2014	5000	मनोज पेंटर	श्री जानकी प्रसाद शर्मा
	योग	27625		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 27625.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 27625.00 की अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-4क)

प्रस्तर-187- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना :-

कुल दर्शित भुगतान रु0 6723129.00 में से रु0 6700754.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराये गये हैं जिससे रु0 6700754.00 का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी है। जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि रु0 6700754.00 को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-4ख)

प्रस्तर-188- रु0 107664.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 31486.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु0 107664.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 6957511.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रु0 139150.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 31486.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 107664.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 - 5)

प्रस्तर-189- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 6957511.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 278300.00 की कटौती की जानी चाहिए जिसके सापेक्ष रुपये 126718.00 की कटौती की गयी है इस प्रकार रुपये 151582.00 की कम कटौती कर राजस्व की हानि की गयी। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 126718.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 - 6)

प्रस्तर-190- वर्ष 2013-14 में 1357.06 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 91602.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 40711.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक/भुगतान तिथि	चैक सं0	मात्रा घन मी0 में	दर	धनराशि
16.09.2013	424135	384.60	67.50	25961
22.11.13	428290	472.88	67.50	31920
31.08.2013	530661	47.57	67.50	3211
20.10.2014	017969	452	67.50	30510
	योग	1357.06		91602

(आपत्ति सं0 -7)

आपत्तियां (2014-15) क्षेत्र पंचायत- सालारपुर

आपत्तियाँ (2014-15) श्रमांश के मद में मजदूरी को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-

प्रस्तर -191-वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु 1124743.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री शशिकान्त शर्मा प्रा0सा0वि0अधि0 को रु0 706300 एवं श्री जानकी प्रसाद शर्मा सहा0वि0अधि0 को रु0 418443 का भुगतान कर दिया गया हैं। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. 1124743.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 192 क आपूर्ति कर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्टः

सामग्री मद में कुल रु. 5741048.00 भुगतान में से रु0 38500.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चेक नं० दिनांक धनराशिचेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता				
17991	7/7/2015	5500-00	मनोज पेन्टर	शशिकान्त शर्मा
076821	4/22/2016	5500-00	मनोज पेन्टर	शशिकान्त शर्मा
037273	2/26/2015	5500-00	मनोज पेन्टर	शशिकान्त शर्मा
037280	3/12/2015	5500-00	मनोज पेन्टर	शशिकान्त शर्मा
037297	9/8/2015	5500-00	मनोज पेन्टर	शशिकान्त शर्मा
037302	9/21/2015	5500-00	मनोज पेन्टर	शशिकान्त शर्मा
531078	7/21/2014	5500-00	मनोज पेन्टर	जानकी प्रसाद शर्मा
योग		38500-00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 38500.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 38500.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 4 क)

प्रस्तर –193—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना:-

कुल दर्शित भुगतान रु0 5741048.00 में से रु0 5703548.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराये गये हैं जिससे रु0 5703548.00 का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी है। जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से रु0 5703548 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 4 ख)

प्रस्तर –194—रु0 110203.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 27016.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि—

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 110203.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 6071655.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रु0 121433.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 11230.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 110203.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/ बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 5)

प्रस्तर –195—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 6071655.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 242866.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 220404.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु 22462.00 कटौती कम की गई है। जिससे रु0 22462.06 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 220404.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 6)

प्रस्तर –196—वर्ष 2014-15 में 865.67 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु0 58432.22 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 25970.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 7)

दिनांक/भुगतान तिथि	मात्रा घन मी० में	दर	धनराशि
3/24/2015	130	67.5	8775.00
3/24/2015	375	67.5	25312.00
1/20/2015	161.30	67.5	10887.75
2/12/2015	199.37	67.5	13457.47
योग	865.67		58432.22

आपत्तियाँ (2015-16) क्षेत्र पंचायत- सालारपुर

प्रस्तर -197- श्रमांश के मद में मजदूरो को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु 423652.00 मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री जानकी प्रसाद शर्मा सहा०वि०अधिव (आई०एस०बी०) को रु० 423652.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु०. 423652.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 3)

प्रस्तर -198 आपूर्ति कर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट-

सामग्री मद में कुल रु. 1630946.00 भुगतान में से रु० 141406.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार	भुगतान प्राप्तकर्ता
076811	1/27/2016	97765-00	मैसर्स शीराजुद्दीन ठेकेदार	जानकी प्रसाद शर्मा	
		10723-00			
017997	8/19/2016	5000-00	मनोज पेन्टर	जानकी प्रसाद शर्मा	
017996	8/19/2015	27918-00	मैसर्स नसीन इन्जीनियरिंग वर्क्स	जानकी प्रसाद शर्मा	
योग		141406-00			

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन- रु० 141406.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 141406.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 4 क)

प्रस्तर - 199 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना-

कुल दर्शित भुगतान रु० 1489540.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 200 -रु० 34361.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 4828.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि।

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 34361.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु० 1734030.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रु० 34681.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 320.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर ब्याज सहित वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 34361.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 5)

प्रस्तर - 201 आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 1734030.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 69361.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु० 68723.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु 638.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण

वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 68723.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 6)

प्रस्तर -202 वर्ष 2015-16 में 506.30 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु0 34174.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 15189.06 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक/भुगतान तिथि	मात्रा घन मी० में	दर	धनराशि
6/2/2015	164.30	67.5	11090-00
3/12/2015	199.37	67.5	13457-00
8/19/2015	142.63	67.5	9627-00
योग	506.30		34174.00

(आपत्ति सं0-7)

आपत्तियाँ (2016-17) क्षेत्र पंचायत- सालारपुर

प्रस्तर - 203 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु 811906.00 मजदूरी / श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री जानकी प्रसाद शर्मा सहा०वि०अधिव (आई०एस०बी०) को रु० 811906.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल 50. 811906.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 7)

प्रस्तर -204 आपूर्ति कर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्ट-सामग्री मद में कुल रु. 3106682.00 भुगतान में से रु0 49356.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है-

चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
076830	7/21/2016	5500-00	मनोज पेन्टर जानकी प्रसाद शर्मा
076832	7/21/2016	5500-00	मनोज पेन्टर जानकी प्रसाद शर्मा
428241	7/21/2016	5500-00	मनोज पेन्टर जानकी प्रसाद शर्मा
428240	7/21/2016	27356-00	मैसर्स शीराजुद्दीन कॉन्ट्रैक्टर जानकी प्रसाद शर्मा
428257	7/21/2016	5500-00	मनोज पेन्टर जानकी प्रसाद शर्मा
योग		49356-00	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 49356.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि में विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 49356.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 4 क)

प्रस्तर - 205 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान करना-

कुल दर्शित भुगतान रु0 3106682.00 में से रु0 3057326.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से रु0 3057326.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -206 -रु0 65628.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 9028.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु0 65628.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 3303387.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रु0

66068.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 440.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 65628.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न०/ बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 5)

प्रस्तर - 207 आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 3303387.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 132135.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु० 131257.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु० 878.00 कम कटौती की गई है। जिससे रु० 878.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 131257.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न०/ बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 6)

प्रस्तर - 208 वर्ष 2016-17 में 1135.35 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु० 76637.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु० 34060.06 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक/भुगतान तिथि	मात्रा घन मी० में	दर	धनराशि
7/21/2016	214.41	67.5	14473-00
7/21/2016	405.27	67.5	27356-00
3/7/2017	515.67	67.5	34808-00
योग	1135.35		76637.00

(आपत्ति सं० 7)

अधिभार प्रतिवेदन क्षेत्र पंचायत - दहगवां जनपद बदायूँ

वर्ष 2011-12 की आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर-209- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 80475/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री प्रमेन्द्र सिंह पदनाम स०वि०अधि० को कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत है। पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 80475/- का वर्ष 2011-12 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रुप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-210- रु० 8537/- टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 16577/- का व्यापार कर टी०डी०एन० कम काटकर राजस्व की हानि की गई है।

प्रस्तर-211- वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु० 8537/- की टी०डी०एस० कटौती की गई है। काटे गये टी०डी०एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/ बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-212- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 414427/- की दर्शित है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से रु० 16577/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गई है, जिससे रु० 16577/- की राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-213- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2011-12 में कुल रु० 414427/- की सामग्री क्रय की गयी है तथा कुल भुगतान मय मिट्टी रु० 426871/- जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से रु० 414427.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-214- वर्ष 2011-12 में 197.52 घनमी० मिट्टी हैतु कुल रु० 12444/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु०/घन मी० की दर में रु० 5925/- की रायल्टी काटी जानी चाहिये। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2012-13 की आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर- 215- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 320575/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री प्रमेन्द्र सिंह ए० डी० ओ० पदनाम स०वि०अधि० को रु० 178750/-, श्री अशोक सक्सेना रु० 125200/-, श्री सलीम मियां ग्रा० वि० अ० को रु० 16625/- भुगतान कर दिया गया हैं। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात यह विकास खण्ड से निर्गत है। पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 320575/- का वर्ष 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 216- रु० 31750/- टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 61652/- का व्यापार कर टी०डी०एन० कम काटकर राजस्व की हानि वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु० 31750/- की टी०डी०एस० कटौती की गई है। काटे गये टी०डी०एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 217- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 1541307/- की दर्शित है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से रु० 61652/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गई है, जिससे रु० 61652/- की राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-218- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2012-13 में कुल रु० 1541307/- की सामग्री क्रय की गयी है तथा कुल भुगतान मय मिट्टी रु० 1586057/- जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से रु० 1541307.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 219- वर्ष 2012-13 में 710 घनमी० मिट्टी हैतु कुल रु० 44750/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु०/घन मी० की दर में रु० 21300/- की रायल्टी काटी जानी चाहिये। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2013-14 की आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर-220- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 1165500/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री प्रेम शंकर ए० डी० ओ० पदनाम स०वि०अधि० को रु० 432250/- श्री लक्ष्मण ग्वाल रु० 109375/-, श्री सलीम मियां ग्रा० वि० अ० को रु० 301875/- श्री प्रमोद कुमार सिंह ग्रा० वि० अ० रु० 133000/-, श्री प्रमेन्द्र सिंह रु० 121500/- श्री दिनेश बाबू ग्रा० वि० अधि० रु० 67500/- भुगतान कर दिया गया हैं। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात यह विकास खण्ड से निर्गत है। पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1165500/- का वर्ष 2013-14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-221- रु० 145638/- टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 205303/- का व्यापार कर टी०डी०एन० कम काटकर राजस्व की हानि वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु० 145638/- की टी०डी०एस० कटौती की गई है। काटे गये टी०डी०एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-222- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 7153023/- की दर्शित है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 286121/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में रु0 80818/- कटौती की गई है, जिससे रु0 205303/- की राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-223- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2013-14 में कुल रु0 7153023/- की सामग्री क्रय की गयी है तथा कुल भुगतान मय मिट्टी रु0 7623533/- जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से रु0 7153023.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-224- वर्ष 2013-14 में 7468.41 घनमी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 470510/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु0/घन मी0 की दर में रु0 224052/- की रायल्टी काटी जानी चाहिये। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2014-15 क्षेत्रपंचायत दहगवां के प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर -225- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 13,24,625/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार सक्सना पदनाम सहायक विकास अधिकारी को 12,42,000/-रु0 तथा श्री प्रेमशंकर ए0 डी0 ओ0 को 82,625/-रु0 का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं हैं

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 13,24,625/- का वर्ष 2014-15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0 डी0 ओ0/जे0 ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ पुमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-226- रु0 1,30,853/- टी0 डी0 एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 1,19,194/- का व्यापार कर टी0 डी0 एन0 न काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 1,30,853/- की टी0 डी0 एस0 कटौती की गई है। काटे गये टी0 डी0 एस0 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-227- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 65,32,826/- पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 2,61,313/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में कटौती की गई है, जिससे रु0 1,43,413/- की जिसमें 1,17,900/-रु0 की व्यापार कर कटौती नहीं की गई है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की पूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर-228- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

वर्ष 2014-15 में कुल रु0 65,32,826/- की सामग्री क्रय की गयी है, तथा मय मिट्टी 67,74,781/-रु0 की सामग्री क्रय की गई। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री क आमद/ उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से रु0 6532826.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -229- वर्ष 2014-15 में 3456 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 2,41,925/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु0/घन मी0 की दर में रु0 1,03,680/- की रायल्टी काटी जानी चाहिये। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16 के प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर -230-श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 7,08,125/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सलीम मियां पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं हैं

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 7,08,125/- का वर्ष 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-231-रु० 51,572/- टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 55,063/- का व्यापार कर टी० डी० एन० कम काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 51,572/- की टी० डी० एस० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 26,77,303/- पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 1,07,100/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में 52,037/- रु० की कटौती की गई है, जिससे रु० 55,063/- की राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की पूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-232-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

वर्ष 2015-16 में कुल रु० 26,77,303/- की सामग्री क्रय की गयी है, तथा मय मिट्टी 27,04,379/- किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/ उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से रु० 26,77,303.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -233-वर्ष 2013-14 में 386.8 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु० 27,076/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु०/घन मी० की दर में रु० 11,604/- की रॉयल्टी काटी जानी चाहिये। रॉयल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2016-17 के प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर -234-श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 3,41,520/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अशोक सक्सेना ए० डी० ओ० पदनाम सहायक विकास अधिकारी को 53,800/- रु०, तथा श्री प्रदीप कुमार ग्रा० प० अधि० को 2,87,720 रु० भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं, पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं हैं

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 3,41,520/- का वर्ष 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-235-रु० 38,581/- टी० डी० एस० एवं 76,862/- रु० का टी० डी० एन० जमा न हो पाने की पुष्टि-वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 38,551/- की टी० डी० एस० तथा 76,862/- रु० की टी० डी० एन० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० एवं टी० डी० एन० की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-236-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

वर्ष 2016-17 में कुल रु० 17,86,212/- की सामग्री क्रय की गयी है, तथा मय मिट्टी 18,13,828/-रु० किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे

बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री क आमद/ उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से रु0 1786612.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -237-वर्ष 2016-17 में 394.51 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 27,616/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु0/घन मी0 की दर में रु0 11,835/- की रॉयल्टी काटी जानी चाहिये। रॉयल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

प्रारूप- 3(क्षेत्र पंचायत)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2016-17

मण्डल का नाम- बरेली(उ0प्र0) जनपद-बरेली

क्षेत्र पंचायतों से संबंधित आपत्तियों:-

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

1- मस्टर रोल मजदूरी का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन 748480.00 रु0 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री नक्षत्र कुमार सिंह, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 223670.00 श्री सूर्य प्रकाश पदनाम कैशियर/स्टोर कीपर रु0 33400.00 एवं श्री पवन जैन पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 152240.00 एवं श्री अरुण कुमार सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 339170.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. 748480.00 का वर्ष 2011-12 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर संख्या-03)

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

2- आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते मे करना

सामग्री मद में कुल रु. 2211166.00 भुगतान में से रु0 106438.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:---

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
204335	27.02.2012	7343.00	बाल मुकुन्द	नक्षत्र कुमार सिंह
204339	14.03.2012	3738.00	बाल मुकुन्द	नक्षत्र कुमार सिंह
0006780	08.02.2011	5842.00	ओम प्रकाश पेन्टर	सूर्य प्रकाश
504885	20.07.2012	4357.00	अकील भाई	पवन जैन
504873	21.06.2012	16378.00	बाबुराम (ट्रेकर)	पवन जैन
502968	08.05.2012	10184.00	ठाकुर दास	ए0 के0 सिंह
502968	20.07.2012	600.00	संजीव पेन्टर	ए0 के0 सिंह
504882	20.07.2012	2475.00	संजीव पेन्टर	ए0 के0 सिंह
504884	20.07.2012	4357.00	अकील भाई (वेलिडिंग)	ए0 के0 सिंह
504883	20.07.2012	2490.00	संजीव पेन्टर	ए0 के0 सिंह
504864	29.05.2012	5058.00	ठाकुरदास (ट्रैक्टर)	ए0 के0 सिंह
504867	29.05.2012	21624.00	लोकेश इले0 बरेली	ए0 के0 सिंह
502491	24.10.2011	14223.00	ठाकुरदास (ट्रैक्टर)	नकद भुगतान
502964	24.10.2011	3412.00	ठाकुरदास (ट्रैक्टर)	अरुण कुमार सिंह
504888	20.07.2012	4357.00	अकील भाई	अरुण कुमार सिंह
	योग	106438.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0106438.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/ खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0106438.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर संख्या 4-क)

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

3— रु0 49178.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 1905.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 49178.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 2260344.00 की दर्शित है। जिसपर 2.00 की दर से रु0 45207.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु01905.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 49178.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर संख्या-5)

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

4—क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 2260344.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 90414.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु 90414 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु0 90414.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु 90414.00 की व्याज के साथ ब्याज सहित वसूली तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर संख्या-6)

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

5— मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

कुल दर्शित भुगतान रु0 2211166.00 में से रु0 2104728 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर संख्या 4 ख)

6—क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली वर्ष 2011-12 में 948.87 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 61640.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 28466.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी0में	धनराशि
27.02.12	110.25	7497
14.03.12	56.14	3817
21.06.12	334.43	16722
08.05.12	138.64	10398
29.05.12	68.85	5164
24.10.11	193.63	14522
23.12.11	46.93	3520
योग	948.87	616440

(मूल प्रस्तर संख्या -7)

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

वर्ष 2012-2013 आपत्तिया का विवरण

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

7— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:-

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य पर अंकन रु 791035.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री नक्षत्र कुमार सिंह, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 91130.00 श्री सूरज पाल पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु0 286870.00 श्री मोहन लाल गंगवार को रु0 18960.00 श्री अरुण कुमार सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 87830.00 श्रीमती शिप्रा पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 181790.00 श्री रामऔतार पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 124455.00 भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

यथा ग्राम करगैना में बाला जी मन्दिर से ग्रीन वैली जाने वाले रास्ते पर मिट्टी कार्य दिनांक 11.07.12 से 19.07.12 तक ट्रैक्टर न0 यू0पी025 ए0सी0-5883 श्री प्रमोद पुत्र श्री नन्हे निवासी बिरिया नारायन नगला को रु 17658.00 को भुगतान 470.88 घनमी0 मिट्टी के लिए एवं ट्रैक्टर न0 एच0पी0जी0-651 श्री बावूराम पुत्र श्री राधेश्याम निवासी

बिरिया नरायन नगला बरेली को मिट्टी 470.88 घनमी० के लिए रु० 17658.00 को भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल भुगतान रु 35316.00 कार्य प्रभारी श्री अरुण कुमार सिंह को किया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा बिल पर स्वयं हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। दिनांक 20.07.2012 को चेक संख्या 504879 द्वारा 42948.00 का भुगतान श्री अरुण कुमार सिंह कार्य प्रभारी को किया गया है उक्त चेक के माध्यम से ही मस्टर रोल हेतु रु 18360.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल की धनराशि 18360.00 एवं मिट्टी ढुलाई की धनराशि टी०डी०एस० कटौती के उपरान्त रु 34588.00 कुल रु 52948.00 भुगतान होना चाहिए था। परन्तु उक्त चेक से रु 42948.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु 10000.00 कम भुगतान किया गया उक्त विवरण से स्पष्ट है। कि मनमाने ढंग से अभिलेख तैयार कर धनराशि का अपहरण किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 791035.00 का वर्ष 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर संख्या-3)

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

8-आपूर्ति कर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रु. 32025.00 भुगतान में से रु० 106438.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:—

चैक न०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता
504857	08.05.12	14521.00	अज्ञात	ट्रान्सफर 13607
504852	08.05.12	17504.00	अज्ञात	ट्रान्सफर
योग-		32025.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 32025.00 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 32025.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर संख्या 4 क)

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

9-रु० 66415.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 7960.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 66415.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु० 3290942.00 की दर्शित है। जिसपर 2.00 की दर से रु० 65819.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 596.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 66415.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू बैंक न०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर संख्या 5)

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

10- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु० 3290942.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 131638.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु० शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु 131638 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु० 131638.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 131638.00 की क्षतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 6)

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

11-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

कुल दर्शित भुगतान रु० 3224527.00 में से रु० 3192502.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर संख्या 4 ख)

12- क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली वर्ष 2012-13 में 4167.61 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु० 321165.50 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु० 125028.00 रायल्टी काटी

जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी०में	धनराशि
29.08.12	212.28	10614.00
05.11.12	252.53	18940.00
07.01.13	353.93	26544.50
17.02.13		
03.08.12	470.88	35316.00
27.09.12	176.49	13237.00
03.08.12	272.89	20466.00
10.10.12	467.62	31798.00
25.09.12	510.53	51053.00
01.12.12	56.10	5610.00
18.03.13	54.59	4640.00
25.09.12	759.50	56962.00
22.07.13	424.52	38207.00
18.03.13	155.75	7788.00
योग	4167.61	321165.50

(मूल आपत्ति संख्या 7)

—:वर्ष—2013—2014 आपत्तियों का विवरण:—

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

13— श्रमांश के मद में मजदूरी को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:—

वर्ष 2013—14 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु 1628675.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अजय साहू पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 116510.00 श्री सूरज पाल सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु0 680680.00 श्री नरेन्द्र पाल सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 66935.00 श्री पवन जैन पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 461930.00 श्री रामऔतार पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 115620.00 श्री सुनील कुमार शर्मा पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 61770.00 एवं श्रीमती शिप्रा पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 125230.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. **1628675.00** का वर्ष 2013—14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 3)

14—रु0 127887.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 36297.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि
वर्ष 2013—14 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 127887.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 7264791.00 की दर्शित है। जिसपर 2.00 की दर से रु0 145296.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु0 17409.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु0 127887.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसकारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल प्रस्तर संख्या 5

15— क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 7264791.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 290592.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 212076.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु 78516.00 कटौती कम की गई है।

यहां उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी०डी०एस० कटौती की गई है। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2013—14 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० कटौती कुल अंकन रु0 212076.00 की गई है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक न०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान एवं दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी०डी०एस०मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्ट है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को

की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं। जांचोपरान्त लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये।

मूल प्रस्तर संख्या 6

16—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-

कुल दर्शित भुगतान रू0 6499314.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

17—क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणको के भुगतान समय सिक्योरिटी मनी के रूप में अंकन रू0 425514.00 की कटौती की गई है। जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब कब कितनी कितनी और किन किन माध्यमों से की गई या नहीं की गई। कोई पत्रावली/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली /विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये।

मूल प्रस्तर संख्या-7

18—क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली वर्ष 2013-14 में 7433.58 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 592845.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू0 223007.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
12.02.14	926.74	69505
21.06.14	221.32	16599
31.10.13	176.75	22265
26.07.14	165.52	20872
21.12.13	608.89	76781
03.09.13	1281.22	53170
03.09.13	1281.22	53170
23.09.13	55.42	4600
10.03.14	79.62	10040
27.05.14	133.11	16785
16.02.14	218.53	24803
27.03.14	81.86	10297
10.03.14	345.51	44260
06.06.14	287.92	18715
10.03.14	676.79	69574
21.06.14	440.02	45234
30.09.13	307	25200
21.04.14	146.34	10975
योग	7433.58	592845

मूल प्रस्तर संख्या 8

19—क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली वर्ष 2013-14 में कुल 15 निर्माण कार्य दर्शित किये गये हैं। जिनमें से 12 निर्माण कार्य पर तीन तीन निविदा प्राप्त हुई तथा तीन कार्यो पर अलग अलग मद हेतु कुल 6 निवादाये प्राप्त हुई। कुल 15 कार्यो में से 8 कार्यो का श्री झुन्ना लाल पुत्र श्री गंगाराम तथा 3 कार्यो का शान ब्रिक फील्ड का तथा 2 कार्यो का सरस्वती इण्टर प्राईजेज का एंव कमश:- 1-1 कार्य का न्यू हिन्द ब्रिक फील्ड, अम्बिका ट्रेडर्स, स्वदेशी पाइप एवं मशीनरी स्टोर एवं जय बजरंग बिल्डिंग मैटेरियल का निविदा स्वीकार किया गया। प्रत्येक निविदा फार्म का मूल्य रू 500.00 है। इस प्रकार वर्ष 2013-14 में (54×500) कुल रू0 27000.00 की आय होनी चाहिए जिसे नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा टेण्डर मूल्य की धनराशि रू0 27000.00 अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल प्रस्तर संख्या 12)

वर्ष 2014-15 आपत्तियों का विवरण

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

20- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:-

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु 1271140.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री डी0पी0सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 74005.00 श्री एन0पी0सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु0 192900.00 श्री विपिन श्रीवास्तव पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 196805.00 श्री पवन जैन पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 597665.00 श्री राकेश सक्सेना पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 141455.00 श्री सूर्यप्रकाश पदनाम सहायक लेखाकार को रु 68310.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. **1271140.00** का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल प्रस्तर संख्या-3

21-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रु. 3872687.00 भुगतान में से रु0 1844709.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
515929	30.5.15	28856.	त0स्पनपा0	स्टेटमेन्ट में नहीं
528001	3.7.15	102103	जे0एल0बि0	235402 / 129
528243	12.8.15	41061.	जे0एल0बि0	235402 / 129
528251	9.9.15	38429.	जे0एल0बि0	235402 / 129
528242	12.8.15	20263	झुन्नालाल	235401 / 22583
528251	9.9.15	9736.	जे0एल0बि0	235402 / 129
515930	30.5.15	28856.	त0स्पनपा0	स्टेटमेन्ट में नहीं
515950	3.7.15	45105.	जे0एल0बि0	235402 / 129
528017	12.8.15	51321	जे0एल0बि0	235402 / 129
528249	9.9.15	16722	जे0एल0बि0	235402 / 129
528016	12.8.15	16875.	झुन्नालाल	235401 / 22583
515924	29.4.15	199849	जे0एल0बि0	235402 / 129
515932	30.5.15	139059	जे0एल0बि0	235402 / 129
528014	12.8.15	51188.	जे0एल0बि0	235402 / 129
528013	12.8.15	20506	झुन्नालाल	235401 / 22583
515925	29.4.15	102093	जे0एल0बि0	235402 / 129
515928	30.5.15	57713	त0स्पनपा0	स्टेटमेन्ट में नहीं
528002	3.7.15	58346.	जे0एल0बि0	235402 / 129
528020	12.8.15	37784.	जे0एल0बि0	235402 / 129
528003	3.7.15	24500.	झुन्नालाल	235401 / 22583
528019	12.8.15	11639.	जे0एल0बि0	235402 / 129
522077	26.12.14	53728	जे0एल0बि0	235402 / 129
514250	16.10.14	23601	झुन्नालाल	235401 / 22583
522059	02.12.14	22550	जे0एल0बि0	235402 / 129
522076	26.12.14	5394	झुन्नालाल	225401 / 55583
522042	29.10.14	171931	जे0एल0बि0	235402 / 129
522079	26.12.14	41694	जे0एल0बि0	235402 / 129
522072	26.12.14	122255	जे0एल0बि0	235402 / 129
522073	26.12.14	21969	झुन्नालाल	235401 / 22583
515906	23.01.15	115122	जे0एल0बि0	235402 / 129
515907	23.01.15	42210	झुन्नालाल	235401 / 22583
515910	23.01.15	79496	जे0एल0बि0	235402 / 129

522043	29.10.14	40578	झुन्नलाल	235401 / 22583
515909	23.01.15	2179	झुन्नलाल	235401 / 22583
	योग	1844711		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 1844709.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/ खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 1844711.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल प्रस्तर संख्या-4 क

22-रु0 77755.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 22068.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 77755.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 4416971.00 की दर्शित है। जिस पर 2.00 की दर से रु0 88339.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 10584.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 77755.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसकारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल प्रस्तर संख्या-5

23-क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 4416971.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 176678.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 155507.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु 21171.00 कटौती कम की गई है।

यहां उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एन0 कटौती की गई है। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2014-15 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एन0 कटौती कुल अंकन रु0 155507.00 की गई है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान एवं दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी0डी0एन0मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्ट है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं। जिसकी लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल प्रस्तर संख्या-6

24-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-

कुल दर्शित भुगतान रु0 3872687.00में से रु0 2027978 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल प्रस्तर संख्या-4 ख

25-वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणको के भुगतान समय सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन रु0 311022.00 की कटौती की गई है। जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब कब कितनी कितनी और किन किन माध्यमों से की गई या नहीं की गई। कोई पत्रावली/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली /विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये।

मूल प्रस्तर संख्या-7

26-वर्ष 2014-15 में 3812.42 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 331122.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 114372.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
12.0815/09.09.15	333.32	29999.00
12.08.15	187.50	16875.00
12.08.15	273.41	20506.00
03.07.15/12.08.15	435.42	36139.00
16.10.14/02.12.14/26.12.14	621.03	51545.00
16.10.14/02.12.14	685.17	51395.00
26.12.14	292.92	21969.00
02.12.14/23.01.15	468.26	59937.00

29.10.14 / 23.01.15	515.39	42757.00
योग-----	3812.42	331122.00

मूल प्रस्तर संख्या-8

27-क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली वर्ष 2014-15 में कुल 10 निर्माण कार्य दर्शित किये गये हैं। जिनमें से प्रत्येक निर्माण कार्य पर तीन तीन निविदाये प्राप्त हुई जिनमें से 5 कार्य हेतु श्री झुन्ना लाल के निविदा स्वीकार की गई तथा 5 मैसर्स जे0एल0बिल्डर्स की निविदा स्वीकार की गई। प्रत्येक निविदा फार्म का मूल्य 500 रु0 है। इस प्रकार वर्ष 2014-15 में (10×3×500) कुल रु0 15000.00 की आय होनी चाहिए। जिसे नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा टेण्डर मूल्य की धनराशि रु0 15000.00 अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल प्रस्तर संख्या-13

वर्ष 2015-2016 आपत्तियों का विवरण

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

28- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:-

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्य पर अंकन रु 858480.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार सक्सेना पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 178125.00 श्री अजय साहू पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु0 223025.00 श्री विपिन श्रीवास्तव पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 52480.00 श्री पवन जैन पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 389340.00 श्री नरेन्द्र पाल सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 15510.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. **858480.00**का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल प्रस्तर संख्या-3

29आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रु. 2377266.00 भुगतान में से रु0 1919489.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:---

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
515934	30.5.15	111755	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
515945	15.6.15	44938	जे0एल0बिल्डर्स	बैंक स्टेटमेन्ट
515939	15.6.15	16405	झुन्नालाल/गंगाराम	नहीं है।
528008	3.7.15	59878	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
528254	9.9.15	230842	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
528358	8.10.15	3565	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
		48725	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
515923	29.4.15	89648	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
515935	30.5.15	193305	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
515944	15.6.15	62232	जे0एल0बिल्डर्स	बैंक स्टेटमेन्ट
515942	15.6.15	13542	झुन्नालाल/गंगाराम	नहीं है।
000017	8.10.15	23533	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
		26019	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
528257	9.9.15	254600	जे0एल0बिल्डर्स	-----
528258	9.9.15	142026	तराई स्पन पाईप	983102 / 5
515936	30.5.15	128948	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
528006	3.7.15	47240	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
528360	8.10.15	32895	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
528253	9.9.15	60762	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
528343	3.10.15	56604	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129

528256	9.9.15	272027	जे0एल0बिल्डर्स	235402 / 129
	योग—	1919489		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु01919489.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु01919489.00का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल प्रस्तर संख्या-4 क

30—क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्य रु0 2721055.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 108842.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 93035.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु **15807.00** कटौती कम की गई है।

यहां उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एन0 कटौती की गई है। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2015-16 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एन0 कटौती कुल अंकन रु0 93035.00 की गई है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक न0/बैंक स्टेटमेंट/ चालान एवं दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी0डी0एन0 मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्ट है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं। जॉचोपरान्त लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये।

मूल प्रस्तर संख्या-6

31—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-

कुल दर्शित भुगतान रु0 2377266.00में से रु0 457777.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्य प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

32—क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान समय सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन रु0 186043.00 की कटौती की गई है। जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब कब कितनी कितनी और किन किन माध्यमों से की गई या नहीं की गई। कोई पत्रावली/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली/विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये।

मूल प्रस्तर संख्या-7

33—वर्ष 2015-16 में 3086.54 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 239353.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 **92596.00** रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
15.06.2015	252.38	16405
03.10.2015	395.37	35583
08.10.2015	39.61	3565
15.06.2015	162.07	13542
08.10.2015	403.38	30254
03.10.2015	599.68	44946
—	312.94	25974
—	235.65	17674
—	685.46	51410
योग-----	3086.54	239353

मूल प्रस्तर संख्या-8

34—क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली वर्ष 2015-16 में कुल 09 निर्माण कार्य दर्शित किये गये हैं। जिनमें से 4 निर्माण कार्य पर तीन तीन निविदाये प्राप्त हुई एवं 05 कार्य पर 06-06 निवादाये प्राप्त हुई प्राप्त निवदाये मे 04 निवदाये श्री झुन्ना लाल के निविदा स्वीकार की गई तथा 5 कार्य की निवदाये श्री झुन्नलाल एवं मैसर्स जे0एल0बिल्डर्स की निविदा स्वीकार की गई। यहां यह उल्लेखनीय है श्री झुन्नलाल एवं मैसर्स जे0एल0बिल्डर्स दोनो एक ही व्यक्ति/फर्म है। प्रत्येक निविदा फार्म का मूल्य 500 रु0 है। इस प्रकार वर्ष 2015-16 में (04×03×500) रु0 6000.00 एवं (045×06×500) रु0 15000.00 कुल रु 21000.00 आय होनी चाहिए। जिसे नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार खण्ड

विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा टेण्डर मूल्य की धनराशि रु0 21000.00 अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **मूल प्रस्तर संख्या-13**

वर्ष 2016-2017 आपत्तियों का विवरण

क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली

35- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:-

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्य पर अंकन रु 969050.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार सक्सेना पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 77905.00 श्री अशोक कुमार सक्सेना पदनाम ए0डी0ओ0 (समाज कल्याण) रु0 579495.00 श्री नरेश पाल सागर पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 97785.00 श्री ओमकार सिंह पदनाम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को रु 213865.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

ख-मस्टर रोल भुगतान पत्रावली अनुसार निम्न को भुगतान होना चाहिए था परन्तु बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार किसी अन्य खाते में/व्यक्ति को भुगतान किया जाना दर्शित पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि फर्जी पत्रावली बनाकर धनराशि को खपाकर धन का अपहरण किया गया।

पत्रावली अनुसार जिसे भुगतान किया जाना चाहिए था	चैक न0/दिनांक	धनराशि	बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार भुगतान की स्थिति
अशोक कुमार सक्सेना	00013 / 24.11.16	34835	235402 / 129
अशोक कुमार सक्सेना	00063 / 02.02.17	41810	235402 / 129
अशोक कुमार सक्सेना	00011 / 24.11.16	98995	235402 / 129
अशोक कुमार सक्सेना	00012 / 24.11.16	73470	235402 / 129
अशोक कुमार सक्सेना	519361 / 03.02.17	29080 44640	भारत सिंह
अशोक कुमार सक्सेना	519361 / 03.02.17	14400 14175	भारत सिंह
	योग	351405	

ग-कार्य संख्या 2 के लिए दिनांक 05.11.16 से 13.11.16 तक कराये गये कार्य हेतु रु0 19620.00 के मस्टर रोल के भुगतान का चैक कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार सक्सेना के नाम न बनाकर श्री अशोक कुमार सक्सेना के नाम बनाया गया है एवं भुगतान भी अशोक कुमार सक्सेना ने प्राप्त किया है जो हो रही अनियमितता को दर्शित करता है।

घ-दिनांक 20.02.12 से 31.12.16 के मस्टर रोल रु0 38110.00 दिनांक 01.01.17 से 14.01.17 मस्टर रोल रु0 49860.00 दिनांक 22.12.16 से 31.12.16 मस्टर रोल रु0 21080.00 तथा दिनांक 01.01.17 से 10.01.17 मस्टर रोल रु0 23215.00 हेतु कुल रु0 132265.00 को चैक न0 519363 दिनांक 03.02.17 निर्गत किया गया जबकि उक्त चैक का भुगतान स्टेटमेन्ट के अनुसार 03.02.17 को हुआ है।

यहां उल्लेखनीय है कि कराये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक किये जाने का आदेश है। तो तीन माह पश्चात क्यों किया गया। यह स्थिति स्पष्ट करता है कि वास्तव में कार्य नहीं कराया गया एवं अधिकारी/कर्मचारी द्वारा धन का अपहरण किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. **969050.00** का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल प्रस्तर संख्या-3

36-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना सामग्री मद में कुल रु. 2842145.00 भुगतान में से रु0 1919489.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:---

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
00006	30.9.16	80347	मै0जे.एल.बिल्डर्स	235402 / 129
000010	24.11.16	24305	मै0जे.एल.बिल्डर्स	235402 / 129
000010	24.11.16	7844	मै0जे.एल.बिल्डर्स	235402 / 129
000061	22.2.17	128702	मै0जे.एल.बिल्डर्स	235402 / 129
00048	26.12.16	38189	मै0जे.एल.बिल्डर्स	235402 / 129
000064	22.2.17	93234	मै0जे.एल.बिल्डर्स	235402 / 129
000066	22.2.17	71427	मै0जे.एल.बिल्डर्स	235402 / 129
00004	30.9.16	187138	मै0जे.एल.बिल्डर्स	235402 / 129

00009	24.11.16	61645	मै0जे.एल.बिल्डर्स	235402 / 129
		20490		
00048	26.12.16	27907	मै0जे.एल.बिल्डर्स	235402 / 129
00005	30.09.16	219395	मै0जे.एल.बिल्डर्स	235402 / 129
00010	14.11.16	39216	मै0जे.एल.बिल्डर्स	235402 / 129
00048	26.12.16	91015	मै0जे.एल.बिल्डर्स	235402 / 129
519360	03.02.17	169116	भारत सिंह	351201 / 6648
00085	29.06.17	3048 32140	भारत सिंह	351201 / 6648
519364	03.02.17	19488	भारत सिंह	351201 / 6648
00074	15.04.17	4843 82531	भारत सिंह	351201 / 6648
919362	03.02.17	219656	भारत सिंह	351201 / 6648
00074	15.04.17	75602	भारत सिंह	351201 / 6648
519360	03.02.17	23985 68344	भारत सिंह	351201 / 6648
00089	29.06.17	52459	भारत सिंह	351201 / 6648
519364	03.02.17	67951	भारत सिंह	351201 / 6648
519362	03.02.17	60008	भारत सिंह	351201 / 6648
00074	15.04.17	124529	भारत सिंह	351201 / 6648
	योग	2094554		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 2094554.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/ खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 **2094554.00** का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल प्रस्तर संख्या-4 क

37-क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 3309186.00 पर कुल रु0 132367.00 की कटौती की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एन0 कटौती की गई है। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2016-17 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एन0 कटौती कुल अंकन रु0 132367.00 की गई है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/ चालान एवं दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी0डी0एन0 मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्ट है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं। जॉचोपरान्त लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये। **मूल प्रस्तर संख्या-6**

38-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-

कुल दर्शित भुगतान रु0 2842145.00में से रु0 747591.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व/समाप्त होने के बाद ही सामग्री की आपूर्ति प्रमाणक प्राप्त कर भुगतान किया गया है। यथा:---

कार्य की संख्या	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	प्रमाणक संख्या व दिनांक	धनराशि
08	24.12.16	12.03.17	02 / 125 / 20.03.17	4842
01	04.09.16	19.09.16	018 / - / 28.10.16	1921
04	12.11.16	23.01.17	06 / - / 30.08.16	62267
03	04.11.16	12.01.17	05 / - / 30.08.16 17 / - / 28.10.16	145495 44405
07	24.12.16	23.03.17	02 / 126 / 26.03.17	3048
12	22.12.16	17.03.17	124 / - / 20.03.17	6378

39—क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणको के भुगतान समय सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन रु० 286585.00 की कटौती की गई है। जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब कब कितनी कितनी और किन किन माध्यमों से की गई या नहीं की गई। कोई पत्रावली/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली/विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये। **मूल प्रस्तर संख्या-7**

40—वर्ष 2016-17 में 2266.19 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु० 210771.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु० **67985.00** रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी० में	धनराशि
28.10.16	81.44	9121
10.01.17	66.23	5894
12.01.17	151.55	13640
30.01.17	147.88	13309
28.10.16	264.74	23826
28.10.16	407.15	45600
25.11.16	115.62	12949
26.03.17	33.87	3048
20.03.17	53.78	4843
12.01.17	251.78	22660
20.03.17	119.13	9888
12.01.17	371.87	27890
15.04.17	70.87	6378
03.02.17	130.28	11725
	2266.19	210771

41—क्षेत्र पंचायत क्यारा बरेली वर्ष 2016-17 में कुल 12 निर्माण कार्य दर्शित किये गये हैं। जिनमें से प्रत्येक निर्माण कार्य पर तीन तीन निविदाये प्राप्त हुई जिनमें से 6 कार्य हेतु श्री झुन्ना लाल के निविदा स्वीकार की गई तथा 6 कार्य हेतु श्री भारत सिंह की निविदा स्वीकार की गई। प्रत्येक निविदा फार्म का मूल्य 500 रु० है। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में (12×3×500) कुल रु० 18000.00 की आय होनी चाहिए। जिसे नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा टेण्डर मूल्य की धनराशि रु० 18000.00 अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल प्रस्तर संख्या-13

प्रारूप-3
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17
(क्षेत्र पंचायतों से संबन्धित आपत्तियाँ)

जनपद-बस्ती

संभाग-बस्ती

प्रस्तर-01—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 1999-2000 से 01-02 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मात्र ग्राण्ट-।।। की जांच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में कुल रु० 6156234.00, वर्ष 2000-01 में कुल रु० 4600015.00 एवं वर्ष 2001-02 में रु० 3856150.00 कुल रु० 14612399.00 (एन०आर०ई०पी० वेतन छोड़कर) व्यय दर्शित है। जिनकी पत्रावलिया लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर एवं जांच न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री रामप्रकाश सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री रामशंकर चौधरी लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	14612399.00	14612399.00

प्रस्तर-02—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 1999-2000 से 01-02 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मात्र ग्राण्ट-।।। की जांच में पाया गया विभिन्न योजनाओं में जिनका दिनांक 31.03.02 को कुल रु० 4035441.00 अनुदान अवशेष रहे जिसे अनुपयोगित रहने की दशा में वर्षान्त में शासन को सम्बन्धित मद के प्राप्ति मद में वापस कर दिया जाना चाहिए था परन्तु इकाई द्वारा अनुपयोगित धन को संस्था में रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री अनवर शेख, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री शिव प्रसाद उपाध्याय, लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। :-

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	4035441.00	4035441.00

प्रस्तर-03- क्षेत्र पंचायत साउघाट के वर्ष 1999-2000 से 01-02 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मात्र ग्राण्ट-।।। की जांच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में कुल रू0 4452697.00, वर्ष 2000-01 में कुल रू0 5510401.00 एवं वर्ष 2001-02 में रू0 3172724.00 कुल रू0 13135822.00 (एन0आर0ई0पी0 वेतन छोड़कर) व्यय दर्शित है। जिनकी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर एवं जांच न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री राकेश, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सुनील कु0 शर्मा सह0 लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	13135822.00	13135822.00

प्रस्तर-04- क्षेत्र पंचायत साउघाट के वर्ष 1999-2000 से 01-02 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मात्र ग्राण्ट-।।। की जांच में पाया गया विभिन्न योजनाओं में दिनांक 31.03.02 को कुल रू0 2805579.00 अनुदान अवशेष रहे जिसे अनुपयोगित रहने की दशा में वर्षान्त में शासन को सम्बन्धित मद के प्राप्ति मद में वापस कर दिया जाना चाहिए था परन्तु इकाई द्वारा अनुपयोगित धन को संस्था में रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री विजय शंकर पाण्डेय, तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। :-

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	2805579.00	2805579.00

प्रस्तर-05- क्षेत्र पंचायत सल्टौआ के वर्ष 2003-2004 से 2004-05 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मात्र ग्राण्ट-।।। की जांच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में कुल रू0 7863735.00 एवं वर्ष 2004-05 में कुल रू0 5802757.00 कुल रू0 13666492.00 (एन0आर0ई0पी0 वेतन छोड़कर) व्यय दर्शित है जिनकी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर एवं जांच न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्रीमती मंजू द्विवेदी, वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री दधिच चन्द्र श्रीवास्तव, वर्तमान सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। है। :-

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	13666492.00	13666492.00

प्रस्तर-06- क्षेत्र पंचायत सल्टौआ के वर्ष 2003-2004 से 2004-05 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मात्र ग्राण्ट-।।। की जांच में पाया गया विभिन्न योजनाओं में दिनांक 31.03.02 को कुल रू0 1376990.00 अनुदान अवशेष रहे जिसे अनुपयोगित रहने की दशा में वर्षान्त में शासन को सम्बन्धित मद के प्राप्ति मद में वापस कर दिया जाना चाहिए था परन्तु इकाई द्वारा अनुपयोगित धन को संस्था में रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री अनवर शेख, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री नरसिंह नारायण, तत्कालीन सहा0 लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। :-

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	1376990.00	1376990.00

प्रस्तर-07- क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 1999-2000 से 01-02 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मात्र ग्राण्ट-।।। की जांच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में कुल रू0 1377597.00, वर्ष 2000-01 में कुल रू0 686495.00 एवं वर्ष 2001-02 में रू0 1030478.00 कुल रू0 3094570.00 (एन0आर0ई0पी0 वेतन छोड़कर) व्यय दर्शित है। जिनकी पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर एवं जांच न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री रामरेखा सरोज, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री शिवकुमार मिश्र, लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	3094570.00	3094570.00

प्रस्तर-08- क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 1999-2000 से 01-02 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मात्र ग्राण्ट-।।। की जांच में पाया गया विभिन्न योजनाओं में दिनांक 31.03.02 को कुल रू0 403926.00 अनुदान अवशेष रहे, जिसे अनुपयोगित रहने की दशा में वर्षान्त में शासन को सम्बन्धित मद के प्राप्ति मद में वापस कर दिया जाना चाहिए था परन्तु इकाई द्वारा अनुपयोगित धन को संस्था में रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री एस0एन0 प्रसाद, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री राम, तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। :-

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	403926.00	403926.00

प्रस्तर-09- क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 1999-2000 से 03-04 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मात्र ग्राण्ट-।।। की जांच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में कुल रू0 3016916.00, वर्ष 2000-01 में कुल रू0 6052332.00, वर्ष 2001-02 में रू0 2751819.00, वर्ष 02-03 में रू0 3166974.00 एवं वर्ष 03-04 में रू0 15667045.00, कुल रू0 30315580.00 (एन0आर0ई0पी0 वेतन छोड़कर) व्यय दर्शित है। जिनकी पत्रावलियां लेखा

परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर एवं जांच न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री हरिशचन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री नरसिंह नरायण, सहा० लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	30315580.00	30315580.00

प्रस्तर-10- क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 1999-2000 से 03-04 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मात्र ग्राण्ट-।।। की जांच में पाया गया विभिन्न योजनाओं में (एन०आर०ई०पी० वेतन एवं कण्टीजेन्सी व्यय छोड़कर) दिनांक 31.03.04 को कुल रु० 1240131.00 अनुदान अवशेष रहे, जिसे अनुपयोगित रहने की दशा में वर्षान्त में शासन को सम्बन्धित मद के प्राप्ति मद में वापस कर दिया जाना चाहिए था परन्तु इकाई द्वारा अनुपयोगित धन को संस्था में रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री डी०के० शुक्ला, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मुबारक हुसैन, तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। :-

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	1240131.00	1240131.00

प्रस्तर-11- क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 1999-2000 से 01-02 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट-।।। के अनुसार वर्ष 1999-2000 से वर्ष 01-02 तक रु० 5361786.00 की निकासी कर विभिन्न मदों पर व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में कैशबुक, पासबुक/स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, एम०बी० रजिस्टर, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र/ कार्यपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे जिससे कुल व्यय धनराशि रु० 5361786.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार कुल व्यय धनराशि रु० 5361786.00 की उपयोगिता की पुष्टि प्रमाणकों आदि से न कराकर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी व श्री सत्य नरायण, लेखाकार जिम्मेदार हैं जिनसे उक्त राजकीय धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	5361786.00	5361786.00

प्रारूप-3

सन्तकबीर नगर

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

(क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ)

प्रस्तर 01-

क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2003-04 से 2006-07 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर-।। की जांच में पाया गया कि चेक सं०- 191205 दिनांक 01.12.2005 को रु० 600000.00 विधायक निधि में ट्रान्सफर दिखाया गया है। ग्रांट रजिस्टर-।। की जांच में पाया गया कि उक्त धन पूर्वांचल विकास निधि से विधायक निधि (खाता सं०- 9490) में ट्रान्सफर हुआ। उक्त ट्रान्सफर का औचित्य यथा- क्यों तथा किसके आदेश पर तथा स्वीकृत पत्र का कोई भी उत्तर लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया। उक्त प्रकरण गंभीर अनियमितता का है जिसके लिये तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री एन०आर० अन्सारी तथा लेखाकार श्री खुर्शीद उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	600000.00	600000.00

प्रस्तर 02-

क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के वर्ष 2003-04 से 2006-07 की लेखा परीक्षा में संस्था में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों की योजनाओं की धनराशि 31.03.2007 को निष्प्रयोज्य अवशेष पड़ी हुई है। जिसे अनुपयोगित रहने की दशा में वर्षान्त में शासन को सम्बन्धित मद के प्राप्त मद में वापस कर दिया जाना चाहिये था प्राप्त इकाई द्वारा अनुपयोगित धन को संस्था में रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये श्रीमुरारी प्रसाद तत्कालीन ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री खुर्शीद उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	381455.00	381455.00

प्रस्तर 03-

क्षेत्र पंचायत बेलहर कला 2003-04 से 2006-07 की लेखा परीक्षा में एस०जी०आर०वाई० 22.5 प्रतिशत धन का उपयोग इकाई द्वारा वर्ष 2004-05 में रु० 517101.00 तथा 2005-06 में रु० 1166621.00 कुल मद में रु० 1683722.00 अन्य मदों में किया गया है। योजना के निर्देशों के अनुसार उक्त मद में कुल रु० 1684430.00 प्राप्ति के सापेक्ष व्यय एस०सी० व एस०टी० के व्यक्तिगत हितार्थ कार्यों पर लगाया जाना था किन्तु निर्देशों के विपरीत कुल व्यय रु० 1683722.00 का प्रयोग निर्माण आदि कार्यों में व्यय करके अनियमितता की गई है। इसके लिये ख०वि०अधि० श्री

सुखलाल, श्री एन०आर० अंसारी तथा लेखाकार श्री खुर्शीद उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	1683722.00	1683722.00

प्रस्तर 04—

क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार की वर्ष 1999—2000 से 2001—02 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर—।।। की जांच में पाया गया जिनमें एन०आर०ई०पी० लिखित वेतन रु 1582165.00 तथा डी०आर०डी०ए० कांटेजेंसी रु 2887.95 को छोड़कर कुल रु 2065817.20 दिनांक 31.01.2002 (ग्रांट रजिस्टर—।।। अपूर्ण होने की स्थिति में) को अनुदान अवशेष रहा। जिसे अनुपयोगित रहने की दशा में शासन को सम्बन्धित मद के प्राप्त मद में वापस कर दिया जाना चाहिये था। परन्तु ईकाई द्वारा अनुपयोगित धन को संस्था में रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री सुखलाल तथा लेखाकार श्री कृष्ण जी श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	2065817.20	2065817.20

प्रस्तर 05—

क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार की वर्ष 1999—2000 से 2001—02 की लेखा परीक्षा में जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 1999—2000 में मिटिंग हाल निर्माण पर रु 600000.00 का व्यय ग्रांट रजिस्टर—।। व ।।। में दर्शाया गया है जिसमें समस्त भुगतान श्री अनिल कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को किया जाना दर्शित है। उक्त मीटिंग हाल निर्माण में क्या कार्य किया गया है कि पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली, कार्यवाही रजिस्टर, उपभाग प्रमाण पत्र, मस्टर रोल आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त धनराशि के दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके लिये श्री अनिल कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) श्री रामकृष्ण शर्मा ख०वि०अधि० श्रीपूर्णमासी प्रसाद ख०वि०अधि० श्री दुर्गा दत्त शुक्ल ख०वि०अधि० उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	600000.00	:	600000.00

प्रस्तर 06—

क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार की वर्ष 1999—2000 से 2001—02 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर—।।। (सितम्बर 1999 से जनवरी— 2002 ग्रांट रजिस्टर अपूर्ण) की जांच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1999—2000 में कुल रु 7095457.00 वर्ष 2000—01 में कुल रु 12670510.00 तथा वर्ष 2001—02 में कुल रु 7236945.66 सहित वर्ष 1999—2000 से 2001—02 में कुल रु 27002912.66 (वर्ष 1999—2000 में मीटिंग हाल निर्माण पर रु 600000.00 व्यय को छोड़कर) व्यय किया गया है। जिसकी व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा दौरान मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर एवं अत्यधिक पुरानी कार्य पत्रावली कहकर जांच न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है। इसके लिये श्रीसौरभ पाण्डेय ख०वि०अधि० एवं श्री अमरनाथ लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	27002912.66	27002912.66

प्रारूप-03

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ—

(01)— क्षेत्र पंचायत—डुमरियागंज लेखा परीक्षा वर्ष 2007—08 से 2010—11

जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर-01 —क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि रु 917908.00 क्षेत्र निधि ब्याज का संस्था में रोककर राजकीय धन का क्षति किया जा रहा है क्योंकि ब्याज संबंधी शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनसे प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज राज्य साकार की आय होती है, जिसका उपयोग शासन आगामी वर्ष के बजट में अतिरिक्त आय मानते हुए अग्रिम वर्ष का बजट निर्धारण करती है परन्तु संदर्भित संस्था द्वारा ऐसा न करके राजकीय अनुदान पर बैंक से अर्जित ब्याज संस्था में रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी। नियमानुसार प्रत्येक वर्ष में अर्जित ब्याज नजदीकी कोषागार में निर्धारित लेखाशीर्ष में अन्य प्राप्ति मद में जमा में कर दिया जाना चाहिए था। बरती गयी अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालिक सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-03)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	917908.00	917908.00

प्रस्तर-02 संस्था द्वारा विगत वर्षों से इन्दिरा आवास योजना में कुल धन रूपया 32718.00 अवरुद्ध कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा जबकि योजना पूर्व वर्षों में ही समाप्त हो गयी थी। राजकीय निर्देशों एवं संबंधित अनुदान दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी राजकीय अनुदान वर्ष विशेष की समाप्ति पर अनुपयोगित धन संबंधित मद के प्राप्तियों मद में जमाकर दिया जाना चाहिए था, परन्तु इकाई द्वारा ऐसा न कर राजकीय धन को रोककर गंभीर अनियमितता की जा रही है जिसके लिए तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-05)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	32718.00	—	32718.00

प्रस्तर-03 एस0जी0आर0वाई0 कंटीजेंसी मद से रू0 58182.00 का भुगतान किया गया है परन्तु व्यय की पुष्टि में कोई भी बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कय की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। इस प्रकार बिना प्रमाणक का व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-07)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
58182.00	—	—	58182.00

प्रस्तर-04 विधायक निधि योजना मद से विभिन्न फर्मों से सामग्री कय की गयी, नियमानुसार कय की गयी सामग्री की धनराशि से 2% प्रतिशत आयकर की कटौती करने के बाद ही फर्म को भुगतान किया जाना था परन्तु कय की गयी सामग्री पर आयकर न काट कर रू0 31911.00 के राजकीय राजस्व की हॉनि की गयी है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	31911.00	31911.00

प्रस्तर-05 दिनांक 20.02.10 को चेक सं0 693264 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार हेतु रू0 8000.00 धन प्राप्त हुआ था, जिसका भुगतान श्री प्रेम नारायण, ग्रा0वि0अधि0 को दिनांक 10.04.11 को चेक सं0 637266 द्वारा किया गया है जबकि भुगतान संबंधित सामान आपूर्तिकर्ता फर्म को करना था न कि व्यक्ति विशेष को। इससे स्पष्ट है कि भुगतान नियम विपरीत करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जाचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-11)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	8000.00	8000.00

प्रस्तर-06 वर्ष 2007-08 से 2009-10 के बीच आदर्श जलाशय योजनान्तर्ग कुल रू0 1043140.00 का भुगतान कार्यप्रभारियों को नकद/बीयरर चेक से अग्रिम के रूप में कर दिया गया जबकि योजना निर्देशों एवं भुगतान नियमों के अन्तर्गत किसी भी स्वीकृत योजना पर मजदूरी के बराबर धन कार्यप्रभारियों को भुगतान किया जाना चाहिए परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा नगद, बीयरर चेक से अग्रिम भुगतान कर आयकर अधिनियम की धारा 40क(3-घ) के उपबंधों के विपरीत कार्य करते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है साथ ही साथ मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं किया जा सका। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-12)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	1043140.00	1043140.00

प्रस्तर-07 वर्ष 2009-10 में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के चहारदीवारी निर्माण के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 149500.00 कार्यप्रभारी श्री खुर्शीद अली को बीयरर चेक से अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था जबकि योजना निर्देशों एवं भुगतान नियमों के अन्तर्गत किसी भी स्वीकृत योजना पर सामग्री अंश का भुगतान निर्धारित किये गये आपूर्तिकर्ता फर्म को उनके बिलों से आयकर एवं बिक्री कर की कटौती करने के बाद एकाउंट पेई चेक से उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाना चाहिए तथा मजदूरी की दशा में साप्ताहिक आधार पर मस्टररोल में लगे मजदूरों के मजदूरी के बराबर धन ही कार्यप्रभारियों को भुगतान किया जाना चाहिए, परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा समस्त धनराशि नकद/बीयरर चेक द्वारा कार्यप्रभारी को अग्रिम भुगतान करके आय कर अधिनियम की धारा 40क (3-घ) के उपबंधों के विपरीत कार्य करते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-13)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	149500.00	149500.00

प्रस्तर-08 लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त मद में वर्ष 2007-08 से लेकर वर्ष 2010-11 के बचि प्राप्त ब्याज के धन रू0 42498.00 को योजना मद में शामिल कर व्यय किया गया है जबकि यह धन

शासनको वापस होना चाहिए था, क्योंकि यह धन राजकीय अन्य प्राप्तियों मद का आय है। ऐसा न करके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	42498.0	—	42498.00

प्रस्तर-09— लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सुनिश्चित रोजगार योजना मद में वर्ष 2007-08 में प्राप्त ब्याज के धन रु0 20244.00 को योजना मद में शामिल कर व्यय किया गया है जबकि यह धन शासनको वापस होना था, क्योंकि यह धन राजकीय अन्य प्राप्तियां मद का आय है। ऐसा न करके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-15)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	20244.00	20244.00

प्रस्तर-10 वर्ष 2007-08 से 2010-11 के बीच राज्य वित्त योजनान्तर्गत कुल रु0 7086790.00 का भुगतान कार्यप्रभारियों को नकद/बीयरर चेक से अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था जबकि योजना निर्देशों एवं भुगतान नियमों के अन्तर्गत किसी भी स्वीकृत योजना पर सामग्री अंश का भुगतान निर्धारित किये गये आपूर्तिकर्ता फर्म को उनके बिलों से आयकर एवं बिक्री कर की कटौती करने के बाद एकाउंट पेय चेक से उनके बैंक खाते में भुगतान

किया जाना चाहिए तथा मजदूरी की दशा में साप्ताहिक आधार पर मस्टररोल में लगे मजदूरों के मजदूरी के बराबर धन ही कार्यप्रभारियों को भुगतान किया जाना चाहिए, परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा समस्त धनराशि नकद/बीयरर चेक द्वारा कार्यप्रभारी को अग्रिम भुगतान करके आय कर अधिनियम की धारा 40क (3-घ) के उपबंधों के विपरीत कार्य करते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है साथ ही साथ मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-17)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	7086790.00	7086790.00

प्रस्तर-11 निम्न विवरणानुसार अनुदान उनके सम्मुख लिखी धनराशि (अवशेष अनुदान) को संबंधित विभाग को वापस न करके बल्कि देजरी चालान द्वारा राजकीय कोषागार में निर्धारित शीर्ष विभागीय प्राप्तियां मद में जमा किया जाना अपेक्षित है क्योंकि राजकीय धन की प्राप्ति कार्य विशेष/योजना विशेष के सम्पादन हेतु होती है। संबंधित वित्त वर्ष में उपयोग न होने की दशा में राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए था, राजकीय नियमों के अन्तर्गत योजना का शेष धन साकार आगामी बजट में आय का स्रोत मानकर प्राप्तियों के रूप में दर्शाया जाता है। परन्तु संबंधित खण्ड विकास प्रशासन द्वारा राजकीय निर्देशों की अनदेखी करके कुल रु0 5601978.00 (विभिन्न मदों का) इकाई स्तर पर रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विगत वर्ष से रोके गये अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	धनराशि
01	विधायक निधि	4208100.00
02	सांसद निधि	922321.00
03	बारहवां वित्त	30393.00
04	राज्य वित्त	78798.00
05	आदर्श जलाशय	72847.00
06	पू०वि०निधी०	169877.00
07	विविध	78209.00
08	अक्षय उर्जा	1000.00
09	बायोगैस अनुदान	20300.00
10	विद्युत कंटीजेंसी	19633.00
11	जे०ई०ए०ई०एस०	500.00
	योग	5601978.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-10)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	5601978.00	5601978.00

प्रस्तर-12- राज्य वित्त निर्माण पत्रावली वर्ष 2007-08 व 08-09 की जांच में पाया गया कि ₹0 549728.00 का सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है परन्तु संबंधित बिलों से बिक्रीकर कर की कटौती नहीं किया गया है जिससे चार प्रतिशत की दर से बिक्रीकर के रूप में ₹0 21989.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	21989.00	21989.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-05)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	10995.00	10995.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-06)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	21189.00	21189.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-07)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	10595.00	10595.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	15434.00	15434.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-09)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	24408.00	24408.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-07)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	12206.00	12206.00

प्रस्तर-19 अनुदान पंजिका तीन वर्ष 2008-09 की जाँच में पाया गया कि मनरेगा ब्याज यः0बी0आई0 उसका वर्ष 2008-09 मद का सम्पूर्ण धनराशि रू0 48333.87 मार्च तक व्यय किया गया है जबकि ब्याज का धन चालान द्वारा राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। व्यय से संबंधित बाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-13)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
48333.87	—	—	48333.87

प्रस्तर-20 अनुदान पंजिका तीन वर्ष 2008-09 की जाँच में पाया गया कि मनरेगा ब्याज यू0बी0आई0 नगवा वर्ष 2008-09 मद का सम्पूर्ण धनराशि रू0 14612.00 मार्च 2009 तक व्यय किया गया है जबकि ब्याज का धन चालान द्वारा राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। व्यय से संबंधित बाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-14)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
14612.00	—	—	14612.00

प्रस्तर-21 अनुदान पंजिका तीन वर्ष 2007-08 की जाँच में पाया गया कि जून 2007 में क्षेत्रीय निधि खाता पर ब्याज का अंतिम शेष रू0 423427.03 है। परन्तु जुलाई 2007 कर प्रारम्भिक शेष रू0 408282.99 सफेदा लगाकर अंकित किया गया है जो जून 2007 के अंतिम शेष से रू0 15144.00 कम है जबकि जून 2007 के अंतिम शेष और जुलाई 2007 का प्रारम्भिक शेष एक होना चाहिए। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अंतर की धनराशि को अनुदान पंजिका दो में कहीं व्यय भी नहीं दर्शाया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-15)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
15144.04	—	—	15144.04

प्रस्तर-22 अनुदान पंजिका भाग तीन की जाँच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं में प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग न करने के कारण 31.03.11 को रू0 6772752.87 अनावश्यकखाता में पड़ा रहा, जिनका न तो समय से उपयोग किया गया और न ही संबंधित विभाग को वापस किया गया। प्राप्त धन का समय से उपभोग न करने के कारण संबंधित योजनाओं के लाभ से आम जनता बंचित रह गयी। इस प्रकार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार द्वारा राजकीय धन को अनावश्यक रूप से रोककर रखा जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता का परिचायक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-16)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	6772752.87	6772752.87

प्रस्तर-23 अनुदान पंजिका भाग तीन की जाँच में पाया गया कि दि० 31.03.11 को रु 46200.00 जुलाई 2010 में आयकर कटौती का धन खर्च किया गया है। व्यय से संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा जिससे इस बात की पुष्टि नहीं किया जा सका कि कटौती का धन संबंधित विभाग को वापस किया गया है अथवा अन्यत्र खर्च किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-17)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
46200.00	—	—	46200.00

प्रस्तर-24 विधायक निधि निर्माण पत्रावली वर्ष 2009-10 व 10-11 की जाँच में पाया गया कि रू0 2283946.00 का सामग्री कय पर व्यय दर्शित है परन्तु संबंधित बिलों से बिक्रीकर व आयकर की कटौती नहीं किया गया है जिससे चार प्रतिशत की दर से बिक्रीकर एवं दो प्रतिशत की दर से आयकर के रूप में क्रमशः रू0 91354.00 व रू0 45678.00 अर्थात् कुल रू0 137032.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-18)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	137032.00	137032.00

प्रस्तर-25 पूर्वांचल विकास निधि निर्माण पत्रावली वर्ष 2010-11 की जाँच में पाया गया कि रू0 847710.00 का सामग्री कय पर व्यय दर्शित है परन्तु संबंधित बिलों से बिक्रीकर व आयकर की कटौती नहीं किया गया है जिससे चार प्रतिशत की दर से बिक्रीकर एवं दो प्रतिशत की दर से आयकर के रूप में क्रमशः रू0 35906.00 व रू0 16953.00 अर्थात् कुल रू0 50859.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-19)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	50859.00	50859.00

(03) क्षेत्र पंचायत- खेसरहा लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2012-13 जनपद-सिद्धार्थनगर

प्रस्तर-26 वर्ष 2010-11 से 2012-13 में कुल ₹0 48000.00 का व्यय बायोगैस संयंत्र लगाने पर देय अनुदान के रूप में संदर्भित संस्था द्वारा लाभार्थियों को भुगतान किया था परन्तु भुगतान की पुष्टि में संस्था स्तर पर कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, लाभार्थि द्वारा देय संतुष्टि प्रमाणपत्र, कार्यपूर्ण एवं संतोषजनक होने संबंधी सर्किल अधिकारी का सत्यापन रिपोर्ट एवं बी0डी0ओ0 द्वारा स्वयं का निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर देय अनुदान अवमुक्त करने हेतु जारी आदेश तथा भुगतान पुष्टि में नियोजन समिति का अनुमोदन आदि के अभाव में भुगतान नियम विपरीत तथा राजकीय धन का दुरुपयोग रहा जिसके लिए संबंधित बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-04)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	48000.00	48000.00

प्रस्तर-27 संबंधित मदों का कुल ₹0 919457.00 उपयोगित/वापस किया गया है परन्तु उससे संबंधित नियोजन समिति का अनुमोदन एवं प्रमाणित प्रमाणक /देजरी चालान (वापस की दशा में) न उपलब्ध होने के कारण व्यय/वापसी की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी, स्पष्ट है कि प्रमाणक के अभाव में धनराशि दुरुपयोग की श्रेणी में चिह्नित किया जाता है। खण्ड विकास प्रशासन द्वारा अनुदान निर्देशों का अवहेलना करते हुए अनुपयोगित अनुदान की धनराशि को रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता बरता गया है क्योंकि अनुदान के न उपयोग होने की दशा में उसे उसी वर्ष के अन्त में देजरी में जमा/धनदाता विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिए था। नियम विपरीत कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-05)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	919457.00	919457.00

प्रस्तर-28 दिनांक 31.03.13 इकाई द्वारा कुल ₹0 429440.00 अनुदान के बैंक खातों पर अर्जित ब्याज मद में अवशेष दर्शित है। यह इकाई योजना का धन नहीं है बल्कि राजकीय आय है। अतः वर्ष में ब्याज के रूप में बैंक खातों में राजकीय अनुदान पर अर्जित धन शासनादेश सं0 1.1.122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.12 में दर्शित व्यवस्था के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा करना था परन्तु संदर्भित संस्था द्वारा उक्त मद में धन रोक कर एवं व्यय का शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के विपरीत कार्य किया गया है जिसके लिए शासन तथा विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है साथ ही साथ क्षेत्र पंचायत को शासनादेश के अनुरूप प्रस्ताव पारित कर कार्यवाही करने की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया जाता है अन्यथा की स्थिति में उक्त धन गंभीर वित्तीय अनियमितता की परिधि में होगा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-06)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	429440.00	919457.00

प्रस्तर-29 वर्ष 2012-13 में माह मार्च 2013 में पेय जल एवं स्वच्छता प्रशिक्षण कंटीजेंसी मद में ₹0 36000.00 प्राप्त हुआ जिसे उसी माह में सम्पूर्ण धन एक व्यक्ति को देकर उपयोगित दर्शाया गया जबकि उपयोगित धन की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, प्रशिक्षण में उपस्थिति रजि0, प्रशिक्षक के रूप में आये व्यक्तियों का उपस्थिति पंजिका आदि के अभाव में भुगतान धन की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि प्रमाणक के अभाव में धन दुरुपयोग में चिह्नित किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-07)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
36000.00	—	—	36000.00

प्रस्तर-30 दिनांक 31.03.13 को विभिन्न मदों में ₹0 1871514.00 राजकीय शेष रहा जिसके व्यय न होने की सूचना संबंधित विभाग को नहीं दिये जाने तथा शासनको न वापस किये जाने से अनुदान संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है क्योंकि नियमों के अन्तर्गत अनुपयोगित अनुदान वर्ष की समाप्ति पर शासन को वापस कर दिया जाता है तथा शासन उस धन को अपना आय मानते हुए आगामी बजट का निर्धारण करता है परन्तु संदर्भित संस्था द्वारा ऐसा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	1871514.00	1871514.00

प्रस्तर-31 वर्ष 2010-11 12वां वित्त समाप्त हो चुका था। 31.03.11 को संदर्भित योजना के ₹0 39714.00 शेष बचा था जिसे नियमों के अन्तर्गत शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु इकाई द्वारा उक्त धन को संस्था में रोककर 13वें वित्त में शामिल कर आगे की तिथियों में व्यय कर दुरुपयोगित किया गया है। जिसके लिए तत्कालिन

खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-09)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	39714.00	—	39714.00

प्रस्तर-32 माह अगस्त 2010 में राज्य वित्त योजना मद में रू0 (-) 930.00 का ऋणात्मक भुगतान हुआ है स्पष्ट है कि यहाँ गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है आधारहीन ढंग से अन्य मद के धन को रान्य वित्त में भुगतान करके धन का व्यावर्तन किया गया है जिसके लिए तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-10)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	930.00	—	930.00

प्रस्तर-33 विभिन्न तिथियों में भुगतानित कुल रू0 3200193.00 का भुगतान विधायक निधि से कार्यप्रभारियों को नकद/बीयरर चेक से अग्रिम के रूप में भुगतान करके दुरुपयोग किया गया क्योंकि किसी भी कार्य को सम्पादित कराने के लिए उसमें प्रयुक्त सामग्री अंश का भुगतान नियमों के अन्तर्गत निर्धारित फर्म को ए0/सी0 पेई चेक के माध्यम से संबंधित के बैंक खातों में किया जाता है तथा श्रम अंश का भुगतान साप्ताहिक कार्यप्रभारियों को अधिकतम 5000.00 तक नकद किया जा सकता है। परन्तु इकाई द्वारा आधारहीन ढंग से भुगतान नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यक्ति विशेष को वाहक चेक के माध्यम से एक बार में लाखों रूपयों का भुगतान कर धन को दुरुपयोगित किया गया है जिसके लिए तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। साथ ही साथ कार्यप्रभारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

(सामान्य आपत्ति संख्या-12)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	3200193.00	—	3200193.00

प्रस्तर-34 राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन लेखा परीक्षा वर्षों में दर्शाये गये निर्माण कार्य हेतु कुल रू0 5023609.00 कार्यप्रभारियों को नकद/वातक चेक से भुगतान कर योजना धन का दुरुपयोग किया गया क्योंकि निर्माण कार्य सामग्री अंश का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत चिंहित फर्म को उनके चालान के साथ संलग्न बिलों से आयकर व बिक्रीकर कटौती के उपरांत शेष धन ए0/सी0पेई चेक से उनके खाते में करना था तथा सामग्री अंश का भुगतान श्रमिकों के खातों में तथा खाता न होने की दशा में कार्यप्रभारी के माध्यम से साप्ताहिक अधिकतम 5000.00तक अग्रिम करके किया जाना था परन्तु संदर्भित क्षेत्र पंचायत में कार्यप्रभारियों को एक ही बार में लाखों-लाखों रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया है जो भुगतान नियमों के विपरीत रहा। जिसके लिए तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संदर्भित योजना का धन लेखा परीक्षा वर्षों में रू0 5023609.00 कमशः रू0 1437750.00 श्री बैजनाथ पाण्डेय, रू0 1285539.00 श्री दिलीप तिवारी, रू0 805000.00 श्री चतुर्भान गुप्ता, रू0 1262145.00 श्री मनी राम वर्मा तथा रू0 229175.00 श्री रामप्रकाश स्टोरकीपर को नकद/ बीयरर चेक से भुगतान कर आयकर अधिनियम 1961की धारा 40क (3-घ) का उल्लंघन किया गया है अभिलेखों में समस्त कार्य ग्राम पंचायतों के कार्य क्षेत्र में कराये गये हैं जबकि ग्राम पंचायत में कार्य कराने हेतु अलग से ग्राम पंचायत में उक्त योजना में धन दिया जाता है। स्पष्ट है कि बैंक से धन बाहर करने के लिए ग्राम पंचायत में ही कार्य का माध्यम बनाकर कार्यप्रभारियों को अग्रिम दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-13)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	5023609.00	—	5023609.00

प्रस्तर-35 वर्ष 2009-10 की विभिन्न तिथियों में कुल रू0 1245055.00 बी0आर0जी0एफ0 योजना के धन का भुगतान ब्लाक रिसोर्स सेंटर सेंटर के निर्माण पर किया गया है जबकि बी0आर0जी0एफ0 का धन ग्राम पंचायत में नॉली व सी0सी0रोड निर्माण पर स्वीकृत कार्य योजना पर किया जाना था। स्पष्ट है कि योजना दिशा-निर्देशों के विपरीत भुगतान कर धन का व्यवर्तन किया गया है। उक्त समस्त भुगतान श्री रामप्रकाश स्टोरकीपर को नकद/वातक चेक से किया गया जबकि भुगतान सामग्री आपूर्ति की दशा में आपूर्तिकर्ता फर्म को उसके बिलों से आयका व बिक्रीकर काटने के बाद शेष धन का भुगतान ए0/सी0 पेई चेक से बैंक खातों में करना था। ऐसा न करके आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40क(3-घ) का उल्लंघन किया गया है। रामप्रकाश स्टोरकीपर का कार्य स्टॉक आमद को सटॉक में दर्ज करना था परन्तु उक्त का आमद स्टॉक में दर्ज नहीं किया गया बल्कि फर्म बनकर भुगतान प्राप्त किया गया जो के दुरुपयोग की पुष्टि करता है। जिसके लिए श्री रामप्रकाश स्टोरकीपर, खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित की पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहीं। फिर रिसोर्स सेंटर की लागत उस समय 6.40 हजार की थी जो राजकार द्वारा स्वीकृत थी जिसकी जगह वर्ष में ही नकद श्री रामप्रकाश को रू0 1245055.00 का भुगतान किया गया। प्रकरण गंभीर है। विभाग द्वारा जाँच अपेक्षित है तथा जाचोंपरांत संबंधित पर कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-16)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	1245055.00	—	1245055.00

(04) क्षेत्र पंचायत—षोहरतगढ ले0परी0वर्ष—2010—11 से 11—12 जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर—36 राज्यवित्त योजना से संबंधित निर्माण पत्रावली वर्ष 2010—11 की जॉच में पाया गया कि रू0 952897.00 सामग्री कय पर व्यय दर्शित है परन्तु संबंधित व्यय प्रमाणकों पर बिक्रीकर नहीं काटा गया है। जिससे बिक्रीकर के रूप में 4 प्रतिशत की दर से रू0 38116.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या—05)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	38116.00	—	38116.00

प्रस्तर—37 कस्तूरबा गौंधी आवासीय बालिका विद्यालय की चाहरदीवारी निर्माण से संबंधित पत्रावली वर्ष 2010—11 की जॉच में पाया गया कि रू0 121064.00 सामग्री कय पर व्यय दर्शित है परन्तु संबंधित व्यय प्रमाणकों पर बिक्रीकर नहीं काटा गया है जिससे बिक्रीकर के रूप में 4 प्रतिशत की दर से रू0 4843.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या—06)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	4843.00	—	4843.00

प्रस्तर—38— सांसद निधि निर्माण पत्रावली वर्ष 2010—11 की जॉच में पाया गया कि “ग्राम रमवापुर नानकार में रैन बसेरा का निर्माण” हेतु रू0 49986.00 सामग्री कय पर व्यय दर्शित है परन्तु संबंधित प्रमाणको पर बिक्रीकर नहीं काटा गया है जिससे बिक्रीकर के रूप में 4 प्रतिशत की दर से रू0 1999.00 एवं आयकर के रूप में 2.24 प्रतिशत की दर से रू0 1119.00 अर्थात् कुल रू0 3118.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0—07)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	3118.00	—	3118.00

प्रस्तर—39 मनरेगा निर्माण पत्रावली वर्ष 2010—11 व 11—12 की जॉच में पाया गया कि रू0 3995152.00 सामग्री कय पर व्यय दर्शित है परन्तु संबंधित बिलों से बिक्रीकर की कटौती नहीं किया गया जिससे बिक्रीकर के रूप में 4 प्रतिशत की दर से रू0 159807.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या—08)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	159807.00	—	159807.00

प्रस्तर—40 बी0आर0जी0एफ0 योजना से संबंधित निर्माण पत्रावली वर्ष 2011—12 की जॉच में पाया गया कि रू0 943707.00 सामग्री कय पर व्यय दर्शित है परन्तु संबंधित प्रमाणकों पर बिक्रीकर व आयकर की कटौती नहीं की गयी है जिससे बिक्रीकर के रूप में 4 प्रतिशत की दर से रू0 37748.00 एवं आयकर के रूप में 2.24 प्रतिशत की दर से रू0 21141.00 अर्थात् कुल रू0 58889.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0—10)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	58889.00	—	58889.00

प्रस्तर—41 अनुदान पंजिका भाग तीन की जॉच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं में प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग न करने के कारण दिनांक 31.03.12 को रू0 5432745.00 अनावश्यक खाता में पड़ा रहा जिसका न तो समय से उपभोग किया गया और न ही संबंधित विभाग को ही वापस किया गया है। प्राप्त धन का समय से उपभोग न करने के कारण संबंधित योजनाओं का लाभ से आम जनता बंचित रह गयी। इस प्रकार तत्कालिन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा राजकीय धन को अनावश्यक रूप से रोककर रखा जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता का परिचायक है। इस प्रकरण पर क्षेत्र पंचायत प्रशासन व विभाग के उच्चधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0—11)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	5432745.60	5432745.06

प्रस्तर—42 लेखा परीक्षा में अपेक्षा के बावजूद बैंक खातों में अर्जित ब्याज का मदवार विवरण प्रस्तुत नहीं रहा। अतः तत्संबंधी टिप्पणी नहीं किया जा सका। अनुदान पंजिका भाग तीन की जॉच में पाया गया कि 31.03.12 तक प्राप्त ब्याज का कुल धन रू0 441943.50 अनावश्यकखातों में पड़ा रहा जिसे न तो चालान द्वारा कोषागार में जमा किया गया और न ही संबंधित विभाग को वापस किया गया। इस प्रकार तत्कालिन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा

ब्याज के धन को अनावश्यक रूप से रोक कर रखा जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता का परिचायक है। इस प्रकरण पर क्षेत्र पंचायत प्रशासन व विभाग के उच्चधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-13)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	441943.50	441943.50

प्रस्तर-43—विधायक निधि निर्माण पत्रावली वर्ष 2011-12 की जाँच में पाया गया कि ₹0 8129459.00 सामग्री क़य पर व्यय दर्शित है संबंधित प्रमाणको पर बिक्रीकर नहीं काटा गया है जिससे बिक्रीकर के रूप में 4 प्रतिशत की दर से ₹0 325172.00 एव आयकर के रूप में 2.24 प्रतिशत की दर से ₹0 182103.00 अर्थात् कुल ₹0 507275.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई। **(सामान्य आपत्ति सं0-15)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	507275.00	—	507275.00

प्रस्तर-44 —मनरेगा निर्माण पत्रावली वर्ष 2010-11 व 11-12 की जाँच में पाया गया कि हेतु ₹0 442268.00 सामग्री क़य पर व्यय दर्शित है परन्तु संबंधित बिलों से आयकर के रूप में 2.24 प्रतिशत की दर से ₹0 9907.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-21)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	9907.00	—	9907.00

प्रस्तर-45 राज्य वित्त निर्माण पत्रावली वर्ष 2010-11 “बढ़ेपुरवा में हजीफुल्लाह के घर से मकबूल के घर तक खण्डजा मरम्मत 114 मी०” की जाँच में पाया गया कि दिनांक 14.09.11 को ₹0 24050.00 में ईट ताज ब्रिक फील्ड नारायणपुर बर्डपुर नं० 12 से क़य किया गया है परन्तु संबंधित बाउचर से बिक्रीकर एवं आयकर की कटौती नहीं किया गया है। जो 4 प्रतिशत व 2.24 प्रतिशत की दर से क्रमशः ₹0 962.00 व ₹0 539.00 होता है। बिक्रीकर एवं आयकर की कटौती नहीं होने से कुल ₹0 1501.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-25)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	1501.00	—	1501.00

प्रस्तर-46 क्षेत्र पंचायत निर्माण पत्रावली वर्ष 2011-12 की जाँच में पाया गया कि ₹0 275679.00 सामग्री क़य पर व्यय दर्शित है परन्तु संबंधित बिलों से आयकर 2.24 प्रतिशत एवं बिक्रीकर 4 प्रतिशत की कटौती नहीं किया गया जिससे आयकर के रूप में ₹0 6175.00 व बिक्रीकर के रूप में ₹0 11028.00 अर्थात् कुल ₹0 17203.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0-26)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	17203.00	—	17203.00

प्रस्तर-47 अनुदान पंजिका तृतीय की जाँच में पाया गया कि मनरेगा मद में प्राप्त ब्याज का धन ₹0 28516.00 मई 2011 एवं ₹0 178486.00 जनवरी 2012 में अर्थात् वर्ष 2011-12 में कुल ₹0 207002.00 व्यय पाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे इस बात की जानकारी नहीं की जा सका कि व्यय किसी योजना पर व्यय किया गया या धन वापसी पर व्यय दर्शाया जा रहा है। **(सामान्य आपत्ति सं0-28)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
207002.00	—	—	207002.00

प्रस्तर-48 क्षेत्र निधि अनुदान पंजिका तीन की जाँच में पाया गया कि मार्च 2012 में अर्जित ब्याज मद का धन ₹0 59741.00 व्यय दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में अपेक्षा के बावजूद उक्त व्यय/वापस ब्याज से संबंधित विवरण देखने को नहीं मिला जिससे वापस धन की पुष्टि नहीं किया जा सका। **(सामान्य आपत्ति सं0-35)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
59741.00	—	—	59741.00

(05) क्षेत्र पंचायत-बढ़नी ले०परी०वर्ष-2010-11 जनपद-सिद्धार्थनगर

प्रस्तर-49— क्षेत्र पंचायत अनुदान पंजिका भाग तीन की जाँच में पाया गया कि पी०जी०बी० अकरहरा खाता सं० 20073 के ब्याज मद का माह अगस्त 2010 में अंतिम अवशेष ₹0 549041.29 है परन्तु सितम्बर 2010 का प्रारम्भिक अवशेष ₹0 485172.29 ही अंकित किया गया है जबकि अगस्त 2010 का अंतिम शेष ही सितम्बर 2010 का प्रारम्भिक शेष

होना चाहिए। इस प्रकार सितम्बर 2010 का प्रारम्भिक शेष रु0 63869.00 कम दर्शित करके तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है। यह प्रकरण क्षेत्र पंचायत प्रशासन एवं विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
63869.00	—	—	63869.00

प्रस्तर-50 क्षेत्र पंचायत अनुदान पंजिका भाग तीन की जाँच में पाया गया कि पी0जी0बी0 अकरहरा खाता सं0 20073 के ब्याज मद का माह दिसम्बर 2010 में अंतिम अवशेष रु0 495862.29 है परन्तु माह में आय-व्यय शून्य हैं। अतः अंतिम शेष भी रु0 495862.29 होना चाहिए। परन्तु दिसम्बर 2010 का अंतिम शेष रु0 470862.29 अर्थात् रु0 25000.00 कम दर्शित करके तत्कालीन ख0वि0अधि0 एवं लेखाकार द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। प्रशासन एवं विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-04)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
25000.00	—	—	25000.00

प्रस्तर-51 क्षेत्र निधि अनुदान पंजिका तीन की जाँच में पाया गया कि मातृत्व लाभ मद का माह अप्रैल 2010 का प्रारम्भिक शेष रु0 36485.70 दर्शित है। माह अप्रैल 2010 में मात्र रु0 1050.00 की आय हुआ है। माह अप्रैल में व्यय शून्य है। अतः अंतिम शेष भी रु0 36485.70 + 1050.00=37535.70 ही होना चाहिए परन्तु अप्रैल 2010 का अंतिम शेष रु0 31535.70 अर्थात् रु0 6000. 00 कम दर्शित करके तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है। यह प्रकरण क्षेत्र पंचायत प्रशासन एवं विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-05)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
6000.00	—	—	6000.00

प्रस्तर-52 क्षेत्र निधि अनुदान पंजिका तीन की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010-11 में विभिन्न योजनाओं पर कुल रु0 7076389.31 खर्च किया गया है। पत्राचार एवं माँग करने के बावजूद उक्त की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, पारित प्रस्ताव, कार्ययोजना, एम0बी0 और निर्माण पत्रावलियों से नहीं कराया गया। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। यह प्रकरण क्षेत्र पंचायत प्रशासन एवं विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-06)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
7076389.31	—	—	7076389.31

प्रस्तर-53 क्षेत्र निधि अनुदान पंजिका तीन की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010-11 में आयकर कटौती मद से रु0 63011.00 व्यय किया गया दर्शित है। बार-बार माँग के करने के बावजूद उक्त व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणकों से नहीं कराया गया। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। इस ओर क्षेत्र पंचायत प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-07)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
63011.00	—	—	63011.00

प्रस्तर-54 क्षेत्र निधि अनुदान पंजिका तीन की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010-11 में विभिन्न खातों पर ब्याज के धन रु0 169179.00 को भी व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय से संबंधित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। अतः प्रमाणक के अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं किया जा सका कि उक्त ब्याज का धन राजकीय कोषागार में जमा किया गया है। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। इस ओर क्षेत्र पंचायत प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-08)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
169179.00	—	—	169179.00

प्रस्तर-55 क्षेत्र निधि अनुदान पंजिका तीन की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010-11 में रु0 6800.00 स्वास्थ्य बीमा योजना पर व्यय किया गया है। यह धन (N.R.E.P) वेतन मद से व्यय किया गया है। इस प्रकार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा किसी अन्य मद का धन किसी दूसरे मद में दर्शाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता

किया गया है। इस ओर क्षेत्र पंचायत प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(सामान्य आपत्ति सं०-09)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	6800.00	6800.00

प्रस्तर-56 मनरेगा अनुदान पंजिका भाग दो माह फरवरी व मार्च 2011 की जांच में पाया गया कि मनरेगा कंटीजेंसी मद से मानदेय पर रु० 422124.00 व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित न तो प्रमाणक ही प्रस्तुत रहा और न ही संबंधित पक्षों की उपस्थिति पंजिका ही भुगतान की पुष्टि में उपलब्ध रही। अतः स्पष्ट है कि तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा मानदेय पर व्यय दर्शाकर आधारहीन व्यय किया गया है।

(सामान्य आपत्ति सं०-10)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
422124.00	—	—	422124.00

प्रस्तर-57 मनरेगा अनुदान पंजिका भाग दो माह फरवरी व मार्च 2011 की जांच में पाया गया कि मनरेगा कंटीजेंसी मद से कार्यालय खर्च पर रु० 16985.00 व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। प्रमाणकों के अभाव में व्यय धन की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाण करें के अभाव में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। यह प्रकरण क्षेत्र पंचायत प्रशासन व विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-13)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
16985.00	—	—	16985.00

प्रस्तर-58 क्षेत्र निधि अनुदान पंजिका भाग तीन की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 तक प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग न करने के कारण रु० 590190.30 अनावश्यक खातों में पड़ा रहा, जिसका न तो समय से उपयोग किया गया और नही संबंधित विभाग को वापस किया गया है। प्राप्त धन का समय से उपयोग न करने के कारण संबंधित योजनाओं का लाभ आम जनता को प्राप्त न हो सका। इस प्रकार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा प्राप्त अनुदान को बैंक खातों में रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। यह प्रकरण क्षेत्र पंचायत प्रशासन एवं विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। (सामान्य आपत्ति सं०-14)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	590190.30	590190.00

प्रस्तर-59 लेखा परीक्षा में अपेक्षा के बावजूद बैंक खातों में अर्जित ब्याज का मदवार विवरण प्रस्तुत नहीं रहा अतः तत्संबंधी टिप्पणी नहीं किया जा सका, जो आगामी लेखा परीक्षा में अपेक्षित है। अनुदान पंजिका भाग तीन में दिनांक 31.03.2011 को क्षेत्र निधि ब्याज मद का मात्र रु० 495629.29 ब्याज का धन शेष दर्शित है। जिसे न तो चालान द्वारा कोषागार में जमा किया गया और नही संबंधित विभाग को वापस किया गया। इस प्रकार तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा प्राप्त ब्याज के धन को बैंक खातों में रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। यह प्रकरण क्षेत्र पंचायत प्रशासन एवं विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। (सामान्य आपत्ति सं०-15)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	495629.29	495629.29

प्रस्तर-60 मनरेगा अनुदान पंजिका भाग दो माह मार्च 2011 की जांच में पाया गया कि मनरेगा कंटीजेंसी मद से चेक सं० 629891 दिनांक 03.03.2011 को विजय आटो मोबाइल बढ़नी से रु० 24823.00 का डीजल क्रय पर व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। प्रमाणकों के अभाव में व्यय धन की सत्यता प्रमाणित नहीं की सकी। साथ ही डीजल किसी पेट्रोल पम्प की बजाय विजय आटो मोबाइल बढ़नी से क्रय किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। यह प्रकरण क्षेत्र पंचायत प्रशासन एवं विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-16)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
24823.00	—	—	24823.00

प्रस्तर-61 मनरेगा अनुदान पंजिका भाग दो माह मार्च 2011 की जांच में पाया गया कि मनरेगा कंटीजेंसी मद से चेक सं० 629898 दिनांक 28.03.2011 को रु० 16800.00 जीप यू०पी०-51, 855 का टायर क्रय पर व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धन की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। यह प्रकरण क्षेत्र पंचायत

प्रशासन एवं विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-17)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
16800.00	—	—	16800.00

प्रस्तर-62 मनरेगा अनुदान पंजिका भाग दो माह मार्च 2011 की जांच में पाया गया कि मनरेगा कंटीजेंसी मद में दिनांक 31.03.2011 को प्राप्त अनुदान कर समुचित उपयोग न करने के कारण रु० 158845.00 अनावश्यक खातों में पड़ा रहा, जिसका न तो समय से उपयोग ही किया गया और न ही संबंधित विभाग को वापस किया गया है। इस प्रकार तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा प्राप्त अनुदान को बैंक खातों में रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। यह प्रकरण क्षेत्र पंचायत प्रशासन एवं विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-18)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	158845.00	158845.00

प्रस्तर-63 क्षेत्र निधि अनुदान पंजिका तीन की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 को आयकर कटौती का धन रु० 53941.00 संबंधित विभाग में जमा नहीं किये जाने के कारण अनावश्यक रूप से खाता में पड़ा रहा। इस प्रकार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा प्राप्त आयकर को संबंधित विभाग में जमा न करके अनावश्यक रूप से खाता में रोककर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। यह प्रकरण क्षेत्र पंचायत प्रशासन एवं विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(सामान्य आपत्ति सं०-26)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	53941.00	—	53941.00

(06)क्षेत्र पंचायत-इटवा ले०परी०वर्ष 2011-12 से 13-14 जनपद-सिद्धार्थनगर

प्रस्तर-64- वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 804025.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी श्री रामकेश पदनाम ए०डी०ओ०ए०जी० को रु० 186700.00, श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह ग्रा०वि०अधि० को रु० 23360.00, श्री सच्चिदानंद पाण्डेय ग्रा०पं०अधि० को रु० 148080.00, श्री मो०मुस्तफा ग्रा०पं०अधि० को रु० 30632500, श्री जावेद हसन उर्दू अनुवादक को रु० 36280.00, श्री मो० इद्रीश खॉ ग्रा०वि०अधि० को रु० 103280.00 का भुगतान किया गया और पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये हैं उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय मस्टररोलों पर कार्य अवधि, मानव दिवस के योग का भी उल्लेख नहीं है जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल कार्यवारविकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निषान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर हैं वह मस्टररोल कनर्माता के ही हस्तलेख में हैं। कार्य में लगे मजदूर किस गांव के हैं और किस वर्ग (मजदूरों के लिंग व जाति) के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन रु० 804025.00 का वर्ष 2011-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं।

(सामान्य आपत्ति संख्या-03)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
804025.00	—	—	804025.00

प्रस्तर-65- वर्ष 2011-12 की निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 2867818.00 की सामग्री कय किया गया है नियमानुसार उपरोक्त कय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि कर भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था। परन्तु वर्ष 2011-12 उक्त भुगतानति धनराशि पर वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 114713.00 का वैट न काट कर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी हैं।

(सामान्य आपत्ति संख्या-04)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	114713.00	114713.00

प्रस्तर-66-लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2011-12 में कुल भुगतान रु० 2620009.00 कार्यप्रभारियों को सामग्री कय मद में किया गया है। जबकि नियमानुसार फर्म द्वारा सामान आपूर्ति के बाद प्रस्तुत बिल में से आयकर एवं वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए।

कार्यप्रभारी द्वारा जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में लगाये गये हैं वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड /कच्चे बिल/कैश मेंमो पर हैं। सामान आपूर्ति हेतु फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई चालान निर्गत किया गया है। सामग्री आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है।

इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध रही। स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-05)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
2620009.00	—	—	2620009.00

प्रस्तर-67- वित्त वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो पर कुल व्यय रु० 891714.00 का भुगतान कार्यप्रभारी श्री मो० मुस्तफा ग्रा०वि०अधि० को तथा विधायक निधि योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो पर कुल व्यय रु० 447000.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री सच्चिदानंद पाण्डेय ग्रा०पं०अधि० को तथा रु० 657189.00 का भुगतान श्री मो०इंद्रीश खॉ ग्रा०वि०अधि० को नकद/बीयरर चेक से किया गया है जबकि योजना निर्देशो के अन्तर्गत किसी भी स्वीकृत योजना पर सप्ताह में आकलित मजदूरी के बराबर ही धन कार्यप्रभारी को भुगतान किया जाना चाहिए तथा नियमानुसार फर्म द्वारा सामान आपूर्ति के बाद प्रस्तुत बिल से आयकर एवं वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए। कार्यप्रभारी द्वारा जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में लगाये गये है वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। सामान आपूर्ति हेतु फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई चालान निर्गत किया गया है। सामग्री आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध रही फिर भी क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री व मजदूरी की समस्त धनराशि कार्यप्रभारी को भुगतान कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-06)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1995903.00	—	—	1995903.00

प्रस्तर-68- वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु० 1451981.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी श्री सभयराज यादव पदनाम ग्रा०पं०अधि० को रु० 1058134. 00, श्री रामकेश ए०डी०ओ०ए०जे० को रु० 86334, श्री मो०मुस्तफा ग्रा०पं०अधि० को रु० 161650. 00, श्री शाक्क लाल ए०डी०ओ०आई०यस०बी० को रु०145863.00 भुगतान किया गया और पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये है उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय मस्टररोलों पर कार्य अवधि, मानव दिवस के योग का भी उल्लेख नहीं है जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य में लगे मजदूर किस गाँव के है और किस वर्ग (मजदूरों के लिंग व जाति) के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन रु० 1451981.00 का वर्ष 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-09)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
1451981.00	—	—	1451981.00

प्रस्तर-69- वर्ष 2012-13 की निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यो पर रु० 5382330.00 की सामग्री कय किया गया है नियमानुसार उपरोक्त कय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि कर भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था। परन्तु वर्ष 2012-13 उक्त भुगतानति धनराशि कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 215293.00 का वैट न काट कर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-10)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	215293.00	215293.00

प्रस्तर-70- लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2012-13 में कुल भुगतान रु० 934196.00 कार्यप्रभारियों को सामग्री कय मद में किया गया है। जबकि नियमानुसार फर्म द्वारा सामान आपूर्ति के बाद प्रस्तुत बिल में से आयकर एवं वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए। कार्यप्रभारी द्वारा जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में लगाये गये है वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। सामान आपूर्ति हेतु फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई चालान निर्गत किया गया है। सामग्री आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध रही। स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-11)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
934196.00	—	—	934196.00

प्रस्तर-71—वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 889299.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी श्री मो0मुस्तफा ग्रा0पं0अधि0 को रु0 88480.00, श्री समय राज यादव ग्रा0पं0अधि0 को रु0 433138, श्री शौक लाल ए0ड0ओ0 आई0यस0बी0 ग्रा0पं0अधि0 को रु0 367681.00, का भुगतान किया गया और पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये हैं। उन पर मस्टररोल सं0 अंकित नहीं है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय मस्टररोलों पर कार्य अवधि, मानव दिवस के योग का भी उल्लेख नहीं है जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टररोल कनर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य में लगे मजदूर किस गाँव के हैं और किस वर्ग (मजदूरों के लिंग व जाति) के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन रु0 889299.00 का वर्ष 2013-14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी / जे0ई0 / लेखाकार / कार्यप्रभारी / ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-14)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
889299.00	—	—	889299.00

प्रस्तर-72—वर्ष 2013-14 की निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु0 4372804.00 की सामग्री क़य किया गया है नियमानुसार उपरोक्त क़य की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि कर भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था। परन्तु वर्ष 2013-14 उक्त भुगतानति धनराशि पर वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु0 174912.00 का वैट न काट कर राजकीय राजस्व की हॉनि की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार उत्तरदायी हैं। **(सामान्य आपत्ति संख्या-15)**

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	174912.00	174912.00

प्रस्तर-73—लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2013-14 में कुल भुगतान रु0 225917.00 कार्यप्रभारियों को सामग्री क़य मद में किया गया है। जबकि नियमानुसार फर्म द्वारा सामान आपूर्ति के बाद प्रस्तुत बिल में से आयकर एवं वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए। कार्यप्रभारी द्वारा जो सामग्री क़य प्रमाणक पत्रावली में लगाये गये हैं वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड / कच्चे बिल / कैंप मेंमो पर हैं। सामान आपूर्ति हेतु फर्म को कोई मॉग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई चालान निर्गत किया गया है। सामग्री आमद / उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध रही। स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
225917.00	—	—	225917.00

(07) क्षेत्र पंचायत-नौगढ़ ले0पर0वर्ष-2014-15 से 16-17 जनपद-सिद्धार्थनगर

प्रस्तर-74 निम्न विवरणानुसार उनके सम्मुख लिखी धनराशि (अवशेष अनुदान) को संबंधित विभाग की प्राप्ति या मद में ट्रेजरी चालान द्वारा राजकीय कोषागार में निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है क्योंकि राजकीय धन की प्राप्ति कार्य विशेष / योजना विशेष के संपादन हेतु होती है। संबंधित वित्तीय वर्ष में उपयोग न होने की दशा में राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना था, राजकीय नियमों के अन्तर्गत योजना का शेष धन साकार आगामी बजट में आय का स्रोत मानकर प्राप्ति के रूप में दर्शाया जाता है परन्तु संबंधित खण्ड विकास प्रशासन द्वारा राजकीय निर्देशों की अनदेखी करके कुल रु0 383396.00 (विभिन्न मदों का) इकाई स्तर पर रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं। विगत वर्षों से रोके गये अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र0सं0	परियोजना का नाम	धनराशि
01	13वां वित्त	107835.00
02	13वां वित्त अर्जित ब्याज	105637.00
03	सांसद / विधायक निधि	61055.00
04	सांसद / विधायक निधि अर्जित ब्याज	50170.00
05	क्षेत्र निधि ब्याज	7849.00
06	बायो गैस	8000.00
07	रैपिड सर्वे	42850.00
	योग	383396.00

(सामान्य आपत्ति सं0-05)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	383396.00	383396.00

प्रस्तर-75— वित्त वर्ष 2014-15 में अनुदान पंजिका तृतीय में दर्ज विवरणानुसार बायो गैस अनुदान रु0 16000.00 प्राप्त हुआ जो बायो गैस लगवाने वाले लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाना था जबकि इकाई प्रशासन द्वारा श्री अदालत पुत्र श्री भोला राम ग्राम-रोहड़ीला को चेक सं0 008939 दिनांक 08.09.16 को मानदेय के रूप में भुगतान किया गया जोकि अनुदान नियमों के अन्तर्गत न करके वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। संस्था द्वारा स्थिति स्पष्ट किया जाना राजकीय हित में होगा।

(सामान्य आपत्ति सं0-06)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	16000.00	16000.00

प्रस्तर-76—वर्ष 2014-15 व 2015-16 के लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये पत्रावलियों के अवलोकन से यह तथ्य संज्ञान में आया कि विभिन्न कार्यों हेतु कय किये गये सामग्री पर बिक्रीकर की कटौती नहीं किया गया है जिससे कुल रु0 444767.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई। इस क्षति हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्णदेव गोस्वामी व लेखाकार श्री विनोद श्रीवास्तव उत्तरदायी है।

(सामान्य आपत्ति सं0-07)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	444767.00	444767.00

प्रस्तर-77—वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि बगैर प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के राज्य वित्त की धनराशि रु0 3444046.00 को कार्यालय भवन मरम्मत मद व सांसद निधि में स्थानांतरित करते हुए तथा बगैर आयकर (आंशिक कटौती) व बिक्रीकर की कटौती किये ही समस्त धनराशि (मजदूरी व सामग्री) कार्यप्रभारी को नकद/बीयरर चेक से अग्रिम भुगतान करके आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40क (3-घ) के उपबंधों के विपरीत कार्य रिते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्णदेव गोस्वामी व लेखाकार श्री विनोद श्रीवास्तव उत्तरदायी है।

(सामान्य आपत्ति सं0-08)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	3444046.00	3444046.00

प्रस्तर-78—वर्ष 2014-15 से 2015-16में कुल धनराशि रु0 1790000.00 का भुगतान कार्यप्रभारियों को नकद/बीयरर चेक से अग्रिम के रूप में किया गया जबकि योजना निर्देशो व भुगतान नियमों के अन्तर्गत किसी भी स्वीकृत योजना पर केवल मस्टररोल में लगे के मजदूरी के बराबर धन ही कार्यप्रभारियों को भुगतान किया जाना चाहिए तथा सामग्री का भुगतान कोटेशन/निविदा के माध्यम से निर्धारित की गयी फर्म को ए0/सी0 पेई चेक के माध्यम से खातों में भुगतान किया जाना चाहिए परन्तु संदर्भित क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री व मजदूरी अग्रिम भुगतान करके आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40क(3-घ) के उपबंधों के विपरीत कार्य करते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीकृष्णदेव गोस्वामी व लेखाकार श्री विनोद श्रीवास्तव उत्तरदायी है।

(सामान्य आपत्ति सं0-09)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	1790000.00	1790000.00

8-क्षेत्र पंचायत-लोटन ले0परी0वर्ष-2010-11 से 12-13 जिला-सिद्धार्थनगर

प्रस्तर -79—वर्ष 2010-11 में अनुदान पंजी द्वितीय के अनुसार कुल रु0 211320.00 का भुगतान दर्शित है परन्तु लेखापरीक्षा में सम्बंधित पत्रावली उपलब्ध नहीं रही। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः कुल रु0 211320.00 का अपहरण संबंधित चेक प्राप्तकर्ता, ख0वि0अधि श्री राजराम तथा तातकालीक आंकिक श्री रमधनी द्वारा कर लिया गया है। जांचोपरान्त वसूली की कार्यवाही अपेक्षित हैं। भुगतान का विवरण निम्न है—

योजना का नाम	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	प्राप्तकर्ता
राज0वि0	33685	729311	03.05.11	उमेश चन्द्र राय
12 वा वित्त	24643	72907	23.11.10	..
..	24177	72909	27.12.10	राम स्वरूप गुप्ता
..	8000	957695	10.12.10	श्याम बहादुर
..	120725	729306	23.08.10	नेडा
योग	211230			

(सामान्य आपत्ति सं0-01)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
211230.00	—	—	211230.00

प्रस्तर-80—वर्ष 2010-11 में रु0 106920.00 एवं वर्ष 11-12 में रु0 601366.00 कुल रु0 708286.00 की सामग्री कय की गयी है जिसका भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। जबकी नियमानुसार सामग्री कय का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को किया जाना चाहिए था। इस प्रकार संस्था द्वारा रु 708286.00 की अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तातकालीक ख0वि0अधि एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

क्र०सं० धनराशि चेक सं० कार्यप्रभारी

1	25643	72930	उमेशचन्द्र राय
2	81277	929304	रामस्वरूप गुप्ता
3	72732	729318	रामस्वरूप गुप्ता
4	212571	729323	वसीकुरहमान
5	89418	729312	रामस्वरूप गुप्ता
6	226645	729313	..

योग 708286.00

(सामान्य आपत्ति सं०-02)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
708286.00	—	—	708286.00

प्रस्तर-81-वर्ष 2012-13 में विकास खण्ड परिसर में सी०सी०रोड निर्माण/वृक्षारोपण पर कय सामग्री का भुगतान रु० 48391.00 चेक सं० 729341/दि० 01.02.13 द्वारा कार्यप्रभारी श्री रामस्वरूप गुप्ता, ग्रा०वि०अधि० को किया गया है। इस अनियमित भुगतान के लिए बी०डी०ओ० श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी तथा आंकिक श्री रामधनी उत्तदायी है।

(सामान्य आपत्ति सं०-03)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	48391.00	48391.00

प्रस्तर-82-वर्ष 2012-13 में कार्यालय गेट पर कैटर कैचर निर्माण हेतु स्वीकृत बजट रु० 92000.00 था परन्तु संबंधित कार्यप्रभारी को कुल रु० 100256.00 का भुगतान कमशः चेक सं० 72930/14.08.12 रु० 50000.00 एवं चेक सं० 729331/16.11.12 रु० 50256.00 श्री रामस्वरूप गुप्ता, ग्रा०वि०अधि० को किया गया। इस प्रकार रु० 8256.00 स्वीकृत बजट से अधिक व्यय/भुगतान के लिए बी०डी०ओ० श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी एवं आंकिक श्री रामधनी उत्तदायी है।

(सामान्य आपत्ति सं०-04)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	8256.00	8256.00

8-क्षेत्र पंचायत-लोटन ले०परी०वर्ष-2013-14 से 14-15 जिला-सिद्धार्थनगर

प्रस्तर-83-आलोच्य वर्ष 2013-14 में निम्न विवरणानुसार ट्राली से मिट्टी गिराने का भुगतान संबंधित कार्यप्रभारी को किया गया। विवरण-

कार्य का नाम	धनराशि	ग्रा०वि० अधि० का नाम	कार्य सं० चेक सं०
ग्राम चकरैया में नौली नि०	21760.00	श्री रामस्वरूप गुप्ता०४	196898
ठोरिया काछा कसौला में पुलिया	19200.00	..रमेश कुमार भार्गव०१	690490
योग	40960.00		

स्पष्ट है कि उक्त धन रु० 40960.00 का अपहरण संबंधित कार्यप्रभारी द्वारा किया गया है। वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-01)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
40960.00	—	—	40960.00

प्रस्तर-84- निम्न विवरणानुसार वर्ष 2013-14 में सामग्री कय पर आयकर नहीं काटा गया है विवरण-

ठोरिया काछा कसौला पुलिया	126851	159956 2867	3615	बी०डी०ओ०श्रीमती पुष्पा सोनकर
आंकिक श्री लक्ष्मीशंकर				
चनरैया में कोदई के घर के पास	138837	3138		बी०डी०ओ० श्री रामबहादुर चौधरी
आंकिक श्री लक्ष्मीशंकर				
विकास खण्ड कार्यालय छत मरम्मत	156006	3526	..	
योग	—	13146.00		

इस प्रकार रु० 13146.00 के राजकीय राजस्व की क्षति के लिए संबंधित बी०डी०ओ० एवं आंकिक उत्तदायी है। ब्याज सहित वसूली कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-02)

अपहरण	दुर्विनियोग	अनियमितता	योग
—	—	13146.00	13146.00

प्रस्तर-85- वर्ष 2013-14 में निम्न अनुदान उपभोग के सापेक्ष पत्रावलियों उपलब्ध नहीं रहीं। विवरण-

सांसद निधि	2411882.00
विधायक निधि	360328.00
सा०आर्थिक जनगणना	1043100.00
योग	3815310.00

इस प्रकार कुल रु० 3815310.00 के व्यय की पुष्टि में कोई विवरण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। इसके अपहरण की संभावना है। जिसके लिए तत्कालिक बी०डी०ओ० तथा आंकिक उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-03)

अपहरण दुर्विनियोग अनियमितता योग
3815310.00 — — 3815310.00

प्रस्तर-86 आलोच्य वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार द्राली से मिट्टी गिराने का भुगतान संबंधित कार्यप्रभारी को किया गया। विवरण-

कार्य का नाम	धनराशि	ग्रा0वि0अधि0 का नाम	चेक सं0/दिनांक
चनरैया में ह्यूम पाइप पुलिया	86876.00	श्री रामस्वरूप गुप्ता	1969681/26.07.15
पी0डब्लू0डी0 से बस्तिया (दसिया) गांव तक सोलिंग	30272.00	" "	196955/13.07.15
अजाने में रोड से रमाशंकर के घर तक आर0सी0सी0	31850.00,,	लालचन्द्र चौधरी	196890/09.10.14
योग	148998.00		

इस प्रकार उक्त धन रू0 148998.00 का अपहरण किया गया है। इसके लिए कार्यप्रभारी के साथ तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्रीमती राजपति देवी, श्री राजाराम एवं आंकिक श्री लक्ष्मीशंकर उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-04)

अपहरण दुर्विनियोग अनियमितता योग
148998.00 — — 148998.00

प्रस्तर-87- वर्ष 2014-15 में उपलब्ध पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सामग्री क्य पर नियमानुसार 4 प्रतिशत वैट नहीं काटा गया जिससे रू0 67387.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई। जिसके लिए बी0डी0ओ0 श्री राजाराम एवं श्रीमती राजपति देवी तथा आंकिक श्री लक्ष्मीशंकर उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं0-05)

अपहरण दुर्विनियोग अनियमितता योग
— — 67387.00 67387.00

प्रस्तर-88- वर्ष 2014-15 में निम्न अनुदान उपभोग के सापेक्ष पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं रहीं। विवरण-

सांसद निधि	648046.00
विधायक निधि	5672.00
सा0आर्थिक जनगणना	30900.00
योग	684618.00

इस प्रकार कुल रू0 684618.00 के व्यय की पुष्टि में कोई विवरण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। इसके अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए तत्कालिक बी0डी0ओ0 श्री राजाराम, श्रीमती राजपति देवी तथा आंकिक श्री लक्ष्मीशंकर उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0-06)

अपहरण दुर्विनियोग अनियमितता योग
684618.00 — — 684618.00

प्रारूप- 3

जनपद का नाम : — बांदा

मण्डल का नाम: — चित्रकूट धाम मण्डल

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

क्षेत्र पंचायत महुआ

प्रस्तर संख्या-1

क्षेत्र पंचायत महुआ में जनता बायोगैस अनुदान निम्न तिथियों में वितरित किया गया। लेखा परीक्षा में उक्त मद से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे वितरित अनुदान के सदुपयोग/दुरुपयोग की स्थिति अपुष्टिकृत नहीं, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व पटल प्रभारी को उत्तरदायी मानते हुए विभागीय कार्यवाही उपरान्त उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **मूलआ0सं0-2**

दिनांक — 09.10.2017 को 10500.00

16.01.2013 को 8000.00

16.01.2013 को 8000.00

11.11.2013 को 8000.00

योग — 34500.00

प्रस्तर संख्या-2 दिनांक 17.04.2012 को कार्यालय में स्टे0 में रू0 3500.00 व्यय किये गये लेखा परीक्षा में सम्बन्धित बाउचर अप्राप्त रहे जिसे प्राप्त कराकर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में रू0 3500.00 की धनराशि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व पटल प्रभारी को उत्तरदायी मानते हुए विभागीय कार्यवाही उपरान्त ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-3

प्रस्तर संख्या-3 वर्ष 2007 में रु0 5400.00 तीन दिवसीय प्रशिक्षण में व्यय किये गये, लेखा परीक्षा में पंजिका अप्राप्त रही जिससे उपरोक्त मद की पुष्टि नहीं की जा सकी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व पटल प्रभारी को उत्तरदायी मानते हुए विभागीय कार्यवाही उपरान्त ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-4

प्रस्तर संख्या-4 क्षेत्र पंचायत के ग्रांट रजिस्टर पेज-22 में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम में श्री हरीपाल ए0डी0ओ0(पी) द्वारा चेक संख्या-392027 से रु0. 13860.00 प्रशिक्षण हेतु अग्रिम भुगतान किया गया। प्रशिक्षण उपस्थिति पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिससे उपरोक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-5

प्रस्तर संख्या-5 दिनांक 20.01.2017 को रु0 215550.00 जिला समाज कल्याण अधिकारी बांदा द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना में धनराशि दी गयी जिसको स्यौदा बरईमानपुर के लाभार्थियों में वितरित किया गया। लेखा परीक्षा में वितरण रजिस्टर अप्राप्त होने के कारण उपरोक्त धनराशि अपुष्टिकृत रही विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-6

प्रस्तर संख्या-6 दिनांक 05.10.2010 को पी0ओ0एल0 एडवान्स से रु0 25000.00 लिया गया जिसे निम्न तिथियों में श्री चुनूबाद कैशियर द्वारा व्यय किया गया जिसका भुगतान गाड़ी में डीजल भरवाने में व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में गाड़ी की लॉगबुक देखने को नहीं मिली, जिससे सन्देहास्पद स्थिति प्रतीत होती है। अतः श्री चुनूबाद कैशियर से निम्न विवरण के अनुसार विभागीय कार्यवाही उपरान्त ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है, जिससे प्रतीत होता है कि निम्न मद का दुरुपयोग किया गया है विवरण निम्न है :-

मूल आ0सं0-7

दिनांक 05.12.2011 की चुनूबाद कैशियर चेक सं0-752126	5660.00	रुपये
02.05.2012 " " "	752180	8500.00
01.06.2012 " " "	752181	10840.00
योग -	25000.00	

प्रस्तर संख्या-7

दिनांक 19.04.2006 को डी0आ0डी0ए0 से प्राप्त धनराशि रु0 6500.00 इन्दिरा आवास योजना के तहत प्राप्त हुए जिसको निम्न तिथियों में लाभार्थियों को वितरित किया गया। वितरण रजिस्टर अप्राप्त रहा जिससे उपरोक्त मद की पुष्टि नहीं की जा सकी। विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक 19.04.2006	2000.00	रुपये
19.04.2006	1000.00	रुपये
19.04.2006	1000.00	रुपये
19.04.2006	1000.00	रुपये
19.04.2006	1500.00	रुपये

योग - 6500.00 रुपये

मूल आ0सं0-8

प्रस्तर संख्या-8 वर्ष 2008-09 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्याम औतार शुक्ला ग्राप पंचायत अधिकारी द्वारा 23258.00 रुपये का चेक सं0-753023 से भुगतान ब्लाक परिसर में भवनों की मरम्मत हेतु व्यय किया गया लेकिन ब्लाक परिसर के भवनों की हालत बहुत खराब है। पंचायत ए0डी0ओ0 (पी) के कार्यालय की छत गिरने वाली है, वहाँ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ले0प0 में बाउचर फाइल देखने को नहीं मिली जिससे अनियमितता प्रतीत होती है। विभागीय सन्दर्भित कर्मचारी/अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-9

प्रस्तर संख्या-9 निम्न तिथियों में श्री कमलेश कुमार प्रजापति ग्राम विकास अधिकारी द्वारा क्षेत्र पंचायत के राज्य वित्त योजना एवं 12वाँ वित्त योजना/13वाँ वित्त योजना के अन्तर्गत कार्य कराये हैं। लेखा परीक्षा में कराये गये कार्यों की बाउचर एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जिससे कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसकी सन्दर्भित कर्मचारी/अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है :-

मूल आ0सं0-11

राज्य वित्त	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	कार्य
"	01 / 2017	84536	24809.00	आर0सी0सी0रोड गोखिया
"	07.07.2008	753012	91023.00	आर0सी0सी0रोड छिवांव
"	01.09.2008	753027	48586.00	आर0सी0सी0रोड छिवांव
"	11 / 2008	753531	55231.00	नाली निर्माण सौता स्योढ़ा
"	12 / 2008	753537	33398.00	नाली निर्माण सौता स्योढ़ा
"	27.01.2009	753542.00	15241.00	मजदूरी भुगतान तिन्दुही
"	10.05.2010	758049	31200.00	असाव
"	17.07.2010	758387	28100.00	बरातघर अग्रिम
"	23.12.2010	316907	17850.00	आर0सी0सी0+नाली नदना ग्राम

"	28.08.2014	2091	49352.00	आर0सी0सी0
बारहवां वित्त	18.03.2008	134230	40081.00	समर्सिबल पम्प
"	30.04.2008	753002	4000.00	पड्ड बिडिंग
"	17.11.2008	753530	37965.00	गिरवां नाला निर्माण
"	02.08.2012	1857	47313.00	नाली बिगहना
"	01.02.2016	95569	127770.00	छिबांव नाला निर्माण
		योग	651919.00	

प्रस्तर संख्या-10 वर्ष 2013-14 के लेखा परीक्षा के समय पाया गया कि स्वजल धारा पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रचार/प्रसारी हेतु रू0 15000.00 बी0डी0ओ0 महुआ द्वारा दि0 28.03.2014 को चेक संख्या-752180 द्वारा आहरित किया गया। लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट नहीं हो सका कि प्रचार/प्रसार किया है या नहीं। विभागीय सन्दर्भित कर्मचारी/अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आ0सं0-13**

प्रस्तर संख्या-11 क्षेत्र पंचायत महुआ दिनांक 21.07.2011 को डी0डी0ओ0 बांदा द्वारा रू0 27477.00 वॉल पेंटिंग, बी0डी0ओ0 को दिया गया जिसमें 11.07.2012 को श्री चुनूबाद कैशियर द्वारा आहरण करके पेंटिंग करायी गयी जिसके बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें, जिसकी विभागीय सन्दर्भित कर्मचारी/अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

मूल आ0सं0-14

प्रस्तर संख्या-12

दिनांक 04.01.2008 को डी0डी0ओ0 द्वारा रू0 4460.00 स्वजल धारा योजना के अन्तर्गत धनराशि दी गयी जिसको बी0डी0ओ0 द्वारा श्री गोविन्द प्रसाद जे0ई0 आर0ई0एस0 को भुगतान किया गया, सम्बन्धित से प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जिससे रू0 4460.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः विभागीय सन्दर्भित कर्मचारी/अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-15

प्रस्तर संख्या-13

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश सं0 10/2015/ए-1-562/दस-2015-10(33)2010 दि0 29.05.2015 लखनऊ का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिससे यह निर्देशित है कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संख्या की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। अतः अर्जित ब्याज शासकीय कोष में जमा किया जाना चाहिए जो क्षेत्र पंचायत महुआ द्वारा नहीं किया गया है। अतः विभागीय सन्दर्भित कर्मचारी/अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आ0सं0-16

विवरण निम्नवत् है :-

प्राप्त धनराशि	माह/वर्ष
52609.00	सितम्बर, 2006
74902.00	मार्च, 2007
74564.00	सितम्बर, 2007
36582.00	मार्च, 2008
45931.00	सितम्बर, 2006
73851.00	मार्च, 2009
33674.00	सितम्बर, 2009
66454.00	मार्च, 2010
61447.00	सितम्बर, 2010
85249.00	मार्च, 2011
106807.00	अगस्त, 2011
18752.00	दिसम्बर, 2011
138404.00	फरवरी, 2011
207650.00	अगस्त, 2012
185332.00	फरवरी, 2013
161778.00	अगस्त, 2013
208779.00	फरवरी, 2014
272145.00	अगस्त, 2014
215877.00	फरवरी, 2015
327202.00	अगस्त, 2015
255846.00	फरवरी, 2016
72439.00	मार्च, 2016
64238.00	अगस्त, 2016
70499.00	नवम्बर, 2016
84676.00	फरवरी, 2017
2995687.00	योग

ग्रान्ट रजिस्टर— द्वितीय के अनुसार 2956876.78 अंकित है जबकि 2995687.78 लेखा परीक्षा के अनुसार ब्याज की गणना की गयी। अतः राजकीय कोषागार में रुपये 2995387.78 जमा किया जाना अपेक्षित है। अतः विभागीय सन्दर्भित कर्मचारी/अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद—चित्रकूट धाम
वार्षिक प्रतिवेदन 2016—17
क्षेत्र पंचायत— मऊ
आपत्ति पत्र वर्ष 2000—01 से 2006—07

प्रस्तर—1 लेखा परीक्षा में अनुदान रजि० प्रथम की जांच में पाया गया कि दिनांक 11.08.2004 को डी०आर०डी०ए० चित्रकूट के पत्रांक सं० 549/वि०नि०प्रथम किश्त/2003704 रू० 1246000.00 देय में बरहा कोटरा चैकडैम निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 560000.00 एवं पश्चिम पताई चैकडैम निर्माण हेतु प्रथम किश्त 686000.00 एवं द्वितीय किश्त डी०आर०डी०ए० चित्रकूट के पत्रांक सं० 669/वि०नि० द्वितीय किश्त/05—06 दिनांक 02.08.2005 द्वारा 41500.00 प्राप्त में बरहा कोटरा चैकडैम को रू० 186000.00 एवं पश्चिम पताई चैकडैम निर्माण हेतु 229000.00 चैकडैमों के निर्माण को पूर्ण कराने हेतु प्राप्त का लेखा, अनुदान रजि० 2 के पृष्ठ सं० 31,36,37 एवं 34 पर लेखा कर निम्न विवरणानुसार चैकडैम निर्माण हेतु नियुक्त कार्य प्रभारी एवं सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्म को निर्गत किये गये थे।

(1) ग्रा०प० बरहा कोटरा में चैकडैम निर्माण—

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण	सम्बन्धित को
03.09.04	856353	100204.00	सामग्री	ए०पी० सिंह ठेकेदार शंकर बाजार कर्वी
08.11.04	856357	40000.00	मास्टररोल	उदयभान ग्रा०वि०अ०/कार्य प्रभारी
08.11.04	856358	68432.00	सीमेन्ट	मे० चित्रकूट एसो०इला०बांदा रोड मऊ
14.12.04	856363	128625.00	सामग्री	ए०पी० सिंह ठेकेदार कर्वी
14.12.04	856364	68432.00	सीमेन्ट	मे० चित्रकूट एसो० मऊ
14.12.04	856365	16285.00	मास्टररोल	उदयभान कार्यप्रभारी
09.03.05	856372	92383.00	सीमेन्ट	मे० चित्रकूट एसो० मऊ
09.03.05	856373	21712.00	मास्टररोल	उदयभान कार्यप्रभारी
27.09.05	220995	152140.00	मास्टररोल	उदयभान कार्यप्रभारी
17.11.05	220999	8686.00	सामग्री	ए०पी० सिंह ठेकेदार शंकर बाजार कर्वी
17.11.05	221000	15358.00	सीमेन्ट	मे० चित्रकूट एसो० मऊ
योग		712257.00		

उपरोक्त किये गये व्यय की पुष्टि में कार्यप्रभारी द्वारा क्षेत्र पंचायत को उपलब्ध कराये गये व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं कैशबुक (विधायक निधि की कैशबुक पारित निर्देशानुसार कार्य प्रभारी द्वारा तैयार की जानी चाहिये) के साथ संस्था द्वारा सृजित संपत्ति का परिसंपत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे यह ज्ञात न हो सका कि कार्यप्रभारी संस्था को संपत्ति का हस्तांतरण हुआ या नहीं। अतः उक्त कार्य पर किया गया। व्यय रू० 712257.00 अनियमित व्यय प्रतीत होता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नन्हाई एवं तत्कालीन लेखाकार ओमप्रकाश करवरिया पूर्णरूप से उत्तरदायी है एवं दोनों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(2) ग्रा०प० पश्चिम पताई चैकडैम निर्माण—

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण	सम्बन्धित को
03.09.04	856354	102189.00	सामग्री	ए०पी० सिंह ठेकेदार शंकर बाजार कर्वी
14.12.04	856366	90451.00	सामग्री	ए०पी० सिंह ठेकेदार शंकर बाजार कर्वी
10.02.05	856369	312461.00	सीमेन्ट	मे० चित्रकूट एसो० इलाहाबाद बांदा रोड मऊ
15.02.05	856370	61016.00	मास्टररोल	उदयभान ग्रा०वि०अ०/कार्यप्रभारी
22.02.05	856371	97000.00	मास्टररोल	उदयभान ग्रा०वि०अ०/कार्यप्रभारी
27.09.05	220993	214462.00	मास्टररोल	उदयभान ग्रा०वि०अ०/कार्यप्रभारी
योग		877579.00		

उपरोक्त किये गये व्यय की पुष्टि में कार्यप्रभारी द्वारा क्षेत्र पंचायत को उपलब्ध कराये गये व्यय प्रमाणक/मास्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं कैशबुक (विधायक निधि की कैशबुक पारित निर्देशानुसार कार्य प्रभारी द्वारा तैयार की जानी चाहिये) के साथ संस्था द्वारा सृजित संपत्ति का परिसंपत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे यह ज्ञात न हो सका कि कार्यदायी संस्था को संपत्ति का हस्तांतरण हुआ या नहीं। अतः उक्त कार्य पर किया गया व्यय रू० 877579.00 अनियमित व्यय प्रतीत होता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नन्हाई

एवं तत्कालीन लेखाकार श्री ओम प्रकाश करवरिया पूर्णरूप से उत्तरदायी है एवं दोनों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-05)

प्रस्तर- 2 लेखा परीक्षा में अनुदान रजि0 2 के पृष्ठ सं0 67 पर एसजीआरवाई (कंटीनजेंसी) के नये खाते डीसीबी मऊ खाता सं0 3013 से दिनांक 05.06.03 को चेक संख्या 14726 से श्री सिपाही लाल को निर्गत धनराशि रू0 2500 का पूर्ण विवरण अनुदान रजि0 2 में किस उद्देश्य हेतु देय का उल्लेख दर्शित नहीं था और न ही लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत थे। स्पष्ट है कि बिना उद्देश्य बिना प्रमाणक के निर्गत चेक की भुगतानित धनराशि अपहरित प्रतीत होती है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार चौधरी एवं तत्कालीन लेखाकार (एनआरईपी) श्री विष्णुकान्त खरे उत्तरदायी है। अतः रू0 2500/- की वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-06)

प्रस्तर- 3- लेखा परीक्षा में अनुदान रजि-02 की जांच में पाया गया कि पृष्ठ संख्या 67 पर एसजीआरवाई (कंटीजेंसी) में प्राप्त धनराशि से गाडी सं0 यूपी-96/2658 में निम्न विवरणानुसार डीजल व्यय दर्शित था-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
06.09.03	14732	3442.00	चित्रकूट फीलिंग स्टेशन बेडी पुलिया
18.10.03	14733	7440.00	चित्रकूट फीलिंग स्टेशन बेडी पुलिया
15.11.03	14737	2543.00	चित्रकूट फीलिंग स्टेशन बेडी पुलिया
19.12.03	587271	5065.00	चित्रकूट फीलिंग स्टेशन बेडी पुलिया
30.01.04	207001	6657.00	चित्रकूट फीलिंग स्टेशन बेडी पुलिया
21.02.04	207004	6248.00	चित्रकूट फीलिंग स्टेशन बेडी पुलिया
27.02.04	207006	7222.00	चित्रकूट फीलिंग स्टेशन बेडी पुलिया
योग		38617.00	

उपरोक्त पर निम्न आपत्तियां पायी गई है-

- 1- गाडी सं0 यूपी-96/2658 मानिकपुर विकासखण्ड से सम्बन्धित थी।
- 2- लॉग बुक प्रस्तुत नहीं रही।
- 3- फीलिंग स्टेशन से प्राप्त बिल, गाडी परिचालक द्वारा प्रमाणित नहीं थी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि गाडी सं0 यूपी-96/2658 पर डीजल के रूप में भुगतानित राशि 38617.00 अपहरित प्रतीत होती है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजवंत सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार (एनआरईपी) श्री विष्णुकान्त खरे उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-07)

प्रस्तर- 04- लेखा परीक्षा में अनुदान रजि-2 की जांच में पाया गया कि एसजीआरवाई से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के सुचारु रूप से संचालन हेतु निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के विद्यालयों में किचेन शेड निर्माण हेतु ग्रा0प0वि0 अधिकारी एवं ग्राम प्रधान को संयुक्त रूप से निम्नविवरणानुसार धनराशि भुगतानित की गई-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	ग्राम पंचायत
27.12.05	275109	20000.00	औंझर
27.12.05	275109	20000.00	कोटरा खंभा
28.12.05	275116	20000.00	सुरौधा
28.12.05	275117	20000.00	बम्बुरी
28.12.05	275118	20000.00	चकौर
08.02.06	275136	15000.00	सुरौधा
08.02.06	275137	15000.00	चकौर
08.02.06	275138	15000.00	बम्बुरी
08.02.06	275139	15000.00	औंझर
08.02.06	275139	15000.00	कोटरा खंभा
योग		175000.00	

उपरोक्त किचेन शेडों के निर्माण की पुष्टि में ब्लूप्रिंट (नक्शा), व्यय, प्रमाणक, ग्रा0प0 की कैशबुक की छायाप्रति, विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के साथ-साथ खण्ड विकास अधिकारी मऊ को हस्तांतरित किचेन शेड की प्राप्ति, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने से किचेन शेडों के लिए भुगतानित धनराशि 175000/- दुरुपयोगित प्रतीत होती है, जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नन्हाई एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती शोभा देवी उत्तरदायी रहे। अतः विभागीय रू0 175000.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख से ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर- 05- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजि0 की जांच में पाया गया कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत औंझर-खण्डेहा मार्ग में रपटा निर्माण/चेकडैम निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार धनराशि निर्गत की गई, दर्शित था-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण	सम्बन्धित को
26.02.02	668500	50000.00	अंकित नहीं	से0प्र0श्रीएस0के0 सिन्हा जेई(आरईएस) कार्यप्रभारी
19.03.02	666440	121500.00	अंकित नहीं	से0प्र0श्रीएस0के0 सिन्हा जेई(आरईएस) कार्यप्रभारी
22.03.02	666005	109081.00	अंकित नहीं	से0प्र0श्रीएस0के0 सिन्हा जेई(आरईएस) कार्यप्रभारी
26.03.02	666008	141801.00	अंकित नहीं	से0प्र0श्रीएस0के0 सिन्हा जेई(आरईएस) कार्यप्रभारी
30.03.02	666009	81000.00	अंकित नहीं	से0प्र0श्रीएस0के0 सिन्हा जेई(आरईएस) कार्यप्रभारी
26.04.02	666903	144482.00	सामग्री	से0प्र0श्रीएस0के0 सिन्हा जेई(आरईएस) कार्यप्रभारी
26.04.02	666904	28545.00	मास्टर रोल	से0प्र0श्रीएस0के0 सिन्हा जेई(आरईएस) कार्यप्रभारी
13.05.02	666907	52996.00	अंकित नहीं	से0प्र0श्रीएस0के0 सिन्हा जेई(आरईएस) कार्यप्रभारी
25.06.02	740732	46910.00	अंकित नहीं	से0प्र0श्रीएस0के0 सिन्हा जेई(आरईएस) कार्यप्रभारी
22.03.03	588600	69840.00	अंकित नहीं	से0प्र0श्रीएस0के0 सिन्हा जेई(आरईएस) कार्यप्रभारी
योग		846155.00		

उपरोक्त किये गये व्यय की पुष्टि में कार्य प्रभारी द्वारा क्षेत्र पंचायत को उपलब्ध कराये गये व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ संस्था द्वारा सृजित सम्पत्ति का परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे यह ज्ञात न हो सका कि कार्यदायी संस्था को सम्पत्ति का हस्तांतरण हुआ या नहीं साथ ही निर्गत धनराशि किस मद सामग्री/मास्टर रोल हेतु की गई विवरण के अंकन के अभाव में अज्ञात रहा अतः उक्त कार्य पर किया गया व्यय रु0 846155.00 अनियमित व्यय प्रतीत होता है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश स्वरूप, श्री विजय कुमार चौधरी एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती शोभा देवी उत्तरदायी रहे। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूआ0सं0-09)

प्रस्तर- 06- आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 (सी) के अनुसार राजकीय अनुदान से कराये गये निर्माण कार्य में सामग्री आपूर्ति पर आयकर 2.24 प्रतिशत, व्यापार कर 4 प्रतिशत एवं रॉयल्टी की काटी गई धनराशियों को समयान्तर्गत प्रत्येक तैमासिक के अंत में लेखा शीर्ष 21 में जमा किया जाना था, जो वर्ष 2000-01 से 06-07 तक में नहीं किया गया था। अगर किया गया था तो काटी गयी धनराशियों के सापेक्ष आयकर, व्यापार कर एवं रॉयल्टी से सम्बन्धित पुष्टि प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

दिनांक	चेक सं0	एसजीआरवाई I	एसजीआरवाई II	राज्य वित्त / 12वां वित्त	सांसद निधि	विधायक निधि	योग
		अकाउंट नं0 3713	अकाउंट नं0 20025				
18.03.04	587223	46213.00	—	—	—	—	46213.00
18.03.04	814350	—	—	—	—	1968	1968.00
31.03.04	587245	42451.00	—	—	—	—	42451.00
28.03.05	276721	81513.00	—	—	—	—	81513.00
28.03.05	276907	—	60829.00	—	—	—	60829.00
28.03.05	276820	—	—	86502.00	—	—	86502.00
28.03.05	856376	—	—	—	—	81786	81786.00
28.03.05	946053	—	—	—	1093	—	1093.00
06.10.05	947972	40119.00	—	—	—	—	40119.00
25.11.05	443333	—	20517.00	—	—	—	20517.00
25.11.05	276834	—	—	9570.00	—	—	9570.00
06.10.05	220996	—	—	—	—	2896	2896.00
29.03.06	275147	114045.00	—	—	—	—	114045.00
29.03.06	443366	—	32621.00	—	—	—	32621.00
29.03.06	276858	—	—	109240.00	—	—	109240.00
29.03.06	948232	—	—	—	—	20315	20315.00
17.08.06	443371	—	4200.00	—	—	—	4200.00
17.08.06	276868	—	—	9252.00	—	—	9252.00
17.08.06	948238	—	—	—	—	10455	10455.00
योग-		324341.00	118167.00	214564.00	1093.00	117420	775585.00

(मूआ0सं0-10)

प्रस्तर 07— आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कार्यालय भवन की पुताई एवं मरम्मत कार्य हेतु अग्रिम धनराशि कार्यप्रभारी श्रीकांत यादव (एडीओ पंचा0) द्वारा ली गई। किन्तु सम्बन्धित प्रभारी द्वारा अग्रिम धनराशि के सापेक्ष दिये गये व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में धन का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है, जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजवंत एवं तत्कालीन लेखाकार श्री विष्णुकान्त खरे उत्तरदायी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

दिनांक	चेक संख्या	खाता संख्या	अग्रिम राशि	कार्यप्रभारी का नाम
04.12.03	959979	2190	2000.00	श्रीकांत यादव एडीओ (पी)
20.12.03	959980	2190	5363.00	श्रीकांत यादव एडीओ (पी)
08.01.04	587274	3013	6814.00	श्रीकांत यादव एडीओ (पी)
योग—			14177.00	

(मू0आ0सं0—16)

प्रस्तर 08— आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त/12वां वित्त से कार्यालय भवन मरम्मत एवं विकास खण्ड के समकक्ष में कार्य कराने हेतु कार्य प्रभारी श्री उदयभान ग्रा0वि0 अधिकारी को निम्नानुसार अग्रिम धनराशि दी गई थी, जिसकी पुष्टि में अग्रिम पंजिका एवं कराये गये कार्य की प्रमाणिकता हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अग्रिम भुगतान अपहर्त प्रतीत होती है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नन्हाई एवं लेखाकार श्री ओमप्रकाश करवरिया उत्तरदायी है, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

दिनांक	चेक सं0	खाता संख्या	कार्य का विवरण
05.12.05	276839	35000.00	कार्या0 के समकक्ष में लोहे की जाली/जंगला/लोहे का दरवाजा एवं पुताई कार्या0 मरम्मत एवं साजसज्जा कार्या पुताई एवं बाउण्ड्रीवाल
29.03.06	276859	25000.00	कार्यालय मरम्मत एवं साजसज्जा
16.05.06	276862	20000.00	कार्यालय पुताई एवं बाउण्ड्रीवाल
योग—		80000.00	

(मू0आ0सं0—17)

प्रस्तर 09— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजि-2 की जांच में पाया गया कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मनकुवार से दौलतपुर सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार धनराशि निर्गत की गई—

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण	सम्बन्धित को
22.12.01	668494	40000.00	अंकित नहीं	श्री उदयभान कार्यप्रभारी ग्रा0वि0 अधिकारी
30.03.02	666010	33577.00	अंकित नहीं	श्री उदयभान कार्यप्रभारी ग्रा0वि0 अधिकारी
26.04.02	666906	10665.00	अंकित नहीं	श्री उदयभान कार्यप्रभारी ग्रा0वि0 अधिकारी
24.05.02	666908	32005.00	अंकित नहीं	श्री उदयभान कार्यप्रभारी ग्रा0वि0 अधिकारी
11.09.03	818408	73388.00	अंकित नहीं	श्री उदयभान कार्यप्रभारी ग्रा0वि0 अधिकारी
योग		189635.00		

उपरोक्त किये गये व्यय की पुष्टि में कार्यप्रभारी द्वारा क्षेत्र पंचायत को उपलब्ध कराये गये व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ संस्था द्वारा सृजित सम्पत्ति का परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह ज्ञात न हो सका कि कार्यदायी संस्था (क्षेत्र पंचायत) को सम्पत्ति का हस्तांतरण हुआ या नहीं। साथ ही निर्गत धनराशि किस मद (सामग्री/मास्टर रोल) हेतु की गई, विवरण के अंकन के अभाव में अज्ञात रहा। अतः उक्त कार्य पर किया गया व्यय क्र0 रू0 189635.00 अनियमित व्यय प्रतीत होता है, जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश स्वरूप, श्री विजय कुमार चौधरी एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख शोभा देवी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0—22)

प्रस्तर 10— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया कि कार्य के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत देवरा चेकडैम निर्माण हेतु विवरणानुसार धनराशि निर्गत की गई दर्शित था—

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण	सम्बन्धित को
24.03.05	276903	73320.00	सामग्री	श्री महेन्द्र सिंह ठेकेदार नादिन कुर्मियान
24.03.05	276904	425611.00	सामग्री	श्री महेन्द्र सिंह ठेकेदार नादिन कुर्मियान
23.04.05	276915	37986.00	मास्टर रोल	श्री जयप्रकाश यादव (अ0अभि0लघ0सि0)
07.01.07	443373	144859.00	सामग्री	श्री महेन्द्र सिंह ठेकेदार
22.01.07	443374	105772.00	मास्टर रोल	श्री जयप्रकाश यादव (अन0अभि0ल0सि0)
योग—		787548.00		

उपरोक्त किये गये व्यय की पुष्टि में कार्यप्रभारी द्वारा क्षेत्र पंचायत को उपलब्ध कराये गये व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ संस्था द्वारा सृजित सम्पत्ति का परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे यह ज्ञात न हो सका कि संस्था (क्षेत्र पंचा0) को सम्पत्ति का हस्तांतरण हुआ या नहीं।

उक्त विवरण से यह भी ज्ञात हुआ कि लगभग 22 माह तक चेकडैम का निर्माण कार्य बन्द रहा जिससे पूर्व में कराये गये कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुई। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय रू0 787548.00

अनियमित व्यय प्रतीत होता है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नन्हाई एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती शोभा देवी एवं श्री द्वारिका प्रसाद द्विवेदी उत्तरदायी रहे, अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मू0आ0स0-23)

प्रस्तर 11- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया कि कार्य के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वियावल चेकडैम/रपटा निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार धनराशि निर्गत की गई दर्शित था-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण	सम्बन्धित को
09.05.05	276922	146350.00	सामग्री	मे0 जय माँ शारदा सप्लायर बरगढ
09.05.05	276923	56256.00	सीमेन्ट	गुप्ता ट्रेडर्स मऊ
09.05.05	276924	24673.00	मस्टर रोल	श्री जयप्रकाश यादव (अवर अभि0ल0लि0)
18.05.05	276928	56000.00	मस्टर रोल	श्री जयप्रकाश यादव (अवर अभि0ल0लि0)
02.02.06	443359	96820.00	सामग्री	मे0 जय माँ शारदा सप्लायर बरगढ
20.07.06	443370	98448.00	सीमेन्ट	मे0 सुरेश कुमार गुप्ता मऊ
योग-		478547.00		

उपरोक्त किये गये व्यय की पुष्टि में कार्यप्रभारी द्वारा क्षेत्रपंचायत को उपलब्ध कराये गये व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ संस्था द्वारा सृजित सम्पत्ति का परिसम्पत्ति रजि0 लेखा परीक्षण में अप्राप्त रहा। जिससे यह ज्ञात न हो सका कि कार्यदायी संस्था (क्षेत्र पंचायत) को सम्पत्ति का हस्तांतरण हुआ या नहीं। अतः उक्त कार्य पर किया गया व्यय रू0 478547.00 अनियमित व्यय प्रतीत होता है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नन्हाई एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती शोभा देवी एवं श्री द्वारिका प्रसाद द्विवेदी उत्तरदायी रहे। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मू0आ0स0-24)

क्षेत्र पंचायत- रामनगर

वार्षिक प्रतिवेदन

प्रस्तर 12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या 423 दिनांक 09.12.98 के आर्थिक गणना मानदेय रू0 34730.00 का लेखा अनुदान रजिस्टर द्वितीय में दिनांक 05.11.99 को कर दिनांक 28.01.99 को 43 कर्मचारियों को रू0 33720.00 मानदेय वितरण पश्चात् अवशेष रूपया 1010.00 अनुदान रजिस्टर द्वितीय नये रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 4 पर अंकित कर दिनांक 13.08.2003 को सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित के बाद पुनः उक्त अवशेष धनराशि का लेखा अनुदान रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ संख्या 19 पर किया को दिनांक 01.04.99 के प्रारम्भिक अवशेष में नरखकर/दर्शाकर, हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र बाद प्राप्ति रसीद एवं अवशेष अनुदान जिस खाता अधीन जमा था (बैंक पास बुक) प्रस्तुत न रहने से अनुदान रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ संख्या 19 पर वितरण पश्चात् अवशेष रू0 1010.00 अपहरित प्रतीत होता है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार जिम्मेदार रहे।

अतः रू0 1010.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नन्हाई राम एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर 13- अनुदान रजिस्टर द्वितीय की जांच से श्री सत्तार अहमद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सेक्टर प्रभारी नियुक्त कर क्षेत्र पंचायत रामनगर में कराये गये कार्यों पर निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित था।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	कराये कार्य का संक्षिप्त विवरण
09.08.2002	477148	50000.00	रामनगर पुलिया निर्माण
14.09.2002	477156	33111.00	रामनगर पुलिया निर्माण
01.11.2002	477164	20000.00	लोधौरा बरेठी सम्पर्क मार्ग
16.11.2002	477167	10000.00	लोधौरा बरेठी सम्पर्क मार्ग
26.11.2002	477168	41394.00	उपरोक्त मार्ग पर पुलिया निर्माण
09.12.2002	479221	21920.00	लोधौरा बरेठी मार्ग
17.04.2003	479226	6000.00	उपरोक्त मार्ग पर पुलिया निर्माण
27.05.2003	813816	14279.00	उपरोक्त मार्ग पर पुलिया निर्माण
योग-		196704.00	

क्षेत्र पंचायत रामनगर द्वारा सेक्टर प्रभारी को उपरोक्त भुगमानित धनराशि की पुष्टि में सेक्टर प्रभारी द्वारा प्रस्तुत व्यय-प्रमाण एम0बी0 एवं कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र साथ-साथ संस्था द्वारा निर्मित निर्माण रजिस्टर परिसम्पत्ति रजिस्टर एवं अचल सम्पत्ति का रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से उपरोक्त भुगतानित धनराशि रू0 196704.00 दुरुपयोगित/अनियमित प्रतीत होती है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त दुरुपयोगित/अनियमित धनराशि रू0 196704.00 की ब्याज सहित वसूली विभागीय तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती ऊषा सिंह एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र तिवारी एवं नन्हाई राम से तथा सेक्टर प्रभारी भी सत्तार अहमद तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-6)

प्रस्तर 14- अनुदान रजिस्टर द्वितीय की जांच से श्री सतीश कुमार पाण्डेय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रामनगर को सेक्टर प्रभारी कर निम्न विवरणानुसार धनराशि का भुगतान कार्य के पूर्ण सम्पादन हेतु किया गया था-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	कराये कार्य का संक्षिप्त विवरण
16.04.2002	477125	29008.00	तिवारी पुरवा से भभेट सम्पर्क मार्ग
04.06.2002	477131	50000.00	उपरोक्त पर पुलिया निर्माण
09.12.2002	479224	32384.00	उपरोक्त पर पुलिया निर्माण
24.04.2003	818812	27735.00	उपरोक्त पर पुलिया निर्माण
07.05.2002	477126	24416.00	नाइकन तालाब खुदाई
08.05.2002	477127	36204.00	बान्धी तालाब खुदाई
09.08.2002	477147	55636.00	बान्धी तालाब खुदाई
24.04.2003	813811	81368.00	बान्धी तालाब खुदाई
29.06.2002	639833	86996.00	कुई तालाब खुदाई
14.09.2002	477158	54600.00	राजापुर हटवा मार्ग लिंग रोड
योग—		478347.00	

उपरोक्त भुगतानित धनराशि 478347.00 की पुष्टि में सेक्टर प्रभारी श्री पाण्डेय द्वारा संस्था को प्रस्तुत व्यय-प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 एवं संस्था द्वारा निर्मित निर्माण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर एवं अचल सम्पत्ति का रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से उपरोक्त भुगतानित धनराशि 478347.00 श्री पाण्डेय द्वारा उपरोक्त कार्य पर किया गया व्यय दुरुपयोगित/अनियमित प्रतीत होता है जिसके लिए श्री पाण्डेय के साथ-साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार रहे।

अतः रू0 478347.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सतीश कुमार पाण्डेय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नन्हाई राम तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती ऊषा सिंह से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर 15—तुलसी ग्रामीण बैंक शाखा लालता रोड में खोले बचत खाता संख्या 1781 में दिनांक 31.03.1999 को रू0 986680.00 अनुदान इन्दिरा आवास योजना अवशेष का लेखा अनुदान रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ संख्या 128 पर दर्शित था में वर्ष 1999-2000 में रू0 825000.00 खाते में प्राप्त अनुदान का लेखा कर वर्ष 96-97, 97-98 एवं 98-99 में चयनित लाभार्थियों को चेक के माध्यम से स्थल विकास हेतु रू0 425480.00 द्वितीय किस्त के रूप में रू0 753920.00 एवं अन्तिम किस्त के रूप में रू0 61920.00 तथा 198 नग नेम प्लेट हेतु दिनांक 02.07.99 को रूपया 23760.00 इस प्रकार कुल रू0 1265080.00 का भुगतान चयनित लाभार्थियों को किया गया था।

रूपया 1265080.00 भुगतानित अनुदान इन्दिरा आवास योजना की पुष्टि में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमादित चयनित सूची लाभार्थियों की 198 नग नेम प्लेट सूची चयनित लाभार्थियों द्वारा निर्मित आवासों का सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन की आख्या प्रस्तुत न रहने से इन्दिरा आवास योजना अनुदान भुगतानित लाभार्थियों को रू0 1265080.00 दुरुपयोगित/अनियमित प्रतीत होता है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार रहे।

अतः रू0 1265080.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम चन्द्र सिंह एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती ऊषा सिंह से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-9)

प्रस्तर 16—परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चित्रकूट के पत्रांक संख्या 1394/बा0सं0यो0/धनचेक 99-2000 दिनांक 19.02.2000 चेक संख्या 106153 में अंकित धनराशि रू0 16500.00 प्राप्त को तुलसी ग्रामीण बैंक में खुले खाता संख्या 3256 में जमा कर दिनांक 29.09.2000 को चेक संख्या 475161 से स्वयं (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा अहरित कर रू0 500.00 प्रति बालिका की दर से 33 बालिकाओं की मां को नगद भुगतान बालिका समृद्धि योजनान्तर्गत किये कि पुष्टि में 33 बालिकाओं की मांओं से प्राप्त प्राप्ति रसीद प्रस्तुत न रहने से वितरित रू0 16500.00 अपहरित प्रतीत होता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार जिम्मेवार रहे।

अतः रू0 16500.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजवन्त सिंह एवं तत्कालीक लेखाकर श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-10)

प्रस्तर 17—क्षेत्र पंचायत रामनगर को रपटा निर्माण (1) भडमडा से महुलिया सम्पर्क मार्ग पर एवं (2) इटवा से महुलिया सम्पर्क मार्ग पर, विधायक निधि से प्राप्त अनुदान रू0 40500.00 परियोजना निर्देशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पत्रांक संख्या 1754/विधायक निधि/2003-2004 दिनांक 14.01.2004 को प्राप्त इलाहाबाद बैंक शाखा रामनगर में बचत खाता संख्या 4262 अधीन जमा कर उससे अहरित धनराशि श्री रामचरन कुशवाहा ए0डी0ओ0 (ए0जी0) को सेक्टर प्रभारी नियुक्त कर प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर द्वितीय से उपरोक्त रपटा निर्माण पर निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित था—

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
12.03.2004	218851	20000.00	भडमडा महुलिया स0मा0 पर रपटा निर्माण
12.03.2004	218852	21000.00	भडमडा महुलिया स0मा0 पर रपटा निर्माण
31.03.2004	218853	21000.00	भडमडा महुलिया स0मा0 पर रपटा निर्माण
17.04.2004	218856	5000.00	भडमडा महुलिया स0मा0 पर रपटा निर्माण
17.04.2004	218857	15000.00	भडमडा महुलिया स0मा0 पर रपटा निर्माण

01.05.2004	218859	21000.00	पाण्डे सीमेन्ट स्टोर मऊ रपटा निर्माण
17.05.2004	218860	10416.00	उपरोक्त रपटा नि० की मजदूरी
11.06.2004	218861	20832.00	उपरोक्त रपटा नि० की मजदूरी
18.06.2004	218862	13500.00	उपरोक्त रपटा पर सरिया (मे० मंगला प्रसाद से)
30.06.2004	218863	42000.00	उपरोक्त रपटा पर सीमेन्ट (पाण्डेय सीमेन्ट)
19.07.2004	218864	75588.00	उपरोक्त रपटा पर सामग्री (मे० सूर्य बली से)
10.10.2004	218865	13500.00	उपरोक्त रपटा पर सरिया (राम चरन कुशवाहा)
30.12.2004	218867	75626.00	उपरोक्त रपटा पर मजदूरी (राम चरन कुशवाहा)
30.02.2005	218868	2550.00	उपरोक्त रपटा पर सटरिंग की अवशेष मजदूरी
24.02.2005	218870	17218.00	उपरोक्त रपटा पर सीमेन्ट (राम सरन कुशवाहा)
30.02.2005	218869	10360.00	उपरोक्त रपटा पर सरिया (पाण्डेय सीमेन्ट स्टोर से)
20.04.2005	218871	12659.00	उपरोक्त रपटा पर सरिया (राम चरन कुशवाहा)
योग—		397249.00	

उपरोक्त व्यय की पुष्टि में सेक्टर प्रभारी श्री राम चरन कुशवाहा द्वारा संस्था को प्रस्तुत कराये व्यय—प्रमाणक, एम०बी० कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र एवं अलग से कैश—बुक आदि, संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि एवं कार्य की प्रमाणिकता हेतु उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने से भुगतानित रू० 397249.00 दुरुपयोगित/अनियमित प्रतीत होता है जिसके लिये सेक्टर प्रभारी श्री राम चरन कुशवाहा तत्कालीक खण्ड विकास अधिकारी श्री नन्हाई राम एवं तत्कालीक ब्लाक प्रमुख श्रीमती ऊषा सिंह जिम्मेवार रहे।

अतः रू० 397249.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीक खण्ड विकास अधिकारी श्री नन्हाई राम एवं तत्कालीक ब्लाक प्रमुख श्रीमती ऊषा सिंह तथा सेक्टर प्रभारी श्री रामचरन कुशवाहा से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या—11)

प्रस्तर 18— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर द्वितीय की जांच से सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से निम्न विवरणानुसार पुलिया निर्माण दर्शित था—

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	सेक्टर प्रभारी	कार्य विवरण (स्थान)
06.04.2002	477122	70000.00	श्री ए०क्यू० सिद्धकी अवर अभि० (ल०सि०)	लौधोरा बरेठी में
06.04.2002	477124	70000.00	“	सिहपुरा घुरेहटा में
29.06.2002	477140	40000.00	“	परानोसन्ना बाबा मार्ग पर
योग—		180000.00		

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे—

- 1— सेक्टर प्रभारी द्वारा उपरोक्त कार्य की पुष्टि में व्यय—प्रमाणक, एम०बी० एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे।
- 2— संस्था द्वारा भुगतानित धनराशि पूर्णांक में का उपभोग पश्चात अवशेष धनराशि संस्था को वापस नहीं थी स्पष्ट है धनराशि का उपभोग पूर्णांक में था।
- 3— उक्त निर्माण कार्य की पुष्टि या सृजित सम्पत्ति हेतु निर्मित परिसम्पत्ति रजिस्टर एवं निर्माण रजिस्टर संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं से पुलिया निर्माण पर भुगतानित धनराशि रू० 180000.00 दुरुपयोगित/अनियमित प्रतीत होती है जिसके लिए सेक्टर प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख जिम्मेवार रहे।

अतः रू० 180000.00 की ब्याज सहित वसूली विभागीय तत्कालीक खण्ड विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र तिवारी, तत्कालीक ब्लाक प्रमुख श्रीमती ऊषा सिंह एवं तत्कालीक सेक्टर प्रभारी श्री ए०क्यू० सिद्धकी से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या—12)

प्रस्तर 19— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर द्वितीय की जांच में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से 12 ग्राम पंचायतों के विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना संचालित हेतु किचन शेड का निर्माण ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान को संयुक्त रूप से प्रति किचन 25000.00 देकर कराया का विवरण निम्न प्रकार था—

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	ग्राम पंचायत	नाम विद्यालय
26.12.2005	015821	25000.00	रूपौली	प्रा०वि० रीठी
26.12.2005	015822	25000.00	धनुवां	प्रा०वि० धनुवा
26.12.2005	015823	25000.00	बांधी	प्रा०वि० बांधी
26.12.2005	015824	25000.00	घुरेहटा	प्रा०वि० घुरेहटा
26.12.2005	015825	25000.00	चौराहा	प्रा०वि० चौराहा
26.12.2005	015826	50000.00	लौरी	प्रा०वि० लौरी व हनुमानगंज
26.12.2005	015827	25000.00	छीबो	प्रा०वि० सीढीका पुरवा
26.12.2005	015828	25000.00	ढेऊँधा	प्रा०वि० खोर देऊँधा
26.12.2005	015829	25000.00	रेरूवा	प्रा०वि० रेरूवां

26.12.2005	015830	25000.00	पिपरौद	प्रा0वि0 पिपरौदा
26.12.2005	015831	25000.00	ढढवार	प्रा0वि0 ढढवार
26.12.2005	015832	25000.00	खजुरिहाकला	प्रा0वि0 खजुरिहा कला
योग—		325000.00		

उपरोक्त किचन शेड निर्माण की पुष्टि में ब्लू प्रिन्ट (नक्शा) व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की कैश बुक की छायाप्रति, विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के साथ-साथ खण्ड विकास अधिकारी, रामनगर को हस्तान्तरित किचन शेड की प्रप्ति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने से किचन शेड के लिए भुगतानित धनराशि 325000.00 दुरुपयोगित/अनियमित प्रतीत होती है जिसके लिये तत्कालीक ब्लाक प्रमुख एवं तत्कालीक खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेवार रहे।

अतः रू0 325000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख ऊषा सिंह एवं तत्कालीक खण्ड विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र तिवारी से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-13)

प्रस्तर 20— जिला विकास अधिकारी चित्रकूट के पत्रांक 2432/लेखा रा0उ0च0 बजट 98-99 दिनांक 20.03.99 को रू0 1624 प्राप्त का लेखा अनुदान रजिस्टर द्वितीय में दिनांक 15.04.99 को कर दिनांक 15.07.99 को चेक संख्या 103089 से रू0 1624 श्री जगदीश पुत्र श्री भोण्डा निवासी बरिया को चूल्हा मरम्मत हेतु भुगतान की पुष्टि में मरम्मत चूल्हे की संख्या, चूल्हे के स्वामी का नाम, पता एवं कार्य पूर्व की आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने से चूल्हा मरम्मत पर भुगतानित रू0 1624.00 व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अपहरित प्रतीत होता है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार रहे।

अतः रू0 1624.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र सिंह से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-15)

प्रारूप-03

जनपद-हमीरपुर मण्डल का नाम — चित्रकूट धाम, बांदा।

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां वर्ष 2016-17

प्रस्तर सं0-1:— क्षेत्र पंचायत मुस्करा में संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में प्राप्त ब्याज को शासनादेश सं0-10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक-21.05.2015 वित्त लेखा अनुभाग-1 के अनुसार प्राप्त ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त ब्याज की धनराशि
1	2016-17	राज्य वित्त आयोग	1,19,826.00
2	2016-17	तेरहवां वित्त आयोग	370.00
3	2016-17	पिछड़ा क्षेत्र निधि अनुदान	455.00
4	2016-17	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज जिलांश	41,635.00
योग —			1,62,286.00

वर्ष 2016-17 में उक्त मदों से प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिससे सम्पूर्ण ब्याज रू0- 1,62,286.00 को राज्य सरकार के राजकीय कोष में चालान द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित है। अस्तु गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-2 :— क्षेत्र पंचायत मुस्करा में निम्नलिखित तिथियों में जिसमें रायल्टी निर्धारित दर से कम काटी गयी है, 39वां संशोधन खनिज एवं लौहकर्म का विभाग के अनुसार दरें निम्नवत है।

क्र0सं0	सामग्री	रूपये प्रति घन मीटर
1	साधारण बालू	65.00 प्रति घन मीटर
2	सी0 सैण्ड, कोर्स सैण्ड	150.00 प्रति घन मीटर
3	गिट्टी	160.00 प्रति घन मीटर
4	मिट्टी	30.00 प्रति घन मीटर

क्र0 सं0	दिनांक—	निर्माण कार्य	फर्म का नाम	क्रय सामग्री की मात्रा	संस्था द्वारा काटी गयी रायल्टी की धनराशि	ले0प0 के अनुसार रायल्टी की धनराशि	अन्तर की धनराशि
1	16.06.2016	विकास खण्ड कार्यालय में विपणन केन्द्र जीर्णोद्धार	में0 लखन आयरन स्टोर, मुस्करा	सी0 सैण्ड— 11.7 घनमीटर लोकल सैण्ड— 11.7 घनमीटर गिट्टी — 18. घनमीटर	1,751.00 शून्य 1,836.00	1,755.00 760.00 2,880.00	760.00 1,044.00

2	10.08.2016	विकास खण्ड कार्यालय मे विपणन केन्द्र जीर्णोद्धार	में0 लखन आयरन स्टोर, मुस्करा	सी0 सैण्ड— 2.5 घनमीटर लोकल सैण्ड— 3 घनमीटर गिट्टी 40 घनमीटर — 1.7 घनमीटर गिट्टी 20 घनमीटर — 0.9 घनमीटर	413.00 265.00	570.00 416.00	157.00 151.00
3	16.06.2016	मेला मैदान बिहूनी कलां से सन्तोष मुखिया के मकान तक सी0सी0 रोड एवं एल टाईप ड्रेन	में0 लखन आयरन स्टोर, मुस्करा	सी0 सैण्ड— 108 घनमीटर लोकल सैण्ड— 108 घनमीटर गिट्टी 40 घनमीटर — 120 घनमीटर गिट्टी 20 घनमीटर — 90 घनमीटर मिट्टी — 435.75 घनमीटर	16,200.00 21,420.00 शून्य	16,200.00 7,020.00 19,200.00 14,400.00 13,073.00	— 7,020.00 — 12,180.00 13,073.00
4	10.08.2016	मेला मैदान बिहूनी कलां से सन्तोष मुखिया के मकान तक सी0सी0 रोड एवं एल टाईप ड्रेन	में0 लखन आयरन स्टोर, मुस्करा	सी0 सैण्ड— 41.6 घनमीटर लोकल सैण्ड— 26.75 घनमीटर गिट्टी 40 घनमीटर — 48.4 घनमीटर गिट्टी 20 घनमीटर — 105 घनमीटर	5,126.00 4,937.00 1,470.00	6,240.00 1,739.00 7,744.00 3,150.00	2,853.00 2,807.00 1,680.00
5	16.06.2016	प्रमुख आवास मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	में0 लखन आयरन स्टोर, मुस्करा	सी0 सैण्ड— 6.3 घनमीटर लोकल सैण्ड— 6.3 घनमीटर गिट्टी 40 घनमीटर — 6.3 घनमीटर गिट्टी 20 घनमीटर — 2 घनमीटर	945.00 847.00	945.00 410.00 1,328.00	410.00 481.00
6	26.07.2016	प्रमुख आवास मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	में0 लखन आयरन स्टोर, मुस्करा	सी0 सैण्ड— 0.9 घनमीटर लोकल सैण्ड— 0.9 घनमीटर गिट्टी — 1.8 घनमीटर	135.00 184.00	135.00 58.50 288.00	58.50 104.00
कुल अन्तर की धनराशि							42,778.00

अन्तर की धनराशि रु0— 42,778.00 रायल्टी से कम काटी गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-3:- क्षेत्र पंचायत मौदहा में शासनादेश सं0— ए-1-122/10-2012-10(33)/2010 दिनांक— 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक मे रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष मे जमा कराया जाना चाहिये। आलोच्य वर्षों में संस्था को ब्याज के रूप में 7,60,287.00 रु0 प्राप्त हुये है जिसे राजकोष मे जमा न करके अनियमितता की गयी है। जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारियों का होगा, विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या	वर्ष			प्राप्त ब्याज की धनराशि का योग	सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी
	2011-12	2012-13	2013-14		
3753 इलाहाबाद बैंक	8154	15525	5805	29485.00	
28183	63805	94926	391295	550026.00	

इलाहाबाद बैंक					
1244	17055	38538	8620	64213.00	
6772	70462	1284	88234	116564.00	
योग	96046	170273	493954	760287.00	
	लेखाकार श्री मिघवा प्रजापति एवं एस0पी0 सिंह एवं श्री भालचन्द्र त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी	श्री मिघवा प्रजापति लेखाकार, श्री भालचन्द्र त्रिपाठी एवं सी0पी0 पाल खण्ड विकास अधिकारी	श्री मिघवा प्रजापति लेखाकार, श्री भालचन्द्र त्रिपाठी बी0डी0ओ0 एवं जनमेजय शुक्ला बी0डी0ओ0		

प्रस्तर सं0-4 :- क्षेत्र पंचायत में मौदहा निम्नलिखित मदों में निम्नलिखित सप्लायर्स/निम्नलिखित चेक द्वारा भुगतान किया गया है। भुगतान करते समय सम्बन्धित सप्लायर्स से आयकर एवं व्यापार को नियमानुसार कटौती न करके अनियमितता की गयी है जिसका दायित्व तत्कालीन सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी का होगा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

तिथि	योजना का नाम	चेक सं0	चेक प्राप्तकर्ता/ सप्लायर्स का नाम	चेक की धनराशि	सेल्स टैक्स	आयकर	एसटी. आईटी का योग	कार्य का विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
23.05.2011	मनरेगा क्षे0पं0 6772	666396	श्री अनिल कुमार मौदहा	1307791.00	52312.00	29295.00	81607.00	08 कार्यो पर व्यय	श्री एस0पी0 सिंह बी0डी0 ओ0 एवं श्री मिघवा प्रजापति लेखाकार
23.05.2011	तदैव	666397	श्री मनोज कुमार मौदहा	604578.00	24183.00	13543.00	37726.00	08 कार्यो पर व्यय	" "
23.05.2011	तदैव	666398	श्री कृष्णकान्त तिवारी मौदहा	636305.00	25452.00	14253.00	39705.00	08 कार्यो पर व्यय	" "
23.05.2011	तदैव	666399	श्री राम कान्स्ट्रैक्टर करहिया	1977828.00	79113.00	44303.00	123416.00	08 कार्यो पर व्यय	" "
03.06.2011	तदैव	666877	श्री अनिल कुमार मौदहा	172701.00	6908.00	3868.00	10776.00	06 कार्यो पर व्यय	" "
03.06.2011	तदैव	666878	श्री मनोज कुमार मौदहा	100776.00	4031.00	2557.00	6588.00	06 कार्यो पर व्यय	" "
03.06.2011	तदैव	666879	श्री कृष्णकान्त तिवारी मौदहा	482656.00	19306.00	10811.00	30117.00	06 कार्यो पर व्यय	" "
03.06.2011	तदैव	666880	श्री राम कान्स्ट्रैक्टर करहिया	178529.00	7141.00	3999.00	11140.00	06 कार्यो पर व्यय	" "
27.07.2011	तदैव	666883	श्री मनोज कुमार मौदहा	55989.00	2240.00	1254.00	3494.00	सायर में कहार डबरा तलैया में घाट निर्माण	" "
" "	तदैव	666884	श्री राम कान्स्ट्रैक्टर करहिया	237799.00	9512.00	5327.00	14839.00	सायर में कहार डबरा तलैया में घाट निर्माण	" "

" "	तदैव	666885	श्री अनिल कुमार मौदहा	135601.00	5424.00	3037.00	8461.00	सायर में कहार डबरा तलैया में घाट निर्माण	" "
" "	तदैव	666886	श्री मनोज कुमार मौदहा	354992.00	14200.00	7952.00	22152.00	सायर बिवांर से को इलाहादाता आश्रम तक इण्टर कोड कार्य	" "
" "	तदैव	666887	श्री राम कान्द्रैक्टर करहिया	549880.00	21995.00	12317.00	34312.00	सायर बिवांर से कोइलाहा दाता आश्रम तक इण्टर कोड कार्य	" "
28.08.2011	तदैव	666891	श्री राम कान्द्रैक्टर करहिया	550403.00	—	12329.00	12329.00	ग्राम खण्डेह में 0 से 1000 मी0 तक खन्ना रतवारोड की ओर	" "
" "	तदैव	666892	श्री मनोज कुमार मौदहा	362609.00	—	8122.00	8122.00	ग्राम खण्डेह में 0से 1000 मी0 तक खन्ना रतवा रोड की ओर	" "
" "	तदैव	666893	श्री राम कान्द्रैक्टर करहिया	552964.00	—	12386.00	12386.00	उक्त एप्रोच रोड 1000 मी0 से 2000 मी0 तक	" "
" "	तदैव	666894	श्री मनोज कुमार मौदहा	364986.00	—	8176.00	8176.00	उक्त एप्रोच रोड 1000 मी0 से 2000 मी0 तक	" "
28.08.2011	मनरेगा क्षे0पं0 6772	666895	श्री राम करहिया	555574.00		12445.00	12445.00	उक्त एप्रोच रोड निर्माण 2000 से 3000मी0 तक	" "
" "	" "	666896	श्री मनोज कुमार मौदहा	367364.00		8229.00	8229.00	उक्त एप्रोच रोड निर्माण 2000 से 3000मी0 तक	" "
" "	" "	666897	श्री राम करहिया	203707.00		4889.00	4889.00	उक्त एप्रोच कार्य 3000 मी0 3365मी0 तक	" "
" "	" "	666898	श्री मनोज कुमार	134717.00		3018.00	3018.00	उक्त एप्रोच	" "

			मौदहा					कार्य 3000 मी0 3365मी0 तक	
5.11.2011	"	667626	श्री मनोज कुमार मौदहा	1919741.00	76790.00	43002.00	119792.00	पिपरौदा से सिलौली सम0भा0 पर सेंलिंग कार्य	" "
"	"	667627	श्री मनोज कुमार मौदहा	297005.00	11880.00	6653.00	18533.00	छिरका से नदी की ओर 400मी0 संलिंग कार्य में सामग्री आपूर्ति	" "
09.11.2011	"	667629	श्री कृष्णकान्त मौदहा	818706.00	32748.00	18339.00	51087.00	ग्रा0 असुई मसगांव में गोविन्द पतारिया के खेत में चेक डैम निर्माण सामग्री का भुगतान।	" "
"	"	667629	"	815791.00	32632.00	18274.00	50906.00	ग्रा0 असुई मसगांव में देवीचरण गौतम के खेत में चेक डैम निर्माण का भुगतान	" "
22.05.2011	राज्य वित्त, बीआर जीएफ तेरहवाँ वित्त 11375 3	248301	श्री अनिल कुमार मौदहा	192106.00	7684.00	4303.00	11987.00	कामन हाल ब्लाक परि0 में निर्माण हेतु सामग्री	" "
"	"	248302	श्री कृष्णकान्त तिवारी मौदहा	81441.00	3258.00	1824.00	5082.00	"	" "
"	"	248303	श्री मनोज कुमार मौदहा	23231.00	929.00	520.00	1449.00	"	" "
"	"	248304	श्री राम करहिया	45147.00	1806.00	1011.00	2817.00	"	" "
"	"	248305	श्री अनिल कुमार मौदहा	704844.00	28194.00	15789.00	43983.00	30 कूपों की मरम्मत सामग्री	" "
"	"	248306	श्री मनोज कुमार मौदहा	279362.00	11174.00	6258.00	17432.00	"	" "
"	"	248307	श्री कृष्णकान्त तिवारी	1314604.00	52584.00	29447.00	82031.00	"	" "
"	"	248308	श्री राम करहिया	151524.00	6061.00	3394.00	9455.00	"	" "
26.07.2011	"	248311	श्री श्री कान्त तिवारी	680434.00	27217.00	15242.00	42459.00	30 कूपों की मरम्मत का सामग्री आपूर्ति का भुगतान	" "

28.07.2011	"	248312	श्री राम करहिया	74161.00	2966.00	1661.00	4627.00	30 कूपों की मरम्मत का सामग्री आपूर्ति का भुगतान	"	"
28.08.2011	"	248313	श्री सुभाष बिल्डिंग मैटेरियल	206160.00	8246.00	4618.00	12864.00	कामन हाल मौदहा में सामग्री आपूर्ति भुगतान	"	"
09.11.2011	बीआर जीएफ 20818 3	091322	श्री अनिल कुमार मौदहा	24582.00	983.00	551.00	1534.00	बिल्लू कूप मरम्मत खण्डेह में सामग्री आपूर्ति	"	"
"	"	091323	श्री मनोज कुमार मौदहा	9967.00	399.00	223.00	622.00	"	"	"
"	"	091324	श्री राम करहिया	2981.00	119.00	67.00	186.00	"	"	"
"	"	091325	श्री कृष्ण कान्त तिवारी	14417.00	577.00	323.00	900.00	"	"	"
01.12.2011	"	091331	मे0 सुभाष बिल्डिंग मैटे0	1000000.00	40000.00	22400.00	62400.00	40 हैण्डपम्पों की सामग्री क्रय का भुग0	"	"
21.12.2011	"	091332	मे0 मनोज कान्स्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर मौदहा	124602.00	4984.00	2791.00	7775.00	ग्राम सिजनौडा में इण्टर कोड कार्य हेतु सामग्री	"	"
"	"	091333	मे0 मनोज कान्स्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर मौदहा	173054.00	6922.00	3876.00	10798.00	ग्राम सिजनौडा में इण्टर कोड कार्य हेतु सामग्री	"	"
"	"	091334	श्री कृष्ण कान्त कान्स्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर मौदहा	51526.00	2061.00	1154.00	3215.00	ग्राम नायक पुरवा मे कूप मरम्मत कार्य	"	"
"	"	091335	श्री कृष्ण कान्त कान्स्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर मौदहा	45555.00	1822.00	1010.00	2842.00	ग्राम नायक पुरवा मे कूप मरम्मत कार्य	"	"
"	"	091336	श्री कृष्ण कान्त कान्स्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर मौदहा	54716.00	2189.00	1226.00	3415.00	ग्राम नायक पुरवा मे कूप मरम्मत कार्य	"	"
"	"	091337	श्री कृष्ण कान्त कान्स्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर मौदहा	22054.00	882.00	494.00	1376.00	ग्राम इचौली में कूप मरम्मत हेतु	"	"
"	"	091338	श्री कृष्ण कान्त कान्स्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर मौदहा	69335.00	2773.00	1553.00	4326.00	ग्राम इचौली में कूप मरम्मत हेतु	"	"
"	"	091339	श्री कृष्ण कान्त कान्स्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर मौदहा	42022.00	1681.00	941.00	2622.00	ग्राम इचौली में कूप	"	"

								मरम्मत हेतु	
“	“	091340	सुभाष बिल्डिंग मैटेरियल	100000.00	4000.00	2240.00	6240.00	04 हैडपम्पों की सामग्री का भुगतान	“ “
योग –				—	—	—	10,76,682.00		

तिथि	योजना का नाम	चेक सं०	चेक प्राप्तकर्ता/सप्लायर्स का नाम	चेक की धनराशि	सेल्स टैक्स	आयकार	एसटी + आईटीका का योग	कार्य का विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
31.03.2012	राज्य वित्त, तेरहवॉ वित्त बीआरजीए फ	667651	श्री अनिल कुमार मौदहा	297868.00	11915.00	6672.00	18587.00	बांदा कपसा मार्ग पर रपटा निर्माण।	श्री भालचन्द्र त्रिपाठी बी०डी० ओ० एवं श्री मिथवा प्रजापति लेखाकार
“	“	667652	श्री मनोज कुमार मौदहा	459871.00	18395.00	10301.00	28696.00	“	“ “
31.03.2012	मनरेगा क्षेत्र पं० 6772	667653	श्री कृष्णकान्त तिवारी	347235.00	13889.00	7779.00	21667.00	बांदा कपसा मार्ग पर रपटा निर्माण।	“ “
“	“	667654	श्री कृष्णकान्त तिवारी	349362.00	13974.00	7826.00	21800.00	“	“ “
“	“	667655	श्री कृष्णकान्त तिवारी	345232.00	13809.00	7733.00	21542.00	“	“ “
“	“	667656	श्री अनिल कुमार मौदहा	258175.00	10327.00	5783.00	16110.00	गुरदहा में आरसीसी काजबे नि० हेतु।	“ “
“	“	667662	“	293424.00	11737.00	6572.00	18309.00	“	“ “
“	“	667663	“	292029.00	11681.00	6541.00	18222.00	“	“ “
“	“	667664	“	109205.00	4368.00	2446.00	6814.00	“	“ “
31.03.2012	बीआरजीए फ 208183	091341	श्री अनिल कुमार एण्ड सप्लायर मौदहा	393018.00	15721.00	8804.00	24525.00	पाटनपुर में सी०सी० रोड निर्माण	“ “
“	“	091342	श्री अनिल कुमार एण्ड सप्लायर मौदहा	384426.00	15377.00	8611.00	23988.00	पाटनपुर में सी०सी० रोड निर्माण	“ “
“	“	091347	मै० सुभाष बिल्डिंग मैटेरियल	53000.00	2120.00	1187.00	3307.00	पाटनपुर में सी०सी० रोड निर्माण	“ “
“	“	091348	मै० विवेक कुमार निगम	43075.00	1723.00	965.00	2688.00	पाटनपुर में सी०सी० रोड निर्माण	“ “
योग –				—	—	—	2,26,255.00		

प्रारूप –3

जनपद का नाम – महोबा मण्डल का नाम– चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा
क्षेत्र पंचायत का नाम – पनवाडी वर्ष 2014–15 से 2015–16 तक

प्रस्तर संख्या-1 माह जून 2015 में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मद में ग्रांट रजिस्टर III अवशेष दर्शित था तथा कोषागार हमीरपुर खाता संख्या-8448 में रुपये 1,08,145.90 जमा दर्शित था। किन्तु माह जुलाई 2015 में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में अवशेष रुपये 108145.90 को कोषागार हमीरपुर खाता संख्या-8448 में भी जमा न दर्शाकर तथा व्यय का कोई उल्लेख न कर एवं सम्पूर्ण धनराशि अवशेष से लोप करने के कारण दुरुपयोग एवं अनियमितता सम्भावित है। अतः सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय लेखाकार श्री अवधेश कुमार खरे को उत्तरदायी ठहराते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2 माह दिसम्बर 2014 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत रुपये 2087398.00 का मासिक व्यय ग्रांट रजिस्टर III में दर्शाया गया है जबकि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार (पृष्ठ सं०-17 व 18) के अनुसार रुपये 2065500.00 व्यय हुआ है। इस प्रकार रुपये 21898.00 का व्यय अधिक दर्शाकर धनराशि का अपहरण खण्ड विकास अधिकारी श्री आदित्य प्रसाद पाण्डेय एवं लेखाकार श्री अवधेश कुमार खरे द्वारा किया गया है। उक्त से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3 ग्राम कुआंखेडा में रामनारायण के मकान से रामप्रसाद के मकान तक 150 मी० सी०सी० रोड निर्माण हेतु श्री अशोक कुमार गुगौरा द्वारा सामग्री की आपूर्ति हेतु निम्न दरो से निविदा दी थी किन्तु भुगतान हेतु प्रस्तुत निम्न भुगतान प्रमाणको को निम्न विवरणानुसार दर अधिक अंकित कर भुगतान किया गया है।

दिनांक	वा०सं०	सामग्री	कय	निविदा अनुसार प्रमाणक में अधिक की मात्रा मूल्य	अंकित मूल्य	भुगतान
02.05.15	31	20एमएम ग्रेड	40घनमी	2015/घनमी. 2150घनमी.	1800	
05.02.15	31	रेडमोरम	40 घनमी.	740/घनमी. 741घनमी.	40	
17.02.15	36	20एमएम ग्रेड	18 घनमी.	2105/घनमी 2150घनमी	810	
17.02.15	36	रेडमोरम	11.75 घनमी	740/घनमी. 741घनमी.	11.75	

योग - 2661.75

इस प्रकार भी अशोक कुमार गुगौरा आपूर्तिकर्ता द्वारा रुपये 2661.75 का अधिक बिल प्रस्तुत कर अधिक भुगतान किया है। जिसकी वसूली श्री अशोक कुमार गुगौरा से ब्याज सहित एवं निविदा मूल्य से अधिक भुगतान देने के कारण निविदा शर्तों का उल्लंघन करने के कारण वसूली के साथ पेनाल्टी आदि की वसूली अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में भुगतानकर्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय एवं अंकिक श्री अवधेश कुमार खरे को उत्तरदायी ठहराकर प्रशासनिक कार्यवाही के साथ ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर संख्या-4 वर्ष 2014-15 में राज वित्त आयोग के अनुदान से देवगनपुरा में मसूर अली के मकान से निसार मास्टर के मकान तक 200 मी० सी०सी० रोड निर्माण की स्वीकृति धनराशि 9.32 लाख रुपये में निम्न विवरणानुसार मस्टर रौलो में उन्हीं मजदूरों को उन्ही तिथियों में अलग-अलग मस्टर रौलो से कोई बार भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है।

मस्टर रौल नं०	कब से	कुल भुगतान	भुगतान	भुगतान की कब तक मानव दिवस	धनराशि तिथि व चेक सं	23239 35
	02.02.15 से	28	कुशल श्र०			
25872.00	08.02.15 तक	112	अकुशल श्र०			
23241 34	02.02.15 से	28	कुशल श्र०	25872.00	08.02.15 तक	112 अकुशल श्र०
23242	09.02.15 से	07	कुशल श्र०	4440.00	15.02.15 तक	15 अकुशल श्र०
योग - 56184, 160215, 0002287						
23328 41	04.02.15 से	28	कुशल श्र०		10.05.15 तक	112 अकुशल श्र०
25872.00						
23329 40	11.02.15 से	28	कुशल श्र०		17.02.15 तक	112 अकुशल श्र०
25872.00						
23327 42	04.02.15 से	28	कुशल श्र०		10.02.15 तक	112 अकुशल श्र०
25872.00						
23326 39	11.02.15 से	28	कुशल श्र०		17.02.15 तक	112 अकुशल श्र०
25872.00						
23330 38	18.02.15 से	14	कुशल श्र०			
	24.02.15 तक	74				
						अकुशल श्र० 15744.00

योग - 648 119232, 26.02.15 0002284

उपरोक्त विवरण में मस्टर रौल संख्या 23239 बाउचर 35 मास्टर रोल 23241 बाउचर संख्या 34 मस्टर रोल संख्या 23328 बाउचर संख्या 41 में वही मजदूर बार-बार मस्टर रौल में अंकित है इस प्रकार मस्टर रौल संख्या 23242 बाउचर संख्या 33 और मस्टर रौल-23328 बाउचर सं०-41 और मस्टर रौल संख्या 22329 बाउचर सं० 40 के मजदूर सामान तिथियों में उक्त मस्टर रौलो में अलग-अलग रूप से अंकित कर भुगतान प्राप्त करते हुये दर्शाये गये हैं। इस प्रकार रुपये 56184.00 एवं रुपये 119232.00 कुल रुपये 175416.00 की मजदूरी भुगतान डुप्लीकेशी का कारण फर्जी है। अतः धनराशि रुपया 175416.00 श्रमाप का अपहरण सहायक विकास अधिकारी (एस०टी०) श्री गोपाल चन्द्र कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी पनवाडी श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय तथा जे०ई० श्री लाखन सिंह जे०ई० (आर०ई०एस०) द्वारा किया गया है। अतः उक्त में से तारीख ब्याज एवं पैनाल्टी सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5 शासनादेश संख्या -ए-1/22/दस-2012-10(33) /2010 दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के द्वारा जारी पत्राक 10/2015/ए-7502 (1) दस-2015 -10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 में यह भी व्यवस्था है कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया है तो अर्जित ब्याज संस्था का आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। किन्तु ब्याज को अभी तक राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया है। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। अर्जित ब्याज को शीघ्र राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। किन्तु आलोच्य वर्षों में निम्न विवरणानुसार ब्याज अर्जित किया गया है जिसे सम्बन्धित मदों में ही जोड़कर दर्शित

किया गया है। यह स्थिति शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के सर्वथा विपरीत है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान अर्जित ब्याज को शीघ्र राजकीय कोष में सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा कराने हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है अन्यथा कि स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी श्री आदित्य प्रसाद पाण्डेय व श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय एवं लेखाकार श्री

अवधेय कुमार खरे स्वयं उत्तरदायी होंगे। अर्जित ब्याज का मदवार विवरण निम्न प्रकार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

	14-15	15-16	योग
1-राज्य वित्त आयोग मद मे	98813.00	61313.00	160126.00
2-तेरहवा वित्त आयोग मद में	140031.00	90352.0	230383.00
3-मनरेगा	5485.00	7690.00	13175.00
4-आवास प्रषा0/विविध प्रप्तियां	13279.00	13419.00	266998.00
5- विधायक निधि	19090.00	24895.00	43985.00
6- सांसद निधि	9633.00	—	9633.00
7-क्षे0पं0 अनुदान निधि	35785.00	—	35785.00
योग —	322116.00	197669.00	519785.0

प्रारूप -3

जनपद का नाम — महोबा मण्डल का नाम — चित्रकूटधाम मण्डल बांदा

क्षेत्र पंचायत का नाम — जैतपुर वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक

प्रस्तर संख्या -1 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया है कि ग्रान्ट रजिस्टर पार्ट-3 के वर्ष 2011-12 में धरोहर राशि मद में माह अक्टूबर 2011 में मासान्त में रु0 60898.00 शेष रहना अंकित है जो कि आडिट के अनुसार रु0 60989.67 होना चाहिए। अतः रु0 91.67 मासान्त में कम अंकित है जिसकी उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी जैतपुर श्री योगेन्द्र कुमार पाठक से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -2 लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष आलोच्य में पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर-3 में मनरेगा क्षेत्रपंचायत निधि में वर्ष 2010-11 में अंकित माह अप्रैल, 2010 में ग्रान्ट रजिस्टर-2 के पेज सं0 3/20 पर अंकित व्यय रु0 401495.00 है जबकि ग्रान्ट रजिस्टर -3 में अंकित व्यय रु0 410495.00 है जो कि रु0 9000.00 अधिक ग्रान्ट रजिस्टर -3 से खारिज किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी जैतपुर श्री दीनदयाल उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -3 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि वर्ष आलोच्य में शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 में दिये गये निदेशानुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है अर्जित ब्याज की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी उक्त आय को राज्य सरकार को वापिस न कर खाते में अर्जित सम्पूर्ण ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है जिस हेतु विभागीय अधिकारियों को ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत निधि मद से प्राप्त ब्याज	143985.62
राष्ट्रीय समविकास योजना मद में प्राप्त ब्याज	2676.00
पिछड़ा वर्ग अनुदान मद में प्राप्त ब्याज बीआरजीएफ	6498.00
विधायक निधि से प्राप्त ब्याज	5085.00
मनरेगा क्षेत्र पंचायत मद में प्राप्त ब्याज	15286.00
ग्राम रोजगार सेवक मानदेय मद में प्राप्त ब्याज	3325.00

कुल ब्याज 176855.62

उपरोक्त शासनादेशानुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार को उत्तरदायी ठहराकर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -4 वर्ष आलोच्य में पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर -2 के बारहवों वित्त आयोग मद में माह अप्रैल 2009 में प्रारम्भिक अवशेष रु0 748476.00 अंकित है जबकि ग्रान्ट रजिस्टर 3 के वास्तविक योग मद में रु0 748876.00 अंकित है जो कि रु0 400.00 का अंतर है जिसका विवरण खोजकर अन्तर की स्थिति सपष्ट करके सुधार किया जाना अपेक्षित है जिस हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-5 लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर 3 में बारहवों वित्त आयोग अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के प्रारम्भ में रु0 748476.00 उपभोग हेतु शेष थी जिसमें से वर्ष 2009-10 में जून 2009 तक रु0 395018.00

का उपभोग करने के पश्चात रु0 353458.00 उपयोग हेतु शेष रहा था जो अगस्त 2009 में यथावत शेष रहा था किन्तु सितम्बर 2009 से उक्त अवशेष धनराशि को न दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया संभावित है जिसकी

वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी जैतपुर श्री एम0पी0 प्रबल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति से ब्याज सहित की जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या —6 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार वर्ष 2008—09 में वर्षान्त में दिनांक 31.03.2009 को पिछड़ा वर्ग मद का बीआरजीएफ मद का कोई धन उपयोग हेतु शेष नहीं था जो कि अगस्त 2009 तक यथावत शून्य दर्शाया गया है किन्तु माह सितम्बर 2009 में बीआरजीएफ मद में प्राप्ति में ₹0 1120432.00 दर्शाया गया है और टिप्पणी अंकित की गई है। कि ओ0बी0 1134934.00 और इन्टरेस्ट 6498.00 जिसका योग ₹0 1141432.00 होता है अतः स्पष्ट है कि बी0आर0जी0एफ0 मद की छिपाई गई धनराशि को हेराफेरी करके अभिलेखों में दर्शाये जाने का प्रयास किया गया है फिर भी प्राप्ति में दर्शायी गयी धनराशि ₹0 1120432.00 वास्तविक धनराशि से ₹0 1141432.00 से 21000.00 कम दर्शायी गई है जिसका अपहरण संभावित है अतः जॉचोपरान्त ₹0 21000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एम0पी0 प्रबल एवं तत्कालीन लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या —7 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार सितम्बर 2009 से मार्च 2011 तक राज्य वित्त योजना से सम्बन्धित कोई भी धनराशि न तो अवशेष दर्शायी गई थी एवं न ही प्राप्ति एवं भुगतान के पश्चात शेष दर्शायी गयी थी किन्तु अप्रैल 2011 में राज्य वित्त आयोग की योजनान्तर्गत प्रारम्भिक अवशेष ₹0 2851492.00 दर्शाया गया था जो कि स्पष्ट करती है कि राज्य वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत धनराशियाँ प्राप्त होती रही थी। जिन्हें ग्रान्ट रजिस्टर 3 एवं 1 व 2 में न दर्शा कर अनियमितता की गई थी। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लल्लू प्रसाद एवं लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति स्वयं उत्तरदायी हैं जिनकी जॉचोपरान्त प्रशासनिक कार्यवाही एवं ब्याज सहित वसूली की आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—8 आलोच्य वर्ष में ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार राष्ट्रीय समविकास योजना के अन्तर्गत वर्षान्त 2008—09 में मार्च 2009 में उपयोग हेतु ₹0 62608.67 शेष का वर्ष 2009—10 में ₹0 5889.00 ब्याज आदि से प्राप्त हुआ एवं ₹0 66917.67 व्यय किया गया है इस प्रकार वर्षान्त 2009—10 में ₹0 1580.00 शेष रहना चाहिए था किन्तु माह सितम्बर 2009 में प्राप्त ब्याज ₹0 1050.00 को आरएसवीवाई राष्ट्रीय सम विकास योजना के ब्याज खाते में प्राप्ति में दर्शाकर इस मद से खारिज किया गया और ₹0 530.00 शेष दर्शाया गया। उल्लेखनीय है कि आएसवीवाई के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज में से ₹0 581.00 चैक संख्या 661578 दिनांक 10.01.2012 द्वारा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत महोबा को प्राप्त कराया गया शेष ₹0 1050.00 ब्याज को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत मद में माह दिसम्बर 2009 में ग्रान्ट रजिस्टर 3 में दर्शाया गया जिला पंचायत महोबा के अपर मुख्य अधिकारी को ₹0 581.00 की चैक के साथ ₹0 1050.00 को जोड़कर 1631.00 को चैक वापिस करनी चाहिए थी जो कि नहीं की गई। अतः ₹0 1050.00 का अनियमित हस्तान्तरण लेखा पारित कर लिया गया। अतः ₹0 1050.00 को सम्बन्धित विभाग को वापिस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में धनराशि का अपहरण मानते हुये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार कुरील एवं लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या —9 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर 3 में वर्ष 2009—10 के माह अप्रैल 2009 में सिक्वोरिटी एवं अरनेस्ट मनी (सप्लायर) से ₹0 120342.05 दर्शायी गई थी माह दिसम्बर 2009 तक प्राप्ति एवं भुगतानों के पश्चात माह जनवरी 2010 के प्रारम्भ में ₹0 273672.67 धरोहर राशि जमा थी जिसमें से ₹0 14880.00 भुगतान के पश्चात ₹0 258792.67 शेष रहनी थी किन्तु ग्रान्ट रजिस्टर 3 में ₹0 124872.00 जो वास्तविक अवशेष से ₹0 133920.00 कम अवशेष दर्शायी गयी थी। जिसका सुधार वर्षान्त तक न किये जाने के कारण धनराशि ₹0 133920.00 का अपहरण किया गया संभावित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एम0पी0 प्रबल एवं लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तुत संख्या —10 आलोच्य वर्ष में पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार राज्य वित्त आयोग की योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायत जैतपुर में वर्ष 2009—10 में प्रारम्भ में इस मद की ₹0 26069.00 धनराशि उपयोग हेतु शेष थी वर्ष 2009—10 में अगस्त 2009 तक ₹0 1229350.00 इस मद में और प्राप्त हुई तथा ₹0 40400.00 व्यय की गई फलतः अगस्त 2009 को ₹0 1215019.00 इस मद की धनराशि उपयोग हेतु शेष रही थी जिसे माह सितम्बर 2009 में शेष में न दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एमपी प्रबल एवं लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—11 लेखा परीक्षा अनुसार आलोच्य वर्ष 2010—11 में पिछड़ा वर्ग अनुदान योजना के अन्तर्गत बिजौरी में मुख्य सड़क से पुरानी अनुसूचित जाति बस्ती तक सीसी रोड निर्माण 300 मीटर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अभियन्ता महोबा मुख्य विकास अधिकारी महोबा एवं जिला पंचायत राज अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से नवम्बर 2009 में स्वीकृत स्टीमेट ₹0 810000.00 तकनीकी स्वीकृति के धनराशि ₹0 840000.00 के स्टीमेट में ₹0 725000.00 सामग्री हेतु ₹0 112400.00 मजदूरी हेतु ₹0 3000.00 प्लानटेशन हेतु कुल ₹0 8.40 लाख स्वीकृत हुआ था जिसके सापेक्ष दिनांक 18.11.2010 को कार्य प्रारम्भ कर दिया 08.01.2011 तक कार्य कराया गया किन्तु एमबी माप पुस्तिका में उक्त तिथियाँ अंकित नहीं हैं एमबी में कार्य पूर्ति होने की तिथि मापकी तिथि सीसी रोड प्रारम्भ करने की तिथि अंकित नहीं है पत्रावली के ऊपर पृष्ठ पर 230 मीटर अंकित है जबकि 300 मीटर सीसी रोड निर्माण हेतु रु. 8.40 लाख स्वीकृत हुआ था। जबकि उक्त सीसी रोड निर्माण में सामग्री पर ₹0 699236.00 एवं श्रमांश पर ₹0 109800.00 कुल ₹0

809036.00 व्यय किये गये हैं। जबकि सीसी रोड 300 मीटर के स्थान पर 230 मीटर (पत्रावली के पृष्ठ पर अंकित के अनुसार) बनाई गई तथा प्लानटेशन का कार्य भी नहीं कराया गया। अतः 70 मीटर सीसी रोड का कम निर्माण कराया गया जिसकी स्टीमेट के सापेक्ष रू0 196000.00 अधिक व्यय किया गया तथा प्लानटेशन का कार्य न कराकर रू0 3000.00 का कार्य कम किया गया। इस प्रकार रू0 199000.00 का कार्य न कर संस्था को क्षति पहुँचाई गई है। अतः रू0 840000.00 की स्वीकृत लागत में से रू0 809036.00 का भुगतान कर रू0 30964 का कम भुगतान दर्शाकर रू0 199000.00 का कार्य नहीं किया गया। फलतः रू0 168036.00 की स्पष्ट क्षति की गई जिसकी ब्याज सहित वसूली ठेकेदार श्री शिव नारायण उपाध्याय खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार कुरील एवं ब्लाक प्रमुख श्री बृजेन्द्र कुमार द्विवेदी एवं अभियन्ता श्री महेन्द्र कुमार जे0ई0आर0 ई0एस0 एवं कार्य प्रभारी श्री बालकिशुन यादव बी0टी0 से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 आलोच्य वर्ष में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत निधि ब्याज के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के दिनांक 31.03.2009 में रू0 143985.62 ब्याज अवशेष थी जिसे जून 2009 में ग्रांट रजिस्टर-3 में व्यय में रू0 143985.00 व्यय दर्शाकर रू0 00.62 अवशेष दर्शाया गया है किन्तु ग्रांट रजिस्टर 3 में अंकित लेजरफोलियो नं0 1/92 ग्रांट रजिस्टर 2 के उक्त फोलियो में कोई अंकन न कर तथा संबंधित व्यय का प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुआ जिससे धनराशि का आहरण कर अपहरण किया गया सभावित है। अतः सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार कुरील एवं लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति से रू0 143985.62 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -13 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि विधायक निधि मद में ग्रांट रजिस्टर 2 में रू0 101825.00 व्यय किया जाना अंकित है जबकि उक्त मद में ग्रांट रजिस्टर 3 में रू0 118848.00 व्यय करना अंकित है माह जून 2009 में ग्रांट रजिस्टर 3 में रू0 118848.00 व्यय किया गया है जो कि रू0 17023.00 ग्रांट रजिस्टर 3 से अधिक खारिज की गई है जिसका स्पष्ट धन का अपहरण किया गया है जो वसूली योग्य है जिस हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एम0पी0प्रबल उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि मनरेगा प्रशासनिक व्यय मद के अन्तर्गत ग्रांट रजिस्टर 2 के पेज सं019/1 पर श्री नीरज सिंह परिहार जैतपुर को चैक सं0 643542 दिनांक 29.02.2012 द्वारा जनरेटर किराया माह दिसम्बर 2011 से जनवरी 2012 तक का रू0 10000.00 का भुगतान करके माह के अन्त में रू0 206626.32 शेष रहना अंकित है जबकि ग्रांट रजिस्टर 3 में माह फरवरी 2012 में मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत रू0 68000.00 व्यय करके माह फरवरी 2012 के मासान्त में रू0 206626.32 माह के अन्त में शेष रहना अंकित है। अतः ग्रांट रजिस्टर 3 में प्रशासनिक मद में रू0 58000.00 व्यय कर अधिक खरिज करके रू0 58000.00 का स्पष्ट गबन किया गया जो वसूली योग्य है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री योगेन्द्र पाठक उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -15 आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजिस्टर 3 में माह फरवरी 2011 में बीआरजीएफ मद के ग्रांट रजिस्टर 2 से मिलान करने पाया गया कि बी0आरजीएफ मद में माह फरवरी 2011 में कुल व्यय आडिट के अनुसार रू0 4400063.00 होता है जिसे ग्रांट रजिस्टर 3 में रू0 4402063-00 खारिज करके रू0 2000.00 का स्पष्ट अपहरण किया जो वसूली योग्य है। जिसका उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लल्लू प्रसाद से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -16 आलोच्य वर्ष में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग मद के अन्तर्गत ग्राम हसला में श्री हरिशचन्द्र के मकान से तालाब तक नाली निर्माण एवं खंडजा मरम्मत कार्य लम्बाई 75 मीटर कार्य की लागत रू0 1.33 लाख व्यय की गई है जिसमें कार्यस्थल की फोटोग्राफ एवं साइन बोर्ड नहीं लगाया गया जिससे श्री योगेन्द्र कुमार पाठक खण्ड विकास अधिकारी जैतपुर एवं श्रीमती शहीदन खातून ब्लॉक प्रमुख जैतपुर एवं श्री निजाम अली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्य प्रभारी एवं तकनीकी अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार जेईआरईएस0 रहे जिसमें रू0 8460.00 की दैनिक मजदूरी चिटठा नं 1127 दिनांक 08.10.2011 से दिनांक 14.10.2011 तक 10 मजदूरों का मजदूरी का नगद भुगतान खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख द्वारा किया गया है जिसमें धन प्राप्तकर्ता मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये जबकि खण्ड विकास अधिकारी जैतपुर ने मस्टर रोल पर पेइड एण्ड कैन्सेलेड (अग्रेंजीमें) में लिखा गया है इसी प्रकार मस्टररोल पर 1126 द्वारा दिनांक 15.09.2011 से दिनांक 01.10.2011 तक उक्त कार्य का मस्टररोल में कुल 13 मजदूरों की मजदूरी का नगद भुगतान रू0 18930.00 का किया गया है जबकि मस्टररोल में मजदूरों से धन प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर नहीं कराये गये जो आपत्तिजनक है। अतः रू0 8460.00 + 18930.00 रू0 27390.00 हस्ताक्षर एवं अगूठा निशान के अभाव में मजदूरी का भुगतान फर्जी है जिसका उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार पाठक एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती शहीदन खातून से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17 वर्ष 2009-10 में मार्च 2010 में ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार अन्तिम अपशेष रू0 12979012.62 दर्शाया गया है जबकि बैंको में अवशेष धनराशि 14907768.62 दर्शायी गई है इस प्रकार रू0 1928756.00 का बैंक अवशेष अधिक दर्शाया गया है। जिसके समाधान में निम्नलिखित चैको का भुगतान न किये जाने के कारण रू0 2039130.00 का समाधान किया गया है तथा रू0 110324.00 का इंसीडेन्टल चार्ज का भी समायोजन किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा के अनुसार अनकेश चैको का योग रू02011230.00 होता है तथा इंसीडेन्टल चार्ज एवं संग्रह न

की गई है। चैक सं० 099739.00 दिनांक 10.03.2010 रु० 110000.00 कुल रु० 110424.00 का समायोजन करने के पश्चात रु० 27900.00 की अनकैश चैको को अधिक दर्शाकर अवशेषों को समान किये जाने का प्रयास किया गया है इस प्रकार रु० 27900.00 का भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी जैतपुर श्री राजेश कुमार कुरील एवं लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18 ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार मनरेगा क्षेत्र पंचायत मद में वर्ष का प्रारम्भिक शेषरु० 83435.48 अंकित है वर्ष में रु० 3495.00 प्राप्त हुआ है जो कि वर्षान्त दिनांक 31.03.2013 को रु० 86930.48 शेष रहता है जो कि वर्षान्त में ग्रान्ट रजिस्टर 3 में रु० 86890.00 अंकित है जो वास्तविक धनराशि से रु० 40.00 कम अंकित है जिसका सुचारु किया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन लेखाकार श्री अरविन्द कुमार चतुर्वेदी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री दीन दयाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19 ग्रान्ट रजिस्टर 3 में वर्ष 2012-13 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत एसजीएसवाई वर्ष का प्रारम्भिक शेष रु० 316588.00 है वर्ष में प्राप्त रु० 876206.00 हुआ एवं वर्ष में रु० 1003025.00 व्यय हुआ है एवं वर्षान्त दिनांक 31.03.2013 में रु० 189769.00 व्यय हुआ है एवं वर्षान्त दिनांक 31.03.2013 में रु० 189769.00 शेष रहना चाहिये जो कि रु० 189763.00 अंकित है अतः रु० 06.00 कम अंकित है। जिसका सुधार किया जाना अपेक्षित है जिस हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-20 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर 3 में माह मार्च 2011 तक तेरहवें वित्त की कोई भी धनराशि नहीं दर्शायी गयी थी फिर भी अप्रैल 2011 में तेरहवें वित्त आयोग योजनान्तर्गत प्रारम्भिक अवशेष रु० 475835.00 दर्शायी गई थी जिसके विषय में कोई उल्लेख आदेश प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं कराये गये थे अतः उक्त प्रारम्भिक अवशेष रु० 475835.00 अपुष्टिकृत एवं अप्रमाणित रहा है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लल्लू प्रसाद एवं लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति स्वयं जिम्मेदार है प्रतीत होता है कि पूर्व वर्षों में उक्त मद की धनराशियाँ प्राप्त होती रहती थी जिनका उल्लेख न कर अनियमितता की गयी थी अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान प्रशासनिक एवं वसूली की आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या -21 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि वर्ष 2011-12 में माह अप्रैल, 2011 के दिनांक 01.04.2011 में वसूली से प्राप्तियाँ मद के अन्तर्गत श्री सुदर्शन नामदेव ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड कबरई से रु० 12000.00 प्रारम्भिक अवशेष वसूली से प्राप्त का लेखा ग्रान्ट रजिस्टर 2 के पेज संख्या 1/31 में अंकित पाया गया है जिसे दिनांक 01.04.2011 के ग्रान्ट रजिस्टर 3 में वसूली से प्राप्त धन को शामिल न करने से धन का अपहरण खण्ड विकास अधिकारी श्री लल्लू प्रसाद एवं लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली उक्त के ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -22 लेखा परीक्षा में पिछड़ा वर्ग अनुदान बीआरजीएफ मद में वर्ष 2009-10 के पसानाबाद में नत्थू के घर से हरदास के घर तक सीसी रोड निर्माण की पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि जिले स्तर से मुख्य विकास अधिकारी महोबा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत महोबा जिला पंचायत राज अधिकारी महोबा अभियन्ता जिला पंचायत महोबा तथा अनुमोदनकर्ता अधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के क्रमांक -25 पर ग्राम पंचायत इन्द्रहटा (पसानाबाद) में श्री नत्थू के घर से हरदास के घर तक उपलब्ध स्थान 200 मीटर सीसी रोड निर्माण की स्वीकृत लागत रु० 5.40 लाख है जिसमें रु० 468800.00 सामग्री पर रु. 73400 श्रमांश पर रु. 3000.00 प्लान्टेशन पर कुल रु० 545200.00 तकनीकी स्वीकृति दी गई है। किन्तु स्वीकृत टेण्डर श्री शिवनारायण उपाध्याय अजनर के सामग्री आपूर्ति के व्यय प्रमाणको के आयकर एवं बिक्रीकर आदि के कोई विवरण तथा बुक संख्या अंकित न होने से प्रमाणक संदिग्ध प्रतीत होते हैं तथा ठेकेदार की कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता संबंधी कोई प्रपत्र -पत्रावली में न होने से संदिग्ध प्रतीत होती है। माप पुस्तिका में सभी कॉलम जैसे कार्य प्रारंभ की तिथि कार्य समाप्त की तिथि कार्यपूर्ति के पश्चात माप की तिथि एग्रीमेंट नम्बर, किसके द्वारा माप की गयी आदि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। श्री शिवनारायण उपाध्याय को निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किया गया है। दिनांक 08.12.2010 को रु० 270448.00 सामग्री पर दिनांक 16.08.2011 को रु० 185397.00 सामग्री पर कुल रु० 455845.00 श्रमांश पर व्यय दिनांक 16.03.2011 को किया गया है इस प्रकार कुल रु० 528445.00 योजना में व्यय किये गये हैं और पत्रावली में मुख्य पृष्ठ पर अंकित सीसी रोड निर्माण की लम्बाई 150 मीटर अंकित की गई इस प्रकार पत्रावली में अंकित लम्बाई को ही सही मानते हुये स्वीकृत लम्बाई 200 मीटर से 50 मीटर सीसी रोड को कम निर्माण किया गया है जो कि स्वीकृत स्टीमेट रु० 5.45 लाख के सापेक्ष रु० 90833.00 का कम काम कराया गया तथा प्लान्टेशन का कार्य रु० 3000.00 का कार्य भी नहीं कराया गया। इस प्रकार रु० 93833.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिवनारायण उपाध्याय ठेकेदार एवं श्री बृजेन्द्र कुमार द्विवेदी एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी जैतपुर, श्री योगेन्द्र पाठक तत्कालीन लेखाकार श्री मूलचन्द्र प्रजापति तकनीकी सहायक श्री महेन्द्र कुमार जेई आरईएस कार्य प्रभारी श्री बालकिशुन यादव बी०टी० से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-3
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17
जनपद — बहराइच मण्डल— देवीपाटन
क्षेत्र पंचायत वर्ष 2016-17

प्रस्तर सं०

क्षेत्र पंचायत —बलहा

वर्ष 2011-12 से 2016-17

1. वर्ष 2011-12 व 2012-13 में निर्माण कार्य के सापेक्ष क्रय सामग्री पर क्रमशः 60208.00 रु०. व 53617.00 कुल रु०. 113825.00 टी.डी.एस. की कटौती की गयी परन्तु कोषागार में उक्त धनराशि को जमा न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है जिसका दायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह व लेखाकार श्री जितेन्द्र सिंह का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 9 व 10)

2. वर्ष 2011-12 व 2012-13 में कुल क्रय सामग्री क्रमशः 3125077.00 व 2846051.00 पर 2.24 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. की कटौती क्रमशः 70001.00 व 53613.00 कुल रु०. 133752.00 की कटौती की जानी चाहिये परन्तु संस्था द्वारा क्रमशः 60208.00 व 53613.00 कुल 113821.00 की कटौती की गयी है इस प्रकार अन्तर क्रमशः रु०. 9793.00 व 10138.00 कुल रु०. 19931.00 कम टी.डी.एस. की कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार क्रमशः श्री सुनील कुमार सिंह व श्री जितेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 33 व 35)

3. वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः रु०. 3125077.00 व 2846051.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वैट क्रमशः रु०. 125003.00 एवं 113842.00 होता है जबकि संस्था द्वारा वैट की कटौती न कर कुल रु०. 238845.00 से राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री सुनील कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं जितेन्द्र सिंह लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 34 व 36)

4. वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कराये गये कार्य क्रमशः ग्राम पतरहिया में बेलगुलरिया से बरुहा डायर तक खडन्जा एवं पुलिया निर्माण तथा ग्राम पतरहिया में गिरधारी के पालेशर होते हुए फारेस्ट चौकी तक खडन्जा निर्माण पर क्रमशः रु०. 2092321.00 व 649022.00 व्यय किया गया है, प्रस्तुत पत्रावली में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी—

1. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
2. लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रही जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।
3. मस्टर रोल व ईट क्रय के प्रमाणक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।
4. कार्य के प्रारम्भ, कार्य अवधि एवं कार्य समाप्ति पर की गयी फोटोग्राफी पत्रावली में संलग्न नहीं रही।

उक्त के अभाव में कराया गया कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसके लिए श्री नाथ द्विवेदी अवर अभियन्ता, कार्य प्रभारी श्री शाहिद अली ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री नागेन्द्र मोहन त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ० सं० 11 व 18)

5. वर्ष 2014-15 में बलसिंहपुर बन्जारन टान्डा में झुर्रा के घर से त्रिवेणी के घर तक खडन्जा निर्माण पर 384899.00 रु०. व्यय किया गया है, जिसमें निम्न आपत्तियाँ हैं:—

1. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
2. लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रही जिससे कार्य की पुष्टि नहीं रहा।
3. कार्य के प्रारम्भ, कार्य अवधि एवं कार्य समाप्ति पर की गयी फोटोग्राफी पत्रावली में संलग्न नहीं रही।
4. कार्य कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है, ठेकेदार का तुलनात्मक विवरण, जमानत राशि, टी.डी.एस. वैट आदि का विवरण पत्रावली में नहीं पाया गया।

उक्त से स्पष्ट होता है कि कार्य संदिग्ध है तथा अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। जिसका उत्तरदायित्व श्री रामहेतु शर्मा अवर अभियन्ता, श्री हरिश्चन्द्र खण्ड विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित ठेकेदार कृष्ण मोहन गोपाल की है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत — कैसरगंज वर्ष 2011-12 से 2016-17

6. शासनादेश सं०— ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है, तो अर्जित ब्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की आय होगी, तथा अर्जित ब्याज को राजकीय कोषागार में जमा कर दिया जाना चाहिये परन्तु वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के ग्रांट रजिस्टर में अर्जित ब्याज मद में दर्शित रु०. क्रमशः 3176818.00 व 4611984.00 को राजकीय कोष में जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री रजत यादव एवं श्री वेद प्रकाश मोर्य तथा लेखाकार श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव की है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं० 31,32)

7. वर्ष 2013-14 में क्रय की गयी सामग्री पर रु०. 62492.00 टी.डी.एस. एवं आई.टी. की कटौती की गयी है परन्तु उक्त धनराशि राजकीय कोषागार में जमा न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है जिसका दायित्व

सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव व लेखाकार श्री इशरत अली सिद्दीकी का है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 33)

8. वर्ष 2015-16 में टेण्डर फीस के रूप में माह जून 2015 में 14040.00 व सितम्बर 2015 में 3936.00 कुल ₹0. 17976.00 प्राप्त हुआ, जिसे राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिये था, परन्तु राजकीय कोष में जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार चौधारी व लेखाकार श्री बसन्त बल्लभ लोहड़ी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 12)

9. वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत ऐनी हतिन्सी में गण्डारा मार्ग से जूनियर हाई स्कूल तक व वर्ष 2016-17 में ब्लाक मुख्यालय से बहराइच लखनऊ मार्ग तक इन्टरलाकिंग कार्य पर क्रमशः 42006.00 व 1231000.00 व्यय किया गया। पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी:-

1. निविदा कार्य में पारदर्शिता नहीं रही। निविदा खोलने सम्बन्धी प्रपत्र पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं रहें
2. निविदा के तुलनात्मक विवरण पत्र में पूरी तरह ओवरराइटिंग कर ठेकेदार को अप्रयत्नक्ष रूप से गलत निविदा दिया गया प्रतीत होता है, जिसमें अस्वीकृत को स्वीकृत व स्वीकृत को अस्वीकृत किया गया है, जो पूर्णतया अप्रमाणित है।

3. उक्त कार्य की कार्य योजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

उक्त से स्पष्ट है कि अनियमित रूप से कार्य कराया गया है जिसके लिए श्री आर0 भारती अवर अभियन्ता, सम्बन्धित ठेकेदार व श्री अनिल कुमार चौधरी खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – तेजवापुर

वर्ष 2011-12 से 2016-17

10. वर्ष 2011-12 से ₹0. 3765083.00 की सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती ₹0. 150603.00 होना चाहिये जबकि मात्र 92518.00 की कटौती की गयी अतः अन्तर ₹0. 58085.00 वैट की कटौती कम कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0एन0 श्रीवास्तव व लेखाकार श्री रामकुमार मिश्र उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 30)

11. वर्ष 2012-13 में ₹0. 3243860.00 एवं 1637177.00 व वर्ष 2013-14 में 1004940.00 ₹0 का सामग्री क्रय का निर्माण कार्य कराया गया जिसपर 4 प्रतिशत की दर से वैट क्रमशः ₹0. 129754.00, 65487.00 व 40197.00 कुल ₹0. 235438.00 की कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये था परन्तु उक्त की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री मोहम्मद नफीस अहमद एवं लेखाकार श्री रामकुमार मिश्र का है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 31,32,33)

12. वर्ष 2011-12 में क्रय सामग्री 3765083.00 पर 2.24 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. ₹0. 84337.00 के स्थान पर 73233.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार ₹0. 11104.00 टी.डी.एस. कम काटकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0एन0 श्रीवास्तव व लेखाकार श्री रामकुमार मिश्र उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 29)

13. वर्ष 2011-12 में ₹0. 73233.00 टी.डी.एस. की कटौती सामग्री क्रय में सापेक्ष भुगतान बिलों से की गयी है, परन्तु उक्त धन को राजकीय कोष में जमा करने की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। अतः ₹0. 73233.00 राजकीय कोषागार में जमा न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0एन0 श्रीवास्तव व लेखाकार श्री रामकुमार मिश्र उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 8)

14. वर्ष 2014-15 में तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम झिंगहा में रसीद के घर से बुद्ध के घर तक नाली निर्माण कार्य कराया गया जिसपर ₹0. 390928.00 व्यय किया गया दर्शित है, प्रस्तुत पत्रावली में निम्न आपत्तियां पायी गयी :-

1. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रही। जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

2. उपरोक्त कार्य की निविदा आमंत्रित नहीं की गयी, ठेकेदारों का तुलनात्मक विवरण, जमानत की धनराशि का विवरण अंकित नहीं रहा। भुगतान बिल से टी.डी.एस. वैट की कटौती नहीं की गयी। इस प्रकार वित्तीय अनियमितता की गयी है।

3. कार्य के प्रारम्भ, कार्यवधि एवं कार्य के समाप्ति पर लिए गये फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं रहें।

उपरोक्त के आधार पर कराये गये कार्य में अनियमितता की गयी है जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार श्री रामकुमार मिश्र का है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ0 सं0 8)

क्षेत्र पंचायत – हुजूरपुर

वर्ष 2011-12 से 2016-17

15. वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त के अन्तर्गत हुजूरपुर पयागपुर रोड से कपिराज पुरवा में राम मन्दिर होते हुये ननकू महाराज के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य पर ₹0. 279923.00 व्यय किया गया है, प्रस्तुत पत्रावली में निम्न आपत्तियां रही:-

1. निविदा के तुलनात्मक विवरण पत्र पर ओवर राइटिंग कर ठेकेदार को अप्रत्यक्ष रूप से गलत निविदा दिया गया है, जिसमें अस्वीकृत को स्वीकृत एवं स्वीकृत को अस्वीकृत किया गया है जो पूर्णतया अप्रमाणित है।
2. कार्य का प्रस्ताव/कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
3. कार्य की निविदा खोलने वाले प्रपत्र पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।
4. कार्य के प्रारम्भ, कार्यावधि एवं कार्य के समाप्ति पर लिए गये फोटोग्राफ की प्रति पत्रावली में सलग्न नहीं रही।

अतः भुगतान के पूर्ण प्रक्रिया का पालन न करते हुए भुगतान किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी विद्या विशारत गुप्ता, सहाय विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) एवं अवर अभियन्ता बी0पी0 सिन्हा उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

16. वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त के अन्तर्गत हरिहर चिलवरिया मार्ग से सूरजराम यादव के घर तक खड़न्जा निर्माण पर रु0. 202518.00 व्यय किया गया है प्रस्तुत पत्रावली में निम्न आपत्तियां हैं:-

1. निविदा के तुलनात्मक विवरण पत्र पर ओवर राइटिंग कर ठेकेदार को अप्रत्यक्ष रूप से गलत निविदा दिया गया है, जिसमें अस्वीकृत को स्वीकृत एवं स्वीकृत को अस्वीकृत किया गया है जो पूर्णतया अप्रमाणित है।
2. कार्य का प्रस्ताव/कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
3. कार्य की निविदा खोलने वाले प्रपत्र पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।
4. कार्य प्रारम्भ, कार्यावधि एवं कार्य के समाप्ति पर लिये गये फोटोग्राफ की प्रति पत्रावली में सलग्न नहीं रही।

अतः भुगतान की पूर्ण प्रक्रिया का पालन न करते हुए भुगतान किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी विद्या विशारत गुप्ता, सहाय विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) एवं खण्ड विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

17. वर्ष 2013-14 में पयागपुर हुजूरपुर मार्ग से संजय कुमार सिंह के खेत तक खड़न्जा निर्माण पर रु0. 222563.00 व्यय किया गया है।, प्रस्तुत पत्रावली में निम्न आपत्तियां हैं:-

1. निविदा के तुलनात्मक विवरण पत्र पर ओवर राइटिंग कर ठेकेदार को अप्रत्यक्ष रूप से गलत निविदा दिया गया है, जिसमें अस्वीकृत को स्वीकृत एवं स्वीकृत को अस्वीकृत किया गया है जो पूर्णतया अप्रमाणित है।
2. कार्य का प्रस्ताव/कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
3. कार्य की निविदा खोलने वाले प्रपत्र पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।
4. कार्य के प्रारम्भ, कार्यावधि एवं कार्य समाप्ति पर लिए गये फोटोग्राम की प्रति पत्रावली में सलग्न नहीं रही।

अतः भुगतान की पूर्ण प्रक्रिया का पालन न करते हुए भुगतान किया गया है जिसके लिए ठेकेदार रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं अवर अभियन्ता श्री बी0पी0 सिन्हा उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

18. वर्ष 2015-16 में ग्राम सभा गौड़रिया मार्ग पर बड़कऊ के समाधि से गौड़रिया खास तक खड़न्जा निर्माण कार्य पर 631560.00 रु0. व्यय किया गया है प्रस्तुत पत्रावली में निम्न आपत्तियां हैं:-

1. खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 204/लेखा/2013-14/निर्माण कार्य दिनांक 08.09.2015 में निविदा जांच पत्र में अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर नहीं है।
2. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत हैसियत प्रमाण पत्र में फोटो पूर्णतया अस्पष्ट है एवं हैसियत प्रमाण पत्र दिनांक 21.12.2012 का लगा है जो दो वर्ष बाद स्वतः समाप्त हो गया है। अतः 2015-16 में उक्त हैसियत प्रमाण पत्र के आधार पर कार्य कराया जाना अनियमितता है।
3. कार्य की कार्ययोजना लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।
4. ठेकेदार का चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 17.07.2012 का बना है जो उक्त कार्य के लिए अवैध है। प्रमाण पत्र पर फोटो भी अस्पष्ट है।
5. ठेकेदार द्वारा छः लाख के टेण्डर के सापेक्ष 130140.00 का धरोहर दिखाया गया है जिसमें डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0 दिनांक व बैंक का नाम अंकित नहीं है।
6. ठेकेदार के साथ किया गया बाण्ड अस्पष्ट है।
7. कार्य के पूर्ण कार्य अवधि एवं कार्य समाप्ति पर लिया गया फोटो पत्रावली में सलग्न नहीं रहा।

अतः भुगतान की पूर्ण प्रक्रिया का पालन न करते हुए भुगतान किया गया है जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - चित्तौरा

वर्ष 2011-12 से 2016-17

19. ग्रांट रजिस्टर तृतीय में माह मई व अगस्त 2011 में कमशः रु0. 3976.00 व 8000.00 कुल 11976.00 प्राप्त अर्जित ब्याज को बायोगैस संयंत्र मद में व्यय किया गया है जबकि शासनादेश के अनुसार अर्जित ब्याज कोषागार में जमा किया जाना चाहिये। अतः ब्याज की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0 8)

20. ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में दिनांक 21.12.2011 को राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त का धन रु0. 3,00,000.00 बी0आर0जी0एफ0 खाता सं0306643033 में हस्तान्तरित किया गया है नियमानुसार किसी विशेष योजना का धन दूसरों

योजना में हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है कि दूसरी योजना में धन हस्तान्तरित कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0 9)

21.वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में कुल सामग्री क्रय क्रमशः रु0. 1527833.00 व 2205880.00 पर नियमानुसार 4 प्रतिशत की दर से वैट क्रमशः रु0. 611113.00 व 88235.00 की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार उक्त धन से राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 10,19)

22.वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में मिट्टी ढुलाई पर क्रमशः रु0. 1,03158.00 पर 9 रु0. प्रति घनमीटर की दर से रु0. 14616.00 एवं रु0. 197715.00 पर 14 रु0 प्रति घनमीटर की दर से रु0. 43596.00 के रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 11,20)

23.वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त के अन्तर्गत प्रारम्भिक शेष रु0. 350977.00 एवं वर्ष में प्राप्त 5805575.00 रु0. रहा। तथा वर्ष में कुल 3446347.00 व्यय किया गया। इस प्रकार 2710205.00 रु0. शेष बचता है, परन्तु रजिस्टर में 2680205.00 रु0. दर्शित है। अतः रु0. 30,000.00 शेष कम दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 12)

24.वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त के अन्तर्गत रु0. 3446347.00 दर्शित रहा जिसके सापेक्ष कुल 2038919.00 का व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत की गयी। शेष रु0. 1407428.00 की पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहें। अतः रु0. 1407428.00 का भुगतान बिना व्यय प्रमाण के करके अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 13)

25.वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में क्रमशः 33253.00 रु0. एवं 49981.00 रु0. टी0डी0एस0 की कटौती क्रय किये गये सामानों के प्रमाणकों से की गयी है परन्तु उक्त धन को राजकीय कोषागार में जमा करने की पुष्टि में कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः उक्त धन को राजकीय कोषागार में जमा न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0 14,21)

26.वर्ष 2012-13 में दिनांक 23.05.2012 को श्री मकबूल खां को कोरमऊ सम्पर्क मार्ग से रमा के घर होकर लक्ष्मीराम के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य पर मिट्टी पटाई हेतु रु0. 53550.00 का भुगतान किया गया है परन्तु पत्रावली में उक्त से सम्बन्धित बिल एवं भुगतान प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं रहा। अतः भुगतान बिना प्रमाणक के किया गया है जो अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 015)

27.वर्ष 2012-13 में अमीनपुर नगरौर से स्थित सेन्ट नार्बट स्कूल बाउण्ड्रीवाल के किनारे जल निकासी हेतु नाला निर्माण हेतु बहराइच बिल्डिंग मटेरियल के बिल सं0 20 दिनांक 20.05.2012 के सापेक्ष रु0. 113738.00 का भुगतान किया गया है। बिल पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा टिन नं0 अंकित नहीं है। अतः फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, अतः अवैधानिक फर्म से सामान क्रय दर्शित कर भुगतान आधारहीन है तथा रु0.113738.00 अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 016)

28.वर्ष 2012-13 में श्री मोहम्मद उमर को रु0. 530328.00 का भुगतान दर्शित है। जिसमें निम्न आपत्तियां हैं:-

1. माप पुस्तिका में योजना का नाम अंकित नहीं है। अतः उक्त के सापेक्ष आपूर्ति सामग्री की पुष्टि नहीं होती है। अतः भुगतान आधारहीन है।
2. दिनांक 30.04.2012 को बिल सं0 178 से रु0. 197802.00 का भुगतान दिनांक 05.05.2012 को बिल सं0 177 से रु0. 332526.00 का भुगतान किया गया है। दिनांक 30.04.2012 को जब बिल सं0. 178 निर्गत किया जा चुका है तो उसके बाद दिनांक 05.05.2012 को पुनः बिल सं0 177 किस आधार पर निर्गत किया गया है। स्पष्ट नहीं है। उक्त से स्पष्ट होता है आधारहीन ढंग से आधारहीन बिलों के सहारे उक्त धन रु0. 530328.00 का भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 17)
29. वर्ष 2012-13 में मसीहाबाद मालीबाग से मसीहाबाद मस्जिद तक खड़न्जा निर्माण में श्री मकबूल खां को रु0. 41942.00 का भुगतान मिट्टी पटाई हेतु किया गया है। उक्त कार्य का उल्लेख योजना से सम्बन्धित एम0डी0 में नहीं किया गया है। बिना एम0डी0 से पुष्टि किये भुगतान आधारहीन है अतः आधारहीन भुगतान दर्शाकर रु0. 41942.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 18)
30. वर्ष 2013-14 में ग्रांट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार कुल रु0. 7200593.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष रु0. 7024987.00 के व्यय पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहें। शेष धनराशि रु0. 175606.00 की

पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। अतः रु0. 175606.00 बिना व्यय प्रमाणक के आधारहीन ढंग से व्यय दर्शाकर अपहृत किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 22)

31.वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त का शेष रु0. 5565966.00 अनुदान पंजिका में 19.03.2014 को नया खाता सं0. 50176341540 इलाहाबाद बैंक डिगिहा में बिना वित्त विभाग के पूर्व स्वीकृत के इलाहाबाद बैंक डिगिहा में खोलकर 55,00,000.00 रुपये ट्रांसफर कर दिया है जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। राजकीय धन को अनावश्यक रूप से रोककर आगामी वर्षों में मनचाहे ढंग से दुरुपयोग करने की पुष्टिभूमि तैयार की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0 23)

32.वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से रु0. 2542657.00 का निर्माण सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से वैट रु0. 101706.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0 24)

33.वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में कुल 226538.00 रु0. का 3568 घनमीटर मिट्टी क्रय कर 14 रु0 प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी 49952.00 न काटकर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0 25)

34.वर्ष 2013-14 में दिनांक 18.06.2013 को रु0. 18495.00 का भुगतान मेसर्स पुस्तक निकेतन बहराइच को कम्प्यूटर बिल का किया गया है। भुगतान की पुष्टि में सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि मेसर्स पुस्तक निकेतन कम्प्यूटर की दुकान नहीं है। स्टेशनरी की दुकान है फिर भी उसे आधारहीन तरीके से कम्प्यूटर का भुगतान किया गया है इस प्रकार भुगतान कर धन का दुरुपयोग किया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 36)

35.वर्ष 2013-14 में दिनांक 18.06.2013 को रु0. 18953.00 का भुगतान मोहम्मद आरिफ कैशियर विकास खण्ड चित्तौरा को जनरेटर डीजल क्रय हेतु किया गया है, पुष्टि में कैशियर द्वारा कोई डीजल का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। अतः डीजल के नाम पर कैशियर को भुगतान कर उक्त धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं027)

36.वर्ष 2013-14 में दिनांक 31.12.2013 को रु0. 12580.00 का भुगतान श्री लालमन प्रसाद एन0आ0 पी0 लिपिक को टेण्डर प्रकाशन हेतु किया गया है जबकि प्रकाशन से सम्बन्धित फर्म को भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से की जानी चाहिये थी। व्यक्ति विशेष को धनराशि का भुगतान कर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं028)

37.वर्ष 2013-14 में दिनांक 29.07.2013 को रु0. 14010.00 का भुगतान सीमेन्ट क्रय हेतु श्री रमाशंकर कश्यप कार्य प्रभारी को विकास खण्ड चित्तौरा में बाउन्ड्रीवाल मरम्मत हेतु किया गया है जिसमें से 314.00 रु0. वैट की कटौती कर 13696.00 रु0 का भुगतान कार्य प्रभारी को कर दिया गया है। भुगतान की पुष्टि में सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। अतः प्रमाणक विहीन भुगतान पर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ0 सं0 30)

38.वर्ष 2014-15 में अनुदान रु0. 10552851.00 प्रारम्भिक अवशेष वर्ष में 5119571.00 प्राप्त तथा 6097370.00 रु0. की निर्माण पत्रावलियां प्राप्त हुईं। अतः अवशेष 9575052.00 रु0 होना चाहिये। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार बैंक खाते में 6818120.00 रु0. पाया गया। अतः रु0. 2756932.00 का ग्रांट रजिस्टर में व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं020)

39. वर्ष 2014-15 में सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0. 133566.00 की टी.डी.एस. एवं 187595.00 रु0. वैट की कटौती की गयी है, परन्तु उक्त धन को राजकीय कोषागार में जमा करने की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त रु0. 133566.00 + 187595.00 कुल 321161.00 रु0 कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं021)

40. वर्ष 2014-15 में विभिन्न तिथियों में कुल रु0.64951.00 से 1022 घनमीटर मिट्टी ढुलाई पर व्यय किया गया है। जिस पर 14 रु0. प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी रु0. 14308.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं024)

41. वर्ष 2015-16 में चित्तौरा के ब्लॉक प्रमुख कक्ष में दरवाजा तथा शौचालय एवं दरवाजे के मरम्मत पर दिनांक 16.03.2016 को चेक सं० 880863 धनराशि रु०. 10,000.00 का भुगतान दर्शित किया गया है परन्तु व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।
(आ०सं०33)

प्रारूप-3

जनपद –बलरामपुर

मण्डल का नाम:- देवीपाटन

क्षेत्र पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ वर्ष 2016-17

क्षेत्र पंचायत श्रीदत्तगंज

विकास खण्ड-श्रीदत्तगंज

प्रस्तर-1 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार आलोच्य वर्षों में जनरेटर मरम्मत पर धनराशि व्यय की गयी है-

क्र०सं०	चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक आहरणकर्ता का नाम
1	693939	16.04.2009	3000.00	राम कुमार (आंकिक)
2	693948	18.06.2009	3253.00	राम कुमार (आंकिक)
3	527062	09.07.2009	1006.00	राम कुमार (आंकिक)
4	527075	31.08.2009	2562.00	राम कुमार (आंकिक)
5	113880	17.06.2011	3895.00	राम कुमार (आंकिक)
योग			13716.00	

लेखा परीक्षा अनुबन्ध पत्रावली जनरेटर अप्रस्तुत रही आलोच्य वर्ष दौरान विभिन्न तिथियों को जनरेटर किराया दिया गया है। ऐसी स्थिति में जनरेटर मरम्मत का समस्त उत्तरदायी जनरेटर स्वामी का होगा। जनरेटर मरम्मत के नाम पर कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन करते हुए धनराशि रु० 13716.00 का अपहरण किया गया है। जिसका समस्त उत्तरदायित्व तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी का निर्धारित किया जाता है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या- 08)

(सन्निहित धनराशि- अपहरण- रु० 13716.00)

प्रस्तर-2 लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरण के इनवर्टर बैट्री क्रय की गयी है

क्र०सं०	चेक नं०	दिनांक	धनराशि
1	693949	20.06.2009	14000.00
2	527371	02.06.2010	31500.00
3	113878	26.05.2011	7200.00
योग			52700.00

लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजी के अभाव में क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा इसके पहले बैट्री कब क्रय की गयी थी बैट्री बदली गयी या स्टॉक खारिज किया गया या पुरानी बैट्रियां स्टॉक में पड़ी हुई हैं, से सम्बन्धित जानकारी स्टॉक पंजी के अभाव में नहीं हो सकी। अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है उक्त क्रय पूर्णतया अनियमित है और इस अनियमितता का उत्तरदायित्व तत्कालीन लेखाकार बी०डी०ओ० एवं प्रमुख की है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या - 09)

(सन्निहित धनराशि- अनियमितता- रु० 52700.00)

प्रस्तर-3 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 09.07.2009 को रु० 1006.00 तथा 12.05.2010 को रु० 3900.00 का व्यय डीजल क्रय हेतु किया जाना अंकित करके भुगतान क्रमशः राम कुमार (आंकिक) एवं श्री बनवारी लाल आंकिक को किया गया है। जबकि यह भुगतान पेट्रोल पम्प को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना था। अस्तु उक्त व्यय पूर्णतया अनियमित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जाय।
(मूल आपत्ति संख्या-10)

(सन्निहित धनराशि- अनियमितता- रु० 4906.00)

प्रस्तर-4

लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 29.04.2009 को चेक नम्बर 693940 से 60 6137.00 का भुगतान राम कुमार (आंकिक) को वास्ते जाब कार्ड कम्प्यूटरीकरण किया गया है। वि०ख० में कम्प्यूटर उपलब्ध है। अस्तु उक्त व्यय पूर्णतया अनियमित एवं कूट रचित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम कुमार से अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या- 11)

(सन्निहित धनराशि- दुरुपयोग- रु० 6137.00)

प्रस्तर-5 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 01.07.2009 को रु० 5409.00, दिनांक 20.08.2009 को रु० 3312.00, दिनांक 01.03.2010 को रु० 3427.00, दिनांक 07.07.2010 को रु० 6010.00, दिनांक 12.01.2011 को रु० 11290.00, दिनांक 28.04.2011 को रु० 5700.00, दिनांक 29.09.2010 को रु० 12200.00, दिनांक 06.07.2011 को रु० 8425.00 इस प्रकार कुल रु० 56375.00 का व्यय कम्प्यूटर मरम्मत पर किया गया है। स्टॉक पंजी के अभाव में इस तथ्य की

जानकारी नहीं हो सकी कि कम्प्यूटर का क्रय कब किया गया था और वर्ष दर वर्ष लगाये गये हास के उपरान्त कम्प्यूटर की बुक वैल्यू कितनी थी। जब ऐसी स्थिति आ जाये कि बुक वैल्यू से मरम्मत पर खर्च अधिक हो तो नया क्रय किया जाना चाहिए। न तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 का पालन किया गया और न ही मरम्मत पर व्यय धनराशि की सार्थकता से लेखा परीक्षा को अवगत कराया गया। प्रकरण गम्भीर है धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं बी0डी0ओ0 से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0- 12)

(सन्निहित धनराशि- अनियमितता- रु0 56373.00)

प्रस्तर-6 लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत सलाऊ के खेत से रंजीत सिंह के खेत से मिट्टी सोलिंग कार्य कराया गया है। जिस पर पत्रावली में संलग्न एम0आर0 के अनुसार विजय कुमार पुत्र सन्तरी को रु0 3600.00 और संध्या कुमार पुत्र विजय कुमार को रु0 3600.00, गोमती पुत्र संतरी को रु0 3600.00 का भुगतान एक ही एकाउन्ट नं0 31944567997 में किया गया है (बैंक एडवाइस के अनुसार) और विजय कुमार तथा संख्या कुमारी का जाबकार्ड नं0 समान (275) अंकित किया गया है। संलग्न एम0आर0 पर एम0आर0 क्रमांक स्वीकृत आदेश सं0 एवं दिनांक कार्य का विवरण एवं निर्गमनकर्ता के हस्ताक्षर मुहर नहीं हैं और एडवाइस के साथ चेक की फोटो कापी भी संलग्न नहीं है। अस्तु उक्त का व्यय पूर्णतः कूटरचित है और धन अपहरण की नियति से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी शक्तिवेश मौर्या (ग्रा0वि0अ0) से किया जाय।

(मूल आपत्ति संख्या- 13)

(सन्निहित धनराशि- अपहरण- रु0 10800.00)

प्रस्तर-7 उक्त कार्य पर ही राम उगार ईट भट्टा से रु0 189720.00 का ईट क्रय किया गया है, जिसके सापेक्ष टेण्डर के स्थान पर कूटरचित एवं फर्जी कोटेशन प्रस्तुत किया गया है। अस्तु उक्त व्यय पूर्णतः अनियमित है। जिसके लिए कार्य प्रभारी, जे0ई0 लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी और प्रमुख जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 14)

(सन्निहित धनराशि- अनियमितता- रु0 189720.00)

प्रस्तर-8 लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कूटरचित एवं फर्जी एम0आर0 द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है, विवरण निम्नवत

क्र0	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	धनराशि	अन्य विवरण
1	भिटौढ़ी गांव से अल्ला बक्खस के खेत तक मिट्टी पटाई एवं खडंजानिर्माण।	शक्तिवेश मौर्या	25200.00	एम0आर0 से पर दिनांक एवं निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर तथा आदेश स्वीकृति संख्या एवं हाजिर लगाने वाले का हस्ताक्षर नहीं है। चेक की फोटोकापी एवं बैंक एडवाइस के साथ संलग्न नहीं है।
2	साहूजोत पक्की सड़क से रामदत्त के चक से गुलराह तक मिट्टी पटाई कार्य।	शक्तिवेश मौर्या	146880.00	उपरोक्त
3	नन्द नहरा सरहद से श्री भुल्ले के चक तक नाला सफाई का कार्य।	राकेश चौधरी	173400.00	उपरोक्त
4	भिटौढ़ी पश्चिम तरफ पाण्डेय के स्कूल के बगल वाले तालाब का जीर्णोद्धार।	शक्तिवेश मौर्या	63000.00	उपरोक्त
5	ग्राम जिमिना में तेदुई पोखरा के बगल वृक्षारोपण कार्य।	राम सुरेश	7200.00	उपरोक्त
6	चहरवा पक्की सड़क से राम तेज के होटल तक ईट खडंजा निर्माण।	शक्तिवेश मौर्या	12000.00	उपरोक्त
7	रमवापुर पुल से छोटका गोदहना में साकिर के घर तक ईट खडंजा निर्माण कार्य।	शक्तिवेश मौर्या	22680.00	उपरोक्त
8	अगया बुजुर्ग के ग्राम कूटकट पुरवा प्रा0वि0 से कोठिया मोहरम अली क घर तक खडंजा निर्माण कार्य।	वीरेन्द्र सिंह	102200.00	भुगतान वीरेन्द्र सिंह को किया गया। श्रमिकों को एवं सामग्री पर दर्शित किया गया फर्जी एम0आर0एडवांस के समस्त चेक की फोटोकापी न होना।
	योग		552560.00	

उक्त धनराशि रु0 552560.00 कूट रचित एवं फर्जी एम0आर0 बनाकर व्यक्ति विशेष को लाखों रु0 अग्रिम भुगतान कर भुगतान धनराशि के समायोजन का तरीका निकालकर अपहरण खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जे0ई0, प्रमुख द्वारा किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 15)

(सन्निहित धनराशि- अपहरण- रु0 552560.00)

प्रस्तर-9 लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2008-09 में शोहराव के खेत से सुमिरन के खेत तक बांध निर्माण मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्य प्रभारी राकेश चन्द्र चौधरी द्वारा कराया गया, जिसमें दिनांक 30.07.2018 को 40 टोकरी (20 प्रति नग) का क्रय दीन दयाल से किया गया। कार्य समाप्त होने के बाद उक्त टोकरियां (मूल्य 800.00) राकेश चन्द्र चौधरी द्वारा विकास खण्ड में जमा नहीं किया गया। अस्तु रु0 800.00 मूल्य की टोकरी श्री राकेश चन्द्र चौधरी ने आहरण कर लिया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राकेश चन्द्र चौधरी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 16)

(सन्निहित धनराशि- अपहरण- रु0 800.00)

प्रस्तर-10 लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में रईस के खेत से शोहराव के खेत तक मिट्टी कार्य/बांध निर्माण मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराया गया, जिसकी कुल अनुमानित लागत रु0 193000.00 आंकलित की गयी। उक्त में से चेक नं0 693712 दिनांक 10.08.2018 द्वारा रु0 50000.00 का भुगतान राकेश चन्द्र चौधरी को किया गया। जबकि यह भुगतान श्रमिकों को बैंक एडवाइस बनाकर उनके खाते में किया जाना था। ऐसा न करके कूटरचित एम0आर0 के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार, जे०ई० द्वारा धनराशि का बंदरबांट किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 17)

(सन्निहित धनराशि- अपहरण- रु0 50000.00)

प्रस्तर-11 मनरेगा योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत गुलरहा में अमरनाथ के खेत से भंगी टोला तक मिट्टी कार्य व पुलिया निर्माण कराया गया जिसके कार्य प्रभारी चिन्ता रामवर्मा थे एवं प्राक्कलन लागत रु0 127000.00 थी, जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

(क) 10 श्रमिक काम किए और हस्ताक्षर दो के हैं, अस्तु रु0 5400.00 का एम0आर0 फर्जी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी, बी0डी0ओ0, जे०ई० एवं लेखाकार से की जाय।

(ख) फोटो स्टेट पर व्यय रु0 200.00 परन्तु पत्रावली में फोटो नहीं लगी है।

(ग) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अधूरा है, माप का अंकन एज पर एमबी नहीं है। वांछित कालम नहीं भरे गये हैं।

(घ) अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त धनराशियां रु0 5600.00 की ब्याज सहित वसूली संबंधित कार्यप्रभारी, बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार से की जाय।

(ङ) इसी कार्य पर एकता ट्रेडर्स से बाउचर नं0 111/20-06-08 के सापेक्ष रु0 8800.00 का नकद सीमेन्ट और बालू क्रय किया गया है। एकता ट्रेडर्स पंजीकृत फर्म नहीं है। भुगतानित धनराशि से वैट और टी०डी०एस० भी नहीं काटा गया है। अस्तु उक्त व्यय अनियमित है। प्रकरण की ओर उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(च) कार्य का प्राक्कलन रु0 127000.00 के सापेक्ष व्यय धनराशि रु0 102122.00 का भुगतान किया गया है, परन्तु कार्य पूर्ण नहीं है। प्रकरण गम्भीर है। व्यय धनराशि का औचित्य सिद्ध नहीं होता है पूरा व्यय ही एम0बी0 के अभाव में अनियमित है जिसके लिए विकास खण्ड प्रशासन उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 18, 18घ, 18ङ)

(सन्निहित धनराशि- अपहरण- रु0 8800.00)

(सन्निहित धनराशि- अनियमितता- रु0 110922.00 (8800+102122))

प्रस्तर-12 मनरेगा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में ग्राम मनियरिया में प्रा०वि० के पीछे पीपल वाला तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसके प्राक्कलन लागत रु0 12400.00 निश्चित की गयी। उक्त पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

(क) चित्रांश फोटो स्टूडियों को 12.06.2018 को रु0 200.00 भुगतान, परन्तु पत्रावली में फोटो नहीं लगी है। जबकि तीन स्टेप की फोटो लगी होना अनिवार्य है।

(ख) दिनांक 23.05.2018 को कार्य प्रभारी द्वारा 30 टोकरी (20/- नग) क्रय कर रु0 600.00 व्यय किया गया। कार्य समाप्ति पर टोकरी कहाँ गयी, विवरण अप्राप्त रहा।

(ग) कार्य की एम0बी0 नहीं की गयी और भुगतान कर दिया गया। क्योंकि एम०बी० हुयी होती तो पत्रावली में छायाप्रति संलग्न होती।

अस्तु उक्त व्यय धनराशि आधारहीन एवं अनियमित है, जो आहरण करके अपहरित कर ली गयी, जिसके लिए लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या- 19(i), (ii))

(सन्निहित धनराशि- अपहरण- रु0 800.00)

प्रस्तर-13 मनरेगा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में ग्राम भिटौड़ी गांव से रंजीत सिंह के खेत तक बांध का निर्माण प्राक्कलन रु0 176800.00 लागत से कराया गया है, जिसके कार्य प्रभारी अवर अभियंता रामकान्त त्रिपाठी बनाये गये। उक्त पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं -

(क) चेक नं0 613527 दिनांक 01.05.2010 द्वारा कार्य प्रभारी को एडवांस रुपया 45000.00 दिया गया। जाहिर है श्रमांश के नाम पर धनराशि का बंदरबांट किया गया। क्योंकि श्रमांश तो बैंक एडवाइस बनाकर श्रमिकों के खाते में भुगतानित किया जाना चाहिए था।

(ख) कार्य की एम0बी0 की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(ग) परियोजना संबंधी प्रमाण पत्र जो पत्रावली में संलग्न पाया गया पूर्ण रूप से सादा(ब्लैंक) है। सिर्फ हस्ताक्षर एवं मुहर किया गया है। अनुश्रवण समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है।

(घ) चेक नं० 613529 दिनांक 03.06.2010 से धनराशि रु० 27200.00 एवं चेक संख्या 25562.00 दिनांक 21.07.2010 से रु० 28200.00 का एम०आर० संलग्न पाया गया जो पूर्णतः कूटरचित है। एम०आर० क्रमांक पर सफेदा लगाया गया है, हाजिरी लेने वाले एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। भुगतान आदेश एवं चेक की फोटोकापी पत्रावली में संलग्न नहीं है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त दर्शित व्यय धनराशि पूर्णतः अपहरण कर ली गयी। धनराशि रु० 100400.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी राकेश चौधरी जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपति संख्या— 20)**

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु० 100400.00)

प्रस्तर—14 मनरेगा योजना 2010—11 के अन्तर्गत बरगदही गांव से पहले राजगढ़ तक मिट्टी कार्य आदम प्रेम नगर बरगदही में शेर मो० के घर से राजगढ़ तक कराया गया। जिसका प्राक्कलन पत्रावली में धनराशि रु० 167100.00 का संलग्न है। कार्य प्रभारी प्रदीप वर्मा को बनाया गया। पत्रावली में कार्य की एम०बी० संलग्न नहीं है। अस्तु उक्त धनराशि जो व्यय दर्शित की गयी है, पूर्णतः अनियमित एवं नियमविरुद्ध है। भुगतान एम०बी० के अनुसार किया जाना चाहिए। बिना एम०बी० के भुगतान करके धनराशि के सापेक्ष कूटरचित एम०आर० द्वारा अपहरण किया गया, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी श्री प्रदीप वर्मा, जी०वी०एम० उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

कूटरचित एम०आर० का विवरण निम्नवत है—

(क) 255272	31.01.2011	21840.00	एम०आर० क्रमांक और दिनांक, जारी करने वाले का हस्ताक्षर, बैंक एडवाइस एवं जारी चेक की फोटो कापी पत्रावली में संलग्न नहीं है। चेक कार्य प्रभारी को देने से संबंधित मांग पत्र संलग्न है।
(ख) 633545	31.01.2011	8160.00	उपरोक्त
(ग) 255275	22.03.2011	72120.00	उपरोक्त
(घ) 255280	16.07.2011	3360.00	उपरोक्त

(मूल आपति संख्या— 21)

(सन्निहित धनराशि— अनियमितता— रु० 105480.00)

प्रस्तर—15 मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010—11 में जिगना में बरगदही के यार मोहम्मद के चेक से इसराइल के घर तक कार्य कराया गया है। जिसका प्राक्कलन रु० 113100.00 का बना है। कार्य प्रभारी प्रदीप वर्मा एवं अवर अभियन्ता श्री रमाकान्त त्रिपाठी रहे। उक्त कार्य की एम०बी० पत्रावली में संलग्न नहीं है, अर्थात् बिना एम०बी० भुगतान किया गया। जो नियम विरुद्ध है। पत्रावली में संलग्न एम०आर० पूर्णतः कूटरचित है। बैंक एडवाइस के साथ चेक की फोटो कापी नत्थी नहीं मिली। अस्तु उक्त धनराशि का बैंक खाते से अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार और कार्य प्रभारी प्रदीप वर्मा जिम्मेदार हैं। यह भी तथ्य उजागर हुआ कि कार्य प्रभारी के नाम धनराशि एडवांस की गयी चेक नं० 025264 दिनांक 13.08.2010 रु० 36000.00 रही। जाहिर है कि जब चेक कार्य प्रभारी को दिया गया तो संलग्न बैंक एडवाइस फर्जी है। क्योंकि बैंक एडवाइस सही होती तो चेक शाखा प्रबन्धक के नाम दिया जाता और चेक की फोटो कापी पत्रावली में संलग्न होती। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या— 36)

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु० 36000.00)

प्रस्तर—16. मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009—10 में कोल्हुई विनौनी से महुवा इब्राहिम होते हुए इटईया गांव तक मिट्टी कार्य एवं पुलिया निर्माण कराया गया, जिसके प्रभारी शक्तिवेश मौर्या रहे। पत्रावली में संलग्न धनराशि रु० 151200.00 का एम०आर० पूर्णतः कूटरचित एवं फर्जी है। बैंक एडवाइस पर एम०आर० नं० अंकित नहीं है और साथ में चेक की छाया प्रति संलग्न नहीं है और न ही लेखा परीक्षा के दौरान बैंक एकाउण्ट स्टेटमेंट उपलब्ध कराया गया। अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धनराशि रु० 151200.00 का कूटरचित अभिलेख तैयार कर सुनियोजित अपहरण किया गया, जिसके लिए लेखाकार, बी०डी०ओ० एवं कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या— 23)

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु० 151200.00)

प्रस्तर—17. एम०बी० विहीन व्यय मनरेगा योजना 2010—11 में कृष्णपाल सिंह के पोखरे से बलवीर सिंह के खेत से होते हुए नाला तक मिट्टी कार्य कराया गया। जिस पर संशोधन लागत का प्राक्कलन रु० 155700.00 किया गया है। कार्य प्रभारी विवेक कुमार अवर अभियन्ता लघु सिंचाई बनाये गये। संदर्भित कार्य की एम०बी० की छायाप्रति कार्य पत्रावली में संलग्न नहीं है। अस्तु उक्त कार्य पर व्यय धनराशि रु० 50400.00 एवं 42840.00 कुल रु० 93240.00 पूर्णतः अनियमित ढंग से की गयी है, जिसके लिए कार्य प्रभारी, बी०डी०ओ० व लेखाकार जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या— 24)

(सन्निहित धनराशि— अनियमितता— रु0 155700.00)

प्रस्तर—18 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में मनरेगा योजना अन्तर्गत मझारी बाघाजोत संपर्क मार्गों से फिरोज के खेत तक मिट्टी पटाई का कार्य कराया गया, जिसका प्राक्कलन रु0 169000.00 का बना। कार्य प्रभारी विवेक कुमार, जे०ई० लघु सिंचाई को बनाया गया। कार्य पत्रावली में कुल संलग्न एम०आर० में से रु0 15720.00 का एम०आर० जो चेक नं० 113325 द्वारा दिनांक 31.03.2011 को भुगतान किया जाना दर्शित है। फर्जी एवं कूटरचित है। बैंक एडवाइस के समस्त चेकों की प्रति नहीं है। परियोजना संबंधित प्रमाण पत्र में सभी प्रविष्टियां रिक्त पड़ी हैं। मात्र सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त फॉर्मेट पत्रावली में संलग्न है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभिलेखीय कूटरचना करके रु0 15720.00 का अपहरण किया गया, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, प्रमुख एवं जे०ई० तत्कालीन जिम्मेदार हैं। प्रकरण गम्भीर है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या— 25)

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 15720.00)

प्रस्तर—19 लेखा परीक्षा में पाया गया कि एस०जी०आर०वाई। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में मझारी वाछिल गांव के उत्तर वाले, तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने का कार्य कराया जाना अभिलेखों में अंकित है, जिसका प्राक्कलन रु0 1.503 लाख का पत्रावली में संलग्न है। परन्तु,

(1) प्राक्कलन पर किसी का हस्ताक्षर नहीं है।

(2) परियोजना सम्बन्धी प्रमाण पत्र भरा ही नहीं गया। अनुश्रवण समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर भी नहीं है।

(3) कार्य की एम०बी० पत्रावली में संलग्न नहीं हैं।

(4) संलग्न एम०बी० में कुल रु0 5800.00 एम०आर० फर्जी एवं कूटरचित है। धनराशि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। बैंक एडवाइस के साथ चेक की छायाप्रति भी संलग्न नहीं है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त कार्य पर भुगतान की गयी धनराशि अभिलेखीय कूट रचना करते हुए एम०बी० न बनाकर फर्जी तौर पर भुगतान दिखाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए तत्कालीन बी०डी०ओ०, लेखाकार, जे०ई० एवं प्रमुख जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या— 26)

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 5800.00)

प्रस्तर—20 लेखा परीक्षा में पाया गया कि मझारी वाछिल में तालाब का जीर्णोद्धार वित्तीय वर्ष 2008-09 में कराया गया। कार्य प्रभारी श्री राकेश चन्द्र चौधरी को बनाया गया। जिसकी पत्रावली जो प्रस्तुत की गयी पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं—

रु0 21000.00 का एम०आर० फर्जी है, कूटरचित है, बैंक एडवाइस के साथ चेक की फोटोकापी संलग्न नहीं है। प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है।

सी०एन० नं० 692249 से दिनांक 14.10.2009 को कार्य प्रभारी को धनराशि रु0 20000.00 अग्रिम दिया गया। जबकि पत्रावली में एम०आर० दर्शाया गया है।

चेक नं० 692250 दिनांक 05.11.2009 से रु0 30000.00 कार्य प्रभारी को दिया गया। जबकि पत्रावली में फर्जी बैंक एडवाइस एवं एम०आर० संलग्न किया गया है।

मुसाहिद ट्रेडर्स से रु0 1040.00 की सीमेन्ट क्रय की गयी, यह फर्म पंजीकृत नहीं है। इस धनराशि से वैट और टी०डी०एस० भी नहीं काटा गया। भुगतान भी नकद किया गया है। नियम विरुद्ध क्रय किया गया और राजकीय राजस्व की क्षति भी की गयी।

मे० बालाजी स्पन पाइप को दिनांक 16.10.2009 को भुगतान किया गया। प्रमाणक तिथि विहीन एवं प्रमाणक संख्या विहीन है और भुगतान रु0 15940.00 किया गया। इसी प्रकार बाउचर नं० 310 दिनांक 16.10.2009 को रु0 8840.00 नकद भुगतान किया गया जो नियमानुसार गलत है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभिलेखीय कूट रचना करते हुए पत्रावली में फर्जी एवं आधारहीन विवरण संलग्न करते हुए कुल धनराशि रु0 96820.00 का अपहरण किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, प्रमुख एवं प्रभारी जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या— 27 पपए पपए (27 iv) (27 v))

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 71000.00)

(सन्निहित धनराशि— दुरुपयोग— रु0 1040.00)

(सन्निहित धनराशि— अनियमितता— रु0 24780.00)

प्रस्तर—21 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत गायडीह में भैयाडीह के उत्तर पश्चिम दिशा में खडंजा मार्ग पर ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य कराया गया है। जिसके कार्य प्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, नियुक्त किये गये। अनुमानित लागत रु0 0.523 लाख आंकलित की गयी, जो प्राक्कलन कार्य पत्रावली में संलग्न है, परन्तु पत्रावली में कार्य की एम०बी० संलग्न नहीं है। बिना एम०बी० किए ही रु0 45000.00 से अधिक का भुगतान किया गया, जो नियम विरुद्ध एवं कूटरचित ढंग से राज्य वित्त खाते से रु0 45000.00 का अपहरण किया गया। जिसके लिए सहायक

लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी एवं प्रमुख जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या- 28)

(सन्निहित धनराशि- अनियमितता- रु0 45000.00)

प्रस्तर-22. लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में चमरूपुर में अनुसूचित बस्ती में जिलानी के घर के बीच से पुराने खडंजे के ट्यूबवेल से होते हुए पिच रोड तक 320 मीटर खडंजा निर्माण कार्य कराया गया है। जिसकी प्राक्कलन लागत रु0 260774.00 एवं दर्शित व्यय रु0 234680.00 रहा। इस पर निम्न आपत्तियां हैं-

1- कार्य पत्रावली में तीन फर्मों को कोटेशन क्रमशः दिलीप ईट भट्टा, हारुन ब्रिक फील्ड, जे०एम०बी० मार्का ईट का संलग्न है, परन्तु बाउचर के नाम पर गुमड़ी ईट भट्टा का कैशमेमो संलग्न है। जिस पर टिन नं० भी अंकित नहीं है और इसी फर्जी बाउचर पर रु0 199680.00 चेक नं० 058688 दिनांक 30.12.2009 से भुगतान किया गया, जिस पर वैट भी नहीं काटा गया। प्रथमतः तो टेण्डर के स्थान पर कोटेशन लिया गया और कोटेशन भी जिन फर्मों का लिया गया। क्रय उनसे न करके अन्य फर्म से किया गया। कार्य पत्रावली में संलग्न डिमाण्ड की भाषा निम्नलिखित रही है- बी०डी०ओ० ने इस पत्र के सापेक्ष भुगतान किया, जिसमें लिखा है कि कार्य प्रभारी के अनुसार ईट आपूर्ति की गयी है। अर्थात्-

रनिंग एम०बी० नहीं की गयी जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि पत्रावली में एम०बी० संलग्न न होना एम०बी० न होने का कारण है। अस्तु नियम विरुद्ध पत्रावली बनाते हुए फर्जी संलग्नकों के आधार पर बिना एम०बी० किए धनराशि रु0 234680.00 का दर्शित व्यय धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए कार्य प्रभारी, सहायक लेखाकार, बी०डी०ओ० एवं प्रमुख जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या- 29)

(सन्निहित धनराशि- अनियमितता- रु0 234680.00)

प्रस्तर-23 . वित्तीय वर्ष 2009-10 में राज्य वित्त योजनान्तर्गत महुआ इब्राहिम में दुल्हिनडीह से महुआ इब्राहिम के दक्षिण जग प्रसाद के चक तक ईट खडंजा निर्माण कार्य कराया जाना दर्शित है। जिसके प्रभारी श्री वीरेन्द्र सिंह (जी०वी०ए०) को बनाया गया। कार्य की अनुमानित लागत प्राक्कलन के अनुसार रु0 237440.00 प्राक्कलित की गयी, जिसमें श्रमांश पर रु0 48600.00 और शेष सामग्री पर दर्शित की गयी है। लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

(क) पत्रावली में एम०बी० संलग्न नहीं है। अस्तु बिना एम०बी० के भुगतान कर दिया गया।

(ख) चेक नं० 058686 दिनांक 30.12.2009 द्वारा वीरेन्द्र सिंह को रु0 30000.00 अग्रिम दिया गया। इसी प्रकार चेक नं० 058695 दिनांक 11.03.2010 से रु0 18600.00 दिया गया। भुगतान श्रमिकों को होना चाहिए था न कि श्री वीरेन्द्र सिंह को अस्तु पत्रावली में संलग्न बैंक एडवाइस पूर्णतः कूटरचित है।

(ग) चेक नं० 058694 दिनांक 11.03.2010 से रु0 77440.00 और चेक नं० 058685 दिनांक 30.11.2009 से रु0 156416.00 का भुगतान राम उगगर ईट भट्टा को किया गया। जिस पर नियमानुसार रु0 9354.00 की वैट कटौती भी नहीं की गयी। क्रय के पूर्व टेण्डर नहीं लिया गया, क्रय कोटेशन के आधार पर किया गया जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कूटरचित एवं फर्जी अभिलेखों की पत्रावली तैयार करके कार्य पर व्यय धनराशि रु0 282456.00 का अपहरण किया गया। प्राक्कलन रु0 237400.00 का है, एम०बी० नहीं है और व्यय रु0 282456.00 का दर्शित है, जिसके जिम्मेदार कार्य प्रभारी, लेखाकार एवं बी०डी०ओ० है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या- 30)

(सन्निहित धनराशि- अपहरण- रु0 48600.00)

(सन्निहित धनराशि- अनियमितता- रु0 233856.00)

प्रस्तर-24. राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में विकास खण्ड परिसर में सी०सी० रोड का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसके कार्य प्रभारी श्री हरीराम ए०डी०ओ० (एस०टी०) थे। प्राक्कलन के अनुसार श्रमांश लागत रु0 89800.00 एवं सामग्री पर रु0 504000.00 निश्चित किया गया। लेखा परीक्षा को प्रकरण पर निम्न आपत्तियां-(ड) (च) (क) कार्य की एम०बी० पत्रावली में संलग्न नहीं है अर्थात् भुगतान बिना एम०बी० के किया गया है।

(ख) सामग्री क्रय मात्र कोटेशन पर किया गया है। जबकि टेण्डर पर किया जाना था। क्रय सामग्री के सापेक्ष वैट नहीं काटा गया जो रु0 10468.00 से राजकीय राजस्व की हानि हुई।

(ग) रु0 81600.00 का एम०आर० एवं एमआर० के सापेक्ष प्रस्तुत बैंक एडवाइस पूर्णतः फर्जी है क्योंकि चेक नं० 058684 दिनांक 22.12.2009 से रु0 50000.00 एवं चेक नं० 058691 दिनांक 14.01.2010 से रु0 20000.00 का भुगतान श्री हरीराम ए०डी०ओ० (एस०टी०) के नाम किया गया है।

(घ) रु0 88.00 प्रति घ०मी० की दर से 40 घन मी० मिट्टी क्रय की गयी जिस पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्य पर कुल भुगतान की धनराशि रु0 530224.00 कूटरचित ढंग से अभिलेख तैयार करते हुए अपहरण किया गया। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन सहायक लेखाकार, कार्य प्रभारी, बी०डी०ओ० की है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-31)

(सन्निहित धनराशि- अपहरण- रु0 89800.00)

(सन्निहित धनराशि— अनियमितता— रु0 504000.00)

प्रस्तर—25. राज्य वित्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में छोटका गोदहना पक्की सड़क से बड़का गोदहना कब्रिस्तान तक ईट खडंजा निर्माण कार्य कराया गया। जिसके कार्य प्रभारी श्री प्रदीप वर्मा थे। पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन के अनुसार कुल धनराशि रु0 328300.00 व्यय किया जाना था। जिसके सापेक्ष कार्य पत्रावली के अनुसार रु0 313546.00 व्यय किया गया, परन्तु कार्य की एम0बी0 नहीं की गयी, बिना एम0बी0 के किया गया भुगतान पूर्णतः नियम विरुद्ध अनियमित है। जिसके जिम्मेदार सहायक लेखाकार, बी0डी0ओ0, कार्य प्रभारी एवं प्रमुख है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या— 32)

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु0 313546.00)

प्रस्तर—26.(I) लेखा परीक्षा में पाया गया कि 12वां वित्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में मुजेहनी ग्राम में संतराम के घर से अलाउद्दीन के घर तक दोनों तरफ नाली निर्माण कराया गया है, जिसके कार्य प्रभारी वीरेन्द्र सिंह थे। उक्त कार्य पर श्री वीरेन्द्र सिंह को रु0 80000.00 अग्रिम भुगतान किया गया, जिसमें से दिनांक 01.11. 2009 को केशव ट्रेडर्स से रु0 15500.00 की बालू नकद क्रय किया गया और मुसाहदी ट्रेडर्स दिनांक 01.11.2009 को रु0 58860.00 सीमेन्ट क्रय का भुगतान किया गया है, वह भी नकद। उक्त दोनों फर्म रजि0 नहीं है। भुगतान की धनराशि से वैट व टी0डी0एस0 न काटकर क्रमशः रु0 1666.00 एवं रु0 2974.00 से राजकीय राजस्व की क्षति भी पहुंचायी गयी। उक्त व्यय पूर्णतः नियम विरुद्ध व अनियमित है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से लेखाकार बी0डी0ओ0 एवं कार्य प्रभारी की है।

(II) इसी प्रकार से उक्त कार्य पर मात्र कैशमेमो और कोटेशन लेकर गुमडी ईट भट्टे को चेक नं0 709 दिनांक 01.11. 2009 से रु0 84781.00 का भुगतान किया गया। जिसके सापेक्ष न तो चालान लिया गया न टेण्डर लिया गया और न ही वैट और टी0डी0एस0 काटा गया। उक्त क्रय का भुगतान तो अनियमित ही है साथ ही रु0 1899.00 का टी0डी0एस0 और रु0 3391.00 का वैट न काटकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी जिसकी जिम्मेदारी कार्य प्रभारी, सहायक लेखाकार एवं बी0डी0ओ0 की है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या— 33 i, 33 ii)

(सन्निहित धनराशि— दुरुपयोग— रु0 80000.00)

(सन्निहित धनराशि—अपहरण— रु0 84781.00)

प्रस्तर—27. लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्यवित्त योजना से अगया बुजुर्ग के ग्राम कुटकुट पुरवा प्राथमिक विद्यालय से कोठिया मोहरम अली के घर तक खडंजा निर्माण कार्य कराया गया। जिसके कार्य प्रभारी श्री वीरेन्द्र सिंह थे। उक्त कार्य पर श्रमांश की धनराशि रु0 102200.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। जबकि यह भुगतान श्रमिकों को किया जाना था। अस्तु उक्त व्यय धनराशि अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार तथा जे0ई0 की है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या— 34)

(सन्निहित धनराशि— अनियमितता— रु0 102200.00)

प्रस्तर—28. (I) लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त योजना से वर्ष 2011-12 रमवापुर पुल से छोटका गोदहना से साकिर के घर तक ईट खडंजा निर्माण कार्य कराया गया। जिसके कार्य प्रभारी श्री शक्तिवेश मौर्या थे। कार्य पर डिसप्ले बोर्ड मद में रु0 3500.00 का नकद भुगतान संतोष डेकोरेशन एण्ड बेल्डिंग वर्क को किया गया। न तो वैट काटा गया और न ही टी0डी0एस0 कटौती की गयी। फर्म पंजीकृत भी नहीं है। अस्तु उक्त व्यय पूर्णतः अनियमित है।

(II) कार्य पत्रावली में रु0 22680.00 का एम0आर0 पूर्णतः फर्जी एवं कूटरचित है। श्रमिकों के हस्ताक्षर निसानी अंगूठा, एम0आर0 जारी करने का दिनांक, क्रमांक एवं सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।

अस्तु उक्त धनराशियों कुल रु0 26180 का भुगतान फर्जी एवं कूटरचित अभिलेख तैयार करके रु0 3500.00 का दुरुपयोग एवं रु0 22680.00 का अपहरण किया गया। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0, लेखाकार, कार्य प्रभारी, जे0ई0 जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या— 35 i, ii)

(सन्निहित धनराशि— अनियमितता— रु0 3500.00)

(सन्निहित धनराशि— अपहरण— रु022680.00)

प्रस्तर—29. लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में चहटवा पक्की सड़क से रामतेज के होटल तक ईट खडंजा का निर्माण कार्य कराया गया। जिस कार्य पर गुमडी ईट भट्टा से बाउचर सं0 124/31.07.2011 से रु0 286200.00 की ईट का भुगतान किया गया। क्रम के पूर्व टेंडर नहीं लिया गया और सिर्फ कूट रचित कोटेशन के आधार पर क्रय किया गया, जो पूर्णतः अनियमित/नियम विरुद्ध है। इस प्रकार नियम विरुद्ध क्रय करते हुए रु0 286200.00 धनराशि का दुरुपयोग किया गया और उक्त पर वैट की कटौती न करके रु0 11448.00 से राजकीय राजस्व की क्षति भी पहुंचाई गई। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0ई0, कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या— 36)

(सन्निहित धनराशि— दुरुपयोग— रु0 286200.00)

प्रस्तर—30. वैट कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाना

उदाहरणार्थ—

क्र०	योजना एवं वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि जो भुगतान की गई	फर्म	धनराशि वैट की जितने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई
1	मनरेगा 2011-12	सलारु के खेत से रंजीत के खेत तक	189720.00	राम उग्गर ईट भट्ठा	7589.00
2	मनरेगा 2011-12	भिटौड़ी गांव से अल्ला बक्स के घर तक	215900.00	राम उग्गर ईट भट्ठा	8636.00
3	राज्य वित्त 2011-12	चहरवा पक्की सड़क से रामतेज के घर तक	286200.00	गुमड़ी ईट भट्ठा	11448.00
4	राज्य वित्त 2011-12	अगया बुजुर्ग के ग्राम कुटकुट पुरवा प्रा०वि० से कोठिया मोहरम अली के घर तक ख०नि०	299907.00	गुमड़ी ईट भट्ठा	11996.00
5	राज्य वित्त 2011-12	विकास खण्ड परिसर में द० ध्वस्त बाउण्डी वाल तथा पश्चिम तरफ बाउण्डी वाल का उच्चीकरण	559575.00	—	2239.00
योग					41908.00

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-37)

(सन्निहित धनराशि— अनियमितता— रु० 41908.00)

प्रस्तर-31. निम्नलिखित कार्य पर बिना एम०बी० के भुगतान दर्शित है—

क्र०	कार्य का नाम	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	विकास खण्ड परिसर में दक्षिण ध्वस्त बाउण्डी वाल तथा पश्चिम तरफ बाउण्डी वाल का उच्चीकरण (राज्यवित्त 2010-11)	72375.00	कार्य प्रभारी वीरेन्द्र सिंह ग्रा०वि०अधि०
2	(2009-10 नरेगा) ग्राम पंचायत जिगना में अहिरनडीह से आदमपुर पुलई के घर तक मिट्टी/पुलिया निर्माण कार्य	18000.00	कार्य प्रभारी राम सुरेश
3	(2009-10 नरेगा) डिहवा गांव से राम जानकी मंदिर एवं मझारी खम्हरिया से 104100.00 कार्य प्रभारी राकेश चौधरी पश्चिम मार्ग तक मिट्टी कार्य।	104100.00	कार्य प्रभारी राकेश चौधरी
4	(2009-10 नरेगा) मनियरिया गांव में पूरब वाले तालाब तक जीर्णोद्धार	94300.00	कार्य प्रभारी राकेश चन्द्र चौधरी
योग		288775.00	

उक्त कार्यों पर भुगतान के सम्बन्ध में बिना एम०बी० एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त धनराशियों का कूटरचित ढंग से अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन कार्य प्रभारी बी०डी०ओ. व सहायक लेखाकार जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सन्निहित धनराशि— अनियमितता— रु० 288775.00)

(मूल आपत्ति संख्या— 38)

प्रारूप-3

जनपद—श्रावस्ती

मण्डल का नाम—देवीपाटन गोण्डा

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित प्रस्तर—श्रावस्ती 2014-15 से 2016-17 तक

क्षेत्र पंचायत—गिलौला

प्रस्तर-1. मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को :-

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 20,60,066.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को क्रमशः श्री श्यामधर त्रिपाठी ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) को रु० 724476.00 मो० रऊफ खान ए०डी०ओ० (एस०के०) को रु० 920558.00 श्री संजय कुमार मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी को रु० 398316.00 श्री अनिल कुमार जे०ई० (आर०ई०डी०) को रु० 7200.00 श्री मुईन सिद्दीकी ग्राम विकास अधिकारी को रु० 9516.00 भुगतान कर दिया गया हैं पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं० अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कार्यवार विकास खण्ड स्तर से मस्टर रोल निर्गत नहीं किए हैं। मस्टर रोलों पर अंकित अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं हस्ताक्षर है भी, वह एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लिखित नहीं हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन रु0 2060066.00 वर्ष 2014-15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी एवं प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:- कुल दर्शित भुगतान रु0 1,56,76,838.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता अनुसार पुष्ट पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाये गये हैं, वे फर्म लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो/स्टीमेट पर हैं। किसी प्रमाणक देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान ही निर्गत किया गया है। वर्ष 2014-15 सामग्री क्रय के पूर्व टेण्डर नहीं लिए गए हैं। उक्तानुसार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत करके कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया।

उपरोक्त आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014-15 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराए ही नहीं गए हैं, क्योंकि निर्माण कार्य की मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया। सामग्री क्रय को मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गए। सामग्री आपूर्ति स्टाक रजिस्टर के अभाव में अपुष्ट रही। आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान भी नहीं जारी किया गया। उक्त के आलोक में सामग्री की आमद की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावलियों में कहीं भी किसी भी हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं किया गया। माप पुस्तिका में भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक नहीं अंकित है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात् तैयार की गई हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3. वर्ष 2014-15 में क्रय की गई सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 361270.00 को टी0डी0एस0 कटौती की गयी है, काटी गयी धनराशि के जमा की पुष्टि में कोई प्रमाणक (चालान/रिटर्न) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। काटी गई आयकर की धनराशि रु0 361720.00 को वसूलनीय पेनाल्टी ब्याज के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से कर लेखा शीर्षक 0021 में कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4. वर्ष 2014-15 में लेखा परीक्षा के दौरान निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित धनराशियों की पुष्टि में पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बाद भी अनुपलब्ध रहे:-

क्र0सं0	विवरण	धनराशि
1	राज्य वित्त आयोग	1976490.00
2	इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी	185778.00
3	तेरहवां वित्त	831013.00
4	सांसद विकास निधि	623764.00
	योग	3617045.00

पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों की अनुपलब्धता से स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशियों का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, कार्यप्रभारी, जे0ई0 एवं लेखाकार से की जाय।

प्रस्तर-5. आलोच्य वर्ष 2014-15 में क्रय सामग्री रु0 15676838.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 641653.00 की कटौती की जानी चाहिए थी, किन्तु कटौती न करके रु0 641653.00 के सरकारी राजस्व की हानि पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु0 641653.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर-6. वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 1058097.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके निम्न कार्य प्रभारियों को क्रमशः मोईन सिद्दीकी ग्राम विकास अधिकारी को रु0 368798.00 श्री मो0 रऊफ खां ए0डी0ओ0(एस0के0) को रु0 94600.00 श्री संजय कुमार मिश्रा ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 156063.00 एवं श्री श्यामधर मणि त्रिपाठी वी0डी0ओ0 (एस0बी0आई0) को रु0 438636.00 का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गए इन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड स्तर से मस्टर रोल निर्गत नहीं किए गए हैं। मस्टर रोलों पर अंकित निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं है वह भी एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं, यह भी उल्लिखित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन रु0 1058097.00 वर्ष 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी एवं प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7. सामग्री आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार द्वारा बिल, आपूर्ति चालान एवं डिमाण्ड पत्र प्राप्त किए बिना भुगतान :- फर्म/ठेकेदार को सामग्री आपूर्ति हेतु वर्ष 2015-16 में रु0 13448416.00 का भुगतान फर्म/ठेकेदारों को हुआ है। जिसमें से रु0 9967229.00 का सामग्री फर्म/ठेकेदार से टेण्डर प्रक्रिया के आधार पर किया गया है। उक्त भुगतान की

पुष्टि में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल, सामग्री आपूर्ति का चालान व डिमाण्ड पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। समस्त भुगतान कार्य प्रभारी की संस्तुति पर जे0ई0 बिल पर किया गया है, जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है।

2015-16 में पूर्ण ठेके के आधार पर कराए गए कार्यों पर अंकन रु0 3481187.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को किया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल, डिमाण्ड लेटर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। लेखा परीक्षा में फर्म पी0डब्ल्यू0 ए024 (कराए गए कार्यों से सम्बन्धित) भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। मात्र जे0ई0 बिल पर ही सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को भुगतान किया गया है, जो कि गम्भीर अनियमितता का द्योतक है।

उक्त के सन्दर्भ में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-868/33-2-14-934/2004 टी0सी0दिनांक 24.06.2014 में दर्शित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में से क0सं0-2 के अनुसार “क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाएं” का पूर्णतया उल्लंघन करके कार्य एक ग्राम पंचायत/एक राजस्व ग्राम के अन्तर्गत ही कराए गए प्रतीत होते हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8. वर्ष 2015-16 में कराए गए कार्यों में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 323892.00 टी0डी0एस0 कटौती की गई है। काटी कई धनराशि के जमा की पुष्टि में चालान/रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। काटी गई आयकर की धनराशि रु0 323892.00 को वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-9. वर्ष 2015-16 में लेखा परीक्षा के दौरान निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित धनराशियों की पुष्टि में पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बाद भी अनुपलब्ध रहे:-

क0सं0	विवरण	धनराशि
1	राज्य वित्त अनुदान	189927.00
2	अन्य मदें	38164.00
3	इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी	1269002.00
4	सांसद विकास निधि	213872.00
5	तेरहवां वित्त अनुदान	136030.00
6	आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण	568766.00
7	पंचायत निर्वाचन कन्टीजेन्सी	154870.00
	योग	2570631.00

पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों की अनुपलब्धता से स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशियों को व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी, जे0ई0 लेखाकार से की जाए।

प्रस्तर-10. आलोच्य वर्ष 2015-16 में क्रय सामग्री रु0 13448416.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 537936.00 की वैट की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष में रु0 525786.00 की कटौती की गई। इस प्रकार रु0 12150.00 की कटौती कम की गई। यहां उल्लेखनीय है कि सामग्री आपूर्ति ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रस्तुत कोई बिल किसी भी पत्रावली में नहीं मिला। जे0ई0 बिल पर ही सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित धनराशि में से उन पर 4 प्रतिशत की दर से वैट कटौती कुल अंकन रु0 525786.00 की गई है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने का प्रमाण स्वरूप चालान/दाखित रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे वैट मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्ट है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित रूप में अवगत कराया गया अथवा नहीं। लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-11. वर्ष 2015-16 में ठेकेदार/फर्म द्वारा वर्क कान्ट्रैक्ट पर कराए गए कार्यों के सापेक्ष रु0 3733328.00 का भुगतान किया गया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के नियमानुसार कुल धनराशि पर 1 प्रतिशत की दर से सेस कटौती कुल रु0 37333.00 की जानी चाहिए थी, किन्तु रु0 20130.00 मात्र की सेस कटौती की गई। इस प्रकार रु0 17238.00 की कम सेस कटौती की गई। कटौती की गई सेस की धनराशि को भी जमा नहीं किया गया है, जबकि शासनादेश संख्या- 37/2016/1448/36-2-2015-170/2009 दिनांक 26 सितम्बर, 2016 के अनुसार राष्ट्रीय बैंक में जमा करा दिया जाना चाहिए था।

उक्तानुसार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत कम कटौती की गई धनराशि रु0 17238.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से करते हुए कुल धनराशि रु0 37368.00 को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12. वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त अनुदान योजना के अन्तर्गत कराए गए कार्य मनसुखा, हडिल्ला में प्राथमिक विद्यालय से मुन्ना के घर से इण्टरलाकिंग कार्य में चेक संख्या-027638, दिनांक 18.01.2017 द्वारा रु0 112171.00 का भुगतान सामग्री आपूर्ति ठेकेदार/फर्म रिद्धि सिद्धि कान्सट्रक्शन, बहराइच को किया गया। इस धनराशि से सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। यह भुगतान जे0ई0 बिल के आधार पर किया गया, किन्तु जे0ई0 बिल में मात्र रु0 12171.00 भुगतान की संस्तुति की गई है। रु0 1,00,000.00 पूर्व के भुगतान शेष की टिप्पणी के साथ

रु0 112171.00 का भुगतान कर दिया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में पूर्व के भुगतान शेष की पुष्टि नहीं कराई जा सकी।

स्पष्ट है कि फर्जी एवं काल्पनिक पूर्व का भुगतान शेष दर्शाकर धनराशि रु0 1,00,000.00 का फर्म से मिलीभगत करके योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी एवं लेखाकार से किए जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-13. वर्ष 2016-17 में ठेके पर कराये गये कार्यों के भुगतान ठेकेदार/फर्म से बिल, डिमाण्ड पत्र आदि प्राप्त किए बिना ही किया गया:-

2016-17 में दर्शित समस्त कार्य टेण्डर प्रक्रिया द्वारा ठेके पर कराए गए हैं। इन कार्यों हेतु फर्म/ठेकेदारों को अंकन रु0 44,57,071.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में फर्म द्वारा पी0डब्ल्यू0ए0 24(कराए गए कार्यों से सम्बन्धित) फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल-डिमाण्ड लेटर प्राप्त किए बिना ही जे0ई0 बिल पर समस्त भुगतान किए गए हैं। जो कि गम्भीर अनियमितता का द्योतक हैं। जे0ई0 बिल पर ही समस्त कटौतियां भी अंकित की गई हैं।

उक्त के सन्दर्भ में यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि शासनादेश संख्या-868/33-2-14-934/2004 टी0सी0 दिनांक 24.06.2014 में दर्शित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में से क0सं0-2 के अनुसार "क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाएं" का पूर्णतया उल्लंघन करके कार्य एक ग्राम पंचायत/एक राजस्व ग्राम के अन्तर्गत ही कराए गए प्रतीत होते हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-14. वर्ष 2016-17 में कराए गए कार्यों में सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को भुगतान के समय अंकन रु0 107634.00 टी0डी0एस0 कटौती की गई है। कटौती की गई आयकर की धनराशि के जमा की पुष्टि में चालान/रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। कटौती की गई आयकर की धनराशि रु0 107634.00 को वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-15. वर्ष 2016-17 में लेखा परीक्षा के दौरान निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित धनराशियों की पुष्टि में पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बाद भी अनुपलब्ध रहे:-

क0सं0	विवरण	धनराशि
1	इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी	399205.00
2	सांसद विकास निधि	641198.00
3	आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण	7147744.00
	योग	1755147.00

पत्रावलियों एवं व्यय प्रमाणकों की अनुपलब्धता से स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशियों को व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी, जे0ई0 लेखाकार से की जाए।

प्रस्तर-16. आलोच्य वर्ष 2016-17 में कराए गये कार्यों में सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को भुगतान के समय रु0 4804954.00 के सापेक्ष रु0 192199.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की गई। वैट कटौती की धनराशि अंकन 192199.00 को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप चालान/दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे वैट मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्ट है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित रूप में अवगत कराया गया अथवा नहीं। लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी(तत्कालीन) से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-17. वर्ष 2016-17 में ठेकेदार/फर्म द्वारा वर्क कान्ट्रैक्ट पर कराए गए कार्यों के सापेक्ष देय भुगतान रु0 4804954.00 के सापेक्ष भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के नियमानुसार कुल धनराशि पर 1 प्रतिशत की दर से सेस कटौती कुल रु0 48050.00 की गई। काटी गई सेस धनराशि को जमा नहीं किया गया है। जबकि शासनादेश संख्या- 37/2016/1448/36-2-2015-170/2009 दिनांक 26 सितम्बर,2016 के अनुसार राष्ट्रीय बैंक में जमा करा दिया जाना चाहिए था। यह स्थिति गम्भीर है।

उक्तानुसार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत कम कटौती की गई धनराशि रु0 48050.00 को राष्ट्रीयकृत बैंक में (उल्लिखित शासनादेश के आलोक में) जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- इकौना जनपद- श्रावस्ती

प्रस्तर-18. दिनांक 31.03.2016 को क्षेत्र पंचायत द्वारा बैंक खातों पर रु0- 150595.00 ब्याज प्राप्त किया गया दर्शित है। यह धनराशि क्षेत्र पंचायत द्वारा शासन को वापस न कर 31.03.2016 तक अपने पास ही रखी है। शासनादेश सं0-10/2015/ ए-1-502/दस-2015-10 (33) दिनांक 29.05.2015 में स्पष्ट निर्देश है कि ब्याज की राशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा इस ब्याज को राजकोष में जमा कर दिया जाय किन्तु ब्याज की राशि राजकोष में जमा न कराकर दुरुपयोग किया गया जिसके लिए श्री राम धीरज यादव लेखाकार

एवं श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा, श्री अशोक कुमार दूबे एवं सुश्री नीति श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी, इकौना उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-19. ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में वर्ष कुल ₹0-1360467.00 की धनराशि अवशेष दर्शित है। क्षेत्र पंचायत द्वारा विगत तीन वर्षों में प्राप्त इस मद की धनराशि का विकास हेतु उपयोग नियमानुसार नहीं किया गया तथा यह राशि उपयोग न किये जाने की दशा में राज्य सरकार को वापस की जानी थी। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा राजकीय धन की दुरुपयोग/दुर्विनियोग किया गया। इस प्रति श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा खण्ड विकास अधिकारी, श्री अशोक कुमार दूबे खण्ड विकास अधिकारी एवं सुश्री नीति श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी तथा श्रीमती मिथिलेश पाण्डेय, ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार श्री राम धीरज यादव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20. क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक विकास कार्य हेतु विभिन्न निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से निर्माण सामग्री क्रय की गयी किन्तु नियमानुसार बिलो से वैट की कटौती कर राजकीय कोष में जमा न कर ₹0-611591.00 की राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है। जिसकी क्षतिपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	फर्म का नाम	भुगतान तिथि	धनराशि	बिल नं०	बिक्री कर कटौती
1	अंशुल इण्टरप्राइजेज	07.08.2014	255792.00	1 / 2	10232.00
2	राजेश ब्रिकफील्ड	07.08.2014	64871.00	520	2595.00
3	अनमोल ट्रेडर्स	07.08.2014	74575.00	417	2983.00
4	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	22.07.2017	4000.00	268	160.00
5	विजय ब्रिकफील्ड	04.10.2014	214600.00	227	8584.00
6	अंशुल इण्टरप्राइजेज	04.10.2014	744600.00	5 / 24	29784.00
7	अनमोल ट्रेडर्स	04.10.2014	207668.00	421	8307.00
8	विजय ब्रिकफील्ड	12.12.2014	51808.00	238	2072.00
9	अंशुल इण्टरप्राइजेज	12.12.2014	23345.00	5 / 55	934.00
10	अनमोल ट्रेडर्स	12.12.2017	28323.00	438	1133.00
11	विजय ब्रिकफील्ड	07.08.2014	106247.00	24	4250.00
12	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	07.08.2014	112458.00	90	4498.00
13	अंशुल इण्टरप्राइजेज	07.08.2014	453549.00	1 / 1	18142.00
14	अंशुल इण्टरप्राइजेज	22.08.2014	293898.00	1 / 43	11756.00
15	विजय ब्रिकफील्ड	22.08.2014	64863.00	232	2595.00
16	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	22.08.2014	67775.00	263	2711.00
17	विजय ब्रिकफील्ड	16.02.2015	59260.00	153	2370.00
18	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	16.12.2015	36217.00	415	1449.00
19	जनता ट्रेडर्स कंपनी	12.02.2014	230881.00	1 / 10	9235.00
20	विजया ब्रिकफील्ड	12.02.2014	215195.00	001	8608.00
21	जनता ट्रेडर्स	10.03.2015	861108.00	1 / 9	34444.00
22	जनता ट्रेडर्स कंपनी	12.12.2014	53567.00	1 / 21	2143.00
23	अनमोल ट्रेडर्स	12.12.2014	16000.00	125	640.00
24	विजय ब्रिकफील्ड	12.12.2014	19648.00	241	786.00
25	जनता ट्रेडर्स कंपनी	12.12.2014	437868.00	4 / 167	17515.00
26	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	12.12.2014	123593.00	707	4949.00
27	जय ब्रिकफील्ड	12.12.2017	139272.00	239	5571.00
28	अंशुल इण्टरप्राइजेज	07.08.2019	265209.00	1 / 7	10608.00
29	विजय ब्रिकफील्ड	07.08.2014	69847.00	225	2794.00
30	अनमोल ट्रेडर्स	07.08.2014	75579.00	422	3023.00
31	राजेश ब्रिकफील्ड	07.08.2014	210652.00	521	8426.00
32	अनमोल ट्रेडर्स	07.08.2014	44363.00	425	1795.00
33	राजेश ब्रिकफील्ड	07.08.2014	40461.00	518	1618.00
34	अंशुल इण्टरप्राइजेज	12.12.2014	236010.00	5 / 54	9441.00
35	अनमोल ट्रेडर्स	12.12.2014	84391.00	129	3376.00
36	अनमोल ट्रेडर्स	03.06.2015	33599.00	394	1344.00
37	अंशुल इण्टरप्राइजेज	03.06.2015	180412.00	10 / 25	7216.00
38	विजय ब्रिकफील्ड	03.06.2015	46480.00	147	1859.00
39	अंशुल इण्टरप्राइजेज	12.07.2016	206425.00	5 / 43	8257.00
40	विजय ब्रिकफील्ड	12.07.2016	64737.00		2589.00

41	श्री सीता द्वारा कंपनी	12.07.2016	65591.00	065	2624.00
42	विजय ब्रिकफील्ड	17.06.2015	483600.00	161	13344.00
43	विजय ब्रिकफील्ड	16.07.2015	53320.00	150	2133.00
44	विजय ब्रिकफील्ड	17.06.2015	326290.00	162	13132.00
45	विजय ब्रिकफील्ड	03.06.2015	40360.00	145	1614.00
46	अनमोल ट्रेडर्स	03.06.2015	34652.00	392	1386.00
47	अंशुल इण्टरप्राइजेज	03.06.2015	110200.00	10 / 23	4408.00
48	अंशुल इण्टरप्राइजेज	03.06.2015	1598702.00	10 / 26	6395.00
49	अनमोल ट्रेडर्स	03.06.2015	48862.00	390	1954.00
50	विजय ब्रिकफील्ड	03.06.2015	59436.00	146	2377.00
51	अंशुल इण्टर प्राइजेज	03.06.2015	250755.00	10 / 24	10030.00
52	नाज ब्रिकफील्ड	03.06.2015	76920.00	563	3077.00
53	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	03.06.2015	6156300	252	2463.00
54	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	18.12.2015	41962.00	235	1676.00
55	नाज ब्रिकफील्ड	18.12.2015	49470.00	584	1979.00
56	अंशुल इण्टरप्राइजेज	12.07.2016	154100.00	5 / 47	6646.00
57	नाज ब्रिकफील्ड	12.07.2016	89192.00	564	14450.00
58	अंशुल इण्टरप्राइजेज	12.07.2016	454970.00		18197.00
59	नाज ब्रिकफील्ड	12.07.2016	109550.00	582	4382.00
60	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	12.07.2015	110276.00	255	4411.00
61	विजय ब्रिकफील्ड	20.10.2014	384400.00	228	15376.00
62	विजय ब्रिकफील्ड	20.10.2014	12276.00	237	491.00
63	विजय ब्रिकफील्ड	13.04.2015	903712.00	149	36148.00
64	विजय ब्रिकफील्ड	30.08.2014	140760.00	231	5630.00
65	जनता ट्रेडर्स कंपनी	30.08.2014	613200.00	1 / 15	29528.00
66	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	30.08.2015	151225.00	271	6049.00
67	अंशुल इण्टरप्राइजेज	04.10.2014	405150.00	5 / 25	16206.00
68	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	04.10.2014	117553.00	704	4702.00
69	विजय ब्रिकफील्ड	20.10.2014	125800.00	224	5032.00
70	विजय ब्रिकफील्ड	20.10.2014	40080.00	243	1603.00
71	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	20.10.2014	19043.00	703	762.00
72	जनता ट्रेडर्स कंपनी	04.10.2014	328500.00	5 / 243	13140.00
73	विजय ब्रिकफील्ड	04.10.2014	952800.00	229	3811.00
74	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	04.10.2014	87922.00	716	3517.00
75	विजय ब्रिकफील्ड	20.10.2014	15892.00	234	636.00
76	जनता ट्रेडर्स कंपनी	04.10.2014	328500.00	5 / 240	13140.00
77	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	04.10.2014	142056.00	717	5682.00
78	विजय ब्रिकफील्ड	04.10.2014	156120.00	226	6245.00
79	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	20.10.2014	1977.00	715	79.00
80	जनता ट्रेडर्स कंपनी	20.10.2014	39595.00	5 / 240	1584.00
81	जय ब्रिकफील्ड	20.10.2014	5772.00	235	231.00
82	मोहम्मद ट्रेडिंग कंपनी	12.12.2014	8156.00	709	326.00
83	जनता ट्रेडर्स कंपनी	12.12.2014	45552.00	5 / 241	1822.00
84	विजय ब्रिकफील्ड	12.12.2014	7404.00	240	296.00
85	अनमोल ट्रेडर्स	13.04.2015	154512.00	439	6180.00
86	जनता ट्रेडर्स कंपनी	13.04.2015	495115.00	2 / 95	19805.00
87	विजय ब्रिकफील्ड	—	179308.00	154	7172.00
88	अंशुल इण्टरप्राइजेज	18.12.2015	128570.00	5 / 43	5143.00
89	विजय ब्रिकफील्ड	18.12.2015	27913.00	148	1117.00
90	अनमोल ट्रेडर्स	18.12.2015	24609.00	456	984.00
91	विजय ब्रिकफील्ड	18.12.2015	109562.00	152	4383.00
92	अनमोल ट्रेडर्स	18.12.2015	103632.00	450	4145.00
93	अंशुल इण्टरप्राइजेज	18.12.2015	328900.00	5 / 42	13156.00
	योग				611591.00

क्षेत्र पंचायत – जमुनहां जनपद – श्रावस्ती

प्रस्तर-21. क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में जनरेटर में प्रयोग करने हेतु डीजल क्रय किया गया, लेकिन लेखा परीक्षा में क्रय किये गये डीजल का जांच हेतु लाक बुक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण डीजल पर व्यय किये गये तिथि निम्न है :-

क्र०सं०	क्रय की तिथि	प्रयुक्त मद	व्यय धनराशि	मोड ऑफ पेमेन्ट
1	23.11.12	डीजल क्रय	11202.00	चेक
2	23.11.12	डीजल क्रय	1100.00	चेक
3	12.01.15	डीजल क्रय	13798.00	चेक
4	06.02.15	डीजल क्रय	3085.00	चेक
5	05.03.15	डीजल क्रय	18311.00	चेक
6	03.06.15	डीजल क्रय	10750.00	चेक
7	20.06.15	डीजल क्रय	11487.00	चेक
8	05.10.15	डीजल क्रय	16582.00	चेक
9	09.12.15	डीजल क्रय	19831.00	चेक
योग			106046.00	

व्यय की पुष्टि में लॉक बुक एवं अन्य व्यय पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे व्यय अपुष्ट रहा। उपरोक्त धनराशि की वसूली लेखाकार मनीष कुमार गुप्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार गुप्ता एवं श्री राघवेन्द्र सिंह से अपेक्षित है।

प्रस्तर-22. दिनांक 24.10.2011 में अंकन 15000.00 का व्यय बावत स्वच्छता गोष्ठी आयोजन पर व्यय दर्शित है। व्यय किस मद में एवं किस बावत व्यय किया गया, की पुष्टि में कोई व्यय साक्ष्य, बिल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। विपरीत की स्थिति में उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री शकील से अपेक्षित है।

प्रस्तर-23. क्षेत्र पंचायत जमुनहां में दिनांक 22.04.2013 अंकन रु० 30000.00 धनराशि का भुगतान बी०डी०सी० सदस्यों को यात्रा भत्तों के रूप में दर्शित किया गया है, किन्तु सदस्यों के भुगतान की पुष्टि में पावती प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में जांच एवं अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है। विपरीत की स्थिति में उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री ब्रह्मस्वरूप तिवारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर-24. क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में विभिन्न तिथियों में स्टेशनरी कार्य प्रयोग हेतु क्रय की गयी किन्तु स्टेशनरी स्टॉक पंजिका तैयार कर नहीं रखी गयी है। पंचायत द्वारा स्टेशनरी क्रय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से क्रय करने हेतु स्वीकृत प्राप्त नहीं की गयी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार स्टेशनरी क्रय कर दुरुपयोग किया गया:-

क्र०सं०	क्रय की तिथि	आपूर्तिकर्ता का नाम	धनराशि
1	21.06.14	मै० मिश्रा स्टेशनर्स	6510.00
2	24.12.14	मै० मिश्रा स्टेशनर्स	4207.00
3	06.02.15	मै० पुस्तक निकेतन, बहराइच	3660.00
4	25.07.15	मै० पुस्तक निकेतन, बहराइच	12585.00
5	26.09.15	मै० पुस्तक निकेतन, बहराइच	19300.00
6	03.02.16	मै० पुस्तक निकेतन, बहराइच	10350.00
7	—	टोनर क्रय	11580.00
8	03.03.16	टोनर क्रय	11355.00
9	09.03.16	मै० रमा स्टेशनर्स	31978.00
10	31.03.16	टोनर क्रय	19990.00
योग			131515.00

उपरोक्तानुसार कुल रु० 131515.00 की स्टेशनरी प्राप्त की गयी तथा राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया। इस प्रति लेखाकार श्री ब्रह्मशंकर तिवारी एवं श्री मनीष कुमार गुप्ता, खण्ड विकास अधिकारी श्री अनूप कुमार चतुर्वेदी, श्री गोपीनाथ पाठक, श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, श्री अशोक कुमार दुबे से क्षतिपूर्ति की गई। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – हरिहरपुर रानी

जनपद – श्रावस्ती

प्रस्तर-25. अभिलेखीय रखरखाव/अनुरक्षण पर गम्भीर प्रश्नचिह्न रहा है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के अभिलेख जैसे अनुदान पंजी 1, 2, 3 कार्य पत्रावलियां अन्य सहायक अभिलेख संस्था में उपलब्ध नहीं रहे। ऑडिट

स्तर से लिखित/मौखिक मांग के बाद भी इस अवधि के लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही/अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करायी गयी।

अतः विलम्ब/तत्कालीन लेखाकार के विरुद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना चाहिए। विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से इस परिप्रेक्ष्य में आकृष्ट है।

प्रस्तर-26. वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में क्षेत्र निधि के कुल 4 खातों से निम्न विवरण के अनुसार धनराशियां आहरित की गयी हैं-

वर्ष 2011-12	8515926.00
वर्ष 2012-13	11198799.00
योग	19714725.00

उक्त निकासी की पुष्टि मात्र बैंक विवरण पत्रों से प्राप्त होती है। उक्त आहरित धनराशि से सम्बन्धित अनुदान पंजी/कार्यपत्रावलियां एवं अन्य सहायक पुष्टिपरक उपभोग विषयक अभिलेख विकास खण्ड संस्था पर उपलब्ध ही नहीं हैं। वर्तमान में लेखाकार द्वारा तत्कालीन लेखाकार द्वारा चार्ज न दिये जाना बताया गया। आवश्यकता पत्राचार/मांग के पश्चात् अभिलेख नदारद रहे हैं। आहरित धनराशि के उपभोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है। जिस प्रति आवश्यक जांच करते हुए उत्तरदायी तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही अविलम्ब अभीष्ट है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-27. निर्माण कार्य परियोजना पटना खरगौना में भलुरिया के उत्तर रोड से ब्रह्म बाबा के स्थान तक खड़जा कार्य कराया गया (राज्य वित्त लागत रु0 615000.00)।

कार्य पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पाई गयी -

क. कार्य कराने हेतु नियमानुसार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराकर कुटेशन/निविदायें आमन्त्रित नहीं की गयी हैं तथा नियमों के विपरीत कार्यादेश मै0 मधु सत्या को निर्गत कर कार्य कराया गया।

ख. पत्रावली में मात्र फार्म 24 (प्रथम एवं अंतिम बिल) के आधार पर द्वारा चेक संख्या - 006302/दिनांक 27.02.2014 से रु0 528838.00 एवं चेक संख्या-006303/दिनांक 31.03.2014 रु0 30746.00 का भुगतान मै0 मधुसत्या को अनियमित रूप से किया गया।

क्र० सं०	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापार कर	वैट	कटौती के पश्चात् भुगतान की गयी धनराशि
1.	ग्राम डहरौली बुजुर्ग में डहरौली गोदाम से श्री रामचरण के घर तक सी. सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी-श्री रामजी, ग्रा0वि0अ0	1. मै0 किसान ईट उद्योग वी.के.ओ. अमौनी छपौली क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/ दि० 01.12.11 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/ दि० 22.11.11 2. यादव सिमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सरावर खुर्द देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/ दि० 01.12.11 3. मै0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट एण्ड आयरन कम्पनी) बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/ दि० 22.11.11 4. शान्ति इण्टरप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क्रमांक-02, दिनांक. 22.11.11	36750.00 2633.00 84600.00 33806.00 19817.00	823.00 — 1895.00 — —	1470.00 — — — —	— — 10575.00 — —	34457.00 2633.00 72130.00 33806 19817.00
2.	विकास खण्ड कार्यालय रुद्रपुर एवं पशु चिकित्सालय की चाहरदीवारी ग्रील एवं गेट का पेन्टिंग एवं सफेदी कार्य। कार्यप्रभारी-श्री	1. शैलेन्द्र हार्डवेयर रुद्रपुर देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/ दि० 25.03.2011	18470.00	—	—	—	18470.00

	मनोज कुमार शर्मा, ग्रा0वि0अ0						
3.	विकास खण्ड परिसर में सभागार/प्रमुख केबिन कक्ष का मरम्मत/सुन्दरीकरण। कार्यप्रभारी—श्री मनोज कुमार शर्मा, ग्रा0वि0अ0	1. गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी, आदर्श चौराहा, रुद्रपुर क्रमांक— 10 दिनांक—19.04.2011	229774.00	—	—	—	229774.00
4.	सरावखुर्द प्रधानमंत्री सड़क से बालमुकुन्द के घर होते हुए शिवशर्मा/सत्य नारायण विश्वकर्मा के घर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभार—श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	1. शान्ति इण्टरप्राइजेज, सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 20.12.2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 01.12.2011 2. बाबा ईट उद्योग, गहिला, दुधैला रुद्रपुर क. क्रमांक 415/दि0 20.12.11 ख. क्रमांक 410/दि0 02.11.11 3. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट एवं आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 01.02.2011	198810.00 71275.00 59187.00 27587.00 82673.00	— — — — —	— — — — —	— — — — —	198810.00 71275.00 59187.00 27587.00 82673.00
5.	अमौनी जंगी यादव के घर से मुन्ना यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग चैनेज शुन्य से 130 तक एवं चैनेज 130 से चैनेज 235 तक सी.सी.आर.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद,	1. शान्ति इण्टरप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 20.11.2012 2. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 416 दिनांक 20.11.11 ख. क्रमांक 411 दिनांक 28.11.11 3. मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट एण्ड आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 27.11.2011	393390.00 120154.00 59166.00 56711.00	11503.00 2635.00	— — — —	— — — —	502041.00 113242.00

	ग्रा0वि0अ0						
6.	छपरा बुजुर्ग में पी.एम.जी.एस. वाई. लिंक रोड	1. यादव सिमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सरावखुर्द, देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित	219960.00	4927.00	---	27495.00	187538.00
	से श्री लालजी के घर तक सी. सी. इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी- श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	नहीं/दि0 18.12.2011 2. मे0 किसान ईट उद्योग, बी.के. ओ. अमौनी छपौली क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दिनांक 18.12.11 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 24.11.11 3. मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो/कैश क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 24.11.2011	67415.00 9134.00 76566.00	1510.00 205.00 1715.00	2697.00 --- ---	---	63208.00 8929.00 74851.00
7.	ग्राम नरायनपुर में कृष्णा के घर से प्राइमरी स्कूल तक सी. सी. इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी- श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	1. मे0 किसान ईट उद्योग, बी.के. ओ. अमौनी छपौली बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 28.11.2011 2. यादव सीमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सराव खुर्द, देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/ दिनांक 28.11.2011 3. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो/क्रेडिटमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 24.11.2011	59187.00 198810.00 53887.00	1326.00 4453.00 1207.00	2367.00 --- ---	--- 24851.00 ---	55494.00 169506.00 52681.00
8.	ग्राम भेलउर में छेदी गुप्ता के घर से वंशबहादुर के घर तक सी.सी. इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी-श्री रामजी, ग्राम विकास अधिकारी	1. यादव सीमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सरावखुर्द देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 28.11.2011 2. मे0 किसान ईट उद्योग बी.के.ओ. अमौनी छपौली देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 29.11.2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 30.11.2011 3. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 30.11.2011	266490.00 85889.00 3078.00 82905.00	5969.00 1924.00 --- 1933.00	--- 3436.00 --- ---	33311.00 --- --- ---	227210.00 80529.00 3078.00 80972.00
9.	ग्राम जोगिया खुर्द में पी. डब्ल्यू.डी. लिंक रोड से श्री रमायन यादव	1. यादव सीमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सराव खुर्द देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 29.11.2011 2. मे0 किसान ईट उद्योग बी.के.ओ.	230535.00	5164.00	---	28817.00	196554.00

	के घर तक सी. सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी श्री रामजी, ग्रा0वि0अ0	अमौनी छपौली, जिला देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 28.11.2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 24.11.2011 ग. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दिनांक 24.11.2011	69923.00 78945.00 6201.00	1566.00 1907.00	2797.00 —	2797.00 —	65560.00 83239.00
10	विकास खण्ड रुद्रपुर की रंगाई पुताई कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ	1. शैलेन्द्र हार्डवेयर, रुद्रपुर, देवरिया बिल/इस्टीमेट क्रमांक अंकित नहीं/दिनांक 07.11.2011	27889.00	—	—	—	27889.00
11	विकास खण्ड रुद्रपुर सभागार एवं प्रमुख कक्ष में विद्युतीकरण कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	1. शर्मा इलेक्ट्रानिक्स पैलेस, खजुहा चौराहा, रुद्रपुर क्रमांक 307/दिनांक 12.10.2011 2. गंगा इस्टीमेट बिल क्रमांक अंकित नहीं/दिनांक नही (पाईप क्रय)	23168.00 4941.00	—	—	—	28102.00
नोट:— इन दोनो बिलों पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है।							
12	डहरौली बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग से पारस तिवारी के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी—रामजी, ग्रा0वि0अ0	1. शान्ति इन्टरप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया 2. मे0 गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी, आदर्श चौराहा कैशमेमो क्रमांक 723 दिनांक 14.07.2011 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रुद्रपुर क्रमांक 609/दि0 14.07.2011	76749.00 21706.00 17393.00	— — —	— — —	— — —	76749.00 21706.00 17393.00
13	रुद्रपुर सोनबरसा पिच मार्ग से हरिजन बस्ती होते हुए बृजभान यादव के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री मनोज कुमार शर्मा, ग्रा0वि0अ0	1. शान्ति इन्टरप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक 02 दिनांक 21.06.2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक 05 दिनांक 01.07.2011 2. मे0 गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी, आदर्श चौराहा रुद्रपुर क. कैशमेमो क्रमांक 15 दिनांक 21.06.2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक 33 दिनांक 01.07.2011 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 502/दि0 21.06.2011 ख. क्रमांक 503/दिनांक 01.07.2011	481250.00 156348.00 136838.00 33633.00 103364.00 29328.00	— 14347.00 — — 2315.00 —	— — — — — —	— — — — — —	774436.00 33633.00 101049.00 29328.00
	कुल योग		4116335.00	70324.00	12767.00	125049.00	3908195.00

उक्त स्थिति में रु0 559584.00 का भुगतान अनियमित रूप से किया गया है, ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री रामजी पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी श्री आर के दीक्षित तथा अवर अभियन्ता श्री बृजेश श्रीवास्तव है।

प्रस्तर—28. क्षेत्र पंचायत हरिहरपुर रानी द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में निम्न विवरणानुसार सोशल ऑडिट मानदेय का भुगतान किया गया दर्शित है, किन्तु ऑडिट से सम्बन्धित प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा कार्य योजना/कार्यक्रम का कोई

साक्ष्य लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण भुगतान किये गये मानदेय एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि नहीं हो सकी। विवरण निम्नवत है :-

क्रमांक	भुगतान की तिथि	धनराशि	मद
1	01.07.2014	24000.00	सोशल ऑडिट मानदेय
2	25.05.2015	15500.00	सोशल ऑडिट मानदेय
3	12.06.2015	91000.00	सोशल ऑडिट मानदेय
4	01.09.2015	5500.00	सोशल ऑडिट मानदेय
योग		136000.00	

उक्त के सापेक्ष व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में क्षतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री रामजी पाण्डेय (सेवानिवृत्ति) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-29. दिनांक 10.03.2015 में अंकन रु0 50000.00 चेक संख्या 009296 द्वारा अग्रिम बावत कम्प्यूटर मरम्मत श्री रामजी पाण्डेय लेखाकार को किया गया। किन्तु श्री पाण्डेय द्वारा उक्त कार्य कराये जाने का कोई प्रमाण/बिल आदि प्रस्तुत नहीं किया और न ही उक्त रु0 50000.00 संस्था कोष में जमा ही कराये गये। श्री रामजी पाण्डेय द्वारा 50000.00 का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली नियमानुसार ब्याज के साथ श्री रामजी पाण्डेय, सेवा निवृत्ति लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30. 21.03.2015 में अंकन रु0 36600.00 चेक संख्या 009297 द्वारा बावत भुगतान कुर्सी क्रय एवं जीप मरम्मत हेतु श्री रामजी पाण्डेय लेखाकार को किया गया। किन्तु श्री पाण्डेय द्वारा उक्त कार्य कराये जाने का कोई प्रमाण/बिल आदि प्रस्तुत नहीं किया और न ही उक्त रु0 36600.00 संस्था कोष में जमा ही कराये गये। श्री रामजी पाण्डेय द्वारा रु0 36600.00 का अपहरण किया गया। जिसकी नियमानुसार वसूली ब्याज के साथ श्री रामजी पाण्डेय सेवा निवृत्ति एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम-देवरिया

मण्डल का नाम-गोरखपुर

क्षेत्र पंचायतों के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण-

क्षेत्र पंचायत रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जिनके निमित्त विधिक कार्यवाही अपेक्षित है:-

प्रस्तर संख्या 1- वर्ष 2010-11 में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत रु0 661650.00 का व्यय दर्शित है। परन्तु उसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, माप पुस्तिका निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली अप्राप्त रहा। अतः रु0 661650.00 दुरुपयोगित है। विवरण निम्नलिखित है:-

तिथि	चेक सं०	विवरण	प्राप्तकर्ता	धनराशि
29.12.2010	272245	डुमरी से रघवापुर मार्ग से रामविलास के खेत तक पक्की नाली निर्माण	श्री राजेन्द्र प्रसाद स०वि०अधि० (प०)	212713.00
29.12.2010	272247	बरियारपुर खडन्जा विस्तारीकरण	" "	51220.00
29.12.2010	272248	बरियारपुर खडन्जा मरम्मत कार्य	" "	113900.00
18.01.2011	272249	नौतन में मिट्टी/खडन्जा कार्य	" "	183817.00
18.01.2011	272250	नरेगा सेल स्थापित करने हेतु अभिलेख एवं कम्प्यूटर कक्ष मरम्मत हेतु	श्री मुकेश श्रीवास्तव	10000.00
योग				661650.00

उक्त के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रमुख श्रीमती रिकबिया देवी, कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं।
(मू०आ०सं० 16)

प्रस्तर संख्या 2- वर्ष 2010-11 में 13वां वित्त योजना से विकास खण्ड स्थित कार्यालय, भवन, खण्ड विकास अधिकारी आवास टाइप-2 आवास, गैराज वाउण्ड्रीवाल, रंगाई पुताई एवं मरम्मत कार्य पर क्रमशः रु0 20000.00 तथा 224329.00 कुल रु0 424329.00 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रु0 424329.00 दुरुपयोगित है। उक्त के लिए श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव कैशियर, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(मू०आ०सं० 17)

प्रस्तर संख्या 3- दिनांक 25.03.2011 को आदर्श जलाशय योजना अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों पर व्यय दर्शित है:-

कार्य का नाम	तिथि	चेक सं०	धनराशि
सवरेजी खर्ग में पोखरी पर ह्यूम पाईप के पास मिट्टी भराई कार्य	25.03.2011	2017934	5969.00
सिरसिया में बभनौली में पोखरी पर ह्यूम पाईप पर मिट्टी कार्य	25.03.2011	538910	6306.00

योग

12275.00

उक्त व्यय से संबंधित कार्य का प्रस्ताव, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः व्यय अपुष्टित रहा। अतः रु0 12275.00 दुरुपयोगित रहा जिसके लिए कार्यप्रभारी श्री अश्वनी मल्ल, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(मू0आ0सं0 18)

प्रस्तर संख्या 4—स्टाक पंजिका के पृष्ठ संख्या 56 पर 1 कम्प्यूटर सेट रु0 106009.00 में क्रय किया जाना दर्शित है। श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चार्ज प्राप्त करते समय यह अंकित किया गया है कि कम्प्यूटर सेट में एक डिजिटल कैमरा नहीं है जबकि कम्प्यूटर सेट के साथ रु0 9619.00 का एक डिजिटल कैमरा क्रय किया गया है। पुनः बिल सं0 108 दिनांक 22.04.2010 के अनुसार सोनी साइबर फोटो डी.एस.सी. W/300 डिजिटल कैमरा रु0 10700/— में बाम्बे फोटो जलकल रोड से क्रय किया गया है जबकि पूर्व में डिजिटल कैमरा क्रय किया जा चुका है। इस प्रकार रु0 9619.00 का स्टाक का अपहरण किया गया है। अतः रु0 9619.00 ब्याज सहित की वसूली तत्कालीन स्टोर इन्चार्ज से अपेक्षित है।
(मू0आ0सं0 19)

प्रस्तर संख्या 5— वर्ष 2011-12 आपत्तियों का विवरण श्रमांश मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 51115/— मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद पद नाम— सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को रु0 188190/— श्री रवि कुमार श्रीवास्तव सं0वि0 अधिकारी (सहकारिता) को रु0 134580/— श्री अंजनी कुमार सिंह पदनाम—सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) को रु0 188345/— का भुगतान किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न है उन पर मस्टररोल नं0 अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि मस्टररोल कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है, कतिपय हस्ताक्षर मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य समाप्ति के एक अथवा दो माह के बाद मजदूरी का भुगतान का चेक कार्यप्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया है। स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में रु0 51115/— का वर्ष 2011-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, कार्यप्रभारी, ब्लाक प्रमुख, जे.ई., लेखाकार समान रूप से उत्तरदायी हैं ब्याज सहित अपेक्षित है।
(मू0आ0सं0 25)

प्रस्तर संख्या 6—वर्ष 2011-12 में कुल रु0 4007204/— की सामग्री क्रय किया गया है जिस पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर कुल रु0 160288/— की कटौती की जानी चाहिए। परन्तु व्यापार कर की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। अतः रु0 160288/— की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।
(मू0आ0सं0 26)

प्रस्तर संख्या 7—वर्ष 2011-12 में कुल सामग्री क्रय रु0 4007204/— की गयी है जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. कटौती रु0 119761/— की जानी चाहिए परन्तु वर्ष 2011-12 में टी.डी.एस. मद में कुल रु0 38078/— की कटौती की गयी है। इस प्रकार टी.डी.एस. में रु0 61683/— की कम कटौती की गयी है जिससे रु0 61683/— राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। अतः रु0 61683/— की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है तथा उसे सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जाना चाहिए।
(मू0आ0सं0 27)

प्रस्तर संख्या 8—निम्न विवरणानुसार ट्रेक्टर ट्राली द्वारा मिट्टी क्रय किया गया है, जिस पर रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है।

तिथि	विवरण	धनराशि	ट्रेक्टर मालिका का नाम
05.03.2011	18 ट्राली मिट्टी दर 300.00	5400.00	श्री रणजीत सिंह
25.03.2012	10 ट्राली मिट्टी दर 400.00	4000.00	श्री संतोष सिंह
05.04.2012	3 ट्राली मिट्टी दर 300.00	900.00	श्री रणजीत सिंह
27.11.2011	5 ट्राली मिट्टी दर 350.00	1750.00	श्री अशोक सिंह
30.05.2011	40 ट्राली मिट्टी दर 300.00	12000.00	श्री संतोष कुमार सिंह
	योग	24050.00	

मिट्टी क्रय घनमीटर के दर से किया जाना चाहिए जबकि प्रति ट्राली की दर से किया गया है। प्रतिघनमीटर 9.00 की दर से रायल्टी काटी जानी चाहिए। इस प्रकार रु0 24050/— पर 9.00 रु0 प्रति घनमीटर की दर से रु0 2164/— की रायल्टी काटकर कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। रायल्टी नहीं काटकर राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी क्षतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।
(मू0आ0सं0 28)

प्रस्तर संख्या 9—वर्ष 2011-12 में कुल 15 निर्माण कार्य दर्शित किये गये हैं। परन्तु उक्त निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है। अगर निविदा आमंत्रित की गयी होती तथा कम से कम एक निर्माण कार्य पर 3 निविदा प्राप्त होती तो कुल 45 निविदाएं प्राप्त होती है। प्रत्येक निदिष फार्म का मूल्य रु0 500/— है इस प्रकार वर्ष

2011-12 में कुल रु0 22500/- की निविदा फार्म बिक्री से आय होती। इस प्रकार रु0 22500/- रु0 की हानि हुई है। अतः रु0 22500/- की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 29)

प्रस्तर संख्या 10- वर्ष 2011-12 में रा0वि0यो0 अन्तर्गत विकास खण्ड परिसर में जीप गैराज निर्माण/खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत एवं खड़जा निर्माण कार्य पर कुल रु0 173558/- का व्यय दर्शित है। व्यय का विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	फर्म का नाम	बिल/कैशमेमो नं0/दिनांक	धनराशि
1.	मालिकार ईट उद्योग	एक्स/22.03.2012	43204.00
2.	सिंह बिल्डिंग मैटेरियल	एक्स /23.03.2012	65683.00
3.	मशीनरी स्टोर्स	एक्स /24.03.2012	3450.00
4.	न्यू वेल्लिंग वर्क्स	एक्स /25.04.2012	16946.00
5.	सिंह बिल्डिंग मैटेरियल	एक्स /04.04.2012	11825.00
6.	रसीद प्रमोद पेन्ट एजेन्सी	एक्स /05.04.2012	2660.00
7.	में0 अख्तर हुसैन इन्डस्ट्रीज	एक्स /05.04.2012	3500.00
8.	रसीद रणजीत सिंह	---	900.00
9.	मस्टररोल	---	25290.00
	योग		173458.00

उक्त कार्य पर कुल व्यय रु0 173458/- हुआ है जबकि भुगतान रु0 173558/- हुआ है। इस प्रकार रु0 100/- योग से ज्यादा भुगतान कर धनराशि का अपहरण की गई है तथा रु0 172951/- का चेक नं0 048037 दिनांक 16.04.2012 श्री राजेन्द्र प्रसाद स0वि0अधि0 (पं0) के नाम निर्गत किया गया है। आयकर कटौती के बाद रु0 172591/- का चेक निर्गत किया जाना चाहिए जबकि रु0 172981/- का चेक निर्गत किया गया है। इस प्रकार रु0 390/- का ज्यादा भुगतान किया गया है। सामग्री क्रय हेतु चेक फर्म के नाम निर्गत किया जाना चाहिए जबकि कुल भुगतान कार्यप्रभारी के नाम से किया गया है। इस प्रकार रु0 172597/- दुरुपयोगित है। रु0 490/- का ज्यादा भुगतान कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद स0वि0अधि0 (पंचायत) खण्ड विकास अधिकारी श्री ए.के. मिश्रा अवर अभियन्ता श्री राजेन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री चन्द्रिका प्रसाद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 17)

प्रस्तर संख्या 11-वर्ष 2012-13 में मजदूरी मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर रु0 748080/- मजदूरी भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभार श्री राजेन्द्र प्रसाद पदनाम सहा0वि0 अधिकारी (पंचायत) को रु0 49350/- श्री रवि कुमार श्रीवास्तव पदनाम सहा0वि0अधि0 (सहकारिता) को रु0 299830/- श्रीमती शीला मिश्रा पदनाम सहा0वि0 अधिकारी (महिला) को रु0 137170/- श्री अंजनी कुमार सिंह पदनाम सहा0वि0 अधिकारी (सांख्यिकी) को रु0 237860/- एवं श्री अमित कुमार शर्मा कोषाध्यक्ष को रु0 23870/- का भुगतान किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न है उस पर मस्टररोल नं0 अंकित नहीं है कार्य प्रभारी द्वारा 1, 2 आदि अंकित किया गया है। मस्टररोल विकास खण्ड द्वारा निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशान लगा है वह प्रमाणित है, उपस्थिति लेने वाला व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। मजदूरी भुगतान कार्य समाप्ति के कई महीनों के बाद कार्य प्रभारी को चेक द्वारा प्राप्त कराया गया है। स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। इस प्रकार मजदूरी मद में रु0 748080/- वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख जे.ई.,लेखाकार तथा कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी हैं ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 30)

प्रस्तर संख्या 12-वर्ष 2012-13 में कुल धनराशि रु0 3020432/- की सामग्री क्रय किया गया है जिस पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर की धनराशि रु0 120817/- की कटौती की जानी चाहिए परन्तु व्यापार कर की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। अतः रु0 120817/- की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 31)

प्रस्तर संख्या 13-वर्ष 2012-13 में कुल सामग्री क्रय रु0 3020432/- की गयी है। जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. मद में कुल कटौती रु0 15044/- की गयी है। इस प्रकार श्रोत पर आयकर कटौती रु0 52614/- की गयी है। जिससे केन्द्रीय करों की क्षति पहुँचायी गयी है। अतः रु0 52614/- की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 32)

प्रस्तर संख्या 14- निम्न विवरणानुसार वर्ष 2012-13 में ट्राली द्वारा मिट्टी कार्य किया गया है, जिस पर रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है।

तिथि	विवरण	धनराशि
02.06.2012	10 ट्राली मिट्टी दर 400.00	4000.00
22.05.2012	15 ट्राली मिट्टी दर 300.00	4500.00
14.05.2012	4 ट्राली मिट्टी दर 250.00	1000.00
02.12.2012	2.5 ट्राली मिट्टी दर 380.00	950.00

06.12.2012	12 ट्राली मिट्टी दर 300.00	3600.00
12.03.2013	26 ट्राली मिट्टी दर 500.00	13000.00
15.03.2012	22 ट्राली मिट्टी दर 500.00	11000.00
12.03.2013	7 ट्राली मिट्टी दर 300.00	2100.00
14.03.2013	13 ट्राली मिट्टी दर 300.00	3900.00
12.03.2013	26 ट्राली मिट्टी दर 500.00	13000.00
15.03.2013	22 ट्राली मिट्टी दर 500.00	11000.00
	योग	68050.00

मिट्टी क्रय प्रति घनमीटर की दर से किया जाना चाहिए जबकि प्रति ट्राली की दर से मिट्टी क्रय किया गया है। इस प्रकार मिट्टी क्रय पर वर्ष 2012-13 में 14.00 रु० प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी काटकर कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। रु० 68050/- पर रु० 14/- प्रति घनमीटर की दर से रु० 9527/- रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए। रायल्टी की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 33)

प्रस्तर संख्या 15—वर्ष 2012-13 में कुल 32 निर्माण कार्य दर्शित है। परन्तु अत निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है। अगर निविदा आमंत्रित की गयी होती तथा कम से कम एक निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय हेतु 3 निविदाएं प्राप्त होती तो कुल 96 निविदाएं आमंत्रित होती। प्रत्येक निविदा फार्म का अंकित मूल्य रु० 500/- न हो। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में रु० 48000/- की आय निविदा फार्म बिक्री से होती। इस प्रकार निविदा आमंत्रित नहीं होने के कारण रु० 48000/- की क्षति हुई है। अतः रु० 48000/- की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 34)

प्रस्तर संख्या 16— वर्ष 2013-14 की मजदूरी मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर धनराशि रु० 776302/- मजदूरी भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री धनेश मणि त्रिपाठी पदनाम सहा०वि० अधिकारी (आई.एस.बी.) को रु० 183968/- श्रीमती शीला मिश्रा सहा०वि०अधि० (महिला) को रु० 230172/- श्री बंगाली प्रसाद सहा०वि० अधिकारी (पंचायत) को रु० 193560/- एवं श्री अन्जनी कुमार सिंह सहा०वि० अधिकारी (सांख्यिकी) को रु० 168602/- का भुगतान किया गया है। पत्रावली में संलग्नक मस्टररोल पर मस्टररोल नं० अंकित नहीं है। कार्य प्रभारी द्वारा 1, 2..... आदि अंकित किया गया है। मस्टररोल विकास खण्ड द्वारा निर्गत नहीं है। अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है, उपस्थिति लेने वाला व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। मजदूरी भुगतान कार्य समाप्ति के कई महीनों के बाद कार्य प्रभारी को चेक द्वारा प्राप्त कराया गया है। स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। इस प्रकार मजदूरी मद में रु० 776302/- वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख जे.ई., लेखाकार तथा कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी हैं ब्याज सहित अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 35)

प्रस्तर संख्या 17—वर्ष 2013-14 में कुल धनराशि रु० 3310463/- की सामग्री क्रय किया गया है जिस पर 4 प्रतिशत की दर से धनराशि रु० 132419/- की व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए। परन्तु व्यापार कर की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। अतः रु० 132419/- की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 36)

प्रस्तर संख्या 18—वर्ष 2013-14 में कुल सामग्री क्रय रु० 3310463/- की गयी है जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. कटौती रु० 74154/- की जानी चाहिए परन्तु वर्ष 2013-14 में टी.डी.एस. मद में कुल कटौती रु० 57934/- की गयी है। इस प्रकार टी.डी.एस. मद में रु० 16220/- की कटौती कम की गयी है जिससे केन्द्रीय करों को क्षति पहुँचायी गयी है। अतः रु० 16220/- की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 37)

प्रस्तर संख्या 19—निम्न विवरणानुसार वर्ष 2013-14 की ट्राली द्वारा मिट्टी क्रय पर भुगतान दर्शित है, जिस पर रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है।

तिथि	विवरण	धनराशि
02.11.2013	19 ट्राली मिट्टी दर 460.00	8740.00
02.11.2013	14 ट्राली मिट्टी दर 450.00	6300.00
02.11.2013	14 ट्राली मिट्टी दर 450.00	6300.00
16.11.2013	18 ट्राली मिट्टी दर 390.00	7020.00
	योग	28360.00

मिट्टी क्रय घनमीटर के दर से किया जाना चाहिए जबकि प्रति ट्राली की दर से कम/भुगतान किया गया है। दर में भिन्नता पायी गयी। इस प्रकार रु० 28360/- पर रु० 14/- प्रति घनमीटर की दर से रु० 3970/- की रायल्टी की कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। रायल्टी की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 38)

प्रस्तर संख्या 20— वर्ष 2013-14 में कुल 18 निर्माण कार्य दर्शित हैं। सभी निर्माण कार्य में सामग्री का क्रय रु0 1.00 लाख से ज्यादा का किया गया है। परन्तु उक्त निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है। अगर निविदा आमंत्रित की गयी होती तथा कम से कम एक निर्माण कार्य पर 3 निविदाएं प्राप्त होती तो प्रत्येक निविदा फार्म का मूल्य रु0 500/- की दर से क्षेत्र पंचायत को रु0 27000/- (18X3 X 500) की आय हुई होती। इस प्रकार निविदा आमंत्रित नहीं करके क्षेत्र पंचायत को रु0 27000/- की हानि हुई है। अतः रु0 27000/- की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 39)

प्रस्तर संख्या 21—वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त योजना से चैयापुर में गंगा सागर गुप्ता के दरवाजे से मस्जिद तक मिट्टी एवं खड़न्जा कार्य (लम्बाई 200 मी.) पर रु0 75600/- का व्यय दर्शित है। चेक सं0 73907 दिनांक 26.10.2016 द्वारा आनन्द नाथ त्रिपाठी बी.के.ओ. अमवा देवरिया को ईट क्रय हेतु रु0 75600/- का भुगतान किया गया है। कैशमेमों नं0 371 दिनांक 22.10.2016 द्वारा 12000 ईट दर 6300 कुल रु0 75600/- की धनराशि की ईट खण्ड विकास अधिकारी रामपुर कारखाना द्वारा क्रय किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त कार्य स्थल पर जिला पंचायत देवरिया द्वारा पूर्व में इन्टरलाकिंग कार्य कराया जा चुका है। अतः इस प्रकार रु0 75600/- का फर्जी भुगतान दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः रु0 75600/- की वसूली ब्याज सहित कार्यप्रभारी श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती उषा भूषण चौहान, लेखाकार श्री चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता एवं अवर अभियन्ता आर.ई.एस. से अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 18)

प्रस्तर संख्या 22—वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त योजना से भुजौली टोला बल्ली गुप्ता के दरवाजे से पिच मार्ग तक खड़न्जा मरम्मत कार्य (लम्बाई 250 मी0) पर कुल रु0 130901/- का भुगतान किया गया है जिसमें सामग्री पर रु0 63000/- मिट्टी ढुलाई एवं मजदूरी पर क्रमशः रु0 16701/- एवं 43640/- का भुगतान दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। स्पष्ट है कि बिना मजदूरी के कार्य नहीं कराया गया है। अतः कार्य काल्पनिक प्रतीत होता है। अतः रु0 130901/- की वसूली ब्याज सहित कार्य प्रभारी श्री धनेश मणि त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती उषा भूषण चौहान, लेखाकार श्री चन्द्रिका प्रसाद एवं अवर अभियन्ता आर.आई.एस. से अपेक्षित है। उक्त कार्य की समाप्ति तिथि 24.10.2016 अंकित है। (मू0आ0सं0 19)

प्रस्तर संख्या 23— वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत कुसमा बेलवा में डीह बाबा के स्थान से धर्मेन्द्र यादव के घर के आगे तक खड़न्जा मरम्मत कार्य पर कुल अनुमानित लागत रु0 146000/- दर्शित है। उक्त कार्य की प्रारम्भ तिथि 21.10.2016 दर्शित है तथा समाप्ति तिथि 29.10.2016 है। कार्य की माप दिनांक 29.10.2016 को की गई है। उक्त कार्य हेतु ईट क्रय पर रु0 75600/- व्यय किया गया है। माप पुस्तिका की जाँच में पाया गया कि पुराने कार्य की फर्जी एम.बी. की गयी है। चेक सं0 090751 दिनांक 26.10.2017 द्वारा श्री आनन्द नाथ त्रिपाठी को 12000 ईट क्रय हेतु दर 6300 रु0 7560/- का भुगतान किया गया है। आई टी दर 2.24 प्रतिशत 1693/- की कटौती की गयी है। जिसकी पुष्टि में चालान अप्राप्त रहा। अतः स्पष्टतः रु0 75600/- अपहरित है। रु0 75600/- की वसूली ब्याज सहित कार्यप्रभारी श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, ब्लाक प्रमुख श्रीमती उषा भूषण चौहान, खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी, लेखाकार श्री चन्द्रिका गुप्ता एवं अवर अभियन्ता से ब्याज सहित अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 20)

प्रस्तर संख्या 24—वर्ष 2016-17 में ग्रा.पं. हरपुर कला में उमेश गुप्ता के मकान के बगल से रानू शाही के खेत तक खड़न्जा मरम्मत कार्य की अनुमानित लागत रु0 130500/- दर्शित है। उक्त कार्य पूर्व में जिला पंचायत देवरिया द्वारा कराया जा चुका है जैसा कि पत्रावली एवं आपत्ति के आधार पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। उक्त कार्य हेतु आलोच्य वर्ष में ईट क्रय हेतु में0 आनन्द नाथ त्रिपाठी बी.के.ओ. बिल सं0 373 दिनांक 22.10.2016 के द्वारा 10000 ईट दर 6300 रु0 63000/- का भुगतान किया गया है। आयकर की कटौती दर 2.24 प्रतिशत रु0 1411/- की गयी है। मस्टररोल भी नहीं प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्य की फर्जी एम.बी. की गयी है। अतः रु0 63000/- की वसूली कार्यप्रभारी श्री राजीव मोहन त्रिपाठी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती उषा भूषण चौहान, खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी, लेखाकार श्री चन्द्रिका गुप्ता एवं अवर अभियन्ता आई.एस.एस. से ब्याज सहित अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 21)

प्रस्तर संख्या 25—वर्ष 2016-17 में ग्रा0पं0 सिरसिया में शिवमंदिर से रूपई के दरवाजे के आगे तक खड़न्जा मरम्मत कार्य की अनुमानित लागत रु0 137200/- दर्शित है। कार्य की लम्बाई 200 मी है। उक्त कार्य हेतु श्री आनन्द नाथ त्रिपाठी बी.के.ओ. अमवा देवरिया के बिल नं0 374 दिनांक 22.10.2016 द्वारा 10 हजार ईट दर 6330 कुल रु0 63000/- का भुगतान किया गया है। मस्टररोल नहीं है। माप पुस्तिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुराना खड़न्जा लगा हुआ है जिसकी फर्जी एम.बी. की गयी है। अतः रु0 63000/- की वसूली कार्यप्रभारी श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, ब्लाक प्रमुख श्रीमती उषा भूषण चौहान, खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी, लेखाकार श्री चन्द्रिका प्रसाद एवं अवर अभियन्ता आर.ई.एस. से ब्याज सहित अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 22)

प्रस्तर संख्या 26—वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत कुशहरी में प्राथमिक विद्यालय से शिवमंदिर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य पर अनुमानित लागत रु0 389100/- दर्शित है। उक्त कार्य की लम्बाई 400 मी है। उक्त कार्य के कार्यप्रभारी श्री ज्ञान प्रकाश सिंह है। कार्य प्रारम्भ तिथि 22.10.2016 समाप्ति तिथि 29.10.2016 तथा माप तिथि 30.10.2016 अंकित है। उक्त कार्य हेतु आनन्द नाथ त्रिपाठी बी.के.ओ. को बिल नं0 376 दिनांक 22.10.2016 से 20 हजार ईट दर 6330 कुल रु0 126000/- का भुगतान किया गया है जिससे आयकर कटौती रु0 2822/- की गई दर्शित है जिसका चालान

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गयी है कि कार्य स्थल के निरीक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 14.12.2016 तक कोई कार्य नहीं कराया गया है। पुराने खड्डों की फर्जी एम.बी. की गयी है। अतः रु० 126000/- की वसूली कार्य प्रभार श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, ब्लाक प्रमुख श्रीमती उषा भूषण चौहान, खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी लेखाकार श्री चन्द्रिका प्रसाद तथा माप कर्ता अवर अभियन्ता से ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 23)

प्रस्तर संख्या 27—वर्ष 2015-16 में विशुनपुर भरतराय में रामकेवल के घर से सुदामा के घर होते हुए ड्रेन तक पक्की नाली निर्माण कार्य की अनुमानित लागत रु० 425000/- दर्शित है। उक्त कार्य के कार्यप्रभारी श्री धनेश मणि त्रिपाठी है। कुल सामग्री क्रय रु० 260540/- एवं मजदूरी पर रु० 52400/- का व्यय हुआ है। व्यापार कर की कटौती सामग्री क्रय पर नहीं की गई है। जबकि समस्त सामग्री क्रय पर आयकर की कटौती की जानी चाहिए। इस प्रकार रु० 193898/-(62540+131558) पर 2.24 प्रतिशत की दर से रु० 4343/- की आयकर कटौती एवं रु० 282753/- पर दर 4 प्रतिशत रु० 11310/- की व्यापार कर की कटौती नहीं करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। अतः आयकर तथा व्यापार कर की वसूली ब्याज सहित क्रमशः 4343/- रु० 11310/- कुल रु० 15653/- अपेक्षित है। मस्टररोल की जाँच में पाया गया है मस्टररोल विकास खण्ड द्वारा निर्गत नहीं है। मजदूरों के अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है। श्रम नियमों का पालन नहीं किया गया है। दिनांक 10.07.2015 से 24.07.2015 तक लगातार 15 दिवसों तक मजदूरों से कार्य कराया गया है। साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया गया है। उक्त के लिए कार्यप्रभारी श्री धनेश मणि त्रिपाठी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिबंश प्रसाद एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती रिकबिया देवी, लेखाकार श्री चन्द्रिका प्रसाद एवं अवर अभियन्ता आर.ई.एस. उत्तरदायी है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 25)

प्रस्तर संख्या 28—वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत विशुनपुर भरतराय में रामजीत प्रसाद के खेत से ड्रेन तक पक्की नाली निर्माण कार्य की अनुमानित लागत रु० 112600/- दर्शित है। उक्त कार्य हेतु सामग्री पर कुल व्यय रु० 96717/- एवं मजदूरी पर रु० 15400/- व्यय दर्शित है। कुल व्यय रु० 112117/- दर्शित है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि कार्य स्थल पर कार्य नहीं कराया गया है फर्जी एम.बी. की गयी है। मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। आयकर की कटौती मात्र ईट क्रय पर दर्शायी गयी है जिसका चालान अप्राप्त रहा। इस प्रकार उक्त कार्य पर व्यय धनराशि रु० 112117/- कात्पनिक है। अतः रु० 112117/- की वसूली ब्याज सहित कार्य प्रभार श्री धनेश मणि त्रिपाठी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती उषा भूषण चौहान, खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू त्रिवेदी लेखाकार श्री चन्द्रिका गुप्ता एवं अवर अभियन्ता श्री शिववचन यादव से अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 24)

प्रस्तर संख्या 29—क्षेत्र पंचायत रामपुर कारखाना के वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में कुल रु० 2700317/- की सामग्री विभिन्न फर्मों से क्रय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से एक भी बिल पर व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। रु० 2700317/- पर 4 प्रतिशत रु० 108013/- की आय कर कटौती नहीं करके करों की चोरी की गयी है। अतः रु० 108013/- की वसूली ब्याज सहित लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 10)

प्रस्तर संख्या 30—वर्ष 2015-16 में मात्र कतिपय बिलों पर ही आयकर की कटौती की गयी है। जबकि नियमानुसार सामग्री मद में भुगतान किये गए समस्त बिलों पर आयकर की कटौती की जानी चाहिए। इस प्रकार रु० 2700317/- पर 2.24 प्रतिशत की दर से रु० 60487/- की आयकर कटौती की जानी चाहिए जबकि मात्र रु० 37325/- की आयकर कटौती करके केन्द्रिय करों की चोरी की गयी है। अतः रु० 23162/- की वसूली ब्याज सहित लेखाकार चन्द्रिका गुप्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिबंश प्रसाद, श्रीमती मंजू त्रिवेदी से अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 11)

प्रस्तर संख्या 31—क्षेत्र पंचायत रामपुर कारखाना के वर्ष 2014-15 के निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में कुल रु० 2287568/- की सामग्री क्रय की गयी है परंतु उक्त पर व्यापार कर की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। अतः सामग्री क्रय की कुल धनराशि रु० 2287568/- पर 4 प्रतिशत की दर से रु० 91503/- व्यापार कर की कटौती नहीं की गई है। अतः रु० 91503/- की वसूली ब्याज सहित लेखाकार श्री चन्द्रिका गुप्ता एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 12)

प्रस्तर संख्या 32—वर्ष 2015-16 में पत्रावली की जाँच में पाया गया कि केवल ईट खरीद के बिल से ही आयकर कटौती की गई है जबकि नियमानुसार समस्त सामग्री क्रय किये गए बिलों से आयकर की कटौती की जानी चाहिए। कुल सामग्री बिल रु० 2287568/- पर 2.24 प्रतिशत की दर से रु० 51242/- की आयकर कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष 2014-15 में मात्र रु० 41351/- की आयकर कटौती की गयी है।

इस प्रकार रु० 9891/- की वसूली ब्याज सहित लेखाकार श्री चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 13)

क्षेत्र पंचायत—रुद्रपुर वर्ष 2004-05 से 2016-17 तक

प्रस्तर संख्या 33—क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में इन्दिरा आवास योजना मद में व्यय की स्थिति आलोच्य वर्षों में निम्नवत् है:—धनराशि रु० में

वर्ष	व्यय की धनराशि
वर्ष (2004-05)	
इन्दिरा आवास वर्ष (1998-99)	32948.00
इन्दिरा आवास वर्ष (1999-2000)	93920.00
इन्दिरा आवास वर्ष (2000-2001)	71225.00
इन्दिरा आवास वर्ष (2001-2002)	506851.00
इन्दिरा आवास वर्ष (2002-2003)	1862516.00
इन्दिरा आवास वर्ष (2003-2004)	8747875.00
इन्दिरा आवास वर्ष (2004-2005)	215250.00
योग	11530585.00
वर्ष (2005-06)	
इन्दिरा आवास वर्ष (2004-2005)	9779530
इन्दिरा आवास वर्ष (2003-2004)	4272315.00
इन्दिरा आवास वर्ष (1995-1996)	30500.00
इन्दिरा आवास वर्ष (1996-1997)	14000.00
इन्दिरा आवास वर्ष (1997-1998)	5500.00
इन्दिरा आवास वर्ष (1998-1999)	5027.00
इन्दिरा आवास वर्ष (1999-2000)	113.00
इन्दिरा आवास वर्ष (2000-2001)	15459.00
इन्दिरा आवास वर्ष (2001-2002)	271761.00
इन्दिरा आवास वर्ष (2002-2003)	236217.00
योग	14630422.00
(वर्ष 2006-07)इन्दिरा आवास	1252297.00
(वर्ष 2007-08)इन्दिरा आवास	1929687.00
(वर्ष 2009-10)इन्दिरा आवास	118250.00
(वर्ष 2010-11)इन्दिरा आवास	4114700.00
कुल योग	34978665.00

इन्दिरा आवास हेतु लाभार्थियों के चयन की अनुमोदित सूची, लाभार्थियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज/कागजात, पात्रता जाँच संबंधी रिपोर्ट/आख्या, इन्दिरा आवास निर्माण संबंधी अभिलेख एवं मापन पुस्तिका, फोटो, बैंक को प्रेषित एडवाइस, चेक इश्यू रजिस्टर, इन्दिरा आवास का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्रत्येक इन्दिरा आवास निर्माण की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के अभाव में आलोच्य वर्ष (2004-05) से वर्ष (2010-11) में इन्दिरा आवास योजना मद में दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। समस्त प्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जानी चाहिए अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी होंगे। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 20)

प्रस्तर संख्या 34- आलोच्य वर्ष में श्रमिकों के अवास्तविक हस्ताक्षर/अँगूठा निशान मस्टररोल में दर्शाकर भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित कार्यों में है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति के नाम
1.	मदनपुर से शम्भू जायसवाल के घर होते हुए वृद्धिचन्द्र गुप्ता के घर होते हुए अल्लू कहार के घर तक मिट्टी/खड़जा	10610.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बी डी ओ जे ई लेखाकार एवं कार्यप्रभारी दुर्ग विजय यादव (ग्रा0वि0अ0)
2.	अशफाक के घर से ग्रा0स्वा केन्द्र मदनपुर तक मि0/खड़जा कार्य	12650.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बीडीओ., श्री राघवेन्द्र सिंह, जे ई आर.के. वर्मा, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी दुर्ग विजय यादव (ग्रा0वि0अ0)
3.	अमौनी में शम्भू यादव के मकान से बट्टी यादव के खेत तक मिट्टी/खड़जा	13804.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बी डी ओ., श्री राघवेन्द्र सिंह, जे ई वाई .पी. शुक्ल, कार्यप्रभारी श्री राजबहादुर पाल (ग्रा0वि0अ0) एवं लेखाकार
4.	रुद्रपुर नकईल मार्ग से विरमापुर तक मिट्टी/खड़जा कार्य	16240.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बी डी ओ., श्री राघवेन्द्र सिंह, जे ई वाई.पी. शुक्ल, कार्यप्रभारी श्री दुर्ग विजय यादव (ग्रा0वि0अ0) एवं लेखाकार
5.	ग्राम भभौली में शमशान घाट जाने वाली	20300.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बी डी ओ., श्री

	सड़क पर खड़जा कार्य		राघवेन्द्र सिंह, जे ई वाई.पी. शुक्ल, कार्यप्रभारी श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव (ग्रा0वि0अ0) एवं लेखाकार
6.	पिपरा कछार में दक्षिण में खड़जा से विजयशंकर विजय कुमार कौशिक के घर तक मिट्टी/खड़जा	24418.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बी डी ओ., श्री राघवेन्द्र सिंह, जे ई वाई .पी. शुक्ल, कार्यप्रभारी श्री सत्येन्द्र यादव (ग्रा0वि0अ0) एवं लेखाकार
7.	भीखा से गाजन डहरौली छपरा वनया सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खड़जा	19054.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बी डी ओ., श्री राघवेन्द्र सिंह, जे ई वाई. पी. शुक्ल, कार्यप्रभारी श्री सत्येन्द्र यादव (ग्रा0वि0अ0) एवं लेखाकार
8.	रुद्रपुर करहकोल पीच मार्ग से टिकरा हरिजन बस्ती तक मिट्टी/खड़जा निर्माण	7512.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बी डी ओ श्री राघवेन्द्र सिंह, जे ई आर.के. वर्मा, कार्यप्रभारी श्री सुरेश कुमार मौर्या (ग्रा0वि0अ0) एवं लेखाकार
9.	सिंचाई बंधा से माझा नारायन पर मिट्टी/खड़जा कार्य	11310.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बी डी ओ., श्री राघवेन्द्र सिंह जे ई. आर.के. वर्मा, कार्यप्रभारी श्री सुरेश कुमार मौर्या (ग्रा0वि0अ0) एवं लेखाकार
	योग	135898.00	

क्र0सं0 1 से 9 तक अंकित विवरण के अनुसार रू0 135898/- का अपहरण मजदूरी भुगतान में अवास्तविक हस्ताक्षर/अंगूठा निशान दर्शाकर किया गया। जिसके लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बी डी ओ जे ई, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी जिम्मेदार है जिनके सम्बन्ध में अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 21)

प्रस्तर संख्या 35- क्षे0पं0 रुद्रपुर में वर्ष 2004-05 में निम्न कार्यो पर बिना टीन नं0 के व्यय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान किया गया:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	फर्म का नाम	फर्म का क्रमांक/दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1.	मदनपुर से शम्भू जायसवाल के घर होते हुए वृद्धिचन्द्र गुप्ता के घर होते हुए अलगू कहार के घर तक मिट्टी/खड़जा कार्य	फसीउल्लाह ब्रिक फिल्ड	253/ नील	10622.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ श्री राघवेन्द्र सिंह जेई, लेखाकार कार्यप्र0 दुर्ग विजय यादव (बीडीओ)
2.	मदनपुर से शम्भू जायसवाल के घर होते हुए वृद्धिचन्द्र गुप्ता के घर होते हुए अलगू कहार के घर तक मिट्टी/खड़जा कार्य	फसीउल्लाह ब्रिक फिल्ड	नील / नील	44800.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ श्री राघवेन्द्र सिंह, जेई, लेखाकार कार्यप्र0 दुर्ग विजय यादव (बीडीओ)
3.	असफाक के घर से प्रा0स्वा0 केन्द्र मदनपुर तक मिट्टी/खड़जा कार्य	फसीउल्लाह ब्रिक फिल्ड	259/एक्स	9315.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ श्री राघवेन्द्र सिंह, जेई, लेखाकार कार्यप्र0 दुर्ग विजय यादव (बीडीओ)
4.	असफाक के घर से प्रा0स्वा0 केन्द्र मदनपुर तक मिट्टी/खड़जा कार्य	फसीउल्लाह ब्रिक फिल्ड	एक्स /एक्स	48000.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ श्री राघवेन्द्र सिंह, जेई, लेखाकार कार्यप्र0 दुर्ग विजय यादव (बीडीओ)
5.	अमौनी में शम्भू यादव के मकान से बंदी यादव के खेत तक मिट्टी/खड़जा कार्य	मे0 किसान ईट उद्योग	एक्स /19.02.05	45920.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ श्री राघवेन्द्र सिंह, जेई, लेखाकार कार्यप्र0 दुर्ग विजय यादव (बीडीओ)
6.	रुद्रपुर नकइल मार्ग से विरमापुर तक	मे0 कृष्णा ईट उद्योग	1446 / 01.03.05	1280.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ श्री राघवेन्द्र सिंह,

	मिट्टी/खड़जा कार्य				जेई, लेखाकार कार्यप्र0 दुर्ग विजय यादव (बीडीओ)
7.	रुद्रपुर नकइल मार्ग से विरमापुर तक मिट्टी/खड़जा कार्य	मे0 कृष्णा ईट उद्योग	1313 / 20.02.05	62560.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ श्री राघवेन्द्र सिंह, जेई, लेखाकार कार्यप्र0 दुर्ग विजय यादव (बीडीओ)
8.	पिपराकछार में दक्षिण में खड़जा से विजयशंकर, विजय कुमार कौशिक के घर तक मिट्टी/खड़जा कार्य	मे0 इन्द्रा ईट उद्योग	84 / 22.02.05	58931.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ श्री राघवेन्द्र सिंह, जेई, लेखाकार कार्यप्र0 सत्येन्द्र यादव (ग्रा0वि0अ0)
9.	भीखा से गाजन डहरौली छपरा वनया सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खड़जा कार्य	यादव ब्रिक फिलड रामचक	201 / एक्स	2261.00	“ “
10.	भीखा से गाजन डहरौली छपरा वनया सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खड़जा कार्य	मार्डन स्टूडियो एवं विडियोग्राफी		400.00	“ “
11.	रुद्रपुर करकोल पिचमार्ग से टिकरा हरिजन बस्ती तक मिट्टी/खड़जा कार्य	नायक ब्रिक फिलड	एक्स / 24.03.05	20045.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ श्री राघवेन्द्र सिंह, जेई, लेखाकार कार्यप्र0 सुरेश कुमार मौर्या (ग्रा0वि0अ0)
12.	सिंचाई बंधा से माझानारायन पर मिट्टी/खड़जा कार्य	नायक ब्रिक फिलड	एक्स / 22.02.05	47584	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ श्री राघवेन्द्र सिंह, जेई, लेखाकार कार्यप्र0 सुरेश कुमार मौर्या (ग्रा0वि0अ0)
		योग		351718.00	

क्र0सं0 1 से 12 तक अंकित विवरण के अनुसार बिना टीन नं0 के व्यय प्रमाणक द्वारा रू0 351718/- का भुगतान करके अनियमितता की गयी। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जात है। जिस प्रति विभागीय उच्चधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मू0आ0सं0 22)

प्रस्तर संख्या 36- आलोच्य वर्ष 2006-07 में श्रमिकों के अवास्तविक हस्ताक्षर/अँगूठा निशान मस्टररोल में दर्शाकर भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित कार्यों में है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति के नाम
1.	जमुना जायसवाल के दरवाजे से रौजा बाग तक अवषेख खड़जा मिट्टी कार्य	7230.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बीडीओ. श्रीमती चन्द्रावती जेई, आर.के. वर्मा लेखाकार एवं कार्यप्रभारी विनय कुमार सिंह (ग्रा0वि0अ0)
2.	विकास खण्ड परिसर में ख0वि0अ0 आवास मरम्मत	13014.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बीडीओ श्रीमती चन्द्रावती जेई, आर.के. वर्मा लेखाकार एवं कार्यप्रभारी विनय कुमार सिंह (ग्रा0वि0अ0)
3.	राजकीय कृषि बीज भण्डार रुद्रपुर मरम्मत (12 वित्त द्वारा)	20400.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बीडीओ., श्री राघवेन्द्र सिंह, जेई, वाई.पी. शुक्ल, कार्यप्रभारी श्री ऋषिकेश गुप्ता (ग्रा0वि0अ0)
4.	विकास खण्ड परिसर में आवासीय/अनआवासीय भवनों की मरम्मत	37650.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बीडीओ., जेई, लेखाकार कार्यप्रभारी।
	योग	78294	

क्र0सं0 1 से 4 तक अंकित विवरण के अनुसार रू0 78294/- का अपहरण मजदूरी भुगतान में अवास्तविक हस्ताक्षर/अँगूठा निशान दर्शाकर किया गया। इसके लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बीडीओ, जेई, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी जिम्मेदार है। अपहरण के लिए अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है। सहित वसूली अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 23)

प्रस्तर संख्या 37— क्षेत्र 0 पं० रुद्रपुर में वर्ष 2006-07 में निम्न कार्यों पर बिना टीन नं० के व्यय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान किया गया:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम	फर्म का क्रमांक/दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1.	जमुना जायसवाल के दरवाजे से रौजावाग तक अवशेष खड़जा मिट्टी/खड़जा कार्य	फसीउल्लाह ब्रिक फिल्ड	298/14.08.06	78000	तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ श्रीमती चन्द्रावती शाही, जेई, आर.के. वर्मा लेखाकार कार्यप्र० विनय कुमार सिंह (बीडीओ)
2.	विकास खण्ड परिसर में ख.वि.अ. आवास मरम्मत	निगम ट्रेडर्स	414/04.09.06	10589	"
3.	" "	" "	451/05.09.06	800.00	"
4.	" "	पाण्डेय ट्रेडर्स	457/05.09.06	10389.00	"
5.	" "	मोती पेण्ट स्टोर	934/05.09.06	3330.00	"
6.	" "	पाण्डेय ट्रेडर्स	458/05.09.06	1500.00	"
7.	" "	शिवम ईट उद्योग	213/28.09.06	3336.00	"
8.	" "	जनता इलेक्ट्रीक	एक्स/28.09.06	2800.00	"
9.	राजकीय कृषि भण्डार रुद्रपुर का मरम्मत (12वाँ वित्त द्वारा)	मे० इन्द्रा ईट उद्योग	06/10.05.07	12316.00	तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, जेई, बीडीओ श्री राघवेन्द्र सिंह, लेखाकार कार्यप्र० ऋषिकेश सिंह (ग्रा०वि०अ०)
10.	राजकीय कृषि भण्डार रुद्रपुर का मरम्मत (12वाँ वित्त द्वारा)	प्रदीप ट्रेडर्स	एक्स/17.03.07	55866.50	"
11.	विकास खण्ड परिसर में आवासीय/अनआवासीय भवनों की मरम्मत (12वाँ वित्त द्वारा)	किसान ईट उद्योग	224/10.02.07	10972.00	तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, कार्यप्रभारी लेखाकार जे.ई.
12.	" "	प्रदीप ट्रेडर्स	एक्स/11.07.07	17627.00	" "
13.	" "	निगम ट्रेडर्स	490/12.02.07	43191.00	" "
14.	" "	आधुनिक फर्नीचर उद्योग	एक्स/07.03.07	12435.00	" "
15.	" "	गुप्ता हार्डवेयर	एक्स/07.03.07	7200.00	" "
			योग	270351.50	

क्र०सं० 1 से 15 तक अंकित विवरण के अनुसार बिना टीन नं० के व्यय प्रमाणक द्वारा रू० 270351.50 का भुगतान करके अनियमितता की गयी। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 24)

प्रस्तर संख्या 38— आलोच्य वर्ष 2010-11 में निम्न विवरण के अनुसार मस्टररोल द्वारा मजदूरों एवं कुशम श्रमिकों को मजदूरी प्रदान की गयी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण	अपहरण	गम्भीर अनियमिता	उत्तरदायी व्यक्ति
1.	ग्राम नकइल में सिंचाई बंधा से बहादुर सिंह के खेत तक	वर्ष 2010-11 में श्रमिकों केबिना हस्ताक्षर/अंगूठा	50840.00	—	तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख बीडीओ, लेखाकार जेई.

	इण्टरलाकिंग कार्य।	निशान के अवास्तविक कार्य दर्शाया गया।			एवं कार्यप्र० सुरेश कुमार (ग्रा०वि०अ०)
2.	ग्रा०पं० गनियारी में राजस्व ग्राम पहाड़पुर में सोहरन के झोपड़ी से मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	डीओ.....	3150.00	---	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बीडीओ, लेखाकार जेई. एवं कार्यप्र० ज्ञान प्रकाश (ग्रा०वि०अ०)
3.	ग्रा० गनियारी में जमींदारी बांध से त्रिपुरेश तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	डीओ	13540.00	---	“ ”
4.	विकास खण्ड कार्यालय रुद्रपुर के प्रांगण में शौचालय-मूत्रालय निर्माण	 डीओ	13705.00	---	“ ”
5.	बाल विकास परियोजना अधिकारी रुद्रपुर के कार्यालय के बगल में शौचालय एवं मुत्रालय निर्माण कार्य	 डीओ	14640.00	---	“ ”
6.	ग्रा०पं० भेलउर में ग्रा०पा० के पास से श्री भागवत के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	 डीओ	23080.00	---	“ ”
7.	रुद्र नारायण सम्पर्क मार्ग पर जनता इ.का. पिपरा कछार स्कूल के प्रांगण में इण्टरलाकिंग कार्य।	 डीओ	28140.00	---	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बीडीओ, लेखाकार जेई. एवं कार्यप्र० सुरेश कुमार (ग्रा०वि०अ०)
8.	पचलड़ी बेलवा दुधौली पिच मार्ग से वनियापार में यासिन मियां के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	 डीओ	51900.00	---	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बीडीओ, लेखाकार जेई. एवं कार्यप्र० सुरेश कुमार (ग्रा०वि०अ०)
9.	धर्मपुर हरिजन बस्ती से विनोद तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	 डीओ	33600.00	---	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख बीडीओ, लेखाकार जेई.. एवं कार्यप्र० ज्ञान प्रकाश सिंह (ग्रा०वि०अ०)
		योग	260895.00		

क्र०सं० 1 से 9 तक अंकित विवरण के अनुसार रू० 260895/- का मजदूरी दिखाकर मजदूरी का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ, जेई. लेखाकार एवं कार्यप्रभारी जिम्मेदार है। जिसके लिए अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 25)

प्रस्तर संख्या 39- क्षे०पं० रुद्रपुर में वित्तीय वर्ष 2010-11 में निम्न कार्यों पर बिना टीन नं० के व्यय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान किया गया:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम	फर्म का क्रमांक/दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1.	ग्रा० नकईल में सिंचाई बंधा से रामबहादुर सिंह के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य।	कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी	नील/	3500.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ, जेई., लेखाकार कार्यप्र० श्री सुरेशकुमार (बीडीओ)
2.	“ ”	“ ”	नील / 30.12.10	18110.62	“ ”
3.	ग्रा०पं० गनियारी में राजस्व ग्राम पहाड़पुर में सोहारन के झोपड़ी से मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	“ ”	05 / 12.01.11	3500.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ JE, लेखाकार कार्यप्र० श्री ज्ञान प्रकाश सिंह (बीडीओ)
4.	“ ”	“ ”	364 / 22.09.10	32885.26	“ ”
5.	ग्रा० गौनरिया में जमींदारी	“ ”	09 / 12.01.11	3500.00	“ ”

	बांध से त्रिपुरेश तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य				“
6.	ग्रा0 गौनरिया में जमींदारी बांध से त्रिपुरेश तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी	378 / 22.04.10	35807.00	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, बीडीओ जेई, लेखाकार कार्यप्र0 श्री ज्ञान प्रकाश सिंह (वीडीओ)
7.	विकास खण्ड कार्यालय में शौचालय एवं मुत्रालय निर्माण	कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी	379 / 23.03.10	29615.30	“
8.	बाल विकास परियोजना अधिकारी रुद्रपुर के कार्यालय के बगल में शौचालय एवं मुत्रालय निर्माण कार्य	कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी	371 / 25.03.10	48942.00	“
9.	ग्रा0पं0 भेलउर में ग्रा0पा0 के पास से श्री भागवत के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी	10 / 12.01.11	3500.00	“
10.	“	“	331 / 10.04.10	29632.00	“
11.	रुद्रपुर नारायण सम्पर्क मार्ग पर जनता इ.का. पिपरा कछार स्कूल प्रांगण में इण्टरलाकिंग कार्य।	कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी	नील / नील	3500.00	ब्लाक प्रमुख तत्कालीन बीडीओ, लेखाकार, जे.ई. एवं कार्यप्रभारी श्री सुरेश कुमार (ग्रा0वि0अ0)
11.	“	शान्ती इण्टरप्राइजेज	नील / 15.12.10	23103.94	“
11	“	अमन ईट उद्योग	77 / 15.12.10	7480.00	“
12.	धर्मपुर हरिजन बस्ती में पिच सड़क से विनोद तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	कृष्णा ट्रेडिंग	15 / 25.12.10	3500.00	ब्लाक प्रमुख तत्कालीन बीडीओ, लेखाकार, जे.ई. एवं कार्यप्रभारी श्री ज्ञान प्रकाश सिंह (ग्रा0वि0अ0)
12.	“	मे0 किसान ईट उद्योग	नील / 25.03.10	45057.00	“
12	“	शान्ती इण्टरप्राइजेज	77 / 25.03.10	183895.25	“
13	पचलडी बेलवा दुधौली पिच मार्ग से बनियापार यासीन मिया के घर तक इण्टरलाकिंग	शान्ती इण्टरप्राइजेज	79/ नील	359551.00	“
		योग		835079.37	

क्र0सं0 1 से 16 तक अंकित विवरण के अनुसार बिना टीन नं0 के व्यय प्रमाणक द्वारा रु0 835079.37 का भुगतान करके अनियमितता की गयी। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 26)

प्रस्तर संख्या 40— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 22 1/2 प्रतिशत एवं अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत, स.ग्रा.रो.यो. कन्टीजेन्सी 2 प्रतिशत मद में व्यय की स्थिति आलोच्य वर्ष में निम्नवत् है:—

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (धनराशि रुपये में)

वर्ष	व्यय
2004-05	4448343.00
2005-06	5604726.00
2006-07	3495946.00
2007-08	5035629.00
योग	18584644.00

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 22 1/2 प्रतिशत एवं अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत (धनराशि रुपये में)

वर्ष	व्यय
2004-05	52800.00
2005-06	1077395.00
2006-07	856200.00
2007-08	3133456.00
योग	5119851.00

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी (धनराशि रुपये में)

वर्ष	व्यय
2004-05	54041.00
2005-06	31893.00
2006-07	43567.00
2007-08	74607.00
2008-09	63873.00
योग	267981.00

उपरोक्त मदों से संबंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक, चेक इश्यू रजिस्टर, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, कार्यवाही पंजिका लाभार्थियों के चयन की अनुमोदित सूची, लाभार्थियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज/कागजात, पात्रता जाँच संबंधी रिपोर्ट/जाँच आख्या इस मद अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य पत्रावली इस्टीमेट मापन पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित अभिलेख के अभाव में उपरोक्त दर्शित रु० 23972476/- अपुष्ट रहा। समस्त प्रमाणक/व्यय प्रमाणक, पत्रावली, कार्यवाही पंजिका एवं समस्त संबंधित अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जे.ई. क्षेत्र पंचायत उत्तरदायी होंगे। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 27)

प्रस्तर संख्या 41— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2007-08) में क्षेत्र निधि मद में रु० 25502.76 व्यय दर्शित किया गया। व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावली, कार्यवाही पंजिका, चेक इश्यू रजिस्टर, बैंक स्टेटमेन्ट एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में उपरोक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। समस्त प्रमाणक, पत्रावलियाँ एवं समस्त संबंधित अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी होंगे। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 28)

प्रस्तर संख्या 42— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना अवस्थापना मद एवं आदर्श जलाशय योजना मद में निम्न वर्षों में व्यय की स्थिति निम्नवत् है:-

(i) स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना अवस्थापना मद (धनराशि रुपये में)

वर्ष	व्यय
2007-08	591100.00
2008-09	881711.00
2009-10	113349.00
योग	1586160.00

(ii) आदर्श जलाशय योजना (धनराशि रुपये में)

वर्ष	व्यय
2007-08	4232295.00
2008-09	3603838.00
योग	7836133.00
कुल योग (आई+ आईआई)	9422293.00

उपरोक्त मदों से संबंधित पत्रावली, कार्यवाही पंजिका, व्यय प्रमाणक, चेक इश्यू रजिस्टर, बैंक स्टेटमेण्ट, निर्माण कार्य पत्रावली, इस्टीमेट, कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात के फोटो, मापन पुस्तिका, माप का विवरण, गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट, सामग्री क्रय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे। उपरोक्त प्रमाणकों पत्रावलियों एवं अन्य समस्त संबंधित अभिलेखों के अभाव में उपरोक्त दर्शित व्यय रु० 9422293/- अपुष्ट रहा। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन अवर अभियन्ता (जे.ई.), तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 29)

प्रस्तर संख्या 43- क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण मद एवं बायोगैस अनुदान मद में निम्न वित्तीय वर्षों में व्यय की स्थिति निम्नवत् है:-

(i) व्यक्तिगत शौचालय निर्माण (धनराशि रुपये में)

वर्ष	व्यय
2005-06	117223.10

(ii) बायोगैस अनुदान (धनराशि रुपये में)

वर्ष	व्यय
2004-05	20700.00
2005-06	1800.00
योग	22500.00
कुल योग (i+ii)	139723.00

व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं बायोगैस अनुदान हेतु लाभार्थियों की चयन की अनुमोदित सूची, लाभार्थियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज/कागजात, पात्रता जाँच संबंधी रिपोर्ट/जाँच आख्या, चेक इश्यू रजिस्टर, बैंक स्टेटमेण्ट कार्यवाही पंजिका, व्यय प्रमाणक, शौचालय निर्माण एवं बायोगैस संयंत्र संबंधी पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र इत्यादि के अभाव में उपरोक्त दर्शित व्यय रु० 139723/- अपुष्ट रहा। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं।

(मू०आ०सं० 30)

प्रस्तर संख्या 44-क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष 2008-09 में बाढ़ राहत योजना/आपदा राहत योजना मद में अनुदान पंजिका भाग-2 के अनुसार दिनांक 01.04.2008 को प्रारम्भिक शेष रु० 5642994/- वर्ष में आय रु० 13546990/- वर्ष में व्यय रु० 15258289/- तथा वर्षान्त में दिनांक 31 मार्च 2009 को अन्तिम अवशेष रु० 3931695/- रहा। अनुदान पंजिका भाग तीन के अनुसार इस मद का प्रारम्भिक शेष रु० 3847984/- दर्शित है। इस प्रकार प्रारम्भिक शेष में अनुदान पंजिका भाग दो की अपेक्षा अनुदान पंजिका तीन में इस मद का प्रारम्भिक शेष रु० 1795010/- से कम दर्शित है। अनुदान पंजिका भाग दो में वर्ष 2007-08 में इस मद से दिनांक 03.04.2008 को रु० 1930000/- रु० बाढ़ अन्तर्गत ह्यूम पाईप पुलिया निर्माण शीर्ष में स्थानान्तरित किया गया है तथा वर्ष 2007-08 में ह्यूम पाईप पुलिया निर्माण में रु० 134990/- व्यय दर्शित किया गया है तथा वर्षान्त में ह्यूम पाईप पुलिया निर्माण मद में 31 मार्च 2008 को अन्तिम अवशेष रु० 1795010/- दर्शित किया गया जबकि अनुदान पंजिका भाग दो में रु० 1930000/- को व्यय दर्शित किया गया। इस प्रकार अनुदान पंजिका भाग दो की तुलना में अनुदान पंजिका भाग तीन में रु० 1795010/- इस मद का प्रारम्भिक शेष कम दर्शित है। अनुदान पंजिका में विवरण में अंतर के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि बाढ़ राहत/आपदा राहत मद की धनराशि, ह्यूम पाईप पुलिया निर्माण, सम्पर्क मार्ग मरम्मत एवं अतिवृष्टि अन्तर्गत मरम्मत हेतु प्राप्त अनुदान की धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रुद्रपुर खाता सं० 305002010032960 में रखा गया है। इसके बाद भी अनुदान पंजिका भाग तीन में दर्ज विवरण में अंतर है। अनुदान पंजिका भाग तीन माह अप्रैल 08 से माह मई 2009 तक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। वर्ष 2009-10 में बाढ़ राहत/आपदा राहत योजना में अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार प्रारम्भिक शेष रु० 3931695/- वर्ष में आय रु० 6000/-, वर्ष में व्यय रु० 2183468/- तथा वर्षान्त में 31 मार्च 2010 को अन्तिम अवशेष रु० 1808227/- रहा लेकिन अनुदान पंजिका भाग तीन माह अप्रैल 09 से मई 2009 तक अप्राप्त रही तथा जून 2009 से मार्च 2010 तक इस शीर्ष में प्रारम्भिक शेष, आय, व्यय एवं अन्तिम अवशेष दर्शित नहीं किया गया। अनुदान पंजिका भाग तीन में बाढ़ राहत/आपदा राहत अनुदान मद की सम्पूर्ण धनराशि को माह जून 2009 के पूर्व में ही उपभोग कर लिया जाना दर्शित किया गया है। इस मद से संबंधित बैंक पासबुक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रुद्रपुर खाता सं० 305002010032960 के बैलेन्स/अन्तिम अवशेष (सीबी) को अनुदान पंजिका भाग तीन में माह जून 2009 से पूर्व में शून्य दर्शित किया गया है। अनुदान पंजिका भाग दो (नवीन/नयी) में दर्ज किया गया है। अनुदान पंजिका भाग तीन में दर्ज विवरण से मेल नहीं खाता है। उल्लेखनीय है कि अनुदान पंजिका भाग दो (नवीन/नयी) को मुख अनुदान पंजिका भाग दो से अलग बनाकर रखा गया है। अनुदान पंजिका भाग दो (नवीन/नयी) में मात्र बाढ़ राहत/आपदा राहत संबंधी मद का ही विवरण दर्ज है।

अनुदान पंजिका भाग दो (नवीन/नयी) के अनुसार बाढ़ राहत/आपदा राहत अनुदान मद में वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष (2008-09)	(धनराशि रू0 में)
मद	दर्शित व्यय
बाढ़ राहत/आपदा राहत	3428884.00
हयम पाईप पुलिया निर्माण	4654065.00
सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य	3702540.00
अतिवृष्टि अन्तर्गत मरम्मत कार्य	3472800.00
योग	15258289.00

वर्ष (2010-11)	(धनराशि रू0 में)
मद	दर्शित व्यय
बाढ़ राहत/आपदा राहत हयम पाईप पुलिया निर्माण	221355.00
योग	221355.00

वर्ष (2009-10)	(धनराशि रू0 में)
मद	दर्शित व्यय
बाढ़ राहत/आपदा राहत अन्तर्गत हयम पाईप पुलिया निर्माण	997271.00
सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य	194730.00
अतिवृष्टि अन्तर्गत मरम्मत कार्य	991467.00
योग	2183468.00

वर्ष (2010-11)	(धनराशि रू0 में)
मद	दर्शित व्यय
बाढ़ राहत/आपदा राहत हयम पाईप पुलिया निर्माण	221355.00
योग	221355.00

वर्ष (2011-12)	(धनराशि रू0 में)
मद	दर्शित व्यय
बाढ़ राहत/आपदा राहत हयम पाईप पुलिया निर्माण	250000.00
योग	250000.00

कुल योग (आई+आईआई+आईआईआई +आईवी+वी)	17913112.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार इस मद में रू0 17913112/- से संबंधित पत्रावली व्यय प्रमाणक, चेक इश्यू रजिस्टर, बैंक समाधान विवरण पत्र, निर्माण कार्यवाही इस्टीमेट, कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् का फोटो, मापन पुस्तिका, माप का विवरण, परिसम्पत्ति पंजिका, गुणवत्ता जांच रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे। उपरोक्त प्रमाणकों/पत्रावलियों एवं अन्य संबंधित अभिलेखों के अभाव में उपरोक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा/समस्त प्रमाणक/व्यय प्रमाणक पत्रावलियाँ एवं अन्य समस्त संबंधित अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन अवर अभियन्ता (जे0ई0), तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी होंगे।

(मू0आ0सं0 31)

प्रस्तर संख्या 45— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में बाढ़ राहत/आपदा राहत मद में वर्ष (2007-08) में दर्शित व्यय अनुदान पंजिका भाग दो के अनुसार निम्नवत् है:—(धनराशि रू0 में)

मद	व्यय
बाढ़ राहत/आपदा राहत	1714016.00
बाढ़ राहत अन्तर्गत हयम पाईप पुलिया निर्माण	134990.00
योग	1849006.00

लेखा परीक्षा में इस मद से संबंधित वर्ष (2007-08) में मात्र रू0 821054/- के प्रमाणक प्रस्तुत किए गए। विवरण निम्नवत् है:—

क्र०सं०	कार्य का नाम	धनराशि (रु० में)
1.	मदनपुर पी०एच०सी० समोसर सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य	92575.00
2.	अमौली में शमशान घाट जाने वाली सम्पर्क मार्ग पर खडन्जा	20230.00
3.	जमीरा में पी०डब्ल्यू०डी० से गाँव तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी खडन्जा कार्य	22495.00
4.	गायघाट दक्षिण बन्धा से नकईल की ओर सम्पर्क मार्ग मिट्टी मरम्मत कार्य	117601.00
5.	नकईल रोड से बेलुआर प्राथमिक स्कूल सम्पर्क मार्ग खडन्जा कार्य	18626.00
6.	पिड़हनी से सिकरिया होकर इस्लामाबाद सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	150467.00
7.	तलसपुरवा से गायघाट बन्धा तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	117601.00
8.	नकईल मार्ग से पिड़हनी सम्पर्क मार्ग खडन्जा कार्य	48665.00
9.	रुद्रपुर नकईल मार्ग से विरमापुर सम्पर्क मार्ग खडन्जा कार्य	14325.00
10.	समरौना नकईल डाला मार्ग से सिंचाई बन्धा तक मिट्टी कार्य	38575.00
11.	केवटलिया में हीरा सिंह के दरवाजे से कब्रिस्तान होकर क्षेत्र पंचायत सड़क सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	48550.00
12.	केवटलिया पी०डब्ल्यू०डी० सड़क से दीनानाथ के घर होकर गाँव तक खडन्जा कार्य	28792.00
13.	केवटलिया से पटवनिया सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य	102552.00
	योग	821054.00

इस मद में वर्ष (2007-08) में रु० 821054/- के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जबकि रु० (1849006/- - 821054/-) = रु० 1027952/- के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। इस मद में रु० 1027952/- से संबंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक, चेक इश्यू रजिस्टर, निर्माण कार्य पत्रावली, इस्टीमेट, कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् का फोटो, मापन पुस्तिका, माप का विवरण, परिसम्पत्ति पंजिका, गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण, अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि के अभाव में दर्शित व्यय रु० 1027952/- अपुष्ट रहा। समस्त प्रमाणक, व्यय प्रमाणक, पत्रावलियाँ एवं अन्य समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन अवर अभियन्ता (जे०ई०), तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी होंगे। (मू०आ०सं० 32)

प्रस्तर संख्या 46- क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2004-05) एवं (2005-06) में निम्न निर्माण कार्य/परियोजनाओं हेतु सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय आयकर, व्यापारकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी, जिससे आयकर रु० 6777/- व्यापार कर एवं वैट रु० 20248/- कुल रु० 27025/- की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इसके प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापार कर	वैट
1.	गोनाह सूरतपुरा हरिजन बस्ती से प्राथमिक पाठशाला तक मिट्टी/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी- श्री सुरेश कुमार मौर्य पद- ग्राम विकास अधिकारी	1. शर्मा एण्ड ब्रदर्स ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग, अमौनी रुद्रपुर क. क्रमांक 118 दिनांक 24.03.2005 ख. क्रमांक 135 दिनांक 31.03.2005 2. चन्द्रबली सिंह पुत्र अमला सिंह ग्राम गोनाहसूरतपुरा से मिट्टी कार्टेज क्रय	44800.00 16846.00 2500.00	— 377.00 56.00	1792.00 674.00 100.00	
2.	मोंगकोडर से सतकोठवा देवी के स्थान तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी- श्री जयनरायाण सिंह पद- ग्राम विकास अधिकारी	1. प्रताप सेवा संस्थान बी.के. ओ. अमौनी रुद्रपुर क्रमांक 106 दिन अंकित नहीं 2. ओ.वी.वाई. ईट उद्योग क्रमांक 183 दिनांक 16.04.2005	68800.00 23858.00	1541.00 534.00	2752.00 954.00	
3.	ग्राम पचरुखा में कोडरी सड़क से महगडही तक मिट्टी/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी- श्री सुरेश	1. नायक ब्रिक्स फील्ड कोडरी क. केशमेमो क्रमांक एवं दिनांक अंकित नहीं ख. ———तदैव——	46905.00 1432.00	1051.00 32.00	1876.00 57.00	

	कुमार मौर्य पद- ग्राम विकास अधिकारी	ग. कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 07.04.2005	3914.00	88.00	157.00	
4.	कृतपुरा पिच रोड से झगरू के घर होते हुए विन्द टोली तक सम्पर्क मार्ग/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी- श्री राधेश्याम नायक पद- सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	1. शिवम् ईट उद्योग, माहीगंज, रुद्रपुर क्रमांक 13/दिनांक 24.03. 2005 2. फसीउल्लाह ब्रिक फील्ड कामुपुर मदनपुर, देवरिया क्रमांक 263 दिनांक 31.03. 2005	48000.00 3474.00	— 78.00	1920.00 139.00	— —
5.	परमात्मा सिंह के दरवाजे से नीवा धर्मपुर मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी- श्री सुरेश कुमार मौर्य पद- ग्राम विकास अधिकारी	1. शर्मा एण्ड ब्रदर्स ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग, अमौनी रुद्रपुर क. क्रमांक 127 दिनांक 24.03. 2005 ख. क्रमांक 129 दिनांक 02.04. 2005	61309.00 2958.00	— 66.00	2452.00 118.00	— —
6.	शीतलमाझा पिचरोड से सीताराम राव के घर तक मिट्टी कार्य। कार्यप्रभारी- श्री संदीप कुमार त्रिपाठी पद- ग्राम विकास अधिकारी	दिनांक 07.01.2006 से दिनांक 16.01.2006 तक मिट्टी कार्टेज क्रय	65000.00	1456.00	—	—
7.	हौली बलिया गाँव से सरकारी अस्पताल तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य कार्यप्रभारी- श्री सुरेश कुमार पद- ग्राम विकास अधिकारी	1. कृष्णा ईट उद्योग कैशमेमो क्रमांक 1427 दिनांक 30.01.2006 2. मिट्टी कार्टेज क्रय दिनांक 15.01.2006 से दिनांक 23.01.2006 तक	74893.00 17550.00	— 393.00	2996.00 —	— —
8.	करहकोल पिच मार्ग से हरिजन बस्ती तक मिट्टी/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी- श्री सुरेश कुमार पद- ग्राम विकास अधिकारी	1. कृष्णा ईट उद्योग कैशमेमो/चालान क्रमांक 1423 दिनांक 30.01.2006 2. मिट्टी कार्टेज क्रय दिनांक 15.01.2006 से दिनांक 22.01.2006 तक	39565.00 20800.00	— 466.00	1583.00 —	
9.	लक्ष्मीपुर टोला रामदेव के मकान से मनिहरपुर गाँव तक मिट्टी खडन्जा कार्य।	1. फसीउल्लाह ब्रिक फील्ड कामुपुर मदनपुर, देवरिया क. क्रमांक 1357 एवं दिनांक अंकित नहीं ख. क्रमांक 260 एवं दिनांक अंकित नहीं ग. क्रमांक 218 दिनांक अंकित नहीं	38400.00 25867.00 2670.00	— 579.00 60.00	1536.00 1035.00 107.00	
		कुल योग	609541.00	6777.00	20248.00	

(मू0आ0सं0 34)

प्रस्तर संख्या 47- क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2007-08) में निम्न निर्माण कार्य/परियोजनाओं हेतु सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय आयकर, व्यापारकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी, जिससे आयकर रु0 1240/- व्यापारकर एवं वैट रु0 3899/- कुल रु0 5139/- की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इसके प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापारकर	वैट
1.	मदनपुर पी०एच०सी० समोसर सम्पर्क मार्ग मिट्टी मरम्मत कार्य। कार्यप्रभारी— श्री सुरेश कुमार मौर्य पद—ग्राम विकास अधिकारी	बोर्ड क्रय	2575.00	58.00	103.00	---
2.	भभौली में शमशानघाट से जाने वाली सम्पर्क मार्ग पर खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी— श्री सुरेश कुमार मौर्य पद—ग्राम विकास अधिकारी	1. बाबा ईट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर बिल क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 11.11.07 2. बोर्ड क्रय	11880.00 2550.00	--- 57.00	475.00 102.00	---
3.	जमीरा पी०डब्ल्यू०डी० से गाँव तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी— श्री सुरेश कुमार मौर्य पद—ग्राम विकास अधिकारी	1. फसीउल्लाह ब्रिक फिल्ड कामपुर, मदनपुर, देवरिया क्रमांक 66 दिनांक 02.11.2007 2. बोर्ड क्रय	11520.00 2575.00	--- 58.00	461.00 103.00	---
4.	नकईल मार्ग से पिडहनी सम्पर्क मार्ग तक खडन्जा/ मरम्मत कार्य। कार्यप्रभारी— श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पद— सहायक विकास अधिकारी	1. मेसर्स इन्द्रा ईट उद्योग वी. के.ओ., गहिला, पो० तारासारा, रुद्रपुर कैशमेमो क्रमांक 37/दिनांक 29.10.07 2. शर्मा एण्ड ब्रदर्स ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग, अमौनी रुद्रपुर कैश मेमो क्रमांक 138 दिनांक 01.12.2007	7018.00 15972.00	--- ---	281.00 639.00	---
5.	रुद्रपुर नकईल मार्ग से विरमापुर सम्पर्क मार्ग खडन्जा कार्यप्रभारी— श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पद— ग्राम विकास अधिकारी	1. में० फसीउल्लाह फिल्ड, कामपुर, मदनपुर देवरिया कैशमेमो क्रमांक 626 दिनांक 11.11.07 2. बोर्ड क्रय	4598.00 2627.00	--- 59.00	184.00 105.00	---
6.	केवटलिया पी०डब्ल्यू०डी० सड़क से दीनानाथ के घर होकर गाँव तक खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी— श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पद— ग्राम विकास अधिकारी	1. मे० इन्द्रा ईट उद्योग, बी.के. ओ. गहिला कैशमेमो क्रमांक 95/ दिनांक 09.11.2007 2. मेसर्स भोला सिंह ब्रिक फिल्ड, नेतवार, भगतपुरा, बरहज कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/ दिनांक 15.03.2008 3. बोर्ड क्रय	7800.00 6240.00 2652.00	--- --- 59.00	312.00 250.00 106.00	---
7.	केवटलिया से पटवनिया सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य। कार्यप्रभारी—श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पद—ग्राम विकास अधिकारी	1. मेसर्स भोला सिंह ब्रिक फिल्ड, नेतवार, भगतपुरा, बरहज कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/ दिनांक 08.03.2008 2. बोर्ड क्रय	16800.00 2560.00	376.00 573.00	672.00 106.00	---
		कुल योग	97367.00	1240.00	3899.00	

(मू०आ०सं० 35)

प्रस्तर संख्या 48— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2008-09) में निम्न निर्माण कार्य/परियोजनाओं हेतु सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय आयकर, व्यापारकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी, जिससे आयकर रु० 19992/- व्यापारकर एवं वैट रु० 35702/- कुल रु० 55694/- की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इसके प्रति संबंधित

कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं।
विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	समग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापारकर	वैट
1.	विकास खण्ड रुद्रपुर में लॉन पार्क निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पद- ग्राम विकास अधिकारी	1. मे० कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) कैशमेमो/क्रेडिट मेमो 25/दि० 10.09.08 2. सुपर वेल्डिंग वर्क्स आदर्श चौराहा, रुद्रपुर बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 10.09.2008 3. सूर्या पेन्ट हाउस, खजुहा चौराहा, रुद्रपुर कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दिनांक 10.09.08 4. मे० किसान ईट उद्योग, अमौनी, देवरिया कैशमेमो क्रमांक 622/दि० 09.09.08	24740.00 70121.00 2307.00 27581.00	554.00 1571.00 52.00 618.00	990.00 2805.00 92.00 1103.00	— — — —
2.	विकासखण्ड कार्यालय परिसर रुद्रपुर में पाँच सहायक विकास अधिकारी टाइप आवासों में विद्युतीकरण कार्य। कार्यप्रभारी- श्री जयनारायण सिंह पद- ग्राम विकास अधिकारी	1. श्री राम इलेक्ट्रिकल वर्क्स बस स्टेशन रुद्रपुर, देवरिया कैशमेमो क्रमांक 243/दि० 29.09.2009 2. ओ.वी.वाई. ईट उद्योग क्रमांक 183 दिनांक 16.04.2005	64683.00 23858.00	1449.00 534.00	2587.00 954.00	
3.	विकासखण्ड परिसर में जनरेटर से भवन निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी-श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पद-ग्राम विकास अधिकारी	1. अमन ईट उद्योग, टडवा देवरिया कैशमेमो क्रमांक 152 दिनांक 02.10.2008 2. मे० कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) क. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक 308 दिनांक 02.10.2008 ख. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक 301/ दिनांक 02.10.2008 ग. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक 312/ दिनांक 02.10.2008	12979.00 4121.00 13176.00 15441.00	291.00 92.00 295.00 345.00	519.00 165.00 527.00 618.00	
4.	विकासखण्ड परिसर में सुन्दरीकरण/इण्टरला किंग कार्य। कार्यप्रभारी- श्री ज्ञानप्रकाश सिंह पद- ग्राम विकास अधिकारी	1. मे० कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक 13/दिनांक 21.06.2008 2. मे० किसान ईट उद्योग अमौनी, देवरिया चालान/कैशमेमो क्रमांक 602 दिनांक अंकित नहीं 3. मे० किसान ईट उद्योग, अमौनी देवरिया कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक 610	103500.00 132272.00 78822.00	2318.00 2963.00 1766.00	4140.00 5291.00 3153.00	

		दिनांक 21.06.2008 4. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) क्रमांक 30/दि0 21.06.2008	103201.00	2312.00	4128.00	
5.	विकास खण्ड कार्यालय के दोनों गेट का निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी- 1. श्री विजय कुमार शुक्ल 2. श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पद- ग्राम विकास अधिकारी	1. सुपर वेल्डिंग वर्क्स आदर्श चौराहा, पश्चिमी बाईपास रुद्रपुर, देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/ दिनांक 12.04.2008 2. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) कैशमेमो/क्रेडिटमेमो क्रमांक 23 दिनांक 10.04.2008 3. मे0 किसान ईट उद्योग, अमौनी रुद्रपुर, देवरिया कैशमेमो क्रमांक 291 दिनांक 10. 04.08 4. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक 35 दिनांक 01.05.2009 5. प्रदीप ट्रेडर्स, खजुहा चौराहा, रुद्रपुर, देवरिया क. इस्टीमेट दिनांक 01.05.2009 ख. इस्टीमेट दिनांक 01.05.2009 6. कोहिनूर लाइट हाउस, अब्दुल रज्जाक कटरा, रुद्रपुर कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/ दिनांक 01.05.2009 7. मे0 किसान ईट उद्योग, अमौनी रुद्रपुर, देवरिया कैशमेमो क्रमांक 296 दिनांक 01. 05.2009	45500.00 33300.00 38.00 16651.00 664.00 136272.00 6600.00 536.00	1019.00 746.00 01.00 373.00 15.00 3052.00 148.00 12.00	1820.00 1332.00 02.00 666.00 27.00 5451.00 264.00 22.00	— — — — — — —
		कुल योग	892505.00	19992.00	35702.00	

(मू0आ0सं0 36)

प्रस्तर संख्या 49- क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2004-05) एवं (2005-06) में निम्न कार्यों में मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मिट्टी खनन पर रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है। रायल्टी कटौती नहीं करने के कारण धनराशि रू0 29770/- की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी विवरण निम्नवत् है:- (धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मिट्टी मात्रा/मिट्टी कार्य	वांछित रायल्टी की धनराशि
1.	गोनाह सूरतपूरा हरिजन बस्ती से प्राथमिक पाठशाला तक मिट्टी कार्य। कार्यप्रभारी- श्री सुरेश कुमार मौर्य, पद- ग्राम विकास अधिकारी	मात्रा 78.125 घनमीटर मिट्टी किमत 2500/-	703.00
2.	शीतलमाझा पिचरोड से सीताराम राव के घर तक मिट्टी कार्य। कार्यप्रभारी- श्री संदीप कुमार त्रिपाठी, पद- ग्राम विकास अधिकारी	मात्रा 2031.25 घनमीटर मिट्टी किमत 65000/-	18281.00
3.	हौली बलिया गाँव से सरकारी अस्पताल तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य कार्यप्रभारी- श्री सुरेश कुमार, पद- ग्राम विकास अधिकारी	मात्रा 548.43 घनमीटर मिट्टी किमत 17550/-	4936.00

4.	करहकोल पिच मार्ग से हरिजन बस्ती तक मिट्टी/ खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी- श्री सुरेश कुमार, पद- ग्राम विकास अधिकारी	मात्रा 650 घनमीटर मिट्टी किमत 20800/-	5850.00
	कुल योग	मात्रा 3307 घनमीटर कीमत रु0 105850/-	29770.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2004-05) एवं वर्ष (2005-06) में उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु मिट्टी खनन पर रायल्टी रु0 29770/- की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इसके प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत प्रमुख रुद्रपुर उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 37)

प्रस्तर संख्या 50- क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2007-08) में निम्न कार्यों में मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मिट्टी खनन पर रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है। रायल्टी कटौती नहीं करने के कारण धनराशि रु0 181016/- की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। विवरण निम्नवत् है:-**धनराशि रु0 में)**

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मिट्टी मात्रा/मिट्टी कार्य	वांछित रायल्टी की धनराशि
1.	मदनपुर पी0एच0सी0 समोसर सम्पर्क मार्ग मिट्टी मरम्मत कार्य। कार्यप्रभारी- श्री सुरेश कुमार मौर्य, पद-ग्राम विकास अधिकारी	2812.50 घनमीटर	25313.00
2.	भभौली में शमशानघाट से जाने वाली सम्पर्क मार्ग पर खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी- श्री सुरेश कुमार मौर्य, पद-ग्राम विकास अधिकारी	181.25 घनमीटर	1631.00
3.	जमीरा पी0डब्ल्यू0डी0 से गाँव तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी- श्री सुरेश कुमार मौर्य, पद-ग्राम विकास अधिकारी	262.50 घनमीटर	2363.00
4.	गायघाट दक्षिण बन्धा से नकईल की ओर सम्पर्क मार्ग मिट्टी/मरम्मत कार्य। कार्यप्रभारी- श्री मनोज कुमार शर्मा, पद- सहायक विकास अधिकारी	3004.97 घनमीटर	27045.00
5.	नकईल रोड़ से बेलुआर प्राथमिक स्कूल सम्पर्क मार्ग खडन्जा कार्यप्रभारी- श्री सुरेश कुमार मौर्य, पद- ग्राम विकास अधिकारी	529.68 घनमीटर	4767.00
6.	पिडहनी से सिकरिया होकर इस्लामाबाद सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य। कार्यप्रभारी- श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, पद- ग्राम विकास अधिकारी	4538.55 घनमीटर	40847.00
7.	तलसपुरवा से गायघाट बन्धा तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य। कार्यप्रभारी- श्री मनोज शर्मा, पद- ग्राम विकास अधिकारी	3602.98 घनमीटर	32427.00
8.	नकईल मार्ग से पिडहनी सम्पर्क मार्ग खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी- श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, पद- ग्राम विकास अधिकारी	50.66 घनमीटर	456.00
9.	रुद्रपुर नकईल मार्ग से पिडहनी सम्पर्क मार्ग खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी- श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, पद- ग्राम विकास अधिकारी	222.26 घनमीटर	2000.00
10.	समरौना नकईल डाला मार्ग से सिंचाई बन्धा तक मिट्टी कार्य। कार्यप्रभारी- श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, पद- ग्राम विकास अधिकारी	1477.09 घनमीटर	13294.00
11.	केवटलिया में हीरा सिंह के दरवाजे से कब्रिस्तान होकर क्षेत्र पंचायत सड़क सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य कार्यप्रभारी- श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, पद- ग्राम विकास अधिकारी	1463 घनमीटर	13167.00
12.	केवटलिया पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क से दीनानाथ के घर होकर गाँव तक खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी- श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, पद- ग्राम विकास अधिकारी	350 घनमीटर	3150.00
13.	केवटलिया से पटवनिया सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य। कार्यप्रभारी- श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, पद- ग्राम विकास अधिकारी	1617.38 घनमीटर	14556.00
	कुल योग	20112.82 घनमीटर	181016.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2007-08) में उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु मिट्टी खनन पर रायल्टी रु0 181016/- की कटौती नहीं कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इसके प्रति संबंधित कार्यप्रभारी,

तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत प्रमुख रुद्रपुर उत्तरदायी हैं। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 38)

प्रस्तर संख्या 51— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2007–08) में निम्न निर्माण कार्यो हेतु सामग्री क्रय रू0 99942/— का किया गया। विवरण निम्नवत् है:—

क्र0 सं0	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापारकर	वैट
1.	मदनपुर पी0एच0सी0 समोगर सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य/ मरम्मत कार्य। कार्यप्रभारी— श्री सुरेश कुमार मौर्य पद—ग्राम विकास अधिकारी	बोर्ड क्रय	2575.00	---	---	---
2.	भभौली में शमशानघाट से जाने वाली सम्पर्क मार्ग पर खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी— श्री सुरेश कुमार मौर्य पद—ग्राम विकास अधिकारी	1. बाबा ईट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर बिल क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 11.11.07 2. बोर्ड क्रय	11880.00 2550.00	267.00 ---	---	---
3.	जमीरा पी0डब्ल्यू0डी0 से गाँव तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी— श्री सुरेश कुमार मौर्य पद—ग्राम विकास अधिकारी	1. फसीउल्लाह ब्रिक फिल्ड कामुपुर, मदनपुर, देवरिया क्रमांक 66 दिनांक 02.11.2007 2. बोर्ड क्रय	11520.00 2575.00	260.00 ---	---	---
4.	नकईल मार्ग से पिडहनी सम्पर्क मार्ग तक खडन्जा/ मरम्मत कार्य। कार्यप्रभारी— श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पद— सहायक विकास अधिकारी	1. मेसर्स इन्द्रा ईट उद्योग वी.के.ओ., गहिला, पी0 तारासारा, रुद्रपुर कैशमेमो क्रमांक 37/दिनांक 29.10.07 2. शर्मा एण्ड ब्रदर्स ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग, अमौनी रुद्रपुर कैशमेमो क्रमांक 138 दिनांक 01.12. 2007 3. बोर्ड क्रय	7018.00 15972.00 2575.00	158.00 359 ---	---	---
5.	रुद्रपुर नकईल मार्ग से विरमापुर सम्पर्क मार्ग खडन्जा कार्यप्रभारी— श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पद— ग्राम विकास अधिकारी	1. मे0 फसीउल्लाह फिल्ड, कामुपुर, मदनपुर देवरिया कैशमेमो क्रमांक 626 दिनांक 11.11. 07 2. बोर्ड क्रय	4598.00 2627.00	103.00 ---	---	---
6.	केवटलिया पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क से दीनानाथ के घर होकर गाँव तक खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी— श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पद— ग्राम विकास अधिकारी	1. मे0 इन्द्रा ईट उद्योग, बी.के.ओ. गहिला कैशमेमो क्रमांक 95/दिनांक 09.11. 2007 2. मेसर्स भोला सिंह ब्रिक फिल्ड, नेतवार, भगतपुरा, बरहज कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/	7800.00 6240.00 2652.00	175.00 140.00 ---	---	---

		दिनांक 15.03.2008 2. बोर्ड क्रय				
7.	केवटलिया से पटवनिया सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य। कार्यप्रभारी—श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पद—ग्राम विकास अधिकारी	1. मेसर्स भोला सिंह ब्रिक फिल्ड, नेतवार, भगतपुरा, बरहज केशमेमो क्रमांक अंकित नहीं / दिनांक 08.03.2008 2. बोर्ड क्रय	16800.00 2560.00	378.00 —	— —	— —
		कुल योग	99942.00	1840.00		

क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय रु० 99942/- हेतु निविदा आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि सामग्री क्रय हेतु निविदा सार्वजनिक समाचारपत्रों में तथा बेवसाइट पर विज्ञान प्रकाशित कर आमंत्रित की जानी चाहिए थी। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से जमानत की धनराशि जमा नहीं करायी गयी है। आयकर विवरणी, ट्रेड टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) इत्यादि में रजिस्ट्रेशन के आधार पर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म की वित्तीय प्रस्थिति एवं क्षमता की पुष्टि सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी करने के पूर्व क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से सामग्री का सैम्पल भी उसके व्यय पर क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं माँगा गया है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य में सामग्री क्रय के नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जाँच भी नहीं की गयी है। साथ ही साथ संस्था द्वारा सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक मूल्य पर किया गया, जिससे संस्था को क्षति उठानी पड़ी तथा राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया। सामग्री क्रय रु० 99942/- में हुयी क्षति के आकलन के लिए उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा सामग्री क्रय में हुयी अनियमितता के प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी रुद्रपुर एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय की बिल की धनराशि से आयकर रु० 1840/- की कटौती की गयी है, जबकि व्यापारकर/वैट की कटौती नहीं की गयी है। आयकर कटौती की धनराशि को राजकीय कोषागार में सुसंगत शीर्ष में/आयकर विभाग में जमा किया जाना चाहिए। आयकर जमा रसीद, चालान दाखिल रिटर्न इत्यादि के अभाव में आयकर जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। चालान, दाखिल रिटर्न/आयकर जमा रसीद इत्यादि प्रस्तुत कर आयकर जमा की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 39)

प्रस्तर संख्या 52— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2004-05) एवं वर्ष (2005-06) में निम्न निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय रु० 609541/- का किया गया। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापारकर	वैट
1.	गोनहा सूरतपुरा हरिजन बस्ती से प्राथमिक पाठशाला तक मिट्टी/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी— श्री सुरेश कुमार मौर्य, पद— ग्राम विकास अधिकारी	1. शर्मा एण्ड ब्रदर्स ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग, अमौनी रुद्रपुर क. क्रमांक 118 दिनांक 24.03.2005 ख. क्रमांक 135 दिनांक 31.03.2005 2. चन्द्रबली सिंह पुत्र अमला सिंह ग्राम गोनहासूरतपुरा से मिट्टी कार्टेज क्रय दिनांक 21.03.2005 से 25.03.2005 तक	44800.00 16846.00 2500.00	1004.00 — —	— — —	— — —
2.	मोंगकोडर से सतकोठवा देवी के स्थान तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी— श्री जयनरायाण सिंह पद— ग्राम विकास अधिकारी	1. प्रताप सेवा संस्थान बी. के.ओ. अमौनी रुद्रपुर क्रमांक 106 दिन अंकित नहीं 2. ओ.वी.वाई. ईट उद्योग क्रमांक 183 दिनांक 16.04. 2005	68800.00 23858.00	— —	— —	

3.	ग्राम पचरुखा में कोडरी सड़क से महगडही तक मिट्टी/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी— श्री सुरेश कुमार मौर्य पद— ग्राम विकास अधिकारी	1. नायक ब्रिक्स फील्ड कोडरी क. कैशमेमो क्रमांक एवं दिनांक अंकित नहीं ख. ———तदैव——— ग. कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 07.04.2005	46905.00 1432.00 3914.00	1057.00 — —	— — —	— — —
4.	कृतपुरा पिच रोड से झगरू के घर होते हुए विन्द टोली तक सम्पर्क मार्ग/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी— श्री राधेश्याम नायक पद— सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	1. शिवम् ईट उद्योग, माहीगंज, रुद्रपुर क्रमांक 13/दिनांक 24.03.2005 2. फसीउल्लाह ब्रिक फील्ड कामपुर मदनपुर, देवरिया क्रमांक 263 दिनांक 31.03.2005	4800.00 3474.00	1078.00 —	— —	— —
5.	परमात्मा सिंह के दरवाजे से नीवा धर्मपुर मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी— श्री सुरेश कुमार मौर्य पद— ग्राम विकास अधिकारी	1. शर्मा एण्ड ब्रदर्स ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग, अमौनी रुद्रपुर क. क्रमांक 127 दिनांक 24.03.2005 ख. क्रमांक 129 दिनांक 02.04.2005	61309.00 2958.00	1373.00 —	— —	— —
6.	शीतलमाझा पिचरोड से सीताराम राव के घर तक मिट्टी कार्य। कार्यप्रभारी— श्री संदीप कुमार त्रिपाठी पद— ग्राम विकास अधिकारी	दिनांक 07.01.2006 से दिनांक 16.01.2006 तक मिट्टी कार्टेज क्रय	65000.00	—	—	—
7.	हौली बलिया गाँव से सरकारी अस्पताल तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खडन्जा कार्य कार्यप्रभारी— श्री सुरेश कुमार पद— ग्राम विकास अधिकारी	1. कृष्णा ईट उद्योग कैशमेमो क्रमांक 1427 दिनांक 30.01.2006 2. मिट्टी कार्टेज क्रय दिनांक 15.01.2006 से दिनांक 23.01.2006 तक	74893.00 17550.00	1678.00 —	— —	— —
8.	करहकोल पिच मार्ग से हरिजन बस्ती तक मिट्टी/खडन्जा कार्य। कार्यप्रभारी— श्री सुरेश कुमार पद— ग्राम विकास अधिकारी	1. कृष्णा ईट उद्योग कैशमेमो/चालान क्रमांक 1423 दिनांक 30.01.2006 2. मिट्टी कार्टेज क्रय दिनांक 15.01.2006 से दिनांक 22.01.2006 तक	39565.00 20800.00	890.00 —	— —	— —
9.	लक्ष्मीपुर टोला रामदेव के मकान से मनिहरपुर गाँव तक मिट्टी खडन्जा कार्य।	1. फसीउल्लाह ब्रिक फील्ड कामपुर मदनपुर, देवरिया क. क्रमांक 1357 एवं दिनांक अंकित नहीं ख. क्रमांक 260 एवं दिनांक अंकित नहीं ग. क्रमांक 218 दिनांक अंकित नहीं	38400.00 25867.00 2670.00	860.00 — —	— — —	— — —
		कुल योग	609541.00	7937.00	—	—

क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय रु0 609541/— हेतु निविदा आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि सामग्री क्रय हेतु निविदा सार्वजनिक समाचारपत्रों में तथा बेवसाईट पर विज्ञापन प्रकाशित कर आमंत्रित की जानी चाहिए थी। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से जमानत की धनराशि जमा नहीं करायी गयी है। आयकर विवरणी, ट्रेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) इत्यादि में रजिस्ट्रेशन के आधार पर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म की वित्तीय प्रास्थिति एवं क्षमता

की पुष्टि सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी करने के पूर्व क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से सामग्री का सैम्पल भी उसके व्यय पर क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं मांगा गया है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय के नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जांच भी नहीं की गयी है। साथ ही साथ संस्था द्वारा सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक मूल्य पर किया गया, जिससे संस्था को क्षति उठानी पड़ी तथा राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया। सामग्री क्रय रु0 609541/- में हुयी क्षति के आकलन के लिए उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा सामग्री क्रय में हुयी अनियमितता के प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी रुद्रपुर एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं।

क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु सामग्री क्रय की बिल की धनराशि से आयकर रु0 7937/- की कटौती की गयी है, जबकि व्यापारकर/वैट की कटौती नहीं की गयी है। आयकर कटौती की धनराशि को राजकीय कोषागार में सुसंगत शीर्ष में/आयकर विभाग में जमा किया जाना चाहिए। चालान, दाखिल रिटर्न/आयकर जमा रसीद इत्यादि के अभाव में आयकर जमा रसीद इत्यादि प्रस्तुत कर आयकर जमा की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 40)

प्रस्तर संख्या 53— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2008-09) में निम्न निर्माण कार्यों हेतु सामग्री क्रय रु0 892505/- का किया गया। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापारकर	वैट
1.	विकासखण्ड परिसर रुद्रपुर में लॉन पार्क निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी—ज्ञान प्रकाश सिंह पद— ग्राम विकास अधिकारी	1. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट क्रेडिट मेमो 25/दिनांक 10.09.2008 2. सुपर वेल्डिंग वर्क्स, आदर्श चौराहा, रुद्रपुर बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 10.09.2008 3. सूर्या पेन्ट हाउस, खजुहा चौराहा, रुद्रपुर कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 10.09.2008 4. मे0 किसान ईट उद्योग, अमौनी, देवरिया कैशमेमो क्रमांक 622/दिनांक 09.09.2008	24740.00 70121.00 2307.00 27581.00	— — — —	— — — —	— — — —
2.	विकासखण्ड कार्यालय परिसर रुद्रपुर में पाँच सहायक विकास अधिकारी टाइप आवासों में विद्युतीकरण कार्य। कार्यप्रभारी— श्री जयनारायण सिंह पद—ग्राम विकास अधिकारी	1. श्री राम इलेक्ट्रिक वर्क्स, बस स्टेशन रुद्रपुर, देवरिया कैशमेमो क्रमांक 243/दिनांक 29.09.2009	64683.00	—	—	—
3.	विकासखण्ड रुद्रपुर परिसर में जनरेटर सेट भवन निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी— श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पद— ग्राम विकास अधिकारी	1. अमन ईट उद्योग टडवा, देवरिया कैशमेमो क्रमांक 152, दिनांक 02.10.2008 2. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट क. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक 308/दिनांक 02.10.2008 ख. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक 301/02.10.2008 ग. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक 312/02.10.2008	12979.00 4121.00 13176.00 15441.00	— — — —	— — — —	— — — —

4.	विकासखण्ड परिसर में सुन्दरीकरण/इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री ज्ञानप्रकाश सिंह पद—ग्राम विकास अधिकारी	1. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट क. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक 13/दि0 21.06.2008 2. मे0 किसान ईट उद्योग, अमौनी, देवरिया चालान/कैशमेमो क्रमांक 602/दिनांक अंकित नहीं 3. मे0 किसान ईट उद्योग, अमौनी, देवरिया कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक 610/दिनांक 21.06.08 4. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) क. क्रमांक 30/दि0 21.06.2008	103500.00 132272.00 78822.00 103201.00	— — — —	— — — —	— — — —
5.	विकासखण्ड कार्यालय के दोनो गेट का निर्माण कार्य। कार्यप्रभारी— श्री विजय कुमार शुक्ल श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पद— ग्राम विकास अधिकारी	2. सुपर वेल्डिंग वर्क्स आदर्श चौराहा, पश्चिमी बाईपास, रुद्रपुर, देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 12.04.08 2. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) कैशमेमो/क्रेडिट मेमो क्रमांक 23/दि0 10.04.08 3. मे0 किसान ईट उद्योग, अमौनी, देवरिया कैशमेमो क्रमांक 291/दि0 10.04.08 4. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) कैशमेमो/क्रेडिट मेमो क्रमांक 35/दि0 01.05.09 5. प्रदीप ट्रेडर्स, खजुहा चौराहा, रुद्रपुर, देवरिया क. इस्टीमेट दि0 01.05.09 ख. इस्टीमेट दि0 01.05.09 6. कोहिनूर लाइट हाउस, अब्दुल रज्जाक कटरा, रुद्रपुर कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दिनांक 01.05.2009 7. मे0 किसान ईट उद्योग, अमौनी, रुद्रपुर, देवरिया कैशमेमो क्रमांक 296 दिनांक 01.05.2009	45500.00 33300.00 38.00 16651.00 664.00 136272.00 6600.00 536.00	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —
		कुल योग	892505.00			

क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय रु0 892505/- हेतु निविदा आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि सामग्री क्रय हेतु निविदा सार्वजनिक समाचार पत्रों में तथा बेवसाईट पर विज्ञापन प्रकाशित कर आमंत्रित की जानी चाहिए थी। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से जमानत की धनराशि जमा नहीं करायी गयी है। आयकर विवरणी, ट्रेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) इत्यादि में रजिस्ट्रेशन के आधार पर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म की वित्तीय प्रास्थिति एवं क्षमता की पुष्टि सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी करने के पूर्व क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से सामग्री का सैम्पुल भी उसके व्यय पर क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं माँगा गया। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य में सामग्री क्रय के नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा क्रय की गयी सामग्री गुणवत्ता की जाँच भी नहीं की गयी है। साथ ही साथ संस्था द्वारा सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक मूल्य पर किया गया, जिससे संस्था को क्षति उठानी पड़ी तथा राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया।

सामग्री क्रय रु0 892505/- में हुयी क्षति के आकलन के लिए उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा सामग्री क्रय में हुयी अनियमितता के प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी रुद्रपुर एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं।

(मू0आ0सं0 41)

प्रस्तर संख्या 54—क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना मद में वर्ष (2004-05) में रु0 479852/- तथा वर्ष (2005-06) में रु0 425782/- व्यय दर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास हेतु लाभार्थियों की पात्रता संबंधी दस्तावेज/कागजात, पात्रता जाँच संबंधी रिपोर्ट/जाँच आख्या, बैंक को प्रेशित एडवाइस, चेक इश्यू रजिस्टर, प्रधानमंत्री आवास निर्माण संबंधी अभिलेख, पत्रावलियाँ एवं मापन पुस्तिका फोटो, प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास निर्माण की पुष्टि में कार्यापूर्ति प्रमाण पत्र, प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, फोटो इत्यादि के अभाव में आलोच्य वर्ष (2004-05) एवं वर्ष (2005-06) में प्रधानमंत्री आवास मद में दर्शित व्यय रु0 905634/- अपुष्ट जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी होंगे। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 46)

प्रस्तर संख्या 55— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2007-08) में पिडहनी से सिकरिया होकर इस्लामाबाद सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य पर मजदूरी भुगतान रु0 147815/- कार्यप्रभारी श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, ग्रा0वि0अ0 को किया गया जबकि उनके द्वारा मस्टररोल रु0 145000/- का प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार रु0 2815/- से अधिक भुगतान किया गया। विवरण निम्नवत् है:-

अवधि	श्रमिकों की संख्या	धनराशि
मस्टररोल दि0 15.10.07 से दि0 21.10.07 तक	27	18500.00
मस्टररोल दि0 22.10.07 से दि0 28.10.07 तक	45	31500.00
मस्टररोल दि0 29.10.07 से दि0 04.11.07 तक	45	31500.00
मस्टररोल दि0 05.11.07 से दि0 11.11.07 तक	45	31500.00
मस्टररोल दि0 12.11.07 से दि0 18.11.07 तक	35	24500.00
मस्टररोल दि0 23.11.07 से दि0 29.11.07 तक	11	7500.00

योग 145000.00

इस प्रकार कार्यप्रभारी श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, ग्रा0वि0अ0 को रु0 2815/- से अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 49)

प्रस्तर संख्या 56— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2007-08) में कंवटलिया से पटवनिया सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य पर मजदूरी भुगतान रु0 54400/- श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, ग्रा0वि0अ0 (कार्यप्रभारी) को किया गया। उपरोक्त कार्य में प्रस्तुत मस्टररोलों का विवरण निम्नवत् है:-

अवधि	श्रमिकों की संख्या	धनराशि
मस्टररोल दि0 02.11.07 से दि0 08.11.07 तक	15	10500.00
मस्टररोल दि0 09.11.07 से दि0 09.11.07 तक	09	5900.00
मस्टररोल दि0 02.11.07 से दि0 08.11.07 तक	25	17300.00
मस्टररोल दि0 09.11.07 से दि0 15.11.07 तक	25	17300.00
मस्टररोल दि0 08.03.08 से दि0 14.03.07 तक	04	2400.00

योग 53400.00

भुगतान किया गया 54400.00

अधिक भुगतान 1000.00

स्पष्ट है कि कार्यप्रभार द्वारा मस्टररोल रु0 53400/- का प्रस्तुत किया गया जबकि कार्यप्रभारी भुगतान रु0 54400/- का किया गया। अतः रु0 1000/- से अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित कार्यप्रभारी से अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 50)

प्रस्तर संख्या 57— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2007-08) में गायघाट दक्षिणबन्धा से नकईल की ओर सम्पर्क मिट्टी कार्य/मरम्मत कार्य पर मजदूरी का भुगतान 115000/- कार्यप्रभारी मनोज कुमार शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी को किया गया लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत मस्टररोल धनराशि रु0 114800/- के ही हैं। विवरण निम्नवत् है:-

अवधि	श्रमिकों की संख्या	श्रम दिवस	धनराशि
मस्टररोल दि0 01.10.07 से दि0 07.10.07 तक	22	119	11900.00
मस्टररोल दि0 08.10.07 से दि0 14.10.07 तक	30	210	21000.00
मस्टररोल दि0 15.10.07 से दि0 23.10.07 तक	30	210	21000.00
मस्टररोल दि0 24.10.07 से दि0 30.10.07 तक	30	210	21000.00
मस्टररोल दि0 01.11.07 से दि0 07.11.07 तक	30	210	21000.00
मस्टररोल दि0 17.11.07 से दि0 23.11.07 तक	15	105	10500.00

योग 114800.00

इस प्रकार कार्यप्रभारी को रू० 200/— अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।
(मू०आ०सं० 48)

प्रस्तर संख्या 58— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में निम्न कार्यों हेतु सामग्री क्रय रू० 4116335/— का वर्ष (2011-12) में दर्शित किया गया। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापार कर	वैट	कटौती के पश्चात् भुगतान की गयी धनराशि
1.	ग्राम डहरौली बुजुर्ग में डहरौली गोदाम से श्री रामचरण के घर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री रामजी, ग्रा०वि०अ०	1. में० किसान ईट उद्योग वी.के.ओ. अमौनी छपौली क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/ दि० 01.12.11 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि० 22.11.11 2. यादव सिमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सरावर खुर्द देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि० 01.12.11 3. मे० कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट एण्ड आयरन कम्पनी) बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि० 22.11.11 4.शान्ति इण्टरप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क्रमांक-02, दिनांक. 22.11.11	36750.00 2633.00 84600.00 33806.00 19817.00	823.00 — 1895.00 — —	1470.00 — — — —	— — 10575.00 — —	34457.00 2633.00 72130.00 33806 19817.00
2.	विकास खण्ड कार्यालय रुद्रपुर एवं पशु चिकित्सालय की चाहरदीवारी ग्रील एवं गेट का पेन्टिंग एवं सफेदी कार्य। कार्यप्रभारी—श्री मनोज कुमार शर्मा, ग्रा०वि०अ०	1.शैलेन्द्र हार्डवेयर रुद्रपुर देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि० 25.03.2011	18470.00	—	—	—	18470.00
3.	विकास खण्ड परिसर में सभागार/प्रमुख केबिन कक्ष का	1. गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी, आदर्श चौराहा, रुद्रपुर क्रमांक- 10 दिनांक-19.04.2011	229774.00	—	—	—	229774.00

	मरम्मत / सुन्दरी करण। कार्यप्रभारी—श्री मनोज कुमार शर्मा, ग्रा0वि0अ0						
4.	सरावखुर्द प्रधानमंत्री सड़क से बालमुकुन्द के घर होते हुए शिव शर्मा / सत्यनारायण विश्वकर्मा के घर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभार—श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	1. शान्ति इण्टरप्राइजेज, सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल / कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं / दि0 20.12. 2011 ख. बिल / कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं / दि0 01.12. 2011 2. बाबा ईट उद्योग, गहिला, दुधैला रुद्रपुर क. क्रमांक 415 / दि0 20. 12.11 ख. क्रमांक 410 / दि0 02. 11.11 3. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट एवं आयरन मर्चेन्ट) बिल / कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 01.02.2011	198810.00 71275.00 59187.00 27587.00 82673.00	— — — — —	— — — — —	— — — — —	198810.00 71275.00 59187.00 27587.00 82673.00
5.	अमौनी जंगी यादव के घर से मुन्ना यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग चैनेज शुन्य से 130 तक एवं चैनेज 130 से चैनेज 235 तक सी. सी.आर.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	1. शान्ति इण्टरप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल / कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं / दि0 20.11. 2012 2. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 416 दिनांक 20. 11.11 ख. क्रमांक 411 दिनांक 28. 11.11 3. मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट एण्ड आयरन मर्चेन्ट) बिल / कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं / दि0 27.11. 2011	393390.00 120154.00 59166.00 56711.00	11503. 00 2635.00	— — — —	— — — —	502041.00 113242.00
6.	छपरा बुजुर्ग में पी. एम.जी.एस.वाई.	1. यादव सिमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सरावखुर्द, देवरिया				27495.00	187538.00

	लिंक रोड से श्री लालजी के घर तक सी.सी. इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 18.12.2011 2. मे0 किसान ईट उद्योग, बी.के.ओ. अमौनी छपौली क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दिनांक 18.12.11 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 24.11.11 3. मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो/कैश क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 24.11.2011	219960.00 67415.00 9134.00 76566.00	4927.00 1510.00 205.00 1715.00	— 2697.00 — —	— — —	63208.00 8929.00 74851.00
7.	ग्राम नरायनपुर में कृष्णा के घर से प्राइमरी स्कूल तक सी.सी. इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	1. मे0 किसान ईट उद्योग, बी.के.ओ. अमौनी छपौली बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 28.11.2011 2. यादव सीमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सराव खुर्द, देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/ दिनांक 28.11.2011 3. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 24.11.2011	59187.00 198810.00 53887.00	1326.00 4453.00 1207.00	2367.00 — —	— 24851.00 —	55494.00 169506.00 52681.00
8.	ग्राम भेलउर में छेदी गुप्ता के घर से वंशबहादुर के घर तक सी.सी. इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी—श्री रामजी, ग्राम विकास अधिकारी	1. यादव सीमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सरावखुर्द देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 28.11.2011 2. मे0 किसान ईट उद्योग बी.के.ओ. अमौनी छपौली देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 29.11.2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 30.11.2011 3. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 30.11.2011	266490.00 85889.00 3078.00 82905.00	5969.00 1924.00 — 1933.00	— 3436.00 — —	33311.00 — — —	227210.00 80529.00 3078.00 80972.00

9.	ग्राम जोगिया खुर्द में पी.डब्ल्यू.डी. लिंक रोड़ से श्री रमायन यादव के घर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी श्री रामजी, ग्रा0वि0अ0	1. यादव सीमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सरांव खुर्द देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 29.11. 2011 2. मे0 किसान ईट उद्योग बी.के.ओ. अमौनी छपौली, जिला देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 28.11. 2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 24.11. 2011 ग. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दिनांक 24. 11.2011	230535.00 69923.00 78945.00 6201.00	5164.00 1566.00 1907.00	— 2797.00 —	28817.00 2797.00 —	196554.00 65560.00 83239.00
10.	विकास खण्ड रुद्रपुर की रंगाई पुताई कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ	1. शैलेन्द्र हार्डवेयर, रुद्रपुर, देवरिया बिल/इस्टीमेट क्रमांक अंकित नहीं/दिनांक 07. 11.2011	27889.00	—	—	—	27889.00
11.	विकास खण्ड रुद्रपुर सभागार एवं प्रमुख कक्ष में विद्युतीकरण कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	1.शर्मा इलेक्ट्रानिक्स पैलेस, खजुहा चौराहा, रुद्रपुर क्रमांक 307/दिनांक 12. 10.2011 2. गंगा इस्टीमेट बिल क्रमांक अंकित नहीं/दिनांक नही (पाईप क्रय)	23168.00 4941.00	— —	— —	— —	28102.00
नोट:- इन दोनो बिलों पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है।							
12.	डहरोली बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग से पारस तिवारी के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी—रामजी, ग्रा0वि0अ0	1.शान्ति इन्टरप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया 2. मे0 गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी, आदर्श चौराहा कैशमेमो क्रमांक 723 दिनांक 14.07. 2011 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रुद्रपुर क्रमांक 609/दि0 14.07.2011	76749.00 21706.00 17393.00	— — —	— — —	— — —	76749.00 21706.00 17393.00
13.	रुद्रपुर सोनबरसा पिच मार्ग से हरिजन बस्ती होते हुए बृजभान यादव के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री मनोज कुमार शर्मा, ग्रा0वि0अ0	1.शान्ति इन्टरप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक 02 दिनांक 21.06.2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक 05 दिनांक 01.07.2011 2. मे0 गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी, आदर्श चौराहा रुद्रपुर क. कैशमेमो क्रमांक 15 दिनांक	481250.00 156348.00 136838.00 33633.00	14347.00 —	— — —	— — —	774436.00 33633.00

	21.06.2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक 33 दिनांक 01.07.2011 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 502/दि0 21.06.2011 ख. क्रमांक 503/दिनांक 01.07.2011	103364.00 29328.00	2315.00 —	— —	— —	101049.00 29328.00
कुल योग		4116335.00	70324.00	12767.00	125049.00	3908195.00

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2011-12) में निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय रू0 4116335/- हेतु निविदा आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि सामग्री क्रय हेतु निविदा सार्वजनिक समाचार पत्रों में तथा बेवासाईट पर विज्ञापन प्रकाशित कर आमंत्रित की जानी चाहिए थी। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से जमानत की धनराशि जमा नहीं करायी गयी है। आयकर विवरणी, ट्रेड टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) इत्यादि में रजिस्ट्रेशन के आधार पर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म की वित्तीय प्रास्थिति एवं क्षमता की पुष्टि सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी करने के पूर्व क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से सामग्री का सैम्पुल भी उसके व्यय पर क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं माँगा गया है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य में सामग्री क्रय के नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जाँच भी नहीं की गयी है। साथ ही साथ संस्था द्वारा सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक मूल्य पर किया गया, जिससे संस्था को क्षति उठानी पड़ी तथा राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया। सामग्री क्रय रू0 4116335/- में हुयी क्षति के आकलन के लिए उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा सामग्री क्रय में हुयी अनियमितता के प्रति संबंधित कार्यप्रभारी तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी रुद्रपुर एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री भरत यादव उत्तरदायी हैं।

क्र0 सं0	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	प्रमाणक में पायी गयी कमियाँ	सामग्री की धनराशि
1.	ग्राम डहरौली बुजुर्ग में डहरौली गोदाम से श्री रामचरन के घर तक सी. सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी-श्री रामजी, ग्रा0वि0अ0	1. मे0 किसान ईट उद्योग बी.के.ओ. अमौनी छपौली क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 01.12.11 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 22.11.11 2. यादव सीमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी सरावखुर्द देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 01.12.11 3. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट एण्ड आयरन कम्पनी) बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 22.11.11	बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है तथा प्रमाणक/बिल पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं हैं। बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं हैं। बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है तथा प्रमाणक/बिल पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं हैं। बिल/कैशमेमो/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं है तथा प्रमाणक/बिल पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं हैं।	36750.00 2633.00 72130.00 33806.00
2.	विकास खण्ड कार्यालय रुद्रपुर एवं पशु चिकित्सालय की चाहरदीवारी ग्रील एवं गेट का पेन्टिंग एवं सफेदी कार्य। कार्यप्रभारी-श्री मनोज कुमार शर्मा, ग्रा0वि0अ0	शैलेन्द्र हार्डवेयर रुद्रपुर देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 25.03.2011	बिल/कैशमेमो सादे कागज पर है। बिल/ कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल की तिथि पर अपलेखन किया गया है। टिन नम्बर प्रमाणक पर नहीं पाये गये	18470.00

3.	सरावखुर्द प्रधानमंत्री सड़क से बालमुकुन्द के घर होते हुए शिव शर्मा/सत्यनारायण विश्वकर्मा के घर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभार—श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	1.शान्ति इण्टरप्राइजेज,सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क.बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 20.12.2011 ख.बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/ दि0 01.12.2011 2. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट एवं आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 01.12.2011	कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। आपूर्तिकर्ता फर्म का पता बिल पर अंकित नहीं है। बिल/कैशमेमो पर क्रमांक अंकित नहीं है।	198810.00 71275.00 82673.00
4.	अमौनी जंगी यादव के घर से मुन्ना यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग चैनेज शून्य से 130 तक एवं चैनेज 130 से चैनेज 235 तक सी.सी.आर.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	1शान्ति इण्टरप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 20.11.2012 3. मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट एण्ड आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 27.11.2011	कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल/कैश/ क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं है। फर्म का पता भी अंकित नहीं है।	393390.00 56711.00
5.	छपरा बुजुर्ग में पी.एम.जी. एस.वाई. लिंक रोड से श्री लालजी के घर तक सी.सी. इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	1. यादव सिमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सरावखुर्द, देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 18.12.2011 2. मे0 किसान ईट उद्योग, वी.के. ओ. अमौनी छपौली क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 18.12.11 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 24.11.11 3. मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट एण्ड आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 24.11.2011	बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल की तिथि पर अपरलेखन किया गया है। फर्म का पता बिल पर नहीं है।	219960.00 67415.00 9134.00 76566.00
6.	ग्राम नरायनपुर में कृष्णा के घर से प्राइमरी स्कूल तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	1. मे0 किसान ईट उद्योग, बी.के. ओ. अमौनी छपौली बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 28.11.2011 2. यादव सीमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सराव खुर्द, देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 28.11.2011 3. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 24.11.	बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल/कैशमेमो पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है। बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल/कैशमेमो/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल	59187.00 198810.00 53887.00

		2011	पर फर्म का पता का विवरण नहीं दिया गया है।	
7.	ग्राम भेलउर में छेदी गुप्ता के घर से वंशबहादुर के घर तक सी.सी. इंटरलाकिंग कार्य	1. यादव सीमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सरावखुर्द देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 28.11.2011 2. मे0 किसान ईट उद्योग बी.के.ओ. अमौनी छपौली देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 29.11.2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 30.11.2011 3. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 30.11.2011	बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल/कैशमेमो/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल पर फर्म का पता का विवरण नहीं दिया गया है।	266490.00 85889.00 3078.00 82905.00
8.	ग्राम जोगिया खुर्द में पी. डब्ल्यू.डी. लिंक रोड़ से श्री रमायन यादव के घर तक सी.सी. इंटरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी श्री रामजी, ग्रा0वि0अ0	1. यादव सीमेन्ट ब्रिक्स कम्पनी, सराव खुर्द देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 29.11.2011 2. मे0 किसान ईट उद्योग बी.के.ओ. अमौनी छपौली, जिला देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 28.11.2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 24.11.2011 ग. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दिनांक 24.11.2011	बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं। बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं। बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं। बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं।	230535.00 69923.00 78945.00 6201.00
9.	थवकास खण्ड कार्यालय रुद्रपुर की रंगार्ड पोताई कार्य। कार्यप्रभारी श्री रामजी, ग्रा0वि0अ0	शैलेन्द्र हार्डवेयर, रुद्रपुर देवरिया बिल/कैशमेमो/इस्टीमेट क्रमांक अंकित नहीं। दिनांक 07.11.2011	प्रमाणक के रूप में सादे कागज पर इस्टीमेट है। इस्टीमेट पर ही बिल का भुगतान किया गया है। तिथि पर अपरलेखन किया गया है। फर्म का टिन नम्बर अंकित नहीं पाया गया। बिल क्रमांक नहीं है।	27889.00
10.	विकास खण्ड रुद्रपुर सभागार एवं प्रमुख कक्ष में विद्युतीकरण कार्यप्रभारी-श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0	1.शर्मा इलेक्ट्रानिक्स पैलेस, खजुहा चौराहा, रुद्रपुर क्रमांक 307/दिनांक 12.10.2011 2. गंगा इस्टीमेट बिल क्रमांक अंकित नहीं/दिनांक अंकित नहीं	बिल/कैशमेमो पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं बिल के रूप में सादे कागज पर इस्टीमेट है। इस पर	23168.00 4941.00

			क्रमांक अंकित नहीं है। फर्म का पता का उल्लेख नहीं है। टिन नम्बर अंकित नहीं है। विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है।	
		योग		2531571.00

क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यो में सामग्री क्रय बिल की धनराशि में से आयकर रू0 70324/- व्यापार कर रू0 12767/- वैट रू0 125049/- की कटौती की गयी है। आयकर कटौती की धनराशि आयकर विभाग में तथा व्यापार कर एवं वैट कटौती की धनराशि वाणिज्यकर विभाग/व्यापार कर विभाग में अथवा राजकीय कोषागार में सुसंगत शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए। आयकर जमा रसीद सुसंगत शीर्ष में व्यापार कर तथा वैट जमा रसीदें लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण उक्त जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। आयकर, व्यापारकर एवं वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) की जमा रसीदें चालान/दाखिल रिटर्न इत्यादि प्रस्तुतकर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर उत्तरदायी होंगे जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 21)

प्रस्तर सं0 59- क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2011-12) में निम्न निर्माण कार्यो/परियोजनाओं हेतु निम्न सामग्री क्रय प्रमाणक रू0 2531571/- में बिल/कैशमेमों क्रमांक अंकित नहीं पाये गये। सभी सामग्री क्रय प्रमाणकों पर देय टैक्स की दर एवं टैक्स की धनराशि अंकित नहीं पायी गयी। कतिपय बिल/कैशमेमों पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। कतिपय बिल/कैशमेमों पर फर्म के पता का विवरण नहीं पाया गया। कतिपय क्रय प्रमाणकों पर तिथि पर अपरलेखन पाया गया। सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री का आमद, उपभोग एवं शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री आपूर्ति एवं सामग्री क्रय के निम्न प्रमाणक संदिग्ध पाये गये। इस अनियमितता के प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी भरत यादव उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत् है:- (धनराशि रू0 में) (मू0आ0सं0 28)

प्रस्तर संख्या 60-क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2012-13) में निम्न कार्यो हेतु सामग्री क्रय रू0 1911989/- का दर्शित किया गया। विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम एवं कार्य प्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापार कर	वैट	शुद्ध भुगतान की गई धनराशि	चेक सं0 एवं तिथि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1.	गाजीपुर भैसही में कब्रिस्तान वाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्यप्रभारी- श्री अजय प्रकाश धर द्विवेदी, ग्रा0प0अ0	1. मे0 विभव कुमार जायसवाल ईट भट्टा उद्योग खोरमा कन्हौली, रुद्रपुर क्रमांक 79/दि0 21.03.2013 2. मे0 गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी आदर्श चौराहा रुद्रपुर क्रमांक 330 दिनांक 21.03.2013 3. श्री नइम ग्राम मदनपुर सादे कागज पर धनराशि प्राप्त रसीद दिनांक 20.03.2013 4. मे0 विभव कुमार जायसवाल ईट भट्टा उद्योग, खोरमा कन्हौली रुद्रपुर क्रमांक 119 दिनांक 08.01.2013 5. मे0 गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी आदर्श चौराहा रुद्रपुर क्रमांक 329 दि0 29.01.2013 6. मे0 विभव कुमार जायसवाल, ईट	34063.00 68968.00 6208.00 153391.00 172631.00 193089.00	763.00 1545.00 — 3436.00 3867.00 4325.00	— 2758.00 — — — —	— — — — — —	33300.00 64665.00 6208.00 149955.00 161859.00 188764.00	चे0सं0 006318 / दि0 06.06.2013 धनराशि रू0 125889.00 चे0सं0 006313 / दि0 09.01.2013 धनराशि रू0 149955.00 चे0सं0 006316 / दि0 31.01.2013 धनराशि रू0 437623.00	श्री अजय प्रकाश धर द्विवेदी ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यप्रभारी श्री अजय प्रकाश धर द्विवेदी ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यप्रभारी श्री अजय प्रकाश धर द्विवेदी ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यप्रभारी

		भट्टा उद्योग, खोरमा कन्हौली रुद्रपुर क्रमांक 113 दि० 29.01.2013							
2.	ग्राम पंचायत निबही में कब्रिस्तान का वाउण्ट्री का निर्माण कार्यप्रभारी— श्री अजय प्रकाश धर द्विवेदी, ग्रा०पं०अ०	1. मे० विभव कुमार जायसवाल ईट भट्टा उद्योग खोरमा कन्हौली, रुद्रपुर क. नकद/उधार पत्र क्रमांक 116 दिनांक 08.01.2013 ख. नकद/उधार पत्र क्रमांक 114/दि० 29.01. 2013 ग. नकद/उधार पत्र क्रमांक 80/दि० 12.03. 2013 2. मे० गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी आदर्श चौराहा रुद्रपुर क. क्रमांक 331 दि०12.03.2013 (विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं हैं।) ख. क्र० 348 दि० 29.01.2013 3. श्री नइम ग्राम मदनपुर सादे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद दिनांक 20. 03.2013	101235.00 21011.00 82407.00 82972.00 54220.00 6208.00	2268.00 471.00 1846.00 1858.00 1215.00 —	— — — 3318.00 2168.00 —	— — — — — —	98967.00 20540.00 80561.00 77796.00 50837.00 6208.00	(i) चे०सं० 006312 दि० 09.01.2013 धन रु० 98967.00 चे०सं० (ii) चे०सं० दि० 30.01.13 रु० 99877.00 (iii) चे०सं० दि० 06.06.13 रु० 195034.00	श्री अजय प्रकाश धर द्विवेदी ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यप्रभारी
3.	ग्राम पिंडरा में गोदाम से मोती के घर तक सी.सी. इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री राणा प्रताप शाही पद—स० वि०अ० (आईएसबी)	1शान्ति इण्टप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक 02 दि० 26. 04.2012 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि० 15.05. 2012 2. मे० किसान ईट उद्योग वी.के.ओ. अमौनी छपौली क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि० 27.04. 2012 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि० 15.05. 2012 3. मे० कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट)	190350.00 34686.00 72589.00 2501.00 44241.00 22915.00	— 777.00 — 56.00 991.00 —	— — — — — —	— 4336.00 — — — —	190350.00 29573.00 72589.00 2445.00 41480.00 22915.00	(i) चे०सं० 006306 दि० 23.04.12 अग्रिम तीन लाख रु० (ii) चे०सं० 006309 दि० 16.08.12 रु० 122652.00	श्री राणा प्रताप शाही स०वि०अ० (आई० एस०बी०) —तदैव

		क. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि० 15.05.2012 ख. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं 08/दि० 27.04.2012							
4.	डहरौली में शिव शक्ति के घर से सत्येन्द्र यादव के घर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री राणा प्रताप शाही, पद—स० वि०अ० (आईएसबी)	1.शान्ति इण्टप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क.बिल क्रमांक /कैशमेमो क्रमांक 02 दि० 26.04. 2012 2. मे० किसान ईट उद्योग वी.के.ओ. अमौनी छपौली क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि० 26.04. 2012 3. मे० कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) क. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक 12/दि० 25.04. 2012 ख. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं / दि० 06.05.2012	169200.00 98394.00 22186.00 11550.00	— — 258.00	— — 462.00	— — —	169200.00 98394 22186.00 10830.00	चे०सं० 006308 दि० 23.04.12 रु० तीन लाख चे०सं० 006311 दि० 16.08.12 रु० 50090.00	श्री राणा प्रताप शाही स०वि०अ० (आईएसबी) श्री राणा प्रताप शाही स०वि०अ० (आईएसबी)
5.	ग्राम एकौना में रामनयन पाण्डेय के घर से मन्दिर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री राणा प्रताप शाही पद— स०वि०अ० (आईएसबी)	1. मे० किसान ईट उद्योग वी.के.ओ. अमौनी छपौली क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि० 26.04. 2012 2.शान्ति इण्टप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल क्रमांक/कैशमेमो क्रमांक 02 दि० 25. 04.2012 3. मे० कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) क. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि० 25.04. 2012 ख. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं /दि० 24.05. 2012	65942.00 169200.00 20832.00 11000.00	— — — 246.00	— — — 440.00	— — —	65942.00 169200.00 20832.00 10314.00	चे०सं० 006307 दि० 23.04.12 अग्रिम 2.70 लाख रु० चे०सं० 006310 दि० 16.08.12 रु० 33538. 00	श्री राणा प्रताप शाही स०वि०अ० (आईएसबी) श्री राणा प्रताप शाही स०वि०अ० (आईएसबी)
		योग	1911989.00	23922.00	17821.00	4336.00	1865910.00		

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2012-13) में निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय रु0 1911989/- हेतु निविदा आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि सामग्री क्रय हेतु निविदा सार्वजनिक समाचार पत्रों में तथा बेवसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित कर आमंत्रित की जानी चाहिए थी। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से जमानत की धनराशि जमा नहीं करायी गयी है। आयकर विवरणी, ट्रेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) इत्यादि में रजिस्ट्रेशन के आधार पर सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म की वित्तीय प्रास्थिति एवं क्षमता की पुष्टि सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी करने के पूर्व क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से सामग्री का सैम्पल भी उसके व्यय पर क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं माँगा गया है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य में सामग्री क्रय के नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जाँच भी नहीं की गयी है। साथ ही साथ संस्था द्वारा सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक मूल्य पर किया गया, जिससे संस्था को क्षति उठानी पड़ी तथा राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया। सामग्री क्रय रु0 1911989/- में हुयी क्षति के आकलन के लिए उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा सामग्री क्रय में हुयी अनियमितता के प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी रुद्रपुर एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री भरत यादव उत्तरदायी हैं।

क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य में सामग्री क्रय बिल की धनराशि में से आयकर रु0 23922/- व्यापार कर रु0 17821/- वैट रु0 4336/- की कटौती की गयी है। आयकर कटौती की धनराशि आयकर विभाग में तथा व्यापार कर एवं वैट कटौती की धनराशि वाणिज्यकर विभाग/व्यापार कर विभाग अथवा राजकीय कोषागार में सुसंगत शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए। आयकर जमा रसीदें, शीर्ष में व्यापार कर तथा वैट जमा रसीदें लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण उक्त जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। आयकर, व्यापारकर एवं वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) की जमा रसीदें चालान/दाखिल रिटर्न इत्यादि प्रस्तुतकर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर उत्तरदायी होंगे। जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 22)

प्रस्तर संख्या 61- क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2012-13) में निम्न निर्माण कार्य/परियोजनाओं हेतु निम्न सामग्री क्रय प्रमाणक रु0 550029/- में बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं पाये गये। सभी सामग्री क्रय प्रमाणकों पर देय टैक्स की दर एवं टैक्स की धनराशि अंकित नहीं पायी गयी। कतिपय बिल/कैशमेमो पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। कतिपय बिल/कैशमेमो पर फर्म के पता का विवरण नहीं पाया गया। कतिपय क्रय प्रमाणकों पर तिथि पर अपरलेखन पाया गया। सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री का आमद, उपभोग एवं शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री आपूर्ति एवं सामग्री क्रय के निम्न प्रमाणक संदिग्ध पाये गये। इस अनियमितता के प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री भरत यादव उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	प्रमाणक में पायी गयी कमियाँ	सामग्रीक्रय की धनराशि
1.	ग्राम पंचायत निबही में कब्रिस्तान का बाउण्ड्री का निर्माण कार्यप्रभारी-श्री अजय प्रकाश धर द्विवेदी, ग्रा0पं0अ0	1. मे0 विभव कुमार जायसवाल ईट भट्टा उद्योग खोरमा कन्हौली, रुद्रपुर नकद /उधार पत्र क्रमांक 80 दिनांक 12.03.2013 2. मे0 गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी आदर्श चौराहा रुद्रपुर क. क्रमांक 331 दि012.03.2013	बिल पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं। बिल/कैशमेमो पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है।	82407.00 82972.00
2.	ग्राम पिंडरा में गोदाम से मोती के घर तक सी.सी. इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी-श्री राणा प्रताप शाही पद-स0वि0अ0(आईएसबी)	1.शान्ति इण्टप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 15.05.2012 2. मे0 किसान ईट उद्योग वी.के. ओ. अमौनी छपौली क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 27.04.2012 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 15.05.2012 3. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) क. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 15.05.2012 ख. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक	बिल/ कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल/कैशमेमो पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है। बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। दोनों/बिलों/कैशमेमो पर क्रमांक	34686.00 72589.00 2501.00 44241.00 22915.00

		अंकित नहीं दिनांक 27.04.12	अंकित नहीं है। फर्म का पता का उल्लेख बिल/कैश/क्रेडिट मेमो पर नहीं है।	
3.	डहरौली में शिवशक्ति के घर से सत्येन्द्र यादव के घर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री राणा प्रताप शाही, पद—स0वि0अ0 (आईएसबी)	1. मे0 किसान ईट उद्योग वी.के. ओ. अमौनी छपौली बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 26.04.2012 2. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 06.05.2012	बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। बिल/कैश/क्रेडिट मेमो पर फर्म का पता का उल्लेख नहीं है।	98394.00 11550.00
4.	ग्राम एकौना में रामनयन पाण्डेय के घर से मन्दिर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री राणा प्रताप शाही पद— स0वि0अ0 (आईएसबी)	1. मे0 किसान ईट उद्योग वी.के. ओ. अमौनी छपौली, देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 26.04.2012 2. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) क. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 25.04.2012 ख. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 24.05.2012	बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं है। कैश/क्रेडिट क्रमांक अंकित नहीं है। फर्म का पता बिल/कैश/क्रेडिट मेमो पर अंकित नहीं है। —तदैव—	65942.00 20832.00 11000.00
			योग	550029.00

(मू0आ0सं0 29)

प्रस्तर संख्या 62— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2013-14) में निम्न कार्य हेतु सामग्री क्रय रु0 3065470/- को दर्शित किया गया। विवरण निम्नवत् है—

क्र0 सं0	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	समग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापार कर	वैट	कटौती के पश्चात् भुगतान की गयी धनराशि
1.	ग्राम पंचायत शीतला माझा नकईल बन्धे के पास से रमाकान्त के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद—स0वि0अ0 (एमआई)	1. जायसवाल इन्टरलाकिंग ब्रिक्स जोकहा खास, (झिरुआ चौराहा), देवरिया क. क्रमांक 17, बुक नं0 01 दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 24 बुक नं0 01 दिनांक 19.02.2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया क. बुक नं0 2 क्रमांक 57 दिनांक 07.02.2014 ख. बुक नं0 2 क्रमांक 70 दिनांक 19.02.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 236, दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 203 दिनांक 18.02.2014	86400.00 90000.00 32358.00 31791.00 37400.00 35060.00	1935.00 2016.00 725.00 712.00 838.00 785.00	— — 1294.00 1272.00 — —	4320.00 4500.00 — — — —	80145.00 83484.00 30339.00 29807.00 36562.00 34275.00
2.	ग्राम पंचायत डहरौली में दान के	1. जायसवाल इन्टरलाकिंग ब्रिक्स					

	दरवाजे से पूरब मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद—स0वि0अ0 (लघु सिंचाई/एमआई)	जोकहा खास, (झिरुआ चौराहा), देवरिया क. क्रमांक 16, बुक नं0 01 दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 23 बुक नं0 01 दिनांक 19.02.2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया क. बुक नं0 2 क्रमांक 58 दिनांक 07.02.2014 ख. बुक नं0 2 क्रमांक 69 दिनांक 19.02.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रूद्रपुर क. क्रमांक 285, दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 252 दिनांक 19.02.2014	54000.00 69408.00 17153.00 18656.00 39120.00 10400.00	1210.00 1555.00 384.00 418.00 876.00 23.00	— — 686.00 746.00 — —	2700.00 3470.00 — — — —	50090.00 64383.00 16083.00 17492.00 38244.00 10377.00
3.	डहरौली में जैनुल के घर से सुरेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी— श्री नुरई यादव पद— स0वि0अ0 (एमआई)	1. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रूद्रपुर क. क्रमांक 253, दिनांक 19.02.2014 2. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स जोकहा खास, (झिरुआ चौराहा), देवरिया क्रमांक 27, बुक नं0 01 दिनांक 19.02.2014 3. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया क. बुक नं0 2 क्रमांक 74 दिनांक 19.02.2014	8804.00 23130.00 6373.00	197.00 518.00 143.00	— — 255.00	— 1156.00 —	8607 21456.00 5975.00
4.	डहरौली में नीरज गोड़ के घर से पश्चिम में सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य। पद—स0वि0अ0 (लघु सिंचाई/एमआई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स जोकहा खास, (झिरुआ चौराहा), देवरिया क्रमांक 20, बुक नं0 01 दिनांक 19.02.2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया क. क्रमांक 73 बुक नं0 02 दिनांक 19.02.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रूद्रपुर क. क्रमांक 253, दिनांक 19.02.2014	67500.00 28072.00 42008.00	1512.00 629.00 941.0	— 1123.00 —	3375.00 — —	62613.00 26320.00 41067.00
5.	ग्राम पंचायत डहरौली में टावर से	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स					

	पूरब शिव बहाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी—श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव पद— सहायक विकास अधिकारी (सह0)	जोकहा खास, (झिरुआ चौराहा), देवरिया क. क्रमांक 14, बुक नं0 01 दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 21, बुक नं0 01 दिनांक 19.02.2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया क. क्रमांक 60 बुक नं0 02 दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 66 बुक नं0 02 दिनांक 19.02.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रूद्रपुर क. क्रमांक 233, दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 254 दिनांक 19.02.2014	87480.00 83880.00 60796.00 46631.00 102000.00 77152.00	1960.00 1879.00 1362.00 1045.00 2285.00 1728.00	— — 2432.00 1865.00 — —	4374.00 4194.00 — — — —	81146.00 77807.000 57002 43721.00 99715.00 75424.00
6.	ग्राम पंचायत डहरौली में रामबवचन के दरवाजे से पूरब राजू बाबा ढाला तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयवर द्विवेदी पद— सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स जोकहा खास, (झिरुआ चौराहा), देवरिया क. क्रमांक 52, बुक नं0 02 दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 22, बुक नं0 01 दिनांक 19.02.2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया क. क्रमांक 63 बुक नं0 02 दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 68 बुक नं0 02 दिनांक 19.02.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रूद्रपुर क. क्रमांक 221, दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 251 दिनांक 19.02.2014	70200.00 54720.00 22622.00 24288.00 31504.00 35600.00	1572.00 1226.00 507.00 544.00 706.00 798.00	— — 905.00 972.00 — —	3510.00 2736.00 — — — —	65118.00 50758.000 21210.00 22772.00 30798.00 34802.00
7.	ग्राम पंचायत डहरौली में ब्रम्ह स्थान से पूरब सत्येन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयवर द्विवेदी पद— सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स जोकहा खास, (झिरुआ चौराहा), देवरिया क. क्रमांक 09, बुक नं0 01 दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 20, बुक नं0 01 दिनांक 19.02.2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स	39240.00 82800.00 13179.00 14509.00	879.00 1855.00 295.00 325.00	— — 527.00 580.00	1962.00 4140.00 — —	36399.00 76805.000 12357.00 13604.00

		झिरुआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया क. क्रमांक 65 बुक नं0 02 दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 67 बुक नं0 02 दिनांक 19.02.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रूद्रपुर क. क्रमांक 22, दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 255 दिनांक 19.02.2014	17440.00 20560.00	390.00 461.00	— —	— —	17050.00 20099.00
8.	ग्राम पंचायत गाजन भिरवा से पटवनिया मार्ग से उत्तर इण्टरलाकिंग से आगे शिव मंदिर तक अवशेष भाग इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयवर द्विवेदी पद— सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स जोकहा खास, (झिरुआ चौराहा), देवरिया क. क्रमांक 18, बुक नं0 01 दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 26, बुक नं0 01 दिनांक 19.02.2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया क. क्रमांक 64 बुक नं0 02 दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 72 बुक नं0 02 दिनांक अंकित नहीं 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रूद्रपुर क. क्रमांक 226, दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 218 दिनांक 19.02.2014	34920.00 40680.00 12864.00 10989.00 16280.00 16280.00	782.00 911.00 288.00 246.00 365.00 365.00	— — 515.00 440.00 — —	1746.00 2034.00 — — — —	32392.00 37735.000 12061.00 10303.00 15915.00 15915.00
9.	अमौनी पिच मार्ग से मुन्ना यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स जोकहा खास, (झिरुआ चौराहा), देवरिया क. क्रमांक 32, बुक नं0 01 दिनांक 01.03.2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया क. क्रमांक 79 बुक नं0 02 दिनांक 21.03.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रूद्रपुर क. क्रमांक 648, दिनांक 01.03.2014	182466.00 67755.00 99844.00	4087.00 1518.00 2237.00	— 2710.00 —	9123.00 — —	169256.00 63527.00 97607.00
10.	ग्राम तारासारा में विधायक निधि इण्टरलाकिंग से आगे इण्टरलाकिंग	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स जोकहा खास, (झिरुआ चौराहा), देवरिया	234000.00	5242.00	—	11700.00	217058.00

	कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	क. क्रमांक 30, बुक नं0 01 दिनांक 01.03.2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरूआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया क. क्रमांक 81 बुक नं0 02 दिनांक 01.03.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 629, दिनांक 01.03.2014	73707.00 102400.00	1651.00 2294.00	2948.00 —	— —	69108.00 100106.00
11	कोलकेशव में ओमप्रकाश के घर से बेलास यादव के घर के पास तक इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. जायसवाल इन्टरलाकिंग ब्रिक्स जोकहा खास, (झिरूआ चौराहा), देवरिया क. क्रमांक 33, बुक नं0 01 दिनांक 01.03.2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरूआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया क. क्रमांक 80 बुक नं0 02 दिनांक 01.03.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 643, दिनांक 01.03.2014	188280.00 62240.00 90040.00	4217.00 1394.00 2017.00	— 2490.00 —	9414.00 — —	174649.00 58356.00 88023.00
12.	निबही मेन रोड रामअवध के घर के पास तक इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. जायसवाल इन्टरलाकिंग ब्रिक्स जोकहा खास, (झिरूआ चौराहा), देवरिया क. क्रमांक 34, बुक नं0 01 दिनांक 01.03.2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरूआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया क. क्रमांक 77 बुक नं0 02 दिनांक 01.03.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 647, दिनांक 01.03.2014	148428.00 45871.00 56192.00	3325.00 1027.00 1259.00	— 1835.00 —	7421.00 — —	137682.00 43009.00 54933.00
		योग	3065470.00	68459.00	23595.00	81875.00	2891541.00

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी रुद्रपुर के पत्रांक 881/टेण्डर/विज्ञप्ति/13-14/दिनांक 30.11.2013 से क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त/13वाँ वित्त/मनरेगा एवं सभी योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष (2013-14) में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु प्रथम श्रेणी ईट, इन्टरलाकिंग ईट, पत्थर, गिट्टी इत्यादि हेतु निविदा आमंत्रित की गयी। समाचार पत्र आज में दिनांक 06.12.2013 को निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि दिनांक 15.12.2013 तक, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के निविदा वाक्स में निविदा डालने की तिथि दिनांक 16.12.2013, 2 बजे तक तथा निविदा खोलने की तिथि दिनांक 16.12.2013, 4 बजे अपराह्न निविदा खोलने का स्थान विकास खण्ड रुद्रपुर सभागार निर्धारित किया गया।

ईट एवं ईट गिट्टी हेतु तीन फर्मों द्वारा निविदा डाली गयी। विवरण निम्नवत् है—
शंकर ईट उद्योग, छपौली, रुद्रपुर
कृष्णा ईट उद्योग, तारासारा रुद्रपुर
बाबा ईट उद्योग, ईट निर्माता एवं विक्रेता, गहिला— दुधैला, रुद्रपुर

इनमें बाबा ईट उद्योग, ईट निर्माता एवं विक्रेता, गहिला दुधैला, रूद्रपुर की निविदा स्वीकृत की गयी। इस फर्म द्वारा संलग्न किये गये शपथ पत्र (एक सौ रुपये (रु0 100/-) का स्टैम्प पेपर क्रमांक उ0प्र0 बीयू 872763 दिनांक 03.12.2013 पर किसी प्रकार की शपथ फर्म द्वारा नहीं ली गयी है। शपथपत्र पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं पाया गया। यह शपथ पत्र सादा/कोरा पाया गया। इस फर्म द्वारा जमानत धनराशि के रूप में एन.एस.सी. क्रमांक एन.एस.सी. 80 डीडी 397887 तथा क्रमांक एन.एस.सी. 80 डीडी 397886 कुल धनराशि रुपये 10000/- का जमा कराया गया। इण्टरलाकिंग ईट आपूर्ति हेतु तीन फर्म निविदा प्रतिभागी रहे। विवरण निम्नवत् है:-

1. मिश्रा ब्रिक्स उद्योग, बारीपुर, जिला देवरिया
 2. शान्ति इण्टरप्राइजेज, निकट सोमनाथ मंदिर देवरिया
 3. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास (झिरुआ चौराहा) जनपद देवरिया।
- उपरोक्त फर्मों में से इण्टरलाकिंग ईट आपूर्ति हेतु जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास (झिरुआ चौराहा) जनपद देवरिया की निविदा स्वीकृत की गयी इस फर्म द्वारा संलग्न किये गये रु0 100/- के स्टैम्प पेपर क्रमांक उ0प्र0 बी0जी0 809856 निर्गमन तिथि 10.12.2013 पर किसी प्रकार की शपथ फर्म द्वारा नहीं ली गयी है। शपथ पत्र पर शपथ के रूप में कुछ भी अंकित नहीं पाया गया। यह सादा पाया गया। जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास द्वारा जमानत धनराशि के रूप में एन.एस.सी. क्रमांक एन.एस.सी. 80 डी0डी0 397892 मूल्य 5000/- क्रय तिथि 26.02.2013 कुल रु0 10000/- की धनराशि पत्र जमा करायी गयी। अन्य दस्तावेज में पैन कार्ड की छायाप्रति एवं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एण्ड एलाटमेंट ऑफ टैन की छायाप्रति संलग्न पायी गयी। पत्थर गिट्टी, लोकल बालू, मोरंग बालू, सीमेन्ट, सरिया इत्यादि की आपूर्ति हेतु तीन फर्म निविदा प्रतिभागी रहे। विवरण निम्नवत् है:-

अरुण कुमार एण्ड कम्पनी, मालवीय रोड, देवरिया
मे0 जायसवाल ट्रेडर्स, झिरुआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया
मे0 देवरिया विल्डिंग मैटेरियल, रूद्रपुर रोड, देवरिया

उपरोक्त फर्मों में से मे0 जायसवाल ट्रेडर्स, झिरुआ चौराहा, जोकहा खास देवरिया की निविदा स्वीकृत की गयी। जासवाल ट्रेडर्स, झिरुआ चौराहा, जोकहा खास से जमानत धनराशि के रूप में एन.एस.सी. क्रमांक एन.एस.सी. 80 डी0डी0 397894 क्रय तिथि 26.02.2013, मूल्य रु0 5000/- तथा एन.एस.सी. क्रमांक एन.एस.सी. 80 डी0डी0 397895 मूल्य रु0 5000/- क्रय तिथि 26.02.2013 कुल रु0 10000/- की धनराशि पत्र जमा करायी गयी।

क्षेत्र पंचायत रूद्रपुर में वर्ष (2013-14) में उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए टेण्डर हेतु विज्ञापन सार्वजनिक समाचार पत्र आज में प्रकाशित किया गया है जबकि टेंडर नोटिस कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए था। टेण्डर फार्म बिक्री का विवरण अप्राप्त रहा। टेण्डर जारी करने की तिथि एवं टेण्डर प्राप्ति की अन्तिम तिथि में कम से कम 21 दिनों का अंतर नहीं रखा गया है। ठेकेदार को दिये जाने वाले फर्म/नोटिस पर टेंडर दर की वैधता काल/समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। टेण्डर हेतु अर्नेस्ट मनी आवेदन करने वाले निविदादाताओं से निविदा धनराशि का 2 प्रतिशत जमा नहीं कराया गया है। निविदा के साथ निविदादाता से सामग्री का सैम्पुल उसके व्यय पर नहीं लिया गया है। टेण्डर स्वीकृति की दशा में वांछित जमानत की धनराशि निविदा मूल्य की 10 प्रतिशत सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से जमा करायी जानी अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। सामग्री आपूर्ति हेतु जिन तीन फर्मों की निविदा स्वीकृत हुयी है उन तीनों स्वीकृत फर्मों में से प्रत्येक फर्म से मात्र रु0 10000/- की एन.सी.सी. धनराशि पत्र जमानत धनराशि के रूप में जमा करायी गयी है जो कि सामग्री क्रय मूल्य के सापेक्ष वांछित जमानत धनराशि से बहुत कम है। स्पष्ट है कि इम्प्रोपर सिक्क्यूबरेटी डिपॉजिट ली गयी है। जरूरी दस्तावेज के बिना ही टेंडर दस्तावेज को संस्था द्वारा स्वीकार किया गया है। शपथ पत्र पर किसी प्रकार की शपथ नहीं ली गयी है। शपथ पत्र के रूप में रु0 100/- का स्टैम्प पेपर सादा पाया गया। आयकर विवरणी, वैल्यू एडेड ट्रैक्स/वैट टैक्स इत्यादि में रजिस्ट्रेशन के आधार पर टेण्डरदाता की वित्तीय प्रास्थिति एवं क्षमता की पुष्टि सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी करने के पूर्व नहीं किया गया है। कार्यादेश जारी होने के बाद ठेकेदार के साथ इकरारनामा (एग्रीमेन्ट) नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय रु0 3065470/- में टेण्डर नियमों एवं सामग्री क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है। सामग्री क्रय में सामग्री की गुणवत्ता की जाँच भी नहीं की गयी है तथा सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक मूल्य पर किया गया है, जिससे संस्था को क्षति उठानी पड़ी तथा राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया। सामग्री क्रय रु0 3065470/- में हुयी क्षति के आकलन के लिए उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा सामग्री क्रय में हुयी अनियमितता के प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है।

क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय बिल की धनराशि से आयकर रु0 68459/-, व्यापारकर रु0 23595/- तथा वैट रु0 81875/- की कटौती की गयी है। आयकर, व्यापारकर, वैट कटौती की धनराशि को राजकीय कोषागार में सुसंगत शीर्ष में/संबंधित विभाग में जमा किया जाना चाहिए था। आयकर दाखिल रिटर्न, जमा रसीद, चालान, व्यापारकर एवं वैट जमा चालान, जमा रसीदें, दाखिल रिटर्न इत्यादि। लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण उक्त जमा की पुष्टि नहीं की जा सकती। आयकर, व्यापारकर एवं वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) की जमा रसीदें,

चालान, दाखिल रिटर्न इत्यादि प्रस्तुत कर जमा की पुष्टि कराया जानी अपेक्षित है, अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। जमा की पुष्टि न होने पर उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति कराया जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 23)

प्रस्तर संख्या 63— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष 2013-14 में निम्न निर्माण कार्य/परियोजनाओं हेतु सामग्री क्रय प्रमाणकों पर भुगतान के समय व्यापार कर एवं वैट निर्धारित दर से कम कटौती की गयी, जिससे व्यापार कर एवं वैट रु० 122817/- की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इसके प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री भरत यादव उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत् है:—धनराशि रु० में

क्र० सं०	कार्य का नाम	समग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	वैट	कटौती की गयी वैट धनराशि	कम कटौती की गयी वैट धनराशि
1.	ग्राम पंचायत शीतमाझा नकईल बन्धे के पास से रामानन्द के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास क. क्रमांक 17 बुक नं० 01 दि० 07.02.14 ख. क्रमांक 24 बुक नं० 01 दि० 19.02.14	86400.00 90000.00	10800.00 11250.00	4320.00 4500.00	6480.00 6750.00
2.	ग्राम पंचायत डहरौली में दान के दरवाजे से पूरब मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास क. क्रमांक 16 बुक नं० 01 दि० 07.02.14 ख. क्रमांक 23 बुक नं० 01 दि० 19.02.14	54000.00 69408.00	6750.00 8676.00	2700.00 3470.00	4050.00 5206.00
3.	डहरौली में जैनुल के घर से सुरेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (एमआई)	जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास क्रमांक 27 बुक नं० 01 दि० 19.02.14	23130.00	2891.00	1156.00	1735.00
4.	डहरौली में नीरज गोड़ के घर से पश्चिम में सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद—सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास क्रमांक 20 बुक नं० 01 दि० 19.02.14	67500.00	8438.00	3375.00	5063.00
5.	ग्राम पंचायत डहरौली में टावर ये पूरब शिवबहाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव पद— सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास क. क्रमांक 14 बुक नं० 01 दि० 07.02.14 ख. क्रमांक 21 बुक नं० 01 दि० 19.02.14	87480.00 83880.00	10935.00 10485.00	4374.00 4194.00	6561.00 6291.00
6.	ग्राम पंचायत डहरौली में रामवचन के दरवाजे से पूरब राजबाबा ढाला तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयवर द्विवेदी पद—सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास क. क्रमांक 52 बुक नं० 02 दि० 07.02.14 ख. क्रमांक 22 बुक नं० 01 दिनांक 19.02.14	70200.00 54720.00	8775.00 6840.00	3510.00 2736.00	5265.00 4104.00

7.	ग्राम पंचायत डहरौली में ब्रम्ह स्थान से पूरब सत्येन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयवर द्विवेदी पद— सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास क. क्रमांक 09 बुक नं० 01 दि० 07.02.14 ख. क्रमांक 20 बुक नं० 01 दिनांक 19.02.14	39240.00 82800.00	4905.00 10350.00	1962.00 4140.00	2943.00 6210.00
8.	ग्राम पंचायत गाजन भिरवा में पटवनिया मार्ग से उत्तर इण्टरलाकिंग से आगे शिवमंदिर तक अवशेष भाग इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयवर द्विवेदी पद—सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास, देवरिया क. क्रमांक 18 बुक नं० 01 दि० 07.02.14 ख. क्रमांक 26 बुक नं० 01 दि० 19.02.14	34920.00 40680.00	4365.00 5085.00	1746.00 2034.00	2619.00 3051.00
9.	अमौनी पिच मार्ग से मुन्ना यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद—सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास, देवरिया क्रमांक 32 बुक नं० 01 दि० 01.03.14	182466.00	22808.00	9123.00	13685.00
10.	ग्राम तारासारा में विधायक निधि इण्टरलाकिंग से आगे इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1.जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स जोकहा खास, (झिरुआ चौराहा), देवरिया क्रमांक 30, बुक नं० 01 दिनांक 01.03.2014	234000.00	29250.00	11700.00	17550.00
11.	कोलकेशव में ओमप्रकाश के घर से बेलास यादव के घर के पास तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स जोकहा खास, (झिरुआ चौराहा), देवरिया क्रमांक 33, बुक नं० 01 दिनांक 01.03.2014	188280.00	23535.00	9414.00	14121.00
12.	निबही मेनरोड़ रामअवध के घर के पास तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री नुरई यादव पद—सहा० विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स जोकहा खास, (झिरुआ चौराहा), देवरिया क्रमांक 34, बुक नं० 01 दिनांक 01.03.2014	148428.00	18554.00	7421.00	11313.00
	योग					122817.00

ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 27)

प्रस्तर संख्या 64— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2011-12) में निम्न निर्माण कार्य/परियोजनाओं हेतु सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय आयकर, व्यापारकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी, जिससे आयकर रु० 21996/- व्यापारकर एवं वैट रु० 230670/- कुल रु० 252666/- की राजकी राजस्व क्षति की गयी। इसके प्रति संबंधित कार्यप्रभारी तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री भरत यादव उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत् है:—ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापारकर	वैट
1.	ग्राम डहरौली बुजुर्ग में डहरौली गोदाम से श्री रामचरण के घर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री रामजी, ग्रा०वि०अ०	1. में० किसान ईट उद्योग बी. के.ओ. अमौनी छपौली बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 22.11.11 2. मे० कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट एण्ड आयरन कम्पनी) बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 22.11.11 3. शान्ति इण्टरप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क्रमांक—02 दिनांक. 22.11.11	2633.00 33806.00 19817.00	59.00 757.00 444.00	105.00 1352.00 —	— — 2477.00
2.	विकास खण्ड कार्यालय रुद्रपुर एवं पशु चिकित्सालय की चाहरदीवारी ग्रील एवं गेट का पेन्टिंग एवं सफेदी कार्य। कार्यप्रभारी—श्री मनोज कुमार शर्मा, ग्रा०वि०अ०	1. शैलेन्द्र हार्डवेयर रुद्रपुर देवरिया बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 25.03.2011	18470.00	414.00	739.00	—
3.	विकास खण्ड परिसर में सभागार/प्रमुख केबिन कक्ष का मरम्मत/सुन्दरीकरण। कार्यप्रभारी—श्री मनोज कुमार शर्मा, ग्रा०वि०अ०	1. गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी, आदर्श चौराहा, रुद्रपुर क्रमांक— 10 दिनांक—19.04. 2011	229774.00	5147.00	9191.00	—
4.	सरावखुर्द प्रधानमंत्री सड़क से बालमुकुन्द के घर होते हुए शिव शर्मा/सत्यनारायण विश्वकर्मा के घर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभार—श्री रामजी प्रसाद, ग्रा०वि०अ०	1. शान्ति इण्टरप्राइजेज, सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 20.12. 2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि० 01.12.2011 2. बाबा ईट उद्योग, गहिला, दुधैला रुद्रपुर क. क्रमांक 415/दि० 20.12. 11 ख. क्रमांक 410/दि० 02.11. 11 3. मे० कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट एवं आयरन मर्चेन्ट) बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 01.12.2011	198810.00 71275.00 59187.00 27587.00 82673.00	4453.00 1597.00 1326.00 618.00 1852.00	— — 2367.00 1103.00 3307.00	24851.00 8909.00
5.	अमौनी जंगी यादव के घर से मुन्ना यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग चैनेज शून्य से 130 तक एवं चैनेज 130 से चैनेज 235 तक सी.सी.आर. सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा०वि०अ०	1. शान्ति इण्टरप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि० 20.11.2012 2. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 416 दिनांक 20. 11.11 ख. क्रमांक 411 दिनांक 28. 11.11 3. मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट एण्ड आयरन मर्चेन्ट)	393390.00 120154.00 59166.00 56711.00	— — — —	— 4806.00 2367.00 2268.00	49174.00 — — —

		बिल / कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं / दि० 27.11.2011				
6.	छपरा बुजुर्ग में पी.एम.जी.एस. वाई. लिंक रोड से श्री लालजी के घर तक सी.सी. इंटरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा०वि०अ०	1. मे० किसान ईट उद्योग, वी.के.ओ. अमौनी छपौली क. बिल क्रमांक अंकित नहीं / दिनांक 24.11.11 2. मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) बिल / कैशमेमो / कैश क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 24.11.2011	9134.00 76566.00	— —	365.00 3063.00	— —
7.	ग्राम नरायनपुर में कृष्णा के घर से प्राइमरी स्कूल तक सी.सी. इंटरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा०वि०अ०	1. मे० कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) बिल क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 24.11.2011	53887.00	—	2155.00	—
8.	ग्राम भेलउर में छेदी गुप्ता के घर से वंशबहादुर के घर तक सी.सी. इंटरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा०वि०अ०	1. मे० किसान ईट उद्योग बी. के.ओ. अमौनी छपौली देवरिया क. बिल क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 30.11.2011 2. मे० कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) बिल क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 30.11.2011	3078.00 82905.00	69 —	123.00 3316.00	— —
9.	ग्राम जोगिया खुर्द में पी. डब्ल्यू.डी. लिंक रोड से श्री रमायन यादव के घर तक सी.सी. इंटरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी श्री रामजी, ग्रा०वि०अ०	1. मे० किसान ईट उद्योग बी. के.ओ. अमौनी छपौली, जिला देवरिया क. बिल क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 28.11.2011 ख. बिल क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 24.11.2011	78945.00 6201.00	— —	3158.00 248	— —
10.	विकास खण्ड रुद्रपुर की रंगाई पुताई कार्य। कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा०वि०अ०	1. शैलेन्द्र हार्डवेयर, रुद्रपुर, देवरिया बिल क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 07.11.2011	27889.00	625	1116	—
11.	विकास खण्ड रुद्रपुर सभागार एवं प्रमुख कक्ष में विद्युतीकरण कार्यप्रभारी— श्री रामजी प्रसाद, ग्रा०वि०अ०	1. शर्मा इलेक्ट्रानिक्स पैलेस, खजुहा चौराहा, रुद्रपुर क्रमांक 307 / दिनांक 12.10. 2011 2. गंगा इस्टीमेट बिल क्रमांक अंकित नहीं दिनांक नही	23168.00 4941.00	519.00 111.00	927.00 198.00	— —
12.	डहरौली बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग से पारस तिवारी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य। कार्य प्रभारी—रामजी, ग्रा०वि०अ०	1. शान्ति इंटरप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया 2. मे० गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी, आदर्श चौराहा कैशमेमो क्रमांक 723 दिनांक 14.07.2011 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रुद्रपुर क्रमांक 609 दिनांक 14.07. 2011	76749.00 21706.00 17393.00	1719.00 486.00 390.00	— 868.00 696.00	9594.00 — —
13.	रुद्रपुर सोनबरसा पिच मार्ग से हरिजन बस्ती होते हुए बृजभान यादव के दरवाजे	1. शान्ति इंटरप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल / कैशमेमो क्रमांक 02	481250.00	—	—	60156.00

	तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री मनोज कुमा शर्मा, ग्रा0वि0अ0	दिनांक 21.06.2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक 05 दिनांक 01.07.2011	156348.00	—	—	19544.00
		2. मे0 गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी, आदर्श चौराहा क. कैशमेमो क्रमांक 15 दिनांक	136838.00	—	5474.00	—
		21.06.2011 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक 33 दिनांक	33633.00	753.00	1345.00	—
		01.07.2011 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 502/दि0 21.06. 2011	103364.00 29328.00	— 657.00	4135.00 1173.00	— —
		ख. क्रमांक 503/दिनांक 01. 07.2011				
		कुल योग	2796776.00	21996.00	55965.00	174705.00

(मू0आ0सं0 30)

प्रस्तर संख्या 65— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2012-13) में निम्न निर्माण कार्य/परियोजनाओं हेतु सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय आयकर, व्यापारकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी, जिससे आयकर रू0 18906/- व्यापारकर एवं वैट रू0 103053/- कुल रू0 121959/- की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इसके प्रति संबंधित कार्यप्रभारी तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री भरत यादव उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत् है:—ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	समग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापारकर र	वैट
1.	गाजीपुर भैसही में कब्रिस्तान वाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्यप्रभारी— श्री अजय प्रकाश धर द्विवेदी, ग्रा0पं0अ0	1. मे0 विभव कुमार जायसवाल ईट भट्टा उद्योग खोरमा कन्हौली, रुद्रपुर क. क्रमांक 79/दि0 21.03.2013 ख. क्रमांक 119/दि0 08.01.2013 ग. क्रमांक 113/दि0 29.01.2013 2. श्री नइम ग्राम मदनपुर सादे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद दिनांक 20.03.2013	34063.00 153391.00 193089.00 6208.00	— — — 139.00	1363.00 6136.00 7724.00 248.00	— — — —
2.	ग्राम पंचायत निबही में कब्रिस्तान का वाउण्ड्री का निर्माण कार्यप्रभारी—श्री अजय प्रकाश धर द्विवेदी, ग्रा0पं0अ0	1. मे0 विभव कुमार जायसवाल ईट भट्टा उद्योग खोरमा कन्हौली, रुद्रपुर क. बिल क्रमांक 116 दिनांक 08.01. 2013 ख. बिल क्रमांक 114/दि0 29.01. 2013 ग. बिल क्रमांक 80/दि0 12.03.2013 2. श्री नइम ग्राम मदनपुर सादे कागज पर धनराशि प्राप्ति रसीद दिनांक 20.03.2013	101235.00 21011.00 82407.00 6208.00	— — — 139.00	4049.00 840.00 3296.00 248.00	— — — —
3.	ग्राम पिंडरा में गोदाम से मोती के घर तक सी. सी. इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी—श्री राणा प्रताप शाही	1. शान्ति इण्टप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल/कैशमेमो क्रमांक 02 दिनांक 26.04.2012 2. मे0 किसान ईट उद्योग वी.के.ओ. अमौनी छपौली क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 15.05.2012 ख. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित	190350.00 2501.00 72589.00	4264.00 — 1626.00	— 100.00 2904.00	23794.00 — —

	पद-स0वि0अ0(आईएसबी)	नहीं दिनांक 27.04.2012 3. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट क. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 27.04.2012	22915.00	513.00	917.00	---
4.	डहरौली में शिवशक्ति के घर से सत्येन्द्र यादव के घर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी- श्री राणा प्रताप शाही, पद-स0वि0अ0 (आईएसबी)	1. शान्ति इण्टप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल क्रमांक/कैशमेमो क्रमांक 02 दिनांक 25.04.2012 2. मे0 किसान ईट उद्योग बी.के.ओ. अमौनी छपौली क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 26.04.2012 3. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) क. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक 12/दि0 25.04.2012	169200.00 98394.00 22186.00	3790.00 2204.00 497.00	--- 3936.00 887.00	21150.00 --- ---
5.	ग्राम एकौना में रामनयन पाण्डेय के घर से मन्दिर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी-श्री राणा प्रताप शाही पद- स0वि0अ0 (आईएसबी)	1. मे0 कृष्णा ईट उद्योग बी.के.ओ. अमौनी, छापौली, देवरिया (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) क. बिल/कैशमेमो क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 26.04.2012 2. शान्ति इण्टप्राइजेज सोमनाथ मंदिर रोड, देवरिया क. बिल क्रमांक/कैशमेमो क्रमांक 02 दिनांक 25.04.2012 3. मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी (सीमेन्ट व आयरन मर्चेन्ट) क. कैश/क्रेडिट मेमो क्रमांक अंकित नहीं/दि0 25.04.2012	65942.00 169200.00 20832.00	1477.00 3790.00 467.00	2638.00 --- 833.00	--- 21150.00 ---
	योग		1431721.00	18906.00	36959.00	66094.00

(मू0आ0सं0 31)

प्रस्तर संख्या 66- क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2013-14) में निम्न निर्माण कार्य/परियोजनाओं हेतु सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय आयकर, व्यापारकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी, जिससे आयकर रु0 941/- व्यापारकर एवं वैट रु0 33523/- कुल रु0 34464/- की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इसके प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री भरत यादव उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत् है वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	समग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापार कर	वैट
1.	ग्राम पंचायत शीतमाझा नकईल बन्धे के पास से रामानन्द के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी-श्री नुरई यादव पद-सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. बाबा ईट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 236 बुक नं0 01 दिनांक 07.02.14 ख. क्रमांक 203 बुक नं0 01 दिनांक 18.02.14	37400.00 35060.00	--- ---	1496.00 1402.00	--- ---
2.	ग्राम पंचायत डहरौली में दान के दरवाजे से पूरब मार्ग तक इण्टरलाकिंग	1. बाबा ईट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 285 बुक नं0	39120.00	---	1565.00	---

	कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद—सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	01 दि० 07.02.14 ख. क्रमांक 252 बुक नं० 01 दि० 19.02.14	10400.00	---	416.00	---
3.	डहरौली में जैनुल के घर से सुरेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद—सहायक विकास अधिकारी (एमआई)	1. बाबा ईंट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 253 बुक नं० 01 दिनांक 19.02.14	8804.00	---	352.00	---
4.	डहरौली में नीरज गोड़ के घर से पश्चिम में सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद—सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. बाबा ईंट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 253 बुक नं० 01 दि० 19.02.14	42008.00	941.00	1680.00	---
5.	ग्राम पंचायत डहरौली में टावर ये पूरब शिवबहाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव पद—सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	1. बाबा ईंट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 233 दिनांक 07.02.14 ख. क्रमांक 254 दिनांक 19.02.14	102000.00 77152.00	--- ---	4080.00 3086.00	--- ---
6.	ग्राम पंचायत डहरौली में रामवचन के दरवाजे से पूरब राजूबाबा ढाला तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयवर द्विवेदी पद— सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. बाबा ईंट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 221 दिनांक 07.02.14 ख. क्रमांक 251 दिनांक 19.02.14	31504.00 35600.00	--- ---	1260.00 1424.00	--- ---
7.	ग्राम पंचायत डहरौली में ब्रम्ह स्थान से पूरब सत्येन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयवर द्विवेदी पद— सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. बाबा ईंट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 22 दिनांक 07.02.14 ख. क्रमांक 255 दिनांक 19.02.14	17440.00 20560.00	--- ---	698.00 822.00	--- ---
8.	ग्राम पंचायत गाजन भिरवा में पटवनिया मार्ग से उत्तर इण्टरलाकिंग से आगे शिवमंदिर तक अवशेष भाग इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयवर द्विवेदी पद— सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. बाबा ईंट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 226 दिनांक 07.02.14 ख. क्रमांक 218 दिनांक 19.02.14	16280.00 16280.00	--- ---	651.00 651.00	--- ---

9.	अमौनी पिच मार्ग से मुन्ना यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. बाबा ईंट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 648 दिनांक 01.03.14	99844.00	---	3994.00	---
10	ग्राम तारासारा में विधायक निधि इण्टरलाकिंग से आगे इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. बाबा ईंट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 629 दिनांक 01.03.14	102400.00	---	4096.00	---
11.	केलकेशव में ओमप्रकाश के घर से बेलास यादव के घर के पास तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. बाबा ईंट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 643 दिनांक 01.03.2014	90040.00	---	3602.00	---
12.	मेनरोड रामअवध के घर के पास तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री नुरई यादव पद—सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. बाबा ईंट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर क. क्रमांक 647 दिनांक 01.03.2014	56192.00	---	2248.00	---
योग			838084.00	941.00	33523.00	

(मू0आ0सं0 32)

प्रस्तर संख्या 67— क्षेत्र पंचात रुद्रपुर में वर्ष (2011-12) में निम्न निर्माण कार्यों पर मजदूरी भुगतान संबंधी प्रमाणक अप्राप्त रहे। विवरण निम्न प्रकार है:—(धनराशि रु0 में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मजदूरी	चेक प्राप्तकर्ता/भुगतान प्राप्तकर्ता
1.	सरावखुर्द प्रधानमंत्री सड़क से बालमुकुन्द के घर होते हुए शिव शर्मा/सत्यनारायन विश्वकर्मा के घर तक सी.सी. इण्टरलाकिंग कार्य। (कार्यप्रभारी—श्री रामजी, ग्रा0वि0अ0)	62400.00	श्री रामजी पद—ग्राम विकास अधिकारी
2.	अमौनी में जंगी यादव के घर से मुन्ना यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग चैनेज 0 से 13 तक एवं चैनेज 130 से चैनेज 235 तक सी.सी.आर.सी. इण्टरलाकिंग कार्य। (कार्यप्रभारी—श्री रामजी, ग्रा0वि0अ0)	89600.00	श्री रामजी पद—ग्राम विकास अधिकारी
कुल योग		152000.00	

उपरोक्त निर्माण कार्यों में मजदूरी भुगतान संबंधी प्रमाणक/मस्टररोलों के अभाव में दर्शित व्यय की धनराशि रु0 152000/- की पुष्टि नहीं होती है। स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्माण कार्यों में रु0 152000/- से व्यय अनियमितता/दुरुपयोग किया गया है। इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं कार्यप्रभारी श्री रामजी प्रसाद, ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी हैं। उपरोक्त निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन उच्च अधिकारियों सेक कराया जाना अपेक्षित है। वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 34)

प्रस्तर संख्या 68— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2011-12) में छपरा बुजुर्ग में पी.एम.जी.एस.वाई. लिंक रोड से श्री लालजी के घर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य में रु० 56900/- श्री रामजी प्रसाद, ग्राम विकास अधिकारी (कार्यप्रभारी) को मजदूरी भुगतान किया गया, लेकिन श्री रामजी प्रसाद, ग्रा.वि.अ. द्वारा मस्टररोल रु० 56840/- का प्रस्तुत किया गया इस प्रकार श्री रामजी प्रसाद, ग्रा०वि०अ० (कार्यप्रभारी) को रु० 60/- अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	मद	अवधि	श्रमिकों की संख्या	धनराशि
1	मस्टररोल	दिनांक 21.07.11 से दिनांक 27.07.11 तक	15	14000.00
2	मस्टररोल	दिनांक 04.12.11 से दिनांक 10.12.11 तक	15	14000.00
3	मस्टररोल	दिनांक 11.12.11 से दिनांक 17.12.11 तक	15	14000.00
3	मस्टररोल	दिनांक 18.12.11 से दिनांक 24.12.11 तक	16	14840.00
			योग	56840.00
			भुगतान किया गया	56900.00
			अधिक भुगतान किया गया	60.00

(मू०आ०सं० 35)

प्रस्तर संख्या 69— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2011-12) में ग्राम नरायनपुर में कृष्णा के घर से प्राइमरी स्कूल तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य में मजदूरी भुगतान रु० 40100/- कार्यप्रभारी श्री रामजी प्रसाद, ग्रा०वि०अ० को किया गया लेकिन उनके द्वारा रु० 40060/- का मस्टररोल प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार कार्यप्रभारी श्री रामजी प्रसाद, ग्रा०वि०अ० का रु० 40/- अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	मद	अवधि	श्रमिकों की संख्या	धनराशि
1	मस्टररोल	दिनांक 21.07.11 से दिनांक 27.07.11 तक	15	14000.00
2	मस्टररोल	दिनांक 28.07.11 से दिनांक 04.11.11 तक	30	26060.00
			योग	40060.00
			भुगतान किया गया	40100.00
			अधिक भुगतान किया गया	40.00

(मू०आ०सं० 36)

प्रस्तर संख्या 70— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2011-12) में ग्राम भेलउर में छेदी गुप्ता के घर से वंश बहादुर के घर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य में मजदूरी भुगतान रु० 60800/- कार्यप्रभारी श्री रामजी, ग्रा०वि०अ० को किया गया लेकिन उनके द्वारा रु० 60740/- का मस्टररोल प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार कार्यप्रभारी श्री रामजी, ग्रा०वि०अ० को रु० 60/- अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	मद	अवधि	श्रमिकों की संख्या	धनराशि
1	मस्टररोल	दिनांक 21.11.11 से दिनांक 27.11.11 तक	20	20300.00
2	मस्टररोल	दिनांक 28.11.11 से दिनांक 04.12.11 तक	49	40440.00
			योग	60740.00
			भुगतान किया गया	60800.00
			अधिक भुगतान किया गया	60.00

(मू०आ०सं० 37)

प्रस्तर संख्या 71— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2011-12) में ग्राम जोगिया खुर्द में पी.डब्ल्यू.डी. लिंक रोड से श्री रमायन यादव के घर तक सी.सी. इन्टरलाकिंग कार्य में मजदूरी भुगतान रु० 64300/- कार्यप्रभारी श्री रामजी, ग्रा०वि०अ० को किया गया जबकि उनके द्वारा रु० 64100/- का मस्टररोल प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार कार्यप्रभारी श्री रामजी, ग्रा०वि०अ० को रु० 200/- अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	मद	अवधि	श्रमिकों की संख्या	धनराशि
1	मस्टररोल	दिनांक 21.11.11 से दिनांक 27.11.11 तक	73	64100.00
			योग	64100.00
			भुगतान किया गया	64300.00
			अधिक भुगतान किया गया	200.00

(मू०आ०सं० 38)

प्रस्तर संख्या 72— क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2011-12) में रुद्रपुर सोनबरसा पिच मार्ग से हरिजन बस्ती होते हुए बृजभान यादव के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग कार्य में मजदूरी भुगतान रु0 113840/- कार्यप्रभारी श्री मनोज कुमार शर्मा, ग्रा0वि0अ0 को किया गया जबकि उनके द्वारा मस्टररोल रु0 112840/- का प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार कार्यप्रभारी श्री मनोज कुमार शर्मा, ग्रा0वि0अ0 को रु0 (113840.00 - 112840.00)= 1000/- अधिक भुगतान किया गया, रु0 1000/- की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। कार्यप्रभारी श्री मनोज कुमार शर्मा, ग्रा0वि0अ0 से अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	मद	अवधि	श्रमिकों की संख्या	धनराशि
1	मस्टररोल	दिनांक 15.06.11 से दिनांक 20.06.11 तक	24	20160.00
2	मस्टररोल	दिनांक 20.06.11 से दिनांक 21.06.11 तक	08	2320.00
3	मस्टररोल	दिनांक 22.06.11 से दिनांक 28.06.11 तक	32	28280.00
4	मस्टररोल	दिनांक 29.06.11 से दिनांक 05.07.11 तक	32	28280.00
5	मस्टररोल	दिनांक 06.07.11 से दिनांक 12.07.11 तक	31	25720.00
6	मस्टररोल	दिनांक 13.07.11 से दिनांक 14.07.11 तक	32	8080.00
			योग	112840.00
			भुगतान किया गया	113840.00
			अधिक भुगतान किया गया	1000.00

(मू0आ0सं0 39)

प्रस्तर संख्या 73—अनुदान पंजिका के अनुसार इस बैंक खाते का अन्तिम शेष दिनांक 31.03.2014 को शून्य दर्शित किया गया है, जबकि अनुदान पंजिका में ही दिनांक 31.03.2013 को इस खाते में बैलेन्स (सीबी) रु0 50024/- दर्शित किया गया था। लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 02.02.2007 को इस खाते का अन्तिम शेष रु0 50024/- है। दिनांक 02.02.2007 के बाद का बैंक पासबुक/एकाउण्ट ऑफ स्टेटमेण्ट, बैंक समाधान विवरण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस खाते से लेनदेन नहीं किये जाने के कारण यह खाता निष्क्रिय हो गया था। इस खाते का बैलेन्स वर्ष (2013-14) में शून्य दर्शित करने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इस खाते की धनराशि रु0 50024/- की निकासी कर धन का दुरुपयोग कर लिया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 44)

प्रस्तर संख्या 74—अनुदान पंजिका में इस बैंक खाते का अन्तिम शेष दिनांक 31.03.2014 को शून्य दर्शित किया गया है, जबकि अनुदान पंजिका में दिनांक 31.03.2013 को इस खाते का बैलेन्स रु0 50948/- दर्शित किया गया था। लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 31.03.1995 को इस खाते का अन्तिम शेष (सीबी) रु0 50948/- है। दिनांक 31.03.1995 के बाद का बैंक पासबुक/एकाउण्ट ऑफ स्टेटमेण्ट, बैंक समाधान विवरण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस खाते से लेनदेन नहीं किये जाने के कारण यह खाता निष्क्रिय हो गया था। इस खाते का बैलेन्स वर्ष (2013-14) में शून्य दर्शित करने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इस खाते की धनराशि रु0 50948/- की निकासी कर धन का दुरुपयोग कर लिया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 45)

प्रस्तर संख्या 75—क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में इन्दिरा आवास मद में वर्ष (2014-15) में रु0 2226248/- व्यय दर्शित किया गया है। इन्दिरा आवास हेतु लाभार्थियों की चयन की अनुमोदित सूची, लाभार्थियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज/कागजात, पात्रता जाँच संबंधी रिपोर्ट/जाँच आख्या, बैंक को प्रेषित एडवाइस, चेक इश्यू रजिस्टर, इन्दिरा आवास निर्माण संबंधी अभिलेख एवं मापन पुस्तिका, फोटो, प्रत्येक इन्दिरा आवास निर्माण की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रत्येक इन्दिरा आवास का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र इत्यादि के अभाव में आलोच्य वर्ष (2014-15) में इन्दिरा आवास मद में दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। समस्त प्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जानी चाहिए। अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी होंगे। जमा की पुष्टि न होने पर उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 17)

प्रस्तर संख्या 76—क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2014-15) में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार अवस्थापना मद में रु0 43381/- पेयजल मद में रु0 15000/- तथा स0ग्रा0रो0यो0 कन्टीजेन्सी मद में रु0 5255/- व्यय दर्शित किया गया है। इन मदों से संबंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक, चेक इश्यू रजिस्टर एवं अन्य संबंधित अभिलेख के अभाव में उपरोक्त मदों में दर्शित व्यय रु0 63636/- अपुष्ट रहा। समस्त प्रमाणक अभिलेख एवं पत्रावलिया प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जानी चाहिए अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार,

तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी होंगे। जमा की पुष्टि न होने पर उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं० 18)

प्रस्तर संख्या 77- क्षेत्र पंचायत रूद्रपुर में वर्ष (2014-15) में निम्न निर्माण कार्यों पर सामग्री क्रय रू० 6998329/- का व्यय दर्शित किया गया। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापार कर	वैट	शुद्ध भुगतान की गयी धनराशि	चेक सं० एवं तिथि	भुगतान प्राप्त कर्ता
1.	ग्राम पंचायत हडहा में पिच मार्ग से जयनारायन यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी- श्री नुरई यादव पद- सहायक विकास अधिकारी लघु सिंचाई (एमआई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 15 बुक नं० 01 दिनांक 07.02.14 ख. क्रमांक 09 बुक नं० 01 दिनांक 04.06.2017 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास देवरिया क. क्रमांक 59 बुक नं० 02 दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 75 बुक नं० 02 दिनांक 04.06.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 382 दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 260 दिनांक 04.06.14	63000.00 70380.00 19814.00 23673.00 44600.00 11820.00	1411.00 1577.00 444.00 --- 999.00 ---	--- --- 793.00 --- --- ---	3150.00 3519.00 --- --- --- ---	58439.00 65284.00 18577.00 23673.00 43601.00 11820.00		
2.	ग्राम पंचायत सरावखुर्द में कोयल के दरवाजे से मेन सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी- श्री सजेश कुमार श्रीवास्तव पद-	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 13 दिनांक 07.02.14 बुक नं० 01 ख. क्रमांक 25 बुक नं० 01 दिनांक 8.03.	31320.00 42840.00 19148.00 3953.00	702.00 960.00 766.00 89.00	--- --- 429.00 158.00	1566.00 2142.00 --- ---	29052.00 39738.00 17953.00 3706.00		

	सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास देवरिया क. क्रमांक 62 बुक नं0 02 दिनांक 07.02. 2014 ख. क्रमांक 71 बुक नं0 02 दिनांक 08.03. 2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रुद्रपुर क. क्रमांक 231 दिनांक 07.02.2014 ख. क्रमांक 256 दिनांक 08.03.2014	12944.00 12944.00	290.00 290.00	— —	— —	12654.00 12654.00		
3.	जोगिया खुर्द महोदय मिश्र के दरवाजे से प्रधानमंत्री सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री अक्षयबर द्विवेदी, पद—सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 35 बुक नं0 01 दिनांक 04.03. 2014 ख. क्रमांक 61 बुक नं0 02 दिनांक 03.04. 2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास देवरिया क. क्रमांक 82 बुक नं0 02 दिनांक 04.03. 2014 ख. क्रमांक 111 बुक नं0 03 दिनांक 03.04.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रुद्रपुर क. क्रमांक 654 दिनांक 04.03.2014 ख. क्रमांक	209250.00 62550.00 69192.00 8312.00 97120.00 77770.00	4687.00 1401.00 1550.00 186.00 2175.00 174.00	— — 2768.00 332.00 — —	10463.00 3128.00 — — — —	194100.00 58021.00 64874.00 7794.00 94945.00 7596.00		

		694 दिनांक 03.04.14							
4.	डाला में सी0सी0 रोड से कालीजी के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री अक्षयबर द्विवेदी पद—सहाय क विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 38 बुक नं0 01 दिनांक 04.03. 2014 ख. क्रमांक 62 बुक नं0 02 दिनांक 09.04. 2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास देवरिया क. क्रमांक 85 बुक नं0 02 दिनांक 04.03. 2014 ख. क्रमांक 114 बुक नं0 03 दिनांक 09.04.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रुद्रपुर क. क्रमांक 657 दिनांक 04.03.2014 ख. क्रमांक 693 दिनांक 03.04.14	156240.00 20628.00 47540.00 3529.00 69760.00 2910.00	3500.00 462.00 1065.00 79.00 1563.00 65.00	— — 1902.00 141.00 — —	7812.00 1031.00 — — — —	144928.00 19135.00 44573.00 3309.00 68197.00 2845.00		
5.	बेलवा में पिच मार्ग से झब्बू बाबा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री अक्षयबर द्विवेदी, पद—सहाय क विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 61 बुक नं0 02 दिनांक 10.04. 2014 ख. क्रमांक 39 बुक नं0 01 दिनांक 04.03. 2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास देवरिया	6552.00 109368.00 866.00 32585.00 1950.00 46475.00	147.00 2450.00 19.00 730.00 44.00 1041.00	— — 35.00 1303.00 — —	328.00 5468.00 — — — —	6077.00 101450.00 812.00 30552.00 1906.00 45434.00		

		क. क्रमांक 115 बुक नं0 03 दिनांक 10.04.2014 ख. क्रमांक 86 बुक नं0 02 दिनांक 04.03. 2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 696 दिनांक 10.04.2014 ख. क्रमांक 658 दिनांक 04.03.2014							
6.	करनपुर पिच मार्ग से रमपुरवा देवी स्था तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एम आई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 61 बुक नं0 02 दिनांक 10.04. 2014 ख. क्रमांक 39 बुक नं0 01 दिनांक 04.03. 2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास देवरिया क. क्रमांक 115 बुक नं0 03 दिनांक 10.04.2014 ख. क्रमांक 86 बुक नं0 02 दिनांक 04.03. 2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 696 दिनांक 10.04.2014 ख. क्रमांक 658 दिनांक 04.03.2014	78120.00 7524.00 24646.00 2953.00 34880.00 1460.00	1750.00 169.00 552.00 66.00 781.00 33.00	— — 986.00 118.00 — —	3906.00 376.00 — — — —	72464.00 6979.00 23108.00 2769.00 34099.00 1427.00		
7.	सोनबरसा में दिनू बाबा के दरवाजे से मेन रोड	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ	209250.00	4687.00	—	10463.00	194100.00		

	तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एम आई)	चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 30 बुक नं0 01 दिनांक 04.03. 2014 ख. क्रमांक 60 बुक नं0 02 दिनांक 05.04. 2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास देवरिया क. क्रमांक 83 बुक नं0 02 दिनांक 05.03. 2014 ख. क्रमांक 112 बुक नं0 03 दिनांक 05.04.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रुद्रपुर क. क्रमांक 655 दिनांक 09.03.2014	5436.00 69192.00 149.00 97120.00	122.00 1550.00 03.00 2175.00	— 2768.00 06.00 —	272.00 — — —	5042.00 64874.00 140.00 94945.00		
8.	मठिया से मदनपुर नकईल मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री अक्षयबर द्विवेदी सहायका विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 40 बुक नं0 01 दिनांक 20.05. 2014 ख. क्रमांक 66 बुक नं0 02 दिनांक 25.05. 2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास देवरिया क. क्रमांक 88 बुक नं0 02 दिनांक 20.05. 2014 ख. क्रमांक 66 बुक नं0 03 दिनांक 25.05. 2014 3. बाबा ईट	138600.00 8730.00 44396.00 2936.00 1070.00 66240.00	3105.00 196.00 994.00 66.00 24.00 1484.00	— — 1776.00 117.00 — —	6930.00 437.00 — — — —	128565.00 8097.00 41626.00 2753.00 1046.00 64756.00		

		उद्योग गहिला दुधैला रुद्रपुर क. क्रमांक 697 दिनांक 25.05.2014 ख. क्रमांक 270 दिनांक 21.05.2014							
9.	नगवा में रामपति शुक्ला के दरवाजे से आगे रोड़ तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एम आई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 41 बुक नं0 01 दिनांक 20.05. 2014 ख. क्रमांक 65 बुक नं0 02 दिनांक 28.05. 2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास देवरिया क. क्रमांक 94 बुक नं0 02 दिनांक 20.05. 2014 ख. क्रमांक 117 बुक नं0 03 दिनांक 28.05.2014 3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रुद्रपुर क. क्रमांक 272 दिनांक 21.05.2014	138600.00 3078.00 44396.00 320.00 66240.00	3105.00 69.00 994.00 07.00 1484.00	— — 1776.00 13.00 —	6930.00 154.00 — — —	128565.00 2855.00 41626.00 300.00 64756.00		
10.	डठिया में निर्मल यादव के दरवाजे से सिंचाई बन्धा तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री अक्षयवर द्विवेदी, सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 31 बुक नं0 01 दिनांक 01.03. 2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास देवरिया	376560.00 139650.00 166700.00	8435.00 3128.00 3734.00	— 5586.00 —	18828.00 — —	349297.00 130936.00 162966.00		

		क. क्रमांक 78 बुक नं0 02 दिनांक 01.03. 2014 3. बाबा ईट उद्योग महिला दुधैला रुद्रपुर क. क्रमांक 837 दिनांक 01.03.2014							
11.	विकास खण्ड परिसर में आवासीय भवनों का सामान्य मरम्मत एवं रंगाई पुताई तथा पेन्टिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एम आई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 91 बुक नं0 02 दिनांक 04.03. 2014 ख. क्रमांक 92 बुक नं0 02 दिनांक 04.03. 2014 ग. क्रमांक 93 बुक नं0 02 दिनांक 04.03. 2014 योग	108891.00 39686.00 23520.00 172097.00	3855.00	6884.00	—	161358.00		
12.	गोनाहसूरतपू रा में राजेश यादव के घोटा से बच्चा सिंह के घर तक जाने वाली सड़क पर इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री अक्षैवर प्रसाद द्विवेदी पद—सहाय क विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 69 बुक नं0 02 दिनांक 15.10. 2014 ख. क्रमांक 71 बुक नं0 02 दिनांक 08.11. 2014 2. जायसवाल ट्रेडर्स झिरुआ चौराहा, जोकहा खास देवरिया क. क्रमांक 122 बुक नं0 03 दिनांक 14.10.2014	129600.00 56124.00 34667.00 15575.00 38990.00 16030.00	2903.00 1257.00 777.00 349.00 873.00 359.00	— 2245.00 1387.00 623.00 — —	6480.00 — — — —	120257.00 52622.00 32503.00 14603.00 38117.00 15671.00		

		उद्योग गहिला दुधैला रुद्रपुर क. क्रमांक 691 दिनांक 20.05.2014							
15.	क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर कार्यालय हेतु कुर्सी, मेज, आलमारी क्रय	1. बरकात अहमद एण्ड सन्स, मालवीय रोड, देवरिया क. सेल इन्वाइस बुक नं0 01 क्रमांक 09 दिनांक 08.08.14 ख. सेल इन्वाइस बुक नं0 01 क्रमांक 14 दिनांक 23.08.14 2. जे0पी0 कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स महुई संग्राम बरहज देवरिया कैशमेमो क्रमांक 0253 दिनांक 20.09. 2014	55860.00 19380.00 12800.00	— — —	— — —	— — —	55860.00 19380.00 —	चेक सं0 51691 दिनांक 01. 09.14 धनराशि रु0 75240.00 चेक सं0 51705 दिनांक 17. 11.14 धनराशि रु0 12800.00	

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, रुद्रपुर के पत्रांक 428/निविदा/14-15 दिनांक 01.12.2014 से क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त/13वें वित्त एवं सभी परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष (2014-15) में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, पथर गिट्टी, सीमेन्ट, लोकल बालू, मोरंग बालू, सरिया, साइन बोर्ड, सोलर लाईट आदि की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा फार्म प्राप्त करने की तिथि 10.12.2014, निविदा बाक्स में निविदा डालने की तिथि दिनांक 10.12.2014, 2 बजे तक निविदा खोलने की तिथि दिनांक 10.12.2014, 3 बजे निर्धारित किया गया। ईट एवं ईट गिट्टी हेतु तीन फर्मों द्वारा निविदा डाली गयी। विवरण निम्नवत् है:-

शंकर ईट उद्योग, छपौली, रुद्रपुर

कृष्णा ईट उद्योग, तारासारा, रुद्रपुर

बाबा ईट उद्योग, गहिला दुधैला, रुद्रपुर

इनमें से बाबा ईट उद्योग, गहिला, दुधैला, रुद्रपुर की निविदा स्वीकृति की गयी। जमानत धनराशि पत्र रु0 10000/- का एनएससी पत्र जमा दर्शित किया गया। उल्लेखनीय है कि (2013-14) में भी इसी फर्म की निविदा ईट एवं ईट गिट्टी आपूर्ति हेतु स्वीकृति की गयी थी। बालू सीमेन्ट, सरिया, साइन बोर्ड इत्यादि के लिए तीन फर्मों द्वारा निविदा डाली गयी। विवरण निम्नवत् है:-

जायसवाल ट्रेडर्स, झिरुआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया

देवरिया विल्डिंग मैटेरियलस, देवरिया

अरुण कुमार एण्ड कम्पनी, देवरिया

इसमें जायसवाल ट्रेडर्स, झिरुआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया की निविदा स्वीकृति की गयी। जमानत धनराशि पत्र रु0 10000/- का एनएससी पत्र जमा दर्शित किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष (2013-14) में भी इसी फर्म की निविदा बालू, सीमेन्ट, सरिया, साइन बोर्ड आपूर्ति हेतु स्वीकृत की गयी थी।

सोलर लाईट हेतु तीन फर्मों द्वारा निविदा डाली गयी। विवरण निम्नवत् है:-

निर्माण ट्रेडिंग कम्पनी, महाराजगंज

न्यू वर्मा बैट्री सर्विस, खजुहा, देवरिया

आदित्य इन्टरप्राइजेज सोलर लाईट

इसमें से निर्माण कम्पनी महाराजगंज की निविदा स्वीकृत की गयी।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पत्रांक 744/निविदा/14-15 दिनांक 11.02.2015 से राज्य वित्त/13वॉ वित्त एवं सभी परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष (2014-15) में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु इण्टरलाकिंग ईट हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की गयी है। समाचार पत्र एवं आज एवं स्वतंत्र चेतना में निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। निविदा प्राप्ति की तिथि दिनांक 18.02.2015 तक, निविदा बाक्स में निविदा डालने की तिथि दिनांक 18.02.2015, 2 बजे तक तथा निविदा खोलने की तिथि दिनांक 18.02.2015, 3 बजे तक निर्धारित की गयी।

इण्टरलाकिंग ईट हेतु तीन फर्मों द्वारा निविदा डाली गयी। विवरण निम्नवत् है:-

जायसवाल ट्रेडर्स, झिरुआ चौराहा, जोकहा खास, देवरिया

शान्ति इण्टरप्राइजेज, निकट सोमनाथ मंदिर, देवरिया

मिश्रा ब्रिक्स उद्योग, बारीपुर, देवरिया

उपरोक्त फर्मों में से इण्टरलाकिंग ईट/टायल्स आपूर्ति हेतु जाससवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास, झिरुआ चौराहा, देवरिया की निविदा स्वीकृति की गयी। जमानत धनराशि पत्र रू0 10000/- का एनएससी पत्र जमा दर्शित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व वर्ष (2013-14) में भी इसी फर्म की निविदा इण्टरलाकिंग ईट/टायल्स आपूर्ति हेतु स्वीकृति की गयी थी।

निविदा प्रतिभागी फर्मों द्वारा अपने निविदा फार्म में इण्टरलाकिंग ईट/टायल्स का दर स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है। मे0 जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास देवरिया द्वारा अपने निविदा में इण्टरलाकिंग ईट/टायल्स की दर स्वीकृति प्राक्कलन की दर से 0.10 प्रतिशत कम पर अंकित किया गया है। शान्ति इण्टरप्राइजेज, निकट सोमनाथ मंदिर देवरिया द्वारा अपने निविदा में इण्टरलाकिंग ईट/टायल्स की दर स्वीकृत प्राक्कलन की दर से 0.50 प्रतिशत अधिक दर पर अंकित किया गया है।

मिश्रा ब्रिक्स उद्योग बारीपुर देवरिया द्वारा अपने निविदा में इण्टरलाकिंग ईट/टायल्स की दर स्वीकृत प्राक्कलन की दर से 0.15 प्रतिशत अधिक पर अंकित किया गया है।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पत्रांक 357/टेण्डर /विज्ञप्ति/2014-15/दिनांक 20.10.14 से क्षेत्र पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर के अन्तर्गत प्रस्तावित जल-मल व्यवस्था कार्य एवं अन्य पुलिया निर्माण कार्यों हेतु राज्य वित्त/13वॉ वित्त/मनरेगा के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष एमपी3-आरसीसी स्पन पाइप (ह्यूम पाइप साइज 150 एम0एस0 से लेकर 120 एम0एस0 गया।) तक कार्यस्थल पर आपूर्ति हेतु भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ/दिल्ली के अन्तर्गत पंजीकृत एवं लाइसेन्स प्राप्त क्षेत्रीय (100 किमी के अन्तर्गत) फर्मों से निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा प्रपत्र

प्राप्त करने की तिथि दिनांक 05.11.2014, 2 बजे तक निविदा बाक्स में निविदा डालने की तिथि दिनांक 05.11.2014 तथा निविदा खोलने की तिथि दिनांक 05.11.2014, 4 बजे तक निर्धारित की गयी। निविदा विज्ञप्ति समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं स्वतंत्र चेतना में प्रकाशित की गयी।

ह्यूम पाइप आपूर्ति हेतु निविदा तीन फर्मों द्वारा डाली गयी। विवरण निम्नवत् है:-

मे0 ए0के0 पाइप प्रोडक्ट, हुमायुपुर, उत्तरी गोरखपुर

मे0 प्रभात स्पन पाइप, बस्ती

कृष्णा कंक्रीट, नियर इण्डस्ट्रियल एरिया, गोरखपुर रोड, देवरिया

उपरोक्त फर्मों में से ह्यूम पाइप आपूर्ति हेतु कृष्णा कंक्रीट नियर इण्डस्ट्रियल एरिया, गोरखपुर रोड, देवरिया

उपरोक्त फर्मों में से ह्यूम पाइप आपूर्ति हेतु कृष्णा कंक्रीट नियर इण्डस्ट्रियल एरिया, गोरखपुर रोड, देवरिया की निविदा स्वीकृत की गयी। इनके निविदा के साथ 10 रुपये के स्टैम्प पेपर यूपी क्रमांक 53 एसी 87737 दिनांक 03. 11.2014, जमानत धनराशि पत्र रू0 20000/- का एनएससी प्रपत्र का विवरण तथा आयकर विवरणी असेसमेंट ईयर 2012-13 संलग्न किया गया। जमानत धनराशि पत्र एनएससी का विवरण निम्नवत् है:-

एनएससी क्रमांक	क्रय तिथि	मूल्य
63 डीडी 489324	11.05.2010	5000.00
63 डीडी 489325	11.05.2010	5000.00
63 डीडी 489326	11.05.2010	5000.00
63 डीडी 489111	29.04.2010	5000.00

योग 20000.00

मे0 ए0के0 पाइप प्रोडक्ट, हुमायुपुर, उत्तरी गोरखपुर द्वारा अपने निविदा पत्र में ह्यूम पाइप की दर स्वीकृत से 0.25 प्रतिशत कम दर पर अंकित किया है तथा टेण्डर के पश्चात कागजात जमा किये जाने का उल्लेख किया है।

मे0 प्रभात स्पन पाइप बस्ती द्वारा अपने निविदा पत्र में ह्यूम पाइप की दर स्वीकृत दर से 0.10 प्रतिशत कम दर पर अंकित किया गया है तथा अन्य कागजात निविदा उपरान्त जमा किये जाएंगे ऐसी उल्लेख किया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2014-15) में सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है लेकिन टेण्डर फार्म बिक्री विवरण अप्राप्त रहा। टेण्डर जारी करने की तिथि एवं टेण्डर प्राप्ति की अन्तिम तिथि में कम से कम 21 दिनों का अंतर नहीं रखा गया है। निविदा प्रतिभागी को दिये जाने वाले फार्म/नोटिस पर टेंडर दर की

वैद्यता काल/समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। निविदा प्रतिभागी फर्मों द्वारा सामग्री दर का स्पष्ट उल्लेख अपने निविदा प्रपत्र में नहीं किया गया है। अधिकतर निविदा प्रतिभागी फर्मों द्वारा जरूरी दस्तावेज टेण्डर स्वीकृति के पश्चात् जमा करने का उल्लेख अपने निविदा प्रपत्र में किया है। जरूरी दस्तावेज के बिना ही टेण्डर दस्तावेज को संस्था द्वारा स्वीकार किया गया है। टेण्डर हेतु अर्नेस्ट मनी आवेदन करने वाले निविदादाताओं से निविदा धनराशि का 2 प्रतिशत जमा नहीं कराया गया। निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता से सामग्री का सैम्पल निविदादाता के व्यय पर नहीं लिया गया है। टेण्डर स्वीकृति की दशा में वांछित जमानत की धनराशि निविदा मूल्य की 10 प्रतिशत सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म से जमा करायी जानी अनिवार्य है लेकिन टेण्डर स्वीकृति के पश्चात् सामग्री मूल्य निविदा मूल्य के सापेक्ष वांछित जमानत धनराशि पत्र बहुत कम धनराशि की जमा करायी गयी है। स्पष्ट है कि ईम्प्रापर सेक्योरिटी डिपॉजिट ली गयी है। टेण्डरदाता की वित्तीय स्थिति एवं क्षमता की पुष्टि सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी करने के पूर्व नहीं किया गया है। कार्यादेश जारी होने के बाद सामग्री आपूर्ति हेतु जिन फर्मों की निविदा स्वीकृत हुयी है, उनके साथ इकरारनामा (एग्रीमेन्ट) नहीं किया गया है।

स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष (2014-15) में उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु सामग्री क्रय रु0 6998329/- में टेण्डर नियमों एवं सामग्री क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है। क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जाँच भी नहीं किया गया है। सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक दर पर किया गया है जिससे संस्था को क्षति उठानी पड़ी तथा राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया। सामग्री क्रय रु0 6998329/- में हुयी क्षति के आकलन के लिए उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा सामग्री क्रय में हुयी अनियमितता के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं संबंधित कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं।

क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय बिल की धनराशि में से आयकर रु0 154335/- व्यापारकर, रु0 126913/- वैट रुपये 112139/- की कटौती की गयी है। आयकर कटौती की धनराशि आयकर विभाग में तथा व्यापार कर एवं वैट कटौती की धनराशि वाणिज्यकर विभाग/व्यापारकर विभाग अथवा राजकीय कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए। आयकर जमा रसीदें, व्यापारकर तथा वैट जमा रसीदें लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण उक्त जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। आयकर, व्यापारकर एवं वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) की जमा रसीदें, चालान/दाखिल रिटर्न इत्यादि प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जान अपेक्षित है, अन्यथा इसके प्रति तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर उत्तरदायी होंगे। जमा की पुष्टि न होने पर उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 19)

प्रस्तर संख्या 78- क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर में वर्ष (2014-15) में निम्न निर्माण कार्यों/परियोजनाओं हेतु सामग्री क्रय प्रमाणकों पर भुगतान के समय व्यापारकर एवं वैट निर्धारित दर से कम कटौती की गयी, जिससे व्यापारकर एवं वैट रु0 172977/- की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इसके प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी भरत यादव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	वैट	कटौती की गयी वैट की धनराशि	कम कटौती की गयी वैट की धनराशि
1.	ग्राम पंचायत हडहा में पिच मार्ग से जयनारायन यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी-श्री नुरई यादव पद- सहायक विकास अधिकारी लघु सिंचाई/एमआई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 15 बुक नं0 01 दिनांक 07.02.14 ख. क्रमांक 09 बुक नं0 01 दिनांक 04.06.17	63000.00 70380.00	7875.00 8798.00	3150.00 3519.00	4725.00 5279.00
2.	ग्राम पंचायत सरावखुर्द में कोयल के दरवाजे से मेन सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी-श्री सजेश कुमार श्रीवास्तव पद- सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 13 दिनांक 07.02.14 बुक नं0 01 ख. क्रमांक 25 बुक नं0 01 दिनांक 8.03.2014	31320.00 42840.00	3915.00 5355.00	1566.00 2142.00	2349.00 3213.00
3.	जोगिया खुर्द महोदव मिश्र के दरवाजे से प्रधानमंत्री	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास				

	सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयबर द्विवेदी, पद—सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 35 बुक नं० 01 दिनांक 04.03.2014 ख. क्रमांक 64 बुक नं० 02 दिनांक 03.04.2014	209250.00 62550.00	26156.00 7819.00	10463.00 3128.00	15693.00 4691.00
4.	डाला में सी0सी0 रोड से कालीजी के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयबर द्विवेदी पद—सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 38 बुक नं० 01 दिनांक 04.03.2014 ख. क्रमांक 62 बुक नं० 02 दिनांक 09.04.2014	156240.00 20628.00	19530.00 2579.00	7812.00 1031.00	11718.00 1548.00
5.	बेलवा में पिच मार्ग से झब्बू बाबा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री अक्षयबर द्विवेदी, पद—सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 61 बुक नं० 02 दिनांक 10.04.2014 ख. क्रमांक 39 बुक नं० 01 दिनांक 04.03.2014	6552.00 109368.00	819.00 13671.00	328.00 5468.00	491.00 8203.00
6.	करनपुर पिच मार्ग से रमपुरवा देवी स्था तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 37 बुक नं० 01 दिनांक 04.03.2014 ख. क्रमांक 63 बुक नं० 02 दिनांक 06.04.2014	78120.00 7524.00	9765.00 941.00	3906.00 376.00	5859.00 5645.00
7.	सोनबरसा में दिनू बाबा के दरवाजे से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 30 बुक नं० 01 दिनांक 04.03.2014 ख. क्रमांक 60 बुक नं० 02 दिनांक 05.04.2014	209250.00 5436.00	26156.00 680.00	10463.00 272.00	15693.00 408.00
8.	मठिया से मदनपुर नकईल मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयबर द्विवेदी सहायका विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 40 बुक नं० 01 दिनांक 20.05.2014 ख. क्रमांक 66 बुक नं० 02 दिनांक 25.05.2014	138600.00 8730.00	17325.00 1091.00	6930.00 437.00	10395.00 654.00
9.	नगवा में रामपति शुक्ला के दरवाजे से आगे रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 41 बुक नं० 01 दिनांक 20.05.2014 ख. क्रमांक 65 बुक नं० 02 दिनांक 28.05.2014	138600.00 3078.00	17325.00 385.00	6930.00 154.00	10395.00 231.00
10.	डठिया में निर्मल यादव के दरवाजे से सिंचाई बन्धा तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री अक्षयवर द्विवेदी, सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 31 बुक नं० 01 दिनांक 01.03.2014	376560.00	47070.00	18828.00	28242.00

11.	गोनाहसूरतपूरा में राजेश यादव के घोड़ा से बच्चा सिंह के घर तक जाने वाली सड़क पर इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री अक्षैवर प्रसाद द्विवेदी पद—सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 69 बुक नं० 02 दिनांक 15.10.2014 ख. क्रमांक 71 बुक नं० 02 दिनांक 08.11.2014	129600.00 56124.00	16200.00 7016.00	6480.00 2245.00	9720.00 4771.00
12.	डढ़िया सिचाई बन्धा से जटाशंकर दूबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी— श्री अक्षैवर द्विवेदी पद—सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक बुक नं० दिनांक	229320.00	28665.00	11466.00	17199.00
13.	ग्राम पंचायत डहरौली खुर्द में प्रदीप के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री नुरई यादव पद—अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई/एमआई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 64 बुक नं० 02 दिनांक 22.05.2014	145800.00	18225.00	7290.00	10935.00
	योग					172977.00

(मू०आ०सं० 21)

प्रस्तर संख्या 79— क्षेत्र पंचायत रूद्रपुर में वर्ष (2014-15) में निम्न निर्माण कार्य/परियोजनाओं हेतु सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय आयकर, व्यापारकर एवं वैट की कटौती नहीं की गयी, जिससे आयकर रू० 795/- व्यापारकर एवं वैट रू० 35632/- कुल रू० 36427/- की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। इसके प्रति संबंधित कार्यप्रभारी, तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम एवं कार्यप्रभारी का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण	सामग्री क्रय की धनराशि	आयकर	व्यापारकर	वैट
1.	ग्राम पंचायत हडहा में पिच मार्ग से जयनारायन यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी लघु सिंचाई (एमआई)	1. जायसवाल इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, जोकहा खास झिरुआ चौराहा, देवरिया क. क्रमांक 75 बुक नं० 02 दिनांक 04.06.14 2. बाबा ईट उद्योग, गहिला दुधैला, रूद्रपुर क. क्रमांक 382 दि० 07.02. 2014 ख. क्रमांक 260 दि० 04.06. 2014	23673.00 44600.00 11820.00	530.00 — 265.00	947.00 1784.00 473.00	— — —
2.	ग्राम पंचायत सरावखुर्द में कोयल के दरवाजे से मेन सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री सजेश कुमार श्रीवास्तव पद— सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	1. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 231 दिनांक 07.02. 2014 ख. क्रमांक 256 दिनांक 08.03. 2014	12944.00 12944.00	— —	518.00 518.00	— —
3.	जोगिया खुर्द महोदव मिश्र के दरवाजे से	1. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर	97120.00	—	3885.00	

	प्रधानमंत्री सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयबर द्विवेदी, पद—सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	क. क्रमांक 654 दिनांक 04.03. 2014 ख. क्रमांक 694 दिनांक 03.04. 14	7770.00	—	311.00	
4.	डाला में सी0सी0 रोड से कालीजी के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयबर द्विवेदी पद—सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 657 दिनांक 04.03. 2014 ख. क्रमांक 693 दिनांक 03.04. 14	69760.00 2910.00	— —	2790.00 116.00	— —
5.	बेलवा में पिच मार्ग से झब्बू बाबा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री अक्षयबर द्विवेदी, पद—सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 696 दिनांक 10.04. 2014 ख. क्रमांक 658 दिनांक 04.03. 2014	1950.00 46475.00	— —	78.00 1859.00	— —
6.	करनपुर पिच मार्ग से रमपुरवा देवी स्था तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 656 दिनांक 04.03. 2014 ख. क्रमांक 682 दिनांक 06.04. 2014	34880.00 1460.00	— —	1395.00 58.00	— —
7.	सोनबरसा में दिनू बाबा के दरवाजे से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी—श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)	1. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 655 दिनांक 09.03. 2014	97120.00	—	3885.00	—
8.	मठिया से मदनपुर नकईल मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी—श्री अक्षयबर द्विवेदी सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 697 दिनांक 25.05. 2014 ख. क्रमांक 270 दिनांक 21.05. 2014	1070.00 66240.00	— —	43.00 2650.00	— —
9.	नगवा में रामपति शुक्ला के दरवाजे से आगे रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी— श्री नुरई यादव पद— सहायक विकास	3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 272 दिनांक 21.05. 2014	66240.00	—	2650.00	—

	अधिकारी (लघु सिंचाई/एमआई)					
10.	डठिया में निर्मल यादव के दरवाजे से सिंचाई बन्धा तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी- श्री अक्षयवर द्विवेदी, सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 837 दिनांक 01.03. 2014	166700.00	---	6668.00	---
11.	गोनाहसूरतपूरा में राजेश यादव के घोठा से बच्चा सिंह के घर तक जाने वाली सड़क पर इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी- श्री अक्षैवर प्रसाद द्विवेदी पद-सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 687 दिनांक 14.10. 2014 ख. क्रमांक 392 दिनांक 08.11. 2014	38990.00 16030.00	--- ---	1560.00 641.00	--- ---
12.	डठिया सिंचाई बन्धा से जटाशंकर दूबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। कार्यप्रभारी- श्री अक्षैबर द्विवेदी पद-सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी)	1. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 260 दिनांक 04.06. 2014	44370.00	---	1775.00	---
13.	ग्राम पंचायत डहरौली खुर्द में प्रदीप के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य कार्यप्रभारी- श्री नुरई यादव पद-अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई/एमआई)	3. बाबा ईट उद्योग गहिला दुधैला रूद्रपुर क. क्रमांक 691 दिनांक 20.05. 2014	25690.00	---	1028.00	---
		कुल योग	890756.00	795.00	35632.00	
		आयकर + व्यापारकर कुल योग	36427.00			

(मू0आ0सं0 22)

क्षेत्र पंचायत तरकुलवा के वर्ष 2009-10 से 2016-17

प्रस्तर संख्या 80- वर्ष 2009-10 में क्षेत्र पंचायत तरकुलवा में कान्टीजेन्सी मद में अनुदान पंजिका भाग II के अनुसार निम्न व्यय दर्शित है।

तिथि	विवरण	चेक सं0	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
27.06.2009	कार्यालय हेतु पर्दा क्रय	953003	श्री देवेन्द्र मिश्रा	678.00
16.10.2009	आपदा प्रबन्ध अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु बैनर, फोटोग्राफी नास्ता आदि	953005	श्री शैलेश कुमार त्रिपाठी (ब्लॉक समन्वयक)	8050.00
17.02.2010	आपदा प्रबन्ध अन्तर्गत मास्टर ट्रेनरों के मानदेय का भुगतान	953006	“ ”	4500.00
	योग			13228.00

परन्तु उक्त से संबंधित व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः रू० 13228.00 दुरुपयोगित रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री देवेन्द्र मिश्रा एवं तत्काल खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती पुष्पा सोनकर उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 20)

प्रस्तर संख्या 81- वर्ष 2009-10 में 12वाँ वित्त योजना अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य पर व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित हैं।

तिथि	चेक सं०	विवरण	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
10.02.2010	409104	ग्राम सभा भिस्वा के कुशल टोला में सुखदेव के घर से काशी सिंह के घोड़ा तक इण्टरलाकिंग कार्य	81268	श्री बृजबली प्रसाद
11.02.2010	409105	ग्राम सभा भिस्वा के कुशल टोला में सुखदेव के घर से काशी सिंह के घोड़ा तक इण्टरलाकिंग कार्य	186819	मै० सिंह ब्रिक फिल्ड खेहियावड़ी महुआवा बजाराटार देवरिया
20.03.2010	409109	देवरिया कसया मार्ग से एम.ए.एच. इण्टर कालेज लक्ष्मीपुर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री का भुगतान	95316	मै० सिंह ब्रिक फिल्ड खेहियावड़ी महुआवा बजाराटार देवरिया
20.03.2010	409110	" "	119140	" "
20.03.2010	409111	" "	69436	मु० शकील अहमद ग्रा.वि.अ.
22.09.2010	515445	ग्राम मुण्डेरा में अमीन अहमद के घर से मुंशी अहमद के घर तक पक्की नाली पर स्लैब निर्माण पर भुगतान	16985	श्री नर्वदेश्वर दूबे ग्रा०वि०अ०
22.09.2010	514546	मुसहरी में रामरक्षा कुशवाहा के घर के सामने कूप मरम्मत	19092	श्री नर्वदेश्वर दूबे ग्रा०वि०अ०

अतः रू० 588056.000 दुरुपयोगित रहा जिसके लिए कार्यप्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 21)

प्रस्तर संख्या 82- वर्ष 2009-10 में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है। व्यय की पुष्टि में कार्य योजना, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नलिखित है:-

तिथि	चेक सं०	विवरण	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01.06.2009	953491	रोगी कक्ष से जीर्णोद्धार कार्य पर व्यय	25280	श्री नर्वदेश्वर दूबे ग्रा.पं.अ.
01.06.2009	953492	प्रा०स्वा००० केन्द्र ए.एन.एम. सेन्टर जीर्णोद्धार कार्य पर भुगतान	34250	श्री नर्वदेश्वर दूबे ग्रा.पं.अ.
01.06.2009	953494	वि०ख० कार्यालय में चैनल गेट पर व्यय	52909	श्री नर्वदेश्वर दूबे ग्रा.पं.अ.
21.08.2009	953496	सोन्हुला रामनगर में किसान सहायक केन्द्र का मरम्मत कार्य हेतु अग्रिम भुगतान	32421	श्री सत्यप्रकाश राय, ग्रा.वि.अ.
29.08.2009	953497	ग्राम भिस्वा के टोला मुड़कटवा में सुरेन्द्र कुशवाहा के घर से पोखरे तक नाली निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान	32421	श्री सत्यप्रकाश राय, ग्रा.वि.अ.
29.08.2009	953498	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान	22050	श्री सत्यप्रकाश राय, ग्रा.वि.अ.
29.08.2009	953499	ग्राम सभा मुण्डेरा में पक्की नाली निर्माण कार्य पर सामग्री हेतु भुगतान	130288	श्री राजेन्द्र प्रसाद ग्रा.वि.अ.
29.08.2009	953500	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान	26900	श्री राजेन्द्र प्रसाद ग्रा.वि.अ.
11.02.2016	409106	सोन्हुला रामनगर में किसान सहायक	32372	श्री नर्वदेश्वर दूबे

		केन्द्र का मरम्मत कार्य		ग्रा.वि.अ.
		योग	381470	

इस प्रकार रु0 381470.00 की धनराशि दुरुपयोगित रही, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, कार्य प्रभारी तथा अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 22)

प्रस्तर संख्या 83— वर्ष 2010-11 में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कार्य योजना, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

तिथि	चेक सं0	विवरण	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01.04.2010	409116	रामपुर खास में रामनरेश गुप्ता के घर से नर्वदेश्वर तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री का भुगतान	429953	मे0 विकास ईट उद्योग परासखड़ तवकलपुर
01.04.2010	409117	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान	162435	श्री सत्यप्रकाश राय, ग्रा0वि0अ0
		योग	592388	

इस प्रकार रु0 592388.00 की धनराशि दुरुपयोगित है, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री सत्यप्रकाश राय, खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती पुष्पा सोनकर, ब्लाक प्रमुख तथा लेखाकार, अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

(मू0आ0सं0 23)

प्रस्तर संख्या 84— वर्ष 2009-10 में विधायक निधि के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार व्यय दर्शित, परन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

तिथि	चेक सं0	विवरण	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
27.06.2009	168630	मस्टररोल का भुगतान	54040	श्री शकील अहमद ग्रा.वि.अ.
29.06.2009	168631	सामग्री क्रय	166497	" "
16.11.2009	168632	रामपुर खास में सी.सी. सड़क पर सामग्री का भुगतान	46016	" "
17.11.2009	168633	" "	55650	" "
19.11.2009	168635	" "	69749	" "
31.12.2009	168637	कोन्हवलिया बाबूराय में पुलिया निर्माण पर सामग्री का भुगतान	46465	श्री नर्वदेश्वर दूबे ग्रा.वि.अ.
31.12.2006	168638	कोन्हवलिया भरतराय में पुलिया निर्माण पर सामग्री का भुगतान	46465	" "
11.01.2010	168640	कोन्हवलिया भरतराय में पुलिया निर्माण पर सामग्री का भुगतान	44082	" "
12.01.2016	168641	कोन्हवलिया भरतराय में पुलिया निर्माण पर सामग्री का भुगतान	44082	" "
15.01.2010	168642	कोन्हवलिया भरतराय में पुलिया निर्माण पर सामग्री का भुगतान	33121	" "
18.01.2010	168643	कोन्हवलिया भरतराय में पुलिया निर्माण पर सामग्री का भुगतान	33121	" "
01.02.2010	168645	रामपुर खास में सी.सी. रोड पर मजदूरी का भुगतान	36520	श्री शकील अहमद ग्रा.वि.अ.
01.02.2010	953029	रामपुर खास में सी.सी. रोड पर मजदूरी का भुगतान	50000	श्री शकील अहमद ग्रा.वि.अ.
		योग	725808	

अतः रु0 725808.00 दुरुपयोगित है जिसके लिए कार्यप्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन ब्लाक प्रमुख तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं।

(मू0आ0सं0 24)

प्रस्तर संख्या 85— वर्ष 2010-11 में विधायक निधि से निम्नलिखित व्यय दर्शित है, परन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

तिथि	चेक सं०	विवरण	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
14.05.2010	953030	मदारीपट्टी तरकुलवा मैनपुर पिच मार्ग से मदारी पट्टी जाने वाली मार्ग पर आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान	75295	यादव ईट उद्योग, बरठई, देवरिया
14.05.2010	953031	" "	46984	श्री नर्वदेश्वर दूबे ग्रा.वि.अ.
03.08.2010	953032	" "	64833	" "
21.09.2010	953033	" "	73858	" "
21.09.2010	953034	" "	46000	" "
21.09.2010	953035	कोन्हवलिया बाबूराय में पुलिया निर्माण पर सामग्री का भुगतान	57381	" "
21.09.2010	953036	कोन्हवलिया बाबूराय में पुलिया निर्माण पर मजदूरी का भुगतान	33660	" "
21.09.2010	953037	कोन्हवलिया भरतराय में विन्द टोली के पास आर.सी.सी. पुलिया निर्माण हेतु सामग्री क्रय	34700	" "
22.11.2010	953040	गुलहरिया कनकपुरा मार्ग से राज वल्लभ के दरवाजे तक वाले मार्ग पर अवशेष खड़न्जा कार्य पर सामग्री का भुगतान	43146	श्री शकील अहमद ग्रा.वि.अ.
24.11.2010	953041	गुलहरिया कनकपुरा मार्ग से राजवल्लभ के दरवाजे तक जाने वाले मार्ग पर अवशेष खड़न्जा कार्य पर सामग्री का भुगतान	46146	श्री शकील अहमद ग्रा.वि.अ.
28.11.2010	953043	सेनहुला लक्ष्मीपुर सीवान से ओम प्रकाश राव के चिमनी होते हुए नहर तक मिट्टी/खड़न्जा कार्य पर सामग्री क्रय	159310	मे० प्रकाश ब्रिक्स इंडस्ट्रीज सोनहुला रामनगर देवरिया
01.12.2010	953045	" "	73017	मे० प्रकाश ब्रिक्स इंडस्ट्रीज सोनहुला रामनगर देवरिया
14.01.2011	953047	गुलहरिया कनकपुरा मार्ग से राजवल्लभ के घर तक जाने वाली मार्ग पर अवशेष खड़न्जा कार्य पर सामग्री का भुगतान	13776	मे० प्रकाश ब्रिक्स इंडस्ट्रीज सोनहुला रामनगर देवरिया
14.01.2011	953048	सोनहुला लक्ष्मीपुर सीवान से ओमप्रकाश राव का चिमनी होते हुए नहर तक मिट्टी/खड़न्जा कार्य पर सामग्री का भुगतान	82974	मे० प्रकाश ब्रिक्स इंडस्ट्रीज सोनहुला रामनगर देवरिया
14.01.2011	013426	सेनहुला रामनगर में नोटा टोला में जयवीर के घर तक मिट्टी/खड़न्जा कार्य पर सामग्री का भुगतान	56422	मे० प्रकाश ब्रिक्स इंडस्ट्रीज सोनहुला रामनगर देवरिया
14.01.2011	013428	गुलहरिया कनकपुरा मार्ग से राजवल्लभ के घर तक जाने वाले मार्गपर अवशेष खड़न्जा मार्ग पर मजदूरी का भुगतान	23100	मु० शकील अहमद ग्रा.वि.अ.

14.01.2011	013429	सोनहुला लक्ष्मीपुर सीवान से ओमप्रकाश राव का चिमनी होते हुए नहर तक मिटी/खडन्जा कार्य पर मजदूरी का भुगतान	73100	मु0 शकील अहमद ग्रा.वि.अ.
		योग	1060583	

इस प्रकार रू0 1060583.00 दुरुपयोगित है जिसके लिए कार्यप्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन प्रमुख, तत्कालीन लेखाकार तथा अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। (मू0आ0सं0 25)

प्रस्तर संख्या 86— शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-20120-10(33)/2010 दिनांक 23.03.012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय मानी जायेगी और अर्जित ब्याज राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक इलाहाबाद बैंक बचत खाता सं0 50056826428 में वर्षवार अर्जित ब्याज निम्न प्रकार है—

वर्ष	अर्जित ब्याज
क) वर्ष 2011-12	29042.00
ख) वर्ष 2012-13	79435.00
ग) वर्ष 2013-14	88298.00
	196775.00

इस प्रकार वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में कुल अर्जित ब्याज क्रमशः 29042.00, 79435.00 एवं 88298.00 (कुल रू0 196775.00) को अन्य कार्यों में व्यय कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए लेखाकार तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अन्य बैंक खातों का पास बुक/स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण उनके अर्जित ब्याज की जांच नहीं की जा सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-22

प्रस्तर संख्या 87— वर्ष 2011-12 में कुल सामग्री क्रय रू0 1920947.00 पर संबंधित बिलों से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निम्नलिखित निर्माण कार्यों में निम्न सामग्री क्रय बिल की धनराशि में से 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर 76838.00 की व्यापार कर की कटौती कर संबंधित विभाग को जमा की जानी चाहिए। परन्तु व्यापार कर की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

निम्नलिखित निर्माण कार्यों के लिए सामग्री क्रय रू0 1920947.00 के लिए टेण्डर का आमंत्रण सार्वजनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर किया जाना चाहिए, परन्तु सामग्री क्रय के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गयी। सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक दर पर किया गया है जिससे संस्था को क्षति उठानी पड़ी। क्रय की गयी सामग्री का लेखा स्टाक पंजिका में नहीं किया गया। सामग्री क्रय में हुयी क्षति के लिए आकलन हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त के लिए कार्य प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन ब्लाक प्रमुख तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 23 क)

प्रस्तर संख्या 88— वर्ष 2011-12 में मजदूरी पर व्यय रू0 302909.00 का भुगतान मजदूरों को उनके खाते में नहीं करके कार्य प्रभारी को किया गया है जो अनियमित है। पत्रावली में संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड द्वारा निर्गत नहीं है, मजदूरों के अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है।

नियमानुसार रू0 302909.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को नहीं करके गंभीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए कार्य प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन ब्लाक प्रमुख तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कुल लागत	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर	कार्य प्रभारी का नाम
2	कोन्हवलिया बाबूराम में खैरा टोला में पिच सड़क से आगे तक इन्टरलाकिंग कार्य।	294250.00	260630.00	33625.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
2	ग्रा0पं0 मुण्डेरा में नरेश के घर से जोखू धोबी के घर तक अवशेष इन्टरलाकिंग कार्य।	275211.00	240251.00	34960.00	श्री नर्वदेश्वर दूबे (ग्रा0वि0अधि0)
3	ग्रा0पं0 गढ़रामपुर में दिलीप पटेल के घर से पट्टू पटेल के घर तक अनुरक्षण एवं अन्टरलाकिंग कार्य।	313559.00	275774.00	37785.00	श्री शकील अहमद (ग्रा0वि0अधि0)

4	विकास खण्ड परिसर में आवासीय भवनों के सामने बाउण्ड्रीवाल निर्माण।	282628.00	289703.00	67990.00	श्री शकील अहमद (ग्रा0वि0अधि0)
5	टाई-4 आवास भवन के सामने इन्टरलाकिंग एवं भवन के अन्दर बरामदे में ग्रील लगाने का कार्य	325163.00	287903.00	35460.00	श्री शकील अहमद (ग्रा0वि0अधि0)
6	ग्राम मुण्डेरा में नरेश के घर से जोखू के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	453942.00	386302.00	67640.00	श्री शकील अहमद (ग्रा0वि0अधि0)
7	ग्रा0 पं0 पहाड़पुर के मारकण्डे में मुन्ना मिस्त्री के घर से प्रधानमंत्री सड़क तक जाने वाले खडन्जा मार्ग तक इन्टरलाकिंग कार्य।	259940.00	240251.00	19689.00	श्री शकील अहमद (ग्रा0वि0अधि0)
8	जलुआ पटखौली में सुबाष के घर स्थित कुए का मरम्मत कार्य एवं चबुतरा निर्माण	19158.00	13398.00	5760.00	श्री नर्वदेश्वर दूबे (ग्रा0वि0अधि0)
योग		2223856.00	1920947.00	302909.00	

सा0आ0सं0-23 ख

प्रस्तर संख्या 89- वर्ष 2012-13 में कुल सामग्री क्रय रु0 2140946.00 पर संबंधित बिलों से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है जिससे राजस्व की क्षति हुई है। नियमानुसार 4 प्रतिशत की दर से कुल सामग्री क्रय पर रु0 85638.00 व्यापार कर की कटौती कर संबंधित विभाग में जमा की जानी चाहिए। इस प्रकार रु0 85638.00 की क्षति पहुँचायी गयी है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय करने के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है। शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08/5(1)/86 दिनांक 31.09.2008 के प्रावधानों के अनुसार कोटेशन/निविदा के आधार पर ही सामग्री क्रय की जानी चाहिए। क्रय सामग्री का लेखा स्टॉक पंजिका में नहीं किया गया है। सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक दर पर किया गया है जिससे संस्था को क्षति उठानी पड़ी। सामग्री क्रय में हुयी क्षति के लिए आकलन हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त के लिए कार्य प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन ब्लाक प्रमुख तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 24 क)

प्रस्तर संख्या 90- वर्ष 2012-13 में उपरोक्त मजदूरी पर व्यय रु0 319125.00 का भुगतान मजदूरों को उनके खाते में नहीं करके कार्य प्रभारी को किया गया है जो अनियमित है। पत्रावली में संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड द्वारा निर्गत नहीं की गयी है, मजदूरों के अंगूठा निशा प्रमाणित नहीं है।

नियमानुसार रु0 319125.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को नहीं करके कार्य प्रभारी को करके गंभीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए कार्य प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन ब्लाक प्रमुख तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कुल लागत	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर	कार्य प्रभारी का नाम
1	ग्रा0पं0 कोन्हवलिया भरतराय में श्री रामप्रवेश के घर से मोती के घर तक मिट्टी मरम्मत एवं इन्टरलाकिंग सीमेन्ट टायल्स का सोलिंग कार्य	776041.00	685291.00	90750.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
2	ग्रा0पं0 कोन्हवलिया बाबूराम में सिंघासन यादव के घर से प्राथमिक विद्यालय के रास्ते पर मिट्टी कार्य एवं इन्टरलाकिंग कार्य	708952.00	624452.00	84500.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
3	ग्रा0पं0 कोन्हवलिया बाबूराम के खैरवा टोला में राजाराम प्रसाद के घर से राम विलास के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	241068.00	209193.00	31875.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
4	विकास खण्ड परिसर में एक जनरेटर कक्ष का निर्माण	320514.00	263014.00	57500.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
5	ग्राम पंचायत मैनपुर में पीच रोड से	413496.00	358996.00	54500.00	श्री शकील अहमद

पंचायत भवन मेनपुर तक सम्पर्क मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य				(ग्रा0वि0अधि0)
योग	2460071.00	2140946.00	319125.00	

सा0आ0सं0-24 ख

प्रस्तर संख्या 91 वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त योजना तथ 12वां एवं 13वां वित्त योजना से कुल सामग्री क्रय रु0 7307820.00 पर संबंधित बिलों से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है जबकि 4 प्रतिशत की दर से रु0 292313.00 की व्यापार कर की कटौती सामग्री क्रय के बिलों से की जानी चाहिए। इस प्रकार रु0 292313.00 राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री करने के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है। शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08/5(1)/86 दिनांक 31.09.2008 के प्रावधानों के अनुसार कोटेशन/निविदा के आधार पर ही सामग्री क्रय की जानी चाहिए। क्रय सामग्री का लेखा स्टाक पंजिका में नहीं किया गया है। सामग्री क्रय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक दर पर किया गया है जिससे संस्था को क्षति उठानी पड़ी। क्रय की गयी सामग्री का लेखा स्टाक पंजिका में नहीं किया गया। सामग्री क्रय में हुयी क्षति के लिए आकलन हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त के लिए कार्य प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन ब्लाक प्रमुख तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 25 क)

प्रस्तर संख्या 92 वर्ष 2013-14 में उपरोक्त मजदूरी पर व्यय रु0 1131988.00 का भुगतान मजदूरों को उनके खाते में नहीं करके कार्य प्रभारी को किया गया है जो अनियमित भुगतान मजदूरों को उनके खाते में नहीं करके कार्य प्रभारी को किया गया है जो अनियमित है। पत्रावली में संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड द्वारा निर्गत नहीं की गयी है, मजदूरों के अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है।

नियमानुसार रु0 1131988.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को नहीं करके कार्य प्रभारी को करके गंभीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए कार्य प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन ब्लाक प्रमुख तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कुल लागत	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर	कार्य प्रभारी का नाम
1	ग्रा0पं0 वृन्दावन में राम प्रताप के घर से पिच सड़क तक इन्टरलाकिंग कार्य	122991.00	107717.00	15274.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
2	वृन्दावन में राम प्रताप के घर से पीच सड़क तक इन्टरलाकिंग कार्य	733953.00	633155.00	100798.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
3	विकास खण्ड तरकुलवा के कार्यालय भवन के परिसर में स्थित समस्त टायलेटों में जलापूर्ति एवं सेनेट्री फ्रीटिंग कार्य।	141239.00	141239.00	—	श्री शकील अहमद (ग्रा0वि0अधि0)
4	द्वारिका में मोहन यादव के दुकान से हरन्दिर राव के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	739861.00	647081.00	92780.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
5	सोन्हुला रामनगर में पिच सड़क से मदरसा/ईदगाह तक इन्टरलाकिंग कार्य	164530.00	141934.00	22596.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
6	कान्हवलिया भरतराय में बच्चन यादव के घर से पिच सड़क तक इन्टरलाकिंग कार्य	747565.00	651927.00	95638.00	श्री शकील अहमद (ग्रा0वि0अधि0)
7	ग्रा0पं0 पिपरहिया में इन्टरलाकिंग कार्य (मंदिर से नन्द के मशीन तक एवं अकबर के घर से लालसा के घर तक)	743148.00	647152.00	95996.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
8	कसया देवरिया मुख्य मार्ग से देउरवा जाने वाले मार्ग पर खनुआ नाला पर 4 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	1206870.00	1021152.00	185718.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
9	कनकपुरा में रामकृपाल सिंह के घर से बन्धन सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	472428.00	405004	67424	श्री रामदयाल सिंह (ग्रा0वि0अधि0)
10	रतनपुरा में ब्रह्मस्थान के पास नाली निर्माण/अधूरा निर्माण कार्य	91730.00	78470.00	13260.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
11	कोल्हवलिया बाबूराम के खरैवा टोला पर पिच सड़क से राजेन्द्र दूबे के घर	686568.00	598752.00	87816.00	श्री उदयमल्ल गौड़ (ग्रा0वि0अधि0)

	होते हुए गंगा शर्मा के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य				
12	नरायनपुर में पीच सड़क से हदीश अली के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	140655.00	120087.00	20568.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
13	मठिया महावल में रविन्द्र कौशल के घर से मेन सड़क तक इन्टरलाकिंग कार्य	468553.00	400509.00	68044.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
14	कनकपुरा में कुसमाकर जी के घर से पीच सड़क तक इन्टरलाकिंग कार्य	275415.00	236915.00	38500.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
16	तवक्कलपुर में मेन सड़क से स्कूल तक एवं रमाशंकर दूबे के छोटे से मनोज तिवारी के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग कार्य	831744.00	719828.00	111916.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
17	मुण्डेरा में राजेन्द्र के घर से राजकिशोर यादव के घर होते हुए मुंशी मिया के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	676619.00	590957.00	88662.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
18	पिपरहिया में मन्दिर से नन्दू के मशीन तक एवं अकबर के घर से लालसा के घर तक अवशेष इन्टरलाकिंग कार्य	192939.00	165941.00	26998.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
	योग	8439808.00	7307820.00	1131988.00	

सा0आ0सं0-25 ख

प्रस्तर संख्या 93- क्षेत्र पंचायत तरकुलवा में वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त योजना से ग्राम पंचायत जलुआ पटखौली में सुबाष पाठक के घर के पास स्थित कुएँ का मरम्मत एवं उसका चबूतरा निर्माण तथा नाली निर्माण कार्य पर रु0 24918.00 का व्यय दर्शित है। उक्त के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

(क)कार्य का प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि में कार्यवाही पंजिका अप्रस्तुत रही।

(ख)कार्य प्रभारी श्री नर्वदेश्वर दूबे हैं, परन्तु उनकी नियुक्ति संबंध आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(ग)उक्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराया गया है इसकी पुष्टि में प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।

(घ)सामग्री क्रय कर आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। सामग्री क्रय पर रु0 19158.00 व्यय दर्शित है जिस पर आयकर रु0 429.00 एवं व्यापार कर 766.00 की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु0 1195.00 की कटौती की जानी चाहिए। सामग्री क्रय हेतु भुगतान संबंधित फर्म को नहीं करके कार्य प्रभारी श्री नर्वदेश्वर दूबे को की गयी है, जो अवैधानिक रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(ङ)मस्टररोल विकास खण्ड द्वारा निर्गत नहीं है। उपस्थिति लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। मजदूरों के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है। मजदूरों के अंगूठा निशान के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति द्वारा अंगूठा निशान लगाया गया है। इस प्रकार मजदूरी भुगतान रु0 5760.00 अनियमित रहा।

(च)कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र अप्राप्त रहा।

इस प्रकार उक्त परियोजना पर व्यय रु0 24918.00 दुरुपयोगित है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री नर्वदेश्वर दूबे, खण्ड विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता श्री फखरे आलम, ब्लाक प्रमुख श्री अभिषेक त्रिपाठी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है।

सा0आ0सं0-26

प्रस्तर संख्या 94- वर्ष 2013-14 में क्रिटकल गैप्स के अन्तर्गत रु0 1872392.00 का व्यय दर्शित है। परन्तु व्यय की पुष्टि में कार्य योजना, व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण-पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रु0 1872392.00 दुरुपयोगित है जिसके लिए कार्य प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार, अवर अभियन्ता तथा ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-27

प्रस्तर संख्या 95-वर्ष 2012-13 में विकास खण्ड कार्यालय में एक जनरेटर कक्ष निर्माण हेतु परियोजना की अनुमानित लागत 3.33 लाख दर्शित है। उक्त कार्य के कार्य प्रभारी श्री आस मुहम्मद ग्रा0वि0 अधिकारी नियुक्त है।

कार्य का प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत तरकुलवा द्वारा पारित नहीं है। प्रस्ताव पारित के सम्बन्ध में कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय रु0 1.00 लाख से ज्यादा का किया गया है। परन्तु सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है। उक्त परियोजना पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

तिथि	सामग्री क्रय	मजदूरी की धनराशि	धनराशि	चेक सं0
22.12.12	संदीप एण्ड प्रिंस इन्टरप्राइजेज तरकुलवा, देवरिया	—	15203.00	00890100 / 21.01.13
14.01.20136	संदीप एण्ड प्रिंस	—	20087.00	051008 /

	इन्टरप्राइजेज तरकुलवा, देवरिया			01.03.13
01.03.13	—	33069.00	—	051009 / 01.03.13
01.03.13	—	11250.00	—	051010 / 01.03.13
23.03.13	—	63955.00	—	051015 / 23.03.13
08.02.13	यादव ईट उद्योग	—	59737.00	051014 / 22.03.14
	कुल	108314.00	231837.00	

उक्त परियोजना पर अनुमानित लागत से रू0 7151.00 ज्यादा व्यय किया गया है। अतः रू0 7151.00 की वसूली कार्य प्रभारी श्री आस मुहम्मद, खण्ड विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह, ब्लाक प्रमुख श्री अभिषेक त्रिपाठी एवं जे0ई0 श्री शमसुद्दीन अन्सारी से अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-28 क

प्रस्तर संख्या 96— चेक सं0 051009 दिनांक 01.03.2013 द्वारा 33069.00 का भुगतान श्री आस मुहम्मद कार्य प्रभारी को किया गया है। कुल मस्टर रोल एवं रसीद का योग 33069.00 दर्शित है जबकि वास्तविक योग 13432.00 आता है। इस प्रकार 19637.00 ज्यादा भुगतान किया गया है। अतः 19637.00 की वसूली ब्याज सहित कार्य प्रभारी श्री आस मुहम्मद से अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-28 ख**

प्रस्तर संख्या 97— शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-20120-10(33)/2010 दिनांक 23.03.012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय मानी जायेगी और अर्जित ब्याज राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक इलाहाबाद बैंक बचत खाता सं0 50056826428 में वर्षवार अर्जित ब्याज निम्न प्रकार है—

वर्ष	अर्जित ब्याज
क) वर्ष 2014-15	44816.00
ख) वर्ष 2015-16	29820.00
ग) वर्ष 2016-17	14143.00
	88779.00

इस प्रकार वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 में कुल अर्जित ब्याज 88779.00 को राजकीय कोषागार में जमा न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए लेखाकार तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अन्य बैंक खातों का पास बुक/स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण उनके अर्जित ब्याज की जांच नहीं की जा सकी।

सा0आ0सं0-22

प्रस्तर संख्या 98—(क) कुल सामग्री क्रय रू0 1618823.00 पर संबंधित बिलों से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये उपरोक्त निर्माण कार्यों में उपरोक्त सामग्री क्रय बिल की धनराशि में से 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर 64753.00 की व्यापार कर की कटौती कर संबंधित विभाग को जमा की जानी चाहिए। परन्तु व्यापार कर की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-23 क

(ख) कुल सामग्री क्रय सं0 1618823.00 पर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती 36262.00 की जानी चाहिए। आयकर कटौती जमा 36262.00 की पुष्टि में चालान लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। सामग्री क्रय पर आयकर कटौती की गयी दर्शित है, परन्तु चालान जमा की पुष्टि नहीं कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-23 ख

(ग) वर्ष 2014-15 में उपरोक्तानुसार रू0 246928.00 मजदूरी पर व्यय दर्शित है। मजदूरी भुगतान मजदूरों को नकद अथवा उनके खाते में नहीं करके कार्य प्रभारी को उनके खाते में किया गया है, जो कि अनियमित है। पत्रावली में संलग्न मस्टररोल विकासखण्ड द्वारा निर्गत नहीं है। मजदूरों के अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

नियमानुसार मजदूरी का भुगतान न करके गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए कार्य प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख तथा लेखाकार उत्तरदायी है।

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित सामग्री क्रय की निविदा पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। उक्त के अभाव में न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की स्थिति अज्ञात रही। पत्रावलियों में सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिलों पर क्रम संख्या/बिल नं0 अंकित नहीं है जिससे उनके औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। उदाहरणार्थ—

पत्रावली क्र०	कार्य का नाम	फर्म का नाम	बिल नं०/तिथि	धनराशि
3	कोल्हवलिया भरतराम में पिच सड़क से गुल्लरी यादव के घर होते हुए गण्डक नदी तक अवशेष इन्टरलाकिंग कार्य।	एस०के० ट्रेडर्स	/ 26.11.2014 / 26.11.2014	69930.00 445507.00
3	विकास खण्ड कार्यालय पर प्रवेश द्वार (गेट) एवं सड़क निर्माण कार्य	एस०के० ट्रेडर्स मुण्डेरा देवरिया	/ 15.12.2014 / 04.02.2015	137661.00 20400.00

इस प्रकार बिना बिल नं० कैश मेमो अंकित बिलों में सामग्री क्रय कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए कार्य प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत् है—

क्र० सं०	कार्य का नाम	कुल लागत	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर	कार्य प्रभारी का नाम
1	कोल्हवलिया भरतराम में पिच सड़क से गुल्लरी यादव के घर होते हुए गण्डक नदी तक अवशेष इन्टरलाकिंग कार्य।	615185.00	543275.00	71910.00	श्री उदय मल्ल गौड़ (ग्रा०वि०अधि०)
2	विकास खण्ड कार्यालय पर प्रवेश द्वार (गेट) एवं सड़क निर्माण कार्य	208165.00	158061.00	50104.00	श्री शकील अहमद (ग्रा०वि०अधि०)
3	भिस्वा में दरोगा यादव के घर के सामने कुँआ मरम्मत	17603.00	12539.00	5064.00	श्री शकील अहमद (ग्रा०वि०अधि०)
4	कोल्हवलिया भरतराम में पिच सड़क से गुल्लरी यादव के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	1024798.00	904948.00	119850.00	श्री उदय मल्ल गौड़ (ग्रा०वि०अधि०)
	योग	1865751.00	1618823.00	246928.00	

सा०आ०सं०-23 ग

प्रस्तर संख्या 99— क्षेत्र पंचायत तरकुलवा के वर्ष 2014-15 में कोल्हवलिया भरतराम में पिच सड़क से गुल्लरी यादव के घर होते हुए गण्डक नदी तक अवशेष इन्टरलाकिंग कार्य पर रु० 607674.00 का व्यय दर्शित है। कार्य के प्रभारी श्री उदयमल्ल गौड़ हैं। दिनांक 26.11.2014 को मे० एस०के० ट्रेडर्स से क्रमशः रु० 69930.00 तथा 445567.00 की सामग्री क्रय की गयी है जिस पर 4 प्रतिशत व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। कुल सामग्री क्रय रु० 515497.00 पर 4 प्रतिशत से 20620.00 की व्यापार कर की कटौती कर सम्बन्धित विभाग में जमा की जानी चाहिए। अतः रु० 20620.00 की वसूली कार्य प्रभारी श्री उदय मल्ल गौड़, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आधार राम, अवर अभियन्ता श्री सी०पी० पाण्डेय तथा लेखाकार से अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

मजदूरी भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत मस्टररोल पर मजदूरों के अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है। उपस्थिति लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। बाल श्रमिकों से कार्य नहीं कराया गया है, इसका प्रमाण—पत्र अंकित नहीं है। उक्त कार्य ग्राम पंचायत कोल्हवलिया भरतराम द्वारा नहीं कराया गया है इसका प्रमाण—पत्र ग्राम प्रधान/ग्रा०पं०अधि० से प्राप्त कर नहीं लिया गया है।

विजय शंकर राव पुत्र श्री शारदा राव ग्राम मुण्डेरा को 118.13 घन मी० की मिट्टी हेतु 235.15 घनमीटर रु० 27778.00 का भुगतान किया गया है। उक्त पर रसीदी टिकटचस्पा नहीं है। 14 रु० प्रति घन मीटर की दर से रु० 1654.00 रायल्टी की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। अतः रु० 1654.00 की वसूली अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

उक्त कार्य से संबंधित कार्यपूति प्रमाण—पत्र, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अप्रस्तुत रहा। अतः रु० 607674.00 दुरुपयोगित है, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री उदय मल्ल गौड़, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आधार राम, अवर अभियन्ता श्री सी०पी० पाण्डेय तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०सं०-22

प्रस्तर संख्या 100 क— वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री क्रय रु० 4280544.00 पर संबंधित बिलों से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है जिससे राजस्व की क्षति हुई है। नियमानुसार 4 प्रतिशत की दर से कुल सामग्री क्रय पर रु० 171222.00 व्यापार कर की कटौती कर संबंधित विभाग में जमा की जानी चाहिए। इस प्रकार रु० 171222.00 की क्षति पहुँचायी गयी है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०सं०-26 क

(ख) कुल सामग्री क्रय पर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती 95884.00 की जानी चाहिए। आयकर कटौती जमा 95884.00 की पुष्टि में चालान लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। सामग्री क्रय पर आयकर कटौती की गयी दर्शित है, परन्तु चालान जमा की पुष्टि नहीं कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०सं०-26 ख

(ग) वर्ष 2015-16 में उपरोक्तानुसार रु0 710921.00 मजदूरी पर व्यय दर्शित है। मजदूरी भुगतान मजदूरों को नकद अथवा उनके खाते में नहीं करके कार्य प्रभारी को उनके खाते में किया गया है, जो कि अनियमित है। पत्रावली में संलग्न मस्टररोल विकासखण्ड द्वारा निर्गत नहीं है। मजदूरों के अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

नियमानुसार मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए कार्य प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख तथा लेखाकार उत्तरदायी है। सा0आ0सं0-26 ग

(घ) उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित सामग्री क्रम की निविदा पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। उक्त के अभाव में न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की स्थिति अज्ञात रही। पत्रावलियों में सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिलों पर क्रम संख्या/बिल नं0 अंकित नहीं है जिससे उनके औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। उदाहरणार्थ—

पत्रावली क्र0	कार्य का नाम	तिथि	प्रमाणक सं0/बिल	धनराशि
1	मुण्डेरा में बक्स मियों के घर से रिपूसूदन तिवारी के घर होते हुए जमला के घर तक अवशेष इन्टरलाकिंग कार्य	18.06.15 18.06.15	अंकित नहीं अंकित नहीं	91464.00 179250.00
2	विकास खण्ड परिसर में भवन मरम्मत, रंगाई एवं टायल्स निर्माण कार्य	01.06.15 01.06.15 01.06.15	अंकित नहीं अंकित नहीं अंकित नहीं	95130.00 387681.00 66081.00

इस प्रकार बिना बिल नं0 कैश मेमो अंकित बिलों में सामग्री क्रय कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए कार्य प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन लेखाकार एवं ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कुल लागत	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर	कार्य प्रभारी का नाम
1	मुण्डेरा में बक्स मियों के घर से रिपूसूदन तिवारी के घर होते हुए जमला के घर तक अवशेष इन्टरलाकिंग कार्य	315239.00	280539.00	34700.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
2	विकास खण्ड परिसर में भवन मरम्मत, रंगाई एवं टायल्स निर्माण कार्य (मनरेगा एवं प्रमुख कक्ष)	618915.00	548893.00	70022.00	श्री शकील अहमद (ग्रा0वि0अधि0)
3	कनकपुरा के गुलहरिया में राजबल्लभ कुशवाहा के घर से पीच सड़क तक इन्टरलाकिंग कार्य	785271.00	697716.00	87555.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
4	मुण्डेरा में ज्ञानी दूबे के घर से हास्पीटल होते हुए हजरत मिया के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	984139.00	796327.00	187812.00	श्री उदयमल्ल गौड़ (ग्रा0वि0अधि0)
5	मुण्डेरा में भरवरिया पीच सड़क से इन्टरलाकिंग तक इन्टरलाकिंग कार्य	1221278.00	1070703.00	150575.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
6	गोपालपुर में पीच रोड से रवि पाण्डेय के घर होते हुए काली मन्दिर तक इन्टरलाकिंग कार्य	507892.00	448000.00	59892.00	श्री आस मुहम्मद (ग्रा0वि0अधि0)
7	तवक्कलपुर में भदर सिंह के दरवाजे से बन्धन सिंह के दरवाजे तक इन्टर लाकिंग कार्य	398708.00	350176.00	48532.00	श्री उदयमल्ल गौड़ (ग्रा0वि0अधि0)
8	विकास खण्ड कार्यालय के बाउण्ड्री मरम्मत/रंगाई पुताई/गेट का निर्माण	160023.00	88190.00	71833.00	श्री उदयभान गौड़ (ग्रा0वि0अधि0)
	योग	4991465.00	4280544.00	710921.00	

सा0आ0सं0-26 ग

प्रस्तर संख्या 101— वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत गोपालपुर में पिचरोड से रवि पाण्डेय के घर होते हुए काली मन्दिर तक इन्टरलाकिंग कार्य पर कुल रु0 507892.00 का व्यय दर्शित है। पत्रावली की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी।

(क) सामग्री क्रय रू0 448000.00 मे0 एस0के0 ट्रेडर्स मुण्डेरा देवरिया से क्रय किया गया है, जिस पर बिल नं0 अंकित नहीं है तथा व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। कच्चे बिल पर क्रय कर व्यापार कर की क्षति पहुँचायी गयी है।
 (ख) मजदूरी भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत मस्टररोल पर मजदूरों के अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है। मस्टररोल विकासखण्ड द्वारा निर्गत नहीं है। उपस्थिति लेने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं है। श्रम नियमों का पालन नहीं किया गया है। मजदूरों से लगातार 25.12.2015 से 07.01.2016 तक कार्य करना दर्शित है। साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया गया है। मस्टररोल के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक मजदूरों का अंगूठा निशान लगाया गया है। इस प्रकार मजदूरी भुगतान रू0 59872.00 की पुष्टि नहीं हो सकी। कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरी भुगतान का चेक प्राप्त किया गया है। कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार उक्त परियोजना पर कुल व्यय रू0 507892.00 के लिए कार्य प्रभारी श्री आस मुहम्मद, खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आधार राम, ब्लाक प्रमुख श्री अभिषेक त्रिपाठी, अवर अभियन्ता श्री शिवजी राव तथा लेखाकार श्री अतहर हुसैन उत्तरदायी हैं।

सा0आ0सं0-17

प्रस्तर संख्या 102- वर्ष 2015-16 में ग्रा0पं0 मुण्डेरा में भंसवरिया पीच सड़क से इन्टरलाकिंग तक इन्टरलाकिंग कार्य पर रू0 1221278.00 का व्यय दर्शित है। उक्त कार्य के कार्य प्रभारी श्री आस मुहम्मद ग्रा0वि0 अधिकारी हैं। पत्रावली की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी।

(क) कार्य योजना वर्ष 2015-16 के अनुसार उक्त परियोजना जो कि क्र0सं0 24 पर अंकित है प्राक्कल की धनराशि रू0 458300.00 अंकित है जबकि उक्त पर कुल व्यय धनराशि 1221278.00 दर्शित है। इस प्रकार रू0 762978.00 का भुगतान प्राक्कलन से ज्यादा किया गया है। अतः रू0 762978.00 की वसूली अपेक्षित है।

(ख) सामग्री क्रय मे0 एस0के0 ट्रेडर्स मुण्डेरा, देवरिया से किया गया है। बिल पर क्रमांक अंकित नहीं है तथा व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है।

(ग) मजदूरी भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत मस्टररोल पर मजदूरों के अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है। मस्टररोल विकासखण्ड द्वारा निर्गत नहीं है। मजदूरी की उपस्थिति लेने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं है। मजदूरों से लगातार 20.03.2016 से 18.04.2016 तक कार्य करना दर्शित है। साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया गया है। महिला मजदूरों को कार्य पर नहीं लगाया गया है। श्रम नियमों का पालन नहीं किया गया है।

(घ) साइन बोर्ड कार्य स्थल पर नहीं लगाया गया है।

(ङ) त्रिस्तरीय फोटोग्राफी संलग्न नहीं है।

(च) माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र अप्राप्त रहा।

इस प्रकार उक्त परियोजना पर व्यय धनराशि रू0 1221278.00 दुरुपयोग प्रतीत होता है, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री आस मुहम्मद, खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आधार राम, ब्लाक प्रमुख श्री अभिषेक त्रिपाठी, अवर अभियन्ता श्री शिवजी राव तथा लेखाकार श्री अतहर हुसैन उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-18

प्रस्तर संख्या 103- वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुण्डेरा में ज्ञानी दूबे के घर से हास्पिटल होते हुए हजरत मियों के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य पर कुल व्यय रू0 984139.00 दर्शित है। उक्त कार्य के कार्य प्रभारी श्री उदयमल्ल गोंड ग्राम विकास अधिकारी हैं। उक्त कार्य के मजदूरी पर रू0 187812.00 व्यय किया गया है। मस्टररोल पर एक ही तिथि कई मजदूरों (एक ही नाम से) द्वारा कार्य करना दर्शित है। एक ही मजदूर कहीं अंगूठा लगाया है। तथा कहीं हस्ताक्षर किया है। इस प्रकार मस्टररोल काल्पनिक प्रतीत होता है। मस्टररोल विकासखण्ड द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। मस्टररोल की छायाप्रति संलग्न है। उपस्थिति लेने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर मस्टररोल पर नहीं है।

विजय शंकर राव पुत्र श्री शारदा राव ग्राम मुण्डेरा को मिट्टी हेतु 288.42 घनमीटर रू0 28351.00 का भुगतान किया गया है। उक्त पर रसीदी टिकटचस्पा नहीं है। मिट्टी क्रय पर रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है। जबकि 614.00 घनमीटर मिट्टी हेतु 1376.00 रू0 रायल्टी कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए।

सामग्री क्रय मे0 एस0के0 ट्रेडर्स, मुण्डेरा देवरिया से किया गया है। जिस पर क्रमांक, तिथि अंकित नहीं है। कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल व्यय रू0 984139.00 दुरुपयोगित है, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री उदयमल्ल गोंड, खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आधार राम, ब्लाक प्रमुख श्री अभिषेक त्रिपाठी, अवर अभियन्ता श्री शिवजी राव तथा लेखाकार श्री अतहर हुसैन उत्तरदायी हैं ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-19

प्रस्तर संख्या 104- वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त योजना से ग्रा0पं0 सिसवा में सरस्वती उ0मा0वि0 से मेन सड़क तक इन्टरलाकिंग कार्य पर कुल धनराशि रू0 1154619.00 का व्यय दर्शित है। उक्त कार्य के कार्य प्रभारी श्री आस मुहम्मद ग्रा0वि0 अधिकारी हैं। पत्रावली की जांच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी।

(क) सामग्री क्रय एस0के0 ट्रेडर्स, मुण्डेरा देवरिया से क्रय किया गया है, जिस पर क्रमांक अंकित नहीं है। बिल से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है।

(ख) मजदूरी भुगतान रु0 138600.00 किया गया है। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत मस्टररोल पर मजदूरों के अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है। मस्टररोल विकासखण्ड द्वारा निर्गत नहीं है। उपस्थिति लेने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं है। श्रम नियमों का पालन नहीं किया गया है। मजदूरों से लगातार 03.10.2016 से 30.10.2016 तक कार्य करना दर्शित है। मजदूरी भुगतान चेक कार्य प्रभारी श्री आस मुहम्मद को निर्गत किया गया है।

(ग) साइन बोर्ड कार्य स्थल पर नहीं लगाया गया है।

(घ) त्रिस्तरीय फोटोग्राफी संलग्न नहीं है।

(ङ) माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

इस प्रकार उक्त परियोजना पर व्यय धनराशि रु0 1154619.00 दुरुपयोगित प्रतीत होता है, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री आस मुहम्मद, खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आधार राम, ब्लाक प्रमुख श्री अभिषेक त्रिपाठी, अवर अभियन्ता श्री शिवजी राव तथा लेखाकार श्री अजहर हुसैन उत्तरदायी हैं।

सा0आ0सं0-20

प्रस्तर संख्या 105- वर्ष 2016-17 में सांसद निधि के अन्तर्गत रु0 1809359.00 का व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त से संबंधित कार्य योजना, व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, भौतिक समापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः रु0 1809359.00 दुरुपयोगित है, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री आस मुहम्मद, खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आधार राम, ब्लाक प्रमुख श्री अभिषेक त्रिपाठी, अवर अभियन्ता श्री शिवाजी राव तथा लेखाकार श्री अतहर हुसैन उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-21

क्षेत्र पंचायत बरहज वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर संख्या 106- वर्ष 2013-14 में फुलवरिया भैया में जयप्रकाश सिंह के खेत से गुडडी सिंह के खेत तक खडन्जा मरम्मत कार्य के लिए पत्रांक 1288 दिनांक 30.03.2013 द्वारा कार्यप्रभारी श्री शांतिस्वरूप तिवारी, ग्रा.पं.अ. को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य का अनुमानित लागत रु0 1.16 लाख निर्धारित किया गया। परन्तु उक्त कार्य के व्यय पत्रावली के जाँच में पाया गया कि केवल सामग्री मद में रु0 72680/- का भुगतान किया गया है। पत्रावली में मस्टररोल संलग्न नहीं है। न ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। इस प्रकार बिना कार्य हुए रु0 72680/- का भुगतान कर अपहरण किया गया, जिसके लिए कार्यप्रभारी श्री शांति स्वरूप तिवारी, ख.वि.अ. श्री रामदेव पटेल, अधिशासी अभियन्ता श्री आर.के. शर्मा, लेखाकार श्री चन्द्रगुप्त एवं ब्लाक प्रमुख श्री रणजीत यादव जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-02

प्रस्तर संख्या 107- निम्न प्रोजेक्ट की व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहने के कारण किया गया व्यय दुरुपयोगित रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0	प्रोजेक्ट का नाम	वर्ष	व्यय की धनराशि	कार्यप्रभारी	बी.डी.ओ./जे.ई. /लेखाकार
1.	वि.खं. कार्यालय भवन एवं प्रमुख कक्ष की रंगाई पुताई	2011-12	25000	श्री शान्ति स्वरूप तिवारी ग्रा. पं.अ.	श्री रामनाथ, श्री वाई.पी. शुक्ला, श्री चन्द्रगुप्त
2.	कम्प्यूटर कक्ष की सुदृढीकरण	2012-13	181574	—तदैव—	श्री जे.एन.राव/आर.के. वर्मा/चन्द्रगुप्त
3.	अजयपुरा में बलवन्त सिंह के घर के पास सी.सी. रोड से केदार सिंह के घर तक इंटरलाकिंग	2013-14	251900	—तदैव—	श्री राघवेन्द्र सिंह/श्री वाई.पी. शुक्ला/इन्द्रमोहन मिश्र
		योग	458474		

इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं पुष्टि के किया गया व्यय रु0 458474/- की धनराशि दुरुपयोगित रहा जिसके लिए तत्कालीन कार्यप्रभारी/खं.वि.अ./जे.ई./लेखाकार एवं प्रमुख श्री रणजीत यादव जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-03

प्रस्तर संख्या 108- वर्ष 2013-14 में हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य रु0 17700/- किया जाना दर्शित है। उक्त कार्य बिना कोटेशन के श्री देशराज यादव, कान्स्ट्रक्टर एवं सप्लायर को पत्रांक 125 दिनांक 20.02.2014 (आदेश अप्राप्त) द्वारा किया गया। परन्तु व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र हैण्ड पम्प मरम्मत किये गये स्थानों की सत्यापित सूची पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस बिना पुष्टि के किया गया भुगतान रु0 17700/- अपहरित रहा, जिसके लिए कार्यप्रभार श्री शांति स्वरूप तिवारी, ख.वि.अ. श्री राघवेन्द्र सिंह, जे.ई. श्री वाई.जी. शुक्ला एवं लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्र के साथ प्रमुख श्री रणजीत यादव जिम्मेदार हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अन्य आपत्तियां निम्न प्रकार हैं

1-वैट आदि की कटौती (4प्रतिशत) न कर रु0 159791 राजस्व अपहरण किया गया है ।

2-बिना दिनांक के प्रमाणक पर अवास्तविक रूप से भुगतान कर अपहरण किया गया है -

विवरण क्र0 10 वा0 न0 19 धनराशि 27285.00

विवरण क्र० 17 वा० न० 540 धनराशि 155402.00

विवरण क्र० 18 वा० न० 544 धनराशि 157638.00

3-कतिपय प्रमाणक बिना टिन के पाये गये ।

4-स्टाक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत पाये गये ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर किये गये कुल व्यय रू० 4369235 मे रू० 500116-

(159791+340325) का अपहरण एवं शेष रू० 3869119 राजकीय धन दुरुपयोगित रहा जिसके लिए कार्यप्रभारी के साथ ख०वि०अ० श्री राघवेन्द्र सिंह ,जे०ई० श्री वाई ०पी० शुक्ल ,लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्रा एवं प्रमुख श्री रणजीत यादव जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। सा०आ०सं०-04

प्रस्तर संख्या 109- वर्षोलोच्च में कतिपय प्रोजेक्टों का कोटेशन सामग्री क्रय से पूर्व नहीं लिया गया है। ज्ञातव्य हो कि वर्षोलोच्च में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए निविदा आमंत्रित नहीं किया गया है। व्यय पत्रावली में कोटेशन संलग्न किये बिना प्रोजेक्ट विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०	प्रोजेक्ट का नाम	सामग्री क्रय का विवरण			अपेक्षित राजस्व कटौती	
		फर्म का नाम	बाउचर सं०/दिनांक	धनराशि	टीडीएस	वीएटीएस
1.	भड़सरा पिच रोड से रामकेवल के चक तक मि.ख.म. कार्य कार्यप्रभारी श्री सुशील कुमार, ग्रा. पं.अ.	अमित ईट उद्योग	507 / 07.10.13 515 / 15.10.13	285090 1677	— —	11404 67
2.	नदुआ छपरा में दिलिप के खेत से राजेश के खेत तक मि.ख.म. कार्य कार्यप्रभारी-श्री शांति स्वरूप तिवारी, ग्रा.पं.अ.	" "	498 / 03.10.13 513 / 11.10.13	212420 2236	— —	8497 89
3.	बरहज नदुआ पिच मार्ग पर रुकमानन्द के चक से बेचू प्रसाद के घर तक मि० ख०म० कार्य कार्यप्रभारी- श्री शांति स्वरूप तिवारी, ग्रा०पं.अ.	" "	499 / 05.10.13	356642	—	14266
4.	देईडीहा के भड़सरा में इंटरलाकिंग राकड पर विमलेश के मकान से चन्द्रशेखर के चक तक मि.ख.म. कार्य कार्यप्रभारी- श्री सुशील कुमार ग्रा.पं.अ.	" "	512 / 07.10.13	396890	—	15876
5.	नदुआ छपरा में इंटरलाकिंग रोड पर नन्हे के खेत से मुन्नी लाल के खेत तक मि०ख०म० कार्य-कार्यप्रभारी श्री शांति स्वरूप तिवारी, ग्रा.पं.अ.	" "	502 / 07.10.13	205153	—	8206
6.	भड़सरा में इंटरलाकिंग रोड ओप्रकाश के घर से रमेश के खेत तक मि०ख०म० कार्य, कार्यप्रभारी श्री शांति स्वरूप तिवारी	" "	509 / 07.10.13 514 / 15.10.13	273910 5031	— —	10956 201
7.	नदुआ छपरा में बरछौली खड़जा से सुबाष के चक तक मि०ख०म० कार्य, कार्यप्रभारी श्री शांति स्वरूप तिवारी	" "	497 / 02.10.13	262730	—	10509
8.	बरछौली इंटरलाकिंग पर सुरेश के घर से रामनक्षत्र के खेत तक मि०ख०म० कार्य, कार्यप्रभारी श्री शांति स्वरूप तिवारी	" "	504 / 07.10.13 516 / 15.10.13	173290 11180	—	6932 447
9.	नवापार पिच रोड पर सुनील के चक से हरीलाल के चक तक मि०ख० कार्य, कार्यप्रभारी श्री शांति स्वरूप तिवारी	" "	511 / 07.10.13 517 / 17.11.13	380120 2236	— —	15205 89

10.	वि०ख० परिसर में सभाकक्ष एवं प्रमुख कक्ष के छत की प्लोरिंग व फर्श की टायलिंग कार्य। कार्यप्रभारी श्री सर्वानन्द मिश्र, सहा० लेखा	अमित ईट उद्योग यादव विल्डिंग मैटे० नवनीत पलाई हाडे०	21 / 30.01.14 48 / 30.01.14 879 / 30.01.14 19 / अंकित नहीं	3494 58215 193248 27285	— — — —	140 — — —
11.	कपरवार पश्चिमपुरा में अवधवांशी मिश्रा के घर के पास पिच रोड से इकबाल के घर के पास सी०सी०रोड तक इन्टरलाकिंग कार्यप्रभारी श्री सुशील कुमार	अमित ईट उद्योग यादव विल्डिंग मैटे०	11 / 02 / 21. 11.13 103 / 21.11.13 104 / 22.11.13	22520 31422 86385	— — —	901 1257 3455
12.	नवापार में श्रीनारायण के खेत से उत्तर कमला के खेत तक मि०ख० कार्य। कार्यप्रभारी श्री शांति स्वरूप तिवारी	अमित ईट उद्योग	236 / 27.01.14	219687	—	8787
13.	ग्रा०पं० खडेसर के टोला खोरिया में सत्यनारायण यादव के मकान से विजय पाण्डेय के मकान तक ई.ला. कार्य। कार्यप्रभारी श्री शांति स्वरूप तिवारी, ग्रा०पं०अ०	अमित ईट उद्योग यादव विल्डिंग मैटे०	242 / 18.01.14 233 / 18.01.14 51 / 18.01.14	22921 79950 15763	— — —	917 — —
14.	बड़का गांव में सिंगरही टोला पर चीजू के खेत से धौला सीवान तक मि.ख.म. कार्य। कार्यप्रभारी श्री अक्षयबरनाथ त्रिपाठी स.वि.अ. (आई०एस०बी०)	अमित ईट उद्योग	222 / 07.02.14	245960	—	9838
15.	बड़का गांव में सिंगरही टोला पर रामऔतार के घर से रमायन यादव के चक तक मि०ख० मरम्मत कार्य। कार्यप्रभारी— श्री अशोक उपाध्याय, ग्रा०पं०अ०	“ “	220 / 07.02.14	223600	—	8944
16.	परसिया के हेगौली में मालेसर तिवारी के खेत से वारादीक्षित महेन पिच मार्ग तक मि०ख०म० कार्य। कार्यप्रभारी श्री शांति स्वरूप तिवारी	“ “	221 / 07.02.14	257140	—	10286
17.	नदुआ पिच मार्ग से दक्षिण कमला के चक तक खड़जा कार्य (चैनेज 0 से 180) कार्यप्रभारी—श्री शांति स्वरूप तिवारी	“ “	540 / बिना दिनांक के	155402	—	6216
18.	नदुआ पिच मार्ग से दक्षिण कमला के चक तक खड़जा कार्य (चैनेज 180 से 360) कार्यप्रभारी—श्री शांति स्वरूप तिवारी	“ “	544 / बिना दिनांक के	157638	—	6306
	योग			4369235		159791

उक्त के सम्बन्ध में अन्य आपत्तियाँ निम्न प्रकार है—

- (i) वैट आदि की कटौती (4%) न कर रू० 159791 /— का राजस्व अपहरण किया गया है।
- (ii) बिना दिनांक के प्रमाणक पर अवास्तविक रूप से भुगतान कर अपहरण किया गया है।

विवरण— क्र०—10 वा० नं० 19

धनराशि— 27285.00

क्र०—17 वा० नं० 540

धनराशि— 155402.00

क्र०—18 वा० नं० 544

धनराशि— 157638.00

योग—

340325.00

(iii) कतिपय प्रमाणक बिना टीन नं० के पाया गया।

(iv) स्टाक रजिस्टर व कार्यापूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर किये गये कुल रू० 4369235/- में से रू० 500116/- (159791+340325) का अपहरण एवं शेष रू० 3869119/- का राजाकीय धन दुरुपयोगित रहा, जिसके लिए कार्य प्रभारी के साथ ख०वि०अ० श्री राघवेन्द्र सिंह, जे.ई. श्री वाई.पी. शुक्ला, लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्रा एवं प्रमुख श्री रणजीत यादव जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। सा०आ०सं०—05

प्रस्तर संख्या 110— वर्षोच्च में कतिपय भुगतान अवास्तविक प्रमाणकों (बिना बाउचर नं० दिनांक टिन न०.) के आधार पर किया गया है, विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र०	फर्म का नाम	वर्ष	भुगतान की धनराशि	मोड ऑफ पेमेन्ट चेक सं०/दिनांक	कार्यप्रभारी	अपेक्षित राजस्व कटौती	
						टीडी एस	वैट
1	अमित ईट उद्योग	2011—12	86950	825944 / 14.03.12	श्री शांति स्वरूप तिवारी	—	3478
2	“ “	“ “	93610	“ “	“ “	2097	3744
3	“ “	“ “	19980	“ “	“ “	448	794
		योग	200540			2545	8021

इस प्रकार अवास्तविक प्रमाणकों के आधार पर भुगतान कर रू० 200540/- का अपहरण किया गया, जिसके लिए कार्यप्रभारी श्री शांति स्वरूप तिवारी, ख.वि.अ. श्री रामनाथ जे.ई. श्री वाई.जी. शुक्ला, लेखाकार श्री चन्द्रगुप्त एवं ब्लाक प्रमुख श्री रणजीत यादव सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०सं०—06

प्रस्तर संख्या 111— वर्ष 2013—14 में वि.ख. सभाकक्ष की रंगाई—पुताई एवं मरम्मत कार्य कार्यप्रभारी श्री सर्वानन्द मिश्र, सहा. लेखाकार द्वारा किया जाना दर्शित है। उक्त कार्य का अनुमानित लागत रू० 2.665 लाख के सापेक्ष रू० 203155/- सामग्री एवं रू० 59160/- श्रमांश पर व्यय किया गया है, जिस पर आपत्ति निम्न प्रकार है:—

(i) संलग्न मस्टररोल में दिनांक अंकित नहीं है, जिससे यह पता नहीं चलता कि कार्य कब हुआ। मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी सत्यापित नहीं है। इस प्रकार अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर रू० 59160/- का भुगतान कर अपहरण किया गया है।

(ii) इस प्रकार बिना कार्य कराये क्रय किये गये सामानों पर रू० 203155/- का व्यय राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। ज्ञातव्य हो कि मरम्मत कार्य पर इसी वित्तीय वर्ष में व्यलिंग कार्य के साथ किया गया है, जो मामले को संदेहास्पद बनाता है।

इस प्रकार उक्त अधिभार के लिए कार्यप्रभारी श्री सर्वानन्द मिश्र, ख.वि.अ. श्री राघवेन्द्र सिंह, जे.ई. श्री वाई.पी. शुक्ला, लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्र एवं ब्लाक प्रमुख श्री रणजीत यादव जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०सं०—07

प्रस्तर संख्या 112— वर्ष 2013—14 में बरछौली इन्टरलाकिंग पर सुरेश के घर से रामनक्षत्र के खेत तक मि.ख.म. कार्य पर रू० 48810/- का मस्टररोल खड़जा मरम्मत हेतु किया गया, जिसका भुगतान चेक नं० 29337 एवं दिनांक 12.11.2013 द्वारा किया गया है।

उक्त मस्टररोल के जाँच पर पाया गया कि मस्टररोल पर 37 मजदूरों का नाम अंकित है, जबकि भुगतान 38 मजदूरों की मजदूरी का किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक मस्टररोल द्वारा रू० 48810/- का भुगतान कर अपहरण किया गया है, जिसके लिए कार्यप्रभारी श्री शांती स्वरूप तिवार ख.वि.अ. श्री राघवेन्द्र सिंह, अवर अभियंता श्री आर.के. वर्मा, लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्र एवं प्रमुख श्री रणजीत यादव जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०सं०—08

प्रस्तर संख्या 113— वर्ष 2013—14 में नदुआ छपरा में दिलिप के खेत से राजेश के खेत तक मि.ख.म. कार्य पर मिट्टी कार्य के लिए प्रयुक्त मस्टररोल रू० 15810/-पर दिनांक अंकित नहीं है, जिससे कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है। उक्त का भुगतान चेक नं० 062593 दिनांक 13.10.2013 द्वारा किया गया है। इस प्रकार अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर भुगतान कर रू० 15810/- का अपहरण किया गया है, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री शान्ति

स्वरूप तिवारी ख.वि.अ. श्री राघवेन्द्र सिंह, जे.ई. श्री आर. के. वर्मा, लेखाकार श्री इन्द्रमोहन मिश्रा एवं ब्लाक प्रमुख श्री रणजीत यादव जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-09**

प्रस्तर संख्या 114- वर्षोलोच्च में निर्माण कार्यों पर मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य-प्रभार को भुगतान किया गया है। पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोल पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है, अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं है, जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टररोल लेखक के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं, यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न कर भुगतान प्राप्त किया गया है। वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	मस्टररोल की धनराशि	कार्यप्रभारी का नाम	मोड ऑफ पेमेन्ट
1. 2011-12	1. 101700.00	श्री शांति स्वरूप तिवारी, ग्रा.वि.अ.	825944 / 14.03.12
	2. 88100.00	" " "	825944 / 14.03.12
	3. 105500.00	" " "	825958 / 14.03.12
	4. 106600.00	" " "	825958 / 14.03.12
	5. 7175.00	भरत प्रसाद, स.वि.अ.	825953 / —
	6. 109500.00	" " "	825955 / —
	7. 54940.00	सुशील कुमार ग्रा.पं.अ.	
	योग—		
	573515.00		
2. 2012-13	1. 11850.00	श्री शांति स्वरूप तिवारी, ग्रा.वि.अ.	—
	2. 25320.00	" " "	—
	3. 33350.00	सुशील कुमार ग्रा.पं.अ.	—
	4. 28180.00	" " "	—
	5. 72030.00	श्री शान्त स्वरूप तिवारी	—
	6. 18600.00	सुशील कुमार ग्रा.पं.अ.	9557 / 16.08.12
	योग		
	189330.00		
3. 2013-14	1. 12360.00	श्री सुशील कुमार	062585 / 02.09.13
	2. 95000.00	" " "	062583 / 02.09.13
	3. 98200.00	श्री शांति स्वरूप तिवारी	009574 / 02.09.13
	4. 64260.00	" " "	009575 / 02.09.13
	5. 122700.00	श्री सुशील कुमार	062574 / —
	6. 10300.00	" " "	062581 / 02.09.13
	7. 92000.00	श्री शांति स्वरूप तिवारी	009573 / 02.09.13
	8. 10300.00	श्री सुशील कुमार	062581 / 02.09.13
	9 अ. 19720.00	" " "	29325 / 07.11.13
	ब. 45600.00	" " "	29334 / 12.11.13
	10. 33450.00	श्री शांति स्वरूप तिवारी	29328 / 10.11.13
	11 अ. 24480.00	" " "	062594 / 31.10.13
	ब. 56580.00	" " "	29329 / 10.11.13
	12 अ. 25500.00	श्री सुशील कुमार	29335 / 12.11.13
	ब. 59610.00	" " "	—तदैव—
	13 अ. 53920.00	श्री शांति स्वरूप तिवारी	062596 / 31.10.13
	ब. 74640.00	" " "	29327.10.11.13
	14 अ. 19720.00	" " "	29336 / 12.11.13
	ब. 43750.00	" " "	29326 / 10.11.13
	15 अ. 16150.00	" " "	062597 / 31.10.13
	ब. 40520.00	" " "	29330 / 10.11.13
	16 अ. 36380.00	" " "	062595 / 31.10.13
	ब. 48810.00	" " "	29337 / 12.11.13
	17 अ. 25160.00	" " "	029332 / 10.11.13
	ब. 60460.00	" " "	29331 / 10.11.13
	18. 46010.00	श्री सर्वानन्द मिश्र, सहा.लेखा.	39363 / 24.02.14
	19. 19850.00	श्री सुशील कुमार	40146 / 06.12.14
	20. 54060.00	श्री शान्ति स्वरूप तिवारी	034361 / 24.02.14
	21. 17690.00	" " "	39365 / 24.02.14
	22. 158610.00	श्री अक्षयबर नाथ त्रिपाठी एडीओ	039373 / 14.03.14

योग	23.	144330.00	श्री अशोक उपाध्याय, ग्रा.पं.अधि0 श्री शान्ति स्वरूप तिवारी " " " " " "	039374 / 14.03.14 039375 / 14.03.14 36252 / 04.04.14 36524 / 04.04.14
	24.	160310.00		
	25.	39100.00		
	26.	34340.00		
		1863870.00		

इस प्रकार वर्ष 2011-12 में रू0 573515/- वर्ष 2012-13 में रू0 189330/- एवं वर्ष 2013-14 में रू0 1863870/- कुल रू0 2626715/- राज्य वित्त/तेरहवां वित्त की धनराशि अवास्तविक मस्टररोल द्वारा भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गई है, जिसके लिए तत्कालीन कार्यप्रभारी/ख.वि.अ./जे.ई./लेखाकार/प्रमुख सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-10**

प्रस्तर संख्या 115- वर्षोच्च में कतिपय व्यय प्रमाणक बिना टिन न0 के वाउचरों द्वारा सामान क्रय किये गये हैं। साथ ही अपेक्षित राजस्व कटौती (टीडीएस और वैट) नहीं की गई है:-**वर्ष 2011-12**

क्र0 सं0	दिनांक/वा0नं0	फर्म का नाम	धनराशि	अधिभार योग्य धनराशि	अपेक्षित राजस्व कटौती		कार्यप्रभारी
					टीडीएस	वैट	
01	449/08.10.11	अमित ईट उद्योग	6639	6224	---	266	भरत प्रसाद
02	51/08.10.11	श्रीराम सप्लायर्स	21000	19690	---	840	" "
03	678/15.10.11	अमित ईट उद्योग	83300	78103	---	3332	" "
04	322/27.03.12	गुप्ता कन्सट्रक्शन एवं सप्लायर्स	231034	216617	-	9241	सुशील कुमार
05	अंकित नहीं/28.03.12	यादव विल्डिंग मैटेरियल	89260	83691	---	---	" "
06	299/20.01.12	जया इले0 एण्ड इलेक्ट्रिकल्स	38065	---	853	1523	चन्द्रगुप्त
07	686/08.11.11	अमित ईट उद्योग	152660	143134	---	6106	शांति स्वरूप
08	667/26.11.11	अमित ईट उद्योग	370000	346912	---	14800	" "

2012-13

क्र0 सं0	दिनांक/वा0नं0	फर्म का नाम	धनराशि	अधिभार योग्य धनराशि	अपेक्षित राजस्व कटौती		कार्यप्रभारी
					टीडीएस	वैट	
01	460/22.07.12	अंकित ब्रीक फील्ड	129625	121536	-	5185	शांति स्वरूप तिवारी
02	70/25.07.12	" "	34000	31878	-	1360	" "
03	78/22.07.12	" "	110500	103605	-	4420	" "
04	72/25.07.12	" "	27625	25901	-	1105	" "
05	461/23.07.12	" "	106250	99620	-	4250	सुशील कुमार
06	74/25.07.12	" "	23375	21916	-	935	" "
07	462/23.07.12	" "	112625	105597	-	4505	" "
08	76/25.07.12	" "	27625	25901	-	1105	" "
09	477/06.09.12	" "	137700	129107	-	5508	शांति स्वरूप तिवारी
10	467/23.07.12	" "	97750	130705	-	3910	सुशील कुमार
11	77/25.07.12	" "	25500	23909	-	1020	" "
				819675		33303	

2013-14

क्र0 सं0	दिनांक/वा0नं0	फर्म का नाम	धनराशि	अधिभार योग्य धनराशि	अपेक्षित राजस्व कटौती		कार्यप्रभारी
					टीडीएस	वैट	
01	4136/03.04.13	राम ईट उद्योग	108100	101354	-	4324	सुशील कुमार
02	4117/02.04.13	" "	119600	112137	-	4784	" "
03	4128/02.04.13	" "	190440	178556	-	7618	शांति स्वरूप तिवारी

04	4129/02.04.13	“ “	89700	84102	—	3588	“ “
05	4125/02.04.13	“ “	161000	150954	—	6440	सुशील कुमार
06	4135/03.04.13	“ “	84640	79358	—	3386	“ “
07	4122/02.04.13	“ “	207000	194083	—	8280	शांति स्वरूप तिवारी
08	4132/03.04.13	“ “	94300	88416	—	3772	सुशील कुमार
09	411/21.10.13	जे.पी. कन्स्ट्रक्शन व सप्लायर्स	94100	—	2108	3764	सर्वानन्द मिश्रा सहा0लेखा0
				988960	2108	45956	

इस प्रकार वर्ष 2011-12 में (रु0 853+36108)= रु0 36961, वर्ष 2012-13 में रु0 33303 एवं वर्ष 2013-14 में (2108+45956)= रु0 48064/- कुल रु0 118328/- का राजस्व कटौती न कर अपहरण एवं (894371+819675+988960)= रु0 2703006/- का बिना टीन नं0 के अप्रमाणिक वाउचर पर भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गई है, जिसके लिए सम्बन्धित कार्यप्रभारी/ख.वि.अ./जे.ई./लेखाकार/प्रमुख सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-11**

प्रस्तर संख्या 116- वर्षालोच्च में विभिन्न मदों पर किया गया भुगतान व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में दुरुपयोगित रहा, विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष 2011-12

क्र0सं0	मद का नाम	व्यय की धनराशि
	एस.जी.एस.वाई. अवस्थापना	1259.00

वर्ष 2012-13

क्र0सं0	मद का नाम	व्यय की धनराशि
	विधायक निधि	537.00
	प्रशिक्षण मद	1265.00
	रा.ग्रा.रो. गारंटी (कन्टी)	501.00

योग 2303.00

वर्ष 2013-14

क्र0सं0	मद का नाम	व्यय की धनराशि
	इन्दिरा आवास योजना	25000.00
	एस.जी.एस.वाई. अवस्थापना	25261.00
	जलाशय मद	52546.00
	जी.पी.एस. प्र.	5640.00
	पेयजल	15000.00

योग 123447.00

इस प्रकार (1259+2303+123447) कुल रु0 127009/- की धनराशि पुष्टि के अभाव में दुरुपयोगित रहा, जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ./लेखाकार/जे.ई./प्रमुख सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-12**

प्रस्तर संख्या 117- वर्षालोच्च में विभिन्न मदों से प्राप्त ब्याज, व्यय व अवशेष की स्थिति निम्न प्रकार रही-

क्र0सं0	वर्ष	मद का नाम	व्यय की धनराशि	31.03.2014 को अवशेष
01.	11-12	इन्दिरा आवास पर ब्याज	2052	79504
02.	13-14	जलाशय पर प्राप्त ब्याज	10691	---
03.	13-14	राज्य वित्त पर प्राप्त ब्याज	100350	99929
04.	12-13	विधायक निधि पर प्राप्त ब्याज	14273	---
		योग	127366	179433

नियमानुसार प्राप्त ब्याज की धनराशि को उसी मद में शासकीय खाते में वापस जमा किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा न कर रु0 127366/- का व्यय दर्शाकर भुगतान भी कर दिया गया, जिसकी पुष्टि में व्यय-प्रमाणक व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध रहने के कारण उक्त धनराशि अपहरित रहा एवं रु0 179433/- की अवशेष धनराशि शासन को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गई है, जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ./लेखाकार/ब्लॉक प्रमुख सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-13**

क्षेत्र पंचायत भागलपुर वर्ष 2011-12 से 2015-16

प्रस्तर संख्या 118— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में आदर्श जलाशय योजना मद से रू0 204900/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित उत्तरदायी पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है। (मू0आ0सं0 07)

प्रस्तर संख्या 119— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से रू0 4816241/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित उत्तरदायी पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 08)

प्रस्तर संख्या 120— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में 12वें/13वें वित्त आयोग मद से रू0 552111/- का व्यय दर्शाया गया है जिससे संबंधित पत्रावली व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित उत्तरदायी पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 09)

प्रस्तर संख्या 121— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत कन्टीजेन्सी मद से रू0 507709/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः रू0 7709/- की ब्याज सहित वसूली संबंधित उत्तरदायी पक्ष से किया जाना आवश्यक है। (मू0आ0सं0 10)

प्रस्तर संख्या 122— वर्ष 2012-13 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से रू0 960715/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित उत्तरदायी पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 11)

प्रस्तर संख्या 123— वर्ष 2012-13 लेखा परीक्षा में आर्थिक सामाजिक, जातिगत जनगणना मद से रू0 24835/- का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक से आहरित धन को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः रू0 24835/- की ब्याज सहित वसूली संबंधित उत्तरदायी पक्ष से किया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 12)

प्रस्तर संख्या 124— वर्ष 2013-14 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से रू0 3872136/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित उत्तरदायी पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 13)

प्रस्तर संख्या 125— वर्ष 2013-14 लेखा परीक्षा में 13वें वित्त मद से रू0 585325/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित उत्तरदायी पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 14)

प्रस्तर संख्या 126— वर्ष 2013-14 लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत कण्टीजेन्सी मद से रू0 40165/- का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक से आहरित धन को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः रू0 40165/- की ब्याज सहित वसूली संबंधित उत्तरदायी पक्ष से किया जाना आवश्यक है। (मू0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या 127— वर्ष 2013-14 लेखा परीक्षा में आर्थिक, सामाजिक, जातिगत जनगणना मद से रू0 25165/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित साक्ष्य/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित उत्तरदायी पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 16)

प्रस्तर संख्या 128— वर्ष 2014-15 लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए पत्रावली के अनुसार ईट क्रय रू0 680824/- दर्शित है। जिस पर 4 प्रतिशत व्यापार कर रू0 27233/- की कटौती नहीं किया गया है। इस प्रकार रू0 27233/- से राजकीय कोष की क्षति हुई है जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री ए.पी. सिंह तोमर सीधे उत्तरदायी है। अतः रू0 27233/- की यथाशीघ्र ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 10)

प्रस्तर संख्या 129— वर्ष 2014-15 लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए पत्रावली के अनुसार 7 निर्माण कार्य कराए गए। निर्माण कार्य हेतु निविदा दिए जाने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस प्रकार निविदा नहीं दिए जाने के कारण क्षेत्र पंचायत को बाजारी स्पर्द्धा का लाभ नहीं मिला। साथ ही निविदा प्रपत्र की बिक्री से 7X3X500=10500/-रू0 की आय क्षेत्र पंचायत की होती। इस प्रकार रू0 10500/- से क्षेत्र पंचायत को हानि हुई है जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री ए.पी. सिंह तोमर एवं लेखाकार श्री बाबू राम सीधे उत्तरदायी हैं। अतः रू0 10500/- की ब्याज सहित वसूली कर यथाशीघ्र राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना आवश्यक है।

(मू०आ०सं० 11)

प्रस्तर संख्या 130— वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत एकौना में हनुमान मंदिर से गाजा बाबा के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य में प्रस्तुत मस्टररोलरू० 30300/- पर मजदूरों के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान नहीं पाए गए। उक्त धनराशि कार्यप्रभारी श्री प्रेमप्रकाश को चेक सं० 000057/10.06.2015 द्वारा भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्यप्रभारी श्री प्रेमप्रकाश द्वारा उक्त धनराशि रू० 30300/- मजदूरों को भुगतान नहीं कर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण कर लिया है। अतः रू० 30300/- की ब्याज सहित वसूली कर यथाशीघ्र क्षेत्र पंचायत कोष में जमा कराया जाना आवश्यक है।

(मू०आ०सं० 12)

प्रस्तर संख्या 131— वर्ष 2014-15 लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर तृतीय के अनुसार राज्य वित्त एवं 13वें वित्त से रू० 5490162/- का निर्माण कार्य कराए गए जबकि रू० 22653369/- से संबंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए। इस प्रकार रू० 5490162/- - 2265339/- = रू० 3224823/- के व्यय से संबंधित पत्रावली व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः रू० 3224823/- के व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू०आ०सं० 13)

प्रस्तर संख्या 132— वर्ष 2014-15 लेखा परीक्षा में इंदिरा आवास योजना मद से रू० 1411503/- व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से संबंधित कोई प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित उत्तरदायी पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू०आ०सं० 14)

प्रस्तर संख्या 133— वर्ष 2015-16 लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए पत्रावली के अनुसार ईट क्रय रू० 797985/- का दर्शित है। जिस पर 4 प्रतिशत व्यापार कर रू० 31919/- की कटौती नहीं किया गया है। इस प्रकार रू० 31919/- से राजकीय कोष की क्षति हुई है जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री ए.पी. सिंह तोमर सीधे उत्तरदायी हैं। अतः रू० 31919/- की ब्याज सहित वसूली कर यथाशीघ्र राजकीय कोष में जमा कराया जाना आवश्यक है।

(मू०आ०सं० 15)

प्रस्तर संख्या 134— वर्ष 2015-16 लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार 13 निर्माण कार्य कराये गये। निर्माण कार्य हेतु निविदा दिए जाने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस प्रकार निविदा नहीं दिए जाने के कारण क्षेत्र पंचायत को बाजारी स्पर्द्धा का लाभ नहीं मिला। साथ ही निविदा प्रपत्र की बिक्री से $13 \times 3 \times 500 = 19500$ /- की आय क्षेत्र पंचायत की होती। इस प्रकार रू० 19500/- से क्षेत्र पंचायत को हानि हुई है जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री ए.पी. सिंह तोमर एवं लेखाकार श्री बाबूराम सीधे उत्तरदायी है। अतः रू० 19500/- की ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू०आ०सं० 16)

प्रस्तर संख्या 135— वर्ष 2015-16 लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर III के अनुसार राज्यवित्त एवं 13वें वित्त मद से रू० 13655078/- का निर्माण कार्य कराए गए जबकि रू० 3048725/- से संबंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सुलभ कराए गए। इस प्रकार रू० 13655078/- - 3048725/- = रू० 10606353/- के व्यय से संबंधित पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः रू० 10606353/- के व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित उत्तरदायी पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू०आ०सं० 17)

क्षेत्र पंचायत गौरीबाजार, वर्ष 2011-12 से 2012-13

प्रस्तर संख्या 136— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से रू० 3282189/- व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू०आ०सं० 5)

प्रस्तर संख्या 137— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में 12/13 वें वित्त से रू० 81450/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली व्यय प्रमाणक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू०आ०सं० 6)

प्रस्तर संख्या 138— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में सांसद निधि खाते मद से रू० 46133/- व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू०आ०सं० 7)

प्रस्तर संख्या 139— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा मद से रू० 6473/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। अतः उक्त दर्शित व्यय पूर्णतः फर्जी है जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित पक्ष से किया जाना आवश्यक है।

(मू०आ०सं० 8)

प्रस्तर संख्या 140— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में ब्याज मद से वापसी रू० 155707/- दर्शाया गया है। उक्त ब्याज वापसी से संबंधित कोई साक्ष्य/प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः उक्त ब्याज वापसी को अवास्तविक मानते हुए संबंधित पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू०आ०सं० 9)

प्रस्तर संख्या 141— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में आर्थिक गणना मद से रू० 14545/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित कोई व्यय प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू०आ०सं० 10)

प्रस्तर संख्या 142— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में विधायक निधि मद से ₹0 90332/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है। (मू0आ0सं0 11)

प्रस्तर संख्या 143—वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में पंचायत प्रशिक्षण मद से ₹0 27300/- का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से संबंधित कोई प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। ऐसी प्रतीत होता है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि ₹0 27300/- की ब्याज सहित वसूली संबंधित उत्तरदायी पक्ष से किया जाना आवश्यक है। (मू0आ0सं0 12)

प्रस्तर संख्या 144— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में स्वच्छ शौचालय मद से ₹0 20937/- का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से संबंधित कोई साक्ष्य/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में उपब्ध नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय पूर्णतः फर्जी है जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना आवश्यक है। (मू0आ0सं0 13)

प्रस्तर संख्या 145— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में आपदा प्रबंधन मद से ₹0 5775/- का व्यय/वापसी दर्शित है। उक्त धन वापसी/व्यय से संबंधित कोई साक्ष्य/प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। अतः उक्त दर्शित धन वापसी/व्यय को फर्जी मानते हुए संबंधित पक्ष से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 14)

प्रस्तर संख्या 146— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में अक्षय ऊर्जा मद से ₹0 2000/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 15)

प्रस्तर संख्या 147— वर्ष 2011-12 लेखा परीक्षा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मद से ₹0 5000/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। अतः उक्त व्यय को फर्जी मानते हुए उक्त धनराशि ₹0 5000/- की ब्याज सहित वसूली संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 16)

प्रस्तर संख्या 148— वर्ष 2012-13 लेखा परीक्षा में सामाजिक आर्थिक जनगणना मद से ₹0 14899/- का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित कोई व्यय प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि ₹0 14899/- की ब्याज सहित वसूली संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 17)

प्रस्तर संख्या 149— वर्ष 2012-13 लेखा परीक्षा में टेण्डर प्रपत्र की बिक्री से कोई आय नहीं दर्शाया गयी है जबकि उपलब्ध कराए गए प्रारूप 01 के अनुसार वर्ष में 20 निर्माण कार्य कराए गए जिसमें से 18 निर्माण कार्यों में निविदा कराए जाने की आवश्यकता थी। प्रति निर्माण कार्य कम से कम तीन निविदा की दर से 18X3X 500=27000/- ₹0 की आय निविदा प्रपत्र की बिक्री से होनी चाहिए थी। इस प्रकार ₹0 27000/- की आय न दर्शाकर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 18)

प्रस्तर संख्या 150 वर्ष 2012-13 लेखा परीक्षा में ईट क्रय ₹0 1554886/- दर्शाया गया है जिस पर व्यापार कर 4 प्रतिशत ₹0 62195/- की कटौती नहीं किया गया है। अतः उक्त धनराशि ₹0 62195/- से राजकीय कोष की क्षति हुई है जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी सीधे उत्तरदायी हैं। अतः ₹0 62195/- की यथाशीघ्र ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 19)

प्रस्तर संख्या 151— वर्ष 2012-13 ग्राम पंचायत धनौती में अशोक गुप्ता के घर से गतगदही तक पक्की नाली निर्माण हेतु सिंह बिल्डिंग मेटेरियल, सरोहा चौराहा से ₹0 27774/- का निर्माण सामग्री क्रय दर्शित है जिस पर आकर 2.24 प्रतिशत ₹0 622/- की कटौती नहीं की गयी है। अतः ₹0 622/- श्री राघवेन्द्र सिंह सीधे उत्तरदायी है। अतः ₹0 622/- की यथाशीघ्र ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 20)

प्रस्तर संख्या 152 वर्ष 2012-13 लेखा परीक्षा में मिट्टी कार्य 2881.67 घन मीटर कराए गए जिस पर शासन को ₹0 14.00 प्रतिघनमीटर की दर से ₹0 40343/- रायल्टी की भुगतान नहीं किया गया है। अतः उक्त धनराशि ₹0 40343/- से राजकीय कोष को क्षति हुई है जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी सीधे उत्तरदायी हैं। अतः ₹0 40343/- की यथाशीघ्र ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना आवश्यक है।

(मू0आ0सं0 21)

प्रस्तर संख्या 153— वर्ष 2012-13 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से निर्माण कार्यों पर अनुदान रजिस्टर III के अनुसार ₹0 6157703/- व्यय दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा जाँच में ₹0 4158905/- के व्यय से संबंधित पत्रावली उपलब्ध कराए गए। इस प्रकार ₹0 6157703/- — ₹0 4158905/- = ₹0 1998798/- के व्यय से संबंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः ₹0 1998798/- के व्यय को अपहरण मानते हुए संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना आवश्यक है। (मू0आ0सं0 22)

क्षेत्र पंचायत भटनी वर्ष 2002-03 से 2006-07

प्रस्तर संख्या 154- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत भटनी की वर्ष 2001-02 की लेखा परीक्षा में निर्गत प्रतिवेदन भाग-2 (ब) के बिन्दु 3 पर दिनांक 31.03.2002 को अवशेष का विवरण निम्नवत दर्शित है।

क्रमांक मद का नाम दिनांक 31.03.02 को अवशेष अनुदान

1-	इंदिरा अवास	1890054.02
2-	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	255315.20
3-	निर्बल वर्ग आवास राज्य अनुदान	7800.00
4-	निर्बल वर्ग आवास डीआरडीए अंश	6633.00
5-	निर्बल वर्ग आवास ऋण	21000.00
6-	वायोगैस अनुदान	78900.00
7-	ज0रो0यो0 प्रशासनिक मद	1044.02
8-	आई0आर0डी0 प्रशासनिक मद	965.78
9-	संशोधित निर्बल वर्ग आवास	25000.00
10-	ज0रो0यो0 15%	30873.00
11-	सुनिश्चित रोजगार योजना	2728506.50
12-	प्रधानमंत्री आवास	14000.00

योग:- 5060091.52

इसी प्रतिवेदन के बिन्दु 7 पर विनियोजन के अन्तर्गत विभिन्न बैंक खातों में जमा का विवरण निम्नवत है। (जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार पुष्टित है)-

क्रमांक	खाता सं०	धनराशि
1-	3333- ग्रामीण बैंक भटनी	1024008.00
2-	7764 जि0सह0बैंक भटनी	1230900.00
3-	2480 सेन्ट्रल बैंक भटनी	169318.00
4-	4746 पंजाब नेशनल बैंक भटनी	59892.00
5-	4025 ग्रामीण बैंक भटनी	382613.00
6-	1511 जि0सह0बैंक भटनी	141486.96
7-	7875 जि0सह0बैंक भटनी	14000.00
8-	6824 ग्रामीण बैंक भटनी	1558899.50
9-	359 पंजाब नेशनल बैंक भटनी	805000.00

योग:- 5386117.46

उपरोक्तानुसार दिनांक 31.03.02 को अवशेष अनुदान के सापेक्ष दिनांक 01.04.2002 को प्रारम्भिक अवशेष (अनुदान पंजी भाग-3) में रु० 260190.00 दर्शाया गया है। शेष रु० (5060091.52-260190.00) रु० 4799901.52 के सम्बन्ध में वर्तमान लेखाकार द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया लेखाकार द्वारा बताया गया कि धनराशि सम्बन्धित खातों में है उन्हीं में से योजनाओं में कार्य कराया गया है। उपरोक्त खातों में क्रमांक 5 पर अंकित खात सं० 4025 ग्रामीण बैंक भटनी एवं क्रमांक 8 पर अंकित खात सं० 6824 ग्रामीण बैंक भटनी (स्वच्छता कार्यक्रम) के अतिरिक्त अन्य खातों का विवरण अनुदान पंजिका भाग-2 में देखने को नहीं मिला। इस प्रकार 31.03.02 के अन्त में दर्शित अवशेष एवं 01.04.02 को दर्शित प्रारम्भिक अवशेष के मध्य रु० 4799901.52 के अन्तर के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री मृणाल सिंह एवं लेखाकार श्री जगदीश प्रसाद जिम्मेदार है। अधिभार हेतु प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०सं०-05

प्रस्तर संख्या 155-वर्ष 2002-03 में किये गये/दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	मद का विवरण अकाउंट न०	दर्शित व्यय की धनराशि
1	अनुदान मद 4511	60000.00
2.	अनुदान मद 5818	3,30000.00
3.	प्रशिक्षण मद 4219	325.00
4.	रिवाल्विंग फण्ड 7385	140000.00
5.	ऋण सह अनुदान आवास 6825	70000.00
6.	अवस्थापना मद 7810	2420.00

योग:- 602745.00

उपरोक्त विवरणानुसार दर्शित व्यय रु० 602745.00 प्रमाणकों के अभाव में अपुष्ट है, जो अधिभार योग्य हैं जिसके लिए वर्ष में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी श्री मृणाल सिंह, श्री उपेन्द्र कुमार पाठक, श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता एवं श्री रामवहाल यादव तथा लेखाकार श्री जगदीश प्रसाद जिम्मेदार है। अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 156—वर्ष 2003-04 में क्षेत्र पंचायत की अनुदान पंजिका -2 के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, विवरण निम्नवत है—

क्र.सं0	मद का विवरण अकाउंट न0	दर्शित व्यय
अनुदान मद 4511		562735.00
अनुदान मद 5818		590020.00
अनुदान मद 7846		70000.00
प्रशिक्षण मद 4219		109726.00
रिवाल्विंग फण्ड 7385		4450.00
ऋण सहअनुदान आवास 6825		30000.00

योग:— 1366931.00

उपरोक्तानुसार खातो से निकासी कर विभिन्न तिथियों में किये गये व्यय की पुष्टि, प्रमाणकों के अभाव में न की जा सकी। प्रमाणकों के अभाव में दर्शित व्यय अधिभार योग्य है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामबहाल यादव, एवं लेखाकार श्री जगदीश प्रसाद जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-07

प्रस्तर संख्या 157—प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायतों हेतु विभिन्न बैंक शाखाओं के नाम चेक निर्गत किये गये है—

माह	चेक सं0	धनराशि
फरवरी 05	953426— 953438 एवं 774848	269500.00

मार्च 05 953439 एवं 774847,49 एवं 953440 52842.00

योग:— 322342.00

इसी प्रकार वर्ष 2005-06 में भी रू0 385306.00 का चेक विभिन्न बैंक शाखाओं के नाम निर्गत है, जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

- 1— प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हेतु चयनित पात्र लाभार्थियों की सूची संलग्न नहीं हैं।
- 2— लाभार्थियों की धनप्राप्ति रसीद संलग्न नहीं है।
- 3— आवास निर्माण का कार्यपूर्ण हुआ कि नहीं इस आशय का प्रमाण पत्र (सम्बन्धित सेक्टर प्रभारी द्वारा प्रदत्त) संलग्न नहीं है।

अतः आवश्यक प्रमाणकों के अभाव में उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में दर्शित कुल व्यय रू0 707648.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राम बहाल यादव व लेखाकार श्री उमेशचन्द्र शर्मा जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-08

प्रस्तर संख्या 158—वर्ष 2005-06 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण बैंक भटनी के खाता सं0 6824 से 1388244.00 रू0 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय विभिन्न प्रोजेक्ट पर दर्शाया गया है, जिससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। पत्रावली के अभाव में निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्णता, आयकर एवं व्यापार कर की कटौती, निर्माण कार्य की माप, गुणवत्ता आदि की जानकारी नहीं हो सकी। अतः आवश्यक प्रमाणकों के अभाव दर्शित व्यय अधिभार योग्य है। इसी प्रकार से वर्ष 06-07 में 1587917.00 रू0 व्यय उपरोक्तानुसार ही अधिभार हेतु विचार करने योग्य है। इसी प्रकार सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निम्न खातो से व्यय अधिभार योग्य है।

खाता सं0	वर्ष	व्यय धनराशि
6016	05-06	1589211.00
पीएनबी बनकटा तिवारी	06-07	250212.00
	योग	1839423.00
पीएनबी नोनापार	05-06	582848.00
अकाउंट न0 7840	06-07	771082.00
	योग	1353930.00
पीएनबी भटनी	05-06	42225.00
अकाउंट न0 22961	06-07	568500.00
	योग	610725.00
इलाहाबाद बैंक	05-06	57600.00
देवरिया	06-07	85081.00
	योग	142681.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुल 6922920 अधिभार योग्य है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामबहाल यादव, श्री उपेन्द्र कुमार पाठक, श्री दुर्गा सिंह, श्री अशोक कुमार गुप्ता, श्री श्याम कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री उमेश चन्द्र शर्मा जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-10**

प्रस्तर संख्या 159- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (कन्टीन्यून्सी) खाता सं0 सीडी 422 पीएनबी भटनी से वर्ष 05-06 में रू0 113544.00 एवं वर्ष 06-07 में रू0 35750.00 के व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया इस कारण रू0 149294.00 अधिभार योग्य है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामबहाल यादव, श्री उपेन्द्र कुमार पाठक, श्री दुर्गा सिंह, श्री अशोक कुमार गुप्ता, श्री श्याम कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री उमेश चन्द्र शर्मा जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-11**

प्रस्तर संख्या 160- आलोच्य वर्ष 2006-07 में दिनांक 30.03.2007 को स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु रू0 37300.00 प्राप्त हुआ। उक्त धनराशि का उसी वित्तीय वर्ष के 1 दिन में श्री धर्मेन्द्र गुप्ता को भुगतान रू0 28650.00 प्रशिक्षण मद में दर्शाया गया है। उक्त भुगतान पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

- 1- प्रशिक्षण हेतु आमन्त्रण कब भेजा गया।
- 2- प्रशिक्षण में कितने प्रशिक्षुओं ने प्रतिभाग किया।
- 3- व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।

अतः अवास्तविक व्यय दर्शाकर (एक दिन के अन्दर सारा कार्य सम्पादित कराना संदिग्ध है) रू0 28650 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए श्री धर्मेन्द्र गुप्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री उमेश चन्द्र शर्मा जिम्मेदार है। अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-12**

प्रस्तर संख्या 161- वसूली विभिन्न मद, ग्रामीण बैंक भटनी खाता संख्या 3087 के अर्न्तगत वर्ष 2004-05 से 2006-07 की अवधि में रू0 194926.00 के व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणको अभाव में दर्शित व्यय अधिभार योग्य है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामबहाल यादव, श्री उपेन्द्र कुमार पाठक, श्री दुर्गा सिंह, श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री श्याम कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री उमेशचन्द्र शर्मा जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-13**

प्रस्तर संख्या 162- क्षेत्र पंचायत के अर्न्तगत शौचालय निर्माण पर निम्नानुसार बैंक/ डाकघर के माध्यम से लाभार्थियों को भुगतान दर्शाया गया है -

माह	चेक संख्या	धनराशि
मई 2005	568160-83	85226.00
जून 2005	568184-568209	751561.00
जुलाई 2005	568210-34	943938.00
अगस्त 2005	568235-51	928486.00
सितंबर 2005	568252-66	508106.00
अक्टूबर 2005	568267-568300	5883826.00
नवम्बर 2005	414426-414443	3780426.00
योग		13648569.00

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

1-शौचालयों के लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत नहीं की गयी

2-शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) संलग्न नहीं है।

अतः आवश्यक प्रमाणको के अभाव में दर्शित व्यय के नियमानुसार व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव दर्शित व्यय रू0 13648569.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामबहाल यादव एवं लेखाकार श्री उमेशचन्द्र शर्मा जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-14**

प्रस्तर संख्या 163- इन्दिरा आवास हेतु ग्रामीण बैंक भटनी के खाता संख्या 7356 से निम्न विवरण के अनुसार लाभार्थियों को भुगतान हेतु धनराशि चेक द्वारा बैंक शाखाओं को ट्रांसफर की गयी है -

माह	चेक संख्या	धनराशि
नवम्बर 2004	233416-36	904956.00
दिसम्बर 2004	233437-46	446420.00
जनवरी 2005	233447-50	203012.00
	एवं 368101-10	
फरवरी 2005	568111-40	828288.00

योग

3048942.00

उक्त दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं—

1—इन्दिरा आवास हेतु पात्र लाभार्थियों की सूची संलग्न नहीं है ।

2—इन्दिरा आवास पूर्ण होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

अतः दर्शित व्यय रु० 3048942.00 प्रमाणकों के अभाव में अधिभार योग्य है ।

जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामबहाल यादव एवं लेखाकार श्री उमेशचन्द्र शर्मा जिम्मेदार हैं । ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०सं०-15

प्रारूप- 3

वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

जनपद का नाम —गोरखपुर

मण्डल का नाम — गोरखपुर

3.1 — क्षेत्र पंचायत के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर संख्या-01 अनुदान पंजिका भाग 3 के अनुसार 12 वां वित्त आयोग में दिनांक 01.04.2010 को प्रारम्भिक अवशेष रु० 2454398.00, वर्ष का आय रु० 487506.00, वर्ष का व्यय रु० 581959.00 घटाने पर 31.03.2011 को रु० 2359945.00 होना चाहिए जबकि अनुदान पंजिका 3 में माह नवम्बर, दिसम्बर 2010 में रु० 1868718.00 की कमी अंकित करके मार्च 2011 तक अवशेष कम अंकित किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त मद का बैंक पासबुक अधूरा जांच हेतु प्रस्तुत किया गया, जिससे दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक का आय-व्यय एवं अवशेष धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध श्री रघुनाथ प्रसाद (सहायक लेखाकार) से स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने लेखा की जानकारी न होना तथा अन्य लेखाकार को दोषी बताया गया। इस प्रकार इतनी बड़ी धनराशि के अन्तर का समाधान प्राप्त नहीं हो सका। स्थिति गम्भीर है।

अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपेक्षा की जाती है कि 12 वां वित्त आयोग में वर्ष 2010-11 में अनुदान पंजिका एवं बैंक पासबुकों की जांच कराकर अन्तर की धनराशि का समाधान कराया जाना चाहिए। अन्तर की धनराशि का समाधान न होने पर उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री यशवन्त कुमार सिंह, सहायक लेखाकार श्री दीपेन्द्र श्रीवास्तव एवं सहायक लेखाकार श्री रघुनाथ प्रसाद से बराबर के अनुपात में सम्बन्धित धनराशि रु० 1868718.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
1868718.00	00.000	1868718.00

प्रस्तर सं०-02 12 वां वित्त आयोग वर्ष 2009-10 में अनुदान पंजिका भाग 3 के अनुसार वर्ष में कुल रु० 263528.00 व्यय किया गया, जबकी अनुदान पंजिका भाग 2 में वर्ष का कुल व्यय रु० 156428.00 का ही विवरण अंकित है। तथा शेष रु० 107100.00 का व्यय विवरण अज्ञात व अनुपलब्ध है, जिससे उक्त व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रु० 107100.00 के शेष व्यय प्रमाणकों की जांच कराकर कार्य एवं व्यय की पुष्टि करायी जानी चाहिए। पुष्टि न होने की दशा में सम्बन्धित धनराशि रु० 107100.00 उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
107100.00	00.00	107100.00

प्रस्तर सं०-03 वर्ष 2010-11 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) मद में रु० 165916.00 व्यय करके व्यय विवरण अनुदान पंजिका भाग 2 में अंकित न करके तथा लेखा परीक्षा में उक्त व्यय प्रमाणकों की जांच नहीं कराने से रु० 165916.00 के अपहरण की सम्भावना प्रतीत होती है। अतः सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) मद में रु० 165916.00 व्यय का लेखा अनुदान पंजिका भाग 2 में करके तथा व्यय प्रमाणकों की जांच कराकर कार्य एवं व्यय की पुष्टि करायी जानी चाहिए। पुष्टि न होने की दशा में सम्बन्धित धनराशि रु० 165916.00 उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
165916.00	00.00	165916.00

प्रस्तर सं०-04 मनरेगा मद से ग्राम सभा परसा उर्फ अगलहवा में ब्रह्मस्थान पर कूप मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 2011-12 में रु० 17000.00 भुगतान किया गया है। निम्न गम्भीर आपत्तियां हैं :-

1— उक्त कार्य हेतु अविनाश मणि त्रिपाठी ईट भट्टा द्वारा दिनांक 09.01.2011 को 2000 ईट आपूर्ति हेतु रु० 3750.00 प्रति हजार से कुल रु० 7500.00 चेक संख्या 189262 दिनांक 06.01.2012 द्वारा भुगतान किया गया है। जिसके लिए न तो कोटेशन प्राप्त किया गया है, और न ही आयकर रु० 168.00 की कटौती करके आयकर जमा नहीं किया गया है। जो अनियमित है।

2— पुनः दिनांक 10.01.2011 को 25 बोरी सीमेण्ट व 4.13 घन मीटर बालू राहुल ब्रदर्श पडौली से कय करके चेक संख्या 189263 दिनांक 06.01.2012 द्वारा रू0 9500.00 भुगतान किया गया है। जिसका कोटेशन नहीं है।

3— उक्त दोनो स्टॉक कार्य प्रभारी श्री रमेश प्रसाद को प्राप्त कराया गया है परन्तु उक्त कूप मरम्मत हेतु मजदूरी व्यय न करने से तथा मजदूरी व्यय शून्य होने से उक्त कय किए गये ईट, सीमेण्ट, बालू के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अथवा उक्त ईट, सीमेण्ट, बालू के दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री यशवन्त कुमार सिंह एवं कार्य प्रभारी श्री रमेश प्रसाद (ग्रा0वि0अधि0) उत्तरदायी है।

अतः रू0 17000.00 उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री यशवन्त कुमार सिंह, कार्य प्रभारी श्री रमेश प्रसाद (ग्रा0वि0अधि0) से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	17000.00	17000.00

प्रस्तर सं0-05 ग्राम सभा खिरकिटा दूबे में मनरेगा मद से पप्पू के दरवाजे पर कूप मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 2011-12 में कुल रू0 16966.00 सामग्री कय हेतु व्यय किया गया है। निम्न गम्भीर आपत्तियाँ हैं :-

1— सामग्रियों के कय हेतु कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया है। तथा सामग्री आपूर्ति हेतु आदेश नहीं हैं।

2— 2000 ईट व ईट टुकड़ा कय हेतु अविनाश मणि त्रिपाठी ईट भट्टा ककरही को रू0 9136.00 भुगतान चेक संख्या 189260 दिनांक 06.01.2012 से किया गया है। जिस पर 2.24 प्रतिशत आयकर कटौती रू0 205.00 न करके आयकर जमा नहीं किया गया है।

3— सीमेण्ट, बालू, मोरंग, गिट्टी कय हेतु जायसवाल बेबरी चौराहा गोला को रू0 7830.00 चेक संख्या 189261 दिनांक 06.01.2012 से भुगतान किया गया है।

4— उपरोक्त सभी सामग्रियों को कार्य प्रभारी श्री कृष्णानन्द शर्मा को प्राप्त कराया गया है।

5— उपरोक्त कूप मरम्मत कार्य हेतु कोई मजदूरी व्यय नहीं किया गया है अतः उक्त कूप मरम्मत हेतु मजदूरी व्यय शून्य होने से उपरोक्त कय किए गये ईट, सीमेण्ट, बालू, मोरंग, गिट्टी, ईट के टुकड़ों के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है। तथा उक्त सामग्रियों के दुरुपयोग होना सिद्ध होता है। उपरोक्त भुगतान के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री यशवन्त कुमार सिंह एवं कार्य प्रभारी श्री कृष्णानन्द शर्मा (ग्रा0वि0अधि0) उत्तरदायी है।

अतः उपरोक्त उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री यशवन्त कुमार सिंह एवं कार्य प्रभारी श्री कृष्णानन्द शर्मा (ग्रा0वि0अधि0) से रू0 16966.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
16966.00	0.00	16966.00

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

प्रारूप : 03

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : हाटा की वर्ष 2010-11 से वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : हाटा

प्रस्तर सं० : 1 मनरेगा वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत नकहनी परसौनी में हेतिमपुर गोबरही मार्ग से लालधर के खेत तक मिट्टी कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जाँच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त कार्य पर कुल रू० 121520.00 व्यय हुआ है। एक भी मस्टर रोल पर मजदूरों के अँगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं पाया गया। मस्टररोल संख्या 324436 में क्रमांक 43 सं 56 तक मजदूरों की उपस्थिति 6 दिवस दर्शित है। जबकि भुगतान 7 दिवस मजदूरी का किया गया है। इस प्रकार प्रति मजदूर 1 दिवस का ज्यादा भुगतान किया गया है। इस प्रकार $14 \times 100 = 1400.00$ रू० का ज्यादा भुगतान किया गया है। अतः रू० 1400.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री श्रीकान्त मिश्र एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द से संयुक्त रूप से अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं० : 34)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1400.00	..	..	1400.00

प्रस्तर सं० : 2 मनरेगा वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत सकरौली में मेनरोड से प्रभुनाथ के घर तक मिट्टी एवं खड़जा कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य पर कुल रू० 171500.00 का व्यय हुआ है। उक्त कार्य के कार्य प्रभारी श्री रामजीत बी०ओ० ;पी०आर०डी०द्ध हैं। उक्त कार्य में रू० 100000.00 का ईट क्रय किया गया है तथा रू० 71500/- का मजदूरी पर व्यय किया गया है। परन्तु इसके लिए नियमानुसार निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है। बिल भुगतान करते समय व्यापार कर तथा आयकर की कटौती नहीं की गयी है। खड़जा कार्य हेतु मिस्त्री को रू० 250.00 प्रतिदिवस की दर से मजदूरी का भुगतान किया गया है। जबकि खड़जा कार्य कुशल श्रमिक द्वारा किया

जाता है। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत मस्टर रोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। इस प्रकार रु० 171500.00 का भुगतान अनियमित रहा, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री रामजीत एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 35)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..	..	171500.00	171500.00

प्रस्तर सं० : 3 मनरेगा वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत सोहसा मटिया पुल से मंझरिया नहर पुल तक मिटटी एवं खड़न्जा कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य पर कुल रु० 837130.00 का व्यय दर्शित है। उक्त कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री विद्याधर गुप्ता ए०डी०ओ०, एजी०इ० हैं। उक्त कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार ईट क्रय किया गया।

तिथि	बिल सं०	फर्म का नाम	मात्रा/दर	धनराशि
06.01.2011	118	यादव ईट उद्योग, कघुडया, मरकटिया बाजार कुशीनगर	70 हजार दर 3500	245000.00
11.01.2011	119	— तदैव —	60 हजार दर 3500	210000.00
13.01.2011	124	— तदैव —	12 हजार दर 3500	42000.00
07.04.2011	481	— तदैव —	52700 नग दर 3500	184450.00
योग			194700 दर 3500	681450.00

उपरोक्त के सम्बंध में निम्न आपत्तियाँ हैं :-

कुल 194700.00 ईट 681450.00 में क्रय किया गया है, परन्तु इसके लिए निविदा आमन्त्रित नहीं किया गया है। ईट क्रय हेतु चेक फर्म के नाम निर्गत नहीं करके कार्य प्रभारी के नाम से निर्गत किया गया है। बिल पर टिन नं० अंकित नहीं है। बिल पर व्यापार कर एवं आयकर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है।

मस्टर रोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। खड़न्जा कार्य कुशल श्रमिक द्वारा कराया जाता है। परन्तु खड़न्जा कार्य हेतु मिस्त्री को 220.00 रु० की दर से भुगतान किया गया है। मस्टर रोल हस्तलिखित है तथा इसके सम्पूर्ण कालम भरे नहीं गये हैं। इस प्रकार रु० 837130.00 का भुगतान अनियमित रहा, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री विद्याधर गुप्त एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 36)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..	..	837130.00	837130.00

प्रस्तर सं० : 4 मनरेगा वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत परेवाटार में नहर से चेगौना पिच तक नहर की पटरी पर मिटटी कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि इस कार्य पर कुल रु० 337080.00 व्यय हुआ है। उक्त कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री श्रीकान्त मिश्र ए०डी०ओ०, पी०इ० हैं। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत मस्टर रोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। कार्य की फोटोग्राफी तीन स्तरों पर की जानी चाहिए, परन्तु फोटोग्राफी नहीं करायी गयी है। इस प्रकार रु० 337080.00 का भुगतान अनियमित रहा, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री श्रीकान्त मिश्र एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 37)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..	..	337080.00	337080.00

प्रस्तर सं० : 5 मनरेगा वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत गोपालपुर मरदहा से ट्राम्बे लाइन तक ड्रेन की सफाई कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि इस कार्य पर कुल रु० 399000.00 व्यय किया गया है। इस कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी ए०डी०ओ०, आई०एस०बी०इ० हैं। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत मस्टररोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। फोटोग्राफी संलग्न नहीं हैं। जबकि तीन स्तरों पर फोटोग्राफी का प्राविधान है। इस प्रकार रु० 399000.00 का भुगतान अनियमित रहा, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 38)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	--	399000-00	399000-00

प्रस्तर सं० : 6 मनरेगा वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं, उक्त से सम्बंधित पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि मस्टररोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। फोटोग्राफी तीन स्तरों पर कार्य

प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य प्रारम्भ के समय तथा कार्य समाप्ति पर होनी चाहिए, परन्तु फोटोग्राफी संलग्न नहीं हैं। विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	मजदूरी भुगतान की राशि	टिप्पणी
1.	भीसवा बाजार पुल से घुस के पुल तक मौन नाला सिल्ट सफाई कार्य	श्री रामजीत, बी०ओ० पी०आर०डी०	312480.00	मस्टररोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। फोटोग्राफर संलग्न नहीं है।
21	सकरौली नहर पुल से टिकरी होकर परसौनी पुल तक मि०कार्य	— तदैव —	285600.00	मस्टररोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। फोटोग्राफर संलग्न नहीं है। मस्टररोल पर अत्यधिक कटिंग है।
3.	ग्राम परेवाटार में गंगा छपरा लटियहवा पुल से भठही पिच तक पटरी भराई कार्य।	श्री श्रीकान्त मिश्र, ए०डी०ओ० पी०	626110.00	मस्टररोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। फोटोग्राफी नहीं है। मापन पुस्तिका नहीं है।
4.	ग्राम गोपालपुर से नेशनल हाइवे तक ड्रेन की सफाई कार्य।	श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी ए०डी०ओ० आई०एस०बी०	399000.00	मस्टररोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। फोटोग्राफी नहीं है। मापन पुस्तिका नहीं है।
योग			1623190.00	

इस प्रकार रु०1623190.00 का भुगतान अनियमित रहा, जिसके लिए सम्बंधित कार्य के कार्य प्रभारी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 39)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	--	1623190-00	1623190-00

प्रस्तर सं० : 7 मनरेगा वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत ग्राम बड़हरा में रामउग्रह के खेत के पास नहर पर पुलिया (1 ग 3मी०) निर्माण कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य के कार्य प्रभारी श्री रामजीत बी०ओ०पी० आर०डी० हैं, तथा कार्य पर कुल रु० 382398.00 व्यय हुआ है। निम्न विवरणानुसार सामग्री पर व्यय दर्शित है :-

तिथि	बिल सं०	फर्म का नाम	मात्रा	दर	धनराशि
11.01.2011	225	जय बजरंग ईट उद्योग, रामपुर सोहरौना कुशीनगर	31घनमीटर टुकड़ा ईट 30 हजार ईट	604/50 दर 3500.00	19041/75 105000.00
			योग		124041/75
			भुगतान		124042.00
13.01.2011	302	जय बजरंग ईट उद्योग, रामपुर सोहरौना कुशीनगर	19 हजार ईट	दर 3500.00	66500.00
13.01.2011	212	जय माँ जगदम्बे ट्रेडर्स परागपुर हाटा कुशीनगर	सीमेंट 100 बैग	दर 275.00	27500.00
01.03.2011		जय माँ जगदम्बे ट्रेडर्स परागपुर हाटा कुशीनगर	सीमेंट 120 बोरी लालबालू 4 घनमीटर पत्थर गिट्टी 850 घनमीटर छड़ 9.50 कु०	दर 275.00 दर 1177.00 दर 1501.00 दर 3500.00	33000.00 4708.00 12758.00 33250.00 83716.00

सामग्री क्रय के सम्बंध में निम्न आपत्तियाँ हैं :-बिल पर व्यापार कर एवं आयकर की कटौती नहीं की गयी है, जिससे राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है।

सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/निविदा आमन्त्रित नहीं की गयी है।

भुगतान फर्म के नाम नहीं करके कार्य प्रभारी के नाम चेक निर्गत किया गया है। इस प्रकार गम्भीर अनियमितता की गयी है। दिनांक 11.01.2011 को जय बजरंग ईट उद्योग, रामपुर सोहरौना कुशीनगर के 31 मी³ टुकड़ा ईट/604.50 हेतु रु० 19041.75 का भुगतान बिल के अनुसार दर्शित है जबकि गणनानुसार 31 मी³ टुकड़ा ईट 604.50 की दर से रु० 18739.50 होता है। इस प्रकार रु० 302.25 का ज्यादा भुगतान किया गया है। अतः रु० 302.25 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री रामजीत बी०ओ० पी०आर०डी० से अपेक्षित है।

उपरोक्त कार्य के मजदूरी पर कुल 80640.00 का व्यय दर्शित है। खड़न्जा कार्य हेतु मिस्त्री को भुगतान दर्शित है। जबकि कुशल श्रमिक ही खड़न्जा कार्य करता है। मस्टररोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। मस्टररोल के पीछे के सभी कालम भरे नहीं गये हैं। इस प्रकार मजदूरी भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए लेखाकार श्री सुभाष प्रसाद तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं।

(मूल आपत्ति सं० : 40)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
302.25	--	382095.75	382398-00

प्रस्तर सं० : 8 मनरेगा वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत पटेवाटार में उस्मान के घर से मंजूर के खेत तक पक्की नाली निर्माण सम्बंधी पत्रावली की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उस कार्य पर कुल रु० 329136.00 का व्यय हुआ है, जिसके कार्य प्रभारी श्री श्रीकान्त मिश्रा/रमापति यादव हैं। सम्बंधित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार सामग्री क्रय किया गया है :-

तिथि	बिल सं०	फर्म का नाम	मात्रा	धनराशि
10.04.2011	289	जय बजरंग ईट उद्योग, रामपुर सोहरौना कुशीनगर	10 हजार दर 3500.00 ईट की गिट्टी 6 घनमीटर	35000.00 3627.00
योग				38627.00
07.04.2011	295	जय माँ जगदम्बे ट्रेडर्स परागपुर हाटा कुशीनगर	89 बोरी सीमेन्ट दर 275.00 सफेद बालू 11 घनमीटर दर 594.00	24475.00 6424.00
योग				30899.00
20.01.2011		जय माँ जगदम्बे ट्रेडर्स परागपुर हाटा कुशीनगर	सीमेन्ट 70 बोरी दर 275.00 सफेद बालू 40 घनमीटर दर 584.00	19250.00 23360.00
योग				42610.00
11.01.2011	229	जय माँ जगदम्बे ट्रेडर्स परागपुर हाटा कुशीनगर	सीमेन्ट 200 बोरी दर 275.00	55000.00
11.01.2011	230	जय बजरंग ईट उद्योग	30 हजार दर 3500.00	105000.00
महायोग				272136.00

सामग्री क्रय पर व्यापार कर 4 प्रतिशत की कटौती नहीं की गयी है। आयकर कटौती 2.24 प्रतिशत की दर से नहीं काटी गयी है। 07.04.2011 का बिल संख्या 295 द्वारा बालू 594.00 की दर से क्रय किया गया है तथा 20.01.2011 को सफेद बालू 584.00 की दर से क्रय किया गया है। जबकि दोनों फर्म एक ही है। सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/निविदा आमन्त्रित नहीं की गयी है। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत मस्टररोल रु० 57000.00 पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। मस्टररोल संख्या 324344 में मिस्त्री को 220.00 रु० की दर से मजदूरी भुगतान किया गया है। जबकि मस्टररोल संख्या 324347 में उक्त कार्य में ही 260.00 रु० की दर से भुगतान किया गया है। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में राजकीय दर से प्रमाणित प्रति सुलभ नहीं करायी गयी। इस प्रकार मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी। अतः रु० 329136.00 का भुगतान अनियमित रहा। उक्त के लिए कार्य प्रभारी श्री श्रीकान्त मिश्रा/श्री रमापति यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 42)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	--	329136.00	329136.00

प्रस्तर सं० : 9 मनरेगा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत ग्राम सभा जुड़वनिया में मिट्टी भराई कार्य के पत्रावली की जाँच में पाया गया कि मस्टर रोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। मस्टररोल के सभी कालम भरे नहीं गये हैं। उक्त कार्य में निम्न मस्टररोल क्रमांक 346607, 346608, 346609, 346610, 346614, 346613, 346612 का प्रयोग हुआ है। उक्त कार्य के कार्य प्रभारी श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी ए०डी०ओ० आई०एस०बी० रहे हैं। तीन स्तरों पर फोटोग्राफी होनी चाहिए परन्तु एक भी फोटोग्राफी पत्रावली में संलग्न नहीं है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है। उक्त कार्य पर कुल रु० 147720.00 का व्यय दर्शित है। उक्त की माप पुस्तिका भी संलग्न नहीं है। अतः रु० 147720.00 दुरुपयोगित रही। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं० : 45)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..	147720.00	..	147720.00

प्रस्तर सं० : 10 मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में ग्राम नकहनी में नकहनी सीवान से परसहवों सीवान तक ड्रेन सफाई कार्य कराया गया है, जिसके कार्य प्रभारी श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी रहे हैं। उक्त कार्य पर मजदूरी पर कुल रु० 166320.00 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बंधित मस्टररोल पर कतिपय पर अँगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। मस्टररोल के पीछे के सभी कालम भरे नहीं गये हैं। फोटोग्राफी संलग्न नहीं है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है। इस प्रकार रु० 166320.00 दुरुपयोगित प्रतीत होता है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 46)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..	166320.00	..	166320.00

प्रस्तर सं० : 11 मनरेगा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत छितौनी बन्धे से खघ्वां तक ड्रेन की खुदाई कार्य से सम्बंधित पत्रावली की अवलोकन से यह विदित हुआ कि उक्त कार्य पर कुल रु० 546280.00 का व्यय हुआ है। एक भी मस्टररोल पर मजदूरी के अँगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है। मस्टररोल के सभी कालम भरे नहीं गये हैं। एम०बी० नहीं है। इस प्रकार रु० 546280.00 दुरुपयोगित रही, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 47)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	546280-00	--	546280-00

प्रस्तर सं० : 12 मनरेगा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत ग्राम सभा मिस्वा में नौन नाला से राजेन्द्र के खेत तक एवं अम्बिका के खेत तक कुल 750मी० मिट्टी कार्य पर रु० 661920.00 व्यय दर्शित है। उक्त कार्य के कार्य प्रभारी श्री रामजीत बी०ओ० पी०आर०डी० रहे हैं। व्यय से सम्बंधित एक भी मस्टररोल पर मजदूरी के अँगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। फोटोग्राफी संलग्न नहीं है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है। इस प्रकार रु० 661920.00 की धनराशि दुरुपयोगित रही, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री रामजीत एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 48)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	661620.0	--	661920-00

प्रस्तर सं० : 13 मनरेगा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत छितौनी से सिंघना होते हुए मौन नाले तक ड्रेन की सफाई एवं खुदाई कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य पर रु० 555240.00 व्यय हुआ है। उक्त भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल पर मजदूरी के अँगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। मस्टररोल के पीछे के सभी कालम भरे नहीं गये हैं। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है। इस प्रकार रु० 555240.00 दुरुपयोगित रही, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री रामजीत एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 49)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	555240-00	--	555240-00

प्रस्तर सं० : 14 मनरेगा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत ग्राम छपरा मार्ग जाने वाले मार्ग पर 1 र 3 पुलिया निर्माण कार्य पर कुल रु० 437465.00 व्यय दर्शित है। सामग्री पर कुल रु० 358645.00 एवं मजदूरी पर रु० 78820.00 का व्यय दर्शित है। एक भी मस्टररोल पर मजदूरी के अँगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। मस्टररोल के सभी कालम भरे नहीं गये हैं। सामग्री क्रय किये गये प्रमाणकों पर स्रोत पर आयकर कटौती एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है। कार्य पर कुल भुगतान 437465.00 का हुआ है। परन्तु एम०बी० रु० 287671.00 का हुआ है। इस प्रकार रु० 149794.00 की धनराशि अपहृत हुयी है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 50)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
149794-00	--	--	149794-00

प्रस्तर सं० : 15 मनरेगा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत खझवां से मौन नाले तक ड्रेन की खुदाई कार्य के पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य पर कुल रु० 561120.00 व्यय हुआ है। उक्त कार्य के कार्य प्रभारी श्री रमापति यादव ए०डी०ओ० (एस०टी०) रहे हैं। उक्त व्यय से सम्बंधित एक भी मस्टररोल पर मजदूरी के अँगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। फोटोग्राफी नहीं कराई गयी है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है। इस प्रकार रु० 561120.00 दुरुपयोगित रही, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री रमापति यादव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 51)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	561120-00	--	561120-00

प्रस्तर सं० : 16 मनरेगा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत ग्राम छपरा भगत में प्रा० वि० के पीछे 1 ग 3 आर०सी०सी० पुलिया निर्माण की पत्रावली के अवलोकन से यह विदित हुआ कि उक्त कार्य पर कुल रु० 467215.00 व्यय हुआ है, जिसमें सामग्री पर रु० 358645.00 एवं श्रमांश पर रु० 108570.00 व्यय हुआ है। मजदूरी भुगतान से सम्बंधित एक भी मस्टररोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। मस्टररोल के पीछे के सभी कालम भरे नहीं गये हैं। फोटोग्राफी संलग्न नहीं है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है। एम०बी० रु० 287671.00 का हुआ है। इस प्रकार एम०बी० से रु० 179544.00 का ज्यादा भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः रु० 179544.00 की वसूली कार्य प्रभारी श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द से अपेक्षित हैं। उल्लेखनीय है कि सामग्री क्रय स्रोत पर आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 52)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
179544-00	287671-00	--	467215-00

प्रस्तर सं० : 17 मनरेगा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महुई में हरिजन बस्ती में पोखरी की खुदाई कार्य के पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य पर कुल रु० 347640.00 का व्यय हुआ है। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत एक भी मस्टर रोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। फोटोग्राफी नहीं संलग्न है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है। इस प्रकार रु० 347640.00 दुरुपयोगित रही, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री रमापति यादव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 53)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	347640-00	--	347640-00

प्रस्तर सं० : 18 मनरेगा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य की पत्रावली के अवलोकन से यह विदित हुआ कि कराये गये मिट्टी/सफाई से सम्बंधित मस्टर रोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। मस्टररोल के पीछे के सभी कालम पूर्ण नहीं हैं। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि अनु.जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को किस अनुपात में रोजगार दिया गया है। ग्राम पंचायतों में क्षेत्र पंचायत हाटा द्वारा कराये गये कार्यों के सम्बंध में सम्बंधित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं सचिव से इस आशय का प्रमाणपत्र कि यह कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराया गया है, संलग्न नहीं है। साथ उक्त कार्य के सम्बंध में जिला पंचायत कुशीनगर के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि यह कार्य जिला पंचायत द्वारा नहीं कराया गया है, संलग्न नहीं है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	धनराशि	अभ्युक्ति
1.	मडुआडीह नहर से पिपरी होते हुए प्रा०पा० तक मिट्टी कार्य।	श्री रामजीत बी०ओ० (पी०आर०डी०)	251040.00	फोटोग्राफी नहीं है।
2.	मडुआरी में नहर के बगल से कौलोसर तक ड्रेन की सफाई एवं खुदाई कार्य।	श्री रमापति यादव ए०डी०ओ० (एस०टी०)	308280.00	एक भी एम०आर० पर अंगूठा निशान नहीं है।
3.	पिपरही भड़कुलवा में पारस के खेत के पास पोखरी खुदाई कार्य।	श्री रमापति यादव ए०डी०ओ० (एस०टी०)	271800.00	मस्टररोल पर अंगूठा निशान/ हस्ताक्षर नहीं है। फोटोग्राफी नहीं है।
4.	परसौना सीवान में बैदौली बूस तक ड्रेन की खुदाई एवं सफाई कार्य।	श्री विद्यासागर गुप्ता ए०डी०ओ० (एजी०)	300840.00	कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है।
5.	बाघनाथ में जयशंकर लाल के खेत से पटना सीवान तक दोराची नाले की खुदाई कार्य।	श्री रामजीत बी०ओ० (पी०आर०डी०)	519120.00	एक भी मस्टररोल पर अंगूठा निशान नहीं है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है।
		योग	1651080.00	
6.	ग्राम महुई में दरजनही पोखरी का खुदाई कार्य।	श्री रमापति यादव ए०डी०ओ० (एस०टी०)	415680.00	मस्टररोल पर अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं है। फोटोग्राफी नहीं है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है।
7.	विकास खण्ड परिसर में मिट्टी भराई कार्य।	श्री रमापति यादव ए०डी०ओ० (एस०टी०)	217940.00	— तदैव —
8.	पटनी पुल से करमही सीवान तक ड्रेन की खुदाई कार्य।	श्री विद्यासागर गुप्ता ए०डी०ओ० (एजी०)	959480.00	— तदैव — मस्टररोल पर सफेदा

				लगा है।
9.	अहिरौली से नन्दा छपरा जाने वाली सड़क पर मिट्टी कार्य।	श्री विद्यासागर गुप्ता ए0डी0ओ0 (एजी0)	147840.00	मस्टररोल पर अंगूठा निशान/ह० नहीं है। फोटोग्राफी नहीं है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है।
योग			3392020.00	

इस प्रकार मनरेगा वर्ष 2011-12 रु० 3392020.00 की धनराशि दुरुपयोगित रही। जिसके लिए सम्बंधित कार्य प्रभारी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 54)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	3392020-00	--	3392020-00

प्रस्तर सं० : 19 मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में जनता इण्टर कालेज सोहसा मठिया से मंझरिया जाने वाले मार्ग पर मिट्टी एवं खड़न्जा कार्य से सम्बंधित पत्रावली के अवलोकन से यह विदित हुआ कि उक्त कार्य के लिए सामग्री क्रय रु० 100000.00 अधिक का किया गया है। परन्तु सामग्री क्रय हेतु निविदा आमन्त्रित नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक	प्रमाणक सं०	फर्म का नाम	मात्रा	दर	धनराशि
18.04.2011	462	यादव ईट उद्योग, कछुडया, नरकटियां बाजार कुशीनगर	100000	3500	350000.00
24.04.2011	485	- तदैव -	100000	3500	350000.00
13.06.2011	143	- तदैव -	92000	3500	322000.00
योग					1022000-00
					681450-00

उपरोक्त निर्माण कार्य पर मजदूरी पर रु० 244640.00 व्यय किया गया है। मस्टररोल पर सभी कालम भरे नहीं गये हैं। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य पर, सामग्री एवं मजदूरी पर कुल रु० 1266640.00 व्यय किया गया है। सामग्री क्रय पर स्रोत पर आयकर कटौती एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है। ईट क्रय के प्रमाणक पर तिथि पर कटिंग किया गया है। इस प्रकार रु० 1266640.00 की धनराशि दुरुपयोगित रही। इसके लिए कार्य प्रभारी श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 55)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..	1266640.00	..	1266640.00

प्रस्तर सं० : 20 मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पटनी देहात से एनएच.28 से छोटेलाल के घर तक मिट्टी एवं खड़न्जा कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जाँच से यह विदित हुआ कि ईट क्रय रु० 100000.00 से ज्यादा का किया गया है। परन्तु निविदा आमन्त्रित नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक	प्रमाणक सं०	फर्म का नाम	मात्रा	दर	धनराशि
15.04.2011	314	मॉ अम्बे ईट उद्योग, करमहा कुटी, हाटा कुशीनगर।	40000	3500	140000-00
13.07.2011	873	मॉ दुर्गा ईट उद्योग, रामपुर बुजुर्ग, हाटा।	18400	3500	64400-00
योग					204400-00

उक्त कार्य के मजदूरी पर रु० 100560.00 का व्यय दर्शित है। मजदूरी से सम्बंधित मस्टररोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। मस्टररोल के सभी कालम भरे नहीं हैं। फोटोग्राफी संलग्न नहीं हैं। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है। इस प्रकार उक्त खड़न्जा निर्माण पर कुल (204400 + 100560) = रु० 304960.00 का व्यय दुरुपयोगित है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री विद्याधर गुप्त एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 56)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..	304960.00	..	304960.00

प्रस्तर सं० : 21 मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत रामपुर पट्टी में सामुदायिक भवन के गेट पर 2 मी० पुल निर्माण कार्य से सम्बंधित पत्रावली की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ईट का क्रय स्टीमेट पर इस कार्य पर किया गया है।

तिथि	फर्म का नाम	मात्रा	दर	धनराशि
14.04.2011	मेसर्स अजय कुमार राव सोहसापट्टी गौसी, कुशीनगर।	25000 ईट 13.5 मी ³ टुकड़ी ईट	3500-00 604.50	87500-00 8160-00
योग इस प्रकार उपरोक्त व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है।				95660-00
14.04.2011	शाह बिल्डिंग मटेरियल अहिरौली बाजार, कुशीनगर।	सीमेंट 198 बोरी सफेद बालू, लाल बालू, पत्थर गिट्टी	दर 279	107286-00

उपरोक्त सामग्री क्रय पर आयकर एवं व्यापार कर की कटौती करके शासकीय करों की क्षति पहुँचायी गयी है। उपरोक्त कार्य पर मजदूरी पर रु० 94920.00 का भुगतान किया गया है। मस्टररोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। मस्टररोल के समस्त कालम अधूरे हैं। फोटोग्राफी संलग्न नहीं हैं। कार्यपूति प्रमाणपत्र नहीं है। इस प्रकार उक्त कार्य पर व्यय धनराशि रु० 297866.00 दुरुपयोगित रही, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री विद्याधर गुप्त एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 57)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	297866-00	--	297866-00

प्रस्तर सं० : 22 मनरेगा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत परेवाटार में 2 एम आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सामग्री क्रय पर आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नलिखित है :-

दिनांक	प्रमाणक सं०	फर्म का नाम	मात्रा	दर	धनराशि
15.04.2011	345	जय बजरंग ईट उद्योग, रामपुर सोहरौना, कुशीनगर।	24000 ईट टुकड़ी ईट 13.5 मी ³	3500 604.5	84000-00 8160-00
05.07.2011	344	जय बजरंग ईट उद्योग, रामपुर सोहरौना, कुशीनगर।	3600 ईट	3500	12600-00
15.04.2011	25	जय माँ जगदम्बा ट्रेडर्स सीमेंट, परागपुर हाटा, कुशीनगर।	सीमेंट 150 बैग सफेद बालू 24 मी ³	दर 275 दर 584	41250-00 14016-00
05.07.2011	23	जय माँ जगदम्बा ट्रेडर्स सीमेंट, परागपुर हाटा, कुशीनगर।	पत्थर गिट्टी 3.10 मी ³ लाल बालू	दर 56.79	52083-00
योग					212109-00
					681450-00

उक्त कार्य के मजदूरी पर रु० 81480.00 व्यय दर्शित है। परन्तु सम्बंधित मस्टररोल पर मजदूरी के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर नहीं हैं। मस्टररोल के सभी कालम अपूर्ण हैं। उक्त कार्य में ट्राली द्वारा मिट्टी पर दिनांक 21.06.2011 से 11.07.2011 तक रु० 750/- प्रति ट्राली की दर से रु० 15750.00 का व्यय दर्शित है। नियमतः निर्माण कार्यों में नजदीक से मिट्टी उपलब्ध न होने की स्थिति में मिट्टी की ढुलाई के लिए कार्यस्थल का सजरा प्लान बनाया जाना चाहिए तथा सजरा प्लान के अन्तर्गत वारो एरिया प्लान बनाया जाना चाहिए। परन्तु कोई सजरा प्लान (बारो एरिया प्लान) नहीं बनाया गया है। इस प्रकार कुल व्यय धनराशि रु० 309339.00 दुरुपयोगित है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री विद्याधर गुप्त एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 58)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	309339-00	--	309339-00

प्रस्तर सं० : 23 वर्ष 2011-12 में प्राप्त अनुदान से निर्णय कार्य पर व्यय निम्नानुसार दर्शित है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	टिप्पणी
1.	एन0एच0 28 से रामअशीष के आरा मशीन तक इंटरलाकिंग कार्य।	श्री रामजीत बी0ओ0 (पी0आर0डी0)	253599/ 06.07.2011	71000-00	
2.	बाघनाथ हरिदोला में रामअशीष के मशीन से चूड़ा मशीन तक इंटरलाकिंग कार्य।	”	253600/ 06.07.2011	98000-00	

3.	”	”	253601/ 07.07.2011	43000-00	
4.	वि०ख० अधि० आवास मरम्मत/नाली निर्माण।	”	253602/ 12.08.2011	180000-00	
5.	बाघनाथ में गेट निर्माण।	श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	253603/ 08.09.2011	60000-00	
6.	स०वि० अधि० आवास मरम्मत/ नाली निर्माण।	”	253604/ 08.09.2011	80000-00	
7.	वि० ख० परिसर में शौचालय निर्माण।	”	253605/ 08.09.2011	60000-00	
8.	वि० ख० में भवनों की रंगाई पुताई कार्य।	श्री रामजीत बी०ओ० (पी०आर०डी०)	253606/ 08.09.2011	60000-00	
9.	वि० ख० परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य।	”	253607/ 08.09.2011	99000-00	
10.	वि० ख० परिसर में सोलर एडस्टिंग कार्य।	श्री रमापति यादव स०वि०अधि० (सा)	253608/ 08.09.2011	50000-00	
11.	वि० ख० का गेट निर्माण।	”	253609/ 08.09.2011	50000-00	
12.	वि० ख० कार्यालय का उच्चीकरण।	”	253610/ 08.09.2011	50000-00	
13.	पशु चिकित्सालय का मरम्मत कार्य।	श्री विद्याधर गुप्त स०वि०अधि०	253611/ 12.08.2011	60000-00	
14.	वि० ख० परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य।	श्री रामजीत बी०ओ० (पी०आर०डी०)	253612/ 15.09.2011	98000-00	
15.	वि० ख० परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य।	”	253613/ 16.09.2011	98000-00	
16.	वि० ख० परिसर में पार्क निर्माण।	”	253614/ 03.10.2011	70000-00	
17.	वि० ख० का उच्चीकरण।	श्री रमापति यादव स०वि०अधि० (सा)	253615/ 03.10.2011	98000-00	
18.	वि० ख० परिसर में गैराज से इण्टरलाकिंग कार्य।	श्री रामजीत बी०ओ० (पी०आर०डी०)	253616/ 03.10.2011	98000-00	
19.	वि० ख० परिसर में रंगाई पुताई कार्य।	”	253617/ 03.10.2011	99000-00	
20.	वि० ख० परिसर में विभिन्न जगहों पर इण्टरलाकिंग कार्य।	श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	253618/ 03.10.2011	70000-00	
21.	वि० ख० परिसर में शौचालय निर्माण।	”	253619/ 03.10.2011	98000-00	
22.	वि० ख० कार्यालय भवन का उच्चीकरण।	श्री रमापति यादव स०वि०अधि० (सा)	253620/ 04.10.2011	98000-00	
23.	वि० ख० परिसर में अनावसीय भवनों का रंगाई पुताई कार्य।	श्री रामजीत बी०ओ० (पी०आर०डी०)	253621/ 04.10.2011	99000-00	
24.	वि० ख० परिसर में स०वि०अधि० आवास का नाली निर्माण।	श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	051976/ 17.10.2011	98000-00	
25.	वि० ख० परिसर में स०वि०अधि० आवास मरम्मत एवं नाली निर्माण।	”	021977/ 10.10.2011	98000-00	
26.	वि० ख० परिसर में विभिन्न स्थानों पर इण्टरलाकिंग कार्य।	”	021978/ 19.10.2011	50000-00	
27.	वि० ख० में कार्यालय भवन का उच्चीकरण।	श्री रमापति यादव स०वि०अधि० (सा)	021979/ 10.10.2011	44500-00	

28.	वि० ख० भवन में रंगाई पुताई कार्य।	श्री रामजीत बी०ओ० (पी०आर०डी०)	021980/ 19.10.2011	40000-00	
29.	पशु चिकित्सालय का मरम्मत कार्य।	श्री विद्याधर गुप्त स०वि०अधि०	021981/ 19.10.2011	98000-00	
30.	वि० ख० परिसर में शौचालय निर्माण।	श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	021984/ 01.11.2011	42000-00	
31.	वि० ख० में गेट निर्माण।	श्री रमापति यादव स०वि०अधि० (सा)	021985/ 11.11.2011	80000-00	
32.	वि० ख० परिसर में सोलर (एडस्टिंग हेतु)।	”	021986/ 15.11.2011	49000-00	
33.	स० वि० अधिकारी आवास मरम्मत एवं जाली निर्माण।	श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	021988/ 13.12.2011	24000-00	
34.	करमहा में सी.सी.रोड से राजकुमार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	श्री रामजीत बी०ओ० (पी०आर०डी०)	021990/ 14.12.2011	99000-00	
35.	बी.डी.ओ. आवास में इण्टरलाकिंग कार्य।	”	021991/ 14.12.2011	99000-00	
36.	करमहा में काशी के घर से भुलकन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	श्री विद्याधर गुप्त स०वि०अधि०	021992/ 14.12.2011	99000-00	
37.	वि०ख० परिसर में विभिन्न स्थानों पर इण्टरलाकिंग।	श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	021993/ 14.12.2011	51716-00	
38.	सी.सी.रोड से राजकुमार के घर तक ग्राम करमहों में इण्टरलाकिंग कार्य।	श्री रामजीत बी०ओ० (पी०आर०डी०)	022002/ 03.03.2012	35000-00	
योग				2891216-00	

वर्ष 2011-12 में उपरोक्त निर्माण कार्य में नियमों का पालन नहीं किया गया है। निर्माण सामग्री क्रय हेतु भुगतान सम्बंधित फर्म को नहीं करके कार्य प्रभारी के नाम चेक निर्गत किया गया है। निर्माण कार्य हेतु क्रय सामग्री का कोटेशन/निविदा आमन्त्रित नहीं किया गया है। मिट्टी खनन हेतु शासन को रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया है। निर्माण कार्य से सम्बंधित सामग्री के क्रय के व्यय प्रमाणकों में बिक्री कर 4 प्रतिशत तथा व्यापार कर 2.24 प्रतिशत कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार करों की क्षति पहुँचायी गयी है। माप पुस्तिका एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, अतः दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। इस प्रकार रु०2891216.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए सम्बंधित कार्य प्रभारी, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 59)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	2891216-00	--	2891216-00

प्रस्तर सं० : 24 वर्ष 2010-11 में शासन से प्राप्त अनुदान का व्यय निम्न विवरणानुसार दर्शाया गया है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी/चेक प्राप्तकर्ता का नाम	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1.	बी०आर०जी०एफ० भवन का निर्माण।	श्री रमापति यादव स०वि०अधि० (सा)	253565	95000.00	
2.	जनरेटर भवन निर्माण।	श्री रवि शंकर मिश्र अवर अभियन्ता (आर०ई०एस०)	253566	13122.00	
3.	स० वि० अधि० आवास मरम्मत	श्री सभापति सिंह ग्रा०वि०अधि०	253567	32800.00	
4.	वि० ख० परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य।	”	253568	98000.00	
5.	वि० ख० परिसर में इण्टरलाकिंग एवं सोलर कार्य।	”	253569	98000.00	
6.	वि० ख० परिसर में सी.सी.रोड निर्माण	श्री श्रीकान्त मिश्र	253570	98000.00	

	कार्य।	ए0डी0ओ0 (पी0)			
7.	बी0आर0जी0एफ0 भवन में केबिन श्री एवं टायल्स निर्माण कार्य।	श्री रमापति यादव स०वि०अधि० (सा)	253573	42000.00	
8.	वि० ख० परिसर में अनावासीय भवन निर्माण कार्य।	श्री रामजीत बी0ओ0 (पी0आर0डी0)		90000.00	
9.	वि० ख० परिसर में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	श्री श्रीकान्त मिश्र ए0डी0ओ0 (पी0)	253574	103439.00	
10.	वि० ख० परिसर में अनावासीय भवनों का मरम्मत कार्य।	श्री रामजीत बी0ओ0 (पी0आर0डी0)	253575	99000.00	
11.	वि० ख० परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य।	श्री सभापति सिंह ग्रा०वि०अधि०	253576	98000.00	
12.	वि० ख० परिसर में अनावासीय भवनों का मरम्मत कार्य।	श्री रामजीत बी0ओ0 (पी0आर0डी0)	253577	99000.00	
13.	ग्राम सभा गोपालपुर में पंचायत भवन का वाउण्ड्रीवाल निर्माण।	”	253579	50000.00	
योग				1016381.00	
14.	ग्राम पं० महुई में कब्रिस्तान का वाउण्ड्रीवाल निर्माण।	श्री रमापति यादव स०वि०अधि० (सा)	253580	70000.00	
15.	ग्राम पं० सकरौली में पंचायत भवन का वाउण्ड्रीवाल निर्माण।	श्री रामजीत बी0ओ0 (पी0आर0डी0)	253581	50000.00	
16.	ग्राम पं० महुई में कब्रिस्तान का वाउण्ड्रीवाल निर्माण।	श्री रमापति यादव स०वि०अधि० (सा)	253582	55000.00	
17.	” ”	”	253583	24000.00	
18.	एन0एच0 28 से रामअशीष के आरा मशीन तक खड़न्जा जिर्णोधर।	श्री रामजीत बी0ओ0 (पी0आर0डी0)	253584	98000.00	
19.	” ”	”	253586	98000.00	
20.	रामअशीष के आरा मशीन से हरि टोला तक खड़न्जा कार्य।	”	253585	98000.00	
21.	रामअशीष के आरा मशीन से हरि टोला तक खड़न्जा कार्य।	”	253587	98000.00	
22.	वि० ख० परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य।	श्री सभापति सिंह ग्रा०वि०अधि०	253588	55000.00	
23.	वि० ख० परिसर में अनावसीय भवनों का जिर्णोधर कार्य।	श्री रामजीत बी0ओ0 (पी0आर0डी0)	253589	94644.00	
24.	ग्राम पं० गोपालपुर में पं० भवन वाउण्ड्रीवाल निर्माण।	”	253590	72000.00	
25.	ग्राम पं० सकरौली में पंचायत भवन वाउण्ड्रीवाल निर्माण।	श्री रामजीत बी0ओ0 (पी0आर0डी0)	253592	72830.00	
26.	एन0एच0 28 से रामअशीष के आरा मशीन तक खड़न्जा जिर्णोधर।	”		98000.00	
27.	एन0एच0 28 से रामअशीष के आरा मशीन से हरि टोला तक खड़न्जा जिर्णोधर।	”	253593	98000.00	
28.	एन0एच0 28 से रामअशीष के आरा मशीन तक खड़न्जा जिर्णोधर।	”	253594	98000.00	
29.	एन0एच0 28 से रामअशीष के आरा मशीन तक इण्टरलाकिंग कार्य।	”	253598	70000.00	
योग				2265855.00	

उपरोक्त निर्माण कार्य में नियमों का पालन नहीं किया गया है। निर्माण सामग्री खरीद का भुगतान सम्बंधित फर्म को नहीं करके कार्य प्रभारी के नाम चेक निर्गत किया गया है। कार्य हेतु क्रय सामग्री का कोटेशन/निविदा आमन्त्रित नहीं किया गया है। मिट्टी खनन हेतु शासनादेशानुसार शासन को रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया है। निर्माण कार्य से सम्बंधित सामग्री के क्रय के व्यय प्रमाणकों में बिक्री कर 4 प्रतिशत तथा व्यापार कर 2.24 प्रतिशत कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार करों की क्षति पहुँचायी गयी है। माप पुस्तिका एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार रु० 2265855.00 का दुरुपयोग किया गश है। जिसके लिए सम्बंधित कार्य प्रभारी, तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 60)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
--	2265855-00	--	2265855-00

प्रस्तर सं० : 25 लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय पर व्यापार कर एवं आयकर की कटौती नहीं की गयी है। बिल का भुगतान करते समय 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर तथा 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती की जानी चाहिए। करों की कटौती नहीं करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री यतीन्द्र मोहन मल्ल, श्री सुभाष प्रसाद, श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द एवं श्री डी० एन० दूबे उत्तरदायी हैं। विवरण संलग्न है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

	आयकर	व्यापार कर	कुल योग
वर्ष 2010-11 में	158191.00	88586.00	246777.00
वर्ष 2011-12 में	94350.00	52837.00	147187.00
योग	252541.00	141423.00	393964.00

इस प्रकार रु० 393964.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति सम्बंधित कर्मचारियों/ अधिकारियों से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 61)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..	..	393964.00	393964.00

प्रस्तर सं० : 26 वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत अंश मनरेगा के अन्तर्गत सामग्री क्रय हेतु चेक द्वारा भुगतान सम्बंधित फर्म को किया गया है। परन्तु सम्बंधित बिलों से व्यापार कर एवं आयकर की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	फर्म का नाम	चेक सं. / तिथि	धनराशि	व्यापार कर 4%	आयकर 2.24%	कुल कर की राशि
1.	मे० माँ अम्बे ईट उद्योग, करमहा कुटी, हाटा कुशीनगर।	042228/ 27.12.2011	78160.00	3126.00	1751.00	4877.00
2.	शाह बिल्डिंग मटेरियल अहिरौली बाजार, कुशीनगर।	042230/ 27.12.2011	55546.00	2222.00	1244.00	3466.00
3.	राम किशोर सिंह, बी.के.ओ. हेतिमपुर	042231/ 27.12.2011	99541.00	3982.00	2230.00	6212.00
4.	मे० माँ अम्बे ईट उद्योग, करमहा कुटी हाटा।	042232/ 27.12.2011	96041.00	3842.00	2151.00	5993.00
5.	मे० सिंह ब्रदर्स पिपरा कपूर, कुशीनगर।	042233/ 27.12.2011	64400.00	2576.00	1443.00	4019.00
6.	मे० माँ अम्बे ईट उद्योग, करमहा कुटी, हाटा कुशीनगर।	042234/ 27.12.2011	78160.00	3126.00	1751.00	4877.00
7.	मे० सिंह ब्रदर्स पिपरा कपूर, कुशीनगर।	042235/ 27.12.2011	44647.00	1786.00	1000.00	2786.00
8.	जय बजरंग ईट उद्योग,	042236/ 27.12.2011	49000.00	1960.00	1098.00	3058.00
9.	जय माँ ईट उद्योग रामपुर बुजुर्ग	042239/ 27.12.2011	96026.00	3841.00	2151.00	5992.00
10.	जय माँ जगदम्बा ट्रेडर्स, परागपुर हाटा, कुशीनगर।	042240/ 27.12.2011	61409.00	2456.00	1376.00	3832.00
11.	मे० माँ अम्बे ईट उद्योग,	554301/ 27.12.2011	84000.00	3360.00	1882.00	5242.00

12.	जय ब्रिक्स फिल्ड करमहॉ	554302/ 27.12.2011	96026.00	3841.00	2151.00	5992.00
13.	जय माँ जगदम्बा ट्रेडर्स, परागपुर हाटा, कुशीनगर।	554303/ 27.12.2011	61409.00	2456.00	1376.00	3832.00
14.	में० अजय कुमार राव	554304/ 27.12.2011	96041.00	3842.00	2151.00	5993.00
15.	में० जय माँ बैणो कन्स्ट० सप्लायर्स	554305/ 27.12.2011	64452.00	2578.00	1444.00	4022.00
16.	में० जय ब्रिक्स फिल्ड करमहॉ	554306/ 28.12.2011	54026.00	2161.00	1210.00	3371.00
17.	जय माँ जगदम्बा ट्रेडर्स,	554307 / 28.12.2011	61409.00	2456.00	1376.00	3832.00
18.	मेसर्स अजय कुमार राव बी०के०ओ० सोहसापट्टी	554308/ 28.12.2011	78160.00	3126.00	1751.00	4877.00
19.	में० माँ बैणो कन्स्टक्सन एवं सप्लायर्स	554309/ 28.12.2011	44642.00	1786.00	1000.00	2786.00
20.	मेसर्स अजय कुमार राव सोहसापट्टी	554310/ 28.12.2011	96041.00	3842.00	2151.00	5993.00
21.	में० माँ बैणो कन्स्टक्सन एवं सप्लायर्स खरखा	554311/ 28.12.2011	64452.00	2578.00	1489.00	4067.00
22.	में० गोपाल ददद ईट उद्योग	554314/ 03.01.2012	96026.00	3841.00	2151.00	5992.00
23.	जय माँ जगदम्बा ट्रेडर्स, परागपुर हाटा।	554315/ 03.01.2012	61409.00	2456.00	1376.00	3832.00
	योग			67240.00	37703.00	104943.00

इस प्रकार रु० 104943.00 करों की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। अतः रु० 104943.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी०एन० दूबे से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 62)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..	..	104943.00	104943.00

प्रस्तर सं० : 27 अनुदान पंजिका भाग-3 के अनुसार माह दिसम्बर 2011 में पूर्वान्वित विकास निधि मद में अन्तिम अवशेष रु० 41835.00 दर्शित है। परन्तु माह जनवरी 2012 के प्रारम्भिक अवशेष में उक्त मद में अवशेष नहीं दर्शाकर रु० 41835.00 का अपहरण किया गया है। इस प्रकार रु० 41835.00 की अपहृत धनराशि की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सुभाष प्रसाद, श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह एवं यतीन्द्र मोहन मल्ल तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द से अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 63)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
41835.00	..	..	41835.00

प्रस्तर सं० : 28 अनुदान पंजिका भाग-3 के अनुसार माह दिसम्बर 2011 में विधायक निधि मद में अन्तिम शेष रु० 25663.00 दर्शित है। जबकि जनवरी 2012 के प्रारम्भिक शेष में उक्त मद का अवशेष रु० 5642.00 दर्शित है। इस प्रकार बिना व्यय के ही विधायक निधि मद में रु० 20021.00 कम दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः रु० 20021.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सुभाष प्रसाद, श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द से अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 64)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20021.00	..	..	20021.00

प्रस्तर सं० : 29 अनुदान पंजिका भाग-3 के अनुसार राज्य वित्त आयोग शीर्ष अन्तर्गत माह दिसम्बर 2011 का अन्तिम शेष रु० 568870.00 दर्शित है। जबकि जनवरी 2012 का प्रारम्भिक शेष रु० 558870.00 दर्शित है। इस प्रकार माह जनवरी का प्रारम्भिक अवशेष रु० 10000.00 कम दर्शित है। बिना व्यय के ही रु० 10000.00 कम दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः रु० 10000.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सुभाष प्रसाद, श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द से अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 65)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
10000.00	..	..	10000.00

प्रस्तर सं० : 30 अनुदान पंजिका भाग-3 के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) शीर्ष में दिसम्बर 2011 में अन्तिम शेष रु० 1644710.00 दर्शित है। जबकि जनवरी 2012 में उक्त शीर्ष का प्रारम्भिक अवशेष रु०

1547290.00 कम दर्शित है। इस प्रकार माह जनवरी 2012 में प्रारम्भिक अवशेष रु० 97420.00 कम दर्शित है। इस प्रकार रु० 97420.00 प्रारम्भिक अवशेष कम दर्शाकर अपहरण किया गया है। अतः रु० 97420.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री सुभाष प्रसाद, श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 66)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
97420.00	..	..	97420.00

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (क्षेत्र पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ)

जनपद- महाराजगंज

मंडल- गोरखपुर

प्रस्तर सं० 1. क्षेत्र पंचायत सदर के वित्तीय वर्ष 14-15 से 16-17 के राज्य वित्त अनुदान से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि संलग्न एस्टीमेट में अंकित सामग्री से अधिक मात्रा में निर्माण सामग्री क्रय कर बिल प्रस्तुत कर कार्यप्रभारियों द्वारा मनमाने ढंग से भुगतान करा लिया गया है किसी भी पत्रावली में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर कार्यप्रभारियों द्वारा अधिक सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार खंड विकास अधिकारी/सक्षम अधिकारी की संस्तुति तथा स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है उल्लेखनीय है कि कार्यप्रभारियों द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल अवर अभियन्ता द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा लेखाकार द्वारा खंड विकास अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात भुगतान भी कर दिया गया है उक्त प्रकरणों से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर नियमों की अनदेखी करते हुए तथा बिना सम्यक जांच के अवर अभियन्ता द्वारा बिल प्रमाणित कर दिया गया है एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है इस प्रकार के समस्त भुगतान अनुदान के दुरुपयोग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं सम्बंधित उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है। वर्षवार विवरण निम्नवत है:-

(मूल आपत्ति सं० 2ख 1)

क्र०सं० वि० वर्ष कार्य का नाम एस्टीमेट के अनुसार सामग्री क्रय सामग्री अधिक क्रय उत्तरदायी व्यक्ति मात्रा मूल्य

1 14-15 रम्हौली में पकड़ी खुट्टा मार्ग से रम्हौली सिवान तक नाली मरम्मत कार्य एस्टीमेट के अनुसार सामग्री ईट प्रथम श्रेणी 32572 क्रय सामग्री ईट प्रथम श्रेणी 33237

अधिक क्रय 665

मूल्य 3857.00

श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, कार्यप्रभारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, ख०वि०अधि०, श्री दयाराम पटेल, लेखाकार व अवर अभियन्ता उत्तरदायी है।

योग

3857.00

2. 14-15 बांसपार बैजौली में प्रा०वि० टोला बेलहिया नहर से गाँव की तरफ सीसी रोड एस्टीमेट के अनुसार सामग्री महीन बालू 66.54 घ०मी०, ईट गिट्टी 111.59 घ०मी०, व ईट प्रथम श्रेणी 17784 क्रय सामग्री महीन बालू 69.66 घ०मी०, ईट गिट्टी 113.68 घ०मी० व ईट प्रथम श्रेणी 22000 अधिक क्रय 3.12 घ०मी०, 2.09 घ०मी० व 4216 मूल्य 3504.00 2360.00 व 24452.00 श्री गुड्डू प्रसाद, कार्यप्रभारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, ख०वि०अधि०, श्री दयाराम पटेल, लेखाकार व अवर अभियन्ता उत्तरदायी है।

योग.3504.00 2360.00 24452.00= 30316.00

3. 14-15करमहा में जनार्दन के घर से रविन्द्र पटेल के घर तक एवं राजकिशोर तिवारी के घर से चानबली के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्री ईट प्रथम श्रेणी 7743 व इंटरलॉकिंग ईट 6880 क्रय सामग्री ईट प्रथम श्रेणी 11750 व इंटरलॉकिंग ईट 6900

अधिक क्रय

4007 व 20

मूल्य

23240.00 व 333.00

श्री प्रेम सागर पटेल, कार्यप्रभारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, ख०वि०अधि०, श्री दयाराम पटेल, लेखाकार व अवर अभियन्ता उत्तरदायी है।

योग.23240.00 333.00 = 23573.00

4. 15-16धनेवा धनेई में अम्बिका मुंशी के घर से हनुमान मंदिर जाने वाले रोड पर इंटरलॉकिंग कार्य

एस्टीमेट के अनुसार सामग्रीईट प्रथम श्रेणी 10000

क्रय सामग्रीईट प्रथम श्रेणी 12800

अधिक क्रय2800

मूल्य16240.00

श्री गुड्डू प्रसाद, कार्यप्रभारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, ख०वि०अधि०, श्री दयाराम पटेल, लेखाकार व अवर अभियन्ता उत्तरदायी है।

योग 16240.00

5. 15-16धनेवा धनेई में अलीमुल्लाह कानूनगो के घर से पोखरे तक इंटरलॉकिंग कार्य एस्टीमेट के अनुसार सामग्रीईट प्रथम श्रेणी 22000सीमेंट 265 बोरी, महीन बालू 50.30 घ०मी०, ईट गिट्टी 69.80 घ०मी० क्रय सामग्री ईट प्रथम श्रेणी 24000सीमेंट 324 बोरी, महीन बालू 62.40 घ०मी०, ईट गिट्टी 91 घ०मी० अधिक क्रय 2000 59 12.10 घ०मी० व 21.20 घ०मी० मूल्य 11600.00 19765.00 13591.00 व 23945.00 श्री राजेश कुमार, कार्यप्रभारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, ख०वि०अधि०, श्री दयाराम पटेल, लेखाकार व अवर अभियन्ता उत्तरदायी है।

योग.11600.00 19765.00 13591.00 23945.00= 68901.00

6. 16-17 विकास खंड परिसर में पूरब तरफ टाइप-1 के चारों आवास का मरम्मत कार्य एस्टीमेट के अनुसार सामग्री सीमेंट 59 बोरी, मोरंग 0.50 घ०मी०, व पत्थर गिट्टी 1 घ०मी० क्रय सामग्री सीमेंट 64 बोरी, मोरंग 0.60 घ०मी०, व पत्थर गिट्टी 1.25 घ०मी० अधिक क्रय 5 0.10 व 0.25 मूल्य 1675.00 247.00 व 745.00

श्री साकेत बिहारी पटेल, कार्यप्रभारी, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, ख०वि०अधि०, श्री श्याम सिंह, लेखाकार व श्री सत्येन्द्र कुमार वर्मा अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

योग.1675.00 247.00 745.00=2667.00

7. 16-17 नेता सुरहुरवा खास टोले पर फैयाज के घर से जामा मस्जिद तक इंटरलॉकिंग कार्य एस्टीमेट के अनुसार सामग्रीसीमेंट 178 बोरी, बालू 59.33 घ०मी०, सीमेंट ईट 16434

क्रय सामग्रीसीमेंट 214 बोरी, बालू 70 घ०मी०, सीमेंट ईट 19741

अधिक क्रय3610.67 व 3307

मूल्य12060.00 16005.00 व 55028.00

श्री राजेश कुमार, कार्यप्रभारी, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, ख०वि०अधि०, श्री श्याम सिंह, लेखाकार व श्री सत्येन्द्र कुमार वर्मा अवर अभियन्ता उत्तरदायी है।

योग.12060.00 16005.00 55028=83093.00

8. 16-17 मटिहनिया चौधरी में इन्द्रजीत के खेत के पास 4 मी० स्पान पुलिया निर्माण

एस्टीमेट के अनुसार सामग्रीसीमेंट 299 बोरी

क्रय सामग्रीसीमेंट 319 बोरी

अधिक क्रय 20

मूल्य6700.00

श्री बलिराम मौर्य, कार्यप्रभारी, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, ख०वि०अधि०, श्री श्याम सिंह, लेखाकार व श्री सत्येन्द्र कुमार वर्मा अवर अभियन्ता उत्तरदायी है।

योग. 6700.00 महायोग.235347.00

प्रस्तर सं० 2. क्षेत्र पंचायत सदर के अनुदान पंजिका तृतीय पर अंकित मदवार प्राप्त आय के विवरणों से स्पष्ट है कि लेखाकार ने अनुदानों पर प्राप्त होने वाले ब्याज की आय के लिए अलग मद न बना कर अर्जित ब्याज की आय को संबंधित अनुदान शीर्ष में ही अंकित करते हुए विभिन्न प्रशासनिक मद एवं निर्माण कार्य पर व्यय कर दिया है जबकि शासनादेश सं० ए-1-22/दस-20110-10(33)/2010 दिनांक 21.03.12 तथा शासनादेश सं० 10/2015/स-5-502/दस-2015-10(33)/2010 वित्त एवं लेखा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 29.05.15 में दिए गए निर्देशों के अनुसार बैंक खातों में जमा अनुदान की धनराशि पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज की आय को राजकीय कोष में जमा किया जाना आवश्यक है किन्तु संस्था द्वारा अर्जित ब्याज की आय को राजकीय कोष में जमा न कर अनियमितता की गई है विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०दिनांक मद का नाम ब्याज की धनराशि

1.	31.03.15 बीआरजीएफ	5638.00
2.	30.09.15 बीआरजीएफ	16451.00
3.	20.10.15 बीआरजीएफ	20793.00
4.	26.07.15 बीआरजीएफ	44629.00
5.	31.07.15 बीआरजीएफ	31355.00
6.	01.04.15 बीआरजीएफ	7017.00
7.	30.09.15 बीआरजीएफ	3307.00
8.	11.06.15 बीआरजीएफ	15213.00
9.	31.03.15 बीआरजीएफ	4583.00
10.	30.09.15 ग्रामीण पेयजल	80.00
11.	30.10.15 ग्रामीण पेयजल	81.00

12.	31.03.15 ग्रामीण पेयजल	373.00
13.	30.09.14 बायोगैस	458.00
14.	31.03.15 बायोगैस	462.00
15.	24.09.15 प्रियासॉफ्ट प्रशासनिक	6391.00
16.	30.09.15 राज्य वित्त	4647.00
17.	25.12.14 राज्य वित्त	78921.00
18.	15.06.15 राज्य वित्त	49261.00
19.	30.06.15 राज्य वित्त	17844.00
20.	30.07.15 राज्य वित्त	5590.00
21.	30.06.14 तेरहवाँ वित्त	71659.00
22.	17.03.16 तेरहवाँ वित्त	11499.00
23.	17.03.16 तेरहवाँ वित्त	889.00
24.	25.06.16 राज्य वित्त	16333.00
25.	02.11.16 / 25.06.16 राज्य वित्त	35317.00
26.	25.03.17 राज्य वित्त	14838.00
27.	31.03.17 राज्य वित्त	22318.00
28.	30.08.15 ग्रामीण पेयजल	394.00

योग 486341.00

उक्त धनराशि रु० 486341.00 को राजकीय कोष में जमा कराए जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं० 2ख 2)**

प्रस्तर सं० 3 क्षेत्र पंचायत सदर की लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत भी निम्न अनुदान से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया बिना कार्ययोजना, स्वीकृत आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणकों के अनुदान पंजी द्वितीय व तृतीय में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी उक्त प्रपत्रों के अभाव में समस्त व्यय की धनराशि अपहरण की श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिस हेतु लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी है स विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	व्यय धनराशि
1.	2014-15	बीआरजीएफ	2301814.00
2.	2014-15	राजीव गाँधी पंचायत समाजीकरण योजना	2500000.00
3.	2015-16	बीआरजीएफ	6820382.00
4.	2015-16	इंदिरा आवास प्रशासनिक	61314.00
योग			11683510.00

ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 2ख 3)

प्रस्तर सं० 4. क्षेत्र पंचायत सदर के वित्तीय वर्ष 15-16 में तीन लाभार्थी तथा 16-17 में दो लाभार्थी कुल पांच लाभार्थी को रु० 4000.00 की दर से कुल रु० 20000.00 का बायोगैस अनुदान दिया गया है जिसमें निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

- (1) लेखा परीक्षा में चयनित लाभार्थी की पत्रावली एवं सूची अनुपलब्ध रही
- (2) अनुदान प्राप्त होने की पुष्टि में लाभार्थी से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर नहीं रखी गई है
- (3) विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा अनुदान की उपयोगिता का विभिन्न स्थलीय जाँच कर सत्यापन/जाँच रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया गया
- (4) लाभार्थी द्वारा उपभोग/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर नहीं रखा गया है। अस्तु अनुदान के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित लेखाकार तथा खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं

स वितरण की गई उक्त धनराशि रु० 20000.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 2ख 4)

प्रस्तर सं० 5. आलोच्य वर्षों 2014-15 से 16-17 में क्षेत्र पंचायत सदर में किए गए प्रशासनिक कार्यों की पुष्टि हेतु मांगोपरांत भी लेखाकार द्वारा प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया बिना प्रमाणक व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है अस्तु प्रमाणकों के अभाव में दर्शित व्यय की धनराशि रु० 1267215.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी व्यय धनराशि रु० 1267215.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है सविवरण निम्नवत है:- **(मूल आपत्ति सं० 2ख 5)**

क्र०सं०	चेक सं०/तिथि	मद/अनुदान	धनराशि	विवरण भुगतान
1.	996156 / 11.03.16	तेरहवाँ वित्त	99200.00	सोलर लाइट हेतु मे० प्रगति इंटरप्राइजेज
2.	996157 / 14.03.16	तेरहवाँ वित्त	99200.00	सोलर लाइट हेतु मे० प्रगति इंटरप्राइजेज
3.	996159 / 15.03.16	तेरहवाँ वित्त	80680.00	सोलर लाइट हेतु मे० प्रगति इंटरप्राइजेज

4.	996160 / 17.03.16	तेरहवाँ वित्त	29581.00	सोलर लाइट हेतु मे० प्रगति इंटरप्राइजेज
5.	22001 / 17.03.16	बीआरजीएफ	85000.00	मे० शक्ति फोम हाउस से कुर्सी आदि
6.	22002 / 17.03.16	बीआरजीएफ	68950.00	बीडीसी सदस्यों के बैठक हेतु अग्रिम लेखाकार स्वयं
7.	46801 / 03.10.16	इंदिरा आवास प्र० मद	6240.00	आयकर जमा
8.	46802 / 04.10.16	इंदिरा आवास प्र० मद	6340.00	फीडिंग हेतु यशवेन्द्र पटेल
9.	46803 / 04.10.16	इंदिरा आवास प्र० मद	5820.00	फीडिंग हेतु यशवेन्द्र पटेल
10.	46804 / 06.10.16	इंदिरा आवास प्र० मद	9300.00	स्टेशनरी क्रय यशवेन्द्र पटेल
11.	46805 / 04.11.16	इंदिरा आवास प्र० मद	5000.00	डीजल क्रय दयाशंकर फीलिंग स्टेशन
12.	46807 / 09.01.17	इंदिरा आवास प्र० मद	15000.00	4जी मोबाइल क्रय
13.	13077 / 25.08.15	इंदिरा आवास प्र० मद	7880.00	डीजल क्रय दयाशंकर फीलिंग स्टेशन
14.	46797 / 30.06.16	आम्बेडकर जयंती समारोह	2500.00	स्वयं लेखाकार
15.	021319 / 07.11.15	राज्य वित्त	11236.00	हबीबुल्लाह – कंपनी ऑडिट हेतु
16.	021320 / 04.01.16	राज्य वित्त	4509.00	ब्रॉडबैंड टेलीफोन बिल
17.	021321 / 27.01.16	राज्य वित्त	4925.00	दिलीप कुमार पंखा मरम्मत
18.	021330 / 17.03.16	राज्य वित्त	4949.00	टेन्डर प्रकाशन सहारा
19.	021331 / 17.03.16	राज्य वित्त	92324.00	आयकर जमा
20.	021332 / 17.03.16	राज्य वित्त	164864.00	वाणिज्य कर जमा
21.	021333 / 30.08.16	राज्य वित्त	5005.00	विज्ञापन स्वतंत्र चेतना
22.	021334 / 30.08.16	राज्य वित्त	5000.00	विज्ञापन दैनिक राष्ट्र चिन्ह
23.	021340 / 18.11.16	राज्य वित्त	52161.00	मानदेय प्रमुख श्रीमती किरण गुप्ता
24.	021337 / 18.11.16	राज्य वित्त	1002889.00	मे० गुप्ता इंटरप्राइजेज इन्वर्टर, बैटरी, पंखा क्रय
25.	021338 / 18.11.16	राज्य वित्त	4320.00	पर्दा क्रय मे० अंकित फोम हाउस
26.	021339 / 18.11.16	राज्य वित्त	63897.00	सोफासेट, बेड, गद्दा क्रय जी० एम० गुडविल फर्नीचर
27.	021336 / 04.11.16	राज्य वित्त	82000.00	लेखाकार स्वयं बैठक हेतु
28.	021341 / 18.11.16	राज्य वित्त	2800.00	विवरणहीन चन्दा फर्नीचर
29.	046806 / 05.11.16	राज्य वित्त	4464.00	दिलीप कुमार बैठक व्यवस्था
30.	021312 / 14.08.15	राज्य वित्त	70000.00	कुर्सी क्रय मे० आर्टलाइन
31.	13078 / 28.08.15	रिसोर्स सेंटर कांटेनरजेंसी	6350.00	टोनर आदि मे० आर्टलाइन
32.	996163 / 14.07.16	राज्य वित्त	66825.00	मानदेय पूर्व प्रमुख

योग 1267215.00

प्रस्तर सं० 6. क्षेत्र पंचायत सदर की लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत भी वर्ष 14-15 से 16-17 के मनरेगा, मनरेगा प्रशासनिक मद के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गएस प्रस्तुत अनुदान पंजी तृतीय में भी मनरेगा अनुदान की प्रविष्टियाँ नहीं दर्ज की गई हैं, जिससे आलोच्य वर्षों में प्राप्त अनुदान एवं व्ययों की जांच व समीक्षा नहीं की जा सकी जिसके लिए वर्तमान लेखाकार व खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं० 2ख 6)

प्रस्तर सं० 7. क्षेत्र पंचायत सदर के आलोच्य वर्ष 15-16 व 16-17 में रैपिड सर्वे ओबीसी मद में निम्न विवरणानुसार डीजल पर व्यय अंकित किया गया है:- क्र०सं० विवरण भुगतान चेक सं०/तिथि धनराशि

1.	दयाशंकर फिलिंग स्टेशन	130179 / 21.01.16	9619.00
2.	दयाशंकर फिलिंग स्टेशन	046793 / 16.05.16	4594.00
3.	दयाशंकर फिलिंग स्टेशन	046796 / 16.06.16	5339.00

योग 19562.00

उक्त भुगतान की पुष्टि में गाड़ी के लाग बुक की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई गाड़ी किस कार्य हेतु प्रयुक्त की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण लेखाकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया गाड़ी के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणक प्रमाणित नहीं है अस्तु उपरोक्त धनराशि रु० 19562.00 का अवास्तविक भुगतान दर्शित कर अपहरण किया गया है, जिसके लिए लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-2ख 7)

प्रस्तर सं० 8. क्षेत्र पंचायत सदर के आलोच्य वर्ष 14-15 से 16-17 में अनुमानित लागत से अधिक मजदूरी भुगतान किया गया है अधिक भुगतान हेतु न तो भुगतान के पूर्व स्वीकृति ली गई है और न ही संशोधित एस्टीमेट पत्रावली में

संलग्न है अस्तु रु० 35116.00 का अधिक भुगतान कर अपहरण किया गया है ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:-

(मूल आपत्ति सं० 2ख 8)

क्र०सं० वित्तीय वर्षकार्य का नाम अनुमानित लागत भुगतानित धनराशि अंतर अधिक उत्तरदायी व्यक्ति
1.14-15 रम्हौली में पकड़ी खुट्टा मार्ग से रम्हौली सिवान तक नाली मरम्मत

अनुमानित लागत 168735.00

भुगतानित धनराशि 169160.00

अंतर अधिक 425.00

श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, कार्यप्रभारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, ख० वि० अधि०, श्री दयाराम पटेल, लेखाकार व अवर अभियन्ता

2.15-16 धनेवा धनेई में नहर पुल से कब्रिस्तान तक इंटरलॉकिंग कार्य

अनुमानित लागत 78238.00

भुगतानित धनराशि 96901.00

अंतर अधिक 18663.00

श्री राजेश कुमार, कार्यप्रभारी, श्रीमती बसंती देवी, ख० वि० अधि०, श्री दयाराम पटेल, लेखाकार व अवर अभियन्ता

3.16-17 मटिहनिया चौधरी में दक्षिण व बभनौली मार्ग पर खडंजा कार्य

अनुमानित लागत 123257.00

भुगतानित धनराशि 124775.00

अंतर अधिक 1518.00

श्री ब्रजेन्द्र कपिल श्रीवास्तव, कार्यप्रभारी, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, ख० वि० अधि०, श्री दयाराम पटेल, लेखाकार व श्री एस० के० वर्मा, अवर अभियन्ता

4.16-17 नेता सुरहुरवा टोले पर फैयाज के घर से जामा मस्जिद तक इंटरलॉकिंग कार्य

अनुमानित लागत 84084.00

भुगतानित धनराशि 96106.00

अंतर अधिक 12022.00

श्री राजेश कुमार, कार्यप्रभारी, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, ख० वि० अधि०, श्री श्याम सिंह, लेखाकार व अवर अभियन्ता

5.16-17 मटिहनिया चौधरी में इन्द्रजीत के खेत के पास 4 मी० स्पान पुलिया निर्माण कार्य

अनुमानित लागत 100704.00

भुगतानित धनराशि 103192.00

अंतर अधिक 2488.00

श्री बलिराम मौर्य, कार्यप्रभारी, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, ख० वि० अधि०, श्री श्याम सिंह, लेखाकार व अवर अभियन्ता
योगरू. 425.00 18663.00 1518.00 12022.00 2488.00=35116.00

प्रस्तर सं० 9. क्षेत्र पंचायत सदर के वित्तीय वर्ष 14-15 में करमहा में जनार्दन के घर से रविन्द्र पटेल के घर तक एवं राजकिशोर के घर से चानबली के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य की पत्रावली में मस्टर रोल क्रमांक 15731 से रु० 19446.00 तथा क्रमांक 15732 से रु० 12514.00 का भुगतान किया गया है उक्त दोनों मस्टर रोल पर कार्य अवधि 22.02.15 से 28.02.15 अंकित है तथा दर्शाए गए कार्यरत श्रमिकों के नाम भी एक ही हैं इस प्रकार रु० 12514.00 का फर्जी भुगतान कर अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्यप्रभारी श्री प्रेम सागर पटेल, खंड विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, लेखाकार श्री दयाराम पटेल उत्तरदायी हैं संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त कर ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम श्रमिक	दिन/दर	भुगतानित धनराशि
1.	रामू मिस्त्री/सुखारी	5/350.00	1750.00
2.	कालानी/सरजू	6/156.00	936.00
3.	राम आसरे/बदरी	6/156.00	936.00
4.	परदेशी/अलगू	6/156.00	936.00
5.	दिलीप/अकलू	6/156.00	936.00
6.	फेकू/खेदन	6/156.00	936.00
7.	राम बृक्ष/जीवधन	6/156.00	936.00
8.	राधेश्याम/अकोला	6/156.00	936.00
9.	राजू/परदेशी	6/156.00	936.00
10.	सत्तन/बुधई	6/156.00	936.00
11.	सत्तार/बीरा	6/156.00	936.00
12.	हनीफ/बीरा	6/156.00	936.00
13.	छोटेला/सेठई	3/156.00	468.00
	योग		12514.00

(मूल आपत्ति सं० 2ख 9)

प्रस्तर सं० 10. क्षेत्र पंचायत सदर के वित्तीय वर्ष 15-16 में धनेवा धनेई में नहर पुल से कब्रिस्तान तक इंटरलॉकिंग कार्य की पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल रु० 35182.00 पर 23 श्रमिकों को दिनांक 01.08.15 से 07.08.15 तक कार्यरत दर्शा कर भुगतान किया गया है जांच में पाया गया कि मॉस्टर रोल पर मात्र 21 श्रमिकों के हस्ताक्षर/नि० अंगूठा मजदूरी प्राप्त करने के निमित्त लगे हैं निशानी अंगूठा पर क्रमांकन न होने से फर्जी भुगतानित दो श्रमिकों के नाम स्पष्ट नहीं हो सके इस हेतु कार्यप्रभारी श्री राजेश कुमार, ख० वि० अधि० श्रीमती बसंती देवी, लेखाकार श्री दयाराम पटेल व अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अस्तु रु० 161.00 ' 14 = 2254.00 फर्जी भुगतान की गई धनराशि की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 2ख 10)

प्रस्तर सं० 11. क्षेत्र पंचायत सदर के वित्तीय वर्ष 16-17 की पत्रावली खंड विकास अधिकारी आवास मरम्मत कार्य की जांच में पाया गया कि मस्टर रोल के अनुसार कार्य दिनांक 01.03.17 से प्रारंभ हो कर दिनांक 14.03.17 को समाप्त दर्शाया गया है जबकि पत्रावली में कार्यप्रभारी के भुगतान हेतु खंड विकास अधिकारी को प्रेषित प्रार्थना पत्र पर अवर अभियन्ता ने दिनांक 08.03.17 को ही एम०बी० के पृष्ठ सं० 29 पर मापन पूर्ण करने की टिप्पणी अंकित कर सामग्री एवं श्रमांश के भुगतान की संस्तुति की है पत्रावली में मजदूरी भुगतान हेतु बैंक को प्रेषित एडवाइज के साथ संलग्न चेक 021353 रु० 35054.00 दिनांक 08.03.17 में ही निर्गत कर दिया गया है कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही समस्त भुगतान कर देना संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है स स्पष्ट है कि कार्य दिनांक 08.03.17 को ही समाप्त हो चुका है इस प्रकार दिनांक 09.03.17 से 14.03.17 तक 6 दिनों तक मजदूरों को कार्यरत दर्शा कर रु० 14126.00 का फर्जी भुगतान किया गया है जिस हेतु कार्यप्रभारी श्री साकेत बिहारी पटेल, खंड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री श्याम सिंह व अवर अभियन्ता श्री सत्येन्द्र कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 2ख 11)

प्रस्तर सं० 12. क्षेत्र पंचायत सदर के वित्तीय वर्ष 16-17 की पत्रावली नेता सुरहुरवा खास टोले पर फैयाज के घर से जामा मस्जिद तक इंटरलॉकिंग कार्य की जांच में पाया गया कि पत्रावली में अनुमानित लागत रु० 717074.00 में वृद्धि करते हुए रु० 812600.00 का पुनरीक्षित अनुमान किया गया है उक्त वृद्धि किस कारण से किया गया है इसे लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया अवर अभियन्ता द्वारा स्थानीय लोगों की मांग पर पुनरीक्षित आगणन का प्रत्यावेदन पत्र पत्रावली में संलग्न है परन्तु उक्त के प्रमाण में स्थानीय नागरिकों एवं प्रधान के आवेदन पत्र संलग्न नहीं है जिस कारण अवर अभियन्ता का प्रत्यावेदन सत्य नहीं है अस्तु अंतर की धनराशि रु० 95526.00 का अनुमानित लागत में वृद्धि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी लेखा परीक्षा के अनुसार काल्पनिक आधार बना कर अनुमानित लागत में वृद्धि करते हुए रु० 95526.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु कार्यप्रभारी श्री राजेश कुमार, खंड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार श्री श्याम सिंह व अवर अभियन्ता श्री सत्येन्द्र कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं स ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 2ख 12)

प्रस्तर सं० 13. क्षेत्र पंचायत सदर के वित्तीय वर्ष 16-17 के निर्माण कार्य पत्रावली मटिहनिया चौधरी में दक्षिण व बभनौली मार्ग पर खडंजा कार्य की जांच में पाया गया कि स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में खराब ईट प्रयुक्त करने की शिकायत को सही पाते हुए 2७ की कटौती करते हुए ईट मूल्य का भुगतान करने का आदेश दिया है संलग्न बिल के अनुसार रु० 330592.00 का ईट प्रयुक्त किया गया है जिस पर 2७ की कटौती रु० 66118.00 होता है उक्त कटौती कब की गई इसका कोई उल्लेख पत्रावली में नहीं है लेखा परीक्षा के समय भी लेखाकार द्वारा तत्संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया अस्तु संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त कर रु० 66118.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 2ख 13)

प्रस्तर सं० 14. क्षेत्र पंचायत सदर के वित्तीय वर्ष 16-17 के निर्माण कार्य पत्रावली मटिहनिया चौधरी में दक्षिण व बभनौली मार्ग पर खडंजा कार्य की जांच में पाया गया कि मिट्टी ढुलाई फर्म लोहिया एसोसिएट द्वारा की गई है, जिस पर 2.24: आयकर एवं वैट की कटौती कर भुगतान कर दिया गया है जबकि नियमानुसार मिट्टी पर रॉयल्टी /12.00/घ० मी० की कटौती की जानी चाहिए थी इस प्रकार 155.26 घ० मी० मिट्टी ढुलाई पर रु० 1863.00 की रॉयल्टी काटी जानी चाहिए थी परन्तु लेखाकार द्वारा 6.24: की दर से रु० 1322.00 की ही कटौती की गई है इस प्रकार अंतर की धनराशि रु० 541.00 कम कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई है इस हेतु लेखाकार श्री श्याम सिंह व खंड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं अस्तु संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त कर रु० 541.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 2ख 14)

प्रस्तर सं० 15. क्षेत्र पंचायत सदर के वित्तीय वर्ष 15-16 में करमहा में प्रतापपुर से केवटहिया मार्ग पर 3 मी० स्पान पुलिया निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल रु० 59584.00 पर 47 श्रमिकों को कार्यरत दर्शा कर भुगतान किया गया है मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि मात्र 46 श्रमिकों के हस्ताक्षर/ नि० अंगूठा मजदूरी प्राप्त करने के निमित्त लगे हैं निशानी अंगूठा पर क्रमांकन न होने से फर्जी भुगतानित एक श्रमिक का नाम स्पष्ट नहीं हो सका इस हेतु कार्यप्रभारी श्री साकेत बिहारी पटेल, खंड विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण, लेखाकार श्री दयाराम पटेल व अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं अस्तु रु० 161.00 ' 7 = 1127.00 फर्जी भुगतान की गई धनराशि की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 2ख 15)

प्रस्तर सं० 16. क्षेत्र पंचायत सदर के वित्तीय वर्ष 15-16 में धनेवा धनेई में अलीमुल्लाह कानूनगो के घर से पोखरे तक इंटरलॉकिंग कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यप्रभारी के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.15 को चेक सं०

996150 द्वारा रु 113000.00 कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्यप्रभारी श्री गुड्डू प्रसाद को अग्रिम दिया गया है कार्यप्रभारी के प्रार्थना पत्र पर अवर अभियन्ता, क्षेत्र प्रमुख, खंड विकास अधिकारी व आंकिक किसी के भी हस्ताक्षर तिथि के साथ अंकित नहीं है लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2015-16 की प्रस्तुत कार्य पंजिका में उक्त कार्य का उल्लेख ही नहीं है जिससे कार्यप्रभारी को दिए गए अग्रिम के समायोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी पत्रावली में भी अग्रिम दिए जाने के बाद कोई व्यय प्रमाणक संलग्न नहीं है जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का समायोजन लेखा परीक्षा की तिथि तक कार्यप्रभारी द्वारा नहीं कराया गया है अस्तु अग्रिम रु० 113000.00 अपहरण की श्रेणी के अंतर्गत आता है इस हेतु कार्यप्रभारी श्री गुड्डू प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्रीमती बसंती देवी, लेखाकार श्री दयाराम पटेल व अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं अस्तु संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त कर धनराशि रु० 113000.00 की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 2ख 16)

प्रस्तर सं० 17. क्षेत्र पंचायत निचलौल के लेखा परीक्षा वर्ष 08-09 से 10-11 की लेखा परीक्षा के दौरान दिनांक 03.03.11 को अवशेष ब्याज की धनराशि रु० 14476.00 वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं० -10/2015/ए-1-502/दस-2015-16/2010 दिनांक 25.05.2015 के प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त अनुदान की राशि को बैंक में रख कर प्राप्त ब्याज को संस्था की आय न मान कर राज्य सरकार की आय मानी जाएगी इस प्रकार उक्त ब्याज की धनराशि रु० 14476.00 राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं (मूल आपत्ति सं० 2ख 1)

प्रस्तर सं० 18. क्षेत्र पंचायत निचलौल के लेखा परीक्षा वर्ष 08-09 से 10-11 में निम्न विवरणानुसार ब्याज की धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण खाता में रु० 27742.00 जमा का लेखा अनुदान पंजी 2 पर अंकित है पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रयुक्त नहीं किया गया

चेक सं०/तिथि	खाता सं०	बैंक का नाम	धनराशि
897532/02.06.09	19172	पी० एन० बी०	8330.00
892190/02.06.09	7460	पी० एन० बी०	1358.00
224689/02.06.09	8829	पी० एन० बी०	18054.00
योग			27742.00

नियमानुसार उपरोक्त धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा करना चाहिए था इस प्रकार पीडी/डीआरडीए के खाते में धनराशि भेज कर अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं

(मूल आपत्ति सं० 2ख 2)

प्रस्तर सं० 19. क्षेत्र पंचायत निचलौल के लेखा परीक्षा वर्ष 08-09 से 10-11 की लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी राज्य वित्त अनुदान के अतिरिक्त किसी भी अनुदान से संबंधित निर्माण कार्य पत्रावली तथा समायोजन प्रमाणक एवं खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्य के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए बिना प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है प्रमाणक न प्रस्तुत करने हेतु वर्तमान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रवीन्द्र कुमार त्रिपाठी हैं सब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है। [विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	विवरण	वर्ष	धनराशि
1.	नरेगा कार्यदायी संस्था	09-10	840766.00
2.	नरेगा लघु सिंचाई	09-10	21000.00
3.	नरेगा प्रशासनिक	09-10	729544.00
4.	नरेगा रिवाइविंग फण्ड	09-10	4967431.00
5.	बीआरजीएफ	09-10	223901.00
6.	नरेगा क्षेत्र पंचायत अंश	09-10	7361477.00
7.	एसजीआरवाई	09-10	1663491.00
8.	बीआरजीएफ	10-11	10818684.00
9.	नरेगा प्रशासनिक	10-11	2091221.00
10.	अक्षय उर्जा	08-09	1500.00
11.	विधायक निधि	08-09	199305.00
12.	नरेगा	08-09	22959172.00
13.	आदर्श जलाशय	08-09	166920.00
14.	प्रासंगिक व्यय	08-09	2822.00

योग 52047204.00

वर्तमान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 2ख 3)

प्रस्तर सं० 20. क्षेत्र पंचायत निचलौल के लेखा परीक्षा वर्ष 08-09 से 10-11 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार बायोगैस अनुदान लाभार्थी को दिया गया है:-

क्र०सं०	चेक सं०/तिथि	भुगतान का विवरण	धनराशि
1.	767307 / 23.01.09	मनोज कुमार पुत्र रामप्रीत	3500.00
2.	767306 / 26.12.08	तेजेन्द्र कुमार सिंह, ग्रा० वि० अधि	18000.00
		योग	21500.00

उक्त के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

- चयनित लाभार्थी सूची प्रस्तुत नहीं किया गया
 - ग्राम विकास अधिकारी द्वारा समायोजन प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया
 - अनुदान के उपयोग की प्रमाणिकता की जांच कर सक्षम अधिकारी जांच रिपोर्ट नहीं दिया गया अतएव उक्त अनुदान के उपभोग के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी लेखाकार/खंड विकास अधिकारी एवं श्री तेजेन्द्र कुमार सिंह ग्रा० वि० अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग कर ब्याज सहित क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं० 2ख 4)
- प्रस्तर सं० 21.** क्षेत्र पंचायत पनियरा के लेखा परीक्षा वर्ष 14-15 से 16-17 के वर्ष 14-15 में निम्न मरम्मत कार्य कराए गए हैं:-

क्र०सं०	मद का नाम	नाम कार्य	नाम कार्यप्रभारी	कुल लागत	सामग्री पर व्यय (लाख में)	श्रमांश पर व्यय
1.	राज्य वित्तवि० ख० परिसर में	जेनरेटर कक्ष निर्माण	श्री मदन मोहन श्रीवास्तव, एडीओ(आईएसबी)	2.58	230875.00	26060.00
2.	राज्य वित्तपनियरा में तीजू के खेत के पास	ड्रेन श्री रमाकांत जीपीए पर पुलिया निर्माण		4.86	411980.00	61224.00
3.	राज्य वित्तबेलटिकरा में पुल्ला के घर के पास	श्री अनुरोध कुमार, जीपीए पुलिया निर्माण		4.72	412093.00	60600.00
4.	राज्य वित्तपनियरा में अजीज के खेत के पास	मदन मोहन श्रीवास्तव, एडीओ(आईएसबी) पुलिया निर्माण		4.25	354455.00	69804.00
5.	राज्य वित्तरजौड़ा पंजुम में मलंग स्थान पर	श्री मदन मोहन श्रीवास्तव, एडीओ(आईएसबी) पुलिया निर्माण		5.86	504115.00	82128.00
6.	राज्य वित्तराजमंदिर में पुराने पुल के पास	श्री रामकेश, जीपीए पुलिया निर्माण		4.58	398694.00	59380.00
7.	राज्य वित्त	हंसखोरी में श्री नरेश के चक श्री बिकाऊ प्रसाद, एडीओ(एजी) के पास नहर पर पुलिया निर्माण		4.57	371255.00	70612.00
8.	राज्य वित्त	तेंदुअहिया के पूरब पुलिया	श्री अनुरोध कुमार, जीपीए	4.72	404137.00	68200.00
9.	राज्य वित्त	जंगल बाकी टुकड़ा	श्री रमाकांत, जीपीए नं० 14 में निमिऊहवा टोले पर पुलिया	4.74	394589.00	79100.00
10.	राज्य वित्त	नेवास पोखर में चन्द्रिका के खेत	श्री रामकेश, जीपीए के पास मोड़ पर पुलिया	4.23	354455.00	68600.00
11.	राज्य वित्त	विशुनपुरा में राजेश्वर श्री रामकेश, जीपीए मणि के खेत के पास पुलिया		4.77	415651.00	71225.00
12.	राज्य वित्त	राजमंदिर में रमेश के खेत	श्री बिकाऊ प्रसाद, एडीओ(एजी) के पास पुलिया	6.15	559815.00	105525.00
13.	राज्य वित्त	हेमछापर में अध्यास के खेत	श्री विजय कुमार कुशवाहा, जीपीए के पास पुलिया	6.08	512915.00	95550.00
		योग		62.19	5397029.00	919208.00

1.	13वां वित्त	गिरगिटिया में बीडीबी श्री सीता राम विमल, जीपीए	0.88	76576.00	10242.00
2.		इं० का० में अवशेष इंटरलॉकिंग पनियरा नोनिया टोला में रुदल के घर से श्री बनवारी प्रसाद, बीओ(पीआरडी)	10.14	909297.00	126888.00
3.		रामअवध के घर के तक इंटरलॉकिंग पनियरा मस्जिद से श्री रमाकांत, जीपीए	13.62	1154925.00	169400.00
4.		नजीमुल के घर तक इंटरलॉकिंग टोला में नरसिंह के घर से श्री बनवारी प्रसाद, बीओ(पीआरडी)	4.00	376551.00	81532.00
5.		राजेन्द्र के घर तक इंटरलॉकिंग			
5.		26 अदद सोलर लाइट क्रय	5.41	5.41	
6.		6 अदद सोलर लाइट क्रय	1.25	1.25	
7.		18 अदद सोलर लाइट क्रय	3.94	3.94	
8.		2 अदद सोलर लाइट क्रय	0.41	0.41	
9.		8 अदद सोलर लाइट क्रय	1.64	1.64	
		योग	41.34	37623497.00	358362.00

उपरोक्त राज्य वित्त आयोग एवं 13वाँ वित्त आयोग अनुदान से कराए गए निर्माण/मरम्मत कार्यों में निम्न कमियाँ पाई गई:-

1 राज्य वित्त आयोग अनुदान से क्रमांक (1) पर "विकास खंड परिसर में जेनरेटर कक्ष निर्माण" कराया गया है जो आपत्तिजनक रहा विकास खंड कार्यालय क्षेत्र पंचायत परिसर में स्थित है, परन्तु इस कार्यालय से क्षेत्र पंचायत को कोई आय प्राप्त नहीं होता है ऐसे में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण क्षेत्र पंचायत धन का अपव्यय है। क्षेत्र पंचायत में परिसंपत्ति पंजी नहीं बनाया गया है। ऐसे में उक्त जेनरेटर कक्ष के निर्माण के होने की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और उक्त पर रु० 227835.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है

2 13वाँ वित्त आयोग से क्रमांक (5 से 9) तक विभिन्न तिथियों में 60 अदद सोलर लाइट "आकाश सोलर इंटरप्राइजेज, बृजमनगंज, महाराजगंज" से रु० 12.45 लाख में खरीद कर ग्राम पंचायतों में वितरण किया गया है जिसमें निम्न कमियाँ पाई गई:-

क. उक्त खरीद वैकल्पिक मानकों के अनुरूप एवं उसके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से क्रय किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है स आपत्तिजनक रहा

ख. उक्त सोलर लाइट की क्षमता एवं विशेषताओं का विवरण प्रमाणक पर नहीं पाया गया जैसे कितने वाट का है, सोलर पैनल का आकार क्या है तथा सलग्न बैट्री की क्षमता क्या है आदि जो आपत्तिजनक रहा।

ग. उक्त सोलर लाइट ग्राम पंचायत में लगाया गया है स लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों का अनुरोध पत्र नहीं पाया गया और न ही क्षेत्र पंचायत के कार्यवाही पंजी में उक्त सोलर लाइट का हस्तांतरण ग्राम पंचायतों को किया गया है जो अति आवश्यक था

घ. उक्त खरीद की संख्या 60 है जो एक से अधिक है ऐसे में इसका विवरण स्टॉक पंजी बना कर किया जाना चाहिए था स स्टॉक पंजी नहीं बनाया गया है जो आपत्तिजनक रहा

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सोलर लाइट के खरीद में निर्धारित मानकों एवं नियमों का पालन नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक रहा तथा इस खरीद को असत्य बनाता है स्पष्ट है कि उक्त अवास्तविक खरीद दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना संस्थाहित में है

3 राज्य वित्त आयोग से कराए गए निर्माण कार्यों के शेष 12 कार्य क्रमांक (2ए3ए4ए5ए6ए7ए8ए9ए10ए11ए12 व 13) तथा 13वाँ वित्त आयोग के अनुदान से वर्ष 14-15 में 4 कार्य क्रमांक (1ए2ए3 व 4) ग्राम पंचायतों में कराए गए हैं, जिसमें निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

क. ग्राम पंचायतों में स्थित परिसंपत्तियों जैसे नाली/सड़क/पुलिया आदि के मरम्मत/निर्माण का अधिकार ग्राम पंचायतों का है जिसके लिए राज्य वित्त आयोग एवं 13वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है, ऐसे में उक्त कार्यों को ग्राम पंचायत में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जाना असत्य है क्योंकि:-

(अ) ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त कार्यों को नहीं कराए जाने की पुष्टि संबंधित पत्रावली से नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था

(ब) ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त कार्यों को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए जाने के लिए अधिकृत किए जाने संबंधित पत्रावली भी नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था

(स) उक्त कार्यों को कराए जाने के पश्चात उक्त संबंधितों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने संबंधित पत्रावली भी नहीं पायी गई जो अति आवश्यक था क्योंकि ये संपत्तियाँ वास्तव में ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियाँ हैं

(द) ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कराए गए कार्यों का कार्य करने हेतु स्वीकार करने एवं कार्य पूर्ण करने के पश्चात ग्राम पंचायत को वापस करने संबंधित प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत के कार्यवाही पंजी में नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था

ख. उपरोक्त वर्णित निर्माण/मरम्मत कार्यों के मजदूरी पर राज्य वित्त आयोग से रु० 919208.00 तथा 13वाँ वित्त आयोग से रु० 358362.00 कुल रु० 1277570.00 का भुगतान किया गया है जो मजदूरों को न कर कर्यप्रभारियों को किया गया है पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोल पर मस्टर रोल संख्या हाथ से अंकित पाया गया जो खंड विकास अधिकारी कार्यालय से जारी किया गया है जबकि उसे कार्यालय क्षेत्र पंचायत से निर्गत किया जाना चाहिए था साथ ही उक्त मस्टर रोलों पर अंकित निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक रहा

स्पष्ट है कि फर्जी एवं काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न मजदूरी मद में वर्ष 2014-15 में रु० 1277570.00 का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग. उपरोक्त निर्माण/मरम्मत कार्यों में प्रयुक्त सामग्रियों पर राज्य वित्त आयोग मद से रु० 5327029.00 तथा 13वाँ वित्त आयोग मद से रु० 3762369.00 कुल रु० 9089398.00 व्यय किया गया है पत्रावलियों में सामग्रियों के क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक (कैश मेमो) के आधार पर किया गया है जिस पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं पाया गया सामग्री आपूर्ति हेतु कर्यप्रभारियों द्वारा कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्रियों के आमद, उपयोग एवं अवशेष स्टॉक पंजी भी नहीं बनाया गया है इस प्रकार सामग्रियों की आपूर्ति ही संदिग्ध रही है स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2014-15 में कार्य पंजी में दर्शित राज्य वित्त रु० 6246237.00 तथा 13वाँ वित्त से रु० 4120711.00 कुल रु० 10366948.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित क्षतिपूर्ति तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारीगण, प्रभारियों एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है प्रस्तर सं० 22. क्षेत्र पंचायत पनियरा में आलोच्य वर्ष 2015-16 में निम्न निर्माण/मरम्मत कार्य कराए गए हैं:-

क्र०सं०	मद	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी	कुल लागत (लाख में)	सामग्री व्यय	श्रमांश व्यय
1.	राज्य वित्त	सूचना हॉल मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण	श्री रमाकांत, जीपीए	2.18	211466.00	6650.00
2.	राज्य वित्त	पनियरा खास में मंदिर के चारों तरफ चबूतरा निर्माण	श्री रमाकांत, जीपीए	0.85	76742.00	8400.00
3.	राज्य वित्त	हंसखोरी में तीरथ के चक के पास पुलिया निर्माण	श्री बिकाऊ प्रसाद, एडीओ(एजी)	5.82	490840.00	91000.00
4.	राज्य वित्त	कार्यालय सफाई रंगाई	श्री चन्द्रमोहन सिंह, भंडार लिपिक	3.44	200148.00	144350.00
5.	राज्य वित्त	लक्ष्मीपुर अमहवा टोले पर आरसीसी पुलिया	श्री अनुरोध कुमार, जीपीए	4.81	409807.00	73682.00
6.	राज्य वित्त	औसानी में शंकर के खेत के पास आरसीसी पुलिया	श्री बिकाऊ प्रसाद, एडीओ(एजी)	5.21	449577.00	71589.00
7.	राज्य वित्त	बडवार में राममिलन के खेत के पास नहर पर पुलिया निर्माण	श्री दिनेश पाठक, जीपीए	6.31	539303.00	91875.00
8.	राज्य वित्त	सोहरौना तिवारीटोला पिपरिया में सरुल्लाह के खेत के पास पुलिया	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, जीपीए	6.30	536810.00	91875.00
9.	राज्य वित्त	पनियरा में समई के बाग के पास नहर पर पुलिया निर्माण	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, जीपीए	5.29	452777.00	76380.00
10.	राज्य वित्त	इलाहाबास में राधेश्याम के चक के पास नहर पर पुलिया	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, जीपीए	6.28	536810.00	91392.00
11.	राज्य वित्त	उसका में कामता रोड के बगल ब्रह्म सिंह के चक मार्ग पर पुलिया	श्री ऋषिराज पटेल, जीपीए	5.31	452777.00	78190.00
12.	राज्य वित्त	महुआ शुक्ल चक रोड पर नरेश के खेत के पास पुलिया	श्री गिरिजेश, जीपीए	5.36	440850.00	83181.00
13.	राज्य वित्त	पनियरा मुजामिल के खेत के पास पुलिया	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, जीपीए	5.29	452777.00	76580.00
14.	राज्य वित्त	लक्ष्मीपुर में छोटे बाकी टोले पर पुलिया	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, जीपीए	5.16	452777.00	63651.00
15.	राज्य वित्त	पनियरा में मजबुल्लाह के घर से बैजनाथ के घर तक भूमिगत नाली	श्री रमाकांत, जीपीए	4.94	439437.00	54775.00
16.	राज्य वित्त	पनियरा में पिच से बाम्बू मास्टर के घर तक भूमिगत नाली निर्माण	श्री रमाकांत, जीपीए	2.58	229176.00	28350.00
17.	राज्य वित्त	पनियरा खास में मस्जिद से निजामुल के घर तक नाली निर्माण	श्री रमाकांत, जीपीए	1.75	147695.00	27125.00
18.	13वाँ वित्त	17 अदद सोलर लाइट	—	3.53	3.53	—
19.	13वाँ वित्त	18 अदद सोलर लाइट	—	3.74	3.74	—
योग				16.54	1543308.00	110250.00

उपरोक्त राज्य वित्त आयोग एवं 13वाँ वित्त आयोग अनुदान से कराए गए निर्माण/मरम्मत आदि कार्यों की जांच में निम्न कमियाँ पाई गई:-

1 राज्य वित्त आयोग अनुदान से क्रमांक (1) पर "सूचना हॉल मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण" पर रु० 218116.00 तथा क्रमांक (4) पर अंकित "कार्यालय सफाई एवं रंगाई" कार्य पर रु० 344498.00 व्यय किया गया है जिसमें निम्न आपत्तियाँ की जाती हैं:-

क. क्षेत्र पंचायत की परिसंपत्ति पंजी नहीं बनायी गई है जिसके कारण सूचना हॉल एवं कार्यालय निर्माण तिथि एवं उक्त भवन के उम्र की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था

ख. उक्त सूचना हॉल एवं कार्यालय से क्षेत्र पंचायत को कोई आय नहीं हो रही है ऐसे में उक्त भवनों पर और धन व्यय किया जाना क्षेत्र पंचायत धन का अपव्यय है

ग. लेखा परीक्षा में कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त कार्य के आवश्यकता की पुष्टि नहीं की जा सकी अर्थात् उक्त मरम्मत अनावश्यक था स अनावश्यक कार्य पर धन व्यय किया जाना धन का उपयोग नहीं कहा जा सकता जो आपत्तिजनक रहा

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनावश्यक कार्यों पर रु० 218116.00 तथा रु० 344498.00 कुल रु० 562614.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित क्षतिपूर्ति तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, कार्यप्रभारियों एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है

2 13वाँ वित्त आयोग से क्रमांक (4 व 5) से कुल 35 अदद सोलर लाइट "आकाश सोलर इंटरप्राइजेज, बृजमनगंज, महाराजगंज" से रु० 7.27 लाख में खरीद कर ग्राम पंचायतों में वितरण किया गया है जिसमें निम्न कमियाँ पाई गई:-

क. उक्त खरीद वैकल्पिक उर्जा श्रोत विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं उसके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से क्रय किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है आपत्तिजनक रहा

ख. उक्त सोलर लाइट की क्षमता एवं विशेषताओं का विवरण प्रमाणक पर नहीं पाया गया स जैसे कितने वाट का है, सोलर पैनल का आकार क्या है तथा सलग्न बैट्री की क्षमता क्या है आदि जो आपत्तिजनक रहा

ग. उक्त सोलर लाइट ग्राम पंचायत में लगाया गया है लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों का अनुरोध पत्र नहीं पाया गया और न ही क्षेत्र पंचायत के कार्यवाही पंजी में उक्त सोलर लाइट का हस्तांतरण ग्राम पंचायतों को किया गया है जो अति आवश्यक था

घ. उक्त खरीद की संख्या 35 अदद है जो एक से अधिक है ऐसे में इसका विवरण स्टॉक पंजी बना कर किया जाना चाहिए था स्टॉक पंजी नहीं बनाया गया है जो आपत्तिजनक रहा ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सोलर लाइट के खरीद में निर्धारित मानकों एवं नियमों का पालन नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक रहा तथा इस खरीद को असत्य बनाता है स स्पष्ट है कि उक्त अवास्तविक खरीद दर्शा कर क्षेत्र पंचायत धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

3 राज्य वित्त आयोग से कराए गए निर्माण मरम्मत कार्यों के शेष 12 कार्य क्रमांक (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 व 14) तथा 13वाँ वित्त आयोग के अनुदान से वर्ष 15-16 में 3 कार्य क्रमांक (1,2 व 3) ग्राम पंचायतों में कराए गए हैं, जिसमें निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

क. ग्राम पंचायतों में स्थित परिसंपत्तियों जैसे नाली/सड़क/पुलिया आदि के मरम्मत/निर्माण का अधिकार ग्राम पन्हायतों का है जिसके लिए राज्य वित्त आयोग एवं 13वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है, ऐसे में उक्त कार्यों को ग्राम पंचायत में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जाना असत्य है क्योंकि:-

(अ) ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त कार्यों को नहीं कराए जाने की पुष्टि संबंधित पत्रावली से नहीं की जा सकी, जो अति आवश्यक था ।

(ब) ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त कार्यों को क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए जाने के लिए अधिकृत किए जाने संबंधित पत्रावली भी नहीं पाया गया, जो अति आवश्यक था

(स) उक्त कार्यों को कराए जाने के पश्चात उक्त संबंधितों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने संबंधित पत्रावली भी नहीं पायी गई जो अति आवश्यक था क्योंकि यह संपत्तियां वास्तव में ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियां हैं ।

(द) ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कराए गए कार्यों का कार्य करने हेतु स्वीकार करने एवं कार्य पूर्ण करने के पश्चात ग्राम पंचायत को वापस करने संबंधित प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत के कार्यवाही पंजी में नहीं पाया गया जो अति आवश्यक था ।

ख. उपरोक्त वर्णित निर्माण/मरम्मत कार्यों के मजदूरी पर राज्य वित्त आयोग से रु० 1048995.00 तथा 13वाँ वित्त आयोग से रु० 110250.00 कुल रु० 1159245.00 का भुगतान किया गया है जो मजदूरों को न कर कार्यप्रभारियों को किया गया है । पत्रावलियों में संलग्न मस्टर रोल पर मस्टर रोल संख्या हाथ से अंकित पाया गया जो खंड विकास अधिकारी कार्यालय से जारी किया गया है जबकि उसे कार्यालय क्षेत्र पंचायत से निर्गत किया जाना चाहिए था साथ ही उक्त मस्टर रोलों पर अंकित निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक रहा ।

स्पष्ट है कि फर्जी एवं काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न मजदूरी मद में वर्ष 2015-16 में रु० 1159245.00 का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है ।

ग. उपरोक्त निर्माण/मरम्मत कार्यों में प्रयुक्त सामग्रियों पर राज्य वित्त आयोग मद से रु० 5703461.00 तथा 13वाँ वित्त आयोग मद से रु० 1543308.00 कुल रु० 7246769.00 व्यय किया गया है पत्रावलियों में सामग्रियों के क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक (कैश मेमो) के आधार पर किया गया है जिस पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं पाया गया सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यप्रभारियों द्वारा कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्रियों के आमद, उपयोग एवं अवशेष स्टॉक पंजी भी नहीं बनाया गया है इस प्रकार सामग्रियों की आपूर्ति ही संदिग्ध रही है स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2015-16 में कार्य पंजी में दर्शित राज्य वित्त रु० 6752456.00 तथा 13वाँ वित्त से रु० 1653558.00 का कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है स अभिलेख में उक्त दर्शित कार्यों पर अवास्तविक व्यय दर्शा कर रु० 6752456.00 तथा रु० 1653558.00 कुल रु० 8406014.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित क्षतिपूर्ति तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारीगण, प्रभारियों एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रारूप -03

क्षेत्र पंचायत का वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

क्षेत्र पंचायत कोंच

वर्ष 2011-12 से 2013-14

जिला जालौन

प्रस्तर-1 शासनादेश संख्या - 221-35-1/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार बैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने का विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है । इस तरह टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संवादाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग से पंजीकृत है । एवं बिल को कोषागार विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया गया है । नियमानुसार संविदाकर फर्म के बिल को कोषागार में प्रस्तुत करते समय चैक के माध्यम से जारी करने के पूर्ण आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चैक पर प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है । वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं भुगतान का प्राविधानित कर कटौती कर ली गयी है । लेकिन इसकाउल्लंघन किया गया है ।

आलोच्य वर्षों में निम्नानुसार फर्मों व ठेकेदारों को निर्माण कार्य हेतु धनराशि का भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित 4% की दर से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। जिससे ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया है। तथा राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी जिस पर वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष	फर्मों/ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि	4% की दर से कटौती	संस्था द्वारा कटौती
2014-15	2,95,16,861	11,80,674	4,61,303
2012-13	1,68,98,750	6,75,950	3,14,241
2013-14	2,44,87,305	9,79,492	9,28,996

$$\text{अन्तर राशि} = \frac{11-12}{7,19,371} + \frac{12-12}{3,61,709} + \frac{13-14}{50496} = \frac{\text{योग}}{11,31,576}$$

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन पूर्व खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री शारदा प्रसाद शुक्ला एवं लेखाकार श्री आर०के० गोयल व श्री हेमन्त कुमार सिंह उत्तरदायी रहे उत्तरदायी व्यक्तियों से व्याज सहित वसूली की आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 2(2)

प्रस्तर-2 असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों को स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु 'उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (उपकर) नियम 2009' (जो 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से 'कर्मकार-उपकर' (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है।

आलोच्य वर्षों में ठेकेदारों को वर्ष दौरान निम्न धनराशियों का भुगतान किया गया है किन्तु नियमानुसार लेबर सेस की कटौती नहीं किया गया है जिस पर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही आ अपेक्षित रही।

वर्ष	ठेकेदारों को भुगतान	1% की दर से लेबर सेस	संस्था द्वारा की गयी कटौती
2011-12	19,24,791.00	19,248.00	—
2012-13	1,17,72,749.00	1,17,727.00	—
2013-14	2,50,29,969.00	2,50,300.00	—
	योग	3,87,275.00	

उक्त हेतु तत्कालीन पूर्व खण्ड वि० अधि० सहित श्री शारदा प्रसाद शुक्ला एवं लेखाकार श्री आर०के० गोयल व श्री हेमन्त कुमार सिंह उत्तरदायी रहे उत्तरदायी व्यक्तियों से व्याज सहित वसूली की आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 3(3)

प्रस्तर-3 आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 में सभी योजनाओं पर व्यय राशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य की पत्रावली/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। शेष पत्रावली/प्रमाणक लेखा परीक्षा दल द्वारा मौखिक व लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे कुल व्यय राशि की अप्राप्त पत्रावली/अप्राप्त प्रमाणकों पर व्यय राशि रूपया 3,46,98,159.00 अपुष्ट रही। अतः अप्राप्त पत्रावलियों को प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराया जाये। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन पूर्व खण्ड वि० अधि० सहित श्री शारदा प्रसाद शुक्ला एवं लेखाकार श्री आर०के० गोयल व श्री हेमन्त कुमार सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिये।

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष में व्यय	प्राप्त फाइलें	अप्राप्त फाइलें
1.	बी.वी.एन	1,17,37,612	1,10,71,713	6,65,899
2.	राज्य वित्त	13,50,242	12,44,773	1,05,469
3.	सांसद निधि	65,83,159	31,11,195	34,71,964
4.	विधायक निधि	1,32,43,297	78,37,676	54,05,621
	योग	3,29,14,310	2,32,65,357	96,48,953

वर्ष 2012-13

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष में व्यय	प्राप्त फाइलें	अप्राप्त फाइलें
1.	बी.वी.एन	52,98,500	51,02,004	1,96,496
2.	राज्य वित्त	20,02,255	19,42,659	59,596
3.	विधायक निधि	7,34,304	16,80,264	55,54,040
	योग	1,45,35,059	87,24,927	58,10,132

वर्ष 2013-14

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष में व्यय	प्राप्त फाइलें	अप्राप्त फाइलें
1.	बी.आर.जी.एफ	1,75,09,492	—	1,75,09,492
2.	राज्य वित्त	37,23,276	33,80,353	3,42,923
3.	13वां वित्त	54,78,277	52,07,833	2,70,444
4.	सांसद निधि	8,48,120	—	8,48,120

5.	विधायक निधि	2,68,095	—	2,68,095
	योग	2,78,27,260	85,88,186	1,92,39,074

कुल अप्राप्त पत्रावली की अपुष्ट धनराशि रु० 3,46,98,159 उक्त से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा पत्रावलियों का रख-रखाव कार्यालय नियमों एवं मानकों और कैग की गाइडलाईन के अनुसार नहीं किया जा रहा है, जिसका अनुपालन किया जाना चाहिये एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 5(5)

प्रस्तर-4 बी०आर०जी०एफ० योजना से सम्बन्धित वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के आय-व्यय का कोई विवरण ग्रान्ट रजि० में दर्ज नहीं है और न ही व्यय की पुष्टि में कोई पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आय व व्यय का विवरण निम्नवत है जिसकी पुष्टि कराया जाना चाहिये एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष	प्रार० शेष	वर्ष की आय	निकासी	अवशेष 31/3
11-12	7,57,087	41,09,027	7,68,269	40,97,845
12-13	40,97,845	1,59,608	2,24,000	40,33,453
	योग	48,68,635	9,92,269	81,31,298

मूल आपत्ति संख्या 6(6)

क्षेत्र पंचायत कटौती

वर्ष 2011-12 से 2013-14

जिला जालौन

प्रस्तर-5 लेबर सेस— असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं को लाभ उपलब्ध कराने हेतु “उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (उपकर) नियम-2009” (जो 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम-4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटा जायेगा। कटौती के पश्चात् वह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी चाहिए। लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है।

(1) आलोच्य वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग 12/13वां वित्त आयोग, बी०आर०जी०एफ०, विधायक निधि, सांसद निधि आदि परियोजनाओं के मद में निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों को कुल रु० 2976866.00 का भुगतान किया गया जिस पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु० 29768.00 की कटौती ठेकेदारों के बिल से की जानी चाहिये थी। जिसकी कटौती नहीं की गयी। कटौती न किये जाने की अनियमितता के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अर्जुन सिंह राजपूत एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री गोविन्द सिंह यादव उत्तरदायी हैं जिसे व्याज सहित वसूल कर सम्बन्धित शीर्षक में जमा कराया जाना आवश्यक है।

मूल आपत्ति संख्या-30(1)

(2) आलोच्य वर्ष 2012-13 में विधायक निधि योजना के मद में निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों को रु० 3536405.00 का भुगतान किया गया जिस पर लेबर सेस 1 प्रतिशत की दर से रु० 35364.00 की कटौती ठेकेदारों के बिल से की जानी चाहिए थी जिसकी कटौती नहीं की गयी। कटौती न किये जाने की अनियमितता के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अर्जुन सिंह राजपूत एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री गोविन्द सिंह यादव उत्तरदायी हैं जिसे व्याज सहित वसूल कर सम्बन्धित शीर्षक में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-30(2)

(3) आलोच्य वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग, बी०आर०जी०एफ०, विधायक निधि आदि योजनाओं के मदों में निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों को कुल रु० 12207727.00 का भुगतान किया गया जिस पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु० 122077.00 की कटौती ठेकेदारों के बिल से की जानी चाहिये थी। जिसकी कटौती नहीं की गयी। कटौती न किये जाने की अनियमितता के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अर्जुन सिंह राजपूत एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री गोविन्द सिंह यादव उत्तरदायी हैं जिसे व्याज सहित वसूलकर सम्बन्धित शीर्षक में जमा कराया जाये।

मूल आपत्ति संख्या-30(3)

प्रस्तर-6 आयकर— आयकर अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) की धारा 1946 के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों पर सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती से काटी गयी धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक 21 में जमा किये जाने हेतु संस्था के आहरण-वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती (एक वर्ष में 30 हजार से अधिक या सभी बिलों का योग 75 हजार होने पर) 2. प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है।

(1) वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त तेरहवां वित्त, बी०आर०जी०एफ०, सांसद निधि, विधायक निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि मद में सामग्री क्रय पर कुल रु० 11678472.00 व्यय किया गया जिस पर 2. प्रतिशत की दर से रु० 233569.00 आयकर हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष 2011-12 में उक्त मदों पर आयकर रु० 221124.00 जमा किया गया अन्तर 12445 उक्त अन्तर की धनराशि की व्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अर्जुन सिंह राजपूत एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री गोविन्द सिंह यादव से की जाये।

मूल आपत्ति संख्या-31(1)

प्रस्तर-7 व्यापार कर— शासनादेश सं०— ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से व्यापार से व्यापार कर सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था से सम्बन्धित आहरण एवं

वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संविदाकार फर्म वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत है उनको विभाग द्वारा टिन नं० जारी किया गया है। नियमानुसार संविदाकार फर्म के बिल को कोषागार प्रस्तुत करते समय चेक के माध्यम से जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के देयक चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देय प्रस्तुत किया गया है। वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं भुगतान पर प्राविधानिक कर कटौती कर ली गयी है।

वर्ष 2011-12 में व्यापार कर गणना के अनुसार रु० 467139.00 होना चाहिए जबकि संस्था द्वारा व्यापार कर वर्ष 2011-12 में रु० 388599.00 कटौती किया गया। अन्तर की धनराशि रु० 467139.00-388599.00 = 78540.00 कम कटौती किया गया। इस प्रकार उक्त धन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अर्जुन सिंह राजपूत एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री गोविन्द सिंह यादव से व्याज सहित वसूल करके राजकोष के निर्धारित शीर्षक में किया जाये।

मूल आपत्ति संख्या-32(1)

वर्ष 2012-13 में व्यापार कर गणना के अनुसार रु० 324114.00 होता है जबकि संस्था द्वारा व्यापार कर की कटौती/जमा रु० 282222.00 की गयी। अन्तर की धनराशि रु० 324114.00-282222.00 = 41892.00 व्यापार कर कम कटौती किया गया। इस प्रकार उक्त धन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अर्जुन सिंह राजपूत एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री गोविन्द सिंह यादव से व्याज सहित वसूल करके राजकोष के निर्धारित शीर्षक में जमा किया जाये।

मूल आपत्ति संख्या-32(2)

सारणी द्वारा तुलनात्मक विवरण लेखा परीक्षा के अनुसार कटौती

क्र०सं०	कर का विवरण	2011-12	2012-13
1.	आयकर	233569.00	...
2.	व्यापार कर	467139.00	324114.00

संस्था द्वारा की गयी कटौती

क्र०सं०	कर का विवरण	2011-12	2012-13
1.	आयकर	221124.00	
2.	व्यापार कर	388599.00	282222.00

क्र०सं०	कर का विवरण	ले०प० अनुसार कटौती की राशि	संस्था द्वारा काटी गयी राशि	अन्तर वसूली की राशि
1.	आयकर	233569.00	221124.00	12445.00
2.	व्यापार कर	791253.00	670821.00	120432.00

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्यों पर सामग्री आपूर्ति के बिलों एवं स्रोत पर आयकर एवं व्यापार कर की कटौती क्रमशः 12445.00 आयकर एवं अन्य 120432.00 व्यापार कर की कटौती कम की गयी है। जिसकी व्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अर्जुन सिंह राजपूत एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री गोविन्द सिंह यादव उत्तरदायी रहे।

क्षेत्र पंचायत कुठौन्ड

वर्ष 2011-12 से 2013-14

जिला जालौन

प्रस्तर-8 आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी० के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों पर सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है। साथ ही काटे गये आयकर को निर्धारित समय के भीतर राजकोष में नहीं जमा करने पर कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। दिनांक 01.04.2009 से आयकर की कटौती (एक वर्ष में 30 हजार से अधिक या सभी बिलों का योग 75 हजार होने पर) 2.266 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है।

आलोच्य वर्षों 2011-12 से 2013-14 तक योजनाओं पर निर्माण कार्यों हेतु फर्मों/ठेकेदारों को भुगतान धनराशि पर 2% प्रति० की दर से लेखा परीक्षा में आंकलन अधोलिखित है।

क्र०	वर्ष	व्यय धन०	आय का अवकलन	टिप्पणी
01	2011-12	1274277.00	25486.00	—
02	2012-13	—	—	—
03	2013-14	885608.00	17712.00	—
	योग	2159885.00	43198.00	—

इस प्रकार लेखा परीक्षा में आकलित धनराशि कुल 43198.00 रही। जिसके सापेक्ष कटौती व चालान/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे जमा की स्थिति अज्ञात रही। इसके लिये वर्ष 2011-12 व 2013-14 में

तत्कालीन पूर्व खण्ड विकास अधिकारियों सहित श्री कमलेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार एन0आर0ई0पी0 सहित श्याम कुमार नगाइच उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या 2(ii))

प्रस्तर-9 व्यापार कर- शासनादेश सं0- ए-1-351/10-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संविदाकार फर्म वाणिज्य विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया गया है। नियमानुसार संविदा कर फर्म के बिल को कोषागार में प्रस्तुत करते समय चैक के माध्यम से जारी करने से पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चैक पर याह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है वह वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं भुगतान पर प्रावधानिक कर कटौती कर ली गयी है। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इसका उल्लंघन किया गया।

आलोच्य वर्षों में नियमानुसार फर्मों एवं ठेकेदारों का निर्माण कार्यों हेतु धनराशि का भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर की कटौती नहीं करके ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया है तथा राजकीय राजस्व को छति पहुंचायी गयी है। जिस पर वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। लेखा परीक्षा में आंकलित व्यापार कर निम्नलिखित है।

क्रं0	वर्ष	व्यय धन0	आय का अवकलन	टिप्पणी
01	2011-12	1274277.00	50971.00	तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री गया प्रसाद कर्णधार एवं लेखाकार श्री शिव कुमार गुप्ता तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री कमलेश कुमार एवं लेखाकार श्री श्याम किशोर नगाइच
02	2012-13	—	—	
03	2013-14	885608.00	35424.00	
	योग	2159885.00	86395.00	

(मूल आपत्ति संख्या 2(ii))

प्रस्तर-10 लेबर सेस- असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु "उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण, कर्मकार कल्याण उपकर नियम-2009 (जो फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है।

आलोच्य वर्ष में ठेकेदारों को वर्ष दौरान निम्न धनराशियों का भुगतान किया गया है किन्तु नियमानुसार लेबरसेस की कटौती नहीं किया गया है जिसके लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

वर्ष	ठेकेदारों को भुगतान राशि	1 प्रतिशत की दर से कटौती	संस्था द्वारा की गयी कटौती	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पद
2011-12	1274277	12742.77	निल	तत्कालीन पूर्व ख0वि0अ0 सहित श्री कमलेश कुमार एवं तत्कालीन लेखा सहित श्री श्याम किशोर नगाइच
2012-13	—	—	—	
2013-14	885608	8856.08	निल	
योग	2159885	21599.00	निल	

(मूल आपत्ति संख्या 3)

प्रस्तर-11 आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 की योजनाओं पर व्यय राशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों की पत्रावलियाँ/प्रमाणक उपलब्ध कराया गया है। शेष पत्रावलियाँ/प्रमाणक लेखा परीक्षा दल द्वारा मौखिक व लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे कुल व्यय राशि की अप्राप्त/पत्रावलियों अप्राप्त प्रमाणकों पर व्यय राशि रु0 31284590 अपुष्ट रही। अतः प्राप्त पत्रावलियों को प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जाये। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन पूर्व खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री कमलेश कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार/एन0आर0ई0पी0 सहित श्री श्याम कुमार नगाइच के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही।

क्रं0 सं0	योजना का नाम	वर्ष	कार्यालय अभिलेख के अनुसार व्यय	प्राप्त पत्रावलियाँ/प्रमाणक	अप्राप्त फाइलें/प्रमाणक
1.	राज्य वित्त आयोग	2011-12	1019718	1299898	215475
	तेरहवां वित्त	2011-12	495655	—	8014819
	अन्य	2011-12	8014819	—	—

			9530192	1299898	8230294
2.	अन्य सभी योजना/मद	2012-13	8190319	—	8190319
			8190319	—	8190319
3.	तेरहवां वित्त	2013-14	2233262	994980	1238282
			13625695	—	13625695
			15858957	994980	14863977
	वर्ष 2011-12 व अन्य कुल योग				31284590

उक्त से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा निर्माण कार्य पत्रावलियों का रख-रखाव कार्यालय नियमों एवं मानकों और कैग की गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया जा रहा है। जिसका अनुपालन किया जाना अपेक्षित रहा। **(मूल आपत्ति संख्या 5)**
प्रस्तर-12 आलोच्य वर्षों में संस्था द्वारा आयकर, व्यापार कर एवं रायल्टी मद में व्यय निम्न विवरण के अनुसार किया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसकी पुष्टि कराई जाये। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

वर्ष	आयकर	व्यापार कर	रायल्टी	योग
2011-12	निल	निल	7397	7397
2012-13	98041	176272	18915	293228
2013-14	318443	561144	234516	1114103
योग	416484	737416	260828	1414728

(मूल आपत्ति संख्या 6)

क्षेत्र पंचायत जालौन

वर्ष 2011-12 से 2013-14

जिला जालौन

प्रस्तर -13 आयकर- अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194C के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों पर सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती से काटी गयी धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक 21 में जमा किये जाने के लिये संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा न किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है। साथ ही काटे गये आयकर को निर्धारित समय के भीतर राजकोष में जमा न किये जाने पर कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती (एक वर्ष में 30 हजार से अधिक या सभी बिलों का योग 75 हजार होने पर) 2.0% की दर से सुनिश्चित की जानी है। आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 के मध्य सभी योजनाओं पर सामग्री क्रय पर कुल रु0 25312172.00 व्यय किया गया है जिस पर 2.0% की दर से रूपया 506243.00 की आयकर कटौती की जानी चाहिये थी जबकि संस्था द्वारा रु0 496914.00 की कटौती की गयी है। अतः अन्तर राशि रु0 9329.00 की वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्याप्रसाद कौशिक एवं अन्य तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री वी0एल0 कश्यप, श्री महेन्द्र कुमार एवं श्री आर0के0 गोयल से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0- 2(1)

प्रस्तर सं0-14 व्यापार कर- शासनादेश सं0 ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30.08.11 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने का विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नं0 जारी किया गया है। नियमानुसार संविदा कर फर्म के बिल को कोषागार में प्रस्तुत करते समय/चेक के माध्यम से जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधि0 के द्वारा देयक चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है। वाणिज्य कर विभाग के पंजीकृत है एवं भुगतान पर प्राविधानित कर कटौती कर ली गयी है लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में संस्था द्वारा निर्माण कार्यों में सभी योजनाओं के अन्तर्गत क्रय सामग्री पर कुल रु0 25312172.00 व्यय किया गया है जिस पर व्यापार कर

(वैट) 4% की दर से रु0 1012487.00 की कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा मात्र रु0 822346.00 की कटौती की गयी है। अन्तर राशि रु0 190141.00 की वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्याप्रसाद कौशिक एवं अन्य तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री वी0एल0 कश्यप, श्री महेन्द्र कुमार एवं श्री आर0के0 गोयल से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0-2(2)

प्रस्तर सं0-15 लेबर सेस- असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु "उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण, कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम-2009" (जो 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत 1% का की दर से कर्मकार-उपकर (लेबर सेस)

नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आलोच्य वर्षों में बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रु0 8629578.00 का किया गया है जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रु0 86296.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त की कटौती नहीं किया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्याप्रसाद कौशिक एवं अन्य तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री वी0एल0 कश्यप, श्री महेन्द्र कुमार एवं श्री आर0के0 गोयल से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0- 3

प्रस्तर सं0- 16- आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 की निम्न योजनाओं की निम्न कार्य पत्रावलियों लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण रु0 6638387.00 का व्यय अपुष्ट रहा जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्याप्रसाद कौशिक एवं अन्य तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री वी0एल0 कश्यप, श्री महेन्द्र कुमार एवं श्री आर0के0 गोयल उत्तरदायी है। जिसकी पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1.	बुन्देलखण्ड वि०नि०	2011-12	1. ग्राम काशीपुरा में सी०सी० एवं नाली निर्माण बृजेश से शम्भू	214258.00
			2. ग्राम खर्वा में सी०सी० निर्माण बृजभूषण से मुखिया	378180.00
			3. ग्राम कुंवरपुरा में सी०सी० निर्माण राकेश से कौशल किशोर	220212.00
			4. ग्राम काशीपुरा में सी०सी०, नाली एवं साइडवाल निर्माण काशीप्रसाद से मन्दिर	522739.00
		2012-13	5. काशीपुरा में सी०सी० निर्माण	390375.00
			योग	1725764.00
2.	तेरहवां वित्त	2011-12	1. सहाब में सी०सी० निर्माण	594328.00
			2. वि०ख० परिसर में बोरिंग कार्य	111890.00
		2012-13	3. सहाब में सी०सी० रोड निर्माण सींगपुर रोड से कमलेश तक	1010019.00
		2013-14	मात्र दो फाइलें ग्राम सारंगपुर में सी०सी० रोड के दो कार्यों पर कुल व्यय रु0 380470.00 की एवं ग्राम माडरी में कूप मरम्मत पर व्यय रु0 81279.00 की छोड़कर शेष 9 कार्यों की फाइलें कुल व्यय रु0 2806243.00 की लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।	2806243.00
			योग	4522480.00
3.	राज्य वित्त	2012-13	1. ग्राम सहाब में सी०सी० रोड निर्माण मैन सड़क से हनुमान मन्दिर	87988.00
			2. ग्राम गधेला में सी०सी० निर्माण रतन से वीरपाल	152439.00
		2013-14	3. ग्राम सहाब में सी०सी० निर्माण में सड़क से हनुमान मन्दिर	34714.00
			4. ग्राम सहाब में सी०सी० निर्माण राजाराम पुजारी से लालमन तक	51535.00
			5. ग्राम गधेला में सी०सी० निर्माण रतन से वीरपाल	63467.00
			योग	390143.00
			सम्मिलित योग	6638387.00

मूल आपत्ति सं0-5

प्रस्तर सं0-17 श्री जे०पी० गुबरेले से आंकिक द्वारा माहेश्वरी फर्नीचर जालौन से बुक नं० 11 क्रमांक 511 दिनांक 20.03.14 को रूपया 19600.00 का फर्नीचर क्रय किया गया है। उक्त फर्म से ही दिनांक 28.03.14 को बुक नं० 11 बिल क्रमांक 514 से रु0 33400.00 का फर्नीचर निम्न विवरण के अनुसार क्रय किया गया है। जिसका सम्मिलित राशि रु0 53000.00 है।

क्र०	व्यय का विवरण/बिल क्रमांक एवं तिथि	धनराशि	कर्मचारी का नाम	चेक सं०/तिथि	धनराशि
1.	रिवाल्विंग कुर्सी विजिटर -01	5800.00	श्री जे०पी० गुबरेले के आंकिक	003197 21.03.14	5800.00
	विनिटर कुर्सी-06	13800.00	"		13800.00

	महेश्वरी फर्नीचर जालौन के बिल सं० 511 दि० 20.03.14 द्वारा क्रय				
	योग	19600.00			19600.00
2.	रिवाविकिंग कुर्सी विजिटर-01	5800.00	''		5800.00
	विजिटर कुर्सी-12 महेश्वरी फर्नीचर	27600.00		चेक सं० 10123 24.04.14	27600.00
	योग	33400.00			33400.00
	1 + 2 का योग	53000.00			53000.00

चैक फर्म के नाम भुगतान न करके श्री जे०पी० गुबरेले आंकिक के नाम निर्गत की गयी है जिसका कोई औचित्य नहीं है तथा उक्त क्रय का सत्यापन भी डेड स्टॉक रजिस्टर से नहीं कराया गया है। अतः क्रय स्टॉक संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसकी पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में श्री जे०पी० गुबरेले से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं०- 24

प्रस्तर सं०-18 आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत जालौन की निर्माण कार्य से सम्बन्धित जो पत्रावलियों उपलब्ध कराई गयी हैं उसमें निम्न कमियां प्रकाश में आयी हैं जैसे- मस्टर रोल का भुगतान, फर्म को साईन बोर्ड व अन्य सामग्री का कच्चे बिल पर भुगतान सम्बन्धी चेक कार्य प्रभारी का निर्गत किया जाना आदि।

तालिका-1

कार्य प्रभारी का नाम- श्री पी०के० कश्यप			कार्य प्रभारी का नाम- श्री संतोष कुमार अग्रवाल		
क्र०	मद का नाम	धनराशि	क्र०	मद का नाम	धनराशि
01	विधायक निधि	117645.00	01	विधायक निधि	138538.00
02	तेरहवां वित्त	72322.00	02	तेरहवां वित्त	—
03	बुन्देलखण्ड विकास निधि	—	03	बुन्देलखण्ड विकास निधि	695475.00
04	मनरेगा	—	04	मनरेगा	418430.00
05	राज्य वित्त आयोग	1031869.00	05	राज्य वित्त आयोग	351728.00
	योग	1221836.00		योग	1604171.00

उपरोक्त भुगतान में निम्न आपत्तियां।

(क)- मस्टर रोल का भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना-

आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 के मध्य कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जो लेखा परीक्षा में उपलब्ध रही। उन पत्रावलियों में मजदूरी श्रमांश का मस्टर रोलों पर मस्टर रोल नम्बर नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकासखण्ड स्तर से निर्गत नहीं है। निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है तथा कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं, यह भी प्रमाणित नहीं है। अतः लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार मजदूरी मस्टर रोल पर कुल 808445.00 श्री पी०के० कश्यप जालौन को चैक निर्गत है तथा मस्टर रोल पर कुल रु० 1052080.00 श्री संतोष कुमार अग्रवाल को चैक निर्गत है। इस प्रकार सम्मिलित राशि रु० 1860525.00 मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से न करके कार्य प्रभारी को किया जाना अनियमित रहा जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्याप्रसाद कौशिक एवं अन्य तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री वी०एल० कश्यप, श्री महेन्द्र कुमार एवं श्री आर०के० गोयल उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० 25(क)

(ख) फर्म/आपूर्तिकर्ता को चैक निर्गत न करके कार्य प्रभारी को निर्गत करना-

आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की लेखा परीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों से ज्ञात हुआ है कि कार्य की अधिकांशतः प्रथम चैक फर्म को निर्गत है तो दूसरी चैक कार्य प्रभारी के नाम निर्गत है जिसमें सामग्री आपूर्ति के साथ अन्य व्यय की धनराशि सम्मिलित करते हुये कार्य प्रभारी के नाम चैक निर्गत की गयी हैं। इस प्रकार आलोच्य वर्षों में उपलब्ध करायी गयी निर्माण पत्रावलियों के अनुसार रु० 273715.00 धनराशि का भुगतान कार्य प्रभारी श्री पी०के० कश्यप को किया गया है। जबकि सम्बन्धित फर्मों को चैक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिये था। अतः कार्य प्रभारी को किया गया भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्याप्रसाद कौशिक एवं अन्य तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री वी०एल० कश्यप, श्री महेन्द्र कुमार एवं श्री आर०के० गोयल उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० 25(ख)

(ग) आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 में उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार कार्य प्रभारी द्वारा कार्यस्थल पर मिट्टी भराई, पानी आपूर्ति एवं अन्य सामग्री आपूर्ति का कच्चा बिल प्रस्तुत कर भुगतान स्वयं के नाम प्राप्त कर कच्चे बिल पर भुगतान किया गया है। प्रमाणक में ट्रैक्टर नं० कार्यस्थल का नाम व अवधि, सामग्री की मात्रा, दर आदि का विवरण भी दर्शित नहीं किया गा है। अतः प्रमाणक संदिग्ध रहे। संलग्न लिस्ट के अनुसार उक्त मद में कच्चे बिल के

आधार पर कार्य प्रभारी श्री पी०के० कश्यप को रू० 58676.00 एवं कार्य प्रभारी श्री एस०के० अग्रवाल को रू० 517091.00 भुगतान किया गया है। अतः उक्त भुगतान कुल रू० 575767.00 अनियमित व संदिग्ध रहे। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्याप्रसाद कौशिक एवं अन्य तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री वी०एल० कश्यप, श्री महेन्द्र कुमार एवं श्री आर०के० गोयल उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० 25(ग)

प्रस्तर सं०-19 आलोच्य वर्षों में क्रय साईन बोर्ड का भुगतान कर्म को न कर कार्य प्रभारी को किया जाना तथा क्रय साईन बोर्ड की पुष्टि स्टॉक रजि० से न कराया जाना। वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध कराई गयी पत्रावलियों के अनुसार साईन बोर्ड जो धूम एण्ड श्यामू आर्ट्स जालौन से तैयार कराये गये हैं। क्रय के सम्बन्ध में कोई कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये हैं तथा उस फर्म/दुकान का बिल सादा बगैर टिन नं० का पाया गया है तथा उसका भुगतान कार्य प्रभारियों द्वारा स्वयं किया जाना दर्शाया गया, जो अनियमित रहा। अवलोकित पत्रावलियों के अनुसार कुल रूपया साईन बोर्ड पर रू० 116000.00 व्यय दर्शित रहा जिसमें से कार्यप्रभारी श्री पी०के० कश्यप को रूपया 81000.00 एवं कार्य प्रभारी श्री एस०के० अग्रवाल को रू० 35000.00 की चैक अन्य भुगतान धनराशि के साथ निर्गत है। बिल/भुगतान के सापेक्ष से प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं की गयी है और न ही स्टॉक से सत्यापित कराया गया भुगतान संदिग्ध रहा जिस पर समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्याप्रसाद कौशिक एवं अन्य तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री वी०एल० कश्यप, श्री महेन्द्र कुमार एवं श्री आर०के० गोयल उत्तरदायी हैं।

मूल आपत्ति सं०-26

प्रस्तर सं०-20 ग्राम सहाय में हल्की के मकान से प्रदीप गुर्जर के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण तेरहवां वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य में कार्य प्रभारी श्री संतोष कुमार अग्रवाल को निम्न प्रकार भुगतान किया गया है, विवरण निम्नवत् है।

1.	सामग्री	13504.00	अप्राप्त प्रमाणक
2.	मिट्टी ढुलाई भाड़ा	4271.00	अप्राप्त प्रमाणक
	योग	17775.00	
3.	ट्रैक्टर से पानी ढुलाई	5500.00	कच्चे बिल पर
	कुल योग	23275.00	

इस प्रकार अप्राप्त व्यय प्रमाण इस प्रकार रूपया 17775.00 व कच्चे बिल पर किया गया भुगतान रूपया 5500.00 कुल रूपया 23275.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्यप्रभारी श्री संतोष कुमार अग्रवाल तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित कार्य पत्रावली के अनुसार टेण्डर के अनुसार कराया गया है परन्तु पत्रावली के अनुसार टेण्डर प्रक्रिया का पालन न करके मनमानी तरीके से काल्पनिक निविदाओं का तुलनात्मक विवरण तैयार कर पत्रावली में संलग्न पाया गया जिसके अनुसार मे० बालाजी को स्वीकृत किया गया है जिसके टेण्डर सम्बन्धी अभिलेख अपूर्ण हैं तथा इसके अतिरिक्त फर्म/टेकेदार के टेण्डर सम्बन्धी अभिलेख निविदा नहीं पाये गये हैं।

अतः इस प्रकार टेण्डर की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। विज्ञापन, समाचार पत्र, अनुबन्ध पत्र, जमानत धनराशि, जमा की पुष्टि न कराया जाना, तथा एक फर्म/टेकेदार को अपूर्ण अभिलेखों/प्रक्रिया के अनुसार कार्य कराना शासनादेशों का उल्लंघन कर मनमानी कार्य कराने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिस पर समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ग्याप्रसाद कौशिक एवं अन्य तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री वी०एल० कश्यप, श्री महेन्द्र कुमार एवं श्री आर०के० गोयल तथा कार्य प्रभारी संतोष कुमार अग्रवाल उत्तरदायी हैं।

मूल आपत्ति सं०-27

तालिका-02

कार्य प्रभारी को भुगतान का विवरण (प्रस्तर सं० 7 एवं 8 का विवरण)

क्र. सं.	मद का नाम	वर्ष	फर्म की सामग्री की धन०	फर्म भुगतान की धन०	सामग्री फर्म	मजदूरी	अन्य/कच्चे बिल पर	साईन बोर्ड	6+7+8+9 का योग	कार्य प्रभारी का नाम 6 से 10 का योग	कार्य प्रभारी का नाम	कुल योग रू० पै०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	विधायक निधि	2011-12	188340	—	—	82800	34845	—	117645	श्री पी०के० कश्यप 1117645	श्री संतोष अग्रवाल	117645
2.	विधायक निधि	2012-13	551746	—	—	73880	64658	—	138538	—	138538	138538
	योग-01		740086			156680	99503		256183			72322
3.	तेरहवां वित्त	2013-14	256596	—	—	72322	—	—	72322	—	—	—

	योग-02		256596			72322			72322			
4.	बु0ख0 निधि	2011-12	2215387	—	—	288080	97531		385611			
5.	बु0ख0 निधि	2012-13	521919	—	—	220160	86704	3000	309864.			
	योग-03		2737306			508240	184235	3000	695475		695475	695475
6.	मनरेगा	2012-13	2314795	—	—	210800	163695	26000	400495			
7.	मनरेगा	2013-14	98939			4400	13535	—	17935			
	योग-04		2413734			215200	177230	26000	418430		418430	418430
8.	राज्य वित्त	2012-13			273715	653327	23831	81000	1031869	1031869		1031869
9.	राज्य वित्त	2013-14				254760	90968	6000	351728.		351728	351728
	कुल योग				273715	1860525	575767	116000	2826007	1221836	1604171	2826007

तालिका-03

कार्य प्रभारियों को निम्न प्रकार धनराशि की चैकें निर्गत कर खातों में पहुँचाई गयी (प्रस्तर सं07 एवं 8 का विवरण)

क्रमांक	नाम कार्य प्रभारी	सामग्री की धन0 जो फर्म से ली गयी	मजदूरी की धनराशि	कच्चे बिलों पर/अन्य मदों का भुग0	साईन बोर्डों पर भुगतान	योग
01	श्री पी0के0 कश्यप	273715.00	808445.00	58676.00	81000.00	1221836.00
02	श्री सन्तोष कुमार अग्रवाल	—	1052080.00	517091.00	35000.00	1604171.00
	योग	273715.00	1860525.00	575767.00	116000.00	2826007.00

क्षेत्र पंचायत नदीगांव

वर्ष 2011-12 से 2013-14

जिला जालौन

प्रस्तर-21 आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की योजनाओं पर अनुदान राशि के सापेक्षा विवरणानुसार निर्माण कार्य की पत्रावलियों/प्रमाणक उपलब्ध कराये गये शेष पत्रावलियों/प्रमाणक लेखा परीक्षा दल द्वारा मौखिक व लिखित रूप से माँगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराये गये । जिससे कुल व्यय राशि में से रू0 38803387.00 की अप्राप्त पत्रावलियों से सम्बन्धित धनराशि रू0 38803387.00 की गम्भीर अनियमितता की गई पटल प्रारी श्री आर0के0 गोयल लेखाकार से खण्ड विकास अधिकारी तत्कालीन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

क्रं	योजना का नाम	वर्ष	ग्राण्ट रजिस्टर 3 के अनुसार व्यय	लेखा परीक्षा में प्राप्त पत्रावलियों की धनराशि	अप्राप्त पत्रावलियों की धनराशि
1-	मनरेगा चैक डैम	2011-12	1974690.00	—	1974690.00
2-	मनरेगा	तदैव	752880.00	—	752880.00
3-	बुन्देलखण्ड विकास निधि	तदैव	2372018.00	—	2372518.00
4-	सांसद निधि	तदैव	239000.00	—	239000.00
5-	मनरेगा क्षेत्र पंचायत	तदैव	18834003.00	7671184.00	11162819.00
6-	विधायक निधि	तदैव	259400.00	—	259400.00
7-	पिछडा क्षेत्र अनुदान	तदैव	569520.00	—	569520.00
8-	राज्य वित्त/बारहवों वित्त	तदैव	3558760.00	—	3558760.00
	योग -		28560771.00	7671184.00	20889587.00
1-	मनरेगा क्षेत्र पंचायत	2012-13	9641231.00	6721502.00	2919729.00
2-	बुन्देलखण्ड विकास निधि	तदैव	1644985.00	—	1644985.00
3-	विधायक निधि	तदैव	258957.00	—	258957.00
4-	पिछडा क्षेत्र अनुदान	तदैव	529208.00	—	529208.00
5-	राज्य वित्त/बारहवों वित्त	तदैव	726976.00	—	726976.00
	योग -				6079855.00
1-	मनरेगा क्षेत्र पंचायत	2013-14	9898413.00	3971645.00	5926769.00
2-	विधायक निधि	तदैव	183169.00	—	183169.00
3-	पिछडा क्षेत्र अनुदान	तदैव	12135029.00	12135029.00	—
4-	राज्य वित्त/बारहवों वित्त	तदैव	2394296.00	3530672.00	5724008.00

5-	तेरहवाँ वित्त	तदैव	6860384.00		
योग -					11833945.00
वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 का कुल योग -					38803387.00

(मूल आपत्ति संख्या - 16)

प्रस्तर-22 आयकर - अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 1946 के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों पर सामग्री आपूर्ति के बिलों से श्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने का प्राविधान है। आयकर की कटौती से काटी गयी धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किये जाने के लिये संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा न किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्राविधान है। साथ ही काटे गये आयकर को निर्धारित समय के भीतर राजकोष में जमा न किये जाने पर कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। अप्रैल 2010 से आयकर की कटौती (एक वर्ष में 30 हजार से अधिक या सभी बिलों का योग 75 हजार होने पर 2% की दर से सुनिश्चित की जानी है। लेखा परीक्षा वर्षों में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक सभी योजनाओं पर निर्माण कार्यों हेतु फर्मों / ठेकेदारों को भुगतान रु० **29747448.00** व्यय किया गया है। जिस पर 2% की दर से रु० **447494.00** की आयकर की कटौती की गयी है।

इस प्रकार अन्तर रु० **147454.00** की आयकर कटौती कम करके अनियमितता की गई। जिसका विवरण निम्न प्रकार है

क्रं	वर्ष	फर्मों / ठेकेदारों का भुगतान धन०	2% निर्धारित आयकर	संस्था द्वारा काटी गयी	अन्तर
1	2012-13	4815622.00	96312.00	74243.00	22069.00
2	2013-14	24931826.00	498636.00	373251.00	125385.00
योग -		29747448.00	594948.00	447494.00	147454.00

वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक जमा की गयी टैक्स कटौती रजिस्टर/पत्रावली के अनुसार मु० 447494 आयकर की कटौती की गई है। जबकी नियमानुसार 2% कटौती मु० 594948 अतः मु० 147454 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री गणेश प्रसाद व तत्कालीन लेखाकार श्री हेमन्त कुमार मिश्रा एवं श्री गोविन्द नारायण वर्मा एवं पूर्व अवर अभियन्ता सुरेश कुमार पवन से व्याज सहित की जानी चाहिए। **(मूल आपत्ति संख्या 17)**

प्रस्तर-23 व्यापार कर - शासनादेश संख्या - 221-35-1/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार बैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी०डी०एस० सुनिश्चित करने का विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इस तरह टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संवादाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग से पंजीकृत है। एवं बिल को कोषागार विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया गया है। नियमानुसार संविदाकर फर्म के बिल को कोषागार में प्रस्तुत करते समय चैक के माध्यम से जारी करने के पूर्ण आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चैक पर प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है। वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं भुगतान का प्राविधानित कर कटौती कर ली गयी है। लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है।

आलोच्य वर्षों में निम्नानुसार फर्मों व ठेकेदारों को निर्माण कार्यों हेतु धनराशि का भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित 4% की दर से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। जिससे ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया है। तथा राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी जिसका विवरण निम्नवत है।

वर्ष	फर्मों/ ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि	4% की दर से कटौती	संस्था द्वारा कटौती	अन्तर की धनराशि
2011-12	9754591.00	390184.00	343093.00	47091.00
2012-13	4815622.00	192625.00	128098.00	64527.00
2013-14	24931826.00	997273.00	983177.00	14096.00
योग -	39502039.00	1580082.00	1454368.00	125714.00

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन पूर्व खण्ड विकास अधिकारी हित श्री गणेश प्रसाद व तत्कालीन पूर्व लेखाकार श्री हेमन्त कुमार मिश्रा व गोविन्द नारायण वर्मा एवं पूर्व अवर अभियन्ता सुरेश कुमार पवन उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 18)

प्रस्तर-24 लेबर सैस - असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मचारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु "उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण, कर्मकार कल्याण उपकर(उपकर) नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है। के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदारों के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% की दर से कर्मचारी-उपकर (लेबर सैस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है। लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है।

आलोच्य वर्षों में ठेकेदारों को वर्ष दौरान निम्न धनराशियों का भुगतान किया गया है। किन्तु नियमानुसार लेवर सैस की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/अवर अभियन्ता जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है, विवरण निम्नवत रहा।

वर्ष	ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि	1% की दर से कटौती	संस्था द्वारा कटौती	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
2011-12	7281578.00	72816.00	शून्य	श्री गयाप्रसाद कर्णधार, श्री जी0पी0 कौशिक, श्री एस0एन0 वर्मा, श्री एस0 पी0 शुक्ला, श्री डी0एन0 पाण्डेय, श्री गणेश प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री हेममन्त कुमार मिश्रा, श्री गोविन्द नारायण वर्मा ज्येष्ठ लेखाकार।
2012-13	3095811.00	30958.00	शून्य	
2013-14	17396876.00	173969.00	शून्य	
योग -		277743.00		

(मूल आपत्ति संख्या 19)

क्षेत्र पंचायत महेबा वर्ष 2011-12 से 2013-14 जिला जालौन

प्रस्तर-25 लेसर-सेस : असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मचारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु “उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण, कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम-2009” (जो फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% (एक प्रतिशत) की दर से कर्मकार उपकर (लेवरसेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है।

आलोच्य वर्षों में बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत-

(1) वर्ष 2011-12 राज्य वित्त आयोग, विधायक निधि एवं बु0वि0 निधि योजनाओं के मद में निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों को कुल 5050262.00 का भुगतान किया गया जिस पर 1 प्रतिशत की दर से लेवर सेस रु0 50502.00 की कटौती की गयी। ठेकेदारों के बिल से की जानी चाहिये थी जिसकी कटौती नहीं की गयी। इस अनियमितता के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन राय एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री श्यामकिशोर नगाइच उत्तरदायी है। उत्तरदायी कार्मिकों से वसूली की जाये।

मूल आपत्ति सं0-26(1)

(2) आलोच्य वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग, विधायक निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनाओं के मद में निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों को कुल 7140603.00 का भुगतान किया गया जिस पर 1 प्रतिशत की दर से लेवर सेस रु0 71406 की कटौती ठेकेदारों के बिल से की जानी चाहिये थी जिसकी कटौती नहीं की गयी। इस अनियमितता के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन राय एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री श्यामकिशोर नगाइच उत्तरदायी है। उत्तरदायी कार्मिकों से वसूली की जाये।

मूल आपत्ति सं0-26(2)

प्रस्तर-26 व्यापार कर- शासनादेश सं0 ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से व्यापार कर सुनिश्चित करने का विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया गया है। नियमानुसार संविदाकार फर्म के बिल को कोषागार में प्रस्तुत करते समय चेक के माध्यम से जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के देयक चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं भुगतान पर प्राविधानिक कर कटौती कर ली गयी है।

(अ)वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग, मनरेगा, बारहवां वित्त आयोग, बी0आर0जी0एफ0, विधायक निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि मद में सामग्री क्रय पर कुल रु0 10908441 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा व्यापार कर की कटौती रु0 402204 की गयी जबकि लेखा परीक्षा गणना के अनुसार उक्त मदों पर व्यापार कर रु0 436337 की होती है। अन्तर की धनराशि 436337-402204=34133 की कटौती कम की गयी। जिसकी अनियमितता के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन राय एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री श्यामकिशोर नगाइच उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी कार्मिकों से वसूली की जाये।

मूल आपत्ति सं0-27(2)अ

(ब)वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त आयोग, मनरेगा, बारहवां वित्त आयोग, बी0आर0जी0एफ0, विधायक निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि मद में सामग्री क्रय पर कुल रु0 33086073 का व्यय किया गया जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा व्यापार कर की कटौती रु0 1255221 की की गयी जबकि लेखा परीक्षा गणना के अनुसार उक्त मदों पर व्यापार कर की कटौती 4 प्रतिशत की दर से रु0 1323442 होनी चाहिये। अन्तर की धनराशि 1323442- 1255221=68221 की व्यापार कर की कटौती कम की गयी। जिसकी अनियमितता के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बब्बन राय एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री श्यामकिशोर नगाइच उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी कार्मिकों से वसूली की जाये।

मूल आपत्ति सं0-27(2)ब

क्षेत्र पंचायत डकोर**वर्ष 2011-12 से 2013-14****जिला जालौन****प्रस्तर-27**

वित्तीय वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है परन्तु ग्रांट रजिस्टर भाग-दो में भुगतान प्राप्तकर्ता को चेक के द्वारा भुगतान किया गया है परन्तु किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है, अंकित नहीं किया गया, जबकि नियमानुसार व्यय का विवरण अंकित किया जाना चाहिये। विवरण खोजकर पुष्टि करायी जाये, अन्यथा का दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रामचन्द्र श्रीवास एवं श्री शिवकुमार गुप्ता का संयुक्त रूप से व्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण	चेक प्राप्त करने वाले का नाम
1.	29.11.11	0063217	75962.00	अज्ञात	श्री तेजप्रताप उरई
2.	29.11.11	0063218	23566.00	अज्ञात	श्री भोगीलाल सहा0वि0अधि0
3.	29.11.11	0063219	5576.00	अज्ञात	श्री भोगीलाल सहा0वि0अधि0
		योग	105104.00		

मूल आपत्ति सं०-16**प्रस्तर-28**

वित्तीय वर्ष 2011-12 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय/अग्रिम दर्शाया गया है परन्तु ग्रांट रजिस्टर भाग-दो में भुगतान प्राप्तकर्ता को चेक के द्वारा भुगतान किया गया है, परन्तु किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है, अंकित नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार व्यय का विवरण अंकित किया जाना चाहिये। विवरण खोजकर/पुष्टि कराई जाये, अन्यथा की स्थािति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रामचन्द्र श्रीवास एवं श्री शिवकुमार गुप्ता का संयुक्त रूप से व्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण	चेक प्राप्त करने वाले का नाम
1.	02.11.11	0063220	25000.00	अग्रिम धनराशि	श्री राजीव गोयल अवर अभि० (आरईएस)
2.	02.11.11	0063221	25000.00	अग्रिम भुगतान	श्री राजीव गोयल अवर अभि० (आरईएस)
		योग	50000.00		

मूल आपत्ति सं०-17**प्रस्तर-29**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अवलोकन में अप्रैल 2011/मार्च 2011 से रु० 81371.00 अन्य योजनओं से प्राप्त वर्ष में यह अवशेष दर्शाया जा रहा था जो मई 2013 में रु० 81371.00 + 1665.00 (निविदा बिक्री की धनराशि जो शेष थी) रु० 83036.00 अंकित की गयी है जो अनियमित है। इसके सापेक्ष जनवरी 2014 में उक्त धनराशि में से रुपया 29198.00 व्यय निम्नानुसार दर्शाया गया है जो व्याज मद की धनराशि से व्यय किया गया है जो रु० 81371.00 शासन को वापिस किया जाना चाहिये था। अतः किया गया व्यय अनियमित एवं वापिसी योग्य है। जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रामचन्द्र श्रीवास एवं श्री शिवकुमार गुप्ता का संयुक्त रूप से होगा।

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण	चेक प्राप्त करने वाले का नाम
1.	01.01.14	13728	13720.00	अग्रिम धनराशि	आकांक्षा सिस्टम, उरई
2.	01.01.14	13729	15478.00	अग्रिम भुगतान	आनन्द इलेक्ट्रानिक्स, उरई
		योग	29198.00		

मूल आपत्ति सं०-18**प्रस्तर-30**

वित्तीय वर्ष 2011-12 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) योजना से अग्निपीडित आवास पर व्यय रु० 84000.00 निम्न विवरणानुसार व्यय/चैक बैंक शाखा प्रबन्धकों को निर्गत की गयी थी। उक्त से सम्बन्धित लाभार्थियों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी फलतः उक्त आवासों में व्ययित धनराशि अपुष्ट रही। सूची खोजकर पुष्टि में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रामचन्द्र श्रीवास एवं श्री शिवकुमार गुप्ता का संयुक्त रूप से व्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	बैंक शाखा का विवरण
1.	19.08.11	8591119	21000.00	इला0यूपी0ग्रा0 बैंक कोंच रोड, उरई (अग्निपीडित आवास करसान)
2.	19.08.11	859120	42000.00	इला0यूपी0 ग्रा0 बैंक मुख्य शाखा, उरई (अग्निपीडित आवास करसान)
3.	04.10.11	460476	21000.00	इला0यूपी0 ग्रा0 बैंक मुख्य शाखा, उरई (अग्निपीडित आवास करसान)
		योग	84000.00	

मूल आपत्ति सं०-22**प्रस्तर-31**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना से आवास आवंटन पर निम्न विवरणानुसार रु० 105000.00 एवं रु० 73500.00 व्यय चेक द्वारा किये गये थे। उक्त आवासों से सम्बन्धित सत्यापित सूची एवं

कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांग करने की उपलब्ध नहीं कराये गये। फलतः आवासों में व्यथित धनराशि अपुष्ट रही। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रामचन्द्र श्रीवास एवं श्री शिवकुमार गुप्ता का संयुक्त रूप से होगा।

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	बैंक शाखा का विवरण
1.	19.08.11	859117	105000.00	इला0यूपी0ग्रा0 बैंक शाखा हरदोई गूजर (कंकनखेड़ा आवास)
2.	19.08.11	859118	73500.00	क्षेत्रीय सहकारी समिति लि० मड़ोरा(आवास करसान)
		योग	178500.00	

मूल आपत्ति सं०-23

प्रस्तर-32 लेवर सेस- असंगठित क्षेत्र के भवनप एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु "उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण, कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम-2009" (जो फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% (एक प्रतिशत) की दर से कर्मकार उपकर (लेवरसेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-33(1)

आलोच्य वर्षों में बी०आर०जी०एफ० योजना के अन्तर्गत-

(1)वर्ष 2011-12 में ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रू० 260919.00 का किया गया है, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रू० 2609.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त की कटौती नहीं की गयी जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रामचन्द्र श्रीवास एवं श्री शिवकुमार गुप्ता से की जानी चाहिये।

(2)वर्ष 2013-14 में बी०आर०जी०एफ० योजना के अन्तर्गत ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रू० 2576844.00 का किया है, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रू० 25768.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त की कटौती नहीं की गयी जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रामचन्द्र श्रीवास एवं श्री शिवकुमार गुप्ता से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं०-33(2)

बुन्देलखण्ड विकास निधि (बी.वी.एन) - आलोच्य वर्ष 2012-13 में बी०वी०एन० योजना के अन्तर्गत ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रू० 4585961.00 का किया गया है, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रू० 45860.00 ठेकेदारों से कटौती नहीं की गयी जिसकी वसूली तत्कालीन उत्तरदायी वि०ख० अधिकारी/लेखाकार से किया जाना अपेक्षित रहा।

मूल आपत्ति सं०-33(3)

विधायक निधि -

(1)आलोच्य वर्षों 2012-13 में विधायक निधि योजना के अन्तर्गत ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रू० 2635323.00 किया गया है, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रू० 26353.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त की कटौती नहीं की गयी जिसकी वसूली तत्कालीन उत्तरदायी वि०ख० अधिकारी/लेखाकार से किया जाना अपेक्षित रहा।

मूल आपत्ति सं०-33(4)1

(2)आलोच्य वर्ष 2013-14 में विधायक निधि योजना के अन्तर्गत ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रू० 302423.00 किया गया है, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रू० 3024.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त की कटौती नहीं की गयी जिसकी वसूली तत्कालीन उत्तरदायी वि०ख० अधिकारी/लेखाकार से किया जाना अपेक्षित रहा।

मूल आपत्ति सं०-33(4)2

"बल्क मिल्क कूलर" भवन निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रू० 391801.00 का किया गया है, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रू० 3918.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त की कटौती नहीं की गयी जिसकी वसूली तत्कालीन उत्तरदायी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रामचन्द्र श्रीवास एवं श्री शिवकुमार गुप्ता से की जानी चाहिये।

"बल्क मिल्क कूलर" भवन निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण योजना अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रू० 240274.00 का किया गया, जिस पर लेवरसेस 1% की दर से रू० 2403.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त की कटौती नहीं की गयी है जिसकी वसूली तत्कालीन उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रामचन्द्र श्रीवास एवं श्री शिवकुमार गुप्ता से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं०-33(5)

राज्य वित्त आयोग- वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम डकोर में अरविन्द महते से बलवीर यादव तक सी०सी० एवं नाली निर्माण, ठेके पर कार्य का भुगतान ठेकेदार श्री अकबर खां काण्ट्रेक्टर को रू० 217990.00 किया गया जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रू० 2180.00 की कटौती नहीं की गयी है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रामचन्द्र श्रीवास एवं श्री शिवकुमार गुप्ता से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं०-33(6)1

वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम खरका में मुलु पाल के घर से घनश्याम के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण ठेके पर कार्य का भुगतान श्री एस0एस0 कन्स्ट्रक्शन को रू0 441665.00 किया गया जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रू0 4417.00 की कटौती नहीं की गयी है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रामचन्द्र श्रीवास एवं श्री शिवकुमार गुप्ता से की जानी चाहिये। **मूल आपत्ति सं0-33(6)2**

वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम ददरी में धनीराम के मकान से पंचा धोबी के मकान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण, ठेके पर कार्य का भुगतान श्री एस0एस0 कन्स्ट्रक्शन को रू0 688358.00 किया गया। जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रू0 6884.00 की कटौती नहीं की गयी है जिसकी वसूली तत्कालीन वि0खण्ड अधिकारी/लेखाकार से किया जाना अपेक्षित रहा। **मूल आपत्ति सं0-33(6)3**

प्रस्तर-33 **आयकर-** अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों पर सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती से काटी गयी धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक 21 में जमा किये जाने के लिये संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा न किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है। साथ ही काटे गये आयकर को निर्धारित समय के भीतर राजकोष में जमा न किये जाने पर कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती (एक वर्ष में 30 हजार से अधिक या सभी बिलों का योग 75 हजार होने पर) 2.26% की दर से सुनिश्चित की जानी है। आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 के मध्य सभी योजनाओं पर सामग्री क्रय पर कुल रू0 28037621.00 व्यय किया गया है। जिस पर 2% की दर से रू0 560752.00 की आयकर कटौती की जानी चाहिये थी जबकि संस्था द्वारा रू0 148229.00 की कटौती की गयी है। अतः अन्तर राशि रू0 412523.00 की जिसकी तत्कालीन वि0खण्ड अधिकारी/लेखाकार से व्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

वर्षवार एवं योजनावार सामग्री क्रय का विवरण

क्रं0	योजना का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	योग
1.	बुन्देलखण्ड विकास निधि	4559468.00	4585961.00	244803.00	9390232.00
2.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	314574.00	—	5019844.00	5334418.00
3.	सांसद निधि	1673317.00	—	379860.00	2053177.00
4.	विधायक निधि	43794.00	2635323.00	355557.00	3425674.00
5.	राज्य वित्त	—	2809683.00	2432960.00	5242643.00
6.	तेरहवां वित्त	—	270340.00	2321137.00	2591477.00
	योग	6982153.00	10301307.00	10754161.00	28037621.00

मूल आपत्ति सं0-34(1)

प्रस्तर-34 **व्यापार कर-** शासनादेश सं0- ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने का विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की हैं इसके तहत टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संविदाकार फर्म वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नं0 जारी किया गया है। नियमानुसार संविदाकार फर्म के बिल को कोषागार में प्रस्तुत करते समय/चेक के माध्यम से जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है। वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं भुगतान पर प्रावधानिक कर कटौती कर ली गयी है लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में संस्था द्वारा निर्माण कार्यों में सभी योजनाओं के अन्तर्गत क्रय सामग्री पर कुल रू0 28037621.00 व्यय किया गया है जिस पर व्यापार कर (वैट) 4% की दर से रू0 1121504.00 की कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा मात्र रू0 333960.00 की कटौती की गयी है। अतः अन्तर राशि रू0 787544.00 की वसूली उत्तरदायी वि0खण्ड अधिकारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही।

वर्षवार एवं योजनावार सामग्री क्रय का विवरण

क्रं0	योजना का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	योग
1.	बुन्देलखण्ड विकास निधि	4559468.00	4585961.00	244803.00	9390232.00
2.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	314574.00	—	5019844.00	5334418.00
3.	सांसद निधि	1673317.00	—	379860.00	2053177.00
4.	विधायक निधि	43794.00	2635323.00	355557.00	3425674.00
5.	राज्य वित्त	—	2809683.00	2432960.00	5242643.00
6.	तेरहवां वित्त	—	270340.00	2321137.00	2591477.00
	योग	6982153.00	10301307.00	10754161.00	28037621.00

मूल आपत्ति सं0-34(2)

प्रस्तर सं0-35-लेवर सेस- असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु "उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण, कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम-2009" (जो फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू हैं) के नियम-4(3) के अनुसार जो कार्य ठेके पर कराये गये हैं उन ठेकेदारों के भुगतान से 1 प्रतिशत लेवर सेस के रूप में काटकर भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है, लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

1- आलोच्य वर्ष 2014-15 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रु0 1874524 का किया गया, जिस पर लेवर सेस 1 प्रतिशत की दर से रु0 18745.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त की कटौती नहीं की गयी। रु0-18745.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री शिवकुमार गुप्ता एवं श्री सन्तराम पाल से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0-27-01

2- आलोच्य वर्ष 2015-16 में 'आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण' योजना के अन्तर्गत ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रु0 593743.00 का किया गया, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रु0 59374.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त की कटौती नहीं की गयी। रु0-59374.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री शिवकुमार गुप्ता एवं श्री सन्तराम पाल से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0-27-2

3- आलोच्य वर्ष 2016-17 'आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण' योजना के अन्तर्गत ठेकेदार कार्य का कुल भुगतान रु0 474778.00 का किया गया, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रु0 4748.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त की कटौती नहीं की गयी रु0- 4748.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री शिवकुमार गुप्ता एवं श्री सन्तराम पाल से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0-27-3

4- आलोच्य वर्ष 2014-15 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अन्तर्गत ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रु0 6065629.00 का किया गया है, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रु0 60656.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त की कटौती नहीं की गयी रु0-60656.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री शिवकुमार गुप्ता एवं श्री सन्तराम पाल से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0-27-4

5- आलोच्य वर्ष 2015-16 में 'पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि' योजना के अन्तर्गत ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रु0 6965773.00 का किया गया है, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रु0 69658.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये जिसके एवज में रु0 52369.00 की कटौती की गयी थी। अन्तर धनराशि रु0 17289.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री शिवकुमार गुप्ता एवं श्री सन्तराम पाल से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0-27-5

6- आलोच्य वर्ष (2014-15) में राज्य वित्त के तहत ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रु0 4919937.00 का किया गया, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रु0 49199.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त की कटौती नहीं की गयी रु0-49199.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री शिवकुमार गुप्ता एवं श्री सन्तराम पाल से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0-27-6

7- आलोच्य वर्ष (2015-16) में राज्य वित्त के अन्तर्गत ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रु0 6462384.00 का किया गया, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रु0 64624.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी, जिसके एवज में रु0 42371.00 की कटौती की गयी। अन्तर धनराशि 22253.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री शिवकुमार गुप्ता एवं श्री सन्तराम पाल से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0-27-7

8- आलोच्य वर्ष (2014-15) में तेरहवां वित्त के तहत ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रु0 4289564.00 का किया गया, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रु0 42896.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त की कटौती नहीं की गयी, रु0-42896.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री शिवकुमार गुप्ता एवं श्री सन्तराम पाल से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0-27-8

9- आलोच्य वर्ष (2015-16) में तेरहवां वित्त के अन्तर्गत ठेके पर कार्य का कुल भुगतान रु0 7213910.00 का किया गया, जिस पर लेवर सेस 1% की दर से रु0 72139.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी जिसके एवज में रु0 70485.00 की कटौती की गयी, अन्तर धनराशि रु0 1654.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री

डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री शिवकुमार गुप्ता एवं श्री सन्तराम पाल से की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0-27-9

प्रस्तर सं0- 36- आयकर- आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194सी0 के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों पर सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती से काटी गयी धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक 21 में जमा किये जाने के लिये संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा न किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है। साथ ही काटे गये आयकर को निर्धारित समय के भीतर राजकोष में जमा न किये जाने पर कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2010 से आयकर की कटौती (एक वर्ष में 30 हजार से अधिक या सभी बिलों का योग 75 हजार होने पर) 2% की दर से सुनिश्चित की जानी है। आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 के मध्य सभी योजनाओं पर सामग्री क्रय पर कुल रु0 35363633.00 व्यय किया गया है। जिस पर 2% की दर से रु0 707272.00 की आयकर कटौती की जानी चाहिये थी, जबकि संस्था द्वारा रु0 611209.00 की कटौती की गयी है। अतः अन्तर राशि रु0 96063.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री शिवकुमार गुप्ता एवं श्री संतराम पाल से की जानी अपेक्षित रही।

मूल आपत्ति सं0-28-1

प्रस्तर सं0- 37- व्यापार कर- शासनादेश सं0 ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने का विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया गया है। नियमानुसार संविदाकार फर्म के बिल को कोषागार में प्रस्तुत करते समय/चेक के माध्यम से जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के देयक चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है। वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं भुगतान पर प्राविधानिक कर कटौती कर ली गयी है लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में संस्था द्वारा निर्माण कार्यों में सभी योजनाओं के अन्तर्गत क्रय सामग्री पर कुल रु0 35363633.00 व्यय किया गया है जिस पर व्यापार कर (वैट) 4% की दर से रु0 1414545.00 की कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा मात्र रु0 1082798.00 की कटौती की गयी है। अतः अन्तर की राशि रु0 331747.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री शिव कुमार गुप्ता एवं श्री सन्तराम से की जानी अपेक्षित रही। संस्था द्वारा आलोच्य वर्षों में सम्पन्न कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष सामग्री और श्रम का अलगवाव करते हुये सामग्री में प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही क्रय स्टॉक का स्टॉक रजि0 ही तैयार कर रखा गया है। ऐसी स्थिति में निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त की गयी सामग्री के सापेक्ष आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नियमानुसार नहीं किया गया है। मदवार रजिस्टर तैयार कर वर्षवार कटौती, वसूली एवं जमा का विवरण नियमानुसार रखा जाना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0एन0 पाण्डेय एवं अन्य उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री शिवकुमार गुप्ता एवं श्री सन्तराम पाल उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-28-2

क्षेत्र पंचायत कदौरा

वर्ष 2014-15 से 2016-17

जिला जालौन

प्रस्तर सं0-38 लेवर सेस- असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु "उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण, कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम-2009" (जो फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% (एक प्रतिशत) की दर से कर्मकार उपकर (लेवरसेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है।

आलोच्य वर्षों में बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत-

(1) 1. आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग, एवं बी.आर.जी.एफ. योजनाओं के मद में निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों को कुल रूपया 20566318.00 का भुगतान किया गया जिस पर लेवर सेस 1 प्रतिशत की दर से रु0 205663.00 की कटौती ठेकेदारों के बिल से की जानी चाहिये थी जिसकी कटौती नहीं की गयी है। कटौती न किये जाने की अनियमितता के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशुतोष दुबे एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री गोविन्द सिंह यादव उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी कर्मिकों से रु0- 205663.00 की वसूली की जाये।

मूल आपत्ति सं0-34-1

2- आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग, बी.आर.जी.एफ. योजनाओं के मद में निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों को कुल रु0 6304367.00 का भुगतान किया गया जिस पर लेवर सेस 1 प्रतिशत की दर से रु0 63043.00 की कटौती ठेकेदारों के बिल से की जानी चाहिये थी जिसकी कटौती नहीं की गयी। कटौती न किये जाने की अनियमितता के

लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशुतोष दुबे एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री गोविन्द सिंह यादव उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी कार्मिकों से रु०- 63043.00 की वसूली की जाये। **मूल आपत्ति सं०-34-2**

प्रस्तर सं० 39- वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त एवं कैटिल गैस एवं आंगनबाड़ी मद में सामग्री क्रय पर कुल रु० 10250824.00 व्यय किया गया जिस पर 2. प्रतिशत की दर से 205016.00 आय कर हुआ था। जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा रुपया 181025.00 की कटौती की गयी। अन्तर की राशि 23991.00 की कम कटौती की गयी। कम कटौती के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशुतोष दुबे एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री गोविन्द सिंह यादव उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी कार्मिकों से रु०- 23991.00 की वसूली की जाये। **मूल आपत्ति सं०-35-2**

प्रस्तर सं० 40- व्यापार कर- शासनादेश सं० ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से व्यापार कर सुनिश्चित करने का विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया गया है। नियमानुसार संविदाकार फर्म के बिल को कोषागार में प्रस्तुत करते समय चेक के माध्यम से जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के देयक चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं भुगतान पर प्राविधानिक कर कटौती कर ली गयी है।

1- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त, तेरहवां वित्त, बी०आर०जी०एफ० एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर सामग्री क्रय पर कुल रु० 23797719.00 व्यय किया गया जिस पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर रु० 951908.00 होता है जिसके सापेक्ष रु० 931603.00 की कटौती की गयी। अन्तर की राशि 20305.00 की कम कटौती की गयी। कम कटौती के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशुतोष दुबे एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री गोविन्द सिंह यादव उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी कार्मिकों से रु०- 20305.00 की वसूली की जाये। **मूल आपत्ति सं०-36-1**

2- वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त, कैटिल गैस एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर सामग्री क्रय पर कुल रु० 10250826.00 व्यय किया गया जिस पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर रु० 410033.00 होता है जिसके सापेक्ष रु० 370034.00 की कटौती की गयी। अन्तर की राशि रु० 39999.00 की कम कटौती की गयी। कम कटौती के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशुतोष दुबे एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री गोविन्द सिंह यादव उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी कार्मिकों से रु०- 39999.00 की वसूली की जाये। **मूल आपत्ति सं०-36-2**

क्षेत्र पंचायत महेबा

वर्ष 2014-15 से 2016-17

जिला जालौन

प्रस्तर सं०-41- लेवर सेस- असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु "उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण, कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम-2009" (जो फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% (एक प्रतिशत) की दर से कर्मकार उपकर (लेवरसेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है।

1- वर्ष 2014-15 राज्य वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग, बी०आर०जी०एफ०, बुन्देलखण्ड विकास निधि एवं आंगनबाड़ी के मद में निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों को कुल 22937054.00 का भुगतान किया गया जिस पर 1 प्रतिशत की दर से लेवर सेस रु० 229370.00 की कटौती ठेकेदारों के बिल से की जानी चाहिए थी जिसकी कटौती नहीं की गयी है। कटौती न किये जाने की अनियमितता के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार बच्चूलाल कश्यप उत्तरदायी है। जिसकी वसूली उत्तरदायी कार्मिकों से रु०- 229370.00 की वसूली की जाये। **मूल आपत्ति सं०-31-1**

2- आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग, बी०आर०जी०एफ०, बुन्देलखण्ड विकास निधि एवं आंगनबाड़ी के मद में निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों को कुल रु० 16781664.00 का भुगतान किया गया जिस पर लेवर सेस 1 प्रतिशत की दर रु० 167816.00 की कटौती ठेकेदारों के बिल से की जानी चाहिये थी जिसके एवज में संस्था द्वारा रु० 125273.00 की कटौती की गयी। अन्तर की धनराशि रु० 42543 (167816-125273 = रु० 42543) की कम कटौती की गयी। कम कटौती की अनियमितता के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार बच्चूलाल कश्यप उत्तरदायी है। उत्तरदायी कार्मिकों से रु० 42543.00 की वसूली की जाये। **मूल आपत्ति सं०-31-2**

3-आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त, विधायक निधि, बी०आर०जी०एफ०, आंगनबाड़ी एवं बाउण्ड्रीवाल के मद में निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों को कुल रु० 9479745.00 जिस पर लेवर सेस 1 प्रतिशत की दर से रु० 94797.00 की कटौती ठेकेदारों के बिल से की जानी चाहिये थी जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा लेवर सेस रु० 37050 की कटौती की गयी। अन्तर की धनराशि रु० 57747 (94797-37050=57747) की कम कटौती की गयी। कम कटौती के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार बच्चूलाल कश्यप उत्तरदायी है। उत्तरदायी कार्मिकों से रु० 57747 की वसूली की कार्यवाही की जाये। **मूल आपत्ति सं०-31-3**

प्रस्तर सं०-42- आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग, विधायक निधि, बी०आर०जी०एफ० आंगनबाड़ी, बाउण्ड्रीवाल के मद में सामग्री पर कुल रु० 9697632.00 का भुगतान किया गया। जिस पर 2% प्रतिशत की दर से

आयकर रु0 193953.00 हुआ जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा आयकर वर्ष 2016-17 में रु0 126498.00 की कटौती की गयी। अन्तर की धनराशि रु0 67455.00 (219748-120498=99250) की कम कटौती की गयी है। कम कटौती के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार बच्चूलाल कश्यप उत्तरदायी है। उत्तरदायी कार्मिकों से रु0 99250.00 की वसूली की जानी चाहिये। **मूल आपत्ति सं0-32-2**

प्रस्तर सं0-43- व्यापार कर-शासनादेश सं0 ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से व्यापार कर सुनिश्चित करने का विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया गया है। नियमानुसार संविदाकार फर्म के बिल को कोषागार में प्रस्तुत करते समय चेक के माध्यम से जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के देयक चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं भुगतान पर प्राविधानिक कर कटौती कर ली गयी है।

1- आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग, बी0आर0जी0एफ0, बुन्देलखण्ड विकास निधि एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के मद में निर्माण कार्यों पर सामग्री हेतु कुल रु0 16966152.00 व्यय आंकलित किया गया है जिस पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर रु0 78646 हुआ जिसके सापेक्ष वर्ष 2015-16 में उक्त मद में व्यापार कर रु0 676332.00 की कटौती की गयी, अंतर धनराशि रु0 2314.00 (678646-676332=02314) की कम कटौती की गयी, कम कटौती के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार बच्चूलाल कश्यप उत्तरदायी है। उत्तरदायी कार्मिकों से रु0 2314.00 की वसूली की जानी चाहिये।

मूल आपत्ति सं0-33-1

2-आलोच्य वर्षों में 2016-17 में राज्य वित्त आयोग, बी0आर0जी0एफ0, विधायक निधि, आंगनबाड़ी एवं बाउण्ड्रीवाल के मद में निर्माण कार्यों पर सामग्री हेतु रु0 9697632.00 व्यय आंकलित किया गया है, जिस पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर रु0 387905.00 हुआ है। जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान उक्त मदों में व्यापार कर रु0 200260.00 की कटौती की गयी, अंतर धनराशि रु0 187645.00 (387905-200260=187645) की कम कटौती की गयी, कम कटौती के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार एवं अन्य खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार बच्चूलाल कश्यप उत्तरदायी है। उत्तरदायी कार्मिकों से रु0 187645.00 की वसूली की जानी चाहिये। **मूल आपत्ति सं0-33-2**

क्षेत्र पंचायत जालौन

वर्ष 2014-15 से 2016-17

जिला जालौन

प्रस्तर सं0-44- संस्था द्वारा आलोच्य वर्षों में सम्पन्न कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष सामग्री और श्रम का अलगाव करते हुये सामग्री में प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही क्रय स्टॉक का स्टॉक रजि0 ही तैयार कर रखा गया है। ऐसी स्थिति में निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त की गयी सामग्री के सापेक्ष व्यापार कर की कटौती नियमानुसार नहीं किया गया है। मदवार रजिस्टर तैयार कर वर्षवार कटौती, वसूली एवं जमा का विवरण नियमानुसार रखा जाना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। लेखा परीक्षानुसार इसका आंकलन निम्नवत् है-

आप0क्रं0-2 (i एवं ii) का वर्षवार एवं योजनावार सामग्री क्रय का विवरण

क्रं0	योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	योग
1	बी0आर0जी0एफ0	2716560.00	7532993.00	903044.00	11152575.00
2.	राज्य वित्त	3741515.00	1053050.00	1208781.00	6003346.00
3.	तेरहवां वित्त	2019123.00	1205192.00	-	3224315.00
4.	मनरेगा प्रशा0व्यय	18000.00	11800.00	64050.00	93850.00
5.	आंगनबाड़ी	-	913996.00	23002.00	936998.00
	योग	8495198.00	10717031.00	2198877.00	21411106.00

लेखा परीक्षानुसार की जाने वाली कटौती एवं अन्तर राशि (वर्षवार)

क्रं0	योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	योग
1.	व्यापार कर	339808.00	428681.00	87955.00	856444.00

संस्था द्वारा की गयी कटौती

1.	व्यापार कर	269652.00	427193.00	43386.00	740231.00
	योग	455500.00	693218.00	68008.00	1216726.00

अन्तर राशि

1.	व्यापार कर	70156.00	1488.00	44569.00	116213.00

(1)- व्यापार कर- शासनादेश सं0 ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30.08.11 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने का विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नं0 जारी किया गया है। नियमानुसार संविदा कर फर्म के बिल को कोषागार में प्रस्तुत करते समय/चेक के माध्यम से जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधि0 के द्वारा देयक

चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है। वाणिज्य कर विभाग के पंजीकृत है एवं भुगतान पर प्राविधानित कर कटौती कर ली गयी है लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में संस्था द्वारा निर्माण कार्यों में सभी योजनाओं के अन्तर्गत क्रय सामग्री पर कुल ₹0 21411106.00 व्यय किया गया है जिस पर व्यापार कर (वैट) 4% की दर से ₹0 856444.00 की कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा मात्र ₹0 740231.00 की कटौती की गयी है। अन्तर राशि ₹0 116213.00 की वसूली सम्बन्धित संस्था से/उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से वसूली किया जाना अपेक्षित रहा।

मूल आपत्ति सं0-2(2)

प्रस्तर सं0-45- लेबर सेस- असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु "उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण, कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम-2009" (जो 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत 1% का की दर से कर्मकार-उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

आलोच्य वर्षों में बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में ठेके पर कार्य का कुल भुगतान ₹0 12866203.00 का किया गया है जिस पर लेबर सेस 1% की दर से ₹0 128662.00 ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिये थी जिसके सापेक्ष वर्ष 2016-17 में ₹0 10846.00 की कटौती की गयी है। शेष ₹0 117816.00 की वसूली उत्तरदायी वि0ख0 अधिकारी/लेखाकार से किया जाना अपेक्षित रहा। साथ ही समय से शुल्क की कटौती न करके तथा जमा न करने के कारण समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। वर्षवार विवरण निम्नवत है-

बी0आर0जी0एफ0 योजना से वर्षवार कुल व्यय (निर्माण कार्यों पर) जो ठेका से कराये गये

वर्ष		निर्धारित सेसकर	
2014-15	3043174.00	30432.00	-
2015-16	8702579.00	870.26.00	-
2016-17	1120450.00	11204.00	10846.00
योग	12866203.00	128662099	10846.00

मूल आपत्ति सं0-3

प्रस्तर सं0-46- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजना मद में दि0 05.07.14 को चेक सं0 010140 से ₹0 138780.00 का भुगतान श्री पी0के0 कश्यप को सहाय में सी0सी0 रोड निर्माण हेतु भुगतान किया गया था तथा कर कटौती ₹0 1559.00 की हुई है। इस प्रकार कुल ₹0 140339.00 का व्यय किया गया है जिसमें निम्न कार्यों पर व्यय ₹0 97893.00 की व्यय का विवरण प्राप्त होता है। शेष ₹0 42446.00 सामग्री व्यय किस कार्य में व्यय किया गया विवरण अप्राप्त रहा। अतः उक्त निर्माण सामग्री का अपहरण सम्भावित है जिसकी पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में भुगतान प्राप्तकर्ता श्री पी0के0 कश्यप (कार्य प्रभारी) से, तत्कालीन वि0ख0 अधि0 एवं ज्येष्ठ लेखाकारों से मयसूद वसूल किया जाना चाहिये। प्राप्त विवरण निम्नवत है-

1.	सहाय में सी0सी0 निर्माण रामरतन से मुकेश कुशवाहा	47409.00
2.	सहाय में सी0सी0 निर्माण लल्लू कुशवाहा से रामसिंह	50484.00
	योग ₹0	97893.00

मूल आपत्ति सं0-6

प्रस्तर सं0-47- वर्ष 2016-17 में बी0आर0जी0एफ0 योजना खाते से दि0 24.05.16 को चेक सं0 231171 से ₹0 186178.00 का भुगतान उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को किया गया है। उक्त भुगतान ठेकेदारों के बिल से काटे बगैर संस्था द्वारा स्वयं के खाते से कर्मकार कल्याण बोर्ड को भुगतान कर संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/ज्येष्ठ लेखाकार उत्तरदायी रहे। जिनसे व्याज सहित वसूली की जाए।

मूल आपत्ति सं0-9

प्रस्तर सं0-48- आलोच्य वर्ष 2015-16 में प्रशा0 मद की पत्रावली संलग्न विकासखण्ड अधिकारी को सम्बोधित श्री जयप्रकाश गुबरेले आंकिक का दिनांक रहित पत्र पाया गया जिसमें उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 में ग्राम प्रधान के निर्वाचन में नामांकन से मतगणना तक कार्य में लगे कर्म0/अधिकारियों को नाश्ता/लंच तथा अन्य व्यवस्था कार्य एवं पोलिंग बूथ निर्माण कार्य कराने/व्यय के भुगतान हेतु ₹0 79900.00 की मांग करते हुये भुगतान के उपरान्त समस्त व्यय प्रमाणक/बाउचर समायोजनार्थ प्रस्तुत कर देने की बात कही थी। तदनुसार उक्त के भुगतान हेतु श्री जे0पी0 गुबरेले कैशियर के नाम चेक सं0 372344 दि0 19.12.15 ₹0- 79900.00 की जारी की गयी है परन्तु उक्त व्यय के भुगतान के सापेक्ष श्री गुबरेले द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले भुगतान से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, पत्रावली में नहीं पाये गये जिससे व्यय धनराशि के अप्राप्त प्रमाणकों के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में श्री जे0पी0 गुबरेले, खण्ड वि0 अधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखाकार से वसूली किया जाना अपेक्षित रहा। अतः ₹0 79900.00 की व्याज सहित वसूली श्री जी0पी0 गुबरेले आंकिक से की जाये।

मूल आपत्ति सं०-15

प्रस्तर सं०-49- आलोच्य वर्ष 2015-16 में प्रशा० व्यय में श्री जे०पी० गुबरेले कैशियर वि०ख० जालौन द्वारा खण्ड वि०अधिकारी को दि० रहित सम्बोधित पत्र के माध्यम से कार्यालय व्यवस्था संचालन हेतु जैसे जनरेटर एवं जीप में डीजल तथा झाड़ू अन्य व्यवस्था हेतु अग्रिम रु० 10,000 की मांग की गयी थी जिसके क्रम में चेक सं० 380774 दि० 18.06.15 रु० 5000.00 श्री जे०पी० गुबरेले के नाम चैक जारी की गयी थी। जिसके उपरान्त श्री गुबरेले द्वारा लगभग 6.5 माह के उपरान्त अति विलम्ब से 22.01.2016 को निम्नलिखित व्यय बाउचर समायोजन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

1.	सी.एम न० 19/15.05.15	550.00	ताला क्रय
2.	सी.एम न० 83/21.05.15	1525.00	जनरेल मर०
3.	सी.एम न० 110/26.05.15	2870.00	पंखा मरम्मत
4.	सी.एम न० 56/01.07.15	360.00	झाड़ू क्रय
	योग	5305.00	

प्रस्तुत करते हुये कुल रु० 5000.00 का समायोजन के उपरान्त रु० 305.00 अधिक का स्वयं भुगतान करने का अनुरोध किया है। पत्रावली में प्रस्तुत व्यय प्रमाणक सादा कैश मेमो पर पाये गये तथा किसी अधिकारी द्वारा अवलोकित/प्रमाणित भी नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत व्यय प्रमाणक फर्जी पाये गये जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री जे०पी० गुबरेले/तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखा कार्य से किया जाना अपेक्षित रहा।

मूल आपत्ति सं०-17

प्रस्तर सं०-50- आलोच्य वर्ष 2016-17 में श्री आर०के० गोयल (एन०आर०ई०पी०) को डीजल व्यय में उनके द्वारा किये गये व्यय प्रमाण के धनराशि संख्या 9800.00 के सापेक्ष रूपया 10000.00 की चेक सं० 233941 दि० 20.01.17 निर्गत है। इस प्रकार रु० 200.00 के व्यय प्रमाण अप्राप्त होने से रूपया 200.00 की वसूली श्री गोयल से की जाये।

मूल आपत्ति सं०-19

प्रस्तर सं०-51- वर्ष 2014-15 में दि० 03.07.14 को चैक सं० 10138 द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु रूपया 81043.00 श्री पी०के० कश्यप को भुगतान किया गया है जिसमें ग्राम सहाय में टिल्लू साई के प्लाट से वशीर चच्चा को और सी०सी० रोड निर्माण (तेरहवां वित्त) के अन्तर्गत कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल 19.06.14 से 27.06.14 तक में लगे 17 मजदूरों का भुगतान रु० 17524.00 किया गया दर्शित है। उक्त मस्टर रोलों में मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नहीं पाये गये हैं और न ही उक्त भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में जमा कराया गया। भुगतान फर्जी रहा। अतः व्यय भुगतान धनराशि रूपया 17524.00 की ब्याज सहित वसूली श्री पी०के० कश्यप कार्य प्रभारी व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखाकार से की जाये।

मूल आपत्ति सं०-22

प्रस्तर सं०-52- आलोच्य वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में निम्न योजनाओं से सम्बन्धित निम्न विवरण के अनुसार व्यय राशि से सम्बन्धित पत्रावलियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय राशि अपुष्ट रही। अतः उक्त से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रही। (प्राप्त फाईलों से सम्बन्धित कार्यों की सूची संलग्न है)।

क्र०	योजना का नाम	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	योग
1.	राज्य वित्त	560531.00	1029752.00	1590283.00
2.	तेरहवां वित्त	197053.00	—	197053.00
3.	बी०आर०जी०एफ०	120168.00	—	120168.00
	योग	877752.00	1029752.00	1907504.00

मूल आपत्ति सं०-23

क्षेत्र पंचायत कौच

वर्ष 2014-15 से 2016-17

जिला जालौन

प्रस्तर सं०-53- शासनादेश सं०- ए-1-351/ दस 2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम निर्धारित दर से टीडीएस सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसके तहत टेंडर/कुटेशन उप्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नं० जारी किया गया है। नियमानुसार संविदाकार फर्म के विल को कौषागार में प्रस्तुत करते समय चैक के माध्यम से जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चैक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि विल के भुगतान संबंधी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है। वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं भुगतान पर प्राविधानित कर कटौती कर ली गयी है लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है। आलोच्य वर्ष 2014-15 में संस्था द्वारा निर्माण कार्यों में सभी योजनाओं के अन्तर्गत कय सामग्री पर कुल रु०- 2,52,29,915.00 फर्मों/ठेकेदारों को भुगतान किया गया है जिस पर व्यापार कर (वैट) 04 प्रतिशत की दर से रु०- 10,09,198.00 की कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा मात्र रु०- 9,47,580.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार अन्तर राशि रु०- 61618.00 की कटौती कम करके अनियमित कार्य किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन पूर्व खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री बब्बन राय एवं लेखाकार श्री हेमन्त कुमार सिंह उत्तरदायी रहे जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

मूल आपत्ति सं०- 2

प्रस्तर सं0-54- असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं को लाभ उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम 2009 (जो 04 फरवरी 2009 से 30 प्र0 में लागू है) के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के विल से कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेवर सेस) नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत है।

वर्ष	ठेकेदारों को भुगतान राशि	01 प्रतिशत सेंस कर	संस्था द्वारा की गयी कटौती	अन्तर राशि
14-15	2,46,64,031	2,46,640	—	246640
15-16	1,33,25,235	1,33,252	1,27,771	5481
16-17	—	—	—	—

अन्तर राशि योग— 2,52,121

अतः उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी पूर्व खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री बबनराय एवं लेखाकार श्री हेमन्त कुमार सिंह उत्तरदायी रहे।

मूल आपत्ति सं0- 3

प्रस्तर सं0-55- शा0सं0ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा उशासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्षों में निम्नानुसार सभी योजनाओं के अनुदान राशि पर जो बैंक में जमा थी सूद रु0- 5,69,795.00 प्राप्त हुई थी जिसको संस्था द्वारा नियमत शासन को वापिस नहीं किया गया है। जिसको राजकोष में निर्धारित शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।

वर्ष	प्राप्त सूद	उत्तरदायी कर्म/ अधि0 का नाम
2014-15	3,54,519.00	पू0ख0वि0अधि0श्री बबन राय एवं लेखाकार श्री हेमन्त कुमार सिंह
2015-16	1,92,350.00	
2016-17	91,383.00	पू0ख0वि0अधि0श्री श्री कृष्ण पाण्डेय एवं लेखाकार श्री हेमन्त कुमार सिंह
योग	6,38,252.00	

मूल आपत्ति सं0- 4

प्रस्तर सं0-56-आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 में सभी योजनाओं उपर व्यय राशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार पत्रावलियां / प्रमाणक उपलब्ध कराया गया है शेष पत्रावलियां / प्रमाणक लेखा परीक्षा दल द्वारा मौखिक व लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे कुल व्यय राशि की अप्राप्त पत्रावलियां/ अप्राप्त प्रमाणकों पर व्यय राशि रु0- 20,68,305 अपुष्ट रही। अतः अप्राप्त पत्रावलियों को प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराया जाये। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी तत्कालीन पूर्व खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री कृष्ण पाण्डेय एवं लेखाकार श्री हेमन्त कुमार सिंह से व्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाए।

वर्ष 2014-15

योजना का नाम	कुल व्यय राशि	प्राप्त पत्रावली	अप्राप्त पत्रावली
13वां वित्त	3770344	2829011	941333
राज्य वित्त	4469556	4350580	118976
योग	8239900	7179591	1060309

वर्ष 2015-16

योजना का नाम	कुल व्यय राशि	प्राप्त पत्रावली	अप्राप्त पत्रावली
13वां वित्त	1334413	1198293	136120
राज्य वित्त	1011987	864314	147673
बी0 आर0जी0एफ0	11334945	11141292	193653
योग	13681345	13203899	477446

वर्ष 2016-17

योजना का नाम	कुल व्यय राशि	प्राप्त पत्रावली	अप्राप्त पत्रावली
राज्य वित्त	4288519	4089089	199430
बी0 आर0जी0एफ0	485347	154227	331120
योग	4773866	4243316	530550

वर्ष 2014-15 से 2015-16 एवं 2016-17 की कुल अप्राप्त पत्रावलियां में सन्निहित राशि रु0- 20,68,305.00 अपुष्टि रहीं।

मूल आपत्ति सं0- 5

प्रस्तर सं0-57- 31.03.2017 को आयकर, व्यापारकर, रायल्टी एवं लेबर सेस की निम्न विवरण के अनुसार धन0 अवशेष रहें जिसका वर्ष दौरान ही संबंधित विभागों को वापिस न किया जाना अनियमित रहा, जिस पर उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिये, विवरण निम्नवत् है-

1- आयकर-	13736.00
2- व्यापार कर-	24135.00
3- रायल्टी-	5993.00
4- लेबर सेस-	2197.00
योग-	46061.00

मूल आपत्ति सं0- 6

क्षेत्र पंचायत कुठौन्ड

वर्ष 2014-15 से 2016-17

जिला जालौन

प्रस्तर-58 आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी0 के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों पर सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है। साथ ही काटे गये आयकर को निर्धारित समय के भीतर राजकोष में नहीं जमा करने पर कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। दिनांक 01.04.2009 से आयकर की कटौती (एक वर्ष में 30 हजार से अधिक या सभी बिलों का योग 75 हजार होने पर) 2% प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है। आलोच्य वर्षों में उपलब्ध निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर कटौती का विवरण निम्नवत् है :-

मद	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	योग
आयकर	74979	96403	51721	223103

इस प्रकार उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार कुल रू0 223103.00 आयकर की कटौती, बिलों से की गयी है जिसके जमा चालान/स्टेटमेन्ट/प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहने से अनियमितता की स्थिति है जिसके लिए तत्कालीन पूर्व खण्ड विकास अधिकारियों सहित श्री मनोज कुमार सिंह व तत्कालीन पूर्व लेखाकारों सहित श्री श्याम किशोर नगाइच उत्तरदायी रहे। अन्यथा की स्थिति में व्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। (मूल आपत्ति संख्या 2(ii))

प्रस्तर-59 व्यापार कर सम्बन्धित शासनादेश सं0 ए-1-355/दस-2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की हैं इसके तहत टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिए कि संविदाकार फर्म वाणिज्य विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया गया है। नियमानुसार संविदा कर फर्म के बिल को कोषागार में प्रस्तुत करते समय चेक के माध्यम से जारी करने से पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक प्रस्तुत किया गया है। वो वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं भुगतान एवं प्राविधानित कर कटौती कर ली गयी है। लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है।

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में उपलब्ध निर्माण कार्य पत्रावली अनुसार बिल से निम्नलिखित व्यापार कर कटौती की गयी है-

मद	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	योग
व्यापारकर	132144	169773	91138	393055

कटौती की गयी व्यापार कर के जमा चालान/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करके अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन पूर्व खण्ड विकास अधिकारियों सहित श्री मनोज कुमार सिंह एवं तत्कालीन पूर्व लेखाकार सहित श्री श्याम किशोर नगाइच उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 2(ii))

प्रस्तर-60 लेबर सेस- असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु "उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण, कर्मकार कल्याण उपकर नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात् यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है।

आलोच्य वर्ष में ठेकेदारों को वर्ष दौरान निम्न धनराशियों का भुगतान किया गया है किन्तु नियमानुसार लेबर सेस की कटौती नहीं किया गया है जिसके लिये तत्कालीन पूर्व खण्ड विकास अधिकारियों सहित श्री मनोज कुमार सिंह व तत्कालीन लेखाकार सहित श्री श्याम किशोर नगाइच उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी कर्मिकों से व्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

वर्ष	ठेकेदारों को भुगतान राशि	1 प्रतिशत की दर से कटौती	संस्था द्वारा की गयी कटौती	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पद
2014-15	3304825	33048	-	कम कटौती रू0 64562 का उत्तरदायित्व तत्कालीन ख0वि0अ0

				सहित श्री मनोज कुमार सिंह एवं तत्कालीन लेखा सहित श्री श्याम किशोर नगाइच
योग	9912644	99127	34565	कम कटौती 64562 रही

(मूल आपत्ति संख्या 3)

प्रस्तर-61 आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 की योजनाओं पर अनुदान राशि के सापेक्ष कराया गया है। शेष पत्रावलियाँ/प्रमाणक लेखा परीक्षा दल द्वारा मौखिक व लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे कुल व्यय राशि की अप्राप्त पत्रावलियों/अप्राप्त प्रमाणकों पर व्यय राशि 36549367 अपुष्ट है। अतः अप्राप्त पत्रावलियों को प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन पूर्व खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री एम0के0 सिंह व तत्कालीन पूर्व लेखाकार/एन0आई0ई0पी0 श्री इसरत अली सहित श्री श्याम किशोर नगाइच के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही।

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष	कार्यालय अभिलेख के अनुसार व्यय	प्राप्त पत्रावलियाँ/प्रमाणक	अप्राप्त फाइलें/प्रमाणक
1.	विधायक निधि	2014-15	289832	—	289832
2.	राज्य वित्त आयोग	2014-15	3378921	1818206	1560715
3.	तेरहवां वित्त	2014-15	5420120	1636359	3783761
4.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	2014-15	5633448	—	5633448
5.	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	2014-15	763500	—	763500
			15485821	3454565	12031256
1.	राज्य वित्त आयोग	2015-16	3827793	3410338	417455
2.	तेरहवां वित्त	2015-16	1807013	1083092	723921
3.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	2015-16	10217761	—	10217761
4.	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	2015-16	2974916	—	2974916
1.	राज्य वित्त आयोग	2016-17	5320648	2303733	3016915
2.	तेरहवां वित्त	2016-17	15872	—	15872
3.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	2016-17	6833612	—	6833612
4.	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	2016-17	317659	—	317659
			12487791	2303733	10184058

उक्त से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा निर्माण कार्य पत्रावलियों का रख रखाव कार्यालय नियमों एवं मानकों और कैग की गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया जा रहा है। जिसका अनुपालन किया जाना अपेक्षित रहा। **(मूल आपत्ति संख्या 5)**

प्रस्तर-62 आलोच्य वर्षों में संस्था द्वारा ग्रांट रजि०-III के अनुसार रायल्टी मद में व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया है जिसके सापेक्ष अभिलेख चालान/प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण लेखा परीक्षा में पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसकी पुष्टि कराई जाये। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन पूर्व खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

वर्ष	रायल्टी
2014-15	50853
2015-16	—
2016-17	—
योग	50853

(मूल आपत्ति संख्या 6)

क्षेत्र पंचायत नदीगांव वर्ष 2014-15 से 2016-17 जिला जालौन

प्रस्तर-63 आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की योजनाओं पर अनुदान राशि के सापेक्ष विवरणानुसार निर्माण कार्य की पत्रावलियों/प्रमाणक लेखा परीक्षा दल को मांगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कुल व्यय राशि में से रू० 27811959.00 की अप्राप्त पत्रावलियों से सम्बन्धित धनराशि रू० 27811959.00 की गम्भीर अनियमितता

की गयी जिसके लिये सम्बन्धित पटल प्रभारी व पटल प्रभारी श्री आर०के० गोयल पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०	योजना का नाम	वर्ष	ग्राण्ट रजिस्टर 3 के अनुसार व्यय	लेखा परीक्षा में प्राप्त पत्रावलियों की धनराशि	अप्राप्त पत्रावलियों की धनराशि
1.	बुन्देलखण्ड विकास निधि	2014-15	21870.00	—	21870.00
2.	विधायक निधि	2014-15	16568.00	—	16568.00
3.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	2014-15	16231959.00	523962.00	15707997.00
4.	राज्य वित्त/तेरहवां वित्त	2014-15	12762138.00	5679438.00	7082700.00
योग			29032535.00	620340.00	22829135.00
1.	आंगनबाड़ी केन्द्र नि०	2015-16	1288613.00	—	1288613.00
2.	राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त	2015-16	8760372.00	4124971.00	4635401.00
3.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	2015-16	19018746.00	12867304.00	6151442.00
योग			29067731.00	16992275.00	12075456.00
1.	क्रिडकल गेप यो०	2016-17	1260080.00	—	1260080.00
2.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	2016-17	1588751.00	—	1588751.00
3.	तेरहवां वित्त	2016-17	7999284.00	7140747.00	858537.00
योग			10848115.00	7140747.00	3707368.00
वर्ष 2014-15 + 2015-16 + 2016-17 का कुल योग					27811959.00

मूल आपत्ति सं०-15

प्रस्तर-64 व्यापार कर- शासनादेश संख्या- 221-35-1/दस-2011 दिनांक 30.08.2014 के अनुसार बैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी०डी०एस० सुनिश्चित करने का विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इस तरह टेण्डर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना चाहिये कि संवादाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग से पंजीकृत है एवं बिल को कोषागार विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया गया है। नियमानुसार संविदाकर फर्म के बिल को कोषागार में प्रस्तुत करते समय चैक के माध्यम से जारी करने के पूर्ण आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चैक पर प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान सम्बन्धी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है। वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं भुगतान का प्राविधानित कर कटौती कर ली गयी है। लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है।

आलोच्य वर्षों में निम्नानुसार फर्मों व ठेकेदारों को निर्माण कार्यों हेतु धनराशि का भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित 4% की दर से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है जिससे ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया है। तथा राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र०	वर्ष	फर्मों/ठेकेदारों को भुगतान की गयी धनराशि	4% की दर से कटौती	संस्था द्वारा कटौती	अन्तर की धनराशि
1.	2014-15	29270886.00	1170835.00	775746.00	395089.00 कम
2.	2015-16	29067731.00	1162709.00	1421663.00	258954.00 अधिक
3.	2016-17	10848115.00	433925.00	267342.00	166583.00 कम
योग		69186732.00		2464751.00	302718.00 कम

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन पूर्व खण्ड विकास अधिकारी सहित श्री गणेश प्रसाद व तत्कालीन पूर्व लेखाकार श्री गोविन्द नारायण वर्मा एवं पूर्व अवर अभियन्ता सुरेश कुमार पवन उत्तरदायी है।

प्रस्तर-65 लेवरसेस- असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मचारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु "उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण, कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है। के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदारों के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% की दर से कर्मचारी-उपकर (लेवर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। कटौती के पश्चात यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है। लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया है।

आलोच्य वर्षों में निम्नानुसार ठेकेदारों को निर्माण कार्य हेतु धनराशि का भुगतान किया गया है। किन्तु 1% लेवर सेस निर्धारित कटौती नहीं की गयी है। जिससे ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया है तथा राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी जिसका विवरण निम्न है-

क्र०	वर्ष	ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि	1% की दर से कटौती	संस्था द्वारा कटौती	अन्तर
1.	2014-15	29270886.00	292709.00	—	292709.00
2.	2015-16	29067731.00	290677.00	30582.00	260095.00

3.	2016-17	10848115.00	108481.00	64401.00	44080.00
	योग				596884.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा तीनों वर्ष में ₹0 596884.00 रु0 लेवर सेस कम कटौती की गयी। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है जिसके लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी श्री गणेश प्रसाद पूर्व खण्ड विकास अधिकारी सहित पूर्व खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री गोवन्द नारायण वर्मा ज्येष्ठ लेखाकार है।

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

जनपद का नाम— झांसी

मण्डल का नाम— झांसी

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

क्षेत्र पंचायत— बडागाँव

प्रस्तर 1

वित्तीय वर्ष 2016-17 में संस्था ने अर्जित ब्याज की मद से रु0 44925.00 की धनराशि निर्माण कार्यों में व्यय कर ली है जो कि शासनादेश का उल्लंघन कर वित्तीय दुरुपयोग किया गया है जिसके लिये संस्था के लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राजकुमार लोधी व श्री रवीशंकर पाण्डे उत्तरदायी है। जिस संबंध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जिनसे उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

क्षेत्र पंचायत— मऊरानीपुर

प्रस्तर 2

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत के समस्त खातों में कुल रु0 585858.37 31 मार्च 2017 तक अवशेष है जबकि उपर्युक्त शासनादेश के अन्तर्गत इस अवशेष धनराशि को राजकीय कोष में जमा करा दिया जाना चाहिये था यह वित्तीय अनियमितता है जिसके लिये उपर्युक्त लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख उत्तरदायी है। जिस संबंध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत— मऊरानीपुर

प्रस्तर 3

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 में क्षेत्र पंचायत के ऑगनबाडी मद में रु0 7320055.00 व्यय किये गये लेकिन इस व्यय के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं हैण्डिंग टैकिंग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण उपरोक्त व्यय अपहरण प्रतीत होता है जिसके लिये संस्था के लेखाकार श्री कैलाश चन्द्र निगम एवं श्री नारायण दास श्रीवास व खण्ड विकास अधिकारी कमशः श्रीमती शीला देवी, श्री मुकेश, श्री विकास, श्री विजयशंकर, श्री विपिन कुमार एवं श्री रामबन्द, तथा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती हेमलता आर्य उत्तरदायी है। जिस संबंध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत— मऊरानीपुर

प्रस्तर 4

चैक संख्या 580327 एवं 580328 दिनांक 10.07.2014 को कुल धनराशि 4000.00 बिना भूनी चैकों में शामिल किया गया लेकिन इन दोनों चैकों का 31.03.2017 तक भुगतान नहीं हुआ और न ही इन चैकों को निरस्त किया गया यह अपहरण का विषय है जिसके लिये उपरोक्त लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख उत्तरदायी है। जिस संबंध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत— मऊरानीपुर

प्रस्तर 5

शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त से उपलब्ध होने वाली धनराशि के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं, जिसके प्रस्तर 6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को संकमित की जाने वाली धनराशि का 50: व्यय क्षेत्र पंचायत के स्वयं के या उन्हें हस्तांतरित सम्पत्तियों की मरम्मत व रखरखाव पर खर्च किया जाये परन्तु संस्था द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 व 2016-17 में उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन कर राज्य वित्त के अन्तर्गत रु0 8162519.45 व्यय किये गये जो कि वित्तीय अनियमितता है। इसके लिये संस्था के लेखाकार श्री कैलाश चन्द्र निगम एवं श्री नारायण दास श्रीवास व खण्ड विकास अधिकारी कमशः श्रीमती शीला देवी, श्री मुकेश, श्री विकास, श्री विजयशंकर, श्री विपिन कुमार एवं श्री रामबन्द, तथा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती हेमलता आर्य उत्तरदायी है। जिस संबंध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

त्रक्षेत्र पंचायत— बामौर

प्रस्तर 6

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर 2 की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के अन्त में सहायक लेखाकार से रु0 28600.00 की धनराशि पाने का जिक्र किया गया है विस्तृत जाँच से ज्ञात हुआ कि सहायक लेखाकार द्वारा विगत वर्षों में सम्बन्धित खातों से रु0 55000.00 व्यय किया गया है और उससे सम्बन्धित व्यय

प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये है इस सम्बन्ध में कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बामौर के पत्रांक 1190/बी-2/आंकिक/विविध/2016-17 दिनांक 25.01.2017 के द्वारा भी सहायक लेखाकार श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव को उक्त धनराशि को जमा करने के सम्बन्ध में पत्र लिखा गया था किन्तु अब तक उक्त धनराशि की वसूली नहीं की जा सकी है उक्त पत्र के अनुसार श्री श्रीवास्तव ने उक्त धनराशि को न तो कैशबुक में और ग्राण्ट रजिस्टर में ही अंकित किया गया और न ही उनका कोई शासकीय व्यय किया गया श्री सत्यप्रकाश श्रीवास्तव सहायक लेखाकार द्वारा चैक संख्या 559943 से दिनांक 14.05.2013 को रु0 25000.00 एवं चैक संख्या 259944 से दिनांक 21.05.2013 को रु0 25000.00 कुल धनराशि 50000.00 का सैल्फ चैकों द्वारा नगद भुगतान किया गया था साथ ही श्री श्रीवास्तव द्वारा कार्यालय डीजल व्यय हेतु चैक संख्या 638275 दिनांक 07.04.2013 से रु0 5000.00 की अग्रिम धनराशि ली गयी थी इस प्रकार सहायक लेखाकार द्वारा प्राप्त किये गये कुल रु0 55000.00 भुगतान के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला इससे प्रतीत होता है कि उक्त व्यय मनमाना और फर्जी है और जो अपहरण की श्रेणी में आता है इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री सत्यप्रकाश श्रीवास्तव सहायक लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप- 3
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

जनपद का नाम- ललितपुर

मण्डल का नाम- झाँसी

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपित्तयाँ-

क्षेत्र पंचायत- बार

विकास खण्ड: बार

प्रस्तर- 1 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2017 के वार्षिक आय व्यय में ब्याज की मद में अवशेष राशि रु0 212728.62 दर्शित है। जिसमें से (120388.49 गतवर्ष की ब्याज की राशि है तथा रु0 94615.00 आलोच्य वर्ष की ब्याज की राशि) लेखा परीक्षा में पासबुकों की जांच करने पर पाया गया कि ब्याज की राशि आलोच्य वर्ष में 94615 न होकर रु0 132103.00 पायी गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार-

क्र०	बैंक का नाम	खाता क्र०	प्राप्त ब्याज
1	सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक बार	80879	9869.00
2	सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक बार	14469	16113.00
3	पी0एन0बी0 बार	99575	1271.00
4	पी0एन0बी0 बार	96161	720.00
5	पी0एन0बी0 बार	57357	104130.00
योग			132103.00

इस प्रकार पास बुकों में आलोच्य वर्ष में दर्शित ब्याज की राशि रु0 132103.00 तथा वार्षिक आय-व्यय में अवशेष में दर्शित आलोच्य वर्ष की ब्याज की राशि 94615.00 में 37488.00 रु0 का अन्तर पाया गया है जिसे ब्याज की मद में दर्शित नहीं किया गया है। जो कि गम्भीर आपत्ति का विषय है अतः यह राशि आलोच्य वर्ष की ब्याज की राशि रु0 94615.00 के साथ जोड़कर (94615.00 + 37488.00 = 132103) को गतवर्ष की ब्याज की राशि रु0 120388.49 में जोड़ते हुए कुल (120388.49 + 132103.00 = 252491.49) की राशि वर्षान्त में शेष बचती है अतः सुधार किया जाना अपेक्षित है।

शासनादेश सं0 10/2015-ए-1-502/दस- 2015-10(33) 2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार ब्याज संस्था का न होकर शासन का होता है अतः उक्त राशि को सम्बन्धित शीर्ष में तत्काल जमा किया जाना अपेक्षित है, जिसके लिए उत्तरदायी श्री नरेन्द्र देव द्विवेदी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अभिषेक द्विवेदी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या- 11**

प्रस्तर-2 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में गत वर्षों की लेखा परीक्षा शुल्क रु0 63440.00 बकाया दर्शित है। जिसे सम्बन्धित शीर्षक में जमा किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। गतवर्षों की लेखा परीक्षा का विवरण निम्न है-

1999 से 2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
10000.00	10000.00	8960.00	10000.00	10000.00	10000.00	4480.00

लेखा परीक्षा शुल्क राजकीय राजस्व है अतः इसका जमा न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है जिस पर विकास खण्ड अधिकारी तथा लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा शीघ्र की बकाया लेखा परीक्षा शुल्क जमा किया जाना अपेक्षित है, जिसके लिए उत्तरदायी श्री नरेन्द्र देव द्विवेदी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अभिषेक द्विवेदी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या- 14**

क्षेत्र पंचायत- बिरधा

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 3 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासन से प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज को शासन को वापस न करके गंभीर अनियमितता की गयी है। क्यों कि शासनादेश सं0 10/2015-ए-1-502/दस- 2015-10(33) 2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार अर्जित ब्याज को शासन को वापिस किया जाना चाहिए।

जबकि तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी श्री भईयनलाल निरंजन एवं लेखाकार श्री घनश्यामदास वर्मा द्वारा अर्जित ब्याज को शासन के राजकीय कोष में जमा न करने का उत्तरदायी पाया गया।

अतः अर्जित ब्याज मु0- 346394.00 को अविलम्ब राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 07

प्रस्तर- 4 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा शुल्क मु0- 64720.00 (1999-2000 से 2015-16) को शासन के राजकीय कोष में जमा न करके गंभीर अनियमितता की गयी जिससे शासन को राजस्व की हानि उठानी पड़ी। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट 3872(1)दस 2000-01 (17) दिनांक 16.10.2000 द्वारा लेखा परीक्षा शुल्क मु0- 320/प्रतिदिन से राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिए। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी (1999-2000 से 2015-16 तक) एवं लेखाकार श्री घनश्यामदास वर्मा लेखाकार (तत्कालीन) जिम्मेदार हैं।

अतः अवधारित लेखा परीक्षा शुल्क मु0- 64720.00 के राजकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना चाहिए।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 09

क्षेत्र पंचायत- जखौरा

विकास खण्ड: जखौरा

प्रस्तर- 5 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विगत वर्षों की लेखा परीक्षा शुल्क रु0 88640.00 जमा नहीं की गई जबकि राजकीय कोषागार में सम्बन्धित शीर्ष में चालान द्वारा जमा किया जाना चाहिए था। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा शुल्क जमा न किया जाना गम्भीर आपत्ति का विषय है। शीघ्र ही शासन/विभाग के मंशा के अनुरूप अविलम्ब ही लेखा परीक्षा शुल्क सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार (01.04.2010 से 30.05.2016), श्री बब्बन राय (31.05.2016 से 09.01.2017) एवं श्री नरेन्द्र द्विवेदी (10.01.2017 से 31.03.2017) हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 14

प्रस्तर- 6 संस्था द्वारा वर्ष 2016-17 के आय व्यय में अर्जित ब्याज का प्रारम्भिक शेष रु0 219693.63 वर्ष में प्राप्त रु0 293328.00 वर्ष में आय 17143.00 एवं वर्षांत में शेष रु0 495878.00 दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0 10/2015-ए-1-502/दस- 2015-10(33) 2010 दिनांक 29 मई 2015 की निहित व्यवस्था जिसमें स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था का नहीं है। बल्कि शासन का है जिसे तुरन्त शासन को वापस किया जाना चाहिए क्योंकि इसे न व्यय कर सकते और न ही सम्बन्धित अनुदान की मद में जमा करके दर्शाया जा सकता। लेकिन संस्था द्वारा ऐसा न करके शासन के निर्देशों की अनदेखी की गई है। जो एक पूर्णतः गम्भीर अनियमितता है। शासनादेशानुसार वर्ष 2016-17 एवं गत वर्षों सहित कुल अर्जित ब्याज को तुरन्त शासन को राजकीय कोष में सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाये। ताकि शासन उा धनराशि को अन्य विकास कार्यों में उपयोग कर सके।

जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार (01.04.2010 से 30.05.2016), श्री बब्बन राय (31.05.2016 से 09.01.2017) एवं श्री नरेन्द्र द्विवेदी (10.01.2017 से 31.03.2017) हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 15

क्षेत्र पंचायत- महारौनी

विकास खण्ड: महारौनी

प्रस्तर- 7 संस्था द्वारा 31.03.2017 को शासना द्वारा प्रदत्त अनुदान पर अर्जित ब्याज शासनादेश सं0 10/2015-ए-1-502/दस- 2015-10(33) 2010 दिनांक 29 मई 2015 जिसमें स्पष्ट निर्देश किये गये हैं कि शासन द्वारा प्रदत्त अनुदानों पर प्राप्त अर्जित ब्याज संस्था का न होकर शासन का है जिसे संस्था किसी भी रूप में उपभोग नहीं कर सकती है। राजकीय ब्याज की धनराशि को राजकीय लेखा शीर्ष में जमा किया जाये। लेकिन संस्था द्वारा शासनादेश के अनुसार अर्जित ब्याज को शासन को वापिस नहीं किया गया। जिससे उक्त ब्याज की धनराशि जिसका उपयोग अन्य किसी विकास कार्यों में नहीं हो पाया उक्त अर्जित ब्याज रु0 348790.00 को शीघ्र राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष में तुरन्त जमा करते हुए शासन को वापिस किया जाये, अर्जित ब्याज शासन शासनादेशानुसार वापिस न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्री पी0एन0 द्विवेदी खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 11

प्रस्तर- 8 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में संस्था द्वारा लेखा परीक्षा शुल्क विगत वर्षों की एवं आलोच्य वर्ष का संस्था लेखा परीक्षा शुल्क जमा नहीं की गयीं जो कि शासनादेश के अनुसार लेखा परीक्षा फीस जमा न करना सीधे शासन के शासनादेशों की अवहेलना की जा रही है। शासनादेश संख्या- आडिट 3872(1)दस 2000-01 (17) दिनांक 16.10.2000 एवं विभागीय परिपत्र संख्या- सी-163/ले0प0दो0-144 (लेखा परीक्षा शुल्क पंचायत) दिनांक 03.11.2000 के अनुसार लेखा परीक्षा शुल्क 320.00 रु0 प्रतिदिन की दर से वर्ष 2016-17 में कुल प्रयुक्त दिवस 36 में लेखा परीक्षा शुल्क 10000.00 अथवा अधिकतम के आधार पर रूपया 10000.00 अवधारित की जाती है। जिसे ट्रेजरी चालान के द्वारा राजकीय कोषागार /बैंक में निम्न लेखा शीर्षक में शीघ्र जमा करें।

0425 - सहकारिता

101 - लेखा परीक्षा शुल्क

02 - पंचायत लेखा परीक्षा शुल्क

उक्त क्षेत्र पंचायत पर गत वर्षों की लेखा परीक्षा शुल्क 102800.00 जमा करने हेतु शेष है। शासनादेशानुसार लेखा परीक्षा शुल्क जमा की जानी चाहिए थी जो संस्था द्वारा लेखा परीक्षा शुल्क रु0 102800.00 न जमा करके शासकीय राजस्व की क्षति हो रही है। जिसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी श्री पी0एन0 द्विवेदी खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखाकार हैं। लेखा परीक्षा शुल्क जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या- 17**

क्षेत्र पंचायत- मड़ावरा

विकास खण्ड: मड़ावरा

प्रस्तर- 9 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान पर अर्जित ब्याज शासनादेश सं0 10/2015-ए-1-502/दस- 2015-10(33) 2010 दिनांक 29 मई 2015 संस्था का नहीं है वरन् शासन का है। जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोष में सम्बन्धित शीर्ष में जमा करते हुए शासन को वापस करना चाहिए।

लेकिन लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु0 163895.00 प्राप्त ब्याज को ब्याज के अन्तर्गत प्राप्त न दर्शाकर सीधे अनुदान प्राप्ति में दर्शाया गया है जो अनियमितता एवं गलत है। जिससे अनुदान प्राप्ति से कम करके ब्याज को शामिल करते हुए कुल ब्याज 181278.00 शीघ्र शासन को वापस किया जाना था। जो अर्जित ब्याज वापस न करके उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर वित्तीय अनियमितता की जिसके लिए पूर्ण उत्तरदायी श्री विनोद कुमार पुरोहित लेखाकार एवं श्री अजय कुमार खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री आर0 के0 त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 13

प्रस्तर- 10 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में संस्था द्वारा लेखा परीक्षा शुल्क विगत वर्षों का एवं आलोच्य वर्ष संस्था द्वारा जमा नहीं किया जा रहा। जो कि शासनादेश के अनुसार लेखा परीक्षा फीस जमा न करना सीधे शासन के शासनादेशों की अवहेलना की जा रही है। शासनादेश संख्या- आडिट 3872(1)दस 2000-01 (17) दिनांक 16 अक्टूबर 2000 एवं विभागीय परिपत्र संख्या- सी-163/ले0प0दो0-144 (लेखा परीक्षा शुल्क पंचायत) दिनांक 03.11.2000 के अनुसार लेखा परीक्षा शुल्क 320.00 रु0 प्रतिदिन की दर से वर्ष 2015-16 में कुल प्रयुक्त दिवस 26 में लेखा परीक्षा शुल्क 8320.00 अथवा अधिकतम के आधार पर रूपया 8320.00 अवधारित की जाती थी। जिसे ट्रेजरी चालान के द्वारा राजकीय कोषागार / बैंक में निम्न लेखा शीर्षक में शीघ्र जमा करें।

0425 - सहकारिता

101 - लेखा परीक्षा शुल्क

02 - पंचायत लेखा परीक्षा शुल्क

उक्त क्षेत्र पंचायत पर वर्ष 1999-2000 से 2014-15 तक की गत वर्षों की लेखा परीक्षा शुल्क 110400.00 जमा करने हेतु शेष है। जिसे आलोच्य वर्ष की शामिल करते हुए रु0 118720.00 है। शासनादेशानुसार लेखा परीक्षा शुल्क जमा की जानी चाहिए थी। जो संस्था द्वारा लेखा परीक्षा शुल्क रु0 118720.00 न जमा करके शासकीय राजस्व की क्षति हो रही है। जिसके लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी श्री अजय कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री आर0 के0 त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री विनोद कुमार पुरोहित लेखाकार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 19

क्षेत्र पंचायत- तालबेहट

विकास खण्ड: तालबेहट

प्रस्तर- 11 आलोच्य वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत तालबेहट की विगत कई वर्षों सहित आलोच्य वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा शुल्क बकाया है संस्था द्वारा विगत कई वर्षों की लेखा परीक्षा शुल्क को जमा नहीं कराया गया जो कि गम्भीर अनियमितता है। ऐसा करके शासन को राजस्व की क्षति उठानी पड़ रही है अतः शीघ्र विगत वर्षों सहित आलोच्य वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा शुल्क रु0 72720.00 सम्बन्धित राजकीय शीर्ष में कोषागार में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि शासन को होने वाली राजस्व की क्षति से बचाया जा सके। अतः गम्भीर अनियमितता लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी श्री अजय कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सुरेश मिश्रा खण्ड विकास अधिकारी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या- 20**

प्रस्तर- 12 आलोच्य वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष के दौरान रु0 95304.00 की अनुदान पर ब्याज की प्राप्ति हुई जिसके सापेक्ष रु0 41330.00 का व्यय किया गया एवं व्यय के उपरान्त रु0 5397400 वर्षान्त में अवशेष धनराशि के रूप में दर्शित है। जो कि शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है जबकि शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान पर अर्जित ब्याज शासनादेश सं0 10/2015-ए-1-502/दस- 2015-10(33) 2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार अर्जित ब्याज संस्था का नहीं है वरन् शासन का होता है। अतः उपरोक्त ब्याज की धनराशि एवं वर्षान्त में अवशेष धनराशि को शासनादेशानुसार राजकीय शीर्ष में जमा करते हुए अविलम्ब शासन को वापस किया जाना चाहिए। जिसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार एवं श्री सुरेश मिश्रा, तथा लेखाकार श्री रतीराम दुबे एवं सन्तोष दुबे हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 19

प्रारूप-3
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2016-17

जनपद का नाम : औरैया
मण्डल : कानपुर

संस्था का नाम : क्षेत्र पंचायत-अछल्दा ले.प.वर्ष 2014-15 से 2016-17

आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 1- वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त, 13वें वित्त आयोग से प्राप्त, विधायक निधि, सांसद निधि, गेल इण्डिया से प्राप्त अनुदान एवं नरेगा रिवाल्विंग फण्ड से प्राप्त धनराशि के विरुद्ध व्यय क्रमशः रु. 5972140.00, रु. 3288684.00, रु. 4538279.00 रु. 685444.00, रु. 1471630.00 एवं रु. 681157.00 व्यय अंकित दर्शित है। उक्त मदों से वर्ष दौरान विविध निर्माण कार्य कराये गये हैं। अनुदान पंजिका के उपरोक्त मदों से कुल योग रु. 16637334.00 धन अनुदान पंजी-III से खारिज है जिसके विरुद्ध राज्य वित्त, विधायक निधि एवं 13वें वित्त से कुल रु. 14186772.00 व्यय की पत्रावलियाँ देखने को उपलब्ध रही शेष रु. 2450562.00 से सम्बन्धित कोई भी व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसे लेखा परीक्षा की दृष्टि से अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। तथा व्यय पत्रावलियों के आधार पर खारिज धनराशि के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी।

- (1) निर्माण कार्य प्रारंभ से पूर्व रेवेन्यू लेखपाल से विवाद रहित भूमि का नक्शा प्राप्त कर नहीं लगाया गया है।
- (2) निर्माण स्थल का नियमानुसार त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व्यय पत्रावलियों में नत्थी नहीं पाया गया।
- (3) निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया कि उक्त कार्य गत 5 वर्षों दौरान किसी संस्था द्वारा निर्मित नहीं रहा अथवा वर्तमान में किसी संस्था द्वारा प्रस्तावित नहीं है।
- (4) कार्यस्थल में प्रयुक्त सामग्री कय भुगतान में नियमानुसार कोटेशन/टेंडर प्रक्रिया के प्रकाशन पत्र की प्रति संलग्न नहीं पाई गई ना ही निविदा प्रक्रिया का निर्देशानुसार नियमानुसार पालन किया गया।

उपरोक्त के आलोक में व्यय पत्रावली के आधार पर व्यय खारिज धनराशि रु. 14186772.00 अनियमित प्रकार से व्यय किया गया है। जिस हेतु उत्तरदायी तत्कालीन लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ0स013)

प्रस्तर 2- वर्ष 2014-15 में इन्दिरा आवास प्रशा0मद से रु. 118908.00 व्यय अनुदान पंजिका-III अनुसार खारिज है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अस्तु विना व्यय प्रमाणक खारिज धनराशि अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है, जिसकी वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ0स014)

प्रस्तर 3- वर्ष 2014-15 में विविध मद यथा ग्राम पंचायत की मनरेगा अवशेष मद, सा0आ0 जातिगणना मानदेय मद, आयकर कटौती मद एवं निविदा बिक्री जमानत मद से अनुदान पंजी III से क्रमशः रु. 1649337.00, रु. 37125.00 रु. 366309.00 एवं रु. 18819.00 व्यय किया जाना खारिज है, जिसके व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, अस्तु सकल धनराशि रु. 2071590.00 लेखा परीक्षा द्वारा अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसकी वसूली ब्याज सहित खण्ड वि0अधि0 (तत्कालीन) से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ0स015)

प्रस्तर 4- वर्ष 2015-16 राज्य वित्त, तेरहवां वित्त, विधायक निधि, गेल इण्डिया एवं नरेगा रिवाल्विंग फण्ड से क्रमशः रु. 4430842.00, रु. 2470014.00, विधायक निधि से रु. 8614791.00, रु. 1561.00 एवं रु. 3770361.00 अनुदान पंजिका III अनुसार व्यय खारिज है जिसके विरुद्ध रु. 11204646.00 के विभिन्न निर्माण कार्य व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही शेष रु. 8082923.00 की कोई भी व्यय पत्रावली/समायोजन अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। व्यय पत्रावली अवलोकन में निम्न कमियाँ पायी गयी।

- (1) निर्माण कार्य स्थल का सम्बन्धित रेवेन्यू लेखपाल द्वारा अविवादित जमीन सम्बन्धी नजरी नक्शा प्रस्तुत नहीं रहा।
- (2) निर्माण स्थल का नियमानुसार त्रिस्तरीय फोटोग्राफ बाउचर पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।
- (3) निर्माण स्थल का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इस आशय का कि उक्त स्थल पर 5 वर्ष पूर्व किसी अन्य संस्था द्वारा निर्माण नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान में निर्माण प्रस्तावित रहा।
- (4) निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री खरीद का निविदा प्रकाशन पत्र एवं टेण्डर/कोटेशन के निर्धारित प्रक्रिया का पालन नियमानुसार नहीं किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में रु. 11204646.00 का व्यय अनियमित प्रकार से कर गम्भीर अनियमितता की गयी तथा रु. 8082923.00 के बिना व्यय प्रमाणक के अनुदान पंजिका से खारिज कर धनापहरण किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ख0वि0 अ0 से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ0स016)

प्रस्तर 5- वर्ष 2015-16 क्रमशः इन्दिरा आवास प्रशा0मद, सा0आ0जातिगणना मानदेय मद, आयकर कटौती, त्रिस्तरीय क्षेत्र0 सदस्य निर्वाचन, प्रधान/सदस्य निर्वाचन मद, प्रमुख निर्वाचन मद, पंचायत सदस्य निर्वाचन मद से क्रमशः रु. 1463892.00, रु. 556000.00 रु. 329495.00, रु. 418200.00 रु. 554750.00 रु. 4100.00 एवं रु. 47550.00 अनुदान

पंजिका III अनुसार व्यय खारिज है। उक्त खारिज व्ययों के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक या अन्य साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु खारिज धनराशि कुल रु. 3373987.00 बिना प्रमाणक अपहरण के श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जिसकी वसूली

ब्याज सहित सम्बन्धित खण्ड वि०अधि० (तत्कालीन) से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०स०-17)

प्रस्तर 6- वर्ष 2016-17 में अनुदान पंजिका III अनुसार राज्य वित्त, तेरहवां वित्त, विधायक निधि एवं नरेगा रिवाल्विंग फण्ड मद, गेल इण्डिया मद से क्रमशः रु. 3586434.00 रु. 1292299.00 रु. 6213392.00, रु. 2633065.00 एवं रु. 11727.00 का अनुदान के विरुद्ध वर्ष दौरान रु. 2227869.00 की विविध कार्य निर्माण पत्रावलिया उपलब्ध रही एवं जॉची गयी शेष रु 7922614.00 की कोई भी व्यय पत्रावली, उपभोग पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। वर्ष दौरान व्यय प्रमाणको के अनुसार व्यय पत्रावलियों में निम्न प्रकार की कमिया पायी गयी।

(1) निर्माण कार्य स्थल का नियमों/निर्देशों के अनुसार त्रिस्तरीय फोटोग्राफ देखने को नहीं मिला।

(2) निर्माण स्थल का भूमि सम्बन्धी क्षेत्र लेखपाल का अविवादित नक्शा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

(3) निर्माण स्थल का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इस आशय की नत्थी नहीं रही कि उक्त भूमि पर विगत 5 वर्षों का किसी संस्था द्वारा निर्माण नहीं किया गया ना ही वर्तमान में किसी अन्य द्वारा निर्माण प्रस्तावित रहा।

(4) निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय भुगतान का टेण्डर/कोटेशन नियमानुसार नहीं लिया गया है ना ही टेण्डर सम्बन्धी कोई समाचार पत्र देखने को मिला।

उपरोक्त के आलोक में प्रमाणको अनुसार किया गया व्यय रु.2227869.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तथा बिना प्रमाणक व्यय खारिज धनराशि रु.7922614.00 अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधि० से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०स० 18)

प्रस्तर 7- वर्ष 2016-17 में निम्न निधियों से निम्न प्रकार से अनुदान राशि अनुदान पंजिका III से खारिज है। मनरेगा रिवाल्विंग फण्ड से रु.2633065.00 सा०आ० जातिगत गणना मानदेय रु. 62875.00 आयकर कटौती में रु. 212641.00, राजकीय टिकट एस०पी०एस० से रु. 25401.00 ब्याज खाता से रु. 11950.00 व्यय खारिज दर्शित है जिसके सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक/साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु उक्त समस्त धनराशि कुल रु. 2945932.00 लेखा परीक्षा अनुसार अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जिसकी वसूली

ब्याज सहित सम्बन्धित खण्ड वि०अधि० (तत्कालीन) से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०स० 19)

संस्था का नाम क्षेत्र पंचायत- एरवाकटरा ले.प.वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर 8- वर्ष 2014-15 में विधायक निधि, सांसद निधि, राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से विभिन्न निर्माण कार्य यथा सी०सी०रोड, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट आदि का निर्माण किया गया है जिस पर राज्य वित्त से रु 2177095.00 एवं तरहवें वित्त से रु 2230326.00 अर्थात् कुल रु 4407421.00 खर्च किया गया, जिसमें से रु 1138208.00 के व्यय प्रमाणक उपलब्ध रहे तथा शेष रु 3269213.00 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपलब्ध प्रमाणकों के अनुसार व्यय रु 1138208.00 में से रु 990271.00 सामग्री पर व्यय है, तथा शेष 147937.00 श्रम पर व्यय दर्शित है। उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्ति की जाती है।

(1) सामग्री मद पर खर्च धनराशि रु 990271.00 स्वयं भुगतान प्राप्त या आहरित किया गया है जिससे नियमानुसार सामग्री प्रदाता को बिल बाउचर के आधार पर चेक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए, जो भुगतान के अनियमित स्पष्ट करता है।

(2) कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं समापन का फोटोग्राफ निर्देशानुसार नहीं लगाया गया है इससे प्रतीत होता है कि कार्य को काल्पनिक रूप से करवाकर सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

(3) कार्य स्थल का नजरी नक्शा रेवेन्यू लेखपाल द्वारा प्राप्त कर नहीं रखा गया है।

(4) क्षेत्र पंचायत द्वारा कृत कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय का भुगतान बिना टेण्डर एवं कोटेशन के कच्चे बिल के माध्यम से किया गया जो नियम विरुद्ध एवं संदग्धि है।

(5) कार्य स्थल का कार्य पूर्व सर्वेक्षण कर यह प्रमाण नत्थी नहीं किया गया कि उक्त कार्य 5 वर्ष पूर्व किसी अन्य संस्था द्वारा नहीं कराया गया या अन्य संस्था द्वारा किया जाना नहीं प्रस्तावित है।

उपरोक्त के आलोक में निर्माण कार्य पर किया गया भुगतान रु 4407421.00 अनियमित तथा बिना व्यय प्रमाणक के दर्शित धनराशि रु 3269213.00 अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है, जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०स०13)

प्रस्तर 9- वर्ष 2014-15 में मनरेगा कंटीजेंसी मद में रु 91466.00 व्यय दर्शित है (ग्रांट रजि०III के अनुसार)। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः स्पष्ट है कि उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री के०के० मिश्रा, श्री वी०के० चौधरी, एवं श्री के०एल० सोनकर से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०स०14)

प्रस्तर 10- वर्ष 2015-16 में कार्यालय मद में रु 10183.00 तथा वर्ष 2016-17 में रु 6590.00 व्यय दर्शित है जिसके सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः बिना प्रमाणक काल्पनिक दर्शित व्यय की वसूली ब्याज सहित (रु 16773.00) तत्कालीन ख०वि०अधि० से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०स०15)

प्रस्तर 11— वर्ष 2015-16 में रु 9464989.00 का व्यय विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्पादन में किया गया जिसमें क्रमशः रु 350385.00 विधायक निधि से रु 5530005.00 राज्य वित्त से तथा रु 3584599.00 तेरहवां वित्त से व्यय है। उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक या सम्बन्धित निर्माण कार्य की पत्रावलियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः बिना व्यय प्रमाणक खारिज धन रु 9464989.00 अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड वि० अधि० से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०स०16)

प्रस्तर 12— वर्ष 2015-16 मनरेगा कंटीजेन्सी मद से रु 621479.00 व्यय दर्शित है परन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि बिना व्यय प्रमाणक मनमानी ढंग से ग्रांट रजि०-III से खारिज कर अपहरण कर ली गई जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड वि० अधि० से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०स०17)

प्रस्तर 13— इंदिरा आवास कंटीजेन्सी से वर्ष 2014-15 से रु 74683.00 तथा वर्ष 2015-16 से रु 454817.00 अर्थात् कुल रु 529500.00 व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में इससे सम्बन्धित कोई व्यय पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार पूरी धनराशि का ग्रांट रजि०-III से खारिज कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधि० से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०स०18)

प्रस्तर 14— वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायात द्वारा विविध निर्माण कार्य पर यथा विधायक निधि से रु 1065548.00 सांसद निधि से रु 193666.00 राज्य वित्त से रु 2845687.00 तथा 13वां वित्त से रु 944250.00 अर्थात् कुल व्यय रु 5049151.00 दर्शित है। जिसमें रु 878024.00 के व्यय प्रमाणक उपलब्ध रहे तथा शेष रु 4171127.00 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपलब्ध प्रमाणकों के अनुसार व्यय धनराशि रु 878024.00 में से रु 733886.00 सामग्री खरीद पर तथा रु 144138.00 श्रम पर व्यय किया गया। उपलब्ध व्यय प्रमाणकों के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पायी गई।

(1) किसी भी कार्यस्थल का नजरी नक्शा रेवेन्यू लेखपाल द्वारा संलग्न नहीं किया गया।

(2) किसी भी कार्यस्थल का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। (कार्य समाप्ति का कतिपय सकल फोटोग्राफ कार्य में पाया गया जो असंतोषजनक तथा अनियमित है)

(3) कार्य स्थल का यह निरीक्षण पत्र संलग्न नहीं पाया गया कि उक्त कार्य गत 5 वर्षों तक अन्य किसी संस्था द्वारा नहीं कराया गया या भविष्य हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया।

(4) निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री मूल्य का भुगतान सामग्री प्रदाता फर्म को न करके सीधे कार्यप्रभारी द्वारा भुगतान आहरित किया गया है जो अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक है।

(5) सामग्री क्रय भुगतान बिना टेण्डर/कोटेशन के कच्चे बिल पर तथा बिना टी०डी०एस० तथा व्यापार कर कटौती के किया गया। अस्तु रु 4171127.00 की वसूली समभाग में सुसंगत ब्याज सहित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०स०19)

प्रस्तर 15— वर्ष 2016-17 में मनरेगा कंटीजेन्सी पर रु 257881.00 तथा इंदिरा आवास कंटीजेन्सी पर रु 79758.00 अर्थात् कुल व्यय रु 337639.00 दर्शित है। परन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का बिना व्यय प्रमाणक के खारिज कर ली गई है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०स०20)

संस्था का नाम क्षेत्र पंचायत— विधुना ले.प.वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर 16— वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त खाते से निर्माण कार्यों के मजदूरी का भुगतान रु 748124.00 श्रमिकों को न कर कार्यप्रभारियों को किया गया। गंभीर अनियमितता की गई है। जिस हेतु श्री राजवहादुर ग्र.वि.अभि., श्री प्रफुल्ल वर्मा ग्र.वि.अभि., श्री राम लखन दौहरे ए.डी.ओ. आई.एस.बी., श्री राम लखन ए.डी.ओ. पंचायत, श्री रघुनाथ प्रसाद ए.डी.ओ.कोप०, श्री राजेन्द्र प्रजापति लेखाकार व श्री के०के०आजाद बी.डी.ओ. उत्तरदाई है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से सयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 05)

प्रस्तर 17— वर्ष 2014-15 में श्री राम लखन दौहरे ए.डी.ओ. आई.एस.बी. द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के फर्जी बिल प्रस्तुत कर रु 141183.00 धनराशि का अपहरण किया गया। जिस हेतु श्री राम लखन दौहरे ए.डी.ओ. आई.एस.बी. जिम्मेदार है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री राम लखन दौहरे ए.डी.ओ. आई.एस.बी. से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 06)

प्रस्तर 18— वर्ष 2014-15 में निर्धारित अवधि तक रु 195325.00 के निर्माण कार्य पूर्ण न कराकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया। जिस हेतु श्री राम लखन ए.डी.ओ. पंचायत जिम्मेदार है। श्री राम लखन ए.डी.ओ. पंचायत के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 07)

प्रस्तर 19— वर्ष 2014-15 में निर्धारित अवधि तक रु 74785.00 के निर्माण कार्य पूर्ण न कराकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया। जिस हेतु श्री राम लखन ए.डी.ओ. पंचायत जिम्मेदार है। श्री राम लखन ए.डी.ओ. पंचायत के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 08)

प्रस्तर 20— वर्ष 2014-15 में तेरहवां वित्त से विभिन्न निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान रु 841994.00 श्रमिकों को न कर कार्यप्रभारियों को किया गया। गंभीर अनियमितता की गई है। जिस हेतु श्री रघुनाथ प्रसाद ए.डी.ओ.कोप०, श्री विमल सिंह ग्राम.वि.अभि., श्री राजवहादुर ग्र.वि.अभि., श्री राम लखन दौहरे ए.डी.ओ. आई.एस.बी., श्री राम लखन

ए.डी.ओ. पंचायत,, श्री राजेन्द्र प्रजापति लेखाकार व श्री के०के०आजाद बी.डी.ओ. उत्तरदाई है। उक्त सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या – 11)

प्रस्तर 21— वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से विभिन्न निर्माण कार्यों के मजदूरी का भुगतान रु० 674172.00 श्रमिकों को न कर कार्यप्रभारियों को किया गया। निर्माण कार्यों के मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को न किया जाना गंभीर अनियमितता है। जिस हेतु श्री राम लखन ए.डी.ओ. पंचायत, श्री रघुनाथ प्रसाद ए.डी.ओ. कोप०, श्री राम लखन दौहरे ए.डी.ओ. आई.एस.बी, श्री राजेन्द्र प्रजापति लेखाकार व श्री के०के०आजाद बी.डी.ओ. एवं के.एल.सोनकर बी.डी.ओ. उत्तरदाई है। उक्त सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या – 15)

प्रस्तर 22— वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि तक निर्माण कार्य पूर्ण न कराकर रु० 1548763.00 के धनराशि का दुरुपयोग किया गया। जिस हेतु श्री रघुनाथ प्रसाद ए.डी.ओ. कोप०, श्री राम लखन ए.डी.ओ. पंचायत व श्री राम लखन दौहरे ए.डी.ओ. आई.एस.बी जिम्मेदार है। उक्त सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या – 16)

प्रस्तर 23— वर्ष 2015-16 में तेरहवां वित्त से रु० 250084.00 के कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को न कर कार्यप्रभारियों को किया गया। निर्माण कार्यों के मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को न किया जाना गंभीर अनियमितता है। जिस हेतु श्री राम लखन ए.डी.ओ. पंचायत, श्री रघुनाथ प्रसाद ए.डी.ओ. कोप०, श्री राजेन्द्र प्रजापति लेखाकार व श्री के०के०आजाद बी.डी.ओ. एवं के.एल.सोनकर बी.डी.ओ. उत्तरदाई है। उक्त सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या – 18)

प्रस्तर 24— वर्ष 2015-16 में तेरहवा वित्त से कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि तक निर्माण कार्य पूर्ण न कराकर रु० 105373.00 के धनराशि का दुरुपयोग किया गया। जिस हेतु श्री रघुनाथ प्रसाद ए.डी.ओ. कोप०, जिम्मेदार है। उक्त सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या – 19)

प्रस्तर 25— वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त से रु० 822182.00 के कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को न कर कार्यप्रभारियों को किया गया। निर्माण कार्यों के मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को न किया जाना गंभीर अनियमितता है। जिस हेतु श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह कैशियर, श्री रघुनाथ प्रसाद ए.डी.ओ. कोप०, श्री राजेन्द्र प्रजापति लेखाकार व श्री सौरभ श्रीवास्तव बी.डी.ओ. एवं के.एल.सोनकर बी.डी.ओ. उत्तरदाई है। उक्त सभी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या – 21)

प्रस्तर 26— वर्ष 2014-15 में सांसद निधि से रु० 265428.00 के कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को न कर कार्यप्रभारियों को किया गया। निर्माण कार्यों के मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को न किया जाना गंभीर अनियमितता है। जिस हेतु श्री रघुनाथ प्रसाद ए.डी.ओ. कोप०, श्री राजेन्द्र प्रजापति लेखाकार व श्री के०के०आजाद बी.डी.ओ. उत्तरदाई है। उक्त सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या – 24)

प्रारूप-3

जनपद— कानपुर देहात

मण्डल— कानपुर

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां—

प्रस्तर 1—क्षेत्र पंचायत मैथा में वर्ष 2011-12 में कय निर्माण सामग्री पर व्यापार कर की कटौती न कर रु०— 52511.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री आर०एन० सिंह खण्ड विकास अधिकारी व सुरेन्द्र कुमार अवस्थी लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 क्षेत्र पंचायत मैथा में वर्ष 2011-12 से 2016-17 में दिनोंक 26.05.2011 को चेक संख्या— 008927 द्वारा रु०— 48500.00 मजदूरी भुगतान के सापेक्ष सम्बन्धित पत्रावलियों व मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। काल्पनिक व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री आर०एन० सिंह व लेखाकार श्री सुरेन्द्र अवस्थी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —3 क्षेत्र पंचायत मैथा में वर्ष 2014-15 से 2016-17 में ईट खरीद का भुगतानोपरान्त न तो कोई खड़जा निर्माण कराया गया और न ही कय सामग्री के स्टॉक शेष की पुष्टि हुई। इस प्रकार कय सामग्री व्यय रु०— 225024.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी०डी०ओ० शिवस्वरूप गुप्ता व श्री संजय वर्मा सहायक लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 क्षेत्र पंचायत मैथा में वर्ष 2014-15 व 2016-17 में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों पर व्यय की पुष्टि हेतु निर्माण कार्य पत्रावलियों व उनसे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक आदि सहायक अभिलेख लेखापरीक्षा में बारम्बार लिखित व मौखिक रूप से मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे उक्त अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों को बिना व्यय प्रमाणक के काल्पनिक मानते हुए तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री संजय वर्मा व श्री वी०सी० द्विवेदी (बी०डी०ओ०) व शिवस्वरूप गुप्ता (बी०डी०ओ०) व सुश्री तूलिका श्रीवास्तव से कुल धनराशि रु०— 2977874.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 क्षेत्र पंचायत— मैथा में वर्ष 2013-14 व 2015-16 तक 13वां वित्त से सोलर लाइट व सी०एफ०एल० कय के सापेक्ष लेखापरीक्षा में व्यय प्रमाणक व उनसे सम्बन्धित पत्रावलियों व अन्य सहायक अभिलेखो अनुपलब्ध रहे तथा उक्त लाइट को खरीदने में टेण्डर प्रक्रिया को अपनाया गया के प्रमाण अप्राप्त रहे। उक्त सोलर लाइट व सी०एफ०एल०

स्थानीय स्तर पर नेडा से न कय कर दूरस्थ जनपद गोण्डा की चरनन चौक फर्म से खरीद का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं होता अतः उक्त संलग्न सूची के अनुसार उक्त व्यय को काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु०- 8282814.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०के० पाण्डेय व श्री वी० सी० द्विवेदी व सहायक लेखाकार संजय कुमार वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 क्षेत्र पंचायत- सरवनखेड़ा वर्ष- 2012-13 व 2013-14 में कय निर्माण सामग्री के सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर की कटौती न कर रु०-95233.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सन्दीप कुमार खण्ड विकास अधिकारी व ब्लाक प्रमुख श्रीमती अर्चना भदौरिया व श्रीमती महामाया यादव तथा पटल प्रभारी श्री रामकुमार राठौर से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 क्षेत्र पंचायत- सरवनखेड़ा वर्ष- 2016-17 में कय निर्माण सामग्री पर आपूर्तिकर्ता फर्मों से जमानत धनराशि रु०- 130570.00 की कटौती के स्थान पर उक्त फर्मों को जमानत धनराशि का भुगतान कर दिया जाना गम्भीर अनियमितता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली पटल प्रभारी श्री राजेश त्रिवेदी तथा श्री सन्दीप कुमार खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-8 क्षेत्र पंचायत- डेरापुर वित्तीयवर्ष- 2013-14 से 2016-17 तक कय अधिकारी (मनरेगा) मद पर व्यय धनराशि क्रमशः जो निम्न प्रकार है -

क्र० सं०	वर्ष	धनराशि
1	2013-14	28867.00
2	2014-15	492926.00
3	2015-16	4229653.00
4	2016-17	1960917.00
	योग	7412363.00

उक्त के सम्बन्धित अभिलेखो यथा कार्य योजना, कार्य की प्रकृति व कार्य स्थल, मस्टर रोल, बिल बाउचर, जॉब कार्ड, कार्यपूर्ति, उपभोग प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे अतः उक्त व्यय को काल्पनिक दर्शाकर रु०-7412363.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती प्रीती कठेरिया व श्री वेदव्यास निराला व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मोतीलाल, विवेक त्रिपाठी, अमित सिंह वंसल व कार्यक्रम अधिकारी/पटल प्रभारी श्री नरेश अवस्थी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 क्षेत्र पंचायत- अकबरपुर में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में निर्माण सामग्री खरीद प्रमाणको पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर की कटौती न कर रु०- 292902.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली पटल प्रभारी श्री नृपेन्द्र मिश्रा व खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रमोद पाण्डेय व खण्ड विकास अधिकारी श्री वी०सी० द्विवेदी व खण्ड विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश सिंह कनौजिया से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 क्षेत्र पंचायत-राजपुर में बीवनपुर में राज्य वित्त के अन्तर्गत रामबाबू के हैण्डपम्प से रामसेवक के घर तक नाली निर्माण मजदूरी भुगतान रु० 24718.00 + 1127.00 = 25305.00 के मस्टर रोल (संख्या 1367 व 1368) में क्रमोंक 1 से 20 तक श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त भुगतान को अपहरण मानते हुए कार्य प्रभारी श्री जयकरन सिंह ए०डी०ओ० तथा पटल प्रभारी श्री रमेश चन्द्र कमल तथा श्री अर्जुन सिंह बी०डी०ओ० से रु० 25305.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 क्षेत्र पंचायत- राजपुर में राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में कराये गये कार्यो हेतु कुल रु० 1349343.00 की सामग्री कय की गयी है उक्त सामग्री के व्यय प्रमाणकों के 4 प्रतिशत के व्यापार कर की कटौती न कर राजकीय राजस्व रु० 53973.00 की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन पटल प्रभारी श्री रमेश चन्द्र कमल व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अर्जुन सिंह से की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर-12 क्षेत्र पंचायत-राजपुर के ग्राम बीवनपुर में राज्य वित्त के अन्तर्गत मुलायम सिंह यादव के घर से राम नारायण के घर तक खड़जा मरम्मत व नाली निर्माण कार्य हेतु मजदूरी भुगतान रु० 7413.00 पर श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं है अतः उक्त भुगतान को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली बी०डी०ओ० श्री अर्जुन सिंह कार्य प्रभारी श्री जयकरन सिंह (ए०डी०ओ०) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 क्षेत्र पंचायत- राजपुर के ग्राम बीवनपुर में राज्य वित्त के अन्तर्गत पक्की सड़क बादामी सिंह के घर तक खड़जा/नाली निर्माण कार्य हेतु मजदूरी भुगतान रु० 7413.00 पर श्रमिकों के मस्टर रोल सं०-1366 पर क्रमोंक 1 से 16 तक श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं है अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए रु० 7413.00 की ब्याज सहित वसूली बी०डी०ओ० श्री अर्जुन सिंह कार्य प्रभारी श्री जयकरन सिंह (ए०डी०ओ०) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 क्षेत्र पंचायत- झींझक में वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक कराये गये निर्माण कार्य हेतु सामग्री कय पर कुल व्यय धनराशि रु० 19975908.00 के भुगतान पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर रु० 799036.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन समस्त बी०डी०ओ० एवं लेखाकार/सहायक लेखाकार श्री मृदुल पाण्डेय व श्री रजनीश पाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 क्षेत्र पंचायत- झींझक में राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में ग्राम ठेनामऊ में लल्लू संखवार के घर से प्राइमरी पाठशाला तक खड़जा/पुलिया निर्माण पर कुल व्यय रु० 308586.00 की पुष्टि में कार्य प्रारम्भ से पूर्व कार्य प्रारम्भ व कार्य समाप्त के फोटो ग्राफ तथा कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में अप्राप्त रहे। उक्त कार्य के अपूर्णता के सम्बन्ध में बी०डी०ओ० कार्यालय पत्रांक सं०-106 दिनांक 14.03.2016 को कार्य प्रभारी श्री सुनील कुमार मिश्रा को पत्र लिखने के बावजूद भी कार्यप्रभारी द्वारा अध्यावधि तक पत्र का अनुपालन नहीं किया गया साथ ही उक्त कार्य हेतु सामग्री कय पर दर्शित व्यय की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर भी लेखापरीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि रु०- 308586.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन समस्त बी०डी०ओ० एवं सहायक लेखाकार श्री राजनीश पाल व कार्यप्रभारी सुनील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 क्षेत्र पंचायत- झींझक में 13वां वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में ग्राम पिपरी पतरहरा में सम्पर्क मार्ग से मण्डी तक पक्की नाली निर्माण पर कुल व्यय रु०- 121756.00 की पुष्टि में कार्य प्रारम्भ से पूर्व कार्य प्रारम्भ व कार्य समाप्ति के फोटोग्राफ तथा कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में आप्राप्त रहे। उक्त कार्य के अपूर्णता के सम्बन्ध में बी०डी०ओ० कार्यालय के पत्रांक संख्या-99 दिनांक 14.03.2016 को कार्य प्रभारी श्री अभयनाथ तिवारी को पत्र लिखने के बावजूद भी कार्य प्रभारी द्वारा पत्र का अनुपालन नहीं किया गया। साथ ही कय सामग्री पर दर्शित व्यय की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर भी लेखापरीक्षा सुलभ नहीं कराया गया है अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि रु०- 121756.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन समस्त बी०डी०ओ० एवं सहायक लेखाकार श्री राजनीश पाल व कार्यप्रभारी श्री अभयनाथ से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 क्षेत्र पंचायत- झींझक 13वां वित्त के अन्तर्गत ग्राम पिपरी पतरहरा, मंगलपुर, मुंडेरा किन्नर सिंह, खम्हैला, बनीपारा, जिनई, रतनपुर, लालपुर, कमलाबाग में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइटों के कय पर व्यय की गयी धनराशि रु०- 1263996.00 की पुष्टि में कार्य प्रारम्भ से पूर्व कार्य प्रारम्भ व कार्य समाप्त के फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति /उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक/डेड स्टॉक पंजिका, ग्राम पंचायत को स्ट्रीट लाइट हस्तगत कराने का प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में अप्राप्त रहे। साथ ही उक्त कार्य के अपूर्णता के सम्बन्ध में बी०डी०ओ० कार्यालय पत्रांक संख्या 103 दिनांक 14.03.2016 को प्रभारी श्री अभयनाथ तिवारी को पत्र लिखने के बावजूद भी कार्यप्रभारी द्वारा अध्यावधि तक पत्र का अनुपालन नहीं किया गया। उक्त व्यय की गयी धनराशि रु०-1263996.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री बी०सी० दुवे व श्री सुशील कुमार सिंह, सहायक लेखाकार श्री रजनीश पाल, कार्यप्रभारी श्री अभयनाथ तिवारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 क्षेत्र पंचायत- सन्दलपुर में वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त खाते से ग्रांट रजिस्टर-2 में दिनांक 11.07.2011 को अवशेष धनराशि रु०- 981571.00 से रु०-196455.00 को सीधे घटाया गया है जिसका कोई स्पष्ट कारण दर्शित नहीं है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अनियमित ढंग से घटा कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी०डी०ओ० व सहायक लेखाकार श्री उमाकान्त पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 क्षेत्र पंचायत - सन्दलपुर में वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजना से ग्राम जिगनापुर में लल्ला चौहान के घर से नदी तक खड़जा व नाली निर्माण कार्य में कुल व्यय रु०- 341163.00 की पुष्टि में नाप पुस्तिका, कार्य सम्बन्धी फोटोग्राफ, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। कार्य पूर्णता की स्थिति संदिग्ध रही जिसकी ब्याज सहित वसूली बी०डी०ओ० श्री ओमप्रकाश कनौजिया व प्रवीणानन्द से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 क्षेत्र पंचायत- सन्दलपुर में वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत डेरापुर, मंगलपुर मार्ग से रामकान्त शिक्षण संस्था तक सी०सी० रोड निर्माण हेतु दिनांक 10.03.2015 को चेक सं०- 116 द्वारा रु०- 385797.00 का मेसर्स जयमाता कान्द्रक्सन एण्ड सप्लायर्स भन्देमऊ को भुगतान के उपरान्त कार्य प्रभारी श्री केके अवस्थी ए०डी०ओ० (पी०) द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र/उपभोग प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समय पटल प्रभारी श्री प्रदीप त्रिवेदी द्वारा दिनांक 18.06.2015 पत्रांक-1592 व पत्रांक-1729 दिनांक 28.07.2015 को श्री केके अवस्थी को कार्य पूर्ण कराने के पत्र विधेय में लेकिन श्री अवस्थी जी का स्थानान्तरण अन्य जनपद में हो जाने के कारण तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं हो पाया। अतः उक्त फसी धनराशि रु०- 385797.00 की वसूली सुसंगत ब्याज सहित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री केके अवस्थी व तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री प्रवीणानन्द से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 क्षेत्र पंचायत- सन्दलपुर वर्ष 2015-16 में दिनांक 30.04.2015 को 15 सोलर लाइटों की स्थापना हेतु परियोजना निदेशक नेडा कानपुर देहात को चेक सं०- 00137 द्वारा रु०- 206250.00 के अग्रिम भुगतान (12वां वित्त से) से किया गया। उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा तिथि व 15 सोलर लाइटों की आपूर्ति व स्थापना का प्रमाणक अप्राप्त रहा। उक्त सोलर लाइटों की स्थापना के अभाव में परियोजना निदेशक नेडा कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से रु०- 206250.00 को वापस किया जाये। अन्यथा की स्थिति में रु०- 206250.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री प्रवीणानन्द से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 क्षेत्र पंचायत- सन्दलपुर में वर्ष 2011-12 व 2012-13 में निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों से आयकर 2.00 प्रतिशत व व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती न कर कमशः रुपया 23624.00 व 252172.00 कुल रु०- 275796.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गजेन्द्र

प्रताप सिंह से रू0- 70872.00 व श्री आर0एन0 सिंह से क्रमांक 01 से 14 तक रू0- 20017.00 व श्री एस0पी0 मिश्रा से रू0- 35382.00 व श्री ओमप्रकाश कनौजिया से रू0-149525.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-3
जनपद कानपुर नगर
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2016-17

1. क्षेत्र पंचायत- बिधनू

प्रस्तर 01- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:-

वर्ष 2016-17 में (वर्ष 2015-16 के निर्माण कार्य में) निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 140060.00 (वर्ष 2015-16 में रू0 107552.00) मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सुशील कुमार पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल निर्गम कर्त्ता की मोहर व हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं हैं। और जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतों के हैं तथा प्रत्येक मजदूरों को मनरेगा के अन्तर्गत जॉबकार्ड बना हुआ होता है तथा बैंक खाता भी है। अतः मजदूरी का भुगतान उनके मस्टर रोल प्राप्त होने पर उनके खातों के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है।

यहां उल्लेखनीय है कि कराये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक किये जाने का आदेश है। जबकि मस्टर रोल 15 दिन के तैयार किये गये हैं यह स्थिति स्पष्ट करता है कि वास्तव में कार्य नहीं कराया गया एवं अधिकारी/कर्मचारी द्वारा धन का अपहरण किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 140060.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिये श्री ऐश्वर्य यादव खण्ड विकास अधिकारी/श्री पी0डी0 निरंजन, जे0ई0/श्री नबाव सिंह यादव, लेखाकार/श्री सुशील कुमार, ग्रा0वि0 अधिकारी, कार्यप्रभारी/श्रीमती शशी यादव, प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। रू0 140060.00 की ब्याज सहित वसूली उक्त अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या- 03)**

प्रस्तर 02 - आपूर्तिकर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना

वर्ष 2016-17 में (वर्ष 2015-16 के निर्माण कार्य में) निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 530519.00 सामग्री मद में निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता में फर्म का नाम अंकित नहीं है। कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

बैंक नम्बर	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
810589	23.04.16	259814	मै0 मां शारदा बिल्डिंग मैटेरियल	विदर्भ ट्रांसफर बाय चेक ट्रांसफर नू 032236585835
810588	23.04.16	270705	मै0 एस0के0 कन्स्ट्रक्शन	पंजाब नेशनल बैंक
योग		530519.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 530519.00 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 530519.00 का अपहरण किया गया है। जिसके प्रति श्री ऐश्वर्य यादव, खण्ड विकास अधि0/श्री पी0डी0 निरंजन, जे0ई0/श्री नबाव सिंह यादव, लेखाकार/श्री सुशील कुमार, ग्रा0वि0 अधिकारी, कार्यप्रभारी/श्रीमती शशी यादव, प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अधिकारियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या- 04 क)**

प्रस्तर -3- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी भुगतान कर अपहरण:-

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में उदघाटन पत्थर (नाम पट्टिका) का भुगतान बैंक सं0 810591 दिनांक 23.04.16 द्वारा अंकन रू0 18000.00 का भुगतान दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाया गया वह प्रमाणक सादे कागज पर खण्ड विकास अधिकारी के नाम लिया हुआ एक पत्र है जिस पर नरेन्द्र कुमार ग्राम लक्ष्मणपुर, रागखेड़ा के हस्ताक्षर हैं। जिसमें 06 कार्यों के नाम अंकित हैं और उनके सामने रू0 3000.00 अंकित किया गया है। उसी पत्र पर रिपोर्ट अंकित कर भुगतान कर दिया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि मिली भगत से मात्र एक पत्र को बिल मान कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके प्रति श्री ऐश्वर्य यादव, खण्ड विकास अधि0/श्री पी0डी0 निरंजन, जे0ई0/श्री नबाव सिंह यादव, लेखाकार/श्री सुशील कुमार, ग्रा0वि0 अधिकारी, कार्यप्रभारी/श्रीमती शशी यादव, प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। धनराशि रू0 18000 की ब्याज सहित वसूली उक्त उत्तरदायी अधिकारियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या- 04 ख)**

प्रस्तर 4— आलोच्य वर्ष 2016-17 में दिनांक 26.09.16 को रैपिड सर्वे का रू0 273.00 स0ग्रा0रो0यो0 का 87.00 पंचायत निर्वाचन 2015 का 10.00 एवं दिनांक 17.12.2016 को रू0 18600.00 पंचायत निर्वाचन 2015 यात्रा भत्ता का भुगतान श्री अमित बाजपेयी सहायक लेखाकार द्वारा बैंक से प्राप्त किया गया है किन्तु उक्त धनराशि किसको भुगतान की गयी से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त आहरित धनराशि रू0 18970.00 की ब्याज सहित वसूली श्री ऐश्वर्य यादव, खण्ड विकास अधि0/श्री अमित बाजपेयी, सहा0 लेखाकार/श्रीमती शशी यादव, प्रमुख से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या- 11)

2 क्षेत्र पंचायत— शिवराजपुर,

प्रस्तर 5— वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री कय रू0 2868011.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 114728.00 की वैट कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गई है। कटौती ना कर कुल रू0 114728.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। जिसकी प्रतिपूर्ति ब्याज सहित श्री कृपाराम राजपूत, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री रमेश कुमार कुशवाहा से आधी- आधी की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति संख्या- 05)

प्रस्तर 6— आलोच्य वर्ष 2015-16 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर कुल रू0 791680.00 का भुगतान लेबर कास्ट हेतु किया गया है। जिसका विवरण संलग्न प्रारूप- 4 पर अंकित है। उक्त भुगतान विभिन्न कार्यप्रभारियों को किया जाना दर्शित है, जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरों को सीधे बैंक खातों के माध्यम से या अकाउण्ट पेयी चेक द्वारा किया जाना चाहिए था। चेकें कार्य प्रभारियों के नाम काटे जाने से मजदूरों को मजदूरी भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार लेबर कास्ट भुगतान में अनियमितता बरती गई। अतः उक्त अनियमित एवं अपुष्ट भुगतान की ब्याज सहित वसूली तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कृपाराम राजपूत से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या- 07)

प्रस्तर 7— आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त मद से विकास खण्ड कार्यालय परिसर में सुन्दरीकरण कार्य कराया गया। उक्त कार्य पर निम्नानुसार कुल रू0 438675.00 का भुगतान फर्म को किया जाना दर्शित है। नियमानुसार रू0 एक लाख से अधिक की सामग्री खरीद हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए किन्तु संस्था द्वारा उक्त सामग्री कय हेतु कुटेशन लिए गये। उक्त के संबंध में उच्चाधिकारियों के लिखित आदेश एवं मांगे जाने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। अतः उक्त भुगतान संदिग्ध रहा, जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री कृपाराम राजपूत एवं श्री जे0एन0 पटेल जे0ई0 आर0ई0एस0 से आधी-आधी की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति संख्या- 09)

प्रस्तर 8— आलोच्य वर्ष 2016-17 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर कुल रू0 339460.00 का भुगतान लेबर कास्ट हेतु किया गया है। जिसका विवरण संलग्न प्रारूप- 04 में अंकित है। उक्त भुगतान विभिन्न कार्य प्रभारियों को किया जाना दर्शित है, जबकि मजदूरी भुगतान मजदूरों को सीधे बैंक खातों के माध्यम से या अकाउण्ट पेयी चेक द्वारा किया जाना चाहिए था। चेकें कार्य प्रभारियों के नाम काटे जाने से मजदूरों को मजदूरी भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मस्टर रोल भी निर्माण कार्य समिति से प्रमाणित नहीं कराये गये। इस प्रकार उक्त लेबर कास्ट भुगतान में अनियमितता की प्रतिपूर्ति एस0पी0 वर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या- 12)

3. क्षेत्र पंचायत— बिल्हौर

प्रस्तर 9— संस्था की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रायल्टी भुगतान मद में वर्ष में प्रा0 शेष धनराशि रू0 20312.00 दर्शित रही जबकि खाता पृष्ठ अपूर्ण रहा व मात्र एक प्रविष्टि रू0 238.00/दिनांक 09.12.2016 को विकास खण्ड परिसर में क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल तथा शौचालय संबंधित दर्शित रही। स्पष्ट है कि वर्ष दौरान तमाम मिट्टी ढुलाई कार्य पर राँयल्टी कटौती न करके शासन को राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जबकि उ0प्र0 लघु खनिज नियमावली 1963 के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा रू0 30.00/प्रति क्यूबिक मीटर की दर से मिट्टी खनन पर राँयल्टी देय वर्ष 2016 जनवरी से लागू है।

वर्ष 2016-17 दौरान निर्माण कार्यों में (चतुर्थ राज्य वित्त अन्तर्गत) निम्न विवरणानुसार मिट्टी ढुलाई की गयी:-

क्र0 सं0	दिनांक/चेक संख्या	धनराशि	बाउचर/बिल संख्या	मात्रा/दर	विवरण
1	02.01.17/01031	11200.00	कच्चे बिल पर भुगतान	16 ट्राली दर 700 ट्राली	अनुज कुमार सिदुरादारा यू0पी077-1057
2	02.01.17/01033	24500.00	कच्चे बिल पर भुगतान	35 ट्राली दर 700 ट्राली	मनोज कुमार दलेलपुर यू0पी077-3251
3	02.01.17/010132	32200.00	कच्चे बिल पर भुगतान	46 ट्राली दर 700 ट्राली	राकेश डुडवा जमौली यू0पी077-2341
4	03.01.17/010138	26600.00	कच्चे बिल पर भुगतान	38 ट्राली दर 700 ट्राली	श्री रामजी डुडवा जमौली यू0पी077-2932
5	27.01.17/010139 (बालू ढुलाई)	9980.00	82/13.01.17		मे0 एस0एन0वर्मा
6		16800.00	82/13.01.17	28 ट्राली दर 600 ट्राली	श्री रामजी डुडवा जमौली यू0पी077-2932
7	01.03.17/010149	15000.00	82/13.01.17	25 ट्राली दर 600 ट्राली	मनोज कुमार दलेलपुर यू0पी077-3251
8	01.03.17/011913	23400.00	82/13.01.17	39 ट्राली दर 600 ट्राली	श्री मनोज कुमार

					यू0पी077-2932
9	01.03.17 / 011914	33000.00	82 / 13.01.17	55 ट्राली दर 600 ट्राली	श्री रामजी डुडवा जमौली
10		80000.00	82 / 13.01.17	290 ट्राली दर 320 ट्राली	यू0पी077-2932
	योग रू0	272680.00			पप्पू सिंह ढाकापुरवा

वर्ष दौरान (ग्रांट रजि0 व पत्रावलियों के आधार पर) निम्नांकित रॉयल्टी कटौती प्राप्त की गयी किन्तु उसे ग्रांट पंजिका में दर्शाया नहीं गया।

बिल संख्या/दिनांक	धनराशि	
79 / 09.12.16	238.00	
87 / 31.03.17	204.00	
92 / 20.04.17	28.00	
64 / 04.02.16	2380.00	
योग	2850.00	

उपरोक्त विवरणानुसार खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0सी0 राम व एन0आर0 ई0पी0 एस0 के0 बाजपेयी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए रू0 272680.00 की ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या- 06)

प्रस्तर 10- चतुर्थ राज्य वित्त योजना अन्तर्गत गहोलियापुरवा से प्राथमिक विद्यालय बरौली तक खड़जा निर्माण कार्य कराया गया जिसका विवरण निम्नवत् रहा:-

स्वीकृति लागत धनराशि रू0	1068220.00 (सामग्री हेतु)
श्रमांश हेतु रू0	307900.00
	रू0 14.00 लाख
संशोधित लागत धनराशि	16.44 लाख
श्रमांश हेतु	44783.00 रू0
सामग्री कय हेतु	1991108.60
योग	रू0 243891.90 (अतिरिक्त)

संशोधित धनराशि स्वीकृति रू0 2.44 लाख रू0 दिनांक 13.03.2017 को दी गयी है।

कार्य प्रभारी- प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0)

निर्माण कार्यादेश 1891/16-17/07.12.2016 के अनुसार निर्माण कार्य 01 माह में पूर्ण कराना था। जबकि निर्माण पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा तथा संलग्न एम0बी0 (माप पुस्तिका) में भी कार्य प्रारम्भ व समाप्ति तथा निरीक्षण की तिथि अंकित नहीं होने से निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति का आंकलन नहीं किया जा सका। निर्माण कार्य में निविदा डालने वाले कर्मों के नाम की सूची संलग्न है जबकि उनकी रेट लिस्ट संलग्न नहीं रही। वर्ष पर्यन्त एस-दो संस्थाओं द्वारा ही निविदा डाली गयी व उन्हीं में से एक को हर निर्माण कार्य हेतु निविदा स्वीकृत हुई। निर्माण कार्य में उपयोग की गयी निर्माण सामग्री का विवरण निम्नवत् रहा:-

क्र0 सं0	बिल संख्या/तिथि	धनराशि/चेक संख्या	विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति/संस्था
1	92 / 20.04.17	1079.00 / 01230	निर्माण सामग्री	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन
2	91 / 31.03.17	147576.00 / 12293	निर्माण सामग्री	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन
3	82 / 13.01.17	10644.00 / 010139	निर्माण सामग्री	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन
4	86 / 28.02.17	39532.00 / 11923	निर्माण सामग्री	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन
5	81 / 28.12.16	57690.00 / 010137	निर्माण सामग्री	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन
6	78 / 09.12.16	929450.00 / 14635	निर्माण सामग्री	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन
	योग	1185971.00		

निर्माण कार्य अन्तर्गत मस्टरोल भुगतान/श्रमांश हेतु निम्न विवरणानुसार रहा :-

अवधि	मजदूर/श्रमिक संख्या	मानव दिवस	धनराशि/चेक संख्या
9 / 12-15.12.16	20	140	28000.00
9 / 12-15.12.16	12	77	22000.00
16 / 12-22.12.16	20	140	28000.00
16 / 12-22.12.16	12	77	22000.00
23 / 12-27.12.16	20	100	20000.00
23 / 12-27.12.16	08	32	10300.00
		योग	130300.00
17.04.17-22.04.17	20	116	24100.00
17.04.17-22.04.17	10	28	9800.00
		योग	33900.00

समस्त भुगतान कार्य प्रभारी श्री प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0) को किया गया। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। निर्माण कार्य में अन्य व्यय निम्नवत् रहा:-

सटरिंग	रु0 210.00	रमेश कुमार ग्रा0 बैडी अलीपुर
फोटोग्राफी	रु0 500.00	सर्वेश कुमार मिश्रा
मिट्टी ढुलाई	रु0 26600.00	रामजी चेक सं0- 10138
	रु0 24500.00	मनोज कुमार चेक सं0- 10133
मिट्टी ढुलाई	रु0 32200.00	राकेश कुमार चेक सं0- 10132
	रु0 16800.00	राम जी चेक सं0- 10148
	रु0 10644.00	20 धन मी0 मिट्टी दर 532.20 प्रतिघन मी0
योग	रु0 111454.00	

उपरोक्त सभी व्यय हस्तलिखित कच्चे बिल पर किए गए हैं जबकि मिट्टी ढुलाई का कार्य किस तिथि/अवधि दौरान किस स्थान पर किया गया यह लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका। उपरोक्त आपत्ति के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0सी0 राम व एन0आर0 ई0पी0 बाजपेयी से धनराशि 1461625.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।
(मूल आपत्ति संख्या- 07)

प्रस्तर 11- चतुर्थ राज्य वित्त योजना अन्तर्गत जी0टी0 रोड से अनूपपुरवा पुलिया तक खडण्जा निर्माण कार्य निम्न विवरणानुसार कराया गया:-

स्वीकृत निर्माण लागत धनराशि रु0 12.45 लाख कार्य प्रभारी- प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0) उपर्युक्त निर्माण कार्य में संलग्न निविदा प्रपत्र में मात्र दो फर्मों मे0 एस0एन0 वर्मा कन्स्ट्रक्शन व मे0 ब्रिज कनस्ट्रक्शन के ही नाम हैं। जबकि दर की सूची व तुलनात्मक विवरण पत्र संलग्न नहीं पाया गया। निर्माण पत्रावली में किये गये व्ययों के सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा जिससे निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति/अपूर्णता का आकलन नहीं किया जा सका संलग्नक माप पुस्तिका में निर्माण कार्य प्रारम्भ व समाप्ति की तिथि अंकित रही जो कि क्रमशः 27.12.2016 व 16.08.2017 रही। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में किया गया समस्त भुगतान पूर्णतया अनियमित रहा। निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री पर व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया:-

क्र0 सं0	बिल/तिथि	धनराशि/चेक	विवरण	संस्था/व्यक्ति का विवरण
1	93/30.06.17	3500.00/12298	सामग्री	मे0 एस0एन0 वर्मा कन्स्ट्रक्शन
2	84/30.01.17	66691.00/11917	सामग्री	मे0 एस0एन0 वर्मा कन्स्ट्रक्शन
3	83/13.01.17	11668.00/10140	सामग्री	मे0 एस0एन0 वर्मा कन्स्ट्रक्शन
4	80/01.03.17	862786/014639	सामग्री	मे0 एस0एन0 वर्मा कन्स्ट्रक्शन
	योग	944645.00		

— उपर्युक्त निर्माण कार्य में श्रमिकों का मस्टरोल भुगतान निम्न विवरणानुसार रहा:-

क्र0 सं0	अवधि	मजदूर संख्या/मानव दिवस	धनराशि/चेक	विवरण
1	06.02.17-13.02.17	20/160 दिवस	32000.00/11918	प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0)
2	06.02.17-13.02.17	20/160 दिवस	46400.00/11919	प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0)
3	06.02.17-13.02.17	20/10 दिवस	3500.00/11919	प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0)
4	12.01.17-19.01.17	20/160 दिवस	32000.00/11915	प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0)
5	12.01.17-19.01.17	11/81 दिवस	28350.00/11916	प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0)
6	31.12.16-07.01.17	20/160 दिवस	34600.00/11912	प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0)
7	31.12.16-07.01.17	05/33 दिवस	13650.00/11912	प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0(एस0टी0)
		योग	190500.00	

मस्टरोल में क्रमांक संख्या अंकित नहीं रही।

महिला श्रमिकों की संख्या शून्य रही।

जनप्रतिनिधि/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं रहे।

— निर्माण कार्य में किए गए अन्य व्यय निम्नवत् रहे:-

मद	धनराशि	नाम	चेक संख्या
मिट्टी ढुलाई	23400.00	मनोज कुमार	11913
	33000.00	रामजी	11914
	11200.00	अनुज कुमार	01013
योग	67600.00		

कुल धनराशि रु0 1202745.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0सी0 राम व कार्यप्रभारी प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0) से की जानी चाहिए।
(मूल आपत्ति संख्या- 08)

प्रस्तर 12- विकास खण्ड परिसर में क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत तथा नवनिर्मित शौचालयों में पानी की टंकी व अन्य कार्य निम्न विवरणानुसार कराये गये:-

स्वीकृत लागत	— रु0 5.50 लाख
कार्य प्रभारी	— प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0)
अवर अभियन्ता	— सुमित डंग जे0ई0 (एम0ई0)

— कराये गये निर्माण कार्य के सापेक्ष तुलनात्मक विवरण पत्र/निविदा प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया व निविदा पत्र में मात्र दो फर्मों के नाम मे0 एन0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन व मे0 ब्रिज कंस्ट्रक्शन के नाम ही अंकित है। निविदा प्रपत्र के साथ निर्माण सामग्री की रेट लिस्ट भी प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है।
— निर्माण कार्य 30 मी0 बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत व 04 शौचालयों में निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार निर्माण सामग्री का क्रय किया गया:—

क्र0 सं0	बिल/तिथि	धनराशि/चेक	संस्था/व्यक्ति का विवरण
1	79/09.12.16	63312.00/14637	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
2	85/22.03.17	6943.00/11920	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
3	88/06.04.17	28790.00/11927	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
4	89/31.03.17	26937.00/11928	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
5	90/31.03.17	43510.00/12291	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
6	87/06.04.17	23750.00/11930	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
7	94/31.03.17	19485.00/12299	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
8	96/30.08.17	3500.00/12304	मे0 एस0एन0 वर्मा कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स
	योग	216227.00	

— उपर्युक्त निर्माण कार्य में श्रमिकों का मस्टररोल भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया:—

क्र0 सं0	अवधि	श्रमिक संख्या/मानव दिवस	धनराशि/चेक	विवरण
1	02.03.17-09.03.17	15/118 दिवस	29600.00/11923	प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0)
2	01.04.17-06.04.17	04/21 दिवस	5400.00/12292	प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0)
3	01.04.17-06.04.17	06/35 दिवस	10450.00/11929	प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0)
		योग	45450.00	
4	02.03.17-09.03.17	04/28 दिवस	6800.00/11924	प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0)
5	04.01.17-18.01.17	23/314 दिवस	89100.00/10150, 11911	प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0)
		योग	186800.00	

मस्टररोल पर क्रमांक अंकित नहीं है जो आपत्ति का विषय है।

महिला श्रमिकों की संख्या नगण्य है।

मस्टररोल किसी जनप्रतिनिधि अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।

— निर्माण कार्य में किए गये अन्य व्यय निम्नवत् रहे :—

सट्टरिंग रु0 1500.00 रमेश पाल/ग्रा0 बैडी अलीपुर

जो कि हस्तलिखित कच्चे बिल पर किए गए हो कि लेखा आपत्ति का विषय है। समस्त व्यय धनराशि रु0 404527.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0सी0 राम व कार्य प्रभारी प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0) से की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या— 09)

प्रस्तर 13— चतुर्थ वित्त योजना अन्तर्गत बरण्डा में आर0सी0सी0 मुख्य द्वार का निर्माण स्वीकृत लागत धनराशि रु0 1.65 लाख से कार्य प्रभार राकेश कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0) द्वारा कराया गया जिसका आंशिक भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी किया गया है।

पत्रावली में संलग्न पत्रांक मेमो पत्र 12.02.2016 द्वारा राकेश कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0) को निर्देशित किया गया था कि निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 31.05.2016 तक पूर्ण कराकर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व कार्य पूर्णता की फोटोग्राफ सहित खण्ड विकास कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना था। किन्तु लेखा परीक्षा दौरान निर्माण पत्रावली की जांच में पाया गया कि स्वीकृत प्राक्कलन रु0 1065 लाख/दिनांक 01.03.16 के सापेक्ष मे0 ब्रिज कंस्ट्रक्शन को बिल सं0— 01/036/01.03.16 को निर्माण सामग्री हेतु रु0 33600.00 का भुगतान चेक सं0— 6863/01.03.16 द्वारा किया गया किन्तु एक वर्ष दो माह के व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया व निर्माण कार्य में रुचि नहीं ली गयी। पत्र द्वारा कार्य प्रभारी राकेश कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0) से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में शिथिलता बरती गयी व लेखा परीक्षा में भी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व माप पुस्तिका संलग्न/प्रस्तुत नहीं किये जाने से कार्य की पूर्णता में संदेह है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसकी जांच कराकर कार्यप्रभारी राकेश कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0) व अवर अभियन्ता जावेद अहमद के विरुद्ध कार्यवाही व ब्याज सहित वसूली सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्माण कार्य की भौतिक सत्यापन कराकर समस्त व्यय की धनराशि रु0 131400.00 की ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी/अवर अभियन्ता श्री राकेश कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0) व खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0सी0 राम से की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या— 10)

प्रस्तर 14— सहायक विकास अधिकारी (पं०) के रिकार्ड रूम का निर्माण एवं कैम्पस सुन्दरीकरण का कार्य चतुर्थ राज्य वित्त योजना अन्तर्गत स्वी० लागत धनराशि रू० 3.34 लाख से कराया गया। उक्त निर्माण कार्य का आंशिक भुगतान वर्ष 2016-17 में भी किया गया है। कार्य प्रभारी राकेश कुमार ए०डी०ओ० (एस०टी०) रहे। आपत्तियां निम्नवत् रहीं:—

— किये गये निर्माण कार्य के सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में किया गया समस्त भुगतान पूर्णतया अनियमित रहा।— निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री कय हेतु आमंत्रित निविदाओं में मात्र मे० एस०एन० वर्मा कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को ही निविदा पत्र प्रस्तुत किया गया। निर्माण सामग्री सूची की रेट लिस्ट व तुलनात्मक विवरण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। — निर्माण कार्य के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार निर्माण सामग्री का कय किया गया :—

क्र०सं०	बिल/तिथि	धनराशि/चेक	विवरण
1	72 / 19.03.2016	179747.00 / 6874	मे० एस०एन० वर्मा कंस्ट्रक्सन
2	71 / 12.03.2016	86430.00 / 6866	मे० एस०एन० वर्मा कंस्ट्रक्सन
	योग	266177.00	

— मस्टररोल भुगतान श्रमिकों को निम्नवत् किया गया :—

क्र०सं०	मस्टररोल सं०	अवधि	श्रमिक संख्या	धनराशि	चेक सं० तिथि
1	01	14.04.16—29.04.26	08	30400.00	6875 / 24.05.16
2	02	01.04.16—13.04.16	08	24000.00	6875 / 24.05.16

उक्त मस्टररोल भुगतान राकेश कुमार ए०डी०ओ० (एस०टी०) को किया गया। निर्माण कार्य में सृजित मानव दिवस 125 रहे। मस्टररोल किसी भी समक्ष अधिकारी अथवा जन-प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित नहीं रहा।

श्रमिकों में महिला श्रमिकों की संख्या नगण्य रही।

अप्रमाणित मस्टररोल के सापेक्ष किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा।

—पत्रावली की जांच में पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 694/सा०पत्रा०/चतुर्थ वि० आयोग/16-17 दिनांक 08.07.2016 द्वारा श्री राकेश कुमार ए०डी०ओ० (एस०टी०) द्वारा कराये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता अत्यधिक खराब होने व मानक की अवहेलना करने संबंधी शिकायती पत्र संलग्न रहा। यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि सहायक वि० अधि० (पं०) के रिकार्ड रूम की छत से पानी आ रहा था। उन्हें मरम्मत का कार्य कराने वे कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व कार्य पूर्णता की फोटोग्राफ प्रस्तुत करने को भी निर्देशित किया गया था। किन्तु इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी, लेखा परीक्षा में तत्संबंधी पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अप्राप्य रहा। उपर्युक्त आपत्तियों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि शासकीय कार्य में मानक की अनदेखी व शिथिलता तथा लापरवाही बरती गयी है। दायित्व निर्धारित कर रू० 320577.00 कार्य प्रभारी/अवर अभियन्ता श्री राकेश कुमार ए०डी०ओ० (सी०) व खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०सी० राम से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या— 11)

प्रस्तर 15— विकास खण्ड परिसर के सुन्दरीकरण एवं जल निकासी का कार्य चतुर्थ राज्य वित्त अन्तर्गत कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार ए०डी०ओ० (सी०) द्वारा स्वीकृत लागत धनराशि रू० 26.79 लाख से सापेक्ष कराया गया।

निर्माण कार्य के सापेक्ष निर्माण सामग्री कय का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया :—

क्र०सं०	बिल संख्या/तिथि	धनराशि/चेक	विवरण
1	77 / 15.10.16	15028.00 / 14631	मे० एस०एन० वर्मा कंस्ट्रक्सन
2	76 / 24.07.16	45692.00 / 14630	मे० एस०एन० वर्मा कंस्ट्रक्सन
3	73 / 20.06.16	63980.00 / 6880	मे० एस०एन० वर्मा कंस्ट्रक्सन
4	75 / 22.07.16	53154.00 / 14625	मे० एस०एन० वर्मा कंस्ट्रक्सन
5	74 / 01.07.16	29126.00 / 14622	मे० एस०एन० वर्मा कंस्ट्रक्सन
6	70 / 12.03.16	12782.00 / 6876	मे० एस०एन० वर्मा कंस्ट्रक्सन
7	98 / 20.08.17 (वर्ष 17-18)	13300.00 / 12305	मे० एस०एन० वर्मा कंस्ट्रक्सन
8	67 / 12.03.16 (वर्ष 15-16)	63910.00 / 6867	(वर्ष 17-18)
	योग	219763.00	वर्ष 2015-16 व 2017-18 की धनराशि को छोड़कर)

— मस्टररोल भुगतान निम्नवत् रहा :—

अवधि	धनराशि/चेक संख्या	श्रमिक	विवरण
01.10.16—14.10.16	39550.00 / 14632	12	श्री राकेश कुमार ए०डी०ओ० (सी०)
14.07.16—20.07.16	10500.00 / 14626	06	श्री राकेश कुमार ए०डी०ओ० (सी०)
12.03.16—17.03.16	18000.00 / 6877	12	श्री राकेश कुमार ए०डी०ओ० (सी०)
29.01.16—07.02.16	26400.00 / 6854	14	श्री राकेश कुमार ए०डी०ओ० (सी०)
(वर्ष 2015-16)			

अवधि अंकित नहीं	14100 / 14621		
योग रू0	82150.00	(वर्ष 2015-16 की धनराशि छोड़कर)	

— उपर्युक्त निर्माण कार्य में मिट्टी ढुलाई विवरण निम्नवत् रहा :-

290 ट्राली दर 320 / ट्राली रू0 80000.00 पप्पू सिंह ग्रा0 ढाकापुरवा

उपरोक्त भुगतान पप्पू सिंह / शिवपाल सिंह ग्राम ढाकापुरवा को कच्चे बिल पर किया गया जिस पर तिथि भी अंकित नहीं रही जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। उपरोक्त लेखा आपत्तियों के आधार पर समस्त व्यय की धनराशि को अनियमित मानते हुए कुल रू0 381913.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0सी0 राम व श्री राकेश कुमार ए0डी0ओ0 (सी0) कार्य प्रभारी से की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या- 12)

प्रस्तर 16— चतुर्थ वित्त योजना अन्तर्गत हलपुरा में जगदीश के ट्यूबवेल से टिकरे तक खड़जा निर्माण भार-2 में निर्माण कार्य श्री प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0) द्वारा स्वी. लागत धनराशि रू0 4.403 लाख से कराया गया है। निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 की आंशिक धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 दौरान भी किया गया है। जिसमें निम्नांकित लेखा आपत्तियां पाई गईं :— कराये गये निर्माण कार्य के सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के किया गया समस्त भुगतान पूर्णतया अनियंत्रित रहा।

— निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री पर व्यय निम्न विवरणानुसार रहा :-

बिल

01 / 034 / 01.05.2016	मे0 ब्रिज कन्स्ट्रू0	रू0 20789.00	चेक 6872
01 / 33 / 12.03.2016	मे0 ब्रिज कन्स्ट्रू0	रू0 319550.00	चेक 6865

— रू0 98000.00 का व्यय चेक सं0- 6873 / 24.05.16 द्वारा श्रमिकों के मस्टररोल हेतु किया गया है। अवधि 10.03.2016-29.03.2016 तक 20 श्रमिकों हेतु।

— प्राप्त इस्टीमेट अनुसार रू0 347288.00 तथा श्रम पर रू0 92970.00 का भुगतान किया जाना था।

— संलग्न मस्टररोल पर किसी जनप्रतिनिधि अथवा समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। समस्त व्यय को अनियमित मानते हुए रू0 438339.00 की ब्याज सहित वसूली बी0डी0आ0 पी0 सी0 राम व प्रदीप कुमार ए0डी0ओ0 (एस0टी0) से की जानी चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या- 13)

4 क्षेत्र पंचायत— सरसौल

प्रस्तर 17 — लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त / चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरण के अनुसार कार्य कराये गये।

कार्य का नाम :- बी0डी0ओ0 कार्यालय एवं एन0आई0सी0 कक्ष में एल्युमिनियम दरवाजे एवं खिड़की में कांच लगाने का कार्य :-

स्वीकृत लागत :- 0.97 लाख

कार्य योजना स्वीकृत :- जिलाधिकारी कार्यालय पत्रांक 2555 / दि0 16.12.16

कार्यप्रभारी :- श्री राजेन्द्र सिंह गौतम

उक्त कार्य हेतु हिमांशु इं0प्रा0को रू0 92420.00 का भुगतान विभिन्न सामग्री आपूर्ति हेतु दि0 26.03.17 को किया गया है। स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार कृत कार्यों के प्रारम्भ, मध्य एवं समाप्ति के फोटोग्राफ पत्रावली में सुरक्षित रखे जाने के आदेश थे, जो नहीं रखे गये। साथ ही उक्त कार्य की एम0बी0 नहीं पायी गयी। एम0 बी0 बुक में जे0ई0आर0ई0डी0 श्री आर0के0 पालीवाल द्वारा केवल “इन्ट्री आफ बिल” अंकित किया गया है, पैमाईश नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि दर्शित कार्य गत वर्ष का है या आलोच्य वर्ष का। अतः कार्य की पुनरावृत्ति कर के सम्बन्धित कार्य के माध्यम से रू0 92420.00 का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही एम0वी0 को अपर आधिकारी द्वारा अवलोकित / सत्यापित भी नहीं किया गया है। अतः अनियमित कार्य दर्शाकर दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री एश्वर्य यादव, ब्लाक प्रमुख श्री रणधीर सिंह, जे0ई0आर0एस0 श्री आर0के0 पालीवाल तथा कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र सिंह गौतम से समान रूप से वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मू0आ0सं0-4)

प्रस्तर 18 — कार्य का नाम :- विकास खण्ड में बी0डी0ओ0 आवास का सुदृढीकरण एवं सुन्दरीकरण का कार्य :-

स्वीकृत लागत :- 2.53 लाख

कार्य योजना स्वीकृत :- जिलाधिकारी कार्यालय पत्रांक 2558 / दि0 16.12.16

कार्य प्रभारी :- श्री राजेन्द्र सिंह गौतम

उक्त कार्य हेतु विवेकानन्द ट्रेडर्स से दिनांक 05.03.16 के बिल के अनुसार दिनांक 04.04.16 को चेक सं0 110455 द्वारा 83724.00 वैंट रू0 3488.00 काटकर भुगतान किया गया है। पुनः विवेकानन्द ट्रेडर्स को दि0 20.03.17 को 11432.00 का भुगतान चेक सं0 110464 दि0 30.03.17 को किया गया है जबकि एम0आर0 22.02.17 से 08.03.17 तक कार्य प्रभारी को चेक सं0 110460 द्वारा रू0 35000.00 का भुगतान किया गया है। पुनः एम0आर0 दि0 08.03.17 से 25.03.17 तक चेक सं0 110465 दिनांक 30.03.17 को रू0 35350.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल व्यय रू0

165506.00 का भुगतान किया गया है जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है।

(1) दिनांक 05.03.16 को क्रय सामग्री का कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं पाया गया। जबकि कार्य लगभग 01 वर्ष बाद कराया गया है। कार्ययोजना जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा दि० 16.12.16 को स्वीकृत किया गया है, तो पूर्व में बिना कार्ययोजना के कार्य किये जाने/भुगतान किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

(2) उक्त कार्य हेतु एम०आर० दि० 09.03.17 से 25.03.17 तक रु० 35360.00 किया गया है, जो कि स्वीकृत लागत से बहुत कम प्रतीत होता है।

(3) उक्त कार्य हेतु स्वीकृत कार्ययोजना जिलाधिकारी के अनुसार कृत कार्यों के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त के फोटोग्राफ नहीं लिये गये हैं। और न ही एम०बी० बुक पर कार्य प्रारम्भ, समाप्ति तथा पैमाईश आदि तिथियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, न ही एम०बी० को जे०ई० के ऊपर के अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। अतः विवरण के अभाव में कृत कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः सामग्री 83724.00 के भुगतान में खण्ड विकास अधिकारी श्री ऐश्वर्य यादव, ब्लाक प्रमुख श्री रणधीर सिंह, जे०ई०आर०एस० श्री आर०के० पालीवाल तथा कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र सिंह गौतम द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया। इसी प्रकार शेष भुगतान सामग्री रु० 11432.00, मजदूरी रु० 70350.00 कुल रु० 81782.00 के भुगतान में खण्ड विकास अधिकारी श्री गंगा राम यादव, ब्लाक प्रमुख श्री रणधीर सिंह, जे०ई०आर०एस० श्री आर०के० पालीवाल तथा कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र सिंह गौतम से समान रूप से वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही। (मू०आ०सं-5)

प्रस्तर 19 – कार्य का नाम :- विकास खण्ड कार्यालय में वायरिंग व लाईट फिटिंग का कार्य :-

स्वीकृत लागत :- 0.50 लाख

कार्य योजना स्वीकृत :- जिलाधिकारी कार्यालय पत्रांक 2556/दि० 16.12.16

कार्य प्रभारी :- श्री राजेन्द्र सिंह गौतम, बी०ओ० पी०वी०डी०

उक्त कार्य हेतु हिमांशू इं० प्रा० को चेक सं० 110467 दि० 30.03.17 को रु० 46872.00 का भुगतान किया गया है। जबकि उक्त कार्य हेतु मस्टर रोल नहीं पाया गया तथा एम०बी० बुक में केवल "इन्ट्री आफ बिल" का अंकन किया गया है। उक्त कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। उक्त कार्य की स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त के फोटोग्राफ नहीं लिये गये हैं। अतः अनियमित भुगतान दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री गंगा राम यादव, ब्लाक प्रमुख श्री रणधीर सिंह, जे०ई०आर०एस० श्री आर०के० पालीवाल तथा कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र सिंह गौतम से समान रूप से वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मू०आ०सं-6)

प्रस्तर 20 – कार्य का नाम :- विकास खण्ड कार्यालय में मंच व चबूतरे का निर्माण :-

स्वीकृत लागत :- 1.08 लाख

कार्य योजना स्वीकृत :- जिलाधिकारी कार्यालय पत्रांक 2557/ दि० 16.12.16

कार्यप्रभारी :- श्री राजेन्द्र सिंह गौतम, बी०ओ० पी०वी०डी०

उक्त कार्य हेतु विवेकानन्द ट्रेडर्स को चेक सं० 110456 दि० 04.04.16 को 62551.00 का भुगतान, पुनः चेक सं० 110462 दि० 30.03.17 को रु० 11237.00 का भुगतान कुल रु० 73788.00 का भुगतान किया गया है तथा म०रो० दि० 10.03.17 से 19.03.17 तक कुल रु० 16000.00 का भुगतान चेक सं० 110463 दि० 30.03.17 द्वारा कार्य प्रभारी को किया गया है। दि० 04.04.16 को क्रय सामग्री का कोई स्टॉक नहीं पाया गया। जबकि कार्य योजना दि० 16.12.16 को स्वीकृत हुयी है। पूर्व में सामग्री क्रय रु० 62551.00 के भुगतान का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। एम०बी० बुक में केवल म०रो० की एम०बी० ही बनायी गयी है, सामग्री की पैमाईश नहीं की गयी है। अतः रु० 73788.00 सामग्री क्रय का कोई विवरण एम०बी० बुक में नहीं है। स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार कृत कार्यों के फोटोग्राफ भी नहीं पाये गये। अतः दर्शित कार्य अनियमित प्रतीत होता है। अतः कुल व्यय रु० 89788.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधि० श्री ऐश्वर्य यादव, श्री गंगा राम यादव, ब्लाक प्रमुख श्री रणधीर सिंह, जे०ई०आर०एस० श्री आर०के० पालीवाल तथा कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र सिंह गौतम से समान रूप से वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही। (मू० आ.सं-7)

प्रस्तर 21 – कार्य का नाम :- विकास खण्ड में शौचालय का सुदृढ़ीकरण व सुन्दरीकरण का कार्य :-

स्वीकृत लागत :- 1.32 लाख

कार्य योजना स्वीकृत :- जिलाधिकारी कार्यालय पत्रांक 2554/दि० 16.12.16

कार्यप्रभारी :- श्री राजेन्द्र सिंह गौतम, बी०ओ० पी०वी०डी०

उक्त कार्य हेतु हिमांशू इं० प्रा० को चेक सं० 110466 दि० 30.03.17 द्वारा रु० 94174.00 का भुगतान किया गया है। क्रय की गयी सामग्री से सम्बन्धित सामग्री का स्टॉक रजि० नहीं पाया गया। एम०बी० बुक में केवल "इन्ट्री आफ बिल" का अंकन किया गया है। उक्त कार्य की स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त के फोटोग्राफ नहीं लिये गये हैं। अतः उक्त सामग्री का उपभोग नहीं किया गया है। अतः अनियमित भुगतान दर्शाकर रु० 94174.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री गंगा राम यादव, ब्लाक

प्रमुख श्री रणधीर सिंह, जे०ई०आर०एस० श्री आर०के० पालीवाल तथा कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र सिंह गौतम से समान रूप से वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मू०आ०स०-८)

प्रस्तर 22 – इन्दिरा आवास प्रासंगिक मद क्षेत्र पंचायत, सरसौल :-

डीजल मद दि० 15.07.16 को चेक सं० 726449 एच०पी० डीजल का भुगतान रू० 5674.00 एवं चेक सं० 726650 द्वारा एच०पी० डीजल को रू० 3891.00 तथा चेक सं० 726655 द्वारा एच०पी० डीजल का भुगतान रू० 9233.00 कुल भुगतान रू० 18798.00 का किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित राजकीय वाहन सं० यू०आर०डी०-6509 की लाग बुक एवं पत्रावली बार-बार मांगे जाने के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। और न ही सम्बन्धित बिलों पर वाहन चालक द्वारा "पेड बाई मी" व की गयी यात्रा का विवरण है। बिना चालक की अनुशंसा के अनुसार किस तरह भुगतान किया गया है। अतः बिना लाग बुक के भुगतान की गयी धनराशि रू० 19798.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही। लेखा परीक्षा में यह तथ्य उल्लेखनीय रहा कि गाड़ी सं० यू०आर०डी०-6509 विगत तीन वर्षों से खराब है और कार्यालय के गैराज में खड़ी है। किस तरह से डीजल का उपभोग फर्जी दर्शाकर किया जा रहा है। (मू०आ०स०-९)

प्रस्तर 23- दि० 16.09.16 को चेक सं० 726652 द्वारा श्री राजकुमार वर्मा को स्टेशनरी क्रय हेतु रू० 10000.00 का भुगतान किया गया है। उक्त क्रय का स्टॉक रजि० व बिल अप्राप्त रहा। यदि स्टेशनरी क्रय की गयी होती तो फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। अतः फर्जी क्रय दर्शाकर रू० 10000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजकुमार वर्मा, लेखाकार से वैधानिक कार्यवाही करते हुये की जानी अपेक्षित है। (मू०आ०स०-10)

प्रस्तर 24 – निर्वाचन फोटोग्राफी :-

ले०प० वर्ष 2016-17 में श्री राजकुमार वर्मा को चेक सं० 007832 दि० 17.08.16 द्वारा निर्वाचन फोटोग्राफी हेतु रू० 9600.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त मद हेतु किन-किन स्थानों पर किस तरह की फोटोग्राफी की गयी, का विवरण अप्राप्त रहा। विवरण के अभाव में उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय की धनराशि दुरुपयोगित रही। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजकुमार वर्मा, लेखाकार से वैधानिक कार्यवाही करते हुये की जानी अपेक्षित है। (मू०आ०स०-11)

प्रस्तर 25 – इन्दिरा आवास प्रासंगिक मद ग्राम पंचायत, सरसौल :-

लेखा परीक्षा वर्ष 16-17 में इन्दिरा आवास प्रासंगिक मद ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारियों को भुगतान किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :-

दिनांक	चेकसं०	विवरण	धनराशि
		सर्वश्री :-	
02.11.16	726656	संजय गुप्ता	668.00
02.11.16	726657	ओंकार नाथ	501.00
02.11.16	726658	शाश्वत श्रीवास्तव	167.00
02.11.16	726659	गजेन्द्र प्रताप वर्मा	835.00
02.11.16	726660	बरसाती लाल वर्मा	1002.00
02.11.16	726661	राम नरेश पटेल	334.00
02.11.16	726662	राजेश प्रसाद वर्मा	1002.00
02.11.16	726663	अजीत सिंह	1670.00
02.11.16	726664	धनीराम वर्मा	1002.00
02.11.16	726665	संजीव कुमार तिवारी	1169.00
		कुल योग :-	8350.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित कराये गये फोटोग्राफ कि बिल/प्रमाणक अप्राप्त रहे। वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण मानते हुये सम्बन्धित पक्षों का दायित्व निर्धारित करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में श्री राजकुमार वर्मा, लेखाकार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही। (मू०आ०स०-12)

प्रस्तर 26 – राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कन्टीजेन्सी :-

ले०प० वर्ष 2016-17 में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार डीजल मद में भुगतान किया गया दर्शित है। दिनांक 20.04.16 को चेक सं० 988554 द्वारा डीजल भुगतान वाहन सं० यू०आर०डी०-6509 रू० 18000.00, दिनांक 05.05.16 को चेक सं० 988558 द्वारा डीजल भुगतान वाहन सं० यू०आर०डी०-6509 रू० 18000.00 कुल व्यय रू० 36000.00 का भुगतान किया गया। उक्त व्यय से सम्बन्धित राजकीय वाहन सं० यू०आर०डी०-6509 की लाग बुक एवं पत्रावली बार-बार मांगे जाने के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। और न ही सम्बन्धित बिलों पर वाहन चालक द्वारा "पेड बाई मी" व की गयी यात्रा का विवरण है। बिना चालक की अनुशंसा के अनुसार किस तरह भुगतान किया गया है। अतः बिना लाग बुक के भुगतान की गयी धनराशि रू० 36000.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास

अधिकारी श्री ऐश्वर्य यादव एवं ए०पी०ओ० मनरेगा श्री दीप सिंह से वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मू०आ०स०-13)

प्रस्तर 27 – राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कन्टीजेन्सी विविध व्यय :-

उक्त मद में दिल्ली टूर मनरेगा कार्यक्रम किराया रू० 2937.00 का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी श्री ऐश्वर्य यादव को चेक सं० 988552 दिनांक 20.04.16 द्वारा किया गया है। उक्त व्यय की धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/विभागीय आदेश निर्देश लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिसके कारण की गयी यात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रू० 2937.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री ऐश्वर्य यादव से की जानी अपेक्षित है।
(मू०आ०स०-14)

प्रस्तर 28 – लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में दिनांक 23.04.16 को चेक सं० 110457 रू० 10915 का भुगतान आज प्रकाशन लि० एवं दि० 23.04.16 को चेक सं० 110458 रू० 5802.00 का भुगतान सहारा मास कम्प्यूनिक्शन को टेण्डर प्रकाशन हेतु किया गया है। इस प्रकार कुल धनराशि रू० 16717.00 से सम्बन्धित प्रकाशन कराये गये अखबार की प्रति एवं कार्यों की सूची अप्राप्त रही। बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः रू० 16717.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री ऐश्वर्य यादव से वैधानिक कार्यवाही करते हुये की जानी अपेक्षित है।
(मू०आ०स०-15)

प्रस्तर 29 – लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में आंगनवाड़ी केन्द्र पूरनपुर के निर्माण में सामग्री व्यय रू० 128102.00 तथा मजदूरी पर व्यय रू० 9660.00 कुल व्यय रू० 137762.00 वैट रू० 5124.00 काटकर शुद्ध भुगतान रू० 132638.00 किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य हेतु स्वीकृत कार्य योजना, प्रारम्भ, मध्य व अन्त के फोटोग्राफ एवं पैमाईश पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः बिना एम०बी० बुक के किस तरह भुगतान किया गया है, विवरण अप्राप्त रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधि० श्री ऐश्वर्य यादव, ब्लाक प्रमुख श्री रणधीर सिंह, जे०ई०आर०एस० श्री आर०के० पालीवाल तथा कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र सिंह गौतम से समान रूप से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।
(मू०आ०स०-16)

5 क्षेत्र पंचायत- भीतरगांव

प्रस्तर 30 – वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि फर्म द्वारा नियम विरुद्ध मात्र कच्चे बिल/फर्म के लेटर पैड पर एवं बिना आपूर्ति चालान जारी किये भुगतान प्राप्त किया गया है एवं कोई टैक्स आदि चार्ज नहीं किया गया है। सामग्री आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया इस प्रकार सामग्री आपूर्ति संदिग्ध रही। अतएव फर्म जारी किये गये प्रमाणकों की जांच इनके बिक्री रजिस्टर दाखिल रिटर्न व्यापार कर एवं आयकर आदि के आलोक में करते हुये विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा जारी कच्चे बिल एवं उनके भुगतान का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	बिल धनराशि	चेक नं०	शुद्ध भुगतान	फर्म का नाम
1	नरायणपुर साढ़ में सतीश के मकान से उपेन्द्र के बगीचे तक सी०सी० रोड निर्माण	30.12.16	30793	000168	28862	सारिका ट्रेडिंग कं०
2	कुड़नी मेन रोड से देशराज यादव के मकान से मुकेश वर्मा के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	30.12.16 29.01.17	23004 291975	000169 000173	21562 273691	सारिका ट्रेडिंग कं० सारिका ट्रेडिंग कं०
3	हरवंशपुर में झण्डा बाग तक खड़जा निर्माण कार्य	29.12.16	44800	000167	41991	आसना इण्टरप्राइजेज
4	सीहूपुर में मंझिल वासी के मकान से प्रकाश कोरी के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	29.12.16	21912	000166	20539	आसना इण्टरप्राइजेज
5	बीहूपुर में सुभाष सोनी के मकान से मेन रोड तक सी०सी० रोड निर्माण	29.12.16	42090	000165	39451	आसना इण्टरप्राइजेज
6	पतारी में मेन रोड से डा० इखलाक के माकन तक सी०सी० रोड निर्माण	29.12.16 20.01.17	22413 104672	000172 000175	21007 98109	नेशनल ट्रेडर्स नेशनल ट्रेडर्स
7	गूजा में शिववरन के मकान से आकाश के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	29.12.16 16.01.17	22600 111038	000171 000176	21183 104076	नेशनल ट्रेडर्स नेशनल ट्रेडर्स
8	शूलपुर में रामरतन के मकान से विनोद सचान के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	29.12.16 19.01.17	22413 129081	000170 000174	21007 120988	नेशनल ट्रेडर्स नेशनल ट्रेडर्स
	योग		866791		812466	

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2016-17 में फर्म द्वारा प्रस्तुत कच्चे बिल/लेटर पैड पर जारी अंकन रू० 866791 के सापेक्ष क्षेत्र पंचायत द्वारा वैट एवं आयकर काट कर रू० 812466 का भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया। सामग्री

आपूर्ति चालान पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा नियम विरुद्ध फर्म के कच्चे बिलों पर रु0 812466 का भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एश्वर्य यादव तथा लेखाकर श्री देवेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ0स०-3)

प्रस्तर 31 — वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि किसी भी पत्रावली में मजदूरी भुगतान से संबंधित कोई भी मस्टर रोल संलग्न नहीं पाया गया। क्षेत्र पंचायत द्वारा फर्म को पूरे कार्य का ठेका दिया गया। जो कि शासकीय निर्देश एवं लेखा परीक्षा की दृष्टि से अनुचित है। शासकीय मंशानुसार निर्माण कार्यों में स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलना चाहिये जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा पूरे कार्य का ठेका देकर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया। मस्टर रोल के अभाव में फर्म द्वारा स्थानीय निवासियों से कार्य कराया गया अथवा बाहर से मजदूर बुलाकर कार्य कराया गया का विवरण अप्राप्त रहा। साथ ही सम्पूर्ण कार्य का टेण्डर होने की दशा में फर्म के बिलों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर शेष की कटौती क्षेत्र पंचायत द्वारा करनी चाहिये थी जो नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	बिल धनराशि	1 प्रतिशत लेबर सेस जो काटा जाना चाहिये	फर्म का नाम
1	नरायणपुर साढ़ में सतीश के मकान से उपेन्द्र के बगीचे तक सी०सी० रोड निर्माण	30.12.16	30793	308	सारिका ट्रेडिंग कं०
2	कुडनी मेन रोड से देशराज यादव के मकान से मुकेश वर्मा के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	30.12.16 29.01.17	23004 291975	230 2920	सारिका ट्रेडिंग कं० सारिका ट्रेडिंग कं०
3	हरवंशपुर में झण्डा बाग तक खड्गजा निर्माण कार्य	29.12.16	44800	448	आसना इण्टरप्राइजेज
4	सीहूपुर में मंजिल वासी के मकान से प्रकाश कोरी के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	29.12.16	21912	219	आसना इण्टरप्राइजेज
5	बीहूपुर में सुभाष सोनी के मकान से मेन रोड तक सी०सी० रोड निर्माण	29.12.16	42090	421	आसना इण्टरप्राइजेज
6	पतारी में मेन रोड से डा० इखलाक के माकन तक सी०सी० रोड निर्माण	29.12.16 20.01.17	22413 104672	224 1047	नेशनल ट्रेडर्स नेशनल ट्रेडर्स
7	गूजा में शिववरन के मकान से आकाश के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	29.12.16 16.01.17	22600 111038	226 1110	नेशनल ट्रेडर्स नेशनल ट्रेडर्स
8	शूलपुर में रामरतन के मकान से विनोद सचान के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	29.12.16 19.01.17	22413 129081	224 1291	नेशनल ट्रेडर्स नेशनल ट्रेडर्स
	योग		866791	8868	

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष दौरान फर्मों द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों का अंकन रु0 866791 पर क्षेत्र पंचायत द्वारा 1 प्रतिशत की दर से रु0 8668 की लेबर सेस की कटौती की जानी चाहिये थी जो नहीं की गयी है। इस प्रकार रु0 8668 की अनियमितता क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री एश्वर्य यादव तथा लेखाकर श्री देवेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ0स०-4)

प्रस्तर 32 — लेखा परीक्षा वर्ष दौरान निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि टेण्डर कर्ता फर्म से जमा करायी गयी बयाने की धनराशि से संबंधित कोई रसीद किसी पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी जबकि शासकीय निर्देशों एवं टेण्डर शर्तों के अनुसार कार्य की अनुमानित लागत का 0.5 प्रतिशत बयाने की धनराशि के रूप में स्वीकृत टेण्डर कर्ता फर्म से जमा कराया जायेगा। उक्त नियम की अवहेलना क्षेत्र पंचायत द्वारा करके अनियमितता की गयी है विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनु० लागत	बयाने की धनराशि	फर्म का नाम
1	नरायणपुर साढ़ में सतीश के मकान से उपेन्द्र के बगीचे तक सी०सी० रोड निर्माण	7.97 लाख	3985	सारिका ट्रेडिंग कं०
2	कुडनी मेन रोड से देशराज यादव के मकान से मुकेश वर्मा के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	3.16 लाख	1580	सारिका ट्रेडिंग कं०
3	हरवंशपुर में झण्डा बाग तक खड़जा निर्माण कार्य	12.41 लाख	6205	आसना इण्टरप्राइजेज
4	सीहूपुर में मंझिल वासी के मकान से प्रकाश कोरी के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	12.67 लाख	6335	आसना इण्टरप्राइजेज
5	बीहूपुर में सुभाष सोनी के मकान से मेन रोड तक सी०सी० रोड निर्माण	9.54 लाख	4770	आसना इण्टरप्राइजेज
6	पतारी में मेन रोड से डा० इखलाक के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	4.04 लाख	2020	नेशनल ट्रेडर्स
7	गूजा में शिववरन के मकान से आकाश के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	4.72 लाख	2360	नेशनल ट्रेडर्स
8	शूलपुर में रामरतन के मकान से विनोद सचान के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	3.72 लाख	1860	नेशनल ट्रेडर्स
	योग		29115	

उपरोक्त विवरण अनुसार रू० 29115 की बयाने की धनराशि स्वीकृत टेण्डर कर्ता फर्म से जमा कराया जाना चाहिये था जो नहीं कराया गया। इस अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एश्वर्य यादव एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (मू०आ०सं०-7)

प्रस्तर 33 — दिनांक 12.07.16 को चेक नं० 156352 से रू० 41945 का भुगतान अवनीश कुशवाहा कम्प्यूटर ऑपरेटर वि०ख० भीतर गांव को किया जाना ग्रांट रजि० द्वितीय में अंकित किया गया। उक्त से संबंधित प्रमाणक निम्न विवरण अनुसार पाये गये :-

दिनांक	बिल नं०	धनराशि	फर्म का नाम	कृत कार्य का नाम	मात्रा	दर
16.02.16	95	2040	दिनेश जन सेवा केन्द्र भीतरगांव	लोहिया आवास फीडिंग	102	20
18.02.16	96	280	दिनेश जन सेवा केन्द्र भीतरगांव	लोहिया आवास फीडिंग	14	20
12.12.15	81	22080	दिनेश जन सेवा केन्द्र भीतरगांव	13-14 की इन्दिरा आवास फोटो स्कैनिंग, अपलोडिंग	606	20
15.02.16	94	11780	दिनेश जन सेवा केन्द्र भीतरगांव	14-15 इन्दिरा आवास लाभार्थी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जॉब कार्ड लिंकिंग खाता सं० फीडिंग	589	20
14.04.16	305	1740	दिनेश जन सेवा केन्द्र भीतरगांव	लोहिया आवास आई०डी० नरेगा क्रिएशन	116	15
12.07.16	319	4025	दिनेश जन सेवा केन्द्र भीतरगांव	इंटरनेट प्रयोग 24 मई 16 से 12 जुलाई 16 तक	161 घण्टे	25

उपरोक्त विवरण अनुसार दर्शित भुगतान का अवलोकन करने में ज्ञात होता है कि रू० 41945 का भुगतान अनावश्यक रूप से कर क्षेत्र पंचायत पर व्यय भार डाला गया है जबकि विकास खण्ड कार्यालय में कम्प्यूटर इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर मौजूद हैं फिर उपरोक्त प्रकार के व्यय का औचित्य नहीं होता है। उपरोक्त सभी कार्य विकास खण्ड कार्यालय में ही नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा किये जाने चाहिये अगर सभी कार्य बाहर से कराये जायें तो कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति का औचित्य क्या है। इस प्रकार रू० 41945 का अनावश्यक व्यय डाल कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार गुप्ता लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह एवं भुगतान प्राप्त कर्ता कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री अवनीश कुशवाहा उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है। (मू०आ०सं०-7)

प्रस्तर 34 — इंदिरा आवास प्रशासनिक मद से दिनांक 31.12.15 को चेक नं० 779704 द्वारा 2500 अग्रिम का भुगतान देवेन्द्र सिंह सहायक लेखाकार को कार्यालय जनरेटर में डीजल डलवाने हेतु किया गया एवं चेक नं० 156355 दि० 12.07.16 से रू० 275 का भुगतान किया गया इस प्रकार देवेन्द्र सिंह को कुल 2775 का भुगतान किया गया। जिसके

सापेक्ष देवेन्द्र सिंह द्वारा दि० 01.01.16 से 27.01.16 तक के माँ शारदा ऑयल कं० भीतरगांव के बिल समायोजन हेतु प्रस्तुत किये गये। सभी बिल सादे कागज पर हाथ से बनाये गये। ऑयल कं० का प्रिंटेड बिल/पक्का बिल नहीं संलग्न किया गया उक्त बिलों की प्रमाणिकता संदिग्ध है। फर्जी तरीके से प्रमाणक तैयार किये गये प्रतीत होते हैं का निर्माण निम्नवत् है :-

दिनांक	धनराशि	मात्रा	दर	फर्म का नाम
01.01.16	255	5 लीटर	5	माँ शारदा ऑयल कं० भीतरगांव
04.01.16	255	5 लीटर	5	माँ शारदा ऑयल कं० भीतरगांव
07.01.16	255	5 लीटर	5	माँ शारदा ऑयल कं० भीतरगांव
11.01.16	255	5 लीटर	5	माँ शारदा ऑयल कं० भीतरगांव
13.01.16	255	5 लीटर	5	माँ शारदा ऑयल कं० भीतरगांव
16.01.16	250	5 लीटर	5	माँ शारदा ऑयल कं० भीतरगांव
18.01.16	250	5 लीटर	5	माँ शारदा ऑयल कं० भीतरगांव
20.01.16	250	5 लीटर	5	माँ शारदा ऑयल कं० भीतरगांव
22.01.16	250	5 लीटर	5	माँ शारदा ऑयल कं० भीतरगांव
25.01.16	250	5 लीटर	5	माँ शारदा ऑयल कं० भीतरगांव
27.01.16	250	5 लीटर	5	माँ शारदा ऑयल कं० भीतरगांव
योग	2775			

उपरोक्त विवरण अनुसार रू० 2775 का दर्शित भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। साथ ही साथ डीजल क्य की पुष्टि में जनरेटर लॉग बुक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः रू० 2775 की ब्याज सहित वसूली भुगतान प्राप्तकर्ता एवं भुगतान कर्ता से की जानी अपेक्षित है। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं।

(मू०आ०स०-11)

प्रस्तर 35 — लेखा परीक्षा वर्ष दौरान ग्रांट रजि० द्वितीय एवं तृतीय की जांच में पाया गया कि मार्च 17 में रू० 54325 का व्यय राज्य वित्त खाते से किया जाना ग्रांट रजि० तृतीय में अंकित पाया गया जबकि ग्रांट रजि० द्वितीय में माह मार्च 17 में कोई भी व्यय/प्रमाणक अंकित नहीं पाया गया। इस प्रकार ग्रांट रजि० द्वितीय में बिना किसी व्यय के अंकन के ग्रांट रजि० तृतीय में व्यय अंकित किया जाना गम्भीर अनियमितता है। इस प्रति लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ०स०-12)

प्रस्तर 36 — वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत ग्रांट रजि० तृतीय की जांच में पाया गया कि दि० 31.03.17 को अनकैश चेक अन्तर्गत रू० 15000 डी०पी०आर०आ० की चेक दर्शित की गयी। उक्त चेक सं० 767758 दि० 25.02.14 माह फरवरी 14 से ही ग्रांट रजि० तृतीय में अनकैश चेक के रूप में दर्शित की जा रही है। उक्त चेक सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को डी०पी०आर०आ० कानुपर को वापस करने हेतु निर्गत की गयी। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उक्त धनराशि क्षेत्र पंचायत को वर्ष 2011 में प्राप्त हुई। अनकैश हेने की स्थिति में यथावत बैंक खाते में पड़ी हुयी है। वर्ष 2011 से उक्त धनराशि का प्रयोग क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं किया गया है जो कि शासन की योजनाओं के प्रति क्षेत्र पंचायत की उदासीनता को दर्शाता है एवं विभाग को भी अभी तक वसपस नहीं किया जा सका है। इस प्रति लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री एश्वर्य यादव उत्तरदायी है जो कि अनियमितता की श्रेणी में आता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू०आ०स०-13)

प्रस्तर 37 — रा०ग्रा०रो०गा० निधि (प्रशासनिक) अंतर्गत वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्रांट रजि० द्वितीय में दर्शित व्यय (भुगतान) के व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। बिना व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही बिना व्यय प्रमाणक/बिल के दर्शित भुगतान की पुष्टि नहीं की एवं सभी भुगतान अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य रहा विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक	चेक नं०	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कृत कार्य का विवरण
20.05.16	158037	1650	प्रेम प्रकाश पाण्डेय	प्रिंटर के सभी टोनर रिपेयरिंग हेतु
11.07.16	159426	2517	राजकरन सिंह (टी०ए०)	इंदिरा आवासों के शौचालय की आई०डी० का भुगतान
11.07.16	159427	9425	दिनेश जन सेवा केन्द्र	इंटरनेट प्रयोग कार्य हेतु
11.07.16	159428	2000	सर्वेश कुमार ए०पी०ओ०	इंटरनेट डिवाइस क्य हेतु
11.07.16	159429	3200	सर्वेश कुमार ए०पी०ओ०	इंटरनेट डिवाइस रिचार्ज हेतु
12.07.16	159551	2000	दिनेश जन सेवा केन्द्र	फोटो कापी
12.11.16	600575	8150	सर्वेश कुमार ए०पी०ओ०	इंटरनेट रिचार्ज फोटो कापी

12.11.16	600576	4200	अवनीश कुशवाहा	कम्प्यूटर द्वारा टाइपिंग कार्य
योग		33142		

उपरोक्त विवरण अनुसार रू0 33142 के व्यय प्रमाणक/बिल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जिससे दर्शित भुगतान अधूरा रहा। अतः उपर्युक्त भुगतान रू0 66335 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इस प्रति उत्तरदायी लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री एश्वर्य यादव तथा भुगतान संबंधित कर्मचारी उत्तरदायी हैं।

(मू०आ०स०-15)

6 क्षेत्र पंचायत- कल्यानपुर

प्रस्तर 38-क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2015-16 में निम्नविवरण अनुसार राज्य व तेरहवें वित्त से निर्माण कार्य कराये गये -

क्र०	कार्य का नाम व स्थान	सामग्री पर व्यय रू० में	मजदूरी पर व्यय व अन्य व्यय रू० में	कुल व्यय रू० में	फर्म चार्ज किया गया वैट टैक्स रू० में	क्षेत्र पंचायत द्वारा फर्म से काटा गया वैट टैक्स रू० में	वैट टैक्स जो कम लिया गया रू० में	टेण्डर खुलने का दिनांक व समय	कार्य प्रभारी का नाम	टेण्डर समिति के सदस्यों का नाम
(i)	सचेण्डी के मजरा चकरपुर में पवन त्रिवेदी के घर से राजसिंह के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण	394426.00	142800.00	537226.00	24896.71	6198.00	18698.71	17.06. 2015 सायं 3 बजे	श्री उमाशंकर यादव ए०डी०ओ० ए०जी०,	श्री कमलेश कुमार बी०डी०ओ०, श्री उमाशंकर यादव ए०डी०ओ० ए०जी०, श्री राजकुमार जे०ई० एम०आई०, श्री देवेन्द्र सिंह लेखाकार
(ii)	बगदौधी बांगर में मंधना बिटूर रोड से श्याम जी बाजपेई के प्लाट तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य (तृतीय पार्ट) (राज्य वित्त से)	387266.00	141680.00 + 7100.00	536046.00	29413.00	शून्य	29413.00	17.06. 2015 सायं 3 बजे	श्री आर०बी० सचान ए०डी०ओ० एस०के०	श्री कमलेश कुमार बी०डी०ओ०, श्री उमाशंकर यादव ए०डी०ओ० ए०जी०, श्री राजकुमार जे०ई० एम०आई०, श्री देवेन्द्र सिंह लेखाकार
(iii)	मकसूदाबाद में मेन रोड से विंध्यवासिनी मन्दिर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	285970.00	98210.00 + 8000.00	392180.00	21262.00	शून्य	21262.00	17.06. 2015 सायं 3 बजे	श्री उमाशंकर यादव ए०डी०ओ० ए०जी०,	श्री कमलेश कुमार बी०डी०ओ०, श्री उमाशंकर यादव ए०डी०ओ० ए०जी०, श्री राजकुमार जे०ई० एम०आई०, श्री देवेन्द्र सिंह लेखाकार
(iv)	सिंहपुर कछार में साधन सहकारी समिति से शंकर नेता के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	42518.00	13510.00 + 3345.00	59373.00	3057.00	शून्य	3057.00	17.06. 2015 सायं 3 बजे	श्री मुकेश शुक्ला सहा० बोरिंग टेक्नीशियन,	श्री कमलेश कुमार बी०डी०ओ०, श्री उमाशंकर यादव ए०डी०ओ० ए०जी०, श्री राजकुमार जे०ई० एम०आई०, श्री देवेन्द्र सिंह लेखाकार

	(राज्य वित्त से)									
(v)	सिंहपुर कछार में रामू दीक्षित के घर से पुत्तन माली के घर तक नाली व सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य (तेरहवां वित्त से)	441461.00	135800.00 + 36700.00	613961.00	31772.00	6450.00	25322.00	17.06. 2015 सायं 3 बजे	श्री मुकेश शुक्ला सहा0 बोरिंग टेक्नीशियन,	श्री कमलेश कुमार बी0डी0ओ0, श्री उमाशंकर यादव ए0डी0ओ0 ए0जी0, श्री राजकुमार जे0ई0 एम0आई0, श्री देवेन्द्र सिंह लेखाकार
(vi)	बगदौधी बांगर में अनूप सिंह के घर से गंगा सागर यादव के घर तक एवं सखन कुशील के घर से ओम प्रकाश यादव के घर तक नाली एवं सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य (तेरहवां वित्त से)	355048.00	120890.00 + 14365.00	490303.00	25988.00	शून्य	25988.00	17.06. 2015 सायं 3 बजे	श्री मुकेश शुक्ला सहा0 बोरिंग टेक्नीशियन,	श्री कमलेश कुमार बी0डी0ओ0, श्री उमाशंकर यादव ए0डी0ओ0 ए0जी0, श्री राजकुमार जे0ई0 एम0आई0, श्री देवेन्द्र सिंह लेखाकार

उपरोक्त कार्यों में पेपर में दिनांक 08.06.2015 को निविदा विज्ञापित की गई और पेपर की निविदा विज्ञापन में यह लिखा था कि दिनांक 17.06.2015 को सायं 3:00 बजे निविदा खोली जायेगी। टेण्डर समिति में प्रमुख के अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार सहायक विकास अधिकारी (कृषि) श्री उमाशंकर यादव, जे0ई0 (एम0 आई0) श्री राज कुमार शुक्ला एवं सहायक लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह थे। निविदा पत्रावली के अनुसार समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 17.06.2015 को सायं 3:00 बजे निविदा खोली गई और उसकी सारी कार्यवाही पूर्ण की गई। उपरोक्त निविदा समिति के एक सदस्य श्री उमाशंकर यादव सहायक विकास अधिकारी (कृषि) दिनांक 17.06.2015 को ही विकास भवन में आयोजित किसान दिवस/गोष्ठी में भाग लेने हेतु विकास खण्ड कार्यालय से 11.45 पूर्वाह्न पर गये और वहाँ से वापस विकास खण्ड कार्यालय 04.50 अपराह्न पर आये। (विकास खण्ड कार्यालय के भ्रमण रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के अनुसार) विकास खण्ड कार्यालय के भ्रमण पंजिका की प्रविष्टियों से यह स्पष्ट है कि सहायक विकास अधिकारी कृषि श्री उमाशंकर यादव निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विकास खण्ड कार्यालय वापस आये। (भ्रमण रजिस्टर के सम्बन्धित पेज की फोटो कॉपी पृष्ठ संख्या-44 पर संलग्न है)। उनके द्वारा महज कागजी खाना पूर्ति के लिये निविदा पत्रावली पर हस्ताक्षर कर दिया गया है।

अतः पत्रावली में दर्शित उपरोक्त सभी छः निर्माण कार्यों की धनराशि टेण्डर प्रक्रिया का दिखावा करके, ले-देकर, गबन कर लिये जाने के उद्देश्य से कूट रचना की गई है, यह वास्तविक नहीं है। सम्पूर्ण दर्शित व्यय रुपये 2629089.00 जिसके सापेक्ष दर्शित अपुष्ट कार्य संदिग्ध होने के कारण टेण्डर समिति के उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से रुपये 657272.25 पैसे, सहायक विकास अधिकारी कृषि श्री उमाशंकर यादव से रुपये 657272.25 पैसे, जे0ई0एम0आई0 श्री राजकुमार शुक्ला से रुपये 657272.25 पैसे तथा लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह से रुपये 657272.25 पैसे की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ0स०- 5)

प्रस्तर 39 — वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत के ग्राम पंचायत बगदौधी बांगर में बिटूर रोड से गौरहा रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर किये गये व्यय रु0 695926.00 पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कराये जाने वाले प्रत्येक निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व की, कार्य के दौरान की तथा कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो पत्रावली में अवश्य संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु निर्माण कार्य से

सम्बन्धित कोई भी फोटो पत्रावली में संलग्न न होने के बावजूद भुगतान किया गया है तथा इस संबंध में नोटशीट/पत्रावली में अन्य कहीं भी फोटो न होने पर भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी न किया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि कार्य न होने के बावजूद सबकी मिलीभगत से भुगतान किया गया।

क्षेत्र पंचायत द्वारा गाँव के अन्दर कार्य कराया गया है जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य ही कराये जाने चाहिए। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने के लिये पत्रावली में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव कि यह कार्य क्षेत्र पंचायत से कराया जाए, पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि सम्बन्धित कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पहले ही कराये जाने की संभावना के साथ साथ क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराकर भुगतान लिये जाने की पुष्टि नहीं होती है। इस बिन्दु पर खण्ड वि०अ० व कर्मचारियों द्वारा नोटशीट/पत्रावली में कोई टिप्पणी अंकित नहीं पाई गयी।

सी०सी० रोड निर्माण कराये जाने पर पूर्व निर्मित खण्डजे से निकली ईंटों की स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि करके, लेखा परीक्षा में स्टॉक न दिखाया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि यह कार्य पहले से हुआ था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया था। यदि क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य करवाया गया होता तो पहले की ईंटों स्टाक रजिस्टर में अवश्य दर्ज की जाती। ईंटों की स्टाक प्रविष्टि करने हेतु खण्ड वि०अ०/कर्मचारियों की कोई टिप्पणी नोटशीट/पत्रावली में अंकित नहीं पायी गयी।

कार्य स्थल पर निम्न निर्माण सामग्रियों (यथा—मोरंग, सीमेंट, गिट्टी, ईट इत्यादि) के पहुँचाने का चालान पत्रावली में संलग्न न होने तथा स्टाक रजि० में सामग्रियों की प्रविष्टि न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया तथा इस सम्बन्ध में लेखाकार व खण्ड वि० अधि० द्वारा कोई टिप्पणी न किया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि कार्य न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया।

इस कार्य हेतु दी गई तकनीकी स्वीकृति में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिषाशी अभियन्ता द्वारा यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति निर्माण कार्य नियमावली 1981 शासनादेश सं० 612बी/39-2-10 व 83 यू०पी०ए० 38-1961 के पैरा 36 के प्रस्तर 8 के अनुरूप माप पुस्तिका में दर्ज 25 प्रतिशत मापों की जाँच अनिवार्य रूप से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जानी थी जिसे नहीं किया गया।

शासनादेश संख्या 2618 आर०ई०/30.04.59 एम/85 दिनांक 18.12.1985 के संदर्भित पैरा-6 के अनुसार 80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरान्त करना था तथा अवशेष 20 प्रतिशत भुगतान अनिवार्य रूप से सहायक अभिन्यता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के संस्तुति के उपरान्त करना था। किन्तु उपरोक्त कार्य में अन्तिम अवशेष 20 प्रतिशत का भुगतान सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की संस्तुति के बिना ही किया गया है।

निर्माण कार्य स्थल का साईट प्लान खण्ड विकास अधिकारी से सत्यापित कराकर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है।

उपरोक्त कार्य में बैलास्ट व गिट्ट का भुगतान करने से पूर्व वन अभिवहन फीस के रूप में जमा की गई धनराशि की रसीद आपूर्तिकर्ता से लेने के बाद ही भुगतान किया जाना था किन्तु भुगतान तो किया गया किन्तु उपरोक्त रसीद प्राप्त न किये जाने से, भुगतान करके सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाई गयी है।

आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई रू० 583156/- की आपूर्ति में क्षेत्र पंचायत से रू० 36000/- वैट टैक्स के रूप में लिये गये हैं लेकिन क्षेत्र पंचायत के कार्य में लेखाकार द्वारा मात्र 5308/- ही वैट के रूप में आपूर्तिकर्ता से काटा गया, जिससे रू० 30692/- के सरकारी राजस्व की क्षति की गई।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयदेश नहीं दिया गया है।

पत्रावली में मजदूरों के पंजीकृत होने का प्रमाण नहीं लगा है। अपंजीकृत मजदूरों से कार्य कराया जाना तथा रू० 182770/- मजदूरी का नगद वितरण किया जाना कार्य को संदिग्ध बनाता है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त कार्य पर रुपये 695926/- का अनियमित रूप से कार्य कराकर व अनियमित रूप से व्यय दर्शित करके धनराशि का भुगतान लेकर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग कर लिया गया है। अतः प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार दीक्षित (डी०सी० मनरेगा) से रू० 92426/-, खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से रू० 81555.50 पैसे, जे०ई०एम०आई० श्री राजकुमार शुक्ला से रुपये 173981.50 पैसे, कार्य प्रभारी श्री उमाशंकर यादव ए०डी०ओ०. ए०जी० से रू० 173981.50 पैसे तथा लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह से रू० 173981.50 पैसे की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०स०- 8)

प्रस्तर 40- वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत के विकास खण्ड कार्यालयों सुदृढीकरण एवं सुन्दरीकरण का कार्य पर किये गये व्यय रू० 930353/- पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कराये जाने वाले प्रत्येक निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व की, कार्य के दौरान की तथा कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो पत्रावली में अवश्य संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई भी फोटो पत्रावली में संलग्न न होने के बावजूद भुगतान किया गया है तथा इस संबंध में नोटशीट/पत्रावली में अन्य कहीं भी फोटो न होने पर भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी न किया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि कार्य न होने के बावजूद सबकी

मिलीभगत से भुगतान किया गया। कार्य स्थल पर निम्न निर्माण सामग्रियों (यथा—मोरंग, सीमेन्ट, गिट्टी, ईट इत्यादि) के पहुँचाने का चालान पत्रावली में संलग्न न होने तथा स्टाक रजि० में सामग्रियों की प्रविष्टि न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया तथा इस सम्बन्ध में लेखाकार व खण्ड वि० अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी न किया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि कार्य न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया।

इस कार्य हेतु दी गई तकनीकी स्वीकृति में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिषाशी अभियन्ता द्वारा यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति निर्माण कार्य नियमावली 1981 शासनादेश सं० 612बी/39-2-10 व 83 यू०पी०ए० 38-1961 के पैरा 36 के प्रस्तर 8 के अनुरूप माप पुस्तिका में दर्ज 25 प्रतिशत मापों की जाँच अनिवार्य रूप से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जानी थी जिसे नहीं किया गया।

शासनदेश संख्या 2618 आ०ई०/ 30.04.59 एम/85 दिनांक 18.12.1985 के संदर्भित पैरा-6 के अनुसार 80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरान्त करना था तथा अवशेष 20 प्रतिशत भुगतान अनिवार्य रूप से सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के संस्तुति के उपरान्त करना था। किन्तु उपरोक्त कार्य में अन्तिम अवशेष 20 प्रतिशत का भुगतान सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की संस्तुति के बिना ही किया गया है।

निर्माण कार्य स्थल का साईट प्लान खण्ड विकास अधिकारी से सत्यापित कराकर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है।

उपरोक्त कार्य में बैलास्ट व गिट्टी का भुगतान करने से पूर्व वन अभिवहन फीस के रूप में जमा की गई धनराशि की रसीद आपूर्तिकर्ता से लेने के बाद ही भुगतान किया जाना था किन्तु भुगतान तो किया गया किन्तु उपरोक्त रसीद प्राप्त न किये जाने से भुगतान करके सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाई गयी है।

जिन मजदूरों से कार्य कराया गया है उन मजदूरों के पंजीकृत होने का प्रमाण नहीं लगा है।

अपंजीकृत मजदूरों से कार्य कराया जाना तथा रु० 335224/- मजदूरी का नगद वितरण दिखाया जाना कार्य को संदिग्ध बनाता है।

कार्य प्रभारी की नियुक्ति जिस पत्र से की गई है तथा आपूर्तिकर्ता को टेण्डर हेतु उनकी फर्म के चयनित होने की सूचना जिन पत्रों से दी गई उनमें पत्रांक व दिनांक न डाला जाना कार्य को संदिग्ध बनाता है।

पत्रावली में श्री आ०बी०सचान ए०डी०ओ० द्वारा रु० 16990/- के पौध क्रय के भुगतान हेतु श्री बजरंग नर्सरी बिल सं० 932 बिना दिनांक का भुगतान हेतु पत्रावली में लगाया गया है। जिसके भुगतान के लिये नोटशीट पर अंकन भी है किन्तु भुगतान आज तक न किया जाना आपूर्ति को संदिग्ध बनाता है।

आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई रु० 595129/- की आपूर्ति में क्षेत्र पंचायत से रु० 32102/- वैट टैक्स के रूप में लिये गये हैं लेकिन क्षेत्र पंचायत के कार्य में लेखाकार द्वारा मात्र 15216/- ही वैट के रूप में आपूर्तिकर्ता से काटा गया, जिससे रु० 16886/- के सरकारी राजस्व की क्षति की गई।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु क्रेयादेश नहीं दिया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त कार्य पर रुपये 930353/- का अनियमित रूप से कार्य कराकर व अनियमित रूप से व्यय दर्शित करके धनराशि का भुगतान लेकर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग कर लिया गया है। अतः प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार दीक्षित (डी०सी० मनरेगा) से रु० 53688.25 पैसे/-, खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से रु० 178900/-, जे०ई०आ०ई०डब्लू श्री रवीन्द्र कुमार पालीवाल से रुपये 232688.25 पैसे कार्य प्रभारी श्री आ०बी० सचान ए०डी०ओ०एस०के० से रु० 232688.25 पैसे तथा लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह से रु० 232688.25 पैसे /- की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मू०आ०स०- 9)

प्रस्तर 41- वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत के ग्राम पंचायत परगही वांगर में मेने रोड से काली जी के मन्दिर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य पर किये गये व्यय रु० 739454.00 पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

क्षेत्र पंचायत द्वारा गाँव के अन्दर कार्य कराया गया है जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य ही कराये जाने चाहिए। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने के लिये पत्रावली में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव कि यह कार्य क्षेत्र पंचायत से कराया जाए, पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि सम्बन्धित कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पहले ही कराये जाने की संभावना के साथ साथ क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराकर भुगतान लिये जाने की पुष्टि नहीं होती है। इस बिन्दु पर खण्ड वि० व कर्मचारियों द्वारा नोटशीट/पत्रावली में कोई टिप्पणी अंकित नहीं पाई गयी।

सी०सी० रोड निर्माण कराये जाने पर पूर्व निर्मित खण्डजे से निकली ईंटों की स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि करके लेखा परीक्षा में स्टाक न दिखाया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि यह कार्य पहले से हुआ था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया था। यदि क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य करवाया गया होता तो पहले की ईंटों स्टाक रजिस्टर में अवश्य दर्ज की जाती। ईंटों की स्टाक प्रविष्टि करने हेतु खण्ड वि०/कर्मचारियों की कोई टिप्पणी नोटशीट/पत्रावली में अंकित नहीं पायी गयी।

कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्रियों (यथा—मोरंग, सीमेन्ट, गिट्टी, ईट इत्यादि) के पहुँचाने का चालान पत्रावली में संलग्न न होने तथा स्टाक रजि० में सामग्रियों की प्रविष्टि न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया तथा इस सम्बन्ध

में लेखाकार व खण्ड वि० अधि० द्वारा कोई टिप्पणी न किया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि कार्य न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया।

इस कार्य हेतु दी गई तकनीकी स्वीकृति में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिषाशी अभियन्ता द्वारा यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति निर्माण कार्य नियमावली 1981 शासनादेश सं० 612बी/39-2-10 व 83 यू०पी०ए० 38-1961 के पैरा 36 के प्रस्तर 8 के अनुरूप माप पुस्तिका में दर्ज 25 प्रतिशत मापों की जाँच अनिवार्य रूप से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जानी थी जिसे नहीं किया गया।

शासनदेश संख्या 2618 आर०ई०/30.04.59-एग/85 दिनांक 18.12.1985 के संदर्भित पैरा-6 के अनुसार 80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरान्त करना था तथा अवशेष 20 प्रतिशत भुगतान अनिवार्य रूप से सहायक अभिन्यता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के संस्तुति के उपरान्त करना था। किन्तु उपरोक्त कार्य में अन्तिम अवशेष 20 प्रतिशत का भुगतान सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की संस्तुति के बिना ही किया गया है।

निर्माण कार्य स्थल का साईट प्लान खण्ड विकास अधिकारी से सत्यापित कराकर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है। जिन मजदूरों से कार्य कराया गया है उन मजदूरों के पंजीकृत होने का प्रमाण नहीं लगा है।

अपंजीकृत मजदूरों से कार्य कराया जाना तथा रु० 196000/- मजदूरी का नगद वितरण दिखाया जाना कार्य को संदिग्ध बनाता है।

कार्यालय द्वारा, कार्य प्रभारी को नियुक्ति किये जाने वाले पत्र में पत्रांक व दिनांक न डालना कार्य को संदिग्ध बनाते हैं।

उपरोक्त कार्य में बैलास्ट व ग्रेट का भुगतान करने से पूर्व वन अभिवहन फीस के रूप में जमा की गई धनराशि की रसीद आपूर्तिकर्ता से लेने के बाद ही भुगतान किया जाना था किन्तु भुगतान तो किया गया किन्तु उपरोक्त रसीद प्राप्त न किये जाने से भुगतान करके सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाई गयी है।

आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई रु० 533454/- की आपूर्ति में क्षेत्र पंचायत से रु० 38500/- वैट टैक्स के रूप में लिये गये हैं लेकिन क्षेत्र पंचायत के कार्य में लेखाकार द्वारा मात्र 11251/- ही वैट के रूप में आपूर्तिकर्ता से काटा गया, जिससे रु० 27249/- के सरकारी राजस्व की क्षति की गई।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश नहीं दिया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त कार्य पर रुपये 739454/- का अनियमित रूप से कार्य कराकर व अनियमित रूप से व्यय दर्शित करके धनराशि का भुगतान लेकर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग कर लिया गया है। अतः प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार दीक्षित (डी०सी० मनरेगा) से रु० 63047/-, खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से रु० 121816.50 पैसे, जे०ई०एम०आई० श्री राजकुमार शुक्ला से रुपये 184863.50 पैसे कार्य प्रभारी श्री मुकेश शुक्ला ए०बी०टी० से रु० 184863.50 पैसे तथा लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह से रु० 184863.50 पैसे /- की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मु०आ०स०- 10)

प्रस्तर 42 - क्षेत्र वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से विकास खण्ड परिसर में पूर्व निर्मित सभागार में लाईटिंग, साउण्ड सिस्टम का कार्य फिटिंग सहित कराये जाने में रुपये 85878.00 व्यय किया गया है इस पर निम्न आपत्तियाँ हैं :-

पत्रांक मेमो/सहा० लेखा०/2015-16 दिनांक 20.08.2015 द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु सामान्य एवं मजदूरी दरों का कोटेशन आपूर्तिकर्ताओं देने हेतु दि० 27.08.2015 सायं 5 बजे तक का समय दिया गया था। यह कोटेशन एकाउण्टेन्ट, जे०ई०, ए०डी०ओ० व बी०डी०ओ० प्रमुख के उपस्थिति में खोला गया।

एलमोनियम डोर विण्डो का विड फार्म लगा है जिसमें .2 प्रतिशत लिखा है यह निर्धारित दर से कम है ज्यादा यह नहीं लिखा है।

कनक इण्टरप्राइजेज का विड फार्म लगा है जिसमें दर की जगह खाली स्थान है अर्थात् फार्म पर दर अंकित नहीं है।

जय दुर्गे ट्रेडर्स का कोई कागज नहीं लगा है केवल नोटशीट पर इस फर्म का नाम लिखा है।

पत्रावली में दर्शित उपरोक्त कार्य के लिये किये गये कोटेशन में निविदाकर्ताओं द्वारा रेट कोट न किये जाने के बावजूद (विड फार्म पर रेट अंकित न करने) भी कोटेशन प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। उपरोक्त कार्य हेतु किये गये कोटेशन में विड फार्म पर निम्न विवरणानुसार दरें, अंकित नहीं की गई थी।

एलमोनियम डोर विण्डो के विड फार्म पर 0.2 प्रतिशत लिखा है, लेकिन टेण्डर में दी गई दर से 0.2 प्रतिशत कम या ज्यादा यह नहीं लिखा है साक्ष्य हेतु विड फार्म की फोटो कापी पृष्ठ संख्या-32 पर संलग्न है।

कनक इण्टर प्राइजेज द्वारा विड फार्म पर रेट का स्थान खाली है कुछ नहीं लिखा है, साक्ष्य हेतु विड फार्म की फोटो कापी पृष्ठ संख्या-33 पर संलग्न है।

जय दुर्गे ट्रेडर्स का नाम नोटशीट पर लिखा है पत्रावली में इनका कोई कागज नहीं लगा है।

आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति रुपये 70198.00 में क्षेत्र पंचायत से रु० 3349/- वैट टैक्स के रूप में लिये गये हैं लेकिन क्षेत्र पंचायत के कार्य में लेखाकार द्वारा वैट के रूप में रुपये 2808.00 ही काटे गये हैं। जिससे रु० 541/- के सरकारी राजस्व की क्षति की गई।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस कोटेशन में चयन हेतु तुलनात्मक चार्ट भी नहीं बनाया गया है। लेखाकार के प्रस्तुति पर दिनांक 27.11. 2015 को नोटशीट में चयन दिखाया जा रहा है तथा बी0डी0ओ0 द्वारा पत्रांक मेमो दिनांक 27.11. 2015 से एलमोनियम डोर विण्डो फर्म की कोटेशन स्वीकृत की गई है।

अतः पत्रावली में दर्शित इस कोटेशन प्रक्रिया की, धनराशि ले-देकर, गबन कर लिये जाने के उद्देश्य से, कूट रचना की गई है। यह वास्तविक नहीं है तथा सम्पूर्ण दर्शित व्यय रु0 85878.00, जिसके सापेक्ष दर्शित अपुष्ट कार्य , संदिग्ध होने के कारण, टेण्डर समिति के उत्तरदायी अधिकारियों व कर्मचारियों, प्रभारी बी0डी0ओ0 श्री अवधेश कुमार दीक्षित (डी0सी0 मनरेगा) से रुपये 21469.50 पैसे, सहायक विकास अधिकारी कृषि श्री उमाशंकर यादव से रुपये 21469.50 पैसे, जे0ई0 एम0आई0 श्री राज कुमार शुक्ल से रुपये 21469.50 पैसे तथा लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह से रुपये 21469.50 पैसे की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०स०- 11)

प्रस्तर 43 —वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत में कार्यालय कक्षों का जीणोद्धार एवं परिसर के सौंदर्यीकरण में डिस्मेन्टलिंग के कार्य पर किये गये व्यय रु0 48704.00 पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कराये जाने वाले प्रत्येक निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व की, कार्य के दौरान की तथा कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो पत्रावली में अवश्य संलग्न की जानी चाहिए थी किन्तु निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई भी फोटो पत्रावली में संलग्न न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया है तथा इस संबंध में नोटशीट/पत्रावली में अन्य कहीं भी फोटो न होने पर भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी न किया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि कार्य न होने के बावजूद सबकी मिलीभगत से भुगतान किया गया।

कार्यालय के पत्रांक मेमो/स०ले०/2015-16 दिनांक 27.11.2015 द्वारा श्री मुकेश शुक्ला ए०बी०टी० को कार्य प्रभारी नियुक्ति किया गया तथा पत्र में यह कहा गया कि तोड़-फोड़ का कार्य जे०ई०एम०आई० के निर्देशन में करके बिल प्रस्तुत करें, किन्तु कार्य जे०ई० के निर्देशन में नहीं कराया गया है और न ही जे०ई० द्वारा कार्य की एम०बी० ही की गई है।

कार्य प्रभारी की नियुक्ति वाले पत्र में जे०ई० के निर्देशन में कार्य करने के लिये तो कहा गया है किन्तु इस पत्र में जे०ई० को प्रतिलिपि ही नहीं की गई है और न ही डिस्मेन्टलिंग के कार्य के निर्देशन हेतु जे०ई० को कोई अन्य पत्र ही जारी किया गया है, जो कि कार्य को संदिग्ध बनाता है।

उपरोक्त कार्य का उपभोग प्रमाण पत्र आज तक नहीं जमा है। उपभोग प्रमाण पत्र जमा करने के लिये बी०डी०ओ० द्वारा पत्रांक 12.11./आंकिक/राज्य वित्त/16-17 दिनांक 26.10.2016 द्वारा पत्र भी जारी किया गया है किन्तु इसके बाद भी उपभोग प्रमाण पत्र जमा नहीं हुआ।

कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्रियों (यथा-मोरंग, सीमेन्ट, गिट्टी, ईट इत्यादि) के पहुंचाने का चालान पत्रावली में संलग्न न होने तथा स्टॉक रजि० में सामग्रियों की प्रविष्टि न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया तथा इस सम्बन्ध में लेखाकार व खण्ड वि० अधि० द्वारा कोई टिप्पणी न किया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि कार्य न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया।

जिन मजदूरों से कार्य कराया गया है उन मजदूरों के पंजीकृत होने का प्रमाण नहीं लगा है।

अपंजीकृत मजदूरों से कार्य कराया जाना तथा रुपये 31920.00 मजदूरी का नगद वितरण किया जाना कार्य को संदिग्ध बनाता है। निर्माण कार्य स्थल का साईट प्लान खण्ड विकास अधिकारी से सत्यापित कराकर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है।

उपरोक्त कार्य में बैलास्ट व गिट्टी का भुगतान करने से पूर्व वन अभिवहन फीस के रूप में जमा की गई धनराशि की रसीद आपूर्तिकर्ता से लेने के बाद ही भुगतान किया जाना था किन्तु भुगतान तो किया गया किन्तु उपरोक्त रसीद प्राप्त न किये जाने से भुगतान करके सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाई गयी है।

आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति में रुपये 16784.00 में क्षेत्र पंचायत से रु0 1250/- वैट टैक्स के रूप में लिये गये हैं लेकिन क्षेत्र पंचायत के कार्य में लेखाकार द्वारा वैट के रूप में आपूर्तिकर्ता से कोई कटौती नहीं की गई, जिससे रु0 1250/- के सरकारी राजस्व की क्षति की गई।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश नहीं दिया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त कार्य पर रुपये 48704/- का अनियमित रूप से कार्य कराकर व अनियमित रूप से व्यय दर्शित करके धनराशि का भुगतान लेकर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग कर लिया गया है। अतः खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से रु0 16235.00, कार्य प्रभारी श्री मुकेश ए०बी०टी० से रु0 16235.00 तथा लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह से रु0 16235.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०स०- 12)

प्रस्तर 44 — वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत के ग्राम पंचायत हिन्दूपुर में दुर्गाराम के घर से स्कूल तक नाली व सी०सी० रोड निर्माण कार्य पर किये गये व्यय रुपये 712984.00 पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

क्षेत्र पंचायत द्वारा गाँव के अन्दर कार्य कराया गया है जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य ही कराये जाने चाहिए। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने के लिये पत्रावली में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव कि यह कार्य क्षेत्र पंचायत से कराया जाए, पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया है। इससे यह

प्रमाणित होता है कि सम्बन्धित कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पहले ही कराये जाने की संभावना के साथ साथ क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराकर भुगतान लिये जाने की पुष्टि नहीं होती है। इस बिन्दु पर खण्ड वि०अ० व कर्मचारियों द्वारा नोटशीट/पत्रावली में कोई टिप्पणी अंकित नहीं पाई गयी।

सी०सी० रोड निर्माण कराये जाने पर पूर्व निर्मित खण्डजे से निकली ईंटों की स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि करके लेखा परीक्षा में स्टाक न दिखाया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि यह कार्य पहले से हुआ था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया था। यदि क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य करवाया गया होता तो पहले की ईंटें स्टाक रजिस्टर में अवश्य दर्ज की जातीं। ईंटों की स्टाक प्रविष्टि करने हेतु खण्ड वि०अ०/कर्मचारियों की कोई टिप्पणी नोटशीट/पत्रावली में अंकित नहीं पायी गयी।

कार्य स्थल पर विभिन्न निर्माण सामग्रियों (यथा—मोरंग, सीमेन्ट, गिट्टी, ईट इत्यादि) के पहुँचाने का चालान पत्रावली में संलग्न न होने तथा स्टाक रजि० में सामग्रियों की प्रविष्टि न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया तथा इस सम्बन्ध में लेखाकार व खण्ड वि० अधि० द्वारा कोई टिप्पणी न किया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि कार्य न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया।

इस कार्य हेतु दी गई तकनीकी स्वीकृति में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिषाशी अभियन्ता द्वारा यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति निर्माण कार्य नियमावली 1981 शासनादेश सं० 612बी/39-2-10 व 83 यू०पी०ए० 38-1961 के पैरा 36 के प्रस्तर 8 के अनुरूप माप पुस्तिका में दर्ज 25 प्रतिशत मापों की जाँच अनिवार्य रूप से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जानी थी जिसे नहीं किया गया।

शासनदेश संख्या 2618 आर०ई०/30.04.59 एम/85 दिनांक 18.12.1985 के संदर्भित पैरा-6 के अनुसार 80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरान्त करना था तथा अवशेष 20 प्रतिशत का भुगतान अनिवार्य रूप से सहायक अभिन्यता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के संस्तुति के उपरान्त करना था। किन्तु उपरोक्त कार्य में अन्तिम अवशेष 20 प्रतिशत का भुगतान सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की संस्तुति के बिना ही किया गया है।

उपरोक्त कार्य में बैलास्ट व गिट्टी का भुगतान करने से पूर्व वन अभिवहन फीस के रूप में जमा की गई धनराशि की रसीद आपूर्तिकर्ता से लेने के बाद ही भुगतान किया जाना था किन्तु भुगतान तो किया गया किन्तु उपरोक्त रसीद प्राप्त न किये जाने से भुगतान करके सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाई गयी है।

जिन मजदूरों से कार्य कराया गया है उन मजदूरों के पंजीकृत होने का प्रमाण नहीं लगा है।

अपंजीकृत मजदूरों से कार्य कराया जाना तथा रुपये 180810.00 मजदूरी का नगद वितरण किया जाना कार्य को संदिग्ध बनाता है।

आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई रुपये 521174/- की आपूर्ति में क्षेत्र पंचायत से रू० 38983/- वैट टैक्स के रूप में लिये गये हैं लेकिन क्षेत्र पंचायत के कार्य में लेखाकार द्वारा वैट के रूप में आपूर्तिकर्ता से कोई कटौती नहीं की गई, जिससे रू० 38983/- के सरकारी राजस्व की क्षति की गई।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश नहीं दिया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त कार्य पर रुपये 712984/- (यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कार्य की मजदूरी व सामग्री के भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष में भी हुये हैं। किन्तु कार्य वर्ष 15-16 में पूर्ण हुआ। अतः कार्य का सम्पूर्ण भुगतान आलोच्य धनराशि में समाहित है।) का अनियमित रूप से कार्य कराकर व अनियमित रूप से व्यय दर्शित करके, धनराशि का भुगतान लेकर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग कर लिया गया है। अतः खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से रू० 178246.00, जे०ई०(आर०ई०डब्लू०) श्री रवीन्द्र कुमार पालीवाल से रुपये 178246.00 कार्य प्रभारी श्री उमाशंकर यादव ए०डी०ओ०. ए०जी० से रू० 178246.00 तथा लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह से रू० 178246.00/- की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०स०- 13)

प्रस्तर 45 — वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिनांक 23.04.2015 को मनरेगा प्रासंगिक मद से चेक सं० 069353 द्वारा रू० 5,20,000.00 शाखा प्रबन्धक बीयूपीजीबी कल्यानपुर के पक्ष में चेक देकर वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 का तकनीकी सहायकों का मानदेय आहरित किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2013-14, के तकनीकी सहायकों मानदेय की बकाया लायबिलिटी, व लायबिलिटी रजिस्टर, भुगतान किये गये मानदेय के सापेक्ष कार्मिकों की प्रमाणित उपस्थिति व उपस्थिति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं दिखाये गये तथा अन्तरिम आपत्ति निर्गत करने के बावजूद भी उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उपरोक्त रजिस्टरों व प्रपत्रों के अभाव में मानदेय के रूप में भुगतान की गई संदिग्ध धनराशि रू० 5,20,000.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०स०- 14)

प्रस्तर 46 — वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत के खाता संख्या....10010 से विभिन्न तिथियों में रू० 131240.00 विभिन्न चेकों द्वारा आहरित किया गया है किन्तु कई बार मौखिक, व लिखित रूप में मांगने पर तथा अन्तरिम आपत्ति निर्गत कर मांगने के बावजूद भी इस व्यय से सम्बन्धित बिल बाउचर व पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गईं। जिससे यह व्यय अपुष्ट रहता है। अतः बिल बाउचर के बिना अनियमित रूप से व्यय की गई धनराशि रू० 131240.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं०	धनराशि रुपये में	योग	किस व्यक्ति को दिया गया
1	27.11.2015	679286	10000.00	131240.00	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा
2	10.02.2016	679287	48240.00		श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा
3	10.02.2016	679288	31500.00		श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा
4	10.02.2016	679289	41500.00		श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा

(मू०आ०स०- 15)

प्रस्तर 47 - वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत के खाता संख्या....15685 से जो कि इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी का है, से दिनांक 04.04.2015 को चेक 678962 से रू० 4068/- तथा दि० 07.04.2015 को चेक सं० 678963 से रू० 10600.00, इस प्रकार कुल रू० 14668.00 आहरित किया गया है किन्तु कई बार मौखिक, व लिखित रूप में मांगने पर तथा अन्तरिम आपत्ति निर्गत कर मांगने के बावजूद भी इस व्यय से सम्बन्धित बिल बाउचर/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गईं। जिससे यह व्यय अपुष्ट रहा है। अतः बिल बाउचर के बिना अनियमित रूप से व्यय की गई धनराशि रू० 14668.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०स०- 16)

प्रस्तर 48 - वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत के खाता संख्या....1634 से जो कि राज्य वित्त/तेरहवाँ-चौदहवाँ वित्त आयोग का है, से दिनांक 17.09.2015 को चेक 200 से रू० 99540.00 का आहरण क्लीयरिंग द्वारा किया गया है किन्तु कई बार मौखिक व लिखित रूप में मांगने पर तथा अन्तरिम आपत्ति निर्गत कर मांगने के बावजूद भी इस व्यय से सम्बन्धित बिल बाउचर व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गईं। जिससे यह व्यय अपुष्ट रहा है। अतः बिल बाउचर के बिना अनियमित रूप से व्यय की गई धनराशि रू० 99540.00 की ब्याज सहित वसूली प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार दीक्षित (डी०सी० मनरेगा) से की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०स०- 17)

प्रस्तर 49-वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत के खाता संख्या....1634 से जो कि राज्य वित्त/तेरहवाँ-चौदहवाँ वित्त आयोग का है, से दिनांक 23.09.2015 को चेक 207 से आहरित, रू० 39980.00, कृष्णा बैटरीज को दिया जाना (ग्राण्ट रजिस्टर-2 में दिनांक 18.08.2015 को) दर्शित है। कई बार मौखिक, व लिखित रूप में मांगने पर तथा अन्तरिम आपत्ति निर्गत करने के बावजूद भी इस व्यय से सम्बन्धित बिल बाउचर व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गईं। जिससे यह व्यय अपुष्ट रहा है। अतः बिल बाउचर के बिना अनियमित रूप से व्यय की गई धनराशि रू० 39980.00 की ब्याज सहित वसूली प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार दीक्षित (डी०सी० मनरेगा) से की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०स०-18)

प्रस्तर 50-वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत के खाता संख्या....1634 से जो कि राज्य वित्त/तेरहवाँ-चौदहवाँ वित्त आयोग का है, से दिनांक 22.09.2015 को चेक 207, से आहरित, रू० 8191.00, स्वतन्त्र भारत समाचार पत्र को निर्माण कार्यों में सामग्री की आपूर्ति की निविदा के प्रकाशन हेतु दिया जाना (ग्राण्ट रजिस्टर-2 में दिनांक 07.08.2015 को) दर्शित है। लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका भुगतान सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, लखनऊ के माध्यम से कराया जाना था। कई बार मौखिक व लिखित रूप में मांगने पर तथा अन्तरिम आपत्ति निर्गत करने के बावजूद भी इस व्यय की पुष्टि हेतु उच्चधिकारियों का कोई आदेश, कि इसके विज्ञापन का भुगतान 13वें/14वें वित्त से किया जाये, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया व इससे सम्बन्धित बिल बाउचर व पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गईं। जिससे यह व्यय अपुष्ट रहा है। अतः बिल बाउचर के बिना अनियमित रूप से व्यय की गई धनराशि रू० 8191.00 की ब्याज सहित वसूली प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार दीक्षित (डी०सी० मनरेगा) से की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०स०- 19)

प्रस्तर 51 - वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत के खाता संख्या-15685 से जो कि इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी का है, से विभिन्न तिथियों रू० 70007.00 का आहरण राज्यकीय वाहन जिप्सी यूटीएस - 2314 (जो कि परिचालन में नहीं है को फोटो पृष्ठ-46 पर) के पेट्रोल व वाहन मरम्मत के मद में किया गया है लेखा परीक्षा के दौरान, गाड़ी अत्यधिक पुरानी होने के कारण गाड़ी की फिटनेस व रि-रजिस्ट्रेशन के कागजों की मांग की गई व अन्तरिम आपत्ति में भी मांगा गया, किन्तु इसे दिखाया नहीं गया। लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से आर०टी०ओ० से बिना रि-रजिस्ट्रेशन व फिटनेस कराये गाड़ी को चलाया नहीं जा सकता है। राजकीय वाहन जिप्सी परिचालन में न होने के कारण लेखा परीक्षा के दौरान भी ब्लाक परिसर में धूल-धूसरित खड़ी थी। गाड़ी की लॉग बुक में गाड़ी का प्रारम्भिक व अन्तिम रीडिंग अंकित नहीं की गई है एवं दिनांक 20.02.2016 से वित्तीय वर्ष के अन्त तक लॉग बुक पर ड्राइवर द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं किया गया है। अतः गाड़ी के पेट्रोल व मरम्मत कर अनियमित रूप से भुगतान की गई धनराशि रू० 70007.00 में खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से रू० 66013.00 तथा प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार दीक्षित (डी०सी० मनरेगा) से रुपये 3994.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है,

विवरण निम्न है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं०	धनराशि रुपये में	योग	किस मद पर व्यय हुआ
1	10.07.2015	351741	8340.00	70007.00	गाड़ी मरम्मत

2	13.07.2015	351745	19665.00
3	06.07.2015	678968	10450.00
4	07.07.2015	678970	11026.00
5	30.07.2015	351746	9000.00
6	12.10.2015	351748	3994.00
7	04.12.2015	351750	7532.00

गाड़ी मरम्मत
पेट्रोल
पेट्रोल
पेट्रोल
पेट्रोल
पेट्रोल

(मू०आ०स०- 20)

प्रस्तर 52 -

क्र०	कार्य का नाम व स्थान	टेण्डर खुलने का दिनांक तथा कार्य प्रारम्भ होने का दिनांक	कार्य प्रमारी का नाम	टेण्डर समिति के सदस्यों का नाम	सामग्री पर व्यय रुपये में	मजदूरी पर व्यय व अन्य व्यय रुपये में	कुल व्यय रुपये में	डी०एम० की स्वीकृति का दिनांक	निविदाकर्ताओं के नाम			जिसकी निविदा हुई उस फर्म का नाम	जिलाधिकारी महोदय द्वारा उल्लिखित कार्य हेतु वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने का सन्दर्भ
									प्रथम	द्वितीय	तृतीय		
(i)	ग्राम सुरार में शिव कुमार सविता के घर से अश्वनी शुक्ला के घर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण	4.9.2016 तथा 8.9. 2016	श्री सुरेन्द्र चन्द्र यादव ए.डी. ओ. (आई एस बी)	श्री अवधेश कुमार दीक्षित प्रमारी बी.डी. ओ., श्री सुरेश चन्द्र यादव ए.डी.ओ. (आई एस बी) राजकुमार शुक्ला जे.ई. एम.आई., शिवप्रकाश तिवारी लेखाकार	281302	97090+ 20480	398872	16.12. 2016	शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज 0. 1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन दर से कम या ज्यादा नहीं लिखा है।	विनोद कुमार	निधि इण्टर प्राइजेज	निधि इण्टर प्राइजेज 0.15 प्रतिशत कम दर पर	पत्रांक 2563 / पं० / च०२०वि० अ० / वि०- प्रशा० स्वीकृति 2016-17 दि० 16.12. 2016
(ii)	ग्राम सुरार में हैदर अली के घर से राजाराम सविता के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	4.9.2016 तथा 8.9. 2016	श्री मुकेश शुक्ला सहा० बोरिंग टेकनी शियन	--डू--	154950	55510+ 13437	223897	16.12. 2016	शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज 0. 1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन दर से कम या ज्यादा नहीं लिखा है।	विनोद कुमार	निधि इण्टर प्राइजेज नियम रेट से कितना कम या ज्यादा यह नहीं लिखा है।	निधि इण्टर प्राइजेज 0.15 प्रतिशत कम दर पर	पत्रांक 2560 / पं० / च०२०वि० अ० / वि०- प्रशा० स्वीकृति 2016-17 दि० 16.12. 2016
(iii)	ग्राम रैकेपुर में सुन्दरलाल के घर से कन्हैयालाल के घर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण	4.9.2016 तथा 8.9. 2016	श्री सुरेन्द्र चन्द्र यादव ए.डी. ओ. (आई एस बी)	--डू--	536910	196140 +29250	762300	16.12. 2016	शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज 0. 1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन दर से कम या ज्यादा नहीं लिखा है।	विनोद कुमार	निधि इण्टर प्राइजेज	निधि इण्टर प्राइजेज 0.15 प्रतिशत कम दर पर	पत्रांक 2562 / पं० / च०२०वि० अ० / वि०- प्रशा० स्वीकृति 2016-17 दि० 16.12. 2016
(iv)	ग्राम गम्भीरपुर कछार में अशोक यादव के घर से जगदीश के घर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण	4.9.2016 तथा 8.9. 2016	श्री मुकेश शुक्ला सहा० बोरिंग टेकनी शियन	-- डू --	330093	115920 +20360	466373	16.12. 2016	शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज 0. 1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन दर से कम या ज्यादा नहीं लिखा है।	विनोद कुमार	निधि इण्टर प्राइजेज	निधि इण्टर प्राइजेज 0.15 प्रतिशत कम दर पर	पत्रांक 2561 / पं० / च०२०वि० अ० / वि०- प्रशा० स्वीकृति 2016-17 दि० 16.12. 2016
(v)	ग्राम सुरार के मजरे बछरुपुर में हरि ओम के दरवाजे से वीरेन्द्र गुप्ता के दरवाजे तक सी.सी.	4.9.2016 तथा 8.9. 2016	श्री मुकेश शुक्ला सहा० बोरिंग टेकनी शियन	-- डू --	264846	128380 +25500	418726	16.12. 2016	शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज 0. 1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन दर से कम या ज्यादा नहीं लिखा है।	विनोद कुमार	निधि इण्टर प्राइजेज	निधि इण्टर प्राइजेज 0.15 प्रतिशत कम दर पर	पत्रांक 2566 / पं० / च०२०वि० अ० / वि०- प्रशा० स्वीकृति 2016-17 दि० 16.12. 2016

	रोड व नाली निर्माण												
(vi)	ग्राम कुसौली में मेन रोड से रामचन्द्र शुक्ला के घर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण	4.9.2016 तथा 8.9. 2016	श्री मुकेश शुक्ला सहा0 बोरिंग टेकनी शियन	-- डू --	23320	80780+ 16900	330900	16.12. 2016	शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज 0. 1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन दर से कम या ज्यादा नहीं लिखा है।	विनोद कुमार	निधि इण्टर प्राइजेज	निधि इण्टर प्राइजेज 0.15 प्रतिशत कम दर पर	पत्रांक 2566 / पं0 / च0र0वि0 अ0 / वि0- प्रशा0 स्वीकृति 2016-17 दि0 16.12. 2016
(vii)	विकास खण्ड कल्यानपुर में कार्यालय कक्षों व परिसर का सौंदर्यीकरण 1 तथा आवासों एवं परिसम्पत्तियों का रख रखाव	4.9.2016 तथा 8.9. 2016	श्री सुरेन्द्र चन्द्र यादव ए.डी. ओ. (आई एस बी)	-- डू --	129928	38640+ 7785	176353	16.12. 2016	शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज 0. 1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन दर से कम या ज्यादा नहीं लिखा है।	विनोद कुमार	निधि इण्टर प्राइजेज	निधि इण्टर प्राइजेज 0.15 प्रतिशत कम दर पर	पत्रांक 2566 / पं0 / च0र0वि0 अ0 / वि0- प्रशा0 स्वीकृति 2016-17 दि0 16.12. 2016
							2777421						

पत्रावलियों में दर्शित उपरोक्त सभी सात निर्माण कार्यों के लिये किये गये टेण्डर में निविदाकताओं द्वारा रेट कोट न किये जाने के बावजूद (विड फार्म पर रेट अंकित न करने) भी टेण्डर प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। उपरोक्त निर्माण कार्यों में, विभिन्न कार्यों हेतु किये गये टेण्डर में विड फार्म पर निम्न विवरणानुसार दरें अंकित नहीं की गई थी।

क्रमांक एक के कार्य में शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज द्वारा विड फार्म पर, 0.1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन टेण्डर में दी गई दर से 0.1 प्रतिशत कम या ज्यादा यह नहीं लिखा है। (संलग्नक पृष्ठ संख्या-34)

क्रमांक दो के कार्य में शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज द्वारा, विड फार्म पर 0.1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन टेण्डर में दी गई दर से 0.1 प्रतिशत कम या ज्यादा यह नहीं लिखा है तथा निधि इण्टरप्राइजेज द्वारा भरे गये विड फार्म में निविदा की दर लिखी ही नहीं गई है। (संलग्नक पृष्ठ संख्या-35 तथा 36)

क्रमांक तीन के कार्य में शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज द्वारा, विड फार्म पर, 0.1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन टेण्डर में दी गई दर से 0.1 प्रतिशत कम या ज्यादा यह नहीं लिखा है तथा इसी प्रकार निधि इण्टरप्राइजेज के विड फार्म में 0.1 प्रतिशत तो लिखा है किन्तु निविदा दर से कम या ज्यादा यह नहीं लिखा है। (संलग्नक पृष्ठ संख्या-37 तथा 43)

क्रमांक चार के कार्य में शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज द्वारा विड फार्म पर 0.1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन टेण्डर में दी गई दर से 0.1 प्रतिशत कम या ज्यादा यह नहीं लिखा है तथा इसी प्रकार निधि इण्टरप्राइजेज के विड फार्म में 0.1 प्रतिशत तो लिखा है किन्तु निविदा दर से कम या ज्यादा यह नहीं लिखा है। (संलग्नक पृष्ठ संख्या-38)

क्रमांक पांच के कार्य में शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज द्वारा विड फार्म पर 0.1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन टेण्डर में दी गई दर से 0.1 प्रतिशत कम या ज्यादा यह नहीं लिखा है। (संलग्नक पृष्ठ संख्या-40)

क्रमांक छः के कार्य में शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज द्वारा विड फार्म पर 0.1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन टेण्डर में दी गई दर से 0.1 प्रतिशत कम या ज्यादा यह नहीं लिखा है। (संलग्नक पृष्ठ संख्या-41)

क्रमांक सात के कार्य में शैलेन्द्र इण्टर प्राइजेज द्वारा विड फार्म पर 0.1 प्रतिशत लिखा है। लेकिन टेण्डर में दी गई दर से 0.1 प्रतिशत कम या ज्यादा यह नहीं लिखा है। (संलग्नक पृष्ठ संख्या-42)

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सभी निर्माण कार्य जिलाधिकारी महोदय द्वारा दी गई वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 16.12.2016, के लगभग 3:5 माह पूर्व ही प्रारम्भ करा दिये गये थे। उपरोक्त सातों कार्यों की निविदा में, शैलेन्द्र इण्टरप्राइजेज के सभी विड फार्मों में दरें अंकित नहीं की गई थीं (उपरोक्त सातों निर्माण कार्यों के संदर्भित विड फार्म की फोटो कॉपी पृष्ठ संख्या 34 से 42 तक साक्ष्य हेतु संलग्न हैं) तथा सभी सातों कार्यों की निविदा निधी इण्टरप्राइजेज की ही स्वीकृत हुई है।

अतः पत्रावली में दर्शित इस टेण्डर प्रक्रिया की, धनराशि ले-देकर, गबन कर लिये जाने के उद्देश्य से, कूट रचना की गई है। यह वास्तविक नहीं है तथा सम्पूर्ण दर्शित व्यय रू0 2777421/- (यहाँ यह उल्लेखनीय है कि टेण्डर प्रक्रिया ही दोष पूर्ण थी अतः इन कार्यों का पूर्ण भुगतान आलोच्य धनराशि में समाहित है चाहे उसका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में ही क्यों न हुआ हो) जिसके सापेक्ष दर्शित अपुष्ट कार्य संदिग्ध होने के कारण टेण्डर समिति के उत्तरदायी अधिकारियों व कर्मचारियों प्रभारी बी0डी0ओ0 श्री अवधेश कुमार दीक्षित (डी0सी0 मनरेगा) से रुपये 694355.25 पैसे, सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) श्री सुरेश चन्द्र यादव से रुपये 694355.25 पैसे, जे0ई0 (एम0आई0) श्री राज कुमार शुक्ल से रुपये 694355.25 पैसे तथा लेखाकार श्री शिव प्रकाश तिवारी से रुपये 694355.25 पैसे की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ0स०- 21)

प्रस्तर 53—वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत से, ग्राम रैकेपुर में हीरालाल के घर से रामप्रसाद पाल के घर से सी. सी.रोड व नाली निर्माण में किये गये व्यय रु0 325976/- पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्माण कार्य हेतु पत्रांक 2565 से दिनांक 16.12.2016 को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है किन्तु स्वीकृति के लगभग 4 माह पूर्व दिनांक 24.08.2016 को ही टेण्डर आमंत्रित किया गया तथा दिनांक 04.09.2016 को टेण्डर खोलकर दिनांक 05.09.2016 से कार्य प्रारम्भ करा दिया गया। (जिलाधिकारी महोदय के आदेश वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के आदेश की फोटो कॉपी संलग्न है।) **(संलग्नक पृष्ठ संख्या-45 पर)**

क्षेत्र पंचायत द्वारा गाँव के अन्दर कार्य कराया गया है जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य ही कराये जाने चाहिए। ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने के लिये पत्रावली में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव कि यह कार्य क्षेत्र पंचायत से कराया जाए, पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि सम्बन्धित कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पहले ही कराये जाने की संभावना के साथ साथ क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराकर भुगतान लिये जाने की पुष्टि नहीं होती है। इस बिन्दु पर खण्ड वि0अ0 व कर्मचारियों द्वारा नोटशीट/पत्रावली में कोई टिप्पणी अंकित नहीं पाई गयी।

सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने पर पूर्व निर्मित खण्डजे से निकली ईंटों की स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि करके लेखा परीक्षा में स्टाक न दिखाया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि यह कार्य पहले से हुआ था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया था। यदि क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य करवाया गया होता तो पहले की ईंटों स्टाक रजिस्टर में अवश्य दर्ज की जातीं। ईंटों की स्टाक प्रविष्टि करने हेतु खण्ड वि0अ0/कर्मचारियों की कोई टिप्पणी नोटशीट/पत्रावली में अंकित नहीं पायी गयी।

कार्य स्थल पर निम्न निर्माण सामग्रियों (यथा—मोरंग, सीमेन्ट, गिट्टी, ईट इत्यादि) के पहुँचाने का चालान पत्रावली में संलग्न न होने तथा स्टाक रजि0 में सामग्रियों की प्रविष्टि न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया तथा इस सम्बन्ध में लेखाकार व खण्ड वि0 अधिव द्वारा कोई टिप्पणी न किया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि कार्य न होने के बावजूद भी भुगतान किया गया।

इस कार्य हेतु दी गई तकनीकी स्वीकृति में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिषाशी अभियन्ता द्वारा यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति निर्माण कार्य नियमावली 1981 शासनादेश सं0 612बी/39-2-10 व 83 यू०पी०ए0 38वृ 1961 के पैरा 36 के प्रस्तर 8 के अनुरूप माप पुस्तिका में दर्ज 25 प्रतिशत मापों की जाँच अनिवार्य रूप से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जानी थी जिसे नहीं किया गया।

शासनदेश संख्या 2618 आर0ई0/30.04.59 एम/85 दिनांक 18.12.1985 के संदर्भित पैरा-6 के अनुसार 80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरान्त करना था तथा अवशेष 20 प्रतिशत भुगतान अनिवार्य रूप से सहायक अभिन्यता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के संस्तुति के उपरान्त करना था। किन्तु उपरोक्त कार्य में अन्तिम अवशेष 20 प्रतिशत का भुगतान सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की संस्तुति के बिना ही किया गया है।

निर्माण कार्य स्थल का साईट प्लान खण्ड विकास अधिकारी से सत्यापित कराकर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है।

उपरोक्त कार्य में बैलास्ट व गिट्टी का भुगतान करने से पूर्व वन अभिवहन फीस के रूप में जमा की गई धनराशि की रसीद आपूर्तिकर्ता से लेने के बाद ही भुगतान किया जाना था किन्तु भुगतान तो किया गया किन्तु उपरोक्त रसीद प्राप्त न किये जाने से भुगतान करके सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाई गयी है।

आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई रु0 229951/- की आपूर्ति में क्षेत्र पंचायत से रु0 16814/- वैट टैक्स के रूप में लिये गये हैं लेकिन क्षेत्र पंचायत के कार्य में लेखाकार द्वारा मात्र 9163/- ही वैट के रूप में आपूर्तिकर्ता से काटा गया, जिससे रु0 7651/- के सरकारी राजस्व की क्षति की गई।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु क्रयादेश नहीं दिया गया है।

मजदूरों के पंजीकृत होने का प्रमाणपत्र नहीं लगा है। अपंजीकृत मजदूरों से कार्य कराया जाना तथा रु0 79030/- मजदूरी का नगद वितरण किया जाना कार्य को संदिग्ध बनाता है।

मजदूरी की मजदूरी का भुगतान कार्य पूर्ण होने की तिथि 2 से 7 माह बाद किया जाना भी कार्य को संदिग्ध बनाता है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त कार्य पर रुपये 325976/- (यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कार्य की मजदूरी व सामग्री का आंशिक भुगतान 15.4.2017 को हुआ किन्तु कार्य 17.02.2017 को ही पूर्ण हो गया था अतः कार्य का सम्पूर्ण भुगतान अलोच्य धनराशि में समाहित है) का अनियमित रूप से व्यय दर्शित करके धनराशि का भुगतान लेकर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग कर लिया गया है। अतः प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार दीक्षित (डी0सी0 मनरेगा) से रु0 81494/- जे0ई0एम0आई0 श्री राजकुमार शुक्ला से रुपये 81494/- कार्य प्रभारी श्री सुरेश चन्द्र यादव ए0डी0ओ0. आई0एस0बी0 से रु0 81494/- तथा लेखाकार श्री शिवकुमार तिवारी से रु0 81494/- की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(मू०आ०स०- 22)**

प्रस्तर 54 — वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न तिथियों में मनरेगा प्रासंगिक मद से विभिन्न चेकों द्वारा रु0 697649.00 शाखा प्रबन्धक बीयूपीजीबी कल्यानपुर के पक्ष में तथा श्रीमती सीमा वर्मा ए०पी०ओ० को वर्ष 2012-13, 2013-14,

2014—15 व 2015—16 का तकनीकी सहायकों, रोजगार सेवकों, कम्प्यूटर आपरेटर व ए0पी0ओ0 के बकाया मानदेय के रूप में आहरित किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2012—13, 2013—14 एवं 2014—15 व 2015—16 के उपरोक्त कार्मिकों के मानदेय की बकाया लायबिलिटी, व लायबिलिटी रजिस्टर भुगतान किये गये मानदेय के सापेक्ष कार्मिकों की प्रमाणित उपस्थिति व उपस्थिति रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं दिखाये गये तथा अन्तरिम आपत्ति निर्गत करने के बावजूद भी उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उपरोक्त रजिस्ट्रों व प्रपत्रों के अभाव में मानदेय के रूप में भुगतान की गई संदिग्ध धनराशि रु0 697649.00 में, खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से रु0 637649.00 तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री ऐश्वर्य यादव से रु0 60000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी आपेक्षित है।

विवरण निम्न है:—

क्रमांक	दिनांक	चेक नं०	धनराशि रूपये में	योग	किस मद पर व्यय हुआ
1	22.08.2016	069367	94380.00	697649.00	शाखा प्रबन्धक बीयूपीजीबी कल्यानपुर (रो. सेवक मानदेय)
2	22.10.2016	069369	189600.00		शाखा प्रबन्धक बीयूपीजीबी कल्यानपुर (रो. सेवक मानदेय)
3	23.12.2016	069370	272250.00		शाखा प्रबन्धक बीयूपीजीबी कल्यानपुर (रो. सेवक मानदेय)
4	12.01.2017	751776	81419.00		शाखा प्रबन्धक बीयूपीजीबी कल्यानपुर (ए.पी.ओ. व आपरेटर का मानदेय)
5	21.07.2016	069341	60000.00		श्रीमती सीमा वर्मा (ए.पी.ओ. का मानदेय)

(मू०आ0स०—23)

प्रस्तर 55 — वित्तीय वर्ष 2016—17 में क्षेत्र पंचायत के खाता संख्या...10010 से विभिन्न तिथियों में रु0 32600.00 विभिन्न चेकों द्वारा आहरित किया गया है (किन्तु कई बार मौखिक, व लिखित रूप में मांगने पर तथा अन्तरिम आपत्ति निर्गत कर मांगने के बावजूद भी इस व्यय से सम्बन्धित बिल बाउचर व पत्रावलि याँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे यह व्यय अपुष्ट रहा है। अतः बिल बाउचर के बिना अनियमित रूप से व्यय की गई धनराशि रु0 32600.00 में, रु0 5000.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से तथा रु0 27600.00 की ब्याज सहित वसूली प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार दीक्षित से की जानी अपेक्षित है, विवरण निम्न है:—

क्रमांक	दिनांक	चेक नं०	धनराशि रूपये में	योग	किस मद पर व्यय हुआ
1	13.05.2016	679291	5000.00	32600.00	बिनीता
2	04.11.2016	679294	27600.00		ट्रान्सफर द्वारा

(मू०आ0स०— 24)

प्रस्तर 56 — वित्तीय वर्ष 2016—17 में क्षेत्र पंचायत के खाता संख्या...15685 से जो कि इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी का है, से विभिन्न तिथियों रु0 12527.00 का आहरण राज्यकीय वाहन जिप्सी यूटीएस— 2314 (जो कि परिचालन में नहीं है की फोटो पृष्ठ संख्या—46 पर) के पेट्रोल के मद में किया गया है लेखा परीक्षा के दौरान, गाड़ी अत्यधिक पुरानी होने के कारण गाड़ी की फिटनेस व रि—रजिस्ट्रेशन के कागजों की मांग की गई व अन्तरिम आपत्ति में भी मांगा गया, किन्तु इसे दिखाया नहीं गया। लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से आर0टी0ओ0 से बिना रि—रजिस्ट्रेशन व फिटनेस कराये गाड़ी को चलाया नहीं जा सकता है। राजकीय वाहन जिप्सी परिचालन में न होने के कारण लेखा परीक्षा के दौरान भी ब्लाक परिसर में धूल—धूसरित खड़ी थी। गाड़ी की लॉग बुक में गाड़ी का प्रारम्भिक व अन्तिम रीडिंग अंकित नहीं की गई है। दिनांक 01.04.2016 से 28.07.2016 तक लॉग बुक पर ड्राईवर द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं किया गया है। अतः गाड़ी के पेट्रोल व मरम्मत कर अनियमित रूप से भुगतान की गई धनराशि रु0 12527.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री ऐश्वर्य यादव से की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न है:—

क्रमांक	दिनांक	चेक नं०	धनराशि रूपये में	योग	किस मद पर व्यय हुआ
1	10.07.2016	678976	11176.00	12527.00	पेट्रोल
2	28.07.2016	678978	1351.00		पेट्रोल

(मू०आ0स०— 25)

प्रस्तर 57 — क्षेत्र पंचायत के खाता संख्या...15685 से जो कि इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी का है, से विभिन्न तिथियों रु0 29551.00 का आहरण राज्यकीय वाहन जिप्सी यूटीएस-2314 (जो कि परिचालन में नहीं है की फोटो पृष्ठ संख्या—46 पर) के पेट्रोल के मद में 08.05.2017 से 05.12.2017 तक किया गया है लेखा परीक्षा के दौरान, गाड़ी अत्यधिक पुरानी होने के कारण गाड़ी की फिटनेस व रि—रजिस्ट्रेशन के कागजों की मांग की गई व अन्तरिम आपत्ति में भी मांगा गया, किन्तु इसे दिखाया नहीं गया। लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से आर0टी0ओ0 से रि—रजिस्ट्रेशन व फिटनेस कराये बिना गाड़ी को चलाया नहीं जा सकता है। राजकीय वाहन जिप्सी परिचालन में न होने के कारण लेखा परीक्षा के दौरान भी ब्लाक परिसर में धूल—धूसरित खड़ी थी। गाड़ी की लॉग बुक में गाड़ी का प्रारम्भिक व अन्तिम रीडिंग अंकित नहीं की गई है। लेखा परीक्षा के दौरान व अन्तरिम आपत्ति में प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास

खण्ड कल्यानपुर की कन्टीजेन्सी से पेट्रोल लिये जाने हेतु प्रशासनिक आदेश दिखाने की मांग की गई लेकिन इस समबन्ध में कोई प्रशासनिक आदेश नहीं दिखाया गया। अतः गाड़ी के पेट्रोल कर अनियमित रूप से भुगतान की गई धनराशि ₹0 29591.00 की ब्याज सहित वसूली प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अमित सिंह परिहार से की जानी अपेक्षित है, विवरण निम्न है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं०	धनराशि रुपये में	योग	किस मद पर व्यय हुआ
1	22.09.2017	678980	12500.00	29591.00	18.05.2017 से 23.06.2017 तक
2	16.10.2017	678984	10500.00		24.06.2017 से 16.08.2017 तक
3	15.11.2017	678985	2976.00		24.08.2017 से 07.09.2017 तक
4	20.12.2017	678986	3615.00		30.10.2017 से 05.12.2017 तक

(मू०आ०स०-26)

वार्षिक प्रतिवेदन त्रिस्तरीय पंचायती राज वर्ष 2016-17

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित प्रस्तर

क्षेत्र पंचायत/जनपद-सण्डीला, हरदोई

मण्डल- लखनऊ

प्रस्तर सं० 1- क्षेत्र पंचायत सण्डीला हरदोई की वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में निम्न वर्षों के अभिलेख जांच हेतु अप्राप्त रहें हैं। जिस कारण सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जाती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

1- वर्ष 2011-12 - वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावलियां बैंक पास बुकें, स्टाक रजिस्टर, कार्ययोजना, चेक इश्यू रजिस्टर आदि जांच हेतु अप्राप्त रहे हैं। जिस कारण निम्न विवरणानुसार व्ययों की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जाती है-

1- अन्य एरियर मद - ₹0 43653.00

2- राज्यवित्त/बारहवां वित्त आयोग- ₹0 142955.00

3- तेरहवां वित्त आयोग- ₹0 1167810.00

(ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय अनुसार) योग- ₹0 1354418.00

उक्त अभिलेख प्राप्त करने वास्ते विकास खण्ड को अनुस्मारक भी जारी किये गये थे, फिर भी जांच हेतु उक्त अभिलेख अप्राप्त रहे, जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव, मो० नसीम एवं वर्तमान बी०डी०ओ० श्री अजीत कुमार सिंह उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

2- वर्ष 2012-13- वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावलियां, बैंक पासबुकें, स्टाक रजिस्टर, कार्ययोजना, चेक इश्यू रजिस्टर आदि जांच हेतु अप्राप्त रहें हैं। जिस कारण निम्न विवरणानुसार व्ययों की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जाती है-

1- बायोगैस एवं के०सी०सी० मद- ₹0 95230.00

2- राज्य वित्त आयोग- ₹0 380365.00

3- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि- ₹0 1236000.00

(ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय अनुसार) योग- ₹0 1711595.00

उक्त अभिलेख प्राप्त करने वास्ते विकास खण्ड को अनुस्मारक भी जारी किये गये थे, फिर भी जांच हेतु उक्त अभिलेख अप्राप्त रहे, जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री जी०पी० सिंह, श्री वी०पी० श्रीवास्तव एवं वर्तमान बी०डी०ओ० श्री अजीत कुमार सिंह उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

3- वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावलियां, बैंक पासबुकें, स्टाक रजिस्टर, कार्ययोजना, चेक इश्यू रजिस्टर आदि जांच हेतु अप्राप्त रहें हैं। जिस कारण निम्न विवरणानुसार व्ययों की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जाती है-

1- बायोगैस मद-

₹0 8000.00

2- ब्याज मद-

₹0 1246130.01

3- राज्य वित्त आयोग-

₹0 4301640.70

4- के०सी०सी० एवं जल प्रशिक्षण -

₹0 33600.00

5- आयकर कटौती -

₹0 102369.00

6- जमानत धनराशि-

₹0 280337.00

7- निविदा/धरोहर निधि-

₹0 51410.00

8- एस०जी०एस०वाई० मद-

₹0 1112964.00

योग- ₹0 7136450.71

उक्त अभिलेख प्राप्त करने वास्ते विकास खण्ड को अनुस्मारक भी जारी किये गये थे, फिर भी जांच हेतु उक्त अभिलेख अप्राप्त रहे, जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार शुक्ला, श्री राजेश कुमार झा, श्री जी०पी० सिंह उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

6— ब्लाक प्रमुख सण्डीला के पत्र मेमो/दि० 06.02.2015 के अनुसार अवशेष धन राज्य वित्त आयोग मद से समायोजन कर कार्य पूरा किया जाये, जो आपत्ति का विषय है। यदि कार्य हेतु धन की आवश्यकता है जो जिले से मार्गदर्शन प्राप्त कर ही कार्य को पूर्ण करने की अग्रेतर कार्यवाही विकास खण्ड द्वारा की जाय। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 2— क्षेत्र पंचायत द्वारा बी०आर०जी०एफ० (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत) विकास खण्ड सण्डीला परिसर में मीटिंग हाल का निर्माण कराया गया है। लेखा परीक्षा में इस कार्य की निम्न स्थिति पायी गयी है—

1— कार्य की प्राक्कलन राशि रू० 19.926 लाख है। इसके कार्य प्रभारी श्री जब्बर जैदी, अवर अभियन्ता, आर०ई०डी० एवं श्री सन्तोष कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी है। यह कार्य वर्ष 2009-10 में प्रारम्भ हुआ तथा विभागीय अभिलेखानुसार दिनांक 16.05.2017 कार्य अपूर्ण है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

2— बी०डी०ओ० सण्डीला के कार्यालय पत्रांक 641/स०ले०—बी०आर०जी०एफ०—हाल/2015-16/ दिनांक 02.06.2015 अनुसार सी०डी०ओ० हरदोई द्वारा हर हाल में दिनांक 15.06.2015 तक कार्य पूर्ण करने को कहा गया है। बी०डी०ओ० पत्रांक-460/आंकिक/बी०आर०जी०एफ०/बैंक कदन/दिनांक 16.05.2017 अनुसार उक्त कार्य पर निम्न विवरणानुसार राशि व्यय हो चुकी है—

भुगतान की गयी राशि

श्री शब्बर जैदी, अवर अभियन्ता, आर०ई०डी०— रू० 665400.00

श्री सन्तोष कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा— रू० 817550.00

कुल योग— रू० 1482950.00

उक्त स्थिति के बावजूद कार्य प्रभारी द्वारा डी०पी०सी०—9 (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) जारी नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 16.05.2017 तक कार्य अपूर्ण है। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। अपर मुख्य विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी, बी०आर०जी०एफ०, जिला पंचायत, हरदोई के कार्यालय पत्रांक-1134/बी०आर०जी०एफ०/जि०पं०/2016-17 दिनांक 18.03.2017 एवं अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के कार्यालय पत्रांक-44/33-पी०एम०यू०—2017-1197/2012 अनुसार, भारत सरकार द्वारा योजना समाप्त की जा चुकी है। फिर भी पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू० 17.91 लाख के सापेक्ष कार्य पूर्ण कर प्रगति रिपोर्ट, उपभोग प्रमाण पत्र, बचत की धनराशि, ब्याज की राशि की सूचना का प्रेषण सम्बन्धित को नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि कार्य को अपूर्ण रखकर विकास खण्ड द्वारा डी०पी०आर०ओ० कार्यालय पत्रांक-8053/पी०आर०/वरिष्ठ सहायक/बी०आर०जी०एफ०/09/दिनांक 28.08.2009 द्वारा प्रेषित रू० 17.91 लाख/चेक संख्या 128103 दिनांक 28.08.2009 की धनराशि का प्रयोग अनियमित रूप से किया गया है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री मो० नसीम, श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव एवं श्री वीरेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

3— डी०पी०आर०ओ० कार्यालय पत्रांक-8053/पी०आर०/वरिष्ठ सहायक/बी०आर०जी०एफ०/09/ दिनांक 28.08.2009 अनुसार क्रय की गयी सामग्री का क्रय विक्रय नियमावली के अनुरूप सामग्री के रखरखाव का स्थाई रजिस्टर में पूर्ण विवरण रखा जायेगा। सम्बन्धित रजिस्टर लेखा परीक्षा में जांच हेतु अप्राप्त रहा है। जिससे क्रय की गयी सामग्री के प्रयोग की स्थिति लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रही है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

4— कार्य की कार्यपूर्णता फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

5— बी०आर०जी०एफ० स्टेड लेवल मानीटर (निरीक्षण तिथि- 10.05.2012) द्वारा आठ-बिन्दु आपत्तियां लगाई गयी जैसे दो टायलेट की जगह तीन टायलेट बनाना, स्लैब में खराबी, सोक पिट न बनाना, गुब्ब न होना, ड्रिप कोर्स न बना होना आदि, जिसके परिपालनार्थ विकास खण्ड ने क्या कार्यवाही की लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

6— ब्लाक प्रमुख सण्डीला के पत्र मेमो/दि० 06.02.2015 के अनुसार अवशेष धन राज्य वित्त आयोग मद से समायोजन कर कार्य पूरा किया जाये, जो आपत्ति का विषय है। यदि कार्य हेतु धन की आवश्यकता है जो जिले से मार्गदर्शन प्राप्त कर ही कार्य को पूर्ण करने की अग्रेतर कार्यवाही विकास खण्ड द्वारा की जाय। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत/जनपद—अहिरोरी, हरदोई

मण्डल— लखनऊ

प्रस्तर सं० 3— मेसर्स नवभारत इण्टरप्राइजेज सिविल लाइन गोण्डा से निम्न विवरण के अनुसार 90 (नब्बे) सोलर लाईट क्रय की गयी एवं तदनुसार भुगतान किया गया है—

बिल नं०	बुक नं०	दिनांक	सोलर लाईट संख्या	दर	मूल्य
864	अंकित नहीं है	20.02.2013	50	33500.00	1675000.00

863	अंकित नहीं है	25.02.2013	40	33500.00	1340000.00
	योग		90	33500.00	3015000.00

उक्त में आपत्तिजनक रहा—

क्षेत्र पंचायत की संगत समिति द्वारा तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा पारित एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्माण समिति द्वारा कार्य पुष्टि भी नहीं है।

टेण्डर नियमों के विपरीत अतिसूक्ष्म प्रसार वाले समाचार पत्र अंक 248 दिनांक 02.02.2013 अवध की आवाज में छपवाया गया जोकि जनपद में मिलता भी नहीं है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सोलर लाईट क्रय हेतु नेडा को एजेन्सी नामित किया गया है। जिसकी दरें 22000.00 प्रति 7.50 वाट की है। जिसमें 25 वर्ष की वारंटी दी जाती है।

मेसर्स नवभारत इण्टर प्राइजेज सिविल लाइन गोण्डा के बिल में अंकित टिन नं. 9955304865 व्यापार कर विभाग से जारी टिन नं0 न होकर एक मोबाइल नं0 है।

पत्रावली में 82 प्रार्थना पत्र संलग्न पाये गये तथा 90 सोलर लाईट के सापेक्ष 100 फोटोग्राफ पाये गये।

सोलर लाईट की स्थापना की पुष्टि में सक्षम टेक्निकल अधिकारी की रिपोर्ट एम0बी0 नहीं है।

टेण्डर आमंत्रण पत्र में पत्रांक का अंकन न ही दिनांक का अंकन है जो फर्जीवाडा किये जाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

बिल नं0 859 दिनांक 20.02.2013 सादा संलग्न पाया गया।

नियमानुसार बिल बुक नं0 नहीं है, जो आवश्यक है।

टेण्डर के आवेदन पत्रों में संस्थाओं द्वारा अंकित किया गया है कि, (विश्वस्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है)–

सोलर लाईट में अन्य में निम्नवत् रही है–

(अ) प्रमुख कु0 रितिका वर्मा द्वारा अंकित है कि सोलर लाईट आ गई है, जबकि उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ब) कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव गोण्डा से ही स्थान्तरित होकर आये थे।

(स) अन्य जनपदों में प्राइवेट फर्मों से सोलर लाईट दरें 21000 से 23000 के मध्य लगवाई गई जो अधोमानक रही है।

(द) बाद का बिल क्रमांक 864 का बिल 22.02.2013 को एवं पहले का क्रमांक 863 का दिनांक 25.02.201 का है जो सम्भव नहीं है।

उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि सोलर लाईट क्रय बिल फर्जी है, इसी कारण टिन नं0 भी फर्जी है। स्थापना 90(नब्बे) के सापेक्ष 100(एक सौ) फोटोग्राफी फर्जीवाडे का परिणाम है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि फर्म से साठगाठ करके राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसका उत्तरादायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव व कु0 रितिका वर्मा प्रमुख उत्तरदायी है।

अतः रु0 3015000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख कु0 रितिका वर्मा से दण्ड ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। साथ ही प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 4— राज्यवित्त आयोग के धन से दिनांक 12.12.2014 को रु0 1650000.00 मूल्य की 50 सोलर लाईट दर रु0 33000.00 मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स नानकगंज झाला हरदोई से क्रय कर निम्नानुसार वितरण किया गया।

पी0एल0ईट उद्योग को 8 सोलर लाईट।

परमारीलाल जनता जूनियर हाईस्कूल बघौली को 4 सोलर लाईट।

अन्य लोगों को 38 सोलर लाईट वितरित की गयी। उक्त क्रय सोलर लाईट में निम्न आपत्तियां रही।

क्षेत्र पंचायत की संगत समिति द्वारा तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा पारित एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्माण समिति द्वारा कार्य पुष्टि भी नहीं है।

क्रय नियमों के अनुसार सोलर लाईट क्रय हेतु बहुप्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में टेण्डर का विज्ञापन देकर क्रय की जाती है। यहां विज्ञापन न करवा कर कोटेशन के आधार पर क्रय की गयी जो शासनादेश संख्या 1240/अडतीस/19-2013-500(17) 2012 दिनांक 14.10.2013 में निर्देशित प्रावधान नेडा को एजेन्सी नामित किया गया है। नेडा एक शासकीय विभाग है एवं गारंटी युक्त सस्ती सोलर लाईट 22000.00 की उपलब्ध है, शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

सोलर लाईट की स्थापना की पुष्टि में सक्षम टेक्निकल अधिकारी की रिपोर्ट एम0बी0 नहीं है।

शासकीय विभाग के रहते प्राइवेट फर्म से अधिक मूल्य की अधोमानक सोलर लाईट क्रय की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित क्रय एजेन्सी से सोलर लाईट क्रय न किये जाने का औचित्य अस्पष्ट रहा।

सोलर लाईट क्रय कर आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर स्थापित करवाई जाती है जबकि इकाई द्वारा 12 सोलर लाईट ब्लाक प्रमुख के पारिवारिक नाम से संचालित पी0एल0ईट उद्योग तथा स्कूल को दी गयी तथा 38 सोलर लाईट अन्य को दी गयी है।

अतः रु0 1650000.00 की ब्याज सहित वसूली दण्ड ब्याज सहित श्री राजकरनपाल खण्ड विकास अधिकारी एवं कु0 रितिका वर्मा प्रमुख से की जानी अपेक्षित है, साथ ही प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 5— सरदार झाला से अवतार के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य लम्बाई 1000 मीटर चौड़ाई 3.30 कार्य कराया गया है। जिसमें निम्नानुसार ईट क्रय एवं मजदूरी भुगतान किया गया है।

बिल नं०	बुक नं०	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
128	अंकित नहीं है	20.04.2016	22000	6400.00	140800.00
863	अंकित नहीं है	13.04.2016	110000	6400.00	704000.00
	योग		13200	6400.00	844800.00

मजदूरी भुगतान

मानव दिवस	दर	मजदूरी
237	174	41238.00
415	161	66815.00
371	161	59731.00
115	161	18515.00
योग 1138		186299.00

एम०बी० के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि 58 ईट प्रति स्क्वायर मीटर से 191400.00 उपयोगिता दर्शायी गयी है। उक्त से आपत्तिजनक रहा।

क्षेत्र पंचायत की संगत समिति द्वारा तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा पारित एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्माण समिति द्वारा कार्य पुष्टि भी नहीं है।

ईट क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण ईट खरीद संदिग्ध रही है।

मस्टररोल में मजदूरी दर 174.00 से 161.00 प्रतिदिन की दर से दर्शायी गयी जबकि निर्धारित दर 174.00 प्रतिदिन की थी। स्पष्ट है कि मस्टररोल फर्जी बनाये गये हैं तथा यदि मस्टररोल वास्तविक ही होते तो श्रम अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन होता। जिसमें दण्ड एवं कारावास का दण्ड शामिल है।

शासनादेश संख्या-1276 भू०प्र०प०/एत/स-प्र०/सर्कुलर ग्रा०वि०/1106 दिनांक 16.10.2006 के अनुसार 500 मीटर से अधिक खडंजा आदि निर्माण पर 900 एम०एम०ब्यास की पुलिया का निर्माण से निकासी हेतु आवश्यक है। इस प्रकार उक्त कार्य शासन की अपेक्षानुसार नहीं है। जिसमें धन का उपयोग निष्फल रहा।

कुल ईट 132000 क्रय की गयी है जबकि एम०बी० में 191400 ईट प्रयुक्त दर्शायी गयी है। बिना ईट के कार्य सम्भव ही नहीं है। उक्त से यह भी स्पष्ट है कि एम०बी० फर्जी एवं काल्पनिक है।

स्टीमेट में 1968.75 क्यूबिक मीटर मिट्टी पर 30 रु० की दर रु० 59062.50 की दर से रोयल्टी का प्राआकलन किया गया है, जबकि मिट्टी पर रोयल्टी दर 14 रु० है। इस प्रकार प्राक्कलन भी त्रुटिपूर्ण रहा। शासनादेश संख्या-495(1)77-5-2006-506/05 दिनांक 05.10.2006 के अनुसार रोयल्टी बिलों से भुगतान की जायेगी।

यदि कार्य के बगल में मिट्टी उपलब्ध होती तो रोयल्टी का प्राआकलन नहीं किया जाता स्पष्ट है कि मिट्टी आयी ही नहीं तथा बिना मिट्टी कार्य के खडंजा निर्माण सम्भव नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी खडंजा कार्य कराना दर्शाकर तथा फर्जी एम०बी० बनवाकर रु० 1031099.00 का अपहरण किया गया अतः रु० 1031099.00 की ब्याज सहित वसूली दण्ड ब्याज के साथ श्री अभिनेष सक्सेना खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री आकाश वर्मा ब्लाक प्रमुख एवं श्री सियाराम वर्मा ए०डी०ओ०एम०बी० कार्य प्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 6- निम्नलिखित खडंजा निर्माण कराया गया है जिसमें निम्नानुसार ईट क्रय तथा मजदूरी भुगतान किया गया है-

पालपुर बैरागीखेडा से भानपुर तक खडंजा निर्माण 850 लम्बाई चौड़ाई 3.30 मी०

बिल नं०	बुक नं०	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
115	अंकित नहीं है	22.04.2016	80000	6400	512000.00
283	अंकित नहीं है	27.04.2016	83000	6400	531200.00
मजदूरी	-	-	-	-	285944.00
	योग		163000	6400	1329144.00

गदनपुर से भट्ठा तक खडंजा निर्माण कार्य 750 मी० लम्बाई चौड़ाई 3.30 मी०

बिल नं०	बुक नं०	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
282	अंकित नहीं है	06.05.2016	20000	6400	128000.00
278	अंकित नहीं है	12.05.2016	80000	6400	512000.00
मजदूरी	-	-	-	-	180900.00
	योग		100000	6400	820900.00

गिरधारीपुरवा से टडियावां ब्लाक सीमा तक खडंजा निर्माण 500 लम्बाई चौड़ाई 3.30 मी०

बिल नं०	बुक नं०	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
119	अंकित नहीं है	15.05.2015	30000	5900	177000.00

110	अंकित नहीं है	30.05.2015	65700	5900	387630.00
मजदूरी	—	—	—	—	159728.00
	योग		95700	5900	724358.00

बानेकुइया सम्पर्क मार्ग से सरदार झाला तक खडंजा निर्माण कार्य 500 मीटर लम्बाई चौड़ाई 3.30 मी0

बिल नं0	बुक नं0	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
198	अंकित नहीं है	24.02.2016	60000	5885	353100.00
200	अंकित नहीं है	01.03.2016	36000	5885	211860.00
मजदूरी	—	—	—	—	170299.00
	योग		96000	5885	735259.00

चठिया से बानेकुइया तक खडंजा निर्माण कार्य

बिल नं0	बुक नं0	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
124	अंकित नहीं है	24.12.2014	168000	5900	991200.00
111	अंकित नहीं है	22.11.2014	50000	5900	295000.00
1434	अंकित नहीं है	05.11.2014	50000	5900	295000.00
मजदूरी	—	—	—	—	327654.00
	योग		268000	5900	1908854.00

विपिन ईट उद्योग से चुरईपुरवा माइनर तक खडंजा निर्माण 725 लम्बाई चौड़ाई 3.30 मीटर

बिल नं0	बुक नं0	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
162	अंकित नहीं है	27.07.2015	10000	5885	58850.00
118	अंकित नहीं है	07.08.2015	80000	5885	470800.00
135	अंकित नहीं है	20.08.2015	49000	5885	288365.00
मजदूरी	—	—	—	—	229801.00
	योग		139000	5885	1047816.00

नयागांव देवरिया बानेकुइया से बढैयनपुरवा सरकारी नलकूप तक 1250 लम्बाई चौड़ाई 3.30 मी0

बिल नं0	बुक नं0	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
131	अंकित नहीं है	08.09.2015	12000	5885	70620.00
138	अंकित नहीं है	11.09.2015	88000	5885	517880.00
182	अंकित नहीं है	10.10.2015	139000	5885	818015.00
मजदूरी	—	—	—	—	89677.00
	योग		239000.00	5885	1496192.00

विक्टोरियागंज माइनर से रसूलपुर तक खडंजा निर्माण 575 मी0 लम्बाई चौड़ाई 3.30 मी0

बिल नं0	बुक नं0	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
309	अंकित नहीं है	05.07.2014	62000	5900	365800.00
501	अंकित नहीं है	15.07.2014	48000	5900	283200.00
मजदूरी	—	—	—	—	169152.00
	योग		110000	5900	818152.00

बघौली डामर रोड से गोपालपुर पुलिया तक खडंजा निर्माण 1500 मी0 लम्बाई चौड़ाई 3.30 मी0

बिल नं0	बुक नं0	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
330	अंकित नहीं है	01.04.2012	30000	3800	114000.00
331	अंकित नहीं है	04.04.2015	241750	3800	918650.00
मजदूरी	—	—	—	—	1485350.00
	योग (बिना कोटेशन)		271750	3800	2518000.00

एकधरा से व्यासपुरवा तक खडंजा निर्माण 500 मी0 लम्बाई चौड़ाई 3.30 मी0

बिल नं0	बुक नं0	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
363	अंकित नहीं है	21.01.2013	40000	5200	208000.00
382	अंकित नहीं है	02.03.2013	37000	5200	192400.00
396	अंकित नहीं है	30.03.2013	28000	5200	145600.00
मजदूरी	—	—	—	—	128250.00
	योग		105000	5200	674250.00

अकबरपुर तिराहा से पुत्तिलाल के खेत तक खडंजा निर्माण 600 मी० लम्बाई चौड़ाई 3.30 मी०

बिल नं०	बुक नं०	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
175	अंकित नहीं है	26.08.2016	50000	6400	320000.00
180	अंकित नहीं है	03.10.2016	64000	6400	409600.00
मजदूरी	—	—	—	—	197210.00
	योग		114000	6400	926810.00

गोपालपुर से दाने बाबा तक खडंजा निर्माण कार्य 860 मी० लम्बाई चौड़ाई 3.30 मी०

बिल नं०	बुक नं०	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
115	अंकित नहीं है	21.04.2015	86000	5900	507400.00
104	अंकित नहीं है	18.04.2015	80000	5900	472000.00
मजदूरी	—	—	—	—	274768.00
	योग		166000	5900	1254168.00

बानेकुइया तिराहा से सूरत के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य 615 मी० लम्बाई चौड़ाई 3.30 मी०

बिल नं०	बुक नं०	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
167	अंकित नहीं है	18.09.2016	40000	6400	256000.00
166	अंकित नहीं है	18.09.2016	78000	6400	499200.00
मजदूरी	—	—	—	—	182322.00
	योग		118000	6400	937522.00
1 से 13 खडंजा निर्माण का योग					15191425.00

उपरोक्त खडंजा निर्माण में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी—

क्षेत्र पंचायत की संगत समिति द्वारा तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा पारित एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्माण समिति द्वारा कार्य पुष्टि भी नहीं है।

ईट क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया न अपनाये जाने एवं कोटेशन में प्रयुक्त बिल/कैशमेमो का काटकर कोटेशन अंकित करके वाउचर का प्रयोग किया गया। तीनों कोटेशन एक ही हस्तलिपि में पाये गये। इस प्रकार ईट खरीद संदिग्ध रही।

उपरोक्त खडंजा निर्माण के फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं पाये गये।

शासनादेश संख्या 176/म०प्रा०पा०/एत-स-प्रा०-सरकुलर ग्रा०वि० 106 दिनांक 16.10.2006 के अनुसार 500 मी० से अधिक खडंजा निर्माण आदि पर 90 एम०एम० व्यास की पुलिया का निर्माण जल निकासी हेतु निर्देश है। जिस से धन का प्रयोग खडंजा कार्य नं० 1,2,5,6,7,8,9,11,12,13 में धन का प्रयोग निष्फल रहा।

स्टीमेट में 1 से 13 कार्यों में मिट्टी कार्य हेतु रोयल्टी का प्राकलन किया गया है। स्टीमेट तो कार्य स्थल के निरीक्षण के बाद बनाया जाता है। यदि कार्य के बगल में मिट्टी उपलब्ध होती तो रोयल्टी का प्राकलन नहीं किया जाता। एम०एम० 11 रवन्ना नहीं काटा गया। न ही मिट्टी ढुलाई के वाउचर पाये गये, स्पष्ट है कि मिट्टी आयी ही नहीं बिना मिट्टी के खडंजा निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी खडंजा कार्य दर्शाकर फर्जी मस्टररोल बनाकर, फर्जी एम०बी० बनाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः रू० 15191425.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानन्द निगत, श्री वृजेश शुक्ला, श्री बी०के० श्रीवास्तव, श्री कृष्ण पाण्डेय, श्री अभिनेष सक्सेना, श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, श्री भूषण कुमार, श्री अमिरात त्रिवेदी एवं ब्लाक प्रमुख कु० रितिका वर्मा एवं श्री आकाश वर्मा से ब्याज के साथ की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 7— सोलर लाइट खरीद हेतु अवध की आवाज लखनऊ समाचार पत्र में पत्रांक मेमो राज्यवित्त/तेरहवां वित्त 2012-13 दिनांक शून्य से टेण्डर विज्ञापन के सापेक्ष तीन टेण्डर फार्म बिक्री प्रति फार्म रू० 300.00 कुल रू० 900.00 बिक्री किये गये। जिनकी जांच में पाया गया कि—

(अ) टेण्डर फार्म बिक्री मूल्य को संगत कोषवही में अंकन नहीं किया गया। जिससे ग्रांट रजिस्टर में अन्तर रहा, जो अपवाद है।

(ब) टेण्डर फार्म बिक्री मूल्य 900.00 रू० वैट टैक्स रू० 36.00 नहीं लिया गया। जिससे रू० 36.00 नहीं किया गया। जिससे रू० 36.00 की राजकीय कोष को क्षति पहुंचाई गई।

इस प्रकार रू० 936.00 का अपहण हुआ। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 8— शासनादेश संख्या-2566/33-3/2010-142/2/दस दिनांक 23.12.2010 के निर्देशानुसार तेरहवें वित्त आयोग की प्रथम किस्त को स्वच्छता कार्यक्रम पर व्यय किया जाना था, परन्तु ऐसा न करके निर्देशों के विरुद्ध खडंजा मरम्मत, खडंजा निर्माण कार्य पर व्यय किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग की प्रथम किस्त रू० 790000.00 का दुरुपयोग किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अनिल कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री धर्मवीर सिंह उर्फ पन्ने प्रमुख से ब्याज के साथ की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद- लखनऊ

मण्डल- लखनऊ

नाम क्षेत्र

पंचायत- गोसाईगंज, वर्ष 2010-11 से 2016-17

विकास खण्ड- गोसाईगंज

प्रस्तर संख्या-1

विकास खण्ड गोसाईगंज का वर्ष 2010-11 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा प्रासंगिक मद से जीप मरम्मत/अनुरक्षण पर विभिन्न तिथियों में कुल रु. 36052.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है-

दिनांक	चेक संख्या	मद	धनराशि
31.05.10	119402	जीप मरम्मत	11755.00
31.05.10	119404	जीप अनुरक्षण	6000.00
07.07.10	119417	जीप अनुरक्षण	7242.00
03.08.10	119421	जीप अनुरक्षण	1294.00
14.09.10	119437	जीप अनुरक्षण	1860.00
20.10.10	129449	जीप अनुरक्षण	7901.00
योग			36052.00

जबकि मनरेगा 2005 के दिशा निर्देश के प्रस्तर 12.5.6 में स्पष्ट किया गया कि मनरेगा के प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत पुराने वाहन की मरम्मत पर किया गया व्यय मंजूर नहीं होगा। इसके बावजूद मनरेगा प्रासंगिक व्यय मद से पुराने वाहन की मरम्मत पर रु. 36052.00 व्यय किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री के.के. सिंह एवं लेखाकार श्री इरफान से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज के वर्ष 2010-11 का लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा प्रासंगिक व्यय मद से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विभिन्न तिथियों में डीजल क्रय करना दर्शित है।

दिनांक	चेक संख्या	भुगतान	मद	धनराशि
24.05.2010	115968	राधेश्याम गुप्ता	डीजल	26682.00
22.07.2010	119422	राधेश्याम गुप्ता	डीजल	20437.00
04.09.2010	119435	राधेश्याम गुप्ता	डीजल	20433.00
09.12.2010	723189	राधेश्याम गुप्ता	डीजल	15151.00
04.02.2011	723208	राधेश्याम गुप्ता	डीजल	21943.00
11.03.2011	100708	राधेश्याम गुप्ता	डीजल	16334.00
31.03.2011	100726	राधेश्याम गुप्ता	डीजल	15218.00
योग				136198.00

उक्त डीजल क्रय खण्ड विकास अधिकारी के यात्रा हेतु वाहन के लिए क्रय किया गया जबकि वाहन संख्या यूपी 32 जेड 6869 (बुलेरो) का लागबुक, यात्रा का

उद्देश्य, भ्रमण पंजिका, निरीक्षण आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त डीजल राजकीय कार्य में प्रयोग न करके अन्य कार्यों में किया गया इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री के.के. सिंह एवं लेखाकार श्री मो. इरफान जिम्मेदार है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 'रज्जाकपुर सम्पर्क मार्ग से श्री श्यामलाल के घर तक' खड़न्जा निर्माण पर कुल रु. 834958.00 व्यय किया गया। उक्त कार्य हेतु बिना टेण्डर आमंत्रित किये निम्न विवरणानुसार ईट क्रय किया गया।

फर्म	बिल सं०	दिनांक	चेक	दिनांक	धनराशि
1. रामसहाय ब्रिक फील्ड	172	16.01.12	761882	27.03.12	371488.00
2. रामसहाय ब्रिक फील्ड	183	16.02.12	761883	23.03.12	297190.00
योग					668678.00

जबकि शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु. 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। जबकि उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय रु. 668678.00 से किया उसके लिए निविदा आमंत्रित नहीं किया इससे राम सहाय ब्रिक फील्ड को लाभ पहुंचाया गया।

अतः लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बिना टेण्डर आमंत्रित किए रु. 668678.00 की सामग्री क्रय करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है, इस गम्भीर अनियमितता के लिए ब्लाक प्रमुख श्री मानसिंह खण्ड विकास अधिकारी श्री संतकुमार लेखाकार श्री मो. इरफान तत्कालीन अवर अभियन्ता जिम्मेदार है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सदरपुर करौरा एनएच-56 से सकरापुरवा तक रोड के निर्माण हेतु वर्मा ट्रेडर्स से बिल 28 दिनांक 02.12.11 को निम्न विवरणानुसार उपखनिजों (मौरंग, गिट्टी) का क्रय किया गया, जिस पर रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये।

समगी	भाव-मी.घन	रायल्टी दर	धनराशि
बलू	16	75	1200.00
मौरंग	23.30	33	768.90
गिट्टी	39	72	2808.00
योग			4776.90

जबकि शासनादेश संख्या 564/77-5-2001-200/77 टी.सी. दिनांक-12.08.2003 तथा शासनादेश संख्या 4020/77-5-2003-1(216)/93 दिनांक 12.08.2003, शासनादेश संख्या 4951(11)77.5.06-506/06 दिनांक- 5 अक्टूबर 2006 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (एमएम-11) के आधार पर ही परिवहन किये जायें। आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति प्राप्त किये जायें। बिना रायल्टी भुगतान किये बिल का भुगतान करने वाली कार्यदायी संस्था के अधिकारी सरकारी राजस्व की क्षति हेतु उत्तरदायी होंगे।

अतः लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँची कि रायल्टी भुगतान सुनिश्चित किये बिना आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान करने के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री संतकुमार लेखाकार श्री मो. इरफान अवर अभियन्ता जिम्मेदार हैं जिनसे रु. 4776.90 की ब्याज सहित वसूली करके राजकोष में जमा कराना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान की धनराशि रु. 5285166.00 का निर्माण कार्य कराया गया जिस पर कोई लेबर सेस कटौती दर्शित नहीं है। जबकि शासनादेश संख्या 1656/35-2-2010 दिनांक 15 दिस. 2010 के अनुसार गठन एवं सन्निर्माण कार्यों में जहाँ श्रमिक नियोजित किये जाते हैं उस कार्य के लागत का 1 प्रतिशत कटौती करके जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत संग्राहक के पास जमा किया गया जाना अपेक्षित है। जबकि रु. 5285166.00 के व्यय पर कुल रु. 52851.66 लेबर सेस जमा किया जाना था। जिसे नहीं किया गया इसका लाभ सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को मिला जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री पी.सी.राम, श्री के.के. सिंह, श्री संत कुमार, ब्लाक प्रमुख-श्री मान सिंह, अवर अभियन्ता, लेखाकार श्री मो. इरफान जिम्मेदार हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6

क्षेत्र पंचायत का वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मगहुआ प्राथमिक विद्यालय से बाबा तालाब तक खड़न्जा निर्माण पर कुल 415848.00 व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियां दर्शित हैं।

(अ) उक्त कार्य से एक ही गांव आच्छादित है जबकि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धन के उपभोग से सम्बन्धित मार्गदर्शन सिद्धान्त शासनादेश संख्या 17/10/33-3-2010- 48/2007 दिनांक-01.09.10 के अनुसार राज्य वित्त उक्त धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले भागों के निर्माण पर व्यय किया जायेगा जबकि उक्त कार्य से मात्र एक ग्राम सभा मगहुआ आच्छादित हो रहा है। जिससे उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया।

(ब) उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री जिसकी कीमत रु. 342348.00 है। इसकी खरीद बिना निविदा आमंत्रित किये शिवराम ब्रिक फील्ड से बिल सं.- 409 दिनांक 15.05.2013 द्वारा किया गया जिसके सापेक्ष चेक-63236 दिनांक 15.04.2013 को भुगतान किया गया। जबकि शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23.9.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु. 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा।

अतः उपयुक्त आपत्तियों के आलोक में अनियमित व्यय हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्री मान सिंह, तत्कालीन अवर अभियन्ता, लेखाकार श्री मो. इरफान जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया कि 'चांद सराय सुल्तानपुर रोड से मोहनलालगंज रोड' तक नहर पट्टी पर खड़न्जा मरम्मत का कार्य किया गया जिस पर कुल रु. 642108.00 व्यय हुआ इससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियां दर्शित है।

(अ) पत्रावलियों में संलग्न वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार मजदूरी का भुगतान प्रति मानव दिवस रु. 142.00 होगी जबकि मजदूरी का वास्तविक भुगतान प्रति मानव दिवस 152.60 किया गया अर्थात् कुल 957 कार्यदिवस का मास्टररोल संलग्न है। प्रति मानवदिवस रु. 10.6 अधिक भुगतान किया गया अतः $957 \times 10.6 = 10144.00$ का अधिक भुगतान किया गया।

(ब) उक्त खड़न्जा का मरम्मत किया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में न तो सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त मार्ग के हस्तान्तरण से कोई प्रमाणक प्रस्तुत किया गया जबकि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि का उपयोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 17/19/33-3/2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत संक्रमित धनराशि का उपयोग स्वयं द्वारा सृजित सम्पत्ति या हस्तान्तरित कार्यों के मरम्मत पर (आधा) व्यय करेगा। लेखा परीक्षा में उक्त मार्ग के सृजन एवं हस्तान्तरण का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया अतः यह गम्भीर अनियमितता है।

(स) उक्त कार्य हेतु बिना निविदा आमंत्रित किये रु. 465737.00 की ईट राम सहाय ब्रिक फील्ड से किया गया जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु. 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। जबकि उक्त कार्य हेतु राम सहाय ब्रिक फील्ड से बिना टेण्डर आमंत्रित किये ईट क्रय करके राम सहाय ब्रिक फील्ड को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया।

उक्त आपत्ति के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त कार्य में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसमें वित्त आयोग का मार्गदर्शन सिद्धान्त से विचलन तथा बिना टेण्डर के सामग्री क्रय शामिल है। अतः रु. 642108.00 के अनियमित व्यय के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, ब्लाक प्रमुख मान सिंह, तत्कालित अवर अभियन्ता, लेखाकार श्री मो. इरफान जिम्मेदार है। इन पर वित्त आयोग के मार्गदर्शन सिद्धान्त का प्रस्तर-2.6 के अनुसार कार्यवाही की लेखा परीक्षा अनुशंसा करता है।

प्रस्तर संख्या-8

क्षेत्र पंचायत का कार्य 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत घोड़सारा में रामनारायन की चक्की से चन्दादीन पुरवा नलकूप तक खड़न्जा निर्माण को कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी गोसाईगंज पत्रांक 865/राज्य वि./क्षे.प.अंश/2012-13 दिनांक 22/8/12 द्वारा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया गया जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियां दर्शित है।

(अ) उक्त कार्य पर कुल रु. 391484.00 व्यय दर्शित है। जिसमें रु. 315882.00 का भुगतान रामसहाय ब्रिक फील्ड के बिल से 366 दिनांक 04/07/2013 के सापेक्ष किया गया। उक्त सामग्री क्रय बिना निविदा आमंत्रित किये किया गया जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु. 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। अतः उक्त खरीद से रामसहाय ब्रिक फील्ड को अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा शासनादेश का उल्लंघन कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी।

(ब) उक्त कार्य वर्ष 2012-13 की कार्य योजना में शामिल था तथा कार्य वर्ष 2013-14 में प्रारम्भ हुआ जबकि वर्ष 2013-14 की कार्य योजना में शामिल ही नहीं था। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

(स) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के पत्रांक 865/राजवित्त/क्षे.प.अंश/2012-13 दिनांक 22/8/12 द्वारा मंजूर किया गया प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति बिन्दु 9 में स्पष्ट लिखा है कि कार्य किसी भी दशा में इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाएगा तथा किसी भी दशा में मूल्य वृद्धि हो जाने पर बढ़ी हुई धनराशि देय न होगी। जबकि बिना स्पष्ट कारण के कार्य वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजाय 2013-14 में कराया गया इससे निम्न विवरणानुसार राजकीय धन की क्षति हुई।

	2012-13		योग	2013-14		योग	अन्तर
	मात्रा	दर		मात्रा	दर		
ईट	57700	4.700	271190.00	507700	5.6	323120.00	51930.00
मजदूरी	461	125	57625.00	461	142	65462.00	7837.00
योग							59767.00

उक्त कार्य के वर्ष 2012-13 में न कराये जाने से राजकीय कोष को रु. 59767.00 की हानि हुई।

(द) उक्त कार्य से केवल एक ही ग्राम पंचायत भगहुआ आच्छादित हो रहा है जबकि राज्यवित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 17/19/33-3-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये कार्य या नए कार्य कराये जायेंगे।

अतः उक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त कार्य में व्यय धनराशि रु. 391484.00 हेतु कई स्तरों पर शासनादेश का गम्भीर उल्लंघन हुआ जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्री मान सिंह, अवर अभियन्ता श्री पी.के. राय कार्यप्रभारी श्री सभापति वर्मा उत्तरदायी हैं। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सदरपुर करौरा में नईम मस्जिद से नेगुलावीर बाग तक खड़न्जा निर्माण किया गया जिस पर कुल रु. 651193.00 व्यय किया गया। जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियां दर्शित हैं।

(अ) विकास ब्रिक फील्ड के बिल संख्या 374 दिनांक 16.9.2013 ईट क्रय के सापेक्ष चेक नं. 568148 दिनांक 24.9.13 के माध्यम से रुपया 388014.00 का भुगतान किया गया जिससे सम्बन्धित निविदा आमन्त्रित नहीं किया गया जबकि शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री क्रय हेतु रु. 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। जबकि उक्त सामग्री क्रय बिना टेण्डर के विकास ब्रिक फील्ड से ईट क्रय करके उक्त फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया गया जो गंभीर प्रकरण है।

(ब) उक्त निर्माण कार्य से केवल सदरपुर करौरा अर्थात एक ही ग्राम पंचायत आच्छादित हो रहा है जबकि राज्य वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित हो रहा है जबकि राज्य वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित मार्गदर्शक हेतु शासनादेश संख्या 17/19/33-3-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के अनुसार क्षेत्र पंचायत धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर करेगा।

(स) उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2012-13 की कार्य योजना में शामिल था जबकि कार्य बिना कार्य योजना पुनः अनुमोदन के वर्ष 2013-14 में कराया गया वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार कार्य को उसी वर्ष कराया जाना अनिवार्य होता है जिस वर्ष की कार्य योजना में वह शामिल होता है। अन्यथा आगामी वित्तीय वर्ष में कराये जाने पर पड़ने वाले वित्तीय भार क्षेत्र पंचायत द्वारा देय नहीं होगा। उक्त कार्य बिना स्पष्ट कारण के 2012-13 में न कराकर 2013-14 में कराया गया जिससे क्षेत्र पंचायत पर निम्न विवरणानुसार हानि हुई।

मद	2012-13		2013-14		अन्तर
	दर मात्रा	योग	दर मात्रा	योग	
मजदूरी	125 X 378	47250-00	142 X 378	53676-00	6426-00
ईंट	4.7 X 69288	325654-00	5.6 x 69288	388014-00	62350-00
योग					68785-00

उक्त रु. 68785.00 की क्षति आगामी वित्तीय वर्ष में कार्य कराने से हुई यह एक गंभीर प्रकरण है।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त कार्य में व्यय की गयी कुल राशि रु0 651193.00 में कई स्तरों पर शासनादेशों का विचलन हुआ है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्री मान सिंह, अवर अभियन्ता, लेखाकार श्री मो. इरफान उत्तरदायी हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2013-14 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त से मखदूमनगर नाले पर पुल से स्कालर्स स्टडी स्कूल तक खड़न्जा निर्माण किया गया जिस पर कुल रु. 489956.00 व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां दर्शित है।

(अ) उक्त कार्य हेतु कार्यालय विकास खण्ड अधिकारी गोसाईगंज पत्रांक 359/रा.वि.आयोग क्षेत्र पं./ई.आ./कोटे/2012-13 दिनांक: 25.06.13 द्वारा मेसर्स विकास फील्ड को 60600 नग ईट की आपूर्ति के सापेक्ष चेक सं. 568130 दिनांक: 01.08.13 द्वारा रु0. 399360.00 का भुगतान किया गया। इस सामग्री क्रय के लिए कोई निविदा नहीं किया गया जबकि शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक: 23.09.2008 स्पष्ट कहता है कि निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री क्रय हेतु रु0 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमन्त्रित किया जाना अनिवार्य होगा। परन्तु बिना निविदा आमन्त्रित किये रु0. 399360.00 की ईट विकास ब्रिक फील्ड से क्रय करके उक्त फर्म को अनुचित लाभ एवं क्षेत्र पंचायत को संभावित हानि पहुंचाई गई।

(ब) उक्त कार्य का चयन वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु किया गया था वित्तीय वर्ष 2013-14 में कार्य न कराने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया और उक्त कार्य का वर्ष 2013-14 में बिना कार्य योजना में शामिल कराये किया गया उससे क्षेत्र पंचायत को निम्न विवरणानुसार क्षति हुई।

	2012-13	2013-14	अन्तर
	छर	दर	
सामग्री	4.7×60600= 284820.00	5.6×60600 = 399360.00	114540.00
मजदूरी	125×638= 79750.00	142×638 = 90596.00	10846.00
योग			125386.00

उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजाय वर्ष 2013-14 में कराने से राजकोष पर रु0 125368.00 का अतिरिक्त भार पड़ा।

उक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त कार्य के सम्पन्न होने में शासनादेश से स्पष्ट विचलन किया हुआ है। उक्त कार्य पर किया गया कुल व्यय रु. 489956.00 की ब्याज सहित

वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता ब्लाक प्रमुख श्री मान सिंह तत्कालीन अवर अभियन्ता, लेखाकार श्री मो. इरफान से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11

क्षेत्र पंचायत का वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कोरिपानी नहर पुलिया से हनोमान घर तक खडन्जा निर्माण किया गया जिसके सापेक्ष कुल रु. 462788.00 व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ दर्शित हैं।

(अ) उक्त कार्य हेतु विकास ब्रिक फील्ड के बिल सं० 08 दिनांक: 26.12.2013 के सापेक्ष चेक सं. 568162 दिनांक: 17.01.14 द्वारा रु. 367000.00 का भुगतान किया गया। सामग्री की कीमत 100000.00 अधिक है इसलिए इसके क्रय निविदा आमन्त्रित किया जाना चाहिए था। शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15 (1)86 दिनांक: 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री क्रय हेतु रु. 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा लेकिन क्षेत्र पंचायत द्वारा बिना टेण्डर मंगाये विकास ब्रिक फील्ड से ईट क्रय करके उसे अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया गया।

(ब) उक्त कार्य से एक ही ग्राम सभा आच्छादित है जो शासनादेश संख्या 17/19/33-3 2010-48/2007 दिनांक: 01.09.2010 का उल्लंघन है जिसके प्रस्तर 2.4 में स्पष्ट वर्णित है कि क्षेत्र पंचायत राज्य वित्त द्वारा अनुशंसित धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले मार्ग निर्माण पर करेगा। प्रस्तर 2.6 में वर्णित है कि मार्गदर्शन सिद्धान्त के विचलन होने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

अतः उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मार्ग पर व्यय रु. 462788.00 राज्य वित्त आयोग के माग दर्शन से विचलन कर किया गया है इसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्री मान सिंह तत्कालीन अवर अभियन्ता, लेखाकार श्री मो. इरफान पर है, इस व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से करना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया कि वित्तीय वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त अनुदानों से कुल रु.6372062.00 का व्यय विभिन्न निर्माण कार्यों में किया गया जिसमें श्रमिकों को नियोजित किया गया तथा लेवर सेस की कटौती नहीं की गई जबकि शासनादेश संख्या 1656/36-2-2010 दिनांक 15 दिसम्बर 2010 के अनुसार सन्निर्माण कार्यों में जहां श्रमिक नियोजित किये जाते हैं उस कार्य लागत का 1 प्रतिशत कटौती करके जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत संग्राहक के पास जमा किया जाना चाहिए।

अतः वर्ष के दौरान निर्माण कार्यों पर खर्च कुल धनराशि रु. 6372062.00 का 1 प्रतिशत रु. 63720.62 होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्री मान सिंह, लेखाकार श्री मो. इरफान से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि नेडा का 82 नग सीएफएल सोलर स्ट्रीट लाइट आपूर्ति के सापेक्ष रु. 1713800.00 का भुगतान चेक सं०-568128 दिनांक 01.08.2013 द्वारा किया गया जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ दर्शित हैं।

(क) उक्त खरीद हेतु निविदा आमन्त्रित नहीं किया गया जबकि प्रतिवर्ष नेडा द्वारा निविदा की राशि निश्चित किया जाता है।

(ख) नेडा के पत्रांक 55-यू.पी.नेडा/लख-प्रोजे0-18/सोलर लाइट 12-13 दिनांक 28/6/13 के अनुसार पांच वर्ष एएमसी सहित प्रति सीएफएल स्ट्रीट लाइट का मूल्य रु. 20900.00 निर्धारित है जबकि नेडा मूल्य निर्धारित नहीं करती बल्कि निविदा राशि निर्धारित करती है।

(ग) उक्त सोलर लाइट का क्रय तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से किया गया जबकि 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपयोग से सम्बन्धित मार्गदर्शन के अनुसार शासनादेश संख्या-2566/1/33-1-2010 दिनांक 23/12/2010 के अनुसार अनुदान का उपयोग स्ट्रीट लाइट के रखरखाव/अनुरक्षण पर किया जाएगा।

नई सोलर लाइट खरीदने हेतु कोई निर्देश जारी नहीं है अतः उक्त सोलर लाइट क्रय करना शासनादेश का विचलन है।

(घ) नेडा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रति सी.एफ.एल रु. 7100.00 का अनुदान तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रति सी.एफ.एल रु. 4800.00 का अनुदान अर्थात् कुल रु. 11900.00 का अनुदान अनुमन्य है जिसको घटाकर अवशेष धनराशि लाभार्थी संस्था अर्थात् क्षेत्र पंचायत द्वारा भुगतान किया जाना था जबकि लेखा परीक्षा में अनुमन्य अनुदान के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः प्रतिसंयत्र रु. 11900.00 के अनुदान से क्षेत्र पंचायत वंचित रहा जिसका विवरण निम्न है।

सेलर	मात्रा	दर	कीमत
स्ट्रीट लाइट	82	20900.00	1713800.00
अनुदान	82	11900.00	1139800.00
			564000.00

अतः संस्था द्वारा नेडा का रु. 564000.00 भुगतान करना था, जिसके सापेक्ष क्षेत्र पंचायत द्वारा रु. 1713800 का भुगतान किया गया अर्थात रु. 1139800.00 अधिक भुगतान किया गया।

अतः उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सोलर लाइट खरीद में किया गया व्यय रु. 1713800.00 हेतु शासनादेश का विचलन अनुदान की अवहेलना जैसे गम्भीर अनियमितता की गई है इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता ब्लाक प्रमुख श्री मान सिंह, अवर अभियन्ता तथा लेखाकार श्री मो. इरफान जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत मलौली में केशवानी भट्टे से मलौली तक खड़न्जा मरम्मत कार्य पर रु. 665244.00 का व्यय राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान की धनराशि से किया गया। इससे सम्बन्धित निम्न आपत्ति दर्शित है।

(क) उक्त कार्य मरम्मत का है जबकि शासनादेश स्पष्ट कहता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं सूचित या उसे हस्तान्तरित परिसम्पत्ति का ही मरम्मत रखरखाव कर सकता है। क्षेत्र पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त मार्ग पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं बनाया गया या उसे हस्तान्तरित किया गया है।

(ख) उक्त मार्ग से केवल एक ही ग्राम पंचायत अर्थात मलौली लाभान्वित/आच्छादित है, जबकि शासनादेश संख्या 17/19/33-7-2010-48(20) दिनांक 1.9.10 के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकाय कार्यों/सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के निर्माण कार्यों पर किया जायेगा।

मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रस्तर 2.6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर नियन्त्रण रखा जाये ताकि निर्धारित गाइडलाइन्स से विचलन न हो साथ ही विचलन करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने की व्यवस्था हो।

अतः उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त कार्य पर किया गया कुल व्यय रु. 665244.00 शासनादेश का स्पष्ट विचलन है, जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्री मान सिंह, लेखाकार श्री मो. इरफान तथा तत्कालीन अवर अभियन्ता से किया जाना चाहिए।

प्रस्तर संख्या-15

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मेसर्स चावला इलेक्ट्रिक हाउस, चौक बाजार जनपद गोण्डा से सोलर लाइट खरीदा गया।

फर्म	मात्रा	दर	चेक	दिनांक	धनराशि
चावला इलेक्ट्रिक हाउस	50	20350.00	568202	19.11.14	1017500.00
चावला इलेक्ट्रिक हाउस	40	20350.00	568203	18.11.14	814000.00
योग					1831500.00

उक्त कार्य पर व्यय धनराशि रु. 1831500.00 की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां दर्शित हैं-

(क) 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु मार्गदर्शन सिद्धान्त से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 2586/1/33-1-2010 दिनांक 23 सितम्बर 2010 के प्रस्तर 1 क अनुसार स्ट्रीट लाइट के रखरखाव के स्थान पर नई सोलर लाइट लगवा लिया जिसकी अनुमति मार्गदर्शन सिद्धान्त में नहीं थी। यह एक गम्भीर अनियमितता का द्योतक है।

(ख) सोलर स्ट्रीट लगवाने पर राज्य सरकार द्वारा रु. 7100.00 एवं केन्द्र सरकार द्वारा रु. 4800.00 का अनुदान अनुमन्य है, अर्थात कुल 11900.00 का अनुदान अनुमन्य है जिसको घटाकर शेष राशि का भुगतान लाभार्थी संस्था द्वारा किया जाना था जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा किये भुगतान में अनुदान का कोई जिक्र नहीं है। इस प्रकार प्रतिसफल रु. 11900.00 अर्थात $90 \times 11900.00 = 1071000.00$ कुल रु. 1071000.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा अधिक भुगतान किया गया।

अतः उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त कार्य के अनुदान हेतु मार्गदर्शन का विचलन एवं सोलरलाइट पर मिलने वाले सब्सिडी को नजरअन्दाज कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, श्री रजत यादव, श्री सिद्धार्थ, ब्लाक प्रमुख श्री मान सिंह लेखाकार श्री मो. इरफान उत्तरदायी हैं। उक्त रु. 1831500.00 की ब्याज सहित वसूली इन्हीं उत्तरदायी अधिकारियों से करना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16

क्षेत्र पंचायत का वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कासिमपुर विरूहा में महेश के खेत से सेमनापुर में रामलाल के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य कराया गया। जिसके सापेक्ष रुपया 474412.00 व्यय किया गया इससे सम्बन्धित लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां दर्शित हैं-

(क) उक्त खड़न्जा पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं बनाया गया था या उसे हस्तान्तरित किया गया है इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि शासनादेश 1719/33-3-2010-48/2007 दिनांक 1 सितम्बर के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर मिलने वाले धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित

मार्गदर्शन सिद्धान्त के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत स्वयं की या उसे हस्तान्तरित समाप्ति के मरम्मत और रखरखाव पर व्यय कर सकेगा जबकि सम्पत्ति रजिस्टर का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पूर्व में उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित था या हस्तान्तरित।

प्रस्तर 2.6 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर निरन्तर नियंत्रण रखा जाये ताकि निर्धारित गाइडलाइन्स से विचलन न हो साथ ही विचलन करने वाले अधिकारी को दण्डित करने की व्यवस्था की जाये।

(ख) बिना टेण्डर के रामसेवक ब्रिक फील्ड को ईट आपूर्ति के सापेक्ष चेक 568216 दिनांक 20.02.15 द्वारा 219400.00 का भुगतान किया गया जबकि शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत हेतु सामग्री क्रय हेतु रु.100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। जबकि बिना टेण्डर के रामसेवक के ब्रिक फील्ड से ईट क्रय करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

(ग) कार्य प्रभारी सभापति वर्मा द्वारा रु. 224412 की मजदूरी का भुगतान नगद किया गया जबकि वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार कार्य जाब कार्ड धारक से कराना था यह कार्यालय आदेश का उल्लंघन है।

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा की उक्त कार्य पर किया गया कुल व्यय रु. 474412.00 में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री राजेन्द्र वर्मा, श्री रजत यादव, श्री सिद्धार्थ, ब्लाक प्रमुख श्री मान सिंह, लेखाकार श्री मो. इरफान उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17

क्षेत्र पंचायत गोसाई का वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि "सलौली में मन्दिर से सेगरा रोड तक खड़न्जा मरम्मत" कराया गया जिसके सापेक्ष रु. 738854.00 व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित निम्न आपत्तियां दर्शित हैं।

(क) क्षेत्र पंचायत कार्यालय के पत्रांक 1266/रा.वि.तेर.वि.आ./क्षेत्र.पं.अंश/ 2014-15 दिनांक 7.1.19 के अनुसार मजदूरी का योगदान जाबकार्ड धारकों से लिया जायेगा जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों को पारिश्रमिक उनके बैंक खाते में न देकर कार्य प्रभारी द्वारा चेक नं. 568227 दिनांक 20.03.15 द्वारा रु. 177456.00 तथा 155148.00 कुल रु. 332604.00 आहरण कर नगद भुगतान दर्शित है। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

(ख) उक्त कार्य में केवल एक ही ग्राम पंचायत आच्छादित है जबकि शासनादेश संख्या 1719/33-3-2010-48/2007 दिनांक 1 सितम्बर 2010 के अनुसार राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपयोग से सम्बन्धित मार्गदर्शन सिद्धान्त के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत प्राप्त धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायत को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों के रखरखाव एवं इसी प्रकार के नए कार्यों को करने पर करेगा। प्रस्तर 2.6 में क्षेत्र पंचायतों द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर निरन्तर नियंत्रण रखा जाएगा ताकि निर्धारित गाइडलाइन का विचलन न हो साथ ही विचलन करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने की व्यवस्था की जाय।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त कार्य के सम्पादन किया गया व्यय रु. 738854.00 हेतु शासनादेश का गम्भीर विचलन हुआ है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रजत यादव, श्री सिद्धार्थ, ब्लाक प्रमुख श्री मान सिंह लेखाकार श्री मो. इरफान जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त तेरहवां वित्त के अनुसंशा से प्राप्त अनुदानों से कई निर्माण कार्य कराया गया जिसमें श्रमिकों को नियोजित किया गया परन्तु लेबर सिस की कटौती नहीं की गई। जबकि शासनादेश संख्या 1656/36-2-2010 दिनांक 15 दिसम्बर 2010 के अनुसार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में जहां श्रमिक नियोजित किये जाते हैं उस कार्य पर लागत का 1 प्रतिशत कटौती करके जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत संग्राहक के पास जमा अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में कुल रु. 7225899.00 का निर्माण कार्य कराया गया जिस पर 1 प्रतिशत की दर से रु. 72258.99 लेबर सेस अवधारित होता है। जिसकी कटौती करके राजकोष में न जमा करा कर गम्भीर अनियमितता है।

उपर्युक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि रु. 72258.99 का लेबर सेस काटकर राजकोष में न जमा कराना गम्भीर अनियमितता है इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी 1. श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, 2. श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, 3. श्री रजत यादव, 4. श्री सिद्धार्थ, 5. लेखाकार मो. इरफान से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कपेरा के पुरवा में ब्रम्हतला तालाब से रामदीन की आबादी तक नाला निर्माण किया गया जिसके सापेक्ष कुल रु. 365406.00 व्यय किया गया। जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियां दर्शित हैं।

(क) उक्त कार्य वर्ष 2014-15 के कार्य योजना में शामिल नहीं होने के बावजूद कार्य कराया गया। जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 में कार्य क्यों नहीं कराया गया स्पष्ट नहीं हो सका।

(ख) कार्य एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रमांक 10 के अनुसार जाब कार्ड धारकों से मजदूरी करायी जानी थी जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरों को बैंक खातों में न करके कार्य प्रभारी द्वारा खाते से आहरण कर नगद भुगतान किया गया।

(ग) उक्त कार्य से एक ही ग्राम पंचायत आच्छादित हो रहा है यह शासनादेश संख्या 1719/33-3-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा से प्राप्त अनुदान का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले मार्गों के निर्माण पर करेगा।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त कार्य के सम्पादन किया गया व्यय रु. 365406.00 हेतु शासनादेश का गम्भीर विचलन हुआ है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रजत यादव, श्री सिद्धार्थ, ब्लाक प्रमुख श्री मान सिंह, लेखाकार श्री मो. इरफान जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20

क्षेत्र पंचायत का वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा अवमुक्त अनुदान की धनराशि को खर्च न करके बैंक खाते में रखकर कुल अंकन 1464048.00 रुपये ब्याज अर्जित किया गया तथा अर्जित ब्याज को राजकीय में जमा न करके क्षेत्र पंचायत के विभिन्न कार्यों में खर्च कर दिया गया। जबकि शासनादेश संख्या ए-1-122/ दस-2012-12(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 तथा शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)2010 दिनांक 29 मई 2015 के प्रस्तर-3 में स्पष्ट उल्लेख है कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की अर्जित ब्याज अंकन 1464048.00 रुपये का राजकोष में जमा करके विभिन्न कार्यों में खर्च करके शासनादेश एवं शासन की मंशा के विरुद्ध कार्य किया गया है इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह लेखाकार श्री मो. इरफान उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21

क्षेत्र पंचायत का वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों में कुछ उपखनिजों का क्रय किया गया जिससे सम्बन्धित रायल्टी भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया-विवरण निम्न है:-

मात्रा घन मी० में।

कार्य	पत्थर गिट्टी	मौरंग	बालू	विक्रेता फर्म
सी.सी. रोड सदरपुर करौरा में जंगली के घर से मुन्नू के घर तक	54.54	25	16	प्रधान ट्रेडर्स
चांदसराय सेस सामुदायिक केन्द्र की बाउन्ड्री निर्माण	—	15	27	प्रधान ट्रेडर्स
आदमपुर नौबस्ता अशोक के घर से तालाब तक नाला	—	22.5	—	प्रधान ट्रेडर्स
योग	34.54	62.5	43	

उक्त उपखनिजों की आपूर्ति के समय क्षेत्र पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित करना था कि सम्बन्धित खनिज पर रायल्टी का भुगतान हो चुका है। इसके लिए वैध परिवहन (एमएम-11) प्रपत्र सी या रायल्टी भुगतान की प्रमाणित चालान की प्रतिलिपि क्षेत्र पंचायत में जमा करना था अन्यथा क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्बन्धित फर्म के देयक बिल से रायल्टी की कटौती कर ट्रेजरी में जमा करना था। जबकि उक्त उपखनिजों पर उ०प्र० उपखनिज (परिहार) यथा संशोधित नियमावली के अनुसार निर्धारित रायल्टी निम्न विवरणानुसार अवधारित होती है:-

उप खनिज	मात्रा घन मी. में	रायल्टी दर	धनराशि
पत्थर गिट्टी	34.54	72	2486.88
मौरंग	62.5	75	4687.50
बालू	43	33	1419.00
योग			8593.38

अतः अंकन 8593.38 रुपये की राजस्व क्षति रायल्टी भुगतान सुनिश्चित न करने के कारण हुई जबकि शासनादेश 4020/77-55-2003-1(216/93 दिनांक 12.08.2003 के अनुसार निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों (गिट्टी, साधारण बालू, मौरंग) की आपूर्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज-नियमानुसार रायल्टी भुगतान कर वैध रवन्ना (एमएम -11) के आधार पर ही परिवहन किये गये हैं अन्यथा रायल्टी की धनराशि आपूर्तिकर्ता के बिल से काटकर संगत लेखाशीर्ष में जमाकर ट्रेजरी चालान की एक प्रमाणित प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाये। यदि बिना रायल्टी भुगतान के आपूर्तिकर्ता के अन्तिम बिल का भुगतान करने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

अतः उक्त प्रकरण में बिना रायल्टी के भुगतान किये यादव ट्रेडर्स के अन्तिम बिल का भुगतान कर दिया गया जिससे सरकारी राजस्व का रु. 8593.38 की क्षति हुई जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मो. इरफान से ब्याज सहित वसूल कर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सदरपुर करौरा में जंगली के बाग से मुन्नू के घर तक सी.सी. रोड के निर्माण पर कुल रु. 540708.00 का भुगतान किया गया जिससे सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां दर्शित हैं।

(क) उक्त कार्य हेतु रु. 255246.00 को निर्माण सामग्री का क्रय प्रधान ट्रेडर्स के बिल 109 दिनांक 10.04.15 द्वारा किया गया जिसके सापेक्ष प्रधान ट्रेडर्स के चेक सं. 568249 दिनांक 28.04.15 द्वारा रु. 255246.00 का भुगतान किया गया। उक्त सामग्री हेतु कोई टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया जबकि शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23.9.2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय हेतु रु. 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। बिना टेण्डर आमंत्रित किये प्रधान ट्रेडर्स से सामग्री क्रय करके उक्त फर्म को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया।

(ख) उक्त कार्य से केवल एक ही गांव आच्छादित हो रहा है जबकि शासनादेश संख्या 17119/33-3-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 के अनुसार राज्यवित्त के अनुसंधानों से प्राप्त धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले मार्गों के रखरखाव पर व्यय किया जायेगा।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त कार्य के सम्पन्न होने में हुये व्यय रु. 540708.00 हेतु शासनादेशों एवं शासन की मंशा का स्पष्ट विचलन किया गया इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह, लेखाकार श्री मो. इरफान, ब्लाक प्रमुख श्री मान सिंह उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज का वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त एवं तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा से संक्रमित धनराशि का उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यों में किया गया जिससे श्रमिकों को नियोजित किया गया परन्तु लेबर सेस की कटौती नहीं की गई जबकि शासनादेश संख्या 1656/36-2-2010 दिनांक 15 दिसम्बर 2010 के अनुसार सन्निर्माण कार्यों में जहां श्रमिक नियोजित किये जाते हैं उस कार्य की लागत का 1 प्रतिशत कटौती करके (लेबर सेस) जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत संग्राहक के पास जमा किया जाना अपेक्षित है। जबकि वर्ष के द्वारा कुल निर्माण कार्यों पर व्यय रु. 9305406.00 रहा जिसका 1 प्रतिशत रु. 93054.06 लेबर सेस के रूप में न काट कर शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। अतः रु. 93054.06 की ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह, लेखाकार श्री मो. इरफान से करके लेबर सेस की प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

नाम क्षेत्र पंचायत- सरोजनी नगर, विकास खण्ड- सरोजनी नगर जनपद- लखनऊ वर्ष 2012-13 से 2016-17

प्रस्तर संख्या- 24

वर्ष 2012-13 में बैंक ऑफ इण्डिया खाता सं. 2260 में प्राप्त ब्याज रु. 139956.00 तथा खाता सं. 600 यू. बी.आई. बैंक में प्राप्त ब्याज रु. 3833.00 की आय को राजकीय कोषागार में नहीं जमा कराया गया। जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 25

दिनांक 17.04.12 को हरिहरपुर से नगराम रोड तक खड़न्जा कार्य हेतु अंकन रु. 87690.00 का भुगतान श्रमिकों को सीधे न करके कार्यप्रभारी श्री राम बहादुर शर्मा ग्राम विकास अधिकारी को अनियमित रूप से भुगतान किया गया है तथा पत्रावली में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये वे कार्यवार विकासखण्ड से निर्गत नहीं किये गये हैं तथा जो अंगूठा निशासी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। अतः इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे.ई./ लेखाकार/कार्यप्रभारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 26

वर्ष 2013-14 में बैंक ऑफ इण्डिया खाता सं. 2260 में प्राप्त ब्याज रु.- 329874.00 तथा खाता सं.-600 में 4394.00 की आय को राजकीय कोषागार में नहीं जमा कराया गया। जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 27

दिनांक 23.11.2013 को रु. 24170.00 तथा 05.03.14 को रु. 21386.00 व 21528.00 कुल रु. 67084.00 मस्टर रोल मजदूरी दी जानी दर्शित है। मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा लगवाये गये हैं किन्तु अंगूठा निशानी पर श्रमिकों के नाम लिख कर प्रमाणित नहीं किये गये हैं और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं. अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकासखण्ड से निर्गत नहीं है साथ ही कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है, जिससे वास्तविक मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं होती है जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 28

दिनांक 19.03.14 को रु. 327379.00 व रु. 291794.00 कुल रु. 619173.00 नन्दुल देवी ब्रिक्र फील्ड को खड्डन्जा ईट हेतु भुगतान किया गया है परन्तु बिल टैक्स इनवाइस पर बनाया गया है तथा बिल पर टिन नं० भी अंकित नहीं है। जिससे किया गया भुगतान अनियमितता की परिधि में आता है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 29

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में दिनांक 28.02.14 को श्री सुशील कुमार खण्ड विकास अधिकारी द्वारा लखनऊ से नई दिल्ली की यात्रा ग्राम प्रधान ग्राम खटोला के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली में मनरेगा मेला में शामिल होने हेतु कार से यात्रा की जानी दर्शित है जिस हेतु अंकन रु. 23401.00 यात्रा भत्ता देयक का भुगतान प्राप्त किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में शासकीय प्रारूप पर यात्रा भत्ता देयक उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अतः भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 30

वर्ष 2014-15 में बैंक ऑफ इण्डिया खाता सं. 2260 में रु. 481860.00 तथा खाता सं. 600 में 6260.00 प्राप्त ब्याज को अलग से नहीं दर्शाया गया है, अनुदान पंजिका भाग-2 के अनुसार प्राप्त ब्याज को राजकीय कोषागार में नहीं जमा कराया गया जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 31

दिनांक 23.02.2015 को साई ईट उद्योग को ईट क्रय हेतु रु. 75000.00 के प्रस्तुत वाउचर से रु. 1680.00 टी.डी.एस. कटौती के उपरान्त रु. 73320.00 चेक सं.-000434 दिनांक 26.03.15 द्वारा भुगतान किया जाना दर्शित है। प्रस्तुत वाउचर सेल इनवाइस/टैक्स इन्वाइस पर बनाया जाना दर्शित है। निर्धारित प्रारूप पर कैशमेमो नहीं है टिन नं० भी प्रिन्ट नहीं है। जिसमें किया गया भुगतान अनियमित है। जिस हेतु विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 32

वर्ष 2015-16 में बैंक ऑफ इण्डिया खाता सं. 2260 में रु. 588959.00 तथा खाता सं. 600 में रु. 6305.00 प्राप्त ब्याज को अलग से नहीं दर्शाया गया है, अनुदान पंजिका भाग-2 के अनुसार प्राप्त ब्याज को राजकीय कोषागार में नहीं जमा कराया गया अपितु ब्याज को अनुदान की आय मानकर निम्नानुसार विभिन्न योजनाओं में खर्च कर दिया गया है:-

(क) दिनांक 06.08.15 को ब्याज की धनराशि से रु. 15600.00 श्री अजीत कुमार को मानदेय दिया गया है।

(ख) दिनांक 21.08.15 को ब्याज की धनराशि से रु. 18500.00 ओम नमः शिवाय ट्रैवल्स को माह जुलाई 2015 के जीप का किराया दिया गया है।

(ग) दिनांक 03.03.16 को ब्याज की धनराशि से रु. 15000.00 निरीक्षण/विभिन्न कार्य हेतु श्री अजीत कुमार कैशियर को दिया गया है।

उपरोक्त भुगतान की गयी धनराशि कुल रु० 49100.00 एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 33

वर्ष 2016-17 में बैंक ऑफ इण्डिया खाता सं. 2260 में रु. 604656.00 तथा खाता सं. 600 में रु. 5818.00 प्राप्त ब्याज को अलग से नहीं दर्शाया गया है, अनुदान पंजिका भाग-2 के अनुसार प्राप्त ब्याज को राजकीय कोषागार में नहीं जमा कराया गया जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 34

वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायत उसरना में नाली निर्माण पर रू0 1,46,277.00 सामग्री व 37,670.00 मजदूरी/श्रमांश पर कुल रू0 1,83,947.00 का व्यय किया जाना दर्शाया गया है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु श्री महेश कुमार मिश्र को पत्र सं0 1538 दि0 02.02.2010 द्वारा अधिकृत किया गया है। उक्त कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित प्रमाण/पत्रावली उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्य पर हुये रू0 1,83,947.00 के अनियमित व्यय हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 35

वर्ष 2010-11 में विकास खण्ड कार्यालय बक्शी का तालाब में मरम्मत व पुताई पर रू0 1,22,865.00 सामग्री पर व रू0 40,880.00 मजदूरी/श्रमांश पर कुल रू0 1,63,745.00 का व्यय राज्य वित्त आयोग/बारहवां वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि से किया गया है। उक्त प्राप्त अनुदान से क्षेत्र के विकास सम्बन्धी कार्य न कराकर प्रशासनिक मद में किया गया व्यय अनियमित रहा। जिसके लिये तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 36

वर्ष 2011-12 में विकास खण्ड कार्यालय बक्शी का तालाब में अतिरिक्त कक्ष/कम्प्यूटर कक्ष के निर्माण पर रू0 4,33,170.00 सामग्री पर व रू0 63303.00 मजदूरी/श्रमांश पर कुल रू0 4,96,500.00 का व्यय राज्य वित्त आयोग/बारहवां वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि से किया गया है। उक्त प्राप्त अनुदान से क्षेत्र के विकास सम्बन्धी कार्य न कराकर प्रशासनिक मद में किया गया व्यय अनियमित रहा। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली जांच हेतु अनुपलब्ध रही, जबकि निर्माण कराये जाने हेतु सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन/अनुमानित लागत आदि की भी जानकारी न हो सकी। जिसके लिये तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 37

वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत गुडम्बा में कुर्सी रोड से व्यायामशाला तक खड़न्जा निर्माण पर रू0 1,67,170.00 सामग्री व 19,000.00 मजदूरी/श्रमांश पर कुल रू0 1,86,170.00 का व्यय किया जाना दर्शाया गया है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु श्री सुरेन्द्र शुक्ल सहायक विकास अधिकारी, पंचायत को पत्र सं0 1467 दि0 23.11.2011 द्वारा अधिकृत किया गया है। उक्त कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित प्रमाण/पत्रावली उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्य पर हुये रू0 1,86,170.00 के अनियमित व्यय हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 38

वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत गुडम्बा में कुर्सी रोड से जनता गर्ल्स इन्टर कालेज तक सी0सी0 रोड निर्माण पर रू0 1,64,323.00 सामग्री व 23,875.00 मजदूरी/श्रमांश पर कुल रू0 1,88,198.00 का व्यय किया जाना दर्शाता है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु श्री शेषनाथ सिंह सहायक विकास अधिकारी, सांख्यिकी को पत्र सं0 904 दि0 21.09.2012 द्वारा अधिकृत किया गया है। उक्त कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार कार्य पर हुये रू0 1,88,198.00 के अनियमित व्यय हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 39

वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत गुडम्बा में जनता गर्ल्स इन्टर कालेज से हुबलाल के घर तक खड़न्जा निर्माण पर रू0 65,530.00 सामग्री व 12,125.00 मजदूरी/श्रमांश पर कुल रू0 77,655.00 का व्यय किया जाना दर्शाया गया है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु श्री शेषनाथ सिंह सहायक विकास अधिकारी, सांख्यिकी को पत्र सं0 904 दि0 21.09.2012 द्वारा अधिकृत किया गया है। उक्त कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित प्रमाण/पत्रावली उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्य पर हुये रू0 77,655.00 के अनियमित व्यय हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/ कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 40

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यो पर अंकन रू0 1,24,158.00 रू0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी श्री बाबूलाला वर्मा ग्राम विकास अधिकारी व श्री राम पाल निरंजन, ग्राम पंचायत अधिकारी को

क्रमशः ₹0 74500.00 व ₹0 49,658.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 12,4,158.00 का वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 41

शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत हैं किन्तु वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक अनुदान पंजी के अनुसार शासकीय अनुदानों पर ₹0 17,44,101.00 ब्याज कमाया गया है जिसे उपरोक्तानुसार जमा किये जाने की पुष्टि में अपेक्षित साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम- क्षेत्र पंचायत मॉल

विकास खण्ड-मॉल

वर्ष-2011-12 से 2016-17

प्रस्तर संख्या- 42

क्षेत्र पंचायत की वर्ष-2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत मॉल में भरावन रोड से गुलौली तक खंडजा मरम्मत कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष रूपया 351616.00 व्यय किया गया। इससे सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं।

(ए) उक्त खंडजा पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं बनाया गया था उसे हस्तान्तरित किया गया है, इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि शासनादेश-1719/33-3-2010-48, 2007 दिनांक-1 सितम्बर 2010 के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा क्षेत्र पंचायत स्वयं की या उससे हस्तान्तरित सम्पत्तियों के मरम्मत और रखरखाव पर व्यय कर सकेगा। क्षेत्र पंचायत के द्वारा परिसम्पत्ति पंजिका/रजिस्टर नहीं तैयार किया गया है और लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पूर्व में उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित था या हस्तांतरित रूप में प्राप्त था। प्रस्तर 2.6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर निरन्तर नियन्त्रण रखा जाये ताकि निर्धारित गाइड लाइन से विचलन न हो साथ ही विचलन करने वाले अधिकारी को दण्डित करने की व्यवस्था की जाये।

(बी) शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15 (1)86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु ₹0 एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। जबकि प्रस्तुत कार्य में सिंह भट्टा के क्रमशः 5.6.11 को ₹0 102362.00, 7.6.11 को ₹0 47244.00 तथा 1.11.11 को ₹0 38368.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल ₹0 187974.00 का भुगतान बिना निविदा आमन्त्रित किये सिंह ईट भट्टा को किया गया। इस प्रकार सिंह ईट भट्टा के साथ मिलकर तत्कालीन पदासीन व्यक्तियों के द्वारा ₹0 187974.00 का अनियमित व्यय किया गया तथा शासनादेश का उल्लंघन हुआ।

(सी) कार्य प्रभारी बृजेश कुमार वर्मा द्वारा 130820.00 रुपये मजदूरी का भुगतान नकद किया गया जबकि वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार कार्य जाब कार्ड धारक से कराना था। और श्रमिकों का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से उनके खाते में करना था। वर्तमान वर्ष में मनरेगा योजना के अन्तर्गत समस्त मजदूरों के खाते बैंक में खुल गये हैं। इस प्रकार नकद भुगतान किया जाना शासनादेश एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन है। यह धन का गबन एवं अपहरण है।

उपरोक्त बिन्दुओं को देखते हुआ लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपरोक्त कार्य पर किये गये व्यय ₹0 351616.00 में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है अतः इस अनियमित व्यय ₹0 351616.00 के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी बृजेश कुमार वर्मा मुख्य रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 43

क्षेत्र पंचायत की वर्ष-2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम वीरपुर से रामनरेश के घर से तालाब तक नाली निर्माण पर कुल व्यय ₹0 270520.00 का व्यय किया गया है उक्त व्यय से सम्बन्धित निम्न आपत्तियां हैं।

(ए) उक्त कार्य में प्रयुक्त ईट जिसकी कीमती ₹0 121570.00 है की खरीद पारस ब्रिक फील्ड से की गयी है। इसकी खरीद बिना निविदा आमन्त्रित किए हुए की गयी है जबकि ईट की कीमत ₹0 100000.00 से अधिक है। इसलिए उक्त क्रय के सम्बन्ध में निविदा आमन्त्रित कर के खरीददारी करना आवश्यक था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

जबकि शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक-23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत के लिए टेण्डर आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा।

(बी) साइन बोर्ड रुपया 2500.00 की लागत दर्शित है। जिसका बिल/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त कार्य के लिए जारी कार्यादेश के अनुसार उक्त कार्य के लिए, कार्य स्थल, परियोजना का नाम स्वीकृत लम्बाई, कार्य का नाम, कार्यदायी संस्था का उल्लेख करते हुए बोर्ड अवश्य लगाया जायेगा।

(सी) उक्त कार्य में मजदूरी का भुगतान 35520.00 रुपया वृजेश कुमार वर्मा द्वारा प्राप्त कर मजदूरों को नकद वितरण किया गया। कार्य की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कार्य जाब कार्ड धारक से कराया जाएगा। अधिकतर मजदूरों के खाते मनरेगा योजना के अन्तर्गत बैंक में खुल चुके हैं। इसके बावजूद भी मजदूरों को खाते में भुगतान न करके 35520.00 रुपया कार्य प्रभारी वृजेश कुमार वर्मा के द्वारा क्षेत्र पंचायत से भुगतान अपने खाते में लेकर नकद वितरण किया गया। इस प्रकार नकद मजदूरी, वितरण नियम विरुद्ध है। यह वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

अतः उक्त आपत्तियों के आलोक के निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है, कि उक्त कार्य के सम्पन्न होने में व्यय कुल रुपया 270520.00 में से रुपया 2500.00 का अपहरण एवं रुपया 157090.00 के व्यय में कई स्तरों पर शासनादेश का गंभीर उल्लंघन और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हुआ है, जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख अवर अभियंता एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-44

वर्ष-2011-12 में क्षेत्र पंचायत माल में खडंजा कार्य ग्राम वीरपुर दहियावली में ब्रम्हादीन के घर से ठोल वजा सैदापुर में खर्च से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित है-

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	मद	प्राप्तकर्ता फर्म
1	16.04.11	—	193498.00	ईट	क्षेत्रिय ब्रिक फील्ड
2	22.04.11	—	11460.00	मिट्टी कार्य	प्रमाणक अप्राप्त
3	—	—	2460.00	साइन बोर्ड	प्रमाणक अप्राप्त
4	—	—	25470.00	पुलिया कलर	विवरण अप्राप्त
	योग		232888.00		

उपरोक्त विवरण से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित है-

(ए) उक्त कार्य में ईट खरीद रु0 193498.00 का भुगतान की गयी। यह भुगतान नियम विरुद्ध किया गया। शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु0 एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। जबकि उक्त कार्य हेतु ईट क्रय रु0 193498.00 की ईट बिना निविदा आमन्त्रित किये क्षेत्रिय ब्रिक फील्ड से की गई इस प्रकार नियम विरुद्ध कार्य करके क्षेत्रिय ब्रिक फील्ड को लाभ पहुंचाने का कृत्य तत्कालीन लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख के द्वारा किया गया। अतः स्पष्ट हैं कि शासनादेश का उल्लंघन करके सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया गया।

(बी) 2460.00 रुपये का साइन बोर्ड खरीदा गया है लेकिन इससे सम्बन्धित बिल बाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह अपहरण का विषय है।

(सी) मिट्टी का कार्य 11460.00 रुपये का कराया गया है लेकिन लेखा परीक्षा में कितने क्यूब मिट्टी का प्रयोग हुआ तथा किस रेट से भुगतान हुआ उसका विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सुसंगत बिल बाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

इस प्रकार लेखा परीक्षक का मानना है कि उपरोक्त व्यय कुल धनराशि रुपया 232888.00 में रुपया 13920.00 का अपहरण एवं शेष राशि के व्यय में कई स्तरों पर शासनादेशों का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 45

क्षेत्र पंचायत का वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत रामनगर मे मॉल भरावन रोड से ट्यूबेल तक खडंजा का कार्य राज्य वित्त की अनुदान राशि से सम्पन्न हुआ इससे सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित है।

उक्त कार्य की अनुमानित लागत 154103.00 रुपये है जिससे श्रमांश 24960.00 रुपये है तथा सामग्री अंश 128702.00 रुपये है। जबकि वास्तविक लागत 153662.00 है जिसमें 126242.00 रुपये का भुगतान दिनांक 22.05.11 को चेक संख्या-04426से सिंह ईट भट्टा को किया गया। उक्त सामग्री क्रय बिना निविदा आमन्त्रित किया गया। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)861 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रुपये एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। जबकि सिंह ईट भट्टा से बिना निविदा आमन्त्रित किये रु0 126242.00 की ईट क्रय करके अनुचित लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया।

उक्त कार्य केवल एक ग्राम पंचायत को ही आच्छादित करता है। लेखा परीक्षा में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त कार्य दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करता है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये कार्य या नए कार्य कराये जायेंगे। जबकि उक्त कार्य में इस शासनादेश का उल्लंघन हुआ है।

क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के आदेशानुसार मजदूरी का योगदान जाब कार्ड धारकों से लिया जायेगा। जबकि उक्त कार्य में नियोजित श्रमिकों का पारिश्रमिक उनके बैंक खाते में न देकर बृजेशन कुमार द्वारा स्वयं के नाम रूपया 24960.00 का भुगतान नकद प्राप्त किया गया है। और नकद वितरण किया गया। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है। वर्तमान समय में मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों के खाते में भुगतान न करना संदेह की स्थिति को बढ़ावा है। इसी प्रकार लेखा परीक्षा में साइन बोर्ड का बिल प्रमाणक रु 2460.00 अप्राप्त रहा।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा का यह मत है कि उक्त कार्य में व्यय सम्पूर्ण धनराशि रूपया 153662.00 में से रूपया 2460.00 का अपहरण करते हुए शेष राशि रु 151202.00 के व्यय में शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए गंभीर अनियमितता बरती गई है, जिसके लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-46

क्षेत्र पंचायत मॉल का वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त अनुदानों से कुल रु 4944765.00 का व्यय विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के कार्यों में किया गया जिसमें श्रमिकों को नियोजित किया गया तथा लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है। जबकि शासनादेश संख्या 1656/36-2-2010 दिनांक 15 दिसम्बर 2010 के अनुसार सन्निर्माण कार्यों में जहां श्रमिक नियोजित किये जाते हैं उस कार्य पर लागत प्रतिशत कटौती करके जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत संग्रहक के पास जमा किया जाना चाहिए।

अतः वर्ष के दौरान निर्माण कार्यों पर खर्च कुल धनराशि रु 4944765.00 का 1 प्रतिशत रु 49448.00 होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, तथा तत्कालीन लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 47

क्षेत्र की वित्तीय वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में 13वें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों से कराए गये कार्यों के संदर्भ में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है-

क्रम	दिनांक	धनराशि	मद (सामग्री) क्रय		रायल्टी की राशि		फर्म
		रूपये में	मोरंग	साधारण बाजू	रूपये में	दर	
1.	15.10.11	16096.00		16.67 घनमीटर	550.11		संजय लोहा भंडार
2.	15.10.11	14049.00	13.63 घनमीटर		1022.25		संजय लोहा भंडार
3.	26.12.11	12226.00	11.86 घनमीटर		889.50		संजय लोहा भंडार
4.	26.12.11	14600.00		15.12 घनमीटर	498.96		संजय लोहा भंडार
5.	10.12.11	9650.00		10 घनमीटर	330.00		संजय लोहा भंडार
6.	10.12.11	8240.00	8 घनमीटर		600.00		संजय लोहा भंडार
7.	10.12.11	6031.00		6.24 घनमीटर	205.92		संजय लोहा भंडार
8.	10.12.11	4892.00	4.74 घनमीटर		355.50		संजय लोहा भंडार
	योग				4452.24		

उक्त सभी क्रयों के सन्दर्भ में आपत्ति का प्रमुख बिन्दु यह है कि यह उपखनिज/सामग्री क्रय करते समय, क्षेत्र पंचायत को यह सुनिश्चित करना था कि उक्त खनिजों पर रायल्टी का भुगतान हो चुका हो। इसके लिए वैध परिवहन (एमएम-11) प्रपत्र सी या रायल्टी भुगतान की प्रमाणित चालान की प्रतिलिपि क्षेत्र पंचायत में जमा करना था यह फिर क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्बन्धित फर्म के देयक बिल से रायल्टी की राशि की कटौती कर ट्रेजरी में जमा कराना चाहिए था। (शासनादेश संख्या-4020/7705-2003-1(216)/93 दिनांक 12.08.2003 के अनुसार) किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया परिणाम स्वरूप रायल्टी की राशि रूपया 4452.24 राजकीय कोष में जमा नहीं हो सकी और राजकीय राजकीय राजस्व ही हानि हुई। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना एवं राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48

क्षेत्र पंचायत मॉल का वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम अतारी से डामर रोड से कुतिहार तक खड़जा मरम्मत पर कुल व्यय 896280.00 रुपया व्यय किया गया। उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्न लिखित हैं।

उक्त कार्य हेतु बिना निविदा आमन्त्रित किये माधव ब्रिक फील्ड से ईट आपूर्ति ली गयी। उक्त के क्रम में माधव ब्रिक फील्ड को क्रमशः 164067.00 रुपया 167825.00 एवं 140630.00 रुपया का भुगतान किया गया। सभी भुगतान एक लाख से ऊपर हैं इसलिए निविदा आमन्त्रित करके ही ईट आपूर्ति का ठेका दिया जाना चाहिए था। जबकि शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(186 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रुपये एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। जबकि उक्त कार्य हेतु निविदा न आमन्त्रित कर माधव ब्रिक फील्ड का लाभ पहुँचाया गया।

उक्त खड़जा का मरम्मत कार्य किया गया है, जबकि लेखा परीक्षा में न तो सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त माग के हस्तान्तरण से सम्बन्धित कोई प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। जबकि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि का उपयोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 17/19/33-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत संक्रमित धनराशि का उपयोग स्वयं द्वारा सृजित सम्पत्ति या हस्तान्तरित का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

उक्त कार्य में मजदूरी का भुगतान 157850.00 रुपया श्री बृजेश कुमार वर्मा द्वारा प्राप्त कर मजदूरों को नकद वितरण किया गया। कार्य की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कार्य जब कार्ड धारकों से कराया जायेगा। अधिकतर मजदूरों के बैंक खाते मनरेगा योजना के तहत साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत बैंक में मौजूद हैं। इसके बावजूद भी मजदूरों का खाते में भुगतान न करके 157850.00 रुपये क्षेत्र पंचायत से प्राप्त कर श्री बृजेश कुमार वर्मा के द्वारा नकद वितरण किया गया जो कि नियम विरुद्ध है।

उक्त कार्य एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित कर रहा है। यह शासनादेश संख्या 17/19/33-3-2010-48/2007 एवं 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 के अनुसार क्षेत्र पंचायत राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा से प्राप्त अनुदान का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले मार्गों के निर्माण पर करेगा के अनुरूप नहीं है।

अतः उक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँची कि उक्त कार्य हेतु व्यय रु0 896280.00 में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी जिससे सम्बन्धित को जान बूझकर लाभ पहुँचाया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी, उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-49

क्षेत्र पंचायत मॉल का वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त अनुदानों से कुल रु0 3193658.00 का व्यय विभिन्न निर्माण कार्यों में किया गया जिससे श्रमिकों को नियोजित किया गया तथा लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है जबकि शासनादेश संख्या 1656/36-1-2010 दिनांक 15 दिसम्बर 2010 के अनुसार सनिर्माण कार्यों में जहाँ श्रामिक नियोजित किये जाते हैं उस कार्य पर लागत से 1 प्रतिशत कटौती करके जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत संग्राहक के पास जमा किया जाना चाहिए।

अतः वर्ष के दौरान निर्माण कार्यों पर खर्च कुल धनराशि रु0 3193658.00 1 प्रतिशत रु0 31936.58 होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं तत्कालीन लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-50

क्षेत्र पंचायत की वित्तीय वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में यह पाया गया है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि से रुपया 600388.00 व्यय करके अपना बाजार से चिकतन गढ़ही तक नाली निर्माण कराया गया हैं उक्त धन राशि के व्यय के सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं।

उपरोक्त कार्य के प्राक्लन में इटों के व्यय पर कुल अनुमानित धनराशि रु 284160.00 थी। इस अनुमानित धनराशि के सापेक्ष कुल रुपया 271855.00 का व्यय वास्तविक रूप से इटों को खरीदने में किया गया। यह ईट खरीद कोटेशन की प्रक्रिया के आधार पर की गयी जबकि ईट की कीमत रुपये एक लाख से अधिक हैं अतः उक्त के क्रम में निविदा आमन्त्रित करना था जो कि नहीं किया गया। जबकि शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री क्रय हेतु रुपये एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। उक्त ईट क्रय में शासनादेश का उल्लंघन हुआ है।

उपरोक्त कार्य में कुल रुपया 115440.00 का व्यय वास्तविक रूप से सीमेन्ट को खरीदने में किया गया। यह सीमेन्टर खरीद कोटेशन की प्रक्रिया के आधार पर की गयी। जबकि सीमेन्ट की खरीद एक लाख रुपये से अधिक की गयी। जबकि सीमेन्ट की खरीद एक लाख रुपये से अधिक की गयी इसलिए निविदा आमन्त्रित करना चाहिए था।

शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1) 861 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रुपये एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत सन्दर्भ से बिना निविदा आमन्त्रित किये खरीददारी करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

उक्त आपत्तियों के आलोक में कार्य से प्रयुक्त ईट एवं सीमेन्ट क्रय करने पर प्रयुक्त की गयी धनराशि 387295.00 शासनादेश का पूरी तरह विचलन करते हुए क्रय की गयी, अतः उक्त अनियमित व्यय के लिए तत्कालीन क्षेत्र पंचायत अनियमित व्यय के लिए तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 51

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम दिधारा में डामर रोड से सत्यनारायन, के घर तक खड़जा कार्य किया गया। इस कार्य पर 145484.00 रुपये व्यय किया गया। उक्त व्यय से आपत्तियां निम्नलिखित हैं-

उक्त कार्य पर कुल 145484.00 रुपये व्यय किया गया है। जिसमें से 127000.00 रुपये का भुगतान क्षत्रिय ब्रिड फील्ड को ईट क्रय के लिए किया गया है। उक्त सामग्री का क्रय बिना निविदा लिए किया गया। जबकि वित्तीय हस्त प्रस्तिका खण्ड एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री क्रय हेतु एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। अतः उक्त खरीद से क्षत्रिय ब्रिड फील्ड को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

उक्त कार्य शेष 2012-13 की कार्य योजना में शामिल था तथा कार्य वर्ष 2013-14 में प्रारम्भ हुआ। जबकि वर्ष 2013-14 की कार्य योजना में शामिल नहीं था। यह एक गंभीर अनियमितता है वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत में स्पष्ट लिखा है। कि कार्य किसी भी दिशा में वर्ष 2012-13 में पूरा कराया जायेगा।

उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत दिधारा को आच्छादित कर रहा है। जबकि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 17ह/19/ 33-3-2010-48/2007 दिनांक 01.09.02010 के प्रस्तर 2.4 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये गये कार्य की मरम्मत या नये कार्य कराये जायेंगे। प्रस्तुत सन्दर्भ में इस शासनादेश का उल्लंघन कर क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करने वाला कार्य कराया गया है।

अतः उक्त आपत्तियों के आलोक में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि उक्त कार्य के सम्पन्न होने में कई स्तरों पर शासनादेश का गंभीर उल्लंघन हुआ एवं शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हुआ। अतः रु0 145484.00 के अनियमित व्यय के लिये विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, अवर अभियन्ता, लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 52

क्षेत्र पंचायत मॉल की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सत्येन्द्र के घर डामर रोड से गिरीश सिंह के घर तक नाली खड़जा निर्माण कार्य पर 85055.00 रुपये व्यय किया गया। उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं।

उक्त निर्माण कार्य से केवल एक ग्राम पंचायत आच्छादित हो रही है। जबकि राज्य वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित मार्ग दर्शक हेतु शासनादेश संख्या 17/19/33-3-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के अनुसार क्षेत्र पंचायत धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर करेगा।

उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2012-13 की कार्य योजना में शामिल था। जबकि कार्य बिना कार्य योजना के पुनः अनुमोदन के वर्ष 2013-14 में कराया गया। वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत के अनुसार कार्य को उसी वर्ष कराया जाना अनिवार्य होता है। जिस वर्ष की कार्य योजना में वह शामिल होता है। उक्त कार्य बिना स्पष्ट कारण के 2012-13 में न कराकर 2013-14 में कराया गया यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का घटक है।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि कार्य में व्यय धनराशि रु 85055.00 में कई स्तरों पर शासनादेश का उल्लंघन एवं वित्तीय नियमों का विचलन हुआ है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, अवर अभियन्ता एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वूसली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 53

क्षेत्र पंचायत का वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हुसैनपुर में डामर रोड से वाजिद के घर तक खड़जा निर्माण किया गया जिसके सापेक्ष 336542.00 रुपया व्यय किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नलिखित हैं।

उक्त कार्य हेतु सिंह ईट भट्टा को क्रमशः दिनांक 20.02.2013 को 245820.00 रुपया एवं 23.03.13 को 41097.00 रुपया ईट क्रय के लिए भुगतान किया गया। सिंह ईट भट्टा को कुल रुपया 286917.00 का भुगतान किया गया। सामग्री की कीमत एक लाख रुपये से अधिक है इस लिए इस क्रय के लिए निविदा आमन्त्रित करना था जो कि नहीं

किया गया। शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस- 08-15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु रूपया एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। उक्त सन्दर्भ में बिना निविदा आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। उक्त सन्दर्भ में बिना निविदा आमन्त्रित किये सिंह ईट भट्टा से ईट क्रय करके उसे लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया एवं जानबूझकर शासनादेश के उल्लंघन एवं वित्तीय नियम की अवहेलना की गयी।

उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित कर रहा है जबकि शासनादेश संख्या 17/19/33-3-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 के अनुसार राज्य वित्त के अनुशंसा से प्राप्त धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायत को आच्छादित करने वाले मार्गों के रखरखाव पर व्यय किया जायेगा। उक्त व्यय के सन्दर्भ में इस शासनादेश का उल्लंघन करके नियम विरुद्ध, कार्य किया गया है यह आपत्ति का विषय है। अतः उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि उक्त में में रु0 336542.00 खर्च हुआ है, कार्य सम्पन्न होने में शासनादेशों एवं शासन की मंशा से स्पष्ट विचलन किया गया है इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 54

क्षेत्र पंचायत माल का वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त अनुदानों से कुल रु0 3326983.00 का व्यय विभिन्न निर्माण कार्यों में किया गया जिससे श्रमिकों को नियोजित किया गया तथा लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है जबकि शासनादेश संख्या 1656/36-2-2010 दिनांक 15 दिसम्बर 2010 के अनुसार सनिर्माण कार्यों में जहां श्रमिक नियोजित किये जाते है उस कार्य पर लागत का 1 प्रतिशत कटौती करके जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृति संग्राहक के पास जमा किया जाना चाहिए।

अतः वर्ष के दौरान निर्माण कार्यों पर खर्च कुल धनराशि रु0 3326983.00 का 1 प्रतिशत रु0 33296.83 होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-55.

क्षेत्र पंचायत माल की वित्तीय वर्ष 2013-14 की लेखापरीक्षा में 13 वें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान से कराए गये कार्यों के संदर्भ में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है:-

क्रम	दिनांक	धनराशि	मद सामग्री क्रय प्रति धन.....			रायल्टी की राशि	फर्म
			मोरंग (घन मी0)	बालू (घन मी0)	मिट्टी (साधारण)		
1	27.01.14	12360.00	12 घन मी0	—	—	900.00	संजय लोहा भंडार
2	27.01.14	11520.00	—	12 घन मी0	—	396.00	संजय लोहा भंडार
3	8.11.13	25855.00	15.6 घन मी0	—	—	1170.00	संजय लोहा भंडार
4	23.11.13	7029.00	4.26 घन मी0	—	—	319.50	संजय लोहा भंडार
5		24310.00	—	—	8.53 घन मी0	119.42	संजय लोहा भंडार
6	02.02.14	22935.00	13.9 घन मी0	—	—	1042.50	संजय लोहा भंडार
7	01.01.14	5996.00	—	—	2.11 घन मी0	29.54	संजय लोहा भंडार
8	04.03.14	351.00	—	0.37	—	12.21	संजय लोहा भंडार
9	04.03.14	7705.00	4.67	—	—	350.25	संजय लोहा भंडार
10	09.03.14	4795.00	—	4.17 घन मी0	—	137.61	संजय लोहा भंडार
11	09.03.14	12416.00	7.76 घन मी0	—	—	582.00	संजय लोहा भंडार
12	03.03.14	9200.00	—	08घन मी0	—	264.00	संजय लोहा भंडार
13	03.03.14	56000.00	35 घन मी0	—	—	2625.00	संजय लोहा भंडार
	योग					7948.03	

उक्त सभी सामग्रियों के क्रयों के सन्दर्भ में आपत्ति का प्रमुख बिन्दु यह है कि न उपखनिजो/सामग्रियों को क्रय करते समय, क्षेत्र पंचायत को यह सुनिश्चित करना था कि उक्त खनिजो/सामग्रियों पर रायल्टी का भुगतान हो चुका है। इसके लिए वैध परिवहन (एमएम-11) प्रपत्र की, या रायल्टी भुगतान की प्रमाणित चालान की छायाप्रति, क्षेत्र में जमा कराई जानी चाहिए थी या फिर क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्बन्धित फर्म के देयक बिल से रायल्टी की राशि की कटौती कर ट्रेजरी में जमा कराया जाना चाहिए था (शासनादेश संख्या-4020/7705-2003-1 (216)/93, दिनांक, 12.08.2003 के अनुसार) किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। फलतः रायल्टी की राशि रूपया 7948.03 जैसा कि उपरोक्त तालिका में अंकित है। राजकोष में नहीं जमा हो सकी और राजकीय राजस्व की क्षति हुई। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से करके सुसंगत चालान लेखा शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-56

क्षेत्र पंचायत मॉल की वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में 13वें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान से कराए गये कार्यों के संदर्भ में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है-

क्रम	दिनांक	धनराशि	मद सामग्री क्रय प्रति धन मीटर			रायल्टी की राशि	फर्म का नाम
			मोरंग (साधारण)	बालू (साधारण)	मिट्टी (साधारण)		
1	29.05.14	41270.00	25 घन मी0		75	1875.00	संजय लोहा भंडार
2	29.05.14	3465.00	—	03 घन मी0	33	99.00	संजय लोहा भंडार
3	08.05.14	49500.00	30 घन मी0	—	75	2250.00	संजय लोहा भंडार
4	8.05.14	5775.00	—	5 घन मी0	33	165.00	संजय लोहा भंडार
5	14.6.14	346.50	—	0.30 घन मी0	—	10.0	संजय लोहा भंडार
6	14.6.14	11649.00	7.06 घन मी0	—	—	529.00	संजय लोहा भंडार
7	4.7.14	1575.00	0.92 घन मी0	—	—	69.00	संजय लोहा भंडार
8	17.12.14	8547.00	5.18 घन मी0	—	—	388.50	संजय लोहा भंडार
9	24.7.14	24750.00	15 घन मी0	—	—	1125.00	संजय लोहा भंडार
10.	24.07.14	3184.00	—	3.3 घन मी0	—	109.00	संजय लोहा भंडार
11	14.02.15	482.00	—	0.50 घन मी0	—	16.50	संजय लोहा भंडार
12	14.02.15	742.00	0.45 घन मी0	—	—	33.75	संजय लोहा भंडार
13	6.06.14	6297.00	—	6.56घन मी0	—	216.48	संजय लोहा भंडार
14	6.6.14	2575.00	2.50 घन मी0.			187.50	संजय लोहा भंडार
15.	17.12.14	8547.00	5.18 घन मी0	—	—	388.50	संजय लोहा भंडार
16	06.06.14	6297.00	—	6.56घन मी0		216.48	संजय लोहा भंडार
17	06.06.14	2575.00	2.50 घन मी0	—	—	187.50.	संजय लोहा भंडार
	योग					7866.21	

उक्त सभी सामग्री क्रयों के सन्दर्भ में आपत्ति का प्रमुख बिन्दु यह है कि ये उपखपनिज/सामग्री क्रय करते समय, क्षेत्र पंचायत को यह सुनिश्चित करना था कि उक्त खनिजों पर रायल्टी का भुगतान हो चुका है। इसके लिए वैध परिवहन (एमएम-11) प्रपत्र-सी या रायल्टी भुगतान की प्रमाणित चालान की प्रतिलिपि क्षेत्र पंचायत में जमा करना था या फिर क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्बन्धित फर्म के देयक बिल से रायल्टी की राशि की कटौती कर ट्रेजरी में जमा कराना चाहिए था। (शासनादेश संख्या-4020/7705-2003-1(216)/93, दिनांक 12.08.2003 के अनुसार)। किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। फलतः रायल्टी की राशि रूपया 7866.21 (संलग्न तालिका के अनुसार) राजकीय कोष में जमा नहीं हो सही। और राजकीय राजस्व की हानि हुई अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से किया जाना एवं उसे राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-57

क्षेत्र पंचायत की वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार खड़जा निर्माण का कार्य कराया गया है-राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि से-

क्रम	कार्य का नाम	कार्यस्थल	व्यय धनराशि	अभ्युक्ति
1	ग्राम पंचायत-उमरावल में स्थित पसियन खेड़ा में धर्म देव के घर से संतोष के खेत तक खड़जा निर्माण।	उमरावल	667394.00	—
2	ग्राम भवानीखेड़ा मजरा करेन्द में शिवविशाल सिंह के घर से पंचायत भवन तक खड़जा निर्माण	करेन्द	394155.00	—
3	ग्राम अकबर पुर में गयीदीन के बाग से डामर रोड तक खड़जा निर्माण कराया गया।	अकबरपुर	557399.00	—
		योग	1618948.00	

उक्त व्ययों के संदर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु यह है कि उक्त कार्य एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है, जबकि शासनादेश संख्या-1719/33-3-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 के अनुसार राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपयोग का उपयोग एक अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले निर्माण कार्यों पर किया जायेगा किन्तु उक्त निर्माण कार्य में शासनादेश का पूरी तरह उल्लंघन किया गया है फलतः उक्त व्यय धनराशि रु0 1618948.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा अवर अभियंता से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-58.

क्षेत्र पंचायत मॉल की वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं में रूपया 11492076.00 का व्यय विभिन्न निर्माण कार्यों में किया गया है। जिसमें श्रमिकों को नियोजित किया गया, किन्तु लेबर सेस की कटौती नहीं की गई है। जबकि शासनादेश संख्या 1656/36-2-2010 दिनांक 15 दिसम्बर का 1 प्रतिशत कटौती करके जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत संग्राहक के पास जमा किया गया चाहिए।

अतः वर्ष के दौरान निर्माण कार्यों पर खर्च कुल व्यय धनराशि रु0 11492076.00 का 1 प्रतिशत रु0 114920.76 होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-59.

क्षेत्र पंचायत मॉल की वित्तीय वर्ष 2015-16 की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत-संसपन, मजरा रघुनाथखेड़ा में डामर रोड से बाबू के घर तक खड़जा निर्माण का राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि से कराया गया है जिस पर कुल रु0 1077350.00 व्यय हुआ है। जबकि शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015 दिनांक 31.07.15 के प्रस्तर-6 के अनुसार क्षेत्रपंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले नवीन निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। शासनादेश के प्रस्तर-6(3) के अनुसार उक्त आदेश का कड़ी (सख्ती) से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उक्त आपत्ति के आलोक में लेखापरीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय रु0 1077350.00 अनियमित है जो शासनादेश का स्पष्ट विचलन/उल्लंघन करता है। फलतः व्यय की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-60.

क्षेत्र पंचायत माल की वित्तीय वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में यह पाया गया है कि ग्राम पंचायत गुमसेना में इटौंजा रोड से बक्शी खेड़ा सम्पर्क मार्ग तक खड़जा मरम्मत का कार्य, राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि से कराया गया है इस पर कुल रु 833240.00 व्यय किया गया। इस कार्य से सम्बन्धित आपत्तियाँ निम्नलिखित हैं—

उक्त कार्य खड़जा मरम्मत का है। जबकि शासनादेश-97/2016/2811/ 33-3-2016-03/2015, दिनांक 28/11/2016 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की राशि को उन्हीं परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है, जो या तो उनके द्वारा उनके द्वारा सृजित द्वारा सृजित परिसम्पत्ति हो या फिर हस्तान्तरित परिसम्पत्ति। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त मार्ग पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा सृजित परिसम्पत्ति है या फिर हस्तान्तरित सम्पत्ति।

उक्त मार्ग से केवल एक ही ग्राम पंचायत अर्थात् गुमसेना आच्छादित है/लाभान्वित है। जबकि शासनादेश संख्या-97/2016/2811/33-3-2016-03/2015 दिनांक 28/11/2016 के प्रस्तर-6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों/ विकास कार्यों के रखरखाव पर किया जायेगा।

शासनादेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्त के प्रस्तर-6(3) के अनुसार उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किन्तु उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय रूपया 833240.00 शासनादेश का स्पष्ट विचलन करता है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी, माननीय ब्लाक प्रमुख, लेखाकार तथा अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-61.

क्षेत्र पंचायत माल की वित्तीय वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ग्राम पंचायत शाहपुर गोड़वा में शाहपुर से सुल्तानपुर तक खड़जा मरम्मत का कार्य राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि रु0 694824.21 से कराया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित आपत्तियाँ निम्नलिखित हैं—

उक्त कार्य खड़जा मरम्मत का है। जबकि शासनादेश संख्या-97/2016/2811/33-3-2016-03/ 2015, दिनांक 28/11/2016 एवं शासनादेश संख्या-1838 /33-3 -2015-03/2015, दिनांक 31-07-2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि को उन्हीं परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है, जो या तो उनके द्वारा सृजित परिसम्पत्ति से या फिर हस्तान्तरित परिसम्पत्ति। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मार्ग क्षेत्र पंचायत द्वारा पूर्व में सृजित परिसम्पत्ति है या फिर हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त परिसम्पत्ति।

उक्त मार्ग से केवल एक ही ग्राम पंचायत अर्थात् शाहपुर गोड़वा आच्छादित है/लाभान्वित हैं जबकि शासनादेश संख्या-1939/33-3-2015-03/2015, दिनांक 31-07-2015 के प्रस्तर-6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त

आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपयोग, एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों विकास कार्यों के रखरखाव पर किया जायेगा।

शासनादेश के मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रस्तर-6(3) के अनुसार उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था किन्तु, उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय रूपया 694824.21, शासनादेश का स्पष्ट विचलन करते हुए व्यय की गई है, अतः इस गंभीर अभियमितता के लिये तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा अवर अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-62

क्षेत्र पंचायत माल की वित्तीय वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में यह पाया गया है कि ग्राम पंचायत-कैडौरा में माल-भरावन रोड से बब्लू के घर तक खड़जा निर्माण का राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि से कराया गया है। जिसपर कुल धनराशि रु0 504050.00 व्यय हुई। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को लाभान्वित/आच्छादित करता है, जबकि शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015, दिनांक 31-07-2015 के प्रस्तर-6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपयोग, एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले, नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। शासनादेश के प्रस्तर-6(3) के अनुसार उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उक्त आपत्ति के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय रूपया 504050.00 अनियमित है जो शासनादेश का स्पष्ट विचलन करता है। अतः उक्त अनियमित व्यय हेतु तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा अवर अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-63.

क्षेत्र पंचायत की वित्तीय वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार खड़जा निर्माण कार्य, राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि से कराया जाना पाया गया है-

क्रम	कार्य का नाम	कार्यस्थल	व्यय धनराशि	अभ्युक्ति
1	दिधारा में कढिले पासी के खेत से बनेवापुरवा में भगौती के घर तक खड़जा निर्माण।	743682.00	कमालपुर लोधौरा	-
2	डॉ० किशन के अस्पताल के माऊ मागन रोड तक खड़जा निर्माण	375452.00	माल	-
3	बाबू के घर से कच्ची रोड तक खड़जा निर्माण कार्य	66128.00	समापन	-
योग-		1185262.00		

उक्त व्ययों के संदर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु यह है कि-

उक्त कार्य एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करता है, जबकि शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015, दिनांक 31-07-2015 के अनुसार राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले निर्माण निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। अतः उक्त कार्य शासनादेश का स्पष्ट विचलन करता है। अतः इस किये गये रु0 1185262.00 के अनियमित व्यय हेतु तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार तथा अवर अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति वर्ष-2011-12

नाम क्षेत्र पंचायत - काकोरी

विकास खण्ड-काकोरी

वर्ष-2011-12 से 2016-17

प्रस्तर संख्या-64

अनुदान रजिस्टर में वर्ष 2011-12 के राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार धनराशि व्यय की जानी दर्शित है।

क्रमांक	तिथि	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि	मद
1.	01.08.2011	बंसल ब्रिक फिल्ड	313672.00	ईंट
2.	15.12.2011	दिनेश सिंह (ग्रा०वि०अ०)	37080.00	मजदूरी
3.	15.12.2011	-	1298.00	मजदूरी
4.	29.03.2012	गुप्ता मिल स्टोर	7390.00	प्लास्टर कार्य
		योग-	359440.00	

(1) व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली, कार्य का नाम व आगणन, स्वीकृति, टेण्डर/कोटेशन, व्यय प्रमाणक, मास्टर रोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध था। अतः इस किए गये अनियमित व्यय रु० 359440.00 के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव एवं लेखाकार नीरज श्रीवास्तव से उत्तरदायी है। इनसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-65

वर्ष 2011-12 के तेरहवां वित्त आयोग के अनुदान रजिस्टर के अवलोकन से निम्न विवरणानुसार धन व्यय दर्शित है।

क्रमांक	तिथि	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	मद/सामग्री
1.	26.09.2011	466841.00	बंसल इण्डस्ट्रीज	खडंजा निर्माण हेतु ईट
2.	15.12.2011	151856.00	शिवराम ब्रिक फिल्ड	खडंजा निर्माण हेतु ईट
	योग-	618697.00		

उक्त व्यय की गई धनराशि पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी है:-

(1) व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी जिससे टेण्डर, कार्य की लागत, व्यय प्रमाणक कार्य की स्वीकृति सम्बन्धित विवरण के अभाव में इस किए गये अनियमित व्यय रु० 618697.00 के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव व लेखाकार नीरज श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-66

अनुदान रजिस्टर-।। वर्ष 2011-12 के तेरहवां वित्त आयोग से दिनांक: 26.09.2011 में रु. 100080.00 का भुगतान मजदूरी मद में ग्रा०वि० अधिकारी दिनेश कुमार को किया गया है। लेखा परीक्षा में मास्टर रोल, कार्य की पत्रावली अनुपलब्ध थी। अतः अनियमित व्यय के लिए ग्रा०वि० अधिकारी दिनेश कुमार खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव व लेखाकार नीरज श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति वर्ष 2012-13

प्रस्तर संख्या-67

अनुदान रजिस्टर-।। वर्ष 2012-13 के एस. जी एस 4 मद से निम्न विवरणानुसार धनराशि भुगतान की गई है।

क्रमांक	तिथि	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	मद/सामग्री
1.	07.11.2012	श्री बेचालाल	7500.00	अज्ञात
	07.11.2012	श्री सजीवन	10000.00	अज्ञात
	07.11.2012	श्री कौशल	7500.00	अज्ञात
2.	04.12.2012	हस्तान्तरित खाता में	400000.00	अज्ञात
	04.12.2012	अग्रिम खाता में	37500.00	अज्ञात
3.	12.02.2013	श्री विनोद	10000.00	अज्ञात
		श्री अशोक कुमार	75000.00	अज्ञात
		श्री रंजीत सिंह	75000.00	अज्ञात
		श्री भगवान दास	10000.00	अज्ञात
4.	11.03.2013	हस्तान्तरित खाते में	500000.00	अज्ञात
		योग-	1132500.00	

उक्त व्यय की गई धनराशि पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी है।

(1) उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी अतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि व्यय किया गया धनराशि किस कार्य हेतु किया गया है।

(2) कार्य की स्वीकृति, आगणन, कार्य संचालन हेतु क्रय के लिए निविदा व मास्टर रोल, कुछ भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं था।

अतः उक्त अनियमित व्यय के लिए ब्लाक प्रमुख श्री नीतू यादव, खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव लेखाकार श्री नीरज श्रीवास्तव से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-68

वर्ष 2012-13 के राज्य वित्त आयोग (खाता संख्या-11034) की अनुदान रजिस्टर-।। के अवलोकन से विदित है कि निम्न विवरणानुसार धन व्यय किया गया है।

क्रमांक	तिथि	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	मद
1.	18.06.2012	77116.0	ग्रा० वि० अधिकारी भानु प्रताप सिंह	नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय व मजदूरी

2.	18.08.12	22340.00	संजय निगम (एसीसीटी आईआरडी)	कार्यालय की रंगई पुताई
3.	10.12.12	5280.00	मनोज मिल स्टोर्स	अज्ञात
	योग	104736.00		

जिस निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी है।

(1) उक्त व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी जिससे कार्य का नाम, कार्य की स्वीकृति, आगणन, निविदा, मास्टर रोल, क्रय प्रमाणक की स्थिति अप्राप्त रही। अतः रु0 104736.00 के अनियमित व्यय हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री गजेन्द्र कुमार तिवारी (क्रमांक 1-2) खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव क्रमांक (3), ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव, लेखाकार नीरज श्रीवास्तव, भानु प्रताप सिंह (ग्रा0वि0अ0) एवं श्री संजय निगम (एसीसीटी आईआरडी) उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति वर्ष-2013-14

प्रस्तर संख्या-69

वर्ष 2013-14 में तेरहवाँ वित्त आयोग के मद से अनुदान रजिस्टर-।। में अंकित विवरण से विदित है कि दिनांक 27.08.2013 को चेक संख्या 114851 से रु0 787187.00 का भुगतान मेसर्स एग्रो इण्डिया, हिन्द नगर, लखनऊ से 25 नग सोलर स्ट्रीट लाइट एल0ई0डी0 क्रय हेतु किया गया है। जिस पर निम्न आपत्ति है।

- (1) उक्त क्रय से सम्बन्धित कोटेशन/टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (2) खरीद से सम्बन्धित क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध था।
- (3) उक्त सोलर लाइट का क्रय हेतु क्षेत्र पंचायत से पारित प्रस्ताव लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध था।
- (4) नेडा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पत्रिकाओं में प्रति सी0एफ0एल0 रु0 7100.00 व केन्द्र द्वारा 7800.00 का अनुदान अर्थात् 14900.00 का अनुदान अनुमन्य है। उक्त क्रय में अनुदान की स्थिति की क्या स्थिति थी, लेखा परीक्षा में अज्ञात थी।

क्रमांक (1) से (4) के परिपेक्ष्य में रु0 787187.00 के अनियमित व्यय के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव व लेखाकार नीरज श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-70

अनुदान रजिस्टर वर्ष 2013-14 के अवलोकन से विदित है कि खाता संख्या 0121 (बीओआई) तेरहवाँ वित्त आयोग से दिनांक 12.11.2013 को चेक संख्या 114858 से रु0 55000.00 का भुगतान श्री विनोद कुमार वर्मा (ग्रा0वि0अ0) को किया गया है। रजिस्टर के विवरण में उक्त व्यय नरेन्द्र सिंह के घर से अजय सिंह चौहान के घर तक नाला निर्माण पर ईंट क्रय व अन्य सामग्री एवं श्रमिक भुगतान पर दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी। जिससे सामग्री क्रय, सामग्री क्रय हेतु निविदा की स्थिति, क्षेत्र पंचायत में प्रस्तावित कार्य, मास्टर रोल, क्रय प्रमाणक, कार्य की स्वीकृति व आगणन व उ स पर हुए कुल व्यय की स्थिति अप्राप्त रही। जिससे यह रकम व्यय की गई है कि पुष्टि नहीं होती अतः उक्त अनियमित व्यय हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय सिंह, खण्ड (ब्लाक प्रमुख) श्रीमती नीतू यादव, लेखाकार नीरज श्रीवास्तव व ग्रा0वि0 अधिकारी श्री विनोद कुमार वर्मा उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-71

अनुदान रजिस्टर वर्ष 2013-14 के अवलोकन से विदित है कि खात संख्या 0121 (बीओआई) तेरहवाँ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार प्रधान कन्स्ट्रक्शन को भुगतान किया गया है विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	तिथि	चेक सं0	धनराशि रु0	मद
1.	09.12.2013	114859	95756.00	नाला निर्माण व इण्टरलॉकिंग पर सामग्री
2.	10.01.2014	114861	133950.00	नाला निर्माण व इण्टरलॉकिंग पर सामग्री
3.	13.01.2014	114863	118436.00	नाला निर्माण व इण्टरलॉकिंग पर सामग्री
4.	20.01.2014	114864	228871.00	इण्टरलॉकिंग व टाइल सामग्री
5.	20.01.2014	114865	148595.00	नाला निर्माण व इण्टरलॉकिंग पर सामग्री
6.	20.02.2014	114832	102472.00	इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण सामग्री
7.	20.02.2014	114833	220634.00	इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण सामग्री
8.	03.03.2017	114837	169419.00	इण्टरलॉकिंग टाइल सामग्री
	योग		1218133.00	

उक्त भुगतान की गई राशियों पर निम्न आपत्ति है।

- (1) प्रधान कन्स्ट्रक्शन को उक्त कार्य हेतु टेण्डर के माध्यम से कार्य दिया गया कि नहीं, पत्रावली के अभाव में अज्ञात रहा।
- (2) समस्त क्रयों का बिल बाऊचर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

- (3) कार्य, जिन-जिन ग्रामों में हुआ उससे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत में प्रस्तावित व स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (4) व्यय की गयी धनराशियों से सम्बन्धित ज्वै कटौती की स्थिति अज्ञात रही।
- (5) आगणित राशि व उस पर व्यय की गई राशि की स्थिति अज्ञात रही।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में उक्त कुल व्यय धनराशि 1218133.00 अनियमित रहा तथा इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव व लेखाकार नीरज श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-72

वर्ष 2013-14 राज्य वित्त के मद से अनुदान रजिस्टर-।। में अंकित विवरण से विदित है कि दिनांक 20.02.2014 को चेक संख्या 114835 से रू0 654880.00 का भुगतान चावला इलेक्ट्रानिक चौक बाजार गोण्डा से 25 नग लाइट क्रय हेतु किया गया है जिस पर निम्न आपत्ति है:-

- (1) क्षेत्र पंचायत में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रस्तावित व स्वीकृत की पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (2) उक्त क्रय हेतु टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (3) क्रय प्रमाणक अनुपलब्ध था और क्रय की सामग्री की फर्म से कैश की गई, लेखा परीक्षा में अज्ञात थी।
- (4) सोडियम लैम्प की प्रस्तावित कार्य की आगणित धनराशि व वास्तविक व्यय की स्थिति में कितना अन्तर था, अज्ञात रहा।

उपरोक्त क्रमांक 1 से 4 की परिपेक्ष्य में रकम 654880.00 के अनियमित व्यय हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव व लेखाकार नीरज श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-73

वर्ष 2013-14 के तेरहवां वित्त आयोग से अनुदान रजिस्टर-।। में अंकित विवरण में विभिन्न कार्य पर श्रमिक भुगतान दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	धनराशि	तिथि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कार्य का मद जिस पर श्रमिक भुगतान किया गया
1.	9310.00	10.02.2014	श्री प्रदीप कुमार ग्रा0वि0 अधिकारी	नाली व इण्टरलाकिंग कार्य
2.	25416.00	10.02.2014	श्री विनोद कुमार वर्मा ग्रा0वि0 अधिकारी	नाली व इण्टरलाकिंग कार्य
3.	41496.00	20.02.2014	श्री विनोद कुमार वर्मा ग्रा0वि0 अधिकारी	नाली व इण्टरलाकिंग कार्य
योग-	76222.00			

उक्त व्यय की गई श्रमिक भुगतान की राशि पर निम्न आपत्ति है।

- (1) क्षेत्र पंचायत में प्रस्तावित कार्य व स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (2) व्यय की गयी श्रमिक राशि, आगणित श्रमिक राशि से अधिक थी या कम ज्ञात नहीं हो सका।
- (3) भुगतान से सम्बन्धित मास्टर रोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध था। अतः उक्त अनियमित व्यय की गयी धनराशि रू0 76222.00 के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह, ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव, लेखाकार नीरज श्रीवास्तव, ग्रा0वि0 अधिकारी द्वारा श्री प्रदीप कुमार व श्री विनोद कुमार वर्मा जिम्मेदार रहे। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति वर्ष-2014-15

प्रस्तर संख्या-74

वर्ष 2014-15 के राज्य वित्त के अनुदान रजिस्टर-।। के अवलोकन से माँ दुर्गा ब्रिक फिल्ड को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया जाना दर्शित है:-

क्रमांक	चेक सं0/दिनांक	भुगतान राशि	कार्य का विवरण
1.	114900 / 28.07.17	41184.00	ग्राम करझन में डामर रोड से शिव प्रसाद के घर तक सीसी रोड
2.	114901 / 28.07.14	39778.00	सीसी रोड निर्माण पर सामग्री भुगतान
3.	114905 / 28.07.14	41657.00	सीसी रोड निर्माण पर सामग्री भुगतान
4.	114910 / 06.08.14	12410.00	सीसी रोड निर्माण पर सामग्री भुगतान
5.	114917 / 13.08.14	30406.00	सीसी रोड सामग्री
6.	114920 / 13.08.14	31340.00	सीसी रोड सामग्री
7.	114925 / 17.08.14	200384.00	सीसी रोड सामग्री
8.	114929 / 02.09.14	47225.00	सीसी रोड सामग्री

9.	114964 / 12.11.14	232180.00	कार्य का विवरण अप्राप्त
	योग	676564.00	

उक्त व्यय की गई धनराशि पर निम्न आपत्ति है:-

- (1) सीसी रोड निर्माण पर क्रय की गयी सामग्री हेतु मां दुर्गा ब्रिक फिल्ड का चयन कैसे किया गया, इस हेतु निविदा व पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (2) क्रमांक 1 से 9 तक के विभिन्न रोड सीसी के निर्मित किये जाने हेतु सामग्री क्रय के दर्शित है। उक्त सीसी रोड के निर्माण हेतु क्षेत्र पंचायत की प्रस्तावित व स्वीकृत पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (3) दर्शित कार्यों के सापेक्ष आगणन व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (4) किए गये सीसी रोड निर्माण, क्या एक से अधिक गांव को आच्छादित करते थे, का भी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी।
- (5) क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।

उक्त के आलोक में उक्त अनियमित व्यय की गयी राशि 674564.00 के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव व लेखाकार नीरज श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-75

वर्ष 2014-15 के राज्य वित्त के अनुदान रजिस्टर-।। के अवलोकन से प्रधान कन्स्ट्रक्शन को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया जाना दर्शित है:-

क्रमांक	चेक/दिनांक	भुगतान राशि	कार्य का विवरण
1.	114872 (19.04.14)	122429-00	सीसी रोड सामग्री
2.	114873 (19.04.14)	38330-00	नाला निर्माण सामग्री
3.	114876 (12.05.14)	95347-00	नाली निर्माण सामग्री
4.	114880 (20.05.14)	180345-00	श्रमिक भुगतान
5.	114881 (05.06.14)	39537-00	श्रमिक भुगतान
6.	114887 (10.06.14)	58324-00	इण्टरलाकिंग सामग्री
7.	114889 (13.06.14)	178353-00	नाली निर्माण सामग्री
8.	114894 (03.07.14)	69575-00	सीसी रोड सामग्री
9.	114899 (28.07.14)	108163-00	सीसी रोड सामग्री
10.	114902 (28.07.14)	79137-00	सीसी रोड सामग्री
11.	114904 (28.07.14)	90267-00	सीसी रोड सामग्री
12.	114906 (02.08.14)	107548-00	सीसी रोड सामग्री
13.	114909 (06.08.14)	152726-00	सीसी रोड सामग्री
14.	114913 (06.08.14)	65692-00	सीसी रोड सामग्री
15.	114918 (13.08.14)	119750-00	सीसी रोड सामग्री
16.	114919 (13.08.14)	57842-00	सीसी रोड सामग्री
17.	114871 (16.04.14)	218833-00	सीसी रोड सामग्री
18.	114924 (19.08.14)	524333-00	सीसी रोड सामग्री
19.	114933 (05.09.14)	197102-00	सीसी रोड सामग्री
20.	114938 (16.09.14)	22359-00	सीसी रोड सामग्री
21.	114942 (23.09.14)	45527-00	सीसी रोड सामग्री
22.	114943 (27.09.14)	109695-00	सीसी रोड सामग्री
23.	114945 (09.10.14)	183300-00	डामर रोड निर्माण सामग्री
24.	114946 (09.10.14)	60657-00	सीसी रोड सामग्री
25.	114950 (09.10.14)	57109-00	सीसी रोड सामग्री
26.	114956 (17.10.14)	282248-00	सीसी रोड सामग्री
27.	114961 (28.10.14)	168891-00	सीसी रोड सामग्री
	योग	3433419-00	

उक्त व्यय की गई धनराशि पर निम्न आपत्ति है:-

- (1) विभिन्न सीसी रोड, श्रमिक भुगतान, नाली एवं नाला निर्माण, इण्टरलाकिंग पर व्यय के लिए जो धनराशि प्रधान कन्स्ट्रक्शन को दी गयी है। प्रधान कन्स्ट्रक्शन का चयन कैसे किया गया, इस हेतु निविदा पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।

- (2) क्रमांक 1 से 3 व 6 से 27 तक के लिए क्रय की गयी सामग्री जिस कार्य हेतु दर्शित है वह कार्य क्षेत्र पंचायत से प्रस्तावित व स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (3) दर्शित कार्यों के सापेक्ष आगणन व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (4) विवरण में दर्शित कार्य एक से अधिक ग्राम पंचायत को आच्छादित करते थे? से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (5) क्रय प्रमाणक व मास्टर रोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थे एवं क्रमांक 4 व 5 पर श्रमिक मद में किस प्रकार प्रधान कन्सट्रक्शन को भुगतान किया गया? औचित्यहीन प्रतीत होता है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में उक्त अनियमित व्यय की गयी धनराशि 3433419.00 के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव व लेखाकार नीरज श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-76

वर्ष 2014-15 के राज्य वित्त के अनुदान रजिस्टर-।। के अवलोकन से विदित है कि चेक संख्या 114870 दिनांक 16.04.2014 के द्वारा रू0 48216.00 का भुगतान प्रदीप कुमार यादव ग्रा0वि0अ0 को प्रदान किया गया है। उक्त भुगतान करीमाबाद में सीसी रोड के निर्माण में श्रमिक भुगतान के मद में किया जाना दर्शित है। श्री प्रदीप कुमार यादव द्वारा प्राप्त रकम के सापेक्ष मास्टर रोल की प्रति, लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी। कार्य योजना व कार्य स्वीकृति की पत्रावली अनुपलब्ध थी, अतः उक्त किये गये अनियमित व्यय रू0 48216.00 हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव व लेखाकार नीरज श्रीवास्तव व श्री प्रदीप कुमार ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी रहे। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-77

वर्ष 2014-15 के राज्य वित्त के अनुदान रजिस्टर-।। के अवलोकन से विदित है कि चेक संख्या 114874 दिनांक 26.04.2014 के द्वारा रू0 15240.00 का भुगतान, ग्राम शिवरी में नाला निर्माण पर सामग्री क्रय हेतु आलोक सक्सेना ग्रा0वि0 अधिकारी को किया गया है। जिस पर निम्न आरोप है:-

- (1) सामग्री क्रय हेतु भुगतान फर्म को करना चाहिए था न कि ग्रा0वि0 अधिकारी को करना चाहिए था।
- (2) सामग्री क्रय से सम्बन्धित क्रय बाऊचर अनुपलब्ध था।
- (3) टेण्डर पत्रावली अनुपलब्ध थी।

अतः रकम रू0 15240.00 के अनियमित व्यय हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव व लेखाकार नीरज श्रीवास्तव व आलोक सक्सेना ग्रा0वि0 अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति वर्ष- 2015-16

प्रस्तर संख्या-78

वर्ष 2015-16 में तेरहवां वित्त अनुदान रजिस्टर-।। के अवलोकन से विदित है कि बी0आर0 ट्रेडर्स को निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय हेतु भुगतान किया गया है।

क्रमांक	चेक/दिनांक	धनराशि	मद/सामग्री क्रय
1.	115010 (08.04.15)	148017-00	सरसण्डा में नाला निर्माण पर सामग्री क्रय
2.	115011 (08.04.15)	114878-00	जलियामऊ में नाला निर्माण पर सामग्री क्रय
3.	115015 (30.04.15)	50383-00	बड़ागांव में नाला निर्माण पर सामग्री क्रय
4.	115027 (22.05.15)	73994-00	मौरा में नाली निर्माण पर सामग्री क्रय
5.	115017 (30.04.15)	136503-00	सरसण्डा में नाली निर्माण पर सामग्री क्रय
6.	115026 (22.05.15)	77221-00	सैदपुर मेहरी में नाली निर्माण पर सामग्री क्रय
7.	115027 (22.05.15)	73994-00	औरान में नाली निर्माण
8.	115028 (22.05.15)	53372-00	जलियामऊ में नाली निर्माण
9.	115035 (03.06.15)	200528-00	भोरपुरमऊ में नाली निर्माण
10.	115062 (30.07.15)	13626-00	भोरपुरमऊ में नाली निर्माण
11.	115063 (30.07.15)	85752-00	सकरा में नाली निर्माण
12.	115073 (18.09.15)	37690-00	सकरा में नाली निर्माण
13.	115075 (18.09.15)	86853-00	बड़ागांव नाली निर्माण
14.	115078 (18.09.15)	153146-00	भोरपुर मऊ नाली निर्माण
15.	115101 (18.09.15)	11702-00	शौचालय मरम्मत
	योग	1317659-00	
इसी प्रकार 2015-16 में राज्य वित्त से बी0आर0 ट्रेडर्स को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है।			
16.	115012 (08.04.15)	797952-00	माधवपुर, सिकरौरी, कठिघरा व भटऊ जमालपुर

			में नाली निर्माण
17.	115020 (30.04.15)	40123-00	जलियामऊ में सीसी रोड निर्माण
18.	115022 (30.04.15)	132952-00	कठिघरा में सीसी रोड निर्माण
19.	115024 (22.05.15)	120331-00	मौरा में सीसी रोड निर्माण
20.	115031 (22.05.15)	79509-00	भटऊ जमालपुर में सीसी रोड निर्माण
21.	115038 (03.06.15)	133110-00	सिकरौरी में सीसी रोड निर्माण
22.	115046 (22.06.15)	155979-00	बसरैला में सीसी रोड निर्माण
23.	115047 (22.06.15)	115086-00	सलेमपुर पतौरा में सीसी रोड निर्माण
24.	115067 (30.07.15)	73868-00	बसरैला में सीसी रोड निर्माण
25.	115069 (30.07.15)	156412-00	सलेमपुर पतौरा में सीसी रोड निर्माण
	योग	1805322-00	
	महायोग	3122981-00	

उपरोक्त भुगतान की गई राशि पर निम्न टिप्पणी है:-

- (1) लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली अनुपलब्ध थी।
- (2) क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य व उसकी स्वीकृति अनुपलब्ध थी।
- (3) कार्य का आगणन व माप पुस्तिका अनुपलब्ध थी।
- (4) क्रय प्रमाणक अनुपलब्ध था।

अतः उपरोक्तानुसार किया गया रु० 3122981.00 का व्यय पूर्वरूप से अनियमित रहा जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी (श्री सिद्धार्थ, श्री महेन्द्र कुमार) ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव व लेखाकार नीरज श्रीवास्तव उत्तरदायी रहे। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-79

वर्ष 2015-16 में तेरहवां वित्त अनुदान रजिस्टर-II के अवलोकन से निम्न विवरणानुसार मजदूरी दर्शित है।

क्रमांक	चेक/तिथि	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	तेरहवाँ	मद/श्रमिक भुगतान
1.	115009 (08.04.15)	28596-00	आलोक सक्सेना (जी.वी.ए)	"	बड़ा गांव में नाला निर्माण
2.	115013 (30.04.15)	15816-00	आलोक सक्सेना (जी.वी.ए)	"	जलियामऊ में नाला निर्माण
3.	115014 (30.04.15)	11532-00	आलोक सक्सेना (जी.वी.ए)	"	बड़ागांव में नाला निर्माण
4.	115019 (30.04.15)	36696-00	आलोक सक्सेना (जी.वी.ए)	राज्य वित्त	जलियामऊ में सीसी रोड पर श्रमिक भुगतान
5.	115021 (30.04.15)	77160-00	आलोक सक्सेना (जी.वी.ए)	राज्य वित्त	कठिगरा में सीसी रोड
6.	115052 (22.06.15)	39900-00	आलोक सक्सेना (जी.वी.ए)ग्रावि0अ0)	राज्य वित्त	विकास खण्ड में रंगाई पुताई पर श्रमिक भुगतान
	योग	209700-00			

उपरोक्त भुगतान की गई राशि पर निम्न टिप्पणी है:-

- (1) कार्य की स्वीकृति लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (2) भुगतान की राशि के सापेक्ष मास्टर रोल अनुपलब्ध थी।
- (3) आगणन व माप पुस्तिका के अनुसार श्रमांश पर कितनी रकम निर्धारित थी, अज्ञात थी।

उक्त के परिपेक्ष्य में रु० 209700.00 अनियमित व्यय किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी (श्री सिद्धार्थ, श्री महेन्द्र कुमार) ब्लाक प्रमुख श्रीमती नीतू यादव व लेखाकार नीरज श्रीवास्तव व ग्रावि0 अधिकारी (जी.वी.ए) आलोक सक्सेना उत्तरदायी रहे। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-80

वर्ष 2015-16 में तेरहवें वित्त एवं राज्य वित्त के अनुदान रजिस्टर-II के अवलोकन से निम्न विवरणानुसार प्रधान कन्स्ट्रक्शन को सामग्री मद में भुगतान दर्शित है:-

क्रमांक	चेक/दिनांक	धनराशि	तेरहवाँ वित्त	सामग्री क्रय
1.	115040(09.06.15)	400146-00	" "	बहरू एवं करझन में नाला निर्माण हेतु
2.	115042(22.06.15)	131986-00	" "	बहरू में नाला निर्माण
3.	115043(22.06.15)	160262-00	" "	करझन में नाला निर्माण

4.	115058(30.07.15)	44734-00	" "	बहरो में नाला निर्माण
5.	115060(30.07.15)	220579-00	" "	करझन में नाला निर्माण
6.	115071(18.09.15)	23162-00	" "	करझन में नाला निर्माण
7.	115077(18.09.15)	115987-00	" "	बड़ा गांव में नाला निर्माण
8.	115080(18.09.15)	130107-00	" "	सकरा में नाला निर्माण
9.	115082(18.09.15)	173595-00	" "	गोशालालपुर में नाला निर्माण
10.	115087(23.10.15)	197097-00	" "	बड़ागांव में नाला निर्माण
11.	115091(23.10.15)	210957-00	" "	गोशालालपुर में नाला निर्माण
12.	115093(23.10.15)	123508-00	" "	सकरा में नाला निर्माण
13.	115097(02.11.15)	123946-00	" "	बड़ागांव में नाला निर्माण
14.	115099(02.11.15)	139171-00	" "	फतेहगंज में नाला निर्माण
15.	115112(03.03.16)	164008-00	" "	फतेहगंज में नाला निर्माण
16.	115114(03.03.16)	114487-00	" "	फतेहगंज में नाला निर्माण
	योग (1)	2473732-00		
17.	115049(25.06.15)	31500-00	राज्य वित्त	लोकार्पण हेतु साइन बोर्ड लगाने व लिखाने पर हुआ व्यय
18.	115050(25.06.15)	31500-00	राज्य वित्त	साइन बोर्ड लगाने व लिखाने पर हुआ व्यय
19.	115105(01.02.16)	106058-00	" "	आँगनबाड़ी बड़ागाँव में निर्माण
20.	115106(01.02.16)	105767-00	" "	आँगनबाड़ी बड़ागाँव में निर्माण
21.	115107(01.02.16)	105767-00	" "	आँगनबाड़ी बड़ागाँव में निर्माण
22.	115109(02.03.16)	106038-00	" "	आँगनबाड़ी बड़ागाँव में निर्माण
23.	115110(02.03.16)	115126-00	" "	आँगनबाड़ी बड़ागाँव में निर्माण
24.	115111(02.03.16)	113670-00	" "	आँगनबाड़ी बड़ागाँव में निर्माण
25.	03128(09.03.16)	7898-00	" "	आँगनबाड़ी बड़ागाँव में निर्माण
26.	03129(09.03.16)	47694-00	" "	आँगनबाड़ी बड़ागाँव में निर्माण
27.	03130(09.03.16)	7898-00	" "	आँगनबाड़ी बड़ागाँव में निर्माण
28.	03131(09.03.16)	50930-00	" "	आँगनबाड़ी बड़ागाँव में निर्माण
29.	03132(09.03.16)	46545-00	" "	आँगनबाड़ी बड़ागाँव में निर्माण
30.	03133(09.03.16)	7898-00	" "	आँगनबाड़ी बड़ागाँव में निर्माण
	योग	884289-00		
	महायोग 1+2	3358021-00		

उक्त क्रय की गई सामग्री में निम्न आपत्तियां हैं:-

- (1) टेण्डर पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (2) प्रस्तावित कार्य व अनुमोदित कार्य से सम्बन्धित लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध थी।
- (3) कार्य की आगणन राशि व व्यय राशि, माप पुस्तिका अनुपलब्ध थी।
- (4) क्रय प्रमाणक अनुपलब्ध था।

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 3358021.00 पूर्णतः अनियमित है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी (श्री महेन्द्र कुमार, श्री सिद्धार्थ, श्री सुरेन्द्र नाथ यादव एवं श्री मुनेश चन्द्र), ब्लॉक प्रमुख श्रीमती राजबाला एवं नीतू यादव व लेखाकार नीरज श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-81

प्रधान कन्सट्रक्शन के द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र बड़ागांव दिनांक 02.02.2016 के द्वारा एंगल आयरन डोर पल्ला सहित व एंगल डोर खिड़कर सहित की आपूर्ति रु0 65.00 प्रति कि0 कर दर से की गयी है। हेतु रु0 15067.00 का बिल दिनांक 08.03.16 को प्रस्तुत किया गया है।

		मात्रा	दर	धनराशि
1	एंगल आयरन डोर पल्ला सहित	244.60	65.00	15899.00
2	एंगल डोर/विन्डो पल्ला सहित	195.70	65.00	12720.00
	योग			28619.00

जिस पर निम्न आपत्ति है-

1- क्रय की गयी सामग्री व दर का उल्लेख प्रधान कन्सट्रक्शन के कोटेशन में नहीं था। अतः क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त कार्य बिना प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त किये ही आबंटित कर नियमों की अवहेलना की गयी है। अतः

सम्पूर्ण भुगतान की गयी राशि रु0 28619.00 अनियमित रहा। है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनेश चन्द्र, ब्लाक प्रमुख श्रीमती राजबाला व लेखाकार नीरज श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-82

क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़ागांव में वर्ष 2015-16 व 2016-17 में आंगनबाड़ी निर्माण हेतु निम्न प्रकार से लागत व श्रमांश हेतु प्रस्तावित हैं। विवरण निम्न है:-

आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	लागत लाख में	श्रमांश लाख में
बड़ागांव	5.38	0.63
बड़ागांव (दौलीखेड़ा)	5.38	0.63
बड़ागांव (अम्बर खेड़ा)	5.38	0.63
	16.14	1.89

उपरोक्त कार्य पत्रावली अवलोकन से विदित है कि मनरेगा व राज्य वित्त से प्रस्तावित था। सामग्री क्रय हेतु टेण्डर की जगह कोटेशन की प्रक्रिया अपनायी गयी जिस पर निम्न आरोप है:-

(1) कोटेशन हेतु स्थानीय न्यूज पेपर में प्रकाशन नहीं कराया गया। एक लाख से अधिक की धनराशि की सामग्री क्रय हेतु कोटेशन की जगह टेण्डर की प्रक्रिया अपनायी चाहिए थी जो कि नहीं किया गया।

(2) सामग्री आपूर्ति हेतु बी0आर0 ट्रेडर्स व प्रधान कन्सट्रक्शन का कोटेशन प्राप्त हुआ। जिससे प्रधान की दरे निम्न दर्शित हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु प्रधान कन्सट्रक्शन को आदेश दिया गया, परन्तु कोटेशन की प्रक्रिया में केवल दो फर्मों ने ही हिस्सा लिया, जबकि कम से कम तीन फर्मों का हिस्सा लेना अनिवार्य है। अतः सामग्री आपूर्ति हेतु दिया गया आदेश नियम विरुद्ध था। अतः नियमों का पालन न करके, अनियमितता की गयी। जिस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या-83

आंगनबाड़ी केन्द्र बड़ागांव डाम्बर खेड़ा में प्रधान कन्सट्रक्शन द्वारा शटरिंग हेतु रु0 15067.00 का बिल दिनांक 08.03.16 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त शटरिंग का आगणन, बिल आफ क्वांटिटी में किया गया था परन्तु शटरिंग की प्रति/मी² की दर कोटेशन में नहीं थी। प्रतिस्पर्धी दरे प्राप्त किये बिना ही प्रधान कन्सट्रक्शन को 240 मी² शटरिंग का भुगतान 62.78 मी² की दर से रु0 15067.00 का भुगतान किया गया है। कोटेशन की प्रक्रिया में उक्त की दरें न होने के बाद भी प्रधान कन्सट्रक्शन को कार्य का आदेश दिया जाना व भुगतान किया जाना अनियमितता है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनेश चन्द्र, ब्लाक प्रमुख श्रीमती राजबाला एवं लेखाकार नीरज श्रीवास्तव, जे0ई श्री विरेन्द्र बहादुर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज वर्ष-2011-12 से 2016-17 तक जनपद- लखनऊ

प्रस्तर संख्या-84

वर्ष 2011-12 में व्यय की गई धनराशि रु0 9217661/- में से निम्नलिखित विवरणानुसार किये गये व्यय की स्थिति प्रमाणक विहीन रही।

उपरोक्त अप्राप्त प्रमाणक की सूची/ विवरण निम्न प्रकार है:-

1.	चेक संख्या/तिथि	धनराशि	सम्बन्धित व्यक्ति/ फर्म का नाम	विवरण
2.	150716/30.4.11	35400.00	श्री जनक किशोर	दि0 02.05.11 को पं0 सदस्य मानदेय वितरण।
3.	150724/22.9.11	91367.00	सतगुरु प्रसाद ग्रा.प.अ.	राजकीय पशु चिकित्सालय पर व्यय हेतु
3.	150725/22.9.11	42884.00	मै0 प्रकाश हार्डवेयर	विकास खण्ड के सौन्दयीकरण हेतु व्यय
4.	150731/13.10.11	35000.00	श्री जनक किशोर	दि0 14.10.11 को पं0 सदस्य मानदेय वितरण
5.	150736/19.10.11	19355.00	श्रीमती सुमन बाजपेई ब्लाक प्रमुख	दि0 18.3.11 से 30.9.11 तक मानदेय का भुगतान
6.	150743/9.11.11	55575.00	सतगुरु प्रसाद ग्रा0प0अ0	ब्लाक से स0वि0अ0 के कार्यालय तक सी0 सी0 रोड तक का भुगतान
7.	150757/1.12.11	37918.00	मै0 सरोज पाण्डेय	हयूम पाइप का भुगतान
8.	150763/12.12.11	19600.00	श्री प्रेम बाबू स0वि0अ ,एमएलजी	रंगाई/पुताई कार्य का भुगतान
9.	050385/22.3.12	45907.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया पीजीआई लखनऊ	आयकर कटौती की धनराशि जमा कराने हेतु।
10.	050386/22.3.12	9620.00	श्री स्वामीदीन सहा0वि0अधिकारी	स0वि0अ0 पं0 कार्यालय में टेलीफोन का भुगतान

11.	050387 / 23.3.12	15000.00	श्रीमती सुमन बाजपेई ब्लाक प्रमुख	मनदेय माह 1/11 से 02/12 तक भुगतान
12.	150756 / 4.12.12	515000.00	मै0 नितिन बिक्र फील्ड	ईट आपूर्ति का भुगतान
	योग :-	922626.00		
बारहवाँ/तेहरवाँ वित्त 2011-12				
1.	150718 / 18.7.11	5230.00	श्री जनक किशोर लेखाकर एमएलजी	दैनिक सफाई कर्मी का भुगतान
2.	150719 / 23.7.11	6240.00	श्री जनक किशोर लेखाकर एमएलजी	दैनिक सफाई मई व जून 11 का भुगतान
3.	150720 / 9.8.11	3250.00	श्री जनक किशोर लेखाकर एमएलजी	दैनिक सफाई कर्मी का भुगतान
4.	150721 / 20.9.11	2860.00	श्री जनक किशोर लेखाकर एमएलजी	दैनिक सफाई माह 8/11 का भुगतान
5.	150722 / 22.9.11	49800.00	श्री भीम शंकर सहायक वि०अ० एमएलजी	त्रिभुवन रोड से करनपुर सीमा में लगे श्रामिकों को भुगतान
6.	150723 / 22.9.11	63235.00	श्री सतगुरु प्रसाद ग्रा०वि०अ०	प्राइमरी पाठशाला भौदरी से बरई कार्य का भुगतान
7.	150730 / 12.10.11	2290.00	श्री जनक किशोर लेखाकार एमएलजी	दैनिक सफाई कर्मी को भुगतान
8.	150735 / 19.10.11	49356.00	श्री विनय सागर ग्रा०वि०अ०	कोडरा रायपुर में शंकर खेड़ा में गणेश्वर के घर तक व लखनऊ सीमा तक सामग्री के भुगतान
9.	150740 / 4.11.11	2600.00	श्री जनक किशोर लेखाकार	दैनिक सफाई कार्य का भुगतान
10.	150741 / 9.11.11	57325.00	विनय सागर ग्रा०वि०अ०	कोडरा रायपुर में शंकर खेड़ा में जागेश्वर के दरवाजे तक सामग्री का भुगतान
11.	150742 / 9.11.11	61950.00	श्री सतगुरु प्रसाद ग्रा०वि०अ०	भादौरी में खंडजा कार्य का भुगतान
12.	150759 / 9.12.11	2860.00	श्री जनक किशोर लेखाकार	दैनिक सफाई कर्मी को भुगतान
13.	150761 / 9.12.11	204342.00	श्री संतोष कुमार शुक्ला ग्रा०वि०अ०	सिसेण्डी में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र समिति के बाउण्ड्री वाल तक निर्माण कार्य
14.	150762 / 9.12.11	122350.00	श्री अरुण कुमार सिंह ग्रा०वि०अ०	समुदायिक मिलन केन्द्र से धनखेड़ा तलाब तक खंडजा मरम्मत व नाली निर्माण भुगतान
15.	150771 / 1.01.12	3250.00	श्री जनक किशोर लेखाकार	दैनिक सफाई कर्मी को भुगतान
16.	150772 / 20.01.12	209673.00	श्री सन्तोष कुमार शुक्ला ग्रा०वि०अ०	सिसेण्डी में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र समिति के बाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य भुगतान
17.	150773 / 20.01.12	73440.00	श्री अरुण कुमार सिंह ग्रा०वि०अ०	शेखर खेड़ा उतरावां में सामुदायिक मिलन केन्द्र नाली निर्माण व खण्डजा मरम्मत का श्रमिक का भुगतान
18.	050380 / 14.2.12	93850.00	मौ गुरु दया बिक्र फील्ड	शेखर खेड़ा उतरावां में सामुदायिक मिलन केन्द्र नाली निर्माण व खण्डजा मरम्मत 24000 ईट का भुगतान
19.	050381 / 14.2.11	108045.00	श्री अरुण कुमार सिंह ग्रा०वि०अ०	शेखर खेड़ा उतरावां में सामुदायिक मिलन केन्द्र नाली निर्माण व खण्डजा मरम्मत का श्रमिक का भुगतान
20.	050382 / 14.2.12	124049.00	श्री संतोष कुमार शुक्ला ग्रा०वि०अ०	सिसेण्डी में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र समिति का भुगतान
21.	050383 / 3.3.12	5980.00	श्री जनक किशोर लेखाकार	दैनिक सफाई कर्मी को भुगतान
22.	050385 /	14035.00	शाखा प्रबन्धक	वर्ष 2011-12 में आयकर कटौती

	22/03/12		बैंक ऑफ इण्डिया पीजीआई लखनऊ	जमा
	योग	1266010.00		
स्वच्छता उत्सव वर्ष 2011-12				
1.	150738/4.1	19100.00	श्री स्वामीदीन सहा0वि0अ0पंचायत एमएलजी	दिनांक 05.11.11 को तहसील स्तर पर स्वच्छता उत्सव मनाये जाने के सम्बन्ध में भुगतान
2.	150754/1.1	20,000.00	श्री जनक किशोर लेखाकार एमएलजी	वि0 खण्ड स्तर पर स्वच्छता उत्सव मनाये जाने के सम्बन्ध में भुगतान
	योग	39100.00		

वर्ष 2011-12 में उपरोक्तानुसार कराके गये कार्यों पर रुपया 922626 + 1266010 + 39100=2227736-00 कुल रुपया का व्यय अनुदान रजिस्टर II में दर्शित है जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित कार्यों के अभिलेख जैसे प्रमाणक, एमबी इस्टीमेट इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

अतः रुपया 2227736-00 किये गये अनियमित भुगतान हेतु श्रीमती अदिति सिंह ख0वि0अ0, श्री सन्त कुमार ख0वि0अ0, श्रीमती सुषमा देवी ख0वि0अ0, एवं श्री रघुराज यादव लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-85

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा के समय निम्नलिखित पत्रावलियाँ प्राप्त हुई विवरण निम्न है :-

क्रमांक	कृत कार्य	व्यय धनराशि
क	मारौवा पक्की सड़क पर शिवाला से बड़े बाबा तक खण्डजा कार्य (आदेश सं0 282 दिनांक 27.05.2011)	रु0 3,36,474.00
ख	भदेसुवा से सायुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से गया प्रसाद के घर होते हुये ईदगाह तक पुलिस निर्माण (आदेश सं0 292 दिनांक 30.05.2017)	रु0 3,96,321.00
ग	सिसेण्डी गौतम खेड़ा मार्ग से गोविन्दपुर तक खण्डजा व पुलिया निर्माण (आदेश सं0 697 दिनांक 22.08.11)	रु0 521689.00
घ	भसण्डा से उम्मेद खेड़ा तक खंडजा व पुलिया निर्माण कार्य। (आदेश संख्या 696 दिनांक 22.08.2011)	रु0 406832.00
च	करोना रोड से भूवैश्वर मन्दिर तक खण्डजा व पुलिया निर्माण कार्य (आदेश सं0 698 दिनांक 22.08.11)	रु0 542732.00
छ	चिरानी खेड़ा (मंगटइया) से बाबू खेड़ा तक बरबलिया सीमा तक खंडजा व पुलिया निर्माण (आदेश सं0 699/दि0 22.08.11)	रु0 984375.00
कुल योग		रु0 3188423-00

क क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा के समय प्राप्त पत्रावली संख्या 24, जो मारौवा पक्की सड़क पर शिवाला से बड़े बाबा तक खण्डजा कार्य से सम्बन्धित है, जिस कार्य को पूर्ण करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 282 दिनांक 27.05.2011 द्वारा श्री सन्तोष कुमार शुक्ला ग्रा0प0वि0 अधिकारी को निर्देशित किया कि उपरोक्त कार्य समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य को निर्माण में रुपया 485000.00 का व्यय प्रांकलन आंकलित किया गया कार्य पूर्ण होने के उपरान्त रुपया 336474.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म एवं श्री सन्तोष कुमार शुक्ला ग्रा0प0वि0 अधिकारी को किया गया, विवरण निम्नवत है :-

(चेक संख्या 150737 दिनांक 15.10.11 रुपया 50640.00, संख्या 150749 दिनांक 11-11-11 रुपया 85320.00, संख्या 150750 दिनांक 11-11-11 रुपया 96587.00, संख्या 150769 दिनांक 17-12-11 रुपया 22200-00 एवं संख्या 150768 दिनांक 17.12.11 रुपया 81727.00 कुल रुपया 336474-00

कराये गये कार्य के सापेक्ष पत्रावली में परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट, एमबी बुक, ईट क्रय हेतु कोटेशन/निविदा अप्राप्त रही। साथ ही कार्य कब पूर्ण हुआ, कार्य का मेजरमेन्ट कब और किसने किया। मस्टर रोलों पर निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर नाम व पद नाम अंकित नहीं पाये गये। और न ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से निर्गत मस्टर रोलो पर कार्यालय नम्बर ही अंकित था। साथ ही यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि सम्बन्धित कार्य की पत्रावली में पाया गया कि कार्य दिनांक 24.09.2011 को शुरू किया गया और सम्बन्धित कार्य हेतु गुरु दया ब्रिक फील्ड से ईटा बिल नं0 74 दिनांक 09.10.2011 को क्रय किया। जब कार्य प्रारम्भ करते समय दिनांक 24.09.2011 को ईटा था ही नहीं तो कार्य कैसे प्रारम्भ

कर दिया गया। अतः किया गया कार्य संदिग्ध है। अतः किया गया भुगतान रूपया 336474-00 अनियमित रहा। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती अदिति सिंह (आई0ए0एस0), श्री रघुराज यादव लेखाकार एवं कार्य प्रभारी श्री सन्तोष कुमार शुक्ला पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ख क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा के समय प्राप्त पत्रावली संख्या 25 जो भद्रेसुवा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गया प्रसाद के घर होते हुये ईदगाह तक पुलिया निर्माण से सम्बन्धित है, जिसे कार्य की पूर्ण करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 292 दिनांक 30.05.2011 द्वारा श्री सुहैल अहमद सिद्दीकी ग्रा0वि0 अधिकारी (स0क0) को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्य समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य के निर्माण में रूपया - का व्यय प्रांकलन आंकलित किया गया। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त रूपया 396321.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म एवं श्री सुहैल अहमद सिद्दीकी ग्रा0 वि0 अधिकारी का किया गया।

विवरण निम्नवत है -

(चेक संख्या 150745 दिनांक 11.11.11 रूपया, 289761.00, संख्या 150744 दिनांक 11.11.2011 रूपया 84000.00 एवं संख्या 150774 दिनांक 20.01.2012 रूपया 22560.00 कुल रूपया 396321.00)

कराये गये कार्य के सापेक्ष पत्रावली में परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट, एम बी बुक, ईट क्रय हेतु कोटेशन/निविदा अप्राप्त रही। साथ ही कार्य कब पूर्ण हुआ, कार्य का मेजरमेन्ट कब और किसने किया। मस्टर रोलों पर निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर नाम व पद नाम अंकित नहीं पाये गये। और न ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से निर्गत मस्टर रोलों पर कार्यालय नम्बर ही अंकित था। अतः किया गया भुगतान रूपया 396321-00 अनियमित रहा। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती अदिति सिंह (आई0ए0एस0) एवं भी रघुराज यादव, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी श्री सुहैल अहमद सिद्दीकी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग क्षेत्र पंचायत मोहन लालगंज की वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा के समय प्राप्त पत्रावली संख्या 26, जो सिसैण्डी गौतम खेड़ा से गोविन्दपुर खण्डजा एवं पुलिया निर्माण से सम्बन्धित है जिस कार्य को पूर्ण करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी मोहन लालगंज द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 697 दिनांक 22.08.2011 द्वारा भी सुहैल अहमद सिद्दीकी ग्रा0 वि0 अधिकारी को निर्देशित किया कि उपरोक्त कार्य समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य के निर्माण में रूपया 7.14 लाख का व्यय प्रांकलन आंकलित किया गया। कार्यपूर्ण होने के उपरान्त रूपया 521689.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म एवं श्री सुहैल अहमद सिद्दीकी ग्रा0प0वि0 अधिकारी को किया गया, विवरण निम्नवत है।

(चेक सं0 150732 दि0 19.10.2011 रूपया 36600.00, संख्या 150752 दिनांक 11.11.11 रूपया 289761, संख्या 150765 दिनांक 12.12.11 रू0 78013 संख्या 150764 दिनांक 12.12.11 रूपया 30600/- एवं संख्या 150753 दिनांक 11.11.11 रूपया 86715-00)

कराये गये कार्य के सापेक्ष पत्रावली में परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट एम बी बुक ईट क्रय हेतु कोटेशन/निविदा अप्राप्त रही। साथ ही कार्य कब पूर्ण हुआ, कार्य का मेजरमेन्ट कब और किसने किया। मस्टर रोलों पर निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर नाम व पद नाम अंकित नहीं पाये गये। और न ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से निर्गत मस्टर रोलों पर कार्यालय नम्बर ही अंकित था। साथ ही यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि सम्बन्धित कार्य की पत्रावली में पाया गया कि कार्य दिनांक 01.09.2011 को शुरू किया गया और सम्बन्धित कार्य हेतु गुरु दया बिक्र फील्ड से ईटा बिल सं0 63 दिनांक 01.10.2011 को क्रय किया गया। जब कार्य प्रारम्भ करते समय दिनांक 01.09.2011 को ईटा था ही नहीं तो कार्य कैसे प्रारम्भ कर दिया गया। अतः किया गया कार्य संदिग्ध है। अतः किया गया भुगतान रूपया 521689-00 अनियमित रहा। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती अदिति सिंह (आई0ए0एस0), श्री रघुराज यादव लेखाकार एवं कार्य प्रभारी श्री सुहैल अहमद सिद्दीकी ग्रा0 वि0 अधिशासी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

घ क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा के समय प्राप्त पत्रावली संख्या 027, जो भसण्डा से उम्मेद खेड़ा तक खंडजा व पुलिया निर्माण कार्य से सम्बन्धित है। जिस कार्य को पूर्ण करने हेतु खण्ड विकास प्राधिकरण मोहनलालगंज द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 696 दिनांक 22.08.2011 द्वारा श्री शैलेन्द्र वर्मा ग्रा0 वि0 अधिकारी को निर्देशित किया कि उपरोक्त कार्य समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य के निर्माण में रूपया 7.65 लाख का व्यय प्रांकलन किया गया। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त रूपया 406832-00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म एवं श्री शैलेन्द्र वर्मा ग्रा0 विकास अधिकारी को किया गया। विवरण निम्नवत है :-

(चेक संख्या 150758 दि0 1.12.11 रू0 78894-00, सं0 150770 दिनांक 17.12.11 रू0 24000.00, संख्या 150775 दि0 20.01.2012 रूपया 19800.00, संख्या 050378 दिनांक 14.02.2012 रूपया 193174.00 एवं 050379 दिनांक 14.02.2012 रू0 90964.00)

कराये गये कार्य के सापेक्ष पत्रावली में परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट एम बी बुक, ईट क्रय हेतु कोटेशन/निविदा अप्राप्त रही। साथ ही कार्य कब पूर्ण हुआ, कार्य

का मेजरमेन्ट कब और किसने किया। मस्टर रोलों पर निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर नाम व पद नाम अंकित नहीं पाये गये। और न ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से निर्गत मस्टर रोलो पर कार्यालय नम्बर ही अंकित था। अतः किया गया भुगतान रूपया 406832-00 अनियमित रहा। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती अदिति सिंह श्री रघुराज यादव लेखाकार एवं कार्य प्रभारी श्री शैलेन्द्र वर्मा पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

च क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा के समय प्राप्त पत्रावली संख्या 28, जो कोराना रोड से मूर्तेश्वर मन्दिर तक खण्डजा व पुलिया निर्माण से सम्बन्धित है। जिस कार्य को पूर्ण करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 698 दिनांक 22.08.2011 द्वारा श्री सुहैल अहमद सिद्दीकी ग्रा0 वि0 अधिकारी को निर्देशित किया कि उपरोक्त कार्य समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य के निर्माण में रूपया 7.14 लाख का व्यय प्रांकलन किया गया। कार्यपूर्ण होने के उपरान्त रु0 542732-00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म एवं श्री सुहैल अहमद सिद्दीकी ग्राम विकास अधिकारी को किया गया।

विवरण निम्नवत है :-

(चेक सं0 150728 दिनांक 12.10.11 रूपया 289761.00, संख्या 150726 दिनांक 29.08.11 रूपया 44400.00 संख्या 150766 दिनांक 12.12.11 संख्या 133600.00 संख्या 150751 दिनांक 11.11.11 रूपया 41611.00 एवं संख्या 150767 दिनांक 12.12.11 रूपया 33360.00)

कराये गये कार्य के सापेक्ष पत्रावली में परिसम्पत्ति पंजिका स्टाक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट एम बी बुक, ईट क्रय हेतु कोटेशन/निविदा अप्राप्त रही। साथ ही कार्य कब पूर्ण हुआ, कार्य का मेजरमेन्ट कब और किसने किया। मस्टर रोलो पर निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर नाम व पद नाम अंकित नहीं पाये गये। और न ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से निर्गत मस्टर रोलो पर नम्बर ही अंकित था। साथ ही यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि सम्बन्धित कार्य की पत्रावली में पाया गया कि दिनांक 01.09.2011 को कार्य शुरू किया गया और सम्बन्धित कार्य हेतु गुरु दया बिक्रफील्ड से ईटा बिल सं0 57 दिनांक 15.09.2011 को क्रय किया गया। जब कार्य प्रारम्भ करते समय दिनांक 01.09.2011 को ईटा था ही नहीं तो कार्य कैसे प्रारम्भ कर दिया गया। अतः किया गया कार्य संदिग्ध है। अतः किया गया भुगतान रूपया 542732-00 अनियमित रहा। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती अदिति सिंह (आईएस) श्री रघुराज यादव लेखाकार एवं श्री सुहैल अहमद सिद्दीकी ग्राम विकास अधिकारी (कार्यप्रभारी) पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा के समय प्राप्त पत्रावली संख्या 34, जो चिरानी खेड़ा (मंगटइया) से बाबू खेड़ा से बरबलिया सीमा तक खण्डजा व पुलिया निर्माण कार्य से सम्बन्धित हैं। जिस कार्य को पूर्ण करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 699/ दिनांक 22.08.2011 द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि उपरोक्त कार्य समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य के निर्माण में रूपया 14.47 लाख का व्यय प्रांकलन आंकलित किया गया। कार्यपूर्ण होने के उपरान्त रूपया 984375.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म एवं भी भूपेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी को किया गया। विवरण निम्नवत हैं :-

(चेक संख्या 150727 दिनांक 29.09.11 रु0 46800.00, संख्या 150729 दिनांक 12.10.11 रु0 289761.00, सं0 150733 दिनांक 19.10.11 रु0 57600, संख्या 150748 दिनांक 11.11.11 रूपया 193174.00, सं0 150746 दिनांक 11.11.2011 रूपया 44400.00, संख्या 050377 दिनांक 14.02.2012 रूपया 289760.00 एवं संख्या 050376 दिनांक 14.02.2012 रूपया 62880.00)

कराये गये कार्य के सापेक्ष पत्रावली में परिसम्पत्ति पंजिका स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट, एम बी बुक ईट क्रय हेतु कोटेशन/निविदा अप्राप्त रही। साथ ही कार्य कब पूर्ण हुआ कार्य का मेजरमेन्ट कब और किसने किया। मस्टर रोलों पर निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर नाम व पद नाम अंकित नहीं पाये गये। और न ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से निर्गत मस्टर रोलों पर कार्यालय नम्बर ही अंकित था। साथ ही यहां भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि सम्बन्धित कार्य की पत्रावली में पाया गया कि कार्य दिनांक 01.09.2011 को शुरू किया गया और सम्बन्धित कार्य हेतु शुरू किया गुरु दया बिक्र फील्ड से ईटा बिल सं0 60 दिनांक 24.09.2011 को क्रय किया गया। जब कार्य प्रारम्भ करते समय दिनांक 01.09.2011 को ईटा था ही नहीं तो कार्य कैसे प्रारम्भ कर दिया गया। अतः किया गया कार्य संदिग्ध है। तथा किया गया भुगतान रूपया 948375.00 अनियमित रहा। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती अदिति सिंह (आई0ए0एस0), श्री रघुराज यादव, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी भी भूपेन्द्र सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-86

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2011-12 की लेखापरीक्षा में जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार बिल पहले एवं बाद के क्रम में पहले एवं बाद की तिथियों में निर्गत किये गये हैं जबकि किसी भी फर्म द्वारा बिल नियमानुसार क्रमवार निर्गत किये जाने चाहिये। इससे सिद्ध होता है कि निम्नांकित बिल अनियमित प्रतीत होते हैं :-

क्र०	फर्म का नाम	सीरियल सं०	दिनांक	धनराशि (प०)	चेक सं० दिनांक
1.	गुरु दया बिक्र फील्ड	67	12.11.2011	133600.00	150766 / 12.12.11
2.	गुरु दया बिक्र फील्ड	69	02.10.2011	96587.00	150748 / 11.12.11
3.	गुरु दया बिक्र फील्ड	73	11.10.2011	96587.00	
4.	गुरु दया बिक्र फील्ड	74	09.10.2011	96587.00	150750 / 11.12.11
5.	गुरु दया बिक्र फील्ड	155	04.01.2012	219178.00	050398 / 10.5.12
6.	गुरु दया बिक्र फील्ड	156	06.01.2012		
7.	गुरु दया बिक्र फील्ड	157	10.01.2012		
8.	गुरु दया बिक्र फील्ड	158	01.12.2011	152310.00	050401 / 12.06.12
9.	गुरु दया बिक्र फील्ड	159	08.12.2011		
			योग	794849-00	

इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त क्रय की गयी ईट बिना निविदा आमंत्रित किये किया गया, जबकि विन्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864 (दस) - 08-15 (1) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। अतः उक्त खरीद से गुरु दया बिक्र फील्ड को अनुचित लाभ पहुँचाया गया तथा शासनादेश का उल्लंघन कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है।

जिसके लिये तत्कालीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है वर्ष 2011-12 के लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत अधिकांश प्रमाणकों पर टिन नम्बर अंकित नहीं, बिल की, जगह कैशमेमों दिया गया है। और बुक नम्बर सीरियल नम्बर नहीं अंकित है तथा प्रमाणक निर्धारित प्रारूप पर भी नहीं है। प्रमाणकों के निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर आपत्ति का विषय है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-87

वर्ष 2012-13 में व्यय धनराशि रूपया 8993653.00 में से निम्नलिखित विवरणानुसार किये गये व्यय की स्थिति प्रमाणक विहीन रही। उपरोक्त अप्राप्त प्रमाणक की सूची/विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	चेक सं०/तिथि	धनराशि	सम्बन्धित व्यक्ति/ फर्म का नाम	विवरण
राज्य वित्त 2012-13				
1.	050388 / 9.4.12	10001.00	भारत संचार निगम लखनऊ	सहा० वि० अ० (पं०) टेलीफोन इण्टरनेट 1.3.12 से 28.02.2013 तक भुगतान
2.	050389 / 26.4.12	35,000.00	श्री जनक किशोर लेखाकार	दि० 27.4.12 को मा० सदस्य को मानदेय भुगतान
3.	050391 / 26.4.12	29285.00	श्री शैलेन्द्र वर्मा ग्रा०वि०अ०	डीसीबी मोहनलालगंज के भवन मरम्मत कार्य भुगतान
4.	050400 / 14.5.12	56257.00	श्री शैलेन्द्र वर्मा ग्रा०वि०अ०	डीसीबी मोहनलालगंज के भवन
5.	050402 / 12.6.12	71340.00	श्री शैलेन्द्र वर्मा ग्रा०वि०अ०	मरम्मत कार्य भुगतान
6.	050407 / 26.6.12	43930.00	श्री शैलेन्द्र वर्मा ग्रा०वि०अ०	डीसीबी मोहनलालगंज के भवन
7.	050408 / 23.7.12	89798.00	श्री शैलेन्द्र वर्मा ग्रा०वि०अ०	मरम्मत कार्य भुगतान
8.	050409 / 23.7.12	117312.00	मै० नितिन बिक्र फील्ड	रा० पशु चिकित्सालय की बाउण्ड्री वाल/जीर्णोदार का भुगतान
9.	050410 / 9.8.12	1236.00	भारत संचार निगम	सहा० वि० अ० पं० कार्यालय टेलीफोन का भुगतान
10.	050412 / 22.10.12	21000.00	श्रीमती सुमन बाजपेई ब्लाक प्रमुख	मानवेय 3/12 से 9/12 तक का भुगतान
11.	050411 / 13 8 / 12	35000.00	श्री जनक किशोर लेखाकार	दिनांक 14.8.12 बैठक में मा० सदस्य की मानवेय भुगतान
12.	050413 / 5.11.12	82742.00	श्री शैलेन्द्र वर्मा ग्रा०वि०अ०	डीसीबी एमएलजी मरम्मत/जीर्णोदार का भुगतान
13.	050414 / 10.12.12	35000.00	श्री जनक किशोर लेखाकार	दिनांक 11.12.12 समिति की बैठक मानदेय भुगतान
14.	050419 / 7.1.13	2617.00	श्री अवनीश कुमार	स०वि०अ० पं० में कम्प्यूटर कनेक्शन लाइन

			,एडीओपी. एमएलजी	ब्राण्ड एवं कार्टेज का भुगतान
15.	050426 / 28.3.17	15000.00	श्री समुन बाजपेई ब्लाक प्रमुख	मा0 प्रमुख को मानदेय का भुगतान
16.	050427 / 28.3.13	8287.00	श्री अवनीश कुमार ,एडीओपी. एमएलजी	सहा0 वि0 अ0 पं0 के कार्यालय में कनेक्शन व इण्टरनेट का भुगतान
	योग :-	653805.00		
12वां/13वां वित्त 2012-13				
1.	050393 / 10.5.12	93850.00	मै0 गुरु दया बिक्र फील्ड	शेखर खेड़ा में नाली निर्माण ईट का भुगतान
2.	050394 / 10.5.12	54663.00	श्री अरुण कुमार सिंह ग्रा0वि0अ0	शेखर खेड़ा में नाली निर्माण श्रमिकों का भुगतान
3.	050395 / 10.5.12	5720.00	श्री जनक किशोर लेखाकार	दैनिक सफाई कर्मी को दो माह भुगतान
4.	050399 / 14.5.12	9810.10	श्री जनक किशोर लेखाकार	कार्यालय के वाटर कूलर मरम्मत भुगतान
5.	050403 / 12.6.12	33144.00	श्री विनय सागर ग्रा0वि0अ0	कांडेरा रामपुर में शंकर खेड़ा से फर्म के दरवाजे होकर मऊ सीमा तक भुगतान
6.	050404 / 12.6.12	35194.00	मै0 नितिन बिक्र फील्ड उतरावां	कांडेरा रामपुर में शंकर खेड़ा से फर्म के दरवाजे होकर मऊ सीमा तक ईट का भुगतान
7.	050405 / 12.6.12	386848.00	मै0 नितिन बिक्र फील्ड उतरावां	किशनपुर रोड से करनपुर सीमा खण्डजा ईट भुगतान
8.	050406 / 26.6.12	52780.00	श्री अरुण कुमार सिंह ग्रा0 वि0 अ0	स0/पी0 से उम्मेद खेड़ा से तालाब तक खण्डजा/नाली निर्माण भुगतान
9.	015415 / 21.12.12	30430.00	मै0 सीमेन्ट उद्योग	शेखर खेड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नाली निर्माण/खंडजा भुगतान
10.	015417 / 21.12.12	50880.00	श्री भीम शंकर स0वि0अ0	शेखर खेड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रेनद नाली निर्माण/श्रमिक भुगतान
11.	015420 / 7.1.13	217712.00	गुरु दया बिक्र फील्ड	शेखर खेड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नाली निर्माण/ईट का भुगतान
12.	015421 / 26.2.13	27375.00	श्री भीम संकर स0वि0अ0	शेखर खेड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नाली निर्माण/सामग्री भुगतान
13.	015424 / 26.2.13	22220.00	श्री राम दरश ग्रा0वि0अ0	मदारी खेड़ा में सीताराम के खेत तक का भुगतान
14.	015428 / 28.3.13	123178.00	गुरु दया बिक्र फील्ड	मदारी खेड़ा में सीताराम के खेत तक नाली निर्माण भुगतान
15.	015429 / 28.3.13	23770.00	श्री राम दरश ग्रा0वि0अ0	मदारी खेड़ा में सीताराम के खेत तक श्रमिकों को भुगतान
		515000.00	—	राज्य वित्त में हस्तांतरित किया गया
	योग	1682574.00		

राष्ट्रीय बायोगैस अनुदान 2012-13

1.	ए033351 / 126 / 12	8000.00	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री राम शंकर	वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय बायोगैस अनुदान की धनराशि
2.	ए033352 / 12.6.12	8000.00	श्री शेरतम पुत्र श्री शिमल	वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय बायोगैस अनुदान की धनराशि
3.	ए033353 / 12.6.12	8000.00	श्री ताल पुत्र श्री दुर्गा	वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय बायोगैस अनुदान की धनराशि
4.	ए033354 / 12.6.12	8000.00	श्री रामखेलावन पुत्र श्री विशम्भार प्रसाद	वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय बायोगैस अनुदान की धनराशि
5.	ए033355 / 12.6.12	8000.00	श्री सूर्य प्रसाद पुत्र श्री बद्री प्रसाद	वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय बायोगैस अनुदान की धनराशि
	योग :-	40,000.00		

— वर्ष 2012-13 में उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यों पर रूपया 653805 + 1682574.00 + 40,000 = 2376379 कुल रूपया का व्यय अनुदान रजिस्टर II में दर्शित है, जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित कार्यों के अभिलेख जैसे प्रमाणक, एम बी इस्टीमेट इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः रूपया 2376379-00 किये गये अनियमित भुगतान हेतु श्री प्रवीण कुमार शुक्ला ख0वि0अ0 श्री राजेन्द्र कुमार ख0वि0अ0 एवं श्री रघुराज यादव लेखाकर उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-88

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2012-13 की पत्रावली संख्या 31, जो दीवानगंज मऊ में भिखारी के घर से वन विभाग तक खंडजा निर्माण से सम्बन्धित है, जिसे खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज द्वारा कार्यालय पत्रांक 471/12-13/दिनांक 08.01.2013 द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम विकास अधिकारी निर्माण कराने को सौंपा गया था। जिसकी निर्माण लागत रूपया 3,90,000.00 थी। लम्बाई 300 मीटर X चौड़ाई 3.30 मीटर प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर कुल व्यय रूपया 194597.00 का व्यय हुआ। जिसमें कराये गये कार्य के सापेक्ष निम्न कमियां पायी गयी।

- (1) क्रय किये गये निर्माण सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में अंकन किया गया कि स्टॉक रजिस्टर अप्राप्त रहा।
- (2) निर्माण करायी गयी सड़क का परिसम्पत्ति पंजिका में अंकन किया गया कि नहीं, पंजिका अप्राप्त रही।
- (3) एम0बी0बुक प्राप्त न हो पाने के कारण पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ।

(4) कुल निर्माण कार्य के समय सृजित सम्पत्ति पर कुल कितना व्यय हुआ, की स्थिति अज्ञात रही। जबकि शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर - 2008 के अनुसार निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रूपया 1,00,000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। जबकि उक्त कार्य हेतु निर्माण एवं सामग्री रूपया 158722.00 क्रय किया गया। उसके लिये निविदा आमन्त्रित नहीं किया गया, जो अनिवार्य/अपेक्षित रहा।

(5) श्री राम स्वरूप को रूपया 20,880.00 मिट्टी ट्रेक्टर नं0 यू0पी0 32 - सी0जेड0 6589 (240 X 87) मिट्टी ट्राली का भुगतान भी शैलेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत विभाग अधिकारी मोहनलालगंज को दिनांक 25.04.2013 को किया गया। रायल्टी की कटौती की गयी कि नहीं, स्थिति अज्ञात रही। अतः किया गया भुगतान रु0 1,94,597 अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकर उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-89

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त पत्रावली सं0 32 जो मौदरी के मजरा मनियार में ब्रज लाल सिंह के बाग से छोटी माइनर तुकरानी खेड़ा में रज्जन लाल के घर से राम पाल के घर तक खंडजा व पुलिया निर्माण से सम्बन्धित है। खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज में कार्य करने का आदेश संख्या 741 वी दिनांक 08.1.2013 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मोहनलालगंज को दिया गया। 1. लम्बाई 500 मीटर, चौड़ाई 3.30 मीटर, 2. लम्बाई 400 मीटर चौड़ाई 3.00 मीटर। जिस पर कुल रूपया 12,66,247.00 का व्यय हुआ। जिसमें निम्न कमियां पाई गयी :-

- (1) उपरोक्त किये गये निर्माण कार्य में क्रय की गयी निर्माण सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में तिथिकर अंकन किया गया है कि नहीं लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर/स्टोर रजिस्टर जांच के समय प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (2) निर्माण करायी गयी सड़क एवं पुलिया का क्षेत्र पंचायत परिसम्पत्ति पंजिका में अंकन किया गया कि नहीं, परिसम्पत्ति पंजिका लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (3) उपरोक्त कराये गये कार्य की एम0बी0 बुक अप्राप्त रही जिससे पत्रावली से स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कब शुरू हुआ तथा कब समाप्त हुआ निर्माण कार्य के समय सृजित सम्पत्ति पर कितना व्यय हुआ कितनी सामग्री शेष रही का विवरण अज्ञात रही।
- (4) कराये गये निर्माण कार्य पर रूपया 858773.00 के निर्माण सामग्री क्रय किया गया है। नियमानुसार निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व निविदा और कोटेशन आमंत्रित किया जाना चाहिये था, जो कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार निविदा कोटेशन न मंगाया जाना अनियमित रहा।

मस्टर रोलों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि किये गये/कराये गये कार्य के सापेक्ष श्रमिकों को भुगतान कब किया गया अस्पष्ट है। मस्टर रोलों पर निरीक्षणकर्ता के प्रतिदिन के हस्ताक्षर नाम व पद अंकित नहीं है। सम्बन्धित पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं पाया गया। मस्टर रोलों को किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा अवलोकित भी नहीं किया गया है। अतः किया गया भुगतान रूपया 1266247.00 अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 एवं लेखाकर उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या-90

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2012-13 की पत्रावली संख्या-33 जो नारायण खेड़ा पक्की सड़क से रेलवे लाइन तक खंडजा कार्य से सम्बन्धित कार्य से सम्बन्धित है जिसे खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज के कार्यालय पत्रांक पत्र दिनांक 08.01.2013 द्वारा श्री आर0 सी0 बाजपेयी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निर्माण कार्य कराने का आदेश दिया था। जिसकी निर्माण लागत रूपया 967800.00 निर्धारित की गयी थी। (लम्बाई 850

मीटर चौड़ाई 3.30 मीटर) प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर उपरोक्त कार्य रूपया 645733.00 का व्यय हुआ दर्शाया गया है, जिसमें निम्न कमियां पाई गयी।

1. उपरोक्त किये गये निर्माण कार्य में क्रय की गयी निर्माण सामग्री रूपया 430608.00 था। स्टाक रजिस्टर में अंकन किया कि नहीं (तिथिकर) स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा। नियमानुसार निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्ण निविदा / कोटेशन आमंत्रित किया गया कि नहीं पत्रावली में उपरोक्त अभिलेख अप्राप्त रहे।
2. निर्माण कराई गयी सड़क का खंडजा कार्य को क्षेत्र पंचायत की परिसम्पत्ति पंजिका में अंकन किया गया कि नहीं, परिसम्पत्ति पंजिका अप्राप्त रही।
3. सम्बन्धित कराये गये कार्य के सापेक्ष मस्टर रोलो को देखने से ज्ञात नहीं हुआ कि श्रमिकों को किये गये कार्य का भुगतान किस दिनांक को किया गया है। क्योंकि मस्टर रोलो का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। सम्बन्धित कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न नहीं था। अतः किया गया भुगतान रु० 645733.00 अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे०ई० एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-91

वर्ष 2013-14 में व्यय की गयी धनराशि रूपया 16085288.00 में से निम्नलिखित विवरणानुसार किये गये व्यय की स्थिति प्रमाण विहीन रही। उपरोक्त अप्राप्त प्रमाणक का विवरण/सूची निम्न प्रकार है :-

क्र०	चेक सं०/तिथि	धनराशि	सम्बन्ध से व्यक्ति/ फर्म का नाम	विवरण
1.	050438/9.5.13	72691.00	श्री भूपेन्द्र सिंह ग्रा० वि० अ०	चिरानी खेड़ा में सामग्री व मजदूरी भुगतान
2.	050439/15.5.13	4322.00	भारत संचार निगम	सहा० वि० अ० पं० कार्यालय में लगे वाईमैक्स कनेक्शन व इण्टरनेट बिल का भुगतान
3.	050444/8.6.13	35000.00	श्री जनक किशोर	क्षेत्र समिति की दि० 19.6.13 की बैठक हेतु भुगतान
4.	050445/20.6.13	1226.00	भारत संचार निगम	सहा० वि० अ० पं० कार्यालय में लगे इण्टरनेट का भुगतान एमएलजी
5.	050457/27.7.13	2357.00	भारत संचार निगम	सहा० वि० अ० पं० कार्यालय में लगे इण्टरनेट का भुगतान एमएलजी
6.	050462/22.8.13	4690.00	भारत संचार निगम	सहा० वि० अ० पं० कार्यालय में लगे इण्टरनेट का भुगतान एमएलजी
7.	050476/01.10.13	35000.00	श्री जनक किशोर	दिनांक 02.01.13 की क्षेत्र समिति की बैठक हेतु भुगतान
8.	050475/16.9.13	18000.00	श्रीमती सुमन बाजपेई ब्लाक प्रमुख	मानदेय मार्च 13 से 31.08.13 तक भुगतान
9.	050486/15.10.13	2291.00	भारत संचार निगम	सहा० वि० अ० कार्यालय में इण्टरनेट का भुगतान
10.	050488/15.10.13	3240.00	श्री अरविन्द कुमार एडीओपी	इण्टरनेट हेतु कम्प्यूटर मरम्मत का भुगतान
11.	050490/15.11.13	2291.00	भारत संचार निगम	सहा० वि० अ० पं० कार्यालय में लगे वाई मैक्स कनेक्शन का भुगतान
12.	050497/16.12.13	2332.00	भारत संचार निगम	सहा० वि० अ० पं० कार्यालय में लगे वाई मैक्स कनेक्शन का भुगतान
13.	050498/16.1.14	18000.00	मै० वसीम इंजीनियर वर्क्स	1. मौरावां सिसेण्डी रोड 2. चिरानी खेड़ा 3. भदेसुवा 4. गौतम खेड़ा 5. भसण्डा 6. कोराना रोड पक्की सड़क में बाडो हेतु भुगतान।
14.	050501/11.3.14	30,000.00	श्रीमती सुमन बाजपेई ब्लाक प्रमुख	मा० प्रमुख क्षेत्र पंचायत का मानदेय 7.9.2013 से 28.2.2014 (6 माह का भुगतान)
15.	050502/11.3.14	5291.00	श्री अवनीश कुमार सहा० वि० अ० पं०	सहा० वि० अ० पं० कार्यालय में लगे वाई कनेक्शन माह 1/14 पं० वा 2/14 एवं 12/13 व 1/14 का भुगतान
16.	050503/11.3.14	39002.00	मो० शाम बैटरी रिपेयर सर्विस आलमबाग लखनऊ	सहा० वि० अ० पं० कार्यालय में कम्प्यूटर की बैटरी का भुगतान

17.	050510 / 23.3.14	92928.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0पी0जी0आ लखनऊ	वर्ष 2012-13 में आयकर की कटौती की धनराशि जमा करने हेतु।
18.	050511 / 2 7.3.14	2632.00	श्री अरुण कुमार एडीओपी एम0एल0जी0	सहा0 वि0 अ0 पं0 कार्यालय में लगे वाई मैक्स कनेक्शन का इण्टरनेट बिल एवं कार्टेज का भुगतान
19.	— 31.3.14	23287.00	—	मार्च 13 की 2 चेक जी बैंक खाते में अवशेष धनराशि की घटाई नहीं गयी 4 / 14 में आहरित 15000+8287=23287000 (रा0 वित्त एवं तेहरवां वित्त)
20.	—	1196354.00		जि0 पं0 रा0 अ0 लखनऊ प्राप्त धनराशि दिनांक 19.3.14 को हस्तान्तरित की गयी।
	योग :-	1590934.00		
13वां वित्त 2013-14				
1.	050437 / 25.4.13	68921.00	गुरु दया बिक्र फील्ड	शेखर खेड़ा (उतरावा) में सामुदायिक मिलन केन्द्र, ईट का भुगतान
2.	050489 / 21.10.13	721301.00	मै0 सनलियों सोलर एनर्जी लखनऊ	27 नग सोलर लाईट क्रय का भुगतान
3.	050491 / 18.11.13	267148.00	मै0 सनलियों सोलर एनर्जी लखनऊ	10 नग सोलर लाईट क्रय का भुगतान
4.	050496 / 5.12.13	160789.00	मै0 सनलियों सोलर एनर्जी लखनऊ	6 नग सोलर लाईट क्रय का भुगतान
5.	050507 / 15.3.14	187004.00	मै0 सनलियों सोलर एनर्जी लखनऊ	7 नग सोलर लाईट क्रय का भुगतान
6.	050513 / 28.3.14	507583.00	मै0 सनलियों सोलर एनर्जी लखनऊ	19 नग सोलर लाईट क्रय का भुगतान
7.	050510 / 20.3.14	26412.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0पी0जी0आ लखनऊ	वर्ष 2012-13 में आप कर कटौती की धनराशि जमा हेतु
8.	050485 / 10.10.13	293863.00	मै0 सन लियों सोलर एनर्जी लखनऊ	11 नग सोलर लाईट क्रय का भुगतान
9.	050481 / 3.10.13	427438.00	मै0 सन लियों सोलर एनर्जी लखनऊ	16 नग सोलर लाईट क्रय का भुगतान
10.		146948.00	—	मार्च 2013 की 2 चेक बैंक से अवशेष धनराशि घटाई नहीं गयी है अप्रैल 2014 में कैश होने के कारण इस धनराशि को खाते में घटाया जा रहा है। 123178 + 23770 = 146948.00— चेक सं0 050428 / 28.3.13 पं0 123178 चेक सं0 050425 / 28.3.13 = 23770 146948
	योग	2807407.00		
पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान 2013-14				
1.	004261 / 16.12.13	53040.00	श्री एम0एल0 श्रमन बी0क्षे0 पी0वी0डी0 मोहनलालगंज	पं0 युवा क्रीडा एवं खेल अभियान पायका निधि में कराये गये कार्य केबिल का भुगतान
	योग	53040.00		

वर्ष 2013-14 में उपरोक्तानुसार कराये गये कार्पो पर रुपया 1590934 + 2807407 + 53040 = 4451381 -00 कुल रुपया का व्यय अनुदान रजिस्टर II में दर्शित है, जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित कार्यों के अभिलेख, जैसे प्रमाणक, एम बी इस्टीमेट इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः रुपया 4451381 - 00 किये गये अनियमित भुगतान हेतु श्री राजेन्द्र कुमार ख0वि0अ0 तत्कालीन लेखाकर स्व0 श्री अशोक कुमार शुक्ल एवं जे0ई0 उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-92

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2013-14 की पत्रावली संख्या 35 कनेरी के मजरा मोती का पुरवा में कदम पुलिया से खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज के कार्यालय पत्रांक 471 दिनांक 08.01.2013, 334 दिनांक 10.06.2013, श्री वीरेन्द्र सिंह निरंजन (कृषि) एवं पुनः पत्रांक 789 दिनांक 31.08.2013 द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी एवं श्री सुहैल सिद्धीकी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी समाज कल्याण को सौंपा गया जिसकी निर्माण लागत रुपये 10,80,000.00 प्रांकलित की गयी। (लम्बाई 750 मीटर एवं चौड़ाई 3.30 मीटर) प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर उपरोक्त कार्य पर रुपये 10,07,517-00 का व्यय हुआ दर्शाया गया है। उपरोक्त कराये गये कार्यों में निम्न आपत्तियां पायी गयी :-

1. उपरोक्त किये गये निर्माण कार्य में क्रय की गई निर्माण सामग्री रु0 8,00,713.00 का क्षेत्र पंचायत स्टॉक रजिस्टर में अंकन किया गया कि नहीं (तिथिवार) सम्बन्धित पंजिका अप्राप्त रही।
2. निर्माण कराया गया खंडजा एवं पुलिया निर्माण को क्षेत्र पंचायत के परिसम्पत्ति पंजिका में अंकन किया गया कि नहीं से सम्बन्धित पंजिका अप्राप्त रही।
3. उपरोक्त कराये गये निर्माण कार्य पर रु0 8,00,713.00 निर्माण सामग्री क्रय की गयी नियमानुसार निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व निविदा/कोटेशन आमंत्रित किये गये कि नहीं। सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली में नहीं पाये गये।
4. उपरोक्त काये गये निर्माण कार्य की एम0 बी0 अप्राप्त रही। प्रस्तुत पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कब प्रारम्भ और कब समाप्त हुआ। पत्रावली में प्राप्त प्रमाणक ही जानकारी का आधार रहा।
5. उपरोक्त कराये गये निर्माण के सापेक्ष पत्रावली में संलग्न पाये गये मस्टर रोलों से यह ज्ञात नहीं हो सका कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किस - किस दिनांक को किया गया। क्योंकि मस्टर रोल पर समस्त बिल का भुगतान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह निरंजन को किया जाना दर्शाया गया है (विभिन्न तिथियों पर) यह आपत्तिजनक रहा एवं भुगतान अनियमित तरीके से किया गया है।
6. प्रमाणकों को देखने के समय पाया गया कि बिल नं0 183/दि0 25.07.2013 की गुरु दया बिक्र फील्ड को चेक संख्या 050494/दिनांक 26.11.2013 को ईंट क्रय का भुगतान रुपये 84000-1882=82118.00 किया गया जिसके बिल नम्बर एवं दिनांक पर ओवरराइटिंग की गयी है, जिससे किया गया भुगतान अनियमित रहा।
7. ब्राउचर संख्या 58 दिनांक जी पाण्डये ट्रेडर्स के बिल नं0 1/27/दिनांक 30.10.2013 रुपये 16392.00 अन्य सामान क्रय से सम्बन्धित है ब्राउचर सं0 56, जो दया बिक्र फील्ड को बिल नम्बर 91 दिनांक अंकित नहीं रु0 18600.00 के सामान क्रय से सम्बन्धित है, जिसका भुगतान एक साथ चेक संख्या 050499 दिनांक 16.01.2014 को गुरु दया बिक्र फील्ड को किया गया, जिसमें निम्न आपत्तियाँ हैं :-

1. दो फर्मों का भुगतान एक ही चेक से एक फर्म को किया गया।
2. आयकर/व्यापार कर से कटौती नहीं।
3. बिल नम्बर 91, जो गुरु दया बिक्र फील्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया इस पर दिनांक अंकित नहीं है जबकि इसके बाद के सीरियल नम्बरों के बिलों का भुगतान किया जा चुका है। अतः किया गया रुपये 1007517.00 का भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-93

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2013-14 की पत्रावली संख्या 36, जो धनुवा साँड में बावादीन के खेत के पास खंडजा से ईंट भट्टा तक खंडज कार्य से सम्बन्धित है जिसे खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज के कार्यालय पत्रांक 471/58 दि0 01.01.2013 एवं पुनः श्री वीरेन्द्र सिंह निरंजन (कृषि) की पत्रांक 622 दिनांक 27.07.2013 को निर्माण कार्य कराने हेतु सौंपा गया था, जिसकी लम्बाई 200 मीटर चौड़ाई 3.30 मीटर तथा इस्टीमेट रुपये 2,30,700.00 प्रथम बार तथा रुपये 2,75,500.00 द्वितीय बार आंकलित किया गया, प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर उक्त कार्य पर रुपये 261973.00 का व्यय हुआ, कराये गये कार्यों पर निम्न आपत्तियां पाई गयी :-

1. उपरोक्त किये गये निर्माण कार्य में क्रय की गयी निर्माण सामग्री रु0 208,033.00 का व्यय हुआ। क्रय की गई सामग्री की तिथिवार स्टॉक रजिस्टर में अंकन किया गया कि नहीं, लेखा परीक्षा के दौरान पंजिका अप्राप्त रही।
2. निर्माण कराया गया खंडजा कार्य को क्षेत्र पंचायत की परिसम्पत्ति पंजिका में अंकन किया गया कि नहीं सम्बन्धित पंजिका अप्राप्त रही।
3. क्षेत्र पंचायत के स्तर से कराये गये निर्माण कार्य पर रुपये 261,973.00 का व्यय हुआ जिसमें से रुपये 2,08,033.00 की सामग्री क्रय की गयी। सामग्री क्रय करने से पूर्ण निविदा/कोटेशन के मद में कैसे निर्णय लिया गया कि जिस फर्म से सामान क्रय किया गया है वह सही और उत्तम है। इससे सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक पत्रावली में नहीं पाया गया।
4. उपरोक्त कराये गये निर्माण कार्य की एम0 बी0 अप्राप्त रही, प्रस्तुत पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ। सृजित की गई सम्पत्ति पर कुल कितना व्यय हुआ, पत्रावली में प्राप्त प्रमाणक ही जानकारी का आधार रहे।

5. उपरोक्त कराये गये निर्माण कार्य के सापेक्ष पत्रावली में संलग्न पाये गये मस्टर रोलों से यह ज्ञात नहीं हो सका कि श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान कब-कब किस दिनांक को किया गया क्योंकि मस्टर रोलों पर श्रमिकों के भुगतान के आगे केवल अंगूठे का निशान लगा दर्शित है, जबकि भुगतान चेक द्वारा पंचायत विकास अधिकारी को किया गया है। (चेक सं० 050463 दिनांक 22.08.2013)। अतः रुपया 53940.00 का किया गया भुगतान अनियमित रहा। अतः किया गया रुपया 261973.00 का भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे०ई० एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-94

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2013-14 की पत्रावली संख्या 37, जो (दहियर) में विश्राम खेड़ा रोड से गंगा खेड़ा तक खंडजा कार्य से सम्बन्धित है, जिसे खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 147 (4) दिनांक 08.01.2013 को श्री विनोद राव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निर्माण कार्य कराने के लिये सौंपा गया। (कार्य की लम्बाई 300 मीटर चौड़ाई 3.30 मीटर) जिसका प्रथम इस्टीमेट रुपया 3,90,000.00 दिनांक 30.01.2012 एवं रुपया 460000.00 द्वितीय इस्टीमेट दिनांक 02.07.2013 को बना। पत्रावली में प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर निर्माण कार्य पर कुल रुपया 417466.00 व्यय हुआ। कराये गये निर्माण कार्य पर निम्न आपत्तियाँ पाई गयी :-

1. उपरोक्त किये गये निर्माण कार्य में क्रय की गयी निर्माण सामग्री रुपया 3,03,837.00 का व्यय हुआ। क्रय की गयी सामग्री की तिथिवार स्टाक रजिस्टर में अंकन किया गया कि नहीं। लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त पंजिका अप्राप्त रही।

2. उपरोक्त किये गये निर्माण कार्य पर रुपया 303837.00 का सामान क्रय किया गया। सामग्री क्रय करने से पूर्व फर्मों के कोटेशन लिये गये कि नहीं। बिना कोटेशन प्राप्त किये यह निर्णय किस स्तर पर और कैसे किया गया कि उक्त सामान सप्लायर्स फर्म सबसे अच्छी है, से सम्बन्धित प्रमाणक पत्रावली में अप्राप्त रहें।

3. निर्माण कराया गया खंडजा कार्य, जो क्षेत्र पंचायत स्तर से कराया गया को सम्पत्ति पंजिका में अंकन किया गया कि नहीं, की कोई भी पंजिका लेखा परीक्षा में नहीं प्राप्त हुई।

4. (अ) खंडजा निर्माण, में श्री विनोद राव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा मिट्टी डलवाई गई जिससे श्री सतीश द्वारा ट्रेक्टर से डाला गया। 23 ट्राली दर रुपया 225 प्रति ट्राली $(123 \times 225) = 27675.00$

(ब) पुनः श्री ललिता शुक्ला के द्वारा ट्रेक्टर से मिट्टी डलवाई गयी $(42 \times 225) = 9450.00$

1. दोनो ही ट्रेक्टर का नम्बर रसीद बुक पर अंकित नहीं था।

2. मिट्टी भुगतान में रायल्टी काटने का जिक्र नहीं है।

3. पहला भुगतान चेक संख्या 050474 दिनांक 16.09.2013 को श्री विनोद राव को रुपया 50395.00 प्राप्त होने के बाद श्री सतीश को किया गया। रसीद पर रसीदी टिकट संलग्न नहीं था।

4. दूसरा भुगतान चेक संख्या 050493 दिनांक 26.11.2013 धनराशि रुपया 63234.00 श्री विनोद राव के चेक प्राप्त होने के बाद श्री ललित शुक्ला को नकद किया गया। प्राप्ति रसीद पर रसीदी टिकट नहीं अंकित था।

5. उपरोक्त कराये गये खंडजा निर्माण के सापेक्ष पत्रावली में संलग्न पाये गये मस्टर रोलों से यह ज्ञात नहीं हो सका कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किस दिन कब-कब किया गया, क्योंकि मस्टर रोलों पर श्रमिकों के भुगतान के आगे केवल अंगूठा का निशान लगा दर्शित है। जबकि भुगतान चेक द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विनोद राव को किया गया है। चेक संख्या 050474 दिनांक 16.09.2013 रुपया 50395.00, चेक संख्या 050493 दिनांक 26.11.2013 रुपया 63234.00 इसमें मिट्टी ढुलाई का भुगतान भी शामिल है। अतः किया गया रु० 417466.00 का भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे०ई०, एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-95

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये अभिलेख में पत्रावली संख्या 39, जो समेसी मेला रोड से विधार्थी बी०डी०सी० के घर तक खंडजा निर्माण कार्य से सम्बन्धित है, जिसे भी सुहैल अहमद सिद्दीकी (ग्राम पं० अ०) के कार्यालय पत्रांक 1245 दिनांक 18.12.2013 द्वारा हस्तगत कराया गया। कार्य की लागत रुपया 2,03,200.00 प्रांकलित की गयी, जिसके सापेक्ष रुपया 1,92,303.00 उपरोक्त पर कराये गये निर्माण में व्यय किया गया जिसमें निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी :-

(अ) उपरोक्त कराये गये निर्माण कार्य में प्रमाणकों के आधार पर कुल रुपया 147813.00 की ईट मैसर्स गुरु कृपा बिक्र फील्ड से क्रय की गयी। $(27000 \times 5600) (151200 - 3387) = 147813.00$ से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह पुष्टि नहीं हो सकी कि क्रय की गयी सामग्री कितनी मात्रा में आई, कितना उपयोग हुआ और कितना सामान बचा।

(ब) उपरोक्त कराये गये निर्माण पर रुपया 44490.00 का मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया जिसका भुगतान सचिव श्री सुहैल अहमद सिद्दीकी का चेक संख्या 050504 दिनांक 13.03.2014 को किया गया, जबकि एम० आर० में श्रमिकों द्वारा कार्य दिनांक 21.12.13 से 31.12.2013 एवं 02.03.2013 से 10.03.2013 तक किया गया दर्शित है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया, कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नगद/बैंक के माध्यम से किया गया। क्योंकि

मस्टर रोलों पर केवल भुगतान प्राप्त किया कॉलम में अंगूठे के निशान ही अंकित है, दिनांक अंकित नहीं है/अतः किया गया भुगतान नियमानुसार नहीं रहा।

(स) सम्बन्धित कराये गये कार्य का अंकन क्षेत्र पंचायत पंजिका में किया गया कि नहीं से सम्बन्धित पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, जिसे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(द) उपरोक्त कराये गये निर्माण कार्य के सापेक्ष रुपया/147813.00 की ईट क्रय की गयी, से सम्बन्धित कोटेशन/निविदा प्राप्त की गयी कि नहीं से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुये। इससे यह पुष्टि नहीं होता है कि सम्बन्धित फर्म से क्रय की गयी सामग्री ही सही और उत्तम थी। तथा कम धनराशि में क्षेत्र पंचायत कार्य हेतु सप्लाई की गयी। बिल पर बुक संख्या नहीं अंकित है। अतः किया गया रु0 192303.00 का भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-96

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा के समय पत्रावली संख्या 40 की जांच की गयी, जो उत्तरगांव में मौरावां रोड से शम्भू खेड़ा तक खंडजा कार्य कराया गया से सम्बन्धित है जिसका व्यय का इस्टीमेट रुपया 6.77 लाख था, जिसका 'कुल व्यय 438170.54 रहा। करने के लिये श्री कौशल किशोर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पत्रांक 1517 दिनांक 01.02.2014 को हस्तगत कराया गया जिसमें निम्न आपत्ति रही :-

1. क्षेत्र पंचायत को उपरोक्त कार्य के निर्माण के लिये रुपया 3,44,896.54 की ईट क्रय की गयी। परन्तु क्रय की गयी ईट को स्टॉक रजिस्टर में अंकन नहीं किया गया रजिस्टर में अंकन नहीं हो पाने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि कराये गये कार्य पर कब - कब कितना सामान लगा और कितना कार्य होने के बाद बचा/ इससे उपयुक्त एवं बची सामग्री की स्थिति अपुष्ट रही।

2. क्षेत्र पंचायत के उपरोक्त कराये गये कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोलों का भुगतान श्री कौशल किशोर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को चेक संख्या 050528 दिनांक 21.07.2014 को रुपया 58,200.00 किया गया, जबकि मस्टर रोलों पर श्रमिकों को भुगतान निम्न तिथियों में किया गया दर्शाया गया है। तिथियों पर ही मस्टर रोलों पर मजदूरी प्राप्ति के निशान अंगूठा अंकित है।

एम आर. 15.02.2014 से 02.03.2014 रु0 35074.00

भुगतान चेक संख्या 050506 दिनांक 13.03.2014 रु0 35074.00

एम आर.. 01.06.2014 से 10.06.2014 रु0 29100.00 }

एम आर. 11.06.2014 से 20.06.2014 रु0 29100.00 }

रु0 58200.00

इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कि श्रमिकों को भुगतान नकद किया गया या बैंक के माध्यम से और कब-कब किया गया। अतः किया गया भुगतान अनियमित रहा।

3. उपरोक्त कराये गये कार्य पर क्षेत्र पंचायत द्वारा कुल रुपया 438170.54 व्यय किया गया। निर्माण करायी गयी सम्पत्ति को क्षेत्र पंचायत द्वारा सृजित सम्पत्ति पंजिका में अंकन किया गया कि नहीं, की पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि परिसम्पत्ति पंजिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी।

4. क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त कराये गये निर्माण कार्य पर कुल रु0 344896.54 की ईट क्रय की गयी। उसे क्रय करने में कोटेशन/निविदा आमंत्रित की गई की नहीं से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्राप्त हुये। इससे यह कैसे निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित फर्म ही सही मात्रा में सप्लाई कर सकती है। जबकि फर्म के बिल पर बुक नम्बर भी अंकित नहीं है। इससे किया गया भुगतान अनियमित रहा।

5. क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये उपरोक्त निर्माण पर मस्टर रोल दिनांक 15.02.2014 से 02.03.2014 तक) रुपया 35074.00 का भुगतान भी कौशलकिशोर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को चेक संख्या 050506 दिनांक 13.3.2014 को किया गया। जबकि खंडजा कार्य के लिये ईट का क्रय श्री प्रेम नारायण सुजीत कुमार के यहां से बिल नं0 02/54 दिनांक 21.05.2014 को किया गया और इसका भुगतान सम्बन्धित फर्म को चेक संख्या 050519 दिनांक 21.05.2014 रुपया 2,18,982.40 किया गया फिर जब कार्य 15.02.2014 से 02.03.2014 को हुआ और ईटा दिनांक 21.05.2014 को आया तो कार्य कैसे हुआ। अतः किया गया रु0 438170.54 का भुगतान अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी जे0ई0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-97

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा के समय पत्रावली संख्या 41, जो मीरानपुर में अमृतलाल के घर से गुड्डू रावत के घर तक वाया पंकज के घर ड्रेन व नाली निर्माण से सम्बन्धित है, जिस पर कुल इस्टीमेट रु0 1279000.00 आंकलित किया गया। जिसे प्रारम्भ करने के लिये पहले श्री वीरेन्द्र सिंह निरंजन सहा0 विकास अधिकारी (कृषि) को पत्रांक 346 दिनांक 10.06.2013 द्वारा आदेशित किया गया, फिर श्री सुहेल अहमद सिद्दीकी जी0वी0ए0 को पत्रांक 787 दिनांक 31.08.2013 द्वारा आदेशित किया गया। कार्यालय द्वारा प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर निर्माण पर रुपया 1069267.00 का व्यय हुआ, जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयी :-

(क) कुल निर्माण पर रुपया 839768.00 की ईट एवं अन्य सामग्री क्रय की गयी, परन्तु लेखा परीक्षा के समय पत्रावली में स्टाक रजिस्टर नहीं प्राप्त हुआ जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि उपरोक्त क्रय की सामग्री को कब-कब रजिस्टर में अंकन किया गया तथा तिथिवार कब-कब निर्गत किया गया, कितनी सामग्री का प्रयोग हुआ और कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कितनी सामग्री बची।

(ख) नाली निर्माण पर मिट्टी ढुलाई पर कुल रुपया 42525.00 का व्यय हुआ।

1. 50 ट्राली मिट्टी 50X225 = 11250.00 ट्रैक्टर नं० यूपी सी०जे० 0518 श्री दिवाकर झाइवर
2. 43 ट्राली मिट्टी 43X25 = 9675.00 श्री राजेश झाइवर
3. 22 ट्राली मिट्टी 22 X 25 = 4950.00 श्री राजेश झाइवर
4. 74 ट्राली झाइवर 74X225 = 16650.00 श्री राजेश झाइवर

योग 42525.00

विभिन्न तिथियों में जिस स्थान से मिट्टी खुदाई की गयी। मिट्टी कितने घन मीटर थी। उससे शासनादेशानुसार रायल्टी की कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा की गयी की नहीं, कि पुष्टि प्रस्तुत अभिलेखों से नहीं हो सकी। जिससे राजकीय धन की क्षति हुई, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी सम्बन्धित सचिव एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

(ग) क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त कराये गये कार्यों पर रुपया 1069,267.00 व्यय किये गये पत्रावली में प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर क्षेत्र पंचायत की सम्पत्ति पंजिका में इसका विवरण अंकित है कि नही सम्पत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं हो पायी।

(घ) क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 के उपरोक्त कराये गये कार्य पर कुल रुपया 839768.00 का सामान विभिन्न फर्मों से क्रय किया। उपरोक्त क्रय किये गये सामान के कोटेशन/निविदा मंगाये गये कि नही, से सम्बन्धित प्रमाणक पत्रावली में नहीं पाये गये। इससे क्रय किया गया सामान सही व नियमानुसार है, कैसे आंका गया। अतः किया गया भुगतान रु० 1069267.00 अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी जे०ई० एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-98

क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2013-14 में कराये गये कार्य की पत्रावली संख्या 42 के अवलोकन के समय निम्न आपत्तियां सामने आईं। कार्य मदारी खेड़ा में सीता राम के खेत से राम नारायण के खेत तक नाली निर्माण में सम्बन्धित है, जिसे क्षेत्र पंचायत कार्यालय आदेश संख्या 147 ई/दिनांक 08.01.2013 द्वारा श्री राम दरश ग्राम विकास अधिकारी को सौंपा गया। जिसका कुल इस्टीमेट रुपया 609000.00 प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर कराये गये कार्य पर कुल रुपया 539502.00 व्यय हुआ। जिन पर निम्न आपत्तियां पाई गयी :-

1. उपरोक्त कराये गये कार्य पर रुपया 195032.00 ईट पर एवं रु० 224355.00 अन्य सामग्री (बालू, मौरंग, सीमेन्ट) आदि पर व्यय हुआ, परन्तु लेखा परीक्षा के समय स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री कब-कब क्षेत्र पंचायत को प्राप्त हुई और कब-कब नियमानुसार और आवश्यकतानुसार कार्य के लिये निर्गत की गयी तथा कार्य समाप्त होने के बाद कितनी बची। इसके लिये सम्बन्धित कार्य प्रभारी श्री रामदरश जिम्मेदार है।
2. उपरोक्त कराये गये कार्य पर रुपया 539502.00 का व्यय हुआ, परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान परिसम्पत्ति पंजिका प्राप्त न हो पाने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि सम्पत्ति का अंकन सम्पत्ति पंजिका में किया गया है कि नही। इससे कराये गये कार्य की स्थिति अनियमित रही।
3. कार्य पर विभिन्न कार्यों से प्राप्त प्रमाणकों के आधार पर रुपया 419387.00 का सामान क्रय किया गया। क्रय किये गये निर्माण सामग्री से पहले फर्म से कोटेशन/निविदा मंगाये गये थे कि नही। यह प्रमाणकों में देखने को नहीं मिला। यदि नही तो यह कैसे निर्धारित किया गया कि सम्बन्धित फर्म ही थी। स्थिति स्पष्ट करें।
4. उपरोक्त कराये गये कार्य की मेजरमेन्ट पंजिका भी नही प्राप्त हुई, जिससे यह पता लग सके कि वास्तविक रूप से कार्य कब शुरू किया गया और कब समाप्त हुआ, किये गये कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ। पत्रावली में प्राप्त प्रमाणक ही जानकारी के आधार रहा। इसके लिये कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। अतः किया गया व्यय रु० 539502.00 अनियमित रहा। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे०ई० एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-99

वर्ष 2014-15 में व्यय की गयी धनराशि रुपया 7648237=00 में से निम्नलिखित विवरणनुसार किये गये व्यय की स्थिति प्रमाणक विहीन रही। क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा के समय सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के समय निम्न कमियाँ पाई गई है।

राज्यवित्त 2014-15

क्र०	चेक संख्या दिनांक	धनराशि	संस्था/फर्म का नाम	कार्य का विवरण अग्रस्तुत प्रमाणक
1	2	3	4	5
1.	050514 / 21.4.2014	2291.00	भारत संचार निगम	सं० वि० अ० पं० कार्यालय में इन्टरनेट कनेक्शन का भुगतान।
2.	050515 / 21.4.2014	678.00	भारत संचार निगम	सं० वि० अ० पं० कार्यालय में लगवाई कनेक्शन का अवशेष भुगतान।
3.	050518 / 17.05.2014	2332.00	भारत संचार निगम	सं० वि० पं० कार्यालय में इन्टरनेट कनेक्शन का भुगतान।
4.	050520 / 20.06.2011	85000.00	श्री जनक किशोर लेखाकर	दि० 21.6.14 क्षेत्र पं० बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मानदेय का भुगतान।
5.	050523 / 20.06.2014	2113.00	भारत संचार निगम	सं० वि० अ० पं० कार्यालय में वाई मैक्स कनेक्शन का भुगतान।
6.	050524 / 14.07.2014	28000.00	श्रीमती सुमन बाजपेई ब्लाक प्रमुख	मा० प्रमुख मानदेय मार्च-14 से जून-14 तक।
7.	050525 / 14.07.2014	2329.00	भारत संचार निगम लि० लखनऊ	सा० वि० अ० पं० कार्यालय कनेक्शन इटसेट माह जून-2014 का भुगतान।
8.	050530 / 19.09.14	2291.00	श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव	वाई मैक्सबिल जुलाई - 2014 भुगतान।
9.	050531 / 19.09.14	2332.00	भारत संचार निगम लि० लखनऊ	वाई मैक्सबिल अगस्त 2014 भुगतान।
10.	050533 / 07.10.14	21000.00	श्रीमती सुमन बाजपेई प्रमुख	मानवेय माह जुलाई - 2014 से माह सितम्बर - 2014
11.	050534 / 10.10.14	2332.00	भारत संचार नि० लि०	सं० वि० अ० पं० कार्या में लगे वाई मैक्स इन्टरनेट बिल माह 9/14 का भुगतान।
12.	050536 / 16.12.14	85000.00	श्री जनक किशोर	दि० 17.12.2014 को क्षेत्र पं० बैठक सदस्यों का मानदेय भुगतान।
13.	050537 / 18.12.14	2332.00	भारत संचार निगम	सं० वि० अ० पं० कार्या० वाई मैक्स इन्टरनेट बिल माह नवम्बर - 2014 का भुगतान।
14.	050541 / 09.01.15	2291.00	भारत संचार निगम	सं० वि० अ० पं० कार्या वाईमैक्स इन्टरनेट बिल माह दिसम्बर 14 भुगतान।
15.	050535 / 15.11.14	2291.00	भारत संचार नि० लि०	सं० वि० अ० पं० कार्यालय में इन्टरनेट बिल माह 10/14 का भुगतान
16.	050545 / 03.02.15	21000.00	श्रीमती सुमन बाजपेई ब्लाक प्रमुख	मानदेय माह 10/14 से 12/2014 तक।
17.	050546 / 11.02.15	2291.00	भारत संचार निगम लि०	सह० वि० अ० पं० कार्या० में लगे मैक्स इन्टरनेट बिल का माह जनवरी - 15 का भुगतान
18.	050551 / 12.03.15	67971.00	मै० कमला इण्टरप्राइजेज	5% जमानत धनराशि का भुगतान।
19.	050552 / 12.03.15	6075.00	मे० वेद प्रकाश यादव मऊ	5% रोकी गई धनराशि का भुगतान।
20.	050553 / 12.03.15	57353.00	मे० वेद प्रकाश यादव मऊ	5% रोकी गई धनराशि का भुगतान।
21.	050555 / 12.03.15	38420.00	मै० गुरु कृपा का०	5% रोकी गई धनराशि का भुगतान।
22.	050557 / 10.03.15	98421.00	शाखा प्रबन्धक एस०बी०आई०पी०जी०आई० लखनऊ	आयकर कटौती 5 कार्यों हेतु जमा।
23.	050559 / 16.03.15	171051.00	एस०बी०आई० जवाहर भवन लखनऊ	वैट कटौती बावत 5 कार्यों हेतु जमा।
24.	050562 / 18.03.15	2291.00	भारत संचार नि० लि० लखनऊ	सह० वि० अ० पं० कार्यालय में मैक्स बिल इन्टरनेट का भुगतान।

	योग	707485.00		

13वाँ वित्त 2014-15

क्र०	चेक सं० व दिनांक	धनराशि	संस्था/फर्म का नाम	अप्रस्तुत प्रमाणक
1	2	3	4	5
1.	050516 / 17.05.14	320579.00	मे० सनिलियो सोलर एनेर्जी लखनऊ	12 नग सोलर स्ट्रीट लाइट का भुगतान
2.	050517 / 17.05.14	77760.00	मे० सनिलियो सोलर एनेर्जी लखनऊ	5% जमा धनराशि को 6 माह बाद वापस लेने हेतु।
3.	050521 / 12.06.14	23040.00	मे० सनलियों सो०	5% जमा राशि को वापस भुगतान
4.	050532 / 29.09.14	37440.00	मे० सनलियों सो०	5% जमा राशि को वापस भुगतान।
5.	050538 / 18.12.14	17280.00	मे० सनलियों सो०	5% जमा राशि को वापस भुगतान।
6.	050540 / 27.12.14	69672.00	शाखा प्रबन्धक एस०बी०आई०पी०जी०आई० लखनऊ	आयकर कटौती धनराशि वर्ष 2014-15
7.	050534 / 12.03.15	16440.00	मे० गुरुकृपा का०	5% जमा धनराशि वापस करना।
8.	050556 / 16.03.15	7464.00	शाखा प्रबन्धक एस०बी०आई०पी०जी०आई० लखनऊ	आयकर कटौती धनराशि।
9.	050558 / 16.03.15	13152.00	शाखा प्रबन्धक एस०बी०आई० जवाहर भवन लखनऊ	वैट कटौती जमा करना। बावत एक कार्य हेतु।
	योग	582827 / -	-	-

वर्ष 2014-15 में उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यों पर रुपया 707485+582827=1290312-00 कुल रुपया का व्यय अनुदान रजिस्टर II में दर्शित है, जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित कार्यों के अभिलेख जैसे प्रमाणक, एमबी इस्टीमेट इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः रुपया 1290312-00 किये गये अनियमित भुगतान हेतु श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा ख०वि०अ०, श्री जनक किशोर लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-100

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा के समय पत्रावली सं० 01 कार्यालय भवन पुताई से सम्बन्धित है। जिस पर व्यय प्राकलन रु० 1,65,000/- अंकलित किया गया था कार्य गरिमा ट्रेडर्स को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 1564/दिनांक 27.12.2014 को समय से पूर्ण करने हेतु आदेशित किया गया। जिसके सापेक्ष रु० 1,29,546-00 गरिमा ट्रेडर्स को चेक सं० 050549 दिनांक 21.02.15 द्वारा भुगतान किया गया। कराये गये कार्य से सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र अधिशासी अभिमन्ता की रिपोर्ट इत्यादि पत्रावली में अनुपलब्ध रहे। यहाँ तक की तीन के स्थान पर केवल दो ही टेण्डर/कोटेशन पाये गये जो अनियमित है। अतः किया गया रु० 1,29,546-00 का भुगतान/व्यय अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार एवं जे०ई० उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत है :-

क्र०	पत्रावली सं०	कार्य का व्यय	टेण्डर प्राप्तकर्ता /आदि तिथि	(अनुमानित) लगत अभिलेखों के आधार पर	भुगतान का विवरण चेक सं० दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	02	डाडा सिकन्दरपुर पुलिया से सैय्यद मजार तक पट्टी परखण्डज निर्माण	स्वास्तिक बिल्डर्स 1554 / 27 12 / 14	रु० 7,66,000-	050550 दि० 04.03.2015 रु० 6,75,396-00
2.	03	कनकहा पुलिया से छोटी खेड़ा तक	मेसर्स गुरु कृपा कन्सल्ट्रक्शन	रु० 769000-	050542 दि० 29.01.2015 रु० 671568-00

		खण्डजा निर्माण—	1626 / 04 01 / 15		
3.	04	ग्राम गाविन्दपुर में शिवराम गौतम के मकान से छेदा गौतम के घर तक खण्डजा कार्य	मे0 वेद प्रकाश यादव 04 / 10.1.15	रु0 121490—	050560 दि0 29.01.2015 रु0 106393-00
4.	05	रायबरेली रोड में बिन्दौआ जबरौली मइनर तक खण्डजा कार्य	मे0 वेद प्रकाश यादव 1559 / 27 12 / 14	रु0 1529550—	050560 दि0 183 / 15 रु0 941306.00 050575.00 दि0 26 5 / 15 रु0 351666.00 योग — रु0 1292972.00
5.	06	मौरावाँ मार्ग से धनवारा से रवहेरना माईनर तक खण्डजा कार्य	मे0 वेद प्रकाश यादव 1559 / 27 12 / 14	रु0 1190000—	050543 दि0 29 01 / 15 रु0 1003077-00
6.	07	धनुवा सॉड रोड में महेश खेड़ा तक खण्डजा कार्य	मे0 श्री हनुमान प्रसाद कमला इण्टर प्राईजेज 1558 / 27.12.14	रु0 1339429	050548 / दि0 21 02 / 15 रु0 1172269.00
					रु0 49,21,675-00

उपरोक्त कराये गये कार्यो का अनुमानित व्यय जो तालिका के कालम सं0 (5) में अंकित है। जिसके विरुद्ध अलग - 2 (प्रोजेक्ट) पर रु0 49,21,675/- व्यय किया गया है। परन्तु कराये गये कार्यो से सम्बन्धित पत्रावलियों में परिसम्पत्ति पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, अधिशाषी अभियन्ता की रिपोर्ट, टेण्डर फर्म को खोलते समय प्रमाणकों पर ए0डी0पी0 ओ0 के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। कराये गये कार्य के लिये केवल दो ही टेण्डर फार्म पत्रावली में संलग्न पाये गये। जो अनियमित है। अतः उपरोक्त पत्रावली सं0 02 से 07 तक में कुल किया गया भुगतान रु0 49,21,675/- अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकर एवं जे0ई0 उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-101

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा के समय पत्रावली संख्या 08 सिसेण्डी हैदराइन के घर बुढ़वा बाबा मन्दिर तक सी0सी0 रोड का निर्माण से सम्बन्धित है। जिस पर व्यय प्रकाशन रु0 17,20,000/- आंकलित किया गया है। सम्बन्धित कार्य में श्री वेद प्रकाश यादव को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 1560 / 27.12.14 द्वारा कार्य को पूर्ण करने हेतु आदेश/निर्देश जारी किया गया। जिसके सापेक्ष (चेक सं0 50561 दि0 18.3.15. रु0 88914.00 चेक सं0 50565 दि0 08.4.15 रु0 606113-00 चेक सं0 50578 दि0 26.5.15 रु0 15772-00 कुल रु0 7,10,799-00 का भुगतान उपरोक्त फर्म को किया गया। कराये गये कार्य से सम्बन्धित कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र अधिशाषी अभियन्ता की कार्य जाँच आख्या रिपोर्ट आदि पत्रावली में संलग्न नहीं थे। उपरोक्त कराये गये कार्य के सापेक्ष केवल दो ही टेण्डर डाले गये जो अनियमित है। अतः कराया गया कार्य रु0 7,10,799-00 का भुगतान अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकर एवं जे0ई0 उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-102

पत्रावली सं0 09 मऊ तसीम बी0डी0सी0 के घर से पुलिया तक नाली निर्माण से सम्बन्धित है। जिस पर रु0 404000/- व्यय प्राँकलन आंकलित किया गया। सम्बन्धित कार्य में गरिमा ट्रेडर्स को खण्ड वि0 अ0 मोहनलालगंज के कार्यालय आदेश सं0 1631 / 09.01.2015 द्वारा पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्य पूर्व होने पर मेसर्स गरिमा ट्रेडर्स को (चेक सं0 050563 दि0 06.4.2015 रु0 196486/- चेक सं0 050573 / दि0 28.04.2015 /; 149438.00 व्यय रु0 345924/-) का भुगतान किया गया परन्तु इस किये गये कार्य से सम्बन्धित सम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, अधिशाषी, अभियन्ता की जाँच आख्या इत्यादि प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। साथ ही तीन टेण्डर की जगह केवल दो ही टेण्डर डाले गये। मे0 गुरु कृपा कन्सल्टेशन डाला गया - टेण्डर के साथ कोई भी प्रमाणक संलग्न नहीं था। अतः किये गये रु0 345924/- का व्यय भुगतान अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकर एवं जे0ई0 उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-103

पत्रावली सं0 10 जो कि ग्राम मंगटइया में मतऊ के दरवाजे से राम आधार के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित है। जिस पर निर्माण व्यय प्रकाशन रु0 3,35,463/- आंकलित किया गया है सम्बन्धित कार्य मेसर्स गुरुकृपा का0 व्यय को खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज द्वारा पत्रांक 1561 / दि0 27.12.14 द्वारा

पूर्ण करने हेतु आवंटित किया गया। जिसके सापेक्ष मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन को सं० 50547 दि० 12.02.15 द्वारा रु० 2,91,224/- का भुगतान किया गया। प्रस्तुत स्टीमेट पर प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं हैं। केवल दो फर्मों के टेण्डर डाले गये हैं। गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन फर्म के टेण्डर के साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण/पत्र डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में जितेन्द्र कुमार मौर्या का संलग्न है। जो एडवांस स्टडीज इन इजुकेशन यूनिवर्सिटी, राजस्थान का है। कराये गये कार्य का साईन बोर्ड फोटो नहीं संलग्न है। सम्पत्ति पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र तथा अधिशाषी अभियन्ता की जाँच आख्या रिपोर्ट संलग्न नहीं पाई गई। अतः किया गया व्यय रु० 2,91,224/- का भुगतान अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं जे०ई० उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-104

पत्रावली सं० 11 जो ग्राम कुढ़ा में मैथूलाल के घर से पुलिया तक खण्डजा निर्माण कार्य से सम्बन्धित है। जिस पर निर्माण व्यय प्राकलन रु० 8,98,700/- ऑकलित किया गया। सम्बन्धित कार्य मेसर्स वेद प्रकाश कन्सल्ट्रक्शन को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 7206/21.03.2015 द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करने हेतु आदेशित किया गया। कार्य पूर्ण होने पर मेसर्स वेद प्रकाश कन्स्ट्रक्शन को चेक सं० 050583 दि० 07.06.2015 व्यय रु० 7,82,610/- का व्यय भुगतान किया गया। परन्तु इसे किये गये कार्य से सम्बन्धित, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा कराये गये कार्य की अधिशाषी अभियन्ता कार्य की जांच रिपोर्ट संलग्न नहीं थी। वेद प्रकाश कन्सल्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत टेण्डर के साथ केवल बिल आफ इन्वाइस का प्रमाण-पत्र (छाया प्रति) संलग्न थी इसके अलावा कोई भी आवश्यक प्रपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं थे। इसी प्रकार गुरु कृपा के टेण्डर फार्म के साथ कोई भी आवश्यक प्रमाणक संलग्न नहीं थे। जो अनियमित है। अतः किया गया रु० 7,82,610-00 का व्यय/भुगतान अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं जे०ई० उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-105

पत्रावली सं० 12 हुलास खेड़ा से खुजहैटा तक खडन्जा निर्माण कार्य से सम्बन्धित है। जिस पर निर्माण व्यय रु० 8,98,700/- ऑकलित किया गया है। सम्बन्धित कार्य मेसर्स गुरुकृपा कन्सल्ट्रक्शन को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 2207/21.03.2015 द्वारा समय से पूर्ण करने हेतु आदेशित किया गया। अनुमानित व्यय रु० 8,98,700.00 के सापेक्ष चेक सं० 50588 दि० 12.6.15 रु० 6,98,458/- का वास्तविक भुगतान श्री मेसर्स गुरुकृपा कन्सल्ट्रक्शन को किया गया। परन्तु इस किये गये कार्य से सम्बन्धित कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र सम्पत्ति रजिस्टर, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा निर्गत जाँच रिपोर्ट आदि संलग्न नहीं थी। मेसर्स वेद प्रकाश कन्स्ट्रक्शन एवं मेसर्स गुरु कृपा कन्स्ट्रक्शन द्वारा डाले गये टेण्डर के साथ आय प्रमाण-पत्र, हैसियत, कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र अदेयता-प्रमाण पत्र, तथा चरित्र प्रमाण पत्र निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड फोटो संलग्न नहीं था। अतः किये गये रु० 6,98,458/- का व्यय भुगतान अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार जे०ई० उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-106

क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत है :-

क्र०	पत्रावली सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम/ टेण्डर प्राप्तकर्ता /आदेश तिथि	कार्य की अनुमानित लागत	भुगतान का विवरण चेक सं० व दिनांक
1.	13	दहियर में अटलबिहारी कनौजिया के घर से सूरज गौतम के घर तक नाली निर्माण	मेसर्स गुरु कृपा कन्स्ट्रक्शन 2205/21.3.15	रु० 437400-00	चेक सं० 050568, 25 4/15 257524-00 चेक 50577, 26 5/15 रु० 101574.00 योग - रु० 359098-00
2.	14	पुरसैनी लिंग मार्ग पर हनुमान मन्दिर से प्रा० वि० तक खण्डजा निर्माण	मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन 2210/21.03.15	रु० 873900-00	चेक सं० 50590 दि० 15 7/15 रु० 650338.00 चेक सं० 50613 दि० 31 01/16 रु० 5343-00 योग - रु० 655681-00
3.	15	सिसेन्डी में हैदराइन के घर से बुढवा बाबा मन्दिर तक दोनों तरफ नाली निर्माण	मेसर्स गुरुकृपा कन्सल्ट्रक्शन 2231/23.03.15	रु० 973900-00	चेक सं० 50598 दि० 132 5/15 रु० 438365-00 चेक सं० 50576 दि० 26 5/15 रु० 5350-00 चेक सं० 50564 दि० 06 4/15

					रु0 — 371212-00
					योग रु0 814927-00
4.	16	भाटन खेड़ा लिंक मार्ग से पसियानों तक खण्डजा कार्य	मेसर्स वेद प्रकाश कन्स्ट्रक्शन 2233/दि0 23 3/15	रु0 761000.00	चेक सं0 50594 23 7/15 रु0 530898-00 चेक सं0 50614 30 1/16 रु0 6133-00
					योग रु0 537031-00
5.	17	ग्राम कलूमर में सहदेव के घर से दिलगिसिया तक खडन्जा कार्य	मेसर्स स्वास्तिक बिल्डर्स— 2234/23.3.15	रु0 869600-00	चेक सं0 50582 दि0 27 06/15 रु0 638757-00
					योग — 3005494.00

उपरोक्त कराये गये कार्यों का अनुमानित व्यय जो तालिका के कालम 5 में अलग-अलग कार्यों के सम्मुख अंकित है। जिसके विरुद्ध अलग — अलग कार्यों पर कुल रु0 3005494-00 का वास्तविक व्यय किया गया। परन्तु किये गये कार्यों से सम्बन्धित, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र कार्य के तीन स्तर/साइन बोर्ड की फोटो, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली गुणवत्ता प्रमाण-पत्र/टेण्डर फर्म पर बीडीओ महोदय के हस्ताक्षर पत्रावली में नहीं पाये गये। तथा मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन एवं मेसर्स विनोद कुमार के टेण्डर प्रपत्र के साथ केवल नोटरी शपथ पत्र संलग्न था। जिससे यह कहा गया कि चरित्र प्रमाण पत्र है के साथ व्यापार कर बीड-सिक्योरिटी प्रमाण पत्र तथा जमानत धनराशि का प्रमाण पत्र निविदा के साथ मूल रूप में संलग्न है। परन्तु कोई भी प्रमाण संलग्न नहीं था। यहाँ तक की तीन के स्थान पर केवल दो ही टेण्डर/कोटेशन डाले गये जो अनियमित रहा। अतः उपरोक्त कार्यों पर किया गया व्यय/भुगतान रु0 3005494/- अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 एवं लेखाकर उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-107

क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत हैं :-

क्र0	पत्रावली संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	टेण्डर प्राप्तकर्ता का नाम, आदेश तिथि	भुगतान
1	04	सहायक विकास अधि0 (पं0) आवास की रंगाई पुताई कार्य	रु0 1,00,000	मेसर्स गुरुकृपा कान्स्ट्रक्शन 15 03/16	चेक सं0 11836 दि0 28.9.16 रु0 66557.00 चेक सं0 19467 दि0 27.02.17 रु0 20045.00 प
					योग रु0 — 86602.00
2	05	प्रमुख कार्य एवं मीटिंग कक्ष (हाल) एवं खण्ड विकास अधिकारी कक्ष का सौन्दरीकरण व विविध कार्य	रु0 5,00,000	मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन 26 03/16	चेक सं0 11827 दिनांक 14.06.16 रु0 152982-00 चेक सं0 40150 दि0 25.5.17 रु0 33478-00
					योग रु0 — 186460-00
3	06	पुराना खण्ड विकास अधिकारी कक्ष का सौन्दरीकरण एवं अन्य कार्य।	रु0 2,00,000	15 03/16 मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन	चेक सं0 109469 दिनांक 27 02/17 रु0 — 96436.00
4	07	आई0 आर0डी0 कक्ष का सौन्दरीकरण	रु0 71000-00	15 3/2016 मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन	चेक सं0 011835 दि0 28.07.2016 रु0 52520/-
5	08	सामुदायिक मिलन केन्द्र का सौन्दरीकरण एवं	रु0 1,00,000	मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन	चेक सं0 11826 दि0 14.06.16

		विविध कार्य		13.03.16	रु 52085.00 चेक सं० 19465 दि० 11.02.17 रु 35127-00
		योग :-			योग - रु 509230-00

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराये गये कार्यों का अनुमानित व्यय जो तालिका के कालम 3 में अलग-अलग कार्यों के सम्मुख अंकित है। जिसके विरुद्ध अलग-अलग कार्यों पर कुल रु 509230/- का वास्तविक व्यय किया गया। परन्तु किये गये कार्यों सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, अधिशासी अभियन्ता की जाँच रिपोर्ट पत्रावली में नहीं पाये गये तथा वर्क प्रोग्रेस चार्ट पर कोई प्रतिष्ठा अंकित नहीं है, जे०ई० के द्वारा बिल पर पूर्ण प्रविष्टियाँ अंकित नहीं की गई, टेण्डर फार्म जो निर्गत किये गये हैं पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। इत्यादि के अतिरिक्त प्रत्येक कार्य प्रारम्भ करने से पहले तीन टेण्डर/कोटेशन होना चाहिये परन्तु केवल दो ही टेण्डर/कोटेशन डाले गये। जो अनियमित है। प्रत्येक पत्रावली को देखने से ज्ञात हुआ कि पत्रावली को नियमानुसार तैयार नहीं किया गया है, अतः किये गये रु 509230/- का व्यय/भुगतान अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी जे०ई० एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-108

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा के समय पत्रावली 09 मौरौवा रोड पर इमलिहा खेड़ा से प्रियंका बाजपेयी के बाग तक खण्डजा कार्य से सम्बन्धित है। जिस पर व्यय प्रांकलन रु 6,00,000-00 आंकलित किया गया। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय मोहनलालगंज के कार्यालय पत्रांक 1737 दि० 16.03.2016 द्वारा उक्त कार्य स्वास्तिक बिल्डर को पूर्ण करने हेतु आदेशित किया गया। जिसके विरुद्ध (स्वास्तिक बिल्डर) को (चेक सं० 003818 दि० 27 4/16 रु 394739-00 एवं चेक सं० 011845 दि० 15.10.16 रु 17384.00 कुल रु 412123.00) का भुगतान किया गया। कराये गये कार्य से सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र तथा अधिशासी अभियन्ता की जाँच रिपोर्ट, कराये गये कार्य की तीन स्तर की फोटो तथा साईन बोर्ड फोटो संलग्न नहीं था। वर्क प्रोग्रेस चार्ट अधूरा था, साथ ही कराये गये कार्य के लिये केवल दो ही टेण्डर पत्रावली में संलग्न पाये गये। स्वास्तिक बिल्डर द्वारा प्रस्तुत टेण्डर फार्म के साथ शपथ-पत्र एवं पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न थी, शपथ पत्र के साथ संलग्न होने वाले अन्य कोई भी प्रमाणक पत्रावली में नहीं पाये गये। अतः किया गया भुगतान रु 412123/- अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे०ई०, लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-109

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा के दौरान पत्रावली सं० 10 जो सिसैण्डी मे छोट्टनकहार के घर से बाबू के घर तक सी० सी० रोड निर्माण कार्य से सम्बन्धित है। जिस पर निर्माण व्यय रु 2,30,000.00 आंकलित किया गया है। उपरोक्त कार्य मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन के पूर्ण करने हेतु आदेश निर्गत किये गये। जिसके विरुद्ध रु 201437.00 मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन को चेक सं० 3869 27.4.16 रु 185235.00 चेक सं० 040135 दि० 19.05.17 रु 16202.00 कुल रु 201437.00 भुगतान किया गया। कराये गये कार्य से सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, अधिशासी अभियन्ता की फाइनल रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं थी। कार्य का प्रोग्रेस चार्ट, जे०ई० द्वारा प्रस्तुत बिल, अपूर्ण थे। सम्बन्धित पत्रावली में श्री अरविन्द कुमार चौरसिया, जे०ई० को कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज द्वारा पत्रांक 1219/लेखा/आडिट दिनांक 03/10/2016 द्वारा आदेशित किया गया है कि फाइनल भुगतान के बाद सभी कार्यक्रमों की कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें किन्तु किसी भी पत्रावली में कार्यपूर्ति नहीं संलग्न पाई गई। साथ ही तीन टेण्डर की जगह दो टेण्डर डाले गये जो अनियमित है। अतः किया गया रु 201437/- का व्यय/भुगतान अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी जे०ई० एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-110

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत है।

क्र०	फाईल नं०	कार्य/प्रयोग का नाम	टेण्डर प्राप्तकर्ता का नाम आदेश/दिनांक	अनुमानित लगत अभिलेखों के आधार पर	भुगतान का विवरण चेक सं० व दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	10	सिसैण्डी से दाउदपुर तक खण्डजा कार्य	श्री वेद प्रकाश यादव मऊ 1734/15.3.16	रु 6,90,000	चेक सं० 03865 दि० 30 3/16 रु 554523-00 चेक सं० 011838 दि० 28.07.16

					रु0 39514.00
					योग – 594037-00
2.	12	गुजराती पंडित के घर से सिसेण्डी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक सी0सी0 रोड	मेसर्स वेद प्राकाश कन्स्ट्रक्शन को स्वीकृत	रु0 349514.55	चेक सं0 11828 दि0 14.6.16 रु0 178074-00 चेक सं0 011844 15. 16 / 16 रु0 6203-00
					योग – रु0 184277-00
3.	13	कुशमौरा रोड से परसपुर ठट्टा तक खडन्जा कार्य	मेसर्स वेद प्राकाश यादव मरु	रु0 443800	चेक सं0 03873 दि0 03 3 / 16 रु0 369551.00 चेक सं0 011839 दि0 28 / 7 / रु0 9600.00
					योग रु0 379151.00
4.	14	केसरी खेड़ा से भदेसुवा मार्ग तक खडन्जा कार्य	स्वास्तिक बिल्डर्स –	रु0 713000	चेक सं0 03870 / 27 / 04 / 16 रु0 591500.00 चेक सं0 011837 / 28 / 7 / 16 रु0 8642.00
					योग रु0 600142-00
5.	15	सिसेण्डी में शत्रोहन के घर से मेन रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य + नाली निर्माण	मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन	रु0 518000	चेक सं0 50616 / 30 / 1 / 16 रु0 344315.00 चेक सं0 50625 / 11 / 3 / 16 रु0 75026.00 चेक सं0 03863 / 30 / 3 / 16 रु0 2980.00
					योग रु0 422321.00
6.	16	कोराना में राकेश यादव के घर से राजेन्द्र यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य एवं नाली निर्माण	मेसर्स वेद प्राकाश यादव 1190(2) / दि0 17.12.15	रु0 10,18,000	चेक सं0 50619 / 30 / 01 / 16 रु0 243512.00 चेक सं0 50620 / 06 / 2 / 16 रु0 571697.00 चेक सं0 03852 / 11 / 3 / 16 रु0 66559.00
					योग – रु0 881768
			कुल योग		रु0 3061696.00

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज में वर्ष 2015-16 में 3061696-00 में कराये गये निर्माण कार्य पर अनुमानित लागत जो तालिका में क्रमांक 5 पर अलग-अलग कार्यों पर अलग-अलग अंकित है जिसके विरुद्ध अलग-अलग कार्यों पर अलग-अलग धनराशि रु0 30,61,696.00 का वास्तविक व्यय किया गया। परन्तु किये गये कार्यों से सम्बन्धित कतिपय प्रमाण पत्रावली में नहीं थे और जो थे भी वह गलत व अपूर्ण थे। परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्राण – पत्र, अधिभाषी अभियन्ता की जाँच रिपोर्ट, शपथ – पत्र – टेण्डर के साथ संलग्न है में उल्लेख किये गये प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। (चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, आयकर व्यापारकर बीड सिक्योरिटी प्रमाण-पत्र) वर्क प्रोग्रेस चार्ट – कराये गये कार्यों के जो बिल प्रस्तुत किये गये अधिकांश त्रुटिपूर्ण थे, प्रविष्टियों में अत्याधिक कटिंग एवं अपर लेखन किया गया है। कार्य होने के उपरान्त लगाये जाने वाले बोर्ड की फोटो संलग्न नहीं पाई गई। साथ ही कराये गये कार्यों के लिये केवल दो ही टेण्डर किये गये जारी टेण्डर फार्म पर बी0डी0ओ0, ए0डी0पी0ओ0, के हस्ताक्षर नहीं थे। अतः किया गया रु0 3061696 / – का व्यय भुगतान अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-111

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा के दौरान पत्रावली सं0 17 जो सिसेण्डी में अजमत के घर से अशोक मिश्रा के घर तक सी0 सी0 रोड एवं नाली निर्माण से सम्बन्धित है जिस पर व्यय

प्रांकलन रु 219000.00 आंकलित किया गया। उपरोक्त कार्य मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन का समय से पूर्ण करने हेतु आवंटित किया गया। जिसके पूर्ण होने पर मेसर्स गुरु कृपा कन्स्ट्रक्शन को चेक सं० 050615 दिनांक 30.01.2016 द्वारा रु 118294/- का भुगतान किया गया। कराये गये कार्य से सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट, अप्राप्त रहे, वर्क प्रोग्रेस चार्ट अपूर्ण है। टेण्डर पर फार्म शुल्क की धनराशि खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर फार्म संख्या दिनांक, ए०डी०ओ०पी०, के हस्ताक्षर अंकित नहीं है टेण्डर फार्म के साथ संलग्न होने वाले प्रमाणक अप्राप्त रहे। उपरोक्त कार्य के लिये जाने वाली तीन निविदा की जगह केवल दो ही निविदा डाली गई जोकि अनियमित रहा। अतः किया गया रु 118294/- का व्यय भुगतान अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे०ई० एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-112

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा के दौरान पत्रावली सं० 18 का अवलोकन किया गया जो गोसाईगंज रोड से वेद प्रकाश के घर तक खण्डजा कार्य से सम्बन्धित है। जिस पर व्यय प्रांकलन रु 7,36,800/- आंकलित किया गया सम्बन्धित कार्य मेसर्स वेद प्रकाश यादव को इस निर्देश के साथ आवंटित किया गया कि इसे समय से पूर्ण किया जाये। जिसके सापेक्ष सम्बन्धित फर्म को रु 646490/- का भुगतान किया गया (चेक सं० 050624 दि० 11.3.2016 रु 39800/- चेक सं० 03862 दि० 30.03.16 रु 223120 - चेक सं० 011846 दि० 15.10.16 रु 25369) कुल रु 646490/- का भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया गया। कराये गये कार्य से सम्बन्धित पत्रावली में परिसम्पत्ति पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, साईन बोर्ड फोटो, शपथ-पत्र एवं उसके साथ संलग्न होने वाले अन्य प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे। वर्क प्रोग्रेस चार्ट, कमपेरेटिव स्टेटमेन्ट पर किसी भी जाँच कर्ता के हस्ताक्षर नहीं है एवं अपूर्ण पाया गया।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज के पत्रांक मे मों/14 12/15 द्वारा (1) मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन (2) मेसर्स वेद प्रकाश यादव, मऊ को तथा स्वास्तिक बिल्डर्स को दिनांक 15.12.15 को टेण्डर खोलने के दिनांक से अवगत कराया गया। जबकि स्वास्तिक बिल्डर्स द्वारा उपरोक्त कार्य के लिये टेण्डर डाला ही नहीं गया फिर उन्हें टेण्डर खोलने के दिनांक से क्यों अवगत कराया गया। (पत्रावली में प्राप्त अभिलेखों के आधार पर) उपरोक्त कराये गये कार्य के सापेक्ष केवल दो ही टेण्डर डाले गये जो अनियमित है। अतः किया गया भुगतान व्यय रु 646490/- अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे०ई० एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-113

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2015-16 की लेखापरीक्षा के दौरान पत्रावली सं० (19) जो सिसेण्डी से मेन रोड तक सी० सी० रोड निर्माण से सम्बन्धित है। जिसके निर्माण पर रु 790000/- का व्यय प्रांकलन अंकलित किया गया उपरोक्त कार्य मेसर्स गुरुकृपा को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा इस आशय से आवंटित किया गया कि इसे निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाये। जिसके निर्माण उपरान्त मेसर्स गुरुकृपा को रु 658800/- का भुगतान किया गया। (चेक सं० 050627 दि० 05/16 रु 604517-00, चेक सं० 014455 दि० 04/01/17 रु 54283-00 कुल रु 658800/-) परन्तु इस कराये गये कार्य से सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, अधिशासी अभियन्ता की जाँच रिपोर्ट, स्वास्तिक बिल्डर्स एवं मेसर्स गुरु कृपा कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत निविदा के साथ केवल शपथ-पत्र संलग्न है इसके अलावा कोई भी प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। सम्बन्धित प्रपत्रों पर खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। जे० ई० अरविन्द कुमार चौरसिया द्वारा जो बिल प्रस्तुत किये जा रहे हैं वह त्रुटिपूर्ण है। अधिकांश बिलों पर कटिंग तथा अपर लेखन पाया गया है। साथ ही कराये गये कार्य हेतु केवल दो ही निविदा डाली गई जबकि नियमानुसार तीन निविदा होनी चाहिये जो, कि अनियमित रहा। अतः किया गया रु 658800/- का व्यय भुगतान अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे०ई० एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-114

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2015-16 की लेखापरीक्षा के समय पत्रावली सं० 20 जो सिसेण्डी में बुद्धेश्वर महादेव मन्दिर से भगौती प्रसाद के घर तक मेन डामर रोड तक सी० सी० रोड निर्माण से सम्बन्धित है। जिस पर रु 12,11,500.00 का व्यय प्रांकलन आंकलित किया गया, उपरोक्त कार्य मेसर्स गुरु कृपा को खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज, द्वारा समय से पूर्ण करने हेतु आदेशित किया गया जिसके निर्माण पर रु 958412.00 का भुगतान मेसर्स गुरु कृपा को किया गया। (चेक सं० 003851 दि० 11/3/16 रु 791004.00 चेक सं० 003860 30/3/16 रु 132783-00, चेक सं० 019455 दि० 04 /01/2017 रु 34625.00) उपरोक्त कराये गये कार्य से सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र पत्रावली नहीं पाये गये।

साथ ही गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन एवं स्वास्तिक बिल्डर्स द्वारा डाली गयी निविदा के अधिकांश कालमों पर प्रविष्टियाँ अंकित नहीं की गई हैं। टेण्डर फार्म पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत के हस्ताक्षर भी नहीं है। तथा निविदा के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र में जो प्रमाणक प्रस्तुत करने हेतु इंगित किया गया

वह सही नहीं पाये गये। वर्क प्रोग्रेस चार्ट अपूर्ण है। प्रस्तुत कमपेरेटिव स्टेटमेन्ट में जाँचकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। प्रत्येक कराये जाने हेतु कार्य हेतु कम से कम तीन निविदा डाली जानी थी परन्तु इस कार्य हेतु केवल दो ही निविदा डाली गयी है। जो अनियमित है। अतः किया गया व्यय भुगतान रु0 958412/- अनियमित है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

सिसेण्डी में बुद्धेश्वर महादेव मन्दिर से गोमती प्रसाद के घर तक मेन डामर रोड तक सी सी0 रोड के निवधि कार्य के भुगतान हेतु श्री अरविन्द कुमार चौरसिया जे0ई0 घर बिल सं0 (01) मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन को भुगतान हेतु रु0 891473.73 का बिल प्रस्तुत किया जिसकी कटौती करने के उपरान्त चेक सं0 03851 दि0 11.03.2016 व्यय रु0 7,91,004/- का भुगतान मेसर्स गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन को किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया की बिल का वास्तविक योग रु0 874994.87 आता है। (रु0 891473.73-874994.87 = रु0 16478.86) अतः रु0 16478.86 का भुगतान श्री गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन को अधिक किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री जनक किशोर लेखाकर जे0ई0 अरविन्द कुमार चौरसिया से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

2.7. 2.27%	2036.00
वैट. 4%	35659.00
सिक्वोरिटी 5%	44574.00

100469.00

891473=73-100469=791004-00 भुगतान किया गया।

891473.73-874994.87=16478.86 अधिक भुगतान किया गया।

प्रस्तर संख्या-115

वर्ष 2016-17 में व्यय की गयी धनराशि रुपया 6431800-00 में से निम्नलिखित विवरणानुसार किये गये व्यय की स्थिति प्रमाणक विहीन रही।

राज्य वित्त / चतुर्थ वित्त

क्र0	चेक सं0 दिनांक	धनराशि	संस्था/फर्म का नाम	अप्रस्तुत प्रमाणक
1	2	3	4	5
1.	003867 / 16.04.2016	44325-00	असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर लखनऊ	बैंक कटौती 5 वर्ष हेतु किया गया भुगतान
2.	003872 / 22.04.2016	1429.00	सी0एम0वाइ0 के प्रिन्टेक लि0 लखनऊ	क्षेत्र पं0 मो0 गंज के पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा में आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित करने का भुगतान
3.	011829 / 14.06.2016	17273.00	वणिज्यकर एस0बी0आई0पी0जी0आई0 लखनऊ	वैट कटौती बाबत 03 कार्य हेतु।
4.	011831 / 25.06.2016	156872-00	असिस्टेंट कमि0 वाणिज्यकर लखनऊ	आयकर कटौती बाबते 23 कार्य हेतु
5.	011840 / 09.08.2016	7972-00	वणिज्यकर	वैट कटौती बाबत 5 कार्य हेतु।
6.	011844 / 05.10.2016	6203-00	वेद प्रकाश मोहनलालगंज	गुजराती पंडित के घर से सिसेण्डी सा0स्व0 केन्द्र तक सी0 सी0 रोड का भुगतान
7.	011845 / 15.10.2016	17384-00	मे0 स्वास्तिक बिल्डर्स	मौराव रोड पर इमलिहा खेड़ा से प्रियंका बाजपेई के बाग तक खंडजा निर्माण भुगतान
8.	011846 / 15.10.2016	25369-00	वेद प्रकाश यादव	गोसाईगंज रोड से वेद प्रकाश यादव के घर तक खंडजा निर्माण का भुगतान
9.	011848 / 24.10.2016	2208-00	असिस्टेंट कमिश्नर	बैट कटौती बाबत 3 कार्य हेतु भुगतान
10.	01451 / 21 12 / 2016	35994.00	मे0 स्वास्तिक बिल्डर्स सं0 एण्ड कन्स्ट्रक्शन	क्षेत्र पं0 मोहनलालगंज के पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित करने हेतु समाचार-पत्र में प्रकाशित कराने का भुगतान
11.	019454 / 21 12 / 16	49689-00	वेद प्रकाश मो0 लालगंज	कोराना में राकेश यादव के घर से राजेन्द्र प्रसाद के घर तक सी0सी0 रोड में रोकी गयी 5% धनराशि का भुगतान।

12.	019457 / 19.01.2017	4008-00	आ0 कमिश्नर वाणिज्यकर लखनऊ	वैट कटौती बाबत 2 कार्यो हेतु भुगतान
13.	0019466 / 13.02.2017	75500	आ0 कमिश्नर वाणिज्यकर लखनऊ	वैट कटौती जमा बाबत 4 कार्यो हेतु
	योग	444226-00		

वर्ष 2016-17 में उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यो पर रुपया 444226-00 का व्यय अनुदान रजिस्टर II में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित कार्यो का अभिलेख जैसे प्रमाणक, एम0बी0इस्टीमेट इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः रुपया 444226-00 किये गये अनियमित भुगतान हेतु श्री मुनेश चन्द्र ख0वि0अ0, श्री जनक किशोर लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-116

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2016-17 की प्रस्तुत की गये पत्रावलियों में पत्रावली सं0 03 जो रायबरेली रोड से मनोजरावत के दरवाजे से शशि के प्लाट तक मिट्टी खण्डनजा कार्य से सम्बन्धित है। जिस पर रु0 2,50,000-00 निर्माण व्यय आंकलित किया गया। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 1451/दि0 25 11/16 द्वारा उक्त कार्य श्री जंगे सिंह, लडई का पुरवा बाराबंकी को इस निर्देश के साथ दिया गया कि इस समय से पूर्ण करे। इसके सापेक्ष में0 जंगे सिंह लडई का पुरवा बाराबंकी को (चेक सं0 019461 दि0 25.1.17 रु0 146142.00 चेक सं0 40147 दि0 25.7.2017 रु0 48058.00) कुल रु0 194200.00 का भुगतान किया गया। परन्तु कराये गये कार्य के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गये पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित नियोजन/निर्माण कार्य समिति से पुष्टि प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर सृजित परिसम्पत्ति पंजी, आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। वर्क प्रोग्रेस चार्ट नहीं भरा गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी। केवल पत्रावली पर अन्तिम भुगतान के समय यह अंकित कर दिया जाता है, कि कराये गये कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक है जबकि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जाँच करने के उपरान्त पाया गया कि लगभग 2% ईट पीली लगी है। जिन्हे सही कराया जायें फिर किस प्रकार जे0ई0 श्री अरविन्द चौरसिया द्वारा कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक किस आधार पर लिख दिया गया और फर्म को भुगतान किया गया। साथ ही निर्माण कार्य से पहले नियमानुसार तीन टेण्डर डाले जाने चाहिये थे पर केवल दो ही टेण्डर डाले गये और औपचारिकता पूरी कर ली गयी। इस प्रकार कराये गये कार्य के लिए 3 टेण्डर न मँगाया जाना भी अनियमित रहा। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जे0ई0 तथा कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-117

क्षेत्र पंचायत की पत्रावली सं0 06 जो नन्दौली रोड में जमोलिया ग्राम तक खण्डनजा कार्य निर्माण से सम्बन्धित है जिस पर रु0 10.68 लाख निर्माण-व्यय आंकलित किया गया खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज, के आदेश सं0 1452/25.11.2016 द्वारा उक्त कार्य श्री कमलेश कुमार अवस्थी को समय से पूर्ण करते हेतु आबंटित किया गया कि इसे समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करे। इसके सापेक्ष श्री कमलेश कुमार अवस्थी को रु0 9,10,246-00 (चेक सं0 010466 दि0 13.2.17 रु0 906875-00 चेक सं0 040146 दि0 25.07.2017 रु0 3371-00) का भुगतान किया गया। परन्तु कराये गये कार्य के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण - पत्र, क्षेत्र पंचायत स्तर गठित नियोजन/निर्माण कार्य समिति से पुष्टि प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति पंजी, अधिशासी अभियन्ता द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली कार्य की गुणवत्ता रिपोर्ट, कार्य के 3 स्तर के फोटोग्राफ, कराये गये कार्य के उपरान्त लगाये जाने वाला साइन बोर्ड फोटो आदि पत्रावली संलग्न नहीं है। प्रस्तुत प्रॉकलन आदेश में कार्यालय आदेश सं0 दिनांक नहीं अंकित है। प्रस्तुत किये गये टेण्डर के साथ प्रमाणकों की छाया प्रति संलग्न है। तथा नियमानुसार किसी कार्य को कराये जाने से पहले तीन टेण्डर डाले जाते हैं। परन्तु दो ही टेण्डर डाले गये। अतः किया गया भुगतान रु0 9,10,246.00 अनियमित रहा। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार जे0ई0 कार्य प्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-118

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पत्रावली संख्या (09) की जाँच की गई जो गौराकालोनी में रायबरेली रोड से सुरेश के दरवाजे तक सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य से सम्बन्धित है। जिसके निर्माण पर रु0 3.48 व्यय आंकलित किया फिर इस प्रॉकलन को सुधारोपरान्त रु0 7.58 आंकलित किया गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिये खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज के कार्यालय आदेश सं0 1451 दि0 25.11.16 द्वारा मैसर्स जंगेसिंह लडई का पुरवा, बाराबंकी को इस आदेश के साथ आबंटित किया गया कि इसे समय से पूर्ण करे। इसके सापेक्ष मैसर्स जंगेसिंह लडई का पुरवा, बाराबंकी को रु0 295118.00 चेक सं0 19459 दिनांक 25.01.2017, चेक सं0 040148 दि0 25.07.2017

रु0 2953-00 का भुगतान किया गया। परन्तु कराये गये कार्य की प्रस्तुत की गई पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण – पत्र क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित नियोजन/निर्माण कार्य समिति से पुष्टि प्रमाण-पत्र सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति पंजी, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली कार्य की गुणवत्ता रिपोर्ट अप्राप्त रही। कराये गये कार्य के तीन स्तर के फोटोग्राफ देखने से लग रहा है कि सी0 सी0 रोड का निर्माण खण्डजा उखाड़कर किया गया है। ईट उखाड़ने को बाद जो ईट निकाली गई, उनकी स्थिति अज्ञात रही। (100 मीटर खण्डजा) प्रस्तुत बिल पर प्रविष्टियाँ पूर्ण अंकित नहीं है। पत्रावली में प्रमाणक सं0 33 में वर्क प्रोग्रेस चार्ट नहीं भरा गया है। साथ ही कराये गये के लिये नियमानुसार तीन टेण्डर डाले जाने चाहिये, प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार दो ही टेण्डर डाले गये। अतः किया गया भुगतान रु0 295118.00 अनियमित रहा। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, कार्यप्रभारी, लेखाकार, तथा सम्बन्धित जे0ई0 उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-119

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पत्रावली संख्या (05) जो रामपुर खेरवालाल बहादुर रावत के दरवाजे से राजेश रावत के दरवाजे तक सी0 सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित है। जिसके निर्माण पर रु0 4.74 लाख व्यय अंकित किया गया। इस कार्य को पूरा करने के लिये खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज के कार्यालय द्वारा इस आशय के साथ आबंटित किया गया है। इसे समय से पूर्ण करें। इसके लिये को रु0 335688=00 (चेक सं0 019462 दि0 25.01.17 रु0 329581-00 चेक सं0 040149 दिनांक 05.07.2017 रु0 6107-00) का भुगतान किया गया। परन्तु कराये गये कार्य की प्रस्तुत की गई पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित नियोजन/निर्माण कार्य समिति से पुष्टि प्रमाण – पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति पंजी, अधिशासी अभियन्ता द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली कार्य की गुणवत्ता रिपोर्ट, कराये गये कार्य के तीन स्तर के फोटोग्राफ, कार्य समाप्त होने की बाद का साइन बोर्ड की फोटो इत्यादि अप्राप्त रहे। यहाँ तक की तीन के स्थान पर केवल दो ही टेण्डर/कोटेशन डाले गये जो अनियमित है। अतः किया गया रु0 335688-00 का व्यय भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकर, कार्य प्रभारी एवं जे0ई0 उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत, चिनहट

विकास खण्ड- चिनहट

जनपद- लखनऊ

वर्ष-2011-12 से 2016-17 तक

प्रस्तर संख्या-120

वर्ष 2011-12 में खण्ड विकास अधिकारी चिनहट के आवास की रंगार्ड/पुतार्ड कार्य पर कुल रु0 33,800.00 व्यय राज्य वित्त आयोग/बारहवां/तेरहवां वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि से किया गया है। उक्त प्राप्त अनुदान से क्षेत्र के विकास सम्बन्धी कार्य न कराकर उक्त मद में किया गया व्यय अनियमित रहा। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली जांच हेतु अनुपलब्ध रही, जबकि निर्माण कराये जाने हेतु सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन/ अनुमानित लागत आदि की भी जानकारी न हो सकी। जिसके लिये तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-121

वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत लौलाई में राधे वर्मा के घर से सी0सी0 रोड तक खण्डजा निर्माण पर कुल रु0 1,13,000.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। उक्त कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाये। इस प्रकार कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित प्रमाण/पत्रावली उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्य पर हुये रु0 1,13,000.00 के अनियमित व्यय हेतु तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-122

वर्ष 2012-13 में मोलहे के घर से हरिकेश की दुकान तक खण्डजा मरम्मत/निर्माण पर कुल रु0 6,03,093.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। उक्त कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाये। इस प्रकार कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित प्रमाण/पत्रावली उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्य पर हुये रु0 6,03,093.00 के अनियमित व्यय हेतु तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-123

वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत अल्लूनगर डिगुरिया में चन्द्रिका के घर से बाईपास रोड तक खड़न्जा निर्माण पर कुल ₹0 5,55,651.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। उक्त कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाये। इस प्रकार कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित प्रमाण/पत्रावली उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्य पर हुये ₹0 5,55,651.00 के अनियमित व्यय हेतु तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-124

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यो पर ₹0 17,750.00, ₹0 19,500.00 तथा ₹0 17,200.00 कुल ₹0 54,450.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री हरिहर प्रसाद पान्डेय, सहायक विकास अधिकारी (सा0) को चेक सं0 487966 दि0 26.10.2012 अंकन ₹0 54,450.00 का भुगतान कर दिया गया है। उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमसवली 1984 के नियम 49 के अनुसार दैनिक मजदूरी द्वारा निर्माण कार्य की स्थिति में मस्टर रोल तैयार किया जायेगा। निर्माण कार्य का प्रभारी अधिकारी प्रप संत्र नि0 का0 12 में मस्टर रोल रखेगा। मस्टर रोल पर पर भुगतान पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जायेगा। प्रभारी द्वारा भी भुगतान का प्रमाणपत्र लिखा जायेगा। जबकि मस्टर रोल पर अंकित अगूँठा निशानी भी प्रमाणित नहीं हैं। जहां कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं, यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 54,450.00 का वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0 ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-125

वर्ष 2013-14 में लाला की दुकान से छोटेला के घर से होते हुये अमरनाथ के घर तक खड़न्जा निर्माण में सामग्री पर ₹0 6,78,400.00 तथा श्रमांश पर ₹0 1,46,574.00 कुल ₹0 8,24,974.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। उक्त कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र/व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि दावा बिल के रूप में न प्रस्तुत किया जाये। इस प्रकार कार्य पर हुये व्यय से सम्बन्धित प्रमाण/पत्रावली उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्य पर हुये ₹0 8,24,974.00 के अनियमित व्यय हेतु तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-126

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यो पर ₹0 7,544.00, ₹0 14,028.00, ₹0 19,328.00, ₹0 24,468.00 तथा ₹0 1,872.00 कुल ₹0 67,240.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सूरज प्रकाश गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी को विभिन्न चेकों द्वारा भुगतान किया गया उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमसवली 1984 के नियम 49 के अनुसार दैनिक मजदूरी द्वारा निर्माण कार्य की स्थिति में मस्टर रोल तैयार किया जायेगा। निर्माण कार्य का प्रभारी अधिकारी प्रप संत्र नि0 का0 12 में मस्टर रोल रखेगा। मस्टर रोल पर पर भुगतान पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जायेगा। प्रभारी द्वारा भी भुगतान का प्रमाणपत्र लिखा जायेगा। जबकि मस्टर रोल पर अंकित अगूँठा निशानी भी प्रमाणित नहीं हैं। जहां कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं, यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 67,240 का वर्ष 2014-15 योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0 ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-मलिहाबाद

विकास खण्ड-मलिहाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक

प्रस्तर सं0. 127 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वित्तीय वर्ष 2011-12 में बायोगैस मद में रूपया 3000/- एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ₹0 16680.00 का व्यय कुल ₹0 19680.00 किया गया दर्शित है, परन्तु उक्त से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, अतएव उक्त व्यय अपुष्ट रहा। इस गम्भीर अनिमितता हेतु प्रमुख श्रीमती

छोटकी, खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०सी० राम तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 128 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद के वर्ष 2011-12 में शिवदासपुर में नाली निर्माण हेतु कुल ₹0 472194.00 का व्यय किया गया है। श्रम पर ₹0 92510.00 तथा सामग्री पर ₹0 379684.00 व्यय किया गया है। इस कार्य हेतु श्री कृष्ण कुमार ग्राम विकास अधिकारी को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 350 दिनांक 28.06.2011 द्वारा कार्य सम्पन्न कराये जाने का आदेश दिया गया था। कार्य दिनांक 29.08.2011 को प्रारम्भ होकर दिनांक 05.11.2011 को सम्पन्न हुआ। पत्रावली के अवलोकन में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं।

(क) उक्त कार्य हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 एवं शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15 (1) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु ₹0 100,000.00/- से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये निविदा आमंत्रित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य में शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यह कार्य कराये जाने हेतु अनन्त ब्रिक फील्ड से दिनांक 16.09.2011 को बुक नं०-17 के कैश सीरियल नं०-819 द्वारा ₹0 88706.00 की ईट क्रय की गयी है। पुनः दिनांक 19.09.2011 को बुक नं०-17 के कैश मेमो नं०-814 से 102600.00 की ईट क्रय की गयी है। उक्त प्रमाणक के तुलनात्मक जाँच में पाया गया कि एक ही बुक नं०-17 से कैश मेमो सं०-814 को दिनांक 19.09.2011 को निर्गत की गयी जबकि इसके बाद का कैशमेमो 819 को पहले दिनांक 16.09.2011 को काटा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य हेतु किया गया भुगतान अनियमित है। साथ ही उक्त सामग्री क्रय से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। बिना टेण्डर आमंत्रित किये अनन्त ब्रिक फील्ड को अनुचित लाभ भी पहुंचाने का कार्य किया गया है।

उक्त आपत्ति के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त कार्य में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है जिसमें वित्त आयोग के मार्गदर्शन सिद्धान्त से विचलन तथा बिना टेण्डर के सामग्री क्रय शामिल है। इसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०सी०राम, ब्लाक प्रमुख श्रीमती छोटकी, तत्कालीन अवर अभियन्ता, श्री कृष्ण कुमार ग्राम विकास अधिकारी, लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह जिम्मेदारी है। इन पर वित्त आयोग के मार्गदर्शन सिद्धान्त का प्रस्तर 2.6 के अनुसार कार्यवाही की लेखा परीक्षा अनुसंशा करता है, किये गये भुगतान में से अनन्त ब्रिक फील्ड के संदिग्ध बिलों पर किये गये भुगतान ₹0 191306.00 को अपहरण की श्रेणी में रखा जाता है तथा ₹0 280888.00 को गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 129 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद के वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत रसूलपुर में नाली निर्माण कार्य हेतु कुल ₹0 351452.00 (श्रम-70320.00 तथा सामग्री 281132.00) व्यय किया गया है। इस कार्य हेतु श्री दीपक चौधरी (ग्राम विकास अधिकारी) को खण्ड विकास अधिकारी, मलिहाबाद कार्यालय द्वारा पत्रांक 350-ए दिनांक 28.06.2011 द्वारा कार्य सम्पन्न कराये जाने का आदेश निर्गत किया गया है। उक्त कार्य दिनांक 28.06.2011 से 21.07.2011 के मध्य कराया गया है। पत्रावली के अवलोकन में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं-

(क) टेण्डर न कराकर ग्राम विकास अधिकारी की देखरेख में कार्य कराया गया है।

(ख) उक्त कार्य की तीन स्तर की फोटो संलग्न नहीं है, जिससे कार्य की वास्तविक स्थिति तथा कार्य होने के पश्चात् मध्य में तथा शुरुआत के विषय में ज्ञान नहीं हो सका।

(ग) कार्यस्थल पर साइनबोर्ड की फोटो भी संलग्न नहीं है।

शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु ₹0 1,00,000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये निविदा आमंत्रित किया जाना आवश्यक/अनिवार्य होगा। स्पष्ट है कि टेण्डर (निविदा) प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण शासनादेश का उल्लंघन किया गया तथा ₹0 3,51,452.00 में से 2,81,132.00 की धनराशि अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तथा ₹0 70,320.00 की धनराशि गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०सी०राम, तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती छोटकी, तत्कालीन अवर अभियन्ता, श्री दीपक चौधरी (ग्रा०वि०अ०) तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह जिम्मेदार है, इन पर वित्त आयोग के मार्गदर्शन सिद्धान्त का प्रस्तर 2.6 के अनुसार कार्यवाही की लेखा परीक्षा अनुसंशा करता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 130 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद के वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत मवाईकला में बाबा हुलासी दास शिक्षण संस्थान तक खण्डजा निर्माण हेतु कुल ₹0 2,99,595.00 का भुगतान किया गया है, जिसमें श्रम पर ₹0 67,320.00 तथा सामग्री पर 2,32,275.00 व्यय किया गया है। इस कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के आदेश सं०-1104-ए दिनांक 12.12.2011 द्वारा श्री दीपक चौधरी, ग्रा०वि०अ० को कार्य सम्पन्न करने हेतु आदेशित किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त कार्य पर ₹0 1,00,000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की गयी, जिससे शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 का उल्लंघन हुआ जिसके अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु ₹0 1,00,000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री हेतु निविदा आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है। टेण्डर आमंत्रित नहीं किये जाने के कारण सम्पूर्ण भुगतान

नियम संगत नहीं है। ₹0 2,32,275.00 + 67,320.00 कुल 2,99,595.00 का भुगतान गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0सी0 राम, तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती छोटकी, श्री दीपक चौधरी (ग्राम विकास अधिकारी) तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी है। उक्त कार्य हेतु ₹0 5203.00 का टी0डी0एस0 काटा गया है, परन्तु लेखा परीक्षा में टी0डी0एस0 सम्बन्धी रजिस्टर/चालान/चेक इश्यू रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये, जिसे प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा। साथ ही सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 131 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद के वर्ष 2011-12 में विकास खण्ड परिसर में आर0सी0सी0 कार्य हेतु कुल ₹0 3,69,931.00 (श्रम-37,380+सामग्री-3,52,551.00) व्यय किया गया है। कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु श्री राजेश श्रीवास्तव ग्रा0वि0अ0 को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 554 दिनांक 09.08.2011 द्वारा कार्य कराने हेतु आदेशित किया गया। पत्रावली के अवलोकन में निम्न कमियां पायी गयी—

(क) टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

(ख) कार्यपूति, उपभोग प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।

(ग) अमर ब्रिक फील्ड को ₹0 13,951.00 का भुगतान किया गया है, परन्तु बिल नम्बर नहीं है।

(घ) पवन इंजीनियरिंग वर्क्स को दिनांक 20.09.2011 को ₹0 19624.00 का भुगतान दरवाजा एवं गेट के लिये किया गया है, परन्तु बिल पर बिल नं0 अंकित नहीं है। इस प्रकार टेण्डर प्रक्रिया आमन्त्रित न करके तथा बिना बिल

नं0 के बिलों के सापेक्ष किये गये भुगतान जो सामग्री क्रय से सम्बन्धित है, ₹0 332551.00 + 37380.00 कुल ₹0 369931.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आते हैं। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0सी0 राम, ब्लाक प्रमुख छोटकी, श्री राजेश श्रीवास्तव ग्रा0वि0अ0 तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी है। उक्त कार्य हेतु ₹0 6022.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है, परन्तु लेखा परीक्षा में टी0डी0एस0 सम्बन्धी रजिस्टर/चालान/चेक इश्यू रजिस्टर प्राप्त नहीं किया गया, प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा। साथ ही सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 132 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत ढेढमऊ में मुन्ना सिंह एवं मदन बहादुर के घर में तालाब तक नाली एवं खड्गजा निर्माण कराया गया है जिस पर ₹0 205662.00 (श्रम-43500.00+सामग्री 162162.00) व्यय किया गया है। इस हेतु श्री अनिल कुमार (ग्रा0वि0अ0) को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा पत्रांक 265 दिनांक 07.06.2011 द्वारा कार्य सम्पन्न कराने हेतु आदेश दिया था। पत्रावली के अवलोकन से तथा प्रकाश में आया कि आहूजा ब्रिक फील्ड से ₹0 117407.00 की ईट दिनांक 13.06.2011 को क्रय की गयी है। सम्बन्धित प्रमाणक पर बिल नं0/बुक नं0 अंकित नहीं पाया गया जो बिल को पूर्णतया संदिग्ध बनाता है। बिना बिल नं0/बुक नं0 के बिल द्वारा किया गया भुगतान अनियमित है तथा अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ₹0 88255.00 की धनराशि गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0सी0 राम, ब्लाक प्रमुख श्रीमती छोटकी, लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह तथा श्री अनिल कुमार ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 133 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वर्ष 2011-12 में विकास खण्ड मलिहाबाद की बाउण्ड्री वॉल निर्माण हेतु कुल ₹0 97562.00 (श्रम 25900.00+सामग्री 71662.00) व्यय किया गया है। उक्त कार्य हेतु आदेश सं0-265 दिनांक 07.06.2011 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी ने श्री कृष्ण कुमार (ग्रा0वि0अ0) को कार्य सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया था। उक्त कार्य की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आहूजा ब्रिक फील्ड को ₹0 42820.00 का भुगतान ईट क्रय हेतु दिनांक 28.06.2011 को किया गया है। सम्बन्धित प्रमाणक पर बुक नं0/बिल नं0 अंकित नहीं पाया गया है। अतः किया गया भुगतान ₹0 42820.00 अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0सी0 राम, ब्लाक प्रमुख श्रीमती छोटकी, श्री कृष्ण कुमार (ग्रा0वि0अ0) तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी है, जिनसे इसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 134 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद के वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत महदोइया में राम आसरे के घर से गद्दीन खेड़ा तक खड्गजा निर्माण हेतु कुल ₹0 851262.00 (श्रम 230640.0, सामग्री 620622.00) व्यय किया गया है। इस कार्य हेतु श्री अनिल कुमार ग्रा0वि0अ0 को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 1104 दिनांक 12.12.2011 द्वारा उक्त कार्य सम्पन्न कराये जाने का आदेश दिया गया था। उक्त कार्य हेतु निविदा आमन्त्रित नहीं की गयी जो आपत्तिजनक रहा। निविदा आमन्त्रित नहीं करके भी ₹0 620622.00 की सामग्री कार्य हेतु क्रय किया गया है, जो शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15 (1)/86 दिनांक 23.09.2008 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें प्राविधान है कि निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु ₹0 1,00,000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय के लिये टेण्डर आमन्त्रित करना अनिवार्य होगा। अतः स्पष्ट है कि बिना निविदा आमन्त्रित किये 620622.00 ₹0 की सामग्री क्रय की गयी तथा ₹0 230640.00 का श्रम पर भुगतान किया गया, जो नियम संगत नहीं है। उक्त भुगतान गम्भीर अनियमित है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0सी0 राम, ब्लाक प्रमुख श्रीमती छोटकी, कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार व लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 135 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वर्ष 2011-12 में निम्न विवरणानुसार कार्य कराया गया है :-

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम सर्वश्री	कार्य की अवधि	श्रम पर भुगतान	सामग्री भुगतान	कुल व्यय धनराशि
1	धनाखेड़ा में अम्बेडकर पार्क की बाउण्ड्री निर्माण	अनिल कुमार	12.12.2011 से 22.03.2012	31920	194054	225974.00
2	नवीनगर में गुरु मोर्या के घर से जवाहर के घर तक खड़न्जा निर्माण	अनिल कुमार	19.08.2011 से 04.09.2011	46250	196907	243157.00
3	मवईकला में फतेहपुर से सरईया तक खड़न्जा निर्माण	दीपक चौधरी	26.06.2011 से 24.08.2011	178815	583080	761895.00
4	ढेढेमऊ में ठाकुर महाराज की बाउण्ड्री/खड़जा/नाली निर्माण	अनिल कुमार	14.10.2011 से 03.11.2011	46160	189580	235740.00
5	जिन्दौर में नाली निर्माण	राजेश कुमार श्रीवास्तव	03.10.2011 से 28.10.2011	59970	299365	359335.00

क्रम सं0-1 से 5 तक कराये गये कार्यों की पत्रावली की जाँच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी-

(क) किसी भी कार्य हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है, जबकि शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु0 1,00,000/- से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। अतः क्रम सं0-1 से 5 तक किया गया, सामग्री क्रय पर व्यय तथा श्रम पर किया गया भुगतान क्रमशः धनराशि रु0 225974.00, 243157.00, 761895.00, 235740.00 तथा 359335.00 कुल योग 1826101.00 गम्भीर अनियमित रहा, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0सी0 राम, ब्लाक प्रमुख श्रीमती छोटकी, श्री अनिल कुमार (क्र.सं.-1,2 व 4 के कार्य हेतु), श्री दीपक चौधरी (क्र.सं.-3 के कार्य हेतु), श्री राजेश श्रीवास्तव (क्र.सं.-5 के कार्य हेतु) तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 136 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वर्ष 2011-12 ग्राम सभा नई बस्ती धनेवा से नोखें की बाग से धर्मेन्द्र की बाग तक खड़न्जा निर्माण कराया गया, में निम्न आपत्तियाँ पाई गई-

(क) दिनांक 12.08.2011 को एस0आर0 ब्रिक फील्ड, दिनांक 10.08.2011 को अभय ब्रिक फील्ड व दिनांक 10.08.2011 को अनन्त ब्रिक फील्ड द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को सम्बोधित करते हुए उल्लेख किया गया कि "कार्यालय द्वारा ज्ञात हुआ कि एम-275 ईट की आवश्यकता है।" स्पष्ट न हो सका कि ईट सप्लाई की आवश्यकता उक्त कार्य हेतु है या नहीं इनके ज्ञात होने का स्रोत क्या रहा कि कार्यालय को कोटेशन की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि कार्य में नियमों का पालन नहीं किया गया। उक्त के अतिरिक्त जो कोटेशन प्राप्त दर्शित है वह एक ही हस्तलिपि में है जो कि कार्य की संदिग्धता को दर्शाता है।

(ख) उक्त कार्य दिनांक 01.09.2011 को प्रारम्भ हुआ परन्तु ईट दिनांक 08.08.2011 को आना दर्शित है। इससे स्पष्ट न हो सका कि क्या दिनांक 01.09.2011 तक बगैर ईट के खड़न्जा कार्य कैसे किया गया? कार्य की कुल लागत रु0 1,59,879.00 रही जिसमें मजदूरी रु0 27,810.00 रही एवं सामग्री रु0 1,32,069.00 रही। इससे स्पष्ट है कि कार्य को फर्जी तरीके से करना दर्शाया गया है एवं सामग्री की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती छोटकी, खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0सी0 राम लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 137 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वर्ष 2012-13 स्वच्छता कार्यक्रम में रु0 11,390.00 बायोगैस अनुदान रु0 26,100.00, डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती मद में रु0 2,750.00 तथा सामाजिक, आर्थिक जनगणना मद में रु0 24,858.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त सभी व्यय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अभिलेख/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त सभी योजनाओं से सम्बन्धित कुल रु0 65,098.00 का व्यय अपुष्ट रहा, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 138 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वर्ष 2012-13 में शत्रुघ्न के घर से तालाब तक पक्का नाला निर्माण कार्य कराया गया, जिसके लिये श्री रविन्द्र प्रताप को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया है। कार्य की अवधि 17.03.2013 से 16.04.2013 तक है। उक्त कार्य पर कुल रु0 5,30,923.00 (श्रम पर 74,500.00, सामग्री पर 4,56,423.00) का भुगतान किया गया है। पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि मिलन ट्रेडर्स को जो भी भुगतान किया गया है, उसके किसी भी प्रमाणक पर बिल नं0/बुक नं0 अंकित नहीं है। इस प्रकार मिलन ट्रेडर्स को किया गया भुगतान रु0 28,338.00 पूर्णतया अनियमित रहा। साथ ही स्वीकृति कार्य को इसी वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी, किन्तु उसे दिनांक 16.04.2013 को पूर्ण किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा प्रचलित नियमों का पालन नहीं

किया गया। साथ ही यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त कार्य हेतु कितनी ग्राम पंचायतें आच्छादित हो रही हैं। दो पंचायतों के मध्य कार्य आच्छादन के विषय में कोई भी जानकारी/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्य से सम्बन्धित तीन स्तर की फोटो एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यस्थल पर लगाये जाने वाले साइन बोर्ड की भी फोटो पत्रावली में नहीं है। उक्त कार्य हेतु मे० गोपाल ईट उद्योग, नेवादा हरदोई को आदेश सं०-1296 दिनांक 21.03.2013 द्वारा 108600 ईट की सप्लाई हेतु रू० 5100 प्रति हजार की दर से आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त कार्य हेतु गोपाल ईट उद्योग द्वारा निम्न विवरणानुसार ईट सप्लाई की गई।

क्र०सं०	दिनांक	संख्या	छर	धनराशि
1	23.03.2013	40000	5100 प्रति हजार	2,04,000.00
2	02.05.2013	18700	5100 प्रति हजार	95,370.00

इस प्रकार गोपाल ईट उद्योग द्वारा 58700 ईटों की आपूर्ति की गयी है तथा पत्रावली पृष्ठ सं०-52 पर अंकित प्रतिवेदन में अंकित है कि स्थानीय विवाद होने के कारण कार्य रोक दिया गया था तथा काफी समय बीत जाने के पश्चात् 270 मी० में से बचे हुये 107 मी० हेतु पत्रावली पर लगे पृष्ठ सं०-51 के अनुसार पुनः वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी है जो दिनांक 19.07.2013 को जारी किया गया है। उक्त आदेश में पुनः गोपाल ईट उद्योग को 1,08,600 में से अवशेष 49,900 ईटों हेतु बढ़े हुए दर 6550 प्रति हजार (पिछली स्वीकृति दर 5100 प्रति हजार से रू० 1450 प्रति हजार अधिक) की दर से आपूर्ति हेतु निर्देशित किया गया।

पत्रावली की जाँच में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किन कारणों से कार्य बाधित हुआ था तथा उक्त से सम्बन्धित कोई भी शासकीय अभिलेख या कार्यालय द्वारा किये गये पत्राचार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार गोपाल ईट उद्योग द्वारा आदेश सं०-1296 का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया और मांग की गयी ईटों की पूरी सं० 108600 की सप्लाई नहीं की गयी। इस प्रकार बिना किसी ठोस कारण के विलम्ब करने की वजह से रू० 66,120.00 का वित्तीय नुकसान बढ़े हुये दर से 45,600.00 ईटों की आपूर्ति करने की वजह से हुआ, क्योंकि गोपाल ईट उद्योग को पूर्ण संख्या में ईटों का कार्य स्थल पर आपूर्ति कर देना चाहिए था तथा उक्त सभी ईटों की संख्या को स्टॉक पंजिका में दर्ज कर उपभोग की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए थी। बढ़े हुए दर से भुगतान किये जाने के कारण रू० 66,120.00 का नुकसान क्षेत्र पंचायत को हुआ, जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा।

कार्य कराने हेतु रू० 4,56,423.00 की सामग्री क्रय की गयी है, जबकि शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री क्रय हेतु रू० 1,00,000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री हेतु टेण्डर आमंत्रित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्पष्ट है कि बिना टेण्डर आमंत्रित किये रू० 5,30,923.00 का व्यय मनमाने तरीके से किया गया। उक्त व्यय में से रू० 28,388.00 अपहरण की श्रेणी में तथा रू० 5,02,535.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव, कार्य प्रभारी श्री रविन्द्र प्रताप तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 139 सेंधरवा सुभाषनगर से प्राइमरी विद्यालय तक खड़न्जा निर्माण कार्य हेतु श्री कमलाकान्त को कार्य प्रभारी बनाया गया था तथा कार्य दिनांक 17.03.2013 से 07.05.2013 तक सम्पादित किया गया। उक्त कार्य पर रू० 4,45,520.00 (श्रम 69,200.00 सामग्री 3,76,320.00) व्यय किया गया है, यह कार्य बिना टेण्डर आमन्त्रित किये सम्पन्न कराया गया है जो शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15 (1) 86 दिनांक 23.09.2008 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः किया गया भुगतान रू० 4,45,520.00 पूर्णतया अनियमित रहा, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव, कार्य प्रभारी श्री कमलाकान्त तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह जिम्मेदार हैं। साथ ही उल्लेखनीय है कि कार्य वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु स्वीकृत था, किन्तु कार्य दिनांक 07.06.2013 को समाप्त हुआ। स्पष्ट है कि कार्य दूसरे वित्तीय वर्ष में समाप्त हुआ। यहां यह भी स्पष्ट करने योग्य है कि गोपाल ईट उद्योग की निम्नलिखित तिथियों को भुगतान किया गया है :-

दिनांक	धनराशि	सीरियल नम्बर
30.04.2013	43,120.00	176
02.04.2013	39,200.11	160
25.03.2013	2,94,000.00	145

उपरोक्त भुगतान प्रमाणक से स्पष्ट न हो सका कि प्रमाणक बिल था अथवा कैश मेमो/प्रमाणक पर बिल नं० तथा कैश मेमो नम्बर भी अंकित नहीं है। ऐसे में प्रस्तुत प्रमाणक नियम संगत नहीं है। अतः रू० 3,76,320.00 का सामग्री क्रय हेतु किया गया भुगतान अपहरण की श्रेणी में तथा श्रम पर किया गया भुगतान रू० 69,200.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 140 ग्राम पंचायत सेंधरवा हरिहरपुर में मनोहर यादव के घर से शिव दयाल के घर तक खड़न्जा कार्य कराया गया है जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री कमलकान्त द्वारा दिनांक 21.03.2013 से 20.04.2013 तक कार्य कराया गया तथा कुल रू० 2,06,855.00 (श्रम 32905.00, सामग्री 173950) का भुगतान किया गया है। पत्रावली की जाँच में तथ्य प्रकाश में आया कि बिना निविदा आमन्त्रित किये रू० 1,73,950.00 की सामग्री क्रय की गयी जो शासनादेश सं०

51-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23.09.2008 का स्पष्ट उल्लंघन है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने आदेश सं० 1253 दिनांक 16.03.2013 में श्री कमलकांत की इस शर्त के साथ निर्देश दिया गया था कि उक्त कार्य को उसी वित्तीय वर्ष में (2012-13) पूर्ण करना है। जबकि कार्य दिनांक 20.04.2013 को सम्पन्न हुआ। स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया तथा भुगतान के समय खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया जो कि पूर्णतया अनियमित रहा। साथ ही मजदूरी भुगतान हेतु दिनांक 13.04.2013 से 20.04.2013 तक एवं 31.03.2013 से 26.03.2013 तक प्रयुक्त मस्टर रोल में भुगतान प्रमाणन हेतु हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कराया गया है जिसमें प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत हो रहा है कि एक ही व्यक्ति द्वारा अंगूठे फर्जी तरीके से लगा दिये गये हैं एवं अधिकांश हस्ताक्षर भी एक ही हस्तलिपि में किये गये प्रतीत हो रहे हैं। अतः भुगतान संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, जिसकी पृथक से जाँच भी करायी जानी चाहिए।

बिना निविदा आमन्त्रित किये कराये गये कार्य पर भुगतान रू० 2,06,855.00 (सामग्री पर रू० 1,73,950.00 तथा श्रम पर रू० 32,905.00) नियम संगत नहीं है तथा सामग्री पर रू० 1,73,950.00 का व्यय गम्भीर अनियमितता तथा रू० 32,905.00 के श्रम पर किये गए भुगतान को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव, कार्य प्रभारी श्री कमलकांत तथा लेखाकार शिशुपाल सिंह जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 141 कसमण्डी कला में चुन्नु यादव के घर तक खड़न्जा/नाली निर्माण कार्य हेतु श्री रविन्द्र प्रताप को कार्य प्रभारी बनाया गया था तथा उक्त कार्य हेतु दिनांक 06.03.2013 से 19.03.2013 तक कार्य कराया गया तथा रू० 1,27,604.00 (श्रम 16,250.00 सामग्री 1,11,354.00) का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य हेतु निविदा आमन्त्रित नहीं की गयी है जो शासनादेश संख्या-51-11-864/दस-08-15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः टेण्डर प्रक्रिया का पालन न करने के कारण सामग्री तथा श्रम पर किया गया भुगतान रू० 1,27,604.00 गम्भीर अनियमित रहा जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव कार्य प्रभारी रविन्द्र प्रताप तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 142 ग्राम पंचायत हबीबपुर में चेताराम के घर से पक्का नाला निर्माण कार्य हेतु श्री शिव शंकर सिंह को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य दिनांक 01.03.2013 से 30.04.2013 तक सम्पन्न कराया गया है जिस हेतु रू० 6,67,188.00 (श्रम पर रू० 1,04,131.00 सामग्री पर 5,63,057.00 का व्यय गम्भीर अनियमित रहा। साथ ही कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु किये गये आदेशों में उल्लिखित बिन्दुओं का पालन नहीं किया गया क्योंकि कार्य की समाप्त एक ही वित्तीय वर्ष में कर ली जानी चाहिए थी जो अगले वित्तीय वर्ष की 30.04.2013 को समाप्त किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कार्य के तीन स्तर की फोटो (पहले, मध्य तथा पूर्ण होने के पश्चात्) तथा कार्य स्थल पर लगाये जाने वाले साइन बोर्ड की फोटो संलग्न नहीं हैं। जिससे यह ज्ञात हो सके कि कार्य की वास्तविक स्थिति क्या है। बिना निविदा आमन्त्रित किये रू० 6,67,188.00 के भुगतान में से रू० 2,38,530.00 का भुगतान अपहरण की श्रेणी तथा रू० 4,28,658.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव, कार्य प्रभारी श्री शिवशंकर सिंह तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य में सामग्री क्रय हेतु यादव ट्रेडर्स को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है।

दिनांक	धनराशि	सीरियल नम्बर
11.06.2013	9,187.00	021
10.06.2013	8,974.00	012
10.03.2013	17,890.00	011
18.04.2013	43,925.00	008
29.03.2013	87,764.00	006
13.03.2013	70,790.00	001

प्रमाणक पर बिल संख्या व कैश मेमो नम्बर भी अंकित नहीं है। बिना बिल नम्बर के बिल पर किया गया भुगतान गम्भीर अनियमित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 143 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद के ग्राम पंचायत तरौना में नूर मोहम्मद के घर से तालाब तक नाली निर्माण का कार्य कराया गया। जिस हेतु श्री आर०एन० त्रिपाठी को कार्य प्रभारी बनाया गया था। कार्य दिनांक 05.12.2013 से 18.06.2014 तक सम्पादित किया गया है। उक्त कार्य हेतु 3,95,897.00 (श्रम पर 87,836.00 तथा सामग्री पर रू० 3,12,061.00) व्यय किया गया है। पत्रावली की जाँच में तथ्य प्रकाश में आया कि कराये गये कार्य में टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जो शासनादेश सं० 51-1-864/दस-05-15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 का स्पष्ट उल्लंघन है। कार्य स्थल पर साइनबोर्ड की फोटो भी पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी तथा स्वीकृत कार्य वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण नहीं किया गया है। उक्त कार्य में मजदूरी भुगतान हेतु दिनांक 01.06.2014 से 18.06.2014 एवं 05.12.2013 से 18.06.2014 तक प्रयुक्त मस्टर रोल में भुगतान प्रमाणन हेतु हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कराया गया है। जिस प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा अंगूठा हस्ताक्षर फर्जी तरीके से लगा दिये गये हैं।

अतएव भुगतान संदिग्ध प्रतीत हो रहा है जिसकी पृथक से जाँच कराया जाना आवश्यक है। इन तथ्यों के आधार पर उक्त कार्य हेतु किया गया भुगतान रु० 3,95,897.00 गम्भीर अनियमित रहा। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव, कार्य प्रभारी श्री आर०एन० त्रिपाठी तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 144 प्रसादी खेड़ा में घूर के घर से चन्द्रपाल के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य हेतु श्री बचनू राम को कार्य प्रभारी बनाया गया था। यह कार्य दिनांक 12.12.2013 से 03.01.2014 तक किया गया। जिस हेतु रु० 3,93,522.00 (श्रम पर 58,616.00 तथा सामग्री पर 3,34,936.00) का भुगतान किया गया है। पत्रावली की जाँच में निम्न कमियाँ पायी गई।

(क)टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जो शासनादेश सं० 51-1-804/दस-08-15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें उल्लिखित है कि निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु 1,00,000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये निविदा आमन्त्रित किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा आमन्त्रित न करना गम्भीर अनियमित रहा।

(ख)उक्त कार्य में कार्यस्थल पर साइन बोर्ड का फोटो पत्रावली में नहीं पाया गया।

(ग)दिनांक 23.12.2013 से 03.01.2014 तक मजदूरी भुगतान हेतु प्रयुक्त मस्टर रोल में भुगतान प्रमाणन हेतु एक ही व्यक्ति द्वारा अंगूठा/हस्ताक्षर फर्जी तरीके से लगा दिये गये हैं। अतएव भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। मस्टर रोल किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा अवलोकित भी नहीं किया गया है। पृथक से जाँच किया जाना अपेक्षित है।

अतएव किया गया भुगतान रु० 3,93,522.00 गम्भीर अनियमित रहा। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव, कार्य प्रभारी श्री बचनू राम तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 145 बरगदी गांव से बांक डामर रोड तक खड़न्जा मरम्मत कार्य हेतु श्री बचनू राम को कार्य प्रभारी बनाया गया था तथा कार्य दिनांक 28.02.2014 से 31.03.2014 तक सम्पन्न कराया गया। इस कार्य हेतु रु० 4,83,106.00 (श्रम पर 1,24,246.00 तथा सामग्री पर 3,58,860.00) का भुगतान किया गया है। पत्रावली की जाँच में उक्त कार्य में निम्न कमियाँ पायी गयी।

(क)कार्य हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जो शासनादेश सं० 51-1 864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23.09.2008 का स्पष्ट उल्लंघन है।

(ख)कार्यस्थल पर साइन बोर्ड की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

(ग)उक्त कार्य में मजदूरी भुगतान हेतु दिनांक 28.02.2014 से 31.03.2014 तक प्रयुक्त मस्टर रोल में भुगतान प्रमाणन हेतु एक ही व्यक्ति द्वारा अंगूठा हस्ताक्षर फर्जी तरीके से लगा दिये गये हैं जो भुगतान को संदिग्ध बनाते हैं। मस्टर रोल का अवलोकन भी उच्चाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। इसकी पृथक से जाँच किया जाना अपेक्षित है।

बिना टेण्डर के रु० 1,00,000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय करके गम्भीर अनियमितता बरती गयी तथा उक्त कार्य पर रु० 4,83,106.00 का भुगतान सामग्री क्रय तथा श्रम भुगतान सामग्री क्रय तथा श्रम भुगतान हेतु किया गया है जो गम्भीर अनियमित रहा जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव, कार्य प्रभारी श्री बचनू राम तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 146 कटौती में सिद्धेश्वरी मार्ग से कटौली तक खड़न्जा निर्माण कार्य हेतु श्री बचनू राम को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा कार्य दिनांक 18.02.2014 से प्रारम्भ कराया गया है। उक्त कार्य हेतु रु० 9,67,734.00 (श्रम पर 1,54,318.00 तथा सामग्री पर रु० 8,13,416.00) का भुगतान किया गया है। पत्रावली की जाँच में बिना टेण्डर आमन्त्रित किये शासनादेश सं० 51-1-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23.09.2008 का उल्लंघन करने सम्बन्धी तथ्य उजागर हुए, बिना निविदा आमन्त्रित किये रु० 8,13,416.00 का भुगतान सामग्री हेतु किया जाना गम्भीर अनियमित रहा। साथ ही उल्लेखनीय है कि मजदूरी भुगतान हेतु दिनांक 18.02.2014 से 27.02.2014 तथा 28.02.2014 से 14.03.2014 तक तथा 01.03.2014 से 14.03.2014 तक प्रयुक्त मस्टर रोल में भुगतान प्रमाणन हेतु एक ही व्यक्ति द्वारा अंगूठा/हस्ताक्षर फर्जी तरीके से लगा दिये गये हैं जो भुगतान को संदिग्ध बनाता है। साथ ही मस्टर रोल उच्च अधिकारियों द्वारा अवलोकित भी नहीं किया गया है। इसकी पृथक से जाँच करायी जानी अपेक्षित है। अतः बिना टेण्डर आमन्त्रित किये कराये गये कार्य की सामग्री पर किया गया व्यय रु० 8,13,416.00 तथा श्रम पर किया गया भुगतान रु० 1,54,318.00 कुल रु० 9,67,734.00 गम्भीर अनियमित रहा जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव, कार्य प्रभारी श्री बचनू राम तथा लेखाकार श्री शिशु पाल सिंह जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 147 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत ग्रांट रजि० के अनुसार बायोगैस अनुदान में वर्ष 2013-14 में रु० 11,000.00 सामाजिक, आर्थिक जातिगत जनगणना में रु० 3,57,081.00 तथा राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रशिक्षण मद में रु० 22,238.00 व्यय किया गया है जिसमें सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/प्रमाणक अप्रस्तुत

रहा। इस प्रकार उक्त योजनाओं में कुल ₹0 3,90,319.00 का व्यय अपुष्ट रहा जिस हेतु श्री शिशुपाल सिंह, लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर सं0 148 क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार कार्य कराये गये हैं।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	जिसके द्वारा कार्य कराया गया	भुगतान की गयी धनराशि
1	हबीबपुर में पप्पू यादव के घर से सुरेश यादव के घर तक नाली/खड़न्जा निर्माण।	एस0आर0 कन्सट्रक्शन	2,85,969.00 (कटौती-32,625.00)
2	लीलाखेड़ा में सिद्धेश्वर मार्ग से डबल पोल तक खड़न्जा निर्माण	दुर्जन कन्सट्रक्शन	3,05,765.00 (कटौती-34,882.00)
3	फरीदीपुर नहर पुलिया से डामर रोड तक खड़न्जा कार्य	सरजू कन्सट्रक्शन	5,33,115.00 (कटौती-60,819.00)
4	शिवपुरी में नवीपनाह डामर रोड से उमरी तलिया तक खड़न्जा निर्माण।	सूरज कन्सट्रक्शन	6,41,786.00 (कटौती-73,216.00)
5	मलहा में किशन लाल के घर से श्याम लाल के घर तक खड़न्जा निर्माण।	दुर्जन कन्सट्रक्शन	454132.00 (कटौती-74318.00)
6	गौखोरा रोड से फतेहनगर तक खड़न्जा कार्य मरम्मत	दुर्जन कन्सट्रक्शन	329389.00 (कटौती-54313.00)
7	पूर्व मा0 विद्यालय रमगढ़ा से चतुरी खेड़ा सरहद तक खड़न्जा निर्माण	दुर्जन कन्सट्रक्शन	452571.00 (कटौती-51630.00)
8	ढेढेमऊ बैंक से मदन सिंह के बाग होकर मोहान रोड तक खड़न्जा	दुर्जन कन्सट्रक्शन	225742.00 (कटौती-25754.00)
		योग :-	3228469.00

उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों के अवलोकन में तथ्य प्रकाश में आया कि खण्ड अधिकारी द्वारा समाचार पत्र में नियम व शर्तों का उल्लेख करते हुए विकास खण्ड मलिहाबाद में टेण्डर प्रक्रिया के तहत अल्पकालीन निविदा सूचना प्रकाशित करायी गयी थी जिसमें निविदा पत्र के साथ हैसियत प्रमाण-पत्र (10 लाख ₹0 से कम न हो) चरित्र प्रमाण पत्र, टिन नं0, पैन नं0, अनुभव प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर निविदा प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था परन्तु किसी भी टेण्डर फार्म के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं थे। फिर भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित फर्मों को कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित रहा। इस प्रकार से सभी नियमों/शर्तों का पालन नहीं करने पर भी निविदा स्वीकृति किया जाना गम्भीर अनियमितता रहा जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार है। निविदा की शर्तों में उल्लिखित था कि धरोधर राशि योजनावार एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी लखनऊ के पक्ष में बंधक कराते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। परन्तु पत्रावली में सम्बन्धित प्रमाणक या सम्बन्धित प्रमाणक की छाया प्रति भी संलग्न नहीं पायी गयी। पत्रावली नोटशीट पर भी एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार कुल किया गया भुगतान ₹0 3228469.00 गम्भीर अनियमित रहा जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 149 क्षेत्र पंचायत में भुलभुला खेड़ा में विपिन यादव के घर से श्रीपाल के घर तक नाली निर्माण कार्य हेतु श्री राम भजन ए0डी0ओ0 ए0जी0 का कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया था तथा उक्त कार्य हेतु कुल धनराशि ₹0 801078.00 (श्रम पर 106080.00 तथा सामग्री पर ₹0 694998.00) का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य हेतु कार्यालय आदेश (वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति) दिनांक 16.01.2014 को खण्ड विकास अधिकारी के आदेश सं0 1301 द्वारा जारी किये गये थे तथा दिनांक 23.02.2014 को अल्पकालीन निविदा समाचार पत्र में प्रकाशित करायी गयी थी। परन्तु कार्य प्रारम्भ करने में लगभग सात माह का विलम्ब किया गया तथा 01.09.2014 को कार्य प्रारम्भ किया गया। उक्त कार्य की पत्रावली के अवलोकन में निम्न कमियां पायी गयी।

(क)कार्य हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2013-14 में सम्बन्धित है। जबकि कार्य अगले वित्तीय वर्ष में कराया गया जो आपत्तिजनक है।

(ख)उक्त कार्य में मेसर्स यादव ट्रेडर्स को दिनांक 05.09.2014 को ₹0 103883.00 तथा दिनांक 01.10.2014 को ₹0 156369.00 कुल ₹0 260252.00 का भुगतान सामग्री हेतु किया गया है। पत्रावली में संलग्न बिल/कैश मेमो पर टिन नम्बर अंकित नहीं है। अतः स्पष्ट है कि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। उक्त क्रय अनियमित रहा। सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवार, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव, कार्य प्रभारी श्री राम भजन ए0डी0ओ0 ए0जी0 तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 150 क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2014-15 में बंजारन खेड़ा में आसिफ अली स्कूल के पास डामर रोड से बंजारन खेड़ा की ओर नाला निर्माण का कार्य कराया गया है। जिस हेतु श्री बचनू राम ए0डी0ओ0 एस0टी0 द्वारा दिनांक 06.07.2014 से 20.07.2014 तक कार्य कराया गया है। उक्त कार्य हेतु रू0 1,36,562.00 (श्रम पर 16488 तथा सामग्री पर रू0 1,20,074.00) का भुगतान किया गया है। पत्रावली के अवलोकन में निम्न कमियां प्रकाश में आयी।

(क)खण्ड विकास अधिकारी द्वारा समाचार पत्र में नियम व शर्तों का उल्लेख करते हुए निविदा आमन्त्रित की गई थी जिसमें उल्लिखित था कि अल्पकालीन निविदा सूचना में निविदा पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र (10 लाख रू0 से कम न हो) चरित्र प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर निविदा प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। परन्तु किसी भी टेण्डर फार्म के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था। फिर भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित फर्म का कार्य करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जो गम्भीर अनियमित रहा।

(ख)निविदा शर्त में उल्लिखित है कि धरोहर योजनावार एन0एस0सी0/फ0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी लखनऊ के पक्ष में बंधक कराते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न कराना अनिवार्य होगा। परन्तु पत्रावली में सम्बन्धित प्रमाणक या सम्बन्धित प्रमाणक की छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी जो गम्भीर अनियमित रहा।

(ग)उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत पत्रावली में प्रमाणक हरिओम ग्राफिक्स को बिल सं0 179 दिनांक 06.08.2014 द्वारा 200 माप पुस्तिका क्रय की गयी जिस पर रू0 3000/- का भुगतान किया गया तथा इस क्रय को भी कार्य के साथ जोड़ दिया गया जो कि गम्भीर अनियमित रहा। किया गया भुगतान कार्य से पृथक होने के कारण पूर्णतया अनियमित रहा जिसका अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार रू0 3000.00 का भुगतान अपहरण की श्रेणी में तथा रू0 1,33,562.00 का भुगतान गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव, कार्य प्रभारी श्री बचनू राम तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 151 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार कार्य कराये गये हैं :-

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी	श्रम पर भुगतान	सामग्री भुगतान	कुल भुगतान
1	खालिसपुर में दिनेश के घर से वसीम के खेत तक नाली निर्माण	श्री बचनू राम	38628.00	260692.00	299320.00
2	बुधाडिया में गोविन्द यादव के घर से बैता नाला तक ड्रेन निर्माण	श्री रामभजन	33696.00	275855.00	309551.00
3	कसमण्डी खुर्द में जगन्नाथ के घर से भंडसरमऊ रोड तक खड्गजा निर्माण	श्री बचनू राम	34468.00	164997.00	199465.00
			योग :-	701544.00	808336.00

उक्त कार्यों हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नियम व शर्तों का उल्लेख समाचार पत्र में करते हुए निविदा आमन्त्रित की गयी थी परन्तु नियम व शर्तों में उल्लिखित निविदा पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र (10 लाख रुपये से कम न हो) चरित्र प्रमाण पत्र, टिन नम्बर, पैन नम्बर, अनुभव प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर निविदा प्रस्तुत करने को कहा गया था परन्तु किसी भी निविदा फार्म के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाये गये। नियम व शर्तों को अनदेखी कर निविदा स्वीकृत किया जाना गम्भीर अनियमित रहा। साथ ही निविदा शर्त में लिखा है कि धरोहर राशि योजनावार एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी के पक्ष में बंधक कराते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। परन्तु निविदा स्वीकृत किये जाने के समय इस तथ्य को ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार किया गया भुगतान रू0 8,08,336.00 गम्भीर अनियमित रहा। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव, समस्त कार्य प्रभारी तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। क्रम सं0 3 पर अंकित कार्य में कार्य प्रभारी दिनांक 16.08.2014 को रू0 10,687.00 कार्य स्थल पर 154.89 घन मीटर रू0 609.00 की दर से ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा ढुलाई का भुगतान किया गया जबकि खण्ड विकास अधिकारी के आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि कार्य हेतु मशीनों का प्रयोग कदापि न किया जाये।

प्रस्तर सं0 152 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वर्ष 2014-15 में स्वच्छता कार्यक्रम मद में रू0 25,760.00 जनगणना कंटीजेंसी रू0 1461.00 ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह कंटीजेंसी रू0 33,500.00, इंदिरा आवास कंटीजेंसी रू0 1,78,418.00 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती मद में रू0 2,750.00, इस प्रकार उक्त योजनाओं में कुल रू0 2,41,889.00 का व्यय किया गया है। जिससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 153 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में सहायक विकास अधिकारी के पुराने कक्ष का जीर्णोद्धार किया गया है जिस हेतु मेसर्स एस0आर0 कन्सट्रक्शन को ये कार्य सम्पादित करने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये थे। इस कार्य हेतु फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रथम बिल रू0 2,44,397.00 में से रू0 25,026.00 की कटौती सिक्योरिटी आई.टी. मद में करके रू0

21,937.00 का भुगतान किया गया है। द्वितीय भुगतान के रूप में प्रस्तुत बिल रु0 2,37,578.00 में से रु0 35,848.00 की कटौती वैट, आयकर सिक्कोरिटी के रूप में करके रु0 2,01,730.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार मेसर्स एस0आर0 कन्सट्रक्शन को कुल रु0 4,21,101.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में तथ्य प्रकाश में आया कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2014 को विचार संकलन नामक समाचार पत्र में नियम एवं शर्तों का उल्लेख करते हुए विकास खण्ड महिलाबाद में टेण्डर प्रक्रिया के तहत अल्पकालीन निविदा सूचना प्रकाशित कराई गई थी। जिसमें क्रम संख्या 6 पर निविदा पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र (10 लाख रु0 से कम न हो) तथा चरित्र प्रमाण पत्र, टिन नम्बर, पैन नम्बर, अनुभव प्रमाण पत्र आदि संलग्न करके निविदा प्रस्तुत करने को कहा गया था परन्तु किसी भी टेण्डर फार्म के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं थे। फिर भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित फर्म को कार्य करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। निविदा शर्त सं0 2 में अंकित किया गया है कि कॉलम सं0 2 में अंकित धरोहर राशि योजनावार एनएससी/एफडीआर के रूप में खण्ड विकास अधिकारी लखनऊ के पक्ष में बंधक कराते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। परन्तु पत्रावली में सम्बन्धित प्रमाणक या सम्बन्धित प्रमाणक की छायाप्रति संलग्न नहीं पाया गया। इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। निविदा का प्रकाशन किसी ऐसे दो या तीन समाचार पत्रों में किया जाना चाहिए जिसका प्रसार अधिकाधिक लोगों के मध्य हो किन्तु पत्रावली में ऐसा कोई भी प्रमाणक प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त कार्य में टेण्डर आमन्त्रित व स्वीकृत करते समय उल्लिखित शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया गया जो गम्भीर अनियमित रहा तथा निविदा क्रियान्वयन में नियम व शर्तों का उल्लंघन कर अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा रु0 4,21,101.00 का भुगतान किया गया जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 154 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वर्ष 2015-16 में मनरेगा कंटीजेंसी में रु0 25,85,214.00 स्वच्छता कार्यक्रम में रु0 25,760.00, राष्ट्रीय पेयजल कंटीजेंसी रु0 22,662.00, ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह कंटीजेंसी में रु0 36,500.00, इन्दिरा आवास कंटीजेंसी में रु0 1,80,435.00 लेबर सेस धनराशि रु0 1,67,503.00, मनरेगा आई0पी0पी0ई0 प्रशिक्षण हेतु सूची में रु0 63,154.00 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रु0 49,500.00 इस प्रकार कुल रु0 31,30,728.00 व्यय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख/प्रमाणक/पत्रावली/पुष्टि पत्र लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जो गम्भीर अनियमित रहा इस हेतु तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। क्षेत्र पंचायत में दिनांक 31.03.2016 को निम्न मदों में अत्याधिक धनराशि अंतिम अवशेष के रूप में थी। उपयोग न हो पाने की स्थिति में शासन को वापस किया जाना चाहिये था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना चाहिए। विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	मनरेगा कंटीजेंसी	609765.00
2.	चतुर्थ राज्य वित्त	4404377.00
3.	इन्दिरा आवास कंटीजेंसी	129427.00
4.	राज्य वित्त/13वें वित्त में अर्जित ब्याज	78101.00
5.	क्षेत्र निधि में अर्जित ब्याज	3408.00
6.	इंदिरा आवास कंटीजेंसी में अर्जित ब्याज	4882.00
7.	ठेकेदारों से काटी गई जमानत राशि	193804.00
8.	वैट कटौती	1000.00

उक्त स्थिति के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री हवलदार सिंह, ब्लाक प्रमुख खुदादाद खान, लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 155 वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र0सं0 पत्रावली सं0	विवरण	फर्म का नाम	कार्य प्रारम्भ व समाप्ति तिथि	लागत धनराशि	शुद्ध भुगतान	चेक सं0/दिनांक
1/651	कटौली में डामर रोड से सुरेश के घर तक खड़न्जा/नाली निर्माण	मेसर्स एस0आर0 कन्सट्रक्शन	22.08.15 से 21.10.15 तक	210535.00	176475.00	010878/ 14.03.16
2/650	नवीनगर में रामरतन के घर से देवीचरण के घर तक खड़न्जा	मेसर्स एस0आर0 कन्सट्रक्शन	22.08.15 से 21.11.15 तक	577657.00	490494.00	010875/ 15.01.16

	निर्माण।					
3/638	ब्लाक परिसर में इण्टरलाकिंग	मेसर्स एस0आर0 कन्सट्रक्शन	27.02.2015 से 26.05.15 तक	360454.00	320340.00	010847 / 02.06.15
4/649	वाजिदनगर से शत्रुहन के घर से बाल विद्या मंदिर तक खड़न्जा	मेसर्स एस0आर0 कन्सट्रक्शन	22.08.2015 से 31.08.15 तक	399272.00	339025.00	010859 / 01.09.15
5/648	टेढेमऊ मोहान रोड से शिव मंदिर की ओर खड़न्जा निर्माण	मेसर्स एस0आर0 कन्सट्रक्शन	टेण्डर डालें	गये परन्तु	कार्य नहीं	हुआ
6/659	विकास खण्ड कैम्पस व बाउंड्रीवाल पुताई	वरिष्ठ सहायक	03.02.2016 से 10.03.16 तक	28910.00	—	—
7/654	हरिहरपुर से सोहन के घर तक खड़न्जा नाली निर्माण	मेसर्स एस0आर0 कन्सट्रक्शन	22.08.2015 से 21.09.15 तक	143494.00	121842.00	010877 / 14.03.16
क्र0सं0 पत्रावली सं0	विवरण	फर्म का नाम	कार्य प्रारम्भ व समाप्ति तिथि	लागत धनराशि	शुद्ध भुगतान	चेक सं0/दिनांक
8/653	कटौली गांव से बजरंग बली मन्दिर तक खड़न्जा	मेसर्स सूरज कन्सट्रक्शन	22.08.2015 से 21.10.15 तक	449009.00	381257.00	010881 / 14.03.16
9/652	कटौली में परसादी के घर से मिठाईलाल के घर तक नाली निर्माण	मेसर्स सूरज कन्सट्रक्शन	21.08.2015 से 21.09.15 तक	346020.00	293808.00	10863 / 29.01.16
10/647	नया खेडन्ना डामर रोड से शिवपुरी धर्म नगरी कच्चा भाग तक खड़न्जा	मेसर्स सूरज कन्सट्रक्शन	22.08.2015 से 21.10.15 तक	755699.00	641671.00	010880 / 14.03.16
11/646	चिलमनढैया से कटौली तक अवनीश खड़न्जा निर्माण	मेसर्स एस0आर0 कन्सट्रक्शन	22.08.2015 से 31.08.15 तक	164834.00	139962.00	010861 / 01.09.15
12/645	गढ़ी संजर खां में डामर रोड से ईदगाह पुत्ती लाल के खेत तक खड़न्जा निर्माण	मेसर्स सूरज कन्सट्रक्शन	22.08.2015 से 31.08.15 तक	364627.00	309608.00	010860 / 01.09.15
13/644	रमगढ़ा में पुतान के घर से शिव शंकर के घर तक खड़न्जा निर्माण।	मेसर्स एस0आर0 कन्सट्रक्शन	22.08.2015 से 26.09.15 तक	197395.00	167610.00	010864 / 29.09.15
14/643	वाजितपुर में गया प्रसाद के घर से विजयपाल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण।	मेसर्स एस0आर0 कन्सट्रक्शन	22.08.2015 से 21.10.15 तक	313086.00	265844.00	010879 / 19.11.15

क्र०सं० पत्रावली सं०	विवरण	फर्म का नाम	कार्य प्रारम्भ व समाप्ति तिथि	लागत धनराशि	शुद्ध भुगतान	चेक सं०/दिनांक
15/642	गौदा में कन्हैया लाल बाल शिक्षण संस्थान से डामर रोड तक	मेसर्स एस०आर० कन्सट्रक्शन	22.08.2015 से 21.09.15 तक	89994.00	83543.00	010867 / 19.11.15
16/624	हमीरपुर नहर पुलिया से बुलाकी हार तक खड्गजा	मेसर्स एस०आर० कन्सट्रक्शन	27.03.2015 से 17.04.15 तक	832485.00	747238.00	010830 / 18.04.15
17/623	रमगढ़ा में कृष्ण कुमार खेत से शिव कुमार के खेत तक नाला निर्माण	मेसर्स एस०आर० कन्सट्रक्शन	27.03.2015 से 26.05.15	144872.00	1230122.00	010853 / 21.07.15
18/623	महबूब खेड़ा से गवई की ओर खड्गजा निर्माण	मेसर्स सूरज कन्सट्रक्शन	27.03.2015 से 22.04.15 तक	772265.00	686322.00	010833 / 23.04.15
19/621	चिलम मडैया से कटौली तक खड्गजा निर्माण	मेसर्स एस०आर० कन्सट्रक्शन	27.03.2015 से 26.04.15 तक	1733004.00	1540143.00	010834 / 27.04.15
20/620	खड्गहा बाजार से खड्गजा निर्माण।	मेसर्स सूरज कन्सट्रक्शन	27.03.2015 से 15.05.15 तक	236492.00	210173.00	010837 / 16.05.15
21/617	भदेसरमऊ में भरोसे के घर से बरगद के पेड़ तक नाली, खड्गजा निर्माण	मेसर्स एस०आर० कन्सट्रक्शन	21.01.2015 से 20.04.15 तक	540435.00	48029.00	010836 / 27.04.15
				योग:-	8625768.00	

उपरोक्त कार्यो से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईं—

(क) क्र०सं० 1 से 21 तक जो भी कार्य कराये गये हैं उसके लिये खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य हेतु समाचार पत्र में तथा अपने कार्यालय में नियम एवं शर्तों का उल्लेख करते हुए अल्पकालीन निविदा सूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें क्र०सं० 2 पर अंकित किया गया है कि कालम संख्या 2 अंकित धरोहर राशि योजनावार एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० के रूप में खण्ड विकास अधिकारी मलिहाबाद लखनऊ के पक्ष में बंधक कराते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। परन्तु पत्रावली में सम्बन्धित प्रमाणक या सम्बन्धित प्रमाणक की छाया प्रति संलग्न नहीं पाई गई।

(ख) क्र०सं० 1 से 21 तक जो भी कार्य कराये गये हैं उसके लिए खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य हेतु समाचार पत्र में तथा अपने कार्यालय में नियम शर्तों का उल्लेख करते हुए अल्पकालीन निविदा सूचना प्रकाशित करायी गई थी जिसमें क्र०सं० 6 पर अंकित किया गया है कि निविदा पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र (10 लाख रु० से कम न हो), चरित्र प्रमाण पत्र, टिन नं०, पैन नं०, अनुभव प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर निविदा प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था साथ ही यह शर्त थी कि उक्त सभी प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। परन्तु किसी भी टेण्डर फार्म के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न न पाये गये फिर भी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा अपने द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए संबंधित फर्म को कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

(ग) क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वर्ष 2015-16 में पुतान के घर से शिव शंकर के घर तक खड्गजा निर्माण कराया गया। उक्त कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी मलिहाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 637/तृ० राज०वि० आयोग/ते०वि०अ०/टेण्डर 2015-16 दिनांक 01.08.2015 द्वारा अल्पकालीन निविदा प्रख्यापित कराई गई। उक्त अल्पकालीन निविदा के क्र०सं० 3 पर यह कार्य अंकित है जिस हेतु 1 माह की कार्य पूर्ण अवधि दर्शायी गयी है परन्तु पत्रावली की जांच में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं माप पुस्तिका के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्य दिनांक 22.08.2015 को प्रारम्भ होकर दिनांक 26.09.2015 को समाप्त हुआ जो निर्धारित अवधि 1 माह से 05 दिवस अधिक पाया गया। उल्लेखनीय है कि पत्रावली में संलग्न एस०आर० कन्सट्रक्शन के टेण्डर फार्म (पृष्ठ संख्या 2 के बिन्दु संख्या 3 पर घोषणा की गई कि “यदि कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त नहीं कर रहा तो अनुबंधित धनराशि पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से दण्ड का भागी हूंगा।” इस प्रकार सम्बन्धित फर्म से उपभोग किये अधिक 05 दिवस हेतु प्रतिदिन 1 प्रतिशत की दर से रु० 1973.95 X 5 = 9869.75 या 9870.00 की वसूली किया

जाना अपेक्षित है। साथ ही इस गम्भीर प्रकरण क अनदेखी हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हवलदार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

(घ) क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद वर्ष 2015-16 में किये गये कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि अधिकांश पत्रावलियों में कार्य समाप्त होने के उपरान्त लगाया जाने वाला साइन बोर्ड जिसमें कार्य का समस्त विवरण अंकित होता है, की फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी जिसे संलग्न किया जाना अनिवार्य था। इस ओर से विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(ङ) क्रम सं० 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पर कराये गये कार्य वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत किये गये तथा प्रारम्भ किये गये किन्तु उनकी समाप्ति अगले वित्तीय वर्ष 2015-16 में हुई है। नियमानुसार जिस वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया गया समयान्तर्गत उसी वित्तीय वर्ष में कार्य का समापन भी किया जाना चाहिये। परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा ऐसा न करके नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। इस प्रकार उक्त कार्य हेतु कुल रु० 86,25,768.00 व्यय किया गया है जो गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है जिसके लिये ब्लाक प्रमुख श्रीमती कमलेश कुमारी यादव, खण्ड विकास अधिकारी क्रमशः श्री श्याम कुमार तिवारी (जनवरी 2015 से मार्च 2015 तक स्वीकृति कार्य हेतु) श्री हवलदार सिंह (जून 2015 से मार्च 2016 तक स्वीकृत कार्य हेतु) तत्कालीन जे०ई० तथा लेखाकार श्री शिशुपाल सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 156 क्षेत्र पंचायत मलिहाबाद में वर्ष 2016-17 में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है। जैसा मनरेगा कंटिजेंसी में रु० 1935699.00 इंदिरा आवास कंटिजेंसी में रु० 2,36,651.00 लेबर सेस में रु० 36,109.00 इस प्रकार कुल रु० 22,08,459.00 का व्यय किसी भी प्रकार के अभिलेख/पत्रावली/पुष्टि पत्र लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। उपरोक्त समस्त व्यय रु० 22,08,459.00 गम्भीर अनियमित रहा जिस हेतु तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 157 क्षेत्र पंचायत वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत मो० नगर तालुकेदारी से कसमण्डी कला सम्पर्क मार्ग तक खड्गजा निर्माण पर कुल रूपया 13,51,502.00 में नियमानुसार कटौती उपरान्त देय धनराशि रु० 11,47,171.00 कार्यदायी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत फाइनल बिल का भुगतान चेक संख्या 010914 दिनांक 08.03.2017 द्वारा किया जाना दर्शित है परन्तु खण्ड विकास अधिकारी सुश्री नेहा सिंह द्वारा उक्त बिल पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। अतएव उक्त बिल लेखा परीक्षा के अनुसार अमान्य है। किया गया भुगतान गम्भीर अनियमित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत सम्बन्धित आपत्तियाँ

जनपद उन्नाव

क्षेत्र पंचायत-बीघापुर

प्रारूप-3

प्रस्तर सं० 1 क्षेत्र पंचायत बीघापुर में 2011-12 की अवधि में मनरेगा (क्षे०पं०अंश) के अन्तर्गत निम्न कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्य अपूर्ण है इन कार्यों का प्रारम्भ किया गया है परन्तु कार्य अपूर्ण है कार्य के अपूर्ण/अवरुद्ध होने का स्पष्ट कारण अज्ञात रहा:-

क्र० सं०	योजना	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख)	व्यय/आंशिक भुगतान	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य प्रभारी का नाम
1.	मनरेगा	2011-12	साहब खेड़ा से नदी पुल तक नाला खुदाई 2 कि.मी.	6.21	75,750	12.8.2011	श्री विनय राज पाल ग्रा.पं.अ.
2.	मनरेगा	2011-12	आडाखेड़ा नहरपुल से मुडकटी चौराहे तक नाला खुदाई 1 कि.मी.	3.70	95,040	12.8.2011	श्री विनय राज पाल ग्रा.पं.अ.
3.	मनरेगा	2011-12	टेढ़ा से प्रा० स्कूल कु० गढेवा स०मा० पर मिट्टी व खड्गजा कार्य 2.37कि.मी.	23.13	2,42,160	13.7.2011	श्री निर्मल कुमार यादव ग्रा.पं.अ.
4.	मनरेगा	2011-12	डा० के घर से अकवाबाद तक खड्गजा कार्य 1कि.मी.	9.41	1,31,730	12.8.2011	श्री रूपेश कुमार श्रीवास्तव ग्रा.वि.अ.
5.	मनरेगा	2011-12	इन्देमऊ गोपीखेड़ा से तलिहई कार्य	7.40	3,25,800	12.8.2011	श्री विनय राज पाल ग्रा.प.अ.
6.	मनरेगा	2011-12	गिरजा नगर की सीमा में मौराही नदी की खुदाई का कार्य	7.77	2,70,120	12.8.2011	श्री प्रतापनारायन द्विवेदी ग्रा.पं.अ.

7.	मनरेगा	2013-14	पालीनहरपुल के पास श्याममनोहर के खेत से जय मां दुर्गे ब्रिक तक स0मा0	2.66	92,016	9.9.2013	श्री राधेश्याम दोहरे ए.डी.ओ. (ए.जी.)
		योग-			12,32,616	दुरुपयोग/अनियमित भुगतान	

तालिका के क्रम सं0 1 से 7 में अंकित अपूर्ण कार्यों की पत्रावली में निम्न सूचनाएं प्रकाश में आयी है—

जिसके कारण उक्त कार्यों की स्थिति संदिग्ध है तथा अनियमित भुगतान परिलक्षित होता है

- 1— उपरोक्त पत्रावलियों में कार्य प्रारम्भ होने तथा कृत कार्यों का फोटोग्राफ/साइनबोर्ड प्रमाणक संलग्न नहीं है
- 2— वित्तीय स्वीकृति पत्र में दर्शित स्थान, नाप एवं धनराशि में कटिंग/ओवरराईटिंग का प्रयोग किया है
- 3— सामग्री क्रय हेतु कार्यादेश उपलब्ध नहीं है
- 4— कार्य की एम0बी0 बुक नहीं बनाई गई है
- 5— संलग्न मस्टररोल एक ही व्यक्ति द्वारा एक साथ तैयार किया जाना तथा श्रमिकों के अंगूठे के निशान भी प्रामाणित नहीं किए गये हैं।

उपरोक्त कार्यपत्रावली के अवलोकन से ज्ञातव्य है कि क्रम सं0 1 से 7 में वर्णित कार्यों में रू0 12,32,616 की धनराशि भुगतानित है, जिसका अनियमित भुगतान कर दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन श्री एन0बी0 सविता खण्ड विकास अधिकारी, श्री आर0पी0 वर्मा, तकनीकी पर्यवेक्षक (आर.ई.एस.) श्री राम चन्द्र सिंह, ब्लाक प्रमुख तथा कार्यप्रभारी के साथ लेखाकार उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-2 क्षेत्र पंचायत बीघापुर में वर्ष 2014-15 की अवधि में राज्य वित्त/बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत निम्न टेण्डर कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य अपूर्ण है जिन कार्यों का प्रारम्भ किया गया है परन्तु वह कार्य अपूर्ण है कार्य के अपूर्ण/अवरूद्ध होने का स्पष्ट कारण अज्ञात रहा:—

क्र0 सं0	योजना	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख)	व्यय/ आंशिक भुगतान	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य प्रभारी का नाम
1.	बी.आर. जी.एफ.	2014-15	डिटुमा में छोटेलाल पाल के दरवाजे से लखनलाल के दरवाजे तक सी.सी. रोड	13.06	3,48,828	18.8.15	मै0 एस0आर0 इन्टरप्राइजेज
2.	राज्य वित्त	2015-16	लालपुर में सी.सी. रोड निर्माण	12.16	5,36,754	20.4.15	मै0 एस0आर0 इन्टरप्राइजेज
			योग		8,85,582		

उक्त कार्यों के पूर्ण न होने की दशा में भी फर्म को किया गया आंशिक भुगतान टेण्डर की शर्तों के विपरीत है इस प्रकार के अनियमित भुगतान रू0 8,85,582 हेतु तत्कालीन श्री एस0पी0 सिंह, डा0 सपना अवस्थी खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री राम चन्द्र सिंह, ब्लाक प्रमुख तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं, धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है

प्रस्तर सं0 3 वर्ष 2015-16 में पंचायत निर्वाचन कार्य हेतु डी.डी.ओ./डी.ई.ओ. द्वारा उपलब्ध कराई गई अग्रिम धनराशि रू0 2,39,840 का प्रयुक्त किया जाना दर्शित है व्यय पुष्टि हेतु कोई अभिलेख वाउचर उपलब्ध नहीं रहे, विवरण इस प्रकार है—

आहरण	धनराशि	प्राप्त कर्ता	कार्य	अन्य
चेक सं0 004012 दि 27.10.2015	रू0 15,000	श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव सहा0 लेखाकार	पं0 निर्वाचन व्यवस्था	अग्रिम, बांस बल्ली
चेक सं0 004015 दि 3.11.2015	रू0 67,500	श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव सहा0 लेखाकार	पं0 निर्वाचन व्यवस्था	—”—
चेक सं0 004016 दि 5.11.2015	रू0 20,000	श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव सहा0 लेखाकार	पं0 निर्वाचन व्यवस्था	कार्मिकों का नाप्ता
चेक सं0 004018 दि 1.1.2016	रू0 35,000	श्री मनोज कुमार	पं0 निर्वाचन व्यवस्था	अन्य व्यवस्था
चेक सं0 004017 दि 1.1.2016	रू0 24,840	श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव सहा0 लेखाकार	पं0 निर्वाचन व्यवस्था	मतदेय स्थल व्यवस्था
चेक सं0 004019 दि 1.1.2016	रू0 67,500	श्री अजय कुमार षर्मा ए0डी0ओ0 (पं0)	पं0 निर्वाचन व्यवस्था	नाश्ता भोजन कार्मिकों का
चेक सं0 004024 दि 10.3.2016	रू0 10,000	श्री अजय कुमार षर्मा ए0डी0ओ0 (पं0)	पं0 निर्वाचन व्यवस्था	—”—
योग-	2,39,840			

इसके अतिरिक्त जांच में पाया गया कि निम्नांकित विवरणानुसार ब्लाक स्तर पर कार्यरत तत्कालीन कर्मचारियों द्वारा अग्रिम धनराशि प्राप्त की गई परन्तु कोई भी प्रतिपूर्ति बिल/वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गये—

चेक सं० 450145 दि० 19.12.2012 रू० 5,000 प्राप्त कर्ता श्री चन्द्रशेखर, कैशियर

चेक सं० 073798 दि० 15.05.2015 रू० 10,000 प्राप्त कर्ता श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव सहा० लेखाकार

योग— 15,000

सम्बन्धित से प्राप्त अग्रिम धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय प्रमाणक/प्रतिपूर्ति बिल अथवा वाउचर प्रस्तुत न किए जाने से लेखा नियमों के अन्तर्गत सकल धनराशि रू० 2,54,840 ब्याज सहित वसूली योग्य है

प्रस्तर सं० 4 शा० सं० 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 की व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो उक्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा किया जाना था। जिसके अनुपालन में क्षेत्र पंचायत खातों में दि० 31.3.2017 तक अर्जित/जमा की धनराशि रू० 11,51,256.77 को राजकोष में जमा नहीं कराया गया। यह स्थिति शासकीय आदेशों का उल्लंघन एवं वित्तीय अनुशासन के विपरीत अनियमितता के अन्तर्गत है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत सिकन्दरपुर-सिरौसी

प्रस्तर सं० 5

आपत्ति का विवरण

142-राजकीय अनुदान रजिस्टर 3 के अनुसार सरकारी अनुदान को बैंक में जमा कर धनराशि पर आलोच्य वर्षों में प्राप्त ब्याज और ब्याज की धनराशियों के व्यय का विवरण निम्नवत है:-

क्र.स.	वर्ष	प्राप्त ब्याज	व्यय/वापस	वर्षांत शेष
1	2004-05	241442.00	10341.00	498764.93
2	2005-2006	152916.00	166895.00	484705.93
3	2006-2007	145743.00	562917.00	67611.93
4	2007-2008	214314.00	205802.00	76123.93
5	2008-09	156104.00	120056.00	112171.93
6	2009-10	170105.00	186976.00	95300.93
7	2010-11	213661.00	176618.00	132343.93
8	2011-12	439984.00	79236.00	493091.93
9	2012-13	527863.00	766484.00	254480.93
10	2013-14	584422.00	563643.00	275259.93
11	2014-15	562726.00	803.55	837182.93
12	2015-16	763897.00	150089.00	1450989.40
13	2016-17	944727.00	1461287.93	934428.47

शा० सं० 10/2015/0-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.5.2015 के प्रस्तर-3 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो इससे अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर, राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा किया जायगा। अतः आलोच्य वर्षों में अर्जित आय रूप 5117904.00 को राजकोष में जमा न कर के अन्य मदों में व्यय/वापस करना अथवा रोककर रखा जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता है उक्त ब्याज की अर्जित धनराशि शीघ्र राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 6 राजकीय अनुदान रजिस्टर 2 के अनुसार एस.जी.आर.वाई. कैंटीजेन्सी मद में वर्ष-2005-06 में रू. 138536.00 व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में न तो इसका विवरण और न ही कोई प्रमाणक उपलब्ध रहै इसी प्रकार मनरेगा कैंटीजेन्सी में चेक संख्या-11464, दिनांक 15.06.2012 रू. 43928.00 चेक संख्या-2830158, दिनांक 20.07.2012 रू. 22031.00 एवं चेक संख्या-114601 दिनांक 10.02.2012 रू. 19760.00 व्यय दर्शित है लेकिन व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहै इस प्रकार कुल व्यय रू. 224255.00 रहा बिना विवरण, प्रमाणक के किया गया व्यय गबन की श्रेणी में आता है अतः इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकर से की जाय।

प्रस्तर सं० 7 राजकीय अनुदान रजिस्टर 2 के अनुसार लेखा परीक्षा में राज्य वित्त खाते से वर्ष 2005-06 में व्यय रू. 2149551.00 रहा, जो विवरणरहित एवं प्रमाणहीन है इसके अलावा चेक सं० 463491 दिनांक 27.06.2013 रू. 119294.00 चेक सं० 463491 दिनांक 27.06.2013 रू. 252482.00 चेक सं. 702364 दिनांक 01.02.2010 रू. 154000.00 चेक सं० 452350 दिनांक 18.08.2010 रू. 173235 एवं चेक सं. 048215 दिनांक 25.01.2017 रू. 176473.00 दर्शित है जिसके लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहै इसका प्रकार कुल व्यय रू. 302535.00 रहा। अतः विवरणरहित

एवं प्रमाणहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है अतः इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यप्रभारी से की जाय।

प्रस्तर सं0 8 राजकीय अनुदान रजिस्टर 2 के अनुसार तेहरवां वित्त आयोग के खाते की जाँच में पाया गया कि चेक सं. 001254 दिनांक 13.02.2017 रु. 477825.00 चेक सं0 001255 दिनांक 01.03.2017 रु. 647244.00 एवं चेक सं. 385020 दिनांक 21.09.11 रु. 140248.00 व्यय दर्शित है इस प्रकार कुल व्यय रु. 1265317.00 है उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे बिना प्रमाणक के किया गया व्यय रु. गबन की श्रेणी में आता है अतः इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से की जाय।

प्रस्तर सं0 9 राजकीय अनुदान रजिस्टर 2 के अनुसार 12वां वित्त के खाते की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2005-06 में रु. 231300.00 व्यय किया गया है इसके साथ ही चेक सं. 702365 दिनांक 05.02.2010 रु. 106992.00 एवं चेक सं. 702373 दिनांक 05.03.2010 रु. 144509.00 व्यय किया गया। इस प्रकार कुल व्यय रु. 482801.00 विवरणरहित एवं प्रमाणरहित दर्शित है बिना विवरण एवं प्रमाण के किया गया व्यय अपहरण है अतः इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से की जाय।

प्रस्तर सं0 10 राजकीय अनुदान रजिस्टर 2 के अनुसार पिछड़ा अनुदान फण्ड की जाँच में पाया गया कि चेक सं. 725932 दिनांक 23.09.2015 रु. 172953.00 चेक सं0 725933 दिनांक 23.09.2015 रु. 47511.00 चेक सं. 972155 दिनांक 23.09.2015 रु. 24088.00 चेक सं. 189822 दिनांक 09.07.2014 को रु0 145199.00 एवं चेक सं. 189823 दिनांक 09.07.2014 रु. 226989.00 व्यय किया गया। इस प्रकार कुल व्यय रु. अस्पष्ट एवं प्रमाण रहित दर्शित है बिना प्रमाणक के किया गया व्यय रु. अपहरण की श्रेणी में आता है अतः इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से की जाय।

प्रस्तर सं0 11 बायोगैस मद में वर्ष 2005-2006 में राजकीय अनुदान रजिस्टर 3 के अनुसार रु. 20200.00 व्यय किया गया, लेकिन लाभार्थियों के चयन सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण पात्रता की जांच न की जा सकी। पत्रावली के अभाव में लक्ष्य एवं उसका शत प्रतिशत उपभोग प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे अतः बिना प्रमाणक के किया गया व्यय गबन है अतः इसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जाय।

प्रस्तर सं0 12 आलोच्य वर्ष 2005-06 राजकीय अनुदान रजिस्टर 3 के अनुसार इंद्रा आवास योजना के मद में रु. 689500.00 का भुगतान लाभार्थियों को किया गया। जिससे संबंधित कोई भी जानकारी एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं उपलब्ध कराये गए। भुगतान धनराशि से चयन लाभार्थियों की प्रमाणिक सूची एवं उनके चयन पात्रता संबंधी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रमाण के व्यय की गई उक्त धनराशि रु. अपहरण की श्रेणी में आती है अतः इसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जाय।

प्रस्तर सं0 13 आलोच्य वर्ष 2005-06 राजकीय अनुदान रजिस्टर 3 के अनुसार अवस्थापना मद मतं रु. 258531.00 व्यय किये गए। जिसका लेखा परीक्षा में न तो कोई विवरण मिला और न ही प्रमाणक उपलब्ध कराये गए। बिना विवरण एवं प्रमाणक के किय गया व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है अतः इसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जाय।

प्रस्तर सं0 14 राजकीय अनुदान रजिस्टर 3 के अनुसार प्रासंगिक मद की जांच में पाया गया कि चेक सं. 452501 दिनांक 03.04.2010 रु. 12947.00 चेक सं. 452514 दिनांक 07.06.2010 रु. 17214.00 एवं चेक सं. 452522 दिनांक 27.07.2010 रु. 31150.00 व्यय दर्शित है लेकिन लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे बिना प्रमाणक के किया गया व्यय गबन की श्रेणी में आता है अतः इसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जाय।

क्षेत्र पंचायत – सिकन्दरपुर करन

प्रस्तर सं0 15 वर्ष 2016-17 में 3 आंगनबाड़ी केन्द्र कुलहा, बगहा व चरख्यानपुरवा (कटरी पीपर खेड़ा) निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चन्द्रकांत अवस्थी, श्री अरुण कुमार एवं तकनीकी पर्यवेक्षक जे0पी0 अनन्त, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को जिम्मेदारी निर्वाहित की गयी थी जिसके अंतर्गत कुलहा के निर्माण में 45900 एवं 214411 श्रम एवं सामग्री के रूप में व्यय किया गया। अन्य 02 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिये कोई धनराशि नहीं आवंटित की गयी। अतः शेष बचे 02 कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराये जायें। संबंधित पत्रावली में माप पुस्तिका, प्राक्कलन, स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्ययों की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध कराये गये अतः उक्त धनराशि रु. 260311 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जाये।

प्रस्तर सं0 16 आलोच्य वर्षों में व्यय किये गये रु. 1800088.89 में से रु. 1281652 निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है शेष राशि 518436.89 संबंधित विभाग को वापस की गयी है शासनादेश संख्या 10/215/ए0-01-502(1)/10 2015-10 (33) दिनांक 29.05.2015 के अनुसार अनुदान पर प्राप्त ब्याज राजकीय कोषागार में जमा न करके व्यय कर दिया जाना आपत्तिजनक एवं अधिभार योग्य है अतः संबंधित धनराशि यथाशीघ्र राजकीय कोषागार में जमा किया जाये।

प्रस्तर सं0 17 मनरेगा योजना से संबंधित वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः मनरेगा आय-व्यय की जांच नहीं की जा सकी है अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में

व्यय धनराशियां क्रमशः वर्ष 2011-12 में रु. 4721827 वर्ष 2012-13 में 182560 और वर्ष 2013-14 में रु. 4749467 कुल रु. 9653854 अपुष्टि रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-मियांगंज

प्रस्तर सं0 18 उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 में दिनांक 17.12.2016 को 6 कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी। परन्तु वर्ष 2016-17 में टेण्डर बिक्री से कोई आय नहीं दर्शाई गयी है यदि प्रत्येक कार्य हेतु न्यूनतम 3 ठेकेदारों द्वारा टेण्डर में शामिल होना माना जाये तो न्यूनतम 18 ठेकेदार द्वारा निविदायें डाली गयी होगी। निविदा मूल्य रु0 520/- की दर से रु0 9360/- की आय निविदा बिक्री से होनी चाहिए। जिसे संस्था के अभिलेखों में जमा न करके अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजू यादव कैशियर से की जानी चाहिए।

प्रस्तर सं0 19 सरकारी अनुदान की बैंक में जमा धनराशियों पर आलोच्य वर्ष में प्राप्त ब्याज और ब्याज की धनराशियों के व्यय का विवरण निम्नवत है:-

क्र.स.	वर्ष	वर्ष से प्राप्त ब्याज	वर्ष में वापिस/व्यय ब्याज	वर्षांत में शेष ब्याज
1	2006-07	54085	52915	237547.36
2	2007-08	76929	189785	124691.36
3	2008-09	9137.50	806.00	133022.86
7	2009-10	359567.98	—	492590.84
8	2010-11	172698.00	665217.29	71.55
9	2011-12	380833.00	380833.00	71.55
10	2012-13	285725.00	625	285171.55
11	2013-14	650633.27	12888.00	922916.82
12	2014-15	664349.00	58077.27	1529188.55
13	2015-16	467063.00	639324.00	1356927.55
	2016-17	439011.00	123.75	1795814.80
	योग	3560031.75	2000594.31	

शा0 सं0 10/2015/ए-1-502/दस 2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के प्रस्तर 3 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा किया जायेगा। अतः आलोच्य वर्षों में अर्जित आय रु0 3560031.75 को राजकोष में जमा न करके अन्य मदों में व्यय करके वापिस करके अथवा रख जाना वित्तीय अनियमितता है उक्त ब्याज की अर्जित धनराशि शीघ्र राजकीय कोषागार में जमा करायी जाये। साथ ही उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 20 वर्ष 2014-15 में तेरहवां वित्त शीर्ष से रु0 4590998.00 निर्माण कार्यों पर व्यय किये गये हैं। परन्तु इस व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यों की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी। पत्रावलियों के अभाव में कार्य की स्वीकृति, एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक/मस्टरोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 आदि अप्राप्त रही। नियमानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जायेगी। अतः पत्रावलियों के अभाव में धनराशियों की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारियों से की जाये।

प्रस्तर सं0 21 वर्ष 2014-15 में वी0आर जी0एफ0 शीर्ष से 1026234.00 निर्माण कार्यों पर व्यय किये गये हैं। परन्तु इस व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यों की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी। पत्रावलियों के अभाव में कार्य की स्वीकृति, एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक/मस्टरोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 आदि अप्राप्त रही। नियमानुसार प्रमाणकों के अभाव में दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों (कार्य प्रभारियों) से की जाये।

प्रस्तर सं0 22 क्रिफिटल गैप्स मद से वर्ष 2015-16 में रु0 743503.00 का भुगतान विकास खण्ड कार्यालय में टाइल्स आदि लगाने हेतु मे0 सुशीला देवी (चेक सं0 004906 दिनांक 13.08.2015 रु0 636804.00 और चेक सं0 004907 दिनांक 13.08.2015 रु0 106699.00) को किया गया है इसके अतिरिक्त

रु0 63755.00 का भुगतान श्री राजू यादव को चेक सं0 4912 दिनांक 16.03.2016 किया गया है राज वित्त से भी रु0 237845.00 चेक सं0 5372 दिनांक 13.08.2015 को भुगतान सुशीला देवी को उक्त कार्य हेतु किया गया है पत्रावलियों के अभाव में टेण्डर, स्वीकृति, बिल/प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 आदि अप्राप्त रहा। नियमानुसार यदि दर्शायी गयी धनराशि के सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जायेगी। अतः पत्रावली के अभाव में उक्त धनराशि से 1045103.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जाये।

प्रस्तर सं0 23 वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में निम्नलिखित निर्माण कार्य की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली के अभाव में व्यय धनराशियों के सापेक्ष प्रमाणक (बिल/कैशमेमो, मस्टर रोल) अप्राप्त है। अतः व्यय की गयी धनराशि रु0 6382440.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	शीर्ष	श्रमांश	सामग्री	टी0डी0एस 0	योग	कार्य प्रणाली का नाम
1.	असीवनतरफ लोकमन मजरा सकल गद्दी में लखनऊ मार्ग से प्रा0 तक सी.सी. रोड	राजवित्त	112259	278581	10909	401749	श्री आनन्द सिंह
2.	मल्हौली सरदार नगर में इन्द्रपाल से शम्भू के घर होकर पृथ्वी के घर तक सी.सी. रोड	राजवित्त	171780	318346	7692	497818	श्री आनन्द सिंह
3.	चम्पतपुर के मजरा सीपरपुर में डामर रोड से राजकुमार के घर तक खडण्जा	राजवित्त	93225	242801	5629	341655	श्री आनन्द सिंह
4.	कनिगांव में चन्द्रशेखर से लाल जी एवं विजय पंडित से लल्लू के घर तक सी.सी. रोड	बी.आर.जी. एफ.	161885	421651	9776	593312	श्री आनन्द सिंह
5.	म.सरदार नगर में डामर रोड से ज्ञान चन्द्र के मकान तक सी. सी. रोड	बी.आर.जी. एफ.	265107	755616	17519	1038242	श्री आनन्द सिंह
6.	पाठकपुर मजरा बसोखा मो0पुर में राजेन्द्र के दरवाजे	बी.आर.जी. एफ.	186561	496199	11505	694265	श्री आनन्द सिंह
7.	म.सरदार नगर में इन्द्रपाल के घर से मक्कू यादव के घर तक सी.सी.	बी.आर.जी. एफ.	264124	655962	15904	935990	श्री आनन्द सिंह
8.	म.सरदार नगर में राई पाल के घर से मक्कू यादव के घर तक नाली सी.सी.	बी.आर.जी. एफ.	—	88780	15220	104000	श्री आनन्द सिंह
9.	और्राई के मजरा षाहाबाद में राम बहादुर से छेदा के घर तक नाली	13वां वित्त	85471	402029	9321	496821	श्री आनन्द सिंह
10.	मिर्जापुर कला में रामश्री इन्टर कालेज के सामने नाला	13वां वित्त	68445	320418	7429	396292	श्री आनन्द सिंह
11.	अकबरपुर के मजरा मोहनी	13वां वित्त	57553	263965	5120	326638	श्री आनन्द सिंह

	खेड़ा में जंगली के घर से मेन रोड तक नाली निर्माण						
12.	खानपुर पीर अली में डामर रोड तक नाली निर्माण	13वां वित्त	42697	157106	3642	203445	श्री आनन्द सिंह
13.	फखरुद्दीन क मजरा राजापुर में नरेश से छोटे लाल के घर तक नाली	13वां वित्त	87480	258770	5603	352213	श्री आनन्द सिंह
	योग	13वां वित्त	1596947	4660224	125269	6382440	श्री आनन्द सिंह

उक्त कार्यों की पत्रावलियों के अभाव में कार्य का स्वीकृत स्टीमेट, व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम. बी. आदि रहे वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी उक्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जायेगी। अतः उक्त पत्रावलियों के अभाव में व्यय दर्शायी गयी धनराशियों की वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी कार्यप्रभारियों से की जाये।

प्रस्तर सं० 23. (क) 14वाँ वित्त कंटीजेन्सी में पाया गया कि वर्ष 16-17 में रुपये 140919.00 बिना किसी विवरण के सीधे अंतिम अवशेष में कम कर दिये गये हैं जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विवरण रहित प्रमाणक रहित भुगतान को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री राम भजन से की जाये।

प्रस्तर सं० 24 वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के मनरेगा (कन्टीजेन्सी) खाते की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार अग्रिम का भुगतान किया गया है

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	अग्रिम की राशि	अग्रिम का उद्देश्य	चेक सं०/दिनांक
1.	श्री राम भजन	40000	—	10214 / 14.01.16
2.	श्री दीपू	5000	डीजल क्रय हेतु	10223 / 07.02.16
3.	श्री राम भजन	20000	डीजल क्रय हेतु	10224 / 20.02.16
4.	श्री राम भजन	20000	डीजल क्रय हेतु	डीजल क्रय हेतु 10225 / 02.03.16
5.	श्री राम भजन	30000	डीजल क्रय हेतु	007933 / 16.03.16
6.	श्री राम भजन	30000	डीजल क्रय हेतु	7945 / 12.04.16
7.	श्री राम भजन	30000	डीजल क्रय हेतु	7946 / 02.05.16
8.	श्री राम भजन	20000	डीजल क्रय हेतु	7950 / 16.05.16
9.	श्री राम भजन	10000	हल्का नाश्ता हेतु	011679 / 03.06.16
10.	श्री राम भजन	20000	डीजल हेतु	011683 / 03.06.16
11.	श्री राम भजन	20000	डीजल हेतु	011688 / 20.06.16
12.	दीपू	20000	डीजल हेतु	011688 / 04.07.16
13.	दीपू	30000	जनरेटर	011698 / 23.07.16
14.	श्री आफताब आलम	8000	यात्रा देयक	011699 / 08.08.16
15.	श्री दीपू	25000	डीजल हेतु	068026 / 02.03.17
	योग	328000.00		

उक्त धनराशियों का समायोजन लेखा और क्रय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अग्रिम दी गयी धनराशियों रु० 240000/- की ब्याज सहित वसूली श्री रामभजन, रु० 80000/- की ब्याज सहित वसूली श्री दीपू और रु० 8,000/- की ब्याज सहित वसूली श्री आफताब आलम से की जाये।

प्रस्तर सं० 25 मनरेगा (कंटीजेन्सी) मद से वर्ष 2015-16 में रु० 20,000/- श्री राम भजन को मतगणना टेण्ट हेतु (चेक सं० 10203 दि० 30.10.2015) एवं रु० 10000 श्री जय प्रकाश सोनकर की मतगणना भोजन व्यवस्था हेतु (चेक सं० 10205 दिनांक 30.11.2015) एवं इन्दिरा आवास कंटीजेन्सी से राम भजन को रु० 5000/- टेण्ट व्यवस्था (चेक सं० 10279 दि० 04.12.2019) और श्री राजू यादव को रु० 45000 (चेक सं० 8549 दि० 26.12.2015) रु० 15,000/- (चेक सं० 10280 दि० 29.12.2015) टेंट हेतु भुगतान किया गया है उल्लेखनीय है कि निर्वाचन विभाग द्वारा निर्वाचन संबंधी व्यवस्था हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है अनुदान की धनराशि निर्वाचन कार्यों पर व्यय किया जाना अनुचित है व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त धनराशियों क्रमशः रु०

25000/- श्री राम भजन से रू0 10000/- श्री जय प्रकाश सोनकर से और रू0 60000/- श्री राजू यादव से ब्याज सहित वसूल करके उक्त खातों में जमा कराई जाये।

प्रस्तर सं0 26 वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में इन्दिरा आवास (कंटीजेंसी) से निम्नलिखित विवरणानुसार अग्रिम भुगतान किया गया है

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	अग्रिम की राशि	अग्रिम का उद्देश्य	चेक सं0/दिनांक
1.	श्री योगेश कुमार	10000	पी.ओ.एल.	8526 / 06.04.15
2.	श्री योगेश कुमार	20000	पी.ओ.एल.	8527 / 28.04.16
3.	श्री राजू यादव	20000	पी.ओ.एल.	8528 / 15.05.15
4.	श्री राजू यादव	20000	पी.ओ.एल.	8536 / 27.06.15
5.	श्री राजू यादव	20000	पी.ओ.एल.	8537 / 23.07.15
6.	श्री राजू यादव	20000	इन्दिरा आवास (कन्टी0)	8541 / 17.8.15
7.	श्री राजू यादव	20000	इन्दिरा आवास (कन्टी0)	8543 / 03.09.15
8.	श्री राजू यादव	20000	इन्दिरा आवास (कन्टी0)	10276 / 15.09.15
9.	श्री राजू यादव	50000	इन्दिरा आवास (कन्टी0)	8545 / 15.09.15
10.	श्री जय प्रकाशसोनकर	20000	इन्दिरा आवास (कन्टी0)	8546 / 15.09.15
11.	श्री राम भजन	30000	इन्दिरा आवास (कन्टी0)	10284 / 16.03.16
12.	श्री राम भजन	10000	इन्दिरा आवास (कन्टी0)	10297 / 16.05.16
13.	श्री धीरेन्द्र कुमार यादव	46500	जी.पी.डी.पी. प्रशिक्षण	17085 / 21.02.17
14.	श्री धीरेन्द्र कुमार यादव	74600	जी.पी.डी.पी. प्रशिक्षण	17085 / 21.02.17
15.	श्री धीरेन्द्र कुमार यादव	24140	जी.पी.डी.पी. प्रशिक्षण	17086 / 23.02.17
	योग	405240		

उक्त धनराशियों का समायोजन लेखा और व्यय से संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अग्रिम के रूप में दी गयी उक्त धनराशियों क्रमशः रू0 30,000/- श्री योगेश कुमार से रू0 1,70,000/- श्री राजू यादव से रू0 20,000/- श्री जय प्रकाश सोनकर से रू0 40,000/- श्री राम भजन से और रू0 1,45,240/- श्री धीरेन्द्र कुमार यादव से उक्त खातों में ब्याज सहित वसूल कर जमा किये जाएं।

प्रस्तर सं0 27 मनरेगा कटी जैसी खाते की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान का कोई विवरण अंकित नहीं है—

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	अग्रिम की राशि	चेक सं0/दिनांक
1.	श्री दीपू	12790	011700 / 09.08.16
2.	श्री दीपू	3375	012476 / 10.08.16
3.	श्री दीपू	18900	012477 / 25.08.16
4.	श्री चन्द्र पाल	14000	12477 / 25.08.16
5.	श्री योगेश कुमार	48000	12482 / 23.08.16
6.	श्री वेद प्रकाश गुप्ता	7500	12481 / 23.06.16
	योग	104565	

उक्त धनराशियों से संबंधित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः विवरण सहित/प्रमाणक सहित भुगतान करके धनराशियों का अपहरण कर लिया गया। क्रमशः रू0 35,065/- श्री दीपू से, रू0 14,000/- श्री चन्द्र पाल से, रू0 48000/- श्री योगेश कुमार और रू0 7500/- श्री वेद प्रकाश गुप्ता से ब्याज सहित वसूली की जाए।

प्रस्तर सं0 28 दिनांक 31.03.2007 को एस.जी.आर.वाई. ज्वाइंट अकाउण्ट खाते में अन्तिम शेष 278030/- या जिसे 01.04.2007 को प्रारम्भिक अवशेष के रूप में अग्रेयतर न लेकर अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकर से की जाये।

क्षेत्र पंचायत – हसनगंज

प्रस्तर सं0 29 निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी।

पत्रावलियों के अभाव में व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक (बिल) कैश मेमो (मस्टर रोल) अप्राप्त रहे

क्र0 सं0	कार्य का नाम	वर्ष	शीर्ष	व्यय धनराशि				कार्य प्रभारी का नाम
				श्रमांश	सामग्री	टी.डी.एस.	योग	
1.	पी.एच.सी. कक्ष का निर्माण	10-11	राज्य वित्त	34800	160698	3384	198882	श्री लल्लू लाल ग्रा. पं.अ
2.	नारायणपुर में खड़जा निर्माण	10-11	“	123600	384090	8800	516490	श्री ललित कुमार गौतम ग्रा.वि.अ.
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत	10-11	“	12400	85223	1953	99756	श्री लल्लू लाल ग्रा. प.अ.

4.	धौरा खड़जा निर्माण	11-12	"	62916	205883	4717	273516	श्री शैलेन्द्र दुबे ग्रा. प.अ.
5.	धीरज खेड़ा में बाउंड्रीवाल	11-12	"	164000	354100	8580	526580	श्री लल्लू लाल ग्रा. प.अ.
6.	सेमरा मऊ में खड़जा मरम्मत	12-13	"	487625	701721	16269	1205615.0	श्री कस्तूरी लाल बी.टी.
7.	लखनापुर में सी.सी. रोड	12-13	"	36065	257193	5963	299221.0	श्री कमल पंकर दीक्षित ग्रा.वि.अ.
8.	नेवाज खेड़ा में पक्की नाली निर्माण	10-11	"	24000	147830	3387	175217	श्री लल्लू लाल ग्रा. प.अ.
9.	कोडरा में पक्की नाली निर्माण	10-11	"	23500	149880	3434	176814	श्री लल्लू लाल ग्रा. प.अ.
10.	कोडरा में पक्की नाली निर्माण	10-11	"	26600	171423	3927	201950	श्री लल्लू लाल ग्रा. प.अ.
11.	बाराखेड़ा में पक्की नाली निर्माण	10-11	"	17600	40392	926	58918	श्री कमल पंकर दीक्षित ग्रा.वि.अ.
12.	संदाना में पक्की नाली निर्माण	11-12	"	68640	401522	9201	47793	श्री संजीव कुमार ग्रा.वि.अ.
13.	नवीनगर में पक्की नाली निर्माण	11-12	"	14260	85311	1955	101526	श्री ललित कुमार गौतम ग्रा.वि.अ.
14.	नेवाज खेड़ा में सी.सी. रोड मुंशीगंज से डामर रोड तक	14-15	बी. आर. जी. एफ.	296900	2066001	46625	2409546	श्री लल्लू लाल ग्रा. प.अ.
	योग			1393036	5211267	119121	6723394.0	

पत्रावलियों के अभाव में कार्य की स्वीकृति, एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मास्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र एम.वी. आदि अप्राप्त रहै वित्त एवं लेखा मेनुयल के अध्याय 8 का बिन्दु 8 का में दिये गये प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि रु0 6723394.0 को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जायेगी। अतः उक्त पत्रावलियों के अभाव में धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कार्य प्रभारी से की जाए।

प्रस्तर सं0 30 16.8.12 को चक नं. 149416 को प्रवीण दुबे ग्रा0पं. अधिकारी के नाम 75726.0 की चेक काटी गयी थी। जिसका कोई कार्य नहीं कराया गया है व व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में नहीं रखे गये है। इस प्रकार विवरण रहित भुगतान दर्शाकर खाते का अवशेष 75726.0 कम कर दिया गया है भुगतान के विवरण एवं प्रमाणक के अभाव में इस धनराशि को गबन मानते हुए। इसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रवीण दुबे ग्रा.पं. अधिकारी की जाए।

प्रस्तर सं0 31 राज्य वित्त अनुदान खाता (वर्ष 12-13) में दि. 11.12.12 चेक नं0 467751 से दि. 14.12.12 तक चेक नं. 467756 तक 238748 की भुगतान किया गया है जिसका कार्य का विवरण ग्रांट रजि. 2 में अंकित नहीं है व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। व्यय इस प्रकार विवरण रहित भुगतान दर्शाकर खाते का अवशेष 238748 कम किया गया है भुगतान के विवरण एवं प्रमाणक के अभाव में इस धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री राजाराम से ब्याज सहित वसूली की जाए।

प्रस्तर सं0 32 राज्य वित्त अनुदान खाता (वर्ष 12-13) में दि. 14.12.12 चेक नं0 209879 चेक नं. 209880 दि. 14.12.12 व 8.1.13 चेक नं. 220681 से चेक नं. 220692 दि. 15.1.13 तक क्रमांक सं. 17223720 85517120 भुगतान किया गया है जिसका कार्य का विवरण ग्रांट रजि. 2 में अंकित नहीं है व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक इस प्रकार विवरण रहित भुगतान दर्शाकर खाते का अवशेष रु0 1027408.0 कम किया गया है भुगतान के विवरण एवं प्रमाणक के अभाव में इस धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री राजाराम से ब्याज सहित वसूली की जाए।

प्रस्तर सं0 33 राज्य वित्त अनुदान खाता दि. 29.1.13 का भुगतान चेक नं0 0001 से चेक नं. 0012 दि. 29.5.13 तक रु0 325315.0 का भुगतान किया गया है जिसके कार्य का विवरण ग्रांट रजि. 2 में अंकित नहीं है व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक इस प्रकार विवरण रहित भुगतान दर्शाकर खाते का अवशेष रु0 325315.0 कम किया गया है भुगतान के विवरण एवं प्रमाणक के अभाव में इस धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री राजाराम से ब्याज सहित वसूली की जाए।

प्रस्तर सं0 34 बारहवां वित्तअनुदान खाता से वर्ष 10-11 में चेक नं0 768050 से 69470 दि. 17.11.10 में व दि. 1.12.10 चेक नं. 89501 से चेक नं. 89055 तक दि. 1.12.10 में रु0 99142 का भुगतान किया गया है जिसके कार्य का विवरण ग्रांट रजि. 2 में अंकित नहीं है व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक इस प्रकार विवरण रहित भुगतान दर्शाकर खाते का अवशेष रु0 168612.0 रु कम किया गया है भुगतान के विवरण एवं प्रमाणक के अभाव में इस धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री राजाराम से ब्याज सहित वसूली की जाए।

प्रस्तर सं0 35 मनरेगा क्षेत्र पंचायत खाते से वर्ष 10-11 से दि. 2.8.10 से चेक नं. 230169 से दि. 23.8.10 को चेक नं. 830206 तक निम्नलिखित निकासी की गई है:-

दि0	चेक नं0	मद	रु0
2.8.10	230169	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक नई सराएं	75400.0
2.8.10	230170	जे.वी. ब्रिकफील्ड भौली	404294.0
2.8.10	230171	शिव पेंटिंग	2000.0
2.8.10	230172	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक नेवलगंज	49000.0
2.8.10	230173	जे.वी. ब्रिकफील्ड	4789.0
2.8.10	230174	कृष्णा ट्रेडर्स	130890.0
2.8.10	230175	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक नई सराएं	16400.0
2.8.10	230178	शिव पेंटिक	2000.0
5.8.10	230182	अमर ब्रिकफील्ड अजगैन	260100.0
4.8.10	230179	अमर ब्रिकफील्ड अजगैन	364780.0
11.9.10	230180	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक नई सराएं	73300
11.9.10	230181	शिव पेंटिंग	2000.0
5.8.10	230184	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक नई सराएं	35500.0
6.8.10	230184	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक हसनगंज	40300.0
6.8.10	230185	अमर ईट अजगैन	44838.0
6.8.10	230186	विजय ट्रेडर्स	9752.0
6.8.10	230187	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक मोहान	13500.0
9.8.10	015250 व 253	कुमार ब्रिकफील्ड	170300.0
12.8.10	2301880 व 230189	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक हसनगंज	377904.0
12.8.10	230190	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक मोहान	38600.0
16.8.10	230191	कुमार ब्रिकफील्ड	53947
23.8.10	230201	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक हसनगंज	302800.0
23.8.10	230202	शिव पेंटिंग	2000.0
23.8.10	230203	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक हसनगंज	207400.0
23.8.10	230204	शिव पेंटिंग	2000.0
23.8.10	230205	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक हसनगंज	143200
23.8.10	230206	शिव पेंटिंग	2000
		योग	2828994.00

उपरोक्त व्यय का कोई विवरण अंकित नहीं है व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। व्यय इस प्रकार विवरण रहित भुगतान दर्शाकर खाते का अवशेष 2828994.0 कम किया गया है भुगतान के विवरण एवं प्रमाणक के अभाव में इस धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाए।

प्रस्तर सं0 36 मनरेगा क्षेत्र पंचायत खाते से वर्ष 11-12. से दि0 04.07.11 चेक नं0 467768 से चेक नं0 467790 दि0 15.9.11 तक निम्नलिखित निकासी की गई है

दि0	चेक नं0	मद	रु0
4.7.11	467768	कुमार ब्रिकफील्ड	205231.00
4.7.11	467769	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक नई सराएं	74520.00
4.7.11	467770	दीप ट्रेडर्स हसनगंज	111361.00
4.7.11	467771	कुमार ब्रिक फील्ड	198792.00
4.7.11	467772	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक नई सराएं	55080.00
6.7.11	015267	माँ शारदा ट्रेडर्स हयूमपाइप	33201.00
2.8.11	467776	कुमार ब्रिकफील्ड	186198.00
2.8.11	467777	दीप ट्रेडर्स हसनगंज	118695.00
2.8.11	467778	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	77160.00

		नई सराएं	
10.8.11	467779	बैंक आफ इण्डिया हसनगंज	137000.00
8.9.11	467783	कुमार ब्रिक फील्ड	306150.00
8.9.11	487784	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक नई सराएं	33240.00
8.9.11	467785	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक नई सराएं	105000.00
13.9.11	467788	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक नई सराएं	88320.00
13.9.11	467789	शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक नई सराएं	31560.00
15.9.11	467790	कुमार ब्रिकफील्ड	12167.00
		योग	1773675.00

उपरोक्त व्यय का कोई विवरण अंकित नहीं है व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार विवरण रहित भुगतान दर्शाकर खाते का अवशेष रु0 1773675.0 कम कर दिया गया है भुगतान के विवरण एवं प्रमाणक के अभाव में इस धनराशि को गबन मानते हुए इसकी लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी श्री लाल जी यादव से ब्याज सहित वसूली की जाए।

प्रस्तर सं0 37 तेरहवां वित्त आयोग के वर्ष 14-15 में मं. दि. 29.9.14 व चेक नं. 429251 से श्रेया इंटर प्राइजेज के नाम 126543.0 को चेक काटी गयी थी जिससे छ हैड पम्पों को लगाना था परंतु अभी इसमें मास्टररोल का भुगतान नहीं किया गया है अतः इन छ हैड पम्पों को लगाना नहीं गया है कार्य प्रभारी दिलीप कुमार बी0टी0 द्वारा इस सामान का अपहरण करके गबन किया गया है एवं स्टॉक रजिस्टर लेखा-परीक्षण में रखा नहीं गया है अतः 126543.0 की कार्य प्रभारी दिलीप कुमार बी.टी. से ब्याज सहित वसूली की जाए।

प्रस्तर सं0 38 2.9.14 को तेरहवां वित्त आयोग से कार्य प्रभारी कस्तूरी लाल बी0टी0 को श्रेया इंटर प्राइजेज के नाम 126543.0 की चेक नं0 429252 काटी गयी थी परंतु हैड पम्प मरम्मत की फाइल में मास्टर रोल नहीं है अतः रु0 126543.0 की फर्जी चेक काटी गयी है क्योंकि हैड पम्प का कार्य नहीं कराया गया है अतः रु0 126543.0 का गबन कार्य प्रभारी श्री कस्तूरी लाल बी0टी0 द्वारा किया गया है अतः 126543.0 की श्री कस्तूरी लाल बी.टी. से ब्याज सहित वसूली की जाए।

प्रस्तर सं0 39 निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। निकासी के सापेक्ष ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में निर्माण कार्य का भी उल्लेख नहीं किया गया है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	वर्ष	शीर्ष	व्यय धनराशि				कार्य प्रभारी का नाम
				श्रमांश	सामग्री	टी.डी. एस.	योग	
1.	कार्य के नाम का ग्रांट रजि0 II में उल्लेख नहीं है	09-10	राज्य वित्त आयोग	25050	276807	6347	308204	श्री लल्लू लाल ग्रा.पं.अ.
2.	कार्य के नाम का ग्रांट रजि0 II में उल्लेख नहीं है	09-10	"	49300	96268	1516	147084	श्री प्रवीण दुबे ग्रा.पं.अ.
3.	कार्य के नाम का ग्रांट रजि0 II में उल्लेख नहीं है	09-10	"	16700	251517	5763	273980	"
4.	कार्य के नाम का ग्रांट रजि0 II में उल्लेख नहीं है	10-11	"	16900	110993	2544	130437	श्री क्षत्रपाल ग्रा0पं0अ0
5.	कार्य के नाम का ग्रांट रजि0 II में उल्लेख नहीं है	10-11	"	5576	38884	891	45351	श्री प्रवीण दुबे ग्रा.पं.अ.
6.	कार्य के नाम का ग्रांट रजि0 II में उल्लेख नहीं है	10-11	"	4950	60201	1379	66530	श्री हरि प्रकाश शर्मा जे. ई. (आरइएस)
7.	कार्य के नाम का ग्रांट रजि0 II में	10-11	"	8900	161304	—	170204	श्री रामचरण यादव एडीओ (आइएसबी)

	उल्लेख नहीं है							
8.	कार्य के नाम का ग्रांट रजि० II में उल्लेख नहीं है	08-09	बारहवां वित्त आयोग	24700	149231	1771	175702	श्री बी. एल.यादव बी.ओ. (पी.आर.डी.)
9.	कार्य के नाम का ग्रांट रजि० II में उल्लेख नहीं है	08-09	"	2600	90175	462	93237	श्री शैलेन्द्र दुबे ग्र०प०अ
10.	कार्य के नाम का ग्रांट रजि० II में उल्लेख नहीं है	08-09	"	31520	69321	1588	102429	श्री बी. एल.यादव बी.ओ. (पी.आर.डी.)
11.	कार्य के नाम का ग्रांट रजि० II में उल्लेख नहीं है	10-11	"	36600	169774	2960	209304	श्री शैलेन्द्र दुबे ग्र०प०अ
12.	कार्य के नाम का ग्रांट रजि० II में उल्लेख नहीं है	10-11	"	22300	96034	2201	120535	श्री शैलेन्द्र दुबे ग्र०प०अ
	योग			245096	1570509	27392	1842997.00	

उपरोक्त निकासी के सापेक्ष निर्माण कार्यों की पत्रावलियों के अभाव में कार्य की स्वीकृति, एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मास्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र एम.वी. आदि अप्राप्त रहें ग्रांट रजि० II में निकासी के सापेक्ष कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया है अतः फर्जी निकासी की गई है इस प्रकार बिना किसी आधार के खाते से 1842997.00 कम करके गबन कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कार्य प्रभारी से की जाए।

प्रस्तर सं० 40 वर्ष 14-15 में राज्य वित्त आयोग मद से ग्रांट रजि० II पेज नं० 25 के अनुसार ब्लाक प्रमुख का मानदेय दि० 21.10.14 के चेक नं. 0076 के माध्यम से 65,000 का भुगतान किया गया है यह मानदेय 1.4.14 से 31.4.14 तक 10 माह का 3000/- प्रति माह के हिसाब से 30000.0 दिया गया है इसी के साथ 35000/- रु० एरियर का भुगतान 1.12.13 से 31.3.14 का दिखाया गया है जबकि दि० 17.4.14 को चेक नं० 43 के माध्यम से ब्लाक प्रमुख का मानदेय 1.9.13 से 31.3.14 तक का 7 माह का मानदेय 21000.0 पहले दे चुके हैं। अतः 35000 रु० का एरियर का भुगतान गलत व दो बार किया जा रहा है अतः रु० 35000.0 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी.सी. सक्सेना व लेखाकार श्री संजय श्रीवास्तव, ब्लाक प्रमुख धीरेन्द्र कुमार सिंह से की जाए।

प्रस्तर सं० 41 वर्ष 16-17 में राज्य वित्त आयोग खाते से दि० 20.08.16 के चेक नं. 255 के माध्यम से आदित्य ट्रेडर्स को जमानत वापस रु० 25,000 व दि० 22.2.17 को चक नं. 263 के माध्यम से रु० 126539.0 कुमार ब्रिकफील्ड को जमानत वापस दिखाई जा रही है ये जमानत नगद कब जमा की गई थी इसका उल्लेख लेखा परीक्षा में नहीं दिखा पाए। नगद जमानत जमा करने का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है अतः रु० 151539.0 की जमानत की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री संजय श्रीवास्तव व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजिया बेगम व डा. सपना अवस्थी से ब्याज सहित वसूली की जाए। एवं यह जमानत धनराशि राज्य वित्त आयोग से वापस करना भी गलत है

प्रस्तर सं० 42 वर्ष 16-17 में वित्त आयोग से 16.2.17 को चेक नं० 31426 के माध्यम से शिव सिंह को 24000 रु० मानदेय दिया गया है यह मानदेय 1.10.16 से 31.1.17 तक चार माह का मानदेय दिया गया है जो कि अनियमित है क्योंकि 14वें वित्त आयोग से मानदेय दिया जाना गलत है अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री संजय श्रीवास्तव से की जाए।

प्रस्तर सं० 43 सरकारी अनुदान की जमा धनराशियों पर आलोच्य वर्षों में प्राप्त ब्याज और ब्याज की धनराशियों के व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.स.	वर्ष	वर्ष से प्राप्त ब्याज	वर्ष में वापिस/व्यय ब्याज	वर्षांत में शेष ब्याज
1	2008-09	520003.50	0	520003.50
2	2009-10	114529.00	0	634532.50
3	2010-11	223625	110391	747786.50
4	2011-12	432240	0	1180006.50
5	2012-13	409409	0	1589415.50
6	2013-14	547244	885	2135774.50
7	2014-15	723420	365	2858829.50
8	2015-16	535130.00	2308.18	3391651.32
9	2016-17	360533.00	2260.79	3749923.53

शासनादेश सं० 10/2015/ए-1502/दस-2015-10 (33) 2010 दि० 29 मई 2015 के प्रस्तर 3 के अन्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा किया जायेगा। अतः आलोच्य वर्षों में अर्जित आय रु० 3749923.53 को राजकोष में जमा न करके अन्य मदों में व्यय करना अथवा रोककर खा जाना वित्तीय अनियमितता है उक्त ब्याज की अर्जित धनराशि शीघ्र राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये। साथ ही उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 44 वर्ष 2014-15 में सी.सी. रोड सालेमपुर में राजकुमार के घर से हंस राज के घर तक तेरहवां वित्त आयोग से कराया गया था। जिसमें कुल व्यय 526794 रु० किया गया है जबकि इस्टीमेट की लागत 4.53 लाख है अतः इस्टीमेट की लागत से 73794.00 का अधिक व्यय किया गया है अतः 73794.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रवीण दुबे ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाये।

प्रस्तर सं० 45 वर्ष 2016-17 में दिनांक 20.10.2016 को चेक नं० 256 के माध्यम से वर्तमान ब्लाक प्रमुख को 18.03.2016 से 30.09.2016 तक का यात्रा भत्ता रु० 45161 एवं 20.10.2016 को चेक नं० 257 के माध्यम से पूर्व ब्लाक प्रमुख को 01.03.2015 से 17.03.2016 तक का यात्रा भत्ता 87839 रु० दिया गया है जो नियमानुसार यात्रा भत्ता देना गलत है ब्लाक प्रमुख को मानदेय दिया जाता है अतः सम्पूर्ण धनराशि 133000 की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाये।

क्षेत्र पंचायत – बांगरमऊ

आपत्तियों का विस्तृत विवरण-

प्रस्तर सं० 46 सरकारी अनुदान की बैंक में जमा धनराशियों पर वर्ष 2010-11 में प्राप्त ब्याज रु० 219653.00 एवं प्रारम्भिक शेष रु० 165273.99 रहा। इस प्रकार कुल ब्याज रु० 384926.99 रहा। वर्ष के दौरान रु० 36235.00 वापस किया गया तथा रु० 475.00 चेक बुक कटौती में खर्च हुआ। शासनादेश सं० 10/2015/ए-1502/दस-2015-10 (33) 2010 दि० 29 मई 2015 के प्रस्तर 3 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया गया है अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा किया जायेगा। अतः आलोच्य वर्षों में अर्जित आय रु० 348216.75 को राजकोष में जमा न करके अथवा रोककर खा जाना वित्तीय अनियमितता है उक्त ब्याज की अर्जित धनराशि शीघ्र राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये। साथ ही उत्तर दायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 47 रिवाल्विंग फण्ड वर्ष 2010-11 में प्रारम्भिक शेष रु० 4000000.00 व्यय करके अवशेष शून्य कर दिया गया। चेक सं० भुगतान का विवरण अंकित नहीं है भुगतान की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये गये। भुगतान के विवरण प्रामाण के अभाव में उक्त धनराशि रु. 4000000.00 अपहरण की श्रेणी में है जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री रामभजन से की जाए।

प्रस्तर सं० 48 क्षेत्र पंचायत नरेगा से रु० 25632.00 चेक नं० 768260 दि० 2.6.2010 रु 81460.00 चेक सं० 603397 दि० 2.6.2010 एवं रु० 51000.00 चेक सं० 768261 दि० 2.6.2010 की कुल रु० 158092.00 आहरित किया गया है जिसका न कोई विवरण है और न कोई व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहे अतः उक्त धनराशि रु० 158492.00 गबन की श्रेणी में है जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री राम भजन से की जाए।

प्रस्तर सं० 49 प्रशासनिक मद में कुल व्यय रु० 15,94481.00 हुआ जो कि लेखा परीक्षा में न तो कोई विवरण उपलब्ध रहा और न ही व्यय प्रमाणक ही उपलब्ध रहे भुगतान का विवरण/प्रमाण के अभाव में उक्त धनराशि रु० 1594481.00 अपहरण की श्रेणी में है जिसकी ब्याज सहित वसूली जांचोपरान्त ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री रामभजन से की जाए।

प्रस्तर सं० 50 नरेगा कन्टीजेन्सी निम्न धनराशियां आहरित की गयी। जिसका विवरण निम्न है-

क्रम	मद का नाम	चेक सं०	दिनांक	धनराशि
1	बिल फीडिंग	768547	22.6.10	72797.00
2	स्टेशनरी क्रय	765714	09.09.10	16615.00
3	फोटोकापी	765721	29.11.10	11030.00
4	स्टेशनरी क्रय	765723	09.2.10	47035.00
5	काउण्टर बनवाने में व्यय	464031	05.02.11	26000.00
			योग	173477.00

अतः मद में कुल धनराशि रु० 173477.00 व्यय किए गये। लेकिन लेखा परीक्षा में इनसे संबंधित न तो पंजिका उपलब्ध रही और न ही व्यय प्रमाणक उपलब्ध रहे अतः व्यय फर्जी दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री रामभजन से की जाए।

प्रस्तर सं० 51

क्षेत्र पंचायत नरेगा के मद से तीन चेकें काटी गयी है जो निम्न है-

चेक सं० 768264, दिनांक 06.06.10, रू० 211500.00

चेक सं० 768265, दिनांक 03.06.10, रू० 52009.00

चेक सं० 488051, दिनांक 01.07.10, रू० 211500.00

इस प्रकार कुल धनराशि रू० 475009.00 है लेखा परीक्षा में कार्य का विवरण एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध न रहने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि न हो सकी। अतः विवरण/प्रमाणक के अभाव में उक्त धनराशि रू० 475009.00 का व्यय फर्जी दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री रामभजन से की जाए।

प्रस्तर सं० 52 राज्य वित्त वर्ष 20.10.11 की जांच में पाया गया कि खडन्जा मरम्मत हेतु चेक सं० 379494, रू० 668679.00, चेक सं० 379495 रू० 86890.00 से चेक सं० 379499, रू० 120430.00 और चेक सं० 379500, रू० 180170.00, कुल धनराशि रू० 1056169.00 का भुगतान किया जाना दर्शाकर बैलेन्स को कम कर दिया गया। भुगतान की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। बिना प्रमाणक के भुगतान किया जाना गबन मानते हुए कार्य प्रभारी श्री शिव माधन त्रिवेदी रू० 755569.00, श्री राम प्रकाश गौड़ से रू० 120430.00 एवं श्री राम नाथ से रू० 180170.00 से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 53 राज्य वित्त वर्ष 20.10.11 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विकास खण्ड परिसर की पुताई हेतु कुल धनराशि रू० 170000.00 व्यय की गई, जिसका विवरण निम्न है चेक सं० 568345, दिनांक 02.11.10 रू० 120430.00 और चेक सं० 379500, रू० 180170.00, कुल धनराशि रू० 1056169.00 का भुगतान किया जाना दर्शाकर बैलेन्स को कम कर दिया गया। भुगतान की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। बिना प्रमाणक के भुगतान किया जाना गबन मानते हुए कार्य प्रभारी श्री शिव माधन त्रिवेदी रू० 755569.00, श्री राम प्रकाशगौड़ से रू० 120480.00 एवं श्री राम नाथ से रू० 180170.00 से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 54 राज्य वित्त खाता वर्ष 20.10.11 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विकास खण्ड परिसर की पुताई हेतु कुल धनराशि रू० 170000.00 व्यय की गई, जिसका विवरण निम्न है चेक सं० 568345, दिनांक 02.11.10 रू० 42000.00, चेक सं० 568347, दिनांक 8.2.11 रू० 65000.00 एवं चेक सं० 568348, दिनांक 10.03.11, रू० 63000.00 है उक्त व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे बिना प्रमाणक के धन रू० 170000.00 का भुगतान किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री रामभजन से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 55 राज्य वित्त खाते से रोड मरम्मत हेतु रू० 596795.00, चेक सं० 379497 दिनांक 09.09.10 का भुगतान किया जाना दर्शाकर बैलेन्स को कम कर दिया गया। भुगतान की पुष्टि में पत्रावली आदि व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे उक्त धनराशि रू० 596795.00 बिना प्रमाणक के व्यय किया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री रामभजन से अपेक्षित से की जाय।

प्रस्तर सं० 56 बारहवां वित्त खाता वर्ष 20.10.11 की जांच में पाया गया कि सम्पर्क मार्ग के मद में रू० 24440.00, चेक नं. 568341, दिनांक 15.10.10 एवं रू० 257442.00, चेक सं० 568342, दिनांक 15.10.10 को कार्य प्रभारी श्री रामनाथ को कुल धन रू० 281882.00 का भुगतान किया गया। इसी प्रकार श्री शिव माधव त्रिवेदी कार्य प्रभारी को चेक सं० 568343, दिनांक 15.10.40, रू० 31700.00 एवं चेक सं० 567344 दिनांक 15.10.10, रू० 37319.00 का भुगतान किया गया दर्शाकर बैलेन्स को कम कर दिया गया। बिना प्रमाणक के भुगतान को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री रामनाथ रू० 281882.00 एवं श्री शिव माधव त्रिवेदी रू० 69019.00 से की जाय।

प्रस्तर सं० 57 बी०आर०जी०एफ० खाता वर्ष 20.10.11 की जांच में पाया गया कि सम्पर्क मार्ग जिरिकपुर से रोशन घोसी के घर तक हेतु रू० 128394.00, चेक नं. 572123, दिनांक 03.08.10, रू० 491435.00, चेक सं० 462052, दिनांक 03.08.10 एवं रू० 84780.00 चेक सं० 462053 दिनांक 03.08.10 को कार्य प्रभारी/ग्रा०वि० अधिकारी श्री शिव माधव त्रिवेदी को भुगतान किया गया है भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक (बिल/मस्टर रोल) प्रस्तुत नहीं किए गये। भुगतान के पूर्व कोई टी.डी.एस. भी नहीं काटा गया है अतः प्रमाणकों के अभाव में भुगतान की गई धनराशि रू० 704609.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है इसकी कार्य प्रभारी श्री शिव माधव त्रिवेदी से ब्याज सहित वसूली की जाये।

प्रस्तर सं० 58 बी०आर०जी०एफ० खाता की जांच में पाया गया कि खडन्जा मरम्मत के मद में रू० 82314.00 चेक नं. 432054, दिनांक 03.08.10, रू० 349030.00, चेक सं० 462055, दिनांक 03.08.10 एवं रू० 47560.00 चेक सं० 462056 दिनांक 03.08.10 को कार्य प्रभारी/ग्रा०वि० अधिकारी श्री शिव माधव त्रिवेदी को भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि के कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे व्यय प्रमाणकों के अभाव में कुल धनराशि रू० 478904.00 का व्यय फर्जी दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री शिव माधव त्रिवेदी से की जाय।

क्षेत्र पंचायत – असोहा

आपत्ति पत्र—

प्रस्तर सं० 59 विधायक निधि अनुदान खाता वर्ष 2013-14 की जांच में पाया गया कि मार्च 14 में चेक सं० 0206337 से 339 की धनराशि एवं भुगतान का विवरण अंकित नहीं है जबकि चेक सं० 206340 रू० 45866.00 और चंक सं० 206341 रू० 63048.00 धनराशि तो अंकित है व्यय का कोई विवरण अंकित नहीं है व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी

प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। इस प्रकार विवरण रहित भुगतान दर्शाकर खाते का अवशेष रु0 138029.00 कम कर दिया गया है भुगतान के विवरण एवं प्रमाणक के अभाव में इस धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 60 राज्य वित्त वर्ष 2014-15 की जांच में पाया गया कि वर्ष के प्रारम्भ में श्री छुन्ना प्रसाद को चेक सं0 000547 रु0 151907.00 और चेक सं0 000548 रु0 140303.00 का भुगतान किया जाना दर्शाकर बैलेन्स कम कर दिया गया। कार्य का कोई विवरण नहीं है भुगतान की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना विवरण एवं प्रमाणक के भुगतान किया जाना गबन मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 61 तेरहवां वित्त खाता वर्ष 2014-15 की जांच में पाया गया कि वर्ष के प्रारम्भ में छुन्ना प्रसाद को चेक सं0 000546 रु0 138220.00 और चेक सं0 000550 रु0 391708.00 का भुगतान किया जाना दर्शाकर बैलेन्स कम कर दिया गया। कार्य का कोई विवरण नहीं है भुगतान की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना विवरण एवं प्रमाणक के भुगतान किया जाना गबन मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 62 राज्य वित्त वर्ष 2014-15 की जांच में पाया गया कि दिनांक 23.6.14 को अवशेष 2792404.00 था। दि0 28.6.14 को सदस्यों को मानदेय रु0 6000.00 का भुगतान के पश्चात अवशेष 2786404.00 हाना चाहिए था। जबकि खातों में अवशेष 2516421.00 कर दिया गया। इस प्रकार बिना किसी आधार के खाते में अवशेष रु0 269983.00 कम करके गबन कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 63 बी0आर0जी0एफ0 खाता वर्ष 2014-15 की जांच में पाया गया कि दिनांक 1.7.14 को 115650.00 गुप्ता ब्रिक फील्ड, रु0 28057.00 मै0 मनोज कुमार को सामग्री क्रय हेतु तथा रु0 19280.00 मनोज कुमार ग्रा0वि0अ0/कार्य प्रभारी को भुगतान किये गये हैं। कार्य का विवरण अंकित नहीं है कि यह भुगतान किस कार्य हेतु किये गये हैं। भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक बिल/मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं किये गये। भुगतान के पूर्व कोई टी0ड0एस0 भी नहीं काटा गया। कार्य के विवरण एवं प्रमाणकों के अभाव में भुगतान की गयी धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है अतः रु0 162987.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री मनोज कुमार ग्रा0वि0अ0 से की जाये।

प्रस्तर सं0 64 वर्ष 2014-15 के इन्दिरा आवास (कंटीजेन्सी) खाते की जाँच में पाया गया कि दिनांक 28.1.15 को रु0 8000.00 का अग्रिम भुगतान श्री श्रवण कुमार त्रिपाठी को किया गया है जिसका समायोजन लेखा/प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः अग्रिम की राशि रु0 8000 क ब्याज सहित वसूली श्री त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 65 वर्ष 2015-16 के राज्य वित्त खाते की जांच में पाया गया कि दिनांक 14.5.15 को रु0 90000.00 का अग्रिम श्री विजय रावत ग्रा0वि0अ0 को कार्यालय फर्नीचर क्रय हेतु किया गया है जिसका समायोजन लेखा, क्रय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अग्रिम की राशि रु0 90000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री विजय रावत से की जानी चाहिए।

प्रस्तर सं0 66 वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त खाते की जांच में पाया गया कि दिनांक 17.6.13 को रु0 57000.00 का अग्रिम श्री विजय रावत ग्रा0वि0अ0 को प्रमुख कक्ष में पर्दा कूलर आदि क्रय हेतु किया गया है जिसका समायोजन लेखा, क्रय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अग्रिम दी गयी राशि रु0 57000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री विजय रावत से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 67 वर्ष 2013-14 के प्रशासनिक मद खाते की जांच में पाया गया कि दिनांक 23.7.14 को रु0 8600.00 का अग्रिम श्री श्रवण कुमार त्रिपाठी को दिया गया है जिसका समायोजन लेखा, क्रय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः अग्रिम की राशि रु0 8600.00 की ब्याज सहित वसूली श्री त्रिपाठी से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 68 वर्ष 2014-15 के तेरहवां वित्त खाते की जांच में पाया गया कि दिनांक 10.10.14 को रु0 65208.00 का भुगतान चेक सं0 003290 श्री शिव सागर नो0टे0 को मस्टर रोल हेतु किया जाना अंकित है कार्य का विवरण अंकित नहीं है अतः मस्टर रोल में लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः कार्य के विवरण एवं मस्टर रोल के अभाव में उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री शिव सागर से की जानी चाहिए।

प्रस्तर सं0 69 वर्ष 2015-16 के कंटीजेन्सी मद से दिनांक 27.1.15 को रु0 20000.00 भुगतान चेक सं0 7078 दिनांक 27.1.16 सेल्फ नई दिल्ली में मनरेगा सम्मेलन हेतु किया जाना अंकित है भुगतान का विवरण एवं प्रमाणक अप्राप्त रहा। अतः प्रमाणक के अभाव में इसकी ब्याज सहित वसूली श्री पी0के0 निगम लेखाकार से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 70 निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावलियां के अभाव में व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक (वित्त, रसी कैशमेमो, मस्टर रोल) अप्राप्त रहे

क्र0 सं0	कार्य का नाम	वर्ष	शीर्ष	व्यय धनराशि				कार्य प्रभारी का नाम
				श्रमांश	सामग्री	टी.डी. एस.	योग	
1.	मजगुरु कूप खेड़ा में हरि बापू प्रा0पा0 तक	2016-17	विधायक निधि	76356	137646	12225	226227	शिव सागर

	खडंजा							
2.	कामा मजरागुरु बक्स खेड़ा में हरिपाल के घर से सी0सी0 रोड	2015-16	“	87662	588750	8745	685157	चन्द्रकान्त अवस्थी
3.	गिलसरामऊ में जगदेव के दरवाजे से सी.सी. रोड	2015-16	बी.आ.जी. एफ.	146050	373567	18039	537656	शिव सागर
4.	रहिमानपुर में देवी मन्दिर से कैलाश तक सी.सी. रोड	2015-16	राज्य वित्त	67822	186483	6951	261256	विजय रावत
5.	ब्लाक परिसर में आवासों की मरम्मत	2015-16	“	22581	28135	645	51361	शिव सागर
6.	श्रीपा साहू से कुम्हारन तक नाली	2015-16	तेरहवां वित्त	53266	11149	1938	66353	विजय रावत
7.	मदानी रोड खडंजा से बजरंग खेड़ा तक	2015-16	तेरहवां वित्त	108553	318156	11795	438504	चन्द्रकांत अवस्थी
8.	दरबारी खेड़ा में राजू यादव के घर तक खडंजा	2014-15	विधायक निधि	50596	133701	3099	187396	किशोर कुमार बिष्ट
9.	सरेया नवी में प्रेम कुमार से मोती लाल तक सी.सी.	2014-15	बी.जी. आर.एफ.	11242	130000	3014	144256	शिव सागर
10.	डकार खेड़ा में खडंजा	“	राज्य वित्त	13692	76387	1613	91692	शिव सागर
11.	शिव सिंह खेड़ा में खडंजा	“	“	10644	234624	5376	250644	चन्द्रकांत
12.	तुरजापुर में कमता के घर से पुलिया तक नाली निर्माण	“	13वां वित्त	30576	56623	—	87199	शिव सागर
13.	सभागार/प्रमुख कक्ष पेंटिंग	2013-14	राज्य वित्त	42125	75054	—	117179	विजय रावत
14.	सहरावां में नरेगा के घर से सी.सी. रोड	“	“	69375	204424	4740	278539	राम सहाय यादव
15.	मंगत खेड़ा में नाली निर्माण	“	13वां वित्त	69378	404970	9390	483738	शिव सागर
16.	प्रेम कुमार से मोती लाल के दरवाजे तक सी. सी. रोड	“	बी.जी. आर.एफ.	32614	380154	8814	421582	शिव सागर
	योग			892532	3339823	96384	4328739	

पत्रावलियों के अभाव में कार्य की स्वीकृति, एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल्स कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अप्राप्त रहें वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिन्दु क में दिये गये प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जायेगी। अतः उक्त पत्रावलियों के अभाव में धनराशियों की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी कार्य प्रभारियों एवं लेखा प्रमुख से ब्याज सहित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 71 सरकारी अनुदान की बैंक में जमा धनराशियों पर आलोच्य वर्षों से प्राप्त ब्याज और ब्याज की धनराशियों के व्यय/वापिस का विवरण निम्नवत है:-

क्र.स.	वर्ष	वर्ष से प्राप्त ब्याज	वर्ष में वापिस/व्यय किया गया ब्याज
1.	2013-14	290259.42	150268.00
2.	2014-15	589432.00	666623.00
3.	2015-16	37075.00	158.00
4.	2016-17	48888.00	316.00
	योग	965654.42	817365.00

उक्त में ये रू0 43563.00 वर्ष 2013-14 में वाहन किराया एवं तेल पर और रू0 7736 वर्ष 2014-15 में टेण्डर विज्ञापन पर व्यय किये गये। शासनदेश सं0 10/2015/ए-1502/झ-2015-10(33)2010 दिनांक 29 मई 2015 के प्रस्तर 3 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा किया जायेगा। अतः आलोच्य वर्षों में अर्जित आय रू0 965654.42 को राजकोष में जमा न करके अन्य मदों में व्यय करना, वापिस विभाग को करना अथवा रोककर रखा जाना। वित्तीय अनियमितता है ब्याज की अर्जित उक्त धनराशि शीघ्रराजकीय कोषागार में जमा कराया जाये। साथ ही उत्तर दायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 72 स्वर्ण जयंती रिवाल्विंग फण्ड के वर्ष 2013-14 के अनुदान खाते की जांच में पाया गया कि दिनांक 30.8.13 को रू0 637720 और रू0 61700 डेबिट करके खाते का अवशेष शून्य कर दिया गया है भुगतान विवरण, चेक संख्या अंकित नहीं है भुगतान की पुष्टि में कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान के विवरण एवं प्रमाण के अभाव में उक्त धनराशि रू0 699420.00 अपहरण की श्रेणी में है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार से अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - गंज मुराबाद

प्रस्तर सं0 73 शासनादेश सं0 502/दस-2015-10(33) 2010//10/2015 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार बैंक खाते से अर्जित ब्याज राज्य की आय है जिसे वर्षांत तक राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में वर्ष 2015-16 तक रू0 1448312.76 प्राप्त ब्याज एवं वर्ष 2016-17 के वर्षांत में शेष ब्याज रू0 93460.24 शेष धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 74 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में दिनांक 17.12.14 को रू0 132761.00 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि शीर्ष एवं दिनांक 22.5.15 को रू0 198260.00 मनरेगा प्रशासनिक व्यय शीर्ष में बैंक खाते से प्राप्त व्यय शीर्ष से धनराशि व्यय की गई जो अनियमित रही। साथ ही उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 75 टी.डी.एस./आयकर शीर्ष की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में चेक नं. 465241 दि. 26.9.2011 द्वारा रू0 184005.00 खण्ड विकास अधिकारी, गंज मुरादाबाद द्वारा स्वयं आहरण किया गया। आहरित धनराशि से टी.डी.एस./आयकर जमा अपुष्टित रहा। पुष्टि के अभाव में आहरित धनराशि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 76 वर्ष 2013-14 में टी.डी.एस./आयकर शीर्ष से दिनांक 12.3.2014 को रू0 5585.00, वर्ष 2014-15 दि. 2.7.2014 को रू0 5000.00 दिनांक 22.12.2014 को रू0 8316.00, वर्ष 2015-16 में रू0 12474 एवं वर्ष 2016-17 में रू0 15114.00 विज्ञापन हेतु कुल रू0 46489.00 भुगतान किया गया, इस शीर्ष में जमा धनराशि से विज्ञापन का भुगतान अनियमित रूप से किया गया, जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 77 वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत द्वारा आयकर-व्यापारकर शीर्ष में जमा धनराशि में से रू0 394485.00 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि एवं राज्य वित्त/तेरहवां वित्त में निम्न विवरणानुसार धनराशि स्थानान्तरित कर व्यय किया गया है जबकि इस शीर्ष की धनराशि चालान द्वारा आयकर/व्यापार कर विभाग में जमा किया जाना चाहिए। त्रुटिपूर्ण स्थानान्तरण कर व्यय किया जाना अनियमित रहा।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि - रू0 171312 + 27142 = 198454

राज्य वित्त/तेरहवां वित्त - रू0 168265 + 27766 = 196031

योग- 394485.00

प्रस्तर सं0 78 क्षेत्र पंचायत बायोगैस अनुदान शीर्ष अंतर्गत वर्ष 2011-12 में रू0 40,000, वर्ष 2013-14 में रू0 43000, वर्ष 2013-14 में रू0 31000, वर्ष 2014-15 में रू0 8000 एवं वर्ष 2016-17 में रू0 11,000 मात्र लाभार्थी को भुगतान किया गया। कुल रू0 133000.00 की पुष्टि में लाभार्थियों की स्वीकृत सूची एवं देय धनराशि की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं करायी गयी। पुष्टि के अभाव में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 79 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना शीर्ष अंतर्गत वर्ष 2011-12 में दिनांक 14.9.11 को 6 सामान्य एवं 13 आरक्षित लाभार्थियों को क्रमशः रू0 10,000 एवं रू0 7500 की दर से कुल रू0 1,57,500 बैंक के माध्यम से भुगतान दर्शित है जबकि सामान्य को 7500 एवं आरक्षित को 10,000 की दर से कुल 1,75,500 की धनराशि लाभार्थियों के खाते में स्थानान्तरित की जानी चाहिए थी।

त्रुटिपूर्ण 6 सामान्य लाभार्थियों को अधिक भुगतान धनराशि रु0 15000 उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 80 मनरेगा सो शीर्ष अंतर्गत वर्ष 2011-12 में रु0 1200000 व्यय किया गया एवं रु0 5,00,000 खाता संख्या 7556 में मनरेगा शीर्ष में स्थानान्तरित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में रु0 1801385.00 डी.बी.आर.ए. को वापस एवं दि0 20.5.12 को रु0 5,00,000 मनरेगा कन्टीजेंसी में स्थानान्तरित किया गया।

इस प्रकार शीर्ष से मात्र 1200000 व्यय किया गया। प्रयुक्त धनराशि की पुष्टि में कराये गये कार्यों की सूची एवं रोजगार प्राप्त श्रमिकों का विवरण लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। पुष्टि के अभाव में रु. 1200000 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं बी.डी.ओ. से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 81 मनरेगा शीर्ष अंतर्गत पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 में कच्चे व पक्के कार्य कराये गये। कराये गये कार्यों में से निम्न कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की गई धनराशि अपुष्टित रही। पुष्टि के अभाव में व्यय की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	विवरण
1.	तिर्वा जहांगीर से अटवा तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य वर्ष (2011-12)	422880.00	श्रमांश
2.	गोवापट्टी पुलिया से न्योली इस्लामाबाद सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी वर्ष (2011-12)	576120.00	श्रमांश
3.	सण्डीला रोड से आशाराम पुलिया तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य वर्ष (2011-12)	624960.00	''
4.	प्रथवी खंडा से शशिपुर खार्डर तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य वर्ष (2011-12)	379800.00	''
5.	सरिधरपुर से गहरपुरवा सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य वर्ष (2011-12)	594960.00	''
6.	जटपुर केलपरा पुलिया से उच्च बार्डर तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी भराई एवं पुलिया का निर्माण कार्य	194824.00	''
7.	धनीखंडा से काशीराम खंडा तक मिट्टी भराई एवं पुलिया का निर्माण काय	384962.00	''
	योग	3178506.00	

प्रस्तर सं0 82 वर्ष 2013-14 में मनरेगा खाते से दि0 30.8.13 को 582071.00 एवं दिनांक 17.2.14 को रु0 162512.00 खाते का ब्याज मु0वि0 अधि0 उन्नाव को वापस दर्शाया गया है वापसी की पुष्टि में कोई प्रमाणक/पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। पुष्टि के अभाव में त्रुटिपूर्ण व्यय दर्शाये जाने के कारण ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 83 मनरेगा निःशुल्क बोरिंग शीर्ष अंतर्गत वर्ष 2011-12 में रु0 4296000.00 एवं अंतर्गत वर्ष 2012-13 में रु0 874000.00 अनुदान लाभार्थियों के खाते में स्थानान्तरित किया गया। चयनित लाभार्थियों की सूची लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। वर्षता चयनित लाभार्थियों एवं लाभान्वित प्राप्तकर्ता से पुष्टि के अभाव में कुल रु0 5170000 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 84 मनरेगा कंटीजेंसी अंतर्गत दिनांक 10.5.1011 को रु0 51284.00 व्यय, ड्राफ्ट द्वारा भुगतान दर्शाया गया है यह ड्राफ्ट किस बाबत बनाया गया अपुष्टित रहा। पुष्टि के अभाव में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 85 मनरेगा कंटीजेंसी अंतर्गत दिनांक 14.6.2011 को रु0 60995.00 मै0 अन्नपूर्ण इंटरप्राइजेज के बाबत एम. आई.एस. फीडिंग भुगतान किया गया। कार्यालय में कम्प्यूटर एवं आपरेटर अनुपलब्ध होने के उपरान्त रु0 60995.00 वाह्य कम्प्यूटर सेन्टर को भुगतान किये जाने का औचित्य अस्पष्ट रहा। साथ ही प्रमाणक भी अपुष्टित रहा। औचित्य होने व अपुष्टित व्यय की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी.डी.ओ. एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 86 क्षेत्र पंचायत द्वारा बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कराये गये निम्न कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जिसका विवरण वर्षवार निम्न प्रकार है पत्रावलियों के अभाव में कार्य की स्वीकृति, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम.वी. आदि अपुष्टित रहै व्यय प्रमाणकों/पत्रावलियों के अभाव में अपुष्टित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली ख.वि.अधि./कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	वर्ष	व्यय श्रमांश, सामग्री टी.डी.एस.	कार्य प्रभारी का नाम
1.	छत्तखंडा में इस्तियाज के मकान से जल निकासी नाली निर्माण।	11-12	307732.00	श्री शरत चन्द्र पाण्डेय
2.	छत्तखंडा में मिक्खनपुर गोपालपुर में इस्तियाज के मकान से राजकुमार के घर तक जल निकासी नाली निर्माण।	''	131612.00	श्री नरेन्द्र सिंह चन्देल

3.	सुलतानपुर रोड से गुलाबपुरवा तक पुराने खडंजा मरम्मत कार्य	“	490505.00	श्री शरत चन्द्र पाण्डेय
4.	खांभाऊ से पुरई खेड़ा तक खडंजा मरम्मत कार्य	“	209410.00	“
5.	ग्राम मगनूखेड़ा मजरा मिक्खनपुर गोपालपुरा में डामर रोड से संजय पंडित के मकान तक जल निकासी नाली व सी.सी. रोड निर्माण।	14-15	608593.00	मै० गंगा कांस्ट० कं. बांगरमऊ
6.	ग्राम मगनूखेड़ा मजरा मिक्खनपुर गोपालपुरा में डामर रोड से बड़कौन पंडित के घर से सस्तिन देवी मंदिर तक निकासी नाली के साथ सी.सी. रोड निर्माण।	14-15	684889.00	“
योग			2432741.00	

प्रस्तर सं० 87 क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त/तृतीय/चतुर्थ शीर्ष अंतर्गत निम्न कार्यों की पत्रावली, लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जिससे कार्य की स्वीकृति, स्टीमेट व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम.वी. आदि अपुष्टित रहै प्रमाणकों/पत्रावलियों के अभाव में निम्न कार्यों पर व्यय की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख. वि.अधि./कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्ष	व्यय धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम
1.	संडीला रोड से गोपीखेड़ा तक खडंजा मरम्मत कार्य	11-12	360925.00	श्री उदय सिंह
2.	महालिया से पंचाखेड़ा की ओर खडंजा मरम्मत कार्य	12-13	906310.00	“
3.	व्योली इस्लामाबाद खटपुर वेल्डप सम्पर्क मार्ग से रीमपुर होते हुये सावल खेड़ा तक खडंजा मरम्मत	“	425563.00	श्री नन्है सिंह चन्देल
4.	ग्राम छत्तरखेड़ा में मिक्खनपुर गोपालपुर में इम्तियाज के मकान से राजकुमार के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	13-14	478716.00	“
5.	ग्राम हरईपुर में मेन डामर रोड से रमाकान्त के मका एवं राजू लाला के फाटक होते हुये प्रा. पा. तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण।	14-15	194852.00	मै० गंगा कां. कं.
6.	विकास खण्ड कार्यालय में कर्मचारी हाल बरामदा एवं बी.डी.ओ. आवास मरम्मत।	15-16	847140.00	“
योग			3213506.00	

प्रस्तर सं० 88 क्षेत्र पंचायत पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि शीर्ष अंतर्गत कराये गये कार्यों से संबंधित निम्न पत्रावलियां, लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जिससे विवरणानुसार वर्षवार कराये गये कार्यों पर दर्शाये गये व्यय अपुष्टित रहै साथ ही कार्य की स्वीकृति, स्टीमेट एम.व. एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में संबंधित ख.वि. अधि., कार्य प्रभारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है—

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्ष	व्यय की धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम
1.	क्षेत्र पंचायत कार्यालय कैम्पस में क्षेत्र पंचायत संसाधन केन्द्र रिसर्च सेन्टर निर्माण।	11-12	454748.00	श्रीमन लाल कुरील
2.	बरोकी में जगदीष के घर से मोती लाल कृषवाहा के घर तक एवं स्कूल तक सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेल निर्माण।	“	695615.00	“

3.	गोशा प्रयागपुर के मसरा मारत खेड़ा में सचिवालय भवन का निर्माण।	“	1285137.00	“
4.	ग्राम खम्भोली में सचिवालय भवन निर्माण	“	1428956.00	“
5.	ग्राम वोहरा कच्छ में सचिवालय भवन निर्माण।	“	1471377.00	श्री शरत चन्द्र पाण्डेय
6.	ग्राम छत्तरखेड़ा मिक्खनपुर गोपालपुर की गलियों में सी.सी. रोड व नाली निर्माण।	13-14	1250000	मै0 गंगा कां.
7.	बल्लापुर में सचिवालय भवन निर्माण।	“	1280233	“
8.	देवखरी में राजेन्द्र रैदास के दरवाजे से डामर रोड व सी.सी. रोड तक नाली निर्माण	14-15	1409440.00	“
	योग		9275506.00	

प्रस्तर सं0 89 इन्दिरा आवास कंटीजेन्दी शीर्ष अंतर्गत निम्न विवरणानुसार भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, पुष्टि के अभाव में तत्कालीन ख.वि.अधि. एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता एवं व्ययकित	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
19.2.2014	श्री अखिलेश कुमार वर्मा, बावत प्रिंटर मरम्मत एवं टोनर	7100.00	उपरोक्तानुसार
31.3.2014	श्री प्रदीप कुमार निगम बावत कार्जोज	900.00	“
7.5.2014	श्री प्रदीप कुमार निगम अग्रिम भुगतान समायोजन नहीं।	5000.00	“
23.5.2014	टेलीफोन बिल भुगतान हेतु बी.डी.ओ. द्वारा स्वयं प्राप्त	3143.00	“
28.7.14		1772.00	
24.9.14		2178.00	
	योग	20093.00	

प्रस्तर सं0 90 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण बावत श्री बृज लाल यादव (ए.डी.ओ.) दिनांक 24.10.16 का रू0 32490.00 एवं 81000.00 तथा दिनांक 2.3.17 को रू0 4200.00 अग्रिम भुगतान किया गया। कुल अग्रिम रू0 117690.00 के समायोजन की पुष्टि में प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पुष्टि के अभाव में बृजलाल यादव ए.डी.ओ. एवं तत्कालिक लेखाकार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – फतेहपुर

प्रस्तर सं0 91 वर्ष 2010-11 के 13वां वित्त से क्षेत्र पंचायत द्वारा तकिया मंदिर से सानिया राइस मिल तक पक्का नाला निर्माण कार्य से संबंधित मस्टर रोल पर दिये गये भुगतान रू0 30000.00 दिनांक 12.9.2011 चे क सं. 962109 की पुष्टि में मस्टर रोल पर किसी भी मजदूर के हस्ताक्षर/नि0अंगूठा नहीं पाये गये। बिना नि0 अंगूठा/हस्ताक्षर कराये सादे/फर्जी मस्टर रोल पर मजदूरी का भुगतान किया गया है जो नितान्त फर्जी भुगतान है फलस्वरूप उक्त फर्जी भुगतान रूपया 30000.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री ब्रह्मवेद पाण्डे से की जानी चाहिए।

प्रस्तर सं0 92 वर्ष 2009-10 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा आयकर कटौती (टी.डी.एस.) की धनराशि रू0 273609.00 समय से जमा न करने के कारण दण्ड स्वरूप रू0 35443.00 का अर्थदण्ड भुगतान दिनांक 29-2009 को चेक सं0 766009 द्वारा ब्याज खाते से आयकर विभाग को दिया गया है समयान्तर्गत आयकर की धनराशि जमा न करने का पूर्ण दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का है फलस्वरूप ब्याज खाते से भुगतान किये गये अर्थदण्ड रू0 35443.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ए0के0 बाजपेई एवं लेखाकार श्री पुत्तीलाल से की जानी है

प्रस्तर सं0 93 पेयजल प्रशिक्षण मद के अंतर्गत वर्ष 2013-14 व वर्ष 2014-15 में क्रमशः रू0 52460.0 व रू0 11790.00 प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष वर्ष 2013-14 व 14-15 में क्रमशः रू0 26210.00 रू0 38040.00 कुल 64250.00 का व्यय किया गया है उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्ष में नहीं प्रस्तुत किये गये फलस्वरूप दिया गया व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणकों के अभाव में किया गया भुगतान रू0 64250.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी तत्कालीन बी.डी.ओ. एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूली की जानी है

प्रस्तर सं0 94 वर्ष 2010-11 में बी.आर.जी.एफ. योजना से दोस्तपुर शिवली में कराये गये सचिवालय निर्माण से संबंधित इस्टीमेट में लेबर कम्पोनेन्ट में रू0 167400.00 का व्यय निर्धारित था परन्तु उक्त मद में कार्य प्रभारी श्री ब्रह्मवेद पाण्डे द्वारा रू. 179800.00 का व्यय किया गया है जो आपत्तिजनक है बिना संशोधित इस्टीमेट के रू0 12400.00 का मनमाने तरीके से अधिक किया गया व्यय ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मदेव पांडे से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 95 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नांकित मदों से हुए व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख/प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे जांच व पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टि धनराशि रु0 299763.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी है

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष	व्यय की गयी धनराशि
1.	टर्न जॉब फीस	2010-11	3200.00
2.	रैपिड सर्वे	2010-11	2100.00
3.	क्रिटिकल गैस योजना	2009-10 2011-12 2012-13	105247.00 73331 11485.00
4.	स्वास्थ्य बीमा कंटी0	2010-11	5000.00
5.	पंचायत निर्वाचन बूथ धन.	2010-11	99400.00
	योग		299763.00

प्रस्तर सं0 96 क्षेत्र पंचायत द्वारा नरेगा सीडमनी/रिवा0 फण्ड मद के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में रु0 2650000.00 एवं वर्ष 2010-11 में रु0 2350000.00 है अतः कुल रूपया 50,00,000.00 का व्यय किया गया है परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/प्रमाणक पत्रावली लेखा परीक्षा में नहीं उपलब्ध करायी गयी जिसमें वित्तीय अनियमितता के प्रकरण हो सकते हैं। अभिलेखों के अभाव में वितरित की गयी धनराशि हेतु ग्राम पंचायतवार विवरण तथा पात्रता की शर्तें, सूची आदि पर रिकवरी न की जा सकी। फलस्वरूप व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। अपुष्टित धनराशि का वितरण अनियमित रहा जिसे प्रति तत्कालीन बी.डी.ओ. एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 97 आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त राजकीय अनुदान की धनराशियों पर विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल रु0 2892891.52 की धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुयी तथा रूपया 2312427.49 का व्यय किया गया। चूंकि यह ब्याज राजकीय अनुदान से प्राप्त हुई धनराशि है अतः यह राज्य सरकार/राजकीय आय है जिसे शासनादेशा सं0 10/2015/ए-1502/दस-2015-10(3320) दि0 25 मई 2015 के प्रस्तर 3 के अनुसार राजकीय कोष में जमा न कर अन्य मदों में व्यय किया गया है जो स्पष्टतः वित्तीय अनियमितता है जिसे प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार है आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 98 आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित निर्माण कार्य पत्रावलियों नहीं उपलब्ध करायी गयी जिनमें वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों से इंकार नहीं किया जा सकता है पत्रावलियों के अभाव में व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष पुष्टि स्वरूप प्रमाणक, बिल, कैशमेमो, मस्टर रोल कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एम.बी. आदि अप्राप्त रहै

क्र0सं0	कार्य का नाम	वर्ष	शीर्ष	व्यय की गयी धनराशि				कार्य प्रभारी का नाम
				श्रमांश	सामग्री	टी.डी.एस.	योग	
1.	कुडीना में राधे कहार के घर से मंदिर तक सी.सी. रोड	2012-13	बी.जी. आर.एफ.	36754	209055	4184	249993	श्री ब्रह्मवेद पांडे ग्रा.वि.अ.
2.	भुवनेश्वरी मंदिर से शाहपुर खुर्द तक सी.सी. रोड	"	"	94354	494218	11428	600000	"
3.	कठिघरा में मदन की दुकान से तुलसी के घर तक सी.सी. रोड	2014-15	"	397284	1017943	1860	1417087	"
4.	हमासपुर में तक सी.सी. रोड निर्माण	"	राज्य वित्त	262400	1132758	—	1395158	"
5.	तकिया में पक्का नाला निर्माण।	2010-11	"	278520	1255664	—	1534184	"
6.	सहा.सह. समिति एफ-84 में बाउण्ड्री वाल	2010-11	"	93427	463046	10405	566878	"

	निर्माण।							
7.	काजीपुर कच्छ में सी.सी. रोड निर्माण।	2015-16	“	176829	444025	—	620854	“
8.	गौरीमऊ में पक्का नाला निर्माण।	2012-13	“	271160	2228923	—	2500083	“
	योग			1610728	7245632	27877	88,84,237	

वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 'क' के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई भी पुष्टि पत्र/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी से की जायेगी। उपरोक्त पत्रावलियों के उपलब्ध न होने से कार्य की स्वीकृति, इस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में व्यय की जांच व पुष्टि न की जा सकी। फलस्वरूप अपुष्टित व्यय की धनराशि रु० 8884237.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मदेव पांडे ग्रा०वि०अ० (समाज कल्याण) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 99 राज्य वित्त से वर्ष 2010-11 में ग्राम जगजीवनपुर में चन्द्रिका पासी के घर से मुना मनिहार के घर तक 150 मी० पक्का नाला निर्माण कराया गया उक्त कार्य का आदेश पत्रांक 136 दिनांक 1.7.10 को बी.डी.ओ. द्वारा कार्य प्रभारी श्री संतोष कुमार को दिया गया। संतोष कुमार ने माह अक्टूबर 2010 तक कार्य कराया परन्तु खण्ड विकास अधिकारी ने बिना कारण स्पष्ट किये पत्रांक मेमो दिनांक 20.10.2010 को श्री ब्रह्मदेव पांडे को कार्य प्रभारी नियुक्त कर कार्य कराने के आदेश दे दिये। श्री पांडे द्वारा उक्त कार्य जनवरी 2011 में पूर्ण कराया गया इस प्रकार उक्त कार्य को पूर्ण होने में 2 माह के स्थान पर 6 माह का समय लगा विलम्ब से कार्य पूर्ण होने के कारण कुल लागत रु० 1075100 का 1 प्रतिशत अर्थात् रु० 10751 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी/कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मदेव पांडे की जानी चाहिए।

प्रस्तर सं० 100 वर्ष 2009-10 में राज्य वित्त से ग्राम लकनी में गोविन्द के मकान से कुआं तक पक्का नाला निर्माण कराया गया जिसका कार्यदेश दि० 1.6.2009 को कार्य प्रभारी श्री ब्रह्मदेव पांडे को दिया गया जिसे 2 माह में पूर्ण कराना था परन्तु उक्त कार्य दि० 27.11.2011 में पूर्ण हुआ। इस प्रकार कार्य विलम्ब से कराया गया। जिस उक्त कार्यप्रभारी ब्रह्मदेव पांडे उत्तरदायी है। कुल लागत 349500 का 1 प्रतिशत अर्थात् रु० 3495.00 की ब्याज सहित वसूली श्री ब्रह्मदेव पांडे से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-3 क्षेत्र पंचायत

जनपद का नाम—मेरठ

मण्डल का नाम—मेरठ।

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ— वर्ष 2016-17

प्रस्तर-01—क्षेत्र पंचायत रजपुरा में वर्ष 2014-15, 2015-16 में क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में कराये गये कार्यों के सापेक्ष टेण्डर फार्म की बिक्री नहीं की गयी है, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। इसका स्पष्टीकरण वांछित है। इस प्रकार रु० 1200 की अनियमितता के लिए श्री राधेश्याम, लेखाकार उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं० 4)**

प्रस्तर-02—क्षेत्र पंचायत रजपुरा में वर्ष 2014-15, 2015-16 में आलोच्य वर्ष में टेण्डर द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष वर्क कान्ट्रेक्ट में कार्य की निश्चित अवधि का स्पष्ट उल्लेख कर कार्य समयान्तर्गत न होने की दशा में भुगतान राशि से कटौती का प्रावधान नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में श्री फतेहचन्द जे०ई० उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं० 5)**

प्रस्तर-03—क्षेत्र पंचायत रजपुरा में वर्ष 2014-15, 2015-16 में आलोच्य वर्ष में किसी भी टेण्डर के वर्क परफार्मेंस की गारंटी हेतु कोई भी पंजियन की शर्त नहीं रखी जा रही है। जबकि क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत किये जाने वाले सभी कार्य जिला पंचायत मेरठ में पंजीकृत ठेकेदारों से ही कराये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में श्री राधेश्याम, लेखाकार उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं० 6)**

प्रस्तर-04—क्षेत्र पंचायत रजपुरा में वर्ष 2014-15, 2015-16 में क्षेत्र पंचायत निधि से कितना व्यय खण्ड विकास कार्यालय प्रांगण के अन्दर के कार्यों से किया तथा यह कुल व्यय का कितना प्रतिशत हो सकता है। इस संदर्भ में स्पष्टीकरण वांछित है। इस सम्बन्ध में श्री राधेश्याम, लेखाकार उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं० 7)**

प्रस्तर-05—क्षेत्र पंचायत रजपुरा में वर्ष 2014-15, 2015-16 की लेखा परीक्षा में कर मांग व वसूली रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहे। फलतः इसमें सम्बन्धित मदों में वाद व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में की जा सकी। परिसम्पत्ति रजिस्टर अध्यावधि पूर्ण कर आगामी लेखा परीक्षा में

प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में श्री राधेश्याम, लेखाकार उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 8)

प्रस्तर-06:- क्षेत्र पंचायत रजपुरा में वर्ष 2014-15, 2015-16 की लेखा परीक्षा के दौरान डैड स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, ज्ञातव्य है कि खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के सभी फर्नीचर स्टेशनरी का भुगतान क्षेत्र पंचायत निधि से किया जा रहा है। अतः उक्त पंजिका को लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था किन्तु उक्त के अभाव में क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले फिक्सचर एवं फर्नीचर की स्थिति अज्ञात रही। इस सम्बन्ध में श्री राधेश्याम, लेखाकार उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 9)

प्रस्तर-07:- क्षेत्र पंचायत रजपुरा में वर्ष 2014-15, 2015-16 की लेखा परीक्षा में दिनांक 23.06.2014 को जीप सं० यू०एच०ओ० 1732 की मरम्मत का रू० 1940.00 का बिल भुगतान क्षेत्र पंचायत निधि से किया गया खण्ड विकास कार्यालय की गाडी का भुगतान क्षेत्र पंचायत से क्यों किया गया। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में श्री सुभाषचन्द, बी०डी०ओ० उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 11)

प्रस्तर-08:- क्षेत्र पंचायत रजपुरा में वर्ष 2014-15, 2015-16 में खण्ड विकास अधिकारी के टेलीफोन बिल, इण्टरनेट कनेक्शन तथा बिजली के बिल रू० 6000.00 का भुगतान क्षेत्र पंचायत निधि से किया गया है, किन्तु उक्त से सम्बन्धित शासनादेश उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त के कारण उक्त से सम्बन्धित कार्य की वैधानिकता की पुष्टि न की जा सकी। इस सम्बन्ध में श्री सुभाषचन्द, बी०डी०ओ० उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 13)

प्रस्तर-09:- क्षेत्र पंचायत रजपुरा में वर्ष 2014-15, 2015-16 में निर्माण के ठेकेदारों का पेन नं० निर्माण पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया यह आपत्तिजनक है। प्रत्येक पत्रावली में ठेकेदार का पेन नं० अवश्य दर्ज होना चाहिए। इस सम्बन्ध में श्री सुभाषचन्द, बी०डी०ओ० उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 16)

प्रस्तर-10:- क्षेत्र पंचायत हस्तिनापुर में वर्ष 2011-12 से 2015-16 में माह जून 2013 में प्रा० शेष रू० 32014.23 था, जबकि उसी माह में रू० 2089.00 की आय के बाद अंतिम शेष रू० 34103.23 दर्शाया गया है। इसके बाद माह जुलाई 2013 में प्रा० शेष को रू० 32014.23 पुनः दर्शाया गया है। इस तरह नरेगा कंटीजेन्सी मद में रू० 2089.00 की धनराशि का अपहरण क्षेत्र पंचायत के एकाउन्टेंट श्री जेम्स कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी अद्यतन वसूली दण्डात्मक ब्याज 18 प्रतिशत से कर क्षेत्र पंचायत कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में श्री राधेश्याम, लेखाकार उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर-11:- क्षेत्र पंचायत हस्तिनापुर में वर्ष 2011-12 से 2015-16 में माह फरवरी 2012 में नरेगा कंटीजेन्सी में व्यय के कॉलम में दर्ज धनराशि रू० 100.00 अधिक होकर माह मार्च की प्रारम्भिक शेष में दर्ज कर ली गई है। यह लेखाकार की घोर लापरवाही को दर्शाता है। यद्यपि संस्था को रू० 100 का लाभ हुआ। परन्तु यह आपत्तिजनक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 16)

प्रस्तर-12:- क्षेत्र पंचायत हस्तिनापुर द्वारा वर्ष 2016-17 में चार कार्य कराये गये हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

- 1-ग्राम दरियापुर में वीर सिंह के मकान से शिव मन्दिर की ओर सी०सी० टाईल्स का कार्य।
- 2-ग्राम कुन्हाड़ा में अनिल के मकान से सतीश के मकान तक सी०सी० टाईल्स का कार्य।
- 3-ग्राम सैफपुर फिरोजपुर में गुम्बर के मकान से सन्तर के चौपाल तक इन्टर लॉकिंग का कार्य।
- 4-ग्राम सैफपुर फिरोजपुर में धनीराम के मकान से अवशेष सी०सी० टाईल्स का कार्य।

उक्त कार्यों में निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

उक्त सभी कार्य क्षेत्र पंचायत के कार्य क्षेत्र से बाहर कराये गये हैं। क्षेत्र पंचायत का कार्यक्षेत्र दो ग्रामों को जोड़ने वाले रास्ते तक होता है। अतः कराये गये कार्य गम्भीर अनियमितता का विषय है। कुल धनराशि रू० 2615278.75 है।

ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन के पेपर नहीं रखे गये हैं।

ठेकेदारों से ली जाने वाली टेन्डर फीस का विवरण नहीं रखा गया है तथा ऐसी कोई धनराशि आय में नहीं पकड़ी गई है। धनराशि रू० 12000.00 की क्षेत्र पंचायत को हानि पहुँचाई गई है।

ठेकेदारों से अरनेस्ट मनी लिये जाने का कोई विवरण नहीं रखा गया है।

ठेकेदारों से दो कार्यों में जमानत की धनराशि 8 प्रतिशत जो बिलों से काटी जानी थी, वह नहीं काटी गयी है। (कार्य नं० 3 व 4) कुल धनराशि रू० 145031.00 के कम से कम 8 माह के ब्याज की क्षेत्र पंचायत को हानि पहुँचाई गई है।

ठेकेदारों से सभी कार्यों पर 1 प्रतिशत सैस न काटकर बिल में 1 प्रतिशत जोड़ा गया है तथा उसी को काटा दर्शाया गया है। इस प्रकार रु0 अपहरण ठेकेदार के पक्ष में राज्य वित्त की धनराशि का किया गया है। अतः या तो लेबर सैस जोड़े जाने की पुष्टि में शासनादेश प्रस्तुत किया जाये अन्यथा उक्त धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

दो कार्यों में मिट्टी कार्य कराया गया है (कार्य नं० 1 व 4) परन्तु रायल्टी नहीं काटी गई है। इस प्रकार लगभग रु0 20650.00 की राजस्व हानि पहुँचाई गई है।

कार्यों में माइनर मिनरलस का प्रयोग ठेकेदार के द्वारा किया गया है, परन्तु पेयमेन्ट करते समय माइनर मिनरलस की वैध साधनों से आपूर्ति किये जाने की पुष्टि नहीं करायी गयी है। साथ ही एम0एम0 11 एवं अभिवहन प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं थे।

ठेकेदारों को खण्डजा उखड़ाई मजदूरी दी गई है, परन्तु पुरानी ईंटों का विवरण नहीं रखा गया है। 60 ईट प्रति वर्ग मी० की दर से पुरानी ईंटों की कीमत की वसूली अपेक्षित है।

कार्य संख्या 2,3 व 4 में टेन्डर आमंत्रण के मात्र 06 दिनों में ही टेन्डर बिक्री, टेन्डर डालना तथा टेन्डर खोलकर कार्य ठेकेदार को दे दिया गया है। नियमानुसार 15 दिन का समय दिया जाना आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार रु0 **2615278.75** के कराये गये कार्य दुरुविनियोग व गम्भीर अनियमितता/ अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त की ब्याज सहित वसूली सुभाषचन्द, बी०डी०ओ०, श्री चन्द्र सिंह जे०ई० व जेम्स कुमार, एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति सं० 02)

प्रारूप-03

जनपद का नाम- बागपत

मण्डल का नाम-मेरठ।

(क्षेत्र पंचायत पिलाना की वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक की सम्बन्धित आपत्तियाँ)

वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-01 क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न कार्यों की कटौतियों की धनराशियाँ सम्बन्धित खातों में जमा न कराकर कैशबुक से अपहरण कर धन का अपहरण किया गया है। इस प्रकार जो धनराशि सैस, आयकर व व्यापार कर से सरकार के राजस्व हेतु जानी थी, वह नहीं भेजी गई है, विवरण निम्न प्रकार है:-

चैक संख्या	दिनांक	रूपये
524421	23-06-12	19908.00
524424	21-07-12	15852.00
348026	16-08-12	16438.00
348044	24-12-12	19105.00
385562	22-03-13	38194.00
योग		109497.00

उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित से करने के उपरान्त सम्बन्धित खातों में राजस्व की प्रतिपूर्ति हेतु जमा कराई जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-02)

प्रस्तर संख्या-02 क्षेत्र पंचायत द्वारा नविदा प्रकाशन हेतु चैक संख्या 348028 दिनांक 28-08-12 रु. 3206.00 दर्शाया गया है। इस चैक को न्यूज एजेन्सी को न भेज कर कैश आहरण कर धन का अपहरण कर लिया गया है। सम्बन्धित से ब्यारज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-03)

प्रस्तर संख्या-03 आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा कुल रु. 6229290.42 का व्यय किया गया है। जिसमें से राज्य वित्त, 13वाँ वित्त तथा विधायक निधि की धनराशि निर्माण कार्यों को रु. 5299014.00 का व्यय किया गया परन्तु इतनी धनराशि के निर्माण कार्य कराने के बावजूद ठेकेदारों से जमानत की धनराशि की वसूली शून्य रही है इस प्रकार रु. 5299014.00 की 10 प्रतिशत जमानत राशि रु. 529901.00 बनती है जो कार्य पूर्ण होने के 06 माह के बाद ठेकेदारों को वापस की जाती है। इस प्रकार इस धनराशि के कम से कम 08 माह के ब्याज की हानि क्षेत्र पंचायत को हुई है जो रु. 62717.00 बनती है। इसकी वसूली सम्बन्धित बी०डी०ओ०, जे०ई० व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-05)

प्रस्तर संख्या-04 क्षेत्र पंचायत द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस० 61011/9195/95 आर०डब्लू० दिनांक 12-10-96 के अनुसार निर्माण लागत की 01 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस के रूप उ०प्र० भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कलपाण बोर्ड के पक्ष में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है, के अनुपालन में आलोच्य वर्ष में रु. 5299014.00 के निर्माण कार्य कराये गये जिन पर 01 प्रतिशत लेबर सैस रु. 52990.00 बनता है जो ठेकेदारों से काटकर उक्त कर्मकार कलपाण बोर्ड को भेजा जाना था, वह नहीं भेजा गया। इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित बी०डी०ओ०, एकाउन्टेन्ट व जे०ई० से करने के उपरान्त सम्बन्धित मद में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-10)

प्रस्तर संख्या-05 क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न कार्यो पर मिट्टी कार्य कराया गया परन्तु रायल्टी ठेकेदारों से नहीं काटी गयी है:-

क्र.सं	कार्य	मिट्टी कार्य भुगतान	रायल्टी जो काटी जानी थी
01	खट्टा प्रहलादपुर मे डा0 नरेश के खेत से रमेश पण्डित के खेत तक खडण्जा।	4632.00	1112.00
02	डौलचा में चन्द्रपाल के खेत से वीरेन्द्र के खेत तक खडण्जा।	17815.00	3741.00
03	हरिया खेड़ा से पुरामहादेव से तक खडण्जा।	13935.00	3444.00
04	बसौद में शमशान घाट से नहर तक खडण्जा।	9942.00	2386.00
05	खट्टा प्रहलादपुर में दिनेश वैद्य से चन्दन वाले पुल तक नाली निर्माण।	9036.00	2169.00
योग			12852.00

उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-11)

प्रस्तर संख्या-06 क्षेत्र पंचायत की राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष में रु. 4063483.00 का अनुदान विकास कार्यो हेतु प्राप्त हुआ जिसमें से वर्षान्त में रु. 3001477.00 अवशेष अपने पास रखा गया है, जो विकास कार्यो पर लगाया जाना था अन्यथा की दशा में सम्बन्धित को वापिस किया जाना था। इस प्रकार नियमों के विरुद्ध धनराशि अपने पास रखी गयी है। आवश्यक कार्यवाही गम्भीर अनियमितता हेतु की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर संख्या-07 क्षेत्र पंचायत को विधायक निधि की धनराशि रु. 1636593.00 विकास कार्यो हेतु प्राप्त हुई थी, जिसमें से रु. 430822.00 वर्षान्त में क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय न करके और न ही सम्बन्धित को वापिस किये गये इस प्रकार धनराशि अपने पास रख कर गम्भीर अनियमितता की गई है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-15)

वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित आपत्तियों:-

प्रस्तर संख्या-08 क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु. 7173109.66 का व्यय किया गया जिसमें से राज्य वित्त, 13वें वित्त व विधायक निधि रु. 6189827.00 के निर्माण कार्य कराये गये परन्तु ठेकेदारों से जमानत राशि जमा नहीं करायी गई इस प्रकार क्षेत्र पंचायत को ब्याज की क्षति पहुँचाई गई है। इस धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायत के पास कम से कम 08 माह रहनी थी तथा उसका ब्याज रु. 158159.00 बनता है। इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-01)

प्रस्तर संख्या-09 क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो पर 01 प्रतिशत लेबर सैस ठेकेदारों से काटा जाना था जो ठेकेदारों से नहीं काटा गया तथा बिल में पहले 01 प्रतिशत सैस जोड़ा गया तथा फिर उसी की कटौती दर्शायी गयी है। जिन ठेकेदारों के बिल से काटा भी गया उन्हें बाद में वापस कर दिया गया इस प्रकार रु. 48888.00 ठेकेदारों के बिल में जोड़ कर राज्य वित्त व 13वें वित्त की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर संख्या-10 क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न कार्यो पर 01 प्रतिशत सैस नहीं काटा गया जो ठेकेदारों से काट कर सम्बन्धित बोर्ड को भेजा जाना था, विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं	कार्य	कुल बिल	01 प्रतिशत सैस
01	बाखरपुर बलैनी में रामफल के मकान से तिराहे तक इण्टरलॉकिंग ।	560097.00	5601.00
02	बुढसैनी में सतपाल के घर से कुन्दन के खेत तक खडण्जा।	435637.00	4356.00
03	मवीखुर्द में मैनरोड से प्रा0 पाठशाला तक खडण्जा।	111869.00	1119.00
04	विकास खण्ड परिषद में चार दीवारी।	344634.00	3446.00
योग			14522.00

इस प्रकार 01 प्रतिशत सैस की धनराशि रु0 14522.00 की वसूली सम्बन्धित बी0डी0ओ0, जे0ई0 तथा एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर संख्या-11 क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न कार्यो पर मिट्टी कार्य कराया गया है परन्तु बिल में मिट्टी कार्य का पेमेन्ट जोड़ने के बावजूद ठेकेदारों से रायल्टी नहीं काटी गई है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं	कार्य	मिट्टी कार्य	रायल्टी
01	हरिया खेड़ी में शमशान घाट वाले मार्ग पर अवशेष खडण्जा।	32662.00	7839.00
02	बुढसैनी में प्याऊ से तेजपाल के खेत तक खडण्जा।	34735.00	8336.00
03	मुकारी में हरिजन बस्ती से नदी तक नाला निर्माण।	14061.00	3375.00
योग			19550.00

उपरोक्तानुसार रु. 19550.00 रायल्टी ठेकेदारों के बिलों से काटकर सम्बन्धित खातों में भेजी जानी थी जो ठेकेदारों से

नही काटी गई है। सम्बन्धित बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर संख्या-12 क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों पर काटा गया व्यापार कर व आयकर सम्बन्धित को चालान द्वारा न भेज कर बी0डी0ओ0 को सेल्फ चैक दिया गया है जिसका कैश आहरण बैंक खाते से कर लिया गया है, विवरण निम्न प्रकार है:-

चैक संख्या	दिनांक	रूपये
385570	17-04-13	13575.00
854631	09-05-13	11688.00
854633	09-05-13	11688.00
854635	09-05-13	10000.00
854638	31-05-13	8109.00
योग		55060.00

इस प्रकार प्रथम चैक की धनराशि रु. 13575.00 कैश का आहरण कर लिया गया तथा बाकी चैकों को सम्बन्धित को न भेज कर गलत तरीके से इनके स्थान पर अन्य चैकों के द्वारा धन का आहरण कर लिया गया है। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-09)

प्रस्तर संख्या-13 क्षेत्र पंचायत को राज्य वित्त से रु. 5407019.00 प्राप्त जिसमें से मात्र रूपये 53711.00 का व्यय किया गया तथा 13वें वित्त से रु. 3290112.00 प्राप्त हुये तथा जिनमें से मात्र रु. 418103.00 का व्यय किया गया इस प्रकार विकास कार्यों के लिये प्राप्त धनराशि का विकास कार्यों पर खर्च न करके तथा खर्च न होने की दशा में सम्बन्धित को वापिस न करके गलत ढंग से रु. 2872009.00 13वें वित्त व रु0 5353308.00 राज्य वित्त का अपने पास शासनादेशों के विरुद्ध रोका गया है। यह गम्भीर आपत्ति का विषय है, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-17)

वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-14 क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में 13वें वित्त से रु. 3757430.00 व राज्य वित्त से रु. 5674438.00 कुल रु. 9431868.00 का व्यय किया गया है। इसकी जमानत की धनराशि रु. 943187.00 बनती है जबकि क्षेत्र पंचायत ने जमानत की धनराशि रु.0 430712.00 प्राप्त दर्शायी है। इस प्रकार रु. 512475.00 कम जमानत राशि ठेकेदारों से प्राप्त की है और जो प्राप्त दर्शायी है वह भी ठेकेदारों के बिलों से काटी गई। जो कार्य के प्रारम्भ में जमा कराई जानी थी। जमानत की धनराशि रु. 512475.00 कम प्राप्त करके कम से कम 08 माह के ब्याज की हानि लगभग रु. 60655.00 की क्षेत्र पंचायत को पहुँचाई गई है। इसकी वसूली सम्बन्धित बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01)

प्रस्तर संख्या-15 क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर 01 प्रतिशत सैस ठेकेदारों के बिलों से काटा जाना था जो ठेकेदारों के बिलों से सीधे न काट कर पहले बिल में 01 प्रतिशत धनराशि जोड़ दी गई तथा उसी की कटौती दर्शा कर राज्य वित्त में 13वें वित्त की धनराशि का राजस्व के रूप में भेजा गया है। जबकि रु. 94318.00 ठेकेदारों से काटा जाना था। इसकी वसूली सम्बन्धित बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर संख्या-16 क्षेत्र पंचायत द्वारा हरिया खेड़ी में महेन्द्र पुत्र चन्दर सिंह के मकान से खेमचन्द की ट्यूबवेल तक नाल निर्माण कार्य में मिट्टी कार्य रु. 12467.00 का बिल दिया है परन्तु रॉयल्टी नहीं काटी गई है। इस प्रकार रु. 2992.00 रॉयल्टी ठेकेदार के बिल में दे दी गई जिसकी वसूली सम्बन्धित विभाग को भेजी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर संख्या-17 क्षेत्र पंचायत को वर्ष के दौरान 13वें वित्त से रु. 2841366.00 प्राप्त हुआ जिसमें से मात्र रूपये 885421.00 का व्यय किया गया तथा राज्य वित्त से रु. 4877713.00 प्राप्त हुआ जिसमें से रु. 321130.00 का व्यय किया गया शेष दोनों धनराशि रु. 6512528.00 को वर्षान्त में सम्बन्धित को वापस न करके शासनादेशों के विरुद्ध कार्य कर गम्भीर अनियमितता की गई है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-18 क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त तथा 13वें वित्त में कुल रु. 9400095.00 के निर्माण कार्य कराये गये जिन पर 01 प्रतिशत सैस ठेकेदारों के बिलों से काटी जानी थी तथा सम्बन्धित को भेजी जानी थी। वह ठेकेदारों से न काट कर बिल में अलग से जोड़ कर फिर उसे कटौती दर्शा कर ठेकेदारों को रु. 94000.00 का लाभ पहुँचाया है तथा राज्य वित्त व 13वें वित्त की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इसकी वसूली सम्बन्धित बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01)

प्रस्तर संख्या-19 क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न कार्यों में मिट्टी कार्य का पेमेन्ट किया है परन्तु बिल से रॉयल्टी नहीं काटी गयी है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं	कार्य	मिट्टी कार्य	रायल्टी
01	हरिया खेड़ी में बाईपास मार्ग पर खडण्जा।	18608.00	4466.00
02	हरिया खेड़ी में खेल मैदान की चार दीवारी।	3184.00	669.00

03	विकास खण्ड परिसर में सार्वजनिक शौचालय निर्माण।	1299.00	273.00
04	घटौली में मुकरी रोड़ पर नाला निर्माण।	3390.00	712.00
05	बुढ़सैनी में किशन मास्टर के खेत से नाला निर्माण।	9576.00	2011.00
06	विकास खण्ड की चार दीवारी नव निर्माण।	1111.32	233.00
योग			8364.00

इस प्रकार रु. 8364.00 की रॉयल्टी ठेकेदारों से काट कर सम्बन्धित को भेजी जानी थी जो नहीं भेजी गई तथा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है। इसकी वसूली सम्बन्धित जे०ई० व एकाउन्टेन्ट की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-०२)

प्रस्तर संख्या-20 क्षेत्र पंचायत को राज्य वित्त से रु. 6509724.00 प्राप्त हुआ। जिसमें से मात्र रु. 1423475.00 का व्यय किया गया है शेष रु. 5086249.00 सम्बन्धित को व्यय न होने की दशा में वर्षान्त में वापिस करनी थी जो नहीं की गई। इस प्रकार शासनादेशों का उल्लंघन कर गम्भीर अनियमितता की गई है आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-०३)

(क्षेत्र पंचायत बागपत की वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक की सम्बन्धित आपत्तियों)

वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित आपत्तियों:-

प्रस्तर संख्या-21 क्षेत्र पंचायत द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस० 61011/9195/95 आर०डब्लू० दिनांक 12-10-96 के अनुसार निर्माण लागत की 01 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस के रूप में उ०प्र० भवन और अन्य सन्निर्माण कार्मकार कलपाण बोर्ड के पक्ष में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है इसके अनुपालन में क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु. 12046365.00 का व्यय राज्य वित्त व 13वें वित्त से निर्माण कार्यो पर किया है जिस पर 01 प्रतिशत लेबर सैस 120464.00 बनता है। जो ठेकेदारों के बिल से न काट कर तथा सम्बन्धित बोर्ड को न भेज कर राजस्व की धनराशि को ठेकेदार के पक्ष में छोड़कर राजस्व का अपहरण किया गया है। इसकी वसूली सम्बन्धित बी०डी०ओ०, जे०ई० व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-०२)

प्रस्तर संख्या-22 क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम अहेड़ा के पूरब में नाला समाधि तक सी०सी० रोड़ का टेन्डर दिनांक 10-05-13 को विकास बिल्डर को दिया। दिनांक 15-05-13 को बी०डी०ओ० द्वारा साइट का दौरा किया और पाया कि कार्य पहले से ही किसी ने किया हुआ है। इस आशय सम्बन्धी पत्र विकास बिल्डर को दिनांक 18-05-13 में लिखा गया कि यह कार्य पहले से ही किसी संस्था ने कर दिया है। अब इसे करने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 20-05-13 में विकास बिल्डर ने बिल रु. 614731.00 का दे दिया जिसका भुगतान चैक संख्या 113 दिनांक 23-05-13 (इनकम टैक्स) चैक संख्या 114 (व्यापार कर) तथा चैक संख्या 115 ठेकेदार को दिया दर्शाया गया। जबकि इन चैकों से दर्शायी धनराशि का पेमेन्ट नहीं किया गया जिससे यह कहा जा सके कि इसका पेमेन्ट नहीं किया गया है तथा अन्य फाईल बना कर उक्त पेमेन्ट चैक संख्या 117, 118 व 119 के द्वारा कर दिया गया जबकि यह कार्य जिला पंचायत बागपत के पत्रांक 587/जि०प०बागपत दिनांक 16-07-11 के द्वारा नविदा निकालकर किया गया था इस प्रकार रु. 614731.00 का अपहरण किया गया है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली बी०डी०ओ० श्री अजय कुमार तत्कालीन जे०ई० व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-०३)

प्रस्तर संख्या-23 क्षेत्र पंचायत द्वारा 13वें वित्त से कराये गये कतिपय कार्यो में आयकर की धनराशि ठेकेदारों से काट कर चैक संख्या बिल पर दर्शायी गई है परन्तु चैक सम्बन्धित को न भेज कर सेल्फ चैक से धनराशि बैंक से कैश आहरण कर धन का अपहरण किया गया है विवरण निम्न प्रकार है:-

चैक संख्या	263804	रु.	1092.00
चैक संख्या	263807	रु.	11950.00
चैक संख्या	263810	रु.	7841.00
चैक संख्या	263813	रु.	1371.00
चैक संख्या	263817	रु.	11065.00

योग रु. 33319.00

उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बी०डी०ओ० अजय कुमार व एकाउन्टेन्ट (तत्कालीन) से करके सम्बन्धित को भेजी जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-०४)

प्रस्तर संख्या-24 क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यापार कर की धनराशि ठेकेदारों के बिलों से काटी गई परन्तु उसे सम्बन्धित को न भेज कर सेल्फ चैकों के द्वारा आहरण कर 13वें वित्त की धनराशि का आहरण किया गया है, विवरण निम्न प्रकार है:-

चैक संख्या	263801	रु.	6554.00
चैक संख्या	263805	रु.	1950.00
चैक संख्या	263808	रु.	21338.00
चैक संख्या	263811	रु.	14003.00
चैक संख्या	263814	रु.	2449.00

चैक संख्या 263818 रु. 19758.00

योग रु. 66052.00

उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 अजय कुमार व एकाउन्टेन्ट (तत्कालीन) से करके सम्बन्धित को भेजी जानी अपेक्षित है।

?(सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर संख्या-25 क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त से करायें गये निर्माण कार्यों में ठेकेदार से आयकर व व्यापार कर की कटौती की गई तथा उनकी कटौती की चैक संख्या बिल पर अंकित की गई है परन्तु वे चैक सम्बन्धित को न भेज कर बैंक से सेल्फ केश का आहरण कर धन का अपहरण किया गया है, विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	चैक संख्या	आयकर	व्यापार कर
1.	94 व 95	2265.00	4046.00
2.	96 व 97	6674.00	15489.00
3.	104 व 105	2546.00	4546.00
4.	107 व 108	1772.00	3164.00
5.	111 व 112	2973.00	5285.00
6.	114 व 115	2590.00	4625.00
7.	117 व 118	13770.00	24589.00
8.	121 व 122	998.00	17883
9.	124 व 125	4653.00	8308.00
10.	127 व 128	4650.00	8304
11.	130 व 132	2702.00	4825.00
12.	134 व 135	8358.00	14924.00
योग		53951.00	99888.00

उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री प्रमोद श्रीवास्तव व एकाउन्टेन्ट से करके सम्बन्धित को भेजी जानी अपेक्षित है।

(कुल धनराशि रु. 153839.00)

(सा0आ0सं0-06)

प्रस्तर संख्या-26 क्षेत्र पंचायत द्वारा रॉयल्टी ठेकेदारों के बिल से काटकर सम्बन्धित को नहीं भेज कर गम्भीर अनियमितता की गई है, विवरण निम्न प्रकार है:-

अहेड़ा में तेजपाल के मकान से हरचन्दर सीमा तक खडण्जा। रु. 5709.20

त्योड़ी ठिकाना रोड़ से राजकुमार व पूर्व प्रधान तक टाईल। रु. 12910.58

धनौरा में शीतल मुन्ना की द्यूवेल से तोल केन्द्र तक। रु. 12275.62

योग रु. 30895.40

इस प्रकार रु. 30895.40 रॉयल्टी ठेकेदार के बिलों से काटी गई परन्तु सम्बन्धित को नहीं भेजी गई है, आवश्यक कार्यवाही कर रॉयल्टी सम्बन्धित विभाग को भेजी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-07)

प्रस्तर संख्या-27 क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर व 2.4 प्रतिशत की दर से आयकर काटा जाता है जो कुछ बिलों पर ठीक प्रकार काटा गया है परन्तु कतिपय बिलों से आयकर 2.4 प्रतिशत की दर से न काटकर कम काटा गया है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	काटा गया आयकर	काटा जाना था	अन्तर
1.	घिटौरा मैन सड़क से दीपचन्द चकरोड़ तक।	2265.00	2427.00	162.00
2.	विकास खण्ड में ई0ला0 दीवार मरम्मत।	6674.00	9293.00	2619.00
3.	1.अहेड़ा में चमन से चमरावल रोड़।	2546.00	2728.00	182.00
	2.अहेड़ा में चमन से चमरावल रोड़।	2973.00	3171.00	198.00
4.	1.अहेड़ा में हरिजन बारात घर से चमरावल रोड़।	1772.00	1898.00	126.00
	2. अहेड़ा में हरिजन बारात घर से चमरावल रोड़।	2590.00	2775.00	185.00
5.	अहेड़ा पूरब में नाला समाधि तक सी0सी0 रोड़।	13770.00	14753.00	983.00
6.	कार्यालय मरम्मत।	998.00	1069	71.00
7.	सु0 महनवा रेलवे क्रॉसिंग से मेरठ रोड़।	4653.00	4985.00	332.00
8.	शिकोहपुर दलित बस्ती मे सी0सी0 रोड़।	4650.00	4982.00	332.00
9.	त्योड़ी में ठिकाना रोड़ से राजकुमार के मकान तक।	2702.00	2895.00	193.00
10.	सु0 महनवा II बिल।	8358.0	8954.00	596.00
11.	धनौरा शमशान घाट खडण्जा।	7172.00	7684.00	512.00
12.	निवाड़ी मैन रोड़ से आर0टी0ओ0 ऑफिस तक।	3833.00	4000.00	167.00
	निवाड़ी मैन रोड़ से आर0टी0ओ0 ऑफिस तक II बिल।	6373.00	6839.00	456.00
योग		71329.00	78443.00	7114.00

उक्त अन्तर की धनराशि रु. 7114.00 तत्कालीन जे0ई0/एकाउन्टेन्ट से वसूल कर सम्बन्धित को भेजा जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-08)

प्रस्तर संख्या-28 क्षेत्र पंचायत द्वारा राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता एवं निगरानी कार्यक्रम प्रशिक्षण मद की धनराशि का चैक संख्या 961683 दिनांक 23-05-13 रु. 24810.00 भुगतान श्री धर्मवीर सहा0 विकास अधिकारी को शिक्षा मित्र, प्रधान व जल प्रबन्ध सदस्यों के जल पान पर व्यय हेतु किया। तथा चैक संख्या 766133 दिनांक 19-02-14 रु. 15000.00 का भुगतान प्रधान सम्मेलन में हुए व्यय हेतु किया गया है। इस प्रकार प्रशिक्षण मद की धनराशि रुपये 39,810.00 का व्यय गलत ढंग से दर्शा कर धन का दुरुपयोग किया गया है। सम्बन्धित बी0डी0ओ0 व एकाउन्टेन्ट से वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-09)

प्रस्तर संख्या-29 क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों के बिल ठेकेदारों के द्वारा दिये गये हैं उनमें माईनर मिनरल भी शामिल है परन्तु बिल के साथ एम0एम0-II व फार्म-सी की प्रति संलग्न नहीं की गई है जिससे कराये गये कार्यों में माईनर मिनरल की आपूर्ति वैध साधनों से की गई, की पुष्टि नहीं होती है। इन बिलों का पेमेन्ट एम0एम0-II व फार्म-सी की प्रति देख कर ही करना था। इस प्रकार उ0प्र0 उक्त खनिज (परिहार) नियमावली 1956 एवं यथा संशोधित 43वाँ संशोधन के नियम 70 के अनुसार प्रत्येक बिल 25000/- के हिसाब से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है। कार्य निम्न प्रकार है:-

(क) ग्राम गांधी में लोकेश दीक्षित से ओमदत्त तक नाला निर्माण।	रु. 25000.00
(ख) ग्राम धनौरा में अकरम प्रधान से खास तक नाला निर्माण।	रु. 25000.00
(ग) ग्राम दौझा नगला में बाईपास रामौतार से लक्ष्मी ट्यूवैल तक नाली।	रु. 25000.00
(घ) ग्राम नैथला में नाला निर्माण।	रु. 25000.00
(ङ) ग्राम त्योढ़ी में ढिकाना रोड़ से राजकुमार के मकान तक सी0सी0रोड़।	रु.25000.00
(च) ग्राम अहेड़ा में हरिजन बारात घर से चमरावल रोड़ तक सीसी रोड़।	रु.25000.00
(छ) ग्राम अहेड़ा में नाला समाधि तक पूरब में सी0सी0 रोड़।	रु. 25000.00
(ज) ग्राम अहेड़ा में ब्रजपाल के मकान से प्रीतम तक सी0सी0 रोड़।	रु. 25000.00

योग रु.200000.00

(सा0आ0सं0-16)

प्रस्तर संख्या-30 क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में कराये गये सभी कार्य क्षेत्र पंचायत के कार्य क्षेत्र से बाहर कराये गये हैं। क्षेत्र पंचायत का कार्य क्षेत्र एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ने वाले रास्ते व सड़क है, जबकि ये सारे कार्य गाँव के अन्दर के रास्ते हैं या गाँव में किसी के घर से शुरू होकर किसी की ट्यूवैल या खेत तक खडण्जा आदि के कार्य हैं। इस प्रकार राज्य वित्त व 13वें वित्त से रु. 12046365.00 का किया गया व्यय सम्पूर्ण गम्भीर अनियमितता के दायरे में आता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-17)

वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-31 क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम नैथला में नाला निर्माण का कार्य दर्शाया गया जिसके तीन बिल बनाये गये तथा चैक संख्या 107739, 44 व 61 के द्वारा पेमेन्ट ठेकेदार को किया गया। उक्त कार्य के बिल क्रमशः रु. 359931.00, रु. 278744.00, रु. 151741.00 कुल रु. 790416.00 के बनाये गये, जबकि यह कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं किया गया। यह कार्य जिला पंचायत के वर्ष 2013-14 के 13वें वित्त के कार्ययोजना के 57 नम्बर कार्य के द्वारा कराया गया। इस प्रकार गलत ढंग से शासन की 13 वें वित्त की धनराशि का अपहरण किया गया है। रु. 790416.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01)

प्रस्तर संख्या-32 क्षेत्र पंचायत द्वारा कतिपय कराये गये कार्यों क 01 प्रतिशत सैस नहीं काटा गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	न काटी जाने वाली धनराशि
1.	सहायक विकास अधिकारी आवास मरम्मत।	191.00
2.	ब्राह्मण पूठी में नाला निर्माण।	3380.00
3.	ब्राह्मण पूठी में नाला निर्माण। II बिल।	675.00
4.	विकास खण्ड परिषद में नव निर्माण।	3001.00
5.	बिचपुड़ी में समाधि से नहर तक नाला निर्माण।	116.00
6.	सररपुर में खडण्जा निर्माण।	1648.00+2054.00
7.	बाघू में सुनहरी के मकान से सी0सी0 रोड़।	3966.00
8.	धनौरा में चतरपाल से जयप्रकाश तक खडण्जा।	12701.00
9.	धनौरा में मैन रोड़ से बाघू वाली गली खडण्जा।	2273.00
10.	प्रमुख कक्ष मरम्मत।	245.00
11.	अहेड़ा में मकसूद से जमीला तक सी0सी0 रोड़।	2266.00
12.	पावला दौलत हरिजन में सी0सी0 रोड़।	2306.00
13.	दौझा नगला रामौतार से लक्ष्मी की ट्यूवैल तक नाली।	914.00
	योग	35736.00

उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से करके सम्बन्धित बोर्ड को भेजी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर संख्या-33 क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न कार्यों के लिये ठेकेदारों के पेमेन्ट किये गये जिनमें माईनर मिनरल भी शामिल है। ठेकेदारों द्वारा बिल के साथ एम0एम0-2 या फार्म-सी की प्रति संलग्न नहीं की गई है जिसके कारण ठेकेदारों के द्वारा वैध साधनों से माईनर मिनरल की आपूर्ति की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार उ0प्र0 उप खनिज (परिधर) नियमावली 1956 यथा संशोधित 43 वॉ संशोधन के नियम 70 के अनुसार रु. 25000/- प्रति कार्य व प्रति बिल के अनुसार सम्बन्धित बी0डी0ओ0, एकाउन्टेन्ट व जे0ई0 से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

1. ग्राम पावला में दौलत हरिजन से सी0सी0 रोड़।	रु. 25000.00
2. ग्राम अहेड़ा में मकसूद से जमीला तक सी0सी0 रोड़।	रु. 25000.00
3. ग्राम बाघू में रामपाल सुनहरी से खेमचन्द तक सी0सी0रोड़।	रु. 25000.00
4. ग्राम बिचपुड़ी में छज्जू की समाधि से नहर तक नाला निर्माण।	रु. 25000.00
5. ग्राम ब्राह्मण पूठी में अस्पताल से तालाब तक नाला निर्माण।	रु. 25000.00
6. ग्राम ब्राह्मण पूठी में अस्पताल से तालाब तक नाला निर्माण II बिल।	रु. 25000.00

योग रु. 150000.00

(सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर संख्या-34 क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये सभी निर्माण कार्य गाँव के अन्दर कराये गये हैं तथा कुछ कार्य गाँव के अन्दर से शुरू करके किसी के खेत तक या ट्यूबवैल तक कराये गये हैं जबकि क्षेत्र पंचायत को स्पष्ट आदेश है कि एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ने वाले मार्गों का कार्य क्षेत्र पंचायत के दायरे में आता है। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त व 13वें वित्त में कुल रु. 5671805.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार किया गया व्यय गम्भीर अनियमितता का विषय है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-35 क्षेत्र पंचायत द्वारा 13वें वित्त से रु. 1364157.00 व राज्य वित्त से रु. 5526228.00 कुल रु. 6890385.00 का व्यय निर्माण कार्यों पर किया गया है। इन सभी कार्यों पर 01 प्रतिशत लैबर सैस ठेकेदारों के बिलों से काटकर उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड कलपाण बोर्ड को भेजी जानी थी। यह धनराशि ठेकेदारों के बिलों से न काटकर बिलों में 01 प्रतिशत सैस की धनराशि जोड़ दी गयी है तथा उसी को बिलों से काटा दर्शा कर सम्बन्धित को भेजा गया है। इस प्रकार रु. 68904.00 की धनराशि का अनुचित तरीके से ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया तथा राज्य वित्त व 13 वें की धनराशि का अपहरण ठेकेदारों के पक्ष में कर लिया गया। इसकी वसूली सम्बन्धित बी0डी0ओ0, एकाउन्टेन्ट व जे0ई0 से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01)

प्रस्तर संख्या-36 क्षेत्र पंचायत द्वारा कतिपय निर्माण कार्यों में मिट्टी कार्य कराया गया है परन्तु ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी नहीं काटी गयी है। इस प्रकार ठेकेदारों को अनुचित तरीके से फायदा पहुँचाया गया है तथा राजस्व की हानि की गई है, विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विवरण	मिट्टी कार्य	रॉयल्टी
1.	लधवाड़ी में शमशान घाट वाले रास्ते पर खडण्जा मिट्टी कार्य।	19696.00	2757.00
2.	हमीदाबाद में शमशान घाट से कूड़े के चक तक खडण्जा।	64637.00	9049.00
3.	अहेड़ा हरिजन बस्ती में सी0सी0 रोड़।	19596.00	2744.00
योग		103929.00	14550.00

उक्त रु. 14550.00 रॉयल्टी की धनराशि सम्बन्धित बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से वसूली कर सम्बन्धित विभाग को भेजी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर संख्या-37 क्षेत्र पंचायत द्वारा 08 प्रतिशत जमानत की धनराशि बिलों से काटी जाने का अनुबन्ध किया गया है जो कतिपय ठेकेदारों से नहीं काटी गई है, विवरण निम्न है:-

1. सरूरपुरकलों में जितेन्द्र के मकान से डिग्री कॉलेज तक खडण्जा।	रु. 73483.00
2. लधवाड़ी में जमोहन से मैन चौराहें तक इण्टर लॉकिंग कार्य।	रु. 32281.00
3. महिला शौचालय कार्य।	रु. 6309.00
4. धनौरा सिल्वर में डेली के खेत से अशोक तक खडण्जा।	रु. 3495.00

योग रु. 121568.00

इस प्रकार रु. 121568.00 जमानत की धनराशि का 8 माह का कम से कम ब्याज क्षेत्र पंचायत को मिलना था। ब्याज की गणना कर सम्बन्धित से वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर संख्या-38 क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों के साईट पर बोर्ड लगाये जाने हेतु ठेकेदार के बिलों में रु. 3350.00 का बल दिया गया है परन्तु कतिपय बिल फाईल साईन बोर्ड के फोटों पुष्टि हेतु नहीं लगाये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि साईन बोर्ड बिना लगाये ही बिल दे दिया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. धनौरा सिल्वर नगर में डोली के खेत से अशोक के खेत तक खडण्जा कार्य।
2. लधवाड़ी शमशान घाट वाले रास्ते पर खडण्जा कार्य।
3. सरूरपुर कला सतेन्द्र के मकान से डिग्री कालिज तक खडण्जा कार्य।
4. हमीदाबाद में शमशान घाट से कूड़े के चक तक खडण्जा कार्य

इस प्रकार उक्त कार्यों पर रु0 3350.00 प्रति कार्य की दर से रु. 13400.00 का बिल ठेकेदारों का बिना साईन बोर्ड लगाये दिये गया है इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित बी0डी0ओ0, जे0ई0 व एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-06)

प्रस्तर संख्या-39 क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य क्षेत्र पंचायत के कार्य क्षेत्र के बाहर कराये गये हैं। सभी कार्य गाँव के अन्दर कराये गये हैं या शुरू करके किसी के खेत तक रास्ते बनाये गये हैं। जबकि क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र एक गाँव को दूसरे गाँव को जोड़ने वाले रास्ते या सड़क होती है इस प्रकार रु. 6890385.00 का व्यय राज्य वित्त व 13वें वित्त से निर्माण कार्यों पर किया गया जो सम्पूर्ण गम्भीर अनियमितता के दायरे में आता है, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-13)

वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-40 क्षेत्र पंचायत द्वारा सैस की धनराशि बिल से काटी गई तथा बिल पर चैक संख्या भी दर्शायी गई है परन्तु उसे सम्बन्धित को न भेजकर राजस्व की हानि पहुँचाई गई है, विवरण निम्न प्रकार है:-

	चैक संख्या	धनराशि
(क) निरोजपुर गुर्जर में शिवचरण बी0एड0 कॉलिज बराबर व सामने इन्टर लॉकिंग कार्य।	616959	8710.00
(ख) सरूरपुर कला में सतपाल से राजेन्द्र तक इन्टर लॉकिंग।	616994	5750.00
योग		14460.00

सम्बन्धित को धनराशि भेजी जानी व आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01)

प्रस्तर संख्या-41 क्षेत्र पंचायत द्वारा रॉयल्टी ठेकेदारों से काटकर बिल पर चैक संख्या की दर्शित की है, परन्तु सम्बन्धित को न भेजकर गम्भीर अनियमितता व राजस्व की हानि पहुँचाई गयी है। विवरण निम्न प्रकार है:-

	चैक संख्या	धनराशि
(क) ग्वाली खेड़ा में दददु महाविद्यालय से मुन्शीलाल के खेत तक मिट्टी खण्डजा।	—	22206.00
(ख) गढ़ीना में सबीर से सोहन तक इन्टर लॉकिंग।	616990	10500.00
योग		32706.00

सम्बन्धित का दायित्व सुनिश्चित कर धनराशि भेजी जाये व आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर संख्या-42 क्षेत्र पंचायत द्वारा गठीना में कमलेश से बाले तक इन्टर लॉकिंग कार्य में सैस ठेकेदार से काटने के बजाये बिल में रु. 1758.00 जोड़ दिया गया। तथा उसे चैक संख्या 616949 के द्वारा रु. 1776.00 बिल से काटा दर्शाया तथा उस चैक को सम्बन्धित को नहीं भेजा गया। इस प्रकार गलत ढंग से ठेकेदार को फायदा पहुँचाकर राज्य वित्त की धनराशि का अपहरण किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित बी0डी0ओ0, एकाउन्टेन्ट से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-03)

प्रस्तर संख्या-43 निरोजपुर गुर्जर में शिवचरण बी0एड0 कॉलिज के बराबर व सामने इन्टर लॉकिंग कार्य में मिट्टी कार्य रु. 39651.00 का बिल लगाया गया उस पर रु. 9516.00 रॉयल्टी काटी गयी फिर उसे बिल में जोड़ दिया गया इस प्रकार राज्य वित्त की धनराशि को ठेकेदार के पक्ष में अपहरण किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित बी0डी0ओ0, एकाउन्टेन्ट व जे0ई0 से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर संख्या-44 क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त व 13 वें वित्त से कुल निर्माण कार्यों पर रु. 5840532.00 का वर्ष में व्यय किया गया है। यह सम्पूर्ण व्यय क्षेत्र पंचायत के द्वारा गाँवों के रास्तों पर इन्टर लॉकिंग खण्डजा आदि पर किया गया है। जो क्षेत्र पंचायत का कार्यक्षेत्र नहीं है। क्षेत्र पंचायत का कार्यक्षेत्र एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ने वाले रास्तों होते हैं। इस प्रकार उक्त किया गया व्यय गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर संख्या-45 क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न चैक आयकर, व्यापार कर सैस के भेजे गये जो बैंक से वापिस हो गये जिन्हें गलती का सुधार कर पुनः भेजा जाना था, जो नहीं भेजे गये। इस प्रकार राजस्व की हानि पहुँचायी गयी है। पुनः सम्बन्धित को भेजा जाना अपेक्षित है:-

(क) चैक संख्या 340042616998	रु0 2404.00
(ख) चैक संख्या 340042616989	रु0 1472.00
(ग) चैक संख्या 340060042507	रु0 1220.00
(घ) चैक संख्या 340060042513	रु0 2395.00
(ङ) चैक संख्या 340042616939	रु0 1079.00

(च) चैक संख्या 340042616943 रू0 1181.00

(छ) चैक संख्या 340042616949 रू0 1776.00

योग रू011527.00

(सा0आ0सं0-09)

वर्ष -2016-17 प्रारूप-03

वर्ष -2016-17 प्रारूप-03

जनपद का नाम-गाजियाबाद

मण्डल का नाम-मेरठ

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या-01 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 में निर्वाचन व्यय हेतु प्राप्त अप्रयुक्त धनराशि रू0 44650.00 शासन को वापस न कर दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-02 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2017 को व्याज से प्राप्त धनराशि रू0 362071.00 शासन को प्रेषित न कर दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-03 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में श्रम सेस की कटौती न कर रू0 2818.00 की राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली एवं माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने से कार्य की पुष्टि न होना तथा संदिग्ध भुगतान रू0 281756.00 का। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-05 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में किये गये व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर रू0 27000.00 कर अपहरण। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में किये गये व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर रू0 20000.00 कर अपहरण। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-07 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में किये गये व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर रू0 3260.00 कर अपहरण। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-08 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत की बैठकों में बी डी सी सदस्यों को यात्रा भत्ते के भुगतान की पावतियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण रू0 140000 व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-09 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में मिटटी कार्य पर रायल्टी की कटौती ठेकेदार से न कर रू0 21196.00 राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में श्रम सेस की ठेकेदारों के बिलों से कटौती न कर राजकीय अनुदान से राजस्व विभाग में जमा करा कर राजकीय धन की हानि की गयी। रू0 2,48,915.00 का। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में विकास कार्य से इतर एक ही कार्य को मात्र पाँच वर्षों के भीतर दुबारा कराकर राजकीय धन 965800.00 का दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में विकास खण्ड कार्यालय परिसर में चार वर्षों के भीतर दोबारा शौचालय निर्माण कराकर राजकीय धन रू0 2,27,943 का दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त एवं 13वें राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान का उपयोग न कर राजकीय धन रू0 64,98,770.00 का दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 क्षेत्र पंचायत मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में ब्लाक प्रमुख को मानदेय का रु0 17974.00 का अधिक भुगतान कर गम्भीर अनियमितता। अधिक भुगतान की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद:- बिजनौर

क्षेत्र पंचायत:- नहतौर

मण्डल:- मुरादाबाद

वर्ष:- 2011-12 से 2013-14

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 1- लेखा परीक्षा के समय **2011-12** से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रूपये 3562078.00** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रूपये 3562078.00** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री वी0के0 खत्री, डा0 हुसैन आरजू, श्री वी0के0 राठी, श्री गोरखनाथ भट्ट एवं श्री दिलीप सिंह तथा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती राजबाला देवी तथा लेखाकार श्री बदरुद्दीन तथा अवर अभियन्ता श्री एस0यू0 अन्सारी के प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 2- लेखा परीक्षा के समय **2012-13** से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रूपये 3583550.00** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रूपये 3583550.00** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप सिंह तथा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती राजबाला देवी तथा लेखाकार श्री बदरुद्दीन तथा अवर अभियन्ता श्री एस0यू0 अन्सारी के प्रति एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 3- लेखा परीक्षा के समय **2013-14** से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रूपये 6757221.00** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रूपये 6757221.00** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप सिंह तथा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती राजबाला देवी तथा लेखाकार श्री बदरुद्दीन तथा अवर अभियन्ता श्री एस0यू0 अन्सारी के प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:- नहतौर

वर्ष:- 2014-15 से 2016-17

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 4- लेखा परीक्षा के समय **2014-15** से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रूपये 6828258.45** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रूपये 6828258.45** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप सिंह, श्री मौ0 कलीम एवं जितेन्द्र कुमार तथा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती राजबाला देवी, समिति (श्रीमती रोशनजहाँ, श्रीमती नाजमीन, श्रीमती रामरति) एवं श्रीमति रेखा देवी तथा लेखाकार श्री बदरुद्दीन एवं श्री अनिल कुमार तथा अवर अभियन्ता श्री एस0यू0 अन्सारी एवं श्री वाई0के0 शर्मा के प्रति एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 5- लेखा परीक्षा के समय **2015-16** से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रूपये 11426629.55** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रूपये 11426629.55** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार, श्री प्रदीप कुमार, श्री शिव सिंह धनगर, श्री जितेन्द्र कुमार तथा ब्लॉक प्रमुख समिति (श्रीमती रोशनजहाँ, श्रीमती

प्रस्तर संख्या 6- लेखा परीक्षा के समय **2016-17** से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रूपये 163575.00** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रूपये 163575.00** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार, श्री राकेश कुमार, श्री रोहिताश कुमार एवं श्री अशोक कुमार जाटव तथा ब्लॉक प्रमुख श्री मृणाल त्यागी तथा लेखाकार श्री अनिल कुमार तथा अवर अभियन्ता श्री नानकचन्द के प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

मण्डल:- मुरादाबाद
वर्ष:- 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर संख्या 12— लेखा परीक्षा के समय **2016—17** से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रूपये 6782460.50** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रूपये 6782460.50** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा कार्यकाल के अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख/लेखाकार/अवर अभियन्ता(सूचना अप्राप्त) से उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रूपये 18715877.00** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीशचन्द्र सिंह एवं श्री जितेन्द्र कुमार तथा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सन्तोष देवी एवं श्रीमती ललिता देवी (समिति) तथा लेखाकार श्री गिरिश चन्द तथा अवर अभियन्ता श्री प्रकाशवीर रस्तौगी के प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 17— लेखा परीक्षा के समय **2015—16** से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रूपये 15441803.00** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रूपये 15441803.00** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार तथा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती ललिता देवी (समिति), श्रीमती अंशिका सिंह तथा लेखाकार श्री गिरिश चन्द तथा अवर अभियन्ता श्री प्रकाशवीर रस्तौगी के प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

जनपद :- बिजनौर
क्षेत्र पंचायत:- नजीबाबाद

मण्डल:- मुरादाबाद
वर्ष:- 2011-12

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 18— आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रान्ट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:-

राज्य वित्त	3740147.00
13 वॉ वित	1590067.00
योग	5330214.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 5330214.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमिता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। अतः तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 19— आलोच्य वर्ष में ग्रान्ट रजिस्टर (तृतीय) के अनुसार सांसद निधि एवं विधायक निधि से क्रमशः रु0 553143.00 व रु0 150372.00 व्यय किया गया है। सांसद निधि एवं विधायक निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके कारण इससे सम्बन्धित व्यय की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में व्यापक रूप से अनियमितता वरती गयी है। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 20— आलोच्य वर्ष 2011-12 में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुल रु0 2083000.00 व्यय हुआ है। यह धनराशि गठित समूह को अनुदान के रूप में दी गयी है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने के कारण तत्सम्बन्धित अनुदान के उपभोग की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से सम्बन्धित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:- नजीबाबाद

वर्ष:- 2012-13

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 21— आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रान्ट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:-

राज्य वित्त	9315420.00
13 वॉ वित	3304284.00
योग	12619704.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 12619704.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमिता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। अतः तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 22— आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजिस्टर (तृतीय) के अनुसार सासंद निधि एवं विधायक निधि से कमशः रु0 556857.00 व रु0 99623.00 व्यय किया गया है। सांसद निधि एवं विधायक निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके कारण इससे सम्बन्धित व्यय की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में व्यापक रूप से अनियमितता वरती गयी है। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि रु0656480.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 23— आलोच्य वर्ष बायोगैस अनुदान रु0 57000.00 दिया गया परन्तु सम्बन्धित पत्रावली के आभाव में इसकी जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 24— आलोच्य वर्ष 2011-12 में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुल रु0 2237000.00 व्यय हुआ है। यह धनराशि गठित समूह को अनुदान के रूप में दी गयी है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने के कारण तत्सम्बन्धित अनुदान के उपभोग की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:- नजीबाबाद

वर्ष:- 2013-14

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 25— आलोच्य वर्ष 2013-14 में ग्रांट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:-

राज्य वित्त	8182294.00
13 वॉ वित	2646165.00
योग	10828459.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 10828459.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमितता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। अतः तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 26— आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय पेय जल योजना के अन्तर्गत कुल रु0 61200.00 व्यय हुआ है जैसा कि ग्रांट रजिस्टर तृतीय से स्पष्ट है। इस व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह धनराशि कहाँ पर एवं किस रूप में व्यय हुयी है इसके बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 27— आलोच्य वर्ष 2013-14 में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुल रु0 908769.95 व्यय हुआ है। यह धनराशि गठित समूह को अनुदान के रूप में दी गयी है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने के कारण तत्सम्बन्धित अनुदान के उपभोग की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 28— दिनांक 31.03.2013 को प्रशासनिक मद में रु0 193253.00 था जैसा कि ग्रांट रजिस्टर तृतीय से स्पष्ट है परन्तु वर्ष 2013-14 के ग्रांट रजिस्टर तृतीय में दिनांक 01.04.2013 को प्रारम्भिक अवशेष के रूप में इसकी प्रविष्टि नहीं की गयी है। लेखा-परीक्षा के दौरान इस धनराशि के व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 29— आलोच्य वर्ष 2012-13 में रु0 33750.00 तथा वर्ष 2011-12 में रु0 45000.00 की आमद इन्दिरा आवास में दर्ज है। अक्टूबर 2013 में रु0 78750.00 का व्यय ग्रांट रजिस्टर तृतीय में दर्शाया गया है परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:- नजीबाबाद

वर्ष:- 2014-15

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 30— आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्रांट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:-

राज्य वित्त	8846992.00
13 वॉ वित	8876713.00
योग	17723705.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 17723705.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमिता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। अतः तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 31— आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय पेय जल योजना के अन्तर्गत कुल रु0 76520.00 व्यय हुआ है जैसा कि ग्रांट रजिस्टर तृतीय से स्पष्ट है। इस व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह धनराशि कहाँ पर एवं किस रूप में व्यय हुयी है इसके बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 32— आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजिस्टर (तृतीय) के अनुसार विधान मंडल क्षेत्र निधि के अन्तर्गत रु0 684000.00 व्यय किया गया है। विधान मंडल क्षेत्र निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके कारण इससे सम्बन्धित व्यय की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कार्यों में व्यापक रूप से अनियमितता वरती गयी है। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि रु0 684000.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:— नजीबाबाद

वर्ष:— 2015—16

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर संख्या 33— आलोच्य वर्ष 2015—16 में ग्रांट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:—

राज्य वित्त	5541164.00
13 वॉ वित	6630116.00
योग	12171280.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 12171280.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमिता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। अतः तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 34— आलोच्य वर्ष में साक्षरता मिशन के अन्तर्गत रु0 38000.00 प्राप्त हुआ है तथा वर्ष के दौरान इसको व्यय कर दिया गया है जैसा कि ग्रांट रजिस्टर तृतीय से स्पष्ट है। इस व्यय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 35— आलोच्य वर्ष 2015—16 में इन्दिरा आवास (प्रशासनिक मद) के अन्तर्गत कुल रु0 71222.00 ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार व्यय हुआ है परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:— नजीबाबाद

वर्ष:— 2016—17

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर संख्या 36— आलोच्य वर्ष 2016—17 में ग्रांट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:—

राज्य वित्त	9017373.00
13 वॉ वित	.00
योग	9017373.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 9017373.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमिता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 37— आलोच्य वर्ष 2015—16 में इन्दिरा आवास (प्रशासनिक मद) के अन्तर्गत कुल रु0 549028.00 ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार व्यय हुआ है परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 38- आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:-

राज्य वित्त	4487503.00
13 वॉ वित	544875.00
योग	5032378.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रू0 5032378.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमितता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 39- आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजिस्टर (तृतीय) के अनुसार सासंद निधि एवं विधायक निधि से क्रमशः रू0 3987718.00 व रू0 4739497.00 व्यय किया गया है। इस प्रकार सांसद निधि एवं विधायक निधि के अन्तर्गत कुल रू0 8727215.00 व्यय हुआ है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके कारण इससे सम्बन्धित व्यय की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में व्यापक रूप से अनियमितता वरती गयी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 40- आलोच्य वर्ष 2011-12 में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुल रू0 1039000.00 व्यय हुआ है। यह धनराशि गठित समूह को अनुदान के रूप में दी गयी है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने के कारण तत्सम्बन्धित अनुदान के उपभोग की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से सम्बन्धित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 41- आलोच्य वर्ष में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 233750.00 व्यय किया गया है परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उल्लेखित धनराशि रू0 233750.00 की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 42- आलोच्य वर्ष में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत रू0 70000.00 प्राप्त हुआ है जिसमें से रू0 30000.00 व्यय हुआ है परन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:- धामपुर

वर्ष:- 2012-13

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 43- आलोच्य वर्ष 2012-13 में ग्रांट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:-

राज्य वित्त	1152467.00
13 वॉ वित	00.00
योग	1152467.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रू0 1152467.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमितता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 44- आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजिस्टर (तृतीय) के अनुसार सासंद निधि एवं विधायक निधि से क्रमशः रू0 6345388.00 व रू0 3841654.00 व्यय किया गया है। इस प्रकार सांसद निधि एवं विधायक निधि के अन्तर्गत कुल रू0 10187042.00 व्यय हुआ है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके कारण इससे सम्बन्धित व्यय की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में व्यापक रूप से अनियमितता वरती गयी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 45— आलोच्य वर्ष 2012-13 में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुल रु0 1080000.00 व्यय हुआ है। यह धनराशि गठित समूह को अनुदान के रूप में दी गयी है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने के कारण तत्सम्बन्धित अनुदान के उपभोग की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 46— इन्दिरा आवास निर्माण के अन्तर्गत रु0 40000.00 व्यय हुआ है परन्तु निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण तत्सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। आवास निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:- धामपुर

वर्ष:- 2013-14

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 47— आलोच्य वर्ष 2013-14 में ग्रान्ट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:-

राज्य वित्त	10986405.00
13 वॉ वित	2400745.00
योग	13387150.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 13387150.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमिता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। अतः जाँचोपरान्त तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 48— आलोच्य वर्ष में ग्रान्ट रजिस्टर (तृतीय) के अनुसार सांसद निधि एवं विधायक निधि से क्रमशः रु0 8298376.00 व रु0 11572452.00 व्यय किया गया है। इस प्रकार सांसद निधि एवं विधायक निधि के अन्तर्गत कुल रु0 19870828.00 व्यय हुआ है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके कारण इससे सम्बन्धित व्यय की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में व्यापक रूप से अनियमितता वरती गयी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 49— आलोच्य वर्ष 2013-14 में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुल रु0 187540795.00 व्यय हुआ है। यह धनराशि गठित समूह को अनुदान के रूप में दी गयी है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने के कारण तत्सम्बन्धित अनुदान के उपभोग की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 50— आलोच्य वर्ष में ग्रान्ट रजिस्टर (तृतीय) के अनुसार विधान मंडल क्षेत्र निधि के अन्तर्गत रु0 1000000.00 व्यय किया गया है। विधान मंडल निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके कारण इससे सम्बन्धित व्यय की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में व्यापक रूप से अनियमितता वरती गयी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:- धामपुर

वर्ष:- 2014-15

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 51— आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्रान्ट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:-

राज्य वित्त	3923731.00
13 वॉ वित	4146034.00
योग	8069765.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 8069765.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमिता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 52— आलोच्य वर्ष में ग्रान्ट रजिस्टर (तृतीय) के अनुसार सांसद निधि एवं विधायक निधि से क्रमशः रु0 339974.00 व रु0 3041072.00 व्यय किया गया है। इस प्रकार सांसद निधि एवं विधायक निधि के अन्तर्गत कुल रु0 3381046.00 व्यय हुआ है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके कारण इससे

सम्बन्धित व्यय की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में व्यापक रूप से अनियमितता वरती गयी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 53— आलोच्य वर्ष 2014-15 में क्षेत्र निधि के अन्तर्गत रु0 19593.00 व्यय हुआ है। जिससे सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बिल वाउचर्स प्रस्तुत करके व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि करायी जानी चाहिये अन्यथा की दशा में इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 54— आलोच्य वर्ष में ग्रामीण पेयजल जागरूकता अभियान के अन्तर्गत रु0 72100.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बिल वाउचर्स प्रस्तुत करके व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि करायी जानी चाहिये अन्यथा की दशा में इसको अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:- धामपुर

वर्ष:- 2015-16

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 55— आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्रांट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:-

राज्य वित्त	5525061.00
13 वॉ वित	4045788.00
योग	9570849.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 9570849.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमितता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 56— आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजिस्टर (तृतीय) के अनुसार सांसद निधि एवं विधायक निधि से कमशः रु0 84029.00 व रु0 2946483.00 व्यय किया गया है। इस प्रकार सांसद निधि एवं विधायक निधि के अन्तर्गत कुल रु0 3030512.00 व्यय हुआ है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा-परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके कारण इससे सम्बन्धित व्यय की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में व्यापक रूप से अनियमितता वरती गयी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 57— वर्ष 2015-16 में आंगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण के कुल रु0 463011.98 व्यय किया गया है। परन्तु सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण सम्बन्धित व्यय की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 58— आलोच्य वर्ष 2015-16 में इन्दिरा आवास (प्रशासनिक मद) के अन्तर्गत कुल रु0 279051.00 ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार व्यय हुआ है परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 59— आलोच्य वर्ष में सोलर संयन्त्र अनुदान के अन्तर्गत रु0 556500.00 प्राप्त हुआ है जिसका उपभोग कर लिया गया है परन्तु इसके उपभोग से सम्बन्धित कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। उपभोग प्रमाण पत्र एवं अन्य पुष्टि पत्र प्रस्तुत करके सम्बन्धित व्यय की पुष्टि करायी जानी चाहिये अन्यथा की दशा में इसको अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:- धामपुर

वर्ष:- 2016-17

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 60— आलोच्य वर्ष 2016-17 में ग्रांट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:-

राज्य वित्त	4980366.00
13 वॉ वित	00.00
योग	4980366.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 4980366.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर

अनियमिता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 61— आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजिस्टर (तृतीय) के अनुसार सासंद निधि के अन्तर्गत रु0 126029.00 व्यय किया गया है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके कारण इससे सम्बन्धित व्यय की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में व्यापक रूप से अनियमितता वरती गयी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 62— आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त पोषण मिशन के अन्तर्गत रु0 24700.00 प्राप्त हुआ है जिसका उपभोग कर लिया गया है परन्तु इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बिल वाउचर्स प्रस्तुत करके तत्सम्बन्धित व्यय की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की दशा में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 63— 14 वॉ वित्त (प्रशासनिक पद) के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में कुल रु0 2513687.00 प्राप्त हुआ है जिसमें से रु0 704200.00 व्यय कर लिया गया है परन्तु इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बिल वाउचर्स प्रस्तुत करके तत्सम्बन्धित व्यय की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की दशा में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, एवं लेखाकार से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद :- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत:- कोतवाली

वर्ष:- 2011-12

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 64— आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:-

राज्य वित्त	9567238.00
13 वॉ वित्त	3088958.00
योग	12656196.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 12656196.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमितता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 65— रीवोरिंग मद में वर्ष 2011-12 में रु0 394500.00 व्यय हुआ है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण तत्सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 66— आलोच्य वर्ष में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना तथा बी.पी.एल. परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कमशः रु0 135000.00 तथा रु0 230000.00 व्यय किया गया है परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उल्लेखित धनराशि रु0 365000.00 की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 67— आलोच्य वर्ष में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 4267330.00 व्यय हुआ है परन्तु समूहगठन तथा उनके दिये गये इस अनुदान के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार समूह गठित कराने वाले को कुल रु0 176000.00 सुविधादाता मानदेय दिया गया है परन्तु सम्बन्धित विवरण के अभाव में इसकी जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:- कोतवाली

वर्ष:- 2012-13

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 68— आलोच्य वर्ष 2012-13 में ग्रांट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:-

राज्य वित्त	5305670.00
13 वॉ वित्त	1816674.00
12 वॉ वित्त	56882.00
योग	7179226.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 7179226.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमिता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 69— रीवोरिंग मद में वर्ष 2012-13 में रु0 163270.00 व्यय हुआ है परन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण तत्सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। सम्बन्धित व्यय के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाय अन्यथा की दशा में यह माना जायेगा कि धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 70— आलोच्य वर्ष में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 2833840 व्यय हुआ है परन्तु समूहगत तथा उनके दिये गये इस अनुदान के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार समूह गठित कराने वाले को कुल रु0 197000.00 सुविधादाता मानदेय दिया गया है परन्तु सम्बन्धित विवरण के अभाव में इसकी जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 71— आलोच्य वर्ष में बायोगैस अनुदान रु0 38000.00 दिया गया परन्तु सम्बन्धित पत्रावली के अभाव में इसकी जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। अतः पत्रावली प्रस्तुत करके दिये गये अनुदान की जाँच व पुष्टि करायी जाय अन्यथा की दशा में उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 72— आलोच्य वर्ष में विज्ञान क्लब प्रशिक्षण मद में रु0 12000.00 प्राप्त हुआ है जिसको वर्ष के दौरान व्यय कर दिया गया है परन्तु व्यय प्रमाणक के अभाव में इसकी जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:- कोतवाली

वर्ष:- 2013-14

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 73— आलोच्य वर्ष 2013-14 में ग्रान्ट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित्त के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:-

राज्य वित्त	8303390.00
13 वॉ वित्त	3006004.00
योग	11309394.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 11309394.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमिता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 74— ग्रान्ट रजिस्टर (तृतीय) की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नांकित शीर्षक के दिनांक 31.03.2013 के अन्तिम अवशेष को दिनांक 01.04.2014 को प्रारम्भिक अवशेष में कम दर्शाया गया है या दर्शाया ही नहीं गया है:-

मद का नाम	दि0 31.03.2013 का अन्तिम अवशेष	दि0 01.04.2014 का प्रारम्भिक अवशेष	अन्तर की धनराशि
एस जी एस वाई	425637.68	365833.88	59803.80
रीवोरिंग फण्ड	15000.00	—	15000.00
प्रशिक्षण मद	10177.75	—	10177.75
अवस्थापना मद	727.50	—	727.50
पी.ओ.एस. मद	0.95	—	0.95
ब्याज खाता सं. 79779	1386.00	700.00	686.00
सुविधादाता मानदेय	23000.00	—	23000.00
बायोगैस	720.00	750.00	(-)30.00
ब्याज खाता सं. 95786	22013.00	11675.00	10338.00
		योग—	119704.00

उपरोक्त अन्तर का कारण स्पष्ट करे अन्यथा की दशा में इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 75— आलोच्य वर्ष में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 465533.88 व्यय हुआ है यह धनराशि अनुदान के रूप में किन समूहों को दी गयी है इसका कोई विवरण लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:— कोतवाली

वर्ष:— 2014—15

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या 76— आलोच्य वर्ष 2014—15 में ग्रांट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित्त के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:—

राज्य वित्त	19457440.00
13 वॉ वित्त	11328054.00
योग	30785494.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 30785494.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमिता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 77— आलोच्य वर्ष 2014—15 में इन्दिरा आवास (प्रशासनिक मद) के अन्तर्गत कुल रु0 54165.00 ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार व्यय हुआ है परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के आभाव में धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 78— आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय पेय जल योजना के अन्तर्गत कुल रु0 69640.00 व्यय हुआ है जैसा कि ग्रांट रजिस्टर तृतीय से स्पष्ट है। इस व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह धनराशि कहाँ पर एवं किस रूप में व्यय हुयी है इसके बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय प्रमाणक के आभाव में धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 79— आलोच्य वर्ष में सोशल आडिट के अन्तर्गत रु0 130000.00 तथा विभिन्न मद के अन्तर्गत रु0 103500.00 प्राप्त हुआ है जिसको वर्ष के दौरान व्यय कर दिया गया है परन्तु व्यय से सम्बन्धित बिल वाउचर्स प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक के आभाव में धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:— कोतवाली

वर्ष:— 2015—16

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या 80— आलोच्य वर्ष 2015—16 में ग्रांट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित्त के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:—

राज्य वित्त	7605717.00
13 वॉ वित्त	8611343.00
योग	16217060.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रु0 16217060.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमिता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 81— वर्ष 2015—16 में आंगनवाडी केन्द्र के निर्माण में कुल रु0 2635040.00 व्यय किया गया है परन्तु आंगनवाडी केन्द्र निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण सम्बन्धित व्यय की जाँच व पुष्टि नहीं हो सकी आंगनवाडी केन्द्र निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत किया जाय अन्यथा की दशा में तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 82— ग्रांट रजिस्टर द्वितीय (वर्ष 2015—16) की जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि इन्दिरा आवास निर्माण से सम्बन्धित भुगतान की गयी निम्नांकित धनराशि जो कि ठेकेदार श्री लीलाराम पुत्र श्री नत्थू सिंह को दिया गया है, पर आयकर और व्यापारकर नहीं काटा गया है:—

दिनांक	धनराशि	आयकर	व्यापारकर
05.11.2015	91599.00	2070.00	3664.00

05.11.2015	91599.00	2070.00	3664.00
05.11.2015	91599.00	2070.00	3664.00
05.11.2015	91599.00	2070.00	3664.00
05.11.2015	91599.00	2070.00	3664.00
05.11.2015	91599.00	2070.00	3664.00
	योग—	12420.00	21984.00
		कुल योग	34404.00

इस प्रकार ठेकेदार को अदा की गयी धनराशि पर आयकर और व्यापारकर न काट करके रू0 34404.00 की राजस्व की क्षति सरकार को पहुँचायी गयी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 83— आलोच्य वर्ष 2015-16 के ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार वर्ष के दौरान निम्नवत् शीर्षक के अन्तर्गत निम्नांकित व्यय दर्शाये गये हैं:—

इन्दिरा आवास (प्रशासनिक मद)	रू0 162154.00
पेय जल	रू0 92960.00
सामान्य निर्वाचन	रू0 94080.00
राज्य वित्त पोषण मिशन	रू0 36000.00
योग:—	रू0 385194.00

उपरोक्त धनराशि रू0 385194.00 के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण तत्सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से धनराशि की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:— कोतवाली

वर्ष:— 2016-17

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर संख्या 84— आलोच्य वर्ष 2016-17 में ग्रांट रजिस्टर(तृतीय) के अनुसार राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित के अन्तर्गत निम्नांकित धनराशि व्यय हुई है:—

राज्य वित्त	12600904.00
13 वॉ वित	3531874.00.00
योग	16132778.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर कुल रू0 16132778.00 व्यय हुआ है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को कराने में व्यापक स्तर पर अनियमिता वरती गयी है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली का न प्रस्तुत किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। अतः जॉचोपरान्त तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 85— ग्रांट रजिस्टर द्वितीय (वर्ष 2016-17) की जॉच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि इन्दिरा आवास निर्माण से सम्बन्धित भुगतान की गयी निम्नांकित धनराशि जो कि अवर अभियन्ता श्री प्रेमचन्द को दिया गया है, पर आयकर और व्यापारकर नहीं काटा गया है:—

दिनांक	धनराशि	आयकर	व्यापारकर
16.05.2016	64530.00	1458.00	2581.00
16.05.2016	44700.00	1010.00	1788.00
16.05.2016	63090.00	1426.00	2524.00
16.05.2016	64260.00	1452.00	2570.00
16.05.2016	51030.00	1153.00	2041.00
16.05.2016	53460.00	1208.00	2138.00
	योग—	7707.00	13642.00
		कुल योग	21349.00

इस प्रकार ठेकेदार को अदा की गयी धनराशि पर आयकर और व्यापारकर न काट करके रू0 21349.00 की राजस्व की क्षति सरकार को पहुँचायी गयी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से इसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 86— वर्ष 2016-17 में आंगनवाडी केन्द्र के निर्माण में कुल रू0 341070.00 व्यय किया गया है। ग्रांट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार कुल 6 स्थल पर आंगनवाडी केन्द्र का निर्माण हुआ है परन्तु सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण सम्बन्धित व्यय की जॉच व पुष्टि नहीं हो सकी। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 87— आलोच्य वर्ष 2016-17 में इन्दिरा आवास (प्रशासनिक मद) के अन्तर्गत कुल रू0 215401.00 ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार व्यय हुआ है परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

जनपद :- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत:- अफजलगढ़

वर्ष:- 2011-12 से 2013-14

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 88— लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में राज्यवित्त खाते से प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार रू0 7106696.00 व्यय दर्शित है उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार बार मांगने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए हैं जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है, बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रू0 7106696.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, प्रमुख श्रीमती रनजीत कौर, जे.ई. आर. ई. एस. श्री हलीम खान लेखाकार मो0 नकी से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 89— लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार रू0 5877212.00 व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए हैं जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है, बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रू0 5877212.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख श्रीमती रनजीत कौर, जे.ई. मो0 हलीम खान व श्री रामसिंह एवं लेखाकार श्री नकी अहमद से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 90— लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार रू0 11349911.00 राज्य वित्त खाते का व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है, बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रू0 11349911.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी(तत्कालीन), ब्लाक प्रमुख श्रीमती रनजीत कौर, लेखाकार मो0 नकी अहमद तथा जे.ई. श्री रामसिंह से वैधानिक कार्यवाही करते ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

क्षेत्र पंचायत:- अफजलगढ़

वर्ष:- 2014-15 से 2016-17

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 91— लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में राज्यवित्त खाते से आहरित धनराशि रू0 9379161.00 व्यय धनराशि प्रिया साफ्ट फीडिंग में अंकित है, उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक कृत कार्यों के फोटोग्राफ प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त के बार-बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 9379161.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री रोहिताश कुमार, जे.ई. श्री राम सिंह प्रमुख श्रीमती रनजीत कौर एवं लेखाकार मो0 यासीन एवं कार्य प्रभारी से बराबर अनुपात के वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 92— लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में राज्यवित्त खाते से आहरित धनराशि रू0 4271719.00 प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार व्यय दर्शित है, उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, फोटोग्राफ कृत कार्यों के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त के बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रू0 4271719.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री रोहिताश कुमार, ब्लाक प्रमुख श्रीमती रनजीत कौर जे.ई. श्री रामसिंह, लेखाकार मो. यासीन एवं कार्यप्रभारी से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 93— लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में राज्यवित्त खाते से आहरित धनराशि रू0 7129810.00 प्रिया साफ्ट फीडिंग में व्यय दर्शित है, उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक कृत कार्यों के फोटोग्राफ बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 7129810.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री रोहिताश कुमार, प्रमुख श्रीमती अंगूरी देवी जे.ई. श्री अनिल कुमार लेखाकार श्री सहाबुद्दीन एवं कार्य प्रभारी से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत:- किरतपुर

वर्ष:- 2011-12 से 2013-14

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 94— लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त खाते से प्रिया साफ्ट फीडिंग के अनुसार रू0 2302243 व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये

गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रु0 2302243 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

- 1—श्री राजा राम सिंह:— 18.08.2010 से 17.05.2011 तक
- 2—श्री विकेक चन्द:— 18.05.2011 से 31.12.2011 तक
- 3—श्री कमलेश सचान:— 07.01.2012 से 18.05.2012 तक
- 4—श्री हरिशचन्द:— 19.05.2012 से 27.07.2013 तक
- 5—श्री शिव सिंह धनगर:— 26.07.2013 से 04.03.2014 तक
- 6—श्री सुधा रानी पाठक:— 05.03.2014 से 31.03.2014 तक व ब्लॉक प्रमुख

- 1—श्री गीतादेवी:— 17.03.2011 से 15.01.2013 तक

- 2—मौ0 सादिक:— 16.01.2013 से 31.03.2014 तक

एवं लेखाकार श्री नईम खां 01.04.2011 से 31.03.2014 तक तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 95— लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 में राज्य वित्त खाते से प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार रु0 3527306 व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार—बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रु0 3527306 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

- 1—श्री राजा राम सिंह:— 18.08.2010 से 17.05.2011 तक
- 2—श्री विकेक चन्द:— 18.05.2011 से 31.12.2011 तक
- 3—श्री कमलेश सचान:— 07.01.2012 से 18.05.2012 तक
- 4—श्री हरिशचन्द:— 19.05.2012 से 27.07.2013 तक
- 5—श्री शिव सिंह धनगर:— 26.07.2013 से 04.03.2014 तक
- 6—श्री सुधा रानी पाठक:— 05.03.2014 से 31.03.2014 तक व ब्लॉक प्रमुख

- 1—श्री गीतादेवी:— 17.03.2011 से 15.01.2013 तक

- 2—मौ0 सादिक:— 16.01.2013 से 31.03.2014 तक

एवं लेखाकार श्री नईम खां 01.04.2011 से 31.03.2014 तक तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 96— लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 में राज्य वित्त खाते से प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार रु0 9037758 व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार—बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रु0 9037758 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

- 1—श्री राजा राम सिंह:— 18.08.2010 से 17.05.2011 तक
- 2—श्री विकेक चन्द:— 18.05.2011 से 31.12.2011 तक
- 3—श्री कमलेश सचान:— 07.01.2012 से 18.05.2012 तक
- 4—श्री हरिशचन्द:— 19.05.2012 से 27.07.2013 तक
- 5—श्री शिव सिंह धनगर:— 26.07.2013 से 04.03.2014 तक
- 6—श्री सुधा रानी पाठक:— 05.03.2014 से 31.03.2014 तक व ब्लॉक प्रमुख

- 1—श्री गीतादेवी:— 17.03.2011 से 15.01.2013 तक

- 2—मौ0 सादिक:— 16.01.2013 से 31.03.2014 तक

एवं लेखाकार श्री नईम खां 01.04.2011 से 31.03.2014 तक तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

क्षेत्र पंचायत:— किरतपुर

वर्ष:— 2014—15 से 2016—17

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या 97— लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में राज्य वित्त खाते से आहरित धनराशि रु0 11704840—00 व्यय धनराशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग में अंकित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कृत कार्यों के फोटो ग्राफ प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त के बार—बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रु0 11704840—00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

- 1—श्री सुधा रानी पाठक:— 01.04.2014 से 08.08.2014 तक
- 2—श्री शिव सिंह धनगर:— 09.08.2014 से 04.02.2015 तक
- 3—श्री विनोद कुमार खत्री:— 05.02.2015 से 06.08.2016 तक

4-श्री ए०के० उपाध्याय (अतिरिक्त प्रभार):- 07.08.2016 से 14.10.2016 तक

5-श्री सुधा रानी पाठक:- 15.10.2016 से वर्तमान तक व ब्लॉक प्रमुख

1-श्री मौ० सादिक:- 01.04.2014 से 17.03.2016 तक

2-श्री अनिल चौधरी:- 18.03.2016 से वर्तमान तक

एवं लेखाकार श्री नईम खां एवं शहाबुददीन तथा जे०ई०आर०ई०डी० से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 98- लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त खाते से प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार रू० 2764188-00 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, फोटोग्राफ कृत कार्यों के बार-बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रू० 2764188-00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

1-श्री सुधा रानी पाठक:- 01.04.2014 से 08.08.2014 तक

2-श्री शिव सिंह धनगर:- 09.08.2014 से 04.02.2015 तक

3-श्री विनोद कुमार खत्री:- 05.02.2015 से 06.08.2016 तक

4-श्री ए०के० उपाध्याय (अतिरिक्त प्रभार):- 07.08.2016 से 14.10.2016 तक

5-श्री सुधा रानी पाठक:- 15.10.2016 से वर्तमान तक व ब्लॉक प्रमुख

1-श्री मौ० सादिक:- 01.04.2014 से 17.03.2016 तक

2-श्री अनिल चौधरी:- 18.03.2016 से वर्तमान तक

एवं लेखाकार श्री नईम खां एवं शहाबुददीन तथा जे०ई०आर०ई०डी० से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 99- लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त खाते से आहरित धनराशि रू० 7309302-00 प्रिया सॉफ्ट फीडिंग में व्यय दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कृत कार्यों के फोटोग्राफ बार-बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रू० 7309302-00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

1-श्री सुधा रानी पाठक:- 01.04.2014 से 08.08.2014 तक

2-श्री शिव सिंह धनगर:- 09.08.2014 से 04.02.2015 तक

3-श्री विनोद कुमार खत्री:- 05.02.2015 से 06.08.2016 तक

4-श्री ए०के० उपाध्याय (अतिरिक्त प्रभार):- 07.08.2016 से 14.10.2016

5-श्री सुधा रानी पाठक:- 15.10.2016 से वर्तमान तक एवं ब्लॉक प्रमुख

1-श्री मौ० सादिक:- 01.04.2014 से 17.03.2016 तक

2-श्री अनिल चौधरी:- 18.03.2016 से वर्तमान तक

एवं लेखाकार श्री नईम खां एवं शहाबुददीन तथा जे०ई०आर०ई०डी० से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

जनपद:- बिजनौर

क्षेत्र पंचायत:- जलीलपुर

मण्डल:- मुरादाबाद

वर्ष:- 2011-12 से 2013-14

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 100- लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त खाते से प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व्यय रू० 4386415 व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रू० 4346415 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

1-श्री प्रदीप कुमार :- 02.03.2009 से 06.06.2011 तक

2-श्री हुसैन आरजू:- 07.06.2011 से 08.05.2012 तक

3-श्री विनोद कुमार खत्री:- 09.05.2012 से 16.05.2012 तक

4-श्री हरिश चन्द:- 09.05.2012 से 16.05.2012 तक

5-श्री विनोद कुमार खत्री:- 17.05.2012 से 06.08.2012 तक

6-श्री दुष्यन्त कुमार:- 07.08.2012 से 13.08.2012 तक

7-शिव सिंह धनगर:- 14.08.2012 से 16.07.2013 तक

8-राम पाल सिंह:- 19.07.2013 से 01.03.2014 तक

9-दिलीप सिंह:- 23.03.2014 से 27.04.2014 तक व ब्लॉक प्रमुख

1-श्रीमति आयशा:- 18.03.2011 से 28.06.2012 तक

2-श्री चरण सिंह:- 16.01.2013 से 31.03.2014 तक

एवं लेखाकार श्री टीकम सिंह तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 101—लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व्यय रु0 5630685 व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार—बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रु0 5630685 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

1—श्री प्रदीप कुमार :—	02.03.2009 से 06.06.2011 तक
2—श्री हुसैन आरजू:—	07.06.2011 से 08.05.2012 तक
3—श्री विनोद कुमार खत्री:—	09.05.2012 से 16.05.2012 तक
4—श्री हरिश चन्द:—	09.05.2012 से 16.05.2012 तक
5—श्री विनोद कुमार खत्री:—	17.05.2012 से 06.08.2012 तक
6—श्री दुष्यन्त कुमार:—	07.08.2012 से 13.08.2012 तक
7—शिव सिंह धनगर:—	14.08.2012 से 16.07.2013 तक
8—राम पाल सिंह:—	19.07.2013 से 01.03.2014 तक
9—दिलीप सिंह:—	23.03.2014 से 27.04.2014 तक

व ब्लॉक प्रमुख

1—श्रीमति आयशा:—	18.03.2011 से 28.06.2012 तक
2—श्री चरण सिंह:—	16.01.2013 से 31.03.2014 तक

एवं लेखाकार श्री टीकम सिंह तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 102—लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 में राज्य वित्त खाते से व्यय रु0 15366902 व्यय दर्शित है उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रु0 15366902 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

1—श्री प्रदीप कुमार :—	02.03.2009 से 06.06.2011 तक
2—श्री हुसैन आरजू:—	07.06.2011 से 08.05.2012 तक
3—श्री विनोद कुमार खत्री:—	09.05.2012 से 16.05.2012 तक
4—श्री हरिश चन्द:—	09.05.2012 से 16.05.2012 तक
5—श्री विनोद कुमार खत्री:—	17.05.2012 से 06.08.2012 तक
6—श्री दुष्यन्त कुमार:—	07.08.2012 से 13.08.2012 तक
7—शिव सिंह धनगर:—	14.08.2012 से 16.07.2013 तक
8—राम पाल सिंह:—	19.07.2013 से 01.03.2014 तक
9—दिलीप सिंह:—	23.03.2014 से 27.04.2014 तक

व ब्लॉक प्रमुख

1—श्रीमति आयशा:—	18.03.2011 से 28.06.2012 तक
2—श्री चरण सिंह:—	16.01.2013 से 31.03.2014 तक

एवं लेखाकार श्री टीकम सिंह तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

क्षेत्र पंचायत:— जलीलपुर

वर्ष:— 2014—15 से 2016—17

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या 103— लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में राज्य वित्त खाते से आहरित धनराशि रु0 9834234 प्रिया सॉफ्ट फीडिंग में अंकित है उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कृत कार्यों के फोटोग्राफ बार—बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रु0 9834234 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

1—श्री दिलीप सिंह:—	01.04.2014 से 27.04.2014 तक
2—श्री मौ0 कलीम:—	28.04.2014 से 10.08.2014 तक
3—श्री विनोद कुमार खत्री:—	11.08.2014 से 27.01.2015 तक
4—श्री शिवसिंह धनगर:—	28.01.2015 से 01.09.2015 तक
5—श्री श्वेतांक पाण्डेय:—	02.09.2015 से 29.02.2016 तक
6—श्री जयपाल सिंह:—	01.03.2016 से 13.09.2016 तक
7—श्री संतोष कुमार:—	14.10.2016 से 13.10.2016 तक
8—श्रीमति सुधा रानी:—	14.10.2016 से 13.07.2017 तक

व ब्लॉक प्रमुख

1—श्रीमति चरन सिंह:— 01.04.2014 से 17.03.2016 तक

2—श्रीमति आबिदा:— 18.03.2016 से 31.03.2017 तक

एवं लेखाकार श्री टीकम सिंह तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 104—लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में राज्य वित्त खाते आहरित रू0 4483416 व्यय धनराशि की प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व्यय दर्शित है उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, फोटोग्राफ कृतकार्यों के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त के बार—बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रू0 4483416 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

1—श्री दिलीप सिंह:— 01.04.2014 से 27.04.2014 तक

2—श्री मौ0 कलीम:— 28.04.2014 से 10.08.2014 तक

3—श्री विनोद कुमार खत्री:— 11.08.2014 से 27.01.2015 तक

4—श्री शिवसिंह धनगर:— 28.01.2015 से 01.09.2015 तक

5—श्री श्वेतांक पाण्डेय:— 02.09.2015 से 29.02.2016 तक

6—श्री जयपाल सिंह:— 01.03.2016 से 13.09.2016 तक

7—श्री संतोष कुमार:— 14.10.2016 से 13.10.2016 तक

8—श्रीमति सुधा रानी:— 14.10.2016 से 13.07.2017 तक

व ब्लॉक प्रमुख

1—श्रीमति चरन सिंह:— 01.04.2014 से 17.03.2016 तक

2—श्रीमति आबिदा:— 18.03.2016 से 31.03.2017 तक

एवं लेखाकार श्री टीकम सिंह तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित की जानी अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 105—लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में राज्य वित्त खाते से आहरित/व्यय धनराशि रू0 10446206 प्रिया सॉफ्ट फीडिंग में व्यय दर्शित है उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कृतकार्यों के फोटोग्राफ प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त के बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रू0 10446206 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

1—श्री दिलीप सिंह:— 01.04.2014 से 27.04.2014 तक

2—श्री मौ0 कलीम:— 28.04.2014 से 10.08.2014 तक

3—श्री विनोद कुमार खत्री:— 11.08.2014 से 27.01.2015 तक

4—श्री शिवसिंह धनगर:— 28.01.2015 से 01.09.2015 तक

5—श्री श्वेतांक पाण्डेय:— 02.09.2015 से 29.02.2016 तक

6—श्री जयपाल सिंह:— 01.03.2016 से 13.09.2016 तक

7—श्री संतोष कुमार:— 14.10.2016 से 13.10.2016 तक

8—श्रीमति सुधा रानी:— 14.10.2016 से 13.07.2017 तक

व ब्लॉक प्रमुख

1—श्रीमति चरन सिंह:— 01.04.2014 से 17.03.2016 तक

2—श्रीमति आबिदा:— 18.03.2016 से 31.03.2017 तक

एवं लेखाकार श्री इसरार अहमद तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत:— स्योहारा

वर्ष:— 2011—12 से 2013—14

क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या 106— वर्ष 2011—12 में राज्य वित्त खाते से प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व्यय रू0 2302138 व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार—बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रू0 2302138 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव सिंह धनगर, श्री रामपाल सिंह, व ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजमोहन एवं लेखाकार इसरार अहमद तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 107—लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व्यय रू0 6727525 व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार—बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके

कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रु0 6727525 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गोरखनाथ भट, श्री जितेन्द्र कुमार व ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजमोहन, श्रीमति नीतू रानी एवं लेखाकार श्री इसरार अहमद तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 108—लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त खाते से व्यय रु0 9806456-70 व्यय दर्शित है उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रु0 9806456-70 का अपहरण किया गया है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रु0 9806456-70 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार व ब्लॉक प्रमुख श्रीमति नीतू रानी एवं लेखाकार श्री इसरार अहमद तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

क्षेत्र पंचायत:- स्योहारा

वर्ष:- 2014-15 से 2016-17

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 109— लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त खाते से आहरित धनराशि/व्यय धनराशि रु0 8226689-40 प्रिया सॉफ्ट फीडिंग में अंकित है उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कृत कार्यों के फोटोग्राफ बार-बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रु0 8226689-40 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रघुवीर सिंह, श्री जयपाल सिंह, व ब्लॉक प्रमुख श्रीमति नीतूरानी एवं लेखाकार इसरार अहमद तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 110— लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त खाते आहरित रु0 3944422-16 व्यय धनराशि की प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व्यय दर्शित है उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, फोटोग्राफ कृतकार्यों के बार-बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रु0 3944422-16 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जयपाल सिंह व ब्लॉक प्रमुख श्रीमति नीतू रानी एवं लेखाकार श्री इसरार अहमद तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित की जानी अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 111— लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त खाते से आहरित/व्यय धनराशि रु0 9057303-22 प्रिया सॉफ्ट फीडिंग में व्यय दर्शित है उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कृतकार्यों के फोटोग्राफ बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः रु0 9057303-22 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री उमेश चन्द्र मिश्रा, श्री हिरा सिंह, श्री जयपाल सिंह व ब्लॉक प्रमुख श्री ऋषिराम यादव एवं लेखाकार श्री इसरार अहमद तथा जे0ई0आर0ई0डी0 से बराबर अनुपात में कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

क्षेत्र पंचायत:- मौ0पुर देवमल

वर्ष:- 2011-12 से 2013-14

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 112— लेखा परीक्षा के समय 2011-12 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रुपये 5949243.00** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रुपये 5949243.00** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा कार्यकाल के अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख/लेखाकार/अवर अभियन्ता(सूचना अप्राप्त) के प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 113—लेखा परीक्षा के समय 2012-13 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रुपये 3206846.00** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रुपये 3206846.00** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा कार्यकाल के अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख/लेखाकार/अवर अभियन्ता(सूचना अप्राप्त) के प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 114—लेखा परीक्षा के समय **2013-14** से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रूपये 16014834.00** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रूपये 16014834.00** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा कार्यकाल के अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख/लेखाकार/अवर अभियन्ता(सूचना अप्राप्त) के प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत:- मौ0पुर देवमल

वर्ष:- 2014-15 से 2016-17

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या 115— लेखा परीक्षा के समय **2014-15** से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रूपये 8759294.00** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रूपये 8759294.00** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा कार्यकाल के अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख/लेखाकार/अवर अभियन्ता(सूचना अप्राप्त) के प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 116— लेखा परीक्षा के समय **2015-16** से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रूपये 8272406.00** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रूपये 8272406.00** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा कार्यकाल के अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख/लेखाकार/अवर अभियन्ता(सूचना अप्राप्त) के प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 117— लेखा परीक्षा के समय **2016-17** से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियां, कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार **रूपये 5215763.93** व्यय दर्शित है व्ययों से सम्बन्धित वाउचर आदि मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके कारण उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी है। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रूपये 5215763.93** का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों यथा कार्यकाल के अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख/लेखाकार/अवर अभियन्ता(सूचना अप्राप्त) के प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की समान अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

जनपद का नाम :-मुरादाबाद

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष -2016-17

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियों का विवरण -

क्षेत्र पंचायत-मुरादाबाद वर्ष 2014-15 से 2016-17, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-01 वित्त वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार बैंक से आहरित कुल धनराशि रूपये 795075.40 के व्यय संबंधित व्यय प्रमाणक अथवा पत्रावली अप्राप्त रही। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः उक्त धनराशि रु0 795075.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-1)

प्रस्तर-02 वित्त वर्ष 2015-16 में बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार बैंक से आहरित कुल धनराशि रूपये 9667424.98 के व्यय संबंधित व्यय प्रमाणक अथवा पत्रावली अप्राप्त रही। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः उक्त धनराशि रु0 9667424.98 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2)

प्रस्तर-03 वित्त वर्ष 2016-17 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बैंक से आहरित कुल धनराशि रुपये 1341220.93 के व्यय संबंधित व्यय प्रमाणक अथवा पत्रावली अप्राप्त रही। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः उक्त धनराशि रु0 1341220.43 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-3)

प्रस्तर-04 वर्षान्त 2014-15 में रु0 4096401.90, 2015-16 में रु0 4028767.92 तथा 2016-17 में रु0 10528064.99 धनराशि अवशेष रखी गयी है। उक्त कुल धनराशि रुपये 10528064.99 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जबकि नियमानुसार उसी वित्तीय वर्ष में खर्च कर लिया जाना चाहिए। जो विकास कार्य के प्रति उदासिनता को दर्शाता है। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार लिए उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-4)

योग-22331785.90 / -

क्षेत्र पंचायत- बिलारी वर्ष 2014-15 से 2016-17, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-05 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त का व्यय रु0 8157126.00 के व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः उक्त धनराशि रु0 8157126.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 8157126.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0 1(क))

प्रस्तर-06 वर्ष 2014-15 में तेरवां वित्त व्यय रुपये 4312379.00 के व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0 1(ख))

प्रस्तर-07 निर्माण कार्यों में श्रमांश पर कुल व्यय राज्य वित्त रु0 1308786.00 और तेरवां वित्त से रु0 429969.00 योग रु0 1738755.00 का चेक कार्य प्रभारी के नाम से काटा गया है। जबकि नियमानुसार चेक मजदूरों के नाम से काटा जाना चाहिए। उक्त कुल धनराशि रुपये 1738755.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0 1(ग))

प्रस्तर-08 निर्माण कार्यों से काटा गया कुल टी0डी0एस0 राज्य वित्त से रु0 84148.00 और तेरवां वित्त आयोग से रु0 46606.00 कुल योग रुपये 130754.00 के राजकोष में जमा संबंधी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0 1(घ))

प्रस्तर-09 लेखा परीक्षा में वित्त वर्ष 2014-15 में अन्य विभिन्न मदों पर व्यय कुल रुपये 650411.00 की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में दायित्व अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2)

प्रस्तर-10 अनुदान पंजिका के अनुसार में वित्त वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त का व्यय रु0 1211857.00 है। जबकि लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित निर्माण पत्रावली/व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में दायित्व अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-3)

प्रस्तर-11 अनुदान पंजिका के अनुसार में वित्त वर्ष 2015-16 में तेरवां वित्त का व्यय रु0 2156038.00 है। जबकि लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित निर्माण पत्रावली/व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में दायित्व अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-4)

प्रस्तर-12 लेखा परीक्षा में वित्त वर्ष 2015-16 में अन्य विभिन्न मदों पर व्यय कुल रुपये 1551057.00 की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणकों के अभाव में दायित्व अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-5)

प्रस्तर-13 अनुदान पंजिका के अनुसार में वित्त वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त का व्यय रु0 7217712.00 है। जबकि लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित निर्माण पत्रावली/व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में दायित्व अपुष्ट रहा। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-6)

प्रस्तर-14 अनुदान पंजिका के अनुसार में वित्त वर्ष 2016-17 में तेरवां वित्त का व्यय रु0 65527.00 है। जबकि लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित निर्माण पत्रावली/व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में दायित्व अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-7)

प्रस्तर-15 लेखा परीक्षा में वित्त वर्ष 2016-17 में अन्य विभिन्न मदों पर व्यय कुल रुपये 1825933.00 की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में दायित्व अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-8)

प्रस्तर-16 वर्ष 2016-17 में बारवां/तेरवां वित्त आयोग से प्राप्त व बैंक में जमा अनुदान पर ब्याज रु0 156074.00 प्राप्त हुआ था। गत वर्ष का ब्याज रु0 671749.70 था। इस प्रकार कुल ब्याज रु0 223223.70 था। जिसमें से रु0 107033.00 व्यय कर लिया गया। जो कि गम्भीर अनियमितता है। ब्याज सरकार को न भेजने व शासनादेश का पालन न करने के लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-9)

कुलयोग-29017549.00 /-

क्षेत्र पंचायत- कुन्दरकी वर्ष 2014-15 से 2016-17, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-17 वर्ष 2014-15 में बारवां/तेरवां वित्त आयोग से प्राप्त व बैंक में जमा अनुदान पर ब्याज रु0 11641.00 प्राप्त हुआ था। गत वर्ष का ब्याज रु0 8934.00 था। इस प्रकार कुल ब्याज रु0 20346.00 था। जो अगले वर्ष में सरकार को वापस न करके व्यय कर लिया गया। जो कि गम्भीर अनियमितता है। ब्याज सरकार को न भेजने व शासनादेश का पालन न करने के लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-1)

प्रस्तर-18 वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान पंजिका-3 के अनुसार राज्य वित्त व तेरवां वित्त अनुदान से कुल योग रुपये 9446274.00 के व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-2(क))

निर्माण कार्यों में श्रमांश पर कुल रु0 397594.00 का चेक कार्य प्रभारी के नाम से काटा गया है। जबकि नियमानुसार चेक मजदूरों के नाम से काटा जाना चाहिए। उक्त कुल धनराशि रुपये 397594.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-2(ख))

निर्माण कार्यों से काटा गया कुल टी0डी0एस0 रुपये 119201.00 के राजकोष में जमा संबंधी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपति सं0-2(ग))

क्रय सामग्री से सम्बन्धित धनराशि रुपये 192398.00 से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-2(घ))

दर्शित कार्य में सामग्री लागत से सम्बन्धित धनराशि रुपये 88844.00 से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपति सं0-2(च))

दर्शित कार्य में सामग्री व्ययपर धनराशि रुपये 32993.00 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-2(छ))

दर्शित कार्य में सामग्री पर व्यय सम्बन्धित धनराशि रुपये 90000.00 से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-2(ज))

प्रस्तर-19 लेखा परीक्षा में वित्त वर्ष 2014-15 में अन्य विभिन्न मदों पर व्यय कुल रुपये 2396073.00 की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में दायित्व अपुष्ट रहा। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-3)

प्रस्तर-20 अनुदान पंजिका-3 के अनुसार में वित्त वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग एवं तेरवां वित्त आयोग से कुल व्यय रु0 11918291.85 है। जबकि लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित निर्माण पत्रावली/व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-4)

प्रस्तर-21 लेखा परीक्षा में वित्त वर्ष 2015-16 में अन्य विभिन्न मदों पर व्यय कुल रुपये 3237721.00 की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में दायित्व अपुष्ट रहा। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपति सं0-5)

प्रस्तर-22 वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्माण पत्रावली के अनुसार रुपये 1776835.00 अधिक व्यय किस मद से किया गया है। इसकी सूचना अप्राप्त रही। अतः उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-6(क))

निर्माण कार्यों में श्रमांश पर कुल रु0 602206.00 का चेक कार्य प्रभारी के नाम से काटा गया है। जबकि नियमानुसार चेक मजदूरों के नाम से काटा जाना चाहिए। अतः उक्त कुल धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-6(ख))

निर्माण कार्यों से काटा गया वैट रु0 341045.00, टी0डी0एस0 रुपये 175565.00 तथा सेस चार्ज रु0 85067.00 कुल रुपये 601677.00 के राजकोष में जमा संबंधी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त कुल धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-6(ग))

प्रस्तर-23

लेखा परीक्षा में वित्त वर्ष 2016-17 में अन्य विभिन्न मदों पर व्यय कुल रुपये 4197922.00 की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में दायित्व अपुष्ट रहा। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-7)

कुलयोग-31880654.00 /

क्षेत्र पंचायत- डिलारी वर्ष 2014-15 से 2016-17, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-24 वर्ष 2014-15 में बैंक से आहरण की गयी धनराशि के सापेक्ष किए गये व्यय से सम्बन्धित रुपये 2868405.00 के खर्च से सम्बन्धित पत्रावलियाँ न उपलब्ध कराये जाने के लिए सम्बन्धित लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-1)

प्रस्तर-25 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को किया गया है। कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्रों का अप्राप्त होना। कुल धनराशि रुपये 734710.00 का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। है। अतः उक्त धनराशि रु0 734710.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, ब्लाक प्रमुख व अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2(1))

प्रस्तर-26 कार्य की लागत पाँच लाख रु0 से अधिक होने पर शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी से कार्य योजना अनुमोदित नहीं करायी गयी। मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को किया गया है। कुल दर्शित धनराशि रुपये 110185.00 का भुगतान फर्जी है तथा अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, ब्लाक प्रमुख, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रु0 110185.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, ब्लाक प्रमुख व अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2(2))

प्रस्तर-27 रुपये 10 लाख से अधिक के आंगणन की तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से न लेकर कुल धनराशि 1352479.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी थी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2(3))

प्रस्तर-28 कार्य की लागत पाँच लाख रु0 से अधिक होने पर शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी से कार्य योजना अनुमोदित नहीं करायी गयी। मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को किया गया है। कुल दर्शित धनराशि रुपये 372650.00 का भुगतान अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रु0 372650.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, ब्लाक प्रमुख व अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2(4,अ))

क्षेत्र पंचायत द्वारा निविदाएँ आमंत्रित न करके मनमाने ढंग से सामाग्री क्रय करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिससे प्रतियोगी दरो के लाभ की सीमा तक क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2(4,ब))

प्रस्तर-29 आलोच्य वर्ष में रुपये 205068.00 की कटौती नहीं की गयी है जिससे राजस्व की क्षति हुई है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-3)

प्रस्तर-30 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना मद में रुपये 7500.00 व्यय किया था किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रमाण/पत्रावली नहीं पायी गयी। अतः व्यय अपुष्ट है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं0-4)**

प्रस्तर-31 मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में प्राप्त अनुदान राशि रुपये 1724219.00 का आहरण किया गया था। इस राशि का विवरण नहीं पाया गया। किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रमाण/पत्रावली नहीं पायी गयी। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। अतः उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं0-5)**

प्रस्तर-32 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राजकीय पेयजल योजना व इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी मदों पर दर्शित व्यय धनराशि रुपये 63058.00 से सम्बन्धित के प्रमाणक/पत्रावलियाँ न प्रस्तुत किया जाना। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं0-6)**

प्रस्तर-33 वर्ष 2014-15 में युवक मंगल दल हेतु रुपये 30000.00 प्राप्त हुआ था जिसे वर्ष आडिट में ही व्यय कर दिया गया, दिखाया है। इस व्यय से सम्बन्धित के प्रमाणक/पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं किए गए। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं0-7)**

प्रस्तर-34 वर्ष 2014-15 में प्राप्त आयकर रुपये 160197.00 कोषागार में जमा किए जाने के प्रमाण में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं0-8)**

प्रस्तर-35 वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार से प्राप्त बैंक में जमा रही अनुदान राशि पर प्राप्त ब्याज में से रुपये 52493.00 खर्च किया गया। अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। उक्त धनराशि का दुरुपयोग पाया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं0-9(अ))**

वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार से प्राप्त बैंक में जमा रही अनुदान राशि पर कुल धनराशि रुपये 89664.00 ब्याज प्राप्त हुआ। इस प्राप्त ब्याज की राशि को शासनादेश के अनुसार वर्षान्त में शासन को वापस न करने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं0-9(ब))**

प्रस्तर-36 राज्य वित्त व 14वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त अवशेष राशि रुपये 1460248.00 थी। वह शर्तों के अनुसार दौरान साल ही व्यय न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं0-10)**

प्रस्तर-37 तृतीय राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि में से आहरण की गयी राशि के सापेक्ष रुपये 4472941.00 के कराए गए कार्यों पर हुए व्यय की जाँच हेतु पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं करायी गयी। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन सम्बन्धित लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं0-11(1))**

वर्ष 2015-16 में तेहरवाँ वित्त आयोग सहित किए गए व्यय धनराशि रुपये 3583521.00 की पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावलियाँ अप्राप्त रहीं। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, अ0अभि0 व ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं0-11(2))**

अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2015-16 में प्राप्त अनुदान की बैंक में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज में से रुपये 504.00 व्यय किया गया था जिससे सम्बन्धित विवरण व प्रमाणक नहीं पाया गया। अर्जित ब्याज राज्य सरकार के खातों में जमा किया जाना था। उक्त धनराशि का दुरुपयोग पाया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं0-11(3))**

वर्ष 2014-15 में प्राप्त आयकर कटौती रुपये 130962.00 कोषागार में जमा किए जाने के प्रमाण में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर

अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-11(4))

पंचायत निर्वाचन पर खर्च किये जाने हेतु रुपये 36893.00 बैंक से आहरण किये गये थे। इस व्यय की पुष्टि में कोई विवरण व प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः व्यय अपुष्ट है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपति सं०-11(5))

प्रस्तर-38 आलोच्य वर्ष 2015-16 में तृतीय राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कार्यों की टी0डी0एस0 कटौती उपरान्त सामग्री का दर्शित शुद्ध मूल्य रु 331695.00 का तथा श्रमांश रु0 137740.00 कुल रुपये 469435.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, अ0अभि0, कार्यप्रभारी व ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी है। है। अतः उक्त धनराशि रु0 469435.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, ब्लाक प्रमुख, कार्यप्रभारी व अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपति सं०-12)

प्रस्तर-39 वर्ष 2015-16 में कराये दिखाये दोनों कार्यों के भुगतान से काटे गये आयकर रुपये 6835.00 कोषागार में जमा किए जाने के प्रमाण में चालान आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-13)

प्रस्तर-40 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की बैंक में जमा राशि रुपये 4137667.00 आहरण की गयी थी। जिसे व्यय से सम्बन्धित कराये गये किसी भी कार्य की कोई पत्रावली/प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किये गये। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-14(1))

बिक्री कर की कटौती की गयी धनराशि रुपये 91776.00 के कोषागार में जमा किये जाने के प्रमाण में चालान नहीं पाया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-14(2))

सैस दोरान साल आडिट रुपये 22944.00 काटा गया था। जिसके उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सननिर्माण कर्मकार कल्याण खातों में जमा किये जाने के प्रमाण में प्रमाणक नहीं पाया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-14(3))

वर्ष 2016-17 में आयकर कटौती रुपये 139219.00 की गयी थी। जिसे दौरान साल ही जमा किया दिखाया है। पुष्टि में कोई चालान/प्रमाणक नहीं पाया गया। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-14(4))

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, मनरेगा कन्टीजेंसी व इन्दिरा आवास कन्टीजेंसी योजनाओं हेतु प्राप्त अनुदान धनराशि रुपये 1409899.00 के व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावलियाँ न प्रस्तुत किया जाना। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-14(5))

बैंक में जमा अनुदान राशि पर प्राप्त ब्याज रु0 77.72 सरकार को न भेजकर खर्च कर लिया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक रहा। रुपये 77.72 के व्यय की स्थिति भी संदिग्ध है। उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-14(6))

कुलयोग-23763549.72/-

क्षेत्र पंचायत- भगतपुर टांडा वर्ष 2014-15 से 2016-17, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-41 मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल न होने के कारण लेखा परीक्षा की दृष्टि में धनराशि रुपये 504215.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन कार्यप्रभारी, लेखाकार, अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-1)

प्रस्तर-42 वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कय की गयी निर्माण सामग्री पर वैट रुपये 390028.00 का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए सम्बन्धित कार्यप्रभारी, लेखाकार, अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2)

प्रस्तर-43 लेखा परीक्षा में धनराशि रुपये 3319569.00 के व्ययों के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। प्रमाणकों का न होना समिति के धन का अपहरण है। जिसके लिए सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-3)

प्रस्तर-44 वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक रुपये 8354754.00 की निर्माण सामग्री विधिवत निविदायें आमन्त्रित करके कय नहीं की गई है अपितु टुकड़ों में माल कय किया गया है जिससे क्षेत्र पंचायत न्यूनतम मूल्य पर सामग्री कय करने के लाभ से वंचित रही। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-4)

प्रस्तर-45 शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए था। उपरोक्त शासनादेश की अवहेलना करके अनुदान की राशियों पर प्राप्त ब्याज कुल रु0 175243.40 को वर्षान्त में शासन/विभाग को वापिस न करने के लिये तत्कालीन लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-5)

क्षेत्र पंचायत- ठाकुरद्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-46 वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कय की गयी निर्माण सामग्री पर 4.5 प्रतिशत की दर से वैट न चार्ज किसे जाने से सरकार को रुपये 417764.00 राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, लेखाकार, अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-2)

प्रस्तर-47 एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री टुकड़ों में कय करके टेन्डर प्रक्रिया से बचना व वास्तविकता को छुपाना। क्षेत्र पंचायत द्वारा निविदायें आमन्त्रित न करके मनमाने ढंग से सामग्री कय करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिससे प्रतियोगी दरों के लाभ की सीमा तक क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुँचाई गयी है जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, श्री राजेन्द्र सिंह/श्री राकेश कुमार पाण्डे/श्री राघेन्द्र तिवारी/अनवार शेख उत्तरदायी है। धनराशि 5371023.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-3)

प्रस्तर-48 एक लाख से अधि कमूल्य की ईटें कय की गयी। किन्तु टेन्डर आमन्त्रित नहीं किये गये। क्षेत्र पंचायत में मै0 अलफला ब्रिक बर्क्स से उनके बिल संख्या 432 दिनांक 17.07.2015 के अनुसार रुपये 119625.00 की ईट कय की गयी थीं। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। इस प्रकार मनमानी दर पर ईट कय करके खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवार शेख, ब्लाक प्रमुख श्री मति शवाना बेगम एवं तत्कालीन लेखाकार द्वारा क्षेत्र पंचायत को हानि पहुँचाई गयी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-4) कुलयोग-5908412.00/-

क्षेत्र पंचायत- छजलैट वर्ष 2014-15 से 2016-17, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-49 वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कय की गयी निर्माण सामग्री पर 4 प्रतिशत की दर से वैट न चार्ज किसे जाने से सरकार को रुपये 300565.00 राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। इस राज्य सरकार को हुई हानि के लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, लेखाकार अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-4)

प्रस्तर-50 कय सामग्री टेन्डर प्रक्रिया से बचने के लिये टुकड़ों में कय करके मनमानी दर पर खरीदा जाना। क्षेत्र पंचायत द्वारा निविदायें आमन्त्रित न करके मनमाने ढंग से सामग्री कय करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिससे प्रतियोगी दरों के लाभ की सीमा तक क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुँचाई गयी है जिसके लिए श्रीमती धनकौर सिंघवाल खण्ड विकास अधिकारी, श्री मती ओमकारी देवी ब्लाक प्रमुख, व तत्कालीन लेखाकार एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। इस प्रकार धनराशि 180060.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं0-4)

प्रस्तर-51 बैंक में जमा अमानत राशि पर अर्जित ब्याज सरकार को न दिया जाना। किसी संस्था के द्वारा शासन से अवयुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर

राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्षों में प्राप्त अनुदान पर कुल धनराशि 669802.00 ब्याज अर्जित किया गया था। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। प्राप्त ब्याज को वर्षान्त में शासन को वापिस न करने के तत्कालीन लेखाकार एवं श्री राघवेन्द्र तिवारी/श्री गोरंग राठी/ श्री राजेन्द्र श्रीवास, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-8)

प्रस्तर-52 एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री टेण्डर आमंत्रित न करके कय किया जाना। क्षेत्र पंचायत द्वारा निविदाये आमंत्रित न करके मनमाने ढंग से सामग्री कय करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिससे प्रतियोगी दरों के लाभ की सीमा तक क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुँचाई गयी है जिसके लिए ब्लाक प्रमुख श्री मति ओमकारी देवी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री मति धनकौर सिंहवाल व श्री राघवेन्द्र तिवारी उत्तरदायी है। धनराशि 3233966.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-11)कुलयोग-4384393.00/-

क्षेत्र पंचायत- मूण्डापाण्डे वर्ष 2014-15 से 2016-17, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-53 टेण्डर प्रक्रिया से बचने के लिए टुकड़ों में बिल/वाउचर प्राप्त किया जाना। वर्ष 2014-15 में रुपये 6141888.00 एवं वर्ष 2015-16 में रुपये 4733069.00 कुल धनराशि रुपये 1087457.00 जिसमें से धनराशि रु० 1265973.00 के वाउचर प्राप्त किये गये इस प्रकार अन्तर धनराशि रु० 9608984.00 की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा निविदाये आमंत्रित न करके मनमाने ढंग से सामग्री कय करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिससे प्रतियोगी दरों के लाभ की सीमा तक क्षेत्र पंचायत को क्षति पहुँचाई गयी है जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री मति रागनी सक्सेना/ सर्व श्री रणधीर सिंह/ सुरेन्द्रपाल/अनुज कुमार, ब्लाक प्रमुख श्री पूरन सिंह जूनियर इंजीनियर सर्व श्री नासिर अहमद/मौ० हनीफ एवं लेखाकार सर्व श्री राकेश सक्सेना/आई०पी०मिश्रा/डी०के० अग्रवाल/नरेन्द्र कुमार पाल/ नितिन कुमार उत्तरदायी हैं। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-2(1))

आलोच्य वर्षों में प्रायः सभी सामान मै० अमित एण्ड ऋषभी ब्रिक वर्क्स, मै० किसान सप्लायर व मै० उमंग यादव से इन तीन विक्रेताओं से ही माल कय किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि इनसे निजी हित में मनमानी दरों पर माल कय किया गया था। जिस पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-2(2))

वर्ष 2015-16 में कुल रुपये 1265973.00 के कय दर्शित सामान के उपयोग से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाये गये। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों का न होना कय स्टॉक का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रणधीर सिंह व लेखाकार श्री डी०के० अग्रवाल उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रु० 1265973.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-2(3))

प्रस्तर-54 क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य हेतु कय की गयी निर्माण सामग्री पर 4.5 प्रतिशत की दर से धनराशि रुपये 434999.00 वैट की कटौती नहीं की गयी है। जिससे सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। उक्त धनराशि की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री मति रागनी सक्सेना/ सर्व श्री रणधीर सिंह/सुरेन्द्रपाल/अनुज कुमार एवं लेखाकार सर्व श्री राकेश सक्सेना/आई०पी०मिश्रा/डी०के० अग्रवाल/नरेन्द्र कुमार पाल/ नितिन कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-3)

प्रस्तर-55 बिना टेण्डर आमन्त्रित किये क्षेत्र पंचायत द्वारा रुपये 100000.00 से अधिक का माल कय करके शासनादेश का उलंघन करते हुये कुल रुपये 474867.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसे लिये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति रागनी सक्सेना/सर्व श्री रणधीर सिंह व लेखाकार श्री डी०के० अग्रवाल उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-4)

प्रस्तर-56 विकास भवन में बिजली फिटिंग, खिड़की में जाली लगवाई कार्य का भुगतान रुपये 26000.00 मै० शक्ति इलैक्ट्रिक एवं मौ० रफी इलैक्ट्रिक को हुआ दर्शित है। किन्तु व्यय के सापेक्ष एस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा एम०बी० मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त राशि का फर्जी व्यय दर्शाकर खण्ड विकास अधिकारी श्री रणधीर सिंह व ब्लाक प्रमुख श्री पूरन सिंह व जूनियर इंजिनियर श्री नासिर अहमद तथा लेखाकार श्री डी०के० अग्रवाल तथा कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र पाल कैशियर द्वारा अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रणधीर सिंह व ब्लाक प्रमुख श्री पूरन सिंह व जूनियर इंजिनियर श्री नासिर अहमद तथा लेखाकार श्री डी०के० अग्रवाल तथा कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र पाल कैशियर उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-6)

प्रस्तर-57 बैंक में जमा अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज सरकार को न दिया जाना। किसी संस्था के द्वारा शासन से अवयुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्षों में प्राप्त अनुदान पर कुल धनराशि 282343.79 ब्याज अर्जित किया गया था। उक्त धनराशि

की गम्भीर अनियमितता पायी गयी है। प्राप्त ब्याज को वर्षान्त में शासन को वापिस न करने के तत्कालीन लेखाकार श्री राकेश सक्सेना/श्री डी०के० अग्रवाल/श्री नितिन कुमार व खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति रागिनी सक्सेना/श्री रणधीर सिंह/श्री अनुज कुमार उत्तरदायी है। उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपति सं०-8)

कुलयोग-12093166.79/-

प्रारूप-3

जनपद का नाम- कौशाम्बी

सम्भाग - प्रयागराज

क्षेत्र पंचायत - चायल

प्र०सं० 1:- योजना - राज्य वित्त आयोग वर्ष 2011-12

परियोजना - उमरपुर नीवां में अशोक रैदास के घर के सतदुल के घर तक इण्टरलॉकिंग 200 मी०

अनुमानित लागत - 7.80 लाख

खण्ड वि० अधि० - श्री करुणा शंकर

जे०ई० (आरईडी) - श्री रत्नाकर सिंह

लेखाकार - श्री मुकुन्द कृष्ण

उपरोक्त परियोजना की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी-

(क) पत्रावली में संलग्न प्रतिवेदन में अवर अभियन्ता ने लिखा है कि 290 मी० में इण्टरलॉकिंग करायी जानी है। वर्तमान में 295 मी० में खड़प्पा लगा है जो क्षतिग्रस्त है जिसे निकालकर लेवलिंग कर इण्टरलॉकिंग की जानी है, किन्तु कार्य होते समय खड़प्पे से निकली ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। लेखा परीक्षानुसार 290X3 के खड़प्पे में 60 ईंट प्रति वर्गमी० की दर से 870X60=52200 ईंट लगी होती है। यदि 50% ईंट निकली तो 26100 ईंट होगी। किन्तु खड़प्पे से निकली ईंटों का प्रयोग न कर 26100X3000/- प्रति हजार (अनुमानित) की दर से रु० 7800 के राजकीय राजस्व की क्षति की गयी जिसकी व्याज सहित वसूली तत्कालीन ख० वि० अधि० श्री करुणाशंकर, जे०ई० आर०ई०एस० श्री रत्नाकर सिंह तथा लेखाकार मुकुन्द कृष्ण से की जानी अपेक्षित है।

(ख) परियोजना की पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन में दर्शित है कि रु० 654974.50 सामग्री पर व्यय तथा रु० 122325.00 श्रमांश पर व्यय होना है जिसकी आपूर्ति हेतु टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए जबकि पत्रावली के अनुसार कोटेशन के माध्यम से सामग्री मंगायी गयी। जबकि शासनादेश सं० ए-1-864/दस-ओसी.15(1)-86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 में स्पष्ट कहा गया है कि निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री क्रय हेतु 1 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। इससे स्पष्ट है कि निर्माण नियमावली व वित्तीय नियमों का पालन न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

(ग) पत्रावली की जाँच में पाया गया कि नियमानुसार कार्य प्रारम्भ के पूर्व, कर के मध्य तथा कार्य पूर्ण के पश्चात का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि परियोजना पर व्यय धनराशि में वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए ख० वि० अधि० श्री करुणाशंकर, जे०ई० आर०ई०एस० श्री रत्नाकर सिंह तथा लेखाकार मुकुन्द कृष्ण पर विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्र०सं० 2 :- योजना - राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त वर्ष 2011-12

परियोजना - विकास खण्ड परिसर में मीटिंग हाल का मरम्मत कार्य।

अनुमानित लागत - 3.67 लाख

कार्य प्रभारी - मो० नसर

उपरोक्त परियोजना की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत के निर्माण नियमावली 1984 के नियमों का पालन नहीं किया गया।

(क) पत्रावली में संलग्न बिल ऑफ क्वान्टिटी (अब्स्ट्रेक्ट ऑफ कास्ट) से स्पष्ट है कि रु० 334044.00 सामग्री पर व्यय होना है तथा 33433.00 श्रमांश पर। शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)-86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 में स्पष्ट निर्देश है कि निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु 1 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा किन्तु पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का कोटेशन/टेण्डर का विज्ञापन पत्रांक/दिनांक संलग्न नहीं है। कोटेशन के तुलनात्मक चार्ट के अनुसार मे० हर हर महादेव सैयदसरावा को प्रथम श्रेणी ईंट का रु० 3700/हजार की दर से कोटेशन स्वीकृत किया गया है, शेष सामग्री का कोटेशन/टेण्डर सम्बन्धी कोई प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) पत्रावली में संलग्न ख० वि० अधि० कार्यालय पत्रांक 777 दिनांक 02.12.2011 को कार्यप्रभारी श्री मो० नसर को निर्माण कार्य की फोटोग्राफी कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु पत्रावली में कार्य प्रा० के पूर्व, मध्य तथा कार्य पूर्ण के पश्चात का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

(ग) पत्रावली में संलग्न म०रो० की जाँच में पाया गया कि म०रो० पर कार्य प्रारम्भ व कार्य समाप्ति की तिथि अंकित नहीं है। म०रो० पर मजदूरों की अंगूठा निशानी भी प्रमाणित नहीं है, जिससे भुगतान की पुष्टि न हो सकी। श्रमांश भुगतान—20440.00 रहा। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त विवरण के आधार पर परियोजना पर व्यय धनराशि रु० 264760.00 अनियमित रही। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री करुणाशंकर, जे०ई० आर०ई०एस० श्री रत्नाकर सिंह, लेखाकार श्री मुकुन्द कृष्ण तथा कार्यप्रभारी श्री मो० नसर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्र०सं०३ :- योजना- राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त, वर्ष 2011-12

परियोजना — उमरपुर नीवां में काली माई थान से राजा साहु के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली कार्य।

अनुमानित लागत	—	6.49 लाख
कार्य प्रभारी	—	श्री हरिओम गुप्ता (ग्रा०प०अधि०)
अवर अभि०	—	श्री रत्नाकर सिंह
खण्ड वि०अधि०	—	श्री करुणाशंकर

उपरोक्त परियोजना की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियां पायी गयीं—

(क) परियोजना पर कुल व्यय रु० 644448.00 दर्शित है जिसमें सामग्री पर व्यय रु० 539980.00 तथा मजदूरी पर व्यय रु० 104500.00 रहा। शासनादेश सं० ए-1-864/10-08-15 (1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु 1 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। किन्तु पत्रावली की जाँच में पाया गया कि केवल ईट क्रय का कोटेशन पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि सामग्री क्रय में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है।

(ख) कार्यप्रभारी का नियुक्ति आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

(ग) परियोजना की तकनीकी स्वीकृत दिनांक 02.09.2011 को सहायक अभियन्ता डी०आर०डी०ए० द्वारा किया गया था जबकि हर हर महादेव आपूर्तिकर्ता के बिल पर दिनांक 01.04.2011 के माध्यम से ईट 10000 दर 3700/- हजार तथा ईट गिट्टी 40 घनमी० दर 450/घनमी० की दर से रु० 18000/- कुल सामग्री क्रय रु० 55000.00 दर्शित है। इसी प्रकार बिल में आदित्य इण्टरप्राइजेज से दिनांक 01.04.2011 के माध्यम से 8000 इण्टरलॉकिंग ईट दर 13/- नग मु० 104000.00 की सामग्री की आमद दर्शित है। तकनीकी स्वीकृति के 5 माह पूर्व सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध प्रतीत होती है।

(घ) प्राक्कलन में समरी ऑफ कास्ट में साइनबोर्ड की कीमत रु० 3000/- अंकित है जबकि हर्ष इण्टरप्राइजेज को दिनांक 01.09.2012 के बिल के माध्यम से साइनबोर्ड का भुगतान रु० 4000/- किया गया है। चेक सं० 941408 दिनांक 08.10.2012 के माध्यम से रु० 18300/- का भुगतान जिसमें सीमेन्ट 53X260=14300+4000 साइनबोर्ड। इस प्रकार इस्टीमेट से अधिक भुगतान वित्तीय नियमों के विपरीत रहा।

(ङ) म०रो० की जाँच में पाया गया कि म०रो० नं० 5 दिनांक 01.09.2012 से 15.09.2012 कार्यदिवस 104 मु० 19260.00 म०रो० नं० 6 दिनांक 25.08.2012 से 31.08.2012, 63 कार्यदिवस मु० 8960.00 म०रो० नं० 7 दिनांक 10.07.2012 से 17.07.2012, 112 कार्यदिवस मु० 15840.00, म०रो० 8 दिनांक 24.06.2012 से 30.06.2012, 112 कार्यदिवस मु० 15440.00 कुल मजदूरी भुगतान रु० 59500.00 रहा। किन्तु उक्त म०रो० पर कार्य का नाम अंकित न होने से इस बात की पुष्टि न हो सकी कि उक्त मजदूरी भुगतान इसी परियोजना का है।

(च) उपरोक्त परियोजना का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं एम०बी० बुक के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने से कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि न हो सकी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि परियोजना की काल्पनिक पत्रावली तैयार कर मु० 644480.00 का व्यपहरण किया गया है जिसकी व्याज सहित वसूली तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री करुणाशंकर, जे०ई० आर०ई०एस० श्री रत्नाकर सिंह, कार्यप्रभारी श्री हरिओम गुप्ता तथा लेखाकार श्री मुकुन्द कृष्ण से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०४ :- योजना- राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त

परियोजना — लल्लन यादव के घर के आगे अवशेष भाग पर इण्टरलॉकिंग 90X2 मी०

अनुमानित लागत	—	2.82 लाख
कार्य प्रभारी	—	श्री रामभजन मौर्य

उपरोक्त परियोजना की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उ०प्र०क्षे०प०/जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 का पालन नहीं किया गया।(क)(ख)(ग)

(क) पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन के अनुसार परियोजना पर सामग्री हेतु रु० 238027 तथा श्रमांश पर रु० 4028000 तथा साइनबोर्ड पर रु० 4000 का व्यय होना था। शासनादेश संख्या ए-1-864/दस- 108-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु 1 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय करने के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। किन्तु पत्रावली की जाँच में पाया गया कि मात्र इण्टरलॉकिंग ईट सं० 6480 दर रु० 16 प्रति ईट की दर से कुल मूल्य

रु0 103680.00 का कोटेशन लिया गया है जबकि टेण्डर आमंत्रित करना अपेक्षित था। इससे स्पष्ट है कि नियमों के विपरीत सामग्री क्रय की गयी।

(ख) राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देश एवं खण्ड विकास अधिकारी के पत्रांक 433 दिनांक 4/9/2012 के द्वारा निर्देशित कार्य प्रारम्भ के पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न होना चाहिए किन्तु पत्रावली में कोई फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाया गया।

(ग) म0रो0 की जाँच में पाया गया कि मजदूरों की अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं है तथा उपस्थिति लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी के नाम व हस्ताक्षर नहीं रहा।

(घ) म0रो0 पर कार्य की माप की जागह माप पुस्तिका नं0 15 पेज सं0 158-60 अंकित रहा। किन्तु लेखा परीक्षा में एम0बी0 बुक प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे कराये गये कार्य की पुष्टि न हो सकी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परियोजना पर भुगतान रु0 278597.00 अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री सत्यनारायण, जे0ई0 आर0ई0एस0 श्री रत्नाकर सिंह तथा लेखाकार श्री मुकुन्द कृष्ण व कार्य प्रभारी श्री राम भजन मौर्य के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्र0सं05 :-योजना- राज्य वित्त आयोग वर्ष 2013-14

परियोजना - चमौली में करन सिंह के घर से बब्लू पटेल के घर तक सी0सी0 रोड

अनुमानित लागत - 6.81 लाख

जेई (आर0ई0एस0) - श्री रत्नाकर सिंह

ख0वि0अधि0 - श्री एस0एन0 सिंह

उपरोक्त परियोजना की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं—(क)(ख)(ग)

(क) परियोजना में प्रयुक्त सामग्री महीन बालू 45 घनमी0, मोटी बालू 41 घनमी0 तथा पत्थर गिट्टी 81 मी03 पर रायल्टी जमा की पुष्टि में एम0एम0-11 पत्रावली में संलग्न नहीं रहा और न ही सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेन्सी मे0 राजा कन्स्ट्रक्शन खगहा चायल से बिल / चेक नं0 94148 दिनांक 10.10.13 मु0 526579.00 से कटौती की गयी। शासनादेश सं0 594/77-5-2001/200-77 ही दिनांक 02.02.2001 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध एम एम .11 के आधार पर परिवहन किये गये हैं। जिन मामलों में रायल्टी का भुगतान किये बिना उपखनिजों की आपूर्ति हुई है। उनके बिलों के भुगतान करने से पूर्व निर्धारित रायल्टी धनराशि की कटौती का संगत लेखाशीर्षक में अवश्य जमा करा दिया जाय। उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है।

(ख) पत्रावली में संलग्न ख0वि0अधि0 के पत्रांक 928 दिनांक 16.10.2013 के अनुसार निर्माण कार्यों की फोटोग्राफी प्रा0 मध्य तथा कार्य पूर्ण की कराये जाने के निर्देश के बाद भी पत्रावली में संलग्न तीनों फोटोग्राफ कार्य पूर्ण होने के बाद के हैं, जबकि कार्य प्रा0 के पूर्व तथा कार्य के मध्य का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न होना चाहिए।

(ग) पत्रावली में संलग्न म0रो0 नं0 1 से रु0 47854.00 (2) मु0 23756.00 (3)16898.00 (4) मु0 7602.00 कुल मु0 96110.00 का भुगतान किया गया है। किन्तु म0रो0 की जाँच में पाया गया कि श्रमिकों का अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं है और न ही उपस्थिति लेने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर है। म0 रोलों पर कार्य की मा0 अंकित नहीं है जबकि एम0बी0 नं0 17 पृष्ठ 78-80 अंकित है। किन्तु लेखा परीक्षा में मापांकन बुक जाँच हेतु उपलब्ध करायी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त परियोजना पर व्यय की गयी धनराशि रु0 6.81 लाख अनियमित रही जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि0 (श्री सत्यनारायण), जे0ई0 आर0ई0एस0 श्री रत्नाकर सिंह तथा लेखाकार श्री मुकुन्द कृष्ण के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्र0सं06 :-योजना-राज्य वित्त आयोग/तेरहवाँ वित्त, वर्ष 2013-14

परियोजना - विकास खण्ड चायल के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों/मजरों में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य-200 नग

अनुमानित लागत - 164800

अवर अभि0 - श्री रत्नाकर सिंह

ख0वि0अधि0 - श्री एस0एन0 सिंह

कार्य प्रभारी - श्री मनीष कुमार (ए0डी0ओ0)(सी)

उपरोक्त परियोजना के पत्रावली की जाँच में पाया गया कि ख0वि0अधि0 कार्यालय के पत्रांक 1017 दिनांक 16.03.2013 को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) जनपद कौशाम्बी को उक्त कार्य का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु भेजा किन्तु अधिशासी अभियन्ता ने पत्रांक 2212 दिनांक 03.05.2014 द्वारा तकनीकी आख्या (रिपोर्ट) सम्बन्धी अभिलेख मूलरूप में वापस कर लिखा कि तकनीकी स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी के कार्यक्षेत्र में नहीं है। तकनीकी स्वीकृति एजेन्सी से करायी जाय। इससे स्पष्ट है कि परियोजना की तकनीकी स्वीकृति नहीं मिली।

तकनीकी स्वीकृति न मिलने के बाद भी ये सिंह इण्टरप्राइजेज से 60 नग सोलर लाइट दर 7350.00 की दर से लगवायी गयी जिसका भुगतान रु0 413552.00 चेक सं0 941449 दिनांक 31/8/13 के माध्यम से

किया गया जो भुगतान तकनीकी स्वीकृति के अभाव में अनियमित रहा। जिसके लिए ख०वि०अधि० श्री एस०एन० सिंह तथा लेखाकार श्री मुकुन्द कृष्ण के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्र०सं० 7 :-योजना- राज्य वित्त आयोग वर्ष 2013-14

परियोजना - चरवा के मजरा सझिया में सत्यनारायण के घर से के घर तक इण्टरलॉकिंग।

अनुमानित लागत	-	2.20 लाख
ख०वि०अधि०	-	श्री एस०एन० सिंह
जेई ;आर०ई०एस०	-	श्री रत्नाकर सिंह
लेखाकार	-	श्री मुकुन्द कृष्ण
कार्य प्रभारी	-	श्री वेद प्रकाश (ग्रा०वि०अधि०)

उपरोक्त पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सामग्री भुगतान में राजा कन्स्ट्रक्शन को रू० 161416.00 तथा मिट्टी ट्रेक्टर भुगतान रू० 1900.00 तथा म०रो० से मजदूरों का भुगतान रू० 32440.00 किया गया दर्शित है किन्तु म०रो० पर मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये जिससे कार्य होने की पुष्टि न हो सकी। म०रो० पर कार्य का माप तथा मापांकन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं पाये गये। म०रो० पर अंकित माप पुस्तिका नं० 17 पृष्ठ 130 से 135 भी कार्य की पुष्टि में लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य का होना संदिग्ध रहा। स्पष्ट है कि परियोजना की कल्पित पत्रावली तैयार कर धन का अपहरण किया गया है। अतः परियोजना पर व्यय रू० 195750.00 की व्याज सहित वसूली ख०वि०अधि० श्री एस०एन० सिंह, जे०ई आर०ई०एस० श्री रत्नाकर सिंह तथा लेखाकार श्री मुकुन्द कृष्ण लाल से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं० 8 :-योजना- बी०आर०जी०एफ० वर्ष 2014-15 / 2015-16

परियोजना - चलौली में जुगराज सिंह के घर से किशन पटेल के घर तक सी०सी० रोड 546 मी०

अनुमानित लागत	-	12.84 लाख
जेई ;आर०ई०एस०	-	श्री रत्नाकर सिंह
ख०वि०अधि०	-	श्री एस०एन० सिंह

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि परियोजना पर कुल व्यय में राहुल को चेक नं० 078708 से मु० 939169.00 20.6.15

व्यापार मद चेक नं० 078710 से मु० 40615.00 20.06.15

आयकर मद चेक नं० 078709 से मु० 22744.00 20.6.15

रायल्टी मद चेक नं० 492473 से मु० 4230.00 06.05.15

लेबर सेस मद चेक नं० 078712 से मु० 2688.00 25.06.15

1009446.00

उपरोक्त परियोजना की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं-

(क) कार्यालय ख०वि०अधि० के पत्रांक 874 दिनांक 27.03.15 के माध्यम से मे० राहुल चक गिरिया खालसा को बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत जुगराज सिंह के घर से किशन पटेल के घर तक सी०सी० रोड निर्माण पूर्ण कराने हेतु निविदा सूचना के क्रम में दिनांक 25.02.2015 में निविदा मूल्य 12.523 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दो माह के अन्दर कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया गया। किन्तु निविदा का विज्ञापन तथा ठेकेदारों से प्राप्त निविदा व निविदा का तुलनात्मक विवरण पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया जिससे निविदा का तुलनात्मक विवरण पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया जिससे निविदा के प्रकाशन की पुष्टि न हो सकी जिससे स्पष्ट है कि बिना निविदा के ही मे० राहुल को परियोजना का कार्य दिया गया।

(ख) पत्रावली में संलग्न बालू तथा गिट्टी के एम एम .11 (खवन्ना) कार्य प्रारम्भ के पूर्व अर्थात् 20-11-14 या कार्य पूर्ण होने के बाद अर्थात् 15/5/15 के बाद के हैं। कुल खवन्ना 103.5 मी० के हैं जो कि वैध नहीं है। शासनादेश सं० 594/77-5-2009/ 200/77 वी०सी०-1 दिनांक 02.02.2001 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली उपखनिजों पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध एम एम .11 के आधार पर परिवहन किये गये हैं, जिन मामलों में रायल्टी का भुगतान किये बिना उपखनिजों की आपूर्ति हुई हो उनके बिल के भुगतान के पूर्व निर्धारित प्रारूप पर रायल्टी की धनराशि कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में अवश्य जमा करा लिया जाय। उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है।

(ग) पत्रावली में कार्य के होने की पुष्टि में नियमानुसार कार्य प्रारम्भ के पूर्व, कार्य होते समय तथा कार्य पूर्ण होने का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न होना चाहिए। किन्तु पत्रावली में कार्य प्रारम्भ के पूर्व तथा कार्य होते समय का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(घ) पत्रावली में संलग्न उपभोग/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 27.03.2015 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 20.06.2015 अंकित है जबकि उक्त कार्य बिल से स्पष्ट होता है कि दिनांक 15.05.2015 को एम०बी० नं० /7 पेज सं० 141 से 150 पर अवर अभियन्ता द्वारा मापन किया गया।

(ड) पत्रावली की जाँच में पाया गया कि ठेकेदार मे० राहुल का हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र न लगाकर उनके पिता श्री रामप्रकाश का लगाया गया है जबकि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक-721 दिनांक 15-13 के प्रजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार श्री राहुल पुत्र श्री रामप्रकाश पता चक गिरिया खालसा पिपरी को कि मद में जनपद कौशाम्बी में सिविल निर्माण कार्य हेतु 'डी' श्रेणी के अन्तर्गत पंजीयन सं० 73/20/12-13 दिनांक 03.06.2015 द्वारा पंजीकृत किया गया है, इस प्रकार मे० राहुल को बिना ठेकेदार के रूप में पंजीयन के पहले ही ठेका नियमों के विपरीत ठेका दिनांक 25.02.2015 को दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि काल्पनिक पत्रावली तैयार कर रु० 1009448.00 का अपहरण किया है। जिसके लिए ख०वि०अधि० श्री एस०के० त्रिपाठी, जे०ई० आर०ई०एस० श्री रत्नाकर सिंह, लेखाकार श्री मुकुन्द लाल उत्तरदायी रहे। जिसकी ब्याज सहित वसूली उपरोक्त से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०९ :-योजना- 13वाँ वित्त

वर्ष 2014-15

परियोजना - विकास खण्ड चायल के ग्राम पंचायत शेखपुर रसूलपुर कोइलहा, चिल्ला सहवाजी, मोहम्मदपुर विलासपुर एवं कठरा में सोलर लाइट लगाने का कार्य।

अनुमानित लागत - 4.91 लाख

जेई रिपोर्ट - उक्त कार्य की 5 वर्षों की गारन्टी दी जाती है।

वास्तविक व्यय - रु० 490018.00

उक्त उपरोक्त पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गयी हैं-

(क) खण्ड विकास अधिकारी के पत्रांक 828 दिनांक 10.03.2015 से अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण को 21 नग सोलर लाइट लगाने का आदेश दिया गया। खण्ड विकास अधिकारी के पत्रांक 165 दिनांक 23.05.2015 को मे० जेनम सोलर पावर म्योर रोड इलाहाबाद को निविदा दिनांक 27.03.2015 को प्राप्त होने एवं निविदा स्वीकृत होने की सूचना देते हुए एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ कराते हुए एक माह के अन्दर गुणवत्तापूर्वक कार्य कराते हुए अवर अभियन्ता से मापांकन की कार्यवाही के बाद बिल आदि अवर अभियन्ता की संस्तुति सहित कार्यालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। जबकि निविदा निकाले जाने सम्बन्धी कोई प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं थे। जिससे स्पष्ट है कि निविदा आमंत्रित ही नहीं की गई। इस प्रकार बिना निविदा आमंत्रण के ही व्यक्ति विशेष को ठेका देकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी।

(ख) फर्म को ठेका देने के समय 5 ठेके की धनराशि का 5% (पाँच) जमानत राशि जमा कराने के बजाय भुगतान के समय दिनांक 25.06.2015 को यू०बी०आई० शाखा चायल के एकाउन्ट नं० 102498 में रु० 24500.00 जमा कराया गया दर्शित है जो कि नियम विरुद्ध रहा।

(ग) उपरोक्त कार्य के बिल पर श्री आ०पी० कैथल अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 05.06.2015 को एम एम करके एम बी बुक नं० 17 पृष्ठ 153 से 155 पर अंकित किया जाना दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा में एम बी बुक प्रस्तुत न करने से उपरोक्त कार्य एवं भुगतान की पुष्टि न की जा सकी।

(ड) जेनम सोलर पावर के बिल रु० 490018 से 4% वैट रु० 19600.00 तथा आयकर 2.24% मु० 10976.00 की कटौती कर जमा प्रपत्र पत्रावली में संलग्न किया गया किन्तु 1% सेस की कटौती मु० 4009.00 की कटौती की गई दर्शित है किन्तु उक्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने की पुष्टि में कोई प्रपत्र संलग्न नहीं रहा। जिससे उक्त धनराशि के जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परियोजना में कथित धनराशि रु० 490018.00 अनियमित रही जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री एस०के० त्रिपाठी, जेई (आर०ई०एस०) श्री आर०पी० कैथल तथा लेखाकार श्री मुकुन्द कृष्ण लाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्र०सं०१० :-योजना- तेरहवाँ वित्त आयोग

वर्ष 2015-16

परियोजना - विकास खण्ड चायल में सोलर पावर पैक की स्थापना।

अनुमानित लागत - 0.91 लाख

भुगतान - जेनम सोलर पावर को चेक सं० 197687 दिनांक 27.07.2015

मु० 89050.00

उपरोक्त पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं-

(क) उपरोक्त कार्य के बिल में दिनांक 29.05.2015 को एम०बी० बुक सं० 17 के पृष्ठ सं० 150-155 पर कार्य का मापन दर्ज किया जाना अवर अभि० श्री आर०पी० कैथल द्वारा अंकित किया गया है। जबकि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवर अभि० श्री कैथल के उपरोक्त कथन को दिनांक 27.07.2015 को प्रमाणित किया गया है। किन्तु मे० जेनम सोलर पावर म्योर रोड इलाहाबाद का बिल पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया जिससे भुगतान संदिग्ध रहा।

(ख) कार्यालय ख०वि० अधिकारी के पत्रांक 187 दिनांक 30.05.2015 में अंकित है कि कोटेशन 29/5/15 को प्राप्त कर दिनांक 30.05.2015 को कार्यादेश दिया गया। कार्यादेश के पहले ही अवर अभि० द्वारा एम बी करके एम बी बुक में दर्ज करना कल्पित रहा।

(ग) उपरोक्त कार्य की कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पर ख०वि०अधि० के हस्ताक्षर नहीं रहे तथा उपकरण स्थापना का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं होना कार्य के होने को संदिग्ध करता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परियोजना पर व्यय धनराशि रू० 89050.00 कल्पित सिद्ध होता है जिसकी व्याज सहित वसूली तत्कालीन ख०वि०अधि०, जेई (आर०ई०एस०) तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०11 :-योजना- राज्य वित्त आयोग वर्ष 2015-16

परियोजना - ग्राम पंचायत चरवा में रामविशाल के दरवाजे से महावीर के दरवाजे तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली अनुमानित लागत - 2.35 लाख

जेई (आर०ई०एस०) - श्री रत्नाकर सिंह

ख०वि०अधि० - श्री आर०पी० कैथल

उपरोक्त परियोजना की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि बिल के माध्यम से श्री राम प्रकाश ठेकेदार को चेक के माध्यम से चेक सं० 547593 दिनांक 15.10.2015 को रू० 167885.00 का भुगतान किया गया। कटौती के रूप में सेस रू० 1809 चेक सं० 547592 दिनांक 15.10.2015 की कटौती की गयी, रू० 7240.00 व्यापार कर व 4054.00 आयकर जमा की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं। उपरोक्त पत्रावली में निम्न कमियाँ पायी गयीं-

(1) परियोजना के टेण्डर के विज्ञापन सम्बन्धी कोई प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं रहा जिससे इस बात की पुष्टि न हो सकी कि टेण्डर का विज्ञापन किया गया।

(2) ठेकेदारों के निविदा का तुलनात्मक विवरण भी पत्रावली में नहीं पाया गया।

(3) ठेकेदारों का हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र व 2% धरोहर धनराशि सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में नहीं पाया गया।

(4) बिल पर कार्य का मापांकन अवर अभि० (आर०ई०एस०) द्वारा एम बी

बुक सं० 18 के पृष्ठ 26-27 पर किया जाना दर्शित है, किन्तु लेखा परीक्षा में एम बी का प्रस्तुत न करने को कार्य में होने की पुष्टि न हो सकी।

(5) नियमानुसार कार्य के प्रारम्भ, कार्य होते समय तथा कार्य के पूर्ण होने का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न होना चाहिए किन्तु कोई भी फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि उक्त परियोजना पर ठेके के नियमों तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन न करके गम्भीर अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीरा रानी गुप्ता तथा जेई (आर०ई०एस०) श्री आर०पी० कैथल एवं लेखाकार श्री मुकुन्द कृष्ण लाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्र०सं०12 :-योजना- राज्य वित्त आयोग वर्ष 2016-17

परियोजना - विकास खण्ड परिसर में कार्यालय/सहायक विकास अधिकारी कार्यालय का मरम्मत कार्य।

अनुमानित लागत - 85293.00

उपरोक्त पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) पत्रावली में कार्य का कार्यादेश संलग्न नहीं पाया गया।

(ख) कार्य प्रभारी का नियुक्ति पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

(ग) कोटेशन/निविदा सम्बन्धी कोई प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये।

(घ) विज्ञापन भी संलग्न नहीं पाया गया।

(ङ) केवल कार्यालय का बिल संलग्न है, जिसमें अवर अभियन्ता श्री मोहम्मद मोवीन द्वारा बिल में 28-10-16 को एम बी बुक नम्बर 17 के पृष्ठ संख्या 188 पर मापांकन अंकित किया जाना दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में एम बी बुक प्रस्तुत नहीं की गई है।

(च) पत्रावली में संलग्न सहायक विकास अधिकारी (सी) कार्यप्रभारी के पत्र से पता चलता है कि पत्रांक 488 दिनांक 01.09.2016 को कार्यालय मरम्मत हेतु कार्य प्रभारी बनाया गया था तथा ओम कांस्ट्रक्शन फर्म द्वारा कार्य कराया गया था।

चेक नं० 547630 दिनांक 28.11.16 मु० 1903.00 आयकर कटौती।

चेक नं० 547631/दिनांक 28.11.16 मु० 3398.00 व्यापार कर कटौती।

चेक नं० 547632 दिनांक 28.11.16 मु० 79653.00 ओम कांस्ट्रक्शन

भुगतान की स्वीकृति पर लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर दिनांक 28.11.2016 को किये गये परन्तु ब्लाक प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

पत्रावली में संलग्न कार्य प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (सी)के पत्र से स्पष्ट है कि कार्य दैनिक मजदूरी पर कराया गया तब मजदूरों का मस्टर रोल पत्रावली में संलग्न होना चाहिए तथा सामग्री के भुगतान की धनराशि फर्म को चेक के माध्यम से होना चाहिए जबकि पूरा भुगतान रू० 79653.00 ओम कांस्ट्रक्शन को दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य न कराकर कल्पित कार्य पर व्यय दर्शाकर रू० 85293.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी व्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्योधन, जेई (आर०ई०एस०) श्री मो० मोविन तथा लेखाकार श्री मुकुन्द कृष्ण लाल से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम— कौशाम्बी**सम्भाग — प्रयागराज****क्षेत्र पंचायत — मूरतगंज**

प्र0सं013 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 की परियोजना “विकास खण्ड परिसर में चबूतरा निर्माण, बाउण्ड्रीवाल मरम्मत एवं उच्चीकरण तथा रंगाई-पोताई” कार्य जिसकी विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.08.2016 को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की विज्ञप्ति (टेण्डर हेतु) हिन्दुस्तान समाचार पत्र द्वारा दिनांक 08.08.2016 निर्गत के उपरान्त उक्त कार्य तीन माह के अन्दर पूर्ण करने के आदेश दिये जाने हेतु अनुमानित लागत रु0 5.57 लाख जेई (आर0ई0एस0) द्वारा स्वीकृत पर श्री सुशील कुमार गुप्ता जेई (एम.आई.) को कार्य प्रभारी नियुक्ति के उपरान्त सामग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर श्री धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव को स्वीकृत किये जाने के उपरान्त एस0.के.एस0. कन्स्ट्रक्शन द्वारा दिनांक 02.09.2016 को विभिन्न निर्माण/मरम्मत सामग्रियों की आपूर्ति का बिल मु0 रु0 217042.00 प्रस्तुत किये जाने पर आयकर, विक्रीकर तथा रायल्टी की कुल कटौतियाँ रु0 7556.00 करने के बाद दिनांक 12.09.2016 को चेक संख्या 000147 द्वारा रु0 209486.00 का भुगतान किया गया है। उक्त सामग्री के उपभोग में दिनांक 01.09.2016 से 07.09.2016 तक कार्य का मस्टर रोल भी मु0 रु0 76000.00 का जेई (आर0ई0एस0) एवं कार्य प्रभारी के माध्यम से प्रस्तुत करने का भुगतान दिनांक 12.09.2016 को चेक संख्या 000150 द्वारा किया गया है। उक्त पत्रावली एवं स्थानीय जाँच में निम्न खामियाँ उजागर हुई हैं—

(क) अनुमानित लागत रु0 5.57 लाख के सापेक्ष कुल व्यय रु0 294972.00 करने के पश्चात् उक्त परियोजना को अधूरी ही छोड़ दिया गया है, जो अद्यतन यथावत् (अधूरी) है।

(ख) सामग्री आपूर्ति में, इमलसन पेंट, तारपीन का तेल, पेंट, प्राइमर एवं ब्रश की कल्पित आपूर्ति पर क्रमशः 41000.00, 1364.00, 2158.00, 1200.00, 1480.00 तथा 1206.00 योग रु0 48408.00 रही क्योंकि उक्त रंगाई-पुताई हुई ही नहीं, जो देखी जा सकती है। अतः उक्त सामग्री की आमद प्रयोग न होने से पुताई पर हुआ श्रमिक भुगतान 6 पेंटर-40 मानव दिवस पर 14000.00 का व्यय भी काल्पनिक रहा।

अतः रु0 48408.00 सामग्री एवं रु0 14000.00 मजदूरी योग रु0 62408.00 को कूटरचित कर अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली जेई ;आर0ई0एस0द्ध श्री रत्नाकर सिंह, कार्य प्रभारी श्री सुशील कुमार गुप्ता, लेखाकार श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा तथा वी0डी0ओ0 श्री रविशंकर राय संयुक्त रूप से दोषी हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित के साथ-साथ परियोजना पर रु0 294972.00 के व्यय के बाद अधूरी छोड़ने पर रु0 232564.00 का दुरुपयोग करने पर विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्र0सं014 :- आलोच्य वर्ष में विधायक निधि के अन्तर्गत कृत/दर्शित कार्यों की पत्रावलियों व ग्राण्ट रजि0 द्वितीय की जाँचों में पाया गया है कि (अवधारित करें) विक्रीकर, आयकर, व रायल्टी मदों में क्रमशः रु0 19762.00, 11013.00 तथा 2093.00 योग रु0 32868.00 की कटौतियों को सम्बंधित विभागों में ससमय न जमाकर घोर लापरवाही बरती गयी है, जिस अनियमितता निमित्त खण्ड विकास अधिकारी श्री रविशंकर राय एवं लेखाकार श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उपरोक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्र0सं015 :-आलोच्य वर्ष में विधायक निधि एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कृत निर्माण/मरम्मत कार्यों पर रु0 6036365.00 के हुए भुगतानों/व्ययों में से 1% सेस-कर की कटौती रु0 60363.00 नकर श्रम विभाग में न जमा कर अनियमितता की गयी है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री रविशंकर राय एवं श्रीमती श्वेता सिंह तथा लेखाकार श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उपरोक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद का नाम— कौशाम्बी**सम्भाग — प्रयागराज****क्षेत्र पंचायत — सिराथू**

प्र0सं016 :-ग्रान्ट रजिस्टर 2 केवल राज्य वित्त आयोग से सम्बन्धित, व्ययों का विवरण का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया शेष अन्य मदों का ग्राण्ट रजि0 2 प्रस्तुत नहीं किया गया। शेष मदों से व्यय/वापस धनराशियों के व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे व्यय/वापसी की पुष्टि न की जा सकी। इसके लिए लेखाकार श्री मुन्नु सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी निम्नानुसार उत्तरदायी हैं।

अतः श्री मुन्नु सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारियों से रुपया 702655.00 को ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। निम्न विवरण के अनुसार अन्य मदों की धनराशियाँ वर्ष 2016-17 में व्यय वापस रही:-

क्र0 सं0 नाम योजना	धनराशि	उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी
01 बी0आर0जी0एफ0	167186	श्री अविनाश त्रिपाठी
02 बी0आर0जी0एफ0 जमानत राशि	77638	श्री अविनाश त्रिपाठी एवं श्री रवीन्द्र वीर यादव
03 प्रशासनिक मद इंदिरा आवास	124993	श्री अविनाश त्रिपाठी

			श्री शरद श्रीवास्तव एवं श्री रवीन्द्र वीर यादव
04	सांसद निधि	145633	श्री शरद यादव
05	पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण	23010	श्री शरद यादव
06	विधायक निधि	72185	श्री शरद यादव
07	पूर्वांचल विकास निधि	55861	श्री शरद यादव
08	मानदेय सामाजिक आर्थिक जनगणना	18000	श्री शरद यादव
09	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन योग	18150 702655	श्री रवीन्द्र वीर यादव

मूल आपत्ति संख्या-06

प्र0सं017 :- खाता संख्या 3525100000004 बी0ओ0बी सिराथू एवं खाता संख्या 35250100005272 में क्रमशः ब्याज वर्ष 2016-17 में रुपया 279694.00 एवं 11160.00 प्राप्त रही, जिसे शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015- 10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के क्रम में राजकीय कोषागार में न जमा कर 16-17 में रुपया 279694 + 1160.290854.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है, इसके लिए लेखाकार श्री मुन्नु सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अविनाश त्रिपाठी, श्री शरद श्रीवास्तव एवं श्री रवीन्द्र वीर यादव जिम्मेदार हैं। उपरोक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्र0सं018 :-निम्न विवरण के अनुसार राज्य वित्त खाते से धनराशियाँ नकद आहरित कर बी0डी0सी0 सदस्यों को मानदेय भुगतान दर्शाया गया है। मानदेय वितरण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। भुगतान की पुष्टि न हो पाने के कारण आहरित धनराशियों को गबन मानते हुए जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। भविष्य में मानदेय भुगतान माननीय सदस्यों के खाते में स्थानान्तरित किया जाना ही उचित होगा। नकद आहरित धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार से है:

क्र0 सं0	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक से नकद प्राप्त करने वालों का नाम	जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम
01	31.05.16	412	50000.00	श्री मुन्नु सिंह	श्री मुन्नु सिंह (ख0वि0अ0) श्री अविनाश त्रिपाठी एवं क्षेत्र प्रमुख श्री जितेन्द्र सोनकर
02	05.11.16	499	60000.00	श्री मुन्नु सिंह	श्री मुन्नु सिंह (ख0वि0अ0) श्री अविनाश त्रिपाठी एवं क्षेत्र प्रमुख श्री जितेन्द्र सोनकर

प्र0सं019 :-राघवपुर से डडैचा (समसाबाद) तक इण्टरलॉकिंग कार्य में सामग्री 3057438.00 एवं मजदूरी पर 472551.00 का भुगतान अभिलेखों के अनुसार विभिन्न तिथियों में किया गया है। यह कार्य 21-09-2016 से प्रारम्भ कर 06-04-2017 तक कराया गया है, जिसमें निम्न आपत्तियाँ पाई गयीं:-

(1) उक्त प्रोजेक्ट हेतु सामग्री प्रथम बार मे0 सरिता सोनकर एवं जनरल आर्डर सप्लायर के बिल संख्या 03 दिनांक 21.09.2016 धनराशि रुपया 1155343.00 से व्यापार कर 46214.00 एवं आयकर 26880.00 काटे जाने के पश्चात 1082249.00 का भुगतान किया जाना था, जबकि भुगतान 1083249.00 रुपया का चैक संख्या 420 दिनांक 22.09.2016 को किया गया है, जो कि दिनांक 23.09.2016 को खाते से आर0टी0जी0एस0 भी रहा, किन्तु अन्तर रुपया 1000.00 से अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली (क्षतिपूर्ति करते हुए) श्री मुन्नु सिंह लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(2) उक्त प्रोजेक्ट में कुल धनराशि रुपया 3057438.00 की सामग्री क्रय दर्शित है। टेण्डर की शर्तों में बिल राशि का 0.1 प्रतिशत कम पर सामग्री आपूर्ति की शर्त थी, किन्तु बिलों के भुगतान के समय 0.1 प्रतिशत धनराशि कम न करके भुगतान नहीं किया गया है। अतः 3057 रुपये की क्षति पहुँचाई गयी। इसके लिए लेखाकार श्री मुन्नु सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र वीर यादव उत्तरदायी हैं। अतः रुपये 3057 की वसूली ब्याज सहित श्री मुन्नु सिंह एवं श्री रवीन्द्र वीर यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्र0सं020 :-विकास खण्ड सिराथू कार्यालय के सामने गेट तक खड़न्जा कार्य में चैक संख्या 416 दिनांक 08.02.2017 की 175 घनमीटर की 175 घनमीटर मिट्टी डलवाई दर 76/ प्रति घन मीटर की दर से कुल रुपया 13300.00 का भुगतान किया गया। भुगतान श्री अमन सोनकर को किया गया है, किन्तु भुगतान करते समय मिट्टी की रायल्टी काटकर भुगतान नहीं किया गया है। अतः 175 घनमीटर X 30.5250.00 का अधिक भुगतान कर दिया गया है। रुपया 5250.00 रायल्टी मद में नहीं जमा कराई गई। अतः रुपया 5250.00 की ब्याज सहित वसूली श्री मुन्नु सिंह लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र वीर यादव एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री जितेन्द्र सोनकर से की जानी अपेक्षित है।

प्र0सं021 :-सामग्री आपूर्ति का टेण्डर स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात आपूर्तिकर्ता ठेकेदार से 05 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति (बयाने की धनराशि सहित) एवं शेष 5 प्रतिशत धनराशि की कटौती चालू बिलों से नहीं की गई है। लेखा परीक्षा में धनराशि जमा कराये जाने एवं कार्य पूर्ण होने के 06 माह बाद धनराशि वापस किये जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार सामग्री खरीद में अनियमितता की गई है, जो कि उचित नहीं है। इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आलोच्य वर्ष 2016-17 में कुल सामग्री आपूर्ति

धनराशि रूपया 5320665.00 ठेकेदारों द्वारा की गई है, जिसका 10 प्रतिशत 532066.50 होता है, जिसे न जमा कर अनियमितता की गई है। इसके लिए क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री जितेन्द्र सोनकर, लेखाकार श्री मुन्नू सिंह एवं वर्ष में नियुक्त खण्ड विकास अधिकारी श्री अविनाश त्रिपाठी, श्री शरद कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रवीन्द्र वीर यादव उपरोक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्र0सं022 :-उदिहिन मंझनपुर नहर मार्ग से काली सड़क गंभीरा पूरब तक इण्टरलॉकिंग कार्य में प्रथम बार सामग्री की आपूर्ति बिल संख्या 14 दिनांक 26.12.2016 को की गई थी। आपूर्तिकर्ता मे0 सरिता सोनकर को बिल 14 की धनराशि 477600.00 में से व्यापार कर की धनराशि 19104 एवं आयकर की कटौती 10698.00 रुपये की करने के बाद शुद्ध देय धनराशि 447798.00 का भुगतान बैंक संख्या 451 दिनांक 28.12.2016 को किया गया था जो कि खाते से दिनांक 28.12.2016 को ही एन0ई0एफ0टी0 रहा (सरिता सोनकर के नाम)। सामग्री की आपूर्ति दिनांक 26.12.2016 को हो जाने के पश्चात कार्य प्रारम्भ दिनांक 06.07.2017 से कराया जाना अभिलेखों से स्पष्ट है, क्योंकि प्रथम बार मजदूरों के भुगतान हेतु श्री सतीश चौधरी ग्राम विकास अधिकारी को बैंक संख्या 494 दिनांक 06.07.2017 धनराशि रूपया 60125.00 को निर्गत किया गया है। 06 माह से अधिक समय बाद कार्य प्रारम्भ कराये जाने से दिनांक 26.12.2016 को दर्शाये गये सामग्री खरीद संदेहास्पद है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र वीर यादव एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री जितेन्द्र सोनकर उत्तरदायी है। उक्त धनराशि रूपया 447798.00 उपरोक्त से व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्र0सं023 :-महन्दारपुर मजरा नारा से जनकपुर तक खडन्जा मरम्मत कार्य में निम्न विवरण के अनुसार मिट्टी डलवाये जाने का व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	मिट्टी की मात्रा	दर	नकद भुगतान धनराशि	श्री जय सिंह पुत्र श्री मोती लालट्रेक्टर संख्या
01	1132.6 मी ³	76/ मी ³	86077 - 00	यू०पी० 73 एफ 2268
02	420 मी ³	76/ मी ³	31920.00	यू०पी० 73 एफ 2268
03	297 मी ³	76/ मी ³	22572.00	यू०पी० 73 एफ 2268
योग	1849.60 मी³		140569.00	

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार मिट्टी कार्य में रायल्टी काटकर भुगतान नहीं किया गया। मिट्टी का रायल्टी रूपया 30 मी³ की दर से 1849.676 मी³ का 55488.00 रूपया होता है, श्री हरिश्चन्द्र सिंह कार्य प्रभारी से व्याज सहित बसूली किया जाना अपेक्षित है।

रू0 5000.00 से अधिक का भुगतान अकाउंट पे बैंक के माध्यम से न करके रूपया 140569.00 नियम विरुद्ध नगद भुगतान किया गया है, जो कि अनियमित रहा, इसके लिए कार्य प्रभारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह के साथ-साथ खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र वीर यादव क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री जितेन्द्र सोनकर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उक्त प्रोजेक्ट/कार्य में दिनांक 18.09.2016 से 30.09.2016 तक के मस्टर रोल में जिनमें क्रमांक 01 से 99 तक 99 मजदूरों के कार्य का भुगतान दर्शाया गया है, जिसमें क्रमांक 77 एवं क्रमांक 93 पर एक ही व्यक्ति श्री गुलाब पुत्र बाबू लाल द्वारा कार्य किया जाना दर्शाया गया है। क्रमांक 77 पर 13 दिनों की मजदूरी दर 174/ प्रति कार्य दिवस की दर से रूपया 2262.00 का भुगतान दर्शाया गया है।

पुनः क्रमांक 93 पर श्री गुलाब पुत्र बाबू लाल को मिस्त्री का रेट 300.00 प्रतिदिन की दर से 13 दिनों का 3900.00 रूपया भुगतान दर्शाया गया है।

अतः रूपया 3900.00 का भुगतान फर्जी दर्शाया गया है। क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही अवधि में लेबर और मिस्त्री का काम कैसे कर सकता है? अतः रूपया 3900.00 की वसूली कार्यप्रभारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्र0सं024 :-एम0बी0 नम्बर 20, पृष्ठ संख्या 12 में, ब्लाक रिसोर्स सेन्टर मीटिंग हॉल फ्लोर टाइल्स, विद्युतीकरण, दरवाजा, खिड़की मरम्मत आदि की एम0बी0 रूपया 360000.00 की प्रस्तुत रही। एम0बी0 में 360000.00 में निम्न सामग्रियाँ मीटिंग हॉल में लगी हुई दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में विवरण एवं आपत्तियाँ निम्न प्रकार से हैं:-

क्र0 सं0	नाम सामग्री	व्यय प्रमाणक की स्थिति	धनराशि	मौके पर स्थिति
01	16 सीलिंग फैन X 2150	नहीं	34400 - 00	मौके पर सीलिंग फैन लगे पाए गए किन्तु स्टॉक रजि0 अप्रस्तुत रहने से अज्ञात रहा कि पहले तो क्रय नहीं रहे।
02	04 वॉटर कूलर दर 9000.00	नहीं	36000 - 00	मौके पर आतिथि लगे हुए नहीं पाये गये।
03	चाइना टाइल्स 300.6एम ² X 472.22	नहीं	14950 - 00	मौके पर लगे हुए पाये गये।
04	इक्वास्ट फैन संख्या 4 दर 2000	नहीं	8000 - 00	मौके पर लगे हुए नहीं पाये गये।
05	कूलर स्टैण्ड 45 एम ³ X 1000	नहीं	1000 - 00	मौके पर नहीं पाये गये।
	योग		94350 - 00	

अतः रुपया 94350.00 की वसूली कार्य प्रभारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह एवं एम0बी0 कर्ता जे0ई0 श्री धर्मराज यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्र0सं025 :-ग्राम पंचायत नगिया मई में, नगिया मई से दर्जिन का पुरा सयारा तक के खडन्जा मरम्मत के कार्य में, पत्रावली में, संलग्न मस्टर रोलों में निम्न मजदूरों का नाम एक ही अवधि (दिनांक 24.09.2016 से 03.10.2016 तक) विभिन्न क्रमांकों पर दर्ज कर धनराशियों का अपहरण किया गया। विवरण निम्न प्रकार से है:-

ललावन पुत्र वासुदेव का नाम मस्टर रोल में क्रमांक 39 एवं क्रमांक 63 पर दो बार दर्ज कर 10 दिन की मजदूरी दर 174.00 धनराशि 1740.00 दो बार भुगतान दर्शाया गया है, जबकि कार्य अवधि दिनांक 24.09.2016 से 03.10.2016 तक हो रही है। उन्हीं मस्टर रोलों में, उन्हीं तिथियों (दिनांक 24.09.2016 से 03.10.2016) में तीसरी बार ललावन पुत्र वासुदेव को 09 दिन की मजदूरी 174 / प्रतिदिन की दर से 1566.00 का भुगतान दर्शाया गया है।

इसी प्रकार 1740 + 1740 = 3480.00 फर्जी भुगतान दर्शाया गया है।

इसी प्रकार उक्त मस्टर रोल में अंकित क्रमांक 49 पर श्री सुरेश पाल पुत्र श्री नाथ पाल को दिनांक 24.09.2016 से 03.10.2016 तक की 10 दिन की मजदूरी दर 174.00 प्रतिदिन की दर से दो बार भुगतान दर्शाया गया है। इस प्रकार 1740.00 फर्जी भुगतान दर्शाया गया है।

उक्त म0रो0 के क्रमांक 15 एवं क्रमांक 52 पर महेश पुत्र शिवलाल को दिनांक 24.09.2016 से 03.10.2016 तक की 10 दिनों की मजदूरी दर 174.00 प्रतिदिन की दर से दो बार भुगतान दर्शाया गया है। इस प्रकार 1740.00 फर्जी भुगतान दर्शाया गया है।

इस प्रकार कुल धनराशि रुपया 3480 + 1740 + 1740 = 6960.00 का फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। साथ में यह भी स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी काल्पनिक रूप से एवं बढ़ा-चढ़ाकर बनाया जाना परिलक्षित होता है। अतः रुपया 6960.00 रुपये की वसूली ब्याज सहित कार्य प्रभारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

उक्त कार्य नगिया मई से दर्जिन का पुरा सयारा में 500.00 रुपये का व्यय फोटोग्राफी का एवं 3500.00 रुपये बोर्ड लगवाने का व्यय खारिज है, किन्तु इन व्ययों के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की धनराशि रुपया 500 + 3500 = 4000.00 की वसूली कार्य प्रभारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है। वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्र0सं026 :-वर्ष 2016-17 में निम्न कार्यों में सामग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर मे0 सरिता सोनकर कान्स्ट्रक्टर एण्ड गवर्नमेन्ट आर्डर सप्लायर चतुरी फतेहपुर को स्वीकृत किया गया है। सरिता सोनकर क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री जितेन्द्र सोनकर की पत्नी हैं, जिनको लेखा परीक्षा की दृष्टिकोण में विकास खण्ड सिराथू के कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति का ठेका दिया नहीं जा सकता, फिर भी ठेका दिया गया है, जोकि उचित नहीं है इसके लिए क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री जितेन्द्र सोनकर के साथ-साथ खण्ड विकास अधिकारी श्री शरद श्रीवास्तव उत्तरदायी है।

क्र0 सं0 नाम कार्य **बिलों के विरुद्ध शुद्ध भुगतान** **उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम**

01 उदिहिन मंझनपुर मार्ग से काली सड़क

गंभीरा पूरब तक इण्टरलॉकिंग

(कार्य 17-18 में भी जारी)

477798.00

(यह धनराशि आपत्ति संख्या 13 में दुर्विनियोग में शामिल है)।

श्री जितेन्द्र सोनकर एवं श्री शरद श्रीवास्तव

02 क्षेत्र पंचायत सिराथू में बाउन्ड्रीवाल एवं गेट

आदि का निर्माण (कार्य 17-18 में भी जारी)

487778.00

श्री जितेन्द्र सोनकर एवं श्री शरद श्रीवास्तव

03 राघवपुर से डडैचा (समसाबाद)

इण्टरलॉकिंग कार्य

3002132- 1000.00-3057

श्री जितेन्द्र सोनकर एवं श्री शरद श्रीवास्तव

3489910.00- 1000.00 (1000 की वसूली की आ0सं0 10(2) में शामिल। 3057 की वसूली की आपत्ति संख्या 10(2) में शामिल।

अतः 16-17 में अनियमित खरीद रुपया 3485853.00 की की गई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम — कौशाम्बी

सम्भाग — प्रयागराज

क्षेत्र पंचायत — कड़ा

प्र0सं027 :-समीक्षा वर्ष में विभिन्न अनुदान खातों में जमा धनराशियों पर रू0 3,01,163.00 ब्याज प्राप्त हुआ, जो वर्षान्त तक खाते में जमा रहा। शासनादेश 2015 के अनुसार ब्याज की धनराशि को अनुदानदाता को वापस किया जाना चाहिए किन्तु ऐसा न करके अनियमितता बरती गयी है, उपरोक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्र0सं028 :-दिनांक 28.04.2012 को अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा) प्रखण्ड इलाहाबाद के पत्रांक 2895 / ग्रा0अभि0सेवा / 11-12 दिनांक 07.03.2012 द्वारा श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जेई ;आर0ई0एस0द्ध प्रखण्ड इलाहाबाद के विरुद्ध विकास खण्ड कड़ा में की गयी अनियमितता के लिए रू0 1,81,976.00 निधि की वसूली का आदेश पारित किया गया था जिसके सापेक्ष श्री श्रीवास्तव द्वारा चेक सं0 005213 से दिनांक 13.03.2012 को रू0

94,944.00 जमा किया गया। किन्तु इसके उपरान्त शेष रू0 87,032.00 न तो श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा संस्था में जमा किया गया और न ही विकास खण्ड स्तर से उक्त धनराशि की वसूली हेतु कोई प्रयास किया गया। निधि के अपहरण की धनराशि की वसूली हेतु प्रयास न किया जाना भारी अनियमितता का परिचायक रहा। उपरोक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप- 3

1- क्षेत्र पंचायत-कोरांव

विकास खण्ड-कोरांव

जनपद-प्रयागराज

(लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 से 2016-17)

प्रस्तर-1 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मास्टररोल द्वारा भुगतान-
वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रुपया 506324 वित्तीय वर्ष 2015-16 में अंकन रुपया 31 लाख 1049 मजदूरी/ श्रमांश मद में भुगतान किया गया है जिसका भुगतान मजदूरों को ना कर कार्य प्रभारी/अवर अभियंता को निम्नानुसार किया गया है

क्र०	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता/ कार्यप्रभारी
1	2014-15	राज्य वित्त	580324.00	श्री श्रीकान्त तिवारी जे0ई0(आर0इ0एस0)
		तेरहवांवित्त	शून्य	
		योग	580324.00	
2	2015-16	राज्य वित्त	375818.00	श्री श्रीकान्त तिवारी जे0ई0(आर0इ0एस0)
			81790.00	श्री राजेश कुमार तिवारी, ग्रा0वि0अधि0
			45260.00	श्री ताराचन्द, ग्रा0वि0अधि0
			555961.00	श्री चन्द्रशेखर सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			470634.00	श्री ब्रजेन्द्र कुमार शुक्ल, ग्रा0वि0अधि0
			466537.00	श्री शशिकान्त उपाध्याय, ग्रा0पं0अधि0
			286580.00	श्री विमल प्रकाश पाण्डेय, ग्रा0पं0अधि0
		तेरहवांवित्त	47500.00	श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव, कैशियर
			63872.00	श्री श्रीकान्त तिवारी, जे0ई0(आर0इ0एस0)
			222554.00	श्री राजेश कुमार तिवारी, ग्रा0वि0अधि0
			19540.00	श्री प्रेमचन्द सिंह, ग्रा0पं0अधि0
			112861.00	श्री चन्द्रशेखर सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			17325.00	श्री शशिकान्त उपाध्याय, ग्रा0पं0अधि0
			199472.00	श्री ब्रजेन्द्र कुमार शुक्ल, ग्रा0वि0अधि0
			16982.00	श्री सत्यराम यादव
			16933.00	श्री रामेश्वर सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			101430.00	श्री विमल प्रकाश पाण्डेय, ग्रा0पं0अधि0
		योग	3101049.00	
3	2016-17	राज्य वित्त	78900.00	श्री राम निरंजन
			76342.00	श्री सियाराम शुक्ल
			147934.00	श्री विमल प्रकाश पाण्डेय, ग्रा0पं0अधि0
			102660.00	श्री सत्यराम यादव
			256123.00	श्री खेमराज, ग्रा0पं0अधि0
			172260.00	श्री संजय कुमार, ग्रा0पं0अधि0
			46538.00	श्री राजेश कुमार तिवारी, ग्रा0वि0अधि0
			104400.00	श्री रामेश्वर सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			90640.00	श्री आलोक कुमार त्रिपाठी, ग्रा0वि0अधि0
			107450.00	श्री चन्द्रशेखर सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			109620.00	श्री कमल कुमार, ग्रा0वि0अधि0
		तेरहवांवित्त	19075.00	श्री प्रेमचन्द सिंह, ग्रा0पं0अधि0
			8946.00	श्री ब्रजेन्द्र कुमार शुक्ल, ग्रा0वि0अधि0
			102506.00	श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव, कैशियर
		योग	1423394.00	

उक्त भुगतानों के संबंध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के अध्याय-2 नियम संख्या-49 में निहित व्यवस्था अनुसार निम्न कमियां पाई गई हैं:-

(क) मस्टर रोल के लिए देय धनराशि का भुगतान कार्य प्रभारी अधिकारी अपने स्थाई अग्रिम से या निर्माण कार्य के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित अग्रिम से ही करेगा।

(ख) भुगतान की पूर्ति एक बिल द्वारा करेगा जिसके समर्थन में मस्टर रोल होगा।

(ग) भुगतान के संबंध में रुपया पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जाएगा तथा कार्य प्रभारी भुगतान का निम्न प्रमाण-पत्र उस बिल पर अंकित करेगा। दिखाए गए सभी श्रमिक वस्तुतः सेवा योजित किए गए तथा मस्टर रोल में दर्ज सभी मजदूरी मेरी उपस्थिति में दी गयी।

(घ) नियम संख्या-49 प्रपत्र संख्या-12 के अधीन श्रमिक का पूरा पता मस्टर रोल पर अंकित नहीं है।

(ङ) विकास खंड कार्यालय से मस्टर रोल कार्यवार निर्गत नहीं किए गए हैं, और ना ही उन पर कोई नंबर अंकित है।

(च) श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर के पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन रुपया- 5104767.00 का वर्ष- 2014-15 से 2016-17 में भुगतान मजदूरों को ना कर, कार्य प्रभारी-जेई को किया गया अतः स्पष्ट है कि योजनाबद्ध तरीके से धनराशि रुपए- 5104767.00 का अपहरण किया गया जिसकी वसूली कार्य प्रभारी जे0ई0, खंड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख से बराबर बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तर-2 बैंकों में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को प्रत्यावर्ती ना करना शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय ना होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना शासनादेश का उल्लंघन है। आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा निम्न प्रकार से ब्याज अर्जित एवं व्यय किया गया है:-

क्र0	वित्तीय वर्ष	अर्जित ब्याज की धनराशि	व्यय धनराशि	31 मार्च 2017 को शेष
1	2014-15	972992.00	7574.00	1024536.00
2	2015-16	27894.00	31687.00	
3	2016-17	73074.00	10163.00	
योग		1073960.00	49424.00	

अतः उपरोक्तानुसार संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ब्याज की धनराशि रुपया-1073960.00 में से रुपए-49424.00 मनमानी तरीके से व्यय किया गया है एवं शेष धनराशि रु0- 10242536.00 संस्था में रोककर रखा गया है, जिसके लिए ब्लॉक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अतः संपूर्ण अर्जित ब्याज की धनराशि रुपए- 1073960.00 को राजकोष में जमा कराया जाना आवश्यक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-3. कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती न किया जाना:-

उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियम 2009 के नियम संख्या-4 (3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जाएगी तथा समस्त समावेशी अनुबंधों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्रावधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा।”

संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार वर्ष- 2014-15 से 2016-17 तक कुल रुपया- 29763811.00 व्यय किया गया है।

क्र0	वित्तीय वर्ष	राज्य वित्त		तेरहवांवित्त		योग
		सामग्रीकय	मजदूरी	सामग्रीकय	मजदूरी	
1	2014-15	3684127.00	580324.00	561525.00	-	4825976.00
2	2015-16	11461982.00	2282580.00	3332341.00	818469.00	17895372.00
3	2016-17	5270920.00	1292867.00	348149.00	130527.00	7042463.00
योग		20417029.00	4155771.00	4242015.00	948996.00	29763811.00

परंतु नियमानुसार यदि किसी की भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है। जिससे संस्था द्वारा कुल रुपया- 29763811.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई हुई है। जिसकी वसूली सूद सहित अन्य विवरणानुसार ब्लाक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है:-

क्र0	उत्तरदायीव्यक्ति का नाम	पद नाम	सन्निहित धनराशि
1	श्री गायत्री प्रसाद तिवारी	पूर्व ब्लाक प्रमुख	7887.00
2	श्री रामानुज यादव	त्रिस्तरीय समिति	5414.67
3	श्री हरीलाल	त्रिस्तरीय समिति	5414.67
4	हुस्नबानो	त्रिस्तरीय समिति	5414.66
5	श्री अव्यक्त राम मिश्र	पूर्व ब्लाक प्रमुख	89477.00
6	श्रीमती प्रियंका सिंह	पूर्व ब्लाक प्रमुख	35213.00

7	श्री अरविन्द सिंह	तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी	7886.00
8	श्री रामचन्द्र शर्मा	तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी	16244.00
9	श्री राकेश कुमार	तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी	49442.00
10	श्री लल्लनराम यादव	तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी	40034.00
11	श्री आलोकदत्त	तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी	3994.00
12	श्री धर्मेशचन्द्र	तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी	31217.00
योग			297638.00

2- क्षेत्रपंचायत-कोरांव विकास खण्ड-कोरांव जनपद-प्रयागराज
(लेखा परीक्षा वर्ष- 2011-12 से 2013-14)

प्रस्तर-4 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-
वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पर अंकन रुपया-1045000.00 वित्तीय वर्ष 2012-13 में अंकन रुपया-1315875.00 तथा वित्तीय वर्ष- 2013-14 में निर्माण कार्य पर रु0-1461288.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किए गए हैं, जिनका भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी/अवर अभियंता को निम्नानुसार किया गया है:-

क्र0	वर्ष	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता/कार्यप्रभारी
1	2011-12	राज्य वित्त	740370.00	श्री श्रीकान्त तिवारी, जे0ई0
		तेरहवांवित्त	12300.00	श्री अल्पनारायण सिंह, कैशियर
			85320.00	श्री सियाराम शुक्ल, बी0टी0
			36760.00	श्री रामनिरंजन
			49140.00	श्री श्रीकान्त तिवारी, जे0ई0
			121110.00	श्री सियाराम शुक्ल, बी0टी0
		योग	1045000.00	
2	2012-13	राज्य वित्त	514950.00	श्री श्रीकान्त तिवारी, जे0ई0
		तेरहवांवित्त	24755.00	श्री रामनिरंजन
			57015.00	श्री आनन्द कु0 श्रीवास्तव, कैशियर
			575980.00	श्री शत्रुजीत सिंह, जे0ई0
			143175.00	श्री श्रीकान्त तिवारी, जे0ई0
		योग	1315875.00	
3	2013-14	राज्य वित्त	629838.00	श्री श्रीकान्त तिवारी, जे0ई0
		तेरहवांवित्त	258065.00	श्री शत्रुजीत सिंह, जे0ई0
			65100.00	श्री आनन्द कु0 श्रीवास्तव, कैशियर
			465415.00	श्री श्रीकान्त तिवारी, जे0ई0
			9270.00	श्री शत्रुजीत सिंह, जे0ई0
			33600.00	श्री आनन्द कु0 श्रीवास्तव, कैशियर
		योग	1461288.00	

उक्त भुगतानों के संबंध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय-2 में नियम संख्या 49 में निहित व्यवस्था अनुसार निम्न कमियां पाई गई हैं:-

(क) मस्टर रोल के लिए देय धनराशि का भुगतान कार्य प्रभारी अधिकारी अपने स्थाई अग्रिम से या निर्माण कार्य के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित अग्रिम से ही करेगा।

(ख) भुगतान की पूर्ति एक बिल द्वारा करेगा जिसके समर्थन में मस्टर रोल होगा।

(ग) भुगतान के संबंध में रुपया पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जाएगा तथा कार्यप्रभारी भुगतान का निम्न प्रमाण-पत्र उस बिल पर अंकित करेगा। दिखाए गए सभी श्रमिक वस्तुतः सेवायोजित किए गए तथा मस्टर रोल में दर्ज सभी मजदूरी मेरी उपस्थिति में दी गयी।

(घ) नियम संख्या-49 प्रपत्र संख्या-12 के अधीन श्रमिक का पूरा पता मस्टररोल पर अंकित नहीं है।

(ङ) विकास खंडकार्यालय से मस्टररोल कार्यवार निर्गत नहीं किए गए हैं, और ना ही उन पर कोई नंबर अंकित है।

(च) श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही लेखनी में किए गए हैं, और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह भी प्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किए गए हैं और मजदूरी मद में अंकन रुपया— 3822163.00 का वर्ष 2011-12 से 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, जेई एवं कार्य प्रभारी से समान रूप से की जानी आवश्यक है।

प्रस्तर-5—बैंकों में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को प्रत्यावर्तित न करना :-

बैंकों में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को प्रत्यावर्ती ना करना शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय ना होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना शासनादेश का उल्लंघन है। आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा निम्न प्रकार से ब्याज अर्जित एवं व्यय किया गया है:-

क्र०	वित्तीय वर्ष	अर्जित ब्याज की धनराशि	व्यय धनराशि	31 मार्च 2014 को शेष
1	2011-12	624025.70	8419.00	843425.70
2	2012-13	198150.00	32805.00	
3	2013-14	145448.00	82974.00	
योग		967623.70	124198.00	843425.70

अतः उपरोक्तानुसार संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ब्याज की धनराशि रुपया-967623.00 में से रुपए-124198.00 मनमानी तरीके से व्यय किया गया है एवं शेष धनराशि रु०- 843425.00 संस्था में रोककर रखा गया है, जिसके लिए ब्लॉक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अतः संपूर्ण अर्जित ब्याज की धनराशि रुपए- 967623.70 को राजकोष में जमा कराया जाना आवश्यक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6. कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती न किया जाना:-

उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियम 2009 के नियम संख्या-4 (3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जाएगी तथा समस्त समावेशी अनुबंधों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्रावधानित कर्मकार उपकार का व्यवहार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा।

संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार वर्ष- 2011-112 से 2013-14 तक कुल रुपया- 2,52,17,112.00 व्यय किया गया है।

क्र०	वित्तीय वर्ष	राज्य वित्त		तेरहवां वित्त		योग
		सामग्रीकय	मजदूरी	सामग्रीकय	मजदूरी	
1	2012-12	5036029.00	874740.00	764860.00	170250.00	6845879.00
2	2012-13	6251768.00	1172700.00	469839.00	143175.00	8037482.00
3	2014-15	6538682.00	953003.00	2333781.00	508285.00	10333751.00
योग		17826479.00	3000443.00	3568480.00	821710.00	25217112.00

परंतु नियमानुसार यदि किसी की भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है। जिससे संस्था द्वारा कुल रुपया- 252171.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई हुई है। जिसकी वसूली सूद सहित अन्य विवरणानुसार ब्लाक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है:-

क्र०	उत्तरदायीव्यक्ति का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराशि
1	श्री गायत्री प्रसाद तिवारी	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख	126085.00
2	श्री जे०पी० कुशवाहा	तत्कालीन खं०वि०अधि०	2755.00
3	श्री राकेशकुमार	तत्कालीन खं०वि०अधि०	32850.00
4	श्री राजेश यादव	तत्कालीन खं०वि०अधि०	46946.00
5	श्री हरिश्चन्द्रचौधरी	तत्कालीन खं०वि०अधि०	11448.00
6	श्री विजय शंकरराम	तत्कालीन खं०वि०अधि०	32087.00
योग			252171.00

प्रस्तर-7—राज्य वित्त योजनान्तर्गत दिनांक 23.01.2013 को चेक संख्या-007708 द्वारा रु०-16010.00 श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव कैशियर द्वारा धनराशि आहरित कर क्षेत्र पंचायत की बैठक में नाश्ता एवं खानपान पर व्यय किया गया है। इस प्रकार का व्यय अनुमन्य नहीं है। अतः धनराशि रु०-16010.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खं०वि०अधि० एवं श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव, कैशियर से बराबर-बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है।

3- क्षेत्रपंचायत-बहरिया

विकास खण्ड-बहरिया

जनपद-प्रयागराज

(लेखा परीक्षा वर्ष- 2011-12 से 2013-14)

प्रस्तर-8 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रुपया-2301763.00 वित्तीय वर्ष 2012-13 में अंकन रुपया-681257.00 तथा वित्तीय वर्ष- 2013-14 में रु0-2244045.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किए गए हैं, जिनका भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को निम्नानुसार किया गया है:-

क्र०	वर्ष	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता/कार्यप्रभारी
1	2011-12	विधायक निधि	19300.00	श्री राजेश कुमार शुक्ला, ग्रा0वि0अधि0
			43450.00	श्री एस0पी0 सिंह, जे.ई., आर0ई0एस0
			40370.00	श्री सरयू प्रसाद श्रीवास्तव, ए0डी0ओ0(सी)
			36347.00	श्री के.के. सिंह, बी0ओ0(पी.आर.डी.)
		राज्य वित्त	45000.00	श्री एस0पी0 सिंह, जे.ई., आर0ई0एस0
			126600.00	श्री राजीव कुमार सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			660010.00	श्री राजेंद्र कुमार यादव, ग्रा0वि0अधि0
			182160.00	श्री सरयू प्रसाद श्रीवास्तव, ए0डी0ओ0(सी)
			49350.00	श्री इंद्रजीत यादव, ग्रा0वि0अधि0
			267846.00	श्री मिथिलेश कुमार मिश्रा, ग्रा0वि0अधि0
			47750.00	श्री राजेश कुमार शुक्ला, ग्रा0वि0अधि0
		बारहवां/तेरहवां वित्त	9040.00	श्री कैलाशनाथ तिवारी, ग्रा0वि0अधि0
			70830.00	श्री मिथिलेश कुमार मिश्रा, ग्रा0वि0अधि0
		सांसदनिधि	141148.00	श्री राजीव कुमार शुक्ल, ग्रा0वि0अधि0
			436362.00	श्री मिथिलेश कुमार मिश्रा, ग्रा0वि0अधि0
			110975.00	श्री सरयू प्रसाद श्रीवास्तव, ए0डी0ओ0(सी)
			15135.00	श्री के. के. सिंह, बी0ओ0 (पी.आर.डी.)
		योग	2301673.00	
2	2012-13	विधायकनिधि	23880.00	श्री यशवंत सिंह, ग्रा0वि0अधि0
		राज्य वित्त	59280.00	श्री राजेंद्र कुमार यादव, ग्रा0वि0अधि0
			22215.00	श्री सरयू प्रसाद श्रीवास्तव, ए0डी0ओ0(सी)
			74680.00	श्री भोलानाथ कुशवाहा, जे.ई., एम0आई0
			65155.00	श्री इंद्रजीत यादव, ग्रा0वि0अधि0
			118500.00	श्री राजीव कुमार सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			143970.00	श्री यशवंत सिंह, ग्रा0वि0अधि0
		बारहवां/तेरहवांवित्त	56940.00	श्री मिथिलेश कुमार सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			37867.00	श्री इंद्रजीत यादव, ग्रा0वि0अधि0
			55650.00	श्री नन्हकूराम पटेल, ए0डी0ओ0(आईएसबी)
			23120.00	श्री राजीव कुमार सिंह, ग्रा0वि0अधि0
		योग	1315875.00	
3	2013-14	विधायकनिधि	357886.00	श्री यशवंत सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			8422.00	श्री के.के. सिंह, बी0ओ0(पी.आर.डी.)
		राज्य वित्त	882814.00	श्री यशवंत सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			125509.00	श्री इंद्रजीत यादव, ग्रा0वि0अधि0
			62589.00	श्री राजेश कुमार शुक्ला, ग्रा0वि0अधि0
			21382.00	श्री राजीव कुमार सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			79136.00	श्री भोलानाथ कुशवाहा, जे.ई., एम0आई0
			133459.00	श्री के.के. सिंह, बी0ओ0(पी.आर.डी.)
		बारहवां/तेरहवांवित्त	51909.00	श्री राजीव कुमार सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			272574.00	श्री यशवंत सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			170504.00	श्री भोलानाथ कुशवाहा, जे.ई., एम0आई0
			1529.00	श्री के.के. सिंह, बी0ओ0(पी.आर.डी.)
		सांसदनिधि	21209.00	श्री राजीव कुमार सिंह, ग्रा0वि0अधि0
			55123.00	श्री के.के. सिंह, बी0ओ0(पी.आर.डी.)
		योग	2244045.00	
		सर्वयोग	5226975.00	

उक्त भुगतानों के संबंध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय-2 में नियम संख्या 49 में निहित व्यवस्था अनुसार निम्न कमियां पायी गयी हैं:-

(क) मस्टररोल के लिए देय धनराशि का भुगतान कार्य प्रभारी अधिकारी अपने स्थाई अग्रिम से या निर्माण कार्य के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित अग्रिम से हीकरेगा।

(ख) भुगतान की पूर्ति एक बिल द्वारा करेगा जिसके समर्थन में मस्टर रोल होगा।

(ग) भुगतान के संबंध में रुपया पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जाएगा तथा कार्य प्रभारी भुगतान का निम्न प्रमाण-पत्र उस बिल पर अंकित करेगा। दिखाए गए सभी श्रमिक वस्तुतः सेवायोजित किए गए तथा मस्टररोल में दर्ज सभी मजदूरी मेरी उपस्थिति में दी गयी।

(घ) नियम संख्या-49 प्रपत्र संख्या-12 के अधीन श्रमिक का पूरा पता मस्टररोल पर अंकित नहीं है।

(ङ) विकास खंड कार्यालय से मस्टररोल कार्यवार निर्गत नहीं किए गए हैं, और ना ही उन पर कोई नंबर अंकित है।

(च) श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही लेखनी में किए गए हैं, और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह भी प्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किए गए हैं और मजदूरी मद में अंकन रुपया- 3822163.00 का वर्ष 2011-12 से 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, जेई एवं कार्य प्रभारी से समान रूप से की जानी आवश्यक है।

प्रस्तर 9-बैंकों में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को प्रत्यावर्तित न करना :-

बैंकों में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को प्रत्यावर्ती ना करना शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय ना होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना शासनादेश का उल्लंघन है। आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा निम्न प्रकार से ब्याज अर्जित एवं व्यय किया गया है:-

क्र०	वित्तीय वर्ष	अर्जित ब्याज की धनराशि	व्यय धनराशि
1	2011-12 एवं पूर्व के	171870.65	70612.50
2	2012-13	4783.00	3419.00
3	2013-14	229155.00	40263.00
योग		418508.00	114294.50

अतः उपरोक्तानुसार संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ब्याज की धनराशि रुपया-418508.65 में से रुपए-114294.54 मनमानी तरीके से व्यय किया गया है एवं शेष धनराशि रु०- 304214.15 संस्था में रोककर रखा गया है, जिसके लिए ब्लॉक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अतः संपूर्ण अर्जित ब्याज की धनराशि रुपए- 418508.65 को राजकोष में जमा कराया जाना आवश्यक है।

प्रस्तर- 10. कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती न किया जाना:-

उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियम 2009 के नियम संख्या-4 (3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जाएगी तथा समस्त समावेशी अनुबंधों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्रावधनित कर्मकार उपकर का व्ययभार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा।

संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार वर्ष- 2011-12 से 2013-14 तक कुल रुपया- 224700.00 व्यय किया गया है। परंतु नियमानुसार यदि किसी की भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है। जिससे संस्था द्वारा कुल रुपया- 224700.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई हुई है। जिसकी वसूली सूद सहित अन्य विवरणानुसार ब्लाक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है:-

क्र०	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराशि
1	श्रीमती मीनाक्षी	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख	112350.00
2	श्री डा० एन०एन० मिश्रा	तत्कालीन खंडवि०अधि०	20657.00
3	श्री ओमप्रकाश मिश्रा	तत्कालीन खंडवि०अधि०	91693.00
योग			224700.00

प्रस्तर- 11- टी०डी०एस० कम/न काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना :-

आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194(सी) के अनुसार यदि किसी ठेके या उपठेके का प्रतिफल रु०- 30000.00 से अधिक हो तो कर की कटौती की जाएगी यह भुगतान की गई राशि पर दो प्रतिशत के बराबर होगी, जिस पर नियमानुसार अधिभार या अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे।

क्षेत्र पंचायत बहरिया के वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के टी०डी०एस० कटौतियों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०	वर्ष	पद का नाम	कय सामग्री मूल्य	देय आयकर 2.26 प्रतिशत	आयकरकटौती	अन्तर
1	2011-12	विधायक निधि राज्य वित्त बारहवां/तेरहवां वित्त सांसद निधि	342643.00 2433065.00 201913.00 1657361.00			
		योग	4634982.00	104751.00	840.00	103911.00
2	2012-13	विधायक निधि राज्य वित्त बारहवां/तेरहवां वित्त सांसद निधि	63677.00 862358.00 506805.00 57962.00			
		योग	1490802.00	33692.00	15709.00	17983.00
3	2014-15	विधायक निधि राज्य वित्त बारहवां/तेरहवां वित्त सांसद निधि	2168063.00 6696042.00 2097438.00 155743.00			
		योग	11117286.00	—	263149.00	—
योग				—	279698.00	121894.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत बहरिया द्वारा वित्तीय वर्ष— 2011-12 एवं 2012-13 तक निर्धारित दर अनुसार टी.डी.एस. कटौती न किए जाने के कारण रुपया— 121894.00 आयकर कम जमाकर ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है। जिससे केंद्रीय राजस्व की प्रत्यक्ष क्षति हुई है, जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234 एफ के अधीन व्यवस्था अनुसार दंड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत/माह ब्याज की दर सहित निम्नानुसार की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक काटे गए कुल टी.डी.एस. अंकन रुपया— 279698.00 की जमा की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रस्तुत कराकर पुष्टि कराया जाना आवश्यक है। कम कटौती की गई टी.डी.एस. की धनराशि की ब्याज सहित वसूली निम्नानुसार की जानी अपेक्षित है:-

क्र०	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराशि
1	श्रीमती मीनाक्षी	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख	60947.00
2	श्री डा० एन०एन० मिश्रा	तत्कालीन खं०वि०अधि०	31892.00
3	श्री ओमप्रकाश मिश्रा	तत्कालीन खं०वि०अधि०	29054.00
योग			121894.00

प्रस्तर— 12. वाणिज्य कर (वैट) नियमानुसार ना काटकर राजस्व की हानि पहुंचाना—
थकसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत की दर से धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के कार्यों में से निर्धारित दर पर वाणिज्य कर/व्यापार कर कटौती नहीं की गई है, जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाकर ठेकेदार को सीधा लाभ पहुंचाया गया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के देय वाणिज्य कर का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	वर्ष	पद का नाम	कय सामग्रीमूल्य	देय आयकर 2.26 प्रतिशत	आयकरकटौती	अन्तर
1	2011-12	विधायक निधि राज्य वित्त बारहवां/तेरहवां वित्त सांसद निधि	342643.00 2433065.00 201913.00 1657361.00			
		योग	4634982.00	185399.00	—	185399.00

2	2012-13	विधायक निधि				
		राज्य वित्त	63677.00			
		बारहवां/तेरहवां	862358.00			
		वित्त	506805.00			
		सांसद निधि	57962.00			
		योग	1490802.00	59632.00	—	59632.00
3	2014-15	विधायक निधि				
		राज्य वित्त	2168063.00			
		बारहवां/तेरहवां	6696042.00			
		वित्त	2097438.00			
		सांसद निधि	155743.00			
		योग	11117286.00	444691.00	130658.00	314033.00
योग			—	130658.00	559064.00	

उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि रुपया-559064.00 की वसूली निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 से काटे गए कुल व्यापार कर अंकन रुपया- 130658.00 की जमा की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न लेखा परीक्षा पटल पर उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना आवश्यक है:-

क्र०	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराशि
1	श्रीमती मीनाक्षी	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख	279532.00
2	श्री डा० एन०एन० मिश्रा	तत्कालीन खं०वि०अधि०	56447.00
3	श्री ओमप्रकाशमिश्रा	तत्कालीन खं०वि०अधि०	223085.00
योग			559064.00

प्रस्तर-13. राज्य वित्त आयोग वर्ष 2011-12 के अंतर्गत कराए गए कार्य चंद्रावत पक्की सड़क से बबन सिंह के घर तक मिट्टी एवं खड़जा निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में रुपया-57600.00 का भुगतान दिनांक 30.12.2011 को चेक संख्या 510602 द्वारा कार्य प्रभारी श्रीराजेंद्र यादव, ग्राम विकास अधिकारी को मस्टररोल द्वारा किया गया है। भुगतान हेतु 2 मस्टररोल का प्रयोग किया गया है। मस्टररोल पर क्रम संख्या अंकित नहीं है। प्रथम मस्टर रोल पर 30 मजदूरों का रुपया 36000.00 एवं द्वितीय मस्टररोल पर 16 मजदूरों का रुपया-21600.00 कुल रुपया-57600.00 का भुगतान किया गया है।

उपरोक्त दोनों मस्टररोल पर कार्य करने की अवधि एक ही दिनांक 16.12.2011 से 25.12.2011 अंकित है। जांच में पाया गया है कि दोनों मस्टररोल पर कार्यरत मजदूर एवं उनके पिता के नाम एक ही हैं। मजदूरों के नाम इस प्रकार हैं- नारायण, ननकू, भुल्लर, दयाराम, मायाराम, मुकेश, रमेश, प्यारेलाल, राममनोहर, रामदुलार, राकेश, एवं जीतलाल आदि। स्पष्ट है कि फर्जी मस्टररोल पत्रावली में संलग्न रुपया-57600.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, जे०ई०, लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से बराबर बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार उपरोक्त कार्यपर ही दिनांक 16.03.2012 को चेक संख्या- 510633 द्वारा रुपया-69480.00 के भुगतान हेतु दो मस्टररोल का उपयोग किया गया है। मस्टररोल पर क्रम संख्या नहीं अंकित है। प्रथम मस्टररोल पर 24 मजदूरों का रुपया-38880.00 एवं द्वितीय मस्टररोल पर 22 मजदूर का रुपया-30600.00 कुल रुपया-69480.00 का भुगतान किया गया है।

प्रथम मस्टररोल पर कार्य करने की अवधि दिनांक- 4 फरवरी 2012 से 15 फरवरी 2012 एवं द्वितीय मस्टररोल पर दिनांक- 24 जनवरी 2012 से 5 फरवरी 2012 अंकित है जांच में पाया गया कि दोनों मस्टररोल पर कार्यरत मजदूर एवं उनके पिता के नाम एक ही हैं। मजदूरों के नाम इस प्रकार हैं:-नारायण, ननकू, मुरली, भुल्लर, दयाराम, मायाराम, मुकेश, रमेश, प्यारेलाल, राममनोहर, रामदुलार, राकेश, जीतलाल, लालचंद, मुकेश, एवम मूमफली आदि। अतः स्पष्ट है कि फर्जी मस्टररोल पत्रावली में संलग्न कर रुपए- 69480.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, जे०ई०, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी से बराबर बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तर-14 वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 की लेखा परीक्षा में विवरणानुसार मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मस्टररोल द्वारा किया गया है, किंतु भुगतान प्राप्ति की पुष्टि में मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं है।

क्र०	मद का नाम	कार्य का नाम	कार्य अवधि	भुगतान की धनराशि	चेक संख्या व तिथि	भुगतान प्राप्तकर्ता कार्य प्रभारी का नाम
1	राज्य वित्त	किरांव पक्की सड़क से राज बहादुर के घर होते	01.12.2011 से 15.12.2011	36000.00	059046/16.12.2011	श्री सरयू प्रसाद श्रीवास्तव

		हुए इस्माईल अहमद के घर तक मिट्टी एवं खड़न्जा कार्य				ए0डी0ओ0(सी)
2	राज्य वित्त	किरांव पक्की सड़क से राज बहादुर के घर होते हुए इस्माईल अहमद के घर तक मिट्टी एवं खड़न्जा कार्य	08.01.2012 से 07.02.2012	71880.00	510634 / 16.03.2012	श्री सरयू प्रसाद श्रीवास्तव ए0डी0ओ0(सी)
3	राज्य वित्त	किरांव पक्की सड़क से राज बहादुर के घर होते हुए इस्माईल अहमद के घर तक मिट्टी एवं खड़न्जा कार्य	27.01.2012 से 14.02.2012	40680.00	510634 / 16.03.2012	श्री सरयू प्रसाद श्रीवास्तव ए0डी0ओ0(सी)
4	राज्य वित्त	किरांव पक्की सड़क से राज बहादुर के घर होते हुए इस्माईल अहमद के घर तक मिट्टी एवं खड़न्जा कार्य	02.04.2012 से 08.04.2012	4440.00	510641 / 11.04.2012	श्री सरयू प्रसाद श्रीवास्तव ए0डी0ओ0(सी)
5	राज्य वित्त	पैगम्बरपुर से जगतपाल के घर से त्रिलोकी के घर तक मिट्टी एवं खड़न्जा कार्य	27.11.2011 से 07.12.2011	15000.00	059047 / 16.12.2011	श्री इन्द्रजीत यादव ग्रा0वि0अधि0
6	राज्य वित्त	पैगम्बरपुर से जगतपाल के घर से त्रिलोकी के घर तक मिट्टी एवं खड़न्जा कार्य	09.12.2011 से 25.12.2011	14440.00		
7	विधायक निधि	सोनवर्षा अभईपुर में कब्रिस्तान की बाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य	07.11.2011 से 22.11.2011	33720.00	059093 / 25.11.2011	श्री सरयू प्रसाद श्रीवास्तव ए0डी0ओ0(सी)
8	विधायक निधि	सोनवर्षा अभईपुर में कब्रिस्तान की बाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य	22.12.2012 से 04.01.2013	14480.00	511944 / 17.01.2013	श्री यशवन्त सिंह, ग्रा0वि0अधि0
9	विधायक निधि	सोनवर्षा अभईपुर में कब्रिस्तान की बाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य	17.02.2013 से 28.02.2013	9400.00	515982 / 16.03.2013	श्री यशवन्त सिंह, ग्रा0वि0अधि0
				योग 240000.00		

स्पष्ट है कि फर्जी मस्टररोल पत्रावली में संलग्न कर रुपया— 240000.00 का पालन किया गया है जिसकी वसूली ब्लाक प्रमुख खंड विकास अधिकारी जेईई लेखाकार एवं कार्य प्रभारी से बराबर बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है। वर्ष— 2011—12 राज्य वित्त आयोग मद के अंतर्गत अश्विनी तिवारी के घर के बगल से प्राथमिक पाठशाला होते हुए सिताऊ का पूरा दलित बस्ती तक संपर्क मार्ग निर्माण कार्य हेतु रुपया— 5.12 लाख का बनाकर पत्रावली में संलग्न है। उक्त कार्य पर रुपया— 116520.00 मजदूरी पर फर्जी ढंग से मजदूरी भुगतान दर्शित कर कार्य अपूर्ण अवस्था में ही छोड़कर, कार्य बंद कर दिया गया है। मस्टर रोल पर भुगतान प्राप्तकर्ता मजदूरों के धन प्राप्ति की पुष्टि में हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित नहीं है। विवरण निम्न है:-

क्र.	कार्य अवधि	भुगतान की धनराशि	चेक संख्या व तिथि	भुगतान प्राप्तकर्ता कार्य प्रभारी का नाम
1	01.12.2011 से 15.12.2011	53760.00	059049 / 16.12.2011	श्री मिथिलेश कुमार मिश्रा, ग्रा0वि0अधि0
2	16.12.2011 से 25.12.2011	33600.00	510608 / 30.12.2011	श्री मिथिलेश कुमार मिश्रा, ग्रा0वि0अधि0
3	29.01.2012 से 09.02.2012	29160.00	510637 / 16.03.2012	श्री मिथिलेश कुमार मिश्रा, ग्रा0वि0अधि0
		योग—116520.00		

अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य पर उक्त अनुसार रुपया— 116520.00 फर्जी ढंग से व्यय दर्शित कर कार्य बंद कर दिया गया है, एवं मजदूरों के मस्टररोल पर धन प्राप्ति की पुष्टि में हस्ताक्षर/अंगूठा निशान विहीन फर्जी मस्टररोल पत्रावली में संलग्न कर रू0— 116520.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी से बराबर बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तर-15 – श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मास्टर रोल द्वारा भुगतान-

वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रुपया- 1598391.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किए गए हैं, जिसका भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को निम्नानुसार किया गया है:-

क्र०	वर्ष	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता/कार्यप्रभारी
1	2011-12	विधायक निधि	127424.00	श्री यशवंत सिंह, ग्रा०वि०अधि०
		राज्य वित्त	555657.00 81052.00 29800.00 75438.00 12964.00	श्री यशवंत सिंह, ग्रा०वि०अधि० श्री राजेन्द्र कुमार, ग्रा०वि०अधि० श्री इन्द्रजीत यादव, ग्रा०वि०अधि० श्री जय प्रकाश शुक्ला, ए०डी०ओ० आई.एस.बी श्री के.के. सिंह, बी०ओ०(पी.आर.डी.)
		बारहवां/तेरहवां वित्त	416238.00 190565.00 11600.00 97653.00	श्री यशवंत सिंह, ग्रा०वि०अधि० श्री जय प्रकाश शुक्ला, ए०डी०ओ० आई.एस.बी श्री चन्द्रकुमार, ए०डी०ओ०(सी) श्री के.के. सिंह, बी०ओ०(पी.आर.डी.)
		योग	1598391.00	

उक्त भुगतानों के संबंध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय-2 में नियम संख्या 49 में निहित व्यवस्था अनुसार निम्न कमियां पाई गई हैं:-

(क) मस्टर रोल के लिए देय धनराशि का भुगतान कार्य प्रभारी अधिकारी अपने स्थाई अग्रिम से या निर्माण कार्य के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित अग्रिम से ही करेगा।

(ख) भुगतान की पूर्ति एक बिल द्वारा करेगा जिसके समर्थन में मस्टर रोल होगा।

(ग) भुगतान के संबंध में रुपया पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जाएगा तथा कार्य प्रभारी भुगतान का निम्न प्रमाण-पत्र उस बिल पर अंकित करेगा। दिखाए गए सभी श्रमिक वस्तुतः सेवायोजित किए गए तथा मस्टररोल में दर्ज सभी मजदूरी मेरी उपस्थिति में दी गयी।

(घ) नियम संख्या-49 प्रपत्र संख्या-12 के अधीन श्रमिक का पूरा पता मस्टररोल पर अंकित नहीं है।

(ङ) विकास खंड कार्यालय से मस्टररोल कार्यवार निर्गत नहीं किए गए हैं, और ना ही उन पर कोई नंबर अंकित है।

(च) श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही लेखनी में किए गए हैं, और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह भी प्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किए गए हैं और मजदूरी मद में अंकन रुपया- 1598391.00 का वर्ष 2014-15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्लाक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, जेई एवं कार्य प्रभारी से समान रूप से की जानी आवश्यक है।

प्रस्तर- 16- बैंकों में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को प्रत्यावर्तित न करना :-

बैंकों में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को प्रत्यावर्ती ना करना शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय ना होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना शासनादेश का उल्लंघन है। आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा निम्न प्रकार से ब्याज अर्जित एवं व्यय किया गया है:-

क्र०	वित्तीय वर्ष	अर्जित ब्याज की धनराशि	व्यय धनराशि
1	2014-15	311024.00	421.00
योग		311024.00	

अतः उपरोक्तानुसार संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ब्याज की धनराशि रुपया-311024.00 में से रुपए- 421.00 मनमानी तरीके से व्यय किया गया है एवं शेष धनराशि रु०- 310603.00 संस्था में रोककर रखा गया है, जिसके लिए ब्लॉक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अतः संपूर्ण अर्जित ब्याज की धनराशि रुपए- 311024.00 को राजकोष में जमा कराया जाना आवश्यक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 17. कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती न किया जाना:-

उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियम 2009 के नियम संख्या-4 (3) के अनुसार "ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जाएगी तथा समस्त समावेशी अनुबंधों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्रावधानित कर्मकार उपकार का व्यवहार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा।"

संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार वर्ष- 2014-15 तक कुल रुपया- 14491333.00 व्यय किया गया है। परंतु नियमानुसार यदि किसी की भुगतान से कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर नहीं काटा गया है। जिससे संस्था द्वारा कुल रुपया- 224700.00 की राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई हुई है। जिसकी वसूली सूद सहित अन्य विवरणानुसार ब्लाक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है:-

क्र०	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराशि
1	श्रीमती मीनाक्षी	ब्लाक प्रमुख	72457.00
2	श्री ओम प्रकाश मिश्रा	खंडवि०अधि०	9196.00
3	श्री राधेश्याम वर्मा	खंडवि०अधि०	63260.00
योग			144913.00

प्रस्तर-18- टी०डी०एस० कम/न काटकर राजस्व को हानि पहुंचाना :-

आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194(सी) के अनुसार यदि किसी ठेके या उपठेके का प्रतिफल रु०- 30000.00 से अधिक हो तो कर की कटौती की जाएगी यह भुगतान की गई राशि पर दो प्रतिशत के बराबर होगी, जिस पर नियमानुसार अधिभार या अन्य उपकर सम्मिलित किये जायेंगे।

क्र०	वर्ष	पद का नाम	क्रय सामग्रीमूल्य	देय आयकर 2. 26 प्रतिशत	आयकरकटौती	अन्तर
1	2014-15	विधायक निधि राज्य वित्त बारहवां/ तेरहवांवित्त	153818.00 879083.00 416636.00	32760.00	33339.00	579.00
		योग	1449537.00			
		विधायकनिधि राज्य वित्त बारहवां/ तेरहवांवित्त	86468.00 4636353.00 6720584.00	258621.00	253707.00	4914.00
		योग	11443405.00			
सर्वयोग	291381.00	287046.00	4335.00			

क्षेत्र पंचायत बहरिया के वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के टी०डी०एस० कटौतियों का विवरण निम्नवत् है :-

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत बहरिया द्वारा वित्तीय वर्ष- 2014-15 निर्धारित दर अनुसार टी.डी.एस. कटौती न किए जाने के कारण रुपया- 4335.00 आयकर कम जमा कर ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है। जिससे केंद्रीय राजस्व की प्रत्यक्ष क्षति हुई है, जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234 एफ के अधीन व्यवस्था अनुसार दंड शुल्क के रूप में 1.5 प्रतिशत/माह ब्याज की दर सहित निम्नानुसार की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014-15 काटे गए पुल टी.डी.एस. अंकन रुपया- 287046.00 की जमा की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रस्तुत कराकर पुष्टि कराया जाना आवश्यक है। कम कटौती की गई टी.डी.एस. की धनराशि की वसूली निम्नानुसार की जानी अपेक्षित है:-

क्र०	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराशि
1	श्रीमती मीनाक्षी	ब्लाक प्रमुख	2167.50
2	श्री राधेश्याम वर्मा	खंडवि०अधि०	2167.50
योग			4335.00

प्रस्तर-19. वाणिज्य कर (वैट) नियमानुसार ना काटकर राजस्व की हानि पहुंचाना-

किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत की दर से धनराशि वाणिज्य कर/व्यापार कर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के कार्यों में से निर्धारित दर पर वाणिज्य कर/व्यापार कर कटौती नहीं की गई है, जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाया गया विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	वर्ष	पद का नाम	क्रय सामग्री मूल्य	देय आयकर 2. 26 प्रतिशत	आयकर कटौती	अन्तर
1	2014-15	विधायक निधि राज्य वित्त	153818.00 879038.00	57981.00	52185.00	5796.00

		बारहवां/तेरहवां वित्त	416636.00			
		योग	1449537			
		विधायक निधि	86468.00			
		राज्य वित्त	4636353.00			
		बारहवां/तेरहवां वित्त	6720584.00			
		योग	11443405.00	457736.00	441233.00	16503.00
सर्व योग	515717.00	493418.00	22299.00			

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत बहरिया क्षरा वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्धारित दर अनुसार वाणिज्य कर/व्यापार कर की कटौती न किये जाने के कारण रु0 22299.00 वाणिज्य कर कम जमा कर ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया है। जिसकी वसूली निम्नानुसार की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014-15 में काटे गये कुल वाणिज्य कर/व्यापार कर अंकन रु0 493418.00 की जमा की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न लेखा परीक्षा पटल पर जांच हेतु मांग के बावजूद भी सुलभ नहीं कराया गया। व्यापार कर की धनराशि रु0 22299.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न प्रकार की जानी अपेक्षित है :-

क्र०	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराशि
1	श्रीमती मीनाक्षी	तत्कालीन ब्लाक प्रमुख	11150.00
2	श्री राधेश्याम वर्मा	तत्कालीन खं०वि०अधि०	2898.00
3	श्री ओमप्रकाश मिश्रा	तत्कालीन खं०वि०अधि०	8251.00
योग			22299.00

प्रस्तर- 20. वित्तीय वर्ष 2014-15 में तेरहवां वित्त योजनान्तर्गत विकास खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में 232 नग सोलर लाईट स्थापना कार्य हेतु रु0 4442500.00 व्यय निम्न प्रकार से किया गया है:-

उ०प्र० नवीन एवं नवीकरण उर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या 332/नेडा इलाहाबाद/कि०गं०प-एस०एस०एल०/13-14 दिनांक 22.11.2013 के अनुसार जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी इलाहाबाद को प्रेषित है, के क्रम में सोलर लाईट कय हेतु आदेश नेडा इलाहाबाद से है, किन्तु खण्ड विकास अधिकारी ब्लाक प्रमुख एवं लेखाकार मिलकर मनमाने ढंग से निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु सुपरफास्ट टाइम्स इलाहाबाद समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन कर ईजी फोटोवोल्टेज प्रा०लि० गाजियाबाद का टेण्डर स्वीकृत कर उपरोक्तानुसार 200 नग सोलर लाईट मंहगे दर पर प्राइवेट कम्पनी से कय का प्रमाणक पत्रावली में संलग्न है। सुपर फास्ट टाइम्स इलाहाबाद का स्थानीय समाचार पत्र है, जो कि सम्भवतः गाजियाबाद में उपलब्ध नहीं होता होगा। सोलर लाईट लगाने का प्रमाण पत्र लाभार्थियों द्वारा नहीं लिया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – करछना विकास खण्ड – करछना जनपद- प्रयागराज (लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 से 2013-14)

प्रस्तर-21 आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 में अनुदान रजिस्टर के अनुसार अनुदान से प्राप्त ब्याज वर्ष 2011-12 में रुपए 56596.00 वर्ष 2012-13 में रुपए 142516.00 एवं वर्ष 2013-14 में रुपए 89035.00 कुल रुपए 288147.00 प्राप्त हुई थी। जिसकी पुष्टि बैंक पासबुक के अभाव में नहीं की जा सकी, जबकि शासनादेश सं० ए-1 – 122/दस –2012-10(33)/2010 दिनांक 21मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या- 10/2015/ए-1-502 दस – 10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अनुदान की धनराशि को बैंक खातों में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय ना होकर राज्य सरकार की आय होगी। संस्था द्वारा अर्जित ब्याज राज्य के कोषागार में जमा न कर शासनादेश का उल्लंघन किया गया है, जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। अतः वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल ब्याज रुपए 228145.00 तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार, श्री कमलेश कुमार सोनी, श्री रंजीत सिंह एवं श्री तेजभान सिंह तथा लेखाकार श्री सिद्दीकी से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 में अनुदान रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2011-12 में रुपए 3752.00 वर्ष 2012-13 में रुपए 69180.75 एवं वर्ष 2013-14 में रुपए 102190.000 कुल रुपए 175125.00 ब्याज की धनराशि के विभिन्न मदों पर व्यय किया गया था लेकिन व्यय का विवरण अप्राप्त रहा जबकि शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या- 10/2015/ए-1-502-दस-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 का उल्लंघन करते हुए ब्याज की धनराशि रुपए 175125.00 मनमाने तरीके से व्यय किया गया है। जिसके लिए पूर्ण जिम्मेदार तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार हैं, अतः उक्त धनराशि तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार, श्री कमलेश कुमार सोनी, श्री रणजीत सिंह तथा लेखाकार श्री मोअज्जम सिद्दीकी से ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-23 आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक अनुदान रजिस्टर के अनुसार विभिन्न योजना की अनुदान की धनराशि को विभिन्न मदों में उपभोग किया गया है, जिसकी पुष्टि में निर्माण पत्रावली की मांग करने के बावजूद भी निर्माण पत्रावलियां एवं आय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण उपभोग की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी योजनावार निर्माण कार्यों पर व्यय का विवरण निम्न है-

क्र०	योजना का नाम	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	योग
1	राज्य वित्त आयोग	2079321.00	1916002.00	3797438.00	7792761.00
2	तेरहवां वित्त आयोग	1898408.00	6605467.00	4523761.00	13027636.00
3	विधायक निधि	1650672.00		1560050.00	3310722.00
4	सांसद निधि	828121.00	421042.00	1093822.00	2342985.00
	योग	6456522.00	8942511.00	10975071.00	26374104.00

उक्त विवरण अनुसार निर्माण कार्यों पर कुल व्यय रुपए 26374104.00 अनुदान की राशि का उपभोग किया गया है, लेकिन निर्माण कार्यों से संबंधित निर्माण कार्य की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण निर्माण कार्यों पर उपभोग की गई धनराशि रु० 26374104.00 की पुष्टि ना हो सकी, जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। उक्त योजनाओं से निर्माण कार्यों पर व्यय की गई धनराशि की तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार, श्री कमलेश कुमार सोनी, श्री तेजभान सिंह एवं लेखाकार मोअज्जम सिद्दीकी उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 आलोच्य वर्ष 2011-12 2012-13 में बायोगैस की अनुदान धनराशि वर्ष 2011-12 में रुपए 15000.00 एवं वर्ष 2012-13 में रुपए 56000.00 कुल रु० 71000.00 का व्यय अनुदान रजिस्टर में दर्शित है लेकिन व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण रु० 71000.00 की पुष्टि नहीं हो सकी जो गंभीर अनियमितता है। जिसकी जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी व लेखाकार की है, अतः उक्त धनराशि की तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार, श्री कमलेश कुमार सोनी, श्री स्वामी नाथ गुप्ता, श्री रणजीत सिंह एवं लेखाकार मोअज्जम सिद्दीकी उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 आलोच्य वर्ष 2011-12 में महामाया आवास/शौचालय मद में रु० 141000.00 का व्यय अनुदान रजिस्टर में दर्शित है लेकिन उक्त व्यय धनराशि के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण रुपए 141000.00 की गंभीर अनियमितता का द्योतक है। तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार, श्री कमलेश कुमार सोनी, श्री स्वामी नाथ गुप्ता, एवं लेखाकार श्री मोजम सिद्दीकी उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 में अनुदान रजिस्टर तृतीय के अनुसार आयकर की वर्ष 2011-12 में रुपए 49051.00 व वर्ष 2012-13 में शून्य एवं वर्ष 2013-14 में 162283.00 कुल रु० 211334.00 व्यय दर्शित है। लेकिन राजकीय कोषागार में आयकर जमा का चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण रुपए 211334.00 गंभीर अनियमितता प्रतीत होती है। चालान प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी व लेखाकार जिम्मेदार हैं, इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि उक्त ट्रेजरी चालान प्रस्तुत न किए जाने के कारण तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार, श्री कमलेश कुमार, श्री स्वामी नाथ गुप्ता, श्री रंजीत सिंह व श्री तेजभान सिंह एवं लेखाकार श्री मोअज्जम सिद्दीकी के प्रति कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 आलोच्य वर्ष 2012-13 में आयकर की कटौती धनराशि रुपए 149014.00 प्रारंभिक शेष रुपए 18379.00 वर्ष की आयकर कटौती रुपए 130635.00 अनुदान रजिस्टर के अनुसार दर्शित धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा का ट्रेजरी चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण अपुष्ट रहा। इससे स्पष्ट होता है कि राजकीय कोषागार में जमा ही नहीं किया गया है, इस प्रकार से रुपया 149014.00 से राजकीय क्षति पहुंचाई गई है। इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री स्वामी नाथ गुप्ता, श्री रंजीत सिंह एवं लेखाकार मोअज्जम सिद्दीकी उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 में अनुदान रजिस्टर के अनुसार मनरेगा कन्टीजेंसी में वर्ष 2011-12 में रुपए 979797.50 वर्ष 2012-13 में रुपए 1376612.00 एवं वर्ष 2013-14 में रुपए 453695.00 कुल रु० 2809614.50 का उपभोग दर्शित है। लेकिन उपभोग से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत किए जाने के कारण उपभोग की धनराशि अपुष्ट रही। तत्कालीन खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार, श्री कमलेश कुमार, स्वामी नाथ गुप्ता, श्री रणजीत सिंह व श्री तेजभान सिंह लेखाकार श्री मोअज्जम सिद्दीकी उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 - 31.03.2014 को निम्न योजनाओं की धनराशि रुपए 32949.00 अनुदान रजिस्टर में अवशेष दर्शित है। जिसको संबंधित विभाग को वापस नहीं किया गया है। इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि निम्न विवरणानुसार रुपए 32949.00 यथाशीघ्र संबंधित विभाग को वापस किए जाने की कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित है एवं तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र०	योजना का नाम	धनराशि
1	12 वां वित्त	4257.00
2	बायोगैस अनुदान	2590.00
3	विभिन्न मदों से एकत्र की गई धनराशि	21020.00
4	प्राथमिक विद्यालय गर्ल प्रोत्साहन भत्ता	14000.00
5	एएनएम सम्मेलन	10000.00
	योग	32949.00

प्रस्तर-30 आलोच्य वर्ष के 2013-14 में अनुदान रजिस्टर के अनुसार इंदिरा आवास कन्टीजेंसी में रुपए 141709.00 का उपभोग किया गया है लेकिन उपभोग की पुष्टि में उपभोग व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण अपुष्टि रहा। तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, श्री राकेश कुमार एवं श्री तेजभान सिंह तथा लेखाकार श्री मोअज्जम सिद्दीकी उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 आलोच्य वर्ष 2013-14 में अनुदान रजिस्टर के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों पर ठेकेदार के बिल से रुपए 22568.00 की कटौती की गई है, लेकिन वैट की धनराशि रुपए 22568.00 राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया है, जो गंभीर अनियमितता है। अतः तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, श्री राकेश कुमार, श्री तेजभान सिंह लेखाकार मोअज्जम सिद्दीकी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 आलोच्य वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 में अनुदान रजिस्टर के अनुसार विभिन्न मदों में 8प्रतिशत की कटौती वर्ष 2012-13 में रुपए 42911.00 वर्ष 2013-14 में रु० 99057.75 कुल रुपया 141968.75 का ब्याज दर्शित है, लेकिन उक्त धनराशि के उपभोग से संबंधित उपभोग व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण अपुष्टित रहा। उक्त धनराशियों के उपभोग प्रमाण प्रस्तुत करने के संबंध में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री स्वामी नाथ गुप्ता, श्री रणजीत सिंह, श्री तेजभान सिंह व श्री राकेश कुमार तथा लेखाकार श्री मोअज्जम सिद्दीकी उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 आलोच्य वर्ष 2012-13 व 2013-14 में अनुदान रजिस्टर के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान की धनराशि रुपए 79962.00 का उपयोग किया जाना दर्शित है। लेकिन उपभोग व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण उपभोग की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। उपभोग की तत्कालीन खंड विकास अधिकारी स्वामीनाथ गुप्ता, श्री रंजीत सिंह, श्री राकेश कुमार, श्री तेजपाल सिंह एवं लेखाकार मोअज्जम सिद्दीकी उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र०	योजना का नाम	धनराशि	वर्ष
1	पुनरीक्षण में कार्य करने वाले संगठनों का मानदेय व्यय	21360.00	2012-13
2	प्रा०वि० दल प्रोत्साहन भत्ता व्यय	8000.00	2013-14
3	जिला विज्ञान क्लब प्रशिक्षण पर व्यय	8000.00	2013-14
4	स्वजल धारा प्रशिक्षण पर व्यय	42600.00	2013-14
	योग	79962.00	

क्षेत्र पंचायत – करछना विकास खण्ड – करछना जनपद– प्रयागराज
क्षेत्रपंचायत–करछना विकास खण्ड–करछना जनपद–प्रयागराज
(लेखा परीक्षा वर्ष-वर्ष 2014-15 से 2016-17)

प्रस्तर-34 आलोच्य वर्ष 2015-16 में तेरहवां वित्त के अन्तर्गत सी०पी०सी० पावर इण्डिया प्रा० लि० वाराणसी से 80 सोलर लाइट रु० 21800.00 प्रति सोलर लाइट कुल रु० 1744000.00 का क्रम किया जाना दर्शित है जबकि जिला मुख्यालय में नेडा का सरकारी कार्यालय स्थित है उक्त नेडा संस्था से क्यों नहीं खरीद किया गया है, प्राइवेट फर्म से क्यों खरीद किया जाना दर्शित है। उक्त खरीद की पुष्टि में क्रम प्रमाणक, स्थलीय सर्वेक्षण रिपोर्ट व स्थान जहां पर लगाया गया है, सूची आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण सोलर लाइट क्रय एवं उसके उपभोग की पुष्टि नहीं हो सकी। सोलर लाइट क्रय एवं उसके उपभोग की पुष्टि न कराना गम्भीर अनियमितता है, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री साहबराज सिंह व लेखाकार मोअज्जम सिद्दीकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली हेतु यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

भुगतान का विवरण निम्न है:-

क्र०	दिनांक	चेक संख्या	फर्म का नाम	भुगतान धनराशि
1	29.09.2015	0113	सी०पी०सी० पावर इण्डिया प्रा०लि० वाराणसी	436000.00
2	05.11.2015	0124		436000.00

3	19.11.2015	0125		436000.00
4	07.01.2016	0133		436000.00
कुल योग				1744000.00

प्रस्तर-35 आलोच्य वर्ष 2015-16 में विकास खण्ड परिसर की रंगाई पुताई का कुल भुगतान रु० 800000.00 श्री अल्प नारायण सिंह सहायक लेखाकारी की चेक सं० 0151 दि० 30.01.2016 को भुगतान अनुदान रजि० 2 में व्यय दर्शित है लेकिन भुगतान से सम्बन्धित एवं निर्माण कार्य से सम्बन्धित व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय की पुष्टि न होने की दशा में तत्कालीन सहायक लेखाकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। अतः तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री अल्प नारायण सिंह से ब्याज सहित वसूली हेतु यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 आलोच्य वर्ष 2015-16 में कार्यालय की मरम्मत कार्य हेतु तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री अल्प नारायण सिंह को चेक सं० 0156 दि० 10.03.2016 रु० 12000.00 एवं चेक संख्या 0157 दि० 10.03.2016 रु० 45000.00 कुल रु० 57000.00 का भुगतान अनुदान रजि० 2 में दर्शित है लेकिन मरम्मत कार्य से सम्बन्धित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। रु० 57000.00 की पुष्टि न होने की दशा में तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री अल्प नारायण सिंह पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। अतः तत्कालीन सहायक लेखाकार श्री अल्प नारायण सिंह से ब्याज सहित वसूली हेतु यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त से प्रमुख कक्ष एवं नरेगा कक्ष में ए०सी० लगाने का कुल व्यय रु० 84300.00 अनुदान रजि० 2 में दर्शित है तथा उक्त का भुगतान दि० 05.05.2016 को चेक सं० 0165 द्वारा सिंह कम्प्यूटर्स नैनी को भुगतान किया गया है, लेकिन कय प्रमाणक व मृत स्कन्ध रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। कय प्रमाणक व मृत स्कन्ध पंजिका प्रस्तुत न करना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी एवं लेखाकार मोअज्जम सिद्दीकी से ब्याज सहित वसूली हेतु यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त के अन्तर्गत ग्राम मनैया के मनेश्वर नाथ मन्दिर के पास गंगा घाट पर सीढ़ी व नाली पर रु० 322035.00 सामग्री एवं रु० 61164.00 श्रमांश का व्यय किये जाने का प्राविधान है। जिसमें से रु० 287500.00 का बिल चयनित फर्म श्री कृष्णा इण्टरप्राइजेज मनैया मुंगारी करछना द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें रु० 17250.00 आयकर एवं बैट काटकर रु० 270250.00 का भुगतान अक्त फर्म को चंक सं० 0191 दि० 29.12.2016 को किया गया है तथा दूसरा बिल सं० 4/165 दि० (अंकित नहीं) द्वारा रु० 34535.00 की सामग्री उक्त फर्म द्वारा की गयी है जिसमें आयकर एवं बैट रु० 2072.00 की कटौती कर रु० 32463.00 का भुगतान उक्त फर्म को न कर कार्यप्रभारी श्री रामसिंह ग्रा०पं०अधि० को मजदूरी व्यय रु० 61164.00 के साथ कुल रु० 93697.00 का भुगतान चेक सं० 0195 दि० 17.03.2017 को किया गया है। फर्म को भुगतान न कर कार्य प्रभारी को सामग्री का भुगतान करना गम्भीर अनियमितता है। अतः रु० 32463.00 तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री रामसिंह ग्रा०पं०अधि० से ब्याज सहित वसूली हेतु यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है तथा तत्कालीन खं०वि०अधि० व लेखाकार के प्रति यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम पंचायत नरैना में पक्की सड़क से राजेंद्र सिंह के मकान के आगे तक इंटरलॉकिंग कार्य का प्राक्कलन रुपया 4.40 लाख का तैयार किया गया है, जिसकी माप 110×3 मीटर थी,, जिस प्राक्कलन में सामग्री की कुल लागत रु० 391145.00 थी सामग्री के विवरण के अंतर्गत जी०एस०बी० का नहीं था लेकिन ठेकेदार राजपूत ब्रिकफील्ड करछना के बिल संख्या 142 व 144 दिनांक (दोनों बिलों में अंकित नहीं है) में जी०एस०बी० 20मी०क्यू०×7.5मी०क्यू० कुल 27.50 मी०क्यू० का मूल्य रु० 950.00 प्रति घनमीटर की दर से रु० 26125.00 की सामग्री आपूर्ति बिना प्राक्कलन में दर्शित किए सामग्री आपूर्ति दर्शाकर आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री लालजी यादव व लेखाकार श्री मोअज्जम सिद्दीकी की है जिनसे रुपया 26125.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

1- उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री राम सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी को बनाया गया है जबकि नियमतः कार्य प्रभारी सहायक विकास अधिकारी स्तर का बनाना चाहिए जो नियमतः गलत है। कार्य प्रभारी श्री राम सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी को मजदूरी का रुपया 47600.00 दो संख्या 176 दिनांक 31 मई 2016 को भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में संलग्न मस्टर रोल पर निम्नवत कमियां पायी गयी हैं:-

क- मस्टर रोल पर 9 मजदूरों का विवरण अंकित हैं, लेकिन आठ मजदूरों के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर लगे हैं।

ख- संलग्न मस्टर रोल पर एक जैसे अंगूठा निशान लगे हैं।

ग- संलग्न मस्टररोल पर अंकित राज मिस्त्री श्री दिनेश व रामबली को 25, 25 दिन की मजदूरी का भुगतान दर्शित है, लेकिन मस्टररोल में दर्शित उपस्थिति 24, 24 दिन की दर्शित है। इस प्रकार से राजमिस्त्री श्री दिनेश व रामबली को एक-एक दिन की अधिक मजदूरी भुगतान किया गया है।

अतः एक राजमिस्त्री का मस्टर रोल पर अंगूठा निशान नहीं है के कारण व श्री दिनेश व रामबली को एक-एक दिन का अधिक भुगतान होने के कारण क्रमशः रुपया 8750+350+350 कुल रुपया 9450.00 तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री राम सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली हेतु यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। कार्य प्रभारी

सहायक विकास अधिकारी स्तर के अधिकारी को नियुक्त ना कर ग्राम पंचायत अधिकारी को किस नियम के तहत नियुक्त किया गया है, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी व लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त के अंतर्गत खजुरी (गोसाई का पूरा) में बरदहा खजुरी सड़क से केशव मौर्या के घर से होते हुए राम सिंह, बी.डी.सी. के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य का प्राक्कलन रुपया 5.00 का लगभग तैयार किया गया था जिसमें सामग्री का मूल्य 453453.00 का है चयनित ठेकेदार फर्म जे.पी. इंटरप्राइजेज. पुराना मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद के बिल संख्या-2 दिनांक-10 मई 2016 द्वारा 80 एमएम की 6000 एवं बिल संख्या-4 दिनांक-20 मई 2016 द्वारा 80 एमएम की 4000 ईट तथा बिल संख्या- 9 दिनांक- 27 मार्च 2016 द्वारा 4500 ईट कुल 14500 आपूर्ति करना दर्शित है जबकि संलग्न में 80 एमएम रुपया 13788.00 दर्शित है, इस प्रकार से 80 एमएम की 712 ईट दर रुपया 23.92 की दर से रुपया 17031.00 कि अधिक ईट दर्शित है। इस प्रकार से प्राक्कलन से अधिक ईट कय दर्शाकर रुपया 17031.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री लालजी यादव व लेखाकार मोअज्जम सिद्दीकी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 आलोच्य वर्ष 2015-16 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रुपया 190140.00 का व्यय किया जाना अनुदान रजिस्टर-3 में दर्शित है तथा अनुदान रजिस्टर-2 का विवरण निम्न है:-

क्र.	व्यय का विवरण	व्यय धनराशि	चेक सं०	दिनांक	चेक धारक का नाम
1	त्रिस्तरीय पं० चुनाव हेतु स्थान निर्माण	25320.00	06477	08.10.2015	श्री अल्प नारायण सिंह, सहा० लेखा०
2	अधिकारी/कर्मचारी को हल्का नाश्ता	10000.00	922531	23.10.2015	श्री अल्प नारायण सिंह, सहा० लेखा०
3	तदैव	49500.00	922533	29.10.2015	श्री अल्प नारायण सिंह, सहा० लेखा०
4	पूर्वाभ्यास पर व्यय	35000.00	424501	26.11.2015	श्री अल्प नारायण सिंह, सहा० लेखा०
5	मतदान हेतु स्थान निर्माण व हल्का नाश्ता	35320.00	924502	26.11.2015	श्री अल्प नारायण सिंह, सहा० लेखा०
6	मतगणना हेतु	35000.00	922550	25.11.2015	श्री अल्प नारायण सिंह, सहा० लेखा०
	योग	190140.00			

उक्त विवरण में निम्न कमियां पाई गई हैं :-

क- उक्त व्यय से संबंधित किसी प्रकार का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख- अनुदान रजिस्टर में दर्शित व विवरण का योग रुपया 155140.00 लेखा परीक्षा अनुसार होता है, जबकि उस रजिस्टर में कुल व्यय 190140.00 दर्शित है, इस प्रकार से रुपया 35,000.00 का विवरण अंकित नहीं है।

ग- उक्त विवरण से संबंधित तीन फर्मों के कोटेशन/टेंडर की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

उक्त कमियों से स्पष्ट है कि रु० 190140.00 की गंभीर अनियमितता की गई है जिसमें रुपया 35000.00 की चेक धारक श्री अल्प नारायण सिंह, सहायक लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है तथा रुपया 35000.00 सहायक लेखाकार श्री अल्प नारायण सिंह से ब्याज सहित वसूली हेतु उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक में समस्त निर्माण कार्यों से आयकर एवं वैट की कटौती निम्नवत की गई है, लेकिन राजकीय कोषागार में जमा का ट्रेजरी चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण अप्रमाणित रहा, यदि राजकीय कोषागार में ट्रेजरी चालान से आयकर व वैट की धनराशि जमा की गई थी तो जमा का संबंधित ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रतिलिपि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए था। ट्रेजरी चालान की प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना करना गंभीर अनियमितता का द्योतक है, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन लेखाकार की है। जिसकी यथोचित जांच कर मोअज्जम सिद्दीकी, लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष	आयकर जमा	वैट जमा	कुल योग	अभियुक्त
2014-15	176773.00	297859.00	474632.00	
2015-16	295293.00	429822.00	725115.00	
2016-17	—	100000.00	100000.00	
योग	472066.00	827681.00	1299747.00	

आलोच्य वर्ष 2015-16 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रुपया 190140.00 का व्यय किया जाना अनुदान रजिस्टर-3 में दर्शित है तथा अनुदान रजिस्टर-2 का विवरण निम्न है:-

क्र.	व्यय का विवरण	व्यय धनराशि	चेक सं०	दिनांक	चेक धारक का नाम
1	त्रिस्तरीय पं० चुनाव हेतु स्थान निर्माण	25320.00	06477	08.10.2015	श्री अल्प नारायण सिंह, सहा० लेखा०
2	अधिकारी/कर्मचारी को	10000.00	922531	23.10.2015	श्री अल्प नारायण सिंह,

	हल्का नाश्ता				सहा0 लेखा0
3	तदैव	49500.00	922533	29.10.2015	श्री अल्प नारायण सिंह, सहा0 लेखा0
4	पूर्वाभ्यास पर व्यय	35000.00	424501	26.11.2015	श्री अल्प नारायण सिंह, सहा0 लेखा0
5	मतदान हेतु स्थान निर्माण व हल्का नाश्ता	35320.00	924502	26.11.2015	श्री अल्प नारायण सिंह, सहा0 लेखा0
6	मतगणना हेतु	35000.00	922550	25.11.2015	श्री अल्प नारायण सिंह, सहा0 लेखा0
	योग	190140.00			

उक्त विवरण में निम्न कमियां पाई गई हैं :-

क- उक्त व्यय से संबंधित किसी प्रकार का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख- अनुदान रजिस्टर में दर्शित व विवरण का योग रुपया 155140.00 लेखा परीक्षा अनुसार होता है, जबकि उस रजिस्टर में कुल व्यय 190140.00 दर्शित है, इस प्रकार से रुपया 35,000.00 का विवरण अंकित नहीं है।

ग- उक्त विवरण से संबंधित तीन फर्मों के कोटेशन/टेंडर की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

उक्त कमियों से स्पष्ट है कि रु0 190140.00 की गंभीर अनियमितता की गई है जिसमें रुपया 35000.00 की चेक धारक श्री अल्प नारायण सिंह, सहायक लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है तथा रुपया 35000.00 सहायक लेखाकार श्री अल्प नारायण सिंह से ब्याज सहित वसूली हेतु उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 आलोच्य वर्ष 2015-16 व 2016-17 में जमानत की धनराशि क्रमशः रु0 110848.00 व रु0 243636.00 कुल रुपया 354484.00 का उपभोग अनुदान रजिस्टर तृतीय में दर्शित है लेकिन अनुदान रजिस्टर द्वितीय में वर्ष 2016-17 का कुछ व्यय विवरण दर्शित है। लेकिन उक्त वर्षों की जमानत वापसी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण उक्त वर्षों के जमानत उपभोग की दर्शित धनराशि गंभीर अनियमितता का द्योतक है। अतः तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार, श्री साहब राज सिंह, श्री लालजी यादव, श्री लल्ला राम यादव तथा लेखाकार मोअज्जम सिद्दीकी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2016-17 में अनुदान रजिस्टर द्वितीय में जमानत व्यय :-

क्र.	व्यय का विवरण	व्यय धनराशि	चेक सं0	दिनांक	चेक धारक का नाम
1	ग्राम सभा अन्तर्हिया जगदीश बस्ती से कोल बस्ती	15960.00	924534	28.04.2016	श्री अखिलेश कुमार, देवरी
2	झुरहा का पूरा सम्पर्क मार्ग में ह्यूम पाइप	4260.00	924535	28.09.2016	श्री सृष्टि नारायण सिंह
3	करछना मार्ग ठकुरान बस्ती में हंसराज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3568.00	944536	28.09.2016	श्री जे0पी0 सिंह
4	पचपेड़िया सम्पर्क मार्ग	2129.00	944595	02.06.2016	श्री संकटा प्रसाद
5	विवरण रहित वर्ष 2015-16 व 2016-17	328567.00	---	---	---
	योग	354484.00	---	---	---

प्रस्तर-44 आलोच्य वर्ष 2015-16 में सामान्य ब्याज से निम्न व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502-दस-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार बैंक खातों से पाया ब्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की आय मानी गयी है अतः उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री साहबराज सिंह व लेखाकार श्री मोअज्जम सिद्दीकी द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है जिस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

क्र.	व्यय का विवरण	व्यय धनराशि	चेक सं0	दिनांक	चेक धारक का नाम
1	जीप गाड़ी किराया	30000.00	924506	08.12.2015	श्री जितेन्द्र सिंह
2	निर्वाचन से सम्बन्धित बांस,बल्ली,पटरी आदि	924509.00	924509	22.12.2015	मे0 शिव इण्टरप्राइजेज (सामान का उल्लेख नहीं)
	योग	165361.00			

उक्त क्रमांक 2 पर यह टिप्पणी अंकित है कि धन उपलब्ध होने पर समायोजित कर लिया जायेगा लेकिन वर्ष 2017-18 तक उक्त धनराशि का समायोजन नहीं किया गया है।

प्रस्तर-45 आलोच्य वर्ष 2015-16 में ब्याज की धनराशि रु0 293066.00 को तेरहवां वित्त खाते में हस्तान्तरण कर दिया गया था। उक्त हस्तान्तरित धनराशि में से रु0 57000.00 कार्यालय मरम्मत कार्य तथा ग्राम धरवारा में पक्की सड़क से ठकुरान बस्ती तक खड़न्जा कार्य में सामग्री पर रु0 191200.00 एवं मजदूरी पर रु0 44866.00 कुल रु0

236066.00 व्यय किया गया था जो तेरहवां वित्त से सम्बन्धित है। उक्त हस्तान्तरित धनराशि क सम्बन्धित में यह टिप्पणी अंकित कर दी गयी थी कि धनराशि उपलब्ध होने पर उक्त धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा। लेकिन 31.03.2018 तक उक्त व्यय धनराशि का कोई समायोजन नहीं किया गया है। अतः निर्माण कार्य हेतु तेरहवां वित्त खाते में ब्याज का हस्तान्तरण रू0 293066.00 कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। अतः उक्त हस्तान्तरित धनराशि की यथोचित जांच कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री साहबराज सिंह व लेखाकार मोअज्जम सिद्दीकी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत –शंकरगढ़ विकास खण्ड –शंकरगढ़

जनपद— प्रयागराज

(लेखा परीक्षा वर्ष— 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, व 2009–10)

की लेखा परीक्षा वर्ष में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :—

प्रस्तर –46 वर्ष 2005–06 में क्षेत्र पंचायत शंकरगढ़ द्वारा सांसद निधि से ग्राम पंचायत शिवराजपुर में श्री रामललक मिश्र की भूमिधरी चक में सार्वजनिक ब्लास्टिंग कूप निर्माण पर रू0— 403056.00 व्यय दर्शित है किन्तु उक्त निर्माण कार्य व सम्बन्धित भुगतान की प्रक्रिया दोषपूर्ण व संदिग्ध प्रतीत होती है जिसके निम्न कारण हैं:—

1— प्रथम दृष्टया जब निर्माण स्थल ही किसी व्यक्ति विशेष श्री राम ललक मिश्र के भूमिधरी चक में स्थित है तो इसे सार्वजनिक माना जाना कदापि उचित नहीं होगा। वैसे भी भूमि मालिक द्वारा सम्बन्धित कूप के सार्वजनिक उपयोग के सम्बन्ध में कोई शपथ-पत्र लिखित रूप से नहीं दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित फाइल में जो दस रुपये का स्टाम्प पेपर संलग्न है, वह आडिट की तिथि तक पूर्ण रूपेण खाली पाया गया।

2— उक्त कार्य से सम्बन्धित अधिकांश व्यय भुगतान नकद रूप में कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय (ग्राम पंचायत अधिकारी) को किया गया है, जबकि सामग्री व्यय हेतु खरीद व बड़ी मशीनों के किराए का भुगतान वित्तीय नियमानुसार एकाउण्ट पेयी चेक से सम्बन्धित रजिस्टर्ड फर्म अथवा विभाग को किया जाना अपेक्षित था। उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.11.2005 व दिनांक 18.12.2005 को क्रमशः रू0 19600.00 व रू0 21560.00 का बिल द्विवेदी मशीनरी वर्क्स लोहगरा की किसी गैर रजिस्टर्ड पार्टी द्वारा प्रस्तुत करने पर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री साहब राज सिंह द्वारा उक्त दोनों भुगतान नकद रूप में करवा दिया गया है। यही नहीं बल्कि दिनांक 15.09.2005 का द्विवेदी मशीनरी वर्क्स लोहगरा के नाम से प्रस्तुत बिल रू0 9800.00 का भुगतान मनमान तरीके से कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय का नकद रूप में कर दिया गया, जबकि तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय, श्री अमृत अभिजात द्वारा दिनांक 19.03.2005 को खण्ड विकास अधिकारी शंकरगढ़ को जारी किए गए पत्र के दूसरे पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है —

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि लघु सिंचाई विभाग की ब्लास्टिंग यूनितों से क्षेत्र में ब्लास्टिंग कार्य कराएं इसके लिए 186— ए0, अलोपीबाग, प्रयागराज में अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई के अधीन चार ब्लास्टिंग यूनितें उपलब्ध हैं, जो वर्तमान में आपके ही क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

उक्त आदेश के बावजूद मनमाने ढंग से किसी गैर रजिस्टर्ड पार्टी द्वारा ब्लास्टिंग कार्य करवाना एवं नकद भुगतान करना सर्वथा आपत्तिजनक और अनियमित है।

उक्त के संबंध में यह भी दृष्टव्य है कि आदेश संख्या 658/परि0 सांसद/दिनांक 10.08.2005 द्वारा उक्त कार्य के प्रभारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय थे और बाद में पत्रांक 738 (बी) दिनांक 20.09.2005 द्वारा श्री शशि भूषण सिंह जे0ई0 (एम0जे0) को कार्य प्रभारी बनाया गया।

उक्त संबंध में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री साहब राज सिंह द्वारा जा आदेश, पत्रांक 738 (बी) सांसद निधि 105 दिनांक 20.09.2005 किया गया, उसकी प्रतिलिपि विकास खण्ड शंकरगढ़ के दोनो अवर अभियंताओं क्रमशः श्री नरेन्द्र सिंह जे0 ई0 (आर0ई0एस) व श्री शशि भूषण सिंह (जे0 ई0) एम0 जे0 को इस आशय से प्रेषित है कि वे एक दूसरे के कार्यों का मापन करेंगे जो प्रकारान्तर से इस तथ्य का स्पष्ट द्योतक है कि उक्त सम्बन्धित दोनों जे0 ई0 एक दूसरे के कार्यों की परस्पर मिली भगत से मनचाही एम0बी0 कर लें। क्योंकि एक की कमी दूसरा इस कारण नहीं निकाल सकता क्योंकि दूसरा पहले की कमी निकालने के लिए अधिकृत है।

अतः निष्कर्षपरान्त उक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट हो जाता है कि सम्बन्धित भुगतान रू0 403056.00 अनियमित व परस्पर मिलीभगत से किया गया है जिसके लिए श्री ओम प्रकाश पाण्डेय तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री साहब राज सिंह व श्री शशि भूषण सिंह, जे0ई0 उत्तरदायी है। अस्तु रू0 403056.00 रुपये की वसूली संयुक्त रूप से श्री ओम प्रकाश पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री साहब राज सिंह खण्ड विकास अधिकारी व श्री शशि भूषण सिंह, जे0 ई0 से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –47 वर्ष 2005–06 में क्षेत्र पंचायत शंकरगढ़ द्वारा तालाब खुदाई का कार्य ग्राम पंचायत करियाकला में सौन्दर्यीकरण सहित करवाया गया दर्शित है। जिसके कार्य प्रभारी श्री वीरेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी है और मापकर्ता श्री नरेन्द्र सिंह जे0आर0 (आर0ई0एस0) को नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री साहबराज सिंह द्वारा अल्पकालिक निविदा सूचना दिनांक 01.12.2005 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आपूर्तिकर्ता का व्यापार कर एवं आयकर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। किन्तु जिस सप्लायर भारत

सिंह, निवासी टिकरोही खुर्द शंकरगढ़ के सम्बन्धित कोटेशन को उक्त कार्य में सामग्री आपूर्ति हेतु स्वीकृत किया गया है, उनके द्वारा आयकर एवं व्यापार कर विभाग में पंजीकृत होने सम्बन्धी कोई प्रमाण सम्बन्धित पत्रावली में नहीं पाया गया है।

समद रहे कि उक्त सप्लायर श्री भारत सिंह, कोतत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री साहब राज सिंह के निर्देश से सामग्री— सीमेंट, कोर्स सैंड, स्टोन, ब्लास्ट, कटस्टोनर की अपूर्ति हेतु हनम्न प्रकार से प्रस्तुत बिलों पर भुगतान निम्नवत ढंग से किया गया दर्शित है —

(अ) दिनांक 20.12.2005 को श्री भारत सिंह द्वारा प्रस्तुत बिल पर रू0 39154.00 का भुगतान सीधे खण्ड विकास अधिकारी श्री साहब राज सिंह द्वारा किया गया दर्शित है

(ब) दिनांक 03.01.2006 को प्रस्तुत बिल रू0 30532.00 का भुगतान तत्कालीन आंकिक श्री अरुण कुमार द्विवेदी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के निर्देशानुसार किया गया दर्शित है।

(स) दिनांक 28.06.2006 को प्रस्तुत बिल रू0 39154.00 का भुगतान सीधे खण्ड विकास अधिकारी श्री साहब राज सिंह द्वारा किया गया दर्शित है।

उल्लेखनीय है कि उक्त भुगतान बिल पेपर पर किया गया है, किन्तु भुगतानोपरान्त वाउचर फाइल में नहीं पाया गया। इस प्रकार उक्त भुगतान प्रक्रिया के आलोक में स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं खण्ड विकास अधिकारी श्री साहब राज सिंह स्वयं के निर्देशों का भुगतान प्रक्रिया में उल्लंघन करते हुए, उक्त सम्बन्धित बिलों पर आयकर एवं व्यापार कर की कटौती को सुनिश्चित किये बिना ही सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को सम्बन्धित सम्पूर्ण भुगतान को कर दिया गया। जो आपत्ति का विषय है।

अस्तु तत्कालीन दर से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती सुनिश्चित कर सम्बन्धित धनराशि को सम्बन्धित विभागों को जमा करवायी जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त क्रमशः अ, ब, एवं स से सम्बन्धित धनराशियों क्रमशः रू0 39154.00, 30532.00, 26360.00 का कुल योग— 96046.00 से सम्बन्धित आयकर रू0 1920.00 की कटौती न करने या कराने का दायित्व तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री साहबराज सिंह का था।

अतः नियमतः आयकर रू0 1920.00 की ब्याज सहित वसूली श्री साहब राज सिंह (ख0वि0अधि0) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 48 वर्ष 2005—06 में क्षेत्र पंचायत शंकरगढ़ द्वारा ग्राम सभा सुन्दरपुर में सार्वजनिक ब्लास्टिंग कूप का निर्माण कार्य कराया गया दर्शित है। जिसके कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह जे0ई0 एवं मापकर्ता श्री शशि भूषण सिंह (जे0ई0) को क्रमशः उपरोक्त दोनों कार्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों में कभी एक कार्य प्रभारी रहता है तो दूसरा एम0बी0 करता है और दोनों ख0वि0अधि0 के अधीन रहते हैं— जो प्रकारान्तर से बारी—बारी से आपस की कमियों को छिपाने का सुअवसर दोनों को प्रदान कर देता है। जो पूर्व निर्धारित अथवा प्रायोजित अनियमितता को सम्भव बना देने का एक अभिलेखीय उपक्रम भी प्रतीत होता है।

उक्त ब्लास्टिंग कूप के निर्माण स्थल की निशानदेही सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न पेपर्स में नहीं पाया जा सका, जिससे सन्देह होता है कि सम्बन्धित दर्शित व्यय किसी की निजी भूमि पर निजी हित में ही किया गया होगा।

उक्त कार्य से सम्बन्धित सामग्री की आपूर्ति हेतु किसी भारत सिंह सप्लायर को बिना टी0डी0एस0 कटौती के ही रू0— 106245.00 का भुगतान किया गया दर्शित है, जबकि टी0डी0एस0 कटौती की भरपाई अवश्य की जानी चाहिए। अस्तु सम्बन्धित टी0 डी0 एस0 की धनराशि सम्बन्धित सप्लायर से करके जमा की जानी अपेक्षित है। इसी प्रकार श्री रावेन्द्र सिंह, जनरल आर्डर, झंझरा पाण्डेय, नारीबारी, शंकरगढ़ को क्रमशः दिनांक—29.04.2006, दिनांक—20.05.2006 व दिनांक—10.06.2006 के क्रमशः रू0— 25300.00 रू0 सीमेण्ट व कोर्स सैंड हेतु, 35900.00 रू0, व 35515.00 सभी सीमेण्ट व कोर्स सैंड हेतु भुगतान कर दिया गया दर्शित है। विशेष रूप से यहां उल्लेखनीय है कि इसी विकास खण्ड के दूसरे कार्य करिया कला में तालाब सौन्दर्यीकरण हेतु सीमेंट, कोर्स सैंड हेतु, भुगतान श्री भारत सिंह सप्लायर से कराया गया था। जबकि यहां सम्बन्धित कार्य में श्री भारत सिंह सप्लायर को ब्लास्टिंग होल का कार्य करने हेतु उपरिदर्शित रू0 106245.00 का भुगतान कराया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी फर्म को दो भिन्न तरह के कार्य को सम्पादित करने हेतु अनियमित ढंग से मिलीभगत करके भुगतान करवाया गया। लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया कि उक्त लोग स्थानीय ठेकेदार हैं इनका आयकर विभाग में कोई पंजीयन नहीं है।

दिनांक	सामग्री	भुगतान धनराशि (रू0में)
15.12.2005	सीमेंट, स्टोन ब्लास्ट	34500.00
22.12.2005	कट स्टोन	35400.00
05.01.2006	कट स्टोन	19400.00
10.01.2006	सरिया, सीमेंट, स्टोन ब्लास्ट	15875.00
25.01.2006	सरिया, सीमेंट, कोर्स सैंड	12400.00
25.02.2006	कट स्टोन सीमेंट	20350.00
01.03.2006	सीमेंट, पत्थर	23016.00
15.04.2006	कट स्टोन सीमेंट	18100.00

25.06.2006	कट स्टोन सीमेंट	11900.00
20.06.2006	कट स्टोन सीमेंट, बालू	12000.00
26.08.2006	कट स्टोन, कोर्स सैंड, गर्डर, पुल्ली	35105.00
कुल योग		237146.00

इस प्रकार अनधिकृत तरीके से खण्ड विकास अधिकारी श्री साहबराज सिंह द्वारा श्री भारत सिंह सप्लायर को यहाँ पर ब्लास्टिंग होल करने के कार्य हेतु रु०— 106245.00 का भुगतान व करियाकला में तालाब सुन्दरीकरण के कार्य में सीमेंट बालू आदि के वास्ते रु० 96040.00 का भुगतान करवाया गया। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री साहब राज सिंह उत्तरदायी हैं। अस्तु कुल रु०—202285.00 की ब्याज सहित वसूली श्री साहब राज सिंह, श्री शशि भूषण, श्री नरेन्द्र सिंह से की जाए।

प्रस्तर— 49 ग्राम— मझियारी लकोसा में सार्वजनिक ब्लास्टिंग कूप का निर्माण श्री द्वारिका सिंह के प्रस्ताव व राय से करवाया गया। उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति की श्री राय से सम्बन्धित ब्लास्टिंग कूप का कार्य हुआ उसी व्यक्ति श्री द्वारिका सिंह को उन्हीं की ग्राम मझियारी लकोसा में सीमेंट, बालू, कटस्टोन आदि की सप्लाई का कार्य भी बिना किसी रजिस्टर्ड फर्म के उक्त श्री द्वारिका सिंह को व्यक्तिगत रूप से निम्न तिथियों में खण्ड विकास अधिकारी श्री साहबराज सिंह व कार्य प्रभारी श्री इन्द्रबहादुर सिंह ग्रा०वि०अधि० के द्वारा भुगतान करवाया गया पाया गया।

उक्त के अतिरिक्त बिना किसी तिथि के सादे पन्ने पर लिखकर श्री द्वारिका सिंह द्वारा प्रस्तुत कागज पर क्रमशः वाउचर नं० 49 एवं 50 से क्रमशः रु० 4800.00 व 4800.00 का कुल रु० 9600.00 का भुगतान भी द्वारिका सिंह को किया गया दर्शित है इस प्रकार कुल रु० 237146.00+9600.00= 246746.00 का भुगतान बिना टी० डी० एस० कटौती करवाए ही खण्ड विकास अधिकारी श्री साहब राज द्वारा करवा दिया गया है। अतः 4935.00 रु० टी० डी० एस० सम्बन्धित ब्याज सहित वसूली श्री साहब राज ख० वि० अधि० से की जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि समरी आफ कास्ट में कास्ट मैटेरियल कम्पोनेन्ट मात्र रु० 105320.00 ही अंकित पाया गया, इस प्रकार (246746.00—105320.00) रु० 141426.00 की अतिरिक्त सामग्री का भुगतान हुआ इसके अतिरिक्त आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि ब्लास्टिंग कूप के निर्माण में ब्लास्टिंग होल से सम्बन्धित वाउचर व व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख आडिट में उपलब्ध नहीं करवाया गया।

उक्त अनियमितता के लिये कार्य प्रभारी श्री इन्द्र बहादुर सिंह ग्रा० वि० अधि० व खण्ड विकास अधिकारी श्री साहब राज सिंह उत्तरदायी हैं। अस्तु रु०— 141426.00 की ब्याज सहित वसूली श्री इन्द्र बहादुर सिंह व श्री साहब राज सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 50— वर्ष 2005—06 में ग्राम सभा— देवरी बेनी, में श्रीमती ननकी देवी, की राय से कूप निर्माण हेतु कुल दर्शित व्यय रु०—208953.00 अंकित है।

उक्त सम्बन्धित कार्य में आदेश के बावजूद फोटो ग्राफी नहीं करवायी गयी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उक्त कूप निर्माण में कोई ब्लास्टिंग होल सम्बन्धी कार्य का भुगतान नहीं पाया गया।

उक्त कार्य से सम्बन्धित कटस्टोन, सीमेन्ट व मोरंग बालू आदि की आपूर्ति करने वाले— श्री रावेन्द्र सिंह, जनरल आर्डर सप्लायर, झंझरा पाण्डेय शंकरगढ़ प्रयागराज को बिना टी० डी० एस० कटौती के सीधे उनके बिलों पर (जबकि उनकी फर्म आयकर विभाग में रजिस्टर्ड भी नहीं है) निम्नवत् भुगतान किया गया दर्शित है:—

दिनांक	सामग्री	भुगतान धनराशि (रु० में)
07.03.2006	स्टोन ब्लास्ट	34500.00
31.03.2006	कट स्टोन, सीमेंट, कोर्स सैंड	29000.00
03.04.2006	कट स्टोन	17164.00
05.05.2006	सीमेंट, बालू	13300.00
15.06.2006	कट स्टोन सीमेंट बालू	32100.00
05.06.2006	कट स्टोन सीमेंट	4915.00
कुल योग :-		130979.00

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित मस्टर रोलों में कुल निम्नदर्शित भुगतान :-

क्रमांक	मस्टर रोल संख्या	धनराशि रु० में	विवरण
1	187205	20706.00	(25.03.2006 से 16.04.2006 तक) 17 मजदूर
2	187208	4832.00	(01.03.2006 से 09.03.2006 तक)
3	126986	13804.00	(01.02.2006 से 15.02.2006 तक) 17 मजदूर
4	126985	6496.00	(उक्त तिथि को ही) क्रमांक 18 से 25 तक
कुल योग :-		45838.00	(पैंतालीस हजार आठ सौ अड़तीस रुपये)

उपरोक्त मस्टर रोलों पर मजदूरों की निशानी अंगूठा स्पष्ट नहीं है और ना ही सम्बन्धित समिति से प्रमाणित है।

उपरोक्त कार्य के प्रभारी श्री इन्द्र बहादुर सिंह ग्रा०वि०अधि० और ख०वि०अधि० श्री साहबराज सिंह उपर्युक्त दर्शित अनियमितता के लिए उत्तरदायी हैं।

अस्तु रु०— 45838.00 की ब्याज सहित वसूली श्री इन्द्र बहादुर सिंह व श्री साहब राज सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 उल्लेखनीय है कि 29.03.2005 को खण्ड विकास अधिकारी शंकरगढ़ को जिलाधिकारी (तत्कालीन) श्री अमृत अभिजात के पत्र के दूसरे पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से निम्न आदेश दिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि लघु सिंचाई विभाग की ब्लास्टिंग यूनिटों से क्षेत्र में ब्लास्टिंग कार्य कराये। इसके लिये 186 ए०, अलोपीबाग, प्रयागराज के अधिशाषी अभियंता लघु सिंचाई विभाग के अधीन चार ब्लास्टिंग यूनिटें उपलब्ध हैं। जो वर्तमान में आप के क्षेत्र में ही कार्य कर रही हैं। ब्लास्टिंग प्रति होल दर रु० 132.00 प्रति होल किन्तु उपरोक्त आदेश के बावजूद निम्नोक्त कार्यों में निम्न तिथियों में प्राइवेट अनरजिस्टर्ड फर्म व व्यक्तियों से ठेके पर ब्लास्टिंग होल का कार्य करवाया गया :-

उल्लेखनीय है कि ग्राम सभा शिवराजपुर राम ललक मिश्र के संबंधित कूप निर्माण में गैर रजिस्टर्ड- द्विवेदी मशीनरी वर्क्स, लोहगरा, इलाहाबाद को निम्न संबंधित तिथियों के बिल पर ब्लास्टिंग होल निर्माण हेतु निम्न तिथियों में मनमानी तरीके से भुगतान किया।

क्र०	बिल की तिथि	बाउचर संख्या	होल की संख्या	भुगतान की धनराशि
1	15.08.2015	14	100	9800.00
2	25.11.2005	17	200	19600.00
3	18.12.2005	20	220	21560.00
4	27.03.2006	—	45	4410.00
कुल योग :-				55370.00

उपरोक्त कार्य में ही एक और किसी विनोद एण्ड सन्स कम्पनी लोहगरा इलाहाबाद को दिनांक 22.03.2006 को 220 होल हेतु रु० 21560.00 के भुगतान का आदेश तत्कालीन ख०वि०अधि० द्वारा किया गया पाया गया।

उपर्युक्त अनाधिकृत (आदेश के विरुद्ध) भुगतान के लिए ख०वि०अधि० श्री साहब राज सिंह उत्तरदायी हैं। अस्तु रु० 55370.00 व 21560.00 कुल योग 76930.00 की ब्याज सहित वसूली श्री साहब राज सिंह, ख०वि०अधि० से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 वर्ष 2005-06 में विधायक निधि से ग्राम सभा - जरखोरी में तालाब खुदाई का कार्य श्री विनीत पाठक, ग्रा०वि०अधि० कार्य प्रभारी को निम्नवत मजदूरी का भुगतान निम्न तिथियों में किया गया -

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	10.03.2006	517078	10000.00	भुगतान श्री विनीत पाठक, ग्रा०वि०अधि० को किया गया
2	13.04.2006	517090	6240.00	
3	24.04.2006	517093	17980.00	
योग				34220.00

उक्त धनराशि का भुगतान श्री विनीत पाठक को बिना मापन एम०बी० करवाये ही कर दिया गया। कार्यपूति प्रमाण पत्र की प्रति भी उपलब्ध न होने से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त भुगतान कार्य को पूर्ण किये बिना ही किया गया और कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। इस प्रकार प्रकारान्तर से धनराशि का दुरुपयोग प्रतीत होता है, जिसके लिये श्री विनीत पाठक और तत्कालीन खण्ड वि० अधि० श्री साहबराज सिंह उत्तरदायी हैं अतः रु० 34220.00 की ब्याज सहित वसूली श्री विनीत पाठक ग्रा०वि०अधि० व श्री साहबराज सिंह ख०वि०अधि० से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -53 वर्ष 2005-06 में एस० जी० आर० वाई० से ग्राम पंचायत गाढ़ा की अनुसूचित बस्ती में कूप मरम्मत हेतु कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा उक्त सम्बन्धित के मस्टर रोलों पर मजदूरी के वास्ते 12 मजदूरों का रु० 10920.00 का भुगतान किया गया। किन्तु सम्बन्धित मजदूरों के निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर सम्बन्धित मस्टर रोलों पर नहीं है। अतः उपरोक्त रु० 10920.00 की ब्याज सहित वसूली श्री ओम प्रकाश पाण्डेय ग्रा०पं०अधि० से की जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बावजूद यहां भी ब्लास्टिंग होल का काम गैर रजिस्टर्ड फर्म/व्यक्तिगत रूप से सिंह मशीनरी स्टोर, जवा, रीवां, म०प्र० द्वारा 100 होल का कार्य दिनांक 28.06.2006 को 50 होल के कार्य हेतु रु० 4900.00 का मूल्य भुगतान कमशः चेक सं०- 28034 दिनांक 27.06.2006 व चेक सं० - 28041 दिनांक 01.07.2006 द्वारा भुगतान किया गया है। किन्तु उक्त भुगतान पर इन्कमटैक्स नहीं काटा गया। पुनः चेक सं० 1757667 दिनांक 15.07.2006 द्वारा रु० 11620.00 (जिसमें 4900.00 रु० ब्लास्टिंग होल हेतु व 6720.00 रु० मजदूरी हेतु सम्मिलित है)। अतः रु० 4900.00 व रु० 11620.00 व टी.डी.एस. राशि रु० 330.00 जिसका कुल योग रु० 16850.00 की ब्याज सहित वसूली श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, ग्रा०पं०अधि० एवं श्री झुन्नू मिश्री, जे०ई० व श्री साहब राज सिंह ख०वि०अधि० से की जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री साहब राज सिंह व कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय उत्तरदायी हैं। उक्त कार्य में मापन का कार्य जे०ई० श्री झुन्नू मिश्रा ने किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, जे०ई० श्री झुन्नू मिश्री, ख०वि०अधि० श्री साहब राज सिंह की आपसी मिली भगत से डी०एम० के आदेश की अवहेलना कर वित्तीय अनियमितता को अंजाम दिया गया है। यथोचित बैधानिक कार्यवाही भी उक्त अधिकारियों के विरुद्ध अपेक्षित है। ऐसा आडिट का अभिमत है।

प्रस्तर- 54 वर्ष 2005-06 में एस० जी० आर० वाई० मद में शंकरगढ़ ब्लाक के सोनबरसा गांव में मूल हरिजन बस्ती में मुन्नीलाल कोल क कूप मरम्मत हेतु- ईट, सीमेंट, बालू, गिट्टी की सप्लाई का कार्य किसी रावेन्द्र सिंह, जनरल आर्डर

एवं सप्लायर, झंझरा पाण्डेय, नारी बारी, इलाहाबाद के द्वारा करवाकर निम्न धनराशियों का भुगतान नियम विरुद्ध किया गया है :-

क्रसं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	सामग्री	अभ्युक्ति
1	24.04.2006	778612	18900.00	कट स्टोन सीमेंट बालू मोरंग	रु० 26123.00 में से रु० 9967.00 अन्य सप्लायर या व्यक्ति किसी इन्द्र बहादुर सिंह के नाम से किया गया है।
2	12.05.2006	281110	10530.00	ब्लास्टिंग होल, सीमेंट	
3	15.05.2006	28112	21060.00	ईट, मोटी बालू, सीमेंट, कटस्टोन	
4	31.05.2006	28118	26123.00	ईट, कटस्टोन, ब्लास्टिंग होल हेतु	
कुल योग					60457.00

उक्त कुल भुगतान रु० 60457.00 नियम विरुद्ध प्राइवेट व्यक्ति/अनरजिस्टर्ड फर्म के नाम से किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त भुगतानों पर आयकर भी काटकर जमा नहीं कराया गया। आयकर जमा किया जाना अपेक्षित है।

उक्त नियम विरुद्ध भुगतान कार्य प्रभारी श्री इन्द्र बहादुर सिंह व ख०वि०अधि० श्री साहब राज सिंह की मिली भगत से सम्भव हुआ है। किसी निष्पक्ष एजेंसी से यथोचित कार्यवाही अपेक्षित है। इसमें नियमतः रु० 1532.00 कर आयकर जो नहीं काटा गया है को श्री साहब राज सिंह ख०वि०अधि० से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
प्रस्तर 55— वर्ष 2005—06 में बारहवां वित्त आयोग मद से सबसहरा उपरहार में दातादीन विश्वकर्मा के कूप से मेन रोड तक नाली निर्माण कार्य में सामग्री आपूर्तिकर्ता किन्हीं श्री राम कृष्ण सिंह को न करके कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, ग्रा०पं०अधि० को बीयरर चेक द्वारा सामग्री आपूर्ति के एवज में चेक सं० 846328 दिनांक 21.04.2006 को रु० 35700.00 का भुगतान किया गया। इतना ही नहीं अन्य सम्बन्धित भुगतान भी निम्न तिथियों में श्री पाण्डेय को ही किया गया दर्शित है।

क्र. सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	व्यक्ति जिन्हें भुगतान किया गया
1	17.02.2006	846323	10000.00	(एडवांस) श्री ओम प्रकाश पाण्डेय ग्रा०पं०अधि०
2	21.02.2006	846226	36230.00	वास्ते सामग्री श्री राम कृष्ण के बिल पर बीयरर चेक से
3	21.04.2006	846328	35700.00	वास्ते सामग्री श्री ओम प्रकाश पाण्डेय ग्रा०पं०अधि०
4	15.05.2006	879051	13405.00	स्वयं श्री ओम प्रकाश पाण्डेय ग्रा०पं०अधि०
5	16.09.2006	958453	11585.00(जिसमें 7675.00 सामग्री हेतु व्यय दर्शित है)	स्वयं श्री ओम प्रकाश पाण्डेय ग्रा०पं०अधि० को जिसमें 7675.00 सामग्री हेतु व शेष मजदूरी हेतु

इस प्रकार कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा किसी राम कृष्ण का बिल लगाकर स्वयं द्वारा (स्वयं के नाम से) 36230.00+35700.00+13405.00+7675.00= 93010.00 का भुगतान नियम विरुद्ध रूप से ले लिया गया जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधिकारी साहब राज सिंह ग्रा०पं०अधि० श्री ओम प्रकाश पाण्डेय मूलरूप से उत्तरदायी हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों राजकीय कर्मचारी हैं फिर भी आयकर कटौती करके आयकर विभाग में जमा नहीं करवाए जो किया जाना अपेक्षित है। अतएव आयकर राशि रु० 1860.00 होती है जिसे श्री साहब राज सिंह ख०वि०अधि० से वसूल किया जाना अपेक्षित है, एवं रु० 93010.00 की वसूली श्री साहब राज सिंह ख०वि०अधि० व श्री ओम प्रकाश पाण्डेय ग्रा०पं०अधि० दोनों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 56—वर्ष 2006—07 में राज्य वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत गाढ़ा कटरा में श्री विजय बहादुर के घर के पास आर०सी०सी० पुलिया निर्माण का कार्य श्री ओम प्रकाश पाण्डेय ग्रा०पं०अधि०/कार्य प्रभारी के प्रभारत्व में श्री साहब राज सिंह ख०वि०अधि० ने समपन्न करवाकर भुगतान करवाने का आदेश जारी किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य से सम्बन्धित निम्न मस्टर रोलों से सम्बन्धित धनराशि का भुगतान तो कार्य प्रभारी को कर दिया गया है, किन्तु मस्टर रोलों पर सम्बन्धित मजदूरों के नि०अंगूठा/हस्ताक्षर के चिन्ह अंकित नहीं हैं।

क्र०सं०	मस्टर रोल क्र०	दर्शित धनराशि	मजदूरों की संख्या
1	89400	21804.00	16
2	बाजारू मस्टर रोल	16424.00	18
3	बाजारू मस्टर रोल	9686.00	12
दर्शित कुल भुगतान			47914.00

अतः एव रु०47914.00 की यथोचित ब्याज सहित वसूली श्री ओम प्रकाश पाण्डेय ग्रा०पं०अधि० से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 57 वर्ष 2006—07 में एस० जी० आर० वाई० मद से नारीबारी के बैगबना में तालाब खुदाई कार्य में कार्य प्रभारी श्री बृजेन्द्र सिंह ग्रा०वि०अधि० द्वारा कार्य करवाकर सम्बन्धित 06 मस्टररोलों (बिना नं० के बाजारू प्रारूप पर) मजदूरों के नाम अंकित कर कुल रु० 138620.00 का भुगतान प्राप्त किया गया दर्शित है, किन्तु मस्टर रोल पर अंकित अन्तिम

कालम जिसमें भुगतान प्राप्त करने वाले श्रमिकों के हस्ताक्षर / नि० अंगूठा लगवाये जाते हैं वह कालम पूर्णतः खाली है। जबकि पेड एण्ड कैंसिल्ड की मुहर लगी है। मस्टर रोलों पर कार्य प्रभारी श्री बृजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर तो हैं किन्तु सम्बन्धित श्रमिकों के नि० अंगूठा/हस्ताक्षर के चिन्ह गायब हैं।

बाजारू प्रारूप मस्टर रोल	
क्रमांक	भुगतान धनराशि
1	26970.00
2	22214.00
3	21518.00
4	16530.00
5	23200.00
6	28188.00
कुल योग	138620.00

कुल मु० रू० 138620.00 को चेक सं० 1897918 द्वारा श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा भुगतान लिया गया है, फिर मजदूरों को यदि श्री सिंह ने नकद भुगतान किया तो फिर क्यों प्राप्तकर्ता श्रमिकों के हस्ताक्षर सम्बन्धित मस्टर रोलों पर नहीं लिए गए। जिससे सन्देह होता है कि मजदूरों को वास्तविक दर्शित रकम न देकर कुछ कम ज्यादा किया गया, जो श्रम कानून के सर्वथा विरुद्ध है। श्री बृजेन्द्र सिंह के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तालाब खुदाई के कार्य से ही सम्बन्धित अन्य मस्टर रोलों क्रमांक 28892, 93, 94, 96, 97 पर निशानी अंगूठा रसीदी टिकट सहित लगे हैं, फिर कौन सी मजबूरी आ गयी कि उपरोक्त दर्शित 138620.00 का भुगतान बिना किसी सबूत के कर दिया गया।

उक्त संदेह की पुष्टि सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न सब-फाइल में डिटेल्स आफ मैनेजमेन्ट हैड में 11160 क्यूबिक मीटर अंकित है। बिल आफ क्वांटिटी में तालाब के एक्जिस्टिंग वोल्यूम (पूर्व की ल०×चौ०×गहराई) को बिना घटाए ही अन्तिम मापन 11160 क्यूबिक मीटर में प्रति क्यूबिक दर रू० 26.00 से सीधे गुणा रू० 290160.00 मूल्य निकाल दिया गया, जबकि उक्त 11160 घनमीटर में पूर्व के एक्जिस्टिंग वोल्यूम को घटाकर धनराशि निकालनी चाहिए थी, लीट और लिफ्ट की दर निकालकर अन्तिम रूप से वास्तविक आयतन पर ही मूल्य निर्धारण करना चाहिए था, किन्तु ऐसा न करके सीधे परी ल० चौ० गहराई को सम्मिलित करते हुए आयतन को वास्तविक आयतन से बढ़ाकर, बढ़े हुए आयतन पर मिट्टी का मूल्य निकाला गया है जो कदापि उचित नहीं है।

नियमतः 15 मीटर की गहराई के बाद वाली मिट्टी कटाई पर लिफ्ट का आकलन किया जाता है और लीड का आकलन चौड़ाई में 15+15 = 30 मीटर के बाद ही होता है, किन्तु सम्बन्धित कार्य की एम०बी० में 11160 घनमीटर×3.5 मु० 39060.00 को और जोड़ दिया गया है।

ई/डब्लू इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन इन फिल्टर पिट एंड इनलेट आफ पाइप के वास्ते रू० 1356.89 और सीमेंट 1244.35 एवं 254.96। स्ट्रक पेंटिंग 1794.52 इस प्रकार कुल योग रू० 379658.72 दर्शाते हुए रू० 1000.00 अलग से जोड़कर कुल रू० 380658.72 रुपये मजदूरी मूल्य दर्शाया गया है।

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित फाइल में सामग्री से सम्बन्धित कोई किसी प्रकार का बिल अथवा वाउचर संलग्न नहीं पाया गया जबकि एम०बी० बुक में :-

सीमेंट मूल्य	रू० 11000.00
एम 150 ईट	रू० 15439.73
फाइन सैण्ड	रू० 2625.00
मोटी बालू	रू० 270.00
पत्थर गिट्टी	रू० 199.50
ह्यूम पाइप 10 मि०मी०	रू० 13758.15
कुल मूल्य -	रू० 43292.38

उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी सम्बन्धित फाइल में संलग्न नहीं पाया गया किन्तु निम्नोक्त तिथियों में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार भुगतान किया गया है:-

चेक संख्या	दिनांक	भुगतान की धनराशि
173377	29.09.2006	5000.00
32066	10.01.2007	32066.00
32097	29.05.2007	48546.00
16897	21.06.2007	503644.00
1897918	09.09.2007	138620.00
योग		274576.00

उपरोक्त कार्य एवं सम्बन्धित भुगतान लेखा परीक्षा के अनुसार संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः जिला पंचायत इलाहाबाद अथवा किसी अन्य टेक्निकल एजेन्सी से यथोचित वैधानिक कार्यवाही भी अपेक्षित है।

उपरोक्त अनियमितता हेतु कार्य प्रभारी श्री बृजेन्द्र सिंह, ग्रा0वि0अधि0 एवं साथ में तत्कालीन खं0वि0अधि0 श्री प्रमोद कुमार यादव उत्तरदायी हैं। अतः रु0 138620.00 की ब्याज सहित वसूली श्री बृजेन्द्र सिंह, ग्रा0वि0अधि0 एवं रु0 274576.00 की ब्याज सहित वसूली कमशः श्री बृजेन्द्र सिंह, ग्रा0वि0अधि0 एवं साथ में तत्कालीन खं0वि0अधि0 श्री प्रमोद कुमार यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 58 वर्ष 2006—07 में बारहवां वित्त आयोग के मद से ग्राम सभा— जोरवट में श्री धर्मेन्द्र सिंह के कूप की मरम्मत का कार्य प्रभारी श्री रामसुफल ओझा ग्रा0पं0अधि0, जे0ई0 श्री छुन्नू मिश्रा के अधीन करवाया गया एवं श्री अनिल कुमार चौधरी खं0वि0अधि0 के रूप में कार्यरत थे, किन्तु उक्त से सम्बन्धित कार्य की पत्रावली में खं0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार चौधरी द्वारा दिनांक 09.02.2007 को जा वित्तीय आदेश अंकित किया गया उसमें स्वीकृत धनराशि का कालम खाली पाया गया जबकि दिनांक 18.04.2007 को नोटिंग में रुव 56000.00 स्वीकृत लिखा हुआ दर्शित है।

चेक संख्या	दिनांक	भुगतान की धनराशि
958472	15.02.2007	10000.00
673014	18.04.2007	15680.00
673017	17.05.2007	14300.00
673019	21.06.2007	15132.00
योग		55112.00

उल्लेखनीय है कि कार्य प्रभारी श्री ओझा द्वारा सम्बन्धित कार्य की मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित फरवरी 2007 के मस्टर रोल पर बारह मजदूरों के नाम अंकित कर रु0 भुगतान 12840.00 लिखकर श्री ओझा के हस्ताक्षर तों है किन्तु मजदूरों के नि0अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं पाये गये। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सम्बन्धित कार्य में ही कार्य प्रभारी श्री राम सुफल ओझा ग्रा0पं0अधि0 द्वारा बिना किसी हस्ताक्षर के किसी मे0 अमित सिंह, शिवराजपुर, शंकरगढ़, इलाहाबाद का 120 ब्लास्टिंग होल के वासते रु0 13200.00 का वाउचर लगाकर भुगतान करवा लिया गया। इसी प्रकार उक्त मेसर्स अमित सिंह, शिवराजपुर, शंकरगढ़, इलाहाबाद को हस्ताक्षर विहीन वाउचर रु0 14300.00 की धनराशि का भुगतान भी किया गया है। इसी प्रकार मु0 1980.00 का भुगतान भी संदिग्ध वाउचर लगाकर श्री राम सुफल ओझा ग्रा0पं0अधि0 द्वारा ले लिया गया है।

उपरोक्त से सम्बन्धित धनराशियों का भुगतान निम्नांकित चेकों द्वारा किया गया है :-

सनद रहे कि उक्त कार्य से सम्बन्धित एम0 बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे सम्पूर्ण भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः कार्य प्रभारी श्री राम सुफल ओझा ग्रा0 पं0 अधि0, श्री अनिल कुमार चौधरी, खं0 वि0 अधि0 के विरुद्ध यथेचित वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है एवं रु0 55112.00 को श्री राम सुफल ओझा ग्रा0 पं0 अधि0, श्री अनिल कुमार चौधरी, खं0वि0अधि0 से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर— 59 वर्ष 2006—07 में बारहवां वित्त आयोग के मद से सम्बन्धित ग्राम पंचायत— सीध टिकट में श्री ओंकार के घर से 200 मीटर, श्री अरुछेलाल के घर से 150 मीटर एवं श्री राजनाथ के घर से 60 मीटर पक्की नाली का निर्माण कार्य, कार्य प्रभारी श्री श्री राम सुफल ओझा ग्रा0 पं0 अधि0 द्वारा करवाया गया और भुगतान श्री अनिल कुमार चौधरी, खं0 वि0 अधि0 ने किया।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य हेतु आपूर्तिकर्ता किसी रामकृष्ण सिंह अिकरीकला, बारा, इलाहाबाद द्वारा सीमेंट, बालू, ईट आदि की आपूर्ति करवाई गई दर्शित है, किन्तु आयकर व बिक्री कर की कटौती एवं भुगतान नहीं करवाया गया जबकि कई भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को न करके कार्य प्रभारी श्री ओझा के नाम से किया गया जो निम्नवत् है:-

1— दिनांक 03.03.2007 चेक सं0 138107 धनराशि 79860.00

2— दिनांक 07.06.2007 चेक सं0 673018 धनराशि 10000.00 अग्रिम

इस प्रकार कुल, उपरोक्त कार्य में कुल उक्त मु0 रु0. 89860.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री ओझा को तत्कालीन श्री अनिल कुमार चौधरी, खं0वि0अधि0 द्वारा किया गया।

इसी प्रकार सामग्री आपूर्ति हेतु उक्त कार्य में दिनांक 17.07.2007 को चेक संख्या 1381030 मु0 75740.00 (की आपूर्ति के विरुद्ध) भुगतान श्री रामकृष्ण सिंह का संदिग्ध वाउचर लगाकर कार्य प्रभारी श्री ओझा द्वारा लिया गया। जबकि यदि रजिस्टर्ड फर्म को किया जाता, तो उपरोक्त को सामग्री भुगतान की धनराशि मु0 रु0. 165600.00 पर न्यूनतम आयकर मु0 रु0. 3312.00 की कटौती की जानी अपेक्षित थी, किन्तु नहीं की गयी। अत एव टी0डी0एस0 धनराशि रु0. 3312.00 की वसूली श्री अनिल कुमार चौधरी, खं0वि0अधि0 से की जानी अपेक्षित है, एवं रु0. (79860.00+10000.00)= 89860.00 व 75740.00 कुल रु0 165600.00 की वसूली कार्य प्रभारी श्री राम सुफल ओझा ग्रा0पं0अधि0, श्री अनिल कुमार चौधरी, खं0वि0अधि0 से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर— 60 वर्ष 2006—07, 2007—08 2008—09 के दौरान विधायक निधि मद से ग्राम सभा— सोनपुरा में जूही नौढ़िया मार्ग से श्री आर0 पी0 सिंह के घर तक 250 मीटर सी0 सी0 रोड एवं 100 मीटर नाली निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली में मजदूरी भुगतान हेतु प्रमाणक के रूप में प्रस्तुत दिनांक 01.07.2006 से दिनांक 15.07.2006 तक किये गये सत्रह मजदूरों के द्वारा चौदह दिवस की मजदूरी रु0 16156.00 से सम्बन्धित मस्टर रोल पर पेड एण्ड कैसल्ड की मुहर तो लगी है, किन्तु श्रमिकों के नि0 अंगूठा/हस्ताक्षर के कोई चिन्ह अथवा निशान सम्बन्धित मस्टर रोल पर नहीं पाये गये,

जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री इन्द्र बहादुर सिंह ग्र०प०अधि०, श्री साहब राज सिंह, ख०वि०अधि० द्वारा मिलीभगत से धनराशि को ले लिया गया है। अतः रू० 16156.00 की वसूली श्री इन्द्र बहादुर सिंह ग्र०प०अधि०, श्री साहब राज सिंह, ख०वि०अधि० से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य हेतु ही सीमेंट, बालू, गिट्टी की आपूर्ति हेतु किसी मे० सिंह एंजोशिएसन 23/4 स्टेनली रोड, इलाहाबाद का रेट स्वीकृत किया गया किन्तु बाद में दिनांक 02.02.2009 को तत्कालीन श्री अनिल कुमार चौधरी, ख०वि०अधि० द्वारा उक्त कार्य से सम्बन्धित आपूर्ति के वास्ते मु० 42590.00 का भुगतान किसी नर्मदा सिंह सप्लायर, सिंहपुर, शंकरगढ़, प्रस्तुत बिल मु० 43665.00 जिसमें मु० 975.00 आयकर कटौती को काटकर मु० 42590.00 का भुगतान नियम विरुद्ध किया गया, जबकि नियमानुसार अवशेष कार्य हेतु सामग्री की आपूर्ति हेतु टेन्डर/कोटेशन नये सिरे से आमंत्रित किया जाना चाहिए था। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड वि०अधि० श्री अनिल कुमार चौधरी उत्तरदायी हैं। अस्तु रू० 42590.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अनिल कुमार चौधरी, ख०वि०अधि० से अपेक्षित है।

प्रस्तर— 61 वर्ष 2007-08 में ग्राम— अमिलिया तरहार में श्री परहू नाई के घर से यमुना नदी तक सम्पर्क मार्ग के शेष भाग में डब्लू बी एम कार्य हेतु चेक सं० 502531 दिनांक 31.03.2008 मु० रू०. 35000.00 के भुगतान के सापेक्ष 350 मानव दिवसों का 20 मजदूरों की जा मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल है उन पर मजदूरों का नि० अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं हैं इसके अतिरिक्त चेक सं. 502549 दिनांक 01.04.2008 मु० रू०. 10800.00 के भुगतान से सम्बन्धित जो मस्टर रोल है उस पर भी 16 मजदूरों द्वारा 108 मा० दिवस का उल्लेख है, किन्तु मजदूरों के नि० अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं हैं।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कार्य एस० जी० आर० वाई० मद से करवाया गया है। बिना हस्ताक्षर के कैसे भुगतान हुआ यह स्पष्ट नहीं होता है। अतः उक्त रू० 45800.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार चौधरी से अपेक्षित है।

प्रस्तर— 62 आपत्ति सं० 20— वर्ष 2007-08 में एस० जी० आर० वाई० के मद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत— गोइसरा, क्षेत्र पंचायत शंकरगढ़ में श्री यादव के घर से प्रधान के घर तक सम्पर्क मार्ग डब्लू बी एम कार्य वर्ष 2007-08 जिसके कार्य प्रभारी श्री जय प्रकाश शुक्ल (ए०डी०ओ० आइ एस बी) हैं और स्टीमेट व मापकर्ता श्री शत्रुजीत सिंह जे०ई० आर० ई० एस० है, तथा ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार चौधरी भुगतानकर्ता अधिकारी हैं। किन्तु उक्त कार्य से सम्बन्धित मजदूरों के मस्टर रोलों जिस पर ख० वि० अधि० श्री चौधरी व उपजिलाधिकारी श्री विपिन कुमार मिश्र, के हस्ताक्षर के साथ पेड एण्ड कैसिल की मोहर लगी है पर 31 मजदूरों को (माह मार्च 2008 में) कुल 445 मानव दिवस कार्य करने हेतु कुल रू० 44500.00 की कुल मजदूरी धनराशि अंकित है का भुगतान ख०वि०अधि० एवं एस०डी०एम० के आदेशानुसार चेक सं० 502536 दिनांक 10.04.2008 मु० 53700.00 (44500+9200) का भुगतान श्री जय प्रकाश क नाम कर दिया गया, जिसमें 9200.00 रोड रोलर किराया भी सम्मिलित है। परन्तु उक्त सम्बन्धित संलग्न मस्टर रोलों पर किसी भी मजदूरी के नि०अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः उक्त रू० 44500.00 के भुगतान की पुष्टि सम्भव न हो सकी। रोड रोलर किराया का भुगतान पार्टी को न करके राजकीय कर्मचारी श्री जय प्रकाश शुक्ला को रू० 9200.00 करना भी वित्तीय नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि उक्त किराये का भुगतान चेक द्वारा सम्बन्धित फर्म को एकाउन्ट पेयी करना चाहिए था। अतः उक्त 53700.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अनिल कुमार व श्री जय प्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि सामग्री से सम्बन्धित वाउचर मु० रू०. 11315800 जो कि कैश मेमो नहीं प्रतीत होता है जिस पर दिनांक 09.03.2008 अंकित है और किसी श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह के हस्ताक्षर हैं में क्रमांक 4 पर मोरंग की दर रू० 295/क्यूबिक मीटर अंकित कर कुल 19.80 से०मी० की कुल कीमत 5840.00 लगायी गयी है। वह उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने वाली गन्ने मोरंग है। जिसपर मात्र ट्रांसपोर्टेशन का ही व्यय होता है। फिर भी उसका मूल्य मनमाने ढंग से लगवाना और तदनु रूप भुगतान करना कार्य प्रभारी श्री शुक्ल, श्री शत्रुजीत सिंह जे०ई०, आर०ई०एस० और श्री अनिल कुमार चौधरी ख०वि०अधि० की आपसी मिली भगत से सम्भव हुआ है। अतएव रू० 5841.00 की वसूली श्री जय प्रकाश शुक्ला, श्री शत्रुजीत सिंह जे०ई०, आर०ई०एस० और श्री अनिल कुमार चौधरी ख०वि०अधि० से की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008-09 में सांसद निधि अन्तर्गत ग्राम सभा बसहरा में 500 मीटर खड्गजा निर्माण कार्य को जो बिल आफ क्वांटिटी . जे०ई० ;एम आईद्ध श्री छुन्नू मिश्रा व श्री अनिल कुमार चौधरी ख०वि०अधि० द्वारा प्रमाणित कर सम्बन्धित फाइल में संलग्न है में इसी मोरंग की दर रू० 234 प्रति घन मीटर यानी रू० 61.00 कम दर्शायी गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि उसी अधिकारी द्वारा दो दरों (वह भी दरों में भारी अन्तर) को पास किया गया जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है जबकि वास्तव में कार्टेज 110+17ण्25 स्लैकिंग कुल 127.25 प्रति घनमीटर भुगतान ही वास्तविक है। वर्ष 2007-08 में एस० जी० आर० वाई० के मद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धरा में ऊसर पुरवा के मिठाई लाल मुसहर के घर से जोगिया तालाब तक खड्गजा निर्माण के कार्य प्रभारी श्री बृजेन्द्र सिंह ग्रा० वि० अधि०, श्री शत्रुजीत सिंह जे०ई०, आर० ई० एस० रहे। उक्त से सम्बन्धित समस्त भुगतान श्री अनिल कुमार चौधरी, ख० वि० अधि० के आदेश से किया गया है। उक्त सम्बन्धित फाइल में संलग्न मस्टररोलों पर 27 मजदूरों द्वारा कुल 342 मानव दिवस कार्य करके कुल मु० रू. 34200.00 मजदूरी अंकित हैं जिसका भुगतान चेक सं० 5018680 दिनांक 12.03.2008 द्वारा किया गया दर्शित है, किन्तु उक्त सम्बन्धित माह फरवरी के मस्टर रोलों पर मजदूरों के फर्जी नि० अंगूठा लगे हुए पाए गए हैं। जो अंगूठा निशान लगें हैं वे पूरी स्याही फैलाकर कराए गए हैं और उस पर अंगूठे की बारीक लाइन नष्ट कर दी गई हैं जिसके लिये श्री बृजेन्द्र सिंह

ग्रा० वि० अधि० उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार माह मार्च के दो मस्टररोलों जिन पर मजदूरी धनराशि रु० 48000.00 दर्शित है पर मजदूरों के निशानी अंगूठा स्याही फैलाकर लीप दिया गया है जो जान बूझकर शिनाख्त को छिपाने के लिए कार्य प्रभारी श्री बृजेन्द्र सिंह ग्रा० वि० अधि० द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त रु०— 48000.00 का भुगतान रु० 4600.00 रोड रोलर किराया के साथ मिलाकर अर्थात् 48000.00+4600.00=52600.00 चेक सं० 502539 दिनांक 10.04.2008 द्वारा श्री बृजेन्द्र सिंह ग्रा० वि० अधि० को किया गया है। जबकि नियमतः रोड रोलर का किराया सम्बन्धित फर्म के नाम एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। अतः रोड रोलर के किराया का भुगतान रु० 4600.00 एक सरकारी कर्मचारी जो न तो फर्म है और न ही आपूर्तिकर्ता फिर उसे मजदूरी की धनराशि के साथ मिलाकर करना वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसके लिए श्री बृजेन्द्र सिंह ग्रा० वि० अधि० के साथ श्री अनिल कुमार चौधरी खं० वि० अधि० उत्तरदायी हैं। उक्त रु. 4600.00 भुगतान यदि फर्म को किया जाता तो बिक्री कर एवं आयकर की हानि भी नहीं होती। अस्तु रु. 52600.00 की ब्याज सहित वसूली श्री बृजेन्द्र सिंह ग्रा० वि० अधि० व श्री अनिल कुमार चौधरी खं० वि० अधि० से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-63 वर्ष 2007-08 में सांसद निधि अन्तर्गत ग्राम पंचायत— मझियारी लकोसा मजरा गड़ैया लोनीपार में श्री द्वारिका प्रसाद पटेल के घर तक 500 मीटर लेपन स्तर तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित श्री शत्रुजीत सिंह जे० ई०, आर०ई०एस० द्वारा जो एब्सट्रेक्ट आफ एस्टीमेटेड मटीरियल कास्ट कुल रु०— 480370.00 को तैयार कर खं० वि० अधि० श्री प्रमोद कुमार यादव से स्वीकृत करवाया गया, उसमें गन्ने मोरंग जो कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था और आज भी उपलब्ध रहता है, की खरीद 306.61 प्रति घनमीटर दर्शाकर 180.60 घनमीटर मात्रा की कुल कीमत रु. 53373.00 दर्शाकर बहुत अधिक भुगतान करवाए जाने की पृष्ठ भूमि श्री शत्रुजीत सिंह जे० ई०, आर०ई०एस० व खं० वि० अधि० श्री प्रमोद कुमार यादव की मिलीभगत से तैयार की गयी और तदनु रूप अन्य सामग्रियों—यथा स्टोन ब्लास्ट आदि के साथ मिलाकर भुगतान निम्न तिथियों में किया गया। जिसके भुगतान में निर्माण सामग्री की एवं दरकी संस्तुति श्री शत्रुजीत सिंह जे० ई०, आर० ई० एस० द्वारा की गयी एवं चेक के भुगतान की स्वीकृति खं० वि० अधि० श्री प्रमोद कुमार यादव, राजेन्द्र प्रताप सिंह एनआरइपी (लिपिक) व श्री अरुण कुमार द्विवेदी (लेखाकार) द्वारा मिलकर की गयी है।

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	04.04.2009	509236	85090.00	जिसमें रु० 36600.00 का गन्ने मोरंग मात्रा 120 घनमीटर (दर 305.00 रु०/घन मीटर) सम्मिलित है
2	20.04.2009	4262	105158.00	जिसमें रु० 15250.00 का गन्ने मोरंग का मूल्य सम्मिलित है
3	16.02.2010	615530	29438.00	जिसमें रु० 3050.00 गन्ने मोरंग का मूल्य सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि इससे सम्बन्धित श्री रामकृष्ण सिंह द्वारा दिनांक 22.12.2009 को प्रस्तुत 30112.00 का जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसमें रु० 9750.00 की 350 मि०मि० की 15 ह्यूम पाइपों की कीमत भी सम्मिलित है, जबकि उपरोक्त पर श्री रामकृष्ण के पास ह्यूमपाइप से सम्बन्धित कोई रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। इस प्रकार मनमाने ढंग से अनधिकृत व्यक्तियों से आपूर्ति ली गयी है जो वित्तीय प्राविधानों के सर्वथा विरुद्ध है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007-08 में ही एस० जी० आर० वाई० अन्तर्गत ग्राम पंचायत— गोइसरा में यादव के घर से प्रधान के घर तक सम्पर्क मार्ग डब्लू बी एम कार्य जिसके प्रभारी श्री जय प्रकाश शुक्ल थे, और एस्टीमेट एवं मापनकर्ता श्री शत्रुजीत सिंह हैं के द्वारा दिनांक 09.03.2008 के मु० रु०. 1113158.00 के वाउचर पर क्रमांक 4 पर मोरंग की दर रु० 295 प्रति घनमीटर अंकित है। इस प्रकार एक ही वित्तीय वर्ष में एक ही व्यक्ति जे० ई०, आर० ई० एस० द्वारा जो दरों की संस्तुति की गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त गन्ने मोरंग की भुगतान कीमत रु० 54900.00 (36600+15250+3050) पूर्णतः काल्पनिक है। अस्तु उक्त सम्बन्धित में से कुल रु० 54900 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रमोद कुमार यादव, खं०वि०अधि० व श्री अरुण कुमार द्विवेदी, लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-64 वर्ष 2007-08 में ग्राम पंचायत— अमिलिया तरहार में ही श्री परहू नाई के घर से यमुना नदी तक सम्पर्क मार्ग में 300 मीटर खड़जा निर्माण कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल जो बिना नम्बर के बाजारु है जिन पर 9 मार्च से 29 मार्च 2008 तक 506 मानव दिवसों से सम्बन्धित कुल मजदूरी भुगतान मु० रु०. 57150.00 किया गया दर्शित है, किन्तु सम्बन्धित मस्टररोलों पर मजदूरों के नि०अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं पाए गए। वि०खं० स्तर से उक्त रु० 57150.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री जय प्रकाश शुक्ला को किया गया, परन्तु उन्होंने सम्बन्धित धनराशि मजदूरों को कैसे और कितना दिया, संदिग्ध प्रतीत होता है।

अतः श्री जय प्रकाश शुक्ल उत्तरदायी हैं। उल्लेखनीय है की उक्त कार्य पर जो रोलर कार्य हुआ है, उसका भुगतान भी मजदूरी रु० 57150.00 के सापेक्ष रु० 9200.00 (रोलर चार्ज) मिलाकर कुल मु० 66350.00 कर दिया गया, जबकि नियमतः रोलर चार्ज का भुगतान सम्बन्धित फर्म के नाम चेक से किया जाना चाहिए था। यह भी स्पष्ट करना है कि रोलर चार्ज से सम्बन्धित रसीद/प्रमाणक किसी श्री भारत सिंह सप्लायर का लगाया गया है, परन्तु भुगतान श्री जय प्रकाश को कैसे और क्यों किया गया। पूरा प्रकरण संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार चौधरी भी उत्तरदायी हैं।

अतः तत्कालीन ख० वि० अधि० श्री अनिल कुमार चौधरी व कार्य प्रभारी श्री जय प्रकाश शुक्ल से रु० 66350.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 65 वर्ष 2007—08 में विकास खण्ड कार्यालय में सीमेंट, कंक्रीट की फर्श तोड़कर टाइल्स लगवाने हेतु निम्नानुसार व्यय किया गया :—

चेक संख्या	दिनांक	भुगतान की धनराशि
1381041	07.03.2008	99966.00
1381042	12.03.2008	24500.00
1381043	24.05.2008	7460.00
योग		131926.00

रु० 131926.00 को सम्मिलित कर कुल 134216.00 का भुगतान ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार चौधरी द्वारा श्री मुन्शीलाल (लिपिक) को कार्य प्रभारी बनाकर भुगतान किया गया, किन्तु वि०ख० की बिलिंग हेतु और वह भी सौन्दर्यीकरण हेतु बारहवां वित्त की धनराशि का उपभोग करना समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उक्त व्यय हेतु किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति भी नहीं ली गयी वैसे भी मरम्मत कार्य या किसी सरकारी बिलिंग के सौन्दर्यीकरण हेतु बारहवां वित्त का उपयोग कदापि उचित नहीं प्रतीत होता। अतः रु० 131926.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री अनिल कुमार चौधरी, ख०वि०अधि० से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—66 वर्ष 2007—08 में एस० जी० आर० वार्ड० अन्तर्गत ग्राम पंचायत— ओढगी तरहार में श्री संजय (बी०डी०सी०) के घर से पी० एम० जी० एस० तक सड़क निर्माण हेतु कार्य प्रभारी श्री जय प्रकाश शुक्ल द्वारा करवाया गया दर्शित है। उक्त कार्य का मापन श्री शत्रुजीत सिंह जे०ई०, आर० ई० एस द्वारा ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार चौधरी के निर्देश पर किया गया उल्लेखनीय है कि उक्त सम्बन्धित कार्य से सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल (माह मार्च 2008) पर 20 मजदूरों द्वारा कुल 207 मानव दिवस का कार्य दर्शाकर मजदूरी रु० 20700.00 अंकित है, किन्तु मस्टर रोल पर भुगतान पाने वाले किसी भी मजदूर के नि०अंगूठा/हस्ताक्षर के कोई चिन्ह नहीं हैं, फिर भी ख० वि० अधि० श्री अनिल कुमार चौधरी द्वारा कार्य प्रभारी श्री शुक्ल को चेक सं० 502541 दिनांक 10.04.2008 के माध्यम से मु० रु०. 20700.00 को भुगतान कर दिया गया, किन्तु जब सम्बन्धित मस्टर रोल पर मजदूरों के नि० अंगूठा/हस्ताक्षर ही नहीं हैं तो मजदूरों को मजदूरी के मिलने का प्रमाण सिद्ध नहीं होता। यथोचित कार्यवाही अपेक्षित है एवं रु० 20700.00 की वसूली काय प्रभारी श्री जय प्रकाश शुक्ल ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार चौधरी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। उक्त कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली 06 नग ह्यूम पाइप की खरीद ओशो उद्योग, प्रतापपुर, पो०—घूरपुर, इलाहाबाद के बिल सं० 10033 के विरुद्ध दिनांक 10.04.2008 चेक सं० 502542 मु० रु०. 9808.00 का भुगतान किया गया किन्तु उपरोक्त भुगतान रसीद से सम्बन्धित कोटेशन नहीं लिये गये और न ही सम्बन्धित फर्म से आयकर की ही कटौती की गयी। यथोचित कार्यवाही अपेक्षित है। अतः रु० 9808.00 के विरुद्ध रु० 196.00 टी०डी०एस० की ब्याज सहित वसूली श्री अनिल कुमार चौधरी ख० वि० अधि० से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—67 वर्ष 2008—09 में राज्य वित्त अन्तर्गत वि०ख० परिसर में अस्पताल सी० सी० रोड से टाइप 1 व टाइप 2 के सामने खड़जा मरम्मत कार्य करवाया गया दर्शित है। जिसके कार्य प्रभारी श्री ईश्वर चन्द्र कुशवाहा दर्शित है। और यह कार्य होने के समय श्री प्रमोद कुमार यादव खण्ड विकास अधिकारी रहे।

उल्लेखनीय है कि उक्त खड़जा मरम्मत कार्य में आपूर्ति कर्ता/सप्लायर मेसर्स नरेन्द्र बहादुर सिंह, बांसी खेरहट खुर्द, प्रयागराज द्वारा गन्ने मोरंग 113 घनमीटर दर 208.00रु० प्रति घनमीटर कुल मूल्य रु०. 34865.00 प्रथम श्रेणी ईट संख्या 1000 दर रु० 2405.00 प्रति हजार मूल्य रु० 24050.00 का कुल योग रु०. 58915.00 का बिल भुगतान लेने हेतु प्रस्तुत किया हुआ दर्शित पाया गया। जिसमें से रु० 1320.00 की आयकर कटौती करके शेष रु० 57595.00 चेक सं० 897848 दिनांक 25.03.2009 श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह को भुगतान कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि ईंटों की खरीद से सम्बन्धित कोटेशन, कैशमेमों व चालान रसीद नहीं पायी गयी। दूसरा गन्ने मोरंग की जो दर रु०. 308.00 प्रति घनमीटर स्वयं से लगा ली गई है, वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि गन्ने मोरंग यहां गन्ने ग्राम सभा में स्थानीय रूप से बिना किसी कीमत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन मय मजदूरी चार्ज ही देना पड़ता है।

अतः अधिक से अधिक रु० 7000.00 उस समय ट्रैक्टर का किराया मय मजदूरी अंकलित करने के उपरान्त शेष धनराशि रु०. (57595.00—7000) कुल योग— 50595.00 का अनियमित भुगतान स्पष्ट होता है। अतः रु०. 50595.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रमोद कुमार यादव ख०वि०अधि० संबंधित आपूर्तिकर्ता श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, आपूर्तिकर्ता व कार्य प्रभारी श्री ईश्वरचन्द्र कुशवाहा, ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत—शंकरगढ़, जनपद— प्रयागराज, मण्डल— प्रयागराज मण्डल प्रयागराज

आपत्ति—पत्र वर्ष 2010—11, 2011—12 व 2012—13

प्रस्तर—68— वर्ष 2011 में एक नग इनवर्टर सेट सीबू इलेक्ट्रानिक्स 474—ए मीरापुर रस्तोगी मार्केट, इलाहाबाद से मु0 रु0. 42000.00 में खरीद मूल्य व रु0. 3190.00 वायरिंग आदि पर व्यय भुगतान दर्शित है, किन्तु उपरोक्त मु0 रु. 42000.00 की खरीद के पूर्व किसी प्रकार का कोई कोटेशन सम्बन्धित अन्य फर्मों से नहीं लिया गया, जो मनमानी खरीद को दर्शाता है। कोटेशन के अभाव में उपरोक्त सम्बन्धित इनवर्टर का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य आंकलन करना सम्भव नहीं है। अतः उक्त धनराशि रु0 42000.00 का अनियमित भुगतान हुआ है जिसके उत्तरदायी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) व श्री सतगुरु प्रसाद चौरसिया (ख0वि0अधि0) है।

अतः रु0 42000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) व श्री सतगुरु प्रसाद चौरसिया (ख0वि0अधि0) से संयुक्त रूप की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 69 वर्ष 2010—11 एवं 2011—12 सुरवलसहनी में सुरवल—चन्दपुलिया नारीबारी—खीरी सम्पर्क मार्ग में कार्य के 1240 मीटर आगे दर्शित 200 मीटर डब्लू बी एम कार्य हेतु मु0 रु0— 208846.00 का भुगतान दर्शित है। किन्तु सम्बन्धित एम0बी0 में 12: मिट्टी कटाई व ड्रेसिंग एवं इम्बैकमेण्ट (छोपाई) से सम्बन्धित एम0बी0 में कुल 404.25 घनमीटर में सीधे रु0 47.00 प्रति घनमीटर की दर से गूणा करके कुल मिट्टी का मूल्य 18988.00 दर्शित है, जबकि उक्त कुल 404.25 घनमीटर में 12: अर्थात् 48.48 घनमीटर को घटाकर वास्तविक मिट्टी मूल्य 355.77 घनमीटर को ही अबस्ट्रैक्ट ऑफ लेबर कास्ट को मिट्टी मूल्य के वास्ते दर्शाया जाना चाहिए था, किन्तु यहाँ पर 48.48 घनमीटर की कम एम0बी0 करके मिट्टी मूल्य को प्रकारान्तर से बढ़ा दिया गया है जो आपत्तिजनक है। इसी प्रकार 800 मीटर डब्लू बी एम कार्य के आगे यानी 800 से 1200 मीटर के बीच मिट्टी कार्य $1 \times 8 \times 50(\text{एल}) \times 5.5 (\text{डब्लू}) \times 0.35 (\text{एपी/एम एच}) = 770$ घन मीटर में रु0 47.00 प्रति घन मीटर की दर से $770 \times 47 = 36190.00$ रु0 मिट्टी कार्य के मूल्य को एम0 बी0 में दर्शाकर बिना प्रतिशत घटाये ही मिट्टी मूल्य को आंकलित कर दिया गया है और उसी के अनुरूप मास्टर रोल बनवाकर भुगतान भी कर दिया गया है जो कदापि उचित प्रतीत नहीं होते।

अतः जिला पंचायत की तकनीकी टीम से यथोचित कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त के कार्य प्रभारी श्री रविदत्त मिश्र (ग्रा0 पं0 अधि0) है, व श्री शत्रुजीत सिंह (जे0ई0) रहे है।

अतः $404.25 \times 770 = 1174.25$ घनमीटर का $12\% = 140.90$ घनमीटर को कुल मिट्टी कार्य में से घटाकर ही भुगतान होना चाहिए। $140.90 \times 47 = 6622.30$ रु0 का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) व श्री सतगुरु प्रसाद चौरसिया (ख0वि0अधि0) से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर— 70 (क) वर्ष 2011—12 में ग्राम पंचायत सुरवल में पक्की सड़क तिराहे से श्री रामभरोसे के घर तक गलियारे में 200 मीटर इण्टरलाकिंग, सोलिंग कार्य, कार्य प्रभारी श्री रविदत्त मिश्र द्वारा करवाया गया दर्शित है जिसकी एम0 बी0 श्री शत्रुजीत सिंह पे किया है। उक्त कार्य पर वास्तविक भुगतान कुल मु0 467572.00 हुआ है। उल्लेखनीय है कि लेइंग एण्ड कन्सालीडेशन ऑफ 40 एम एम स्टोन ब्लास्ट की मात्रा 33.6 घन मीटर को डिटेल ऑफ मेजरमेन्ट में तो दर्शाया गया है किन्तु अबस्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेटिड मैटीरियल कास्ट में 40 एम एम स्टोन ब्लास्ट की मात्रा को 47.6 घन मीटर दर्शाकर मु0 326.00 प्रति घनमीटर की दर से कुल $47.6 \times 326 = 15517.60$ अंकित किया गया है। इस प्रकार $47.6 \times 326 = 15517.60$ घनमीटर स्टोन ब्लास्ट को अधिक दर्शाकर अबस्ट्रैक्ट मैटीरियल कास्ट को बढ़ा दिया गया है। कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र पर क्ष0 वि0 अधि0 के हस्ताक्षर अंकित नहीं है जो कार्य के अपूर्ण होने की सम्भावना का द्योतक है। अतः 14 गूणे 326 बराबर रु0. 4564.00 धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) व श्री सतगुरु प्रसाद चौरसिया (ख0वि0अधि0) से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उपरोक्त पत्रावली में कुल 26 मजदूरों द्वारा दिनांक 22.09.2011 ऐ 08.10.2011 तक किये गये मजदूरी कार्य का कुल भुगतान मु0 रु0. 41200.00 अंकित पाया गया, जबकि सम्बन्धित मास्टर रोल पर मजदूरों के निसानी अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं पाये गये और खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख के हस्ताक्षर भी नहीं है। अतः मु0 रु0. 41200.00 की ब्याज सहित वसूली श्री रविदत्त मिश्र (ग्रा0 पं0 अधि0) व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, (लेखाकार) से संयुक्त रूप से की जाये।

(ग) उल्लेखनीय है कि उक्त सम्बन्धित कार्य में बालू मोरंग, गिट्टी की सप्लाई करने वाले किसी श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह को खण्ड विकास अधिकारी की बिना संस्तुति के चेक सं0— 505628 से दिनांक—15.10.2011 को मु0 रु. 47895.00 भुगतान कर दिया गया है जिसके लिये लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) उत्तरदायी है। अतएव रु0 47895.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 71 वर्ष 2011—12 ग्राम सभा— सुरवल में राजा के गोड़ा से श्री शम्भू कुशवाहा के घर तक 300 मीटर डब्लू बी एम कार्य, कार्य प्रभारी श्री रविदत्त मिश्र द्वारा कराया गया दर्शित है जिसकी एम बीए जेई. आरईएस श्री शत्रुजीत सिंह ने किया है। प्राक्कलन (इस्टीमेट) डिटेल्स ऑफ मेजरमेन्ट कालम बिना किसी मापन विवरण के अर्थवर्क कटिंग और एएक्सवेशन इन ब्लैक काटन श्वायल एंड इंबार्कमेंट आन रोड बाई ट्रैक्टर कार्टेज एज पर एटैच्ड शीट क्वान्टिटी

एकजस्टिंग 222.27 घन मीटर अंकित किया है। उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित रिपोर्ट में भी 300X5 मीटर एवं आवश्यकतानुसार ऊँचाई में मिट्टी कार्य कराने का तथ्य कहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि पहले से ही मिट्टी ऊँची नीची अवस्था में थी, किन्तु एम0 बी0 के दौरान उपरोक्त एकजस्टिंग (पूर्व स्थिति) स्थिति को नहीं घटाया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रावली में निम्न तीन मस्टर रोल संलग्न पाये गये जिन पर किसी भी मजदूर के हस्ताक्षर नहीं पाये गये:-

1- दिनांक- 02.06.2012 से 21.06.2012 तक भुगतान दर्शित रू0 34750.00

2- दिनांक- 15.06.2012 से 25.06.2012 तक में बिना किसी माह के दिनांक 15 से 25 तक, हाजिरी भरी गयी है।

(क) उल्लेखनीय है कि क्रमांक 01 से सम्बन्धित मस्टर रोल में दर्शित धनराशि का भुगतान चेक संख्या- 505649 द्वारा मु0 रू0. 34750.00 किया गया पाया गया। किन्तु उपरोक्त किसी भी मस्टर रोल पर सम्बन्धित मजदूरों के निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

(ख) उपरोक्त कार्य में ही बिना किसी सम्यक वाउचर/प्रमाणक के चेक सं0 505610 दिनांक 01.07.2011 मु0 रू0. 30400.00 का भुगतान श्री रविदत्त मिश्र (ग्रा0 वि0 अधि0) को हुआ है जिसके लिये लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अतएव रू0 30400.00 की ब्याज सहित वसूली कार्यवाही श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 72 दिनांक 17.06.2011 को तीन एयर कंडीशनर एवं स्टेबलाइजर खरीद हेतु के0 के0 सर्विसेज 17/33 एम0जी0 मार्ग, इलाहाबाद को मु0 रू0. 137900.00 (81900+56000) का भुगतान बिना किसी टेंडर कोटेशन का उपयोग किए सीधे मनमाने तरीके से कर दिया गया दर्शित है। जबकि शासन अथवा विभाग से एयर कंडीशनर हेतु कोई बजट ही नहीं है, तो कैसे किसकी अनुमति अथवा आदेश से दूसरे मद के धन को इस मद हेतु व्यय किया गया किसी दूसरे मद के धन को मनमाने तरीके से अथवा अनधिकृत तरीके से निजी सुविधा हेतु व्यय कर देना धन के दुर्विनियोग की श्रेणी में आता है उक्त मु0 रुपया 137900.00 की ब्याज सहित वसूली खंड विकास अधिकारी श्री सतगुरु प्रसाद चौरसिया व लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 73 वर्ष 2011-12 में ग्राम सभा- लोहरा में चौखटा तालाब से झंझरा मार्ग तक संपर्क मार्ग में 400 मीटर अवशेष डब्ल्यूबीएम कार्य, कार्य प्रभारी श्री रविदत्त मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा करवाया गया दर्शित है, जिसमें मापन विवरण जे0ई0 श्री शत्रुजीत सिंह ने किया है। उक्त कार्य हेतु फोटोग्राफी प्राक्कलन स्टीमेट में रू0. 500.00 धनराशि निर्धारित की पाई गई, किन्तु फोटोग्राफी नहीं करवाई गई क्योंकि यदि फोटोग्राफी कार्य से पूर्व में होती तो कार्य प्रारंभ से पूर्व की स्थिति स्पष्ट हो जाती, कारण यह कि कार्य के पूर्व उपरोक्त मार्ग एकदम समतल तो रहा नहीं होगा, इसलिए मिट्टी के एक्साइटिंग वॉल्यूम को न दर्शा कर तत्संबंधी मिट्टी मूल्य को एम0बी0 में सम्मिलित कर भुगतान बढ़ा दिया गया। उक्त कार्य हेतु संबंधित पत्रावली में :-

1- सामग्री हेतु श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह को रू0 345936.00

2- मजदूरी मस्टर रोल हेतु भुगतान श्री रविदत्त मिश्र रू0 27800.00

3- मजदूरी मस्टर रोल हेतु भुगतान श्री इन्द्र बहादुर सिंह रू0 25250.00

4- टी0डी0एस0 हेतु अपेक्षित भुगतान जो नहीं किया गया रू0 7927.00

इस प्रकार कुल भुगतान रू0 406913.00 भुगतान पाया गया, किन्तु संबंधित पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ऑडिट तिथि तक उपलब्ध नहीं करवाया जा सका। कार्य पूर्ति यदि नहीं हुआ और कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं है, तो उपरोक्त भुगतान मु0 रू0 406913.00 एक प्रकार से अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि कार्य प्रभारी श्री रविदत्त मिश्र द्वारा मजदूरी हेतु जो रुपए 27800.00 का भुगतान प्राप्त किया गया है, उस संबंधित मस्टररोल पर मजदूरों के निशानी अंगूठा प्रथम दृष्टया ही काल्पनिक प्रतीत होते हैं। उस मास्टर रोल पर निशानी अंगूठा के स्थान पर ढेर सारी स्याही गिराकर एक प्रकार से पोत दिया गया है, जिसके कारण कोई भी निशानी अंगूठा स्पष्ट ही नहीं है, इसलिए मस्टर रोल और तत्संबंधी को भुगतान भी संदिग्ध है।

उल्लेखनीय है कि संबंधित समस्त सामग्री मोरंग, गिट्टी आदि का भुगतान चेक संख्या 505612 दिनांक 15.07.2011 मु0 रू0 345936.00 कर दिया गया, तो फिर लगभग 01 साल बाद दिनांक 03.09.2012 को किस सामग्री की खपत के वास्ते बिना मजदूरों के और क्यों मजदूरी वास्ते रुपया 27800.00 का भुगतान श्री इंद्रबहादुर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी को किया गया। इस प्रकार रू0 27800.00 का मजदूरी भुगतान और तत्संबंधित मस्टररोल का कोई औचित्य नहीं है।

अतः उपरोक्त रुपया 345936.00 वा 27800.00 धनराशि की वसूली कार्य प्रभारियों एवं खंड विकास अधिकारी श्री सतगुरु प्रसाद चौरसिया और लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है। इसी प्रकार रुपया 25250.00 की वसूली श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार व श्री सतगुरु प्रसाद चौरसिया खंड विकास अधिकारी व श्री इंद्रबहादुर सिंह ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है, और आकलित टी0डी0एस0 धनराशि (जो कटौती करके जमा नहीं की गई) रुपए 7927.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-74 वर्ष 2012-13 में श्री जायसवाल के घर से श्री पटेल बस्ती वाले रास्ते हेतु जो स्टीमेट बनाया गया है वह नियमानुसार नहीं है, क्योंकि जे0 ई0 श्री श्रीकांत तिवारी द्वारा उक्त में संबंधित इपसस वनिंदजपजल में मगपेजपदह को नहीं घटाया गया और मगपेजपदह की स्थिति को छिपाने के वास्ते कार के पूर्व की फोटोग्राफी भी नहीं करवाई गयी।

जे0 ई0 श्री श्रीकांत तिवारी द्वारा सादे पन्ने पर एक काल्पनिक एम0बी0 तैयार कर हस्ताक्षरित की गई जो निम्न प्रकार हैं-

एन	एल	बी	एचडडी	घनमीटर
1×1	175	4	0.30	210 घनमीटर
1×2	100	1	0.90	180 घनमीटर
1×2	25	1	1.2	60 घनमीटर
1×2	300	0.30	0.45	81 घनमीटर
योग				531
-12.5 प्रतिशत				-67
कुल योग				464 घनमीटर

परंतु उपरोक्त की पूर्व स्थिति मगपेजपदह पोजीशन क्या थी और कितनी घन मीटर मिट्टी पहले से मौजूद थी आदि को अंतिम आयतन 464 घन मीटर से घटाकर ही वास्तविक अर्थ वर्क निकाला जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया गया है।

अतः जिला पंचायत की तकनीकी टीम से जांच के उपरांत श्री श्रीकांत तिवारी, जे0ई0 व लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि उक्त मार्ग पर ही पानी एवं रोलर का भाड़ा किराया का भुगतान रोलर मालिक को ना करके बिना किसी आधार के मापन अधिकारी श्री श्रीकांत तिवारी को ही चेक संख्या 00019 दिनांक 15.03.2013 मु0 रु0 53408.00 (17500+28625+7283) कर दिया गया है, और यह सब कुछ श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार की मिलीभगत से ही संभव हुआ स्पष्ट परिलक्षित होता है अतः संपूर्ण कार्य एवं संबंधित भुगतान नियम विरुद्ध किया गया है। अस्तु रुपए- 534080.00 की ब्याज सहित वसूली श्री श्रीकांत तिवारी जे0ई0 व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 75 वर्ष 2012-13 में सुरवल ग्राम में श्री बृजभान प्रजापति के घर से श्री राम अभिलाष के घर तक सड़क मरम्मत कार्य करवाया गया दर्शित है, जिससे संबंधित दिनांक 14.03.2013 से 21.03.2013 तक 10 मजदूर प्रत्येक 8 दिवस तक 125.00 रुपए की मजदूरी के दर से कुल रुपए 10000.00 का भुगतान चेक संख्या 0030 दिनांक 03.05.2013 मु0 रु0 10000.00 श्री श्रीकांत तिवारी को मजदूरों के स्थान पर भुगतान किया गया है, जबकि संबंधित कृत्रिम/काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर मजदूरों के नाम क्रमशः निम्न प्रकार दर्शाए गए हैं-

क्रमांक	मजदूरों के नाम	पिता का नाम	पता	दिन/दिवस
1	सन्तलाल	बुद्धि	सुरवल साहनी	आठ दिवस
2	श्रवि	कुलपति	सुरवल साहनी	आठ दिवस
3	टनिल	बसन्तलाल	भारत नगर	आठ दिवस
4	गेंदा लाल	गुलाल	भारत नगर	आठ दिवस
5	मेंछू	जवाहर	भारत नगर	आठ दिवस
6	बबा	राम लाल	भारत नगर	आठ दिवस
7	अकिलेश	षंकर	सलैया	आठ दिवस
8	शौखीलाल	बाबूलाल	सलैया	आठ दिवस
9	श्रामसेवक	हंसराज	सलैया	आठ दिवस
10	सलिकराम	हनुमत लाल	सलैया	आठ दिवस

उल्लेखनीय है कि राजकीय कर्मचारी/अवर अभियंता के रूप में मजदूरी की धनराशि उनके अथवा परिवार के संबंधित खातों में स्थानांतरित करने के बजाय श्री श्रीकांत तिवारी जे0 ई0 द्वारा स्वयं भुगतान लेना और इस प्रक्रिया में लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव की मिलीभगत का होना दोनों कर्मचारियों की गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। अस्तु संबंधित उपरोक्त रु0 10000.00 की ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ श्री श्रीकांत तिवारी एवं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता संबंधित प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

उक्त कार्य से संबंधित सामग्री तथा मोरंग गिट्टी आदि की आपूर्ति हेतु कुल रुपए 79625.00 चेक संख्या 00019 बी0ओ0बी0 दिनांक 18.03.2013 द्वारा किसी बालाजी इंटरप्राइजेज को की गई दर्शित है किंतु संबंधित मार्ग पर पूर्व में कितनी गिट्टी उखड़ी हुई एवं अर्थ वर्क की क्या मात्रा थी, ना तो फोटोग्राफी करवाई गई और ना ही एक्साइटिंग का मूल्य घटाया गया जबकि डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट के अतिरिक्त संबंधित कार्य के आदेश पत्र एवं स्टीमेट दोनों में फोटोग्राफी हेतु रु0 300.00 व्यय किए जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

उपरोक्त कार्य में अपनाई गई प्रक्रिया के सम्यक जांच उपरांत यह तथ्य पुष्ट हो जाता है कि, मनमाने ढंग से वित्तीय अनियमितता को अंजाम देकर एक हिस्सा धनराशि निजी हित में उपभोग कर ली गयी, जिसके लिए लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व श्री श्रीकांत तिवारी जे0ई0 विशेष रूप से उत्तरदाई है अस्तु जांच उपरांत यथोचित धन की वसूली एवं प्रशासनिक कार्रवाई श्री श्रीकांत तिवारी जे0ई0 एवं लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार रु010000.00 व 79625.00 दोनों धनराशियों की ब्याज सहित वसूली श्री श्रीकांत तिवारी जे0ई0 एवं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से की जानी चाहिए

प्रस्तर— 76 वर्ष 2012-13 में ग्राम झंझरा चौबे में मुख्य सड़क सतपुरा रोड से जमुनिया तालाब तक मिट्टी मौरंग व गिट्टी कार्य हेतु 4.43 लाख रु0 स्वीकृत, दर्शित है। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य से संबंधित तीनों मस्टररोल बिना किसी क्रमांक नंबर के हैं और काल्पनिक रूप से तैयार किए गए हैं इस तथाकथित मस्टर रोल पर क्रमशः मु0 रुपया 35784.00 रु0 15620.00 व रु0 36250.00 का मजदूरी भुगतान दर्शित है, जिसमें क्रमशः 18 मजदूर 8 मजदूर व 18 मजदूरों के संदिग्ध गैर प्रमाणित निशानी अंगूठा निशान पाए गए, आश्चर्यजनक यह है कि उक्त समस्त मजदूरों में से किसी ने भी हस्ताक्षर नहीं किए यानी 1 प्रतिशत भी साक्षरता के निशान नहीं मिले, जबकि हाजिरी भरने वाले मेठ श्री शैलेंद्र के हस्ताक्षर हैं, उपरोक्त से संबंधित कार्य भी ठेकेदारी प्रथा पर करवाया गया प्रतीत होता है जिसके लिए तत्कालीन श्री सतगुरु प्रसाद चौरसिया खंड विकास अधिकारी, श्री श्रीकांत तिवारी जे0ई0 व लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव उत्तरदाई हैं। अतः उपरोक्त धनराशि मु0 रु0. 35784.00 रुपया— 15620.00 रुपया व रुपया 36250.00 की यथोचित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, यह ब्याज सहित वसूली श्री श्रीकांत तिवारी जी जे0ई0 व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार व श्री सतगुरु प्रसाद चौरसिया, खंड विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जाए।

प्रस्तर— 77 वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य सूरवल साहनी चैनपुरिया में श्री रामकरन के घर से खीरी संपर्क मार्ग पर श्री विश्वकर्मा एवं श्री यादव के घर तक सड़क मरम्मत कार्य पर कुल 6.90 लाख रुपया स्वीकृत किया दर्शित है।

उक्त कार्य से संबंधित भुगतान निम्न प्रकार से अपुष्ट और संदिग्ध पाए गए—1—उक्त कार्य पर दर्शाए गए संबंधित मास्टर रोलों (दो) और दोनों बिना क्रमांक नंबरिंग के पाए गए। जिन पर 34 मजदूरों द्वारा 18 दिवस व एक मजदूर श्री वीरेंद्र द्वारा आठ दिवस कार्य करना दर्शित है मजदूरी दर 125.00 रु0 प्रति दिवस की दर से कुल 77500.00 रु0 का मस्टर रोल तैयार कर भुगतान दर्शाया गया है, दर्शित मस्टर रोल पर 34 मजदूरों में केवल संतलाल मेठ को छोड़कर शेष 33 मजदूरों ने निशानी अंगूठा लगाया है, जबकि उत्तर भारत के किसी भी ग्राम पंचायत में कहीं भी साक्षरता दर शून्य नहीं है अतएव प्रथम दृष्टया निशानी अंगूठा के कारण मस्टररोल फर्जी सिद्ध होता है अतः रुपया— 77500.00 की वसूली श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार, श्री श्रीकांत तिवारी जे0ई0 व श्री सतगुरु प्रसाद चौरसिया खंड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

2—उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त संबंधित निर्माण कार्य में किसी श्री जीतेंद्र सिंह, मोबाइल नंबर 9956574182 के द्वारा मौरंग की सप्लाई करवा कर क्रमशः दिनांक 24.02.2013 को 87 घन मीटर की दर रुपया 464.00 कुल रुपया—40368.00 एवं दिनांक 18.02.2013 को मौरंग 426 घन मीटर कुल मूल्य रुपया 197664.00 का भुगतान व्यक्ति विशेष के नाम से किया गया है, जबकि नियमतः किसी रजिस्टर्ड फर्म द्वारा ही आपूर्ति किया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि कार्यक्षेत्र में मौरंग बिना किसी मूल्य की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और आज भी उपलब्ध होती है, अस्तु दूसरी विकास खंडों अथवा जनपदों की दर लगा कर भुगतान करना कदापि समीचीन नहीं है, यही कारण है कि कार्य के प्रारंभ मध्य व पूर्ण की फोटोग्राफी नहीं करवाई गई। ध्यातव्य हो कि उक्त संबंधित निर्माण कार्य मरम्मत का है अतः पुराने टूटे-फूटे कार्यस्थल एक्साइटिंग रोड पर टूटी-फूटी अवस्था में अवश्य रही होगी किंतु एम0बी0 में एक्साइटिंग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार पुरानी टूटी फूटी सामग्री का भी मूल्य जोड़कर अनायास ही भुगतान धनराशि को जानबूझकर बढ़ाया गया है। उल्लेखनीय है कि यहां कार्य प्रभारी एवं जे0ई0 दोनों एक ही व्यक्ति श्री श्रीकांत तिवारी ही पाए गए जो कदापि नियमोचित नहीं है। संबंधित कार्य की मापन पुस्तिका अपेक्षा के बावजूद लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई, लेखा परीक्षक के संज्ञान में यह भी आया की एम0बी0 करने वाले मापन करता श्री तिवारी ही है अतः उपरोक्त कार्य से संबंधित सामग्री मौरंग मूल्य एवं मजदूरी धनराशि की वसूली श्री श्रीकांत तिवारी जे0ई0 व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। अतः उक्त दोनों व्यक्तियों श्री श्रीकांत तिवारी तिवारी जे0 ई0 व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से रुपया 197664.00 व रुपया 40368.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—78 वर्ष 2012-13 में विकास खण्ड में ए0डी0ओ0 टाइप आवास संख्या 5 की मरम्मत रु0 91900.00 कार्य प्रभारी एवं मापन मूल्यांकनकर्ता (दोनों रूपों में ही) एक ही व्यक्ति श्री श्रीकांत तिवारी को क्रमशः चेक संख्या 00006 दिनांक 09.01.2013 मु0रु0 31219.00 (सामग्री अव0 मूल्य 9094.00, मजदूरी रु0 22125.00 कुल रु0 31219.00) का भुगतान किया गया है जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खातों में किया जाना चाहिए था। मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है। नियमतः विकास खण्ड की किसी भी बिल्डिंग में क्षेत्र पंचायत के राज्य वित्त/तेरहवां वित्त का किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना व्यय करना उचित नहीं है। कोई भी कार्य प्रभारी नियमतः अपने कार्य का मापन, मूल्यांकन स्वयं नहीं कर सकता अतः उपरोक्त में रु0 31219.00 की ब्याज सहित वसूली श्री कान्त तिवारी जे0 ई0 व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 वर्ष 2012-13 में लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व खं0 वि0 अधि0 श्री राकेश कुमार व श्री सत्गुरु प्रसाद चौरसिया के कार्य काल में वि0 खं0 कार्यालय के सौंदर्यीकरण हेतु ग्रा0वि0अधि0 श्री आई0 बी0 सिंह को कार्य प्रभारी बनाकर निम्नांकित भुगतान करवाये गये।

1- सम्बन्धित पत्रावली में बाजारु गैर सरकारी बिना किसी कमांक के मस्टर रोल क्रमशः रू0 39370.00 रू0, 37920.00 व रू0 3160.00 कुल रू0 85450.00 के पाये गये, किन्तु चेक संख्या 505636 दिनांक 09.04.2012 द्वारा रू0 95600.00 का भुगतान श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि उक्त दोनों ख0वि0अधि0 उक्त पत्रावली से पूरी तरह भिन्न करवाये गये नहीं प्रतीत होते।

2- इस प्रकार उक्त कार्य के मद में ही गैर रजिस्टर्ड आपूर्ति फर्म श्री रावेन्द्र सिंह को बिल टेण्डर, टिन नं0 आदि की औपचारिकता पूर्ण किये बिना ही उन्हें मोरंग, पत्थर, गिट्टी की गैर वैधानिक आपूर्ति हेतु चेक संख्या 505642 दिनांक 23.04.2012 द्वारा मु0 रू0 136950.00 का भुगतान करवाया गया है। इसी भांति पहले भी उक्त श्री रावेन्द्र सिंह को ही चेक संख्या 505639 दिनांक 18.04.2012 द्वारा रू0 179542.00 का भुगतान श्री अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा सम्बन्धित ख0वि0अधि0 को पूर्ण भिन्न करवाये बिना ही बिल पास करवा दिया गया। दिखावा के लिए टी0डी0एस0 की कटौती कर ली गयी, किन्तु जब उक्त कार्य की सामग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर ही नहीं करवाया गया तो पूरा भुगतान मनमानी, चुपचाप तरीके से किये जाने के कारण गैर वैधानिक है। अतः उक्त समस्त धनराशियों को क्रमशः रू0 10150.00, रू0 136950.00, रू0 179542.00 के कुल योग रू0 326642.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार व श्री सत्गुरु प्रसाद चौरसिया खं0वि0अधि0 से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत – उरुवा विकास खण्ड – उरुवा जनपद– प्रयागराज
(लेखा परीक्षा वर्ष– 2011-12 से 2013-14)

की लेखा परीक्षा वर्ष में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर -80 आलोच्य वर्ष में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों पर श्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। एक अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती एक वर्ष में 30 हजार से अधिक या सभी बिलों का योग रू0 75000.00 होने पर 2.266 प्रतिशत की दर से कटौती सुनिश्चित कर धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक 21 में जमा करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी को उत्तरदायी किया गया है। उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कान्ट्रैक्ट के भुगतान की दशा मते किसी ठेकेदार से निर्धारित दर 4 प्रतिशत से मूल्य सम्बन्धित कर वैट की कटौती की जानी है। आलोच्य वर्षों में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उ0प्र0 में लागू है के नियम 4(3) के अनुसार ठेकेदार के बलि से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर लेबर सेस नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत उपकर की प्राप्तियों को शासनादेश संख्या 521/36-2-10-25/एस0एम0/95 दिनांक 26 मार्च 2010 में निर्गत निर्देशानुसार राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाना चाहिए। आलोच्य वर्षों में आयकर की कटौती की गयी है लेकिन वैट एवं सेस की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

आलोच्य वर्ष 2011-12 राज्य वित्त सामग्री का भुगतान ठेकेदार को:-

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री का भुगतान	आयकर की कटौती	वैट 4 की कटौती	शेष 1 की कटौती नहीं की गयी
1	ब्लाक परिसर कार्यालय भवन के सामने इण्टर लाकिंग कार्य	5579599.00	12782.00	22830.00	5707.00
2	सिंगौरा ग्राम औता में पक्की सड़क से शिव मन्दिर तक इण्टर लाकिंग कार्य	21492998.00	499471.00	87951.00	21988.00
3	ग्राम औता में पक्की सड़क से सिकरवार बस्ती में कटस्टोन खड़जा कार्य एवं पसियान बस्ती	85026.00	1948.00	3479.00	870.00
4	सिंगौरा ग्राम औता में पक्की सड़क से शिव मन्दिर तक अवशेष कार्य	445010.00	10197.00	18208.00	4552.00
5	ब्लाक परिसर में क्षतिग्रस्त बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य	999617.00	2281.00	4076.00	1018.00
योग			766799.00	136544.00	34135.00

आलोच्य वर्ष 2011-12 बारहवां वित्त सामग्री का भुगतान ठेकेदार को:-

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री का भुगतान	आयकर की कटौती	वैट 4 की कटौती	शेष 1 की कटौती नहीं की गयी

1	ग्राम लेड़ी मुसलमान बस्ती में नाली निर्माण	66665.00	1527.00	2728.00	682.00
2	सिंगारो में पक्की सड़क से हरिजन बस्ती में नाली निर्माण	206241.00	4726.00	8439.00	2110.00
योग			6253.00	11167.00	2792.00

आलोच्य वर्ष 2011-12 विधायक निधि सामग्री का भुगतान ठेकेदार को:-

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री का भुगतान	आयकर की कटौती	वैट 4 की कटौती	शेष 1 की कटौती नहीं की गयी
1	जेवनिया में मुख्य सड़क आबादी तक 150 मी० इण्टरलाकिंग कार्य	84761.00	1942.00	3468.00	867.00
2	उंचडीह बाजार मुख्य आबादी तक इण्टरलाकिंग कार्य	106603.00	2442.00	4362.00	10990.00
3	शुक्लपुर में श्रीकान्त पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	72328.00	1657.00	2959.00	740.00
4	चिलबिला विश्वकर्मा बस्ती तक 150 मी० इण्टरलाकिंग कार्य	81450.00	2122.00	3343.00	836.00
5	मोती का पूरा डोहरिया में सीसी कार्य	49466.00	1133.00	2023.00	506.00
6	परानीपुर में बाबा महाराज तक इण्टरलाकिंग कार्य	218724.00	5555.00	8971.00	2243.00
7	नीवी मुख्य मार्ग से कृपाशंकर मिश्रा के अंदोर तक सीसी कार्य	272800.00	6250.00	11162.00	2790.00
8	उंचडीह राजबहा से डेरा पसियान बस्ती से इमिलिया कला तक सीसी रोड	128646.00	2948.00	5264.00	1316.00
9	जेरा में प्रताप दूबे के घर तक सीसी रोड	1492299.00	3418.00	6106.00	1526.00
10	बकचुंदा लाल सलाम के घर तक सीसी रोड	266748.00	6112.00	10914.00	27299.00
11	लेहड़ी में कब्रिस्तान बाउड्री कार्य	106181.00	2435.00	4345.00	1086.00
12	सिरसा गांधी नगर मोहल्ले में 100 मी० सीसी कार्य	118818.00	2722.00	4864.00	1215.00
13	रामनगर हरिजन बस्ती में 100 मी० सीसी रोड	183054.00	4193.00	7490.00	1872.00
14	सराय खुर्द सम्पर्क मार्ग से तिवारी टोला मछोला में सीसी कार्य	180055.00	4184.00	7370.00	1842.00
15	मिश्रपुर में चौबान टोला में सीसी कार्य	153445.00	3553.00	6280.00	1570.00
16	मिश्रपुर चमरौटी बस्ती में सीसी कार्य	189585.00	4307.00	7756.00	1939.00
17	दुखीपुर अरई मुख्य मार्ग से मुन्ना मिश्र के घर तक सीसी रोड	445852.00	10215.00	18243.00	4561.00
18	उरुवा अमिलिया मार्ग से मन्नू का पूरा गुरु मिश्रा के घर तक सीसी कार्य	280642.00	6430.00	11483.00	2871.00
19	सिरसा फाटक भीतर सिरसा हरिजन मोहल्ले में 150 मी० सीसी कार्य	174394.00	3796.00	7136.00	1784.00

20	भुइपारा मार्ग से लालजी हरिजन के घर तक सीसी कार्य	180758.00	4124.00	73995.00	1849.00
21	उंचडीह राजबहा से अमिलिया कला मुख्य आबादी में सीसी रोड	361599.00	8283.00	14795.00	36999.00
22	लच्छागृह मार्ग से दलई का पूरा सम्पर्क मार्ग पर 100मी0 सीसी रोड	177839.00	4074.00	7276.00	1819.00
23	चौकटा अटखरिया मार्ग से दिवरियान बस्ती में सीसी रोड	417090.00	9557.00	17066.00	4266.00
योग			101652.00	180071.00	45016.00

आलोच्य वर्ष 2011-12 सांसद निधि सामग्री का भुगतान ठेकेदार को :-

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री का भुगतान	आयकर की कटौती	वैट 4 की कटौती	शेष 1 की कटौती नहीं की गयी
1	चौकी दिधिया मार्ग से मुख्य यादव बस्ती तक कट स्टोन एवं के0सी0ड्रेन	465989.00	10448.00	19057.00	4764.00
2	उरुवा लेहड़ी मार्ग से लेहड़ी मुसलमान बस्ती में सम्पर्क मार्ग	317820.00	6867.00	12987.00	3247.00
3	चिलबिला में अमरनाथ के खेत से करबला तक सीसी रोड	256339.00	5873.00	10488.00	2622.00
योग			23188.00	42492.00	10633.00
वर्ष 2011-12 का योग			207772.00	370274.00	92576.00

आलोच्य वर्ष 2012-13 राज्य वित्त सामग्री का भुगतान ठेकेदार को:-

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री का भुगतान	आयकर की कटौती	वैट 4 की कटौती	शेष 1 की कटौती नहीं की गयी
1	ओनौर सम्पर्क मार्ग से भौवान बस्ती होते हुए नहर तक खड़जा	660156.00	15126.00	27011.00	6753.00
2	औता में यज्ञशाला के चारों तरफ इण्टरलाकिंग कर्य	75471.00	1730.00	3088.00	772.00
3	क्षेत्र पंचायत प्रमुख कक्ष का सुन्दरीकरण	94047.00	2155.00	3848.00	962.00
4	औनार दिधियां मार्ग से औता ग्राम में लल्लन के घर तक इण्टरलाकिंग	287110.00	6579.00	11748.00	2937.00
योग			25590.00	45695.00	11424.00

आलोच्य वर्ष 2012-13 बारहवां वित्त सामग्री का भुगतान ठेकेदार को:-

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री का भुगतान	आयकर की कटौती	वैट 4 की कटौती	शेष 1 की कटौती नहीं की गयी
1	सिंगारों में बन्धु के घर से अमरनाथ के घर तक नाली निर्माण	115178.00	2639.00	4713.00	1178.00
2	मनू का पूरा प्रा0वि0 से दुर्जन प्रसाद कुशवाहा के घर तक नाली निर्माण	79991.00	1833.00	3273.00	818.00
योग			4472.00	7986.00	1996.00

आलोच्य वर्ष 2012-13 विधायक निधि सामग्री का भुगतान ठेकेदार को :-

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री का भुगतान	आयकर की कटौती	वैट 4 की कटौती	शेष 1 की कटौती नहीं की गयी
1	सामुदायिक भवन सिरसा का निर्माण	41176.00	943.00	1684.00	421.00
योग			943.00	1684.00	421.00

आलोच्य वर्ष 2012-13 सांसद निधि सामग्री का भुगतान ठेकेदार को :-

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री का भुगतान	आयकर की कटौती	वैट 4 की कटौती	शेष 1 की कटौती नहीं की गयी
1	छतवा में अभिकहवा बस्ती पी0डब्लू0डी0 रोड से मस्जिद होते हुए नहर तक सीसी रोड	430721.00	10094.00	18024.00 9802.00	4588.00
योग			41099.00	63587.00	18429.00

आलोच्य वर्ष 2013-14 राज्य वित्त सामग्री का भुगतान ठेकेदार को :-

वर्ष 2013-14 में कुछ सामग्री भुगतान पर वैट काटा गया कुछ भुगतान पर वैट एवं सेस की कटौती नहीं की गयी जिसका विवरण निम्न है:-

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री का भुगतान	आयकर की कटौती	वैट 4 की कटौती	शेष 1 की कटौती की गयी	शेष 1 की कटौती नहीं की गयी
1	प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र औता की मरम्मत	106375.00	2437.00	4352.00		1088.00
2	उप स्वास्थ्य केन्द्र सराय कला की मरम्मत	91980.00	2108.00	3763.00		941.00
3	उरुवा उंचडीह मार्ग से डा0 ओम शंकर पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग	312668.00	7164.00	12793.00		3198.00
4	ब्लाक कार्यालय भवन की छत की मरम्मत, 2 वान99 कक्ष की मरम्मत एवं सुन्दरीकरण	137845.00	3212.00	5642.00		1434.00
5	डा0 ओम शंकर पाण्डेय शिवपुरा में सीसी रोड निर्माण	205734.00	4714.00	8418.00		2104.00
6	बिगहनी में मुख्य सड़क से नहर तक खडजा कार्य	477768.00	10948.00	19548.00		4887.00
7	अटखरिया में राधेश्याम तिवारी के घर से छेदी लाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	216679.00	4965.00	8865.00		2216.00
8	ब्लाक सभागार कक्ष की मरम्मत एवं सुन्दरीकरण	315944.00	7240.00	12927.00		3232.00
9	बरवा में शुकुलपुर रोड से धीरेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	247947.00	5735.00	10147.00	2329.00	2560.00
10	औता में हनुमान सराय का पूरा ओनौर लिंक रोड से बबलू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	481634.00	11218.00	19714.00	7961.00	5008.00
11	बगहा में सीताराम नाऊ के घर से बिजली के पोल तक इण्टरलाकिंग कार्य	406325.00	9419.00	16630.00	4761.00	4157.00
12	उपटौड़ा में विष्णुदत्त तिवारी के घर से सड़क तक नाली निर्माण	486840.00	11631.00	20769.00	20769.00	5192.00
13	उपटौड़ा में नहर की पटरी से रामबली यादव के खेत तक इण्टरलाकिंग का कार्य	362621.00	8615.00	28885.00	28885.00	4001.00
14	नीबी में मुख्य मार्ग से राजधर बीडीसी सदस्य के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	528600.00	12629.00	22551.00	22551.00	5638.00
योग				195004.00	89593.00	45656.00

आलोच्य वर्ष 2013-14 बारहवां वित्त सामग्री का भुगतान ठेकेदार को :-

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री का भुगतान	आयकर की कटौती	वैट 4 की कटौती	शेष 1 की कटौती की गयी	शेष 1 की कटौती नहीं की गयी
1	तुलापुर में राम सागर के घर से तालाब तक नाली निर्माण	181208.00	4152.00	7414.00		1854.00
2	औता में लल्लन सिंह के घर	20429.00	468.00	835.00		209.00

	के पीछे नाली निर्माण					
3	औता में कुंज बिहारी के घर से गड़दे तक नाली निर्माण	71266.00	1633.00	2916.00		729.00
4	ब्लाक परिसर में बोरिंग कार्य पाइप एवं टंकी कार्य	390182.00	8940.00	15965.00		3991.00
5	ब्लाक परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य	970753.00	22399.00	39726.00	2293.00	9932.00
6	समहन में राम सजीवन के घर से शर्मा के खेत तक नाली निर्माण	229831.00	5266.00	9403.00		2351.00
7	उपरौड़ा में पंचायत भवन से गजराज सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	519636.00	11893.00	21261.00		5315.00
8	औता में हनुमान मंदिर परिसर इण्टर लाकिंग कार्य	1232163.00	28748.00	50436.00	22021.00	12609.00
9	देवहटा में आर0सी0 मिश्रा के घर से जे0पी0 मिश्रा के घर तक नाली निर्माण	162575.00	3999.00	6663.00		1666.00
10	नरवर चौकटा में सुनील सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	350686.00	8035.00	14348.00		3587.00
11	इमिलिया कला में इन्द्र बहादुर के घर के पीछे नाली निर्माण	35396.00	811.00	1448.00		362.00
12	ग्राम चौकी में दिधिया काली सड़क से विजय बहादुर मास्टर के घर तक नाली निर्माण	152180.00	3487.00	6227.00		1556.00
13	सराय कला में मनीष के खेत से राम सजीवन के खेत तक नाली निर्माण	313602.00	7311.00	12836.00	4895.00	3258.00
14	खमिनियां में बृजेश भहर के घर से तालाब तक नाली निर्माण	255618.00	4912.00	8772.00	8772.00	2193.00
15	ओनौर में दिनेश के घर से तालाब तक नाली निर्माण	164796.00	3937.00	7031.00	7031.00	1758.00
योग				205281.00	45012.00	51370.00

आलोच्य वर्ष 2013-14 विधायक निधि सामग्री का भुगतान ठेकेदार को :-

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री का भुगतान	आयकर की कटौती	वैट 4 की कटौती	शेष 1 की कटौती की गयी	शेष 1 की कटौती नहीं की गयी
1	उरुवा में बीज भण्डार पर इण्टरलाकिंग कार्य	755494.00	17081.00	30503.00		7626.00
2	शिवपुरा में 250 मी0 सीसी रोड	81018.00	1856.00	3315.00		829.00
3	उंचडीह में उददे तिवारी के घर के पास नहर पर पुलिया निर्माण	375442.00	8579.00	15361.00	3328.00	3840.00
4	उरुवा चौराहे से नाले तक ह्यूम पाइप अण्डर ग्राउण्ड नाली निर्माण	462996.00	10609.00	18944.00		4736.00
5	शुकुलपुर में राधेश्याम शुक्ल के घर के सामने अधूरी सड़क निर्माण	69837.00 1560.00		2856.00	748.00	714.00
योग				70979.00	3976.00	17745.00
वर्ष 2013-14 का कुल योग				471264.00	138581.00	144771.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2011-12 में ठेकेदार को सामग्री मूल्य भुगतान में ₹0 370274.00 वैट की कटौती एवं 92576.00 सेस कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी जिसके लिए तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र शुक्ल एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री सूर्य प्रसाद द्विवेदी उत्तरदायी रहे। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में ₹0 63587.00 वैट की कटौती एवं ₹0 18429.00 सेस की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति

की गयी जिसके लिए तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र शुक्ल एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री सूर्य प्रसाद द्विवेदी उत्तरदायी रहे। वर्ष 2013-14 में रू0 332683.00 वैट की कटौती एवं रू0 144771.00 सेस की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी जिसके लिए तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0पी0 मिश्रा, श्री एस0पी0 चौरसिया एवं श्री करुणा शंकर पाण्डेय एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री सूर्य प्रसाद द्विवेदी उत्तरदायी रहे। इस प्रकार वर्ष 2011-12 से लेकर 2013-14 तक वैट कटौती न करके रू0 766544.00 एवं सेस की कटौती न करके रू0 225776.00 कुल धनराशि रू0 992320.00 से राजस्व की क्षति की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-81 आलोच्य वर्षों में विभिन्न अनुदानों पर निम्न प्रकार ब्याज प्राप्त हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार था :-

वर्ष 2011-12

क्र0	ब्याज मद	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त ब्याज	कुल ब्याज
1	ब्याज मद	79986.00		79986.00
2	ब्याज मद	126697.14	53788.00	180485.14
3	एस0जी0एस0वाई0 ब्याज मद	141006.00	96902.00	237908.00
4	ब्याज राज्य वित्त	25018.00	88177.00	113195.00
5	मनरेगा ब्याज मद	109022.26	9518.00	118540.26
	योग	481729.40	248385.00	730114.40

वर्ष 2012-13

क्र0	ब्याज मद	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त ब्याज	कुल ब्याज
1	ब्याज मद	---	---	---
2	ब्याज मद	---	125953.00	125953.00
3	एस0जी0एस0वाई0 ब्याज मद	---	82918.00	82918.00
4	ब्याज राज्य वित्त	---	73134.00	73134.00
5	मनरेगा ब्याज मद	---	16782.00	16782.00
	योग	---	298787.00	298787.00

वर्ष 2013-14

क्र0	ब्याज मद	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त ब्याज	कुल ब्याज
1	ब्याज मद	---		
2	ब्याज मद	---	44922.00	44922.00
3	एस0जी0एस0वाई0 ब्याज मद	---	575.00	575.00
4	ब्याज राज्य वित्त	---	191362.00	191362.00
5	मनरेगा ब्याज मद	---	19342.00	19342.00
	योग	---	256201.00	256201.00
	कुल योग	481729.40	803373.00	1285102.40

दिनांक 01-04-2011 के अनुदान के विभिन्न मदों पर प्रारम्भिक शेष (ब्याज) रू0 481729.40 था। वर्ष 2011-12 में रू0 248385.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। वर्ष 2012-13 में रू0 298787.00 एवं वर्ष 2013-14 में रू0 256201.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। इस प्रकार प्रारम्भिक ब्याज शेष के साथ कुल ब्याज रू0 1285102.40 हुआ। शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकीय कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए, ऐसा न करके ब्याज की धनराशि से विज्ञापन एवं अन्य व्ययों पर व्यय करना नियम विरुद्ध एवं गम्भीर अनियमितता है। आलोच्य वर्षों में प्राप्त समस्त ब्याज रू0 1285102.40 राजकोष में जमा किया जाना चाहिए जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र शुक्ला, श्री आर0पी0 मिश्रा, श्री एस0पी0 चौरसिया एवं श्री करुणा शंकर पाण्डेय एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री सूर्य प्रसाद द्विवेदी उत्तरदायी रहे।

मूल आपत्ति संख्या 2

प्रस्तर-82 आलोच्य वर्षों में निम्नांकित कार्यों पर 5 लाख या उससे अधिक व्यय किया गया है लेकिन शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है विवरण निम्न है :-

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	मजदूरी	योग
1	ब्लाक परिसर कार्यालय भवन के सामने इण्टरलाकिंग कार्य	557959.00	12782.00	54900.00	625641.00
2	सिंगौरा ग्राम औता में पक्की सड़क से शिव मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	2149298.00	49471.00	296840.00	2495609.00
3	सिंगौरा ग्राम औता में पक्की सड़क से शिव मन्दिर तक अवशेष कार्य	445010.00	10197.00	103320.00	558527.00

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	मजदूरी	योग
1	चौकी दिधिया मार्ग से मुख्य यादव बस्ती तक कटस्टोन एवं के०सी०ड्रेन कार्य	465989.00	10448.00	147000.00	623437.00
वर्ष 2011-12 में कार्यों पर किया गया कुल भुगतान की धनराशि का योग					4839901.00

विधायक निधि (वर्ष 2011-12)

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	मजदूरी	योग
1	दुखीपुर अरई मुख्य मार्ग से मुन्ना मिश्रा के घर तक सीसी रोड	445852.00	10215.00	77620.00	533687.00

सांसद निधि (वर्ष 2012-12)

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	मजदूरी	योग
1	औनार सम्पर्क मार्ग से नौवान बस्ती होते हुए नहर तक खड़जा कार्य	660156.00	15126.00	153000.00	828282.00

बारहवां वित्त (वर्ष 2013-14)

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	मजदूरी	योग
1	छतवा में अमिलहवा बस्ती पी.डब्ल्यू.डी. रोड से मस्जिद होते हुए नहर तक सीसी रोड	430721.00	आई टी 10094.00 वैट 9802.00	78528.00	529145.00
वर्ष 2012-13 में कार्यों पर किया गया कुल भुगतान की धनराशि का योग					1357427.00

बारहवां वित्त (वर्ष 2013-14)

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	मजदूरी	योग
1	ब्लाक परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य	970753.00	आई टी 22399.00 वैट 2293.00	131100.00	1126545.00
2	उपटौड़ा में पंचायत भवन से गजराज सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	519636.00	11893.00	119918.00	651447.00
3	औता में हनुमान मन्दिर परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य	1232163.00	आई टी 28748.00 वैट 22021.00	240660.00	1523592.00

राज्य वित्त (वर्ष 2013-14)

क्र०	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	मजदूरी	योग
1	उरूवा में बीज भण्डार पर इण्टरलाकिंग कार्य	745494.00	17081.00	172034.00	934609.00
वर्ष 2013-14 में कार्यों पर किया गया कुल भुगतान की धनराशि का योग					6115377.00

शासन के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.7.2015 एवं शासनादेश संख्या 866/33-2-14-93जी/2014 टी0सी0 दिनांक 25.06.2014 एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 में निर्गत आदेशों के अनुसार रुपया 250001.00 से 500000.00 तथा 500000.00 से अधिक के प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियंता द्वारा किया जाएगा। क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात कराए जाने वाले कार्य का प्राक्कलन का अनुमोदन एवं कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही कराया जाएगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है की क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य करेगी। उपरोक्त नियमों का पालन न करने के कारण एवं कार्य योजना का (500000.00 से अधिक) जिलाधिकारी से अनुमोदन न कराने के कारण वर्ष 2011-12 में कार्यों पर किया गया भुगतान रुपया 4836901.00, वर्ष 2012-13 में किया गया भुगतान रुपया 1357427.00 एवं वर्ष 2013-14 में किया गया भुगतान रुपया 6115377.00 कुल धनराशि रुपया 12309705.00 अनियमित रहा। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री हरीश चंद्र शुक्ला, श्री आर0पी0 मिश्रा, श्री एस0पी0 चौरसिया एवं श्री करुणा शंकर पांडे उत्तरदायी रहे। इस पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या - 3

प्रस्तर -83 पकरहवा अटखरिया मार्ग चौकठा तिवारियान बस्ती में 223 मीटर सीसी रोड हेतु दिनांक 18-11-2011 को रुपया 500000.00 स्वीकृत किया गया। दिनांक 19-11-2011 को टेंडर आमंत्रित किया गया जिसमें 3 टेंडर डाले गए। दिनांक 02.12.2011 को श्री अवधेश पांडे का टेंडर तुलना में कम पाए जाने के कारण स्वीकृत कर दिया गया। इस कार्य का प्रभारी श्री लव प्रसाद द्विवेदी, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को दिनांक 30 मार्च 2012 को प्रभारी बनाया गया ठेकेदार से अवशेष पांडे द्वारा बिल नंबर 110 दिनांक 31.12.2011 को रुपया 112873.00 का बिल प्रस्तुत किया गया है। खंड विकास अधिकारी उरुवा के पत्र दिनांक 20.08.2012 को यह कहते हुए कि आपके द्वारा कोई सामग्री निर्माण स्थल पर नहीं पहुंचाया गया है। इस कारण से आपका टेंडर निरस्त किया जाता है। पुनः इस कार्य का टेंडर दिनांक 18.09.2012 को आमंत्रित करके 25.09.2012 को टेंडर ठेकेदार श्री पंकज तिवारी का कम दर होने के कारण स्वीकृत कर दिया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व ठेकेदार श्री अवधेश पांडे के बिल नंबर- 110 दिनांक 31.12.2011 को दिनांक 11.03.2012 को भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार किया गया भुगतान गंभीर अनियमितता का द्योतक है। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री हरीश चंद्र शुक्ला एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री सूर्य प्रसाद द्विवेदी उत्तरदाई रहे। जिसकी और विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या -4

प्रस्तर -84 उरुवा उंचडीह संपर्क मार्ग से शिवपुरा में 250 मीटर सीसी रोड निर्माण हेतु दिनांक 24.12.2009 को 4.92 लाख धनराशि स्वीकृत की गयी। जिसके लिए दिनांक 29.12.2009 को टेंडर आमंत्रित किया गया। टेंडर में तीन ठेकेदारों द्वारा टेंडर भरे गए, जिसमें सबसे कम टेंडर श्री राजेंद्र प्रसाद का पाया गया जिसे 13.01.2010 को स्वीकृत कर दिया गया। ठेकेदार द्वारा बिल नंबर- 05 दिनांक 06.02.2010 रुपया 161198.00 बिल नंबर 3 दिनांक 06.02.2010 रुपया 100882.00 एवं बिल क्रमांक अंकित नहीं दिनांक 25.05.2013 को रुपया 37741.00 का बिल प्रस्तुत किया गया। दिनांक 05.08.2013 को खंड विकास अधिकारी द्वारा ठेकेदार को पत्र लिखा गया कि कार्यस्थल पर सामग्री आपूर्ति ना करने के कारण आपका स्वीकृत टेंडर निरस्त किया जाता है। और निरस्त कर 20.10.2013 को दूसरा टेंडर आमंत्रित किया गया। प्राप्त 3 टेंडरों में सबसे कम दर होने के कारण श्री अवधेश कुमार पांडे ठेकेदार का टेंडर स्वीकृत किया गया फिर भी पूर्व ठेकेदार श्री राजेंद्र प्रसाद के बिल संख्या-5 दिनांक 06.02.2010 रुपया 161198.00, बिल संख्या- 3 रुपया 100882.00 एवं बिल नंबर अंकित नहीं दिनांक 25.05.2013 रुपया 37741.00 का भुगतान दिनांक 23.02.2010, 11.03.2010 एवं 24.06.2013 को कर दिया गया। इस प्रकार किया गया कुल भुगतान रुपया 299821.00 अनियमित रहा। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री हरीश चंद्र एवं श्री करुणा शंकर पांडे तथा ज्येष्ठ लेखाकार श्री सूर्य प्रसाद द्विवेदी उत्तरदाई रहे इस पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 5

प्रस्तर - 85 असंगठित क्षेत्र क भवन एवं अन्य सन्निर्माण का कार्य करने वाले कर्मकारों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकर नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उत्तर प्रदेश में लागू है के नियम 4 (3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार-उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी जिसका पालन क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं किया गया है जिसका विवरण निम्न है :-

(वर्ष 2014-15 राज्य वित्त के अन्तर्गत ठेकेदार को सामग्री मूल्य भुगतान)

क्र. सं.	कार्य का नाम	सामग्री मु0 ठेकेदार	आयकर	वैट कटौती	शेष की कटौती नहीं की गयी
01	02	03	04	05	06
1	चौकठ गौरा में पूर्व प्रधान श्री धीरेन्द्र मिश्र के घर से काली सड़क तक इण्टर लाकिंग	536793.00	12823.00	22900.00	5725.00

	कार्य				
2	देवहटा में खड़जा मार्ग से प्रा०पा० होते हुए गुड्डू मिश्रा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	488489.00	11667.00	20835.00	5209.00
3	भई पारा में पी०डब्ल्यू०डी० से यादव के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	326306.00	7796.00	13920.00	3480.00
4	देवहटा में खड़जा मार्ग से प्रा०पा० होते हुए गुड्डू मिश्रा के घर तक अवशेष इण्टर लाकिंग कार्य	334935.00	8002.00	14290.00	3572.00
5	सिगारों में केवटान बस्ती रमेश बिन्द के घर से राम जियावन के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	322510.00	7705.00	13759.00	3440.00
6	औता हनुमान मन्दिर के सामने मार्ग से गौतमान बस्ती तक इण्टर लाकिंग कार्य	447602.00	10693.00	19095.00	4774.00
7	चौकठ गौरा में पूर्व प्रधान श्री धीरेन्द्र मिश्र के घर के पीछे बबलू शुक्ला के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	451643.00	8401.00	15002.00	3850.00
8	सिगारो के ब्रम्हण बस्ती में मृत्युजय पाण्डेय के घर से तालाब तक इण्टर लाकिंग कार्य	535184.00	12786.00	22832.00	5708.00
योग :-					35758.00

(बारहवां वित्त वर्ष 2014-15 वित्त के अन्तर्गत ठेकेदार को सामग्री मूल्य भुगतान)

क्र. सं.	कार्य का नाम	सामग्री मु० ठेकेदार	आयकर	वैट कटौती	शेष की कटौती नहीं की गयी
01	02	03	04	05	06
1	सिगारो ब्रम्हण बस्ती में इण्टर लाकिंग कार्य	534524.00	12770.00	22804.00	5701.00
2	सिगारो केवटान बस्ती में इण्टर लाकिंग कार्य	519315.00	12407.00	22155.00	5539.00
3	औता सिगारो हरिजन बस्ती में इण्टर लाकिंग कार्य	519315.00	12407.00	22155.00	5539.00
4	सिगारो केवटान बस्ती में शेष इण्टर लाकिंग कार्य	403611.00	9643.00	17219.00	4305.00
5	सिगारो ब्रम्हण बस्ती में शेष इण्टर लाकिंग कार्य	534524.00	12770.00	22804.00	5700.00
6	सिगारो हरिजन बस्ती में शेष इण्टर लाकिंग कार्य	606248.00	14448.00	25863.00	6466.00
योग :-					33250.00

(विधायक निधि वर्ष 2014-15 में ठेकेदार को सामग्री मूल्य भुगतान)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामग्री मु० ठेकेदार	आयकर	वैट कटौती	शेष की कटौती नहीं की गयी
01	02	03	04	05	06
1	सिरसा गांधी नगर मुहल्ले में	59198.00	1414.00	2526.00	631.00

	100 मीटर सी0सी0रोड निर्माण				
2	तन्दरिया में प्राइमरी विद्यालय के बाल निर्माण कार्य	43386.00	1037.00	1852.00	463.00
योग :-					1094.00
वर्ष 2014-15 में कुल लेबर सेस जो नहीं काटा गया है-					70102.00

(वर्ष 2015-16 राज्य वित्त के अन्तर्गत ठेकेदार को सामग्री मूल्य भुगतान)

क्र. सं.	कार्य का नाम	सामग्री मु0 ठेकेदार	आयकर	वैट कटौती	शेष की कटौती नहीं की गयी
01	02	03	04	05	06
1	ब्लाक परिसर में मेन गेट का निर्माण कार्य	189698.00	4533.00	8093.00	2023.00
2	ग्राम भीखपुर में लल्लू सोनकर के घर से आदिवासी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	332531.00	7944.00	14186.00	3547.00
3	अमिलिया कला में अश्वनी मिश्र के घर के सामने नहर पुलिया निर्माण एवं इण्टर लाकिंग कार्य	365558.00	8733.00	15595.00	3899.00
4	ब्लाक परिसर में प्रमुख कक्ष का निर्माण	1441773.00	34445.00	61510.00	15377.00
5	औता के पाल बस्ती में इण्टर लाकिंग कार्य	385078.00	9199.00	16428.00	4107.00
6	डोवनिया में शंकर जी के मन्दिर में इण्टर लाकिंग कार्य	411178.00	9823.00	17542.00	4385.00
	औता में चौटवना सोनाई मार्ग रसउ का पूरा तक इण्टर लाकिंग कार्य	481002.00	11492.00	20521.00	5153.00
योग :-					38468.00

(वर्ष 2015-16 में बारहवां वित्त के अन्तर्गत ठेकेदार को सामग्री मूल्य भुगतान)

क्र. सं.	कार्य का नाम	सामग्री मु0 ठेकेदार	आयकर	वैट कटौती	शेष की कटौती नहीं की गयी
01	02	03	04	05	06
1	औता हनुमान मन्दिर परिसर में इण्टर लाकिंग कार्य	477598.00	11648.00	20802.00	5100.00
2	कठौली के यादव बस्ती में नाली निर्माण कार्य	227204.00	5427.00	9651.00	2423.00
योग :-					7523.00
वर्ष 2015-16 में कुल सेस जो नहीं काटा गया है।					45991.00

(वर्ष 2016-17 राज्य वित्त के अन्तर्गत ठेकेदार को सामग्री मूल्य भुगतान)

क्र. सं.	कार्य का नाम	सामग्री मु0 ठेकेदार	आयकर	वैट कटौती	शेष की कटौती नहीं की गयी
01	02	03	04	05	06
1	मवेया में काली रोड से राजेश शुक्ला तक इण्टर लाकिंग कार्य	493070.00	11780.00	21036.00	5259.00

2	राम नगर मेन रोड से डा0 बंगाली के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	432213.00	10325.00	18439.00	4610.00
3	तरवाई नहर से आशुतोष इण्टर कालेज तक इण्टर लाकिंग कार्य	527168.00	12594.00	22491.00	5622.00
4	मिश्रपुर में मेन रोड से राजेश शुक्ला तक इण्टर लाकिंग कार्य	340419.00	8133.00	14522.00	3630.00
5	मवेया में काली रोड से हबीब तक इण्टर लाकिंग कार्य	104003.00	2485.00	4437.00	1109.00
6	जेवनिया भेमपुरा रोड से पक्की सड़क तक इण्टर लाकिंग कार्य	187494.00	5338.00	9522.00	2023.00
7	कुर्वर पट्टी में काली रोड से लाहिया तक इण्टरलाकिंग कार्य	380177.00	9322.00	16646.00	4061.00
8	विकास खण्ड परिसर में इण्टर लाकिंग कार्य	182640.00	4363.00	7792.00	1948.00
9	चौकी दिधिया मार्ग से मातम्बर पाण्डेय के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	657246.00	15702.00	28039.00	7010.00
10	विकास खण्ड परिसर कार्यालय का सुन्दरीकरण कार्य	85523.00	2067.00	3691.00	923.00
योग:-					36195.00

(विधायक निधि वर्ष 2016-17 में ठेकेदार को सामग्री मूल्य भुगतान)

क्र. सं.	कार्य का नाम	सामग्री मु0 ठेकेदार	आयकर	वैट कटौती	शेष की कटौती नहीं की गयी
01	02	03	04	05	06
1	भुई पारा बस्ती से आनन्द सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	690072.00	16704.00	29867.00	7366.00
2	नीवी में जवाहर लाल मिश्र तक इण्टर लाकिंग कार्य	456704.00	10911.00	19484.00	4871.00
3	रामनगर परसीपुर टेसैया पूरा तक इण्टर लाकिंग कार्य	253838.00	6065.00	10829.00	2707.00
4	राम नगर परसीपुर स्व0 सूरजन सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	256100.00	6118.00	10925.00	2731.00
5	ऊंचडीह छूछा मार्ग से राजेन्द्र प्रसाद पूर्व सभासद तक इण्टर लाकिंग कार्य	256125.00	6119.00	10927.00	2731.00
6	अकोढा नहर की पटरी से बी0बी0सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	356157.00	8700.00	15536.00	3804.00
7	राम नगर दवाईपूरा मिलन केन्द्र के पास विवाह घर	422559.00	10098.00	18033.00	4507.00

	का निर्माण				
8	उरुवा उंचडीह मार्ग से अमर नाथ सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	1134933.00	27494.00	49096.00	12115.00
योग :-					40832.00

प्रस्तर -8 (सांसद निधि वर्ष 2016-17 में ठेकेदार को सामग्री मूल्य भुगतान)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामग्री मु० ठेकेदार	आयकर	वैट कटौती	शेष की कटौती नहीं की गयी
01	02	03	04	05	06
1	अटखरिया उन्नाह मार्ग कार्य एवं इण्टरलाकिंग कार्य	680118.00	16429.00	29015.00	7253.00
योग :-					7253.00
वर्ष 2016-17 में कुल लेवर सेस जो नहीं काटा गया है-					84280.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2014-15 में ₹0 70102.00 वर्ष 2015-16 से ₹0 45991.00 एवं वर्ष 2016-17 में ₹0 84280.00 कुल धनराशि ₹0 200373.00 सेस की कटौती नहीं की गयी है, जिसके लिए श्री कृष्ण शंकर पाण्डेय, श्री लालजी सिंह, श्री विजय कुमार पाण्डेय, श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह, श्री प्रकाश चन्द्र, श्री अमर नाथ शुक्ला खण्ड विकास अधिकारियों के साथ-2 ज्येष्ठ लेखाकार श्री सूर्य प्रसाद द्विवेदी एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री लवकुश कुमार उत्तरदायी रहे, इस ओर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 86 आलोच्य वर्ष में विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित खातों पर ब्याज प्राप्त हुआ है। जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्रम संख्या	वर्ष में प्राप्त ब्याजमद	कुल ब्याज प्राप्त
1	ब्याज मद	33944.00
2	ब्याज मद मनरेगा	1678.00
3	ब्याज राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त	140365.00
कुल योग :-		175987.00

(वर्ष 2015-16)

क्रम संख्या	वर्ष में प्राप्त ब्याजमद	कुल ब्याज प्राप्त
1	ब्याज मद	35333.00
2	ब्याज मद मनरेगा	15854.00
3	ब्याज राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त	71988.00
कुल योग :-		123175.00

(वर्ष 2016-17)

क्रम संख्या	वर्ष में प्राप्त ब्याजमद	कुल ब्याज प्राप्त
1	ब्याज मद	74918.00
2	ब्याज मद मनरेगा	6687.00
3	ब्याज राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त	49950.00
कुल योग :-		131555.00
कुल ब्याज वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक		430717.00

इस प्रकार अनुदान के विभिन्न मदों में अनुदान की धनराशि खाते में रहने के कारण वर्ष 2014-15 में ₹0 175987.00 वर्ष 2015-16 में ₹0 123175.00 एवं वर्ष 2016-17 में ₹0 131555.00 कुल योग ₹0 430717.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। शासन के शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 10/2015/के0-1-502/दस-2015-10(33) दिनांक 29-05-2015 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है, तो वह ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, एवं अर्जित ब्याज की धनराशि राजकोश में जमा करा दिया जाये, वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक का अर्जित ब्याज ₹0 50430717.00 राजकोश में जमा न किया जाना गम्भीर अनियमितता एवं नियम विरुद्ध रहा जिसके लिए तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखाकार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -87 अनुदान रजिस्टर तृतीय के अनुसार 01-04-2011 को कर्मचारियों के वेतन मद में ₹0 147932.00 की धनराशि थी, वर्ष 2011-12 में ₹0 2389905.00 धनराशि प्राप्त हुयी एवं ₹0 2355948.00 व्यय किया गया, दिनांक

32-03-2012 को रू0 181889.00 की धनराशि अवशेष रही, वर्ष 2011-12 की धनराशि रू0 181889.00 दिनांक 31-03-2018 तक चली आ रही है। शासन के शासनादेश संख्या 01/2018/ए0-1-53 ए0^{जी}0/दस-2017-10 (50)2011 दिनांक 04-01-2018 के अनुसार तीन वर्ष से अधिक समय से असंचालित बैयक्तिक लेखा खातों को बन्द कर उसमें अवशिष्ट धनराशियों को सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए, क्षेत्र पंचायत स्तर पर यह धनराशि 31-03-2012 से अवशेष पड़ी है, जिसको सुसंगत में जमा न किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सन्दीप कुमार तिवारी, श्री राकेश दत्त मिश्रा एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री लवकुश कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -88 वर्ष 2013-14 में श्री हरिश्चन्द्र शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी से वाहन कर वसूली की धनराशि रू0 12800.00 दिनांक 31.03.2017 एवं उसके आगे भी यथावत् दर्शाया जा रहा है, लेकिन वसूली का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है, जिसके लिए तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखाकार उत्तरदायी रहे, खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र शुक्ला से उक्त धनराशि वसूल करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -89 ग्राम बीरपुर ढावा चौरासी में आगनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 में रू0 526000.00 प्राप्त हुआ था, वर्ष 2015-16 में उक्त धनराशि पर रू0 1.00 कैश प्राप्त हुआ स्पष्ट न हो सका। प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य पर रू0 473262.00 व्यय किया गया है एवं दिनांक 31 मार्च 2016 को उक्त शीर्ष में रू0 52739.00 अवशेष रहा, उक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च 2016 से लेकर लेखा परीक्षा तिथि यानि 31 मार्च 2018 तक अवशेष दर्शाया जा रहा है। जबकि उपभोग न होने की दशा में धनराशि धनदाता को वापस कर दी जाती है। धनराशि धनदाता को वापस न किया जाना नियम विरुद्ध रहा जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री लालजी यादव एवं ज्येष्ठ लेखा कार श्री लवकुश कुमार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि वसूल करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -90- वर्ष 2011-12 में चौखटा तिवरियान बस्ती में सी0सी0रोड निर्माण पर ठेकेदार के बिल दो रू0 50426647.00 में से रू0 9557.00 आयकर काटकर रू0 417090.00 कर भुगतान किया गया था, उक्त कार्य पर कार्य प्रभारी श्री प्रदीप कुमार, ए0डी0ओ0, एस0टी0, को मजदूरी हेतु रू0 73550.00 का भुगतान किया गया था, निर्माण कार्य की फाइल एवं इस कार्य की जांच की कोई रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, दिनांक 24-08-2016 को परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण इलाहाबाद को विधायक निधि अनुदान से चेक संख्या 165616 से रू0 364800.00 चौकटा तिवरियान कार्य की धनराशि वापस की गयी, स्थिति स्पष्ट न हो सकी, कि इस कार्य पर कार्य में गड़बड़ी के कारण उक्त धनराशि वापस की गयी है तो उक्त धनराशि ठेकेदार एवं कार्य प्रभारी से वसूल करके वापस की जानी चाहिए जबकि ऐसा नहीं किया गया है, जिसके लिए तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र शुक्ला, ज्येष्ठ लेखाकार श्री सूर्य प्रसाद द्विवेदी एवं कार्य प्रभारी श्री प्रदीप कुमार, ए0डी0ओ0, एस0टी0 उत्तरदायी रहे।

प्रस्तर -91 आचोत्य वर्षों में निम्नांकित कार्यों पर रू0 5 लाख या उससे अधिक व्यय किया गया है लेकिन शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। उक्त विवरण निम्न है।

(राज्य वित्त वर्ष 2014-15)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	वैट कटौती	मजदूरी	कुल
01	02	03	04	05	06	07
1	चौकटा गौरा में पूर्व प्रधान श्री धीरेन्द्र मिश्रा के घर से काली सड़क तक इण्टर लाकिंग कार्य	536793.00	12823.00	22900.00	80766.00 मिट्टी दर ब्यय 31522.00	684804.00
2	देवहटा में खड़जा मार्ग से प्रा0पा0 होते हुए गुड्डू मिश्रा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	488389.00	11667.00	20835.00	73340.00 मिट्टी दर 87202.00	681433.00

3	औता हनुमान मन्दिर के सामने मार्ग गौतमान वस्ती इण्टरलाकिंग	447602.00	10693.00	19095.00	57830.00 मिट्टी दर 20060	55528.00
4	सिगारो के ब्राम्हण बस्ती में मृत्युन्जय पाण्डेय के घर से तालाब तक इण्टर लाकिंग कार्य	535184.00	12786.00	22833.00	50084.00 मिट्टी दर 37416.00	658302.00

(बारहवां/तेरहवां वित्त वर्ष 2014-15)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	वैट कटौती	मजदूरी	कुल
01	02	03	04	05	06	07
1	सिगारो ब्राम्हण बस्ती में इण्टरलाकिंग कार्य	534524.00	12770.00	22804.00	81060.00 मिट्टी 34674	685832.00
2	सिगारो केवटान बस्ती में इण्टरलाकिंग कार्य	519315.00	12407.00	22155.00	91675.00 मिट्टी 31522.00	677074.00
3	औता सिगारो हरिजन बस्ती में इण्टरलाकिंग कार्य	519315.00	12407.00	22155.00	80014.00 मिट्टी 71812.00	705703.00
4	सिगारो ब्राम्हण बस्ती में शेष इण्टरलाकिंग कार्य 110 मी०	534524.00	12770.00	22804.00	73340 मिट्टी 17022.00	660460.00
5	सिगारो हरिजन बस्ती में भाग 2 इण्टरलाकिंग कार्य	606248.00	14484.00	25863.00	94104.00 मिट्टी 8869.00	749568.00

(वर्ष 2014-15 में कार्यों पर किया गया भुगतान कुल ₹0 6058456.00)

वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त पर व्यय

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	वैट कटौती	मजदूरी	कुल
01	02	03	04	05	06	07
1	ब्लाक परिसर में प्रमुख के कक्ष निर्माण	1441773.00	34445.00	61510.00	160000.00	1697728.00
2	औता में चोखना सोनाई मार्ग रसउ का पूरा तक इण्टरलाकिंग कार्य	481002.00	11492.00	20521.00	68600.00 मिट्टी 79632.00	661247.00

वर्ष 2015-16 में बारहवां राज्य वित्त पर व्यय

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	वैट कटौती	मजदूरी	कुल
01	02	03	04	05	06	07
1	औता हनुमान मन्दिर परिसर में इण्टर लाकिंग कार्य भाग-	477598.00	11648.00	20802.00	69200.00	579248.00

	2 पर					

(वर्ष 2015-16 में कार्यों पर किया गया भुगतान कुल रु0 2938223.00)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	वैट कटौती	मजदूरी	कुल
01	02	03	04	05	06	07
1	राम नगर मेन रोड से डा0 बंगाली के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	432213.00	10325.00	18439.00	65100.00	526077.00
2	तरवाई नहर से आशुतोष इण्टर कालेज तक इण्टर लाकिंग कार्य	527168.00	12594.00	22491.00	81900.00	644153.00
3	चौकी दिधिया मार्ग से माताम्बर पाण्डेय के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	657246.00	15702.00	28039.00	27400.00	728387.00

(वर्ष 2016-17 में कार्यों पर किया गया भुगतान)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	वैट कटौती	मजदूरी	कुल
01	02	03	04	05	06	07
1	मुई पारा बस्ती से आनन्द सिंह तक इण्टर लाकिंग कार्य	690072.00	16704.00	29867.00	129422.00	866065.00
2	नीवी में जवाहर लाल मिश्र तक इण्टर लाकिंग कार्य	456704.00	10911.00	19484.00	84100.00	571199.00
3	राम नगर दलई पुरा मिलन केन्द्र के पास विवाह घर निर्माण	422559.00	10098.00	18033.00	72200.00	522890.00
4	उरूवा उचडीह मार्ग से अमर नाथ सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	1134933.00	27494.00	49096.00	227400.00	1438923.00

संसद निधि वर्ष 2016-17

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामग्री	आयकर	वैट कटौती	मजदूरी	कुल
01	02	03	04	05	06	07
1	अटखरियां उन्नाई मार्ग कार्य एवं इण्टर लाकिंग कार्य	680118.00	16249.00	29015.00	88360.00	813742.00

शासन के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार रु0 2500001.00 से 5000000.00 एवं 5000000.00 के अधिक के प्राक्लन का तकनीकी परीक्षण अभियन्ता द्वारा किया गया जायेगा, क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों (5 लाख से अधिक) के प्राक्कलन का अनुमोदन एवं कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र पंचायतें एक से अधिक राजस्व ग्रामों का लाभान्वित करने के लिए कार्य करेगी, उपरोक्त नियमों का पालन न करने के कारण एवं कार्य योजना (5 लाख से अधिक) का अनुमोदन जिलाधिकारी से अनुमोदन न कराने के कारण वर्ष 2014-15 में कार्यों पर किया गया भुगतान रु0 6058456.00 वर्ष 2015-16 में कार्यों पर किया गया भुगतान रु0 2938223.00 एवं वर्ष 2016-17 में कार्यों पर किया गया भुगतान रु0 6111436.00 कुल भुगतानित धनराशि रु0 15108115.00 अनियमित रहा, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री करुणा शंकर पाण्डेय,

श्री लालजी यादव, श्री विजय कुमार पाण्डेय, श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह, श्री प्रकाश चन्द्र एवं श्री अमर नाथ शुक्ल उत्तरदायी रहे। उक्त धनराशि वसूल करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -92:—आलोच्य वर्षों में निम्नांकित कार्यों पर मिट्टी क़य का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न रहा :

क्रम संख्या	कार्य का नाम	मिट्टी क़य का भुगतान
1	चौकठा गौरा में पूर्व प्रधान धीरेन्द्र मिश्र के घर से काली सड़क तक इण्टर लाकिंग कार्य	31522.00
2	देवहटा में खड़जा मार्ग से प्राइमरी पाठशाला होते हुए गुड़डू मिश्रा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	87202.00
3	मुई पारा में पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से यादव के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	14436.00
4	देवहटा में खड़जा मार्ग से प्राइमरी पाठशाला होते हुए गुड़डू मिश्रा के घर तक शेष भाग इण्टर लाकिंग कार्य	12397.00
5	औता हनुमान मन्दिर के सामने मार्ग से गौतमान बस्ती तक इण्टर लाकिंग कार्य	20060.00
6	सिगारों के ब्राम्हण बस्ती में मृत्युजंय पाण्डेय के घर से तालाब तक इण्टर लाकिंग कार्य	37416.00

वर्ष 2015-16 (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	मिट्टी क़य का भुगतान
1	औता में चोखना सोनाई मार्ग रसउ का पूरा तक इण्टरलाकिंग कार्य	79632.00

बारहवां वित्त वर्ष 2014-15

क्रम संख्या	कार्य का नाम	मिट्टी क़य का भुगतान
1	सिगारों के ब्राम्हण बस्ती में इण्टर लाकिंग कार्य	34674.00
2	सिगारों में केपटान बस्ती में इण्टर लाकिंग कार्य	31522.00
3	औता सिगारो हरिजन बस्ती में इण्टर लाकिंग कार्य	71612.00
4	सिगारो केपटान बस्ती में शेष 120 मी0 इण्टरलाकिंग कार्य	12104.00
5	सिगारों के ब्राम्हण बस्ती में 110 मी0 इण्टर लाकिंग कार्य	17022.00
6	सिगारो हरिजन बस्ती में शेष भाग 2 इण्टर लाकिंग कार्य	8869.00
मिट्टी क़य वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 पर कुल व्यय		45866.00

अगर मिट्टी क़य रू0 500.00 प्रति ट्रैक्टर यानि 3 घन मीटर मिट्टी का मूल्य है तो लगभग 917 घनमीटर मिट्टी क़य की गयी है, उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 (यथा संशोधित 39 वां संशोधन) के नियम 21 के अनुसार निर्माण कार्यों में भरायी आदि प्रयुक्त होने वाली साधारण होने वाली खनन हेतु विधिवत् अनुज्ञा पत्र एवं रायल्टी रू0 14 प्रति घन मीटर सुनिश्चित किया जायेगा, लेकिन क्षेत्र पंचायत के द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर दिया गया है अतः रू0 14 प्रतिघन मीटर की दर से (14 गुणे 917) रू0 12838.00 राजस्व की क्षति की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री करुणाशंकर पाण्डेय एवं श्री लालजी यादव एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री सूर्य प्रसाद द्विवेदी उत्तरदायी रहे। उक्त धनराशि वसूल करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या -8**

प्रस्तर -93 वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 987 आवास स्वीकृत थे, जिसमें 964 के आस पास पूर्ण किये गये, शेष 23 आवास पूर्ण नहीं हुआ है। लाभार्थियों द्वारा आवास पूर्ण नहीं कराया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्रम संख्या	लाभार्थी का नाम सर्व श्री/श्रीमती	पिता या पति का नाम सर्व श्री/श्रीमती	ग्राम	धनराशि जो दिया गया
01	02	03	04	05
1	राज बहादुर पटेल	राम लखन	सोनबरसा	70000.00
2	गीता देवी	राम किशुन	अकोढा	40000.00
3	सीता	ईश्वर लाल	अमिलियकला	110000.00

4	सतीनी	किशोरी लाल	ऊँचडीह	40000.00
5	सुरेन्द्र	छोटेला भारतीय	ऊँचडीह	110000.00
6	दनगर	सूरजन भारतीय	ऊँचडीह	110000.00
7	पंचराजी	शुकरू	ऊँचडीह	40000.00
8	रामपति	राम औतार	कन्जौली	0
9	दशराजी	छत्तूराम	कनिगडा	40000.00
10	पुष्पा	कल्लू	कनिगडा	40000.00
11	विजय लक्ष्मी	सेवा लाल	कनिगडा	40000.00
12	दूर्गावती देवी	दूधनाथ	कनिगडा	40000.00
13	शोभ नाथ एवं राजाराम	राजाराम	कनिगडा	110000.00
14	दूर्गा देवी	मलंगी	कनिगडा	40000.00
15	दशरथ पाण्डेय	लालमणि	चौकठानपुर	40000.00
16	आसमान बेगम	बब्बू	छतवां	120000.00
17	जियना देवी	छोटेला	परानीपुर	110000.00
18	बनवारी लाल	जगन	परानीपुर	40000.00
19	नगीना देवी	रामलखन	परानीपुर	120000.00
20	बाबूलाल पाल	राम आधार	बिजौरा	40000.00
21	विश्वम्भर नाथ बिन्द	मुन्नीलाल	रामनगर	40000.00
22	भरथू लाल	शिवमूरत	समोगरा	120000.00
23	राम लाल	राम करन	सोनाई	40000.00
कुल योग :-				1500000.00

इस प्रकार उपरोक्त लाभार्थियों द्वारा आवास पूर्ण नहीं किया गया है, और न वे आवास बनाने में दिलचस्पी ले रहे हैं अतः सम्बन्धित लाभार्थियोंसे प्रधान मंत्री आवास की दी गयी धनराशि वसूल करने हेतु वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उक्त धनराशि वसूल करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-धनुपुर विकास खण्ड- धनुपुर जनपद-प्रयागराज लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12, 2012-13 एवं 2013-14

प्रस्तर 94- आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदानों से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है आयकर कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत लेखा शीर्ष "0021"-आयकर में जमा करने हेतु आहरण-वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे, ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर "न काटे गये आयकर की धनराशि" के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है तथा उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ ही काटे गए आयकर को निर्धारित समय सीमा के भीतर राजकोष में जमा न किये जाने पर कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। 01 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती (एक वर्ष में 30 हजार से अधिक या सभी बिलों का योग 75 हजार होने पर) 2.266 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल ₹0 2128315-00 एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 कुल ₹0 1960440-00 का भुगतान आयकर कटौती योग्य रहा जिसपर आयकर कटौती का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹0 48288-00 एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹0 44424-00 की धनराशि की कटौती नहीं की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं अंकेक्षक जिम्मेदार रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 95 -वैट कटौती-उ0 प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कॉन्टैक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर (4 मार्च 2008 से लागू 4 प्रतिशत) से मूल्य संबंधित कर की दर कटौती की जानी है।

वैट अधिनियम की धारा 2 (एयू) के अनुसार है।

शासनादेश संख्या ए-1-351/दस-2011 दिनांक 30-08-2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी संस्था के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है, इसके तहत टेंडर/कोटेशन प्राप्त करते समय यह देखा जाना है कि संविदाकार फर्म वाणिज्य कर विभाग पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया गया है, संविदाकार के विल को नियमानुसार भुगतान हेतु कोषागार को प्रस्तुत करते समय अथवा चेक के माध्यम से सीधे धनराशि आहरित करने वाले विभाग/निगम में चेक जारी करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा देयक चेक पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है कि बिल के भुगतान संबंधी धनराशि के आहरण हेतु जो देयक प्रस्तुत किया गया है, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत

त/टिन धारक हैं एवं संविदा से संबन्धित किये जा रहे भुगतान प्राविधानित कटौती कर ली गयी है लेकिन इसका उल्लंघन यदाकदा किया गया है और इसे मनमाने तरीके से भी लागू किया गया है जिन बिलों से वैट की कटौती नहीं की गयी है वे वित्तीय वर्ष 2011-12 से संबंधित हैं तथा उनकी कुल धनराशि रु0 621700-00 रही। 4: की दर से कुल रु0 24868-00 वैट के रूप में कटौती करना अपेक्षित था जो नहीं किया गया जिसके लिए श्री हवीव अहमद खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री जमुना प्रसाद राकेश अंकेक्षक जिम्मेदार रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 96—लेबर सेस— विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के भवन एवं सन्निर्माण कार्य करने वाले कर्मकारों के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु “उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम-2009” (जो कि 04 फरवरी 2009 से उ0 प्र0 में लागू है) के नियम 4 (3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत की दर से “कर्मकार-उपकर” (लेबर सेस) नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। प्रमुख अभियन्ता ने अप्रैल 2010 में इसे नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित भी किया है। कटौती के पश्चात् यह धनराशि श्रम विभाग में जमा की जानी है लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में रु0 1668250.00 विभिन्न निर्माण पत्रावलीयों में मस्टर रोल पर व्यय रहा जिस पर 1: की दर से रु0 16682 लेबर सेस मद में कटौती की जानी अपेक्षित रही जिसे नहीं किया गया जिसके लिए श्री हवीव अहमद खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री जमुना प्रसाद राकेश अंकेक्षक जिम्मेदार रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 97 —व्याज की धनराशि— शासनादेश संख्या ए-1—122/दस-2012/10 (33) /2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित व्याज संस्था की आज न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिससे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 60346-00 व्याज मद में आयरहित जब की कुल उपलब्ध व्याज की धनराशि जो पीछे आयी थी को संकलित करते हुए रु0 477810-00 रही पुनः 31.03.14 को व्याज मद में अनशेष धनराशि रु0 786125-00 हो गयी थी। जिसे राजकोष में जमा न करने के लिए के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं अंकेक्षक जिम्मेदार रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 98— वित्तीय वर्ष 2011-12 में विधायक निधि से क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम भूपसापुर में हरीशंकर पाण्डेय की मशीन से चमार बस्ती तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य कराया गया है। उक्त कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 07.12.11 को खण्ड विकास अधिकारी धनुपुर द्वारा की गयी है। उक्त कार्य की लागत 3.37 लाख मात्र की तकनीकी स्वीकृति किसी समक्ष अधिकारी से प्राप्त की गयी है जिसमें नाम, पदनाम एवं स्वीकृति पत्र का पत्रावली में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम पदाधिकारियों द्वारा दिनांक रहित हस्ताक्षरित है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य पूर्ण होने की तिथि 27.07.2012 अंकित है तथा व्यय धनराशि रु0 201800.00 मात्र दर्शित है। इस प्रकार अनुमानित लागत रु0 337000.00 एवं वास्तविक व्यय रु0 201800.00 के मध्य रु0 135200/का अंतर रहा। अनुमानित लागत और वास्तविक व्यय के बीच इतना अन्तर पूरी पत्रावली को संदिग्ध बना देता है या तो इस्टीमेट गलत बना है या फिर कार्य को बीच में अपूर्ण ही छोड़ा गया है। पूर्ण व्यय की काल्पनिकता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस अनियमितता पूर्ण व्यय के लिए विभागीय अधिकारियों से विशेष कार्यवाही एवं जिम्मेदार लोगों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही।

प्रस्तर 99— वित्तीय वर्ष 2011-12 में विधायक निधि योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायत धनुपुर द्वारा बख्तियार पुलिया से हरिजन बस्ती होते हुये बिन्द बस्ती तक गिट्टी एवं खडंजा निर्माण कार्य जिसकी माप 1440X3.00 मीटर और लागत 7.74 लाख अनुमानित थी कराया गया दर्शित है कार्य प्रभारी श्री विमल प्रकाश पाण्डेय ग्रा0वि0अ0 को दिनांक 07.01.12 को रु0 69350-00 का भुगतान मजदूरी मद में उनके द्वारा प्रस्तुत मस्टर रोल के सापेक्ष खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है। उक्त तिथि को विमल ईट उद्योग द्वारा ईट की आपूर्ति नहीं की गई, जो कि इस कार्य हेतु ईट आपूर्ति कर रहे थे। कार्य प्रभारी द्वारा प्रस्तुत मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर की जगह सर्वत्र निशान अगूठा लगा है और सारे निशान संदिग्ध लग रहे हैं। प्रस्तुत प्रमाणक जाली प्रतीत होता है और भुगतान कूटरचित करके कराया गया है इसकी भी संभावना है। उक्त धनराशि रु0 7.74 लाख की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं अंकेक्षक से अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत — हण्डिया

जनपद — प्रयागराज

आपत्तियाँ वर्ष (2011-12 से वर्ष 2013-14 तक)

100. मस्टर रोल मजदूरों का और, भुगतान कार्य प्रभारियों को— वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु.1587636—मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री रमेश चन्द्र दिवेदी ग्रा0वि0अधि0 को रु0 82783 श्री विपिन प्रकाश पाण्डेय ग्रा0पं0अधि0 को रु0 763,653 श्री रंजन लाल सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) को रु0 2,02,435 श्री महेन्द्र प्रताप सिंह सहा0वि0अधि0 को रु01,16,199 एवं श्री गिरीश मिश्र ग्रा0वि0अधि0 को रु0 3,02,994 एवं श्री आयुक्त नारायण दिवेदी को रु0 119572 का भुगतान कर दिया गया मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मजदूरी मद में अंकन रु01587636 का वर्ष 2011-12 का अपहरण किया गया है। बी0डी0ओ0 श्री विजय शंकर राय श्री आर0 आर0 मिश्र जे0ई0 विमल चन्द्र यादव लेखाकार दुर्गा प्रसाद शुक्ल कार्यप्रभारी रमेश चन्द्र दिवेदी, विपिन प्रकाश पाण्डेय, रंजन लाल, महेन्द्र प्रताप सिंह, गिरीश मिश्र, आयुक्त नारायण दिवेदी द्वारा किया जाना सिद्ध होता है। जो उक्त समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

101— आपूर्तिकर्ता फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर, भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना सामग्री मद में कुल रु04451907.00 का भुगतान में रु0 202979.00 निम्नानुसार अनुदान पंजिका पार्ट 2 में दर्शित चेक किसी आपूर्तिकर्ता का है और भुगतान बैंक खाते अनुसार अन्य को देना दर्शित है तथा व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा के अनुपलब्ध रहा:

क्र0सं0	चेकसं0	दिनांक	धनराशि	चेक	जिसके नाम बैंक खाते	निर्गत दर्शित है अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1	016064	8.11.11	93850.00	दीपक	सीमेंट मौर्य ट्रेडर्स ईट उद्योग	
2	016064	8.11.11	101670.00	दीपक	सीमेंट मौर्य ट्रेडर्स ईट उद्योग	
3	286271	23.12.11	7459.00	रंजन(एडीओ और एसटी)	लाल कमल ब्रिक्स फील्ड	
योग— 202979 /—						

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 202979/— चेक फर्म को निर्गत अनुदान पंजिका भाग-2, में दर्शाया गया है, उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है, जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे एवं क्रमांक (1) व (2) की चेक संख्या एक ही है और बैंक खाता रु0 195520/—ही मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान है जबकि अनुदान पंजिका पार्ट-2 में अलग अलग राशि दर्शायी गई है तिथि एक ही है, इस प्रकार भ्रामक एवं फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद के में रु0 202979/— का अपहरण किया गया। जिसका दायित्व ख0वि0अ0 विजय शंकर राय / जे0ई0 विमल चन्द्र यादव/ लेखाकार दुर्गा प्रसाद शुक्ल/ कार्यप्रभारी रंजन लाल(एडीओ और एसटी) पर सामान रूप से निहित होता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

102. रु0 82565/— टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 18048/— कम काटकर राजस्व हानि।

वर्ष 2011-12 में अनुदान पंजिका के भाग-2 में रु082565/— कटौती की गई दर्शित है और आलोच्य में क्रय कुल सामग्री रु044,51,907/— की दर्शित है जिस पर 2.26 की दर से रु0 100613.00 होता है। इस प्रकार रु0 18048.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई, ऐसे में न काटे गए धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गए टी0डी0एस0 अंकन रु082565/— की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/ बैंक स्टेटमेंट/ चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस कारण उपरोक्त अनुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि व्यय प्रमाणक पत्रावली न प्रस्तुत करने सामग्री के साथ टी0डी0एस0 हेतु काटी गई राशि अलग अलग नहीं प्रविष्टि की जा सकी, जो गम्भीर अनियमितता का घटक है। अतः प्रमाणक न प्रस्तुत करने पर श्री विजय शंकर राय ख0वि0अ0 एवं श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला से समान रूप से रु0100613/— की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

103. आलोच्य वर्ष 2011-12 में कुल क्रय सामग्री रु0 4451907/— पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में कटौती शून्य रही। इस प्रकार रु0 178076/— की गई जिससे रु0178076/— की राजस्व हानि हुई जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0178076/— की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/ लेखाकार से की जानी अपेक्षित है, जो गम्भीर अनियमितता सिद्ध होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

104. शासनादेश सं0 ए-1-122/ दस-2012-10(33) / 2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। किन्तु वर्ष 2011-12 के अनुदान पंजीकरण के अनुसार शासकीय अनुदानों पर रु0 74,925/— ब्याज कमाया गया है जिसको उपरोक्त अनुसार जमा किए जाने की पुष्टि अपेक्षित साक्ष्य लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किए गए। लेखाकार दुर्गा प्रसाद शुक्ल द्वारा रु0 74925/— की अनियमितता की जानी सिद्ध होती है, अतः इस हेतु लेखा पारित कर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

105. आलोच्य वर्ष में निम्न व्यय 2011-12 में दर्शित रहे इनकी पुष्टि है में प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किए गए जो अपेक्षित था।

दिनांक	चेक सं0	राशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	उद्देश्य
02.08.11	770868	15000	श्रीमती उर्मिला देवी प्रमुख	मानदेय
01.12.11	25730	12000	श्रीमती उर्मिला देवी प्रमुख	मानदेय

03.05.11	770861	23000	राधामोहन श्रीवास्तव क0लि0	क्षे0पं0स0एवं प्रधान को यात्रा भत्ता हेतु
03.06.11	770862	30000	अरविन्द शर्मा क0 लि0	आयोजित बैठक में सदस्यों का यात्रा भत्ता
01.12.11	25731	26000	अरविन्द शर्मा क0 लि0	प्रधान एवं क्षे0पं0स0हेतु यात्रा भत्ता
05.09.11	770853	6130	विमल यादव जे0ई0	कुर्सी व्यय

योग— 112130

उक्त देय की पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा। व्यय संदिग्ध सिद्ध होता है, उक्त व्यय में कुर्सी पर व्यय रु06130.00 की अपहरण सिद्ध होती है अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं। विमल यादव जे0ई0 एवं विजय शंकर राय बी0डी0ओ0 एवं दुर्गा प्रसाद शुक्ल से समान रूप से की जाये।

106. आलोच्य वर्ष 2011-12 में क्रय सामग्री रु0 4451907/- में से आपत्ति सं0 3 में रु0 195520/- की अपहरण का दायित्व निर्धारित किया गया है। शेष राशि रु04256387/- से क्रय सामग्री की बाउचर पत्रावली लेखा परीक्षा में नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे उक्त राशि का प्रमाणक न होना अपहरण किया जाना सिद्ध होता है। जिसका दायित्व दुर्गा प्रसाद लेखाकार / खण्ड विकास अधिकारी विजय शंकर राय समान रूप से निहित होता है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

107. आलोच्य वर्ष में विधायक निधि योजना के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है।

कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय रु0	टी0डी0एस0	वैट	शुद्ध भुगतान	चेक नं0	दिनांक	फर्म का नाम
1	95805.00	अज्ञात	अज्ञात	95805.00	286278	2.5.12	प्रज्ञा ईटउधोग अरई कटरा
2	89988.00	अज्ञात	अज्ञात	89988.00	286279	2.5.12	कमल ब्रिक फील्ड
3	20530.00	अज्ञात	अज्ञात	20530.00	8277733	15.5.12	कमल ब्रिक फील्ड 37344.00
		अज्ञात	अज्ञात	37344.00	827734	16.5.12	सिंह ब्रिकफील्ड मानेकपुर
4	34550.00	अज्ञात	अज्ञात	34550.00	827735	16.5.12	श्री रंजनलाल(एएसओएसटी)
5	41276.00	अज्ञात	अज्ञात	41276.00	827738	25.06.12	सिंह ब्रिकफील्ड मानेकपुर
6	157394.00	अज्ञात	अज्ञात	157394.00	827736	8.6.12	कमल ब्रिक फील्ड
7	68432.00	अज्ञात	अज्ञात	68432.00	827740	25.6.12	जनता ब्रिक फील्ड
8	82118.00	अज्ञात	अज्ञात	82118.00	827742	25.6.12	जनता ब्रिक फील्ड
9	68432.00	अज्ञात	अज्ञात	68432.00	827744	22.9.12	कमल ब्रिक फील्ड
10	75900.00	अज्ञात	अज्ञात	75900.00	827749	28.1.13	एम प्रकाश चन्द्रगुप्त

योग— 771769.00

उक्त व्यय से संबंधित बाउचर फाइल एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त धनराशि का अपहरण अभिमन्यु सिंह बी0डी0ओ0/ विमल यादव जे0ई0/ दुर्गा प्रसाद लेखाकार/ कार्यप्रभारी/ एवं सम्बंधित फर्म द्वारा किया जाना सिद्ध होता है। जो उक्त सामान रूप से उत्तरदायी है। एवं विधायक निधि योजना के अन्तर्गत मजदूरी / श्रमांश पर व्यय निम्न प्रकार हैं।

क्र0सं0	श्रमांश की धनराशि रु0	नकद	चेक नं0/ दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1	14222.0	286280	/ 11.5.12		श्री रंजनलाल (एएसओएसटी)अप्राप्त
2	24240.00	827731	/ 11.5.12		श्री रंजनलाल (एएसओएसटी)
3	21028.00	827732	/ 15.5.12		श्री गिरीश मिश्रा(ग्रा0वि0ओ0) अप्राप्त
4	75240.00 48543.00	827737	/ 8.6.12 327739/ 25.6.12		श्री रंजनलाल (एएसओएसटी) श्री गिरीश मिश्रा(ग्रा0वि0ओ0)
5	6840.00	827743	/ 1.8.12		श्री गिरीश मिश्रा(ग्रा0वि0ओ0)
6	29427.00	827745	/ 22.9.12		श्रीधर्मराम पाण्डेय(ग्रा0वि0ओ0)
7	16320.00	827746	/ 25.10.12		श्री रंजनलाल (एएसओएसटी)
8	55728.00	827746	/ 25.10.12		श्री रंजनलाल (एएसओएसटी)
9	70370.00	87747	/ 8.11.12		श्री गिरीश मिश्रा(ग्रा0वि0ओ0)

योग— 361958.00

उक्त व्यय से संबंधित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उपरोक्त से स्पष्ट है कि मजदूरी रु0 361958.00 का अपहरण अभिमन्यु सिंह बी0डी0ओ0/ विमल यादव जे0ई0/ दुर्गा प्रसाद शुक्ला लेखाकार/ क्षेत्र पंचायत प्रमुख/ कार्य रंजनलाल (एएसओएसटी)गिरीश मिश्रा, धर्मराज पाण्डेय प्रभारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित हैं।

108. वर्ष 2012-13 में बायो गैस संयंत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	व्यय धनराशि	चेक नं0/ दिनांक	चेक जिसके नाम हैं	बैंक के अनुसार	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	8000.00	777661 / 17.7.12	श्री नौशाद आलम पुत्र मुख्तार अहमद		अप्राप्त
2	8000.00	777662 / 17.7.12	श्रीमती शहनाज बानो पत्नी मुख्तार अहमद		अप्राप्त
3	9000.00	777665 / 23.11.12	नीरज तिवारी पुत्र धीरेन्द्र तिवारी		अप्राप्त
4	9000.00	777666 / 23.11.12	धीरज तिवारी पुत्र धीरेन्द्र तिवारी		अप्राप्त
5	9000.00	019513 / 23.1.12	फौजदार पुत्र रामहित मल्लाह		अप्राप्त
6	9000.00	019514 / 23.11.12	जमींदार पुत्र मेहीलाल मल्लाह		अप्राप्त
7	9000.00	019515 / 23.11.12	धन्जी देवी पत्नी रविशंकर मल्लाह		अप्राप्त
8	9000.00	019516 / 23.11.12	समला देवी पत्नी श्यामधर मल्लाह		अप्राप्त
9	9000.00	019517 / 23.11.12	जटाशंकर पुत्र स्व0 महादेव मौर्या		अप्राप्त

योग— 79000.00

उक्त व्यक्ति धनराशि से संबंधित फाइल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बैंक पासबुक भी अनुपलब्ध रहा जिससे वास्तविक भुगतान प्राप्तकर्ता की स्थिति अज्ञात रहीं। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण अभिमन्यु सिंह बी0डी0ओ0/ विमल यादव जे0ई0/ दुर्गा प्रसाद शुक्ला लेखाकार/ कार्यप्रभारी/ दर्शित द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

109. मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान प्राप्तकर्ता कार्य प्रभारी— वर्ष 2013-14 में 13वें वित्त आयोग से कराए गए कार्यों में श्रमांश का भुगतान रु0 120095 श्री सुरेन्द्र कटियार (एडीओ-एसटी) कार्य प्रभारी को एवं रु0 121587 श्री महेन्द्र प्रसाद दिवेदी (एडीओ पंचायत) कार्य प्रभारी को विभिन्न चेकों के माध्यम से किया गया है। मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि रु0 241682.00 का अपहरण आलोच्य वर्ष में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत बी0डी0ओ0 श्रीमती श्वेता चौधरी/ जे0ई0 विमल चन्द्र यादव/ लेखाकार दुर्गा प्रसाद शुक्ला/ कार्य प्रभारी सुरेन्द्र कटियार एवं महेन्द्र प्रसाद दिवेदी द्वारा किया जाना सिद्ध होता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली उक्त अधिकारियों से समान/ बराबर बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित हैं। सामग्री अंश के मद में 13वें वित्त आयोग से कराए गए कार्यों पर कुल रु0 998479.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक यथा खरीद पत्रक, इनवाइस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। अतः रु0 998479.00 बी0डी0ओ0 श्रीमती श्वेता चौधरी/ जे0ई0 विमल चन्द्र यादव/ लेखाकार दुर्गा प्रसाद शुक्ला/ कार्य प्रभारी सुरेन्द्र कटियार एवं महेन्द्र प्रसाद दिवेदी से सम्मान रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

110. आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग से कराए गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0 कार्य का नाम सामग्री व्यय (रु0) श्रमांशव्यय(रु0) चेकनं0/दिनांक भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म/ व्यक्ति

1हरीपुर में दिलासी बार्डर से पासी					
बस्ती जसवों तक इण्टरलाकिक कार्य	199704.00	—	095085/26.03.14	एम /एस सत्यपाल यादव	
2 भीटी रामनापी जच्चा बच्चा केन्द्र से श्यामधर मिश्रा के मिश्रान बस्ती तक इण्टरलाकिंग	4000.00	—	28125 095071 / 20.02.14	045999 / 24.8.13	मॉ आदिशक्ति कान्स्ट्रक्शन रामनाथी, श्री सुरेन्द्रकुमार कटियार(एडीओ-एसटी)
3अवसानपुर में शिवशंकर के घर से गौरीशंकर के घर तक इण्टरलाकिंग नवीनकरण	219738.00	132115.00	—	045982/18.6.13	095087/ 26.3.13
					मॉ आदिशक्ति कान्स्ट्रक्शन रामनाथी, मॉ आदिशक्ति कान्स्ट्रक्शन रामनाथी,
4 दलीपचन्द्रपुर में मुन्नीलाल मौर्य के घर होते हुए मिठाईलाल के घर तक नाली निर्माण	173848.00	131288.00	—	095071 / 20.2.14	मॉ आदिशक्ति
कान्स्ट्रक्शन रामनाथी उक्त कार्य	131288.00	—	045994/ 24.8.13	शिव कुमार सिंह एण्डसंस उक्त	
कार्य	51133.00	—	071766 / 23.9.13	शिव कुमार सिंह एण्डसंस उक्त कार्य	
	—	37525.00	071767/23.9.13		

5रामपुर सदुतल्ला में कटहरा धारपुर

पक्की रोड से भारती बस्ती तक खड़जा कार्य

54170.00 045975 / 14.5.13

मों आदिशक्ति कान्स्ट्रक्शन रामनथी उक्त कार्य

70404.00 0455985

श्री सुरेन्द्रकुमार कटियार

(एडीओ-एसटी)उक्त कार्य

27275.00 045983/ 18.6.13

श्री सुरेन्द्रकुमार कटियार(एडीओ-एसटी)

योग- 1036400 92925.00

उपरोक्त कार्यों के संबंध में आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैं:-

विभिन्न निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय पर व्यय रु0 1036400.00 उक्त के सापेक्ष कोई बिल, इनवाइस अथवा अन्य प्रमाणक जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि हो सके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय गबन के अन्तर्गत आता है।

साथ ही उपरोक्त कार्यों पर श्रमांश व्यय रु0 92925.00 किया गया है। श्रमांश का वितरण सीधे श्रमिकों न करके कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र कटियार को चेक द्वारा किया गया है। यह सरकारी आदेशों का घोर उल्लंघन है, श्रमांश व्यय के सापेक्ष मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया जिससे उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है।

अतः सामग्री व्यय एवं श्रमांश व्यय की वसूली निम्न व्यक्तियों से उनके सम्मुख अंकित धनराशि में मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	कार्यकाल	वसूली की जाने वाली धनराशि ब्याज जोडकर
1	श्रीमती श्वेता चौधरी	ख०वि०अधि०	25.2.14	66568.00
2	श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला	लेखाकार	वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक	345466.00
3	श्री सुरेन्द्र कुमार कटियार	कार्य प्रभारी (एडीओ-एसटी)	पुरे कार्यों के प्रभारी	345466.00
4	श्री चन्द्रमणि तिवारी	ख०वि०अधि०	3.2.14 से 25.2.14	59283.00
5	श्रीमती श्वेता चौधरी	ख०वि०अधि०	7.6.13 से 3.2.14 तक	134053.00
6	श्री अभिमन्यु सिंह	ख०वि०अधि०	2.5.12 से 3.4.13 तक	44038.00
7	श्रीमती विनीता श्रीवास्तव	ख०वि०अधि०	3.4.13 से 7.6.13 तक	41525.00 श्रमांश वसूली का विवरण
1	श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला	लेखाकार	2011-12 से 2013-14	30975.00
2	श्री सुरेन्द्र कुमार कटियार	कार्य प्रभारी(एडीओ-एसटी)	पुरे कार्यों के प्रभारी	30975.00
3	श्रीमती श्वेता चौधरी	ख०वि०अधि०	7.6.13 से 3.2.14 तक	30975.00

योग-

रु0 1129324.00

111 आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के राज्य वित्त आयोग के मद से दिनांक 01.08.2013 को चेक नं० 0045990 द्वारा एम/एस खेर डीजल्स इलाहाबाद से रु0 75200 से 7.5 किलोवाट का जनरेटर क्रय किया गया है। उक्त क्रय के सापेक्ष कोई कोटेशन/ स्टेटमेन्ट/ बिल, इनवाइस लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यक्ति धन गबन अपहरण के अन्तर्गत आता है। अतः रु0 75200.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती श्वेता चौधरी एवं लेखाकार श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला से रु0 37600 एवं 37600 की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - हण्डिया

जनपद - प्रयागराज

प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

112 लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में विभिन्न तिथियों में विकास खण्ड क्षेत्र में कराए गए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मजदूरों को उनके श्रमांश का भुगतान दर्शाया गया परन्तु लेखा परीक्षा में मजदूरों के भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल भुगतान की पुष्टि में उपलब्ध नहीं हुआ, बल्कि उनके स्थान पर सहायक विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार कटियार(एडीओ-आईएसबी)के माध्यम से भुगतान अंकित हैं । श्री कटियार राजकीय कर्मचारी हैं तथा इन्हें राजकीय कोषगार से वेतन भुगतान किया जाता है श्रमांश का भुगतान इन्हें किया जाना गम्भीर आपत्ति का विषय है । मजदूरों को भुगतान पुष्टि प्रमाणको के अभाव में यह भुगतान लेखा परीक्षा की दृष्टि में अपहरण की श्रेणी में आता है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

तिथि	चेक संख्या	श्रमांश प्राप्त कर्ता	धनराशि
26-2-15	125649	श्री सुरेन्द्र कुमार कटियार	49,9000
26-2-15	125648	उक्त	45000
20-3-15	146702	उक्त	44640
21-3-15	46703	उक्त	87900
21-3-15	146708	उक्त	486000
21-3-15	146709	उक्त	112,600
योग	438840		

(सामान्य आ० सं० -17)

113 लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निर्माण कर्ता ठेकेदारों एवं सामग्री आपूर्ति कर्ता को विकास खण्ड की योजनाओं से भुगतान दर्शाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में भुगतान की पुष्टि में निर्माण पत्रावली, सामग्री आपूर्ति से संबंधित भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि भुगतान की पुष्टि हेतु आवश्यक था। बार-बार माँग करने के बावजूद प्रमाणक न प्रस्तुत करना गंभीर आपत्ति का विषय है। आलोच्य वर्ष में रु0 4455445.00 की सामग्री क्रय की गयी थी। प्रमाणक प्रस्तुत न करने से गंभीर अनियमितता सिद्ध होती है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या दृ 19)

114- वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत अनुदान निधि बायो गैस संयंत्र से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र० सं०	तिथि	चेक संख्या	प्राप्त कर्ता	धनराशि (रु०)	विवरण
1	2-5-15	868923	जोखूलाल		
			चकमनदास ग्राम,बासपुर	8000.00	बायो गैस संयंत्र मरम्मत
2	2-5-15	868924	रामसजीवन		
			रामसनेही		
			ग्राम, जगुआसोधा	8000.00	..

योग-16000

उपरोक्त व्यय से संबंधित लाभार्थी का खाता नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे उक्त धनराशि लाभार्थी को ही मिली इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे उक्त धनराशि लेखा परीक्षा के अनुसार गबान सिद्ध होता है। अतः रु0 16000.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार एवं लेखाकार श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल से बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 20)

115- वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत निधि डुबुकी कलाँ आँगनवाड़ी केन्द्र के निम्न निधि से उक्त केन्द्र के निर्माण हेतु सामग्री क्रय पर व्यय निम्न प्रकार हैं-

क्र०सं०	तिथि	चेक संख्या	धनराशि(रु०)	फर्म	व्यापारकर	आयकर
1	7-8-15	827765	156648.00	शक्ति इण्टर प्राइजेज	6687.00	3845.00
2	14-8-15	827766	119550.00	..	5104.00	2935.00
3	30-1-16	827772	109739.00	..	4685.00	2493.00
			योग- 385937.00		16476.00	9273.00

उक्त व्यय में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निर्माण कर्ता ठेकेदारों एवं सामग्री आपूर्तिकर्ता को विकास खण्ड की योजनाओं से भुगतान दर्शाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में भुगतान की पुष्टि में निर्माण पत्रावली, सामग्री आपूर्ति से संबंधित भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि भुगतान की पुष्टि हेतु आवश्यक था। बार-बार माँगे जाने पर भी प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर आपत्ति का विषय है। आलोच्य वर्ष में रु0 385937.00 की सामग्री क्रय की गयी थी। प्रमाणक प्रस्तुत न करने से गंभीर अनियमितता सिद्ध होती है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार एवं लेखाकार श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल बराबर रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 21)

116 वर्ष 2015-16 में आँगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण के लिए क्रय सामग्रियों पर रु0 16476.00 का व्यापार कर एवं रु0 9273.00 आयकर की कटौती की गयी है। इस धनराशि की जमा हेतु प्रमाणक प्रस्तुत न करने से इस धनराशि के जमा होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। जमा प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

117- वर्ष 2015-16 में बेरहवों वित्त आयोग से कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैं जिसके अन्तर्गत क्रय सामग्री का विवरण:-

क्र०सं०	तिथि	चेक सं०	धनराशि(रु०)	फर्म का नाम	व्यापार	आयकर	विवरण
1	16-4-15	46711	481085.00	एम/एस जेनमपावर	20537.0	11809.00	25 सोलर लाइट का भुगतान
2	5-5-15	150101	324444.00	एम/एस सत्यपाल यादव	13850.0	7964.00	जगुआसोधा में पुलिया हेतु सामग्री क्रय
3	25-5-15	150105	288133.00	एम/एस जेनमसोलर पावर	12821.0	7081.00	15 सोलर लाइट क्रय
4	27-5-15	150113	206955.00	एम/एस सत्यपाल यादव	8835.00	5080.00	कुराकाठ में बगहों नाल हेतु सामग्री क्रय
5	4-11-15	154491	95629.00	मौ आदिशक्ति कान्स	4084.00	2345.00	बगहों नाला हेतु सामग्री क्रय
6	14-1-16	154517	244250.00	एम/एस दीप बैटरी	5750.00	—	वि०ख०कार्यालय में पावर भुगतान
7	14-1-16	154518	104892.00	एम/एस विजय बहादूर यादव	4478.00	2575.00	भीटी में आइफन एवं नाली हेतु सामग्री क्रय
8	22-2-16	175301	190515.00	एम/एस दीप बैटरी	4486.00	—	वि०ख० कार्यालय में सोलर पावर पर व्यय
9	22-2-16	175302	93839.00	एम/एस विजय बहादूर यादव	4006.00	2303.00	भीटी नाली निर्माण पर सामग्री क्रय
10	22-2-16	175303	110188.00	एम/एस मौआदिशक्ति कान्सट्रक्सन	8973.00	5159.00	महानारायण मौर्य के घर से नाली निर्माण पर सामग्री क्रय

योग 2139930.0

87819.0 44316.00

उक्त व्यय में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निर्माणकर्ता ठेकेदारों एवं सामग्री आपूर्तिकर्ता को तेरहवों वित्त से भुगतान किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में भुगतान की पुष्टि में निर्माण पत्रावली, सामग्री आपूर्ति से संबंधित भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि भुगतानों की पुष्टि हेतु आवश्यक था। बार-बार मार्गें जाने पर भी प्रमाणक न प्रस्तुत करना गंभीर आपत्ति का विषय है। आलोच्य वर्ष में रु0 2139930.00 की सामग्री क्रय की गयी थी। प्रमाणक प्रस्तुत न करने से गंभीर अनियमितता सिद्ध होती है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार लेखाकार दुर्गा प्रसाद शुक्ल, कार्य प्रभारी श्री महेन्द्रप्रसाद (एडीओ) पंचायत एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कटियार (एडीओ-आईएसबी) बराबर रूप से जिम्मेदार हैं।

(सामान्य आपत्ति संख्या 23)

118- 8 वर्ष 2015-16 में तेरहवों वित्त आयोग से कराये गये कार्यों पर श्रमांश का व्यय निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि	विवरण
1	श्री महेन्द्र प्रसाद द्विवेदी (एडीओ-सीपी)	144200.00	73सोलर लाइट पर श्रमांश भुगतान
2	श्री महेन्द्र प्रसाद द्विवेदी	35000.00	सिकरहों में नाला मजदूरी
3	श्री महेन्द्र प्रसाद द्विवेदी	43700.00	सिकरहों में नाला मजदूरी
4	श्री महेन्द्र प्रसाद द्विवेदी	29900.00	हरचन्दपुर में निर्माण मजदूरी

योग 252800.00

परन्तु लेखा परीक्षा में मजदूरी के भुगतान से संबंधित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बल्कि उसके स्थान पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री महेन्द्र प्रसाद द्विवेदी को चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है। जबकि श्रमांश का भुगतान सीधे श्रमिकों के खातों में किया जाना अपेक्षित था। श्रमांश भुगतान से संबंधित प्रमाणकों के अभाव के कारण श्रमांश भुगतान लेखा परीक्षा में अपहरण है। अतः रु0 252800.00 की ब्याज सहित वसूली सहायक विकास अधिकारी श्री महेन्द्र प्रसाद द्विवेदी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0 24)

119- 2015-16 में तेरहवों वित्त आयोग से कराये गये कार्यों पर श्रमांश का व्यय निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	तिथि	चेक नं0	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि(रु0)	विवरण
1	25-5-15	150106	सुरेन्द्र कटियार (एडीओ-आईएसबी)	41600.00	जुगुआसोधा पुलिया पर मजदूरी
2	19-6-15	150120	सुरेन्द्र कटियार	55000.00	बगहों नाला पर मजदूरी
3	14-1-16	150520	सुरेन्द्र कटियार	24000.00	भीटी साइफन पर मजदूरी
4	22-2-16	175304	सुरेन्द्र कटियार	84000.00	भीटी नाली निर्माण पर मजदूरी

योग 204600.00

उक्त मजदूरी भुगतान से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। रु0 204600.00 को चेक के माध्यम से (एडीओ-आईएसबी) श्री सुरेन्द्र कटियार को किया गया है। नियमानुसार श्रमांश का भुगतान सीधे श्रमिकों के खातों में किया जाना अपेक्षित था। चूंकि श्रमांश का भुगतान (एडीओ-आईएसबी) सुरेन्द्र कटियार को किया गया है अतः उक्त धनराशि लेखा परीक्षा में गबन के अन्तर्गत आता है। अतः रु0 204600.00 की ब्याज सहित वसूली (एडीओ-आईएसबी) सुरेन्द्र कटियार से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0 25)

120- 10 वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत हण्डिया के राज्य वित्त आयोग निधि से विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गयी सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	तिथि	चेक नं0	फर्म का नाम	धनराशि(रु0)	व्यापारकर	आयकर	विवरण
1	28-7-16	175703	एस एस . इण्टर प्राइजेज	70851.00	3036.00	2019.00	विलारी इण्टर लाकिंग पर सामग्री का भुगतान
2	28-10-16	175710	मॉ आदिशक्ति कान्सट्रक्शन	247360.00	10594.00	6886.00	चकमदा पिचरोड़ से छोटेलाल भारतीय के घर तक इण्टर लाकिंग सामग्री का भुगतान
3	28-10-16	175711	एस एस इण्टर प्राइजेज	22773.00	9755.00	6340.00	पकलोट खण्डजा से राजेश यादव सामग्री भुगतान
4	28-10-16	175712	एम /एस विजय बहादूर	146300.00	5223.00	4045.00	मन्दर अनिलराज यादव के घर तक इ0ला0 सामग्री
5	28-10-16	175712	एम /एस विजय बहादूर	140514.00	6018.00	3912.00	बरौत पूरेगोबई बार्डर इ0ला0सा0
6	28-10-16	175712	एम /एस विजय बहादूर	210772.00	9027.00	5867.00	खानापुर में पक्की सड़क सुभाष यादल के घर तक खड़जा
7	2-1-17	180883	एम /एस विजय बहादूर	140514.00	6018.00	3912.00	खानापुर सुभाष यादल के घर खड़जा सामग्री क्रय
8	2-1-17	180883	एम /एस विजय बहादूर	103107.00	4416.00	2870.00	मन्दर अनिल के घर तक सामग्री क्रय

9	2-1-17	180894	मॉ आदिशक्ति का0स0	353327.00	15133.00	9837.00	चकमासूम छोटेला ल सामग्री क्रय
10	2-1-17	180885	एस एस इण्डर प्राइजेज	64678.00	2772.00	1802.00	चकलोर परि0 सामग्री क्रय
11	3-1-17	180892	मॉ आदिशक्ति का0स0	57710.00	2471.00	1600.00	चकमासूम कूप जगत का निर्माण
12	13-2-17	180895	एम /एस विजय बहादूर	393441.00	16852.00	10950.00	खानापुर खड़जा सामग्री का भुगतान
13	14-2-17	180896	मॉ आदिशक्ति कान्स	182990.00	7837.00	5094.00	चकमासूम पिचरोड़ से कतरपासी इ0 ला0 सामग्री भुगतान
14	15-2-17	180898	एम /एस विजय बहादूर	210772.00	9027.00	5867.00	बरौत से पूरेगोबई बार्डर इलावती बी.डी.सी की घर तक खड़जा सामग्री क्रय
15	16-2-17	180899	एम /एस विजय बहादूर	200000.00	8964.00	5827.00	ब्लांक की बाहरी दिवार मरम्मत सामग्री क्रय
16	31-3-17	180900	एम /एस विजय बहादूर	260982.00	—	—	धरमपुर खड़जा हेतु सामग्री क्रय

योग 2806091.00 117143.00 76828.00

आलोच्य वर्ष 2016-17में रु0 2806091.00 का व्यय सामग्री क्रय हेतु राज्य वित्त आयोग निधि से किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय से संबंधित कोई प्रमाण पत्र, निर्माण पत्रावली तथा भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जो कि भुगतान की पुष्टि हेतु आवश्यक था। लेखा परीक्षा के अनुसार यह गंभीर अनियमितता है। जिसमें रु0 70851.00 के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती श्वेता सिंह तथा रु02735240.00 के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0 -26)

121- वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग निधि से श्रमांश पर व्यय निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	प्राप्तकर्ता	तिथि	चेक नं0	धनराशि (रु0)	विवरण
1	सुरेन्द्र कटियार	28-10-16	175715	65000.00	खानापुर परियोजना पर मजदूरी
2	सुरेन्द्र कटियार	28-10-16	172716	49500.00	पूरेगोबई में मजदूरी
3	सुरेन्द्र कटियार	28-10-16	175717	24800.00	मन्दर में मजदूरी
4	संजय कुमार मिश्रा	28-10-16	175718	49700.00	चकमासूम हरचन्दरपुर छोटेला ल के घर तक कार्य पर मजदूरी
5	संजय कुमार मिश्रा	28-10-19	175719	49700.00	पकलोर में मजदूरी भुगतान
6	संजय कुमार मिश्रा	3-1-17	180886	16100.00	पकलोर में मजदूरी एवं बोर्ड का भुगतान
7	संजय कुमार मिश्रा	3-1-17	180887	78000.00	चकनासूम में छोटेला ल के घर से पिचरोड़ तक मजदूरी एवं बोर्ड भुगतान
8	सुरेन्द्र कटियार	3-1-17	180888	20000.00	मन्दर में अनिलराज के कार्य पर मजदूरी
9	सुरेन्द्र कटियार	3-1-17	180889	54500.00	खानापुर में सुभाष यादव के कार्य पर मज0
10	सुरेन्द्र कटियार	3-1-17	180890	5000.00	पूरेगोबई में बोर्ड का भुगतान
11	सुरेन्द्र कटियार	3-1-17	180893	24850.00	चकमासूम में कूप जगत पर मजदूरी

योग 437150.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। नियमानुसार श्रमांश का भुगतान श्रमिकों के खातों में किया जाना चाहिए। जबकि श्रमांश का भुगतान चेकों के माध्यम से कार्य प्रभारियों को किया गया है। लेखा परीक्षा के अनुसार यह गबन के अन्तर्गत आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली निम्न विवरण के अनुसार निम्न अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं0	जिम्मेदार व्यक्ति	धनराशि(रु0)
1	श्री चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव(ख0 वि0 अ0)	218575.00
2	सुरेन्द्र कटियार (एडीओ-आईएसबी)	121825.00

प्रारूप-3

नाम क्षेत्र पंचायत-खजुहा
विकास खण्ड-खजुहा

लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17
जनपद-फतेहपुर

प्रस्तर-1

आलोच्य वर्ष 2016-2017 में विभिन्न खातों पर बैंक द्वारा जो ब्याज दिया गया है उसे राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया है। जबकि शासनादेश सं-10/2015/ए-1-502(1)/10-15-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार राजकीय अनुदान से सम्बन्धित खातों में अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिए था। उदाहरणार्थ

क्र०	खाता का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	अर्जित ब्याज रु०
1	राज्य वित्त	31595366829	एस०बी०आई०(ए०डी०बी०) खजुहा	9393.00
2	बी०आर०जी०एफ०	54610100000132	आर०आर०बी०खजुहा	16181.00
3	मनरेगा प्रशासनिक	546101000007770	आर०आर०बी०खजुहा	20313.00
4	विधायक निधि	54610100012557	आर०आर०बी०खजुहा	34959.00
			कुल योग-	80846.00

(शब्दों में-अस्सी हजार आठ सौ छियालिस रु० मात्र)

अतः उक्त खातों में अर्जित ब्याज की धनराशि रु० 80846.00 को सम्बन्धित अनुदानदाताओं के खाते में जमा किया जाय।

नाम संस्था- क्षेत्र पंचायत-अमौली
विकास खण्ड-अमौली

लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17
जनपद-फतेहपुर

प्रस्तर-2

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त के अर्न्तगत टरुवापुर पेटिंग रोड से बसफरा मोड़ तक खड़जा निर्माण व मरम्मत (1300 मी०) एवं टरुवापुर डामर रोड से बसफरा मोड़ होते हुए चिटहा डामर रोड तक शेष भाग का खड़जा निर्माण में दिनांक 16.12.16 से 30.12.16 मास्टर रोल धनराशि रुपया 65250+38280=103530 का भुगतान ही होना चाहिए जबकि कार्य प्रभारी श्री ब्रजेश कुमार वर्मा को चेक संख्या 6706 द्वारा धनराशि रुपया 103641 श्रमिकों के भुगतान हेतु पेमेन्ट किया गया है। इस प्रकार कार्य प्रभारी श्री वर्मा को 111.00 रुपया अधिक भुगतान किया गया है। कार्य प्रभारी श्री ब्रजेश कुमार वर्मा द्वारा न तो रु० 111.00 वापस क्षेत्र पंचायत में जमा किया गया और न तो समायोजन हेतु कोई प्रमाण पत्र ही उपलब्ध कराया गया। अतः कार्य प्रभारी श्री वर्मा से रु० 111.00 ब्याज सहित वसूल किया जाय अन्यथा की स्थिति में लेखाकार श्री शिवम श्रीवास्तव एवं बी०डी०ओ० श्री ज्ञान सिंह परिहार से अपहरण की धनराशि रु 111.00 की ब्याज सहित 50-50 प्रतिशत की समान रूप से वसूल की जाय।

प्रस्तर-3

आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्यवित्त/13वाँ वित्त की बैंक पासबुक के अनुसार ब्याज की धनराशि रुपया 40610.00 दर्शित रहा जिसे राजकीय कांश में (राजवित्त में) जमा नहीं किया गया है जबकि शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502(1)/10-15-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार राजकीय अनुदान से सम्बन्धित खातों में अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए क्योंकि अर्जित ब्याज की धनराशि सरकार की आय होती है। इस प्रकार लेखाकार श्री शिवम श्रीवास्तव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञान सिंह परिहार गम्भीर अनियमितता के लिए जिम्मेदार हैं। अतः उपरोक्त दर्शित ब्याज की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा राजकीय कोष में जमा किया जाय। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम संस्था- क्षेत्र पंचायत-तेलियानी
विकास खण्ड-तेलियानी

लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17

जनपद-फतेहपुर

प्रस्तर-4

आलोच्य वर्ष 2016-17 में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 हल्के नास्ते की धनराशि रु० 20,200.00 व्यय किया जाना दर्शित है, जिसका भुगतान तत्कालीन खं०वि० अधिकारी श्रीमती संध्यारानी को चेक नं० 447794, दिनांक 25-05-2016 द्वारा रु० 20200.00 का भुगतान किया जाना दर्शित पाया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में व्यय की शर्तें तथा सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान कर

रु0 20,200.00 का अपहरण किया गया है। अतः ख0वि0 अधिकारी श्रीमती सन्ध्यारानी से रु0 20,200.00 की ब्याज सहित वसूली की जाय।

प्रस्तर-5

राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त ब्याज की धनराशि से दिनांक 17-03-2017 को चेक नं0 003608 द्वारा रु0 4000.00 श्री विनोद कुमार कटियार को कार्यालय में बिजली एवं सुदृढीकरण हेतु भुगतान किया गया है, जो शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/10-2015-10(33)/2010 एवं प्रमुख सचिव वित्त लेखा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 29.05.2015 का उल्लंघन कर ब्याज मद से कार्य कराया गया है, जिसके लिए खं0वि0 अधिकारी सुश्री कविता तिवारी एवं लेखाकार श्री अवधेश कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं। अतः खं0 वि0 अधिकारी सुश्री कविता तिवारी से मु0 2000.00 एवं श्री अवधेश कुमार वर्मा, लेखाकार से रु0 2000.00 की ब्याज सहित वसूली की जाय।

नाम संस्था- क्षेत्र पंचायत-धाता लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16, 2016-17

विकास खण्ड-धाता

जनपद-फतेहपुर

प्रस्तर-6

क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त आयोग/तेरहवाँ वित्त आयोग मद में प्राप्त ब्याज की धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा धाता फतेहपुर में खाता संख्या 11717607882 में जमा दर्शित पाया गया। वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवाँ वित्त आयोग के खाते पर रु0 73875.00 तथा वर्ष 2016-17 में रु0 166348.00 कुल रु0 240223.00 ब्याज जमा रहा, जिसे सम्बन्धित विभाग/शासन (राजकोष) को वापस नहीं किया गया जबकि शासनादेश संख्या दस/2015/ए-1-502/10/2015-10(33)/2010 एवं सचिव वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार ब्याज की धनराशि सम्बन्धित विभाग/शासन को वापस किया जाना चाहिए था इस प्रकार प्राप्त ब्याज की धनराशि शासन को वापस न भेजकर शासनादेश का उल्लंघन किया गया है एवं वित्तीय अनियमितता की गई है। अतः उपरोक्त दर्शित ब्याज की धनराशि को राजकोष में ट्रेजरी चालान द्वारा जमा किया जाय। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-3

क्षेत्र पंचायत-2016-17

प्रस्तर-1

क्षेत्र पंचायत-बिहार

जनपद-प्रतापगढ़

दिनांक 22.06.2016 को मे0 जितेन्द्र बहादुर सिंह नि0 नारंगपुर को राज्य वित्त आयोग निधि से रु0 424303.00 का भुगतान चेक संख्या 509331 द्वारा माहकम से नारंगपुर में प्रा0वि0 से धीरेन्द्र सिंह वर्मा के घर के पास पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग के लिये ग्राण्ट रजिस्टर 2 में दर्शित है। परन्तु उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली को लेखाकार श्री हीरालाल से मांग करने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख अप्राप्त रहने से की वजह से उक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त दर्शित व्यय की धनराशि रु0 424303.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री हीरालाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

क्षेत्र पंचायत-बिहार

जनपद-प्रतापगढ़

दिनांक 22.06.2016 को मे0 राज कन्स्ट्रक्शन नि0 रामपुर कोटवा को राज्य वित्त आयोग निधि से रु0 361510.00 का भुगतान चेक संख्या 509339 के द्वारा टेकी पट्टी में कृपाल हरि के घर से होते हुए अनीस राय के घर तक इण्टरलाकिंग के लिये दिया गया ग्राण्ट रजिस्टर-2 में दर्शित है। परन्तु उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली को लेखाकार महोदय से बार-बार मांग करने पर भी लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख अप्राप्त रहने से की वजह से उक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि न की जा सकी। विभागीय जांचोपरान्त उक्त धनराशि रु0 361510.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ श्रीवास्तव एवं लेखाकार/ आंकिक श्री हीरालाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

क्षेत्र पंचायत-बिहार

जनपद-प्रतापगढ़

दिनांक 05.07.2016 को मे0 विनोद कुमार श्रीवास्तव नि0 हरिहरपुर को राज्य वित्त आयोग निधि से रु0 228253.00 का भुगतान चेक संख्या 509336 द्वारा औरिशपुर में प्रा0वि0 से चन्द्रभान शुक्ल के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु रु0 207714.00 का भुगतान चेक संख्या 509337 दिनांक 05.07.2016 के द्वारा कमोली वीरभानपुर में पण्डा मास्टर के घर से खड़ण्जा तक इण्टरलाकिंग हेतु तथा रु0 98126.00 का भुगतान चेक संख्या 509338 दिनांक 05.07.2016 के द्वारा ऐमाजाटपुर में रामलाल के घर से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग हेतु किया गया ग्राण्ट रजिस्टर 2 में दर्शित है। इस तरह उक्त तीन कार्यों के लिये कुल रु0 534093.00 का भुगतान किया गया। उक्त कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली को लेखाकार श्री हीरालाल से मांग करने पर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। उक्त दर्शित व्यय की धनराशि रु0 53409 3.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ श्रीवास्तव एवं लेखाकार/आंकिक श्री हीरालाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4**क्षेत्र पंचायत-बिहार****जनपद-प्रतापगढ़**

दिनांक 24.12.2016 को श्री राजकुमार मिश्र, ग्रा0 वि0 अ0 को राज्य वित्त आयोग निधि से चेक संख्या 513964, दिनांक 24.12.2016 के द्वारा रू0 74132.00 श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव को चेक संख्या 513966, दिनांक 24.12.2016 के द्वारा रू0 88239.00 श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को चेक संख्या 513967, दिनांक 24.12.2016 के द्वारा रू0 102450.00 श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह को चेक संख्या 513968, दिनांक 24.12.2016 के द्वारा रू0 205638.00 मे0 अनुराग इण्टरलाकिंग ईट उद्योग को चेक संख्या 513969, दिनांक 24.12.2016 के द्वारा रू0 42708.00 मे0 रवीन्द्र टेडर्स मिटारा प्रतापगढ़ को चेक संख्या 513970, दिनांक 30.12.2016 के द्वारा रू0 3127.00 महादेव ईट उद्योग को चेक संख्या 513971, , दिनांक 30.12.2016 के द्वारा रू0 8629.00 एवं श्री राजकुमार मिश्र, ग्राम विकास अधिकारी को चेक संख्या 513972, , दिनांक 30.12.2016 के द्वारा रू0 65268.00 का भुगतान किया गया ग्राण्ट रजिस्टर 2 में दर्शित है। इस प्रकार आठ लोगो को कुल रू0 590191.00 का भुगतान किया गया, परन्तु ग्राण्ट रजिस्टर 2 में किस मद के लिये भुगतान किया गया पूर्णतः खाली है। जब लेखाकार/आंकिक श्री हीरालाल से उक्त भुगतान के विषय में पूछा तो वह भी नहीं बता सकें कि किस लिये भुगतान किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त भुगतानित राशि रू0 590191.00 को ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जवाहर लाल सरोज एवं लेखाकार/ आंकिक श्री हीरालाल से की जानी अपेक्षित खण्ड विकास अधिकारी श्री जवाहर लाल सरोज एवं लेखाकार/आंकिक श्री हीरालाल से की जानी अपेक्षित है। उक्त व्यय दर्शित धनराशि रू0 5,90,191.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 क्षेत्रपंचायत- मंगरौरा**जनपद-प्रतापगढ़**

क्षेत्र पंचायत मंगरौरा की वर्ष (2016-17) की लेखा परीक्षा में आंकिक द्वारा मात्र ग्राण्ट रजिस्टर प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय तथा बैंक पासबुक उपलब्ध कराये गये जिसके अनुसार विभिन्न मदों में कुल व्यय वर्षवार निम्नलिखित है।

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि	विवरण
2016-17	66,31,859.25	व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
योग	66,31,859.25	

उक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि रू0 66,31,859.25के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे सम्पूर्ण धनराशि रू0 66,31,859.25 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकारों- से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम :- सहारनपुर।

मण्डल का नाम :- सहारनपुर।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

1, क्षेत्र पंचायत- बलियाखेडी विकासखण्ड- बलियाखेडी अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 से 2016-17 की आपत्तियाँ:-

प्रस्तर सं0-01

आलोच्य वर्ष 20.12.2013 मे राज्य वित्त आयोग से अंकन रू0 4769793.00 तेहरवा वित्त आयोग से अंकन रूपये 1151232.00, विधायक निधि से अंकन रूपये 3576073.00 कुल योग अंकन रूपये 9497092.00 व्यय किया गया है जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से आय कर 212735.00 04 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 ब्रिकी कर 379884.00 01 प्रतिशत की दर से लेबर टैक्स 36809.00 की कटौती की गई है। (योग 604853.00) अन्तर की धनराशि रू. 82737 रही जिसका विवरण निम्न प्रकार से है- 2.24 प्रतिशत आय कर टी0डी0एस0 8545.00 04 प्रतिशत ब्रिकी कर 16030.00 01 प्रतिशत लेबर टैक्स 58162.00 योग 82737.00 आयकर व श्रम कर कम दर्शाये जाने के कारण होने वाली राजस्व की क्षति पूर्ति ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी मौ0 कलीम व सी0पी0सिंह तथा ऑफिस/लेखाकार समय सिंह तथा जे0ई बाबूराम से कराई जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-06)

प्रस्तर सं0-02

वर्ष 2013-14 मे राज्य वित्त आयोग से व्यय रू0- 4489298.85 तेहरवा वित्त आयोग से व्यय अंकन रूपये - 73.30563 विधायक निधि से व्यय रू0- 1738055.00 योग 1355,7916.85 की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि (2.24 प्रतिशत आय कर रू- 256825.00) (4 प्रतिशत ब्रिकी कर रू0-458623) (1 प्रतिशत श्रम कर रू0- 98218) (योग रूपये- 167927) आय कर, ब्रिकी कर व श्रम कर की क्षति पूर्ति सम्बन्धित वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द तथा मोतीराम व लेखाकार समय सिंह से कराई जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-06)

प्रस्तर सं0-03

वर्ष आलोच्य वर्ष 2014-15 मे राज्य वित्त आयोग से व्यय 10632857 तेहरवा वित्त आयोग से व्यय 4959927. 00 विधायक निधि से व्यय रूपये 470185.00 कुल योग अंकन रूपये 16062969.00 की धनराशि पर व्यय दर्शित है जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से आय कर 299946.00 04 प्रतिशत की दर से ब्रिकी कर 835618.00. 01 प्रतिशत की दर से श्रम कर 160630.00 (योग 1162959.00)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आय कर की कटौती रू0 59864.00 तथा श्रम कर रूपये 69925 योग रूपये 129.789.00 कम कटौती कर राजस्व की क्षति पूर्ति पहुचाई गई है। उक्त की क्षति पूर्ति ब्याज सहित वसूली तत्कालीन

खण्ड विकास अधिकारी श्री मोतीराम तथा प्रदीप कुमार तथा ऑफिस/लेखाकार समय सिंह से कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-08)

प्रस्तर सं०-04

वर्ष आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग से व्यय 7688530.00 तेहरवा वित्त आयोग से व्यय 4680699.00 कुल योग अंकन रुपये 12369229.00 की धनराशि पर व्यय दर्शित है जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से आय कर 277071.00 04 प्रतिशत की दर से ब्रिकी कर 494769.00. 01 प्रतिशत की दर से श्रम कर 123692.00 (योग 8.95532.00) की कटौती की जानी चाहिए जबकि 2.24 प्रतिशत से आयकर 52995.00 4 प्रतिशत ब्रिकी कर 94628.00 1 प्रतिशत श्रम कर 23634.00 योग 171.257 की कटौती कम करके राजस्व को भारी क्षति पहुँचाई गई है जिसकी क्षति पूर्ति ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी प्रदीप कुमार , राम प्रकाश शर्मा, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार तथा राहुल पाण्डे से कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-09)

प्रस्तर सं०-05

वर्ष आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग से व्यय 3335580.00 तेहरवा वित्त आयोग से व्यय 25180.00 योग अंकन रुपये 3360760.00 की धनराशि पर व्यय दर्शित है जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से आय कर 75281.00 04 प्रतिशत की दर से ब्रिकी कर 134430.00. 01 प्रतिशत की दर से श्रम कर 33608.00 (योग 243319.00) की कटौती की जानी चाहिए जबकि 2.24 प्रतिशत से आयकर 61012.00 4 प्रतिशत ब्रिकी कर 126025.00 1 प्रतिशत श्रम कर 31506.00 योग 218543.00 की कटौती की गई है। अन्तर की धनराशि रुपये 24776.00 रही है। 2.24 प्रतिशत से आयकर रुपये 14269.00 4 प्रतिशत से ब्रिकी कर रुपये 8405.00 01 प्रतिशत से श्रम कर रुपये 2102.00 योग रुपये 24776.00 की कटौती कम करके राजस्व को भारी क्षति पहुँचाई गई है जिसकी क्षति पूर्ति ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी कृतिका ज्योत्सना , लेखाकार समय सिंह जे०ई० बाबू राम से कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-10)

प्रस्तर सं०-06

तृतीय राज्य वित्त आयोग मद में वर्ष 2012-13 में रुपये 10.06016 व्यय दर्शित है जिस पर 2.24 की दर से आय कर रुपये 22535.00 4 प्रतिशत की दर से ब्रिकी कर रुपये 40241.00 1 प्रतिशत की दर से श्रम कर रुपये 10060.00 योग रुपये 72836.00 की कटौती होनी चाहिए थी। (यह धनराशि आपत्ति सं० 6,7,8,9 तथा 10 में सम्मिलित नहीं है।) उक्त की कटौती न कर आय कर बिक्री कर एवं श्रम कर की क्षति पहुँचाई गई है जिसकी वसूली मौ० कलीम (खण्ड विकास अधिकारी) तथा सी०पी०सिंह (खण्ड विकास अधिकारी) लेखाकार समय सिंह तथा अवर अभियन्ता बाबूराम से करके क्षति पूर्ति ब्याज सहित कराई जानी अपेक्षित है। वर्ष 2012-13 में ठेकेदार का अधिक अनियमित भुगतान कर राजस्व को क्षति पहुँचाई गई है।

(आपत्ति सं०-14)

प्रस्तर सं०-07

वर्ष 2012-13 में एम०पी०वाई योजना के अन्तर्गत रु० 1304500.00 का व्यय दर्शाया गया है जिस पर आय कर 2.24 प्रतिशत से रुपये 29221.00 ब्रिकी कर 4 प्रतिशत से रु 52180.00 श्रम कर 01 प्रतिशत से 13045.00 योग रुपये 94446.00 (यह धनराशि आपत्ति सं० 6.7.8.9. तथा 10 में सम्मिलित नहीं है।) की कटौती वर्ष 2012-13 के आय कर ब्रिकी कर तथा श्रम कर कटौती में सम्मिलित की जानी चाहिए थी। उक्त की कटौती में सम्मिलित न कर राजस्व को क्षति पहुँचाकर अधिक अनियमित भुगतान ठेकेदार को किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी मौ० कलीम व सी०पी०सिंह तथा लेखाकार समय सिंह व अवर अभियन्ता बाबूराम से कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-15)

प्रस्तर सं०-08

वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग से व्यय रु०- 4769793. तेहरवा वित्त आयोग से व्यय अंकन रुपये -1151232 विधायक निधि से व्यय रु०- 3576073.00 एम०पी०वाई योजना से व्यय रुपये 1304500.0 तृतीय राज्य वित्त आयोग से व्यय रुपये 1006016.0 कुल योग 11807614.00 पर क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत नियमावली 1961 के नियम सं० 23 के अनुसार ठेकेदार से जमानत धरोहर राशि दर 10 प्रतिशत की दर से रुपये 1180761.00 वसूली की जानी चाहिए थी। जबकि 2012-13 में ठेकेदार स धरोहर राशि रुपये 802887.00 जमा कराई गई है इस प्रकार अन्तर की धनराशि रुपये 377847.00 धरोहर राशि कम जमा कराकर गम्भीर अनियमितता कारित की गई हैं इसके लिए वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी मौ० कलीम व सी०पी०सिंह तथा लेखाकार समय सिंह व अवर अभियन्ता बाबूराम से कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-16)

प्रस्तर सं०-09

वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त आयोग से व्यय रु०- 4489298.85 तेहरवा वित्त आयोग से व्यय अंकन रुपये -7330563.00 विधायक निधि से व्यय रु०- 1738055.00 एम०पी०वाई योजना से व्यय रुपये शून्य राज्य पेय जल योजना से व्यय रुपये 43200.00 कुल योग 13601116.85 पर क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत नियमावली 1961 के नियम सं० 23 के अनुसार ठेकेदार से जमानत धरोहर राशि दर 10 प्रतिशत की दर से रुपये 1360112.00 वसूली की जानी चाहिए थी। जबकि 2013-14 में ठेकेदार से धरोहर राशि कम जमा कर गम्भीर अनियमितता कारित की गई है।

इसके लिए वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द तथा लेखाकार समय सिंह व अवर अभियन्ता बाबूराम से कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-22)

प्रस्तर सं०- 10

वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग से व्यय रू०- 10632857.00 तेहरवा वित्त आयोग से व्यय अंकन रूपये -4959927.00 विधायक निधि से व्यय रू०- 470185.00 एम०पी०वाई योजना से व्यय रूपये 10141.00 राज्य पेय जल योजना से व्यय रूपये 58000.00 कुल योग 16131110.00 पर वसूल की जानी चाहिए थी। जबकि 2014-15 में रूपये 865727.00 जमा कराई गई है। इस प्रकार अन्तर की धनराशि रूपये 747384.00 धरोहर राशि कम जमा कर गम्भीर अनियमितता कारित की गई है। इसके लिए वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द, मोतीराम एवं प्रदीप कुमार तथा लेखाकार समय सिंह व अवर अभियन्ता अजय कुमार सिंह से कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-23)

प्रस्तर सं०-11

वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग से व्यय रू०- 7688530.00 तेहरवा वित्त आयोग से व्यय अंकन रूपये -4680699.00 राज्य पेय जल योजना से व्यय रूपये 18720.00 कुल योग 12387949.00 कुल रूपये 12387949.00 पर क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत नियमावली 1961 के नियम सं० 23 के अनुसार ठेकेदार से जमानत धरोहर राशि दर 10 प्रतिशत की दर से रूपये 1238795.00 वसूली की जानी चाहिए थी। जबकि 2015-16 में रूपये 800283.00 जमा कराई गई है इस प्रकार अन्तर की धनराशि रूपये 438512.00 धरोहर राशि कम जमा कराकर गम्भीर अनियमितता कारित की गई है। इसके लिए वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द, मोतीराम, प्रदीप कुमार, राम प्रकाश शर्मा, प्रमोद कुमार तथा राहुल पाण्डेय तथा लेखाकार समय सिंह व अवर अभियन्ता देवेन्द्र कुमार सयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त से वसूली ब्याज सहित कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-24)

प्रस्तर सं०-12

वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग से व्यय रू०- 3335580.00 तेहरवा वित्त आयोग से व्यय अंकन रूपये -25180.00 योग 3360760.00 कुल रूपये 3360760.00 पर क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत नियमावली 1961 के नियम सं० 23 के अनुसार ठेकेदार से जमानत धरोहर राशि दर 10 प्रतिशत की दर से रूपये 336076.00 वसूली की जानी चाहिए थी। जबकि 2016-17 में रूपये 252051.00 जमा कराई गई है इस प्रकार अन्तर की धनराशि रूपये 84025.00 धरोहर राशि कम जमा कराकर गम्भीर अनियमितता कारित की गई है। इसके लिए वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अरवि प्रमोद कुमार, कृतिका ज्योत्सना तथा लेखाकार समय सिंह व अवर अभियन्ता देवेन्द्र कुमार सयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त से वसूली ब्याज सहित कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-25)

प्रस्तर सं०- 13

ग्राम ईधरी की अनुसूचित जाति बस्ती में बारात घर की चार दीवारी का निर्माण वर्ष 2012-13 :-

1, अनुदान बारात घर की चारदीवारी के लिए ही प्राप्त हुआ था। इसकी पुष्टि में शासनादेश अप्राप्त रहा। सम्बन्धित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। अनुबन्ध का स्टाम्प पेपर ब्लैक है कार्यादेश पर पत्रांक दिनोंक अंकित नहीं है। वैध एम.एम.11 संलग्न नहीं है। ठेकदार सुखपाल सिंह पुत्र खुशीराम निवासी नन्दपुर की धरोहर /जमानत राशि जमा एवं भुगतान से सम्बन्धित खाता तैयार कर लेखा परीक्षा जाँच कर प्रस्तुत नहीं किया गया। रायल्टी जमा की पुष्टि में ट्रेजरी चालान प्रमाणित संलग्न नहीं है और न ही ट्रेजरी चालान की प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित किए जाने की पुष्टि में प्रमाणक ही उपलब्ध है।

कार्य का नाम:- कपासा में मेन रोड से मलिक फार्म हाऊस तक सी०सी० निर्माण

1, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं है।

2, स्टाम्प पेपर ब्लैक है।

3, वैध एम.एम. 11 संलग्न नहीं है।

4, रायल्टी जमा विषयक ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है।

5, प्राक्कलन की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग सहारनपुर द्वारा दिनोंक 01.08.2014 को दी गई है।

6, फाइल में संलग्न धरोहर राशि विषयक एफ०डी०आर प्राक्कलन स्वीकृति से पूर्व दिनोंक 10.07.2014 रूपये 7000.00 की संलग्न है। इसके अतिरिक्त एक अन्य एफ०डी०आर अंकन रूपये 10000.00 दिनोंक 08.11.2013 की छायाप्रति संलग्न है जिस पर एकाउन्टेण्ट द्वारा प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया है कि उक्त धरोहर राशि इसी कार्य हेतु प्राप्त की गई थी जिसका किसी अन्य कार्य में प्रयोग नहीं किया गया और नहीं सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उक्त की पुष्टि में सहमति व्यक्त की गई।

7, ठेकदार के नाम की धरोहर राशि/जमानत राशि का खाता तैयार कर जमानत जमा एवं भुगतान की वैधता की पुष्टि नहीं कराई गई।

उक्त आपत्तियों के आलोक में

- 1, कार्य का नाम:— ग्राम वेरीजमा में मदरसे से मकसूद के धर तक सी0सी0 व नाली कार्य पर कुल व्यय ठेकेदार को भुगतान रुपये 812435.00
- 2, ग्राम दूधली बुखारा में सकुराम स मस्जिद व इमरान से फुकरान व नवाब से तहसीम तक सी0सी / नाली निर्माण में ठेकेदार को कुल भुगतान रु.623699.00
- 3, ग्राम हरीया बास में महेन्द्र मुंशी से प्रदीप के धर तक सी0सी0 कार्य ठेकेदार को कुल भुगतान रुपये 336345.00
- 4, ग्राम धाधरेकी में मेहरबान से मेन रोड तस्लीम के धर तक सी0सी0 कार्य वर्ष 2014—15 में ठेकेदार को कुल भुगतान रुपये 382989.00
- 5, झेधरी की अनूसूचित जाति बस्ती में बारात धर की चारदीवारी का निर्माण 2012—13 में ठेकेदार को भुगतान रुपये 125407.00
- 6, ग्राम कपासा में मेन रोड से मलिक फार्म हाऊस तक सी0सी0 निर्माण 2014—15 में ठेकेदार को भुगतान रुपये 533881.00

कुल भुगतान ठेकेदारों को रुपये 2814756.00 नियमों की अनदेखी कर गम्भीर अनियमितता कारित की गई है जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी मौ० कलीम, सी०पी० सिंह, अरविन्द, मोतीराम व प्रदीप कुमार लेखाकार समय सिंह जे०ई० अजय कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त से वसूली ब्याज सहित कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०—32)

प्रस्तर सं०—14

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33 के अनुसार ग्रामिक सड़कों के लिए ही क्षेत्र पंचायत कार्य कराने के लिए अधिकृत है। कार्य सदन में स्वीकृत कराने के पूर्व अन्य कार्यदाई संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य था। तदुपरान्त ही सदन में स्वीकृति/अनुमोदन हेतु कार्य को रखा जाना था। लेखा परीक्षा जाँच में न तो सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र ही संलग्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि सदन को अधरे में रखकर मनमाने ढंग से कार्य प्रस्तावित कर अनुमोदित/स्वीकृत कराये गये हैं। उक्त स्थिति गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। ऐसे में ग्राम पंचायतों द्वारा भी कार्य प्रस्तावित कर कराये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है:—

वर्ष 2012—13 में कुल 49 कार्य प्रस्ताव वही अनुसार प्रस्तावित है जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कितने कार्य अवशेष रहे लेखाकार समय सिंह द्वारा प्रमाणित विवरण बनाकर आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पूर्ण तथा हस्तगत कार्यों की स्थिति अज्ञात रही। वर्ष 2012—13 व 13—14 में इस प्रकार कराये गये कार्य व उनके भुगतानों की स्थिति गम्भीर अनियमितता की स्थिति में आते हैं, जो नामांकित हैं:—

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य अवधि	ठेकेदार का नाम	भुगतान की राशि
1	ग्राम गल्हीपुरा पठानपुरा में सुलेमान से रेलवे फाटक तक सी०सी० कार्य	07.11.12 से 28.12.12	रविश इन्टरप्राइजेज	714153.00
2	ग्राम कोटा में मस्जिद से राशिद तक सी०सी० कार्य	26.07.12 से 06.08.12 तक	एस०एस० कन्ट्रेक्शन	216244.00
3	ग्राम रूपडी जूनारदार में समय सिंह से सुरेन्द्र सिंह तक सी०. सी कार्य	13.02.2013 से 03.03.13 तक	एस०एस० कन्ट्रेक्शन	575422.00
4	ग्राम भलस्वा ईस्सापुर में सी०सी० रोड निर्माण भरत से सोमपाल तक	13.02.2013 से 23.02.13 तक	एस०एस० कन्ट्रेक्शन	279628
5	ग्राम खजूरी अकबरपुर में किशन पण्डित से भूल्लड सिंह तक सी०सी० कार्य	26.07.2012 से 04.08.12 तक	एहतेशाम	298926.00
6	नन्दी फिरोजपुर में नाथीराम से मीरहसन तक सी०सी० रोड निर्माण	26.07.12 से 24.08.12	एस०एस० कन्ट्रेक्शन	482660.00

7	कोटा मे महिला डिग्री कॉलेज मे स0पुर मुजफ्फरनगर रोड तक सी0सी कार्य	26.07.12 से 19.08.12 तक	एस0एस0 कन्ट्रिक्शन	880636.00
8	ग्राम मडकी की अनूसचित बस्ती मे सी0सी0 रोड कार्य (सांसद निधि)	13.2.13 से 10.03.13 तक	सुखपाल सिंह	722628.00
9	कोटा मे मेन रोड से तिराहे तक अनु0जाति बस्ती मार्ग पर सी0सी0रोड कार्य	13.02.13 से 04.03.13 तक	सुखपाल सिंह	572623.00
10	ग्राम ईधरी की अनु0जाति बस्ती मे बारात धर की चारादीवारी (विधायक निधि)	13.02.13 से 07.05.13 तक	सुखपाल सिंह	146229.00
11	ग्राम छाछरेकी अनु0जाति बस्ती मे रविदास मन्दिर से तालाब तक सी0सी रोड कार्य	13.02.13 से 07.03.13 तक	इरफान अहमद	728191.00
12	ग्राम चुन्हेटी शेख मे जसवीर से भूमिया च रोहताश से जशवीर तक सी0सी कार्य	13.02.13 से 08.03.13 तक	सुखपाल सिंह	696066.00
13	शाहपुर की कश्यप बस्ती मे सी0सी रोड कार्य (विधायक निधि)	13.02.13 से 25.02.13 तक	सुखपाल सिंह	219651.00
14	कोटा की अनु0 जाति बस्ती मे सी0सी0 रोड निर्माण	13.02.13 से 17.02.13 तक	राजेश कुमार/कलीराम	653622.00
15	ग्राम पिन्जौरा मे श्मशान धाट मार्ग पर राफटा निर्माण	13.02.13 से 10.04.13	अफजाल अहमद	2487393.00
	योग			96,74072.00

आपत्तियाँ

- 1, ग्राम पचायतो तथा अन्य कार्यदाई संस्थाओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।
- 2, क्रमॉक (11) पर स्टाम्प पेपर तिथि 03.03.12 है जो एक वर्ष पूर्व का है तथा स्टॉम्प पेपर कोरा संलग्न है।
- 3, क्रमॉक (12) पर स्टाम्प पेपर तिथि 03.11.11 है जो दो वर्ष पूर्व का है। स्टाम्प पेपर कोरा संलग्न है। अनुबन्ध तिथि 12.03.2013 है। कार्य आरम्भ 08.03.13 है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। दूसरा स्टाम्प 28.01.13 तिथि सं0 बी0एम0 -147069 जो कोरा संलग्न है।
- 4, क्रमॉक (13) पर सावधि सुखपाल के नाम 12.02.13 से 12.02.14 तक की है बी0डी0ओ0 का नाम नहीं है जबकि बी0डी0ओ0 के नाम से सावधि निर्मित होनी थी। स्टाम्प पेपर तिथि 12.12.11 है जो लगभग सवा वर्ष पूर्व का है संख्या ए0वी 999337.00 है। निविदा 12.02.13 को खुली है और 13.02.13 को एक दिन बाद कार्य शुरू किया गया। विधायक निधि से कार्य कराया गया है।
- क्रमॉक (14) विधायक निधि से कार्य कराया गया है। ठेकदार की पंजीकरण श्रेणी डी है जो ब्लॉक मे कार्य करने हेतु रजिस्टर्ड ठेकेदारों की सूची मे नहीं है। धरोहर राशि की एफ0डी0 निर्मित नहीं है।
- क्रमॉक (14) के ठेकेदार डी श्रेणी के राजेश कुमार पुत्र कलीराम है जिन पर निम्न आपत्तियाँ अवलोकनीय है:-

- 1, धरोहर राशि रू0 14000.00 की सावधि संलग्न नहीं है।
- 2, ठेकेदार का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं
- 3, हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- 4, निविदा शर्तों का स्टाम्प पेपर कोरा संलग्न है।
- 5, टेण्डर सीलड नहीं है।

6, टेण्डर स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापित है जबकि दैनिक जागरण , अमर उजाला व हिन्दुस्तान आदि अधिका प्रसार वाले दैनिक में विज्ञापित होना था।

7, टेण्डर आहूत होने के लिए दो हफ्ते का समय नहीं दिया गया है।

कर्मक (15) भी विधायक निधि से कार्य कराया गया है। रुपये 100 का स्टाम्प पेपर ए0टी0 140125 दिनांक 21.09.11 कोरा संलग्न है जो दो वर्ष पूर्व का है। रु 10 का स्टाम्प पेपर 50 ए0बी 099771 दिनांक 03.05.11 का है जो कोरा संलग्न है। अफजाल अहमद ठेकदार की धरोहर राशि रु0 50,000 की एफ0डी0 फाईल में संलग्न नहीं है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में समस्त भुगतान रु 96,74,072 कर्मक (01) से कर्मक (15) तक (वर्ष 2012-13) आपत्तियों से ग्रस्त है तथा भुगतान रु 96,74,072 का अनियमित भुगतान मानते हुए दायित्व निर्धारित करते हुए खण्ड विकास अधिकारी मौ0 कलीम तथा सी0पी0 सिंह लेखाकार समय सिंह तथा अवर अभियन्ता बाबूराम से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 35)

प्रस्तर सं0- 15

वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित कार्यों का विवरण पूर्व में दिया गया है। कुल (21) कार्यों को प्रस्तावित किया गया है तथा वर्ष आलोच्य में कुल चार कार्य बिना प्रस्ताव पास कराये किये गये हैं जो पूरी तरह अवैध हैं:-

क्र0	कार्य का नाम	कार्य अवधि	ठेकेदार का नाम	भुगतान की राशि
1	ग्राम फकरेडा में शीशपाल से चुडियाला रोड तक सी0सी रोड कार्य	21.01.14 से 25.04.14 तक	एहतेशाम	271296.00
2	ग्राम कुरलीखुर्द में कुँवरपाल के खेत से डाकोवाले मार्ग पर खडन्जा निर्माण	19.06.13 से 24.06.13 तक	सुखपाल	344347.00
3	ग्राम ककराला में शमशान धाट मार्ग पर पुलिया निर्माण	21.01.14 से 02.08.14 तक	सुखपाल	340000.00
4	ग्राम उमाही में तिराहे से इश्तहाक तक सी0सी0 रोड निर्माण	11.04.13 से 24.04.13 तक	सुखपाल	289807.00
	योग			1245450.00

वर्ष 13-14 में कुल (21) कार्यों का प्रस्ताव प्रस्तावही द्वारा अवलोकित किया गया जिसका विवरण विगत पृष्ठ पर अवलोकनीय है। उपरोक्त चार कार्य उन (21) कार्यों में प्रस्तावित नहीं हैं। स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कार्यों को दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है:-

आपत्तिया फाईल सं0 (26)

1, कर्मक (3) पर 2 प्रतिशत धरोहर राशि 340000.00 दर 2 प्रतिशत रु- 6800.00 की सावधि खण्ड विकास अधिकारी के नाम प्लेजड नहीं है। अवर अभियन्ता देवेन्द्र कुमार

2, फाईल संख्या (32) संलग्न सी0आर पर कार्य आरम्भ 11.04.13 कार्य समाप्त 24.04.13 दर्शित है जबकि कार्यादेश दिनांक 12.02.13 को निर्गत है। कार्यादेश में कार्य आरम्भ 14.02.13 तथा कार्य समाप्ति 15.05.13 दर्शित है। अनुबन्ध तिथि 12.02.13 हैं। कार्यादेश तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर कार्य के आरम्भ व समाप्ति का उपरोक्त अन्तर गम्भीर आपत्ति का विषय है।

3, स्टाम्प पेपर बी0एल-186354 कोरा संलग्न है। स्टाम्प पेपर तिथि 14.02.13 है। अवर अभियन्ता बाबूराम है।

4, कार्य की निविदा मुहरबन्द नहीं है।

5, धरोहर राशि का उल्लेख सावधि के रूप में नहीं है।

6, निविदा विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्र में है जो राष्ट्रीय समाचार पत्र में होनी थी।

7, कार्य को सदन द्वारा स्वीकृत तथा अनुमोदित नहीं कराया गया है।

8, कार्य को प्रस्ताव वही पर प्रस्तावित नहीं किया गया है।

9, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर खनन की मात्रा व दर का उल्लेख नहीं है।

10, एम.एम 11 संलग्न नहीं है जिससे यह पता चल सके की खनन अधिकारी के हस्ताक्षर से किस साईट पर खनन सामग्री गिरायी गयी हैं

11, सामग्री क्रय के बिल/बाउचर प्रस्तुत नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समस्त भुगतान रु. 1245450.00 आपत्तियों से ग्रस्त है जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द अवर अभियन्ता बाबूराम व देवेन्द्र कुमार तथा लेखाकार समय सिंह से ब्याज सहित वसूल कराई जानी अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-36)

प्रस्तर सं0-16

वर्ष 2013-14 में कुल (7) कार्यों में से कुल (4) कार्य बिना प्रस्ताव के कराये गये दर्शित हैं जिनका विवरण आपत्ति संख्या (36) में किया गया है। शेष प्रस्तावित कार्यों का विवरण अधोलिखित है।

क्र0	कार्य का नाम	कार्य अवधि	ठेकेदार का नाम	भुगतान की राशि
1	शेखपुरा कदीम में ऐहसान के खेत से फैयाज के खेत तक सी0सी0 निर्माण	21.01.14 से 25.04.14 तक	अमित कुमार	799634.00
2	हसनपुर भलस्वा में जनार्दन शर्मा से योगेन्द्र के घर तक सी0सी0 निर्माण	21.01.14 से 31.03.14 तक	अमित कुमार	541549.00
3	चुन्हेटी गाडा में शहीद से जाहिद व हनीफ से मूमताज के घर तक सी0सी कार्य	21.01.14 से 25.04.14 तक	अमित कुमार	673900.00
	योग			2015083.00

उपरोक्त पर निम्न आपत्तियां अवलोकनीय हैं—

- 1, श्रमांश 1 प्रतिशत रु.20151 कार्यालय श्रमायुक्त को जमा नहीं हैं
- 2, एम0एम0 11 संलग्न नहीं है जिससे स्पष्ट है कि यदि कार्य हुआ है तो अवैध खनन से राज्य सरकार की चोरी करके कराया गया है या कार्य ही निष्पादित नहीं कराया गया है जो गम्भीर प्रकरण हैं
- 3, सामग्री कय के बिल/बाउचर प्रस्तुत नहीं हैं।
- 4, निविदाएँ सील्ड नहीं हैं।
- 5, निविदाओं के आमन्त्रित होने में कम से कम 2 हफ्ते का समय नहीं दिया गया है।
- 6, सेल्स टैक्स व बिक्री कर कम काटकर राजकीय राजस्व की भारी क्षति पहुँचाई गई है। रु 167927 की कटौती कम करके राज्य सरकार को वर्ष 2013-14 में भारी राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। उक्त की आपत्ति प्रतिवेदन में पृथक से अंकित की गई है।
- 7, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में निविदाएं आमन्त्रित न करके स्थानीय समाचार पत्र में निविदाएँ आमन्त्रित होने की विज्ञप्ति दी गई हैं।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उपरोक्त कुल तीन कार्यों का भुगतान रु— 20,15083 उत्तरदाई खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द लेखाकार समस सिंह तथा अवर अभियन्ता सी0पी0सिंह से कराई जानी अपेक्षित हैं।

(आपत्ति सं0 -37)

प्रस्तर सं0-17

वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित कार्यों का विवरण दिनांक 05.02.15 को प्रस्ताव संख्या (04) में अग्रोकिट है:-

- 1, शेखपुरा कदीम में ऐहसान के खेत से फैयाज के घर तक सी0सी0 कार्य।
- 2, चुन्हेटीगाडा में हलीम से मुमताज के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य।
- 3, शेखपुरा कदीम में ताहिर के घर से इश्तकार व इनाम के घर से मुमताज अली के घर तक सी0सी कार्य।
- 4, बेरीजमा में मन्दिर से मकसूद के घर तक सी.सी. कार्य।
- 5, दूधली बुखारा में मुकर्रम से मस्जिद व इमरान से फुकरान तक सी0सी व नाली निर्माण।
- 6, उमाही में मुनफैत अली से बाबू शाह तक सी0सी0 निर्माण व नाली निर्माण।
- 7, छाछरेकी में मेहरबान से मेन रोड तक सी0सी0 कार्य।
- 8, शेखपुरा कदीम में इकराम की दुकान से जीशान के प्लॉट तक सी0सी कार्य।
- 9, टपरी खुर्द में मस्जिद से शहजाद के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण।
- 10, कपासा में मेन रोड से मलिक फार्म हाऊस तक सी0सी0 कार्य।
- 11, टपरी कला में मेन रोड शहीद के मकान से आकिल तक सी.सी.कार्य।
- 12, लण्डौरा गुर्जर में इलियास के घर से मौ0 फतेह तक सी.सी. कार्य।

- 13, शेखपुरा कदीम मे जुमान अली के प्लाट से शौकत अली के प्लॉट तक नाला निर्माण ।
- 14, भारापुर मे तेजपाल के मकान स विजेन्द्र के मकान तक सी.सी. कार्य ।
- 15, टपरी कला मे मेन रोड से मोहन लाल कपूर तक सी0सी0 कार्य ।
- 16, मडकी मे सुशील के मकान से विरमपाल के घर तक सी.सी. कार्य ।
- 17, शेखपुरा कदीम मे इरशाद अली के घर से भुटटू व सत्तार के मकान से जिददे के घर तक सी.सी. कार्य ।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2014'-15 मे कराये जाने वाले कार्यों का अधोलिखित विवरणनुसार प्रस्तावित किया गया है:-

- 1, रूपडी कपूर पुर मे राजेश एडवोकेट के घर तक कराये गये सी.सी. कार्य ।
- 2, बेलडाजूनारदार मे कानू के घर से अलगिर के घर तक सी.सी. कार्य ।
- 3, शेखपुरा कदीम मे इकबाल के घर से रेलवे फाटक के पास मेन रोड तक सी.सी. कार्य ।
- 4, हसनपुर भलस्वा मे राहिल हसन से मेहन्दी हसन तक सी.सी. कार्य ।
- 5, टपरी कला मे मेन रोड से सी.सी. कार्य व नाली निर्माण ।
- 6, शेखपुरा कदीम मे विभिन्न गलियो मे सी.सी. कार्य व नाली निर्माण ।
- 7, शेखपुरा कदीम मे मेन रोड से इनाम व कयूम की दुकान से पुलिया तक नाली निर्माण ।
- 8, हरिया बासँ की विभिन्न गलियो मे सी0सी कार्य व नाली निर्माण ।
- 9, माल्ली मे शिव कुमार के खेत से पहलू के खेत तक चुडियाला वाला मार्ग को जोडते हुए सी0सी0 कार्य ।
- 10, ग्राम कपासा मेन रोड से अब्दुल सत्तार की टयूबवैल तक मिटटी कार्य ।
- 11, ग्राम शेखपुरा कदीम मे हाजी सलीम से मुश्तकीम व कुरैशी से मुश्तफा राव तक नाली निर्माण ।
- 12, शेखपुरा कदीम मे राव कुर्बान की दुकान से कामिल तक सी.सी. निर्माण व नाली निर्माण ।
- 13, ग्राम वाजिदपुर सैनी मे विभिन्न गलियो मे सी.सी. व नाली निर्माण ।
- 14, ग्राम मोहनपुर मे इकराम के प्लॉट से शमसीदा के घर तक सी.सी. व नाली निर्माण ।
- 15, शेखपुरा कदीम मे बडा रविदास मन्दिर से रविन्द्र बी.डी.सी. के घर के पास स्ट्रीट लाईट ।
- 16, टपरी स्टेशन के पास नाथन सिंह के धर के पास स्ट्रीट लाईट की स्थापना ।
- 17 शेखपुरा कदीम मे मजरा सत्तागढ मे खेडा मन्दिर के पास स्ट्रीट लाईट ।
- 18, ग्राम माल्ली मे श्री गिरधारी लाल पूर्व प्रधान के घर के पास स्ट्रीट लाईट ।
- 19, हसनपुर भलस्वा मे यशपाल सिंह बी.डी.सी. सदस्य के घर के पास सूर्या स्ट्रीट लाईट ।
- 20, इश्तकार पुत्र अब्दुल सत्तार शेखपुरा कदीम के धर के पास स्ट्रीट लाईट ।
- 21, दिलशाद पुत्र अब्दुल सत्तार शेखपुरा कदीम के घर के पास स्ट्रीट लाईट । वर्ष 2014-15 में कराये गये प्रस्तावित कार्यों का विवरण उपरोक्तानुसार दर्शित है। कुल (70) कार्यों को वर्ष आलोच्य में कराने हेतु प्रस्तावित है जिनमें निम्न कार्य निष्पादित किये गये दर्शित है :-

क्र0	कार्य का नाम	कार्य अवधि	ठेकेदार का नाम	भुगतान की राशि
1	ग्राम शेखपुरा कदीम में जुल्फिकार अली के प्लाट से शौकत तक नाला निर्माण	17.07.14 से 08.08.14 तक	एस. एस. कान्सट्रक्शन	4,87,932
2	शेखपुरा कदीम में नदीम हुसैन से फुरकान सत्तार व सैय्यद स्कूल तक सी. सी. निर्माण	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्मित नहीं हैं।	एस. एस. कान्सट्रक्शन	10,37,157
3	ग्राम टपरी कला में मेन रोड से मोहन लाल कपूर के घर तक सी. सी. कार्य	17.08.14 से 14.09.14 तक	रविश इण्टरप्राइजेज	5,14,885
4	ग्राम शेखपुरा कदीम में इन्साद अली के घर से भुटटू व सत्तार के	17.04.14. से 28.08.14 तक	एहतेशाम	445668

	मकान से मिट्टे के घर तक सी. सी. कार्य			
5	ग्राम भारापुर में तेजपाल के मकान से विजेन्द्र के मकान तक सी. सी. कार्य	17.08.14 से 18.09.14 तक	एहतेशाम	686748
6	ग्राम मड़की में सुशील के मकान से विरमपाल के मकान तक सी. सी. कार्य	17.08.14 से 18.09.14 तक	रविश इण्टरप्राइजेज	464284
7	ग्राम शेखपुरा कदीम में ताहिर के घर से इस्कार व ईनाम के घर से मुमताज के घर तक सी. सी. व नाली निर्माण	17.07.14 से 30.07.14 तक	एहतेशाम	178615
8	ग्राम लण्ढौरा गुर्जर में हाजी इलियास के घर से मास्टर फतेह मौहम्मद के घर तक सी. सी. कार्य	17.08.14 से 28.08.14 तक	एस.एस. कान्सट्रक्शन	884157
9	ग्राम रुपड़ी कपूरपुर में राजेश एडवोकेट के घर से रमेश के घर तक सी. सी. कार्य	17.08.14 से 10.09.14 तक	एस.एस. कान्सट्रक्शन	1016983
10	ग्राम वेलडाजुनारदार में हाजी कानू के घर से आलमगीर के मकान तक सी. सी. कार्य	17.08.14 से 04.09.14 तक	एस.एस. कान्सट्रक्शन	837745
11	ग्राम शेखपुरा कदीम में इकबाल के घर से रेलवे फाटक के पास मेन रोड तक सी. सी. कार्य	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्मित नहीं हैं।	एस.एस. कान्सट्रक्शन	381906
12	ग्राम टपरीखुर्द में मस्जिद से शहजाद के घर तक सी. सी. कार्य व नाली निर्माण	17.08.14 से 01.09.14 तक	एस.एस. कान्सट्रक्शन	1107884
13	ग्राम टपरी कला में मेन रोड से शहीद के मकान से आमिल के घर तक सी. सी. कार्य	17.08.14 से 23.08.14 तक	एस.एस. कान्सट्रक्शन	760366
14	ग्राम कपासा में मेन रोड से मलिक फार्म हाऊस तक सी. सी. कार्य	17.08.14 से 06.09.14 तक	एस.एस. कान्सट्रक्शन	622528
15	ग्राम दूधलीबुखारा में मुकर्रम से मस्जिद व इमरान से फुरकान व नवाव से तहसीम तक सी. सी. कार्य व नाली निर्माण	17.07.14 से 25.07.14 तक	एस.एस. कान्सट्रक्शन	700452
16	ग्राम घोघरेकी में मेहरबान से मेन रोड से तस्लीम के घर तक सी. सी. रोड निर्माण	17.07.14 से 01.08.14 तक	एस.एस. कान्सट्रक्शन	425607

17	ग्राम वेरीजमा में मदरसा से सत्तार व मकसूद के घर तक सी. सी. व नाली कार्य	17.07.14 से 23.07.14 तक	एस.एस. कान्सट्रक्शन	913842
18	ग्राम शेखपुरा कदीम में इकराम की दुकान से जीशान के प्लॉट तक सी. सी. कार्य	17.07.14 से 07.08.14 तक	एहतेशाम	278063
19	ग्राम शेखपुरा कदीम में इकबाल के घर से रेलवे फाटक के पास मेन रोड तक सी. सी. कार्य	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्मित नहीं हैं।	एस.एस. कान्सट्रक्शन	381906
	योग			1,21,26,728

वर्ष आलोच 2014-15 में प्रस्तावित (70) कार्यों में से कुल (19) कार्य उपरोक्त विवरणानुसार निष्पादित दर्शित है। उपरोक्त के प्रति अधोलिखित आपत्तियाँ अवलोकनीय हैं—

1. क्रमांक (1) पर एक प्रतिशत श्रमांश नहीं काटा गया है। अवर अभियन्ता देवेन्द्र कुमार।
2. क्रमांक (2) की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्मित नहीं है तथा श्रमांश नहीं काटा गया है।
3. क्रमांक (01) से क्रमांक (19) तक कुल भुगतान 1,21,26,728 का एक प्रतिशत रु. 121267.00 श्रमांश की कटौती कर कार्यालय श्रम आयुक्त को जमा नहीं है।
4. क्रमांक (19) की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्मित नहीं है। उत्तरदाई अवर अभियन्ता देवेन्द्र कुमार द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है।
5. निविदाएँ सीलबन्द नहीं है।
6. निविदाओं को राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन न देकर स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित कराकर गम्भीर अनियमितता कारित की गई है।
7. निविदा आमन्त्रित करने में न्यूनतम दो सप्ताह का समय नहीं दिया गया है।
8. एम. एम. 11 संलग्न नहीं है। इससे स्पष्ट है कि यदि कार्य कराया गया है तो अवैध खनन से कराया गया है जो एक गम्भीर प्रकरण है और या तो कार्य कराया ही नहीं गया है।
9. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत है उन पर खनन सामग्री की मात्रा व दर का उल्लेख नहीं है।
10. सामग्री क्रय की पुष्टि में अपेक्षित बिल / वाउचर ऑडिट के दौरान प्रस्तुत नहीं है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में समस्त भुगतान रु. 1,21,26,728 अपुष्ट है। उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द तथा प्रदीप कुमार लेखाकार समय सिंह व अवर अभियन्ता देवेन्द्र कुमार से समान रुप से कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 38)

प्रस्तर सं०-18

वर्ष 2015-16 में प्रस्ताव वहीं पर कुल एक बैठक दिनांक 03.08.15 को आहूत है। पत्र संख्या 569/बी. डी. सी. बैठक/2015-16/ दिनांक 16.07.15 स्थान कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी सभागार समय सुबह 11:00 बजे अध्यक्षता माननीय प्रमुख शमशाद प्रस्ताव संख्या (06) द्वारा बी. डी. ओ. बलियाखेड़ी द्वारा निम्न कार्यो हेतु/व्ययों हेतु कार्य बजट प्रावधानित कर बताया गया है :—

1. माननीय प्रमुख जी का मानदेय	30,000
शेखपुरा कदीम में एहसान से फैजान के घर तक सी. सी. कार्य	8,04,400
चुनहैटीगाड़ा में वहीद से जहीद व वहलीम से मुमताज के घर तक सी. सी. कार्य	6,71,118
दिनांक 26.06.14 को क्षेत्र पंचायत बलियाखेड़ी की बैठक में सदस्यों का मानदेय	60,000
शेखपुरा कदीम में ताहिर के घर से इश्तकार इनाम के घर से मुमताज अली तक सी. सी. कार्य	1,78,615
6. ग्राम वेरीजमा में मदरसे से मकसूद के घर तक सी. सी. रोड निर्माण	9,13,842
7. ग्राम दूधली बुखारा में मुकर्रम से मस्जिद व इन्सान से फुरकान तक सी. सी. कार्य	7,00,452
8. ग्राम उमाही में मुनफैत अली से बाबू शाह आदिल तक सी. सी. कार्य	6,24,125
9. छाछेरकी में मेहरबान से तसलीम तक सी. सी. निर्माण	4,25,607
10. शेखपुरा कदीम में इकराम की दुकान से जीशान के प्लॉट तक सी. सी. कार्य	2,78,063
11. टपरीखुर्द में मस्जिद से शहजाद के मकान तक सी. सी. निर्माण कार्य	11,18,962
12. कपासा में मेन रोड से मलिक फार्म हाऊस तक सी. सी. कार्य	6,28,753

13. क्षेत्र पंचायत बैठक में वितरित मानदेय का भुगतान (05.2.15)	62,500
14. लण्डौरा गुर्जर में हाजी इलियास के घर से फतेह मौहम्मद तक सी. सी. कार्य	10,27,153
15. टपरी कला में मेन रोड से शहीद के मकान तक सी. सी. कार्य	7,67,969
16. प्रमुख शमशाद का मानदेय	79,000
17. दमड़ी गुर्जर में राजेश एडवोकेट के घर तक सी. सी. कार्य	10,27,153
18. बेलड़ा जुनारदार में हाजी मानू के घर से आलमगीर के मकान तक सी. सी. कार्य	8,46,142
19. प्रिया शाफ्ट पर एम. आई. एस. फीडिंग व्यय	1500
20. शेखपुरा कदीम में इकबाल के घर से रेलवे फाटक तक सी. सी. कार्य	3,81,142

योग 1,06,26,496

उपरोक्त कार्यों का बजट प्रस्तावित था जबकि वर्ष 2015-16 में निम्न कार्य दर्शाया गया है:-

क्र०	कार्य का नाम	कार्य अवधि	ठेकेदार का नाम	भुगतान की राशि
1	शेखपुरा कदीम की विभिन्न गलियों में सी. सी. कार्य व नाली निर्माण	27.05.15 से 03.06.15 तक	एहतेशाम	408831
2	टपरी कला के विभिन्न गलियों में सी. सी. कार्य	27.05.15 से 17.06.15 तक	एहतेशाम	565084
3	माल्ली में शिव कुमार के खेत से पटलू के खेत चुड़ियाला वाला मार्ग को जोड़ते हुए सी. सी. कार्य	27.05.15 से 17.06.15 तक	एस.एस. कान्सट्रक्शन	560540
4	मोहनपुर में इरफान के प्लॉट से शमशीदा के प्लॉट तक सी. सी. व नाली निर्माण	27.05.15 से 20.06.15 तक	एस.एस. कान्सट्रक्शन	545155
5	वाजिदपुर सैनी की विभिन्न गलियों में सी. सी. कार्य	27.05.15 से 26.08.15 तक	एस.एस. कान्सट्रक्शन	526555
6	संयुक्त विकास आयुक्त सहारनपुर मण्डल के भवन क्षरण/मरम्मत कार्य	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्मित नहीं हैं।	एस.एस. कान्सट्रक्शन	314000
	योग			29,20,165

उपर्वर्णित पैराग्राफ में वर्ष 2015-16 हेतु कुल (20) कार्य प्रस्ताव वहीं पर अपेक्षित व्यय के सापेक्ष दर्शित हैं जिसमें उपरोक्त छ कार्यों का न तो प्रस्ताव पास है और न ही उक्त के व्ययों हेतु अपेक्षित बजट का ही उल्लेख किया गया है। उपरोक्त व्यय रु. 29,20,165 के विरुद्ध निम्न आपत्तियाँ अवलोकनीय हैं :-

सर्वसम्मति से कृत कार्य प्रस्तावित नहीं हैं।

क्रमांक (6) का व्यय रु. 314000 किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। उक्त की कार्यपूर्ति भी अवर अभियन्ता देवेन्द्र कुमार द्वारा निर्मित कर अभी तक संलग्न नहीं है। कार्य ब्लॉक कार्यालय बलियाखेड़ी के कार्य क्षेत्र से हट कर कारित किया गया है। उक्त का बजट भी पास नहीं है। संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय की मरम्मत बलियाखेड़ी ब्लॉक के धन से ही क्यों कराया गया है ? किसी भी सरकारी कार्यालय की मरम्मत हेतु उसका अपना निजी संसाधन होता है। बिना प्रस्ताव पास किये और बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अवर अभियन्ता देवेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत किए हुए तथा बिना एम. एम. 11 के समस्त कार्य अपहरण की श्रेणी में आता है। उक्त की ब्याज सहित वसूली देवेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता व लेखाकार समय सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

3. उपरोक्त किसी कार्य पर एक प्रतिशत श्रमांश नहीं काटा गया है।

4. आमन्त्रित कोई भी निविदा सील बन्द नहीं है।

5. किसी भी निविदा को राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापित नहीं किया गया है।

6. किसी भी निविदा को आमन्त्रित करने में न्यूनतम दो माह का समय नहीं दिया गया।

7. किसी भी वर्क हेतु एम. एम. 11 प्राप्त कर पुष्टि हेतु संलग्न नहीं है। उक्त से स्पष्ट है कि अवैध खनन से या तो कार्य कराया गया है जिससे सरकार को खनन के टैक्स से बचने के लिए चोरी की गई है या कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न संलग्न होने या किसी की कार्यपूर्ति संलग्न है तो उसे फर्जी होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

8. जो कार्यपुर्ति प्रस्तुत भी है उस पर खनन सामग्री की दर व मात्रा का कोई उल्लेख नहीं है तथा किस साईट पर खनन का पहुँचाव है आदि अंकित नहीं है।

9. खनन सामग्री का बिल व 3 वाउचर आदि निर्मित नहीं है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उपवर्णित छ कार्यों पर व्यय रु. 29,20,165 लेखा परीक्षा की दृष्टि से अपुष्ट है। अतः उक्त धन ब्याज सहित अवर अभियन्ता देवेन्द्र कुमार लेखाकार समय सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी राम प्रकाश शर्मा, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार व राहुल पाण्डेय से समान रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 39)

प्रस्तर सं०-19

वर्ष आलोच्य में वर्षान्त पर अवशेष रहे अनुदान को शासनादेशानुसार सम्बन्धित अनुदानदाता को वापस किया जाना था अथवा महालेखाकार इलाहाबाद के निर्देशानुसार इसके उपयोग किये जाने की अवधि बढ़वाई जानी चाहिये थी परन्तु ऐसा न कर शासनादेश एवं महालेखाकार के निर्देशों का उल्लंघन कर गम्भीर अनियमितता बरती गई है—

क्रमांक	वर्ष	अवशेष धनराशि
1	2012-13	54,34,103.77
2	2013-14	64,10,218.07
3	2014-15	25,46,407.10
4	2015-16	5,13,515.10
5	2016-17	33,46,550.10
	योग	1,82,50,794.14

उक्त स्थिति गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-40)

प्रस्तर सं०-20

बिना किसी आदेश अथवा शासन या विभागीय निर्देशों के बारहवाँ वित्त की धनराशि रु० 16825.80 को तेरहवाँ वित्त की धनराशि की आय में सम्मिलित कर व्यय किया गया है जबकि अवशेष रहने पर उक्त को अनदानदाता को वापस की जानी थी, जबकि ऐसा न करके लेखाकार समय सिंह द्वारा गम्भीर अनियमितता बरती गई है। लेखाकार समय सिंह के प्रति उक्त गम्भीर अनियमितता के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-41)

प्रस्तर सं०-21

वर्ष 2014-15 में जे०ई०आई०यू०ई०एस० मद से बीमारी की रोकथाम हेतु कुल रु० 8000 की धनराशि क्षेत्र पंचायत को प्राप्त दर्शित है। उक्त को वर्ष 2014-15 में ही व्यय दर्शाया गया है। उक्त की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य/व्यय पत्र आदि ऑडिट के दौरान प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त धनराशि को अपहरण करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अपुष्ट धनराशि लेखाकार समय सिंह व खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द से समान रूप से ब्याज सहित वसूल कराई जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-43)

प्रस्तर सं०-22

एक ही सावधि को कई कार्यों में धरोहर राशि के रूप में दर्शाकर क्षेत्र पंचायत को वित्तीय क्षति पहुँचाई गई है जिसका विवरण अधोलिखित है—

क्र० सं०	फाईल संख्या	कार्य का नाम	कार्य प्रारम्भ	कार्य समाप्ति	सावधि संख्या	सावधि निर्मित तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता धनराशि
1	76 (1) गम्भीर	ग्राम टपरी कला में मेन रोड से शहीद के मकान से आकिल के घर तक सी०सी० कार्य पर व्यय रु० 7,60,366	17.08.14	23.08.14	पी०एन०बी० 009606	13.03.13	13.03.14	16500
2	75 (2)	टपरी खुर्द में 10,000	17.08.14	01.09.14	अपठनीय	10.07.14	10.07.15	10,000

		मस्जिद से शहजाद के घर तक सी. सी. कार्य व नाली निर्माण कार्य पर व्यय रु0 11,07,884						
3	24 (3)	कोटा में महिला डिग्री कॉलेज से स0पुर मु0नगर रोड की ओर सी. सी. रोड निर्माण	26.07.12	19.08.12	अपठनीय एफ0डी0 संलग्न नहीं हैं।	10.07.14	10.07.15	—
4	71 (4)	ग्राम वेलडाजुनार दार में हाजी कानू के घर से आलमगीर के मकान तक सी. सी. कार्य पर व्यय रु. 8,37,745	17.08.14	04.09.14	एफ. एक्स. डी. 009375	08.03.13	08.03.14	10,000 9,000
5	73 (5)	ग्राम रुपड़ी कपूरपुर में राजेश एडवोकेट के घर में रमेश के घर तक सी0सी0 कार्य	17.09.14	01.09.14	एफ. एक्स.डी. 009020	08.07.14	08.07.15	13000 9000
6	72(6)	ग्राम लण्ढौरा गुर्जर में हाजी इलियास के घर से मास्टर फतेह मौहम्मद के	17.08.14	28.08.14	एफ.एक्स.डी. 009020	08.07.14	08.07.15	19000

		घर तक सी. सी. कार्य कार्य पर व्यय रु. 884157						
7	44(7)	ग्राम मड़की की अनु० जाति बस्ती में सी. सी. रोड निर्माण कार्य पर व्यय रु० 7,22,628	13.02.13	10.03.13	टी. डी. ए. —48 700480	08.07.14	07.05.13	27000
8	45(8)	कोटा में मेन रोड से तिराहे तक अनु० जाति बस्ती मार्ग पर सी. सी. रोड निर्माण कार्य पर व्यय रु० 572623	13.02.13	04.03.13	टी. डी. ए. —48 700480	08.07.14	07.05.13	27000
9	27(9)	ग्राम ईघरी की अनु० जाति बस्ती में बारात घर की चारदीवारी कार्य पर व्यय रु. 1,46,229	13.02.13	07.05.13	टी. डी. ए. —48 700480	08.07.14	07.05.13	27000
10	28(10)	ग्राम उमाही में तिराहक से इश्तहाक तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य पर व्यय रु० 289807	11.04.13	24.04.13	टी. डी. ए. —48 700480	08.07.14	07.05.13	27000

उपरोक्त चार्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि फाईल सं० (76) क्रमांक एक ग्राम तपरीकला में मेन रोड से शहीद के मकान से आकिल के घर तक सी. सी. कार्य जिस पर कुल व्यय रु० 760366 दर्शित है, की एफ. डी. संख्या पी. एन. बी. 009606 जो 13.03.13 में निर्मित है और 13.03.14 को परिपक्व हो गई है। परिपक्वता राशि रु. 16500 है। सावधि 13.03.13 से 13.03.14 तक की है और कार्य आरम्भ 17.08.14 से समाप्त 23.08.14 हेतु किस आधार पर धरोहर राशि में दर्शित है, जबकि कार्य की अवधि के पूर्व ही उक्त (एफ. डी.) सावधि परिपक्व हो चुकी है। स्पष्ट है धरोहर राशि हेतु उक्त एफ. डी. को कपटपूर्ण ढंग से लेखाकार समय सिंह द्वारा अवर अभियन्ता अजय कुमार सिंह व खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द से सांठ-गांठ कर क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम (23) जो टेण्डर स्वीकृति के उपरान्त प्रतिभूति एवं धरोहर राशि विषयक है का उल्लंघन कर कपटपूर्ण ढंग से धरोहर

राशि फर्जी दर्शा कर गम्भीर अनियमितता की गई है। अवर अभियन्ता नियमावली (सेवा) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उक्त कार्य को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उपरोक्त की उक्त उत्तरदाई लेखाकार समय सिंह, अवर अभियन्ता अजय कुमार सिंह व खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त कार्य की पुष्टि में एम. एम. 11 प्रस्तुत नहीं रहा तथा रॉयल्टी की गणना का अन्तर आपत्तियों में अंकित किया जा चुका है।

(आपत्ति संख्या 44 (1))

प्रस्तर सं०-23

उ० प्र० जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत नियमावली 1984 का नियम (23) के अनुपालन न करते हुए फाईल संख्या (71) ग्राम वेलडाजुनारदार में हाजी कानू के घर से आलमगीर के मकान तक सी. सी. कार्य जिसकी लागत यानी कार्य पर व्यय रु. 8,37,745 है का कार्य 17.08.14 से 04.09.14 तक कराया गया है। पुष्टि में धरोहर राशि रु. 19,000 सावधि संख्या एफ. एक्स. डी. 009375 निर्मित तिथि 08.03.13 व परिपक्वता तिथि 08.03.14 संलग्न है। स्पष्ट है कि कार्य 17.08.14 को आरम्भ किया गया है, जिसके लगभग 5 माह पहले सावधि परिपक्व हो चुकी है, को कपटपूर्ण ढंग से धरोहर राशि के रूप में समय सिंह लेखाकार द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द व अवर अभियन्ता अजय कुमार सिंह द्वारा मिल जुलकर क्षेत्र पंचायत बलियाखेड़ी को दुर्भावना से ग्रस्त होकर जानबूझकर वित्तीय क्षति पहुँचाई गई है। कार्य को मान्यता न देते हुए समस्त भुगतान की गई धनराशि का दायित्व का निर्धारण करते हुए खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द, अवर अभियन्ता अजय कुमार सिंह तथा लेखाकार समय सिंह से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त कार्य की पुष्टि में एम. एम. 11 प्रस्तुत नहीं रहा तथा रॉयल्टी की गणना का अन्तर आपत्तियों में अंकित किया जा चुका है।

(आपत्ति संख्या 44 (2))

प्रस्तर सं०-24

उ० प्र० क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33 के अनुसार क्षेत्र पंचायत एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जोड़ने वाले रास्ते/ सड़क को ही अपने प्रस्ताव में सम्मिलित कर उस पथ पर अन्य कार्यदाई संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही अपने प्रस्ताव में सम्मिलित कर स्वीकृति उपरान्त ही कार्य करा सकती है जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा कतिपय कार्य ऐसे कराये गये हैं जो ग्राम पंचायत की सीमाओं के अन्तर्गत आते हैं जैसे :-

क्रमांक	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	धनराशि	मद	वर्ष
1	शेखपुरा कदीम में मेन रोड से इनाम व कयूम की दुकान तक नाला निर्माण	एस. एस. कान्सट्रक्शन	996655	चतुर्थ राज्य वित्त	2015-16
2	टपरी कला से टपरीखुर्द को जाने वाले मार्ग पर सी. सी. नाली निर्माण	एस. एस. कान्सट्रक्शन	784436	राज्य वित्त आयोग /तेरहवाँ वित्त आयोग	2015-16
3	शेखपुरा कदीम में इकबाल के घर से रेलवे फाटक के पास सी. सी. निर्माण	एस. एस. कान्सट्रक्शन	381906	राज्य वित्त	2014-15
4	टपरीखुर्द में मस्जिद से शाहजाद के मकान तक सी. सी. कार्य	एस. एस. कान्सट्रक्शन	1107884	राज्य वित्त	2014-15
5	हसनपुर भलस्वा में साहिल हसन के मकान से मेहंदी हसन के घर तक सी. सी. कार्य	रविश इण्टरप्राइजेज	262378	—	2014-15
	योग		35,33,259		

इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करते हुए उ० प्र० क्षेत्र पंचायत/ जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33 के अन्तर्गत सीमाओं का अतिक्रमण कर क्रमांक (1) से (5) तक अंकन रु. 35,33,259 की गम्भीर अनियमितता कारित की गई है। उक्त के प्रति सम्बन्धित अवर अभियन्ता देवेन्द्र कुमार मुख्य रूप से उत्तरदाई है।

उपरोक्त अपुष्ट धनराशि रु. 35,33,259 आपत्तियों से ग्रस्त हैं। उक्त का भुगतान गम्भीर रूप से आपत्तिजनक रहा। उक्त समस्त धनराशि ब्याज सहित वर्ष 2014-15 में बी. डी. ओ. अरविन्द, मोतीराम तथा प्रदीप कुमार, लेखाकार समय सिंह व अवर अभियन्ता अजय कुमार से तथा वर्ष 2015-16 में बी. डी. ओ. राम प्रकाश शर्मा, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार तथा राहुल पाण्डेय व लेखाकार समय सिंह तथा अवर अभियन्ता देवेन्द्र कुमार से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 47)

जनपद का नाम-शामली

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर-1:-क्षेत्र पंचायत शामली की वर्ष 12-13 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि ठेकेदार के बिलों से 4 प्रतिशत व्यापार कर तथा 1 प्रतिशत लेवर सैश की कटौती न कर वर्ष आलोच्य में रु0 122685.00 वैट तथा रु0 32269.00 सैस काटकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए था। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-11)

प्रस्तर 2:-क्षेत्र पंचायत शामली के आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त एवं 12 वॉ वित्त के बैंक में जमा अनुदान पर कुल रु0 144293.00 ब्याज प्राप्त हुआ, जो सरकार को वापिस किया जाना चाहिए था, इसके लिए लेखा परीक्षा वर्षों में बी0डी. 0ओ0 श्री सरजीत सिंह एवं लेखाकर श्री कृष्णपाल उत्तरदायी है। उक्त धनराशि सरकार को वापिस की जानी चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर 3:- क्षेत्र पंचायत ऊन में ग्राम पुरमाफी में बालेन्द्र के मकान से जैन प्रकाश के मकान तक मिटटी एवं खडजा निर्माण कार्य दिनांक 10.03.13 से 31.03.13 तक कराया जाना दर्शित है, उक्त किये गये कार्य का कुल भुगतान रु0 63570.00 किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली जांच में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाये गये। जिससे लेखा परीक्षा की दृष्टि से किये गये कार्य का भुगतान अनियमित प्रतीत होता है। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि वसूली योग्य है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-08)

प्रस्तर 4:-क्षेत्र पंचायत ऊन के ग्राम हरसाना रेडी माजरा में गुलाब के घर से तालाब तक पक्का नाला निर्माण कार्य दिनांक 24.12.13 से 29.12.13 तक कराया जाना दर्शित है, जिसमें कुल भुगतान रु0 525744.00 व कटौती रु0 148598.00 उपरान्त कुल शुद्ध भुगतान रु0 477146.00 ठेकेदार/सप्लायर श्री लोकेश कुमार को किया जाना दर्शित है। उक्त कार्य की पत्रावली में निम्न कमियाँ पाई गयी।

अ-पत्रावली में संलग्न अनुबन्ध पत्र पर ठेकेदार लोकेश कुमार के हस्ताक्षर नहीं पाये गये व पत्रावली में संलग्न दो स्टाम्प पेपर प्रथम 100.00 रु0 पर दिनांक 10.12.13 की मोहर अंकित है जबकि स्टॉम्प पेपर के पृष्ठ भाग पर 19.12.13 तिथि अंकित है व रु0 50.00 के स्टाम्प पेपर पर 09.12.13 की मोहर अंकित जबकि पृष्ठ भाग पर 17.12.13 अंकित है। जिससे यह दर्शित होता है कि स्टाम्प पेपर बाद में कय कर उन्हे पहले की तिथियों में दर्शाया गया है।

स-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति उपलब्ध नहीं है।

द-कार्यपूर्ति प्रमाणक संलग्न नहीं है।

अतः इस प्रकार उक्त कराया गया कार्य संदिग्ध एवं अप्रमाणिक प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जी0पी0 गौतम से कराई जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-09)

प्रस्तर 5:-क्षेत्र पंचायत कैराना में उ0प्र.0 शासन के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 29 मई 2015 को जारी शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502/10-2015-10(33)-2010 के द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा कराया जाना था। आलोच्य वर्ष में संस्था को रु0 266077.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। उक्त शासनादेश के क्रम में उक्त ब्याज की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर 6:-क्षेत्र पंचायत कैराना के आलोच्य वर्ष दिनांक 31.03.17 को अवशेष अनुदान ग्रांट रजि0 अनुसार रु0 8085884.00 दर्शाया गया है। उक्त अप्रयुक्त अनुदान सम्बन्धित प्रादाता को वापिस किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी एवं संचालक मण्डल की है उक्त के प्रति विभागीय अधिकारियों का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर 7:-क्षेत्र पंचायत थानाभवन की वर्ष 2014-15 की जाँच में पाया गया है कि ठेकेदार प्रमोद राणा द्वारा कार्य की अवधि (अनुबन्ध) 2 माह तथा टैण्डर में तीन माह की अवधि अंकित की गई है। पत्रावली के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 10.12.14 तथा समाप्ति तिथि 10.08.15 अंकित है। जबकि टैण्डर के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 10.12.14 एवं समाप्ति तिथि 10.03.15 है। अनुबन्ध के अनुसार उक्त अवधि में कार्य पूर्ण न होने की दशा में 50/ रु0 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा अंकित है। कार्य अवधि टैण्डर के अनुसार 10.12.14 से 10.03.15 तक वास्तविक कार्य समाप्ति तिथि 10.08.15 कार्य अवधि 3 माह मानते हुए 5 माह का विलम्ब शुल्क 152 दिन • 50.7600.00 बिल से काटा जाना चाहिए था। जो नहीं काटा गया। इस प्रकार जे.ई. श्री प्रमोद कुमार डिंगल बी0डी0ओ0 श्री अनिल कुमार से रु0 7600.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-07)

प्रस्तर 8:-क्षेत्र पंचायत थाना भवन के आलोच्य वर्षों में ब्लॉक प्रमुखों को भुगतान किए गये मानदेय की पुष्टि में मानदेय रजि0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण भुगतान किए गए मानदेय की दर तथा अवधि की पुष्टि न हो सकी। ग्रांट रजि0 ii की जाँच में पाया गया कि दिनांक 28.02.15 को श्रीमति रीतू सिंह का 77000.00 के मानदेय का भुगतान किया गया है। परन्तु अवधि अंकित नहीं की गई है।

दिनांक 24.03.16 को श्रीमति रीतू सिंह को मार्च 15 से फरवरी 16 तक के मानदेय का भुगतान किया गया है। इसकी दर 7291.66 बैठती है जो किसी भी दशा में मान्य नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमति रीतू सिंह का कार्यकाल दिसम्बर 15 में समाप्त हो गया था तो उन्हें जनवरी तथा फरवरी के मानदेय देने का क्या औचित्य है। स्पष्ट है कि खण्ड विकास अधिकारी श्री पंकज कुमार द्वारा मनमाने ढंग से प्रमुखों को मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। अतः उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिमाह की दर स्पष्ट की जाए तथा अधिक मानदेय की वसूली 14582/-नियत मानदेय से अधिक दिए गए भुगतान की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी डा० पंकज कुमार से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-09)

प्रस्तर 9:- क्षेत्र पंचायत थाना भवन में निम्न तिथियों में एम /एस सिंगल सर्विस स्टेशन चरथावल से गाड़ी हेतु पेट्रोल/डीजल कय किया गया है।

तिथि	धनराशि
12.06.15	5733.00
12.06.15	8165.00
04.09.15	15226.00
03.10.15	8941.00
15.06.15	28256.00
योग-----	64321.00

जब ब्लॉक में गाड़ी ही नहीं है तो पेट्रोल/डीजल कय करने का कोई औचित्य ही नहीं है पुष्टि में पेट्रोल पम्प की रसीदें तथा गाड़ी की लॉग बुक भी प्रस्तुत नहीं की गई। यह भी अज्ञात रहा कि यात्राएँ किस के द्वारा की गई। लेखाकार द्वारा बताया गया कि पिछले कई वर्षों से गाड़ी ब्लॉक में नहीं है।

स्पष्ट है कि फर्जी भुगतान दर्शाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है अतः उक्त सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भीष्म सिंह से रु० 38065.00 तथा श्री पंकज कुमार से 26256.00 रु० की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति सं०-11)

प्रस्तर:-10:- क्षेत्र पंचायत थाना भवन में दिनांक 07.01.16 को जे.ई. श्री प्रमोद कुमार डिंगल को यारपुर में खडंजा निर्माण हेतु चैक सं० 555498.00 से 25900.00 रु० का भुगतान किया गया है जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा है। ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे कार्य का भुगतान ठेकेदार को ही किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अनियमित तरीके से जे.ई. को 25900.00 का भुगतान किया गया है जिसके लिए वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए श्री पंकज कुमार खण्ड विकास अधिकारी से रु० 25900.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-13)

प्रस्तर 11:- क्षेत्र पंचायत थाना भवन के ग्राम हिरनवाडा में स्कूल के पास बारात घर का पुर्न निर्माण कार्य /मरम्मत कार्य तेरहवाँ वित्त वर्ष 2014-15 में पत्रावली में टेण्डर के अनुसार कार्य अवधि 3 माह है, जबकि अनुबन्ध के अनुसार कार्य अवधि 60 दिन अंकित है तथा कार्य समय अनुसार समाप्त न होने की स्थिति में 50/- रु० प्रतिदिन की कटौती की जाएगी जो नहीं की गई है।

कार्य अवधि टेण्डर के अनुसार (प्रारम्भ 01.08.14 से समाप्ति 31.10.14) वास्तविक समाप्ति तिथि 13.04.15 अधिक लिये गये 164 दिवस 164*50/प्रतिदिन .8200/ की ब्याज सहित वसूली भुगतान स्वीकृति करता जे०ई० श्री प्रमोद कुमार डिंगल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०18(17))

प्रारूप-3

जनपद- चन्दौली

मण्डल- वाराणसी

क्षेत्र पंचायत

1- क्षेत्र पंचायत चन्दौली

वर्ष 2012-13 से 2015-16

प्रस्तर-1 क्षेत्र पंचायत चन्दौली/सदर, जनपद-चन्दौली के वर्ष 2012-13 से 2015-16 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण/गंभीर अनियमितता/दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में जिन पर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरांत ही भुगतान किया जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर "न काटे गये आयकर की धनराशि

" के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.26 प्रतिशत दर से सुनिश्चित की जानी है, लेकिन आलोच्य वर्षों के किसी भी वर्ष के किसी भी बिल से इसकी कटौती नहीं सुनिश्चित की गयी है।

2012-13 से 2015-16 तक सामग्री क़य पर कुल व्यय रुपये 34462650.00 रहा। इसपर नियमानुसार 2.26 प्रतिशत की दर से 778856.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए। लेकिन संस्था के अधिकारियों के शासनादेश का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से आयकर की कटौती नहीं की गयी। इस धनराशि की वसूली मय ब्याज संस्था के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर (4 मार्च 2008 से लागू 4 प्रतिशत) से मूल्य संवर्धित कर की कटौती की जानी है।

उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 1963 (यथा संशोधित 39वां संशोधन) के नियम 21 के अनुसार और शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर 2004 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु विधिवत अनुज्ञापन रवन्ना एम0एम0-11 एवं रायल्टी (19 जनवरी 2016 से 14 रुपये बढ़ा कर 30 रुपये प्रति घन मीटर) का देय सुनिश्चित किया गया है। निर्माण कार्यों में सामग्री पर भुगतान करते समय उक्त दर से रायल्टी कटौती संस्था द्वारा की जाती है।

कटौती करने के उपरान्त उसी वित्तीय वर्ष में उक्त वैट व रायल्टी की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान कुल वैट कटौती रु0 1520189 एवं रायल्टी कटौती 139421.00 हुई है। ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार दिनांक 08.07.2015 को वैट रु0 1329955.00 व रु0 128516.00 रायल्टी एवं दिनांक 11.01.2016 को रु0 115164.00 वैट व रु0 7957.00 रायल्टी एस0बी0आई0 चन्दौली में जमा किया जाना दर्शित है, परन्तु इस आशय का चालान लेखा परीक्षा में मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस जमा की पूर्णतः पुष्टि नहीं हो पाई। इस प्रकार 2015-16 के वर्षांत में रु0 75030.00 वैट व रु0 2948.00 रायल्टी (कुल रु0 77978.00) राजकीय कोषागार में जमा न करके अनियमितता की गयी है। इसके प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-3 निर्माण कार्यों में सन्निहित श्रमांश का भुगतान सीधे मजदूरों/श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्रमांश का भुगतान सीधे मजदूरों/श्रमिकों के खाते में न करके मनमाने तरीके से कार्य प्रभारी के नाम से निर्गत चेक के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु0 7377432.00 श्रमांश भुगतान किया गया है। यह धनराशि विभिन्न कार्य प्रभारियों के नाम से निर्गत चेक के माध्यम से आहरित की गयी है, जिनका विवरण इस प्रकार है— श्री ऋषि कुमार(ग्रा0वि0अ0) के नाम से रु0 4290587.00, श्री श्रीचन्द्र(ग्रा0वि0अ0) के नाम से रु0 2212963.00, श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी(ग्रा0वि0अ0) के नाम से रु0 57288.00, श्री लालजी दूबे(ए0डी0ओ0 पंचायत) के नाम से रु0 135970.00, श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव (ए0डी0ओ0 स्टे0) के नाम से रु0 162000.00, श्री बजरंगी पाण्डेय (ग्रा0पं0अ0) के नाम से रु0 152221.00, श्री केशव प्रसाद (ग्रा0वि0अ0) के नाम से रु0 184950.00, श्री गुलाब पाण्डेय (ग्रा0पं0अ0) के नाम से रु0 62615.00, श्री किशोर राम (ए0डी0ओ0 आइ0एस0बी0) के नाम से रु0 74000.00, श्री धनन्जय कुमार सिंह (ग्रा0वि0अ0) के नाम से रु0 17400.00 तथा श्री संजीव कुमार (ग्रा0पं0अ0) के नाम से रु0 27438.00। उल्लेखनीय है कार्य प्रभारी के नाम निर्गत चेक के माध्यम से श्रमांश भुगतान होने से मजदूरों/श्रमिकों को उचित श्रमांश प्राप्त होने की पूर्णतः पुष्टि नहीं होती। यह भी संभव हो सकता है कि अनुचित तरीके से अंगूठा लगवाकर या हस्ताक्षर लेकर मनमाने ढंग से मजदूरों को कम श्रमांश दिया गया हो और शेष धनराशि अपहृत कर ली गयी हो। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से प्राप्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्ष 2012-13 में संस्था के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए धनराशि रुपया 5348.00 को मनमाने तरीके से अक्षय उर्जा मद व स्टेशनरी मद में स्थान्तरित कर व्यय किया गया है। जबकि नियमानुसार यह धनराशि शासन को वापस किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा न कर अनियमितता की गयी है जिसकी वसूली संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 212(5) के अनुसार राज्य सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, जब उनको केन्द्रीय अनुदान स्थानीय निकायों के माध्यम से व्यय करने हेतु प्रदान किये जाए। उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही अग्रेतर अनुदान की किश्तें अवमुक्त की जानी थी।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत के पास विगत वर्षों के अत्यधिक मात्रा में अप्रयुक्त अवशेष थे, फिर भी क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुदान प्राप्त किया गया। जो दर्शाता है कि अनुदान के अग्रेतर किश्तों को पूर्ण उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना तथा अनुदानों के वास्तविक उपभोग सुनिश्चित किये बिना अवमुक्त किया गया। क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में कराये गए निर्माण कार्यों में हुए व्यय रु0 27085218.00 की पुष्टि में राज्य वित्त आयोग का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। उपभोग प्रमाण पत्र एवं परिसम्पत्ति पंजिका के अभाव में ये

व्यय अनियमित प्रतीत होते हैं, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

2- क्षेत्र पंचायत चन्दौली

वर्ष 2016-17

प्रस्तर- 6 क्षेत्र पंचायत चन्दौली/सदर, जनपद-चन्दौली के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण/गंभीर अनियमितता/दुरुपयोग के प्रकरण प्रकाश में जिन पर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर “न काटे गये आयकर की धनराशि” के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.26 प्रतिशत दर से सुनिश्चित की जानी है, लेकिन आलोच्य वर्षों के किसी भी वर्ष के किसी भी बिल से इसकी कटौती नहीं सुनिश्चित की गयी है।

2015-16 से 2016-17 तक सामग्री क्रय पर कुल व्यय रुपये 6875787.00 रहा। इसपर नियमानुसार 2.26 प्रतिशत की दर से 154018.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए। लेकिन संस्था के अधिकारियों के शासनादेश का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से आयकर की कटौती नहीं की गयी। इस धनराशि की वसूली मय ब्याज संस्था के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 की धारा 3(7) के अन्तर्गत वर्क कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान की दशा में किसी ठेकेदार से निर्धारित दर (4 मार्च 2008 से लागू 4 प्रतिशत) से मूल्य संवर्धित कर की कटौती की जानी है।

उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 1963 (यथा संशोधित 39वां संशोधन) के नियम 21 के अनुसार और शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर 2004 के अनुसार निर्माण कार्यों में भराई आदि प्रयुक्त होने वाली साधारण मिटटी के खनन हेतु विधिवत अनुज्ञापन रवन्ना एम0एम0-11 एवं रायल्टी (19 जनवरी 2016 से 14 रुपये बढ़ा कर 30 रुपये प्रति घन मीटर) का देय सुनिश्चित किया गया है। निर्माण कार्यों में सामग्री पर भुगतान करते समय उक्त दर से रायल्टी कटौती संस्था द्वारा की जाती है।

कटौती करने के उपरान्त उसी वित्तीय वर्ष में उक्त वैट व रायल्टी की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। दिनांक 01.04.2016 को रु0 75030.00 वैट कटौती राजकीय कोषागार में जमा किया जाना शेष था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में वैट कटौती रु0 232292.00 के साथ कुल वैट कटौती रु0 307322.00 हो गयी। ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार दिनांक 17.03.2017 को वैट रु0 198724.00 एस0बी0आई0 चन्दौली में जमा किया जाना दर्शित है, परन्तु इस आशय का चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस जमा की पूर्णतः पुष्टि नहीं हो पाई। इस प्रकार 2016-17 के वर्षांत में रु0 108598.00 वैट कटौती राजकीय कोषागार में जमा न करके अनियमितता की गयी है। इसके लिए जिम्मेदार कार्मिकों/अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-8 निर्माण कार्यों में सन्निहित श्रमांश का भुगतान सीधे मजदूरों/श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्रमांश का भुगतान सीधे मजदूरों/श्रमिकों के खाते में न करके मनमाने तरीके से कार्य प्रभारी के नाम से निर्गत चेक के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2016-17 में बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य “मुगलसराय चकिया मार्ग से नवाबपुर पर पत्थर चौका का कार्य” पर रु0 266634.00 का श्रमांश भुगतान किया गया है। यह धनराशि कार्य प्रभारी, श्री संजीव कुमार सिंह (ग्राम विकास अधिकारी) के नाम से निर्गत चेक के माध्यम से आहरित की गयी है। और पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाये गए उन पर मस्टररोल नम्बर अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि यह विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। मस्टररोल पर लगे अंगुठे का निशान प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है एवं उनके वयस्क होने का कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि, फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकित कुल रु0 266634.00, योजनाबद्ध तरीके से अपहृत कर लिया गया है। इसके लिए ख0वि0अ0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

3- क्षेत्र पंचायत नियमताबाद

वर्ष 2013-14 से 2014-15

प्रस्तर-9 13वें वित्त से सम्पादित निम्न कार्य योजनाओं से सम्बन्धित कार्य प्रभारियों द्वारा मजदूरी का नगद भुगतान किया गया है जबकि नियमानुसार कार्य योजना के लागत के अनुसार एमबी के आधार पर सामग्री क्रय की दशा में फर्म को एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से आयकर व विक्री कर वैट, रायल्टी काटने के बाद भुगतान किया जाना चाहिए तथा मजदूरी की दशा में सम्बन्धित कार्य प्रभारी को सप्ताहिक 5000 रुपये तक का ही भुगतान किया जा सकता है। परन्तु निम्न योजनाओं में संस्था के द्वारा दर्शित कार्य प्रभारियों को बड़ी-बड़ी धनराशि उनको चेक से दे दी

गयी जिससे उनके द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान किया गया है। जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40क3(घ) का उल्लंघन है। यह भी उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के खाते पहले से खुले हैं। शासनादेश संख्या 2686/752/पं0रा0जी0ए0/2011, दिनांक 20.07.11 के अनुसार भी राज्य/तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से मस्टररोल से कराये गये कार्यों के सापेक्ष कुशल/अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान चेक से किया जाना है। स्पष्ट है कि खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटे लाल एवं श्री सुभाष चन्द्र अस्थाना व सहायक लेखाकार व निम्न कार्य प्रभारियों द्वारा मिलकर वित्तीय नियमों/शासनादेश की अवहेलना करते हुए गंभीर अनियमितता की गयी।

क्र० सं०	कार्य योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर नगद व्यय	मजदूरी प्राप्त करने वाले प्रभारी
1	बौरी में दया विचार के घर से जवाहिर वियार के घर तक ढक्कनदार नाली	4.83 लाख	377437	49400	अजय कुमार ग्रा0वि0अ0
2	भिसौड़ी मार्ग से मस्जिद होते मिठाईलाल के घर तक सीवर कार्य	5.13 लाख	435953	76050	अजय कुमार ग्रा0वि0अ0
3	लोहरा में 1.5 मी0 स्पन आरसीसी पुनिया कार्य	154000	118708	27950	अजय कुमार ग्रा0वि0अ0
4	मन्नापुर बार्डर पर पुलिया का निर्माण	154800	121243	29700	अजय कुमार ग्रा0हि0अ0
5	लौदा में छोटे चौक से अंसार मास्टर के घर के एवं इसरार से इस्तेहार के घर के आगे पोखरी तक ढक्कनदार नाली	434000	349288	64600	धनंजय सिंह ग्रा0वि0अ0
6	पतेरवां में मेन रोड पर राजेन्द्र चौहान के मकान से राम लखन के मकान तक सीवर कार्य	1.91 लाख	150858	26450	धनंजय सिंह ग्रा0वि0अ0
7	ग्राम डहिया में परोरवां माइनर से लंका रोड तक माइनर सफाई दिनांक 4.10.13 से 126000 नकद 22.10.13 से 168000 योग— 456000	480000	—	456000	उपेन्द्र सिंह ग्रा0पं0वि0अ0 /स0वि0अ0 पं0
8	महावलपुर में गरीब शर्मा के घर से शंकर के घर होते बचाऊ बिस्मिल्लाह के घर तक पक्की नाली	475000	324630	87700	उपेन्द्र सिंह ग्रा0पं0अ0
9	सुरौली में मनोज पटेल के घर के पास कूप मरम्मत एवं जगत निर्माण	0.75 लाख	61440	12950	प्राप्तकर्ता प्रभारी
10	पंचोखर में कमला तिवारी के घर के पास कूप जगत निर्माण	0.64 लाख	44615	9150	उपेन्द्र सिंह ग्रा0पं0अ0
11	सिकन्दरपुर में बाढू साव के घर के पास कूप जगत निर्माण	58000	47210	10800	दिग्विजय कुमार
12	पंचोखर में रहीम के मकान के पास कूप जगत निर्माण	63972	37418	6050	दिग्विजय कुमार
13	रेमा में बहादुर बिंद के घर के पास कूप जगत निर्माण	0.54 लाख	42973	8800	उपेन्द्र सिंह ग्रा0पं0अ0
14	गोधना में गंगा राम के घर के पास कूप जगत निर्माण	54000	43056	10200	उपेन्द्र सिंह ग्रा0पं0अ0
15	चन्दाइत में समसुद्धीन के घर के पास कूप जगत निर्माण	55000	35909	5100	उपेन्द्र सिंह ग्रा0पं0अ0
16	सिंधीताली में बच्चे लाल कन्नौजिया के घर के पास नाली निर्माण	54000	41992	8800	उपेन्द्र सिंह ग्रा0पं0अ0
17	नीबपुर में धन्नोदेवी के पास कूप जगत निर्माण	58000	40137	8000	उपेन्द्र सिंह ग्रा0पं0अ0
18	गोधना में काली जी के मंदिर के पास कूप	54000	41712	40050	उपेन्द्र सिंह

	जगत निर्माण				ग्रा0पं0अ0
19	पटनवाँ में डिहबाबा के पास कूप जगत निर्माण	64000	52508	11500	अजय कुमार ग्रा0पं0अ0
20	भोगवार में जवाहिर पटेल का कूप जगत निर्माण	55000	45519	9550	अजय कुमार ग्रा0पं0अ0
21	गोपालपुर में मस्जिद से यादव बस्ती तक नाली निर्माण	1.49 लाख	118940	23350	धन्नजय कुमार सिंह, ग्रा0वि0अ0
22	सतपोखरी से सोनकर बस्ती तक कूप जगत निर्माण	63000	49593	11450	दिनेश सिंह, ग्रा0पं0अ0
23	इसनपुर में कन्हैया के घर के पास कूप जगत निर्माण	54000	44694	8650	दिग्विजय कुमार
24	गंगेहरा में गोलू बिंद के घर के पास कूप जगत निर्माण	59000	46950	9050	धन्नजय सिंह
25	गुवास में नरेश मिश्र के घर के पास कूप जगत निर्माण	54000	40657	8450	धन्नजय सिंह
26	बहादुरपुर में मलहिया बस्ती में हरी वकील के घर के आगे कूप जगत निर्माण	64000	52160	8200	श्रीष त्रिपाठी
27	घरहूपुर में पंचायत घर के पास गड्डरनदी पर आरसीसी पुलिया निर्माण	350000	305715	27200	अजय कुमार ग्रा0वि0अ0
28	भरछा में बड़ी नहर से त्रिभवन सिंह के खेत तक यू टाइप नाली निर्माण	4.15 लाख	320730	84950	अजय कुमार ग्रा0वि0अ0
	योग	—		1110100	

इस प्रकार रु0 1110100.00 मजदूरी का नगद भुगतान किया गया जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी(तत्कालीन), सहायक लेखाकार व सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी रहे। जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय।

प्रस्तर-10

शासनादेश संख्या 10-2015/ए-1502(1)/दस-2015-10(33/2015 के अनुसार “ शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों के बैंक में रखने के बाद जो ब्याज अर्जित होगा वह संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज राजकोषागार में जमा कर दिया जायेगा”। वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न योजनाओं का ब्याज रु0 8163457.87 का उपभोग योजनाओं के धन के साथ कर दिया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा वर्ष में रु0 816345.87 धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल व श्री सुभाष चन्द्र अस्थाना एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी रहे। उक्त धनराशि कोषागार में जमा कराने की कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिए।

प्रस्तर-11

राज्यवित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराये धन के सापेक्ष कराये गए कार्यों में पाया गया कि मजदूरी की धनराशि मजदूरों के खाते में न देकर कार्य प्रभारी द्वारा नगद भुगतान किया गया है। जबकि नियमानुसार सम्बन्धित काग्र प्रभारी साप्ताहिक 5000 तक का ही भुगतान कर सकता। वैसे भी अधिकांश श्रमिकों के मनरेगा योजना के अन्तर्गत खाते पहले से हैं। ऐसे में नकद भुगतान करने का औचित्य नहीं है। साथ ही शासनादेश संख्या 2686/752/पं0रा0जी0ए0/2011, दिनांक 20.07.11 के अनुसार राज्य/तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से मस्टररोल से कराये गये कार्यों के सापेक्ष कुशल/अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान चेक से किया जाना है। इसका भी पालन क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं किया गया।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राप्त किया धनराशि	सामग्री व्यय	मजदूरी अंश पर व्यय	उत्तरदायी कार्य प्रभारी
1	कूढकला में पप्पू यादव के घर से मोहन के घर तक चौका	396000	289858	100600	धन्नजय सिंह, ग्रा0वि0अ0
2	कठौरी में सीताराम बिंद के घर से नहर तक चौका	373800	288200	73850	केशव प्रसाद
3	अमोधपुर में नरेन्द्र यादव के घर से मंगल यादव के घर तक चौका	5.78 लाख	421475	23000	अजय कुमार ग्रा0वि0अ0

	व साइडवाल निर्माण				
4	ग्राम एकौकी में डंगर यादव के घर से नहर तक पुलिया तक चौका निर्माण	595000	410762	140000	अजय कुमार / देवमूरत शर्मा एडीओ आइएसबी
5	गोधना में पिच रोड से मस्जिद तक चौका	691000	517321	171500	अजय कुमार ग्रा0वि0अ0
6	बौरी में तालाब निर्माण	5.29 लाख	430180	97410	उपेन्द्र सिंह
7	सतपोखरी में मो0 शकील के घर से अनवर अली के घर होते अस्पताल तक चौका कार्य	2.54 लाख	188760	56400	धनन्जय सिंह, ग्रा0वि0अ0
8	ग्राम देवई में लल्लन यादव के घर से काशी यादव के घर तक चौका कार्य	2.38 लाख	181794	50778	धनन्जय सिंह, ग्रा0वि0अ0
9	भोजपुर में बौरी के घर से शिव मंदिर तक चौका कार्य	1.91 लाख	80500	17500	धनन्जय सिंह, ग्रा0वि0अ0
10	मलौखर में दिनेश अहमद के दूकान से अलीमुन के घर से तक चौका कार्य	2.56 लाख	209825	43700	अजय कुमार ग्राविअ
11	लौंदा में अंसार अहमद के घर से चौक होते इसरार के घर से पोखरी तक चौका	3.80 लाख	238000	87600	धनन्जय सिंह, ग्रा0वि0अ0
			योग	862338	

इस प्रकार रु0 862380.00 की गंभीर अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, सहायक लेखाकार व उक्त कार्य प्रभारी उत्तरदायी रहे। इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

प्रस्तर-12

इसी प्रकार पि0क्षे0 अनुदान निधि के अन्तर्गत कराये गये निम्न कार्यों के लिए कार्य प्रभारियों ने रु0 1728250.00 नगद मजदूरी दिया। मजदूरी मजदूरों के खाते में नहीं दी गयी है। कार्य प्रभारियों को साप्ताहिक 5000 तक का ही भुगतान न करके बड़ी-2 धनराशि देकर ग्राण्ट के उपभोग में गम्भीर अनियमितता की गयी साथ ही आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 क3(घ) का भी उल्लंघन किया गया जो एक गम्भीर प्रकरण है। विवरण निम्न प्रकार है—

क्र0 सं0	चेक सं0/दिनांक	धनराशि	भुगतान लेने वाले व्यक्ति का नाम	कार्य का नाम जिसकी मजदूरी दी गयी
1	122210 / 10.09.13	18800	देव मूरत शर्मा	भिसौडी में चौका कार्य
2	122234 / 21.10.13	126100	देव मूरत शर्मा	भिसौडी में चौका कार्य
3	122908 / 06.09.13	17100	कौशलेन्द्र सिंह ग्रा0पं0अ0	हमीदपुर में चौका सीवर कार्य
4	127885 / 30.10.13	56900	कौशलेन्द्र सिंह ग्रा0पं0अ0	हमीदपुर में चौका सीवर कार्य
5	127888 / 11.11.13	12050	दिनेश सिंह ग्रा0पं0अ0	बहादुर में चौका कार्य
6	127899 / 09.01.14	51750	दिनेश सिंह ग्रा0पं0अ0	बहादुर में चौका कार्य
7	127892 / 26.12.13	45850	देवमूरत शर्मा	हरिशंकरपुर में चौका कार्य
8	122231 / 09.10.13	117600	देवमूरत शर्मा	मवईकला में चौका निर्माण
9	127884 / 29.10.13	59700	सुधीर कुमार	मन्नापुर के खुटहां में सीवर चौका कार्य

10	127895 / 11.12.13	61900	सुधीर कुमार	मन्नापुर के खुटहां में सीवर चौका कार्य
11	119210 / 05.08.13	108750	सुधीर कुमार	ब्लाक संसाधन केन्द्र की निर्माण कार्य मजदूरी
12	127891 / 25.11.13	16000	दिनेश सिंह ग्रा0पं0अ0	मदिया में चौका कार्य
13	127900 / 09.01.14	45000	दिनेश सिंह ग्रा0पं0अ0	मदिया में चौका कार्य
14	127870 / 15.12.14	75000	अजय कुमार ग्रा0पं0अ0	चन्द्ररवा में चौका कार्य / नाली कार्य
15	127879 / 14.03.14	104750	अजय कुमार ग्रा0पं0अ0	चन्द्ररवा में चौका व नाली कार्य
16	127893 / 07.12.13	104900	उपेन्द्र सिंह	चौरहर में चौका कार्य
17	127898 / 28.12.13	71700	उपेन्द्र सिंह	चौरहर में चौका कार्य
18	122238 / 26.10.13	131050	श्रीश त्रिपाठी ग्रा0वि0अ0	मिल्कीपुर मुस्लिम बस्ती में चौका कार्य
19	122239 / 26.10.13	202950	दिग्विजय कुमार ग्रा0वि0अ0	महदेउर मेनरोड से ग्रा0वि0 होते हुए पोखरा तक सी सी रोड
20	122240 / 26.10.13	135650	दिग्विजय कुमार ग्रा0वि0अ0	मध्य से सुरौली तक चौका कार्य
21	127882 / 29.10.13	40950	श्री रामकृष्ण तिवारी ग्रा0वि0अ0	खजूरगांव हथेरवा में सी सी रोड
22	127875 / 14.03.13	59500	अजय कुमार ग्रा0वि0अ0	कुण्डाखुद में चौका कार्य
23	127890 / 21.04.13	64300	अजय कुमार ग्रा0वि0अ0	कुण्डाखुद में चौका कार्य
	योग	1728250		

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के अनुसार 1728250.00 की गम्भीर अनियमितता मजदूरी भुगतान में की गयी है जिसके लिए उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल व श्री सुभाष चन्द्र अस्थाना, सहायक लेखाकार व कार्य प्रभारी रहे।

प्रस्तर-13 13वें वित्त से प्राप्त अनुदान से भिसौड़ी सम्पर्क मार्ग से मस्जिद होते मिठाई लाल के घर तक सीवर कार्य के कराया गया है। जिसके कार्य प्रभारी अजय कुमार व देश मूरत शर्मा है। इसका स्वीकृति स्टीमेट 4.37 लाख सामग्री व 0.76 लाख श्रम कुल मिलाकर 5.13 लाख है।

प्रस्तुत पत्रावली में 12.07.13 को ख0वि0अ0 कार्यालय द्वारा कोटेशन आमंत्रित किया गया है जिसे मे0 सिंह इण्टरप्राइजेज, मे0 गुप्ता इण्टरप्राइजेज व मे0 शिवा इण्टरप्राइजेज द्वारा स्वीकार कर अपने ओर से न्यूनतम दरें प्रस्तुत की गयी। जिसमें तीनों में न्यूनतम दर का कोटेशन होने के कारण मे0 शिवा इण्टरप्राइजेज को सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया है। जिसके आधार पर 18.07.13 को शिवा इण्टरप्राइजेज से 145670 एवं 20.07.13 को रु0 183400.00 की सामग्री क्रय की गयी है।

शासनादेश संख्या ए0-1-2086/दस-96-15(1),86 दिनांक 14.10.1999 के संशोधित शासनादेश संख्या ए-1-864(1)/ दस-2008 15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुपालन में 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य हो गया है। जिससे इकाई को तुलनात्मक दर का लाभ मिल सके।

उक्त शासनादेश का पालन न करते हुए कोटेशन के आधार पर सामग्री का अनियमित क्रय किया गया है। रु0 329070.00 के अनियमित क्रय हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल, सहायक लेखाकार श्री श्याम जी पाल एवं कार्य प्रभारी अजय कुमार देवमूरत शर्मा सीधे उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-14

लेहरा में "1.5 मीटर आरसीसी पुलिया का निर्माण" 13वें वित्त से प्राप्त अनुदान से किया गया है। जिसमें श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए निम्न मस्टररोल प्रयुक्त हुए हैं-

कार्यावधि-15.1.14 से 21.1.14- रु0 13250 का मस्टररोल है जिसमें

1-सोमारु पुत्र सोहन रु0 1750/धन प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान नहीं है।

2—पम्बर पुत्र बचाऊ रु0 1750/धन प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान नहीं है।

3—नन्दलाल पुत्र सिराराम रु0 1500//धन प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान नहीं है।

योग :- रु0 5000.00

इसी प्रकार 27.01.14 से 2.2.14 के सप्ताहिक मस्टररोल में (1) सोमरु रु0 1750.00 (2) पम्बर रु0 1750.00 (3) नन्दलाल रु0 1500.00 योग रु0 5000.00 का धन प्राप्तकर्ता के पुष्टि स्वरूप हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है। मस्टर रोल से मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं हुई। उक्त धन रु0 10000.00 मजदूरों को भुगतान न करके अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी, श्री सुभाष चन्द्र अस्थाना, सहायक लेखाकार एवं कार्य प्रभारी श्री अजय कुमार ग्राम विकास अधिकारी से किया जाना चाहिए।

प्रस्तर—15 “बहादुरपुर में मंशा यादव के कूप जगत निर्माण” 13वें वित्त से कार्य योजना हेतु 64000 स्वीकृति किया गया है। कार्य प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी के दिनांक 24.10.13 के आदेश से श्रीष त्रिपाठी, ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री अखिलेश सिंह अ0अभि0 बनाए गए हैं।

पत्रावली में उक्त कार्य आदेश के क्रम में शिवा इण्टरप्राइजेज बिल संख्या 0444/25.10.13 का वाउचर प्रस्तुत किया गया है। जिसपर खण्ड विकास अधिकारी व कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर हैं किन्तु धन प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर नहीं है। सामग्री मूल्य भुगतान करने की अनुशंसा जेई आरईयस अखिलेश सिंह द्वारा की गयी है। रु0 34300 की एम0बी0 कर दी गयी है। वैट, रायल्टी काट कर चेक संख्या 103729/28.10.13 के द्वारा शिवा ई0 को रु0 31476.00 भुगतान भी कर दिया गया है। किन्तु इसके बाद इस योजना में कोई व्यय मजदूरी आदि का पूरे वर्ष नहीं है। सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र/डीपीसी-9 भी नहीं है। उक्त धन को निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम 35 उपनियम 2 के अन्तर्गत उच्चतम खाते में भी नहीं डाला गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त सामग्री के क्रय प्रमाणक पर धन प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर नहीं है। सामग्री प्रयुक्त करने के लिए मजदूरी नहीं दी गयी। फर्जी सामग्री पर भुगतान कर रु0 34300.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल व कार्य प्रभारी श्रीष त्रिपाठी व अखिलेश सिंह व स0ले0 से की जानी चाहिए।

प्रस्तर—16 ग्राम कुढकला में राज्य वित्त से पप्पू यादव के घर से मोहन लाल शर्मा के घर तक चौका निर्माण हेतु 396000 धनराशि स्वीकृत की गयी है। खण्ड विकास अधिकारी के आदेश संख्या क्रमांक 2666/30.3.13 के क्रम में श्री धनंजय सिंह ग्रा0वि0अ0 एवं श्री जगदीश प्रसाद को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। दिनांक 01.4.13 को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा कोटेशन की मांग सामग्री हेतु की गयी है। कोटेशन को शिवा इण्टरप्राइजेज को दिया गया है। जिसके आधार पर बिल संख्या 191/2.4.13 को प्रथम सामग्री आपूर्ति मूल्य 98600 फिर बिल संख्या 199/20.4.13 से रु0 55088 व 208/28.4.13 को 111490 सहित कुल 289858 की सामग्री क्रय की गयी है।

शासनादेश संख्या ए-1-864(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। टेण्डर आमंत्रित न करके शासनादेश की अवहेलना करते हुए रु0 289858 मूल्य की सामग्री का अनियमित क्रय किया गया। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, सहायक लेखाकार व कार्य प्रभारी धनंजय सिंह, जगदीश प्रसाद सीधे उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—17 अमोघपुर में “नरेन्द्र यादव के घर से मंगल यादव के घर तक चौका व साइडवाल का निर्माण” राज्यवित्त से किया गया है। कार्य का स्टीमेट 578665 का है जिसे अधीक्षण अभियंता डीआरडीए के द्वारा दिनांक 20.4.13 को स्वीकृत दी गयी है। दिनांक 15.4.13 को कार्यालय आदेश से श्री अजय कुमार ग्रा0वि0अ0 व अखिलेश कुमार सिंह जेई को कार्य प्रभारी बनाया गया है। दिनांक 16.4.13 को कोटेशन का मांग पत्र दिया गया है। तुलनात्मक चार्ट में न्यूनतम दर होने के कारण दिनांक 18.4.13 को शिवा इण्टरप्राइजेज को सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया है जिसके क्रम में शिवा इण्टरप्राइजेज बिल क्रमांक 203/25.4.13 को रु0 102500.00 की प्रथम सामग्री आपूर्ति की गयी है। जबकि शासनादेश संख्या ए-1-864(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। इसका पालन न करके कोटेशन पर कुल 421475.00 की खरीद की गयी है जिससे इकाई को तुलनात्मक दर का लाभ नहीं मिल सका। इस प्रकार शासनादेश की अवहेलना कर क्रय में अनियमितता की गयी।

उक्त कार्य पर सामग्री क्रय कर एमबी के अनुसार व्यय 421475.00 व मजदूरी 23000.00 है। इस प्रकार कुल व्यय रु0 444475.00 व्यय किया गया है। जिसमें श्रम पर मात्र 5.17 प्रतिशत ही व्यय किया गया है। पत्रावली में खण्ड विकास अधिकारी का एक पत्र है जिसमें कार्य प्रभारी को 578000 स्वीकृत व्यय के सापेक्ष 444475 व्यय करने के बाद भी अभी तक कार्य पूर्ण कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लगाने पर आपत्ति की गयी है। इसके बावजूद कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लगा न ही कार्यवाही की गयी। इस प्रकार उक्त कार्य पर किया गया व्यय रु0 444475.00 में गम्भीर अनियमितता रही। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल, श्री अजय कुमार व श्री अखिलेश सिंह कार्य प्रभारी तथा सहायक लेखाकार उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

प्रस्तर—18 ग्राम पंचायत लौदा में काली जी के मंदिर के पास से सारनाथ यादव के घर तक चौका कार्य राज्यवित्त से किया गया है। कार्य का स्टीमेट 3.12 लाख है कार्य प्रभारी श्री दिग्विजय सिंह ग्रा0वि0अ0 व जेई श्री अखिलेश सिंह

है। कार्य शुरु करने के पूर्व टेंडर आमंत्रित न करके कोटेशन मांगा गया है। जबकि 100,000 से अधिक मूल्य की सामग्री कय की जानी थी। इस पर सामग्री पर व्यय 97050+50227-147277 किया गया है। इस प्रकार कय 147277 अनियमित रहा। उक्त अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल कार्य प्रभारी श्री दिग्विजय कुमार व सहायक लेखाकार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 “ब्लाक रिसोर्स सेंटर नियमताबाद के भवन का अवशेष कार्य” बी0आर0जी0एफ0 मद से किया गया है। मे0 शिवा इ0 का प्रमाणक कं0 संख्या 234, दिनांक 01.08.13 का कोटेशन था जिसे कलम से काट कर कैशमोमो लिख दिया गया है। यह प्रमाणक रु0 184559 का है जो वास्तविक/वैध प्रमाणक नहीं है कार्य में संदिग्धता का द्योतक है। वाउचर पर कटिंग व अपरलेखन स्वीकार्य नहीं है। प्रमाणक कार्यप्रभारी सुधीर सिंह, जे0ई0 व ख0वि0अ0 श्री छोटेलाल तथा सहायक लेखाकार के द्वारा भुगतानित है। कैशमोमो की जगह कोटेशन पर भुगतान कर कय से अनियमितता की गयी है। जिसके लिए कार्य प्रभारी सुधीर सिंह, सहायक लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय।

प्रस्तर-20 महदीउर में मेन रोड से ग्रा0पा0 होते पोखरा तक सीसी रोड बनायी गयी है। योजना की अनुमानित लागत 12 लाख है। इसके कार्य प्रभारी दिग्विजय कुमार ग्रा0वि0अ0 हैं। उक्त पत्रावली में निम्न मस्टररोल संलग्न है—

3 से 9.3.13	30000	10 से 16.10.13	30000
3 से 9.3.13	21000	10 से 16.10.13	21000
3 से 9.3.13	21000	10 से 16.10.13	21000
3 से 9.3.13	21000	10 से 16.10.13	21000
3 से 9.3.13	8400	10 से 16.10.13	8550
		योग	202950

उक्त मस्टर रोलो पर निम्न आपत्तियां है :-

1-उक्त मजदूरी कार्यप्रभारी को दिनांक 26.10.13 को दी गयी है जबकि इसे सीधे मजदूरों के खाते में दिया जाना चाहिए था।

2-सारे अंगुष्ठ चिन्ह एक ही व्यक्ति के भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं।

3-88 मजदूरों में एक भी साक्षर नहीं है। सभी अंगुष्ठ है। वह भी अप्रमाणित। एक भी अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं है।

4-निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर व कार्य की माप दर्ज नहीं है। उक्त कार्य के मस्टररोल संदिग्ध व व्यय काल्पनिक प्रतीत होते हैं। उक्त अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटेलाल, सहायक लेखाकार व प्रभारी दिग्विजय कुमार उत्तरदायी हैं। इन पर विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए।

प्रस्तर-21 शासनादेश संख्या 10-2015/ए-1502(1)/दस-2015-10(33/2015 के अनुसार “ शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों के बैंक में रखने के बाद जो ब्याज अर्जित होगा वह संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज राजकोषागार में जमा कर दिया जायेगा”। वित्तीय वर्ष 2014-15 में विधिक योजनाओं का ब्याज रु0 408466.76 का उपभोग योजनाओं के धन के साथ कर दिया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में रु0 408466.76 धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र अस्थाना, श्री विजय प्रकाश सिंह एवं सहायक लेखाकार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 वित्तीय वर्ष 2014-15 में रायल्टी का रु0 29679.00 पूरे वित्तीय वर्ष रोककर रखा गया है। जिसे राजकीय कोषागार 0853 में तत्काल जमा कर दिया जाना चाहिए था। उक्त धन को रोके रख कर अनियमितता की गयी जिसके लिए श्री छोटेलाल व श्री सुभाष चन्द्र अस्थाना ख0वि0अ0 व स0लेखाकार उत्तरदायी रहे। उक्त धन तत्काल जमा कराया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 दिनांक 31.03.2015 को रु0 8139983.30 अवशेष अनुदान खाते में अवशेष रहा। स्पष्ट है कि वास्तविक उपभोग की गति धीमी है जिससे शासन की अपेक्षा के अनुरूप विकास कार्य न कराकर विकास कार्यों को बाधित किया गया। इस प्रकार रु0 8139983.30 की धनराशि अनियमित रूप से रोके रखा गया। जबकि नियमानुसार वर्षांत तक समस्त धनराशि उपभोग कर ली जानी चाहिए अन्यथा की स्थिति में उसे शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन को एवं ब्याज को शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्तिमां मद में इकट्ठा करके आगामी वर्ष के बजट की तैयारी में आय कर स्रोत माना जाता है। यदि किसी कारण से धन वापस न किया जा सके तो आगामी वर्ष में उपभोग हेतु महालेखाकार उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी जो नहीं ली गयी। संस्था द्वारा राजकीय धन रोका जाना गंभीर अनियमितता है जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 शासनादेश संख्या ए-1-351/दस-2011, दिनांक 30 अगस्त 2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने की विधिक जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी की है। यदि डीडीओ(आहरण वितरण अधिकारी) की त्रुटि से अर्थदण्ड एवं ब्याज देयता की स्थिति बनती है तो उसके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही की जायेगी। संस्था द्वारा 31.03.15 को वैट कटौती का 75583 रोककर रखा गया है। जबकि इसे

कोषागार में जमा कर देना चाहिए था। उक्त अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय प्रकाश सिंह व सहायक लेखाकार उत्तरदायी रहे। नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

प्रस्तर-25 13वां वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान से बौरी में दया वियार के घर से जवाहिर वियार के घर तक ढक्कनदार नाली का निर्माण कराया गया है। कार्य की मजदूरी हेतु 16.06.14 से 22.06.14 तक का साप्ताहिक मस्टररोल है जिसमें क्रमांक 01 से 14, मगरू से भण्डारी तक मजदूरी के नाम दर्ज है जिसके पुष्टि में कुल 13 प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हैं। (हस्ताक्षर 03, अंगूठा 10) जबकि एक मजदूरी का प्रमाण स्वरूप ह0/अंगूठा निशान नहीं है। दी गयी मजदूरी में से 1050(150 की दर से 7 कार्य दिवस) की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी, सहायक लेखाकार व कार्य प्रभारी श्री अजय कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 भिसौड़ी में भिसौड़ी मेन रोड से मस्जिद तक चौका कार्य वर्ष 2013-14 के लिए राज्य वित्त से स्वीकृत किया गया है। कार्य का स्टीमेट 8.17 लाख है जो दिनांक 14.10.2013 को स्वीकृत है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 31.3.14 तक समाप्त न करके 29.7.15 तक जारी रखा गया है। कार्य 1.5.14 से 29.7.15 तक चला। इस कार्य को पूर्ण होने में 14 माह से अधिक का समय लगा।

वर्ष 2014-15 में कार्य पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है -

सामग्री 129124/3.4.14, 163750.00/1.5.14, 106150.00/21.7.15 योग 399024.00 तथा मस्टर रोल 1.5.14 से 7.5.14 तक रु0 19500/28.1.15 से 2.2.15 तक रु0 7680/22.1.15 से 27.1.15 तक रु0 7680/2.2.15 से 7.2.15 रु0 7680/8.2.15 से 13.2.15 रु0 7680/14.2.15 से 19.2.15 रु0 7680 तथा 20.2.15 से 25.2.15 रु0 3778 कुल मजदूरी 61676 व सामग्री रु0 235274 मिलकर कुल रु0 296952 व्यय किया गया है।

दिनांक 3.4.14 को शिवा इ0 से रु0 129124 की सामग्री कय की गयी है। जबकि एम बी 13.3.14 को की गयी है जो भ्रमपूर्ण व संदिग्ध है।

वित्तीय योजना की स्वीकृति 14.10.13 को हो गयी थी। इसे वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण करने हेतु पर्याप्त समय था। ज्ञातव्य है कि कार्य की अतिव्याप्ति से योजना की लागत बढ़ती है। नियमानुसार योजना निर्माण के समय ही योजना पूर्ण होने के समय का अंकन स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त योजना में न तो अवधि का उल्लेख है न ही कार्य पूर्णता में विलम्ब का कारण ही अंकित है। यहाँ तो कार्य पूर्णता की स्थिति ही स्पष्ट नहीं है। उ0प्र0 क्षेत्र पं0 एवं जिला पंचायत अधि0 1961 की धारा 178 के अनुसार स्वीकृति की अवधि एक वर्ष तक मान्य रहती है। उक्त अवधि के बाद योजना की पुनः स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रकार 31.3.14 के बाद उक्त योजना पर रु0 296962.00 अनियमित रूप से व्यय किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त आयोगों द्वारा व शासन से प्राप्त धन को नियमानुसार 6 माह के भीतर विकास कार्य में प्रयुक्त कर उपभोग प्रमाण पत्र शासन को भेजे जाने का प्रावधान है। जिसका भी ध्यान नहीं रखा गया। प्रकरण में सम्मिलित ख.वि.अधि. श्री सुभाष चन्द्र अस्थाना, कार्य प्रभारी श्री उपेन्द्र सिंह व दिनेश सिंह तथा स0 लेखाकार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई की जानी चाहिए

4- क्षेत्र पंचायत नियमताबाद

वर्ष 2015-16 से 2016-17

प्रस्तर-27 राज्य वित्त मद में वर्ष 2015-16 में रु0 4164466.00 तथा वर्ष 2016-17 में रु0 7990709.00 दोनों को मिलाकर रु0 12155175.00 व्यय किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में निम्न कमियां पाई गयी :-

1- कार्य योजना स्वीकृति के समय कार्य के उद्देश्य के साथ कार्य पूर्ण होने के समय का उल्लेख नहीं है।

2- प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति क्रमांक का अंकन सम्बंधित अभिलेख पर नहीं है।

3- कई पत्रावलियों में रु0 100000.00 से अधिक कय पर भी टेंडर आमंत्रित न कर कोटेशन पर ही कय कर लिया गया है। तो कई पत्रावलियों में टेंडर सम्बंधित प्रपत्र संलग्न ही नहीं है।

4-(क) टेंडर प्रकाशन व खुलने के समय 3 से 7 दिवस का ही है जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार टेंडर देने वाले को युक्ति युक्त समय नोटिस प्रकाशन से तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए।

(ख) टेंडर भी नियमानुसार दो समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं कराया गया है।

(ग) टेंडर की पुष्टि हेतु समाचार की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है।

5- मापन पुस्तिका व मस्टररोल क्षेत्र पंचायत कार्यालय द्वारा निर्गत तथा क्रमांकित नहीं है।

6- मापन पुस्तिका पर प्रत्येक चरण की एम0बी0 करते समय बिल का क्रमांक तथा तिथि का अंकन नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर के साथ तिथि का अंकन नहीं है। कई एम0बी0 पर अंत में सारांश का अंकन नहीं है।

7- कार्यदेश के शर्तों के अनुपालन में तीन चरणों की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।

8- कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं कराये गये हैं। नियमानुसार कार्य योजना सम्बंधित वित्तीय वर्ष के भीतर निर्धारित समय में ही पूर्ण कर लेनी चाहिए। योजना के विस्तार से कार्य की लागत बढ़ती है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 178 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा दी गयी स्वीकृति एक वर्ष तक ही मान्य रहती है। बिना फिर से स्वीकृति के इन्हें अगले वर्ष शुरू नहीं किया जा सकता है।

9- क्षेत्र पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

10- नियमानुसार रायल्टी व आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जो शासनादेश का उल्लंघन है।

11— मजदूरों को खाते में दी गयी मजदूरी के पुष्टि में बैंक को भेजे जाने वाली एडवाइज पत्रावली में संलग्न है जबकि शाखा प्रबंधक द्वारा प्राप्त की गयी प्रति ही पत्रावली में संलग्न की जानी चाहिए। मजदूरी सम्बंधित के खाते में भुगतान की पुष्टि नहीं की गयी।

12— उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। “ कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए कि निर्माण कार्य विस्तृत योजनाओं एवं विशिष्टताओं के अनुसार समुचित रीति से निष्पादित किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो योजना और अनुमन्य से विचलन का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।” जो नहीं किया गया है। सम्परीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि कई कार्य प्रभारियों को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पत्र जारी कर कार्य पूर्ण न होने तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र / डी0पी0सी0 न लगाने पर आपत्ति की गयी है। किन्तु इसके बाद भी डी0पी0सी0 नहीं लगाई गयी है। कई कार्यों की कार्य पूर्णता की स्थिति अज्ञात रही।

13— कार्य पूर्ण होने के बाद कार्य का अंकन परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए राज्य वित्त मद में व्यय की गयी धनराशि रु0 12155175.00 अनियमित रही। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर—28 शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1502 1/दस-2015-10 33/ 2015 के अनुसार “शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों के बैंक में रखने के बाद जो ब्याज अर्जित होगा वह संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज राजकीय कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।” संस्था द्वारा वर्ष 2015-16 में रु0 147005.00 तथा वर्ष 2016-17 में रु0 236875.00 अर्जित ब्याज का उपभोग योजनाओं के धन के साथ कर लिया गया है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा कुल रु0 383880.00 धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं सहा0 लेखाकार उत्तरदायी रहे। कोषागार में धन जमा कराने की कार्यवाही शीघ्र किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—29 दिनांक 31.03.2016 को रु0 8430001.82 व दिनांक 31.03.2017 को रु0 5123997.09 का अवशेष अनुदान खाते में पड़ा रहा। स्पष्ट है कि उपभोग की गति धीमी है जिससे शासन के अपेक्षा के अनुरूप विकास कार्य न कराकर विकास कार्य बाधित करते हुए रु0 5123997.09 की धनराशि दिनांक 31.03.2017 को रोक रखकर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। नियमानुसार वर्षान्त तक समस्त धनराशि उपभोग कर ली जानी चाहिए अन्यथा की स्थिति में उसे शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 165 एवं 166 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन व ब्याज का शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्ति या मद में इकठ्ठा करके आगामी बजट में आय का स्रोत माना जाता है। यदि किसी कारण से धन वापस न किया जा सके तो आगामी वर्ष में उपभोग हेतु शासन से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी। किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष राजकीय धन रोका जाना धन का दुरुपयोग है जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

5— क्षेत्र पंचायत शहाबगंज

वर्ष 2016-17

प्रस्तर—30

संस्था के द्वारा आलोच्य वर्ष में कराये गए कार्यों के सन्दर्भ में कुल रुपये 1327650.00 की सामग्री कय की गयी है जिस पर आयकर अधिनियम 1961 के धारा 194 के तहत सामग्री भुगतान के बिलों से 2.26 प्रतिशत दर से आयकर (टी0डी0एस0) की कटौती सुनिश्चित की जानी है लेकिन संस्था के अधिकारियों के द्वारा नियमानुसार कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार कुल रुपये 26553.00 आयकर न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। यह गंभीर अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

6— क्षेत्र पंचायत नौगढ़

वर्ष 2009-10 से 2013-14

प्रस्तर—31

वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक निम्न विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत नौगढ़ जनपद-चन्दौली में धनराशि का व्यय किया गया है, व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में कोषबही, कार्यवाही पंजिका, सामग्री कय प्रमाणक, पत्रावली, परिसम्पत्ति पंजिका, उपभोग प्रमाण पत्र, वैध रवन्ना, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं मस्टररोल आदि अनुपलब्ध रहा। जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए सम्बन्धित लेखाकार एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे।

वर्ष	व्यय की धनराशि
2012-13	49524850.00
2013-14	21865280.00

7— क्षेत्र पंचायत नौगढ़

वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर—32

वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक निम्न विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत नौगढ़ जनपद-चन्दौली में धनराशि का व्यय किया गया है, व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में कोषबही, कार्यवाही पंजिका, सामग्री कय प्रमाणक, पत्रावली, परिसम्पत्ति पंजिका, उपभोग प्रमाण पत्र, वैध रवन्ना, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं मस्टररोल आदि अनुपलब्ध रहा। जिससे

व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए सम्बन्धित लेखाकार एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष	व्यय की धनराशि
2014-15	18542746.00
2015-16	14081118.00
2016-17	10733905.00

प्रस्तर-33 दिनांक 31.03.2017 को रु0 3697283.94 विभिन्न योजनाओं की धनराशि व्यय करने हेतु शेष था अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग न करके शासन के मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया। जिस हेतु सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 दिनांक 31.03.2017 को अर्जित ब्याज रु0 197680.00 राज्य सरकार को वापस न करके अपने पास रोक कर रखा गया है। जो कि गंभीर आपत्तिजनक रहा। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

8- क्षेत्र पंचायत सकलडीहा वर्ष 2016-17

प्रस्तर-35 राज्य वित्त से फेसुड़ा में पप्पू सिंह के घर से नर सिंह के घर तक नाली कार्य कराया गया है। इसकी अनुमानित लागत रु0 835092.00 है, जिसमें सामग्री पर रु0 702940.00 और श्रमांश पर रु0 132152.00 स्वीकृत है। दिनांक 19.10.2016 को ख0वि0अ0 द्वारा श्री शंकर प्रसाद सोनकर स0वि0अ0, श्री जमुना प्रसाद, जे0ई0 को काय प्रभारी बनाया गया है। उक्त कार्य पर निम्नांकित आपत्तियां दर्ज की गयी है :-

- 1-मे0 जय बजरंग को वर्ष 2016-17 में भुगतान किया गया इस आपत्तियां इस प्रकार रही-
- 2-निविदा आमंत्रण का समय 14.10.2016 से 18.10.2016 रखा गया जबकि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के नियमावली के अनुसार यह समय कम से कम 21 दिन होना चाहिए।
- 3-समाचार पत्र की मूल प्रति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही।
- 4-निविदा प्रकाशन के समाचार पत्रों में किये जाने की पुष्टि हेतु अभिलेख नहीं रखे गये।
- 5-अंकित इण्टरप्राइजेज कन्सट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र भरा नहीं गया था। पैन तथा टिन नं0 के प्रस्तुत दस्तावेजों पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। माँ वैष्णव कन्स0 मझवार प्रस्तुत निविदा पत्र पर नरेन्द्र सिंह यादव का हस्ताक्षर है परन्तु दिनांक अंकित नहीं है।
- 6-संलग्न टिन तथा पैन के अभिलेख पर सत्यापन स्वरूप अहस्ताक्षरित है, इसी प्रकार तीसरी निविदा जय बजरंग के द्वारा दिया गया है, यह निविदा कब पड़ी इस पर तिथि अंकन नहीं है।
- 7-मे0 महावीर कन्सट्रक्शन की निविदा को स्वीकृत किया गया है जबकि निविदा प्रपत्र मे0 जय बजरंग एवं वैष्णव कन्सट्रक्शन के द्वारा ही भरा गया है और अंकित इण्टरप्राइजेज का अधुरा दस्तावेज, बिना पूरा भरे निविदा पत्र संलग्न कर दिया गया है। और आश्चर्यजनक तरीके से मे0 महावीर कन्सट्रक्शन को निविदा स्वीकृत कर दिया गया है।
- 8-तुलनात्मक चार्ट पर सिर्फ लेखाकार एवं कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर है जबकि गठित निविदा समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए।
- 9-सामग्री भुगतान पर आयकर व रायल्टी तथा लेवर सेस की कटौती नहीं की गई है।

10-वर्ष 2016-17 में मे0महावीर कन्सट्रक्शन बर्थरा कला को कय सामग्री का भुगतान

क्र0सं0 52	दिनांक	धनराशि
बुक संख्या 02	08.01.2017	371143.00
क्र0सं0 05	दिनांक	धनराशि
बुक सं0 01	24.01.2017	325848.00
मजदूरी कार्य दिवस		
12.12.2016 से 13.12.2016	रु0	27902.00
19.12.2016 से 25.12.2016	रु0	29300.00
26.12.2016 से 31.12.2016	रु0	20934.00
	रु0	78136.00 योग
12.02.2017 से 18.02.2017	रु0	23364.00
19.02.2017 से 25.02.2017	रु0	21438.00

उक्त प्रमाणक पर रु0 78136.00 के मजदूरी का मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया है जबकि पहली बार सामग्री की खरीद दिनांक 08.01.2017 को की गई है, बिना सामग्री के कार्य सम्भव नहीं है।

इसके अतिरिक्त मस्टर रोल पर ख0वि0अ0 द्वारा निर्गत एवं कमांकित नहीं है। कार्य करने वाले श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं हैं। निविदा प्रक्रिया का पालन किये बिना कय की गई सामग्री रु0 371143.00 + 325848.00 = 696991.00 अनियमित रूप से कय किया गया है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 राज्य वित्त से रानेपुर में दुःखरन के घर से लक्ष्मण के घर तक हयूमपाइप नाली कार्य कराया गया। जिसकी अनुमानित लागत रु0 1446917.00 है, जिसमें सामग्री पर रु0 1313376.00 एवं श्रमांश पर रु0 133541.00 स्वीकृत है जिसमें कार्य प्रभारी श्री शंकर प्रसाद सोनकर सं0वि0अ0 तथा जगदीश प्रसाद ए0डी0ओ0(सी0) को कार्य प्रभारी बनाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त कार्य पर निम्न प्रकार भुगतान किया गया है :-

फर्म का नाम	चेक सं0	दिनांक	धनराशि
मे0 जय बजरंग कन्स0	099998	27.08.2016	500000.00
	099999	27.08.2016	100000.00
	100013	12.12.2016	<u>143258.00</u>
मजदूरी			<u>743258.00</u>
	100004	24.10.2016	13500.00
	100005	24.10.2016	<u>68904.00</u>
			<u>82404.00</u>

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में रु0 743258.00 तथा रु0 82404.00 क्रमशः सामग्री तथा मजदूरी पर व्यय किया गया है जिस पर आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1-वर्ष 2016-17 के कार्य योजना में कार्य का नाम रानेपुर म दुःखहरन शर्मा के घर से लक्ष्मण शर्मा के घर तक सी0सी0रोड का कार्य दर्ज है।

2-निविदा प्रपत्र भरने की अवधि 09.06.2016 से 18.06.2016 तक है जो व्यापक प्रचार-प्रसार का समय नहीं हो सकता नियमानुसार 21 दिन होना चाहिए।

3-निविदा प्रपत्र के साथ, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत/चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा।

4-सामग्री का कय आदेश नहीं रहा।

5-निविदा मे0 जय बजरंग को न्यूनतम दर होने के कारण की गई है, फर्म के द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाणक पर टिन नं0 082405282 है जबकि निविदा फर्म के साथ जो टिन नं0 संलग्न है 082405285 अंकित है।

6-बिलों पर आयकर, रायल्टी तथा लेबर सेस कटौती नहीं है।

7-क-प्रस्तुत मस्टररोल पर कार्य अवधि अंकित नहीं है।

ख-मस्टररोल निर्गत रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा एम0आर0 पर ख0वि0अ0 द्वारा क्रमांकित एवं दिनांकित नहीं किया गया है।

ग-उपरोक्त पत्रावली में बैंक द्वारा प्राप्त की गई एडवाइज संलग्न नहीं है।

8-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बना है।

9-कार्य का अंकन स्टाक रजिस्टर में नहीं किया गया है, इस प्रकार कुल सामग्री पर व्यय रु0 743258.00 तथा मजदूरी रु0 82404.00 अनियमित रहा तथा इसके लिए ख0वि0अ0/लेखाकार एवं प्रभारी जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 राज्य वित्त से फेसुड़ा में धर्मेन्द्र के घर से मेवा के मशीन तक हयूम पाइप/इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया। जिस पर प्रस्तावित लागत रु0 973044.00 है जिसमें सामग्री पर रु0 835542.00 श्रमांश रु0 137502.00 स्वीकृत है, जिसमें ख0वि0अ0 द्वारा श्री शंकर प्रसाद, सं0वि0अ0 तथा जमुना सिंह, जे0ई0(आरईएस) को कार्य प्रभारी बनाया गया है। उक्त कार्य पर आपत्तियां निम्नांकित हैं :-

1-प्रभारी पद हेतु नियुक्ति पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

2-टेण्डर आमंत्रण एवं खुलने हेतु कोई पत्र नहीं रखा गया तथा समाचार पत्रों की कटिंग भी नहीं थी।

3-उपरोक्त कार्य में निविदा के सम्बन्ध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान नहीं रखा गया।

4-उपरोक्त कार्य सामग्री आपूर्ति की स्वीकृति आदेश भी नहीं था। परन्तु महावीर कन्सट्रक्शन, ग्रा0 व पो0-बर्थराकला, चन्दौली द्वारा सामग्री की आपूर्ति की गई है।

5-वित्तीय वर्ष 2016-17 निम्न प्रकार भुगतान किया गया जिस पर आपत्ति अग्रलिखित है :-

1-सामग्री

फर्म का नाम व नं0	वाउचर	दिनांक	धनराशि	वैट कटौती
महावीर कन्स0	बुक नं0 2	10.01.17	490189.00	19608.00
095824069005	क्र0सं0 51		<u>-19608.00</u>	
			<u>470581.00</u>	
महावीर कन्स0	बुक नं0 2	12.02.17	321859.00	12874.00
095824069005	क्र0सं0 59		<u>-12874.00</u>	
			<u>308985.00</u>	

योग- 470581+308985=779566

2-मजदूरी			
कार्य दिवस	धनराशि	भुगतान	चेक सं०/दिनांक
07.12.16 से 13.12.16	रु० 19188.00	000267	/ 18.04.2017
15.12.16 से 21.12.16	रु० 18308.00		
24.12.16 से 30.12.16	रु० 18166.00		
	<u>रु० 56156.00</u>		
27.02.17 से 05.03.17	24932.00		
14.03.17 से 20.03.17	25282.00		
21.03.17 से 27.03.17	<u>21614.00</u>		
	<u>71828.00</u>		

क-सामग्री आपूर्ति महावीर क० ग्रा० व पो० बर्थरा कला-चन्दौली द्वारा किया गया जिसकी स्वीकृति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा।

ख-उक्त कम्पनी का टिन नं० कुल 12 अंको का है जो कि 11 अंको का होना चाहिए।

ग-पहली बार सामग्री का कुल मूल्य रु० 490189.00 था जिसे वैट काटने के बाद रु० 470582.00 होना था। परन्तु संस्था द्वारा बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश रु० 400000.00 का भुगतान चेक संख्या 100017 दिनांक 09.02.17 को किया गया, रु० 70582.00 का भुगतान बिना कारण रोक लिया गया।

घ-सामग्री के आपूर्ति एवं भुगतान में 1 महीने का अंतर आया।

च-इसी प्रकार मस्टररोल के अनुसार मजदूरों द्वारा कार्य आरंभ दिसम्बर-2016 में किया गया तथा सामग्री की आपूर्ति 1 माह 3 दिन बाद की गई, बिना सामग्री के कार्य कैसे आरंभ हो गया ?

छ-दिनांक 07.12.16 से 30.12.16 तक कुल मजदूरी रु० 56156.00 हुयी जिसका भुगतान 18.04.17 को नियम विरुद्ध तरीके से साढ़े चार माह बाद किया गया।

ज-मजदूरी का भुगतान कार्यालय पत्रांक 116-17, दिनांक 18.04.17 को चेक संख्या 000268 अंकित है जबकि ख०वि०अ० के आदेश में चेक संख्या 000267 अंकित है अपुष्ट रहा।

झ-मस्टररोल निर्गत रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही ख०वि०अ० द्वारा क्रमांकित एवं दिनांकित किया गया है।

6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है।

7- बिलों पर आयकर कटौती, रायल्टी तथा लेवर सेस कटौती नहीं थी।

8-कार्य का अंकन स्टाक रजिस्टर में नहीं किया गया है।

अतः कुल सामग्री पर व्यय रु० 779566.00 एवं मजदूरी रु० 127984.00 अनियमित तरीके व्यय हुआ। इस प्रकार कुल अनियमित व्यय रु० 907550.00 हुआ। जिसकी जिम्मेदारी ख०वि०अ०/लेखाकार एवं प्रभारी की होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 राज्य वित्त से फेसुड़ा में रामटहल के घर से अमरनाथ के घर तक हयूम पाइप इण्टरलाकिंग कार्य किया गया, जिसकी प्रस्तावित लागत रु० 814000.00 है। इसके कार्य प्रभारी 19.06.2006 श्री भांवर प्रसाद सोनकर ए०डी०ओ०(आई०एस०बी०) तथा तकनीकी प्रभारी श्री जमुना सिंह (जे०ई०(आर०इ०एस०) को बनाया गया। जिसपर निम्न आपत्तियां हैं :-

क-उक्त कार्य पर निविदा आमंत्रण दिनांक 14.10.2016 तथा खुलने का समय 18.10.2016 रखा गया जबकि क्षे०पं० एवं जिला पंचायत नियमावली के अनुसार यह समय कम से कम 21 दिन होना चाहिए।

ख-निविदा प्रकाशन दो समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने की पुष्टि हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।

ग-निविदा लिस्ट 1. मे० महावीर कन्सट्रक्शन कम्पनी 2. मे० जय बजरंग कन्सट्रक्शन 3. माँ वैष्णव कन्सट्रक्शन के नाम अंकित है परन्तु महावीर कन्सट्रक्शन का निविदा फार्म अभिलेखों में नहीं था, और दिनांक 18.10.2016 के तुलनात्मक चार्ट उक्त कम्पनी को 18.10.2016 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

घ-गठित समिति के सभी सदस्यों का स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं था।

च-संलग्न टिन एवं पैन के अभिलेख पर सत्यापन स्वरूप अहस्ताक्षरित है।

छ-सामग्री भुगतान पर आयकर व रायल्टी तथा लेवर सेस की कटौती नहीं है।

ज- वर्ष 2016-17 में मे० महावीर कन्सट्रक्शन बर्थराकला से सामग्री क्रय :-

टिन नं० 095824069005

बुक सं० 2	दिनांक	भुगतान	वास्तविक राशि
क्र०सं०52	16.12.16	350000.00	रु० 407049.00
			<u>-4प्रतिशत 16282.00</u>
			390767.00

बुक सं० 2	दिनांक	भुगतान	वास्तविक राशि
क्र०सं०59	23.01.17	255290.00	रु० 265924.00

-4प्रतिशत 10637.00 255290.00 भुगतान की पुष्टि न हो सकी।
योग **605290.00**

मजदूरी

क- 02.01.17 से 08.01.17 रु0 25466.00

ख-09.01.17 से 16.01.17 रु0 25990.00

ग-17.01.17 से 23.01.17 रु0 24414.00

घ-24.01.17 से 30.01.17 रु0 19706.00

ङ-04.02.17 से 10.02.17 रु0 24416.00

योग- रु0 95576.00 चेक संख्या 0259 द्वारा दिनांक भुगतान 12.10.17 के0जी0बी0 बर्थराकलां

चौमुहानी शाखा

झ-उपरोक्त सामग्री को बिना निविदा प्रक्रिया का पालन किये, सामग्री कय की गई।

ट-उक्त फर्म का टिन नं0 का अंक 12 है, जिसे नियमानुसार 11 अंक का होना चाहिए।

ठ-मजदूरी रु0 95576.00 चेक संख्या 259 द्वारा दिनांक 12.10.2017 को कार्य सामाप्त होने के 9 माह बाद किया गया है।

ड-पत्रावली में बैंक से प्राप्त एडवाइज भी नहीं संलग्न थी।

ढ-मस्टररोल निर्गत रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिनांकित/कमांकित मस्टररोल नहीं था।

त-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं लगा था।

थ-सामग्री में रु0 265924.00 का वैट रु0 10637.00 जमा करने की पुष्टि न हो सकी।

द-कार्य का अंकन (सामग्री+मजदूरी) स्टाक रजिस्टर में नहीं किया गया अतः उपरोक्त कार्य पर व्यय धनराशि रु0 700866.00 अनियमित तरीके से व्यय रही। जिसकी जिम्मेदारी ख0वि0अ0/लेखाकार एवं प्रभारी की होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-39राज्यवित्त से रानेपुर से विजेन्द्र राजभर के घर तक ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य किया गया है, जिसकी प्रस्तावित लागत रु0 743000.00 है, जिसके कार्य प्रभारी श्री शंकर प्रसाद सोनकर स0वि0अ0 तथा तकनीकी प्रभारी श्री जमुना प्रसाद दिनांक 19.10.2016 को बनाया गया।

उपरोक्त कार्य में निम्न प्रकार भुगतान किया गया है-

फर्म का नाम चेकसं0 भुगतान तिथि भुगतान धनराशि

ओरियण्टल कन्स 100016 09.02.17 467932.00

“ 000260 18.04.17 111465.00

579397.00

मजदूरी

क-17.12.16 से 23.12.16 रु0 32760.00

ख-24.12.16 से 30.12.16 रु0 32760.00

ग-01.12.16 से 07.12.16 रु0 32760.00

घ-01.12.16 से 07.12.16 रु0 12144.00

110424.00 चेक संख्या 000262 द्वारा दिनांक 16.03.17 3 माह बाद किया गया।

उपरोक्त कार्य पर निम्न आपत्तियां-

1-पत्रावली के अनुसार निविदा आमंत्रण/खुलने का दिवस 14.10.16 से 18.10.16 है, जो नियमानुसार उचित नहीं, जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के नियमावली के अनुसार उक्त दिवस व्यापक प्रचार प्रसार हेतु 21 दिन का होना चाहिए।

2-समाचार पत्र में प्रकाशन दिया गया जिसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं रही।

3-निविदा प्रकाशन दो समाचार पत्रों में होना चाहिए, जो अभिलेख न उपलब्ध होने के कारण पुष्टि न हो सके।

4-तुलनात्मक चार्ट में दिनांक 18.10.16 को तीन फर्म मे0 जय बजरंग कन्सट्रक्शन, माँ वैष्णव कन्सट्रक्शन, मे0 ओरियण्टल कन्सट्रक्शन कम्पनी का नाम था परन्तु ओरियण्टल कन्सट्रक्शन कम्पनी का निविदा प्रपत्र संलग्न नहीं था।

5-दिनांक 19.10.16 को ओरियण्टल कन्सट्रक्शन कम्पनी को सामग्री आपूर्ति का आदेश आश्चर्यजनक तरीके से दे दिया गया एवं उपरोक्त दोनों कम्पनियों के प्रपत्र भी आधे-अधूरे रहे।

6-संलग्नक टिन व पैन के अभिलेख सत्यापन स्वरूप अहस्ताक्षरित रहे।

7-तुलनात्मक चार्ट पर समिति सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं था।

8-सामग्री भुगतान पर आयकर रायल्टी तथा लेवर सेस की कटौती नहीं की गई है।

9-मजदूरी का भुगतान भी विलम्ब 3 माह बाद वित्तीय नियम के विरुद्ध किया गया। लेखा परीक्षा में उक्त की बैंक एडवाइस नहीं रखी गयी।

अतः उपरोक्त व्यय अनियमित रहा। जिसकी जिम्मेदारी ख0वि0अ0/लेखाकार एवं प्रभारी की होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 विधायक निधि से ग्राम पंचायत-बरठी में रामवृक्ष प्रजापति के घर से सुनिल सिंह के घर तक खण्डन्जा कार्य करवाया गया, जिसकी प्रस्तावित लागत रु0 300000.00 है, दिनांक 16.09.16 को पत्रांक संख्या 1294 के आदेश द्वारा कार्य प्रभारी 1-श्री जगदीश चन्द्र ए0डी0ओ0(सी) 2-श्री जगदीश ए0डी0ओ0(एम0आई0) नियुक्त किया गया। आपत्तियां निम्नवत है :-

- उपरोक्त कार्य हेतु निविदा का आमंत्रण दिनांक 07.09.16 एवं खुलने का दिवस दिनांक 15.09.16 ख0वि0अधि0-सकलडीहा शाम 3:00 रखा गया जिसपर निम्न आपत्तियां आयी हैं।
- नियमानुसार निविदा के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु यह समय कम से कम 21 दिन का होना चाहिए।
- निविदा पत्रावली में तीन फर्मों 1-मे0 गिरिजेश 2-मे0 धिरज सिंह राम 3-मे0 अमिताभ सिंह का नाम आया, जिसमें अधिकतर फर्मों का पत्रावली आधी-अधूरी अपूर्ण थी। जैसे हस्ताक्षर दिनांक आदि पूर्ण नहीं थे। चरित्र/हैसियत प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं थे।
- नियमानुसार प्रस्तावित धनराशि का 2 प्रतिशत जमानत राशि जमा होना चाहिए, यहां स्वीकृत प्रदान के उपरान्त मे0 गिरिजेश सिंह पुत्र स्व0 राजनारायण सिंह ग्राम व पो0 जमुनीपुर द्वारा प्रस्तावित लागत 3 लाख के सापेक्ष रु0 5000.00 ही जमा किया गया है।
- सामग्री आपूर्ति हेतु मे0 गिरिजेश सिंह का दर न्यूनतम होने के कारण इनको आपूर्ति स्वीकृत मिली, परन्तु टिन नं0 एवं पैन के अभिलेख सत्यापन स्वरूप अहस्ताक्षरित थे।

वित्तीय वर्ष में मे0 गिरिजेश द्वारा सामग्री आपूर्ति पर आपत्तियां

क्र0नं0 16 16.09.16 ईट 12751 नग दर 6.5 प्रति- 82881.00
मिटटी 73.90 मी3 दर 4.25- 6965.00
89846.00

क्र0नं0 08 16.09.16 ईट 21056 दर 6.5 - 136864.00
मिटटी 83.60मी3 दर 94.25 - 7879.00
144743.00

उपरोक्त क्रय सामग्री के वाउचर क्र0नं0 16 दिनांक 16.09.16 रु0 89846.50 तथा क्र0नं0 08 दिनांक 16.09.16 रु0 144743.00 क्रय किया गया, एक ही दिनांक में अलग-अलग वाउचर से क्रय करना आपूर्ति संदिग्ध प्रतीत होती है।

- उक्त सामग्री के मूल्य रु0 234589.00 पर रु0 9383.00 का 4 प्रतिशत वैट काटा गया है, कुल सामग्री 225206.00 है परन्तु आयकर रायल्टी तथा लेवरसेस की कटौती नहीं की गयी है।

• कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न नहीं थी।

मजदूरी रु0 14808.00 मज/मि0 संख्या-10
रु0 15708.00 मज/मि0 संख्या-10
रु0 30516.00

- मस्टररोल पर कार्य दिवस अंकित नहीं था।
- वर्क इन्चार्ज के हस्ताक्षर नहीं थे।
- उपस्थित अंकित करने एवं निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था।
- अंगूठे के निशान पर नाम अंकित नहीं किया गया।
- मिस्त्री के नाम के साथ मिस्त्री अंकित नहीं था।
- मजदूरी भुगतान हेतु बैंक से प्राप्त एडवाइज नहीं था।
- सामग्री में क्र0नं0 16 के भुगतान पर रु0 89847.00 पर 4 प्रतिशत कटौती करने पर भुगतान होना चाहिए रु0 86253.00 जिसके सापेक्ष फर्म को रु0 300.00 कम दिया गया चेक संख्या 000662 द्वारा रु0 85953.00 दिनांक 26.10.16 को चेक काटी गयी। अतः उक्त फर्म को रु0 300.00 वापस करना अपेक्षित रहा।
- आपूर्तिकर्ता फर्म निविदा प्रपत्र अपूर्ण एवं स्टॉक रजिस्टर कार्य का अंकन नहीं किया गया है इस प्रकार कुल सामग्री पर व्यय रु0 230692.00 एवं मजदूरी रु0 30516.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसकी जिम्मेदारी ख0वि0अ0/लेखाकार एवं प्रभारी की होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

9- क्षेत्र पंचायत धानापुर

वर्ष 2005-06 से 2013-14

प्रस्तर-41

संस्था द्वारा राजकीय धनराशियों पर बैंक से प्राप्त ब्याज को निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया, विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	प्रा0शेष	ग्रान्ट-2 ब्याज निधि योजना में जमा	मदवार ग्रान्ट में जमा	योग
2005-06	236532.05	183935.54	—	420467.59
2006-07		243914.00	—	243914.00
2007-08		174844.00	73822.00	248666.00

2008-09		—	197879.00	197879.00
2009-10		306627.00	—	306627.00
2010-11		376401.00	—	376401.00
2011-12		465723.00	—	465723.00
2012-13		604694.00	—	604694.00
2013-14		—	677992.00	677992.00
योग—	236532.05	2356138.54	949693.00	3542363.59

शासनादेश के अनुरूप अनुदान की धनराशि पर प्राप्त ब्याज को जिस मद से अनुदान की धनराशि प्राप्त है उसी मद में राजकीय कोषागार में ट्रेजरीचालान से जमा किये जाने का प्राविधान है।

अतः रुपया 3542363.59 ब्याज की धनराशि शासनादेशों के विपरीत मनमाने ढंग से फर्जी प्रविष्टियों द्वारा उसी मद में स्थानान्तरित कर पुनः व्यय कर दिया गया है। जो शासनादेशों के विपरीत है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी रहे। आवश्यक विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 ग्रांट रजिस्टर-2 दिनांक 09.04.2012 को शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0 धानापुर के पक्ष में चेक संख्या-005601, दिनांक 11.04.2012 से रुपया 159742.00 तकनीकी सहायकों का मानदेय माह जुलाई एवं अगस्त 2011 रुपया 8000.00 प्रतिमाह एवं दिनांक 13.06.2012 को शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0 धानापुर के पक्ष में चेक संख्या-005612, दिनांक 18.06.2012 रु0 14400.00 तकनीकी सहायकों का मानदेय माह अगस्त व सितम्बर 2011 रु0 8000.00 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया है। पूर्ण विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	नाम कर्मचारी	सूची क्रमांक	अवधि	धनराशि
09.04.12	श्री महेन्द्र कुमार अम्बेडकर	08	जुलाई व अगस्त 2011	16000.00
	श्री दिनेश कुमार	09	जुलाई व अगस्त 2011	16000.00
18.06.212	श्री महेन्द्र कुमार अम्बेडकर	08	अगस्त व सितम्बर 2011	16000.00
	श्री दिनेश कुमार	09	अगस्त व सितम्बर 2011	16000.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भुगतानकर्ता द्वारा माह अगस्त 2011 का मानदेय दो बार भुगतान करके रुपया 16000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री प्रमोद कुमार चौबे उत्तरदायी रहे। जिनसे उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 वर्ष 2005-06 में ग्रांट रजिस्टर पार्ट-1 पृष्ठ संख्या-28 पर दिनांक 30.01.2006 को चेक संख्या-479407, दिनांक 28.01.2006 रुपया 375000.00 ग्राम पंचायत बुद्धपुर में 20 आवास निर्माण हेतु एवं वर्ष 2006-07 में इन्हीं आवासों की द्वितीय किश्त के रूप में रुपया 125000.00 कुल रुपया 500000.00 प्राप्त हुआ है। ग्रांट रजिस्टर भाग-2 के अनुसार 20 आवासों हेतु धनराशि निर्माण सामग्री पर निम्न विवरणानुसार कार्य प्रभारी श्री फारुक ए0डी0ओ0, आई0एस0बी0 द्वारा व्यय किया गया है :-

धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	नाम वस्तु
85000.00	8884667	03.04.06	50 हजार नग ईट
85000.00	8884670	29.03.06	50 हजार नग ईट
59800.00	8884671	03.04.06	ईट व सीमेण्ट
81500.00	8884674	10.04.06	ईट, सीमेण्ट, गिटटी
63525.00	8884678	17.04.06	सामग्री का भुगतान
69650.00	0093167	01.06.06	पटिया व छड़ कय
55525.00	0093168	20.06.06	सामग्री कय

पत्रावली व अन्य विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में निर्माण कार्य सम्बन्धी अन्य व्ययों की जानकारी न हो सकी। यथा श्रमिकों की मजदूरी, बालू आदि व अन्य व्यय न होने से किया गया व्यय काल्पनिक व फर्जी प्रतीत होता है। अतः उसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री इन्द्रमणि त्रिपाठी, मोती लाल व्यास एवं तत्कालीन लेखाकार श्री प्रमोद कुमार चौबे से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 निम्न विवरणानुसार सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मद की धनराशि एवं खाद्यान्न इन्दिरा आवास मद में ग्रांट पंजी-2 के अनुसार व्यय किया गया है। इस सम्बन्ध में कोई आदेश/दिशा निर्देश/शासनादेश आदि भी लेखा

परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। रोजगार मद की धनराशि आवास मद में व्यय किये जाने से निम्न आय वाले श्रमिकों का रोजगार प्रभावित रहा। जिसकी जिम्मेदारी ख०वि०अ०/लेखाकार एवं प्रभारी की होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। :-

वर्ष	धनराशि	खाद्यान्न
2005-06	461530.00	30.10 किग्रा
2006-07	807466.00	198.62 किग्रा
2007-08	56856.00	25.92 किग्रा
योग-	1325852.00	254.64 किग्रा

प्रस्तर-45 जनौली में तालाब खुदाई एवं घाट निर्माण हेतु ग्रांट पंजी-1 के अनुसार रु० 262000.00 विधायक निधि से प्राप्त हुआ था। जिसके सापेक्ष ग्रांट पंजी-2 के अनुसार उक्त निधि से रुपया 311210.00 एवं वर्ष 2006-07 में उसी तालाब पर मनरेगा से रुपया 274746.00 कुल रुपया 585956.00 व्यय किया गया है अभिलेखों में द्वितीय तालाब का उल्लेख न रहा। रुपया 323956.00 अधिक व्यय होने के सम्बन्ध में कार्य पत्रावली प्रस्तुत न होने से व्यय की पुष्टि व कार्यवाही के सम्बन्ध में स्थिति अज्ञात रही। जांच एवं उचित कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त अधिक धनराशि क्यों खर्च की गई। प्राक्कलन, स्टीमेट, पत्रावली, मापपुस्तिका कार्य प्रस्ताव आदि उपलब्ध नहीं रहा। जिससे व्ययित धनराशि प्रमाणकों के अभाव में अपुष्ट एवं अप्रमाणित रही। जिसकी जिम्मेदारी ख०वि०अ०/लेखाकार एवं प्रभारी की होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 बघरी में तालाब खुदाई व घाट निर्माण हेतु ग्रांट पंजी-1 के अनुसार रु० 262000.00 विधायक निधि से प्राप्त हुआ था। जिसके सापेक्ष ग्रांट पंजी-2 के अनुसार उक्त निधि से रुपया 221715.00 एवं वर्ष 2006-07 में रुपया 50054.00, वर्ष 07-08 में रुपया 151330.00 नरेगा मद से इसी तालाब पर व्यय किया गया है अभिलेखों में द्वितीय तालाब का उल्लेख न रहा। इस प्रकार अधिक व्यय रुपया 161099.00 के सम्बन्ध में कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने से व्यय की पुष्टि व कार्य के सम्बन्ध में स्थिति अज्ञात रही। उक्त अधिक धनराशि क्यों खर्च की गई प्राक्कलन, स्टीमेट, पत्रावली, मापपुस्तिका कार्य प्रस्ताव आदि उपलब्ध नहीं रहा। जिससे व्ययित धनराशि प्रमाणकों के अभाव में अपुष्ट रही। जांच एवं उचित कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी जिम्मेदारी ख०वि०अ०/लेखाकार एवं प्रभारी की होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

10- क्षेत्र पंचायत धानापुर

वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर-47 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावली वर्दीसाडा (टीकापुर) में हरिजन बस्ती से रोड तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य में मे० विन्ध्य कान्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर निदिल पुर में निम्न विवरणानुसार सामग्री की आपूर्ति की गयी है। जिसका मूल्य गणना करने पर रु० 577888.45 आता है-

नाम वस्तु	मात्रा	दर	गणनानुसार धनराशि
ईट	19962.00	6500.00	129753.00
सीमेंट	609.00	312.00	190008.00
पत्थर गिटटी	43.10	2189.00	94345.00
कोरसैण्ड	19.50	1800.00	35100.00
ईट गिटटी	50.20	1200.00	60240.00
विटु मैन्बोर्ड	248.00	49.50	12276.00
पोलथिन	745.00	60.00	44700.00
कार्टेज	149.00	76.95	11465.55
योग-			577888.45

उक्त बिल की बिना गणना किये बिल पर अंकित धनराशि रु० 607238.00 जिस पर वैट रु० 24290.00 एवं रायल्टी रु० 5965.00 काट कर बिल का भुगतान चेक संख्या-100277 दिनांक 16.09.2015 के द्वारा रुपया 576983.00 का किया गया है जबकि गणनानुसार धनराशि रु० 577888.00 पर वैट 4 प्रतिशत रु० 23116.00 एवं रायल्टी रु० 5965.00 काट कर रु० 548807.00 का ही भुगतान किया जाना चाहिए। इस प्रकार रु० 576983.00 - 548807.00 = 28176.00 अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रमोद कुमार चौबे लेखाकार एवं श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 बसगांवा में ओम प्रकाश के घर के सामने पुलिया निर्माण में सामग्री आपूर्ति कर्ता मे० विन्ध्य कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर निदिल पुर के बिल बुक नं० 3/65 में सामग्री आपूर्ति का मूल्य रु० 126420.00 अंकित किया गया है। जब कि उक्त बिल की गणना करने पर मूल्य रु० 126405.00 ही आता है। इस प्रकार रु० 15.00 का अन्तर है जो छड़ 3.49 कु० दर 46.50 पैसा से रु० 16228.00 पैसा होता है जबकि बिल पर अंकित रु० 16243.61 है। इस प्रकार रु० 15.00 अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रमोद कुमार चौबे लेखाकार एवं श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-49 धरांव में उमर खां के घर से नेकनाम पुर मार्ग तक पक्की नाली निर्माण में 23 घन मी० बालू पर रायल्टी दर— 22.00 प्रतिघन मी० से रु० 460.00 होता है। जबकी रायल्टी मात्र रु० 46.00 ही काटा गया है। इस प्रकार रु० 414.00 कम काटा गया है। जिसकी वसूली श्री प्रमोद कुमार चौबे लेखाकार एवं श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-50 निम्न विवरणानुसार कार्यों पर मिटटी आपूर्ति के सापेक्ष मिटटी पर रायल्टी नहीं काटा गया है :-

1-अमरा पिचरोड से जगदीश पुर सीमा तक मिटटी/खण्डजा कार्य।

2-खडान में सतीश के चक से बसगांवा पुलिया तक मिटटी /खण्डजा कार्य।

3-विशुनपुरा नहर से मिन्दू के घर तक सी०सी०रोड/नाली निर्माण में मिटटी ढुलाई कार्य

मात्रा	दर	मूल्य
278.35	113.67	31640.00
168.77	113.67	19184.00
137.45	76.95	10576.00
योग— 584.57		

इस प्रकार 584.57 घन मी० मिटटी पर रायल्टी दर 14.00 प्रति घन मीटर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर रु० 8183.98 अर्थात् रु० 8184.00 की कटौती नहीं की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रमोद कुमार चौबे लेखाकार एवं श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 वर्ष 2015-16 बारहवां वित्त के अन्तर्गत विशुनपुर नहर से मिन्दू के घर तक सी०सी०रोड/नाली निर्माण कार्य में विन्ध्य कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर निदिलपुर से निम्न विवरणानुसार सामग्री की आपूर्ति की गयी है :-

वस्तु का नाम	मात्रा	मूल्य	रायल्टी दर	धनराशि	मूल्य
सीमेंट	538	312.00	—	—	167856.00
फाइनबालू	36.80	700.00	22.00	809.60	25760.00
मोरन	24.00	1800.00	32.00	768.00	43200.00
ईट टुकड़ी	59.40	1200.00	48.00	2851.20	71280.00
ईट	9991.00	6500.00	—	—	64941.50
पत्थरगिट्टी	48.00	2189.00	68.00	3264.00	105072.00
माईका पालीथीन	533.00	60.00	—	—	31980.00
मिटटी ढुलाई	137.45	76.95	—	—	10576.77
मोर्किंग एण्ड ज्योईट	100.00	49.50	—	—	4950.00
				7692.80 / 7693.00	525616.27

उपरोक्त बिल की धनराशि रु० 525616.00 पर दर 4 प्रतिशत की दर से वैट रु०-21024.00 काटकर रु० 504591.00 का भुगतान चेक संख्या 033433, दिनांक 05.06.2015 द्वारा किया गया है। किन्तु उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर गणनानुसार रायल्टी रु० 7693.00 की कटौती नहीं किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रमोद कुमार चौबे लेखाकार एवं श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 ग्रान्ट पंजी तृतीय के अनुसार वर्ष आलोच्य में अनुदान की धनराशि पर प्राप्त ब्याज अनुदान की धनराशि में शामिल कर दिया गया है। इस हेतु विभागीय आदेश व शासनादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। लेखा परीक्षा की राय में पूर्व शासनादेशों के अनुसार वर्ष में प्राप्त ब्याज की धनराशि को ट्रेजरी चालान से प्राप्त अनुदान के मद में जमा किया जाना चाहिए जो शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। संस्था स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई आदेश उपलब्ध नहीं रहा। विवरण निम्नवत् है :-

मद	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	योग
राज्यवित्त	690117.00	603884.00	169556.00	1463557.00
विधायक निधि	—	73331.00	—	73331.00
मनरेगा प्रशासनिक मद	31251.00	38984.00	35934.00	106169.00
बी०आर०जी०एफ	22521.00	36432.00	19791.00	78744.00
अम्बेडकर विशेष रो०यो०	9508.00	—	—	9508.00
इन्दाआवास प्रशासनिक मद	59813.00	—	44719.00	104532.00
चौदहवां वित्त	—	—	21533.00	21533.00
योग	813210.00	752631.00	291533.00	1857374.00

इस प्रकार रु0-1857374.00 ब्याज की धनराशि को चालान द्वारा सम्बन्धित मदों में जमा न करके बिना किसी आदेश व शासनादेश के मनमाने ढंग से उसी मद में ट्रांसफर कर राजकीय आदेशों व शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इस सम्बन्ध में कोई संशोधित आदेश भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहा। इस सम्बन्ध में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व कर्मचारी का दायित्व आयत कर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-53 ग्रान्टपंजी द्वितीय के अनुसार तेरहवां वित्त से वर्ष 2014-15 में रु0 1459500.00 चेक संख्या-030627, दिनांक 26.08.2014 के द्वारा पी0डी0नेडा चन्दौली को 70 नग सोलर स्ट्रीट लाईट हेतु रु0 @ 20850.00 की दर से अग्रिम प्रदान किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजी/वितरित स्थान/ग्राम पंचायतों को प्राप्ति की पुष्टि में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं रहा। प्रमाणक के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः स्टॉक सोलर लाईट का न आना/न वितरित किया जाना इस बात का द्योतक है कि आपूर्ति ही नहीं किया गया है जिससे अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया है। अतः रु0 1459500.00 की गम्भीर अनियमितता श्री प्रमोद कुमार चौबे लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा की गयी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 वर्ष आलोच्य में निम्न विवरणानुसार स्टीमेट की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति व आदेश के व्यय करके धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः इसकी वसूली श्री प्रमोद कुमार चौबे लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु० में)	प्रयुक्त धनराशि	अधिक प्रयुक्त धनराशि
1	पिचरोड से मुन्ना सिंह के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	3.55	357803.00	2803.00
2	सतीश के घर से बसगाँवा पुल तक खण्डजा कार्य	5.366	539698.00	3098.00
योग				5901.00

प्रस्तर-55 वर्ष 2016-17 में वैट व रायल्टी गत वर्ष से कमशः रु0 275988.00 व रु0 27083.00 अवशेष दर्शित है। इसे जमा न करके राजकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिसके लिए श्री सुशील कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी व श्री प्रमोद कुमार चौबे, लेखाकार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-56 ग्रान्ट पंजी द्वितीय के अनुसार दिनांक 14 अप्रैल को डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती पर व्यय हेतु निम्न विवरणानुसार धनराशि प्राप्त एवं व्यय किया गया है :-

प्राप्त धनराशि		व्यय धनराशि		
दिनांक	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि
05.04.13	1000.00	—	—	—
13.03.14	1000.00	—	—	—
01.04.14	2000.00	042365	30.07.15	4000.00
02.08.15	2000.00	042381	31.12.15	2000.00
योग-	6000.00			6000.00

इस प्रकार उपरोक्त धनराशि का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राप्त धनराशि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में व्यय न करके एक ही वर्ष में व्यय किया गया है। इस प्रकार राजकीय धन का मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-57 दिनांक 31.03.2017 को अवशेष धनराशि रु0 10634861.97 दर्शित है। जिसमें 14वां वित्त की धनराशि रु0 3108577.47 एवं वैट रायल्टी की धनराशि रु0 303071.00 घटाने पर रु0 7223213.50 धनराशि अप्रयुक्त अवशेष दर्शित की जा रही है। नियमानुसार इसका उपभोग प्राप्त वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जाना चाहिए। किन्हीं अपरिहार्य स्थिति में यदि वर्ष में उपभोग कर पाना सम्भव न हो सका तो आगामी वित्तीय वर्ष में महालेखाकार से अनुमति ली जानी चाहिए जो नहीं किया गया है। मांग आधारित अनुदान रोक कर मजदूरों को रोजगार व जनता को विकास से वंचित किया गया है। जिसके लिए श्री सुशील कुमार मिश्र, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री प्रमोद कुमार चौबे लेखाकार उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-58 वर्ष 2014-15 में वैट मद में उपभोग की गयी धनराशि ग्रान्ट पंजी द्वितीय के अनुसार रु0 204487.00 के सापेक्ष दिनांक 16.12.14 को चार चेकों के माध्यम से रु0 190458.00 यू०बी०आई० मुगलसराय में जमा की गयी है। शेष रु0 14029.00 ग्रान्ट पंजी द्वितीय के अनुसार वैट कटौती की धनराशि वापस की गयी अहिकौरा कार्य हेतु दर्शाया गया है। जो नियमविरुद्ध एवं अपुष्टित व अप्रमाणित रहा। अतः इसकी वसूली श्री प्रमोद कुमार चौबे, लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय से वसूलकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-59 वर्ष 2014-15 में रायलटी मद में उपभोग की गयी धनराशि ग्रांट पंजी द्वितीय के अनुसार रु0 10713.00 के सापेक्ष दो चेको के माध्यम से रु0 8541.00 एस0बी0आई0 चन्दौली में जमा किया गया है। शेष रु0 2172.00 ग्रांट पंजी द्वितीय के अनुसार रायलटी कटौती की धनराशि अहिकौरा कार्य में प्राप्त रायलटी की कटौती वापस दर्शाया गया है। जो नियम विरुद्ध एवं अपुष्टित व अप्रमाणित रहा। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रमोद कुमार चौबे लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय से करके राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

11- क्षेत्र पंचायत चकिया

वर्ष 2008-09 से 2012-13

प्रस्तर-60

संस्था द्वारा वर्ष 08-09 से 12-13 में निर्माण कार्यों पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

क्र.सं.	मद	08-09	09-10	10-11	11-'12	12-13	योग
1	विधायक निधि	1763625	2763214	1334547	995906	477822	7335114
2	मनरेगा / श्रमांश	1586331 6	18149750	18350502	18618220	—	70981788
3	मनरेगा / सामग्री	—	—	2980535	6899947	—	9880482
4	प्र0मद	234042	792742	38191	5873	—	1070848
5	राज्य वित्त	917293	1989014	1185511	1886014	3060884	9038716
6	सांसद निधि	—	—	99685	—	1800852	1900537
7	बी0जी0आर0एफ 0	—	1079077	5700	90430	—	1175207
8	12वां / 13वां वित्त आयोग	570515	787235	574506	—	996501	2928757
9	मनरेगा ल0सि0 श्रमांश / नि0बोरिंग	—	—	49220	233980	632080	915280
	योग						105226729

दर्शित निर्माण कार्यों एवं इस पर व्यय की गयी धनराशि पर निम्न गम्भीर तथ्य प्रकाश में लाए जाते हैं:-

- 1-परियोजनावार निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।
- 2-किसी भी कार्य का कार्यपूति प्रमाण-पत्र/पी0सी0आर0(प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट) उपलब्ध नहीं रहा जिससे कार्यपूर्णता या हस्तगत की स्थिति अस्पष्ट रही।
- 3-लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कराये गये कार्यों एवं 2008-09 से पूर्व कराए गये कार्यों में स्पष्ट विभेद नहीं हो सका। संभव है कि पूर्व के वर्षों में कराए गए कार्यों को पुनः आलोच्य वर्ष में दर्शाकर अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया हो। परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी चाहिए।
- 4-निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन एवं संस्था को निर्माण कार्य हेतु आवंटित कार्यों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि जो कार्य संस्था द्वारा ग्रांट रजिस्टर भाग-2 में दर्शाये गए हैं उन कार्यों को कराए जाने हेतु संस्था को आवंटित किया गया है अथवा नहीं।
- 5-वित्त आयोगों व शासन से प्राप्त समस्त अनुदान धनराशियों को नियमानुसार 6 माह के भीतर विकास कार्यों में प्रयुक्त पर उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को भेजे जाने का प्राविधान है किन्तु कुल प्रयुक्त धनराशि रु0 105226729.00 की उपभोग प्रमाण पत्र पत्रावली व प्रेषण पंजिका अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 6-शासनादेश संख्या-3891/77.5.2002, दिनांक 05.08.2002 एवं 4951-2/77-5-06-506/06, दिनांक 15.10.06 एवं तत्संबंधी अन्य शासनादेशों में यह निश्चित किया गया है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप खनिजों यथा-गिट्टी, मोरंग, बालू, मिट्टी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायलटी जमा करने के प्रमाणस्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु वैध रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्त कर लिया जाए तत्पश्चात भुगतान किया जाए, किन्तु न तो रायलटी जमा का ट्रेजरी चालान और न ही वैध रवन्ना (एम0एम0-11) प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त प्रमाणक प्रस्तुत कर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों की आपूर्ति की पुष्टि अपेक्षित है। उपरोक्त की जिम्मेदारी वर्क इंचार्ज, एकाउंटेंट व ख0वि0अधि0 की है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 दिनांक 31 मार्च 2009,10,11,12 व 2013 को ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार अवशेष अनुदान राशि क्रमशः 7588578.06, 9924909.87, 13776045.87, 6636503.87 एवं 7633787.87 दर्शित रहा। स्पष्ट है कि वास्तविक उपभोग

की गति धीमी है जिससे शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य सम्पन्न न कराकर रु0 7633787.87 की धनराशि दिनांक 31.03.2013 को अवशेष रखकर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। नियमानुसार वर्षांत तक समस्त धनराशि का उपभोग कर लिया जाना चाहिए था अन्यथा की स्थिति में उन्हें शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए था। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना संभव नहीं रहा तो आगामी वर्षों में उपभोग के लिए महालेखाकार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी, किन्तु संस्था द्वारा ऐसा न कर वर्ष प्रति-वर्ष राजकीय धनराशि रोककर तथा शासन को वापस न कर बिना अनुमति के अनियमित रूप से वर्ष प्रति-वर्ष धनराशि का अन-अधिकृत रूप से उपयोग किया जा रहा है जो आपत्तिजनक है। जिसके लिए श्री अंजनी कुमार सोनकर लेखाकार व उक्त वर्षों में कार्यरत रहे खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-62 संस्था द्वारा आलोच्य वर्षों में दर्शित निम्नलिखित निर्माण कार्यों के सामग्री कय भुगतान बिलों के सापेक्ष आयकर, व्यापार कर तथा रायल्टी मद में राजकीय राजस्व की कटौती नहीं की गई है :-

क्र.सं.	वर्ष	मद,कार्य का नाम	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	कुल धनराशि	आकलित राजकीय राजस्व धनराशि 2.24+4 प्रतिशत की
1	8-9	रा.वित्त। वि.खंड परिसर में चाहरदिवारी एवं गेट निर्माण	1-मो0शाकिब खान, ग्रा0पं0अ0, 2-मुन्ना लाल यादव, ख0वि0अ0	165006	10296
2	8-9	नरेगा। विठवलकला में कालीजी के मंदिर से जलालपुर वार्डर तक पक्की नाली निर्माण	1-वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अ0, 2-फूलचंद, ख0वि0अ0	156582	9770
3	9-10	नरेगा। लालपुर में पेट्रोल पंप से पावर हाउस तक पक्की नाली निर्माण	1-मो0शाकिब खान, ग्रा0पं0अ0, 2-फूलचंद, ख0वि0अ0	292000	18221
4	9-10	रा.वित्त। ग्रा0पं0 मुज्जफरपुर में नाली कवर, पत्थर चौका कार्य	1-लालजी राम, ग्रा0पं0अ0 2- सुबाष चन्द्र त्रिपाठी, ख0वि0अ0	163636	10211
5	9-10	रा.वित्त। वि0खंड परिसर में अवशेष चाहरदिवारी / हैण्डपम्प आदि	1-रामप्रसाद, ग्रा0पं0अ0, 2-फूलचंद, ख0वि0अ0	33393	2084
6	10-11	विधायक निधि। ग्रा0पं0 अमरा उत्तरी में बिंद बस्ती से कब्रीस्तान तक मिटटी, खडंजा कार्य	1-लालजी राम, ग्रा0पं0अ0 2- सुबाष चन्द्र त्रिपाठी, ख0वि0अ0	71930	4488
7	10-11	रा0 वित्त। वि0ख0 परिसर में अवशेष चाहरदिवारी / हैण्डपम्प आदि	1-रामप्रसाद, ग्रा0पं0अ0, 2-सुबाष चन्द्र त्रिपाठी, ख0वि0अ0	32762	2044
8	10-11	विधा0निधि। चतुरीपुर मेन सड़क से राधेश्याम के घर तक पत्थर चौका कार्य	1-राजेन्द्र प्रसाद भारती, ग्रा0पं0अ0 2- सुबाष चन्द्र त्रिपाठी, ख0वि0अ0	50056	3123
9	10-11	“	1-राजेन्द्र प्रसाद भारती, ग्रा0पं0अ0 2- फूलचंद, ख0वि0अ0	68465	4272
10	10-11	वि0नि0। गोगहरा अकोढवा में लालबरत...सूछू...नाली पत्थरचौका कार्य	1-शैलेश कुमार, एडीओ0एसटी0 2- सुबाष चन्द्र त्रिपाठी, ख0वि0अ0	153818	9598
11	10-11	वि0नि0। भागूपुर में कब्रीस्तान का बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य	1-राजेन्द्र प्रसाद भारती, ग्रा0पं0अ0 2-सुबाष चन्द्र त्रिपाठी, ख0वि0अ0	126645	7903
12	10-11	वि0नि0। गायघाट में पुलिया निर्माण कार्य	1-राजेन्द्र प्रसाद भारती, ग्रा0पं0अ0 2-सुबाष चन्द्र त्रिपाठी,	25000	1560

			ख०वि०अ०		
13	10-11	वि०नि०। रामपुरकला में नैपाल सिंह... राजन...सी०सी० रोड निर्माण कार्य	1-मो०शाकिब खान, ग्रा०पं०अ० 2-सुबाष चन्द्र त्रिपाठी, ख०वि०अ०	63210	3944
14	11-12	वि०नि०। गायघाट में पुलिया निर्माण कार्य	1-राजेन्द्र प्रसाद भारती, ग्रा०पं०अ० 2-फूलचंद, ख०वि०अ०	42445	2649
15	11-12	वि०नि०। रामपुरकला में नैपाल सिंह... राजन...सी०सी० रोड निर्माण कार्य	1-मो०शाकिब खान, ग्रा०पं०अ०	40933	2554
			2-बृजभूषण शरण सिंह, ख०वि०अ०		
			योग		92717

उपरोक्त विवरण के अनुसार आकलित राजकीय राजस्व की क्षति की धनराशि रु० 92717.00 की वसूली संबंधित पक्षों से अपेक्षित है।

प्रस्तर-63 अनुदान रजिस्टर भाग-3 पर अंकित विवरण के अनुसार संस्था द्वारा कुल 10 बैंक खाते संचालित किए जा रहे हैं जिसके अनुसार खातों में कुल रु० 8208013.87 जमा दर्शित किया जा रहा है जबकि अनुदान रजिस्टर भाग-3 में दिनांक 31.03.13 को रु० 7641836.87 अनुदान शेष है। इस प्रकार दिनांक 31.03.13 को बैंक और संस्था के बीच रु० 566177.00 का अंतर विद्यमान है। अंतर के समाधान हेतु बैंक समाधान विवरण पत्र नहीं तैयार किया गया है। बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार कर समाधानित तिथियों का उल्लेख करते हुए समाधान की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि संस्था के बैंक खातों का चिन्हांकन इस तरह से नहीं किया गया है कि किस-किस खाते में किस-किस योजना का धन प्राप्त हुआ है। राजकीय अनुदान की प्रत्येक योजना के अलग-अलग बैंक खाते न खोले जाने/चिन्हांकित न किए जाने के कारण अनुदान रजिस्टर में दर्शित आय-व्यय एवं अवशेष का मिलान और इसकी वास्तविकता को आडिट में प्रमाणित नहीं किया जा सका। साथ ही कौन सी धनराशि किन शर्तों पर व्ययित होनी है, स्पष्ट नहीं हो सका। इस प्रकार अंतर की धनराशि रु० 566177.00 किन-किन मदों की है, स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। राजकीय अनुदान की प्रत्येक योजना के अलग-अलग बैंक खाते खोलकर पुष्टि कराई जानी चाहिए। जिसके लिए श्री अंजनी कुमार सोनकर लेखाकार व उक्त वर्षों में कार्यरत रहे खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-64 अनुदान रजिस्टर भाग-3 में ब्याज मद में त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकन किया गया है, जिसका विवरण निम्न है- माह मई 2008 में क्लोजिंग बैलेस रु० 330405.28 अंकित है किन्तु जून 2008 में ओपनिंग बैलेस रु० 330474.28 दर्शित है जो कि रु० 69.00 अधिक है। इसके फलस्वरूप दिनांक 31.03.09 का अवशेष ग्रांट रजिस्टर-3 में रु० 7588578.06 है जो कि त्रुटिपूर्ण है। इस ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। स्पष्टीकरण अपेक्षित है। इस प्रकार अनुदान पंजिका में दिनांक 31.03.13 को दर्शित अवशेष रु० 7641836.87 एवं बैंक पासबुक में दर्शित वर्षांत अवशेष रु० 8208013.87 के मध्य जो अंतर रु० 566177.00 का अनुदान रजिस्टर भाग-3 में दर्शाया गया है वह भी त्रुटिपूर्ण है। बैंक पासबुक/स्टेटमेंट प्रस्तुत कर वर्षांत के अवशेष की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। जिसके लिए श्री अंजनी कुमार सोनकर लेखाकार व उक्त वर्षों में कार्यरत रहे खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-65 अनुदान रजिस्टर भाग-3 के अनुसार आलोच्य वर्षों में ब्याज मद में विभिन्न योजनाओं के खाते में विवरण निम्नानुसार रहा-

वर्ष	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	योग
प्रा०शेष	330405.28	536829.62	671250.43	1019735.43	1357524.43	3311745.19
आय	206926	177986.00	399230	338593	352613	1475348
कुल आय	537331.28	714815.62	1070480.43	1358328.43	1710137.43	4787093.19
व्यय	501.66	43565.19	50745	804	1315	96930.85
अवशेष	536829.62	671250.43	1019735.43	1357524.43	1708822.43	4690162.34

इस प्रकार ब्याज मद की कुल प्राप्त धनराशि रु० 4787093.19 के सापेक्ष रु० 96930.85 व्यय किया गया है जो कि शासन के निर्देशों के विपरीत है। व्ययित धनराशि संबंधित मदों में ही की गई हैं जिन मदों में वे प्राप्त हुई हैं। व्ययित धनराशि में 50166, 804 तथा 1315 बैंक कटौतियां हैं। इस प्रकार ब्याज मद की कुल अवशेष धनराशि रु० 4690162.34 को शासन के संबंधित एजेंसियों को वापिस किया जाना चाहिए था जबकि ऐसा नहीं किया गया है, जो कि अनुचित है। जिसके लिए श्री अंजनी कुमार सोनकर लेखाकार व उक्त वर्षों में कार्यरत रहे खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-66 अनुदान रजिस्टर भाग-3 एवं भाग-2 के अनुसार ब्याज मद की धनराशि का वर्ष 09-10 में रु० 43565.19 व वर्ष 10-11 में रु० 50745.00 का उपभोग किया गया है। नियमानुसार वर्ष में प्राप्त अनुदान से अधिक धनराशि का

उपभोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि से कुल ब्याज की धनराशि रु0 94310.19 का अनधिकृत रूप से उपभोग कर लिया गया है। इस प्रकार उपयोगित धनराशि रु0 94310.19 का लेखा परीक्षा की दृष्टि से अनियमितता किया गया है। जो गंभीर आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए श्री अंजनी कुमार सोनकर लेखाकार व उक्त वर्षों में कार्यरत रहे खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-67 आलोच्य वर्ष 08-09 एवं 11-12 में बायोगैस मद में संस्था द्वारा क्रमशः रु0 14000.00 एवं 63000.00 व्यय किया गया है, जिसका विवरण अनुदान रजिस्टर भाग-2 में अंकित है, किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित लाभार्थियों की प्रमाणित सूची उपलब्ध नहीं कराई गई जो गंभीर आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए श्री अंजनी कुमार सोनकर लेखाकार व उक्त वर्षों में कार्यरत रहे खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-68 अनुदान रजिस्टर भाग-3 के अनुसार प्रासंगिक मद शीर्ष के अन्तर्गत संस्था द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान क्रमशः रु0 234042.00, 792742.00, 38191.00, 5873.00 का उपयोग किया गया है। उपरोक्त व्यय स्टेशनरी, डीजल क़य, वाहन मरम्मत आदि से संबंधित है जिसका विवरण अनुदान रजिस्टर भाग-2 में अंकित है। किन्तु लेखा परीक्षा में कुल व्यय रु0 57902.00 से संबंधित कोई प्रमाणक स्टॉक रजिस्टर, वाहन रजिस्ट्रेशन की पत्रावली, लागबुक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अंजनी कुमार सोनकर लेखाकार व उक्त वर्षों में कार्यरत रहे खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	दिनांक	जिम्मेदार व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	29.01.09	1-जीवनदास कैशियर 2-मुन्नालाल यादव, ख०वि०अ०	3744.00
2	"	"	1463.00
3	16.03.09	1-जीवनदास कैशियर, 2-फूलचंद, ख०वि०अ०	896.00
4	25.03.09	1-जीवनदास कैशियर, 2-फूलचंद, ख०वि०अ०	300.00
5	04.04.09	1-जीवनदास कैशियर, 2-फूलचंद, ख०वि०अ०	7343.00
6	04.06.09	1-जीवनदास कैशियर, 2-फूलचंद, ख०वि०अ०	5000.00
7	24.06.09	1-जीवनदास कैशियर, 2-फूलचंद, ख०वि०अ०	4031.00
8	17.07.09	1-जीवनदास कैशियर, 2-फूलचंद, ख०वि०अ०	1225.00
9	20.08.09	1-जीवनदास कैशियर, 2-फूलचंद, ख०वि०अ०	6000.00
10	26.08.09	1-जीवनदास कैशियर, 2-फूलचंद, ख०वि०अ०	5000.00
11	16.09.09	1-जीवनदास कैशियर, 2-फूलचंद, ख०वि०अ०	4400.00
12	08.10.09	1-जीवनदास कैशियर, 2-फूलचंद, ख०वि०अ०	5000.00
13	28.01.10	1-जीवनदास, कैशियर, 2-सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, ख०वि०अ०	5000.00
14	06.05.10	1-जीवनदास, कैशियर, 2-सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, ख०वि०अ०	5000.00
15	06.05.10	1-जीवनदास, कैशियर, 2-सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, ख०वि०अ०	3500.00
		योग-	57902.00

प्रस्तर-69

वर्ष 08-09 में राज्य वित्त मद से कराए गए कार्य विकास खण्ड परिसर में सी०सी०रोड निर्माण कार्य के पत्रावली के जांच में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आई जिसकी तरफ उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है :-

क-उक्त कार्य की निविदा से संबंधित कागजात, कार्य का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।

ख-कार्य से संबंधित किसी मस्टररोल में मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं लिए गये हैं।

1-दिनांक 15.11.08 से 21.11.08-रु0 13300.00, कार्यप्रभारी जयलाल सिंह, ग्रा०वि०अ० तथा ख०वि०अ० छोटेलाल सिंह।

2-दिनांक 15.11.08 से 21.11.08-रु0 17400.00, कार्यप्रभारी जयलाल सिंह, ग्रा०वि०अ० तथा ख०वि०अ० छोटेलाल सिंह।

3-दिनांक 22.11.08 से 28.11.08-रु0 13300.00, कार्यप्रभारी जयलाल सिंह, ग्रा०वि०अ० तथा ख०वि०अ० छोटेलाल सिंह।

4-दिनांक 22.11.08 से 28.11.08-रु0 17400.00, कार्यप्रभारी जयलाल सिंह, ग्रा०वि०अ० तथा ख०वि०अ० छोटेलाल सिंह।

5-दिनांक 02.02.09 से 08.02.09-रु0 10710.00, कार्यप्रभारी जयलाल सिंह, ग्रा०वि०अ० तथा ख०वि०अ० रमेश सिंह।

योग :- रु0 72110.00

6-दिनांक 09.02.09 से 11.02.09-रु0 3990.00, कार्यप्रभारी जयलाल सिंह, ग्रा०वि०अ० तथा ख०वि०अ० रमेश सिंह।

कुल योग- रु0 76100.00

इस प्रकार बिना मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान के भुगतानित उपरोक्त मस्टररोल की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए रु0 76100.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्यप्रभारी जयलाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी छोटेलाल सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी, रमेश सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-70 वर्ष 10-11 में विधायक निधि मद से कराए गए कार्य रामकला में नेपाल सिंह के घर से राजन के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य के पत्रावली के जांच में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आईं-

क- कार्य से संबंधित निम्नलिखित मस्टररोल में मजदूरों के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान नहीं लिए गये हैं। यथा-

1- दिनांक 20.04.12 से 26.04.12 रु0 13300- कार्यप्रभारी मो0 शाकिब, ग्रा0पं0अ0 तथा खण्ड विकास अधिकारी डाँ0 राम आसरे।

2- दिनांक 23.04.12 से 29.04.12 रु0 6600.00 कार्यप्रभारी मो0 शाकिब, ग्रा0पं0अ0 तथा खण्ड विकास अधिकारी डाँ0 राम आसरे।

योग-19900.00।

इस प्रकार बिना मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान के भुगतानित उपरोक्त मस्टररोल की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए रु0 19900.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी मो0 शाकिब, ग्रा0पं0अ0 तथा खण्ड विकास अधिकारी डाँ0 राम आसरे से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-71 रिवाल्विंग फंड/प्र0मद मनरेगा में वर्ष 09-10, 10-11, 11-12 व 12-13 में क्रमशः रु0 1100910.00, 2894919.00, 901813.00 व 2125693.00 कुल रु0 7023335.00 के उपभोग की पुष्टि में प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो गंभीर आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए लेखाकार 1-श्री अरविंद कुमार गौतम 2008-12, 2- श्री अंजनी कुमार सोनकर 12-13, व खण्ड विकास अधिकारी सर्वश्री 1-फूलचंद्र (02.03.09-20.11.09), 2-गणेश शंकर गुप्ता (20.11.09-21.12.09), 3- सुबाष चंद्र त्रिपाठी(21.12.09-15.04.11), 4-बृजभूषण सिंह (15.04.11-23.04.11), 5-फूलचंद्र (23.04.11-06.01.12), 6- बृजभूषण सिंह (06.01.12-10.01.12), 7-डाँ0 राम आसरे(10.01.12- 05.05.12), 8- राजेन्द्र सिंह यादव (05.05.12-27.04.12) उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

12- क्षेत्र पंचायत चकिया

वर्ष 2013-14 से 2016-17

प्रस्तर-72 दिनांक 31 मार्च 2014, 15, 16 व 2017 को ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार अवशेष अनुदान राशि क्रमशः 14052378, 10796775, 3831187 व 4048933 दर्शित रहा। स्पष्ट है कि वास्तविक उपभोग की गति धीमी है जिससे शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य सम्पन्न न कराकर रु0 4048933.00 की धनराशि दिनांक 31.03.2017 को अवशेष रखकर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। नियमानुसार वर्षांत तक समस्त धनराशि का उपभोग कर लिया जाना चाहिए था अन्यथा की स्थिति में उन्हें शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए था। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना संभव नहीं रहा तो आगामी वर्षों में उपभोग के लिए महालेखाकार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी, किन्तु संस्था द्वारा ऐसा न कर वर्ष प्रति-वर्ष राजकीय धनराशि रोककर तथा शासन को वापस न कर बिना अनुमति के अनियमित रूप से वर्ष प्रति-वर्ष धनराशि का अन-अधिकृत रूप से उपयोग किया जा रहा है जो आपत्तिजनक है। जिसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-73 अनुदान रजिस्टर भाग-3 के अनुसार आलोच्य वर्षों में ब्याज मद में विभिन्न योजनाओं के खाते में विवरण निम्नानुसार रहा-

वर्ष	13-14	14-15	15-16	16-17	योग
प्रा0शेष	1708892	1073063	183599	301104	3266658
आय	450842	363994	215803	170417	985253
कुल आय	2159734	1437057	399402	471521	4467714
व्यय	1086671	1253458	98298	333234	2771661
अवशेष	1073063	183599	301104	138287	1696053

इस प्रकार ब्याज मद की कुल प्राप्त धनराशि रु0 4467714.00 के सापेक्ष रु0 2771661.00 व्यय किया गया है जो कि शासन के निर्देशों के विपरीत है। ब्याज मद की कुल प्राप्त धनराशि रु0 4467714.00 को शासन के संबंधित एजेंसियों को वापिस किया जाना चाहिए था जबकि ऐसा नहीं किया गया है, जो कि अनुचित है। जिसके लिए लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-74 अनुदान रजिस्टर भाग-2 के अनुसार वर्ष 14-15 में ब्याज मद में दिनांक 05.09.14 एवं दिनांक 08.09.14 को रुपया 348659.68 व रुपया 534163.93 की धनराशि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा क्रमशः राज्य वित्त व 13वां वित्त मद में स्थानान्तरित कर उपभोग किया गया है। नियमानुसार वर्ष में प्राप्त अनुदान राशि से अधिक धनराशि का उपभोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि से कुल ब्याज की धनराशि रु0 882823.61 का अनधिकृत रूप से उपभोग कर लिया गया है। इस प्रकार उपयोगित धनराशि रु0 882823.61 का लेखा परीक्षा की दृष्टि से अनियमित उपभोग किया गया है।

स्पष्टीकरण एवं समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-75 आलोच्य वर्ष 14-15 में बी0जी0आर0एफ0 मद से दिरेहु में कराए गए कार्य डाली राइस मिल से हनुमान मंदीर तक पथर, चौका एवं नाली कार्य के पत्रावली के जांच में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आई जिसकी तरफ उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

क-कार्य से संबंधित निम्नलिखित मस्टररोल में मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं लिए गए हैं-

1-दिनांक 04.08.14 से 14.08.14 - रु0 16492.00

2-दिनांक 11.08.14 से 17.08.14 - रु0 15742.00

योग- रु0 32234.00

ख-संलग्न मस्टररोल में श्रमिकों के पूरे पता का कालम रिक्त है।

इस प्रकार बिना मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान के भुगतानित उपरोक्त मस्टररोल की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए रु0 32234.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी राम सिंह, ग्राम विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री गया प्रसाद सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-76

आलोच्य वर्ष 14-15 में विधायक निधि मद से मदरसा इस्लामिया चकिया नगर पंचायत चकिया में कराए गए कमरे के निर्माण कार्य के पत्रावली के जांच में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आई जिसकी तरफ उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है-

क-कार्य से संबंधित निम्नलिखित मस्टररोल में निम्नलिखित श्रमिक- पुजारी, राहुल व पवन के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं लिए गए हैं।

ख- संलग्न मस्टररोल में श्रमिकों के पूरे पता का कालम रिक्त है जिसे भरना अपेक्षित रहा

दिनांक 12.11.14 से 17.11.14- रु0 2628.00

इस प्रकार बिना मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान के भुगतानित उपरोक्त मस्टररोल की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए रु0 2628.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी राजेन्द्र भारती, ग्राम विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री गया प्रसाद सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 आलोच्य वर्ष 16-17 में राज्य वित्त मद से धनावलकला के जलालपुर में मेन रोड से श्याम बिहारी के घर तक कराए गए पथर, चौका कार्य के पत्रावली के जांच में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आई जिसकी तरफ उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

क-कार्य से संबंधित निम्नलिखित मस्टररोल में मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं लिए गए हैं।

ख-संलग्न मस्टररोल में श्रमिकों के पूरे पता का कालम रिक्त है।

1-दिनांक 22.11.16 से 27.11.16 - रु0 4098.00

इस प्रकार बिना मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान के भुगतानित उपरोक्त मस्टररोल की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए रु0 4098.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी राजेन्द्र भारती, ग्राम विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार राय से की जानी अपेक्षित है।

13- क्षेत्र पंचायत बरहनी

वर्ष 2013-14 से 2016-17

प्रस्तर-78

संस्था द्वारा वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

मदो का नाम	धनराशि
1-मनरेगा	114344.32
2-विधायक निधि-	1135772.00
3-राज्य वित्त आयोग-	2251207.00
4-बी0आर0जी0एफ0-	508721.00
5-तेरहवां वित्त आयोग-	6548481.00

योग-10558525.32

दर्शित निर्माण कार्यों एवं इस पर व्यय की गयी धनराशि पर निम्न गंभीर तथ्य प्रकाश में लाये जाते हैं :-

1-सम्बन्धित परियोजनावार पत्रावलियां लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

2-परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2013-14 से पूर्व के वर्षों में कराये गये कार्यों में स्पष्ट विभेद नहीं हो सका। संभव है कि पूर्व के वर्षों में कराये गये कार्यों को पुनः आलोच्य वर्षों में दर्शाकर अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया हो।

3-रु0 10558525.32 के व्यय से सृजित कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ पी0सी0आर0(प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट) उपलब्ध नहीं रहा।

4-निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन एवं संस्था को निर्माण कार्य हेतु आवंटित कार्यों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि जो कार्य संस्था द्वारा ग्रान्ट रजिस्टर भाग-2 में दर्शाये गये हैं उन कार्यों को कराये जाने हेतु संस्था को आवंटित किया गया है अथवा नहीं।

5-वित्त आयोगों व शासन से प्राप्त समस्त अनुदान धनराशियों को नियमानुसार 6 माह के भीतर विकास कार्यों में प्रयुक्त कर “ उपभोग प्रमाण पत्र” शासन को भेजे जाने का प्राविधान है किन्तु मांग के बावजूद कुल उपयोगित धनराशि रु0 10558525.32 की उपभोग प्रमाण पत्र पत्रावली व प्रेषण की स्थिति को अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया।

6-शासनादेश संख्या-3891/77-5-2002, दिनांक 05 अगस्त 2002 एवं 4951(11)/77-5-06-506 /06, दिनांक 15.10.06 एवं तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में यह व्यवस्था निर्धारित है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप-खनिजों यथा गिट्टी, मोरंग, बालू, मिट्टी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु वैध रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्त कर लिया जाय तत्पश्चात् ही भुगतान किया जाये। किन्तु न तो रायल्टी जमा का ट्रेजरी चालान और न ही वैध रवन्ना (एम0एम0-11) प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार खनिज की आपूर्ति संदिग्ध है और जब आपूर्ति ही संदिग्ध है तो दर्शित निर्माण कार्य भी संदिग्ध ही रहेगा।

उपरोक्त बिन्दु 01 से 06 को दृष्टिगत रखते हुए आडिट का मत है कि संस्था द्वारा जो भी निर्माण कार्य और उस पर व्यय दर्शित है वह संदिग्ध है जिसे पुष्ट नहीं किया जा सकता है। इसकी भी संभावना है कि दर्शित कार्यों पर दर्शित किये गये व्यय अंकन रु0 10558525.82 का दुरुपयोग कर लिया गया हो। इसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार तिवारी, श्री योगेन्द्र कुमार पाठक, श्री अजीत कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री विजयशंकर उत्तरदायी है।

प्रस्तर-79 दिनांक 01.04.13 को स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 13253436.10 प्रा0 शेष रहा। वर्ष 13-14 में रु0 181923.00 अनुदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल धनराशि रु0 13435359.10 वर्ष में लाभार्थियों के बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया दर्शित है परन्तु उपयोगित धनराशि से लाभान्वित लाभार्थियों की पत्रावली, प्रमाणित सूची एवं चेको का प्रतिपण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सूची एवं प्रतिपण प्रस्तुत कर धनराशि भुगतान की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार तिवारी, श्री योगेन्द्र कुमार पाठक, श्री अजीत कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री विजय शंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-80 दिनांक 01.04.13 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में प्रा0 शेष रु0 466350.00 ग्रान्ट रजिस्टर भाग-तीन में दर्शित है। वर्ष 13-14 में रु0 515337.00 उपरोक्त मद में प्राप्त हुआ है तथा रु0 670000.00 लाभार्थियों को भुगतान दर्शाया गया है। योजना से सम्बन्धित पत्रावली सम्प्रेक्षण में अप्राप्त रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि योजना की शर्तें क्या-क्या थी एवं लाभार्थियों द्वारा शर्तों/मानकों को पूर्ण किया गया है अथवा नहीं। इस प्रकार रु0 670000.00 व्यय से सम्बन्धित पत्रावली, लाभार्थियों की प्रमाणित सूची व चेकों का प्रतिपण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार तिवारी, श्री योगेन्द्र कुमार पाठक, श्री अजीत कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री विजय शंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-81 वर्ष 13-14 में माह फरवरी 2014 में रु0 3726000.00 केन्द्रीय वित्त आयोग (तेरहवां वित्त आयोग) की धनराशि बिना किसी अधिकारी /शासन के अनुमति के राज्य वित्त आयोग मद में स्थानान्तरित संस्था द्वारा किया गया है। बिना स्वीकृति के केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि राज्य वित्त आयोग मद में स्थानान्तरित कर रु0 3726000.00 शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जिसके प्रति लेखाकार श्री विजय शंकर एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार पाठक जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-82 संस्था द्वारा वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

मदो का नाम	धनराशि
1-विधायक निधि-	228785.00
2-राज्य वित्त आयोग-	229400.00
योग-	458185.00

दर्शित निर्माण कार्यों एवं इस पर व्यय की गयी धनराशि पर निम्न गंभीर तथ्य प्रकाश में लाये जाते हैं :-

1-सम्बन्धित परियोजनावार पत्रावलियां लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

2-परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष 2014-15 एवं पूर्व के वर्षों में कराये गये कार्यों में स्पष्ट विभेद नहीं हो सका। संभव है कि पूर्व के वर्षों में कराये गये कार्यों को पुनः आलोच्य वर्षों में दर्शाकर अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया हो।

3-रु0 458158.00 के व्यय से सृजित कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ पी0सी0आर0(प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट) उपलब्ध नहीं रहा।

4-निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन एवं संस्था को निर्माण कार्य हेतु आवंटित कार्यों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि जो कार्य संस्था द्वारा ग्रांट रजिस्टर भाग-2 में दर्शाये गये हैं उन कार्यों को कराये जाने हेतु संस्था को आवंटित किया गया है अथवा नहीं।

5-वित्त आयोगों व शासन से प्राप्त समस्त अनुदान धनराशियों को नियमानुसार 6 माह के भीतर विकास कार्यों में प्रयुक्त कर “ उपभोग प्रमाण पत्र” शासन को भेजे जाने का प्राविधान है किन्तु मांग के बावजूद कुल उपयोगित धनराशि रु0 458185.00 की उपभोग प्रमाण पत्र पत्रावली व प्रेषण की स्थिति को अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया।

6-शासनादेश संख्या-3891/77-5-2002, दिनांक 05 अगस्त 2002 एवं 4951(11)/77-5-06-506 /06, दिनांक 15.10.06 एवं तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में यह व्यवस्था निर्धारित है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप-खनिजों यथा गिट्टी, मोरंग, बालू, मिट्टी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु वैध रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्त कर लिया जाय तत्पश्चात ही भुगतान किया जाये। किन्तु न तो रायल्टी जमा का ट्रेजरी चालान और न ही वैध रवन्ना (एम0एम0-11) प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार खनिज की आपूर्ति संदिग्ध है और जब आपूर्ति ही संदिग्ध है तो दर्शित निर्माण कार्य भी संदिग्ध ही रहेगा।

उपरोक्त बिन्दु 01 से 06 को दृष्टिगत रखते हुए आडिट का मत है कि संस्था द्वारा जो भी निर्माण कार्य और उस पर व्यय दर्शित है वह संदिग्ध है जिसे पुष्ट नहीं किया जा सकता है। इसकी भी संभावना है कि दर्शित कार्यों पर दर्शित किये गये व्यय अंकन रु0 458185.00 का दुरुपयोग कर लिया गया हो। इसके प्रति समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रकार उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह, श्री बी0बी0सिंह, श्री योगेन्द्र कुमार पाठक, श्री कमलजीत सिंह एवं लेखाकार श्री विजयशंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-83 दिनांक 01.04.14 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में प्रा0 शेष रु0 311687.00 ग्रांट रजिस्टर भाग-तीन में दर्शित है। वर्ष 14-15 में रु0 126971.00 उपरोक्त मद में प्राप्त हुआ है तथा रु0 117556.00 लाभार्थियों को भुगतान दर्शाया गया है। योजना से सम्बन्धित पत्रावली सम्प्रेक्षण में अप्राप्त रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि योजना की शर्तें क्या-क्या थी एवं लाभार्थियों द्वारा शर्तों/मानकों को पूर्ण किया गया है अथवा नहीं। इस प्रकार रु0 117556.00 व्यय से सम्बन्धित पत्रावली, लाभार्थियों की प्रमाणित सूची व चेकों का प्रतिपण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह, श्री बी0बी0सिंह, श्री योगेन्द्र कुमार पाठक, श्री कमलजीत सिंह एवं लेखाकार श्री विजयशंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 संस्था द्वारा वर्ष 2014-15 में विभिन्न योजनाओं के अवशेष धनराशि पर बैंक से रु0 41954.00 ब्याज प्राप्त हुआ है, जिसका उपभोग सम्बन्धित योजनाओं में ही कर लिया गया है :-

क्र0सं0	मदों का नाम	धनराशि
1	इन्दिरा आवास प्रासंगिक मद	2914.00
2	आर्थिक समाजि एवं जाति जनगणना	7519.00
3	बी0आर0जी0एफ0	17050.00
4	डॉ अम्बेडकर विशेष रो0यो0	14471.00

योग- 41954.00

उपरोक्त दर्शित प्राप्त ब्याज ग्रांट रजिस्टर भाग-दो में दर्ज प्राप्त ब्याज के आधार पर अंकित किया गया है। ग्रांट रजिस्टर भाग-3 में उपरोक्त वर्ष में विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज का अंकन नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त वर्ष में प्राप्त ब्याज का अनाधिकृत रूप से उपभोग कर दुरुपयोग किया गया है। नियमानुसार वर्ष में प्राप्त अनुदान राशि से अधिक धनराशि का उपयोग नहीं होना चाहिए। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह, श्री बी0बी0सिंह, श्री योगेन्द्र कुमार पाठक, श्री कमलजीत सिंह एवं लेखाकार श्री विजयशंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-85 अनुदान पंजिका भाग-तीन के अनुसार इन्दिरा आवास प्रासंगिक मद में वर्ष 14-15 में रु0 71876.00 उपभोग किया गया दर्शित है। उपरोक्त व्यय टेलीफोन बिल के भुगतान, स्टेशनरी क़य, डीजल क़य, कम्प्यूटर एवं जनरेटर मरम्मत पर व्यय आदि से सम्बन्धित है। इस प्रकार कुल दर्शित व्यय धनराशि रु0 71876.00 से सम्बन्धित किसी प्रकार का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार दर्शित समस्त उपयोगित धनराशि की आडिट में पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री बी0बी0सिंह, विजय कुमार जायसवाल एवं लेखाकार श्री विजय शंकर उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-86 संस्था द्वारा वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

मदों का नाम	धनराशि
1-विधायक निधि-	2288905.00
2-राज्य वित्त आयोग-	13170485.00
3-बी0आर0जी0एफ0-	1204834.50

4-तेरहवां वित्त आयोग— 4284398.00
योग— 20948622.50

दर्शित निर्माण कार्य एवं इस पर व्यय की गयी धनराशि पर निम्न गंभीर तथ्य प्रकाश में लाये जाते हैं :-

1-सम्बन्धित परियोजनावार पत्रावलियां लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

2-परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष 2015-16 एवं पूर्व के वर्षों में कराये गये कार्यों में स्पष्ट विभेद नहीं हो सका। संभव है कि पूर्व के वर्षों में कराये गये कार्यों को पुनः आलोच्य वर्षों में दर्शाकर अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया हो।

3-रु0 20948622.50 के व्यय से सृजित कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ पी0सी0आर0(प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट) उपलब्ध नहीं रहा।

4-निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन एवं संस्था को निर्माण कार्य हेतु आवंटित कार्यों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि जो कार्य संस्था द्वारा ग्रांट रजिस्टर भाग-2 में दर्शाये गये हैं उन कार्यों को कराये जाने हेतु संस्था को आवंटित किया गया है अथवा नहीं।

5-वित्त आयोगों व शासन से प्राप्त समस्त अनुदान धनराशियों को नियमानुसार 6 माह के भीतर विकास कार्यों में प्रयुक्त कर “ उपभोग प्रमाण पत्र” शासन को भेजे जाने का प्राविधान है किन्तु मांग के बावजूद कुल उपयोगित धनराशि रु0 20948622.50 की उपभोग प्रमाण पत्र पत्रावली व प्रेषण की स्थिति को अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया।

6-शासनादेश संख्या-3891/77-5-2002, दिनांक 05 अगस्त 2002 एवं 4951(11)/77-5-06-506 /06, दिनांक 15.10.06 एवं तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में यह व्यवस्था निर्धारित है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप-खनिजों यथा गिट्टी, मोरंग, बालू, मिट्टी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु वैध रवन्ना (एम0एम0-11) प्राप्त कर लिया जाय तत्पश्चात ही भुगतान किया जाये। किन्तु न तो रायल्टी जमा का ट्रेजरी चालान और न ही वैध रवन्ना (एम0एम0-11) प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार खनिज की आपूर्ति संदिग्ध है और जब आपूर्ति ही संदिग्ध है तो दर्शित निर्माण कार्य भी संदिग्ध ही रहेगा।

उपरोक्त बिन्दु 01 से 06 को दृष्टिगत रखते हुए आडिट का मत है कि संस्था द्वारा जो भी निर्माण कार्य और उस पर व्यय दर्शित है वह संदिग्ध है जिसे पुष्ट नहीं किया जा सकता है। इसकी भी संभावना है कि दर्शित कार्यों पर दर्शित किये गये व्यय अंकन रु0 20948622.50 का दुरुपयोग कर लिया गया हो। इसके प्रति समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रकार उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलजीत सिंह, श्री जगदीश त्रिपाठी, श्री बी0बी0सिंह, श्री सी0एल0 सिंह एवं लेखाकार श्री विजयशंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-87 दिनांक 01.04.15 को अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में प्रा0 शेष रु0 321102.00 ग्रांट रजिस्टर भाग-तीन में दर्शित है। वर्ष 15-16 में रु0 6731.00 उपरोक्त मद में प्राप्त हुआ है तथा रु0 327833.00 लाभार्थियों को भुगतान दर्शाया गया है। योजना से सम्बन्धित पत्रावली सम्प्रेक्षण में अप्राप्त रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि योजना की शर्त क्या-क्या थी एवं लाभार्थियों द्वारा शर्तों/मानकों को पूर्ण किया गया है अथवा नहीं। इस प्रकार रु0 327833.00 व्यय से सम्बन्धित पत्रावली, लाभार्थियों की प्रमाणित सूची व चेकों का प्रतिपण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलजीत सिंह, श्री जगदीश त्रिपाठी, श्री बी0बी0सिंह, श्री सी0एल0 सिंह एवं लेखाकार श्री विजयशंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-88 वर्ष 2015-16 में माह मई-15 में रु0 920.00 पेयजल मिशन मद की धनराशि निविदा प्रपत्रों की बिक्री से आय मद में स्थानान्तरित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन की धनराशि निविदा प्रपत्रों की बिक्री से आय में स्थानान्तरण का कोई औचित्य नहीं है एवं स्पष्टतः राजकीय अनुदान का दुरुपयोग है। उल्लेखनीय है कि उक्त धनराशि समाचार-पत्रों में निविदा विज्ञापन में व्यय कर लिया गया है। इस प्रकार रु0 920.00 के दुरुपयोग हेतु लेखाकार श्री विजय शंकर एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलजीत सिंह उत्तरदायी हैं। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-89 वर्ष 2015-16 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत रु0 11393.00 प्राप्त हुआ है जिसका उपभोग वर्ष के दौरान कर लिया जाना दर्शित है परन्तु उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लाभार्थियों की प्रमाणित सूची सम्प्रेक्षण में अप्राप्त रहा। प्रमाणित सूची उपलब्ध न होने के कारण व्यय पुष्टि नहीं रही जिससे उपरोक्त धनराशि अप्रमाणित एवं दुरुपयोगित रही। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलजीत सिंह, श्री जगदीश त्रिपाठी, श्री बी0बी0सिंह, श्री सी0एल0 सिंह एवं लेखाकार श्री विजयशंकर उत्तरदायी है।

प्रस्तर-90 वर्ष 2015-16 में विभिन्न योजनाओं के अवशेष धनराशि पर बैंक से रु0 332867.00 ब्याज प्राप्त हुआ है जिसका उपभोग सम्बन्धित योजनाओं में ही कर लिया गया है जैसे :-

क्र0सं0	मदों का नाम	धनराशि
1	इन्दिरा आवास प्रासंगिक मद	2047.00

2	आर्थिक सामाजिक एवं जाति जनकल्याण	10990.00
3	बी0आर0जी0एफ0	39129.00
4	राज्य वित्त आयोग	262755.00
5	अम्बेडकर विशेष रो0यो0	6781.00
6	मनरेगा प्रशासनिक	10296.00
7	पेयजल मिशन	919.00
	योग—	332867.00

उपरोक्त दर्शित प्राप्त ब्याज ग्रांट रजिस्टर भाग—दो में दर्ज प्राप्त ब्याज के आधार पर अंकित किया गया है। ग्रांट रजिस्टर भाग—तीन में उपरोक्त वर्ष में विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज का अंकन नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त वर्ष में प्राप्त ब्याज का अनाधिकृत रूप से उपभोग कर दुरुपयोग किया गया है। नियमानुसार वर्ष में प्राप्त अनुदान राशि से अधिक धनराशि का उपयोग नहीं होना चाहिए। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलजीत सिंह, श्री जगदीश त्रिपाठी, श्री बी0बी0सिंह, श्री सी0एल0 सिंह एवं लेखाकार श्री विजयशंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—91 अनुदान पंजिका भाग—तीन के अनुसार इन्दिरा आवास प्रासंगिक मद में वर्ष 15—16 में रु0 172162.00 उपभोग किया गया दर्शित है। उपरोक्त व्यय टेलीफोन बिल के भुगतान, स्टेशनरी क्य, डीजल क्य, कम्प्यूटर एवं जनरेटर मरम्मत पर व्यय आदि से सम्बन्धित है। इस प्रकार कुल दर्शित व्यय धनराशि रु0 172162.00 आदि से सम्बन्धित किसी प्रकार का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार दर्शित समस्त उपयोगित धनराशि की आडिट में पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलजीत सिंह, श्री जगदीश त्रिपाठी, श्री बी0बी0सिंह, श्री सी0एल0 सिंह एवं लेखाकार श्री विजयशंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—92 वर्ष 2016—17 में दिनांक 03.05.16 से दिनांक 10.05.16 तक 13वें वित्त आयोग की धनराशि रु0 693915.00 से कराये गये कार्य ग्राम—भतीजा में पिच रोड से सुण्डेहरा तक मिटटी/खण्डजा कार्य के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1—कार्य की तकनीकी स्वीकृति जे0ई0(एम0आई0) द्वारा रु0 11.08 लाख की ली गयी है जो सक्षम अधिकारी (प्राविधिक स्वीकृति) नहीं है।

2—उक्त कार्य में लगे श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु प्रयुक्त प्रथम एवं तीसरे (कुल प्रयुक्त मस्टररोल की संख्या—5) मस्टररोल जिस पर कार्य की तिथि दिनांक 03.05.16 से 09.05.16 अंकित है द्वारा निम्नांकित श्रमिकों द्वारा समान तिथियों में समान श्रमिकों को दोनों मस्टररोल पर भुगतान दर्शाया गया है।

क्र0सं0 नाम/पिता का नाम भुगतान की गयी धनराशि(दर्शित)

1	संजय/जदून	1218.00
2	भानू प्रताप/सूर्यनाथ	1218.00
3	अशोक/हजारी	1218.00

उल्लेखनीय है कि प्रथम मस्टररोल पर उपरोक्त श्रमिकों का नाम/पिता का नाम कटिंग कर निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है जबकि हस्ताक्षर उपरोक्त श्रमिकों का ही है :-

क्र0सं0 परिवर्तित नाम मस्टररोल पर जिस श्रमिक का हस्ताक्षर है

1	सम्पत्ति/रणजीत	संजय
2	मनोहर/भगेलू	भानू
3	राजाबाबू/दिलिप	अशोक

इस प्रकार मस्टररोल पर श्रमिकों को फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 24360.00 अपहरण किया गया है जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री संजय कुमार शर्मा (ग्रा0पं0अधि0) लेखाकार श्री विजय शंकर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री बी0बी0सिंह उत्तरदायी है। अतः उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उक्त कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—93 संस्था के अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31.03.17 को अवशेष अनुदान राशि रु0 5961447.80 दर्शित पाया गया। स्पष्ट है कि प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपभोग की गति धीमी है, जिससे शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य सम्पन्न न कराकर विकास कार्यों को बाधित करते हुए रु0 5961447.80 की धनराशि दिनांक 31.03.17 को रोक रखकर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। नियमानुसार वर्षान्त तक समस्त धनराशि उपभोग कर ली जानी चाहिए थी अन्यथा की स्थिति में उन्हें शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए था। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से ऐसा कर पाना संभव नहीं रहा तो आगामी वर्षों में उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी किन्तु संस्था द्वारा ऐसा न कर वर्ष प्रतिवर्ष राजकीय धनराशि रोककर रखी जा रही है तथा शासन को वापस न कर बिना अनुमति के अनियमित रूप से वर्ष प्रतिवर्ष धनराशि का अनाधिकृत रूप से उपभोग किया जा रहा है जो आपत्तिजनक है।

यह भी उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा शिक्षा भवन, चिकित्सा भवन, संचार साधन, जलपूर्ति का अधिकाधिक प्रयोग केवल उद्देश्यों के प्रति उदासीनता बरती गयी है। धनराशि का अधिकाधिक प्रयोग केवल मार्ग निर्माण पर किया गया है जो चिन्तनीय है। इस प्रकार उपरोक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री बी०बी०सिंह, श्री विजय कुमार जायसवाल एवं लेखाकार श्री विजय शंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-94 संस्था द्वारा वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है :-

मदो का नाम	धनराशि
1- राज्य वित्त आयोग-	1543610.00
2- बी०आर०जी०एफ०-	108481.00
3- तेरहवां वित्त आयोग-	2979281.00
योग-	4631372.00

दर्शित निर्माण कार्यों एवं इस पर व्यय की गयी धनराशि पर निम्न गंभीर तथ्य प्रकाश में लाये जाते हैं :-

1-वर्ष 2016-17 में तेरहवां वित्त आयोग की धनराशि रु० 693915.00 से कराये गये कार्य ग्राम भतीजा में पिच रोड से सुण्डेहरा तक मिटटी/खण्डंजा कार्य का ही पत्रावली सम्प्रेक्षण में प्रस्तुत रहा जिसके सम्बन्ध में आपत्ति(आ०सं०-2) की गयी है। शेष धनराशि रु० 3937457.00(रु० 4631372.00-693915.00) के व्यय सम्बन्धित परियोजनावार पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

2-परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष 2016-17 एवं पूर्व के वर्षों में कराये गये कार्यों में स्पष्ट विभेद नहीं हो सका। संभव है कि पूर्व के वर्षों में कराये गये कार्यों को पुनः आलोच्य वर्षों में दर्शाकर अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया हो।

3-रु० 3937457.00 के व्यय से सृजित कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/पी०सी०आर०(प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट) उपलब्ध नहीं रहा।

4-निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन एवं संस्था को निर्माण कार्य हेतु आवंटित कार्यों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि जो कार्य संस्था द्वारा ग्रान्ट रजिस्टर भाग-2 में दर्शाये गये हैं उन कार्यों को कराये जाने हेतु संस्था को आवंटित किया गया है अथवा नहीं।

5-वित्त आयोगों व शासन से प्राप्त समस्त अनुदान धनराशियों को नियमानुसार 6 माह के भीतर विकास कार्यों में प्रयुक्त कर " उपभोग प्रमाण पत्र" शासन को भेजे जाने का प्राविधान है किन्तु मांग के बावजूद कुल उपयोगित धनराशि रु० 4631372.00 की उपभोग प्रमाण पत्र पत्रावली व प्रेषण की स्थिति को अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया।

6-शासनादेश संख्या-3891/77-5-2002, दिनांक 05 अगस्त 2002 एवं 4951(11)/77-5-06-506 /06, दिनांक 15.10.06 एवं तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में यह व्यवस्था निर्धारित है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप-खनिजों यथा गिट्टी, मोरंग, बालू, मिट्टी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु वैध रवन्ना (एम०एम०-11) प्राप्त कर लिया जाय तत्पश्चात् ही भुगतान किया जाये। किन्तु न तो रायल्टी जमा का ट्रेजरी चालान और न ही वैध रवन्ना (एम०एम०-11) प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार खनिज की आपूर्ति संदिग्ध है और जब आपूर्ति ही संदिग्ध है तो दर्शित निर्माण कार्य भी संदिग्ध ही रहेगा।

उपरोक्त बिन्दु 01 से 06 को दृष्टिगत रखते हुए आडिट का मत है कि संस्था द्वारा जो भी निर्माण कार्य और उस पर व्यय दर्शित है वह संदिग्ध है जिसे पुष्ट नहीं किया जा सकता है। इसकी भी संभावना है कि दर्शित कार्यों पर दर्शित किये गये व्यय अंकन रु० 3937457.00 का दुरुपयोग कर लिया गया हो। इसके प्रति समुचित कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रकार उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री बी०बी०सिंह, श्री विजय कुमार जायसवाल एवं लेखाकार श्री विजयशंकर उत्तरदायी है।

प्रस्तर-95 वर्ष 2016-17 में विभिन्न योजनाओं के अवशेष धनराशि पर बैंक से रु० 172473.00 ब्याज प्राप्त हुआ है जिसका उपभोग सम्बन्धित योजनाओं में ही कर लिया गया है जैसे :-

क्र०सं०	मदो का नाम	धनराशि
1	इन्दिरा आवास प्रासंगिक मद	2074.00
2	आर्थिक सामाजिक एवं जाति जनकल्याण	6396.00
3	बी०आर०जी०एफ०	17345.00
4	राज्य वित्त आयोग	59678.00
5	मनरेगा प्रशासनिक	4512.00
6	13वां वित्त आयोग	81834.00
7	पेयजल मिशन	634.00
	योग-	172473.00

उपरोक्त दर्शित प्राप्त ब्याज ग्रांट रजिस्टर भाग-दो में दर्ज प्राप्त ब्याज के आधार पर अंकित किया गया है। ग्रांट रजिस्टर भाग-तीन में उपरोक्त वर्ष में विभिन्न खातों में प्राप्त ब्याज का अंकन नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त वर्ष में प्राप्त ब्याज रु0 172473.00 का अनाधिकृत रूप से उपभोग कर दुरुपयोग किया गया है। नियमानुसार वर्ष में प्राप्त अनुदान राशि से अधिक धनराशि का उपयोग नहीं होना चाहिए। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री बी0बी0सिंह, विजय कुमार जायसवाल एवं लेखाकार श्री विजय शंकर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-96 अनुदान पंजिका भाग-तीन के अनुसार इन्दिरा आवास प्रासंगिक मद में वर्ष 16-17 में रु0 127976.00 उपभोग किया गया दर्शित है। उपरोक्त तथ्य टेलीफोन बिल के भुगतान, स्टेशनरी कय, डीजल कय, कम्प्यूटर एवं जनरेटर मरम्मत पर व्यय आदि से सम्बन्धित है। इस प्रकार कुल दर्शित व्यय धनराशि रु0 127976.00 आदि से सम्बन्धित किसी प्रकार का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार दर्शित समस्त उपयोगित धनराशि की आडिट में पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री बी0बी0सिंह, विजय कुमार जायसवाल एवं लेखाकार श्री विजय शंकर उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

14- क्षेत्र पंचायत चहनियां

वर्ष 2007-08 से 2012-13

प्रस्तर-97 संस्था द्वारा राजकीय धनराशि पर बैंक से प्राप्त ब्याज का निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वर्ष	धनराशि
1	2007-08	10785.19
2	2008-09	3661.56
3	2009-10	108881.07
4	2010-11	25236.00
5	2011-12	120123.00
6	2012-13	—
	योग	268686.82

उपरोक्त व्यय किस कार्य पर व्यय किया गया है एवं ब्याज किस मद की धनराशियों से प्राप्त है एवं किस-किस मद में खर्च किया गया है अज्ञात रहा। ब्याज की धनराशि उपभोग/व्यय करने के पूर्व उच्चाधिकारियों से अनुमति नहीं लिया गया है तथा निर्धारित व्यवस्था के प्रतिकूल मनमाने एवं अनियमित ढंग से व्यय किया गया है। अतः ब्याज मद की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए श्री सुभाषचन्द्र त्रिपाठी, श्री सी0एल0 सिंह, श्री सुभाषचन्द्र तिवारी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री श्यामजी पाल, श्री सियालाल यादव एवं श्री कृष्ण प्रकाश चौबे उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-98 दिनांक 31.03.2013 को राज्य वित्त मद में रु0 370746.00, 13वां वित्त मद में रु0 153940.00, मनरेगा मद में रु0 11187.94 एवं एस0जी0एस0वाई0 मद में रु0 6177678.14 अवशेष दर्शित है। नियमानुसार उक्त अवशेष धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में इसे सम्बन्धित विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिए। किन्हीं अपरिहार्य स्थिति में यदि वर्ष में उपभोग कर पाना सम्भव न हो सका तो आगामी वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति ली जानी चाहिए। मांग आधारित अनुदान रोककर मजदूरों का रोजगार व जनता को विकास से वंचित किया गया है। जिसके लिए श्री चन्द्रशेखर मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री कृष्ण प्रकाश चौबे उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

15- क्षेत्र पंचायत चहनियां

वर्ष 2013-14 से 2016-17

प्रस्तर-99 संस्था द्वारा राजकीय धनराशियों पर बैंक से ब्याज प्राप्त का निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वर्ष	धनराशि (ब्याज)	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	2013-14	1360620.46	1-श्री कृष्ण प्रकाश चौबे, लेखाकार
2	2014-15	303.00	2-श्री सुनील कुमार तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी
3	2015-16	195800.50	1-श्री संजय कुमार सिंह, लेखाकार 2-श्री आनन्द प्रकाश, खण्ड विकास अधिकारी
4	2016-17	157400.50	1-श्री प्रेम प्रकाश आर्य, लेखाकार 2-श्री आनन्द प्रकाश, खण्ड विकास अधिकारी
	योग	1714124.46	

उपरोक्त व्यय किस कार्य पर किया गया है, अज्ञात रहा। ब्याज मद की धनराशि उपभोग/व्यय करने के पूर्व उच्चाधिकारियों से अनुमति नहीं लिया गया है तथा निर्धारित व्यवस्था के प्रतिकूल मनमाने एवं अनियमित ढंग से व्यय किया गया है। अतः ब्याज मद की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-100 दिनांक 31.03.2017 को अनुपयोगित अनुदान का अवशेष रु0 2456268.02 दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशि अप्रयुक्त/अवशेष दर्शित की जा रही है। नियमानुसार इसका उपभोग वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में इन्हें ासन/सम्बन्धित विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिए। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि वर्ष में उपभोग कर पाना सम्भव न हो सका तो आगामी वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति ली जानी चाहिए जो कि नहीं ली गयी है। मांग आधारित अनुदान रोककर मजदूरों का रोजगार व जनता को विकास से वंचित किया गया है, साथ ही अनावश्यक ब्याज अर्जित कर व्यय किया गया है, जो अनियमित है। जिसके लिए श्री आनन्द प्रकाश व श्री सुनील कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्य उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-101 दिनांक 01.04.2013 को रायल्टी मद में प्रारम्भिक अवशेष शून्य तथा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में भी आय-व्यय शून्य रहा। वर्ष 2015-16 में रु0 75462.00 का आय एवं रु0 48240.00 जमा दर्शित है। वर्ष 2016-17 में रु0 57324.00 रायल्टी से प्राप्त एवं रुपया 15919.00 कोषागार में जमा नहीं किया गया है जबकि उक्त मद में प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था। जमा न कर दुरुपयोग किया गया है।

अतः खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार मिश्र एवं लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्य द्वारा रु0 15919.00 वर्षान्त में रोककर राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया गया है। वर्ष प्रतिवर्ष रायल्टी की धनराशि वर्ष दौरान जमा न किया जाना गम्भीर आपत्तिजनक है। अतः उक्त धनराशि रुपया 15919.00 खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से मय ब्याज सहित राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित

प्रस्तर-102 वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत चहनियां द्वारा राज्य वित्त शीर्ष के अन्तर्गत रु0 8818029.00 व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त धनराशि के सापेक्ष रु0 172494.00 से सम्बन्धित पत्रावली ही संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है। शेष रु0 8818029.00- 172494.00 =8645535.00 से सम्बन्धित पत्रावलियां अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रु0 8645535.00 अनियमितता के प्रकरण है।

रु0 172494.00 से सम्बन्धित पत्रावली की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता के नाम से एवं मजदूरी का चेक कार्यप्रभारी के नाम से निर्गत किया गया है। निर्माण सामग्रियों हेतु फर्मों को कब कयादेश दिया गया, स्पष्ट नहीं है। कय किये सामग्रियों हेतु चालान, स्टॉक रजिस्टर, सामग्री मांग पत्र एवं वितरण पंजी भी संस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली में सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ण होने का रिपोर्ट(पी0सी0आर0), तीन प्रति फोटो(प्रमाणित) आदि संलग्न नहीं है। इसके प्रति लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-103 वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत चहनियां द्वारा 13वां वित्त शीर्ष के अन्तर्गत रु0 645227.00 व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त धनराशि के सापेक्ष मात्र रु0 441639.00 से सम्बन्धित पत्रावली ही संस्था द्वारा लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। शेष रु0 645227.00-441639.00=203588.00 से सम्बन्धित पत्रावलियां अप्रस्तुत रहने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रुपया 203588.00 अनियमितता के प्रकरण है। जिसके लिए भी श्री कृष्ण प्रकाश चौबे लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री आनन्द प्रकाश उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-104 वर्ष 2015-16 में 13वां वित्त के अन्तर्गत व्ययित धनराशि रु0 28781.00 की प्रस्तुत पत्रावलियों में मस्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी एवं उपस्थिति अंकित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। कार्यालय से सामग्री आपूर्तिकर्ता के नाम एवं मजदूरी का चेक कार्यप्रभारी के नाम से निर्गत किया गया है। साथ ही निर्माण सामग्रियों हेतु फर्मों को कब कयादेश दिया गया, स्पष्ट नहीं है। कय किये गये सामग्रियों हेतु चालान, स्टॉक पंजी, सामग्री मांग पत्र एवं वितरण पंजी भी संस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार फर्जी मजदूरी का प्रमाण दर्शाकर एवं उपरोक्त के आधार पर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-105 वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायत चहनियां में चहनियां मेन रोड से महंगी के घर तक मिटटी/खडंजा एवं ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य पर रु0 164610.00 व्यय किया गया है। किन्तु कय के आदेश के वित्तीय औचित्य के नियम का पालन नहीं किया गया है। क्योंकि निविदा/कोटेशन आमंत्रित किये बिना ही सामग्री कय दर्शाया गया है। जिसके लिए श्री संजय कुमार सिंह लेखाकार एवं श्री आनन्द प्रकाश, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-106 वर्ष 2013-14 में विधायक निधि से सम्बन्धित पत्रावली संख्या..... ग्राम परौरा में शरद चन्द्र के घर से प्रा0पा0 तक मिटटी/खडंजा एवं ढक्कनदार नाली से सम्बन्धित है, की जांच में पाया गया है श्री विनोद कुमार कार्यप्रभारी(ग्रा0वि0अ0) तथा स्वीकृत प्राक्कलन रु0 9.26 लाख है। उक्त कार्य हेतु चार चेक निर्गत किये गये हैं जिसमें दो चेक सामग्री हेतु रु0 377255.00 तथा दो चेक मजदूरी हेतु रु0 107540.00 जिसकी कुल धनराशि रु0 484795.00 है। रुपये 377255.00 के टेण्डर/कोटेशन लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जो अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए श्री विनोद कुमार कार्यप्रभारी (ग्रा0वि0अ0), श्री कृष्ण प्रकाश चौबे लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार तिवारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-3
जनपद-गाजीपुर
सम्भाग-वाराणसी

1. क्षेत्र पंचायत-जमानियाँ ले0प0 वर्ष- 2013-14 से 2014-15

प्रस्तर- 1(i). वर्ष 2013-14 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों में रू0 6641839=72 वर्षान्त में अवशेष रखी गयी है। स्पष्ट है कि अनुदान का समय से उपयोग नहीं किए जाने के फलस्वरूप अनुदान अवशेष रहा। अनुदान को रोके जाने का कोई भी कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया है। राजकीय अनुदानों का भारी मात्रा में अवशेष दिखाए जाने से स्पष्ट होता है कि जिस कार्य हेतु अनुदान प्राप्त किए गए हैं वे कार्य नहीं कराए गए। इससे सम्बन्धित अधिकारियों का सम्बन्धित कार्यों के प्रति शीथिलता स्पष्ट होती है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। साथ ही योजनागत अनुप्रयुक्त अनुदान रूपया 6641839=72 वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। जबकि शासनादेश संख्या 2501/26-03-99-4 (215) दिनांक 04.08.99 के अनुसार अवशेष अनुदान की धनराशि यथाशीघ्र शासन को वापस कर देनी चाहिए। किन्तु वापस नहीं किया गया है। इस प्रकार से यह एक धोर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय एवं लेखाकार श्री रामाशंकर यादव उत्तरदायी है।

(ii). वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों में रू0 2400094=72 वर्षान्त में अवशेष रखी गयी। स्पष्ट है कि अनुदान का समय से अपयोग नहीं किए जाने के फलस्वरूप अनुदान अवशेष रहा। अनुदान को रोके जाने का कोई भी कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

राजकीय अनुदानों का भारी मात्रा में अवशेष दिखाए जाने से स्पष्ट होता है कि जिस कार्य हेतु अनुदान प्राप्त किए गए हैं वे कार्य नहीं कराए गए। इससे सम्बन्धित अधिकारियों का सम्बन्धित कार्यों के प्रति शिथिलता स्पष्ट होती है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। साथ ही योजनागत अनुप्रयुक्त अनुदान रू0 2400094=72 वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना चाहिए। शासनादेश संख्या 2501/26-03-99/4 (215) दिनांक 04.08.99 के अनुसार अवशेष अनुदान की धनराशि यथाशीघ्र शासन को वापस कर दी जानी चाहिए किन्तु वापस नहीं किया गया है। इस प्रकार से यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम, श्री। विक्रमादित्य पाण्डेय व श्री सुरेश चन्द्र राय तथा ज्येष्ठ लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 (i). 2013-14 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रा0 रजि0 III के अनुसार कुल 5279764=00 रू0 खर्च किया गया है। रजि0 (iii) के अनुसार वर्ष 2013-14 में प्रारम्भिक राशि 167636=00 रू0 दर्शित है। परन्तु ग्रा0 रजि0 (ii) अनुसार प्रारम्भिक राशि 235652=00 के रूप में पुराने ग्रा0 रजि0 के पृष्ठ संख्या पर से वापस ली गयी राशि के रूप में दर्शित है। अन्तर रू0 235652 - 167636 = 68016 का कोई भी कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया है। पुराने ग्रांट रजि0 के पृष्ठ संख्या 46 व उसमें दर्शित आय-व्यय को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है जो गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम व लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

वर्ष 2013-2014 के दौरान राज्य वित्त से ग्रांट रजि0 III के अनुसार कुल व्यय लिपिक त्रुटि वश 5279760 रू0 किया गया है। परन्तु ग्रा0 रजि0 II में अंकित कार्यों के सापेक्ष दर्शित भुगतान रू0 5331064 किया गया है। कुल अन्तर 51300 रू0 का है। जो अधिक व्यय के रूप में दर्शित है। उपरोक्त राशि को व्यय करने का आधार लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया है।

आलोच्य वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पूर्व में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली के तहत माप पुस्तिका, कुछ वाउचर, मस्टर रोल के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्य के प्रारम्भ एवं मध्य तथा अन्त की फोटो ग्राफी आदि बार - बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही उपभोग प्रमाण पत्र, सृजित परिसम्पत्ति रजि0, व विभिन्न समितियों के अनुमोदन से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया है, जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। अतः उपरोक्त राशि की उपरोक्त तथ्यों के आलोक में गम्भीर वित्तीय अनियमितता की पूर्ण सम्भावना है। जिसके लिए वर्ष के दौरान खण्ड विकास अधिकारी रहे श्री राम राज गौतम व श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।

(ii). वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रांट रजि0 III के अनुसार कुल रू0 12302138 व्यय किया गया है। राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत रू0 12302138 व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में केवल ग्रांट रजि0 कुछ माप पुस्तिका, पत्रावली, कुछ मस्टर रोल व वाउचर ही प्रस्तुत किए गए हैं, परन्तु सभी कार्यों के सापेक्ष पत्रावली उपलब्ध नहीं रही। साथ ही सृजित परिसम्पत्ति रजि0 उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सत्यापन रिपोर्ट, विभिन्न समितियों से अनुमोदन पत्रावली, कार्य के आरम्भ में, मध्य में एवं अन्त में फोटो ग्राफी होनी

चाहिए। जिसे लेखा परीक्षा में बार-बार मांग के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही क्रयादेश प्रमाण पत्र, मानदेय रजि०, सृजित स्थायी परिसम्पत्ति रजि०, आदि से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जो अत्यन्त ही आपत्ति जनक है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों का न होना गम्भीर वित्तीय अनियमितता को परिलक्षित करता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, श्री राम राज गौतम, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री सुरेशचन्द्र राय व लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 3 (i). वित्तीय वर्ष 2013-14 में बायो गैस अनुदान मद में ग्रांट रजि III के अनुसार कोई भी मद प्राप्त नहीं दर्शित है। अतः आय व्यय भी शून्य रहा।

(ii). वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्रांट रजि० III के अनुसार आलोच्य वर्ष में बायो गैस अनुदान मद रु० 106500 का भुगतान किया गया है। इस मद में अनुदान रजि० II व III के अनुसार प्रा० अवशेष शून्य प्राप्त अनुदान 106500 , व्यय 106500 एवं अवशेष रु० 00 दर्शित है। बायो गैस मद से रु० 106500 के व्यय से संबंधी लाभार्थियों की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की गयी धनराशि की। वस्तुस्थिति की पुष्टि नहीं होती है। सम्बन्धित धनराशि का उपयोग बायो गैस संयंत्र बनवाने में उपयोगित रहा या नहीं इसकी पुष्टि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, टंकी का सत्यापन रिपोर्ट आदि के अभाव में नहीं होती है। अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय धन के दुरुपयोगित होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः गम्भीर वित्तीय अनियमितता रही जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम राज गौतम, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री सुरेशचन्द्र राय व लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 4 (i). वर्ष 2013-14 में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 2635900 के कार्य कराए गए हैं। उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख के अन्तर्गत पत्रावली, व्यय प्रमाणक व माप पुस्तिका के कुछ भाग के अलावा कार्यों की पुष्टि में सृजित परिसम्पत्ति रजि०, निर्माण कार्य रजि०, स्टॉक रजि०, क्रया देश पत्रावली, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, कार्य सत्यापन रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन, निविदा पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार व्यय एवं कार्यों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में संदिग्ध रही उपरोक्त प्रमाणकों के अभाव में दर्शित व्यय संदिग्ध होने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम राज गौतम, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा लेखाकार रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(ii). वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 2446279 के कार्य कराए गए हैं। उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाणकों के अन्तर्गत पत्रावली व्यय प्रमाणक व माप पुस्तिका के कुछ भाग के अलावा कार्यों की पुष्टि में सृजित परिसम्पत्ति रजि० निर्माण कार्य रजि०, स्टॉक पंजी क्रया देश, पत्रावली, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृत, कार्य सत्यापन रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन व निविदा पत्रावली उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य के दौरान फोटो ग्राफी आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार से व्ययों एवं कार्यों की पुष्टि संदिग्ध प्रतीत होती है, जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री सुरेश चन्द्र राय एवं लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 5(i). आलोच्य वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत विधायक निधि द्वारा कुल 4011958 रूप व्यय दर्शित है। वर्ष 2013-14 में ग्रांट रजि०-II के अनुसार विधायक निधि द्वारा कराए गए कार्यों के द्वारा कुल व्यय 3974859 रु० दर्शित है, जब कि ग्रांट रजि०-III के अनुसार विधायक निधि द्वारा कुल व्यय रु० 4011958 दर्शित हैं। अतः इसमें 97099 का अन्तर है। ग्रांट रजि०-II के द्वारा कराए गए कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक पत्रावली, माप पुस्तिका का कुछ अंश प्राप्त हुआ परन्तु सृजित परिसम्पत्ति रजि० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सम्यापन रिपोर्ट, क्रयादेश पत्रावली, टेण्डर व कोटेशन कार्य के दौरान फोटोग्राफी, आदि लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुई है जिससे गम्भीर वित्तीय अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विक्रमादित्य पाण्डेय एवं श्री रामराज गौतम तथा लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

ग्रांट रजि० III के अनुसार दर्शित व्यय 4011958 रु० परन्तु ग्रांट रजि० II के अनुसार दर्शित व्यय 3974859 है। अन्तर रु० 37099 का कोई भी कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही इनसे सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे यह राशि अपुष्टित रही। अतः रु० 37099 अपुष्टित एवं संदिग्ध होने के कारण अपहरण रहा जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विक्रमादित्य पाण्डेय एवं श्री रामराज गौतम तथा लेखाकार रामाशंकर, यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(ii). आलोच्य वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत विधायक निधि द्वारा ग्रांट रजि० III के अनुसार कुल दर्शित व्यय 2804911 है। आलोच्य वर्ष के सापेक्ष दर्शित व्यय ग्रांट रजि० II के अनुसार रु० 2466812 है जब कि ग्रांट रजि० III के अनुसार विधायक मद में कुल व्यय रु० 2804911 दर्शित है। अन्तर रु० 338099 का कोई भी कारण लेखा परीक्षा में

स्पष्ट नहीं किया गया है। न ही इससे सम्बन्धित कोई भी पत्रावली ही प्रस्तुत की गयी जिससे रूपया 338099 दुरुपयोगित रहा जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय श्री सुरेश चन्द्र राय एवं लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्रान्ट रजि० II के अनुसार दर्शित व्यय रू० 2466812 के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान पत्रावली, व्यय प्रमाणक व माप पुस्तिका मस्टर रोल के अधूरे भाग के अलावा अन्य कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। लेखा परीक्षा के दौरान कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन, सृजित परिसम्पत्ति रजि०, चेक बुक स्टॉक लेखा, निर्माण कार्य समिति की संस्तुति, क्रयादेश पत्रावली, कार्य के दौरान फोटो ग्राफी आदि कोई भी पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे सम्पूर्ण राशि संदिग्ध होने से अपुष्टित रही। गम्भीर वित्तीय अनियमितता प्रतीत होती है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री सुरेश चन्द्र राय, श्री रामराज गौतम एवं लेखाकार श्री रामाशंकर संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 6(i). दिनांक 31.03.2014 को क्षेत्र पंचायत अंश से अर्जित व्याज, वर्ष के दौरान 204608 रू० व मनरेगा से 104066 रू० दर्शित है। शासनादेश संख्या ए०-122/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 में निम्न व्यवस्था प्रतिपादित है— (क) यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित व्याज संस्था, की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय/व्याज को राजकोष में जमा कर दिया जाए।

क्षेत्र पंचायत जमानियाँ, जनपद-गाजीपुर के अनुदान पंजिका भाग-III वर्ष 2013-14 के अनुसार बैंक में जमा शासकीय अनुदान से प्राप्त व्याज रू० 204608 अर्जित किया गया है तथा मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश से 104066 व्याज अर्जित किया गया है। उल्लेखनिय है कि इस मद में क्षेत्र पंचायत अंश से प्राप्त अवशेष 758925=72 तथा मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश से 294618=90 को रोक कर रखा गया है। उपरोक्त प्राप्त अवशेष व वर्ष में प्राप्त राशि को 21 मार्च 2012 के शासनादेश के अनुसार राजकोष में जमा कर देना चाहिए। परन्तु जमा न कर क्षेत्र पंचायत अंश से कुल व्यय 351286 तथा मनरेगा अंश से कुल व्यय 239949=50 किया गया है। वर्ष के दौरान अवशेष राशि 31 मार्च 2014 को क्षेत्र पंचायत अंश से 612247=72 व मनरेगा से 60452 दर्शित है। जिसे जानबूझकर रोके रखा गया है। शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर अर्जित धनराशि को बिना विभागीय व शासकीय निर्देशों के व्यय करना व अवशेष राशि को राजकोष में जमा न करना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय व लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ii). दिनांक 31.03.2015 को क्षेत्र पंचायत अंश से अर्जित व्याज वर्ष के दौरान 7875=72 रहा व मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश से 13551 व्याज अर्जित किया गया है। शासनादेश संख्या ए०-122/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 निम्न व्यवस्था प्रतिपादित है— (क) यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय/व्याज को राजकोष में जमा कर दिया जाए।

क्षेत्र पंचायत जमानियाँ, जनपद-गाजीपुर के अनुदान पंजिका भाग-III की वर्ष 2014-15 के अनुसार बैंक में जमा अनुदान से प्राप्त व्याज रू० 7875=72 अर्जित किया गया है तथा मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश से 13551 अर्जित किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्राप्त अवशेष की राशि मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश से 60452 रोक कर रखी गयी है जो शासन के नियमों का उल्लंघन है। वर्ष के दौरान अर्जित व्याज की राशि से (मनरेगा 67007 व्यय किया गया है, जो शासनादेश के नियमों का उल्लंघन है। अवशेष व प्राप्त व्यय की राशि को रोककर रखा जाना व व्यय करना एक प्रकार गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री सुरेश चन्द्र राय व लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –7 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में मनरेगा अनुदान रजि० के अनुसार क्षेत्र पंचायत जमानियाँ द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत कुल रू० 3858742 व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित पत्रावली यथा माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक के अलावा लेखा परीक्षा में सृजित परिसम्पत्ति रजि, स्टॉक रजि०, निर्माण कार्य रजि०, क्रयादेश पत्रावली, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य सत्यापन रिपोर्ट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन व टेण्डर पत्रावली, आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश के दौरान गम्भीर वित्तीय अनियमितता से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय व लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 8(i). मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश के तहत प्रशासनिक मद में वर्ष 2013-14 के दौरान कुल रू० 941890 व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख/प्रमाणक, प्रशासनिक स्वीकृति पत्र/क्रयादेश पत्रावली चेकबुक स्टॉक लेखा, सृजित परिसम्पत्ति रजि०, उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि लेख परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे

दर्शित व्यय रु0 941890 की गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय व लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(ii). आलोच्य वर्ष 2013-14 के दौरान मनरेगा क्षेत्रों अंश के प्रशासनिक मद में 2663797 रु0 व्यय दर्शित है। परन्तु दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाणक पत्र, क्रयादेश पत्रावली, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्रावली, उपयोगिता प्रमाण पत्र, वेतन एवं मानदेय रजि0, स्टॉक रजि0, सृजित परिसम्पत्ति रजि0 आदि लेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे गम्भीर वित्तीय अनियमितता से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री सुरेश चन्द्र राय लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 आलोच्य वर्ष 2013-14 के दौरान निःशुल्क बोरिंग मद में रु0 158560 रु0 व्यय दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, निर्माण/जल प्रबन्ध समिति का पत्र, सृजित परिसम्पत्ति रजि0, आदि पत्रावली प्राप्त नहीं हुई। जिससे गम्भीर वित्तीय अनियमितता से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय व लेखाकार श्री रामाशंकर यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -10 आयकर अधि0 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराए जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति की बिलों से स्रोत पर आयकर कटौती किए जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना चाहिए। स्रोत पर कर कटौती करने तथा इस प्रकार काटे गए आयकर की धनराशि अगले माह की 9 ता0 तक अर्थात् निर्धारित समयान्तर्गत लेखा शीर्ष 0021 आयकर में 2.00/ की दर से जमा करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी हो या ऐसा करने से विफल रहने की स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी पर वसूलनीय आयकर की धनराशि के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।

ध्यातव्य है कि आयकर कटौती से सम्बन्धित तथा रायल्टी (टी0डी0एस0) से सम्बन्धित कर हेतु कटौती कर अलग से कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे वर्ष 2013-14 व 2014-15 की कर कटौती सम्बन्धि जानकारी नहीं हो सकी। कार्य की सूची सामग्री व अन्य मद से इतर नहीं मिली अतः समस्त कार्यों पर समग्र रूप से आयकर व टी0डी0एस0 आरोपित करना समीचीन नहीं होगा। चूंकि वर्ष 2013-14 व 2014-15 की अलग-अलग कटौती की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई जिससे प्रत्येक वर्ष में कर की राशि के दुरुपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

चूंकि कर कटौती नहीं की गयी है। अतः शासन के निर्देशानुसार आहरण वितरण अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी है व कर की समस्त राशि को विभागीय जॉचोंपरान्त तय कर तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री रामराज गौतम, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय व लेखाकार श्री रामाशंकर यादव से वर्ष 2013-14 के लिए अपहृत कर की राशि की वसूली अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष 2014-15 की कर की राशि का आहरण वितरण अधिकारी श्री रामराज गौतम, विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री सुरेश चन्द्र राय व लेखाकार श्री रामाशंकर यादव से वसूली अपेक्षित है।

2. क्षेत्र पंचायत- मनिहारी

ले0प0 वर्ष- 2006-07

प्रस्तर -11 वर्ष 2006-07 में संस्था द्वारा प्राप्त अनुदान की धनराशि का पूर्ण उपभोग नहीं किया गया है। उपभोग नहीं किए अनुदान की धनराशि को शासन को वापस भी नहीं किया गया है मनमाने तौर पर रोककर रखा गया है। इस प्रकार शासन के मंशा के अनुरूप अनुदान की धनराशि उपभोग न किए जाने से विकास कार्य प्रभावित हुआ है। दिनांक 31.03.2007 को रु0 7642255.80 अवशेष के रूप में पड़े थे। इस प्रति तत्कालीन लेखाकार श्री वंश लोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार व श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। शीर्षवार विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	शीर्ष/मद का नाम	दिनांक 31.03.2007 को अवशेष धनराशि (रु0)
1	राष्ट्रीय बायो गैस मरम्मत	750.00
2	इन्दिरा आवास	9647.00
3	वेतन एनआरईपीलिपिक	4836.00
4	प्रासंगिक व्यय	44743.60
5	टेलीफोन व्यय	458.00
6	संपूर्ण ग्रा0रो0यो0 क्षेत्र पंचायत अंश	1240726.00
7	सूद	457705.20
8	राज्य वित्त आयोग क्षेत्र पंचायत	2312008.00
9	महिला एवं युवक मंगल दल	2224.00
10	12वे वित्त आयोग क्षेत्र पंचायत अंश	758000.00

11	सं0ग्रा0रो0यो0 क्षेत्र पंचायत अंश	2326608.00
12	राष्ट्रीय गैस अनुदान	9000.00
13	आदर्श जलाशय योजना	473600.00
14	कार्यालय व्यय	1950.00
—	योग :	7642255.80

प्रस्तर —12 इन्दिरा आवास शीर्ष में वर्ष 2006—07 में रू0 8278.00 व्यय किया गया है। मु0 असलम, ग्राम पंचायत अधिकारी को चेक नं0 305667 दिनांक 23.05.2006 द्वारा रू0 8278.00 भुगतान किया गया है। जबकि लाभार्थी के नाम चेक निर्गत किया जाना चाहिए था। लाभार्थी को चेक निर्गत न कर राजकीय अनुदान के अपहरण/दुरुपयोग पूर्ण संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मु0 असलम द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किस प्रकार किया गया, पत्रावली व अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित रहा। उक्त अनियमितता हेतु मु0 असलम, ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार एवं श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—13 वर्ष 2006—07 में वेतन एनआरईपी लिपिक शीर्ष के अन्तर्गत रू0 161156.00 व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख वेतन पंजी, बोनस पंजी, एरियर पंजी व पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। इस कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रति तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :—

क्र0 सं0	व्यय का विवरण	धनराशि (रू0)	उत्तरदायी कर्मचारी व अधिकारी का नाम व पदनाम
1	वेतन व एरियर का भुगतान	27345.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी
2	वेतन व एरियर का भुगतान	32279.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी
3	वेतन व एरियर का भुगतान	101532.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
—	योग	161156.00	—

प्रस्तर —14 वर्ष 2006—07 में प्रासंगिक व्यय शीर्ष के अन्तर्गत रू0 95495.00 कार्यालय के विभिन्न कार्यों हेतु व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख प्रमाणक, बिल, पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रति तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। विवरण निम्नवत है :—

क्र0 सं0	व्यय का विवरण	धनराशि (रू0)	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पदनाम
1	जलपान, जमानत, टेन्ट आदि पर व्यय	13682.00	1 वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी
2	रजिस्टर वाइन्डिंग, मुहर बनवाई, पंखा मरम्मत, केबिल क्रय, मिट्टी तेल क्रय व झाड़ू क्रय पर व्यय	6867.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी
3	साज सज्जा, जीप मरम्मत, जलपान, फोटो कापी, तेल क्रय, पर्दा क्रय, सी0डी0 निर्माण, कन्याधन, बेरोजगारी भत्ता, वर्दी, टार्च सेल,, बतव, बुकलेट, पंचायत उद्योग से सामग्री क्रय पर भुगतान।	74946.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
—	योग	95495.00	—

उक्त व्यय से संबंधित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किए जाने से व्यय की वस्तु स्थिति संदिग्ध है। जिस हेतु बीडीओ एवं सम्बन्धित कैशियर उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —15 टेलीफोन मद में वर्ष 2006—07 में रू0 3498.00 व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में टेलीफोन बिल, लागबुक एवं अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रति तत्कालीन कैशियर, लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:—

क्र0 सं0	चेक नं0	दिनांक	धनराशि (रू0)	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	305672	19.07.06	1872.00	1 श्री मोती राय, कैशियर 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी

2	380288	24.01.07	1626.00	1 श्री मोती राय, कैशियर 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
—	—	योग	3498.00	—

प्रस्तर -16 वर्ष 2006-07 में निर्धूम चूल्हा शीर्ष के अन्तर्गत रू0 1500.00 व्यय किया गया है। चेक नं0 380292 दिनांक 09.02.07 द्वारा श्री वंशलोचन लाल को रू0 1500.00 भुगतान किया गया है। परन्तु व्यय के सापेक्ष में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय अपुष्टित रहा अप्राप्त होने की स्थिति में राजकीय अनुदान का गंभीर अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार व श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -17 वर्ष 2006-07 में महिला एवं युवक मंगल दल शीर्ष के अन्तर्गत रू0 8000.00 व्यय किया गया है। ग्राम पंचायत सरायगोविन्द, वरवरा, फिरोशापुर व बुढ़नपुर के खाते में रू0 2000.00 प्रति ग्राम पंचायत कुल रू0 8000.00 चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में वांछित अभिलेख रूप पत्र-7, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख अप्राप्त रहा। अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान की गंभीर वित्तीय अनियमितता संभावित है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार व श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -18 वर्ष 2006-07 के आर्थिक गणना का मानदेय शीर्ष के अन्तर्गत रू0 82983.00 उपभोग/व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में मानदेय पंजी, पत्रावली, रसीद व अन्य वांछित अभिलेख अप्राप्त रहा। इस कारण रू0 82983.00 के व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय धन का गंभीर वित्तीय अनियमितता संभावित है। इस प्रति तत्कालीन लेखाकार श्री वंशलोचन श्रीवास्तव व श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -19 वर्ष 2006-07 में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु रू0 10800.00 व्यय किया गया है। श्री रामनाथ राय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को चेक नं0 305666 दिनांक 10.05.06 द्वारा रू0 10800.00 भुगतान किया गया है। परन्तु व्यय के पुष्टि में वांछित अभिलेख, पत्रावली, प्रमाण आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय अपुष्टित रहा। इस प्रति श्री रामनाथ राय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तत्कालीन लेखाकार श्री वंशलोचन श्रीवास्तव व सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 20 वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय गैस अनुदान शीर्ष अन्तर्गत श्री चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र श्री रामायन शर्मा ग्राम मधुवन को 3 घन मीटर बायो गैस सयंत्र निर्माण हेतु वर्ष 2005-06 के अनुदान रू0 3500.00 भुगतान चेक नं0 273081 दिनांक 05.08.06 द्वारा किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में पात्रता, अनुदान की शर्तें, स्थल रिपोर्ट, प्रमाणक आदि अभिलेख अप्राप्त रहने से व्यय अपुष्टित रहा। अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में उक्त शीर्ष में दर्शित व्यय संदिग्ध है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार व श्री दयाराम विश्वकर्मा खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -21 वर्ष 2006-07 में आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत रू0 213900.00 व्यय किया गया है। व्यय से संबंधित वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि न होने की स्थिति में राजकीय अनुदान का व्यय संदिग्ध है। इसके लिए तत्कालीन कार्यप्रभारी, लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	चेक संख्या/दिनांक	विवरण	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पदनाम
1	273098/16.12.06	11 तालाबों पर साइन बोर्ड एवं फोटोग्राफी हेतु अग्रिम धनराशि	15000.00	1 श्री रामवृक्ष राय, ग्रा0वि0अधि0
2	273085/12.01.07	तालाबों पर साइन बोर्ड का शेष भुगतान दर 2400.00	11400.00	2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
3	380293/21.03.07	जिला विकास अधिकारी गाजीपुर वमनौली वरौली सुलतान सिंह एवं अकराव रू0 62500.00 की दर से	187500.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी
—	—	योग	213900.00	

प्रस्तर - 22 वर्ष 2006-07 में क्षेत्र पंचायत मनहारी द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना क्षेत्र पंचायत अंश शीर्ष के अन्तर्गत रू0 3809015.00 अनुदान रजि0 में व्यय दर्शित किया गया है। व्यय से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण किये गये व्यय अपुष्टित रहा। उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल,

क्रयादेश, टैण्डर कोटेशन व सत्यापित स्टाक पंजी प्रस्तुत नहीं रहा एवं कार्य की पुष्टि में, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, सत्यापन प्रमाणक पत्र आदि प्रस्तुत नहीं रहा जिससे दर्शित व्यय एवं कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान की गंभीर वित्तीय अनियमितता संभावित है। इस प्रति तत्कालीन कार्यप्रभारी लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	व्यय का विवरण	धनराशि (रु०)	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पदनाम
1	किसान ईट भट्टा रसुलपुर, सुजनीपुर	145174.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी
2	श्री राजकुमार यादव, ग्रा०वि०अ०	704852.00	1 श्री राजकुमार यादव, ग्रा०वि०अ० 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी
3	श्री रामवृक्ष राय, ग्रा०वि०अ०	505148.00	1 श्री रामवृक्ष राय, ग्रा०वि०अ० 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी
4	श्री मु० असलम, ग्रा०वि०अ०	129917.00	1 मु० असलम, ग्रा०वि०अ० 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी
5	अज्ञात	92500.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी
6	श्री संजय पाण्डेय, अपर अभियन्ता	200000.00	1 श्री संजय पाण्डेय, अपर अभियन्ता 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी
7	किसान ईट भट्टा रसुलपुर सुजनीपुर	51617.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी
8	श्री राजकुमार यादव, ग्रा०वि०अ०	10283.00	1 श्री राजकुमार यादव, ग्रा०वि०अ० 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी
9	श्री रामवृक्ष राय, ग्रा०वि०अ०	183040.00	1 श्री रामवृक्ष राय, ग्रा०वि०अ० 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी
10	श्री रामवृक्ष राय, ग्रा०वि०अ०	352219.00	1 श्री रामवृक्ष राय, ग्रा०वि०अ० 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
11	श्री अमरदेव सिंह यादव, किसान बिल्डिंग मैटेरियल	144423.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
12	श्री राजकुमार यादव, ग्रा०वि०अ०	1034552.00	1 श्री राजकुमार यादव, ग्रा०वि०अ० 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
13	मु० असलम, ग्रा०वि०अ०	80605.00	1 मु० असलम, ग्रा०वि०अ० श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
14	श्री बेचू, ग्रा०पं०अ०	101430.00	1 श्री बेचू, ग्रा०पं०अ० श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
15	श्री राम नारायण राम, ग्रा०वि०अ०	46795.00	1 श्री रामनारायण राम, ग्रा०वि०अ० श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
16	श्री रामकवल राय, ग्रा०पं०अ०	26460.00	1 श्री रामकवल राय, ग्रा०पं०अ० श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
—	योग	3809015.00	—

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 23 वर्ष 2006-07 में क्षेत्र पंचायत मनिहारी द्वारा राज्य वित्त आयोग क्षेत्र पंचायत अंश शीर्ष के अन्तर्गत रु० 1335644.00 व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण उक्त धनराशि का व्यय अपुष्टित रहा। जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	व्यय का विवरण	धनराशि (रु०)	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पदनाम
1	किसान ईट भट्टा, रसूलपुर, सुजनीपुर	306477.00	1 वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी
2	स्वयं बैठक हेतु	10900.00	1 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी
3	श्री रामवृक्ष राय, ग्रा०वि०अ०	72944.00	1 श्री रामवृक्ष राय, ग्रा०वि०अ० 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी
4	श्री रामवृक्ष राय, ग्रा०वि०अ०	50242.00	1 श्री रामवृक्ष राय, ग्रा०वि०अ० 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
5	किसान ईट भट्टा, रसूलपुर, सुजनीपुर	151800.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
6	श्री राजकुमार यादव, ग्रा०वि०अ०	92136.00	1 श्री राजकुमार यादव, ग्रा०वि०अ० 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी
7	किसान ईट भट्टा, रसूलपुर, सुजनीपुर	302626.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी
8	किसान बिल्डिंग मैटेरियल्स, रसूलपुर	45315.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी
9	श्री रामवृक्ष राय, ग्रा०वि०अ०	37194.00	1 श्री रामवृक्ष राय, ग्रा०वि०अ० 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी
10	अमरदेव बिल्डिंग मैटेरियल्स, हतया, रसूलपुर	211610.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी
11	अक्टूबर 2006 में व्यय	54400.00	1 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी
	योग	1335644.00	

उक्त व्यय रु० 1335644.00 से संबंधित समस्त अभिलेख तथा प्रमाणक, बिल निविदा, कोटेशन, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने से दर्शित व्यय व कार्य की वस्तु स्थिति सन्दिग्ध है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 24 वर्ष 2006–07 में संस्था द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार क्षेत्र पंचायत अंश शीर्ष के अन्तर्गत रु० 1539461.00 व्यय अनुदान राजिस्टर II में दर्शित किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय के पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख अप्राप्त रहा। इस कारण उक्त धनराशि का व्यय अपुष्टित रहा एवं कार्य की पुष्टि में सार्वजनिक निर्माण कार्य राजिस्टर, सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, स्वीकृति निर्माण कार्य का मानचित्र, अनुमान व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समितियों से पुष्टि प्रमाण पत्र नहीं रखे गये है। अतः दर्शित कार्य की वस्तुस्थिति सन्दिग्ध है। इस प्रति तत्कालीन कार्य प्रभारी लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	व्यय का विवरण	धनराशि (रु०)	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पदनाम
1	अर्द्धशासकीय पत्र पम्प नहर खण्ड द्वितीय गाजीपुर वर्ष 2006–07 में रबी फसली के नहरो के सिल्ट सफाई हेतु मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 4039/06–07/17. 11.06 के क्रम में।	87000.00	1 वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 2 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
2	श्री राजकुमार यादव, ग्रा०वि०अ०	376876.00	1 श्री राजकुमार यादव, ग्रा०वि०अ० 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
3	श्री राम वृक्ष राय, ग्रा०वि०अ०	701361.00	1 श्री रामवृक्ष राय, ग्रा०वि०अ० 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार

			3 श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी
4	श्री रामवृक्ष राय, ग्रा0वि0अ0	229010.00	1 श्री रामवृक्ष राय, ग्रा0वि0अ0 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री दयाराम विश्वकर्मा , खण्ड विकास अधिकारी
5	श्री राजकुमार यादव, ग्रा0वि0अ0	145214.00	1 श्री राजकुमार यादव, ग्रा0वि0अ0 2 श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार 3 श्री दयाराम विश्वकर्मा , खण्ड विकास अधिकारी
	योग	1539461.00	

प्रस्तर-25 वर्ष 2006-07 में संस्था के अनुदान पंजी द्वितीय की जाँच में पाया गया की संस्था द्वारा विभिन्न फर्मों से रु0 20935.00 आयकर के रूप में कटौती किया गया है। परन्तु अनुदान पंजी द्वितीय के पृष्ठ संख्या 27 पर मात्र रु0 9404.00 ही आयकर की प्राप्ति दर्शाया गया है यह स्थिति गंभीर आपत्तिजनक है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष में आयकर विभाग में आयकर की धनराशि जमा भी नहीं किया गया है। 31.03.06 को रु0 71445.00 अवशेष आयकर की धनराशि अनुदान पंजी में दर्शित था इस प्रकार लेखा परीक्षा में अनुसार 31.03.07 तक कुल रु0 92380.00 आयकर के रूप में जमा था जिसे संस्था द्वारा आयकर विभाग में नहीं जमा किया गया है। जो तत्कालीन बी0डी0ओ0 द्वारा मनमाने तौर पर रोककर रखा गया है। आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदानों से कराए जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति का बिलो से श्रोत पर आयकर कटौती किए जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना चाहिए। श्रोत पर कर की कटौती करने तथा इस प्रकार काटे गए आयकर की धनराशि अगले माह की 7 तारीख तक निर्धारित समयान्तर्गत लेखा शीर्ष 0021 आयकर में जमा करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगा। ऐसा करने के विफल रहने की स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी पर वसूलनीय आयकर की धनराशि के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	विवरण	ग्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में जमा	वर्षान्त में शेष
1	अनु0पंजी द्वितीय के अनुसार	71445.00	9404.00 (प्रष्ट सं0 27 पर दर्शित)	शून्य	80849.00
2	लेखा परीक्षा के अनुसार	71445.00	20935.00	शून्य	92380.00
	अन्तर	शून्य	11531.00	शून्य	11531.00

वर्ष में प्राप्त / कटौती किया गया आयकर का विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	अनु0 पंजी द्वितीय की पृष्ठ सं0	दिनांक	कार्य का नाम व पता	फर्म का नाम व पता	क्रयित सामग्री का विवरण व मूल्य(रु0)	आयकर की धनराशि (रु0) 2.24%
1	19	18.04.06	रामस्वरूप के दरवाजे से खुटहन खडंजा तक खडंजा निर्माण कार्य	किसान ईट भट्टा, रसूलपुर, सुजनीपुर	90000 ईट दर 1.650 = रु0 148500.00	3326.00
2	20	14.07.06	सालिकपुन हरिजन बस्ती से बलिराम के घर तक सम्पर्क निर्माण कार्य	किसान ईट भट्टा, रसूलपुर, सुजनीपुर	32000 ईटदर 1.650 = रु0 52800.00	1183.00
3	24	23.05.06	परसोतिया से खुटहन तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	किसान ईट भट्टा, रसूलपुर, सुजनीपुर	100000 ईटदर 1.650 = रु0 165000.00 90000 ईटदर 1.650 = रु0 148500.00	3696.00 3326.00
4	25	08.02.07	छलका से आगे पीच रोड तक	किसान ईट	92000 ईटदर	3400.00

			मिट्टी व खडंजा निर्माण कार्य	भट्टा, रसूलपुर, सुजनीपुर	1.650 = रु0 151800.00	
5	25	21.03.07	बलाक परीसर में पार्क निर्माण कार्य	किसान ईट भट्टा, रसूलपुर, सुजनीपुर	30000 ईटदर1. 770 = रु0 53100.00	1190.00
6	25	21.03.07	बलाक बाउन्ड्री निर्माण कार्य	किसान ईट भट्टा, रसूलपुर, सुजनीपुर	70000 ईटदर 1.70 = रु0 119000.00	2666.00
7	26	30.03.07	खड़वाडीह पीच रोड से दयाशंकर के घर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	फर्म का नाम अंकित नहीं।	29200 ईटदर 1.770 = रु0 51684.00	1158.00
8	25	24.03.07	शेड निर्माण कार्य	किसान ईट भट्टा, रसूलपुर, सुजनीपुर	26000 ईटदर 1.70 = रु0 44200.00	990.00
					योग	20935.00

पृष्ठ संख्या 27 पर दर्शित आयकर :-रु0 3400+1190+990+2666+1158=9404.00

अन्तर:- 20935-9404= रु0 11531.00 (कम दर्शित)

उक्त दर्शित वास्तविक आयकर जमा किया जाना अपेक्षित है। उक्त गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी श्री दयाराम विश्वकर्मा खण्ड विकास अधिकारी व श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इन लोगों के विरुद्ध व्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 26 वर्ष 2006-07 में अनुदान रजिस्टर द्वितीय के अनुसार संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु रु0 781389.00 रायल्टी शीर्ष के अन्तर्गत कटौती किया गया है। परन्तु राजकीय कोषागार में वर्ष 2006-07 में रायल्टी मद में जमा शून्य है संस्था द्वारा चेक नं0 025704/11.09.06 को रु0 185836.00 जमा किया गया था परन्तु 30.03.07 में इसे निरस्त दिखाया गया इस प्रकार वास्तविक जमा शून्य रहा। रायल्टी से प्राप्त आयकर का विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	दिनांक	कार्य का विवरण तथा पता	धनराशि (रु0)
	28.04.06	हाला डीह बाबा के स्थान से मुसाफिर हरिजन के घर तक सम्पर्क मार्ग	17010.00
	01.05.06	साजिकपुर हरिजन बस्ती से अंधोखर सम्पर्क मार्ग	3238.00
	01.05.06	शादियाबाद जखनिया मार्ग से बड़नपुर होते हुए उड़ीयारी बगीचा तक सम्पर्क मार्ग	38485.00
	01.05.06	शादियाबाद मौधिया रोड से कैथवलि गाँव तक सम्पर्क मार्ग	16685.00
	01.05.06	शादियाबाद जखनिया पीच रोड से देशो नदी तक सम्पर्क मार्ग	25054.00
	01.05.06	परसोतिया से खुटहन खडंजा तक सम्पर्क मार्ग	45344.00
	05.06.06	डिहवा से कैथवलि सम्पर्क मार्ग	40020.00
	23.12.06	कादीपुर पोखरा पर मिट्टी कार्य	65740.00
	03.01.07	रसूलपुर में महावीर मन्दिर के पास पोखरा खुदाई	25968.00
	03.01.07	त्रिलोकपुर में ड्रेन खुदाई	11614.00
	03.01.07	चकदाउद में सुरेश के घर से आगे सम्पर्क मार्ग तक मिट्टी कार्य	13713.000
	03.01.07	हाकाडीक बाबा के स्थान से मुसाफिर हरिजन के तक सम्पर्क मार्ग	6927.00
	25.01.07	चकहसन मुबारकपुर काजी में पोखरा खुदाई	39480.00
	25.01.07	खुटहन नहर के आगे सम्पर्क मार्ग	48200.00
	25.01.07	रामपुर पीच रोड से गुरैनी रोड तक सम्पर्क मार्ग	24963.00
	25.01.07	त्रिलोकपुर खडंजा से आगे सम्पर्क मार्ग	13041.00
	25.01.07	खकसापुर रजवाहा से बुजुर्गा पोखरा तक ड्रेन खुदाई	32039.00
	25.01.07	बुजुर्गा पनमारिया गांव होते हुए खकसापुर माइनर तक सम्पर्क मार्ग	20781.00
	25.01.07	पीचरोड से माटा होते हुए गोरारी नदी तक सम्पर्क मार्ग	47265.00

	03.02.07	मधुवन नहर वाले खण्ड से जितेन्द्र यादव के पुरब तक सम्पर्क मार्ग	12941.00
	03.02.07	जादुताड़ा टरौजी प्रा0वि0 से सुधाकर के घर तक सम्पर्क मार्ग	45708.00
	03.02.07	करारवीर खडंजा से आगे तिरकारीपुर सम्पर्क मार्ग	29330.00
	03.02.07	अगनू के मशीन से पूरब जिला पंचायत रोड तक सम्पर्क मार्ग	14238.00
	03.02.07	अकरोव से अंधोरवर तक सम्पर्क मार्ग	24200.00
	03.02.07	चकदाउद रामधार के मकान से हरिद्वार के घर तक सम्पर्क मार्ग	6524.00
	03.02.07	चकहसन मुबारकपुर के आगे पोखरा की खुदाई	6675.00
	03.02.07	रसूलपुर हलका से आगे पीच रोड तक सम्पर्क मार्ग	9062.00
	08.02.07	चकवाकर डीह बाबा के स्थान से काशी के दरवाजे तक सम्पर्क मार्ग	10788.00
	08.02.07	गुरैनी नहर से उत्तर तरफ जाने वाली सम्पर्क मार्ग	14720.00
	21.03.07	जखनीया पीच रोड से रइपारा नाला तक सम्पर्क मार्ग	15612.00
	30.03.07	मदूहर पुलिया के पास रामबली के खेत से नहर पट्टी तक सम्पर्क मार्ग	24270.00
	30.03.07	परेवा दुर्गा जी के स्थान से आगे उत्तर तरफ सम्पर्क मार्ग	12729.00
	30.03.07	गुरैनी नहर से उत्तर तरफ जानेवाली सम्पर्क मार्ग	13513.00
	30.03.07	खड़वाडीह पीच रोड से दयाशंकर वकील के घर तक सम्पर्क मार्ग	5512.00
		योग	781389.00

अतः उक्त रायल्टी की धनराशि रु0 781389.00 राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया जाने से राजकीय राजस्व की आय बाधित रहा। इस प्रति श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र खण्ड विकास अधिकारी व श्री दयाराम विश्वकर्मा, खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर – 27 श्री रामशंकर तिवारी जीप चालक को दिनांक 21.01.07 को चेक संख्या 380284 दिनांक 12.01.07 रु0 62238.00 को अवशेष वेतन भुगतान किया गया है। परन्तु पुष्टि में वेतन पंजी व अन्य वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रति तत्कालीन लेखाकार श्री वंशलोचन श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार व श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

3. क्षेत्र पंचायत— सैदपुर ले0प0 वर्ष— 2014–15 से 2015–16

प्रस्तर –28 दिनांक 01.04.2014 को आयकर मद में जमा धनराशि रुपया 56488 दिनांक 31.03.016 तक अवशेष पड़ी रही। जिसे जमा न कर और संस्था में रोक कर रखे जाने से राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए लेखाकार श्री विद्या सिंह कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि को जमा कराने के साथ-साथ उक्त धनराशि पर ब्याज के रूप में रुपया 20336.00 उपरोक्त व्यक्तियों से वसूल किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या-2क)।

प्रस्तर –29 आलोच्य वर्ष 14–15 एवं 15–16 में विभिन्न मदों में कराये गये निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशियों में श्रम एवं सामग्री का अलग अलग विवरण तैयार कर नहीं रखा गया है। लेखा परीक्षा में तैयार की गई सूचना के अनुसार वर्ष 14–15 में सामग्री मद में 8756932.00 तथा वर्ष 15–16 में 3968873.00 व्यय किया गया है जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर की गणना करने पर क्रमशः 196155.00 तथा 88903.00 कुल 285058.00 के राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए लेखाकार श्री विद्या सिंह कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-2ख)।

प्रस्तर –30 शासनादेश संख्या-ए-1-22/10-2012-10(33)2010 दिनांक 31.03.2012 के अनुसार राजकीय धनराशियों के सापेक्ष इस पर प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे राजकोष में जमा कर दिया जायेगा। इस दृष्टि से समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि राजकीय प्राप्त धनराशि को बैंक में खाता खोलकर रखा गया है तथा अर्जित ब्याज को कोषागार में जमा न कर संस्था में रोककर दुरुपयोग किया गया है इस प्रकार 31.03.2016 को ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार राज्य वित्त, क्षेत्र निधि एवं मनरेगा के क्रमशः 21946.00, 86880 तथा 106436.00 कुल 215262.00 रुपया ब्याज की धनराशि अवशेष दर्शित रहा। इसके लिए श्री विद्या सिंह कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं।

(मूल आपति संख्या-3)।

प्रस्तर –31 आलोच्य वर्ष 14–15 में मनरेगा मद के ब्याज की धनराशि रुपया 25985.00 तथा राज्य वित्त/13वॉ वित्त के ब्याज की धनराशि रुपया 69840.00 का व्यय विभिन्न मदों पर किया गया है। जिसके व्यय किये जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों की स्वीकृति पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार ब्याज की धनराशि रुपया 95925.00 राजकीय कोषागार में जमा न कर अनुचित मदों में व्यय कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए श्री विद्या सिंह कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-4)।

प्रस्तर -32 वर्ष 15-16 में ग्राम पंचायत गौरी में राजाराम के मकान से नाला तक पक्की नाली, निर्माण कार्य पर 1.92 लाख का प्राक्कलन तैयार रहा। सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस कार्य पर रूपया 146093.00 का चेक, चेक संख्या-025931 दिनांक 15.07.2015 को श्री अजीत कुमार पाठक बिल्डिंग मैटेरियल एण्ड कन्स्ट्रक्शन को उनके बिल/कैशमेमो संख्या-787 दिनांक 15.07.2017 के विरुद्ध निर्गत रहा। जिससे सम्बन्धित सामग्रियों के उपयोग का मस्टररोल 14.07.2015 से 25.07.2015 तक का पत्रावली में संलग्न रहा। जिसकी धनराशि 30603.00 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पेड एण्ड कैन्सिल रही। परन्तु इस मस्टररोल की धनराशि का चेक कार्य प्रभारी को वर्ष के दौरान निर्गत नहीं रहा जो पत्रावली तथा ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार पुष्टित रहा। फिर मजदूरों की मजदूरी किस प्रकार भुगतान की गयी स्पष्ट नहीं रहा। मस्टर रोल पर मजदूरी भुगतान किया भी गया है अथवा नहीं। सामग्री की भुगतान तुरन्त कर दिया जाना और मजदूरी का भुगतान वर्षान्त तक न किये जाने से कार्य एवं व्यय की वास्तविकता संदिग्ध रही। अतः सम्बन्धित पक्षों से व्यय की वास्तविकता तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कार्य की वास्तविकता की पुष्टि के पश्चात् उक्त कार्य पर कुल दर्शित व्यय रूपया 146093.00 की ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी, श्री विद्या सिंह कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय से किया जाना वांछित हैं।

(मूल आपति संख्या-5)।

प्रस्तर -33 ग्राम पंचायत उचौरी में इम्तियाज के घर से जगधारी के घर तक आर0सी0सी0 निर्माण का कार्य प्राकलन संख्या-7 दिनांक 25.07.2004 द्वारा रूपया 1.60 लाख से प्रस्तावित रहा। कार्य की पत्रावली से यह तथ्य प्रकाश में आया कि जयदुर्गा स्टील उद्योग के कैश मेमो संख्या 48 दिनांक 05.07.2015 के सापेक्ष उनके बिल की धनराशि का भुगतान दिनांक 16.07.2015 को चेक संख्या-025932 द्वारा रूपया 115522.00 का चेक फर्म के नाम निर्गत रहा। परन्तु कार्य से सम्बन्धित मस्टर रोल पत्रावली में संलग्न नहीं रहा और न ही मस्टर रोल की धनराशि के भुगतान का उल्लेख वर्क रजिस्टर में अंकित रहा। कार्य की एम0वी0 में भी कार्य की प्रारंभ तिथि 01.07.15 तथा समाप्त तिथि निल अंकित रहा। अतः सत्यापित स्टाक एवं मजदूरी भुगतान के अभाव में यह व्यय संदिग्ध एवं काल्पनिक रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह, लेखाकार श्री विद्या सिंह कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय से किया जाना वांछित हैं।

(मूल आपति संख्या-6)

प्रस्तर -34 हरदत्तपुर में रामबली के खेत से ट्यूबवेल तक नाली निर्माण कार्य पर दिनांक 27.07.2015 को श्री अजीत कुमार पाठक बिल्डिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन के बिल " संख्या-547 दिनांक 27.07.2015 को चेक संख्या 025934 द्वारा रूपया 25008 का चेक निर्गत रहा। परन्तु इस कार्य पर मजदूरी भुगतान का मस्टर रोल नहीं रहा। अतः मस्टर रोल के अभाव में यह व्यय संदिग्ध एवं काल्पनिक रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी, श्री विद्या सिंह कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय से किया जाना वांछित हैं।

(मूल आपति संख्या-8)।

प्रस्तर -35 ग्राम भदौला में जगदेव के खेत से बनवारी के खेत तक पक्की नाली निर्माण कार्य प्राकलन संख्या-18 दिनांक 25.05.2015 को रूपया 1.80 लाख से प्रस्तावित रहा। जिसके सापेक्ष 140451.00 का भुगतान चेक सं.-025933 दि. 27.07.2015 को फर्म के नाम निर्गत रहा। पत्रावली के संलग्न मस्टररोल की कार्य अवधि 28.07.2015 से 08.08.2015 है जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 31.03.2016 तक रूपया 38328.00 का चेक कार्य प्रभारी को निर्गत नहीं रहा। जिससे स्पष्ट है। कि मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नियमानुसार साप्ताहिक नहीं किया गया है। मजदूरी भुगतान कब और कैसे किया गया है से सम्बन्धित मजदूरी भुगतान पंजी का लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः मजदूरी भुगतान के अभाव में यह धनराशि का व्यय संदिग्ध एवं फर्जी रहा। अतः वित्तीय वर्ष में सामग्री भुगतान की धनराशि लेखा परीक्षा की दृष्टि से वसूली योग्य रही। अतः उक्त रूपया धनराशि 10451.00 कार्य प्रभारी श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह, लेखाकार श्री विद्या सिंह कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय से ब्याज सहित वसूल किया जाना वांछित रहा हैं।

(मूल आपति संख्या-7)।

प्रस्तर -36 ग्राम पंचायत शिवदासपुर में दीपचन्द के घर से देवराम के घर तक खड़न्जा का कार्य प्राकलन संख्या 42 दिनांक 21.10.2015 को रूपया 135700.00 से प्रस्तावित रहा जिसके सापेक्ष में वर्ष 15-16 में रूपया 109739 का भुगतान सामग्री मद में किया गया है परन्तु इस कार्य पर मस्टर रोल नहीं रहा और न ही स्टाक सत्यापन कराकर रखा गया है। अतः मस्टर रोल के अभाव में यह व्यय काल्पनिक एवं संदिग्ध रहा जिसकी वसूली कार्य प्रभारी भूपेन्द्र प्रताप सिंह, लेखाकार श्री विद्या सिंह कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय से मजदूरी भुगतान की तिथि एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र से कराते हुए ब्याज सहित वसूल किया जाना अपक्षित रहा।

(मूल आपति संख्या-9)।

प्रस्तर -37 ग्राम पंचायत गौरी में पिच रोड से भोला के घर के पीछे तक खड़न्जा मरम्मत द्य के कार्य की पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि उक्त कार्य पर रूपया 277465.00 का प्राक्कलित धनराशि स्वीकृत हुई। पत्रावली में मस्टर रोल पर कार्य की तिथि 24.08.2015 से 12.09.2015 तक रही। जिसकी धनराशि रूपया 55259 रही जिसका चेक कार्य प्रभारी की चेक संख्या 025947 द्वारा दिनांक 21.09.2015 को निर्गत है यह चेक की धनराशि कार्य प्रभारी को कब प्राप्त हुई और प्रभारी द्वारा मजदूरों को कब और कैसे भुगतान किया गया कि स्थिति स्पष्ट नहीं रही इससे सम्बन्धित न तो

मस्टर रोल पर भुगतान की तिथि अंकित है और न ही मजदूरी भुगतान पंजिका ही बनायी गयी है। अतः भुगतान की स्थिति संदिग्ध रही स्थिति स्पष्ट कराते हुए उक्त धनराशि रूपया 55259.00 प्रभारी भूपेन्द्र प्रताप सिंह, लेखाकार श्री विद्या सिंह कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए

(मूल आपति संख्या-10)।

प्रस्तर -38 वी0डी0ओ0 आवास की बाउण्ड्री वाल की मरम्मत कार्य पर सामग्री पर रूपया 22099.00 तथा मजदूरी भुगतान (मस्टर रोल) पर 7753.00 व्यय दर्शाया गया है। मस्टररोल पर कार्य की समाप्ति तिथि 17.12.2015 रही इसका चेक कार्य प्रभारी को दिनांक 18.02.2016 को निर्गत रहा। इस चेक की धनराशि कार्य प्रभारी को कब प्राप्त हुई है और प्रभारी द्वारा मजदूरों को कब भुगतान किया गया और कैसे किया गया स्पष्ट नहीं किया गया है। सम्बन्धित कार्य का मस्टर रोल एवं सामग्री का प्रमाणक बी0डी0ओ0 द्वारा पेड एण्ड केन्सिल नहीं रहा। अतः कार्य की वास्तविकता एवं दर्शित व्यय फर्जी एवं संदिग्ध रहा। अतः जॉचोपरान्त उपरोक्त धनराशि रूपया 29853.00 कार्य प्रभारी भूपेन्द्र प्रताप सिंह, लेखाकार श्री विद्या सिंह कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय से वसूल किया जाना चाहिए

(मूल आपति संख्या-11)।

प्रस्तर -39 सिंगारपुर में रामब्रत चौबे के घर से रामवृक्ष सिंह के घर तक खड़न्जा कार्य विधायक निधि से कराया गया है। इस पर निम्न विवरण के अनुसार सामग्री का भुगतान किया गया है -

श्री अजीत कुमार पाठक बिल्डिंग मैटेरियल एण्ड कन्स्ट्रक्शन सप्लायर चेकसंख्या-134705 दिनांक 20.11.2015 धनराशि 218319.00 2. ,, ,, ,, चेकसंख्या-134717 दि. 02.02.2016 धनराशि 187148.00

इस प्रकार कुल रूपया 405467.00 के सामग्री मूल्य का भुगतान किया गया है। परन्तु प्रदायकर्ता के बिल की धनराशि पर 2.24: की दर से रूपया 9082.00 आयकर कटौती कर भुगतान कर जमा नहीं किया गया जिससे रूपया 9082. 00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इसके लिए लेखाकार श्री विद्या सिंह . कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-12)।

प्रस्तर-40 अमुवारा में सांसद निधि से ढक्कनदार नाली का निर्माण कराया गया है जिसमें निम्न विवरण के अनुसार सामग्री पर भुगतान किया गया है -

श्री प्रकाश ईट भट्टा	चेंक सं0 - 134723 दि0 14.03.16	रु0 198577.00
मिश्रा सीमेण्ट एजेंसी	चेंक सं0 - 134722 दि0 14.03.16	रु0 106172.00
मॉ वैष्णो एजेंसी	चेंक सं0 - 134721 दि0 14.03.16	रु0 297984.00

कुल रूपया 602733.00 के भुगतान पर रूपया 13501.00 आयकर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिसके लिए लेखाकार श्री विद्या सिंह कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-13)।

प्रस्तर-41 मौधा में पिच रोड से हरि राम के घर तक खड़न्जा का कार्य कराया गया है। जिस पर एम0एस0ईट उद्योग के कैश मेमो संख्या-7 दिनांक 02.09.2015 रूपया 79605.00 तथा भएस0ईट उद्योग के कैश मेमो सं-दिनांक 79605.00 का भुगतान क्रमशः चेक संख्या-025993 दिनांक 03.09.2015 एवं चेक संख्या - 025959 दिनांक 30.10.2015 द्वारा किया गया है सम्बन्धित कार्य का मस्टर रोल की कार्य तिथि 04.09.15 से 13.09.15 तक रही जिसकी धनराशि 14050. 00 रही इस धनराशि का चेक संख्या-25948 दिनांक 22.09.15 को प्रभारी को निर्गत किया गया है यह चेक कब कैश हुआ और कब मजदूरों को भुगतान किया गया मस्टर रोल पर अंकित नहीं रहा और न ही मजदूरी भुगतान पंजिका बनायी गयी है। अतः मजदूरी भुगतान की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण यह व्यय संदिग्ध रहा। अतः रूपया 173260. 00 कार्य प्रभारी श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह, लेखाकार श्री विद्या सिंह कुशवाहा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय से वसूल किया जाना अपेक्षित है (मूल आपति संख्या-14)।

प्रस्तर -42 दिनांक 31.03.2016 को अप्रयुक्त अनुदान की धनराशि रूपया 4185352.00 रही। नियमानुसार अनुदान की धनराशि का उपयोग सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना चाहिए यदि ऐसा अपरिहार्य कारणों से संभव न हो सका तो आगामी वर्ष में उपयोग हेतु महालेखाकार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित पक्षों (अनुदानदाताओं) को वापस कर दिया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न कर क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष प्रतिवर्ष अनुदान की धनराशि को रोक कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। धनराशि रूपया 4185352.96 के लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-24)।

प्रस्तर -43 रामपुर में पिचरोड से रामलीला मैदान तक खड़न्जा मरम्मत कार्य प्राकलन संख्या 29 दिनांक 06.02.14 को रूपया 2.07 लाख से प्रस्तावित रहा। जिस हेतु दिनांक 06.07.2014 को कोटेशन आमंत्रित किया गया। जिसे जय ईट भट्टा ईशोपुर का कोटेशन कैश मेमो संख्या-501 दिनांक 09.07.2014 को कम दर होने के कारण स्वीकृत हुआ और इस फर्म को आपूर्ति हेतु दि. 12.07.2014 को आपूर्ति आदेश निर्गत हुआ। जिसके सापेक्ष उक्त फर्म के कैशमेमो संख्या 504 दिनांक 30.06.2014 कोटेशन आपूर्ति दिनांक 06.07.2014 के पूर्व ही 21900 नग ईट 5250 की दर से कुल मूल्य 114975 की आपूर्ति दर्शाते हुए रूपया 114975.00 का माँगपत्र जारी रहा जिस पर बिल संख्या व दिनांक अंकित नहीं रहा जिसका मूल्य चेक संख्या 019654 दिनांक 26.07.2014 को निर्गत किया गया। इस कार्य पर मजदूरी भुगतान

सम्बन्धी मस्टररोल पर दिनांक 01.07.14 से 25.07.2014 तक मजदूरों की हाजिरी लगायी गयी है। जिसकी धनराशि 74544.00 का चेक दिनांक 26.07.2014 को चेक संख्या 19654 निर्गत रहा इस चेक की धनराशि कार्य प्रभारी को कब प्राप्त हुई और कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों को कब भुगतान किया गया की स्थिति मस्टर रोल पर अंकित नहीं रही तथा मजदूरी भुगतान पंजिका भी नहीं बनाया गया है। अतः मजदूरी भुगतान की तिथि स्पष्ट न होने तथा कोटेशन आमंत्रण के पूर्व ही सामग्री क्रय कर लिया जाना कार्य तथा व्यय की वास्तविकता को संदिग्ध बनाता है। अतः उपरोक्त व्यय की धनराशि 189519 कार्य प्रभारी लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना चाहिए।

(मूल आपत्ति संख्या-24क)।

4. क्षेत्र पंचायत- मरदह ले0प0 वर्ष- 2015-16

प्रस्तर -44 विधायक निधि योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत अविस्हन में रामजानकी मंदिर के पास रैन बसेरा निर्माण हेतु 1.50 लाख का स्टीमेट पारित किया गया। श्री गोपाल कुमार सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्यप्रभारी नियुक्त कर दिनांक 4.01.2016 को चेक संख्या-061085 द्वारा रुपया 90,000-अग्रिम के रूप में प्रभारी की माँग पर दिया गया। जिसे श्री गोपाल कुमार सिंह द्वारा दिनांक 07.01.2016 को प्राप्त किया गया। श्री सिंह द्वारा 90000.00 अग्रिम के समायोजन सम्बन्धी इस बाबत कोई भी प्रमाणक कार्य करवाने के बाद नहीं दिया गया। दिनांक 05.05.2016 को पत्रांक 31 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी मरदह ने श्री सिंह को व्यय प्रमाणक फोटोग्राफ हेतु पत्र दिया। किंतु श्री सिंह द्वारा दिया गया कोई व्यय प्रमाणक, फोटोग्राफ, एम0बी0 सत्यापन रिपोर्ट आदि पत्रावली में लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अग्रिम समायोजन हेतु पत्र निर्गत करने के बाद भी पत्रावली में ले0प0 की तिथि तक समायोजन प्रमाणक संलग्न नहीं पाये गये तथा इसके बाद बी0डी0ओ0 द्वारा कोई वसूली की कार्यवाही भी नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि अग्रिम समायोजन न होने में खण्ड विकास अधिकारी की मिलीभगत प्रतीत होती है। अतः रुपया 90000 का अपहरण प्रतीत होता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार ब्याज सहित इसकी वसूली की जानी चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रांट रजिस्टर-1 एवं पत्रावली में रैन बसेरा निर्माण का उल्लेख है जबकि अनुदान रजिस्टर-II पर सार्वजनिक मैरेज हाल निर्माण अंकित पाया गया जो आपत्तिजनक है। (सा०० सं०- 1)

प्रस्तर-45 निम्नलिखित सामग्री भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती नहीं की गई है। विवरण निम्नवत् है-

तिथि	चेक संख्या	धनराशि	टैक्स होना चाहिए	भुगतान का विवरण
07.12.15	061082	138872	3111	जय माँ शारदा कंस्ट्रक्शन कं० गाजीपुर ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण कार्य।
18.06.15	073967	9926	222	श्री तेज बहादुर यादव को सांसद निधि, ग्राम पंचायत बोंसवारी में गाँधी चबूतरा से दीनानाथ यादव के घर तक सी0सी0 रोड।
		योग	3333	

अतः 3333-का स्रोत पर कटौती नहीं की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उपरोक्त कर को वसूल कर ब्याज सहित नियमानुसार जमा किया जाना चाहिए।

(सा० आ० सं०-2)

प्रस्तर -46 विधायक निधि योजना के अंतर्गत रुपया 342749.00 का व्यय अनु० रजिस्टर-11 में ग्राम पंचायत सुलेमापुर में सार्वजनिक मैरेज हाल निर्माण पर दर्शाया गया है जिसमें से रुपया 76082-मजदूरी, 260023-सामग्री व रुपया 6644.00 आयकर कटौती दर्शित है। कार्यप्रभारी श्रीरामबहादुर राम एडीओ (आईएसबी) है। उक्त से सम्बन्धित व्यस बाउचर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा एवं कार्य की पुष्टि में अनुमानित व्यय, माप पुस्तिका, सृजित परिसंपत्तियों का रजि०, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि०, कयादेश, टेण्डर /कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सत्यापन रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दर्शित व्यय की गई धनराशि रुपया 342749 की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है। अपूष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन की दुरुपयोग संभावित है। जिसके लिए कार्यप्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-3)

प्रस्तर -47 वर्ष 2015-16 में सांसद निधि योजना के अंतर्गत रुपया 97338.00 का व्यय अनु० रजिस्टर II में ग्राम पंचायत बसवारी में गांधी चबूतरा से दीनानाथ यादव के घर तक सी०सी०रोड निर्माण पर दर्शाया गया है। जिसमें से रुपया 9926.00 सामग्री व रुपया 87412.00 मजदूरी पर व्यय है। कार्यप्रभारी श्री रामबहादुर राय एडीओ (आईएसबी) हैं। उक्त से सम्बन्धित व्यय बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, उपभोग प्रमाणपत्र, अनुमानित व्यय, सृजित परिसम्पत्तियों का रजि०, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि०, क्रयादेश, टेण्डर/कोटेशन, सत्यापन रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है। अपूष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन का

दुरुपयोग संभावित है। जिस हेतु कार्यप्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-4)

प्रस्तर -48 वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत रसूलाबाद में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण पर रूपया 475000-व्यय दर्शाया गया है। धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कार्य की पुष्टि में अनुमानित व्यय, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्तियों का रजि0,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0, क्रयादेश, टेण्डर/कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,सत्यापन रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाणपत्र उपभोग प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे दर्शित व्यय रूपया 469397.00 की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है। अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन की अपहरण संभावित है जिसके लिए कार्यप्रभारी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -49राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्यय धनराशि का विवरण अनु0 रजि0-II एवं I में दर्शाया गया है। समस्त कार्यों के प्रभारी श्री राम बहादुर राम एडीओ (आईएसबी) रूपया 3225737-के लिए है। उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कार्य की पुष्टि में अनुमानित व्यय, टेण्डर/कोटेशन, क्रयादेश, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सत्यापन रिपोर्ट, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्तियों का रजि0, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाणपत्र, उपभोगप्रमाणपत्र.....आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दर्शित व्यय रूपया 3225737 की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त कार्यों के प्रभारी श्री राम बहादुर राम ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 को ही बनाये गये हैं इससे स्पष्ट है कि ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 उक्त कार्यों के प्रभारी होने के कारण अपना मूल कार्य नहीं कर पाये होंगे। एक ही व्यक्ति से वर्ष भर कार्य कराया जाना तत्कालीन बी0डी0ओ0 की मिलीभगत प्रतीत होती है। अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन का अपहरण संभावित है। जिसके लिए कार्यप्रभारी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार एवं कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-50 लेखा परीक्षा वर्ष में 1282901.30 ब्याज की धनराशि को 6 योजनाओं पर व्यय किया गया है जो आपत्तिजनक है। शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10 33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार ब्याज सरकार की आय का एक स्रोत होता है। जिसका संग्रहण कर सरकार द्वारा आवंटन किया जाता है किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त ब्याज को निर्धारित शीर्ष में जमा न करके अपने स्तर से व्यय कर दिया गया जो गंभीर आपत्तिजनक एवं वित्तीय अनियमितता है इस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0श्रीमती आशा देवी एवं लेखाकार श्री खरभान राम उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -51 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत व्यय धनराशि का विवरण अनु0 रजिस्टर-II व I में प्रकार दर्शाया गया है। समस्त कार्यों के प्रभारी श्री रामबहादुर राम एडीओ (आईएसबी)है। उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कार्य की पुष्टि में अनुमानित व्यय, टेण्डर/कोटेशन, क्रयादेश, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सत्यापन रिपोर्ट, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, प्रशासनिक एवं तकनीक स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दर्शित व्यय रूपया 3516772.00 की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त कार्यों के प्रभारी श्री राम बहादुर राम ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 को ही बनाये गये हैं इससे स्पष्ट है कि ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 उक्त कार्यों के प्रभारी होने के कारण अपना मूल कार्य नहीं कर पाये होंगे। एक ही व्यक्ति से वर्ष भर कार्य कराया जाना। तत्कालीन बी0डी0ओ0 की मिलीभगत प्रतीत होती है। अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन की अपहरण संभावित है। जिसके लिए कार्यप्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार व कार्यप्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -52 आयकर -आयकर अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) की धारा-194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के बाद ही भुगतान किया जाना चाहिए। स्रोत पर कर की कटौती करने तथा उस पर काटे गये आयकर की धनराशि अगले माह की 7 तारीख तक निर्धारित लेखा शीर्ष 0021 आयकर शीर्ष में समयान्तर्गत जमा करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगा। ऐसा करने से विफल रहने की स्थिति में डी0डी0ओ0 पर वसूलनीय आयकर की धनराशि के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।

क्षेत्र पंचायत मरदह के वर्ष 2015-16 के दौरान संकलित आयकर को वर्षान्त मार्च में जमा दर्शाया गया है जो आपत्तिजनक है। संग्रहित आयकर की धनराशि की नियमानुसार समयान्तर्गत जमा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार गत वर्ष में संग्रहित आयकर धनराशि रूपया 440675- दिनांक 03.04.2015 को जमा करवाया गया है जो आपत्तिजनक है। दिनांक 10.03.2016 को रूपया 136556.00 का आयकर जमा करने हेतु 4 चेक निर्गमन दर्शाया गया है एवं वर्षान्त में आयकर दायित्व शून्य दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्त आयकर दिनांक 26.04.2016 को जमा किया गया है जो आपत्तिजनक है। उपरोक्त आयकर जमा की पुष्टि में सी0टी0आर0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः जमा आय कर की पुष्टि नहीं हो सकी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -53 लेखा परीक्षा में 141214- व्यय इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद हेतु किया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं -

इसके आय एवं व्यय सम्बन्धी निर्देश (परिपत्र) लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जो आपत्तिजनक है।

अधिकांश व्यय जीप एवं जेनरेटर हेतु डीजल क्रय पर किया गया है किन्तु इससे सम्बन्धित लॉग बुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

स्टेशनरी क्रय की पुष्टि में स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जो आपत्तिजनक है।

दिनांक 01.10.2015 को चेक संख्या-073978 द्वारा मेसर्स कन्हैया बैट्री निजामुद्दीनपुर मऊ को रूपया 9900.00 का भुगतान जेनरेटर में बैट्री हेतु किया गया है। (अनु0 रजि0 II) जेनरेटर हेतु बैटरी को क्रय संदिग्ध एवं अस्पष्ट रहा। अतः अपुष्टि एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान का दुरुपयोग संभावित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -54(ए) वर्ष 2015-2016 में गत वर्ष का संग्रहित रायल्टी कर रूपया 65269-दिनांक 03.08.2015 को अति बिलम्ब से जमा किया गया (एस0बी0आई0 गाजीपुर 65ध03. 08.2015) गत वर्ष के संग्रहित रायल्टी को इतने दिनों तक विकास खण्ड स्तर पर रोक कर रखा गया है जो गंभीर आपत्ति का विषय है। जमा की पुष्टि में मात्र चालान प्रस्तुत किया गया जबकि ट्रेजरी द्वारा निर्गत स्टेटमेण्ट नहीं प्रस्तुत किया गया अतः जमा की वस्तुस्थिति अपुष्टित रहा। (बी) वर्ष में 25 से अधिक मिट्टी खड़न्जा सम्बन्धी कार्य करवाये गये हैं किन्तु रायल्टी कर संग्रहण नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक है। मिट्टी का अंकन वर्गफीट/वर्गमीटर में नहीं किया गया है अतः इसका आकलन करना भी संभव नहीं है। अतः रायल्टी की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

5. क्षेत्र पंचायत- मुहम्मदाबाद ले0प0 वर्ष- 2013-14 से 2015-16

प्रस्तर -55 वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों में क्रमशः रू0-9763613.26, रू0-3742547.50, रू0-2791890.32 वर्षान्त में अवशेष दर्शित है। स्पष्ट है कि अनुदान का समय से उपभोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनुदान अवशेष रही। अनुदान को रोके जाने का कोई कारण भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

राजकीय अनुदानों का भारी मात्रा में अवशेष दिखाये जाने से स्पष्ट होता है कि, जिस कार्य हेतु अनुदान प्राप्त किये गये थे वे कार्य नहीं कराये गये। इससे सम्बन्धित अधिकारियों का सम्बन्धित कार्यों के प्रति शिथिलता स्पष्ट होती है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर अपेक्षित है।

शासनादेश संख्या-2501/26-03-99-4(215) दिनांक 04.08.1999 के अनुसार अवशेष अनुदान की धनराशि यथाशीघ्र शासन को वापस कर दी जानी चाहिए, किन्तु शासन को वापस नहीं किया गया है तथा वापस नहीं किये जाने की स्थिति में विभागीय उच्चाधिकारियों से भी अनुमति नहीं ली गयी है। यह तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों की मनमाने रवैये व उदासीनता का घोटक है। इस प्रकार राजकीय अनुदान को शासकीय निर्देशों के विपरीत रोककर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 व लेखाकार ओमकार यादव व अवध बिहारी सिंह उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-56 अनुदान रजिस्टर-3 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में बायोगैस मद में रू0-38000 का भुगतान किया गया दर्शित है, परन्तु लेखा परीक्षा में पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। अतः लाभार्थियों ने संयंत्र बनाया या नहीं बनाया है। इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय धन का दुरुपयोग संभावित है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार ओमकार यादव एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-57 वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत जमा अनुदान की धनराशियों पर अर्जित ब्याज से प्राप्त आय क्रमशः रू0-271129, रू0-100996.99, रू0-18536.82 दर्शाया जा रहा है। संस्था के अभिलेख में इस कमाए ब्याज को योजनावार दर्शित नहीं किया जा रहा है। शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यह अर्जित ब्याज नियमानुसार संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय है। और इस धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। अतएव अंकन रूपया क्रमशः रू0-271129, रू0-100996.99 व रू0-18536.82 ब्याज की धनराशि को राजकीय कोष में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जमा नहीं कराया गया है एवं रोककर रखा गया है। इस प्रकार जानबूझकर

अनियमितता करने के उद्देश्य से राजकीय कोष में जमा न करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में ब्याज मद से क्रमशः ₹0-233240.20 व ₹0-1177144.00 का उपभोग कार्यों में किया गया दर्शित है।

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अर्जित ब्याज से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बिना उच्चाधिकारियों की पूर्वानुमति से विभिन्न मदों में कार्य कर राजकीय निर्देशों व विभागीय आदेशों का उल्लंघन कर दुरुपयोग किया गया है। इस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 व लेखाकार उत्तरदायी है।

प्रस्तर -58 वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में प्रोत्साहन अनुदान (युवक मंगल दल) मद पर वर्ष 2013-14 में ₹0-14000 व 2014-15 में ₹0-28000 ब्याज दर्शाया जा रहा है, लेकिन लेखा परीक्षा में व्ययों से सम्बन्धित पत्रावली एवं उनकी उपलब्धियों से सम्बन्धित कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है। अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान का वित्तीय अनियमितता संभावित है। जिस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 59 वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त के अन्तर्गत अन्तिम अवशेष ₹0-4377195.40 दर्शित है, जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 का प्रा0 अवशेष ₹0-4375749 दिखाया जा रहा है। इस प्रकार ₹0-1446.40 कम दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया जा रहा है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 60 वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त के अन्तर्गत अनुदान रजिस्टर-3 में ₹0-7709212.60 का व्यय दिखाया गया है। लेकिन अनुदान रजिस्टर-3 में ₹0-7708942.60 के कार्यों का विवरण है। इस प्रकार ₹0-270 का विवरण न दिखाकर अपहरण की आशंका है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त के अन्तर्गत कुल व्यय ₹0-7709212.60 दर्शित किया गया है, जबकि उपरोक्त परियोजनावार अंकित विवरण के अनुसार कुल व्यय की धनराशि ₹0-7708942.60 आती है। इस प्रकार राज्य वित्त के अन्तर्गत व्यय दर्शित की गयी धनराशि में से ₹0-270 का विवरण अनुपलब्ध रहा। उक्त दर्शित कार्यों में से आंशिक पत्रावलियां ही प्रस्तुत की गयी, जिनके अवलोकन से सिस्टम की पूर्ति नहीं पायी गयी। फलतः उक्त दर्शित व्यय की धनराशि एवं उनके सापेक्ष सृजित परिस्थितियों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ₹0 270 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 रायल्टी :-

क्र0सं0	कार्य प्रभारी	कार्य का विवरण	लागत मूल्य	चेक सं0 / दिनांक
1	स्वयं	रॉयल्टी की धनराशि	855680	58368 / 02.12.14
		योग	855680	

अनुदान रजिस्टर-2 के अनुसार चेक सं0-58368 से रॉयल्टी की धनराशि ₹0-855680 स्वयं के नाम से चेक द्वारा काटा गया है, लेकिन इसको जमा कराने का प्रमाण लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त धनराशि के अपहरण की आशंका है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013-14 एवं 2015-16 तीनों वर्षों में निर्माण कार्यों में व्यय दर्शित की गयी है धनराशि का श्रम एवं सामग्रीवार अलग-अलग विवरण तैयार नहीं है। अर्थात् निर्माण सामग्री कौन-कौन कितनी मात्रा में किन-किन वर्षों में क्रय की गयी इसका कोई विवरण नहीं रखा गया है। फलतः रॉयल्टी की गणना सम्भव नहीं रही। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त दर्शित धनराशि किस वर्ष की काटी गयी है तथा किन-किन आपूर्ति के सापेक्ष काटी गयी है। रवन्ना एम0एम0-11 की स्थिति जमा चालान की प्रतियां भी उपलब्ध नहीं रही। फलतः दर्शित रॉयल्टी की राजकीय राजस्व की धनराशि की पुष्टि संभव नहीं रही। वर्षवार मैटेरियल वार विवरण तैयार कर रॉयल्टी की धनराशि आगणित करते हुए जमा/क्षतिपूर्ति ब्याज सहित आवश्यक है।

प्रस्तर- 62 आयकर :-

क्र0सं0	कार्य प्रभारी	कार्य का विवरण	लागत मूल्य	चेक सं0 / दिनांक
1	स्वयं	आयकर	40143	152082 / 10.03.16
		योग -	40143	

अनुदान रजिस्टर-3 के अनुसार चेक सं0-152082 से आयकर की धनराशि ₹0-40143 स्वयं के नाम से चेक द्वारा काटा गया है, लेकिन इसको जमा कराने का प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त धनराशि के अपहरण की आशंका है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर अपेक्षित है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 एवं 2015-16 तीनों वर्षों में निर्माण कार्यों में व्यय दर्शित की गयी धनराशि का श्रम एवं सामग्री वार अलग-अलग विवरण तैयार नहीं है। अर्थात् निर्माण सामग्री कौन-कौन कितनी मात्रा में किन-किन वर्षों में क्रय की गयी, इसका विवरण नहीं रखा गया है। फलतः आयकर की गणना संभव नहीं रही। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त दर्शित धनराशि किस वर्ष प्राप्त हुई तथा किन-किन आपूर्ति के सापेक्ष प्राप्त हुई। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-63 टी0डी0एस0 (वैट) :-

क्र0सं0	कार्य प्रभारी	कार्य का विवरण	लागत मूल्य	चेक सं0 / दिनांक
1	स्वयं	वैट की धनराशि	30424	152081 / 10.03.16
		योग -	30424	

अनुदान रजिस्टर-3 के अनुसार चेक सं0-152081 से टी0डी0एस0 की धनराशि 30424 स्वयं के नाम चेक द्वारा काटा गया है, लेकिन इसको जमा कराने का प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। जिससे उक्त धनराशि के अपहरण की आशंका है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 तीनों वर्षों में निर्माण कार्यों में व्यय दर्शित की गयी। धनराशि का श्रम एवं सामग्रीवार अलग-अलग विवरण तैयार नहीं है। अर्थात् निर्माण सामग्री कौन-कौन कितनी मात्रा में किन-किन वर्षों में क्रय की गयी, इसका कोई विवरण नहीं रखा गया है। फलतः टी0डी0एस0 (वैट) की गणना संभव नहीं रही। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त दर्शित धनराशि किस वर्ष काटी गयी है तथा किन-किन आपूर्ति के सापेक्ष काटी गयी है।

6. क्षेत्र पंचायत- भदौरा

ले0प0 वर्ष- 2008-09

प्रस्तर-64

वर्ष 2008-09 में निम्न विवरणानुसार योजनागत मदों में रू0 2440907=08 वर्ष के अन्त में अवशेष रह गया है स्पष्ट है कि अनुदान का समय से उपभोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनुदान अवशेष रहा। अनुदान को व्यय करने से रोके जाने का कोई भी कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। राजकीय अनुदानों का भारी मात्रा में अवशेष दिखाए जाने से स्पष्ट होता है कि जिस कार्य हेतु अनुदान प्राप्त किए गए हैं वे कार्य नहीं कराए गए। इससे सम्बन्धित अधिकारियों का सम्बन्धित कार्यों के प्रति शिथिलता स्पष्ट होती है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। साथ ही योजनागत अनुप्रयुक्त अनुदान रू0 2440907.08 वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। शासनादेश सं0-2501/26-03-99-4 (215) दिनांक 04-08-99 के अनुसार अवशेष अनुदान की धनराशि यथाशीघ्र शासन को वापस कर दी जानी चाहिए। किन्तु वापस नहीं किया गया है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार गुप्ता व श्री राम राज गौतम, लेखाकार श्री कमल किशोर सिंह उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

योजनागत अनुप्रयुक्त अनुदान का विवरण

क्र0सं0	विवरण	धनराशि
1	राष्ट्रीय बायो गैस	0.75
2	विधायक निधि	246762.00
3	प्रासंगिक व्यय	810.33
4	राज्य वित्त	2093957.00
5	12वां वित्त	626.00
6	आदर्श जलाशय	98751.00
	योग -	2440907.88

प्रस्तर-65 आलोच्य वर्ष 2008-09 में विधायक निधि योजना के अन्तर्गत रू0 196011=00 निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है -

क्र0सं0	उत्तरदायी व्यक्ति / कार्य प्रभारी	कार्य का विवरण	चेक सं0 / दिनांक	धनराशि रू0
1	श्री हरवंश शाह	दिलदार नगर में बाथरूम	09448 / 19.05.08 रायल्टी कटौती आयकर कटौती	174137.00 639.00
2	श्री सुशील कुमार तिवारी	ताजपुर कुरा में खेल मैदान	783971 / 20.06.08 आयकर	18623.00 101.00
		योग		196011.00

व्यय की पुष्टि में पत्रावली, कार्यदेश, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सत्यापन प्रमाण-पत्र, माप-पुस्तिका, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्गत पुष्टि प्रमाण-पत्र, प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति वैट एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित रजिस्टर ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं होती है, जिससे गम्भीर वित्तीय अनियमितता की पूर्ण सम्भावना है। जिस हेतु श्री विनय कुमार गुप्ता खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कमल किशोर सिंह एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। अतः व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-66 आलोच्य वर्ष 2008-09 में प्रासंगिक व्यय पर रू0 15867.00 व्यय दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है -

दिनांक	नाम लाभार्थी/जिसे चेक निर्गत किया गया सर्वश्री	चेक संख्या	धनराशि रू0
25.04.08	स्वयं लेखन सामग्री का भुगतान (चेक)	94445	8823.00
21.05.08	अनिल कुमार सिंह को टेलिफोन अग्रिम का भुगतान	783965	1000.00
17.06.08	दिलीप कुमार सिंह (अमर उजाला पत्र) को चेक	783970	4992.00
07.11.08	विनय कुमार गुप्ता के डीजल	783978	811.00
19.11.08	अनिल कुमार सिंह को चेक टेलिफोन देय के लिए	783979	128.00
04.12.08	विनय कुमार गुप्ता के लिए डीजल	785421	113.00
		योग —	15867.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चेक कर्मचारी के नाम से निर्गत किये गये हैं। व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली/बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त व्यय की वस्तु स्थिति की पुष्टि नहीं होती है।

अतः विकास खण्ड स्तर पर अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय अंशधन का गम्भीर अनिमितता/दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। लेखा परीक्षा में व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक, पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना एवं गम्भीर प्रकरण है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार गुप्ता तथा लेखाकार श्री कमल किशोर सिंह उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —67 राज्य वित्त :-राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के अनुदान रजि0 II में रू0 2276304.00 व्यय किया गया दर्शित है, लेकिन निम्न कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणक, पत्रावली, मापन पुस्तिका, कार्यपूर्ति, प्रमाण पत्र, सृजित परिसम्पत्ति रजि0, सत्यापन रिपोर्ट आदि मांग के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे निम्न व्ययों एवं कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपर्युक्त व्ययों से सम्बन्धित पत्रावली के अभाव में दर्शित व्यय अपुष्ट रही, कृत कार्यों एवं व्ययों से सम्बन्धित पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापन पुस्तिका, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से पुष्टि, अपुष्ट रही।

लेखा परीक्षा में व्ययों एवं कार्यों की पुष्टि में अभिलेख पत्रावली प्रस्तुत नहीं किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था में सम्बन्धित कार्यों के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं है, अतः अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने के स्थिति में राजकीय अनुदान का अपहरण/दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की सम्भावना है, जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार तथा कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर —68 बारहवाँ वित्त :-बारहवें वित्त के अन्तर्गत वर्ष (08-09) के अनुदान रजि0 के अनुसार रू0 1048461.00 व्यय किया गया दर्शित है। लेकिन निम्न कार्यों एवं व्ययों से सम्बन्धित प्रमाणक, पत्रावली मापन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सत्यापन रिपोर्ट सृजित परिसम्पत्ति रजि0 आदि मांग के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे निम्न व्ययों एवं कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः अभिलेखों के अभाव में राजकीय अनुदान का गम्भीर वित्तीय अनियमितता की पूर्ण सम्भावना है। लेखा परीक्षा के दौरान व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक, पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना तथा संस्था में अभिलेखों का न रखा जाना यह एक गम्भीर प्रकरण है, जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार तथा कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 69 अर्जित ब्याज :- दिनांक 31.03.2009 को अर्जित ब्याज के अन्तर्गत रू0 107074.00 वर्ष में विभिन्न खातों पर प्राप्त ब्याज दर्शाया जा रहा है। शासकीय व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियाँ जो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा कर दिया जाए।

क्षेत्र पंचायत भदौरा की अनुदान पंजिका भाग-3 की वर्ष 2008-09 के अनुसार बैंक में जमा शासकीय अनुदान से प्राप्त ब्याज रू0 107074-00 अर्जित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसमें प्रारम्भिक अवशेष रू0 56531.00 वर्ष में व्यय रू0 38037=00 व अंतिम अवशेष रू0 125568.00 दर्शित है।

लेकिन बैंक खाते लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे यह पुष्टि नहीं किया जा सका कि वास्तव में शासकीय अनुदान से कितना ब्याज कमाया गया।

अर्जित ब्याज की धनराशि में से रू0 28037.00 की धनराशि अनियमित रूप से व्यय दर्शायी गयी है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं रहा कि धनराशि किन कार्यों पर व्यय की गयी। राजकीय कोषागार में ब्याज की धनराशि जमा न करके अनियमितता के रूप में व्ययवार शासकीय धन का अनियमितता करते हुए शासकीय धन की क्षति की गयी है, इसके अतिरिक्त रू0 125568.00 रोक कर राजस्व की दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

अतः खण्ड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार गुप्ता (प्रभारी) एवं श्री राम राज गौतम तथा लेखाकार श्री कमल किशोर सिंह से रू0 38037.00 सहित रू0 125568.00 ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही जमा की पुष्टि में चालान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्रस्तर— 70 आदर्श जलाशय :-आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में रू0 272679.00 व्यय अनुदान रजिस्टर के अनुसार दर्शित है, जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेख आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया

गया। अतः दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। अतः अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान का दुरुपयोग अनियमितता की पूर्ण सम्भावना है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार गुप्ता, श्री राम राज गौतम एवं लेखाकार श्री कमल किशोर सिंह तथा कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 71 आयकर कटौती :-आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी (यथासंशोधित) के अनुसार शासकीय अनुदानों के कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति की बिलों से स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना चाहिए। स्रोत पर कर की कटौती करने तथा इस प्रकार काटे गये आयकर की धनराशि अगले माह की (7) तारीख तक निर्धारित समयान्तर्गत लेखा शीर्षक 0021 आयकर में जमा करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। ऐसा करने से विफल रहने की स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी पर वसूलनीय आयकर की धनराशि के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।

क्षेत्र पंचायत भदौरा वर्ष (2008-09) के दौरान अनुदान रजिस्टर II व III की समीक्षा में पाया गया कि 31.03.2009 को रु0 5992=00 आयकर की धनराशि को जमा न कर राजकीय राजस्व रोक कर दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त वर्ष में जमा दर्शित धनराशि रु0 40031=00 की पुष्टि में जमा प्रमाणक, दाखिल रिटर्न प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं करायी गयी, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 72 युवक/महिला मंगलदल :-आलोच्य वर्ष 2008-09 में युवक/महिला मंगल दल पर रु0 14000=00 व्यय दर्शाया जा रहा है। लेकिन लेखा परीक्षा में उनकी उपलब्धियों से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उसकी पुष्टि हो सकें। अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान का गम्भीर दुरुपयोग संभावित है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -73 बायो गैस :-अनुदान रजि0 III के अनुसार आलोच्य वर्ष में बायो गैस अनुदान मद में रु0 14700=00 का भुगतान किया गया दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। अतः लाभार्थियों ने संयंत बनाया या नहीं बनाया इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान का दुरुपयोग सम्भावित है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार गुप्ता एवं श्री राम राज गौतम तथा लेखाकार श्री कमल किशोर सिंह उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -74 आलोच्य वर्ष 2008-09 में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण पर रु0 11725=00 व्यय दर्शाया गया है, लेकिन लेखा परीक्षा में व्यय के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान का दुरुपयोग सम्भावित है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

7. क्षेत्र पंचायत- करण्डा ले0प0 वर्ष- 2010-11 से 2011-12

प्रस्तर -75 वर्ष 2010-11 में अनुदान पंजी में दर्शित विवरण के आधार पर विभिन्न शीर्षों में रु0 3452612.00 के व्यय से सम्बन्धित वांछित अभिलेख, पत्रावली, पंजी मस्टर रोल, स्टॉक पंजी, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन का गम्भीर वित्तीय अनियमितता की पूर्ण सम्भावना है। जिस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत् है -

क्र0सं0	शीर्ष	व्यय धनराशि
1	राज्य वित्त	1014824.00
2	बारहवा वित्त	692898.00
3	अम्बेडकर ग्रा0वि0 योजना	61557.00
4	कार्यालय व्यय	96206.00
5	विधायक निधि	1393452.00
6	भूमि उपयोग संबंधी	1000.00
7	पंचायत चुनाव	127175.00
8	बायो गैस	43500.00
9	नव युवक मंगल दल	22000.00
	योग -	3452612.00

बार-बार माँग के बावजूद उक्त शीर्षों/योजनाओं के दर्शित व्यय सम्बन्धित प्रमाणकों/पत्रावलियों/अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वर्षों की पुष्टि/सत्यापित प्रमाण पत्र आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे सम्बन्धित व्ययों एवं उसके सापेक्ष कराये गये कार्यों की वस्तु स्थिति की पुष्टि नहीं होती है। अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान का गम्भीर वित्तीय अनियमितता की पूर्ण सम्भावना है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश त्रिपाठी, श्री राम गोपाल सिंह, श्री राधेश्याम, श्री राजेश कुमार झा एवं लेखाकार श्री राम नारायण राम उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-76 वर्ष 2011-12 में अनुदान पंजी में दर्शित विवरण के आधार पर विभिन्न शीर्षों में कुल ₹0 11716911.00 के व्यय से सम्बन्धित वांछित अभिलेख यथा पत्रावली पंजी, मस्टर रोल, स्टॉक पंजी, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। अतः दर्शित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। व्ययों का शीर्षवार विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	शीर्ष	व्यय धनराशि
1	ब्याज	399756.00
2	तृतीय राज्य वित्त	3394154.00
3	तेरहवाँ वित्त	1519548.00
4	कार्यालय व्यय	46327.00
5	विधायक निधि	6191410.00
6	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	6000.00
7	नव युवक मंगल दल	22000.00
8	निर्वाचन धनराशि	22823.00
9	रायल्टी	53336.00
10	अम्बेडकर ग्रा0वि0 योजना	61557.00
	योग -	11716911.00

बार-बार माँग के बावजूद उक्त शीर्षों/योजनाओं के दर्शित व्यय सम्बन्धित प्रमाणकों/पत्रावलियों/अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वर्षों की पुष्टि/सत्यापित प्रमाण पत्र आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे सम्बन्धित व्ययों एवं उसके सापेक्ष कराये गये कार्यों की वस्तु स्थिति की पुष्टि नहीं होती है। अभिलेखों के अभाव में अपुष्टि एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान का गम्भीर वित्तीय अनियमितता की पूर्ण सम्भावना है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राधेश्याम, श्री राजेश कुमार झा एवं लेखाकार श्री राम नारायण राम उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 वर्ष 2011-12 में ब्याज मद की धनराशि ₹0 399756.00 अनुदान पंजी में व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत् है -

क्र0सं0	दिनांक	वर्ष का विवरण	धनराशि
1	08.06.11	राज्य वित्त में स्थानान्तरित	192407.00
2	12.12.11	राज्य वित्त में स्थानान्तरित	207349.00
		योग -	399756.00

शासनादेश सं0 ए-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 31.03.2012 में निम्न व्यवस्था प्रतिपादित है-

क- यदि शासन स्तर पर अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत करण्डा की अनुदान पंजीका भाग-3 के 2011-12 में अर्जित ब्याज की धनराशि में से 399756.00 ₹0 राज्य वित्त में स्थानान्तरित कर व्यय दर्शित है किन्तु यह स्पष्ट नहीं रहा कि यह धनराशि किन कार्यों पर व्यय किया गया है। राजकीय कोषागार में ब्याज की धनराशि शासकीय निर्देशों के विपरीत जमा कर अनियमित रूप से ₹0 399756.00 अन्य मदों में व्यय दर्शित कर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करते हुए शासकीय धन की गम्भीर क्षति की गयी है। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -78 वर्ष 2010-11 व 2011-12 में कराये गये निर्माण कार्य के लिए संबंधित फर्मों से निर्माण सामग्री क्रय किया गया है, परन्तु राजकीय कर, आयकर, बिक्री कर के कटौती नहीं किया गया है क्योंकि अनुदान पंजी में आयकर बिक्री कर से संबंधित कोई भी शीर्ष अंकित नहीं है। राजकीय कर की कटौती न किये जाने से राजकीय धनराशि की हानि की गयी है। उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक हैं साथ में राजकीय कर आकलन कर वसूली भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आयकर अधिनियम-1961 (यथा संशोधित) की धारा-194सी के अनुसार शासकीय अनुदानों से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति का बिलों से स्रोत कर आयकर कटौती करने तथा इस प्रकार काटे गये आयकर की धनराशि अगले महीने 7 तारीख तक निर्धारित समय लेखा शीर्ष-"0021 आयकर" से जमा करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी है।

प्रस्तर-79 वर्ष 2011-12 में अनुदान रजि0 तृतीय में रायल्टी मद में 53336.00 दर्शित है। व्यय का विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	चेक सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	0069433	अंकित नहीं	श्र राम नारायण राम	22665
2	109597	अंकित नहीं	स्वयं रायल्टी से भुगतान हेतु	30671
			योग -	53336

रायल्टी की कटौती संबंधी कोई पत्रावली/रजि0/विवरण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट नहीं रहा कि अन्य धनराशि/आय किन बिलों के भुगतान के सापेक्ष दर्शित है। अतः दर्शित धनराशि 53336.00 की वस्तु स्थिति की पुष्टि नहीं होती है। लेखा परीक्षा में रायल्टी जाम की पुष्टि में न तो कोई चालान प्रस्तुत किया

गया। उल्लेखनीय है, कि उक्त रायल्टी की धनराशि का चेक लेखाकार के नाम से रायल्टी मंद में दर्शित धनराशि की अनियमितता की पूर्ण संभावना है जिस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 व लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –80 दिनांक 31.03.2012 को विभिन्न मदों में रु0 3321807.39 अवशेष है। अप्रयुक्त धनराशि नियमानुसार संबंधित विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिए। परन्तु संस्था द्वारा वर्ष 2010–11 में रु0 3007094.39 एवं वर्ष 2011–12 में रु0 3321807.39 संबंधित को वापस न कर स्वयं के खातों में रखे हुए है, जो कि लेखा परीक्षा की दृष्टिकोण से अनियमित है। यथाशीघ्र संबंधित विभाग को शासन के नियमों के अन्तर्गत वापस कर देना चाहिए। अवशेष धनराशि का मदवार विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है।

क्र०सं०	मद	अन्तिम अवशेष
1	ब्याज	391435.58
2	तृतीय वित्त	238.81
3	तेरहवा वित्त	9992.00
4	विधायक निधि	2914581.00
5	नवयुवक मंगल दल	4000.00
6	निर्वाचन धनराशि	60.00
7	भूमि उपयोग संबंध	1500.00
	योग –	3321807.39

राजकीय अनुदानों का भारी मात्रा में अवशेष दिखाये जाने से स्पष्ट होता है कि जिस कार्य हेतु अनुदान प्राप्त किये गये थे वे कार्य नहीं कराये गये। जिससे ख०वि० अधिकारी का राजकीय कार्यों के प्रति शिथिलता स्पष्ट होती है। शासनादेश सं०–2501/26703–99–4(215) दिनांक 04.08.2011 के अनुसार अवशेष अनुदान की धनराशि वापस न किये जाने से ख०वि० की उदासीनता स्पष्ट होती है। वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

8. क्षेत्र पंचायत– सादात

ले०प० वर्ष– 2008–09

प्रस्तर –81 आलोच्य वर्ष 2008–09 में प्रासंगिक व्यय शीर्षक के अंतर्गत रु0 129255=00 व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक पत्रावली पंजी आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये इस कारण उक्त व्यय अपुष्टि रहा। अपुष्टि होने की स्थिति में यह अनियमितता का प्रकरण है। जिस हेतु निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश त्रिपाठी 01.04.08 से 05.08.08 तक, श्री जितेन्द्र मिश्रा 05.08.08 से 19.08.08 तक, श्री एच०एल०यादव 19.08.08 से 09.02.09 तक, श्री छाया सिंह 09.02.02 से 31.03.09 तक एवं श्री फूलेश्वर राम लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –82 ब्याज मद– वर्ष 2008–09 में ब्याज मद के अंतर्गत रूपया 22935=00 अनुदान पंजी में व्यय दर्शित है परन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण दर्शित व्यय अपुष्टि रहा ब्याज मद की धनराशि बिना उच्च अधिकारियों के आदेश से व्यय/ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। अतः अभिलेख के साथ–साथ आदेश की प्रति भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो नहीं कराई गई। जिस हेतु निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी श्री. जगदीश त्रिपाठी 01.04.08 से 05.08.08 तक, श्री जितेन्द्र मिश्रा 05.08.08 से 19.08.08 तक, श्री एच०एल०यादव 19.08.08 से 09.02.09 तक, श्री छाया सिंह 09.02.02 से 31.03.09 तक एवं श्री फूलेश्वर राम लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –83 वर्ष 2008–09 में राज्य वित्त शीर्ष के अंतर्गत रूपया 1731916=00 व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक पत्रावली पंजी इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस कारण उक्त व्यय अपुष्टि रहा। लेखा परीक्षा की दृष्टिकोण से गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। अपुष्टि व अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन की अनियमितता संभावित है। जिस हेतु निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश त्रिपाठी 01.04.08 से 05.08.08 तक, श्री जितेन्द्र मिश्रा 05.08.08 से 19.08.08 तक, श्री एच०एल०यादव 19.08.08 से 09.02.09 तक, श्री छाया सिंह 09.02.02 से 31.03.09 तक एवं श्री फूलेश्वर राम लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –84 वर्ष 2008–09 में आदर्श जलाशय शीर्ष के अंतर्गत रु0 883185=00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में अनुमानित व्यय, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पतियों का रजि० सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि० क्रयादेश टेण्डर/कोटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सत्यापन रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे दर्शित व्यय की धनराशि की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है। अपुष्टि व अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन का अनियमितता संभावित है। जिस हेतु निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश त्रिपाठी 01.04.08 से 05.08.08 तक, श्री जितेन्द्र मिश्रा 05.08.08 से 19.08.08 तक, श्री एच०एल०यादव 19.08.08 से 09.02.09 तक, श्री छाया सिंह 09.02.02 से 31.03.09 तक एवं श्री फूलेश्वर राम लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –85 वर्ष 2008–09 मनरेगा के अंतर्गत रु0 958 प्रा० अवशेष थे रु0 4737857=00 अनुदान की धनराशि प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल उपलब्ध अनुदान की धनराशि रु0 4738815=00 इसके सापेक्ष रु0 4777423=00 का व्यय किया

गय है। जो उपलब्ध धनराशि से ₹0 38608=00 अधिक है। जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। व्यय की धनराशि रूपया 4777423=00 के अभिलेख तथा प्रमाणक बिल बाउचर एमबी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अन्य अभिलेख आदि अप्राप्त रहा। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेख तैयार न किया जाना एवं लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना शासकीय निर्देशों एवं विभागीय व्यवस्थाओं के विपरीत कार्य है। अभिलेख तैयार न किये जाने से शासकीय अनुदान का दुरुपयोग/अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस हेतु निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश त्रिपाठी 01.04.08 से 05.08.08 तक, श्री जितेन्द्र मिश्रा 05.08.08 से 19.08.08 तक, श्री एच0एल0यादव 19.08.08 से 09.02.09 तक, श्री छाया सिंह 09.02.02 से 31.03.09 तक एवं श्री फूलेश्वर राम लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -86 वित्तीय वर्ष 2008-2009 में निम्नलिखित शीर्ष में व्यय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया।

क्र०सं०	शीर्ष का नाम	धनराशि
1	यात्रा भत्ता	14855.00
2	हमारी भूमि हमारा भविष्य	2000.00
3	अवशेष वेतन	76217.00

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय बाउचर प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टित व अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन की अनियमितता संभावित है। जिस हेतु निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश त्रिपाठी 01.04.08 से 05.08.08 तक, श्री जितेन्द्र मिश्रा 05.08.08 से 19.08.08 तक, श्री एच0एल0यादव 19.08.08 से 09.02.09 तक, श्री छाया सिंह 09.02.02 से 31.03.09 तक एवं श्री फूलेश्वर राम लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर -87 वित्तीय वर्ष 2008-2009 में 31 मार्च 2009 को ₹0 1667715=00 की धनराशि व्यय न हो पाने के कारण अनुदान पंजी में अंतिम अवशेष के रूप में दर्शित है। व्यय न होने का कोई भी कारण स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अवशेष अनुदान की राशि को नियमानुसार वापस किया जाना चाहिए। बायोगैस अन्य मद अनुदान का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	शीर्ष	दिनांक 31.03.2009 को अवशेष
1	बायोगैस	3500.00
2	प्रा० व्यय	992.00
3	एसआरवाई	385225.00
4	ब्याज	402729.00
5	एनआरईपी वेतन	80000.00
6	वेतन जेई	1739.00
7	राज्यवित्त	781030.00
8	अवशेष वेतन	12500.00
	योग -	1667715.00

9. क्षेत्र पंचायत- कासिमाबाद

ले०प० वर्ष- 2008-09

प्रस्तर -88 वर्ष 2008-09 में राज्यवित्त आयोग के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित कार्यों से कोई प्रमाणक यथा-बाउचर, मापन पुस्तिका, कार्य पुष्टि प्रमाण पत्र, सत्यापन रिपोर्ट, कार्य के प्रारम्भ मध्य तथा अन्त की फोटोग्राफी आदि बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उपरोक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

राज्य वित्त योजनान्तर्गत अनुदान रजिस्टर-द्वितीय के अनुसार कार्यों पर भुगतान दर्शित है। उक्त कार्यों की पुष्टि में लेखा परीक्षा में मांग के बावजूद प्रमाणक/पत्रावली, क्रय, व्ययों की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं की गयी तथा कार्यों की पुष्टि में टेण्डर, कोटेशन, क्रयादेश, माप-पुस्तिका, सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर, क्षेत्र पंचायत समितियों से पुष्टित प्रमाणित अभिलेख (कार्यवाही की प्रति), सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि०, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत अनुमानित व्यय आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे सम्बन्धित कार्यों/भुगतान एवं उसके सापेक्ष कराये गये कार्यों की वस्तु स्थिति पुष्टि नहीं होती है। लेखा परीक्षा में कार्यों एवं व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना, संस्था में अभिलेख का न रखा जाना तथा शासकीय अनुदान से कराये गये कार्यों की लेखा परीक्षा में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जाना एक गंभीर प्रकरण है। इस प्रकार कार्यों की पुष्टि में प्रमाणक/पत्रावली, माप पुस्तिका, सत्यापन रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने से दर्शित कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। अपुष्टित/अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान की गंभीर वित्तीय अनियमितता संभावित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी (1) श्री साहबराज सिंह, 2) श्री भोजू प्रसाद चौधरी एवं ज्येष्ठ लेखाकार श्री ब्रह्म शंकर सिन्हा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-89 लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 में रा०ग्रा०रो०यो० (नरेगा) मद में अनुदान रजि०-द्वितीय के अनुसार विभिन्न कार्यों पर माहवार निम्न विवरणानुसार कुल ₹0-2241101.00 चेकों के माध्यम से व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाणक आदि पत्रावली जैसे सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर,

कार्यादेश पत्रावली, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य सत्यापन रिपोर्ट/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन, टेण्डर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे व्यय एवं कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में कार्यों एवं कार्यों की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना एवं संस्था पर नहीं रखा जाना एक गंभीर प्रकरण है प्रमाणकों/अभिलेखों के अभाव में राजकीय धनराशि के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	माह	कार्यों की संख्या	धनराशि
1	जून 2008	06	150000.00
2	अगस्त 2008	19+4 (पुराना कार्य)	799000.00
3	सितम्बर 2008	10+2 (पुराना कार्य)	33500.00
4	अक्टूबर 2008	09	252000.00
5	नवम्बर 2008	3+1 (पुराना कार्य)	87000.00
6	दिसम्बर 2008	04	120000.00
7	फरवरी 2009	1+4 (मानदेय)	42801.00
8	मार्च 2009	16+1 (मानदेय)	455300.00
		योग -	2241101.00

प्रस्तर -90 वर्ष 2008-09 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों में रु०-3087991.00 वर्षान्त में अवशेष रखा गया है। स्पष्ट है कि अनुदान का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनुदान अवशेष रहा। अनुदान को रोकें जाने का कोई कारण भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। शासनादेश सं०-2501/26-03-99-4(215) दिनांक 04.08.1999 के अनुसार अवशेष अनुदान की धनराशि यथाशीघ्र शासन को वापस कर दी जानी चाहिए, किन्तु वापस नहीं किया गया।

राजकीय अनुदानों का भारी मात्रा में अवशेष दिखाये जाने से स्पष्ट होता है कि जिस कार्य हेतु अनुदान प्राप्त किये गये थे, वे कार्य नहीं कराये गये। इससे सम्बन्धित अधिकारियों का सम्बन्धित कार्यों के प्रति शिथिलता स्पष्ट होती है। इस प्रकार शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया जाना एक गंभीर प्रकरण है, इसमें किसी भी प्रकार की गंभीर वित्तीय अनियमितता की पूर्ण संभावना है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर अपेक्षित है। साथ ही आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1	विधायक निधि/सांसद निधि	3990.00
2	राज्य वित्त/12वां वित्त	1099564.00
3	पंचायत प्रतिष्ठान प्रशिक्षण	42875.00
4	राष्ट्रीय बायो गैस विकास कार्यक्रम	7000.00
5	राज्य सेक्टर अन्तर्गत आदर्श जलाशय	240755.00
6	रा०ग्रा०रा० योजना	1693807.00
	योग -	3087991.00

प्रस्तर-91 वर्ष 2008-09 में राज्य सेक्टर अन्तर्गत आदर्श जलाशय मद में रु०-657000.00 के कार्य निम्न विवरणानुसार किये गये -

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्थान	लागत
1	पोखरा खोदाई	ग्राम-कागजीपुर में मौजा डुमराव उर्फ भरवलिया में	37000.00
2	रैम्प सीढ़ी निर्माण	देवली तालाब का	50000.00
3	रैम्प सीढ़ी निर्माण	उपधी तालाब का	50000.00
4	रैम्प सीढ़ी निर्माण	शहबाजपुर तालाब का	50000.00
5	रैम्प सीढ़ी निर्माण	रेंगा, नुआव, बरार, बासुदेवपुर, मुबारकपुर नेत में	250000.00
6	आदर्श जलाशय निर्माण	डुमराव उर्फ भटवलिया	100000.00
7	आदर्श जलाशय निर्माण	रसूलपुर डाही	100000.00
8	आदर्श जलाशय निर्माण	देवली	20000.00
		योग -	657000.00

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख धर्माणक आदि पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। कार्यों की पुष्टि में सृजित परिसम्पत्ति रजि० निर्माण कार्य रजि०, स्टॉक रजि०, कार्यादेश पत्रावली, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य सत्यापन रिपोर्ट/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन एवं टेण्डर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार व्ययों एवं कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। लेखा परीक्षा में कार्यों एवं

कार्यों से सम्बन्धी प्रमाणकों/पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना एक गम्भीर प्रकरण है। प्रमाणक/अभिलेख के अभाव में अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान के अपहरण/दुरुपयोग की पूर्ण संभावना है, जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-92 दिनांक 31.03.2009 को अर्जित के अन्तर्गत 74212.00 दर्शाया जा रहा है। संस्था के अभिलेखों में इस कमाये ब्याज को निम्न विवरणानुसार दर्शाया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	योजना	धनराशि
1	07.08.08	नरेगा	13162.00
2	08.08.08	रा०वि०	26346.00
3	10.02.09	रा०वि०	6252.00
4	03.02.09	नरेगा	28452.00
		योग	74212.00

शासकीय निर्देशों के क्रम में इस धनराशि 74212.00 को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए किन्तु अंकन रु०-74212.00 ब्याज की धनराशि को राजकीय कोष में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा जमा नहीं कराया गया है एवं रोककर रखा गया है। इस प्रकार जान बूझकर अनियमितता करने के उद्देश्य से राजकीय कोष में जमा करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर अपेक्षित है।

प्रस्तर-93 युवक/महिला मंगल दल प्र० भत्ता मद से निम्न विवरणानुसार 12000.00 रु० की व्यय किया गया है – नवयुवक मंगल दल प्र० भत्ता प्रधान/सचिव मेख, सम्मनपुर, मुसल्लहपुर, जहूराबाद उचौरी, मखदूमपुर को 2000/- प्रति पंचायत की दर से भुगतान $6 \times 2000 = 12000.00$

उक्त दलों के उपलब्धियों के विषय में कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। सम्बन्धित पत्रावली के अनुपलब्ध होने की स्थिति में अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान की वित्तीय अनियमितता संभावित है। जिसके लिए तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं ज्येष्ठ लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

10. क्षेत्र पंचायत- जखनियाँ ले०प० वर्ष- 2015-16 से 2016-17

प्रस्तर -94 वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत जखनियाँ, गाजीपुर की अनुदान पंजी भाग 3 के अनुसार जमा शासकीय अनुदान से प्राप्त व्याज दिनांक 31.03.2017 पर रु० 541261.68 दर्शाया गया है। वर्ष 2016-17 में व्याज रु० 541261.68 को नियमानुसार राजकोष में जमा न कर मनमाने ढंग से रोककर दुरुपयोग किया गया। संस्था के अभिलेखों में इस कमाये गये व्याज को योजनावार दर्शित नहीं किया गया। दिनांक 01.04.2015 को प्राप्त शेष व्याज 330963.18 तथा वर्ष में प्राप्त 103011 एवं व्यय रु० 45158.50 तथा अंतिम अवशेष रु० 388815.68 है। वर्ष 2015-16 में व्याज का उपभोग रु० 45158.50 अन्य मदों में व्यय नियमों तथा व्यवस्थाओं के विपरीत किया गया है। व्यय सम्बन्धी आदेश एवं पत्रावली लेखा परीक्षा के अनुपलब्ध रहा। इस प्रकार जानबूझ अनियमितता करने के उद्देश्य से राजकीय कोष में जमा न कर व अन्य मदों में दुरुपयोग कर राजकीय निर्देशों व विभागीय व्यवस्थाओं के विपरीत कार्य किया गया है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री कंगल राम पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -95 वर्ष 2015-16 में आयकर मद में दिनांक 01.04.2015 को प्रा० अवशेष रु० 125545 तथा वर्ष में प्राप्त रु० 198823 अंतिम अवशेष रु० 324368 है। तथा वर्ष 2016-17 में वर्ष में प्रा० अवशेष तथा वर्ष में प्राप्त शून्य अंतिम अवशेष 324368 दर्शित है। आयकर अधिनियम की धारा 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194सी० के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य तथा सामग्री आपूर्ति से बिलों के स्रोतों पर आयकर कटौती किये जाने के बाद ही भुगतान किया जाना चाहिए। स्रोतों पर काटे गये आयकर की धनराशि रु० 324368 अगले माह की 7 तारीख तक निर्धारित लेखा शीर्षक 0021 आयकर शीर्ष में जमा न करने के कारण आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगा। ऐसा न करने से विफल रहने की स्थिति डी०डी०ओ० पर वसूलनीय आयकर की धनराशि के बराबर अर्थ दण्ड अपेक्षित किया जा सकता है। इस हेतु बी०डी०ओ० लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-96 3- राज्य वित्त आयोग वर्ष 2016-17 में सात निम्नलिखित कार्य कराये गये।

- 1- पद्म राम राय में नन्दलाल के खेत से दयाशंकर के खेत तक खडण्जा कार्य ।
- 2- हरदासपुर में सुरेश सिंह के खेत तक खडण्जा कार्य।
- 3- पद्मपुर में रोड से रामराज यादव के घर तक खडण्जा कार्य।
- 4-अखिलानन्द के खेत से मुन्ना के खेत तक खडण्जा कार्य ।
- 5- वीज गोदाम एवं छत मरम्मत कार्य।
- 6- बाला के खेत से रामचरन मौर्य खडण्जा कार्य।
- 7- मेन रोड से धामूपुर मार्ग खटीया बाबा की कुटी तक खडण्जा कार्य।

उपरोक्त कार्यों पर विभिन्न तिथियों में रु0 255082, रु0 254486, रु0 256842, रु0 310321, रु0 199884, रु0 295599 तथा रु0 394123 कुल रु0 1966346 प्रथम श्रेणी ईट पर व्यय दर्शित किया गया है, तथा रु0 199884 सिमेन्ट, बालू, गिट्टी, लोहे की छड़ एवं लाल बालू पर व्यय दर्शित है। इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर कुल व्यय रु0 2166230 किया गया है। उपरोक्त कार्यों पर मात्र टेण्डर की प्रक्रिया हेतु लोकल पेपर जन संदेश में निकाला गया है, तथा उक्त सभी कार्यों पर मात्र चार फर्मों का तुलनात्मक चार्ट बनाया गया है। तीन कोटेशन के सभी दर बराबर दिखाया गया है। मात्र एक फर्म का अधिक रेट दर्शित है तथा तीनों फर्मों का बराबर दर है। इस तीनों फर्मों में से अपने मन चहेते एक फर्म से ईट का क्रय किया गया है। इन तीनों फर्मों की दर बराबर होने से लाटरी की प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि विभागीय नियमों के विरुद्ध मात्र टेण्डर की प्रक्रिया की औपचारिकता दर्शित करते हुए 1966346 का ईट क्रय एवं 199884 गिट्टी छड़ बालू आदि पर कुल रु0 2166230 मनमाने ढंग से अनियमित रूप से व्यय किया गया है। इस प्रकार नियम विरुद्ध शासकीय धन को व्यय में गंभीर अनियमितता किया गया। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार तथा कार्य प्रभारी विनोद श्रीवास्तव ए0डी0ओ0 समाज कल्याण पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-97 उपरोक्त कार्यों पर साईनबोर्ड पर 3500 की रेट से रु0 24500 व्यय दर्शित है जबकि फर्म द्वारा बोर्ड की सप्लाई की गयी है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि बोर्ड की धनराशि को श्रमिक की धनराशि के साथ मिलाकर कार्य प्रभारी के नाम चेक काटा गया है। जबकि फर्म के पक्ष में चेक निर्गत होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि रु0 24500 का भुगतान श्रमिक धनराशि में दर्शाकर वास्तविक 'भुगतान को अपुष्ट किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा कार्य प्रभारी विनोद कुमार श्रीवास्तव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-98 राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित कार्य कराये गये।

- 1- ग्राम सभा भुड़कुड़ा जाहीं से भुड़कुड़ा हरिजन बस्ती तक खडण्जा कार्य।
- 2- रेलवे लाइन से हास्टल तक मिट्टी खडण्जा कार्य।
- 3- मेहदीपुर में खडण्जा से नन्हकू यादव के घर तक।
- 4- ग्राम सभा रेवड़िया में धमराव के प्राईमरी विद्यालय से उमाशंकर के घर।।
- 5- गोदसईया में नन्हकू के घर से ज0हा0 स्कूल तक मिट्टी कार्य।
- 6- अलीपुर मदरा में तिल्वर के खेत आगापुर तक खडण्जा कार्य।
- 7- रामपुर बलभद्र में जखनियाँ मार्ग से बड़ी नहर तक कार्य।
- 8- पनिकसा में प्रा0पा0 से सुनहवली तक खडण्जा कार्य।

उक्त सभी कार्यों की पत्रावली की जाँच करने से यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य वित्त आयोग की वर्ष 2015-16 की सम्पूर्ण व्यय की धनराशि 4831105 में से 2044814 ईट पर व्यय दर्शित है। लेकिन पत्रावली की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सभी कार्यों पर टेण्डर की प्रक्रिया की केवल औपचारिकता पूरी की गयी है। उक्त कार्यों में एक सादे पेपर पर चार फर्मों का नाम लिखकर उसमें तीनों फर्मों का बराबर दर लिखकर अपने मन चहेते से मनमाने ढंग से ईट का क्रय किया गया है। जब तीनों फर्मों की धनराशि (दर) बराबर हो तो लाटरी निकालना चाहिए था तथा सबसे कम रेट के कोटेशन वाली फर्म से ईट क्रय करनी चाहिए थी। इससे स्पष्ट है कि ईट क्रय में काफी अनियमितता की गयी है। इसकी जाँच कराकर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। उक्त अनियमित रूप से व्यय किया गया धनराशि की पूर्ण जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी तथा कार्य प्रभारी श्री नन्दलाल तथा लेखाकार श्री कंगल राम की है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-99 वर्ष 2015-16 के तेरहवाँ वित्त में देवा में दुर्गा स्कूल से मेन नहर तक नाली का कार्य किया गया है। उक्त कार्य पर मात्र 92000 रुपये व्यय दर्शित है जबकि वर्ष 2015-16 में 711227 व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा के दौरान इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर लेखाकार सम्पत्ति राम के द्वारा बताया गया कि इस पत्रावली को उक्त बची धनराशि कहाँ व्यय की गयी इस सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है इससे स्पष्ट है कि रु0 619227 मात्र व्यय दर्शित करके उक्त धन का अपहरण किया गया है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्य प्रभारी श्री नन्दलाल ए0डी0ओ0 एवं लेखाकार श्री कंगल राम पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-100 वर्ष 2015-16 में विधायक निधि द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र पर रु0 363490 व्यय दर्शित है। टेण्डर प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है। मनमाने ढंग से सामग्री क्रय की गयी है। उक्त कार्य पर मजदूरी में रु0 57400 दिनांक 10.09.2015 से 30.09.2015 तक का भुगतान 14 मजदूरों को मस्टर रोल बनाकर पत्रावली में व्यय दर्शित है। लेकिन उक्त मस्टर रोल पर किसी भी मिस्त्री/मजदूर को हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का मस्टर रोल स्वयं बनाकर उक्त का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्य प्रभारी श्री नन्दलाल ए0डी0ओ0 एवं लेखाकार श्री कंगल राम की है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

11. क्षेत्र पंचायत- देवकली ले0पा0 वर्ष- 2009-10 से 2010-11

प्रस्तर - 101 क्षेत्र पंचायत देवकली के वर्ष 09-10 एवं 10-11 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियाँ निर्माण कार्यों पर व्यय की गई है। किन्तु इनसे संबंधित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। मात्र अनुदान पंजी

प्रथम, द्वितीय व तृतीय ही प्रस्तुत की गई। उपलब्ध अनुदान पंजी के अनुसार वर्ष 09-10 में 2719548 व 10-11 में 5122750 कुल 7842298 निर्माण कार्य पर व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत् है -

क्र०सं०	योजना का नाम	व्यय दर्शित धनराशि		
		वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	योग
1	राज्य वित्त एवं 12वां वित्त	2202826	5048884	7251710
2	विधायक निधि	99984	73866	173850
3	आदर्श जलाशय	416738	—	416738
	योग —	2719548	5122750	7842298

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 व 2010-11 में निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय की धनराशि रु० 7842298/- से संबंधित योजनावार/परियोजनावार निर्माण पत्रावलियाँ, निर्माण कार्य पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि क्षेत्र पंचायत को वर्ष में कौन-कौन सी परियोजनाएँ निर्माण हेतु स्वीकृत एवं प्रदत्त थी तथा आकलित/अनुमानित लागत एवं तकनीकी परीक्षण की स्थिति क्या थी। ग्रांट पंजी द्वितीय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकांश परियोजनाओं का नाम ही नहीं अंकित है और जिनके नाम अंकित हैं वे आधे-अधूरे एवं विवरणहीन हैं। अर्थात् ग्रांट पंजी द्वितीय से भी परियोजनाओं की स्थिति स्पष्ट नहीं की जासकती है। परियोजनाओं के कार्य प्रारम्भ करने व समाप्त करने की तिथि क्या थी तथा प्रदत्त समय क्या था, निर्माण कार्य का विवरण लम्बाई, चौड़ाई कार्य प्रभारी की नियुक्ति, समिति की संस्तुति, सामग्री क्रय कोटेशन/टेंडर आमंत्रण, न्यूनतम दर का निर्धारण एवं संसूचना, क्रयादेश, बिल बाउचर, वैट की कटौती तथा जमा एवं शेष, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम०बी०, मस्टररोल, मजदूरों की मांग, पी०सी०आर०, कार्यस्थल का विवरण एवं विशिष्ट कोड, परियोजना के संतोषप्रद पूर्णता एवं उसका हस्तगन, निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति एवं बैद्य खन्नाएँ (एमएम११ की स्थिति, स्टाक आमद एवं प्रयुक्त तथा शेष, परिसम्पत्तियों का सृजन एवं परिसम्पत्ति पंजी पर अंकन आदि की स्थिति अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण अज्ञात रही।

उपरोक्त के आलोक में निर्माण सामग्रियों का क्रय पूर्णतया संदिग्ध रहा और जब निर्माण सामग्रियों का क्रय एवं आपूर्ति ही संदिग्ध रही तो निर्माण कार्य भी पूर्णतया संदिग्ध हो जाता है। इस प्रकार निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय की धनराशि रु० 7842298/- का सुदुपयोग एवं उससे सृजित परिसम्पत्तियों की पुष्टि नहीं होती है, जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार व श्री राजाराम एवं लेखाकार श्री सोमनाथ यादव का संयुक्त रूप से रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-102 लेखा परीक्षा अवधि वर्ष 2009-10 व 2010-11 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार मनरेगा योजनान्तर्गत धनराशियाँ व्यय दर्शित की गई है -

क्र०सं०	योजना का नाम	व्यय दर्शित धनराशि		
		वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	योग
1	मनरेगा	955735	661415	1617150
2	रिवाल्विंग फण्ड	1073860	2969335	4043195
	योग —	2029595	3630750	5660345

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 व 2010-11 में मनरेगा अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय की धनराशि रु० 5660345 से संबंधित योजनावार/परियोजनावार निर्माण पत्रावलियाँ, निर्माण कार्य पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई फलतः इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि क्षेत्र पंचायत को वर्ष में कौन-कौन सी परियोजनाएँ निर्माण हेतु स्वीकृत एवं प्रदत्त थी तथा उनकी अनुमानित लागत एवं तकनीकी परीक्षण की स्थिति क्या थी। ग्रांट पंजी द्वितीय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकांश परियोजनाओं का नाम ही अंकित नहीं है, और जिनके नाम अंकित हैं वे आधे-अधूरे व विवरणहीन हैं। अर्थात् ग्रांट पंजी द्वितीय से भी परियोजनाओं/कार्य की स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती है। परियोजनाओं/कार्य के प्रारम्भ व समाप्ति तिथि व प्रदत्त समय क्या था। निर्माण कार्य का विवरण लम्बाई, चौड़ाई कार्य प्रभारी की नियुक्ति, सामग्री क्रय कोटेशन टेंडर आमंत्रण, क्रयादेश, बिल-बाउचर, वैट की कटौती, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, मजदूरी, मजदूरों की मांग, मस्टररोल की आपूर्ति एवं स्टाक पंजी में आमद एवं उसका उपभोग, मजदूरों की मजदूरी भुगतान हेतु बैंक खातों का विवरण एवं भुगतान एडवाइस, पी०सी०आर०, कार्यस्थल का विवरण, परियोजना के संतोषप्रद पूर्णता एवं उसका हस्तगन, निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति, स्टाक आमद एवं प्रयुक्त तथा शेष, परिसम्पत्तियों का सृजन एवं परिसम्पत्ति पंजी पर अंकन आदि की स्थिति अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण अज्ञात रही।

उपरोक्त के आलोक में निर्माण सामग्रियों का क्रय पूर्णतया संदिग्ध रहा और जब निर्माण सामग्रियों का क्रय एवं आपूर्ति ही संदिग्ध रही तो निर्माण कार्य भी पूर्णतया संदिग्ध हो जाता है। इस प्रकार निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय की धनराशि रु० 5660345/- का सुदुपयोग एवं उससे सृजित परिसम्पत्तियों की पुष्टि नहीं होती है, जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार व श्री राजाराम एवं लेखाकार श्री सोमनाथ यादव का संयुक्त रूप से रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-103 लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 व 2010-11 में निर्माण कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित विवरण धनराशियाँ व्यय की गई है -

(क) -

क्र०सं०	योजना का नाम	व्यय दर्शित धनराशि		
		वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	योग
1	बायो गैस	3500	—	3500
2	प्रासंगिक व्यय	2322	23247	25569
3	ग्राम रोजगार गारण्टी प्रचार-प्रसार	18778	—	18778
4	पंचायत निर्वाचन 2010	—	389816	389816
5	युवक मंगल दल	—	28000	28000
	योग -	24600	441063	465663

उपरोक्त क्रमांक 'क' पर दर्शित व्ययों से संबंधित अभिलेख यथा लाभार्थियों की चयनित सूची, उनको भुगतान की गई धनराशि की पुष्टि/पावति, सयंत्रों की कार्यपूर्ति प्रशासनिक व्ययों से संबंधित बिल-बाउचर एवं विवरण से सम्बन्धित योजना प्रभारी की नियुक्ति, योजनावार अनुमानित मदवार व्यय विवरण, प्रचार-प्रसार संसाधनों हेतु आदेश एवं उनके द्वारा कृत कार्य की पुष्टि से संबंधित अभिलेख, नवयुवक मंगलदल के क्रियान्वयन की रूपरेखा, स्थान एवं समय, अनुमानित मदवार विवरण सम्पन्न, कार्यक्रम के अनुसार वास्तविक मदवार व्यय विवरण निर्वाचन संबंधित अभिलेख एवं निर्वाचन से संबंधित व्यय धनराशियों का विवरण एवं बिल बाउचर आदि कुछ भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलतः दर्शित कुल व्यय की धनराशि रु० 465663 अपुष्टित व्यय दर्शित कर गंभीर अनियमितता की गई है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार व श्री राजाराम एवं लेखाकार श्री सोमनाथ यादव का दायित्व संयुक्त रूप से रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(ख) -

क्र०सं०	योजना का नाम	व्यय दर्शित धनराशि		
		वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	योग
1	प्रशासनिक कार्य	62701	343873	406574
2	रोजगार सेवक मानदेय	15500	1229984	1245484
3	कार्याधिन/कम्प्यूटर तकनीकी का मानदेय	—	192003	192003
4	लघु सिंचाई	—	320800	320800
	योग -	78201	2086660	2164861

मनरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में दर्शित व्यय रु० 62701 एवं 343873 क्रमशः वर्ष 2009-10 व 2010-11 में कुल रु० 406574/- से संबंधित अभिलेख यथा व्यय विवरण निर्धारित पंजी, बिल-बाउचर, व्यय का प्रस्ताव उसकी स्वीकृति तथा अधिकृत कार्य प्रभारी एवं क्रयादेश तथा क्रय/व्यय की पुष्टि/अनुमोदन संबंधी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे। रोजगार सेवक मानदेय वर्ष 2009-10 में 15500 व 2010-11 में 1229984 व्यय दर्शित है किन्तु मानदेय किन कर्मचारियों को किस माहों का कितना कितना भुगतान किया गया है तथा भुगतान का तरीका क्या था। अभिलेखों के अभाव में पुष्टि नहीं हो सका। भुगतान संबंधी पावती भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही तथा न तो मानदेय रजिस्टर ही प्रस्तुत रहा। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009-10 में मानदेय 15500 भुगतान दर्शित है वहीं 2010-11 में 1229984 अप्रत्याशित रूप से वृद्धि का कारण क्या रहा। गत वर्षों का मानदेय बाकी है या भुगतान हो चुका है। इसकी भी पुष्टि अभिलेखों के अभाव में नहीं हो पायी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-11 में रु० 192003 कार्यक्रम अधिकारीरु/कम्प्यूटर तकनीकी अधिकारी का मानदेय भी भुगतान दर्शित है। जिसकी स्थिति भी उपरोक्तानुसार ही पायी गई। वर्ष 2010-11 में मनरेगा अन्तर्गत लघु सिंचाई मजदूरी मद में दर्शित व्यय धनराशि रु० 320800 से संबंधित कोई अभिलेख तथा परियोजना का विवरण कार्य सम्पादन अवधि, मजदूरों एवं मस्टररोल की मांग, मस्टररोल के सापेक्ष उपभोग व अवशेष की स्थिति, मस्टर रोल भुगतान प्रपत्र एवं उसका भुगतान प्रमाणन आदि कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि भुगतान कैसे नगद अथवा खाते के माध्यम से किए गये हैं और यदि खाते के माध्यम से किए गए है तो मजदूरवार बैंक : खाते व बैंक का विवरण एवं नगद भुगतान की स्थिति में नगद पावती भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः इस भुगतान की पुष्टि भी नहीं की जा सकी। उपरोक्तानुसार इस योजना के अधीन विविध मदों में दर्शित कुल व्यय की धनराशि रु० 2164861.00 की पुष्टि के अभाव में अनियमितता का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार व श्री राजाराम एवं लेखाकार श्री सोमनाथ यादव का संयुक्त रूप से रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -104 मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 व 2010-11 में व्यय एवं अवशेष त्रुटिपूर्ण वर्षवार रु० 252300/- का अंतर दर्शित किया गया है। जिसमें से माह जुलाई 2010 में अन्तिम अवशेष रु० 252900— कम करके अपहरण किया गया है तथा 6/2010 में अन्तिम अवशेष रु० 600/- से बढ़ाया गया है। विवरण निम्नवत् है -

क्र०सं०	विवरण	प्रा० शेष	प्राप्ति	व्यय	अन्तिम शेष
1	अनुदान पंजी में दर्शित	708267	168083	660815	215490
2	लेखा परीक्षा के अनुसार	708267	168038	408515	467790
3	अन्तर	—	—	252300	(-)252300

1— माह जून 2010 में रु० 6000/— प्राप्त होने के बाद लेखा परीक्षा के अनुसार योग रूपये 714267 आता है। जबकि ग्रांट पंजी तृतीय में 714867 अंकित है। अन्तर 600/— का सुधार किया जाना अपेक्षित है।

2— दिनांक 31.07.2010 को रु० 449292 अवशेष धनराशि थे परन्तु 252900/— कम करके रु० 196392 किया गया है। लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से रु० 252900/— का अपहरण किया गया है। इस प्रति तत्कालीन लेखाकार श्री सोमनाथ व खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए मय ब्याज सहित रु० 252900/— की वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—105 संस्था द्वारा वर्ष 2009—10 व 2010—11 में आयकर की कटौती नहीं किया गया है। निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावलियाँ व अभिलेख अप्राप्त रहने से आयकर का आंकलन नहीं किया जा सका। अपितु अनुदान पंजी द्वितीय में कुछ फर्मों के नाम से चेक निर्गत किया गया है जिसे लेखा परीक्षा द्वारा आयकर का आकलन किया जिसका विवरण निम्नवत है —

क्र० सं०	शीर्ष	फर्म का नाम	निर्गत चेक / दिनांक	धनराशि	आकलित आयकर की धनराशि	अभ्युक्ति
1	रा०वि० एवं 12वां वित्त (2010—11)	पंचायत उद्योग बीकापुर	132100 / 15.03.11	99000	2217.60	लकड़ी कुर्सी
2	रा०वि० एवं 12वां वित्त (2010—11)	एस०आर० कम्प्यूटर एण्ड कम्प्यूनिकेशन गाजीपुर	485302 / 16.03.11	178400	3996.16	टेबल, कुर्सी
3	मनरेगा (2009—10)	मे० पूजा ईट भट्टा तरांव	098279 / 04.09.09	100000	2240.00	ईट कय
4	मनरेगा (2009—10)	मे० पाल ट्रेडर्स देवकली	098278 / 01.10.09	250000	5600.00	कय सामग्री विवरण अंकित नहीं है।
5	मनरेगा (2009—10)	मे० पाल ट्रेडर्स देवकली	158912 / 02.02.10	41963	939.97	कय सामग्री विवरण अंकित नहीं है।
6	मनरेगा (2009—10)	मे० पूजा ईट भट्टा तरांव	158912 / 10.02.10	20532	459.91	कय सामग्री विवरण अंकित नहीं है।
7	रिवाल्विंग फण्ड (मनरेगा)	मे० जे०पी० इलेक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स	158920 / 26.03.10	1543	34.56	कय सामग्री विवरण अंकित नहीं है।
8	मनरेगा (2010—11)	मे० ओम रुद्राक्ष क० ट्रेडर्स	158932 / 06.07.10	3450	77.28	कय सामग्री विवरण अंकित नहीं है।
		योग		694888	15565.48 या 15565.00	

संस्था द्वारा वर्ष 2009—10 व 2010—11 में फर्मों को भुगतान किए गए धनराशियों पर आयकर का आकलन किया जाना चाहिए तथा आकलित आयकर की धनराशि को फर्मों से वसूल करते हुए आयकर विभाग में जमा कर दिया जाना चाहिए।

प्रस्तर—106 वर्ष 2009—10 व 2010—11 में संस्था द्वारा बैंक से प्राप्त ब्याज को अनुदान पंजी में नहीं दर्शाया गया है। जबकि बैंक द्वारा निश्चित ही ब्याज संस्था के बैंक पासबुकों पर क्रेडिट किया होगा। लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक व स्टेटमेंट भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण बैंक द्वारा प्रदत्त ब्याज की स्थिति अज्ञात व अस्पष्ट रहा। अनुदान पंजी तृतीय में रु० 15818 दिनांक 31.03.2009 को प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शित था जो कि 31 मार्च 2011 तक यथावत् रहा। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवारी की जानी अपेक्षित है।

12. क्षेत्र पंचायत— सदर ले०प० वर्ष— 2006—07 से 2011—12

प्रस्तर—107 लेखा परीक्षा अवधि 2006—07 से 11—12 में वर्षवार विभिन्न योजनाओं में दर्शित कुल व्यय की धनराशि रु० 37850231.85 के सापेक्ष कई पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये फलतः कार्यहेतु अधिकृत परियोजना, स्थान विशिष्ट नंव, भू—स्वामी का विवरण, प्रमाण, स्वीकृति, अनुमानित लागत एवं तकनीकी अनुमोदन एवं स्वीकृति, सामग्री कय टेण्डर एवं उसकी स्वीकृति एवं सूचना कयादेश, सामान की आपूर्ति एवं स्टॉक आमद, कार्यप्रभारी की नियुक्ति, कार्य की प्रगति रिपोर्ट, पी०सी०आर०, कार्यपूर्ति, स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट, वर्क हैण्डओवर आदि

बिन्दुओं का अभिलेखों के अभाव में कोई ज्ञान नहीं हो सका। अतः दर्शित व्यय की धनराशियों की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावलियाँ/बिल बाउचर प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। वर्षवार, विभिन्न योजनाओं में दर्शित कुल व्यय का विवरण निम्नवत है –

धनराशि लाखों में।

वर्ष	क्षेत्र अंश	राशि	12वाँ/13वाँ वित्त	आदर्श जलाशय	सांसद निधि	विधायक निधि	मनरेगा
06-07	2410958.85	2160637	527097	259200	—	73404	—
07-08	1086218.00	2353934	539826	1078464	81959	21718	—
08-09	—	967929	308613	911336	463041	129878	1709860
09-10	—	2493537	728061	—	127097	—	2957824
10-11	—	1333925	1450726	—	2903	1339964	499000
11-12	—	2729693	639555	—	—	2663629	—
योग	9497169.85	12039925	4193878	2249000	675000	4028575	5166684

सम्पूर्ण योग— 37850231.85

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 08-09 से 11-12 तक में मनरेगा योजना के अंतर्गत कुल ₹ 5166684.00 धनराशियाँ व्यय दर्शित की गयी है किन्तु पत्रावली/व्यय प्रमाणक के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किस योजना के अंतर्गत व्यय धनराशियाँ अनुमन्य कार्य पर ही व्यय की गयी है अथवा इससे भिन्न कार्यों पर कतिपय कार्यों में ही कुछ परियोजनाओं के सापेक्ष की गयी है अथवा इससे भिन्न कार्यों पर। कतिपय कार्यों में ही कुछ परियोजनाओं के सापेक्ष जिनका नाम अनुदान पंजी 0 –द्वितीय पर अंकित नहीं है व्यय दर्शित है। शेष अधिकांश धनराशियाँ विविध, मदों में व्यय दर्शित की गयी है, जो मनरेगा के अन्तर्गत अधिकृत/अनुमन्य कार्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। अर्थात् मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शित व्यय धनराशियों की अनियमितता प्रथम दृष्टया प्रकाश में आ रही है। लेखा परीक्षा में स्पष्ट विवरण एवं सम्बन्धित पत्रावली/बिल बाउचर प्रस्तुत कर व्यय की अधिकृत होने की पुष्टि कराई जानी चाहिए। दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –108 आयकर अधिनियम की धारा-194(सी) के अनुसार निर्माण कार्यों के सापेक्ष/भुगतानों के सापेक्ष सम्बन्धित से आयकर की कटौती करने के उपरान्त ही धनराशियों का भुगतान किया जाना चाहिए तथा काटी गयी धनराशि ससमय नियत शीर्ष में जमा कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर आयकर की धनराशि के बराबर भुगतानकर्ता अधिकारी पर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

क्षेत्र पंचायत सदर वर्ष 06-07 से 11-12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि भुगतानों के सापेक्ष आयकर मद में काटी गयी धनराशि का कोई विवरण नहीं रखा गया है तथा न तो आयकर मद में की गयी कटौती एवं उसके सापेक्ष जमा का ही विवरण अनुदान पंजी 0 III पर देखने को मिला एवं न ही आय-व्यय का ही विवरण अर्थात् इस मद का कोई लेखा नहीं है। अर्थात् आयकर मद में कोई धनराशि न तो काटी गयी है एवं न ही जमा की गयी है।

आपत्ति सं-02 पर अंकित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 06-07 से वर्ष 11-12 तक निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय की कुल धनराशि ₹ 37850231-85 में से मनरेगा मद में व्यय की गयी धनराशि ₹ 5166684.00 घटाने के पश्चात् ₹ 32683547.85 पर 2.24 प्रतिशत की दर से आकलित आयकर की धनराशि ₹ 732111.45 का भुगतानों के सापेक्ष कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-109 लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 11-12 में निम्न विवरण के अनुसार निर्माण के सापेक्ष व्यय दर्शित की गयी है –

वर्ष	दर्शित व्यय की धनराशियाँ
06-07	5431296.85
07-08	11162112.00
08-09	4490657.00
09-10	6306519.00
10-11	4426500.00
11-12	6033147.00
योग –	37850231.85

उपरोक्त वर्षवार निर्माण कार्यों के सापेक्ष दर्शित व्यय की धनराशियों का श्रम एवं सामग्री पर मदवार विवरण नहीं रखा गया है। खनन एवं परिहार नियमावली के अनुसार उप खनिजों की आपूर्ति के सापेक्ष रायल्टी की धनराशि जमा की पुष्टि के पश्चात् ही सामग्रियों का भुगतान किया जाना चाहिए। रायल्टी जमा नहीं की गयी है। उपखनिज रवन्ना एमएम 11 के आधार पर रायल्टी की धनराशि काटने के उपरान्त ही उपखनिजों के मूल्य का भुगतान किया जाना चाहिए। सामग्री का मदवार विवरण न रखे जाने के कारण रायल्टी की गणना भी सम्भव नहीं रही। अतः उपखनिजों का मदवार विवरण तैयार कर अपेक्षित रायल्टी की धनराशि आगणित करते हुए राजकीय राजस्व की

क्षतिपूर्ति ब्याज सहित सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है। दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकर का संयुक्त रूप से रहा।

प्रस्तर -110 शासनादेश ए-1/12/दस/2012 (331)/1210 दिनांक 31.03.12 के अनुसार राजकीय धनराशियाँ वित्त विभाग की अनुमति से बैंकों में बचत खाते खोलकर जमा की जानी चाहिए तथा जमा धनराशियों के सापेक्ष प्राप्त ब्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी तथा इसे राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत सदर की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा उक्त शासनादेश के निर्देशों के विपरीत बिना वित्त विभाग की अनुमति के बैंकों में खाते खोलकर राजकीय अनुदान की धनराशियाँ जमा की गयी है तथा जमाओं के सापेक्ष प्राप्त ब्याज की धनराशियाँ राजकोष में जमा न कर/रोक रखकर राजकीय धन की क्षति/दुरुपयोग किया जा रहा है। विवरण निम्न प्रकार है -

वर्ष	प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में उपभोग	वर्षान्त शेष
06-07	111842	131189	78000	165031
07-08	165031	98333	167298	96066
08-09	96066	59994	35015	121045
09-10	121045	124486	123706	121825
10-11	121825	69712	15455	176082
11-12	176082	141784	250	317616
योग	791891	625498	419724	997665

उपरोक्त दर्शित ब्याज मद से आय रू0 625498 की पुष्टि बैंक पासबुक/स्टेटमेंट आफ एकाउण्ट के अभाव में नहीं किया जा सका। किस योजना के सापेक्ष किस खाते से ब्याज अर्जित है, इसका कोई विवरण नहीं रखा गया है। अतः यह भी पुष्टि नहीं है कि समस्त अर्जित ब्याज की धनराशियाँ दर्शित कर ली गयी हैं अथवा नहीं। मात्र ब्याज मद का शीर्ष खोलकर ब्याज का समेकित विवरण रखा जाना अनुचित है।

उक्त वर्षों में अर्जित ब्याज के सापेक्ष रू0 419724.00 अनियमित एवं अनाधिकृत रूप से व्यय दर्शित कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है तथा वर्षान्त (31.03.12) को रोककर रखी गयी ब्याज की धनराशि रू0 317616.00 राजकोष में जमा न कर राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया जा रहा है। दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकर का संयुक्त रूप से रहा। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -111 लेखा परीक्षा में वर्ष 2006-07 से 11-12 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न कार्यों/योजनाओं हेतु प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग वर्ष में नहीं किया गया है। अप्रयुक्त होने की स्थिति में सम्बन्धित विभागों की अनुदान की धनराशि वापस कर देनी चाहिए। वर्षान्त (31.03.12) को अप्रयुक्त अनुदान रू0 47,25,232.02 के रूप में संस्था के शासकीय निर्देशों एवं विभागीय व्यवस्थाओं के विपरीत रोक रखी गयी है।

अनुदान के उपभोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। इससे स्पष्ट है कि अनुदानदाताओं को उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-112 लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 के माह अगस्त 09 के कण्टीजेन्सी मद में सी/बीरू0 10853.17 रहा किन्तु सितम्बर 09 के ओ/बी में मात्र रू0 5853.00 दर्शित किया गया है। इसप्रकार रू0 5000.00 से संस्था के धन को हानि पहुंचायी गयी है। दायित्व लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी का संयुक्त रूप से रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-113 लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 11-12 तक में निम्नलिखित विवरण के अनुसार विभिन्न मदों में धनराशियाँ व्यय दर्शित की गयी है किन्तु इससे सम्बन्धित अभिलेख यथा बिल/बाउचर, वेतन देयक पंजी/आय-व्यय पंजी0, चयनित लाभार्थियों की सूची तथा उससे सम्बन्धित मदवार व्यय विवरण, बिल/बाउचर आदि बार-बार मौखिक एवं लिखित अनुरोध के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

क्र0	मद का नाम	वर्ष 06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
1	विविध कण्टीजेन्सी	—	114810	281273	94641	507241	94613
2	वेतन एनआरईपी	191614	—	3796	—	—	—
3	बायोगैस	3500	11000	3500	17500	3500	—
4	मिल्कवार	—	15000	—	—	—	—
5	स्वच्छता कार्यक्रम	563	—	—	—	—	761088
6	नवयुवक मंगलदल	10000	—	—	—	—	—
7	मातृत्व व्यय	303	—	—	—	—	—
8	एसजीआरवाई	—	445345	—	—	—	—
9	एसजीआरवाईप्रशिक्षण I	—	10000	20000	—	—	—
10	पंचायत/नोगा	—	21000	40300	—	—	—

	प्रशिक्षण						
11	कण्टीजेन्सी	—	—	31500	78665	171469	2674587
12	रिवाल्विंग फण्ड	—	—	—	4485696	498631	15673
13	रोज0 सेवक मानदेय	—	—	—	64000	1650660	133000
14	स0के0/कोआ0/मानदेय	—	—	—	—	377768	308691
	योग —	205780	707155	398369	4754502	3209269	4007652

कुल योग — रु0 13282927.00

13. क्षेत्र पंचायत— बिरनो ले0प0 वर्ष— 2007—08 से 2009—10

प्रस्तर — 114 आलोच्य वर्ष ग्रांट रजिस्टर द्वितीय में निम्नांकित विवरण के अनुसार भुगतान किया गया दर्शित है, परन्तु प्रस्तुत पत्रावलियों के साथ कोई व्यय प्रमाण/बाऊचर संलग्न नहीं पाया। अतः बिना व्यय प्रमाणक के बी—डी—ओ के द्वारा दिए गए भुगतान आदेश के आधार पर भुगतान कर दिया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी लक्ष्मीनारायन मिश्र एवं सहा0 लेखाकार रविशंकर सिंह के मिली भगत से क्षेत्र पंचायत के प्राप्त अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी क्षतिपूर्ति उक्त अधिकारी/कर्मचारी से अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक	चेक	मद	धनराशि	कार्य का विवरण
1	04.01.08	29887	राज्य वित्त	10100	कार्यालय स्टाफ शौचालय मरम्मत।
2	21.10.07	29873	स0ग्रा0रो0यो0	50000	पीडब्लूडीरोड से राम अवध के घर तक।
3	22.10.07	29872	स0ग्रा0रो0यो0	60000	जमुआरी स0मार्ग से भुजही हरिजन बस्ती तक।
4	14.02.08	3683219	स0ग्रा0रो0यो0	18288	वोगना स0मार्ग से सन्त कुमार चौहान के घर तक।
			योग —	138388	

प्रस्तर —115 दिनांक 04.01.2008 को चेक नं0 29886 से रु0 10397.00 का व्यय राज्य वित्त से वि0 खण्ड मिटिंग हाल, सफाई व फर्श मरम्मत पर किया गया दर्शित है, परन्तु सापेक्ष में प्रस्तुत पत्रावली के साथ कार्य का स्टीमेट, मापन पुस्तिका एवं प्रशासनिक स्वीकृति इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः बिना अभिलेखों को प्राप्त किये, किया गया भुगतान संदिग्ध रहा है तथा स्पष्ट है कि ख0वि0अधि0 लक्ष्मी नारायन मिश्र एवं लेखाकार श्री रविशंकर सिंह उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —116 दिनांक 22.11.2007 को चेक सं0 368323 से रु0 18496.00 का भुगतान किचेन शेड मानपुर प्रथम पर किया गया दर्शित है। जिसमें रु0 10460.00 का व्यय सामग्री एवं भुगतान मस्टर रोल नं0 4588 से 8036.00 मजदूरों पर किया गया है, परन्तु कार्यरत श्रमिकों के क्रमांक 7, 8, 9 पर किसी भी श्रमिक का नाम व पता अंकित नहीं पाया गया। है तथा कार्यरत किसी भी श्रमिक का धन प्राप्ति पर हस्ताक्षर अंकित नहीं पाया गया है। जिसके कारण किया गया भुगतान संदिग्ध रहा है। जिस हेतु ख0वि0अधि0 लक्ष्मी नारायन मिश्र एवं लेखाकार रविशंकर सिंह से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 117 दिनांक 31.03.2008 को चेक सं0 029894 से रु0 1126577.00 का भुगतान कार्य प्रभारी आलोक कुमार पाण्डेय को सींहावारी ड्रेल सेक्शन सुधार के श्रमिकों को खाद्यान के सापेक्ष किया गया दर्शित है, परन्तु पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली में कार्य का मस्टर रोल, कार्य का प्रस्ताव, कार्य योजना, प्रशासनिक स्वीकृति, स्टीमेट, मापन पुस्तिका इत्यादि सम्बन्धित अभिलेख संलग्न नहीं पाये गये हैं। अतः बिना उक्त अभिलेखों को प्राप्त किये ग्रांट रजिस्टर में अवशेष खाद्यान मुल्य भुगतान दर्शित कर क्षेत्र पंचायत के प्राप्त अनुदान राशि का दुरुपयोग खण्ड विकास अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायन मिश्र एवं लेखाकार रविशंकर सिंह के मिली भगत से किया गया है। इस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर — 118 आलोच्य वर्ष 2007—08 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के प्राप्त अनुदान का 22.5 प्रतिशत के भुगतान अनु0जाति/जनजाति को रोजगार उपलब्ध कराने के सापेक्ष में ग्रांट रजिस्टर के निम्नांकित तिथिओं में रु0 2861500.00 का भुगतान 310×6900 रिक्साट्राली एवं 125×5780 की दर से ठेला क्रय हेतु उ0प्र0 उपभोक्ता सह0संघ, लखनऊ को किया गया है, परन्तु उक्त से क्रय—रिक्साट्राली एवं ठेला का भुगतान किन लाभार्थियों को दिया गया है, इसका कोई विवरण या अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अभिलेख एवं विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाने से उक्त व्यय से प्राप्त सामानों की पुष्टि नहीं हो रही है। जिस हेतु बी डी ओ व लेखाकार उत्तरदायी हैं।

क्र0	दिनांक	चेक	धनराशि	कार्य का विवरण		
1	06.09.07	029862	922100	रिक्सा ट्राली	75	ठेला 70
2	26.11.07	029883	834500	रिक्सा ट्राली	100	ठेला 25
3	07.12.07	029885	373900	रिक्सा ट्राली	50	ठेला 05

4	16.01.08	029889	731000	रिक्सा ट्राली	85	ठेला	25
		योग	2861500				

प्रस्तर—119 दिनांक 07.11.2007 को चेक नं० 366524 से 60,000.00 एवं दिनांक 03.06.2008 को चेक नं० 874332 से रु० 51200.00 का भुगतान अफजलपुर आदर्श जलाशय जिर्णोधार पर किया गया दर्शित है। जिसमें रु० 44800.00 का भुगतान सामग्री पर एवं रु० 66400.00 का भुगतान मजदूरी मद में किया गया है, परन्तु क्रय सामानों का कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया है तथा मजदूरी व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत मस्टर रोलों पर कार्य की तिथि अंकित नहीं पायी गयी है। जिसके कारण कुल रु० 111200.00 का किया गया भुगतान संदिग्ध रहा है। जिसके लिए कार्य प्रभारी आलोक कुमार पाण्डेय, खण्ड विकास अधिव श्री लक्ष्मी नारायन मिश्र एवं लेखाकार रविशंकर सिंह उत्तरदायी रहे हैं। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर— 120 दिनांक 10.09.2007 को चेक नं० 029864 से रु० 183160.00 एवं दिनांक 27.02.2007 को चेक नं० 607151 से रु० 50,000.00 का भुगतान स०ग्रा०रो०यो० से बरही बद्दोपुर सम्पर्क मार्ग से नखरू के घर होते हुए भरनी चौहान के घर तक श्रमिकों को कार्य प्रभारी राजनाथ पाल को किया गया है। जिसके सापेक्ष 4020 मानव दिवस कार्य कराने का मस्टर रोल प्रस्तुत किये गये हैं, परन्तु मस्टर रोल पर दर्शित किसी भी श्रमिक का धन प्राप्ति की पुष्टि में हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किया गया है। अतः बिना श्रमिकों के धन प्राप्ति के किया गया भुगतान संदिग्ध रहा है। जिसके लिए कार्य प्रभारी राजनाथ पाल, खण्ड विकास अधिव लक्ष्मी नारायन मिश्र एवं लेखाकार रविशंकर सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर —121 दिनांक 28.07.2008 को चेक नं० 055381 से रु० 150000.00 का भुगतान राज्य वित्त से वोगना सी०सी० रोड ग्रांट रजिस्टर में दर्शित कर कार्य प्रभारी भुपेन्द्र सिंह को किया गया है, परन्तु इसके पुष्टि में कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ग्रांट रजिस्टर में काल्पनिक व्यय दर्शित कर खण्ड विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायन मिश्र एवं लेखाकार रविशंकर सिंह के मिली भगत से क्षेत्र पंचायत के अनुदान राशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली हेतु— उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर —122 आलोच्य वर्ष 2007-08 में ग्रांट रजिस्टर द्वितीय के स०ग्रा०रो०यो० मद में धनराशियाँ विभिन्न मद एवं कार्यों पर व्यय की गयी दर्शित है, परन्तु बार-बार माँगे जाने एवं पत्राचार के बाद भी उनकी पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री गोविन्द लाल श्रीवास्तव व श्री लक्ष्मी नारायन मिश्र तथा लेखाकार रविशंकर सिंह के मिलीभगत से ग्रांट रजिस्टर में काल्पनिक व्यय दर्शित कर क्षेत्र पंचायत में प्राप्त अनुदान राशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित अपेक्षित है।

विस्तृत विवरण सामान्य प्रतिवेदन के आपत्ति संख्या 14 में अंकित है।

प्रस्तर—123 आलोच्य वर्ष 2007-08 के ग्रांट रजिस्टर द्वितीय के निम्नांकित तिथिओं में स०ग्रा०रो०यो० मद से निम्नांकित धनराशियाँ व्यय की गयी दर्शित है, परन्तु यह किस कार्य पर व्यय की गयी है। इसका विवरण अंकित नहीं किया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ग्रांट रजिस्टर में काल्पनिक धनराशि अंकित कर क्षेत्र पंचायत के प्राप्त अनुदान राशि का अपहरण तत्कालिक खण्ड विकास अधिव श्री गोविन्द लाल श्रीवास्तव एवं लेखाकार रविशंकर सिंह के मिली भगत से कर लिया गया है, जिसकी वैधानिक कार्यवाही हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्र०	दिनांक	चेक	धनराशि	कार्य का विवरण
1	22.06.07	607166	107709	बिना विवरण
2	22.06.07	607167	54957	बिना विवरण
3	22.06.07	607168	37630	बिना विवरण
4	22.06.07	607169	5725	बिना विवरण
		योग	206021	

प्रारूप-3

जनपद का नाम— जौनपुर

मण्डल का नाम—वाराणसी

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

क्षेत्र पंचायत—महराजगंज 2016-17

प्रस्तर संख्या आपत्तियों का विवरण अपहरण दुरुपयोग गम्भीर अनियमितता

प्रस्तर—1 उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के अनुसार राज्य वित्त व तेरहवां वित्त आयोग योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदानों को सम्बन्धित वर्षों की कार्ययोजनाओं/विकास कार्यों पर व्यय कर क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ पहुंचाया जाना चाहिए था। निर्माण कार्यों को उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना चाहिये जिसमें उसकी कार्ययोजना बनी हो तथा किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध धन बैंक खातों में अवरुद्ध नहीं रखा जाना चाहिए आलोच्य वर्ष 2016-17 में निम्नविरणात्मक अनुदानों को खातों में अवरुद्ध किया गया है।

क्र०सं०	योजना	धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त	4483829
2	तेरहवां वित्त	16675
3	इ०बा०प्र०मद	5569
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	549162
5	विधायक निधि	28662
6	विधान परिषद निधि	14108
7	जी०पी०ए०पी०प्रशि०	166591
	योग	5264596

5524759-260163=75=5264596.75

इस प्रकार रू० योग 5264596-260163=5264596.75 अनुदान योजनाओं के धन को अवरुद्ध अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार व्यय मद में रू० 401.00 जमा किया गया। नियमानुसार अनुदान खातों में प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय हेतु है। इस प्रकार धन को राजकीय कोषागार में जमा न कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के आधार पर राजकीय धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग की अनुमति से ही बैंक खातें खोलकर राजकीय धनराशि को जमा की जानी चाहिए तथा जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी इसे राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया की वर्षान्त 31.03.2017 को आलोच्य वर्ष 2016-17 में ब्याज शेष की राशि रू० 260163.75 रही है। इसकी ब्याज की धनराशि को सरकार वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप में रहा है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष 2016-17 में वाणिज्य कर मद में क्षेत्र पंचायत द्वारा 2016-17 में प्रारम्भिक अवशेष रू० 228447.00 तथा वर्ष में प्राप्त रू० 9151.00 दर्शित रहा। कुल योग रू० जमा 327598.00 हुआ। जिसकी जमा की पुष्टि में प्रमाणक वाणिज्य कर प्रपत्र लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। जिससे वाणिज्य कर जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी है। जमा प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 क्षेत्र पंचायत महाराजगंज जनपद जौनपुर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निर्माण कार्यों के आयकर कटौती रू० 128030.00 नियत शीर्ष में जमा दर्शित हैं, किन्तु लेखा परीक्षा में कटौती से सम्बन्धित विवरण खाता जमा चालान एवं दाखिल रिटर्न आदि कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे समस्त भुगतानों के सापेक्ष सुनिश्चित आयकर कटौती व नियत शीर्ष में जमा की पुष्टि नहीं रही। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 दिनांक 19.04.2016 में रू० 80500.00 श्री दिनेश कुमार गुप्ता कैशियर को क्षेत्र पंचायत बैठक प्रधान बी०डी०सी० भत्ता हेतु दिया गया। लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में कोई भी बिल बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार बिल/बाउचर के अभाव में भुगतान अपुष्टित रहा। जिसके लिए श्री दिनेश कुमार गुप्ता उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 दिनांक 23.04.2016 में रू० 33235.00 का भुगतान इनवर्टर एवं बिजली सामग्री हेतु मेमर्स निगम इलेक्ट्रीकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक महाराजगंज को किया गया। लेकिन क्रय से पूर्व कोटेशन नहीं लिया गया है। स्टॉक रजि० में इनवर्टर को नहीं दिखाया गया है। बिल पर टिन न० व कटौती दर्ज नहीं है। इस प्रकार भुगतान अनियमित है। जिसके लिए बी०डी०ओ० और लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 आलोच्य वर्ष में विधान परिषद निधि अर्न्तगत रू० 270527.00 व्यय किया गया है। व्यय पुष्टि में आकलन एम०बी० तकनीकी अनुमोदन कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार व्यय अपुष्टित रहा। जिसके लिए बी०डी०ओ० एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसली की जानी अपेक्षित है।

विकास खण्ड शाहगंज क्षेत्र पंचायत-शाहगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16 व 2016-17

प्रस्तर-9 वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू० 765457 रू० मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न कर कार्य प्रभारी श्री दुर्गेश तिवारी को रू० 531006/एवं श्री संजय यादव को रू० 234457 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खंड से निर्गत नहीं है। और जो अगूठा निशान है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है

वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन रु0 765457 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिये बी.डी.ओ./जे.ई./लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1477624.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री दुर्गेश तिवारी ग्राम विकास अधिकारी को रु0 1445434.00 एवं श्री विजय भान यादव को रु0 32190.00 का भुगतान कर दिया गया है, और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. 1477624.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अनियमितता किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है।

प्रस्तर-11 3(ख)-वर्ष 2015-16 में सामग्री मद में कुल 4733507 में से रु0 1095524 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किंतु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम स्पष्ट नहीं है। अन्तरण में प्राप्तकर्ता का विवरण नहीं है। चेक प्रतिपण भी नहीं है।

चेक न0 प्राप्तकर्ता	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान
814414	16.05.2015	238150	मेसर्स उजाला बिल्डिंग मैटेरियल	टू टीआरएफ 744400
814428	04.07.2015	531760	मेसर्स उजाला बिल्डिंग मैटेरियल	टू टीआरएफ 744400
514421	17.06.2015	112066	मेसर्स उजाला बिल्डिंग मैटेरियल	टू टीआरएफ 744400
814430	04.07.2015	168768	मेसर्स उजाला बिल्डिंग मैटेरियल	टू टीआरएफ 744400
814411	16.05.2015	44780	मेसर्स उजाला बिल्डिंग मैटेरियल	टू टीआरएफ 744400
योग-		1095524		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 1095524.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/ खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 1095524.00 का अनियमितता किया गया है। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 4-(क) वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 316494.00 की टी0डी0एस0 (2.00 प्रतिशत आयकर एवं 4 प्रतिशत वैट) कटौती की गई है। उक्त के जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

(ख) वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 393168.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है। उक्त के जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त में ब्लाक मुख्यालय पर मीटिंग हाल में पंखा, लाउडस्पीकर, परदा, एल्यूमिनियम जाली, आदि हेतु नेशनल ट्रेडिंग एवं बजरंग इलेक्ट्रॉनिक को सामग्री क्रय का रु0 248700.00 का भुगतान किया गया है। जिस पर 2.00 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती नहीं की गयी है ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि रु 4974.00 वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 (क) वर्ष 2015-16 में कुल दर्शित भुगतान रु0 5050001 में से रु0 4733507 का भुगतान सम्बन्धित को जो कटौती के उपरान्त दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार है। किंतु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई वो समस्त प्रमाण फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कर्माप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(ख)- वर्ष 2016-17 में कुल दर्शित भुगतान रु0 7089965.00 में से रु0 6696797.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किंतु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई वो समस्त प्रमाण फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कर्माप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है।

सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में ग्राण्ट रजि० अनुसार कुल रू० 9634769.98 एवं 14858038.93 व्यय दर्शित है। जबकि उक्त वर्ष में रू० 5815458.00 एवं 8567589.00 का फाइल एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्राप्त रहा। इस प्रकार वर्ष 2015-16 में रू० 3819311.98 एवं 2016-17 में रू० 6290449.93 के व्यय से सम्बन्धित कोई बिल बाउचर/पत्रावली/फाइल लेखा परीक्षा प्राप्त नहीं रहा। तदनुसार उक्त धनराशि इस अपुष्ट रहा। इस अपहरण के लिए बी०डी०ओ० व लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

विकास खण्ड-सुईथाकला क्षेत्र पंचायत-सुईथाकला जनपद-जौनपुर वर्ष-2015-16 व 2016-17

प्रस्तर-15 फरवरी 2016 में तेरहवां वित्त योजनान्तर्गत अनुदान रू० 263548.00 अवशेष था। मार्च 2016 में ग्राण्ट रजिस्टर थर्ड के अवलोकन से पता चला कि तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत धनराशि को चतुर्थ राज्य वित्त अन्तर्गत अनुदान में सम्मिलित कर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय कर दिया गया है। नियमानुसार तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत अवशेष अनुदान रू० 263548.00 शासन को वापस किया जाना चाहिए था। तेरहवां राज्य वित्त के अनुदान को चतुर्थ राज्य वित्त योजनान्तर्गत अन्तरित कर व्यय करना गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिस हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 ग्राण्ट रजिस्टर थर्ड के अवलोकन से पता चला कि फरवरी 2016 में प्रशासनिक मद में अनुदान रू० 32764.00 अवशेष था। लेकिन मार्च 2016 के प्रा० अवशेष में मात्र रू० 31474.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार अन्तर रू० 1290.00 कम दर्शाया गया है। अपुष्टिकृत व्यय रू० 1290.00 के लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर-17 वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कुल रू० 2701238.00 का सम्बन्धित वर्ष में पत्रावली उपलब्ध करायी गयी। जबकि ग्राण्ट रजिस्टर थर्ड के अनुसार कुल व्यय रू० 7237919.00 है। इस प्रकार वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त अन्तर्गत रू० 4536681.0 व्यय सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली प्रमाणक के अभाव में रू० 4536681.00 व्यय अपुष्टि कारक है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में निर्माण कार्यों पर 2015-16 में अंकन रू० 346725.00 एवं वर्ष 2016-17 में रू० 325380.00 एवं कुल रू० 672105.00 मजदूरी श्रमांश का भुगतान किया गया है। पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर निर्गत नम्बर के साथ दिनांक अंकित नहीं है। मजदूरों के गांव का उल्लेख नहीं है, तथा मजदूरों के मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। जो नियमानुसार गलत है। इससे प्रतीत होता है कि मजदूरी के भुगतान में कुल रू० 672105.00 एवं 393703.00 की अनियमितता की गयी है। मजदूरों के भुगतान को कार्य प्रभारी को भुगतान कर व विकास खण्ड से न प्राप्त कर अन्यत्र से प्राप्त कर रू० 393703.00 की अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 वर्ष 2016-17 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं तेरहवां राज्य वित्त से क्षेत्र पंचायत द्वारा कुल रू० 1299600.00 व्यय सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी, जब कि ग्राण्ट रजिस्टर थर्ड के अनुसार कुल व्यय रू० 2219081.00 है। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त अन्तर्गत रू० 919481.00 व्यय सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली प्रमाणक के अभाव में रू० 919481.00 व्यय अपुष्टित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -20 वर्ष 2016-17 में ग्राण्ट रजिस्टर थर्ड से स्पष्ट है कि निम्न मदों की धनराशि विगत वर्षों से चली आ रही है। जिसके निस्तारण में धनराशियों को जिले को वापस किया जाना चाहिए था, या उसका उपभोग कर लिया जाना चाहिए था। ऐसा न कर धनराशि को खाते में अवरुद्ध कर दुरुपयोग किया जा रहा है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रम संख्या	मद का नाम	31.03.2017 को धनराशि
1	विकास क्षेत्र अनुदान निधि	4659.00
2	मतदाता सूची पुनरीक्षण	15692.00
3	सम विकास योजना	1912.00
4	राजा मिस्त्री प्रशिक्षण	6926.00
5	सांसद निधि	101181.00
	योग	130370.00

प्रस्तर- 21 आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से खण्ड विकास अधिकारी के आवास मरम्मत पर अंकन रू० 59971.00 व्यय किया गया है। जिसमें से सामग्री पर रू० 40718.00 एवं मजदूरी पर रू० 19253.00 व्यय हुआ है। सामग्री क्रय के लिए कोटेशन एवं तकनीकी स्वीकृत नहीं ली गयी है। मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खातों में नहीं

किया गया है। कराये गये कार्य से सम्बन्धित पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं। अतः उपरोक्त व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही।

प्रस्तर-22 आलोच्य वर्ष 2015-16 व 16-17 में सामग्री क्रय किया गया है लेकिन बिक्री कर व आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जो वैट एवं आयकर कटौती का विवरण दिया गया है इसलिए कुल धनराशि वर्ष 15-16 में वैट रू0 92300 एवं आयकर रू0 51686 व वर्ष 16-17 में वैट रू0 27089.00 एवं आयकर रू0 20770.00 की कटौती लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना एवं राजस्व जमा किया जाना अपेक्षित है।

विकास खण्ड- डोभी क्षेत्र पंचायत- डोभी जनपद - जौनपुर वर्ष-2015-16 से 2016-17

प्रस्तर-23 राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में जरासी में पिच रोड़ से अहिरान तक खडन्जा कार्य पर ईट क्रय हेतु केवल दो कोटेशन लेकर निम्न दर पर आपूर्ति हेतु आर0 के0 ईट उद्योग का कोटेशन स्वीकृत किया गया। कम से कम तीन कोटेशन लेकर ही निम्नतम दर पर आपूर्ति करने वाले फर्म से ईट आपूर्ति कराया जाना था। लेखा परीक्षा में ईट का स्टॉक रजि0 भी सुलभ नहीं रहा। उक्त योजना पर कुल ईट क्रय रू0 172608.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रजोले लाल तथा स0 लेखाकार श्री सुखराज यादव, व सुरेन्द्र प्रताप सिंह कार्य प्रभारी पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही।

प्रस्तर- 24 तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में कराए गए निम्न कार्यों में कार्य के प्रारम्भ के पूर्व कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के बाद की फोटोग्राफी नहीं लगा है। क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों में कार्य नहीं कराने का प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। विवरण निम्न है-

(क) ग्राम पंचायत तरांव में जगदीश के दुकान से पिच रोड़ तक खडन्जा मरम्मत कुल व्यय रू0 66889.00

(ख) अनु0 वस्ती से चौहान बस्ती तक खडन्जा मरम्मत कुल व्यय रू0 64613.00

(ग) शरद सिंह के घर से मन्दिर तक खडन्जा मरम्मत कुल व्यय रू0 32893.00

इस प्रकार फोटोग्राफी नहीं होने से उपरोक्त पर कुल व्यय रू0 164395.00 अपुष्ट/अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार व श्री रजोल लाल तथा स0 लेखाकार सुखराज यादव व श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही।

प्रस्तर-25 जी0पी0डी0पी0 प्रशिक्षण हेतु श्री रामेश यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्य प्रभारी बनाया गया। कार्य प्रभारी श्री यादव द्वारा कुल रू0 219350.00 का प्रमाणक प्रस्तुत किया गया जिसमें रू0 109675.00 वर्ष 2016-17 में कार्य प्रभारी को भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

(क) दिनांक 12.07.2017 को रू0 35020.00 तथा दिनांक 13.07.2017 को रू0 35020.00 का भुगतान बंगाली स्वीट्स को कार्यप्रभारी द्वारा नास्तें हेतु दर्शाया गया है। प्रमाणक पर 19 पैकेट / 100 तथा 414 पैकेट / 80 से रू0 35020.00 प्रति दिन से रू0 70040.00 भुगतान दर्शाया गया है। नास्ता पैकेट में क्या-क्या था एवं उसका दर अंकित नहीं है। नास्ता आपूर्ति हेतु अन्य दुकादारों से कोटेशन भी नहीं लिया गया है। व्यय नियमानुसार नहीं किया गया है।

(ख) दिनांक 11.07.2016 को माइक हार्न हेतु रू0 43300.00 जनता टेन्ट हाउस को भुगतान दर्शाया गया है। उक्त हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है। माइक हार्न का विवरण अंकित नहीं है।

(ग) समस्त भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा नकद किया जाना दर्शित है। प्राप्ति रसीद भी नहीं लिया गया है।

उक्त अनियमित भुगतान रू0 109675.00 हेतु श्री रवि कुमार खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री रमेश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विस्तार हेतु चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण हेतु कार्य प्रभारी श्री रामभरत राम, ग्राम पंचायत अधिकारी को नियुक्त किया गया। कार्य प्रभारी को दिनांक 21.10.2016 को रू0 153166.00 तथा 28.10.2016 को रू0 54400.00 कुल रू0 180366.00 भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

(क) चाय नास्ता, दोपहर का भोजन पर 68 व्यक्तियों का 4 दिन का रू0 68000.00 व्यय किया गया। चाय, नास्ता एवं भोजन की सामग्री का विवरण नहीं है। कोटेशन नहीं लिया गया है। भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा नकद किया जाना दर्शित है। भुगतान प्राप्ति रसीद भी नहीं लिया गया है।

(ख) बैनर पोस्टर आदि पर रू0 27200.00 तथा फोटोग्राफी विडियोग्राफी पर रू0 27200.00 व्यय किया गया है। उक्त का भुगतान प्राप्ति रसीद नहीं लिया गया है।

अतः रू0 122400.00 के भुगतान की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सका जिसके लिए श्री रवि कुमार, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री रामभरत राम ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 ब्याज मद में दिनांक 31.05.2017 को रू0 817541.00 अवशेष रहा। उ0प्र0 बजट मैनुअल में निहित प्राविधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन पर अर्जित ब्याज को शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्ति मद में इकट्ठा करके आगामी बजट की तैयारी में आय का स्रोत माना जाता है। अवशेष ब्याज रू0 817541.00 को शासन को वापिस नहीं किया गया जिसके लिए श्री रवि कुमार खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुखराज यादव, सहायक लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 आलोच्य वर्ष 2015-16 में ब्याज मद में रु0 15219.00 व्यय किया गया है। जो पूर्णतया अनियमित है। खाते में प्राप्त ब्याज से आय सरकार की आय है। इसे सरकार को वापस किया जाना चाहिए था। ब्याज मद से रु0 15219.00 व्यय कर अनियमितता की गई है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार , श्री रजोले लाल व श्री रमाकान्त सिंह तथा लेखाकार श्री सुखराज यादव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 वर्ष 2015-16 में तेरहावां वित्त अन्तर्गत रु0 1407359.00 राज्य वित्त से 3990165.00 व वर्ष 2016-17 में चतुर्थ राज्य वित्त से रु0 225441.00 व्यय क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है लेकिन सामग्री कय पर स्रोत पर आयकार की कटौती नहीं किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	वर्ष	कार्य का नाम(रा०वि०)	समग्री कय का विवरण	धनराशि	स्रोत पर आयकार की धनराशि दर 2.24 प्रतिशत
1	2015-16	ग्रा०पं० बरामनपुर में पिच रोड से पिच तक मिट्टी/खडन्जा	दिनांक 27.5.15 ईट कय दिनांक 22.5.15 ईट कय	91760 124000	2055 2778
2	2015-16	ग्रा०पं० कछवन में पिच रोड से मुन्न सिंह के मशीन तक खडन्जा	दिनांक 10.5.15 ईट कय दिनांक 15.5.15 ईट कय	93000 86800	2083 1944
3	2015-16	ग्रा०पं० तरांव में पिच रोड से अकेलवा तक मिट्टी/खडन्जा कार्य	दिनांक 10.5.15 ईट कय दिनांक 06.5.15 ईट कय दिनांक 01.5.15 ईट कय दिनांक 12.6.15 ईट कय दिनांक 16.6.15 ईट कय	66650 124000 124000 124000 145700	1490 2778 2778 2778 3264
4	2015-16	नरायनपुर में खडन्जा से बस्ती तक(बैजू पाल के मशीन तक)मिट्टी/खडन्जा कार्य	दिनांक 18.4.15 ईट कय दिनांक 13.4.15 ईट कय	56519 93000	1266 2083
5	2015-16	ग्रा०पं० कुसुम्ही में पिच रोड से शम्भूरतन के घर तक मिट्टी/खडन्जा कार्य	दिनांक 02.4.15 ईट कय	97092	2175
6	2015-16	ग्रा०पं० अइलिया में ओमप्रकाश के खेत से ओमप्रकाश के घर तक सम्पर्क मार्ग	दिनांक 23.05.15 ईट कय	91698	2054
7	2015-16	ग्रा०पं० घुट्टा में पिच रो से बनवारी के घर तक मिट्टी/खडन्जा	ईट कय	89990	2016
8	2015-16	ग्रा०पं० जरासी में नहर से प्रकाश के घर तक मिट्टी/खडन्जा कार्य	दिनांक 12.6.15 ईट कय	80910	1812
9	2015-16	ग्रा०पं० जरासी में खडन्जा से रामबचन के घर तक मिट्टी/खडन्जा कार्य	दिनांक 24.07.2015 ईट कय	89900	2016
10	2015-16	रामदेवपुर में अनिल के घर से शिवशंकर के घर तक मिट्टी/खडन्जा कार्य	दिनांक 27.07.2015 ईट कय	96937	2171
11	2015-16	बरडीहा में पिच रोड से कवि जी के घर तक मिट्टी/खडन्जा कार्य	दिनांक 14.08.2015 ईट कय	31475	705
12	2015-16	बरामनपुर में खडन्जा से विवेक के घर तक मिट्टी/खडन्जा कार्य	दिनांक 17.08.15 ईट कय	58435	1309
13	2015-16	कुसुम्ही में खडन्जा से सन्तन के घर तक मिट्टी/खडन्जा कार्य	दिनांक 03.08.2015 ईट कय	89900	2013
14	2015-16	जरासी में पिच रोड से अहिरान तक मिट्टी खडन्जा कार्य	दिनांक 11.8.15 ईट कय दिनांक 11.8.15ईट कय	93000 79608	2083 1783
15	2015-16	चन्दवक में पिच रोड से राजू सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग	दिनांक 07.9.15 ईट कय दिनांक 03.3.16 ईट कय दिनांक 03.3.16 ईट कय	161820 77500 88387	3625 1736 1980

16	2015-16	बरडीहा में दुलारगंज रोड़ से खडन्जा तक सम्पर्क मार्ग	दिनांक 04.3.16 ईट कय दिनांक 04.3.16 ईट कय	82088 93000	1839 2083

तेरहवां वित्त					
1	2015-16	पुरानी बाजार से मन्दिर से गड़ढे तक नाली निर्माण	दिनांक 14.6.15 ईट दिनांक 14.6.15 बि0मै0 दिनांक 07.7.15 ईट कय दिनांक 19.7.15 बि0मै0	98319 47480 98319 137782	2202 1064 2202 3086
2	2015-16	ग्रा0पं0 थून्ही में शिव मन्दिर के पोखरा तक पक्की नाली निर्माण	दिनांक 17.8.15 ईट कय दिनांक 17.8.15 बि0मै0	32376 33978	725 761
3	2015-16	ग्रा0पं0 बीरीबारी में पिच रोड़ से मडार सरहद तक खडन्जा मरम्मत	दिनांक 17.8.15 ईट कय	39643	888
4	2015-16	तरांव में जगदीश के दुकान से पिच रोड़ तक खडन्जा मरम्मत	दिनांक 20.7.15 ईट कय	43177	967
5	2015-16	तरांव में अनु0 बस्ती से चौहान बस्ती तक खडन्जा मरम्मत	दिनांक 21.7.15 ईट कय	40901	916
6	2015-16	कुसम्ही में स्कूल से शीतला यादव के घर तक पुनः खडन्जा मरम्मत	दिनांक 08.8.15 ईट कय दिनांक 17.8.15 ईट कय	93000 71320	2083 1598
7	2015-16	थून्ही में शरद सिंह के घर से मन्दिर तक खडन्जा मरम्मत	दिनांक 27.8.15 ईट कय	14861	333
8	2015-16	सूरतपुर में मेन रोड़ से राजा सिंह के घर तक पुनः खडन्जा निर्माण	दिनांक 06.9.15 ईट कय	79050	1771

चतुर्थ राज्य वित्त					
1	2016-17	रामदेवपुर में पुराने खडन्जा से लेकर मुकुरीपुर हरिजन बस्ती तक मिट्टी/खडन्जा कार्य	दिनांक 17.3.17 ईट कय	549940	12319
योग-					87612

इस प्रकार स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं कर रू0 87612.00 की सरकार को आयकर की हानि पहुंचायी गयी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री रजोले लाल, श्री रमाकान्त सिंह, श्री रवि कुमार तथा सहायक लेखाकार तथा श्री सुखराज यादव उत्तरदायी है।

प्रस्तर-30 आलोच्य वर्ष 2015-16 में बी.आर.जी.एफ.के अर्न्तगत रू0 426261.00 व 2016-17 में रू0 2466.50 व्यय किया गया। शासनादेश संख्या-3953/33/पीएमयू/1166 के अनुसार नवीन कार्य व नवीन स्टीमेट स्वीकृत है का प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है। जिससे व्यय दर्शित धनराशि कुल रू0 428727.50 का नियमानुसार व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। उक्त हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रजोले लाल तथा श्री रवि कुमार व सहायक लेखाकार व श्री सुखराज यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 दिनांक 31.03.2016 एवं दिनांक 31.03.2017 को तेरहवां वित्त अर्न्तगत रू0 541432.00 अनुदान शेष था। निमानुसार अनुदानदाता को अनुदान वापस कर दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अनुदानदाता को अनुदान वापस न कर अनियमितता की गई जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रमाकान्त सिंह, श्री रवि कुमार तथा सहायक लेखाकार श्री सुखराज यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विकास खण्ड – शाहगंज क्षेत्र पंचायत– शाहगंज जनपद–जौनपुर वर्ष 2012–13 से 2013–14

प्रस्तर –32 राज्य वित्त अनुसार योजना से वर्ष 2012–13 में विकास खण्ड परिसार एवं कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रंगाई पुर्तई हेतु कार्य प्रभारी श्री दुर्गेश तिवारी को दिनांक 06.11.2012 को चेक सं० 808766 से रु० 175000.00 एवं दिनांक 19.01.2013 को चेक सं० 410513 से रु० 75000.00 भुगतान है। उपरोक्त भुगतान धनराशि रु० 250000.00 के समायोजन में कोई बिल/बाउचर या मस्टररोल प्राप्त नहीं रहा। प्रमाणक के अभाव में व्यय अपुष्टित रहा जिसके लिए बी०डी०ओ०/कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –33 राज्य वित्त योजना से वर्ष 2012–13 में विकास खण्ड शाहगंज में बी०डी०ओ० आवास के मेटेनेंस हेतु कार्य प्रभारी श्री दुर्गेश तिवारी को दिनांक 09.02.2012 को चेक संख्या 808763 से रु० 80000.00 एवं दिनांक 06.11.2012 को चेक संख्या 8087765 से रु० 38000.00 भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान धनराशि रु० 118000.00 के समायोजन में केवल रु० 24685.00 के फर्नीचर का बिल/बाउचर प्राप्त रहा शेष धनराशि रु० 93315.00 कोई समायोजन नहीं रहा प्रमाणक के अभाव में भुगतान अपुष्टित रहा। जिसके लिए बी०डी०ओ०/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी चाहिए।

प्रस्तर –34 राज्य वित्त योजना से वर्ष 2012–13 में जर्रो में मेढ़ा मेन रोड (विजय लाल के घर से छट्ठू हरिजन के खेत तक) इण्टर लाकिंग कार्य हेतु निम्नानुसार भुगतान किया गया है।

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	प्राप्त कर्ता का नाम
15.01.2013	410507	100000	दुर्गेश तिवारी
19.01.2013	410511	160050	मां वैष्णो पेबर्स एण्ड चेकर्स
02.02.2013	763641	100000	दुर्गेश तिवारी
07.02.2013	410520	4938	दुर्गेश तिवारी
08.02.2013	960510	29100	मां वैष्णो पेबर्स एण्ड चेकर्स

पुष्टि में उक्त कार्य का फाईल एवं पत्रावली जांच में प्राप्त नहीं रहा। प्रमाणक के अभाव में रु० 438188.00 व्यय व अपुष्टित रहा जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –35 13वां वित्त योजना अंतर्गत वर्ष 2012–13 में ग्राम पंचायत जपटापुर में रामअचल यादव के घर से अखिलेश एवं मदनलाल के घर होते हुए रामसूरत कन्नौजिया के पम्पसेट तक खडन्जा निर्माण हेतु निम्नानुसार भुगतान किया गया है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	प्राप्तकर्ता का नाम
04.12.2012	808773	112800.00	राधेश्याम यादव
05.12.2012	410501	334400.00	एस०जे०वाई०ईट भट्टा घिरौली
15.1.2013	410502	162800.00	राधेश्याम यादव

उपरोक्त में रु० 128000.00 मजदूरी भुगतान का मस्टररोल जांच में प्राप्त नहीं रहा। प्रमाणक के अभाव में व्यय अपुष्टित रहा। जिसके लिए कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –36 13 वां वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में ग्राम पंचायत जपटापुर में डा० आर०पी० के घर से शाहीद मजार होते हुए बड़ऊर पोटरियां सम्पर्क मार्ग तक खडन्जा निर्माण हेतु निम्न अनुसार भुगतान किया गया है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	प्राप्तकर्ता का नाम
04.12.2012	808774	104000.00	राधेश्याम यादव
05.12.2012	808775	466400.00	एस०जे०वाई०ईट भट्टा ईट भट्टा घिरौली
15.1.2013	410503	32080.00	राधेश्याम यादव

उपरोक्त में रु० 104000.00 एवं रु० 16625.00 के मजदूरी भुगतान का मस्टररोल जांच में प्राप्त नहीं रहा। प्रमाणक हीन व्यय के लिए कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर –37 13वां वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में राजबहादुर के दुकान से कोइरीडीहा चौराहा होते हुए पूरब पुलिया के पास ढक्कनदार नाली निर्माण हेतु कार्य प्रभारी श्री दुर्गेश तिवारी को रु० 534265.00 का भुगतान (रु० 431765.00 सामग्री एवं रु० 102500.00 मजदूरी का) किया गया है। उपरोक्त में रु० 431765.00 सामग्री का भुगतान सम्बन्धित पार्टी/फर्म को एकाउन्टपेयी चेक से किया जाना था। एकाउन्ट पेयी चेक से भुगतान न कर अनियमिता की गयी है। जिसके लिए बी०डी०ओ० एवं लेखाकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर –38 राज्य वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में सरायखाजा में जौनपुर शाहगंज मेन रोड से अजय सिंह प्रधान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु निम्न अनुसार भुगतान किया गया है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	प्राप्तकर्ता का नाम
19.11.2013	401915	244700	दुर्गेश तिवारी
20.11.2013	401916	256000	मां वैष्णो पेबर्स
05.02.2014	694169	77280	मां वैष्णो पेबर्स
05.02.2014	694169	99507	दुर्गेश तिवारी

उपरोक्त में केवल मजदूरी का ही भुगतान रु0 95424.00 कार्य प्रभारी दुर्गेश तिवारी को किया जाना था। तथा शेष रु0 248783.00 (सामग्री का भुगतान पार्टी/फर्म को एकाउन्टपेयी चेक से भुगतान न कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिए बी0डी0ओ0 व लेखकार उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -39 राज्य वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष-2013-14 में बड़ऊर में जौनपुर शाहगंज मेन रोड़ से सुबाष यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु निम्न अनुसार भुगतान किया गया है-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	प्राप्तकर्ता का नाम
27.12.2013	694152	100232	अभयराज यादव
05.02.2014	694167	320000	मां वैष्णो पेवर्स
03.03.2014	694678	167111	अभयराज यादव
03.03.2014	694679	41600	मां वैष्णो पेवर्स

उपरोक्त में कार्य प्रभारी श्री अभयराज यादव को कुल रु0 267348.00 का भुगतान किया गया है। जिसमें रु0 82846.00 की मजदूरी का तथा शेष रु0 184497.00 सामग्री का है। सामग्री का भुगतान पार्टी/फर्म को एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाना था। जो नहीं किया गया है। एकाउन्टपेयी चेक से भुगतान न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए विकास खण्ड अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -40 नियमानुसार किसी कार्य को प्रारम्भ कराने से पूर्ण उसका अविवादित होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। वित्तिय वर्ष 2013-14/राज्यवित्त योजना आयोग योजना से कराये गये कार्य कनवरीया (मझौरा) में अबुलकैश के घर से मेन खडन्जा होते हुए नाला तक पक्की नाली निर्माण जिसकी स्वीकृत लागत 5.25 लाख थी पर रु0 28400.00 का व्यय चेक संख्या 697684 दिनांक 03.03.2014 को कार्यप्रभारी श्री अभयराज यादव को किया गया था उक्त के पश्चात उक्त निर्माण पर कोई व्यय विवाद के कारण नहीं किया गया जो अनियमित रहा श्री अभराज यादव कार्य प्रभारी से रु0 28400.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -41 तेरहवां वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में मियापुर बकुची में रामचन्दर प्रजापति के घर से पिचरोड़ होते हुए श्यामदेव राजभर के घर तक पक्की नाली एवं खडन्जा मरम्मत हेतु निम्नानुसार भुगतान किया गया है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	प्राप्तकर्ता का नाम
23.09.2013	966897	176350	अभयराज यादव
20.11.2013	401917	105630	अभयराज यादव
27.12.2013	694162	134670	अभयराज यादव
24.07.2014	469880	195605	अभयराज यादव

उपरोक्त में कार्यप्रभारी श्री अभयराज यादव को कुल रु0 612255.00 भुगतान किया गया है। जिसमें मजदूरी का रु0 76936.00 एवं शेष रु0 535319.00 सामग्री का है। निमानानुसार सामग्री कय का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से फर्म को किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा न कर भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। जो गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए विकास खण्ड अधिकारी/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -42 तृतीय राज्य वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में दिनांक 03.03.2014 को विकास कार्यालय के अधिकारियों की रंगाई/मरम्मत कार्य हेतु व्यवस्थापक (पंचायत उद्योग खेतासराय जौनपुर) श्री राधेश्याम यादव को चेक सं0 697687 से रु0 30000.00 भुगतान है की पुष्टि में सम्बन्धित प्रमाणक तथा पंचायत उद्योग खेतासराय की धन प्राप्ति रसीद की प्राप्ति प्राप्ति नहीं रहा। कार्य काल्पनिक है। रु0 30000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राधेश्याम यादव से अपेक्षित है।

प्रस्तर -43 निर्माण कार्य हेतु सामानों की आपूर्ति कर्ता फर्मों से उनके द्वारा अपूर्ति किये गये सामग्री के बिलों से 4 प्रतिशत बिक्री कर एवं 2.24 प्रतिशत आकर की कटौती कर निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना था जो नहीं किया गया है। विवरण इस प्रकार है-

क्र0 सं0	योजना का नाम व वर्ष	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम व सामग्री	धनराशि	4 प्रतिशत बिक्री कर	2.24 प्रतिशत आयकर
1	राज्य वित्त 2012-13	उसरहटा रफीपुर मेनरोड़ से जयामुद्दीन के घर तक इण्टरलाकिंग सम्पर्क मार्ग	1.मां वैष्णो पेवर्स 2.अरशाद एण्ड ब्रदर्स बी0डी0 3.इन्द्र कुमार यादव ईट भट्टा	517980 224160 190750	20720 8966 7630	11602 5021 4273
2	राज्य वित्त 2012-13	गुरैनी मेन रोड़ से नन्हकु हरिजन के घर तक इण्टरलाकिंग	1.मां वैष्णो पेवर्स 2.लियाकत अली बिल्डिंग मैटेरियल्स 3.रामसकल ईट भट्टा	263355 127980 135579	10534 5119 5423	5899 2861 3036

3	राज्य वित्त 2012-13	उसरहटा में कसूम के घर से अच्छड़न के घर तक इंटरलाकिंग	1.राशीद बिल्डिंग मैटेरियल्स 2.रामसकल ईट भट्टा 3.मां वैष्णो पेवर्स	131280 106750 288090	5251 4270 11523	2940 2391 6453
4	राज्य वित्त 2012-13	भुड़कुड़हा में मुख्य मार्ग से मां राशीद के घर तक इंटरलाकिंग	1 मां वैष्णो पेवर्स 2.लियाकत अली बिल्डिंग मैटेरियल 3.डी0एस0 ईट उद्योग	242985 90240 100650	9719 3609 4026	5443 2021 2254
5	राज्य वित्त 2012-13	रुंदहा मुख्य मार्ग से प्रेम नरायन के घर तक इंटरलाकिंग	1.मां वैष्णो पेवर्स 2.जुनेद आयरन स्टोर 3.मैनुद्दीन ईट भट्टा	218250 119640 139800	8730 4786 5592	4888 2680 3131
6	राज्य वित्त 2012-13	भरौली में हाली इस्तिआज के घर से मां शकूर के घर तक इंटर लाकिंग	1.शक्ति मार्क ईट 2.राशिद बिल्डिंग मैटेरियल 3.लियाकत बिल्डिंग मैटेरियल 4.डी0एस0 ईट उद्योग 5.मां वष्णों	105500 94800 52500 67250 366600	4220 3792 2100 2690 14664	2363 2123 1176 1506 8212
7	राज्य वित्त 2012-13	मकतब कुरकानिया शाही तलाब (मनेछा) में इंटर लाकिंग	1.मां वैष्णों पेवर्स 2.प्रेम बिल्डिंग मैटेरियल 3.डी0एस0 ईट उद्योग	158595 69540 80500	6344 2782 3220	3553 1558 1803
8	राज्य वित्त 2012-13	भुड़कुड़हा में रामआसरे यादव के घर से दयाराम मे घर तक इंटर लाकिंग	1.मां वैष्णों पेवर्स 2.जुनेद आयरन स्टोर 3.शक्ति मार्का ईट	69112 30120 34500	2764 1205 1380	1548 674 773
9	राज्य वित्त 2012-13	सबरहद में भरौली पिच रोड से सुकिबान के घर तक इंटरलाकिंग	1.मां वैष्णों पेवर्स 2.पाण्डेय बिल्डिंग मैटेरियल 3.दिल ईट भट्टा	84390 35040 36500	3376 1402 1460	1890 785 817
10	राज्य वित्त 2012-13	स्बरहद में जामा मस्जिद के पास गलियों में इंटर लाकिंग	1.मां वैष्णों पेवर्स 2.लियाकत बिल्डिंग मैटेरियल	279360 134730	11174 5389	6258 3018
11	राज्य वित्त 2012-13	जपटापुर में रामअचल के घर से रामसूरत कनौजिया के पम्पसेट तक खडन्जा	1.एस0जे0वाई0 ईट भट्टा	497200	19888	11137
12	राज्य वित्त 2012-13	जपटापुर में आर. पी. के घर से शहीद मजार होते पोटरिया सम्पर्क मार्ग खजन्जा	1.एस0जे0वाई0 ईट भट्टा 2.बाबा इण्टर प्राईजेज जपटापुर	466400 15455	18656 618	10447 346
13	राज्य वित्त 2012-13	राजबहादुर के दुकान से कोइरीडीहा चौराहा होतु पूरगब पुलिया के पास ढक्कनदार नाली	1.डी0एस0 ईट उद्योग 2. लियाकत बिल्डिंग मैटेरियल्स	200200 231565	8008 9263	4484 5187
14	राज्य वित्त 2013-14	शाहपुर में मेंन रोड से दीदारगंज	1.हरेन्द्र यादव ईट भट्टा	225000	9000	5040

		मेनरोड़ से यादव बस्ती तक खडन्जा				
15	राज्य वित्त 2013-14	भुडकुडहा में मेन रोड़ से नजीम के घर तक इंटरलाकिंग	1.एस0विशाल ईट 2.अरशद बिल्डिंग मैटेरियल 3.मां वैष्णों	78400 100811 216440	3136 4032 8658	1756 2258 4848
16	राज्य वित्त 2013-14	बरंगी में मेनरोड़ से जयासुदीन के घर तक इंटर लाकिंग	1. बिल्डिंग मैटेरियल्स 2.मां वैष्णों	247656 520800	9906 20832	5547 11666
17	राज्य वित्त 2013-14	थाना परसिर खेतासराय में इंटरलाकिंग	1.मां वैष्णों पेवर्स 2. बिल्डिंग मैटेरियल 3.ईट भट्ठा	371200 55200 50188	14848 2208 2007	8315 1236 1124
18	राज्य वित्त 2013-14	मुडैला में कौड़िया पिच रोड़ से राम प्र0 के ट्यूबेल तक खडन्जा	1.एस0विशाल ईट भट्ठा	336600	13464	7540
19	राज्य वित्त 2013-14	अशरफपुर में ईशा के घर से जब्बर के गेट तक खडन्जा	1.बजरंग ईट भट्ठा	170340	6814	3816
20	राज्य वित्त 2013-14	गुरैनी मदरसा में मेहमान खाना से नाजिम साहब के घर तक इंटर लाकिंग	1.अरशद बिल्डिंग मैटेरियल हरेन्द्र ईट भट्ठा मां वैष्णों पेवर्स	98500 81600 372640	3940 3264 14905	2206 1828 8347
21	राज्य वित्त 2013-14	बडउर जौनपुर शाहगंज मेन रोड़ से नईम के घर तक इंटर लाकिंग	1.गयासुद्दीन बिल्डिंग मैटेरियल्स हरेन्द्र ईट भट्ठा मां वैष्णों पेवर्स	82248 64207 273600	3289 2568 10944	1842 1438 5286
22	राज्य वित्त 2013-14	मनेछा में शाहगंज जौनपुर मेन रोड़ से गुड्डू के घर तक इंटर लाकिंग	1.बिल्डिंग मैटेरियल 2.शुभम बिल्डिंग मैटेरियल 3.डी0एस0ईट उद्योग	110400 60438 50882	4416 2417 2035	2473 1354 1140
23	राज्य वित्त 2013-14	सरायखाजा में जौनपुर शाहगंज मेनरोड़ से अजय सिंह के घर तक इंटरलाकिंग	1.मां वैष्णो पेवर्स 2.पवन बिल्डिंग मैटेरियल्स 3.डी0एस0ईट उद्योग 4.अशरद बिल्डिंग मैटेरियल्स	333280 37915 119769 91100	13331 1517 4791 3644	7465 849 2682 2041
24	राज्य वित्त 2013-14	पोरईखुर्द में पारस के घर से फिरतू यादव के घर तक इंटर लाकिंग	1.एस0विशाल ईट 2.गयासुद्दीन बिल्डिंग मैटेरियल्स 3.जायसवाल आयरन स्टोर 4.हरेन्द्र यादव ईट भट्ठा 5. मां वैष्णो पेवर्स	13475 16540 45510 33000 251200	539 662 1820 1320 10048	302 370 1019 739 5627
25	राज्य वित्त 2013-14	बडऊर में जौनपुर शाहगंज मेनरोड़ से सुबाष यादव के घर तक इंटर लाकिंग	1.मां वैष्णों 2.मां वैष्णों पेवर्स 3.जायसवाल आयरन स्टार	361600 96443 84560	14464 3858 3382	8100 2160 1894

26	राज्य वित्त 2013-14	लेदरही में मेनरोड़ से फैजान के घर तक इंटर लाकिंग	1.मां वैष्णों पेवर्स 2.बजरंग बिल्डिंग मैटेरियल्स 3.गयासुद्दीन बिल्डिंग मैटेरियल्स 3.एस0 विसाल ईट	265728 47580 34800 74000	10629 1903 1392 2960	5952 1065 779 1658
27	राज्य वित्त 2013-14	जपटापुर पोटरिया पिचरोड़ से मोगिनपुर सोनकर बस्ती तक खडन्जा	1.हरेन्द्र ईट भट्टा	165000	6600	3696
28	राज्य वित्त 2013-14	मनीकला में गुरेनी सांगर मेन रोड़ से कब्रिस्तान तक खडन्जा	1.एस0 विशाल ईट भट्टा	165000	6600	3696
29	राज्य वित्त 2013-14	बड़ौना में रामसूरत यादव के घर से अखिलेश यादव के ट्यूबेल तक खडन्जा	1.मे0 डायरेक्ट कस्टमर ईट	398750	15950	8932
30	13 वां वित्त	अशरफपुर में निजामु के घर से मेन नाली तक नाली	1.अमर बिल्डिंग मैटेरियल्स 2.फूल ईट भट्टा	116782 92499	4671 3700	2616 2072
31	13 वां वित्त	सीधा में जैगहां बरंगी रोड़ से मिर्जा अफजाल के घर तक इंटरलाकिंग	1.मां वैष्णों पेवर्स 2.रहमान आयरन स्टोर 3.प्रभाजीत यादव ईट भट्टा	208680 89384 38064	8347 3575 1522	4674 2002 852
32	13 वां वित्त	ताखापश्चिम में केशव लाल राजभर के घर से नहर तक पक्की नाली	1.फुल ईट भट्टा 2.बजरंग बिल्डिंग मैटेरियल	120665 97076	4827 3883	2703 2174
33	13 वां वित्त	ग्राम पंचायत के सोलर लाईट का अधिष्ठापन	1.सौरभ सौर उर्जा	309000	12360	6922
34	13 वां वित्त	मियांपुर बकुची में रामचन्द्र प्रजापति के घर से पिच रोड़ तक नाली	1.हरेन्द्र ईट भट्टा 2.अरशद बिल्डिंग मैटेरियल 3.अग्रहरि बिल्डिंग मैटेरियल	180794 76350 95863	7232 3054 3834	4050 1710 2147
			योग—	13634903.00	545391.00	304565.00

उपरोक्तानुसार बिक्री कर में ₹0 545391.00 एवं आयकर में ₹0 304565.00 कुल ₹0 8,49,956.00 के धनराशि का दुरुपयोग तत्कालीन अंकिक एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है।

प्रस्तर -44 लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में ग्राण्ट रजि0 अनुसार राज्य वित्त एवं 13वां वित्त में अनुदान पर प्राप्त ब्याज ₹0 5,23,492.38 को अनुदान के साथ मिलाकर व्यय किया गया है जो कि अनियमित एवं नियम विरुद्ध है। इस गंभीर अनियमितता के लिये तत्कालीन आंकिक एवं खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम— जौनपुर

मण्डल का नाम—वाराणसी

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत—सिकरारा 2013—14

प्रस्तर —45 शासनदेश सं0 ए-1-122/10-2012-10 33 / 2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार प्राप्त अनुदान को बैंक में बचत खाता खोल कर रखा जाना चाहिए । तथा उसपर प्राप्त ब्याज सरकार की आय होगी तथा उसे सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए। दिनांक 31.03.2014 को तैरहवां वित्त खाते में व्याज रू0 168382.00 शेष था । इसे अविलम्ब वापस कर दिया जाना चाहिए। इस धन को शासन को वापस न कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है । इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिसके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या — 02

प्रस्तर—46 अनुदान रजि0 -2 / तृतीय राज्य वित्त पेज सं0-21 पर दिनांक 20.11.2013 को ब्याज की धनराशि रू0 80000.00 पेज सं0 146 से लाया गया अंकित कर ब्याज की धनराशि को विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किया गया । शासनदेश सं0 ए-1-122/10-2012-10 (33) / 2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार राजकीय अनुदान की धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग की अनुमति से बैंक में खाता खोलकर राजकीय धनराशि जमा की जानी चाहिए , तथा जमा धनराशियों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होती है , तथा इसे राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा रू0 80000.00 अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा न कर एवं व्यय कर गम्भीर अनियमितता की गयी है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या— 03

प्रस्तर —47 दिनांक 31.03.2014 को निम्नलिखित विवरण के अनुसार विभिन्न मदों में रू0 986137.00 की अनुदान की धनराशि अवरुद्ध रखी गयी है । स्पष्ट है कि अनुदान का समय से उपभोग नहीं किए जाने के फलस्वरूप अनुदान अवशेष रहा । अनुदान को रोके जाने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया है । राजकीय अनुदान की भारी मात्रा में अवशेष दिखाए जाने के फलस्वरूप स्पष्ट होता है कि जिस कार्य हेतु अनुदान प्राप्त किए गए थे वे कार्य नहीं कराये गये । विभागीय अधिकारियों का ध्यान इसओर आकृष्ट किया जाता है । अतः अवशेष अनुदान रू0 986137.00 को वित्तिय अनुदानदाता को वापस कर देना चाहिए । विवरण निम्नलिखित है :—

क्रमांक	विवरण शीर्ष	अवशेष अनुदान की धनराशि रू0 में
1	तैरहवां वित्त	577055.00
2	तृतीय राज्य वित्त	366011.00
3	पेयजल	25000.00
4	वायोगैस	3550.00
5	ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रशिक्षण	1400.00
6	त्रिस्तरीय पं0 निर्वाचन मानदेय	7900.00
7	राष्ट्रीय स्वास्थ्य वीमा	4900.00
8	सामाजिक आर्थिक गणना	321.00
	योग	986137.00

इस प्रकार रू0 986137.00 अनुदान की धनराशि खाते में अवरुद्ध कर अनियमितता बरती गयी है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या— 07

प्रस्तर —48 दिनांक 31.03.2014 को निम्नलिखित विवरण के अनुसार चेक असमायोजित रहा । जो पुराना एवं कालातीत हो गया है।

क्रमांक चेक संख्या चेक निर्गत का दिनांक धनराशि रू0 में

1	153438	12.07.2007	2000.00
2	304342	12.07.2007	2000.00
3	896853	18.11.2009	2000.00
4	896854	18.11.2009	2000.00
5	007576	17.03.2011	4700.00
6	996033	24.10.2012	3050.00
7	896880	01.02.2013	2000.00
8	896882	01.02.2013	4000.00

योग 21750.00

कालातीत चेकों को व्यय में दर्शाया जाना अनियमित है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या— 08

प्रस्तर -49 उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 -ए-1-864/दस-08-15 1 /86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए सामग्री आपूर्ति की वित्तीय सीमा रू0 20000.00 तक बिना कोटेशन के तथा रू0 20000.00 से रू0 100000.00 तक कोटेशन द्वारा तथा रू0 100000.00 से अधिक की सामग्री के कय के लिए टेण्डर आमंत्रित कर आपूर्ति की जानी चाहिए जो लोक निर्माण विभाग के लेखा नियमों के प्रस्तर 360 से 364 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए । निम्नलिखित सामग्री कय में इस नियम का पालन नहीं किया गया है :—

क्रमांक	कार्य का नाम	सामग्री	धनराशि	रू0
1	ग्राम पं0— रामनगर में पक्की सड़क से सरोज बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	पत्थर ईंट		120096.00
2	ग्राम पं0— ककोहिया में पक्की सड़क से श्री रामलोटन कन्नौजिया बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	पत्थर ईंट		220452.00
3	ग्राम पं0—इब्राहिमाबाद में इलाहाबाद मुख्य मार्ग से बनवारी यादव के घर होते हुए उदेशबाबा मन्दिर तक मिट्टी खड्जा कार्य	ईंट		116268.00
4	ग्राम पं0— ककोहिया में रीठी — ककोहिया पक्की सड़क से पाण्डेय बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	पत्थर ईंट		264383.00
5	ग्राम पं0 — शेरवां में वधौरा पक्की सड़क से वीरेन्द्र कन्नौजिया व ब्राह्मण बस्ती तक मिट्टी/ खड्जा कार्य	ईंट		193080.00
6	ग्राम पं0 — जनेवरा में पक्की सड़क से तनेवरा हरिजन बस्ती तक मिट्टी/ खड्जा कार्य	ईंट		210017.00
योग				1124296.00

उपरोक्त कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्रीयों को बिना टेण्डर प्रक्रिया का पालन किए कय किया गया है जो अनियमित है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या— 09

प्रस्तर -50 वर्ष 2013-14 में विभिन्न परियोजनाओं पर निर्माण कार्य हेतु तैरहवों वित्त में कुल सामग्री कय रू0 2634107.00 4/ की दर से बिक्री कर रू0 105365.00 तथा तृतीय राज्य वित्त में कुल सामग्री कय रू0 4603307.00 पर 4/ का दर से बिक्री कर रू0 184133.00 कुल योग रू0 289498.00 की कटौती नहीं की गयी है । रू0 289498.00 की कटौती टी. डी. एस. के अन्तर्गत न किया जाना गम्भीर अनियमितता है , जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **आपत्ति संख्या—1**

जनपद का नाम— जौनपुर

मण्डल का नाम—वाराणसी

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्षेत्र पंचायत—सिकरारा— 2014-15

प्रस्तर -51 शासनादेश सं0 ए-1-122/10-2012-10(33) /20 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार राजकीय धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग की अनुमति से बैंक में बचत खाते खोलकर राजकीय धनराशियाँ जमा की जानी चाहिए तथा जमा धनराशियों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर सरकार की आय होती है तथा इसे राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए । इस दृष्टि से समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था स्तर द्वारा बिना वित्त विभाग की अनुमति के विभिन्न बैंकों में खातें खोल रखे गये हैं । वर्ष आलोच्य में अर्जित ब्याज रू0 58979.00 तथा वर्ष के अन्त में अवशेष ब्याज रू0 29547.00 अनुदान पंजिका -3 के अनुसार रहा । जिसे उक्त शासनादेश के क्रम में राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या — 06

प्रस्तर -52 ग्राण्ट पंजिका -2 के (13 वॉ वित्त) के पृष्ठ सं0 -118 से दिनांक 10.10.2014 को रू0 500000.00 राज्य वित्त के ग्राण्ट पंजिका -2 के पृष्ठ सं0 -33 पर स्थानान्तरित कर विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय कर किया गया है । पुनः उक्त धनराशि को ग्राण्ट पंजिका -2 (तृतीय राज्य वित्त) के पृष्ठ सं0 - 35 से दिनांक 16.12.2014 को ग्राण्ट पंजिका -2 के 13 वॉ वित्त के पृष्ठ संख्या - 120 पर पुनः वापस कर दिया गया है । इस प्रकार रू0 5 लाख का अन्तरण अनियमित परियोजनाओं पर व्यय कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं । कार्यवाही अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या— 07

प्रस्तर-53 निम्नलिखित विवरण के अनुसार ब्याज की धनराशि अनुदान रजिस्टर -3 के अनुसार तृतीय राज्य वित्त एवं तैरहवों वित्त में ट्रांसफर कर विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय किया गया है , जबकि शासनादेश सं0 ए-1-122/10-2012-10(33) /20 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार / अनुदानदाता को कर दिया जाना चाहिए था ।

क्रमांक दिनांक ब्याज ट्रांसफर की धनराशि मद का नाम जिसमें ब्याज की धनराशि ट्रांसफर की गयी

1	19.06.14 40000.00	तृतीय राज्य वित्त
2	24.06.14 40000.00	तृतीय राज्य वित्त
3	22.09.14 15000.00	तृतीय राज्य वित्त
4	मार्च 14 102000.00	तैरहवों वित्त
योग		197000.00

इस प्रकार ब्याज की धनराशि को तृतीय राज्य वित्त एवं तैरहवों वित्त में अन्तरण कर व्यय किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं । रू0 197000.00 संयुक्त रूप से खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है । **आपत्ति संख्या— 08**